

बीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

कम संख्या ५२२४  
काल नं० ०३ हिन्दी  
संख्या ११

वीर शहीदों की स्मृति पुस्तक

कृष्णा नं० ५२२५

रं१: कृष्णा न. देहली



**हिंदी विश्वकोश**


## सामान्य समुद्री शैवाल



(१) कॉड्रस (Chondrus) लाल रंग का समुद्री शैवाल; (२) अल्वा (Ulva), हरा शैवाल, जो उबार-भाटा के तलों में प्रायः पाया जाता है; (३) सिरेमियम (Ceranium), हलके लाल रंग का शैवाल (प्रवर्धित,  $\times 7$ ); (४) अलेरिया (Alaria), उत्तरी समुद्रों में पाया जानेवाला, जैतूनी भूरे रंग का शैवाल, जिसके लंबे पत्ते के मध्य छद्म पर्णिका होती है; (५) एटरोमोर्फा (Enteromorpha), अल्वा का संबंधी, जिसमें नलिकाकार सूत्र होते हैं; (६) लीथेसिया (Leathesia), भूरे रंग का ससलसा प्रवर्ध, जो कोरेलिन (Coralina) नामक कैल्सीकृत लाल शैवाल से संबद्ध रहता है, तथा (७) डेलेसीरिया (Delesseria), हलके लाल रंग का शैवाल, जिसमें पत्तियों के सदृश नसों वाले पर्ण होते हैं।

# हिंदी विश्वकोश

खंड ११



'विद्युतीकरण' से 'सल्फोनेमाइड' तक



नागरीप्रचारिणी सभा  
वाराणसी

निदेशक  
स्वर्गीय संपूर्णानंद  
प्रधान संपादक  
रामप्रसाद त्रिपाठी  
संपादक  
फूलदेव सहाय वर्मा  
मुकुंदीलाल श्रीवास्तव

संपादन सहायक तथा सहकारी

भगवानदास वर्मा	(विज्ञान)	जंगीर सिंह	(मानवतादि)
अश्विनारायण मेहरोत्रा	(विज्ञान)	वैजनाथ वर्मा	(चित्रकार)

हिंदी विश्वकोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूर्ण व्यय भारत  
सरकार के शिक्षामंत्रालय ने वहन किया तथा इसकी  
बिक्री की समस्त आय भारत सरकार को  
'समा' दे देती है।

---

प्रथम संस्करण

शकाब्द १८३१

सं० २०२६ वि०  
नागरी मुद्रण, वाराणसी,  
में मुद्रित

१९६६ ई०

## परामर्शमंडल के सदस्य

पं० कमलापति त्रिपाठी, सभापति, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ( अध्यक्ष )

माननीय श्री भक्तवर्धन, राज्य शिक्षामंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', पटना ।

श्री एन० एम० टैगोर उपसलाहकार (भाषा), शिक्षामंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी ( संयुक्त मंत्री ) ।

सुश्री डा० कीमुदी, उपविक्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

श्री करुणापति त्रिपाठी, प्रकाशनमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

प्रो० ए० चंद्रहासन, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दरियागंज, दिल्ली ।

श्री मोहकमचंद मेहरा, अर्थमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

डा० नंदलाल सिंह, अध्यक्ष, भौतिकी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

श्री शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र', साहित्यमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

श्री सुधाकर पांडेय, प्रधान मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ( मंत्री तथा संयोजक ) ।

## संपादक समिति

पं० कमलापति त्रिपाठी, सभापति, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ( अध्यक्ष )

माननीय श्री भक्तवर्धन, राज्य शिक्षामंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

श्री एन० एम० टैगोर उपसलाहकार ( भाषा ), शिक्षामंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

श्री मुकुंदीलाल श्रीवास्तव, संपादक, मानवतादि, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा, संपादक (विज्ञान), हिंदी विश्वकोश, नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

श्री करुणापति त्रिपाठी, प्रकाशनमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

श्री मोहकमचंद मेहरा, अर्थमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

श्री शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र', साहित्य मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

श्री सुधाकर पांडेय, प्रधान मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ( मंत्री तथा संयोजक ) ।



## प्राक्थन

विश्वकोश का यह ग्यारहवाँ खंड प्रकाशित हो रहा है। निश्चित योजना के अनुसार इसे छह मास में प्रकाशित हो जाना चाहता था पर कुछ अनिवार्य कारणों से, जिनमें उपयुक्त कागज का कुछ समय तक बाजारों में प्राप्त न होना भी संमिलित है, इसके प्रकाशन में नौ मास का समय लग गया। अब विश्वकोश का केवल एक, बारहवाँ, खंड प्रकाशित होना शेष रह गया है। आशा है, इसका प्रकाशन अब शीघ्र ही कुछ मासों में हो जायगा। इसप्रकार विश्वकोश के प्रकाशन का कार्य, जो १९६० ई० में (प्रथम खंड इसी वर्ष प्रकाशित हुआ था) शुरू हुआ था, अब १९६९ ई० में समाप्त होने जा रहा है। इस खंड के साथ ही परिशिष्ट और अनुक्रम-णिका भी प्रकाशित हो जाएंगी।

इस खंड में ५०६ पृष्ठ हैं, जिनमें ५१६ लेखों के अंतर्गत २३८ विशिष्ट विद्वानों की रचनाओं का समावेश है। इसमें रंगीन चित्र के अतिरिक्त अनेक रेखाचित्र, चित्रफलक और मानचित्र भी दिए हुए हैं।

संपादन और प्रकाशन कार्य में जिन व्यक्तियों ने सहयोग प्रदान किया है उनके प्रति तथा विश्वकोश के कार्यालय के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं के प्रति हम आभारी हैं। नागरी-प्रचारिणी सभा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी गण विशेष रूप से हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने इस खंड के प्रणयन और प्रकाशन में विशेष उत्साह एवं सहयोग प्रदान किया है।

**फूलदेव सहाय वर्मा**

प्रधान संपादक (स्थानापन्न)





## एकदश खंड के लेखक

- अ० कु० वि० अशनींद्र कुमार विद्यालंकार, पत्रकार, इतिहास सदन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।
- अ० सि० अनेश तिवारी, बी० एस-सी०, ए० बी० एम० एस०, डेप्युटी स्ट्रेटर, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- अ० ना० अ० अमर नारायण अग्रवाल, वाणिज्य संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
- अ० ना० मे० अजित नारायण मेहरोत्रा, एम० ए०, बी० एस-सी०, बी० एड०, साहित्यरत्न, संपादक सहायक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी-१ ।
- अ० मि० अनंत मिश्र, १२१ चित्तरंजन ऐवेन्यू, २ तस्ला ७५, कमरा ६७, कलकत्ता-७ ।
- अ० मि० अशिराज मिश्र, रसायनविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- अ० ला० अनंत लाल, बी २२।२६०, पो० आ० खोजवाँ बाजार, वाराणसी ।
- अ० छु० अजित शुक्देव, एम० ए०, कालेज ऑव इंडोलॉजी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- अ० सि० अवतार सिंह, प्राध्यापक, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- अ० सि० अशय सिन्हा, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, ए० आर० आइ० सी० (लंदन), टेक्नॉलोजिस्ट, प्लानिंग ऐंड डेवलपमेंट डिविजन, फटिलाइजर कारपोरेशन ऑव इंडिया, सिवरी, धनबाद, बिहार ।
- आ० मि० आत्मानंद मिश्र, प्रिंसिपल, प्रांतीय शिक्षण महा-विद्यालय, जबलपुर ।
- आ० रा० आशाराम, रीडर, राजनीति विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
- आ० वे० (फादर) आस्कर बेरेक्रुइसे, प्रोफेसर ऑव होली क्रिस्चर्स, सेंट प्रलबर्ट्स सेमिनरी, रांची ।
- आर० आर० दि० आर० आर० दिवाकर, मूलपूर्व राज्यपाल, बिहार, २ रेजीडेंसी रोड, बंगलौर ।
- आर० एच० दा० आर० एन० दांडेकर, भांडारकर शोधसंस्थान, पूना ।
- इ० कु० सि० इक्तिवार हुसैन सिद्दीकी, द्वारा, डा० खलीक मुहम्मद निखामी, ३ इंग्लिश हाऊस, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
- उ० ना० पी० उदयनारायण पांडेय, एम० ए०, रजिस्ट्रार, हावर एजुकेशन फॉर लडाखी स्टुडेंट्स, बेला रोड, दिल्ली-६ ।
- उ० मि० उमेश मिश्र, तीरमुक्ति, एलनगंज, प्रयाग ।
- उ० शं० प्र० उमा शंकर प्रसाद, एम० एस-सी० (आर०), एम० बी० बी० एस०, डी० एम० आर० डी० (इंग्लैंड), डी० एम० आर० टी० (इंग्लैंड), रीडर, मेडिकल कालेज, जबलपुर ।
- ए० एस० वे० ए० एस० वेदी, त्रिवेडि, खड़गवासला, पूना, महाराष्ट्र ।
- एन० बी० रा० एम० बी० रामसुब्रह्मण्यम, देवनगर, दिल्ली ।
- एन० सी० जो० एन० सी० जोगनेकर, हिंदी विभाग, पूना विश्व-विद्यालय, पूना ।
- एम० एम० देसाई मुकुंद मोरेश्वर देसाई, प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- एम० पी० सि० आर० पी० सिंह, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑव टेक्नॉ-लोजी, बंबई-१८ ।
- एल० एन० मा० एल० एन० मायुर, विधि विभाग, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ ।
- एल० एस० को० एल० एस० कोठारी, डा०, एटीएम एनजी इस्टेब्लिशमेंट, ट्रांबे, बंबई ।
- एस० के० पी० एस० के० पाल, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, इलाहाबाद ।
- ओं० ना० श० ओंकार नाथ शर्मा, मूलपूर्व बरिष्ठ लोको फोरमैन, डी० बी० ऐंड० सी० आइ० रेलवे, निवृत्त प्रधानाध्यापक, यंत्रशाला, प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र, पूर्वोत्तर रेलवे, लक्ष्मी निवास, गुलाब बाड़ी, भजमेर ।
- ओं० प्र० ओमप्रकाश, १३।५, लक्तिनगर, दिल्ली-७ ।
- ओ० स्मे० ओडोलिन स्मेकल, एम० ए०, पी-एच० डी०, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, चार्ल्स विश्वविद्यालय, प्राग, चेकोस्लोवाकिया ।
- क० कि० सी० कंबल किशोर चोपड़ा, मार्फत श्रीमती कृष्ण कुमारी चोपड़ा, सहा० रिसर्च ऑफिसर, कौंसिल ऑव स्टेट्स, सचिवालय, पार्लमेंट हाऊस, नई दिल्ली ।
- क० ना० गु० कमलनाथ गुप्त, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, हरिश्चंद्र हिंदी कालेज, वाराणसी ।

- ८० ५० मि० कल्याणपति त्रिपाठी, वाराणसी संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी ।
- का० पु० कामिल बुल्के, एम० जे०, एम० ए०, डी० फिल०, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, सेंट जेवियर्स कालेज, राँची ।
- का० सु० काजी मुईमुद्दीन, डा० नय्यर विद्या, नदरबाग, अलीगढ़ ।
- कि० र्च० अ० किरण चंद्र चक्रवर्ती, एम० एस-सी०, भूतपूर्व रीडर, जूनीयर्स विभाग, काशी हिंदू विश्व-विद्यालय, वाराणसी ।
- कि० दा० वा० किशोरीदास वाजपेयी, हिमाचल एजेंसी, कनकाल, हरिद्वार ।
- कृ० दि० कृष्ण दिवाकर, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
- कृ० प्र० श्री० कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव, पी-एच० डी०, प्राध्यापक, प्राणिविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- के० एल० जोशी, एम० ए० (लंदन), सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली ।
- के० सि० कर्नल केसरी सिंह, नारायण निवास, जयपुर ।
- के० सी० श्री० कैलाशचंद्र श्रीवास्तव, एल० एल० एम०, प्राध्यापक विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- के० अ० श्री० गिरिजा किशोर गहरामा, प्राध्यापक, जर्मनभाषा कालेज, अलीगढ़ ।
- वि० शं० मि० गिरिजाशंकर मिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी०, पाठ्याध्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- गु० मि० गुरुदेव त्रिपाठी, एम० ए०, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ आर्ट एंड साइंसेज, पिसानी (राजस्थान) ।
- गु० भा० दु० गुरुनारायण दुबे, एम० एस-सी०, सर्वोच्च अधीक्षक, सर्वोच्च विभाग, हैदराबाद, आंध्र ।
- गो० दा० अ० गोबुल दास अग्रवाल, एम० डी० डी० एल०, विशारद, के ३७३०, मुलानाला, वाराणसी-१ ।
- गो० भा० अ० गोरखनाथ अतुर्वेदी, डी० ए०, ए० डी० एम० एल०, रीडर (काय चिकित्सा), चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- र्च० मि० चंद्रबली त्रिपाठी, २१ जी सेक्टर, १८ डी, चंडीगढ़, पंजाब ।
- र्च० डी० चंद्रोदय दीक्षित, दीक्षित ब्रदर्स बिल्डिंग, नारायण महल रोड, लखनऊ ।
- र्च० आ० पां० चंद्रमान पांडे, डा०, डी ५/६० अथर्व नवी, वाराणसी ।
- र्च० यू० मि० चंद्र भूषण मिश्र, प्रोफेसर, बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, मेसरा, राँची ।
- अ० र्च० जै० जगदीश चंद्र जैन, प्राकृतिक जैन इंस्टिट्यूट, मुजफ्फरपुर, बिहार ।
- अ० दे० सि० जयदेव सिंह, विश्राम कुटी, सिद्धिगिरि बाग, वाराणसी-१ ।
- अ० ना० अ० जगदीश नारायण भस्मिक, एम० ए०, अध्यक्ष दशम विभाग, राजेंद्र कालेज, छपरा ।
- अ० मि० अ० जगदीश मिश्र नेहन, ऐडिशनल कंसल्टिंग इंजीनियर (रोड्स), रोड्सविंग, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेस्पोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेसपोट भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।
- अ० सि० जगदीश सिंह, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राध्यापक, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- अि० ना० वा० जितेंद्र नाथ वाजपेयी, एम० ए०, पी-एच० डी०, रीडर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- जी० के० अ० गोपी कृष्ण अरोड़ा, प्राध्यापक, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- जे० एन० स० जे० एन० सक्सेना, प्राध्यापक, कानून विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
- ज्ञा० भा० ज्ञानानंद नागर, एम० एल०, एम० पी० डी० के० (यू० एस० ए०), डिप० एड० (लंदन), टीवर्स ट्रेनिंग कालेज (का० हि० वि० वि०), कमच्छा, वाराणसी ।
- अ० अ० अ० अक्षरखंडेय श्रीवा, डी० ए०, ए० एम० डी० एल०, एच० पी० ए०, डेमास्ट्रेटर, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी-५ ।
- ज्ञा० प्र० सि० तारणी प्रसाद सिन्हा, प्रोफेसर, ग्रैनटोमि विभाग, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कालेज, पटना ।
- त्रि० र्च० त्रिलोचन पंत, एम० ए०, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- द० कृ० आ० दयाकृष्ण मायुर, एम० एस-सी०, डी० फिल०, (इलाहाबाद), पी-एच० डी० (कैंटब), आचार्य स० अ० राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर, राजस्थान ।
- द० र्च० दु० (स्वर्गीय) बमार्जकर दुबे, एम० ए०, एल-एल० डी०, भूतपूर्व प्राध्यापक अर्थशास्त्र, प्रयाग वि० वि०, इलाहाबाद ।
- द० अ० दशरथ शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्०, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

- द० सि० दमकी सिंह, रीडर, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- दि० जी० विनकर कौशिक, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कालेज ऑफ फाइन आर्ट्स, लखनऊ ।
- दी० चं० (स्व०) दीवान चंद्र, एम० ए०, डी० लिट०, भूतपूर्व वाइसचांसलर, आगरा विश्वविद्यालय, ६३ छावनी, कानपुर ।
- दु० द० सि० दुर्गा दत्त सिंह, ब्यापिक अधिकारी, देवरिया ।
- ब० चर्मरत्न, डा० प्रोफेसर, पालि इंस्टिट्यूट, नालंदा, बिहार ।
- ब० कि० गु० बनवंत किशोर गुप्त, डी० एस-सी०, डिप्टी डाइरेक्टर, फिजिक्स सेल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी-५ ।
- ब० ना० शा० चमैंद्र नाथ शास्त्री, एम० ए०, एम० फी० एल०, पी-एच० डी०, अध्यक्ष संस्कृत हिंदी विभाग डी० ए० बी० कालेज, देहरादून ।
- ब० वी० चर्मवीर, विकासकुंज, बस्ती शियानगर, उवालापुर, सहारनपुर ।
- बी० ना० सि० धीरेंद्र नाथ सिंह, रिसर्च स्कालर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- नं० कु० रा० नंद कुमार राय, एम० एस-सी०, संपादक सहायक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
- न० क० नवरत्न कपूर, पी-एच० डी०, गवर्नमेंट कालेज, पटियाला ।
- न० कु० नगेंद्र कुमार, बार-एट-ला, राजेंद्रनगर, पटना ।
- न० चं० च० नरेश चंद्र चतुर्वेदी, एम० ए०, लेफिटेनेंट कर्नल, डिप्टी कमांडेंट, सेंट्रल ग्राडिनेंस डिपो, कानपुर ।
- न० द० मि० नगेंद्र दत्त मिश्र, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, चीफ केमिस्ट, मंड्य० नैशनल पेपर मिस्स लि०, बेलागुला, डाकघर कुण्जराज सागर, जिला मंड्या (मैसूर) ।
- नि० जी० निर्मला कौशिक, प्राध्यापिका, भूगोल विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- नि० चं० गु० जित्या नंद गुप्ता, एम० डी० (मेडिसिन), फिजी-शियन, मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
- प० परमानंद, ३६, चौथम लाइंस, इलाहाबाद-२ ।
- प० ड० पद्म उपध्याय, प्रिंसिपल, भाविक्या पाठशाला, झुलवा ।
- प० ब० परशुराम चतुर्वेदी, एम० ए०, एल-एल० बी०, वकील, बलिया ।
- पा० श्या० सि० पारसनाथ सिंह, देवदत्त कुटीर, के ४/३७ तालाब, वाराणसी ।
- पी० जी० कुंजभुवन, एम० ए०, एल-एल० एम०, प्राध्यापक, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- पु० क० पुष्पा कपूर, एम० ए०, प्राध्यापिका, भूगोल विभाग महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- प्र० चं० गु० प्रकाशचंद्र गुप्त, एम० ए०, अंग्रेजी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
- प्र० दा० शा० प्रभु दास शाह, एम० एस-सी० (गणित), एम० एस-सी० (भौतिकी), प्राध्यापक श्याम सुंदर बसवाल पोस्ट प्रोजेक्ट कालेज, सिहौरा रोड (म० प्र०) ।
- प्र० ना० मे० प्रकाश नाथ मेहरोत्रा, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, एफ० इ० एम० आइ०, एफ० आर० ई० एस०, रीडर एवं अध्यक्ष, प्राणिविज्ञान विभाग, राँची कालेज, राँची, बिहार ।
- प्र० ना० प्रभाकर मानवे, एम० ए०, पी-एच० डी०, सहायक मंत्री, साहित्य अकादमी, रींद्र भवन, ३५ फीरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली-१ ।
- प्र० ब० प्रमिला वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राध्यापक भूगोल विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) ।
- प्र० श्री० प्रमिला शोवास्तव, प्राध्यापक, गणित विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- प्रि० कु० बी० प्रिय कुमार चौबे, डी० ए०, ए० बी० एम० एस० डी० पी० पी०, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी-२ ।
- फ० चं० जी० फकीर चंद्र झोलक, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, डी० एस-सी०, एफ० एन० आइ०, प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-६ ।
- फू० स० ब० फूलदेव सहाय वर्मा, एम० एस-सी०, ए० आइ० आइ० एस-सी०, भूतपूर्व प्रोफेसर, प्रौद्योगिक रसायन एवं प्रघानाचार्य, कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सप्रति संपादक, हिंदू विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
- ब० प्र० मि० बलभद्र प्रसाद मिश्र, एम० ए०, ४७/१५, कबीर मार्ग, लखनऊ ।
- ब० प्र० स० बनारसी प्रसाद सक्सेना, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान) ।
- बी० एल० सा० ब्रजमोहन लाल साहनी, एम० ए०, भूतपूर्व रीडर, अंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ।
- डु० बी० वैजनाथ पुरी, नैशनल एकेडेमी ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन, न मसरी ।

- प्र० कि० शं० ब्रज किशोर शर्मा, एम० एल० एम०, प्राध्यापक, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- प्र० जी० था प्री० श्री० ब्रज मोहन, भूतपूर्व अध्यक्ष, गणित विभाग एवं भूतपूर्व प्रिंसिपल, आर्ट्स कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- प्र० जी० झा० ब्रजमोहन लाल रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, ३३।१७ ईस्ट प्लेट नगर, नई दिल्ली ।
- प्र० ए० दा० (स्वर्गीय) ब्रजरत्न दास, बी० ए०, एल-एल० बी०, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, झुड़िया, वाराणसी ।
- अ० दा० ब० भगवान दास वर्मा, बी० एस-सी०, एल० टी०, भूतपूर्व अध्यक्ष, डेली (बीएम) कालेज, इंदौर, भूतपूर्व सहायक संपादक, इंडियन क्रानिकल, संप्रति विज्ञान सहायक, हिंदी विश्वकोश नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी-१ ।
- अ० प्र० श्री० भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी०, एल एल० बी०, एसोसियेट प्रोफेसर, धर्मसमाज कालेज, अलीगढ़ ।
- अ० सी० था० (स्व०) भवानी शंकर याज्ञिक, डॉक्टर, ८ शाह-नजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ ।
- धू० की० रा० भूवेंद्र कांत राय, एम० ए०, रिसर्च ऑफिसर, नेशनल ऐटलस आर्गनाइजेशन, १, लोथर सकुंलर रोड, कलकत्ता-२० ।
- धू० ना० प्र० भृगुनाथ प्रसाद, पी-एच० डी०, रीडर, प्राणि विज्ञान विभाग, सार्वस कालेज, काशी हिंदू विश्व-विद्यालय, वाराणसी-५ ।
- धू० ना० सि० भृगुनाथ सिंह, आर० एम० श्री०, स्टेट आधुनिक कालेज एवं हॉस्पिटल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- जी० सि० भोलानाथ तिवारी, डॉ० किरोडोमल कालेज, दिल्ली ।
- जी० अ० प० मंजुला मणिभाई पटेल, लेक्चरर, बिड़ला प्लेने-टेरियम, ६६, चौरगी, कलकत्ता ।
- अ० ए० शं० महेश्वर दयालु शर्मा, सहायक उपशिक्षानिदेशक, शिक्षानिदेशक कार्यालय, इलाहाबाद ।
- अ० आ० गु० मन्मथनाथ गुप्त, भूतपूर्व संपादक, 'आजकल' पब्लि-केशन डिवीजन, दिल्ली ।
- अ० आ० मे० महाराज नारायण मेहरोत्रा, एम० एस-सी०, एफ० जी० एम० एस०, रीडर, भूविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- अ० आ० ब० महेंद्र नारायण वर्मा, प्राध्यापक, भौतिकी विभाग, सार्वस कालेज, पटना-५ ।
- अ० प्र० अ० महेंद्रप्रताप मदन, पी-एच० डी०, डी० एस-सी०, एस० एम० आर० आर० ई०, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ ।
- म० प्र० शं० महादेव प्रसाद शर्मा, सागर विश्वविद्यालय, सागर।
- म० झा० द्वि० मनोहर लाल द्विवेदी, साहित्याचार्य, एम० ए०, पी-एच० डी०, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय । वाराणसी ।
- म० झा० शं० (स्वर्गीय) मथुरा लाल शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्या-लय, जयपुर ।
- मि० चं० पा० मिथिलेश चंद्र पांड्या, एम० ए०, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, हिंदू पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अमरोहा (मुरादाबाद) ।
- मि० ब० मिस्टन चरण, बी० ए०, भारतीय मसीही सुधार समाज, एस १७, २८ राजाबाजार, वाराणसी ।
- मु० मुकुंदलाल श्रीवास्तव, साहित्याचार्य संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
- मु० ड० मुहम्मद उमर, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, रूरल इंस्टिट्यूट, जामिया मिलिया, नई दिल्ली ।
- मु० चौ० मुनि चौबे
- मु० रा० मुदाराक्षस, एम० ए० (ऑनर्स), सोनेगांव, लखनऊ ।
- मु० झा० शं० मुरारी लाल शर्मा, एम० ए०, उद्योगशास्त्र, विद्यावारिधि, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- मु० ब० मि० मुहम्मद वहीद मिर्जा, भूतपूर्व प्रोफेसर अरबी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रधान संपादक, उर्दू इस्लामी विश्वकोश, पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर ।
- मु० शु० मुक्ता मुक्ल, एम० ए०, आनाशवाणी, सारनाथ, लखनऊ ।
- मु० स्व० ब० मुकुंद स्वरूप वर्मा, बी० एस-सी०, एम० बी० बी० एस०, भूतपूर्व चीफ मेडिकल ऑफिसर तथा प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, काशी हिंदू विश्व-विद्यालय, वाराणसी-५ ।
- मु० इ० मुहम्मद हबीब, बी० ए०, डी० लिट्, भूतपूर्व प्रोफेसर, इतिहास तथा राजनीति विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
- य० रा० मे० यशवंत राव मेहता, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० (यू० एस० ए०) एसोसियेट आइ० ए० आर० आइ०, इकोनामिक बोर्डेनिस्ट, उ० प्र०, कानपुर ।
- या० ब० यादवेंद्र दत्त दुबे, एम० एल० ए०, राजा साहब, जौनपुर ।
- र० ड० रत्नाकर उपाध्याय, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, गवर्नमेंट इंटर कालेज, झांझाबाद, रामपुर ।
- र० की० पा० रत्ना कांत पांडेय, एम० एस-सी०, धर्मरक्षा-वास, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।

- २० कु० मि० रमेश कुमार मिश्र, विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- २० कु० बा० रमेश कुमार वागिशा, ला कॉलेज, चडीगढ़ ।
- २० ग० रमेश चंद्र गर्ग, सहायक शिक्षा अधिकारी (चिकित्सा), यू० जी० सी० भवन (शिक्षा मन्त्रालय), नई दिल्ली ।
- २० चं० ग० रमेश चंद्र शर्मा, डी० एस० सी०, डी० फिल०, प्रोफेसर रसायन विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान) ।
- २० ं० सि० रमेश चंद्र तिवारी, एम० ए०, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
- २० ज० रजिया सज्जाद जहीर, एम० ए०, भूतपूर्व लेक्चरर उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- २० न० श० रमानाथ शर्मा, एम० ए०, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
- २० श० द्वि० रमा शंकर द्विवेदी, प्रध्यापक, वनस्पति विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- २० शं० सि० रमा शंकर सिंह, पी०एच० डी०, रीडर भौतिकी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- २० श० श० रघुराज शरण शर्मा, एम० ए०, पी०एच० डी०, पेडागॉगिकल इन्स्टिट्यूट, इलाहाबाद ।
- २० शु० रमापति शुक्ल, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- २० स० रमातोष सरकार, एम० एस०सी० (कलकत्ता), प्राध्यापक, बिड़ला प्लेनेटेरियम, ६६, चौरंगी रोड, कलकत्ता-१६ ।
- २० सि० रमा सिंह, डॉ०, रतनाडा, जोधपुर ।
- २० अ० द्वि० राम भवष द्विवेदी, एम० ए०, डी० लिट्०, एमेरिटस प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
- २० क० अं० राधेश्याम अंबष्ठ, एम० एस०सी०, पी०एच० डी०, एफ० डी० एस०, प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- २० श्या० अं० राजकुमारी अश्रवाल, द्वारा श्री सुरेंद्र कुमार अश्रवाल,
- २० कु० राम कुमार, एम० एस०सी०, पी०एच० डी०, प्रोफेसर गणित तथा अध्यापक, अनुभूयुक्त गणित विभाग, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।
- २० कु० ग० राम कुमार गर्ग, प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भागलपुर इंजीनियरिंग कालेज, भागलपुर, बिहार ।
- २० कु० भा० राम कृष्ण भाग, एम० ए०, पी०एच० डी०, प्रिंसिपल, हुस्तिनापुर कालेज, मोती बाग, नई दिल्ली ।
- २० चं० मि० रामचंद्र नियम, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- २० चं० बा० रामचंद्र पाठय, एम० ए०, पी०एच० डी०, व्याकरण्याचार्य, बौद्ध दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
- २० चं० मे० रामचरण मेहरोत्रा, रसायन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
- २० चं० शु० राम चंद्र शुक्ल, एम० डी०, प्रोफेसर फिजियोलोजी विभाग, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ।
- २० चं० शु० रामचंद्र शुक्ल, लेक्चरर, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी ।
- २० चं० स० राम चंद्र सक्सेना, भूतपूर्व प्राध्यापक, प्राणि विज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- २० चं० सि० राम चंद्र सिन्हा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, त्रिभोलीजी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
- २० दा० सि० रामदास तिवारी, एम० एस०सी०, डी० फिल०, प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
- २० के० त्रि० राम फेर त्रिपाठी, एम० ए०, शोधछात्र, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- २० द्वि० (स्वर्गीय) रामाज्ञा द्विवेदी, एम० ए०, बंगला नं० ५००, उ० पू० रेलवे कालोनी, गोरखपुर ।
- २० ना० राजेंद्र नागर, एम० ए०, पी०एच० डी०, रीडर, इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- २० प्र० सिं० राजेंद्र प्रसाद सिंह, एम० ए०, शोधछात्र, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- २० बा० रामबली पाठय, एम० ए०, डी० ए० बी० कालेज वाराणसी ।
- २० श० न० रामशंकर भट्टाचार्य, एम० ए०, पी०एच० डी०, अनुसंधान सहायक, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ।
- २० स० अ० राम सहाय शर्मा, एम० ए०, अध्यापक, रामकृष्ण विद्यामंदिर हार्द स्कूल, सिद्धार्थगंज बाग, वाराणसी ।
- २० शु० रामनाथ, सुब्रह्मण्यम्, एम० ए०, एफ० आइ० सी० (लंदन), सहायक क्यूरेटर, बिड़ला प्लेनेटेरियम, कलकत्ता-१६ ।
- २० शु० त्रि० रामसुरेश त्रिपाठी, प्रोफेसर संस्कृत विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
- २० सि० नौ० रामस्वरूप सिंह, नीलका, अध्यापक दर्शन विभाग, डी० ए० बी० कालेज, वानपुर ।
- २० शु० सिं० राम सुशील सिंह, रीडर, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन मेडिकल कालेज ऑफ, चार्ल्सबाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।

- क० शी० वि० गु० लक्ष्मी शंकर विश्वनाथ गुह, एम० ए०, ए० एम० ए०, सदस्य चिकित्सा परामर्शदात्री समिति, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रायोग, शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार, प्राध्यापक, स्नातकोत्तर प्रायुर्वेदीय संस्थान, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- क० शी० व्या० लक्ष्मी शंकर व्यास, एम० ए०, सहायक संपादक 'आज' दैनिक, वाराणसी ।
- का० शु० लाल श्री शुक्ल, डॉ० जनमंजरी दिवी कालेज, इफाल ।
- वि० भा० विश्वनाथ, एम० ए०, डाइरेक्टर, रासपाल ऐंड संस, दिल्ली ।
- वि० त्रि० या विश्वनाथ त्रिपाठी, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
- वि० भा० सि० विश्वनाथ सिद्ध एम० ए० ए०-सी०, प्राध्यापक, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी-५ ।
- वि० पं० विवेकानंद पांडेय, ए० बी० एम० ए०, डी० ए० आई० एम०, किमनिकल रजिस्ट्रार, पी० जी० आई० एम०, कालेज ऑव मेडिकल सायंसेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- वि० या० या विभूदानंद पाठक, इतिहास विभाग, का० हिंदू विश्व विद्यालय वाराणसी ।
- वि० प्र० गु० विश्वंभर प्रसाद गुप्त, ए० एम० आई० ई० कार्य-पालक इजीनियर, सी० पी० डब्ल्यू० डी०, ७६ लूकरगंज, इलाहाबाद ।
- वि० प्र० व० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, एम० ए०, पी० एच० डी०, अध्यक्ष, राजनीति विभाग, पटना कालेज, पटना ।
- वि० सु० विभा पुरुर्जी, प्राध्यापक, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- वि० शं० झा० विनोदशंकर झा, एम० ए०-सी०, प्राध्यापक जंतु विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची (बिहार) ।
- वि० शं० म० विजयशंकर मल्ल, एम० ए०, पी० एच० डी०, रीडर हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- वि० शं० पा० विश्वंभर शंख पाठक, सागर विश्वविद्यालय, सागर, म० प्र० ।
- वि० सा० दु० विद्या सागर दुबे, एम० ए०-सी०, पी० एच० डी० ( लंदन ), भूतपूर्व प्रोफेसर, जिओलॉजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कंसल्टिंग जिओलॉजिस्ट ऐंड माइंस धीनर, बसुंवर, रबींद्रपुरी, वाराणसी ।
- शे० प्र० शेष प्रकाश, उपसहायकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- श० र० दा० दे० राज रत्न दास ।
- श० गु० वा शचीरानी गुह, एम० ए०, कैजबाजार, दरिया-गंज, दिल्ली ।
- श० रा० गु० शरद नारायण रानडे, एम० ए० (प्रथमास्त्र एवं राजनीति शास्त्र), प्राध्यापक, वास्तुज्य विभाग, सेंट्रल हिंदू कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, सेकंड लेफ्टि० यू० पी० राइफल बटालियन एन० सी० सी० ।
- श० भा० रा० शांति नारायण महादेवन, प्राचार्य, हुंतराज कालेज, दिल्ली-६ ।
- श० प्र० रो० शांतिप्रकाश रोहतगी, एम० ए०, लेक्चरर, गाइड कुनुव, मेहरोली, दिल्ली ।
- श० झा० का० शांति लाल कायस्थ, रीडर, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- शि० कु० गु० शिव कुमार गुप्त, प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षण महा-विद्यालय श्री० भ० भूपाल (भ० प्र०) ।
- शि० गो० मि० शिव गोपाल मिश्र, एम० ए०-सी०, डी० फिल०, साहित्यरत्न, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
- शि० भा० प्र० शिव नाथ प्रसाद, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट, कटक, उड़ीसा ।
- शि० मो० व० शिव मोहन वर्मा, एम० ए०-सी०, पी० एच० डी० प्राध्यापक, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्व विद्यालय वाराणसी-५ ।
- शि० भा० का० शिवनाथ काटजू, जज, हाईकोर्ट, इलाहाबाद ।
- शि० श० शिवानंद शर्मा, अध्यक्ष दर्शन विभाग, सेंट एंड्रूज कालेज, गोरखपुर ।
- शि० शी० मि० शिव शरण मिश्र, एम० डी०, एफ० झा० बी० आई० (लंदन), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
- शु० ते० शुभदा तेलंग, एम० ए०, प्रिंसिपल, वसंत महिला कालेज, राजघाट, वाराणसी ।
- शु० प्र० मि० शुद्धोदन प्रसाद मिश्र, एम०-ए०-सी०, प्राध्यापक, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- श्या० सि० श्याम तिवारी, एम० ए०, पी० एच० डी०, पूर्व कालिक संपादक सहायक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
- श्या० स्व० ज० श्याम स्वयं जलोटा, एम० ए०, डी० फिल, अध्यक्ष, मनोविज्ञान एवं दर्शन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।
- श० कु० सि० शवण कुमार तिवारी, स्पेक्ट्रोस्कोपी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।

- श्री० ड० मि० श्री उमेश मिश्र, तीर मुक्ति, एलनगंज, इलाहाबाद ।
- श्री ए० सा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, डी० लिट्, महामहोपाध्याय, अन्धक, स्वाध्याय मंडल, पारडी, जिला सुरत ।
- श्री० ना० सिं० श्री नारायण सिंह, एम० ए० शोध छात्र, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- श्री० पी० श्रीचंद्र पांडेय, अहरोर, जिला मिर्जापुर ।
- श्रीमा० मे० श्रीनारायण मेहरोत्रा, सहायक अध्यापक, गणित, बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, सिदरी ( बनबाद ), बिहार ।
- श्रीरा० छ० श्रीराम शुक्ल, अवकाशप्राप्त डिप्टी डाइरेक्टर, हार्टीकल्चर, ४७, ईदगाह कासोनो, भागरा ।
- स० सलामतुल्ला, प्रिंसिपल, कामर्स कालेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामियानगर, नई दिल्ली-२५ ।
- स० चं० सतीश चंद्र, एम० ए०, पी० एच० डी०, इतिहास विभाग, जयपुर विश्वविद्यालय, जयपुर ( राजस्थान ) ।
- स० च० पा० देखो रा० चं० पा०
- स० पा० गु० सत्य पाल गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, एफ० प्रार० सी० एस० ( एडिन ), डी० प्रो० एम एस० ( लंदन ), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, नेत्र विज्ञान विभाग, बीफ आई सर्जन, मेडिकल कालेज लखनऊ ।
- स० मो० गु० सत्याशु मोहन मुखोपाध्याय, बी० २।१५६, भदनी, वाराणसी ।
- स० ब० सत्येंद्र शर्मा, पी० एच० डी० ( लंदन ), डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लेनिंग एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर कारपोरेशन, सिदरी ( बनबाद ) बिहार ।
- स० वा० कु० सरोजिनी वाष्पेय, प्रिंसिपल, महिषा महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ ।
- स० सिं० ड० सरदार सिंह ठवरिया, प्राध्यापक, भूगोल विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
- सी० च० सीताराम चतुर्वेदी, ६३।४२, उत्तर बेनिया बाग, वाराणसी — १
- सी० रा० मे० सीताराम मेहरा, एम० आइ० बी० ई०, एम० आइ० ई०, एफ० एन० आइ०, निदेशक, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली ।
- सु० अ० सुबोध प्रदावल, एम० ए०, एम० एड०, डी० फिल०, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
- सु० अ० सुरेश अवस्थी, डा०, सचिव, संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली ।
- सु० ड० अ० सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- सु० चं० गौ० सुरेश चंद्र गौड़, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर, मध्य प्रदेश ।
- सु० चं० श० या सु० चं० श० सुरेश चंद्र शर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी एच० डी० अध्यक्ष, भूगोल विभाग, एम० एल० के० डिग्री कालेज, बलरामपुर ( गोंडा ), उत्तरप्रदेश ।
- सु० रं० प्र० सुरेश नंदन प्रसाद, प्राध्यापक, भूगोल विभाग, पटना कालेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
- सु० ना० द्वि० सुरेंद्र नाथ द्विवेदी, जज हाईकोर्ट, इलाहाबाद ।
- सु० ना० शा० सुरेंद्रनाथ शास्त्री, एम० ए०, पी० एच० डी०, भू० पू० उपकुलपति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, चार निवास, ज्ञानपुर, वाराणसी ।
- सु० वे० ( कु० ) सुशीला वैद्य, द्वारा डा० कु० के० वैद्य, लंडी एस्किन हॉस्पिटल कंपाउंड, जबलपुर ( म० प्र० ) ।
- सु० सिं० सुरेश सिंह, कुँवर, एम० एल० सी०, कालाकांकर, प्रतापगढ़, उ० प्र० ।
- सु० ड० सूर्य कुमार, एल एल० एम०, प्रवक्ता, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- से० अ० अ० रि० संयव प्रतहर अन्नास रिजवी, एम० ए०, पी० एच० डी०, छतरीवाली कोठी, ५ केलानगर, अलीगढ़ ।
- सो० पी० सोमनाथ चौबे, अवकाशप्राप्त अध्यापक, सेंट्रल हिंदू स्कूल, बीजनरथा, कमन्सा, वाराणसी ।
- स्वा० गो० वे० स्वामी गोविदानंद वेदांताचार्य, वेदमंदिर, कांकरिया रोड, अहमदाबाद ।
- स्व० मो० शा० स्वरूपचंद्र मोहनलाल शाह, एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिट् ( लंदन ), एफ० एन० आइ०, एफ० ए० एस-सी०, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, गणित विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
- स्वा० गं० स्वामी गणेश्वरानंद, वेदमंदिर, कांकरिया रोड, अहमदाबाद ।
- ई० रा० गु० हंसराज गुप्त, एम० ए०, पी० एच० डी०, एफ० एन० आइ०, बलराम हाउस, इलाहाबाद-२ ।
- इ० चं० गु० हरिश्चंद्र गुप्त, एम० एस सी० पी० एच० डी० ( भागरा, मैनचेस्टर ), रीडर, गणित विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
- इ० दे० वे० हरिदत्त वेदालकार एम० ए० अध्यक्ष, कागड़ी संग्रहालय, गुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार ।
- इ० वा० हरदेव बाहरी, एम० ए०, एम० प्रो० एल०, शास्त्री, पी० एच० डी०, कुशनेत्र विश्वविद्यालय, कुशनेत्र ।
- ही० ज्ञा० हीरालाल जैन, एम० ए०, एल-एल०, बी०, डी० लिट्, अध्यक्ष संस्कृत, पालि तथा प्राकृत विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
- इ० ना० मि० हृदयनारायण मिश्र, दर्शन विभाग, डी० ए० बी० कालेज, कानपुर ।





## संकेताक्षर

अ०	अंग्रेजी	ज०; ज० सं०	जन्म; जन्म संवत्
अ०	अक्षांश; अथर्ववेद; अष्टाव	जि०	जिला, जिल्हा
अ० का०	अरण्यकांड ( रामायण )	जे० पी० टी० एस०	जर्नल भाँव दि पालि टेक्स्ट सोसायटी
अथर्व०	अथर्ववेद	डॉ०	डॉक्टर
अधि०	अधिकरण	तांड्य ब्रा०	तांड्य ब्राह्मण
अनु०	अनुवादक, अनुशासनपर्व,	तै० ब्रा०	तैत्तिरीय आरण्यक
अयो०	अयोध्याकांड ( रामायण )	तै० ब्रा०	तैत्तिरीय ब्राह्मण
आ० प्र०	आंध्र प्रदेश	तैत्ति०	तैत्तिरीय
आ० व०, या आपे० घ०	आपेक्षिक धनस्व	द०	दक्षिण
आ० श्री० सू०	आपस्तंब श्रौतसूत्र	दी०	दीपवंश
आई० ए० एस०	इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस	दी० नि०	दीधनिकाय
आई० सी० एस०	इंडियन सिविल सर्विस	दे०	देखिए; देशांतर
आदि०, आ० प०	आदिपर्व ( महाभारत )	दो० प०, द्रोण०	द्रोणपर्व
आय०	आयतन	ध०	धम्मपद
आर्क० स० रि०	{ रिपोर्टे भाँव दि आर्कियालॉजिकल { सर्वे भाँव इंडिया	ना० प्र० प० .	नागरीप्रचारिणी पत्रिका
आश्व०	आश्वलायन	ना० प्र० स०	नागरीप्रचारिणी समा
इट्रो०	इट्रोडक्शन	नि०	निरुक्त
ई०	ईसवी	पं०	पंजाबी; पंडित
ई० पू०	ईसा पूर्व	प०	पट्टाण; पर्व; पश्चिम; पश्चिमी
उ०	उत्तर	पप्प०	पप्पपुराण
उ० प्र०	उत्तर प्रदेश	पु०	पुराण
उत्तर०	उत्तरकांड	पू०	पूर्व
उदा०	उदाहरण	पु०	पुष्ट
उद्योग०; उद्योग०	उद्योगपर्व ( महाभारत )	प्र०	प्रकाशक
ऋ०	ऋग्वेद	प्रक०	प्रकरण
ए० आई० आर०	आल इंडिया रिपोर्टर	प्रो०	प्रोफेसर
ए० इ०; एपि० इ०	एपियाफिया इंडिका	फा०	फारेनहाइट
एक०	एकवचन	बा०	बालकांड ( रामायण )
ऐ०	ऐम्स्ट्रॉम	बाज० सं०	बाजसनेयी संहिता
ऐ० ब्रा०	ऐतरेय ब्राह्मण	ब० सू०	ब्रह्मसूत्र
क० प०; कण०	कर्मोपर्व ( महाभारत )	ब्रह्म० पु०	ब्रह्मपुराण
का०	कारिका	ब्रा०	ब्राह्मण
काम०	कामदकीय नीतिशास्त्र, कामशास्त्र	भा० ज्यो०	भारतीय ज्योतिष
काव्या०	काव्यालंकार	भाग०	भीमद्विभागवत
कि० ग्राम, या कि०	किलोग्राम	भी० प०	भीष्मपर्व
कि० मी०, या कि०	किलोमीटर	म० भा०; महा०	महाभारत; महावंश
कु० सं०	कुमारसम्भव	म० म०	महामहोपाध्याय
क० सं०	क्रमसंख्या	म० मी०	महाभारत भीमांसा
क०	कथनाक	मत्स्य०	मत्स्य पुराण
.	गाथा	मनु०	मनुस्मृति
प्रा०	ग्राम	महा० प्रा०	महाराष्ट्री प्राकृत
प्रा०	छांदोग्य उपनिषद्	मिता० टी०	मिताक्षरा टीका

मिमां०	मिनिप्राम	मिति०	मितिपर्व
मिमी०	मिलीमीटर	मौ० प्रा०	मौरसेनी प्राकृत
मी०	मील, मीटर	मीमद्भा०	मीमद्भागवत
मे० सा०	मेगासाइकिल	श्लो०	श्लोक
म्यू०	माइक्रॉन	सं०,	संख्या, संपादक, संवत्, संस्करण, संस सहिता
याज्ञ०; याज्ञ० स्पृ०	याज्ञवल्क्य स्मृति	सं० ई०	संदर्भ ग्रंथ
र० क० ई०	रचनाकाल संवत्	सस्क०	संस्करण
रघु०	रघुवंश	स० ग० स०	सेंटीग्रेड, ग्राम, सेकंड पद्धति
राज०, रा० त०	राजतरंगिणी	स० प०; सभा०	सभापर्व ( महाभारत )
श०, लग०	लगभग	साइकों०	साइकोंलोजी
शा०	शाला	सुंदर०	सुंदरकाव्य
शौ०	शीटर	सें०	सेंटीग्रेड
शन०; व० प०	शनपर्व ( महाभारत )	सेंमी०	सेंटीमीटर
शा० रा०	शाल्मीकीय रामायण	से०	सेकंड
वायु०	वायुपुराण	स्कंद	स्कंदपुराण
वि०, वि० सं०	विक्रमी संवत्	स्व०	स्वर्गीय
वि० पु०	विष्णु पुराण	ह०	हनुमानवाहुक, हरिवंशपुराण
विनय०	विनयपत्रिका	हि०	हिंदी
वै० ई०	वैदिक इंडेक्स	हि० वि० को०	हिंदी विश्वकोष
श०, शत०, श० ना०	शतपथ ब्राह्मण	हि०	हिजरी; हिमीक
श०	शती	हिस्टॉ०	हिस्टॉरिकल
शाल्य०	शाल्यपर्व		

## फलक सूची

	पृष्ठ मुख्य पृष्ठ
१. सामान्य समुद्री शैवाल ( रंगीन )	...
२. विद्युत् जनित्र ; विद्युत् मोटर : बंद मोटर, दिष्ट धारा मोटर के प्राथमिक अवयव	... २८
३. विद्युत् मापी . चलबुझक गैल्वेनोमीटर; चलकुंडली गैल्वेनोमीटर; वोल्टमापी; आम्पसिमापी; एमीटर	... २९
४. विमान एवं वैमानिकी . पुस मॉथ वायुयान; एकाकी इंजनवाला वाको; चार इंजिनवाला डी-एच ८६; स्काई मास्टर विमान	... ८४
५. विमान एवं वैमानिकी : ड-ट्रैविलेड फॉक्स मॉथ; माइल्स मलिन नामक वायुयान; ड-ट्रैविलेड टैपिड; स्टिम्सन ट्राइमोटर वायुयान	... ८५
६. विद्युत् सभरख : बिजलीघर, उपकेंद्र, संभरण टावर, परिणामित्र	... १०४
७. विद्युत्तन : क्रियों के विद्युत्तन पैटर्न	... १०५
८. वैद्यशास्त्रा : कोडेकानल वैद्यशास्त्रा का व्यापक दृश्य; चार की वैद्यशास्त्रा	... १६०
९. वैज्ञानिक ( भारतीय ) : डॉ० भोजगुंडम विश्वेश्वरैया, प्रो० शिवराम कश्यप	... १६१
१०. वैगन बोगीयुक्त खुला वैगन; ट्रेसफॉर्मर ट्रेली; हॉपरयुक्त वैगन	... १७६
११. वैगन : कोयला वैगन; डकी मालगाड़ी; विकारी पदार्थ ढोने का वैगन	... १७७
१२. शाहजहाँ	२४७
१३. शरत्चंद्र	२४८
१४. शिकार : शेर और वनशूकर का सामना; दोनों का युद्ध; शरद ऋतु में जल पीता शेर; विकारी तथा शेर	... २५२
१५. शिकार . लॉर्ड हार्डिंग तथा मारे गए घाठ शेर; पेड़ की ३० फुट ऊँचाई पर मानव भसी शेर	... २५३
१६. विलियम शेक्सपियर	२६६
१७. केदार शर्मा; चंद्रशर शर्मा गुलेरी	२६७
१८. शशक . खेत में जंगली शशक; श्येन : स्वर्णि महाश्येन	... ३०६
१९. शैवाल : विविध कुलो के शैवाल ( तीन चित्र )	... ३०७
२०. श्यामसु दर दास	३१४
२१. रामचंद्रशुक्ल; शिवकुमार सिंह	३१५
२२. श्रीलंका . प्रतिनिधि भवन, कोलंबो; पेशादिनिया में उद्यान पुष्पावलि; सेनिठ भवन, कोलंबो; निवास भवन, सीलोन विश्वविद्यालय, पेशादिनिया	... ३२८
२३. श्रीलंका : ऐडम्स पीक नामक पवित्र पर्वत; प्राचीन शैल दुर्ग, तिमिरिया; भिहित्तले का शैल मंदिर	... —
२४. श्रीलंका : प्राचीन मूर्तिया, पोलोन्नारुव; शिल्पकृतियाँ, पोलोन्नारुव; लंकातिलक विहार, पोलोन्नारुव; बुद्ध मूर्तियाँ, जलविहार, पोलोन्नारुव	... —
२५. श्रीलंका : राजकीय वनस्पति उद्यान में ताल वृक्षावलि; सेंट्रल बैंक भवन, कोलंबो	... ३२९
२६. श्रीलंका : मानचित्र	३३०
२७. संपूर्णानंद	... ३८८
२८. श्रीधरविष्णु : माधव राव सप्रे	... ३८९
२९. संरचना इंजीनियरी : तेरह मजिले भवन के लिये इस्पात का ढाँचा; छतों के लिये विभिन्न प्रकार की कैंचियाँ	... ४०२
३०. संरचना इंजीनियरी : पुलों के विभिन्न प्रकार के कैंचीमुभा गडर	—
३१. संरचना इंजीनियरी : बड़े पाठ की छतों और पुल; विभिन्न प्रकार के बलों का ठोस पदार्थों पर प्रभाव	—
३२. संरचना इंजीनियरी : टेन्सोमीटर नामक परीक्षण यंत्र	—
३३. संरचना इंजीनियरी : प्रतिबल-विकृति प्रारेख (तनाव और संपीडन); प्रतिबल विकृति प्रारेख ( मजद, कर्तन और पंचिण )	—
३४. संरचना इंजीनियरी : छत की कैंचियों के विभिन्न प्रकार के जोड़ों की संरचनाएँ; स्तंभों की नीचे	... ४०३
३५. सबकें ( भारत की ) : प्राचीन भारत के मुख्य मार्ग; मध्यकालीन भारत की मुख्य सबकें	... ४४३
३६. सबकें ( भारत की ) : इकाके क्षेत्र में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का आयोजित मानचित्र	... ४४४



## तत्वों की संकेतसूची

संकेत	तत्व का नाम	संकेत	तत्व का नाम	संकेत	तत्व का नाम			
अ	Am	अमरीकियम	ट <sub>क</sub>	Tc	टेक्नीशियम	मो	Mo	मोलिब्डेनम
आ <sub>र</sub>	En	आइस्टियम	टे <sub>र</sub>	Te	टेल्यूरियम	य	Zn	यज्ञद
ओ	O	ऑक्सीजन	टै	Ta	टैटेलम	यू	U	यूरेनियम
आ	I	आयोडीन	डि	Dy	डिस्प्रेसियम	यू <sub>र</sub>	Eu	यूरोपियम
आ <sub>न</sub>	A	आर्गन	ता	Cu	ताम्र	र	Ag	रजत
आ <sub>र</sub>	As	आर्सेनिक	थू	Tm	थूलियम	रू <sub>र</sub>	Ku	रुथेनियम
आ <sub>र</sub>	Os	ऑस्ट्रियम	थे	Tl	थैलियम	रू <sub>र</sub>	Rb	रुबिडियम
इ <sub>र</sub>	In	इंडियम	थो	Th	थोरियम	रे <sub>र</sub>	Rn	रेडॉन
इ <sub>र</sub>	Yb	इट्रियम	ना	N	नाइट्रोजन	रे <sub>र</sub>	Ka	रेडियम
इ <sub>र</sub>	Y	इट्रियम	नि <sub>र</sub>	Nb	नियोबियम	रे <sub>र</sub>	Re	रेनियम
इ	Ir	इरीडियम	नि	Ni	निकल	रो	Rh	रोडियम
ए <sub>र</sub>	Eb	एब्रियम	नी	Ne	नीऑन	लि	Li	लिथियम
ए <sub>र</sub>	Sb	ऐंटीमनी	ने <sub>र</sub>	Np	नेप्च्यूनियम	लै	La	लैंथेनम
ऐ <sub>र</sub>	Ac	ऐक्टिनियम	न्यो	Nd	न्योडियम	लो	Fe	लोह
ऐ	Al	ऐलुमिनियम	पा	Hg	पारद	ल्यू	Lu	ल्यूथीशियम
ऐ <sub>र</sub>	At	ऐस्टैटोन	पे	Pd	पैलेडियम	बं	Sn	बंग
का	C	कार्बन	पो	K	पोटेशियम	वे	V	वर्नेडियम
के <sub>र</sub>	Cd	कैडमियम	पो <sub>र</sub>	Po	पोलोनियम	स	Sm	समरियम
के <sub>र</sub>	Cf	कैलिफोर्नियम	प्रे	Pr	प्रेज़िओडिमियम	सि	Si	सिलिकन
के	Ca	कैल्सियम	प्रो <sub>र</sub>	Pa	प्रोटोऐक्टिनियम	सि <sub>र</sub>	Se	सिलीनियम
को	Co	कोबाल्ट	प्रो <sub>र</sub>	Pm	प्रोमीथियम	सी <sub>र</sub>	Cs	सीज़ियम
क्यू	Cm	क्यूरियम	प्लू	Pu	प्लूटोनियम	सी <sub>र</sub>	Ce	सीरियम
क्रि	Kr	क्रिप्टॉन	प्लै	Pt	प्लैटिनम	सी <sub>र</sub>	Pb	सीस
क्रो	Cr	क्रोमियम	फा	P	फॉस्फोरस	सें	Ct	सेंटियम
क्लो	Cl	क्लोरीन	फ्रां	Fr	फ्रान्सियम	सो	Na	सोडियम
घं	S	गंधक	फलो	F	फ्लोरीन	स्के	Sc	स्कैंडियम
गे <sub>र</sub>	Gd	गैडोलिनियम	ब	Bk	बर्केलियम	स्ट्रॉ	Sr	स्ट्रोंशियम
गे	Ga	गैलियम	बि	Bi	बिस्मथ	स्व	Au	स्वर्ण
ज <sub>र</sub>	Zr	जर्कोनियम	बे	Ba	बेरियम	हा	H	हाइड्रोजन
ज <sub>र</sub>	Ge	जर्मेनियम	बे <sub>र</sub>	Be	बेरीलियम	ही	He	हीलियम
जी	Xc	जीनान	बो	B	बोरन			
टं	W	टंगस्टन	ब्रो	Br	ब्रोमीन			
			मू	R	मूलक (रैडिकल)			
ट <sub>र</sub>	Tb	टर्बियम	मै	Mn	मैंगनीज	है	Hf	हैफिनियम
टा <sub>र</sub>	Ti	टाइटैनियम	मै <sub>र</sub>	Mg	मैंगनीशियम	हो	Ho	होल्मियम



# हिंदी विश्वकोश

## खंड ११

**विद्युतीकरण, ग्रामों का ( Rural Electrification )** आजकल विद्युत् का उपयोग बहुत सामान्य हो गया है। पहले इसका उपयोग नगरो तक ही सीमित था, पर अब ग्राम भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं। प्रकाश और मिचार्ड के अतिरिक्त आटे की चक्की, धान कूटने की मशीन, तेल पेरने की मशीन तथा हमारे अनेक ग्रामीण उद्योगों के लिये विद्युत् मशीनों का उपयोग अधिकाधिक हो रहा है। शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विद्युत् ही सबसे सामान्य तथा सुगम साधन आज समझा जाता है।

ग्रामों के विद्युतीकरण से अनेक लाभ हैं। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में, जहाँ ८५ प्रति शत आन्नादी ग्रामों में रहती है, देश की प्रगति के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति आवश्यक है। प्रगति के लिये जैन की उपज बढ़ाना और उद्योग धंधों का चलाना आवश्यक है। कुएँ से पानी निकालने, अथवा नदी नालों आदि से पानी उलीचने, के लिये विद्युत् पंप काम में लाया जा सकता है। विद्युत् मोटरो से मशीनें चलाकर उद्योग धंधे बढ़ाए जा सकते हैं। डेयरी व्यवसाय में विद्युत् का उपयोग महत्वपूर्ण योग दे सकता है। कृषि की बहुत सी मशीनें विद्युत् मोटरो द्वारा चलाई जा सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के अतिरिक्त, विद्युत् का सबसे बड़ा उपयोग सिंचाई के लिये है। जहाँ सिंचाई के प्राकृतिक साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बिजली पंप से कुएँ में, या नदी नाले से, पानी उठाया जा सकता है। अमरीका तथा अन्य उन्नत देशों में फसल को सुखाने, दाना अलग करने तथा उसे एलिवेटर द्वारा भंडार में रखने के लिये भी विद्युत् काम आती है। अनेक देशों में जोतने तथा फसल काटने की मशीनें भी विद्युत् मोटरो द्वारा चलाई जाती हैं। दूध निकालने तथा मक्खन बनाने के लिये विद्युत् मशीनों का उपयोग किया जाता है। आज अनेक कुटीर उद्योगों में भी विद्युत् मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

अभी तक भारत में ग्रामों का विकास अधिक नहीं हुआ है। सिंचाई के लिये ही आज विद्युत् की इनकी माँग है कि हमारी शक्ति की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती। आटे की चक्की, धान कूटने की मशीन, आरा मशीन, तेल के कोन्हू इत्यादि में विद्युत् मोटरो का उपयोग अब सामान्य होना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् की माँग इतनी बढ़ती जा रही है कि उसकी पूर्ति एक समस्या बन गई है।

प्राविधिक दृष्टिकोण से ग्रामों में विद्युत् भार कम तथा इधर उधर बिखरे होते हैं। एक सामान्य ग्राम में शायद ४ या ५ विलोवाट

का प्रकाश भार तथा लगभग इतना ही औद्योगिक भार होने की संभावना हो सकती है। माधारणतया, लगभग ३-५ अश्वशक्ति के दो या तीन पर मिचार्ड के लिये होग और हो सकता है, एक आटे की चक्की अथवा ऐसी ही किसी दूसरी मशीन का औद्योगिक भार हो। इतना कम भार सभरगण करने के लिये, सामान्यतः, विद्युत् लाइन का बनाना आर्थिक रूप से उचित नहीं होता। यही कारण है कि ग्रामों के विद्युतीकरण की समस्या, वस्तुतः, एक आर्थिक समस्या बन गई है। एक ओर तो सब यह चाहते हैं कि सभी ग्राम विद्युत् से जगमगा उठें। दूसरी ओर जब मूल्यांकन करके प्रति यूनिट मूल्य निकाला जाता है, तब वह इतना अधिक होता है कि साधारण व्यक्ति की पहुँच के बाहर हो जाता है। इस आधार पर विद्युतीकरण संभव नहीं हो पाता। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलने पर भी उसका आर्थिक औचित्य गहरे विवाद का विषय है। ग्रामों के विद्युतीकरण में बचन करने के लिये, लाइनों की संरचना में सामान्य मानक आधारों के स्थान पर सस्ते उपकरण प्रयोग कर, तथा और भी दूसरे उपायों से, लाइनों के मूल्य में कमी करने का प्रयत्न किया गया है। ये लाइनें, साधारणतया ११ कि० वो० की होती हैं। इन्हें उपचारित लकड़ी के पोलो पर ले जाया जाता है। जहाँ लंबे पोल उपलब्ध नहीं होते, वहाँ छोटे पोलों को संयुक्त करके काम चला लिया जाता है। ग्रामीण उपकेन्द्र ( substation ) भी साधारणतया पोलो पर आरोगित परिवर्णामित्र (transformer) मात्र ही होता है। १० कि० वो० ऐ० ( K. V. A ) तक के एक-कलीय परिवर्णामित्र तो एक ही पोल पर आरोगित किए जा सकते हैं। बड़े परिवर्णामित्र को ( २५ कि० वो० ऐ० तक ) द्वि-रोल संरचना पर आरोगित किया जा सकता है। औद्योगिक शक्ति की आवश्यकता मुख्यतः मिचार्ड के पंप में होती है। ये जेनो में दूर दूर स्थित होते हैं। उन्हें अलग उपकेन्द्र से विद्युत् सभरण दिया जाता है।

लाइन संरचना में बचन करने पर भी अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बन सके। वस्तुतः पारंपरिक सभरण विधियों के स्थान पर ऐसी सभरण विधि को विकसित करने की आवश्यकता है जो आर्थिक दृष्टि से इस समस्या को मुलभूत सके। इस विषय में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि केवल एक कला एक तार लाइन द्वारा ही सभरण करना प्राविधिक दृष्टिकोण से संभव है। ऐसी तंत्र में, वर्तमान त्रिप्रावस्था तंत्र की अपेक्षा, पर्याप्त बचत की जा सकती है। सभरण के आधार पर इस तंत्र द्वारा विद्युतीकरण, सामान्य

त्रिप्रावस्था तंत्र की अपेक्षा आधे मूल्य पर किया जा सकता है। इस तंत्र पर प्रयोग किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं कैनाडा में दूरस्थ छोटे छोटे भारों का संभरण करने के लिये इस तंत्र का प्रयोग किया गया है और भारत में भी प्रायोगिक लाइनें बनाई गई हैं।

इस तंत्र में विद्युत् का संभरण सामान्य वोल्टता से  $\sqrt{3}$  गुणा अधिक पर किया जाता है। परंतु केवल पारेषण ही एक नार, भूमि वापसी लाइन द्वारा किया जाता है।

विभाजन तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता और उप-भोक्ताओं के प्रतिष्ठापन (installation) ठीक वर्तमान पद्धति के अनुसार ही रहते हैं। एककलीय संभरण की सबसे बड़ी समस्या, औद्योगिक भारों के संभरण की है। एककलीय मोटर, त्रिकलीय (triphase) मोटरों की अपेक्षा महंगे होते हैं और उनकी दक्षता तथा सामान्य निष्पादन भी उतना अच्छा नहीं होता। त्रिकलीय मोटरों को एक कलीय संभरण से संभरण करने के विषय में पर्याप्त शोध हो चुका है। एककला में संधारित्र (condenser) तथा स्वपरिणामित्र (auto-transformer) के प्रयोग से, त्रिकलीय मोटरों को एककलीय संभरण पर भी लगभग पूर्ण क्षमता एवं निष्पादन पर प्रवर्तित कराया जा सकता है। इस विधि में मोटर ठीक त्रिकलीय मोटर की भांति एक सतुलित भार के रूप में ही प्रवर्तन करती है, यद्यपि इसे एककलीय संभरण से संभरण किया जाता है। त्रिकलीय मोटरों में इस प्रकार एककला पर प्रवर्तन संभव होने के कारण, एककलीय, एकसंसाहक लाइन तंत्र की उपयोगिता और ग्राम के विद्युतीकरण के आर्थिक औचित्य की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं।

भारत में ग्रामों का विद्युतीकरण तीव्रता से हो रहा है और पंचवर्षीय योजनाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में लगभग ६ लाख ग्राम हैं, जिनकी जनसंख्या ५,००० से कम है। उनमें से अभी तक केवल १५,००० ग्रामों में ही, जो कुल का लगभग ४ प्रतिशत हैं, बिजली पहुँच सकी है। दूसरे देशों की तुलना में भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जायगी :

देश	कुल का प्रतिशत
१. स्विट्जरलैंड	१००
२. इटली	९५
३. फ्रांस	९१
४. जापान	९०
५. डेनमार्क	८५
६. न्यूजीलैंड	६६
७. स्वीडन	६५
८. भारत	४.०

यद्यपि रूस के आँकड़े प्राप्य नहीं हैं, तथापि वहाँ पर ग्रामों का विद्युतीकरण तीव्रता से हो रहा है। वहाँ के सहकारी फार्मों में अधिकतम कृषिव्यवस्था का विद्युतीकरण किया जा रहा है, यहाँ तक कि हल चलाने के लिये विद्युत् मशीनें काम में लाई जा रही हैं, जिन्हें ऊपरी लाइनों से ट्रेलिंग केबल (trailing cable) द्वारा विद्युत् संभरण दिया जाता है। रूस तथा अमेरिका में विद्युत् का एक नया उपयोग किया जा रहा है। इसमें छेत की मिट्टी को गरम करके बीजों

को शीघ्रता से अंकुरित किया जाता है। उसके बाद उचित ताप नियंत्रण द्वारा उनकी वृद्धि भी त्वरित की जाती है। मिट्टी गरम करने के लिये एक विशेष प्रकार के केबिल को मिट्टी में दबाकर उसमें से धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे उसमें उत्पन्न होनेवाली ऊष्मा आस पास की मिट्टी को गरम कर मके। बहुत से स्थानों में भूसा सुखाने के लिये धूप पर निर्भर न रहकर विद्युत् का उपयोग किया जाता है। फसले भी समय से पहले तैयार की जा सकती हैं और वर्ष में तीन फसलें मुगमता से उगाई जा सकती हैं।

विद्युतीकरण, ग्रामीण प्रगति में महत्वपूर्ण योग दे सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण, वस्तुतः, 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' उद्योग है और इसे हमी दृष्टिकोण से देखना उचित होगा, केवल आर्थिक औचित्य के दृष्टिकोण से नहीं। ग्रामीण विद्युत् का तात्पर्य है ग्रामों का विकास, जिनपर किसी भी देश की प्रगति निर्भर करती है।

[ रा० कु० ग० ]

**विद्युत्कर्षण (Electric Traction)** रेल, ट्राम अथवा अन्य किसी प्रकार की गाड़ी को खींचने के लिये, विद्युत् शक्ति का उपयोग करने की विधि को विद्युत् कर्षण कहते हैं। इस क्षेत्र में, वाष्प इंजन तथा अन्य दूसरे प्रकार के इंजन ही सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते रहे हैं। विद्युत् शक्ति का कर्षण के लिये प्रयोग गापेक्षतया नवीन है और मुख्यतः पिछले ६० वर्षों में ही विकसित हुआ है। परंतु अपनी विशेष सुविधाओं के कारण, इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे अन्य साधनों का स्थान यह अब लेना जा रहा है। विद्युत्कर्षण में नियंत्रण की सुविधा तथा गाड़ियों का अधिक वेग में संचालन हो सकने के कारण, उतने ही समय में अधिक यातायात की उपलब्धि हो सकती है। साथ ही कोमला, पुष्पा अथवा हानिकारक गैसों के न होने से अधिक स्वच्छता रहती है और नगर की घनी आबादीवाले भागों में भी इसका प्रयोग संभव है।

विद्युत्-कर्षण-तंत्र में विद्युत् मोटरों द्वारा चालित लोकोमोटिव (locomotive) गाड़ी को खींचता है। रेल की लाइन के साथ ऊपर में एक विद्युत् लाइन होती है, जिनमें चालक गाड़ी एक चलन-शील बुरावा द्वारा संपर्क करती है। रेल की लाइन, निर्गटिव लाइन का काम देती है और शून्य वोल्टता पर होती है। इसके लिये इसे अच्छी प्रकार भूमित (earthed) भी कर दिया जाता है। इस प्रकार इसे दूने में किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। ऊपरी लाइन की वोल्टता, प्रयोग की जानेवाली मोटरों एवं सभरण-तंत्र पर निर्भर करती है। पुराने तंत्रों में ६०० वोल्ट की वोल्टता साधारणतया प्रयोग की जाती है यद्यपि १,५०० वोल्ट एवं ३,००० वोल्ट भी अब सामान्य हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, उच्च वोल्टता तंत्रों की रचना की गई है और उच्च वोल्टता पर प्रवर्तित होनेवाले एकप्रावस्था (single phase) प्रत्यावर्ती धारातंत्र का प्रयोग किया गया है और अब सामान्यतः इन्हीं का प्रयोग होने लगा है। ये सामान्यतः १६,००० अथवा २५,००० वोल्ट की वोल्टता पर प्रवर्तित होते हैं।

विद्युत्कर्षण के लिये प्रयोग होनेवाली मोटरों को आरंभ में अधिकतम कर्षण टॉर्क (torque) का उपलब्ध करना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को खींचने के लिये आरंभ



में बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु जैसे जैसे वेग बढ़ता जाता है, कम शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में अधिक ऐंठन से त्वरण (acceleration) शीघ्रता से उत्पन्न किया जा सकता है। इन मोटरों को अल्प समय के लिये अतिभार (overload) संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन लक्षणों के अनुसार दिष्ट धारा श्रेणी मोटर (D. C. series motor) सबसे अधिक उपयुक्त होती है तथा सामान्य रूप से व्यवहार में आती है, परंतु दिष्ट धारा मोटरें सामान्यतः उच्च वोल्टता पर प्रवर्तन के लिये उपयुक्त नहीं होतीं और इस कारण दि० धा० कर्षणतंत्र सामान्यतः ३,००० वोल्ट तक के ही होते हैं। दि० धा० तंत्रों की अपेक्षा प्र० धा० तंत्र संभरण अधिक सामान्य होने के कारण, कर्षण में भी इनका प्रयोग करने के प्रयत्न बराबर किए जाते रहे हैं। कुछ विशिष्ट प्ररूप की दि० धा० मोटरें, लक्षण में दि० धा० श्रेणी मोटर के समान होती हैं। इनकी संरचना पिछले ५० वर्षों से ही शोध का सामान्य विषय रही है और अब ऐसी एकप्रावस्था दि० धा० मोटरें बनाई गई हैं जिनके लक्षण दि० धा० श्रेणी मोटरों के समान कर्षण के लिये उपयुक्त हो। इन प्र० धा० मोटरों का भार उसी शक्ति की दि० धा० मोटरों से काफी कम होता है और ये सापेक्षतया सस्ती होती हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ इनके उच्च वोल्टता पर प्रवर्तन में है। इस कारण उच्च वोल्टता तंत्र प्रयोग करना संभव है, जिससे कर्षणतंत्र में पर्याप्त बचत की जा सकती है। परंतु ये मोटरें सामान्य शक्ति आवृत्ति (power frequency) पर उपयुक्त लक्षण नहीं दे पाती। इनका प्रवर्तन कम आवृत्ति पर अधिक संतोषप्रद होता है। अतः कर्षण के लिये सामान्यतः, १६ $\frac{2}{3}$  अथवा २५ चक्रीय आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इन्हे सामान्य संभरणतंत्रों से नहीं संभरण किया जा सकता है। एकप्रावस्था तंत्र होने के कारण उपकेंद्र (substation) पर प्रावस्था सतुलन (phase balancing) की समस्या भी रहती है। परंतु इन समस्याओं के उपयुक्त समाधान हो चुके हैं और अब १६,००० और २५,००० वोल्ट के, १६ $\frac{2}{3}$  अथवा २५ चक्रीय आवृत्ति के, एकप्रावस्था वाले प्र० धा० तंत्र कर्षण के लिये सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं।

कहीं कहीं दोनों तंत्रों की विशेषताओं का लाभ उठाने के लिये, संभरण लाइन (supply line) उच्च वोल्टता प्र० धा० की होती है तथा ऋजुकारी द्वारा उसे रूपांतरित कर दि० धा० मोटरों का प्रयोग किया जाता है।

प्र० धा० कर्षणतंत्रों में भी, सामान्य त्रिप्रावस्था संभरण से एक प्रावस्था लाइन लेकर, प्रावस्था परिवर्तन (phase conversion) द्वारा उसे त्रिप्रावस्था तंत्र में बदलकर, त्रिप्रावस्था प्रेरण मोटर (three phase induction motor) प्रयोग करना भी संभव है। इस प्रकार सामान्य मोटरों का प्रयोग किया जा सकता है और प्रावस्था सतुलन की समस्या का भी सहज समाधान हो सकता है। वस्तुतः हंगरी में ऐसे ही कर्षणतंत्र का प्रयोग किया गया है, परंतु त्रिप्रावस्था प्रेरण मोटरों के लक्षण कर्षण के लिये इतने उपयुक्त न होने के कारण, यह तंत्र सामान्य प्रयोग में नहीं आ सका है।

विद्युत्कर्षण के क्षेत्र में यद्यपि ब्रिटेन का महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि प्र० धा० कर्षणतंत्र प्रयोग करने में हंगरी अग्रगण्य रहा है।

यहीं इसका प्रयोग सबसे पहले १९३२ ई० में किया गया। इसके बाद जर्मनी में १९३६ ई० में इस तंत्र का प्रयोग किया गया। फ्रांस ने इसे १९५० ई० में अपनाया और २५,००० वोल्ट के एकप्रावस्था प्र० धा० कर्षणतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में भी मुख्य रेल लाइनों के विद्युतीकरण में भी यही तंत्र प्रयोग किया जा रहा है। उच्च वोल्टता पर प्रवर्तन करने के कारण, केंद्रों की संख्या कम हो जाती है और वे अधिक दूर हो सकते हैं। इससे भी तंत्र में काफी बचत हो सकती है। उच्च वोल्टता के प्रयोग से बड़े ही तार में तथा दूसरी सज्जाओं में काफी बचत होती है। अतएव मुख्य लाइनों पर एकप्रावस्था उच्च वोल्टता प्र० धा० तंत्र का प्रयोग सामान्य हो गया है।

विद्युत्कर्षण के लिये प्रयोग होनेवाली मोटरों की नियंत्रण-व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण विद्युत्कर्षण तंत्र इतने सामान्य हो सके हैं। दि० धा० श्रेणी मोटरों के लिये ड्रम नियंत्रक (drum controller) प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें प्रारंभण, वेगनियंत्रण तथा ब्रेकिंग (braking) सभी का प्रावधान किया जाता है। साथ ही सुविधापूर्वक इच्छानुसार गाड़ी को आगे तथा पीछे चलाया जा सकता है। एकप्रावस्था प्र० धा० मोटरों में भी जो नियंत्रक प्रयोग किए जाते हैं, वे भी इन सब प्रयोजनों का प्रावधान करते हैं। नियंत्रकों में ही संरक्षण युक्तियां (protective devices) भी लगी होती हैं, जो मोटर को अतिभार (overload) तथा अतिचाल (overspeed) से बचा सकें।

ऊपरी लाइन से संपर्क करनेवाला सस्पर्श ब्रुश (contact brush) भी उस प्रकार के संरक्षक द्वारा व्यवस्थित होता है कि ब्रुश तथा सस्पर्श तार में समान दाब रहे और वेग तथा अन्य किसी कारण से सस्पर्श प्रतिरोध (contact resistance) में विचरण न उत्पन्न हो।

सुरंगों एवं अधिक यातायात स्थलों पर, ऊपरी लाइन का प्रयोग करना संभव नहीं होता। अतएव, तार के स्थान पर एक दूसरी सस्पर्श रेल का प्रयोग किया जाता है जो भूमि के नीचे रहती है। स्पष्टतया अधिक व्यय के कारण सभी स्थानों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।

कहीं कहीं संपूर्ण विद्युत् तंत्र के स्थान पर डीजल विद्युत् लोकोमोटिव (diesel electric locomotive) का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डीजल इंजन द्वारा विद्युत् उत्पन्न करके विद्युत् कर्षण का लाभ उठाया जाता है।

विद्युत् कर्षण हमारे युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। [ रा० कु० ग० ]

**विद्युत् चालन** ठोस, द्रव और गैसों में विद्युत् चालन की क्रिया-विधि भिन्न भिन्न है, अतः इनपर हम अलग अलग ही विचार करेंगे।

ठोसों में विद्युत् चालन — यदि किसी द्रव्य के एकक घन के समुच्च (opposite) फलकों के धारदार एकक विभवांतर अनुप्रयुक्त करने पर उत्पन्न धारा एक (unity) हो, तो कहा जाता है कि द्रव्य में एकक चालकता है। चालकता का व्युत्क्रम (reciprocal) प्रतिरोधकता कहलाता है। विद्युत् चालन संबंधी प्रारंभिक अध्ययनों

मे ही स्पष्ट हो गया था कि विभिन्न ठोसों की धारा वहन करने की धारिताओं में पर्याप्त अंतर होता है। सभी ठोसों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है (१) धातु या विद्युत् के अच्छे चालक, (२) अर्धचालक या विद्युत् के घटिया चालक और (३) विद्युत्-रोधी या विद्युत् के बुरे चालक।

**धातु**

**धिरसंमत सिद्धांत (Classical Theory)** — धातुओं की चालकता की व्याख्या करने का पहला प्रयास ड्रूड (Drude) ने १९०० ई० में किया। उन्होंने कल्पना की कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस होती है। निम्न द्रव्यमान के कारण इलेक्ट्रॉनों में उच्च गति-शीलता होती है और जब धातु में विद्युत्-अंत्र प्रयुक्त किया जाता है तब ये गतिमान होते हैं और विद्युत् को चालित करते हैं। १९०५ ई० में लोरेन्ज (Lorentz) ने इस सिद्धांत में सुधार किया और ओम का नियम (Ohm's Law) तथा वाइडेमान फ्राज (Wiedemann-Franz) नियम की भी सही व्याख्या की। ओम के नियमानुसार

धारा का घनत्व  $j$  अनुप्रयुक्त विद्युत् क्षेत्र  $E$  का अनुपाती है, अर्थात्  $j = \sigma E$ , जहाँ  $\sigma$  धातु की चालकता है। वाइडेमान-फ्राज नियम के अनुसार वैद्युत चालकता  $\sigma$  और ऊष्मीय चालकता  $K$  में संबंध है  $\frac{K}{\sigma T} = L$  (स्थिरांक), जहाँ  $T$  ठोस का चरम ताप है।

ड्रूड-लोरेन्ज नियम के समुच्च अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। मान लिया गया था कि धातु के अंदर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस धिरसंमत मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण से युक्त है और यह  $3/2 k_0$  ( $k_0$  बोल्ट्जमान स्थिरांक) प्रति इलेक्ट्रॉन स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा (specific heat) को अशदान करता है। धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा प्रति परमाणु  $3 k_0$  है और यह  $25^\circ$  प्रति शत इलेक्ट्रॉनों के अशदान सामान्य ताप पर कभी नहीं प्रक्षिप्त किया जाता। उसके अनिश्चित चूँकि इलेक्ट्रॉनों में नैज चुंबकीय आघूर्ण (intrinsic magnetic moment) एक बोर मैग्नेटन (Bohr Magneton) होता है, अतः जब धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उसे अल्प चुंबकन प्रदर्शित करना चाहिए और यह चुंबकीय पारिता (susceptibility) क्यूरी के नियमानुसार  $X = C/T$  विचरित होनी चाहिए, जहाँ  $C$  एक स्थिरांक है। चुंबकीय प्रवृत्ति में ऐसा त्रोट विचरण नहीं दिखाई पड़ता।

**क्वांटम सिद्धांत** — उल्लिखित कठिनाइयाँ तब दूर हुईं जब यह पता चला कि धातु में स्थित इलेक्ट्रॉन धिरसंमत मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी तथ्यों की बजाय फेर्मी-डिरैक (Fermi Dirac) सांख्यिकी तथ्यों का पालन करते हैं।

परन्तु एक बृनियादी सवाल टाल दिया गया है। चूँकि धातु परिमन वैद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, अतः धातु में किसी प्रकार की ध्वंगी क्रियाविधि होनी चाहिए, जो विद्युत् क्षेत्र की उपस्थिति में साम्यावस्था ला सके। ऐसी क्रियाविधि के अभाव में इलेक्ट्रॉनों का स्वरण अनिश्चित रूप में होगा और सभी ताप पर चालकता अवन होगी। यह दर्शाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनों में होनेवाली

अन्योन्य क्रिया इतनी अल्प होती है कि वह परिमित चालकता का कारण होने में असमर्थ है।

धातु के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन विभव कूपों (potential wells) की एक श्रेणी में गतिमान होते हैं। इन कूपों का निर्माण आयनों के घन आवेश से होता है, जो विभिन्न जालक स्थलों (lattice sites) पर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन गति की समस्या का विवेचन क्वांटम यांत्रिक विधि से करना चाहिए। इसमें धातु, अर्धचालक और विद्युत्-रोधियों के रूप में ठोस का वर्गीकरण स्पष्ट समझ में आता है।

**सारणी १ : कुछ ठोसों के विशिष्ट प्रतिरोध**

ठोस	विशिष्ट प्रतिरोध (ओम × सेमी)	ठोस	विशिष्ट प्रतिरोध (ओम × सेमी)
धातुएँ		अधातुएँ	
एलुमिनियम	$3.21 \times 10^{-6}$	सिलिकन	$0.06$
ताम्र	$1.68$	जर्मेनियम	$0.054$
स्वर्ण	$2.42$	सिलीनियम	$2 \times 10^{16}$
लोह	$11.5$	हीरा	$10^{12}-10^{13}$
सीसा	$20.5$	गंधक	$4 \times 10^{11}$
पाण्ड	$64.66$	एवोनाइट	$2 \times 10^{11}$
निकल	$11.5$	वांच (पाइरेक्स)	$10^{11}$
पोटेशियम	$6.64$	अभ्रक	$5 \times 10^{11}$
रजत	$1.63$	पैराफिन मोम	$3 \times 10^{11}$

ठोस घन आयनों से बना हुआ है। ये घन आयन एक नियमित जालक में विन्यस्त हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉन गैस अरे हूँ है। ये आवेश का निराकरण कर देते हैं। परमशून्य से ऊँच ताप पर आयन निरंतर ऊष्मीय प्रक्षोभ (thermal agitation) की स्थिति में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन आयनों और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनों के विभव क्षेत्र में संचलन करता है। इसके अनिश्चित वास्तविक ढोंग में अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं, जैसे अणुद्रव्य परमाणु, रिक्त जालक स्थल, अंतराणी (interstitial) परमाणु, स्थानअंश, चित्तिदोष (stacking faults) आदि। अतः यथार्थ क्रिस्टल की क्वांटम यांत्रिक समस्या को हल करना लगभग असंभव है। इसलिये हम आदर्श स्थिति पर ही विचार करते हैं। मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर आयतनों के नियमित ब्यूह (regular array) से उत्पन्न विभव क्षेत्र और अन्य इलेक्ट्रॉनों के उपयुक्त माध्य विभव में संचलन करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा देखे हुए विभव में इस एक इलेक्ट्रॉन सन्निकटन (approximation) में जालक की आवर्तता होती है। यदि इस

विभव में संचालित होनेवाले इलेक्ट्रॉन का श्रोडिंजर (Schrodinger) समीकरण हल किया जाय, तो ऊर्जा के कुछ निश्चित मानों के लिये ही हल मिल पाता है। अनुमत ऊर्जा क्षेत्र सामान्यतः ऊर्जा अंतराल द्वारा पृथक् होते हैं, जिनमें किसी हल का अस्तित्व नहीं होता। यदि अनुमत ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त हो तो [पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार दो से अधिक इलेक्ट्रॉन एक ही अवस्था को अधिकृत नहीं कर सकते] विद्युत क्षेत्र का अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि उच्चतर ऊर्जा अवस्थाएँ वरजित हैं। अतएव ऐसा ठोम विद्युत्रोधी जैमा व्यवहार करेगा। यदि उच्चतम अधिकृत बैंड में निम्नतम ऊर्जा अवस्था के ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों के संचलन द्वारा ठोस विद्युत् को अपने में से प्रवाहित होने देगा। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें उच्चतम अधिकृत बैंड लगभग भरा हुआ हो। यहाँ पर धारा का कारण बैंड में कोटरो (holes) की उपस्थिति है।


आवर्ती जालक में इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार भौतिक युक्तियों द्वारा भी निकाला जा सकता है।  $v$  वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य,  $\lambda = h/mv$  होता है, जिसमें  $h$  प्लांक स्थिरांक और  $m$  इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अतः इलेक्ट्रॉन को हम आवर्ती जालक में गतिमान तरंग के रूप में भी चित्रित कर सकते हैं। जालक की स्थितियों (sites) पर स्थित आयनों द्वारा यह तरंग प्रकीर्ण होगी और जालक यदि पूर्ण तथा शून्य ताप पर है, जिनके कारण आयन विराम की स्थिति में हैं, तो दो ऐसे आयनों का पता लगाना संभव है या एक निश्चित दिशा में  $\pi$  कलातर के साथ प्रकीर्ण हो जाएँ। ये प्रकीर्ण तरंगे विनाशो व्यतिकरण (destructive interference) करेंगी और अनुप्रस्थ दिशा में प्रकीर्णन नहीं होगा। यदि विद्युत् क्षेत्र का अनुप्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं और उनके तरंगदैर्घ्य का ह्रास होता है। जब तरंगदैर्घ्य जालक समतलों के पृथक्करण  $d$  के एक निश्चित समुच्चय (set) के लिये ब्राग (Bragg) प्रतिबन्ध  $2d \sin \theta = \lambda$  पूरा होता है ( $\theta$  वह कोण है जिसे इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा समतलों के साथ बनाती है), तब इलेक्ट्रॉन परावर्तित होते हैं और अप्रगामी तरंगे बनती है। यदि ऐसे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि न की जाय जिससे वे बाद के अनुमत ऊर्जा बैंड में स्थानान्तरित हो जाय, तो वे जालको में से होकर नहीं गुजर सकते। दूसरी कान्टि के ब्रैग परिवर्तन के होने तक बाहरी विद्युत्क्षेत्र के प्रभाव से तरंगदैर्घ्य घट सकता है। अतः एकविमीय जालक के लिये ऊर्जा बनाम तरंग संख्या वक्र चित्र १ में प्रदर्शित आकार का होगा।

आंशिक रूप से भरे हुए बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन बिना प्रतिरोध के संचलन करेगा, यदि जालक पूर्ण और चरम शून्य ताप पर हो। चर्षणी क्रियाविधि, जो सीमित चालकता को जन्म देती है, सामान्य ताप पर परमाणुओं के ऊष्मीय विकीर्ण अणुद्वियों की मौजूदगी या अन्य जालक दोषों के कारण हो सकती है। इन सब के कारण इलेक्ट्रॉन के संचलन का एक सुस्पष्ट माध्य मुक्त पथ  $\Lambda_F$  और विश्रान्तिकाल अर्थात् दो संघट्टनों के बीच का माध्यकाल  $T_F$  होगा। जो इलेक्ट्रॉन धातु में चालन को अशदान (contribution) देते

हैं, वे फर्मी वितरण के निरे के निकट होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्नलिखित होती है

$$E_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{h^2}{2m} \left( \frac{3n}{8\pi} \right)^{2/3}, \quad \dots(1)$$

जहाँ  $n$  धातु के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।



चित्र १

एकविमीय जालक के लिये तरंगसंख्या के फलन के रूप में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का आलेखन।  $k = \pm n\pi/a$  पर ऊर्जा असातत्य होता है, जहाँ  $n$  एक पूर्णांक संख्या तथा  $a$  जालक अंतराल है।

उमसे  $v_i$  निश्चित होता है। विद्युत् चालकता  $\sigma$  के मापने से  $T_F$  का मान मिलता है, क्योंकि ये दो परिमाण निर्मातन्त्रित समीकरण के अनुसार संबद्ध होते हैं :

$$\sigma = \frac{ne^2 T_F}{m} \quad \dots(2)$$

$\Lambda_F = v_i T_F$  के मान जो इस प्रकार प्राप्त होते हैं सारणी २ में प्रदर्शित हैं। प्रेक्षित किया गया है कि यह कई नौ एंगस्ट्रॉमों में होता है।

ये लंबे माध्य, मुक्त पथ चिरसमन सिद्धांत के आधारे पर कठिनाई में समझे जा सकते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि आयनी कोडों के बीच स्थित अंतराल में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। अतएव माध्य, मुक्त पथ कुछ एंगस्ट्रॉमों से अधिक न होना चाहिए। परंतु बैंड सिद्धांत के अनुसार माध्य, मुक्त पथ चरम ताप पर पूर्ण जालक के

लिये घनत है। माध्य, मुक्त पथ ऊष्मीय विक्रोम और जालक दोषों के कारण कम हो जाता है।

सारणी २ : ०° से ० पर कुछ एकसंयोजक

धातुओं के लिये चालकता, माध्य मुक्त पथ एवं विश्रांति काल

धातु	$\sigma_{0.1} \times 10^{10}$ स्थि० वि० मा० (e. s u)	$E_F$ (ev)	$\Lambda_T (A^\circ)$	$T_{\tau}$ ( $10^{-10}$ सेकंड में)
लि (Li)	११	४७	११०	०.६
सो (Na)	२१	३१	३५०	३१
पो (K)	१५	२१	३७०	४४
ता (Cu)	५८	७०	४२०	२७
र (Ag)	६१	५५	५७०	४१

मिश्रधातु


जब किसी धातु में अपद्रव्य होते हैं, तब अपद्रव्यों के निकट का क्षेत्र उस क्षेत्र से भिन्न होता है जो आतिथेय परमाणु (host atom) के निकट होता है। इस प्रकार अपद्रव्य जालक विभव की आवृत्ति में विचलन उत्पन्न करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन केंद्रों (scattering centres) का काम करते हैं। जालक के ऊष्मीय कणों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का जो प्रकीर्णन होता है उसके अतिरिक्त यह प्रकीर्णन और होता है। चूंकि प्रकीर्णन की सभाव्यता विश्रांति काल की विलोमानुपाती है, अतः परिणामी विश्रांति काल  $T$ , निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है।

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_{th}} \quad \dots (३)$$

जहाँ  $T_1$  और  $T_{th}$  क्रमशः अपद्रव्य और ऊष्मीय प्रकीर्णन प्रक्रियाओं के लिये विश्रांति काल है। विश्रांति काल  $T_1$  ताप पर बहुत थोड़ा निर्भर करता है। अतः अपद्रव्य की उपस्थिति के कारण किसी धातु की प्रतिरोधकता लगभग स्थिर होगी। दूसरी ओर,  $T_{th}$  ताप के साथ विचरता करता है। इसलिये प्रतिरोधकता को उसका अंशदान ताप पर निर्भर करेगा। यदि अपद्रव्य की सांद्रता बहुत अधिक न हो, तो  $1/T_1$  तथा आपेक्षिक प्रतिरोधकता  $\rho$  दोनों अपद्रव्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपात में होंगी। शुद्ध तांबे की प्रतिरोधकता को मूल्य निकेलयुक्त तांबे की प्रतिरोधकता के संयोजन में ताप के फलन के रूप में, चित्र २ में, व्यक्त किया गया है। निकेल की पारमाणविक प्रतिशतता प्रत्येक वक्र के साथ दिखाई गई है। ऐसे अध्ययनों से अपद्रव्यों और ऊष्मीय विक्रोम इन दोनों की प्रतिरोधकता का अंशदान ज्ञात हो सकता है।

मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता के कुछ और रोचक पहलू हैं, जिन्हें हम तांबा-सोना-समुदाय पर विचार करते हुए स्पष्ट करेंगे। जैसी भाषा है, तांबे में स्थित सोने की निम्न सांद्रताओं के लिये (या

सोने में तांबा) अपद्रव्यों की सांद्रता के साथ प्रतिरोधकता बढ़ती है (चित्र ३)। यदि मिश्रधातु को ६५०° से ० से शमित (quenched)



चित्र २


ताप के फलन के रूप में शुद्ध तांबा और इसकी धातुओं की प्रतिरोधकता  $\rho$  का आलेखन।

किया जाता है, जिसमें अक्रमित समुदाय रह जाता है, तो जैना वक्र १ में दिखाया गया है प्रतिरोधकता सोने की पारमाण्वीय प्रतिशतता के अनुरूप विचरती है। दूसरी ओर यदि मिश्रधातु २००° से ० पर तापानुशीलन (annealed) कर दी गई है, जिससे कम से कम अंशतः क्रमि अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो प्रतिरोधकता का निम्नष्ठ (minima) प्राप्त होगा (वक्र २), जो  $Cu_3 Au$  और  $Cu Au$  संघटन की क्रमि संरचनाओं का तदनु रूपी होगा और शुद्ध तांबे का भी तदनु रूपी निम्नष्ठ ही होगा। इन सभी स्थितियों में अक्रमित मिश्रधातुओं के विपर्यास (contrast) में इलेक्ट्रॉनों द्वारा देखा हुआ विभव लगभग आवर्ती होगा। जालक में क्रम का परिमाण वक्र की प्रतिरोधकता द्वारा साफ पारदर्शित होता है।

यहाँ पर यह मकेत किया जा सकता है कि ठोस में विकिरण प्रभावों के अध्ययन में प्रतिरोधकता मापों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी धातु को न्यूनताओं द्वारा, या अन्य किसी प्ररूप के विकिरण द्वारा किरणित करने पर एक निश्चित सख्या में अंतराली परमाणु और रिक्तियाँ बनती हैं। इनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन में और प्रतिरोधकता में भी अंशदान करती हैं। उत्पन्न दोषों की सख्या और किसी निश्चित ताप पर इन दोषों के तापानुशीलन के लिये

लगनेवाले समय के संबंध में प्रतिरोधकतामापी द्वारा सूचनाएँ प्राप्त करना संभव है।

१९११ ई० में कामरलिंग ऑनेस ( Kamerlingh Onnes ) ने खोज की कि पारे की प्रतिरोधकता पूर्णतया ४२° के० से निम्न ताप पर लुप्त हो जाती है। इस संक्रमण ( transition ) ताप से, जो काफी सीमित (  $\pm 0.05^\circ$  के ) होता है, निम्न ताप पर पारे



चित्र ३.

स्वर्ण का ताप में सांद्रण के फलरूप में ताप-स्वर्ण मिश्र धातु की प्रतिरोधकता।

वक्र १ : ६५०° से० पर शामिल मिश्रधातु।

वक्र २ : २००° से० तापानुशीलित मिश्रधातु।

की स्थिति अतिचालक अवस्था ( superconducting state ) कहलानी है। यह ज्ञान है कि पारे के अलावा अनेक अन्य धातुएँ, जैसे सीसा, अतिचालकता प्रदर्शित करती हैं। इसे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग द्वारा नष्ट किया जा सकता है।  $H_c(T)$  क्षेत्र की देहली ( threshold ), या क्रान्तिक मान, ताप का फलन है। क्रान्तिक ताप  $T_c$  पर  $H_c = 0$  होना है। अतिचालक तार से नीचे धारा को गुजार कर अतिचालकता नष्ट की जा सकती है। अतिचालक अवस्था का विनाश तार में से गुजारी हुई धारा के साथ गवद चुंबकीय क्षेत्र द्वारा होता है।

माइसनर ( Meissner ) और ऑशिनफील्ड ( Oschenfeld ) ने दिखाया है कि यदि किसी अतिचालक को एक अनुदैर्घ्य चुंबकीय क्षेत्र में ठंढा किया जाय, तो क्रान्तिक ताप पर पहुँचने पर प्रेरण रेखाएँ उभारदार हो जाती हैं। यही है माइसनर ऑशिनफील्ड प्रभाव। अतः अतिचालक अवस्था के लिये  $B = 0$ , या चुंबकीय प्रवृत्ति  $K = -1/4\pi$ । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि अतिचालक अवस्थाएँ पूर्ण चुंबकत्व प्रदर्शित करती हैं। यह परिणाम इस तथ्य से स्वतंत्र है कि अतिचालक अवस्था का प्रतिरोध शून्य है। तथ्य यह है कि दोनों ही अतिचालक के गुण हैं।

यह देखा गया है कि संक्रमण के लिये क्रान्तिक ताप जालक धातुओं की संरचना के साथ विचरण करता है। मैक्सवेल, रेनाल्ड और उनके सहयोगियों ने इसे सर्वप्रथम १९५० ई० में पारे के समस्थानिकों ( isotopes ) में प्रेक्षित किया था। क्रान्तिक ताप ( $T_c$ ) ४१.५° के० से ४१.४६° के० तक विचरण करता है, जब कि समस्थानिकीय संरचना (M) १९६५ से २०३४ तक विचरण करती है। प्रयोगात्मक परिणाम प्रायः किमी एक समस्थानिक श्रेणी में निम्न-लिखित संबंध की पुष्टि करते हैं।

$$M^{\frac{1}{2}} T_c = \text{स्थिरांक} \quad \dots (४)$$

यह तथ्य सूचित करता है कि अतिचालक संक्रमण इलेक्ट्रॉन जालक अत्योन्नत क्रिया से उपजता है।

बहुत समय तक यह समझना अत्यंत कठिन बना रहा कि क्यों कुछ धातुएँ और मिश्रधातुएँ अतिचालक अवस्था के प्रति संक्रमण अवस्था प्रदर्शित करती हैं और वे इलेक्ट्रॉन, जो पानी के अपवर्जन नियम ( Pauli Exclusion Principle ) का पालन करते हैं, अंत में उन्नी अवस्था को प्राप्त करते हैं। समस्थानिक प्रभाव की खोज के बाद अनेक प्रयत्न हुए कि इलेक्ट्रॉन जातक अत्योन्नत क्रिया के आधार पर अतिचालकता का सिद्धांत विकसित किया जाए, परंतु तर्कसंगत रूप से सफल सिद्धांत का विकास अभी हाल ही में अमरीकन वैज्ञानिकों, बारडीन ( Bardeen ), कूपर और श्राइएफर ( Schrieffer ) तथा रूसी वैज्ञानिक, बोगोलुबोफ ( Bogoluboff ) के प्रयत्नों में संभव हो सका। इस सिद्धांत में प्रतिपादकों ने सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच अत्योन्नत क्रिया, इलेक्ट्रॉन अवस्थाओं के बीच सन्निकित ऊर्जातर फोनॉन ( Phonon ) ऊर्जा से कम होने पर, फोनॉनों के आभासी विनिमय के कारण, आकर्षक हो सकती है। आकर्षक अत्योन्नत क्रिया जब आवृत ( screened ) कूलंब अत्योन्नत क्रिया पर हावी हो जाती है, तब अतिचालक प्रावस्था ( phase ) का निर्माण संभव है।

अर्धचालक ( Semiconductors ) — धातुओं के अलावा, जो विद्युत् के अच्छे चालक होते हैं, पदार्थों या एक वर्ग ऐसा है जो बहुत निम्न ताप पर तो बहुत ही दुर्बल चालक होता है, परंतु उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता प्रदर्शित करता है। कुछ पदार्थों में जब अपद्रव्य होते हैं तब कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वर्ग के ठोस, जो उच्च ताप पर, या अपद्रव्यों के रहने पर, विद्युत् चालक होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें से प्रथम प्रकार के नैज अर्धचालक ( intrinsic semiconductors ) कहलाते हैं, जिनके उदाहरण हैं जर्मेनियम और गैलियम। दूसरे प्रकार के ठोस अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों के इस विचित्र गुण को ठोसों के बैंड सिद्धांत ( band theory ) के आधार पर भली-भाँति समझा जा सकता है। नैज ( intrinsic ) अर्धचालक में, संयोजकता बैंड ( valence band ) के पूर्णतः भरे रहने और चालन बैंड के पूर्णतः रिक्त रहने के कारण, चालकता शून्य होती है। नैज अर्धचालक में संयोजकता और चालन बैंडों में ऊर्जा का अंतर पर्याप्त अल्प होता है, जिसमें जब ठोस का ताप उच्च होता है, तब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चालन बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार हम चालन बैंड के तल में इलेक्ट्रॉन पाते हैं और संयोजकता

बैंड के शीर्ष पर विवर ( hole ) । इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों ही धारा को वहन करने में कार्यकारी होते हैं । इनकी सख्या ताप पर निर्भर होगी । चालकता  $e^{-1/T}$  के समानुपाती होगी, जिसमें ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई पर निर्भर होगी ।

यदि किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाए जाएँ, तो चालकता या संयोजकता बैंड के इर्द गिर्द स्थानीकृत तल ( localized level ) बनेंगे । यदि अपद्रव्य तल रिक्त चालन बैंड के निकट पड़ते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों के दाता ( donor ) के रूप में और इलेक्ट्रॉन किसी परिमित ( finite ) ताप पर चालन बैंड में उपस्थिति रहेंगे । ऐसे अपद्रव्य अर्धचालकों में धारा का वहन इलेक्ट्रॉन करते हैं । दूसरी ओर यदि अपद्रव्य तल भरे हुए संयोजकता बैंड के निकट पड़ते हैं और अपद्रव्य संयोजकता बैंड से एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर सकता है, तो पुनः विद्युत का चालन होगा, परन्तु विवरों द्वारा होगा । इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि धारा धन आवेशों के द्वारा प्रवाहित हो रही है, परन्तु यथार्थ में इलेक्ट्रॉन ही गति में रहते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्धचालकों में ताप के साथ चालकता बढ़ती है, जब कि धातुओं में यह घटती है ।

प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अर्धचालक में धारावाहक की प्रकृति निर्धारित की जा सकती है । जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा के लंबत स्थापित किया जाता है, तब क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबत एक विभव उत्पन्न होता है । इसे हॉल प्रभाव ( Hall Effect ) कहते हैं । क्षेत्र और धारा की दिशा की तुलना में विभव पात के चिह्न से वाहकों के आवेश का अनुमान किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, देखा गया है कि जहाँ क्षारीय धातुएँ ( alkali metals ), सोना, चाँदी, ताँबा आदि इलेक्ट्रॉन धारा का वहन करते हैं, वहीं बेरिलियम, जस्ता, कैडमियम में धारा का वहन विवरों के द्वारा होता है ।

आयनिक क्रिस्टल — अब हम आयनिक ठोसों की विद्युत् चालकता की चर्चा करेंगे । इन ठोसों की चालकता विद्युत् अपघट्यो ( electrolytes ) की विद्युत् चालकता से साम्य रखती है । यदि आयनिक क्रिस्टल के समुच्च फलकों के बीच विभवांतर प्रयुक्त किया जाय, तो धारा का मसूचन ( detection ) किया जा सकता है । क्षारीय हैलाइडों के मदर्भ में धारा इतनी बड़ी होती है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनों की गति के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, क्योंकि सन्निहित तापो में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की सख्या बहुत कम होगी । अतः विद्युत् क्षेत्र के प्रभाव में आयनों के प्रव्रजन के कारण धाराओं का जन्म होता है । इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेप होते हैं उनसे भी इस बात का संकेत मिलता है कि धाराओं की प्रकृति आयनिक है ।

क्षारीय हैलाइडों की यह आयनिक चालकता रिक्त जालक स्थितियों ( vacant lattice sites ) की गति के पदों ( terms ) में व्यक्त की जा सकती है । घनात्मक आयन रिक्तियों में प्रभावी ऋण-आवेश होता है, अतः वे रिक्तियाँ ऐनोड की ओर गतिशील होंगी और ऋणात्मक आयन रिक्तियाँ कैथोड की ओर गतिशील होंगी । क्षारीय हैलाइडों में घनात्मक आयन रिक्तियों की गतिशीलता ऋणात्मक


आयनों की अपेक्षा काफी अधिक होती है, जबकि बेरियम और सीसे के हैलाइडों में स्थिति उत्क्रमित हो जाती है ।

द्रवों में विद्युत् चालन — धातुओं और गैसों में विद्युत् चालन से द्रवों में विद्युत् चालन भिन्न है । जब किसी विद्युत् अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालन द्रव्यात्मक आयनों द्वारा होता है, न कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा और द्रव्य का स्थानांतरण होता है, जिसे प्रयोग द्वारा प्रक्षिप्त किया जा सकता है ।

विद्युत् अपघट्य मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं : एक तो वे, जो शुद्ध अवस्था में चालन करते हैं, जैसे पानी, अम्ल और ऐल्कोहॉल ( चाँदी, बेरियम आदि के ठोस हैलाइड, सलीन लवण, हाइड्रेट और कुछ अन्य पदार्थों में भी चालन की प्रक्रिया ऐसी ही होती है ) और दूसरे हैं, एक निश्चित विलायक में एक या अधिक पदार्थों के विलयन । विद्युत् अपघट्यो का यह दूसरा वर्ग अधिक महत्व का है ।


धातु के प्लेट या छड़, जिनका उपयोग विद्युत् अपघट्य में से धारा को गुजारने के लिये किया जाता है, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं । धन विभव पर स्थित इलेक्ट्रोड ऐनोड कहलाता है तथा दूसरा कैथोड । जब दोनों इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है तब धन आयन, जिन्हें कैटायन कहते हैं, और ऋण आयन, जिन्हें ऐनायन कहते हैं, क्रमशः कैथोड और ऐनोड की ओर विस्थापन करते हैं । इसी में धारा निर्मित होती है ।

आर्रेनियस ( Arrhenius ) ने पहले विचार प्रस्तुत किया कि द्रव के कुछ अणु धन और ऋण आयनों में विभोजित ( disso-




चित्र ४ विद्युत् अपघटन का परिपथ

ciated ) हो जाते हैं और य विद्युत् चालन का कारण है । विभोजन की मात्रा,  $\alpha$ , जिसे विभोजित अणुओं और कुल अणुओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है तथा तनु विलयनों के लिये यह एक के लगभग होती है । उदाहरणार्थ, जब NaCl और KCl पानी में घुलते हैं, तब इन अणुओं का एक अंश निम्नलिखित रूप में टूट जाता है



आयन पर स्थित नेट ( net ) आवेश उसकी सयोजकता से निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ जब बेरियम क्लोराइड पानी में घुलता है -



अर्थात् कुल तीन आयन, एक द्विगुण आवेशवाला और दो एक आवेशवाले, उत्पन्न होते हैं।

फैराडे ने द्रवों में विद्युत् के गमन का व्यापक अध्ययन किया और उसने दो नियम पाए, जो वैद्युत् अपघटन (electrolysis) के फैराडे के सिद्धांत कहे जाने हैं। इनके अनुसार ( १ ) किसी धारा द्वारा किए हुए रासायनिक निक्षेपण का परिमाण विद्युत् अपघटनी विलयन में से होकर गुजरनेवाली विद्युत् की मात्रा का समानुपाती है, ( २ ) विद्युत् की एक ही मात्रा भिन्न भिन्न पदार्थों की जिन राशियों को मुक्त करती है, वे उन पदार्थों के रासायनिक तुल्याक भार ( equivalent weights ) के आनुपातिक होते हैं।

पहला नियम कहता है कि निक्षेपण का परिमाण धारा की गामर्थ्य और धारा प्रवाहित होने के समय का अनुक्रमानुपाती है। दूसरे नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी पदार्थ के एक तुल्याक भार को, जो विद्युत् की मात्रा मुक्त कर सकती है, वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। इसे फैराडे कहते हैं और यह ९६,५०० कूलॉम के बराबर है। यदि किसी उपयुक्त विद्युत् अपघट्य में एक फैराडे विद्युत् प्रवाहित की जाय, तो वह १०० ग्राम हाइड्रोजन, या १०७.८८ ग्राम चाँदी, या ३१.७८ ग्राम ताँबा ( ताँबे की सयोजकता २ है ) मुक्त करेगी।

फैराडे के नियम निश्चिन समय में विद्युत् अपघट्य में प्रवाहित हुई विद्युत् की मात्रा का निर्धारण करने में मदद करते हैं। वैद्युत् अपघटन ( electrolysis ) में मुक्त धातु को तोलना भर पटना है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये अभिकल्पित विशिष्ट उपकरण को वोल्टमीटर ( Voltmeter ) या कूलोमीटर ( Coulometer ) कहते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक आवेश का आकलन फैराडे के ज्ञात मान से सबसे पहले किया गया। चूँकि रासायनिक तुल्याक भार में आयनों की संख्या  $N/Z$  है, जहाँ  $Z$  विचाराधीन परमाणु की सयोजकता है और चूँकि उनके द्वारा वाहित कुल आवेश  $F$  है, आयन का आवेश

$$e = \frac{F Z}{N} \quad \dots (५)$$

जहाँ एकसयोजी आयनो के लिये  $Z = १$  और  $e$  इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान है।

विद्युत् अपघट्यों की चालकता — किसी विद्युत् अपघट्य की चालकता को मापने के लिये सामान्यतया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ( alternating current circuits ) का उपयोग किया जाता है। दिष्ट धारा मापनो से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि विद्युत् धारा के प्रवाहित होने से

इलेक्ट्रोडों पर द्रव्यात्मक आयनों का निक्षेपण होता है, जिससे विलयन में उनका सांद्रण कम होता है। इससे चालकता में अंतर उत्पन्न होता है। प्रायः इलेक्ट्रोडो पर गैरे मुक्त होती हैं, जो द्रव में विभवपात ( potential drop ) के प्रतिमान ( pattern ) को बदल देने की प्रवृत्ति रखती हैं, और सभी मापों को दूषित कर देती हैं। ये ही कारण है, जिनसे प्रारंभ में पाया गया कि विद्युत् अपघट्यों के प्रयोग में ओम का नियम नहीं चलता। परंतु यदि अत्यंत दुर्बल धारा का उपयोग किया जाय और उपयुक्त इलेक्ट्रोडो का प्रयोग किया जाय, तो मापन संभव है। परंतु आजकल अधिकतर प्रयोग उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धाराओं द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों त्रुटियाँ, सांद्रण में कमी और इलेक्ट्रोडो पर गैरे का निकलना, दूर होती हैं। सामान्यतः चालकता-मापनों के लिये अभीष्ट विद्युत् अपघट्यों को खास सेल में स्थिर इलेक्ट्रोडो के साथ रखा जाता है।

किसी विद्युत् अपघट्य की चालकता तुल्याक चालकता,  $\Lambda$ , के पदों में ही व्यक्त की जाती है। यह उस आयनन  $v$  की चालकता है जिसमें विलायक का एक तुल्याक भार होता है और जो एक सेटीमीटर की दूरी पर स्थित दो प्लेट इलेक्ट्रोडो के बीच रखा जाता है। इस प्रकार

$$\Lambda = K v \quad \dots (६)$$

जहाँ  $K$  विशिष्ट चालकता है। यह ध्यान देने की बात है कि चूँकि प्लेटों का अलग-अलग १ सेमी बताया गया है, विलयन द्वारा आवृत किसी प्लेट का क्षेत्र  $v$  सेमी<sup>२</sup> है।

विभिन्न विलयनों में चालकतामापन किए गए हैं और देखा गया है कि  $\Lambda$  घटते हुए सांद्रण के साथ बढ़ता है। अतिनिम्न सांद्रणों के लिये उपगामी ( asymptotic ) मान को अपरिमित तनुता पर तुल्याक चालकता कहते हैं और  $\Lambda_\infty$  द्वारा निरूपित करते हैं। चित्र ५. में कुछ प्रारूपिक विलेयों ( typical solutes ) के सांद्रण के साथ  $\Lambda$  का विचरण दिखाया गया है।


$\text{KCl} ( \rightarrow \text{K}^+ + \text{Cl}^- )$ ,  $\frac{1}{2} \text{BaCl}_2 ( \rightarrow \text{Ba}^{++} + 2\text{Cl}^- )$  और  $2\frac{1}{2}$  से० पर पानी में घुला हुआ  $\frac{1}{2} \text{NiSO}_4 ( \rightarrow \text{Ni}^{++} + \text{SO}_4^{--} )$  हैं।  $\text{NiSO}_4$  और  $\text{BaCl}_2$  के पहले जो गुणनखंड ३ लगा है, उसका मतलब यह है कि चूँकि  $\text{Ni}$  और  $\text{Ba}$  की सयोजकता २ है, अतः इस पदार्थ के परमाणु भार का अर्धा  $\Lambda_\infty$  के निर्धारण के लिये लेना चाहिए।  $\Lambda_\infty$  के क्रमशः मान हैं १८८, १२६ और ११६ ओम<sup>-१</sup> सेमी<sup>२</sup>।

विद्युत् अपघट्य में विद्युत् का चालन धन और ऋण आयनों की गति या संचलन से होता है। यह देखा गया है कि अपरिमित तनुता पर दो प्रकार के आयनों का संचलन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से माना जा सकता है और यह आयनों के प्रवजन का कोहराउश नियम ( Kohlrausch's Law ) कहलाता है। इस नियम को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है

$$\Lambda_\infty = \lambda_+ + \lambda_- \quad \dots (७)$$

जहाँ अपरिमित तनुता पर  $\lambda_+$  और  $\lambda_-$  क्रमशः कॅथायनों और

ऐनायनों की आयन चालकताएँ कहलाती हैं। सारणी ३ में कुछ प्रारूपिक मान दिए हुए हैं।



चित्र ५

कुछ विलेयों की तुल्य चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन।

चूँकि वैद्युत धारा का घनत्व वह नेट आवेश (net charge) है जो मात्रक समय (unit time) में मात्रक क्षेत्र को पार करता

सारणी ३ : २५° से० पर तथा ओम<sup>-१</sup> सेमी<sup>२</sup> में, अनंत तनुता पर आयनिक चालकता

धनायन	$\lambda_+$	ऋणायन	$\lambda_-$
हा <sup>+</sup> (H <sup>+</sup> )	३४६.८२	ओहा <sup>-</sup> (OH <sup>-</sup> )	१६८
पो <sup>+</sup> (K <sup>+</sup> )	७३.५२	क्लो <sup>-</sup> (Cl <sup>-</sup> )	७६.३४
र <sup>+</sup> (Ag <sup>+</sup> )	६१.६२	सुльфोओ <sup>-</sup> ( $\frac{1}{2}$ SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	७६.८
सो <sup>+</sup> (Na <sup>+</sup> )	५०.११	ना ओ <sub>३</sub> <sup>-</sup> (NO <sub>३</sub> <sup>-</sup> )	७१.४४
३ बे <sup>++</sup> ( $\frac{1}{3}$ Ba <sup>++</sup> )	६३.६४		

है, अतः वह आयनों के वेग पर निर्भर रहेगा। यह वेग विद्युत् विघट्य में अनुप्रयुक्त क्षेत्र (field) पर सीधे निर्भर है। यदि आयन १ वोल्ट विभव पात में से होकर १ सेमी दूरी पार करता

है, तो उसके द्वारा अर्जित वेग को आयन की गतिशीलता ( $u$ ) के रूप में यदि हम परिभाषित करें, तो हम दिखा सकते हैं कि

$$\lambda_+ = F u_+ \quad \text{और} \quad \lambda_- = F u_- \quad \dots (८)$$

जहाँ  $u$  अनंत तनुता पर गतिशीलता को निरूपित करता है और  $F$  फेराडे है। कनिष्ठ प्रारूपिक आयनों के लिये गतिशीलता सारणी ४ में दी हुई है।

सारणी ४ २५ से० पर जल में गतिशीलता

धनायन	गतिशीलता (सेमी/से०)	ऋणायन	गतिशीलता (सेमी/सेकड)
हा (H)	$362 \times 10^{-4}$	हा ओ (HO)	$205 \times 10^{-4}$
पो (K)	७६१	ग ओ (SO <sub>4</sub> )	८२७
बे (Ba)	६६०	क्लो (Cl)	७६१
सो (Na)	५१६	ना ओ <sub>३</sub> (NO <sub>३</sub> )	७६०
लि (Li)	४०१	का ओ <sub>२</sub> (CO <sub>२</sub> )	४६१

हमारी बात जो यहाँ उल्लेखनीय है वह यह है कि गतिशीलता, अतः चालकता  $\Lambda$ , विलयन की श्यानता (viscosity) पर निर्भर है। देखा गया है कि गुणनफल  $\Lambda \cdot \eta$ , विभिन्न विलायकों के लिये एक ही होता है, जिसमें  $\eta$  श्यानता का गुणांक है। उसे वेल्डन का नियम कहते हैं। विलयन का  $\Lambda$  ताप के परिवर्तन के साथ परि-

सारणी ५ :

२५ से० पर एकसंयोजक विद्युत् अपघट्य के लिये आनसेजर स्थिरांकों के मान

	अ (A)	ब (B)
जल	६०२०	०.२२६
मेथिल ऐल्कोहॉल	१५६१	०.६२३
ऐथिल ऐल्कोहॉल	८६७	१.३३
ऐसीटोन	३२८	१.६३

वर्तित होता है, परंतु यह परिवर्तन ऐसा होता है कि  $\Lambda \cdot \eta$  स्थिर रहता है।

डेबाह हकेल सिद्धांत — आयनों की सांद्रता  $C$  के साथ तुल्यांक चालकता (equivalent conductance) के विचरण की व्याख्या करने के प्रारंभिक प्रयास में मान लिया गया था कि आयनों का वेग सांद्रण पर निर्भर नहीं है और केवल वियोजन की मात्रा (degree of dissociation) परिवर्तित होती है। वियोजन की मात्रा  $\alpha$  चालकता अनु-



पात  $\Lambda/\Lambda^\circ$  के साथ अभिनिर्धारित (identify) की गई। शीघ्र ही देखा गया कि यद्यपि C के निम्न मानों के लिये आयनी वेग C पर निर्भर नहीं है, परंतु C के बड़े मानों के लिये आयनीय वेग सांद्रण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बड़े सांद्रणों पर अलग आयनी (inter-ionic) बल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और आयनों को धीमा कर देने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इस घटना की सतोषजनक व्याख्या डेवाइ और हकेल ने दी, जिसका सुधार बाद में आर्नसेजर ने किया। हम इसपर संक्षेप में यहाँ विचार करेंगे।

हम पहले एक धन आयन पर विचार करें। अपने आवेश के कारण यह अपने चारों ओर आयनों का मेघ जुटा लेगा, जिसपर नेट ऋण आवेश होगा। यह आवेश परिमाण में धन आयन के आवेश के बराबर होगा। आयन के अर्धव्यास की १०० गुनी दूरी तक इस मेघ का प्रसार हो सकता है। इस आयन मेघतंत्र का नेट आवेश शून्य है और यह वैद्युत रूप से उदासीन है। जब कोई बाह्य क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है, तब आयन कैथोड की ओर गति आरंभ करता है, परंतु मेघ के जड़त्व के फलस्वरूप वह कुछ पीछे छूट जाता है। इसके कारण आवेशों का पृथक्करण उत्पन्न होता है, अर्थात् समूचा तंत्र ध्रुवित (polarised) हो जाता है। ऋण मेघ, जो पीछे छूट जाता है, आयन को पीछे की ओर खींचता है, जिससे उसकी गति मंदित होनी है। दूसरा बल जो वायुशील हो उठता है वह है, एनोड और ऋण मेघ के बीच पारस्परिक आकर्षण। यह भी आयन की गति को मंदित करने का प्रवृत्तिवाला होता है।

एन बलो को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि नियोजन की मात्रा  $\alpha$  है, डेवाइ-हकेल-आर्नसेजर ने उस विद्युत् प्रपद्य के लिये जिसमें धन और ऋण एक संयोजक हैं, यह संबंध पाया


$$\Lambda = \alpha [\Lambda_0 - (A + B\Lambda)] \sqrt{\alpha c} \quad (९)$$

A और B स्थिर हैं, जो विलायक की पृष्ठति और ताप पर निर्भर करते हैं और कुछ विलायकों के सदर्भ में उनके मान यहाँ दिए गए हैं।

गैसों में एवं दुर्बल विद्युत क्षेत्रों में विद्युत् चालन — गभी गैस में सामान्य ताप और दाब की श्रृंखला में बहुत अच्छी विद्युत्गोपी होती है। यदि एक आवेशित विद्युत्दर्शी को चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय तो वह बहुत समय तक के लिये आवेश को धारण करेगा। बहुत ही मंद रूप से जो क्षरण (leakage) होता है, उसका कारण आम-पास स्थित कॉस्मिक किरणों और अन्य रेडियोऐक्टिव स्रोतों के कारण विद्युत्दर्शी में स्थित गैस का आयनन है। ये विकिरण लगभग प्रति घन मीटर प्रति सेकंड १० आयन युग्मों को उत्पन्न करते हैं।

एक्सकिरण, गामा किरण आदि आयनकारी विकिरणों को गैस में से गुज़ार कर उसकी चालकता में वृद्धि की जा सकती है। ये विकिरण बाह्य इलेक्ट्रॉनों को कुछ परमाणुओं से निर्लेपित करते हैं, जिससे परमाणु धन आवेशवाले हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अन्य उदासीन परमाणुओं से जुड़ जाते हैं, जिससे ऋण गैस आयनों का निर्माण होता है। यदि इस गैस में स्थित दो इलेक्ट्रॉनों पर विभवांतर प्रयुक्त किया जाय, तो ये आयन धारा को प्रवाहित करेंगे। यह चालन ठोसों और द्रवों में विद्युत् चालन से अनेक प्रकार से भिन्न

होता है। प्रथमतः ओम का नियम विभवांतर के अल्पमानों में पाया जाता है और बड़े मानों के लिये धारा सतृप्ति प्रभाव (saturation)



चित्र ६.

कम विभवांतरों के लिये विभवांतर के फलन के रूप में इलेक्ट्रॉनों की मध्य धारा का आलेख।

effect) प्रदर्शित करती हैं। यह इस कारण कि गैस के अंदर उत्पन्न आयनों की संख्या आयनकारी स्रोत की सामर्थ्य के घनसार सीमित होती है और (यदि स्वयं आयनन का कोई दूसरा स्रोत काम में न लाया जाए तो) धारा इस संख्या द्वारा सीमित होगी।

गैस में आयनों का व्यवहार समझने के लिये अनेक प्रयोग किए गए हैं। दो अभिलक्षक (characteristic) परिमाण मापने पड़ते हैं आयनों की गतिशीलता और पुनर्संयोजन दर। गतिशीलता मीमी प्रति सेकंड में वह वेग है जो १ सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉडों पर १ वोल्ट विभव प्रयुक्त करने पर आयन द्वारा प्राप्त किया जाता है और पुनर्संयोजन का गुणांक  $\alpha$  निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है।

$$\frac{dn_1}{dt} = -\frac{dn_2}{dt} = -\alpha n_1 n_2 \quad \dots (१०)$$


यहाँ  $n_1$  और  $n_2$  क्रमशः प्रति इकाई आयनन में धन और ऋण आयनों की संख्याएँ हैं। आयनों की गतिशीलता और  $\alpha$  दोनों दाब पर निर्भर हैं। आयनों की गतिशीलता दाब के बढ़ने पर घटती है और  $\alpha$  बढ़ता है। ऋण आयनों की गतिशीलता हमेशा धन आयनों की गतिशीलता से कुछ अधिक होती है, परंतु दोनों ही वायुमंडलीय दाब और कमरे के ताप पर एक होते हैं। हवा का मानक ताप और दाब पर पुनर्संयोजन गुणांक  $\alpha$  लगभग  $१६ \times १०^{-१६}$  सेमी<sup>३</sup> सेकंड<sup>-१</sup> होता है। अर्थात् यदि एक घन सेंटीमीटर हवा में प्रत्येक प्रकार के आयनों की संख्या १,००० हो, तो औसतन लगभग १६ आयन एक सेकंड में पुनर्संयोजन करेंगे।

तीव्र विद्युत् क्षेत्र में चालन — ऊपर वर्णित बातें तभी ठीक

उतरती हैं जब इलेक्ट्रोडो के बीच प्रयुक्त क्षेत्र बहुत बड़ा न हो। बड़े क्षेत्रों के लिये चालन की क्रियाविधि भिन्न है।

गैसों में बड़े क्षेत्रों का उपयोग करते हुए, विद्युत् चालन संबंधी अधिकांश मौलिक अनुसंधान कार्य जे० जे० टामसन और जे० जे० टाउनसेन्ड ने १९२०-१९२६ ई० तक किया। इन अध्ययनों के परिणाम-स्वरूप आवेशित वस्तु के संचयन (charged particle detection) के आधुनिक उपकरणों का निर्माण संभव हो सका है, जैसे गार्डर मूल्य गणक (Geiger Muller counter), आयनन कोष्ठ आदि। गरम प्लाज्मा (plasma), अर्थात् आयनित कणों की गैस में ताप-नाभिकीय अभिक्रिया (thermonuclear reaction) उत्पन्न करा सकने की संभावना से, वर्तमान समय में यह क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है।

अथ निम्न दाब पर गैसों में विसर्जन की विवेचना की जाएगी। चित्र ७ में एक गैस कोष्ठ दिखाया गया है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। इनके बीच की दूरी  $d$  परिवर्तित की जा सकती है। अ (A) इलेक्ट्रोड पर विभव प्रयुक्त किया जाता है और दूसरे को एक विद्युन्मापी वि (E) से जोड़ देते हैं। यह विद्युन्मापी  $10^{-10}$



चित्र ७ किसी गैस द्वारा विद्युत्प्रवाह अध्ययन करने की नली

एंपियर तक की धारा को माप सकता है। एकस किरण या गामा किरण को कैथोड B पर पड़ने दिया जाता है, जिसमें वह फोटो-इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित (emit) करने लगता है। ये अ (A) की ओर चल पड़ते हैं और यदि विभवांतर अधिक हो, तो उनमें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि वे अपने मार्ग में स्थित अन्य परमाणुओं को आयनित करने के लिये पर्याप्त होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न इलेक्ट्रॉन गैस को और भी इसी प्रकार आयनित कर सकते हैं। यह दर्शाया जा सकता है कि इलेक्ट्रोड पार्थक्य  $d$  के लिये धारा

$$I = I_0 e^{c_1 d} \quad \dots (11)$$

होगी। यहाँ  $c_1$  स्थिरांक है, जो क्षेत्र (विभवांतर/दूरी) और दबाव पर निर्भर होता है। यदि  $d$  बड़ा है, तो ऊपर लिखित समीकरण को इस प्रकार सुधार लेना होगा


$$I = I_0 e^{c_1 d} (e^{c_2 d} - 1) \quad \dots (12)$$

यहाँ  $C_2$  दूसरा स्थिरांक है, जो दबाव और क्षेत्र पर निर्भर है। यदि  $I_0 I/I_0$  का  $d$  के साथ आलिखित (plot) किया जाय, तो चित्र ८ में प्रदर्शित आकार का वक्र प्राप्त होगा।  $d$  के प्रत्यमानों के लिये वक्र  $d$  में रेखीय है, जबकि मान  $d = d_s$  के लिये

$$I - C_2 (e^{c_1 d} - 1) = 0 \quad \dots (13)$$

वक्र अनंत की ओर अग्रसर होता है। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि  $d > d_s$  मान के लिये यदि आयनकारी स्रोत न भी हो,

तब भी धारा प्रवाहित होगी ही। धारा का अधिकतम मान बाह्य परिपथ द्वारा निर्धारित होगा। विभव पात  $V_s$  जो इस स्थिति को  $d_s$



चित्र ८ किसी गैस के समरूप क्षेत्र में दूरी के साथ आयनन वृद्धि की तुलना।


दूरी पर उत्पन्न करता है स्फुलिंग (sparking) विभव कहलाता है और केवल  $P \times d_s$  पर निर्भर है जिसमें  $P$  गैस का दबाव है। यह संबंध पाश्चन का नियम (Paschen's law) कहलाता है।

वक्र का रेखीय भाग, जैसा हम पहले कह आए हैं, गैस को आयनित करनेवाले प्राथमिक प्रकाश इलेक्ट्रॉनों द्वारा गैस में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के कारण है।  $d = d_s$  के निकट धारा में होनेवाली अचरमात् वृद्धि द्वितीयक प्रक्रियाओं का कारण है, जैसे (१) धन आयनों द्वारा गैस का आयनन (२) धन आयन, या प्रोटॉन बमबारी आदि द्वारा कैथोड से द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कैथोड में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है, परंतु चाहे धन आयन या फोटॉन द्वारा उत्सर्जन होता हो, कर्मक (agent) का तुलनात्मक महत्व कैथोड की प्रकृति और प्रायोगिक अवस्थाओं पर निर्भर होता है।

जहाँ तक स्फुलिंग के उपक्रम (initiation) की अवस्थाओं का संबंध है, प्रेक्षण किया गया है कि उच्च दबाव पर भी स्फुलिंग उपक्रम उन्ही अवस्थाओं में होता है, जिनमें निम्न दबाव पर होता है, अर्थात् पाश्चन का नियम दाब के इस परास (range) में भी भली प्रकार लागू होता है।

विसर्जन के उपक्रम की विवेचना कर चुकने के बाद, अब हम निम्न दाब पर विसर्जन के स्वरूप पर विचार करेंगे। विसर्जन का प्ररूप (type) अन्य बातों के अलावा नली के अंदर दाब तथा उपस्थित गैस इलेक्ट्रोडों के आरपार की बोट्टता आदि पर निर्भर है। उदाहरण के लिये चित्र ९ में उस स्थिति के विसर्जन लक्षण (discharge characteristics) दिए गए हैं जिसमें कतिपय सेंटीमीटर व्यास की ५० सेमी लंबी नली, और १ मिलीमीटर पारे के दबाव पर नियत गैस से भरी हुई नली अल्पधारा  $\sim 10^{-8}$  एंपियर वहन करती है। प्रेक्षण किया जाता है कि कैथोड के निकट विभव पात बड़ा ही तीखा होता है, जिसका अभिप्राय है कि वहाँ पर विद्युत् क्षेत्र बड़ा है।

यदि दाब को पारे के लगभग  $10^{-3}$  मिलीमीटर तक घटा दिया जाय और उच्चतर वोल्टताएँ ( २ - ५० keV ) अनुप्रयुक्त




चित्र १. विसर्जन की लंबाई के अनुदैर्घ्य विसर्जन प्राचलों का परिवर्तन ।

की जाएँ, तो विसर्जन का लक्षण पूर्णतः बदल जाता है। अब यह अदीप्त विसर्जन ( dark discharge ) होता है, अर्थात् दृश्य प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता और इलेक्ट्रोडों के बीच गणितीय आयनों में किरणपुंज ( beam ) के सभी गुण होते हैं। यदि इसे 'कैथोड' के किमी छिद्र द्वारा गुजरने दिया जाय, तो वे सुनिश्चित स्पष्ट किरण कूर्चिका ( pencil ) के रूप में निर्गत होते हैं और कैनेल किरण ( canal rays ), या धन किरण, कहलाते हैं। उन आवेशित आयनों के द्रव्यमान के निर्धारण का व्यापक कार्य जे० जे० टॉमसन, ऐस्टन और अन्य लोगों ने किया है।


विसर्जन में शीत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन - ज्ञात है कि उच्च क्षेत्रों के प्रभाव में शीत धातुपुच्छों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। विसर्जन नली के अंदर कैथोड पृष्ठ पर निर्भर यह प्रभाव अंतिम विसर्जन के स्वरूप को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। खास तौर से जब उच्च क्षेत्रों को, उच्च दाब पर और अल्प अंतराल पर, प्रयुक्त किया जाता है, तब शीत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन गैस में इतना आयनन उत्पन्न कर सकता है कि वह स्फुलिंग विभण  $V_s$  को घटाने और पाशन के नियम को विफल करने के लिये पर्याप्त हो। यह विहित है कि कैथोड पर ऑक्साइड की परत की उपस्थिति इस प्रभाव को और भी बढ़ाती है।

प्रत्यावर्ती और स्पंद ( pulsed ) क्षेत्रों में विसर्जन - उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती क्षेत्रों द्वारा गैस में विसर्जन को और भी उत्तेजित किया जा सकता है। इस स्थिति में, जैसा चित्र १० में दिखाया गया है, बाह्य इलेक्ट्रोडों का उपयोग करना संभव है।



चित्र १० किसी प्रत्यावर्ती क्षेत्र में रेखीय विसर्जन ।

इससे इलेक्ट्रोडों पर कोई आयन हानि नहीं होती। टोरोइड ( toroidal ) नली में भी विसर्जन को उत्तेजित किया जा सकता है ( चित्र ११ )। अक्सर काम आनेवाली विधि है टोरोइड को परिणामित्र ( transformers ) का द्वितीयक परिणय बना देना। जब रेडियो आवृत्ति तापन द्वारा कुछ प्रारंभिक आयनन हो जाय, तब प्रारंभिक परिणय द्वारा संधारित्रों का बैक ( bank of condensers ) विसर्जित किया जाता है, जिसमें टोरोइड में गैस लगभग गपूरण भंग ( breakdown ) हो जाती है और एक बहुत बड़ा धारा स्पंद उत्पन्न होता है। इन विशाल (  $10^3$  से  $10^4$  तक की ऐंपियर मात्रा की )




चित्र ११. गैस विसर्जन टोरोइड नली ।

धाराओं के कारण विभिन्न धारा लाइनों के बीच। आकर्षण बल विशाल होता है और समुचा प्लाज्मा ( plasma ) संकुचित हो जाता है ( देखें चित्र १२ ) और बरतन की काँच की दीवारों को छोड़ देता है। इस प्रकार ऊष्मा द्वारा वियुक्त प्लाज्मा प्राप्त होता है। प्रचंड ताप उत्पन्न होता है और आशा की जाती है कि भविष्य में ऐसी ही किमी युक्ति द्वारा तापनाभिकीय अभिक्रियाएँ उत्पन्न की जा सकेंगी।

यह संकुचित विसर्जन अस्थिर है और दीवारों से भिड़ने की प्रवृत्ति रखता है और ऐसा करते समय ऊष्मा को काँच पर संचारित कर देता है। इसे स्थिरता प्रदान करने के लिये टोरोइड पर लिपटी

द्वि कुंडली द्वारा  $3 \times 10^6$  गॉस के परिमाण का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र




चित्र १२. टोरोइडली नली में विसर्जन

भारी विसर्जन धारा के लिये प्लैजमा काँच की दीवारों को छोड़कर संकुचित हो जाता है।

प्रयुक्त किया जाता है। उच्च प्लैजमा घनत्व और उच्च ताप के लिये अनेक अन्य सुधारों का समावेश कर लेना चाहिए।

रेखीय प्लैजमा के परिरोध (confinement) पर भी बहुत सा काम सफलतापूर्वक किया गया है। तीव्र चुंबकीय क्षेत्र नली के



चित्र १३. प्लैजमा का चुंबकीय दर्पण परिरोध।

सिरों पर उत्पन्न किए जाते हैं, जिसे नली के सिरों की और गतिशील आयन परावित्त होकर इन क्षेत्रों की भीतरी नली की ओर लौट जायें।

प्लैजमा और चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया का क्षेत्र, जिसे मैग्नेटो-हाइड्रो-डाइनेमिक्स कहते हैं, भौतिकी का अत्यधिक महत्व का प्रकरण बन रहा है।

आपविसर्जन (Arc Discharge) — जब दो कार्बन या धातु इलेक्ट्रोड, जिनमें कुछ विभवांतर प्रयुक्त हुआ हो, संपर्क में लाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे अलग किए जाते हैं, तो आप विसर्जन उत्पन्न होता है। विसर्जन में धारा अनिश्चित रूप से बढ़ सकती है और केवल बाह्य परिपथ द्वारा ही सीमित होती है। धारा ज्यों ज्यों बढ़ती है, विभिन्न धारा अवयवों (elements) में पारस्परिक

आकर्षण के कारण समय विसर्जन संकुचित होता है और धारा का घनत्व  $10^6$  से  $10^7$  ऐंपियर/सेमी तक की उच्च दाब को प्राप्त हो सकता है। इसके प्रतिरक्त घन आयनों का घनत्व खास तौर से कैथोड के निकट पर्याप्त बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनों और घन आयनों का गैस परमाणुओं से संघट्टन (collision) ऊर्जा के क्षेत्र से गैस को स्थानांतरित कर देता है। इसके परिणामस्वरूप गैस बहुत उच्च ताप पाकर गरम हो जाती है। यह कैथोड के अपरदन (erosion) में महत्वपूर्ण साबित होता है।

तद्वि विसर्जन — मेघों में होनेवाले तद्वि विसर्जन में  $5 \times 10^6$  वोल्ट परिमाण का विभवांतर प्राप्त होता है, जो प्रयोगशाला में प्राप्य परिमाण का लगभग दूना होता है। इलेक्ट्रोडों की दूरी कुछ किलोमीटर हो सकती है और विसर्जन होने की क्रिया में प्रयोगशाला में जितना समय लगता है उससे बहुत अधिक लगता है। विसर्जन का स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि धरती में विसर्जन हो रहा है या मेघ में। इन तद्वि विसर्जनों में धारा २० किलो-ऐंपियर परिमाण की होती है और वेग  $10^6$  से  $10^7$  सेमी. सेकंड तक होता है।

सं. प्र० — एफ० सीत्ज द गार्डन थ्योरी आर सॉलिड्स १९४०, मैकग्रा-हिल, न्यूयॉर्क; एफ० लडन मुरफुइडम, खड १, १९५७, जे० विली ऐड संस, न्यूयॉर्क; एम० ग्लास्टोन इंट्रोडक्शन टु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री १९५६, एफ० लुएलिन जोन्स रिंस० प्राग० फिजिक्स १६, २१६ (१९५३); एस० फ्लुगी (मवादक) इनसाइक्लापीडिया आव फिजिक्स, खड २२, १९५६, स्प्रिंगर वर्ल्ग, बर्लिन; ए० एस० विशप प्रोजेक्ट शेग्युड, १९५६, ऐडीसन वसनी, न्यूयॉर्क। [ एल० एस० कोठारी आर एम० पी० सिंह ]

विद्युत्चिकित्सा और निदान कुछ रोगों के निदान और चिकित्सा में विद्युत् का उपयोग होता है। यह समझना भूल है कि सभी रोगों के निदान और चिकित्सा विद्युत् से हो सकते हैं। विद्युत् दिष्ट या गैलवैनिक विद्युत् धारा (Direct or Galvanic Current), फेराडिक विद्युत् धारा (Faradic Current), ज्यावकीय विद्युत्-धारा (Sinusoidal Current) तथा उच्च आवृत्ति धारा (High Frequency Current), या डायथर्मि (Diathermy) के रूप में हो सकती है।

यदि दिष्टधारा की वोल्टता और ऐंपियर कम हो और उसे शरीर के किसी भाग की त्वचा पर प्रवाहित किया जाय, तो विद्युत् धारा के प्रवाह से प्रतिवर्ती क्रियाएँ (reflex action) उत्पन्न होती हैं, जिसे रुधिर धमनियाँ विस्फारित (dilate) हो जाती हैं, रुधिर का संचार बढ़ जाता है और आयनों का अभिगमन होने लगता है। इससे निशुद्ध लवण के आयनों को किसी विशिष्ट ऊतक तक पहुँचाकर, उन्हें वहाँ निक्षिप्त किया जा सकता है।

किसी जीवित प्राणी की पेशियों में विद्युत्धारा के प्रवाह से प्रत्येक 'संपर्क और विच्छेद' पर संकुचन उत्पन्न होता है। यदि विद्युत्धारा किसी सूई पर मकेन्द्रित कर प्रवाहित की जाय, तो इससे ऊतकों पर विनाशी प्रभाव पड़ सकता है और इससे रासायनिक परि-

वर्तन भी हो सकते हैं। रुबिर वाहिनियो, तंत्रिकाओं, पेशियों और जोड़ों के रोगनिवारण में विद्युत्धारा का उपयोग होता है। इससे रोगवाहिनियाँ विस्फारित हो जाती हैं। उनमें शोषधियाँ डालकर अधिक समय तक विस्फारित रखा जा सकता है, विशिष्ट शोषधियाँ किसी विशिष्ट स्थान पर पहुँचाकर, उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार श्लेष्मबला की सूजन में यदि यशद या ताअ आयन प्रविष्ट कराया जाय, तो उससे लाभ होता पाया गया है।

फेराडिक विद्युत्धारा से तंत्रिका घात का निदान होता है और तंत्रिका के पक्षाघात में मांसपेशियों के व्यवहार की कमी से जो दुर्बलता आ जाती है, उसे रोकने के लिये मांसपेशियों में विद्युत्धारा क्षोभन उत्पन्न कराया जा सकता है।

ज्यावन्शीय विद्युत्धारा निम्न आवृत्ति की विद्युत्धारा होती है। प्रत्यावर्तन की दर साधारणतया प्रति मिनट ५ से ५० तक रहती है। इसमें पेशियों में सकुचन होता है। पक्षाघात के रोगी में भी यह सकुचन उत्पन्न करती है। अतः पेशियों को उत्तेजित करने में इसका उपयोग होता है। इससे पेशियों की सकुचनशीलता (contractility), उत्तेजनशीलता (irritability), स्फुरण (tone) और पोषण (nutrition) बना रहता है और ऊतकों का तनुमय बनना रोका जा सकता है।

१८६० ई० में देखा गया कि बहुत ऊँची आवृत्ति, जैसे प्रति सेकंड १०,००० दोलन में, पेशियों का सकुचन नहीं होता, क्योंकि इसमें क्षणिक क्षोभन से तंत्रिका पेशी की अनुक्रिया (response) नहीं होती। यदि तनाव तथा आवृत्ति (frequency) अधिक बढ़ा दी जाय (१,००,००० प्रति सेकंड), तो धारा के पथ में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस डायथर्मि कहते हैं। इससे रुधिर-वाहिनियों का विस्फारण बढ़ जाता है और ऊतकों का तापन हो जाता है। ऊतकों के तापन में गरम जल या सूखे कपड़े का भी व्यवहार हो सकता है, पर इसमें तापन उतने गहरे स्थान पर नहीं पहुँचता जितना डायथर्मि से पहुँचता है। इससे पीडा और पेशी के ऐंठन में कमी आ जाती है। चोट, मोच, प्रदाह, पीडा आदि में डायथर्मि को अधिक लाभप्रद पाया गया है। डायथर्मि की अनेक मशीनें बनी हैं और उनका व्यवहार दिनों दिन बढ़ रहा है।

मानसिक विचार के रोगियों में विद्युत् आक्षोभ चिकित्सा का व्यवहार होता है। रोगी के कपाल पर विद्युत् का इलेक्ट्रोड लगाकर नियंत्रित विद्युत्धारा कुछ निश्चित काल तक प्रवाहित की जाती है। इससे रोगी मूर्च्छित और चेतनाहीन हो जाता है। ऐसा उपचार भ्रवनमित अवस्था (depressed states), अतृणबंध (schizophrenia) तथा अन्य प्रकार की मनोविक्षिप्ति (psychosis) में लाभदायक सिद्ध हुआ है।


रोगों के निदान के लिये अनेक वैद्युत् उपकरण बने हैं। ऐसा एक उपकरण इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (electrocardiogram) है। हृदय के विस्पंदन (beating) से शरीर में वोल्टता उत्पन्न होती है। इस वोल्टता को यह उपकरण बहुत अधिक परिश्रित कर कागज पर अभिलिखित कर देता है। इस उपकरण के इलेक्ट्रोड को व्यक्ति की भुजा, टाँग या छाती पर रखते हैं। यदि हृदय की

कार्यशीलता में कोई अपसामान्यता है, तो जो अभिलेख प्राप्त होता है वह सामान्य अभिलेख से भिन्न होता है। एक दूसरा उपकरण इलेक्ट्रो-एन्सेफेलोग्राम (electro-encephalogram) है। इसमें इलेक्ट्रोड कपाल पर लगाया जाता है। इससे जो अभिलेख प्राप्त होता है, उससे मस्तिष्क के कुछ रोगों का पता लगता है। एक तीसरा उपकरण वैद्युत् मायोग्राम (electro-myogram) है। इसमें एक छोटा सूईनुमा इलेक्ट्रोड पेशी में प्रविष्ट कराया जाता है। इससे त्वचा के वैद्युत् प्रतिरोध से रोगी की भावात्मक प्रतिक्रिया का पता लगता है। हृत्पद सुनने के लिये अब वैद्युत् स्टेथोस्कोप भी बने हैं, जिनसे हृत्पद सुनना बड़ा सरल हो गया है। विद्युत् के उपयोग से रोग निदान, रोग चिकित्सा और शोषण अनुसंधान में बड़ी प्रगति हुई है। [ उ० ण० प्र० ]

**विद्युत् सुबक** लोहे पर चुंबक रगड़कर लोहे को चुंबकित किया जा सकता है और लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत् धारा बहाकर भी लोहे को चुंबकित किया जा सकता है। विद्युत् धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है, उसे विद्युत् चुंबक कहते हैं।

सन् १८२० ई० में अस्टेड (Oersted) ने आविष्कार किया कि विद्युत् धारा का प्रभाव चुंबकी पर पड़ना है। इसके बाद ही उसी साल आरेगो (Arago) ने यह आविष्कार किया कि तार के तार में बहती हुई विद्युत् धारा के प्रभाव से इसके निकट रखे लोहे और इस्पात के टुकड़े चुंबकित हो जाते हैं। उसी साल अक्टूबर महीने में सर हफ्री डेवी (Sir Humphrey Davy) ने स्वतंत्र रूप से इसी तथ्य का आविष्कार किया।

सन् १८२५ ई० में इंग्लैंड के विलियम स्टर्जन (William Sturgeon) ने पहला विद्युत्-चुंबक बनाया, जो लगभग ४ किलो का भार उठा सकता था। उन्होंने लोहे की छड़ को घोड़े के नाल के रूप में मोड़कर उसपर विद्युत्गोधी तार लपेटा। तार में बिजली की धारा प्रवाहित करते ही छड़ चुंबकित हो गया और धारा बंद करते ही छड़ का चुंबकत्व लुप्त हो गया। यहाँ छड़ के




चित्र १. स्टर्जन के विद्युत् चुंबक का रूप

एक सिरे से दूसरे सिरे तक तार को एक ही दिशा में लपेटते जाते हैं, किंतु सिरों के सामने से देखने से मुड़ी हुई छड़ की एक बाहु

पर धारा दायमावर्त दिशा में चक्कर काटती है और दूसरी बाहू पर दक्षिणावर्त दिशा में। फलस्वरूप छड़ का एक सिरा उत्तर-ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव बन जाता है।

स्टर्जन के प्रयोगों से प्रेरित होकर सन् १८३१ में अमरीका के जोसेफ हेनरी (Joseph Henry) ने शक्तिशाली विद्युत् चुंबकों का निर्माण किया। उन्होंने लोहे की छड़ पर लपेटे हुए तारों के फेरों की संख्या बढ़ाकर विद्युत् चुंबक की शक्ति बढ़ाई। उन्होंने जो पहला चुंबक बनाया वह ३५० किलो का भार उठा सकता था और इसके बाद उन्होंने जो दूसरा विद्युत् चुंबक बनाया, वह १,००० किलोग्राम का भार उठा सकता था। उनके विद्युत् चुंबको को कई सेल की बैटरी की धारा से ही उपयुक्त प्रबल चुंबकत्व प्राप्त होता था। इसके बाद तो इससे भी शक्तिशाली विद्युत् चुंबकों का उत्तरोत्तर निर्माण होता गया। सन् १८६१ ई० में डु बॉय (Du Bois) ने एक बड़े विद्युत् चुंबक का निर्माण किया। इस विद्युत् चुंबक के क्रोड (core) (लोहे की छड़) पर तार के २,४०० फेरे लपेटे गए और जब तार से ५० ऐंपियर की विद्युत् धारा प्रवाहित की गई, तो इस विद्युत् चुंबक के बीच ४० हजार गाउस का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस विद्युत् चुंबक के ध्रुव शंकु के आकार के थे और एक दूसरे के संमुख थे। ध्रुवों के बीच की खाली जगह की लंबाई १ मिमी और व्यास ६ मिमी था। डु बायस ने जो सबसे बड़ा चुंबक बनाया, उसका वजन २७ हज़ेडवेट था और उसके ध्रुवों के बीच ३ मिमी लंबी और ०.५ मिमी व्यास की जगह में ६५ हजार गाउस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था।

पी० वाइस (P. Weiss) ने भी अति बलशाली विद्युत् चुंबको का निर्माण किया। इनके द्वारा निर्मित एक विद्युत् चुंबक में तबि की



चित्र २. डु बॉय का विद्युत् चुंबक

नालिका के १,४४० फेरे थे और उससे १०० ऐंपियर की धारा बहाई जाती थी। नालिका के अंदर से पानी बहाकर उसे ठंडा रखा जाता था। डु बॉय के विद्युत्-चुंबक में भी लपेटे हुए तार खोखली

नालिका के रूप में होते थे और नालिका के अंदर पानी बहाकर उसे ठंडा रखा जाता था।

विद्युत् चुंबक के क्रोड के लिये ऐसे लोहे का व्यवहार होता है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऊँची हो, चुंबकन धारा बंद कर देने पर क्रोड का अवशेष चुंबकत्व निम्नतम हो और वह शीघ्र ही चुंबकीय संतृप्ति न प्राप्त करे। विद्युत् चुंबक के क्रोड के लिये पिटर्वा लोहे, अथवा ढालवाँ नरम इस्पात, का व्यवहार किया जाता है। किंतु किसी भी प्रकार के लोहे का व्यवहार किया जाय, उसका चुंबकत्व एक निश्चित सीमा को नहीं पार कर सकता, चाहे चुंबकन धारा को कितना भी क्यों न बढ़ाया जाय। इसलिये अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये कपित्ज़ा ने (Kapitza) तार की परिनालिका का व्यवहार किया, जिसका क्रोड वायु थी। इस परिनालिका में एक प्रबल जनित्र से ८,००० ऐंपियर की क्षणिक धारा ३/१००० सेकंड तक प्रवाहित कर उस परिनालिका के अंदर ३,२०,००० गाउस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया।

कारखानों में विद्युत् चुंबक द्वारा भारी बोझो को उठाने का काम लिया जाता है। जिस बोझ को उठाना होता है, उसपर लोहे की पट्टी बाँध देते हैं। विद्युत् चुंबक से धारा प्रवाहित करते ही विद्युत्-चुंबक चुंबकित होकर लोहे की पट्टी और पट्टी से लगे बोझ को आकर्षित करके उठा लेता है। किसी विद्युत् चुंबक का बोझ उठाने का यह बल  $B^2A/8\pi$  के बराबर होता है, जहाँ  $B$  = चुंबक के ध्रुवों के निकट उसके चुंबकीय क्षेत्र का फलकम घनत्व तथा  $A$  = चुंबक के ध्रुवों के मुख का क्षेत्रफल।

वैज्ञानिक अनुसंधानों में विद्युत् चुंबक का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता रहा है। विद्युत् चुंबक की सहायता से फेरेडे ने प्रकाश संवंधी फेरेडे-प्रभाव, जेमान (Zeeman) ने जेमान-प्रभाव और केर (Kerr) ने केर-प्रभाव का आविष्कार किया। आवेशित कणों को महान् वेग प्रदान करने के लिये, साइकलोट्रॉन, बीटाट्रॉन, सिक्नोट्रॉन और विनाट्रॉन इत्यादि अद्भुत यंत्र बने हैं। इनमें भी विशाल विद्युत् चुंबको का व्यवहार होता है।

प्रति दिन काम आनेवाले अनेक यंत्रों और उपकरणों में छोटे बड़े विद्युत् चुंबको का व्यवहार होता है। बिजली की घंटी में, टेलीग्राफ और टेलीफोन में विद्युत्-चुंबक का व्यवहार होता है, क्योंकि विद्युत्-चुंबक की यह विशेषता है कि उसमें विद्युत् धारा बहते ही वह चुंबकित हो जाता है और विद्युत् धारा के बंद होते ही विचुंबकित, तथा उसका चुंबकत्व, एक निश्चित सीमा के अंदर, उस विद्युत् चुंबक पर लपेटे तार में बहती हुई धारा का अनुपाती होता है। लाउडस्पीकर में, धारा जनित्रों में, बिजली के मोटरों में, बिजली के हॉर्न में और चुंबकीय क्लच में विद्युत्-चुंबक का व्यवहार होता है। विद्युत् परिपथ में विद्युत् चुंबक के द्वारा रिसे का काम लिया जाता है, यानी दूर से ही दुबल धारा द्वारा सी और हजार ऐंपियर धारा के स्विचों को दबा कर सी और हजार ऐंपियर की धारा स्थापित की जाती है। अनेक प्रकार के स्वचालित यंत्रों में विद्युत् चुंबको का उपयोग होता है।

**विद्युत्चुंबकीय तरंगें** ( Electro-magnetic Waves ) वस्तुतः, विद्युत् तरंगों का ही एक रूप है, जो चलनशील विद्युत् आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत्चुंबकीय प्रभाव का प्रतिरूप होती हैं। वैसे तो विद्युत्तरंगों और विद्युत्चुंबकीय तरंगों में कोई अंतर नहीं है, परंतु सामान्यतः विद्युत्चुंबकीय तरंगों का तात्पर्य बहुत अधिक आवृत्तिवाली विद्युत्तरंगों से होता है। इन्हें साधारण बोलचाल में रेडियो तरंग भी कहते हैं।

विद्युत्चुंबकीय तरंगें, वास्तव में, आकाश में स्थित विद्युत् ऊर्जा का प्रतिरूप हैं। ये तरंगें बहुत उच्च आवृत्ति की होती हैं और प्रकाश के वेग से चलती हैं। इनका मुख्य अंश, इनसे संबन्धित, विद्युत् और चुंबकीय क्षेत्र है, जो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं और चलन की दिशा के भी समकोण होते हैं। इनसे संबद्ध ऊर्जा का कुछ भाग स्थिरवैद्युत ऊर्जा ( electrostatic energy ) के रूप में होता है और कुछ चुंबकीय ऊर्जा के रूप में।

सभी प्रकार के विद्युत्चुंबकीय विकिरण ( electro magnetic radiation ) विद्युत्चुंबकीय तरंगों के ही रूप हैं। अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें, प्रकाश, पराबैंगनी (ultraviolet) और अवरक्त ( infra-red ) विकिरण, विद्युत्चुंबकीय तरंगों के रूप हैं।

इन तरंगों के मुख्य गुण, इनकी उच्च आवृत्ति तथा सापेक्षतया कम तरंग लंबाई हैं। शक्ति बारबारता की विद्युत्तरंगों की अपेक्षा उनकी तरंग लंबाई बहुत कम होती है। इस कारण इन्हें सहज ही आकाश में प्रेषित किया जा सकता है। इनकी ऊर्जा भी दूर दूर तक आकाश में अवस्थित रहती है और रेडियो अभिग्राही द्वारा ग्रहण कर फिर ध्वनि में बदली जा सकती है।

आवृत्ति को सामान्यतया किलोसाइकिल प्रति सेकंड ( kilo-cycle per second = K C/S ) में व्यक्त किया जाता है, और उससे भी अधिक आवृत्ति की तरंगों को मेगासाइकिल ( mega-cycles ) में। तरंग का वेग प्रकाश के वेग अर्थात्  $3 \times 10^{10}$  मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अतः विभिन्न आवृत्ति की तरंगों की तरंग लंबाई भी निर्धारित होती है। इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। श्रव्य आवृत्ति ( audio-frequency ) का क्षेत्र भी १६ से १६,००० कपन प्रति सेकंड है और इनकी तरंग लंबाई २१ मीटर से २७ मीटर तक हो सकती है।

इन तरंगों की शक्ति, तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत् क्षेत्र के वोल्टता प्रतिबल ( voltage stress ) द्वारा मापी जाती है। उक्त सामान्यतः प्रति मीटर माइक्रोवोल्ट में व्यक्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न प्रतिबल भी धारा के अनुरूप विचरण करता है। अतः इन तरंगों की तीव्रता ( intensity ) प्रतिबल के प्रभावी मान ( effective value ) द्वारा व्यक्त की जाती है। यह ज्यावकीय कपन ( sinusoidal variation ) में अधिकतम तीव्रता का ( $\sqrt{2} = 0.707$ ) होता है। इस प्रकार तरंग की शक्ति को माइक्रो-वोल्ट प्रतिमीटर प्रतिबल में मापने का अर्थ उस वोल्टता से है जो एक मीटर लंबे संवाहक में उस तरंग का अभिवाह ( flux ) पारित करती हुई प्रेरित ( induce ) करती है।

तरंग के संबन्धित तल तरंगाग्र ( wave front ) कहलाता है। तरंग, इसके लंबवत् ही चलती है। उसका चलन, उससे संबद्ध विद्युत् एवं चुंबकीय अभिवाह की रेखाओं पर निर्भर करता है। यदि इनमें से किसी एक की दिशा उलट दी जाए, तो तरंग के चलन की दिशा भी उलट जायेगी। परंतु यदि दोनों को ही उलट दिया जाए, तो तरंग की दिशा में कोई अंतर नहीं होगा।

विद्युत् चुंबकीय तरंगें, विद्युत् आवेश दोलन ( oscillation ) द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। ऐसे उपकरण दोलक ( oscillators ) अथवा संकेत जनित्र ( Signal Generator ) कहलाते हैं। दोलक के परिपथ अंशको का व्यवस्थापन करने से किसी भी आवृत्ति की तरंगें जनित की जा सकती हैं।

विद्युत्चुंबकीय तरंगों की यह भी विशेषता है कि तरंग के केंद्र से दूरी बढ़ने पर तरंग की तीव्रता कम होती जाती है। दोलन के अक्ष ( axis of oscillation ) पर इनकी तीव्रता शून्य होती है तथा उसके लंब अक्ष पर अधिकतम होती है। विस्थापन ( displacement ) के दो या अधिक केंद्रों से जनित तरंगों में व्यतिकरण ( interference ) भी हो सकता है। वे एक दूसरे से मिलकर बढ भी सकती हैं और विरोध होने पर घट भी सकती हैं। यह प्रभाव इन तरंगों को फोकस ( focus ) करने के काम में लाया जाता है, जिसमें किसी भी दिशा में एक संकेंद्रित ( concentrated ) किरणपुंज ( beam ) भेजा जा सके। रेडियो संचरण ( radio transmission ) के क्षेत्र में यह प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विद्युत्चुंबकीय तरंगों को आकाश में प्रेषित करने के लिये, एंटेना ( antenna ) का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत से तारों का एक जाल होता है, जो खुले स्थान में ऊंची बत्ती ( mast ) के सहारे लगा होता है। इसका आकार संचारित की जानेवाली रेडियो तरंग की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है और उससे कुछ बड़ा होता है। इस तरह मध्यम तरंगों ( medium waves ) की तरंग लंबाई अधिक होने के कारण, उनको संचारित करनेवाला एंटेना भी काफी बड़ा होता है। इनकी अपेक्षा लघु तरंगों ( short waves ) की तरंग लंबाई कम होने के कारण, उनको संचारित करनेवाले एंटेना का आकार भी छोटा होता है।

सभी तरंगों की भांति, विद्युत्चुंबकीय तरंगें भी अवरोध ( obstacle ) से परावर्तित ( reflect ) हो सकती हैं। यदि अवरोध तरंग लंबाई से छोटा है, तो आपतित ( incident ) तरंग के प्रभाव में वह दूरगी तरंग का, जो सभी दिशाओं में फैल जाती है, उद्गम हो जाता है। बड़े अवरोध होने पर तो प्रत्येक बिंदु ही दूरगी तरंगों का उद्गम बन सकता है। परिणामस्वरूप जा तरंग प्राप्त होगी है, वह इन सभी तरंगों के व्यतिकरण का परिणाम होती है। इस प्रकार किसी बड़े अवरोध में परिवर्तित तरंगें विशिष्ट दिशा की होती हैं। रेडार ( radar ) द्वारा वस्तु की खोज करने के काम में व्यतिकरण के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। उसमें वस्तु में परावर्तित तरंग का अभिज्ञान ( detection ) करके वस्तु की केंद्र के सापेक्ष दिशा एवं दूरी का पता लगाया जाता है।

अधिक दूरी के रेडियो संचरण में भी विद्युत्चुंबकीय तरंगों के परावर्तन के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये तरंगें कोनों पर सहज ही नहीं मुड़ पातीं, अतः पृथ्वीतल पर भी क्षितिज में नीचे रेडियो तरंगें नहीं पहुँच पातीं, परंतु ये पृथ्वी से लगभग ५० किलोमीटर की दूरी पर स्थित आयनमंडल (ionosphere) से परावर्तित होकर पहुँच सकती हैं। पृथ्वी तल पर रेडियो में छोटी तरंगें वस्तुतः इसी प्रकार परावर्तित होकर उपलब्ध होती हैं।

विद्युत्चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न एवं प्रेषित करने के लिये सबसे पहले हेर्ट्ज ने प्रयास किया। उसने एक दोलक (oscillator) बनाया, जिसे हेर्ट्ज का दोलक कहते हैं और जिसके द्वारा प्रसारित तरंगें हेर्ट्ज तरंगें कहली जाती हैं। तथापि व्यावहारिक रूप से ऐसा करने में सर्वप्रथम मार्कोनी ने सफलता प्राप्त की। इन्होंने हेर्ट्ज दोलक का उपयोग इन तरंगों को उत्पन्न करने के लिये किया और प्रेषी का एक सिरा भूमितल (earth), एक एंटेना बनाया, जिससे इन तरंगों का आकाश में प्रेषण किया जा सके। इस प्रकार मार्कोनी ने बेतारी तार (wireless) का आविष्कार किया, जो अब सामान्य उपयोग की वस्तु बन गया है।

विद्युत्चुंबकीय तरंगें भी, तालाब में डेला फँकने से उत्पन्न तरंगों के सदृश ही अपने जनक बिंदु से दूरी की ओर बढ़ती जाती हैं। परंतु इस परिपथ में वे धीरे धीरे कुछ कमजोर पड़ती जाती हैं। पृथ्वी और वायुमंडल के आयनित क्षेत्र, तरंगों की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे वे दुर्बल पड़ जाती हैं। यह क्रिया क्षीयन (attenuation) कहलाती है और तरंगों को क्षीय हुआ कहा जाता है। क्षीयन की क्रिया तरंगों के प्रसार पर भी निर्भर करती है।

वायुमंडल में आयनित स्तरों का क्षेत्र, जिसे आयनमंडल कहते हैं, इन तरंगों के लिये बड़े अवरोध का कार्य करता है। इससे ये तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित हो सकती हैं। पृथ्वीतल भी इनके लिये पर्याप्त अवरोध है और इससे भी ये परावर्तित होती हैं। विभिन्न आवृत्तियों की तरंगों के लिये यह स्थिति भिन्न होती है।

प्रत्यावर्ती धारा के सभी परिपथ, विद्युत्चुंबकीय तरंगों के रूप में कुछ विद्युत् ऊर्जा विकिरित करते रहते हैं, परंतु सामान्य परिपथों में यह ऊर्जा बहुत ही कम होती है। विकिरित की गई ऊर्जा परिपथ के विस्तार (dimensions) पर निर्भर करती है और जब तक यह तरंग-लंबाई के आकार का न हो, कोई विशेष ऊर्जा विकिरित नहीं होती, अथवा यह कहा जा सकता है कि विकिरित होनेवाली ऊर्जा नगण्य होती है। इसके संवाहकों की दूरी यदि २० फुट हो, तो ५० माइकिल आवृत्ति की विद्युत् तरंग के लिये, जिसकी तरंग लंबाई लगभग ३,००० मील होती है, यह दूरी इस तरंग लंबाई के सापेक्ष नगण्य होगी। अतः इससे विकिरित ऊर्जा भी नगण्य होगी; परंतु एक कुडली, जिसका व्यास २० फुट का हो और २,००० किलोमाइकिल आवृत्ति पर संचरण किया जाए, तो इस आवृत्ति की तत्संबंधी तरंग लंबाई के लिये २० फुट का विस्तार नगण्य नहीं होगा। अतः ऐसे परिपथ से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का विकिरण होगा। इससे स्पष्ट है कि उच्च आवृत्ति की

तरंगें छोटे एंटेना से प्रेषित की जा सकती हैं, परंतु कम आवृत्ति वाली तरंगों के लिये बड़े एंटेना की आवश्यकता होगी।

ऊर्जा का विकिरण सभी दिशाओं में समान नहीं होता। सभी एंटेना कुछ दिशा में सापेक्षतया अधिक ऊर्जा विकिरित करते हैं। इस प्रभाव का उपयोग तरंगों का विशिष्ट दिशा में संकेंद्रण करने के लिये किया जाता है।

जब इन तरंगों द्वारा कोई सूचना अथवा बोली भेजनी हो, तो तरंग को उन्नी के अनुरूप विचरण करना आवश्यक है। इसे माड्यूलन (modulation) कहते हैं। यह तरंग के आयाम (amplitude) तथा आवृत्ति दोनों में ही किया जा सकता है। रेडियो तार संचरण में तार कोड (code) के अनुसार ही, प्रेषित की जानेवाली तरंग को डॉट (dot) और डैश (dash) में बदलने की आवश्यकता होती है। इसके लिये प्रेषी को ऑन-ऑफ (on-off) करके ही कार्य बन सकता है। परंतु रेडियो टेलीफोन में, रेडियो तरंग को ध्वनि तरंग के अनुरूप माड्यूलन करना आवश्यक है। इसी प्रकार टेलीविजन में चित्र के अनुसार, रेडियो तरंग को चित्र के विभिन्न भागों की प्रकाश तीव्रता के अनुरूप माड्यूलन करना पड़ता है।

रेडियो तरंगों को ग्रहण करने के लिये यह आवश्यक है कि आकाश में विचरती हुई ऐसी तरंग की ऊर्जा का अवशोषण किया जाए, जो ग्रहण बिंदु में पर्याप्त हो। यह कार्य रेडियो ग्राहक का एरियल (aerial) करता है। तरंग का विद्युत्चुंबकीय अभिवाह, एरियल के सवाहक को काटना दृष्टा उममें एक वोल्टता प्रेरित करता है जिसे संकेत (Signal) कहते हैं। यह संकेत ठीक उसी प्ररूप का होता है, जैसा कि प्रेषण करनेवाले एंटेना में प्रेषित होनेवाली तरंग का। इस प्रकार प्रत्येक तरंग में, एरियल ऊर्जा अवशोषित करता है और उनके अनुरूप ही उसमें वोल्टताएं प्रेरित हो जाती हैं। अतः, यह आवश्यक है, कि रेडियो ग्राहक वांछित संकेत को अवांछित संकेत से अलग कर सके। यह उसे विशिष्ट आवृत्ति के लिये समस्वरित (tune) करके किया जाता है, जो परिपथ अणुओं का व्यवस्थापन करने से ही किया जा सकता है। विभिन्न स्टेशनों से भिन्न भिन्न आवृत्तियों की तरंगें ही प्रेषित की जाती हैं, अतः रेडियो को ट्यून करके उसी आवृत्ति की तरंगों को ग्रहण कर सकता है।

एरियल द्वारा ग्रहण किए गए क्षीय संकेत को सुन करने योग्य बनाने के लिये, उसे प्रवर्धित (amplify) करना आवश्यक है। तत्पश्चात् उसे पहचाना, अथवा विमाद्वन (demodulate) किया जाता है, जिससे वह फिर ध्वनितरंग में परिवर्तित हो जाती है और सुनी जा सकती है। यह ध्वनितरंग ठीक उन्नी के अनुरूप होती है जो प्रेषी स्टेशन (transmitting station) में एंटेना द्वारा विद्युत्चुंबकीय तरंगों के ऊपर अवस्थित कर आकाश में प्रेषित की गई थी।

विद्युत्चुंबकीय तरंगों की एक विशिष्ट शाखा सूक्ष्म तरंग (micro-wave) है, जो पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोगों में लाई गई है। सूक्ष्म तरंग, वस्तुतः ३ से ३०० मेगासाइकिल प्रति सेकंड की आवृत्ति की होती है। ये विशेषतया स्थानिक संचरण (point to point communication) के लिये उपयोग में लाई



गई हैं। यदि प्रेरित तरंगों को एक किरणपुंज में सँकेंद्रित कर दिया जाए, तो विशिष्ट स्थान के लिये संचारक्षमता बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है। १ वाट के निर्गत (output) को भी एक शाकव किरणपुंज (conical beam) के रूप में सँकेंद्रित करने पर एक विशिष्ट दिशा में लाभ बहुत अधिक हो सकता है। यद्यपि ऐसा सँकेंद्रण सभी तरंग लंबाइयों के लिये संभव है तथापि व्यावहारिक रूप से केवल प्रति घनप तरंगों के लिये ही मफल हो सका है। सूक्ष्म तरंग द्वारा, टेलीविजन में अधिक बैंड (band) प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है और ये अधिकाधिक उपयोग में आ रही हैं।

विद्युत् चुंबकीय तरंगों अपने उपयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं उपयोगों के होने से आज का जीवन इतना सुखमय बन सका है। इसका उपयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और प्रकृति के चमत्कार मानव के नियंत्रण में आते जा रहे हैं। [रा० कु० ग०]

**विद्युत्जनित (Electric Generator)** विद्युत् शक्ति का उत्पादन करनेवाला यंत्र है। यह वस्तु यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में रूपांतरित करनेवाली मशीन है। किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव है। यह ऊर्जा, जलप्रपात के गिरते हुए पानी से अथवा तेलवा जलाकर उत्पन्न की गई ऊष्मा द्वारा भाप से, या किसी पेट्रोल अथवा डीजल इंजन से प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा के नए नए स्रोत उपयोग में लाए जा रहे हैं। मुख्यतः पिछले कुछ वर्षों में परमाणुशक्ति का प्रयोग भी विद्युत्शक्ति के लिये बड़े पैमाने पर किया गया है, और बहुत से देशों में परमाणुशक्ति द्वारा संचालित बिजलीघर बनाए गए हैं। ज्वार भाटों एवं ज्वालामुखियों में निहित असीम ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत्शक्ति के जनन के लिये किया गया है। विद्युत्शक्ति के उत्पादन के लिये इन सब शक्ति साधनों का उपयोग, विशाल-काय विद्युत् जनितों द्वारा ही होता है, जो मूलतः फौराडे के चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए चालक पर चोटता प्रेरण सिद्धांत पर आधारित हैं।

फौराडे का यह सिद्धांत निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है :

'यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, तो उसमें एक वि० वा० ब० ( विद्युत् वाहक बल ) की उत्पत्ति होती है; और संवाहक का परिपथ पूर्ण होने की दशा में उसमें धारा का प्रवाह भी होने लगता है'

इस प्रकार विद्युत् शक्ति के जनन के लिये तीन मुख्य बातों की आवश्यकता है :

१. चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें चालक घुमाया जाए,
२. चालक तथा
३. चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमानेवाली यांत्रिक शक्ति।

यह भी स्पष्ट है, कि विद्युत्शक्ति का उत्पादन व्यावहारिक बनाने के लिये चालक में प्रेरित वि० वा० ब० की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसकी मात्रा, चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (जिसे अभिवाह घनत्व के रूप में मापा जाता है) और चालक के वेग

पर निर्भर करती है। वास्तव में इसे निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है :

$$\text{वि० वा० ब०} = B \times l \times v \times 10^{-8} \text{ वोल्ट,}$$

जहाँ B = चुंबकीय अभिवाह का घनत्व, l = चालक की लंबाई तथा v = चालक का वेग (क्षेत्र के लंबवत्)।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यावहारिक रूप में चालक की लंबाई एवं वेग दोनों ही बहुत अधिक होने चाहिए और साथ ही चुंबकीय अभिवाह घनत्व भी अधिकतम हो। चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम सीमा उसके संतृप्त होने के कारण निर्धारित होती है। चालक की लंबाई बढ़ाना भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं, परंतु एक से अधिक चालक को इस प्रकार समायोजित किया जा सकता है कि उनमें प्रेरित वि० वा० ब० जुड़कर व्यावहारिक बन जाए। वस्तुतः जनित में एक चालक के स्थान पर चालक का एक तंत्र होता है, जो एक दूसरे से एक निर्धारित योजना के अनुसार संयोजित होते हैं। इन चालकों को धारण करनेवाला भाग आर्मचर (Armature) कहलाता है और इसकी संयोजन विधि को आर्मचर कुंडलन (Armature Winding) कहते हैं।


वेग अधिक होने से, घूमनेवाले चालकों पर अपकेन्द्र बल (centrifugal force) बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण आर्मचर पर उनकी व्यवस्था भंग हो जा सकती है। अतः इन्हें आर्मचर पर बने खाँचों (slots) में रखा जाता है। आर्मचर चालकों को धारण करने के साथ ही उनको घुमाता भी है, जिसके लिये उसका शाफ्ट (shaft) यांत्रिक ऊर्जा का संचरण करनेवाला यंत्र का शाफ्ट संयुक्त (coupled) होता है। यह यंत्र पानी में चलनेवाला टरबाइन, या भाप से चलनेवाला टरबाइन या इंजन, हो सकता है। किसी भी रूप में उपलब्ध यांत्रिक ऊर्जा को आर्मचर का शाफ्ट घुमाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के यंत्र जनित को चलाने के लिये प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें प्रधान चालक (Prime Mover) कहते हैं। विभिन्न प्रकार के इंजन, जंग वाष्प इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस टरबाइन इत्यादि मशीनें, प्रधान चालक के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं और इनकी यांत्रिक ऊर्जा को जनित द्वारा विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।

आर्मचर चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, जिससे लंबाया क्षेत्र के अभिवाह का वाहक हो सके। सामान्यतः यह एक विशेष प्रकार के इस्पात का बना होता है, जिसे आर्मचर इस्पात ही कहते हैं।

चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये भी विद्युत् का ही प्रयोग व्यावहारिक रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे स्थायी चुम्बक की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और क्षेत्रधारा का विचरण कर सुगमता से क्षेत्र का विचरण किया जा सकता है। इस प्रकार जनित चोटता का नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये क्षेत्र चुम्बक (field magnets) होते हैं, जिनपर क्षेत्रकुंडली वृत्तित होती हैं। इन कुंडलियों में धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है (देखें चित्र १.)। एकसम क्षेत्र के लिये क्षेत्र चुम्बकों का आकार कुछ गोलाई लिए होता है और उनके बीच में


ग्रामेंचर घूमता है। ग्रामेंचर तथा क्षेत्र चुंबकों के बीच वायु अंतराल (air gap) न्यूनतम होना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय अभिवाह का अधिकांश ग्रामेंचर चालकों को काट मके और ग्रामेंचर में जनित वोल्टता अधिकतम हो सके।

क्षेत्र कुंडली में धारा प्रवाह को उत्तेजन (Excitation) कहते हैं। यह उत्तेजन किसी बाहरी स्रोत ( बैटरी शृंखला, अथवा



चित्र १.

विद्युत् के उस जनित्र के अलावा कोई दूसरे स्रोत) से संयोजित करने पर किया जा सकता है, अथवा स्वयं उसी जनित्र में उत्पन्न होनेवाली धारा का ही एक अंश उत्तेजन के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बाहरी स्रोत से उत्तेजित किए जानेवाले जनित्र को बाह्य उत्तेजित जनित्र कहा जाता है, और स्वयं उसी जनित्र में जनित धारा का भाग उपयोग करनेवाले जनित्र को स्वतः उत्तेजित जनित्र (Self-excited Generator) कहा जाता है। स्वतः उत्तेजन की प्रणालियाँ भी क्षेत्र कुंडली और ग्रामेंचर के संयोजनों के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। यदि क्षेत्र कुंडली ग्रामेंचर से श्रेणी (series) में संयोजित हो, तो उसे श्रेणी जनित्र (Series Generator) कहा जाता है। यदि दोनों में पार्श्व संबन्धन हो, तो उसे शंट जनित्र (Shunt Generator) कहते हैं। यदि क्षेत्र कुंडली के



CONNECTIONS FOR COMPOUND GENERATOR LONG SHUNT

चित्र २. संयुक्त जनित्र के लिये संबन्धन : दीर्घ शंट


क शंट कुंडलियाँ; ख. शंट नियंत्रक तथा ग. श्रेणी कुंडलियाँ।

कुछ वर्त ग्रामेंचर से श्रेणी में और कुछ उससे पार्श्व संबन्धित हों, तो ऐसे जनित्र को संयुक्त जनित्र (Compound Generator) कहते हैं (देखें चित्र २.)।

उत्तेजन की इन विभिन्न विधियों से विभिन्न लक्षण प्राप्त होते हैं। बाह्य उत्तेजित जनित्र में क्षेत्रधारा ग्रामेंचर धारा अथवा भारधारा पर निर्भर नहीं करती। अतः उसमें जनित वोल्टता भार (load) विचरण से स्वतंत्र होती है। यदि क्षेत्रधारा को एक समान रखा जाए, तो जनित्र में जनित वोल्टता भी एक समान रहेगी। शंट जनित्र में भी लगभग ऐसा ही लक्षण प्राप्त होता है और भार विचरण का प्रभाव जनित वोल्टता पर अधिक नहीं होता। श्रेणी जनित्र में, भारधारा ही ग्रामेंचर और क्षेत्र कुंडलियों में प्रवाहित होती है। अतः, यह क्षेत्रधारा भार पर निर्भर करती है और इस प्रकार जनित वोल्टता भार बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है।

संयुक्त जनित्र में शंट एवं श्रेणी जनित्रों के बीच के लक्षण होते हैं। क्षेत्र कुंडली के शंट और श्रेणी वर्तों का व्यवस्थापन कर उनके बीच का कोई भी लक्षण प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहार में संयुक्त जनित्रों का ही अधिक प्रयोग होता है।

चुंबकीय क्षेत्र में एकसमान वेग में घूमनेवाले चालक में जनित वोल्टता, चालक के चुंबकीय अभिवाह को काटने की गति पर निर्भर करती है। यह गति, वस्तुतः, किसी क्षण भी चालक के चुंबकीय अभिवाह के सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। जब चालक एकसमान वेग से घूम रहा हो, तो वह एक चक्कर में दो बार अभिवाह के लंबवत् होगा, और इस स्थिति में वह अधिकतम अभिवाह काटेगा, तथा जब वह कोई भी अभिवाह नहीं काटेगा, दो बार उसके समांतर होगा। इस प्रकार एक चक्कर में दो बार उसमें जनित वोल्टता शून्य और अधिकतम के बीच विचरण करेगी, जैसा चित्र ३. में दिखाया गया है।



चित्र ३.

चालकों में भी इसी प्रकार की प्रत्यावर्ती वोल्टता जनित होती है और उसे दिष्ट रूप देने के लिये दिक्परिवर्तक (commutator) का प्रयोग किया जाता है।

दिक्परिवर्तक ग्रामेंचर के शाफ्ट पर ही आरोपित होता है। उसमें बहुत से ताम्रखंड (copper segments) होते हैं, जो एक दूसरे से विद्युच्छेद (insulated) होते हैं। ग्रामेंचर के वर्तन के अंत्यसंयोजन (end connection) इन खंडों से संयोजित होते हैं। दिक्परिवर्तक से सस्पर्श करनेवाले दो बुरुश होते हैं, जो ग्रामेंचर में जनित वोल्टता द्वारा प्रवाहित होनेवाली धारा को बाहरी परिपथ से संयोजित करते हैं। ग्रामेंचर चालकों का दिक्परिवर्तक से संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि दोनों बुरुशों द्वारा एकट्ठी की जानेवाली धारा एक ही दिशा की होती है। इस प्रकार एक बुरुश अनात्मक धारा एकट्ठी करता है और दूसरा ऋणात्मक।

इस आधार पर बुरुशो को भी घनात्मक एवं ऋणात्मक कहा जाता है। वस्तुतः, बुरुश विद्युत्धारा के टर्मिनल हैं, जो भार को जनित्र से संबद्ध करते हैं। ये बुरुशधारक (brush holder) पर आरोपित होते हैं और दिक्परिवर्तक पर इनकी स्थिति बुरुश धारक द्वारा व्यवस्थापित की जा सकती है।

जैसे जैसे विद्युत् का प्रयोग बढ़ता गया, जनित्रो का आकार एवं जनित्र वोल्टता में भी वृद्धि होती गई। परंतु उपर्युक्त प्ररूप के जनित्रों में, आर्मेचर घूमनेवाला होने के कारण उनके आकार में बहुत वृद्धि करना संभव नहीं था। इसलिये उच्च वोल्टता जनित्र करनेवाले प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र बनाए गए, जिनमें आर्मेचर स्थैतिक था और क्षेत्र परिभ्रमणशील। वस्तुतः, वोल्टता जनन के लिये यह आवश्यक नहीं कि चालक ही चुंबकीय क्षेत्र में घूमे। घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक में भी वोल्टता प्रेरित होगी, क्योंकि इस दशा में भी वह चुंबकीय अभिवाह को काट रहा है। अतः इस सिद्धांत पर, स्थैतिक आर्मेचर और परिभ्रमण क्षेत्र द्वारा वोल्टता जनित्र हो सकती है। यह वोल्टता प्रत्यावर्ती प्ररूप की होगी और आर्मेचर चालक तथा क्षेत्र की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करेगी। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, सामान्यतः, स्थैतिक आर्मेचर और परिभ्रमणशील क्षेत्र के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इनमें क्षेत्र चुंबक और कुंडलियाँ परिभ्रमणशील बनाई जाती हैं तथा आर्मेचर उनको बाहर से घेरे होता है। आर्मेचर में कट खाँचो (slots) में चालक स्थित होते हैं। आर्मेचर के स्थैतिक होने के कारण और बाहर की ओर होने से, उसका आकार काफी बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब है, उसमें चालक संख्या काफी अधिक हो सकती है। क्षेत्र अक्षक सापेक्षतया छोटे होते हैं और उन्हें अधिक वेग पर घुमाया जाना, व्यावहारिक रूप में, कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न करता। इन कारणों से प्रत्यावर्ती धारा जनित्रो में उच्च वोल्टता जनित्र करना संभव है, और ये साधारणतया ११,००० वोल्ट पर प्रवर्तित किए जाते हैं।

इन जनित्रो में बुरुशो के स्थान पर सर्पी वलय (slip rings) होते हैं, जो क्षेत्र कुंडलियों को उत्तेजित करने के लिये धारा पहुँचाते हैं। क्षेत्र के परिभ्रमणशील होने के कारण उन्हें दिष्ट धारा द्वारा उत्तेजन करना आवश्यक है। उत्तेजन धारा या तो बाहरी स्रोत से प्राप्त की जाती है, अथवा उसी शाफ्ट पर आरोपित एक छोटे से दिष्ट धारा जनित्र से, जिसे उत्तेजन (Exciter) कहते हैं। उत्तेजन वोल्टता साधारणतया ११० अथवा २२० वोल्ट ही होती है। सभी बड़े जनित्रो में उत्तेजक का सभरण होता है, जिससे उत्तेजक के लिये घलम से दिष्ट धारा स्रोत की आवश्यकता न रहे।

प्रत्यावर्ती धारा जनित्रो को निर्धारित वेग पर ही प्रवर्तन करना होता है, जो उनमें जनित्र वोल्टता की आवृत्ति (frequency) एवं क्षेत्र ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है। इसे निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है :

$$n = \frac{120 f}{p}$$

यहाँ  $n$  = परिक्रमण प्रति मिनट,  $f$  = आवृत्ति (चक्र प्रति सेकंड) तथा  $p$  = ध्रुव संख्या। इस प्रकार, ५० चक्रीय आवृत्ति के लिये चार

ध्रुवी मशीन १,५०० परिक्रमण प्रति मिनट के वेग से प्रवर्तन करेगी और दो ध्रुवी मशीन ३,००० परिक्रमण प्रति मिनट के वेग से। यदि निर्धारित वेग एक समान रहा, तो आवृत्ति में अंतर आ जायगा। सामान्यतः विद्युत् सभरण निर्धारित वोल्टता और आवृत्ति के होते हैं। अतः आवृत्ति स्थिर रखने के लिये जनित्र का वेग एकसा न रखना आवश्यक है, और यह वेग उसकी ध्रुव-संख्या के अनुसार निश्चित होता है। भारत तथा दूसरे कॉमन-वेल्थ देशों में विद्युत्सभरण की आवृत्ति सामान्यतः ५० चक्र प्रति सेकंड निश्चित है। अमरीका तथा दूसरे देशों में ६० चक्रीय आवृत्ति प्रयोग की जाती है। आवृत्ति के अनुसार विभिन्न ध्रुवों के जनित्रो का वेग भी निश्चित होता है, जिसे समक्रमिक वेग कहते हैं।

उपर्युक्त आधार पर, वेग के अनुसार इन जनित्रो के दो मुख्य प्ररूप होते हैं : एक तो टर्बोजनित्र (Turbo Generators), जिन्हें वाष्प टरबाइन से चलाया जाता है और उच्च वेग पर प्रवर्तित करते हैं तथा दूसरे जलविद्युत् जनित्र (Hydroelectric Generators), जो सामान्यतः कम वेग पर प्रवर्तित किए जाते हैं। कुछ का वेग तो १२५ परिक्रमण प्रति मिनट तक होता है। इनमें ५० चक्रीय आवृत्ति के लिये ४८ ध्रुव होते हैं। टर्बोजनित्र में ध्रुव संख्या २ या ४ से अधिक नहीं होती। बड़े जनित्रो में केवल २ ध्रुव ही होते हैं और वे ३,००० परिक्रमण प्रति मिनट पर प्रवर्तन करते हैं। इस अंतर के साथ साथ इनकी रचना में भी बहुत अंतर होता है। अधिक ध्रुववाली मशीन का रोटर (rotor) काफी बड़ा होता है। उसकी रचना एक गतिपालक चक्र (fly wheel) के समान होती है, जो मध्य भाग से साइकिल के पहिए की भाँति स्पोक (spokes) पर आरोपित होता है और ध्रुव गोलार्ध में चारों ओर लगे होते हैं। इसे सैलियंट ध्रुव (salient pole) वाला रोटर कहते हैं। इसके विपरीत, टर्बोजनित्र का रोटर बहुत लंबा और बेलनाकार होता है। इसमें ध्रुव निकले हुए नहीं होते, बरन् बेलनाकार रोटर में बने खाँचों में अक्ष-स्थित क्षेत्र कुंडलियों द्वारा बनते हैं। आकृति के अनुरूप इस प्रकार के रोटर को बेलनाकार (cylindrical) रोटर अथवा चिकना (smooth) रोटर कहते हैं।

टर्बोजनित्र के उच्च वेग पर प्रवर्तन करने के कारण, इनमें बेयरिंग के स्नेहन (lubrication) और सवातन (ventilation) की समस्याएँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जलविद्युत् जनित्रों में बेयरिंग पर बहुत अधिक भार होने के कारण (रोटर बहुत बड़ा और भारी होता है) तथा पार्श्व बल के लगने के कारण, स्नेहन की समस्या जटिल होती है, परंतु सवातन स्वयं अपने आप ही पर्याप्त हो जाता है। स्नेहन के लिये तेल पंप द्वारा तेल चम्बनशील भागों में, जहाँ स्नेहन आवश्यक होता है, दाब (pressure) के साथ भेजा जाता है। तेल साफ करने के लिये तेल फिल्टर भी आवश्यक सहायक (auxiliary) है। स्नेहन दाब घट जाने पर, मशीन के सक्रिय रूप से बंद हो जाने की भी व्यवस्था होती है।

टर्बोजनित्रों में सवातन के लिये बहुधा बलित सवातन (forced ventilation) का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर

घोर रोटर में वाहिनियाँ ( ducts ) इस प्रकार बनी होती हैं कि एक घोर से हवा खिंचकर इन वाहिनियों में होती हुई घोर मशीन को ठंडा करती हुई दूसरी घोर को निकल जाती है। उच्च वेग पर इस क्रिया में सहायता तो मिलती है, परंतु बड़े बड़े जनित्रों में यह प्राकृतिक रूप से संवातन पर्याप्त नहीं होता और हवा को दबाव के द्वारा मशीन में भेजा जाता है। धूल और नमी से मशीन को बचाने के लिये, सवाहन का बंद तंत्र ( closed system of ventilation ) प्रयुक्त होता है। इसमें उसी वायु को बार बार प्रयुक्त किया जाता है और गरम होने पर, वायुशीतक ( air cooler ) द्वारा उसे ठंडा कर लिया जाता है और फिर उसे दबाव के साथ मशीन में संवातन के लिये भेजा जाता है। बड़े जनित्रों में संवातन के लिये वायु के स्थान पर हाइड्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन वायु से १४ गुना हल्का होता है। अतः, संवातन के लिये इसे प्रयोग करने से वायव्य हानि ( windage loss ) कम हो जाती है। ऊष्मा निष्कासन का भी यह वायु से अधिक प्रभावी माध्यम है। परंतु वायु के साथ मिलकर हाइड्रोजन विस्फोटक हो सकता है और इसे बचाने के लिये पर्याप्त सावधानी रखी जाती है।

विद्युत्जनित्र समय के साथ साथ, बहुत बड़े बड़े आकार के बनने लगे हैं। ५०,००० से १,५०,००० किलोवाट की क्षमतावाले जनित्र अब सामान्य हो गए हैं। ये निरंतर प्रवर्तन करनेवाली मशीनें हैं, इसलिये इनकी संरचना भी अत्यंत मानक आधार ( exacting standards ) पर होती है। मुख्यतः, यह स्वतः कार्यकारी मशीन होती है, और इसके सारे प्रवर्तक दूरस्थ नियंत्रण ( remote control ) द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। क्षेत्र धारा के विचरण से शोषिता नियंत्रण सुगमता से किया जा सकता है। भार के अनुरूप निवेश ( input ) स्वयं ही नियंत्रित हो जाता है। इन सब कारणों से वर्तमान विद्युत् जनित्र बहुत ही दक्ष एवं विश्वसनीय होते हैं। भारत में इनके विश्वसनीय प्रवर्तन के कारण ही विद्युत् संभरण को विश्वसनीय बनाया जाना संभव हो सका है।


[ रा० कु० ग० ]

**विद्युत्, जल से उत्पन्न ( Hydroelectric )** जल से प्राप्त की गई विद्युत्शक्ति को जलविद्युत् कहते हैं। विद्युत् शक्ति के जनन की विधियों में जलविद्युत् बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की संपूर्ण विद्युत् शक्ति का एक तिहाई भाग जलविद्युत् के रूप में प्राप्त होता है।

यों तो किसी भी रूप में उपलब्ध ऊर्जा को विद्युत्शक्ति के जनन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। जलप्रपात में गिरते हुए पानी में निहित ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल से ही पनचक्की को चलाने में किया जाता रहा है, परंतु इस ऊर्जा का विद्युत्शक्ति के लिये उपयोग बीसवीं शताब्दी की ही देन है।


न केवल गिरते हुए जल में निहित ऊर्जा का उपयोग शक्ति जनन के लिये किया जा सकता है, बल्कि बहते हुए पानी में निहित गतिज ऊर्जा ( kinetic energy ) का उपयोग भी शक्ति जनन के लिये किया जा सकता है। इसके लिये सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना

होता है, जहाँ बाँध बाँधकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जा सके और उसमें निहित शक्ति को विद्युत् शक्ति के जनन के लिये जल को आवश्यकतानुसार नलों अथवा खुली नहर के द्वारा बिजलीघरों में प्रयुक्त किया जा सके। उपयुक्त स्थान की तलाश के लिये वर्षा तथा जमीन दोनों का अध्ययन करना होता है। बाँध ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ न्यूनतम मूल्य में बना बाँध अधिकतम पानी जमा कर सके। इसके लिये स्थान की



चित्र १.

प्राकृतिक दशा ऐसी होनी चाहिए कि कोई नदी घाटी में होती हुई पहाड़ों के बीच सँकरे मार्ग से गुजरती हो, जिसमें सँकरे स्थान पर बाँध बनाकर नदी के ऊपरी भाग को एक बड़े जलाशय में परिवर्तित किया जा सके। बाँध के ऊपर एक और अग्रनाल ( forebay ) बनाया जाना है, जहाँ से पानी खुली नहर अथवा नलो द्वारा बिजलीघर तक ले जाया जाता है। यह पानी बिजलीघर में स्थित बड़े बड़े टरबाइनों को चलाता है, जिनसे योजित जनित्रों में




चित्र २.

क. बाँध, ख. नहर, ग. बिजली घर तथा घ. नदी।

विद्युत् शक्ति का जनन होता है। टरबाइन, सीमेन्ट कंक्रीट के बने ड्राफ्टट्यूब ( draft tube ) के मुख पर अवस्थित होता है ( देखें चित्र ३ )। पानी गाइड वेन ( guide vanes ) में होता हुआ टरबाइन के ब्लेडों ( blades ) को घुमाता है और इस प्रकार अपने में निहित ऊर्जा का टरबाइन के चलाने में उपयोग करता है। चलते हुए टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत् ऊर्जा में रूपांतरित कर दी जाती है और इस प्रकार जन में निहित ऊर्जा जलविद्युत् का रूप ले लेती है। टरबाइन में इस प्रकार पानी में निहित शक्ति का उपयोग हो जाने के पश्चात्, पानी ड्राफ्ट-ट्यूब में से होता हुआ बिसर्जनी कुर्या ( tail race ) में जाता है, जहाँ से वह फिर नदी में जा मिलता है। ड्राफ्ट-ट्यूब की बनावट ऐसी होती

है कि पानी की शेष ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाए, जिससे बाहर आने पर नदी के किनारों को क्षतिग्रस्त न करे।

पानी में निहित ऊर्जा, उसके आयतन तथा शीर्ष ( head )



चित्र ३.

क. उत्तोजक, ख. प्रत्यावर्तित ( alternators ), ग. टरबाइन तथा घ. गृष्ट प्रवाह।

पर निर्भर करती है। शीर्ष के अनुरूप जलविद्युत् योजनाओं को तीन भागों में बाँटा जा सकता है -

१. उच्च शीर्ष योजना ( High Head Scheme ) — लगभग २०० मीटर से अधिक।

२. मध्यम शीर्ष योजना ( Medium Head Scheme ) — ५० मीटर से २०० मीटर तक।

३. निम्न शीर्ष योजना ( Low Head Scheme ) — ५० मीटर से कम।

योजना का आकार एवं प्ररूप दोनों ही शीर्ष के ऊपर निर्भर करता है और उसी के अनुसार उसके टरबाइनों का प्ररूप भी। इस प्रकार उच्च शीर्ष के लिये फ्रांसिस ( Francis ) टरबाइन एवं पेल्टन चक्र ( Pelton wheel ) उपयुक्त होते हैं। मध्यम शीर्ष के लिये आवाक प्रवाहवाले ( inward flow ) दाब टरबाइन प्रयुक्त किए जाते हैं। निम्न शीर्ष के लिये नोदक ( Propellor ) प्ररूप का टरबाइन अधिक उपयुक्त होता है।

उच्च शीर्षवाली योजनाओं में, माध्यागतया, पानी का आयतन अधिक नहीं होता। इसलिये पानी को नली द्वारा ले जाकर टरबाइन के नुड ( nozzle ) से रनर ( runner ) की बाल्टियों पर छोड़ा जाता है, जिससे पानी में निहित ऊर्जा रनर को चलाने में समर्थ होती है। नुड द्वारा पानी के प्रवाह और गति का नियंत्रण करने से तथा बाल्टियों पर छोड़े जानेवाले पानी के कोण का विचरण करने से टरबाइन के निर्गत ( output ) का नियंत्रण किया जा सकता है और इस तरह जनित होनेवाली विद्युत्शक्ति का भी नियंत्रण हो सकता है। बाल्टियों के कोण का विचरण करना भी संभव है और दोनों नियंत्रणों को स्वतःचालित ( automatic ) रूप से भी किया जा सकता है।

नोदक प्ररूप के टरबाइन के रनर में केवल तीन या चार पंख ही

होते हैं। ये भारी इस्पात के बने होते हैं। कम शीर्षवाली योजनाओं में बहुधा पानी का आयतन बहुत अधिक होता है ( जिससे विद्युत्शक्ति का जनन व्यावहारिक हो सके )। अतः इनमें पानी को नली में ले जाना संभव नहीं होता और खुली नाली का उपयोग करना होता है। भार के अनुरूप निर्गत प्राप्त करने के लिये टरबाइन में जानेवाले पानी की मात्रा का विचरण करना आवश्यक होता है, जो द्वार खुलाई ( gate opening ) द्वारा संपादित किया जाता है। ये द्वार गाइड पिच्छफलक की भाँति होते हैं और इनकी स्थिति पानी का नियंत्रण करती है। भारी होने के कारण ये द्वार द्रवचालित दाब ( hydraulic pressure ) द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। जिस प्रकार पेल्टन चक्र के गाइड पिच्छफलक, अथवा बाल्टियों, के कोण का विचरण किया जाता है, उसी प्रकार इन्हें भी स्वतःचालित रूप से प्रवर्तित किया जा सकता है। स्वतःचालित विचरण सर्वोत्तम ( servo motor ) द्वारा किया जाता है। यह छोटा सा मोटर होता है, जो द्रवचालित दाबक का विचरण करता है। इसका निवेश ( input ) टरबाइन के निर्गत का ही एक अंश होता है, अतः उसके अनुसार विचरण करता है। इस प्रकार इस मोटर द्वारा किया गया कार्य टरबाइन के निर्गत पर, जो उसके ऊपर भार के अनुरूप होता है, निर्भर करता है और स्वतःचालित रूप से द्रवचालित दाबक को घटा बढ़ाकर उसी के अनुसार गाइड पिच्छफलक ( vane ), अथवा द्वार खुलाई, का नियंत्रण कर देता है, अथवा बाल्टियों के कोण का व्यवस्थापन कर देता है।

नोदक प्ररूप की टरबाइन में कैप्लेन ( Kaplan ) प्ररूप का टरबाइन मुख्य है। इसकी विशेषता इसकी मजबूती और उच्च दक्षता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि भार विचरण में दक्षता पर बहुत कम प्रभाव होता है, जिसके कारण विचरणशील भार के लिये यह टरबाइन बहुत ही उपयुक्त होता है।

मध्यम शीर्ष योजनाओं में, सामान्यतः, मिश्रित प्रवाहवाला ( mixed flow ) टरबाइन अधिक प्रयुक्त होता है, परन्तु शीर्ष के अनुरूप ही उसका चयन अधिक निर्भर करता है। पानी को टरबाइन में ले जाने के लिये स्थिर गाइड वैन ( pivoted guide vanes ) का प्रयोग किया जाता है। इनके निर्गत का विचरण उनके कोण के विचरण से किया जाता है।

कम शीर्षवाला टरबाइन, माध्यागतया, खुले शीर्ष के ऊपर स्थित होता है। ये सर्पिल ( spiral ) प्ररूप के आवरण ( casing ) से घिरे होते हैं, जिससे पानी को एक समान रूप से गाइड पिच्छफलक द्वारा ले जाया जा सके। उच्च शीर्षवाले टरबाइन में यह आवरण धातु ( सामान्यतः लोहे ) का बना होता है। टरबाइन क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परन्तु सामान्यतः, ऊर्ध्वाधर ही अधिक प्रयोग में आता है। इनमें बेयरिंग ( bearing ) विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसे मशीन पर प्रतिष्ठित पार्श्व आघात ( side thrust ) भी वहन करना होता है। इसलिये इन्हें आघात बेयरिंग ( Thrust Bearing ) कहते हैं।

बेयरिंग तथा दूसरे गतिमान भागों का स्नेहन भी अपने आप

में एक कठिन समस्या होती है। इसके लिये दाब स्नेहन (Pressure Lubrication) विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें स्नेहक तेल को दबाकर स्नेहन किए जानेवाले स्थानों में भेजा जाता है। तेल पंप (oil pump) द्वारा दाब उत्पन्न की जाती है। दाब घट जाने पर, मशीन के अपने आप बंद हो जाने की व्यवस्था भी होती है, जिससे ऐसी परिस्थिति में उसे क्षति न पहुँचें। स्नेहक तेल को साफ करने के लिये एक तेल फिल्टर होता है और स्नेहन के पश्चात् गरम हो जानेवाले तेल को ठंडा करने के लिये तेल शीतक की भी व्यवस्था रहती है।

जलविद्युत् योजनाओं में सबसे अधिक महत्व उनकी स्थिति का है। इनकी स्थिति, मुख्यतः, प्राकृतिक एवं भौतिक कारणों पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर किसी जलविद्युत् योजना से उपलब्ध शक्ति का आगमन इस आधार पर किया जा सकता है

$$\text{शक्ति} = \frac{Q h}{15} - K W.$$

जहाँ Q = जल का प्रवाह घनफुट प्रति सेकंड तथा h - शीर्ष (फुटों में)।

इस प्रकार १,००० घन फुट प्रति सेकंड के प्रवाह से १५० फुट का शीर्ष उपलब्ध होने पर लगभग १०,००० किलोवाट की शक्ति उपलब्ध होगी। जलाशय का अनुमान भी इस आधार पर लगाया जा सकता है, कि ११३ वर्ग मील के क्षेत्रफल में १ फुट पानी केवल १ घन फुट प्रति सेकंड का प्रवाह उत्पन्न करता है। अतः १,००० घन फुट प्रति सेकंड का प्रवाह पाने के लिये जलाशय में ११३ वर्ग मील के क्षेत्रफल में औसत से १० फुट गहरा पानी होना चाहिए। किसी भी जलविद्युत् योजना को व्यावहारिक होने के लिये यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक शीर्ष एवं प्रवाह हो। कम शीर्ष-वाली योजनाएँ तभी व्यावहारिक हो सकती हैं, जब पानी का प्रवाह पर्याप्त हो। उच्च शीर्षवाली योजनाएँ कम प्रवाह पर भी व्यावहारिक हो सकती हैं।

बिजलीघर की स्थिति वाँध के निकट होना अनिवार्य नहीं है। जलाशय पहाड़ पर हो सकता है और अधिक शीर्ष पाने के लिये बिजलीघर पहाड़ की तलहटी में बनाया जा सकता है। ऐसी दशा में पानी को बड़ी बड़ी नलिकाओं द्वारा बिजलीघर तक पहुँचाया जाता है। उच्च शीर्ष वाली योजनाएँ सामान्यतः इसी प्ररूप की होती हैं।

बहुत से स्थानों पर पहाड़ी को काटकर सुरंग के द्वारा पानी को पहाड़ी के दूसरी ओर बिजलीघर तक पहुँचाया जाता है। बिजलीघर का पृथ्वीतल पर होना भी अनिवार्य नहीं। बहुत से बिजलीघर पृथ्वी के अंदर भी होते हैं और उन तक लिफ्ट (lift) द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। मैदान में भी ऐसा ही भूमिगत बिजलीघर (underground power station) बनाया गया है। ऐसे बिजलीघर स्वचालित प्ररूप के होते हैं और दूरस्थ नियंत्रण द्वारा पृथ्वीतल से चालित होते हैं। यद्यपि ये बिजलीघर मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से ही पृथ्वी के अंदर बनाए जाते हैं, तथापि ये सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

कम शीर्षवाली योजनाएँ हमारे देश में बहुत हैं। गंगा एवं शारदा

नहरों के ऊपर बहुत से बिजलीघर बनाए गए हैं, जिनमें केवल २० से ३० फुट के शीर्ष का ही उपयोग किया गया है। ये योजनाएँ पानी का प्रवाह अधिक होने के कारण (कहीं कहीं १०,००० घन फुट प्रति सेकंड भी) व्यावहारिक हो सकी हैं।

जलविद्युत् योजनाएँ, मुख्यतः, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रूस एवं अमरीका में हैं। भारत में जलविद्युत् योजनाओं में बहुत पीछे नहीं है और यहाँ की कुछ योजनाएँ विश्व की महानतम योजनाओं में गिनी जाती हैं, जैसे, भाखरा-नगल, दामोदर घाटी, रिहंद, त्रिगकुंड, नागार्जुन सागर, कोयना, शिव-समुद्रम, पेरियार आदि।

बहुत सी जलविद्युत् योजनाएँ बहूद्देशीय भी होती हैं। मुख्यतः इनके साथ सिंचाई एवं वाद्य रोधक योजनाएँ भी शामिल रहनी हैं, जिनसे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जा सके। अमरीका में टेनेसी घाटी निगम के आधार पर भारत में भी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। पिछले बीस वर्षों में बहुत सी महत्वपूर्ण जलविद्युत् योजनाएँ बनी हैं और सभी जगह जलविद्युत् संभावनाओं का अध्ययन कर योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

जलविद्युत् योजना में, यद्यपि, आरंभ में बहुत अधिक व्यय होता है, तथापि तब भी परिचालन व्यय (operating expense) कम होने के कारण अधिकतर योजनाएँ आर्थिक दृष्टिकोण से सफल होती हैं। इनके मयत्र (plant) का जीवन भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। इनका मुख्य दोष वास्तव में इनकी उपभोक्ता स्थानों में दूरी है। ये योजनाएँ जहाँ चाहे वहाँ के लिये नहीं बनाई जा सकतीं। उदाहरणार्थ, यदि शक्ति की माँग कलकत्ते में है, तो वहाँ जलविद्युत् योजना कार्यान्वित करना संभव नहीं। हिमालय से निकलनेवाली नदियों में अल्प जलशक्ति निहित है, परन्तु वहाँ शक्ति की माँग नहीं है। इस प्रकार जलविद्युत् योजना द्वारा जनित विद्युत् शक्ति को बहुधा बहुत दूरी तक प्रेषित (transmit) करना होता है। अतः, जलविद्युत् योजना का सापेक्ष रूप से अध्ययन करने के लिये प्रेषणतंत्र का व्यय भी लगाना आवश्यक है। तब भी अधिकतर जलविद्युत् ही मस्ती पड़ती है। [रा० कु० ग०]

**विद्युत्तरंग** विद्युत् के नियमित रूप से होनेवाले विस्थापन (displacement) को कहते हैं, जो काल के साथ नियमित रूप से विचरण करे। कुछ दशाओं में विद्युत् का परिचालन स्थिर मान का होना है और समय के अनुसार विचरण नहीं करता। इस प्रकार के विस्थापन को दिष्ट धारा (Direct Current) कहते हैं। इसमें धारा का मान और दिशा दोनों ही नहीं बदलते। बहुत सी दशाओं में विचरण आवर्ती प्ररूप का होता है और धारा का मान एवं दिशा समय के साथ नियमित रूप से विचरण करती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current) कहते हैं और सामान्यतः इसे प्र० धा० (A C) द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रत्यावर्ती विचरण भी कई प्रकार का हो सकता है। सबसे सामान्य विचरण ज्यावकीय (Sinusoidal) कहलाता है, जिसमें धारा का मान ज्यावक्र (sine curve) के अनुसार घटता बढ़ता है।

कुछ दशाग्रों में प्रत्यावर्ती विचरण, वर्गीय अथवा आयताकार (rectangular) प्ररूप का होता है। ऐसे विचरण को वर्गीय अथवा आयताकार वक्रों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और तरंग का प्ररूप वर्गीय अथवा आयताकार तरंग कहलाता है।

कुछ दशाग्रों में यह विचरण अनियमित रूप का प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में एक से अधिक नियमित विचरणों के सयुक्त होने पर प्राप्त होता है। ऐसे विचरण को फूरिये श्रेंणी (Fourier's series) द्वारा नियमित वक्रों (regular curves) से संघटित हुआ दिखाया जा सकता है।

विद्युत् प्रभावों का तरंगों के रूप में होने का विश्वास, वस्तुतः बहुत पुराना है। परंतु गणितीय विश्लेषण द्वारा इसका प्रतिपादन उन्नीसवीं शताब्दी की ही देन है। फेराडे (Faraday) ने विद्युत्-चुंबकीय सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए विद्युत्तरंगों के रूप पर भी प्रकाश डाला और अतः यह सिद्ध किया कि विद्युत्प्रभाव तरंगों के रूप में होते हैं। इन तरंगों का वेग भी ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया, परंतु सुग्राही यंत्रों के अभाव में ठीक ठीक न ज्ञात किया जा सका। तत्पश्चात् यह सिद्ध किया गया कि विद्युत्-तरंगों का वेग प्रकाश के बराबर है और वस्तुतः दोनों प्रकार की तरंगें एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। इसी प्रकार पराबैंगनी तथा अवरक्त (infra-red) विकिरण भी वस्तुतः इन्हीं के सद्य ऊर्जा के दूसरे रूप हैं, और उन्हीं प्रकार की तरंगें हैं।

किमी भी तरंग के मुख्य लक्षण उसकी आवृत्ति (frequency) एवं आयाम (amplitude) होते हैं। आवृत्ति अथवा बारंबारता, तरंग द्वारा किए गए प्रति सेकंड एकांतरण (alternations) की संख्या होती है। विद्युत् बल, सामान्यतः शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटकर फिर शून्य हो जाता है। इसके पश्चात् अपनी दिशा बदलकर फिर अधिकतम मान पर पहुँचने के बाद शून्य स्थिति में आ जाता है। इसी प्रकार विद्युत्-तरंग भी दोनों दिशाओं में अधिकतम मानों के बीच विचरण करती है। इस मपूर्ण एकांतरण को एक चक्र (cycle) कहते हैं और प्रति सेकंड चक्रसंख्या को तरंग की आवृत्ति या बारंबारता कहा जाता है।

तरंग का आयाम, ऊर्ध्वाधर दिशा में शून्य स्थिति से अधिकतम मान तक, उसकी दूरी है। इसी प्रकार, एक चक्र की क्षैतिज दूरी उसकी तरंग लंबाई कहलाती है। यह, वस्तुतः, तरंग के दो संगत (corresponding) बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तरंग लंबाई, तरंग के वेग और उसकी आवृत्ति से भी ज्ञात की जा सकती है।

$$\text{तरंग लंबाई} = \frac{\text{तरंग का वेग}}{\text{तरंग की आवृत्ति}}$$

चूंकि विद्युत्तरंग का वेग, प्रकाश के वेग के बराबर होता है (अर्थात्  $3 \times 10^8$  मीटर प्रति सेकंड), इसलिये उच्च आवृत्ति की तरंगों की तरंग लंबाई, अल्प आवृत्ति की तरंगों की अपेक्षा काफी कम होती है।

विद्युत् शक्ति का संचारण करनेवाली तरंगें, कम आवृत्ति की होती हैं। भारत एवं दूसरे कॉमनवेल्थ देशों में, सामान्यतः ५० साइकिल आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। अमरीका तथा दूसरे देशों में सामान्य शक्ति की आवृत्ति ६० साइकिल प्रति सेकंड है। शक्ति आवृत्ति की तरंगों की तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है (लगभग ३,००० किमी०)। उच्च आवृत्ति की तरंगों की तरंग लंबाई कम होने के कारण उन्हें छोटी तरंगें (short waves) भी कहा जाता है, और ये दूर रेडियो संचारण में प्रयुक्त की जाती हैं।

विद्युत्तरंगों का प्रेषण (transmission), पदार्थ एवं आकाश दोनों में ही संभव है। कुछ पदार्थ, जिनमें धातुएँ मुख्य हैं, ऐसे होते हैं कि उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है, और विद्युत् बल के आरोपित होने से ये गतिमान किए जा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का चलन ही विद्युत्धारा कहलाता है, तथा किसी बिंदु से पारित होनेवाला विद्युत् आवेश ही धारा की माप है। धात्विक पदार्थों के तार, धागा के अच्छे चालक होते हैं। इनमें व्यावहारिक रूप से ताँबा एवं एलुमिनियम मुख्य हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें अधिकांश इलेक्ट्रॉन अणुओं से संबद्ध होते हैं और सहज चलायमान नहीं किए जा सकते। ऐसे पदार्थ पराविद्युत् (Dielectric) कहलाते हैं और ये विद्युत्रोधी (insulator) होते हैं।

विश्व के सभी पदार्थ किसी न किसी रूप में आवेशित रहते हैं। कुछ घनात्मक आवेशित तथा कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। एक ही प्ररूप के आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्थैतिक विद्युत्करण विद्युत्बल के क्षेत्र से घिरे रहते हैं तथा चलनशील कण चुंबकीय क्षेत्र से घिरे होते हैं। यदि किसी आवेशित कण को दूसरे आवेशित कणों के समीप लाया जाए, तो उसपर एक बल आरोपित होगा। बल का वह भाग जो केवल आवेश पर निर्भर करता है (और उसके वेग पर नहीं) विद्युत् बल कहलाता है। वेग पर निर्भर करनेवाला भाग चुंबकीय होता है और इस प्रकार गतिमान विद्युत् आवेश पर विद्युत् चुंबकीय बल आरोपित होता है। यह बल, वस्तुतः, विद्युत्चुंबकीय तरंगों द्वारा संचारित एवं परिचालित होता है।

जब विद्युत्आवेश का अतस्मान् विस्थापन किया जाए, तो विद्युत् और चुंबकीय बल उसी प्रकार जनित हो जाते हैं जैसे तालाब में डेला फेंकने पर लहरें। पानी की लहर भी, वस्तुतः, पानी का ऊपर और नीचे विस्थापन मात्र ही है, जो सब दिशाओं में पानी के तल पर कुछ वेग से संचारित (propagate) होता है। धीरे धीरे विस्थापन कम होता जाता है और तरंगों का फैलाव बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद लहरें समाप्त हो जाती हैं और पानी फिर शांत हो जाता है। विद्युत् तरंगें भी ठीक इसी भाँति संचारित होती हैं। अंतर केवल इतना ही है कि पानी की लहरों के लिये संचारण का माध्यम आवश्यक है, परंतु विद्युत् तरंगों के लिये माध्यम का होना आवश्यक नहीं। वे आकाश

(space) में भी संचारित हो सकती हैं, जैसे रेडियो तरंगों (radio waves), जो विद्युत्तरंगों का ही एक रूप है।

विद्युत्तरंगों को प्रयोगशाला में एक दोलक (oscillator) द्वारा जनित किया जा सकता है। वास्तव में दोलक परिपथ के अवयवों (elements) का व्यवस्थापन कर किसी भी आवृत्ति की तरंगें जनित की जा सकती हैं।

विद्युत्तरंगों का सबसे बड़ा उपयोग ध्वनि के संचारण के माध्यम के रूप में हुआ है, जिसमें इन्हीं तरंगों के एक रूप, अर्थात् उच्च आवृत्ति की विद्युत्चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनका मुख्य प्रयोग वेतार के तार और रेडियो में हुआ है। इन तरंगों से चित्र भी प्रेषित किए जा सकते हैं, और टेलीविजन द्वारा ध्वनि के साथ साथ चित्र भी देखे जा सकते हैं। विद्युत् तरंगों का यह क्षेत्र निरंतर बढ़ता ही जा रहा है।

विद्युत् शक्ति के प्रेषण में, विद्युत् तरंगों की जानकारी विशेष महत्त्व की है। आकाश बिजली, अर्थात् तड़ित, के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये तथा स्विच (switch) आन और आफ करने से उत्पन्न होनेवाले प्रोत्कर्व (surge) का अध्ययन करने के लिये विद्युत्तरंगों की जानकारी आवश्यक है। इसके आघात पर विद्युत् प्रेषणतंत्रों को विश्वसनीय बनाया जा सका है और उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकना भी संभव हुआ है। साथ ही, अकस्मात् हो जानेवाली दुर्घटनाओं को कम कर पाना संभव हो सका है।

किसी भी विद्युत् युक्ति का प्रवर्तन, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन निहित हो, अनिवार्य रूप से विद्युत् ऊर्जा का विद्युत् तरंग के रूप में स्थानांतरित किया जाना है। चाहे वह, औद्योगिक शक्ति के लिये विद्युत् प्रेषण हो, अथवा टेलीफोन के तारों पर बातचीत, वेतारी तार से ध्वनि का संचारण, अथवा टेलीविजन से चित्र का संचारण, सभी में विद्युत् तरंगों कायंशील हैं।

विद्युत् तरंगों का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। शक्ति आवृत्ति से भी कम आवृत्ति की तरंगों से लेकर अत्यधिक आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों, माइक्रो तरंगों, एवं सभी प्रकार के विद्युत् चुम्बकीय विकिरण (electromagnetic radiation) विद्युत् तरंगों के ही क्षेत्र में हैं और यह क्षेत्र विस्तार एवं उपयोग दोनों में ही निरंतर बढ़ता जा रहा है।

[ रा० कु० ग० ]

**विद्युत्-धातुकर्म विज्ञान (Electrometallurgy)** विद्युत्विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन से विद्युत्-रासायनिक प्रयोगों द्वारा संबंधित है। यह सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित है, एक में उष्णता और दूसरे में रासायनिक क्रियाएँ प्रधान हैं। विद्युत् भट्टी में बिजली से ऊष्मा उत्पन्न कर धातु खनिजों का गलन करते हैं। प्रतिरोधक तथा प्रेरण भट्टियों में धातुओं के दहीकरण और शोधन के साथ साथ बिजली से ऊलाई की कला इसी श्रेणी में आती है।

बिजली के रासायनिक प्रयोगों में विद्युत्-लेपन, रासायनिक यौगिकों का अपघटन, धातु परिष्कार तथा शुद्धकरण निहित हैं।

विद्युत्-धातुकर्म बहुत से उद्योगों और व्यवसायों का आधार है। इस प्रविधि से निमित्त वस्तुएँ गुण तथा मजबूती में उच्च कोटि की होती हैं।

सर हंफ्री डेवी (मन् १७७८-१८२९) ने सर्वप्रथम पिघले लवणों के विद्युत्-अपघटन से क्षारीय धातुओं को प्राप्त किया। माइकेल फेरेडे (मन् १७९१-१८६७), जे० डब्ल्यू० हिटार्फ (मन् १८२४-१९१४), स्वाते माग्नेनियस, (मन् १८२९-१९२७) और सी० एम० हाल (मन् १८६३-१९१४) आदि वैज्ञानिकों के सहयोग ने विद्युत्-धातुकर्म को प्रगतिशील बनाया और वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया।

विद्युत् धातुकर्मक क्रियाओं के समझने के लिये दोनों प्रकार के विद्युत्-चालन प्रक्रम (इलेक्ट्रॉनिक तथा आयोनिक), आयोनिक स्थानांतरण गति, गैन्वैनिक तथा इलेक्ट्रोलीटिक सेल, सेलों की ऊष्मागतिकी और विद्युत्प्रलेपन आदि रासायनिक सिद्धांतों का ज्ञान परमावश्यक है तथा इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

विद्युत्-धातुकर्मक परिचालन विधियाँ तीन महत्वपूर्ण भागों में विभाजित की जा सकती हैं वैद्युत्प्राप्ति (Electro-winning), वैद्युत् परिष्करण (Electro-refining) और वैद्युत्लेपन (Electro-plating)।

वैद्युत्प्राप्ति वह विधि है जिसमें (१) कच्चे धातुीय खनिज को पानी के उपयुक्त विलयन से अपमार्जन करते हैं और इस प्रकार मानक विद्युत्-अपघटन प्राप्त करते हैं। इसमें धातु की मात्रा पर्याप्त होती है। फिर विद्युत् अपघटन द्वारा कैथोड पर शुद्ध निक्षिप्त धातु प्राप्त करते हैं, (२) कच्चे धातु खनिज को गुणमता से पिघलनेवाले लवण में परिवर्तित करते हैं और इसे पिघलाकर सगलित विद्युत्-अपघटन से कैथोड पर शुद्ध निक्षिप्त धातु प्राप्त करते हैं। साधारणतः ऐलुमिनियम, ब्रीलियम, कैल्सियम, लीथियम, मैग्नीशियम तथा सोडियम के लवणों के निर्जलीय गलन की, और ताँबा, कैडमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकेल, जिंक आदि के लवणों के जलीय विलयन की वैद्युत् प्राप्ति विधि से ये धातुएँ व्यापारिक पैमाने पर प्राप्त की जाती हैं।

वैद्युत् परिष्करण विधि से उत्तम तथा उच्च कोटि की शुद्धता की धातु प्राप्त की जाती है। जिस धातु को शुद्ध करना होता है, उसे लवणीय अथवा अम्लीय विलयन में उपयुक्त आकार का ऐनोड, तथा उसी की शुद्ध निक्षिप्त धातु का कैथोड बनाकर लटका देते हैं। विद्युत्-अपघटन द्वारा बहुत ही शुद्ध धातु कैथोड पर लेप के रूप में प्राप्त हो जाती है। बहुमूल्य धातुओं की अशुद्ध ऐनोड से उपलब्धि, साधारण वैद्युत्-परिष्करण कला में, एक महत्वपूर्ण गौण परिष्करण है। बहुधा ताँबा, विस्मथ, सोना, चाँदी, सीसा और रंगा जलीय विलयन विद्युत्-अपघटन से शुद्ध किए जाते हैं।

किसी धात्विक अथवा अधात्विक वस्तु की सतह पर बिजली द्वारा किसी धातु के आवरण चढ़ाने को वैद्युत्लेपन कहते हैं। जिस पदार्थ पर आवरण चढ़ाना होता है, उसे एक छोटे से इलेक्ट्रोलीटिक कुडिका में कैथोड बना देते हैं। इसके विद्युत् अपघटन विलयन में आवरणीय धातु की मात्रा पर्याप्त होती है। ताँबा, कैडमियम, क्रोमियम, सोना,



निकल, सोडियम, चाँदी, मैग्नीसियम, रॉंगा, जस्ता आदि धातुओं तथा पीतल, ब्राँस, चाँदी-कैडमियम आदि मिश्रधातुओं का साधारणतः औद्योगिक पैमाने पर विद्युत्-लेपन होता है।

एलुमिनियम का उत्पादन इलेक्ट्रोविनिंग विधि का एक बहुत प्रच्छा उदाहरण है (देखें एलुमिनियम)।

इलेक्ट्रोलीटिक तंत्र का उत्पादन वैद्युत् परिष्करण का एक सर्व-प्रिय लौकिक उदाहरण है। उत्पादन का ६० प्रतिशत से अधिक ताँबा इसी ढंग से प्राप्त किया जाता है। (देखें ताँबा)

विद्युत्-लेपन कई कारणों से लोकप्रिय है। बहुधा यह अलंकारिक तथा सजावटी संपूर्ति के लिये किया जाता है और इससे संक्षारण प्रतिरोध मतह भी प्राप्त की जाती है। कभी कभी यह टूटे अथवा घिसे हुए सतहों की मरम्मत में बहुत उपयोगी तथा संतोषजनक होता है, विशेष कर बड़ी बड़ी मशीनों, मोटर, भाप टरबाइन, डाइनेमो, जनित्र आदि में। अघाटिक वस्तुओं पर धात्विक इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इलेक्ट्रोफॉर्मिंग कहा जाता है। इससे इन वस्तुओं की सतह पर अपूर्व धात्विक चमक आ जाती है। अचालक वस्तुओं पर विद्युत्-लेपन के लिये ग्रैफाइट अथवा धातुओं के बारीक पाउडर के प्रयोग से सुगमतापूर्वक विद्युत्-आवरण प्राप्त कर लेते हैं। बहुधा कम विद्युत् दाब का प्रयोग करते हैं। द्रिष्ट धारा के ६ या १२ वोल्ट का जनित्र काम में लाया जाता है। इसमें ५० से कई हजार ऐंपियर तक बिजली प्राप्त होती है। मिश्र-धातुओं तथा एक के बाद दूसरी धातुओं का विद्युत् लेपन आजकल अधिक अपनाया जा रहा है तथा उपयोगी भी सिद्ध हुआ है।

एक विधि से बड़े बड़े इस्पाती रचनाकार्य की रक्षा की जाती है। इसकी मतह पर सस्ना और क्रियाशील धातु का कैथोडिक आवरण कर देते हैं, जो प्रधान निर्मित रचना की अपेक्षा अधिक संक्षारक होता है। ऐसी तकनीकी का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ढंग से किया जाता है तथा इस प्रकार संचयित पीपे, डिब्बे, रेडियेटर, वायनर और बड़े बड़े पाइप लाइनों की रक्षा कैथोडिक आवरण से सफलतापूर्वक की जाती है। [ ६० गि० ]

**विद्युत् मट्टी (Electric Furnace)** विद्युत् भट्टियों सामान्यतः धातु खानजो और धातुओं को पिघलाने के लिये प्रयुक्त की जाती है।

विद्युत् ऊर्जा से उत्पन्न हुई ऊष्मा विद्युत्-धारा के वर्ग के अनुपात में होती है। विद्युत् भट्टियों कोयले की भट्टियों से अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सकती हैं और आकार में भी छोटी होती हैं। ये हानिकारक धुएँ अथवा गैस नहीं उत्पन्न करतीं, परंतु इनका मुख्य लाभ इनमें सरलता से ऊष्मा नियंत्रण करने का है। धारा का परिवर्तन कर ऊष्मा का नियंत्रण बहुत सरलता से किया जाता है। इनका दूरस्थ नियंत्रण (remote control) और स्वतः चालन (automatic action) भी किया जा सकता है। इन कारणों से विद्युत् भट्टियाँ सामान्य उपयोग में आ गई हैं।

विद्युत् भट्टियों के तीन मुख्य प्ररूप हैं —

१. प्रतिरोध भट्टियाँ (Resistance Furnaces)।
२. चाप भट्टियाँ (Arc Furnaces) तथा
३. प्रेरण भट्टियाँ (Induction Furnaces)


प्रतिरोध भट्टियों में, भट्टी की दीवारों पर तार अंशक लगे होते हैं, जिनमें प्रवाहित होनेवाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है। भट्टी की दीवारें सामान्य भट्टी की तरह अग्निरोध ईंटों की बनी होती हैं, अथवा किसी भी ऐसे उच्च तापसह (refractory) पदार्थ की जो ऊष्मा का चालक हो। ऊष्मा अंशक, सामान्यतः, नाइक्रोम (nichrome) अथवा मोलिब्डेनम (molybdenum) तार के बने होते हैं और उच्च तापसह पदार्थ की नलिका पर वतित होते हैं। उच्च ताप की भट्टियों में (१,२००° से ऊपर) प्लेटिनम धातु के तारों का प्रयोग भी किया जाता है, जो अधिक कीमती होने के कारण सभी भट्टियों में नहीं प्रयोग किए जा सकते। उच्च ताप की भट्टियों में तार अंशकों के स्थान पर सिलिकॉन कार्बाइड (silicon carbide) की छड़ें और नलिकाएँ भी प्रयोग की जाती हैं।

ऊष्मा अंशक, भट्टी की दीवारों पर न लगाकर, सामान्यतः उसमें ही निवेशित कर दिए जाते हैं, जिससे भट्टी में अधिक जगह हो सके और इन अंशकों को भी क्षति से बचाया जा सके। ताप अंशक एक दूसरे में श्रेणी (series) एवं पार्श्व संबन्धन में संबद्ध होते हैं कि प्रतिरोध का विचरण कर आसानी से ताप का विचरण किया जा सके। कहीं कहीं ये स्टार एवं डेल्टा (star and delta) प्ररूप में भी संबद्ध होते हैं। पिघलानेवाली धातु भट्टी के बीच में रखी जाती है। इसे साधारण बोलचाल में घान (charge) कहते हैं। यह पिघलाने पर नली के द्वारा भट्टी से बाहर आ जाती है, अथवा चाजं की हाँडी, जिसे मूपा (crucible) कहते हैं, भट्टी के बाहर निकाल ली जाती है। ताप नियंत्रण स्वतः-चालन से ताप-वैद्युत्-युग्म (thermo-couple) द्वारा किया जाता है।

कुछ प्रतिरोध भट्टियाँ लवण कुडिका (salt bath) किस्म की होती हैं। कई प्रकार के लवण (सामान्य नमक नहीं) इस कार्य के लिये प्रयुक्त होते हैं। इनमें विद्युत्-धारा पिघले हुए लवण के प्रतिरोध में होकर पागित होती है, जिससे लवण कुडिका गरम हो जाती है और इसमें रखा हुआ घान पिघलाया जा सकता है, इस प्रकार की भट्टी में ऊष्मा का अधिक अंश में उपयोग संभव है, अर्थात् बहुत कम ऊष्मा नष्ट होती है, क्योंकि इसका उपयोग सीधे ही घान को गरम करने में हो जाता है। ऐसी भट्टियाँ, क्लिसियम, सोडियम, पोटेशियम आदि लवणों को पिघलाने के लिये प्रयोग की जाती हैं, जिनके रासायनिक लवण सीधे ही भट्टी में रखे जा सकें। इस प्रकार घान को ही ऊष्मा अंशक के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा उसको पिघलाती है। धारा घान में निवेशित दो एलेक्ट्रोडों द्वारा पहुँचाई जाती है। एलुमिनियम भी इसी प्रकार की प्रतिरोध भट्टी में प्राप्त होता है (देखें चित्र १.)।


चाप भट्टी में विद्युत् चाप द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। चाप दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न की जाती है, अथवा इलेक्ट्रोड एवं घान के बीच, जैसा चित्र २ में दिखाया गया है। इन भट्टियों में प्रतिरोध भट्टियों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उत्पन्न जा सकती है। ये भट्टियाँ मुख्यतया लौहिक धातुओं, अथवा उनकी

मिश्रधातुओं को पिघलाने के लिये काम में आती हैं। इनका संभरण (supply) कम वोल्टता तथा अधिक धारा का होता है। अतः, इसे सामान्य संभरण से विशेष परिणामित्र (transformer) द्वारा



चित्र १. ऐलुमिनियम तैयार करने की भट्टी

प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोड, सामान्यतः, कार्बन के होते हैं, परंतु बहुत सी भट्टियों में उपयुक्त धातु के भी बने होते हैं, जो चाप उत्पन्न होने पर धीरे धीरे स्वयं भी उपयुक्त हो जाते हैं। धारा प्रवाहित होने पर चाप द्वारा, इलेक्ट्रोड के सिरे धीरे धीरे क्षत हो जाते हैं। इस




चित्र २.

अ. सीधी आर्क भट्टी तथा ब. परोक्ष आर्क भट्टी

प्रकार चाप की लंबाई बढ़ जाती है और चाप बुझ भी जा सकती है। अतः, इन भट्टियों में एलेक्ट्रोडो को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी रहती है।

प्रेरण भट्टियाँ, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। परिणामित्र की भाँति, इसमें भी दो अंशक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में वोल्टता आरोपित होने पर द्वितीयक में वोल्टता प्रेरित हो जाती है। यदि द्वितीयक का लघु परिपथन कर दिया जाय, तो प्रतिरोध कम होने पर उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित हो जाती है। इसी सिद्धांत पर इस भट्टी में भी प्राथमिक कुडली को संभरण से संबद्ध कर दिया जाता है और द्वितीयक में, जो स्वयं धान के रूप में होती है, अत्यधिक धारा प्रेरित हो जाती है, जिससे धान पिघल जाता है ( देखे चित्र ३. )। इस भट्टी में भी ऊष्मा सीधे धान में ही उत्पन्न होती है और इसलिये उसका अधिकतम उपयोग होना संभव है। परंतु इन भट्टियों में केवल वही धातु पिघलाई जा सकती है जो चार्ज के रूप में लघुपरिपथित द्वितीयक बन सके।

इन भट्टियों में किसी वस्तु के विशिष्ट भाग को सापेक्षतया अधिक गरम कर सकना भी संभव है। इस प्रकार ये गियर (gear) को हार्ड (harden) करने के उपयोग में तथा ऊष्मा उपचार (heat treatment) के लिये बहुत प्रयोग की जाती हैं। इन भट्टियों को, सामान्यतः, उच्च आवृत्ति (high frequency) संभरण से संचालित किया जाता है, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके। १०,००० साइकिल प्रति सेकंड की आवृत्ति का प्रयोग सामान्य



(अ) क्रोड सहित (ब) क्रोड रहित

चित्र ३. प्रेरण भट्टियाँ

क. धान, ख. लोह क्रोड; ग. मूल कुडली; घ. उच्चतापसह मूषा तथा च. धान।


है, जो साधारणतया इलेक्ट्रानिकी युक्तियों (electronic devices) द्वारा प्राप्त की जाती है।

विद्युत् भट्टियों के बहुत से परिष्कृत रूप अब सामान्य हो गए हैं और ज्यों ज्यों विद्युत् शक्ति संभरण आर्थिक दृष्टिकोण से सस्ता होता जाता है, विद्युत् भट्टियों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जाता है। [रा० कु० ग०]

**विद्युत्मापी (Electrometers)** उन सभी उपकरणों को कहा जाता है जो किसी विद्युत् शक्ति की माप करे, पर सामान्यतः विद्युत्-मापी से केवल विद्युत्-ऊर्जा (electrical energy) का माप करनेवाले उपकरणों को ही समझा जाता है।


किसी निश्चित अवधि में उपयुक्त होनेवाली विद्युत् ऊर्जा की माप करने के लिये यह आवश्यक है कि विद्युत्मापी परिपथ में धारा, वोल्टता तथा शक्ति गुणांक (power factor) तीनों की उचित माप करने में तथा उन्हें आकलित कर किसी निश्चित अवधि में पारित होनेवाली ऊर्जा का मापन कर सकने में समर्थ हो। इस प्रकार किसी भी विद्युत्मापी में दो अंशक होते हैं : एक तो शक्ति अंशक, जो धारा, वोल्टता एवं शक्ति गुणांक से प्रभावित होकर शक्ति का मापन करे, और दूसरा काल अंशक, जो निश्चित अवधि में शक्ति का आकलन कर ऊर्जा का मापन करा सके।

शक्ति अंशक, दिष्ट धारा (D C) एवं प्रत्यावर्ती धारा (A. C) में भिन्न भिन्न रूप का होता है। दिष्ट धारा में, शक्ति गुणांक न होने के कारण (वस्तुतः १ होने के कारण), शक्ति अंशक का केवल धारा तथा वोल्टता का गुणन करने में समर्थ होना पर्याप्त है। यदि वोल्टता को स्थिर मान लिया जाए (जैसा साधारणतया होता है), तो केवल धारा मापन से ही कार्य चल सकता है। इस रूप में विद्युत्मापी




टर्बो विद्युत् जनित्र

विद्युत् मोटर ( पृष्ठ ३०-३२ )




संघट्ट मोटर




द्विधारा मोटर के आंतरिक अवयव


विद्युत्मापी ( पृष्ठ ६६-२६ )




चलचुंबक गैल्वेनोमीटर



चलकंडली गैल्वेनोमीटर




वोल्ट मापी




चलचुंबक  
प्रस्थैतिक गैल्वेनोमीटर




आवृत्तिमापी




अमीटर




समत्वागुणकमापी



किलोवाट मापी




क्रैयोडकिरण  
दोलनलेखी



विभवमापी

वस्तुतः ऐंपियर-घंटा ( ampere hour ) मीटर हो जाता है। यह केवल यही बताता है कि निश्चित अवधि में कितनी धारा प्रयुक्त की गई है। इस प्रकार एक ऐंपियर-घंटा से तात्पर्य है कि निश्चित वोल्टता पर १ घंटे में १ ऐंपियर धारा उपयुक्त की गई है। यद्यपि बनावट में ऐसे उपकरण सरल होते हैं, तथापि स्पष्टतः वोल्टता के घटने बढ़ने से उनके द्वारा निर्दिष्ट ऊर्जा में गलती हो जाती है। तब भी अपनी सरल बनावट के कारण, सामान्य उपयोगों के लिये ये बहुत उपयुक्त होते हैं। एक ऐसा मीटर चित्र १. में दिखाया गया है।

इसमें एक बंद प्रकोष्ठ में ऐलुमिनियम का एक डिस्क ( disc ) संबद्ध रहना है, जिससे उसका चलन स्वतंत्र रूप में हो सके। प्रकोष्ठ में पारा भरा होता है और डिस्क पारे के उत्प्लावन



चित्र १ दिष्ट धारा प्रतिघंटा ऐंपियर मापी

क ब्रेक चुंबक; ख प्रेरित धारा की दिशा; ग ब्रेक की क्रिया की दिशा, घ तर्कु; च ताम्र चक्रिका, झ चालक चुंबन; ज पारद द्वारा संवहन; झ धारा प्रवेश; ट चक्रिका में धारा; ठ धारा का निर्गमन, ड चक्रिका के घूर्णन की दिशा; उ उत्तरी ध्रुव तथा द. दक्षिणी ध्रुव।

पर अवलंबित रहता है। आपेक्षिक घनत्व १३६ होने के कारण, पारा डिस्क पर काफी उत्पन्न लगाता है, जिससे बेयरिंग ( bearing ) पर दाब कम हो जाती है और डिस्क को घूमने में सुविधा रहती है। डिस्क के दोनो ओर दो चुंबक होते हैं, जिनमें से एक चालन चुंबक ( driving magnet ) कहलाना है; और दूसरा ब्रेक चुंबक ( brake magnet )। धुराग्र ( pivot ) धारा के वाहक का भी कार्य करता है। धारा धुराग्र से होकर डिस्क में अंगीय ( radially ) बहती है और वहाँ से पारे में होकर प्रकोष्ठ पर के स्थिर टर्मिनल में जाती है। इस प्रकार परिपथ पारे में होकर पूरा होता और चालन चुंबक की उत्तेजक कुंडली ( exciting coil ) में से प्रवाहित होती हुई धारा डिस्क पर चालन बल ( driving force ) आरोपित करती है। डिस्क परिभ्रमण के लिये स्वतंत्र होने के कारण घूमने लगता है। उसका ब्रेक चुंबक के क्षेत्र में परिभ्रमण, उसपर ब्रेक बल आरोपित करता है। ब्रेक-चुंबक की स्थिति का व्यवस्थापन करने से डिस्क की गति में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मीटर ठीक न चल रहा हो, तो रोक चुंबक की स्थिति का व्यवस्थापन करके ठीक किया जा सकता है।

दूसरे प्रकार के ऐंपियर घंटा मापियों में धारा के विद्युत् अपघटनी ( electrolytic ) प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसी

निश्चित अवधि में, विद्युत् अपघट्य में से पारित होती हुई धारा जितना अवशेष जमा करती है, उसका परिमाण परिपथ में उपभोग की गई ऊर्जा के अनुपात में होता है। परन्तु इस प्ररूप के मीटरों की बनावट मजबूत नहीं होती और उन्हें बार बार व्यवस्थित ( set ) करना पड़ता है। अतः इस प्ररूप के मीटर अधिक चलन में नहीं हैं।

दिष्ट धारा के मीटरों में शक्ति अंशक वाटमीटर जैसे ही होते हैं। इनमें वस्तुतः दो परिपथ होते हैं, धारा कुंडली परिपथ, जो वहन की जानेवाली धारा द्वारा प्रवाहित होता है, और दूसरा वोल्टता कुंडली ( pressure coil ), जो परिपथ के आत्पर वोल्टता द्वारा प्रभावित होता है। इन दोनों कुंडलियों की धारा एवं वोल्टता के क्षणिक मानों द्वारा प्रभावित होने के कारण, अंशक का चलनतंत्र परिपथ में औसत शक्ति का परिचायक होता है। प्र० धा० मीटर, मुख्यतः, दो प्ररूप के होते हैं .

१. प्रेरण प्ररूप ( Induction Type )

२. डायनेमोमीटर प्ररूप ( Dynamometer Type )

दोनों मीटर वास्तव में अपने अपने प्ररूप के वाटमीटर पर ही आधारित होते हैं। शक्तिअंशक के साथ कालअंशक जोड़ देने से ही उनसे ऊर्जा का मापन किया जा सकता है। कालअंशक वास्तव में घड़ी की भाँति होता है, जो निश्चित अवधि में शक्ति का आकलन कर ऊर्जा का निर्देश करता है। वाटमीटर में संकेतक ( pointer ) द्वारा शक्ति का निर्देश ही किया जाता है, जब कि विद्युत् मापी में डिस्क के परिभ्रमण गिनने से ऊर्जा का मापन होता है। डिस्क अथवा ड्रम के परिभ्रमण गिनने के लिये एक गणकतंत्र होता है, जिससे कुल ऊर्जा का मान पढा जा सकता है।

एक दूसरे प्ररूप के मीटर में वस्तुतः मीटर का छोटा अंग ही काम में लाया जाता है। इसमें धारा कुंडली, उत्तेजक के रूप में होती है और वोल्टता कुंडली, आर्मेचर के रूप में। आर्मेचर से साथ कम्यूटेटर ( commutator ) भी होता है और सस्पेंशन करनेवाले दो बुरुश होते हैं। इस प्रकार यह मीटर, वस्तुतः मीटर का छोटा रूप ही है। इसे इस कारण मीटर मीटर ही कहा जाता है, परन्तु यह अधिक महँगा होने के कारण और देखभाल ( maintenance ) की कठिनाइयों के कारण, बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है।

त्रिफेज परिपथों में ऊर्जा मापन भी त्रिफेज शक्ति मापन के आधार पर ही किया जाता है। त्रिफेज वाटमीटर की भाँति, इनमें भी शक्ति अंशक दो भागों में सघटित होता है और संयोजन ( connection ) भी दो वाटमीटर द्वारा शक्ति मापन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार इसमें ६ टर्मिनल होते हैं और उन्हें त्रिफेज वाटमीटर की भाँति ही संयोजित किया जाता है। केवल काल अंशक तथा गणन तंत्र जोड़ देने से यह ऊर्जा का मापन कर सकता है।

कुछ विद्युत् मापी विशेष कार्यों के लिये व्यवस्थित होते हैं, जैसे महत्तम माँग संसूचक ( Maximum Demand Indicator ), जिसमें मीटर के साथ ऐसा काल अंशक होता है जो निश्चित अवधि में अधिकतम ऊर्जा का निर्देश करे। [ रा० कु० ग० ]

**विद्युत् मोटर (Electric Motor)** उद्योगों में एक प्रादुर्भाव प्रधान चालक (prime mover) है। अधिकतम मशीनें विद्युत् मोटरों द्वारा ही चलाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्युत् मोटरों की दक्षता दूसरे चालकों की तुलना में ऊँची होती है। साथ ही उसका निष्पादन (performance) भी अधिकतर उनसे अच्छा होता है। विद्युत् मोटर प्रवर्तन तथा नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी प्रादुर्भाव है। मोटर को चलाना, प्रवृत्ति बदलना, तथा चाल को बदलना अन्य चालकों की अपेक्षा अधिक सुगमता से किया जा सकता है। इसका दूरस्थ नियंत्रण (remote control) भी हो सकता है। नियंत्रण की सुगमता के कारण ही विद्युत् मोटर इतने लोकप्रिय हो गए हैं।


विद्युत् मोटर अनेक कार्यों में प्रयुक्त हो सकते हैं। ये कई सौ अश्वशक्ति की बड़ी बड़ी मशीनें तथा छोटी से छोटी, 1/2 अश्वशक्ति तक की, मशीनें चला सकते हैं। उद्योगों के अतिरिक्त ये कृषि में भी, खेतों के जोतने, बोने तथा काटने की मशीनों को और सिंचाई के पंपों को चलाने के लिये, प्रयुक्त होते हैं। घरों में प्रशीतन, धोवन, तथा अन्य विभिन्न कामों की मशीनें भी इनसे चलाई जाती हैं।

विद्युत् मोटर भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न भिन्न प्ररूपों के बने हैं। इनमें सरल नियंत्रण लगे रहते हैं, जिनसे अनेक प्रकार का काम लिया जा सकता है।

संभरण के अनुसार मोटर दो वर्गों में बाँटे जा सकते हैं - दिष्ट धारा मोटर और प्रत्यावर्ती धारा मोटर। अपने विशिष्ट लक्षणों के अनुसार दोनों ही के बहुत से प्ररूप होते हैं। विद्युत् मोटर विद्युत् ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के साधन हैं। फेरॉड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। मोटर में एक चालक के स्थान पर बहुत से आपस में संबद्ध चालकों का तंत्र रहता है, जो एक धार्मेचर (armature) पर आरोपित होता है। धार्मेचर, नरम लोहे की बहुत सी पट्टिकाओं (plates) को जोड़कर बना होता है और बेलनाकार (cylindrical) होता है। इसमें चारों ओर लोहे के कटे हुए होते हैं, जिनमें चालक समूहों को कुंडली अथवा दंडों के रूप में रखा जाता है। इन चालकों को, एक निश्चित योजना के अनुसार, आपस में एक दूसरे से संबद्ध किया जाता है। इस निश्चित क्रम को धार्मेचर कुंडलन (armature winding) कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुंडलनों के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिनके विशिष्ट लाभ होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे चालक समूह में से धारा को प्रवाहित कर प्राप्त किया जाता है। दिष्ट धारा मोटरों के धार्मेचर चालकों में धारा बुझों द्वारा ले जाई जाती है। ये बुझ, वस्तुतः, धार्मेचर से संबद्ध दिक्परिवर्तक (commutator) पर आरोपित होते हैं और संभरण से संबद्ध होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करनेवाले कुंडलनों को सामान्यतः क्षेत्र कुंडली (Field coil) कहते हैं। ये कुंडलियाँ धार्मेचर कुंडलन से श्रेणी में संबद्ध या समांतर में संबद्ध हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि उनके कुछ कुंडलन श्रेणी में ही और कुछ समांतर में। क्षेत्र कुंडलन के इस प्रकार संयोजन के आधार पर तीन विभिन्न प्ररूप के दिष्ट धारा मोटर प्राप्त होते हैं : श्रेणी मोटर (Series

Motor), शंट मोटर (Shunt motor) तथा संयुक्त मोटर (Compound motor)। श्रेणी मोटर में जो धारा धार्मेचर में से होकर प्रवाहित होती है, वही क्षेत्र कुंडली में भी प्रवाहित होती है। अतः, इसकी क्षेत्र कुंडली में मोटे तार के बहुत कम कुंडलन होते हैं। शंट मोटर में पूर्ण धारा का कुछ अंश ही क्षेत्र कुंडली में होकर बहता है, जो उसके आरपार वोल्टता तथा कुंडलन के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अतः इसकी क्षेत्र कुंडली में बहुत पतले तार के बहुत अधिक कुंडलन होते हैं, जिससे इस कुंडली का प्रतिरोध सामान्यतः कई सौ ओम होता है।

विभिन्न प्ररूपों के दिष्ट धारा मोटरों के लक्षण भी बहुत भिन्न भिन्न होते हैं, और उन्हीं के अनुसार इनका प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिये होता है। शंट मोटर लगभग स्थिर चाल पर



क. शंट मशीन का संबन्धन तथा ख श्रेणी मशीन का संबन्धन

प्रवर्तन करते हैं और भार के साथ उनका चाल विचरण अधिक नहीं होता। अतः वे उन सब उपयोगों में प्रयुक्त होते हैं जहाँ एकसम चाल की आवश्यकता होती है। ये ट्राम, लिफ्ट, फ्रेंच इत्यादि के लिये बड़े उपयोगी हैं। किसी भार को चलाने में लाने से पहले अधिक बल लगाना पड़ता है, पर जब वह चलने लगता है तब उतने बल की आवश्यकता नहीं रहती। अतएव श्रेणी मोटर इन प्रयुक्तियों के लिये प्रादुर्भाव होते हैं और इनका उपयोग विस्तृत रूप में होता है।

अधिकतम प्रयोजनों के लिये शंट तथा श्रेणी प्ररूपों के बीच की आवश्यकता होती है, जो संयुक्त मोटर द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्यावर्ती धारा मोटरों में भी दिष्ट धारा मोटरों की भाँति ही क्षेत्रकुंडलियाँ तथा धार्मेचर होते हैं, परन्तु कुछ विभिन्न रूप में। इनमें दो मुख्य भाग होते हैं - एक तो स्टेटर (stator), जो स्थिर रहता है, और दूसरा रोटार जो घूमता है। प्रत्यावर्ती धारा मोटरों में विभिन्न प्ररूपों के होते हैं। सबसे सामान्य प्रत्यावर्ती धारा मोटर प्रेरण मोटर (induction motor) है, जो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण मोटरों में स्टेटर कुंडलन त्रिकला संभरण से संबद्ध होता है, जिसके कारण एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र (rotating magnetic field) उत्पन्न होता है। रोटार के चालक आपस में त्रिकलाय कुंडलन के रूप में भी संबद्ध हो सकते हैं, अथवा केवल तबिके के मोटे छड़ों के रूप में भी हो सकते हैं, जो दोनों सिरो पर तबिके के बलय द्वारा लघु परिपथित (short circuited) हो। ऐसी रचना वस्तुतः गिगहरी के पिजरे की भाँति होती है। अतः ऐसे मोटरों को

सामान्यतः गिलहरी पंजर प्रेरण मोटर, अथवा केवल पंजर मोटर ही कहते हैं। ये मोटर बनावट में बहुत सुदृढ होते हैं तथा साथ ही साथ सरल तथा सस्ते भी होते हैं। इनकी दक्षता भी उसी आकार के दूसरे मोटरो की अपेक्षा ऊँची होती है। अतएव इन मोटरो का प्रयोग प्रायः सार्वत्रिक है। परंतु इन मोटरो का प्रचालन, एक प्रकार से, रोटर की बनावट के अनुसार निश्चित होता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनका आरम्भिक बलघातूर्ण (starting torque) बहुत कम होता है, जिसे सुधारने के लिये रोटर परिपथ में कुछ प्रतिरोध निविष्ट (insert) करना आवश्यक होता है, परंतु स्थिर प्ररूप की रचना के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। साथ ही स्थायी तौर पर रोटर चालको का प्रतिरोध भी अधिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर हानि अधिक बढ़ जाएगी और मोटर की दक्षता घट जाएगी। अधिक आरम्भिक, बलघातूर्ण प्राप्त करने के लिये द्विपंजर (double cage) मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें एक के स्थान पर दो पंजर होते हैं। रोटर के खाँधो के प्ररूप तथा उनकी स्थिति के अनुसार प्रचालन लक्षणों में कुछ विभिन्नता प्राप्त की जा सकती है और उन्हें विविध प्रयोजनों के योग्य बनाया जा सकता है।

प्रेरण मोटर लगभग स्थिर चाल पर चलते हैं। भार के साथ उनका चाल विचरण बहुत कम होता है। अतः, जिन भारों के लिये स्थिर चाल की आवश्यकता होती है, वहाँ वे बहुत उपयोगी होते हैं। परंतु जहाँ त्रिचरणशील चाल की आवश्यकता हो, वहाँ पंजर मोटर सामान्यतः प्रयुक्त नहीं किए जाते। इनकी चाल तुल्यकालिक चाल से कुछ ही कम होती है, जो ध्रुव संख्या तथा आवृत्ति पर निर्भर करती है। अतः चाल विचरण करने के लिये या तो ध्रुव संख्या में परिवर्तन करना आवश्यक है, अथवा आवृत्ति या ही विचरण करना आवश्यक है। आवृत्ति विचरण करने का तात्पर्य है कि अलग ऐसे संभरण की व्यवस्था करना जिसकी आवृत्ति बदली जा सके। यह साधारणतया व्यावहारिक नहीं होता, क्योंकि विद्युत् संभरण सामान्यतः स्थिर आवृत्ति पर होता है। ध्रुव संख्या को अवश्य ही एक निश्चित अनुपात में, कुंडलन के संबंधन में परिवर्तन करके, बदला जा सकता है, जैसे एक ४ ध्रुवी मोटर को ८ ध्रुवी अथवा ६ ध्रुवी मोटर में परिवर्तित करना संभव है। इस प्रकार इन ध्रुव संख्याओं के तत्संबन्धी वेग भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ५० चक्रीय आवृत्ति पर ४ ध्रुवी मोटर की तुल्यकालिक चाल १,५०० प० प्र० मि० और ६ ध्रुवी तथा ८ ध्रुवी का क्रमशः १,००० तथा ७५० प० प्र० मि० है। इस तरह ऐसी मोटर की ध्रुव संख्या में परिवर्तन कर, इनकी तत्संबन्धी चाल प्राप्त की जा सकती है। पर ये केवल दो या तीन क्रमों में ही हो सकते हैं। इस विधि से विस्तृत परास में चाल विचरण प्राप्त करना संभव नहीं है। कुछ निश्चित क्रमों में चाल विचरण की एक दूसरी विधि 'सोपानीपात नियंत्रण' (Cascade Control) कहलाती है। यह विधि बेलन मिलों (rolling mills) में अधिकतर प्रयुक्त की जाती है। विभिन्न प्रकार के मशीन औजारों (machine tools) में भी

विचरणशील चाल की आवश्यकता होती है, परंतु उनमें सामान्यतः, चाल विचरण गियर क्रमों को बदलकर किया जाता है।

यदि चाल व्यवस्थापन वाफ़ी विस्तृत परास में करना हो, तो श्राग मोटर (Schrage motor) बहुत उपयुक्त होते हैं। बहुत से स्थानों में दिष्ट धारा, श्रेणी मोटर का प्रचालन लक्षण वाछनीय होता है। उसकी व्यवस्था करने के लिये प्रत्यावर्ती धारा मोटरो में भी प्रयत्न किया गया है। प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर (A C Series motor) एवं दिक्परिवर्तक मोटर (commutator motor) इसी प्रकार के विविध लक्षणों की व्यवस्था करते हैं। तुल्यकालिक मोटर (synchronous motor) केवल तुल्यकालिक चाल पर ही प्रचालन कर सकते हैं। अतः जहाँ एकसमान चाल की आवश्यकता हो, वहाँ ये आदर्श होते हैं। जिस प्रकार दिष्ट धारा जनित्र एवं मोटर, वस्तुतः एक ही मशीन हैं और दोनों को एक दूसरे के रूप में प्रयोग करना संभव है, उसी प्रकार तुल्यकालिक मोटर भी, वस्तुतः, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का, जिसे सामान्यतः प्रत्यावर्तित (Alternator) कहते हैं, ही रूप है और दोनों को किसी भी रूप में प्रयोग करना संभव है। इसके प्रचालन के लिये इसके स्टेटर में प्रत्यावर्ती धारा संभरण तथा रोटर में दिष्ट धारा उत्तेजन (D C excitation) दोनों की आवश्यकता होती है। इन मोटरो का प्रयोग कुछ सीमित है। दिष्ट धारा उत्तेजन के लिये प्रत्यावर्तित की भाँति ही इनमें भी एक उत्तेजक (exciter) की व्यवस्था होती है। इन मोटरो का मुख्य लाभ यह है कि उत्तेजना को बढ़ाने से शक्तिगुणांक (power factor) भी बढ़ाया जा सकता है। अतः विशेषतया उन उद्योगों में जहाँ बहुत से प्रेरण मोटर होने के कारण, अथवा किसी और कारण, से शक्तिगुणांक बहुत कम हो जाता है, वहाँ तुल्यकालिक मोटरो की व्यवस्था कर शक्तिगुणांक को सुधारा जा सकता है। बहुत से स्थानों में तो ये मोटर केवल शक्तिगुणांक सुधार के लिये ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसी दशा में इन्हें तुल्यकालिक सधारित्र (synchronous condenser) कहा जाता है।

बहुत से स्थानों में केवल एककलीय (single phase) संभरण ही उपलब्ध होता है। वहाँ एककलीय मोटर प्रयोग किए जाते हैं। छोटी मशीनों तथा घरेलू कार्यों के लिये एककलीय प्रेरण मोटर (single phase induction motor) बहुत लोकप्रिय हैं। बिजली के पखों में भी एककलीय मोटर प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार धावन मशीनों, प्रशीतकों तथा मिलार्इ की मशीनों इत्यादि में एककलीय मोटर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। एककलीय मोटरो की मुख्य कठिनाई इनके आरंभ करने में होती है। आरंभ करने के लिये किसी प्रकार का कला विपाटन (phase splitting) आवश्यक होता है। कला विपाटन साधारणतया एक सहायक कुंडली द्वारा किया जाता है, जिसके परिपथ में एक सधारित्र दिया होता है, जो सहायक कुंडलन की धारा को मुख्य कुंडलन की धारा से लगभग १० विद्युत् डिग्री विस्थापित कर देता है। इसके कारण पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति संभव हो सकती है और

मोटर चलने लगता है। संघारित्र के परिपथ में रहने से मोटर का प्रचालन शक्तिगुणांक भी सुधर जाता है। बहुत से छोटे छोटे मोटर सार्वत्रिक किस्म के होते हैं और दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। वस्तुतः ये श्रेणी मोटर होते हैं, जिनका प्रचालन दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों में ही समभव है, परंतु ये अत्यंत छोटे आकारों में ही बनाए जा सकते हैं और केवल कुछ विशेष प्रयुक्तियों में ही काम आते हैं।

मोटरों तथा दूसरे उपकरणों में तथा जहाँ किमी विद्युत् राशि का मापन करना हो वहाँ अत्यंत छोटे आकार के मोटर प्रयुक्त होते हैं। दूरस्थ नियंत्रण, अथवा वातव इत्यादि की खोलने के लिये भी, बहुत से छोटे मोटर प्रयुक्त होते हैं।

मोटर का ऊपरी आवरण विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है। कुछ मोटर खुले हुए प्ररूप के होते हैं, जिनमें उनके अंदर के भाग सामने दिखाई पड़ते हैं, परंतु ऐसे मोटरों में धूल मिट्टी जाने का डर रहता है। अतएव ये खुले स्थानों में नहीं प्रयुक्त किए जा सकते। परंतु ऐसे मोटरों में प्राकृतिक सवातन (ventilation) अचूक होता है। अतएव ये भी धूल से गरम नहीं होने पाते। इस कारण ऐसे मोटर आकार के अनुसार सापेक्षतया अधिक क्षमता के होते हैं। जहाँ मोटर को खुले स्थानों में प्रचालन करना पड़ता है वहाँ बूल मिट्टी इत्यादि का डर ही सकता है, अत पूर्णतया आवृत मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे मोटरों में मुख्य कठिनाई सवातन की होती है। इनका आवरण भी ऐसा बनाया जाता है कि वह अधिकतम ऊष्मा विस्तरित (dissipate) कर सके। साथ ही उसी ईषा (shaft) पर आरोपित एक पंखे की भी व्यवस्था होती है, जो मोटर के अंदर सवातन वायु का प्रवेश कर सके और उसमें उत्पन्न होनेवाली ऊष्मा को विस्तरित कर सके। अधिकांश प्रयोजनों के लिये अर्ध-परिबद्ध (semi-enclosed) मोटर सतोपजनक होते हैं, जिनमें मोटर के दृष्टिगोचर होनेवाले भाग जाली द्वारा ढके रहते हैं। इस प्रकार इनमें उपर्युक्त दोनों प्ररूपों के लाभ निहित रहते हैं। विशेष परिस्थितियों के लिये विशेष प्रकार के आवरण बनाए जाते हैं, जैसे खानों के अंदर अथवा विस्फोटक वातावरण में पूर्णतया ज्वालारक्षित (flame-proof) मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मोटर पानी में नीचे काम करने के लिये बनाए जाते हैं और उनके आवरण की रचना इस प्रकार होती है कि पानी मोटर के अंदर न जा सके। और भी बहुत सी विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के आवरण बनाए जाते हैं।

बहुत सी मोटरों का भार से (कार्यकारी मशीन से) सीधे ही संबद्ध कर दिया जाता है और बहुत सी व्यवस्थाओं में उन्हें पट्टी (belt), गियर (gear) अथवा चेन (chain) द्वारा संबद्ध किया जाता है। गियर से चालक एवं चालित मशीनों में लगभग स्थिर चाल अनुपात पोषित किया जा सकता है और गियर क्रम बदलकर विभिन्न चालों भी प्राप्त की जा सकती है। पट्टी द्वारा शक्ति के प्रेषण में मशीन को मोटर से काफी दूर भी रखा जा सकता है और एक सामान्य ईषा को भी चलाया जा सकता है, जिससे दूसरी मशीनें संबद्ध हों। बड़े बड़े कारखानों में साधारणतया यही विन्यास होता है।

मोटरों की क्षमता के लिये मुख्य परिसीमा ताप की वृद्धि है। ताप के बढ़ने पर क्षत होने का भी भय रहता है, तथा हानियों के बढ़ जाने से मोटर की दक्षता भी कम हो जाती है। इस प्रकार मोटर अनवरत प्रचालन नहीं कर सकता। अधिकांश मोटर एक विशिष्ट ताप वृद्धि के लिये क्षमित होते हैं, जो विद्युत् रोधी के वर्ग पर निर्भर करता है। बहुत से मोटर 'संतत क्षमता' (continuous rating) के होते हैं, जिनका तात्पर्य है कि वह निर्धारित भार, बिना ताप के विशिष्ट सीमा तक बढ़े, निरंतर सभरण कर सकते हैं। साथ ही २ घंटे तक २५ प्रति शत अतिभार भी वहन कर सकते हैं। बहुत से मोटर केवल अल्प काल के लिये ही पूर्ण भार पर प्रचालन करते हैं और बाकी समय बहुत कम भार पर रहते हैं अथवा बंद रहते हैं। यदि प्रचालन-क्रम निश्चित हो, तो ऐसे प्रयोजनों के लिये कम क्षमता की मोटरों प्रयोग की जा सकती हैं, जिनका प्रचालन तथा क्षमता अल्प समय के लिये ही निर्धारित होती है।

विद्युत् मोटर औद्योगिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक बड़ी सरल तथा पड़ी उपयोगी मशीन है। उद्योगों में शायद ही कोई ऐसा प्रयोजन हो जिसके लिये उपयुक्त विद्युत् मोटर का चयन न किया जा सके। [१० कु० ग०]

**विद्युत् यंत्र** यों तो, विद्युत् शक्ति से परिचालित किमी भी यंत्र को विद्युत् यंत्र कहा जा सकता है, परंतु साधारणतया, विद्युत् यंत्र से तात्पर्य डायनेमो (Dynamo) से होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत् ऊर्जा का जनन (जनित के रूप में), अथवा विद्युत् ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करनेवाली मशीन है। डायनेमो, वास्तव में, ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत् ऊर्जा में एव उसका विपरीत, अर्थात् विद्युत् ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, रूपांतरण करती है। यह फेराडे के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो इस प्रकार व्यक्त किए गए हैं :

१ यदि कोई चालक किमी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, तो उसमें एक विद्युत् वाहक बल (electromotive force) की उत्पत्ति होती है। यदि चालक का परिपथ (circuit) पूर्ण हो, तो प्रेरित वि० वा० ब० (e.m.f.) के कारण उसमें धारा का प्रवाह भी होन लगता है।

इस वि० वा० ब० का परिमाण, चालक की लंबाई, चुंबकीय अभिवाह घनत्व (magnetic flux density) तथा चालक के वेग (क्षेत्र के लंब) के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार

$$e = B l v \times 10^{-8} \text{ वोल्ट}$$

जहाँ B = चुंबकीय अभिवाह का घनत्व, l = चालक की लंबाई, v = चालक का वेग (क्षेत्र के लंबवत्)।

उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार ही, फेराडे का दूसरा सिद्धांत है, जो वस्तुतः इसका पूरक है :—

'चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, विद्युत् धारा का वहन करते हुए किसी चालक पर एक बल आरोपित होता है, जिसका परिमाण चुंबकीय अभिवाह घनत्व, चालक की लंबाई तथा धारा पर निर्भर करता है। यदि चालक के चलन में कोई रोक न हो, तो उस



पर आरोपित होनेवाली ऐंठन (torque) के कारण वह घूमने लगेगा।

आरोपित बल को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है —

$$F = B l I \text{ डाइन ( Dynes )}$$

जहाँ  $F$  = चालक पर आरोपित बल,  $B$  = चुंबकीय अभिवाह घनत्व,  $l$  = चालक की लंबाई तथा  $I$  = चालक में प्रवाहित धारा।

उपर्युक्त दोनों सिद्धांत, विद्युत् इंजीनियरी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में ये सिद्धांत ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करने के व्यावहारिक सिद्धांत हैं। अधिकांश विद्युत् मशीनें इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। डायनेमो इन सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग करनेवाला सरलतम यंत्र है। यह मशीन दोनों सिद्धांतों को प्रतिपादित करती है। इसके मुख्य भाग, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करनेवाले चुंबक तथा उस क्षेत्र में घूमनेवाले चालकों का तंत्र, जिसे आर्मेचर (Armature) कहते हैं, होते हैं। फेराडे के सिद्धांतों को व्यावहारिक बनाने के लिये एक चालक के स्थान पर कई चालकों का होना आवश्यक है, जो आपस में इस प्रकार योजित हो कि उनमें प्रेरक वि० वा० ब० जुड़कर व्यवहार योग्य हो सके, अथवा प्रत्येक पर आरोपित बल जुड़कर इतना हो सके कि उसका व्यावहारिक प्रयोग किया जा सके। चालकों का योजन कई प्रकार से किया जा सकता है। इस योजनतंत्र को आर्मेचर कुंडली (Armature Winding) कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी "विद्युत् का चुंबकीय प्रभाव" का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये चुंबकों के स्थान पर क्षेत्रकुंडलियाँ (field coils) होती हैं, जिनमें धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति की जाती है। धारा को आर्मेचर चालकों में लाने अथवा ले जाने के लिये बुरुशों का प्रयोग किया जाता है, जो चलनशील चालकों को बाहरी परिपथ के स्थिर मिरों से योजित करते हैं। आर्मेचर चालक उसमें बने खाँचों में स्थित होते हैं, ताकि अधिक वेग से घूमते हुए भी वे अपनी स्थिति में अवस्थित रहे। आर्मेचर एक शाफ्ट (shaft) पर कुजी (key) द्वारा अक्षस्थित किया जाता है और शाफ्ट यांत्रिक ऊर्जा का प्रावधान करने के उपयोग में आता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत् ऊर्जा का जनन करने की अवस्था में यह शाफ्ट यांत्रिक ऊर्जा के संभरण से युग्मक (coupling) द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है और उसमें वि० वा० ब० प्रेरित हो जाता है।

विद्युत् ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध करना भी इसी यंत्र द्वारा संभव है। इसके लिये आर्मेचर मंचालकों को विद्युत् संभरण से योजित कर दिया जाता है, जिसमें उनमें धारा का प्रवाह होने लगता है और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उनपर बल आरोपित हो जाता है। अतः आर्मेचर घूमने लगता है। आर्मेचर के शाफ्ट को विभी मशीन से योजित कर देने पर मशीन को चलाया जा सकता है और इस प्रकार उत्पन्न हुई यांत्रिक ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग किया जा सकता है।

डायनेमो का सबसे साधारण उपयोग साइकिल की बत्ती जलाने में किया जाता है। इसमें यह एक छोटे यंत्र के रूप में होता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, स्थायी चुंबकों द्वारा प्राप्त किया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा चलती हुई साइकिल के पहिए से प्राप्त की जाती है। इसके लिये इसके आर्मेचर शाफ्ट में एक रबर का टुकड़ा लगा होता है, जो साइकिल के रिम (rim) से घर्षण द्वारा शाफ्ट को चलाता है। इस प्रकार आर्मेचर चालकों में उत्पन्न हुआ वि० वा० ब० इतना पर्याप्त होता है कि उससे उत्पन्न धारा साइकिल की बत्ती को जला सके।

इसी प्रकार का डायनेमो, कुछ बड़े आकार में, मोटरकार अथवा बसों में प्रयोग किया जाता है, जो मोटर के इंजन से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर उसे विद्युत् ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इससे बत्तियाँ जलाई जा सकती हैं, मोटर की बैटरी चार्ज (charge) की जा सकती है तथा विद्युत् शक्ति से प्रतिपादित होनेवाले दूसरे कार्य किए जा सकते हैं।

यह सरल विद्युत् मशीन ही वास्तव में विद्युत् की सभी प्रकार की मशीनों की जननी है।

लगभग सभी विद्युत् मशीनें पूर्व कथित दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हैं। विद्युत् मशीनों के प्ररूप में व्यावहारिक दृष्टिकोण से बहुत से परिवर्तन हुए हैं तथा बहुत प्रकार की मशीनें बनाई गई हैं। विशिष्ट कार्यों के लिये अधिकतम दक्षता पर प्रवर्तन करनेवाली मशीनें बनी हैं। इनकी संरचना विशेष प्रकार के लक्षण प्राप्त करने के लिये की गई है। विभिन्न प्रकार के जनित्र (generator), जो कई हजार किलोवाट तक की क्षमता के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के मोटर, जो बड़ी से बड़ी औद्योगिक मशीनों को चलाते हैं, वस्तुतः सभी इसी सरल विद्युत् मशीन, डायनेमो, के ही प्ररूप हैं।

विद्युत् मशीनें आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में सर्वमान्य हैं। इनकी उपयोगिता केवल उच्च दक्षता तक ही सीमित नहीं है, वरन् दक्षता के साथ साथ सरल नियंत्रण भी इनकी मुख्य विशेषता होती है। ये आसानी से चलाई जा सकती हैं तथा इनसे वेग नियंत्रण भी आसानी से किया जा सकता है। साथ ही दूरस्थ नियंत्रण (remote control) द्वारा इनका प्रवर्तन सुविधाजनक स्थान से किया जा सकता है, जिसके कारण विद्युत् मशीनें इतनी सर्वमान्य हो गई हैं। [ १० कु० ग० ]

विद्युत् रसायन (electro-chemistry) भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें विद्युत् और रासायनिक परिवर्तनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अनेक रसायनक (chemicals) विद्युत् से दूसरे रसायनों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह विषय आज बहुत विशाल और महत्व का हो गया है। इसकी इस बात से पुष्टि होती है कि बाजारों में बिकनेवाली अनेक वस्तुएँ, जैसे धातुएँ, मिश्र धातुएँ, रसायनक, साज सज्जा के सामान आदि विद्युत् विधियों द्वारा ही आज बनती हैं। विद्युत् विधियाँ पुरानी अविद्युत् विधियों का स्थान बड़ी तीव्रता से ले रही हैं। विद्युत् ऊर्जा की अधिक उपलब्धि के साथ साथ विद्युत् रसायनिक उद्योगों का आज अधिकधिक विकास हो रहा है।

रासायनिक क्रियाओं में साधारणतया ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा का निष्कासन, या ऊष्मा का अवशोषण होता है, पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रासायनिक क्रियाओं से विद्युत् ऊर्जा का भी उत्पादन हो सकता है। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तन का अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल और बैटरियाँ हैं। शुष्क बैटरियाँ भी इसी सिद्धांत पर बनी हैं। विद्युत् रासायनिक परिवर्तनों में विद्युत् ऊर्जा परिणत होती है। जल में विद्युत् प्रवाह से जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जल में नमक विद्युत् प्रवाह से सोडियम और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप हमें दात्रक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। ये तीनों ही उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं।

वोल्टा ने १८०० ई० के लगभग विभिन्न धातुओं का पुंज (piles) बनाकर पहले पहल विद्युत् धारा प्राप्त की थी। फिर निकलसन और कारलाइल ने वोल्टीय पुंज की विद्युत् धारा द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित किया था। इसके बाद १८०७ ई० में द्रवित सोडियम के लवण में विद्युत् प्रवाह से सोडियम धातु पहले पहल प्राप्त की थी। शीघ्र ही बाद इसी विधि से कैल्सियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम धातुएँ भी प्राप्त हुई थीं। फिर तो अनेक वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान देकर, विद्युत् रसायन को बहुत भागे बढ़ाया। ऐसे वैज्ञानिकों में बर्जीलियस, फ़ेराडे, ओम, हिटॉर्फ, कॉलरॉग, ग्रैनेनियस, नर्नस्ट तथा लुईस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इस संबंध में फ़ेराडे ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है, जो 'फ़ेराडे के नियम' के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। एक नियम यह है कि 'विद्युत् धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रवाहित विद्युत् की मात्रा के अनुपात में रहती है'। दूसरा नियम है कि 'यदि विभिन्न यौगिकों में विद्युत् धारा प्रवाहित की जाय, तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार के अनुपात में होती है'। इन दोनों नियमों का सत्यापन प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है।

जब कोई लवण पानी में घुलता है, तब वह साधारणतया दो भागों में बँट जाता है। इन्हें 'आयन' कहते हैं। कुछ आयनों पर ऋणावेश रहता है और कुछ आयनों पर ऋणावेश रहता है। पर इन आवेशों की मात्रा एक समान रहने के कारण विलयन वैद्युत् दृष्टि से उदासीन होता है। ऐसे विलयन में विद्युत् के प्रवाहित करने से ऋणायन एक इलेक्ट्रोड पर और ऋणायन दूसरे इलेक्ट्रोड पर उन्मुक्त होते हैं। जो यौगिक आयनों में विघटित होते हैं, वे ही विद्युत् के चालक होते हैं। ऐसे यौगिक सामान्यतः प्रुल, क्षार और लवण होते हैं। ऐसे विलयन, जो विद्युत् के चालक होते हैं, विद्युत् अपघट्य (Electrolyte) कहे जाते हैं। कुछ लवण द्रवित अवस्था में विद्युत् चालक होते हैं। विद्युत् अपघट्य से जब विद्युत् प्रवाहित की जाती है, तब उसे विद्युत् अपघटन (Electrolysis) कहते हैं। विद्युत् अपघटन से आज अनेक वस्तुएँ तैयार होती हैं। इसका सबसे अधिक महत्व का उपयोग विद्युत् लेपन (electroplating) में होता है (देखें विद्युत् लेपन)। इससे धातुओं का परिष्कार भी किया जाता है।

शुद्ध ताम्बा विद्युत् अपघटन से ही प्राप्त होता है। विद्युत् मुद्रण का भी विद्युत् अपघटन से ही संबंध है।

विद्युत् रसायन के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो ऊँचे ताप पर संपन्न होते हैं। ऊँचे ताप के लिये अनेक प्रकार की विद्युत् भट्टियाँ या चाप भट्टियाँ बनी हुई हैं। इस विधि से आज अनेक धातुएँ धातु खनिजों से प्राप्त होती हैं। ऐलुमिनियम का निर्माण इसका अच्छा उदाहरण है। धातुओं की प्राप्ति के अतिरिक्त अनेक बड़ी उपयोगी वस्तुएँ जैसे कैल्सियम कार्बाइड, सिलिकन कार्बाइड (जो अपघर्षक के निर्माण में काम आता है), फॉस्फोरस, सिलिकन, मैग्नीशियम, ग्रंफ़ाइट आदि भी विद्युत् भट्टियों में ही तैयार होते हैं।

[ द० सि० ]

**विद्युत् लेपन (Electroplating)** विद्युत् धारा द्वारा, धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत् लेपन कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने तथा चमक के लिये, उन पर ताम्बे, नितल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। आधार धातु पर लेपन करने के बाद, लेपन की जानेवाली धातु के बाहरी गुण दिखाई देते हैं। इससे वस्तु का बाहरी रूप रंग निखर जाता है तथा साथ ही वस्तु संक्षरण से भी बचती है। विद्युत् लेपन द्वारा लेपित की जानेवाली धातु, आधार धातु से अच्छी प्रकार संबद्ध हो जाती है और लेपन प्रायः स्थायी रूप में किया जा सकता है।

विद्युत् लेपन सज्जा के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं —

१ विद्युत् लेपन बाथ (Electroplating Bath) — जिसमें लेपन की जानेवाली धातु का यौगिक भरा होता है, जो धारा के प्रवाहित होने से धातु के आयनों में टूट जाता है और ये आयन आधार धातु की वस्तु पर लेपित हो जाते हैं।

२ दिष्ट धारा (direct current) का स्रोत (source) — यह सामान्यतः एक दिष्टकारी (rectifier) होता है और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है।

३ आधार धातु की वस्तु जिसपर लेपन किया जाना हो — यह धारा के ऋण टर्मिनल (negative terminal) से संबद्ध होती है। धन (positive) टर्मिनल एनोड से संबद्ध होता है, जो लेपन की जानेवाली धातु के यौगिक में डूबा रहता है। जब दोनों टर्मिनलों के बीच धारा प्रवाहित होती है, तो लेपन धातु के धन आयन कैथोड (cathode) के तल की ओर को चलते हैं और धात्वीय रूप में परिवर्तित होकर तल से लिपट जाते हैं। लेपन की मोटाई धारा के घनत्व एवं लेपन के काल पर निर्भर करती है।

विद्युत् लेपन के लिये दिष्ट धारा ही प्रयोग की जा सकती है, अन्यथा लेपन क्रिया होगी ही नहीं। जहाँ संभरण प्रत्यावर्ती धारा का होता है वहाँ प्र० धा० को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। यह दिष्टकारी अथवा मोटर जनित समुच्चय (motor generator set) द्वारा किया जा सकता है।

किसी वस्तु पर विद्युत् लेपन करने से पहले, उसे अच्छी प्रकार साफ किया जाता है। उसपर किसी प्रकार का तैल पदार्थ, ग्रीज, अथवा धूल के कण नहीं होने चाहिए, अन्यथा लेपन पुस्ता नहीं

होगा। साफ करने के लिये कुछ रासायनिक विलयनों का भी प्रयोग किया जाता है और उनसे धोने के बाद, धातवीय आक्साइडों को हटाने के लिये, लेपन की जानेवाली वस्तु को सल्फ्यूरिक अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात् वह वस्तु लेपन किए जाने के लिये कैथोड के रूप में लेपन बाथ में लटका दी जाती है।

लेपन बाथ, सामान्यतः अचालक पदार्थ की टंकी ( tank ) के रूप में होता है, जिसमें लेपन की जानेवाली धातु का रासायनिक विलयन भरा होता है। ताँत्र लेपन के लिये, यह विलयन ताँत्र सल्फेट का होता है। निकल लेपन के लिये निकल सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इनके कुछ दूसरे रासायनिक योगिक, इनके विशिष्ट लेपन के लिये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तो कोई भी धातु, किसी दूसरी धातु पर लेपित की जा सकती है, परन्तु व्यावहारिक रूप में अधिकशत लोहे की वस्तुओं पर ताँत्र, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है और तंबे तथा पीतल की वस्तुओं पर चाँदी अथवा सोने का लेपन किया जाता है।

लेपन में एक और व्यावहारिक कठिनाई है। यदि किसी सक्रिय धातु को ऐसे धातु के योगिक के विलयन में डाल दिया जाय जिसमें प्रायण प्रचुर मात्रा में हों, ( जैसे लोहे को ताँत्र सल्फेट के बाथ में ) तो पृथक्करण क्रिया होने लगती है। इसमें कुछ लोहा घुल जाता है और शेष में ताँत्र लेपन होने लगता है। ऐसे लेपन टिकाऊ नहीं होते। तंबे या पीतल पर चाँदी-सोने का लेपन करने में भी यही कठिनाई होती है। इनमें प्रयोग होनेवाले रासायनिक विलयनों का सघटन बहुत सतुलित रखा जाता है।

लेपन बाथ में, सामान्यतः, एक और योगिक, जिसे योजित कारक ( Additive agent ) कहते हैं, मिलाया जाता है। गोंद, जिलेटिन, ऐल्ब्यूमिन आदि सामान्य प्रयोग में आनेवाले योजित कारक हैं।

ताँत्र लेपन में ताँत्र सल्फेट के स्थान पर ताँत्र साइनाइड का प्रयोग भी किया जाता है। इसे बहुधा इस्पात पर पहला ताँत्र आवरण देने के लिये प्रयोग करते हैं और बाद में ताँत्र आवरण पर निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ताँत्र लेपन में भी पहले ताँत्र साइनाइड द्वारा पहला आवरण देने के पश्चात् दूसरा आवरण ताँत्र सल्फेट द्वारा दिया जाता है। चमक पैदा करने के लिये, साधारणतया, कुछ सोडियम थायो-सल्फेट भी लेपन बाथ में मिला दिया जाता है। अच्छे और टिकाऊ लेपन के लिये धारा घनत्व लगभग १०० ऐंपियर प्रति वर्ग मीटर होता है। इस विषय में अनुभव ही मुख्य कसौटी है।

निकल लेपन अधिकतर इस्पात के पुर्जों पर किया जाता है, जिससे उनमें चमक आ जाए, तल भी चिकना हो जाए तथा क्षरण भी रोका जा सके।

क्रोमियम लेपन, निकल लेपन की भाँति ही होता है, परन्तु सजावट के लिये उससे भी सुंदर माध्यम है।

चाँदी-सोने का लेपन मुख्यतः सजावट तथा गहनों के लिये, अथवा बरतनों पर किया जाता है।

[ रा० कु० ग० ]

**विद्युत् लैंपों का निर्माण** ( Electric Lamps, Manufacture of ) विद्युत् लैंप सबसे सामान्य विद्युत् युक्ति है और सामान्य आवश्यकता की वस्तु है, परन्तु इसका निर्माण असामान्यतः विशिष्ट है। इनका उत्पादन बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

विद्युत् लैंप कई प्रकार के होते हैं। सामान्य लैंप, जिसे बल्ब भी कहते हैं, वस्तुतः तापदीप्त ( incandescent ) प्ररूप का होता है, जिसमें किसी धातु के तंतु ( filament ) को गरम कर प्रकाश देने योग्य बनाया जाता है। ऊष्मा तंतु में विद्युत् धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। इन लैंपों में साधारणतया टंग्स्टेन धातु का तंतु प्रयुक्त किया जाता है, जो एक कुडलिनी ( helix ) अथवा कुडली ( coil ) के रूप में होता है। यह तंतु एक निर्वातित ( evacuated ) काँच के बल्ब में, जिसे वायुराश्री सील से बंद कर दिया जाता है, निविष्ट रहता है। बंद किए हुए बल्ब की टोपी में तंतु के दोनों टर्मिनल ( terminals ) होते हैं, जिन्हें बल्ब के लैंप होल्डर ( lamp holder ) में लगाने पर तंतु का परिपथ पूरा हो जाता है और तंतु में से धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें तंतु गरम होकर पहले लाल और फिर सफेद हो जाता है। इस दशा में वह प्रकाश का स्रोत बन जाता है।

तंतु का बंद किए हुए निर्वातित बल्ब में होना आवश्यक है, नहीं तो वह सहज ही आक्सीकृत ( oxidized ) हो जायगा, और अपने गुण को खो देगा। तंतु का परिचालन-ताप ( operating temperature ) बहुत अधिक होता है। अतः, तंतु ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जो इस ताप पर पिघले नहीं और न आक्सीकृत हो। इसलिये तंतु सामान्यतः, टंग्स्टेन, अथवा उसकी किसी मिश्रधातु, के बने होते हैं। तंतु की रचना भी ऐसी होती है कि न्यूनतम ताप पर अधिकतम प्रकाश उत्पन्न करे। इसलिये तंतु कुडलिनी अथवा कुडलित कुडली ( coiled coil ) के रूप में बनाया जाता है।

बहुत से बल्बों को निर्वातित करके, उनमें कोई अक्रिय ( inert ) गैस भी भर दी जाती है। ऐसा तंतु को आक्सीकृत होने से बचाने के लिये किया जाता है। निर्वातित करने पर भी बल्ब से वायु का पूर्ण निष्कासन नहीं हो पाता। विशेषतया पुराने बरतनों की तली में कुछ कालिख सी जम जाती है, जो वस्तुतः टंग्स्टेन आक्साइड होती है। उच्च ताप पर धातु का कुछ कुछ वाष्पन भी होता है और धातु के छोटे छोटे कण बल्ब की तली में जम जाते हैं। इसे बचाने के लिये, बल्ब में अक्रिय गैस भरकर उसकी दाब बढ़ा दी जाती है, जिससे वाष्पन न हो सके। मुख्यतः, आर्गन गैस प्रयुक्त की जाती है। गैस से भरे बल्बों में ऊष्मा अधिक शीघ्रता से स्थानांतरित ( transfer ) होती है और इसलिये उनकी क्षमता भी अधिक होती है।

विद्युत् लैंपों की क्षमता उनकी वोल्टता तथा शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। सामान्य लैंप २००-२५० वाट और १५, २५, ४०, ६०, ७५, १००, २००, ५०० वाट की क्षमता के होते हैं। किसी लैंप की रचना उसके प्रयोग पर निर्भर करती है, परन्तु किसी भी तापदीप्त लैंप के चार मुख्य भाग होते हैं :

(१) पाद (Stem) — यह लैप के तंतु टर्मिनलों को धारण करता है और बल्ब के ऊपरी भाग में टोपी से जुड़ा रहता है। इसमें फ्लेज काँच ( flange glass ) की एक छड़ होती है, जिसमें एक निर्वातक नलिका ( exhaust tube ) तथा इलेक्ट्रोड ( electrodes ) लगे होते हैं। इलेक्ट्रोडों को फ्लेज में संगलित कर दिया जाता है और उसे गरम रहते हुए ही पिच (pinch) कर दिया जाता है। निर्वातक नलिका का एक सिरा काँच की छड़ में बंद कर दिया जाता है। निर्वातक नलिका तथा पाद के शेष भाग के बीच एक छोटा सा छेद बना दिया जाता है, जिससे से अंत में बल्ब की वायु निष्कासित की जाती है।

(२) इलेक्ट्रोड — ये बल्ब के शीश पर दिए गए तंतु को मिलाते हैं। इनमें भी कई भाग होते हैं। जो भाग पिच में से होकर आता है, वह एक विशेष घातु का बना होता है और वायुरोधी संधि ( air tight joint ) बनाने में समर्थ होता है। सामान्यतः ताँब लेपित प्लैटिनम ( copper coated platinum ) का जिसे लाल प्लैटिनम भी कहते हैं, प्रयोग किया जाता है।

(३) बॉस ( Boss ) — ठोस काँच की छड़ के सिरे पर मोलिब्डेनम घातु का बॉस आधार के रूप में लगा होता है। अधिक क्षमतावाले लैपों में मोलिब्डेनम के साथ टंग्स्टेन घातु की मिश्रधातु भी प्रयुक्त की जाती है।

(४) घेरा या स्कर्ट (Skirt) — तंतु को धारण करनेवाला पाद काँच के बल्ब में बंद कर दिया जाता है। बंद करने से पहले बल्ब का बाहर की निकाला हुआ भाग काट दिया जाता है। यह भाग घेरा कहलाता है। इस स्थान पर बल्ब को फ्लेज पर संगलित ( fused ) कर दिया जाता है।

निर्वातित बल्बों में निर्वातित नलिका, निर्वातक पत्र द्वारा निर्वातन किए जाने के पश्चात्, तुरत ही सील कर दी जाती है। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, जिससे वायु बल्ब के अंदर न जाने पाए। वायु के साथ साथ नमी और धूल का पूर्णतया निष्कासन भी आवश्यक है, क्योंकि ये तंतु को क्षत कर देती हैं। बल्ब को सील करने के लिये एक स्वचालित मशीन होती है, जो बल्ब को उसी क्षण काँच के गलनाक से कुछ ही कम ताप पर सील कर देती है।

सील होने के पश्चात्, बल्ब, कैपिंग बस ( capping bus ) से होकर गुजरते हैं। यहाँ बल्ब का काल प्रभावन ( ageing ) किया जाता है। यदि नमी अथवा धूल का कुछ भी अंश बल्ब में रह भी जाता है, तो वह इस क्रिया से निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही निर्वात में भी वृद्धि हो जाती है। बल्ब पर ११०-१३० प्रति शत अधिक वोल्टता आरोपित की जाती है। आयनन से होनेवाले विसर्जन को रोकने के लिये बल्ब के साथ श्रेणी में एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है और उसे परिपथ से धीरे धीरे काटा जाता है। वोल्टता का मान भी सामान्य कर दिया जाता है। इस क्रिया को कुछ बार दोहराने से बल्ब कालप्रभावित हो जाता है।

गैस बल्बों में निर्वात होने के तुरंत बाद आर्गन, अथवा नाइट्रोजन, या इनके मिश्रण को बल्ब में समाविष्ट कर दिया जाता है। भरने से पहले, बल्ब को प्रति शीघ्रतापूर्वक ठंडा किया जाता है और तब उक्त गैस भर दी जाती है। ऐसा करने से बल्ब में लगभग ६०० मिलीमीटर की दाब हो जाती है। इसके बाद इन्हे भी निर्वातित बल्बों की भाँति ही कालप्रभावित किया जाता है, परंतु इसके लिये अधिक वोल्टता, अथवा श्रेणी में प्रतिरोध, सबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। गैस के गुण की जाँच करने के लिये, लैप में उच्च आवृत्ति का विसर्जन पारित किया जाता है। चमक का रंग ही गैस का गुण निर्धारित करता है।

कुंडलित कुंडली वाले लैपों में तंतु के टूट जाने पर गैस के आयनित हो जाने की संभावना रहती है। इससे लैप अपनी क्षमता से अधिक धारा ले सकता है और टूट सकता है। इसे बचाने के लिये, संयोजी तारों में एक फ्यूज ( fuse ) भी लगा दिया जाता है। तंतु, साधारणतः, बहुत चमकदार होते हैं और चौंध उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण कुछ प्रकार के बल्ब की तलहटी को तुषारित ( frosted ) कर दिया जाता है। ऐसे बल्ब पर्ल बल्ब ( Pearl-Bulbs ) कहलाते हैं। इनमें चौंध तो नहीं होती, परंतु इनकी ज्योति-दक्षता दूसरे बल्बों से कम होती है।

बल्बों को प्रयोग के अनुसार विभिन्न रूपों में बनाया जाता है। इनमें ओपल बल्ब मुख्य है, जिनका प्रयोग विशेषतया सजावट के कार्यों में होता है। बहुत से बल्बों को रंग दिया जाता है, जिससे वे भिन्न भिन्न रंगों के हो जाते हैं, और सजावट में काम आते हैं। इन बल्बों में इतैम्य अथवा वाणिश का लेपन भी किया जाता है।

बल्ब की टोपियाँ ( caps ) भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। यह सामान्यतः, पीतल की होती हैं और बल्ब के सील किए भाग पर जुड़ी रहती हैं। इनमें दो प्ररूप की टोपियाँ मुख्य हैं - एक तो लैप होल्डर में निविष्ट होकर फॉसनेवाली और दूसरी पेंच प्ररूप की, जिन्हे लैप होल्डर में पेंच की भाँति घुमाकर लगाया जाता है। बहुत सी टोपियों में केवल एक ही टर्मिनल होता है और दूसरा टर्मिनल टोपी की घातु स्वयं ही होती है।

टोपियों के प्ररूप मुख्यतः होल्डर के प्ररूप पर निर्भर करते हैं। लैप होल्डर, बल्ब को सभरण में सजद्ध करता है। इसके दो टर्मिनल, जो कमानीदार प्ररूप के होते हैं बल्ब के टर्मिनलों से संस्पर्श करते हैं। ये टर्मिनल स्प्रिंग की गद्दी पर उभरे हुए होते हैं और बल्ब के लैप होल्डर में फॉसाए जाने पर तंतु का परिपथ पूर्ण कर देते हैं।

पेंच प्ररूप के लैप होल्डरों में बल्ब को होल्डर में पेंच की भाँति घुमाकर लगाया जाता है। ये होल्डर पीतल एवं प्लास्टिक दोनों प्रकार के उपलब्ध होते हैं। होल्डर के पीछे का भाग भी प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ये मुख्यतः दो प्ररूप के होते हैं - बैटन प्ररूप ( Batten type ) के, जिन्हे लकड़ी के गोल ब्लॉक ( round block ) पर सीधे ही कस दिया जाता है। दूसरे पेंडेंट ( pendent ) प्ररूप के होते हैं, जो साधारणतया लटकनेवाले लैपों में प्रयोग किए जाते हैं।

विसर्जन लैप ( Discharge lamps ) — विद्युत् लैपों का एक महत्वपूर्ण प्ररूप विसर्जन प्ररूप के लैप हैं। इनका आविष्कार

बीसवीं सदी के आरंभ में हुआ था और बहुत बड़े समय में ही ये महत्वपूर्ण प्रकाशस्रोत बन गए हैं। ये एक काँच की नलिका में विद्युत् विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनमें प्रकाशस्रोत तापदीप्त लैपों की तरह तंतु न होकर, नलिका के दोनो सिरों पर इलेक्ट्रोड के बीच की संपूर्ण गैस होती है और इसलिये इन्हें बिंदु स्रोत (point source) न कहकर रेखा स्रोत (line source) कहा जाता है। इनके प्रकाशस्रोत एक चमकदार बिंदुओं की शृंखला न होकर दोनो इलेक्ट्रोडों के बीच की रेखा होती है। इस कारण इनकी प्रकाशतीव्रता अधिक होती है, और ज्योतिदक्षता भी तापदीप्त लैपों की अपेक्षा अधिक होती है।

साधारणतः, विसर्जन किसी गैस अथवा पारदवाष्प भरी हुई नलिका में किया जाता है। इसके लिये एक लंबी काँच की नलिका होती है, जिसके दोनो सिरों पर इलेक्ट्रोड सील किए रहते हैं। दोनो ओर शीशों पर टर्मिनल होते हैं, जो लैप होल्डरों में फिट हो जाते हैं और लैप को सभरण से संबद्ध करते हैं। नलिका को लगाने के लिये, शीशों पर दो पिन दिए रहते हैं, जिन्हें लैप होल्डर के खाँचों में निविष्ट कर समकोण में घुमा दिया जाता है।


विसर्जन लैपों में, नलिका के अंदर वाले तल पर प्रतिदीप्तिशील (fluorescent) पदार्थों का लेपन कर दिया जाता है। वास्तव में विसर्जन द्वारा उत्पन्न परावर्गनी किरणों प्रभासमान पदार्थ पर पड़ कर उसे चमकाती हैं और उस प्रकार प्रकाश का स्रोत बन जाती है। प्रतिदीप्त लेपन द्वारा लैप का ऊर्जा निगंत (energy output) बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, विभिन्न लेपनों द्वारा किसी भी रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है।

कुछ विसर्जनो में काँच की नलिका अथवा ग्लोब को निर्वातित कर, उसमें पारदवाष्प भर दिया जाता है। ऐसे लैप पारद-वाष्प कहलाते हैं और इनके प्रकाश का रंग नीला-हरा सा होता है। इनका प्रकाश निगंत सामान्य तापदीप्त लैपों से बहुत अधिक होता है। इन्हें अधिकतर चौगाहों और बड़े बड़े भवनों को प्रकाशित करने के लिये प्रयुक्त करते हैं।

सामान्य प्रतिदीप्ति लैपों में काँच की एक लंबी नलिका होती है, जिसके दोनो ओर दो इलेक्ट्रोड सील किए रहते हैं। एक को कैथोड कहते हैं और यह इलेक्ट्रॉनों के स्रोत का कार्य करता है। दूसरा ऐनोड कहलाता है और कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया विसर्जन कहलाती है। पर यह विसर्जन साधारण वोल्टता पर इतना नहीं हो पाता कि धारा का पथ बन सके। ट्यूब में जो गैस भरी होती है उसका आयनन इस विषय में सहायक होता है। परंतु तब भी विसर्जन को आरंभ करने के लिये क्षणिक उच्च वोल्टता के प्रोत्कर्ष (surge) की आवश्यकता होती है। एक बार विसर्जन आरंभ हो जाने पर आयनन की क्रिया उसे पोषण करने में समर्थ हो सकती है और तब उतनी वोल्टता की आवश्यकता नहीं रहती। इसके लिये इन लैपों में ऐसे परिपथ की आवश्यकता होती है जो स्विच दबाने पर इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च वोल्टता प्रोत्कर्ष स्थापित कर सके। इसके

लिये विभिन्न परिपथ एवं प्रवर्तक बनाए गए हैं। इनमें मुख्यतः चित्र में दिखाया गया परिपथ उपयोग में आता है।

स्विच दबाने पर तंतु के कैथोड टर्मिनलों पर वोल्टता आरोपित हो जाती है और आसपास की गैस आयनित हो जाती है। आयनन की गति तीव्र करने के लिये, दोनो इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टता को क्षणिक रूप से बढ़ाना आवश्यक है। कैथोड का ताप भी इतना होना चाहिए कि वह पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। साथ



प्रतिदीप्ति नलिका का परिपथ

ही उसके गरम होने तक विसर्जन में विलंब करना भी आवश्यक है। सलग्न चित्र में एक प्रकार का ताप आरंभक प्रयोग किया गया है, जिसमें U को शबल की एक द्विधात्विक (dimetallic) पट्टिका होती है। स्विच दबाने पर यह पट्टिका एक तापन कुंडली (heating coil) द्वारा गरम की जाती है। पट्टिका के दोनो ओर दो संपर्शक होते हैं, जो समांतर में संबद्ध होते हैं। लैप को स्विच करने के पहले संपर्शक मिले होते हैं। स्विच करने पर धारा पट्टिका को गरम करती है और संपर्शक खुल जाते हैं। इससे परिपथ टूट जाता है और आकास्मिक प्रोत्कर्ष उत्पन्न होकर विसर्जन आरंभ कर देता है। जब तक स्विच बना रहता है, तापन कुंडलियों में धारा प्रवाहित होती रहती है और संपर्शक खुले रहते हैं। एक बार विसर्जन आरंभ हो जाने पर उसका संचारित रहना कठिन नहीं।

प्रतिदीप्ति लेपन (fluorescent coating) भी विभिन्न पदार्थों की होती है। जिंक बेरिलियम सिलिकेट (Zinc Beryllium Silicate) द्वारा उत्पन्न प्रकाश पीला होता है तथा मैग्नीशियम टंगस्टेट का नीला और कैडमियम बोरेट का लाल प्रकाश होता है। इन तीनों के संमिश्रण से कोई भी रंग प्राप्त किया जा सकता है और इसलिये प्रतिदीप्तिशील लैप सजावट के कार्यों में बहुत प्रयुक्त किए जाते हैं। वैसे भी यद्यपि ये मंहगे होते हैं, परंतु प्रकाश तीव्रता तथा जीवन दीर्घायु होने के कारण सामान्य लैपों से अतः सस्ते ही पड़ते हैं। [रा० कु० ग०]

**विद्युत्, वायुमंडलीय** हमारी इन्द्रियाँ बिना उपकरण की सहायता के हमें अनेक वायुमंडलीय घटनाओं का बोध कराती हैं, जैसे पवन और मौसम, परंतु वायुमंडलीय विद्युत् के सार्वत्रिक पहलुओं के बारे में ऐसा नहीं होता। तड़ित् और मेघगर्जन के रूप में हम वायुमंडलीय विद्युत् के तूफानी और चरम पहलुओं का ही प्रेक्षण कर पाते हैं।

उपकरणों से प्रेक्षण करने पर पता चलता है कि पृथ्वी पर खुले वायुमंडल में सर्वत्र विद्युत् बलों का अस्तित्व है। अच्छे मौसम में शीत विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता या विभव प्रवणता (potential gradient) प्राय १०० वोल्ट प्रति मीटर से अधिक होती है। पृथ्वी के पृष्ठ से ऊँचे बढ़ने पर विद्युत् विभव बढ़ता है, परंतु क्षेत्र तीव्रता या विभव प्रवणता घटती है। अच्छे मौसम में वायुमंडल में स्थित विद्युत् क्षेत्र घनात्मक आयनों को भूपृष्ठ की ओर और ऋणात्मक आयनों को भूपृष्ठ से दूर प्रेरित करता है। इससे यह संकेत मिलता है कि तड़ित् भूम्हा (thunder storm) विस्थापक धूल आदि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को जिनसे वायुमंडल का सामान्य क्षेत्र अस्थिर हो जाता है, छोड़कर पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर सदा ऋण आवेश में रहती है। वायुमंडलीय विद्युत् के सार्वत्रिक पहलू का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि खुले में स्थित वायु पूर्ण विद्युत् रोधी (insulator) नहीं है। यद्यपि वायु की चालकता बहुत कम होती है, तथापि वायुमंडल की वैद्युत् स्थिति का निर्धारण करने में वह महत्वपूर्ण भूमिका भदा करती है। प्रश्न यह उठना है कि पृथ्वी का ऋण आवेश किस प्रकार पोषित रहता है? वैद्युत् चालन द्वारा हुई आवेशहानि की क्षतिपूर्ति के लिये पृथ्वी को क्षति की दर पर ऋण आवेश किस प्रकार कौन सा कारक प्रदान करता है? इस समस्या ने अनेक शोधकर्ताओं को प्रेरित किया और अनेक सैद्धांतिक और प्रायोगिक खोजों से कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिनसे इस सुझाव को बल मिला कि तड़ित् भूम्हा से पृथ्वी को इतना ऋण आवेश मिलता है कि पृथ्वी का ऋण विभव बना रहे। इसके अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित तड़ित् भूम्हा के सेल विद्युत् जनित्र के रूप में रहते हैं और पृथ्वी तथा उच्च वायुमंडल से पार्श्व संबधित होते हैं एवं पूर्तिधारा प्रदान करते हैं, जिससे उच्च वायुमंडल पृथ्वी के सापेक्ष सैकड़ों किलोवाट धन विभव पर रहता है।

वायु भू धारा — वायु भू धारा का घनत्व घ, जो बहुत अल्प होता है, अनेक वर्षों तक अनेक स्थानों पर स्वतःलेखी उपकरणों से निर्धारित किया गया। प्रत्यक्ष विधि से माप करने के लिये धारा को एक विद्युत् रोधी प्लेट पर, जो पृथ्वी के पृष्ठ के समतल रखा होता है, एकत्र करते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में विभव प्रवणता प्र, घनात्मक आयनों द्वारा वायु में उत्पादित वैद्युत् संचालकता  $\lambda_1$  तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा वायु में उत्पादित वैद्युत् संचालकता  $\lambda_2$  के मापनों से घ का मान सूत्र  $\phi = (\lambda_1 + \lambda_2) \text{ प्र}$ , से प्राप्त किया जाता है।

वायु की वैद्युत् चालकता — १८८७ ई० में पहली बार लिस (Linn) ने हवा की चालकता ज्ञात की। बाद में ऐल्सटर, गीटेल और सी. टी. आर. विल्सन ने ज्ञात किया कि यह चालकता आयनों की उपस्थिति के कारण है, जो ऋण और धन आवेशों के बाहक हैं। हवा में आयनों के निर्माण के संबंध में ऐल्सटर और गीटेल ने समाधान यह प्रस्तुत किया कि भूपर्पटी के अधिकांश महत्वपूर्ण अवयवों में रेडियोऐक्टिव पदार्थ होते हैं, जो खुली हवा को आयनित करते हैं। अन्वेषणों से सिद्ध हुआ कि निम्नतर वायुमंडल के आयनन के तीन प्रधान कारक हैं: (१) भूपर्पटी के रेडियोऐक्टिव अवयवों का विकिरण, (२) हवा में ही

उपस्थित रेडियोऐक्टिव पदार्थों का विकिरण और (३) अंतरिक्ष किरण (cosmic rays)। महासागर की सतह के ऊपर स्थित हवा और ऊपरी वायुमंडल के आयनन में अंतरिक्ष किरण ही प्रधान कारक है। १९११ ई० में वी० हेस (Hess) ने इसका संकेत दिया कि अंतरिक्ष किरणों में वेधनक्षमता अत्यधिक है और वे पार्थिवतर उद्गम की हैं। बाद में अनेक अन्वेषकों ने इनके गुणों का बारीकी से अध्ययन किया। समुद्र की सतह पर अंतरिक्ष किरणें १५ से २० आयन प्रति घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की (चुंबकीय अक्षांश पर निर्भर) दर से युग्म आयन बनाती हैं, जिसमें से एक धन और दूसरा ऋण आवेशयुक्त होता है। यह अधिकांश समुद्री जलक्षेत्र और ध्रुवीय स्थलक्षेत्र में आयन निर्माण की व्यवहारिक संपूर्ण दर है। पर अन्य अधिकांश स्थलीय क्षेत्रों में निम्नतर वायुमंडल में रेडियोऐक्टिव पदार्थों के कारण हवा के अतिरिक्त आयनन के कारण आयनों की जन्मदर इससे अनेक गुना अधिक होती है। आयनों की जन्मदर अधिक होने पर भी स्थलीय क्षेत्रों की हवा की वैद्युत् चालकता समुद्र पर स्थित हवा की चालकता से अधिक नहीं होती, बल्कि बड़े शहरों की हवा की चालकता बहुत कम होती है। इस असंगति का कारण यह है कि अशुद्ध हवा में छोटे आयन बड़े आयनों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो छोटे आयनों की अपेक्षा धीरे अनुगमन करते हैं और फलस्वरूप हवा की चालकता को अशदान कम कर पाते हैं। छोटे धन तथा ऋण आयनों की संख्या का निर्धारण करने के लिये, ऐबर्ट आयनमापी नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें एक भूयोजित (earthed) धातुनलिका होती है, जिसके अक्ष पर एक आविष्टरोधी छड़ चढ़ाया जाता है और उस स्फटिक रेशा विद्युत्दर्शी (quartz fibre electroscope) से जोड़ दिया जाता है। एक घटीयंत्र द्वारा चालित पंखे के जरिए नलिका के द्वारा लगभग पाँच मिनट तक हवा का नूषण किया जाता है और वायुधारा की चाल नियंत्रित करके, इतनी कम रखी जाती है कि नलिका में प्रविष्ट होनेवाले सभी छोटे आयन, जिनका आवेश केंद्रीय छड़ के आयनों के विपरीत चिह्न का होता है, नलिका की तली तक पहुँचने के पहले छड़ से आकृष्ट हो सके। इस क्रिया से एक प्रकार के आयनों की संख्या (जैसे न-) ज्ञात करने के लिये आवश्यक आँकड़े मिलेंगे, और यही प्रयोग विद्युत्रोधी छड़ को विपरीत आवेश देकर दुहराने पर दूसरे प्रकार के आयनों की संख्या (जैसे न+) ज्ञात करने के आँकड़े मिलेंगे।

ध्रुवीय चालकता को मापने का गड्डियन उपकरण ऊपर वर्णित ऐबर्ट उपकरण जैसा ही है। इसमें हवा की धारा इतनी तीव्र कर दी जाती है और नलिका के अंदर का क्षेत्र इतना मंदित कर दिया जाता है कि कुल आयनों का बहुत ही छोटा अंश केंद्रीय छड़ तक पहुँच पाता है। यदि ऋणात्मक आवेशयुक्त विद्युत्दर्शी तंत्र की प्रवणता प्र (v), ताप्र/ताट (dv/dt) दर से बढ़ती है और यदि केंद्रीय तंत्र, छड़, और विद्युत्दर्शी की कुल धारिता च (c) है, तो

$$-\frac{\text{ताक}}{\text{ताट}} = -\text{च} \frac{\text{ताप्र}}{\text{ताट}} \left[ -\frac{dQ}{dt} = -c \frac{dv}{dt} \right]$$

केंद्रीय तंत्र, छड़ और उसके आधार की धारा के प्रति अनावृत भाग की धारिता यदि च' (c') हो, तो क = च' प्र (Q = c'v), अतः

$$-\frac{\partial \text{ताप}}{\partial \text{ताप}} = \frac{4\pi}{\lambda_+} \frac{dv}{dt} = 4\pi \lambda_+ c^2 v$$

जिससे  $\lambda_+$  का निर्धारण हो सकता है।  $\lambda_+$  ज्ञात करने के लिये केंद्रीय छड़ को बनात्मक आवेश देकर यही प्रयोग दोहराना पड़ेगा।

**विभव प्रवणता** — धरातल से दो भिन्न भिन्न ऊँचाइयों पर दो विद्युत् रोधी चालकों के विभव के अंतर को मापकर वायुमंडल की विभव प्रवणता ताप/ताप को ज्ञात किया जा सकता है। बैकल्पिक रूप से एक चालक पृथ्वी और दूसरा धरातल से लगभग एक मीटर ऊँचाई पर तना हुआ क्षैतिज तार होता है। इसका निश्चय कर लेना चाहिए कि तारों (चालकों) के टेको, प्रेक्षक तथा उपकरणों से मापन किए जानेवाले क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है। विभव प्रवणताओं का लगातार अभिलेख (record) प्राप्त करने के लिये विद्युत्-मापी को एक भवन में रखकर, उसकी दीवार से बहिर्विष्ट विद्युत् रोधी छड़ पर संग्राहक रखा जा सकता है। संग्राहक रेडियोऐक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। हर स्थिति में विद्युत् रोधी तंत्र को प्रायः निम्न सुग्राही वृत्तपाद (quadrant) विद्युत्-मापी की सुई से संबद्ध कर दिया जाता है। वृत्तपाद का केंद्र भूवैशित होता है और उसके समुख युग्म बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं। सुई से सलग्न एक छोटे दर्पण से प्राप्त प्रकाशबिंदु को घड़ी डोल (clock drum) पर लिपटे हुए ब्लोमाइड कागज पर संग्रहीत करके विद्युत्-मापी सुई के विक्षेप का निरंतर अभिलेख प्राप्त किया जाता है। समुद्री क्षेत्र सहित विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त विभवप्रवणता के अभिलेखों से उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट हुई हैं -

(अ) पृथ्वी के पृष्ठ पर सर्वत्र अच्छे और बुरे मौसमों में विभव-प्रवणता का चिह्न सदा धन है, किंतु स्थल भाग में इसका मान स्थानीय विशेषताओं के अनुसार काफी बदलता है। समुद्री पृथ्वी के लिये इसका औसत मान लगभग १२० v/m है जबकि महासागरीय क्षेत्रों में यह लगभग १२६ v/m है।

(ब) अच्छे मौसम में स्थल भाग में विभवप्रवणता स्थानीय समयानुसार बदलती है, अर्थात् लगभग ४ बजे प्रातः निम्नतम और छह और आठ बजे शाम के बीच अधिकतम होती है। अनेक स्थानों पर इसका एक अतिरिक्त अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमशः ८ बजे प्रातः और मध्याह्न में होता है। स्थानीय समय के साथ विभव-प्रवणता के बदलने और बढ़े शहरों के पास वायुमंडल के धूम प्रदूषण (smoke pollution) में, व्हिपल (Whipple) ने, सहसंबंध दिखाया है।

(स) स्थानीय प्रेक्षणस्थलों पर विभवप्रवणता के वार्षिक विचरण में स्थानीय जाड़े में एक अधिकतम, और स्थानीय गरमी में एक न्यूनतम, होता है। इस नियम का एक ही अपवाद दक्षिण ध्रुवीय भेज है, जहाँ विचरण स्थानीय गरमी में अधिकतम और जाड़े में न्यूनतम होता है।

**विद्युत् औसत में विद्युत् क्षेत्र** — वह सामान्य क्षेत्र, जो अच्छे और साफ मौसम में ऊपरी वायुमंडल से नीचे पृथ्वी के पृष्ठ की ओर दिष्ट होता है, बुरे मौसम में प्रायः गड़बड़ा जाता है। कोहरे के समय क्षेत्र बढ़कर प्रायः सामान्य मान से दस गुना हो जाता है।

मध्याह्नक प्रदेश और मरुस्थल में अंधड के समय क्षेत्र, प्रायः उत्क्रमित (reversed) हो जाता है, जिसका मान १०,००० v/m तक हो सकता है। बदली और वर्षा में क्षेत्र परिवर्तित होता है और बारीक फुहार में कुछ सी बोटों से लेकर गर्जन मेघ (thunder cloud) में ५०,००० v/m के परास में विचरित होता है। हलकी और स्थिर वर्षा में ऋणात्मक क्षेत्र होना भी सामान्य घटना है, यद्यपि कभी कभी धनात्मक क्षेत्र भी प्रेषित किया जाता है। भारी वर्षा और मेघ गर्जन की स्थिति में क्षेत्र का चिह्न, जो प्रेक्षण बिंदु के ऊपर से गुजरनेवाले मेघखंड पर निर्भर करता है, विचरण करता है, परंतु अधिकतर ऋण विभव ही होता है। तड़ित भंभा के समय यदि मेघ तड़ित उत्पादन में सक्रिय हो, तो क्षेत्र बहुत अधिक घटता बढ़ता है।

**गर्जनमेघ विद्युत्-तीकरण** — यह वायुमंडलीय विद्युत् का महत्वपूर्ण विषय है। इसकी क्रियाविधि की अनेक व्याख्याओं में, सी० टी० आर० विल्सन की मुझाई विधि महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार क्रियाविधि ऊपर से गिरनेवाले बड़े जलबिंदुओं, या हिमकणों, द्वारा हवा से ऋण आयनों के वरणात्मक परिग्रहण पर निर्भर करती है और हवा में स्थित अवशिष्ट अतिरिक्त धनावेश बहुत छोटे जलबिंदुओं, या हिमकणों, द्वारा मेघ के सबसे ऊपरी भाग में अवशोषित होता है। विल्यन की क्रियाविधि में पहले से उपस्थित क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होती है।

[ कि० ख० च० ]

### विद्युत् शक्ति का उत्पादन (Electric Power Generation)

व्यावहारिक रूप में विद्युत् शक्ति का उत्पादन, विद्युत् जनित्रों (generators) द्वारा किया जाता है (देखें विद्युत् जनित्र, विद्युत्, जल से उत्पन्न)। धारा प्रवाह का निदर्शन एक गैलवैनोमीटर (galvanometer) की सहायता से किया जा सकता है। गैलवैनोमीटर को संवाहक के दोनों सिरों से योजित कर देने पर, संवाहक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति (relative motion) की स्थिति में, गैलवैनोमीटर का सूचक उसमें धारा के प्रवाह को सूचित करेगा। इस प्रकार प्रेरित बोल्टता, वस्तुतः, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति पर निर्भर करती है और इसका परिमाण चालक संख्या तथा आपेक्षिक गति और चुंबकीय क्षेत्र के पलकन घनत्व पर निर्भर करता है।

यह सरल सिद्धांत, विद्युत् इंजीनियरी का मूल सिद्धांत है। इसकी विवेचना करने पर ज्ञान होता है कि विद्युत् शक्ति के लिये, वस्तुतः, तीन सघटक आवश्यक हैं - (१) चालक, जो व्यावहारिक रूप में एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार योजित संवाहक समूह होता है, (२) चुंबकीय क्षेत्र, व्यावहारिक रूप में एक कुंडली में विद्युत् धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है और (३) चालक समूह को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने की व्यवस्था, जिसका तात्पर्य है यांत्रिक ऊर्जा का प्रावधान। वस्तुतः, यही यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत् ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और ऊर्जा अभिनाशिता नियम का प्रतिपादन करती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर किसी भी विद्युत् जनित्र के तीन मुख्य अवयव होते हैं :

१. चालकों को धारण करनेवाले धार्मेचर (armature) की, जो सामान्यतः नरम लोहे के पटलित स्तरों का बना होता है, परिधि के चारों ओर खिंची बने होते हैं, जिनमें चालक कुंडलियाँ रखी जाती हैं। चालकों को एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार योजित किया जाता है, जिसे धार्मेचर कुंडलन (Armature winding) कहते हैं।

२ क्षेत्र कुंडली — इसमें धारा के प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है।

३. यांत्रिक शक्ति का संभारक — यह साधारणतया एक प्रधान चालक होता है। यह जल का टरबाइन, भाप का टरबाइन, भाप का इंजन, अथवा डीजल इंजन में से कोई भी हो सकता है।

धारा के प्ररूप के अनुसार विद्युत् जनित्र, मुख्यतः दो प्ररूप के होते हैं दिष्ट धारा जनित्र (D C generator) और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र (A. C generator)। यद्यपि मूलतः दोनों के मूल सिद्धांत एक ही होते हैं, परंतु बनावट के दृष्टिकोण से उनमें काफी अंतर होता है। दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र अचल क्षेत्र कुंडलियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है और धार्मेचर पर आरोपित चालक तंत्र घूर्णन करता है। इस प्रकार, चुंबकीय अभिवाह को काटने से उसमें एक वोल्टता जनित होती है। वस्तुतः, वोल्टता के जनन के लिये यह आवश्यक नहीं कि चालक में ही गति हो। यह भी हो सकता है कि चालकतंत्र स्थिर हो और चुंबकीय अभिवाह उनको काटता हुआ जाए। इसका तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र गतिशील हो और चालक अपने स्थान पर ही रहे। किसी भी प्रकार से चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षिक गति होना आवश्यक है, जिससे चालक में वोल्टता जनित हो सके। वस्तुतः, दोनों विधियाँ ही व्यावहारिक हैं और प्रत्यावर्ती धारा जनित्रों में, जिन्हें प्रत्यावर्तित (Alternator) भी कहते हैं, चालक समूह अचल होता है और उसे स्टैटर (Stator) कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करनेवाले ध्रुव और कुंडली घूर्णी भाग होते हैं और उन्हें रोटर (Rotor) कहते हैं। धार्मेचर को अचल रखने का मुख्य लाभ यह है कि इस प्रकार सापेक्ष-तया उच्चतर वोल्टता जनित की जा सकती है। उच्च वोल्टता जनन के लिये या तो चालक की संख्या बढ़ानी पड़ती है, अथवा घूर्णन-वेग, या दोनों ही। चालक की संख्या बढ़ाने से धार्मेचर का आकार बहुत बड़ जाता है और उसके घूर्णी भाग होने के कारण अपकेंद्री बल इतना बढ़ जाएगा कि संरचना के दृष्टिकोण से चालकों को अपने स्थानों पर स्थिर रखना भी एक समस्या हो जाएगी। बड़े आकार के घूर्णी भाग बनावट के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होते और न उनका वेग ही बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। अतः, घूर्णी धार्मेचर वाले जनित्रों में उच्च वोल्टता जनित करना परिसीमित हो जाता है, परंतु यदि अचल हो, तो उसका आकार भी बड़ा बनाया जा सकता है और अपकेंद्री बल का भी प्रश्न नहीं उठता। साथ ही जनित धारा को स्थिर संपर्कों (contacts) से ले जाना होता है, जो बहुत सुगम हो जाता है। घूर्णी धार्मेचरों में जनित धारा को कूचों द्वारा ही बाहरी परिपथ में ले जाया जा सकता है। क्षेत्र के रोटर होने में समस्या इतनी जटिल नहीं

होती, क्योंकि उसमें प्रवाहित होनेवाली उत्तेजक धारा (exciting current), सापेक्षतया, बहुत कम होती है। उत्तेजन केवल दिष्ट धारा से ही संभव है और प्रत्यावर्ती धारा जनित्रों में क्षेत्र उत्तेजन के लिये दिष्ट धारा संभारक का होना आवश्यक है, जो सामान्यतः इसी शॉफ्ट (shaft) पर आरोपित एक छोटे से दिष्ट धारा जनित्र द्वारा, जिसे उत्तेजक (exciter) कहते हैं, प्रावधान किया जाता है।

धार्मेचर चालकों में चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, आपेक्षिक गति के कारण जनित होनेवाली वोल्टता, वस्तुतः, प्रत्यावर्ती प्ररूप की होती है। किसी भी क्षण पर इसका परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के चालकों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है। दिष्ट धारा जनित्र के धार्मेचर में भी इसी प्रकार की वोल्टता प्रेरित होती है, पर एक दिक्परिवर्तक (commutator) द्वारा उसे बाहरी परिपथ में अदिष्ट धारा के रूप में प्राप्त किया जाता है। दिक् परिवर्तक धार्मेचर के साथ उभी ईषा, पर आरोपित होता है (shaft) और धार्मेचर चालक निश्चित व्यवस्था के अनुसार उसके ताम्र खंडों (copper segments) से योजित होते हैं। धारा को दिक्परिवर्तक से बाहरी परिपथ में ले जाने के लिये ब्रशों (brushes) का प्रावधान होता है, जो साधारणतया कार्बन के होते हैं और ब्रश धारक (brush holder) में लगे होते हैं।

जहाँ तक यांत्रिक शक्ति का प्रश्न है, वह चाहे तो किसी टरबाइन से अथवा इंजन से प्राप्त की जा सकती है, या नदी के बहते हुए पानी से, जिसमें असीम शक्ति का भंडार निहित है। प्रयत्न तो किया जा रहा है कि समुद्र के ज्वार भाटे में निहित ऊर्जा को तथा ज्वालामुखी पर्वतों में छिपी हुई असीम शक्ति के भंडारों को भी काम में लाया जाए। परमावर्तीय शक्ति का उपयोग तो विद्युत् उत्पादन के लिये शीघ्रता से बढ़ रहा है और बहुत से बड़े बड़े परमावर्तीय बिजली-घर बनाए गए हैं, परंतु अभी तक, मुख्यतः, तीन प्रकार के बिजली घर ही सामान्य हैं — पन, भाप एवं डीजल इंजन चालित।

पनबिजलीघर ऐसे स्थानों में बनाए जाते हैं जहाँ किसी नदी में सुगमतापूर्वक बाँध बाँधकर पर्याप्त जल एकत्रित किया जा सके और उसे आवश्यकतानुसार ऊँचाई से नली द्वारा गिराकर जल टरबाइन चलाए जा सके (देखें, विद्युत्, जल से उत्पन्न)। ये टरबाइन विद्युत् जनित्रों के प्रधान चालक होते हैं। पर्वतों से बहनेवाली नदियों में असीम जलशक्ति निहित होती है। ऐसे बिजलीघर बनाने के लिये पहले सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है और सबसे उपयुक्त ऐसा स्थान खोजा जाता है जहाँ न्यूनतम परिश्रम और लागत से यथासंभव बड़ा बाँध बनाया जा सके। ऐसे बिजलीघरों की लागत बहुत अधिक होती है, पर उनका प्रचालन व्यय (operating cost) बहुत कम होता है। ऐसे बिजलीघरों की स्थापना, मुख्यतः, उपयुक्त स्थान पर निर्भर करती है। यह हो सकता है कि ये बिजलीघर उद्योग स्थल से बहुत दूर हों। ऐसी दशा में बहुत लंबी संचरण लाइनें भी बनानी पड़ सकती हैं। अतएव ऐसे बिजलीघरों के निर्माण का अर्थमौचित्य सिद्ध करने



के लिये संभरण दूरी तथा उसकी सज्जा का विचार रखना भी आवश्यक है।

भाप चालित बिजलीघरों में भाप से चलनेवाले टरबाइन होते हैं। भाप इंजनों का उपयोग तो अब व्यावहारिक रूप में पुरानी बात हो गई है। भाप टरबाइन, साधारणतया, उच्च वेग पर चलान करते हैं और सतत प्रचालन के लिये बनाए जाते हैं। अधिकांश टरबाइनों में उच्च दबाव पर भाप प्रयुक्त की जाती है, जिसके लिये उच्च दबाव के वाष्पित्र (boilers) की आवश्यकता होती है। ६०० पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव अब सामान्य हो गया है और आधुनिक टरबाइन तो इससे भी अधिक दबाव पर प्रचालन करने के लिये बनाए जा रहे हैं। गैस टरबाइन भी अब इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयुक्त होने लगे हैं। टरबाइन की रचना में नित्य नए शोध हो रहे हैं जिसमें भाप चालित बिजलीघरों की दक्षता और भी अधिक बढ़ाई जा सके।

आजकल परमाण्वीय बिजलीघरों की स्थापना में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। परमाण्वीय बिजलीघर बहुत से देशों में बनाए गए हैं और उनकी बड़ी बड़ी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस में पिछले १० वर्षों में बहुत बड़े बड़े परमाण्वीय बिजलीघर बनाए गए हैं और बहुत से बनाए जा रहे हैं। इनका मुख्य लाभ यह है कि ये भार केंद्रों के सन्निकट बनाए जा सकते हैं, जिसमें लंबी संचरण लाइनों की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, ईंधन की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण, परिवहन वाप तथा उसकी समस्या नहीं रहती। परंतु इनका प्रतिष्ठापन व्यय अपेक्षितया अधिक होता है और फिर इनकी प्रचालन प्रणाली अभी तक शोध का विषय है। प्रणालियों में नित्य नए अनुसंधान के कारण इनकी स्थापना का निश्चय बहुत ही विवादास्पद है। जो प्रणाली आज से पाँच साल पहले अपनाई जाती थी, वह अब गई बीती बात हो चुकी है। दूसरे, इन्हें केवल बड़े रूप में बनाना ही आर्थिक तथा प्राविधिक रूप से उचित हो सकता है। उत्पादन की गई शक्ति का उपयोग उभी स्थल पर ही जाना साधारणतया संभव नहीं होता। यह अवश्य महत्वपूर्ण है कि शक्ति के दूसरे स्रोत निरंतर समाप्त होने जा रहे हैं अथवा कहा जा सकता है कि उनमें से अधिकांश अन्तः समाप्त होने को है। अनुमान के अनुसार यदि संसार में कोयले की खपत इसी प्रकार होती रही, तो वर्तमान कोयले की खाने संसार की अधिकतम २०० वर्ष तक कोयला देती रह सकती हैं। इसी प्रकार तेज की उत्पत्ति के विषय में भी कहा जा सकता है। जलविद्युत् भंडार अवश्य ही समाप्त होनेवाला नहीं है, परंतु ये भंडार सामान्यतः उपयोग स्थलों से बहुत दूर हैं। उदाहरणतः ब्रह्मपुत्र नदी के जल में, भारत की सीमा में प्रवेश करने के स्थल पर, लगभग ३५ लाख किवा० शक्ति की क्षमता है। पर प्रथम तो वहाँ बिजलीघर की स्थापना करना इतना सुगम नहीं, और दूसरे यह स्थान उपयोग स्थलों से लगभग ५०० मील दूर है। भारत में लगभग ४० × १०<sup>९</sup> टन कोयला होने का अनुमान है और जलविद्युत् शक्ति, जिसका उल्लेख होना संभव है, लगभग ४० × १०<sup>९</sup> किवा० है। ये आँकड़े काफी आशाप्रद प्रतीत होते हैं, परंतु यदि हमारा स्तर भी

अमरीका तथा दूसरे गतिशील देशों के समान हो और प्रति मनुष्य उतनी ही विद्युत् की खपत हो, तो इतनी शक्ति भी हमारे लिये बहुत अपर्याप्त होगी। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि परमाण्वीय शक्ति का उपयोग किया जाए।

छोटे नगरों, अथवा छोटे उद्योगों के वैयक्तिक संभरणों, के लिये डीजल इंजनों का भी उपयोग किया जाता है। ये सेट अधिकतर कम क्षमता के होते हैं। ये पन एवं तापीय बिजलीघरों (कोयले का प्रयोग करनेवाले) की तरह बड़े आकारों में नहीं बनाए जा सकते तथा इनसे उत्पादित विद्युत् शक्ति का प्रति यूनिट मूल्य भी सापेक्षतया कहीं अधिक होता है, परंतु छोटे संभरणों के लिये ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन्हें आसानी से चलाया जा सकता है और कुछ ही मिनटों में भार लेने के अनुकूल हो जाते हैं। इस कारण ये अतिरिक्त (standby) संचायक के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं। डीजल चालित बिजलीघरों को भी, जो आर्थिक रूप से महंगे होने के कारण बंद कर दिए गए हैं, अतिरिक्त संचायक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है।

डीजल इंजन का स्थान आजकल गैस टरबाइन ले रहा है। गैस टरबाइन की दक्षता इनकी अपेक्षा कहीं अधिक होती है और वे बड़े आकारों में भी निर्मित किए जा सकते हैं, परंतु वे बहुत अधिक ताप एवं दबाव पर प्रचालन करते हैं। अधिक दक्षता के लिये और भी ऊँचे ताप पर प्रचालन करना आवश्यक है और अभी ऐसे पदार्थों का निर्माण संभव नहीं हो पाया है जिनका उपयोग गैस टरबाइनों के निर्माण में व्यावहारिक रूप से किया जा सके। अतः गैस टरबाइन विद्युत्शक्ति के उत्पादन में बहुत सामान्य नहीं हो पाया है।

प्रकृति में विद्युत्शक्ति के असीम साधन विद्यमान हैं। उपर्युक्त जाने माने साधनों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे साधन भी हैं जिनकी ओर पिछले २० वर्षों में ही मनुष्य का ध्यान आकर्षित हुआ है। समुद्र के ज्वार भाटे में अपरिमित शक्ति विद्यमान है। फ्रांस एवं ब्रिटेन में इस शक्ति का भी विद्युत् उत्पादन के लिये उपयोग किया गया है। समुद्री ज्वार के समय नदी के मुहाने की ओर बढ़ते हुए पानी की एक ओर खुलनेवाले बाँध द्वारा धिरे जलाशय में भर लिया जाता है। ज्वार के समय जलाशय में पानी भर जाने के बाद, भाटे के समय, वह समुद्र में वापस नहीं जाने दिया जाता। फिर तो हम जलाशय के पानी का कम ऊँचे बाँधवाले बिजलीघर की भाँति ही जल-विद्युत् जनन के लिये उपयोग किया जा सकता है। ऐसे बिजलीघरों में नलिकाएँ एवं टरबाइन का रनर ऐसी घातु, सामान्यतः काँसा (bronze), का होना चाहिए जिसपर समुद्र वा खारा पानी रासायनिक प्रतिक्रिया न कर सके। भारत में भी ज्वार भाटा बिजलीघर बनाने की योजना बनाई जा रही है और अगले २० वर्षों में ऐसे बिजलीघरों के सामान्य हो जाने का सङ्ग ही अनुमान किया जा सकता है।

शक्ति का दूसरा असीम साधन ज्वालामुखी पर्वतों के अंतःस्तर में निहित भयंकर ताप है। यदि इस अंतःस्तर को छेदकर उसकी गरम गैस को बिजलीघर के वाष्पित्रों में प्रयुक्त किया जा सके, तो

सहज ही अपरिभिन शक्ति का भंडार खुल जायगा। न्यूजीलैंड में ऐसे बिजलीघर को त्रिधात्मक रूप दिया गया है। वहाँ ३० M W. का एक त्रिजलीघर ज्वालामुखी की शक्ति का उपयोग कर रहा है। इटली एवं जापान में भी ऐसे बिजलीघरों की योजना बनाई जा रही है और इस प्रकार अभी तक जो ज्वालामुखी अपनी भयंकरता के लिये प्रसिद्ध थे, अब उपयोगिता के क्षेत्र में भी अग्रगण्य हो जाएंगे।

सूर्य भी विद्युत्शक्ति का असीम साधन है। अभी तक तो केवल प्रयोगात्मक रूप में ही इसे विद्युत्शक्ति के उत्पादन के लिये प्रयोग किया गया है, परंतु सहारा एवं धरव के रेगिस्तानों की चिलचिलाती धूप में सौर बिजलीघर बनाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं और धारा की जा सकती है कि यह भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण साधन बन जाएंगे।

हवा का उपयोग अभी तक केवल चक्की चलाने एवं कुएँ से पानी निकालने के लिये ही हुआ है। परंतु जर्मनी एवं हॉलैंड के कुछ दूरस्थ इलाकों में इसका उपयोग छोटे जनित्र को चलाने के लिये भी किया गया है, जिसे विद्युत्शक्ति उत्पन्न हो सकती है। हवा के बहने की अनिश्चितता के कारण, इसका उपयोग सामान्य नहीं हो पाया है, परंतु दूरस्थ इलाकों के लिये हवा से चलनेवाले छोटे संयंत्र उपयोगी हो सकते हैं।

वस्तुतः बिजली की माँग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मनुष्य को नित्य नए साधनों की खोज है, जिससे इस बढ़ती हुई माँग को पूरा किया जा सके। [ रा० कु० ग० ]

**विद्युत्शक्ति का प्रेषण (Electric Power Transmission)** विद्युत्शक्ति को जनित्रस्थल में उपयोगस्थल तक ले जाना प्रेषण (Transmission) कहलाता है। अधिकांश स्थानों में विद्युत्शक्ति का उत्पादन उसके उपयोगस्थलों से दूर होता है। जनित्रस्थलों की स्थापना, वस्तुतः, साधनों की उपलब्धि तथा आर्थिक श्रौचित्य के आधार पर की जाती है। जलविद्युत्घरों को किसा विशिष्ट स्थान पर बना देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका स्थान तो प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है जो साधारणतया धनी आबादीवाले क्षेत्रों से दूर होते हैं। तापीय बिजलीघरों की स्थापना भी भारकेंद्र (load centre) के साथ साथ कोयले की उपलब्धि तथा इसके परिवहन की समस्या पर निर्भर करती है। अतः बहुधा जनित्रस्थलों की दूरी भार से कई सौ मील भी हो सकती है और ऐसी दशाओं में प्रेषण लाइनों द्वारा शक्ति को भार तक पहुँचाना होता है। अतएव प्रेषण भी विद्युत् उद्योग का उतना ही मुख्य और महत्वपूर्ण अंग है जितना स्वयं विद्युत्शक्ति का उत्पादन।

वैसे तो जनित्रस्थल में उपयोगस्थल तक विद्युत्शक्ति को ले जाना ही प्रेषण कहलाता है, परंतु इस शब्द का व्यावहारिक अर्थ बहुधा दूरी तथा उच्च वोल्टता से संबंधित है। प्रेषण लाइनें पोल अथवा मीनारों पर आरोपित, ऊपरी लाइनों के रूप में भी तथा भूमिगत केबलों के रूप में भी होती हैं। ऊपरी लाइनें साधारणतया तारों के तार की होती हैं, परंतु ऐलुमिनियम तथा इस्पात और

ऐलुमिनियम के मंगुक्त चालक भी विस्तृत रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। ऊपरी लाइनें भूमितल से कम से कम २० फुट की ऊँचाई पर होनी चाहिए और इनका कोई भी भाग इससे कम ऊँचाई पर नहीं होना चाहिए। भूमि से इनकी ऊँचाई, उच्च वोल्टता की दशा में और भी अधिक होती है। अतएव ये लाइनें पोलों पर ले जाई जाती हैं और पॉसिनेन के विद्युत्गोधियों (insulators) पर आरोपित होती हैं। अधिक शक्ति प्रेषण करनेवाले, मोटे चालकों की लाइनें पोल के स्थान पर बड़ी बड़ी मीनारों पर ले जाई जाती हैं, जो चालक मंख्या तथा उनपर लगनेवाले बलों के अनुसार विभिन्न आकृति की बनी होती हैं। विद्युत्रोधी भी विभिन्न प्ररूपों के होते हैं और मुख्यतः अपनी स्थिति तथा वोल्टता के अनुसार विभिन्न वर्गों के होते हैं। इस प्रकार विद्युत्गोधी ४४० वोल्ट की अल्प वोल्टता से लेकर ११ किलोवोल्ट, ३३ किलोवोल्ट, ६६ किलोवोल्ट इत्यादि वर्गों के होते हैं और स्थिति के अनुसार विद्युत्रोधी शैकल (shackle), पिन (pin), डिस्क (disk) तथा निलबन (suspension) प्ररूप के होते हैं, जो विभिन्न स्थितियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत्गोधी माधारणतया पोल पर कर्ची (cross arm) में लगे होते हैं और इस प्रकार विन्यसित होते हैं कि किसी भी दशा में चालक झूलकर, दूसरे चालक से, अथवा पोल, अथवा उसके किसी भी संरचना अंशक से न टूट जाएं। इनकी आकृति एवं संरचना भी इस प्रकार की होती है कि किसी भी परिस्थिति में चालक तथा पोल के किसी संरचना अंशक के बीच चालक का संघर्षण कर सकें।

केबिल, वस्तुतः, किसी भी विद्युत्गोधी चालक को कहा जा सकता है, परंतु विद्युत् के प्रेषण में प्रयुक्त होनेवाले केबिल का उपयोग मुख्यतः भूमि के अंदर होता है। अतः केबिलों की संरचना भी ऐसी होती है कि वे भूमि के अंदर पड़नेवाले प्रभावों से सुरक्षित रह सकें। सामान्यतः प्रेषण केबिल त्रिजलीय (triphase) होते हैं। अतः उनमें कम से कम तीन कोर (core) होते हैं, जो अलग अलग विद्युत्रुद्ध होने हैं और फिर ऊपर से भी उनपर दूसरा विद्युत्रोधी लपेट दिया जाता है। यह विद्युत्गोधी, साधारणतया, ब्याप्त कागज (impregnated paper), अथवा रुई की टेप (cotton tape) का होता है, जो केबिल की कार्यकारी वोल्टता के वर्ग पर निर्भर करता है। विद्युत्रोधी खराब न हो जाए, इसलिये चालक कोर तथा अचालक सीसे की नली में, जो नमी को अंदर नहीं जाने देती, समावृत्त होते हैं। इस नली को यांत्रिक हानि से बचाने के लिये जूट वा फीना (braid) दिया जाता है और ऊपर से लोहे की पत्ती का कवच चढ़ा दिया जाता। इस कारण इन्हें कवचित केबिल (Armoured Cable) भी कहते हैं।

अति उच्च वोल्टता प्रेषण के केबिल, तेल में भरे केबिल भी होते हैं। तेल, वस्तुतः, उत्तम अचालक माध्यम है। परंतु ऐसे केबिलों की बनावट काफी जटिल होती है और इनकी देखभाल भी कठिन होती है। इसके कारण इनका उपयोग सीमित है।

विद्युत्प्रेषण की मितव्ययिता बहुत सीमा तक चालक के आकार पर निर्भर करती है। चालक का आकार मुख्यतः वहन की जानेवाली धारा पर निर्भर करता है। किसी निर्धारित शक्ति के

लिये वहन की जानेवाली धारा, मुख्यतः, वोल्टता पर निर्भर करती है। अतः प्रेषण के लिये उच्चतम वोल्टता प्रयोग करना ही उपयुक्त है, जिससे उस शक्ति के लिये वहन की जानेवाली धारा कम हो सके और छोटे आकार के चालक प्रयुक्त किए जा सकें। परंतु उच्चतम वोल्टता की भी अपनी सीमाएँ हैं। ३६ किबो० से अधिक वोल्टताओं पर चालक का आकार धारा के परिमाण पर ही नहीं, वस्तुतः, कोरोना (corona) के प्रभाव पर निर्भर करता है। कोरोना उच्च वोल्टताओं पर चालक के आसपास की वायु के आयनित (ionized) होने का प्रभाव होता है। इसके कारण हिस्-हिस् की ध्वनि तथा चमक उत्पन्न होती है और यह अंततः शक्ति हानि के रूप में प्रकट होता है। इस कारण चालक के आकार का अभिकल्प इस शक्ति हानि तथा उसके प्रभावों को दृष्टि में रखते हुए करना होता है। उच्चतम वोल्टताओं पर प्रेषण लाइनों का संचार लाइनों (communication lines) से व्यतिकरण दूरनी महत्वपूर्ण समस्या है। उच्च वोल्टता प्रेषण करने वाली लाइनें समीपस्थ संचार लाइनों में एक व्यतिकरण वोल्टता प्रेरित कर देती है, जिसके कारण संचार में गड़बड़ी होती है, पर यह व्यतिकरण, संचार लाइनों को विद्युत् लाइनों से दूर रखकर, कम किया जा सकता है तथा दूसरे भी बहुत से उपचार किए जा सकते हैं।

तीसरी वृत्तिनाई उच्च वोल्टता अचालकों तथा मीनारों की उचित संरचना की है, जिससे दोषी स्थितियाँ उत्पन्न न हो सकें। साथ ही साथ उनकी उचित देखभाल भी एक समस्या बन जाती है। इनके अतिरिक्त उच्चतम वोल्टताओं पर शक्ति स्थायित्व (power stability) महत्वपूर्ण समस्या है। अति उच्च वोल्टता की लंबी लाइनों में शक्तिप्रवाह, वस्तुतः, शक्ति स्थायित्व द्वारा सीमित होता है। इस कारण निर्धारित शक्ति केवल किसी विशिष्ट वोल्टता पर विशिष्ट दूरी तक ही प्रेषित की जा सकती है। साथ ही साथ प्रेषित शक्ति तथा दूरी के अनुसार एक विशिष्ट वोल्टता पर प्रेषण ही सबसे अधिक मिनव्ययी हो सकता है। ये समस्याएँ बड़ी बड़ी योजनाओं में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और प्रेषणतंत्र का अभिकल्प योजना का एक मुख्य अंग होता है।

इन समस्याओं के कारण अभी तक उच्चतम प्रेषण वोल्टता केवल ४०० किबो० तक ही सीमित है, यद्यपि इससे भी अधिक उच्च वोल्टता तंत्रों का अभिकल्प किया जा रहा है और उच्च वोल्टता प्रविधियों पर शोध जारी है। भारत में अभी तक २२० किबो० तक के वोल्टतातंत्र ही प्रयुक्त किए गए हैं। फ्रांस, इटली एवं जर्मनी २२० किबो० के वर्तमान प्रेषणतंत्रों से, भविष्य की योजनाओं के लिये, ३८० किबो० का प्रयोग कर रहे हैं। स्वीडन में ४०० किबो० की लगभग १,२०० मील लंबी लाइनें हैं। स्वीडन की अधिकांश जलविद्युत्शक्ति देश के उत्तरी भाग में स्थित है, परंतु भारत केवल सुदूर दक्षिणी भाग में है, जिसकी दूरी जनित्रस्थल से लगभग ६०० मील है। अतएव वहाँ पर प्रेषणतंत्रों को उच्चतम वोल्टताओं पर प्रचालन करने के लिये बनाया गया है और उच्चतम वोल्टताओं के क्षेत्र में स्वीडन ने काफी प्रगति की है। इसी प्रकार रूस

भी इस दिशा में बहुत प्रगति कर रहा है। साइबेरिया में स्थित अपार जलविद्युत्शक्ति का उपयोग करने के लिये रूस को भी सैकड़ों मील लंबी प्रेषण लाइनों की आवश्यकता है और रूसी अब ४०० किबो० से ८०० किबो० की वोल्टता प्रयुक्त करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। अमरीका में भी प्रगति लगभग इन्हीं लाइनों पर ही रही है और वस्तुतः इन देशों में उच्च वोल्टता प्रविधि के क्षेत्र में भी होड़ लगी हुई है।

प्रेषणतंत्र की योजना का आधार भार सर्वेक्षण (load survey) होता है। सबसे पहले विभिन्न स्थानों में प्रस्तावित भार का परिकलन कर लिया जाता है और तब उसके अनुसार उपकेंद्रों (substations) की स्थिति निर्धारण की जाती है। भार तथा दूरी के अनुसार प्रेषण की वोल्टता तथा परिपथ की संख्या निश्चित की जाती है और प्रस्तावित लाइनों का पथ निश्चित किया जाता है। लाइन अभिकल्प के मुख्य अंशक हैं : चालक का आकार, मीनार अथवा पोलों का प्ररूप एवं अभिकल्प, विद्युत्रोधियों का प्ररूप और उनको लगाने का यंत्र-विन्यास तथा संरक्षणतंत्र। किसी भी योजना के लिये आर्थिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रेषणतंत्र का सफल अभिकल्प भी आर्थिक कसौटी पर निर्भर करता है। किसी निर्धारित शक्ति के प्रेषण के तीन मुख्य मघटक हैं शक्ति, दूरी तथा वोल्टता। किसी भी प्रेषणतंत्र की योजना का सफल अभिकल्प इन तीनों मघटकों के उपयुक्त समन्वय पर निर्भर करता है। लाइन अभिकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण शोध हो रहे हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप अब विद्युत्रोधों के स्तर को उतना ऊँचा नहीं रखा जाता जितना १० वर्ष पहले रखा जाता था। इस प्रकार लाइनों के मूल्य में भारी बचत संभव हो सकी है।

अत्युच्च वोल्टता (११० किबो० से अधिक) का प्रेषण, साधारणतया, १०० मील से अधिक की दूरी के लिये ही किया जाता है। बहुधा प्रेषण को दो क्रमों में करना पड़ता है। अत्युच्च वोल्टता पर प्रेषण साधारणतया बिजलीघर के उपकेंद्र से उपयोगक्षेत्र के भार केंद्र के निकटस्थ उपकेंद्रों तक किया जाता है, जहाँ से किसी मध्यम वोल्टता पर (उदाहरणतया ३३ किबो० अथवा ११ किबो० पर) उपयोगस्थल के उपकेंद्र तक शक्ति का प्रेषण किया जाता है। इस प्रकार इसे प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रेषण का नाम से पुकारा जाता है। अंतिम उपकेंद्र से भार तक निरंतर अथवा सभरक (feeder) लाइनें ले जाई जाती है, जहाँ से व्यक्तिगत भारों का संभरण किया जाता है।

साधारणतया जनित वोल्टता को प्रेषण करने के लिये अति उच्च वोल्टताओं में रूपांतरित करना होता है। आपस परिणामित्र भी प्रेषणतंत्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके साथ ही बहुत सी संरक्षण युक्तियाँ तथा परिपथ चोटक (breaker) भी तंत्र के विशिष्ट अंशक हैं। परिणामित्र के दोनों आरंभक परिपथ चोटक (oil circuit breakers) की व्यवस्था रहती है, जिससे परिणामित्र के दोनों ओर का परिपथ खोला जा सके। इसी प्रकार किसी भी लाइन अथवा उसके प्रभाग को निष्क्रिय कर सकने का प्रावधान होता

है, जिससे दोष की स्थिति में लाइन की भरभत की जा सके। वस्तुतः संरक्षण युक्तियाँ दोष की स्थिति में दोषी प्रभाग को अपने प्राण खोलकर अलग कर देती हैं। लाइन संरक्षण के लिये उपकेंद्र में बहुत प्रकार के रिले प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रिले प्रतिभार रिले (over current relay) और भूमि क्षरण रिले (earth leakage relay) हैं। प्रतिभार रिले, प्रतिभार की अवस्था में, परिपथ श्रोटक को प्रवर्तित कर परिपथ को खोल देते हैं और इस प्रकार लाइन तथा उससे संबंधित साजसज्जा को प्रतिभार से होनेवाली क्षति अथवा हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं। भूमि क्षरण रिले भूमिदोष की अवस्था में कार्य करते हैं और दोषी लाइन को योजित कर देते हैं। और भी बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के रिले प्रयुक्त किए जाते हैं। बहुत से रिले दोष की दूरी की व्यवस्था के आधार पर कार्य करते हैं और बहुत से एक पाइलट तार (pilot wire) का प्रयोग करते हैं, तथापि आधुनिकतम संरक्षण तंत्र कैरियर संरक्षण तंत्र है। कैरियर (carrier), वस्तुतः, एक उच्च आवृत्ति की तरंग को बहते हैं, जो पाइलट तारों पर शक्ति आवृत्ति के साथ ही अभ्यारोपित (superimpose) कर दी जाती है। दोष की स्थिति में उससे संयोजित रिले तटक्षण कार्य कर, लाइन को वियोजित कर देते हैं। कैरियर संरक्षण तंत्र दूसरे तंत्रों की अपेक्षा अधिक द्रुतगामी है और अधिक विश्वसनीय भी है। परंतु यह केवल उच्च वोल्टता लाइनों के लिये ही आधिक्य रूप से उचित हो सकता है।

प्रेषण लाइनों के अभिकल्प में तड़ित् संरक्षण का प्रावधान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तड़ित् लाइन पर गिरकर उसे तथा उससे संयोजित सभी साजसज्जा को नष्ट कर सकती है। इससे बचाव के लिये बहुत सी युक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, जिनमें मुख्यतः भूमि तार तथा तड़ित्निरोधक (lightning arrestors) का प्रावधान है। भूमि तार सामान्य रूप से लाइन को तड़ित् के हानिकारक प्रभावों से बचाता है और तड़ित् को लाइन पर पथामभव गिरने से रोकता है। तड़ित्निरोधक उपकेंद्र अथवा भ्रंत संरचनाओं पर लगाए जाते हैं और तड़ित् के लाइन पर गिर जाने पर उसे सीधे ही भूयोजित (earthed) कर देते हैं, जिससे लाइन अथवा साजसज्जा को क्षति नहीं पहुंचने पाती। सभी मीनार ठीक से भूयोजित होते हैं और उनका भूमिरोध विविध प्रकार की व्यवस्थाएँ करके अत्यंत कम रखा जाता है। तड़ित्संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रथम वर्ग के अचालकों का भी प्रयोग करना पड़ता है, परंतु आजकल तड़ित्निरोधक पर शोध के फलस्वरूप अचालक का स्तर ऊँचा रखने की आवश्यकता नहीं रहती।

प्रेषणतंत्रों को बहुधा ग्रिड के रूप में अंतर्बंधित कर देते हैं, जिससे ग्रिड के अंदर शक्ति का स्वतंत्रतापूर्वक प्रवाह हो सके। ऐसे ग्रिड प्रति उच्च वोल्टताओं पर कार्य करते हैं और संपूर्ण तंत्र की शक्ति तथा आवृत्ति एक ही होती है। इसमें नियंत्रण की कठिनाइयाँ तो अवश्य ही बढ़ जाती हैं, परंतु तंत्र में किसी भी स्थान की फालतू शक्ति दूसरे स्थानों पर, जहाँ उसकी आवश्यकता हो, प्रयुक्त की जा सकती है। इस प्रकार बिजलीघरों में अतिरिक्त स्थापित शक्ति का रखना आवश्यक नहीं रह जाता। वस्तुतः, बड़े ग्रिडों में

किसी एक बिजलीघर, अथवा मशीन, की शक्ति संपूर्ण तंत्र की शक्ति की तुलना में नगण्य होती है और संपूर्ण तंत्र के कार्य को विशेष रूप से प्रभावित नहीं कर पाती। भारत में भी ऐसे बहुत से ग्रिड हैं, जैसे भाखड़ा ग्रिड, गंगा जलविद्युत् ग्रिड, शारदा ग्रिड, डी० वी० सी० ग्रिड, हीराकुंड ग्रिड, मद्रास ग्रिड, बंबई ग्रिड आदि। सभी बड़ी बड़ी योजनाएँ ग्रिड के रूप में हैं। अब तो इन सब ग्रिडों को अंतर्बंधित कर अखिल भारत ग्रिड की रूपरेखा बनाई जा रही है, जो शायद ३५० किवो० अथवा इसमें भी ऊँची वोल्टता पर कार्य करेगी।

अल्प वोल्टता में उच्च वोल्टता में तथा उच्च से अल्प वोल्टता में परिवर्तित करने द्वारा रूपांतरण की सुविधा के कारण लगभग सभी विद्युत् प्रेषण प्रत्यागामी धारा पर ही होते हैं। परंतु हाल में ही इस विचारधारा में एक गहन परिवर्तन आ रहा है और अति उच्च वोल्टताओं पर द्रिष्ट धारा प्रेषण व्यावहारिक तथा प्राविधिक दोनों रूपों से अधिक उपयुक्त समझा जाने लगा है। ऐंसे तंत्र में जनन तथा उपभोग दोनों ही प्र० घा० में होते हैं और केवल प्रेषण के लिये ही द्रिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। जनन की गई प्र० घा० शक्ति दो दिष्टताग्रियों (rectifiers) के द्वारा उच्च वोल्टता दि० घा० में परिवर्तित किया जाता है और प्रेषण दि० घा० में होता है। लाइन के दूसरी ओर फिर दि० घा० को उपयोग के लिये प्र० घा० कारियों (invertors) द्वारा प्र० घा० में परिवर्तित करना होता है। दि० घा० प्रेषण के कुछ विणिष्ट लाभ हैं, जैसे इसमें लाइन विद्युत्क्षोभी उसी वोल्टता की प्र० घा० लाइन की अपेक्षा ५ म वर्ग का प्रयुक्त किया जा सकता है, जिससे लाइन के मूल्य में भारी बचन सम्भव हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें शक्ति स्थायित्व की समस्या नहीं रहती, जो प्र० घा० प्रेषण तंत्रों में मुख्य सीमाकारक है। इसी प्रकार और भी बहुत से लाभ हैं, परंतु दिष्टताग्रियों तथा प्र० घा० कारियों का विश्वसनीय नाय के लिये अभिकल्प, उनकी मुख्य समस्या है। इस दिशा में सर्तोषजनक प्रगति होने के कारण ही दि० घा० प्रेषण को व्यावहारिक रूप देना सम्भव हो सका है। स्वीडन में, गाटलैंड योजना में, सबसे पहले दि० घा० प्रेषण का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर और भी दि० घा० प्रेषण लाइनों की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। रूस में मास्का से ३५० मील तक लगभग ७५ मील लंबी २०० किवो० की भूमिगत केबल लाइन है तथा ४०० किवो० की केबल लाइन कुइबीशेव तथा मास्का के बीच है। इसके अतिरिक्त, ७५० मेगावाट की लगभग २४० मील लंबी, ८०० किवो० दि० घा० प्रेषण लाइन की योजना पर कार्य किया जा रहा। अमरीका में भी इस दिशा में तीव्रता से प्रगति हो रही है। ७५० किवो० की एक प्रायोगिक लाइन पिट्सफील्ड के निकट बनाई जा रही है, जिसकी सफलता के आधार पर एक वृहत् ग्रिड की योजना भी बनाई जा रही है। [ १०० कु० ग० ]

**विद्युत्शक्ति, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाएँ ( Electric Power, National & Regional Schemes )** भारत में विद्युत्-शक्ति के विकास के लिये अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिये बहुत सी योजनाएँ बनाई गई हैं और क्रमशः कार्यान्वित की जा रही हैं। ये योजनाएँ सामंकीय दृष्टिकोण से मुख्यतः दो प्रकार

की हैं : १. राष्ट्रीय योजनाएँ, जिनका संचालन एवं कार्यान्वयन भारत सरकार अथवा उसके द्वारा गठित स्वायत्त निगम द्वारा होता है। २ प्रादेशिक योजनाएँ; जिनका संचालन विभिन्न प्रादेशिक सरकारें करती हैं। प्रादेशिक योजनाएँ, सामान्यतः, छोटी योजनाएँ हैं, जो मुख्यतः प्रदेश तक सीमित रहती हैं और उनमें होनेवाले लाभ भी वही तक सीमित होते हैं।

राष्ट्रीय योजनाओं में वे सभी योजनाएँ सम्मिलित हैं जिनमें या तो एक से अधिक प्रदेशों की सरकारों के सहयोग की आवश्यकता होती है, अथवा जिन्हें प्रादेशिक सरकारें सुचारु रूप से संचालित करने में असमर्थ होती हैं। दामोदर घाटी निगम, भाखरा नगल, चंबल घाटी योजना, कोयना, शरावती आदि ऐसी योजनाएँ हैं जिनका क्षेत्र एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है, और जिन्हें भारत सरकार या तो सीधे संचालित करती है, अथवा उनके संचालन के लिये स्वायत्त निगमों की स्थापना कर दी गई है। इन योजनाओं से होनेवाले लाभ भी एक से अधिक प्रदेशों को मिलते हैं। अतः इन्हें राष्ट्रीय योजनाएँ कहा जाता है।

विद्युत्शक्ति में भारत दूसरे प्रगतिशील देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसा निम्नलिखित तारणी में दिए गए तथ्यों में प्रकट होगा।

सारणी १.

देश	विद्युत् शक्ति का उत्पादन (किलोवाट में प्रति व्यक्ति)
कैनाडा	२०
संयुक्त राज्य (अमरीका)	१७
ब्रिटेन	१०
जापान	५
भारत	०.२

दश की प्रगति के लिये विद्युत्शक्ति का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य में, विद्युत् उत्पादन का राष्ट्र की पंचवर्षीय योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् १९५१ में आरंभ हुई और तब से तीन पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं तथा चौथी योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। निस्संदेह इस क्षेत्र में प्रगति उत्साहवर्धक रही है, जैसा तारणी २. से स्पष्ट है। मुख्य प्रगति सरकारी सस्थापनों में हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाली प्रगति का व्यौरा इस प्रकार है।

सारणी २.

क्षेत्र	प्रतिष्ठापित क्षमता, लाख किलोवाट में			
	१९५१	१९५६	१९६१	१९६६
सरकारी सस्थापन	६	१४	३३	७३.५
कंपनी "	११	१३	१३.५	१६.५
उद्योग के निजी "	६	७.२	१०	११.५
कुल	२३	३४	५६.५	१०१.५

चौथी योजना के अंत तक मर्यापित क्षमता में लगभग दुगुनी वृद्धि हो जाएगी। २०० लाख किलोवाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इन योजनाओं के अंतर्गत न केवल बिजलीघरों का निर्माण किया गया है, वरन् विद्युत्शक्ति का समुचित उपभोग करने के लिये प्रेषण लाइनों (transmission lines) तथा वितरण लाइनों (distribution lines) का जाज देश भर में बना दिया गया है। एक क्षेत्र के अधिकांश बिजलीघर एक दूसरे से संबद्ध कर दिए गए हैं, जिससे सारे क्षेत्र में शक्ति का आदान प्रदान सुगमता से हो सके। इसके लिये अति उच्च वोल्टता (extra high voltage) पर प्रेषण कर क्षेत्रीय ग्रिड (regional grids) बनाए गए हैं, जिससे उस क्षेत्र में शक्ति का प्रवाह पूरी तौर पर स्वच्छंद रूप से किया जा सके, अर्थात् सभी जगह आवश्यकतानुसार शक्ति का उपभोग हो सके। कुछ क्षेत्रीय ग्रिड निकटवर्ती ग्रिड से भी परस्पर संबद्ध कर दिए गए हैं, जिससे एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार शक्ति का आदान प्रदान हो सके, जैसे दामोदर घाटी निगम को कलकत्ता के बिजलीघर एवं बरीनी में संबद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार एक स्थान की अधिक शक्ति कम शक्तिवाले स्थान को भजी जा सकती है। धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय ग्रिडों को परस्पर संबद्ध कर, अखिल भारतीय ग्रिड का रूप दिया जाएगा, जिसमें संपूर्ण देश में शक्ति का प्रवाह निर्विरोध रूप में हो सके और सभी जगह आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग किया जा सके। इस योजना के कुछ प्राविधिक पहलुओं का समाधान होने के उपरांत सारे देश के शक्तित्र आवास में समाकलित (integrated) होकर एक बृहत् शक्तित्र बन जाएगा, जो ससार के सबसे बड़े शक्तित्रों में होगा।

भविष्य की आवश्यकताओं तथा दूसरे देशों की औद्योगिक प्रगति का ध्यान में रखते हुए, अभी भी हम विद्युत्शक्ति उत्पादन में बहुत पिछड़े हुए हैं। आकलन के अनुसार, भारत में विकसित की जा सकनेवाली जलविद्युत् राशि लगभग ४ करोड़ किलोवाट है, जिसका लगभग १० प्रति शत ही अभी तक विकसित किया जा सका है। तापीय बिजलीघरों (thermal power stations) की क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार के बिजलीघरों की प्रतिस्थापित शक्तिक्षमता में वृद्धि सारणी ३ में दिखाई गई है। यह शक्तिक्षमता लाख किलोवाट में दी गई है।

सारणी ३.

बिजलीघर	१९५१	१९५६	१९६१	१९६५
पनबिजलीघर	५.६	९.४	१९.२	४१.०
तापीय बिजलीघर	१०.०	१५.५	२४.३	४५.२
डीजल "	१.५	२.१	३.०	४.०
कुल*	१७.१	२७.०	४६.५	९०.२

\* इन आंकड़ों में उद्योग के निजी सस्थापनों की क्षमता सम्मिलित नहीं है।

विभिन्न राज्यों में विद्युत्शक्ति की विकास योजनाओं का सारांश सारणी ४. से दृष्ट हो जाएगा, जिसमें सरकारी संस्थानों की शक्तिक्रमता मेगावाट में दी गई है।

सारणी ४.

विभिन्न राज्यों की प्रतिष्ठापित शक्तिक्रमता मेगावाट में

क्रम	राज्य	१९५६	१९६१	१९६६
१.	असम	४७४	२४२३	७०
२.	आंध्र	१०३	२८६	४३२
३.	बिहार	२०४	४११	६६६
४.	बंबई (महाराष्ट्र + गुजरात)	७००	११२०	११३० महा० ५२० गुज०
५.	जम्मू कश्मीर	१२४	३२	४६
६.	केरल	८६५	१६३	९६०
७.	मध्य प्रदेश	८२	२६५	३७०
८.	मद्रास	२५६७	५७८७	६००
९.	मैसूर	१८८७	२६४३	४६७
१०.	उड़ीसा	२१	२७८	३२४
११.	पंजाब	१२६७	६७६७	८२०
१२.	राजस्थान	४२६	११७५	१८६
१३.	उत्तर प्रदेश	२६५०	६८३८	७०८
१४.	प० बंगाल	५०६६	६८१५	११६५
१५.	दिल्ली	५४०	१०४०	१६८०
१६.	शेष	५६	११८	२४५
कुल		२,६६४	५,७२८	८,१२५

कुछ प्रमुख योजनाओं का व्योरा इस प्रकार है -

१. भाखड़ा नंगल — यह योजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज तथा उसकी सहायक नदियों की जलशक्ति के समुचित उपयोग के लिये १९४७ में आरंभ की गई। पहले चरण में सतलुज नदी पर भाखड़ा गॉर्ज पर एक ऊँचे बाँध का निर्माण किया गया, जो संसार के सबसे ऊँचे बाँधों में से है। भाखड़ा जलविद्युत् योजना का निर्माण दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में नदी के दाहिने किनारे पर गंगुवाल नामक स्थान में एक बिजलीघर बनाया गया और दूसरे चरण में उसकी क्षमता ७७ मेगावाट कर दी गई। कुछ नीचे कोटला में दूसरा बिजलीघर बनाया गया, जिसकी शक्तिक्रमता पूर्वोक्त ही थी। मुख्य भाखड़ा बिजलीघर का निर्माण भी दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में ४५० मेगावाट शक्तिक्रमता का बिजलीघर बनाया गया, जिसे दूसरे चरण में ५६० मेगावाट अतिरिक्त शक्तिक्रमता जोड़कर, लगभग १,००० मेगावाट शक्तिक्रमता का कर दिया जाएगा।

इस योजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली को बिजली प्रदान की जाती है। दिल्ली का तापीय बिजलीघर भी मुख्य भाखड़ा ग्रिड से अंतर्योजित कर दिया गया है।

२. दामोदर घाटी निगम — बिहार एवं बंगाल में बहनेवाली दामोदर नदी के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिये सन् १९४५ में एक बृहद् घाटी योजना का श्रीगणेश किया गया। इसका संगठन

अमरीका की टेनेसी घाटी योजना के अनुसार किया गया और इसका संचालन भारत सरकार द्वारा गठित दामोदर घाटी निगम

सारणी ५.

बड़ी बड़ी योजनाओं की शक्तिक्रमता

क्रम	योजना	राज्य	शक्ति क्रमता मेगावाट में
१.	भाखड़ा नंगल ( जलविद्युत् )	पंजाब	११६४
२.	हिराकुड :- ( " ) प्रथम चरण द्वितीय चरण	उड़ीसा	१२३ १०६
३.	दामोदर घाटी योजना ( दुर्गापुर, बोकारो आदि के तापीय बिजलीघरों सहित )	बिहार और बंगाल	६६०
४.	चबल योजना (जलविद्युत्)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	६२
५.	मचकुड ( जलविद्युत् )	आंध्र प्रदेश	८५
६.	कोरबा तापीय बिजलीघर	मध्य प्रदेश	६०
७.	तुंगभाद्रा (जलविद्युत्)	आंध्र और मैसूर	६६
८.	नागार्जुन सागर (जलविद्युत्)	आंध्र	४६०
९.	रामागुंडम (तापीय बिजलीघर)	आंध्र	३८
१०.	सिलख जलविद्युत्	"	७५
११.	शारावती ( जलविद्युत् )	मैसूर	८६०
१२.	भद्रा	"	३३
१३.	कुडा	मद्रास	२८०
१४.	परियार	मद्रास और केरल	१४०
१५.	पेरिगल कुहू	केरल	१०७
१६.	नेरिया मगलम	"	४५
१७.	शोलायार	"	५४
१८.	उकाई	महाराष्ट्र	१६०
१९.	कोयना ( जलविद्युत् )	"	२४०
२०.	उमत्रू उमियम	असम	१०२
२१.	गिहद ( ओबरा तापीय बिजलीघर सहित )	उत्तर प्रदेश	३००
२२.	यमुना जलविद्युत् योजना		२०१
२३.	बरोनी तापीय बिजलीघर	बिहार	६६
२४.	पतरातू	"	४००
२५.	कोसी जलविद्युत् योजना	"	२०
२६.	बडेल तापीय बिजलीघर	बंगाल	२५०
२७.	नेवेली	मद्रास	२५०
२८.	अमरकंटक	मध्य प्रदेश	६०
२९.	धुनारन	गुजरात	२५०
३०.	पनकी	उत्तर प्रदेश	१६०
३१.	तालचेर	उड़ीसा	२५०
३२.	चंद्रपुरा	बिहार	४२०
३३.	सतपुडा	मध्य प्रदेश	३१२

को सौंप दिया गया। इसके अंदर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के साथ साथ शक्ति जनन योजना को भी प्राथमिकता दी गई। माइन एवं पंचेतहिल में दो पनबिजलीघर बनाए गए हैं, जिनकी शक्तिक्रमता क्रमशः ६० मेगावाट और ४० मेगावाट है। सूखे महीनों में

पर्याप्त पानी के न होने से जलविद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये बोकारो में एक तापीय बिजलीघर बनाया गया जिसकी शक्तक्षमता पहले १५० मेगावाट थी परंतु बाद में २४७.५ मेगावाट कर दी गई। शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए, इसी निगम के अंतर्गत, बोकारो के अतिरिक्त दुर्गापुर में २५० मेगावाट क्षमता का एक तापीय बिजलीघर और बनाया गया। बाद में बडेल एव चंद्रपुर में क्रमशः २५० मेगावाट और ४२० मेगावाट के दो बड़े तापीय बिजलीघर बनाए गए। इससे झरिया एवं रानीगंज क्षेत्र की कोयले की खानों तथा दुर्गापुर, बोकारो, सिट्टी एव जमशेदपुर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और पूर्वी रेलवे के विद्युतीकरण के लिये बिजली का संभरण होता है।

३. हिराकुड योजना — उड़ीसा में महानदी पर स्थित यह बृहत् जलविद्युत् योजना दो चरणों में बनाई गई है। प्रथम चरण में १२३ मेगावाट की शक्तक्षमता का एक बिजलीघर बनाया गया, जिसे दूसरे चरण में बढ़ाकर २३२ मेगावाट शक्तक्षमता का कर दिया गया।

सूवं महीनो में जलविद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये तालचेर में एक बड़ा तापीय बिजलीघर भी बनाया गया जिसकी शक्तक्षमता २५० मेगावाट है।

इस योजना से राउरकेला इस्पात कारखाने तथा उड़ीसा के दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिजली का संभरण होता है।

४. शरावती योजना — यह योजना मैसूर राज्य में शरावती नदी पर स्थित भारत की एक बड़ी जलविद्युत् योजना है। इसे मधुक्त राज्य, अमरीका, के सहयोग से अभी हाल में ही पूरा किया गया है। इसकी कुल शक्तक्षमता ८६० मेगावाट है (८६ मेगावाट के दस जनित्र लगाए गए हैं)। इससे मैसूर राज्य के बढ़ते हुए औद्योगिकरण के लिये बिजली मिल सकेगी।

५. नागार्जुनसागर योजना — यह बृहद् जलविद्युत् योजना आंध्र प्रदेश के औद्योगिकरण की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेगी। इसके अंतर्गत कृष्णा नदी के ऊपर नंदीकोडा में एक बहुत बड़े बाँध का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शक्त क्षमता ४६० मेगावाट होगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में तापीय बिजलीघरों के निर्माण को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। चंद्रपुरा, दुर्गापुर, बरोनी, बडेल, धुवारन, सतपुडा और पतरातू में बृहत्काय बिजलीघर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो चालू हो गए हैं और कुछ के शीघ्र चालू होने की आशा है। इसके साथ ही शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए परमाणवीय बिजलीघर भी बनाए जा रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ट्रांबे (बंबई के निकट), राणाप्रताप सागर (राजस्थान) और मद्रास के निकट कलपक्कम में परमाणवीय बिजलीघर बनाए जा रहे हैं, जिनकी शक्तक्षमता क्रमशः ३८० किलोवाट, २०० किलोवाट और २५० किलोवाट होगी। इनपर निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है और चौथी योजना के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

इस प्रकार, शक्ति के क्षेत्र में भारत अपनी इन राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाओं के आधार पर निरंतर प्रगति कर रहा है।

[ रा० कु० ग० ]

विद्युत् संधारित्र ( Electric Condensers ) का उपयोग विद्युत् आवेश, अथवा स्थिर वैद्युत् उर्जा, का संचय करने के लिये होता है। यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत्रोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप समीप रखा जाए, तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए, तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु इसकी प्लेटों पर बराबर मात्रा में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश संचय हो जाएँगे। एक संधारित्र की धारिता की परिभाषा इस समीकरण द्वारा की जा सकती है,

$$C = \frac{q}{V} \left( \frac{\text{कूलॉम}}{\text{वोल्ट}} \right) \text{ फेरड} \quad \dots (1)$$

जहाँ [ 1 फेरड =  $1 \times 10^{11}$  स्टैट फेरड ] V दोनो चालकों के मध्य विभवांतर है तथा q उनमें से किसी एक पर आवेश है। एक आवेशित संधारित्र के सग कुल स्थिर वैद्युत् उर्जा भी संबधित होती है। यदि हम एक धनात्मक आवेश dq को संधारित्र के ऋण भाग से धन भाग, जिसका विभव V वोल्ट अधिक है, ले जाएँ तो कार्य अथवा उर्जा में वृद्धि,  $du = Vdq$  होगी तथा संधारित्र की कुल उर्जा,


$$U = \int_0^q Vdq = \int_0^q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \text{ जूल}।$$

इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं :

$$U = \frac{1}{2} q^2 \text{ अथवा } U = \frac{1}{2} CV^2 \quad \dots (2)$$

किसी संधारित्र की रचना एवं रूप से उसकी धारिता की गणना की जा सकती है।

समांतर पट्टिका संधारित्र ( Parallel plate condenser ) —



चित्र १

यदि संधारित्र की एक पट्टिका (प्लेट) के एक और वा क्षेत्रफल A हो, पट्टिकाओं के बीच की दूरी d हो तथा एक प्लेट पर तल

आवेश  $\sigma$  ( $\sigma = q/A$ ) हो तथा दूसरी पर  $-\sigma$  हो, तो विद्युत् क्षेत्र  $E$  की दिशा तलों के अभिलंब होगी तथा हवा, अथवा निर्वात माध्यम में उसका मान, गाउस के नियम द्वारा ( देखें विद्युत् ), सी. कि. से. ( M. K. S. ) पद्धति में

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \text{ (माध्यम हवा अथवा शुष्क)}$$

होगा। चूंकि एकसमान (uniform) विद्युत्क्षेत्र में हम विभवान्तर  $V$  को  $V = Ed$  लिख सकते हैं, इसलिये संधारित्र की धारिता,

$$C = \frac{q}{V} = \frac{\sigma A}{E d} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad \dots (3)$$

$$\left[ C = \frac{A}{4\pi d} \text{ से. ग्रा. से.} \right]$$

जहाँ  $\epsilon_0$  निर्वात की विद्युत्शीलता (permittivity) है। ( $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$  फेड/मीटर भी. कि. से.; से. ग्रा. से. में  $\epsilon_0 = 1$ )। किसी और माध्यम के लिये

$$C = \frac{\epsilon K \epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d} \quad \dots (4)$$

जहाँ  $\epsilon$  माध्यम की विद्युत्शीलता, तथा  $K$  माध्यम का परावैद्युत् गुणांक (dielectric coefficient) है।

संकेन्द्रित गोलोंवाला संधारित्र (Concentric spheres condenser) — दो गोलो ( गोलो की त्रिज्या,  $r_1, r_2$  ), के बीच का विभवान्तर,

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]$$

इसलिये, संधारित्र की धारिता,

$$C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \left[ \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1} \right] \quad \dots (5)$$

यदि  $r_2 \gg r_1$  अर्थात् एक ही गोला हो, तो धारिता

$$C = 4\pi\epsilon_0 r_1^2 \left[ \text{से. ग्रा. से.} \right], C = r_1^2 \quad \dots (6)$$

समाक्ष सिलिंडरवाला संधारित्र (Co-axial cylinder condenser) — दो समाक्ष सिलिंडरो ( लंबाई  $l$  तथा त्रिज्या  $r_1, r_2$  ) के लिये विभवान्तर,

$$V = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

तथा संधारित्र की धारिता

$$C = \frac{q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(r_2/r_1)} \quad \dots (7)$$

संधारित्रों का सर्वधन — यह निम्नलिखित ढग से किया जाता है :

(1) श्रेणी सबधन

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} + \dots \quad \dots (8)$$

(2) पार्श्व सबधन

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \dots \quad \dots (9)$$

फेड धारिता की एक बहुत बड़ी इकाई है, इसलिये व्यवहार में

माइक्रोफेड ( $10^{-6}$ ), अथवा माइक्रो-माइक्रो फेड ( $10^{-12}$ ), का प्रयोग किया जाता है।

संधारित्र का उपयोग दिष्ट धारा परिपथ तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, दोनों में ही होता है। विभवान्तर  $V$  वाले एक स्रोत से संधारित्र को जोड़ने पर, एक क्षणिक धारा, जो आवेश के संचित होने की दर के बराबर होगी, बहेगी ( $i = dq/dt$ )। संधारित्र के प्रतिरक्त याद परिपथ में एक प्रतिरोध तथा एक प्रेरकत्व भी हो, तो संधारित्र का विसर्जन एक विशेष अवस्था में दोलकीय होता है। संधारित्र के इस गुण का उपयोग बहुतायत से होता है ( देखें विद्युत् )। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में,

$$V = V_0 \sin \omega t, \quad (\text{जहाँ } \omega = 2\pi f; f \text{ आवृत्ति है}) \quad (10)$$

$$\text{तथा } i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (C V_0 \sin \omega t) = i_0 \cos \omega t, \quad (11)$$

यहाँ  $i_0 = V_0 (\omega C)$  तथा यदि  $1/\omega C = X_C$  तो  $V_0 = i_0 X_C$ ,  $X_C$  परिपथ का धारिता प्रतिघात (capacitive reactance) कहलाता है। यदि परिपथ में एक प्रतिरोध भी हो, अथवा संधारित्र का ही थोड़ा बहुत प्रतिरोध हो, तो कुल विभव


$$V = V_R + V_C = R i_0 \cos \omega t + X_C i_0 \sin \omega t - V_0 \cos(\omega t - \theta) \quad \dots (12)$$

यहाँ  $R i_0 = V_0 \cos \theta$  तथा  $X_C i_0 = V_0 \sin \theta$ , अर्थात् एक श्रेणी सबध  $R$   $C$  परिपथ में धारा विभव से कला (phase) में आगे होती है, एक

$$V_0 = i_0 \sqrt{R^2 + X_C^2} = i_0 Z,$$

$Z$  परिपथ का प्रतिबाधा (impedance) कहलाता है।

एक संधारित्र का धारिता प्रतिघात, आवृत्ति का प्रतिलोमानुपाती होता है। इस कारण कम आवृत्तिवाली धारा का यह अधिक आवृत्तिवाली धारा की तुलना में अधिक विरोध प्रस्तुत करता है। यह



चित्र २

दिष्ट धारा प्रवाह को भी रोक देता है। इसके इस गुण का उपयोग छनना (filter) बनाने में किया जाता है।

व्यावहारिक संधारित्र — सबसे प्राचीन संधारित्र है लीडन जार (Leyden jar), परंतु आजकल प्रायः दो प्रकार के संधारित्र उपयोग में लाए जाते हैं : (1) निश्चित तथा (2) परिवर्ती।



(१) निम्नित्त संचारित्रों का विभाजन प्रयोग में लाए जानेवाले विद्युत्-रोधी (परावैद्युत्) के अनुसार होता है, उदाहरणार्थ अभ्रक, कागज, तेल इत्यादि।

अभ्रक संचारित्र में अभ्रक की पतली पत्तियाँ, टीन अथवा ऐलुमिनियम की पत्तियों (foils) में प्रत्यावर्त रूप से, प्लास्टिक अथवा बेकेलाइट के खोल में, रखी होती हैं तथा प्रत्यावर्त पत्तियाँ आपस में समांतर रूप से जुड़ी होती हैं। टीन की पत्तियों में एक विशेष प्रकार का कागज ( रेंडी का तेल, खनिज तेल अथवा खनिज मोम में विशेष प्रकार से डुबाया हुआ ) रखकर कागज संचारित्र बनाया जाता है। स्थान कम करने के लिये पत्तियों को बेल लिया जाता है तथा उन्हें गत्ते अथवा धातु की डिब्बिया में रखकर डिब्बिया को मोम से बंद कर दिया जाता है। कई बार विभवांतर अधिक होने के कारण परावैद्युत् भंग (breakdown) हो जाता है, अर्थात् विद्युत्-रोधी लगभग चालक हो जाता है तथा संचारित्र लघुश्रित हो जाता है। इसको बचाने के लिये धातु खगे (metalized) कागज संचारित्र काम में लाए जाते हैं, जिनमें परावैद्युत् के भंग होने पर धातु की पतली फिल्म जल जाती है तथा संचारित्र की धारिता थोड़ी सी कम अवश्य हो जाती है, परंतु वह व्यवहार के योग्य रहता है। जहाँ स्थायीपन, कम हानि (low loss) उच्च ताप अथवा उच्च आवृत्ति पर संचारित्र की आवश्यकता होती है वहाँ कागजी संचारित्र का प्रयोग नीमित होता है। उच्च धारिता के अभ्रक संचारित्र में हमें एव बड़े होते हैं। अतः इस प्रयुक्त में प्लास्टिक फिल्म संचारित्र का प्रयोग होता है। इनके प्रति-रिक्त चीनी मिट्टी के संचारित्रों का भी विशेष अवस्थाओं में प्रयोग होता है। रेडियो प्रेषी (transmitter) परिपथों में तेल परावैद्युत् वाले संचारित्र भी काम में लाए जाते हैं। उच्च विभव पर काम करने के लिये दबाववाले संचारित्र भी, जिनमें परावैद्युत् नाइट्रोजन अथवा बोर्ड और अक्रिय गैस कई गुना वायुमंडलीय दबाव पर होती है, प्रयोग में लाए जाते हैं।

वैद्युद्विश्लेषिक संचारित्र — इसमें दो ऐलुमिनियम (कभी कभी टैटालम) के इलेक्ट्रोड विद्युत् अपघट्य में डूबे होते हैं। धारा प्रवाहित होने पर एक अथवा दोनो इलेक्ट्रोडों पर एक (ऑक्साइड की) फिल्म बन जाती है, जो परावैद्युत् का कार्य करती है। यह फिल्म एक दिशा में चालीय तथा दूसरी में अचालकीय होती है। इस कारण जब एक ही इलेक्ट्रोड पर फिल्म बने, तो वह ध्रुविन हो जाता है तथा संचारित्र के एक इलेक्ट्रोड को ऐनोड तथा दूसरे को कैथोड मानकर काम में लाया जाता है। जब दोनो पर फिल्म बने, तो एक अध्रुवीय संचारित्र, जिसकी धारिता ध्रुवीय से आधी होती है, प्राप्त होता है। विद्युत् अपघट्य संचारित्रों से उच्च धारिता प्राप्त हो सकती है। ये सस्ते एवं छोटे आकारवाले होते हैं। इससे इनका उपयोग बहुतायत से होता है। ध्रुवीय संचारित्र का प्रयोग दिष्ट धारा परिपथ में तथा अध्रुवीय का प्रत्यावर्त धारा परिपथ में होता है। विद्युत् अपघट्य गीला भी हो सकता है और सूखा भी। गीले विद्युत् अपघट्यवाले संचारित्र में सोडियम या अमोनिया के बोरेट, फॉस्फेट, साइट्रेट, अथवा सिलीकेट पानी में घुले होते हैं। यह बेलनाकार होता है तथा ऊर्ध्वधरतः

(vertically) लगाया जाता है। सूखे विद्युत् अपघट्यवाले संचारित्र में घोल के स्थान पर जेली होती है। इसमें ऐलुमिनियम की धनपत्री, ऋणपत्री तथा विद्युत् अपघट्य जेली, तीनों को एक बेलनाकार रूप में सपेटकर गरी अथवा धातु के छोटे से डिब्बे में रख दिया जाता है। इसको किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है।

(२) परिवर्ती संचारित्र — इसमें धातु के प्लेटों के दो क्रम (groups) होते हैं : एक स्थिर होता है तथा दूसरा घूर्णित। परावैद्युत् हवा होती है। घूर्णक क्रम को स्थिर प्लेटों के बीच घुमाने से क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण परिवर्ती धारिता प्राप्त होती है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिकी में समस्वरण (tuning) के लिये बहुतायत से होता है।

सं० प्र० — एम० ब्रदरटन : 'कैपेसिटर्स' (१९४६); एफ० ई० टरमन : इलेक्ट्रॉनिक ऐंड रेडियो इंजीनियरिंग (१९५५); ए० शीन गोल्ड : फंडामेंटल्स ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन (१९५५)।  
[म० प्र० म०]

विद्युत् संभरण, प्राविधिक दृष्टिकोण से (Electric Supply, Technical Aspects) विद्युत् औद्योगिक विकास की पहली सीढ़ी है और आधुनिक मानव सभ्यता का आधारस्तंभ है। प्राविधिक दृष्टिकोण से विद्युत् संभरण को तीन भागों में बाँटा जा सकता है, १. जनन (Generation), २. प्रेषण (Transmission) तथा ३. वितरण (Distribution)।

विद्युत्, वस्तुतः, ऊर्जा का एक प्ररूप है। इसे किसी दूसरे प्ररूप की ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे प्रकाश या ऊष्मा में। ऊर्जा के दूसरे प्ररूपों से विद्युत् शक्ति का जनन किया जा सकता है। यह ऊर्जा चाहे नदी के बहते हुए पानी से प्राप्त हो, अथवा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भाप के टरबाइन या किसी प्रकार के इंजन से प्राप्त हो। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा से भी विद्युत् शक्ति प्राप्त की जा सकती है।

नदी में बाँध बाँधकर जमा किए हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा (potential energy) को गतिज ऊर्जा (kinetic energy) में परिवर्तित कर जलविद्युत् टरबाइन चलाया जाता है। (देखें 'विद्युत्, जल से उत्पन्न')

विद्युत् शक्ति जनन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन भाप का टरबाइन, अथवा विभिन्न प्रकार के इंजन हैं। वस्तुतः इनमें कोयला जलाकर प्राप्त होनेवाला ऊष्मा को भाप के द्वारा, अथवा किसी दूसरे साधन द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा द्वारा विद्युत् जनन चलाए जाते हैं और, अतः, विद्युत् शक्ति जनन की जाती है। ऐसे बिजलीघरों को तापीय बिजलीघर (Thermal Power station), अथवा भाप बिजलीघर (Steam Power Station) कहते हैं। ये बिजलीघर मविधानुसार कहीं भी बनाए जा सकते हैं और इनकी स्थिति केवल कोयले की उपलब्धि तथा उसके परिवहन के साधनों पर निर्भर करती है। इनको यथासंभव उपयोग-

स्थल के निकट बनाया जाता है, जिससे लंबी प्रेषण लाइनों की आवश्यकता नहीं रहती। इनकी पूँजीगत लागत (capital cost) भी पनबिजलीघरों की अपेक्षा बहुत कम होती है। परंतु ईंधन के मूल्य तथा उसके परिवहन मूल्य के कारण ऐसे बिजलीघरों की परिचालन लागत (operating cost) पनबिजलीघरों की अपेक्षा काफी अधिक होती है। पनबिजलीघरों की परिचालन लागत लगभग नगण्य ही होती है, परंतु प्रतिष्ठापन मूल्य बहुत अधिक होता है। अतएव किसी भी बिजलीघर के प्ररूप की योजना बनाने में पहले दोनो प्रकार के बिजलीघरों की औसत लागत, प्रति वर्ष की इकाई के रूप में, ज्ञात कर लेना आवश्यक है और उसी आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।

स्थानीय संभरण के लिये छोटे छोटे बिजलीघर डीजल इंजनों द्वारा चलनेवाले जनित्रों के भी होते हैं। इनका प्रति एकक मूल्य अधिक होता है। बड़े औद्योगिक स्तर पर विद्युत् के जनन के लिये छोटे बिजलीघर आधिक रूप से उचित नहीं रहते, तथापि बहुत से स्थानों पर व्यक्तिगत संभरण के लिये ये बहुत उपयोगी होते हैं। बड़े बड़े तत्रों में ये आपाती (standby) के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं।

आजकल परमाणु-ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत् शक्ति के उत्पादन के लिये किया जा रहा है। पिछले १० वर्षों में, ब्रिटेन, रूस और अमरीका में बहुत बड़े बड़े परमाण्वीय बिजलीघरों की स्थापना हुई है और बहुतों की स्थापना होने जा रही है। परंतु परमाण्वीय प्रणालियों पर अभी लगातार शोध हो रहे हैं और जो प्रणालियाँ ५ वर्ष पहले अपनाई गई थी, वे आज समय से बहुत पीछे समझी जाती हैं। यद्यपि ऐसे बिजलीघरों के बहुत विशिष्ट लाभ हैं और सभी देश सामर्थ्य के अनुसार उनकी स्थापना के लिये तत्पर हैं, तथापि आधुनिकतम शोधों को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी प्रवर्तन प्रणालियों की जानकारी को समझते हुए, उनकी स्थापना के निश्चय में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। भारत में भी राणा प्रताप सागर एवं तारापुर में परमाणु बिजलीघर बनाए गए हैं।

शक्ति के इन सामान्य साधनों के अतिरिक्त बहुत से असामान्य साधन भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जैसे ज्वार भाटे की अपरिमित शक्ति का विद्युत् जनन के लिये उपयोग एवं सूर्य तथा आँधी की शक्ति का उपयोग, परंतु ये साधन अभी सामान्य उपयोग में नहीं आए हैं।

जनन के पश्चात् दूसरी महत्वपूर्ण समस्या विद्युत् शक्ति को उसके उपयोगस्थल तक ले जाने की है। यह समस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना विद्युत् शक्ति का जनन। उपयोगस्थल में भारत के अनुसार विभिन्न स्थानों में उपकेंद्र (substations) बनाए जाते हैं, जहाँ बिजलीघर से शक्ति को विद्युत् लाइनों द्वारा प्रेषित किया जाता है और वहाँ से विभिन्न उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। हो सकता है, उपयोगस्थलों की बिजलीघर से दूरी कई सौ मील हो। जैसा पहले कहा जा चुका है, पनबिजलीघरों के निर्माण में प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो सामान्यतः घनी आवादीवाले क्षेत्रों से दूर होते हैं। इसी प्रकार

तापीय बिजलीघरों के लिये भी कोयले की उपलब्धि तथा उसके परिवहन की समस्या वस्तुतः उसकी स्थिति का निश्चय करती है। अतएव विद्युत् शक्ति के जननस्थल तथा उपयोगस्थल में पर्याप्त दूरी होने की काफी संभावनाएँ हो सकती हैं। ऐसी दशा में शक्ति को अति उच्च वोल्टताओं पर बड़ी बड़ी लाइनों द्वारा प्रेषित करना होता है। तार का आकार घागक्षमता की कोटि पर निर्भर करता है। अतः यथासंभव, उच्च वोल्टताओं का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। सामान्य प्रेषण वोल्टताएँ, ६६ किवो०, (K. V) १३२ किवो०, २२० किवो० तथा ३६० किवो० हैं। इससे उच्च वोल्टताएँ भी प्रयोग की गई हैं। रूस में अभी हाल में ७०० किवो० की लाइन बनाई गई है और अमरीका में भी कुछ लाइनें ७०० किवो० की बनाई जा रही हैं। भारत में अभी तक उच्चतम वोल्टता ३६० किवो० की है, परंतु अखिल भारतीय ग्रिड (All India Grid) के लिये इससे भी ऊँची वोल्टता का प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है।

विद्युत्संभरण दो मुख्य रूपों में हो सकता है : दिष्ट धारा (Direct Current) एवं प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current) द्वारा। अधिकतम कार्यों के लिये दोनो ही संभरणों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाश एवं ऊष्मा की अधिकतम प्रयुक्तियाँ दोनो ही संभरणों में प्रयुक्त की जा सकती हैं, परंतु उद्योग के लिये संभरण के अनुसार विभिन्न मॉडरे एवं दूरी सज्जाएँ प्रयुक्त करनी होती है। दि० धा० एवं प्र० धा० मोटरो की अपनी विशेषताएँ हैं तथा ये बहुत से प्ररूपों में उपलब्ध होते हैं, जिसमें कार्य के अनुसार ही उनका चयन किया जा सकता है।

आर्थिक रूप से प्र० धा० का जनन एवं प्रेषण सस्ता पड़ता है। प्र० धा० जनित्र सापेक्षतया काफी ऊँची वोल्टताओं पर प्रवर्तन कर सकते हैं। प्रेषण के लिये इसे सुगमता से उच्चतर वोल्टताओं में रूपांतरित किया जा सकता है, जिससे उतनी ही शक्ति के लिये धारा-क्षमता कम हो जाती है तथा प्रेषण लाइन के मूल्य में काफी बचत हो जाती है। साथ ही प्रेषणहानियाँ कम होने से प्रेषणक्षमता बढ़ जाती है।

बहुधा उपयोगस्थल की जनित्रस्थल से दूरी कई सौ मील की भी हो सकती है। अतः प्रेषण वोल्टता यथासंभव ऊँची रखनी पड़ती है, जिससे चालक का आकार छोटा हो सके और प्रेषणहानियाँ कम की जा सकें। दि० धा० का उच्च वोल्टता पर जनन प्राविधिक दृष्टिकोण से कठिन होता है तथा उसमें वोल्टता का अल्प से उच्च तथा उच्च से अल्प में परिवर्तन उतनी सुविधा से नहीं किया जा सकता जितना प्र० धा० में। प्र० धा० सापेक्षतया, अधिक ऊँची वोल्टताओं पर जनित की जा सकती है और उसे परिणामित्र (transformers) द्वारा सुगमतापूर्वक, अल्प से उच्च तथा उच्च से अल्प वोल्टताओं में परिवर्तित किया जा सकता है। जनित वोल्टता साधारणतया ११ किवो० तक ही सीमित होती है, और इसे परिणामित्र द्वारा अति उच्च वोल्टता (११० किवो०, २२० किवो० या इससे भी अधिक) में रूपांतरित कर प्रेषित किया जा सकता है। उपयोगस्थल पर इस उच्च वोल्टता को अपचायी (step-down) परिणामित्र की सहायता से फिर अल्प वोल्टता में

रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्यतः, इसी सुगमता के कारण प्र० घा० संभरण ही अधिक सामान्य है और जहाँ पहले से दि० घा० संभरण था वहाँ भी आजकल उसको विस्थापित कर प्र० घा० संभरण में परिवर्तित किया जा रहा है।

परिणामित्र, वस्तुतः, एक अत्यंत सरल विद्युत् मशीन है। यह प्रेरण के सिद्धांत पर चालन करता है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दो कुंडलियाँ होती हैं, जिनका आपस में विद्युतया कोई संयोजन नहीं होता। पारस्परिक प्रेरण (mutual induction) के सिद्धांत के अनुसार यदि एक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाए, तो दूसरी कुंडली में भी, जो पहली के चुंबकीय क्षेत्र में होती है, एक वोल्टता प्रेरित हो जाती है। यह दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। यदि द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या प्राथमिक से दुगुनी हो, तो उसमें प्राथमिक से लगभग दुगुनी वोल्टता जनित होगी तथा धारा का परिमाण उसी अनुपात में कम हो जाएगा। उच्च वोल्टता से अल्प वोल्टता में परिवर्तन के लिये, द्वितीयक में लगभग उसी अनुपात में कम फेरे होने चाहिए। इस प्रकार परिणामित्रों द्वारा वोल्टता रूपांतरण बहुत सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। परिणामित्रों की चालन दक्षता भी बहुत अधिक होती है। बड़े बड़े आकारों (१०,००० कि० वी० एं० के लगभग) के परिणामित्रों की चालनदक्षता ९९.५ प्रतिशत तक हो सकती है। अतएव यह वोल्टता रूपांतरण न केवल सुगमतापूर्वक ही हो सकता है, वरन् साथ ही साथ बिना विशिष्ट हानियों के भी होता है।

सामान्य उपयोग वोल्टता अधिकांश देशों में २२० वोल्ट के लगभग होती है। परंतु मोटर तथा दूसरे औद्योगिक भार इससे अधिक वोल्टता पर चालन करते हैं। अतः वितरणतंत्र, साधारणतया, ऐसा होता है कि उससे दो विभिन्न वोल्टताओं का संभरण संभव हो सके, जैसे संभरण प्रकाशदीप अथवा पंखे इत्यादि के लिये भी हो सके और साथ ही साथ कुछ ऊँची वोल्टता, मोटर तथा अन्य औद्योगिक भारों के लिये भी हो सके। दि० घा० परिपथ में यह त्रितार प्रणाली द्वारा संभव हो सकता है, जिसमें बाहरी तारों की वोल्टता बीच वाले चालक के सापेक्ष +२२० वोल्ट और -२२० वोल्ट हो। इस प्रकार दोनों बाहरी चालकों के बीच ४४० वोल्ट मिलता है और एक बाहरी तथा मध्य चालक के बीच केवल २२० वोल्ट। अतः विद्युत् दीप और पंखे इत्यादि, जो २२० वोल्ट पर चालन करते हैं, उन्हें एक बाहरी तथा मध्य चालक के बीच संबद्ध किया जा सकता है तथा मोटर इत्यादि दोनों बाहरी चालकों के बीच संबद्ध किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक ही संभरणतंत्र से दोनों का अलग अलग वोल्टताओं पर चालन संभव हो सकता है, परंतु इस तंत्र के सफल चालन के लिये मध्य चालक के दोनों ओर भार का संतुलित होना आवश्यक है। इसका ध्यान भार को संबद्ध करते समय ही रखा जाता है। भार का संतुलन करने के लिये संभरणतंत्र में संतुलकों (balancers) की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे दोनों ओर भार लगभग बराबर रहे।

प्र० घा० संभरण में दो विभिन्न वोल्टताओं की व्यवस्था त्रिकेन्द्र धार तार तंत्र द्वारा की जाती है। मोटर इत्यादि तो तीनों केन्द्र चालकों से संबद्ध किए जाते हैं और बल्ब आदि एक केन्द्र

तार तथा न्यूट्रल के बीच। इस तंत्र में भी यथासंभव तीनों केन्द्रों में भार संतुलित रखने का प्रयत्न किया जाता है। केन्द्र तथा न्यूट्रल के बीच २३० वोल्ट की वोल्टता होती है और दो केन्द्र चालकों के बीच, अर्थात् लाइन चालकों के बीच, लगभग ४०० वोल्ट की। वस्तुतः दो लाइनों के बीच की वोल्टता केन्द्र वोल्टता का ३ गुना होती है। इस प्रकार इस तंत्र में भी दो विभिन्न वोल्टताओं की व्यवस्था होती है। मोटर इत्यादि ४०० वोल्ट पर चालन करते हैं और बल्ब तथा पंखे और दूसरी घरेलू विद्युत् युक्तियाँ केवल २३० वोल्ट पर कार्य करती हैं।

अति उच्च प्रेषण वोल्टताओं से उपयोग वांछिता में रूपांतरण, सामान्यतः, दो क्रमों में किया जाता है। पहले अति उच्च वोल्टताओं को साधारणतया ११ कि० वी० में रूपांतरित कर लिया जाता है और इसके बाद ११ कि० वी० की पोषक लाइनें (Feeder Lines) ठीक उपभोगस्थल तक ले जाई जाती हैं, जहाँ उन्हें सामान्य उपयोग वोल्टता २३०/४०० वोल्ट में रूपांतरित किया जाता है। यहाँ से ४०० वोल्ट की अल्प वोल्टता लाइनें भार तक ले जाई जाती हैं। इन लाइनों को वितरक लाइनें (Distributor Lines) कहते हैं और ये सामान्यतः सड़कों के किनारे ले जाई जाती हैं, जहाँ से विभिन्न मकानों को वितरण संयोजन (service connection) दिए जाते हैं।

अति उच्च वोल्टता की प्रेषण लाइनें बड़ी बड़ी मीनारों (towers) पर ले जाई जाती हैं, परंतु मध्यम तथा अल्प वोल्टता लाइनें खंभे (pole) पर आरोपित होती हैं। बहुत से स्थानों में विद्युत् शक्ति का प्रेषण, अथवा वितरण, ऊपरी लाइनों के स्थान पर भूमिगत केब्लो (cables) द्वारा किया जाता है। ऊपरी लाइनें साधारणतया तबिके के तार की होती हैं, परंतु ऐलुमिनियम और इस्पात संयुक्त ऐलुमिनियम (A C S R) के तार भी बहुतायत से प्रयुक्त किए जाते हैं। साधारणतया, तार एक रोम रूप में न होकर बहुत से तारों को एक दूसरे पर ऐंठकर बने होते हैं। ये तार, खंभे अथवा मीनार पर लगे हुए विद्युत् रोधी (insulators) के ऊपर बंधे होते हैं। विद्युत् रोधी, साधारणतया, पॉर्सलेन के होते हैं और विभिन्न प्रणियों के बनाए जाते हैं। उनका वर्गीकरण वोल्टता के आधार पर होता है। ये चालक वा गमामें रहते हैं और उसे खंभे अथवा मीनार से नहीं छूने देते। इनकी बनावट भी ऐसी होती है कि किसी भी दशा में ये चालक तथा खंभे के बीच किसी प्रकार का भी विद्युत् संपर्क नहीं होने देते। उन्हें खंभे पर सीधे ही अथवा कैंची (cross arm) पर लगाने का विन्यास होता है। तारों को उनमें दिए हुए एक खंभे में रखकर तबिके के बंधन तार (binding wire) द्वारा बाँध दिया जाता है।

खंभे अधिकतर लोहे की रेल, अथवा गीन नलिकाकार (tubular) रूप के होते हैं। साधारणतया ये २६-३२ फुट ऊँचे होते हैं, जिसमें ५-६ फुट भूमि में गड़ा होना है। लकड़ी के खंभे भी बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं, परंतु उन्हें दीमक इत्यादि ग बचाने के लिये पहले उपचारित करना आवश्यक होता है। मीपट कंक्रीट के खंभे भी बनाए जाते हैं, जो देखने में काफी मुदर लगते हैं और बड़े नगरों की सड़कों पर विस्तृत रूप से प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनका

परिवहन कठिन होने के कारण इन्हें बहुधा लगाने के स्थान पर ही बनाया जाता है।

भूमिगत केबिलों द्वारा प्रेषण एवं वितरण से बहुत प्रकार के दोष एवं कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। परंतु केबिल ऊपरी लाइनों की तुलना में मूल्यवान होते हैं और केवल बड़े नगरों में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जहाँ घनी आबादी के कारण ऊपरी लाइनों से जाना सुविधाजनक अथवा उपयुक्त नहीं होता। केबिल में त्रिवि के एक या अधिक विद्युत् रुद्ध तार होते हैं, जिनके ऊपर संरक्षण के लिये सूत अथवा जूट गुँथा होता है। ये ऊपर से सीसे की नली में बंद रहते हैं, जिससे नमी विद्युत् रोष तक न पहुँच सके। क्षति से बचाने के लिये सबसे ऊपर इस्पात की टेप का कवच भी लपेट दिया जाता है और इसलिये ऐसे केबिलों को कवचित केबिल कहते हैं। उच्चतर वोल्टताओं के लिये तेल से भरे केबिल भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तेल, वस्तुतः, अच्छा विद्युत् रोधी माध्यम होता है, परंतु ऐसे केबिलों की देखभाल में अधिक परेशानी होती है। अभी तक ४०० कि.वोल्ट की वोल्टता तक के केबिल प्रयुक्त किए गए हैं।

बड़े बड़े जनित्रों, लाइनों तथा मीनारों के सिवाय विद्युत् संभरण के महत्वपूर्ण अंग बहुत से छोटे छोटे संघटक भी होते हैं, जो नियंत्रण (control) तथा संरक्षण (protection) के काम आते हैं। वस्तुतः, इन्हीं के द्वारा विश्वसनीय संभरण संभव होता है और इसलिये ये किसी भी बड़े संघटक से कम महत्व के नहीं होते। वोल्टता को स्थिर रखने के लिये स्वचालित वोल्टता नियंत्रक (automatic voltage regulator) प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार भार, शक्ति गुणांक (power factor) तथा आवृत्ति के नियंत्रण के लिये दूरस्थ नियंत्रित (remote controlled) नियंत्रकों की व्यवस्था होती है, जिनकी सहायता से नियंत्रण इंजीनियर (control engineer), नियंत्रण कक्ष (control room) में बैठा तंत्र का नियंत्रण कर सकता है। रक्षण के लिये विविध प्रकार के रिले होते हैं, जो दोष की स्थिति में परिपथ को स्वयं खोल देते हैं और मूल्यवान सज्जा को क्षति से बचाते हैं। प्रतिभार की दशा में प्रतिभार रिले (overload relay), भूमिदोष की स्थिति में भूमि लीक रिले (earth leakage relay) तथा इसी प्रकार दूसरे प्रकार के दोषों में विभिन्न प्रकार के रिले की व्यवस्था होती है। ये रिले परिपथ विच्छेदक (circuit breaker) को प्रचालित कर, परिपथ को खोल देने में समर्थ होते हैं। ये साधारणतया बहुत ही द्रुतगामी होते हैं और दोष के होने पर, सेकंड के अंश में ही परिपथ को खोल देते हैं। इनका व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाता है कि ये केवल दोषी परिपथ को ही खोलें और, जिन प्रभागों में दोष न हो, उन्हें यथासंभव चालू रहने दें। इस प्रकार इनके चालन में विश्वसनीयता के साथ उपयुक्त चरणात्मक (selective) गुण भी रखा जाता है, जिससे दोषी परिपथों के साथ साथ निदोष परिपथों को भी बंद न होना पड़े।

परिपथ विच्छेदक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अल्प वोल्टता लाइनों के लिये बहुधा वायु विच्छेदक (air break) स्विच ही प्रयुक्त

किए जाते हैं, क्योंकि ये सस्ते तथा सरल होते हैं। इनमें एक स्थिर अंशक तथा एक चलन अंशक होता है, जिनके संस्पर्श से परिपथ बंद किया जा सकता है और हटाने से खोला जा सकता है। इनका मुख्य अलाभ यह है कि खोलते अथवा बंद करते समय दोनों संस्पर्शों के बीच जो चाप (arc) बन जाता है, उसके हानिकारक प्रभावों से बचने की कोई व्यवस्था नहीं होती। स्पष्टतया ऐसे स्विच उच्च वोल्टता लाइनों के लिये नहीं प्रयुक्त किए जा सकते। उनमें प्रयुक्त होनेवाले परिपथ विच्छेदक सामान्यतः तीन प्ररूप के होते हैं, जिनमें परिपथ को तेल के अंदर ही खोला अथवा बंद किया जाता है। इस प्ररूप के परिपथ विच्छेदक में स्थिर और चलन अंशक दोनों ही तेल की टकी के अंदर होते हैं। तेल अच्छे विद्युत् रोधी माध्यम की व्यवस्था करने के साथ साथ, उत्पन्न होनेवाले चाप को भी बुझाने में सहायक होता है और उसके हानिकारक प्रभावों से बचाता है। ऐसा करने के लिये बहुत से परिपथ विच्छेदकों में विशेष व्यवधान भी किए जाते हैं। साथ ही अल्प वोल्टता तथा प्रतिभार (overload) संरक्षण युक्तियों (protective devices) की भी इन्हीं में ही व्यवस्था कर दी जाती है।

यद्यपि प्र० घा० संभरण ही सामान्य है, तथापि बहुत से विशिष्ट कार्यों के लिये दि० घा० का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जैसे बैटरी चार्ज करने के लिये, विद्युत् लेपन के लिये तथा अधिकांश ट्राम एवं लिफ्ट (lift) के चालन इत्यादि के लिये दि० घा० का ही प्रयोग किया जाता है। अतएव प्र० घा० संभरण की दशा में इनके लिये दि० घा० प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। प्र० घा० का दि० घा० में रूपांतरण बहुत सी युक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनमें दिष्टकारी (rectifier), तुल्यकालिक (synchronous) अथवा घूर्णी परिवर्तित (rotary converter) तथा मोटर जनित्र सेट (motor generator set) मुख्य हैं। दिष्टकारियों का प्रयोग ही अधिक सामान्य है, क्योंकि अधिकांश भागों के लिये इनकी दक्षता अधिक होती है और चालन सुगम। साथ ही यह घूर्णी परिवर्तित की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं और इनके अधिक देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती। शक्ति दिष्टकारी मुख्यतः दो प्ररूप के होते हैं— काँच बल्ब वाले, तथा इस्पात की टकी वाले। काँच बल्ब वाले दिष्टकारियों में काँच का एक बड़ा बल्ब होता है, जिसकी तली में पारद का ताल होता है तथा ऊपर में ऐनोड (anode) सील किए रहते हैं। त्रिफेज चालन के लिये ऐनोड संख्या ३, ६, अथवा १२ होती है और ये बारी बारी से अपने तथा पारद ताल के बीच में चाप का संघारण करते हैं, और बाह्य परिपथ में दि० घा० उपलब्ध होती है। दि० घा० वोल्टता का परिमाण संभरण की जानेवाली प्र० घा० वोल्टता, फेज संख्या तथा चाप पात (arc drop) पर निर्भर करता है। अतएव दिष्टकारी को प्र० घा० की ओर संभरण करने के लिये एक परिवर्तित की आवश्यकता होती है— जो निर्गत (output) वोल्टता के अनुसार प्र० घा० वोल्टता संभरण कर सके। अतः उसी अनुपात में उनके फेरों की संख्या एवं रूपांतरण अनुपात (transformation ratio) निश्चित किए जाते हैं। दि० घा० वोल्टता

का व्यवस्थापन भी इस परिणामित्र में टैप परिवर्तन ( tap changing ), अथवा ग्रिड नियंत्रण ( grid control ) द्वारा, सुगमता से किया जा सकता है। इस्पात की टंकीवाले दिष्टकारियों में काँच के बल्ब के स्थान पर इस्पात की एक टंकी होती है, जिसके कारण वे काफी मजबूत होते हैं और बड़े आकारों में भी निर्माण किए जा सकते हैं। साथ ही इनकी प्रतिभार क्षमता भी अधिक होती है। दिष्टकारियों द्वारा दि० घा० को प्र० घा० में भी रूपांतरित किया जा सकता है, जिसमें उनका चालन ठीक विपरीत होता है। अतः ये दिष्टकारी प्र० घा० कारी ( Inverters ) कहलाते हैं।

विद्युत् संभरण वस्तुतः एक अनिवार्य सेवा ( essential service ) है और इसे जन उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। विद्युत् मशीनों एवं दूसरी सज्जा के प्रतिष्ठापन एवं संचारण दोनों में ही यह दृष्टिकोण ध्यान में रखना होता है। यदि किसी नगर का भार ५,००० किलोवाट हो, और वहाँ के बिजलीघर में ५,००० कि०वी० की केवल एक मशीन ही लगाई जाए, तो उस मशीन में किसी प्रकार दोष हो जाने पर, अथवा मरमत् की दशा में उसके बंद किए जाने पर, सारा संभरण ही बंद हो जाएगा। अतः, या तो एक के स्थान पर ऐसी दो मशीनें लगानी होगी, अथवा किसी दूसरे बिजलीघर में ऐसी मकटकालीन अवस्था में बिजली लेने का समुचित प्रबंध करना होगा। व्यक्तिगत शक्ति-कंपनियों के लिये, जन उपयोगिता के दृष्टिकोण से, यह अनिवार्य है कि सामान्य भार के बराबर की शक्ति की मशीनें मकटकालीन अवस्था के लिये अलग रख छोड़े, जिन्हें अल्प-तम समय में व्यवहार में लाया जा सके। बड़ी बड़ी शक्ति योजनाओं में अब यह सामान्य हो गया है कि व्यक्तिगत बिजलीघरों के स्थान पर बहुत से बिजलीघरों को आपस में ग्रिड ( grid ) के रूप में अंतर्बद्ध कर दिया जाए, जिससे एक बिजलीघर की फानतु शक्ति का दूसरे स्थान पर उपयोग हो सके। ये ग्रिड, सामान्यतः, अति उच्च वोल्टताओं पर चालन करते हैं। इनमें तंत्र की वोल्टता एवं आवृत्ति का परिगुह्य नियमन ( regulation ) करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण तंत्र में शक्ति का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सकता है। संपूर्ण तंत्र की संमिलित शक्ति की तुलना में किसी एक बिजलीघर की एक या दो मशीनों की शक्ति नगण्य होती है और यदि वे किसी कारणवश बंद हो, तो तंत्र पर व्यावहारिक रूप से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

स्पष्टतया विद्युत् संभरण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग है और प्राविधिक दृष्टिकोण से यह मानव की व्यवहारकुशलता का उच्चतम उदाहरण है। केवल स्विच खोल देने मात्र से सारा भवन विद्युत्प्रकाश से जगमगा उठता है, अथवा बड़ी बड़ी मशीनें चलने लगती हैं, परंतु प्राविधिक रूप से विद्युत् संभरण की समस्या इतनी सरल नहीं है जितना उसे उपयोग करना प्रतीत होता है।

[ रा० कु० ग० ]

**विद्युत् संभरण, वाणिज्य के दृष्टिकोण से** ( Electric Supply , Commercial Aspects ) वाणिज्य के दृष्टिकोण से विद्युत् संभरण औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। वस्तुतः,

यह देश की औद्योगिक प्रगति का मापदंड है। आजकल विद्युत् मशीनें इतनी सामान्य हो गई हैं कि ऊर्जा संभरण के दूसरे रूप बहुत कम काम में आते हैं, विशेषतया, जब विद्युत् संभरण उपलब्ध हो। लगभग सभी उद्योगों में अधिकतम मशीनें विद्युत् मोटरो द्वारा चलाई जाती हैं। अधिकतम कारखानों में कोयला अथवा तेल को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करने के स्थान पर, विद्युत् द्वारा ऊष्मा प्राप्त करना उपयुक्त समझा जाता है। प्रकाश के लिये तो विद्युत् का प्रयोग लगभग सार्वत्रिक ही है। इन्हीं कारणों से विद्युत् की माँग दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और विद्युत् संभरण करनेवाला संगठन किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संगठन समझा जाता है।

उद्योग में विद्युत् संभरण तीन मुख्य प्रयोजनों के लिये होता है : यांत्रिक ऊर्जा के लिये, ऊष्मा के लिये, एवं प्रकाश के लिये। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत् मोटरो द्वारा प्राप्त की जाती है। आजकल अधिकतम मशीनें विद्युत् मोटरो द्वारा ही चलाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण विद्युत् मोटरो की सरल बनावट तथा सरल व्यवस्थापन एवं नियंत्रण ( regulation ) है। साथ ही विद्युत् मोटरो इतने विभिन्न रूपों में, इतनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिये बनाई जा सकती हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिये कोई न कोई उपयुक्त विद्युत् मोटर का, जो उस प्रयोजन को वाछनीय रूप में निष्पादित कर सके, चयन किया जा सकता है। इसी प्रकार ऊष्मा प्राप्त करने के लिये विद्युत् भट्टियों का उपयोग श्रेयस्कर समझा जाता है, क्योंकि इनमें एकसमान ऊष्मा प्राप्त कर सकना अधिक सुगम है और इन भट्टियों का नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। प्रकाश के लिये विभिन्न प्रकार के विद्युत् जैंग किसी भी स्थिति के लिये सबसे उपयुक्त होते हैं।

विद्युत् संभरण न केवल उद्योग की जीवन शक्ति है, वरन् इसके कारण बहुत से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। वस्तुतः, विद्युत्-शक्ति की प्रचुर उपलब्धि ही, किसी स्थान के औद्योगिक विकास का सूचक है।

उद्योग में विद्युत् संभरण के दो महत्वपूर्ण साधन हैं एक तो विद्युत् कंपनी और दूसरा विद्युत् को स्वयं ही जनित करना। यह, वस्तुतः, एक आर्थिक समस्या है और किस स्थिति में क्या करना अच्छा रहेगा, मुख्यतः, आर्थिक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। यदि विद्युत् कंपनी द्वारा दिया गया संभरण विश्वसनीय तथा उचित दामों पर हो, तो बहुधा विद्युत् का स्वयं जनन करने के भ्रंश में पड़ना ठीक नहीं समझा जाता। पर बहुत से उद्योग ऐसे भी हैं जहाँ विद्युत् का स्वयं उत्पादन ही सस्ता पड़ता है, विशेषतया, यदि माँग कुछ विशेष रूप की हो और विद्युत् कंपनी उसे उचित प्रस्ताव पर स्वीकार न करे। ऐसी दशा में उद्योग के लिये विद्युत् को स्वयं जनित करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता। विद्युत् के स्वयं जनन करने में निवेश लागत लगानी पड़ती है, जिसका ब्याज तथा मूल्यह्रास ( depreciation ) का भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही उसके लिये विशेष प्राविधिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जो छोटी इकाइयों के लिये महंगा पड़ सकता है। विद्युत् कंपनी से विद्युत्

शक्ति खरीदने में निवेश खर्च के साथ साथ और भी बहुत सी फंक्शनों से बच जाते हैं तथा सारा ध्यान मुख्य उत्पादन की ओर केंद्रित किया जा सकता है। अतएव समस्या के सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर ही कुछ निर्णय किया जा सकता है।

विद्युत् की दर उसके उपयोग, आवश्यकता, अदायगी क्षमता, स्थिति तथा जन उपयोगिता के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। विभिन्न उपयोगों के लिये दरें विभिन्न होती हैं, जो उपयोग की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। उदाहरणतः, उद्योग से निश्चित की जानेवाली दर इस बात पर निर्भर करती है कि वह इतनी अधिक न हो कि उद्योग स्वयं अपने ही बिजलीघर लगाने लग जाएँ। उद्योग द्वारा विद्युत् का स्वयं जनन करने का निश्चय, विद्युत् दर का मुख्य सीमाकारक है। घरेलू उपयोग के लिये दो बातें मुख्यतः ध्यान में रखनी होती हैं एक तो उपभोक्ताओं की अदायगी क्षमता तथा दूसरा जन उपयोगिता का दृष्टिकोण। घरेलू उपयोग के भी मुख्यतः दो भाग हैं - प्रकाश एवं पंखे का भार और दूसरा शक्ति भार, जिसमें प्रशीतित्र (refrigerator), पंप (pump), वातानुकूलक (air conditioner), विद्युत् चूल्हे इत्यादि आते हैं। इन प्रयुक्तियों में अधिक शक्ति का उपयोग होने की सम्भावना होती है और इनके लिये विद्युत् का खर्च, सामान्यतः, कम रखा जाता है, नहीं तो इनका उपयोग बहुत कम हो जाएगा। विद्युत् कम्पनियों को प्रकाश भार का संभरण करने के लिये जो लाइन इत्यादि बनानी पड़ती है, वही शक्ति भार के लिये भी उपयुक्त हो जाती है। इन भागों के होने से माँग बढ़ जाती है, जो अततः विद्युत् कम्पनी के हित में होती है। विद्युत् के संभरण को लोकप्रिय बनाने के लिये, पहले उसकी माँग उत्पन्न करना आवश्यक है। प्रकाश एवं पंखे के लिये दरें मुख्यतः उपभोक्ताओं की अदायगी क्षमता पर निर्भर करती हैं और सामान्यतः, दूसरे उपयोगों की अपेक्षा ऊँची रहती हैं। वैसे प्रकाश भार की व्यवस्था करने के लिये वितरण तंत्र के रूप में विद्युत् कम्पनी को अधिक निवेश खर्च भी करना पड़ता है। माध्यारणतया, ये भार लाइन क्षमता से बहुत कम होते हैं। साथ ही इन लाइनों की देखभाल के रूप में भी काफी खर्च होता है। अतएव प्रकाश भार की दरें कुछ ऊँची रखना न्याय-संगत है।

तीसरी प्रकार के भार ऐसे होते हैं जो मुख्यतः जन उपयोगिता के दृष्टिकोण पर ही आधारित होते हैं, जैसे जलकल आदि। यदि इनके लिये शक्ति की दर अधिक हो, तो उन्हें पानी की दर भी अधिक रखनी होगी, जो सामान्य जनता की पहुँच के बाहर हो सकती है। अतः ऐसे उपयोगों के लिये बिजली कम्पनी न्यूनतम मूल्य पर विद्युत् दे देती है। इसी प्रकार स्कूल तथा अस्पतालों से भी कम मूल्य लिया जाता है।

विभिन्न दरों का अनुमान एक विद्युत् कम्पनी के इन आँकड़ों से लगाया जा सकता है

प्रकाश तथा पंखे	३७ पैसा प्रति यूनिट
घरेलू शक्ति भार	१८ " " "
उद्योग	८ " " "

स्कूल तथा अस्पताल	—	१२ पैसा प्रति यूनिट
जलकल	—	७ " " "

उद्योग में, साधारणतया, विद्युत् की दर केवल उपभोग की हुई शक्ति पर ही निर्भर नहीं करती। प्रतिष्ठापित शक्ति तथा अधिकतम माँग का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि विद्युत् की दर केवल उपभोग की हुई शक्ति पर ही निर्भर करे, तो हो सकता है, उद्योग में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हो, जिन्हें केवल कभी कभी ही चलाया जाए, परंतु वास्तविक उपयोग की जानेवाली शक्ति अधिक न हो। विश्वसनीय संभरण के लिये विद्युत् कम्पनी को तो अपनी संस्थापन क्षमता के अनुसार अधिकतम माँग की व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्हें अपना स्वयं का संस्थापन और सज्जा इसी के अनुसार करनी होती है, जिसपर निवेश खर्च काफी आ सकता है, परंतु वास्तविक उपयोग होनेवाली शक्ति के अनुसार उन्हें मूल्य बहुत कम मिलता है। अतः, उद्योग में लिए जानेवाले मूल्य के दो मुख्य घटक होते हैं एक तो स्थिर संस्थापन मूल्य और दूसरा वास्तविक उपयोग में आनेवाली ऊर्जा का मूल्य। इस प्रकार उद्योग के लिये टैरिफ (tariff) दो भागों में बनाया जाता है और उसे द्विभाग टैरिफ (Two Part Tariff) कहते हैं। इस टैरिफ का एक भाग तो स्थिर मूल्य (fixed costs) होता है, जो उद्योग की संस्थापन शक्ति अथवा अधिकतम माँग के ऊपर आधारित होता है, और दूसरा भाग प्रचालन लागत (operating costs) है, जो वास्तविक उपयोग में आनेवाली ऊर्जा पर आधारित होता है। अधिकतम माँग प्रदर्शित करने के लिये अधिकतम माँग सूचक (maximum demand indicator) प्रयुक्त किए जाते हैं, जो किसी निर्धारित समय में (सामान्यतः आधा घंटा) अधिकतम माँग प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार किसी भी मशीनें में उस संस्थापन की अधिकतम माँग ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार का टैरिफ रखने से, उद्योग अपनी अधिकतम माँग को कम करने का प्रयत्न करेगा और विभिन्न मशीनों की हम क्रम में चलाएगा जिससे अधिकतम माँग न बढ़ जाए। इस प्रकार शक्ति का उपभोग सम (equalize) होने की ओर उन्मुख होगा, जो विद्युत् कम्पनी के हित में होता है।

विद्युत् संभरण की दूसरी समस्या उद्योगों के कम शक्तिगुणांक पर प्रचालन करने में आती है। यदि शक्ति कम हो, तो उसी शक्ति के लिये किसी निर्धारित वोल्टता पर अधिक धारा ली जाएगी। इसका तात्पर्य है कि अधिक धारा क्षमता की मशीनें तथा उससे संबद्ध सज्जा लगानी होगी, जिसका अर्थ है संस्थापन लागत में वृद्धि। इस प्रकार, शक्तिगुणांक के कम होने पर, उसी शक्ति के लिये संस्थापन लागत बढ़ जाती है। यह भी हो सकता है कि इतने कम शक्तिगुणांक का अनुमान न किया गया हो और सज्जा की धाराक्षमता, उतनी धारा वहन कर सकने योग्य न हो। इस प्रकार, कम शक्तिगुणांक विद्युत् संस्थापनों के लिये महत्वपूर्ण सीमाकारक हो जाता है। इसे प्राविधिक शब्दों में, शक्ति को दो घटकों में बाँटकर व्यक्त किया जाता है : शक्तिघटक, जो वस्तुतः उपयोग में लाई गई शक्ति को प्रदर्शित करता है, और वाटररहित घटक (wattless component), अथवा प्रतिघाती किसी वोल्ट ऐंपीयर (reactive K. V. A.), जो व्यर्थ जानेवाली

शक्ति को प्रदर्शित करता है। इकाई शक्तिगुणांक पर सारी शक्ति वाट घटक के रूप में होती है और जैसे जैसे शक्तिगुणांक कम होता जाता है, वैसे वैसे प्रतिघाती कि० वो० ए० बढ़ते जाते हैं। अतः, विद्युत् कंपनी को ऊँचा शक्तिगुणांक रखना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिये वह दो उपाय कर सकती है, पहला, स्वयं शक्तिगुणांक सुधारक का प्रयोग और दूसरा उद्योग को कम शक्तिगुणांक पर प्रचालन न करने देने के उपाय करना। इसके लिये विद्युत् संभरण की शर्तें ऐसी रखी जाती हैं कि उद्योग के लिये कम शक्तिगुणांक पर प्रचालन करना लाभदायक न हो। इसके लिये या तो बिजली कंपनियों कम शक्तिगुणांक पर एक अतिरिक्त कर लगा दे, अथवा ऊँचे शक्तिगुणांक के लिये दरों में कटौती कर दें। यह भी हो सकता है कि बिजली कंपनियाँ शक्ति का मापन ही किलोवाट के आधार पर न करके किलोवोल्ट ऐंपीयर के आधार पर करें। इस प्रकार, टर्गिफ ऐसा बनाया जाता है कि उद्योग को निर्धारित से कम शक्तिगुणांक पर प्रचालन करने में हानि हो। अतः या तो उद्योग कम शक्तिगुणांकवाली सज्जा का उपयोग ही नहीं करेगा, अथवा शक्तिगुणांक सुधार के लिये अलग सज्जा लगाएँगे। जहाँ बहुत से प्रेरण मोटर कार्यशील हों, वहाँ शक्तिगुणांक कम होने की संभावना होती है, विशेषतया यदि वे पूर्ण भार पर प्रचालन न करें। अतएव उद्योग को और से पहला प्रयत्न तो यह होगा कि सभी मोटर यथासंभव पूर्ण भार पर परिचलन करें (जिससे विद्युत् कंपनी को अत्यन्त रूप से लाभ होता है) तथा अन्य दूसरी मशीनों में प्रेरण मोटर को न प्रयुक्त कर उसके स्थान पर तुल्यकालिक मोटर ( synchronous motor ) का प्रयोग करें, जिससे संपूर्ण भार का ही शक्तिगुणांक गुंथाग जा सके, अथवा संवारित्र का प्रयोग करके ही शक्तिगुणांक को गुंथारे।

बिजलीघर स्थापित करने में पहले, विद्युत् का उत्पादन मूल्य तथा संभावनी लाभांशों की गणना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना स्वयं स्थापन। इसी भी बिजलीघर स्थापन का आधार भार सर्वेक्षण ( load survey ) है। परंतु भार भी बहुत सी दशाओं में परिस्थिति और संभावनी विद्युत् की दरों पर निर्भर करता है। उद्युक्त दत्तों द्वारा, विद्युत् संभरण, उद्योग को प्रोत्साहन देने का सरलतम साधन है। यदि विद्युत् संभरण की दर कम रखी जाए, तो वर्तमान उद्योगों के अतिरिक्त दूसरे उद्योग भी खुलने लगेंगे और वर्तमान उद्योग अपनी सारी आवश्यकतःओं को विद्युत् द्वारा ही पूरी करने लगेंगे। इस प्रकार वर्तमान भार के आधार पर बिजलीघर के स्थापन का परिचालन करना नासमझी होगी। सामान्यतः, पाँच वर्ष बाद संभावनी भार के आधार पर परिचालन किया जाता है। बहुधा यही देखा गया है कि भार अनुमान से बहुत शीघ्र ही बढ़ जाता है। अतएव बिजलीघर के स्थापनों के अभिकल्प करते समय, यह बात ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है और विस्तार की योजना भी पहले ही बना लेनी चाहिए।

परिस्थितियों के अनुसार ही भार में काफी परिवर्तन आ सकते हैं। भागों की प्रकृति में भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। प्रकाश-भार, मुख्यतः, संध्या के समय होता है, उद्योगभार दिन के समय तथा इसी प्रकार विभिन्न भार विभिन्न समयों में हो सकते हैं, अथवा

यह कहिए कि उनकी मात्रा में काफी अंतर आ सकता है। यदि किसी भार के विचरण को समय के अनुसार ग्राफ पर अनुरक्षित कर लिया जाए, तो जो वक्र प्राप्त होगा उसे भारवक्र (Load curve) कहते हैं। भारवक्र समय के साथ भार का उतार चढ़ाव प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्ररूप के भागों के दैनिक भारवक्र खींच लिए जाते हैं और फिर एक ग्राफ पर एक दूसरे को अग्रगरोपित कर संपूर्ण भार का भारवक्र खींच लिया जाता है। इसी प्रकार मासिक भारवक्र तथा वार्षिक भारवक्र भी प्राप्त कर लिए जाते हैं। इन तीनों के आधार पर ही तंत्र का भारविचरण निर्दिष्टत किया जाता है। हो सकता है, भार गारे महीने, अथवा सारे वर्ष उसी प्रकार से विचरण न करे। ऋतुओं के अनुसार भी यह परिवर्तन होता है। अतएव सभी भारवक्रों का खींचना आवश्यक है।

एक बात और ध्यान देने योग्य है, यह आवश्यक नहीं है, कि एक उद्योग में सभी मशीनें एक साथ कार्य करें। इस प्रकार स्थापन क्षमता के आधार पर भार का निश्चय नहीं किया जा सकता। अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक प्ररूप के भार के एक साथ कार्य करने की क्षमता संभावना है। उदाहरणतः यदि एक मकान में २० विद्युत् लैंप हों, तो सामान्यतः उनमें से ८-१० से अधिक एक साथ नहीं जलाए जायेंगे। इस प्रकार अनुभव के आधार पर सभी प्ररूपों के भार के लिये एक गुणक निर्दिष्टत किया जाता है, जिसे विभिन्नता गुणक ( Diversity Factor ) कहते हैं। यह स्थापनक्षमता और अधिकतम भार का अनुपात होता है। यदि विभिन्नता गुणक २ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी प्ररूप के भार की स्थापनक्षमता १०० किवा० हो, तो विद्युत् कंपनी अपना परिचालन ५० किवा० के आधार पर कर सकती है, क्योंकि एक समय में संभवतः आधे से अधिक मशीनें कार्य नहीं करेंगी, अर्थात् आधे से अधिक भार नहीं होगा।

भारवक्रों को देखने से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि सभी भार सभी समय पूर्ण क्षमता पर प्रचालन नहीं करते। इस प्रकार विद्युत् के संभरण की स्थापनक्षमता तथा वास्तविक भार में काफी अंतर आ जाता है। यदि किसी समय वास्तविक भार पूर्ण क्षमता के बराबर हो जाए, पर अधिराश समय काफी काम रहे, तो इससे विद्युत् संभरण के लिये स्थापनक्षमता तो अधिक रखनी पड़ेगी, परंतु पूर्णतया उसका उपयोग न हो सकेगा। इसका अतः परिणाम यह होगा कि उत्पादन मूल्य बढ़ जायगा। यह भी एक गुणक के रूप में, जिसे भार गुणक (Load Factor) कहते हैं, व्यक्त किया जाता है।

$$\text{भार गुणक} = \frac{\text{व्यक्तिगत अधिकतम माँगों का उपयोग}}{\text{तंत्र की अधिकतम माँग}}$$

अधिकतम बिजलीघरों का भारगुणक ६० प्रतिशत से अधिक नहीं होता। कम भारगुणक होने का तात्पर्य है कि बिजलीघर की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतएव विद्युत् कंपनियाँ अपना भारगुणक बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न करती हैं। मुख्यतः, वे उद्योगों को ऐसे समय में प्रचालन करने के लिये प्रोत्साहन देती हैं जब उनका भार सामान्यतः कम होता

है। ऐसा करने के लिये उद्योगों को बाध्य तो नहीं किया जा सकता, परंतु आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। संभरण के मुख्य में ऐसी शर्त लगाई जा सकती है, जिससे विद्युत् कंपनी की सुविधा के अनुसार उद्योग चलाने में आर्थिक लाभ हो। उदाहरणतः यदि किसी विद्युत् कंपनी का भार दिन में बहुत अधिक हो और रात में बहुत कम, तो वह उद्योगों के विद्युत् के संभरण में यह शर्त लगा सकती है कि यदि वे रात में प्रचालन करें, तो उन्हें निर्धारित दरों में कुछ छूट मिल सकती है। इस शर्त के कारण यदि आर्थिक लाभ होता है, तो उद्योगपति यह प्रयत्न करेंगे कि वे अपने उद्योगों को रात में चलाएँ। इस प्रकार विद्युत् उपभोग का समाकरण करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे उतनी भार क्षमता में अधिक ऊर्जा का उपभोग हो सके। अधिक ऊर्जा का उपभोग होने से विद्युत् कंपनी की आमदनी बढ़ जाएगी और उसे अंततः प्रति यूनिट मूल्य कम करना संभव हो सकेगा।

बिजली की दर निश्चित करने के लिये, पहले उत्पादनव्यय का परिकलन करना आवश्यक है। इस परिकलन में बिजलीघर का संस्थापन खर्च एवं प्रचालन लागत (operating costs) का परिकलन किया जाता है। संस्थापन खर्च में बिजलीघर के भवन तथा उसकी सज्जा एवं उपकरणों का मूल्य आता है। इसे निवेश लागत (Investment Cost) भी कहते हैं। प्रचालन लागत में कोयले अथवा ईंधन का मूल्य, उसका परिष्करण एवं भंडार लागत (transportation and storage cost), कर्मचारियों का वेतन तथा भूकस्मिक व्यय आते हैं। प्रति यूनिट मूल्य निकालने के लिये निवेश लागत को प्रति वर्ष के आधार पर परिकलित किया जाता है, जिससे बिजलीघर की क्षमता के अनुसार प्रति किवा० खर्च निकाला जा सके। सभी खर्चों को वस्तुतः दो घटकों में व्यक्त किया जा सकता है: १. स्थिर घटक अथवा स्थिर लागत (fixed costs), जो उत्पादित शक्ति पर निर्भर नहीं करते वरन् बिजलीघर की क्षमता पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत बिजलीघर की निवेशन लागत एवं कुछ स्थिर खर्च आते हैं, जैसे पट्टा अथवा बीमे का खर्च। यदि बिजलीघर एक बड़ी कंपनी का अंग हो, तो केंद्रीय कंपनी के संस्थापन खर्च तथा निरीक्षण एवं शोध के खर्च का अंश भी उसे वहन करना पड़ता है। यह खर्च भी खर्च का स्थिर घटक ही समझा जा सकता है। इन सभी खर्चों को प्रति वर्ष खर्च के रूप में आँका जाता है। निवेश लागत को प्रति वर्ष व्यय के रूप में परिकलन करने के लिये निवेश के ऊपर ब्याज एवं मूल्यह्रास (depreciation) का परिकलन किया जाता है, जो वस्तुतः कंपनी में लगाई गई पूँजी को वार्षिक रूप में व्यक्त करता है। दूसरे खर्च भी वार्षिक आधार पर व्यक्त कर लिए जाते हैं और वर्ष भर में उत्पादित ऊर्जा पर प्रति यूनिट खर्च निकाल लिया जाता है।

उपभोक्ताओं की देय दरों को निर्धारित करने के लिये, उत्पादन लागत (production costs) में प्रेषण एवं आबटन, अथवा वितरण का खर्च भी जोड़ना आवश्यक है। इनपर केवल वास्तविक खर्च ही नहीं, वरन् उनमें होनेवाली हानियों का परिकलन

कर उनका मूल्य लगाना भी आवश्यक है। इसके उपरान्त लाभार्थ निश्चित कर, देय करों को निर्धारित किया जाता है।

प्रति यूनिट मूल्य में कमी करने के लिये, न केवल परिचालन लागत में बचत करना आवश्यक है, वरन् बिजलीघर की अधिकतम क्षमता के अनुरूप अधिकतम उत्पादन करना भी आवश्यक है। यदि किसी बिजलीघर की अधिकतम क्षमता १०,००० किवा० है, परंतु औसत से केवल आधी ही उपयोग में आ रही हो, तो स्पष्टतः प्रति यूनिट खर्च भी अधिक होगा। यदि उसकी तीन चौथाई क्षमता का उपयोग होने लगे, तो प्रति यूनिट खर्च में भी कमी आ जाएगी। बचत के इस महत्वपूर्ण कारण को प्राविधिक रूप से व्यक्त करने के लिये, औसत उत्पादन शक्ति को भारगुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है :

$$\text{भार गुणक} = \frac{\text{औसत उत्पादन}}{\text{अधिकतम उत्पादन क्षमता}}$$

सभी विद्युत् कंपनियाँ, यथासंभव, अधिकतम भारगुणक पर प्रचालन करने का प्रयत्न करती हैं। इसके लिये वे उपभोक्ताओं को सामान्यतः इस रूप के लिये प्रोत्साहन देती हैं कि उद्योग अपने अधिकतम भार के लिये अधिक से अधिक ऊर्जा का उपभोग करें, जिससे विद्युत् कंपनी अपनी भारक्षमता के अंदर ही अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सके। इससे कंपनियों का प्रति यूनिट खर्च घट जाता है और अंततः उपभोक्ताओं की दरें भी घटाई जा सकती हैं।

उद्योग के लिये बिजली की दर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उद्योग अच्छे से अच्छे उत्पादन और कम में कम मूल्य के आधार पर ही पनप सकता है। अधिकांश उद्योग विद्युत् को ही चालक शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्युत् का संभरण विश्वसनीय रूप में और कम से कम खर्च में हो। देश का औद्योगिक भविष्य इस महत्वपूर्ण चालक शक्ति के वाणिज्यिक दृष्टिकोण की सफलता पर निर्भर करता है। [ रा० कु० ग० ]

**विद्युन्मृत्यु** मृत्युदंड देने की विधि है, जिसका उपयोग पहली बार न्यूयॉर्क में ६ अगस्त, १८६० ई० को हुआ था। माना जाता है कि इस विधि में मृत्यु बिना कष्ट के तत्काल होती है। इसके प्राकृतिक उत्स्कार में २३०० वोल्ट, एकल प्रावस्था (single phase), ६० साइकिल (cycle) प्रत्यावर्ती धारा का एक प्रेरण वोल्टता (induction voltage) नियंत्रक और स्वपरिणामित्र (autotransformer) होता है। साथ ही आवश्यक स्विच और मीटर होते हैं। यह संयंत्र विद्युन्मृत्यु कुर्सी को, जिसपर दंडित व्यक्ति को बैठाया जाता है, २,००० वोल्ट की धारा प्रदान करता है और उसके सीने, भुजाओं, उर संधि, टखने और पिडली के बीच के पतले भाग को पट्टे से सुरक्षित रूप से बाँध दिया जाता है। उसके सिर के लिये टेक भी व्यवस्था होती है और चेहरे पर नकाब डाली जाती है। नम, स्पंज-रेखित (sponge lined) और समुचित रूप में ढले इलेक्ट्रोडों को सिर और एक पैर की पिडली पर पट्टे द्वारा कसकर बाँध देते हैं। प्रारंभ में २,००० वोल्ट धारा का आघात दिया जाता है और फिर इसे तुरंत घटाकर ५०० वोल्ट कर दिया जाता है। ३० सेकंड के अंतर पर दो मिनट तक धारा को घटाया बढ़ाया जाता है। इस बीच चार से आठ ऐंपियर तक की धारा प्रवाहित की जाती है।



स्विच खोल दिए जाते हैं और आधिकारिक डाक्टर शरीर की परीक्षा करके उसे कायमन मृत करार देता है। विद्युन्मृत्यु के दौरान व्यक्ति उत्सुक निश्चेत हो जाता है, मृत मरने की क्रिया बिना कष्ट के पूरी होती है। धारा के प्रथम संपर्क में ही परिसंचरण और श्वसन बंद हो जाते हैं। देर तक धारा के अनुप्रयोग से जैव क्रियाओं का स्थायी अपविन्यास ( derangement ) हो जाता है और उनमें पुनरुज्जीवन की कोई संभावना नहीं रह जाती। मृत्यु के कुछ मिनट बाद तक मेरुदंड और पैर पर बेंचे इलेक्ट्रोड के निचट १२०° से १२८° फारेनहाइट तक, या इससे भी अधिक ताप पाया जाता है। [ नि० न० गु० ]

**विधि आयोग ( Law Commission, लॉ कमीशन )** विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिये राज्य सरकार आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती है; इन्हे विधि आयोग कहते हैं। भारत में भूतकाल में चार आयोग कार्य कर चुके हैं, पंचम आयोग ५ अगस्त, १९५५ को बना। इसका भी कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है।

प्रथम आयोग १८३३ के चार्टर ऐक्ट के अंतर्गत सन् १८३४ में बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था किंतु विधि पारित करने के लिये कोई एकमेव सत्ता न थी, न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र अस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए लार्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिये एक विधि आयोग की निमित्त पर बल दिया।

प्रथम आयोग के चार सदस्य थे जिसमें मैकाले अध्यक्ष थे। इस आयोग को वर्तमान न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र एवं नियमावलि, तथा ब्रिटिश भारत में प्रचलित समस्त विधि के विषय में जांच करने, रिपोर्ट देने और जाति, धर्मादि को ध्यान में रखकर उचित सुझाव देने का कार्य सौंपा गया।

सर्वप्रथम हम आयोग का ध्यान आपराधिक विधि की ओर आकर्षित हुआ। बंगाल तथा मद्रास में इस्लामिक दंडविधि प्रचलित थी जो अपने आदिमपन एवं अविचारिकता के कारण सर्वथा अनुपयुक्त थी। मैकाले के पथप्रदर्शन में प्रथम आयोग ने भारतीय दंडसंहिता का प्रारूप प्रस्तुत किया किंतु कारणवश उसे विधि का रूप न दिया जा सका।

भारत का सिविल ला भी अस्तव्यस्त दशा में था। उसपर दी गई रिपोर्ट, जिसे देशीय विधि ( लेक्स लोसाइ ) रिपोर्टें नाम दिया गया, अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई किंतु वह गहन विवाद का विषय बनी रही। उसका केवल एक खंड ही पारित हुआ—जाति नियंत्रण निवारक विधि। मैकाले के अवकाशप्राप्त होते ही यह आयोग भी निष्क्रिय हो गया।

द्वितीय आयोग की नियुक्ति १८५३ ई० के चार्टर के अंतर्गत हुई। इसे प्रथम आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों, एवं न्यायालय तथा न्याय-प्रक्रिया के सुधार हेतु आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का परीक्षण

कर रिपोर्टें देने का कार्य सौंपा गया। इस आयोग के आठ सदस्य थे।

अपनी प्रथम रिपोर्ट में आयोग ने फोर्ट विलियम स्थित सर्वोच्च न्यायालय एवं सदर दीवानी और निजामत अदालतों के एकीकरण का सुझाव दिया, प्रक्रियारमक विधि की संहिताएँ तथा योजनाएँ प्रस्तुत कीं। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर प्रांतों और मद्रास तथा बंबई प्रांतों के लिये भी तृतीय और चतुर्थ रिपोर्टें में योजनाएँ बनाईं। फलस्वरूप १८५६ ई० में दीवानी व्यवहारसंहिता एवं लिमिटेशन ऐक्ट, १८६० में भारतीय दंडसंहिता एवं १८६१ में आपराधिक व्यवहार-संहिता बनी। १८६१ ई० में ही भारतीय उच्च न्यायालय विधि पारित हुई जिसमें आयोग के सुझाव साकार हुए। १८६१ में दीवानी संहिता उच्च न्यायालयों पर लागू कर दी गई। अपनी द्वितीय रिपोर्ट में आयोग ने संहिताकरण पर बल दिया, किंतु साथ ही यह सुझाव भी दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के वैयक्तिक कानून को स्पर्श करना बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा। यह कार्य फिर एक शताब्दी के बाद ही संपन्न हुआ। इस आयोग की आयु केवल तीन वर्ष रही।

तृतीय आयोग की नियुक्ति का प्रमुख कारण द्वितीय आयोग का अल्पायु होना था। सीमित समय में द्वितीय आयोग कार्य पूर्ण न कर सका था। तृतीय आयोग १८६१ में निमित्त हुआ। इसके संमुख मुख्य समस्या थी मौलिक दीवानी विधि के संग्रह का प्रारूप बनाना। तृतीय आयोग की नियुक्ति भारतीय विधि के संहिताकरण की ओर प्रथम पग था।

आयोग ने सात रिपोर्टें दीं। प्रथम रिपोर्टें ने प्रागे चलकर भारतीय दाय विधि १८६५ का रूप लिया। द्वितीय रिपोर्ट में था अनुबंध विधि का प्रारूप, तृतीय में भारतीय पराम्प्य-करण विधि का प्रारूप, चतुर्थ में विशिष्ट अनुतोष विधि का, पंचम में भारतीय साक्ष्य विधि का एवं षष्ठ में सपत्ति हस्तान्तरण विधि का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। सप्तम एवं अंतिम रिपोर्टें आपराधिक संहिता के संशोधन के विषय में थी। इन रिपोर्टों के उपरांत भी उन्हें विधि का रूप देने में भारतीय शासन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। १८६६ में इस विषय की ओर आयोग के सदस्यों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित भी किया। किंतु परिणाम कुछ न निकला। इसी बीच सदस्यों तथा भारत सरकार के मध्य अनुबंध विधि के प्रारूप पर मतभेद ने विकराल रूप ले लिया, फलतः आयोग के सदस्यों ने असंतोष व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार तृतीय आयोग समाप्त हो गया।

चतुर्थ आयोग के जन्म का भी मुख्य कारण तृतीय आयोग के समान द्वितीय आयोग की द्वितीय रिपोर्ट थी। भारत सरकार ने अनेक शाखाओं के विधि प्रारूप का कार्य विटली स्टोक्स को सौंपा था जो १८७६ ई० में पूर्ण किया गया। इसकी पूर्ति पर सरकार ने एक आयोग इन विधेयकों की धाराओं का परीक्षण करने तथा मौलिक विधि के शेष अंगों के निर्दिष्ट सुझाव देने के लिये नियुक्त किया। यही था चतुर्थ आयोग। इसकी जन्मतिथि थी ११ फरवरी, १८७६ और सदस्य थे विटली स्टोक्स, सर चार्ल्स टर्नर एवं रेमंड वेस्ट।

इस आयोग ने ती मास में अपनी रिपोर्ट पूर्ण कर दी। उसने कहा कि भारत में विधिनिर्माण के लिये आवश्यक तत्वों का अभाव है अतएव मूल सिद्धांत आंग्ल विधि से लिए जायें किंतु यह आगमन सीमित हो ताकि वह भाग्य की विरोधी परिस्थितियों में उपयुक्त एवं उपयोगी हो, संहिताओं के सिद्धांत विस्तृत, सादे एवं सरलतया समझ में आ सकनेवाले हों। विधि सर्वत्र अभिन्न हो, तथा विकृति विषयक विधि का निर्माण हो।

इन सिफारिशों के फलस्वरूप व्यवस्थापिका सभा ने १८८१ ई० में परक्राम्यकरण, १८८२ में न्यास, संपत्ति हस्तांतरण और सुखभोग की विधियो तथा १८८२ में ही सम्बन्ध विधि, दीवानी तथा प्रापराधिक व्यवहार संहिता का संशोधित संस्करण पारित किया। इन सभी संहिताओं में वैधम के सिद्धांतों का प्रतिबिम्ब झलकता है। इन संहिताओं को भारत की विधि को अस्पष्ट, परस्परविरोधी तथा अनिश्चित अवस्था से बाहर निकालने का श्रेय है। चारों आयोगों के परिश्रम से ही प्रथम आयोग के समुल्ल उपस्थित किया गया कार्य संपन्न हो सका।

५ अगस्त, १९५५ को पंचम आयोग की घोषणा भारतीय संसद में हुई। इसका कार्य पूर्ण आयोगों से भिन्नता लिए हुए था। उनका मुख्य कार्य था नवनिर्माण, इसका था संशोधन। इसके अध्यक्ष थे श्री सीतलवाड और उनके अतिरिक्त १० अन्य सदस्य थे।

इसके समक्ष दो मुख्य कार्य रखे गए। एक तो न्याय शासन का सर्वतोमुखी पुनर्योजन और उसमें सुधार हेतु आवश्यक सुझाव, दूसरा प्रमुख केंद्रीय विधियों का परीक्षण कर उन्हें प्राधुनिक अवस्था में उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करना। प्रथम समस्या पर अपनी चतुर्दश रिपोर्टों में आयोग ने जांच के परिणामस्वरूप उत्पन्न विचार व्यक्त किए। इस रिपोर्ट में आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तथा अधीन न्यायालय, न्याय में विलंब, वादनिर्णय, डिक्री निष्पादन, शासन के विरुद्ध वाद, न्यायालय शुल्क, विधिशिक्षा, वकील, विधिसहायता, विधि रिपोर्ट, एवं न्यायालय की भाषा आदि महत्वपूर्ण विषयों पर मत प्रगट किए।

अपने कार्य के दूसरे पक्ष में विधि आयोग ने अनेक प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत किए हैं। यह सभी अत्यंत खोजपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। जिन विषयों पर अब तक रिपोर्टें आ चुकी हैं उनमें प्रमुख हैं दुष्कृति में शासन का दायित्व, बिक्रीकर संबंधी संसदीय विधि, उच्चन्यायालयों के स्थान से संबंधित समस्या, ब्रिटिश विधि जो भारत में लागू है, पंजीकरण विधि १९०८, भांगिता विधि १९३२ एवं भारतीय साक्ष्य विधि, इत्यादि।

सं० अं० — बी० के० आचार्य : कोडिफिकेशन इन ब्रिटिश इंडिया; रेन्किन : बैचग्राउंड टु इंडियन ला; एम० पी० जैन : इंडियन लीगल हिस्ट्री; रिपोर्ट्स — ला कमीशन ( पांचवां ) ।

[ अ० कि० श० ]

**विधि और जनमत** विधि ( ला ) सामाजिक नियंत्रण की क्रिया है। यह नियंत्रण आचार व्यवहार के वे अधिकृत नियम हैं जो सामाजिक जीवन में सहज सुविधा और सुलभ शांति प्रस्तुत कर उसकी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। विधि मनुष्यकृत है, उसकी सुविधा

हेतु साधन मात्र है, कोई देवी अथवा बाह्य तथ्य नहीं। फलतः मनुष्य विधि के लिये नहीं बरन् विधि मनुष्य के लिये है—यद्यपि विधि समाज को नियंत्रित करती है, तथापि यह नियंत्रणबंधन समाज की इच्छा के अनुसार होता है। समाज की सामूहिक इच्छा सामाजिक नियंत्रीकरण में हर देश काल में किसी न किसी रूप में सदा एक मान्य शक्ति रही है। जनमत वह संगठित शक्ति है जो समाज के सतत मान्य परंपरागत आदर्शों और अनुभूतियों का प्रतिरूप होती है एवं उस समाज की तात्कालिक भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। जनमत प्रवैगिक और स्थैतिक दो प्रकार का होता है। प्रवैगिक जनमत परंपरागत रूढ़ियों तथा आदर्शों और व्यवहार पर आधारित होता है, स्थैतिक जनमत स्थायी भावना उद्गारों एवं उनके विज्ञापन से संबंधित होता है। इमालिये प्रति दिन निरंतर नया रूप धारण करता रहता है, धर्म की पुकार, अनन्य साहस का आकर्षण या प्रेरणात्मक साहित्य का लालित्य देश काल के अनुसार समय समय पर जनमत बनाने में सहायक या साधन रूप रहे हैं। बीमवीं शताब्दी के यंत्रयुग में पत्रकारिता जनमत को मुखरित करने में मुख्यत भागी है। यह अनाटघ सत्य है कि सामाजिक सस्थाओं का निर्माण समाज के विश्वास और अनुभूतियों पर निर्भर रहा है। विधि सामाजिक सुविधा हेतु नियंत्रणप्रणाली होने के नाते एक सामाजिक संस्था है। इसी कारण विधिसंचालक अथवा विधिकार सदा जनमत से बल प्राप्त करते हैं। विधि के संपर्क में जनमत का अभिप्राय है लोक सजगता एवं सतर्कता जो विधि का औचित्य सतुलित कर यह निश्चित कर सके कि कौन विधिनियम हितकारी है और निमित्त करने योग्य है और कौन विधिनियम लोक हितकारी नहीं है इस लिये निष्कृत कर देने योग्य है। इस जाग्रत अवस्था का जनमत विधि का आधार होना चाहिए। किंतु ऐसा प्राय होता नहीं, बहुधा त्रुटिपूर्ण जनमत विधि का आधार होता है। ऐसे भ्रमात्मक जनमत का कारण कभी अज्ञान और कभी भय दोनों ही होते हैं—जैसे प्राचीन काल में दासप्रथा की विधि जनमत पर अवश्य निमित्त थी किंतु यह जनमत त्रुटिपूर्ण, अज्ञान और भय मिश्रित आधार था। ऐसे मत को वास्तविक अर्थ में जनमत कहना ही व्यर्थ है। सजग जिज्ञासापूर्ण मत ही वास्तविक जनमत है जो विधि के संबन्ध में क्रियात्मक हो सकता है। इसका अभाव प्राय इसलिये होता है कि हर देश या समाज में इतनी ताकिक सजगता नहीं होती। अधिकतर मनुष्य चिंतन द्वारा नहीं बरन् रूढ़िगत अभ्यासों और भावनाओं द्वारा कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में बौद्धिक विवेचना के लिये स्थान ही नहीं होता—बहुधा ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं जहाँ विधिनिर्माण अथवा परिवर्तन जनसाधारण के बहुमत के नितान्त विरुद्ध हुए हैं। यह विधिनियम एक या कुछ थोड़े से व्यक्तियों की चेष्टा से निर्मित हुए। कहीं यह इसलिये संभव हुआ कि इन गिने चुने व्यक्तियों या एक व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना खोजपूर्ण था कि वह प्रभावशाली बना, कहीं संपूर्ण समाज का इतना दुर्बल स्तर था कि वे सफल हो गए। भारत में ब्रिटिश राज्य में भारतीयों के प्रति हानिकारक विधियों का निर्माण होता रहा, इसका कारण देश की सामूहिक दुर्बलता थी। तुर्किस्तान में कमाल पाशा अतातुर्क ने अकेले विधिसंचालन किया जो देश की भावनाओं के विरुद्ध था, उसका कारण उसका निजी व्यक्तित्व था। इतना

अवश्य है कि अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को देश का जनमत न प्राप्त होते हुए भी काल का या युग का मत प्राप्त होता है। इस युगकालीन बहुमत के आधार पर ही इनकी विधिरचना सफल हो पाती है। अबाहम लिकन के साथ दक्षिणी अमरीका के भूस्वामी नहीं थे किन्तु युग की वाणी थी, जिसके बल पर दासप्रथा मिटाने की विधि वह बना सके। अनुभव से ज्ञात होता है कि युग की वाणी या शताब्दी का जनमत देश या स्थान के जनमत से अधिक प्रभावशाली, शक्तिमान् और क्रियात्मक होता है। यह कदापि सभव नहीं कि देश, काल दोनों के बहुमत के विरोध में कोई विधिनिर्माण सफल हो सके। भारत के इतिहास में अति विद्वान् और अति असफल सम्राट् मोहम्मद तुगलक का दृष्टांत इस बात का चोतक है। उसके सुधार अति मौलिक थे, किन्तु देश और काल दोनों के बहुमत से परे थे इसीलिये वे असफल हुए। प्रायः देश में समुचित प्रतिनिधित्ववाले विधानमंडल की अनुपस्थिति भी विधि में जनमत का अभाव उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति विद्रोहात्मक होती है। फ्रांस और अमरीका दोनों देशों में इसी प्रकार उचित प्रतिनिधित्व-युक्त विधानमंडल के अभाव के कारण जनमत के विरुद्ध विधि-निर्माण होता रहा जिसका अंत विद्रोह और विप्लव में हुआ। इन दृष्टान्तों से सिद्ध है कि अनेक स्थितियों में, वास्तविक अर्थ में, जनमत विधि का आधार नहीं भी होता।

इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि यथार्थ में किसी भी समाज में सामाजिक जीवन में क्रियाशील भाग लेनेवाले व्यक्ति पूर्ण समुदाय नहीं, थोड़े से लोग ही होते हैं। विधिनिर्माण में इन्हीं का मत प्रभावात्मक होता है। जैसे इस सक्रिय समूह की अग्रणीत अक्रिय सामाजिक इकाइयों का सदा भय बना रहता है कि कहीं इनकी कोई चेष्टा उस बृहत् जनसमाज की मान्यताओं के उतने विरुद्ध न हो कि वह विद्रोह कर उठे। अतएव साधारणतया जिस जनमत के आधार पर विधिरचना होती है वह सामाजिक शासकों के बौद्धिक चिंतन और जनसाधारण के मनोभावों का एक अद्भुत मिश्रण या समझौता सा होता है। इस समझौते का रूप निश्चय ही दोनों वर्गों की निजी शक्ति पर निर्भर करता है। ब्रिटेन की जनसाधारण चेतना इतनी सजग थी कि नई विधियाँ तक का विरोध हुआ और भारत में ब्रिटिश राज्य में भारतीयों के विरुद्ध बनी किसी विधि का अथवा स्वराज्य में भारतीय परंपरा के नितांत विरुद्ध बनी विवाह, समुक्त परिवार और दत्तक अधिकार संबंधी विधि का भी विरोध नहीं हुआ। इसका कारण केवल भारतीय जनसाधारण की अक्रियात्मक सुप्त मनोदशा है। यहाँ पुनः इन विधियों के मूल में देश का नहीं युग के जनमत का बल स्पष्ट है।

प्रश्न का दूसरा रूप यह भी है कि अनेक कारण और प्रेरणाएँ एक ओर अपना महत्व रखती हैं और मनुष्य की निजी स्वार्थ प्रेरणा दूसरी ओर अपना प्रभाव और महत्व रखती है। व्यक्ति ही विधिकार होते हैं और विधिरचना के समय उनका स्वभाव मनुष्य का ही होता है, वीतरागी का नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि आदिकाल से विधिनियमों में व्यक्तिविशेष या समूहविशेष का हित और स्वार्थ सदा अंकित रहता है। विधिकार अपने निजी समूह विशेष का हित लक्ष्य रूप बना लेता है। मध्यकालीन शताब्दी युग

भूस्वामियों का था, उस काल की विधिरचना में भूस्वामियों के हित पूर्णतया सुरक्षित हैं। उपनिवेशों और परतंत्र भागों की विधि में श्वेत वर्ग के स्वार्थरक्षक नियम हैं। यह समूह कभी सामाजिक और कभी राजनीतिक वर्ग के होते हैं जिनके वश में विधिरचना होती है किन्तु इन समुदायों का निजी स्वार्थ का दृष्टिकोण भी तरकाशील वातावरण, एवं युग की वाणी के अनुरूप ही होना स्वाभाविक है। अतएव अंत में विधि का रूप सदा किसी न किसी प्रकार युग, काल अथवा देश के वातावरण और मतानुकूल ही निर्धारित होता है तथा यह स्पष्टतया सिद्ध है कि विधि का आधार जनमत ही है।

[रा० कु० अ०]

**विधिक वृत्ति ( Legal Profession )** विधि का स्वरूप और निर्माण स्वभावतया विधिकारों से संबद्ध और संतुलित होता है। विधि का रूप तभी परिष्कृत एवं परिमार्जित हो पाता है जब उस देश की विधिक वृत्ति पुष्ट और परिष्कृत होती है। प्राचीन आदिमयुग में समाज की संपूर्ण क्रियाशक्ति मुखिया के हाथ में होती थी। तब विधि का स्वरूप बहुत आदिम था। ज्यों ही न्यायप्रशासन व्यक्ति के हाथ से समुदायों के हाथ में आया कि विधि का रूप निखरने लगा, क्योंकि अब नियम व्यक्तिविशेष की निरकुश मनोवाछ्छाएँ नहीं, सार्वजनिक सिद्धांत के रूप में होते। विधि के उत्कर्ष में सदा किसी समुदाय की सहायता रही है। मध्य एशिया में सर्वप्रथम न्यायाधीशों, धर्मप्रधान देशों में धर्मपंडितों, मिस्र और मेसोपोटामिया में न्यायाधीशों, ग्रीस में अधिवक्ताओं और पदों, रोम में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं न्यायविशेषज्ञों, मध्यकालीन ब्रिटेन और फ्रांस में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं एटर्नी तथा भारत में विधिपंडितों ने सर्वप्रथम विधि को समुचित रूप दिया। प्रत्येक देश का क्रम यही रहा है कि विधिनिर्माण क्रमशः धर्माधिकारियों के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर विधिकारों के क्षेत्र में आता गया। विधिविशेषज्ञों के शुद्ध बौद्धिक चिंतन के समुक्त धर्माधिकारियों का अनुशासन क्षीण होता गया। प्रारंभ में व्यक्ति न्यायालय में स्वयं पक्षनिवेदन करते थे, किसी विशेषज्ञ द्वारा पक्षनिवेदन की प्रथा नहीं थी। विधि का रूप ज्यों ज्यों परिष्कृत हुआ उसमें जटिलता और प्राविधिकता आती गई, अतः व्यक्ति के लिये आवश्यक हो गया कि विधि के गूढ़ तत्वों को वह किसी विशेषज्ञ द्वारा समझे तथा न्यायालय में विधिवत् निवेदन करवाए। कभी व्यक्ति की निजी कठिनाइयों के कारण भी यह आवश्यक होता कि वह अपनी अनुपस्थिति में किसी को प्रतिनिधि रूप में न्यायालय में भेज दे। इस प्रकार वैयक्तिक सुविधा और विधि के प्राविधिक स्वरूप ने अधिवक्ताओं (एडवोकेट्स) को जन्म दिया। पारश्चात्य एवं पूर्वी दोनों देशों में विधिज्ञाताओं ने सदा से समाज में, विद्वान् होने के कारण, बड़ा समान प्राप्त किया। इनकी स्थिति और प्रतिष्ठा से आक्रुष्ट होकर समाज के अनेक युवक विधिज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे। क्रमशः विधिविशेषज्ञों के शिष्यों की संख्या में वृद्धि होती गई और विधिसंमति प्रदान करने के अतिरिक्त इनका कार्य विधिदीक्षा भी हो गया। फलस्वरूप इन्हीं के नियंत्रण में विधि-शिक्षा-केंद्र स्थापित हुए। विधि समति देने अथवा न्यायालय में अन्य का प्रतिनिधि बन पक्षनिवेदन करने का यह पारिश्रमिक भी लेते थे। क्रमशः यह एक उपयोगी व्यवसाय बन गया। प्रारंभ में

धर्माधिकारी तथा न्यायालय इस विधिक व्यवसाय को नियंत्रित करते थे किन्तु कुछ समय पश्चात् व्यवसाय तनिक पुष्ट हुआ तो इनके अपने-संघ बन गए, जिनके नियंत्रण से विधिक वृत्ति शुद्ध रूप में प्रगतिशील हुई। विधिक वृत्ति में सदा दो प्रकार के विशेषज्ञ रहे— एक वह जो अन्य व्यक्ति की ओर से न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर पक्षनिवेदन करते, दूसरे वह जो न्यायालय में जाकर अधिवक्तृत्व नहीं करते किन्तु अन्य सब प्रकार से दावे का विधि-दायित्व लेते। यही भेद आज के सौलिसिटर तथा ऐडवोकेट में है। विधिक वृत्ति की प्रगति को यह रूपरेखा प्रायः सब देशों में रही है।

### रोमन विधिक वृत्ति

वैयक्तिक सुविधा और विधि की जटिलता को लक्ष्य कर रोम में विधिविशेषज्ञों से विधिसंमति लेने की प्रथा स्थापित हुई। विधि-ज्ञाता अपने उच्चतर ज्ञान द्वारा जनसाधारण की सहायता करते। अतुर विधिज्ञाता वादी या प्रतिवादी एक पक्ष को विधि के अनुकूल वक्तव्य रटा देते, वह उन्हीं शब्दों में न्यायालय में अपना पक्ष निवेदन करता। इस सहायता के लिये यह पारिश्रमिक भी लेते। रोमन युवक इस व्यवसाय की ओर आकृष्ट हुए और विधि का अध्ययन करने लगे। ३०० ई० पू० के पार्श्वकाल में विधिविशेषज्ञ वादी या प्रतिवादी को वक्तव्य लिखकर देने के स्थान पर उनके प्रतिनिधि बन न्यायालय में उनका पक्ष निवेदित करने लगे। सिसरो इसी प्रकार के एक प्रमुख अधिवक्ता थे। प्रमुख अधिवक्ताओं के संसर्ग में रहनेवाले युवक विधिशास्त्र ग्रहण करते। इन वैयक्तिक शिक्षा केंद्रों में यह विशेषज्ञ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देते अतएव यह अधिवक्ताओं के ऋणा भी थे। इन वैयक्तिक शिक्षाकेंद्रों के अतिरिक्त यूरोप और मध्य यूरोप में अन्य विधि-शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। एथेंस, एलगजाड्रिया, फ्लुस्तुनतुनिया तथा बेरूत में ५ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ऐसे केंद्रों का वर्णन मिलता है। शिक्षाकेंद्रों के प्रादुर्भाव के साथ ही यह नियम भी बना कि अधिवक्ता पद ग्रहण करने के लिये इन केंद्रों में निश्चित काल की उपस्थिति एवं प्रमाणपत्र अनिवार्य है। यह अर्थात् कही चार तथा कही पाँच वर्ष तक निर्धारित थी। आटोमन साम्राज्य काल की समृद्धि में इटली, बेविया, मिलान इत्यादि में विधिक वृत्ति की शिक्षा होती रही। बारहवीं शताब्दी में रेनार्सा के साथ रोम की विधिशास्त्र की पुनर्जाति हुई तथा समस्त यूरोप में विधिक वृत्ति के शिक्षालय निमित्त हुए।

### फ्रांस में

फ्रांस में भी अधिवक्ता और विधि सहायक दो प्रकार के विधि-वृत्तिकार थे। तेरहवीं शताब्दी से अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधि रूप में पक्षनिवेदन आरंभ कर दिया था। चौदहवीं शताब्दी में अधिवक्ता इतने लोकप्रिय हो गए थे कि इनकी पक्षनिवेदन की विधिबत् स्वीकृति मिल गई और इनके नियंत्रणार्थ राज्य द्वारा एक विधि नियम बना। इसके अनुसार इन्हें सद्ब्यवहार की शपथ ग्रहण करनी पड़ती तथा राज्य को कुछ कर देना पड़ता। इन्हें उचित पारिश्रमिक देने की अनुमति प्राप्त थी। साधारणतया अब सब न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा ही पक्षनिवेदन किया जाता। अधिवक्ता संघ भी

थे जो कालांतर में इतने शक्तिशाली हुए कि अधिवक्ता वृत्ति का व्यवहार संचालन और नियंत्रण करने लगे। केवल इनके सदस्यों को ही पक्षनिवेदन करने का एकाधिकार प्राप्त था।

### इंग्लैंड में

इंग्लैंड में तेरहवीं शताब्दी में शुद्ध विधिक वृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इससे पूर्व विधिक वृत्ति धार्मिक संस्थाओं से संबन्धित थी। अधिवक्ता और विधि सहायक का भेद यहाँ भी विद्यमान था। आरंभ में न्यायालय की विशेष अनुमति प्राप्त कर ही अधिवक्ता द्वारा पक्षनिवेदन किया जाता; क्रमशः यह साधारण व्यवहार बन गया। एडवर्ड प्रथम के काल से अधिवक्ता के विरुद्ध पक्ष के प्रति असावधानी तथा धोखे का दावा चल सकता था। कामन ला अधिवक्ता तथा धार्मिक संस्थाओं के अधिवक्ताओं में भेद किया गया तथा उन्हें कामन ला न्यायालयों में विशेष अवसरों के अतिरिक्त वक्तृत्व का अधिकार नहीं रहा। ईयर बुक के अनुसार तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में ही देश में अधिवक्ता सहाय समुचित रूप धारण कर चुका था तथा इंग्लैंड की विधिप्रणाली की मुख्य शक्ति था। इसी समय इनके दो भेद हुए, सार्जेंट तथा प्रॉटिस। जो राज्य की ओर से दावों में पक्षनिवेदन करते वे सार्जेंट (राज्यसेवक) कहलाए, दूसरे प्रॉटिस माने गए। सार्जेंट को प्रॉटिस से अधिक सुविधाधिकार प्राप्त थे। ईयर बुक संभवतः इन्हीं की संपादित है। अधिवक्ता और पक्षों के बीच एक समझौता होता, जिसका प्रवर्तन न्यायालय में विधिबत् असावधानी या किसी अन्य दोष के लिये हो सकता था। अधिवक्ता संघ 'इन' कहलाते। मुख्य के नाम थे, लिफन इन, ग्रेज इन दि इनर टेंपल, दि मिडिल टेंपल। इन संघों में इंग्लैंड की विधि की शिक्षा दी जाती जो विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती थी। अतएव ये विधि व्यवसाय के शिक्षालय भी थे। इनमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती। पंद्रहवीं शताब्दी तक ये संघ पुष्ट हो चुके थे। शिष्यों को अधिवक्तृत्व का प्रमाणपत्र देने का इन्हें एकाधिकार प्राप्त था। इन्हीं की आज्ञा से अटर्नी पक्षनिवेदन के अधिकार से वंचित हुए। यह भेद आज के सौलिसिटर तथा अधिवक्ता में विद्यमान है, प्रथम सौलिसिटर तथा दूसरा बैरिस्टर के नाम से प्रचलित है। इंग्लैंड की विधिक वृत्ति का एक विशेष रूप यह है कि जहाँ अन्य यूरोपीय देशों में विधिशास्त्र, शिक्षालयों द्वारा नियंत्रित हुई, यहाँ विधि वृत्ति संघों ने विधिशास्त्र का दायित्व ग्रहण कर इसे नियंत्रित किया। अतएव इंग्लैंड में विधि धार्मिक अक्रुश से स्वाधीन हो शुद्ध रूप में प्रगतिशील हो पाई।

### भारत की स्थिति

भारतीय आर्य परंपरा के अनुसार आदिकाल से विधिपूर्ण न्याय की अपेक्षा की जाती थी। न्यायकारी के रूप में राजा सर्वदा विधि-प्राबद्ध होता। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित, विधिज्ञाता, एवं धर्मसूत्रकाल में विधिपंडितों एवं उनकी सभाओं की सहायता से न्यायप्रशासन होता। गौतमसूत्र में इस प्रकार का विधिज्ञाता प्राड्विवाक के नाम से वर्णित है जिसने संभवतः क्रमशः न्यायाधीश का रूप लिया। वृहस्पति का कथन है कि न्यायालय के समक्ष ऋटिपूर्ण याचिका अस्वीकृत हो जाती। इससे स्पष्ट है कि

विधि का रूप बहुत कुछ प्राविधिक हो चुका था तथा न्याय कार्य में विधिविशेषज्ञों की सहायता आवश्यक थी। किंतु यह विधिसहायक राज्य द्वारा नियुक्त होते तथा समाज में यह एक प्रमुख व्यवसाय था किंतु आधुनिक अधिवक्ता का परिचय इस काल में नहीं मिलता। विधिक प्रतिनिधि द्वारा पक्षनिवेदन की प्रथा नहीं थी। न्यायालयों में राजकीय विधिपंडित, तथा समाज में विधिज्ञाता होते, जिनसे विधिक सहायता लेने की प्रथा अवश्य थी। बहुधा यह पारिश्रमिक भी लेते।

यवनों ( विदेशियों ) के आगमन के पश्चात् न्यायप्रशासन यवन या मुसलिम पथा के अनुसार होने लगा। यवन प्रथा के अनुसार भी स्पेन, तुर्किस्तान, ईरान में इस्लाम राज्य के आरंभ में अधिवक्ता की प्रथा नहीं मिलती। काजी, मुपती, मुज्तहिद विधिज्ञाता होते, जिनकी सहायता से कुरान एवं इज्मा के अनुकूल न्याय किया जाता। सुबुक्तगीन, महमूद गजनी तथा मोहम्मद गोरी ने यही प्रथा भारत में प्रचलित की। इबनबतूता के कथनानुसार तुगलक काल में वकील का वर्णन मिलता है। अकबर के राज्यकाल में वकील प्रथा थी या नहीं, इसपर मतभेद है। इनका वर्णन वैसे फिख्रए फीरोजशाही तथा फतवा ए आलमगीरी में है। औरंगजेब के राज्यकाल में वकील प्रथा थी, यह प्रमाणित है। नियम था कि दोनों पक्षों की तथा उनके वकीलों की अनुपस्थिति में दावा अस्वीकृत हो जाता। इतिहासकार वादौनी, राय अरजानी नामक एक हिंदू वकील का वर्णन करना है। सर टामस रो ने भी इस काल में वकील प्रथा होने की बात की पुष्टि की है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई दावों में वकीलों द्वारा पक्षनिवेदन का वर्णन प्राप्त होता है। भारत के अंतिम स्वतंत्र शासक बहादुरशाह के समय में ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति को चतुर अधिवक्ता होने के लिये वकालत खाँ की पदवी दी गई थी। औरंगजेब के काल से ही वकील (अधिवक्ता) राजकीय तथा साधारण दोनों प्रकार के होते थे। राजकीय अधिवक्ता वकील-ए-मरकार तथा साधारण अधिवक्ता वकील-ए-शहरा कहलाते थे। वकील-ए-मरकार को एक रुपया प्रति दिन वेतन मिलता था। यह आवश्यक था कि सब अधिवक्ता वकालतनामा लेकर ही पक्षनिवेदन करें।

तत्पश्चात् ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विशेष प्रदेशों में अधिवक्ता सबधी रेग्यूलेशन धाराएँ बनीं। सर्वप्रथम १७९३ ई० में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लार्ड कार्नवालिस के उद्योग से विधिक वृत्ति व्यवस्थित हुई। इस धारा के अनुकूल इनकी अपथप्रणाली, निश्चित पारिश्रमिक, वकालतनामा द्वारा ही पक्षनिवेदन का अधिकार एवं सदर दीवानी अदालत द्वारा अधिवक्त्व की सनदप्राप्ति, सब बातें निश्चित हुईं तथा वकील एवं मुस्तार दोनों को अधिवक्त्व का अधिकार प्राप्त हुआ। १८०३ ई० में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में विधिक वृत्ति का नियम बना। १८०२ में मद्रास तथा १८०२ और १८२७ में बम्बई प्रांत में इसी प्रकार के रेग्यूलेशन नियम बने। सब प्रदेशों के लिये सार्वजनिक रूप से विधिक वृत्ति का नियंत्रण सर्वप्रथम १८४६ ई० में विधिनियम द्वारा हुआ। इसके अनुसार पूर्व नियम के विरुद्ध केवल हिंदू, मुसलमान ही नहीं किसी धर्म का अनुयायी भी अधिवक्ता हो सकता था एवं बैरिस्टरो को

मुशीम कोर्ट के अतिरिक्त सदर अदालतों में भी पक्षनिवेदन की अनुमति प्राप्त हुई। किंतु यह केवल कंपनी के न्यायालयों से संबंधित था। १८६५ ई० में विधिनियम द्वारा प्लोडर, मुस्तार, रेवेन्यू प्रतिनिधि विधिवत् रूप से अधिवक्त्व के अधिकारी हुए। १८७६ में इसका संशोधन हुआ तथा हाइकोर्ट को अधिवक्ताओं को सनद देने तथा उससे वर्जित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। १९२३ ई० में स्त्रियों को अधिवक्ता होने का अधिकार स्पष्ट हुआ। अतः देश के समस्त एवं विभिन्न श्रेणियों के अधिवक्ताओं में समानता लाने के हेतु १९२६ में इंडियन बार काउंसिल ऐक्ट पास हुआ। वर्तमान काल में बैरिस्टर सोलिसिटर ( एटर्नी ), वकील, प्लोडर, मुस्तार, रेवेन्यू एजेंट अधिवक्त्व के अधिकारी हैं। इनका नियंत्रण इनके अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल, तथा देश के विशेष नियमों एवं अधिनियमों द्वारा होता है। अन्य देशों की भाँति यहाँ भी निजी सुविधा एवं विधि प्राविधिकता के कारण अधिवक्ता का जन्म हुआ। किंतु यहाँ तीन प्रेसीडेसी टाउन के अतिरिक्त सोलिसिटर की प्रथा कहीं नहीं मिलती।

विधिक वृत्ति आरंभ में न्यायालय में विधि के गूढार्थ को स्पष्ट करने के सहायतार्थ थी। आज भी इसका मुख्य कार्य यही है। इसके अतिरिक्त आज अधिवक्ता केवल विधिविशेषज्ञ नहीं, समाज के निर्देशक भी हैं। आधुनिक समाज का स्वरूप एवं प्रगति मुख्यतः विधि द्वारा नियंत्रित होती है, और विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधि केवल सैद्धांतिक मूल नियम होती है, उसके अन्तर्गत को व्यवस्थित कर जो स्वरूप चाहें अधिवक्ता उसे प्रदान करते हैं। अतएव विधि का व्यावहारिक रूप अधिवक्ताओं के हाथों ही निर्मित होता है, जिसके सहारे समाज प्रगति करता है—विधिक वृत्ति आधुनिक समाज का मुख्य आधार स्तंभ है।

स० ग०—इ साइक्लोपीडिया ऑव सोशल साइमेज; आर० वी० पाल : इवोल्यूशन ऑव एंशंट इंडियन ला; वशीर अहमद : ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑव जस्टिस इन मेडीवल इंडिया; एम० उल्ला : ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑव जस्टिस ऑव मुस्लिम इंडिया; के० सी० चक्रवर्ती . दी लीगल प्रैक्टिसनर्स ऐक्ट, सर तेजबहादुर सप्रू (संपादक) . इ साइक्लोपीडिया ऑव दी जेनरल ऐक्ट्स ऐंड कोड्स ऑव इंडिया। [ग० कु० ग०]

**विधिक व्यक्तित्व ( Legal Personality )** विधि या कानूनन एकको को मुकदमा चलाने या जिनपर मुकदमा चलाने की सुविधा देता है, उन्हे विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। विधि संस्थाओं को बहुत समय पूर्व से ऐमा व्यक्तित्व प्राप्त था। विधिक व्यक्तित्व की प्रथा का उदय प्राचीन रोम में हुआ। वैसे ग्रीस ( ५६४ ई० पू० ), फिनीशिया ( ६०० ई० पू० ) तथा बेबीलोनिया ( २२०० ई० पू० ) में भी यह प्रचलित थी।

विधिक व्यक्तित्व सब व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सब मुकदमा चलाने या चलवाने के योग्य नहीं होते। प्राचीन काल में विदेशियों को ऐसे कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे और दासों को तो चल संपत्ति ही माना जाता था। शिशुओं और पागलों का तो अब भी सीमित व्यक्तित्व होता है। न्यूयॉर्क के विधनुसार जन्म कैदवाला कैदी एक प्रकार से मृत ही माना जाता है। दूसरी ओर

कुछ समाजों में गर्भस्थ शिशु को भी विधिक व्यक्तित्व मिल जाता है। कुछ में मानवसमूह को या फर्म को या मूर्ति जैसे निर्जीव पदार्थ को भी यह व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है। मध्य युग तक तो पक्षी और पशु भी यूरोप में अपराधी के रूप में विधि द्वारा दंडित किए जाते थे।

इंग्लैंड में १३वीं और १४वीं शताब्दी से ही काउंटी, बरो, हंड्रेड, मेनोर, मार्केट गिल्ड, ट्रेडिंग गिल्ड, डीन इत्यादि विधिक व्यक्तित्व रूप में विकसित होने लगे। प्रसिद्ध लेखक ब्रैकटन के समय सामूहिक व्यक्तित्व ( कोरपोरेट पर्सनेलिटी ) का विचार पूर्णतः स्पष्ट नहीं था, किंतु कुछ के समय तक यह निश्चित हो गया था कि एक संस्थान सामान्य विधि ( कॉमन लॉ ) या ससदीय विधि, शाही घोषणापत्र अथवा अधिकार भोग ( प्रेस्क्रिप्शन ) द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

इंग्लिश विधि ने संस्थाओं को संघात ( एग्रीगेट ) संस्थान तथा एकक ( सोल ) संस्थान में वर्गीकृत किया है। संघात संस्थान सहजीवी व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था है और एकक संस्थान, उत्तराधिकारी व्यक्तियों का संयोजित क्रम है। पहले प्रकार के संस्थान का एक उदाहरण जॉइंट स्टॉक कंपनी है और दूसरे प्रकार का पार्सन। एकक संस्थान की अपेक्षा संघात संस्थान को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एकक संस्थान का संबोध ( यूरोप के ) महाद्वीपीय विधि में स्थान न पा सका यद्यपि उसके द्वारा अन्य दो प्रकार के संस्थानों को मान्यता दी गई जो एंग्लो सेक्सन विधि द्वारा मान्य नहीं है।

भारत के व्यापारिक संस्थानों के, जिनमें सहकारी समितियों को छोड़कर बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थान संमिलित हैं, संयोजन ( इन्कारपोरेशन ), नियामन ( रेगुलेशन ) और समापन ( वार्डिंग अप ) की शक्तियाँ संसद् में निहित हैं। इसी प्रकार अन्य संस्थानों की स्थापना भी जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हो, संसद् द्वारा ही होती है। उपर्युक्त संस्थानों के प्रतिरिक्त अन्य संस्थान राज्यों द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों द्वारा भी संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं।

विधिक व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये कई दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सेविनी और सामंड ने कल्पना ( फिक्शन ) सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका कहना था कि मानव के प्रतिरिक्त अन्य वस्तुओं में व्यक्तित्व की उपस्थिति कल्पना मात्र है। समूह में अस्तित्व की वास्तविकता होती है किंतु दार्शनिक दृष्टि से उसमें वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होता। इस प्रकार केवल कल्पना स्वरूप ही राज्य, संस्थान, संस्थाएँ, प्रतिभाएँ इत्यादि अधिकारभोक्ता बने।

रियायत ( फंक्शन ) सिद्धांत कल्पना सिद्धांत का ही एक भिन्न रूप है और कल्पना सिद्धांत के कई प्रतिपादकों ने भी इसका समर्थन किया है। इसकी यह मान्यता है कि विधिक व्यक्तित्व का उदय विधि के माध्यम से ही होता है। इसलिये संस्थान को विधिक व्यक्तित्व राज्य की विधि द्वारा ही प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं।

कोष्ठक ( ब्रैकेट ) सिद्धांत के अनुसार संस्थान के सदस्य अधिकार और कर्तव्य के भोक्ता हैं, किंतु सुविधा के लिये संस्थान के संदर्भ में ये अधिकार कर्तव्य समझे जाते हैं। इस प्रकार सभी सदस्यों के अधिकार कर्तव्यों के संस्थान 'कोष्ठक' में रक्षित दिया जाता है। किंतु वस्तुस्थिति के ठीक बोध के लिये यह प्रावश्यक है कि इस कोष्ठक को हटाया जाय। हिस्सेदारों और कंपनी के सारूप्य को अस्वीकार कर यह सिद्धांत न्यायालयों को समूह का पर्दा हटाकर वास्तविक हितों को देखने की शक्ति प्रदान करता है। स्वेक फॉर्मांगन के सिद्धांत के अनुसार भी केवल मानव ही व्यक्तित्व रखते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन बेकर और ब्रिज ने भी किया। यह सिद्धांत एक प्रकार से रियायत और कल्पना सिद्धांतों की स्थिति को ही प्रतिपादित करता है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्तित्व किनी समूह के सदस्यों को नहीं दिया जाता वरन् यह किमी उद्देश्य और कार्य को प्राप्त होता है।

यथाव्यवादी अथवा आगिक ( आर्गेनिक ) सिद्धांत अन्य सब सिद्धांतों से विचारोत्तेजक है। इसे गियर्क ने प्रवर्तित किया। मेरलेड इसका समर्थक था। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामूहिक व्यक्तित्व भी उतना ही वास्तविक है जितना सामान्य प्राणियों का। सामूहिक व्यक्तित्व न तो कल्पना है और न ही यह राज्यप्रदत्त रियायत। यह इस बात को भी अस्वीकार करता है कि संस्थान के सदस्य अधिकारकर्तव्यों के वाहक हैं। संस्थान स्वयं में वास्तविक व्यक्ति है। इसकी उत्पत्ति वैयक्तिक अनुभवों के आधिक्य से नहीं होती वरन् वह विधिक व्यक्तित्व की रचना के निमित्त किए गए सामूहिक एकवाही प्रयास से होती है। यह सामूहिक प्रयास वैयक्तिक इच्छाशक्तियों को संघात स्वरूप प्रदान करता है जिससे सामूहिक व्यक्तित्व का उदय होता है। इसमें कार्य करने की योग्यता एवं निजी इच्छाशक्ति होती है। इस सारी प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय, लगता है गियर्क रूसी के वैयक्तिक इच्छाशक्ति और सामान्य इच्छाशक्ति के संबन्ध से प्रभावित हुआ है। गियर्क शरीर से समूह की उपमा देते हुए यह स्वीकार करता है कि समूह भी वास्तविक मस्तिष्क, वास्तविक इच्छाशक्ति और राज्य की वास्तविक शक्ति रखता है।

नियो काटियम केल्सन ने विशुद्ध विधि विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर सामूहिक व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। केल्सन स्वाभाविक और विधिक व्यक्तित्वों में कोई अंतर नहीं मानता। उसके अनुसार विधिक दृष्टि में व्यक्तित्व समन्वयकों का मानवीकरण है। यह कतिपय अधिकार कर्तव्य समूहों को एकता प्रदान करनेवाला केंद्र बिंदु है।

इन सिद्धांतों में यह स्पष्ट है कि ये विधिक व्यक्तित्व की केवल दार्शनिक व्याख्या अथवा सामूहिक व्यक्तित्व का राजनीतिक विवेचन मात्र हैं। यही कारण है कि ये सिद्धांत एक व्यक्ति कंपनी संस्थान के शत्रुचरित्र, प्रमुख और सहायक कंपनियों के मध्य के प्रादान प्रदान की सम्पर्क व्याख्या करने में असमर्थ हैं।

राजनीतिक दृष्टि से कल्पना सिद्धांत प्रबोध और व्यक्तिवादी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही वास्तविक व्यक्तित्व मानता

है। प्रोफेसर बॉल्क की यह मान्यता है कि यह सिद्धांत स्वतंत्र समिति के सिद्धांत के विपरीत है। रियायत सिद्धांत राज्य को समितियों को व्यक्तित्व प्रदान करने या छीन लेने की पूर्ण शक्ति देता है। यदि इस सिद्धांत का यह अर्थ लिया गया कि समस्त सामूहिक जीवन राज्यप्रदत्त रियायत का परिणाम है तो वह वस्तुस्थिति में भिन्न बात होगी। समूह सदैव रहते आए हैं। भारत में संयुक्त परिवार, रोम की परिवार पद्धति, धार्मिक और आर्थिक सगठन इत्यादि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं। यथार्थवादी सिद्धांत समूह के अस्तित्व की यथार्थता पर जोर देकर समूह की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के नीतियुक्त स्वीकरण को माँग करता है। संस्थानों को वास्तविक व्यक्ति मानना विधि के लिये उपयुक्त है किंतु यह कहना गलत होगा कि किसी समूह के बनते ही उसे व्यक्तित्व मिल जाता है, क्योंकि विधि किसी भी समूह की विकासशील स्थितियों को नहीं श्राँक सकता। उसका इस बात पर जोर देना उचित है कि समूह अपना व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिये कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करे। गियर्क के विचार हीगल से बहुत मिलते हैं। वह यह कहता है कि राज्य सर्वोच्च मस्थान है जिसकी वास्तविक इच्छाशक्ति और मस्तिष्क है और इसलिये उसे अन्य समूहों और संस्थानों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यथार्थवादी सिद्धांत उन समितियों के विधिक व्यक्तित्व को भी स्वीकार करता है जिन्हें विधिक मान्यता भी न मिली हो, यथा रोमन डच विधि जिसने कपनीज ऐक्ट के लागू होने के पूर्व ही बिल्डिंग सोसायटी को मान्यता दे दी। लेकिन यह कहना कि विधिक व्यक्तित्व वास्तविक है, समाजशास्त्रीय तथ्य नहीं है। फ्रीडमन ने उचित ही कहा है कि मानव व्यक्तित्व व्यक्तिवादिता और आत्मचेतना की अनुभूति होती है और उसमें एक अनुभव होता है किंतु सामूहिक चेतना और समूह के अनुभव केन्द्र की शोध के सभी प्रयास असफल हुए हैं।

प्रोफेसर पेटन का कहना है कि बुद्धिमत्ता से प्रयुक्त न करने पर कोई भी एक सिद्धांत गलत परिणामों की ओर ले जा सकता है। इसलिये इन सिद्धांतों को प्रयुक्त करते समय यह ध्यान में रखा जाय कि ये उसी उद्देश्य के लिये प्रयुक्त हों जिनके लिये इन्हें प्रतिपादित किया गया। दूसरे अर्थों में किसी राजनीतिक दर्शन को समर्थित करने के लिये इन्हें प्रयुक्त न किया जाए।

व्यवहार में न्यायालयों ने किसी भी सिद्धांत का अनुकरण नहीं किया यद्यपि प्रारंभ में संस्थान कदाचित् कल्पना सिद्धांत के कारण अपराध से बचते रहे। अब उस क्षेत्र के लिये भी वे उत्तरदायी हैं। कर्मचारियों के अपराधों (टोर्ट) के लिये भी इन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस विचार का कि संस्थान उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं जो उनके लिये कार्य करते हैं और सोचते हैं, अभी निश्चित निर्णय नहीं हो पाया है। यह अनिश्चित स्थिति कंपनी को उसके हिस्सेदारों के समरूप समझने की न्यायालयों की नीति की है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिस्सेदारों को कंपनी के समरूप समझने की बात को एक मामले में अस्वीकार कर दिया जब कि एक हिस्सेदार ने कंपनी के मूलभूत अधिकारों की अवहेलना की शिकायत की।

सं० अं० — फ्रीडमन : लीगल थ्योरी; पेटन : ज्यूरिसप्रूडेंस।

[ रा० क० ]

**विधिकार ( ला गिवर्स )** अमरीका के प्रसिद्ध विधिशास्त्री बीन रस्को पंड ने अपनी पुस्तक 'फिलासफी ऑव ला' की भूमिका में विधि की व्याख्या करते हुए कहा है कि विधि के संबंध में कम से कम १२ विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ की जाती हैं। ( १ ) कुछ लोग विधि को ईश्वरप्रदत्त मानते हैं। इस श्रेणी में हजरत मुसा, दस निदेश, हम्मुराबी और मनुसंहिताओं को रखा जा सकता है। ( २ ) कुछ अन्य लोग विधि को परंपराजन्य मानते हैं और उन परंपराओं की रक्षा का भार अभिजात्य वर्ग अथवा पुरोहित वर्ग पर रहता है। ( ३ ) कुछ लोग विधि को विवेकजन्य मानते हैं। ई० पू० चौथी शताब्दी में एथेंस में डेमोस्थनीज ( Demosthenes ) ने विधि की इसी प्रकार व्याख्या की थी। ( ४ ) विधि प्राकृतिक नियमों के आधार पर विकसित होती है जिसका विकास परंपरा, विवेक और दार्शनिक सिद्धांतों के योग में होता है। ( ५ ) विधि नीति अनीति सबंधी शाश्वत नियमों का रूप है। ( ६ ) विधि संगठित समाज के राजनीतिक अधिकारों और नियमों का वह रूप है जिसे समाज में लोग परस्पर एक दूसरे के लिये स्वीकार करते हैं। ( ७ ) विधि ईश्वरीय न्या है जिसका आभास ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों से मिलता है और यह ईश्वरीय तर्क और विवेक का रूप है। ( ८ ) विधि सर्वसत्तामं पन्न सत्ता का आदेश है। रोम, आग्ल, फ्रांसीसी नरेशों और अमरीकी क्रांति के बाद मंसदीय सत्ता के रूप में भी इस सिद्धांत को लागू किया गया। ( ९ ) विधि वे नियम हैं जिन्हें मानव जाति अपने विकास में सीखनी है और जिनके पालन से वह पहले से अधिक स्वतंत्रता पाने का प्रयास करती है। ( १० ) विधि प्राकृतिक दार्शनिक सिद्धांतों और तर्कप्रणाली के आधार पर विकसित ऐसे नियम हैं जिनमें व्यक्ति और समाज के हितों में संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है। ( ११ ) विधि ऐसे नियम हैं जिनको समाज का शक्तिशाली वर्ग अन्य लोगों को अपने अधीन बनाए रखने के लिये लागू करता है। इन प्रकार विधि वर्गहितों की रक्षा और स्थापना के लिये ही लागू की जाती है। ( १२ ) विधि समाज के आर्थिक और सामाजिक नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नियमों के रूप में विकसित होती है जिसमें समाज को स्थिर रखने के लिये सभी लोगों को सामान्य अधिकार देकर उनके हितों में एकरूपता और समरसता लाने का प्रयास किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाती है।

विधि संबंधी विभिन्न व्याख्याओं के कारण इस संबंध में भी मतभेद है कि किस व्यक्ति को विधिकार माना जाय और किसको नहीं। ईश्वरप्रदत्त विधि मानने पर भी उनको सत्ता में लानेवाले माध्यम का महत्व कम नहीं होता अतः हजरत मुसा, ईसा, मुहम्मद, कम्प्यूशियस, मनु आदि को इस श्रेणी में रखना पड़ेगा। यदि विधि समाज के विवेक और शील का प्रतीक है तो भी विधिकारण में व्यस्त चाहे वह विधानमंडल हो अथवा न्यायाधीश, जो परंपराओं को नवीन स्थितियों में लागू करने के लिये नई व्यवस्थाएँ देते हैं अथवा ऐसे दार्शनिक विचारक जो समाज के विश्लेषणात्मक अध्ययन

के उपरांत उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप विधि बनाने पर जोर देते हैं अथवा ऐतिहासिक विकासश्रृंखला के ऐसे नरेक, सत्तासंपन्न व्यक्ति जिन्होंने अपनी शक्ति और निदेश से नए नियमों की रचना की, उन सभी को विधिकार कहा जा सकता है।

सामान्य भाषा में विधिकार और विधायक शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। विधिकार ( Law giver ) के प्रयोग से ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है जो स्वयं विधि का निर्माण करे और विधायक किसी एक अथवा कुछ विधियों का निर्माण कर सकता है लेकिन विधायक विधि संस्थानों — संसद, विधानमंडल आदि — में बैठकर अन्य विधायकों के साथ मिलकर विधि का निर्माता होता है अतः व्यक्तिगत रूप से वह विधि का निर्माण नहीं करता। विधिकार की परिभाषा देने के पूर्व विधि संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट होना आवश्यक है। विधि के सिलसिले में कानून, सत्य, धर्म, न्याय, राइट, रेस्ट, ज़ायट आदि भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लैटिन भाषा में लेजिस्लेटर ( विधायक ) अथवा जूरिसडेटर ( न्यायनिर्माता ) शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन 'लेजेनडरे और 'थेसमोस' में ( विधि देने और प्रयुक्त विधि ) का उल्लेख मिलता है। जस्टीनियन ऐसे विधिकार को विधायक की संज्ञा दी गई है। यूनानी भाषा में भी विधिकार के संबंध में इसी भाँति प्रस्पष्टता है। 'थेसमोस' ( Thesmos ) का अर्थ एक वाक्य, सूत्र अथवा विधि किया जाता है। विधिसंहिता की नोमोस ( Nomos ) की संज्ञा दी जाती है। सोलोन ( Solon ) ने थेसमोड ( थेसमोस का बहुवचन ) की रचना की जिसे २५० वर्ष बाद अरस्तू ( Aristotle ) ने विधिकार नाम से संबोधित किया।

विधिकार के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वह दैवी रूप से अनुप्राणित हो। हम्मुराबी ( Hammurabi ) की संहिता के प्रारंभ में यह घोषणा की गई है कि देव मरदुक ( God Marduk ) ने उसे न्याय के सिद्धांतों को जनता को देने का आदेश दिया। सुमेरिया के उरुकगीना ( Urukagina ) ने निनगिरूस ( Nin-girusu ) से विधि ज्ञान पाया था। हजरत मूसा ने ईश्वर की प्रेरणा से न्याय के दस निदेशों ( Ten commandments ) की रचना की। एथेना नामक यूनानी देवता ने जैल्युकस ( Zaleucus ) को स्वप्न में विधि का ज्ञान दिया। कुछ स्थानों में विधिकार स्वर्ण कोई देवता अथवा देवतुल्य ऋषि माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में ईश्वर को ही विधिकार कहा गया है। ईसाई मत के अतिरिक्त अन्य मतों और धर्मों में ईश्वर अथवा सर्वोच्च सत्ता को विधि का मूल स्रोत माना गया है। मिस्र में मैनेस ( Manes ), रामुस द्वितीय ( Ramus ii ), बोकोरिस ( Bocchoris ) फराओह को जिन्हें पितृदेव माना गया है, उन्हें ही विधिकार भी माना गया है।

भारत में धर्म और न्याय का मूल स्रोत 'ऋत्' माना गया है। वैदिक काल में यह माना जाता था कि ऋत् चराचर जगत् का नियामक है। प्राकृतिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों का मूल स्रोत ऋत् ही है। ऋत् से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म से राजा और प्रजा दोनों बँधे रहते थे। वेदों और श्रुतियों के बाद गृह्यसूत्र और श्रौतसूत्रों को धर्मसूत्रों की संज्ञा दी जाती है। इनमें

व्यवहार और दंड की भी व्यवस्था थी। इस प्रकार भारतीय विधि का प्रारंभ इन धर्मसूत्रों से माना जाता है। मैक्समूलर और प्रोफेसर हाफकिंस के अनुसार ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक के काल में याज्ञवल्क्य ने २० ऋषियों के नामों की सूची विधिकारों के रूप में दी है। डाक्टर ब्रुहलर और डा० जाली ने गौतम, बोधायन अपस्तंब और वशिष्ठ के धर्मसूत्रों को प्राचीन विधिपुस्तकें माना है। धर्मसूत्रों के बाद मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, पितामह, यम, हरित, अंगिरस, ऋष्यशृंग, प्रजापति, संवत्, दक्ष, कर्षणाजिनि, पुनस्त्य, प्रचेता लगाक्षी, विश्वामित्र की स्मृतियों को विधिग्रथ माना गया है अतः ये लोग भारत के विधिकार माने जाते हैं।

मनु का कालनिर्धारण प्रायः १५०० वर्ष ई० पू० किया गया है। मनु ने विधि के चार स्रोत बतलाए हैं। इनमें (१) श्रुति, वेद, (२) स्मृति, (३) परंपराएँ और (४) प्रत्येक व्यक्ति की आत्मचेतना शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रुति और स्मृति में मतभेद होने पर श्रुति मान्य होती है और इन दोनों को अन्य दो स्रोतों से श्रेष्ठ माना जाता है। मनुस्मृति अथवा मनुसंहिता इनकी विधिसंहिता मानी जाती है।

याज्ञवल्क्य को कुछ लोग मनु का समसामयिक मानते हैं और कुछ लोग उनके बाद का मानते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में वही बातें कही गई हैं जिनका उल्लेख मनुसंहिता में है। याज्ञवल्क्य ने पूरी सामग्री को विभाजित कर उसे फिर से व्यवस्थित किया। याज्ञवल्क्य ने परंपराओं और सामान्य न्याय पर यथेष्ट जोर दिया है। साक्षी आदि प्रश्नों पर याज्ञवल्क्य ने अपनी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं।

नारद स्मृति की रचना मनुस्मृति के आधार पर की गई, फिर भी उसमें अनेक नई बातों का समावेश है। न्यायालयों में न्याय की कैसी व्यवस्था हो, इसका नारद स्मृति में सविस्तार वर्णन है। नारद-स्मृति ने देश के न्यायप्रशासन का वर्गीकरण कर उसको व्यवस्थित किया। मनु और याज्ञवल्क्य ने व्यवहार को १८ भागों में विभाजित किया था, उन्हें नारद ने १३२ उपविभागों में विभाजित कर उनका स्पष्टीकरण किया।

बृहस्पतिस्मृति और मनुस्मृति की समानता को लक्ष्य कर कुछ विद्वानों ने उसे 'वार्तिक' कहा। बृहस्पतिस्मृति में अनेक नियमों की व्याख्या करते हुए उन्हें समयानुकूल बनाने का भी प्रयास किया गया है। बृहस्पतिस्मृति में न्यायप्रशासन और न्यायालय व्यवस्था का नारद स्मृति की भाँति सविस्तार वर्णन किया गया है। इसमें न्यायालय के अधिकारियों की संख्या दस बताई गई है जबकि नारद स्मृति में यह संख्या आठ रखी गई है। अमात्य और पुरोहित भी न्यायालय के अधिकारी बताए गए हैं। बृहस्पतिस्मृति में स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकारी माना गया है। न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने और उसके बाद की कार्यवाहियों का भी उल्लेख है। दीवानी और फौजदारी न्यायव्यवस्था का इसमें अलग अलग उल्लेख है।

कात्यायन स्मृति का कालनिर्धारण ४००-६०० ई० के बीच में किया जाता है। बृहत्पाराशर, पुलस्त्य, पितामह और हरित स्मृतियों की रचनाएँ ४०० से ६०० ई० के बीच के समय की बताई



जाती हैं। पितामह स्मृति का उल्लेख मिताक्षरा, स्मृतिचंद्रिका और धरपरक में मिलता है। कुछ लोग यम को धर्मशास्त्रों का व्याख्याकार मानते हैं और कुछ उन्हें स्मृतिकार कहते हैं। हरित स्मृति में व्यवहार शब्द की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है।

स्मृतियों के बाद निबंधों और टीकाओं का स्थान है जिनमें स्मृतियों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। ६०० ई० के बाद प्राधुनिक काल तक किसी नवीन स्मृति की रचना का उल्लेख नहीं मिलता, केवल टीकाओं और निबंधों की रचना हुई। इसके बाद हिंदू कानून उन भागों में बँट गया जिनके नामों से हम आज परिचित हैं। इनमें मिताक्षरा और दायभाग प्रमुख हैं। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसकी रचना ११वीं शताब्दी में हुई। जामुतिवाहन ने १३वीं और १५वीं शताब्दी के बीच में दायभाग की रचना की जिसमें सभी स्मृतियों की बातें शामिल हैं। दायभाग कानून केवल बंगाल में चलता है और उसके साथ ही, 'दायतत्व' और 'दाय-कर्म-संग्रह' नामक ग्रंथों का प्रचलन है।

मिताक्षरा के बाद उसमें चार उपविभाग हो गए हैं (१) बनारस में 'वीर मित्रोदय' और 'निर्णयसिंधु', (२) मिथिला में 'विवाद चिन्तामणि', 'विवाद रत्नाकर', (३) द्रविड़ क्षेत्र में 'स्मृति चंद्रिका', 'परशर माधव' और 'वीर मित्रोदय' (४) महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में 'व्यवहार मयूख', 'वीर मित्रोदय' और 'निर्णयसिंधु' की मान्यता है।

हिंदू न्याय और विधि के इतिहास में वैदिक ऋषियों के अतिरिक्त स्मृतिकारों को विधिकार कहा गया है।

भारत में मुसलमानी शासनकाल में अनेक सुलतानों और बादशाहों ने विधिनिर्माण का प्रयास भले ही किया हो लेकिन उन्हें विधिकार नहीं माना जाता।

अंग्रेजी शासनकाल में विधि आयोगों की स्थापना कर उनके माध्यम से विधि-रचना-प्रक्रिया शुरू की गई और बाद में विधान-मंडलों द्वारा विधि रचनाएँ की गईं।

भारत के स्वतंत्र होने पर संविधान परिषद् ने देश के संविधान की रचना की और उस समय देश के विधिमंत्री डा० बी० आर० ब्रवेदकर ने देश के अनेक विधिपंडितों के सहयोग से अपूर्व विधि-रचना की लेकिन शास्त्रीय परिभाषा में इन लोगों को विधिकार नहीं कहा जा सकेगा। इसी भाँति प्रसिद्ध न्यायाधीश श्री राधाबिनोद पाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण विधिबिद्या के प्रकांड पंडित हैं और न्याय तथा विधि की व्यवस्थाएँ देते हैं। इनको भी शास्त्रीय परिभाषा में विधिकार नहीं कहा जा सकता।

एक देश, काल में अनेक विधिकार हो, इसकी संभावना कम होती है। रोम में डेसेंबीरी (The Decemviri) ने रोम के १२ सूत्रों (twelve tables) की रचना की लेकिन उसे विधिकार नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ शासकों ने विशेष प्रकार की विधियों की रचना की, उन्हें विधिकार माना जाता है। इस श्रेणी में जस्टीनियन के कॉर्पस जूरिस (Corpus juris), नेपोलियन की संहिता (Code

Napoleon) को कानून या विधि माना जाता था और उनके निर्माता विधिकार माने जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि विधिकार को उसके समसामयिक भी विधिकार मानें। ड्राको (Draco) को उसके अपने समय में केवल एक विशेष न्यायाधीश माना जाता था लेकिन उसकी व्यवस्थाओं ने बाद में विधि का रूप ले लिया और उसे विधिकार माना जाने लगा। थियोडोसियस द्वितीय (Theodosius II) ने संहिता की रचना की, उसे भी अब विधिकार माना जाता है।

विधिकार और न्यायाधीश का संबंध भी विचित्र है। पुराने जर्मन विधिकार न्यायाधीश होते थे। विधिकार को न्यायमूर्त कहा जाता है। हम्मुराबी की संहिता में न्याय देने का उल्लेख है जिसका तात्पर्य यह है कि उस समय के नरेश न्याय देते थे। यूनान का ड्राको (Draco) न्यायाधीश (Themothetes) था। रोम के विधि-शास्त्री अपने नरेशों को विधिकार की अपेक्षा विधि का व्याख्याकार अधिक मानते थे। विधिकार और न्यायाधीश दोनों की समानता का यह कारण है कि जर्मन और आंग्ल अमरीकी विधिशास्त्रों में यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायाधीश ईश्वरीय प्रेरणा से विधि का निर्माण करता है अतः वह स्वयं विधिकार है।

विधिकारों ने जिन विधियों की रचना की उनमें बहुत अंतर है, चाहे वे विधियाँ हजरत मूसा, हजरत मुहम्मद आदि धार्मिक नेताओं की रचना हों अथवा उनकी रचना रोमुलस (Romulus) अथवा लाइकुरगस (Lycurgus) जैसे सामरिक नेताओं ने की हो अथवा हम्मुराबी संहिता और ड्राको की व्यवस्था में दंडव्यवस्था के रूप में विधि की रचना हुई हो अथवा मनुसंहिता के रूप में एक आदर्श सिद्धांत की स्थापना की गई हो। प्राधुनिक शोधों से मिले परिणामों के अनुसार सभी विधिकार अपनी समसामयिक परंपराओं, न्यायाधीशों की व्यवस्थाओं और मान्य अधिनियमों को ही विधियों का रूप प्रदान करते रहे हैं। यह बात हम्मुराबी संहिता और मूसा के दस सिद्धांतों पर लागू होती है। जस्टीनियन तो स्वयं यह स्वीकार करता है कि समसामयिक अधिनियम और न्यायाधीशों की व्यवस्थाओं के आधार पर उमने विधिरचना की।

मान्य विधिकारों के अतिरिक्त ऐसी अनेक विधिपुस्तकें मिलती हैं जिन्हें विधिशास्त्र की अच्छी रचनाएँ कहा जा सकता है और कुछ लोग ऐसे विधिशास्त्रियों को भी विधिकार की श्रेणी में रखना चाहते हैं।

लगश के मुमेरियाई नरेश 'उरुकगिना' (Urukagina) (अनुमानतः ई० २७५० ई० पू०), बेबीलोन के शासक नबुनायद (Nabunaid, अनुमानत ५५६-५३६ ई० पू०) अपने समय के महत्पूर्ण विधिकार माने जाते हैं। बेबीलोन के हम्मुराबी शासक की संहिता का तो सबसे अधिक महत्व है। इसका कालनिर्णय अभी नहीं हो सका है। असोर्गियाई विधिपुस्तक और हिटाइट संहिता (Hittite code, अनुमानत १३५० ई० पू०) की रचना करनेवाले विधिकारों का ठीक पता नहीं चला है। यूनानी लेखक डियोडोरस (Diodorus) ने मिस्र के फराओह मैनेस (Pharaohs Menes, अनुमानत,

३४०० ई० पू०), रामसेस द्वितीय (Ramses II, १२६२-१२२५ ई० पू०), बोकोरिस (Bocchoris, ७१८-७१२ ई० पू०) और अमेसिस (Amesit ५६६-५२५ ई० पू०) का उल्लेख किया है। लेकिन इसकी पुष्टि अन्य सूत्रों से नहीं हुई है। हजरत मुसा यहूदी विधि के मुख्य विधिकार हैं लेकिन जितनी बातें उनके नाम से चलनी हैं वे सब उन्हीं की लिखी नहीं हैं। इनके अतिरिक्त अनेक मसीहा अथवा ईश्वरीय दूतों का नाम विधिकारों के रूप में लिया जा सकता है। जूडा ला नसी (Juda La nisi) द्वितीय शताब्दी मैमोनिडेस (Maimonides, ११३५-१२०४) और जोसेफ कारो (Joseph Karo, १४८८-१५७५) अपने समय के प्रमुख विधिकार माने जाते हैं।

प्राचीन यूनान में एचियन लोक्रिस के जैल्युकस (Zaleucus ६५० ई० पू०), आई भोनियन केटना के चरोंडास (Charondas ६५० ई० पू०) की विधिकारों में गणना की जाती है। स्पार्टा के लाइकरगस (Lycurgus) प्रसिद्ध ड्राको (Draco ६२१ ई० पू०) और एथेंस के सोलोन (Solon, ५६४ ई० पू०) का प्रथम अंशों के विधिकारों में स्थान है।

प्राचीन रोम में रोमुलस (Romulus) और नूमा (Numa) को विधिकार कहा जाता है लेकिन जब तक रोम साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई थी और वहाँ विधिसंहिता (codification of law) नहीं बन गई थी उस समय तक किसी को विधिकार की संज्ञा देना उचित नहीं है। थियोडोसियस द्वितीय की महिता विधि संबंधी सामग्री का संकलन मात्र थी। सन् ५२७-५६५ ई० में जस्टीनियन की संक्षिप्त सार (digesta) और संहिता प्रकाशित हुई। उसमें विधि और न्याय संबंधी साहित्य को एकत्र किया गया। जस्टीनियन संहिता में जिन विधिशास्त्रियों की रचनाओं का संग्रह है उनमें जूलियन (Julian, द्वितीय शताब्दी), पैपिनियन (Papinian, २१२ ई०) और पाल (Paul) (तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध) को विधिरचना में सहायक माना जा सकता है।

चीन और जापान के प्राचीन विधिकारों के संबंध में सामग्री प्रायः अप्राप्य है।

मध्ययुगीन जर्मन विधि में किसी व्यक्ति विशेष को विधिकार नहीं कहा गया। इस काल में जिन अधिनियमों की रचना हुई उनमें उनके बनानेवालों का उल्लेख नहीं है। इस युग में न्यायाधीशों को विधिकार की संज्ञा दी जाती थी। इस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। गोथा नरेश अलारिक द्वितीय ने (Alaric II, ४८४-५०७ ई०), थियोडोरिक ने (५०० ई०) गोथा के निवासियों के अतिरिक्त वहाँ रहनेवालों के लिये विधिसंहिता की रचना की। पश्चिमी सेक्सन नरेश अल्फर्ड ने (Alfred, ८७८-९०१ ई०) और चार्ल्स पंचम ने (१५१६-५८) 'कांस्टीट्यूशियो किंगडमि क्विनसि करोलिना' की रचना की।

इस्लाम धर्म में मुहम्मद (५७०-६३२ ई०) को विधिकार माना जाता है। उन्होंने 'कुरान' का संकलन किया। मुहम्मद के बाद इस्लाम में चार प्रमुख संप्रदाय हो गए जिनके अपने अपने

विधिकार हैं। अबु हनीफा (६६६-७६७ ई०), मलिक (७१५-६५ ई०) अल शफई (७६७-८२० ई०) और अबु हनबाल (७८०-८५५ ई०) के नाम पर क्रमशः हनफी, मलिकी, शफई और हनबाली नाम के संप्रदाय चल रहे हैं। भारत के अधिकांश सुन्नी मुसलमान हनफी विधि को मानते हैं। शिया संप्रदाय के मुसलमान हजरत मुहम्मद और हजरत अली को ही अपना विधिकार मानते हैं।

ईसाई धर्म की धार्मिक विधि बनानेवालों को भी यदि विधिकार माना जाय तो इनोसेंट तृतीय ने (Innocent III, ११६८-१२१६) 'कारपस जूरिम कैनिसी' नामक संहिता की रचना की और ग्रेगरी नवम ने (Gregory IX, १२२७-४१ में) अनेक विधि संबंधी व्यवस्थाएँ दी, अतः इन दोनों को विधिकार की श्रेणी में रखा जा सकता है।

मध्ययुग के बाद तो प्रायः प्रत्येक देश में विधिकार हुए हैं। नेपोलियन ससार का मुख्य विधिकार माना जाता है क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन ने जिस विधिसंहिता की रचना करवाई उसका प्रभाव ससार के विधिविकास पर पड़ा है।

आंग्ल-अमरीकी विधिव्यवस्था का विकास जिम डग से परंपरा, विधानमंडली द्वारा विधि रचना और न्यायाधीशों की व्यवस्था के माध्यम से हुआ है उसमें यह कहना कठिन है कि कौन कौन व्यक्ति विधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ब्रिटेन में ब्रैक्टन, न्यायाधीश कोक, ब्लैकस्टोन, वेंथम, मास्टिन आदि विधि दार्शनिकों का विधि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। [ च० दी० ]

**विधि शासन (Rule of Law)** विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष सब लोगों की समता। भारत में इसे उसी अर्थ में ग्रहण करते हैं, जिसमें यह अंग्रेजी-अमरीकी विधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में घोषित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिये एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। जन्म, जाति इत्यादि कारणों से किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा (अनुच्छेद १४)। किसी राज्य में यदि किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा अन्याय्य लोग इससे वंचित हैं, तो वहाँ विधि का शासन नहीं कहा जा सकता। अतः प्राचीन राज्यों में अथवा मध्य युग के सामंत समाज में जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर था, वहाँ विधि की समता नहीं थी। उदाहरण के लिये रोम साम्राज्य के विधान में हम पैट्रीशियन (उच्च वर्ग) एवं प्लीबियन (जनसाधारण) तथा रोमन नागरिक एवं पेरिगिनस (विजित देश के निवासी) के अधिकारों में अंतर पाते हैं। दासता भी विधि द्वारा समर्थित थी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह राजा हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को साधारण न्यायालय में समान रूप से न्याय मिलता है। राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय पारस्परिक मर्यादा की दृष्टि से इस नियम के छोड़े से अपवाद हैं। यथा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल देश के साधारण न्यायालय द्वारा दंडित नहीं हो सकते (अनुच्छेद ३६१(१)) विदेश के राजा, राष्ट्रपति या राजदूत न्यायालय के अधिकारक्षेत्र से बाहर हैं (अनुच्छेद ५१)।

भारतीय संविधान में कानून के संरक्षण की समानता न केवल देश के नागरिकों को, अपितु विदेशियों को भी समान रूप से, जाति, धर्म, वर्ण, जन्मस्थान आदि का भेद भाव किए बिना, दी गई है। पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार में भी अंतर नहीं किया गया है (अनुच्छेद १५)। सभी नागरिकों को जीविका अथवा सरकारी नियुक्ति में समान अवसर मिलने का अधिकार मिला है (अनुच्छेद १६)। अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध हुआ है (अनुच्छेद १७)। सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अपने नागरिकों को अन्याय उपाधि नहीं दे सकता (अनुच्छेद १८)। कोई नागरिक विधि द्वारा निर्धारित अपराध के लिये ही केवल एक बार दंडित हो सकता है (अनुच्छेद २०)। किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा कारावास विधिबंधन रूप में ही दिया जा सकता है (अनुच्छेद २१)। किसी की संपत्ति यदि सरकार ले तो उसे उसके लिये क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी (अनुच्छेद ३१)। सकलकालीन असाधारण परिस्थिति में ही सरकार बिना मामला चलाए किसी को नजरबंद कर सकती है (अनुच्छेद १९ (२))।

संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकारों के अपहरण पर कोई नागरिक न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मामला चला सकता है। संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय तथा देश का सर्वोच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों की रक्षा करे। निष्पक्ष तथा निर्भीक न्यायाधीशों द्वारा न्याय का विधान किया गया है। इनके आदेशों का पालन करना शासन का कर्तव्य है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समाचारपत्र तथा जागरूक जनमत जनाधिकार के प्रहरी हैं :

सं० प्र० — बसु, दुर्गादास . भारतीय संविधान ( कास्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ), तृतीय संस्करण, १९५५ भाग १, २। डाइसी; लॉ ऑफ कास्टिट्यूशन, नवम संस्करण १९३९; जेनिंग्स . लॉ ऑफ कास्टिट्यूशन, तृतीय संस्करण; वेड एव फिलिप्स . कास्टिट्यूशन, १९४६। [ न० कु० ]

**विधिशास्त्र** ( Jurisprudence, ज्यूरिस्प्रूडेन्स ) साधारण अर्थ में समस्त वैधानिक सिद्धांत विधिशास्त्र में अंतर्निहित हैं। विधिशास्त्र 'ज्यूरिस्प्रूडेन्स' अर्थात् Juris = विधान, Prudence = ज्ञान। इस अर्थ में कानून की सारी पुस्तकें विधिशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन प्रसंग में कानून का एकमात्र अर्थ होता है देश का साधारण कानून ( Civil Law ), जो उन नियमों से सर्वथा पृथक् है, जिन्हें कानून से साक्ष्य रहने के कारण कानून का नाम दिया जाता है। यदि हम विज्ञान शब्द का प्रयोग इसके अधिक से अधिक व्यापक रूप में करें जिसमें बौद्धिक अनुसंधान के किसी भी विषय का ज्ञान हो जाय तो हम कह सकते हैं कि विधिशास्त्र देश के साधारण कानून ( Civil Law ) का विज्ञान है।

उक्त अर्थ में विधिशास्त्र तीन शाखाओं में विभक्त है—(१) वैधानिक अभिदर्शन ( Exposition ), (२) वैधानिक इतिहास, (३) विधिनिर्माण के सिद्धांत ( Principles of Legislation )। वैधानिक अभिदर्शन का उद्देश्य है किसी प्रस्तावित विधि की प्रणाली

के तथ्य को, चाहे वह वर्तमान ही अथवा भूतकाल में इसका अस्तित्व रहा हो, उपस्थित करना। वैधानिक इतिहास का उद्देश्य है उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को उपस्थित करना जिससे कोई कानूनी प्रणाली विकसित हुई है या हुई थी। विधिनिर्माण के सिद्धांत का उद्देश्य है कानून को उपस्थित करना—वह कानून नहीं जो वर्तमान है या भूतकाल में था, बल्कि वह कानून जो देश, काल, पात्र के अनुसार होना उचित है। विधिशास्त्र को किसी वैधानिक प्रणाली के वर्तमान या भूत से अपेक्षा नहीं है, यह इसके आदर्शमय अविष्य से संबद्ध है।

विधिशास्त्र सिद्धांत के तीन अंग होते हैं—विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, एवं नैतिक। विश्लेषणात्मक शाखा में क्रमबद्ध वैधानिक सिद्धांत के दार्शनिक अथवा सामान्य विचार होते हैं; ऐतिहासिक शाखा में वैधानिक इतिहास का दार्शनिक अथवा सामान्य भाग होता है; नैतिक शाखा में विधाननिर्माण के दार्शनिक सिद्धांत रहते हैं। किन्तु ये तीनों शाखाएँ परस्पर संबद्ध हैं। अतः इन्हें एक दूसरे से पृथक् कर इनपर विचार नहीं कर सकते। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र का उद्देश्य होता है विधान के मौलिक सिद्धांतों का विश्लेषण। इनके ऐतिहासिक उद्गम, विकास, नैतिक भाव अथवा मान्यता पर इस प्रसंग में विचार आवश्यक होता है। इनके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं—

१. देश के सामान्य कानून के आधार का विश्लेषण; २. देश के साधारण कानून तथा अन्याय कानूनप्रणाली के बीच पारस्परिक संबंध की परीक्षा; ३. विधान के विभिन्न अंगों के भार, जिससे इसका स्वरूप तथा व्यक्तित्व बनना है, यथा—राज्य, सार्वभौमिकता, न्याय का शासन इत्यादि; ४. विधान के उद्गम—यथा देशाचार, कुलाचार, ५. विधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण; ६. वैधानिक अधिकार की भावना का विश्लेषण, ७. वैधानिक दायित्व के सिद्धांत की परीक्षा; ८. अन्याय वैधानिक भावना की समीक्षा, यथा—संपत्ति, न्याय इत्यादि।

ऐतिहासिक विधिशास्त्र मूलतः विधान के साधारण सिद्धांतों के उद्गम एवं उनके विकास से संबद्ध है। जिन स्रोतों से देश का साधारण विधान प्रभावित होता है, वे भी इसकी सीमा के अंतर्गत हैं। अन्य शब्दों में, यह विधान के मूल सिद्धांत एवं उनकी पद्धति की भावना का इतिहास है।

नैतिक विधिशास्त्र विधान की विवेचना नैतिक गाम्भीर्य एवं इसकी पूर्णता की दृष्टि से करता है। कानून की प्रणाली के बौद्धिक तत्व अथवा इसके ऐतिहासिक विकास से इसे कोई प्रयोजन नहीं है। विधान के उद्देश्य एवं किस सीमा तक तथा किस रूप में इसकी पूर्ति होती है, यही इसका विषय है। साधारणतः इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य किसी राजनीतिक कर्म के अंतर्गत राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा न्याय का पालन करने में है। अतः नैतिक विधिशास्त्र यह देखता है कि न्याय के सिद्धांत का विधान से कहाँ तक संबंध है। यह नैतिक एवं वैधानिक दर्शन का मिलनबिंदु है। अपने सामान्य रूप में न्याय, नैतिकता अथवा नैतिक दर्शन से संबद्ध है। अपने विशेष रूप में न्याय, देश के कानून की अंतिम शृंखला के रूप में वैधानिक

धर्म की उस शाखा से संबन्ध है, जिसे नैतिक विधिशास्त्र कहते हैं। इसकी परिधि के अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित विषय आते हैं—  
१. न्याय की धारणा ( Conception of Justice ); २. कानून एवं न्याय में संबंध; ३. न्याय के पालन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाली प्रणाली, ४. कानून एवं नैतिकता पर आधारित अधिकार में अंतर; ५. नैतिक धर्म एवं उन वैधानिक भावनाओं की मान्यता तथा सिद्धांत, जो ऐसे मौलिक हैं कि उनका विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र में अध्ययन किया जा सकता है।

संसार के भिन्न भिन्न देशों में विधिशास्त्र की परिभाषा किंचित् भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। जर्मनी के विधान में विधिशास्त्र कानून का मोटा-मोटी वह पर्याय है, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक अध्ययन होता है। फ्रांस के विधान में इससे न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बोध होता है, जो कानून के 'कोड' की विकृति एवं विकास करता है। अंग्रेजी एवं अमरीकी विधान में कानून के सैद्धांतिक अध्ययन के भिन्न भिन्न पहलू विधिशास्त्र में सन्निहित हैं। सनातन भारतीय विधान में विधिशास्त्र धर्मशास्त्र पर आधारित है। 'धर्म' की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की गई है—

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन ।  
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

अर्थात् वेद, स्मृति, सदाचार एवं सुनीति धर्म के उद्गम हैं। 'धर्म' व्यापक शब्द है। धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं वैधानिक दृष्टि में यह मनुष्य के कर्तव्य एवं दायित्व की समष्टि है। धार्मिक एवं धर्म निरपेक्ष भावना के बीच विभाजन रेखा स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि कितने ही विषय ऐसे हैं जो धार्मिक एवं सांसारिक दोनों हैं।

भारत का सनातन 'धर्म' राजा अथवा शासक के आदेश पर आधारित नहीं है। इसकी मान्यता ( Sanction ) इसी में अंतर्निहित है। स्मृतिकारों और उनके पूर्वजों ने कहा है कि 'धर्म भगवान् की देन है। यह राजाओं का राजा है। इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं। इसकी सहायता से शक्तिहीन भी शक्तिशाली से अपना अधिकार ले सकते हैं। राजा न्याय का निर्माता नहीं, केवल इसका पालक है।' (शत ब्रा० १४—४२ २६)

विधिवेत्ता ऑस्टिन किंवा बेथम के सिद्धांत के अनुसार सनातन धर्म का अधिकार नैतिकता में संनिविष्ट हो जायगा, क्योंकि यह 'धर्म' किसी राजा अथवा सार्वभौम सत्ताप्राप्त शासक का आदेश नहीं है। यह सत्य है कि स्मृति अपने तर्ह कानून नहीं है, क्योंकि इसे न तो व्यवस्थापिका सभा ने बनाया और न राज्य ने घोषित किया। पर यह जस रिसेप्टम ( Jus Receptum ) के सिद्धांत पर मान्य था अर्थात् समाज ने इसे ग्रहण कर लिया था। अतः एक मन के अनुसार स्मृति के कानून का उद्गम समाज ही है। इसका एक अर्थ नैतिक आदेश है, जिसका स्रोत नैसर्गिक माना गया है एवं अवशेष परंपरा एवं सदाचार है। स्मृतिकारों के व्यक्तित्व एवं संमान तथा सुनीति पर आधारित होने के कारण स्मृति के कथनों की मान्यता ही इनके वैधानिक

व्यादेश का प्राधिकार है। कौटिल्य के धर्मशास्त्र के प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित होने पर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि भारत में राजनिर्मित विधान धर्मशास्त्र द्वारा घोषित विधान से किसी समय अधिक मान्य था या नहीं। कौटिल्य ने कहा है कि विधान चार स्तंभों पर आधारित है — १. धर्म ( Sacred Law ) २. व्यवहार ( Evidence ), ३. चरित्र ( History ) एवं ४. राजशासन ( Edicts of Kings )। इनमें परवर्ती आधार क्रमान्त पूर्व के आधार से अधिक शक्तिशाली है किंतु यह स्मरणीय है कि राजशासन ( Edicts ) द्वारा धर्मशास्त्र में कथित किसी भी मौलिक आदेश अथवा व्यवहार का उल्लंघन नहीं हुआ। कौटिल्य ने भी सैद्धांतिक रूप में यह स्वीकार किया था कि राजनिर्मित विधान धर्मशास्त्र की परिधि से बाहर नहीं है।

१९वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगुस्ते कोत (Auguste Comte) ने सोशियोलॉजी (Sociology = समाजशास्त्र) शब्द का नामकरण किया। समाजशास्त्र स्थूल रूप से समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्री के अध्ययन में विधान भी सम्मिलित है किंतु उसका दृष्टिकोण विधिवेत्ता के दृष्टिकोण से भिन्न है। वकील, अधिवक्ता या निर्णायक के रूप में, उन नियमों को देखता है जिन्हें सर्वसाधारण को अनुकरण करना चाहिए। समाजशास्त्रवेत्ता यह देखता है कि ये नियम क्या हैं। कुछ हद तक दोनों साथ चल सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये नियम वांछित चरित्र के द्योतक हैं। किंतु समाजशास्त्रवेत्ता को वास्तविक चरित्र में अधिक उत्सुकता रहती है, वांछित चरित्र के विचार में नहीं। वैधानिक समाजशास्त्र को अपराधशास्त्र भी कहते हैं। यह अपराधों के कारण, अपराधियों के चरित्र, विभिन्न प्रकार के दंडों का अपराधियों पर प्रभाव — विशेषतः कहीं तक दंडों से अपराध के घटन पर प्रभाव पड़ता है — इन सब का अध्ययन करता है। इससे कानून के सुधार में सुविधा होती है।

अतः विधिशास्त्र से हमें उस अध्ययन, शोध एवं अनुमान ( Speculation ) का बोध होता है, जिनका प्राथमिक लक्ष्य सर्वसाधारण के प्रश्न — 'कानून क्या है?' का उत्तर देना होता है। विधिवेत्ता की दृष्टि में कानून उन प्रभावों की समष्टि है, जिनके द्वारा न्यायालयों में निर्णय दिए जाते हैं। कानून का प्रथम लक्ष्य है सामाजिक दंडों का निराकरण, यद्यपि सब प्रकार के दंड इस सीमा के अंदर नहीं आते। विधिवेत्ता रस्को पाउंड के अनुसार कानून का कार्य यह है कि वह लोगों के पारस्परिक हक का सतुलन करे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम मिले एवं समाज के हित के लिये उसे न्यूनतम त्याग करना पड़े।

सं० ग्रं० — जॉन सैमोड : जूरिसप्रूडेस, ११वां संस्करण, १९६०; डेनिस, ल्वायड : इंट्रोडक्शन टू जूरिसप्रूडेस, पहला संस्करण, १९५९, डी० एफ० मुल्ला : हिंदू लॉ, १२वां संस्करण, १९५९, भूमिका पृष्ठ १—७३; एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, भाग १३ (१९५९) पृ० १९७—२०६; चेंबर्स एनसाइक्लोपीडिया, भाग ८, पृ० ५१५।

**विधि-संहिता-इतिहास** संहिता का शाब्दिक अर्थ है संग्रह। अतः विधिनियमों का लिपिबद्ध रूप ही, सामान्य अर्थों में, विधिसंहिता कहलाता है। विधिनियमों के विकासक्रम में यह अत्यंत उच्च स्तर माना गया है क्योंकि विधि का लिपिबद्ध संग्रह तभी संभव है जब उन नियमों का रूप स्थिर हो चुका हो और वे सर्वमान्य हो चुके हों। सामाजिक विकासक्रम में सामाजिक संबंधों का नियमन क्रमशः देवी आदेश, लोकरीति ( जिसे ग्रंथेजी में कस्टम कहते हैं ), तथा न्यायिक निर्णय ( जिसे ग्रंथेजी में जुडीशल प्रीसीडेंट कहते हैं ) द्वारा होना माना गया है। अतः स्पष्ट है कि विधिनियमों का संहिताकरण होने के पूर्व यह तीनों स्तर पार किए जा चुके होंगे।

संहिता शब्द से उसमें संगृहीत विधिनियमों के स्रोत का कोई आभास नहीं मिलता। भारत में विधिनियमों के ऐसे संग्रह को संहिता के प्रतिरिक्त 'स्मृति' के नाम से संबोधित किया जाता है। इस 'स्मृति' शब्द से विधिनियमों के स्रोत का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। भारतीय शास्त्रकारों के मत से अन्य सभी प्रकार के ज्ञान की भाँति मनुष्य के कर्तव्याकर्तव्य के विधान का भी स्रोत श्रुति श्रुति ही है अतः विधिसंहिताओं का आधार उन संहिताकारों की स्मरणशक्ति ही है। इसी आधार पर मनुसंहिता का नाम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यसंहिता का नाम याज्ञवल्क्य स्मृति, आदि है।

विधिनियमों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता कदाचित् तब पड़ी होगी जब एक व्यापक क्षेत्र की स्थानीय लोकरीतियों में एकरूपता लाना जरूरी हो गया होगा। सब को कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान उपलब्ध हो सके, यह इच्छा भी संहिताकरण की प्रेरक रही होगी। संहिताकरण का उद्देश्य रुढ़ि के स्थान पर लिपिबद्ध विधिनियम को ही लोकव्यवहार का आधार बनाना होता है। किंतु प्रारंभिक विधि-संहिताएँ जिस रूप में हमें उपलब्ध हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि वे संहिताएँ तत्कालीन लोकरीतियों के ही संग्रह हैं। और यह भी कि विधिनियमों को लिपिबद्ध करने के बाद भी लोकरीतियों से पूर्ण मुक्ति उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उन संगृहीत विधिनियमों को व्यवहार में लोकरीति के ही अनुसार लाया जा सकता है।

विधिसंहिताओं का इतिहास हमें ईसा से दो-ढाई हजार वर्ष पूर्व से उपलब्ध है। उन सभी विधि-संहिताओं का संक्षिप्त परिचय देने के पूर्व कदाचित् उचित्त यही होगा कि हम विधि-संहिता का प्रागुनिक अर्थ भी समझ लें ताकि विधि-संहिता तथा विधान मंडलों द्वारा विभिन्न विषयों पर पारित 'स्टैट्यूट्स' का अंतर भी स्पष्ट हो जाय।

प्रागुनिक अर्थ में विधिसंहिता की संज्ञा उसी विधिसंग्रह को दी जा सकती है जिसमें संपूर्ण अधिनियमों ( ऐक्ट्स ) का समावेश हो और उन अधिनियमों को व्यवहृत करने के लिये किसी अन्य आधार ( लोकरीति की जानकारी ) की आवश्यकता न पड़े। सामान्य संविधि ( स्टैट्यूट्स ) और विधिसंहिता में अंतर के तीन आधार हैं। (१) सामान्य अधिनियम किसी विषय के संपूर्ण रूप से संबंधित हो सकता है जब कि विधिसंहिता में तद्विषयक संपूर्ण भाग विधिनियम एक ही स्थान पर संगृहीत रहते हैं। (२)

विधिसंहिता में नियमों का संग्रह सुबोधता का ध्यान रखते हुए, वर्गीकृत व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। (३) विधि संग्रह में भाषा की सरलता के साथ साथ स्पष्टता का भी ध्यान रखा जाता है ताकि नियमों का रूप विस्तारदोष से मुक्त सक्षित होते हुए भी बहुअर्थ दोष उसमें न आ सके।

प्रागुनिक अर्थों में विधिसंहिता के विकास और राष्ट्रीय भावना का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है : उदाहरण के लिये फ्रांस में कोड नेपोलियन की रचना के पीछे फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रीय भावना प्रेरक शक्ति थी। जर्मन कोड लगभग अपने पूर्ण रूप में यद्यपि विदेशी रोमन विधि पर ही आधारित था, तथापि सेविनी ने वोल्क-जीस्ट ( जनचेतना ) का ही सबल लिया था। दूसरी ओर विधिसंहिता की रचना के बाद उस समाज में राष्ट्रीय भावना के विकसित एवं व्याप्त होने में वही विधिसंहिता ( सभी समान रूप से एक ही विधि के संरक्षण में होने के कारण ) सहायक होती है जैसा इटली के इतिहास से सिद्ध है।

### यूरोप

पश्चिम के इतिहास में सबसे प्राचीन और विस्तृत विधिसंहिता ह्युराबी की संहिता मानी जाती है। ई० पू० २१०० में बेबीलोन के राजा ह्युराबी के नाम से प्रसिद्ध इस संहिता में प्रक्रिया संपत्ति तथा व्यक्ति विषयक विधिनियमों का उल्लेख है। इसके लगभग १४ शताब्दियों बाद हिब्रू भाषा में 'बुक ऑफ कावेनेट' ( बाइबिल के २० वें और २३ वें अध्याय — 'एक्सोडस' ) के रूप में विधि-संहिता मिलती है। इसी के एक शती बाद 'बुक ऑफ ला' ( डेट्रो-नीमी अर्थात् द्वितीय विधि ) उपलब्ध है। इन विधिसंग्रहों से इसराइल के रीतिविधि के क्रमिक विकास का परिचय मिलता है।

विधिसंहिता के इतिहास में 'रोमन ट्वेल्व टेब्ल्स' का महत्त्व प्रमुख है। प्रथम तो इसलिये कि विधिसंहिता के शास्त्रीय रूप का यह उदाहरण है और दूसरे इसलिये कि इसी का विकसित रूप यूरोप के प्रायः सभी राष्ट्रों में तद्देशीय संहिताओं के रूप में प्रसारित है।

रोमन ट्वेल्व टेब्ल्स की रचना के लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद इसमें क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के सिद्धांत का अर्थ जो 'लेक्स ए किला' के नाम से प्रसिद्ध है, जोड़ा गया। तदुपरांत इसमें जोड़े जानेवाले अंश 'प्रिटोरियन एडिक्ट' तथा 'रिसपोसा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार क्रमशः जुड़नेवाले अंशों के कारण कहीं परस्पर विरोधी नियम भी संमिलित हो गए तथा विषय-विभाजन भी अस्तव्यस्त सा हो गया। यह दोष जस्टीनियन द्वारा दूर किया गया और पूरी संहिता क्रमशः चार भागों—इंस्टीचूट्स, डाइजेस्ट, कोडेक्स तथा नोवेल्स में वैज्ञानिक रूप से विभाजित कर दी गई। रोमन विधिसंहिता का यही रूप यूरोप के विभिन्न देशों की संहिताओं का जनक कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ १३वीं सदी में स्पेन के अलफोंसो कोड के नास से प्रसिद्ध स्पैनिश भाषा में इसी का उल्था मात्र था। सरविया नरेश स्टीफेन दुशन की विधि-संहिता ( १४वीं शताब्दी ), बोहेमिया में कोड ऑफ फॉर्नर ( १७वीं शताब्दी ), रूस के जार एलेक्सिस का 'डकोजेनिक' ( १७वीं

शताब्दी), डेनमार्क नरेश क्रिश्चियन पंचम का 'डेस्के लोव' (१७वीं शताब्दी), स्वीडेन का 'कोड फ्रेडरिक' (१८वीं शताब्दी) तथा प्रशा का 'सेटज बुश' एवं 'लेडरेच' (१८वीं शताब्दी) इसी रोमन विधिसंहिता के आधार पर निर्मित हुए। १९वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में 'कोड सिविल' तथा दड, अपराध, व्यापार आदि विषयक ग्रन्थ संहिताओं की रचना के बाद ये नई संहिताएँ ही ग्रन्थ भावी विधिसंहिताओं की पथनिर्देशक बन गईं, क्योंकि फ्रांसीसी संहिताओं का रूप अधिक विकसित विधिनियम प्रायुक्त परिस्थितियों के अधिक अनुकूल तथा उनका विषयविभाजन एवं भाषा अधिक सरल तथा बोधगम्य थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जापान, स्विट्जरलैंड तथा तुर्की ने अपनी विधिसंहिताओं की प्रेरणा फ्रांस से न लेकर जर्मनी की विधिसंहिता 'गसेट्ज बुश' से ली।

### इंग्लैंड

इंग्लैंड की विधिव्यवस्था रोमन विधि से भिन्न 'सामान्य विधि' (कॉमन लॉ) व्यवस्था कहलाती है अर्थात् न्यायाधीशों के निर्णयों में निहित सिद्धांत ही विधिनियम हैं। कतिपय नियमों के लिपिबद्ध संग्रहों का उल्लेख इंग्लैंड पर नार्मन विजय के पहले यद्यपि मिलता है जिन्हे 'डूमस' कहा जाता था, तथापि विधिसंहिता प्रथम उससे मिलती जुलती भी किसी रचना के अस्तित्व का इंग्लैंड में अभाव ही रहा। १९वीं शताब्दी में जेरेमी बेथम ने विधि के संहिताकरण की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया। उस आंदोलन का फल स्वयं अपने देश में प्रकट होने के पहले भारत में प्रकट हुआ और उसकी सफलता स्पष्ट होने के बाद इंग्लैंड में भी वह प्रयास प्रारंभ हुआ। यद्यपि अब भी वहाँ कोई विधिसंहिता तो नहीं है और अब भी कुछ क्षेत्रों में सामान्य विधि ही लागू है तथापि काफी व्यापक क्षेत्र में विधि पार्लिमेंट द्वारा पारित लिपिबद्ध रूप में अब उपलब्ध है।

### अमरीका

अमरीका में भी सामान्य विधिव्यवस्था है। १९वीं शताब्दी में वहाँ भी एडवर्ड लिपिबद्ध तथा डेविड डब्ले फील्ड ने विधि के संहिताकरण की आवश्यकता पर बल दिया था। राज्य के विधिनियमांता अंग के पूर्ण विकसित होने के बाद भावी विधिरचना तो स्पष्टतया लिपिबद्ध ही होती है किंतु सामान्य विधिनियमों को भी व्यवस्थित रूप में लिपिबद्ध करने का प्रयास १९२३ में अमरीकन ला इंस्टीचूट की स्थापना कर प्रारंभ किया गया।

### चीन में

चीन में भी प्रायः प्रारंभ से ही विधिनियम लिपिबद्ध रूप में प्रचलित रहे। कुछ विद्वानों का मत है कि चीनी विधिसंहिता हमुराबी से भी पूर्व की है। जो हो, अब उपलब्ध संहिता—'कोड ऑव टिंग'—६०० ई० की मानी जाती है। प्रायः वही संहिता 'माचू कोड' के नाम से १७ वीं शताब्दी में प्रचलित थी। यह अंग्रेजी में अनुवादित भी की जा चुकी है। वर्तमान चीन की विधिव्यवस्था का पूर्ण परिचय अभी नहीं मिल सका है। [जी० के० अ०]

**विनय पिटक** विनय पिटक भिक्षुसंघ का संविधान है। जगवान् बुद्ध के प्रथम उपदेश के बाद ही अधिपसन युगदाव (सारनाथ) में

भिक्षुसंघ की स्थापना हुई। क्रमशः उसकी वृद्धि होती गई। प्रारंभिक संघ का शील संयम परिपूर्ण था। इसलिये बीस वर्ष तक संघ के लिये कोई नियम नहीं बना था। बाद में संघ की वृद्धि के साथ साथ कुछ असंयमी लोग भी उसमें प्रवेश करने लगे। इसलिये संघ की परिशुद्धि, संघटन और संचालन के लिये विनयनियम बनने लगे। समय समय पर आवश्यकतानुसार नियम बनते गए और उनका संग्रह विनय पिटक में किया गया है।

प्राचीन परंपरा के अनुसार विनय पिटक के तीन विभाग हैं— १. उभतोविभंग, २. खंघक, और ३. परिवार। उभतोविभंग सुप्तविभंग भी कहलाता है। इसके दो भाग हैं—भिक्षुविभंग और भिक्षुस्त्रीविभंग। अट्ठकथाओं में इस प्राचीन विभाजन का ही उल्लेख आया है।

अर्वाचीन परंपरा के अनुसार पाँच विभाग हैं—१. पाराजिकपालि, २. पाचित्तियपालि, ३. महावग्गपालि, ४. चुल्लवग्गपालि, और ५. परिवारपालि। पाराजिकपालि और पाचित्तियपालि उभतोविभंग के अंतर्गत हैं। महावग्गपालि और चुल्लवग्गपालि खंघक के अंतर्गत हैं। उभतोविभंग के अंतर्गत नियम निषेधात्मक हैं। उनके सात विभाजन हैं, जो सप्त आपत्ति स्कध (सप्त आपत्तिस्कध) कहलाते हैं। आपत्ति का अर्थ है अपराध। ये विभाजन सात प्रकार के अपराधों को लेकर हुए हैं। सप्त आपत्तिस्कध इस प्रकार हैं— १. पाराजिका धमा, २. सघादिसेस धमा, ३. अनियता धमा, ४. निस्सग्गिया पाचित्तिया धमा, ५. पाचित्तिया धमा, ६. सेखिया धमा, और ७. अधिकरणसमथा धमा।

१. पाराजिक का अर्थ है पराजय का कारण। इनमें मृत्यु आदि चार वस्तुएँ निर्दिष्ट हैं, जिनसे भिक्षु भिक्षुभाव को खो देता है, और संघ से उसका निष्कासन होता है।

२. सघभेद इत्यादि तेरह प्रकार के सघादिसेस हैं। इनमें से किसी आपत्ति को प्राप्त भिक्षु को छह दिन तक संघ से बाहर रहकर प्रायश्चित्त करना पड़ता है। फिर शुद्धि के बाद वह संघ में प्रवेश पा सकता है। इस प्रकार इस कर्म के आदि और अंत में संघ की आवश्यकता पड़ती है।

३. अनियत दो है। अनियत का अर्थ है अनिश्चित। दो अनिश्चित परिस्थितियों में विशेषसनीय माध्य के अनुसार इन आपत्तियों का निर्णय होता है। दोनों स्त्रीप्रगम को लेकर हैं।

४. निस्सग्गिय पाचित्तिय तीस है। ये सब चीवर और पात्र संबंधी हैं। जो विहित संख्या से अधिक पात्र और चीवर ग्रहण करता है, उसे उन्हें त्याग कर प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

५. पाचित्तिय बानबे हैं। इनके अंतर्गत असत्यभाषण आदि किसी आपत्ति के होने पर प्रायश्चित्त के बाद संयम के लिये संकल्प करना पड़ता है।

६. सेखिया पचहत्तर हैं। ये नियम खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना इत्यादि शिष्टाचार संबंधी बातों के विषय में हैं। इसलिये ये गौण दोष (लहकापत्ति) कहलाते हैं।

७. अधिकरण समथ सात हैं। इनमें सात प्रकार से विवादों का समाधान बताया गया है।

इस प्रकार ये नियम कुल २२७ हैं, जो विशेष रूप से भिक्षु-संघ को लागू हैं। इनमें से अधिकांश भिक्षुणीसंघ को भी लागू हैं। इनके अतिरिक्त भिक्षुणीसंघ के लिये आठ गुरुधर्म जैसे कुछ विशेष नियम भी हैं। भिक्षुणियों के लिये ८ पाराजिक, १७ संबादिसेस, ३० निस्सगिय, और १६६ पाबिसिय हैं। उभतोविभंग में संपूर्ण इतिहास के साथ इन नियमों की विषय व्याख्या है। प्राचीनता और महत्त्व के कारण इस व्याख्या को मूल विनय का ही अंश माना गया है।

भिक्षु पातिमोक्ख और भिक्षुणी पातिमोक्ख में इन नियमों का अलग अलग संग्रह हुआ है। महीने में दो बार—पूर्णिमा और अमावस्या के दिन—संघ में इन नियमावलियों का पाठ होता था। यदि कोई सदस्य किसी अपराध का दोषी होता तो वह नियमानुसार बंद के अधीन होता। बौद्ध देशों में यह प्रथा अब भी प्रचलित है।

संघक का पहला भाग महावग्ग है। इसके प्रारंभ ही में बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर राजगृह प्रवेश तक की भगवान् बुद्ध की जीवनी आई है। इस वृत्तांत में सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, पंचवर्गीयो, यश और भद्रवर्गीयो की प्रव्रज्या, गयाशीर्ष में शिष्यमण्डली सहित तीन जटिल भाइयो की प्रव्रज्या और राजगृह में विविस्सर नरेश की दीक्षा आदि बातों का उल्लेख आया है। फिर प्रव्रज्या, उपसपदा, गुह शिष्य का संबध, उनके कर्तव्य, उपोसक, वर्षावास, प्रवारणा आदि संस्कारों की विधि बताई गई है। चण्णल, चीवर, ओषधि इत्यादि वस्तुओं के उचित प्रयोग संबंधी नियम भी दिए गए हैं। अंतिम अध्यायो में दंड-विधान संबंधी कुछ बातों और कौशाबी के भिक्षुओं के विवाद का वर्णन आया है।

संघक का दूसरा भाग चुल्लवग्ग है। इससे अनुचित कुलसंसर्ग के दोष, संघादिसेस अपात्ति को प्राप्त भिक्षु के लिये विहित 'मानस' नामक प्रायश्चित्त, विवादों की समाधानविधि, खाना पीना पहनना इत्यादि छोटी छोटी बातों में भी उचित और अनुचित का ध्यान, अनुरूप विहार, देवदत्त द्वारा संघभेद, भिक्षुणीसंघ की स्थापना आदि बातों का वर्णन है। अंतिम दो अध्यायो में प्रथम और द्वितीय संगीतिमों का वर्णन है।

परिवारपालि में कोई नई बात नहीं है। इसमें प्रकरण सहित विनय नियमों को प्रश्नोत्तर के रूप में सरल विधि से समझाया गया है। यह विनय के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लका के किसी आचार्य द्वारा रचित है।

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि संघ की पारिशुद्धि, व्यवस्था और संचालन संबंधी नियमों को लेकर विनय पिटक का निर्माण हुआ है। प्रकारांतर से इसमें बुद्ध की जीवनी, संघ की स्थापना और धर्म के प्रचार संबंधी बातों का भी वर्णन आया है। इसलिये बुद्धशासन के लिये विनय पिटक का महत्त्व असाधारण है। साथ ही इससे बुद्धकालीन भारतीयों का सामाजिक अवस्था, नैतिक स्तर, रहन सहन आदि बातों पर भी प्रकाश पड़ता है। अतः विनय पिटक का ऐतिहासिक महत्त्व भी मुक्त पिटक से कम नहीं है।

थेरवादी विनय के अतिरिक्त विनय के और पाँच संस्करण चीनी में तथा एक आष तिब्बती में उपलब्ध हैं। वे इस प्रकार हैं:

सर्वास्तिवादी विनय, मूलसर्वास्तिवादी विनय, धर्मगुप्त विनय, महासधिक विनय, महिसासक विनय। विद्वानों ने अपने निबन्धों द्वारा इनपर प्रकाश डाला है। गिलगिट से प्राप्त बौद्ध ग्रंथों में भी विनय का कुछ अंश है। इसका संपादन डा० नलिनाक्ष दत्त ने किया है। स्वर्गीय राहुल जी जिन ग्रंथों को तिब्बत से लाए थे, उनमें भी विनय के कुछ अंश हैं। उनका संपादन बिहार शोध प्रतिष्ठान द्वारा हो रहा है। [ध०]

**विनिकस जाँ बैपटिस्ट** (Weenix Jan Baptist) उच्च चित्रकार। जन्म एम्स्टर्डम में १६२१ ई० में हुआ। इसके पिता एक राजनेता थे। एब्राहम व्नुमाटं तथा निकोलस से इनने शिक्षा ग्रहण की। २२ वर्ष की अवस्था में रोम गया। वहाँ समुद्री दृश्यों, भूदृश्यों, तथा स्थापत्य की सुंदर कृतियों द्वारा यथेष्ट ख्याति अर्जित की। यह अत्यंत तीव्र गति से कार्य करनेवाला व्यक्ति था। इसकी मृत्यु उट्रेक्ट में १६६० में हुई। [गु० नि०]

**विनियोग १.** नगर, स्थिति . ४६° ५०' उ० अ० एवं ६७° १५' प० दे०। यह कैनाडा के मैनिटोबा प्रांत की राजधानी एवं प्रमुख नगर है। यह प्रांत के पूर्वी भाग में ऐसिनिबाइन एवं रेड नदियों के संगम पर स्थित है। संयुक्त राज्य, अमरीका, की सीमा ६६ किमी० उत्तर में तथा विनियोग झील से ७२ किमी० दक्षिण में, यह नगर स्थित है। झील के नाम पर ही नगर का नाम विनियोग पडा है। नगर की जनसंख्या २,६५,४२६ (१९६१) है।

सन् १८८५ में कैनाडियन पैसिफिक रेलवे का निर्माण हो जाने पर कैनाडा के पश्चिमी भाग का सीधा संबंध पूर्वी भाग से हो गया, जिसके कारण विनियोग बहुत बड़ा वितरणकेंद्र हो गया। यह कैनाडियन पैसिफिक और कैनाडियन राष्ट्रीय रेलवे का पश्चिमी मुख्य केंद्र है। इसका संयुक्त राज्य, अमरीका, से सीधा मबध सू लाइन, ग्रेट नार्दन एव नार्दन पैसिफिक रेल द्वारा है। हडसन बे रेलवे द्वारा विनियोग नगर मैनिटोबा राज्य के उत्तरी भाग से संबद्ध है। इस उत्तरी भाग में खदानों के विकास के कारण अनेक प्रकार की मशीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आना जाना विनियोग से होता है।

विनियोग में थोक तथा निर्यात व्यापार बहुत अधिक है। पश्चिमी कैनाडा के गेहूँ के उत्पादन का ३/४ विनियोग में ही आता है। यह नगर अनाज की मंडी भी है। यहाँ फर का भी व्यापार होना है।

विनियोग नदी पर स्थित विनियोग बिजली रेलवे कंपनी और म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के कारण विनियोग में औद्योगिक विकास भी तीव्रता से हुआ है। यहाँ के प्रमुख उत्पादन हैं—आटा और उससे तैयार होनेवाले पदार्थ, कागज के डिब्बे, मास तथा मास से निर्मित पदार्थ, मछलियाँ, प्रोजार, ईंट और जिप्सम।

विनियोग की चीड़ी सड़को के किनारों पर वृक्ष लगे हुए हैं। नगर में किडोनान एवं ऐसिनीब्वायान नाम दो बड़े पार्क हैं। मैनिटोबा विश्वविद्यालय, मिलिटरी बैंक और अस्पताल नगर के

बाहर हैं। यहाँ के मुख्य भवन १६२० ई० में ८४ लाख डालर के व्यय से निर्मित, मैनिटोबा संसद भवन, प्रेक्षागृह और लॉ कोर्ट भवन हैं।

१. झील, स्थिति ५२° ३०' उ० अ० तथा ९८° ०' प० दे०। कैनाडा के मैनिटोबा प्रांत में लगभग २१७ मीटर की ऊँचाई पर यह झील स्थित है। झील लगभग ४१६ किमी० लंबी तथा ४० से ९६ किमी० तक चौड़ी है। इसका क्षेत्रफल लगभग २४०६० वर्ग किमी० है। झील में कई छोटे बड़े टापू हैं, जिनमें रेड्डीयर (लगभग १४१ वर्ग किमी०) मुख्य है।

इसकी गहराई लगभग २१ मीटर है। इसका दक्षिणी किनारा काफी दलदली है। इसमें मिलनेवाली नदियों में मुख्य हैं : दक्षिण की थार से रेड्डी नदी, पूरब की थार से विनिपेग, ब्लडवेन, वैरेन और पापलट तथा पश्चिम की थार से डॉफिन एवं संस्केवेवान नदियाँ। इस झील में मैनिटोबा झील और विनिपेगोसिस झील का जल आता है तथा झील का जल नेल्सन नदी द्वारा हडसन की खाड़ी में जाता है। [ श्री० ना० सि० ]

**विनिपेगोसिस झील** स्थिति ५१° ३४' से ५३° ११' उ० अ० तथा ९६° ३७' से १०१° ६' प० दे०। यह झील कैनाडा के मैनिटोबा और संस्केवेवान प्रांतों में स्थित है। इसकी सबसे अधिक लंबाई १५२ मील और सबसे अधिक चौड़ाई १७ मील है। टापुओं को छोड़कर इस झील का कुल क्षेत्रफल २,०८६ वर्ग मील है। यह समुद्र-तट से ८३१ फुट की औसत ऊँचाई पर है। इसमें गिरनेवाली नदियों में वाटरहेन नदी है जो वाटरहेन झील से होकर आती है। इसकी खोज १७३६ ई० में पिपरे डी ला वेरेड्डी ने की थी। [ श्री० ना० सि० ]

**विनिमय, विदेशी** विदेशी विनिमय के संबंध में विचार करने से पहले विनिमय शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। विनिमय का साधारण अर्थ यह है कि किसी एक वस्तु के बदले आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ प्राप्त करना। वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा बदल बदल को भी विनिमय कहते हैं। विदेशी विनिमय में भिन्न देशों की लेनी देनी का पारस्परिक विनिमय होता है। इसमें विनिमय की दर के विवेचन के अतिरिक्त उस सब लेनी देनी का विवेचन भी शामिल है जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार बन जाता है। विदेशी विनिमय में हम बात का भी विचार किया जाता है कि उस लेनी देनी का किस प्रकार भुगतान किया जाता है और उसकी विषमता का विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है।

हमें यह विचार करना है कि कोई देश अन्य देश का किन कारणों से देनदार और लेनदार हो जाता है। जितनी रकम की वस्तुएँ बाहर से किसी देश में आती हैं उतनी रकम का वह देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है और जितनी रकम की वस्तुएँ वह बाहर अन्य देशों को भेजता है उतनी रकम का वह लेनदार हो जाता है। विदेशी जहाजों पर माल का आयात होने से जहाजों के भारों के लिये भी वह अन्य देशों का देनदार हो जाता

है। इसी प्रकार अपने जहाज पर माल बाहर भेजने के कारण वह अन्य देशों का लेनदार भी हो जाता है। देश की सरकार या व्यक्ति यदि अन्य देश के ऋणपत्र (सिक्कुरिटी) एवं शेयर आदि खरीदता है तो देश अन्य देशों का लेनदार हो जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशियों से कर्ज लेने के समय भी अन्य देशों का देनदार हो जाता है। देश में कार्य करनेवाले विदेशियों की बचत और मुनाफे के कारण भी देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जब देश किसी कारण से अन्य देशों को विशेष 'कर' देने के लिये बाध्य किया जाता है तो वह इस रकम के लिये अन्य देश का देनदार हो जाता है।

उपयुक्त लेन देन का भुगतान करने के लिये कुछ देशों में तो सोने चाँदी के सिक्के प्रचलित हैं और उनका लेन देन इन्हीं सिक्कों में कृता जाता है। यदि किसी कारण से देश को अपना कर्ज चुकाने का कोई अन्य साधन नहीं मिलता तो उसे सोना या चाँदी भेजने के लिये बाध्य होना पड़ता है। व्यापारी लोग प्रायः भुगतान विदेशी हुंडियों से ही करते हैं क्योंकि अब सरकार द्वारा सोना चाँदी बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है। हुंडी एक प्रकार का आज्ञापत्र है। हुंडी लिखनेवाला किसी व्यक्ति या संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह हुंडी में लिखी रकम नामोल्लेख किए हुए व्यक्ति को दे दे। ऐसी हुंडी को व्यापारी हुंडी कहते हैं। व्यापारी हुंडी के अतिरिक्त एक और दूसरी तरह की हुंडियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें रोज-गारी हुंडी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यात्री हुंडी, सरकारी हुंडी और बैंकों द्वारा जारी की गई हुंडियों का उपयोग भी विदेशी व्यापारिक लेन देन चुकाने में होता है।

उपयुक्त लेन देन जिस दर पर चुकाया जाता है उसे विनिमय दर कहते हैं। इस दर पर प्रायः बैंकों द्वारा विदेशी दशानों हुंडियाँ सकारी जाती है और इसी दर पर किसी समय देश की लेनी देनी की विषमता का प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार द्वारा बाहर सोना भेजने में कोई रोक टोक न हो और देश की देनी लेनी से बहुत अधिक हो तो विनिमय की दर उस सीमा तक पहुँच जाती है जब देशवासियों को हुंडी के बदले सोना भेजने में ही सुविधा होती है। इस सीमा को स्वर्ण-निर्यात-दर कहते हैं और विनिमय की दर इसके बाहर नहीं जाती। इसके विपरीत अन्य देशों से किसी देश को देनी की अपेक्षा लेनी बहुत अधिक होती है तब उस देश की विनिमय की दर उस सीमा तक पहुँच जाती है जब अन्य देशों को उस देश में हुंडियाँ भेजने के बदले सोना भेजने में सुविधा होती है। इस दर को स्वर्ण-आयात-दर कहते हैं। विदेशी विनिमय की दर इस सीमा से बाहर नहीं जाती। इस प्रकार स्वर्ण आयात और निर्यात दर के अदर ही किसी देश की विनिमय की दर घटती बढ़ती है।

अब हमें यह जानना है कि विनिमय की दर की अत्यधिक घटबढ़ का व्यापार या भिन्न भिन्न वर्गों के मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब विनिमय की दर स्वर्ण-आयात-दर से बाहर जाने लगती है तो देश में बाहर से माल मँगानेवालों को लाभ होता है और आयात को उत्तेजना मिलती है। साथ ही साथ देश से बाहर माल भेजनेवालों को हानि उठानी पड़ती है। देश के अदर की वस्तुओं की कीमत कुछ घटने लगती है। उन उद्योगों को हानि होती



है जिनका देश के अंदर विदेशी सस्ते माल से मुकाबला रहता है। इस प्रकार विनिमय की दर की अत्यधिक घटबढ़ से किसी को तो लाभ होता है और किसी को हानि। व्यापारियों को हजारों का नुकसान हो जाता है और कुछ को उतना ही फायदा हो जाता है। इस हानि लाभ से बचने के लिये प्रत्येक देश की सरकार का यह प्रयत्न हो जाता है कि वह विनिमय की दर को अत्यधिक घटने बढ़ने से रोके।

वर्तमान काल में संसार के अधिकांश देशों में (अमरीका को छोड़) सोने और चाँदी के प्रामाणिक सिक्के प्रचलित नहीं हैं। पत्र-मुद्रा का सर्वत्र ही प्रचार है। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर सरकारों द्वारा रोक लगा दी गई है। इस कारण किसी भी देश की सरकार को अपने देश की विदेशी विनिमय की दर का नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। वह हमेशा प्रयत्न करती है कि यह किसी भी समय देश की देनी लेनी से बहुत अधिक न होने पावे।

विदेशी विनिमय के नियंत्रण करने का प्रधान कारण यह है कि विनिमय दर में घटबढ़ होने के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बहुत धक्का लगता है। अतः इस घटबढ़ को रोकने के लिये अनेक राष्ट्रों ने विदेशी विनिमय समीकरण कोषों की स्थापना की। उस कोष में स्वदेश का द्रव्य और अन्य देशों का द्रव्य और सोना भी रहता है। आर्थिक संकट के समय भी कभी कभी देश की पूँजी को बाहर जाने से रोकने के लिये विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता है।

संसार के प्रधान देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की है। इस कोष की स्थापना से देशों के बीच वित्तीय मामलों में अधिक निकट मर्याद का युगाग्रह हुआ। इस कोष की कुल पूँजी ८०० करोड़ डालर के बराबर है। इसमें प्रत्येक देश का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया है। भारत का हिस्सा ४० करोड़ डालर है। इस कोष का प्रधान कार्य विदेशी विनिमय में अस्थिरता कम करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। चात्र व्यापार के लेन देन में व्यापकता लाने में भी यह कोष सहायक होता है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय लेन देन को चुकता करने में भी यह सहायक होता है।

विदेशी विनिमय की दर को स्थिर करने के लिये कोष के अधिकारियों ने कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपने द्रव्य का विनिमय मूल्य सोने अथवा डालर में निश्चित कर कोष के अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है। भारत के रूपए का मूल्य ०.००८६३५७ औंस शुद्ध स्वर्ण के बराबर है जिसका आधार तत्कालीन विनिमय दर १ स्वर्ण = १ शि० ६ पें०, १ पौ० = ४.०३ डालर और एक शुद्ध औंस स्वर्ण = ३५ डालर थी।

सितंबर, १९४६ में इंग्लैंड ने स्टर्लिंग का अवमूल्यन कर दिया जिससे डालर का विनिमय अनुपात घट गया। भारत ने भी रूपए के डालर मूल्य को ३०.२२५ सेट से घटाकर २१ सेट कर दिया किंतु स्टर्लिंग मूल्य को १ शिलिंग ६ पेंस ही रहने दिया। पाकिस्तान ने मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया। इस कारण भारतीय रूपए का मूल्य पाकिस्तानी रूपए के बराबर न रहा। परिवर्तित विनिमय दर

के अनुसार १०० पाकिस्तानी रूपए १४४ भारतीय रूपए के बराबर हो गए।

भारतीय विदेशी विनिमय का इतिहास अपने ही ढंग का है। सन् १८६३ में भारत सरकार ने इंग्लैंड के सिक्के शिलिंग पेंस में रूपए की एक कानूनन दर निर्धारित की थी वह दर १ रु० = १ शि० ४ पें० थी। भारत सरकार इस दर को सन् १९१७ तक बनाए रखने में समर्थ रही। इसके बाद विनिमय की दर का बढ़ना प्रारंभ हुआ। विनिमय की दर के बढ़ने का प्रधान कारण चाँदी की कीमत में वृद्धि थी। चाँदी की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि भारत का चाँदी का रूपया प्रामाणिक सिक्का हो गया। सन् १९१८ में यह दर १ शि० ६ पें० हो गई। मई और अगस्त, सन् १९१६ में यह दर क्रमशः १ शि० ८ पें० और १ शि० १० पें० हो गई। चाँदी की कीमत फिर भी बढ़ती ही गई। इसी वर्ष विनिमय की दर सितंबर में २ शिलिंग, नवंबर में २ शि० २ पें० तथा दिसंबर में २ शि० ४ पें० तक बढ़ गई।

सन् १९२० के फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में करेंसी कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कमिटी ने यह सिफारिश की कि भारतीय विनिमय की कानूनन दर बढ़ा दी जाय पर कमिटी ने ऊँची दर से होनेवाली हानियों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। इस दर से भारत के निर्यात व्यापार और उद्योग धंधों को भारी क्षति पहुँचने की संभावना थी, परंतु उसने ऐसी परवाह न की। कुछ समय बाद विनिमय की दर घटना प्रारंभ हुआ और वह अप्रैल, सन् १९२० तक २ शि० पाँच पेंस तक गिर गई। विनिमय की दर गिरती ही गई और १९२० के अंत तक वह गिरते गिरते १ शि० १०.३ पें० तक आ गई। इस बीच भारत सरकार को कई लाख रूपयों की उल्टी हुंडियाएँ कई लाख रूपए का मोता घाटे पर बेचना पड़ा। उल्टी हुंडियों को बेचने से भारत सरकार को करीब ३२ करोड़ की हानि हुई और घाटे पर मोता बचने में करीब ८ करोड़ की हानि हुई। इस प्रकार भारत को लगभग ४० करोड़ रूपयों की हानि हुई।

कई करोड़ रूपयों की हानि उठाने के बाद सितंबर, सन् १९२० से भारत सरकार ने विनिमय संबंधी बातों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। हमने विनिमय दर की अस्थिरता और भी बढ़नी गई। सन् १९२१ से १९२५ तक यह दर १ शि० ६ पें० एवं १ शि० ३ पें० के बीच घटती बढ़ती रही। इस अस्थिरता के कारण भी देश को बहुत नुकसान हुआ।

हिल्टन यंग समीक्षण की रिपोर्ट सन् १९२६ ई० में प्रकाशित हुई। इस समीक्षण की सिफारिशों के अनुसार भारतीय विनिमय की दर १ शि० ६ पें० निश्चित हुई और भारत सरकार ने आवश्यक कानून बना दिए। आज तक वह उर्मा दर को बनाए रखने का प्रयत्न कर रही है। परंतु इस संबंध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह दर कागजी पीठ की है, न कि स्वर्ण पीठ की।

मं० अं० — (१) डब्ल्यू० एफ० स्माल्डिन : फॉरेन एक्सचेंज ऐंड फारेन बिज्नेस (२) एच० एस० जेवंस : एक्चर ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया : (३) गाभेल . थियरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। [द० अं० दु०]

**बिनोब्रेडस्की, एस० एन०** रूस के निवासी थे, किन्तु इन्होंने फ्रांस में रहकर वैज्ञानिक कार्य किए। ये बड़े प्रसिद्ध सूक्ष्मजीव विज्ञानी (microbiologist) थे। इन्होंने सन् १८९१ में स्लो-एसिग तथा मुट्ग द्वारा खोज की गई नाइट्रोजन-संचयन पर कार्य करते हुए, उन दो जीवाणुओं को हूब निकाला जो नाइट्राइट तथा नाइट्रेट बनाते थे। इन्होंने मिट्टी में अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करनेवाले जीवाणुओं को नाइट्रोसोमोनानाम (Nitrosomonas) तथा नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करनेवाले जीवाणुओं को नाइट्रोबैक्टर (Nitrobacter) नाम प्रदान किए। भूमि संबंधी सूक्ष्मजीवविज्ञान के क्षेत्र में यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस खोज के पूर्व सन् १८९० में इन्होंने स्वपोषित (autotrophic) सूक्ष्म जीवाणुओं के संबंध में विस्तार से कार्य किया और गंधक जीवाणुओं (sulphur bacteria) तथा लौह जीवाणुओं (iron bacteria) की खोज की थी। १८९३ ई० में इन्होंने कतिपय जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन के योगिकीकरण पर कार्य किया। इस दिशा में कार्य करते हुए, इन्होंने क्लॉस्ट्रीडियम पैस्टुरियानम (Clostridium pasturianum) नामक अवायु (anaerobic) जीवाणुओं की खोज की। ये जीवाणु मिट्टी में कुछ गहराई तक बिना ऑक्सीजन के भी वायु-मंडल के नाइट्रोजन को योगिकीकृत करने में समर्थ होते हैं। इन जीवाणुओं की विशेषता यह है कि इन्हें जलविलेय शर्करा के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि प्रणाली में अमोनियम लवण का लक्षणमात्र भी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का योगिकीकरण नहीं हो पाता।

इन खोजों के संबंध में जीवाणुओं के संबंध प्राप्त करने के लिये इन्होंने 'मिलिता जेल' विधि का सूत्रपात किया, जो बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।

सन् १९४६ में इन्होंने माइक्रोबायोलोजी ड सोल प्रॉब्लेम्स एट मेथोड (Microbiologie du Sol Problems et Methode) नामक एक पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित की, जिसमें न केवल इनके द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन है वरन् सूक्ष्मजीव-विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किया जा चुका था उसकी भी विवेचना है। [ शि० गो० मि० ]

**विन्यासरसायन, या त्रिविमरसायन (Stereochemistry)** स्टीरियो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टीरिऑस (sterios) से, जिसका अर्थ ठोस होता है, हुई है और यह रासायनिक योगिकों के उन गुणों से संबंधित है जो उनके अणु के परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था पर निर्भर हैं। इस लेख में हम इस शब्द का सीमित अर्थ में उपयोग करेंगे, जिसका अभिप्राय किसी अणु के त्रिविम रासायनिक गुणों से है। परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था का सबसे प्रमुख फल त्रिविम समावयवता (stereo-isomerism) है। समावयवी वे योगिक हैं जिनका अणुसूत्र एक होता है, पर कुछ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में वे भिन्न होते हैं। यह विभिन्नता इनके अणुओं के भीतर परमाणुओं की व्यवस्था की भिन्नता के कारण होती है। एथिल ऐलकोहॉल और डाइमेथिल ईथर

दोनों का अणुसूत्र एक ही कार्बोहाइड्रेट (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) है, पर अणुओं में परमाणुओं का विन्यास भिन्न भिन्न है।


विन्यास समावयवता दो प्रकार की होती है: एक प्रकाशीय समावयवता और दूसरी ज्यामितीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवी अमरमभित होने के कारण प्रकाशतः सक्रिय होते हैं तथा बहुत से रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होते हैं। इनका सबसे प्रमुख अंतर ध्रुवित प्रकाश के माप की क्रिया है, क्योंकि इन समावयवियों का घूर्णन बराबर और विपरीत दिशा में हो सकता है। ज्यामितीय समावयवियों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों में भिन्नता होती है।

विन्यासरसायन के प्रारंभिक इतिहास का वास्तविक अध्ययन प्रकाश की कुछ घटनाओं की खोज से आरंभ होता है। १६०८ ई० में मालुस (Malus) ने घूर्णन द्वारा प्रकाश के ध्रुवन की खोज की और तीन वर्ष बाद आरागो (Arago) ने स्फटिक के प्रकाशीय सक्रिय होने का पता लगाया। १८१५ ई० में बियो (Biot) ने पता लगाया कि ठोसों के साथ साथ द्रव और गैसों भी विलयन में प्रकाशसक्रिय होती हैं।

**विशिष्ट घूर्णन** — किसी प्रकाशत सक्रिय पदार्थ का विशिष्ट घूर्णन  $[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha}{ld}$  समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें विशिष्ट घूर्णन  $[\alpha]_{\lambda}^t$ , प्रकाश की तरंग लंबाई  $\lambda$  तथा  $t^\circ$  ताप के लिये है और  $\alpha$  प्रकाश के घूर्णन का अंश (degree) है, जो  $l$  नेटी मीटर लंबी नली से होकर प्रकाश के जाने से प्राप्त हुआ तथा  $d$  नली में भरी हुई प्रकाशसक्रिय वस्तु की प्रति घन सेंमी० सांद्रता है। दाहिनी ओर के घूर्णन को धनात्मक (+) तथा बाईं ओर के घूर्णन को ऋणात्मक (-) कहते हैं। विशिष्ट घूर्णन प्रकाश तरंग, लंबाई, ताप, विलायक तथा मांद्रण पर निर्भर है। कभी कभी इनके परिवर्तन के कारण घूर्णन की दिशा ही विपरीत हो जाती है।

शेले (Scheele) ने १७६८ ई० में टार्टरिक अम्ल अमूर्तों के टार्टर से प्राप्त किया तथा १८१९ ई० में केस्टर (Kastner) ने उसी संघटन का एक अम्ल उपजात के रूप में पाया और इसका नाम रेसिमिक (Racemic) अम्ल रखा। १८३८ ई० में बियो ने पता लगाया कि टार्टरिक अम्ल प्रकाशत सक्रिय है और रेसिमिक अम्ल प्रकाशत निष्क्रिय है। ध्रुवित प्रकाश तथा प्रकाशत सक्रियता की खोज के उपरान्त विन्यासरसायन के सिद्धांतों में उल्लेखनीय प्रगति पैस्टर (Pasteur) के द्वारा हुई। पैस्टर ने पता लगाया कि टार्टरिक और रेसिमिक अम्लों का संघटन तथा उनका संरचनासूत्र HOOC - CHOH - CHOH - COOH एक है, पर उनके भौतिक गुणों में भिन्नता है। रेसिमिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल की अपेक्षा पानी में कम विलेय है तथा टार्टरिक अम्ल और उसके लवण प्रकाशत सक्रिय हैं, पर रेसिमिक अम्ल और उसके लवण प्रकाशत निष्क्रिय हैं। पैस्टर की सबसे विख्यात खोज रेसिमिक अम्ल के सोडियम और अमोनियम लवण पर हुई। यह लवण जब जल में २२° पर क्रिस्टलीकृत होता है, तो इसके क्रिस्टल दूमेरे रेसिमेट स भिन्न होते हैं और इनकी अर्धफलकीय फसिकाएँ

( hemihedral facets ) होती हैं। दो प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, एक तो दक्षिणावर्त सोडियम अमोनियम टार्टरेट की भाँति सर्वसम और दूसरी तरफ के क्रिस्टल, जिनकी अर्धफलकता ( hemihedrism ) इनके विपरीत होती है। इस दूसरे प्रकार के क्रिस्टल को दर्पण प्रतिबिंब की सजा दी गई। इनको जब मिश्रण से पृथक् किया गया तो इसका जलीय विलयन वामावर्त ( laevorotatory ) था। इससे प्राप्त अम्ल का क्रिस्टल भी टार्टरिक अम्ल के क्रिस्टल के दर्पण प्रतिबिंब के रूप में था और विलयन भी वामावर्त था। इसलिये इस अम्ल को टार्टरिक अम्ल का दूसरा रूप समझा गया। इनके क्रिस्टल असममित होते हैं :



चित्र १. प्रतिबिंबरूपी क्रिस्टल  
सोडियम अमोनियम टार्टरेट के ये दोनों  
क्रिस्टल परस्पर प्रतिबिंबरूपी हैं।

प्रकाशीय समावयवता ( Optical Isomerism ) — यह पाया गया कि केवल वे ही क्रिस्टल तथा अणु, जिनके दर्पण प्रतिबिंब अच्यारोपित ( superimpose ) नहीं होते, प्रकाशत सक्रिय होते हैं। ऐसी संरचना को असममित कहते हैं।

बहुत से पदार्थ ठोस अवस्था में ही प्रकाशत सक्रिय होते हैं, जैसे स्फटिक, सोडियम क्लोरेट आदि। सर्वप्रथम ज्ञात, प्रकाशत सक्रिय पदार्थ स्फटिक ही है, जिसके क्रिस्टल दो प्रकार के, एक दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त, होते हैं। ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और अच्यारोपित नहीं होते। क्रिस्टल के ऐसे जोड़े को प्रतिबिंब रूप ( enantiomorphs ) कहते हैं। स्फटिक के गलने पर इसकी सक्रियता लुप्त हो जाती है। इसलिये स्फटिक की प्रकाशत सक्रियता उसके असममित क्रिस्टल संरचना के कारण होती है। इस वर्ग के पदार्थ प्रकाशत सक्रिय तभी तक रहते हैं जब तक वे ठोस रूप में होते हैं, और गलने पर, वाष्पीकरण से तथा विलयन में इनकी सक्रियता नष्ट हो जाती है।

बहुत से यौगिक ठोस, गलन, गैसीय या विलयन अवस्था में भी प्रकाशत सक्रिय होते हैं, जैसे ग्लूकोज, टार्टरिक अम्ल आदि। इनकी सक्रियता यौगिक की असममित आणविक संरचना के कारण होती है। इस अणु और उसके दर्पण प्रतिबिंब को प्रतिबिंब रूप, प्रकाशीय प्रतिविन्यासी ( optical antipodes ) या प्रकाशीय समावयवी कहते हैं।

प्रतिबिंब रूपों के गुण — केवल दो बातों को छोड़कर, ये रूप भौतिक गुणों में एक से होते हैं। एक ही ध्रुवित प्रकाश के साथ बराबर और विपरीत घूर्णन देते हैं और दूसरे दक्षिणावर्त तथा वामावर्त वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के साथ इनका अवशोषण गुणांक भिन्न होता है। प्रतिबिंब रूपों के रासायनिक गुण एक से होते हैं, पर किसी

दूसरे प्रकाशत सक्रिय पदार्थ के साथ की अभिक्रिया में प्रायः अंतर होता है। शरीरक्रियात्मक सक्रियता ( physiological activity ) में भी अंतर हो सकता है, जैसे ( + ) हिस्टीडीन ( histidine ) मीठा होता है और ( - ) हिस्टीडीन स्वादहीन; ( - ) निकोटिन ( + ) निकोटिन से अधिक विषैला होता है।


चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु ( Tetrahedral Carbon Atom )— सन् १८७४ में वांट हाँफ और ले बेल ( Van't Hoff and Le Bel ) ने कार्बनिक यौगिकों की प्रकाशत समावयवता के अस्तित्व का समाधान किया। वांट हाँफ ने विचार किया कि कार्बन की चारों संयोजकता किसी समचतुष्फलक ( regular tetrahedron ) के चारों मिरो की तरफ निर्देशित है और कार्बन परमाणु उम चतुष्फलक के मध्य में स्थित है। इस सिद्धांत के अनुसार मेथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु समान होंगे, जिसे भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा सिद्ध भी किया गया। इसके पूर्व १८५८ ई० में यह समझा जाता था कि कार्बन की चारों संयोजकताएँ एक समतल में हैं और कार्बन परमाणु इस वर्ग के केंद्र पर है।

चतुष्फलकीय कार्बन की पुष्टि —  $CX_4$  अणु में कार्बन की चारों संयोजकताएँ समान हैं और यह कल्पना की जा सकती है कि त्रिविम ( space ) में इनका सममित ( symmetrical ) विन्यास है। इस प्रकार तीन व्यवस्था संभव हो सकती हैं—(१) तर्लिय, (२) पिरैमिडीय और (३) चतुष्फलकीय।

(१) यदि अणु एकतलीय हो, तो यौगिक C a b d e के तीन रूप संभव हो सकते हैं।

(२) यदि अणु पिरैमिडीय है, तो इस यौगिक के छह रूप संभव हो सकते हैं।

(३) यदि अणु चतुष्फलकीय है, तो यौगिक C a b d e के दो रूप ही संभव होंगे और दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे।



वास्तव में यौगिक C a b d e एक जोड़े प्रतिबिंब रूप में ही प्राप्त होते हैं, जो चतुष्फलकीय अणुसंरचना की पुष्टि करते हैं।

जब कार्बन से संयोजित चारों समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तब ऐसे कार्बन को असममित कार्बन ( asymmetric carbon ) कहते हैं। प्रकाशत सक्रिय कार्बनिक यौगिकों में एक, अथवा एक से अधिक, असममित कार्बन परमाणु अवश्य रहते हैं। असममित कार्बन यौगिक के C a b d e दोनों प्रतिबिंब रूप जब  $Ca_2bd$  में बदल जाते हैं, तो केवल एक ही प्रकाशत निष्क्रिय पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों लेव्टक अम्ल अवकृत होकर एक ही प्रोपिऑनिक अम्ल देते हैं। इससे चतुष्फलकीय कार्बन की पुष्टि होती है।


हंटगेन किरण के क्रिस्टलकीय विप्लेषण ( crystallographic analysis ), द्विध्रुव आघूर्ण ( dipole moments ), अवशोषण

स्पेक्ट्रम (absorption spectra) तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन (electron diffraction) के अध्ययन भी कार्बन के चतुष्फलकीय प्रकृति की पुष्टि करते हैं।

गणितीय गणना के द्वारा कार्बन की किसी दो संयोजकता के बीच का कोण  $109^{\circ} 28'$  निकाला गया। पहले यह विचार था कि यह संयोजक कोण स्थायी रहता है, पर अब ज्ञात है कि संयोजकता का अपने स्थान से विचलन हो सकता है और इस कारण इस कोण में भी परिवर्तन हो सकता है। जब कार्बन परमाणु से संयोजित सभी चारों परमाणु या समूह एक से होते हैं, तो यह कोण निरवय ही  $109^{\circ} 28'$  होता है, जैसा मेथेन,  $C H_4$ , या कार्बन टेट्राक्लोराइड,  $C Cl_4$ , में है। लेकिन मेथिलीन क्लोराइड,  $CH_2 Cl_2$ , में कोण  $112^{\circ}$  पाया जाता है, क्योंकि क्लोरीन के बड़े परमाणुओं के प्रतिकर्षी बल के कारण संयोजकता कोण में अधिक फैलाव संभव है।

एक असममित कार्बन परमाणुवाले यौगिक — एक असममित कार्बन परमाणुवाले समावयवियों में मुख्य अंतर उनकी प्रकाशीय सक्रियता में है। दोनों प्रतिबिंब रूपों के घूर्णन के चिह्न में ही केवल अंतर होता है। इसलिये इन्हें प्रकाशतः प्रतिविन्यासी (antipodes) भी कहते हैं।

लैक्टिक अम्ल,  $CH_3CHOH.COOH$ , के अणु के केवल दो ही प्रकाशतः सक्रिय समावयवी हैं, जो आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इन्हें डेक्ट्रो - (d -) और लीवो - (l -) लैक्टिक अम्ल कहते हैं। बराबर अनुपातों में दोनों रूपों का मिश्रण प्रकाशतः



निष्क्रिय होता है, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब रूपों का घूर्णन समान तथा दिशा विपरीत होती है। ऐसे अणु अनुपाती मिश्रण, जो बाह्यतः प्रतिकारित (externally compensated) तथा प्रकाशतः निष्क्रिय होते हैं, रेसिमिक रूपांतर (racemic modification) कहलाते हैं। ऐसे रेसिमिक यौगिकों को r (±) अथवा dl- संपसर्गों द्वारा निदेशित किया जाता है। इस प्रकार एक असममित कार्बन परमाणुवाला यौगिक तीन रूपों में प्राप्त हो सकता है। इन समावयवियों की संभावना असममित कार्बन परमाणु पर ही निर्भर है। कार्बन की असममिति नष्ट होने पर प्रकाशीय सक्रियता तथा समावयवता दोनों लुप्त हो जाती हैं। सक्रिय मैलिक अम्ल ( $HOOC.CH_2.CHOH.COOH$ ) के दोनो रूपों के अवकृत करने पर निष्क्रिय सक्सिनिक अम्ल,  $HOOC.CH_2.CH_2.COOH$ , प्राप्त होता है।

दो या अधिक असममित कार्बन परमाणुवाले यौगिक — यौगिकों में उ्यों ज्यों असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है त्यों त्यों अधिक समावयवी रूपों की संभावना बढ़ती जाती है। साधारण दशा में एक असममित यौगिक के, जिसमें संख्या n असममित कार्बन परमाणु हों, प्रकाशतः सक्रिय समावयवियों की संख्या  $2^n$  हो सकती है और  $2^{n-1}$  प्रतिबिंब रूपों के जोड़े, अर्थात्  $2^{n-1}$  रेसिमिक रूप होंगे।


वे यौगिक, जिनमें दो भिन्न असममित कार्बन परमाणु हों  $2^2$  अर्थात् चार रूपों की क्षमता रखते हैं। इनमें दो जोड़े होंगे और प्रति जोड़े में एक दूसरे के समान और विपरीत चिह्नवाले घूर्णन होंगे। दोनों जोड़ों से दो रेसिमिक रूप भी प्राप्त होंगे। यदि दोनों असममित कार्बनों को अ और ब के नाम से समझा जाय तथा + और - उनका दिग्विन्यास समझा जाय, तो प्रकाशीय यौगिकों को इस प्रकार लिख सकते हैं।

(१)	(२)	(३)	(४)
+ अ	- अ	+ अ	- अ
+ ब	- ब	- ब	+ ब
१ रेसिमिक रूप		२ रेसिमिक रूप	

इस प्रकार के उदाहरण सिनेमिक ऐसिड डाइब्रोमाइड,  $C_6H_5 C H Br. CHBr. COOH$ , है, जो चार प्रकाशतः सक्रिय रूपों तथा दो रेसिमिक रूपों में प्राप्य है। यौगिक, जिनमें दोनों समान असममित कार्बन परमाणु हों, तीन विन्यासों में पाए जाते हैं, जिनमें दो प्रकाशतः सक्रिय प्रतिबिंब रूप होते हैं और तीसरा अतः प्रतिकारित (internally compensated) निष्क्रिय होता है और इनका विभेदन प्रकाशतः सक्रिय रूपों में नहीं हो सकता। इनके अलावा दोनों सक्रिय रूपों से एक रेसिमिक रूप भी उत्पन्न होता है। जब अ = ब हो, तो तीसरा और चौथा रूप एक होता है।

(१)	(२)	(३)
+ अ	- अ	+ अ
+ अ	- अ	- अ
रेसिमिक रूप		

संख्या ३ द्वारा निदेशित पदार्थ प्रकाशतः निष्क्रिय होता है। यद्यपि इसमें दो सक्रिय कार्बन हैं, तथापि वे एक दूसरे को प्रभावहीन करते हैं, क्योंकि उनका घूर्णन समान और विपरीत है। इस अतः प्रतिकारित अणु को i अथवा मेसो (meso) रूप कहते हैं। निष्क्रिय तथा अविभेदित रूप उन यौगिकों में संभव नहीं है जिनमें एक ही असममित कार्बन परमाणु हो। यह रेसिमिक रूपों से भिन्न होता है, जिनका विभेदन उनके प्रकाशतः सक्रिय रूपों में किया जा सकता है। इस प्रकार का सबसे उत्तम उदाहरण डाइहाइड्रोसक्सिनिक अम्ल है, जिसमें दो समान असममित कार्बन हैं और जिसका ऐतिहासिक दृष्टि में बहुत महत्व है। सिद्धांत के अनुसार यह दक्षिणावर्त, वामावर्त और मेमो-टाटिरिक अम्ल रूपों के समान मिश्रण से प्राप्त होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त प्रकाशतः प्रतिविन्यासी है तथा मेसो और रेसिमिक निष्क्रिय हैं। इनके संरचनासूत्र निम्न रूप से दर्शाए जा सकते हैं :



**रेसिमिक रूपांतरण (Racemic Modification)** — एक जोड़े प्रतिरूपों (वामावर्त तथा दक्षिणावर्त) के बराबर मिश्रण को रेसिमिक रूप कहते हैं। यह रूप निम्न कारणों से प्राप्त हो सकता है।

(१) बराबर मात्रा में दोनों प्रतिरूपों को मिलाने से।

(२) असममित यौगिकों के संश्लेषण (सममित यौगिकों से) में रेसिमिक रूप प्राप्त होता है।

**रेसिमीकरण (Racemisation)** — एक प्रकाशत, सक्रिय यौगिक को रेसिमिक रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। प्रायः यौगिकों के + और - रूपों का रेसिमीकरण ताप, प्रकाश और रासायनिक अभिकर्मकों के प्रभाव से हो सकता है। परिवर्तन की क्रिया यौगिक और अभिकर्मक के ऊपर निर्भर करती है। कुछ यौगिकों का रेसिमीकरण इतनी सरलता और शीघ्रता से होता है कि उनको प्रकाशतः सक्रिय रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। कुछ थोड़े से ऐसे भी यौगिक हैं जो रेसिमीकृत नहीं होते।

**रेसिमिक रूपों का विभेदन (Resolution)** — विभेदन वह क्रिया है जिससे रेसिमिक रूपांतरण से उसका दोनों प्रतिविब रूप अलग किए जाते हैं। वास्तव में इनका मात्रात्मक पृथक्करण बहुत ही कम होता है और कुछ में तो केवल एक ही प्रतिरूप ही प्राप्ति होती है। विभेदन की कुछ विधियाँ इस प्रकार हैं।

(१) यांत्रिक पृथक्करण (Mechanical separation) — पैस्टर ने उस विधि का पता लगाया जिसके अनुसार दोनों प्रतिरूपों के क्रिस्टल अलग अलग होते हैं और वे हाथों से अलग किए जा सकते हैं। पैस्टर ने सोडियम अमोनियम टार्टरेट को २०° से० पर क्रिस्टलीकृत कर, दोनों प्रकार के क्रिस्टलों को चिमटे से अलग अलग किया था। इस विधि का उपयोग बड़ा सीमित है।

(२) निवेशन द्वारा वर्णात्मक क्रिस्टलन (Preferential crystallisation by inoculation) — रेसिमिक मिश्रण के अतिसूक्ष्म विलयन में जब एक प्रतिविब रूप का एक क्रिस्टल डाला जाता है, तो पहले उसी प्रतिविब रूप का क्रिस्टलन होता है और इस प्रकार उस रूप का पृथक्करण हो सकता है।

(३) जीवरासायनिक विभेदन (Biochemical resolution) — कुछ जीवाणु, या फूँद जब किसी रेसिमिक के तनु विलयन पर उगाए जाते हैं, तब ये एक प्रतिविब रूप को दूसरे की अपेक्षा शीघ्रता से नष्ट करते हैं। इस प्रकार किसी निश्चित समय के उपरान्त एक प्रतिविब रूप की प्राप्ति हो सकती है। पेनिसिलियम ग्लोकम जब रेसिमिक अमोनियम टार्टरेट के विलयन पर उगाया जाता है, तो पहले डेक्ट्रो रूप नष्ट हो जाता है और लीवो बच जाता है।

(४) रासायनिक विभेदन — यह विधि सबसे उत्तम है। इसमें रेसिमिक यौगिक के प्रतिविब रूपों को किसी प्रकाशतः सक्रिय यौगिक से उपचारित करते हैं, ताकि वे परस्पर मिलकर ऐसे यौगिक बनें जिनका पृथक्करण सरलता से किया जा सके। रेसिमिक अम्लों को प्रकाशतः सक्रिय (+) क्षारक के साथ उपचारित करने से जो सबण बनेंगे, उनमें कुछ सबण + अम्ल तथा + क्षारक के होंगे


और कुछ लवण - अम्ल तथा + क्षारक के होंगे। इनके गुणों में विभिन्नता रह सकती है, जिनसे वे क्रिस्टलन द्वारा पृथक् किए जा सकते हैं।

(५) वरणात्मक अवशोषण (Selective absorption) — प्रकाशतः सक्रिय पदार्थों का वरणात्मक अवशोषण किसी विशेष प्रकाशत सक्रिय अवशोषक द्वारा हो सकता है। अनेक रसायनज्ञों ने इसके द्वारा विभेदन संपन्न किया है।

**नामकरण** — पहले दक्षिणावर्त और वामावर्त प्रतिविब रूपों को क्रमशः डेक्ट्रो (d) और लीवो (l) उपसर्गों से निर्देशित किया जाता था। इसी भाँति डेक्ट्रो (d) टार्टरिक और लीवो (l) टार्टरिक अम्ल कहा जाता था। वाटहॉफ ने + और - चिह्नों का प्रयोग असममित कार्बन के विन्यास को दर्शाने के लिये किया है। बाद में फिशर ने प्रस्ताव किया कि d और l उपसर्गों का प्रयोग उनकी विन्यास स्थिति के लिये किया जाय और इनका प्रयोग घूर्णन की दिशा के लिये न किया जाए।

किसी प्रकाशत सक्रिय पदार्थ के घूर्णन का चिह्न प्रायः प्रायोगिक दशा में परिवर्तन से विपरीत हो सकता है और इसी भाँति उनके संज्ञाओं का, जिनका विन्यास उसी प्रकार है, चिह्न भी घूर्णन की दिशा से विपरीत हो सकता है, जैसे वामावर्त लवण अम्ल के लवण और एस्टर दक्षिणावर्त होते हैं और दक्षिणावर्त लवण अम्ल के वामावर्त। इन सब कारणों से विचार किया गया कि प्रकाशत-सक्रिय पदार्थ के लिये ऐसे चिह्न का उपयोग किया जाय जो सीधे विन्यास की स्थिति का बोध कराए और यह चिह्न उनके घूर्णन दिशा के चिह्न से स्वतंत्र हो।

ग्लिसरेलिडहाइड, जिसमें एक असममित कार्बन परमाणु है, दो प्रतिविब रूपों में प्राप्य है और एक स्वेच्छ निश्चय के अनुसार दक्षिणावर्त रूप को ऐसे दर्शाते हैं कि हाइड्रॉक्सिल, -OH, समूह का कार्बन दाहिने और हाइड्रोजन परमाणु बाईं तरफ होता है। चतुष्फलकीय कार्बन की व्यवस्था के अनुसार हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल समूह पृष्ठ की सतह से ऊपर है तथा -CHO और -CH<sub>2</sub>OH समूह पृष्ठ की सतह से नीचे। ग्लिसरेलिडहाइड के इस विन्यास को D कहते हैं। प्रचलित रीति के अनुसार पढ़ी रेखा द्वारा सयोजित समूह पृष्ठ की सतह से ऊपर है। इस भाँति इसके प्रतिविब रूपा का विन्यास L से निर्देशित होता है। D और L विन्यास की दशा का संकेत है। इस D-ग्लिसरेलिडहाइड के प्रामाणिक विन्यास से संबंधित विन्यास D-श्रेणी (D-series) के अंतर्गत



D-श्रेणी


L-श्रेणी

आते हैं, अर्थात् वे यौगिक, जो D-ग्लिसरेलिडहाइड से प्राप्त हो सकते हैं, या रासायनिक क्रिया से D-ग्लिसरेलिडहाइड में परिवर्तित किए जा सकते हैं, D-श्रेणी में आते हैं।


इस तरह ग्लिसरेलिडहाइड का पूरा नाम D (+) ग्लिसरेलिडहाइड और L (-) ग्लिसरेलिडहाइड होता है। (+) और (-) इसकी घूर्णन दिशा का संकेत करते हैं। इनके ऐलिडहाइड समूह को अगले सजातीय -CHOH-CHO में बदला जा सकता है और जैसे कि इसमें एक और अभ्यमित कार्बन है वैसे ही हर ग्लिसरेलिडहाइड दो रूप देने।

D (+) ग्लिसरेलिडहाइड


L (-) ग्लिसरेलिडहाइड




इस सिद्धांत के अनुसार वामावर्त टार्टरिक तथा लैक्टिक अम्ल D-श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये D ग्लिसरेलिडहाइड से संबंधित हैं।



एक अभिक्रिया में क्लोरिन का प्रतिस्थापन साधारण तरह का है और दूसरी में प्रतिस्थापन अणु पुनर्विन्यास के साथ है, जो दर्पण प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। कौन सी अभिक्रिया साधारण है और कौन सी असाधारण, इसको जानने के लिये कुछ और तथ्य चाहिए। इसका प्रमाण मिलता है कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया में विन्यास में परिवर्तन होता है। यदि वामावर्त मैलिक अम्ल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिकृत किया जाय, तो दक्षिणावर्त क्लोरोसक्सिनिक अम्ल की प्राप्ति होती है, अर्थात् द्विपदीय अभिक्रिया से एक प्रकाशत सक्रिय यौगिक अपने प्रतिबिंब रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया रेसिमिकरण से भिन्न है, जिसमें प्रकाशतः सक्रिय पदार्थ केवल ५० प्रति शत ही अपने प्रतिबिंब रूप में बदलता है।




**वाल्डन प्रतिलोमन (Walden Inversion)** — कार्बन यौगिकों में जब एक समूह दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तब यह समझा जाता है कि प्रतिस्थापक हटाए हुए समूह का स्थान लेता है। यदि एक प्रकाशत सक्रिय यौगिक अ साधारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया से अ यौगिक में परिवर्तित होता है, तो इनके विन्यास एक से होते हैं। यह सत्य है, पर कभी कभी प्रतिस्थापन के साथ साथ विन्यास में परिवर्तन भी हो जाता है। इस विन्यास परिवर्तन को प्रकाशकी प्रतिलोमन, या आविष्कारक वाल्डन के नाम से वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। इसका एक सरल उदाहरण क्लोरोसक्सिनिक अम्ल में क्लोरिन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह से होने पर, मैलिक अम्ल प्राप्त होना है तथा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के प्रयोग से दक्षिणावर्त अम्ल प्राप्त होता है :



**असममित संश्लेषण (Asymmetric synthesis)** — जब किसी सममित यौगिक को साधारण रासायनिक अभिक्रिया से असममित यौगिक में परिवर्तित किया जाता है, तब उत्पन्न यौगिक

प्रकाशतः सक्रिय रूप में नहीं वरन् रेसिमिक रूप में प्राप्त होता है, जैसे बीचैल्डिहाइड तथा हाइड्रोजन सायनाइड की अभिक्रिया से रेसिमिक नाइट्राइल प्राप्त होता है :



dl मैडेलोनाइट्राइल


साधारण भौतिक और रासायनिक गुणों में दोनों प्रतिबिम्ब रूप एक से होते हैं, इसलिये ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक प्रतिबिम्ब रूप अधिकता से उत्पन्न हो। लेकिन यदि ऐसी ही अभिक्रिया किसी प्रकाशतः सक्रिय समूह की उपस्थिति में हो, जिसे बाद में अलग किया जा सके, तो उत्पन्न पदार्थ में सक्रियता हो सकती है। इस प्रकार के संश्लेषण को असममित संश्लेषण कहते हैं।

मार्कवॉल्ड (Marckwald, सन् १९०४) ने सबसे पहले प्रकाशतः सक्रिय वैलेरिक अम्ल (valeric acid) का असममित संश्लेषण किया। इस अम्ल को बुसीन क्षारक के साथ उपचारित करने और विघटन से जो वैलेरिक अम्ल प्राप्त हुआ, वह प्रकाशतः सक्रिय था।

इसी प्रकार प्रकाशतः सक्रिय लैक्टिक अम्ल भी प्राप्त हुआ। ऐंजाइमों की उपस्थिति में भी प्रकाशतः सक्रिय यौगिक प्राप्त हुए हैं। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश से संश्लेषण के अनेक प्रयोग हुए हैं और कुछ से प्रकाशतः सक्रिय यौगिक के निर्माण में सफलता भी मिली है।

प्रतिबिम्बता के लिये प्रतिबिम्ब (Condition for Enantiomorphism) — किसी यौगिक के प्रकाशतः सक्रिय रूप में होने के लिये आवश्यक है कि उसकी अणुसंरचना में दो दर्पण-प्रतिबिम्ब रूपों में अस्तित्व हो और वे एक दूसरे से अध्यारोपित न हो पाएँ। इस दशा के पूरा होने के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि अणु में एक असममित परमाणु विद्यमान हो। किसी यौगिक के प्रतिबिम्ब रूप में होने की क्षमता तभी हो सकती है जब अणु में सममित तल तथा सममित केंद्र की संभावना न हो।

जैसा वर्णन किया गया है, असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक का विन्यास सममित तल से रहित होता है। ऐसे पदार्थ का जिनमें असममित परमाणु न हों और जो दो दर्पण प्रतिबिम्ब रूप में संभव हो सके, एक सरल उदाहरण ऐलन (Allen) संजातो द्वारा दर्शाया जाता है।




ऐलन

दर्पण प्रतिबिम्ब

यदि हम  $C_1$  के XY समूह को पृष्ठ के तल में समझें, तो कार्बनाय संयोजकताओं की अनुष्णलकीय व्यवस्था के अनुसार  $C_1$  और  $C_2$  के बीच का द्विबंध पृष्ठ के लंबवत् तल में होगा तथा  $C_3$  और


$C_4$  के बीच का बंध पुनः पृष्ठ तल में होगा।  $C_3$  से संयोजित Y समूह पृष्ठ की सतह से बाहर और X पृष्ठ की सतह से पीछे होगा। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण संरचना में कोई सममित तल नहीं है और अपने प्रतिबिम्ब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाता।

यदि ऐलिनो के द्विबंध वलयों द्वारा प्रतिस्थापित हो, तो स्पिरानों (spirans) की प्राप्ति होती है और इसमें उभयनिष्ठ परमाणुओं में संयोजित वलय एक दूसरे पर लंबवत् होते हैं। वाट हॉफ ने विचार प्रकट किया था कि इस प्रकार के यौगिकों का अस्तित्व प्रकाशतः सक्रिय रूपों में होना चाहिए, पर प्रयोगात्मक रूप से इसकी पुष्टि काफी बाद में हुई। ऐसे यौगिक का जिसमें कोई असममित परमाणु न हो, सबसे पहला सफल विभेदन पकिन, पोप और वालाश ने (सन् १९०९) १-मेथिल साइक्लोहेक्मिलिडीन-४-ऐसीटिक अम्ल का किया। न्यूसीन लवण के जलीय ऐल्कोहॉल द्वारा क्रिस्टलन पर, यह दो सक्रिय रूपों में प्राप्त किया गया।



सममित केंद्र के अस्तित्व से भी प्रकाशीय राक्रियता की संभावना नष्ट हो जाती है।

एकल बंध पर बाधित घूर्णन द्वारा प्रकाशीय समावयवता (Optical isomerism due to restricted rotation about a single bond) — एक नए प्रकार की प्रकाशीय समावयवता डाइफेनिल (diphenyl) श्रेणी में पाई जाती है। क्रिस्टी और केनर (Christie and Kenner) के अन्वेषण के माध्यम से इसका विकास हुआ, जिनमें उन्होंने पता लगाया कि प्रतिस्थापित डाइफेनिक अम्लों, जैसे ६,६' (अ), या ४,६' (ब) डाईनाइट्रो संजातो का विभेदन उनके प्रकाशीय समावयवों में किया जा सकता है। तब से बहुत से प्रतिस्थापित डाइफेनिक अम्लों का विभेदन हुआ।



पहले यह विश्वास किया जाता था कि दोनों फेनिल समूह में संबंधित बंध के पास के चांगे स्थानों में से तीन का प्रतिस्थापन अनिवार्य है। बाद में डाइअर्थो प्रतिस्थापित यौगिकों के, जैसे २,२' डाइसल्फिनिक अम्ल, डाइफेनिल के विभेदन से ज्ञात हुआ कि यदि ये समूह काफी बड़े हैं, तो केवल दो अर्थो स्थानों का प्रतिस्थापन आवश्यक है।

इस प्रकार की समावयवता का समाधान बाधित घूर्णन के सिद्धांत पर दिया गया। इन प्रतिस्थापित डाइफेनिल यौगिकों में दोनों वलयों के तल आपस में लंबित हैं और कार्बन-कार्बन बंध को

१८०° घुमाने पर एक रूप का दूसरा प्रतिबिम्ब रूप प्राप्त होगा। इस घूर्णन को बाधित करने के लिये अर्धों स्थान पर प्रतिस्थापित समूहों का आकार ही है। जब C-C बंध का स्वतंत्र घूर्णन बाधित होता है, तब ऐसे यौगिकों का दो दर्पण-प्रतिबिम्ब रूपों में अस्तित्व हो सकता है :




या दूसरे शब्दों में अणु समाक्ष (coaxial) और समतलीय (coplanar) नहीं है।

इस सिद्धांत की पुष्टि के लिये वास्तविक दिक्प्रतिरूप (space model) का निरीक्षण किया गया और देखा गया कि बेंजीन नाभिक अंतर्बन्धित (interlocked) हो जाते हैं। वास्तविक शक्ति, जो इनका घूर्णन अवरुद्ध करती है, स्पष्ट नहीं है और हो सकता है, यह बिल्कुल यांत्रिक रुकावट हो। ३३' डाइएमिनो-डाइ-मेसिटिल का, जिसमें चारों अर्धों समान हैं, विभेदन यांत्रिक रुकावट के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं।


एक बंध पर के बाधित घूर्णन के द्वारा प्रकाशीय समावयवता की भांशा डाइफेनिल यौगिकों के अलावा और यौगिकों में की जा सकती है। मिल्स (Mills) और एलियट (Elliot) ने  $\alpha$ -नाइट्रो, १-नैफथीन ग्लाइमीन के बेंजीन सल्फोनिक संजात का विभेदन किया। इसके प्रकाशीय समावयव अस्थिर हैं और प्रकाशीय घूर्णन कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाता है।

**विकृति सिद्धांत (Strain Theory)** — सन् १८८५ में बेयर (Baeyer) ने ध्यान आकर्षित किया कि प्रायः सभी कार्बन के चक्रीय यौगिक पाँच या छह कार्बन सदस्यी होते हैं। इनके समाधान के लिये उन्होंने एक विकृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वॉल्ट हॉफ के चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच १०९° २८' का कोण होता है, और बेयर ने विचार किया है कि इस माप के कोण का यौगिक बहुत स्थायी होगा, परन्तु यदि अणु में एक, या अधिक संयोजकता कोणों को उनकी वास्तविक स्थिति से विचलित किया जाए, तो अणु में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है और यौगिक अस्थायी हो जाता है। साइक्लो-प्रोपेन में कार्बन-कार्बन कोण ६०° का होना चाहिए और यह माप १०९° २८' से बहुत ही कम है, जिससे अणु में कड़ी विकृति उत्पन्न होती है। इसलिये ऐसे यौगिकों का संश्लेषण कठिन होता है। साइक्लोब्यूटेन में भी कार्बन-कार्बन कोण ९०° का होगा और हममें भी काफी विकृति उत्पन्न होगी। इन प्रकार सबसे कम विकृति साइक्लोपेंटेन में होगी, क्योंकि कार्बन-कार्बन कोण १०८° कार्बन संयोजकता कोण के बहुत ही निकट है और प्राकृतिक स्थिति से उसमें विचलन बहुत कम है। लेकिन बड़े चक्रों में विकृति बराबर बढ़ने लगती है, जैसे ६ सदस्यी चक्र का कोण १२०°, सात सदस्यी का १२८° ३४' इत्यादि। इन प्रकार सबसे कम विकृति ५ और ६ सदस्यी चक्रों में है, जो प्रति सुगमता से संश्लेषित किए जा सकते हैं।


बेयर के मूल विचारों पर विशेष संशोधन किया गया, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार बड़े चक्रीय यौगिकों की स्थिरता का समाधान न हो सका। यह विश्वास किया गया कि तीन और चार सदस्यी चक्रों में ही बेयर के सिद्धांत के अनुसार विकृति है तथा ६ और अधिक सदस्यी चक्रों में कोई विकृति नहीं है। बेयर का विचार कि ये बलय समतल में हैं, छोटे सदस्यी चक्रों के लिये सत्य हो सकता है; पर बड़े चक्रीय यौगिकों में विकृति पूर्णतः समाप्त हो सकती है, यदि उन्हें बलयी दशा में छोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिये, साइक्लोहेक्सेन के दो विकृतिविहीन विन्यास संभव हैं, जिन्हें नाव (boat) और कुर्मी (chair) का रूप कहते हैं। इन विन्यास रूपों का अंतर्बदल संभव है।



**ज्यामितीय समावयवता (Geometrical Isomerism)** — जब दो कार्बन परमाणु एकलबंध द्वारा संयोजित होते हैं, तब उनके प्रदर्शित करनेवाले चतुष्फलक किमी एक सिरे पर मिले होते हैं और इनका अभ्यनिष्ठ अक्ष पर घूर्णन स्वतंत्र होता है। यदि इस प्रकार के घूर्णन की स्वतंत्रता न हो, तो एक साधारण यौगिक एथेन ( $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ ) बहुत से रूपों में उपलब्ध हो सकता है। लेकिन वास्तव में एक ही एथेन ज्ञान है। इन यौगिकों में विन्यास समावयवता नहीं संभव हो सकती है जब उनमें एक अग्रममित कार्बन परमाणु हो। लेकिन जब कार्बन-कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा संयोजित होते हैं, तब परिस्थिति कुछ दूसरी होती है, जैसे एथिनीन के मजान, जिनके साधारण सूत्र  $\text{baC} - \text{Cde}$  में चतुष्फलकों का स्वतंत्र घूर्णन समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनके दो सिरे जुड़े होते हैं तथा बाकी चार कोने एक तल में होते हैं। इन कारणों से यौगिक  $\text{baC} - \text{Cde}$  दो विन्यास समावयवों में प्राप्त होता है और उनका विन्यास निम्न रूपों में दिखाया जा सकता है—



उस यौगिक को, जिसका विन्यास (१) के समान है, अर्थात् जिसमें अणु के समान समूह एक तरफ होते हैं, सिस रूप (cis form) कहते हैं और इनमें एक सममित तल द्विबंध अक्ष के लंबवत् होता है। दूसरे प्रकार के विन्यास (२) को, जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं तथा सममित तल द्विबंध अक्ष के साथ होता है, ट्रांस रूप (trans form) कहते हैं। इस प्रकार के समावयवों का एक उत्तम उदाहरण मैलिक और फूमैरिक अम्लों द्वारा दर्शाया जाता है -






मैलिक अम्ल में दोनों कार्बोक्सिल समूह अणु के एक तरफ, तथा फूमैरिक अम्ल में इनकी स्थिति विपरीत होती है। ये यौगिक केवल भौतिक गुणों में ही नहीं, बल्कि रासायनिक गुणों में भी भिन्न होते हैं। मैलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह निकट होने के कारण वे सरलता से स्थायी ऐनहाइड्राइड बनाते हैं।

इस समावयवता को सिस-ट्रांस (Cis-trans) समावयवता भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता बहुत से यौगिकों में, उन यौगिकों में, जिनमें द्विबंध कार्बन (C=C), द्विबंध नाइट्रोजन (N=N) अथवा द्विबंध कार्बन-नाइट्रोजन (C=N) विद्यमान हों तथा चक्रीय यौगिकों और डाइफेनिल यौगिकों में पाई जाती है।

एथिलीन यौगिकों की ही भाँति बहुमेथिलीन यौगिकों की चक्रीय संरचना कार्बन परमाणुओं के स्वतंत्र घूर्णन को बाधित करती है। प्रतिस्थापित बहुमेथिलीन चक्रीय यौगिकों में समावयवता का समाधान इस सिद्धांत से किया जाता है कि कुछ समूह विपरीत स्थान में स्थित हो सकते हैं। इन संतृप्त चक्रीय यौगिकों की संरचना एक स्थिर समतल में है और चक्रीय कार्बन अणु से संयोजित समूह इस समतल के ऊपर या नीचे हो सकते हैं। दो हेक्साहाइड्रो-मैलिक अम्लों का संबंध, जैसा चित्र में दिखाया गया है, मैलिक और फूमैरिक अम्लों जैसा है।



सिस अम्ल

ट्रांस अम्ल

कार्बन के अतिरिक्त और तत्वों की प्रकाशीय समावयवता — बहुत से चतुसंयोजक तत्व, जिनकी संयोजकताओं का विन्यास चतुष्फलकीय है, जैसे टिन और सिलिकन, प्रकाशीय सक्रिय रूपों में प्राप्त किए गए हैं।

नाइट्रोजन त्रि-सहसंयोजक, अथवा चतुसंयोजक, एक विद्युत् संयोजक हो सकता है। चतुसंयोजकवाले नाइट्रोजन के आवेश (charge) का विचार छोड़ दिया जाय, तो अणु कार्बनिक यौगिकों के समान हो जाते हैं। मेथिल एलिल बेंजिल अमोनियम आयोडाइड तथा एथिल मेथिल फेनिल ऐमिन आइसाइड के प्रकाशतः सक्रिय रूप प्राप्त हुए हैं।

यौगिकों का रेसिमीकरण कार्बन यौगिकों की अपेक्षा बहुत शीघ्रता से होता है। विन्यास रसायन की दृष्टि में त्रि-सहसंयोजक नाइट्रोजन का विवरण विशेष मनोरंजक है। किसी तृतीयक ऐमीन का विभेदन नहीं हो पाया है। इसलिये ऐसा विचार किया गया कि ये अणु समतलीय हैं, पर भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अमोनिया और ऐमीनों का विन्यास चतुष्फलकीय है। नाइट्रोजन परमाणु चतुष्फलक के एक सिरे पर है और उसकी संयोजकता १०६° का कोण बनाती है।

माइसनहाइमर (Meisenheimer) ने तृतीयक ऐमीन के ११-११

विभेदन की असफलता के विषय में बताया कि नाइट्रोजन परमाणु शीघ्रता से समतल के ऊपर और नीचे किया करता है, जिससे प्रकाशीय व्युत्क्रम हमेशा हुआ करता है। आक्साइम त्रि-सहसंयोजक नाइट्रोजन के ही यौगिक हैं। वे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अभी तक किसी तृतीयक फॉस्फीन का विभेदन सफल नहीं हुआ, पर बहुत से चतुसंयोजक फॉस्फोरस के यौगिक प्रकाशतः सक्रिय रूपों में प्राप्त हुए हैं। त्रि-सहसंयोजक तथा चतुसंयोजक आर्सेनिक यौगिकों में भी विभेदन हुआ है। सल्फर, ऐंटीमनी, सिलिकन, जर्मेनियम, सिलीनियम, टेल्यूरियम इत्यादि के बहुत से यौगिकों के प्रकाशतः सक्रिय रूप प्राप्त हुए हैं।

[ शि० मो० व० ]

विपुला दे० 'विदेह कैवल्य' के बाद।

विभोषण रावण का छोटा भाई, कैकसी का तृतीय पुत्र जो धर्मत्मा था। ब्रह्मा के वरदान स्वरूप इसे धर्मबुद्धि, धर्मरत्न और ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। राम और सीता के विषय में लंका के राक्षसों से भिन्न मत होने के कारण ही रावण ने इसपर पादप्रहार किया था। लंका से यह कैलास भाग गया और वहाँ शिव की संमति से रामभक्त बन गया। रावणवध के बाद इसे ही लंका का राज्य मिला।

[ ११० द्वि० ]

विमान एवं वैमानिकी उड़ने का विचार संभवतः उस समय से भी पहले का है जब मानव ने सर्वप्रथम विश्व का प्रेक्षण किया और उन्नति की संभावनाओं का अनुभव किया। भारतीय देवी देवताओं की आकाश में उड़ने संबंधी पौराणिक कथाएँ, डीडेलस (Daedalus) एवं आइकेरस (Icarus) संबंधी प्राचीन कथाएँ और घोड़े एवं गलीचो के उड़ने संबंधी पूर्व की प्राचीन कथाएँ ईसा से कई शताब्दियों पहले की हैं। यह स्वाभाविक था कि ये कहानियाँ मानव को प्रेरित करती रहें कि वह उड़ने के सतत प्रयत्न एवं प्रयोग में लगा रहे।

मानव के प्रारंभिक इतिहास से उड़ने संबंधी प्रयासों एवं प्रयोगों का पता चलता है। हवा से हलके यत्र से उड़ने का सुझाव सर्वप्रथम द लेना (De Lana) ने १६७० ई० में प्रस्तुत किया। इन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि पात्र पर्याप्त हलका हो और उसकी हवा निकाल दी जाय, तो वह हवा में उठ जाएगा। इसी समय ग्लाडिंग के द्वारा समस्या को हल करने का अनुभव किया गया और इस दिशा में प्रयास और पल्लेदार डैनों (flapping wings) संबंधी प्रयोग चलते रहे। प्रसिद्ध अंग्रेज गणितज्ञ सर जार्ज केले (Sir George Cayley, १७७३-१८५७ ई०) ने अपना ध्यान उड़ने की समस्या को हल करने में पूर्ण तत्परता से लगाया। चलपक्ष विमान, या ऑर्निथोप्टर (Ornithopter), अर्थात् मानव की पंखों की शक्ति से पल्लेदार डैनों द्वारा उड़ने के विचार, को इन्होंने पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया और बस्तुतः यह सुझाव दिया कि समस्या का हल विस्कोटन इण्डन से निकलेगा। १८०६ ई० में ऐसा सुझाव देना ईश्वरीय प्रतिभा की अपूर्व अभिव्यक्ति थी।

१७७६ ई० में हेनरी कैवेंडिश ने कोज निकाला कि हाइड्रोजन

हवा से हल्की होती है। इस संबंध में अनेक प्रयोग शुरू हुए। ऐसे प्रयोगों में एक उल्लेखनीय प्रयोग इतालवी भौतिकविद् टाइबेरियस कावालो (Tiberius Cavallo) का था। इसमें इन्होंने साबुन के बुलबुले में हाइड्रोजन भरकर उड़ाया था। पीछे हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे उड़ाए गए। इसी के आधार पर इच्छानुसार उठनेवाला एक वायुपोत काउंट जेपेलिन ने १६०० ई० में बनाया।

१७८३ ई० में मॉन्टगॉल्फियर (Montgolfier) ने गुब्बारे को उड़ाया। उसी वर्ष पिलेट्री डे रोजियर (Pilatre de Rozier) भी गुब्बारे में उड़े। आगामी वर्ष एडवर्ड टायलर (Tytler) हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में उड़े। ये पहले व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश भूमि पर हवा में उड़े थे।

आधुनिक युग की यह विशेषता है कि सन् १८६१ में लीलिएंटाल (Lillienthal) बंधुओं ने पक्षियों के डैनों मरीखे डैने बनाकर, उड़ने का प्रयोग रात में उपहास से बचने के लिये किया, पर शीघ्र ही आँटो लीलिएंटाल ने अनुभव किया कि इसके लिये शांत वैज्ञानिक अन्वेषण आवश्यक है। ग्लाइडरों से इन्होंने प्रयोग किए और इस प्रकार वैमानिकी के वास्तविक प्रवर्तकों में स्थान प्राप्त किया। लेओनार्डो डा विन्चि (Leonardo da Vinci), जो आधुनिक यांत्रिकी युग के जनक हैं, उन सभी यंत्रों को प्रयोग में लाए जो उस समय तक ज्ञात थे। यद्यपि इन्होंने पहले पहल वायु पेंच (air screw) का सुझाव दिया पर उत्पादन सहज से वायु पेंच के साहचर्य से मानवपेशीय शक्ति मानव को पृथ्वी से ऊपर कभी नहीं उठा सकती इसको अनुभव करने में ये असफल रहे।

स्वाभिकरूपी विमानों में अनेक उड़ान भरने के पश्चात् आँटो लीलिएंटाल का १८६६ ई० में दुर्घटना से देहान हो गया, पर इंग्लैंड में पिल्चर (Pilchur) तथा अमनीवा में शान्ट (Chanute) ने कार्य चालू रखा। यद्यपि आँटो लीलिएंटाल की मृत्यु ग्लाइड करते समय हो गई, पर इन तीनों के प्रयासों ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि नियंत्रण में ग्लाइड करनेवाले विमान का बनना संभव है। १८६८ ई० में इंग्लैंड में स्ट्रुगफेलो ने ऊर्ध्वधर नोदको से युक्त भापचालित सफल विमान बनाया, जो हवाई पेंच (aerial screw) युक्त वायुयान था और ऊँची चाल प्राप्त कर सकता था।

सन् १८६० से लेकर सन् १९०८ के बीच, फ्रांसीसी एडर तथा अमरीकी राइट (Wright) बंधुओं ने वायु में उड़ान की कला में महत्वपूर्ण योगदान किया। विलबर (Wilbur) तथा ऑरविल (Orville) बंधुओं ने द्वितलीय (biplane) ग्लाइडर बनाया और ऐसे यंत्रों का हवा में कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, यह जानने के लिये व्यवस्थित रूप से कार्य करना आरंभ किया। १९०१-१९०२ ई० में राइट बंधुओं ने वात मुरंग का निर्माण किया, जिसमें हवा का भौंका नोदक की सहायता से उत्पन्न किया जाता था। इस प्रकार वे हवा से भारी विमानों को हवा में नियंत्रित करनेवाली तथा स्थिरता को बनाए रखनेवाली आवश्यक दशाओं को पूर्णतः समझने में सफल हुए। अब उनके लिये केवल अंतर्दहन मोटर (internal

combustion motor) द्वारा चालित नोदक लगाना ही शेष रह गया था। १७ दिसंबर, १९०३ ई० को उड़ान करने में वे सफल हो गए। जनता की आँखों में पड़े बिना इस संबंध में निरंतर प्रगति होती रही। इन प्रयोगों के लिये एस० पी० लैंग्लि (S. P. Langley) तथा एच. मैक्सिम (H. Maxim) ने प्रचुर धन लगाया और बड़ा परिश्रम किया। अब ज्ञात हुआ है कि लैंग्लि की अंतिम मशीन वस्तुतः उड़ने में समर्थ थी। १९०६ ई० में लैंग्लि का देहात हो गया और १९१४ ई० में उनकी मशीन हवा में सफलतापूर्वक उड़ाई गई। १९०८ ई० से १९१४ ई० तक वायुयान की तकनीकी प्रगति होती रही, यद्यपि गति मंद थी।

प्रथम विश्व महायुद्ध ने वैमानिकी (aviation) को प्रोत्साहन दिया तथा वायुयान का अभिकल्प इतनी तीव्रता से समुन्नत हुआ कि १९१९ ई० में सर जॉन ऐलकोक (Sir John Alcock) एव सर ए० टब्ल्यू० ब्राउन (A. W. Brown) द्वितलीय (biplane) वायुयान में १,८६० मील की दूरी १६ घंटे में पूर्ण कर, न्यूफाउंडलैंड से एटलांटिक महासागर पार कर, आयरलैंड गए। हवाई जहाज की तकनीक में क्रमशः उन्नति होने के कारण काल और आकाश का अंतर मिटता गया। अब व्यापारिक वैमानिकी व्यावहारिक रूप से संभव हो गई और इसके नियंत्रण के लिये अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं।

१९२४ ई० में सर एलेन कॉबहम (Sir Alan Cobham) उड़कर केपटाउन गए और आगामी वर्ष वे वापस लौट गए। १९२६ ई० में वे उड़कर ऑस्ट्रेलिया गए और वापस लौटे। १९२७ ई० में चार्ल्स लिडबर्ग (Charles Lindbergh) ने युगप्रवर्तक उड़ान की, ये मोनोप्लेन (monoplane) वायुयान में अकेले उड़कर, न्यूयार्क से ऐटलैंटिक महासागर पार कर पैरिस गए थे। १९२८ ई० में ऑस्ट्रेलियाई विमानचालक, कैप्टेन एच० जे० हिकलर (H. J. Hinkler), ने इंग्लैंड (क्रॉयडन) से ऑस्ट्रेलिया (पोर्ट डारविन) के बीच की १,२००० मील दूरी उड़कर १६ दिन में पूर्ण की। १९३० ई० में विंग कमांडर, किंग्सफर्ड स्मिथ (Kingsford Smith), ने उपर्युक्त उड़ान १० दिन में पूर्ण की।

१९३० ई० के मई महीने में इंग्लैंड से भारत की अकेली उड़ान (solo flight) का नया कीर्तिमान कुमारी ऐमी जॉन्सन ने स्थापित किया। ये ६ दिन में कराची पहुँची। १९२६ ई० में भारत और इंग्लैंड के बीच नियमित डाक सेवा प्रारंभ हुई और यूरोप में हवाई कर्पणियों का जाल फैल गया। इस बीच में सदर्न क्रॉस (Southern Cross) नामक तीन इंजन वाले मोनोप्लेन से चार कर्मियों (crews) सहित किंग्सफर्ड स्मिथ द्वारा प्रशांत महासागर पार किया गया। १९२६ ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, की नौसेना के ऐडमिरल बर्ड (Byrd) विमानचालक बेनेट के साथ ऐम्स्टर्डम द्वीप से उड़कर उत्तरी ध्रुव पर गए और वहाँ से लौटे। अन्वेषक ह्यूबर्ट विल्किंस (Hubert Wilkins) ने अलेस्का से स्पिट्सबर्ग (Spitsbergen) के मध्य की २,००० मील की दूरी को पार किया।

ऊँची चाल और उड़ान के लिये १९१३ ई० से ग्लाइडर ट्राँकी

के लिये अंतरराष्ट्रीय विमान प्रतियोगिता समय समय पर चल रही थी, पर १९३३ ई० से यह बंद हो गई है।

१९३० से १९३४ ई० तक ऑस्ट्रेलिया के लिये अनेक महत्वपूर्ण उड़ानें की गईं। सर मैकफर्सन ( Sir Macpherson ) द्वारा प्रदत्त ट्रांफी के लिये होनेवाली, इंग्लैंड टु मेलबर्न अंतरराष्ट्रीय हवाई दौड़ ( International Air Race ) में सी० डब्ल्यू० ए० स्काट ( C. W. A. Scott ) एवं टी० कैम्बेल ( T. Campbell ) ने, दौड़ के लिये विशेष रूप से बनी डी० एच० 'कामेट' मशीन द्वारा विजय प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में उड़ान का समय घटकर २ दिन २२ घंटा ५४ मिनट १८ सेकंड हो गया। १९३२ ई० में क्रॉयडन से केपटाउन के लिये आरंभ की गई नियमित उड़ान की अनुवर्ती व्यक्तिगत उड़ानें जे० ए० मॉलिसन ( J. A. Mollison ) तथा उनकी पत्नी ऐमी जॉन्सन ( Amy Johnson ) और दो फ्रांसीसी उड़ाने क्लेती ( Coulette ) एवं सैलील ( Salel ) द्वारा की गईं।

अन्य महत्वपूर्ण उड़ानें निम्नलिखित थीं : १९३० ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, के पोस्ट ( Post ) एवं ऑस्ट्रेलिया के गैटी ( Gatty ) द्वारा नौ दिन में की गई विश्वपरिक्रमा, १९३३ ई० में फरीय मोनोप्लेन द्वारा २ दिन, ९ घंटा २५ मिनट में बिना रुके, क्वैन्बेल से वाल्विस बे ( Walvis bay ) तक ५३०९ मील लंबी प्रथम उड़ान, ब्लेरिऑट ( Blériot ) मोनोप्लेन में कोडस ( Codes ) और रोजी ( Rossi ) द्वारा २ दिन ६ घंटा ४४ मिनट में न्यूयॉर्क से सिरिया तक की ५६५, मील लंबी उड़ान। १९३५ ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, के कैप्टन स्टीवेंस ( Stevens ) और ऐडर्सन ( Aderson ) समतापमंडल ( stratosphere ) गुब्बारे में ७४,००० फुट ( लगभग १४ मील ) की ऊँचाई तक गए, पर रॉयल एअर फोर्स के प्लाइट लेफ्टिनेंट एम० जे० ऐडम ( M. J. Adam ) वायुयान द्वारा ५३,६३७ फुट ( लगभग १० मील ) की अधिकतम ऊँचाई तक गए।

१९३७ ई० में क्लाउस्टन ( Clouston ) और श्रीमती किर्बी ग्रीन ( Mrs Kirby Green ) ने इंग्लैंड से केपटाउन की प्रत्येक दिशा में उड़ान का नया कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तरी ध्रुव से होते हुए माँस्को से कैलिफोर्निया की ६,७०० मील लंबी उड़ान सोवियत संघ के विमान द्वारा बिना रुके की गई। कुमारी जीन बैटन ने इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक की एकाकी उड़ान का नया कीर्तिमान स्थापित किया। १९३८ ई० में प्लाइटिंग अफसर, ए० ई० क्लाउस्टन ( A. E. Clouston ), को इंग्लैंड से उड़कर न्यूजीलैंड जाने और वहाँ से इंग्लैंड वापस आने में ११ दिन से कम लगे। विभागीय विमान ( service machine ) को एडिनबर्ग से लंदन आने में ४८ मिनट लगे। अप्रैल, १९३८ ई० में एच० एफ० ब्राडबेंट नामक ऑस्ट्रेलियाई उड़ाने की डारविन से लिपन ( Lympne ) तक की उड़ान में ५ दिन ४ घंटा २१ मिनट लगे। इसके पूर्व सन् १९३७ में डारविन से क्रॉयडन तक उड़कर आने का, ऑस्ट्रेलियाई महिला उड़ाने जीन बैटन ( Jean Batten ) का कीर्तिमान ५ दिन १८ घंटा १५ मिनट था। जुलाई, १९३८ में अमरीकी हॉवर्ड ह्यूज ( Howard Hughes ) ने विश्व की परिक्रमा चार दिन में की।

जर्मनी और इंग्लैंड दोनों देशों में वर्तमान शताब्दी के ४०वें वर्ष में ग्लाइड करना ( gliding ) विमानकी का महत्वपूर्ण अंग हो चुका था। १९३६ ई० में डिटमान ( Dittman ), एक यात्री सहित, ८,८६० फुट की ऊँचाई तक गए, जबकि जुलाई, १९३८ ई० में जे० एफ० फॉक्स ( J. F. Fox ) नामक एक अग्रज ने इनस्टेबल ( Dunstable ) से नॉर्विच ( Norwich ) तक ९६ मील लंबी उड़ान की। १९३८ ई० में प्लाइट लेफ्टिनेंट मरे ( Murray ) और जे० एस० स्प्राउले ( J. S. Sproule ) २८ घंटे तक हवा में ठहरे रहे।

हवाई जहाज का उड़ना उसी सिद्धांत पर आधारित है जिस सिद्धांत पर पतंग उड़ते हैं। पतंग के चपटे पृष्ठ पर वायु के प्रवाह पडने पर यदि पतंग को ऊपर की ओर झपटना कर दिया जाय, तो वायुप्रवाह पतंगपृष्ठ को उठाता है। हवा में पक्ष प्रणोदित्र और पक्षी की मुड़ी सतह पर हवा के आपेक्षिक भार द्वारा हवा में से होकर खींचे या ढकेले जाते हैं। पक्ष के नाँच का दबाव उत्पादन का एकमात्र कारण नहीं है, अपितु पक्षी के ऊपरी घगतल पर अत्यधिक एवं विपरीत रूप से विचलन रहता है। पक्ष एक एअर फॉल ( air foil ) है और प्रायः लकड़ी का बना होता है, जिस पर कपड़े का आवरण होता है। धातु और प्लास्टिक के पक्ष भी उपयोग में आ रहे हैं।

वायुयान के मुख्य अंग हैं - पक्ष या फ्लैट ( plane ), एक या अनेक इंजन, वायु पेश ( air screw ) या प्रणोदित्र ( propeller ), घड ( fuselage ) और रडर ( rudder )। वायुयान का ढाँचा मुख्यतः हल्की मिश्रधातु ( alloy ), जैसे ड्यूरैलमिन ( Duralumin ), का बना होता है और पक्ष तंतुओं ( fabric ) या पतली धातु का बना होता है। पक्षी की काट अल्प वक्राकार होती है और ये क्षितिज के साथ न्यून कोण बनाते हुए स्थित होते हैं। अतः जब हवाई जहाज सरकना है, तब उत्पादन बल उत्पन्न होता है। हवाई जहाज के गतिशील होते ही उत्पादन बल यंत्र के भार के बराबर हो जाता है और विमान ऊपर उठता है। यदि उड़ान चाल अत्यधिक कम कर दी जाय, तो उत्पादन बल जहाज के भार से कम हो जाता है, जिससे जहाज अस्थिर हो जाता है। अस्थिरता को रोकने के लिये हवाई जहाज को अपेक्षाकृत कम वेग में उतारा जाता है। इस कार्य के लिये अनेक युक्तियाँ काम में लाई जानी हैं। ये युक्तियाँ पक्ष के प्रति हवा के प्रतिरोध को उचित ढंग से परिवर्तित कर उत्पादन बल को मुधार देती हैं। सीमित स्थान में मुगम अवनतण के लिये स्वधूर्णाक्ष ( autogyro ) एवं हेलीकॉप्टर किस्म के वायुयानों का आविष्कार हुआ है। दोनों किस्मों में ऊर्ध्वधर अक्ष के चारों ओर घूमनेवाला क्षितिज पिच्छ फलक ( vanes ) होता है। स्वधूर्णाक्ष किस्म में घूर्णन यंत्र की अग्रगति ( forward motion ) से प्रभावित होता है तथा हेलीकॉप्टर में सीधे इंजन द्वारा प्रेरक ऊर्जा ( motive energy ) घूर्णन को प्रभावित करती है। स्वधूर्णाक्ष विमान मंद गति से उड़ सकते हैं, पर हेलीकॉप्टर व्यवहारतः मँडरानेवाले होते हैं।

वायुयान की रचना का सामान्य सही ज्ञान होते हुए भी आधुनिक

वायुयानों के अभिकल्प में बहुत भिन्नता होती है। विभिन्न किस्मों में मोनोप्लेन भी संमिलित है, जिसमें एक ही जोड़ा पक्ष होता है, द्विफलकीय या बहुफलकीय वायुयानों में अनेक पक्ष एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। मोनोप्लेन का अभिकल्प इस प्रकार का हो सकता है कि पक्ष के प्रतिक्षेत्र को अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। कुछ प्राधुनिक बड़े मोनोप्लेन पर्याप्त मोटे पक्षों के बनाए जाते हैं, ताकि वे इंजन को भी रख सकें।

द्वि या बहुफलक विमान अधिक स्थायी होते हैं। ये एक ही भार के लिये संरचनात्मक दृष्टि से बहुत छद् होते हैं और इनके पक्षों को कम पाट (span) की आवश्यकता होती है। विमान का स्थायित्व पिछले तल पर ही अधिक निर्भर करता है, जो विमान के उपनिधान (pitching) का प्रतिरोध करता है। जमीन पर उतरने या जमीन से ऊपर उठने के लिये विमान के निचले तल पर पहिए होते हैं। कुछ प्राधुनिक विमानों में उड़ते समय अवतरण गियर (landing gear) छिप जाता है। समुद्र विमान (sea plane) या जलविमान (hydroplane) का अभिकल्प जल पर अवतरण के लिये किया जाता है, अतः इनमें दो या अधिक पौदून (pontoon) होते हैं। पौदूनों का अभिकल्प वायु-गतिकीय होता है और वे पक्षों के उत्पादन में सहायक होते हैं। हरक्यूलिस विमान १९४६ ई० में बनकर तैयार हुआ, परिवहन में यह ७५० व्यक्तियों को तथा अस्पताल के रूप में ४०० रोगियों एवं परिवारको को ढो सकता था। उड़न नौका का षड (fuselage) समुद्र विमान के षड से कुछ भिन्न होता है, क्योंकि समुद्र विमान का षड समुद्र में तैरने के योग्य बनाया जाता है।

स्वचूर्णाक्ष एक क्रांतिकारी अभिकल्प है और वैमानिकी के अविद्य में इसका महत्वपूर्ण योग है। इसमें पक्षों के स्थल पर एक घूर्णक होता है। विमान के प्रस्थान और अवतरण के समय ही शक्ति से यह चलाया जाता है। यह विमान को ऊर्ध्वाधर उठाता है और विमान के उड़ने के समय स्वयं ही परिभ्रमण करता है। प्राधुनिक प्रायोगिक स्वचूर्णाक्ष में विमान के चलते ही चूर्णाक्ष छिप जाता है। प्राधुनिक स्वचूर्णाक्ष लगभग ३० फुट की उड़ान पर ही स्वयं कार्य करने लग जाता है।

प्राजकल जो प्रयोग हो रहे हैं उनका उद्देश्य है : १. सीधे ऊर्ध्वाधर उड़ान भरना, २. मोटर शक्ति और अन्नचाल के बिना सीधे नियंत्रण के साधन को सक्षम करना और ३. स्वचूर्णाक्ष और मोटरकार के गुणों का समन्वय करना, ताकि वह राजमार्ग और वायुयात्रा में समान रूप से व्यवहृत हो सके। १९३८ ई० में केलट ऑटोग्राहरो कोर (Kellet Autogyro Corps) द्वारा निर्मित सात सैनिक आहरो (gyros) काम कर रहे थे। इन यंत्रों से यह मालूम हो गया कि नियमित विमानों की अपेक्षा इनकी देखरेख में नाममात्र का ही अधिक खर्च बैठता है। सेवा की राय थी कि युद्ध में कुछ कार्यों के लिये स्वचूर्णाक्ष बेजोड़ है। इनमें जो सुधार हुए उनमें पुच्छ नियंत्रण, घूर्णक अक्ष के अन्तर्गत से प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा स्थायी पक्ष, उच्छालक सहपक्ष (elevator ailerons) एवं उड़र का विसरण संमिलित है। इंग्लैंड के हैफनर ने उत्कृष्ट व्यवस्था

(eccentric mechanism) से चालित परिवर्तनशील अंतराल प्रणोदित (pitch propeller) द्वारा अवनतन घूर्णक अक्ष (rotor axis) में सुधार किया। फिलाडेल्फिया में निर्मित हेरिक वर्टाप्लेन (Herrick Vertaplane) मध्यम विस्तार का स्वचूर्णाक्ष है, जो सामान्यतः द्विफलक विमान के रूप में उड़ता है। इसका ऊपरी पक्ष इस प्रकार आरोपित होता है कि वह अपनी टेक से निर्मुक्त हो सके और ऊर्ध्वाधर अक्ष में विद्यत् मोटर से चल सके। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर वायुयान में विमान की उच्च दक्षता को स्वचूर्णाक्ष की मंद अवतरण विशेषता के साथ संयुक्त किया गया है।

हेलिकॉप्टर ऐसा हवाई जहाज है जो क्षैतिज नोदकी द्वारा ऊपर उठता और रुका रहता है। इससे आविष्कारकों का प्राचीन स्वप्न अंत में व्यावहारिक सिद्ध हो गया। जर्मनी के प्रोफेसर हाइनरिख फॉक (Heinrich Focke) द्वारा विकसित २०० अश्वशक्ति के वायु-शीतित (air cooled) इंजन से युक्त हेलिकॉप्टर ने ६६ मील प्रति घंटा की चाल प्राप्त की और वह दो घंटे से अधिक हवा में रहा। यह ७,५०० फुट की ऊंचाई तक पहुँचा। हेलिकॉप्टर सीधे ऊपर उठता है, शक्ति के चानू या बंद रहने पर सीधे नीचे उतर आता है और पूर्णतः स्थिर रहकर हवा में मंडराता है। १९४२ ई० में वाउट सिकर स्काई (Vought Sikker Sky) हेलिकॉप्टर [ प्रायोगिक वीएस ३०० (VS ३००) ] सैकड़ों उड़ानों में सीधे ऊपर उठा, (२) वायु में गतिहीन खड़ा रहा, (३) आगे पीछे तथा अगल बगल उड़ा और (४) सीधे नीचे उतरा। इगार सिकॉर्सकि (Igor Sikorsky) ने जर्मनी के १९३७ ई० के कीर्तिमान को तोड़ने के लिये १३ मई, १९४१ ई० को उपर्युक्त मशीन पर उड़ान की और वे एक घंटा ३२ मिनट ३० सेकंड तक हवा में उड़े। १९४३ ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, की सरकार ने बड़े नगरी तथा उनके उपनगरों में डाक ले जाने के लिये हेलिकॉप्टर के उपयोग की योजना बनाई।

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने पर वायुयान विशेष उपयोगो (ऊँची चाल, अधिक ऊंचाई, सैनिक उपयोग, बड़े बड़े माल ढोने, अधिक सवारी ले जाने आदि) की दृष्टि से अभिकल्पित किए गए। वैमानिकी में फ्लाइंग फ्ली (Flying Flea) का रोचक विकास हुआ। मिन्ये (Mignet) ने जो फ्लाइंग फ्ली की अभिकल्पना की, उसमें भ्लाइडर के गुणों को मोटर प्रणोदित वायुयान के साथ जोड़कर ऐसा विमान बनाया जो बहुत छोटा, कम शक्ति से चलनेवाला, सरलता से नियंत्रित होनेवाला और कम मूल्य का था। इस विमान में एक या दो चातक दुर्घटनाएँ हो गईं, जिससे ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि इसमें सुरक्षा का अभाव है। अतः इसका आगे का विकास निलंबित कर देना पड़ा।

एक दूसरे प्रकार का वायुयान मेयो कंपोजिट एअरप्लेन (Mayo composite aeroplane) है। इसमें पुच्छ पर उच्च शक्ति वाले समुद्री विमान से युक्त बड़ी उड़ानवाली नौका रहती है। प्रारंभ में दोनों एक साथ बँचे रहते हैं। तीन या चार हजार फुट की ऊंचाई पर समुद्री विमान अपनी भागें अकेले तय करने के लिये उड़न नौका


विमान एवं वैमानिकी ( पृष्ठ ८१-८८ )



पुस मौंय वायुयान  
टाटा एयर लाइन्स द्वारा सन् १९३२ से प्रचलित ।



एकाकी इजिनवाला वाको ( Waco )




चार इजिनोवाला डीएच-८६  
सन् १९३८-४१ मे टाटा एयर लाइन्स इपका उपयोग करती थी।



सन् १९५० से भारत में चालू एकाइमास्टर विमान

विमान एवं वैमानिकी ( पृष्ठ नं १-८८ )



ड-डैविल्लैड फॉक्स मॉय  
सन् १९१४ से १९१६ तक टाटा एयर लाइन्स द्वारा प्रयुक्त ।



ड-डैविल्लैड रैपिड  
सन् १९१८-४५ में टाटा एयर लाइन्स पर चलता था ।



माइकल मलिन नामक बायुयान  
सन् १९२५ से टाटा एयर लाइन्स द्वारा प्रचलित ।



स्टिक्सन ट्राइमोटर बायुयान  
टाटा एयर लाइन्स पर सन् १९४२ से १९४४ तक चालित ।

से पृथक् कर दिया जाता है। इस तरीके से समुद्री विमान जलपर उतर जाता है।

१९४४ ई० के प्रारंभ में संयुक्त राज्य, अमरीका, की सेना ने विमान के रोमांचकारी विकास की घोषणा की। इस हवाई जहाज में नोदक नहीं होता। प्रसारित गैसों के विसर्जन बल (force of discharge) से यह चलता है। प्रारंभिक इंजन (starting engine) के द्वारा यान के अग्रभाग से अदर खींची गई हवा पहले संपीड़ित की जाती है और तब दहन कक्ष में दूँसकर भर दी जाती है, जहाँ यह जलते ईंधन से संयुक्त होकर अत्यधिक प्रसारित होती है। प्रारंभिक इंजन बंद कर दिया जाता है। प्रसारित गैसों के प्रत्यांश का उपयोग टरबाइन के द्वारा संपीड़को को चलाने के लिये किया जाता है, जबकि शेष गैसों विमान के पुच्छसिरे पर स्थित चंभु से विसर्जित हो जाती हैं। इस प्रकार शक्तिशाली प्रणोद, जो हवाई जहाज को आगे की ओर चलाता है, उत्पन्न होता है। अगस्त १९४५ ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, के युद्ध विभाग ने जेट प्रणोदित [लॉकहीड (Lockheed) पी० ८० (P-80)] शूटिंग स्टार (Shooting Star) के विवरण प्रकाशित किए, तब क्लेरेंस एल० जॉन्सन (Clarence L. Johnson) के अभिकल्प पर बना विमान, ५५० मील प्रति घंटे से अधिक चालवाला होने के कारण, संसार का सर्वाधिक तीव्रगामी वायुयान था। इसमें ईंधन के लिये किरासन का उपयोग होता है। इसमें कंपन नहीं होता तथा यह अमरीका का सरलतम लड़ाकू विमान है, जिसका सुपर जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाया गया है।

नवीनतम प्रचलित ऊरागीन (Ouragan) श्रेणी का जेट लड़ाकू विमान समुद्रतल पर ६०० मील प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकने तथा एक मिनट में ८०० फुट की ऊँचाई तक पहुँच सकने योग्य एकल सीट वाला मोनोप्लेन है। अपने अनेक सामरिकगुणों के कारण जेट लड़ाकू विमान रक्षा, वायुमार्गमरण, जमीन पर आक्रमण एवं अंतररोधक लड़ाकू विमान (interceptor) के रूप में अच्छा अभिकल्पित सैनिक विमान है। मोनोप्लेन की निर्मलक्षित विशिष्टताएँ हैं: पैतरायोग्यता (manoeuvrability), आरोहण की तीव्रता, फायर क्षमता (fire power), सहनशक्ति, अधिकतम चालन ऊँचाई (operating ceiling) तथा चाल। तोप से सज्जित, अपने पक्षों के नीचे राकेट एवं बमों को वहन करनेवाले ऊरागीन में दाबानुकूलित केबिन रहता है, जिसके कारण विमानचालक अधिक ऊँचाई पर विमान चला पाता है। जब विमानचालक वायुयुद्ध में व्यस्त रहता है, तब विमान का गोलीसह (bullet proof) अचल पर्दा, कवच बल और पिछला भाग (aft) विमान-चालक को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। हवाई जहाज में निष्कास-भासन (ejector seat) होता है और सरकनेवाली बितान (canopy) होती है, जहाँ से चीजें फेंकी जा सकती हैं। संकटकाल में यह जीवनरक्षा की युक्ति बन जाती है।

१९४६ ई० दाब बटन (push button) विमान का विकास हुआ। यह रेडियो नियंत्रित स्वचालित युक्ति से युक्त डग्लस (Douglas) ४ इंजनवाला सी-५४ (C-54) है। अतः पूर्ण उड़ान

कर नियत स्थान पर पहुँचने के लिये विमानचालक को केवल नियत बटन दबाना पड़ता है। चालकरहित वायुयान के स्वचालित नियंत्रण की उपलब्धि उच्च स्तर तक पहुँच गई है। इसका नियंत्रण वेतारी संचार द्वारा आश्चर्यजनक सूक्ष्मता से होता है। विमान ऐसा बना है कि नियंत्रणकेंद्र पर अपने उड़ने के मार्ग को वह स्वयं प्रकृत करता है।

### सर्वप्रथम बने प्रसिद्ध वायुयान

१४९० ई० में इटली के लेओनार्डो डा विंची (Leonardo da Vinci) ने पक्षियों के डेनो के नमूने का उपयोग कर उड़नयंत्र (flying machine) का प्रथम अभिकल्प बनाया।

१८४२ ई० में इंग्लैंड के विलियम सैमुएल हेसन (William Samuel Henson) ने भाप चालित वायुयान के अभिकल्प को पेटेंट कराया।

१८६८ ई० में मैथ्यू बोल्टन (Mathew Boulton) ने सहपक्षों (ailerons) के लिये ब्रिटिश पेटेंट प्राप्त किया।

१९०९ ई० में कैनाडा के डब्लू० ग्रार० टर्नबुल (W. R. Turnbull) ने अतराल नोदक (pitch propeller) का विकास किया।

१७ सितंबर, १९०३ ई० को ऑरविल राइट (Orville Wright) ने वायुयान की प्रथम उड़ान का विमानचालन किया। वे किटी हॉक, एन० सी० (Kitty Hawk, N. C.) पर १२० फुट तक उड़े।

१९०६ ई० में फ्रांस के ट्रेजैन वदुआ (Trajan Vuia) ने तीन पहिएवाले अवतरण गियर और वातिल टायरो (pneumatic tyres) से सज्जित प्रथम वायुयान बनाया।

१९१० ई० में फ्रांस के एदोआर्ड न्युपार (Edouard Nieuport) ने प्रथम बार घिरे हुए घड़ (fuselage) से युक्त सुप्रवाही (streamlined) विमान बनाया और उड़ाया।

१९१० ई० में फ्रांस के हेनरी फैफ्राब्र (Henry Fabre) ने जलावतरण के लिये प्लव (float) से सज्जित प्रथम समुद्री विमान (seaplane) को उड़ाया।

१० सितंबर, १९१० ई० को ऑरविल राइट की आधिकारिक उड़ान में साथ उड़नेवाले प्रथम विमानयात्री लेफिटेनेंट फ्रैंक पी० लाम (Lieut. Frank P. Lahm) थे।

७ या ८ जून, १९१२ ई० को संयुक्त राज्य, अमरीका, की सेना के कैप्टन चार्ल्स चेंडलर (Capt. Charles Chandler) ने विमान पर लगी प्रथम मशीनगन का परीक्षण किया।

१९१३ ई० में सीटो पर सुरक्षा बेल्ट (safety belt) का उपयोग सामान्य हो गया।

१३ मई, १९१३ ई० को इगॉर सिकॉव्सिक ने अपने द्वारा निर्मित चार इंजनवाले प्रथम विमान को उड़ाया।

१९१४ ई० में लॉरेंस स्पेरी (Lawrence Sperry) ने वायुयानों के लिये बने प्रथम घूर्णदशीय (gyroscopic) स्वचालित विमान के चालन का प्रदर्शन किया।

१९२३ ई० में विमानचालक रहित, रेडियो नियंत्रित वायुयान ने फ्रांस के ईटंपीज ( Etampes ) हवाई अड्डे पर उड़ान भरी ।

१९२६ ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, के ग्रोवर लोएनिंग ( Grover Loening ) ने प्रत्याकर्षणीय ( retractable ) अवतरण गियर युक्त द्वितलीय उभयचर विमान ( biplane amphibian ) का विकास किया ।

१९२८ ई० में स्पेरी जाइरोस्कोप कंपनी ( Sperry Gyroscope Company ) द्वारा जाइरो होराइजन ( Gyro horizon ) एअरक्राफ्ट उपकरण का विकास हुआ ।

३० सितंबर, १९२९ ई० को जर्मनी के फ्रिट्ज वॉन ओपेल ( Fritz Von Opal ) ने १ मिनट १५ सेकंड तक राकेट चालित ( rocket powered ) वायुयान उड़ाया ।

१९३० ई० में हंगलैंड के फ्रैंक व्हिट्टल ( Frank Whittle ) ने प्रथम जेट इंजन का अंधिकल्प बनाया ।

१९३६ ई० में लॉकी एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ( Lockheed Aircraft Corporation ) ने एक्स सी-३५ ( XC. 35 ) नामक दातानुकूलित केबिनयुक्त प्रथम विमान बनाया ।

१६ फरवरी, १९३६ ई० को प्रथम डग्लस डीसी-३ ( DC-3 ) स्लीपर ( sleeper ) वायुयान हवाई कंपनी सेवा में प्रविष्ट हुआ ।

१९३७ ई० में त्रिचक्री ( tricycle ) अवतरण गियर सामान्य उपयोग में आया ।

१९४७ ई० में अमरीकी वायुसेना के कैप्टन चार्ल्स यागर ( Charles Yeager ) द्वारा रॉकेट चालित वेल् एक्स-१ में प्रथम पराध्वनिक ( Supersonic ) उड़ान ( ७६० मील प्रति घंटे से भी तेज ) की गई ।

२० नवंबर, १९५३ ई० को स्कॉट क्रॉसफील्ड ( Scott Crossfield ) ने डग्लस डी-५५८-२ स्काई रॉकेट में ध्वनि की बाल ( १,३२७ मील प्रति घंटा ) की दूनी बाल से प्रथम उड़ान की ।

१९५४ ई० में प्रथम सार्वजनिक परीक्षण में पोगोस्टिक ( Pogostick ) नामक कॉन्वेयर ( Convar ), एक्स एफ वाई-१ ( X FY-1 ) सीधा ऊपर उठा और सीधा भूमि पर उतरा ( landed tail ) ।

२९ अप्रैल, १९५५ ई० को मैकडोनेल १५-१ ( McDonnell XV-1 ) रूपांतरित वायुयान ( conventional plane ) की परीक्षण उड़ान के सिलसिले में हेलिकॉप्टर से परंपरागत वायुयान में प्रथम सफल रूपांतरण हुआ ।

२ नवंबर, १९५५ ई० को संयुक्त राज्य, अमरीका, की नौसेना द्वारा विश्व के प्रथम जेट समुद्री विमान, मार्टिन एक्सपी-६ एम० सीमास्टर ( Martin XP-6 M. Seamaster ) का प्रदर्शन किया गया । [ श० ना० रा० ]

### वैमानिकी

वैमानिकी की प्रारंभिक कल्पना के मूल में मानव का यह चिरप्रेक्षित अनुभव था कि वायु के तीव्र दबाव के द्वारा एक समतल तल ऊपर की ओर स्वयमेव उठ जाता है। प्राचीन

तूफान में पत्तों और भोपड़ी की छतों से लेकर पक्षियों के डैनों के वायु प्लवन में यह तथ्य स्पष्टतः परिलक्षित होता था। पक्षियों की उड़ान में उनकी अग्रगति में पवन प्रतिरोध का डैनों के संचालन द्वारा प्रतिकार होते हुए मनुष्य देखता रहा। इससे उसे डैनों के सहारे उड़ने और नोदक ( propeller ) के द्वारा वायु के झोंकों को काटने की प्रेरणा मिली। कालांतर में उड्डयन की यात्रिकी को मानव ने बलों के संतुलन के नियमों की सहायता से निरूपित करने का प्रयत्न किया और डैनों, इंजन तथा नोदक एवं एक मानव के भार को वायु के उत्थान ( upthrust ) द्वारा संतुलित करके वायुसंतरण की विधि आविष्कृत की।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली विमान इंजनों एवं मशीनों के निर्माण के प्रयत्न होते रहे। इस चेष्टाक्रम में सर्वप्रथम उल्लेखनीय इंसन की स्मरणा का निर्माण हेसन नामक यंत्रणास्त्री ने किया और उसे १८४२ ई० में पेटेंट कराया। इंजन के व्यावहारिक प्रतिरूप ( model ) स्ट्रुगकेनो ने बनाए और उनका सफल प्रदर्शन पहली बार १८४८ ई० में और तदुपरांत १८६८ ई० में किया। इन प्रारूपों में डैनों की अधिकधिक उपयोगी आकृतियों एवं आकारों का विकास करना ही प्रधान लक्ष्य रहा। कुछ ही वर्षों के अंदर वायुयान की अधिकाधिक उन्थापन क्षमता ( lifting power ) प्रदान करने के लिये उसके डैनों का समतल बनाने के बजाय, उनके ऊपरी पृष्ठ को उत्तल और निचले पृष्ठ को अवतल रखा जाने लगा। इसमें वायुयानों की उड़ान अपेक्षाकृत सुगम हो गई। सन् १८९६ में भाप चालित इंजन युक्त एक परीक्षण विमान ने वागिंगटन के निक्ट पोर्टोमैक नदी के ऊपर लगभग डेढ़ मील तक की सफर उड़ान भरी। इसमें अधिक सफलता के लिये चार्ल्स मंगली एवं जॉर्ज प्रभृति यंत्रणास्थियों ने इंजनों एवं यंत्रों के स्वरूप में विकास करने के लिये अनेक प्रयत्न किए, किंतु वे सभी प्रायः निष्फल ही रहे।

इंजनों में कोई प्रभावकारी विकास कर सकने की असमर्थता ने उड्डयन यात्रिकी का ध्यान इन वायुयानों की ओर से हटाकर ग्लाइडरो ( gliders ) की ओर प्रारंभ दिया, किंतु ग्लाइडरो की गतिविधि अत्यंत सीमित एवं अनुपयोगी होने के कारण, पुनः इंजनों के सुधार की दिशा में चेष्टाएं प्रारंभ हुईं। अंत में बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही फ्रान्स में राइट बंधुओं ने उड्डयन के क्षेत्र में क्रान्तिकारी सफलता प्राप्त की। वायुयानों की उड़ाने के लिये उन्होंने क्षैतिज पतवारों ( rudders ) का प्रयोग किया, जिन्हें राइट बंधुओं ने तो वायुयान के अग्रभाग में ही संयुक्त किया था, किंतु आधुनिक विमानों में वे वायुयान के पुच्छ भाग में लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु में संतुलन बनाए रखने के हेतु, उन्होंने मुख्य यान के पृष्ठ कोर ( rear edge ) के झुकाव ( flexing ) की समुचित यांत्रिक व्यवस्था प्रदान की, ताकि वायु में संतुलन बनाए रखने के लिये एक या दोनों डैनों के उन्थापन ( lift ) में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके।

दूसरी कालावधि ( सन् १९०३ ) में नोदक ( propeller ) को चलाने के लिये इंजन में एक गैसोलीन मोटर का संयोजन किया गया। इससे वायुयानों की उड्डयन क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई। सन् १९०५ और १९०८ में राइट बंधुओं ने तथा १९०८ में ही




हेनरी फारमैन ने परीक्षणग्राहक उड़ानें भरी और काफी देर तक और दूर तक सफलतापूर्वक वायुमंतरण करने के पश्चात्, वे सकुशल भूमि पर उतर जाने में समर्थ हो सके। इसी विकसित इंजन से सयुक्त वायुयान में नवंबर, सन् १९०१, में फारमैन ने प्रथम उल्लेखनीय नभयात्रा की। उन्होंने ४ घंटे १७ मिनट ५३ सेकंड में लगभग १३४५ मील की यात्रा संपन्न की। प्राधुनिक वैमानिकी का प्रारंभ इसी ऐतिहासिक उड़ान से माना जा सकता है। इसके अनंतर ता' उन्नत उड़ान कला का अत्यंत द्रुत गति से विकास होता गया और लगभग पांच वर्षों की अवधि के पश्चात् ही, प्रथम विश्वयुद्ध में, वायुयानों का प्रथम व्यावहारिक उपयोग किया गया। इन वायुयानों में, हतियान और स्ट्रिंगकेलो आदि के बौद्धिक वायुयानों के बदले तीन लाख पाउंड और उससे भी भारी वायुयानों का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं सैनिक परिवहाहक, बमवर्षक आदि के रूप में भी भारी इंजनों से युक्त वायुयानों का प्रयोग किया गया। प्रथम विश्वयुद्ध में वस्तुतः वायुयान ही प्रधान निर्गम्यक बने रहे। द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होते न होने जेट चालित पंख वायुयानों का भी निर्माण हो गया, जिनकी चाल ५०० मील प्रति घंटा या उससे भी अधिक थी। कुछ ही वर्षों बाद, बीसवीं शताब्दी के ६० दशक में इन विमानों की चाल बढार ध्वनिवेग को भी पार कर गई। आज तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये प्रयुक्त राकेटों का वेग लगभग अठारह सौ मील प्रति घंटा, अर्थात् ध्वनिवेग का पच्चीसगुना या उसमें भी अधिक होता है।

**वैमानिकी का यांत्रिक सिद्धान्त** — वैमानिकी का मूल सिद्धान्त तरल पदार्थ, जैसे द्रव या गैस में, ठोस पदार्थों के सतह पर निहित है। ठोस पदार्थ इस प्रकार के सतह पर अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ को विस्थापित करता है और जब इस विस्थापित तरल का भार उक्त ठोस के भार से अधिक होता है, तब ठोस पर तरल का उत्थापन या उत्क्षेप अधिक हो जाता है और ठोस ऊपर उठकर तरल पदार्थ की ऊपरी सतह की ओर चलने लगता है। यदि ठोस पदार्थ गतिमान होता है, तो उसकी गति में तरल पदार्थ के कारण परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रतिरोध का स्पष्टीकरण एवं मान ज्ञान करने के लिये अनेक भौतिकविदों, यथा न्यूटन (१६४२-१७२७ ई०), जोहैन बेर्नौली (१६६७-१७४८ ई०), जीन ला वोगेज डी'एग्नेट (१७१७-८३ ई०), लेओनार्ड अयलर (१७०७-८३ ई०) तथा अन्य अनेक ने अपने अपने सिद्धांतों और सूत्रों का नियमन किया। उनकी सहायता से पवन के वेग और दबाव की विभिन्न स्थितियों में कोई वायुयान कितना भार लेकर कितनी ऊँचाई या दूरी तक उड़ान भर सकता है, इसका स्थूल अनुमान किया जा सकता है।

**पवन सुरंगें (Wind Tunnels)** — उपर्युक्त गणना एक जटिल प्रक्रिया तो है ही, साथ ही कुछ ऐसी अपरिहार्य समस्याएँ भी विमान की उड़ान के साथ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका निदान विशुद्ध गणित की सहायता से नहीं किया जा सकता। उनका ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि वायुयान को किसी प्रकार उसी वैशेष परिवेश में रखा जाय जिसमें उसे सचमुच उड़ना है और तब उसमें उसके उड़ान संबंधी

लक्षणों का अध्ययन किया जाय, तो यह ज्ञात हो सकता है कि वह वायुयान कितना भार वहन कर सकता है। इस प्रकार के कृत्रिम पवनपरिवेश की सृष्टि के लिये पवन सुरंगों का सहारा लिया गया। इनमें एक सुरंग या कंठ (throat) में से पवन के भौके एक आधार (stand) पर रहे एक प्रतिरूप (model) पर प्रवाहित किए जाते हैं। वास्तविक वायुयान के हवा में उड़ने पर दोनों के बीच सापेक्ष गति की उत्पत्ति स्थिर यान पर पवन के भौके प्रवाहित करके उत्पन्न की जाती है। इस विधि से उत्थापक (lift), कर्षण (drag) एवं संतुलन बल की गणना करने में सुविधा होती है। इतना ही नहीं, प्रतिरूप को आपाती पवन भौकों की दिशा से विभिन्न कोण बनाते हुए रखा जाता है, जिसे वायुयान पर विभिन्न दिशाओं से पड़नेवाले पवन दबावों की भी गणना कर ली जाती है। पवन और वायुयानतल की दिशाओं के बीच बननेवाले कोण को हवाकाट कोण (angle of attack) कहते हैं।

वायुयान के किसी प्रस्तावित प्रतिरूप पर विभिन्न हवाकाट कोण पर पवन भौकों को आरोपित कर उत्थापन बल (L), कर्षण बल (D), घूर्ण (M) तथा दबाव केंद्र च (C.P.) के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं और उन्हें लेखाचित्र पर अंकित करके अभिलाक्षणिक वक्र (characteristic curves) प्राप्त कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें वास्तविक



वायु की धारा में एयरफॉयल पर कार्यकारी बल

क कॉर्ड रेखा (Chord line), ख हवाकाट कोण (angle of attack), ग. वायु का वेग, घ कर्षण (drag), च दबाव का केंद्र तथा छ उत्थापक बल।

वायुयान के विशाल आकार के लिये सशोधित किया जाता है। वैमानिकी की दृष्टि से अभिलाक्षणिक वक्रों का महत्व अप्रतिम है।

किसी दिए हुए हवाकाट कोण के लिये L, D और M के मान निम्नलिखित सूत्रों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं

$$L = C_L \rho \frac{1}{2} S V^2$$

$$D = C_D \rho \frac{1}{2} S V^2$$

$$M = C_M \rho \frac{1}{2} S V^2$$

यहाँ  $\rho$  वायु का घनत्व, S डैनी का क्षेत्रफल, तथा V वायु और यान का सापेक्ष वेग है।  $C_L$ ,  $C_D$  तथा  $C_M$  क्रमशः उत्थापन, कर्षण और घूर्ण के वायुगतिक गुणांक हैं। इन्हें पृथक् प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिनसे पहले L, D, और M के मान ज्ञात कर, अभिलाक्षणिक

बक्र खींचे जाते हैं और इन वक्रों की प्रवणता ( gradients ) से उपयुक्त स्थिरांकों की गणना की जाती है।

पवन सुरंगों में प्रतिरूप पर किए गए प्रयोगों द्वारा जो विवरण प्राप्त होते हैं, उन्हें सीधे वास्तविक या पूर्ण आकार के वायुयानों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य कारण वायुयान के आकार की विशालता के कारण उत्पन्न कुछ विशिष्ट किंतु जटिल प्रक्रियाएँ, वास्तविक वायुयान पर पढनेवाले पवन भ्रोकों की गति की पवन सुरंगों में उत्पन्न पवन भ्रोकों की अपेक्षा कई गुना अधिक गति इत्यादि, हैं। इनके प्रतिरिक्त वायुमंडल के विभिन्न स्तरों में उड़ने के कारण वायुयान को विभिन्न वायु घनत्वों में से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण कर्षण बक्र ( drag curve ) के रूप में परिवर्तन तथा अधिकतम एवं न्यूनतम उत्थापन ( lift ) गुणांकों आदि के मानों का निरूपण करना पड़ता है। इन सब संशोधनों के उपरांत पवन सुरंगों में आरोपित पवन भ्रोकों के मानों को वास्तविक वायुयान द्वारा वायुमंडल में भेजे जानेवाले पवन भ्रोकों तक प्रवर्धित करके वास्तविक गुणांकों की गणना कर ली जाती है। ये मान स्थायी रूप से वास्तविक यानों के निर्देशक अंक होते हैं।

**संपीड़न प्रभाव** — जब वायुयान का वेग ४०० मील प्रति घंटा या इससे अधिक होता है, तब पवन भ्रोकों के आघात से यह अपने संपर्क में आनेवाली वायुराशि के घनत्व में परिवर्तन कर देता है। इससे वायुयान पर पवन भ्रोकों के आघातों की तीव्रता में अत्यंत द्रुत गति से परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन वायुयान में दोलन गति का आविर्भाव करता है, जो उसके लिये संकट का कारण बन सकता है। इसके लिये पवन सुरंग प्रयोगों द्वारा प्राप्त मानों में एक संशोधक गुणांक से गुणा करना पड़ता है, जिसका मान यान के वेग और वायु में ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात् संशोधन गुणांक = वायुयान का वेग / वायु में ध्वनि का वेग। जब वायुयान का वेग ध्वनि के वेग के बराबर हो जाता है, तब पवन प्रवाह की भौतिक दशाओं में इतना व्यापक परिवर्तन हो जाता है कि उपयुक्त सामान्य नियम उसके लिये लागू नहीं हो सकते। इस दशा के लिये अभी तक कोई सतोषजनक संशोधनविधि आविष्कृत नहीं की जा सकी है।

**अवतरण ( landing ) वेग** — पृथ्वी पर उतरते समय वायुयान का वेग एक निम्नतम मान से कम नहीं होना चाहिए। यह वेग स्थूल रूप में निम्न लिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है :

$$V_{\min} = [ \{ 2/\rho C_L \max \} \times W/S ]$$

यहाँ W/S, अर्थात् भार और पक्षों के क्षेत्रफल का अनुपात 'पंख लदान' ( Wing loading ) कहलाता है। इस निम्नतम भार का मान अच्छे विमानों के कुशल अवरोहण के लिये यथासंभव कम होना चाहिए।

उपयुक्त तत्वों के प्रतिरिक्त अच्छे वायुयान के सफल एवं कुशल चालन के लिये कतिपय अन्य लक्षणों का होना भी आवश्यक होता है। यथा :

( १ ) इंजन की शक्ति इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह वायुयान को नियत क्षैतिज गति से संतरीत करने के साथ साथ उसके

उत्थापन ( lift ) तथा आरोहण ( climbing ) के लिये भी वांछित शक्ति प्रदान कर सके तथा इनके लिये इंजन पर प्रतिरिक्त अधिभार न पड़े और न वायुयान की गति में ही कमी हो सके।

( २ ) इंजन की दक्षता, अर्थात् नियत मात्रा में ईंधन देने पर अधिकाधिक दूरी और ऊँचाई तक उड़ान की क्षमता, यथासंभव अधिक हो।

( ३ ) वायुयान में स्थायित्व हो, अर्थात् पवन भ्रोकों के वेग में अचानक परिवर्तन होने पर वायुयान शीघ्रातिशीघ्र संतुलन की दशा पुनः प्राप्त कर ले। इसके लिये अच्छे वायुयान में स्वचालित व्यवस्था होती है। [ सु० ब० गी० ]

**विमा, मात्रकों की ( Dimension of Units )** जब हम किसी राशि के परिमाण का वर्णन करते हैं, तब उसे उसी के प्रकार के मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं। हम मात्रक का वर्णन करते हैं और यह बताते हैं कि राशि का मात्रक से क्या अनुपात है। उक्त अनुपात को मात्रक के पदों में राशि की माप अथवा नाप कहते हैं। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की ऊँचाई ६ फुट है तब उक्त कथन में मात्रक फुट है और नाप ६ है। जब मात्रक बदलता है, तब नाप भी बदलती है, जैसे ६ फुट = २ गज = ७२ इंच। किसी राशि की नाप और मात्रक का गुणनफल सदैव एक सा रहता है। यदि किसी राशि की नाप अ, अ' ( a, a' ) हो तथा मात्रक क्रमशः [ क ], [ क' ] { [ K ] [ K' ] } हो तो

$$अ [ क ] = अ' [ क' ],$$

$$\{ a [ K ] = a' [ K' ] \}$$

$$\text{अर्थात् } [ क ] \cdot [ क' ] = \frac{a}{a'} : \frac{1}{1}$$

$$\left\{ [ K ] \cdot [ K' ] = \frac{1}{a} : \frac{1}{a'} \right\}$$

अतः जिस मात्रक में कोई राशि नापी जाती है, वह नाप की व्युत्क्रमानुपाती ( inversely proportional ) होती है।

**विमा ( Dimension )** — ऋजु रेखा में केवल लंबाई होती है। अतः हम कहते हैं कि ऋजु रेखा में लंबाई में एक ही विमा होती है, जिसे [ ल ] या [ L ] से निरूपित करते हैं। यह लंबाई का मूल मात्रक है। यदि x ( x ) फुट लंबाई और y ( y ) फुट चौड़ाई के आयत का क्षेत्रफल अ र ( फुट )<sup>२</sup>, { x y (ft)<sup>२</sup> } होता है, जिसमें दो लंबाईयाँ गुणित होती हैं। अन्य मूल मात्रक समय [ स ] या [ T ] और द्रव्यमान [ द ] या [ M ] होते हैं। शेष समस्त मात्रक इन्हीं तीनों पर आबृत होते हैं और व्युत्पन्न ( derived ) मात्रक कहलाते हैं।

जब स ( t ) सेकंड में लंबाई ल ( l ) फुट तय होती है, तब वेग  $\frac{ल}{स} = \frac{फुट}{सेकंड} = \left( \frac{1}{t} \frac{ft}{sec} \right)$  होता है, न कि केवल ल/स, ( l/t )

और हम इसे इस प्रकार लिखते हैं :

$$\text{वेग} = v = \frac{ल}{स} (\text{फुट}) (\text{सेकंड})^{-1} \text{ अथवा फुट प्रति सेकंड}$$

$$\left\{ v = \frac{1}{t} (\text{ft}) (\text{sec})^{-1} \text{ or. ft. per second} \right\}$$

और इसकी विमा [ ल ल<sup>-१</sup> ], [ L T<sup>-१</sup> ] है।

$$\text{त्वरण} = \frac{v}{स} \text{ अर्थात् } \frac{ल}{स^२} \cdot \left( \frac{v}{t} \text{ or } \frac{1}{t^२} \right)$$

जिसकी विमा [ ल ल<sup>-२</sup> ], { [ L T<sup>-२</sup> ] } है। जब हम कहते हैं कि किसी राशि की विमा लंबाई, समय और द्रव्यमान में अ ( α ), इ ( β ), उ ( γ ) है, तो इसका यह अर्थ होता है कि जिस मात्रक के पदों में उक्त राशि नापी गई है, वह

$$[ ल^α ], [ स^β ], [ द^γ ],$$

$$\{ [ L^α ], [ T^β ], [ M^γ ] \}$$

का अनुक्रमानुपाती ( directly proportional ) है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अ लंबाईयां गुणित हुई हैं, इ समय गुणित हुए हैं और उ द्रव्यमान गुणित हुए हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि वेग के मात्रक की विमा लंबाई में १ और समय में - १ है।

समघातता का सिद्धांत ( Principle of Homogeneity ) —

एक आधारभूत तथ्य, जिसके द्वारा विमों के ज्ञान का महत्व दृष्टि-गोचर होता है, यह है कि हम एक ही प्रकार की वस्तुओं का योग, व्याकलन और समीकरण कर सकते हैं। हम जितना चाहे लंबाईयों में लंबाई, समयों में समय अथवा वेगों में वेग को जोड़ सकते हैं, किंतु लंबाई में समय अथवा वेग जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार किसी भौतिक समीकरण में समस्त पदों की एक ही विमा होनी चाहिए। किसी भी पद में कई कई गुणनखंड हो सकते हैं और प्रत्येक गुणनखंड की विमा भिन्न हो सकती है, किंतु प्रत्येक पद के समस्त गुणनखंडों को मिलाकर एक ही विमा होनी चाहिए, जैसे यदि स्वरण अचर ( constant ) हो तो

$$\text{तय किया गया अवकाश} = ३ \text{ क स}^२,$$

$$(\text{space described} = \frac{१}{२} a t^२)$$

$$\text{अर्थात् } [ ल ] = [ ल स^{-२} \cdot स^२ ] = [ ल ]$$

$$\{ [ L ] = [ L T^{-२} T^२ ] = [ L ] \}$$

दोनों पक्षों की एक ही विमा है, यद्यपि दाहिने पक्ष में विभिन्न गुणनखंडों की विमाएँ भिन्न भिन्न हैं।

$$\text{फिर, कार्य} = ब \times द = बल \times दूरी$$

$$\{ \text{work} = F \times S = \text{force} \times \text{distance} \}$$

$$\therefore [ \text{कार्य} ] = [ द ल स^{-२} \cdot ल ] = [ द ल^२ स^{-२} ]$$

$$\{ [ \text{work} ] = [ M L T^{-२} \cdot L ] = [ M L^२ T^{-२} ] \}$$

$$\text{और गतिज ऊर्जा} = \frac{१}{२} द व^२,$$

$$(\text{kinetic energy} = 1/2 m v^२)$$

$$\therefore [ \text{ऊर्जा} ] = [ द ल^२ स^{-२} ]$$

$$\text{or } \{ [ \text{energy} ] = [ M L^२ T^{-२} ] \}$$

अतः कार्य और ऊर्जा की विमा एक सी होती है।

महत्त्व — इस विषय का महत्त्व इस बात में है कि इसके द्वारा भौतिकी के प्रश्नों के आंशिक हल निकल आते हैं और बहुत से फलों की जांच उनकी अंतर्भूत विमाओं द्वारा हो जाती है। केवल विमाओं के विवेचन से बहुत से सूत्र, सांख्यिक अचरों को छोड़कर, पूर्ण रूप से निकल आते हैं। ल ( l ) लंबाई की एक डोरी द्वारा, द ( M ) द्रव्यमान का कोई पदार्थ एक स्थिर बिंदु से बांधने से एक सरल दोलक ( simple pendulum ) बन जाता है। उक्त दोलक का दोलनकाल ( time of oscillation ) लंबाई ल ( l ), द्रव्यमान द ( m ) और गुरुत्वाकर्षण गु. ( g ) पर आश्रित होता है। यदि हम मान लें कि समय द<sup>α</sup> ल<sup>β</sup> गु<sup>γ</sup> ( m<sup>α</sup> l<sup>β</sup> g<sup>γ</sup> ) के अनुपात में परिणामन करता है ( varies ), तो विमाओं के पदों में हम उसे इस प्रकार व्यक्त करेंगे .

$$[ स ] = [ द ]^α [ ल ]^β [ लु ]^γ [ ल^१ स^{-२} ] = [ द ]^α [ ल^{β+१} स^{-२+γ} ]$$

$$[ T ] = [ M ]^α [ L ]^β [ L^γ T^{-२+γ} ] = [ M ]^α [ L^{β+γ} T^{-२+γ} ]$$

किसी मूल मात्रक के घातांक का जोड़ दोनों वक्षों में एक सा होना चाहिए। अतः, समय के घातांकों के विचार में

$$१ = -२ उ, ( १ - २ γ )$$

इसी प्रकार,

$$इ + उ = ०, ( β + γ = ० ), अ = ०, ( α = ० )$$

$$उ = -१/२ और इ = १/२, ( γ = -१/२ ) \text{ and } ( β = १/२ )$$

अतएव दोलन काल,  $\sqrt{ल/गु}$ , ( $\sqrt{l/g}$ ) का अनुक्रमानुपाती है और अचर का मान प्रयोग द्वारा निकाला जा सकता है।

गुद और अनुप्रयुक्त गणित के विभिन्न विभिन्न प्रश्नों में इस विषय के बहुत से अनुप्रयोग हैं ( देखें विमीय विश्लेषण ) ।

[ शा० ना० म० ]

विमीय विश्लेषण ( Dimensional Analysis ) न्यूटन ( Newton ) द्वारा लिखित पुस्तक 'प्रिंसिपिया' ( Principia ) में विमाएँ तथा विमीय विश्लेषण 'सादृश्य का सिद्धांत' ( Principle of Similitude ) नाम से वर्णित हैं। इस विषय को बढ़ाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, वे हैं ई० बकिंघम ( E Buckingham ), लार्ड रैलि ( Lord Rayleigh ) और पी० डब्ल्यू० ब्रिजमैन ( P W Bridgman )। प्रारंभ में विमीय विश्लेषण यांत्रिकी ( mechanics ) की समस्याओं में प्रयुक्त किया गया, किंतु आजकाल यह सभी प्रकार की भौतिकी एवं इंजीनियरी की समस्याओं में प्रयुक्त होने लगा है। विमीय विश्लेषण का मान उसकी इस क्षमता में है कि भौतिक-विज्ञानी और इंजीनियर के प्रति दिन की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक समस्याओं के समाधान में यह सहायक होता है।

संपूर्ण भौतिक राशियां दो वर्गों में विभाजित की जाती हैं :

( क ) मौलिक ( Fundamental ) तथा ( ख ) व्युत्पन्न ( Derived ) । यांत्रिक समस्याओं में तीन स्पष्ट प्राथमिक राशियां ( distinct primary quantities ), लंबाई ( length = L ), द्रव्यमान ( mass = M ), तथा समय ( time = T ), को मान्यता मिली

थी। किंतु यदि चुंबकीय, विद्युतीय और ऊष्मीय राशियों के लिये भी इनका उपयोग करें तो हमें वाध्य होकर दो अन्य राशियों ( विद्युत की मात्रा  $Q$  एवं ताप  $\theta$  ) को समाविष्ट करना होगा। अन्य सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियों को इन पाँच मौलिक राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, बल की विमा  $M L T^{-2}$ , ऊष्मा चालकता की विमा  $L M T^{-2} \theta^{-1}$  और धारिता की विमा  $Q^2 T^2 M^{-2} L^{-2}$  है। वास्तविक उपयोग में मात्रक पद्धति ( system of units ) प्रयोग में आती है :

( १ ) सेंटीमीटर-ग्राम-सेकंड पद्धति ( C G. S. System ) — इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है।

( २ ) फुट पाउंड सेकंड पद्धति ( F. P. S. System ) — इसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड हैं।

( ३ ) मीटर किलोग्राम सेकंड ( M. K S System ) — इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड हैं।

सारणी (क) में यांत्रिक, सारणी (ख) में ऊष्मीय तथा (ग) में वैद्युत-चुंबकीय राशियाँ तथा विमाएँ (देखें पृष्ठ ६२) दी गई हैं।

(क) यांत्रिक राशियाँ

क्र० सं०	राशि	मात्रक(मी० किग्रा० से०)	विमाएँ
१	लंबाई ( l )	मी ( m )	L
२	द्रव्यमान ( m )	किग्रा ( kg )	M
३.	समय ( t )	सेकंड ( s )	T
४.	वेग ( v )	मीसे <sup>-१</sup>	L T <sup>-१</sup>
५	प्रकाश का वेग ( c )	$२.९९८ \times १०^{८}$ मीसे <sup>-१</sup>	L T <sup>-१</sup>
६.	त्वरण ( a )	मीसे <sup>-२</sup>	L T <sup>-२</sup>
७.	बल ( F )	न्यूटन (N) = $१०^{-८}$ डाइन	L M T <sup>-२</sup>
८.	कार्य, ऊर्जा ( W )	जूल = न्यूटनमीटर	ML <sup>२</sup> T <sup>-२</sup>
९.	शक्ति ( P )	वाट = जूल/से०	ML <sup>२</sup> T <sup>-३</sup>
१०.	पृष्ठतनाव ( $\sigma$ )	न्यूटन/मी = $१०^९$ डाइन/सेमी०	M T <sup>-२</sup>
११.	घनानता ( $\eta$ )	न्यूटन सेकंड/मी <sup>२</sup> = $१०$ प्वांज	ML <sup>-१</sup> T <sup>-१</sup>
१२.	बल घातुर्ण		ML <sup>२</sup> T <sup>-२</sup>
१३.	कोणीय त्वरण		T <sup>-२</sup>
१४.	घावृत्ति ( n )	साइकिल/सेकंड	T <sup>-१</sup>

फुट-पाउंड-सेकंड पद्धति में परिवर्तन के लिये निम्न संबंध उपयोग में लाए जाते हैं :

- १ मीटर = ३९.३७ इंच
- १ किलोग्राम = २.२ पाउंड

(ख) ऊष्मीय राशियाँ

क्र० सं०	राशियाँ	विमाएँ
१.	ताप	$\theta$
२.	ऊष्मा की मात्रा ( H )	M L <sup>२</sup> T <sup>-२</sup>
३.	विशिष्ट ऊष्मा	विमाविहीन
४.	ऊष्मा धारिता प्रति एकक द्रव्यमान	L <sup>२</sup> T <sup>-२</sup> $\theta^{-१}$
५	ऊष्मा धारिता प्रति एकक घ्रायतन	ML <sup>-१</sup> T <sup>-२</sup> $\theta^{-१}$
६.	चालकता (Conductivity)	MLT <sup>-३</sup> $\theta^{-१}$
७.	एंट्रॉपी (Entropy)	ML <sup>२</sup> T <sup>-२</sup> $\theta^{-१}$
	H $\theta^{-१}$	

विमीय विश्लेषण के सिद्धांत ( Principles of Dimensional Analysis ) — जब किसी समीकरण का रूप मापन ( measurement ) के मौलिक मात्रकों ( fundamental units ) पर निर्भर नहीं करता, तब वह विमीय रूप से समांगी ( Homogeneous ) कहलाता है। उदाहरण के लिये, सरल लोलक का दोलनकाल  $T = 2 \pi (l/g)^{१/२}$  मान्य है चाहे लंबाई फुट या मीटर में नापी गई हो, प्रथम समय T मिनट या सेकंड में नापा गया हो। किसी प्रश्न के विमीय विश्लेषण का प्रथम सोपान प्रश्न में आए चरों ( variables ) का निर्णय करना है। यदि घटना ( phenomenon ) में वे चर, जो वास्तव में प्रभावहीन हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो अंतिम समीकरण में बड़ी सख्या में पद दिखाई पड़ेंगे। फिर हम प्रदत्त चर समुच्चय ( set ) के विमाविहीन उत्पादों ( products ) के पूर्ण समुच्चय का परिकलन ( calculation ) करते हैं और उनके बीच एक सामान्य संबंध लिखते हैं। इस संबंध में ई० बर्कहैम द्वारा प्रणीत निम्नलिखित मौलिक प्रमेय महत्वपूर्ण है : “यदि कोई समीकरण विमीय रूप से समांगी है, तो वह विमाविहीन उत्पादों के पूर्ण समुच्चय के, जिसकी संख्या प्रश्न में समाविष्ट भौतिक चरों की संख्या एवं मौलिक प्राथमिक राशियों की संख्या के अंतर ( जिनके पदों में वे व्यक्त किए जाते हैं ) के बराबर होती है, संबंध में बदला जा सकता है।” विसोमत इसे इस तरह कहा जा सकता है कि यदि मौलिक चरों का संबंध इन चरों के उत्पादों के निम्नतम समुच्चय में बदला जा सकता है, तो ये सभी उत्पाद विमाविहीन होंगे। बर्कहैम का प्रमेय, जिसे द्वितीय ( II ) प्रमेय भी कहते हैं, विमीय विश्लेषण के संपूर्ण सिद्धांत का सारांश प्रस्तुत करता है।

उदाहरण के लिये कर्षणबल ( drag force ) F को लीजिए, जिसे D व्यास की चिकनी गोलीय वस्तु घनत्व  $\rho$  तथा घनानता  $\mu$  के असंपीड्य तरल ( incompressible fluid ) की धारा

( stream ) में अनुभव करती है।  $v$  को धारा का वेग माना गया है। इन चरों की विमाएँ तीन प्राथमिक राशियों लंबाई  $L$ , द्रव्यमान  $M$  तथा समय  $T$  के पदों में हम लिख सकते हैं। बर्किशम के  $\pi$  प्रमेयानुसार  $5-3=2$  विमाविहीन उत्पाद होगा, जिसे हम यों लिख सकते हैं ;

$$\pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 D^3} \text{ और } \pi_2 = \frac{v D \rho}{\mu}$$

इस प्रकार निम्न रूप में यह संबंध व्यक्त किया जा सकता है—

$$\pi_1 = f(\pi_2)$$

$$\text{या } F = \rho v^2 D^3 f\left(\frac{v D \rho}{\mu}\right)$$

यहाँ  $f$  एक अनिर्दिष्ट फलन ( unspecified function ) है तथा

$$R = \frac{v D \rho}{\mu} \text{ रेनाल्ड संख्या (Reynold's number) है।}$$

यदि  $R$  क्रांतिमान ( critical value ) से, जिसकी कोटि ( order ) २००० है, अधिक है, तो  $f$  का मान अचल हो जाता है और प्रवाह तब 'विद्युब्ध' ( turbulent ) कहा जाता है। फिर भी यदि रेनाल्ड संख्या क्रांतिक मान से कम है तो

$$F = \mu v D f_1\left(\frac{v D \rho}{\mu}\right),$$

जहाँ फलन  $f_1$  अनिर्दिष्ट है और इस दशा में इसका मान एक अचल ( constant ) होता है। उदाहरणार्थ, कम वेगों के लिये स्टोक का नियम ( Stoke's law ) है .

$$F = 3\pi \mu v D$$

अर्थात् फलन  $f_1$  अचल  $3\pi$  के बराबर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ अचलो या फलों को छोड़कर, अधिकतर मौलिक प्रश्नों का हल निकाला जा सकता है।

एक दूसरा उदाहरण रेलि समस्या ( Rayleigh's problem ) का दिया जा सकता है। निश्चित ज्यामितीय आकार का कितु चर निरपेक्ष ( absolute ) विमा  $D$  का एक ठोस पिंड, वेग  $v$  से बहते हुए तथा पिंड से सुदूर ( remote ) बिंदुओं पर, द्रव के ताप से उच्चतर निश्चित ताप  $\theta$  पर, पोषित द्रव की धारा में बद्ध ( fixed ) है। पिंड से द्रव को स्थानांतरित होनेवाली ऊष्मा की दर  $h$  निकालना अपेक्षित है। यह समस्या गति के समीकरणों द्वारा आसानी से नहीं सुलझाई जा सकती, किंतु विमीय विधियों को प्रयुक्त कर यह दिखाया जा सकता है कि

$$h = k D \theta f\left(\frac{D v c}{k}\right),$$

जहाँ  $K$  द्रव की ऊष्मीय चालकता ( thermal conductivity ),  $C$  उसकी ऊष्मा धारिता ( heat capacity ) और  $\theta$  तापांतर ( temperature difference ) है। यहाँ ऊर्जा के रूप में विचारित लंबाई, समय, ताप और ऊष्मा के लिये हम लोग  $L, T, \theta$  और  $H$  प्राथमिक राशियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।  $\left(\frac{D v c}{k}\right)$  को पेसेलेट ( Peclet's number ) और  $h/kD\theta$  को नसेल्ट संख्या ( Nusselt

number ) कहते हैं। यदि श्यानता ( viscosity ) को भी लिया जाय, तो  $h = kD\theta f\left(\frac{D v c}{k}, \frac{v D \rho}{\mu}\right)$ । किसी निर्दिष्ट द्रव को लेकर प्रयोग करने पर, फलनों  $f$  और  $F$  के मान निकाले जा सकते हैं।

दूसरे द्रवों के आँकड़े ( data ) तथा प्राचलो ( parameters )  $D v c/k$  और  $v D \rho/\mu$  के मान प्रयोग करने पर फलन  $F$  का मान निकाला जा सकता है। अत  $h$  का मान निकल जाता है। विमाओं की विधि चालन और संवहन ( convection ) के प्रश्नों के लिये भी, जो सामान्यतः विश्लेषित नहीं हो सकते, प्रयुक्त हो सकती है।

विमा सिद्धांत के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग ( applications ) में से एक 'प्रतिरूप परीक्षण' ( model testing ) है। किसी व्ययसाध्य ( expensive ) इंजीनियरी प्रायोजना ( project ) के पहले कभी कभी निर्मित होनेवाले आदिप्रारूप ( prototype ) पद्धति की लघुमान प्रतिरूप ( small scale replica ) की क्रिया का अध्ययन करना परामर्श ( advisable ) होता है। प्रतिरूप अध्ययन महँगी त्रुटियों ( costly mistakes ) को दूर करने के लिये तथा आदि प्ररूप की अभिकल्पना ( design ) में सहायक सुचना प्राप्त करने के लिये किया जाता है। माना किसी प्रश्न में  $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$  आदि चर हैं, बर्किहम के ( $\pi$ ) प्रमेय द्वारा इनके बीच का संबंध बहुत से विमाविहीन उत्पादों के मध्य के संबंध में परिणत किया जा सकता है।  $Q_1$  के मान में रुचि लेने पर हम लिख सकते हैं कि :

$$Q_1 = Q_2^{\alpha_2} Q_3^{\alpha_3} \dots E(\pi_2, \pi_3, \pi_4)$$

$$\text{जहाँ } \pi_2 = Q_2^{\beta_2} Q_3^{\beta_3} \dots,$$

$$\pi_3 = Q_2^{\gamma_2} Q_3^{\gamma_3} \dots \text{ आदि}$$

किसी प्रतिरूप पर, जिसके लिये सभी  $\pi$  के मान आदि प्ररूप के  $\pi$  के मानों के बराबर हैं, प्रयोग करके  $\pi$  के मान के विभिन्न समुच्चयों के लिये फलन  $F$  के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिरूप के लिये उनके मान ज्ञात होने से आदिप्ररूप के मानों की ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रतिरूप तथा आदिप्ररूप गतिकीत ( dynamically similar ) कहलाते हैं। वास्तविक विमान बनने के पूर्व, एक प्रतिरूप ( आकार में विमान का  $\frac{1}{10}$  ) पर वायु सुरंग ( wind tunnel ) में प्रयोग किए जाते हैं और विभिन्न प्रणोदों ( thrusts ) के मान ज्ञात किए जाते हैं। इन आँकड़ों से विमान के लिये संगत मान ( corresponding values ) निकाल लिए जाते हैं। यह विधि जलयान उद्योग ( ship industry ), अंतर्जलीय विस्फोट ( underwater explosion ), प्रक्षेपिकी विज्ञान ( science of ballistics ) और दूमरी इंजीनियरी प्रायोजनाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रतिरूप पर प्रयोग करना, किसी प्रस्तावित उवारनदमुख ( estuary ), या पोताश्रय ( harbour ), के प्रभावों के विषय में पूर्व जानकारी देने, अन्वेषण करने ( investigating ) तथा व्ययसाध्य

व्यवसाय (undertaking) का द्रुत उपाय (ready means) है।

विभागों के सिद्धांत ने तरलयांत्रिकी (fluid mechanics) और ऊष्मा स्थानांतरण (heat transfer) के आधुनिक विकासों (developments) में महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। विद्युत् चुंबकीय सिद्धांत तथा बहुत सी दूसरी भौतिक समस्याओं में भी

यह सिद्धांत अनुप्रयोगित है।

किसी समस्या का विस्तृत विश्लेषण करने के पूर्व किसी प्रश्न में किसी परिमाण की कोटि (order of magnitude) के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव में विमीय विश्लेषण प्राकृतिक घटनाओं (natural phenomena) के अन्वेषण के लिये एक महत्वपूर्ण साधन (tool) हो रहा है।

(ग) विद्युत् एवं चुंबकीय राशियाँ

क्र० सं०	राशि	मात्रक ( मी० किग्रा० से० )	विमाप
१.	आवेश	कूलॉम	Q
२.	आकाश की विद्युत्शीलता ( $\epsilon$ ) (Permittivity of space) विद्युत्शीलता ( $\epsilon$ ) आपेक्षिक विद्युत्शीलता ( $\epsilon_r$ ) ( $F = q q' / 4\pi \epsilon r^2$ )	फैरड / मी० $\epsilon = 8.85 \times 10^{-12}$ फैरड / मी० (आकाश के लिये)	$F^{-1} L^{-2} Q^2$ $M^{-1} L^{-3} T^2 Q^2$
३.	धारा ( I )	ऐंपियर = कूलॉम/सेकंड = $3 \times 10^9$ स्थि० वै० मा०	$T^{-1} Q$
४.	धारा घनत्व ( j )	ऐंपियर / मी० <sup>२</sup> = $3 \times 10^9$ स्थि० वै० मा० = $10^{-9}$ ऐंपि/सेमी० <sup>२</sup>	$L^{-2} T^{-1} Q$
५.	विभवान्तर ( v )	वोल्ट = जूल/कूलॉम = $1/300$ स्थि० वै० मा०	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
६.	विद्युत् क्षेत्र ( E ) = $\frac{F}{q}$	न्यूटन / कूलॉम = वोल्ट / मी० = $1/300$ स्थि० वै० मा०	$MLT^{-2} Q^{-1}$
७.	विद्युत्वाहक बल ( E ) = $\frac{F I}{q}$	वोल्ट	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
८.	द्विध्रुव आघूर्ण (Dipole moment) ( q l )	कूलॉम मी०	LQ
९.	प्रतिरोध ( R )	ओम = $\frac{1}{300}$ स्थि० वै० मा०	$ML^2 T^{-1} Q^{-2}$
१०.	चालकता ( j ) / ( E )	म्हो/मी० = $3 \times 10^9$ स्थि० वै० मा०	$Q^2 T M^{-1} L^{-3}$

क्र० सं०	राशि	मात्रक ( मी० किमा० से० )	विमापण
११.	धारिता (C)	फेराड - कूलॉम/वोल्ट = $९ \times १०^{११}$ स्थि० वै० मा०	$Q^2 T^2 M^{-1} L^{-2}$
१२.	विद्युत्विस्थापन ( <u>D</u> )	कूलॉम/मी० <sup>२</sup> = $१२\pi \times १०^{११}$ स्थि० वै० मा०	$Q L^{-2}$
१३.	विद्युत्घुवण ( <u>P</u> )	कूलॉम/मी० <sup>२</sup> = $३ \times १०^{११}$ स्थि० वै० मा०	$Q L^{-2}$
१४.	भाकाश की चुंबकशीलता ( $\mu_0$ ) (Permeability of space) $FT^{-2}Q^{-2}$ चुंबकशीलता ( $\mu$ ) आपेक्षिक चुंबकशीलता ( $\mu_r$ )	वेबर/मी० ऐंपियर = $४\pi \times १०^{-९}$ हेनरी/मी०	$ML Q^{-2}$
१५.	चुंबकीय अभिवाह घनत्व <u>B</u> ( Flux density ) प्रेरण	वेबर/मी० <sup>२</sup>	$ML^2 T^{-1} Q^{-1}$
१६.	चुंबकीय अभिवाह ( I )	वेबर = हेनरी ऐंपियर = वोल्ट सेकंड	$ML^2 T^{-1} Q^{-1}$
१७.	चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ( <u>H</u> )	ऐंपियर चक्कर/मी० या ऐंपि/मी०	$L^{-1} T^{-1} Q$
१८.	प्रेरकत्व (L) ( Inductance )	हेनरी = वोल्ट सेकंड/ऐंपि० = वेबर/ऐंपियर	$ML^2 Q^{-2}$
१९.	चुंबक वाहक बल ( चुंबकीय विभव )	ऐंपियर चक्कर ऐंपियर	$QT^{-1}$
२०.	प्रतिघृम्भ (R) ( Reluctance )	ऐंपियर चक्कर/वेबर = रोलेंड ( Rowland )	$M^{-1} L^{-2} Q^2$
२१.	चुंबकीय आतुरता ( <u>m</u> )	ऐंपियर मी० <sup>२</sup>	$L^2 T^{-1} Q$
२२.	चुंबकीय घुव प्रबल्य	ऐंपियर मीटर	$LT^{-1} Q$
२३.	चुंबकन तीव्रता ( <u>M</u> ) ( Intensity of Magnetisation )	ऐंपियर/मीटर	$L^{-1} T^{-1} Q$

मीटर विलोग्राम सेकंड को स्थिर वैद्युत मात्रक तथा विद्युत् चुंबकीय मात्रक में बदलने के लिये केवल आवेश के मात्रक बदलने होंगे।

अर्थात् १ कूलॉम =  $३ \times १०^९$  स्थि० वै० मा० ( c s. u. )  
=  $\frac{1}{3}$  वि० चु० मा० ( e. m. u )  
[ फ० चं० मी० ]

वियतनाम ( Vietnam ) इंडोचीन का एक राज्य था, जिसके

अंतर्गत तीन फ्रांसीसी मधीन राज्य थे : तोंकिङ् ( Tonking ), अनाम ( Annam ) तथा कोचीनचीन। १९४९ ई० में पूर्ण संमिलित तोंकिङ् तथा अनाम के साथ कोचीनचीन के मिलने से वियतनाम बना था। गृहयुद्ध के कारण जुलाई, १९५४ ई० में जेनेवा ( Geneva ) में हुए सम्झौते के अनुसार वियतनाम, कम्युनिस्ट शासित उत्तरी वियतनाम, तथा राजा द्वारा शासित दक्षिणी वियतनाम में, राजनीतिक रूप से विभाजित हो गया। मई, १९६५

से कम्युनिस्ट शासित उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम की संप्रभुता के प्रति सशस्त्र विरोध किया जा रहा है।

### उत्तरी वियतनाम

स्थिति : १७° से २१° उ० अ० तथा १०२° १५' से १०८° ५०' दे०। इस लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र ( Democratic republic ) की जनसंख्या १,५६,०३,००० ( १९६० ) तथा क्षेत्रफल १,५५,२०३ वर्ग किलोमीटर है। यह इंडोचीन प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में साम्यवादी चीन, १७ वें समांतर के दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम, पश्चिम में लाओस तथा पूर्व में दक्षिणी चीनी सागर है। अनामाइट कार्दियेरा ( Annamite-Cordillera ) एकमात्र पर्वतशृंखला है, जो पश्चिमी सीमाने के साथ साथ फैली हुई है। अनाम में जहाँ दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम की सीमाएँ मिलती हैं, वहाँ पर्वत समुद्र के समीप है। तोंकिङ्ग प्रदेश में संमिलित लाल नदी का डेल्टा वियतनाम का घना आबाद क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व ५७५ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है। यह डेल्टा समुद्रतल से ३ मीटर से कम ऊँचा है। उत्तरी तोंकिङ्ग का उच्च भूभाग आग्नेय पर्वतों और बलुआ पत्थर या चूनापत्थर के पठारों से बना है। लाल नदी प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई लगभग ८०० किमी० है। लाल नदी को कॉय ( Coi ) या सोंङ्काय ( Songi-koi ) भी कहते हैं।

उत्तरी वियतनाम में वर्षा मध्य अप्रैल से मध्य अक्टूबर तक होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है। राजधानी हनोइ में औसत वार्षिक वर्षा ६८ इंच होती है। अनामाइट कार्दियेरा क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा १६० इंच से अधिक होती है। डेल्टा क्षेत्र के दैनिक ताप में पर्याप्त उतार चढ़ाव रहता है। हनोइ का औसत ताप जून में ३५° से० तथा जनवरी में १७° से० रहता है। जुलाई से नवंबर तक टाइफून ( typhoon ) की ऋतु रहती है।

तोंकिङ्ग क्षेत्र के पर्वत तथा अनामाइट कार्दियेरा की विशेषता उष्ण काटबन्धी वर्षावाले जंगल हैं, जिनमें बड़ा भाग मानसूनी वर्षा वाले जंगलों का है। पश्चिमी तोंकिङ्ग के पर्वतीय क्षेत्र में चीड़ के जंगल हैं। स्थानांतरी कृषि गीण जंगलों के अनेक भागों में फलीभूत हुई है। ट्रोन ( Tron ) घास दूर दूर तक फैली हुई है। मेग्रोव जंगल तोंकिङ्ग डेल्टा के तटीय भाग में हैं। हरिण, भैंस, जंगली साँड़, हाथी, बाघ और तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तटीय तथा अंतर्देशीय जल में मछलियों का बाहुल्य है। पक्षियों और कीटों की अनेक जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं।

उत्तरी वियतनाम की कृषि सामूहिकीकरण के उच्च स्तर पर पहुँच गई है। १९६२ ई० में ८८ प्रति शत कृषकों ने सहकारिता को अपना लिया था। लगभग ३०,००,००० हेक्टेयर भूभाग पर कृषि होती है, जिसमें से २,००,००० हेक्टेयर पर सरकार के ५५ फार्म हैं। अधिकांश भूभाग पर धान की खेती होती है। लाल नदी के डेल्टा में तथा अनाम के तट के किनारे के डेल्टाओं में वर्ष में धान की दो फसलें होती हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्ष में धान की तीन फसलें होती हैं। मक्का, शकरकंद, गन्ना, कपास, मूँगफली ( peanut ), छुट, चाय, कॉफी, सोयाबीन और रबर अन्य फसलें हैं।

भारवाही पशुओं ( draft animal ) के पालन का कार्य यहाँ होता है। थान हो ( Than Hoa ) और उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र पशुपालन के प्रमुख केंद्र हैं। मछली मारना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। इमारती लकड़ियों के अतिरिक्त बाँस, रेजिन और लेकर ( lacquer ) जंगल से प्राप्त होनेवाले उत्पाद हैं।

ऐंथासाइट कोयला, टिन, क्रोमियम, ऐपाटाइट तथा फ्रॉस्फेट मुख्य खनिज हैं। यूरेनियम फ्रॉस्फेट तथा टंगस्टन भी उत्तरी वियतनाम में मिलते हैं।

देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों में से ५७६ प्रति शत सरकारी संस्थान हैं, जिनके अंतर्गत कोयला, टिन, क्रोमियम तथा अन्य खानें, हनोइ स्थित इंजीनियरी निर्माणशाला, विद्युत् केंद्र और तंबाकू, चाय, एवं डिब्बाबंदी के धातुनिक कारखाने हैं। सीमेंट, सूती वस्त्र, दियासलाई तथा कागज निर्माण अन्य प्रमुख उद्योग हैं। १९६३ ई० से इस्पात का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है।

हनोइ स्थित उत्तरी वियतनामी राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय वियतनाम की दर्शनीय संस्थाएँ हैं। युनिवर्सिटी ऑफ हनोइ एकमात्र विश्वविद्यालय है। १० वर्ष तक की धातु के बालकों के लिये अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध है।

राजधानी हनोइ ( ६,४३,५७६ ) के अतिरिक्त हाइफॉङ ( ३,६६,२४८ ) नाम विन्ह ( Nam Dinh ) तथा विन्ह ( Vinh ) अन्य प्रमुख नगर हैं। निम्न भूमि पर निवास करनेवाली जनसंख्या का ८५% प्रति शत बाई एव चीनी जातियों का मिश्रण है। उत्तरी वियतनाम के ७० प्रति शत भूभाग में पहाड़ी जाति थाई, चीनी, मोनखमेर ( Mon Khmer ) और मलाया-पोलिनेशिया जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा वियतनामी है।

नदियों का उपयोग परिवहन के लिये अधिक किया जाता है। रेल की लाइन ८४० किमी० लंबी है और १३,४४० किमी० लंबी सड़कें हैं। अंतर्देशीय वायुसेवाएँ हैं और पीकिंग के लिये सीधी वायुसेवा है।

### दक्षिणी वियतनाम

स्थिति : ८° ३०' से १७° उ० अ० तथा १०४° ३०' से १९° ३०' पू० दे०। यह गणतंत्र स्याम की खाड़ी एवं दक्षिणी चीनी सागर के मध्य में फैले हुए इंडोचीन के निम्न पूर्वी पार्श्व पर स्थित है। उत्तरी वियतनाम से यह १७वीं समांतर द्वारा पृथक् है। इसका क्षेत्रफल १,७१,६६५ वर्ग किमी० तथा जनसंख्या १,४२,७५,३०० ( १९६२ ) है। आबादी का घनत्व ७३ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में दक्षिणी चीनी सागर, पश्चिम में लाओस तथा कंबोडिया एवं उत्तर में उत्तरी वियतनाम है। यहाँ की प्रमुख भाषा वियतनामी है। मेकांग यहाँ की प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई ४,१६० किमी० है।

मेकांग नदी का डेल्टा फोनो पेन्ह ( Phonon Penh ) के समीप से प्रारंभ होता है और दो मुख्य भागों में बँट जाता है। यह डेल्टा और निकटवर्ती वाइको साइगॉन डेल्टा नदीय बाजू की अनियमित पट्टियों से युक्त चिकनी मिट्टी से बना है। दक्षिणी वियतनाम



नाम का दक्षिण-पश्चिमी खंड, कोचीन चीन, मेकोंग् गेल्टा में ही है और यह गेल्टा विश्व के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। दक्षिणी मध्यभाग का अधिकांश पठारी है।

यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधी है। राजधानी साइगॉन का ताप १८° से० से लेकर ३३° से० तक जाता है। वर्षा ऋतु मई से नवंबर तक रहती है। हुए ( Hue ) की वार्षिक वर्षा का औसत लगभग २६५ सेमी है तथा साइगॉन की वार्षिक वर्षा का औसत लगभग २४६ सेमी है। संपूर्ण देश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग १६८ सेमी है। पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तरी तथा उत्तरी मध्य भाग में बार बार टाइफून आते हैं, जिनके कारण भयावह बाढ़ आती है।

दक्षिणी वियतनाम में ऊष्ण कटिबंधी सदाबहार वृक्ष तथा चीड़ के जंगल प्रचुर हैं। कोचीनचीन क्षेत्र में सवाना ( Savannah ) अत्यधिक है उष्णकटिबंधी घास ट्रान ( Tranh ) दूर दूर तक फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम में तट के साथ साथ मैंग्रोव ( mangrove ) के जंगल हैं। हरिण, भैंस, जंगली साँड़, हाथी, बाघ और तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। तटीय जल और अंतर्देशीय जल में मछलियों की बहुतायत है।

दक्षिणी वियतनाम की ८० प्रति शत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। वर्ष के छह महीने भारी वर्षा होती है और शेष के छह महीने सूखे रहते हैं। अतः साल में केवल एक फसल मिलती है।

सिंचाई की समस्या को हल करने के लिये सिंचाई के साधनों को विकसित किया जा रहा है। देश की प्रमुख फसलें हैं : धान और गन्ना। अन्य कृषि उत्पाद हैं : सेमल की रुई, गरी, शकरकंद, काली मिर्च, मन्डशिफ ( manioc ), चीनी, तंबाकू, चाय, कॉफी, मूंगफली, मक्का, तिलहन और कुनैन। रेमी ( ramie ) और केनैफ, जो जाल, बोरा इत्यादि बनाने के काम आते हैं, अन्य उत्पाद हैं।

यहाँ कोयले, मोने तथा नमक की कुछ खानें हैं। काँचबालू, मालिब्डेनेम, सीम, बिस्मथ, ताँबा तथा फॉस्फेट के निक्षेप भी इस देश में हैं। कुटीर उद्योग दक्षिणी वियतनाम के उद्योग की विशेषता है। प्रमुख कुटीर उद्योग हैं चमड़ा, चदन, साबुन, कागज, ईंट, छपरैल, दियासलाई, चीनी, अंतर्देशीय, ऐसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐल्कोहॉल, चावल, तंबाकू, बीयर, नमक और सूती वस्त्र।

साइगॉन ( १४,३१,०००, सन् १९६२ ) दक्षिणी वियतनाम की राजधानी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े बंदरगाहों में से एक है। साइगॉन के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध नगर हैं। हू ( १,०४,६०० ) तथा तूरॉन ( Tourane ) या दा नांग ( Da Nang ; १,२१,४०० )। गणतंत्र में १४८३.२ किमी० लंबी रेल लाइन ११,५५२ किमी० लंबे मोटर मार्ग तथा ४,४०० किमी० लंबा जलमार्ग है। अंतर्देशीय, तथा कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड एवं हांगकांग के लिये, वायु-सेवा भी है।

सन् १९५४ में दक्षिण वियतनाम के स्वतंत्र होने पर सम्राट् बाओ डाइ ( Bao Dai ) ने शासनभार संभाला। सन् १९५५ में सम्राट् को हटाकर गणतंत्रात्मक संविधान लागू हुआ। सन् १९६३ में सैनिक

जुंता ने रक्तहीन अवैध राज्यक्रांति ( coup d'etat ) के द्वारा राष्ट्रपति डिएम ( Diam ) को पदच्युत कर उनके अधिनायकवाद को समाप्त कर दिया और सैनिक शासन की स्थापना की। अब यहाँ पुनः नागरिक शासन स्थापित हो गया है। संप्रति एन० वान थिय राष्ट्रपति हैं। [ अ० ना० मे० ]

**वियना** स्थिति : ४८° १२' उ० अ० तथा १६° २५' पू० दे०। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी है तथा वीनर बाल्ड के पूर्वी पद पर डैन्यूब नदी के दाहिने किनारे पर समुद्रतल से ५५० फुट की ऊँचाई पर बसा है। जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। वार्षिक औसत ताप ६° से० तथा वार्षिक वर्षा २७ इंच है। नगर एक प्रसिद्ध औद्योगिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र है। कलात्मक सुंदर वस्तुएँ, चमड़ा, गहना, रेणु, अन्य कपड़ा, स्त्रियों की टोपी एवं अन्य विलासिता की वस्तुओं के लिये यह प्रमुख स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त दृष्टि संबंधी यंत्र, पीतल के तार, लोहे एवं इस्पात की भारी मशीनें, फर्नीचर, कागज तथा रासायनिक पदार्थ भी यहाँ बनते हैं। फिल्म उद्योग भी यहाँ है। यहाँ के अजायबघर, पुस्तकालय तथा कला, संगीत एवं विज्ञान के केंद्र अमूर्ते हैं। सुंदर भवन, उद्यान एवं मंडको से युक्त यह नगर स्वयं गृहशिल्प का अजायबघर है। इसकी जनसंख्या १६,२७,०३४ ( १९६१ ) है। [ सु० चं० श० ]

**विरंजन** रंगीन पदार्थों से रंग निवालाकर उन्हें श्वेत करने को विरंजन करना कहते हैं। विरंजन से केवल रंग ही नहीं निकलता, वरन् प्राकृतिक पदार्थों से अनेक अपद्रव्य भी निकल जाते हैं। अनेक पदार्थों को विरंजित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पदार्थों में रूई, वस्त्र, लिनेन, ऊन, रेशम, कागज लुगदी, मधु, मोस, तेल, चीनी और अनेक अन्य पदार्थ हैं।

ऊन और सूती वस्त्र के विरंजन की कला हमें बहुत प्राचीन काल से मालूम है। प्राचीन मिस्रवासी, यूनानी, रोमवासी तथा फिनिशिया-वासी विरंजित सामान तैयार करते थे, पर कैसे करते थे इसका पता आज हमें नहीं है। प्लिनी ( Pliny ) ने कुछ पेटो और पेडो की राखों का उल्लेख किया है। ऐसा मान्य होता है कि यूरोप में डच लोग विरंजन की कला में अधिक विख्यात थे। इंग्लैंड में १४वीं शताब्दी में विरंजन करने के रथानों का वर्णन मिलता है। १८वीं शताब्दी में इसका प्रचार वस्तुतः व्यापक हो गया था। उस समय वस्त्रों को क्षारीय द्रवों ( lye ) में कई दिनों तक डुबाकर धोते और घास पर कई सप्ताह सुखाते थे। इसके बाद वस्त्रों को मट्टे में कई दिन डुबाकर फिर धोकर माफ करते थे।

पीछे मट्टे के स्थान में हल्के अम्ल का उपयोग शुरू हुआ। डा० फ्रैंसिस होम ने १८५६ ई० में विरंजन का एक कारखाना खोला।

विरंजन व्यवसाय की स्थापना वस्तुतः १७८७ ई० में हुई। तब तक क्लोरीन का आविष्कार हो चुका था और वस्त्रों के विरंजन में यह बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हुआ था। बेटोले ( Bethollet ) पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि वस्त्रों

के विरंजन में क्लोरीन गैस का उपयोग हो सकता है और इसका उल्लेख उन्होंने अपने एक निबंध में किया था, जो जर्नल द फिजिक में १७८६ ई० में छपा था। फिर तो इसका उपयोग कई देशों में होने लगा। विरंजन के लिये क्लोरीन गैस प्रसुद्धिघाजनक थी। इससे इसके उपयोग में कुछ समय तक अच्छी प्रगति न हो सकी। पीछे देखा गया कि क्लोरीन को दाहक पोटैश में अवशोषित करके उपयोग करने पर भी विरंजन हो सकता है। फिर क्लोरीन को चूने में अवशोषित कर विरंजन पूर्ण तैयार किया गया, जिसका उपयोग आज तक होता आ रहा है। इसके स्थान में अब सोडियम हाइपोक्लोराइट और द्रव क्लोरीन का प्रयोग भी होने लगा है।

**रूई का विरंजन** — कच्ची रूई में अपद्रव्य के रूप में मोम, वसाम्ल, पेक्टिन, रजक, ऐल्बुमिनायड और खनिज लवण रहते हैं। इनकी मात्रा लगभग पाँच प्रति शत तक रह सकती है। विरंजन से ये अपद्रव्य बहुत कुछ निकल जाते हैं। यदि रूई का विरंजन पहले नहीं हुआ है, तो अपद्रव्यों को निकालने के लिये रूई के सूतों और वस्त्रों का भी विरंजन होता है।

कपास के सूत के विरंजन के लिये सूत को तीन से चार प्रति शत सोडा ऐश, या दो प्रति शत दाहक सोडा, के साथ छह से आठ घंटे तक न्यून दबाव पर उबालते हैं। फिर उसे धोकर विरंजन द्रव के साथ भाषे से दो घंटे तक उपचारित करते हैं। उसे फिर पानी से धोकर २° ट्वाडेल हाइड्रोक्लोरिक या मल्म्यूरिक अम्ल में डुबाकर भली भाँति धो लेते हैं। यदि सूत को बिल्कुल सफेद बनाना है, तो उसको साबुन के दुबल विलयन में निलंबित अल्ड्रामेरीन या बहुत अल्प विक्टोरिया ब्ल्यू में निलंबित कर कुछ रंग लेते हैं। उबालने से सूत के अधिकांश अपद्रव्य निकल जाते हैं। यदि अल्ड्रेजिन साबुन मिलाकर उबालें, तो मोम प्रायः समस्त निकल जाता है।

यदि वस्त्र का विरंजन किया जाय, तो उससे मोम के साथ साथ वे पदार्थ भी, जैसे स्टार्च, मैग्नीशियम लवण आदि, जो सज्जीकरण में प्रयुक्त होते हैं, बहुत कुछ निकल जाते हैं। विरंजन के पश्चात् वस्त्र हल्के नीले रंग से रँगने से कपड़े बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। यदि कपड़े पर छींट की छपाई करनी हो, तो वस्त्रों को विरंजित कर बिल्कुल सफेद बनाना आवश्यक होता है।

सन के सूतों का विरंजन अधिक पेचीदा और श्रमसाध्य होता है, क्योंकि ऐसे सूत में अपद्रव्यों की मात्रा २० प्रति शत या इससे भी अधिक रहती है, जबकि रूई में अपद्रव्यों की मात्रा ५ प्रति शत से अधिक नहीं रहती। सन के सूतों में जो अपद्रव्य रहते हैं, उनमें रजको के प्रतिरिक्त एक विशेष प्रकार का मोम, 'मनई मोम', रहता है, जिसपर किसी अभिकर्मक की क्रिया कठिन होती है। यदि सनई के वस्त्रों का विरंजन करना है, तो कठिनता और बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे वस्त्रों में विरंजकों का प्रवेश कुछ कठिन होता है।

सनई के सूतों और वस्त्रों का विरंजन प्रायः वैसे ही होता है जैसे रूई के सूतों और वस्त्रों का। अंतर केवल इस बात में रहता है कि उन्हें षास पर रखकर धूप में सुखाना पड़ता है। इसमें समय बहुत अधिक लगता है। जहाँ रूई के सूतों और वस्त्रों का विरंजन एक

सप्ताह से कम समय में हो जाता है, वहाँ सनई के सूतों और वस्त्रों के विरंजन में कम से कम छह सप्ताह लगते हैं। विरंजन में लगनेवाला समय और खर्च कम करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं, पर उनमें अभी यथोचित सफलता नहीं मिली है। यदि अधिक प्रबल विरंजन प्रयुक्त किए जायें, तो रेशों के क्षतिग्रस्त हो जाने की आशंका रहती है और उनकी चमक भी बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। समय समय पर इस विरंजन में अनेक गुधार हुए हैं, जिनमें विरंजनचूर्ण के स्थान पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का व्यवहार, धूप में सुखाने के स्थान पर नियुक्त मे प्रस्तुत ओजॉन की क्रिया, उबालने के बाद कोमल साबुन से तश्तों के बीच रगड़ना, या नाइट्रिक अम्ल के तनु विलयन में डुबाना आदि हैं। जूट के रेशों या वस्त्रों का विरंजन भी रूई या सनई के रेशों और वस्त्रों के समान ही होता है। केवल क्षार का उपयोग इनके साथ नहीं करते। इन्हें केवल सोडियम हाइपोक्लोराइट से उपचारित कर अम्ल से धो डालते हैं। पुआलो का विरंजन हाइड्रोजन परॉक्साइड के विलयन में १२ घंटे से लेकर कई दिनों तक डुबाकर, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से किया जाता है।

**ऊन का विरंजन** — ऊन के सामानो का विरंजन करने से वे उतने श्वेत नहीं होते जितना रूई या लिनेन के सामान होते हैं, पर यदि उनका उपचार मल्म्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन परॉक्साइड से किया जाय, तो उनका रूप बहुत कुछ सुधर जाता है। उपचार के बाद सूत को धोकर लटकाया जाता है। फिर भिगाया जाता है और अल्प नीला रंग देकर एककक्ष के विलयन में ले जाया जाता है, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। रात भर सामान को वहाँ रहने देते हैं। इसी रीति से जातव रोमी या कूचो को भी विरंजित करते हैं। सोडियम बाइमल्फाइट के कुछ प्रबल विलयन में डुबाकर रखने से भी ऊन का विरंजन होता है। ऐसे विरंजित ऊन को साबुन से धोने पर रंग फिर लौट आता है। यदि हाइड्रोजन परॉक्साइड में विरंजित किया जाय और पीछे अमोनिया या सोडियम सिलिकेट से क्षारीय बना लिया जाय, तो विरंजन स्थायी होता है। काले या भूरे ऊन को विरंजन से बिल्कुल सफेद तो नहीं बनाया जा सकता, पर उन्हें सुनहरा किया जा सकता है।

**रेशम** — प्राकृतिक रेशम के ऊपर सेरिसिन (sericine), या रेशम गोद, रहने के कारण वह देखने में मद लगता है। सेरिसिन १६-२५ प्रति शत तक रह सकता है। सेरिसिन को निकालने के लिये, ३० प्रति शत भार के साबुन की पानी में घुलाकर उसमें रेशम को लगभग ३ घंटे तक क्वथनाक से निम्न ताप पर तपाया जाता है। इससे सेरिसिन घुलकर निकल जाता है और रेशे पर विशेष चमक आ जाती है। अब रेशम को हल्के सोडा विलयन में धोकर यादृच्छित रंग में रँग लेते हैं। एक विशेष प्रकार के रेशम, टसर के विरंजन के लिये, हाइड्रोजन परॉक्साइड का उपयोग होता है।

यदि पक्षियों के पंखों को विरंजित करना हो, तो हाइड्रोजन परॉक्साइड को अल्प अमोनिया डालकर, क्षारीय बनाकर विरंजित किया जा सकता है। हाथी के दाँतों का भी विरंजन इसी प्रकार होता है। हाइड्रोजन परॉक्साइड वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ विरंजक है।

जातव और वानस्पतिक दोनों प्रकार के सामानो का इससे समान रूप से विरजन किया जा सकता है। इसके अनेक तैयार विलयन बाजारों में बिकते हैं और घरेलू विरजनों में प्रयुक्त होते हैं। इसमें दोष है तो यही कि अग्न विरजको स यह कीमती होता है। [सं २०]

**विरजनचूर्ण** को क्वीक्विंग पाउडर भी कहते हैं। यह चूने वा क्वीक्विंग पाउडर से और देखने में चूने की तरह सफ़ेद होता है पर इसमें क्वीक्विंग की गंध होती है। इसका निर्माण सर्वप्रथम लंदन की चार्ल्स डर्नट ने स. १७६६ में किया था।

विरजन चूर्ण स्थायी नहीं होता। समय बीतने के साथ साथ इसमें क्वीक्विंग का मात्रा कम होती जाती है, जिससे इसके विरजन गुण का ह्रास होता जाता है। व्यापारिक विरजन चूर्ण में विरजन की दृष्टि में पर्याप्त मात्रा में कार्बिक पदार्थ मिले रहते हैं। उच्च ताप पर यह विघटित हो जाता है। यद्यपि ग्राइता और कार्बन डाइऑक्साइड से भी इसका विघटन धीरे धीरे होता है।

विरजनचूर्ण का निर्माण चूने और क्वीक्विंग से होता है। चूने पर क्वीक्विंग की क्रिया में यह बनता है। चूने के दो से तीन इंच गहरे स्तर पर क्वीक्विंग सैम प्रसारित की जाती है। चूने का स्तर १० से लेकर २० फुट लंबे १०० फुट लंबे और ६ से लेकर ७ फुट ऊँचे स्तर में बना जाता है और याद रखना कि समय समय पर स्तर का उत्पन्न करने की व्यवस्था रहनी है। क्वीक्विंग का अवशोषण करने की शक्ति कम होती है पर अधिक मात्रा में बनाना है। वक्ष के स्थान में अब चूने का स्तर पर होना है, जिनमें ऊपर से चूना गिरता है और नीचे से चूना गिरता है और चूने की चूने चूने द्वारा क्वीक्विंग का अवशोषण या अवशोषण चूर्ण प्राप्त होता है।

विरजनचूर्ण का मुख्य कैल्सो (ऑक्लो)  $[CaCl(OCl)]$  दिया जाता है। इसमें अल्प मात्रा में अवशोषण के लिए चूने का अवशोषण (OCl) का भी अवशोषण है। चूर्ण में कुछ अवशोषण चूर्ण भी मिलता रहता है। अब इसके संघटन का आभास कैल्सो (ऑक्लो) के अर्थात्  $[CaCl(OCl) \cdot Ca(OH)_2]$  सूत्र में बहुत कुछ रहता है। चूर्ण का समरूप क्वीक्विंग विरजन के लिये उपयुक्त नहीं होता। अर्थात् में अधिक ४०% क्वीक्विंग ही उपलब्ध होता है, पर सामान्य चूर्ण में उपलब्ध क्वीक्विंग की मात्रा मात्र ही इसमें कम रहती है और चूर्ण के दूधने के साथ घनी जाती है। विरजन के लिये और कार्मिक रूप में इन चूर्ण का प्रयोग व्यापारता से होता है, पर चूर्ण के स्तर में अब अन्य कई पदार्थ, जैसे द्रव क्वीक्विंग, क्वीक्विंग हाइड्रोक्साइड, कैल्सो (ऑक्लो) अर्थात्  $[Ca(OCl)_2 \cdot 2H_2O]$ , सोडियम क्लोराइड, सोडियोक्लो  $[NaClO_2]$ , जिनमें उपलब्ध क्वीक्विंग की मात्रा क्वीक्विंग पाउडर से क्वीक्विंग अधिक है, अधिकाधिक प्रयोग में आ रहे हैं। [सं २०]

**विरल मृदा** धातुओं के उन क्षारक ऑक्साइडों को कहते हैं जिनके तत्व तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की सारणी के तृतीय समूह में आते हैं। इनमें १५ तत्व हैं, जिनकी परमाणुसंख्या ५७ और ७१ के बीच है। ये ऐसे खनिजों में पाए जाते हैं जो कड़ी कड़ी ही, और वह भी बड़ी अल्पमात्रा में ही, पाए जाते हैं। ऐसे खनिज स्कैंडिनेविया,

नाइबेरिया, ग्रीनलैंड, ब्राजिल, भारत, श्री लंका, कैरोलिना, फ्लोरिडा, आइडाहो आदि देशों में मिलते हैं। खनिजों से विरल मृदा का पृथक्करण कठिन, परिश्रमसाध्य और व्ययमध्य होता है। अतः ये बहुत महंगे बिकते हैं। इस कारण इनका अध्ययन विस्तार से नहीं हो सका है। १८८७ ई० में क्रोक्स (Crookes) इस परिणाम पर पहुँचे थे कि विरल मृदा के तत्व वस्तुतः कई तत्वों के मिश्रण हैं। एक-दो वर्गों के प्रभाव से ही इनके सत्व में निश्चित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

इन तत्वों के खनिजों वा दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक दो सेरिट (Cerite) और दूसरे को गैडोलाइट (Gadolite) कहते हैं। ये खनिज माधारणतया मिलिकेट होते हैं, पर फॉस्फेट के रूप में भी कुछ पाए गए हैं।

**पृथक्करण और शोधन** - तत्वों में बहुत समानता होने के कारण इनका पृथक्करण कठिन होता है। अब कुछ तत्वों के संबंध में अभी भी संदेह है कि ये वस्तुतः एक तत्व है या तत्वों के मिश्रण हैं। खनिजों से इन्हें निकालने के लिये खनिजों को महीन पीसकर अम्लों से उपचारित कर निर्धारित निशालने अथवा गालन (flux) के साथ गलाते हैं। इस फिल्टर ग्राइपम और इट्रियम समूहों में पृथक् करते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवणों के साथ ये लवण बनते हैं। उपयुक्त अभिकर्मकों की सहायता में अवशोषण किए जा सकते हैं। कुछ लवण अम्ल मिले होते हैं और कुछ में इन्हें फिर उपयुक्त द्विगुण लवणों में परिणत कर, उनके प्रभावी क्रिस्टलन, प्रभावी अवशोषण, प्रभावी निशालन, प्रभावी त्रिभुजितन द्वारा, जहाँ जो उपयुक्त हो, पृथक् करते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिये प्रक्रम को कई बार दोहराना पड़ सकता है। विरल मृदा के तत्व निम्नलिखित हैं

**लैंथेनम** — सकेत लैं (La), परमाणुसंख्या ५७। इसके लगभग त्रिभुजित धारक होते हैं। ये अधिक वैज्ञानिक महत्त्व के हैं।

**सीरियम** — सकेत सी (Ce), परमाणुसंख्या ५८। इस समूह के तत्वों में यह अधिक व्यापक पाया गया है। इसका पृथक्करण भी सरलता से हो जाता है। देखने में यह स्थान से मिलता है तथा धातवर्ध तन्त्र, कुछ कामल तथा अल्पवर्धनीय (paramagnetic) होता है। सीरियम ऊष्मा का सुचालक, पर विजली का कुचालक होता है। यह चमक के साथ जलता है तथा मिथधातुओं के निर्माण, उत्प्रेरक के रूप तथा धातुसंयोजक में काम आता है। इसका लवण सारिक मल्लिक विघ्लेषण में प्रयुक्त होता है।

**प्रैजियोडियम** — सकेत प्रै (Pr) परमाणुसंख्या ५९। प्रैजियोडियम से इसका पृथक्करण कुछ कठिन होता है। इसके लवण हरे रंग के होते हैं।

**निओडिमियम** — सकेत नि (Nd), परमाणुसंख्या ६०। प्रैजियोडियम से इसका पूर्ण रूप में पृथक्करण कठिन होता है। इसके लवण गुलाबी रंग के होते हैं। यह बीटा-रेडिओधर्मी समझा जाता है।

प्रोमिथियम — संकेत प्रो (Pm), परमाणुसंख्या ६१। यह रेडियधर्मी होता है और बड़ी अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम पहले इलिनियम (Illinium) और फ्लोरेन्टिनियम (Florentinium) पड़ा था। १९४६ ई० में प्रोमिथियम नाम दिया गया।

समेरियम — संकेत स्म (Sm) परमाणुसंख्या ६२। इसके लक्षण हल्के पीले रंग के होते हैं। यह रेडियधर्मी होता है और बहुत धीरे धीरे ऐल्फा कण उत्सर्जित करता है।

यूरोपियम — संकेत यू (Eu), परमाणुसंख्या ६३। यह बहुत कम पाया जाता है। इसके सल्फेट अविलेय होने के कारण इसका पृथक्करण सरल है। इसके द्विसंयोजक लवण हरे रंग के और त्रिसंयोजक लवण हल्के गुलाबी रंग के होते हैं।

विरल मृदा के अन्य तत्वों में गैडोलिनियम [ संकेत, गै (Gd), परमाणुसंख्या ६४ ], टर्बियम [ संकेत ट (Tb), परमाणुसंख्या ६५ ], डिस्प्रोसियम [ संकेत डि (Dy), परमाणुसंख्या ६६ ], होल्मियम संकेत, हो (Ho), परमाणुसंख्या ६७ ], इट्रियम [ संकेत, इ (Y), परमाणुसंख्या ३९ ], एर्बियम [ संकेत ए, (Eb), थूलियम [ संकेत थू (Tm) परमाणुसंख्या ६९ ], इटर्बियम [ संकेत इ, (Yb), परमाणुसंख्या ७० ] तथा ल्यूटीथियम [ संकेत ल्यू (Lu), परमाणुसंख्या ७१ ] हैं।

घातुनिर्माण — इस समूह के तत्वों की घातु के रूप में प्राप्ति उनके द्रवित फ्लोराइड के विद्युत् अपघटन से होती है। इट्रियम समूह की घातुएँ अब भी बिम्बुल शुद्धावस्था में प्राप्त नहीं हो सकी हैं। अशुद्ध इट्रियम भी कठिनता से प्राप्य है। इनकी मिश्रधातु 'मिश्र धातु' (Misch metal) बड़े महत्व की है। सोहे या जस्ते के साथ ये स्फुलिंग (pyrophoric) गुणवाले होते हैं। फॉस्फोरस के ऐसी यही मिश्रधातु है, जिससे आग पैदा हो सकती है। इसी का उपयोग 'सिगरेट लाइटर' में होता है। विरलमृदा के लवणों का अध्ययन अधिक विस्तार से हुआ है। इन लवणों के अनेक उपयोग पाए गए हैं। प्रॉक्साइड या फ्लोराइड गतिमान प्रोजेक्टर (projector), सर्चलाइट (search light) तथा क्षणदीप (flash light) में काम आनेवाले काबॉन-आर्क इलेक्ट्रोड के कोरों (cores) के निर्माण में काम आते हैं। उदीप्त गैस मेटल मे सीरियम और थोरियम के प्रॉक्साइडों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। विशेष प्रकार के वाच निर्माण में इन घातुओं के हाइड्रेट प्रयुक्त होते हैं। कुछ लवण वस्त्र ध्यवसाय और काँच की पालिश में भी काम आते हैं। निम्न ताप, अर्थात् परमशीत ताप, की प्राप्ति में गैडोलियम का अष्ट या द्वादश हाइड्रेट काम आता है। प्रकाश फिल्टर में निम्रोडिनियम और प्रोसियोडिनियम काम आते हैं।

सं० अ० — जे० एन० फॉड : टेक्स्टबुक ऑफ इनार्गेनिक केमिस्ट्री, खंड ४। [ सं० व० ]

**विराम** — यह शब्द वि + रम् + घञ् से बना है और इसका मूल अर्थ है 'ठहराव', 'रुकना', 'भाराम' आदि। जिन सर्वसंमत चिह्नों द्वारा, अर्थ की स्पष्टता के लिये वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बाँटते हैं, या पाठक को स्वरविन्यास (Intonation) या अर्थ के संकेत के लिये

जिन्हें वाक्य के अंत में लगाते हैं, व्याकरण या रचनाशास्त्र में उन्हें 'विराम' कहते हैं। 'विराम' का ठीक अंग्रेजी समानार्थी 'स्टॉप' (Stop) है, किंतु प्रयोग में इस अर्थ में 'पंकचुएशन' (Punctuation) शब्द मिलता है। 'पंकचुएशन' का संबंध लैटिन शब्द (Punctum) शब्द से है, जिसका अर्थ 'बिंदु' (Point) है। इस प्रकार 'पंकचुएशन' का यथार्थ अर्थ 'बिंदु रखना' या 'वाक्य में बिंदु रखना' है।

प्रायः लोग समझते हैं कि 'विराम' शब्द का इस अर्थ में प्रयोग आधुनिक है, और यह शब्द 'पंकचुएशन' का अनुवाद है। किंतु तत्त्वतः ऐसी बात नहीं है। प्राणिनि से भी बहुत पूर्व प्रातिशास्त्रों एवं शिक्षाग्रंथों में विराम शब्द का प्रयोग इससे मिलते जुलते अर्थों में मिलता है। तैत्तिरीय प्रातिशास्त्र चार प्रकार का माना गया है: ऋग्विराम, पदविरामो विवृति विराम, समानपदविवृतिविरामस्त्रिमात्रो द्विमात्र एक मात्रोर्धमात्र इत्यानुपूर्व्येण, अर्थात् ऋग्विराम, पदविराम, विवृतिविराम, समानपदविवृतिविराम, इन विरामों की मात्राएँ क्रमशः तीन, दो, एक तथा अर्ध मानी गई हैं। इनमें ऋग्विराम चरण या छंद के अंत के लिये अर्थात् आज के पूर्ण विराम जैसा है। 'ऋक्' का अर्थ है छंद, इसीलिये इस विराम को 'ऋग्विराम' कहा गया है। इसके लिये प्रायः एक या दो खड़ी पाई देने की परंपरा रही है। कभी कभी छोटा वृक्ष या फूल भी बनाते रहे हैं। 'पदविराम' दो शब्दों या पदों के बीच में आता है। पदों के बीच में होने के कारण ही इसका नाम 'पदविराम' है। वस्तुतः पदों के बीच कोई विरामचिह्न दिया नहीं जाता। इसका आशय मात्र यह है सामान्य भाषा में पदों के बीच विराम अथवा ध्वनि का अभाव होता है और उसे लगभग दो मात्रा (अर्थात् दीर्घ ई या दीर्घ ऊ जितना) का होना चाहिए। तीसरा विराम 'विवृतिविराम' भी शब्दों या पदों के बीच में ही आता है, किंतु ये विशेष प्रकार के शब्द या पद होते हैं। कभी कभी संस्कृत में ऐसा होता है कि शब्द के अंत में स्वर आता है और उसके बादवाले शब्द के प्रारंभ में भी स्वर। सामान्यतः ऐसी स्थिति में सधि हो जाती है। किंतु जब इनके बीच सधि नहीं होती, तो इन दोनों शब्दों के बीच का विराम अन्य प्रकार के सामान्य शब्दों या पदों के बीच के विराम से आधा अर्थात् केवल एक मात्रा (अर्थात् अ, इ जितना) का होता है। यही 'विवृतिविराम' है। 'हरी एतौ', 'अहो इशा' के बीच के विराम इसी वर्ग के हैं। 'विवृति', स्वरो की असधि विवृति स्वरयोरसंधि — तैत्तिरीय प्रातिशास्त्र का पारिभाषिक नाम है। इसी आधार पर इस विराम को इस नाम से अभिहित किया गया है। विवृति विराम के चार उपभेद भी किए गए हैं : (१) वत्सानुसृता (अर्थात् वह गाय, जिसका बछड़ा अनुसरण करे) जिसमें पहला स्वर ह्रस्व तथा दूसरा दीर्घ हो। स्पष्ट ही यह नाम बहुत काव्यात्मक है। ह्रस्व को बछड़ा तथा दीर्घ को गाय कहा गया है। इसे याज्ञवल्क्य शिक्षा में वत्सानुसृजिता कहा गया है। (२) वत्सानुसारिणी (अर्थात् गाय जो बछड़े का अनुसरण करे) इस विराम के पूर्व का स्वर दीर्घ तथा बाद का स्वर ह्रस्व होता है। यहाँ भी वे ही प्रतीक हैं। (३) पाकवती (यहाँ 'पाक' का अर्थ है 'बच्चा', इस प्रकार 'पाकवती' का अर्थ है 'बच्चोंवाली')—इसमें विराम के पहले और बाद में दोनों ही और ह्रस्व स्वर होते हैं। स्पष्ट ही यहाँ ह्रस्व स्वरों को 'बच्चा' कहा गया है। (४) पिपीलिका (अर्थात् छोटी लाल चीटी)—इसमें विराम के दोनों ओर दीर्घ स्वर होते हैं। चीटी बीच में पतली होती है और दोनों ओर मोटी।



जिम नमक के विलयन में और नमक न घुल सके, उसे हम नमक का संतृप्त (saturated) विलयन कहते हैं। जिस विलयन में और नमक घुल जाता है, उसे असंतृप्त (unsaturated) विलयन कहते हैं। कभी कभी हम कुछ ठोस पदार्थों को अपनी मात्रा में घुला सकते हैं कि विलयन में उनकी मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित मात्रा से अधिक रहे, तो ऐसे विलयन को अतिसंतृप्त (supersaturated) विलयन कहा जाता है। अतिसंतृप्त विलयन सामान्यतः अस्थायी होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में ही बनते हैं। अधिक घुला हुआ ठोस उससे कभी भी निकल कर अलग हो जा सकता है। घुलनेवाले पदार्थ को विलेय (solute) और घुलानेवाले पदार्थ को विलायक (solvent) कहते हैं। जब गैस या बोई ठोस किसी द्रव में घुलता है तब द्रव को विलायक एवं गैस या ठोस को विलेय कहते हैं। जब एक द्रव दूसरे द्रव में घुलता है, तब अधिक मात्रावाले द्रव को विलायक और कम मात्रावाले द्रव को विलेय कहते हैं।

**विलायक** — विलायक दो प्रकार के होते हैं एक तो ध्रुवीय (Polar) और दूसरे को अध्रुवीय (Nonpolar) कहते हैं। ध्रुवीय विलायकों में हाइड्रॉक्सिल या कार्बोक्सिल समूह रहते हैं और ये अपेक्षा सक्रिय होते हैं तथा इनका परावैद्युतांक ऊँचा होता है। अध्रुवीय विलायक रासायनिक निष्क्रिय होते हैं और इनका परावैद्युतांक निम्न होता है। ध्रुवीय विलायक अधिक प्रबल होते हैं, और अनेक पदार्थों को घुलाते हैं। एक दूसरे दृष्टि में विलायकों को अकार्बनिक और कार्बनिक विलायकों में विभाजित किया गया है। अकार्बनिक विलायकों में जल का स्थान सर्वोपरि है। विलायक के रूप में इसकी श्रेष्ठता इस कारण है कि यह गरमता से शुद्ध रूप में प्राप्य है। यह न विषाक्त और न ज्वलनशील होता है। ऊष्मा से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और अनेक पदार्थों को घुलाता है। ओषधियों में भी विलायक के रूप में इसका व्यापक रूप में होता है। पर अनेक कार्बनिक पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों को घुलाने के लिये जिन विलायकों का व्यवहार होता है, उन्हें कार्बनिक विलायक कहते हैं। अनेक उपयोगधर्मों में कार्बनिक विलायकों का व्यवहार होता है। कुछ कार्बनिक विलायक हाइड्रोकार्बन, कुछ हैलोजन यौगिक, कुछ ऐल्कोहॉल, फीरोन, ऐथर और एस्टर होते हैं। कुछ विलायक बड़े वाष्पशील होते हैं तथा कुछ विषाक्त भी। अतः इनके प्रयोग में बड़ी सावधानी बरतनी होती है। ऐसे वाष्पशील एवं विषाक्त विलायक पेट्रोल, नेफथा, बेन्जीन, टॉलुइन, मथेनॉल, एथेनॉल, व्यूटेनॉल, एमीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐमिल ऐमीटेट आदि हैं। इन विलायकों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग पेंट, वार्निश, लाधारस और अन्य नाना प्रकार के आवरण चढ़ाने के लिये में होता है।

अनेक वस्तुओं की सफाई में विलायक काम में आते हैं। लकड़ी और धातु के सामानों की सफाई भी विलायकों द्वारा होती है। इनसे मेल घुलकर निकल जाती हैं और वस्तु साफ हो जाती है। एक समय ऊनी वस्तुओं की धुलाई में पेट्रोल, या बेन्जाइन व्यापक रूप से प्रयुक्त होता था। ज्वलनशीलता के कारण हाइड्रोकार्बनों का स्थान क्लोरीनवाले यौगिक, ट्राइक्लोरोएथिलीन और कार्बन

टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं। भोज्यपदार्थों, ओषधियों और अग्न्यागों में विपरीत विलायकों का ही प्रयोग होना चाहिए। इनमें प्रतिकर गंध या स्वाद भी न रहना चाहिए। इसलिये टिबर निष्कर्षों आदि में केवल एथिल ऐल्कोहॉल का व्यवहार होता है। जहाँ अवाष्पशील या मोठे स्वादवाले विलायकों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ ग्लिसरॉल और ग्लाइसॉल प्रयुक्त होते हैं। अनेक प्राकृतिक पदार्थों से किसी विशिष्ट यौगिक के निकालने में भी विलायकों का उपयोग होता है। प्राकृतिक मोनोस विलायकों के द्वारा ही ऐल्कोहॉल, क्लोरोफिल, पेनिसिलिन, तेल आदि नाना प्रकार के पदार्थ निकाले जाते हैं।

**गैस** — यदि दो गैसों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाय, तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं - (१) दोनों के बीच में रासायनिक क्रियाएँ होकर एक तीसरा पदार्थ बन सकता है, जैसे अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिलाने से होता है; (२) यदि दोनों गैसों के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, तो दोनों परस्पर मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और आक्सीजन गैसों का मिलान से होता है। ऐसी दशा में दोनों गैसों में मिलकर एक समाग मिश्रण बन जाती है। यहाँ दोनों गैसों का भी अनुपात में मिलाने जा सकता है। यथा सतृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी गैस को द्रव के संपर्क में लाया जाय, तो विशिष्ट ताप और दाब पर गैस द्रव में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है। कुछ गैसों, जैसे अमोनिया, या नाइट्रोजन क्लोराइड, जल में बहुत अधिक घुलती हैं और कुछ गैसों, जैसे नाइट्रोजन, या आक्सीजन, जल में कम घुलती हैं। गैसों की विलेयता गैसों की प्रकृति, विलायकों की प्रकृति, ताप और दबाव पर निर्भर करता है, जैसा नीचे की सारणी से प्रकट है

**कुछ गैसों की विलेयता**

( एक लिटर जल में विलेय का आयतन लिटर में )

गैसों का नाम	०° और ७६० मिमी० दाब	२०° और ७६० मिमी० दाब
अमोनिया	१.३००	७१०
हाइड्रोजन क्लोराइड	५०६	४४२
कार्बन डाइऑक्साइड	१.७१	०.७८
नाइट्रोजन	०.०२३५	०.०१६४
आक्सीजन	०.०४६	०.०३१
हाइड्रोजन	०.०२१५	०.०१८४

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि ऊँचे ताप से गैसों की विलेयता कम हो जाती है और अधिक दबाव से विलेयता बढ़ जाती है। सोडावाटर की बोतल में अधिक दबाव पर ही कार्बन डाइऑक्साइड अधिक घुला हुआ रहता है और बोतल के खोलने पर दबाव कम होने पर अधिक

घुली हुई गैस बुदबुद करके निकल जाती है। यदि गैसों के मिश्रण को घुनाया जाय, तो विभिन्न गैसों स्वतंत्र रूप से अपनी विलेयता के अनुसार घुलती हैं तथा दूसरी गैस की उपस्थिति से उनकी विलेयता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

**द्रव** — कई द्रव एक दूसरे में किसी भी अनुपात में मिलाने में घुल जाते हैं। जल और मेथेनॉल सब अनुपात में विलेय हैं। इन्हें हम मिश्रणीय (miscible) कहते हैं। वे ही द्रव मिश्रणीय द्रव होते हैं, जिनमें परस्पर रसायनतः समानता होती है। कुछ द्रव ऐसे हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल नहीं घुलते, जैसे पारा और पानी, पानी और बेजॉन। इन्हें हम अमिश्रणीय (nonmiscible) कहते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में कुछ घुल जाते हैं और घुनकर दो स्तर बनाते हैं। ऐसे दो द्रव जल और ईथर हैं। जल और ईथर के मिलाने से दो स्तर बन जाते हैं। ऊपर का स्तर ईथर का और नीचे का स्तर जल का होता है। परंतु ऊपर के ईथर के स्तर में कुछ जल तथा नीचे के जल के स्तर में कुछ ईथर भी घुला हुआ रहता है। ये अंशतः मिश्रणीय द्रव होते हैं और इन दोनों स्तरों को संयुग्मी स्तर (conjugate layers) कहते हैं। यहाँ भी विलेयता ताप और कुछ सीमा तक दाब पर निर्भर करती है।

**ठोस** — द्रवों में ठोसों की विलेयता सीमित होती है। प्रत्येक ताप पर ठोसों की एक निश्चित मात्रा ही द्रव में घुलती है। यह बहुत कुछ विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। साधारणतया अनेक लवण जल में विलयशील होते हैं। कुछ लवण, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, जल में बहुत विलयशील हैं और कुछ लवण, जैसे कैल्सियम सल्फेट, जल में अल्प विलेय होते हैं। जब कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है, तो सामान्यतया ऊष्मा का अवशोषण होता है। ताप की वृद्धि से सामान्यतः ठोसों की विलेयता बढ़ जाती है, पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कैल्सियम सल्फेट और कैल्सियम ऐसीटेट की विलेयता ताप की वृद्धि से कुछ कम हो जाती है। यदि किसी ठोस की विलेयता उच्च ताप पर अधिक है, तो क्रिस्टलन द्वारा उस ठोस का शोधन किया जा सकता है। ऊँचे ताप पर संतृप्त विलयन बनाकर, उसको ठंडा करने से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ के क्रिस्टल पृथक् होकर शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। अणुद्वियों की मात्रा कम रहने से संतृप्त विलयन नहीं बनता और ठंडा करने से क्रिस्टल नहीं निकलते हैं।

ठोसों का ठोसों में भी विलयन बनता है। या तो ये पूरा घुल कर मिश्रणीय ठोस बन सकते हैं, अथवा अंशतः घुलकर संयुग्मी स्तर (conjugate layer) बना सकते हैं। अनेक मिश्रणार्थुं ठोसों के विलयन हैं, या अंशतः मिश्रणीय मिश्रण हैं। ठोसों के विलयन मात्र ठोसों के मिलाने से नहीं बनते, अपितु इन्हें पूरा गलाकर मिलाने पर बनते हैं।

**विलयनों का सांद्रण** — साधारणतया किसी वस्तु की विलेयता को उसके प्रति शत अंशतः में प्रदर्शित करते हैं। जब हम कहते हैं कि नमक का समुद्र विलयन १५% विलयन है, तो इसका आशय यही होता है कि १०० आयतन विलायक में १५ ग्राम नमक घुला

हुआ है। यह रीति वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक रीति में सांद्रण को ग्राम-अणु-सांद्रण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक लिटर विलयन में जितनी ग्राम-अणु-भार की मात्रा घुली होती है उसी से सांद्रण की माप जानी जाती है। इसे ग्राम-अणु-रता (molarity) कहते हैं। चूँकि ताप और दाब से विलयन का आयतन घटता बढ़ता है, अतः सांद्रण प्रदर्शित करने के लिये यह उपयुक्त नहीं है। इसके स्थान में ग्राम आयतन (molality) का व्यवहार होता है। १०० ग्राम विलयन में विलेय का कितना ग्राम अणु (moles) घुला हुआ है यह ग्राम आयतन दर्शाती है। यदि विलयन तनु है, तो किसी विशिष्ट विलेय और विलायक के लिये ग्राम अणु-रता और आयतन (molarity) के लिये एक दूसरे के समानुपात में होते हैं। विशेषण में विलयनों का सांद्रण नामंलता (normality, N) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नामंल विलयन का एक लिटर में किसी विलेय का एक ग्राम-अणु-रता घुला रहता है। विलयनों के अन्य सांद्रण नामंलता में ही सूचित किए जाते हैं, जैसे २ नामंल, ५ नामंल १० नामंल, दशांश नामंल, मडस्वाण नामंल इत्यादि। [ अ० मि० ]

**विलियम ब्लेक** अंगरेजी कवि, चित्रकार और रहस्यवादी। उसका जन्म लंदन में २८ सितंबर १७५७ ई० को हुआ और मृत्यु १२ जुलाई १८२७ को हुई। गेंट पाल का ग्राहक स्कूल में उसने परंपरित शैली की ड्राइंग भी ट्रेनिंग पाई। जेम्स बर्जीयर उसके रायल एकेडेमी में गुरु रह। परन्तु उसने परंपरित शैली से विद्रोह किया। अच्छे घर का होने पर भी ब्लेक को बहुत सघर्षों में से गुजरना पड़ा। उसका अतः आर्थिक दैन्य में था। उसने प्राचीन और नवीन लेखकों के लिये कई प्रकार के रेखाचित्र और धातुतक्षणवाले चित्र (एथिंग) आदि बनाए। बर्जिल, दाते, चाँसर, मेरी वालस्टोन-क्रॉफ्ट और एडवर्ड यंग की कृतियों और अपनी स्वयं की रचनाओं पर चित्र बनाए, विशेषतः प्रतीकात्मक चित्र। कविता और चित्र के निकट राबध में प्रयोग ब्लेक का बहुत बड़ा योगदान साहित्य को है। कुछ लोग उसे विक्षिप्त समझते थे परन्तु वह ऊडिवाद का विरोध, धर्म-मन्या के प्रति और कला साहित्य के क्षेत्र में भी, करता रहा।

ब्लेक अपने समय के अतिभौतिकवाद और अतिबौद्धिकता से ऊब गया था। उसने अपने आसपास के और कल्पना में के भी पापी, अपराधी और दुष्ट व्यक्तियों का चित्रण किया, परन्तु उनके भीतर कोर देवी शक्ति निवास कर रही है, कोई सुधरने का सभावना है, यह मानकर। उसकी पंक्तियाँ हैं कि 'देवा तो मानवी हृदय है; करुणा को मानवी चेहरा, और प्रेम को मानवी रूप है जो देवी है।' उसके चित्रों में बार बार खिडकी से भाँकता हुआ ईश्वरीय अंश दिखाई देता है। ईश्वर और उनके देवदूत वृक्षों की छाँह में विश्राम कर रहे हैं। हाँ फूल और पत्तों में वे हैं। ब्लेक ने अपनी कविताओं पर स्वयम् चित्र बनाए। कविता और चित्र ताँबे की प्लेटों पर उकेरे। स्वयम् अपनी कविता पुस्तकें छापी, उनपर जल-रंगों से चित्र बनाए। ऐसी पुस्तकें अब सग्रहकर्ताओं के लिये बहुत अमूल्य हो गई हैं। ब्लेक की कविता और चित्र दोनों का प्रधान उद्देश्य नैतिक था। आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता की भाँकी वह अपनी रचनाओं द्वारा देना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक नहीं था। वह सामाजिक, राजनीतिक सुधार

भी चाहता था और पूरी स्वतंत्रता का पक्षपाती था। वह मनुष्य की महत्ता और स्वाभिमानरक्षा में विश्वास करता था। वह हर प्रकार के अन्याय और तानाशाही का विरोधी था।

परंतु ब्लेक को उसके समय के लोग पूरी तरह समझ नहीं सके। उसके संकेतवादी प्रतीको पर अत्यधिक बल, प्रतमुंखी कला, विशिष्ट निजी शैली के कारण उसको लोगों ने पागल मान लिया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ब्लेक के मौलिक क्रांतिकारी सिद्धांत, शैली, विचार तथा टेकनीक को अंग्रेजी साहित्य में प्रतिष्ठा न प्राप्त हो सकी। उसकी कई कविताएँ तो अब तक प्रबुद्ध हैं। उसके छोटे छोटे गीत बहुत लोकप्रिय हुए। सुलभ सहजता जो उसकी 'दि लीड', 'दि टाइगर', 'दि चिमनी', 'स्वीपर' जैसी कविताओं में है वह बाद के रहस्यवादी कवियों के लिये प्रेरणा बनी। बौद्धिकता के युग में उसका विरोध वैज्ञानिक शका के युग में श्रद्धा का समर्थन ब्लेक को बहुत महत्वपूर्ण कवि बनाता है।

ब्लेक की कृतियाँ : 'पोएटिक स्केच' ( १७८३ ); 'सॉंग ऑव इनो सस' ( १७८६ ); 'बुक ऑव थेल' ( १७८६ ); 'दि मैरेज और हेवेन एंड हेल' ( १७९० ); 'दि फ्रेंच' रिवोल्यूशन' ( १७९१ ); सॉंग ऑव इवस्पीरेमस' ( १७९४ ); विजंस ऑव वि डाटर्स ऑव एल्बियान' ( १७९३ ); अमरीका ( १७९३ ); 'यूरोप : ए प्राफेसी' ( १७९४ ), वि बुक ऑव यूरिजोन' ( १७९४ ) 'दि सॉंग ऑव लास ( १७९५ ); 'दि सॉंग ऑव आहिनिया' ( १७९५ ); 'जेरुसलेम' तथा 'मिल्टन' ( १८०४ ); 'दि प्राफेटिक राइटिंग ऑव डब्ल्यू० बी० । [ प्र० मा० ]

**विल्की, सर डेविड** ( Wilkie, Sir David ) स्कटलैंड के इस चित्रकार का जन्म फाइफशायर में १८ नवंबर, १७८५ को हुआ। 'गांव के राजनीतिज्ञ' चित्र ने इसे विश्वप्रसिद्ध बना दिया। वसुली का दिन, कुर्की तथा साधारण विवाह, इसके कतिपय प्रसिद्ध चित्र हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में 'जार्ज चतुर्थ का पवित्र देश में प्रवेश', 'स्पेन की युद्धसमिति', तथा 'सारगोसा की परिवारिका' की रचना की। १८३६ में इसे नाइट की उपाधि मिली। १८४० में पूर्वी देशों की यात्रा पर निकला और लौटते समय १ जून, १८४१ को जिब्राल्टर के समुद्र में उसकी हत्या कर दी गई। [ गु० त्रि० ]

**विल्क्स, जॉन** इंग्लैंड के एक धनी व्यवसायी के घर फ्लेकनवेल में १७ अक्टूबर १७२७ को विल्क्स का जन्म हुआ। लाइडेन विश्व-विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर १७४६ में, आयु में दस वर्ष बढ़ी, धनी घराने की उत्तराधिकारिणी, कन्या, मीड से उसने विवाह किया। पुत्री के जन्म के बाद दोनों का संबंधविच्छेद हो गया। इस प्रसंग में विल्क्स के चरित्र की निंदा भी हुई। वह बकिंघमशिर चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ काल में काउंटी के शेरिफ के पद पर नियुक्त हो गया। १७५७ में एक्सबरी के नगर क्षेत्र से वह कॉमंस सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। वह ह्विग पार्टी का उत्कट समर्थक था। विरोधी टोरी पार्टी की तीखी आलोचना के कारण वह शीघ्र प्रसिद्ध हो गया। म्यूठ मंत्रिमंडल की सरकारी नीति के खंडन के उद्देश्य

से जून १७६२ में उसने 'नॉर्थ ब्रिटन' नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला। पत्र के ४५ वें अंक में पेरिस संधि के संबंध में उसने राजा जॉर्ज तृतीय पर असह्य कथन का आरोप किया। राजा के आदेश से व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम-रहित साधारण वारंट के आधार पर उसके घर की तलाशी हुई। कुछ अन्य कागज पत्रों के साथ ४५ वें अंक की प्रतियाँ उठा ली गईं और विल्क्स सहित ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कारागार में भेजा गया। गिरफ्तारी से मुक्ति पाने के पार्लमेंट के सदस्य के विशेष अधिकार के नाम पर विल्क्स ने अपनी मुक्ति की मांग की। न्यायाधीश ने उसको मुक्त कर दिया पर प्रधान मंत्री ग्रैनविल ने १७६३ के नवंबर मास में कॉमंस सभा से ४५ वें अंक के लेख को 'असत्य, राजद्रोहात्मक और अपमानजनक' घोषित करा दिया, उसकी प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाने का आदेश और ऐसे लेख के संबंध में कारामुक्ति के विशेष अधिकार के लागू न होने का निर्णय भी दिलाया। विल्क्स सफाई देने के लिये कॉमंस सभा में नहीं गया। सभा ने उसको सदस्यता से हटा दिया। वह फास चला गया। न्यायालय में भी उसके विरुद्ध अभियोग था। उसके उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने भी उसको विद्रोही घोषित कर दिया। साधारण वारंट के मामले में विल्क्स की विजय हुई। १७६५ में प्रधान न्यायाधीश प्रैट ने साधारण वारंट के उपयोग को अर्थघोषित किया। हानि की पूर्ति के लिये १,००० पाँड सरकार से विल्क्स को दिलाए। चार वर्ष बाद अर्थघोषित गिरफ्तारी और कारावदी के लिये भी न्यायालय के निर्णय से उसने ४,००० पाँड सरकार से वसूल किए। इसी बीच में लॉर्ड सभा के दो सदस्यों के नाम से संबद्ध 'एसे ऑन वूमन' नामक अपमानजनक और कुह-चिपूर्ण कविता के प्रकाशन का आरोप लगाकर लॉर्ड सभा ने भी विल्क्स की गिरफ्तारी का आदेश निकाला किंतु वह पहले ही देश से बाहर चला गया था। अपनी अनुपस्थिति में ही प्रजा की सद्मानु-भूति उसको प्राप्त हो गई थी। लंदन की कीसिल ने प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उसको अन्यायवाद दिया था। १७६८ में वह इंग्लैंड लौट आया। मिडिलसेक्स की काउंटी ने उसको कॉमंस सभा का सदस्य निर्वाचित किया था पर विद्रोही घोषित होने के कारण वह गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह के कलक से न्यायालय ने उसको मुक्त कर दिया पर ४५ वें अंक के लेख के मामले में २२ मास के कारावास और १,००० पाँड जुर्माने का दंड उसको दिया। पार्लमेंट के अधिवेशन के उद्घाटन के दिन कॉमंस सभा में उसको ले जाने के लिये बड़ी संख्या में प्रजा कारागार के द्वार पर पहुँच गई। उसको हटाने में सरकार को सेना का उपयोग करना पड़ा और कुछ रक्तपात भी हुआ। जूनियस के नाम से 'पब्लिक एडवर्टाइजर' में राज्य सचिव लॉर्ड वेमथ की इस कांड के संबंध में निंदा प्रकाशित हुई। लेख का जनक विल्क्स को मानकर लॉर्ड सभा ने उसपर विचार किया और लेख को उद्घाटनपूर्ण, निंदायुक्त तथा राजद्रोहात्मक घोषित कर यह मामला कॉमंस सभा को सौंपा गया। विल्क्स ने लेखक होना स्वीकार किया। सभा ने लेख के संबंध में लॉर्ड सभा के निर्णय को मान लिया और इस बार भी विल्क्स को सदस्यता से बर्चित कर दिया। नए चुनाव का आदेश होने पर काउंटी ने फिर विल्क्स को निर्वाचित किया पर सभा ने उसको सदस्य नहीं माना। चौथी बार भी काउंटी ने उसको ही अपना प्रतिनिधि चुनाव पर इस




बार सभा ने ८५७ मतों से पराजित उसके प्रतिद्वंदी लटरेल को सदस्य घोषित कर दिया। इस संघर्ष ने विल्सन को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। कारागार में उसको मृत्युदान में मिलाती रहीं। ऋणमुक्त कराने के लिये प्रजा ने २०,००० पीड एकत्र कर उसको दिए। १७७० में वह कारागार में मुक्त हो गया और अगले वर्ष लंदन का शेरिफ चुना गया। इस पद पर कार्य करते हुए कई बार जवाबदेही के लिये उसे कॉमस सभा में बुलाया गया पर मिडिलसेक्स के सदस्य की हैसियत के अतिरिक्त उसने सभा में जाने से इनकार कर दिया। पार्लमेंट की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में १७७१ में कुछ मुद्रकों को उसने अपराधमुक्त कर दिया था। उसका यह कार्य प्रकाशन की सुविधा दिलाने में सहायक हुआ। १७७४ में वह लंदन का मेयर नियुक्त हुआ और उस वर्ष ही मिडिलसेक्स की काउंटी ने उसको फिर अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया। अगले सोलह वर्षों तक वह इस क्षेत्र से प्रत्येक अवसर पर चुना जाता रहा। पार्लमेंट की निर्वाचन प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये उसने १७७४ में एक महत्वपूर्ण योजना पार्लमेंट में प्रस्तुत की थी। १७७६ में वह लंदन नगर का चेंबरलिन नियुक्त हुआ और जीवन के अंत तक इस प्रतिष्ठित पद पर रहा। १७८४ में कॉमस सभा ने उसके निर्वाचन संबंधी पिछली अनुचित कार्रवाई को पार्लमेंट के खाते से निकालने का प्रस्ताव मान लिया था। सार्वजनिक हित के कारणों और प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये विल्सन सदा कार्यरत रहा। उस काल में 'विल्सन और स्वतंत्रता' प्रजा का नारा बन गया था। २७ दिसंबर, १७६७ को सत्तर वर्ष की आयु में लंदन नगर में विल्सन की मृत्यु हुई। [ चि० पं० ]

**विल्सन धूम्रकोष्ठ** का आविष्कार इंग्लैंड के सी० टी० विलसन (C T R Wilson) ने सन् १९१२ में किया था। इस धूम्रकोष्ठ का न्यूक्लीय भौतिकी और अंतरिक्ष किरणों के अध्ययन में बहुत अधिक उपयोग होता है। इसकी सहायता से आवेशित कणिकाओं वा सूचन (detection) होता है। अन्य सूचकों (detectors) की अपेक्षा धूम्रकोष्ठ से ज्यादा सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि इसमें आवेशित कणिका का पूरा मार्ग (track) दिखाई देता है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि धूम्रकोष्ठ में पूरी अभिक्रिया (reaction) दिखाई पड़ती है। इस धूम्रकोष्ठ की उपयोगिता इतनी अधिक है कि सन् १९२७ में विल्सन को इसके आविष्कार के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

विल्सन ने वाष्प के जमने से संबंधित जो प्रयोग किए, उनसे पता चला कि वाष्प के जमने के लिये धूल के कणों, या आवेशित कणों (आयनों), की उपस्थिति आवश्यक है। मान लीजिए किसी कोष्ठ में कोई ऐसी गैस भरी हुई है जो साधारण अवस्था में द्रव नहीं है, जैसे हवा या आर्गन (argon), और इस कोष्ठ में इतना वाष्प है कि हवा वाष्प से पूर्णतया सतृप्त है। अब यदि कोष्ठ को ठंडा किया जाय, तो हवा अतिसंतृप्त (supersaturated) हो जाती है। प्रारंभ में हवा में धूल इत्यादि के कण होते हैं, इसलिये पानी की बूंदें जमने लगती हैं। तीन बार ऐसा ही करने से धूल के सभी कण पानी की बूंदों के साथ नीचे गिर पड़ते हैं और ऊपर की हवा पूर्णतया धूलरहित हो जाती है। अब यदि हवा को फिर ठंडा किया जाय, तब हवा वाष्प से अति-

संतृप्त हो जाती है। फिर भी बूंदें नहीं जमने पातीं, क्योंकि केंद्र का संबंधा अभाव है। ऐसी स्थिति में हवा में यदि आयनन (ionisation) द्वारा आवेशित कणिकाएँ उत्पन्न कर दी जाएँ, तो उनपर ही पानी की बूंदें जमने लगती हैं। इसी सिद्धांत पर धूम्रकोष्ठ बना है। एक कोष्ठ में अतिसंतृप्तावस्था में कोई गैस भरी रहती है। जब कोई आवेशित कणिका इस कोष्ठ में जाती है, तब अपने मार्ग में गैस को आयनित करती जाती है। इन्हीं आयनों पर बूंदें जमने लगती हैं। प्रकाश पड़ने पर ये बूंदें चमकती हैं और इस तरह आवेशित कणिका का मार्ग दिखाई पड़ता है, जिसका छायाचित्र लिया जा सकता है। विल्सन धूम्रकोष्ठ विभिन्न उद्देश्यों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से इसके दो प्रकार हैं :

- (१) प्रसार धूम्रकोष्ठ (Expansion cloud chamber)
- (२) विसार धूम्रकोष्ठ (Diffusion cloud chamber)



प्रसार धूम्रकोष्ठ में कांच का एक बेलनाकार बरतन 'ब' ( देखे चित्र ) होता है, जिसके भीतर एक चल पिस्टन (piston) 'पि' होता है। इस बरतन में हवा या आर्गन जैसी कोई गैस तथा पानी या ऐल्कोहॉल की वाष्प का मिश्रण भरा रहता है। पानी या ऐल्कोहॉल साधारण ताप पर द्रव होते हैं, अतः इनकी वाष्प को सुविधा

से संघनित किया जा सकता है। पिस्टन को अचानक बाहर की ओर खींचने से गैस फैल जाती है और उसका ताप घट जाता है। ताप घटने से गैस वाष्प से अतिसंतृप्त हो जाती है, परंतु धूल के कणों के अभाव में बूंदें जमने नहीं पातीं। कोष्ठ में जब कोई आवेशित कणिका प्रवेश करती है, तब आयन उत्पन्न होते हैं और उनपर बूंदें जमने लगती हैं। प्रकाश उद्गम 'प्र' तथा लेन्स 'ल' की सहायता से इन बूंदों को प्रकाशित किया जाता है तथा कैमरा 'क' की सहायता से इन बूंदों का छायाचित्र लिया जाता है। पिस्टन का ऊपरी भाग काले रंग का होता है, जिससे बूंदें काली पृष्ठभूमि पर चमकती हुई दिखाई देती हैं।

साधारण विसार धूम्रकोष्ठ में एक बेलनाकार बरतन होता है, जिसकी पेदी बहुत ठंडी रखी जाती है तथा ऊपर वा ताप अपेक्षाकृत अधिक रहता है। बरतन की दीवारों पर नमदा या सोस्ता लगा रहता है, जो ऐल्कोहॉल या पानी से तर रहता है। इससे ऐल्कोहॉल या पानी भाप बनता है और ठंडी पेदी पर जमता है। पेदी से कुछ ऊपर ऐसा स्थान होता है जहाँ आयन के होने पर ही बूंदें जम सकती हैं अन्यथा नहीं। प्रकाश तथा कैमरा इत्यादि ऊपर की ओर भाँति होते हैं।

जब बूंदें छोटी होती हैं, तब छायाचित्र अधिक स्पष्ट होता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि गैस फैलने के बाद शीघ्र ही छायाचित्र ले लिया जाय। आजकल स्वचालित धूम्रकोष्ठ में एक ही संकेत

द्वारा पिस्टन बाहर खिंचता है, जिससे गैस फैलती है तथा क्षणिक प्रकाश उत्पन्न होता है और छायाचित्र उत्तर पाता है। क्षणिक प्रकाश का लाभ यह है कि प्रकाश की गर्मी से गैस गरम नहीं होनी पाती, अतः बूंदों का पुनः वाष्पीकरण नहीं होने पाता।

विल्सन अभ्रकोष्ठ द्वारा लिए गए चित्रों से यह भी पता चल सकता है कि आवेशित कण का द्रव्यमान कितना है। यदि आवेशित कण भारी हो, जैसे ऐल्फा-कण (alpha particles), तो उनकी आयनन शक्ति हल्के कणों (जैसे इलेक्ट्रॉन) की अपेक्षा अधिक होती है। अतः भारी कणों के मार्ग में अधिक आयनन बगैरे है और इनका मार्ग प्रदर्शित करने वाली रेखाएँ चौड़ी बनती हैं। विल्सन अभ्रकोष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाय, तो इस क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कणिकाओं का मार्ग वक्रिय हो जाता है। मार्ग की वक्रता की विज्या (radius of curvature) ज्ञान करके कणिका का संवेग (momentum) निम्न सूत्र से ज्ञात हो सकता है :

$$p = H e r$$

यहाँ  $p$  कणिका का संवेग,  $H$  चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,  $e$  कणिका पर आवेश तथा  $r$  मार्ग की वक्रता की विज्या है।

आजकल गणित नियंत्रित (counter controlled) अभ्रकोष्ठ बनाए जाते हैं, जिनसे किसी विशेष दशा में विशेष कणिकाओं के ही चित्र लिए जाते हैं। इसके लिये अभ्रकोष्ठ के चतुर्दिग् गाइजर म्यूलर गणित (Geiger-Muller counter) लगा दिए जाते हैं। अभ्रकोष्ठ स्वचालित होता है और उसके लिये संकेत इन गणितों से आता है। ऐसी व्यवस्था की जानी है कि कणिका के जिन गणित में प्रवेश करने की संभावना हो, उसमें प्राप्त संकेत से ही अभ्रकोष्ठ चले। उदाहरण के लिये यदि ऐसे कणों का, जो अभ्रकोष्ठ में प्रवेश करके दूसरी ओर बाहर निकल जाते हैं, चित्र लेना है, तो अभ्रकोष्ठ के ऊपर और नीचे गणितों की पंक्तियाँ लगा दी जाती हैं। यदि कणिका अभ्रकोष्ठ में प्रवेश करने के बाद बाहर निकल जाती है, तो ऊपर और नीचे दोनों पंक्तियों के एक-एक गणित से संकेत मिलना है। इन दोनों संकेतों के समिलन से ही यदि अभ्रकोष्ठ के चलने की व्यवस्था हो, तो केवल वे कणिकाएँ ही अंकित होंगी जो अभ्रकोष्ठ से पुनः बाहर निकल जाती हैं। इसके विपरीत कणिका यदि कक्ष में ही अशोषित हो जाती है, तो निचली पंक्ति के गणितों से कोई संकेत नहीं मिलना और अभ्रकोष्ठ नहीं चलता।

विल्सन अभ्रकोष्ठ द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। उदाहरण स्वरूप, पॉज़िट्रॉन (Positron) तथा म्यू-मेसन ( $\mu$ -Meson), के आविष्कार अभ्रकोष्ठ द्वारा ही हुए हैं (देखें पॉज़िट्रॉन तथा मेसॉन)। [ध० कि० गु०]

**विल्सन, चार्ल्स टॉमसन रीज** (Wilson, Charles Thomson Rees) स्कॉच भौतिकविज्ञानी का जन्म १८६९ ई० में स्कॉटलैंड की मिडलोथियन काउंटी के ग्लेडबोर ग्राम में हुआ था। इन्होंने केंब्रिज के सिडनी मसेविस कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। १९०० ई० में वे इसी कालेज में युनिवर्सिटी प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा साथ

ही साथ १९१८ ई० तक वे केंब्रिज प्रयोगशाला में उच्चतर भौतिकी की शिक्षा के निदेशक भी रहे। १९१८ ई० से १९२५ ई० तक वे केंब्रिज विश्वविद्यालय में वैद्युत् ऋतु अनुसंधान विभाग में रीडर रहे और बाद में वे इसी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर नियुक्त हुए। १९३४ ई० में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया।

इन्होंने १९१२ ई० में विल्सन अभ्रकोष्ठ (Wilson's Cloud Chamber) का आविष्कार किया (देखें विल्सन अभ्रकोष्ठ)। परमाणु भौतिकी संबंधी अनुसंधानों पर इन्हें १९२७ ई० में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने वायुमंडलीय विद्युत् पर भी कार्य किया और सुधरे हुए स्वर्णपत्र विद्युत्मापी का अभिकल्प बनाया।

[भ० प्र० श्री०]

**विल्सन रिचर्ड** अमेज भूदृश्य चित्रकार। जन्म माटगोमरीशायर के पेनगोस नामक स्थान में अगस्त, १७१४ में हुआ। इसके पिता साधारण पादरी थे। थॉस राइट के साथ इंग्लैंड में आकृति चित्र का अध्ययन किया। इटली में अकारेली से मिला, जिसने इसे भूदृश्य चित्रण की प्रेरणा दी। १७७६ में रायल अकादमी का पुस्तकालय अध्यक्ष बना। इसकी ध्येष्ट रचना है—मडया से रोम का दृश्य। १७८२ में अचानक इसकी मृत्यु हो गई। [गु० वि०]


**विवर्तन (Diffraction)** यदि किसी प्रकाशोत्पादक स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाय, तो पर्दे पर वस्तु की छाया बन जाती है। बहुधा छाया का किनारा तीक्ष्ण (sharp) होता है और उसके चारों ओर पर्दे का भाग समान रूप से प्रकाशित रहता है। यदि प्रकाशोत्पादक स्रोत बिंदुवत् छोटा हो, तो ध्यान से देखने पर छाया का किनारा तीक्ष्ण नहीं पाया जाता है। किनारे पर प्रकाश और अंधकार (brightness and darkness) की धारियाँ दिखाई पड़ती हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्रकाश की धारियाँ मुड़कर ज्यामितीय छाया की सीमा के भीतर तक पहुँच गई हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। छाया के किनारे किनारे जो धारियाँ बनती हैं, उन्हें विवर्तन पैटर्न (Diffraction Pattern) कहा जाता है। विवर्तन की जानकारी से पूर्व यही माना जाता था कि किसी एक माध्यम में प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। किंतु विवर्तन की व्याख्या प्रकाश के सरल रेखीय गमन के आधार पर नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम न्यूटन (Newton), ग्रिमाल्डी (Grimaldi) और टी यंग (T Young) ने इस घटना पर ध्यान दिया था। न्यूटन और ग्रिमाल्डी प्रकाश के कणिका सिद्धांत (Corpuscular Theory) के प्रवर्तक और अनुयायी थे अतः उन्होंने विवर्तन की घटना को इसी आधार पर समझने का प्रयत्न किया। बाद में क्रिश्चियन हाइगेंज ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ए० जे० फ्रेनेल (A. J Fresnel) तथा फ्राउनहोफर (Fraunhofer) ने इस सिद्धांत के आधार पर विवर्तन तथा विवर्तन से संबंधित अन्य घटनाओं को सफलतापूर्वक समझाया।

जब प्रकाश के मार्ग में गोल छेद, आयताकार रेखाछिद्र, किसी वस्तु की तीक्ष्ण कोर (edge) या महीन तार रखा जाता है, तब प्रत्येक दशा में भिन्न प्रकार के विवर्तन पैटर्न बनते हैं। विवर्तन


विद्युत् संभरणा, प्रविधिक दृष्टिकोणा से ( पृष्ठ ४६-४९ )



बिजलीघर



उपकेंद्र ( Substation )




संचरण मीनार ( Transmission Tower )



विद्युत् संभरण में उपयोगी परिव्यामित्र ( Transformer )

विषय ( पृष्ठ १०४-१०७ )




रेखाचित्रों ( Slits ) के विषय पेटर्न

अ. प्रकृति रेखाचित्र का पेटर्न; ब. दो रेखाचित्रों का पेटर्न; स. तीन रेखाचित्रों का पेटर्न; द. चार रेखाचित्रों का पेटर्न;  
इ. पांच रेखाचित्रों का पेटर्न तथा फ. प्रत्येक रेखाचित्रों का पेटर्न ।

की सभी घटनाओं को दो विभागों में बाँटा जा सकता है : (१) फ्राउनहोफर विवर्तन ( Fraunhofer Diffraction ) और (२) फ्रेनेल विवर्तन ( Fresnel Diffraction )। जब प्रकाश-स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से अत्यंत दूर होते हैं, अर्थात् विवर्तक पर समतल तरंगाम्र ( plane wavefront ) आपतित होता है, तब विवर्तन पैटर्न को फ्राउनहोफर पैटर्न और घटना को फ्राउनहोफर विवर्तन कहा जाता है। जब स्रोत, पर्दा, या ये दोनों, विवर्तक वस्तु से नियत ( finite ) दूरी पर होते हैं, अर्थात् विवर्तक पर गोलीय या बेलनाकार तरंगाम्र आपतित होता है, तब विवर्तन की घटना को फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। फ्रेनेल विवर्तन देखना अपेक्षाकृत सरल होता है, किंतु इसे समझना कठिन होता है। फ्राउनहोफर विवर्तन देखने के लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे समतल तरंगाम्र प्राप्त हो। विवर्तन के बाद उसे पुनः फोकस करने की व्यवस्था करनी पड़ती है, किंतु इसका सिद्धांत समझना बहुत सरल है।

**फ्राउनहोफर विवर्तन**

(अ) एकले रेखाछिद्र का विवर्तन पैटर्न ( Diffraction pattern of single slit ) — सोडियम लेप से पीले रंग का एकवर्णी प्रकाश ( monochromatic light ) प्राप्त होता है। एक लेंस की सहायता से इस प्रकाश को एक काले पर्दे में कटे हुए अत्यंत लंबे रेखाछिद्र ( slit ) पर डाला जाय, तो यही रेखाछिद्र स्वयं एक प्रकाश स्रोत का काम देता है। अब इस रेखाछिद्र के प्रागे लेंस लगाकर समांतर किरणपुंज को एक दूसरे रेखाछिद्र पर डाला जाय तथा इस रेखाछिद्र के पीछे सफेद पर्दा रखा जाय, तो पर्दे पर दूसरे रेखाछिद्र का विवर्तन पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न के बीच में अत्यंत तीव्र बैंड ( intense band ) या पट्टी होती है। इस पट्टी के दोनों ओर अपेक्षाकृत बहुत कम तीव्रता की और भी पट्टियाँ पाई जाती हैं। बीचवाली पट्टी को मुख्य उच्चिष्ठ ( Principal




चित्र १.

Maxima ) तथा अन्य पट्टियों को द्वितीयक उच्चिष्ठ ( Secondary Maxima ) कहते हैं। चित्र १. के अनुसार इनका बनना समझा जा सकता है। AB एक रेखाछिद्र है जिसपर समतल तरंगाम्र पड़ रहा है और S एक पर्दा है। बिंदु A और B तथा रेखाछिद्र के प्रागे ऊपरी भाग और प्रागे निचले भाग के सभी बिंदुओं से चलनेवाली द्वितीयक तरंगें ( secondary waves ) P<sub>0</sub> पर एक ही कला में ( phase ) में पहुँचती हैं, अतः वहाँ अधिकतम प्रकाश मिलता है और मुख्य उच्चिष्ठ बनता है। A और B बिंदुओं से P<sub>1</sub>

की दूरियाँ बराबर नहीं हैं। यदि P<sub>1</sub> A और P<sub>1</sub> B का अंतर एक तरंग की लंबाई (  $\lambda$  ) के बराबर हो, तो A और O से चलनेवाली द्वितीयक तरंगें P<sub>1</sub> पर  $\lambda/2$  पथांतर से, या  $\pi$  कलांतर ( phase difference ) से, पहुँचेंगी और व्यतिकरण के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगी। इसी प्रकार A के नीचेवाले सभी बिंदुओं का प्रभाव B के नीचेवाले सभी बिंदुओं के प्रभाव को P<sub>1</sub> पर समाप्त कर देता है, अतः यहाँ काली धारी बन जाती है। यदि P<sub>1</sub> के लिये विवर्तन का कोण  $\theta$  हो और रेखाछिद्र की चौड़ाई b हो तथा रेखाछिद्र के विपरीत कोरी ( edges ) की ओर से पर्दे के किसी बिंदु पर पहुँचनेवाली द्वितीयक तरंगों का कलांतर  $\delta$  हो, तो  $\delta/2 = \pi/\delta b ( \sin \theta + \sin i )$  होता है।  $\delta$  रेखाछिद्र पर पड़नेवाले तरंगाम्र का आपतन कोण है। इस सूत्र से पर्दे के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बननेवाली प्रकाशित तथा काली धारियों का बनना समझा जा सकता है। जहाँ पर  $\delta/2$  का मान  $\pm \pi, \pm 2\pi, \dots, \pm m\pi$  इत्यादि होता है, वहाँ निम्निष्ठ, या काला बैंड, और जहाँ  $\delta/2 = 0, \pi/2, 3\pi/2, \dots, (2m + 1) \pi/2$  होता है वहाँ उच्चिष्ठ बनता है।

विवर्तन ग्रेटिंग ( Diffraction Grating ) — दो समीपवर्ती रेखाछिद्रों का विवर्तन पैटर्न एक रेखाछिद्र के विवर्तन पैटर्न से कुछ भिन्न होता है। एक रेखाछिद्र के पैटर्न में जहाँ जहाँ उच्चिष्ठ मिलता है, दो रेखाछिद्र के पैटर्न में उन्ही स्थानों पर कई धारियाँ बनती हैं, जो पहले के बैंडों की अपेक्षा अधिक पतली और तीक्ष्ण होती हैं। ज्यों ज्यों रेखाछिद्रों की संख्या बढ़ती जाती है, द्वितीयक उच्चिष्ठ की धारियाँ क्षीण होती जाती हैं और मुख्य उच्चिष्ठ की धारियाँ अत्यंत तीक्ष्ण होती जाती हैं ( देखें चित्र २ )। रेखाछिद्रों की चौड़ाई तथा उनकी पारस्परिक दूरी भी इन धारियों



चित्र २.

की तीक्ष्णता को बहुत प्रभावित करती है। शीशे की समतल पट्टी पर हीरे की कनी से रेखाएँ खींची जायें, तो प्रत्येक दो रेखा के बीच का पारदर्शक स्थान रेखाछिद्र का काम करता है। ऐसे ही रेखाछिद्रों के समूह को ग्रेटिंग कहते हैं। ग्रेटिंग का आविष्कार फ्राउनहोफर ने किया था। उन्होंने दो स्क्रू के ऊपर महीन तार लपेटकर ग्रेटिंग बनाया था। प्रत्येक दो तारों के बीच का स्थान रेखाछिद्र का काम करता है। प्रागे चलकर उन्होंने काँच के प्लेट पर रेखाएँ खींचकर ग्रेटिंग बनाया। रोलेट ने १८८२ ई० में ग्रेटिंग की रेखाएँ बनानेवाली मशीन बनाई। आजकल अच्छी मशीनों द्वारा एक इंच पर ३०,००० या ४०,००० तक रेखाएँ खींची जाती हैं।

यदि किसी प्रकाशस्रोत के संमुख लेंस रखकर, एकवर्णी समांतर किरणों को एक ग्रैटिंग पर डाला जाय, तो इससे प्राप्त विवर्तन में एक दूसरी से दूर दूर कई तीक्ष्ण रेखाएँ पाई जाती हैं। ये रेखाएँ वास्तव में रेखाछिद्र स्रोत का विवर्तन बिंब होती हैं। बीच की सबसे तीव्र रेखा को शून्य कोटि ( Zero order ) की रेखा कहते हैं। इसके दोनों ओर पहली, दूसरी, तीसरी आदि रेखाएँ क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की रेखाएँ कहलाती हैं। यदि ग्रैटिंग पर श्वेत प्रकाश डाला जाय, तो शून्य कोटि की रेखा श्वेत होती है, किंतु अन्य कोटि की रेखाओंके स्थान पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कोटि के स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यदि ग्रैटिंग से विवर्तित होनेवाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य  $\lambda$ , आपतित तरंगाम्र का आपतन कोण  $i$  और विवर्तन कोण  $\theta$  हो तथा किन्हीं दो समीपस्थ रेखाछिद्रों के मध्यबिंदुओं की पारस्परिक दूरी  $d$  हो, तो

$$d (\sin i + \sin \theta) = n \lambda \text{ होता है।}$$

$n$  स्पेक्ट्रम की कोटि ( order ) का चोतक है।

ऊपर जिस ग्रैटिंग का विवरण दिया गया है, उसे समतल विवर्तन ग्रैटिंग कहते हैं। यदि वक्र शीशे पर ऐलुमिनियम की कलई कर दी जाय और उसी पर हीरे की कनी से रेखाएँ खुरच दी जाएँ, तो प्रत्येक दो रेखाओं के बीच का भाग एक नन्हें परावर्ती दर्पण का काम करता है। इन भागों से परावर्तित तरंगों के व्यतिकरण से भी विवर्तन पैटर्न बनता है। इस ग्रैटिंग को अवतल ग्रैटिंग ( Concave grating ) कहते हैं। इसका आविष्कार रोलैंड ( Rowland ) ने किया था। अवतल ग्रैटिंग अवतल दर्पण का भी काम करता है। अतः विवर्तित किरणों को फोकस करने के लिये लेंस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है।

स्पेक्ट्रमिकी ( spectroscopy ) में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिये वक्र ग्रैटिंग से बड़े उपयोगी स्पेक्ट्रोग्राफ बनाए गए हैं। वक्र ग्रैटिंग के लिये भी तरंगदैर्घ्य का सूत्र  $d (\sin i + \sin \theta) = n \lambda$  ही होता है। दो विभिन्न वर्णों की रश्मियों (  $\lambda_1, \lambda_2$  ) को एक दूसरे से पृथक् करने की क्षमता को ग्रैटिंग की वर्णविक्षेपण क्षमता ( Dispersive Power ) कहा जाता है। यदि  $\lambda_1 - \lambda_2 = \Delta \lambda$  हो और इनके विवर्तन कोण क्रमशः  $\theta_1$  और  $\theta_2$  हों तथा  $\theta_1 - \theta_2 = \Delta \theta$  हो, तो ग्रैटिंग की वर्णविक्षेपण क्षमता  $\frac{\Delta \theta}{\Delta \lambda}$  होती

है। तरंगदैर्घ्य के सूत्र से इसका मान  $\frac{\Delta \theta}{\Delta \lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$  होता

है। क्रमशः उच्चतर कोटि में वर्णविक्षेपण क्षमता बढ़ती जाती है। यदि  $\lambda$  और  $\lambda + d \lambda$  दो अत्यंत समीपवर्ती विकिरण ( radiations ) हों और ग्रैटिंग द्वारा इनको एक दूसरे से अलग अलग देखा जा सके तो  $\lambda/d \lambda$  को ग्रैटिंग की विभेदन क्षमता ( resolving power ) कहते हैं। तरंगदैर्घ्य के सूत्र से  $\frac{\lambda}{d \lambda} = n N$  होता है।  $N$  ग्रैटिंग पर

बनी हुई कुल रेखाओं ( या रेखाछिद्रों ) की संख्या है। क्रमशः उच्चतर कोटि में विभेदन क्षमता भी बढ़ती जाती है।

#### फ्रेनेल विवर्तन

( अ ) छाया का बनना—छाया के किनारे पर विवर्तन पैटर्न का

बनना प्रकाश के सरल रेखिक गमन से नहीं समझाया जा सकता है। इसे समझाने के लिये फ्रेनेल ने तरंग सिद्धांत का उपयोग किया। किसी तरंगाम्र के विभिन्न बिंदुओं का प्रभाव समझाने के लिये उन्होंने अर्ध काल जोन ( Half Period Zones ) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के आधार पर बनाया गया जोन प्लेट लेंस की भाँति काम करता है और फ्रेनेल के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

( ब ) गोल छिद्र से विवर्तन — यदि किसी अत्यंत छोटे छिद्र पर एकवर्णी समतल तरंगाम्र आपतित होता हो, तो पदों पर इसका विवर्तन पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न में वृत्ताकार धारियाँ ( circular fringes ) पाई जाती हैं। सबसे बाहरी धारी सबसे अधिक मोटी होती है और भीतरी धारियाँ क्रमशः पतली होती हैं। फ्रेनेल के अर्ध-काल जोन के आधार पर इस विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। यदि छिद्र का आकार प्रथम अर्धकाल जोन के बराबर हो और पैटर्न के केंद्र तथा छिद्र की परिधि की दूरियों का अंतर  $( 2 m + 1 ) \lambda / 2$  हो, तो पैटर्न का केंद्र प्रकाशित होता है। यदि पदों से छिद्र की दूरी स्थिर रखकर छिद्र का आकार बढ़ाते जायें, तो यह केंद्र क्रमशः प्रकाशित ( bright ) और अप्रकाशित ( dark ) होता है। जब छिद्र का आकार  $( 2 m + 1 )$  अर्धकाल-जोन समाविष्ट करता है, तो पैटर्न का केंद्र चमकीला होता है और जब छिद्र में  $2 m$  अर्ध-काल-जोन समाविष्ट होते हैं, तो केंद्र काला होता है। छिद्र को स्थिर रखकर पदों को उससे समीप या दूर लाने पर भी केंद्र पर परिवर्तन होता है। यदि पैटर्न के केंद्र से छिद्र के केंद्र और छिद्र की परिधि की दूरियों का अंतर  $( 2 m + 1 ) \lambda / 2$  हो, तो केंद्र चमकीला, अन्यथा काला, होता है।

गोल डिस्क के विवर्तन पैटर्न के केंद्र पर सर्वदा एक चमकीली बिंदी बनती है।

प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन क्षमता ( Resolving power of optical instruments )— किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा किसी बिंदु स्रोत का बिंब वास्तव में उस यंत्र के द्वारक ( aperture ) से होकर जानेवाली तरंगों का विवर्तन पैटर्न होता है। यदि दो बिंदु स्रोत अत्यंत पास पास हों, तो यंत्र द्वारा प्रत्येक का एक एक विवर्तन पैटर्न बनता है। चूँकि सभी प्रकाशीय यंत्रों में वतुल द्वारक ( circular aperture ) होता है, अतः बिंदु स्रोतों के विवर्तन पैटर्न में वतुल बिंदु ( spot ) बनता है और उसके किनारे किनारे कई वतुल वलय ( rings ) होते हैं। यंत्र का द्वारक जितना ही बड़ा होता है, विवर्तन पैटर्न उतने ही छोटे बनते हैं। यदि प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो अत्यंत समीपस्थ बिंदु स्रोतों के विवर्तन पैटर्न इतने छोटे और स्पष्ट बनें कि एक का केंद्रीय महत्तम ( central maximum ) प्रकाशित भाग दूसरे के सर्वप्रथम न्यूनतम ( first minimum ) प्रकाशित भाग पर पड़े, तो दोनों के केंद्रीय बिंदु ( spots ) स्पष्ट देखे जा सकते हैं। प्रकाशीय यंत्र की इस क्षमता को विभेदन क्षमता ( Resolving Power ) कहते हैं।

किरीट या कोरोना ( Corona ) — बहुधा प्रकाश में बादलों की उपस्थिति के समय सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर एक चमकीला घेरा दिखाई पड़ता है। इसे किरीट कहते हैं ( देखें किरीट )। पानी

की नन्हीं बूँदों द्वारा प्रकाश का विवर्तन होने से ही किरीट बनते हैं। स्पष्ट किरीट के लिये नन्हीं बूँदों का समाकार होना आवश्यक होता है। ये बूँदें जितनी ही अधिक छोटी होती हैं, किरीट का व्यास उतना ही बड़ा होता है। टी यंग ( T. Young ) ने किरीटो का व्यास नापकर जलकणों के व्यास की गणना करने के लिये यंत्र बनाया था, जिसे तंतुमापी ( Eriometer ) कहते हैं।

**विवर्तन और व्यतिकरण में भेद** — विवर्तन और व्यतिकरण में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है। तब भी बहुधा यह कहा जाता है कि व्यतिकरण में कुछ नियत संख्या के प्रकाशपुंजों का अध्यारोपण ( superposition ) होने से तरंग आयाम ( wave amplitude ) के प्रत्येक प्रतिसूक्ष्म खंडों ( elements ) के प्रभाव का समाकलन ( integrate ) करके तरंग का आयाम ज्ञात किया जाता है। एक से अधिक रेखाछिद्रों का विवर्तन पैटर्न, विवर्तन और व्यतिकरण के संयुक्त प्रभाव से, बनता है। संक्षेप में विवर्तन व्यतिकरण का ही किंचित् विलुप्त रूप है। [श्र० कु० ति०]

**विवाह** मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या संस्था है। यह समाज का निर्माण करनेवाली सबसे छोटी इकाई—परिवार—का मूल है। इसे मानव जाति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान साधन माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में होता है। इसका पहला अर्थ वह क्रिया, संस्कार, विधि या पद्धति है जिससे पतिपत्नी के स्थायी संबंध का निर्माण होता है। प्राचीन एवं मध्यकाल के धर्मशास्त्री तथा वर्तमान युग के समाजशास्त्री समाज द्वारा स्वीकार की गई परिवार की स्थापना करनेवाली किसी भी पद्धति को विवाह मानते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि ( ३।२० ) के शब्दों में विवाह एक निश्चित पद्धति से किया जानेवाला, अनेक विधियों से संपन्न होनेवाला तथा कन्या को पत्नी बनानेवाला संस्कार है। रघुनंदन के मतानुसार उस विधि को विवाह कहते हैं, जिससे कोई स्त्री (किसी की) पत्नी बनती है। वैस्टरमार्क ने इसे एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध बताया है, जो इस संबंध को करनेवाले दोनों पक्षों को तथा उनकी संतान को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करता है।

विवाह का दूसरा अर्थ समाज में प्रचलित एवं स्वीकृत विधियों द्वारा स्थापित किया जानेवाला दापत्य संबंध और पारिवारिक जीवन भी होता है। इस संबंध से पति पत्नी को अनेक प्रकार के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। इससे जहाँ एक ओर समाज पति पत्नी को कामसुख के उपभोग का अधिकार देता है, वहाँ दूसरी ओर पति को पत्नी तथा संतान के पालन एवं भरणपोषण के लिये बाध्य करता है। संस्कृत में पति का शब्दार्थ है पालन करनेवाला तथा भार्या का अर्थ है भरणपोषण की जाने योग्य नारी। पति के संतान और बच्चों पर कुछ अधिकार माने जाते हैं। विवाह प्रायः समाज में नवजात प्राणियों की स्थिति का निर्धारण करता है। संपत्ति का उत्तराधिकार अधिकार समाजों में वैध विवाहों से उत्पन्न संतान को ही दिया जाता है।

**विवाह का उद्गम** — मानव समाज में विवाह की संस्था के प्रादुर्भाव के बारे में १९वीं शताब्दी में बेल्फोन ( १८१५-८० ई० ),

मोर्मन ( १८१८-८१ ई० ) तथा मैकलीनान ( १८२७-८१ ) ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था कि मानव समाज की आदिम अवस्था में विवाह का कोई बंधन नहीं था, सब नरनारियों को यथेच्छ कामसुख का अधिकार था। महाभारत ( १।१२।३-३१ ) में पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को नियोग के लिये प्रेरित करते हुए कहा है कि पुराने जमाने में विवाह की कोई प्रथा न थी, स्त्री पुरुषों को यौन संबंध करने की पूरी स्वतंत्रता थी। कहा जाता है, भारत में श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम विवाह की मर्यादा स्थापित की। चीन, मिस्र और यूनान के प्राचीन साहित्य में भी कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं। इनके आधार पर लार्ड एवबरी, फिसोन, हाबिट, टेलर, स्पेंसर, जिलनकोव लेवस्की, लियट्ट और शुल्स आदि पश्चिमी विद्वानों ने विवाह की आदिम दशा कामचार ( प्रामिस-कुइटी ) की अवस्था मानी। क्रोपाटकिन ब्लाख और त्रिफाल्ट ने प्रतिपादित किया कि प्रारंभिक कामचार की दशा के बाद बहुभार्यता (पोलीजिनी) या अनेक पत्नियाँ रखने की प्रथा विकसित हुई और इसके बाद भ्रंत में एक ही नारी के साथ पाणिग्रहण करने ( मोनोगेमी ) का नियम प्रचलित हुआ।

किंतु चार्ल्स डार्विन ने प्राणिशास्त्र के आधार पर विवाह के आदिम रूप की इस कल्पना का प्रबल खंडन किया, वैस्टरमार्क, लीग ग्रास तथा काले प्रभृति समाजशास्त्रियों ने इस मत की पुष्टि की। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रिबर्स ने लिखा है कि हमारे पास इस कल्पना का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि भूतकाल में कभी कामचार की सामान्य दशा प्रचलित थी। विवाह की संस्था मानव समाज में जीवशास्त्रीय आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई है। इसका मूल कारण अपनी जाति को सुरक्षित बनाए रखने की चिंता है। यदि पुरुष यौन संबंध के बाद पृथक् हो जाय, गर्भावस्था में पत्नी को देखभाल न की जाय, संतान उत्पन्न होने पर उसके समर्थ एव बड़ा होने तक उसका पोषण न किया जाय तो मानव जाति का भ्रवश्यमेव उन्मूलन हो जायगा। अतः आत्मसंरक्षण की दृष्टि से विवाह की संस्था की उत्पत्ति हुई है। यह केवल मानव समाज में ही नहीं, अपितु मनुष्य के पूर्वज समझे जानेवाले गोरिल्ला, चिंपाजी आदि में भी पाई जाती है। अतः कामचार से विवाह के प्रादुर्भाव का मत अप्रामाणिक और अमान्य है।

**विवाह के विभिन्न पक्ष** — वैयक्तिक दृष्टि से विवाह पतिपत्नी की मैत्री और साझेदारी है। दोनों के सुख, विकास और पूंजता के लिये आवश्यक सेवा, सहयोग, प्रेम और स्वार्थत्याग के अनेक गुणों की शिक्षा वैवाहिक जीवन से मिलती है। नरनारी को अनेक आकांक्षाएँ विवाह एव संतानप्राप्ति द्वारा पूर्ण होती हैं। उन्हें यह संतोष होता है कि उनके न रहने पर भी संतान उनका नाम और कुल की परंपरा अधुण्य रखेगी, उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी बनेगी तथा वृद्धावस्था में उन्हें भ्रवल्लभ देगी। हिंदू समाज में वैदिक युग से यह विश्वास प्रचलित है कि पत्नी मनुष्य का प्राणाग्रंथ है, मनुष्य तब तक भ्रूरा रहता है, जब तक वह पत्नी प्राप्त करके संतान नहीं उत्पन्न कर लेता ( श० ब्रा०, ५।२।१।१० )। पुरुष प्रकृति के बिना और शिव शक्ति के बिना भ्रूरा है।

विवाह एक धार्मिक संबंध है। प्राचीन यूनान, रोम, भारत आदि

सभी सम्य देशों में विवाह को धार्मिक बंधन एवं कर्तव्य समझा जाता था। वैदिक युग में यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य था, किंतु यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, अतः विवाह सबके लिये धार्मिक दृष्टि से आवश्यक था। पत्नी शब्द का अर्थ ही यज्ञ में साथ बैठनेवाली स्त्री है। श्री राम का प्रश्वमेघ यज्ञ पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सका था, अतः उन्हें सीता की प्रतिभा स्थापित करनी पड़ी। याज्ञवल्क्य ( १।८६ ) ने एक पत्नी के मरने पर यज्ञकार्य चलाने के लिये फौरन दूसरी पत्नी के जाने का आदेश दिया है। पितरों की आत्माओं का उद्धार पुत्रों के पिछदान और तर्पण से ही होता है, इस धार्मिक विश्वास ने भी विवाह को हिंदू समाज में धार्मिक कर्तव्य बताया है। रोमनों का भी यह विश्वास था कि परलोक में मृत पूर्वजों का सुखो रहना इस बात पर अवलंबित था कि उनका मृतक संस्कार यथाविधि हो तथा उनकी आत्मा की शांति के लिये उन्हें अपने वंशजों की प्रार्थनाएँ, भोज और भेंटें यथासमय मिलती रहे। यहूदियों की धर्मसंहिता के अनुसार विवाह से बचनेवाला व्यक्ति उनके धर्मबंध के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण हत्यारे जैसा अपराधी माना जाता था। विवाह का धार्मिक महत्व होने से ही अधिकतर समाजों में विवाह की विधि एक धार्मिक संस्कार मानी जाती रही है।

मई, १६५५ से लागू होनेवाले हिंदू विवाह कानून से पहले हिंदू समाज में धार्मिक संस्कार से संपन्न होनेवाला विवाह अभिच्छेद्य था। रोमन कैथोलिक चर्च इसे अब तक ऐसा धार्मिक बंधन समझता है। किंतु अब औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न होनेवाले परिवर्तनों से तथा धार्मिक विश्वासों में आस्था क्षिब्ध होने से विवाह के धार्मिक पक्ष का महत्व कम होने लगा है।

विवाह का धार्मिक पक्ष भी अब निर्बल होता जा रहा है। प्रसूति के समय में तथा उसके बाद कुछ काल तक कार्यक्षम न होने के कारण पत्नी को पति के अवलंब की आवश्यकता होती है, इस कारण दोनों में अमविभाजन होता है, पत्नी बच्चों के सालन पालन और घर के काम को सँभालती है और पति पत्नी तथा संतान के भरणपोषण का दायित्व लेता है। १८वीं शताब्दी के अंत में होनेवाली औद्योगिक क्रांति से पहले तक विवाह द्वारा उत्पन्न होनेवाला परिवार धार्मिक उत्पादन का केंद्र था; कृषक अथवा कारीगर अपने घर में रहता हुआ अन्न वस्त्रादि का उत्पादन करता था; परिवार के सब सदस्य उसे इस कार्य में सहायता देते थे। घरेलू आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन घर में ही परिवार के सब सदस्यों द्वारा हो जाने के कारण परिवार धार्मिक दृष्टि से स्वावलंबी इकाई था। किंतु कारखानों में बस्त्र आदि का निर्माण होने से उत्पादन का केंद्र घर नहीं, मिलें बन गईं। मिलों द्वारा प्रभूत मात्रा में तैयार किए गए माल ने घर में इनके उत्पादन को अनावश्यक बना दिया। विवाह एवं परिवार की संस्था से उसके कुछ धार्मिक कार्य छिन गए, स्त्रियाँ कारखानों आदि में काम करने के कारण धार्मिक दृष्टि से स्वावलंबी हो गईं, इससे उनकी स्थिति में कुछ अंतर आने लगा है। फिर भी, पत्नी और बच्चों के पालनपोषण के धार्मिक ध्येय को बहन करने का उत्तरदायित्व अभी तक प्रधान रूप से पति का माना जाता है। पति

द्वारा उपाहित धन पर उसकी पत्नी और वैध पुत्रों का ही अधिकार स्वीकार किया जाता है।

विवाह का एक कानूनी या विधिक पक्ष भी है। परिणय सहवास मात्र नहीं है। किसी भी मानव समाज में नरनारी को उस समय तक दांपत्य जीवन बिताने और संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं दिया जाता, जब तक इसके लिये समाज की स्वीकृति न हो। यह स्वीकृति धार्मिक कर्मकांड को अथवा कानून द्वारा निश्चित विधियों को पूरा करने से तथा विवाह से उत्पन्न होनेवाले दायित्वों को स्वीकार करने से प्राप्त होती है। अनेक प्राधुनिक समाजों में विवाह को वरवधू की सहमति से होनेवाला विशुद्ध कानूनी अनुबंध समझा जाता है। किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अन्य सभी प्रकार के अनुबंधों या संविदाओं से भिन्न है क्योंकि उनमें अनुबंध करनेवाले व्यक्ति इसकी शर्तें तय करते हैं, किंतु विवाह के कर्तव्य और दायित्व वरवधू की इच्छा पर अवलंबित नहीं हैं; वे समाज की रूढ़ि, परंपरा और कानून द्वारा निश्चित होते हैं।

विवाह का समाजिक और नैतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। विवाह से उत्पन्न होनेवाली सतति परिवार में रहते हुए ही समुचित विकास और प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज का उपयोगी अंग बनती है, बालक को किसी समाज के आदर्शों के अनुरूप ढालने का तथा उसके चरित्र-निर्माण का प्रधान साधन परिवार है। यद्यपि आजकल शिशुशालाएँ, बालोद्यान, स्कूल और राज्य बच्चों के पालन, शिक्षण और सामाजिकरण के कुछ कार्य अपने ऊपर ले रहे हैं, तथापि यह निर्विवाद है कि बालक का समुचित विकास परिवार में ही संभव है। प्रत्येक समाज विवाह द्वारा अनुष्य की उद्दाम एवं उच्छूल्यल यौन भावनाओं पर अकुश लगाकर उसे नियंत्रित करता है और समाज में नैतिकता की रक्षा करता है।

किसी भी समाज में मनुष्य विवाह करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसे इस विषय में कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम प्रधान रूप से निम्नलिखित बातों के संबंध में होते हैं—(१) वरवधू के चुनाव के नियम, (२) पत्नी प्राप्त करने के नियम, (३) विवाह संस्कार की विधियाँ, (४) विवाह के विभिन्न रूप (५) विवाह की अवधि के नियम।

#### वरवधू चुनने के नियम—अंतर्विवाह और बहिर्विवाह

लगभग सभी समाजों में वधू चुनने के संबंध में दो प्रकार के नियम होते हैं। पहले प्रकार के नियम अंतर्विवाह विषयक ( एंडो-गेमस ) होते हैं। इनके अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहनेवाले व्यक्तियों में से ही वधू को चुनना पड़ता है। वे उस वर्ग से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के ( बहिर्विवाही ) नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट समूह से बाहर के व्यक्तियों के साथ ही, विवाह करना पड़ता है। ये दोनों नियम ऊपर से परस्पर-विरोधी होते हुए भी वास्तव में ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इनका संबंध विभिन्न प्रकार के समूहों से होता है। इन्हें वृत्तों के उदाहरण से भली भाँति समझा जा सकता है। प्रत्येक समाज में एक विद्यालय



बाहरी वृत्त होता है। इस वृत्त से बाहर किसी व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध वर्जित होता है, किंतु इस बड़े वृत्त के भीतर अनेक छोटे छोटे समूहों के अनेक वृत्त होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इस छोटे वृत्त के समूह के बाहर, किंतु बड़े वृत्त के भीतर ही विद्यमान किसी अन्य समूह के व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ता है। हिंदू समाज में इस प्रकार का विशाल वृत्त जाति का है और छोटे वृत्त विभिन्न गोत्रों के हैं। सामान्य रूप से इस शताब्दी के आरंभ तक प्रत्येक हिंदू को अपनी जाति के भीतर, किंतु गोत्र से बाहर विवाह करना पड़ता था। वह अपनी जाति से बाहर और गोत्र के भीतर विवाह नहीं कर सकता था।

वहू के चुनाव के लिये निश्चित किए जानेवाले अंतर्विवाही समूह नस्ल (रैस) जनजाति ( ट्राइब ), जाति, वर्ण आदि कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश अन्य एवं सभ्य जातियों में अपनी नस्ल या प्रजाति से बाहर विवाह करना वर्जित होता है। कैलिफोर्निया के रेड इंडियन गौरवर्ण यूरोपियन नस्ल के पुरुष के साथ विवाह करनेवाली रेड इंडियन स्त्री का वध कर देते थे। १० रा० अमरीका के अनेक दक्षिणी राज्यों में नीग्रो लोगों के साथ श्वेतांग यूरोपियनों के विवाह को निषिद्ध ठहरानेवाले कानून बने हुए हैं। रोमन लोगों के बर्बर जातियों के साथ वैवाहिक निषेध के नियम का प्रधान कारण अपनी नस्ल की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता का अहंकार तथा अपने से भिन्न जाति के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना है। इसी प्रकार अपनी जनजाति से बाहर भी विवाह निषिद्ध होता है। बिहार के ओरावों के बारे में यह कहा जाता है कि यदि इनमें कोई अपनी जनजाति से बाहर विवाह कर ले तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसे तब तक जाति में वापस नहीं लिया जाता जब तक वह अपनी भिन्न जातीय पत्नी का परित्याग न कर दे। प्रायः सभी धर्म भिन्न धर्मवालों से विवाह का निषेध करते हैं। यहूदी धर्म में ऐसे विवाह वर्जित थे। मध्ययुग में ईसाइयों और यहूदियों के विवाह कानून द्वारा निषिद्ध थे। कुरानशरीफ में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस्लाम न स्वीकार करनेवाले नाना देवीदेवताओं की पूजा करने वाले व्यक्तियों के साथ विवाह वर्जित है। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम ( उच्च वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह ) विवाह का प्रचलन होते हुए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अपने वर्णों में ही विवाह करते थे। बाद में इन वर्णों में विभिन्न जातियों का विकास हुआ और अपनी जातियों में ही विवाह के नियम का कठोरतापूर्वक पालन किया जाने लगा।

पश्चिमी देशों में जातिभेद की कठोर व्यवस्था न होने पर भी सामाजिक वर्ग—कुलीन वर्ग, नगरवासी (बुजुर्ग) व्यापारी वर्ग, किसान और भ्रजदूर प्रायः अपने वर्गों में ही विवाह करते हैं। राजा राज-वंशीय वर्ग में ही विवाह कर सकते हैं। राजवंश से भिन्न सामान्य वर्ग की स्त्रियों से यदि विवाह हो तो उस स्त्री को तथा उसकी संतान को राजकीय पद और उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होते। ब्रिटिश सम्राट् एडवर्ड अष्टम ने अपनी राजगद्दी इसीलिये छोड़ी थी कि उसने राजकीय वर्ग से बाहर की एक साधारण स्त्री सिपसन से विवाह किया था और वह ब्रिटिश परंपरा के अनुसार रानी नहीं बन सकती थी।

**बहिर्विवाह** — इसका तात्पर्य किसी जाति के एक छोटे समूह से तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह का नियम है। समाज में पहले को असगोत्रता का तथा दूसरे को अंतर्विवाह का नियम कहते हैं। असगोत्रता का अर्थ है कि वधु वर के गोत्र से भिन्न गोत्र की होनी चाहिए। अंतर्विवाह का अर्थ समान पिंड या देह का अथवा अनिष्ट रक्त का संबंध न होना है। हिंदू समाज में प्रचलित अंतर्विवाह के सामान्य नियम के अनुसार माता की पति तथा पिता की सात पीढ़ियों में होनेवाले व्यक्तियों को अंतर्विवाह माना जाता है, इनके साथ वैवाहिक संबंध वर्जित है। प्राचीन रोम में छोटी पीढ़ी के भीतर मानेवाले संबंधियों के साथ विवाह निषिद्ध था। १२१५ ई० की लैटरन की ईसाई धर्मपरिषद् ने इनकी संख्या घटाकर चार पीढ़ी कर दी। अनेक अन्य जातियाँ पत्नी के मरण पर उसकी बहिन के साथ विवाह को प्राथमिकता देती हैं किंतु कैथोलिक चर्च मृत पत्नी की बहिन के साथ विवाह वर्जित ठहराता है। इंग्लिश चर्च में यह स्थिति १९०७ तक बनी रही। कुछ जातियों में स्थानीय बहिर्विवाह का नियम प्रचलित है। इसका यह अर्थ है कि एक गाँव या खेड़े में रहनेवाले नरनारी का विवाह वर्जित है। छोटा नागपुर के ओरावों में एक ही ग्राम के निवासी युवक युवती का विवाह निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से वह माना जाता है कि ऐसा विवाह वर अथवा वधु के लिये अथवा दोनों के लिये अशुभ लानेवाला होता है।

अंतर्विवाह तथा असगोत्रता के नियमों के प्रादुर्भाव के कारणों के संबंध में समाजशास्त्रियों तथा नृवंशशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। एक ही गाँव में रहनेवाले अथवा एक गोत्र को माननेवाले समान आयु के व्यक्ति एक दूसरे को भाई बहिन तथा नजदीकी रिश्तेदार मानते हैं और इनमें प्रायः सर्वत्र विवाह वर्जित होता है। किंतु यहाँ यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह निषेध समाज में क्यों प्रचलित हुआ? सर हेनरी मेन, मॉर्गन आदि विद्वानों ने यह माना है कि आदिम मनुष्यों ने निकट विवाहों के दुष्परिणामों को ही ही अनुभव कर लिया था तथा जीवनसंघर्ष में दीर्घजीवी होने की दृष्टि से उन्होंने निकट संबंधियों के घेरे से बाहर विवाह करने का नियम बना लिया। किंतु अन्य विद्वान् इस मत को ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि आदिम मनुष्यों में अंतर्विवाह के दुष्परिणामों जैसी जटिल जीवशास्त्रीय प्रक्रिया को समझने की बुद्धि स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। वैस्टरमार्क और हैबलाक एलिस ने इसका कारण नजदीकी रिश्तेदारों के बचपन से सदा साथ रहने के कारण उनमें यौन आकर्षण उत्पन्न न होने को माना है। अन्य विद्वानों ने इस व्याख्या को सही नहीं माना। ब्रैस्टेड ने यह बताया है कि प्राचीन मिस्र में समाज के सभी भागों में भाई बहिन के विवाह प्रचलित थे। बहिर्विवाह ( एक्सोगैमी ) शब्द को अग्रेजी में सबसे पहले प्रचलित करनेवाले विद्वान् मैकलीनान ने यह कल्पना की थी कि आरंभिक योद्धा जातियों में बालिकावध की दारुण प्रथा प्रचलित होने के कारण विवाह योग्य स्त्रियों की संख्या कम हो गई और दूसरी जनजातियों की स्त्रियों को अपहरण करके लाने की पद्धति से बहिर्विवाह के नियम का अंगणोष्ठ हुआ। किंतु इस कल्पना में बालिकावध

एवं अपहरण द्वारा विवाह का अत्यधिक अतिरिजित और अवास्तविक चित्रण है। बर्हिबिवाह का नियम प्रचलित होने के कुछ अन्य कारण थे बताए जाते हैं—दूसरी जातियों की स्त्रियों को पकड़ लाने में गर्ब और गौरव की भावना का अनुभव करना, गणविवाह ( एक समूह में सब पुरुषों का सब स्त्रियों का पति होना ) की काल्पनिक दशा के कारण दूसरी जातियों से स्त्रियाँ ग्रहण करना। अभी तक कोई भी कल्पना इस विषय में सर्वसंमत सिद्धांत नहीं बन सकी।

**पत्नीप्राप्ति की विधियाँ** — अंतविवाह और बर्हिबिवाह के नियमों का पालन करते हुए वर को प्राप्त करने की विधियों के संबंध में मानव समाज में बड़ा वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। भार्याप्राप्ति की विभिन्न विधियों को अपहरण, ऋय और सहमति के तीन बड़े वर्गों में बाँटा जा सकता है। अपहरण की विधि का तात्पर्य पत्नी की तथा उसके संबंधियों की इच्छा के बिना उसपर बलपूर्वक अधिकार करना है। इसे भारतीय धर्मशास्त्र में राक्षस और पैशाच विवाहों का नाम दिया गया है। यह आज तक कई वन्य जातियों में पाई जाती है। उड़ीसा की भुइयाँ जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी युवक का युवती से प्रेम हो, किंतु युवती अथवा उसके मातापिता उस विवाह के लिये सहमत न हो तो युवक अपनी मित्रमंडली की सहायता से अपनी प्रेमिका का अपहरण कर लेता है और इसमें प्रायः भीषण लड़ाइयाँ होती हैं। संथाल, मुंडा, झमिज, गोंड, भील और नागा आदि आर्यक जातियों में यह प्रथा पाई जाती है। अन्य देशों और जातियों में भी इसका प्रचलन मिलता है।

पत्नीप्राप्ति का दूसरा साधन ऋय विवाह अर्थात् पैसा देकर लड़की को खरीदना है। हिंदू शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार इसे भासुर विवाह कहा जाता है। भारत की संथाल, हो, औराँव, खड़िया, गोंड, भील आदि जातियों में कन्या के मातापिता को कन्याशुल्क (बाइड प्राइस) देकर पत्नी प्राप्त करने की परिपाटी है। हिंदू समाज के उच्च वर्गों में लड़कों का महत्व होने से उनके मातापिता कन्या के मातापिता से दहेज रूप में धन प्राप्त करते हैं, किंतु निम्न वर्गों में तथा वन्य जातियों में कन्या का आर्थिक महत्व होने के कारण कन्या का पिता वर से अथवा वर के मातापिता से कन्या देने के बदले में धनराशि प्राप्त करता है। यदि वर धनराशि देने में असमर्थ होता है तो वह श्वशुर के यहाँ सेवा करके कन्याशुल्क प्रदान करता है। गोंडों और बैगा लोगों में श्वशुर के यहाँ इस प्रकार तीन से पाँच वर्ष तक नौकरी तथा कड़ी मेहनत करने के बाद पत्नी प्राप्त होती है। इसे सेवा विवाह भी कहा जाता है।

पत्नीप्राप्ति का तीसरा साधन वरवधू के मातापिता की सहमति से व्यवस्थित किया जानेवाला विवाह है। इस कताबदी के धारण तक हिंदू समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण सभी विवाह इसी प्रकार के होते थे, अब भी यद्यपि शिक्षा के प्रसार तथा आर्थिक स्वावलंबन के कारण वरवधू की सहमति से होनेवाले प्रणय अथवा गंधर्व विवाहों की संख्या बढ़ रही है, तथापि अधिकतर विवाह अब भी मातापिता की सहमति से होते हैं।

पत्नीप्राप्ति के उपर्युक्त साधन आधुनिक समाजशास्त्रीय विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर हैं। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने इन्हीं को ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, भासुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच नामक आठ प्रकार के विवाहों का नाम दिया था। इनमें से पहले चार प्रकार के विवाह प्रकृत तथा धर्मानुकूल समझे जाते थे। ये सब विवाह मातापिता की सहमति से किए जानेवाले उपर्युक्त विवाह के अंतर्गत हैं। धार्मिक विधि के साथ संपन्न होनेवाले सभी विवाहों में कन्या को वस्त्रासूषण से अलंकृत करके उसका दान किया जाता था। किंतु पिछले चार विवाहों में कन्या का दान नहीं होता, वह मूल्य से या प्रेम से या बलपूर्वक ली जाती है। भासुर विवाह उपर्युक्त ऋयविवाह का दूसरा रूप है। इसमें वर कन्या के पिता को कुछ धनराशि देकर उसे प्राप्त करता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण पांडु के साथ माद्री का विवाह है। गांधर्व विवाह वर और वधू के पारस्परिक प्रेम और सहमति के कारण होता है। इसका प्रसिद्धतम प्राचीन उदाहरण दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। राक्षस विवाह में वर कन्यापक्ष के सबंधियों को मारकर या घायल करके रोती चीखती कन्या को अपने घर ले आता था। यह प्रथा क्षत्रियों में प्रचलित थी। इसका प्रसिद्ध उदाहरण श्रीकृष्ण द्वारा क्लिप्तिका का तथा अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण है। पैशाच विवाह में सोई हुई, शराब आदि पीने से उन्मत्त स्त्री से एकांत में सबंध स्थापित करके विवाह किया जाता था। मनु ने ( ३।३४ ) इसकी निंदा करते हुए इसे सबसे अधिक पापपूर्ण और अधम विवाह कहा है।

### विवाह के संख्यात्मक रूप

बहुभार्यता, बहुभर्तृता, एक विवाह, यही —पति या पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के तीन रूप माने जाते हैं। जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे बहुभार्यता या बहुपत्नीत्व ( पोलिजिनी ) कहते हैं। एक स्त्री के साथ एक से अधिक पुरुषों के विवाह को बहुभर्तृता या बहुपतित्व कहा जाता है। एक पुरुष के एक स्त्री के साथ विवाह को एक विवाह ( मोनोगैमी ) या एकपत्नीव्रत कहा जाता है। मानव जाति के विभिन्न समाजों में इनमें से पहला और तीसरा रूप अधिक प्रचलित है। दूसरे रूप बहुभर्तृता का प्रचलन बहुत कम है। समाज में स्त्रीपुरुषों की संख्या लगभग समान होने के कारण इस अवस्था में कुछ पुरुषों द्वारा अधिक स्त्रियों को पत्नी बना लेने पर कुछ पुरुष विवाह से वंचित रह जाते हैं, अतः कुछ वन्य समाजों में एक मनुष्य द्वारा पत्नी बनाई जानेवाली स्त्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है और प्रथा द्वारा इसे निश्चित कर दिया जाता है। सूतपूर्व ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की वासानिया जाति में एक पुरुष को तीन से अधिक स्त्रियों के साथ, लैंग जाति में तथा इस्लाम में चार से अधिक स्त्रियों के साथ, उत्तरी नाइजीरिया की कुगमा जाति में छह से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। राजाओं तथा सरदारों के लिये यह संख्या बहुत अधिक होती है। पश्चिमी अफ्रीका में गोल्डकोस्ट बस्ती के अशांति नामक राज्य के राजा के लिये परिचार्यों की निश्चित संख्या, ३,३३३ थी। राजा लोग इन निश्चित संख्याओं का अतिक्रमण और उल्लंघन किस प्रकार करते

हैं यह सऊदी अरब राज्य के संस्थापक इब्न सऊद के उदाहरण से स्पष्ट है। इस्लाम में चार से अधिक स्त्रियों से विवाह वर्जित है, अतः इब्न सऊद को जब किसी नवीन स्त्री से विवाह करना होता था तो वह अपनी पहली चार पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे देता था। इस प्रकार उसने चार पत्नियों की मर्यादा का पालन करते हुए भी सौ से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह किया। कुछ अन्य जातियों में सरदारों द्वारा अपने समाज की इतनी अधिक स्त्रियों पर अधिकार कर लिया जाता है कि कुछ निर्धन युवा पुरुष विवाह के लिये वधू नहीं प्राप्त कर सकते। आस्ट्रेलिया की कुछ जातियों में ऐसे पुरुष को कई स्त्रियाँ रखनेवाले व्यक्ति को चुनौती देकर उससे पत्नी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। बहुभार्यता का एक विशेष रूप श्याली विवाह (सोरोरल sororal पोलिजिनी) अर्थात् एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी की बहिनो से विवाह करना है। इसमें बड़ा लाभ संभवतः सौतिया-डाह का कम होना तथा बहिनों का प्रेमपूर्वक मिलकर रहना है। यह प्रथा अमरीका के रेड इंडियनों में बहुत मिलती है।

बहुभर्तृता अथवा एक स्त्री से अनेक पुरुषों के विवाह का सुप्रसिद्ध प्राचीन भारतीय उदाहरण द्रौपदी का पाँच पादवों के साथ विवाह है। यह परिपाटी अब भी भारत के अनेक प्रदेशों—सहाब में, पंजाब के कांगड़ा जिले के र्पाती लाहौल परगनों में, चंबाकु, कुल्लू और मंडी के ऊँचे प्रदेशों में रहनेवाले कानेतों में, देहरादून जिले के जोनसार बाबर में, दक्षिण भारत में मलाबार के नायरो में, नीलगिरि के टोडों, कुर्बों और कोटो में पाई जाती है। भारत से बाहर यह कुछ दक्षिणी अमरीकन इंडियन जातियों में मिलती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहले प्रकार में एक स्त्री के पति आपस में सगे या मातेले भाई होते हैं। इसे अत्रातृक बहुभर्तृता कहते हैं। द्रौपदी के पाँचों पति भाई थे। आजकल इस प्रकार की बहुभर्तृता देहरादून जिले में जीनमार बाबर के खस लोगों में तथा नीलगिरि के टोडों में पाई जाती है। बड़े भाई के शादी करने पर उसकी पत्नी सब भाइयों की पत्नी समझी जाती है। इसके दूसरे प्रकार में एक स्त्री के अनेक पतियों में भाई का संबंध या अन्य कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता। इसे अत्रातृक या मातृमत्ताक बहुभर्तृता कहते हैं। मलाबार के नायर लोगों में पहले इस प्रकार की बहुभर्तृता का प्रचलन था।

बहुभर्तृता के उत्पादक कारणों के संबंध में समाजशास्त्रियों तथा नृवंशशास्त्रियों में प्रबल मतभेद है। वेस्टरमार्क ने इसका प्रधान कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संख्या में कम होना बताया है। उदाहरणार्थ नीलगिरि के टोडों में बालिकावध की कुप्रथा के कारण एक स्त्री के पीछे दो पुरुष हो गए, अतः वहाँ बहुभर्तृता का प्रचलन स्वाभाविक रूप से हो गया। किंतु राबर्ट ब्रिफास्ट ने यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की कमी इस प्रथा का एकमात्र कारण नहीं है। तिब्बत, सिक्किम, लद्दाख, लाहौल, आदि बहुभर्तृक प्रथावाले प्रदेशों में स्त्री पुरुषों की संख्या में कोई बड़ा अंतर नहीं है। कनिंघम के मतानुसार लद्दाख में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अतः सुमनेट, लोई, बेल्थू आदि विद्वानों ने इसका प्रधान कारण निर्धनता को माना है। सुमनेट ने इसे तिब्बत के

उदाहरण से पुष्ट करते हुए कहा है कि वहाँ पैदावार इतनी कम होती है कि एक पुरुष के लिये कुटुंब का पालन संभव नहीं होता, अतः कई पुरुष मिलकर पत्नी रखते हैं। इससे बच्चे कम होते हैं, जनसंख्या मर्यादित रहती है और परिवार की भूसंपत्ति विभिन्न भाइयों के बँटवारे से विभक्त नहीं होती।

एक विवाह की प्रथा मानव समाज में सबसे अधिक प्रचलित और सामान्य परिपाटी है। जिन समाजों में बहुभार्यता की प्रथा है, उनमें भी यह प्रथा प्रचलित है क्योंकि बहुभार्यता की प्रथा का पालन प्रत्येक समाज में बहुत थोड़े व्यक्ति ही करते हैं। उदाहरणार्थ ग्रीनलैंड वासियों को बहुभार्यतावादी समाज कहा जाता है, किंतु क्राज को इस प्रदेश में २० में से एक पुरुष ही दो स्त्रियों से विवाह करनेवाला मिला याने वहाँ केवल पाँच प्रति शत पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह के नियम का पालन करनेवाले थे। एकविवाह की व्यवस्था का प्रचलन सबसे अधिक होने का बड़ा कारण यह है कि अधिकांश समाजों में स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुपात लगभग समान होता है और एक विवाह की व्यवस्था अधिकतम नरनारियों के लिये जीवनसाथी प्रस्तुत करती है। युद्ध, कन्यावध की दारुण प्रथा तथा काम घंषों की जोखिम स्त्रीपुरुषों की सख्या के मतुलन को कुछ हद तक बिगाड़ देते हैं, किंतु प्रायः यह संतुलन बना रहता है और एकविवाह की व्यवस्था में सहायक होता है, क्योंकि यह अधिकतम व्यक्तियों को विवाह का अवसर प्रदान करता है। सभ्यता की उन्नति एत प्रगति के साथ कई कारणों से यह प्रथा अधिक प्रचलित होने लगती है : पहला कारण यह होता है कि बड़ा परिवार आर्थिक दृष्टि से बोझ बन जाता है। घरेलू पशुधो, नवीन औजारों तथा मशीनों के आविष्कार के कारण पत्नी की मजदूर के रूप में काम करने की उपयोगिता कम हो जाती है। मतान की प्रबल आकांक्षा में क्षीणता धाना तथा सामाजिक गरिमा और प्रतिष्ठा के नए मानदंडों का विकास होना भी इसमें सहायक होता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के प्रति समान की भावना का विकास, स्त्रियों की उच्च शिक्षा और दास्य प्रेम के नवीन आदर्शों का विकास तथा सौतियाडाह के ऋणों से छुटकारा भी एकविवाह को समाज में लोकप्रिय बनाते हैं। पश्चिमी जगत् में आजकल एकविवाह का नियम सार्वभौम है। हिंदू समाज में संतानप्राप्ति आदि के उद्देश्य पूर्ण करने के लिये प्राचीन शास्त्रकारों ने पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति दी थी किंतु १९५५ के हिंदू विवाह कानून ने इस पुगनी व्यवस्था का अंत करते हुए एकविवाह के नियम को आवश्यक बना दिया है।

### वैवाहिक विधियाँ

लगभग सभी समाजों में विवाह का संस्कार कुछ विशिष्ट विधियों के साथ संपन्न किया जाता है। यह नरनारी के पतिपत्नी बनने की घोषणा करता है, सबंधियों को संस्कार के समारोह में बुलाकर उन्हें इस नवीन दास्य सबंध का साक्षी बनाया जाता है, धार्मिक विधियों द्वारा इसे कानूनी मान्यता और सामाजिक सहमति प्रदान की जाती है। वैवाहिक विधियों का प्रधान उद्देश्य नवीन संबंध का विज्ञापन करना, इसे सुखमय बनाना तथा नानाप्रकार के अनिष्टों से इसकी रक्षा करना है। विवाह संस्कार की

विधियों में विस्मयावह वैविध्य है। किंतु इन्हें चार बड़े वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में वर वधु की स्थिति में भानेवाले परिवर्तन को सूचित करनेवाली विधियाँ हैं। विवाह में कन्यादान कन्या के पिता से पति के नियंत्रण में जाने की स्थिति को चोित्त करता है। इंग्लंड, फ्लेस्टाइन, जावा, चीन में वधु को नए घर की देहली में प्रवेश के समय उठाकर ले जाना वधुद्वारा घर के परिवर्तन को महत्वपूर्ण बनाना है। स्काटलैंड में वधु के पीछे पुराना जूता यह सूचित करने के लिये फेंका जाता है कि अब पिता का उसपर कोई अधिकार नहीं रहा। दूसरे वर्ग की विधियों का उद्देश्य दुष्प्रभावों को दूर करना है। यूरोप और अफ्रीका में विवाह के समय दुष्टात्माओं को मार भगाने के लिये बाण फेंके जाते हैं और बूँदों छोड़ी जाती हैं। दुष्टात्माओं का निवासस्थान अंधकारपूर्ण स्थान होते हैं और विवाह में अग्नि के प्रयोग से इनका विद्रावण किया जाता है। विवाह के समय वर द्वारा तलवार आदि का धारण, इंग्लैंड में वधु द्वारा दुष्टात्माओं को भगाने में समर्थ समझी जानेवाली षोड़े की नाल ले जाने की विधि का कारण भी यही समझी जाता है। तीसरे वर्ग में उर्वरता की प्रतीक और संतानसमृद्धि की कामना को सूचित करनेवाली विधियाँ आती हैं। भारत, चीन, मलाया में वधु पर चावल, धनाज तथा फल डालने की विधियाँ प्रचलित हैं। जिस प्रकार अन्न का एक दाना बीसियों नए दाने पैदा करता है, उसी प्रकार वधु से प्रचुर संख्या में संतान उत्पन्न करने की आशा रखी जाती है। स्लाव देशों में वधु की गोद में इसी उद्देश्य से लड़का बैठाया जाता है। चौथे वर्ग की विधियाँ वर वधु की एकता और अभिन्नता को सूचित करती हैं। दक्षिणी सेलीबीज में वरवधु के वस्त्रों को सीकर उनपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है। भारत और ईरान में प्रचलित अग्निबंधन की पद्धति का भी यही उद्देश्य है।

### विवाह की अवधि तथा तलाक

इस विषय में मानव समाज के विभिन्न भागों में बड़ा वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। वेस्टरमार्क के मतानुसार सभ्यता के निम्न स्तर में रहने वाली, आखेट तथा आरंभिक कृषि से जीवनयापन करनेवाली, श्रीलंका की बेटा तथा अंडेमान आदिवासी जातियों में विवाह के बाद पतिपत्नी मृत्यु पर्यंत इकट्ठा रहते हैं और इनमें तलाक नहीं होता। जिन समाजों में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है, उनमें प्रायः विवाह अविच्छेद्य संबंध माना जाता है। हिंदू एवं रोमन कथोलिक इसाई समाज इसके सुंदर उदाहरण हैं। किंतु विवाहविच्छेद या तलाक के नियमों के संबंध में अत्यधिक भिन्नता होने पर भी कुछ मौलिक सिद्धांतों में समानता है। विवाह मुख्य रूप से संतानप्राप्ति एवं दांपत्य संबंध के लिये किया जाता है, किंतु यदि किसी विवाह में ये प्राप्त न हों तो दांपत्य जीवन को नारकीय या विफल बनाने की अपेक्षा विवाहविच्छेद की अनुमति दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से तलाक का अधिकार अनेक प्रतिबंधों के साथ विशेष व्यवस्था में ही दिया जाता है। तलाक का मुख्य आधार अविचार है क्योंकि यह वैवाहिक जीवन के मूल पर ही कुठाराघात करनेवाला है।

इसके प्रतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं (देखो 'हिंदू विवाह अधिनियम १९५५')।

**विवाह का अविध्य** — प्लेटो के समय से विचारक विवाहप्रथा की समाप्ति की तथा राज्य द्वारा बच्चों के पालन की कल्पना कर रहे हैं। वर्तमान समय के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक परिवर्तनों से तथा पश्चिमी देशों में तलाकों की बढ़ती हुई अयावह संख्या के आभास पर विवाह की संस्था के लोप की अविध्यवाणी करनेवालों की कमी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय विवाह के परंपरागत स्वरूपों में कई कारणों से बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। विवाह को धार्मिक बंधन के स्थान पर कागज़ी बंधन तथा पतिपत्नी का निजी मामला मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति और शिक्षा के प्रसार से स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बन रही हैं। पहले उनके सुखमय जीवनयापन का एकमात्र साधन विवाह था, अब ऐसी स्थिति नहीं रही। विवाह और तलाक के नवीन कागज़ी दांपत्य अधिकारों में नरनारी के अधिकारों को समान बना रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था में शिथिलता और गर्भनिरोध के साधनों के आविष्कार ने विवाह विषयक पुरानी मान्यताओं को, प्रावैवाहिक सतीत्व और पवित्रता को गहरा धक्का पहुँचाया है। किंतु ये सब परिवर्तन होते हुए भी अविध्य में विवाहप्रथा के बने रहने का प्रबल कारण यह है कि इससे कुछ ऐसे प्रयोजन पूरे होते हैं, जो किसी अन्य साधन या संस्था से नहीं हो सकते। पहला प्रयोजन वंशवृद्धि का है। यद्यपि विज्ञान ने कृत्रिम गर्भाधान का आविष्कार किया है किंतु कृत्रिम रूप से शिशुओं का प्रयोगशालाओं में उत्पादन और विकास संभव प्रतीत नहीं होता। दूसरा प्रयोजन संतान का पालन है, राज्य और समाज शिशुशालाओं और बालोद्यानों का कितना ही विकास कर ले, उनमें इनके सर्वांगीण समुचित विकास की वैसी व्यवस्था संभव नहीं, जैसी विवाह एवं परिवार की संस्था में होती है। तीसरा प्रयोजन सच्चे दांपत्य प्रेम और सुखप्राप्ति का है। यह भी विवाह के प्रतिरिक्त किसी अन्य साधन से संभव नहीं। इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिये अविध्य में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था बनी रहेगी, भले ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहें।

सं० अं० — वेस्टरमार्क : हिस्ट्री ऑव ह्यूमन मैरिज, ३रा खंड; हरिदत्त वेदालकार : हिंदू विवाह का इतिहास। [ह० द० वे०]

### हिंदू विवाह अधिनियम १९५५

सृष्टिकाल से ही हिंदुओं में विवाहको एक पवित्र संस्कार माना गया है और हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ में भी इसको इसी रूप में बनाए रखने की चेष्टा की गई है। किंतु विवाह, जो पहले एक पवित्र एवं अद्वैत बंधन था, अधिनियम के अंतर्गत, ऐसा नहीं रह गया है। कुछ विधिविचारकों की दृष्टि में यह विचारधारा अब शिथिल पड़ गई है। अब यह जन्म जन्मांतर का संबंध अथवा बंधन नहीं बरन् विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, (अधिनियम के अंतर्गत) वैवाहिक संबंध विघटित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा १० के अनुसार न्यायिक पृथक्करण निम्न आधारों पर न्यायालय से प्राप्त हो सकता है :

त्याग २ वर्ष, निर्दयता (धारीरिक एवं मानसिक), कुष्ठ रोग (१ वर्ष), रतिज्वर (३ वर्ष), विकृतिमन (२ वर्ष)

तथा परपुष्प प्रथवा पर-स्त्री-गमन ( एक बार में भी ) अधिनियम की धारा १३ के अनुसार — संसर्ग, गर्भपरिवर्तन, पागलपन ( ३ वर्ष ), कुष्ठ रोग ( ३ वर्ष ), रतिज रोग ( ३ वर्ष ), संन्यास, मृत्यु, निष्कर्ष ( ७ वर्ष ) पर नैवायिक पुष्पकरण की डिक्की पास होने के दो वर्ष बाद तथा दांपत्याधिकार प्रदान करनेवाली डिक्की पास होने के दो साल बाद 'संबंधविच्छेद' प्राप्त हो सकता है ।

स्त्रियों को निम्न धाराओं पर भी संबंधविच्छेद प्राप्त हो सकता है; यथा—द्विविवाह, बलात्कार, पुंमैथुन तथा पशुमैथुन । धारा ११ एवं १२ के अंतर्गत न्यायालय 'विवाहशून्यता' की घोषणा कर सकता है । विवाह प्रकृतिहीन घोषित किया जा सकता है, यदि दूसरा विवाह संपिंड और निषिद्ध गोत्र में किया गया हो ( धारा ११ ) ।

नपुंसकता, पागलपन, मानसिक दुर्बलता, झूल एवं कपट से अनुमति प्राप्त करने पर या पत्नी के अन्य पुरुष से ( जो उसका पति नहीं है ) गर्भवती होने पर विवाह विवर्ज्य घोषित हो सकता है । ( धारा १२ ) ।

अधिनियम द्वारा अब हिंदू विवाह प्रणाली में निम्नांकित परिवर्तन किए गए हैं :

(१) अब हर हिंदू स्त्रीपुरुष दूसरे हिंदू स्त्रीपुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो । (२) एकविवाह तय किया गया है । द्विविवाह अमान्य एवं दंडनीय भी है । (३) न्यायिक पुष्पकरण, विवाह-संबंध-विच्छेद तथा विवाहशून्यता की डिक्की की घोषणा की व्यवस्था की गई है । (४) प्रकृतिहीन तथा विवर्ज्य विवाह के बाद और डिक्की पास होने के बीच उत्पन्न संतान को वैध घोषित कर दिया गया है । परंतु इसके लिये डिक्की का पास होना आवश्यक है । (५) न्यायालयों पर यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रथम प्रयास करें । (६) वाद के बीच या संबंधविच्छेद पर निर्वाहव्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है । तथा (७) न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख रेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था करे ।

विधिवेत्ताओं का यह विचार है कि हिंदू विवाह के सिद्धांत एवं प्रथा में परिवर्तन करने की जो आवश्यकता उपस्थित हुई है उसका कारण संभवत यह है कि हिंदू समाज अब पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से अधिक प्रभावित हुआ है ।

अधिनियम में नई विचारधाराओं को ग्रहण करने का प्रयास तो सुंदर किया गया है किंतु उससे अनेक जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं । इसलिये यह अनुभव किया जा रहा है कि हिंदू समाज उनको अपने मन में किञ्चक रहा है । [ कै० च० श्री० ]

**विवृतबीज (Gymnosperms)** वनस्पति जगत् का एक अत्यंत पुराना वर्ग है । यह टेरिडोफाइट (Pteridophyta) से अधिक जटिल और विकसित है और प्राकृतबीज (Angiosperm) से कम विकसित तथा अधिक पुराना है । इस वर्ग की प्रत्येक जाति ११-१५

या प्रजाति में बीज नग्न रहते हैं, अर्थात् उनके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता । पुराने वैज्ञानिकों के विचार में यह एक प्राकृतिक वर्ग माना जाता था, पर अब नग्न बीज होना ही एक प्राकृतिक वर्ग का कारण बने, ऐसा नहीं भी माना जाता है । इस वर्ग के अनेक पौधे पृथ्वी के गर्भ में दबे या फॉसिल के रूपों में पाए जाते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि ऐसे पौधे लगभग चालिस करोड़ वर्ष पूर्व से ही इस पृथ्वी पर उगते चले आ रहे हैं । इनमें से अनेक प्रकार के तो अब, या लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ही, लुप्त हो गए और कई प्रकार के अब भी घने और बड़े जंगल बनाते हैं । चीड़, देवदार आदि बड़े वृक्ष विवृतबीज वर्ग के ही सदस्य हैं ।


इस वर्ग के पौधे बड़े वृक्ष या साइकस (cycas) जैसे छोटे, या ताड़ के ऐसे, अथवा झाड़ी की तरह के होते हैं । सिकोया जैसे बड़े वृक्ष (३५० फुट से भी ऊंचे), जिनकी आयु हजारों वर्ष की होती है, वनस्पति जगत् के सबसे बड़े और भारी वृक्ष हैं । वैज्ञानिकों ने विवृतबीजों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है । वनस्पति जगत् के दो मुख्य भ्रंग हैं : क्रिप्टोगैम (Cryptogams) और फेनरोगैम (Phanerogams) । फेनरोगैम बीजधारी होते हैं और इनके दो प्रकार हैं : विवृतबीज और आवृतबीज, परंतु आज-कल के वनस्पतिज्ञ ने वनस्पति जगत् का कई अन्य प्रकार का वर्गीकरण करना आरंभ कर दिया है, जैसे (१) वैस्कुलर पौधे (Vascular) या ट्रेकियोफाइट (Tracheophyta) और (२) एवैस्कुलर या नॉन वैस्कुलर (Avascular or nonvascular) या एट्रेकियोफाइट (Atracheophyta) वर्ग । वैस्कुलर पौधों में जल, लवण इत्यादि के लिये बालू जतक होते हैं । इन पौधों को (क) लाइकोप्सिडा (Lycopside), (ख) स्फीनोप्सिडा (Sphenopsida) तथा (ग) टिरोप्सिडा (Pteropsida) में विभाजित करते हैं । टिरोप्सिडा के अंतर्गत अन्य फर्न, विवृतबीज तथा आवृतबीज रखे जाते हैं ।

विवृत बीज के दो मुख्य उपप्रभाग हैं (१) साइकाडोफाइट (Cycadophyta) और (२) कोनिफेरोफाइट (Coniferophyta) । साइकाडोफाइट में मुख्य तीन गण हैं : (क) ट्रेडोस्पर्मेलीज या साइकाडोफिलिकेलीज (Pteridospermales or Cycadofilicales), (ख) बेनीटिटेलीज या साइकाडोफाइलिकेलीज (Bennettiales or Cycadeoidales) और (ग) साइनाडेलीज (Cycadales) । कोनिफेरोफाइट में चार मुख्य गण हैं : (क) कॉर्डेटेलीज (Cordaitelles), (ख) गिगोएलीज (Ginkgoales), (ग) कोनीफेरेलीज (Coniferales) और (घ) नीटेलीज (Gnetales) । इनके अतिरिक्त और भी जटिल और ठीक से नहीं समझे हुए गण पेंटोजॉइलेलीज (Pentoxylales), कायटोनियेलीज (Caytoniales) इत्यादि हैं ।

टेरिडोस्पर्मेलीज, या साइकाडोफिलिकेली — इस गण के अंतर्गत आनेवाले पौधे भूवैज्ञानिक काल के कार्बनी (Carboniferous) युग में, लगभग २५ करोड़ वर्ष से भी पूर्व के जमाने में, पाए जाते थे । इस गण के पौधे शुरु में फर्न समझे गए थे, परंतु इनमें

बीज की खोज के बाद इन्हें टेग्निडोस्पर्म कहा जाने लगा। पुराबीज कल्प के टेग्निडोस्पर्म तीन काल में बाँटे गए हैं। (१) लिजिनॉप्टेरिडिड (Lyginopteridaceae), (२) मेडुलोसैसिड (Medullosaceae) और कैलामोपिटिडिड (Calamopityaceae)।

लिजिनॉप्टेरिडिड की मुख्य जाति कालिमाटोथीका हाणिगवासी (Calymmatotheca hoeninghansi) है। इसके तने को लिजिनॉप्टेरिस (Lyginopteris) कहते हैं, जो तीन या चार सेंटीमीटर मोटा होता था। इसके अंदर मज्जा (pith) में काले कड़े ऊतक गुच्छे, जिन्हें स्क्लेरॉटिक नेस्ट (Sclerotic nest) कहते हैं, पाए जाते थे। बाह्य बल्कुट (cortex) भी विशेष प्रकार से मोटे और पतले होते थे। तनों में निकलनेवाली पत्तियों के डंठल में विशेष प्रकार के समुच्चय (capitate hair) पाए जाते थे। इनपर लगनेवाले बीज मुख्यतः कैलिनोस्टोमा लोमेषसाइ (Lagenostoma lomaxi) कहलाते हैं। ये छोटे गोल (आधा सेंटीमीटर के बराबर) आकार के थे, जिनमें परागकण एक परागकोश में एकटूटे रहते थे। इस स्थान पर एक पलास्क के आकार का भाग, जिसे कैलिनोस्टोम कहते हैं, पाया जाता था। अध्यावरण (integument) और बीजांडकाय (nucellus) आपस में जुटे रहते थे। बीज एक प्रकार के प्याले के आकार की प्यालिका (cupule) से घिरा रहता था। दग प्यालिका के बाहर भी उसी प्रकार के समुच्चय, जैसे तने और पत्तियों के डंठल पर उगते थे, पाए जाते थे। अन्य प्रकार के बीजों को कोनोस्टोमा (Conostoma) और फाइसोस्टोमा (Physostoma) कहते हैं। लिजिनॉप्टेरिस के परागकोश पुंज (pollen bearing organ) को क्रॉसोथीका (Crossotheca) और टैलैजियम (Telangium) कहते हैं। क्रॉसोथीका में निचले भाग चौड़े तथा ऊपर के पतले होते थे। टैलैजियो जैसे पत्तियों के निचले भाग पर, नीचे की ओर



दिशारे में दो पत्तियों में परागकोश लटकते रहते थे। टैलैजियम में परागकोश ऊपर की ओर मध्य में निकलते थे।

कुछ नई खोज द्वारा लिजिनॉप्टेरिस के अनिश्चित अन्य तने भी पाए गए हैं, जैसे कैलिस्टोफाइटाइन (Callistophyton), शाप फिगस्ट्रम (Schopfiastrum), या पत्तों से जाना हुआ हेरैरिजियम (Heterangium)। इन सभी तनों में बाह्य बल्कुट में विशेष प्रकार से स्क्लेरेनकाइमेटस (sclerenchymatous) धागे (strands) पाए जाते हैं।

मेडुलोसैसिड (Medullosaceae) का मुख्य पौधा मेडुलोजा (Medullosa) है, जिसकी अनेकानेक जातियाँ पाई जाती थीं। मेडुलोजा की जातियों के तने बहुरंगी (polystelic) होते थे। स्टिवार्ट (Stewart) और डेलवोरियस (Delevoryas) ने सन् १९५६ में मेडुलोजा के पौधे के भागों को जोड़कर एक पूरे पौधे का आकार दिया है, जिसे मेडुलाजा नोइ (Medullosa noei)

कहते हैं। यह पौधा लगभग १५ फुट ऊँचा रहा होगा तथा इसके तने के निचले भाग में बहुत सी जड़ें निकलती थीं। मेडुलोजा में परागकोश के पुंज कई प्रकार के पाए गए हैं, जैसे डॉलिरोथीका (Dole-rotheca), व्हिटलेसिया (Whittleseyia), कोडोनोथीका (Codonotheca), ऑलिकोथीका (Aulacotheca) और एक नई खोज गाल्टाबर्गिया (Goldenbergia)। डॉलिरोथीका एक घटी के आकार का था, जिसके किनारे की दीवार पर परागपुंज लबाई में लगे होते थे। ऊपर का भाग दाँतेदार होता था। कोडोनोथीका में ऊपर का भाग न होकर, अगुली की तरह ऊँचा निकला भाग होता था। मेडुलाजा के बीज लंबे गोल होते थे, जो बाज्रगण ट्राइगोनोकार्पेलीज (Trigonocarpales) में रखे जाते हैं। इनमें ट्राइगोनोकार्पस (Trigonocarpus) मुख्य है। अन्य बीजों के नाम इस प्रकार हैं : पैक्योटेस्टा (Pachytesta) और स्टीफेनोस्पर्मम (Stephanospermum)।

कैलामोपिटिडिड (Calamopityaceae) कुल ऐसे तनों के समूह से बना है जिन्हें अन्य टेग्निडोस्पर्मस में स्थान नहीं प्राप्त हो सता। इनमें मुख्यतः सान प्रकार के तने हैं, जिनमें कैलामोपिटिस (Calamopitys), स्टीनोमाइलान (Stenomyelon) और स्फेनोक्साइलान (Sphenoxylon) अधिक महत्वपूर्ण हैं। मीसोजोइक टैगोसोस्पर्म (Mesozoic pteridosperm) के पौधे पैन्टेस्पर्मसिड (Peltaspermaceae) और कोरिस्टोस्पर्मसिड (Corystospermaceae) कुलों में रखे जाते हैं। ये ६ करोड़ से १८ करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उगते थे। इनके अवशेष कोले या कुछ चिन्ह के रूप में मिलते हैं। इनके कुछ मुख्य पौधों के नाम इस प्रकार हैं : लेपिडोप्टेरिस (Lepidopteris), उम्कोमेसिया (Umkomasia), पैलोफोरोस्पर्मम (Pleophorospermum), स्पर्मैटोकोडॉन (Spermatocodon), टेरुचुस (Pteruchus), ज़ुबेरिया (Zuberia) इत्यादि।

टेग्निडोस्पर्मलीज में मिनत जुलते ही एक कुल काइटोनियेसी (Caytoniaceae) को भी गणना का पद दिया गया है और इसे काइटोनियेसीज (Caytoniales) कहते हैं। इसके पौधे काइटोनिया (Caytonia) को शुरू में आवृतबीज समझा गया था, परंतु फिर अंधित अनुसंधान पर इन्हें विवृतबीज पाया गया।

इसके तना का एक छोटा टुकड़ा मिला है, जिसे कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। पत्ती को सैजिनॉप्टेरिस (Sagenopteris) कहते हैं, जो एक स्थान से चार की संख्या में निकलती है। पत्ती की गिराई जाना जैसा आकार बनानी है। इनमें रंधों (stomata) के किनारे के कोश हैप्लोकीलिक (haplocheilic) प्रकार के होते हैं। परागकण चार या तीन के गुच्छों में लगे होते हैं, जिन्हें काइटोमैन्थस (Caytonanthus) कहते हैं। परागकण में दो हवा भरे, फूले, बैलून जैसे आकार के होते हैं। बीज की फल से तुलना की जाती है। ये गोल आकार के होते हैं और इनके अंदर कई बीजांड (ovules) लगे होते हैं।

बेनेट्टिटेलीज या साइकाडिफॉइडेलीज (Bennettitales or Cycadcondales) गण को दो कुलों में विभाजित किया गया है :

( १ ) विलियमसोनियेसिई ( *Williamsoniaceae* ) और ( २ ) साइकाडिआइडेसिई ( *Cycadeoidaceae* ).

विलियमसोनियेसिई कुल का सबसे अधिक प्रचुरी तरह समझा हुआ पौधा विलियमसोनिया सीवार्डियाना (*Williamsonia scwardiana*) का रूपकरण (reconstruction) भारत के प्रख्यात वनस्पति विज्ञानी स्व० बरिबल साहनी ने किया है। इसके तने को बालडिया इंडिका (*Bucklandia indica*) कहते हैं। इसमें मे कड़ी कड़ी पर शाखाएँ निकलती थीं, जिनमें प्रजनन हेतु अणु पैदा होते थे। मुख्य तने तथा शाखा के सिरों पर बड़ी पत्तियों का समूह होता है, जिसे टाइलोफिलम कटचेनसी (*Tilophyllum cutchense*) कहते हैं। नर तथा मादा फूल भी इस क्रम में रखे गए हैं जिनमें विलियमसोनिया स्कॉटिका (*Williamsonia scotica*) तथा विलियमस्पेक्टैबिलिस (*W. spectabilis*), विलियमसेंटेलेमिस (*W. santalensis*) इत्यादि हैं। इसके प्रतिरिक्त विलियमसोनियेला (*Williamsoniella*) नामक पौधे का भी काफी अध्ययन किया गया है।

साइकाडिआइडेसी कुल में मुख्य वण साइकाडिआइडिया (*Cycadeoidae*), जिसे बेनीटिस (*Bennettites*) भी मानते हैं, पाया जाता था। करोड़ों वर्ष पूर्व पाए जानेवाले इन पौधे का फासिल सजावट के लिये कमरों में रखा जाता है। इनके तने बड़े छोटे और नक्काशीदार होते थे। प्रजननहेतु अणु विविध प्रकार के होते थे। सा० वीलैंडी (*C. Wielandi*), सा० इनजेन्टा (*C. ingens*), सा० डकोटेनसिस (*C. dacotensis*) इत्यादि मुख्य स्तंभ बनाने वाले भाग थे। इस कुल की पत्तियों में रेश मिट्टी-नीलिक (*syndetochelic*) प्रकार के होते थे जिनमें यह विद्युतबीज के अणु पौधों से भिन्न हो गया है और विद्युतबीज के पौधों से भिन्न बनता है। इस गण के भी सभी सदस्य लाखों वर्ष पूर्व ही लुप्त हो चुके हैं। ये लगभग २० करोड़ वर्ष पूर्व पाए जाते थे।

साइकाडेलीज गण के नौ वंश आज कल भी मिलते हैं, इनके प्रतिरिक्त अन्य सब लुप्त हो चुके हैं।

आज कल पाए जानेवाले साइकैड (*cycad*) में पानियों के पूर्वार्ध में पाए जाते हैं और चार पश्चिमी भाग में। पूर्व के पानियों में साइकस सर्वव्यापी है। यह छोटा मोटा ताड़ जैसा पौधा होता है और बड़ी पत्तियाँ एक झुंड में तने के ऊपर से निकलती हैं। पत्तियाँ प्रजननवाले अंगों को धरे रहती हैं। अन्य चार भाग किसी एक भाग में ही पाए जाते हैं, जैसे मैक्रोजेमिया (*Macrozamia*) की कुल १४ जातियाँ और बोवीनिया (*Bowenia*) की एकमात्र जाति ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। एनसेफैलॉर्टस (*Encephalartos*) और स्टैन्जीरिया (*Stangeria*) दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है।

पश्चिम में पाए जानेवाले वंश में जेमिया (*Zamia*) अधिक विस्तृत है। इसके प्रतिरिक्त साइकोसाइकस (*Microcycas*) सिर्फ पश्चिमी क्यूबा, सिरैटोजेमिया (*Ceratozamia*) और डियून (*Dioon*) दक्षिण में ही पाए जाते हैं। इन सभी वंशों में मे भारत में भी पाया जानेवाला साइकस का वंश प्रमुख है।

साइकस भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में स्वतः तथा ब्राइकायो में उगता है। इसकी मुख्य जातियाँ साइकस पेक्टिनेटा (*Cycas pectinata*), सा० सर्सिनेलिस (*C. circinalis*), सा० रिवोल्यूटा (*C. revoluta*), इत्यादि हैं। इनमें एक ही लता होता है। पत्ती लगभग एक मीटर लम्बी होती है। इस पौधे से एक विश्व प्रभार की जड़, जिसे पथालाश मूल (*Coralloroot*) कहते हैं, निकलती है। इस जड़ के भीतर एक गन्धक भरे हुए नीले शीवाल निवास करते हैं। तने माटे होते हैं, परन्तु लकड़ी की भाँति। इन तनों के अंकुश के अंदर से नाबूदाना बनानेवाला पदार्थ निराना जाता है, जिससे नाबूदाना बनाया जाता है। पत्तियों में घुसने वाली



चित्र २ साइकस का पौधा

नलिका जैसे में स्तम्भ में निहित कर डउन में आती है, जहाँ कई सक्कल मूल (*vascular bundle*) पाए जाते हैं। पत्तियों के आकार और अंदर की बनावट में पाना चलता है कि ये जल को गन्धक रखने में सहायक हैं; रज्जुमय निबले भाग ही मे घुसी हुई रक्षा में पाया जाता है। प्रजनन दो प्रकार के कोन (*cone*) या शुकु द्वारा होता है। लघु बीजाणु (*microspore*) पैदा करनेवाले माइक्रोस्पैरोफिल के अंगों से तथा बड़े कोन, या नर शुकु (*male cone*, प्रो० बड़े बीजाणु (*ovule*) वाले नर बीजाणु अंग (*megasporophyll*) के मज्जु मादा कोन (*female cone*), या मादा शुकु बनते हैं। समस्त प्रजनन तन्त्रा के बीजाणु में सबसे बड़ा बीजाणु साइकस में ही पाया जाता है। यह नाल रण का होता है। इनमें अध्यावरण के तीन परत होते हैं, जिनके तीसरे बीजाणु-काय और मादा युग्मकोद्भिद (*female gametophyte*) होता है। आर्केगैमैटो (*archegonium*) ऊपर की ओर होता है और परागकण बीजाणुद्वारा (*microspyle*) के नाम से से होकर, परागकण तन्त्र पहुँच जाता है। गर्भाधान के पश्चात् बीज बनता है। परागकण में वा शुक्राणु (*sperm*) निकलते हैं, जो पैरामिथा (*cilia*) द्वारा तैरते हैं।



चित्र ३ साइकस का मेगास्पैरोफिल

पेटागिजलेलीज एक ऐसा अतिविचल वर्ग है जो साइकाडोफाइटा तथा कोनीफेरोफाइटा दोनों में मिलता जुलता है। इस कारण इसे यहाँ उपर्युक्त दोनों वर्गों के मध्य में ही लिखा जा रहा है। यह अणु गण के स्तर पर रखा जाता है। इस गण की बीज

भारतीय वनस्पतिशास्त्री आचार्य बीरबल साहनी ने की है। इसके अंतर्गत आनेवाले पीधो, या उनके अंगों के फॉसिल बिहार प्रदेश के राजमहल की पहाड़ियों के पत्थरों में दबे मिले हैं। तने को पेंटोबाइलान (Pentoxylon) कहते हैं, जो कई सेंटीमीटर मोटा होता था और इसमें पाँच रंभ (stoles) पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त राजमहल के ही इलाके में निपानिया ग्राम से प्राप्त तना निपानियोजाइलान (Nipanioxylon) भी इसी गण में रखा जाता है। इस पीधे की पत्ती को निपानियोफिलम (Nipaniophyllum) कहते हैं, जो एक चौड़े पट्टे के आकार की होती थी। इसका रभ प्रावृतबीज की तरह सिन्डेटोकेलिक (syndetocheilic) प्रकार का होता है। बीज की दो जातियाँ पाई गई हैं, जिन्हें कारनोकोनाइटिस कॉम्पैक्टम (Carnoconites compactum) और का० लेक्सम (C. laxum) कहते हैं। बीज के साथ किसी प्रकार के पत्र इत्यादि नहीं लगे होते। नर फूल को सहानिया (Sahania) का नाम दिया गया है।

कोनीफेरोफाइटा का प्रथम गण कॉर्डैडेटेलीज (cordaites) है, जो साइकोडोफाइटा के पीधों से कहीं बड़े और विशाल वृक्ष हुआ करते थे। पृथ्वी पर प्रथम वृक्षीय जंगल इन्हीं कारडाइटीज के ही थे, जो टेरिडोस्पर्म की तरह, २५ करोड़ वर्ष से पूर्व, इस धरती पर राज्य करते थे। इनकी ऊँचाई कभी कभी १०० फुट से भी अधिक होती थी। इन्हे तीन कुलों में विभाजित किया गया है: (१) पिटिई (Pityeac), (२) कारडाइटीई (Cordaiteae) और (३) पोरोजाइलीई (Poroxyloae)।

पिटिई मुख्यतः तने की अंदरूनी बनावट पर स्थापित किया गया है। इस कुल के पीधों में कौसी पत्ती या फूल थे, इसका ज्ञान अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। एक वंश कैलिजाइलान (Callixylon) का, अमीरका से प्राप्त कर, अच्छी तरह अध्ययन किया गया है, यह एक विशाल वृक्ष रहा होगा, जिसकी शाखा की चौड़ाई लगभग १७-१८ फुट की थी।

कॉर्डैडटी का मुख्य वंश कॉर्डैडिटिज (Cordaiteae) है। इसकी लकड़ी को कॉर्डियोबाइलान (Cordioxyloae) डैडो-जाइलान (Dadoxylon), जड़ को एमिलान (Amyelon), पुष्पगुच्छ को कॉर्डैडैथस (Cordaianthus) और बीज को कॉर्डैडैकार्पस (Cordaicarpus) और समारॉप्सिस (Samaropsis) कहते हैं। पत्ती भी लगभग ३-४ फुट लंबी और १ फुट चौड़ी होती थी। पत्ती के अंदर के ऊसकों की बनावट से ज्ञात होता है कि ये सूखे स्थानों पर उगते होंगे। कॉर्डैडिटिज के तने के मध्य का पिथ या मज्जा विशेष रूप से विवाम (discoid) लगता है। कॉर्डैडिटिज के फूल एकलिंगी होते थे, जो अधिकतर अलग अलग वृक्ष पर, या कभी कभी एक ही वृक्ष की अलग शाखा पर, लगे होते थे। कॉर्डैडैथस पेजोनी के पुंकेसर (stamen), एक शाखा से ३-४ की संख्या में, सीधे ऊपर निकलते हैं। परागकण में दो परतें होती हैं। मादा कोन एक कड़े स्तम्भ पर ऊपर की ओर लगा होता है।

पोरोजाइली कुल में सिर्फ एक ही प्रजाति पोरोजाइलीन है, जिसके तने में भीतर बृहत् मज्जा होती है।

कोनीफेरोफाइटा का दूसरा गण है, गिंगोएलीज (Ginkgoales)। यह मेसोडोइक युग से, अर्थात् लगभग ५-७ करोड़ वर्ष पूर्वसे, इस पृथ्वी पर पाया जा रहा है। उस समय में तो इसके कई वंश थे, पर आज कल सिर्फ एक ही जाति जीवित मिलती है। यह गिंगो बाइलोबा (Ginkgo biloba) एक अत्यंत सुंदर वृक्ष चीन देश में पाया जाता है। इसके कुछ इने गिने पीधे भारत में भी लगाए गए हैं। इसकी सुंदरता के कारण इसे 'मेडेन हेयर ट्री' (Maiden-hair tree) भी कहा जाता है।

फॉसिल जिंकगोएलीज में जिंकगोआइटीज (Ginkgoites) और बाइरा (Baiera) अधिक अध्ययन किए गए हैं। इनके अतिरिक्त ट्राइकोपिटिस (Trichopitys) सबसे पुराना सदस्य है। जिंकगो को वैज्ञानिकों ने शुरू में प्रावृतबीज का पीधा समझा था, फिर इसे विवृतबीज कोनिफेरेल् समझा गया, परंतु अधिक विस्तार से अध्ययन करने पर इसका सही आकार समझ में आया और इसे एक स्वतंत्र गण, गिंगोएलीज का स्तर दिया गया। यह वृक्ष छोटी अवस्था में काफी विस्तृत और चौड़े गोले आकार का होता है, जैसे आम के वृक्ष होते हैं, परंतु आयु बढ़ने से वह नुकीले पतले आकार का, कुछ बीड़ के वृक्ष या पिरामिड की शकल का हो जाता है। इसके तने, दो प्रकार के होते हैं। लंबे तने, जो बनावट में कोनीफेरोफाइटा की तरह होते हैं, और बौने प्ररोह (dwarf shoots), जो साइकोडोफाइटा जैसे अंदर के आकार के होते हैं। इनकी पत्ती बहुत ही सुंदर होती है, जो दो भागों में विभाजित होती है। पत्ती में नसें भी जगह जगह दो में विभाजित होती रहती हैं। नर और मादा कोन अलग अलग निकलते हैं। बीजांड के नीचे एक 'कॉलर' जैसा भाग होता है।

ऐसा अनुमान है कि इस गण के पीधे कॉर्डैडटी वर्ग से ही उत्पन्न हुए होंगे। इसमें नरयुग्मक तैरनेवाले होते हैं, जिससे यह साइकड से भी मिलता जुलता है। कुछ वैज्ञानिकों के विचार हैं कि ये पीधे सीधे टेरिडोफाइटा (Pteridophyta) से ही उत्पन्न हुए होंगे।

कोनीफेरेलीज गण, न केवल कोनीफेरोफाइटाका ही बल्कि पूरे विवृत बीज का, सबसे बड़ा और आज कल विस्तृत रूप से पाया जानेवाला गण है। इसमें लगभग ५० प्रजातियाँ और ५०० से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश पीधे ठंडे स्थान में उगते हैं। छोटी झाड़ी से लेकर संसार के सबसे बड़े और लंबी आयुवाले पीधे इस गण में रखे गए हैं। कैलिफॉर्निया के लाल लकड़ीवाले वृक्ष (red wood tree), जिन्हें वनस्पति जगत् में सिकोया (sequoia) कहते हैं, लगभग ३५० फुट गगनचुंबी होते हैं और इनके तने ३०-३५ फुट चौड़े होते हैं। यह संसार का सबसे विशालकाय वृक्ष होता है। इसकी आयु ३,०००-४,००० वर्ष तक की होती है।

कोनीफेरेलीज गण को मुख्य दो कुल पाइनेसी और टैक्सोसी में विभाजित किया गया है। इनमें फिर कई उपकुल हैं, परंतु बहुत से विद्वानों ने सभी उपकुलों को कुल का ही स्तर दे दिया है।

पाइनेसी कुल के अंतर्गत चार उपकुल हैं: (१) अबिटिनी (Abietinae), (२) टैक्सोडिनी, (Taxodinae), (३) क्यूप्रेसिनी (Cupressinae) और (४) अराुकैरिनी (Araucarinae) हैं।



टेक्सोसी के अंतर्गत दो उपकुल (१) पोडोकारपिनी (Podocarpineae) और (२) टैक्सिनी (taxineae) हैं। कई वनस्पति शास्त्रियों ने टेक्सिनी को कुल का नहीं, गण (टैक्सेलस) का स्तर दे रखा है।

(१) एबिटिनी में बीजांड पत्र (ovuliferous bract) एक विशेष प्रकार का होता है और परागकण में दोनों तरफ हवा में तैरने के लिये हवा भरे गुंबारे जैसे आकार होते हैं। इस उपकुल के मुख्य उदाहरण हैं: पाइनस या चीड़, सीड्रस या देवदार, लेरक्स (Larix), पीसिया (Picea) इत्यादि।

(२) टैक्सोडिनी में बीजांड पत्र और अन्य पत्र भापस में सटे होते हैं और परागकण में पंख जैसे आकार नहीं होते। इनके मुख्य उदाहरण हैं: सियाडोपिटिस (Sciadopitys), सिकोया (Sequoia), क्रिप्टोमोरिया (Cryptomeria), कनिथेमिया (Cunninghamia) इत्यादि।

क्यूप्रैसिनी के मुख्य पीधे कैलिट्रिस (Callitris), थूजा (Thuja), जिसे मोरपंखी भी कहते हैं, क्यूप्रैसस (Cupressus), जूनिपेरस (Juniperus) इत्यादि हैं।

अराकेरिनी के अंतर्गत वाटिकाओं में लगाए जानेवाले सुंदर पीधे अराकेरिया (Araucaria) और एगथिस (Agathis) हैं।

पाइनेसी कुल के पीधों में एक मध्य स्तंभ जैसा लंबा, सीधा तना होता है, जिससे नीचे की ओर बड़ी और ऊपर छोटी शाखाएँ निकलती हैं। फलस्वरूप पीधे का आकार एक कोन या पिरामिड का रूप धारण करता है। तने के शरीर (anatomy) का काफी अध्ययन किया गया है। वैस्कुलर ऊतक बहुत बृहत् होता है। बल्कुट (cortex) तथा मज्जा दोनों ही पतले होते हैं। बल्कुट के बाहर कार्क (cork) पाए जाते हैं। जड़ की रचना एक द्विबीजी सवृतबीज से मिलती जुलती है।

इस कुल में अन्य कोनीफरेलीज की तरह दो प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। एक पत्ती के रूप की, और दूसरी छोटे पतले कागज के टुकड़े जैसे शल्क पत्र (scale leaf) सी होती है। पाइनस में यह अलग प्रकार की पत्तियाँ अलग शाखा पर निकलती हैं, परंतु ऐबिस (Abies) के पीधे में, दोनों पत्र हर डाल पर भी पाए जा सकते हैं। पत्तियों की आयु काफी लंबी होती है और कोई कोई १०-२२ वर्ष तक नहीं झड़तीं। इनका आकार एक सूखे स्थान में उगनेवाले पीधों की पत्ती जैसा होता है। बाह्यचर्म के कोश लंबे होते हैं, जिनके बाहर के भाग पर मोम जैसा क्यूटिन (cutin) पदार्थ जमा रहता है। रंध्र अंदर की ओर घुसा होता है। मीजोफिल (mesophyll) भाग के कोश पट्टे की भाँति अंदर को लिपटे (infolded) से रहते हैं। एक प्रकार के कोश द्वारा वैस्कुलर ऊतक घिरे रहते हैं, जिसे छाद (sheath) कहते हैं।

प्रजनन मुख्यतः बीज द्वारा होता है। यह एक विशेष प्रकार के अंग में, जिसे कोन (cone) या शंकु कहते हैं, बनता है। कोन दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। नर कोन में पराग बनते हैं, जो हवा द्वारा उड़कर मादा कोन के बीजांड तक पहुँचते हैं, जहाँ परनिधान होता है। दोनों सिंगी कोन अलग अलग पीधों में पाए जाते

हैं, जैसे पाइनस में, या एक ही पीधे में, जैसे ऐबिस या कभी कभी क्यूप्रैसिनी उपकुल के पीधों में। लघुबीजाणुधानी (microsporangium) के निकलने का स्थान स्थिर नहीं रहता। किन्ती में यह डंठल के सिरे पर और किसी में पत्ती के कोण से निकलती है। पाइनस में तो बीने प्ररोह (dwarf shoot) पर ही यह प्रजनन अंग निकलते हैं। लघुबीजाणुधानी जिस पत्र में लगी रहती है, उसे लघुबीजाणु पर्ण (Microsporophyll) कहते हैं। लघुबीजाणुधानी के बाह्यचर्म से नीचे अधस्त्वचा (hypodermis) के कुछ कोश बढ़ते तथा जीव द्रव से भरे रहते हैं और विभाजित होकर, बीजाणुजन ऊतक बनाते हैं और फिर इन्हीं कोशों के कई बार विभाजन होने पर परागकण और अन्य ऊतक बनते हैं।

बीजांड पैदा करनेवाले अंगों को गुरुबीजाणुपर्ण (megasporophyll) कहते हैं। इनके एक स्थान पर झुंड में होने से एक कोन या मादा शंकु बनता है। बीजांड एक प्रकार के शल्क बीजांडघर शल्क पर, नीचे की ओर लगे होते हैं। योनिका अन्तःपोष (endosperm) से नीचे की ओर से घिरा रहता है, और दो भावरण होते हैं। ऊपर की ओर एक अंडधार होता है जिससे होकर परागकण योनिका के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ ये कण जमते हैं और पराग नलिका बनती है, जिसमें नलिका केंद्रक (tube nucleus) नर युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से अंडबीजाणु बनते हैं, जो फिर विभाजन द्वारा बीज को जन्म देते हैं।

ऐसा अनुमान है कि पाइनेसी कुल का जन्म पृथ्वी के प्रथम बड़े वृक्षवाले गण कार्डाईटेलीज (Cordaitales) द्वारा ही हुआ है।

दूसरा कोनीफरेलीज का कुल है टेक्सोसी। इसके दो उपकुल हैं — पोडोकारपिनी और टैक्सिनी। पोडोकारपिनी में भी परागकण में हवा भरे पक्ष (wings) पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं, पोडोकारपस तथा डैम्पियम। टैक्सिनी के परागकण में पक्ष (wing) नहीं होता। टैक्सस, टोरेया और सिफैलोटेक्सस इसके मुख्य उदाहरण हैं। इनमें भी पाइनस जैसे वैस्कुलर ऊतक होते हैं, परंतु कुछ विशेष अंतर भी होता है।

पत्तियाँ कई प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ में छोटे नुकीले (जैसे टैक्सस) या चौड़े पत्ते (पोडोकारपस में) होते हैं, या नहीं भी होते हैं, जैसे फाइलोक्लैडस में। प्रजनन हेतु लघुबीजाणुधानी तथा गुरुबीजाणुधानी नर तथा मादा शंकु में लगी होती हैं। इन शंकुओं में शल्क (scales) के अध्ययन काफी किए गए हैं। प्रत्येक बीजाणुपर्ण (sporophyll) में बीजाणुधानी (sporangium) की संख्या भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है, जैसे टैक्सस में चार से सात, टोरेया (torreya) में शुरू में सात, परंतु बीजाणुधानी पकने तक १ या २ ही रह जाती है। मादा शंकु इस कुल में (अन्य कोनीफर से) बहुत छोटे रूप का होता है। अधिकतर यह शंकु पत्तीवाले तने के सिरे पर उगता है। बीजांड की संख्या एक या दो होती है। इनमें अध्ययन गण और बीजांडकाय की परतें अलग रहती हैं। पराग दो केंद्रक की दशा में, हवा में झड़कर, मादा शंकु तक पहुँचते हैं और बीजाणु

पर पहुँचकर जमते हैं। वहाँ ये बढ़कर एक नलिका बनाते हैं और ससोचन का कार्य संपन्न करते हैं।

इस कुल का सबंध अन्य कुल या गण से कई प्रकार से रखा गया है। ऐसा विचार भी है कि इस कुल के पौधे जीवित कोनीफर में सबसे पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनका संबंध जिंकगो या अराकेरिया या कारडाइटोज से हो सकता है। ऐसा भी कई वैज्ञानिकों का विचार है कि यह स्तम्भ रूप से (अन्य कोनीफर से नहीं) उत्पन्न हुए होंगे।

कोनीफरलोड गण काफी गूढ और विस्तृत है, जिसमें बहुत से आर्थिक दृष्टि से अच्छे पौधे पाए जाते हैं, जैसे चीड़ चिलगोजा, देवदार, सिकोया तथा अन्य, जो अच्छी लकड़ी या तारपीन का तेल देनेवाले हैं।

कोनीफेरोफाइटा का सबसे उन्नत गण है, नीटेलीज। इन गण में तीन जीवित पौधे हैं : नीटम (Gnetum), एफेड्रा (Ephedra) और वेल्विट्शिया (Welwetschia)। प्रायः के कई वैज्ञानिकों ने इन तीनों प्रजातियों की रूपरेखा तथा पाए जानेवाले स्थान की भिन्नता के कारण अलग अलग आर्डर का स्तर दे रखा है। फिर भी कुछ गुण ऐसे हैं जैसे वाहिका (Vessel) का होना, संयुक्त शंकु (compound cone), अल्पतः लंबा माइक्रोपाइल, पत्तियों का आमने सामने (opposite) होना इत्यादि, जो तीनों प्रजातियों में मिलते हैं। इस गण के पौधों को कोनीफेरोफाइटा से इसीलिये हटाकर एक नए गूने क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा में रखा जाने लगा है।

एफेड्रा, जिससे एफेड्रीन जैसी ताकत की औषधि निकलती है, एक झाड़ी का प्रकार का पौधा है। इसकी लगभग चालीस जातियाँ पृथ्वी के अनेक भागों में पाई जाती हैं। पश्चिम में मेक्सिको, ऐंडीज परागुए, फ्रान्स, तथा पूर्व में भारत, चीन इत्यादि, में यह उगता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में यह नहीं पाया जाता। इसकी मूसली जड़ (tap root) मजबूत और बड़ी होती है। इसके तने पतले हरे रंग के होते हैं, जिनपर पत्तियाँ नहीं के बराबर होती हैं। ये पत्तियाँ इतनी छोटी होती हैं कि आहार बनाने का कार्य तने द्वारा ही होता है। इनके तने में गोल ऊतक में वाहिनियाँ पाई जाती हैं। मज्जारश्मि (medullary ray) चौड़ी और लंबी होती है। संवहन (vascular) नलिका एंडार्क साइफोमोस्टील (endarch siphonostele) होता है। बीज की मज्जा में मोटी दीवारवाले कोश के गुच्छे पाए जाते हैं। इनमें एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ टैनिन पाया जाता है। बल्कुट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इनके बाहर रंध्र होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान तथा भाप के बाहर निकलने के लिये मार्ग प्रदान करते हैं।

एफेड्रा में नर और मादा शंकु अलग अलग पौधे पर निकलता है। केवल एफेड्रा की एक जाति, ए० फोसिपेटा, में ही एक पौधे पर दोनों प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। नर शंकु से दो, तीन अथवा चार चक्र में लघुबीजाणुधानियाँ (microsporangiums) निकलती हैं। जहाँ से ये निकलती हैं, वहाँ चार-पाँच से आठ जोड़े तक शैल्क होते हैं, जिसमें दो जोड़े बाँक होते हैं। बीजाणुधानी की संख्या

४-५ या ६ तक होती है। मादा शंकु काफी लंबा तथा २-३ या ४ चक्र में हरे रंग का होता है। सहायक (bracts) की संख्या भी नर से अधिक होती है। प्रजननकोश (egg cell) के चारों ओर कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) भरा होता है। परागकण चिपचिपे द्रव के बूँद में फट जाता है और लंबे बीजाणुद्वार द्वारा लिचकर अंड तक पहुँचता है। तीन या चार भ्रूण तक एक बीजाणु में देख गए हैं।

वेल्विट्शिया (Welwetschia) दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर ही उगता है और वहाँ भी नहीं पाया जाता। यह तट के कुछ मील के भीतर ही सीमित है। प्रथम इसे टमबोआ गिरेडिलिस कहा गया था, परंतु बाद में इसके आदिष्ठकारक डा० वेल्विश के नाम पर इसे वेल्विश या गिरेडिलिस कहा गया। यह अत्यंत मरुद्भिदी (xerophytic), अर्थात् सूखे स्थान पर उगनेवाले पौधों जैसा, होता है। जहाँ यह उगता है वहाँ वर्ष भर की पूरी वर्षा लगभग एक इंच ही होती है। गन्ध सूँघने तो गाजर जैसी होती है, पर इससे बहुत बड़ा, लगभग ३-४ फुट चौड़ा, गता है। पौधे के ऊपर एक मोटा आवरण बाह्यकला (periderm) होता है। मुख्यतः दो ही पत्तियाँ होती हैं, जो बहुत छोटे धमके के पट्टे की तरह होती हैं। मध्य भाग में लंबा तार के अंग, जो पत्तन पर झुंड़ गिर जाते हैं, निकलते हैं और वे अंकुरण के स्थान पर एक क्षण-चिह्न छोड़ देते हैं। पौध की प्रथम दो पत्तियाँ ही, मरुस्थल जीवन भर बिना झुंड़े, लगभग ६०-७० या १०० वर्ग तल, लगी रहती हैं। तेज हवा के झोके से पत्तियाँ लवाईं में, शिगायो की सीधी लाइन में, फट जाती हैं। शिखा से पत्ती सूखनी चलती है और नीचे से बढ़ती चलती है। जब तो बहुत गहरी तक जाती है।

वेल्विट्शिया के पौधे के अंकुरण में फटा बतना है कि तने तथा जड़ में क्लिस्माम आर्गिलेट की बहुमुखी सूँ के आधार को कटिका (spicule) की तरह भी आश्रित होती है। अंगुरण ऊतक (vascular tissue) भी वही प्रकार के पाए जाते हैं। नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग बगने हैं। बीजाणु प्रारंभ में हरे होते हैं, पर पकने पर चमकीले लाल हो जाते हैं। प्रत्येक शंकु में ६०-७० बीजाणु होते हैं। उत्पत्ति और अन्त रूप में भी यह पौधा अपना साथी नहीं रखता और ऐसा लगता है कि इसने पौधे की किमी अन्त जात को भी उत्पन्न नहीं किया है। यह एक जीवित फॉसिल है।

नीटेलीज (Gnetales) गण का मुख्य वंश नीटम (Gnetum) है। यह द्विबीजी है तथा अत्युन्नत में बहुत मिलना जुटना है। यह लता तथा वृक्ष के रूप में उगता है। यह वंश भूमध्य सागरीय नम स्थानों में ही पाया जाता है और इसकी लगभग ३० जातियाँ मिलती हैं। विद्युतबीज में यह वंश सबसे अधिक विकसित माना जाता है। माहेश्वरी और वासिन ने अपनी पुस्तक 'नीटम' में लिखा है कि भारत में नीटम निर्मान (G. gnemon) आसाम में, नी० उलवा (G. ulva) पश्चिम तथा पूर्वी तट पर, नी० आबलांगम बंगाल में, नीटम कट्टेवटम केरल में, नी० लेटिफोलियम ब्रह्मान, निकोबार में तथा नीटम ऊला अन्त भागों में पाया जाता है।

नीटम के तने की बनावट काफी जटिल होती है। बाह्य त्वचा के बाहर का भाग मोटी दीवार में बना होता है। रध गहरे गड्ढे में बनता है, बल्बुट की कोशिकाएँ पतली होती हैं और उनमें क्लोरोफिल कभी कभी पाया जाता है। मज्जा पतली कोशिका की दीवार होती है। नीटम नीमोन में गौण वृद्धि साधारण ढंग की होती है, परंतु लतावासी जानियों में ऐसी वृद्धि एक विशेष प्रकार की होती है, जिसमें बल्बुट ही एका साक्रयता (ambial activity) उत्पन्न करता है। मज्जा ऊतक २-३ चक्र में बन जाते हैं, जैसे नीटम ऊतक में। सर्वाह्रणी (vessel) के छोर की दीवार एक ही त्रिभुज में मिली रहती है। ट्रुकीड (trachied) के निचारे की दीवारों पर गर्त (pit) होती है। मज्जाका रश्मि (medullary ray) काफी चौड़ी और ऊँची होती है।

पत्ती बड़े झंडे के आकार की होती है, जिसमें गिराएँ द्विवीज शल्क पत्ती की भाँति जाल बनाती हैं। ये छोटे तने पर अधिक निकलती हैं। ऐसा समझा जाता था कि उनके रध आवृतबीज जैसे गिनटिटीसीलिक हाने हैं, पर हाल ही में माटेपारी और वामिन (१९६१) ने इसे अन्य द्विविजीज जैसा ही, हैजोरोनिक, पाया है, जिसमें गौण कोशिका की उत्पत्ति द्वार कोशिका (guard cell) से स्वतंत्र होती है।

सभी जानियों में नर तथा मादा परागन अलग अलग अलग पौधे पर उगते हैं। नर फूल, जिसकी संख्या ३ से ६ या ७ तक होती है, एक गोलाई में निकलते हैं। परागपत्रों की संख्या प्रति पुष्प १, २, या चार होती है। मादा शकृ में भी 'नारंग' (शकृ मूल सधि) जैसा भाग होता है, जिसके ऊपर ४ से १० तक बीजाणु लगते हैं। ये भी एक गोलाई में निकलते हैं। नीटम को मयूनबीजों का पूंज भी कहा गया है।

इस सभी गणों के प्राचिन कृत्र फॉसिल (fossil) विवृतबीज भी मिले हैं, जिन्हें नए गण, या समूह, में रखा गया है, जैसे वाजनोवस्किग्लीस (Vojnovkyaes) और ग्लॉसॉप्टरिस विवृतबीज।

वाजनोवस्किग्लीस गण की स्थापना सन् १९५५ में न्यूबर्ग (Neuburg) ने रूस के परागपत्र और अणुगणक से की।

इनका मुख्य पौधा वाजनोवस्किग्लीस पैरेडाक्सा (Vojnovskya paradoxa) है, जो भाड़ी जैसा दृक्ष था और पत्तों जैसी जिसकी पात्तियाँ थीं। चेकनोवस्किग्लीस (Czekanowskia) भी एक ऐसा ही पौधा था।

ग्लॉसॉप्टरिस के कई पौधे भारत तथा अफ्रीका के गाड़वाना भूमि से अनुसंधान द्वारा प्राप्त हुए हैं। इनके मुख्य उदाहरण हैं: ग्लॉसॉप्टरिस (Glossopteris) तथा गंगामॉप्टरिस की पत्ती (Gangamopteris), ओटोकारिया (Ottokaria) इत्यादि।

[ १० क० अ० ]

**विवेकानंद** दे० स्वामी विवेकानंद

**विशाखपटणम** १. जिला, स्थिति १७° १५' से १८° २०' उ० अ० तथा ८१° ५०' से ८३° ५०' पू० दे०। यह भारत के आंध्र प्रदेश

राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल ५,२०० वर्ग मील तथा जनसंख्या २२,६०,७५६ (१९६१) है। इस जिले के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में पूर्वी गोदावरी जिला, तथा उत्तर में उडुपीसा राज्य एवं श्रीकाकुलम जिला है। जिले का परागल असम है। इसका उत्तरी भाग पहाड़ी एवं दक्षिणी भाग मैदानी है। तटीय भाग की जलवायु नम एवं भीतरी भाग की शुष्क है। वार्षिक औसत वर्षा ४० इंच है। धान मुख्य पदार्थ है। इसके अतिरिक्त गन्ना, दलहन, कपास, तंबाकू आदि अन्य उपज हैं। सूती वस्त्र तथा शशीयों एवं सींग के सामान यहाँ बनते हैं। मेगनीज, तेलहन, चमड़ा आदि का निर्यात होता है। विशाखपटणम, विजयनगरम् आदि मुख्य नगर हैं।

२. नगर स्थिति १७° ४५' उ० अ० तथा ८३° २०' पू० दे०। यह भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य में उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर एवं बंदरगाह है। पूर्वी तट के बदरगाहों में इसका स्थान तीसरा है। यह दक्षिण रेलमार्ग पर ५५ मील उत्तर में ७०० मील दक्षिण पश्चिम एवं मद्रास में ३२८ मील उत्तर पूर्वी में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसका विनाम मैगनीज के बड़े हुए अणुगण के कारण हुआ है। इस बंदरगाह के दक्षिण में डॉल्फिन नोज नामक कठोर शैलीय भाग समुद्र के भीतर तक गया हुआ है, जिसके द्वारा चक्रवाती एवं मानसूनी हवाओं से बंदरगाह की रक्षा होती है। यह बंदरगाह मुख्य रूप से निर्यात बंदरगाह है। निर्यात पदार्थों में मुख्य हैं मैगनीज, चमड़ा, तेलहन, सूतपत्ती का तन एवं खनी। सूती वस्त्र, दवाओं एवं शशीयों का आयात इस बंदरगाह से होता है। यहाँ पर पोतनिर्माण का केंद्र तथा बल्बुट तथा तेल-शोधक कारखाना है। [ १० क० अ० ]

**विशिष्टाद्वैत** वेदांत संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धान्तों के शंकर से पूर्व बोधायन, द्रमिड आदि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित हो चुके थे। परंतु उनको ताकिक दृष्टि से पुष्ट करने के एक मुनिनीजिन दार्शनिक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य ३-४-५-६ शताब्दी में रामानुजाचार्य (दे० रामानुज) ने किया। तमिल प्रबंधों में सुरक्षित आलवार भक्तों की भक्ति की वेदान्त की प्राचीन परंपरा से जोड़कर रामानुज ने वेदांत को बेधगा बना दिया।

विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण माने गए हैं। गविकला और निर्विकला प्रत्यक्ष का भेद मानकर भी रामानुज ने निर्विकल्प प्रत्यक्ष को अस्वीकार किया। ज्ञान के विषय में भेदग्रहण होता ही है और वस्तु का ज्ञान विजयण विशिष्ट ही संभव है। निर्विशेष वस्तु कभी ज्ञात ही नहीं सकती। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जातिविशिष्ट वस्तु का ग्रहण जाना है परंतु उक्त ज्ञाति का सामान्य रूप में ग्रहण भविकल्प प्रत्यास में ही संभव है। अनुमान के लिये भी भेदग्रहण व्याप्ति ज्ञान में आवण्यक ही है। धन ज्ञान सर्वदा भेदवाही होता है — अभेद ज्ञान संभव ही नहीं है।

ज्ञान घटने बढ़ने का आश्रय होने के कारण इन्द्रिय तथा आत्मा का गुण होने के कारण गुण कहनाना है। इन्द्रिय जड़ और चेतन भेद से दो प्रकार के होते हैं पर ज्ञान दोनों में निरपेक्षता एवं प्रजड द्रव्य है। बिना किसी सहायक के ज्ञान स्वयं की और अज्ञान वस्तुओं को प्रकाशित करता है अतः जड़ नहीं है, पर आत्मा की तरह इसमें

स्वयं को जानने की शक्ति नहीं है अतः चेतन भी नहीं है। स्वयं-प्रकाशक और स्वयंचेतना में भेद है। आत्मा स्वयंचेतन और स्वयं-प्रकाशक दोनों है। पर चेतन आत्मा में ज्ञान विषय-विषयी-संबंध से ही संभव है। चेतनता आत्मा का धारणतुल्य गुण नहीं उसका अविभाज्य गुण है। पर आत्मा चेतनता से पृथक् है — शंकर की तरह रामानुज शुद्ध चेतनता और आत्मा में अभेद नहीं मानते। चेतनता सर्वदा विशिष्ट होती है क्योंकि इसमें ज्ञान रहता है और ज्ञान विषय और विषयी दोनों का अवगाहन करता है। यह चैतन्य आत्मा अणुरूप और नित्य है।

अभेद का ज्ञान भेद पर आधारित है — भेद के बिना अभेद-प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिये रामानुज शंकर के सकल भेद-व्यावृत्त ब्रह्म को अस्वीकार करके भेदविशिष्ट अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। परस्पर भिन्न, आश्रित विशेषणों में विशेष्य एकात्मकता स्थापित करता है — ब्रह्म विशेषणों से विशिष्ट एक विशेष्य है। यही ब्रह्म अंतर्गामी परमसत्ता है जिसके कारण आश्रित द्रव्य तथा जीवात्माएँ उसके शरीर में एकता को प्राप्त होती हैं।

विशिष्टाद्वैत में तीन तत्त्व माने गए हैं। तीनों तत्त्व सत् हैं पर चित् और अचित् तत्त्व ईश्वर तत्त्व पर आश्रित हैं। चित् और अचित् अपने आप में द्रव्य हैं पर ईश्वर की दृष्टि से वे ईश्वर के गुण हैं। चित् और अचित् ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर उनकी आत्मा है। प्रकृति और जीवात्माओं की आत्मा ही ईश्वर या ब्रह्म है। अतः ब्रह्म शरीरी और सगुण है — निर्गुण ब्रह्म कल्पनामात्र है। जीवात्माएँ ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्म अंशी है।

ईश्वर के प्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है — यह सजातीय और विजातीय भेदों से रहित है परंतु इसमें स्वगत भेद वर्तमान है। अतएव अड़ और चित् रूप विश्व उसी एक ब्रह्म से उत्पन्न है — वही इसका उपादान और निमित्त कारण है। वह विश्वातीत भी है क्योंकि विश्व का नियमनकर्ता है। अमृत सद्गुणों से युक्त ईश्वर अपनी सहचरी लट्मी के साथ वैकुण्ठनाम में निवास करता है।

जीव ब्रह्म के साथ अपना संबंध नहीं जानता अतः वह अपने को स्वतंत्र समझकर कर्म करता है और उनके बंधन में पड़कर दुःख भोगता है। वेदांत वाक्यों का श्रवण करके उसके मन में मुक्ति की अभिलाषा जागती है। मुक्ति का प्रथम सोपान है कामनारहित होकर कर्म करना जिससे कर्मबंधन न उत्पन्न हों। उसके बाद निदिध्यासन की अवस्था में अपने को सर्वतोभावेन ईश्वर में समर्पित कर देना इसे प्रपत्ति कहते हैं। यह प्रपत्ति मोक्ष का मार्ग है। जब ईश्वर प्रसन्न होकर भक्त के ऊपर अनुग्रह करते हैं तो भक्त को शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है — यह ज्ञान जीव और ब्रह्म के संबंध का होता है। इस ज्ञान को भक्ति कहते हैं। तदनंतर देहपात के बाद जीव ब्रह्म के शरीर का अंश होकर ब्रह्म के साक्षिण्य सुख का अनुभव करता हुआ वैकुण्ठ में निवास करता है। इस प्रकार मोक्ष के लिये भगवद्-भक्ति आवश्यक है — भक्ति ईश्वर के अनुग्रह पर अवलंबित है। जीवमुक्ति की कल्पना अस्वीकार्य है — देहबंधन से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है।

रामानुज कर्म को ज्ञान का आवश्यक सहकारी मानते हैं। यदि

ज्ञानमात्र से मोक्ष मिलने लगे तो सभी वेदांत पढ़नेवाले मुक्त हो जायें। माया या अज्ञान बंध का कारण नहीं है—कर्म से ही बंध होता है अतः उससे छुटकारा भी एक विशेष प्रकार के कर्म से ही संभव है। इसलिये रामानुज शंकर के ज्ञानमार्ग और मायावाद का खंडन करके उपासना मार्ग का प्रतिपादन करते हैं तथा मीमांसा और वेदांत को एक दूसरे का पूरक भास्त्र समझते हैं। ( 'रामानुज' तथा 'वेदांत' )।

सं० अं० — रामानुज : श्रीभाष्य; लोकाचार्य : तत्त्वत्रय; श्रीनिवासाचारी . द फिलासफी अॉव विशिष्टाद्वैत । [ रा० अं० पां० ]

**विश्राम ( Rest )** सब प्रकार के जीवों को कार्य के बाद विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे थकावट दूर हो जाय। थकावट मानसिक तथा शारीरिक, दोनों होती है और विश्राम से दोनों प्रकार की थकावट दूर होती है। हृदयगति, श्वसन क्रिया, मांसपेशियों के संकुंचन आदि जीवन की आवश्यक क्रियाओं में और चलने फिरने, बोलने, नेत्रों की मांसपेशियों द्वारा दृष्टि कार्य में तथा शारीरिक श्रम, जैसे हथौड़ा चलाना, मिट्टी खोदना, बोझ ढोना, दौड़ना आदि, सभी कार्यों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।

कार्य में रूपांतरित होनेवाली ऊर्जा यांत्रिक दक्षता = — समस्त उन्मुक्त ऊर्जा

मांसपेशियों की दक्षता आदर्श दशा में ४० % से अधिक नहीं होती है। मनुष्य में तो यह और कम होती है। खिलाड़ी की यांत्रिक क्षमता प्रायः २० % से ३० % ही होती है। इस क्रिया में, ऊतकों द्वारा ऊर्जा के लिये प्रदान शर्करा तथा ऑक्सीजन आदि की माँग तथा जलना बढ़ जाता है, जिसके लिये अधिक रक्त-संचार तथा अधिक ऑक्सीजन देने के उद्देश्य से क्रमशः हृदयगति तथा श्वसन क्रिया वेगपूर्ण हो जाती है। इससे शरीर की ऊष्मा बढ़ जाती है तथा लैक्टिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को क्रमशः गुदा तथा श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहर निकाल फेंका जाता है। जब मांसपेशी का संकुंचन बार बार होता है, तब व्यक्ति को थकान घाने लगती है। यदि विद्युत् उत्तेजन द्वारा मांसपेशी में संकुंचन क्रिया की जाय, तो संकुंचन धीरे धीरे कम होता जाएगा तथा अंत में अनुक्रिया नहीं होगी। कुछ समय तक उत्तेजना को रोक रखने के बाद विश्राम द्वारा मांसपेशी स्वस्थ हो जाएगी तथा संकुंचन गुण पुनः वापस आ जाएगा। थकावट की अवस्था से मुक्त होने के लिये ऑक्सीजन आवश्यक है। मनुष्य जितना ही अधिक थका रहेगा, उतने ही अधिक समय बाद कार्य करने की क्षमता उसमें आएगी। यदि अपेक्षाकृत कम विश्राम के बाद कार्य किया जाय, तो इसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जैसे थका मोटरचालक दुर्घटना अधिक करता है, क्योंकि वह आवश्यकता पड़ने पर, या संकेत के अनुसार, प्रबल वेगवाले वाहन को रोकने में जहाँ एक से दो सेकंड लगाता है, वहाँ थकावट की अवस्था में कई सेकंड लगा देगा तथा उस काल में प्रबल वेगवाला वाहन बहुत भागे बढ़ जाएगा, जिससे दुर्घटना हो सकती है।

उपर्युक्त कारणों से मानसिक तथा शारीरिक विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि मानसिक विश्राम नहीं होगा, तो मनुष्य में थकावट के कारण संतुलन तथा स्फूर्ति नहीं रहेगी। यह साधारणतः देखा

जाता है कि अधिक थकावट के बाद गहरी निद्रा आ जाती है जिससे जागने पर थकावट नहीं मालूम पड़ती है तथा व्यक्ति पुन स्फूर्ति और प्रफुल्लता का अनुभव करता है। पर यदि पूरा विश्राम न मिले, या निद्रा में विघ्न पड़ जाय, तब व्यक्ति को थकान, आलस्य तथा शक्तिलोप का अनुभव होता है तथा मनन और समझने की मानसिक शक्ति में अव्यवस्था पाई जाती है। जानवरों को भी वार्धक बाद विश्राम तथा निद्रा की आवश्यकता होती है जिमसे उन्हें पुन कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। [उ० श० प्र०]

**विश्लेषक (Analyst)** रसायनविज्ञान में विश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल (Robert Boyle) ने पदार्थों का सघटन ज्ञान करने की विधि के लिये किया था। रासायनिक विश्लेषणविधि के विशेषज्ञ को विश्लेषक कहते हैं। उसका कार्य है अनेक प्रकार के पदार्थों का विश्लेषण करके उनके सघटन तथा उनकी शुद्धता के विषय में अपनी रिपोर्ट देना। प्रयोगशालाओं तथा उद्योग-शालाओं के अतिरिक्त व्यापारिक निर्माण के कारखानों में भी विश्लेषक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर उसका काम निर्माण-प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना तथा पदार्थों की शुद्धता की समय समय पर परीक्षा करना है। इसके अतिरिक्त उम विशेष व्यवसाय राखधी शोध कार्यों में भी उसको लगा रहना पड़ता है।

अपराध अभियोगों, या नागरिक अभियोगों की न्यायिक जाँच के अंतर्गत भी विश्लेषक की सेवाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। इन कार्यों के लिये सरकार ने रासायनिक परीक्षक (chemical examiner), या अधिकृत विश्लेषक (public analyst), के पद स्थापित कर रखे हैं, जिनकी प्रयोगशालाओं में, अभियोगों की न्यायिक जाँच संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, खाद्यपदार्थों, पेय पदार्थों, शराब, तवाकू तथा दूध आदि का विश्लेषण कार्य भी होता रहता है। विश्लेषक आयात या निर्यात संबंधी पदार्थों का भी विश्लेषण प्रयोगशालाओं में, या चुंगी अथवा सीमा-शुल्क-विभागों द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं में, करता है। इन सबमें विश्लेषक का विशेष महत्व है। सरकारी विश्लेषकों के अतिरिक्त कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी इस कार्य को करते हैं। विश्लेषक को रासायनिक विश्लेषण के अतिरिक्त सूक्ष्मदर्शनी, भषर्जा तथा चिकित्साविज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक है।

रासायनिक विश्लेषण में सूक्ष्म विश्लेषण (microanalysis) विधियों का ज्ञान हो जाने के फलस्वरूप प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म विश्लेषकों (microanalyst) का विशेष स्थान हो गया है। रासायनिक प्रयोगशालाओं से अनुसंधान कार्य संबंधी प्राप्त यौगिकों के अतिरिक्त, अन्य अनुसंधान कार्यों में, जहाँ प्राप्त पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, विश्लेषण में सूक्ष्म विश्लेषकों की सहायता अनिवार्य है। [रा० दा० ति०]

**विश्लेषण** शब्दार्थ के अनुसार, संश्लेषण अथवा समन्वय का विपरीतबोधक है एवं किसी विधान या व्यवस्थाक्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों की खोजने की क्रिया का नाम है।

गणित के क्षेत्र में ग्रीक गणितज्ञों ने प्रमेय को पहले ही सिद्ध किए गए कथनों या प्रमेयों में, अथवा स्वीकृत स्वसिद्ध तथ्यों में, रूपांतरित करने सिद्ध करने की पद्धति को 'विश्लेषण' नाम से अभिहित किया।

व्यापक अर्थ में विश्लेषण प्रतीको तथा समीकरणों के प्रयोग की वृद्ध पद्धति है जिसके द्वारा बीजगणित तथा अल्पतमिक कलन की प्रक्रियाएँ गणित के विभिन्न क्षेत्रों की अनेक समस्याओं का समुचित हल निकालने के लिये सुलभ होती हैं।

यूरोप में सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी के जागरण के युग में रेने देकार्त (१५९६-१६५० ई०) की वैश्लेषिक ज्यामिती ने विश्लेषण का विशेष रूप निर्धारित किया। इसी कृति के आधार पर गलन, अवकलनगणित तथा समाकलनगणित की सुलभभूत भावनाओं का प्रसार हुआ। आज गणितीय विश्लेषण के अंतर्गत गणित की वे सभी पद्धतियाँ हैं जो अपनी क्रियाओं के लिये किसी न किसी प्रकार कलन का अवलंब ग्रहण करती हैं।

अवकलनगणित तथा समाकलनगणित, वास्तविक चर तथा समिश्र चर फलन सिद्धांत, अनंत श्रेणी, फूरिये श्रेणी एवं फूरियेर समाकलन, विशेष फलन (Special Functions), अवकल, अंतर तथा समाकल समीकरण, विचरण कलन एवं विभवसिद्धांत (Potential Theory), प्रायिकता (Probability) और सांख्यिकी के गणितीय पक्ष आदि, इस प्रकार के सभी विषय विश्लेषण की निर्भिन्न शाखाएँ हैं। कुछ अन्य विषय भी समान प्रणाली का प्रयोग करने के कारण विश्लेषण का नाम ग्रहण करते हैं, जैसे सख्या सिद्धांत के अंतर्गत डायोफेटी (diophantine) विश्लेषण, सदिश विश्लेषण आदि। परंपरागत गणितीय विश्लेषण में स्थान (topological) बीजगणित की पद्धतियों के प्रयोग के फलस्वरूप बीजगणितीय, अथवा फलनिक, विश्लेषण का जन्म हुआ है।

[प्र० श्री०]

**विश्वकर्मा** वैदिक सौर देवता जिन्हें 'घानृ' तथा 'विघानृ', सवद्रष्टा, पृथ्वी तथा प्राणिजगत् का जनक और समस्त देवों का नामकरण करनेवाला कहा गया है। वैदिकोत्तर साहित्य में ये ही जिल्पशास्त्रज्ञ या शिल्पप्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित हैं जो प्रभास वसु और वरुण की बहन बरवर्णिनी या योगमिद्धा अथवा वास्तु और आगिरी की पुत्र थे। इन्होंने देवताओं के लिये विभिन्न प्रकार के प्रस्त्र शस्त्र, आभूषण, विमान, प्रामाद आदि बनाए और द्वारका, इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, वृंदावन, लका, इन्द्रलोक आदि की रचना की। ब्रह्मा के लिये पुष्पक विमान बनाया था जो ब्रह्मा से कुबेर और कुबेर से रावण को मिला। इनके पुत्र नल न लका का भेतु बनाया था। इन्होंने दो प्रकार के धनुषों की रचना की थी। इनमें से एक देवताओं ने त्रिपुरामुर के वधार्थ शिव जी को दिया था। दूसरा शिष्य को दिया जो परशुराम को प्राप्त हुआ था।

रामायण में विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप का वध इंद्र द्वारा कराया गया है (किष्किधावाड) और उसी में उस भवन का वर्णन है जिसे कुंजर पर्वत पर विश्वकर्मा ने अगस्त्य के लिये बनाया था। इनकी अन्य रचनाओं में सहस्रार चक्र और कुबेर की अलकापुरी

भी थी। कृति के प्रतिरिक्त रति, प्राप्ति और मंदा इनकी चार भायाँ, मनु चाक्षुष, शम, काम, हर्ष, नल, विश्वरूप, वृत्रासुर सात पुत्रों और सजा, छाया, तिलोत्तमा तथा वर्हिष्मती चार कन्याओं का उल्लेख मिलता है। [ रा० द्वि० ]

**विश्वन्यायाधिकरण ( International Tribunal )** एक तदर्थ ( Ad hoc ) सस्था है, जो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न विवाद को, समझौते की शर्तों के अनुसार, सुलझाने के लिये स्थापित की जाती है। राजनीतिक संमेलनों को छोड़कर, कहा जा सकता है कि प्राधुनिक विश्व न्यायाधिकरण की उत्पत्ति अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र से ही हुई है।

प्राचीन काल में राष्ट्र बहुधा अपने विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने के लिये किसी मध्यस्थ का निर्वाचन कर लेते थे। उस समय यह मध्यस्थ एक न्यायाधिकरण का रूप धारण कर लेता था। यद्यपि सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय विधि में काफी उन्नति हुई, तथापि इस बीच मध्यस्थता के बहुत कम दृष्टांत मिलते हैं।

१६ नवंबर, १७६४ को संयुक्त राष्ट्र-अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई जे सधि ( Jay Treaty ) को वर्तमान मध्यस्थता की नींव माना जाता है। मध्यस्थता के कुछ उदाहरण जैसे १८७० की अलाबामा मध्यस्थता ( Alabama Arbitration ), १८६३ की बेरिंग सागर मध्यस्थता ( Behring sea Arbitration ), और १८६७ की ब्रिटिश गायना मध्यस्थता ( British Guiana Arbitration ) ऐसे हैं जिनमें मध्यस्थता का कार्य योग्य न्यायाधिकरणों द्वारा निष्पादित किया गया था, जिससे इस बात की संभावना उत्पन्न हो गई कि राष्ट्र अपने राजनैतिक तथा प्रादेशिक विवाद भी विधिक रीति से निपटा सकेंगे।

२६ अक्टूबर, १८६६ को हेग शांतिसंमेलन ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के विषय पर एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा एक स्थायी मध्यस्थन्यायालय ( Permanent Court of Arbitration ) की स्थापना की गई। पर यह स्थायी न्यायालय केवल एक रीति ( method ) और एक प्रक्रिया ( procedure ) ही था, वास्तव में वह एक स्थायी न्यायालय नहीं था, बल्कि कहना चाहिए कि वह न्यायालय ही नहीं था।

पहले महायुद्ध के पश्चात्, सन् १९१६ की पेरिस शांतिसंधि में यह तय हुआ कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिये एक स्थायी न्यायालय स्थापित किया जाय। इस कारण सन् १९२० में सीग प्राँव नेशन्स के चार्टर के अंतर्गत एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय-न्यायालय ( Permanent Court of International Justice ) स्थापित किया गया। परंतु इस न्यायालय की स्थापना ने राष्ट्रों के आपसी मतभेदों को दूसरे न्यायाधिकरणों द्वारा सुलझाए जाने के अधिकार को किसी प्रकार भी कम नहीं किया। उदाहरणार्थ १९२२ से १९३७ तक जर्मनी और पोलैंड के बीच दो प्रादेशिक न्यायाधिकरण परिरक्षित किए गए। पहला अवर साइलेसियन मिक्स्ड कमिशन ( Upper Silesian Mixed Commission ) तथा दूसरा अवर

साइलेसियन मध्यस्थ न्यायाधिकरण ( Upper Silesian Arbitral Tribunal )। इस न्यायालय की सफलता के कारण अनेक दूसरे न्यायाधिकरणों की स्थापना के प्रस्ताव भी किए गए हैं। बहुत से अंतरराष्ट्रीय संमेलनों में वाणिज्यिक ( Commercial ) विवादों को निपटाने के लिये एक स्थायी न्यायाधिकरण की माँग की गई है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय पारितोषिक न्यायालय ( International Prize-Court ) तथा अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय ( International Criminal Court ) की माँग भी कई बार प्रस्तावित की जा चुकी है।

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर, यूनाइटेड नेशन्स चार्टर के अंतर्गत, स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ( Permanent Court of International Justice ) को समाप्त कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑव जस्टिस ( International Court of Justice ) की स्थापना की गई। यद्यपि विधिक दृष्टि से यह एक दूसरा न्यायालय है तथापि वास्तव में यह पहले न्यायालय का ही अनवरत रूप है, जैसा यू० एन० चार्टर के ६२वें अनुच्छेद से प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १५० वर्ष के अनवरत प्रयत्नों ने विश्व न्यायाधिकरणों को एक ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया है।

किसी भी विश्वन्यायाधिकरण का प्रथम कार्य उन विवादों का न्यायिक निर्धारण करना है, जो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होते हैं और जिन्हें विवादग्रस्त राष्ट्र उसे निर्णय के लिये समर्पित करते हैं। विश्व न्यायाधिकरणों के संचालन में कुछ सामान्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पहली समस्या होती है उसका निर्माण। सबसे साधारण प्रकार के विश्वन्यायाधिकरण में एक ही सदस्य होता है, जिसमें किसी सुप्रसिद्ध मनुष्य का निर्वाचन किया जाता है, जैसे प्राचीन काल में बहुधा पोप को मध्यस्थ चुना जाता था। कभी कभी किसी देश के राजा को भी यह स्थान प्रदान किया जाता था, उदाहरणार्थ सन् १६३१ में इटली के सम्राट् ने फ्रांस और मेक्सिको के बीच क्लिपर्टन द्वीप ( Clipperton Island ) के विवाद को निपटाया था। दूसरे प्रकार का विश्वन्यायाधिकरण एक मिश्रित कमिशन के रूप में होता है, जिसमें प्रत्येक पक्ष के सदस्य होते हैं। इसका उदाहरण अलास्का सीमा न्यायाधिकरण ( Alaskan Boundary Tribunal ) है, जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच सन् १९०३ में स्थापित किया गया था। एक तीसरे प्रकार का विश्वन्यायाधिकरण, जो सबसे अधिक प्रचलित है, एक मिश्रित कमिशन के रूप में होता है जिसमें दोनों पक्ष बराबर संख्या में सदस्य भेजते हैं, और ये सदस्य मिलकर एक अन्य सदस्य को चुनते हैं जो किसी भी पक्ष का नहीं होता। पर जब बहुत से राष्ट्र मिलकर एक स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित करते हैं, तो उसका रूप कुछ अलग होता है। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का विधान लिखते समय न्यायतत्त्वज्ञों की समिति ने एकमत ही यह निश्चय किया कि इस न्यायाधिकरण के स्वतंत्र न्यायाधीश, जो संख्या में १५ होंगे, बिना राष्ट्रीयता को विचार में रखते हुए निर्वाचित किए जायेंगे। यही बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑव जस्टिस के दूसरे और तीसरे अनुच्छेदों में भी दी गई है।

दूसरा महत्वपूर्ण तथा कठिन प्रश्न है विश्वन्यायाधिकरण के सदस्यों के चुनाव का। संसार में कुछ ही मनुष्य इतने योग्य होते हैं कि उनकी योग्यता में सबको विश्वास हो। अस्थायी

न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या कम होती है तथा उन्हें किसी विशेष विवाद में ही नियुक्त देना होता है, जिसका प्रभाव केवल विवादग्रस्त देशों पर ही पड़ता है, अतः उसके सदस्यों के चुनाव में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। किंतु स्थायी न्यायाधिकरण के सदस्यों की समस्या भिन्न है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के विवादों को सुलझाने का भार उठाना पड़ता है, तथा उनके निर्वाचन में भी बहुत से देशों को भाग लेना पड़ता है। एक विश्व न्यायाधिकरण के सदस्य के निर्वाचन में उसके निम्नलिखित गुण विचारणीय होते हैं : नैतिक सच्चाई, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, भाषाओं की योग्यता, उम्र तथा आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विधान के दूसरे अनुच्छेद में यह दिया है कि उसके सदस्य उन उच्च चरित्रवाले मनुष्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे, जो कि उन विशेषणों से युक्त हैं जिनकी उनके देश में उच्चतम न्याय अधिकारी की नियुक्ति के लिये आवश्यकता है, अथवा जो अंतरराष्ट्रीय विधि में मानी हुई योग्यता के न्यायतत्त्वज्ञ हैं।

जहाँ तक विश्व न्यायाधिकरण के अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) का प्रश्न है, आमतौर पर राष्ट्र ही अपने विवाद उसके समुक्त उपस्थित कर सकते हैं। यही बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ३४ अनुच्छेद में भी दी गई है। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने माइनारिटी स्कूल्स इन अपर साइलेशिया (Minority-schools in Upper Silesia, 1928) वाद में, अपने निर्णय में कहा है कि 'न्यायालय का अधिकारक्षेत्र पक्षों की इच्छा पर निर्भर है'। इसी प्रकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कारफ्यू चैनल [Corfu channel (preliminary objection) case 1948.] वाद में कहा : 'पक्षों की सहमति न्यायालय को अधिकारक्षेत्र प्रदान करती है। यह सहमति दो प्रकार की हो सकती है, पहली व्यापक रूप में, दूसरी किसी विशिष्ट वाद में।

विश्व न्यायाधिकरण की क्रियाविधि (Procedure) अधिकतर वही होती है, जो उसके स्थापन करनेवाले आलेख में लिखी हो, पर उसको यह अधिकार भी दिया जाता है कि वह ऐसे नियम बना ले जो उसका कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक हों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विधान के ३८वें अनुच्छेद में दिया हुआ है कि उसको विवादों का निर्णय अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार करना होगा, और इसमें उसको अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं (Conventions), अंतरराष्ट्रीय आचार (Customs) तथा सभ्य देशों द्वारा अंगीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों को विशेष ध्यान में रखना होगा। पर इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त पक्ष न्यायाधिकरण को किसी और सिद्धांत को भी, निर्णय देते समय, ध्यान में रखने को कह सकते हैं। यह विश्वन्यायालयों या न्यायाधिकरणों के समस्त विवाद-स्पद कार्यवाही (Contentious Proceedings) एक निर्णय या पंचनिर्णय के रूप में प्रगट होती है। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मोसुल वाद (Mosul case, 1925) में कहा है कि 'मध्यस्थ न्यायाधिकरणों ने आम तौर से यह सिद्धांत मान लिया है कि उनका निर्णय वही होगा जो बहुमत द्वारा दिया गया हो।' उक्त न्यायालय के विधान में इसका समावेश है कि विमत या असहमत (dissen-

ting) न्यायाधीश अपना मत अलग प्रगट कर सकते हैं। एक बार जब विश्वन्यायाधिकरण गुण दोष के आधार पर निर्णय (decision on merits) दे देता है तो वह स्थिर और अंतिम होती है।

जब कोई विश्वन्यायाधिकरण अपना अंतिम निर्णय दे देता है, तो उसका कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस निर्णय को प्रचलित करने (enforcing) का अधिकार उसके पास नहीं होता। पर यह एक विशेष ध्यान देनेवाली बात है कि विश्वन्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय बहुत कम ही राष्ट्रों द्वारा ठुकराए गए हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण से एक प्रांशोक्तन चला है, जो राष्ट्रों को अपने विवादों को शांतिपूर्ण रीतियों से सुलझाने तथा न्यायाधिकरणों को विवादों में एक प्रकार का बाध्यकारी अधिकारक्षेत्र (Obligatory jurisdiction) प्रदान करने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की निष्पक्षता तथा न्यायिक चरित्रता बढ़ती जायगी, वैसे वैसे राष्ट्रों के अपने अंतरराष्ट्रीय विवादों को विश्वन्यायाधिकरणों को न सौंपने की क्रिया में कमी होती जायगी।

सं० प्र० — हडसन, एम० ओ० : इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स; राल्स्टोन, जे० एच० : इंटरनेशनल आरबिट्रेशन फ्राम एथेन्स टू लोकारनो; डारबी, डब्लू० ई० : इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स, १९०४; श्वार्जबर्जर, जी० : इंटरनेशनल ला, पहला खंड; लाटरेट, एच० : दि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ला बाई दि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। [जे. एन. स.]

विश्वयुद्ध, प्रथम (१९१४-१९१९) औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहाँ से वे कच्चा माल पा सकें तथा मशीनों से बनाई हुई वस्तुएँ बेच सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सैनिक शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीतिक संघियों की गई। इससे राष्ट्रों में अविश्वास और वैमनस्य बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ऑस्ट्रिया के सिहासन के उत्तराधिकारी फ्रांज़ फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तत्कालिक कारण था। यह घटना २८ जून, १९१४, को सेराजिवो में हुई थी। एक मास पश्चात् ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से, और कुछ समय बाद टर्की, जर्मनी की ओर से, युद्ध में शामिल हुए। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीन महाद्वीपों और जल, बल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई। १९१७ में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाजों को डुबोया। इससे अमरीका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा किंतु रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। १९१८ ई० में ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर ११ नवंबर, १९१८ को युद्ध स्थगित कर दिया गया। २८ जून, १९१९, को वर्साई की संधि से युद्ध की समाप्ति हुई। [प्र० प्र०]

इस महायुद्ध के अंतर्गत अनेक लड़ाइयाँ हुईं। इनमें से टेनेनबर्ग

( २६ से ३१ अगस्त, १९१४ ), मार्न ( ५ से १० सितंबर, १९१४ ), सरी बहर ( Sari Bair ) तथा सूबला खाड़ी ( ६ से १० अगस्त, १९१५ ), वडू ( २१ फरवरी, १९१६ से २० अगस्त, १९१७ ), ग्रामिए ( ८ से ११ अगस्त, १९१८ ), एवं वितोरियो वेनेतो ( २३ से २६ अक्टूबर, १९१८ ) इत्यादि की लड़ाइयों को अपेक्षा-कृत अधिक महत्त्व दिया गया है। यहाँ केवल दो का ही अधिकार वृत्त दिया गया है।

जर्मनी द्वारा किए गए १९१६ के आक्रमणों का प्रधान लक्ष्य वडू था। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का विपत्तन करने के लिये फ्रांस पर आक्रमण करने की योजनानुसार जर्मनी की ओर से २१ फरवरी १९१६ ई० को वडू युद्धमाला का श्रीगणेश हुआ। नी जर्मन डिबीजन ने एक साथ मॉजेल ( Moselle ) नदी के दाहिने किनारे पर आक्रमण किया तथा प्रथम एव द्वितीय युद्ध मोर्चों पर अधिकार किया। फ्रेंच सेना का भोज जनरल पेट (Petain) की अध्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिये बढ़ा। जर्मन सेना २६ फरवरी को वडू की सीमा से केवल पाँच मील दूर रह गई। कुछ दिनों तक घोर संग्राम हुआ। १५ मार्च तक जर्मन आक्रमण शिथिल पड़ने लगा तथा फ्रांस की अपनी व्यू-रचना तथा रमद आदि की सुचारु व्यवस्था का अवसर मिल गया। म्यूज के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा जो लगभग अप्रैल तक चलता रहा। मई के अंत में जर्मनी ने नदी के दोनों ओर आक्रमण किया तथा भीषण युद्ध के उपरान्त ७ जून को वाक्स ( Vaux ) का किला लेने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी अब अपनी सफलता के शिखर पर था। फ्रेंच सैनिक मार्ट होमे ( Mert Homme ) के दक्षिणी टांग स्थलीय मोर्चों पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना ने सॉम ( Somme ) पर आक्रमण कर वडू को छुटकारा दिलाया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण ३ सितंबर को हुआ था। जनरल मैनगिन ( Mangin ) के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्या-क्रमण किया तथा अधिकांश खोए हुए स्थल विजित कर लिए। २० अगस्त, १९१७ के वडू के अंतिम युद्ध के उपरान्त जर्मनी के साथ में केवल ब्यूमाट ( Beaumont ) रह गया। युद्धों ने फ्रेंच सेना को शिथिल कर दिया था, जब कि आहत जर्मनों की संख्या लगभग तीन लाख थी और उनका जोश फीका पड़ गया था। [ मि० शं० मि० ]

ग्रामिए ( Amiens ) के युद्धक्षेत्र में मुख्यतः मोर्चाबंदी अर्थात् लड़ाइयों की लड़ाइयाँ हुईं। २१ मार्च से लगभग २० अप्रैल तक जर्मन अपने मोर्चों से बढ़कर अंग्रेजी सेना को लगभग २५ मील ढकेलकर ग्रामिए के निकट ले आए। उनका उद्देश्य वहाँ से निकलने-वाली उम रेलवे लाइन पर अधिकार करना था, जो कैले बंदरगाह से पेरिस जाती है और जिसमें अंग्रेजी सेना और सामान फ्रांस की सहायता के लिये पहुँचाया जाता था।

लगभग २० अप्रैल में १८ जुलाई तक जर्मन ग्रामिए के निकट रुके रहे। इसी ओर मित्र देशों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाकर संगठित कर ली, तथा उनकी सेनाएँ जो इससे पूर्व अपने अपने राष्ट्रीय सेनापतियों के निर्देशन में लड़ती थीं, एक प्रधान सेनापति, मार्शल फॉश के अधीन कर दी गईं।

जुलाई, १९१८ के उपरान्त जनरल फॉश के निर्देशन में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनों को कई स्थानों में परास्त किया।

जर्मन प्रधान सेनापति लूडेनबर्ग ने उम स्थान पर अचानक आक्रमण किया जहाँ अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी सेनाओं का संगम था। यह आक्रमण २१ मार्च को प्रातः ४॥ बजे, जब कोहरे के कारण सेना की गतिविधि का पता नहीं चल सकता था, ४००० तोपों की गोलाबारी से आरंभ हुआ। ४ अप्रैल को जर्मन सेना कैले-पेरिस रेलवे में केवल दो मील दूर थी। ११-१२ अप्रैल को अंग्रेजी सेना-पतियों ने सैनिकों से लड़ मरने का अनुरोध किया।

तत्पश्चात् एक सप्ताह से अधिक समय तक जर्मनों ने ग्रामिए के निकट लड़ाई जारी रखी, पर वे कैले-पेरिस रेल लाइन पर प्रगतिार न कर सके। उनका अंग्रेजी को फ्रांसीसियों से पृथक् करने का प्रयास असफल रहा।

२० अप्रैल में लगभग तीन महीने तक जर्मन मित्र देशों की अन्य क्षेत्रों में परास्त करने का प्रयत्न करते रहे, और सफल भी हुए। किन्तु इस सफलता से लाभ उठाने का अवसर उन्हें नहीं मिला। मित्र दलों ने इस भीषण स्थिति में अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न कर लिए थे।

२५ मार्च का जनरल फॉश इस क्षेत्र में मित्र देशों की सेनाओं के सेनापति नियुक्त हुए। ब्रिटेन की पार्लियमेंट ने अप्रैल में सैनिक सेवा की उम्र बढ़ाकर ५० वर्ष कर दी, और ३,५५,००० सैनिक अप्रैल मास के भीतर ही फ्रांस भेज दिए गए। अमरीका से भी सैनिक फ्रांस पहुँचने लगे थे, और धीरे धीरे उनकी संख्या ६,००,००० पहुँच गई। नए अस्त्रों तथा अन्य आविष्कारों के कारण मित्र देशों की वायुसेना प्रबल हो गई। विशेषकर उनके टैंक बहुत कार्यक्षम हो गए।

१५ जुलाई को जर्मनों ने अपना अंतिम आक्रमण मार्न नदी पर पेरिस की ओर बढ़ने के प्रयास में किया। फ्रांसीसी सेना ने इसे रोध कर तीन दिन बाद जर्मनों पर उभी क्षेत्र में शक्तिशाली आक्रमण कर ३०,००० सैनिक बंदी किए। फिर ८ अगस्त को ग्रामिए के निकट जनरल हेग की अध्यक्षता में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना ने प्रातः ४॥ बजे कोहरे की छाड़ में जर्मनों पर अचानक आक्रमण किया। इस लड़ाई में चार मिनट तोपों से गोले चाने के बाद, संघड़ो में सेना के आगे भेज दिए गए, जिनके कारण जर्मन सेना में हतबल मच गई। ग्रामिए के पूर्व आब एव सॉम नदियों के बीच १४ मील के मोर्चे पर आक्रमण हुआ, और उस लड़ाई में जर्मनों की हतनी क्षति हुई कि लूडेनबर्ग ने इस दिन का नामकरण जर्मन सेना के गिये वाला दिन किया।

वर्माई की संधि में जर्मनी पर कड़ी शर्तें लायी गईं। इसका बुरा परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में प्रकट हुआ और राष्ट्रसंघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी। [ प० ]

द्वितीय — ( १९३६-१९४५ ) पेरिस की संधि के पश्चात् विजयी राष्ट्रों ने विजित राष्ट्रों को मनमाना दंड देना चाहा। जर्मनी और इटली आदि देशों में आर्थिक स्थिति हतनी बिगड़ गई कि सत्ता हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाही शासकों के हाथ में



घा गई। राष्ट्रसंघ ने उनके अत्याचारों को रोकना चाहा परंतु असफल रहा। रूस और जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की ओर से युद्ध में कूद पड़े। प्रारंभ में जर्मनी और इटली ने फ्रांस को पराजित किया और उसे इन दोनों देशों से संधि करनी पड़ी। अमरीका की सहायता से ब्रिटेन लड़ता रहा। जापान जर्मनी की ओर से अमरीका के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा। इटली ने ब्रिटेन के विरुद्ध अफ्रीका में भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। १९४१ में जर्मनी और रूस ने प्रायः समस्त यूरोप पर अधिभार कर लिया। जब बालकन प्रदेशों पर जर्मनी ने अधिकार किया तो रूस उसके विरुद्ध हो गया। जर्मनी ने उसपर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और अमरीका ने उसकी सहायता की। १९४२-४४ तक जर्मनी आदि देश आक्रामक नीति छोड़कर अपनी सुरक्षा में लगे रहे। अंत में रूस, ब्रिटेन और अमरीका विजयी हुए। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी और इटली को बुरी तरह हराया। ७ मई, १९४५ को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमरीका ने पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हीरोशीमा ( ६ अगस्त, १९४५ ) तथा नागासाकी पर करके जापान को पराजित किया। भविष्य में शांति रखने के लिये ५१ राष्ट्रों ने नयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की।

[ ओ० प्र० ]

**विश्वविद्यालय** वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च क्रांति की शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा लोगों को विद्या सबधी उपाधियाँ आदि प्रदान की जाती हो। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के मैदान, भवन, प्रभाग, तथा विद्याधियों का संगठन आदि भी समाहित हैं।

प्राचीन काल में यूरोप के देशों में मान्य अर्थ में कोई विश्व-विद्यालय न था, यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण विद्यालय थे, जैसे एथेंस के दार्शनिक विद्यालय, अथवा रोम के साहित्य और रीतिशास्त्र के विद्यालय जो उच्च शिक्षा संस्थाएँ थीं। मध्य युग में शिक्षा पर धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण रहा। धार्मिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों की व्यवस्था की जाती थी जिनमें पादरियों को धार्मिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस युग में पेरिस का धार्मिक विद्यालय धर्मशिक्षा का एक केंद्र बन गया, तथा मध्य ११९८ तथा १२१५ ई० के बीच पेरिस विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया और उसमें धर्मविज्ञान, कला तथा चिकित्सा के प्रभाग बनाए गए। बाद में विज्ञान अध्यापकों और विद्याधियों ने मिलकर विश्वविद्यालय चलाए। १२वीं शताब्दी के मध्य के लगभग बोलोना में कानून के विद्याधियों के प्रयास से एक कानून विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन् १२५० ई० के लगभग विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगा और वे पाठ्यपूर्ण विद्याधियों के बजाय शासकों द्वारा अपने राज्य की राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थापित किए जाने लगे। मध्ययुगीन विश्वविद्यालय १३वीं शताब्दी के मध्य के सर्वोत्कृष्ट समय में बौद्धिक स्वतंत्रता की अद्वितीय अवस्था को प्रकट करते हैं। धन के कारण इनकी प्रगति बाधित नहीं हुई और वे अपने स्वतंत्र अधिकारों को नष्ट करनेवाले प्रयत्नों का विरोध करने में सक्षम रहे। वे अपने युग की संस्कृति को निर्धारित करने

में प्रभावशाली बने। मध्ययुगीन दर्शन का जन्म कुछ महान् धार्मिक आंदोलनों के समान महाविद्यालयों में हुआ जिसने मध्य युग के यूरोप को हिला दिया और उसकी अज्ञानता को मिटाकर दिया। इसी १३वीं शताब्दी में यूरोप के प्रभाव से इंग्लैंड में भी ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

यूरोप में धर्म-सुधार-आंदोलन के साथ विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण और विस्तार में एक निश्चित परिवर्तन हुआ; उनकी परंपरागत स्वयं-व्यवस्था और स्वतंत्रता लुप्त हो गई, प्राचार्य राज्य के सेवक हो गए, कठोर नियंत्रण तथा जाँच की व्यवस्था हो गई। विश्वविद्यालय को राज्य तथा तत्संबंधित चर्च के लिये आवश्यकताओं को दीक्षित करनेवाली संस्था माना जाने लगा। ये विश्वविद्यालय धार्मिक संस्थाओं से संबंधित होते हुए भी १६वीं शताब्दी के धार्मिक संघर्षों से दूर रहे। इस शताब्दी में विश्वविद्यालय वैज्ञानिक खोजों के केंद्र बन गए। बाद में १७वीं शताब्दी में शिक्षण ही इनका मुख्य कार्य हो गया। १८वीं शताब्दी में शिक्षाशास्त्र समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होते गए और उन विभिन्न विषयों की शिक्षा देने का प्रयत्न करने लगे जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक थे। फ्रांस की क्रांति के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की आयोजना होने लगी। १९वीं शताब्दी में यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तथा शोधकार्य पर अपने को केंद्रित करे और माध्यमिक शिक्षा का अपने कार्यक्षेत्र से हटा दे। वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया गया। इस काल के विश्वविद्यालय केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि राजनीति के केंद्र भी बने, और विभिन्न देशों के राष्ट्रीय उत्थान में राष्ट्रीयता के स्थायी भावों को उत्पन्न करके उठाने महत्वपूर्ण कार्य किया। १९वीं शताब्दी के अंत तक विश्वविद्यालय का सबंध जनता के साथ काफी घनिष्ठ हो गया। २०वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों के दृष्टिकोण में विस्तृत परिवर्तन हुए। बौद्धिक विकास की परंपरागत सीमाओं की उपेक्षा करके उनमें सभी प्रकार के प्राविधिक विषय प्रारंभ किए गए। उपयोगितावाद के प्रभाव में आकर कभी कभी तो उनमें पूरक तथा उपयोगी परम्परागत ही प्रधानता हो गई। आधुनिक विश्वविद्यालय अपनी उत्पत्ति तथा सामाजिक सबंध के विचार से तीन में विभक्त हो सकते हैं : या तो वे धार्मिक संस्था से संबंधित हैं, या राज्य की संस्थाएँ हैं, या फिर व्यक्तिगत समूह द्वारा संचालित हैं। इस प्रकार धीरे धीरे विश्वविद्यालय प्रधानतया धार्मिक धर्म से हटकर जनसाधारण से संबंधित होते गए।

भारत में वैदिक काल के गुरुकुलों को विश्वविद्यालय का प्राचीन रूप कहा जा सकता है क्योंकि उन्हीं में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। बाद में, उपनिषद् तथा ब्राह्मण काल में, इस परिवर्तन को विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करते हुए पाते हैं। वे पाँच पाठ्य-पूर्ण अध्यापकों तथा विद्याधियों के समनन के रूप में होती थी और उपाधियाँ प्रदान करने के अधिकारिणी थीं। बौद्ध काल में शिक्षा के सुसंगठित केंद्रों की स्थापना हुई जिनमें नक्षत्रशिला और नालंदा प्रसिद्ध थे। इनमें शूलक लिया जाता था। पाठ्यक्रम में वेद, वेदांग तथा विभिन्न कलाएँ, जैसे चिकित्सा, शल्य, ज्योतिष, नक्षत्र

गणना, कृषि, बहीखाता, धनुर्विद्या आदि, संमिलित थे। बीड तथा जैन दर्शन एवं तर्कशास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। काठियावाड़ में वल्लभी तथा दक्षिण में कांची भी तख्तियाला और नाजदा के समान शिक्षा के बड़े केंद्र थे।

मुसलमानों के आक्रमण तथा उनके द्वारा राज्यस्थापन से प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय नष्ट हो गए। मुसलमान शासकों ने विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिये 'मदरसा' अथवा महा-विद्यालय स्थापित किए। इस काम में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, भजमेर, बीदर, आदि स्थानों के मदरसे प्रसिद्ध थे, और उनमें अरबी फारसी साहित्य, इतिहास, दर्शन, रीतिशास्त्र, कानून, ज्यामिति, ज्योतिष, अष्टात्मशास्त्र, धर्म-विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते थे। वस्तुतः यह मदरसे ही विश्व-विद्यालयीय शिक्षा की व्यवस्था करते थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कालेज उच्च शिक्षाकेंद्र के रूप में स्थापित हुए। सन् १८४५ ई० में बंगाल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने पहली बार कलकत्ते में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रस्ताव पास किया जिसे भावे चलकर सन् १८५४ ई० के कुछ के घोषणा-पत्र ने स्वीकार किया। इसके अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय की योजना लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर बनाई गई थी और उसमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा, आदि की व्यवस्था की गई। सन् १८५६ ई० तक कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये योजनाएँ तैयार हो गईं, और २४ जनवरी, १८५७ ई० को उत्सवधी बिलों को भारत के गवर्नरजनरल की स्वीकृति प्राप्त हो गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पहले कार्य आरंभ किया और बाद में उसी वर्ष बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय ने। आरंभ में इन विश्वविद्यालयों में चार प्रभाग, कला, कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के खोले गए। ये विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को संबन्धित (affiliate) करनेवाले थे। बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों का यह अधिकार अपने ही प्रांतों तक सीमित रहा। सन् १८६७ ई० में पंजाब प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रस्ताव किया गया और सन् १८८२ ई० में विशेषतः पूर्वी भाषाओं के अध्ययन के लिये पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् १८८२ ई० के शिक्षा आयोग ने महाविद्यालयीय शिक्षा तथा वित्त संबंधी परिस्थिति का पूर्णरूपेण पुनरवलोकन किया और अपने सुझाव दिए। सन् १८८० ई० में इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन् १९०२ ई० के विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों को 'शिक्षण संस्थाओं' के रूप में, तथा सीनेट, सिंडीकेट और 'फ्रंकल्टी' को माय्यता देने की संस्तुति की। सन् १९०४ ई० के विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा सीनेट के संघटन में परिवर्तन हुआ, उसकी सदस्यसंख्या में वृद्धि हुई; सिंडीकेट को कानूनी मान्यता मिली और उसमें अध्यापकों का प्रतिनिधित्व भी रहा; प्राचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति के नियम तथा धर्तें निश्चित हुईं। सन् १९१३ ई० की शैक्षिक नीति के आधार पर ढाका, अलीगढ़, बनारस, षटना, नागपुर आदि में नए शिक्षण तथा छात्रावास विश्वविद्यालयों

की स्थापना हुई। सन् १९१६ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर शिक्षा विभागों को आरंभ किया। इस विश्वविद्यालय की दशा की जांच के लिये सन् १९१७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना जिसकी रिपोर्ट ने देश में उच्च शिक्षा के रूप एवं विकास पर विशेष प्रभाव डाला। अब विश्वविद्यालय साधारणतया माध्यमिक शिक्षा कार्य से अलग हो गए और उनका ध्यान स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन पर केंद्रित हुआ। पाठ्य विषयों की संख्या तथा उनके विस्तार में वृद्धि हुई, और शिक्षक प्रशिक्षण, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, भवननिर्माण, कृषि आदि विषयों का अध्यापन होने लगा। सन् १९२४ ई० में अंतर्विश्वविद्यालय परिषद बना जिसने विश्वविद्यालयों के कार्य को सुगठित किया। माध्यमिक शिक्षा के निरंतर विस्तार होने से विश्वविद्यालयों की संख्या भी क्रमशः बढ़ती गई जैसा कि केंद्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्टों से प्रकट होता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् १९४८ ई० में डा० सर्वपल्ली राधा-कृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय एवम् जनतन्त्रात्मक आधार पर पुनःसंगठित करने के लिये विस्तृत सुझाव दिए। देश की दशा एवम् आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यविषयों को आरंभ करने पर जोर दिया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। विश्वविद्यालयों की आर्थिक दशा की जांच करने और उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु उन्हें उचित अनुदान देने के लिये केंद्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grants Commission) बनाई। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण तथा संबन्धित करनेवाले (affiliating) दोनों प्रकार के हैं। विश्वविद्यालय अनुदान समिति संस्थाओं के शिक्षण रूप धारण करने पर अधिक बल देती है।

कुछ भारतीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार पर आधारित हैं, यथा बनारस, अलीगढ़, विश्वभारती आदि। अन्य प्रांतीय विश्वविद्यालय शिक्षण करनेवाले तथा सावास हैं। इनमें विद्यार्थी छात्रावास में रहते, तथा विद्याध्ययन करते हैं। दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालय वे हैं जो केवल परीक्षा लेते तथा महाविद्यालयों को संबन्धित करते हैं। इन विश्वविद्यालयों में भी अब थोड़ा बहुत शिक्षण कार्य होने लगा है।

विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिये कुलपति, उपकुलपति, प्रबंध समिति (सीनेट), कोर्ट (सभा), शिक्षा समिति (Academic Council), रजिस्ट्रार और उसके सहायक आदि होते हैं। प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रायः प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, जो धर्मतन्त्रिक हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति को विजिटर (Visitor) के रूप में माना जाता है।

पाठ्यक्रमीय संघटन की दृष्टि से प्रत्येक विश्वविद्यालय अनेक प्रभाग (Faculties), यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, आदि में बँटा हुआ होता है। प्रभाग के प्रभान प्राध्यक्ष (Dean) होते हैं। प्रत्येक भाग के अंतर्गत विभिन्न विभाग होते हैं जिनके अलग-अलग

अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष प्रायः प्रोफेसर ( प्राचार्य ) कहलाते हैं। उनके सहायक अध्यापकगण रीडर, लेक्चरर अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि होते हैं। विश्वविद्यालय में एक या अनेक प्रभाग होते हैं। कुछ में एक ही प्रभाग है जैसे रुड़की इंजीनियरिंग विश्व-विद्यालय। इन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियाँ भी अनेक प्रकार की हैं। शोध कार्य के निमित्त उच्च उपाधियाँ डी० लिट०, डी० एस-सी०, एल०-एल० डी०, पी-एच० डी०, डी० फिल०, आदि हैं। बी० ए०, एम० ए० बी० एस-सी०, बी० कॉम०, एम० कॉम०, एल-एल० बी०, एल-एल० एम०, बी० डी०, बी० एड०, एम० एड० आदि की उपाधियाँ प्रायः लिखित परीक्षा के उपरांत दी जाती हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रति वर्ष एक समावर्तन समारोह ( Convocation ) होता है जिसमें परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपाधिदान किया जाता है।

आज के विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा की अनेक समस्याएँ हैं जिनपर शासन तथा शिक्षाविदों का ध्यान केंद्रित है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार के कारण विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, और प्रश्न यह है कि क्या विश्व-विद्यालय उन सभी विद्यार्थियों को स्थान दें जो आगे पढ़ना चाहते हैं। अथवा केवल उन्हीं को चुनकर लें जो उच्च शिक्षा से लाभ उठाने में समर्थ हो? धन की कमी आज सभी विश्वविद्यालयों को महसूस हो रही है। भारत में विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम क्या हो? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध कार्य को प्रश्रय देने की समस्या भी ध्यान आकर्षित करती है। कुछ विश्व-विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता भी एक समस्या है। गोप्य अध्यापकों को विश्वविद्यालय में आकर्षित करना तथा उन्हें बनाए रखना कम महत्वपूर्ण नहीं। देश की वर्तमान दशा को देखते हुए तथा हमारी आज व कल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के पाठ्यविषय प्रारंभ किए जाएँ और आगे के विश्वविद्यालयों का क्या रूप हो? ये प्रश्न राष्ट्रोत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सं० ग्रं० — इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका; इंसाइक्लोपीडिया ऑव सोशल साइसेज; ए० एन० बसू : यूनिवर्सिटीज इन इंडिया; रिपोर्ट ऑन द यूनिवर्सिटी कमिशन; आर० के० मुकजी . एंशेट इंडियन एजुकेशन; ए० एस० अल्लेकर : एजुकेशन इन एंशेट इंडिया; इंसाइक्लोपीडिया ऑव माडर्न एजुकेशन; हुमायूँ कबीर : एजुकेशन इन न्यू इंडिया। [ सु० अ० ]

### विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय

परंपरागत प्राप्त मानवज्ञान का संरक्षण, नवीन ज्ञान का संरक्षण, नवीन ज्ञान का अनुसंधान, संवर्धन एवं प्रसार आधुनिक विश्वविद्यालयों के प्रमुख कार्य हैं। इसीलिये वे साहित्य, कला, दर्शन, समाजविज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, व्यवसाय, व्यापार उद्योग एवं तकनीकी आदि के शिक्षण एवं अनुसंधान की अपने यहाँ व्यवस्था करते हैं, और शिक्षा-सेवा-विस्तार ( एजुकेशन एक्सटेंशन ) के द्वारा उनको भी लाभान्वित करने की चेष्टा करते हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र होकर अध्ययन नहीं कर सकते।

ज्ञानानुसंधान, एवं प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में बौद्धिक स्वातंत्र्य हो। विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सद्भावना स्थापित करने के भी शक्तिशाली माध्यम हैं।

प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में तक्षशिला, नालंदा, विक्रम-शिला, वल्लभी, नदिया, उदयंतपुरी, कांची आदि विश्वविद्यालयों ने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। इनमें विदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिये आते थे। भारतीय शिक्षा परंपरा में आत्मज्ञान के लिये शिक्षा, गुरु और शिष्य का पिता तुल्य संबंध, शिक्षाकाल में ब्रह्मचर्यपानन का तपस्यामय जीवन, निःशुल्क शिक्षा तथा बौद्धिक स्वातंत्र्य आदि भावों की प्रधानता थी। मध्यकाल के शिक्षार्केद्रों में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जौनपुर, बीर और अजमेर आदि विशाल शिक्षाकेंद्र थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरांत सन् १८५७ में बलकत्ता, बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर हुई थी। ये केवल परीक्षा लेनेवाले विश्वविद्यालय थे। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के समान इनमें सद्जीवन न था। सन् १९१३ से सन् १९२१ तक छद्म आवास एवं शिक्षणसमन्वित विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् १९१६ में महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तथा सन् १९२० में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् १९१८ में निजाम हैदराबाद ने उममानिया विश्वविद्यालय स्थापित किया। उसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा गया था।

स्वाधीनताप्राप्ति के उपरांत भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। भारत के विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालय विशिष्ट विषयों कृषि, इंजीनियरिंग, संस्कृत, संगीत आदि के अध्ययन को प्रधानता देने की दृष्टि से स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिये 'उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर नैनीताल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर ( उड़ीसा ), आंध्र प्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय रुड़की आदि हैं। इसी प्रकार काशी तथा दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय तथा खैरगढ़ ( मध्यप्रदेश ) इंडा वला, और संगीत विश्वविद्यालय हैं। केवल महिलाओं के लिये बंबई में थैकरसी विश्वविद्यालय है।

इनके प्रतिरिक्त कुछ शिक्षण संस्थाओं को उनके विशिष्ट महत्व के कारण विश्वविद्यालय के समक्ष माना गया है। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामेमलिया देहली, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, ने स्वाधीनताप्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः उन्हें विश्वविद्यालय के समकक्ष स्थान दिया गया। विज्ञान तकनीकी एवं समाजविज्ञान के शिक्षानु-संधान की विशिष्टताओं के कारण बिडला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देहली, टाटा समाजविज्ञान संस्थान बंबई तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान देहली को भी विश्वविद्यालय के समकक्ष माना गया है।

तेरहवीं शताब्दी में स्थापित ब्रिटेन के ऑक्सफर्ड एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी तक निमित्त बरमिधम,

लीड्स, मैनचेस्टर, लिवरपूल, न्यूकैसल, ग्लासगो, एडिनबरा, विक्टोरिया, डरहम, आदि विश्वविद्यालयों के समान ही ज्ञान, विज्ञान के आधुनिकतम शिक्षा संस्थानों से संपन्न होकर प्राचीन और आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूरोप के इसी प्रकार के अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों में फ्रांस के, पेरिस विश्वविद्यालय (स्थापित १२५३ ई०), टाइलोज (१२२६ ई०), मोंपेलियर (Montpellier, १२८६ ई०), इटली के नेपल्स (१२२४ ई०), पलॉरेंस (१३२१ ई०), रोम (१३०३ ई०), जेनोआ (१४७१ ई०); जर्मनी का म्यूनिक (१४७२ ई०) स्पेन के बाग्सीलोना (१४५० ई०) मैड्रिड (१५०८), पुर्तगाल के कोइंब्रा [Coimbra (१२६० ई०)], स्वीडन का अपसाला (१४७७ ई०) तथा नीदरलैंड का लाइडन (१५७५ ई०) आदि विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन एवं नवीन शिक्षा परंपराओं के संस्थागत होकर विद्यमान हैं।

कोलंबिया, न्यूयार्क, ओट्टावा, केलीफोर्निया, पलॉरिडा, शिकागो, हार्वर्ड, पाणिगटन, इडियाना, मिशीगन, येल आदि अमरीका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं।

रूस में मॉस्को, लेनिनग्राड जैसे विशाल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त मोवियत सभ के विशाल भूभागों के लिये सेंट्रल एशियन लेनिन विश्वविद्यालय 'फार ईस्ट विश्वविद्यालय' तथा सोवियत संघ के विभिन्न राज्यों के अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। सोवियत संघ की प्रजासत्ता ने अनुसंधान क्षेत्र में युगपरिवर्तनकारी कार्य किए हैं।

चीन में पोपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, पेंकिंग, के नमूने पर चीन के सभी प्रमुख प्रदेशों में विश्वविद्यालय की पुनःस्थापना की गई है जिसे मानववादी दर्शन और तकनीकी शिक्षा की प्रधानता है। शाघाई, पूयन, चुंकिंग, नानकिंग आदि वहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं।

एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों के प्रमुख नगरों में विश्वविद्यालय हैं। किसी किसी नगर में कई विश्वविद्यालय हैं। फिलिपींस के मनीला जैसे नगर में ही पाँच विश्वविद्यालय हैं। छानो की संस्था की दृष्टि से एशिया में चीन, जापान और भारत में बड़े विश्वविद्यालय हैं। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जहाँ जापान ने अन्य देशों में पुनर्निर्माण किया है वहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में भी। वहाँ के टोकियो, हाँकाइडो, फियोटो, हिरोशाकी, तथा हिरोशिमा आदि विश्वविद्यालय ज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय क्षेत्र की शिक्षा में अफ्रीका भी उन्नतिशील है। दक्षिणी अफ्रीका के प्रिटोरिया, नटाल, डरबन, केपटाउन, ट्रांसवाल आदि उन्नतिशील विश्वविद्यालय हैं। [२० श० श०]

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : संगठन और कार्य** सन् १९५६ ई० के संसदीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई है। शिक्षा-संसार तथा केंद्र एवं राज्य सरकार से इसे समान प्राप्त है। सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच में एक ऐसी समिति अंतर्स्थापित करना, जिसके सदस्य राजनीतिक सबद्धता के कारण नहीं बल्कि ज्ञान

और शैक्षिक स्थान के आधार पर चुने जाते हों, वास्तव में राष्ट्र-मंडलीय युक्ति है। संयुक्त राज्य की विश्वविद्यालय अनुदान समिति १९१६ ई० में स्थापित की गई जब विश्वविद्यालयों के वित्तीय असंतुलन से संयुक्त राज्य सरकार बहुत चिंतित थी। संयुक्त राज्य कोष ने विश्वविद्यालय शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं की जाँच पड़ताल करने के लिये तथा ससद् द्वारा दिए जा सकनेवाले अनुदान की प्रयुक्ति पर सरकार को मन्नता देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से एक स्थायी समिति का प्रारंभ किया।

भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९५६ में स्थापित हुआ, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय आयोग १९५६ में, न्यूजीलैंड का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९६१ में, और श्रीलंका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९६२ में। ये सब संस्थाएँ उसी प्रयोजन के लिये स्थापित हुईं जिसके लिये अद्वितीय ब्रितानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति १९१६ में स्थापित हुई थी। इन सब संस्थाओं को ब्रितानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति के ४५ वर्षों के अनुभव का लाभ प्राप्त है। गैर-राष्ट्रमंडलीय देशों में इसके सदृश संस्था है, अमरीका की नैशनल सायस फाउंडेशन जो १९५० में स्थापित हुई और जो अमरीकी सरकार की सघीय निधि से भौतिक, सामाजिक और जैव विज्ञानों के संपूर्ण क्षेत्र में आधा-भूत अनुसंधान के लिये, मुख्यतः कालेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान द्वारा आश्रय और परामर्श देती है।

भारत सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ब्रितानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति से थोड़ा अलग ढंग से कार्य करता है, क्योंकि इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और इसके कार्य संसदीय अधिनियम के अधीन संपादित होते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की परिगणना (Schedule) VII की प्रविष्टि (entry) ६६ में वर्णित संवैधानिक कर्तव्य (obligation) भी इसकी शक्ति के स्रोत हैं। वास्तव में, संविधान के अनुसार भारत में शिक्षा का विषय राज्यों के अधीन है लेकिन प्रविष्टि ६६ से स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य पर दूरदर्शिता से विचार किया था। इसका अर्थ है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं के स्तरों का समन्वय और निर्धारण केंद्रीय सरकार का कर्तव्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा १२ के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के काम इस प्रकार बताए गए हैं — 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह साधारण कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित संस्थाओं की राय से विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन और समन्वय के लिये तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों के निर्धारण और अनुक्षण के लिये यह ऐसे सब काम करे जो इस समुचित लगे'। इस धारा के अधीन आयोग को इस प्रकार के कार्य करना जरूरी है जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाना और उनके स्तरों के अनुरक्षण एवं विकास के लिये निर्धारित करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नौ सदस्य होते हैं जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय उपकुलपतियों की संख्या अधिकतम तीन होती है। देश की विश्वविद्यालय शिक्षा के अनुभव

धीर ज्ञान तथा निष्पक्षता धीर प्रखंडता की भावना के आधार पर इन्हें चुना जाता है। सरकार का प्रतिनिधित्व दो अधिकारी, सामान्यतः वित्त-सचिव और शिक्षा-सचिव, करते हैं। अन्य चार सदस्य प्रसिद्ध शिक्षाविद् और उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इनमें से एक को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी अध्यक्ष नहीं बन सकते। पिछले दस वर्षों में आयोग को इससे बड़ा लाभ हुआ। प्रसिद्ध शासक एवं शिक्षाविद् डा० चि० दा० देशमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति तथा भारत के भूतपूर्व वित्तमंत्री, १९५६ के बाद ६ साल तक इसके अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात् सौभाग्यवश डा० दौलतसिंह कोठारी अध्यक्ष हुए। प्रथम अध्यक्ष ने आयोग की कार्यविधियों के लिये मजबूत नींव तैयार की और विश्वविद्यालयों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श की परंपरा स्थापित की। इसके बाद डा० दौलतसिंह कोठारी ने विश्वविद्यालयों में विकास के नए कार्यक्रम शुरू किए जैसे उच्च अध्ययन केंद्र की स्थापना, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये, विशेषतया विज्ञान में, ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का आयोजन, और विश्वविद्यालय की सहायता के लिये अन्य बहुत सी योजनाएँ। अध्यक्ष और सचिव आयोग के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होते हैं और अन्य सदस्य अर्धवैतनिक।

आयोग की सहायता के लिये एक सचिवालय है जिसमें एक सचिव, एक संयुक्त सचिव, तीस अन्य अधिकारी तथा करीब दो सौ अन्य कर्मचारी हैं। नई दिल्ली में इसके दफ्तर के लिये अपना मकान है और इसका प्रशासनिक व्यय बहुत ही कम है—कुछ वार्षिक बजट का प्रायः १५ प्रतिशत। उदाहरणार्थ, १९६५-६६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कुल बजट करीब १५.६ करोड़ रुपए था जिसमें से प्रशासनिक व्यय सिर्फ २० लाख रुपए हुआ। १५.४ करोड़ रुपए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को उचित विकास अनुदान देने पर तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने पर खर्च हुए। आज ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है—केंद्रीय विश्वविद्यालय ४, राज्य विश्वविद्यालय ६५ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएँ ९।

स्तर बनाए रखने के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के प्रतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह भी अधिकार है कि यह विश्वविद्यालय विभागों का निर्धारित तरीके से निरीक्षण कर सके। इसके लिये विश्वविद्यालय को निरीक्षण की तिथि सूचित करना आयोग के लिये जरूरी होगा और निरीक्षण कार्य से विश्वविद्यालय भी सबद्ध रहेगा। निरीक्षण परिणाम के संबंध में आयोग अपने विचार विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा और विश्वविद्यालय की राय मासूम करने के बाद उससे यह सिफारिश करेगा कि निरीक्षण के फलस्वरूप विश्वविद्यालय क्या क्या करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में यह भी अधिकार है कि विश्वविद्यालय की ओर से दी गई सफाई को क्याल में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देना रोक दे। अर्थात्

स्वरूप ही ऐसे अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। पिछले दस वर्षों में अब तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है परंतु ये विश्वविद्यालयों की रोकथाम का काम करते हैं।

इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में धारा २० के अधीन राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीतियों के प्रश्न पर आयोग को केंद्रीय सरकार के निर्देशन से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। फिर भी, यह बतला दिया जाए कि अब तक ऐसे निर्देश दिए जाने का मौका नहीं हुआ है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें पूर्ण समन्वित रूप में कार्य करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हितों को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है और राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय नीति पर सरकार के विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों में प्रतिबन्धित होते हैं।

अधिनियम ने आयोग को जो काम करने की जिम्मेदारी दी है उनके कार्यान्वयन के लिये आयोग की बैठक जनवरी और जून छोड़कर हर महीने में एक बार होती है—साधारणतः महीने के प्रथम बुधवार को। इस प्रकार साल में दस बैठकें होती हैं, यद्यपि विशेष बातों के लिये असाधारण बैठकें भी हो सकती हैं। आयोग की बैठकों में प्रस्ताव पारित होते हैं जिनके अनुसार सचिवालय अनुदान देता है या विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को आयोग के परामर्श प्रेषित करता है। विशेष समस्याओं के लिये अनेक तदर्थ या विशेष समितियाँ बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे उच्च अध्ययन केंद्र समिति, नवीन विश्वविद्यालय समिति, क्षेत्र अध्ययन समिति, ग्रीष्मकालीन कक्षा समिति इत्यादि। इनमें से कुछ अब स्थायी समितियाँ बन गई हैं।

प्रत्येक पंचवर्षीय विकास योजना के प्रारंभ में योजना आयोग की सलाह पर सरकार आयोग को बता देती है कि विकास कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल कितनी निधि दी मिलेगी। चार केंद्रीय विश्वविद्यालय—दिल्ली, वाराणसी, अलीगढ़ और विश्वभारती के अनुरक्षण अनुदान के लिये तथा दफ्तर के प्रशासनीय खर्च के लिये सरकार प्रतिरिक्त निधि देती है। प्रत्येक योजना के शुरू में आयोग जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाता है वह है विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये जाँच समिति नियुक्त करना। आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को बता दिया जाता है कि विभिन्न विभागों और संबद्ध कालेजों के विकास के लिये उनको आयोग करीब करीब कितनी रकम देगा। तब जाँच समितियाँ विश्वविद्यालय योजनाओं की परीक्षा करती हैं और योजनावधि में होनेवासी वित्तीय आवश्यकताओं पर आयोग को राय देती हैं। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने वित्तीय साधन देखते हुए हर विश्वविद्यालय को विकास के लिये धनराशि वितरित करता है। कार्यक्रमों की मंजूरी विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विशेषज्ञों द्वारा की गई जाँच को देखते हुए दी जाती है। कालेज विकास, उच्च अध्ययन केंद्र, ग्रीष्मकालीन कक्षा जैसे विशेष कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग खुद ही विश्वविद्यालयों और कालेजों के विचार विमर्श से चलाता है। वार्षिक योजना के जरिए बजट बनाने का सामान्य तरीका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर भी लागू होता है। परियोजनाओं को घटाने बढ़ाने की भी बड़ी जरूरत होती है क्योंकि कुछ परिगंजनाओं की प्रगति अच्छी होती है और कुछ परियोजनाएँ निर्माण में कठिनाइयों के कारण या नए पदों के लिये उपयुक्त ध्यक्त न मिलने के कारण या ऐसे ही कारणों से, पिछड़ जाती हैं।

इस तरह के काम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्विद्यलय के अधिकारियों पर बहुत अधिक भार पड़ता है। विश्वविद्यालयों की कुछ कठिन समस्याओं को मुलभाने के लिये तदर्थ विशेष समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों के कार्यक्रमों को देखने जाने का और विशिष्ट प्रश्नों पर विचार विमर्श करने का प्रबंध करना होता है। विश्वविद्यालयों में जानेवाली समितियाँ और अधिकारीगण रिपोर्टें देते हैं और इनकी राय पर आयोग कोई निर्णय करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विगत दस वर्षों के अस्तित्व में उच्च शिक्षा स्तर के विकास के लिये किए गए कामों का प्रभाव भौतिक एवं शैक्षिक रूप में प्रकट है। स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है और इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि अब हमारे विश्वविद्यालय पहले की अपेक्षा ज्ञान के अधिक व्यापक क्षेत्र में कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई समीक्षा समितियाँ पाठ्यक्रम विषयों की उन्नति पर राय देने के लिये नियुक्त की हैं। विश्वविद्यालय अब इन परामर्शों को कार्यान्वित कर रहे हैं और विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बातचीत के फलस्वरूप पाठ्यक्रम विषयों की उन्नति का कार्यक्रम निरंतर जारी रहता है। इसका यह परिणाम हुआ है कि पाठ्यक्रम-विषय दस वर्ष पहले की अपेक्षा गुण और विस्तार में अब बहुत ही बेहतर हो गए हैं।

एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में या एक ही विश्वविद्यालय के एक विभाग से दूसरे विभाग में शिक्षास्तर में फर्क हो सकता है, लेकिन यह मानना होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के फलस्वरूप जिस किसी विभाग में सुयोग्य और उचित संख्या में शिक्षक हैं और पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की समुचित व्यवस्था है वहाँ पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा-स्तर ऊँचा उठा है। जिन नवसंस्थापित संस्थाओं में छात्रसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में शिक्षक, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं की वृद्धि नहीं हुई है उनमें शिक्षास्तर का नीचा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर भी, किसी विकासोन्मुख समाज में शिक्षास्तर के उत्थान के लिये विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के सर्वोत्तम परिणाम के लिये स्वस्थ प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। कई विषयों में, विशेषतः जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं, शिक्षा एवं अनुसंधान का वर्तमान स्तर विकसित देशों के विश्व-विद्यालयों के सर्वोत्तम स्तर के बराबर है।

अनुसंधान और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये विश्वविद्यालयों

को दिए गए विकास अनुदानों के फलस्वरूप विज्ञान के स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रनामांकन १९५०-१९५१ के ४००० के मुकामिले १९६३-१९६४ में १७००० हो गया। यह वृद्धि चार गुना से भी अधिक है। विज्ञान में अनुसंधान के लिये छात्रनामांकन उसी अवधि में ७११ से बढ़कर २२५५ हो गया। इसी प्रकार मानवशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में तिगुनी वृद्धि हुई है। फिर भी यह विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को ज्ञात है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर स्नातकपूर्व क्षेत्र में शिक्षास्तर उठाने के लिये स्नातकोत्तर विभागों को सर्वप्रथम शक्तिशाली बनाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार से प्रशिक्षित छात्र भविष्य की अर्थव्यवस्था की शक्ति हैं। राष्ट्रीय विकास के काम में ये आगे रहते हैं और विश्व-विद्यालय तथा कालेजों में शिक्षक रूप में लौटकर उन्हें सशक्त करते हैं। इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से विश्व-विद्यालय की प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को विकसित किया गया है। पिछले सात वर्षों में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और करीब १५ करोड़ रुपये भवननिर्माण आदि पर तथा इतने ही रुपये अतिरिक्त पुस्तकों की खरीद के लिये खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार का खर्च वर्तमान प्रयोगशालाओं के विकास पर और नई प्रयोगशालाएँ बनाने पर हुआ है। इनमें अधिक छात्रों को, चाहे स्नातकपूर्व हो या स्नातकोत्तर, अध्ययन के लिये पुस्तकालयों में और प्रायोगिक एवं अनुसंधान कार्य के लिये प्रयोगशालाओं में मनोनुकूल वातावरण पाने का मुख अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। इसी तरह सबूद्ध कालेजों को भी विकसित किया गया है और जिन पाँच वर्षों में इनमें २५१ छात्रा-वास, २६३ पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाएँ, २०४ अनिवासी छात्रकेंद्र, ६५ हॉबी कक्षाएँ, और ६०० पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। ७२३ कालेजों को त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की सुविधाओं के विकास के लिये बड़े अनुदान दिए गए हैं और वेतनमान के सुधार के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए कामों से शिक्षकों को प्रसन्नता हुई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यों के लिये जो धन आयोग को मिल रहा है उससे अधिक मिलना चाहिए। राज्य भी इन कार्यों में शामिल हो, इसके लिये आयोग की यह आशा उचित ही होगी कि राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों के स्वर्च में हिस्सा बँटाएँ क्योंकि प्रत्येक पाँच वर्ष के अंत में विश्वविद्यालयों और कालेजों के अनुरक्षण का दायित्व राज्य पर ही आ जाता है और विकास के आयोजन में योजना आयोग ने खयाल करके राज्य सरकारों के हिस्से में उच्च शिक्षा के विस्तार और विकास के लिये धन का प्रबंध किया है। उदाहरणार्थ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से में २० करोड़ रुपये रक्षे गए थे तो राज्यों के हिस्से में २२ करोड़। तृतीय पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से में ३७ करोड़ रुपये और राज्यों के हिस्से में ३८ करोड़ रक्षे गए। ऐसा प्रस्ताव है कि चतुर्थ योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से में ५८ करोड़ रुपये रक्षे जाएँगे और इससे कुछ अधिक राज्यों के हिस्से में। इस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षास्तरों का समन्वय करेगा

और विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को राज्य एवं केंद्र सरकारों के समक्ष रखने में एक अच्छे दूत का काम करेगा।

विश्वविद्यालय-शिक्षा ज्ञान के अर्जन, संप्रेषण और प्रयोग के लिये है और किसी भी विकास के लिये विश्वविद्यालय के इन तीन मुख्य कार्यों में से प्रत्येक को सशक्त करने की जरूरत होती है। अनुसंधान से ज्ञान का अर्जन होता है, शिक्षण से ज्ञान का संप्रेषण और विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करनेवाली लोकसेवाओं में ज्ञान का प्रयोग। इस तरह, जिसी भी समाज में, खासकर अ विकसित देशों में, जनता के आर्थिक और प्रगतिशील विकास का गढ़ विश्वविद्यालय ही है, और आनुवंशिक सत्ता के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परामर्श, शैक्षिक प्रेरणा, विचार विमर्श और विकास की निधियों के जरिए इस राष्ट्रीय उद्देश्य का समर्थन करता है। [ के० एल० जो० ]

**विश्वामित्र** गोत्रसूची में यह नाम है। अनेक विश्वामित्र नाम के अनेक व्यक्ति होंगे, यह निश्चित है। वस्तुतः वैदिक वाङ्मय के विश्वामित्र और पुराणादि में पठित विश्वामित्र (जिनकी अनेक कथाएँ मिलती हैं) एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि इस गोत्र के विभिन्न व्यक्ति हैं, जो विभिन्न काल में हुए थे। श्रुति पुराणादि में विश्वामित्र संबंधी कथाओं के सूक्ष्म अध्ययन से कई पृथक् विश्वामित्रों की सत्ता ज्ञात होती है, जैसा पंजिटर महोदय ने दिखाया है (Ancient Indian Historical Tradition, Ch-XXI)। वेदोक्त सुदास नामक राजा से संबंधित विश्वामित्र, अयोध्याराज कलमाषपाद रूप से संबंधित विश्वामित्र, नाडकानिधनकारी राम का सहायक विश्वामित्र एवं मेनका के गर्भ में शकुंतला को जन्म देनेवाला विश्वामित्र एक व्यक्ति नहीं हो सकता— ऐसा ज्ञात होता है।

कान्यकुब्जरूप कुशापुत्र गांधि का पुत्र विश्वामित्र पुराणों में बहुधा निर्दिष्ट हुआ है। वसिष्ठ के पुत्रों का नाश, स्नानादि की सुविधा के लिये कोशिकी नदी का निर्माण, नदिनी घेनु के अपहरण को लेकर वसिष्ठ के साथ विवाद करना और उनके तपीबल से पराजित होकर ब्राह्मण्य लाभ के लिये यत्न करना इत्यादि कथाएँ बार बार इतिहास पुराण में कही गई हैं।

विश्वामित्र के मधुच्छंदा अष्टक आदि कई पुत्र हैं। ये सब पुत्र विभिन्न विश्वामित्रों के हैं— यह ज्ञात होता है। इसके वंशजों ने अनेक गोत्रों की प्रवर्तना की जिनमें देवरात, जाबाल, गालव, पाणिनि, मुश्रुत, याज्ञवल्क्य आदि नाम प्रसिद्ध हैं।

विश्वामित्र के साथ कई शास्त्रों का संबंध है। किसी विश्वामित्र ने भरद्वाज से आयुर्वेदाध्ययन किया, यह चरक से ज्ञात होता है। शाङ्खायन आरण्यक से विदित होता है कि किसी विश्वामित्र ने इंद्र से यज्ञज्ञान प्राप्त किया। धनुर्बेदाचार्यों में विश्वामित्र का नाम है— यह प्रपञ्चहृदय के वाक्य से ज्ञात होता है। विश्वामित्र स्मृतिकार भी हैं। ये सब विश्वामित्र विभिन्न व्यक्ति हैं, ऐसा मानना ही संगत प्रतीत होता है। [ र० शं० भ० ]

**विश्वेदेव** यह नाम अग्नि तथा आद्य देवता का भी है और इस नाम का एक राक्षस भी हुआ है, पर प्रायः विश्वेदेवाः उन सभी नौ या दस

देवताओं के समूह के लिये आता है जिनके नाम वेद, संहिता तथा अग्निपुराणादि में दिए गए हैं। भागवत में इन्हें धर्म ऋषि तथा (दक्षकन्या) विश्वा के पुत्र बताया है और इनके नाम दक्ष, त्रमु, वसु, काम, सत्य, काल, रोचक, आद्रव, पुंरवा तथा कुंज दिए हैं। इन सबों ने राजा मरुत के यज्ञ में सभासदों का काम किया था।

वर्तमान मन्वंतर में सात ही विश्वेदेव माने गए हैं और मार्कंडेय पुराणानुसार विश्वामित्र के तिरस्कार करने के कारण इन्हें द्वीपदी के गर्भ से उनके पाँच पुत्रों के रूप में जन्म लेना और अश्वत्थामा के हाथों मरना पड़ा था। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में विश्वेदेवा गी स्तुति की गई है और शुक्ल यजुर्वेद में इन्हें गणदेवता के रूप में माना गया है। वेद संहिता में इनकी संख्या केवल नौ है और इन्हीं इन्द्र अग्नि आदि से कुछ निम्न श्रेणी का माना है। ये मानों के रक्षक तथा सरमों के पुरस्कारदाता कहे जाते हैं और ऋक्महिता के एक मंत्र में इन्हें विश्व के अधिपति की उपाधि दी गई है। [ १० द्वि० ]

**विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंदम** ( सन् १८६१-१९६२ ) प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर तथा प्रशासक थे। इनकी शिक्षा बंगाल के सेंट्रल कॉलेज तथा सायंस कॉलेज, पूना, में हुई थी। पूना से ही सन् १८८३ के परीक्षास्थलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर, आप इमानिपरी के स्नातक हुए तथा बंबई के सरकारी निर्माण विभाग में महापंड इजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद से उन्नत कर्त्त हुए अधीक्षक इजीनियर के पद तक पहुँचकर सन् १९०८ में आपन स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण किया।

इन चौबीस वर्षों में आपने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें एक नए प्रकार के अपशिष्ट-बहिका पुरदार ( waste water floodgate ) का निर्माण तथा एडन ( Aden ) का गानक बस्ती के जलसंभरण तथा जलनिकास आयोजन तयार करना, सामील है।

अवकाश ग्रहण के पश्चात् कुछ काल तक निजाम के हैदराबाद राज्य में बाढ़ रोकने और जलनिकास के संबंध में कार्य करने का काम आपने किया, पर बाद में मैसूर राज्य के सरकारी निर्माण विभाग में मुख्य इंजीनियर और सेक्रेटरी नियुक्त हुए तथा सन् १९१० में पूर्वी राज्य के दीवान का पद आपने सम्हाला। इस पद पर छः वर्ष रहकर आपने न केवल इंजीनियरी, वरन् समाजसुधार तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व काम किए। आपके मुझावों से राज्य के शासन तथा शिक्षा-पद्धति में सुधार हुए, सन् १९१६ में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा प्रजा की प्रतिनिधि सस्थाओं को विस्तृत अधिकार मिले। यहाँ का कृष्णराज सागर बाँध आपका ही बनवाया हुआ है। आपकी चेष्टाओं के फलस्वरूप राज्य में नए नए उद्योग स्थापित हुए। राज्य से गुजरनेवाली रेल का प्रवर्धन भी आपने अपने हाथ में लेकर उभर मुधार किए। सेवानिवृत्त होने पर भी राज्य के लभ के अनेक काम आपके हाथों पूरे हुए।

इंजीनियरी विषयक कार्यों के संबंध में आपकी सलाह की अपस्त देश में बहुत माँग थी। बंबई और कराची के कॉर्पोरेशनों को सलाह देने के सिवाय, कई नगरों के जलसंभरण और निवास, उड़ीसा में बाढ़ निवर्धण तथा तुंगभद्रा से संबंधित आयोजन आपकी

ही सूच के परिणाम थे। बाँधों और जलाशयों पर सौराष्ट्र खासन को तथा बिहार में गंगा के पुल निर्माण पर केंद्रीय सरकार को भी आपने बहुमूल्य सलाहें दीं।

सन् १९२२ के सत्याग्रह आंदोलन के समय सर्वदल परिषद् के अध्यक्ष के रूप में आपने राउंड टेबुल कॉन्फरेंस बुलाने पर जोर दिया तथा सन् १९२९ में आप दक्षिण भारत राज्य जन परिषद् के सभापति रहे। सन् १९४१ में आपने सर्वभारतीय निर्माता संघ की स्थापना की, जिससे उद्योगों को लाभ पहुँचा।

कलकत्ता, पटना तथा इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों ने आपको डी० एस० सी०, बंबई तथा मैसूर विश्वविद्यालयों ने एल० एल० डी० तथा बनारस हिंदू युनिवर्सिटी ने डी० लिट्० की संमानसूचक उपाधियाँ दीं। ब्रिटिश भारत सरकार ने सन् १९१५ में के० सी० ग्राह० ई० की तथा स्वतंत्र भारत ने सन् १९५५ में भारतरत्न की उपाधि प्रदान की।

देश की सेवा में अनेक सृजनात्मक कार्यों का संपादन और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर, पूरे सौ वर्ष की आयु भोगकर, अपनी जन्म-शताब्दी के उत्सव के बाद, १४ अप्रैल, १९६२, को आप दिवंगत हुए।

[ भ० दा० व० ]

**विष** ऐसे पदार्थों के नाम हैं, जो खाए जाने पर झिल्ली (mucous membrane), ऊतक या त्वचा पर सीधी क्रिया करके, अथवा परिसंचरण तंत्र (circulatory system) में अवशोषित होकर, घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने, या जीवन नाष्ट करने, में समर्थ होते हैं।

विषाक्तता (poisoning) के लक्षण निम्नलिखित हैं :

(१) जठरांत्र उत्तेजन (Gastrointestinal irritation) — साधारणतया वमन, पेट की पीड़ा और अतिसार (diarrhea) विषाक्तता के प्रमुख लक्षण हैं। यदि कुछ ही घंटों के भीतर अनेक व्यक्ति विषाक्तता के शिकार हुए हों, तो किसी खास खाद्यवस्तु को क्षोभक (irritant) का बाहक समझा जा सकता है। (२) प्रलाप — यह रासायनिक विष या उपापचयी (metabolic) गड़बड़ी और ज्वर के परिणामस्वरूप उत्पन्न रुधिरविषाक्तता (toxaemia) के कारण होता है। थोड़ी खुराक में ही प्रलाप उत्पन्न करनेवाले रासायनिक विषों में बारबिट्यूरेट, सोमाइड का चिरकालिक मशा, ऐल्कोहॉल, हाइप्रोसायनिन (hyocyanine) आदि हैं। इनमें से प्रथम तीन अधिक प्रचलित हैं और प्रलाप प्रायः अत्यल्प नशे का सूचक होता है। (३) संमूर्च्छा (coma) — प्रमस्तिष्कीय (cerebral) क्षति अधिक होने पर प्रलाप संमूर्च्छा में परिवर्तित होता है। सामान्यतया बारबिट्यूरेट और ऐल्कोहॉल ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं। (४) ऐंठन (Convulsions) — ये दो प्रकार की होती हैं : (क) मेरूदंडीय या टाइटेनिक ऐंठन, जो अक्सर बाह्य उद्दीपन, जैसे स्ट्रिकनिन (strychnine), से उत्पन्न होती है (इसमें स्फूर्ति (tone) रहती है और संज्ञा संतुलित रहती है), (ख) प्रमस्तिष्कीय या मिर्गीजन्म ऐंठन में संज्ञाहीनता होती है और स्फूर्ति तथा क्लोनी (clonic) ऐंठन पर्यायकच से होती

है। प्रतिहेस्टामिन ओषधि, कपूर, केरस सल्फेट और ऐंफाटैमिन इसके उदाहरण हैं। (५) परिणाल वेताकोप (Peripheral neuritis) — सीसा, आर्सेनिक, सोना, पारा आदि से चिरकालिक (chronic) विषाक्तता होने पर परिणाल वेता की दुर्बलता होती है, जिसमें शरीर छिजता है और जठरांत्र (gastrointestinal) विक्षोभ भी होता है।

विषों का वर्गीकरण — लक्षणों के अनुसार विषों के वर्गीकरण निम्नलिखित हैं :

(१) संक्षारक : सांद्र अम्ल और क्षार; (२) उत्तेजक : (क) अकार्बनिक — फॉस्फोरस, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि अकार्बनिक और आर्सेनिक, ऐंठिमनी, पारा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी आदि कार्बनिक; (ख) कार्बनिक — रेंडी का तेल और बीज, मदार, क्रोटन (croton) तेल, घृतकुमारी (aloes) आदि वनस्पति और हरिभृंग (cantharides), साँप तथा अन्य कीटों के दंश; (ग) यांत्रिक — हीरे की धूल, श्लिष्ट काच, बाल आदि; (३) रुग्णतंत्रिक (neurotic) : (क) मस्तिष्क को क्षति पहुँचानेवाले, अफीम और उसके ऐल्केलॉयड, ऐल्कोहॉल, ईश्वर, क्लोरोफॉर्म, घटूरा, बेलाडोना, हायोसायामस (hyoscyamus); (ख) मेरुज्जु को प्रभावित करनेवाले — कुचला (nux vomica), जेलसेमियम मूल। (ग) हृदय को प्रभावित करनेवाले — बन्धनाम (aconite), डिजिटैलिस (digitalis), कनेर, तंबाकू, हाइड्रोसायानिक अम्ल, (घ) श्वासावरोधक (Asphyxiants) — कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयला गैस, (ङ) परिणाल — विषगर्जर (conium) कोरारी (curare)।

तीक्ष्ण विषाक्तता के उपचार के सिद्धांत — विषाक्तता के आपाती उपचार (emergency treatment) के लिये, जिसमें जीवविष (toxin) खा लिया गया हो, निम्नलिखित क्रियाविधि अपनानी चाहिए :

(१) यथाशीघ्र उलटी, वस्तिक्रिया (lavage), विरेचन (catharsis) या मूत्रता (diuresis) द्वारा विष को निकासना।

(२) विशिष्ट या सामान्य प्रतिकारक (antidote) देकर विष को निष्क्रिय करना और तब वस्तिक्रिया का उपचार।

(३) संक्षोभ (shock), पात (collapse) और अन्य विशिष्ट अभिव्यक्तियों (manifestations) के होते ही उनसे संघर्ष करना।

(४) झिल्ली झिल्लियों को शमकों (demulcents) के प्रयोग द्वारा बचाना।

विष का निष्कासन — तीव्र अम्ल, क्षार या अन्य संक्षारक पदार्थ द्वारा विषाक्तता होने पर आमाशय नलिकाओं (stomach tubes), या वमनकारियों, का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनसे जठरीय वेधन (gastric perforation) हो सकता है। जठर में स्थित अंतर्वस्तु को खाली करने का सबसे सरल उपाय वमन है। वमन का प्रयोग अभी करना चाहिए जब रोगी चिकित्सक को सहयोग देने की स्थिति में हो, उसके शरीर में प्रतिरिक्त विष हो और आमाशय नलिकाओं का अभाव हो, या रोगी आमाशय



मलिकामों का उपयोग कर सकने की स्थिति में न हो। निद्रालु या अचेतन रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसके आमाशय की अंतर्वस्तु के तरलापनयन (aspiration) का भय रहता है। संस्कारक विषों के उपशमकों के अंतर्ग्रहण की स्थिति में भी वमन वर्जित है।

वमन कराने के लिये गले में अंगुली या अन्य वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, या निम्नलिखित वस्तुओं में से कोई चीज खिलानी चाहिए: ऐपोमॉरफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, वूरिण्ट सरसों, (powdered mustard) और नमक या प्रबल साबुन जल (strong soap suds)।

जठरीय तरलापनयन और वस्तिक्रिया — इस क्रियाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (१) अतिरिक्त असंस्कारक विषों का निष्कासन, जिन्हें बाद में जठरांत्र क्षेत्र (gastro intestinal tract) से अवशोषित किया जा सकता है; (२) वमन केंद्र के निर्बल होने पर जब वमन नहीं होता, तब केंद्रीय तंत्रिकातंत्र को अवसादित करनेवाले विष का निष्कासन; (३) विषों की पहचान के लिये जठरीय अंतर्वस्तुओं के संचय और परीक्षण के लिये तथा (४) विषप्रतिकारकों के सुविधाजनक प्रयोग के लिये।

निषेधक लक्षण — निम्नलिखित स्थितियों में जठरीय तरलापनयन और वस्ति क्रिया नहीं की जाती है: (१) विष के द्वारा ऊतकों का व्यापक संस्कारण, (२) तीव्र निःसंज्ञ, जडिमाप्रस्त (stuporous), या निश्चेतनताप्रस्त (comatose), रोगी, क्योंकि उसे तरलापनयन फुफ्फुसाति (pneumonia) का खतरा रहता है।

विधि — नाक या मुँह द्वारा आमाशय में एक चिकनी, भूड, न दबनेवाली आमाशय नली को धीमे धीमे प्रवेश कराना चाहिए। वस्तिक्रिया प्रचुर हो, परंतु आमाशय का अघ्नान (distention) न किया जाय। कुछ स्थितियों में थोड़े थोड़े अंतर पर अल्प तरल के साथ वस्तिक्रिया करना अच्छा होता है। वस्तिक्रिया के विलयन के आधिक्य को निकालना अनिवार्य है।

जठरीय वस्तिक्रिया के तरल — १. गुनगुना पानी या १ प्रति शत नमकीन पानी, २. पतला विलेय स्टार्च पेस्ट (paste), ३. एक प्रति शत सोडियम बाइकार्बोनेट, ४. पोटैशियम परमैंगनेट (१.२०००) विलयन, ५. एक प्रति शत विलेय थायोसल्फेट तथा ६. एक या दो प्रति शत हाइड्रोजन परऑक्साइड।

विशेष (Catharsis) — यह मंदकारी अवशोषण में प्रभावकारी हो सकता है। आंत्रिक अवशोषण के पहले विष का निष्क्रियकरण करने के लिये जठरीय वस्तिक्रिया अनिवार्य है, यदि तीव्र अम्ल या क्षार से विषाक्तता न हुई हो। जिस स्थिति में वस्तिक्रिया संभव नहीं है, उसके लिये निम्नलिखित उपाय करना चाहिए: (१) विष प्रतिकारकों के द्वारा अम्लों और क्षारों का उदासीनीकरण, (२) विशिष्ट रसायनों का अवशोषण (यह क्रिया विशिष्ट कारकों पर निर्भर होनी चाहिए) तथा (३) शमकों द्वारा निष्क्रियकरण (शमक धातुओं को अवशोषित करते हैं, अनेक विषों के अवशोषण को कम करने में सहायक होते हैं और ये प्रदाहप्रस्त श्लेष्मल झिल्लियों को बड़ी क्षति प्रदान करते हैं)। ३-४ अंशों का श्वेतक ५०० मिली

लिटर दूध या पानी में, मखनिया दूध, पतले घाटे या मंड के विलयन में (यदि संभव हो तो उबले हुए में) मिलाकर देना चाहिए।

सहायक और आच्छादिक उपाय — तीव्र विषाक्तता के लिकार लोगों को जागरूक डाक्टरों देखभाल में रखना चाहिए, जिससे विषाक्तता की तात्कालिक और विलंबित जटिलताओं का पूर्वानुमान किया जा सके। विष खाकर अत्यहत्या करने में विफल लोगों को किसी मनश्चिकित्सक की देखरेख में रखना चाहिए।

परिसंचारी विकलता (Circulatory failure) — इसमें (१) संक्षोभ के समय मुख्य उपाय हैं, पार्श्वशायी स्थिति (recumbent position), ऊष्मा, उद्दीपकों का प्रयोग और प्रभावी रुधिर आयतन की वृद्धि के लिये आंत्रेतर तरलों का (parenteral fluids) प्रयोग, (२) हृदयी असफलता के समय मुख्य उपाय है, ऑक्सीजन, डिजिटैलिस (digitalis), पारदीयमुत्रधर्षक औषधियों का सेवन, तथा (३) फुफ्फुसशोथ (pulmonary oedema) के समय मुख्य उपाय है, श्वात्मक दबाव के साथ ऑक्सीजन सेवन, आंत्रेतर (parenteral) लवण या अन्य आंत्रेतर तरल (प्लाज्मा छोड़कर) से बचाना।

श्वसन असामान्यताएँ — (१) श्वसन अवरोध के समय मुखप्रसनी (oropharyngeal) वायुपथ और आंतरप्रवासप्रणाल (intra-tracheal) निनालन (intubation) को ठीक करना चाहिए। (२) श्वसन अवनमन (depression) के समय रोगी को खुली हवा में कृत्रिम श्वसन कराना चाहिए। पुनरुज्जीवक (resuscitator), या अन्य स्वयंचल संवातन, यथाशीघ्र करना चाहिए। उद्दीपकों से लाभ होना संदिग्ध है। साधारणतया उपयोग में आनेवाले उद्दीपक निम्नलिखित हैं:

- (क) गरम, कड़ी काली कॉफी, मुख से या गुदामार्ग से,
- (ख) गरम कड़ी चाय मुख से,
- (ग) एक प्याले पानी में दो या चार मिलिलीटर अमोनिया का ऐरोमेटिक स्पिरिट,
- (घ) ५०-१२० मिलिलीटर एफेड्रिन सल्फेट मुख से या अश्वस्वक् रूप से
- (ङ) कोरामिन (coramine) की सूई,
- (च) ऐंफाटैमिन सल्फेट ५-४० मिलिग्राम मुख से या सूई से तथा
- (छ) मेथाऐंफाटैमिन हाइड्रोक्लोराइड, २५-१५ मिलिग्राम मुख से

केंद्रीय तंत्रिकातंत्र संयोग — (१) केंद्रीय तंत्रिकातंत्र को उत्तेजना होने पर संमोहक या प्रति आक्षेप (anti-convulsant) का प्रयोग करना चाहिए: (क) ऐमोबारबिटल सोडियम (ऐमिटल) का ताजा १० प्रति शत विलयन २५०-५०० मिलिलीटर, (ख) पैराऐलिबहाइड मुख से, गुदामार्ग से या नितंब में तथा (ग) कैल्सियम ग्लूकोनेट १० प्रतिशत, १०-२० मिलिलीटर, सूई से।

निर्बलीकरण (Dehydration) — संकेतानुसार मौखिक या आंत्रेतर तरल।

पीड़ा—पीड़ाहर और स्वापक (Narcotic) औषधि देनी चाहिए।

चाहे किसी ही विषाक्तता हो, यह चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह बमित पदार्थ, ग्रामाशय धावन (wash) और मल मूत्र का नमूना सुरक्षित रखे। रोगी का नाम, संरक्षित पदार्थ का नाम, परीक्षण की तिथि और नमूने को ताले में बंद कर रखना चाहिए।

यदि गैरसरकारी चिकित्सक को शंका हो जाय कि रोगी की हत्या करने के लिये विष दिया गया है, तो उसे आपराधिक कार्यवाही संहिता की ४४ वीं धारा के अंतर्गत इसकी सूचना निकटस्थ पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिये, हर विषाक्तता के रोगी की सूचना पुलिस में दे देनी चाहिए। सरकारी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी सभी संदिग्ध विषाक्तता की सूचना पुलिस को देने के लिये बाध्य है। यदि रोगी मृत अवस्था में लाया, जाय, तो डाक्टर उसे मृत्यु का प्रमाणपत्र दे और इसकी सूचना पुलिस को दे।

सामान्य विषों की चिकित्सा — देखें विष प्रतिकारक।

[ गो० ना० च० तथा वि० पां० ]

**विषकन्या** का प्रयोग राजा अपने शत्रु का छलपूर्वक अंत करने के लिये किया करते थे। किसी रूपवती बालिका को बचपन से ही विष की अल्प मात्रा देकर पाला जाता था और विषैले वृक्ष तथा विषैले प्राणियों के संपर्क से उसको अभ्यस्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त उसको संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी, एव सब प्रकार की छल विधियाँ सिखाई जाती थी। अक्सर अपने पर इस विषकन्या को युक्ति और छल के साथ शत्रु के पास भेज दिया जाता था। इसका श्वास तो विषमय होता ही था, परंतु यह मुख में भी विष रखती थी, जिससे संभोग करनेवाला पुरुष रोगी होकर मर जाता था। [ म० ला० श० ]

**विषप्रतिकारक** विष कष्टकारक और घातक होते हैं। इनके प्रभाव के निराकरण के लिये कुछ औषधियाँ और उपचार प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विषप्रतिकारक कहते हैं। विष के खाने के अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग आरमहस्था के लिये विष खाते हैं। कुछ लोग दूसरे का धनमाल हड़पने के लिये विष खिलाकर बेहोश कर, धनमाल लेकर चंपत हो जाना चाहते हैं। ऐसी बातें रेलयात्रियों के सबब में बहुधा सुनी जाती हैं। कुछ लोग अनजान में विष खा लेते हैं और उसके अहितकर प्रभाव का शिकार बनते हैं। विषों के लाभकारी उपयोग भी हैं। कष्टकारक कीड़ों मकोड़ों, जैसे मच्छड़ और लटमल, और रोगोत्पादक जंतुओं, जैसे चूहों आदि, के नाश करने में विषों का प्रयोग होता है।

भारत में जो विष साधारणतः प्रयुक्त होते हैं, वे हैं अफीम, संखिया, तुतिया, धतूरे के बीज, कार्बोलिक अम्ल इत्यादि। कुछ विष अम्लीय होते हैं, जैसे प्रबल ऐसीटिक अम्ल, प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल नाइट्रिक अम्ल, प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा भाक्सैलिक अम्ल। कुछ विष क्षारीय होते हैं, जैसे ऐल्कलॉयड और कुछ उदासीन होते हैं, जैसे सीस, पारद के लवण, संखिया आदि। अम्लीय विषों के निराकरण के लिये किसी क्षारीय पदार्थ का प्रयोग होता है, जैसे बहुत तनु अमोनिया (भाधे पाईट जल में एक भाग चंभ

अमोनिया), चूने का पानी, प्लास्टर ऑव पेरिस, मैग्नीशिया, खड़िया इत्यादि। क्षारीय विषों के लिये अम्लीय प्रतिकारकों का प्रयोग होता है, जैसे हलका ऐसीटिक अम्ल, सिरका, नीबू का रस इत्यादि। जिस विष की प्रकृति न मालूम हो, उसे बहुत पानी या दूध मिलाकर भंडा, तेल, घाटा और पानी या चूना पानी देना चाहिए। कुछ विशिष्ट विषों के विषप्रतिकारक इस प्रकार हैं :

**अम्लीय विष** — बहुत तनु अमोनिया, पाकचूर्ण, मैग्नीशिया, खड़िया, चूना या साबुन पानी। दंतमंजन तथा वमनकारी औषधियों का सेवन निषिद्ध है।

**क्षारीय विष** — सिरका, नीबूरस, बहुत तनु ऐसीटिक अम्ल ( २ से ३% ) तथा शामक द्रव, जैसे तेल, घी, दूध, मलाई आदि, का सेवन।

**अफीम** — ग्रामाशय का धोना, विशेषतः मंद पोटैशपरमैंगनेट के विलयन से धोना चाहिए। ७ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए ऑक्सीजन का सेवन, आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम श्वसन, वमनकारी एवं उद्दीपक औषधियों का सेवन तथा रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए।

**संखिया** — ग्रामाशय की धुलाई, विशेष रूप से सोडियम थायोसल्फेट के विलयन से। सोडियम थायोसल्फेट की अंतः शिरा सूई भी दी जा सकती है। पीने को गरम काफी, जल और मॉरफिन की सूई भी दी जाती है।

**ऐल्कलॉयड** — ग्रामाशय को टैनिन अम्ल या पोटैशपरमैंगनेट से धोना चाहिए। कृत्रिम श्वसन तथा उत्तेजना रोकने के लिये बार्बिट्यूरेट का सेवन कराना चाहिए।

**पारद लवण** — ग्रामाशय को विशेषतः सोडियम फॉर्मलिहाइड सल्फोक्सिलेट से, धोना चाहिए। कच्चा अंडा या दूध का सेवन, अम्लोपचय ( acidosis ) पर कैल्सियम लैक्टेट।

**सीस** — ग्रामाशय को धोना तथा वमनकारी औषधियों, जैसे सोडियम सल्फेट या एप्सम, देना चाहिए, ताकि सीस शीघ्र ही निकल जाय। प्रचुर मात्रा में कैल्सियम तथा फॉस्फोरस वाला आहार देना चाहिए।

**रजत** — रजत लवण के विषों के लिये बड़ी मात्रा में नमक जल तथा दूध या साबुन पानी पिलाना चाहिए। पाकचूर्ण का सेवन कराना चाहिए।

**ताम्र** — ताम्र लवणों के विष के लिये दूध, अंडा, साबुन पानी, घाटा और पानी का सेवन कराना चाहिए।

**फॉस्फोरस** — तनु पोटैशपरमैंगनेट ( १ भाग १,००० भाग जल में )। जल में मैग्नीशिया, वमन के लिये पाँच ग्रैन तुतिया, एक गिलास दूध या जल में आधा चायचमच तारपीन देना चाहिए। तेल या घी का सेवन वर्जित है।

**कार्बोलिक अम्ल** — एप्सम और ग्लोबर लवण ( सोडियम सल्फेट ) का सेवन, बहुत तनु ऐल्कोहॉल, कच्चा अंडा, घाटा और पानी, दूध, रेंडी या जैतून का तेल देना चाहिए।

**आयोडीन** — स्टार्च और पानी देना चाहिए।

**पेंटीमनी** — कड़ी चाय या कॉफी, घाबे गिलास जल में आधा चायचमच टैनिफ अम्ल; बाद में अंडा या दूध देना चाहिए ।

**विषैले पौधे** — बमनकारी, उड़ीपक और रेंडी तेल सद्यः कड़ी दस्तकारी भोषधिया देना चाहिए ।

**ट्रोमेन विष** — सड़ी मछली, मास, शाक भाजियों और डब्बे में बंद खाद्यान्नों के खाने से होता है । बमनकारी भोषधिया तथा दस्तकारी भोषधिया, जैसे रेडी का तेल एवं एप्सम लवण देना, चाहिए एक चायचमच तारपीन या दोचाय चमच ग्लिसरीन डालकर, साबुन पानी से एनीमा देना चाहिए । [फू० स० व०]

**विषम दृष्टि ( Ametropia )** जब विश्रामपूर्ण नेत्र में समांतर प्रकाश किरणों रेटिना ( retina ) पर संगमित न होकर उसके संमुख अथवा पार्श्व में होती हैं, तो ऐसी अवस्था को विषम दृष्टि कहते हैं ।

विषम दृष्टि ( प्रकाश के अपवर्तन की त्रुटियाँ ) निम्न प्रकार की होती है : ( क ) दीर्घ दृष्टि ( Hypermetropia ), ( ख ) निकट दृष्टि ( Myopia ) तथा ( ग ) दृष्टि वैषम्य ( Astigmatism ) ।

**दीर्घ दृष्टि** — यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र का मुख्य अक्ष लघु हो जाता है, अथवा नेत्र की अपवर्तन शक्ति क्षीण होती है । अतः समांतर प्रकाशकिरणें रेटिना के पार्श्व में संगमित हो जाती हैं ।

**निकट दृष्टि** — यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र का मुख्य अक्ष दीर्घ हो जाता है, अथवा नेत्र की अपवर्तन शक्ति अधिक हो जाती है । अतः समांतर प्रकाशकिरणें रेटिना के समक्ष संगमित हो जाती हैं ।

**दृष्टि वैषम्य** — यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र के वृत्ताकारों ( meridians ) में प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है ।

दृष्टिवैषम्य दो प्रकार का होता है

( १ ) नियमित ( Regular )

( २ ) अनियमित ( Irregular )

अनियमित दृष्टिवैषम्य मौलिक दोषों के कारण होता है, जैसे किरेटोनस, अथवा प्राप्त दशा, जैसे कॉनिया की अपारदर्शकता ।

नियमित दृष्टिवैषम्य निम्न प्रकार का होता है ।

( १ ) साधारण दीर्घ दृष्टि दृष्टिवैषम्य, ( २ ) यौगिक दीर्घ दृष्टि दृष्टिवैषम्य, ( ३ ) साधारण निकट दृष्टि दृष्टिवैषम्य, ( ४ ) यौगिक निकट दृष्टि दृष्टिवैषम्य तथा ( ५ ) मिश्रित दृष्टिवैषम्य, जिसमें एक वृत्ताकार दीर्घ दृष्टि एवं अन्य निकट दृष्टि होती है ।

[ स० पा० गु० ]

**विषाक्त पादप** साधारणतः विषाक्त पादप ऐसे पौधे होते हैं जिनका समस्त अथवा थोड़ा अथवा किसी भी दशा में खा लेने पर, किसी किसी में केवल स्पर्शमात्र से भी, हानिकारक परिस्थिति पैदा हो जाती है । इसके फलस्वरूप तत्काल मृत्यु हो सकती है, अथवा विष के घीरे घीरे प्रभाव से कालांतर में मृत्यु हो सकती है ।

विषाक्त पौधों में निश्चित रूप से विषैले पदार्थ रहते हैं । विषैले पदार्थ कई रासायनिक तत्वों के संमिश्रण से बने होते हैं । ऐसे पदार्थ १. ऐमिन, २. प्युरिन, ३. ऐल्केलॉयड, ४. ग्लुकोसाइड तथा ५. संपोनिन हैं । कुछ प्रोटीन भी विषैले होते हैं । कार्बोसिलिक अम्ल, अर्गैमैलिक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल के कारण भी कुछ पौधे विषाक्त होते हैं ।

छोटे से लेकर बड़े बड़े वृक्ष तक विषाक्त होते हैं । कुछ एक कोशिका बैक्टीरिया, कुछ शैवाल, जैसे माइक्रोसिस्टस ( Microcystus ) और एनाबोना ( Anabaena ) भी विषाक्त होते हैं । कुछ कवक, जैसे क्लेविसेप्स ( claviceps ), मशरूम आदि भी, विषाक्त होते हैं । विषैले मशरूम कई प्रकार के होते हैं । कुछ अनाम को, कुछ चर्बुर को, कुछ तन्त्रिकांतत्र को, कुछ मस्तिष्क को और कुछ नेत्रों को भ्रान्त करते हैं ।

विषाक्त पादपों में एकोनिटम नैपेलस ( Aconitum napelus ), ( देखें बच्छनाम ), रेननकुलस स्क्लेरेटस ( Ranunculus scleratus ), एनोना स्क्वामोसा ( Anona squamosa ), भडभाड़ ( Argemone mexicana, बिहार में इसे 'घमोई' कहते हैं ), सत्यानाशी, अफीम ( देखें, अफीम ), ( देखें, कुष्मिन्ना ), तथा मदार ( calotropis ) हैं । भडभाड़ के बीज काले सरसों के ऐसे और आकार के होते हैं । इसके तेल के खाने से बेरी बेरी से मिनता जुलता रोग होता है ।

सं० अं० — रामनाथ चोपड़ा और एस० जी० शेष . विषाक्त पौधा ( १९४९ ) । [ २० श० द्वि० ]

**विषाणु** को अंग्रेजी में वायरस ( Virus ) कहते हैं । वायरस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ विष है । तंबाकू के तिल्लीरोग के कारण की खोज करने पर पता लगा कि यह रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, वरन् एक ऐसे जीवित पदार्थ के कारण होता है । जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इस सूक्ष्म पदार्थ का ही नाम वायरस पड़ा । मनुष्य का पीतज्वर तथा ग्रासू कबड़ी और सलाद का चिल्लीदार रोग वायरसों के कारण ही होते हैं । वायरस बैक्टीरिया को भी भ्रान्त करते हैं । कुछ वायरस पौधों में रहते हुए भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाते । सयुक्त सूक्ष्मदर्शी और पीछे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सके हैं । तंबाकू का वायरस छड़ के आकार का दिखलाई पड़ता है । इसके क्रिस्टल न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं । ये अंतुओं और पौधों की कोशिकाओं में पाए जानेवाले क्रोमोजीन के न्यूक्लियोप्रोटीन के समान होते हैं ।

वायरस बड़े सूक्ष्म होते हैं । अधिकांश २१० मिलिमाइक्रॉन ( १ मिलिमाइक्रॉन = मिलिमिटर का १/१०,००,००० ) से भी छोटे होते हैं । ये १५ और ४६० मिलिमाइक्रॉन के बीच होते हैं । क्यूफीवर का वायरस सबसे बड़ा ४५० मिलिमाइक्रॉन के लगभग होता है । छोटा से छोटा वायरस लगभग प्रोटीन के अणु के बराबर होता है । पोलियो रोग का वायरस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में गोल्फ के गेंद सा दिखलाई देता है ।

वायरस के बाह्य भाग में प्रोटीन का एक पर्दा और केंद्र में न्यूक्लियिक अम्ल के सिवा और कुछ नहीं होता । अंतुओं के वायरस

के मध्य में डी-आक्सिरिकोन्सिलियिक अम्ल रहता है। अधिकतर

७४० mμ	●	गृहदाकार बैसिलस (BACILLUS PRODIGIOSUS)	
२५० mμ	●	शुक्ररोग विषाणु (PSITTACOSIS VIRUS)	
२०० mμ	●	दुग्धादरोध विषाणु (AGALACTIA)	
१५० mμ	●	चेचक का विषाणु (VACCINIA)	
१२५ mμ	●	ज्वरानक का विषाणु (RABIES)	
१०० mμ	●	इन्फ्लुएंज़ा (INFLUENZA)	
७५ mμ	●	मुर्गियों का प्लेग (FOWL PLAGUE)	● ७५ mμ
		तंभाकू के मोजेइक रोग का विषाणु	● ३० mμ
		पीतज्वर	● २२ mμ
		पोलियो विषाणु	● १० mμ
		हीमोग्लोबिन का अणु	● ५ mμ

**विषाणुओं का आकार**

प्रोटीन के एक बृहद् अणु, हीमोग्लोबिन, तथा सूक्ष्म कहे जानेवाले बैसिलस के आकारों से विविध विषाणुओं के आकारों की तुलना।

पीछों के वायरस कीटों द्वारा फैलते हैं। पत्तियों के वर्षण से भी ये पत्तियों में फैलते हैं। वायरस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी फैलता है। ये कफ, खाँसी, छींक और बातचीत से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चले जाते हैं। वायरस से ही न्यूमोनिया, कनपेड़ा, मसूरिका, जर्मन मसूरिका, इनफ्लुएंज़ा और ज्वराम होते हैं। यकृतशोथ और पोलियो के वायरस रोगी के मल में पाए जाते हैं तथा मक्खियों द्वारा फैलते हैं। पागल कुरो का वायरस कुत्ते के काटने से फैलता है। भोजन और पानी के बहुत कम वायरस फैलते हैं। वायरसजनित रोगों में रेबीज, पोलियो, वायरस न्यूमोनिया, चेचक, म्यू फीवर, बिकेन पाँक्स, टेकोमा, पीतज्वर तथा कीटजनित एन्सेफलाइटिस इत्यादि भी हैं। इन रोगों का कोई निश्चित इलाज नहीं है। सल्फा ड्रग और ऐंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैक्सीन का उपयोग ही एकमात्र इलाज है। [ फू० सं० व० ]

**विषाणु रोग (Virus Diseases)** — विषाणु बड़े सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें से विशेष विषाणुओं से विशेष संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। प्रायः ऐसे ५० रोग मनुष्य को होते हैं जिनका कारण विषाणु माना जाता है। विषाणु की प्रकृति का अभी पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ बातें ठीक ठीक ज्ञात हैं। विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (electron microscope) द्वारा देख सकते हैं। जीवित कोशिका की उपस्थिति तथा अनुकूल वातावरण में विषाणु बढ़ने

सगते हैं, पर जीवित कोशिका की अनुपस्थिति में विषाणु का बढ़ना कभी नहीं पाया गया है। परिमाण, बनावट की निश्चिता तथा स्थायित्व (stability) के अनुसार विषाणुओं की कई जातियाँ हैं। विषाणु जीव हैं या नहीं इसपर भी पृथक् मत है। विषाणुओं के संक्रमण द्वारा कोशिका के उपापचय (metabolism) में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जो भिन्न भिन्न विषाणुओं से विभिन्न प्रकार की होती है। इससे रोगलक्षण भी पृथक् पृथक् होते हैं। विषाणु संक्रमण के बाद मनुष्य में अधिकतर प्रतिरक्षा (immunity) उत्पन्न हो जाती है। सभी विषाणुओं के संक्रमण की चिकित्सा की विशेष (specific) घोषणा नहीं मिली है। साधारण ज्वराम (common cold), डेंगू (dengue), हर्पीज (herpes), संक्रामी यकृतशोथ (infective hepatitis), मसूरिका (measles) कनपेड़ा (mumps), चेचक (small pox), लिफोग्रानुलोमा विनेरियम (lympho-granuloma venereum), जलसंज्ञास (hydrophobia), नेत्र में रोहे (trachoma) आदि रोग विषाणुओं के संक्रमण द्वारा होते हैं।

हरारत, सिरदर्द, ज्वर, त्वचा पर उद्भेदन, ग्रंथि उभड़ना, सरसाम आदि विषाणु संक्रमण के विविध तथा पृथक् लक्षण होते हैं। चिकित्सा में अधिकतर रोगलक्षण का उपचार मुख्य है। रोगी की शुष्कता, तरल तथा पीष्टिक भोजन और परिचर्या आवश्यक है।

[ उ० श० प्र० ]

**बिषूचिका** इस रोग को कॉलरा अथवा हैजा भी कहते हैं। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है, जिसमें चावल के माँड़ सा वर्णविहीन प्रतिसार (diarrhoea) और वमन होता है। शरीर से मल और वमन के रूप में जल और लवण का अत्यधिक अंश निकल जाने के कारण भ्रूणस्राव रुक जाता है, पेशियों में ऐंठन (cramp) होने लगती है और रोगी पात (collapse) की अवस्था प्राप्त कर लेता है। शरीर का ताप गिर जाता है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है, रक्तचाप गिर जाता है, नाडी धीरी हो जाती है और हृदयगति मंद होते होते रुक जाने की संभावना हो जाती है। इस रोग का उद्भवन काल बहुधा तीन दिवस से कम का और कभी तो कुछ घंटों का ही होता है। पाँच दिवस से अधिक का उद्भवन काल विश्वस्त रूप से कभी नहीं पाया गया। यह रोग विशेष रूप से घातक होता है, किंतु यदि उपयुक्त उपायों से शरीर से जल और लवण का ह्रास न होने दिया जाय, या आवश्यकता पड़ने पर उस ह्रास की सुरत ही पूर्ति कर दी जाय, तो रोगी के प्राण बच जाते हैं।

समस्त संसार के लिये इस घातक रोग का स्थायी निवास बंगाल में गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है, जहाँ से यह रोग भारत के अन्य भागों में और कभी कभी देशदेशांतरों में फैलकर विकराल रूप से घातक हो जाता है। भारत में पूर्वीय समुद्रतट के समीप स्वर्णरेखा, महानदी, चिलका झील, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा क्षेत्र भी बिषूचिका के केंद्र हैं। भारत के पश्चिमी तट तथा सिंधु, नर्मदा और ताप्ती के डेल्टा क्षेत्रों में इस रोग का स्थायी निवास नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के तीर्थस्थानों में यात्रियों के आवागमन तथा भीड़भाड़ से इस रोग का गहरा संबंध है।

जगन्नाथपुरी, गया धाम, काशी, प्रयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि तीर्थ तथा विभिन्न भवसरों पर होनेवाले मेले, त्योहार, पर्व और विवाहों की बारातों भी इस रोग के प्रसार में सहायक होती हैं।

बंगाल में विषूचिका का प्रापतन जनवरी के शीतकाल में सबसे कम होता है, पर मई जून तक बढ़ना है, वर्षा के आगमन पर कम हो जाता है और अक्टूबर में दूसरी बार फिर बढ़ने लगता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंबई तथा पंजाब में यह रोग महामारी के रूप में अप्रैल से अक्टूबर तक होता रहता है। जो प्रदेश बंगाल के निकट हैं, वहाँ कम समय में और जो दूर हैं वहाँ अधिक समय में यह रोग पहुँच पाता है। उत्तर प्रदेश और उसके निकटवर्ती प्रदेशों में प्रयाग तथा हरिद्वार के कुंभ तथा अर्धकुंभ के वर्षों में रोग अधिक फैलता रहा है। पंजाब में रोग का प्रवेश हरिद्वार से होता है और कुश्वाहा के सूर्यग्रहण के पर्व के समय यह रोग अधिक फैलता रहा है। दक्षिणपूर्वी एशिया में विषूचिका कम नहीं है। वहाँ रोग व्यापक तो बहुत है, परंतु अधिक घातक नहीं। चिकित्साशास्त्र की उन्नति और रोग प्रतिरोधी उपायों के कारण भारत में भी इस रोग की भयंकरता बहुत कम हो गई है, किंतु स्थानिकमारी के (endemic) रूप में रोग की जड़ें अभी जमी हुई हैं। यह स्थानिकमारी समय समय पर भारी उत्पात खड़ा कर देती है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि रोग की भयंकरता तथा प्रापतन में यह कमी स्थायी है, या नहीं।

इस रोग से कोई पशु पक्षी पीड़ित नहीं होता। यह केवल मनुष्यों का ही रोग है और एक मनुष्य से ही दूसरे को होता है। रोगकारक हेजे का लोलाणु, या विब्रियो कोलेरी (Vibrio cholerae), एक सूक्ष्म एवं चंचल जीवाणु है, जो रोगी के मल तथा वमन में पाया जाता है। यह रोगी की आन्त्रप्रणाली में ही बना रहता है और रुधिर, लसीका ग्रंथियों, ग्रन्थवा अन्य अवयवों में साधारणतः प्रवेश नहीं कर पाता। आन्त्र प्रणाली में ही घातक जीवविष (toxin) उत्पन्न करता है, जो रुधिर द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुँचकर रोगविकार उत्पन्न करता है। बहुत थोड़ा उद्भवन काल (एक या दो दिवस), तीव्र वेग से रोगवृद्धि (कभी केवल १२ घंटों में ही घातक) तथा अत्यधिक विपाकता, इस रोग की ये तीन विशेषताएँ हैं। इसका कारण यह है कि लोलाणु की अल्प समय में ही इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि रोगी का मल इस लोलाणु का संवर्धन (culture) बोल सा प्रतीत होता है और अन्य प्रकार के जीवाणु का प्रायः अभाव सा होता है। यह जीवाणु चंचल होता है और मल की एक सूक्ष्म बूँद में असंख्य लोलाणु सरोवर में मछली की भाँति, एक ही ओर, छोटी बड़ी पंक्ति में चलते दिखाई पड़ते हैं। इसका घंग बक्र होता है। इस कारण इसे कॉम्मा बैसिलस (Comma bacillus) भी कहते हैं। विषूचिका के लोलाणु से मिलते जुलते कई प्रकार के अन्य लोलाणु भी होते हैं, जो विषूचिका रोग उत्पन्न करने में असमर्थ पाए गए हैं। विषूचिका का वास्तविक लोलाणु वही माना जाता है जो लोलाणु वर्ग के ओ-उपभेद प्रथम (O subgroup 1) के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। इसकी


विशेषता यह होती है कि इसके प्रथम उपभेद का ओ-सिरम से समूहन (agglutination) हो जाता है। कक्षाभ एच-समूहन (Flagellar H-agglutination) परीक्षा से इस उपभेद का पता नहीं चल सकता, किंतु कायिक ओ समूहन (Somatic O-agglutination) परीक्षा से इस लोलाणु के अन्य सजातीय लोलाणुओं से अलग पहचाना जा सकता है। इसके इनाबा (Inaba), ओगावा (Ogawa) और हिकोजीमा (Hikojima) नामक तीन प्रकार के भेद हैं, जो विषूचिका रोगकारी हैं। जो लोलाणु विषूचिका के लोलाणु से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, किंतु ओ-सिरम की समूहन परीक्षा से भिन्न पाए जाते हैं, उन्हें असमूहनीय लोलाणु कहा जाता है। इन असमूहनीय लोलाणुओं का विषूचिका रोग से क्या संबंध है, इसका निर्णय अभी नहीं हो सका है, किंतु यह अवश्य देखने में आया है कि कुछ असमूहनीय लोलाणु विषूचिका के अनुरूप हलका रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका उद्भवन काल भी अल्प है और संक्रमण द्वारा रोगप्रसार भी शीघ्र होता है, किंतु मृत्यु संख्या नगण्य सी है। संभव है कि समूहनीय ग्रन्थवा असमूहनीय लोलाणु एक दूसरे की परिवर्तित अवस्थाएँ हो और असमूहनीय लोलाणु समूहन गुण प्राप्तकर, अधिक विषाक्तपूर्ण होकर, रोग उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हो।

विषूचिकाजनक लोलाणु अल्पजीवी है और मुगमता से नष्ट किया जा सकता है। अन्य जीवाणुओं के समान ६०° से ७०° के आर्द्र ताप पर कुछ ही मिनट में यह मर जाता है, किंतु शुष्कता इसके लिये बहुत घातक है। वह सूखी अवस्था में साधारण ताप पर कुछ ही घंटों में मर जाता है। यह शीत वातावरण सहन कर सकता है। हिमांक के ताप पर भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। रोगाणुनाशी रासायनिक पदार्थों द्वारा मुगमता से इन लोलाणुओं का नाश किया जा सकता है। तारकोलजन्य पिनेल तथा क्रिसोलयुक्त रोगाणुनाशी पदार्थ इसे मारने के लिये बहुत उपयोगी हैं। यह लोलाणु मल में एक घंटे सप्ताह में ही मर जाता है और कूर्शों, तालाब, नदी आदि के जल में भी १०-१५ दिन से अधिक नहीं जीता। यह लवण और कार्बनिक पदार्थ युक्त जल, अथवा आर्द्र भूमि-तल, में अधिक समय तक जीवित रहता है। अम्लीय वातावरण की अपेक्षा क्षारीय वातावरण में अधिक पनपता रहता है।

इस रोग का निश्चयात्मक निदान लोलाणुपरीक्षा द्वारा समभव है। परीक्षा के लिये रोगी के मल का कुछ अंश लवणयुक्त प्रतिरोधक बफर विलयन में मिलाकर, प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहाँ पेप्टोन के क्षारीय जल में तथा अन्य पीप्टिक पदार्थों पर लोलाणु का संवर्धन कर, विशिष्ट प्रकार के ओ-सिरम से समूहन के अतिरिक्त अन्य परीक्षा कर, रोग का निदान किया जाता है। रोग के लक्षणों से तथा एक साथ अनेक व्यक्तियों के रोगग्रस्त होने से निदान संबंधी अनुमान किया जा सकता है, किंतु जीवाणु संबंधी परीक्षा से निदान पूर्णतः निश्चित हो जाता है। भोजन विषाक्तता तथा संख्या, जमातगोटा एवं कुचले के विष से उत्पन्न लक्षण विषूचिका का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आवश्यक परीक्षा से वास्तविकता का पता लगाना संभव है।

विषूचिका का रोगी यदि अन्य स्वस्थ पुरुषों से अलग कर दिया जाय, तो रोग का प्रसार भयंकर रूप से नहीं हो पाता। परंतु रोगी को सन्धे अलग करना कठिन होता है। इस कारण रोग का प्रसार होता रहता है, जो सभी कभी बहुत व्यापक हो जाता है। कोई बिरला ही मनुष्य ऐसा होगा जो प्राकृतिक रूप से रोग में प्रतिरक्षित हो। रोगी के सन्धे हो जाने पर भी प्राकृतिक रूप से उपाजित प्रतिरक्षा कुछ ही महीनों में लुप्त हो जाती है और टीके द्वारा कृत्रिम उपायों से प्राप्त सक्रिय प्रतिरक्षा भी अस्थायी होती है। इस कारण अधिकारण जाता में रोगक्षमता का अभाव ही रहता है। इसके फलस्वरूप थोड़े ही काल में दूर दूर तक रोग की बाढ़ भी आ जाने की संभावना रहती है।

विषूचिका का लोलागु जल और भोजन के साथ मुख द्वारा शरीर में प्रवेश पाता है। लवण तथा कार्बनिक पदार्थयुक्त क्षारीय जल में लोलागु अधिक काल तक जीवित रह सकता है। इस कारण समुद्रतट पर तथा नदी के डेल्टा क्षेत्र में विषूचिका प्रायः प्रति वर्ष होता है। गाँवों में शीशालय के अभाव में मलौत्सर्जन का ढंग दोषपूर्ण है। नगरों तथा तीर्थों में भी स्वच्छता का स्तर निराशाजनक है। इस कारण बस्ती के घासपास की भ्राद भूमि लोलागुओं में प्रदूषित (polluted) रहती है। ऐसी प्रदूषित भ्राद भूमि से लोलागु का जलस्रोत में प्रवेश पा जाना सुगम है, फिर लोलागु-युक्त जल से भोजन भी दूषित हो जाता है। लोलागु द्वारा भोजन को दूषित करने में मक्खियाँ भी बहुत सहायक होती हैं। ये लोलागुओं को अपने पैर तथा पंखों द्वारा मल अथवा वमन से दूध, मिठाई, फल, भोजन आदि तक पहुँचा देती हैं। इस प्रकार लोलागु-प्रदूषित जल तथा भोजन के सेवन से रोग का प्रसार होता रहता है। विषूचिका संक्रमण का प्रसार मार्ग इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :



विषूचिका के संक्रमण का स्थायी धारण मनुष्य ही है। इस कारण विषूचिका के प्रसार में स्वस्थ रोगवाही व्यक्तियों का योगदान अवश्य होता होगा, परंतु बहुत खोज करने पर भी ऐसे स्वस्थ रोगवाही व्यक्ति नहीं मिले जिनके मल में भी उपनेद प्रथम के समूहनीय विषूचिकाकारी लोलागु विद्यमान हों। रोगाभाव काल में, अथवा एक महामारी के अंत के पश्चात् और दूसरी के आरंभ होने के पूर्व के अंतर्काल में, जब कोई मनुष्य रोगी नहीं पाया जाता, तब यह लोलागु भूमितल, नदी, तालाब आदि

वहीं नहीं मिलता और न किसी स्वस्थ व्यक्ति के मल में मिलता है। असमूहनीय लोलागु अवश्य मिलते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि रोगाभाव काल में समूहनीय, विषूचिकाजनक लोलागु कहाँ छिपा रहता है। रोग के आरंभ होते ही रोगी के मल तथा वमन में लोलागु के मिलने के समय यह फिर नदी, तालाब तथा भूमितल पर मिलने लगता है। अनुमानत असमूहनीय लोलागु जो निरंतर ही पाए जाते हैं, समूहन गुण प्राप्त कर रोगकारी हो जाते हैं, किंतु यह परिवर्तन निश्चयारमक गति में सिद्ध नहीं हो पाया है। हिलसा जाति की मछली के शरीर में यह परिवर्तन होने की संभावना बताई जाती है।

विषूचिका की रोकथाम के उपाय कई देशों में सफल सिद्ध हुए हैं। भारत में भी कुछ सफलता अवश्य मिली है, किंतु स्थानिकमार्गी के क्षेत्र में रोग की जड़े पूर्ववत् जमी हुई हैं। पूरी सफलता के लिये बहुमुखी, स्थायी प्रयास आवश्यक है। अब तक केवल अशुद्ध और अस्थायी उपाय ही व्यवहार में लाए गए हैं, जिनसे केवल आंशिक सफलता मिल पाई है। रोग पर पूर्ण विजय पाने के लिये स्वास्थ्य-शिक्षा तथा स्वास्थ्यप्रद साधनों द्वारा स्वच्छ वातावरण में रहने के लिये प्रत्येक प्राणी को सभी आवश्यक मुविधाएँ यथासंभव शीघ्र ही प्राप्त होनी चाहिए। अस्वच्छता ही रोग की जननी है। ग्रामों तथा नगरों को पूरी पूरी सफाई द्वारा ही रोग की रोकथाम संभव है। उच्चस्तरीय स्वच्छता का आदर्श सभी को अपनाना चाहिए। इसके लिये आवश्यक वैधानिक नियम भी होने चाहिए, जिनका उल्लंघन दंडनीय हो। स्वास्थ्य के प्रति जनता की चेतना जागृत होनी चाहिए। धार्मिक मस्थाओं में हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण मठ मंदिरों की जल तथा भोजन व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता। अनाभाव के कारण भी स्वच्छता का स्तर गिरा हुआ है। गंदी बस्तियाँ सर्वत्र ही देखने को मिलती हैं। शृणोत्पादक कुवर्म जनता द्वारा निरंकुश और निस्संकोच रूप से संपन्न होते रहते हैं। स्थायी उपायों में शुद्ध, स्वच्छ, निर्दोष और पर्याप्त मात्रा में जल वितरण की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामों की सफाई के लिये सामरिक ढंग की तत्परता आवश्यक है। जल के स्रोतों को अर्थात् कूप, बावडी, ताल, तलाया, नदी आदि को, पूर्ण देखभाल और सुरक्षा द्वारा दूषित न होने देना चाहिए। जल की शुद्धता के अभाव में भोजन की शुद्धता असंभव है। अब अनेक मनुष्यों को बाजार में हलवाई, होटल तथा जलपानगृहों से भोजन प्राप्त करना पड़ता है। इस कारण भोजन में स्वच्छता संबंधी कोई त्रुटि न होने देनी चाहिए। पान, शर्बत, गन्ने का रस, मलाई का बर्फ, सड़े गले फल, दूध, शाक, मिठाई आदि को धूल और मक्खियों से सुरक्षित रखने के नियमों का उल्लंघन दंडनीय होना चाहिए।

जल और भोजन के दूषित हो जाने का मुख्य कारण ग्रामों तथा नगरों में मलौत्सर्जन के लिये शीशालयों का अभाव है। जब घरों की ही व्यवस्था नहीं है, तो फिर शीशालयों का प्रबंध कैसे संभव है? प्रत्येक परिवार के लिये स्वीकृत नमूने के परिशुद्ध शीशालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनकी सफाई भी निरंतर होती रहे। मल के निस्तारण का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे भूमितल दूषित न हो और जल के स्रोत स्वच्छ बने रहें। नगरों में जलप्रवाहित

शौचालय तथा ग्रामों में अनित कुप शौचालय, प्रथवा परिस्रोधी गुणों से युक्त किसी अन्य प्रकार के शौचालय, निर्माण किए जाने चाहिए। पशुओं का गोबर, लीद और घरों तथा गलियों के कूड़ा कंकट का निस्तारण परिस्रोधी दग से हो, जिससे मक्खियों की वृद्धि न हो सके। मल द्वारा जल तथा भोजन के दूषित होने से जो जो रोग फैलते हैं, उन सभी की रोकथाम में ये स्थायी उपाय सहायक हैं।

अस्थायी उपाय रोग की संभावना होने पर, या रोग के फैलने पर, तुरंत ही किए जाते हैं। ये उपाय तात्कालिक है और इनके लिये साधन पहले से ही जुटा लेने चाहिए। रोगी की चिकित्सा के लिये और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये, उसे अन्य व्यक्तियों से अलग रखना आवश्यक है। रोगी के घर पर चिकित्सा का तथा पृथक्करण का प्रबंध करना कठिन है। इस कारण उसे संक्रामक रोग चिकित्सालय में भेज देना चाहिए। स्थान स्थान पर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित चिकित्सालय स्थापित करने चाहिए। बड़े बड़े नगरों में तथा तीर्थस्थानों में संक्रामक रोग चिकित्सालय स्थायी होने चाहिए। रोग का निदान भी शीघ्रातिशोघ हो सके, इसकी व्यवस्था भी आवश्यक है। रोग की सूचना स्वास्थ्यधिकारियों को तुरंत ही मिल सके, इसकी अचूक और विश्वस्त व्यवस्था होनी चाहिए। सूचना देने में देर करने का भयंकर परिणाम हो सकता है, क्योंकि रोग शीघ्र ही भाग के समान फैलता है। एक दिन की देर भी अत्यंत घातक हो सकती है। सूचना पाते ही रोगी को चिकित्सालय में भेजना चाहिए और उसके मल वमन तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों का तुरंत ही विनाशनाशन करना चाहिए। मक्खियों को अपवारक पदार्थों के प्रयोग द्वारा मल और वमन पर न बैठने देना चाहिए और भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। गरम गरम ताजा भोजन खाना चाहिए। बासी, अजीर्णकारी और मक्खियों से दूषित पदार्थ खाना वर्जित है। सदिग्ध अवस्था में पकाया भोजन भी दूषित हो सकता है। भूखे पेट रहना भी ठीक नहीं है। विरजक जूएँ से शोधित जल व्यवहार में लाना चाहिए, अन्यथा जल उबालकर प्रयोग करना चाहिए। झरो तथा जल के अन्य स्रोतों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और उनके जल को विरजक जूएँ से शुद्ध कर जनता में स्वच्छतापूर्ण रीति से वितरण करना चाहिए।

रोगी की चिकित्सा के लिये सगंध तेल के स्थान में अब सल्फाग्वानिडीन (sulphaguanidine) का उपयोग किया जाता है। रोगी के शरीर से जल और लवण का ह्रास रोकने की चेष्टा करनी चाहिए और यदि ह्रास हो गया हो, तो उसकी पूर्ति पिचकारी द्वारा आवश्यक लवणयुक्त जल को रुधिर में प्रवेश कराकर की जाती है। इस रोग में मृत्यु का मुख्य कारण जल तथा शरीर के लवणों का ह्रास ही है। जब रोगी स्वस्थ होने लगता है, तो वमन और दस्त बंद हो जाते हैं। भूखलाच होने लगता है, शरीर का ताप बढ़ने लगता है और नाड़ी की गति सुधर जाती है। निरोग हो जाने पर बहुधा इस भयंकर रोग का कोई विकार भी शेष नहीं रहता।

जनता को रोग से सुरक्षित रखने के लिये, उपर्युक्त स्थायी और अस्थायी उपायों के प्रतिरक्षक टीके द्वारा सक्रिय रोगक्षमता प्रदान

करना अत्यंत लाभकारी है। टीके से प्रतिरक्षित अधिकांश मनुष्य रोग से सर्वथा बचे रहते हैं, किंतु यह रोगक्षमता केवल पांच छह महीनों में ही जाती रहती है। इस टीके के वैक्सीन के प्रति मिली-लिटर में इनाबा जाति के चार अरब और भोगावा जाति के भी चार अरब मृत लोलाणु होते हैं। माधारणतः प्रत्येक वयस्क को एक मिलीलिटर की मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। एक सप्ताह के अंतर से दो बार टीका लेना अधिक लाभकारी है। पहली बार मात्रा मिलीलिटर और दूसरी बार एक मिलीलिटर की मात्रा दी जाती है। विदेशी यात्रियों को दो टीके लगाए जाते हैं। रोग के फैलने की संभावना होने पर तुरंत ही टीका लेना चाहिए। देर करना अनुचित है। टीके के बाद चार पांच दिवस में ही प्रतिरक्षा उत्पन्न होने लगती है और प्रायः दस दिन में पूर्ण प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। यह टीका रोग की रोकथाम में इतना अधिक सफल सिद्ध हुआ है कि बड़े बड़े मेले, त्योहारों और पर्वों पर सभी यात्रियों के लिये टीका अनिवार्य कर दिया जाता है और कोई भी यात्री बिना टीके के उस मेले या पर्व में सम्मिलित नहीं हो सकता। विपुत्रिका की रोकथाम में यह टीका अन्य सभी उपायों की अपेक्षा अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। प्रतिरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि रोग की संभावना होने पर संक्रमण के पूर्व ही टीका लेना चाहिए। लोलाणुओं द्वारा संक्रमण होने के पश्चात् उपचारण में लाया हुआ टीका रोगनिरोध के लिये निरर्थक है। रोगी का टीका नहीं दिया जाता। यह टीका सर्वथा निर्दोष है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क दिया जाता है। औषधी प्रतिनिधयम के अंतर्गत, इस वैक्सीन का निर्वोषपूर्ण रीति से निर्माण होता है। टीके द्वारा रोग का प्रसार रुकता है, किंतु उसके उन्मूलन के लिये स्थायी उपायों की व्यवस्था आवश्यक है। विपुत्रिका के मनुष्य नाश के लिये सर्वत्र पूर्ण स्वच्छता ही अमोघ अस्त्र है। प्रतिरक्षा तथा रोगविनिर्मुक्ति के लिये स्थान स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे जनता के स्वास्थ्य सर्वधन और संरक्षण के साथ साथ रोगचिकित्सा के साधन भी सुलभ हो सके। प्रति वर्ष समग्र समय पर ग्रामों और छोटी छोटी बास्तियों की सफाई कराने के लिये मासुहिक विभाग द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन करना चाहिए। [अ० शं० या०]

**विसरण (Diffusion)** सभी वस्तुएँ, ठोस, द्रव और गैस, बड़े सूक्ष्म कणों से बनी हुई हैं। सबसे छोटे कणों को अणु (molecules) कहते हैं। अणु पदार्थों में सतत गतिशील रहते हैं। इनकी गतियाँ बहुत कुछ ताप पर भी निर्भर करती हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं को यदि एक साथ रखा जाय, तो इन गतियों के कारण वे परस्पर मिल जाती हैं। ठोसों के अणु एक दूसरे से बहुत निकटता से सट हुए रहते हैं। द्रवों के अणु ठोसों के अणुओं की अपेक्षा कम सट हुए रहते हैं। गैसों के अणु तो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहते हैं, यही कारण है कि गैसें बड़ी क्षीघ्रता से एक दूसरे में मिल जाती हैं। द्रवों के अणु उतनी क्षीघ्रता से नहीं मिलते और ठोसों के अणु तो और देर से परस्पर मिलते हैं। इस प्रकार पदार्थों के अणुओं के परस्पर मिल जाने को विसरण कहते हैं। विसरण एक अतिवर्तनीय क्रिया है, जिसमें पदार्थों के स्वाभाविक बहाव से सांद्रण का अंतर कम

होता रहता है। यह क्रिया सभी पदार्थों में होती है। क्लोरीन गैस के जार पर यदि एक हवा भरा जार रख दिया जाय, तो क्लोरीन गैस के भारी होने पर भी उसके अणु विसरण द्वारा ऊपर उठकर दोनों जारों में मिल जाते हैं और कुछ समय में वे एक से संगठन के हो जाते हैं। यदि किसी जल के पात्र में तृतिया का एक क्रिस्टल रख दिया जाय, तो पहले क्रिस्टल के निकट का जल तृतिए के विलयन सा हो जायगा और कुछ समय के बाद सारा जल तृतिए के रंग का हो जायगा। ऐसा विसरण के कारण होता है। यदि सोने के एक टुकड़े को सीसे के टुकड़े के संपर्क में रखा जाय, तो कुछ दिनों के बाद सीसे में सोना और सोने में सीसे की उपस्थिति भासूम की जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण से विसरण में कोई रुकावट नहीं पड़ती और न उत्प्लवकता का ही उसपर कोई प्रभाव पड़ता है।

**गैसों का विसरण** — गैसों की शीघ्रता से विसरण करती हैं। हलकी गैसों, कम घनत्व के कारण, अधिक शीघ्रता से और भारी गैसों, अधिक घनत्व के कारण, कम शीघ्रता से विसरण करती हैं। इस संबंध में ग्राहम ने एक नियम जो 'ग्राहम के गैस विसरण के नियम' के नाम से विख्यात है, प्रतिपादित किया है। इस नियम के अनुसार समान दाब और ताप पर विसरण की गति गैसों के आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि किसी गैस का आयतन V, T समय में विसरित होता है, तो गैस की विसरण गति V/T निम्नलिखित समीकरण से वर्णित होती है :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}}$$

जहाँ  $d_1$  और  $d_2$  दोनों गैसों के आपेक्षिक घनत्व हैं।  
 चूँकि  $2d = M$  (अणुभार), अतः

$$\text{उपयुक्त} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

गैसों के विसरण से हमें अनेक बड़े उपयोगी परिणाम प्राप्त होते हैं। इनकी सहायता से हम कुछ गैसों का आपेक्षिक घनत्व और इससे अणुभार निकाल सकते हैं तथा कुछ गैसों के मिश्रण से उनके संघटकों को अलग अलग कर सकते हैं। विसरण से कुछ गैसों के समस्यानिर्णयों के पृथक्करण में हमें सफलता मिली है। कुछ जहरीली गैसों विसरण के कारण वायु में इतनी फैल जाती हैं कि उनसे हानि होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। कार्बन डाइ-ऑक्साइड गैस का वायु में एक निश्चित मात्रा से अधिक रहना स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है। पृथ्वीतल पर ईंधन आदि से बना और साँस द्वारा निकला कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने पर भी विसरण द्वारा समस्त वायु में ऐसा मिल जाता है कि उसके अनुपात में विशेष अंतर नहीं पाया जाता। कोयले की खानों में पाई जानेवाली दाह्य गैस, मार्श गैस, विसरण द्वारा ही समस्त खानों में फैल जाती है और उसके किसी एक स्थान की वायु के परीक्षण से इसका पता लग जाता है।

**द्रवों का विसरण** — द्रवों का विसरण गैसों के विसरण की अपेक्षा अधिक पेंचीदा है। इनका विसरण बहुत कुछ पदार्थों की द्रव्यता पर निर्भर करता है। सांद्रण और ताप की वृद्धि से विसरण

अपेक्षया सरल होता है। मान लें, किसी पात्र में रबे विलयन का सांद्रण C है और इसके सांद्रण की ऊर्ध्वधर दिशा x है। यदि सांद्रण प्रवणता (तल के लंब कोण पर मापित x दूरी पर सांद्रण में परिवर्तन)  $\frac{dc}{dx}$  है, तब तल के एकक क्षेत्र को पार करती हुई विलेय वस्तु का

द्रव्यमान होगा  $D \frac{dc}{dx}$ , जहाँ D एक स्थायी गुणांक ( विसयवस्तु के विसरण का गुणान ) है। इस संबंध को फिक (Fick) का नियम कहते हैं और इससे प्रकट होता है कि विसरण-धारा-घनत्व सांद्रण-प्रवणता के अनुपात में और समानता होता है।

यदि दो तल A और B,  $\delta x$  दूरी से पृथक् है और प्रत्येक का एकक क्षेत्र है, तब किसी समय T में A तल का सांद्रण C है, तो B तल का सांद्रण  $C - \left(\frac{dc}{dx}\right) \delta x$  होगा। A तल पर

विलेय वस्तु का अतर्वाह होगा  $D \left(\frac{dc}{dx}\right) \delta t$ , जब कि B तल पर का वहिर्वाह होगा  $D \left(\frac{dc}{dx}\right) \delta t - D \left(\frac{d^2c}{dx^2}\right) \delta x \delta t$ ,

इस पर A और B के बीच के स्थल को प्रति सेकंड नेट लाभ होगा  $D \left(\frac{d^2c}{dx^2}\right) \delta x$ । चूँकि तलों के बीच का परिवर्तन आयतन  $\delta x$  है, सांद्रण का परिवर्तन है,  $D \left(\frac{d^2c}{dx^2}\right) \delta t$  और सांद्रण परिवर्तन की गति है  $\frac{dc}{dt} = D \frac{d^2c}{dx^2}$

इसी समीकरण से विसरण प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। यह फिक का दूसरा नियम है।

यदि विलयन में विद्युत् से आवेशित कण नहीं हैं, तो D का संबंध कणों की गतिशीलता (mobility) B से है और तब  $D = k T B$ , जहाँ k बोल्त्समॉन का ( Boltzmann's ) स्थिरांक, T परम ताप और B कणों की गतिशीलता है। यदि कण r त्रिज्या के गोला ( spheres ) हैं और विलायक के अणु से बड़े हैं, तो B स्टोक (Stokes) के नियम से प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार

$$B = \frac{1}{6\pi r \eta}, \text{ जहाँ } \eta \text{ द्रव का श्यानता गुणांक है।}$$

यदि विलयन कण विद्युत् से आवेशित हैं, तब D कणों के विभिन्न किस्मों पर निर्भर करता है। एकसंयोजक विद्युत् अपघट्य ( electrolyte ) विलयन, जिसमें दो आयन ही सोडियम और क्लोरीन हैं, जैसे नमक के विलयन में

$$D = \frac{kT}{2} \frac{B_1 B_2}{B_1 + B_2}$$

जहाँ  $B_1$  और  $B_2$  दो आयनों की गतिशीलता है। इनसे विसरण गुणांक का आकलन हो सकता है और चुने कणों के विस्तार का निर्धारण किया जा सकता है। एक निश्चित परिस्थिति में मापन कर विसरण गुणांक का आकलन किया जा सकता है। विसरण गुणांक का प्रयोगों



से निर्धारण कठिन इसलिये होता है कि द्रवों का विसरण बड़ी मंद-गति से होता है। मापने योग्य परिवर्तन हो सके, इसमें हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। इस समय विलयन ज्यों का त्यों बिना किसी विक्रोम के रहना चाहिए। ऐसा होना कठिन काम है। इन कठिनाइयों के कारण ऐसे उपकरण की, जिसमें सांद्रण का बड़ा सूक्ष्म अंतर मापा जा सके, आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये एक विशिष्ट प्रकार का कक्ष बना है, जिसमें सांद्रण का बड़ा सूक्ष्म अंतर मापा जा सकता है। इसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है। रंजक के विलयनों के विसरण मापने में ह उपयोगी सिद्ध हुआ है। रंजन की कार्यविधि और जैव तंतुओं के अभिरंजन के अध्ययन में भी यह कक्ष उपयोगी सिद्ध हुआ है।

विसरण गुणांक, D, का मान भिन्न भिन्न द्रवों के लिये बहुत भिन्न भिन्न होता है। यदि किसी द्रव के विसरण गुणांक का मान बहुत ऊँचा है, तो ऐसे द्रव को हम क्रिस्टलाभ (Crystalloid) कहते हैं और जिसका विसरण गुणांक का मान कम रहता है, उसे कोलॉइड (Colloid) कहते हैं। क्रिस्टलाभ में अम्ल, लवण और अन्य वस्तुएँ आ जाती हैं, जो क्रिस्टलाभ बनती हैं और कोलॉइड में गोद, ऐल्ब्यूमेन, स्टार्च तथा सरेस आते हैं। क्रिस्टलाभ साधारणतया पानी में घुलते हैं, जबकि कोलॉइड पानी में जेली बन जाते हैं। कोलॉइड के अणु बड़े जटिल (complex) होते हैं। इस कारण उनका विसरण गुणांक कम होता है। वे अग्रेक्ष्य स्वादहीन होते हैं, क्योंकि विसरित होकर तंत्रिका टर्मिनल (nerve terminal) तक नहीं पहुँच पाते। इसी कारण वे अपाच्य भी होते हैं। [ वि० ना० सि० ]

**विस्त्वियस** स्थिति : ४०° ४६' उ० अ० तथा १४° २६' पू० दे० । यह नेपल्स से आठ मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, नेपल्स की खाड़ी पर ३,८६१ फुट की ऊँचाईवाला, यूरोप का झकेला जीवित ज्वालामुखी, कैपेनिया, दक्षिणी इटली, में स्थित है। खाड़ी के पाम इसकी ढाल १०° है और ऊपर पहुँचते पहुँचते यह ३०°-३५° हो जाती है। इसके मभी तरफ लावा का जमाव है। पश्चिमी ढाल पर १,६६५ फुट की ऊँचाई पर भूकंप नापनेवाला यंत्र लगा है। इस पहाड़ के नीचे का घेरा करीब ४५ मील है। इसके चारों ओर सुंदर रेल लाइन एवं सड़क बनी है। १,६५० फुट से नीची ढालों पर शराब के योग्य अंगूर तथा अन्य रसदार फल, तरकारियाँ आदि उगाए जाते हैं। मवेशी पालन भी यहाँ होता है। प्रत्येक विस्फोट के बाद इसका मुख (उद्गम) बदल गया, जिससे पहाड़ की ऊँचाई बदलती गई, पर इसकी औसत ऊँचाई ४,००० फुट रही है। [ बि० मु० ]

**विसेलियस, आंद्रेऐस,** (Vesalius, Andreas; सन् १५१४-१५४६) बेल्जियमवासी, शारीर वैज्ञानिक, का जन्म ब्रसलज नामक नगर में हुआ था। इन्होंने लूवेन में सिस्वियन तथा जोहैनीज गंथर से शिक्षा पाई थी।

सन् १५३७ में इन्होंने मुस्लिम, ईरानी चिकित्सक रेजीज (Rhazes) के एक ग्रंथ का संपादन किया और तब वेनिस के पैदुया विश्वविद्यालय से एम० डी० की उपाधि प्राप्त की। यहीं वे क्ल्याचिकिस्ता तथा शारीरविज्ञान के आचार्य नियुक्त हुए। सन् १५३८ में इन्होंने कुछ सुधार कर, किंतु गैलेन (Galen) की विचार-

पद्धति पर आधारित, छह शारीर-विज्ञान-सारणियों का प्रकाशन किया। सन् १५३६ में इन्होंने रक्तमोक्षण (blood-letting) पर एक लेख लिखा तथा सन् १५४१ में गैलेन के तीन ग्रंथों का संपादन किया। सन् १५४३ में इनका फाब्रिका (Fabrica) ग्रंथ एपिटोम (Epitome) के साथ प्रकाशित हुआ। बाद में ये वाइशाह चार्ल्स पाँचवें तथा उनके उत्तराधिकारी फिलिप दूसरे के चिकित्सक के पद पर रहे।

विसेलियस को सर्वोच्च शारीर वैज्ञानिक कहा जाता है और मानव शरीर की रचना पर इनके ग्रंथों की महत्ता हम विषय के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में होती है। इसमें अस्थियों और तंत्रिकातंत्र के वर्णन तो उत्कृष्ट हैं ही, पर पेशियों के वर्णन के लिये यह विशेषकर प्रसिद्ध है। विसेलियस ने अध्यापन करते समय रज विच्छेदन (dissection) कर, शारीरविज्ञान की शिक्षा प्रणाली में प्राप्ति ला दी। [ भ० दा० व० ]

**विस्चुला** पोलैंड की ६७७ मील लंबी नदी है, जो बाल्टिक सागर के डैजिंग की खाड़ी में गिरती है। साइबेरिया से भी ला और लकड़ी विस्चुला द्वारा भेजे जाते हैं। छोटे छोटे स्टीमरों के लिये यह नौगम्य बनाई गई है। इसकी महायक नदी मान के गुहा तक बड़े बड़े जहाज भी आ सकते हैं। [ आ० ना० सि० ]

**विस्फोटक** कुछ गौणिक या मिश्रण पदार्थों का एक समूह है जो जलम प्राण लगाने पर या आघात करने पर बड़े धमाके के साथ विस्फुटित होत हैं। धमाके का कारण बड़े अल्प काल में बहुत बड़ी मात्रा में गैसों का बनना होता है। ऐसे पदार्थों को 'विस्फोटक' कहते हैं। आज बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का निर्माण होता है। विस्फोटकों के दो उद्देश्य होते हैं : (१) शांतिमाल में उनमें चट्टानों को उखाया और कोयले और अन्य खनिजों को कम खनने से खानों से निराला जाता है तथा (२) युद्धकाल में विस्फोटकों से शत्रुओं को नान पहुँचाकर अपनी रक्षा की जाती है। जिस तीन मील लंबी सुरंग के बनाने में तीस हजार व्यक्ति ११ वर्षों तक काम में लगे थे, वही सुरंग प्रायुक्तक मशीनों और विस्फोटकों की सहायता से केवल १०० व्यक्तियों द्वारा दस मास में बन सकती है।

विस्फोटक रासायनिक पदार्थों का समूह है, जिसे दृष्टौड़े से आघात करने या ज्वालामुखी, या विस्फुटित से एकाएक ऊष्मा के विकास के साथ बहुत बड़ा मात्रा में गैस बनने के कारण विस्फोटन होता है। यदि किसी बंद कक्ष में विस्फोटन हा, तो कक्ष की दीवारों छिन्न भिन्न हो जाती हैं। पर लाभकारी विस्फोटक अथवा निष्क्रिय होते हैं, ताकि उनका निर्माण और परिवहन निरुपद्रव हो सके। कुछ विस्फोटक ऐसे होते हैं कि पक्ष से जूने पर भी वे विस्फुटित हो जाते हैं। ऐसे विस्फोटक किसी उपयोगी काम के नहीं होते। उपयोगी विस्फोटकों में कुछ उच्च विस्फोटक होते हैं और कुछ सामान्य या मंद विस्फोटक। यह विभेद उनकी सुप्राहिता के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि उनके छिन्न भिन्न करने की क्षमता पर किया जाता है। कुछ विस्फोटक, जैसे मर्करी फॉस्फेनट तथा लेड एजाइड (Lead azide), जो बड़े सुग्राही होते हैं, प्राथमिक विस्फोटक के

रूप में न्यून सुग्राही विस्फोटक के विस्फोटन में उपयुक्त होते हैं। कुछ प्रमुख विस्फोटक ये हैं :

१. डायनामाइट	तीव्र विस्फोटक, शांतिकाल के लिये
२. विस्फोटक जिलेटिन	" , "
३. टीएनटी (TNT)	" , युद्ध के लिये
४. पिक्रिक अम्ल	" , "
५. अमोनियम नाइट्रेट	" , "
६. भूमहीन चूर्ण	मंद विस्फोटक, "
७. कालाचूर्ण या बारूद	" , शांति और युद्ध दोनों के लिये
८. मर्करी फ्लिमनेट	सहायक विस्फोटक, युद्ध के लिये
९. लेड ऐंजाइक	" "

डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है। नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकता से अधिक सुग्राही होता है। इसकी सुग्राहिता को कम करने के लिये कीजलगर का उपयोग होता है। अमरीका में कीजलगर के स्थान में काठ चूरा, या काठ समिता और सोडियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा २०, ४०, या ६०-७५ प्रतिशत रहती है। इसकी प्रबलता नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा पर निर्भर करती है। ७५ प्रतिशत नाइट्रोग्लिसरीन वाला डायनामाइट प्रबलतम होता है। कीजलगर, या काष्ठचूर्ण, या समिता के प्रयोग का उद्देश्य डायनामाइट का संरक्षण होता है, ताकि यातायात में वह विस्फुटित न हो जाय। नाइट्रोग्लिसरीन १३° सें० पर जम जाता है। जम जाने पर यह विस्फुटित नहीं होता। अतः ठंडी जलवायु में जमकर वह निकम्मा न हो जाय, इससे बचाने के लिये उसमें २० भाग ग्लिसरीन डाइ-नाइट्रो-मोनोक्लो-रहाइड्रिन मिलाया जाता है। यह जमावरोधीकारक का काम करता है। इससे नाइट्रोग्लिसरीन -३०° सें० तक द्रव रहता है। नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान में नाइट्रोग्लाइकोल का उपयोग अब होने लगा है।

विस्फोटक जिलेटिन में ६० प्रतिशत ग्लिसरीन और १० प्रतिशत नाइट्रोसेलुलोस रहता है। टी एन टी ट्राइनाइट्रोटॉल्विन है। यह ८१° सें० पर पिघलता है। टी एन टी के साथ अमोनियम नाइट्रेट के मिले रहने से टी एन टी अधिक प्रबल विस्फोटक हो जाता है। पिक्रिक अम्ल उच्च विस्फोटक है। फिनोल के नाइट्रेटीकरण से यह बनता है। यह पीला ठोस है, जो १२१° सें० पर पिघलता है। इसका सीस लवण पिक्रिक अम्ल से ५ गुना अधिक सुग्राही होता है। स्वयं पिक्रिक अम्ल खोल में भरा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट टी एन टी के साथ मिलाकर प्रयुक्त होता है। यह प्राक्सीकारक का भी कार्य करता है। स्वयं यह कठिनता से प्रस्फोटित (detonate) होता है।

भूमहीन चूर्ण में नाइट्रोसेलुलोस रहता है। यह ऐसीटोन से जिलेटिनीकृत किया रहता है। स्थायित्वकारी (stabilizer) के रूप में अल्प मात्रा में डाइफेनिलमिन और यूरिया प्रयुक्त होते हैं।

विस्फोटकों के गुण्य और परीक्षण — विस्फोटकों की क्षमता को मापने, प्रस्फोट की तीव्रता और प्रस्फोट के संचारण के वेग पर

निर्भर करती है। इन दोनों गुणों पर ही छिन्न भिन्न करने की क्षमता आधारित है। तीव्रता गैसों और ऊष्मा के उन्मुक्त होने पर निर्भर करती है। इसके लिये विस्फोटक के एक भाग भार को सीस निपिड (block) की गुहा में रखकर, विस्फुटित करते हैं। इससे सीस निपिड की गुहा का उत्पन्न (distension) हो जाता है। गुहा के आयतन की माप विस्फोटक की प्रबलता की माप है। एक दूसरी विधि में ५०० पाउंड मॉर्टर (छोटे तोप) को गोलक के रूप में लटकाते हैं और उससे ३६ पाउंड का गोला छोड़ते हैं। इससे मॉर्टर का प्रतिक्षेप (recoil) होता है। मॉर्टर का यही प्रतिक्षेप प्रबलता की माप है। दोनों विधियों से प्रायः एक से ही परिणाम प्राप्त होते हैं। कठोर चट्टानों को उड़ाने के लिये प्रबल और उच्च वेगवाले विस्फोटकों की आवश्यकता पड़ती है और कम कठोर चट्टानों के लिये कम प्रबल और मंद वेग वाले विस्फोटकों से काम चल जाता है। विस्फोटक के महत्व का एक गुण उसकी सुग्राहिता है। सुग्राहिता का परीक्षण विस्फोटक पर भार गिराकर किया जाता है। जितना ही अधिक ऊंचाई में गिरकर वह विस्फुटित होता है, उतना ही कम सुग्राही वह होता है। जो विस्फोटक कोयले की खानों में व्यवहृत होते हैं, उनका परीक्षण एक विशेष प्रकार से होता है, क्योंकि कोयले की खानों में ज्वल-शील गैसें रह सकती हैं। ऐसी गैसों में जो विस्फोटक विस्फुटित नहीं होते, वे ही खानों में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे विस्फोटकों की ज्वाला छोटी और अल्पकालिक होती है। ज्वाला की लंबाई और समयान्तर फोटोग्राफी से नापी जाती है। बारूद की समयान्तर ०.०७७ सेकंड और ज्वाला की लंबाई ११० मिमी० (१०० ग्राम का) तथा गनकॉटन (guncotton) की समयान्तर ०.००१३ सेकंड और ज्वाला की लंबाई ६७ मिमी० होती है। पिक्रिक अम्ल और अमोनियम नाइट्रेट की समयान्तर एवं ज्वाला लंबाई इससे बहुत छोटी होती है। गनकॉटन को तोपकक्ष में विस्फुटित करने से प्रति वर्ग इंच लगभग ३ टन का दबाव उत्पन्न होता है।

युद्ध में काम आनेवाले विस्फोटक दो प्रकार के होते हैं : (१) प्रणोदक (propellent), जो कार्बुनों में भरे जाते हैं, तथा (२) वे जो गोल खोल में भरे जाते हैं। राइफल के कारतूस में भी एक प्रणोदक और दूसरी बुलेट या गोली जो यथावत् मिश्रधातु की बनी होती है, सीस के निबोल में रखी जाती है। टंकमार (anti-tank) राइफलों में इस्पात की गोलियाँ होती हैं। हथगोले में कोई प्रणोदक नहीं होता।

रेजे के रूप में नाइट्रोसेलुलोस (गनकॉटन) उच्च विस्फोटक होता है, जिसे जिलेटनीकृत हो जाने पर मंद विस्फोटक बन जाता है। अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, यही प्रधानतया मंद विस्फोटक के रूप में व्यवहृत होता है। गोली के खोल में टी एन टी, या एमेटोल (टी एन टी के साथ अमोनियम नाइट्रेट मिला हुआ), पिक्रिक अम्ल, या इसके लवण, रहते हैं। इसका काम होता है निर्विष्ट स्थान पर पहुँचकर, तीव्रगामी टुकड़ों में धूर धूर हो जाना और वास्तविक मिसाइल या अम्ल बन जाना। खोल में रोजिन या बारूद से बँधा हुआ मंद रहता है। ऐसे खोल को 'श्रेपनेल शेल' (Shrapnel shell) कहते हैं। गेंद के स्थान में युद्ध गैस भी रह सकती है। खोल की पसीले (fuse) द्वारा

जलाया जाता है। खोल इस्पात का बना होता है। बहुधा उसमें ऐलुमिनियम की नाकनुमा धार लगी रहती है।

विस्फोटक में प्रयुक्त होनेवाले नाइट्रोसेलुलोज में नाइट्रोजन १२८ प्रतिशत रहता है। रखने पर धूमहीन चूर्ण का ह्रास होता है। अणु बीच-बीच में उसका परीक्षण करते रहना आवश्यक होता है। कॉर्डॉइट में नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन दोनों रहते हैं। इनकी आपेक्षिक मात्रा निश्चित नहीं रहती। एक कॉर्डॉइट में नाइट्रोसेलुलोज ६५ भाग, नाइट्रोग्लिसरीन ३० भाग और सनिज जेली ०.५ भाग रहते हैं। एक दूसरे कॉर्डॉइट में नाइट्रोसेलुलोज ३७ भाग, नाइट्रोग्लिसरीन ५८ भाग और जेली ०.५ भाग रहते हैं। ऐसीटोन जिलेटिनीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटैशियम क्लोरेट, पोटैशियम परक्लोरेट, नाइट्रोग्लेनिडिन, गंकारी फल्मिनेट, लेड ऐजाइड, नाइट्रो स्टार्च, ड्रव आक्सीजन और वाष्प कोयला भी विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। [ सं० व० ]

**वीतेस्लव नेज़वल** ( Viteslav Nezval, १९००-१९५८ ) आधुनिक चेक कवियों में मुख्य। नेज़वल का वाद्य्य सद्यी विकास बहुत ही जटिल रहा। उनकी सभी कविताओं में आशावाद और श्रमिक वर्ग के ऐतिहासिक संदेश की प्रबल झलक मिलती है। 'रात के संगीत' के संग्रह में कवि की सबसे अच्छी प्रारंभिक कविताएँ, जैसे 'एडिमन', 'अमर्त्कारपूर्ण जाकूगर' आदि पाई जाती हैं। दूसरे महायुद्ध के उपरांत नेज़वल ने नई कविताएँ लिखी। उस काल की उनकी क्रांतिवादी श्रमिक वर्ग विषयक कविताएँ चेक प्रगतिशील काव्य के महत्पूर्ण उदाहरण हैं। उनकी उत्तर युद्ध-कालीन कविता की पराकोटि 'शांतिमान' है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शान्ति की शक्ति में अपना अद्भुत विश्वास अभिव्यक्त किया गया है। नेज़वल को अंतरराष्ट्रीय शान्ति पदक मिला है। अन्य कवितासंग्रह पुष्प, 'मातृभूमि से' आदि हैं। [ ओ० स्मे० ]

**वीरचंद्र प्रभु** श्री निरगानंद प्रभु के पुत्र, जन्म सं० १४६० में। इन्होंने वैष्णवों का ऐसा नेतृत्व किया कि बंगाल में गौडीय समाज का बहुत प्रचार हुआ। इन्हें इतना सम्मान मिला कि यह भी प्रभु कहे जाने लगे। [ व० २० पृ० ]

**वीरशैव दर्शन** वीरशैव का शाब्दिक अर्थ है, जो शिव का परम भक्त हो, विषु समय बीतने के साथ वीरशैवों का तत्त्वज्ञान दर्शन, साधना, कर्मकांड, सामाजिक संघटन, आचारनियम आदि अन्य संप्रदायों से भिन्न होते गए। यद्यपि वीरशैव देश के अन्य भागों—महाराष्ट्र, आंध्र, तमिल क्षेत्र आदि—में भी पाए जाते हैं किंतु उनकी सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में पाई जाती है।

शैव लोग अपने धार्मिक विश्वासों और दर्शन का उद्गम वेदों तथा २८ शैवागमों से मानते हैं। वीरशैव भी वेदों में अधिष्ठान नहीं प्रकट करते किंतु उनके दर्शन, कर्मकांड तथा समाजसुधार आदि में ऐसी विशिष्टताएँ विकसित हो गई हैं जिनकी व्युत्पत्ति मुख्य रूप से शैवागमों तथा ऐसे अंतर्दृष्टि योगियों से हुई मानी जाती है जो बचनकार कहलाते हैं। १२वीं से १६वीं शती के बीच लग-

भग तीन शताब्दियों में कोई ३०० बचनकार हुए हैं जिनमें से ३० स्थिरवादी रहे हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम बासव का है जो कल्याण (कर्नाटक) के जैन राजा विजयन (१२वीं शती) का प्रधान मंत्री था। वह योगी महात्मा ही तथा बल्कि कर्मठ संघटनकर्ता भी था जिसने वीरशैव संप्रदाय की स्थापना की। बासव का लक्ष्य ऐसा आध्यात्मिक समाज बनाना था निर्भय, धर्म या स्त्री-पुरुष का भेदभाव न रहे। वह कर्मकांड संबंधी आडंबर का विरोधी था और मानसिक पवित्रता एवं भक्ति ही मनार्थ पर बल देना था। वह मात्र एक ईश्वर की उपासना का समर्थक था और उसने पूजा तथा ध्यान की पद्धति में सरलता लाने का प्रयत्न किया। जाति भेद की समाप्ति तथा स्त्रियों के उत्थान के कारण समाज में अद्भुत क्रांति उत्पन्न हो गई। ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग—तीनों बचनकारों को मान्य है किंतु भक्ति पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। बासव के अनुयायियों में बहुत से दृग्जिन थे और उसने अंतर्जातीय विवाह भी संपन्न कराए।

वीरशैवों का संप्रदाय 'शक्ति विशिष्टाद्वैत' कहलाता है। परम चैतन्य या परम सच्चिदानंद, काल तथा अन्य गुणों से परे है। परा सच्चिदानंद की शक्ति ही इस विश्व का उत्पादन कारण है। शिवा या संसार मिथ्या (अधर्म मात्र इत्युक्त) नहीं है। एतत्त्व और बहुमुखी प्रकृति के परिणामस्वरूप बहुरूपधारी सत्ता की उत्पत्ति होती है। मनुष्य में हम जो कुछ देखते हैं वह विशिष्टीकरण एवं आत्मचेतना का विकास है किंतु यह आत्मचैतन्य ही परम चैतन्य के साथ पुनर्मिलन के प्रयास का प्रेरक कारण है। साधना के परिणाम स्वरूप जब ईश्वर का सच्चा भक्त समाधि की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त होता है तब ममत्त्व ही स्थिति अर्थात् ईश्वर के प्रत्येक स्वरूप के साथ पूर्ण एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। यही मनुष्य के परमानंद या मोक्ष की स्थिति है। इसे पूर्ण मिलन न मानकर मिलन के परमानंद में बराबरी में दिस्मा ग्रहण करना समझना अधिक अज्ञान होगा।

वीरशैवों ने एक तरह की आध्यात्मिक अनुशासन की परंपरा स्थापित कर ली है जिसे 'शतरथन शास्त्र' कहते हैं। यह मानव की साधारण चेतना का अंगस्थल के प्रथम प्रक्रम से त्रिगस्थल के सर्वोच्च क्रम पर पहुँच जाने की स्थिति का सूचक है। साधना अर्थात् आध्यात्मिक अनुशासन की समूची प्रक्रिया में भक्ति और शरण याने आत्मार्पण पर बल दिया जाता है। वीरशैव महात्माओं को कभी कभी 'शरण' या शिवाशरण कहते हैं याने ऐसे योग जिन्होंने शिव की शरण में अपने आप को अर्पित कर दिया है। उनकी साधना शिवयोग कहलाती है।

वीरशैववाद मूलतः षड्वैतवादी दर्शन है किंतु यह परमात्मा क्रिया और ध्यान से परे है और हमारे साक्षात् अनुभव की दुनिया के अस्तित्व की व्याख्या इच्छा तथा क्रिया के बिना नहीं की जा सकती, हमलिये शिव के शक्ति सिद्धान्त की कल्पना की गई। ईश्वर से एकता स्थापित करने के लिये आध्यात्मिक आराधना अपनी एक या तीनों शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रेमशक्ति के प्रयोग का नाम भक्तियोग, चित्तशक्ति के प्रयोग का ज्ञानयोग तथा कर्म

शक्ति के प्रयोग का नाम कर्मयोग है। इन्हीं के जरिए परमेश्वर के साथ अंतिम रूप से एकता स्थापित होती है।

इसमें संदेह नहीं कि वीरवीरों के भी मंदिर, तीर्थस्थान आदि वैसे ही होते हैं जैसे अन्य संप्रदायों के, अंतर केवल उन देवी देवताओं में होता है जिनकी पूजा की जाती है। जहाँ तक वीरवीरों का संबंध है, देवालियों या साधना के अन्य प्रकारों का उतना महत्व नहीं है जितना इष्ट लिंग का जिसकी प्रतिमा शरीर पर धारण की जाती है। आध्यात्मिक गुरु प्रत्येक वीरवीर को इष्ट लिंग अर्पित कर उसके कान में पवित्र पञ्जर मंत्र 'ओम् नमः शिवाय' फूँक देता है। प्रत्येक वीरवीर स्नानादि कर हाथ की गदेली पर इष्ट लिंग की प्रतिमा रखकर चितन और ध्यान द्वारा आराधना करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक वीरवीर में सत्यपरायणता, अहिंसा, संयुक्तभाव जैसे उच्च नैतिक गुणों के होने की भाषा की जाती है। यह निरामिष भोजी होता है और शराब आदि मादक वस्तुओं से परहेज करता है। बासव ने इस संबंध में जो निदेश जारी किए थे, उनका सारांश यह है—'बोरी न करो, हत्या न करो और न झूठ बोलो, न अपनी प्रशंसा करो, न दूसरों की निंदा, अपनी पत्नी के सिवा अन्य सब स्त्रियों को माता के समान समझो।'

वेद, उपनिषद् और शैवागम तो सब संस्कृत में हैं अतः वीरवीर बचनकारों ने उनका सार और शाश्वत सत्यों का स्थूलोक्त बन्दक भाषा एवं साहित्य में समाविष्ट कर उसकी संवृद्धि की।

[ आर० आर० दिवाकर ]

**वीरसिंह देव, बुंदेला, राजा** राजा मधुकरसाह बुंदेला का पुत्र। आरंभ से मुगल राजकुमार सलीम की सेवा में रहा। शेर अलफजल की हत्या कर देने पर यह सम्राट् अकबर का कोप-भाजन हुआ। सलीम के जहाँगीर के नाम से सिंहासनासूढ़ होने पर इसे तीनहजारी मंसब मिला। दक्षिण प्रदेश में कार्यकुशलता का परिचय देने पर इसके मंसब में वृद्धि हुई। जहाँगीर और शाहजहाँ के मनोमालिन्य के समय सुल्तान पर्वज के साथ शाहजहाँ का पीछा करने पर नियुक्त हुआ। इसने पड़पंज से बहुत से प्रदेश अपने अधीन कर लिए थे। १६२७ में इसकी मृत्यु हुई। मयुरा का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे श्रीरंगजेव ने मस्जिद का रूप दे दिया, इसी के द्वारा बनवाया गया था।

**वीरसिंह, भाई** ( १८७२-१९५७ ई० ) आधुनिक पंजाबी साहित्य के प्रवर्तक; नाटककार, उपन्यासकार, निबंधलेखक, जीवनी-लेखक तथा कवि। जन्म-स्थान प्रभुतमर ( पंजाब ), पिता सिल नेता डाक्टर चरणसिंह। आरंभ में चीफ खालसा दीवान और 'सिखसभा' आंदोलन की सकलता के लिये अनेक ट्रैक्ट लिखे जिनका उद्देश्य सिखमत की श्रेष्ठता, एकता और हिंदू धर्म से पुष्यता का जनता में प्रचार करना था। पंजाबी के निबंध साहित्य में इन ट्रैक्टों का महत्वपूर्ण स्थान है। १८९४ ई० में आपने 'खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी' की नींव रखी। १८९६ ई० में सामाजिक 'खालसा समाचार' निकाला। इससे पहले 'सुंदरी' ( १८९७ ई० ) के प्रकाशन के साथ आप पंजाबी के प्रथम उपन्यासकार के रूप में आ चुके थे। १८९६ ई० में आपका

दूसरा उपन्यास 'बिबीसिख' और १९०० ई० में तीसरा उपन्यास 'सतवत वीर' प्रकाशित हुआ। इनका अंतिम उपन्यास 'बाबा नोब सिख' बहुत बाद ( १९२१ ई० ) में प्रकाश में आया। कला की दृष्टि से ये उपन्यास उच्च कीटि के नहीं कहे जा सकते। सुधारवाद इनका प्रमुख ध्येय है। इनके सिख पात्र धार्मिक, त्यागी और वीर हैं; मुसलमान पात्र क्रूर, निर्दय और भिखारी हैं; तथा हिंदू पात्र प्रायः भीरु, स्वार्थी तथा धोखेबाज हैं। कथानक की दृष्टि से आज ये उपन्यास पाठकों को नीरस और संकीर्ण लगते हैं, किंतु वर्तमान शती के प्रथम चरण में इनका सिखों में बहुत प्रचार था। इनकी कहानियाँ भी इसी तरह की हैं— अधिकतर का संबंध सिख इतिहाससे है। छोटी छोटी जीवनीयों के प्रतिरिक्त आपने गुरु गोविंदसिंह की जीवनी 'कलगीधर चमत्कार' नाम से और नानक की 'गुरु नानक चमत्कार' नाम से प्रकाशित की। 'राजा लखवातासिख' आपका एकमात्र नाटक है। आपके गद्य साहित्य के विशेष गुण हैं भावों की सुष्ठुता, भाषा का ठेठपन, व्यंजना की तीव्रता, वर्णन की काव्यात्मकता, और गठन की साहित्यिकता।

यद्यपि मात्रा में कविता की अपेक्षा आपका गद्य अधिक है, तथापि आप मुख्यतः कवि के रूप में विख्यात हैं। आपकी प्रथम कविता 'राणा सूरतसिख' सिरखंडी छंद में अनुकात कथा है। विषय धार्मिक और कथावस्तु प्रचारात्मक है। कुछ साहित्यिक गुण अत्रश्य हैं परंतु कम। बाद की कविताएँ मुक्तक हैं और इनमें भाई जी सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त होते गए हैं। 'सहरा दे हार' ( १९२१ ), 'प्रीत वीणा', 'कंब दी कलाई', 'कंत महेली' और 'साध्या जीओ' आपके प्रसिद्ध काव्यसंग्रह हैं। इनमें अधिकतर गीत हैं। अन्य छोटी कविताओं में स्वाध्याय हैं जो पंजाबी साहित्य में विशेष देन के रूप में बहुमान्य हैं। बड़ी कविताओं में 'भरव दा कुत्ता' और 'जीवन की है' आदि हैं, पर इनमें वह रस नहीं है। कवि का काव्यक्षेत्र प्रकृति के 'सिरजनहार' के बाहर नहीं रहा। वे राजनीति और समाज के भ्रमेलो से दूर भावलोक में रहकर मस्ती और बेहोशी चाहते हैं। उनका कहना है कि जीवन की दुरंगी से दूर एकंत में संतप्य की प्राप्ति हो सकती है। उनकी कविताएँ प्रायः छायावादी या रहस्यवादी हैं। शात रस की प्रधानता है। प्रकृति संबंधी कविताओं में कश्मीर के दृश्य बहुत सुंदर बन पाए हैं। कवि पदार्थों का वर्णन यथासंभव रूप में नहीं करते, अपितु उनमें से संदेश पाने का प्रयत्न करते हैं। कवि ने अंग्रेजी और उर्दू काव्य तथा पंजाबी लोकगीतों से अनेक नव्य ग्रहण करके उन्हें नया रूप प्रदान किया है। कुछ काव्यरूप और छंद भी इन्हीं स्रोतों से अपनाए हैं, कुछ अपने भी दिए हैं। छंदों की विविधता, विचारों और भावों का संयम और भाषा की प्रभावपूर्णता आपकी कविता के विशेष गुण हैं।

व्यक्तिगत रूप से आर संगीत और कला के प्रेमी थे। पंजाब विश्वविद्यालय ने आपको डी० लिट्० की उपाधि देकर संमानित किया था। भाई जी की रचनाएँ भाषाविभाग ( पंजाब ) और साहित्य अकादमी ( नई दिल्ली ) द्वारा पुरस्कृत हुई हैं।

[ ह० बा० ]

वीरुबाई वीरुबाई छत्रपति साहू के जीवन में कब और किस प्रकार आईं, यह अज्ञात है। वे किसकी पुत्री थीं तथा इनका बाल्यकाल कहाँ और किस प्रकार बीता, प्रमाण के अभाव में नहीं कहा जा सकता। कुछ लेखकों के अनुसार वीरुबाई सावित्री बाई के विवाह के साथ ही साहू के पास आईं थीं। जिस समय साहू मुगल शिबिर छोड़कर १७०७ ई० में दक्षिण लौटे, वीरुबाई भी उनके साथ थी। साहू और वीरुबाई जीवनपर्यंत एक साथ रहे और एक दूसरे के सुख दुःख में हाथ बँटाते रहे। दक्षिण में जाने पर साहू ने सक्कारबाई और सगुणाबाई से विवाह किए। किंतु वीरुबाई का वही स्थान बना रहा। न केवल साहू वरन् दोनों स्त्रियाँ भी वीरुबाई को आदर की दृष्टि से देखती थी। वीरुबाई ने अपने मृदु स्वभाव, कुशल व्यवहार और चातुर्य से अपना प्रभुत्व न केवल महल वरन् मराठा दरबार और विदेशी शक्तियों तक में स्थापित कर लिया था।

चंद्रसेन जाधव और बालाजी विश्वनाथ में अनबन हो जाने से जब बालाजी विश्वनाथ के प्राण संकट में पड़े तो वीरुबाई के कहने से साहू ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता के लिये सेना भेजी। बालाजी विश्वनाथ सत्तारा लौटे। इस प्रकार साहू के लिये वीरुबाई ने एक योग्य व्यक्ति के अटूट और निष्ठापूर्ण सेवाभाव को सदा के लिये प्रजित किया।

वीरुबाई विदेशी मामलों में भी अपने कार्यों और सेवाओं के लिये प्रसिद्ध थी। वे दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मिलती भी थीं।

वीरुबाई के द्वारा ही महल का सब कार्य संपन्न होता था। विभिन्न सरदारों को पत्र भी लिखती थी। युद्ध की योजनाओं से परिचित रहती थीं। इनके जीवनकाल में महल में अशांति नहीं हो पाई। इनकी मृत्यु २४ दि०, १७४० को हुई। साहू अत्यंत दुखी हुए। रानियों में झगड़े होने लगे। सरवैसाई के शब्दों में वीरुबाई बहुत योग्य और कुशल स्त्री थीं। उनमें त्याग, तपस्या और सधुरता का मिश्रण था। [ सु० व० ]

**ब्रूए, सिमों (१५६०-१६४६)** फ्रांसीसी चित्रकार। इटली में चौदह वर्ष रहने के पश्चात् ब्रूए सिमों फ्रांस वापस आया। सज्जात्मक चित्र बनाने में वह बड़ा निपुण था। धार्मिक आख्यानों पर उसने बड़े मार्मिक तथा रोचक चित्र बनाए हैं। वह अपने चित्रों में बड़े ही शीतल तथा कमनीय रंग लगाता था और उन्हें सुंदरता के साथ अलंकृत करता था। उसी के द्वारा फ्रांसीसी कला में शास्त्रीय वेनीसियन कला का सुमेल एक स्वस्थ रूप में पदार्पण करता है।

[ रा० चं० शु० ]

**बूल्जे, टॉमस (१४७५-१५३०)** राबर्ट बूल्जे और उनकी पत्नी जोन के पुत्र टॉमस बूल्जे का जन्म १४७५ के लगभग इप्सविच में हुआ। उनकी शिक्षा धार्मिकों के मैग्दालेन कालिज में हुई, जहाँ उन्होंने १५ वर्ष की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे इस कालिज में शिक्षक भी नियुक्त हुए। १४६८ में उन्हें धर्मोपाधि बना दिया गया, और 'बारेसेट के मास्टर' की कृपा से 'लिंनिंगटन' के रेक्टर नियुक्त हुए। १५०१ में डीन के आर्चबिशप ने उन्हें अपना निजी

११-१६

पादरी नियुक्त किया। इसके बाद वे सर रिचर्ड नाव फान के द्वारा अपने पादरी नियुक्त किए गए और उन्होंने इनकी सिफारिश इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम से की। १५०७ में नान फाव की मृत्यु के पश्चात् राजा ने उन्हें अपना पादरी नियुक्त किया और उन्हें कूटनीतिक कार्य भी दिया। १५०८ में उन्हें स्कॉटलैंड के राजा जेम्स चतुर्थ के पास भेजा गया।

राजा हेनरी अष्टम ने उन्हें पुरोहित संबंधी अनेक कार्य सौंपे। १५११ में वे प्रिवी काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए, और इस नियुक्ति ने उन्हें सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखने का अवसर दिया। इस समय सरकार का नियंत्रण दो दलों में विभक्त था। (१) पादरी और शांतिदल—जिसका नेतृत्व रिचर्ड फॉक्स तथा आर्चबिशप वारहम करते थे। (२) युद्ध दल—बूल्जे इस संतुलन को भंग कर युद्ध दल में मिल गए, और १५१२-१३ में युद्ध की तैयारी कर उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस को पराजित कर १५१४ में मेरी ट्यूडर का विवाह फ्रांस के लुई द्वादश से करवाया। १५१५ में फ्रान्स के राजा फ्रांसिस प्रथम की विजय 'भेरिगनानो' के युद्धस्थल में हुई। फ्रांसिस को नीचा दिखाने के लिये बूल्जे ने सम्राट मैक्सिमिलियन की सहायता की। बूल्जे की इन युद्धयोजनाओं को देखकर फॉक्स और वारहम ने त्यागपत्र दे दिए, और इस प्रकार परिस्थिति बूल्जे के हाथ में आ गई।

वे विदेश नीति में काफी सफल रहे। सम्राट चार्ल्स पंचम से उनकी मित्रता थी। चार्ल्स ने उन्हें पोप बनाने का आश्वासन दिया। परंतु वे १५२१ और १५२४ में असफल रहे। १५२५ में बूल्जे ने चार्ल्स को फ्रांस की पराजय में सहायता दी। इस प्रकार शक्ति का संतुलन हुआ। इस संतुलन पर इंग्लैंड का मान निर्भर था। १५२६ में और १५२८ के बीच वे जनता में अप्रिय रहे। बूल्जे पर इन निरर्थक युद्धों में इंग्लैंड को फँसाने का आरोप लगाया गया। १५२६ में सम्राट और फ्रांस के बीच संधि हुई, और इस संधि में इंग्लैंड को नहीं पूछा गया।

बूल्जे की विदेश नीति की असफलता की प्रतिक्रिया गृहनीति पर भी हुई। न्याय का सुदृढ़ शासन, सामंतों का दमन और उनकी राजा के प्रति राजभक्ति ने उन्हें अप्रिय बनाया। सामंत पादरियों द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे। बूल्जे के दुर्भाग्य से १५२६ में एक दुर्घटना हुई। इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम अपनी पत्नी कैथरीन को त्यागना चाहता था, और उसके लिये वह पोप से आज्ञा लेना चाहता था। यह कार्य बूल्जे को सौंपा गया। पोप सम्राट चार्ल्स के हाथ में था। बूल्जे अपने राजा की इस इच्छा को पूरा न कर सके। ससद उनके विरोध में थी। सामंत उनसे घृणा करते थे। पादरी भी उनसे रुष्ट थे। ऐसी परिस्थिति में राजा का भी खिन्न हो जाना गिरते-चोलात मारना था। राजा ने निश्चय किया कि अब वह स्वयं शासन करेगा। बूल्जे को अपने समस्त पदों को त्यागना पड़ा और उन्हें पेंशन दी गई। अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षण उन्होंने धार्मिक कृत्यों के पालन में बिताए। राजा का उनपर संदेह पूर्ववत् बना रहा और उन्हें जंजन बुलाया गया।


वृत्तों के विवेचन में ३० नवंबर, १९३० को उसकी इहलीसा समाप्त हो गई। [गि० कि० ग०]

**वुवेरमैन फिलिप (Woverman Philip)** उच्च चित्रकार। जन्म डार्लेम में मई, १९२० में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पिता से ग्रहण की। जीवन पूर्वत इसे विशेष आदर नहीं मिला लेकिन बाद में लोगों ने पहचाना। मृत्यु काल के कुछ दिन पूर्व इसने अपनी अनेक चित्रकारी नष्ट कर दीं, फिर भी अभी ८०० चित्र प्राप्त हैं। इसके प्रत्येक चित्र में कोई न कोई छोड़ा अवसर रहता है। इसके सर्वोत्तम चित्रों का संग्रह ब्रिसेल की चित्रदीर्घा में है। म्यूनिख, बियना, ऐम्स्टर्डम, ईस आदि की चित्र दीर्घाओं में भी इसके चित्र उपलब्ध हैं। ६ मई, १९९५ को इसकी मृत्यु हो गई। [पु० वि०]

**डुंदावनदास ठाकुर** इनके पिता कुमारहृद निवासी वैकुण्ठनाथ ठाकुर थे। गवलीप में सं० १५५२ में इनका जन्म हुआ। कुछ दिन अनंतर माता के साथ यह कुमारहृद लौट गए, जहाँ इनकी माता का भी शरीरगत हो गया। इन्होंने वैतन्य बंगला ग्रंथ लिखा है, जो बाद में वैतन्य भागवत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बंगला भाषा का भादि काव्य ग्रंथ माना जाता है। कुम्भवासा कविराज ने इसकी बड़ी प्रशंसा अपने ग्रंथ वैतन्य चरितामृत में की है और कवि कर्णपूर ने इन्हें व्यास का अवतार कहा है। अंतिम अवस्था में ये बुंदावन गए। इनकी अन्य रचनाएँ हैं श्रीनिस्थानंद चरितामृत, आनंदलहरी, लक्ष्मणार, लक्ष्मिवास, भक्तिचिंतामणि आदि। [ब्र० र० दा०]

**वृत्त के रोग ( Diseases of kidney ),** देखें मूत्र-रोग-विज्ञान।

**वृत्त ( Circle )** किसी समतल में ऐसे एक चर बिंदु का बिंदुपथ है, जिसकी एक स्थिर बिंदु (केंद्र) से दूरी (त्रिज्या) सदा बराबर हो। चित्र १ में बंद वक्र एक वृत्त है और परिबद्ध ( enclosed ) भाग अर्धतर (Interior) कहलाता है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलानेवाली सरल रेखा जीवा (Chord) कहलाती है। महत्तम जीवा व्यास है, जो त्रिज्या का दूना होता है। परिधि के दो बिंदुओं के बीच का भाग चाप (Arc) कहलाता है। ज प क व दीर्घ चाप और ज व न लघु चाप है। चाप और जीवा के मध्य स्थित समतल का भाग वृत्त का खंड (segment) है। ज प क व न ज दीर्घ खंड और ज व न म क लघु खंड है। दो त्रिज्याओं और उनके छोरों को मिलानेवाले किसी चाप के बीच का क्षेत्र वृत्त का त्रिज्याखंड (Sector) कहलाता है। स ज व न स त्रिज्याखंड और कोण ज स न त्रिज्याखंड का कोण है।



चित्र १.

**बिंदुबोधक विवेचन (Analytical treatment)**


यदि किसी वृत्त (चित्र २) की त्रिज्या व और केंद्र स (ख, ख)

मात हों, और वृत्त पर व (घ, र) कोई बिंदु हो, तो परिभाषा के अनुसार :

$$स व^2 = व^2 = (घ-ख)^2 + (र-ख)^2$$

अतः वृत्त का समीकरण है :

$$(घ-ख)^2 + (र-ख)^2 = व^2 \quad \dots \dots (१)$$



चित्र २.

यदि केंद्र मूल बिंदु पर हो, तो वृत्त के समीकरण का रूप निम्नलिखित हो जाता है :

$$ख^2 + र^2 = व^2$$

समीकरण (१) वृत्त का मानक रूप ( standard form ) है और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है :

$$ख^2 + र^2 + २ द ख + २ ख र + स = ० \quad \dots \dots (२)$$

जिसमें द, ख और स स्थिरांक हैं। समीकरण (२) को निम्नलिखित रूप में भी निगमित (deduced) किया जा सकता है :

$$(घ-ख)^2 + (र-ख)^2 = स$$

यदि स > ०, तो स = व^2 रखकर समीकरण को मानक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यदि स = ०, तो वृत्त शून्य बिंदु हो जाता है और यदि स < ० तो समीकरण (२) वाले वृत्त के बिंदुपथ का अस्तित्व शून्य हो जाता है। अतः समीकरण (२) यदि इसका बिंदुपथ हो, तो यह वृत्त या बिंदु का समीकरण होता है और वृत्त का सामान्य रूप कहलाता है। समीकरण के मानक रूप का महत्व यह है कि वह ख, र और व के गुणों को स्पष्टतः व्यक्त करता है, जिनसे वृत्त ज्यामितीय रूप से ज्ञात होता है और वृत्त का सामान्य समीकरण वृत्त की सरल बीजगणितीय संरचना बताता है। यह एक द्विघात समीकरण है, जिसमें ख^2, र^2 के गुणांक बराबर हैं और ख र पर अनुपस्थित है। स्थिरांकों की संख्या तीन है, जो वृत्त के ज्यामितीय गुणों के अनुरूप है, अर्थात् वृत्त तीन स्वतंत्र प्रतिबंधों (independent conditions) को पूरा करता है। उदाहरणार्थ, वह दिए हुए तीन बिंदुओं से गुजर सकता है, या तीन सरल रेखाओं को स्पर्श कर सकता है।

यदि हम समीकरण (२) के बाएँ बाहु को स से निकालें करें, तो यह लिख किया जा सकता है कि कोई बिंदु व (घ, र) वृत्त

$\omega = 0$  के बाहर, वृत्त पर या वृत्त के अंदर पड़ता है। इसका प्रतिबिंब  $\omega'$ , [  $\omega = \omega'$ , और  $r = r'$  होने पर  $\omega$  का मान ] का मान एक से अधिक, एक या शून्य होता है। समीकरण (२) द्वारा निकालित वृत्त का केंद्र  $(-d, -e)$  है और त्रिज्या  $\sqrt{d^2 + e^2 - s}$  है।

रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेदन (Intersection) — वृत्त  $x^2 + y^2 = r^2$  (१) और रेखा  $r = ax + by$  (२) का प्रतिच्छेदन बिंदु समीकरण (१) और (२) से  $r$  को मुक्त करके द्विघात समीकरण को हल करने से प्राप्त होता है।

$$(1+a^2)x^2 + 2abx + (b^2 - r^2) = 0$$

समीकरण के मूल वास्तविक (और भिन्न), बराबर या काल्पनिक इस प्रतिबंध के अनुसार होते हैं:  $b^2(1+a^2) - r^2 >$  या  $<$  0। पहली स्थिति में रेखा वृत्त को दो वास्तविक और युग्म बिंदुओं पर काटती है। दूसरी स्थिति में रेखा वृत्त को दो संपाती (coincident) बिंदुओं पर काटती है तथा तीसरी स्थिति काल्पनिक बिंदुओं की है।

वृत्त की स्पर्शरेखा और अभिलंब (normal) — बिंदु  $P$  जब  $C$  की ओर रूख करता है, तो वृत्त की जीवा  $PQ$  जिस सरल रेखा की ओर रूख करती है, उसे  $P$  बिंदु पर वृत्त का स्पर्शी कहते हैं। अतः अक्सर कहा जाता है कि स्पर्शरेखा वृत्त से संपाती बिंदुओं पर मिलती है। वृत्त  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + s = 0$  के  $(x, y)$  बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण होता है:

$$xx_1 + yy_1 + g(x+x_1) + f(y+y_1) + s = 0$$

वृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा है, जो उस बिंदु से गुजरती है और उस बिंदु की स्पर्शरेखा पर लंब होती है। अभिलंब का समीकरण है:

$$x(x_1 + g) - y(y_1 + f) + g(x_1 + g) - f(y_1 + f) = 0$$

समीकरण से जाहिर है कि अभिलंब केंद्र से गुजरता है।

किसी भी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएँ खींची जा सकती हैं और ये वास्तविक, संपाती या काल्पनिक होंगी। इसका प्रतिबंध क्रमशः बिंदु का वृत्त के बाहर, वृत्त पर या वृत्त के अंदर होना है। समीकरण (२) वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु  $(x_1, y_1)$  से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई है  $\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + s}$ ।

संपर्क की जीवा (Chord of Contact) — यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएँ खींची जायें, तो संपर्क के बिंदुओं को मिलानेवाली सरल रेखा उस बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखाओं के संपर्क की जीवा कहलाती है।  $(x_1, y_1)$  बिंदु से समीकरण (२) वाले वृत्त पर बनाई गई स्पर्शरेखाओं के संपर्क की जीवा का समीकरण होगा:

$$xx_1 + yy_1 + g(x+x_1) + f(y+y_1) + s = 0$$

ध्रुवी (Polar) — किसी स्थिर बिंदु से गुजरनेवाली वृत्त की जीवा के सिरे पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेदनबिंदु के बिंदुपथ को उस बिंदु का ध्रुवी और बिंदु को ध्रुव (Pole) कहते हैं।  $(x_1, y_1)$  बिंदु का ध्रुवी समीकरण (२) वाले वृत्त के केंद्र में स्थितिनिश्चित सरल रेखा होगी:

$$xx_1 + yy_1 + g(x+x_1) + f(y+y_1) + s = 0$$

मूलाक्ष (Radical axis) — दो वृत्तों का मूलाक्ष उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार चर होता है कि उससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शरेखाएँ बराबर लंबाई की होती हैं। इसका समीकरण होगा:

$$x(x-x') + y(y-y') + g(g-g') + f(f-f') + s-s' = 0$$

यह समीकरण सरल रेखाओं को निकालित करता है, जिससे स्पष्ट है कि दो वृत्तों का मूलाक्ष उनकी उभयनिष्ठ जीवा है। इसे ध्रुवी त्रिज्या के वृत्त के रूप में समझा जा सकता है।

समाक्ष वृत्त (Coaxial Circles) — उस वृत्त निकाय (system) को समाक्ष वृत्त कहते हैं, जिसके हर दो वृत्तों का मूलाक्ष एक ही हो। दो स्थिर बिंदुओं से गुजरनेवाले वृत्त समाक्ष निकाय निमित्त करते हैं। समीकरण  $x^2 + y^2 + 2\lambda x + s = 0$  समाक्ष वृत्तों के निकाय को निकालित करता है, जिनका मूलाक्ष  $r$ -भक्ष है। यदि  $s$  ऋणात्मक है, तो वृत्त  $r$ -भक्ष को वास्तविक बिंदुओं  $(0, +\sqrt{-s})$  और  $(0, -\sqrt{-s})$  पर काटता है और ये बिंदु वृत्तनिकाय के हर वृत्त के लिये होते हैं। यदि  $s$  धनात्मक है, तो वृत्त  $r$ -भक्ष को काल्पनिक बिंदुओं पर काटता है।

लंबकोणीय वृत्त (Orthogonal circles) — यदि दो वृत्त बिंदु  $C$  और  $C'$  पर मिलें, तो वे  $C$  और  $C'$  पर बराबर कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। जब यह कोण समकोण होता है, तो वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं। लंबकोणीय वृत्त का प्रतिबंध है:

$$2gd + 2gd' = s + s'$$

वृत्त के संदर्भ में किसी बिंदु की शक्ति (Power) — यदि  $P(x, y)$  से गुजरनेवाली रेखा समीकरण (२) वाले वृत्त को  $C$  और  $C'$  पर काटे तो गुणनफल  $PC \times PC'$ , जो  $P$  से गुजरनेवाली रेखा की दिशा से स्वतंत्र है, वृत्त के संदर्भ में बिंदु की शक्ति कहलाता है। यह धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक होती है, जिसका प्रतिबंध क्रमशः बिंदु का वृत्त के बाहर, वृत्त पर या वृत्त के भीतर होता है।

### वृत्त का विस्तार फलन (Mensuration)

वृत्त की व्यापित उसके कुछ बहुत महत्व के गुणों को प्रदर्शित करती है। ये गुण वृत्त की सममित (symmetry) प्रकृति के कारण हैं। केंद्र के चारों ओर घूर्णन करने (rotate) पर वृत्त का रूप नहीं बदलता। एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि प्रत्येक जीवा उस लंब से समद्विभाजित होती है जो उसपर केंद्र से डाला जाता है। वृत्त के किसी चाप के छोरबिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण उस कोण का दूना होता है जो इन्हीं छोर के बिंदुओं को बाकी चाप के किसी बिंदु से मिलानेवाली रेखाओं के बीच बनता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।


वृत्त का क्षेत्रफल  $\pi r^2$  होता है, जहाँ  $r$  त्रिज्या तथा  $\pi$  परिधि और व्यास की लंबाइयों का अनुपात है। दशमलव के बीस स्थानों तक  $\pi$  का परिशुद्ध मान ३.१४१५९२६५३५८९७९ ३२३८४६ है और स्थूल रूप से २२/७ है। सामान्यतया २२/७ मान का उपयोग किया जाता है। त्रिज्या  $r$  का क्षेत्रफल  $\frac{1}{2} \pi r^2$  है,

जहाँ जवान की लंबाई है और व भिन्न है। वृष की परिधि २३५ है। इन परिणामों से यह ज्ञात होता है कि वृष की परिधि की लंबाई की सरल रेखा, या वृष के क्षेत्रफल के बराबर का वग्न लीचना संभव नहीं है। वृष के किसी चाप के बगबर लंबाई की सरल रेखा भी नहीं लीची जा सकती। [प्र० दा० गा०]

**वृषभ युद्ध** स्वेन वासियों का राष्ट्रीय खेल है। इस युद्ध में जो साँड़ भाग लेते हैं, वे पालतू नहीं होते, वरन् एक विशेष जंगली जाति के होते हैं। वृषभ युद्ध ग्रीक और रोमन साम्राज्य में भी प्रचलित थे, किन्तु इनमें पालतू साँड़ों द्वारा प्रदर्शन होता था। बाद में इन्हें बंद कर दिया गया, किन्तु स्वेन और मेक्सिको में ये राष्ट्रीय रूप में अभी भी प्रचलित हैं।

इन युद्धों की व्यवस्था भँडों और बंदनवारों से सजाए हुए, एक गोल क्रीड़ांगण में, जिसे 'प्लाजा ड टोरोस' ( Plaza de toros ) कहते हैं, की जाती है। अध्यक्ष के इशारा करने पर, साँड़ घ्रांगन में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसे भाले से लैस पुइसवार, जिन्हें पिकाडोर ( picadores ) कहते हैं, तैयार मिलते हैं। ये बर्छे से छेदकर साँड़ को क्रोधित करते और इधर उधर दौड़ाकर उसे थकाने की चेष्टा करते हैं। यदि वृषभ साहसी हुआ, तो पुइसवारों को बड़ी सत-कंता से अपना बचाव करना पड़ता है। यदि साँड़ प्राक्रमण के बजाय स्वयं भागने का उपक्रम करता है, तो दर्शक उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे तुरंत मार डाला जाता है।

साहसी वृषभ जब किसी घोड़े को घायल कर देता है या पिकाडोर गिर जाता है, तो बूलो ( chulos ), अर्थात् दो फुट लंबी फलवार बर्छियाँ लिए पैदा, उसे घेर और छेदकर, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब साँड़ कुछ थक जाता है, तो पिकाडोर हट जाते हैं और उनका स्थान बूलो ले लेते हैं, जो साँड़ को छेड़ने, बकाने, घायल और क्रोधित करने का क्रम जारी रखते हैं। अंत में मैटाडोर ( matador ) या एस्पडा ( espada ), अर्थात् एक अशिकलाप्रवीण पुरुष, अकेला साँड़ का सामना करता है। क्रोध से



मैटाडोर और वृषभ

अंशे साँड़ की प्रत्येक फुट पर वह अपने लाल लबादे को उसके प्रागे कर, स्वयं एक ओर हट जाता है। जब अपने साहस और फुर्ती के बलवैध चमत्कार वह दर्शकों को दिलाकर प्रसन्न कर चुकता है, तो साँड़ के अंतिम प्राक्रमण के समय अपने को बचाकर तलवार से उसके कर्णों के मध्य, नेरुदंड को छेदकर साँड़ का अंत कर देता है।

तब भँडियों और घंटियों से सज्जित, सुंदर लकड़ों का एक दल भलाड़े में आता है और खून में लिपटे साँड़ के मृत शरीर को बाहर घसीट ले जाता है। इस क्रूर खेल का अंत एक साँड़ की मृत्यु से ही नहीं होता, वरन् प्रत्येक प्रदर्शन में कई साँड़ भलाड़े में उतारे जाते हैं। [ म० दा० व० ]

**वृषभानु** राधिका के पिता जो पुराणानुसार नागयण के अंत से हुए थे। ये रावल गाँव के निवासी गोकुल के बड़े सरदारों में थे, पर अंत में कंस के अत्याचारों के कारण बरसाने में रहने लगे थे। इनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का सेरभानु था। [ रा० द्वि० ]

**वृहदांत्र** (Large Intestine) आहारनाल (alimentary canal) का एक भाग है, जो क्षुद्रांत्र ( ileum ) के अंत से प्रारंभ होकर गुहा तक फैला है। इसकी लंबाई १५ मीटर है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं : (१) अंधनाल (Caecum), (२) कोलन (Colon), (३) अनाशय (Rectum) और (४) गुदांनल (Anal canal)।

(१) अंधनाल — यह ६ सेंमी० लंबा और ७.५ सेंमी० मोटा होता है। यह वृहदांत्र का पहला भाग है और दक्षिण श्रोणीय खात (right iliac fossa) में स्थित है। यह एक फूला हुआ कोष (sac) है, जो नीचे की ओर बंद है, ऊपर आरोही कोलन (ascending colon) में खुलता है और भीतर की ओर क्षुद्रांत्र से मिला है। इसकी पश्चात्तर दीवार (postero-medial wall) एक से सीवनी (worm) की ऐसी नली निकलती है, जिसको कृमिरूप परिशेषिका (Vermiform appendix) कहते हैं। यह परिशेषिका २ सेंमी० से २० सेंमी० तक लंबी होती है। इसकी औसत लंबाई लगभग ६ सेंमी० है। इसका स्थान भिन्न भिन्न तरह का है : (क) प्रत्यक् अंधांत्र (retrocacal), या प्रत्यक् कोलन (retrocolic) परिशेषिका — जहाँ परिशेषिका अंधांत्र या कोलन के पीछे रहती है, (ख) श्रोणीय या अवरोही परिशेषिका (pelvic or descending appendix) — जहाँ परिशेषिका श्रोणीय (pelvic) पर्वत पर, या नीचे श्रोणीय गुहा (pelvic cavity) में चली जाती है। स्त्रियों में ऐसी परिशेषिका अंडाशय या गर्भाशय (uterus) के पास भी पहुँच जा सकती है, (ग) अश कृमिरूप परिशेषिका — जहाँ परिशेषिका अंधनाल के नीचे रहती है, (घ) और (ङ) पुनः क्षुद्रांत्र (pre-llial) और पश्चक्षुद्रांत्र परिशेषिका के सामने या पीछे रहता है। इन सबों में प्रत्यक् अंधांत्र या प्रत्यक् कोलन प्रकार (type) अधिक होता है। परिशेषिका के भिन्न भिन्न स्थान होने के कारण, इसके शोध से जो पीडा होती है, वह उदर की भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है।

(२) कोलन (Colon) — इसके चार हिस्से हैं : (क) आरोही, (ख) अनुप्रस्थ (Transverse), (ग) अवरोही (Descending) और (घ) अवग्रहुरूपी (Sigmoid)।

(क) आरोही कोलन — यह १५ सेंमी० लंबा होता है और अंधनाल से संकीर्ण होता है। यह अंधनाल से प्रारंभ होता है और यकृत की दक्षिण पालि (right lobe) के अश तल तक फैला है, जहाँ एक कोलन चिह्न (colic impression) बनाता है। यहाँ से यह बाईं ओर मुड़ता है और अनुप्रस्थ कोलन कहलाता है। इस मोड़ को दक्षिण कोलन आनयन (right colic flexure) कहते हैं।

(ख) अनुप्रस्थ कोलन — इसकी लंबाई ५० सेंमी० है और यकृत के दक्षिण अंत से प्वीहा तक फैला है। यह भिन्न में दिशाया



गया है और अधिकतर थोड़ा मुड़ा रहता है, किंतु किसी किसी में नाभि, या उससे भी नीचे तक उदर में, पहुँच जाता है। प्लीहा के पास पहुँचकर यह उसके पार्श्व प्रांत (lateral end) के पास से नीचे की ओर मुड़ता है और अवरोही कोलन बनाता है। इस तरह यहाँ जो वाम कोलन आनमन बनता है, वह बहुत तीक्ष्ण (acute) होता है और अनुप्रस्थ कोलन के प्रारंभ भाग के सामने हो जाता है। वाम कोलन आनमन का स्थान दक्षिण कोलन आनमन से कुछ ऊँचा होता है और इसे एक स्नायु (ligament), जिसको मध्यच्छद कोलन स्नायु (Phrenico colic ligament) कहते हैं, डायाफ्राम (diaphragm) से बाँधे रहती है।

(ग) अवरोही कोलन — यह २५ सेमी० लंबा होता है और वाम कोलन आनमन से मुख्य श्रोणि (true pelvis) के अंत द्वारा तक फैला है, जो वंक्षण बलन (fold of groin) के पास है।

(घ) अवग्रहरूपी कोलन या श्रोणीय (pelvic) कोलन — यह प्रायः ४० सेमी० लंबा होता है और मुख्य श्रोणि के अंतःद्वार से प्रारंभ होकर एक पाश के रूप में नीचे उतरता है। अंत में सेक्रम (sacrum) के प्रथम टुकड़े के सामने मध्यम तल में मलाशय में



बृहदांत्र

नीचे का काला, मालाकार भाग बृहदांत्र है।

खिखर के २-३ सेमी० सामने और नीचे, गुदानाल में प्रवेश करता है। इस यात्रा में यह पीछे की ओर मुड़ा रहता है और सेक्रम आनमन (sacral flexure) बनाता है। इसका अंतिम हिस्सा, जिसको मलाशय गुंबिका (Rectal ampulla) कहते हैं, फूला हुआ है। मलाशय के ऊपरी दो तिहाई भाग के साथ पेरिटोनियम (peritoneum) और सामने पेरिटोनियम गुहा (peritoneum cavity) है। इसके निचले एक तिहाई भाग के सामने पुरुषों में मूत्राशय का आधार, शुक्राशय (seminal vesicle), शुक्रवाहिनी (ducts deferens), मूत्रवाहिनी (ureter) का अंतिम भाग और प्रोस्टेट (prostate) रहता है और स्त्रियों में योनि का निचला भाग रहता है। मलाशय के अंदर श्लेष्मल कला में अनुप्रस्थ पुटक (transverse, or horizontal folds) हैं, जो सर्बर्चंद्राकार हैं। ये साधारणतया तीन हैं, जिनमें बीच वाला स्थायी और सबसे बड़ा है। इसमें मांसपेशियाँ भी हैं। यह मलाशय के ऊपरी दो तिहाई भाग के नीचे है, जो पेरिटोनियम गुहा के पीछे है। इसलिये मलाशय का यह हिस्सा (जो मध्य स्थित पुटक के ऊपर है) मल से

फलता है और इसमें मल रहता है पर इस पुटक के नीचे का हिस्सा खाली रहता है।

(४) गुदानाल — यह ३८ सेमी० लंबा है और मलाशय के संकीर्ण भाग से प्रारंभ होकर नीचे तथा पीछे की ओर मुड़ता है और अंत में गुदा से बाहर खुलता है, जिससे मल बाहर निकलता है।

डाक्टरों को मलाशय में अंगुनी डालकर कभी कभी जाँच करने की आवश्यकता होती है। इस जाँच से मलाशय से मिले हुए श्रोणीय अंग (pelvic organs), जैसे पुरुषों में मूत्राशय, प्रोस्टेट, शुक्राशय, मूत्रवाहिनी और स्त्रियों में योनि, गर्भाशय-श्रीवा आदि का ज्ञान होता है। [ना० प्र० सि०]

**वेंसिटार्ट, हेनरी** आपका जन्म ३ जून, सन् १७३२ ई० को लंदन में हुआ था। आपने १३ वर्ष की अवस्था से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी प्रारंभ की। सन् १७४५ ई० में आप मद्रास आए। थोड़े ही दिनों में आपने फार्मी भाषा सीख ली। यही आपका परिचय राबर्ट क्लाइव से हुआ जो गाढ़ी मित्रता में परिणत हो गया। सन् १७५० में आपकी पदोन्नति एग फैक्टर के रूप में हुई। क्लाइव की सिफारिश पर सन् १७६० में आप बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए। आपने मीर जाफर को गद्दी से उतारकर उसी के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। पटना के नायब नवाब रामनारायण को जिसे क्लाइव ने संरक्षता प्रदान की थी, आपको मीर कासिम की रक्तपिपासा शांत करने के लिये, विवश हो, देना पड़ा। अंग्रेजों का यह बड़ा भारी विश्वासघात था। सन् १७६२ में आपने वारेन हेस्टिंग्स के साथ जाकर नवाब से मुँगेर की संधि की। परंतु अब तक बंगाल की कौमल से आपका बहुमत जाता रहा था। परिणामतः इसने उस संधि को रद्द कर दिया। अंग्रेजों की उग्र नीति के कारण नवाब से युद्ध खिड़ गया। अंत में लिप्त होकर आपने पदस्थान कर दिया। इंग्लैंड पहुँचकर आपको क्लाइव तथा उसके मित्रों का कोपभाजन बनना पड़ा। सन् १७६६ में आप कंपनी के डाइरेक्टर बनाए गए तथा उसी साल भारत में कंपनी की स्थिति की जाँच करने के लिये खाना हुए परंतु रास्ते में ही आपका जहाज घटनाग्रस्त हो गया। [जि० ना० वा०]

**वेणुगंगा** नदी मध्य प्रदेश राज्य की महादेव पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और दक्षिण में गोदावरी की महायक प्राणुहिता नदी से मिल जाती है। इसकी घाटी की रचना आद्यमहाकली चट्टानों की है। घाटी अधिक ऊँचा नीचा लगभग १००० फुट ऊँचा भूभाग है। यहाँ भारत का ६० प्रति शत मैगनीज प्राप्त होता है। कुछ छोटे छोटे कोयला क्षेत्र भी मिलते हैं। दक्षिण में दुर्ग और चाँदा जिलों में उराम लोहा प्राप्त होता है पर खनन कार्य अभी कम हुआ है। [रा० स० ख०]

**वेद का अर्थ 'ज्ञान के ग्रंथ' है। ये वेद चार हैं, परंतु इन चारों को मिलाकर एक ही 'वेद ग्रंथ' समझा जाता था।**

'एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः।—महाभारत  
वेद को पढ़ना बहुत कठिन प्रतीत होने लगा, इसलिये उसी एक वेद के तीन या चार विभाग किए गए। तब उनको 'वेदग्रन्थी' यथवा 'चतुर्वेद' कहने लगे।

**वेदग्रन्थी**

वेदों के मंत्रों के 'पद्य, गद्य और गान' ऐसे तीन विभाग होते हैं। हर एक भाषा के मंत्रों में पद्य, गद्य और गान ऐसे तीन भाग होते ही हैं। जैसे ही ये वैदिक साहित्य के तीन भाग हैं —

- १ वेद का पद्य भाग—ऋग्वेद, अथर्ववेद
- २ वेद का गद्य भाग—यजुर्वेद
- ३ वेद का गायन भाग—सामवेद

इनको 'वेदग्रन्थी' कहते हैं, अर्थात् वे वेद के तीन विभाग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह 'ग्रन्थी विधा' है। इसका भाव यह है कि ऋग्वेद पद्यसंग्रह है, यजुर्वेद गद्यसंग्रह है और सामवेद गायनसंग्रह है। इस ऋक्संग्रह में अथर्ववेद संमिलित है, ऐसा समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि अथर्ववेद भी पद्य-संग्रह ही है।

यजुर्वेद गद्यसंग्रह है, अतः इस यजुर्वेद में जो ऋग्वेद के छंदोबद्ध मंत्र हैं, उनको भी यजुर्वेद पढ़ने के समय गद्य जैसा ही पढ़ा जाता है।

**सामवेद**

सामवेद के मंत्र प्रायः ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। 'या ऋक् सत् साम' ऐसा छांदोग्य उपनिषद् में कहा है। इसका अर्थ यह है कि 'जो पाद-बद्ध मंत्र हैं वे ऋचा या ऋग्वेद के मंत्र हैं। और पादबद्ध मंत्र ही गाए जाते हैं। अर्थात् सब पादबद्ध मंत्र गाए जा सकते हैं। आज के सामवेद में जो मंत्र हैं वे 'साम-बोधि-मंत्र' हैं, अर्थात् उनका गान हो सकता है। सामवेद में जो मंत्र हैं वे जैसे के जैसे गाए नहीं जाते, परंतु उन मंत्रों से जो गान बने हैं, वे ही गाए जाते हैं। सामवेद के मंत्रों को लेकर उन मंत्रों से अनेक गान बने हैं। वे गान ही गाए जाते हैं। सामगान अनेक प्रकार के हैं, अतः उनको कहा है 'सहस्रधास्मी सामवेदः' अर्थात् इन मंत्रों पर हजारों प्रकार के सामगान होते हैं, जो यज्ञों में गाए जाते हैं।

आज के सामवेद में १८७५ मंत्र हैं, इनमें करीब ६६ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में मिलते नहीं हैं, बाकी के मंत्र ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। परंतु कई मंत्रों में थोड़ा सा पाठभेद भी है।

**ऋग्वेद की मंत्रगणना**

अब वेदों की मंत्रगणना देखिए। ऋग्वेद की मंडलानुसार मंत्रगणना होती है और अष्टकानुसार भी होती है। अब देखिए—

**मंडलानुसार मंत्रसंख्या**

१ प्रथम मंडल	१६१ सूक्तसंख्या	२००६ मंत्रसंख्या
२ द्वितीय "	४३ "	४२६ "
३ तृतीय "	६२ "	६१७ "
४ चतुर्थ "	५८ "	५८६ "
५ पंचम "	८७ "	७२६ "
६ षष्ठ "	७५ "	७६६ "
७ सप्तम "	१०४ "	८४१ "
८ अष्टम "	६३ "	१६२६ "
९ नवम "	११४ "	११०८ "
१० दशम "	१६१ "	१७५४ "
	१०१७ "	१०४७२ "

बालकिल्य	११ "	८० "
	१०२८ "	१०५५२ "

अब इनके ऋषि देखिए—

१ प्रथम मंडल	(अनेक ऋषि)
२ द्वितीय "	गृत्समद ऋषि
३ तृतीय "	विश्वामित्र "
४ चतुर्थ "	वामदेव "
५ पंचम "	अग्नि "
६ षष्ठ "	भरद्वाज "
७ सप्तम "	वसिष्ठ "
८ अष्टम "	कण्व "
९ नवम "	(सोम देवता)
१० दशम "	(अनेक ऋषि)

द्वितीय मंडल से अष्टम मंडल तक सात मंडलों के सात ऋषि क्रम से हैं, तथापि उनमें उस ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुए अनेक ऋषि भी हैं।

अब अष्टकानुसार मंत्रसंख्या देखिए—

१ प्रथम अष्टक	१२१ सूक्त	२६५ वर्ग	१३७० मंत्र
२ द्वितीय "	११६ "	२२१ "	११४७ "
३ तृतीय "	१२२ "	२२५ "	१२०६ "
४ चतुर्थ "	१४० "	२५० "	१२८६ "
५ पंचम "	१२६ "	२३८ "	१२६३ "
६ षष्ठ "	१२४ "	३१३ "	१६५० "
७ सप्तम "	११६ "	२४८ "	१२६३ "
८ अष्टम "	१४६ "	२४६ "	१२८१ "
	१०१७	२००६	१०४७६
बालकिल्य	११	१८	८०
	१०२८	२०२४	१०५५२

प्रथम मंडल और दशम मंडल के अनेक ऋषि हैं। प्रायः इन ऋषियों को 'पुत्रसूक्ता ऋषयः' अर्थात् छोटे सूक्तों के ऋषि कहते हैं। नवम मंडल 'सोम देवता' का मंडल है। बाकी के सात मंडल सात ऋषियों के हैं। इनको 'महासूक्ता ऋषयः' अर्थात् बड़े सूक्तों के ऋषि कहते हैं। ये महासूक्तवाले ऋषि सप्तर्षि कहकर सम्मानित होते हैं इनके नाम ऊपर देखें (गृत्समद से कण्व तक) इनके मंत्र अधिक होने से ये ऋषि अधिक सम्माननीय माने गए हैं। इन मंडलों को इन ऋषियों के नाम भी दिए गए हैं और इनके गोत्र में उत्पन्न हुए ऋषि भी इनमें लिए गए हैं।

**यजुर्वेद**

यजुर्वेद में 'शुक्ल यजुर्वेद' और 'कृष्ण यजुर्वेद' ऐसे दो भेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 'आर्ष्यदिन' और काश्यप संहिता है और कृष्ण यजुर्वेद में 'तैत्तिरीय संहिता' मानी है। शुक्ल यजुर्वेद प्रकरशाब्द है।

प्रथम आठ अध्यायों में प्रारंभिक यज्ञकर्म का उपदेश है, नवम अध्याय काश्मिरीयों में काश्यपेय तथा राजसूय यज्ञ का वर्णन है, न्यारह से पंद्रहवें अध्याय तक अनेक ऋषियों की विधि है।

सोचहर्षे अघ्याय में शतश्रीय होम है। सत्रहर्षे अघ्याय से इक्कीसवें अघ्याय तक बसोबीरा आदि प्रयोग हैं। बाइसवें अघ्याय से उनतीसवें अघ्याय तक अश्वमेधादि यज्ञों का वर्णन है। तीस और इक्कीसवें अघ्यायों में नरमेघ है। बसोस श्री तैत्तीस अघ्यायों में सर्वमेघ यज्ञ है, चौतीसवें अघ्याय में ब्रह्मयज्ञ है, पैंतीसवें अघ्याय में पितृयज्ञ, छत्तीसवें अघ्याय में शांतिपाठ, सैंतीस से उनतालीस तक महावीर आदि यज्ञकर्म और बालीसवें अघ्याय में परमारमस्वरूप का दर्शन है।

यज्ञों में पशु का वध होता है, ऐसा कई मानते हैं, पर यज्ञ में पशु का वध करने के लिये कोई मंत्र नहीं है। 'ओषधे आयस्व स्वधिते मा एवं हिंसि।' यह मंत्र प्रयुक्त होता है। इस मंत्र का अर्थ है— हे ओषधि! इसका संरक्षण कर, हे शस्त्र इसकी हिंसा न कर। इस कारण इस मंत्र से पशु का वध करना दृष्ट नहीं है। क्योंकि मंत्र का स्पष्ट भाव तो पशु का संरक्षण करना ही है।

गोमेघ में भी गो का वध करना उचित नहीं है, क्योंकि वेदों में गो का नाम 'अघ्या' है। इस 'अघ्या' पद का अर्थ 'अवध्य' है। वेद जिसको अघ्या अर्थात् 'अद्वैतघ्या' कहता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। अर्थात् गोमेघ में गो का वध नहीं है।

महाभारत में कहा है कि—

बीर्जयज्ञेषु यष्ट्यमिति वा वैदिकी श्रुतिः।

अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमर्हथ ॥

महाभारत, शांतिपर्व

'यज्ञ में बीजों से हवन करना चाहिए, ऐसा वेदमंत्रों का आदेश है। अज नाम के बीज हैं, अतः बकरे का वध नहीं करना चाहिए।'

अजमेघ में बकरे का वध करना अनुचित है, क्योंकि अज एक प्रकार के धाम्य का नाम है। कोश में 'अज' के अर्थ हैं, सुवर्णमायिक, अजन्तंगी ओषधि, चक्षानेवाका, मेरक मैता, मरुतों की सैना का नायक, वज्र का नेता, अग्निरथ, सूर्यकिरण, सूर्यरथ, चावल का एक प्रकार, अंजना, प्रकृति, माया, मरुत्, इंद्र, कामदेव।

अश्वमेघ के विषय में कहा है कि 'राष्ट्रं वा अश्वमेघः। श० ब्रा० १३।१४६।१

राष्ट्रसेवा ही अश्वमेघ है। राष्ट्रशासन को अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। 'मेघ' का अर्थ बुद्धिवैभव बढ़ाना है। इस प्रकार ये यज्ञ होते थे। यज्ञ में 'सत्कार-संगतिकरण-दान' ये तीन कार्य मुख्य हैं। जो सरकार के योग्य हों उनका सरकार करना, आपस का संगठन करना और गरीबों को दान देना, यों तीन प्रकार से यज्ञ होता है। यह राष्ट्रीय उत्थति का महायुद्ध कार्य है। यह यजुर्वेद के यज्ञों का स्वरूप है।

### सामवेद

सामवेद गायन करने के मंत्रों का संग्रह है। सामगायन माने के लिये सैवार रहते हैं, वे शब्द गाते हैं। गावण करने के सिवाय सामवेद के मंत्रों का दूसरा कोई प्रयोग नहीं है।

### अथर्ववेद

'अ-अथर्व' का अर्थ 'अति रहितता अर्थात् शांति है। सचमुच

अथर्ववेद आत्मज्ञान देकर विश्व में शांतिस्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

'अथर्वतिः अतिकर्मा, तत्प्रतिषेधो निपातः।' निरुक्त

'अथर्व' का अर्थ 'शांति' है और अथर्व का अर्थ 'शांति' अर्थात् अथर्ववेद शांति का प्रसार करनेवाला वेद है। यज्ञ में 'ब्रह्मा' के पद के लिये अथर्ववेदी ही योग्य समझा जाता है, वह इसीलिये कि यह सब दोषों को दूर करके यज्ञ से शांतिस्थापन करने का कार्य करता है।

अथर्ववेद के २० कांड हैं, इनमें प्रथम के ७ कांड फुटकर सूक्तों के हैं, प्रागे के १८वें कांड तक के ११ कांड विषयवार हैं, देखिए—

कांड	विषय
८ अष्टम कांड	दीर्घायु, रोगनाशन आदि
९ नवम "	मधुविद्या, यक्षमनाशन
१० दशम "	कृत्या दूषण आदि
११ एकादश "	ब्रह्मीदन आदि
१२ द्वादश "	मातृभूमि "
१३ त्रयोदश "	अघ्यात्म
१४ चतुर्दश "	विवाह प्रकरण
१५ पंचदश "	अघ्यात्म
१६ षोडश "	दुःखविमोचन
१७ सप्तदश "	अभ्युदय
१८ अष्टादश "	पितृमेघ

कांड १६ और २० फुटकर मंत्रसंग्रह के कांड हैं। यह सब देखकर स्पष्ट होता है कि वेदमंत्रों का संग्रह सर्वत्र समान दृष्टि से नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद में ही देखिए, प्रथम के ७ कांड और अंति के २ कांड ऐसे हैं जिनका विषयवार वर्गीकरण नहीं है, परंतु कांड ८ से १८ तक के ११ कांड विषयवार हैं। ऋग्वेद में भी द्वितीय मंडल से अष्टम मंडल तक के ७ मंडल ऋषिवार हैं तथा अथर्ववेद में कांड ८ से १८ तक के कांड विषयवार हैं, पर बाकी के वैसे नहीं हैं।

अथर्ववेद में १६वें कांड के अंत में यह मंत्र है—

यस्मात् कोशाहुदभराम वेद  
तस्मिन्नन्तरबदधम एनम्।  
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण  
तेन मा देवास्तपसावतेह ॥ अथर्व १६।७२।१

'जिस प्राणमारी से हमने वेद के ग्रंथ निकाले थे, उसी मे हम इनको पुन. रखते हैं। इस वेद के ज्ञान से हमने इष्ट कार्य किया, इस तप से देवता हमारा यहाँ रक्षण करें।'

इस मंत्र से स्पष्ट मातृम होता है कि इस समय वेद के लिखित ग्रंथ थे। वे कार्य हो जाने पर संदूक में रखे जाते थे।

इस प्रकार चारों वेदों का मंत्रसंग्रह है। ये वेद मानव की उत्थति करने का सच्चा धर्म बताते हैं। यह बात अथ अति संक्षेप से देखिए—ऋग्वेद का उपदेश ऐसा है—

'मिलकर रहो, परस्पर प्रेम से भाषण करो, अपने मनों को सुवस्कारों से सुवस्कुत करो। पूर्व समय के उराम ज्ञानी जिस प्रकार

उपासना करते थे, वैसी तुम भी किया करो ( ऋ० १०।१६१।१ ) ।  
अथ यजुर्वेद का उपदेश देखिए—

ईशा यास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् ।  
तेन त्यक्तेन मुञ्चिष्याथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

वा० यजु० ४०१

इस जगत् में जो कुछ है, उस सब में परमेश्वर व्याप रहा है ।  
इसलिये त्याग से भोग करो ( भोग न करो ), किसी का धन न  
ग्रहण करो ।

सामवेद का उपदेश है—‘ज्ञानी, तेजस्वी, सत्यधर्मपालक, रोग-  
निवारक ईश्वर की स्तुति करो ।’ और अथर्ववेद का उपदेश है—

भूयं गावो मेदयथा कृषं चित्  
अश्वीरं चित्कृणुषा सुपतीकम् ।  
भद्रं गृहं कुरुषु भद्रवाचो  
बृहदो वय उच्यते सभासु ॥

‘हे गौवो ! तुम कृष मनुष्य को पुष्ट करती हो, शोमारहित  
मनुष्य को सुंदर बनाती हो, तुम कल्याणकारी शब्द करके घर  
को कल्याणमय करती हो, इसलिये सभागो में हम तुम्हारी बहुत  
स्तुति करते हैं ।’

इस प्रकार विविध क्षेत्रों में उत्तम से उत्तम उपदेश वेदों में  
है । स्तुति, प्रार्थना और उपासना की पद्धति से वे मानव को उन्नति  
का श्रेष्ठ मार्ग बतलाते हैं । [श्री० वा० सा०]

**वेद मुनि** आपका उदासीन संप्रदाय की गुरुपरंपरा में १६२वाँ  
स्थान है । आपके शिष्य अविनाशी मुनि थे जो आचार्य श्री चंद्रदेव के  
गुरुदेव थे । आपका समय विक्रम १५ वीं शताब्दी का अंतिम  
दशक है । [स्वा० गं०]

**वेदमूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर** वेदों का गहन अध्ययन  
करनेवाले शीर्षस्थ विद्वान् । जन्म १६ सितंबर, १८६७ को रत्नगिरि  
(महाराष्ट्र) के कोलगाँव में हुआ । ‘जे० जे० स्कूल बोर्ड आर्ट्स’  
में शिक्षा प्राप्त कर हैदराबाद में चित्रशाला स्थापित की । अपने  
अध्ययन के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी उत्साहपूर्वक  
भाग लेना प्रारंभ किया । वेदों के आधार पर लिखित आपका लेख  
‘तेजस्विता’ राजद्रोहात्मक समझा गया जिसके कारण आपको तीन  
वर्ष तक कैद की सजा भोगनी पड़ी ।

वेदों के अर्थ और आशय का जितना गंभीर अध्ययन और मनन  
सातवलेकर जी ने किया उतना कदाचित् ही किसी अन्य भारतीय ने  
किया हो । वैदिक साहित्य के संबंध में उन्होंने अनेक लेख लिखे और  
हैदराबाद में विवेकविधिनी नामक शिक्षासंस्था की स्थापना की ।  
राष्ट्रीय विचारों से अंतर्गत आपकी ज्ञानोपासना निजाम को अच्छी  
न लगी, अतः आपको शीघ्र ही हैदराबाद छोड़ देना पड़ा । हरिद्वार,  
साहौर आदि में कुछ समय बिताने के बाद सन् १९१८ में आप  
झाँस में बस गए और वहीं पर स्वाध्यायमंडल की स्थापना कर  
साहित्यसेवा में निरत रहने लगे । गांधी हत्याकांड के बाद उन्हें  
वहाँ से हट जाना पड़ा । अथ उन्होंने गुजरात के पारडी नामक गाँव की  
अपना निवासस्थान बनाया और स्वाध्याय मंडल की पुनः स्थापना कर

वेदादि प्राचीन संस्कृत वाङ्मय के परिष्कार एवं प्रचारप्रसार के पुनीत  
कार्य में और भी अधिक दृढ़ता से संलग्न हो गए ।

सातवलेकर जी ने कोई ४०६ ग्रंथों की रचना की । इनमें से  
कुछ ये हैं—अगवद्गीता, उपनिषद् भाष्य ग्रंथमाला, ऋग्वेद संहिता,  
देवत संहिता, महाभारत, यजुर्वेद, वैदिक व्याख्यानमाला, इत्यादि ।  
आपके द्वारा संकलित ‘वैदिक राष्ट्रगीत’ तो अद्भुत ग्रंथ है । यह  
एक साथ ही मराठी तथा हिंदी भाषा में बंबई और इलाहाबाद से  
प्रकाशित हुआ । राष्ट्रशत्रु का विनाश करने में सक्षम वैदिक मंत्रों के  
इस संग्रह से विदेशी शासन हिल उठा और उसने इसकी सभी प्रतियाँ  
जप्त कर नष्ट कर डालने का आदेश दे दिया । देश के  
स्वतंत्र होने पर सन् १९५६ में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के  
विशिष्ट विद्वान् के रूप में पुरस्कृत किया और २६ जनवरी, १९६८  
को ‘पद्मभूषण’ की उपाधि द्वारा उनका संमान किया गया । इसके  
पूर्व वे विद्याभारत, महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति, वेदमहर्षि,  
वेदमूर्ति आदि उपाधियों से समादरित हो चुके थे । अंत में ‘जीवेम  
शरदः शतम्’ इस वेदवाक्य को चरितार्थ करते हुए १०१ वर्ष  
की आयु प्राप्त कर ३१ जुलाई, १९६८ को आपने देवलोक की ओर  
प्रयाण किया । [मु०]

**वेदांग** छह हैं; वेद का अर्थज्ञान होने के लिये इनका उपयोग होता  
है । वेदांग ये हैं —

(१) शिखा — वेदों के स्वर, वर्ण आदि के शुद्ध उच्चारण  
करने की शिक्षा जिससे मिलती है, वह ‘शिखा’ है । वेदों के मंत्रों का  
पठन पाठन तथा उच्चारण ठीक रीति से करने की सूचना इस  
‘शिखा’ से प्राप्त होती है । इस समय ‘पाणिनीय शिखा’ भारत में  
विशेष मननीय मानी जाती है ।

स्वर, व्यंजन ये वर्ण हैं; ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत ये स्वर के  
उच्चारण के तीन भेद हैं । उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ये भी  
स्वर के उच्चारण के भेद हैं । वर्णों के स्थान आठ हैं— (१) छाती,  
(२) कंठ, (३) सिर, (४) जिह्वामूल, (५) दंत, (६)  
नासिका, (७) श्रोत्र, और (८) तालु । इन आठ स्थानों में से  
यथायोग्य रीति से, जहाँ से बैसा होना चाहिए वैसा, वर्णोच्चार  
करने की शिक्षा यह पाणिनीय शिक्षा देती है । अतः हम इसको  
‘वर्णोच्चार शिखा’ भी कह सकते हैं ।

२ कल्पसूत्र — वेदोक्त कर्मों का विस्तार के साथ संपूर्ण वर्णन  
करने का कार्य कल्पसूत्र ग्रंथ करते हैं । ये कल्पसूत्र दो प्रकार के  
होते हैं । एक ‘श्रीतसूत्र’ है और दूसरे ‘स्मार्तसूत्र’ हैं । वेदों में जिस  
यज्ञयाग आदि कर्मकांड का उपदेश आया है, उनमें से किस यज्ञ ने  
किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, किसमें कौन सा अनुष्ठान किस  
रीति से करना चाहिए, इत्यादि कर्मकांड की संपूर्ण विधि इन  
कल्पसूत्र ग्रंथों में कही होती है । इसलिये कर्मकांड की पद्धति जानने  
के लिये इन कल्पसूत्र ग्रंथों की विशेष आवश्यकता होती है । यज्ञ  
यागादि का ज्ञान श्रीतसूत्र से होता है और षोडश संस्कारों का ज्ञान  
स्मार्तसूत्र से मिलता है ।

वैदिक कर्मकांड में यज्ञों का बड़ा भारी विस्तार मिलता है ।  
और हर एक यज्ञ की विधि श्रीतसूत्र से ही देखनी होती है । इस-

लिये जीतसूत्र अनेक हुए हैं। इसी प्रकार स्मार्तसूत्र भी सोसह संस्कारों का वर्णन करते हैं, इसलिये ये भी पर्याप्त विस्तृत हैं। जीत-सूत्रों में यज्ञयाग के सब नियम मिलेंगे और स्मार्तसूत्रों में अर्थात् गृह्यसूत्रों में उपनयन, जातकर्म, विवाह, गर्भाधान आदि षोडश संस्कारों का विधि विधान रहेगा।

(३) व्याकरण — व्याकरण अनेक हैं जिनमें पाणिनि का व्याकरण भाव भारत में प्रसिद्ध है। इसको भट्टाभ्यायी कहते हैं, क्योंकि इसमें आठ ही अध्याय हैं। इसपर पतंजलि ऋषि का महाभाष्य है। और भट्टोजी दीक्षित की टीका, कौमुदी नाम की प्रकरणक: बनाई टीका, सुप्रसिद्ध है।

(४) निरुक्त — शब्द की उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति कैसे हुई, यह निरुक्त बताता है। इस विषय पर यही महत्व का ग्रंथ है। यास्कभाष्य जो का यह निरुक्त प्रसिद्ध है। इसकी शब्द-व्युत्पत्ति-शास्त्र भी कह सकते हैं। वेद का यथार्थ अर्थ समझने के लिये इस निरुक्त की अत्यंत आवश्यकता है।

(५) छंद — गायत्री, अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, बृहती आदि छंदों का ज्ञान होने के लिये छंदशास्त्र की उपयोगिता है। प्रत्येक छंद के पाद कितने होते हैं और ह्रस्व दीर्घादि अक्षर प्रत्येक पाद में कैसे होने चाहिए, यह विषय इसका है।

(६) ज्योतिष — खगोल में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रह किस प्रकार गति करते हैं, सूर्य, चंद्र आदि के ग्रहण कब होंगे, ग्रह्य तारकों की गति कैसी होती है, यह विषय ज्योतिष शास्त्र का है। वेदग्रंथों में ग्रह नक्षत्रों का जो वर्णन है, उसे ठीक प्रकार से समझने के लिये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बहुत उपयोगी है।

इस प्रकार वेदांगों का ज्ञान वेद का उत्तम बोध होने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

[ श्री० बा० सा० ]

**वेदांत** उपनिषद् वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिये इसको वेदांत कहते हैं। कर्मकांड और उपासना का मुख्यतः बर्धन मंत्र और ब्राह्मणों में है, ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में। प्रादिम मनुष्य प्रकृति के रूपों को देखकर आश्चर्य करता है, उनकी पूजा करने का विधान बनाता है। कर्मकांड का इस प्रकार विकास हो जाने पर सुस्थिर चित्त से मनुष्य उनके पीछे कार्य कर रहे नियमों का चिंतन करने लगता है और यहीं उसकी जिज्ञासा प्रारंभ होती है। स्व का पर के साथ संबंध होने पर स्व और पर के वास्तविक स्वरूप तथा उनके पारस्परिक संबंध के बारे में स्वामाविक जिज्ञासा उठती है। यदि स्व जीव है तो पर को जगत् कहा जा सकता है। स्व और पर में विभिन्नता प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होती है पर प्रत्यक्ष से आगे विचार करने पर मनुष्य स्व-पर में समान रूप से रहनेवाले तत्त्व विशेष (ब्रह्म) की कल्पना करता है। उपनिषदों में कर्मकांड को 'अपर' कहकर ज्ञान को इसलिये महत्त्व दिया गया कि ज्ञान स्वयं से मुख्य की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत् का ज्ञान प्राप्त उपनिषदों की मूल शिक्षा है। कामांतर में जिन ग्रंथों में उपनिषद् की परंपरा का पालन करते हुए इन विषयों पर विचार किया गया,

उनको भी वेदांत कहा जाने लगा। भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं।

तीनों ग्रंथों में प्रगट विचारों का कई तरह से व्याख्यान किया जा सकता है। इसी कारण से ब्रह्म, जीव तथा जगत् के संबंध में अनेक मत उपस्थित किए गए और इस तरह वेदांत के अनेक रूपों का निर्माण हुआ।

१. अद्वैत वेदांत — गीतापाद (३०० ई०) तथा उनके अनुवर्ती शंकराचार्य (७०० ई०) ब्रह्म को प्रधान मानकर जीव और जगत् को उससे अलग मानते हैं। उनके अनुसार तत्त्व को उत्पत्ति और विनाश से रहित होना चाहिए। नाशवान् जगत तत्त्वशून्य है, जीव भी वैसा दिखाई देता है वैसा तत्त्व नहीं है। जाग्रत और स्वप्नावस्थाओं में जीव जगत् में रहता है परंतु सुषुप्ति में जीव प्रपंच ज्ञानशून्य चेतनावस्था में रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव का शुद्ध रूप सुषुप्ति जैसा होना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था अनित्य है अतः इससे परे तुरीयावस्था को जीव का शुद्ध रूप माना जाता है। इस अवस्था में नश्वर जगत् से कोई संबंध नहीं होता और जीव को पुनः नश्वर जगत् में प्रवेश भी नहीं करना पड़ता। यह तुरीयावस्था धर्म्यात् से प्राप्त होती है। ब्रह्म-जीव-जगत् में अनेक का ज्ञान उत्पन्न होने पर जगत् जीव में तथा जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। तीनों में वास्तविक अनेक होने पर भी अज्ञान के कारण जीव जगत् का अपने से पुष्य समझता है। परंतु स्वप्नसंसार की तरह जाग्रत संसार भी जीव की कल्पना है। भेद इतना ही है कि स्वप्न व्यक्तिगत कल्पना का परिणाम है जबकि जाग्रत अनुभव-समष्टि-गत महा-कल्पना का। स्वप्नजगत् का ज्ञान होने पर दोनों में मिथ्यात्व सिद्ध है। परंतु बौद्धों की तरह वेदांत में जीव को जगत् का अंग होने के कारण मिथ्या नहीं माना जाता। मिथ्यात्व का अनुभव करनेवाला जीव परम सत्य है, उसे मिथ्या मानने पर सभी ज्ञान को मिथ्या मानना होगा। परंतु जिस रूप में जीव संसार में व्यवहार करता है उसका वह रूप अवश्य मिथ्या है। जीव की तुरीयावस्था भेदज्ञान शून्य शुद्धावस्था है। ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान का संबंध मिथ्या संबंध है। इनसे परे होकर जीव अपनी शुद्ध चेतनावस्था को प्राप्त होता है। इस अवस्था में भेद का ज्ञान भी नहीं है क्योंकि भेद द्वैत में होता है। इसी अद्वैत अवस्था को ब्रह्म कहते हैं। तत्त्व असीम होता है, यदि दूसरा तत्त्व भी हो तो पहले तत्त्व की सीमा हो जाएगी और सीमित हो जाने से वह तत्त्व बुद्धिगम्य होगा जिसमें ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान का भेद प्रतिभासित होने लगेगा। अनुभव साक्षी है कि सभी ज्ञेय वस्तुएँ नश्वर हैं। अतः यदि हम तत्त्व को अनश्वर मानते हैं तो हमें उसे अद्वैत, अज्ञेय, शुद्ध चैतन्य मानना ही होगा। ऐसे तत्त्व को मानकर जगत् की अनुभवमान स्थिति का हमें विवर्तवाद के सहारे व्याख्यान करना होगा। रस्सी में प्रतिभासित होनेवाले सर्प की तरह यह जगत् न तो सत् है, न असत् है। सत् होता तो इसका कभी नाश न होता, असत् होता तो सुख, दुःख का अनुभव न होता। अतः सत् असत् से विभक्त अविच्छेदीय अवस्था ही वास्तविक अवस्था हो सकती है। उपनिषदों में नेति नेति कहकर इसी अज्ञातावस्था का प्रतिपादन किया गया है। अज्ञान भाव रूप है क्योंकि इससे वस्तु के

अस्तित्व की उपलब्धि होती है, यह अभाव रूप है, क्योंकि इसका वास्तविक रूप कुछ भी नहीं है। इसी अज्ञान को जगत् का कारण माना जाता है। अज्ञान का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, इसका सही उत्तर कठिन है परंतु ब्रह्म अपने शुद्ध निर्गुण रूप में अज्ञान विरहित है, किसी तरह वह भावाभाव विलक्षण अज्ञान से आवृत्त होकर सगुण ईश्वर कहलाने लगता है और इस तरह सृष्टिक्रम शुरू हो जाता है। ईश्वर को अपने शुद्ध रूप का ज्ञान होता है परंतु जीव को अपने ब्रह्मरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये साधना के द्वारा ब्रह्मीभूत होना पड़ता है। गुरु के मुख से 'तत्त्वमसि' का उपदेश सुनकर जीव 'अहं ब्रह्मास्मि' का अनुभव करता है। उस अवस्था में संपूर्ण जगत् को आत्ममय तथा अपने में संपूर्ण जगत् को देखता है क्योंकि उस समय उसके (ब्रह्म) के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं होता। इसी अवस्था को सुरीयावस्था या मोक्ष कहते हैं।

२. विशिष्टाद्वैत वेदांत — रामानुजाचार्य ने (११वीं शताब्दी) संकर मत के विपरीत यह कहा कि ईश्वर (ब्रह्म) स्वतंत्र तत्व है परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध हैं। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत् और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत् अर्द्ध है, जीव अज्ञान और दुःख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं क्योंकि जगत् और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पुण्य इनका अस्तित्व नहीं है, वे ब्रह्म की सेवा करने के लिये ही हैं। इस दर्शन में अद्वैत की जगह बहुत्व की कल्पना है परंतु ब्रह्म अनेक में एकता स्थापित करनेवाला एक तत्व है। बहुत्व से विशिष्ट अद्वय ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है।

विशिष्टाद्वैत मत में भेदरहित ज्ञान असंभव माना गया है। इसीलिये संकर का शुद्ध अद्वय ब्रह्म इस मत में प्राप्त नहीं है। ब्रह्म सर्वशेष है और उसकी विशेषता इसमें है कि उसमें सभी सत् गुण विद्यमान हैं। अतः ब्रह्म वास्तव में शरीरी ईश्वर है। सभी वैयक्तिक आत्माएँ सत्य हैं और इन्हीं से ब्रह्म का शरीर निमित्त है। ये ब्रह्म में, मोक्ष होने पर, लीन नहीं होतीं; इनका अस्तित्व प्रशुण्य बना रहता है। इस तरह ब्रह्म अनेकता में एकता स्थापित करनेवाला सूत्र है। यही ब्रह्म प्रलय काल में सूक्ष्मभूत और आत्माओं के साथ कारण रूप में स्थित रहता है परंतु सृष्टिकाल में सूक्ष्म स्थूल रूप धारण कर लेता है। यही कार्य ब्रह्म कहा जाता है। अनंत ज्ञान और आनंद से युक्त ब्रह्म को नारायण कहते हैं जो लक्ष्मी (शक्ति) के साथ वैकुण्ठ में निवास करते हैं। भक्ति के द्वारा इस नारायण के समीप पहुँचा जा सकता है। सर्वोत्तम भक्ति नारायण के प्रसाद से प्राप्त होती है और महं भगवद्भजनमय है। भक्ति मार्ग में जाति-वर्ण-गण भेद का स्थान नहीं है। सबके लिये भगवत्प्राप्ति का यह राजमार्ग है।

३. द्वैत वेदांत — मध्व (११९७ ई०) ने द्वैत वेदांत का प्रचार किया जिसमें पाँच भेदों को आधार माना जाता है। जीव ईश्वर, जीव जीव, जीव जगत्, ईश्वर जगत्, जगत् जगत् इनमें भेद स्वतः-

सिद्ध है। भेद के बिना वस्तु की स्थिति असंभव है। जगत् और जीव ईश्वर से पुण्य हैं किंतु ईश्वर द्वारा निर्बन्धित हैं। सगुण ईश्वर जगत् का स्रष्टा, पालक और संहारक है। भक्ति से प्रसन्न होनेवाले ईश्वर के इशारे पर ही सृष्टि का खेल चलता है। यद्यपि जीव स्वभावतः ज्ञान-मय और आनंदमय है परंतु शरीर, मन आदि के संसर्ग से इसे दुःख भोगना पड़ता है। यह संसर्ग कर्मों के परिणामस्वरूप होता है। जीव ईश्वरनिर्बन्धित होने पर भी कर्ता और फलभोक्ता है। ईश्वर में नित्य प्रेम ही भक्ति है जिससे जीव मुक्त होकर, ईश्वर के समीप स्थित होकर, आनंदभोग करता है। भौतिक जगत् ईश्वर के अधीन है और ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय में यह क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में स्थित होता है। रामानुज की तरह मध्व जीव और जगत् को ब्रह्म का शरीर नहीं मानते। ये स्वतःस्थित तत्व हैं। उनमें परस्पर भेद वास्तविक है। ईश्वर केवल इनका नियंत्रण करता है। इस दर्शन में ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण है, प्रकृति (भौतिक तत्व) उपादान कारण है।

४. द्वैताद्वैत वेदांत — निंबार्क (११ वीं शताब्दी) का दर्शन रामानुज से अत्यधिक प्रभावित है। जीव ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञान का आधार है। जीव और ज्ञान में धर्म-धर्म-भाव-संबंध अथवा भेदाभेद संबंध माना गया है। यही ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। ईश्वर जीव का नियंता, भर्ता और साक्षी है। भक्ति से ज्ञान का उदय होने पर संसार के दुःख से मुक्त जीव ईश्वर का समीप्य प्राप्त करता है। अप्राकृत भूत से ईश्वर का शरीर तथा प्राकृत भूत से जगत् का निर्माण हुआ है। काल तीसरा भूत माना गया है। ईश्वर को कृष्ण राधा के रूप में माना गया है। जीव और भूत इसी के अंग हैं। यही उपादान और निमित्त कारण है। जीव-जगत् तथा ईश्वर में भेद भी है अनेक भी है। यदि जीव-जगत् तथा ईश्वर एक होते तो ईश्वर को भी जीव की तरह कष्ट भोगना पड़ता। यदि भिन्न होते तो ईश्वर सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा कैसे कहलाता ?

५. छायाद्वैत वेदांत — बल्लभ (१४७६ ई०) के इस मत में ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है। सच्चिदानंद श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं और जीव तथा जगत् उनके अंग हैं। वही अणोरणीयान् तथा महतो महीयान् है। वह एक भी है, नाना भी है। वही अपनी इच्छा से अपने आप को जीव और जगत् के नाना रूपों में प्रगट करता है। माया उसकी शक्ति है जिसकी सहायता से वह एक से अनेक होता है। परंतु अनेक मिथ्या नहीं है। श्रीकृष्ण से जीव-जगत् की स्वभावतः उत्पत्ति होती है। इस उत्पत्ति से श्रीकृष्ण में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। जीव-जगत् तथा ईश्वर का संबंध चिनगारी अंग का संबंध है। ईश्वर के प्रति स्नेह भक्ति है। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य लेकर ईश्वर में राग लगाना जीव का कर्तव्य है। ईश्वर के अनुग्रह से ही यह भक्ति प्राप्य है, अक्त होना जीव के अपने वश में नहीं है। ईश्वर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव को (अंग) अपने भीतर ले लेते हैं या अपने पास नित्यसुख का उपभोग करने के लिये रख लेते हैं। इस भक्तिमार्ग को पुष्टिमार्ग भी कहते हैं।

६. अक्षिण्य भेदाभेद वेदांत — महाप्रभु वैतग्य (१४८६-१५३१ ई०) के इस संप्रदाय में अनंत गुणनिधान, सच्चिदानंद श्रीकृष्ण परब्रह्म माने गए हैं। ब्रह्म भेदातीत है। परंतु अपनी शक्ति

से वह जीव और जगत् के रूप में आविर्भूत होता है। ये ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न हैं। अपने आपमें वह निमित्त कारण है परंतु शक्ति से संपर्क होने के कारण वह उपादान कारण भी है। उसकी तटस्थ-शक्ति से जीवों का तथा मायाशक्ति से जगत् का निर्माण होता है। जीव अमृत और अमृत् रूप हैं। ये सूर्य की किरणों की तरह ईश्वर पर निर्भर हैं। संसार उसी का प्रकाश है अतः मिथ्या नहीं है। मोक्ष में जीव का अज्ञान नष्ट होता है पर संसार बना रहता है। सारी अभिलाषाओं को छोड़कर कृष्ण का अनुसेवन ही भक्ति है। वेद-शास्त्रानुमोदित मार्ग से ईश्वरभक्ति के अनंतर जब जीव ईश्वर के रंग में रंग जाता है तब वास्तविक भक्ति होती है जिसे रुचि या रागानुगा भक्ति कहते हैं। राधा की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। धृंदावन नाम में सर्वदा कृष्ण का आनंदपूर्ण प्रेम प्राप्त करना ही मोक्ष है।

सं० प्र०—उपनिषद्; भगवद्गीता; गौडपादकारिका; ब्रह्मसूत्र; उपनिषद्भीता और ब्रह्मसूत्र पर सांप्रदायिक भाष्य; राधाकृष्णन् : इंडियन फिलासफी, भाग १-२; दासगुप्त : हिस्ट्री ऑव इंडियन फिलासफी, भाग १-३। [ रा० च० पा० ]

**वेदांत दर्शन** (इतिहास) वैदिक वाङ्मय मंत्र और ब्राह्मण इन दो भागों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण के अंतिम भाग को भी दो भागों में बाँटकर एक को धारण्यक और सबसे अंत के भाग को उपनिषद् कहा गया है। इस तरह उपनिषद् वेदों का अंत है। वेद में प्रतिपादित यज्ञ यागादि कर्मों की दार्शनिक व्याख्या उपस्थित करनेवाले सिद्धांत ( अत ) का ( जैसे बृहदारण्यक उपनिषद् में अश्वमेध की दार्शनिक व्याख्या, छांदोग्य में मधुविद्या और सामतत्व ) इसी भाग में प्रतिपादन है। इन दो कारणों से उपनिषद् वेदांत कहलाते हैं। उपनिषदों पर आधारित सभी मत इसी नाम से जाने जाते हैं।

उपनिषद् को ज्ञानकांड कहते हैं और इनको ब्राह्मणों के कर्मकांड से भिन्न माना गया है। किसी फल को लक्ष्य कर कर्म करना सभी जानते हैं पर कर्म का जो कर्ता पर प्रभाव होता है उसका विश्लेषण दार्शनिक बुद्धि की अपेक्षा रखता है। अतः उपनिषदों में कर्म और कर्ता के संबंध, कर्ता के स्वल्प एवं कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के उपाय का वर्णन होने के कारण एक रहस्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है। यह रहस्य तब और भी बढ़ जाता है जब उपनिषद् दृश्यमान स्थूल जगत् के पीछे इसकी संचालन और नियंत्रित करने-वाली सत्ता का वर्णन करते हैं। इन बातों को समझने के लिये शिष्य को गुरु की कृपा पानी होगी। अतः वेदांत ज्ञान गुरु के पास (उप) भली भाँति (नि) बैठकर ही (सद्) मिल सकता है (उप-नि-षद्)। इस गुरु ज्ञान के बिना वेद का तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता अतः वेदांत वैदिक विद्या का सार है।

वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिये जो शास्त्र बना उसे मीमांसा कहते हैं। मीमांसा का अर्थ होता है पुनः पुनः मनन। इस शास्त्र का उद्देश्य है—वैदिक ऋषियों की व्याख्या, उनमें आपाततः प्रतीयमान विरोध का निराकरण, उनमें निहित रहस्य का उद्घाटन तथा व्याख्या के तर्कसंगत नियमों ( न्याय ) का निर्धारण। मीमांसा की यह परंपरा बहुत प्राचीन है पर उन परंपराओं का अंकगण ई० पू० ५०० से २०० के बीच किया गया। पूर्वमीमांसा

में जैमिनि ने कर्मकांड की तथा उत्तरमीमांसा में बादरायण ने उपनिषद् की मीमांसाएँ उपस्थित कीं। हमारा यहाँ उत्तरमीमांसा-परक वेदांत या ब्रह्मसूत्र से प्रयोजन है।

वेदांत सूत्र से ज्ञात होता है कि वेदांत की परंपरा बादरायण से प्राचीन थी क्योंकि इसमें ही आथमरथ्य, बादरि, काण्डकल्स, श्रीदुल्लोमि आदि प्राचीन आचार्यों के मतों का उल्लेख है। बादरायण ने 'धर्माऽतो ब्रह्मजिज्ञासा' कहकर ब्रह्म के अध्ययन को वेदांत का विषय माना। ब्रह्म के बारे में अनेक वचन उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। कभी ब्रह्म और जीव को अभिन्न माना गया, कभी उनको अत्यंत भिन्न कहा गया, कभी ब्रह्म को अक्षी और जीव को अक्ष कहा गया। इसी प्रकार ब्रह्म और जगत् में भी विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के संबंध का प्रतिपादन किया गया। यदि मीमांसा का लक्ष्य वेद की व्याख्या करना है तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि वेद का तात्पर्य एक ही मत से है—एक ही वेद विभिन्न विरोधी मतों का प्रतिपादन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखकर बादरायण ने 'समन्वय' का सिद्धांत अपनाया और परस्पर विरोधी वचनों की एक समन्वयात्मक व्याख्या उपस्थित करने का प्रयत्न किया। पर सूत्र रूप में लिखे जाने के कारण बादरायण का भी आशय स्पष्ट नहीं होता; भगवद्गीता किंचित् विस्तार में उपनिषदों का निबोड़ उपस्थित करती है पर उसमें भी स्पष्ट एकरूपता नहीं परिलक्षित होती। लेकिन उपनिषद्, वेदान्तसूत्र और भगवद्गीता ये तीन ग्रंथ वेदांत के प्रमाण हैं—इनमें अंतिम दो ग्रंथ इसीलिये प्रमाण हैं कि वे उपनिषदों (श्रुति) पर आधारित हैं। इन्हीं को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है।

**अद्वैत वेदांत**—जिस प्रकार उपनिषद्वाक्यों में समन्वय करने के लिये वेदान्तसूत्र और गीता की रचना हुई उसी प्रकार इन तीनों प्रस्थानों में एक ही दृष्टि का प्रतिपादन है, यह बतलाने के लिये विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इन तीनों की व्याख्या प्रस्तुत की। इस प्रकार वेदांत के अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ।

शंकराचार्य ने अपने मत का नाम अद्वैतवाद रखा। अद्वैतवाद के तत्व उपनिषदों में सर्वाधिक स्पष्ट रूप में मिलते हैं। शंकर के परमगुरु गौडपाद ने इसका प्रतिपादन भी अपनी कारिकाओं में किया। पर शंकर ने सर्वप्रथम एक नियोजित ढंग से ताकिक पद्धति पर इसका विवेचन किया इसलिये ये इसके प्रचारक आचार्य कहे जाते हैं।

शंकर के अनुसार सारे उपनिषद् एक अद्वितीय और निगुण सत्ता का प्रतिपादन करते हैं जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म पूर्ण है, उसकी पूर्णता इसी से हो सकती है कि वह विकाररहित और अपने से अतिरिक्त सत्ता से शून्य हो। इसलिये शंकर ने जगत् और ब्रह्म में एक विशेष प्रकार के कार्य-कारण-भाव की कल्पना की जिसे विवर्तवाद कहा है। ( इसकी चर्चा हम ऊपर बर चुके हैं। ) ब्रह्म इस विश्व का अविष्टान है पर इस कारण से ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। विश्व सर्प की तरह न तो एकदम सत्य है और न एकदम मिथ्या। यह अनिश्चनीय है। प्राणो जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहता है। उसकी

आत्मा ही इन सारी अवस्थाओं का कारण है। यदि यह आत्मा बड़ विषय से एक वन अर्धयुक्त होकर स्थित हो तो इसका कुछ चैतन्य रूप स्पष्ट हो जाएगा। तुरीय अवस्था में आत्मा विषयवासना से मूक्य हो जाती है और इसलिये उस अवस्था में परिच्छेदक के अभाव से आत्मा में भेद और भेदक गुण नहीं रह जाते। विश्व के सारे पदार्थ परिवर्तनशील होने के कारण तत्त्व नहीं हो सकते, पर चैतन्य आत्मा में परिवर्तन नहीं होता अतः अपने कुछ रूप में चैतन्य निर्गुण आत्मा ही सत्य है—उससे अतिरिक्त सब कुछ केवल धर्म की तरह व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं। यही अपरिच्छिन्न आत्मा ब्रह्म है और जो कुछ अनुसूत होता है सब इसी आत्मा में अधिष्ठित है। 'सर्वं कस्मिन् ब्रह्म वेह नानाऽस्ति किंचन' इस दर्शन का मूल वाक्य है। इस ब्रह्म में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। परिच्छिन्न होने पर ब्रह्म ही व्यक्ति या जीव कहलाता है और मुक्त होने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। तत्त्वतः सारे जीव ब्रह्म ही हैं। इस ब्रह्म का स्वरूप हमसे इसलिये छिपा है कि हम जीव अज्ञानी हैं। अज्ञान के कारण तत्त्व धाम्यत होकर अनेक प्रकार के विकल्पों की सृष्टि करता है। वह अज्ञान सारे प्राणियों में है अतः वह एक विश्वजनीन शक्ति है जिसे माया कहा गया। माया ही ब्रह्म को परिच्छिन्न सी करती है। यही विवर्त का कारण है। ब्रह्म की दृष्टि से माया का अभाव है क्योंकि ब्रह्म कुछ चैतन्य है, जीव की दृष्टि से माया सत्य है क्योंकि इसी के कारण उसकी स्थिति है। अतएव शांकर संप्रदाय के एक अंश में माया अनिबर्तनीय कही जाती है। शांकर वेदांत मायावादी कहा गया है। प्राणी का लक्ष्य है अपने ब्रह्म रूप का ज्ञान प्राप्त करना जो अंकर के अनुसार कर्म से नहीं हो सकता क्योंकि कर्म तो प्राणी को बाँधते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त वास्तव में कुछ नहीं है अतः इस दर्शन को द्वैतरहित अथवा अद्वैत कहते हैं।

**विशिष्टाद्वैत वेदांत** — इसके प्रतिष्ठापक रामानुजाचार्य हैं। इनके अनुसार निर्गुण वस्तु अस्तित्वहीन होती है। ज्ञान भी सगुण का ही होता है। अतः गुण से विशिष्ट गुणी का ही अस्तित्व और ज्ञान संभव है। इसलिये ब्रह्म सगुण है निर्गुण नहीं। ब्रह्म ही परम सत्य है। सूत (अचित्) और जीव (चित्) उसके विशेषण या अंश हैं। ये अंश परिवर्तित होते हैं पर अंजी अपरिवर्तित ही रहता है। परिवर्तन परिणामवाद कहलाता है। जैसे हूब वही में परिवर्तित होता है उसी प्रकार ब्रह्म के गुण परिवर्तित होते हैं। चित् और अचित् ब्रह्म के शरीर हैं, ब्रह्म इनकी आत्मा है। अतः ब्रह्म सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। जैसे शरीर और शरीरी एक हैं वैसे ही ब्रह्म और उसका शरीर रूपी ब्रह्मांड एक है। पर इस एकता में गुण और गुणी का भेद भी है। इसलिये इस दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहते हैं।

**द्वैत वेदांत** — इसके प्रतिष्ठापक मध्व हैं। इनके अनुसार स्वतंत्र और परतंत्र ये दो तत्त्व हैं। ईश्वर स्वतंत्र तथा जीव और प्रकृति परतंत्र तत्त्व हैं। सर्वगुणसंपन्न ब्रह्म या ईश्वर संसार का बनानेवाला है, प्रकृति उसका उपादान है। विष्णु ही ईश्वर हैं। उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी उनपर आश्रित है। पर लक्ष्मी अपने आपमें स्वतंत्र हैं। प्रकृति ईश्वर की इच्छा है और वे एक साथ रहती

हैं। ईश्वर और जीव में, ईश्वर और प्रकृति में, जीव और प्रकृति में जीव और जीव में तथा प्रकृति और प्रकृति में नित्य भेद है। प्रकृति, जीव और ईश्वर को मिलाया नहीं जा सकता। आत्मा नित्य है तथा धर्म अधर्म से धाम्यत है। मोक्ष होने पर भावरण का नाश हो जाता है और इसको पूर्ण ज्ञान तथा आनंद मिल जाते हैं। आत्मा यद्यपि ईश्वराश्रित है, तथापि यह स्वतंत्र कर्ता है। पर इसका स्वातंत्र्य सीमित है। ईश्वर इसकी क्रिया को निर्बंधित करता है। ईश्वर आत्मा में रहता है पर आत्मा के सुख दुःख का उसे ज्ञान नहीं होता। मुक्ति ईश्वर की कृपा होने पर उसकी भक्ति से ही प्राप्य है।

**द्वैताद्वैत वेदांत** के प्रतिष्ठापक निंबार्काचार्य हैं। इसके अनुसार ब्रह्म अनंत-सद्गुण-संपन्न है। वही सृष्टि, स्थिति और संहार करता है तथा पूर्ण स्वतंत्र है। ब्रह्म ही विश्व का उपादान और निमित्त कारण है। ईश्वर एक सत्य है और उसकी कुंडली जगत् है। ईश्वर और जगत् में समुद्र और लहरों की तरह भेद और अभेद दोनों हैं। जीव नित्य और ब्रह्म से भिन्न है। पर यह भेद आत्यंतिक नहीं है क्योंकि ईश्वर की कृपा से जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो जीव ब्रह्म के समान हो जाता है।

**द्वैताद्वैत वेदांत** की स्थापना वल्लभ ने की। ब्रह्म सगुण और सविशेष है। वही विश्व है। आत्मा तथा प्रकृति का स्वामी है। आत्माएँ ब्रह्म के नित्यअंश हैं। माया ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर अशरीरी है पर लीला से भक्तों के हित के लिये वह अनेक शरीर धारण कर सकता है। ब्रह्म अपने गुणों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। विश्व के सारे पदार्थ इन्हीं गुणों के आविर्भाव और तिरोभाव की अवस्था में हैं। जब ईश्वर चेतना और आनंद को छिपा लेता है तो वह विश्व हो जाता है अतः सृष्टि तिरोभाव और प्रलय आविर्भाव है। ब्रह्म विश्व का समवायी और निमित्त कारण है। जैसे भाग से चिनगारियाँ फूटती हैं वैसे ही ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं। ये जीव आध्यात्मिक अणु रूप हैं।

**अध्वैत भेदाभेद वेदांत** — चैतन्य के द्वारा प्रवर्तित इस दर्शन में ईश्वर में अध्वैत गुण और शक्तियाँ रहती हैं। वह आनंदस्वरूप और माया का स्वामी है। जीव उससे भिन्न है। संसार सत्य पर परिणामी है। ईश्वर की जीवशक्ति से जीव तथा मायाशक्ति से संसार उत्पन्न होता है। ये सारी शक्तियाँ उसी ईश्वर की हैं और ये अपनी इयत्ता में अध्वैत हैं। उस कृष्णरूपधारी ईश्वर की अनन्य सर्वांगीण उपासना से मोक्ष मिलता है।

इस प्रकार वेदांत के विभिन्न संप्रदाय पारमार्थिक सत्ता, विश्व और जीव इनके परस्पर संबंध के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हैं। ये सारे संप्रदाय अपने दृष्टिकोण से प्रस्थानत्रयी की व्याख्या करते हुए अपने मत को ही वेदांत की संज्ञा देते हैं। सभी संप्रदाय ईश्वर या ब्रह्म की स्थिति मानते हैं, धर्म के तर्क से बसवान् मानते हैं और कर्म के सिद्धांत तथा मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं।

अद्वैत को छोड़कर सारे वेदांत संप्रदाय शक्ति को मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट मार्ग मानते हैं। वेदांत के प्रायः सारे संप्रदाय अध्वैत



भारत में उत्पन्न हुए। दक्षिण भारत वैष्णव और शैव मतों का गढ़ रहा है। सामान्य जन भक्ति में ही अपने दुःखपूर्ण मन का समाधान पाते हैं इसलिये यदि वेदांत को भक्ति के साथ मिला दिया जाय तो भक्ति की महत्ता और भी बढ़ जाएगी। रामानुज, वल्लभ, मध्व और चैतन्य ने भक्ति को अपने अपने ढंग से वेदांत का प्रतिपाद्य माना और विष्णु को किसी न किसी रूप में पूजित करने का उपदेश दिया। शैवों ने अपने भक्ति के सिद्धांत को वेदांत से जोड़ने का उतना अधिक प्रयत्न नहीं किया। केवल श्रीकठ ने शैवभाष्य लिखा है जो उतना लोकप्रिय नहीं हो सका।

ज्ञानमूलक होने के कारण अद्वैत वेदांत ने विद्वानों में धादर पाया और भक्तिमूलक वेदांत संप्रदायों ने साधारण जनता में। लोगो ने वेदांत को अपने जीवन का ग्रंथ बना लिया। इसीलिये वेदांत दर्शन ही भारत में एक ऐसा दर्शन है जिसमें आज भी नए विचार और उद्भावनाएँ पैदा होती हैं। अरविद का दर्शन इसका ताजा उदाहरण है।

सं० प्र० — स० राधाकृष्णन् : इंडियन फिलासफी, द्वितीय भाग; सुरेंद्रनाथ दासगुप्त : हिस्ट्री ऑव इंडियन फिलासफी, चारो भाग; बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन; टी० एम० पी० महादेवन् : द फिलासफी ऑव अद्वैत; श्रीनिवासाचारी : द फिलासफी ऑव विशिष्टाद्वैत; नागराज चर्मा : द फिलासफी ऑव मध्व; उमेश मिश्र . निबार्क फिलासफी; बैलिवाला : फिलासफी ऑव वल्लभाचार्य; केनेडी : चैतन्य भुवमेंट। [ रा० चं० पा० ]

**वेदांत वैशिक** इनका दूसरा नाम वेंकटनाथ था। तेरहवीं शताब्दी में इनकी स्थिति मानी जाती है। रामानुज संप्रदाय तेरहवीं शताब्दी में दो गुटों में बँट गया। तेंगलाई अथवा दक्षिणी गुट के अनुसार तामिल प्रबंध को मुख्य प्रमाणग्रंथ माना जाने लगा और संस्कृत की उपेक्षा कर दी गई। इस संप्रदाय की यह भी मान्यता थी कि ईश्वर दोष का भोग करता है। दोषभोग्यता का यह सिद्धांत आगे चलकर अंतरनाक सिद्ध हुआ। इस गुट के विरोध में एक उत्तरी गुट का, जिसे वेङ्गलाई कहते हैं, विकास हुआ। वेदांत वैशिक इसी गुट के प्रतिष्ठापक आचार्य थे।

वेङ्गलाई गुट के अनुसार तामिल प्रबंध और सञ्चुत ग्रंथो को समान रूप से प्रमाण माना जाता है। इस गुट में तामिल की अपेक्षा संस्कृत को अधिक महत्व दिया गया। लक्ष्मीतत्व में इन लोगो ने शाक्त धर्म की विशेषताओं का भी समावेश किया।

वेदांत वैशिक काजीवरम् के रहनेवाले थे पर इनका अधिकार समय श्रीरंगम् में व्यतीत हुआ। अनेक विषयों पर इनकी लेखनी शक्ति। इनके मुख्य दार्शनिक ग्रंथ परमतभंग और रहस्यत्रयसार तामिल में लिखे गए। पांचरात्रज्ञा नामक ग्रंथ में इन्होंने पांचरात्र धर्म के सिद्धांतों तथा क्रियाविधि का प्रतिपादन किया। रामानुज के श्रीभाष्य तथा गीताभाष्य पर इन्होंने टीकाएँ भी लिखीं। सेश्वर श्रीमांसा नामक अपने ग्रंथ में इन्होंने प्रतिपादित किया कि पूर्वमीमांसा और वेदांत एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्वमीमांसा द्वारा प्रतिपादित कर्म ईश्वर के अनुग्रह के बिना फलदायक नहीं हो सकता। इसी प्रकार

केवल ज्ञान भी तब तक निष्फल है जब तक ईश्वर में व्यक्ति अपने को पूर्णतः समर्पित करने का कर्म — उपासना — नहीं करता। अतः ईश्वरमीमांसा अर्थात् वेदांत कर्म मीमांसा के बिना निष्फल है। शतदूषणी नामक अपने खंडन मंडनारमक संस्कृत ग्रंथ में रामानुज के मत का अनुसरण करते हुए वेदांत वैशिक ने अद्वैत वेदांत की तीव्र आलोचना की है। रामानुज के बाद उनके संप्रदाय में वेदांत वैशिक का ही नाम लिया जाता है।

सं० प्र० — वेदांत वैशिक डा० सत्यव्रत सिंह। [ रा० चं० पा० ]

**वेदांतसूत्र** प्राचीन परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लेखक बादरायण माने जाते हैं। पर इन सूत्रों में ही बादरायण का नामोल्लेख करके उनके मत का उद्धरण दिया गया है अतः कुछ लोग इसे बादरायण की कृति न मानकर किसी परवर्ती संग्राहक की कृति कहते हैं। बादरायण और व्यास को कभी कभी एक माना जाता है। जैमिनि ने अपने पूर्वमीमांसासूत्र में बादरायण का तथा बादरायण ने वेदांतसूत्रों में जैमिनि का उल्लेख किया है। यदि बादरायण और व्यास एक ही हैं तो महाभारत की परंपरा के अनुसार जैमिनि व्यास के शिष्य थे। और गुरु अपनी कृति में शिष्य के मत का उल्लेख करे, यह विचित्र सा लगता है।

इन सूत्रों में साख्य, वैशेषिक, जैन और बौद्ध मतों की ओर संकेत मिलता है। गीता की ओर भी इशारा किया गया है। इन सूत्रों में बहुत से ऐसे आचार्यों और उनके मत का उल्लेख है जो श्रौत सूत्रों में भी उल्लिखित हैं। गरुडपुराण, पद्मपुराण और मनुस्मृति वेदांत सूत्रों की चर्चा करते हैं। हापकिस के अनुसार हरिवंश का रचनाकाल ईसा की दूसरी शताब्दी है और इससे स्पष्ट रूप से वेदांतसूत्र का उल्लेख है। बीच के अनुसार यह रचना २०० ई० के बाद की नहीं होगी, जाकोबी इसे २०० से ४५० ई० के बीच का मानते हैं। मैक्समूलर इसे भगवद्गीता के पहले की रचना मानते हैं क्योंकि उसमें ब्रह्मसूत्र शब्द आया है जो वेदांतसूत्र का पर्यायवाची है। भारतीय विद्वान् इसका रचनाकाल ई० पू० ५०० से २०० के बीच मानते हैं।

जिस प्रकार मीमांसासूत्र में वेद के कर्मकांड भाग की व्याख्या प्रस्तुत की गई है उसी तरह चार अध्यायों में विभाजित लगभग ५०० वेदांतसूत्रों में वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग अर्थात् उपनिषदों की व्याख्या दी गई है। उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धांत इतने परस्पर विरोधी तथा बिखरे हुए हैं कि उनसे एक प्रकार का दार्शनिक मत निकालना कठिन है। वेदांत सूत्र 'समन्वय' के सिद्धांत का सहारा लेकर उपनिषदों में एक दार्शनिक दृष्टि का प्रतिपादन करता है। पर ये सूत्र स्वयं इतने संक्षिप्त हैं कि बिना व्याख्या के सहारे उनसे अर्थ निकालना कठिन है। इनकी संक्षिप्तता के कारण इनपर कई व्याख्याएँ लिखी गईं जो परस्पर विरोधी दृष्टि से वेदांत का प्रतिपादन करती हैं। वेदांत के सभी प्रस्थान इन सूत्रों को अपना प्रमाण मानते हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण इन सूत्रों को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। [ रा० चं० पा० ]

**वेदी** वैदिक एवं स्मार्त कर्म के लिये वेदी या वेदि का निर्माण अत्यावश्यक है। कर्मकांडीय अनुष्ठान के लिये एक निश्चित परिमाण की माद्वानुसार परिष्कृत भूमि वेदी कहलाती है। इस वेदी में यज्ञ-

पार्श्वों का स्थापन, यज्ञपशु का बंधन एवं अन्त्याम्य याज्ञिक कर्म प्रामुख्य होते हैं।

श्रौत परंपरा में वेदी के विषय में अनेक विविध तथ्य मिलते हैं। यथा स्पय ( अङ्गाकृति अस्त्र जो अद्विज वृक्ष से बनाया जाता है, जिसका प्रमाण १ अरस्त्रि = २४ अंगुल है; १ अंगुल =  $\frac{1}{4}$  इंच ) से अग्नि खोदने, तृण को हटाने और शुद्ध पाशु लाकर वेदी का निर्माण करने का निर्देश है।

वेदी अनेक आकृतियों की होती है। अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास के लिये एक ही वेदी बनाई जाती है, जबकि चातुर्मास यज्ञांतर्गत वसुप्रवास में दो वेदियाँ होती हैं। यज्ञकर्मानुसार वेदी का स्थापन विशिष्ट होता है, यथा — आह्वनीय अग्नि के पूर्व में, निरुद्ध पशु-बंध यज्ञ की वेदी बनाई जाती है, जबकि दर्शपूर्णमास में अग्नि के पश्चिम में। वेदी का परिमाण भी यज्ञकर्म के भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। एक ही यज्ञ की वेदियाँ विभिन्न श्रौतसूत्रों के अनुसार कुछ विभिन्न रूपों से बनाई जाती हैं। आपस्तंबानुसारी जहाँ वेदी को गार्हपत्याग्नि से कुछ दूर बनाते हैं, वहीं सत्याषाढानुसारी वेदी को अग्नि के पास ही बनाते हैं। [ रा० सं० अ० ]

**वेधन ( Boring )** किसी भी वस्तु या जगह पर यंत्रों द्वारा छेद करने की क्रिया को कहते हैं। कारखानों की यंत्रशाला ( machine shop ) में यंत्र के कलपुजों के निर्माण के लिये लोहा, पीतल आदि में छेद करने की कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये वेधन अपनाया जाता है। वेधन का उपयोग भूविज्ञानियों द्वारा अधिक होता है। वे लोग इस क्रिया का प्रयोग भू विज्ञानिक एवं अन्य वैज्ञानिक खोजों के लिये करते हैं। किसी नई जगह में जमीन के नीचे खनिज पदार्थ के भंडार का पता वेधन द्वारा चल सकता है। सिविल इंजीनियरों को भी वेधन का प्रयोग करना पड़ता है। किसी विशाल मकान को बनाने के पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस जमीन पर मकान बनाना है उसकी सतह के नीचे कितनी दूरी पर पत्थर का स्तर है। यही नहीं, ऊपरी जमीन की सतह और नीचे पत्थर के स्तर के बीच की मिट्टी का विश्लेषण करना भी आवश्यक हो जाता है। अतः यह देखा जाता है कि वेधन यांत्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, खनिज इंजीनियर एवं भूविज्ञानियों के लिये उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है।

कोयला, लोहा आदि की खानों में भी, जिनसे खनिज पदार्थ निकाला जा रहा हो, वेधन उपयोगी है, क्योंकि यह जानना आवश्यक होता है कि जिस जगह से खनिज निकल रहे हैं, उसके आगे भी खनिज का भंडार है, या नहीं। खानों में कभी कभी संकट-ग्रस्त स्थान भी सामने आ जाता है, जिससे उन खानों में कार्य करने-वाले श्रमिकों की मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह के स्थानों का पता वेधन द्वारा पहले ही कर लिया जाता है, ताकि दुःखद घटनाएँ न घटें।


पेट्रोलियम आदि खनिज तेलों के भंडार का पता वेधन द्वारा रिकमा जाता है एवं इसी क्रिया की सहायता से खनिज तेल खान से बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद परिष्करण इत्यादि के लिये

यह दूसरी जगह भेज दिया जाता है। कभी कभी जमीन की सतह के नीचे तैला तमक मिलता है। इसको निकालने के लिये वेधन द्वारा छेद बना लिया जाता है। उन छेदों के द्वारा ऊपर से पानी डाला जाता है। उसके बाद लवणजल ( brine ) को पंप द्वारा ऊपर निकाला जाता है।

**वेधन के साधन**

घट्टानों में वेधन करने के लिये बहुत से साधन अपनाए जाते हैं, जिनमें ये मुख्य हैं :


( क ) हीरा ड्रिल ( Diamond Drill ) — सभी तरीकों में यह सर्वोत्कृष्ट है। इसकी सहायता से किसी भी कोण पर छेद किया जा सकता है। प्रायः तिरछे छेदों के लिये इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य तरीकों से सिर्फ सीधा छेद ही हो सकता है। इसके द्वारा वलयकार ( annular ) छेद बनता है, जिसके कोर ( core ) से छेद की गई जमीन के नीचे की सारी बनावटें मासुम हो जाती हैं। इससे प्रत्येक स्तर ( stratum ) की मोटाई, सतह से उसकी दूरी एवं और अन्य बातें जानी जा सकती हैं। इस उपकरण में पंप द्वारा जुड़ी हुई बहुत सी खोखली छड़ों की एक पंक्ति सी होती है। इसके निचले हिस्से में वलयकार मुनायम इस्पात का एक बरमा ( bit ) लगा रहता है



चित्र १. हीरा अदित इस्पात का बरमा

( देखें चित्र १. ), जिसमें आकार के अनुसार आठ या अधिक, १ से ३ केरट ( carat ) के, हीरे सावधानी से लगाए जाते हैं। ये हीरे कुछ बाहर निकले रहते हैं। कार्य करते समय बीच बीच में बरमे की जाँच कर ली जाती है, ताकि जैसे ही हीरा कुछ बिस जाय, उसे पूर्ववत् कर दिया जाय। जमीन की सतह पर एक छोटे इंजन की सहायता से छड़ों को जोर से घुमाया जाता है। ज्यों ज्यों छेद गहरा होता जाता है, त्यों त्यों छड़े नीचे चलती जाती हैं। इंजन की गति सतह के नीचेवाली घट्टान और बरमे के ब्यास पर निर्भर करती है। वेधन के समय एक पंप की सहायता से जल इन खोखली छड़ों में डाला जाता है, जो छेद की दीवारों और छड़ों के बीच की सतह द्वारा वापस लौट आता है। इससे कटी हुई वस्तुएँ सतह पर लाई जाती हैं।

( ख ) ड्रप द्वारा बँधा हुआ पात ड्रिल ( Drop Drill ) —



चित्र २. पात ड्रिल का बरमा बरमे की अग्नी, काटनेवाला प्रोजार तथा दंड। यह उपकरण बहुत दिनों से वेधन के लिये प्रयुक्त किया जा रहा


है। पहले यह बहुत गहरे वेधन के काम में लाया जाता था, किंतु आजकल यह ३०० फुट से अधिक की गहराई के लिये शायद ही व्यवहृत होता है। कम गहरे छेद के लिये इस उपकरण को हाथ से ही चलाया जाता है। अधिक लोग बरमे को घुमाने के लिये उसके चारों ओर बसते हैं और त्रिल को कभी ऊपर उठाते हैं, तो कभी नीचे की ओर से जाते हैं। इसी प्रकार वेधन संपन्न होता है।

( ग ) रस्ती द्वारा बंधा हुआ पात उपकरण (Drop tool) — छद्म द्वारा बंधे हुए उपकरण और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि इसमें छद्म के बदले रस्ती बंधी रहती है। इस तरीके से समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें छद्म को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है और इसमें छेद करते समय रस्ती की सहायता से उपकरण को बहुत तीव्र गति से ऊपर नीचे किया जाता है।

मुनायम मिट्टी में वेधन निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जाता है :

( क ) चालक नल ( Drive Pipes ) — इसका व्यवहार चट्टानों के ऊपर लगी हुई मुनायम मिट्टी की गहराई एवं गुण जांचने के लिये होता है। साधारणतः यह दोनों सिरे पर खुला हुआ पिटवे लोहे का नल है। छोटे आकार के वेधन के लिये नल हथौड़े की सहायता से मिट्टी में गाड़ा जाता है। बड़े एवं गहरे छेद के लिये एक हलके स्वरूप चालक ( pile driver ) की आवश्यकता पड़ती है। नल का निचला हिस्सा वल्लभाकार होता है और ऊपर का हिस्सा कुछ चिपटा होता है, ताकि उसपर हथौड़े की चोट पड़ सके।

( ख ) भूमि बरमा ( Earth Auger ) — यह उपकरण एक छद्म के एक सिरे पर लगाया रहता है (चित्र ३.)। छेद की गहराई के साथ ही साथ छद्म की लंबाई भी बढ़ानी पड़ती है। छद्म के दूसरे सिरे पर कुछ क्षैतिज उत्तोलक ( levers ) लगे होते हैं, जिनकी



चित्र ३ बरमे का फल दो प्रकार के फल : एक टढ़ ढाँचे का तथा दूसरा कब्जेदार।

सहायता से बरमे को घुमाया जाता है। छोटे आकार के छेद के लिये इसे हाथ से ही घुमा लिया जाता है, किंतु बड़े आकार के छिद्र के लिये कुछ यांत्रिक साधन व्यवहार में लाए जाते हैं। इस उपकरण के द्वारा वेधन लगातार नहीं हो पाता है, क्योंकि बरमे को कुछ घुमाने के बाद ऊपर किया जाता है और उसमें अटकती हुई मिट्टी साफ कर दी जाती है।

आज के युग में वेधन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रक्रिया है।

[ खं० भू० मि० ]

वेधशाला ऐसी एक या एकाधिक बेलनाकार संरचनाओं को प्राथमिक वेधशाला कहते हैं जिनके ऊपरी सिरे पर पूर्णमान अर्धगोल गुंबद स्थित होता है। गुंबद में किरी, जो लुंठन गोपक से निरावृत हो सकती है, क्षैतिज तल से निरोबिंदु तक फैली होती है। इन संरचनाओं में आवश्यकतानुसार अपवर्तक या परावर्तक दूरदर्शक रहता

है। दूरदर्शक वस्तुतः वेधशाला की छाँट होता है। खगोलीय पिंडों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये छाँटके एकत्रित करके उनका अध्ययन और विश्लेषण करने में इनका उपयोग होता है। कई वेधशालाएँ ऋतु की पूर्व सूचनाएँ भी देती हैं। कुछ वेधशालाओं में भूकंपविज्ञान और पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में भी कार्य होता है।

अनादि काल से ही मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के उदय और आकाश में उनकी तथा तारों की आभासी रात्रिगत आदि आकाशीय घटनाओं पर आश्चर्य करता रहा है। इन गतियों से मानव ने धीरे धीरे विभिन्न ऋतुओं का ज्ञान प्राप्त किया। चंद्रमा की कलाओं, सूर्य की स्थिति में क्रमिक विचलन, विशिष्ट तारों के उदय, सूर्य की ऊँचाई और उसके उदित तथा अस्त होने के स्थान में परिवर्तन को भी प्रेक्षित किया गया। इन प्रेक्षणों के आधार पर पंचांग तैयार किए गए। निरीक्षणों के आधार पर ग्रहणों की आवधिकता ज्ञात की गई। उदाहरण के लिये, कालदियन ( Chaldeans ) लोगों ने ७०० ई० पू० ही चांद्रचक्र ( saros cycle ) का अध्ययन किया था।

ये निरीक्षण केवल छाँटों से ही नहीं किए जाते थे। शंकु ( gnomon ), या आदिम घूप षड़ी, वो हम आदिम वेधशाला का प्राथ उपकरण कह सकते हैं। मिस्रवासियों का साहल, जिसे मेरखेट ( Merkhēt ) कहते थे, दूसरा प्राथ ज्योतिष उपकरण था। प्राचीन ज्योतिष उपकरणों में मिस्री कलाइप्सीड्रा ( Egyptian clypsedra ), घटीयंत्र ( hour clock ), रेतघड़ी आदि प्रमुख हैं। नॉक्टर्नल ( Nocturnals ) और ऐस्ट्रोलेब ( Astrolabe, एक या अधिक चल भागोवाली घुसीय चकती ) वेधयंत्रों की सहायता से खगोलीय पिंडों की स्थिति ज्ञात की जाती थी। इन उपकरणों का उपयोग ई० पू० तीसरी शती में होता था।

अनेक प्राचीन पुरातात्विक स्मारकों का खगोलीय महत्व है। लगभग ५,००० वर्ष पूर्व निर्मित मिस्र के पिरामिड निश्चित तारों के निर्देश में अनुस्थापित हैं। इंग्लैंड में स्टोनेहेज में १८०० ई० पू० निर्मित प्रस्तरस्तंभ सूर्य की दिशा के निर्देश में अनुस्थापित है। चीनी सम्राट् होंग-टी ( Hoang-Ti ) ने ४,५०० वर्ष पूर्व खगोलीय पिंडों की गति के अध्ययनाय वेधशाला का निर्माण कराया था। ग्रीक ज्योतिषविद, हिपार्कस ( Hipparchus ), ने १५० ई० पू० अंशान्वित विशाल बुल्लो के प्रयोग से आकाशीय पिंडों की स्थिति के अध्ययन के लिये रोडस ( Rhodes ) द्वीप पर आर्मिली ( Armillae ), प्लिथ ( Plinth ), डायोप्टर ( Diopter ) आदि अनेक साधन निर्मित किए।

नवीं शती में बगदाद में खलीफा-अल-मामूँ और १३वीं शती में ईरान के मरागा में चंगेज खाँ के पौत्र हलाकू खाँ ने विशाल वेधशालाओं का निर्माण कराया। समरकंद के उलूग बेग ने १४२० ई० के लगभग विशाल दीवार, क्वाद्रांत, वाली वेधशाला बनवाई। जर्मनी में कैसेल ( Kassel ) में १५६१ ई० में पूर्णमान छत और समयांकन षड़ी युक्त वेधशाला पहली बार स्थापित हुई। कुछ समय बाद की वेधशालाओं में डेनमार्क के नरेश, फ्रेडरिक द्वितीय, के संरक्षण में स्थापित कोपेनहेगेन से लगभग १४ मील

दूर ज़ीन ( Hveen ) द्वीप पर टाइको-ब्राहे ( Tycho Brahe ) की वेधशाला उल्लेखनीय है । इसके निर्माण का आरंभ १५७६ ई० में हुआ और इसका नाम उराणीबोर्ग ( धाकाश दुर्ग ) रखा गया । टाइको और उसके शिष्यों ने २१ वर्षों तक जगोपीय पिण्डों के निर्देशांक ( उन्नतांश, दिग्गंश, विषुवदंश और क्रांति ) संबंधी व्यापक प्रयोग किए । धाकाश दुर्ग में सेंट जर्नेबोर्ग ( St. Jernesborg, सारा दुर्ग ), नामक दूसरी संरचना जोड़ी गई । इन वेधशालाओं में दूरदर्शी नहीं थे, किंतु विषुवतीय धारोपण ( equatorial mounting ) का महत्व समझा जा रहा था । उपकरण धातु और लकड़ी के होते थे । १६०६ ई० में गैलीलियो ने आधुनिक ज्योतिष के मौलिक उपकरण, दूरदर्शक, का आविष्कार किया । लाइबेन में १६३२ ई० में प्रकाशीय उपकरणों से युक्त सर्व-प्रथम वेधशाला बनी । १६६७-१६७१ ई० में पेरिस में मैसनल ऑब्ज़र्वेटरी बनी और १६७५ ई० में ग्रीनिच में रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी स्थापित हुई, जिसका प्रथम राजज्योतिर्विद् फ्लैमस्टीड ( Flamsteed ) था । हेवीलियस ( Hevelius ) नामक ज्योतिर्विद् ने १६१४ ई० में एक निजी वेधशाला बनवाई । हेवीलियस ने भिन्न तरंगदैर्घ्य की किरणों को एक समतल में फोकस करने के लिये १०० फुट फोकस दूरी के लेंस से युक्त शक्तिशाली दूरदर्शक बनवाया ।

आधुनिक वेधशालाओं के संबंध में कुछ कहने के पूर्व जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाओं का उल्लेख आवश्यक है । ये वेधशालाएँ दिल्ली, जयपुर, वाराणसी और मयुरा में हैं । दिल्ली की वेधशाला १७१० ई० में बनी और इसके पाठ्याकों की जाँच के लिये बाद में दूसरे स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण हुआ । इन वेधशालाओं में उन्नतांश, दिग्गंश, विषुव-दंश, क्रांति, घटी-कोण आदि मापने के ज्योतिष उपकरण पत्थर, लौ आदि से बने हैं । दिल्ली की वेधशाला के उपकरण समर्थयंत्र, रामयंत्र, जयप्रकाशयंत्र और मिश्रयंत्र हैं । निम्न यंत्रचक्र से, जो मिश्रयंत्र का एक भाग है, चाँद का समय निकाला जा सकता है । ऐसी चार और वेधशालाएँ जापान के नोट्के ( Notke ), प्रसांत के सरित्चेन ( Saritchen ), ज्यूरिख और ग्रीनिच में हैं ।


आधुनिक वेधशालाओं के संस्थापन और विकास प्रकाशीय काँच उद्योग की प्रगति के साथ साथ चलते हैं । १७वीं शती के दूरदर्शक वर्तुविपथन आदि अनेक कारणों से भी संतोषप्रद नहीं थे । क्राउन और फ्लैट काँच के संयोजन से अवर्णक अभिदृश्यक ( objective ) बनने पर बड़े द्वारक और कम फोकस दूरी के लेंस बनने लगे । १८२५ ई० में रूस में स्थापित डॉरपेट ( Dorpat ) वेधशाला में दूरदर्शक का अभिदृश्यक फ्रॉनहोफर द्वारा घिसा हुआ तथा ६ $\frac{1}{2}$  इंच व्यास का था । १८३६ ई० में स्थापित रूस की पुलकोवा राज्य वेधशाला, यद्यपि उपकरणों से सुसज्जित, उन दिनों की एक सर्वश्रेष्ठ वेधशाला थी, जिसके अपवर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक १५ इंच से अधिक व्यास का था । इस वेधशाला के पहले निदेशक विल्हेल्म स्ट्रुवे ( Wilhelm Struve ) थे, जो इसी नाम के अनेक ज्योतिर्विदों के बंश के प्रधान पुरुष हैं । यह वेधशाला द्वितीय विश्वयुद्ध में सेनिन-

ग्राह के घेरे में नष्ट हो गई और रूस की विनाश प्रकाशनी के केंद्रीय वेधशाला के रूप में १९५४ ई० में नए सिरे से बनका तैयार हुई ।

अभिदृश्यक के द्वारक को बढ़ाने की चेष्टा बहुत दिनों से चल रही थी । १८६७ ई० में ऐलवान क्लार्क ( Alvan Clark ) ने अमरीक की यक्स वेधशाला के लिये सबसे बड़ा अभिदृश्यक लेंस ४० इंच व्यास का बनाया । इस दूरदर्शक में प्रकाश एकत्र करने की शक्ति मानव नेत्रों से १४,००० गुनी थी । इससे बड़े अपवर्तक दूरदर्शक के कभी बनने की संभावना नहीं प्रतीत होता है । यद्यपि घिसाई और पालिश की समुन्नत तकनीकी प्रविधियों के होते हुए भी अभिदृश्यक को वर्तुविपथन के कारण एक निश्चित सीमा तक रखा जा सकता है । व्यास की वृद्धि से लेंस की मोटाई बढ़ती है । इससे लेंस की प्रकाश एकत्र करने की शक्ति की आनुपातिक वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इन्हीं दिनों लेंस तंत्र के स्थान पर परावर्ती दर्पण से दूरदर्शक बनाने की चेष्टा हो रही थी । न्यूटन ने १६८८ ई० में इस प्रकार का पहला दूरदर्शक बनाया था । विलियम हर्शेल की प्रसिद्ध वेधशाला में ४० फुट लंबा और ४८ इंच द्वारक का परावर्तक था । रॉस ( Rosse ) के भ्रलं विलियम पांसंस ने १८४५ ई० में ७२ इंच व्यास और ५२ फुट फोकस दूरी के दर्पण से परावर्तक बनाया । ये परावर्तक दर्पण स्पेकुलम धातु ( Speculum metal ) के बने थे । रजत लेप के महीन फ़िल्म युक्त काँच के परबलयिक दर्पण के प्रयोग का आरंभ २०वीं शती में हुआ । बाद में ऐसे लेप के स्थान पर उच्च निर्वात में सतह का ऐलुमिनीकरण होने लगा । इस तकनीक के विकास के फलस्वरूप अमरीका के कैलि'निया राज्य में, माउंट विलियम वेधशाला में १९१७ ई० में लगाए गए, १०० इंच परावर्तक के निर्माण में सफलता मिली । इस दूरदर्शक का नाम हुकर दूरदर्शक है, जो प्रकाश एकत्र करने में मनुष्य को धीसों से ६०,००० गुना सशक्त है । कैलिफ़ोर्निया के माउंट पैलोमार वेध-शाला में लगाए गए २०० इंच व्यासवाले हेल परावर्तक ( Hale reflector ) का २० वर्षों के प्रयास के बाद १९४८ ई० में निर्माण हुआ । ६२,५०,००० डॉलर की लागत से निर्मित इस दूरदर्शक का साज सहित भार ५०० टन है और केवल दर्पण का भार १४ $\frac{1}{2}$  टन है । इस दूरदर्शक में प्रकाश एकत्र करने की शक्ति मानव नेत्रों से ३,६०,००० गुना अधिक है और इससे अंतरिक्ष में १० अरब प्रकाशवर्ष की दूरी तक देखा जा सकता है । दूरदर्शक के दर्पण का प्रधान फोकस ५४ फुट तथा केंद्र में स्थित ४० इंच व्यास के छिद्र के कारण कैसीग्रैनीय फोकस ( Cassegrain focus ) २६३ फुट और कूडे' फोकस ( coude' focus ) ४९२ फुट है ।

इन परावर्तकों में प्रकाश धरा पर प्रतिबिंब तीक्ष्ण बनता है, किंतु कुछ दूर के बिन्दुओं पर वह पुँबला होता है, जिससे उपयोग्य क्षेत्र कम हो जाता है और घटकर कभी कभी आधा अर्ध का रह जाता है । इस गंभीर बाधा का निराकरण शिमिट ( Schmidt ) द्वारा १९३० ई० में हुआ, जब उन्होंने मोलीय ध्रुवतल दर्पण के साथ साथ एक जटिल किस्म के संशोधनपट्ट का व्यवहार किया । ऐसे उपकरण से १० अंश तक के आकाशीय क्षेत्र का फोटोग्राफ लिया जा सकता है । ऐसा शिमिट दूरदर्शक माउंट पैलोमार में है, जिसका दर्पण ७२

## वेपशाला ( पृष्ठ १५९-१६१ )



कोरैकानख वेपशाला का व्यापक दृश्य  
बाएँ : ८ इंच का अपवर्तक दूरदर्शी; दाहिने : ६ इंच का अपवर्तक दूरदर्शी तथा अपभूमि में मौसम संबंधी यंत्र और  
वर्कशॉप की इमारत ।



प्राचीन वेपशाला, पार


भारतीय वैज्ञानिक

( देखें पृष्ठ १३१ )



डा० मोहनलाल चट्टोपाध्याय ( सन् १८६१-१९६२ )

( देखें पृष्ठ १८१ )



प्रो० शिवराम करप ( सन् १८८२-१९३४ )

ईश व्यास का धीर संशोधनपट्ट ४८ ईश द्वारक का है। ३० करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तक के तारों को प्रकित करने में सक्षम इस दूरदर्शी से सात वर्षों में पैलोमार से दिखाई पड़नेवाले आकाश के ३ भाग का मानचित्र बनाया जा चुका है।

कुछ विशिष्ट वेधशाखाओं में प्रकाशीय दूरदर्शक रूपी ज्योतिष-नेत्रों से खगोलीय पिंडों की प्रकाशतरंगों के अध्ययन के स्थान पर रेडियो दूरदर्शक से उनकी रेडियो तरंगों का प्रकन धीर अध्ययन किया जाता है। रेडियो दूरदर्शक पर धूल, धुंध, वर्षा, मेघ, दिन और रात का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु रेडियो तरंग प्रेषित न करने-वाले खगोलीय पिंडों के संबंध में इनसे कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। इंग्लैंड में मैनचेस्टर के निकट जॉन्डेल तट पर पुरांतः वहनीय (steerable), विशाल रेडियो दूरदर्शक है, जिसका रेडियो तरंग एकत्र करने का २५० फुट व्यास का कुंड परावर्तक (bowl reflector) है। यह रेडियो तरंगों को फोकस पर स्थित ऐंटेना पर एकत्र करता है। इससे बड़ा धीर हाल ही का बना रेडियो दूरदर्शक पश्चिमी बर्जीनिया (संयुक्त राज्य, अमरीका) में है, जिसका कुंड ६०० फुट व्यास का है। रेडियो दूरदर्शक का एक विशिष्ट उपयोग कृत्रिम उपग्रहों से संकेत प्राप्त करके, उनके प्रक्षेपक की लीक पकड़ना है। घूर्णमान गुंबदवाली परंपरागत वेधशाखाओं के विपरीत, ये विशाल दूरदर्शक खुले मैदान में बिठाए जाते हैं तथा इनका नियंत्रण दूरस्थ कक्ष से होता है।

समस्त संसार में कैसी ज्योतिष वेधशाखाओं के उद्देश्य धीर कार्य बहुविध हैं। संयुक्त राज्य, अमरीका, की नौसैनिक वेधशाखा धीर धीनिच वेधशाखा आदि, राष्ट्रीय वेधशाखाओं में सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा आदि के निर्वेद्यों का अर्थार्थ विचारण, पंचांग निर्माण, मानक समय संकेतों का पारेषण, अन्नदास विचारण आदि कार्य होते हैं। कुछ वेधशाखाएँ उपगूहन (occultations), ग्रहण, सौर प्रज्वालामो (solar flares), अंतरमापन आदि के अध्ययन का कार्य सहकारी आधार पर करती हैं। वेधशाखाओं में खगोल यांत्रिकी आदि विषयों पर भौतिक अनुसंधान कार्य भी होता है, जिसमें युग्मक तंत्र, तारों का वर्णक्रमीय वर्गीकरण, खगोलीय पिंडों का त्रैज्य वेग, फोटो वैद्युतिक फोटोमिति, प्रतिरिक्त आकाशगंगीय भीहारिकाएँ, तारों की आंतरिक रचना आदि का अध्ययन समाविष्ट है।

वेधशाखाएँ ऐसे स्थानों पर स्थापित की जाती हैं, जहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है और मेघ, धुंध, धूल से रहित दिनों की संख्या अधिक से अधिक होती है। संभव होने पर पहाड़ की चोटी या शैल आधार पर वेधशाखा का निर्माण होता है। वेधशाखा से संबद्ध फोटोग्राफी कक्ष धीर वर्णक्रमीय प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। कुछ वेधशाखाएँ ज्योतिषविज्ञान की नई खोजों का समाचार प्रसारित करती हैं। सौर वर्णक्रम, कॉस्मिक विकिरण आदि के अध्ययन के लिये अंतरिक्ष वेधशाखा स्थापित करने के अनेक प्रयत्न चल रहे हैं।

भारत की वेधशाखाओं में दक्षिण भारत में कोडाइकनाल की ११-२१

खगोल-भौतिकीय वेधशाखा विख्यात है। विगत ६० वर्षों से अधिक के सूर्य के दैनिक अभिलेख वहाँ प्राप्त हैं। वहाँ की वेधशाखा उन वेधशाखा शृंखलाओं में से एक है, जहाँ शुद्ध आकृति पर रेडियो पारेषण के लिये सौर प्रखुब्धता का अध्ययन होता है। उत्तर प्रदेश राज्य की नैनीताल स्थित वेधशाखा में चरकाति तारों का अध्ययन होता है। हैदराबाद की निजामिया वेधशाखा में तारों के त्रैज्य वेग संबंधी मापन किए जाते हैं। भारत सर्वेक्षण से संबंधित तीन अन्य वेधशाखाओं में प्रकाश धीर भोगाश का निर्धारण होता है। [ रा० सु० ]

**वेनिज़्वीला (Venezuela)** गणतंत्र, स्थिति ०° ४५' से १२° १२' उ० अ० तथा ५६° ४५' से ७३° ०६' प० दे०। यह दक्षिणी अमरीका में कैरिबीएन सागर के तट पर एक गणराज्य है। इसका क्षेत्रफल ६,१२,०५० वर्ग किमी० है। अतः यह ब्रिटेन का लगभग चार गुना है। यहाँ की जनसंख्या लगभग ४४,२६,७६६ है। इसमें भारतीय, नीग्रो तथा यूरोपवासी सभी लोग पर्याप्त संख्या में हैं। पेट्रोल तथा लोह धातु जैसे प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के बल पर यह देश २०वीं शताब्दी में काफी धनी हो गया, किंतु इस संपन्नता का फायदा देने गिने लोगों ने ही उठाया है।

वेनिज़्वीला का अर्थ है लिटिल वेनिस (Little Venice)। यह नाम १४६६ ई० में अलान्सो डे ओजेदा (Alonso de Ojeda) ने, जो १४६६ ई० में वेनिज़्वीला की खाड़ी से पहुँचा था, रखा था। वेनिज़्वीला के उत्तर में कैरिबीएन सागर, दक्षिण में ब्राज़िल, पश्चिम में कोलंबिया तथा पूरब में ब्रिटिश गिआना है। इसकी चार भौगोलिक प्रदेशों में बाँट सकते हैं :

उत्तर-पश्चिम में मैराकाइबो की नीची भूमि चारों ओर पर्वत श्रेणियों से घिरी है। इस प्रदेश में १९,१२८ वर्ग किमी० में विस्तृत मैराकाइबो झील काफी महत्वपूर्ण है। इस झील के किनारे इल-दल मिलते हैं।

उत्तरी पठार के चार विभाग हैं। पठार के दक्षिणपश्चिमी हिस्से में सिएरा नेवैदा ये। मेरीबा श्रेणी के अंतर्गत वेनिज़्वीला की सभी ऊँची चोटियाँ मिलती हैं। यह पर्वत श्रेणी मैराकाइबो झील के दक्षिणी कोलंबिया से आरंभ होकर, दक्षिण-पूर्व दिशा में कैरिबीएन सागर तक जाती है। इसके उत्तर में सेगोबिया पठार में छोटे छोटे पहाड़ हैं। प्यूरटो काबेलो तथा कैप काडेरा नहरों के बीच दो समांतर श्रेणियाँ कैरिबीएन सागर के किनारे किनारे चलती हैं। इन दोनों में समुद्रतटीय श्रेणी (coastal range) अधिक ऊँची है तथा उसकी लड़ी ढाल समुद्र की ओर है। इन श्रेणियों के बीच मध्य का पठार है, जिसमें उपजाऊ चोटियाँ भी हैं। यह भाग वेनिज़्वीला के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यों का प्रधान क्षेत्र है। अरया तथा पारिया प्रायद्वीपों के पठारी भाग में भी छोटे छोटे पर्वत हैं।

ओरिनिको का मैदान ३,०७,२०० वर्ग किमी० में फैला है। यह विस्तृत समतल क्षेत्र उत्तरी पठार तथा ओरिनिको नदी के बीच है। विशाल ओरिनिको नदी दक्षिणी वेनिज़्वीला से निकलकर २,७९०

किमी० तक बहने के पश्चात् कई खाखाओं में बँटकर एड्रैटिक महासागर में गिरती है। इसके मैदान से होकर इसकी कई सहायक नदियाँ बहती हैं।

ओरिनिको के दक्षिण में गिब्राल्टा पठार है, जिसके अंतर्गत वेनिश्वीली का भाषा भाग आता है। इस प्रदेश में पठारों के ऊपर ऊँचे समतल ढोटीवाले पहाड़ (Mesas) मिलते हैं। पठार के उत्तरी-पूर्वी भाग में संसार का सबसे ऊँचा जलप्रपात एंजिल (Angel falls) मिलता है, जिसकी ऊँचाई ९७९ मीटर है।

फैरिबीएन सागर में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जो वेनिश्वीली के अंतर्गत हैं। इनमें मार्गारिटा सबसे बड़ा है।

जलवायु में ऊँचाई के अनुसार विभिन्नता मिलती है। समुद्रतट पर क्रमशः तथा पहाड़ों पर डिस्ट्रोफेवाली ठंडक पड़ती है। मैराकाइबो क्षेत्र में ताप सबसे ऊँचा रहता है। यहाँ शून्यतम ताप लगभग २६° से० है। कारैकास नहर के आसपास औसत ताप लगभग २०° से० रहता है तथा हुमेला असंत शत्रु बनी रहती है। ओरिनिको के मैदान में दिसंबर से अप्रैल तक शुष्क मौसम रहता है तथा मई से नवंबर तक वर्षा होती है।

वेनिश्वीली में पेट्रोलियम, सोना, लौह धातु, मैंगनीज, ताँबा, फोस्फोर, एस्फाल्ट, हीरा तथा नमक का प्रचुर भंडार है। इनमें पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक देशों में इसका दूसरा स्थान है। यहाँ प्रति दिन तेल का उत्पादन लगभग ३०,००,००० बैरेल है। ७० प्रति शत तेल मैराकाइबो क्षेत्र से निकलता है। वेनिश्वीली के तेल से संसार के तेल की माँग का दसवाँ हिस्सा पूरा होता है। एल पाओ पर्वत से लोहा निकाला जाता है। यहाँ अनुमानतः ७,००,००,००० टन उच्च कोटि का लौह भंडार है। सेरो बोलिवर नामक ६१० मीटर ऊँचा पहाड़ दूसरा लौह भंडार है, जो विश्वेशों के अनुसार दुनियाँ का सबसे बड़ा लौहभंडार है। इसमें ५०,००,००,००० टन उच्च कोटि का लोहा विद्यमान है।

खेती मुख्यतः उत्तरी पठार में होती है, जहाँ देश का अधिकांश अन्न उपजता है। कॉफी मुख्य व्यापारिक फसल है। ईस, धान, कपास, तंबाकू, सब्जी, फल, खासकर काकाओ तथा अमरीकी धौकुँवार (Sisal), तिल (sesame) अन्य प्रमुख उपज हैं।

वेनिश्वीली में सूती तथा अन्य प्रकार के कपड़े, सीमेंट, शराब, सिगरेट, जूते, दवाइयाँ, बुद्ध तैल, टायर, ट्यूब इत्यादि निर्यात होते हैं। वेनिश्वीली का व्यापार अधिकतर संयुक्त राज्य, अमरीका, से होता है। पेट्रोल, कच्चा लोहा, कॉफी, काकाओ मुख्य निर्यात है। आयात में मशीन, लोहा, इस्पात की वस्तुएँ, कपड़े, गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ, गेहूँ तथा आटा प्रमुख हैं।

वेनिश्वीली में २५,००० किमी० लंबी सड़कें हैं, जिनमें आधे से अधिक पक्की हैं। १,१३० किमी० लंबी सीमा बोलिवर (Simon-Bolívar) सड़क कारकैस से कोलंबिया तक जाती है। १,२५० किमी० लंबा रेल मार्ग है, जिसमें से अधिकांश समुद्रतटीय क्षेत्र में है। ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदियाँ १०,००० किमी० परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। [ ज० वि० ]

वेनिस स्थिति : ४५° ३०' उ० अ० तथा १२° १५' पू० ई०। इटली का यह नगर संसार के सुंदरतम नगरों में से एक है। यह ऐड्रैटिक सागरों की रानी (The Queen City of Adriatic) के नाम से विख्यात है। इस नगर के मकान ठोस बरतल पर नहीं, बल्कि ऐड्रैटिक सागर के कछार पर कीचड़ निर्मित छोटे छोटे द्वीपों के समूह पर बने हैं। मकानों की नींव कीचड़ में गहराई तक बँसाए हुए पायों पर रखी जाती है। यहाँ द्वीपों के बीच बहनेवाली नहरें सड़कों का काम करती हैं तथा सवारी गाड़ियों की जगह चौरस ढेंदे वाली नावें चलती हैं, जिन्हें गोंडोला (Gondolas) कहते हैं। नहरों के द्वार द्वार विविध प्रकार के पत्थर निर्मित पुल हैं। नहरों के किनारे प्राचीन शिल्प अट्टालिकाएँ हैं, जो प्राचीन वेनिस की शालीनता की यादगार हैं। यद्यपि राजनीतिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से वेनिस का महत्व घट गया है, तथापि दुनिया के सुंदर एवं गुलजार शहरों में यह अब भी अग्रगण्य है।

वेनिस शहर के १२० द्वीप इटली के उत्तर पूर्वी समुद्रतट से जमे एक सुरक्षित झील में स्थित हैं। झील को तथा पियाव नदियों के मुहानों के बीच में फैली हुई है। लीडो नामक एक बाजू की दीवार (sand bar) झील की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। यह बाजू का द्वीप वेनिसवासियों के समुद्र-तट-विहारस्थल का काम देता है। वेनिस नगरद्वीप २२ मील लंबे रेल-सड़क-युक्त पुल द्वारा मुख्य इटली प्रदेश से संबद्ध है।

नगर अंग्रेजी अक्षर एस (S) आकारवाली, ग्रैंड कैनाल नहर द्वारा दो भागों में विभक्त है। ग्रैंड कैनाल के प्रतिरिक्त लगभग १५० अन्य नहरें हैं। नगर के अनगिनत द्वीप एक दूसरे से लगभग ४०० पुलों द्वारा संबद्ध हैं। पुल ऊँचे पायों पर बने हैं, ताकि उनके अंदर से नावें आ जा सकें। सबसे प्रसिद्ध पुल रियाल्टो (Rialto) नगर के मध्य में ग्रैंड कैनाल के द्वार द्वार है। इन टैडी मेड़ी नहरों के किनारे मकान हैं। वेनिस की प्रमुख इमारतें पियात्सा ग्रॉव सेंट मार्क (Piazza of St. Mark) नामक चौक में हैं।

यद्यपि वेनिस भूमध्यसागर का सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक केंद्र अब नहीं रहा, फिर भी नगर में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है। मारघेरा (Marghera) बंदरगाह में माल लादने उतारने की अच्छी सुविधा है। इटली के बंदरगाहों में वेनिस का सातवाँ स्थान है। हर प्रकार के माल वेनिस में आते हैं। वेनिस अपनी परंपरागत वस्तुओं के निर्माण के लिये अब भी विख्यात है। मुरानो द्वीप में सुंदर शीशे बनते हैं। पुरानो द्वीप की धीरों अत्यंत सुंदर हाथ के बने फीसे बनाती हैं। कसीदे का काम, टैपेस्ट्री (tapestry), लकड़ी की खुदाई, ताने की मूर्तियाँ तथा अन्य कला की वस्तुओं के लिये वेनिस अधिक प्रसिद्ध है। १६०० ई० के बाद से नगर में पौतनिर्माण का उद्योग भी महत्वपूर्ण हो गया है।

वेनिस की जलवायु समशीतोष्ण है। यह पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। नगर का संबंध रेलमार्ग द्वारा मिलान (Milan) तथा बोल्डोन्ना (Bologna) से है। टारिसियो (Tarisio) तथा ट्रिएस्ट (Trieste) से लेकर क्रमशः आस्ट्रिया तथा युगोस्लाविया



को भी रेजिमान् जाते हैं। सांता लुसिया ( Santa Lucia ) स्टेशन रीड कैनाल के पश्चिमी छोर पर है। वेनिस को वायुमार्ग भी सुविधा २१ मील दूर स्थित ट्रेविसो ( Treviso ) हवाई अड्डे से मिलती है। जीटो के उत्तरी छिंदे पर सन्ता सान निकोलो ( San Nicolo ) हवाई अड्डा भी कुछ अंशों में उपयोग में आता है। [ ज० सि० ]

**वेब, सिडनी जेम्स** ( १८५६-१९४७ ) फेमियन समाजवादी विचारधारा के मुख्य सिद्धांतकार सिडनी जेम्स का जन्म निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी तो न थी, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिये स्विटजरलैंड और जर्मनी भेजा गया। लंदन के विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया। १९ वर्ष की उम्र में उन्होंने जानपद सेवा में प्रवेश किया, और वहाँ पर १८८१ तक कार्य किया। इसके पश्चात् त्यागपत्र देकर वे फेमियन सोसायटी द्वारा समाजसुधार के कार्य में लग गए। उनके लेख 'फेमियन ऐसेज' में प्रकाशित हुए जिन्हे बीट्रिस पीटर ने पढ़ा और वह इनसे प्रभावित हुई। १८९२ में वेब का विवाह बीट्रिस से हुआ। पीटर का परिवार १९वीं शताब्दी के औद्योगिक विकास से लाभान्वित था। यह बड़े उद्योगपति थे और बनाद्वय भी। इसके कारण बीट्रिस का संपर्क प्रमुख व्यक्तियों से था। १८८७ में वे समाजकार्य में प्रविष्ट हुई थी और अपने चचेरे भाई के साथ 'लाइफ ऐंड लेबर ऑव दी पीपुल ऑव लंडन' प्रकाशित कर चुकी थी। सिडनी से अंत के समय वह 'दि कोओपरेटिव मूवमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन' पुस्तक पर कार्य कर रही थी।

१८९२ में विवाह के पश्चात् उनका लंदनग्रह बौद्धिक कार्य और गभीर सामाजिक चिंतन का केंद्र बना। इसके पश्चात् इन दोनों ने मिलकर कई प्रयोगों की रचना की और स्थानीय सरकार, मजदूर संघ आंदोलन, निर्धन नियम प्रशासन और सहकारी आंदोलन पर निष्पक्ष अनुसंधान द्वारा व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए।

सक्रिय राजनीति और शासन से वेब का संपर्क काफी घनिष्ठ था। वे लंदन काउंटी काउंसिल के १८९२ से १९१० तक सदस्य थे और उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप 'लंडन स्कूल ऑव इकनामिक्स ऐंड पोलिटिकल साइंस' की स्थापना हुई, तथा १९०२ से १९१९ तक उन्होंने इसमें जन प्रशासन के प्राचार्य का कार्य किया। १९२२ में वे संसदसदस्य निर्वाचित हुए और १९२४ में मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल में 'बोर्ड ऑफ ट्रेड' के सभापति नियुक्त हुए। १९२९ में जब मजदूर दल को पुनः सत्ता प्राप्त हुई तो वे उपनिवेश मंत्री नियुक्त हुए, जिस पद पर उन्होंने १९३१ तक कार्य किया। १९२९ में मंत्रिमंडल के जोर देने पर उन्होंने पियरेज ( बैरल पास फील्ड ) स्वीकार की। १९३१ में उन्होंने जनजीवन से अलग रहकर अपना शेष जीवन लेखन कार्य में लगाया।

१९१३ में उन्होंने 'दी न्यू स्टैंडसमैन' की स्थापना की। १९३२ में वे सोवियत संघ गए और जहाँ के लौटने पर १९३५ में अपनी पुस्तक 'सोवियत कम्युनिज्म' प्रकाशित की। १९४३ में ब्रीटिस की हत्या हुई। इसके चार वर्ष बाद सिडनी की भी जीवनलीला समाप्त हुई। [ मि० कि० ग० ]

**वेरियो, अंतोनिओ** ( Varrio, Antonio ,१९४०-१७०७ ) इटली का दरबारी चित्रकार। फ्रांसीसी कला अकादमी से वह अगस्त १९७१ ई० में इंग्लैंड आया। विक्टर तथा व्हाइट हाल के राजसभनों में उसे चित्र बनाने का काम दिया गया। बाद में उसने बैट्सवर्थ तथा बर्ले में भी चित्र बनाए। १९९९ में वह क्वीन एन की आका से हंपटन कोर्ट के लिये चित्र बनाने में संलग्न हुआ।

वेरियो की चित्रकला अलंकरणप्रधान थी। वह गाढ़े चमकदार रंगों से तड़क तड़कवाले चित्र बनाता था और चित्र के पार्श्वों की वेष्टामूवा को खूब अशंकित कर चित्रित करता था। ऐसे चित्र उस समय इंग्लैंड में नए नए चले थे और साधारण दर्शकों का खूब मनोरंजन करते थे। [ रा० च० कु० ]

**वेरेश्चगिन वासिली वासिलीविच** ( Vereshchagin Vassili Vassilievich, १८४२-१९०४ ई० ) रूसी यायावर तथा चित्रकार। १८६१ में जर्मनी, फ्रांस, तथा स्पेन गया। १८६९ में उसने साइबेरिया की यात्रा की। १८७४ में प्रिंस ऑव वेल्स के साथ भारत आया। रूसी तुर्की युद्ध में भाग लिया। यूरोप धमरोका का भ्रमण किया। युद्ध दृश्यों के चित्रांकन में निपुण था। इसके प्रमुख चित्र हैं—विजय के पूर्व, पराजय के पश्चात्, युद्ध का जीवन, घायलों का लौटना, कैदी तथा विस्मृत सिपाही। इसका धार्मिक चित्र है—'ईसा परिवार'। [ गु० त्रि० ]

**वेरोकीओ, आंद्रिया देल** ( १४३५-१४८८ ) इटली का सुप्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और स्वर्णशिल्पी। फ्लोरेंस में उत्पन्न हुआ, पर कालांतर में समुचे इटली प्रदेश का इतना वरेय्य कलाकार माना गया कि लियोनार्दो व विंची और लोरेंजो द कुदो जैसे कलाकार भी अर्से तक उसके शिष्य एवं सहायक के रूप में कार्य करते रहे। इतिहासकार बेजेरी ने 'वैष्टियम ऑव फ्राइस्ट' नामक केवल एक चित्रकृति उसकी मानी है, पर उक्त चित्र में भी संभवतः देवदूतों के रूपाकारों की गढ़न में—उसी के कथनानुसार—लियोनार्दो की सजीव तूली का संस्पर्श विद्यमान है।

मूर्तिशिल्प की दिशा में वेरोकीओ बेजोड है। 'डेविड' की कांस्यप्रतिमा के प्रतिरिक्त फ्लोरेंस स्थित सान लारेंजो के शवागार में उसने जिम्नोवाशी और पियरो द मेदिया की कलात्मक कला का निर्माण किया था। १४७४ में पिस्तोया गिर्जाघर में उसने काठिनल की 'भुकी प्रतिमा' बनानी प्रारंभ की, किंतु उसके जीवनकाल में वह पूरी न हो सकी। ला सेपिएंजा के कलाकक्ष में वह आज भी सुरक्षित है, और भिट्टी द्वारा निर्मित उसका मूल ड्राइंग साउथ कैथेड्रल में मौजूद है। उसकी सर्वोत्कृष्ट कलाकृति जनरल बर्थोलम्बू की अश्वारोही कांस्यप्रतिमा है जिसके मॉडल के निर्माण में ही उसे पर्याप्त समय लगा था। हृद्यु से पूर्व इस अश्वारोही को वह लारेंजो को सौंप गया, पर वेनिस की सीनेट ने एलसैंड्रो लियोनार्दो द्वारा इसे संपन्न कराया। चित्र की अश्वारोही प्रतिमा में यह अथवा साकी नहीं रखती। अथव और लगान पकड़े हुए जनरल की भंगिमा में आश्चर्यजनक यथार्थता और सौंदर्य की व्यंजना हुई है। इसके प्रतिरिक्त वेरोकीओ ने चांदी के बर्तन और छोटी मूर्तियां तथा

टेराकोटा ( पक्की मिट्टी ), प्लास्टिक, मोम और काष्ठ पर विभिन्न रंगसज्जा और शिल्पनैपुण्य के साथ विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएँ निर्मित की थीं। उसकी मृत्यु वेनिस में हुई, पर फ्लोरेंस के सेंट एंजेलिओ चर्च में उसे दफनाया गया।

[ श० रा० गु० ]

**वैरोनेजे, पाओलो ( १५२८-१५८८ )** वेनिस का विख्यात चित्रकार। पाओलो वैरोनेजे रेनेसां काल के वेनीशियन स्कूल का प्रतिम महान् कलाकार माना जाता है। बहुत से कला शालोचक उसे टिटियां (Titian) तथा टिंटोरेट्टो (Tintoretto) के समकक्ष रखते हैं। अपने समकालीन अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की भाँति वह भी धार्मिक कथाकहानियों का ही अधिकतर चित्रण करता था। उसके प्रसिद्ध चित्रों में सेंट हेलीना ( St Helena ) 'द मैरेज ऐटकाना', तथा 'द मार्टर्डर ऑफ सेंट सेबास्टियन' उल्लेखनीय हैं। उसके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह प्राचीन कथा कहानियों का चित्रण करते हुए भी उनके पात्रों को अपने ढंग से समकालीन रुचि के अनुसार बेशरूपा देकर परिवर्तित करके अंकित करता था। फिर भी उसके चित्रों में आकर्षण बना रहता था। उसकी शैली अत्यंत व्यक्तिगत तथा मौलिक थी। उसके चित्रों में अनावश्यक जटिलता जरा भी नहीं थी और सीधी सरल शैली में पूरी सचाई के साथ वह पात्रों को चित्रित करता था। वह अपने चित्रों में कभी उपदेशात्मक बातों की स्थान नहीं देता था, न कुछ खोचने विचारने के लिये ही छोड़ता था। वह बृहत् आकारों के केवलों पर चित्र बनाना पसंद करता था, फिर भी चित्रसंयोजन (कॉम्पोजिशन) की उसमें अद्भुत शक्ति तथा प्रवीणता थी। उसके चित्रों में अनेक व्यक्तियों के घने समूह चित्रित हुए हैं। फिर भी उसमें न तो जटिलता दिखाई पड़ती है, न संकोच। अधिकतर चित्र वेनिस के सेंट सेबास्टियन के चर्च में मौजूद हैं।

'सेंट हेलीना' उसका बहुत ही लोकप्रिय चित्र है। इस चित्र का आधार भी एक प्रचलित कथा है जिसमें कांस्टेंटाइन द ग्रेट की माता सेंट हेलीना स्वप्न में देखती है कि उसे उस स्थान का पता लग गया है जहाँ फ्राइस्ट जिस क्रॉस पर टंगे गए थे वह गड़ा है। इस चित्र में सेंट हेलीना को वही स्वप्न देखते हुए दिखाया गया है। इसमें सेंट हेलीना की आकृति, उसका निवास तथा मुद्राएँ बड़े ही लयात्मक रूप में स्वप्निल मनोस्थिति का दिग्दर्शन कराती हैं।

[ रा० चं० गु० ]

**वेर्नर, एब्राहम गॉटलाब ( Werner, Abraham Gottlob, सन् १७५०-१८१७ )** जर्मन भूविज्ञानी का जन्म लुसेमिया में २५ सितंबर, १७५० ई० को हुआ था। आपकी शिक्षा बुडलाउ, साइलेसिया, में, फ्राइबुर्ग के लानन स्कूल में तथा लाइप्टिग (Leipzig) में हुई। सन् १७७५ में फ्राइबुर्ग लानन स्कूल में आपकी नियुक्ति निरीक्षक और अध्यापक के पद पर हुई। निरंतर पालीस वर्ष तक इस स्कूल की सेवा में रहकर, आपने इसे लानन शिक्षा के लिये विश्व के विख्यात केंद्रों में से एक बना दिया।

आपको 'जर्मन भूविज्ञान के पिता' कहा जाता है। भूविज्ञान की प्रणतियों को समझने के लिये आपने एक नई विचारधारा

प्रस्तुत की, जो जलवादी विचारधारा ( Neptunist school ) के नाम से विख्यात हुई। आपकी विचारधारा के अनुसार प्राथमिक शिलामों के धर्तिरिक्त सभी शिलाएँ जल में बनीं। आपने बैसास्ट का उद्भव भी जल में ही माना है। ज्वालामुखी का कारण भी आपने अंतःसूमिक कोयले के स्तरों ( coal beds ) में प्राग लगना बतलाया।

वेर्नर की इन मान्यताओं पर भौतिकी के क्षेत्र में बड़ा वादविवाद उत्पन्न हुआ। अग्निवादियों (vulcanists) ने जलवादी विचारधारा का घोर विरोध किया और इन्होंने भूचाल, ज्वालामुखी आदि का कारण पृथ्वी में विद्यमान अग्नेय शक्ति को बतलाया। यद्यपि वेर्नर की बहुत सी मान्यताएँ निर्मूल प्रमाणित हुईं, तथापि भूविज्ञान के क्षेत्र में शिलामों की क्रमिक व्यवस्था आपकी सबसे बड़ी देन है। आपने फॉसिलों का अध्ययन कर बतलाया कि भिन्न भिन्न शिलामों में जो फॉसिल पाए जाते हैं, उनका उन शिलामों की आयु से अद्भुत संबंध है। लगभग ६७ वर्ष की अवस्था में ३० जून, सन् १८१७ को फ्राइबुर्ग में आपका देहावसान हो गया। [ म० ना० मे० ]

**वेर्नर, जा फान डेल्फ्ट ( १६३२-१६७५ )** हॉलैंड का चित्रकार। वेर्नर कला के क्षेत्र में सत्रहवीं शताब्दी के उस काल में आया जब कला राज्यसत्ता तथा धर्मसंरक्षण से मुक्त हो चुकी थी। कलाकार अपनी कला के द्वारा अपनी रोजी चलाने के लिये समाज के अन्य सदस्यों की भाँति स्वतंत्र था।

कहा जाता है, वह एक बड़े परिवार का सदस्य था और अल्प उम्र में ही उसे आत्मनिर्भर बनना पड़ा। उसे अपने चित्र बेचकर पेट पालना पड़ता था। कभी कभी चित्रों की बिक्री से उसे अच्छी रकम हाथ लगती थी और वह शान से रहता था पर कोई निश्चित जीवन उसे प्राप्त न था। राज्य का संरक्षण न होने के कारण दो शताब्दियों तक उसकी कला प्रायः क्षुप्त सी रही और प्राय उसके केवल संतीस चित्र प्राप्त हैं।

राज्यसत्ता तथा धर्मसंघों के संरक्षण के अभाव में अनाह्वय व्यापारी वर्ग कला में रुचि लेने लग गया था। कलाकारों को अपनी रोजी चलाने के लिये इनकी रुचि का ध्यान रखना पड़ता था। इन्हे आमोद प्रमोद, शान शोक तथा रंगीन जीवन पसंद था। सुंदर आकृतियोंवाले रंग बिरंगे अलंकारपूर्ण चित्र इन्हे पसंद थे और अधिकतर इसी ढंग के चित्र उस समय के कलाकारों ने बनाए भी। वेर्नर की कला भी इस प्रभाव से न बच सकी।

वेर्नर के चित्र अपने समय की सामाजिक रुचि तथा जीवन की रोचक भाँकी उपस्थित करते हैं—मनोहारी सुंदर युवतियाँ, अभ्य तथा कीमती वेशभूषा, ठाटबाट, तथा सूक्ष्मतम अलंकरण; जिसे उसके चित्र 'आफिसर ऐंड लाफिंग गर्ल', 'यंग वूमन विद ए वाटर जग', 'द आर्टिस्ट्स स्टूडियो', 'द बैस मेकर' तथा 'ए वूमन बेईंग गोल्ड' इत्यादि चित्रों में देखा जा सकता है।

वेर्नर की कला का वास्तविक मूल्यांकन बीसवीं शताब्दी में हुआ है। प्राय वह महान् पाठ्यालय कलाकारों की देखी में स्थान पाता है। उसके चित्रों में न धार्मिक कथा की अशौकिकता है, न

रहस्यवादी वातावरण, न ही प्राथमिक चित्रकला का सा भयातुर क्रांतिकारी स्वरूप। उसने समकालीन जीवन के उस संतुलित रूप को चित्रित किया है जिसमें शांति और सौंदर्य प्रधान है। चित्र की छोटी से छोटी वस्तु भी शक्ति के साथ पूरी रसांद्रता से चित्रित हुई है। एक भी बिंदु, रेखा, रंग या आकार ऐसा नहीं जो जरूरत से ज्यादा उभर पड़े। [ रा० चं० शु० ]

**वेल्लासक्वेज, दिएगो डि सल्व्वा ई** ( Velasquez, Diego de Silva y, १५९९-१६६० ई० ) स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार जो रुबेंस, रेर्ना आदि का समकालीन था। बाल्यकाल में उसका पिता उसे चित्रकला का शिक्षण ग्रहण करने के लिये उत्साहित करता रहा। फाब-विस्को पाचको उसके कलागुरु बने। बाद में पाचको की लड़की जुवाना द मिरादा से (सन् १६१८ में) वेल्लासक्वेज का विवाह हो गया। उसके यश का सूत्रपात हुआ जब उसकी उम्र थी २४ साल की। वह राजा फिलिप चतुर्थ का व्यक्तिचित्र ( पोर्ट्रेट ) बनाने के लिये माद्रिद आया। उसने अपने काम से और व्यवहार से राजा पर ऐसा जादू डाला कि उस समय से वह देश का दरबार-नियुक्त एक शक्तिशाली चित्रकार बन गया। सन् १६२८ में जब रुबेंस नामक ख्यातनामा उत्तरी चित्रकार स्पेन के दरबार में उपस्थित हुआ तब उसने स्वयं पत्र में लिखा था कि 'राजा फिलिप और वेल्लासक्वेज में घनिष्ठ संबंध है और वेल्लासक्वेज एक प्रतिभासंपन्न चित्रकार है।'

सन् १६३० में वेल्लासक्वेज ने पहली बार इटली की यात्रा की। उन दिनों वेनिस और रोम अर्थात् कलावर्धन के कारण अधिक प्रसिद्ध थे। उसकी यह यात्रा बड़ी ही सफल रही। वेनिस, फ्लारेंस, रोम के मार्ग से वह नेपल्स आ पहुँचा। यहाँ उसने राजा फिलिप की सहोदरा मेरी का व्यक्तिचित्र बनाया।

वेल्लासक्वेज ने राजा फिलिप के अनेक व्यक्तिचित्र, युवावस्था से लेकर वार्धक्य तक के, बनाए। इन चित्रों में उसकी चित्र विषयक उत्कृष्टता पूर्णतया दृष्टिगोचर होती है। उसका एक ऐतिहासिक चित्र 'सर्देर ऑव ब्रेडा' ( Surrender of Breda ) बहुत प्रसिद्ध है। इस चित्र का विषय है, डच सेनापति ब्रेडा शहर की कुंजी स्पेन के उदार वीर स्पिनोला के हाथ सौंप रहे हैं। पार्श्वभूमि में सैनिक, घोड़े, शस्त्रास्त्र आदि का निसर्ग दृश्य, अत्यंत सहृदय हाथों से प्रस्तुत किया गया है। सारा वातावरण जयपराजय के द्वंद्वों के ऊपर उठ गया है; रही है मात्र एक महात्मी वीरोदात्त मानवता, जिससे पराजित को भी प्रेम की विजय मिलती है।

१६४६ में वेल्लासक्वेज दूसरी बार इटली की यात्रा करने के लिये निकला। इस यात्रा में फिलिप के संग्रहालयार्थ उसने अनेक इतालवी चित्र खरीदे। इसी यात्रा में उसने पोप दशम इनोसेंट का अद्वितीय चित्र तैयार किया जो अब दोरिया प्रासाद (रोम) का अग्र-गण्य चित्र माना जाता है।

१६५१ में माद्रिद लौटने पर कुछ विख्यात चित्रों पर उसने काम किया। अब राजदरबार में उत्तरोत्तर उसका संमान बढ़ता गया। सन् १६६० में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अंतिमिष्टि में सारे स्पेन का दरबार पूरी सान शक्ति से उपस्थित हुआ था।

वेल्लासक्वेज की चित्रकारी यूरोपीय कला के इतिहास में अपना एक विशेष और घटल स्थान रखती है, हालांकि उसकी मृत्यु के पश्चात् दो सौ साल तक उसकी विशेष ख्याति नहीं हुई। सारे के सारे कलारसिक इटली की ही यात्राएँ किया करते थे और इतालवी चित्रकारों का सर्वत्र गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ करता था, परंतु वेल्लासक्वेज के लिये कोई विशेष चाह दिखाई नहीं देती थी। गत शताब्दी के मध्य में माने (Manet), मिस्लर आदि चित्रकारों ने जब उसका स्तुतिगान किया तब से उसका नाम फिर से विश्वमान्य हो गया। कलासमीक्षकों ने भी उसकी प्रशंसा में किताबें लिखीं और उसकी कीर्ति फैलाई।

वेल्लासक्वेज की बरोक ( Baroque ) कलाप्रथा का चरम चरम माना जाता है; कारण, वह कर्लसिक प्रथा की तरह सत्य को ध्येय या तत्त्व के सचि में ढालना नहीं चाहता। वह सत्य को ज्यों का त्यों निहारता था। उस सत्य को एल ग्रेको या रुबेंस की तरह भावनाओं की प्राग से तिलमिलाता नहीं था। [ दि० की० ]

**वेल्लूर** ( Vellore ) नगर, स्थिति : १२° ५७' उ० अ० तथा ७९° १०' पू० दे०। यह नगर मद्रास ( तमिलनाडु ) राज्य के उत्तर आर्काट्ट ( N. Arcot ) जिले में, पलार नदी के किनारे, मद्रास नगर से ८७ मील पश्चिम में स्थित है। वर्ष भर यहाँ जा ताप ऊँचा रहता है और ३० से ५० इंच तक वार्षिक वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। नगर व्यापार का केंद्र है। नगर में पुराना किला है, जिसका कर्नाटक युद्ध के समय बड़ा महत्व था। सन् १७६० में अंग्रेजों ने इस नगर को अपने अधिकार में ले लिया, पर सन् १७८० से १७८२ तक यह हैदराबली के कब्जे में रहा। श्री रंगपट्टणम के पतन के पश्चात् यह नगर टीपू सुल्तान के पुत्रों का निवासस्थान चुना गया। सन् १८०६ के सिपाही विद्रोह का सूत्रपात भी वेल्लूर से हुआ था। आर्काट्ट मिशन द्वारा संचालित मेडिकल कालेज एवं अस्पताल हृदय की शल्यचिकित्सा एवं हृदय के रोगों की चिकित्सा के लिये विश्व के इने गिने अस्पतालों में से एक है। नगर की जनसंख्या १,२२,७६१ ( १९६१ ) है। [ अ० ना० मे० ]

**वेल्लेजली, लार्ड** रिचर्ड कोले वेल्लेजली का जन्म डबलिन में २० जून, १७६० ई० को आयरलैंड के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उसकी मृत्यु लंदन में २६ सितंबर, १८४२ को हुई। रिचर्ड कोले वेल्लेजली की शिक्षा हैरो तथा ईटन में हुई, और बाद में सन् १७७८ ई० में उसे ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिये भेजा गया। उसे १७८१ ई० में बिना कोई उपाधि प्राप्त किए ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ा। उसके पिता की मृत्यु पर उसे मॉनिगटन के द्वितीय बर्ल का स्थान प्राप्त हुआ।

वेल्लेजली पहले आयरलैंड के 'हाउस ऑव लार्ड्स' का सदस्य बना किंतु अधिक प्रचार बुद्धि का तथा महत्वाकांक्षी होने के कारण वह सन् १७८४ ई० में ब्रिटेन के 'हाउस ऑव कॉमंस' का भी सदस्य हो गया। सन् १७८६ ई० में वह 'यूनिवर्सल लार्ड ऑव द ट्रेजरी' और सन् १७९३ ई० में 'बोर्ड ऑव कंट्रोल का सदस्य हुआ। बोर्ड ऑव कंट्रोल के प्रधान डबलिन थे। सन् १७९७ ई० में वेल्लेजली ब्रिटिश

भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ, और इस पद को संभालने के लिये वह १ नवंबर को इंग्लैंड से प्रस्थान करके गई, सन् १७६८ ई० में कनकपते पहुँचा।

वेलेजली भारत में विस्तारवादी नीति का समर्थक था। उसका पहला उद्देश्य फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना और दूसरा अंग्रेजी प्रभुत्व को भारत में स्थापित करना था। अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिये उसने क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के समय से चल रही सहायक-संधि-प्रणाली को प्रोत्साहित तथा विस्तृत किया।

वेलेजली की सहायक-संधि-प्रणाली के अनुसार अंग्रेजों ने अपने मित्रराज्यों को सेना प्रदान की, जो मित्रराज्यों की सीमाओं में रहती थी और जिसका संबंध मित्रराज्यों को ही सहन करना पड़ता था। वे राज्य किसी दूसरे यूरोपीय देशों के लोगों को अपने राज्य में नहीं रख सकते थे, तथा अन्य किसी भारतीय राज्य से कोई संबंध, अंग्रेजों की आज्ञा के बिना, नहीं रख सकते थे। हर भारतीय राज्य के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था। संधि की शर्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजों के लिये ही लाभदायक थी क्योंकि इसके द्वारा उनके प्रभाव का क्षेत्र बिना किसी संबंध के विकसित हो रहा था। यह भारतीय राज्यों में विरोधात्मक प्रवृत्तियों पर कड़ा नियंत्रण रख सकती थी। किंतु यह नीति भारतीय राज्यों के लिये हानिकारक सिद्ध हुई।

वेलेजली ने पहली सहायक संधि निजाम से सितंबर, १७६८ ई० में की। इसके कारण निजाम को फ्रांसीसी रेमंड के नेतृत्व में संगठित किए गए १४,००० सैनिकों के स्थान पर अंग्रेजों की ६ बटालियन हैदराबाद में अपने संबंधों पर रखनी पड़ी। बाद में सन् १७६२ ई० और १७६६ ई० में निजाम ने फौज के संबंधों के लिये मैसूर से प्राप्त राज्य को अंग्रेजों की सौंप दिया।

टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से सहायक संधि कर ली थी। वेलेजली ने टीपू सुल्तान से उसके फ्रांसीसियों से मित्रता स्थापित करने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा। चूँकि वह उसके उत्तर से संतुष्ट न था, उसने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और टीपू के प्रांतिक विरोधियों की सहायता से उसकी शक्ति समाप्त कर दी (४ मई, १७६६)। अपनी इस नीति से न केवल वेलेजली ने मैसूर में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त किया बरन् एक विस्तृत महत्वपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजी अधिकार प्राप्त कर लिया गया।

अक्तूबर, १७६६ ई० में वेलेजली ने तंजौर पर, उत्तराधिकार के प्रश्न पर हीनेवाली गड़बड़ी से लाभ उठाकर, अधिकार कर लिया। इसी वर्ष सूरत के नवाब की मृत्यु पर उसने नए नवाब को चयन देकर उसके राज्य पर भी अधिकार कर लिया। १८०१ ई० में उसने अवध के नवाब को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया तथा उसके राज्य की भाँगी भाग, उसके राज्य में अंग्रेजी सेना रखकर, यत्न कर ली। २५ फुलवरी, १८०१ ई० में कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली पर अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू सुल्तान से मिले हुनो का आरोप जमाकर उसके राज्य पर अधिकार कर दिया।

वेलेजली मराठों को सहायक संधि द्वारा अपने अधीन करने के

लिये बहुत उत्सुक था। पूना में चल रहे मराठों के प्रांतिक संघर्ष ने गवर्नर-जनरल को पूरा अवसर प्रदान किया। अक्टूबर, १८०२ ई० में जसवंतराव होस्कर ने वेजवा और सिधिया दोनों की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया जिसके कारण बाजीराव को बसई भागना पड़ा तथा अंग्रेजों की सहायता से उसे पुनः पूना प्राप्त हो गया। किंतु मराठा सार्वभौमिकता ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप युद्ध छिड़ा। ऑर्बेर वेलेजली की 'असाई' और 'अरगाँव' की विजयों से मौलाना राजा की शक्ति टूट गई। लेक द्वारा पेरों की सेना को दिल्ली एवं लखनौ में हराकर दिल्ली पर अधिकार किए जाने से सिधिया का साहस समाप्त ही गया। परिणामस्वरूप सिधिया और भोंसला को सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी और अंग्रेजों ने भोंसला से कटक अपने अधिकार में ले लिया। सिधिया से गंगा-जमुना-दुभाब का भाग तथा दिल्ली और आगरा अंग्रेजों ने प्राप्त किए। इस प्रकार मुगल साम्राज्य शाह आलम अंग्रेजों के अधीन हो गया। होस्कर के साथ वेलेजली अपनी नीति में कम सफल हुआ। मार्च, १८०४ ई० में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ऑक्सन को हार खानी पड़ी और लेक भरतपुर पर अधिकार करने में असफल रहा। इन युद्धों पर अपार जनराशि व्यय करने के कारण वेलेजली की घोर निंदा हुई और उसे १८०५ ई० में भारत से वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा।

इंग्लैंड लौटने पर वेलेजली ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। सन् १८०६ ई० में वह स्पेन में राजदूत नियुक्त हुआ तथा १८०६ ई० से १८२२ ई० तक विशेष सचिव के पद पर कार्य करता रहा। १८२१ से १८२८ तक वह आयरलैंड में लार्ड लेफ्टिनेंट के पद पर भासीन रहा। उसे लॉर्ड स्ट्यूवर्ट तथा बाद में लार्ड बंबरलेन के पद पर भी कार्य करने का अवसर मिला। किंतु उसके जीवन के महत्वपूर्ण दिन भारत में ही व्यतीत हुए थे। उसने भारत पर फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। उसने टीपू सुल्तान को पराजित किया तथा मराठों की शक्ति क्षीण करके भारत में अंग्रेजों की सत्ता को शक्तिशाली बनाया। वेलेजली की सफलता उसकी परिश्रमशीलता, महत्त्व कार्यक्षमता आदि गुणों का परिणाम थी। इसमें मैककम, मुनरो, एल्फिंस्टन, एवं ऑर्बेर वेलेजली जैसे व्यक्तियों का भी योगदान कम न था। उसके कार्य ने उसके अनुजाने ही भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता को शक्ति प्रदान की।

[ मु० ह० ]

वेल्ड स्थिति : ५२° ३०' उ० अ० तथा ३° ३०' प० दे०। यह ग्रैंट ब्रिटेन का एक राज्य है, जिसका क्षेत्रफल ७,४६,८०७ वर्ग मील है। यहाँ की जनसंख्या २६,४०,६३२ (१९६१)। इसके उत्तर तथा पश्चिम की ओर आइरिश सागर, दक्षिण में ब्रिस्टल चैनल तथा पूरब की ओर इंग्लैंड का स्थल भाग है। प्रतः यह वास्तव में एक प्रायद्वीप है।

वेल्ड पुराजीवी महाकल्प ( Palaeozoic era ) की चट्टानों से निर्मित एक पहाड़ी प्रदेस है। गहरी नदी घाटियों द्वारा यह काफी कटा फटा है। उत्तर पश्चिम की तरफ स्लोव्न् मठार वेल्ड का सबसे ऊँचा भाग है, जहाँ इंग्लैंड तथा वेल्ड की सबसे ऊँची चोटी स्लोव्न्

(३,२६० फुट) विद्यमान है। पूरे पर्वतीय प्रदेश में वनस्पतिविहीन जालें हैं। ये जालें २,००० फुट से ऊपर मुदा अपरदन (soil erosion) के कारण अत्यंत ऊबड़ खाबड़ हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर ढालों की ऊँचाई कम होती गई है। स्नोड्रू का इलाका भीलों से भरा है। हिमनदी की घाटियों में स्थित ये भीलें लंबी तथा गहरी हैं। स्नोड्रू के उत्तर पूर्व में २,००० फुट ऊँचा पठार है। इसके नीचे जाने चौड़े पठार के ऊपर, गोलाकार पहाड़ियों की श्रृंखला मिलती है। इस श्रृंखलाकार पठार के दक्षिण पूर्व तरफ पुराने साल बलुषा पत्थर एवं कोयले की खानोंवाला प्रदेश मिलता है। कोयला क्षेत्र श्रृंखलाकार आकृति का है, जिसका पश्चिमी छोर पतला है। इससे होकर अनेक लंबी, पतली, लड़े किनारोंवाली नदियाँ बहती हैं, जिनके कारण बस्तियों तथा यातायात के मार्गों के निर्माण की कठिन समस्या रहती है। कोयला क्षेत्र के दक्षिण ग्लामोरगन घाटी नामक नीचा पठारी प्रदेश है। वेल्ड का दक्षिणी समुद्रतट कारमारयेन तथा स्वान्सी की खाड़ियों द्वारा कट फट गया है। उत्तरी वेल्ड का समुद्रतट भी के मुहाने के पश्चिम में नीचा है। लिन (Llyn) समुद्रतट चट्टानी है, क्योंकि पहाड़ समुद्र के अंदर घुस गए हैं।

वेल्ड की नदियाँ भीतरी पठारी भाग से निकलकर, चारों तरफ बहती हैं। म्लाड्ड तथा कॉन्वे उरार दिशा में बहती हैं। ड्वारोड, मावडरव, डोवे, रीडल आदि का बहाव पश्चिम की ओर है। दक्षिणवाहिनी नदियों में म्कोडाड, टाफ, टोवी, नीथ इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

यहाँ के पेड़ पीछे ब्रिटेन के अन्य भागों के अनुरूप हैं तथा वनरोपण का काफी विस्तार हुआ है, फलतः कई भागों में कोणुवारी वृक्षों की बहुलता बढ़ती जा रही है। वेल्ड के दुर्गम भागों में कुछ विरल पक्षी तथा पशु भी पाए जाते हैं। पोलकैट वेल्ड के सिवा अन्य कहीं नहीं मिलता।

वेल्ड का अधिकांश क्षेत्र ६०० फुट से अधिक ऊँचा है। जलवायु की अनुकूलता के कारण २/३ भाग में घास के मैदान हैं। अतः दुधारू पशुओं का पालन प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ दुधारू पशुओं के पालने का उद्योग तथा दूध का उत्पादन प्रगति कर रहा है। खेती भी यहाँ इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक होती है। द्वितीय महायुद्ध के समय कृषि-पद्धति में हुए आधुनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, जिससे वेल्ड के प्रतिरिक्त इंग्लैंड की माँग भी पर्याप्त मात्रा में पूरी होने लगी। यहाँ के कृषिकारम अपेक्षाकृत छोटे हैं तथापि मशीनों के अधिकाधिक उपयोग से कृषि का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है।

उद्योग के दृष्टिकोण से वेल्ड के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग एक दूसरे से भिन्न हैं। पूरब-पश्चिमी की अपेक्षा उत्तर-दक्षिणी भाग में आवागमन के साधनों के निर्माण में सुविधा होने के कारण, उत्तरी वेल्ड का आर्थिक संपर्क दक्षिणी वेल्ड की अपेक्षा लँकाशिर तथा मिडलैंड्स से अधिक है। उत्तरी वेल्ड की डी नदी की घाटी में ४० मील लंबी कोयले की खान है, परंतु यह उत्पादन तथा प्रकार में दक्षिणी वेल्ड की खानों से कम महत्वपूर्ण है। कोयले के साथ साथ अग्निचट्ट मिट्टी (fire clay) भी, जो लहूँ में काम आती है, निक-

लती है। कारखानों में इस्पात उद्योग उल्लेखनीय है। उद्योग में रासायनिक उद्योग तथा हॉलोजेल एवं फ्लॉट में कामच तथा मकली रेशम बनाने के कारखाने हैं। वेल्ड उत्तम स्लेट के उत्पादन के लिये भी विश्वविख्यात है, पर द्वितीय महायुद्ध के बाद स्लेट उत्पादन की स्थिति डावाँडोल ली है। वेवेल्डा, लानवेरिस, नॉटल तथा फेस्टी-नियान में स्लेट की खुदाई होती है।

दक्षिणी वेल्ड १८८१ ई० से ही उत्तम प्रकार के कोयले का निर्यात करता है। १९५६ ई० में कोयले का उत्पादन १६,४०,००० टन था। टालबॉट (Talbot), कारडिफ (Cardiff) तथा एब्वेल (Ebbwvale) में इस्पात के भारी सामानों का निर्माण होता है। ताँबा उद्योग पहले स्वान्सी में था, लेकिन उसके ह्रास के पश्चात् लानसे, टालबॉट तथा लांदौर में ताँबे के कारखाने स्थापित हुए हैं।

[ ज० सि० ]

वेल्डन धातु के दो या अधिक टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ देने की क्रिया को वेल्डन कहते हैं। वेल्डन दबाव द्वारा और द्रवण द्वारा किया जाता है। लोहार लोग दो धातुपिंडों को पीटकर जोड़ देते हैं, यह दबाव द्वारा वेल्डन है। दबाव देने के लिये प्राज अनेक द्रवचालित दाबक बने हैं, जिनका उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। द्रवण द्वारा वेल्डन में दोनों तलों को संपर्क में लाकर गलित अवस्था में कर देते हैं, जो ठंडा होने पर आपस में मिलकर ठोस और स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। गलाने का कार्य विद्युत् धार्क द्वारा संपन्न किया जाता है।

दबाव द्वारा वेल्डन में टक्कर (Butt), चिप्टी (Spot) प्रक्षेपी (Projection) और सीवन (Seam) की विधियाँ मुख्य हैं।

टक्कर विधि — इस विधि में मशीन के एक शिकंजे में एक टुकड़े को पहले स्थिरता से बाँधकर, दूसरे टुकड़े को सरकनेवाले दूसरे शिकंजे में इस प्रकार बाँध देते हैं कि दोनों को निकट लाने पर जोड़ सही सही बैठ जाय। यह दोनों शिकंजे विद्युत्-रोधी आवरणों द्वारा एक दूसरे से विद्युत्-रुद्ध रहते हैं और इनमें विद्युत् धारा देने से एक की धारा दूसरे में नहीं जाने पाती। जब सरकनेवाले शिकंजे की धातुपिंड सहित स्थिर शिकंजे की ओर सरकाते हैं, तब इन धातुपिंडों के जुड़नेवाले किनारों का ताप, किनारों के निकट आने पर, विद्युत् धारा के उष्ण प्रतिरोध के प्रभाव से एकदम गरम होने के कारण, वेल्डन के ताप तक पहुँच जाता है; फिर किनारों को धीरे धीरे खूब दबा दिया जाता है और विद्युत् धारा बंद कर दी जाती है।

चमक वेल्डन (Flash Welding) — वेल्डन की यह विधि भी टक्कर की वेल्डन विधि के समान ही है, भेद केवल इतना ही है कि दोनों पिंडों को संपर्क में लाने के पहले ही धंभ में विद्युत् धारा प्रवाहित कर दी जाती है और पिंडों के निकट आने पर उनके बीच के अंतराल में विद्युत् धार्क के चमक होने से धातुपिंड के किनारे पिघलने लगते हैं। जब धातु के कुछ छोटे उनमें से उछलने लगते हैं, तब धारा को बंद कर धंभ से ही उन्हें दबाकर जोड़ देते हैं।

**चिस्ती वेल्डिंग (Spot Welding)** — वेल्डिंग की यह विधि वही अपनाई जाती है जहाँ धातु की चादरों के किनारों को एक पर एक रखकर जोड़ना हो। इसका सिद्धांत भी टक्कर के वेल्डिंग के समान ही है। इस काम के यंत्र में, वेल्डिंग करनेवाले किनारों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर, यंत्र में लगे दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रख देते हैं। फिर पेर से एक लीवर को दबाने पर, ऊपर-वाला इलेक्ट्रोड नीचे उतरकर संपीड़ित वायु की शक्ति से उन प्लेटों को दबा देता है और इलेक्ट्रोडों तथा प्लेटों के संपर्क में आते ही, उसमें विद्युत् धारा प्रवाहित होकर प्लेटों में से होती हुई नीचे के इलेक्ट्रोड में प्रवेश करती है, उस समय प्लेटों का वह भाग, जो उन इलेक्ट्रोडों के संपर्क में आता है, गरम होकर यंत्र ही वेल्डिंग के ताप पर पहुँचता है, उन इलेक्ट्रोडों का दबाव और बढ़ा दिया जाता है, जिससे वे उस स्थान पर आपस में जुड़ जाते हैं और वहाँ एक चिस्ती सी पड़ जाती है।

**प्रक्षेपी वेल्डिंग** — वेल्डिंग की इस विधि के सिद्धांत भी वे ही हैं जो चिस्ती वेल्डिंग के हैं, केवल भेद यही है कि इसमें इलेक्ट्रोड से प्राप्त होनेवाली ऊष्मा एक छोटे से बिंदु पर ही केंद्रित कर दी जाती है। वे से इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल तो काफी बड़ा होता है। ऊष्मा को केंद्रित करने के लिये एक प्रथवा दोनों प्लेटों में उभार या गड्ढा बना दिया जाता है। इस विधि से विभिन्न मोटाई के प्लेटों को भी आपस में जोड़ा जा सकता है।

**स्लैब वेल्डिंग** — यह विधि भी सिद्धांत और क्रिया में चिस्ती वेल्डिंग के समान ही है, अंतर यही है कि इलेक्ट्रोड स्थिर स्तंभ के आकार के होने के बजाय बेलनाकार झूमते हुए बनाए जाते हैं और जुड़नेवाले प्लेटों को उनके बीच यंत्र से चलाया जाता है तथा उन स्लैबों की विद्युत् धारा अंतरायिक रूप (intermittent) से चटका लगाती हुई चलती है। धारा के प्रवाहित होने और रुकने के समय का अनुपात १:१ से लेकर १:१० तक रखा जा सकता है, इस कारण जोड़ ऐसा लगता है मानो डोरे से सी दिया गया हो।

### विद्युत् आर्क वेल्डिंग (Arc Welding)

इस विधि में जोड़ी जानेवाली वस्तुओं की टक्करों को गलाने के लिये एक इलेक्ट्रोड तो वेल्डिंग की बत्ती के रूप में होता है और दूसरा उन जोड़नेवाले भागों के रूप में होता है तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत् आर्क स्थापित कर, आवश्यक ऊष्मा प्राप्त कर ली जाती है। इस काम के लिये विष्ट और प्रत्यावर्ती किसी भी धारा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन विष्ट धारा अधिक सुविधाजनक रहती है।

**वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड** — इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं: (१) कार्बन के और (२) धातु के। धातु के इलेक्ट्रोड भी तीन प्रकार के होते हैं: (१) नंगे, (२) ढँके और (३) पोसे। धातु के इलेक्ट्रोड ही अधिक काम में आते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रोड तो कुछ स्वचालित यंत्रों में ही प्रयुक्त होते हैं। जिन इलेक्ट्रोडों में ०.६ प्रति शत से अधिक मैंगनीज मिला होता है, वे भी अच्छा काम देते हैं। इसी प्रकार ऐलुमिनियम की वेल्डिंग की बत्तियाँ भी अच्छा काम देती हैं।

**विद्युत् धारा का विभवत्व** — यह धातु की बत्तियों के साथ १५ से ३० वोल्ट और कार्बन के साथ ५० से १०० वोल्ट तक रखा जाता है। यह आर्क की लंबाई के अनुसार ही घटता बढ़ता रहता है और उसी के अनुपात से गलित धातु का जमाव भी होता है। हाथ से वेल्डिंग करने के उपकरणों में बहुधा २० से ३०० ऐंपियर तक की धारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वचालित यंत्रों में यह १,२०० ऐंपियर तक पहुँच जाता है।

**इलेक्ट्रोडों की मोटाई** — धातु के इलेक्ट्रोड १/१६ इंच से ३/८ इंच व्यास के और १२ इंच से १८ इंच तक लंबे होते हैं तथा कार्बन के इलेक्ट्रोड ५/३२ इंच से १ इंच व्यास के और १२ इंच लंबे होते हैं। विद्युत् धारा का प्रवाह इलेक्ट्रोड के कार्य और मोटाई के अनुसार ही होना चाहिए।


यदि धारा का प्रवाह हलका होगा, तो इलेक्ट्रोड की धातु क्रियों में प्रवेश नहीं करेगी और वेल्डिंगवाली सतह भी नहीं गलेगी। यदि प्रवाह बहुत तेज होगा, तो इलेक्ट्रोड की धातु जल जाएगी और जोड़ कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी यही उचित है कि विद्युत् धारा की गति अनुपात से मंद रखने की अपेक्षा कुछ तेज ही रखी जाय। ढँके हुए इलेक्ट्रोडों में अधिक तेज धारा प्रवाहित करने से उसकी गली धातु पर स्लैग नहीं आने पाता, जो उसकी रक्षा के लिये अत्यंत उपयोगी है। बहुत हलकी धारा के कारण जो स्लैग उत्पन्न होता है, वह बहुत ध्यान प्रकृति का होता है। इस स्लैग का गली धातु के भीतर ही कैद हो जाने का डर रहता है। नंगे इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करने से, उसकी धातु गलकर बड़ी बड़ी बूँदों के रूप में जोड़ने की जगह पर जम जाती है, जिससे विद्युत् आर्क लघुपथन (short circuit) करने लगता है। ढँके इलेक्ट्रोडों से छोटी बूँदें निकलती हैं, धारा एकरस चलती है और लघुपथन भी नहीं होता।

**वेल्डिंग की विधि** — वेल्डिंग किए जाने वाली तल की रेखा से इलेक्ट्रोड को ६० से ७५ अंश के कोण तक झुका हुआ रखना चाहिए। अपने सिर के ऊपर (overhead) के जोड़ों को झालते समय बत्ती का कोण ६० से ६० अंश तक रखा जाता है।

**जोड़ों को तैयार करना** — वेल्डिंग के पहले जोड़ों को तैयार करना बड़े ही महत्व की बात है और इसी पर वेल्डिंग की सफलता निर्भर करती है।

१८ गेज प्रथवा उससे कम मोटाई की चादरों के वेल्डिंगवाले किनारों को थोड़ा मोड़ दिया जाता है, जिससे उनके वेल्डिंग के समय बत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनसे मोटे, अर्थात् ३/१६ इंच से १/४ इंच तक मोटाई के, प्लेटों में भी कोई खाँचा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इनसे अधिक मोटे प्लेटों के झाले जाने वाले किनारों पर चित्र १ की आकृति क से च तक दिखाए अनुसार V आकार का खाँचा, आधा आधा दोनों भागों में काटकर, तैयार करना चाहिए। कुछ लोग U आकार का खाँचा काटना भी पसंद करते हैं। आकृति च में दोनों तरफ खाँचा काटा गया है। खाँचे के बीच का कोण प्रायः ६०° से ६०° तक बनाया जाता है। इस विधि में भी दाहिने हाथ और बायें हाथ का वेल्डिंग करने का रिवाज है।

सकरे कोण के साथ सीधे हाथ के वेल्डिंग में सुविधा रहती है और बाएँ हाथ की झाल लगाने के लिये चौड़े कोण की आवश्यकता होती है। दाएँ और बाएँ का भेद समझने के लिये देखें गैस द्वारा वेल्डिंग। चित्र १ की आकृति क से ख तक खाँचा बनाने समय दोनों प्लेटों के बीच कुछ फासला स्वतः रह जाता है, जो बड़े महत्व की चीज है। अधिक फासला रखने से गली हुई धातु नीचे गिर जाती है तो फिर वेल्डिंग करना कठिन हो जाता है। और कम फासला छोड़ने से प्लेटों की जड़ तक धातु नहीं पहुँचने पाती। अतः पतले प्लेटों में तो फासला लगभग १/१६ इंच चौड़ा और २ इंच मोटाई तक के प्लेटों में उसे क्रमशः बढ़ाते हुए ३/१६ इंच तक कर दिया जाता है। समकोण पर रखकर झाले जानेवाले प्लेटों को घाई (फिलेट) का जोड़ कहते हैं, जो चित्र १ की थ से प तक की आकृतियों में दिखाया गया है। ऊपर नीचे रखकर जाड़े जानेवाले प्लेटों की भी घाईयाँ झाली जाती हैं, वैसे चित्र १ के ट और ठ में दिखाया गया है, इनके लिये किसी प्रकार का खाँचा काटना आवश्यक नहीं है। आकृति क और ख में एकहरी पट्टी का जोड़ है और ऊ में दोहरी पट्टी का, जिसे 'बट' जोड़ भी कहते हैं। वेल्डिंग



चित्र १.

करते समय पतले प्लेटों में, जिनकी मोटाई लगभग ३/१६ इंच होती है, तो झलाई के एक दौरे (run) से भी काम चल जाता है। अधिक मोटी चीजों के वेल्डिंग में सीधी और उलटी कई परत लगानी होती है जिससे उनका खाँचा पूरा भर जाय।

**कुट्टित वेल्डिंग ( Forge Welding )**

इस्पात अथवा लोहे के दो टुकड़ों को खूब सफेद गरम कर पीटने की क्रिया द्वारा जोड़ने को कुट्टित वेल्डिंग या घटका लगाना कहते हैं। प्रत्येक धातु को खूब तपाने से वह ठोस से द्रव रूप में बदलने लगती है लेकिन पिटवाँ लोहा अथवा मुलायम इस्पात में एकदम ऐसा नहीं होता। सफेद पकते हुए गरम होने पर वे बहुत मुलायम और चिपचिपे हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में यदि दो टुकड़ों को पास पास सटाकर दबाव के साथ मिला दिया जाय, तो वे जुड़कर एक हो जाते हैं। यह ताप ८१५° से ८७०° से० तक होता है। इससे कम ताप पर गरम कर टुकड़ों को कितना ही पीटकर जोड़ने की चेष्टा की जाय, वे कभी नहीं जुड़ेंगे और उन्हें उपर्युक्त ताप से अधिक ताप पर गरम करने से उनकी धातु जसकर बेकार हो जाएगी। पिटवाँ लोह को


अधिक गरम करने से उसमें से बारीक बारीक सफेद चिनपाखियाँ स्वतः ही निकलने लगती हैं। मुलायम इस्पात में कुट्टित वेल्डिंग योग्य ताप कुछ नीचा होता है और वह उस समय आता है, जब उसका खाल रंग सफेद में बदलने लगना है। मजबूत और उत्तम जोड़ लगाने के लिये जोड़े जानेवाले तलों का भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार की अशुद्धियों से, जैसे लोह ऑक्साइड की पपड़ी या भट्टी की राख, रहित कर देना चाहिए। अशुद्धियों को छुड़ाने के लिये तलों पर सुहागा और दानेदार गुठ बालू छिड़क दी जाती है, जो उपर्युक्त ताप पर गलकर उन तलों पर जमनेवाली ऑक्साइड की पपड़ी और राख को गलाकर दूर करती है और बाद में ऑक्साइड जमने भी नहीं देती। सुहागा और बालू छिड़कने का समय वह होता है, जब लोहा पीला दिखाई देने लगे। गलकर बालू का जो स्लेग बन जाता है, वह पीटते समय छिटककर बाहर आ जाता है। जोड़ने के उद्देश्य से दो टुकड़ों को आपस में मिलाकर चोट मारने की क्रिया जोड़ के मध्य भाग से आरंभ करनी चाहिए। कठिन किस्म के इस्पातों के लिये कुट्टित वेल्डिंग का ताप इतना ऊँचा नहीं होता कि उसपर बालू छिड़कने से वह गल सके, अतः गुठ सुहागा अथवा चार भाग सुहागा और एक भाग नौसादर के मिश्रण की लाग बनाकर छिड़की जाती है।

**कुट्टित वेल्डिंग के जोड़** — पिटवाँ लोहा और मुलायम इस्पात के टुकड़ों को सीधा जोड़ लगाने के लिये बहुधा तीन प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है जिन्हें क्रमशः टक्कर का जोड़, ऊपर नीचे का जोड़, जिसे लप्पा लगाना भी कहते हैं, और चिरवाँ जोड़ कहते हैं। चित्र २ में इनकी आकृति क्रमशः क, ख और ग में दिखाई गई है।

**टक्कर का जोड़** — यह जोड़ वस्तु की लंबाई की दिशा से समकोण पर बनाया जाता है। ठंडी हालत में ही सही सही जोड़ बनाकर फिर वेल्डिंगवाली वस्तुओं को सफेद गरम कर उन्हें आपस में दबाते हुए चोटें मारते हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हाथ से दबाने पर पूरा दबाव न पड़ने के कारण गरम तल एकदम एक दूसरे से नहीं मिलते जिस कारण जोड़ कच्चा रहकर बाद में टूट जाता है, अतः अच्छे कारखानों में एक विशेष प्रकार के यंत्र में वस्तुओं को दबाकर वही यंत्र के साथ लगी निहाई पर रखकर चोटें मारते हैं।

**लप्पा का जोड़** — इस जोड़ को बनाने के लिये ठंडी हालत में किसी प्रकार की तैयारी नहीं करनी पड़नी। लेकिन यह जोड़ चित्र २ की आकृति ख में दिखाए अनुसार मोटा रह जाता है और जहाँ एक टुकड़े का मोटा किनारा दूसरे में घुसता है, वहाँ दरार रह जाती है, अतः जोड़ मिलाने के पहले प्रत्येक टुकड़े के सिरे को झलहुदा से तपा और पीटकर काफी पतला कर लिया जाता है, जैसा चित्र २ की आकृति ख और ग में दिखाया गया है। इन जोड़ों को बनाने की तैयारी में खाम बात यह है कि उन दोनों टक्करों की आकृति ऐसी बनाई जाय कि इनके तेज गरम होने की हालत में उनपर बननेवाला स्लेग सपक के कारण दबते ही स्वतः बाहर की तरफ आसानी से निकल जाय,

धतः दोनों सिरों को थोड़ा थोड़ा ठाँस कर उन्हें कुछ उन्नतोदर आकृति दे दी जाती है (चित्र १. घ)। ऐसी आकृति बनाने के लिये विशेष प्रकार के ठसों का भी प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार के सिरें चित्र २ की आकृति घ में दिखाए गए हैं, वे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जोड़ के बीच में जहाँ टक्करें आपस में मिलेंगी एक गुहा बन जायगी, जिसमें से स्लैग बाहर नहीं निकल सकेगा, धतः दोनों टक्करों को आपस में मिलाते समय किनारा सबसे पहले घुड़ेगा, फलत जोड़ कमजोर रहेगा। गोल छड़ों को जोड़ने के लिये सिरें बनाने की आकृति चित्र २. के घ में दिखाई गई है।




चित्र २.

यही विधि प्रायः जंजीरों की कड़ियों के मुँह जोड़ने के लिये अधिक उपयुक्त रहती है।

**चिरवाँ जोड़** — यह जोड़ बहुत भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिये बनाया जाता है। ऐसा साधारण जोड़ तो चित्र २. की आकृति ग में दिखाया गया है लेकिन विशेष भारी वस्तुओं के उपयुक्त जोड़ चित्र २. की आकृति ट और ड में दिखाया गया है। इस जोड़ में संपर्क में आनेवाली सतह तो अधिक होती ही है, बल्कि चिरे हुए त्रिशास्त्रित भाग की नोकें, कलीनुमा दूसरे भाग की गोलाई के पीछे मुड़कर उसे मजबूती से पकड़ लेती हैं और फिर बाद में पीटकर पतला करने पर एक भाग की चातु दूसरे भाग में प्रविष्ट होकर एकजान हो जाती है। दूसरे टुकड़े के कलीनुमा भाग को बनाने समय उसे चिकना न बनाकर सीढ़ीनुमा दति-युक्त बनाकर खुरदरा कर देना चाहिए।

**विशेष प्रकार के जोड़** — चित्र ३. में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से जोड़ दिखाए गए हैं। चित्र ३ की आकृति क में कलीनुमा जोड़, घ में त्रिशास्त्रित जोड़, ग में कोने का जोड़ और घ में गोल छड़ों के उपयुक्त त्रिशास्त्रित जोड़ बनाने की विधि दिखाई गई है। इन्जनों

की बहावों के बड़े बड़े व्यास के घुरों को, जिन्हें कति पारेषण



चित्र ३.

के काम में लाने से उनपर मरोड़ बल भी पड़ता है, जोड़ना जब अभीष्ट होता है, तब उन्हें चित्र ३. की आकृति घ में दिखाए अनुसार ठंडा ही चीरकर और फिर गरम कर आपस में बैठा दिया जाता है।

### गैस वेल्डिंग ( Gas Welding )


गैसों की सहायता से वेल्डिंग की क्रिया एक सी होती है, लेकिन उनका विभाजन उपयोग में आनेवाली गैस के अनुसार किया जाता है। ये गैसें बहुधा ऑक्सीजन और ऐसीटिलीन का मिश्रण, कोल गैस और हाइड्रोजन आदि हुमा करती हैं। इनमें से ऑक्सी-ऐसीटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित है। वेल्डिंग-पयोगी गैसें तैयार करनेवाली व्यापारिक कर्पानियाँ इस्पात के मजबूत सिलिंडरों ( cylinders ) में गैस को कई वायुमंडलों के दबाव पर भरकर वेल्डिंग के लिये बेचा करती हैं। वेल्डिंग के बड़े बड़े कारखानों में निजी गैस जनित्रों द्वारा कैल्सियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से यह गैस कम दाब पर तैयार की जाती है। ऐसीटिलीन को ऐसीटोन में घुला देने से उसके विस्फोटन का डर नहीं रहता।

चाहे किसी भी प्रकार की गैस का व्यवहार किया जाय, वेल्डिंग के लिये उसे किसी प्रकार की फुँकनी (blowpipe) के द्वारा ही वेल्डिंग के स्थान पर पहुँचाया जाता है, जिनमें लगे एक बाल्व की सहायता से गैस के बहाव पर नियंत्रण कर उचित आकार की ली बना ली जाती है। चित्र ४. की आकृति क में फुँकनी के मुँह पर लगनेवाली एक छुच्छी की बनावट दिखाई गई है और घ में ली की आकृति है। ली को छोटी, बड़ी, पतली या मोटी बनाने के लिये विभिन्न मापों के जेट फुँकनी पर अदल बदलकर लगाए जाते हैं। जेट की माप अर्थात् उसकी ताकत प्रति घंटा गैस के लवों के अनुसार निर्धारित की जाती है। सबसे छोटे जेट द्वारा एक घंटे में एक धन फुट और सबसे बड़े जेट द्वारा लगभग २०० धन फुट गैस लवें हो जाती है तथा फुँकनी में गैस की दाब २ से ८ पाउंड प्रति वर्ग इंच तक रखी जाती है। प्रयोग करते समय ऐसीटिलीन गैस को पहले खोलकर



जेट के मुँह पर उसे जला दिया जाता है, फिर ऑक्सीजन के सिलिंडर का वाल्व धीरे धीरे इतना खोला जाता है कि जिससे उचित प्रकार की लौ बन जाय।

जलनेवाली गैस के मिश्रण में अधिक ऐसीटिलीन होने से उसकी लौ कार्बुरीकर (carburising) होकर कुछ मोटी पड़ जाती



है, लेकिन वह आरंभ से अंत तक एक ही तेज चमकदार बनी रहती है। यदि मिश्रण में ऑक्सीजन की अधिकता हो, तो लौ ऑक्सीकारक (oxidising) प्रभाव से युक्त हो जाती है और उसका शुंड लंबा तथा चमकदार हो जाता है, लेकिन दोनों प्रकार की गैसों की मात्रा में उचित समायोजन कर देने से जो लौ बनती है उसके शुंड का चमकदार भाग छोटा और स्पष्ट आकृतियुक्त होता है और उसी की नोक पर सबसे अधिक ताप होता है, जैसा चित्र ४ में दिखाया गया है। अतः भाल लगाते समय धातु को गलाने के लिये लौ को धातु की सतह से लगभग १/८ इंच से १/१६ इंच तक दूर रखा जाता है।

**वेल्डन** — वेल्डन करते समय वेल्डन की जानेवाली वस्तुओं के टुकड़ों को मिलाकर, ऊपर से गैस की लौ द्वारा उनको जोड़ पर गला दिया जाता है जिससे दोनों पृष्ठीय भागों की धातुएँ आपस में गलकर मिल जाती हैं और साथ ही साथ उसी प्रकार की कुछ फालतू धातु, जो पतली बत्तियों के रूप में होती है तथा जिसे पूरक (फिलर) या बत्ती भी कहते हैं, गलाकर भर दी जाती है और इन सबके ठंडा हो जाने पर ठोस संधि बन जाती है।

फुँकनी को चलाने की दो तरकीबें होती हैं, एक तो बाएँ हाथ की और दूसरी दाहिने हाथ की। बाएँ हाथ की क्रिया में वेल्डन का काम दाहिनी ओर से बाईं ओर को बढ़ता है जिससे लौ बिना झले हुए भाग की तरफ झुकी रहती है और फुँकनी को दाहिने हाथ से धामकर बत्ती को बाएँ हाथ से धामा जाता है। वेल्डन करते समय फुँकनी वेल्डन की जानेवाली वस्तु से ६० से ७० अंश का कोण और धातु की बत्ती ३० से ४० अंश का कोण बनाती है। दाहिने हाथ की क्रिया में लौ का मुँह झले हुए भाग की ओर झुका रहता है और झलाई की क्रिया बाईं ओर से दाहिनी ओर को बढ़ती है। बाएँ हाथ से वेल्डन करते समय फुँकनी को पानी की बहुरों जैसे चलाया जाता है और दाहिने हाथ

के वेल्डन में फुँकनी को बहुत ही कम या बिल्कुल ही नहीं लहराया जाता, लेकिन बत्ती को गोल छल्लों के प्रकार में घुमाते हुए चलाया जाता है।

**वेल्डन की बत्ती** — बत्ती का व्यास वेल्ड की जानेवाली वस्तु की मोटाई और फुँकनी की नाप के अनुपात से होना चाहिए। पतली बत्ती स्वयं तो जल्दी गल जायगी और वेल्डित किया जानेवाला जोड़ गरम होकर गलित अवस्था में आने भी नहीं पाएगा। यदि बत्ती अधिक मोटी होगी, तो वह स्वयं देर से गलेगी और वस्तु के पहले से गले हुए भागों को जल्दी से ठंडा कर देगी। बत्ती की मोटाई और जेट की नाप का सही अनुमान लगाने के लिये निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें  $v$  बत्ती का व्यास है और  $m$  बत्ती की मोटाई इंचों में है, तथा  $s$  फुँकनी का शक्तिपूर्वक अंक है, जो प्रति घंटा ऐसीटिलीन के खर्च के अनुसार निश्चित किया जाता है :

$$v = \frac{1}{2} m + \frac{1}{4} s \text{ इंच (पख मारे हुए प्लेटों के लिये)।}$$

$$v = \frac{1}{2} m \text{ (बिना पख मारे हुए प्लेटों के लिये)।}$$

$$s = १० m + c$$

**दोहरी लौ की फुँकनी** — इस प्रकार की फुँकनी का रिवाज आजकल बढ़ता जा रहा है। इसमें दो लौ एक साथ निकलती हैं, आनेवाली लौ तो धातु को अगाऊ गरम करने का काम करती है, जिसमें थोड़ी अधिक ऐसीटिलीन खर्च हो जाती है लेकिन लाभ यह होता है कि वह कार्बुरीकर होकर प्लेटों को ऑक्सीकरण होने से बचा लेती है, क्योंकि उस समय प्लेटों में कार्बन का अवशोषण हो जाने से उनका द्रवणांक घट जाता है और पिछली छोटी लौ वहाँ पहुँचते ही सरलता से अपना काम कर लेती है। इस प्रकार की लौ से वेल्डिंग किए जानेवाले भागों में सिकुड़न और एठन के दोषों का भी परिहार हो जाता है तथा वेल्डन का काम भी शीघ्रता से होता है। [ धो० ना० श० ]

**वेस्ट इंडीज** उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका के मध्य १,००० मील में फैला हुआ द्वीपसमूह है। इसका दूसरा नाम एंटिलिज है। ये द्वीप पश्चिम में यूक्रेन तथा फ्लोरिडा प्राय द्वीपों से लेकर वृत्ताकार रूप में दक्षिण की ओर वेनिज्वीला तक विस्तृत हैं। बहामा को छोड़कर शेष द्वीप दो भागों में विभक्त हैं : ( १ ) बृहत् एंटिलिज तथा ( २ ) लघु एंटिलिज। बृहत् एंटिलिज के अंतर्गत क्यूबा, जमेका, हिस्पेन्योला ( जिसके अंतर्गत हैटि तथा डॉमिनिकन गणतंत्र हैं ) तथा प्वर्ट रीको द्वीप संमिश्रित हैं तथा लघु एंटिलिज के अंतर्गत बारबेडोवा, ट्रिनिडेड एवं टोबेगो द्वीप आते हैं ( देखें क्यूबा, जमेका डॉमिनिकन गणतंत्र, प्वर्ट रीको, बारबेडोज, ट्रिनिडेड )। सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है जिसका क्षेत्रफल ४४,२१८ वर्ग मील है। संपूर्ण द्वीपसमूह का क्षेत्रफल ६१,००० वर्ग मील है।

वेस्टइंडीज के द्वीपों के प्राकृतिक स्वरूप, आर्थिक विकास तथा निवासियों की रहन सहन एवं भाषा में बड़ी विभिन्नता है।

वेस्टइंडीज के द्वीप अंशतः जलमग्न पर्वतश्रृंखला के अवशेष चिह्न हैं। यह श्रृंखला हॉएडुरेस तथा वेनिज्वीला होकर गई है। इसकी कई शाखाएँ हिस्पेन्योला से जमेका तक दिखाई पड़ती हैं।

बृहत् ऐंटिलिज की बाहरी चट्टानों परतदार चट्टानों की बनी हैं। लघु ऐंटिलिज का भीररी भाग ज्वालामुखी निःसृत चट्टानों से बना है। ट्रिनिडैड की संरचना दक्षिणी अमरीका से मिलती जुलती है। वेस्ट-इंडीज में पाई जानेवाली सबसे पुरानी चट्टान क्रिटेशियस युग की है जिससे यह पता चलता है कि उस समय ये द्वीप एक विस्तृत भूखंड से मिले हुए थे। बाद में इओसीन (Eocene) तथा ओलिगोसीन (Oligocene) युग में एक भारी अवतलन (subsidence) हुआ जिससे बृहत् ऐंटिलिज पूर्णरूपेण जलमग्न हो गया। तदनंतर ओलिगोसीन युग के मध्य में एक प्रबल प्रोत्थान (upheaval) हुआ और साथ ही साथ मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ जिससे बृहत् ऐंटिलिज के द्वीप धरातल से ऊपर उठ गए तथा श्रृंखलाबद्ध हो गए। इसके बाद कई हल्के अवतलन एवं प्रोत्थान की प्रक्रिया के फलस्वरूप धरातल का वर्तमान स्वरूप बना। लघु ऐंटिलिज में ट्रिनिडैड एवं बारबेडोस के अलावा अन्य कहीं गहरे समुद्र के जमाव के चिह्न नहीं मिलते। कतिपय द्वीपों में ज्वालामुखी के अवशेष मिलते हैं। ज्वालामुखी हलचले तृतीयक (tertiary) काल से होती रही हैं। सामान्यतः द्वीपों में अधिक उच्चावच है। सबसे ऊँचा स्थान हिस्पेन्योला में स्थित पिकोत्रुजिलो है जिसकी ऊँचाई १०,४१६ फुट है। जमेका के ब्लू माउंटन की ऊँचाई ७,४०२ फुट है। ४,००० फुट से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र वेस्ट रीको तथा अन्य कई द्वीपों में मिलते हैं। अधिकतर द्वीपों में एक मध्यवर्ती पर्वतश्रृंखला मिलती है जिससे निकलकर पहाड़ों की लंबी शाखाएँ समुद्रतट तक पहुँचती हैं। इन शाखाओं के बीच गहरी खाटियाँ मिलती हैं। नदियाँ छोटी एवं तीर-वाहिनी हैं तथा मैदान केवल समुद्रतट तक ही सीमित है। क्यूबा ही ऐसा द्वीप है, जहाँ विस्तृत समतल नीची भूमि मिलती है। वहाँ सिएरा माइस्त्रा पर्वत पूर्वी छोर पर है और कहीं भी अवरोधक नहीं बनता। बारबेडोज तथा ऐंटीग्वा भू-भेदों के बने हैं तथा नीची धरातल-वाले हैं। बहामा तथा ऐग्विबला समुद्रतट से नाममात्र ऊँचे हैं।

यहाँ समुद्रतटीय भूमि तथा दलदल अधिकतर पाए जाते हैं। भू-भेदों के पर्वतों के कारण भी समुद्रतट अधिक टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं। प्राकृतिक बंदरगाह बहुत हैं जिनमें हवाना तथा सेंट जार्ज उल्लेखनीय हैं।

[ ७० सि० ]

**वेस्ट बेंजामिन ( West Benjamin, १७३८-१८२० )** अमरीकन ऐतिहासिक विषयो का चित्रकार। न्यूयार्क से इटली होते हुए रोम आया और वही बस गया। १७६२ में रायल अकादमी का सभापति बना। 'ईसा द्वारा गोमी की परिचर्या', क्रूसीफिक्शन आदि इसके सुप्रसिद्ध चित्र हैं।

[ ७० सि० ]

**वेस्ट लैंड ( Waste Land )** सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, टी० एस० इलियट की प्रमुख काव्यरचना। इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, यद्यपि इसमें कुल ४३३ पंक्तियाँ हैं। यह बहुत तीव्र और गहरी संवेदना से लिखा हुआ काव्यग्रंथ है।

इसका प्रकाशन सन् १९२२ में हुआ। यह प्रथम महासमर के बाद का काल था। इलियट इस काव्य में बंजर धरती का वर्णन करते हैं, जहाँ फुल भी नहीं उगता। न यहाँ जल है, न छाया। वे रोमन कैथलिक विश्वासों के कवि हैं। जिस बंजर भूमि का वे वर्णन

करते हैं, वह आस्था और विश्वासों से रहित भूमि है। महासमर के बाद संपूर्ण देश ही बीरान और उजड़ा लगता था।

'वेस्ट लैंड' एक नई शैली की कविता है। इसमें अनेक सूत्र एक साथ जुड़े हैं और वे उनका दिए गए हैं। अनेक पंक्तियाँ पुराने साहित्य की प्रतिबन्धनियाँ जगाती हैं। कहीं विदेशी भाषाओं के प्रयोग हैं, कहीं विचित्र उपमाएँ हैं। कहीं अतीत का वर्णन है, कहीं वर्तमान का। कहीं यथार्थवादी चित्र हैं, कहीं रोमैटिक चित्र।

'वेस्ट लैंड' में प्राधुनिक यूरोपीय जीवन की गहरी पीड़ा व्यक्त हुई है। इसका स्वर दुःखान्त काव्य का स्वर है। शैली और टेकनीक की दृष्टि से इस रचना का अंग्रेजी काव्य के विकास पर भारी प्रभाव पड़ा है। ( दे० इलियट. टी० एस० ) [ प्र० च० गु० ]

**वेस्पूचि अमेरीगो (Vespucci, Amerigo, १४५४-१४९२ ई०)**

इटाली नाविक तथा सीदागर थे। इनके पैतृक नाम अमेरीगो पर अमरीका महादेश का वर्तमान नाम पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने इसे नई दुनिया के रूप में पहचाना। वेस्पूचि अमेरीगो का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने जमाने में ये असाश देशान्तर की गणना में सबसे कुशल व्यक्ति थे। फ्लोरेंस में मेडिसी (Medici) के व्यापारिक कार्यालय में लिपिक का कार्य करने के काल में इनकी अभिरूचि भूगोल के अध्ययन तथा ग्लोब, रेखाचित्र एवं मानचित्रों के संग्रह में लगी और क्रमशः ये कुशल मानचित्रकार भी बन गए। १४८६ ई० तथा १४९१ ई० के बीच ये मेडिसी के प्रतिनिधि स्वरूप किसी महत्वपूर्ण कार्यवश बारसेलोना भेजे गए। १४९३ ई० में इनका संबन्ध जानेतो बेरार्डी (Giannetto Berardi) के सेविल स्थित व्यापारगृह से हो गया। बेरार्डी स्पेन के राजा के अधीन था। सेविल स्थित व्यापारगृह ऐंटलेटिक महासागर के आरंभ अभियान करनेवाले पोर्तो के निर्माण का ठेका लेता था। जानेतो की मृत्यु के पश्चात् उसके काम को वेस्पूचि ने संभाला और इस प्रकार संभवतः कोलंबस की दूसरी समुद्री यात्रा के लिये पोतनिर्माण में वेस्पूचि ने हाथ बटाया।

वेस्पूचि की समुद्रयात्राएँ १४९७-१५०५ ई० की अवधि में हुईं। मई, १४९६ ई० तथा जून, १५०० ई० के बीच स्पेन के अभियान में वेस्पूचि ने नाविक की हैसियत से भाग लिया। इस यात्रा में एमाडान का मुहाना, ओरिनीको का मुहाना आदि का पता लगा। वेस्पूचि ने समझा कि वे सुदूर पूर्व एशिया प्रायद्वीप का चक्कर लगा रहे हैं तथा इसके आगे एशिया के समुद्र मिलेंगे। ३ मई, १५०१ ई० को सिलोन तथा हिंदमहासागर में पहुँचने के विचार से पुर्तगाल सरकार के तत्वावधान में इनका दूसरा अभियान हुआ। इसमें वे ब्राजिल तट से होकर पैटागोनिया तट के आगे सान सुलिना (San Sulina) की खाड़ी के आसपास तक गए।

भौगोलिक अन्वेषणों के इतिहास में इस यात्रा का बड़ा महत्त्व है। इसके बाद वेस्पूचि तथा अन्य विद्वानों को इस बात का विश्वास हो गया कि उपर्युक्त भाग एशिया के नहीं बरन् नई दुनिया के हिस्से थे। १५०८ ई० में वेस्पूचि स्पेन के प्रमुख नाविक नियुक्त हुए। साथ ही साथ नए खोजे गए देशों एवं उन तक पहुँचने

के रास्तों के नक्शे बनाने एवं विभिन्न घात कमानों द्वारा प्रेषित भाँटों की तुलना एवं व्याख्या करने का काम भी इन्होंने संभाला। यह कार्य वे अपने मृत्यु काल तक करते रहे। [ ज० सि० ]

**वैक्य** १. नगर, स्थिति : ४६° २०' उ० अ० तथा १२३° १०' प० दे०। केनाडा का यह नगर गेहूँ की विश्वविख्यात मंडी है। यह नगर एवं बंदरगाह केनाडा के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित है। यहाँ आवागमन के साधन बहुत अच्छे हैं। यह नगर रेल द्वारा पश्चिम में ऐलबर्न एवं दक्षिण में प्रादेशिक राजधानी विक्टोरिया से मिला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या लगभग ७,६०,१६५ (१९६१) है।

२. नगर, स्थिति : ४५° ४०' उ० अ० तथा ११२° ३५' प० दे०। यह संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिण पश्चिमी वाशिंगटन में कोलंबिया नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। कोलंबिया नदी का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के कारण यह नगर व्यापार का केंद्र है। यहाँ अनाज और कागज की लुग्दी का व्यापार होता है। यह सेना का स्थायी केंद्र है। नगर की जनसंख्या लगभग ४१,६६४ (१९५०) है। [ नि० की० ]

**वैक्सीन और वैक्सीन चिकित्सा ( Vaccine and Vaccination )** शरीर की विभिन्न रक्षापंक्तियों को भेदकर परजीवी रोग-कारी जीवाणु अथवा विषाणु शरीर में प्रवेश कर पनपते हैं और जीवविष (toxin) उत्पन्न कर अपने परपोषी के शरीर में रोग उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इनके फलस्वरूप शरीर की कोशिकाएँ भी जीवविष तथा उसके उत्पादक सूक्ष्म कीटाणुओं की आक्रमण प्रगति के विरोध में स्वाभाविक प्रतिक्रिया द्वारा प्रति-जीवविष (antitoxin), प्रतिरक्षी (antibody) अथवा प्रतिरक्षित पिंड (immune body) उत्पन्न करती हैं। कीटाणुओं के जीव-विषनाशक प्रतिरक्षी के विकास में कई दिन लग जाते हैं। यदि रोग से तुरंत मृत्यु नहीं होती और प्रतिरक्षी के निर्माण के लिये पधेष्ट अवसर मिल जाता है, तो रोगकारी जीवाणुओं की आक्रमण शक्ति का ह्रास होने लगता है और रोग क्षमन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जिस जीवाणु के प्रतिरोध के लिये प्रतिरक्षी उत्पन्न होने हैं वे उसी जीवाणु पर अपना घातक प्रभाव डालते हैं। आंत्र ज्वर (typhoid fever) के जीवाणु के प्रतिरोधी प्रतिरक्षी प्रवाहिका (dysentery) अथवा विषूचिका (cholera) के जीवाणुओं के लिये घातक न होकर केवल आंत्र ज्वर के जीवाणु को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। प्रतिरक्षी केवल अपने उत्पादक प्रतिजन (antigen) के लिये ही घातक होने के कारण जाति विशेष के कहलाते हैं।

यदि किसी के शरीर में किसी रोगविशेष के रोगनिरोधी प्रतिरक्षी उस रोग के जीवाणु द्वारा संक्रमण होने के पूर्व ही प्रचुर मात्रा में विद्यमान हों, तो वह जीवाणु रोग उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। यदि प्रतिरक्षी की मात्रा अपर्याप्त हो, तो हलका सा रोग होने की संभावना रहती है। संक्रमण होने पर रोगनिरोधी प्रतिरक्षियों की उत्पत्ति के कारण यह देखा गया है कि एक बार रोग

हो जाने पर वही रोग दूसरी बार कुछ काल तक नहीं होता। एक बार चेचक हो जाने पर दूसरी बार इस रोग के होने की संभावना प्रायः नहीं रहती। कुछ बालरोग शिशुकाल में हो जाने पर मुँहासा या जरावस्था में पुनः नहीं होते। इसी सिद्धांत के आधार पर कृत्रिम टीके (vaccination or inoculation) द्वारा रोगनिरोधी प्रतिरक्षी शरीर में उत्पन्न कर, रोगविशेष की रोकथाम सफलता पूर्वक की जाती है।

टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोगनिरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। प्राकृतिक रूप से तो प्रतिरक्षी रोगाक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं, परंतु टीके द्वारा एक प्रकार का शीतयुद्ध छेड़कर शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण कराया जाता है। रोग उत्पन्न करने में असमर्थ मृत जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश होते ही प्रतिरक्षियों का उत्पादन होने लगता है। मृत जीवाणुओं का उपयोग सर्वथा निरापद होता है किंतु कुछ रोगों में जीवित जीवाणुओं का उपयोग आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में जीवित जीवाणुओं की आक्रमण शक्ति को निर्बल कर उन्हें पहले निस्तेज कर दिया जाता है जिससे उनमें रोगकारी क्षमता तो नहीं रहती, किंतु प्रतिरक्षी बनाने की शक्ति बनी रहती है। जो जीवाणु जीवविष उत्पन्न कर सकते हैं, उनके इस जीवविष को फार्मलिन के संयोग से शिथिल कर टीके में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के फार्मलिन प्रभावित जीवविष को जीवविषाण (Toxoid) कहते हैं। प्रति रोगनिरोधी प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिये मृत जीवाणु निस्तेजित जीवाणु अथवा जीवविषाण का प्रयोग टीके द्वारा किया जाता है। रोग-निरोधी टीके के लिये जो द्रव काम में लाया जाता है उसे वैक्सीन कहते हैं। यह वास्तव में मृत अथवा निस्तेजित जीवाणुओं का निलंबन (suspension) होता है। इसमें फिनोल अथवा कोई अन्य जीवाणुनाशक पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे वैक्सीन की शुद्धता बनी रहे।

वैक्सीन बनाने के लिये पोषक पदार्थों से युक्त अनुकूल वातावरण में जीवाणु का संजनन (cultivation) किया जाता है और फिर लवण विलयन में उनका विलयन बनाया जाता है। यदि जीवाणु को मारना आवश्यक हुआ, तो गरम जल द्वारा ६०° से० के ताप से अथवा फिनोल से निर्जोव कर दिया जाता है। विलयन में जीवाणु की संख्या का पता लगाते हैं और फिर आवश्यक मात्रा में लवण विलयन मिलाकर विलयन में जीवाणुओं की संख्या पूर्वनिर्धारित संख्या के अनुसार कर दी जाती है। आवश्यक परीक्षा द्वारा वैक्सीन की शुद्धता, निर्दोषता और प्रतिरक्षण शक्ति का पता लगाते हैं और यदि वैक्सीन शीघ्र निर्माण अधिनियम (Act) द्वारा निर्धारित विशिष्ट गुणों से युक्त है, तो इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अधिनियम के प्रत्येक नियम का पालन आवश्यक है।

रोगनिरोधन के लिये जो वैक्सीन मुख्यतः काम में लाए जाते हैं उनका सूक्ष्म परिचय इस प्रकार है :

#### (अ) विषाणुजन्य वैक्सीन

(१) चेचक विरोधी वैक्सीन — चेचक (smallpox) के विषाणु

को वैरियोला ( Variola ) कहते हैं। टीके के लिये इस विषाणु का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। यह विषाणु चेचक उत्पन्न कर सकता है, इस कारण निर्दोष नहीं है। अतः अत १५० वर्षों से वैरियोला के स्थान पर गोमसूरी (cowpox) के वैक्सीनिया (Vaccinia) नामक विषाणु का उपयोग किया जा रहा है। वैरियोला का उपयोग सभी देशों में वर्जित है। गोमसूरी का वैक्सीनिया नामक विषाणु मनुष्य में चेचक रोग उत्पन्न नहीं कर पाता परंतु उसके प्रतिरक्षी चेचक निरोधक होते हैं। गोमसूरी के विषाणु बछड़े, पड़वे या भेड़ की त्वचा में संवर्धन करते हैं। त्वचा को जल और साबुन से धो पोंछकर उसमें हलका सा खरोंच कर दिया जाता है जिसपर वैक्सीनिया का विलयन रगड़ दिया जाता है। लगभग १२० घंटे में पशु की त्वचा पर मसूरिका (pox) के दाने उठ आते हैं। अधिकतर दाने पिटका के रूप में होते हैं जिनमें से कुछ जल भ्रषवा प्रयुक्त होते हैं जिन्हें क्रमशः जलस्फोटिका और पूयस्फोटिका कहते हैं। इन दानों को खरोंचकर खुरचन एकत्र कर लेते हैं। खरोंचने का कार्य हलके हलके किया जाता है जिससे केवल त्वचा की खुरचन ही प्राप्त हो, उसके साथ रक्त न आ पाए। इस खुरचन को ग्लिसरीन के विलयन के साथ यंत्रों द्वारा पीस लेते हैं। ग्लिसरीन में गोमसूरी के विषाणु के इस विलयन को ही टीके के लिये प्रयुक्त करते हैं। उपयोग में लाने से पूर्व इस विलयन को ईथर या क्लोफार्म के वाष्प से शोधित किया जाता है और शुद्धता, निर्दोषता तथा प्रतिरक्षक शक्ति की परीक्षा की जाती है। चेचक निरोधक टीका अत्यंत लाभकारी है और इसके परिणामस्वरूप कई देशों में इस भयंकर रोग का उन्मूलन कर दिया गया है। प्रत्येक बालक को तीन से छह मास की अवस्था में टीका लग जाय और फिर पाँच पाँच वर्षों के अंतर से बराबर लगता रहे, तो चेचक रोग की संभावना नहीं रहती। प्रायः सभी उन्नत देशों में यह टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। यह टीका सर्वथा निर्दोष है। इससे जो उत्पाद सम्भव हैं, वे नगण्य हैं। यह टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाता है। बिना टीका लगवाए कोई यात्री विदेश नहीं जा पाता। टीका लगाने के आठ दिन बाद रोगनिरोधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो कई वर्षों तक बनी रहती है। किंतु विदेशयात्रा के लिये तीन वर्ष से अधिक पुराना टीका मान्य नहीं होता (देखें टीका)।

(२) पीतज्वर निरोधी वैक्सीन — पीतज्वर (yellow fever) के निस्तेजित विषाणु को कुक्कुट के अंडों की अपरापोषिका कला (allantoic membrane) में संजनन कर निर्वात स्थान में सुखा लिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर निसंक्रमित जल में विषाणु के शुष्क चूर्ण को घोलकर तत्काल काम में लाते हैं। टीका लगने के १०-१५ दिन के अंदर ही रोगनिरोधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो प्रायः छह वर्ष तक बनी रहती है। पीतज्वर के क्षेत्र से या उस मार्ग से भारत में आनेवाले प्रत्येक यात्री को यह टीका अनिवार्य रूप से लगवाना पड़ता है।

(३) पोलियो निरोधी वैक्सीन — पोलियो भ्रषवा पोलियो माइएलाइटिस (poliomyelitis) बालरोग है। इसके विषाणु को अंदर के बृष्क में उत्पन्न कर साल्फ की विधि से वैक्सीन बनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका में साल्फ का वैक्सीन बहुत लाभदायक

सिद्ध हुआ है और कई देशों में इसका चलन बढ़ रहा है। पोलियो रोग की रोकथाम के लिये बालक को दो टीके दो से लेकर छह सप्ताह तक के अंतर से लगाए जाते हैं। यदि तीसरा टीका सात मास पश्चात् और लगवा लिया जाय, तो उसका गुण और भी अधिक प्रभावकारी होता है।

(४) इंसुल्युआ निरोधी वैक्सीन — ए तथा बी जाति के इंसुल्युआ के विषाणु को मुर्गी के अंडों की अपरापोषिका में उत्पन्न कर वैक्सीन बनाया जाता है। टीका लगाने के एक सप्ताह पश्चात् रोगनिरोधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है किंतु वह बहुत छोड़े काल तक बनी रहती है। इस वैक्सीन का अभी अधिक चलन नहीं हुआ।

(५) मालरक (Rabies) निरोधी वैक्सीन — पागल कुत्ते, गीदड़, भेड़िए आदि के काटने पर रेबीज (मालरक) रोग से बचने के लिये यह टीका बहुत लाभकर है। रोग रेबीज के वीथिका विषाणु (street virus) से होता है किंतु इसी विषाणु का निस्तेजित रूपवाला स्थिर विषाणु (fixed virus) रोगकारी नहीं है किंतु रोगनिरोधी प्रतिरक्षी का उत्पादक है। रेबीज के स्थिर विषाणु को भेड़ या खरगोश के मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं और फिर मस्तिष्क को पीसकर फिनोलयुक्त लवण विलयन में विलयन बना लेते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर आवश्यकतानुसार १४ दिन तक नित्य एक टीका लगाते हैं। इस वैक्सीन की शक्ति बढ़ाकर कुत्तों को टीका लगाकर उन्हें भी मालरक रोग से बचाया जा सकता है।

#### (आ) जीवाणुजन्य (Bacterial) वैक्सीन

(१) विषूचिका निरोधी वैक्सीन — क्षारीय पोषक तत्वयुक्त माग्नर पर विषूचिका के लोलाणु (Vibrio) उत्पन्न कर इनका लवण विलयन में विलयन बना लेते हैं। फिर फिनोल द्वारा सभी लोलाणुओं को निर्जीव कर वैक्सीन बनाते हैं। विषूचिकाकारी इनाबा (Inaba) तथा ओगावा (Ogawa) दोनों जाति के लोलाणु वैक्सीन में होते हैं और प्रति मिली लिटर में इनकी संख्या आठ अरब होती है। इसका टीका एक सप्ताह के अंतर से दो बार लगाना अधिक अच्छा है परंतु एक बार का टीका भी विषूचिका निरोध में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। रोगनिरोधी शक्ति आठ दिवस में उत्पन्न होती है। और छह मास तक बनी रहती है। टीका लगने से कोई विशेष असुविधा नहीं होती। विदेशयात्रा के पूर्व इस टीके का लगवाना आवश्यक है।

(२) टाइफाइड या आंत्र ज्वर निरोधी वैक्सीन — टाइफाइड तथा पैरा टाइफाइड ए तथा बी जाति के जीवाणु को पोषक तत्वयुक्त माग्नर भ्रषवा संश्लेषित पदार्थों में उत्पन्न कर ऊष्मा द्वारा निर्जीव कर दिया जाता है और इन निर्जीव जीवाणुओं का लवण जल में विलयन बनाते हैं तथा फिनोल में सुरक्षित रखते हैं। इस वैक्सीन में टाइफाइड के एक अरब और पैराटाइफाइड ए तथा बी के ७५-७५ करोड़ जीवाणु प्रति मिलीलिटर में होते हैं। एक सप्ताह के अंतर से दो बार टीका लेने से निरोध शक्ति एक बार के टीके की अपेक्षा अधिक बलवती होती है। प्रति वर्ष नियमित रूप से टीका लेते रहने से इस रोग की आशंका नहीं रहती।

(३) प्लेग निरोधी वैक्सीन — प्लेग के कीटाणुओं को जल-

विश्लेषित कैसीन (कैसीन हाइड्रोलाइसेट) में उत्पन्न कबके फार्मेसिन से निर्दिष्ट करते हैं, तब वैक्सीन बनाते हैं जिसे फिनील मरक्यूरिक नाइट्रेट में सुरक्षित रखते हैं। एक सप्ताह के अंतर से दो बार टीका दिया जाता है और निरोधकत्व छह मास तक बनी रहती है।

(४) क्षयनिरोधी वैक्सीन — इसे बी० सी० जी० वैक्सीन कहते हैं। संश्लेषित पोषक पदार्थ में गोक्षय के निस्तेजित कीटाणुओं को उत्पन्न कर उनसे वैक्सीन बनाते हैं। इस वैक्सीन का टीका केवल उन्हीं को, जो मँटी, (Mantoux) की ट्यूबरकुलीन परीक्षा द्वारा क्षय-संक्रमण से संबंधित निलिप्त पाए जाते हैं, दिया जाता है। इस टीके का रोग की रोकथाम करने में बड़ा महत्व है और सभी क्षय-संक्रमण-रहित व्यक्तियों को लगाना आवश्यक है। जनता में इस टीके का प्रसार व्यापक रूप से होना चाहिए। इस टीके की उपयोगिता क्षयग्रस्त निम्न देशों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी सफलता पूर्णतः प्रमाणित हो चुकी है। टीका निर्दोष, निरापद और प्रभावशाली है इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है। कल्पित अथवा नगण्य दोषों को बढ़ावा देकर टीके का विरोध करना अनुचित है। लाखों करोड़ों प्राणियों को यह टीका लग चुका है और शैशव कालीन प्राथमिक क्षयसंक्रमण की रोकथाम में यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

(५) टाइफस निरोधी वैक्सीन — अडे की अपरापोषिका कला पर टाइफस के रिक्टेट्रिया को उत्पन्न कर इसके फिनोसमुक्त विलयन को टीके के काम में लाते हैं। एक एक सप्ताह के अंतर से तीन टीके लगाए जाते हैं।

(६) कुक्कुरखाँसी निरोधी वैक्सीन — यह वैक्सीन कुक्कुर खाँसी के हीमोफाइलस पट्टुसिस नामक कीटाणु के विलयन को फार्मेसिन से निर्बीज कर फिटिकरी से अवश्लेषित कर बनाया जाता है। एक एक मास के अंतर से तीन टीके दिए जाते हैं।

(७) डिप्थीरिया निरोधी वैक्सीन — डिप्थीरिया के कीटाणु से उसका जीवविष (toxin) पृथक् कर फार्मेसिन के संयोग से जीवविषाण (toxoid) बनाते हैं जिसे फिटिकरी से अवश्लेषित कर ए० पी० टी० (Alum Precipitated Toxoid) नामक टीका बनाते हैं। एक मास के अंतर से इसके दो टीके बालकों को दिए जाते हैं। हाल ही में जीवविषाण को और भी शोधित कर पी० टी० ए० पी० (प्योरीफाइड टॉक्साइड ऐलम फॉस्फेट प्रेसिपिटेटेड) बनाया गया है जो अधिक गुणकारी कहा जाता है। वयस्क व्यक्तियों को ए० पी० टी० सहन नहीं होता, इस कारण उन्हें टी० ए० एफ० (टॉक्साइड ऐंटीटॉक्सिन फ्लोयुल) दिया जाता है जिसमें जीव-विषाण की तीव्रता को प्रतिजीवविष (antitoxin) द्वारा कम कर दिया जाता है।

(८) टेटनस अथवा अनुस्त्रंभ निरोधी वैक्सीन — यह भी डिप्थीरिया के ए० पी० टी० की तरह बनाया जाता है। एक मास के अंतर से दो टीके दिए जाते हैं। डिप्थीरिया तथा टिटनेस के टीके वस्तुतः वैक्सीन नहीं, प्रत्युत जीवविषाण हैं।

उपयुक्त रोगनिरोधी टीकों द्वारा सक्रिय रोग प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है जिसमें रोगकारी जीवाणुओं का प्रतिजन से रोगनिरोधी

प्रतिरक्षा टीका देनेवाले व्यक्ति के शरीर में ही बनते हैं। इस प्रकार की सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में कुछ समय लगता है किंतु रोगनिरोधी क्षमता दीर्घकालीन होती है। यदि सक्रिय प्रतिरक्षादायी वैक्सीन को किसी पशु में प्रयुक्त किया जाय और उसके रक्त में उत्पन्न प्रतिरक्षा किसी मनुष्य को टीके द्वारा दिया जाय, तो जो प्रतिरक्षा प्राप्त होगी वह निष्क्रिय (Passive) कहलाएगी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिये वैक्सीन के स्थान पर किसी सक्रिय प्रतिरक्षित पशु के रुधिर का प्रतिरक्षीयुक्त सीरम काम में लाते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत ही प्रभावकर होता है किंतु उसकी व्याप्ति अल्पकालिक होती है। इस कारण रोगनिरोध की अपेक्षा वह रोग की चिकित्सा में अधिक उपयोगी होता है। कुछ सक्रिय प्रतिरक्षादायी वैक्सीन चिरकालिक रोगों की चिकित्सा के लिये भी प्रयुक्त किए जाते हैं। किंतु मवीन संश्लेषित और ऐंटीबायोटिक औषधियों के प्रसार से चिकित्सा में वैक्सीनों का प्रयोग बहुत कम हो गया है।

रुधिर में पाया जानेवाला गामा ग्लोब्यूलिन रोगनिरोध में बहुत सहायक होता है। रोमांतक अथवा मसरिका (measles) की रोकथाम में गामा ग्लोब्यूलिन देना लाभदायक है। जिन संक्रामक रोगों की रोकथाम या चिकित्सा के लिये कोई विशेष औषधि ज्ञात नहीं है उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के रुधिर का सीरम काम में लाते हैं जो हाल ही में उस रोग से मुक्त हुआ हो। रोगमुक्त व्यक्ति के रुधिर के सीरम में प्रतिरक्षी होते हैं, जो रोग घटन के लिये रोगियों को दिए जाते हैं। इस प्रकार क प्रतिरक्षीयुक्त रुधिर का सीरम प्राप्त करने के लिये रुधिर बैंक खोलने की आवश्यकता है जिसमें रोगमुक्त व्यक्ति, रोगियों के लाभ के लिये अपना रुधिर दान दे सकें। रुधिराधान (blood transfusion) द्वारा भी दाता के रुधिर के विशेष प्रतिरक्षी रुधिर ग्रहण करने-वाले को प्राप्त हो जाते हैं।

बालरोगों में डिप्थीरिया, टेटनस और कुक्कुरखाँसी के प्रतिषेध के लिये सक्रिय प्रतिरक्षाकारी जीवविषाणों तथा वैक्सीनों को मिलाकर त्रिधर्मी वैक्सीन बना लेते हैं जिससे उपयुक्त तीनों रोगों के लिये एक ही टीका दिया जा सके। अब त्रिधर्मी वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन भी मिलाकर चारों रोगों का प्रतिषेध एक साथ किया जा सकता है (देखें 'संक्रमण')। [ ३० शं० गा० ]

वैज्ञानिक 'अनुसृति' (६।२१) में वानप्रस्थ यतियों के लिये, वैज्ञानिकमत में स्थित रहकर फलादि के सेवन वा निर्देश मिलना है। इस प्राचीन मत का संबंध 'कृष्ण यजुर्वेद' की 'श्रीग्वेय' शाखा से है और इसके अपने 'गृह्यसूत्र', 'धर्मसूत्र', 'श्रीतसूत्र' एवं 'मंत्रसंहिता' ग्रंथ भी हैं। इसकी आचार्यपरंपरा विखनस मुनि से आरम्भ होती है जिनके पिता नारायण, माता हरिप्रिया तथा पुत्र भृगु, आदि कहे गए हैं और जिनके अनंतर आनेवाले दो आचार्य क्रमशः कश्यप एवं मरीचि बतलाए गए हैं। मरीचि का 'वैखानस आगम' ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें ७० पटल हैं और जिसमें इस मत का बहुत कुछ परिचय मिल जाता है। इसके अनुसार परमात्मा की चार मूर्तियाँ 'विष्णु', 'महाविष्णु', 'सदाविष्णु' तथा 'सर्वव्यापी' नाम की होती हैं जिनसे फिर चार ग्रंथ क्रमशः 'पुरुष', 'सत्य', 'अच्युत' एवं 'अनिरुद्ध' उत्पन्न

होवे हैं और इन्हीं से युक्त रहकर नारायण 'पंचमूर्ति' कहे गए हैं जिनके नामजप, हुत, ध्यान एवं अर्चन द्वारा जीवों का मर्यादबन्धन दूर किया जा सकता है। इन विष्णु वा नारायण की वैसी मूर्ति की स्थापना के लिये विशिष्ट मंदिर के निर्माण का विधान है जहाँ पर, वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी सम्मूह आराधना करके 'आमोद', 'प्रमोद', 'संमोद' एवं 'वैकुण्ठ' नामक लोकों तक पहुँचा जा सकता है तथा क्रमशः सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर समूर्त की आराधना से समूर्त के पूजन को श्रेष्ठ ठहराया गया है और भक्तियों की चर्चा भी प्रायः गौण रूप से ही की गई मिलती है। 'वैखानस गृह्य सूत्र' में जो वैत्री पूणिमावाले पूजन की विधि निविष्ट है उसके पीछे कृषि, पशु, वाम एवं जन के कल्याण की भी भावना काम करती है।

इस मत की चार शाखाएँ मानी जाती हैं जिन्हें आश्वय, काश्य-पीथ, मारीच एवं भार्गव कहा गया है और इनकी केवल संहिताएँ मात्र ही मिल्न हैं। इसका प्रागम, पांचराज भाषन से कहीं अधिक प्राचीन वैदिक परंपरा का अनुसरण करता है और इसका प्रभाव, स्वामी रामानुजाचार्य के समय से कम होते आने पर भी, अभी दक्षिण में तिरुपति आदि कई स्थानों पर पाया जाता है। 'गीतमधमसूत्र' ( ३।२ ) 'बोधायन धर्मसूत्र' ( २।६।१७ ) एवं 'वसिष्ठधर्मसूत्र' ( ६-१० ) में दानप्रस्थ पतियों को 'वैखानस' कहा गया है तथा कालिदास, भवभूति एवं तुलसीदास, आदि की रचनाओं में भी, इन दोनों को अभिन्न माना गया है। ( ६० क्रमशः शाकुंतल अं० १ श्लो० २४, उ० रा० अं० १ श्लो० २५ तथा 'मानस, अयो० दो० १७३, २०६, २२४, आदि । ) [ प० व० ]

**वैगन ( Wagon )** कोई भी चौपटिया बाहन जो केवल माल ढोने के काम में आता है वैगन या माल डिब्बा कहलाता है। जैसा भारी काम इनसे लिया जाता है उसी के अनुरूप इनकी बनावट भी होती है। बनावट में सुंदरता और सजावट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना ध्यान उनकी दृढ़ता पर दिया जाता है। बहुत भारी बोझा सदा रहने के कारण वैगनों के नीचे के फ्रेम पर स्थितिज दाब तथा विशेष खिंचाव बल पड़ते हैं और शॉटिंग (shooting) के समय उपयुक्त स्थितिज दाब के प्रतिरक्त भारी मात्रा में संघट्ट बल भी पड़ता है। इनके प्रत्येक अवयव की अभिकल्पना करते समय ढाँचे को, उक्त सब प्रकार की दाबों तथा बलों को सह सकने योग्य बनाने तथा अवांछित प्रकार की विषम परिस्थितियों से बचाने के उपाय सोचने की तरफ निर्माता को ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इनकी चौड़ाई तथा ऊँचाई किसी विशेष मानक के अनुसार सीमित रखी जाती है।


प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक विभिन्न देशों की विभिन्न रेलवे तथा उपयोगकर्ता व्यापारिक संस्थाएँ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माल डिब्बे स्वयं बनवा लिया करती थी। वे माल डिब्बे किसी एक मानक नियमावली के अनुसार न बने होने के कारण रेल के यातायात मार्गों पर चलते समय बड़ी बड़ी अड़चनें पैदा करते थे। अतः जब रेलवे प्रबंधकों ने वैगन बनाने का काम हाथ में लिया, तब उन्होंने माल डिब्बों के मानकीकरण का काम शुरू किया,

जिसमें ४-५ वर्षों के भीतर ही काफी प्रगति हुई। पहले बड़ी लाइनों के १० से २० टन तक माल लादने के वैगनों का फिर ३० से ४५ टन तक भार लादने योग्य, बोगीयुक्त लंबे वैगनों का मानकीकरण किया गया। बड़े वैगनों का प्रचार अधिक न हो पाया। ऐसे बड़े वैगनों का उपयोग रेलवे विभाग तथा बड़ी गैस कंपनियाँ ही अधिक मात्रा में कोयला भंगवाने के लिये करती हैं। जब तक बोगी वैगन नहीं बने थे, तब तक बहुत लंबी चीजें लादने के लिये दो दो या तीन तीन खुले वैगनों का भी एक साथ उपयोग किया जाता था। लेकिन अब बहुत लंबे तथा मजबूत बोगी वैगन बन जाने से इस प्रकार के काम में बहुत सुविधा हो गई है। चित्र ( देखें फलक ) में ४५ टन भार लादने योग्य ५५ फुट गेज का एक खुला वैगन दिखाया गया है और चित्र में बोगीयुक्त बोल्स्टर दिखाए गए हैं ( देखें फलक )। इनमें ७० फुट लंबाई तक का सामान ले जाया जा सकता है। इनके केंद्रीय तकियों ( bolsters ) के बीच का फासला ही ४० फुट है।


रेल यातायात में छोटे वैगनों का अधिक उपयोग होने के कारण, उन्नत प्रकार के माल गोदामों में वैगन तोलने के तुलायंत्र, टर्न टेबल और ट्रैवर्सर आदि यंत्र भी १२ फुट फासले के खकीवाले वैगनों के लिये ही लगाए जाते हैं, और मालगोदाम साइडिंग ( siding ) भी उन्हीं के अनुसार बनाई जाती हैं। कोयले की खानों में कोयला छांटने के जो यंत्र लगे होते हैं, वे भी इन्हीं वैगनों के नाप के होते हैं। इन यंत्रों के द्वारा कोयला सीधा ही वैगनों में गिराकर भर दिया जाता है। कोयला खर्च करनेवाले स्टेशनों पर कोयला रखने की जो विशेष कोठियाँ होती हैं, वे इन वैगनों के नीचे सही सही प्रा जाती हैं, और वैगन के नीचे का दरवाजा खोलते ही पूरा वैगन उन कोठियों में एकदम खाली हो जाता है। इसी प्रकार से कोयले की मोटर ट्रकें भी वैगन के नीचे रखकर भर दी जाती हैं। इंजन गोदामों के बड़े स्टेशनों पर इसी प्रकार से इंजनों के टैंकरो में भी वैगनों से सीधा ही कोयला भर दिया जाता है जिससे परिश्रम और समय की बचत हो जाती है। पर्यटन की गिट्टियाँ लादने के लिये विशेष प्रकार का वैगन ( देखें फलक ) और कोयला लादने के बोगीयुक्त विशेष प्रकार के बड़े वैगन ( देखें फलक ) होते हैं।

जिन देशों में लकड़ी बहुतायत से मिल जाती है, वहाँ छोटे वैगनों का ऊपरी ढाँचा लकड़ी से बनाना बड़ा सुविधाजनक तथा सस्ता रहता है, क्योंकि प्रथम तो लकड़ी पर यंत्रोपचार बड़ी जल्दी हो जाता है, दूसरे छोटे स्टेशनों पर उनकी मरमत भी सरलता से हो सकती है। जिन इलाकों के वायुमंडल में अमोनिया गैस तथा अन्य ऐसे रासायनिक पदार्थों के कारण, जिनके कारण इस्पात की बनी वस्तुओं का अपरदन ( erosion ) बड़ी जल्दी होने लगता है, मिले रहते हैं, अथवा उस क्षेत्र में मिलनेवाले कोयले के षटकावयव ही ऐसे हों जिनपर बरसाती पानी पड़ने से वैगनों के इस्पाती अवयवों का अपरदन बड़ी शीघ्रता से होने लगे, वहाँ वैगनों के ढाँचे लकड़ी से बनाना ही लाभकर रहता है। कुछ लोहे से बने अवयवों पर उपयुक्त यातावरण आदि वा इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता जितना इस्पात के बने वैगनों के अवयवों पर होता


वैगन ( प्लेट १७ : २७७ )



कोयला वैगन ( जमन स्टेर रेलवे )  
वजन धारिता ६० टन ।



ढकी भाजगाड़ी, हाथमक सहित  
धारिता ४० टन ।




बिहारी परार्थ ढोके का वाहन

## वेगन ( पृष्ठ १७६-१७७ )



### बोगीयुक्त खुला वेगन

४५ टन भार लादने योग्य, समयभार ५६ टन ५ हंड्रेडवेट, समय चारिता १२२८ घन फुट ।



### ६० टन ट्रेसकोमर ट्राकी ( लंदन मिडलैंड और स्कॉटिश रेलवे )

प्रधान बोल्टरो के केंद्रों के बीच का फासला ८० फुट; बोगी के चक्को का फासला ५ फुट ६ इंच; रेल की सतह से गड्ढर की अत्यधिक ऊंचाई ७ फुट १० इंच; खाली गाड़ी का भार ३१ टन १० हंड्रेडवेट तथा ६० टन लदान पर, प्रति घुरे का भार ११ ४४ टन ।



### हॉपरयुक्त मिट्टीबाहक वेगन



है। हाँ, यदि कृत्रिम कोह-अयस्क इस्पात के बने बैगनों में सादा जाए, तो उसका बुरा प्रभाव नहीं बढ़ता। लकड़ी से बने बैगनों के ढाँचों के क्षेत्र यदि इस्पात के बनाकर, उन्हें अपरदन विरोधी किसी रंग रोपन से पोतें, क्षेत्र पर लकड़ी के तबले कसकर फिर उन्हें रंग दिया जाए और समय समय पर तबलों एवं फम को रंगते रहें, तो उनकी उमर बढ़ सकती है।

२० टन से अधिक भार धारित जाने योग्य बैगनों को तो पूर्णतया इस्पात का ही बनाने का रिवाज है। प्रारंभ में २० टन से अधिक भार धारित जानेवाले बैगन में, जिनके चक्कों का फासला १२ फुट से अधिक होता था, तीन बुरे धर्मात् ६ पहिए लगाने की प्रथा थी, जो ध्वज बोगियों का प्रचार हो जाने से बंद हो गई ( देखें फक्क )।

आजकल फल, दूध आदि विकारी, धर्मात् जल्दी बिगड़ जानेवाले पदार्थों को जल्दी जल्दी ढोने के लिये एक्सप्रेस भाग गाड़ियाँ चलाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। अतः इनके लिये विशेष प्रकार से बने तथा छत्रवाले बैगनों का उपयोग होता है ( देखें फक्क )। आधुनिक प्रकार के इन बैगनों में, दोनों तरफ, पंचयुक्त कपलिंग, बफर, बैकयुद्धम द्वारा स्वचालित ब्रेक तथा लीवर, या चकरी और पेंच द्वारा चालित हाथ ब्रेक अवश्य लगाए जाते हैं। फक्क में ब्रेक आदि का प्रबंध स्पष्ट दिखाया गया है। जो बैगन जिस किसी विशेष काम के लिये बचाया जाता है, उसमें उस काम के उपयोगी उपकरण भी लगाए जाते हैं। गोस्त तथा मछली आदि आभिस पदार्थ ढोने के लिये वातायुद्धित बैगन बचाए जाते हैं। पशुधर्मों को ढोने योग्य बैगनों में हवा के लिये उपयुक्त प्रकार की आलियाँ, सफाई करवे तथा पोबर आदि उँकड़े के लिये विशेष सिड़की बनाई जाती है तथा उनका फर्श चापर से बचाया जाता है। बोड़े के आविषाके बैगनों में उपयुक्त पशु बैगनों की सब विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ आइबंद तथा आड़ी दिशा में कुछ गद्दीदार दीवारें बनाकर प्रत्येक बोड़े के लिये एक एक खाना बना दिया जाता है, जिससे कीमती बोड़ों को सफर करवे में कष्ट न हो। इन बैगनों में आगे और पीछे साईसों के लिये काम करने का गलियारा बना दिया जाता है और इनमें पानी का भी प्रबंध होता है। मोटर गाड़ियों को ढोने के लिये जो बैगन बनते हैं, उनका प्रवेशद्वार सिरे की तरफ रहता है, जिससे डेड एंड ( dead end ) प्लेटफार्म से मोटर गाड़ी सीधी ही भीतर डकेल दी जा सके। बैगन के भीतर लकड़ी की गई मोटर गाड़ी की स्थिरता से बांधने के लिये आवश्यक साधन भी लगाए जाते हैं। तेल तथा अन्य प्रकार के द्रवों को ढोने के लिये टंकीनुमा बैगन भी, जिनपर उन्हें खाली करने तथा भरने के वाल्व, पंप और द्वार भी होते हैं, बनाए जाते हैं। पेट्रोल आदि ढोने के लिये विशेष प्रकार की टंकिर्था बनाई जाती है, जिससे उन द्रवों के कारण नार्ब में कोई क्षतरा न उपस्थित हो।

बैगनों का बृहत् उत्पादन — आजकल बैगनों के ध्वयवों तथा पुजों का पूर्णतया मानकीकरण हो चुका है, जिससे उनके बृहत्-उत्पादन तथा भरभ्रमल में सुविधा रहे। ओकोनोटिन पब्लिशिंग कंपनी, ११-२२

बंदन, द्वारा प्रकाशित एक लेख के आधार पर डरबी नगरस्थ, एल० एम० ऐंड एस० ( L. M. & S. ) रेलवे के कारखाने में होनेवाली बृहत् उत्पादन के लिये प्रयुक्त प्रणाली का सारांश यहाँ दिया जा रहा है।

बहुमुखी रंनों आदि बंधों पर लकड़ी के समस्त ध्वयवों को सही सही नाप में बनाकर, बहुत से बरमे एक साथ लगे छिद्रणयंत्रों पर, एक समान अनेक ध्वयवों को एक साथ ऊपर नीचे रखकर, छेद दिया जाता है, जिससे समय की बहुत बचत हो जाती है। इन बंधों में लगे बरमों तथा कटरों के फासले पहले से ही सही सही समायोजित कर लिए जाते हैं, जिससे कम से कम प्रक्रियाओं में ही काम चल जाता है। इस्पात की चादरों से बने ध्वयव यांत्रिक कैचियों तथा प्रेसों पर काटे एवं मोड़े जाते हैं। इनमें छेद करने का काम जिगों की सहायता से बरमा बंधों द्वारा किया जाता है, जिससे प्रत्येक ध्वयव पर छेदों का अलग अलग रेखांकन न करना पड़े और सब छेद पूर्व निश्चित फासलों पर एक ही नाप के बन जाएं।

बैगन के ध्वयवों को उक्त प्रकार से बनाने के बाद, एक दूसरे से जोड़ने का काम पूर्वसुनिश्चित योजना के अनुसार, क्रमानुसार प्रक्रियाओं से किया जाता है। इन प्रक्रियाओं का समय भी अनुभव के आधार पर पहले से ही विचारित किया होता है। विभिन्न ध्वयवों को सही स्थान पर जोड़ने की क्रिया जिगों द्वारा की जाती है। ध्वयवों को उठाने, ले जाने तथा उपयुक्त स्थान पर भरने का काम, संपीडित वायु की दाब से चलनेवाले ह्विसों (hoists) और बेलनयुक्त बाहुकों ( conveyers ) से किया जाता है। ध्वयवों को यथास्थान जड़ते समय, स्थिरता से धामने का काम अलशाक्ति-चालित धिकजों से किया जाता है। इन ध्वयवों को आपस में जोड़ने में सहायता करनेवाला जिग इस प्रकार का बचा होता है कि उसके कारण प्रत्येक ध्वयव अपने स्थान पर सीधा एवं ठीक ठीक ही बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। द्विबरी और पेंचों को कसने तथा रिबट लगाने का काम संपीडित वायुचालित उठीधा यंत्रों से होता है। साथ ही साथ आवश्यक स्थानों पर बिजली द्वारा बेल्टिंग भी होता रहता है। उपयुक्त कारखानों में एक बैगन को जोड़कर खड़ा करने की क्रिया में, प्रारंभ से अंत तक, लगभग २२ घंटे लगते हैं और ट्रेवर्सर द्वारा प्रति बीस मिनट में एक बैगन रस्ते द्वारा लिचकर अपने आगे के स्थान पर डकेल दिया जाता है तथा इस बैगन द्वारा खाली की गई जगह में पीछे की तरफ बननेवाले अन्य बैगन क्रम से आते रहते हैं। बैगनों को रंगने आदि का काम संपीडित वायुचालित फुहारों से होता है। रंगाई किए जानेवाले स्थान का ताप तथा सवातन का प्रबंध भी ऐसा होता है कि बैगनों के रंग को सूखने में देर नहीं लगती।

ख० घ० — रेलवे कैरेज एंड बैगन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस

[ ख० ना० ख० ]

वैज्ञानिक विधिर्था विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान है। यद्यपि मनुष्य प्राचीन समय से ही प्रकृति संबंधी ज्ञान प्राप्त करता रहा है, फिर भी विज्ञान धर्माचीन काळ की ही देन है। इसी युग में इसका

प्रारंभ हुआ और बोड़े समय के भीतर ही इसने बड़ी उन्नति कर ली है। इस प्रकार संसार में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और एक नई सभ्यता का, जो विज्ञान पर आधारित है, निर्माण हुआ। मनुष्य के लिये अग्य लोग की यात्रा स्वप्नमात्र थी, वह अब साकार होती दिखाई पड़ती है। प्रश्न यह है कि विज्ञान की द्रुत गति से जो उन्नति हुई, उसका श्रेय किसे है? क्या प्राचीन काल के मनुष्य इन अर्वाचीन वैज्ञानिकों की अपेक्षा बुद्धि कम रखते थे? यदि ऐसी बात है, तो दर्शन, साहित्य एवं ललित कलाओं की उन्नति प्राचीन समय में इतनी अधिक क्यों हुई? संभवतः इसका रहस्य उन वैज्ञानिक विधियों में निहित है, जिनका प्रथम पाकर विज्ञान इतनी उन्नति कर सका है। इसके लिये आवश्यक है कि वैज्ञानिक गतिविधि पर विचार किया जाय।

अर्वाचीन विज्ञान का प्रारंभ लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व हुआ। बीसा ऊपर कहा गया है, प्राचीन काल में भी विज्ञान की कुछ उन्नति हुई, किन्तु उसका क्रम आगे न बढ़ पाया। इसलिये कुछ बात इसके पीछे अवश्य रही होगी। वस्तुतः प्राचीन काल के मनीषियों ने जो भी ज्ञान अर्जित किया, उसे बुद्धिवादी कहना ठीक होगा। अपनी बुद्धि और तर्क के बल पर ज्ञान की उच्च कोटि की बातें उन्होंने बताईं, किन्तु उनके प्रसार और वर्धन की व्यवस्था नहीं थी और संसार भर में उनका व्यापक प्रचार और प्रसारण नहीं हो पाया। अर्वाचीन विज्ञान इसके विपरीत प्रायोगिक ज्ञान है, जिसका प्रारंभ में बड़ा विरोध हुआ। इसी के फलस्वरूप गैलिलियो जैसे अग्रगामी वैज्ञानिकों को कड़ी यातनाएँ सहनी पड़ीं। फिर भी प्रयोग द्वारा सत्यापन विधि के भीतर ही प्रसारण का बीज भी छिपा हुआ था। इस प्रकार जो ज्ञान मिलता गया, वह एक भ्रंशला में बाधक हो चला, जिसका क्रम आगे भी जारी रहा। इस ज्ञान से शक्ति के नए नए स्रोतों का पता चला और परिणामस्वरूप न केवल इसका विरोध कम होता गया अपितु एक बहुत बड़ी क्रांति समाज में हुई। मशीन युग का सूत्रपात हुआ और संसार में भाषा की एक नई किरण सामने आई। किन्तु जिस प्रकार सभी वस्तुओं के साथ अच्छाई और दुर्गाई दोनों के पहलू जुड़े हुए हैं, विज्ञान भी मानव के लिये केवल वरदान ही न रहा, उसका पैशाचिक रूप हिरोशिमा में एटम बम के रूप में विश्व ने देखा, जिसके विस्फोट के कारण संसार के विनाश तथा प्रलय की लीला का दृश्य उपस्थित हो गया। इस प्रकार संसार के सामने 'सत्य को केवल सत्य के लिये' खोज न करने की आवश्यकता जान पड़ी और 'सत्यं शिवं सुंदरम्' के आदर्श को विज्ञान जगत् में भी अपनाना ही श्रेयस्कर मान्य हुआ। विज्ञान इस प्रकार नियंत्रित होकर ही मानव कल्याण में योगदान कर सकता है। इसी नियंत्रण के फलस्वरूप परमाणवीय अट्टिया बनीं, जो एक प्रकार से नियंत्रित एटम बम मात्र हैं, किन्तु जिनसे अपार सुविधाएँ मिल सकती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अग्य काल में ही विज्ञान ने बड़ी उन्नति की और इसका सब श्रेय प्रयोगविधि को है, जिसका उपयोग प्राचीन समय में नहीं किया गया था। इस प्रयोगविधि में प्रयोग का महत्त्व सर्वोपरि है, फिर भी अग्य और विधियों का उपयोग भी एक विशेष ढंग और क्रम से किया जाता है, जिन्हें हम वैज्ञानिक विधियाँ कह

सकते हैं। विज्ञान के अध्ययन में जिन विधियों का उपयोग सामूहिक रूप से अथवा प्रांशिक रूप से किया जाता है, उनका नीचे वर्णन किया जा रहा है:

(१) निरीक्षण — जिस प्राकृतिक वस्तु या घटना का अध्ययन करना हो, सबसे पहले उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण आवश्यक है। यदि कोई घटना क्षणिक हो, तो उसका चित्रण कर लेना आवश्यक है, ताकि बाद में उसका निरीक्षण हो सके, जैसे ग्रहण। निरीक्षण के लिये सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का उपयोग किया जा सकता है, ताकि अधिक विस्तार के साथ और ठीक ठीक निरीक्षण हो सके। यदि अग्य लोग भी निरीक्षण का कार्य कर रहे हों, तो उसका स्वागत करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से अलग से किए गए निरीक्षणों के साथ अपने निरीक्षण की तुलना करनी चाहिए। निरीक्षण का कार्य इतनी लगन और तन्मयता से करना चाहिए कि केवल निरीक्षित वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित रहे, जैसे भर्जुन को वाण-विद्या के परीक्षण के समय केवल पक्षी का सिर दिखालाई पड़ रहा था। कभी कभी किसी वस्तु के विषय में मस्तिष्क में पहले से कुछ धारणा बनी रहती है, जो निष्पक्ष निरीक्षण में बहुत बाधक होती है। निरीक्षण के समय इस प्रकार की धारणाओं से उन्मुक्त होकर कार्य करना चाहिए।

(२) वर्णन — निरीक्षण के साथ ही साथ, या तुरंत बाद, निरीक्षित वस्तु या घटना का वर्णन लिखना चाहिए। इसके लिये नये तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पढ़नेवाले के सामने निरीक्षित वस्तु का चित्र खिच जाय। जहाँ कहीं आवश्यकता हो, अनुमान के द्वारा अंकों में वस्तु के गुणविशेष की माप दे देनी चाहिए, किन्तु यह तभी करना चाहिए जब बैसा करना बाद में उपयोगी सिद्ध होनेवाला हो। फूलों के रंग का वर्णन करते समय अनुमानित तरंग-दैर्घ्य देना व्यर्थ है, किन्तु किसी वस्तु की कठोरता की तुलना अग्य वस्तु की अपेक्षा अंकों में देना ही ठीक है। व्यर्थ के व्योरे न दिए जाएँ और भाषा सरल तथा सुबोध हो। देश, काल एवं वातावरण का वर्णन दे देना चाहिए ताकि वस्तु किन परिस्थितियों में उपलब्ध हो सकती है, यह ज्ञात हो सके।

(३) कार्य-कारण-विवेचन — प्रकृति के रहस्योद्घाटन में कार्य-कारण का विवेचन महत्त्वपूर्ण है। वर्षा का होना, बाढ़ की गरज, बिजली की चमक, आँधी और तूफान आदि घटनाएँ साथ हो सकती हैं। इनमें कौन किसका कारण है? प्रायः कारण पहले आता है, किन्तु केवल क्रम ही कारण का निश्चय नहीं करता। इसलिये इन बातों पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, ताकि आगे किसी प्रकार का भ्रम न पैदा हो। साथ ही विभिन्न कारणों का तारतम्य भी बंध रखना चाहिए। ये सब बातें घटना को समझने में सहायक होती हैं।

(४) प्रयोगीकरण — विज्ञान की इस युग में जो भी जीव उन्नति हो पाई, उसका एकमात्र श्रेय इस विधि को ही है, क्योंकि अग्य विधियाँ तो इसी मुख्य विधि के हृदय गिर्द संजोई गई हैं। यह तकनीक इस युग की देन है। प्राचीन समय में इसी के अभाव में विज्ञान की प्रगति नहीं हो पाई थी। अंतरिक्षयात्रा एवं पारमाणवीय शक्ति का विकास, इसी प्रयोगीकरण के कारण, संभव हो सका है।

प्रयोग और साधारण निरीक्षण में क्या अंतर है? प्रयोग में भी तो निरीक्षण का कार्य होता है। वास्तव में साधारण निरीक्षण में प्रकृति के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं दिया जाता, किंतु प्रयोग में हस्तक्षेप दिया जाता है। फलस्वरूप ऐसी संभावनाएँ एवं परिस्थितियाँ निकल आती हैं जिनसे प्रयोग के समय का निरीक्षण रहस्योद्घाटन में बड़ा सहायक होता है।

प्रयोग सत्य जानने के लिये किए जाते हैं, किंतु निरंतर वैज्ञानिक प्रयोगों के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि केवल सत्य के ही नाम पर प्रयोग करना श्रेयस्कर नहीं, यदि वह सत्य मंगलकारी न हो। उस सत्य से क्या लाभ जिसके फलस्वरूप सारे संसार का विनाश निश्चितप्राम हो। इसलिये भ्रष्टा ही है कि इस समय सारे संसार में परमाणवीय परीक्षण का विरोध हो रहा है। सत्य की खोज के वास्ते ही यह परीक्षण कुछ राष्ट्रों के द्वारा होते रहते हैं, किंतु उसके परिणामस्वरूप रेडियो ऐक्टिवता बढ़ती जा रही है और हो सकता है, भविष्य में उसके कारण जनजीवन के लिये भारी खतरा पैदा हो जाय।

प्रयोग करते समय सच्चाई और ईमानदारी बरतनी पड़ती है। भ्रष्टि और भ्रष्टियों का ध्यान रखना पड़ता है। अनेक विभिन्नताओं के अध्ययन के पश्चात् कोई परिणाम निकाला जाता है। यदि कोई असंगत बात दिखलाई पड़े, तो उसे छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि ध्यानपूर्वक उसपर विचार किया जाता है। कभी कभी इसी क्रम में बड़े बड़े धाविकार हुए हैं। निरीक्षण को कई बार दुहराया जाता है और मध्यमान परिणाम पर ही बल दिया जाता है। तकनीकी भाषा में विधि, निरीक्षण एवं परिणाम का वर्णन किया जाता है।

(५) परिकल्पना — प्रयोग करने का एक मात्र उद्देश्य प्रकृति के किसी रहस्य का उद्घाटन होता है। कोई घटना क्यों और कैसे घटित होती है, इसको समझना पड़ता है। वर्षा क्यों होती है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये एक परिकल्पना की आवश्यकता पड़ती है। यदि परिकल्पना ठीक है, तो वह जाँच में ठीक बैठेगी। परिकल्पना की जाँच के लिये विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे चलकर ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आते हैं जो उस परिकल्पना की पुष्टि कर सकते हैं। यदि ऐसी बातें हैं, तो उसी परिकल्पना को सिद्धांत या नियम की संज्ञा दी जाती है, अन्यथा उसका संशोधन करना पड़ता है, या उसे छोड़ देना पड़ता है। न्यूटन के गति के नियम और आइन्स्टान का सापेक्षवाद का सिद्धांत इसके उदाहरण हैं।

(६) आगमन — जब किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के गुण ज्ञात हों, तो उनके आधार पर उस वर्गविशेष के गुणों के बारे में अनुमान लगाना उपपादन कहलाता है। उदाहरण के लिये, अ, ब, स आदि। अनुष्य मरणशील प्राणी हैं; इसके आधार पर कहा जाता है कि सब अनुष्य मरणशील प्राणी हैं। इस प्रकार के सामांसीकरण (generalisation) के लिये यह आवश्यक है कि जो नमूने इकट्ठे किए जायें, वे अनियत तरीके से किए जाएँ, नहीं तो जो परिणाम निकाला जायगा वह ठीक नहीं होगा। कभी कभी कुछ राष्ट्रियों का अध्ययन निकाला जाता है, किंतु यह ठीकी करना ठीक होगा जब ऐसा करना

तर्कसंगत हो। उदाहरणार्थ, 'लेखा जोखा पाहे, लड़का डूबा काहे' से पता चलता है कि नदी की भीतत गहराई किसी लड़के की ऊँचाई से कम होते हुए भी लड़का डूब सकता है।

(७) निगमन (Deduction) — आगमन (induction) में जो कार्य होता है, उसका उल्टा निगमन में होता है। इसमें किसी वर्ग विशेष के गुणों के आधार पर उस वर्ग के किसी सदस्य के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है, जैसे मानव मरणशील प्राणी है, इसलिये 'क', जो एक मनुष्य है, मरणशील है। निष्कर्ष निकालने की इस विधि को ही निगमन कहते हैं। इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं: निगमन व्यवहार्य और तर्कसंगत होना चाहिए।

(८) गणित और प्रतिरूप — बहुत सी बातें हमारी समझ से परे हैं, उनके समझने में प्रतिरूप (model) से बड़ी सहायता मिलती है। शरीर की आंतरिक रचना, अणुओं का संगठन आदि विषय प्रतिरूप की सहायता से अच्छी तरह बोधगम्य हो जाते हैं। गणित के द्वारा भी विज्ञान के कठिन प्रश्नों को हल करने में बड़ी सहायता मिलती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा आत्मसात् नहीं की जा सकती, जैसे पदार्थतरंगें, किंतु गणित के सूत्रों के द्वारा उनकी छानबीन संभव हो पाई है और प्रयोगों द्वारा उनकी पुष्टि भी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति में गणित का बहुत बड़ा हस्त है।

(९) वैज्ञानिक दृष्टिकोण — अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि रह जाती है। वह है किसी प्रश्न के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाना। जुले दिमाग से खोज की भावना रखकर विचार करना ही सही दृष्टिकोण है। अपने व्यक्तित्व को प्रश्न से अलग रखना चाहिए और सच्चाई एवं पक्षपातरहित भाव से किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। जीवन के रोज के प्रश्नों में भी इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना श्रेयस्कर है। [२० शं० सि०]

वैदिकन १. नगर राज्य (City State), पृथ्वी पर सबसे छोटा, स्वतंत्र राज्य है, जिसका क्षेत्रफल केवल ४४ हेक्टेयर (१०८'७ एकड़) है। यह नगर, एक प्रकार से, रोम नगर का एक भाग है। इसमें सेंट पीटर गिरजाघर, वैदिकन प्रासादसमूह, वैदिकन बाग तथा कई अन्य गिरजाघर संमिलित हैं। सन् १९२९ में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। इस राज्य के अधिकारी, ४५ करोड़ ६० लाख रोमन कैथोलिक धर्मावलंबियों से पूजित, पोप हैं। राज्य के राजनयिक संबंध संसार के लगभग सब देशों से हैं। सन् १९३० में पोप की मुद्रा पुनः जारी की गई और सन् १९३२ में इसके रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। यहाँ की मुद्रा इटली में भी चलती है।

आकर्षक गिरजाघरों, मकबरों तथा कलात्मक प्रासादों के प्रतिरिक्त वैदिकन के संग्रहालय तथा पुस्तकालय प्रमुख हैं।

२. पोप के सरकारी निवास का नाम भी वैदिकन है। यह रोम नगर में, टाइबर नदी के किनारे, वैदिकन पहाड़ी पर स्थित है तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रासादों का निर्माण तथा इनकी सजावट विश्वभूत कलाकारों द्वारा की गई है। [३० का० रा०]

इतिहास — प्राचीन इ.स. में रोम के निकटवर्ती प्रदेशों पर चर्च का शासन स्वीकार किया जाने लगा। इस प्रकार 'पेपल स्टेट्स' का प्रारंभ हुआ (दे० चर्च का इतिहास)। सन् १८०० ई० में इटली ने 'पेपल स्टेट्स' को अपने अधिकार में ले लिया, इससे इटली और चर्च में तनाव पैदा हुआ, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च अपने परमाध्यक्ष की ईसा का प्रतिनिधि जानकर यह आवश्यक समझता है कि वह किसी राज्य के अधीन न रहे। सन् १९२९ ई० में इटली ने रोमन कैथोलिक चर्च के साथ समझौता करके उसे संत पीटर के महामंदिर के पास लगभग १०९ एकड़ की जमीन दे दी और उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया। इस प्रकार बिट्टोरेल वाटिकानो (Citta Del Vaticano) अर्थात् वैटिकन नगर नामक एक नया स्वायत्त राज्य उत्पन्न हुआ। उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और उसके अपने सिक्के, अपना डाक विभाग, रेडियो आदि हैं। उसके नागरिकों की संख्या लगभग ७०० है। उस केंद्र से पोप पूर्ण स्वतंत्रता से दुनिया भर में फैले हुए रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक संचालन करते हैं। [ का० बु० ]

**वैतरणी** पुराणों में बलिष्ठ नरकलोक की नदी। गरुड़ पुराण, शंखलिकित स्मृति आदि कुछ ग्रंथों के अनुसार यह शत योजन विस्तीर्ण, तप्त जल से भरी हुई रक्त-पूय-युक्त, मांस-कर्म-संकुल एवं दुर्गंधपूर्ण है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद (प्रंतकारीर धारण कर) रोते हुए गिरते हैं और अर्धकर जीव अंगुष्ठों द्वारा बंधित एवं त्रासित होकर रोते रहते हैं। पापियों के लिये इसके पार जाना अत्यंत कठिन माना गया है। यमलोक में स्थित इस नदी को पार करने के लिये धर्मशास्त्र में कुछ उपाय भी कहे गए हैं।

महाभारत में यह सूचना भी मिलती है कि आगीरवी गंगा ही जब पितृलोक में बहती है तब वह वैतरणी कहलाती है।

वैतरणी नाम की एक भौतिक नदी भारत में है (महा० शीघ्र०, १।३४)। ( दे० 'नरक' )। [ रा० सं० अ० ]

**वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र** पुराण-कथा-शास्त्र वह सरलतम भाष्यम माना जा सकता है जिसके द्वारा प्रारंभिक मानव ने अपने धार्मिक विचारों को प्रकट किया। वैदिक धर्म को प्रकृतिपरक कहा गया है, क्योंकि, दूसरे शब्दों में, इस धर्म में मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा की जाती थी, हालांकि यह पूर्णतः सही नहीं है। वैदिक धर्म एवं परिणामतः वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र एक विकास की परंपरा में हैं और उनका अध्ययन वैदिक लोगों के सांस्कृतिक इतिहासानुक्रम से संबंधित करके ही किया जा सकता है। अपने सांस्कृतिक जीवन के प्रारंभिक काल में वैदिक धर्म, या उनके पूर्वज, प्रकृति के धर्म के रूप में उसके अधिकाधिक समीप थे। इस काल में वे प्रकृति की विशालता एवं समृद्धि तथा अमरकार से पूर्णतः अभिभूत थे। अपनी इस सरल भावुकता में उन्होंने धार्मिक भावना का छुट देना चाहा जिसके फलस्वरूप देवीय माता पिता के पौराणिक रूप 'आवापुत्रिणी' की भावना आई। उन लोगों ने यह भी अनुभव किया कि प्रकृति यद्यपि विशाल है, तथापि अभिव्यक्त एवं अभिव्यक्त नहीं। इसका नियंत्रण कुछ निश्चित विचारों से होता है। यह

विशुद्धतम सही बलिष्ठ व्यक्तित्व है। इस ज्ञान से अतः ( जहाँ-जहाँ संबंधी नियमों ) एवं बल ( जहाँ-जहाँ संबंधी नियमों के नियंत्रण ) के पौराणिक रूपों का उद्भव हुआ। बल अतुर के अर्थात् उनके पास अतुर नामक अमरकारिक शक्ति थी और अपनी माया से उन्होंने इस संसार को बाँध रखा था एवं इसके छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों के नियामक थे। उन्होंने इस प्रकार सत्मात् पद प्राप्त किया। देवीय आचारशास्त्र (और विस्तृत रूप में मानवीय नैतिकता) की इस पौराणिक बलिष्ठता में मित्र, अविधि एवं भावित्य भी थे। इस देवीय पुराणकथा के साथ ही साथ धर्म के देवत्व का भी विकास हुआ जो वैदिक धार्मिक कार्यों का एकमात्र आधार था। साथ ही साथ यज्ञीय वेद सोम के देवत्व का भी विकास हुआ। धर्म जो वैदिक देवों में सर्वाधिक उच्चतम्य थी, धर्मों के गृहस्थ जीवन का केंद्र एवं मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करनेवाली भी मानी गई।

सामान्य सिद्धांत के रूप में यह स्वीकृत किया जा सकता है कि किन्हीं विशेष लोगों के धर्म एवं पुराण-कथा-शास्त्र की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। बल का सार्वभौम धर्म एवं धर्म और सोम का यज्ञीय धर्म धर्मों के पूर्वजों की आवश्यकता की पूर्ति कर देता था जब वे अपना जीवन प्रकृति के साथ बिताते थे एवं प्रारंभिक प्रकार के यज्ञीय धर्म का पालन करते थे। किंतु बल ( जहाँ वे काफी दिनों तक रहे ) से धर्म सत्सिधु में धर्म पर इन लोगों को अनेक प्रतिद्वंद्वी जातियों से ( जो बाद में सामूहिक रूप से अरुवेद में वृत्र या दास कही गई हैं ) झड़ना पड़ा। अतः उनकी धार्मिक प्रकृति ने एक नए देवता को जन्म दिया जो उनके युद्ध संबंधी साहस को बढ़ावा दे सके। उसका नाम युद्धदेवता इंद्र था। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र की बिकसनशील प्रकृति इंद्र के व्यक्तित्व के विकास में स्पष्ट दिखाई देती है। मूलतः इंद्र एक मानवनायक था जो सोम से उत्पन्न होकर वैदिक धर्मों का नेतृत्व करते हुए सत्सिधु पहुँचा। इतिहास क्रमशः पुराण-कथा-शास्त्र में परिवर्तित हो गया और मानवनायक एक राष्ट्रीय युद्धदेवता बन गया। इस प्रकार के पौराणिकीकरण में बाद इंद्र पर अन्य कई विशेषताओं का आरोपण किया गया। इंद्र वर्षा का देवता माना जाता था जिसने अपने बल से मेघामुर वृत्र को मारकर स्वर्ग के जल को मुक्त किया। प्राचीन कथाओं के अहिंसकारक वीर से भी उसका तादात्म्य किया गया। चूँकि, अरुवेद का एक बृहद् अंश विषय एवं उपविदेश बनाने के समय से संबंधित है, यह स्वभाविक ही था कि वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र इंद्र की कथाओं से अभिभूत हो। मरुतों, अग्निनों एवं अग्निधुओं के पौराणिक रूपों में अनुमानतः ऐतिहासिक घटनाओं के पौराणिकीकरण ही कारण हैं। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण बात 'सीरीकरण' की है, अर्थात् और देवताओं से संबंधित पौराणिक व्यक्ति या मूलतः और देवता से विस्तृत ही संबंधित नहीं थे। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र का प्रमुख और देवता सूर्य था। किंतु कई कारणों से और धर्म का अभावसे दूसरे देवताओं में भी किया गया, जैसे विष्णु ( जो मूलतः उर्वरता का देवता था ), पूषण ( जो पशुपालन का देवता था ), और विम एवं सविधु

( दोनों ही वस्तु से संबंधित के ) : इस संबंध में इस बात का संकेत किया जा सकता है कि पीरोडिस्वपूर्ण धर्म में विष्णु एवं ब्रह्म जैसे देवताओं को ऊँचा स्थान देने का एक साधन या उनकी जान बूझकर, यद्यपि ब्रह्मावली रूप से, इंद्र या अग्नि अथवा सोम से संबंधित करना। इस संबंध में यह उल्लेख है कि उचा प्रकृत देवी के रूप में सूर्य जैसी है, बिल्कुल पारबर्णक, यद्यपि वैदिक कवियों ने उसके मानवीय सौंदर्य के विषय वस्तुएं किए हैं।

भारत में प्राक् वैदिक धनायों के धर्म के प्रभावस्वरूप वैदिक धर्म धर्म में इन्द्र के पीराणिक रूप का उद्भवन हुआ। इस देवता को मूल भारतीय शिव का धार्मिक रूप माना जा सकता है। किंतु जब शिव को वैदिक धर्म में इन्द्र के रूप में अपना लिया गया तो उसके पूरे व्यक्तित्व के केवल एक भाग, मृत्यु एवं संहार के देवता के रूप को ही महत्व दिया गया। दूसरी ओर यम मानव जाति का जनक था ( प्रजापति को परवर्ती वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में महत्व प्राप्त हुआ ), और मानव जाति के संरक्षण के लिये स्वमेध द्वारा यम मृत्यु के लिये पहला व्यक्ति भी हुआ। तदनंतर वह मानव जाति की उन सभी पीढ़ियों अर्थात् पितरों का स्वामी हुआ जो उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुईं। असंगत इस बात का भी संकेत किया जा सकता है कि यम के साम्राज्य के वर्णों में स्वर्ग का वर्णन भी प्राप्त होता है, किंतु प्रारंभिक वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में नरक का ज्ञान था, ऐसा नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार प्रारंभिक वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में गंधर्व एवं अश्वराएँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, हालांकि ऋग्वेद के एक मंत्र में उर्वशी ( वैवीय अश्वरा ) और पुह्रवा ( मानव राजा ) की पीराणिक कथा का जिक्र है। सधु देवताओं में सूर्य के स्वामी 'ब्रह्मणस्पति' का विशेष महत्व है। इस संबंध में मनु, भृगु एवं अंगिरस जैसे पीराणिक ऋषियों का उल्लेख किया जा सकता है। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में धृत-प्रेत-पूजा का सायद ही कोई संकेत हो किंतु वैवीय एवं अश्वराएँ गुण कुक्ष पशुओं एवं षड् पदार्थों में आरोपित किए गए हैं।

वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र के विषय में बताते हुए ब्राह्मणों में उल्लिखित अनेक पीराणिक कथाओं का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, जैसे मनु एवं प्रलय, सुन, शेष और वरुण, यद्यपि इनमें कई बातें किहीं दूसरी बातों के गौरववर्धन या यज्ञ से संबंधित हैं। ब्राह्मणों में दो अत्यधिक प्रचलित पीराणिक धर्मिण्य प्रजापति के तपस एवं देवासुरसंग्राम के हैं। उपनिषदों के अनेक दार्शनिक उपदेश भी इंद्र, विरोचन एवं उचा हैमवती की पीराणिक कथाओं के माध्यम से बताए गए हैं। [ भार० एन० सी० ]

**वैदिक शाखाएँ** शाखा मूलवस्तु से निकले हुए विभाग अथवा भंग को कहते हैं—जैसे बृक्ष की शाखा। वैदिक साहित्य के संदर्भ में वैदिक शाखा शब्द से उन विभिन्न परंपराओं का बोध होता है जो शुक्-शिष्य-प्रणाली, देशविभाग, उच्चारण की भिन्नता, काल एवं विशेष परिस्थितिवश कारणों से चार वेदों के भिन्न भिन्न पाठों के रूप में विकसित हुईं। उन्हें कभी कभी चरण भी कहा जाता है। इन शाखाओं का विवरण शौनक के चरणभूह और पुराणों में विस्तृत रूप से मिलता है। वैदिक शाखाओं की संख्याएँ सब अलग

एक रूप में दी गई हैं, ऐसा नहीं। फिर, भिन्न भिन्न स्थलों में बलिष्ठ सभी वैदिक शाखाएँ आजकल उपलब्ध भी नहीं हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १००, सामवेद की १०० तथा अथर्ववेद की १२ शाखाएँ बताई हैं। किंतु चरणभूह में उल्लिखित संख्याएँ इनसे भिन्न हैं। चरणभूह से ऋग्वेद की पाँच शाखाएँ ज्ञात होती हैं—शाकलायन, वाष्कलायन, भास्वलायन, शासायन और मांडूकायन। पुराणों से उसकी केवल तीन ही शाखाएँ ज्ञात होती हैं—शाकलायन, वाष्कलायन और मांडूकायन। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं—शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं—भाष्यदिन और काण्व, जो क्रमशः उत्तर भारत और महाराष्ट्र में मिलती हैं। चरणभूह में कृष्ण यजुर्वेद की ८५ शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये चार ही उपलब्ध हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठलकठशाखा। किंतु कपिष्ठलकठशाखा कठ की ही एक उपशाखा है। कठशाखा पंजाब में तथा तैत्तिरीय और मैत्रायणी शाखाएँ क्रमशः नर्मदा नदी के निचले प्रदेशों एवं दक्षिण भारत में प्रचलित हुईं। वहाँ उनकी ओर भी उपशाखाएँ हो गईं। सामवेद की शाखासंख्या पुराणों में एक हजार बताई गई है। पतंजलि ने भी सामवेद को सहस्रवरमा कहा है। भागवत, विष्णु और वायुपुराणों के अनुसार वेदव्यास के शिष्य जैमिनी हुए। उन्हीं के वंश में सुकर्मा हुए, जिनके दो शिष्य थे—एक हिरण्यनाभ कोसल्य, जो कोसल के राजा थे, और दूसरे पौष्यजि। कोसल की स्थिति पूर्वी (वास्तव में उत्तर पूर्वी) भारत में थी और इस कारण हिरण्यनाभ से चलने-वाली ५०० शाखाएँ प्राप्य कहलाईं। पौष्यजि से चलनेवाली ५०० शाखाएँ उदीच्य कहलाईं। अथर्ववेद की भी शाखाएँ मिलती हैं। उनके नाम हैं—पिप्पलाद, स्तोद, मोद, शौनक, वाजल, जलद, ब्रह्म-वद, देवदर्श तथा चारणवैद्य। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखाएँ हैं पिप्पलाद और शौनक। [ वि० पा० ]

**वैद्युतमुद्रण (Electrotyping)** जैसे तो अधिकतर मुद्रणमशीनों विद्युत् शक्ति से परिचालित होती हैं, परंतु वैद्युत्मुद्रण, वस्तुतः, उस विधि का नाम है, जिससे विद्युत् की सहायता से टाइप (type) तैयार किए जाते हैं। सामान्यतः, मुद्रण के लिये दोहरे प्लेट (duplicate plates) बनाए जाते हैं और विद्युत् टाइप, जिसे इलेक्ट्रो (Electro) कहते हैं, मूल टाइप के स्थान पर लगा दिया जाता है। ये लकड़ी काट (wood cut) एवं लकड़ी की पष्ठीकारी (wood engraving) के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जाते हैं।

वैद्युतमुद्रण की विधि का आविष्कार एक जर्मन वैज्ञानिक, मोरिस् जैकोबी, ने सन् १८३६ में किया, परंतु इसका व्यावहारिक प्रयोग करनेवाली मशीन पहले पहल अमरीका में सन् १८६५ में बनाई गई। वैद्युत्मुद्रण के लिये पहले विद्युत् टाइप बनाया जाता है। यह विद्युत् अपघटन (electrolysis) द्वारा मूल काट (original cut) अथवा टाइप के ढाँचे (mould) पर चातु की पतली तह् जमाने से बनाया जाता है। सबसे पुरानी और सस्ती विधि, मोम के ढाँचे बनाने की है। टाइप अथवा कट को, जिनकी अनुसंधान करनी ही, एक विशेष फ्लेम में बाँधकर हलके गरम किए हुए

मोम में ढकाया जाता है। इस सखि के ठंडा होने पर उसमें चाँदी, भस्मवा प्रेकाइट और पानी के छींटे दिए जाते हैं, जिससे सखा विद्युत् का चालक बन जाए। तब सखि को एक टंकी में, जिसमें सलप्यूरिक अम्ल और ताँत्र सलफेट का विलयन भरा होता है, डुबा दिया जाता है और विद्युत् के ऋण इलेक्ट्रोड से संबद्ध कर दिया जाता है। इस प्रकार सखि की एक पतली तह इस सखि पर जम जाती है। इस पर सीसे की एक दूसरी तह जमाकर, टाइप बनाया जाता है। विशिष्ट कार्यों के लिये सखि के स्वान पर निरुल का भी प्रयोग किया जाता है।

इस विधि से बनाए गए टाइप बहुत मजबूत और साफ होते हैं। जब किसी चीज को बार बार छापना हो, भस्मवा एक ही प्लेट बहुत से मुद्रकों के पास भेजनी हो, तो विद्युत् टाइप बहुत उपयोगी होते हैं। इस विधि का मुख्य लाभ टाइप को, जिनका अधिक व्यवहार में आने के कारण बिस जाना अवश्यमावी है, क्षति से बचाना है। वैद्युतमुद्रण द्वारा उपयुक्त प्रकार से बनाय गए टाइपों से चार लाख प्रतियाँ कर पाना भी संभव है। इस प्रकार, मुद्रण के क्षेत्र में, वैद्युतमुद्रण विधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। [रा० कु० ग०]

**वैधता** विधि के अनुसार वैधता एक ऐसा संबंध है जिसमें वाध्याता का समावेश होता है। पुरुष और संतान का संबंध, पिता तथा पुत्र या पुत्री के रूप में उसका संबंध, पुरुष और स्त्री के संबंध पर आधारित है जिनसे उस संतान की उत्पत्ति होती है। सभी सभ्य पद्धतियों में विवाह, जो भी इसका रूप हो, प्रासांगिक व्यवस्था है और उसे नैतिक तथा विधिक अनुमोदन प्राप्त है। विवाह के पूर्व की संतानोत्पत्ति अनुमोदित नहीं होती और संतान के लिये उत्तराधिकार से वंचित करनेवाली तथा माता के लिये निद्रा की वस्तु मानी जाती है। उसी प्रकार विधवाओं की संतानें भी, मरणोपरांत उत्पन्न संतान को छोड़कर, समाज द्वारा दृष्टा की निगाह से देखी जाती हैं। जहाँ पति जीवित है लेकिन यदि संतान की उत्पत्ति उसकी माता तथा दूसरे पुरुष से अनुचित संबंध से होती है, तो वह वर्त्संकर या जारज समझी जाती है। केवल उन्हीं संतानों की, जो वैध वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होती हैं, वैधानिक स्थिति होती है और वे ही वैध समझी जाती हैं।

प्रांगल विधि के अंतर्गत, जो भारतवर्ष में स्वीकृत तथा अपनाई गई है, संतान की वैधता का सर्वमान्य प्रमाण तभी है जब उसकी उत्पत्ति उसकी माता तथा पुरुष के वैध विवाह से हुई हो या विवाह के विच्छेद के उपरांत दो सी अस्ती दिन के भीतर अपनी माता तथा पिता से उसकी उत्पत्ति हुई हो जब तक यह न प्रमाणित हो जाय कि उसमें पक्ष के बीच उसके उत्पत्तिकाल में कभी संपर्क न हुआ हो। प्रत्येक ढाव में वैधता को प्रमाणित करने के निमित्त व्यावहारिक कठिनाई से बचने के लिये कानून ने निष्कर्ष निकालने का एक सरल उपाय प्रदान किया है कि जब तक इसके विपरीत प्रमाण न दिया जाय, विवाह के काल में उत्पन्न सभी संतानें वैध मान ली जाएँगी। यदि यह सिद्धांत प्रतिपादित न होता तो समाज के लिये अपने सीधे साथे लोगों की पैतृक उत्पत्ति के संबंध में खोज बीन करते रहने की ब्यर्थ की कष्ट में पड़े रहने की संभावना थी। पति का पत्नी के साथ सहयोग हुआ ही नहीं, इसके सिवा

अवैधता का अन्य कोई प्रमाण स्वीकार्य नहीं हो सकता। सहयोग का अनिप्राय, व्यापक रूप से, संभोग के अर्थ से है। इस प्रकार कोई भी पति अपने को पिता या जनक न कहकर अपने पैतृक उत्तरदायित्व से वंचित नहीं हो सकता। विधि इसमें इतनी कठोर है कि वैवाहिक काल में उत्पन्न संतान के पैतृत्व का भार उसे वहन करना पड़ेगा, नले ही स्त्री वास्तव में विश्वासघात की अपराधिनी हो। जहाँ पति और पत्नी आपस में संभोग करते हों, उससे उत्पन्न संतान निर्विवाद रूप से वैध मानी जाती है।

इस विषय में हिंदू विधि प्रांगल विधि का अनुसरण करती है। किंतु मुसलमान विधि के अंतर्गत वैधता भिन्न रीतियों से निश्चित होती है। इसलाम विधि यह व्यवस्था देती है कि विवाह काल के छह माह के भीतर उत्पन्न संतान अवैध है जबतक कि पिता उसे अपनी संतान न स्वीकार करे या छह माह के उपरांत उत्पन्न संतान वैध है बशर्ते कि पिता उसे अस्वीकार न करे या विवाहविच्छेद के उपरांत दस चार मासों के भीतर उत्पन्न संतान सुन्नी विधि के अंतर्गत वैध है और शिया विधि के अंतर्गत दो चार वर्षों के भीतर तथा शफी और मालिकी विधि के अंतर्गत चार वर्षों के भीतर की संतान वैध है। इस विषय और अवधि के विस्तार तथा भिन्नता के दो कारण दिए जाते हैं। एक तो यह कि प्रारंभिक इसलामी विधिवेत्ताओं को गर्भधारण या गर्भाधान के काल की अपूर्ण जानकारी थी तथा दूसरा था स्त्री और उससे उत्पन्न संतान की अयोग्यता एवं प्रतिष्ठा के बचाव के लिये मानवीय भावनाओं का प्राग्रह। मुसलमान विधि, जहाँ जानकारी न हो या संदिग्धता वर्तमान हो, वहाँ पैतृत्व के अधिकार को स्वीकार करती है।

हिंदू का अवैध पुत्र निर्वाहभ्यय का अधिकारी है लेकिन उत्तराधिकार में संपत्ति के किसी भाग का अधिकारी नहीं है, किंतु माता यदि अर्हिंदू हो तो उसकी संतान निर्वाहभ्यय से भी वंचित हो जाएगी। अवैध पुत्री अपने पिता की संपत्ति पाने की अधिकारिणी नहीं है, यद्यपि वह अपनी माता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है। मुसलमान विधि के अंतर्गत सुन्नी पद्धति में यह व्यवस्था है कि अवैध संतान अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती लेकिन पुत्र या पुत्री माता की उत्तराधिकारिणी हो सकती है। लेकिन शिया पद्धति अवैध संतान को बाहरी व्यक्ति की संज्ञा देती है और उसे पिता भयवा माता किसी से भी उत्तराधिकार में संपत्ति पाने की अनुमति नहीं देती।

सभी पद्धतियों में वैध संतान अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है और साथ ही उसके ऋण के लिये भी उत्तरदायी है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात् तत्काल उत्तराधिकारी के हाथ में संपत्ति का अधिकार आ जाता है और वह न्याय के रूप में उसे ग्रहण करता है, जब तक मृत्युपत्र द्वारा प्राप्त संपत्ति का मुगतान नहीं हो जाता।

वैयक्तिक विधियों का ध्यान न रखते हुए भारत में भारतीय दंड संहिता मैजिस्ट्रेट की अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति को अपनी संतानों की जितना उचित समझे उतना मासिक निर्वाहभ्यय देने की आज्ञा दे; चाहे वे वैध हों या अवैध। विधि का अंतर्गत

संतानों को अश्विनीय मार्ग से जीविका उपार्जन करने से रोकना है, वहाँ पिता संरक्षण में उदासीन है या भ्रष्टपोषण का ध्येय देना अस्वीकार करता है। यदि कोई व्यक्ति आदेश होने पर उस आदेश की पूर्ति बिना पर्याप्त कारण के नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट प्रत्येक ऐसे आदेश के उल्लंघन के सिधे चार्ज जारी कर सकता है और उसे कैद का दंड भी दे सकता है जो एक मास से अधिक का न होगा या निर्वाहधन्य की अदायगी यदि इसके पहले हो जाय तो अदायगी होने तक का दंड दे सकता है। [एन० एन० मा०]

**वैनेडियम (Vanadium)** आवर्त सारणी के पंचम अंतर्वर्ती समूह का पहला तत्व है। इसका केवल एक स्थायी समस्थानिक, जिसका द्रव्यमान ५१ है, प्राप्त है। कृत्रिम रूप से इसके चार रेडियो-ऐक्टिव समस्थानिक प्राप्त हुए हैं, जिनकी द्रव्यमानसंख्या ४७, ४८, ४९ और ५२ है।

सन् १८०१ में डेल रियो (Del Rio) ने वनेडाइट (Vanadite) खनिज में एक नए तत्व की खोज की, जिसका नाम उन्होंने एरिथ्रोनियम (Erythronium) रखा। १८३० ई० में स्कैंडिनेविया के वैज्ञानिक, सेफस्ट्रम (Sefstrom), ने इस तत्व के यौगिक को लौह के धातुमूल से अलग किया। विलीन अवस्था में यह अनेक रंग प्रदर्शित करता था। इस कारण सेफस्ट्रम ने इस तत्व का नाम सुंदरता की देवी, वैनेडिस, के आचार पर वैनेडियम रखा। उसी वर्ष यह भी ज्ञात हुआ कि एरिथ्रोनियम और वैनेडियम एक ही तत्व हैं। बर्सीलियस ने वैनेडियम तत्व और उसके यौगिकों के गुणधर्मों की भली प्रकार जाँच की।

पेट्रोनोइट (Patronite) वैनेडियम का मुख्य अयस्क है, जिसमें वैनेडियम सल्फाइड यौगिक उपस्थित रहता है। यह मुख्यकर दक्षिणी अमरीका के पेरू प्रदेश में पाया जाता है। कार्नोटाइट और वनेडिनाइट द्वारा भी वैनेडियम प्राप्त किया जाता है।

वैनेडियम अयस्क (मुख्यकर पेट्रोनोइट) को सोडियम कार्बोनेट से संगलित कर, जल द्वारा निष्कषित करते हैं। प्राप्त विलयन में अमोनियम क्लोराइड डालने पर अमोनियम वनेडेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे बहन कर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड प्राप्त हो सकता है तथा अन्य यौगिक भी प्राप्त हो सकते हैं।

वैनेडियम धातु अनेक अपचयन क्रियाओं द्वारा प्राप्त हो सकती है। वैनेडियम हाइड्रोक्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस की क्रिया, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड पर विरल धातु धातुओं के संमिश्रण द्वारा अपचयन, अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम वनेडेट के विलयन के विद्युत् अपघटन द्वारा वैनेडियम धातु मिलती है।

**गुणधर्म** — वैनेडियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसके प्रधान भौतिक गुणधर्म ये हैं : संकेत V, परमाणु संख्या २३, परमाणु भार ५०.९५, गलनांक १७३५° से०, क्वथनांक ३,४००° से० तथा आपेक्षिक घनत्व ५.९९ है।

वैनेडियम वायु में अप्रभावित रहता है। इसपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शीतल सल्फ्यूरिक अम्ल, विलेय क्षार या क्रोमीन जल द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है। वैनेडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा

गरम सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर, हरा विलयन बनाता है। वैनेडियम पर पिचला कॉस्टिक पोटाश, या पोटीशियम नाइट्रेट, क्रिया कर पोटीशियम वनेडेट बनाते हैं।

**यौगिक** — वैनेडियम के २, ३, ४ और ५ संयोजकता के यौगिक बनते हैं। वैनेडियम के ५ संयोजकता के यौगिक अपचयन द्वारा क्रमशः, ४, ३ तथा २ संयोजकता की अवस्था में आते हैं। इस क्रिया द्वारा विलयन के रंग में अनेक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि प्रत्येक संयोजित अवस्था के विभिन्न रंग हैं (२ का गहरा बैंगनी, ३ का हरा, ४ का नीला, ५ का पीला या नारंगी)।

वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ( $V_2O_5$ ), अमोनियम वनेडेट के ज्वलन द्वारा, पीले-लाल रंग के क्रिस्टल के रूप में बनता है। यह क्षार में घुलकर वनेडेट यौगिक बनाता है। इसके द्वारा अनेक जटिल यौगिक बनाए गए हैं। इसके मंद अपचयन के फलस्वरूप नीला रंग लिये वैनेडि म ट्रेट्राऑक्साइड ( $V_2O_4$ ) बनेगा। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ( $V_2O_5$ ), का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर काले रंग का वैनेडियम ट्राइऑक्साइड, ( $V_2O_3$ ), बनता है। इसके द्वारा और त्रिसंयोजी यौगिक बनाए जाते हैं। इन ऑक्साइडों को पोटीशियम द्वारा अपचयित कर, वनेडस ऑक्साइड, (VO) बनाया जाता है। वनेडस ऑक्साइड और वैनेडिक-ऑक्साइड ( $V_2O_3$ ) में क्षारीय गुण प्रधान हैं।

वैनेडियम ट्राइसल्फेट, [ $V_2(SO_4)_3$ ], अमोनियम या अन्य क्षारीय सल्फेटों से मिलकर, वैनेडियम ऐलम बनाता है। क्लोरीन के साथ इसके तीन क्लोराइड ज्ञात हैं। वनेडस यौगिक तीव्र अपचायक (reducers) होते हैं।

**उपयोग** — इस्पात उद्योग में वैनेडियम धातु का बहुत उपयोग होता है। इस निमित्त एक मिश्रधातु फेरोवैनेडियम (Ferrovanadium) लौह वनेडेट के अपचयन द्वारा बनाई जाती है। इस्पात में वैनेडियम की सूक्ष्म मात्रा डालने से इस्पात की दृढ़ता और भीमकपन बहुत बढ़ जाता है। वैनेडियम यौगिक अनेक रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। इसके कुछ यौगिक कृमिनाशक हैं तथा चिकित्सा में उपयोग में आते हैं। [२० चं० क०]

**वैश्विक आक्रमण** का तात्पर्य वायुमार्ग से धरती पर स्थित शत्रु पर, मुख्यतः नगर में स्थित शत्रु पक्ष की अत्यधिक आबादी पर, हमला करना है। हवाई बमबारी का सूत्रपात प्रथम विश्वयुद्ध में हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन अधिकारियों को जेप्लिन (Zeppelin) वायुपोतों से बड़ी उम्मीदें थीं। १९१५ ई० में जर्मनी की नोसेना ने लंदन पर खुला हमला करने की अनुमति माँगी और उसे अनुमति मिल गई। १९ जनवरी, १९१५ ई० के दिन ग्रेट ब्रिटेन में स्थित नॉरफॉक (Norfolk) नामक स्थान पर पहला वैश्विक आक्रमण हुआ। फिर तो वैश्विक आक्रमणों का सिलसिला चला और टाइन (Tyne), साउथवेड और मई, १९१५ ई० में लंदन पर भी, हमला हुआ। प्रवृत्त, १९१५ ई० में ब्रिटेन पर गंभीर वैश्विक आक्रमण हुए। १९१७ ई० तक जेप्लिन के आक्रमण कुल ५२ बार हुए। कुल ५,८०६ बम, जिनका वजन लगभग १९६ टन आँका गया है, गिराए गए, जिसके फलस्वरूप ५७७ व्यक्ति मरे और १,३५८ घायल हुए। संपत्ति की हानि लगभग

१५, २७, ५८५ पाउंड की कूटी गई। प्रारंभ में वे हमले रात में होते थे, पर बाद में दिन में भी होने लगे। आधुनिक युद्धपद्धति की एक विधा के रूप में वैमानिक आक्रमण और हवाई छाये ऐबिसिनिया, स्पेन और चीन में अत्यधिक व्यवहृत हुए हैं। वैमानिक आक्रमण का लक्ष्य जनता की इच्छाशक्ति को दुर्बल बनाना और मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त करना है।

विकसित हवाई युद्ध की विभीषिकाओं से, अर्थात् विस्फोटकों, आग-जगाऊ पदार्थों और गैस आक्रमणों से, नगरों और असीनिक इस्तियों के संरक्षण पर अधिकारिक ध्यान दिया गया है। हवाई हमलों से बचाव के एहसासाती उपायों का विकास करने के लिये अधिकारिक यूरोपीय देश प्रयोग करते रहे हैं। हवाई हमलों से बचाव की आयोजना में, काफी सूक्ष्म बातों का, जिसे निष्क्रिय हवाई प्रतिरक्षा कहते हैं, विचार कर लिया जाता है।

निष्क्रिय हवाई प्रतिरक्षा — इसके तीन उद्देश्य हैं : (१) वैमानिक आक्रमणों से असीनिक जनसाधारण को हटाहटा होने से रोकना, (२) जनता के मनोबल को बनाए रखना और भौद्योगिक प्रगति को, विशेषतः मोला बाकव के उत्पादन को, निर्बाध रूप से चलने देना तथा (३) जहाँ तक संभव हो हवाई बमबारी से संपत्ति हानि को सीमित करना और इस प्रकार युद्धप्रयास के विस्थापन को रोकना।

इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये जनसमुदाय को संगठित और प्रतिक्रियित करना, उसे वैमानिक आक्रमणों की शक्ति और सीमाओं से अवगत कराना तथा इन आक्रमणों के परिणामों से बचने के साधनों और उपायों से अवगत कराना, जिससे जन जन की सुरक्षा के लिये प्रभावशाली कदम उठाए जा सकें और आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जा सके। ये सिविल रक्षा के कर्तव्य हैं।

ये उपाय और साधन भी निष्क्रिय रक्षा की सीमा में आते हैं, जिनसे सामान्यतया असीनिक जनता तथा विशेषतः नगर और भौद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा का प्रबंध होता है। ये हैं :

(१) विचारक उपाय — पूर्वानुमान के आधार पर वैमानिक आक्रमणों को निष्फल करने के लिये युद्धकालीन संकट उपस्थित होने के पूर्व ही कुछ उपाय किए जाते हैं : (क) महत्वपूर्ण निर्माण संस्थानों को बड़े नगरों से हटाना, या अधिक से अधिक संभव अंतर पर बसाना; (ख) भौद्योगिक क्षेत्रों से आवश्यक जनता को हटाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बसाना; (ग) जिन कारखानों में विस्फोटकों, अत्यधिक ज्वलनशील द्रव्यों या अन्य खतरनाक पदार्थों का उपयोग होता है, उनकी सुरक्षा के लिये ऐसे पदार्थों और प्रचालनों (operations) को संयंत्र (plant) से संबंधित अन्य अंशों से दूर, एक साथ रखना चाहिए; (घ) नगरों की भावी आयोजना, सामान्यतया नगरसमुदायों का भावी विकास, परिस्थितियों पर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि आबादी और उद्योग को अधिक से अधिक विस्तृत भूभाग पर बिखेरने के नीतिक सिद्धांत के आधार पर एक निश्चित योजना के अनुसार निर्देशित होना चाहिए; (ङ) भूगत संस्थापन महत्वपूर्ण भौद्योगिक संयंत्रों और जनोपयोगी अंशों को वैमानिक आक्रमणों से बचाने की सबसे प्रभावशाली विधि है। ऐसी चीजों

को इतनी बहुराई में होना चाहिए कि ऊपर परमाणु बम, या अन्य अत्यंत विस्फोटक बम के प्रत्यक्ष आघात का ही भय हो सके और पुष्पी की संतह पर हो रही बमबारी से उनकी कोई क्षति न हो; (च) तथा महत्वपूर्ण इमारतों और गतिविधियों को हवाई प्रेक्षण से छिपाना हवाई हमलों से सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है, बसंतों में छिपे हुए अथवा प्रकट हवाई लक्ष्यों से अलग और काफी दूर स्थित हों।

(२) रक्षण उपाय — आक्रमण प्रारंभ होने पर रक्षा प्रदान करने के लिये रक्षण उपाय किए जाते हैं। इनकी व्यवस्था संकटकाल का प्रारंभ होने से पहले ही की जानी चाहिए। वैमानिक आक्रमण से कामियों (personnel) की रक्षा करने के साधन और उपाय दो सामान्य विधियों के अंतर्गत आते हैं : (क) सामूहिक रक्षा तथा (ख) व्यक्तिगत रक्षा। सामान्यतः अत्यंत विस्फोटक बमों और परमाणवीय बमों से सामूहिक रक्षा की व्यवस्था की जाती है और गैस, जीवाणु तथा परमाणु बमों के विकिरण प्रभाव से व्यक्तिगत रक्षा की जाती है।

(३) नियंत्रक उपाय — जनता में व्यवस्था और शान्ति बनाए रखने तथा उसका मनोबल अटूट रखने और हमले की गंभीरता को कम करने के लिये नियंत्रक उपाय किए जाते हैं। ये हैं : (क) संचार साधनों का नियंत्रण, (ख) परिवहन का नियंत्रण, (ग) संक्रमणों का नियंत्रण तथा (घ) वैकल्पिक सामग्रय सेवाओं का उपयोग और शक्तिप्रस्त क्षेत्रों का पुषककरण।

(४) पुनरुत्थार के उपाय — ये उपाय आक्रमण समाप्त होने के तुरंत बाद किए जाते हैं, जिससे जनसमुदाय की हानि की गंभीरता कम हो और संपत्ति की हानि का प्रतिकार हो सके। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं : (क) आहतों का परित्राण और प्राथमिक उपचार, (ख) जलबे की सफाई, (ग) शक्तिप्रस्त उपयोगी रक्षा तथा संचार साधनों की मरम्मत, (घ) गैस प्रभाव दूर करना और रोगाणुनाशन तथा (ङ) आहतों को चिकित्सात्मय पहुँचाना।

[ ६० ना० रा० ]

वैयक्तिक विधि (Personal law) विधि या कानून को वैयक्तिक और प्रादेशिक इन दो प्रवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वैयक्तिक विधि से तात्पर्य उस विधि से है जो केवल किसी व्यक्तिविशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू हो चाहे वे व्यक्ति कहीं पर भी रहते हों। यह विधि प्रादेशिक विधि से भिन्न है जो केवल एक निश्चित प्रदेश के भीतर सब व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। वैयक्तिक विधि की यह प्रणाली भारत में बारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ की थी। उन्होंने कुछ तरह के दीवानी मामलों में हिंदुओं के लिये हिंदू विधि तथा मुसलमानों के लिये मुस्लिम विधि विहित की थी। यह व्यवस्था प्रायः भी विद्यमान है और हिंदू विधि विवाह, दत्तकग्रहण, संयुक्त परिवार, जूख, बेटवारा, दाय तथा उत्तराधिकार, स्त्रीजन, पीचण और वारिक धर्मद्वों के मामलों में हिंदुओं पर लागू है।

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापिक अधिकारों के प्रयोग संबंधी पहली व्यवस्था १६६१ में चार्ल्स द्वितीय के आर्देर द्वारा की गई थी।



१७२६ के चार्टर द्वारा प्रेसीडेंसी वाले तीनों नगरों में मेयर के न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। इन न्यायालयों द्वारा जिस विधि को व्यवहार में लाने का विचार था वह इंग्लैंड की विधि थी जो देशजों तथा विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू होती थी। इसके कारण लोगों को कठिनाई हुई और यह प्रश्न उठा कि इंग्लैंड की व्यवहार विधि को भारतीयों पर लागू किया जाए या नहीं। १७५३ के चार्टर में इस बात की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई थी कि मेयरों के न्यायालयों को भारतीयों के आपसी अभियोगों की सुनवाई तक तक नहीं करनी है जब तक दोनों पक्ष अपनी सहमति से इन अभियोगों को मेयरों के न्यायालयों के निर्णय के लिये प्रस्तुत न करें। इस व्यवस्था के बारे में मोरले द्वारा यह कहा गया है कि यह उनकी अपनी विधियों का प्रथम आरक्षण है। इस व्यवस्था के सिद्धांत को वारेन हेस्टिंग्स ने अपना लिया और १७७२ की योजना में यह व्यवस्था की गई कि दाय, विवाह जाति और अन्य धार्मिक प्रथाओं अथवा विधिसूत्रों संबंधी सभी मामलों में, मुसलमानों के लिये कुरान की विधि और हिंदुओं के लिये शास्त्रों में दी गई विधि का सदा ही अवलंबन किया जाएगा। ऐसे कानून का उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों को अपने पूर्वजों की उन विधियों के अधीन रहने का एक अवसर दिया जाए जिनके वे अभ्यस्त थे और जिनके साथ उनका अनेक प्रकार से गठबंधन था। हेस्टिंग्स को यह विश्वास हो गया था कि ब्राह्म वैदिक प्रणाली पर आधारित किसी संहिता को लागू करने से भारी असफलता का सामना करना पड़ेगा।

इस योजना का विशेष पहलू इसका सीमित स्वरूप है। वैयक्तिक विधि को केवल विशेष विषयों, जैसे दाय, विवाह, जाति और धार्मिक विधिसूत्रों तक ही सीमित रखा गया था। इसके अतिरिक्त हिंदू और मुसलमान विभिन्न संप्रदायों तथा उपसंप्रदायों में विभक्त हैं। हिंदू विभिन्न संप्रदायों में, जैसे सिख, जैन और बौद्ध में बँटे हुए हैं। मुसलमानों के शीया और सुन्नी ये दो मुख्य संप्रदाय हैं। शीया विधि तथा सुन्नी विधि में काफी भिन्नता है। जहाँ तक उनपर उनकी वैयक्तिक विधि के लागू किए जाने का संबंध था, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी कि इन विभिन्न संप्रदायों की क्या स्थिति रहेगी। कालांतर में ऐसे प्रश्न उठे और उनका निपटारा केवल न्यायालयों द्वारा किया गया था। राजा दीवार हुसैन बखाम रानी जुहूरनुसा के मामले में प्रिंसी कौंसिल ने यह व्यवस्था दी थी कि शीया लोग अपनी शीया विधि के अनुसार न्याय प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

हेस्टिंग्स की १७७२ की व्यवस्था को, जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिये वैयक्तिक विधि विहित की गई थी, केवल संबंध न्यायाधीशों की सहायता के कार्यरूप देना असंभव हो जाता क्योंकि वे भारतीय भाषाओं, भारतीयों के धर्मों और उनकी कथियों से अपरिचित थे और उन्हें इन विधियों का कोई ज्ञान नहीं था। अतः हेस्टिंग्स ने न्यायिक प्रणाली को चलाने के लिये इन न्यायाधीशों को उन भारतीय विधि अधिकारियों, काजियों और पंडितों की सहायता उपलब्ध कराई जिनका काम इन विधियों के सिद्धांतों की

व्याख्या उन न्यायाधीशों के समझ करना था। अंग्रेज न्यायाधीशों ने उन भारतीय विधि अधिकारियों का कभी विश्वास नहीं किया जिनके बारे में यह समझा जाता था कि वे अप्रत्याशित कर सकते हैं और रिश्वत ले सकते हैं। इस संबंध में केवल एक यही चारा रह गया था कि अनुभवी तथा योग्य भारतीय विधिशास्त्रियों की सहायता से हिंदू तथा मुस्लिम विधि के पूर्ण निबंध तैयार करके उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाए। अतः हिंदू तथा मुस्लिम विधि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने तथा उनकी परिभाषा करने के प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों के फल-स्वरूप पहले पहल हिंदू विधि संबंधी हेलहीड की संहिता तैयार हुई। इसी प्रकार अरबी के 'हिदाया' का फारसी रूपान्तर तैयार किया गया जिसका अंग्रेजी अनुवाद श्री हेमिलटन ने तैयार किया। इसी प्रकार शर्न: शर्न: वैयक्तिक विधि के संबंध में अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा रचिन कई अन्य उत्तम पुस्तकें सामने आईं।

परंतु दंड विधि के क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं किए गए। मुस्लिम दंड विधि में, जो उस समय लागू थी, भारी परिवर्तन किए गए और यह विधि दंडसंहिता, १८६० तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६१ के प्रवर्तन तक लागू रही। इन अधिनियमों ने उस समय विद्यमान दंडविधियों को निष्प्रभावी कर दिया और ये अधिनियम जाति, पंथ और धर्म के भेदभाव के बिना सभी पर लागू कर दिए गए।

हालांकि हिंदुओं तथा मुसलमानों की विधियों को विवाह, दाय-ग्रहण, दाय आदि मामलों में बनाए रखा गया था, तथापि यह अनुभव किया गया कि हिंदू विधि की प्राचीन प्रणाली बदलते हुए जमाने के अनुकूल नहीं है। अतः कई ऐसे कानून बनाए गए जिनके द्वारा वैयक्तिक विधियों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बना दिया गया। इस संबंध में हिंदू विधि में संशोधन करनेवाला पहला महत्वपूर्ण अधिनियम वह था जिसमें 'सती' प्रथा की समाप्ति की व्यवस्था की गई। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये कई कानून बनाए गए। १८५६ में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा हिंदू विधवा के पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया। १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम ने ऐसे हिंदुओं को इस अधिनियम के अधीन विवाह करने योग्य बना दिया जो यह घोषणा करें कि वे हिंदू धर्म को नहीं मानते। इस अधिनियम में १८२३ में संशोधन हुआ और अपने आपको हिंदू माननेवाले व्यक्तियों को भी इसके अनुसार विवाह करने के योग्य बना दिया गया। १८३७ के धर्म विवाह वैधीकरण अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि ऐसे व्यक्तियों के बीच सभी विवाह वैध होंगे जो विवाह के समय धर्मसमाप्ति होंगे चाहे विवाह से पूर्व वे विभिन्न जातियों के हों अथवा धर्म धर्म को मानते रहे हों। इन विधियों के द्वारा विवाह संबंधी कठोर हिंदू विधियों में परिवर्तन कर दिया गया। १८४६ के हिंदू विवाहिता पुनर्न्याय तथा पोषण अधिकार अधिनियम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में हिंदू विवाहिता को पुनर्न्याय तथा पोषण का अधिकार दे दिया गया। १८३० के हिंदू विवाह अधिनियम अधिनियम में हिंदू विभिन्न परिवार के एक सदस्य

के अधिकारों की उस संपत्ति के बारे में परिभाषा की गई है जो उसने अपनी विधा के बल पर अर्जित की हो।

दाय के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन किए गए। हिंदू दाय (निर्णयिता निराकरण) अधिनियम द्वारा कतिपय अनर्ह वारिसों का दाय से अपवर्जन संबंधी हिंदू विधि के नियम में संशोधन किया गया। १९२९ के हिंदू दाय विधि (संशोधन) अधिनियम द्वारा मिताक्षरा विधि के अधीन उत्तराधिकार के क्रम में परिवर्तन किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि किसी पुत्रहीन हिंदू पुरुष की संपदा के लिये उत्तराधिकारी के रूप में दूर गोबीय की अपेक्षा कतिपय निकट बंधु को वरीयता दी जाएगी। १९३७ के हिंदू स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम द्वारा संदायाता, बंटवारे और दाय से संबंधित हिंदू विधि में संशोधन किया गया तथा स्त्रियों को और अधिक अधिकार दिए गए।

इन अधिनियमों ने हिंदू विधि की ऋद्धिवादी प्रणाली को अनेक दृष्टियों से प्रभावित किया परंतु कोई उच्च परिवर्तन नहीं किए जा सके। अंग्रेज प्रशासक वैयक्तिक विधियों में परिवर्तन करने से डरते थे। उनका विचार था कि दाय, विवाह आदि से संबंधित विधियों में हस्तक्षेप करने पर यह समझा जाएगा कि देशों के धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है क्योंकि दोनों का निकट संबंध है और देशों में इससे क्षीय पैदा हो सकती है परंतु स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् स्थिति बदल गई। वैयक्तिक विधियों के संहिताकरण के लिये कई ठोस कारण थे। हिंदू विधि पर विचार करने के लिये १९४१ में एक समिति नियुक्त की गई। इसने यह सिफारिश की कि विधि को क्रमिक अवस्थाओं में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। १९४४ में राव समिति नामक एक अन्य समिति नियुक्त की गई। इस समिति के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संहिता का एक प्रारूप उपस्थित किया। हिंदू विधि विधेयक को, जो एक लंबे घंटे तक संसद् के समक्ष रहा, कई विरोध के कारण छोड़ दिया गया। अंततोगत्वा यह निश्चय किया गया कि अपेक्षित विधान को किस्तों में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ में बनाया गया तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण तथा पोषण अधिनियम १९५६ में पारित किए गए।

हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि में संशोधन किया गया तथा इसे संहिताबद्ध किया गया। इसके द्वारा वैध हिंदू विवाह की शर्तों तथा अपेक्षाओं को भी सरल कर दिया गया है। इसके द्वारा द्विविवाह को अंतर्नीय अपराध बना दिया गया है। वापस अधिकारों के प्रत्यास्थापन, न्यायिक पुष्ककरण और विवाह तथा तलाक की नास्तित्वता संबंधी विषय भी इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए।

१९५६ के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा हिंदुओं में इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार संबंधी नियमों में उच्च परिवर्तन किए गए हैं। इस अधिनियम में दाय की एक समान प्रणाली की व्यवस्था की गई है और यह मिताक्षरा तथा दाय भाग द्वारा विनियमित व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। मिताक्षरा द्वारा स्वीकृत

वारिसों की तीन श्रेणियाँ, जैसे गोषय सपिठ, समावोत्रक और बंधु तथा दावभाण द्वारा स्वीकृत वारिसों की तीन श्रेणियों जैसे सपिठ, सकुस्य और बंधु अब नहीं रही हैं। अब वारिसों को चार प्रवर्गों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार हैं (१) अनुसूची के वर्ग १ में दिए गए वारिस, (२) अनुसूची के वर्ग २ में दिए गए वारिस, (३) गोबीय, तथा (४) अन्य गोबीय। प्रथमः संपत्ति अनुसूची के वर्ग १ में दिए गए वारिसों को मिलती है। और यदि ऐसे कोई वारिस न हो तो दूसरे, तीसरे और चौथे प्रवर्ग के वारिसों को मिलती है। अब पुरुष तथा स्त्री वारिस समान समझे जाने लगे हैं। हिंदू स्त्रियों की सीमित संपदा को समाप्त कर दिया गया है और हिंदू स्त्री द्वारा कृत संपत्ति उसकी परम (एक मात्र उसकी) संपत्ति होगी। उस अधिनियम द्वारा स्त्रीजन संबंधी उत्तराधिकार से संबंधित कानून में भी संशोधन कर दिया गया है।

हिंदू दत्तक ग्रहण तथा पोषण अधिनियम के द्वारा दत्तक ग्रहण तथा पोषण की विधि को संहिताबद्ध किया गया है। पिछली विधि के अनुसार पुत्री को गोद नहीं लिया जा सकता था परंतु इस अधिनियम में लड़कों तथा लड़कियों दोनों के गोद लिए जाने की व्यवस्था है। इस अधिनियम द्वारा एक हिंदू स्त्री को भी स्वाधिकार से गोद लेने का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त अधिनियमों से हिंदू विधि की ऋद्धिवादी प्रणाली में भारी परिवर्तन हुआ है।

वारेन हेस्टिंग्स की १७७२ की योजना में दाय, विवाह, जाति और अन्य धार्मिक प्रथाओं संबंधी सभी मामलों में मुसलमानों पर कुरान की विधियों को लागू करने के लिये व्यवस्था की गई थी। कानून द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों के अलावा यह योजना आज भी बहुत कुछ वैसी ही है। इस संबंध में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन १९१३ के बन्ध अधिनियम द्वारा किया गया।

१९३७ में शरीयत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य यह था कि सभी मुस्लिम संप्रदायों के लिये मुस्लिम विधि को पुनः स्थापित किया जाए। खोजा तथा मेमन जैसे कुछ संप्रदाय ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण कर लिया था। धर्मपरिवर्तन के पश्चात् भी इन संप्रदायों ने हिंदू विधि को पूर्णतः नहीं छोड़ा था। कुछ मामलों के बारे में उनका विनियमन हिंदू विधि द्वारा होता था क्योंकि वह उनकी कड़विधि थी। १९३७ के शरीयत अधिनियम द्वारा ऐसी कड़ि का निराकरण कर दिया गया। अब यह अधिनियम प्रत्येक मुसलमान पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो। इसके दो वर्ष पश्चात् एक अन्य अधिनियम, मुस्लिम विवाहविधेय अधिनियम, १९३९ पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम पत्नी को अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रहने के बारे में अधिकार दिया गया। इन अधिनियमों के मुस्लिम विधि में किसी हद तक परिवर्तन ही हुआ, परंतु जो परिवर्तन हुए हैं, वे अपर्याप्त हैं। अब प्राचीन प्रणाली निकसित हुई थी अब समाज आधुनिक भारतीय समाज के विभन्न था। अब सामाजिक वातावरण तथा धार्मिक परिस्थितियों

में परिवर्तन हो जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस विधि के कुछ विषय भाव की सामाजिक परिस्थितियों से भेद न खाते हों।

अतः इस विधि में ऐसा परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है कि वह भाव की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और वांछनीयताओं में उपजीवी सिद्ध हो सके। [ कं० कि० बो० ]

**वैशेषिक दर्शन** जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमानन्द की प्राप्ति या बुद्धि की आत्मिक निवृत्ति। यह 'आत्मदर्शन' से ही होता है। 'आत्मा वा अरे इष्टम्यः', यह भारतीय दर्शनों का तथा धर्म का भी लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है—'नाम्यः पंचा विखलेयनाय'। इसलिये आत्मा को देखने का प्रयत्न करते हुए तपस्वी लोगों ने अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न समय में उपासना के द्वारा प्राप्त अपने अपने अनुभवों को नियमबद्ध किया। उन अनुभवों को उनके विषय के अनुसार संकलित कर और उन्हें भिन्न भिन्न नाम देकर आचार्यों ने भिन्न भिन्न दर्शनों को प्रवर्तित किया। इन दर्शनों की संख्या अनियत है और अनंत हो सकती है।

प्रत्येक प्रसिद्ध भारतीय दर्शन इसी दर्शनमार्ग का एक एक विद्यामस्थान है। प्रत्येक विश्वामस्थान से स्वतंत्र रूप में परमतरव की खोज की गई है। अतएव एक दर्शन दूसरे दर्शन से भिन्न भी है। दृष्टिकोण के भेद से परस्पर भेद होना स्वाभाविक है, किंतु इनमें परस्पर वैमनस्य नहीं है। कोरक से क्रमशः विकसित फूल के समान सोपान की क्रमिक बढ़ती हुई परंपरा में लक्ष्य की तरफ जाते हुए दर्शनों में एक भाग है, और एक पीछे है। सभी एक ही पथ के पथिक हैं।

भारतीय दर्शनों का एक विशिष्ट दर्शन— इसके नामकरण के दो कारण कहे जाते हैं— (१) प्रत्येक नित्य द्रव्य को परस्पर पुषक् करने के लिये तथा प्रत्येक तत्व के वास्तविक स्वरूप की पुषक् पुषक् जानने के लिये इन्होंने एक 'विशेष' नाम का पदार्थ माना है, (२) तथा 'द्वैत्व', 'पाकजोत्पत्ति' एवं 'विभाग्य विधान' इन तीन बातों में इनका अपना विशेष मत है जिसमें ये दृढ़ हैं। अग्निप्राय यह है कि वैशेषिक दर्शन व्यावहारिक तर्कों का विचार करने में संलग्न रहने पर भी स्थूल दृष्टि से सर्वथा व्यवहारतः समान रहने पर भी, प्रत्येक वस्तु दूसरे से भिन्न है इसके परिचायक एक मात्र 'विशेष' पदार्थ को इन्होंने माना है। इसलिये इस शास्त्र को 'वैशेषिक' शास्त्र या दर्शन कहते हैं। अन्य शास्त्रों ने इस बात का विशेषण नहीं किया है। इन्हीं कारणों से इस दर्शन को 'वैशेषिक दर्शन' कहते हैं।

वैशेषिक तथा म्याय ये दोनों दर्शन 'समानतंत्र' हैं। व्यावहारिक जगत् को वे वास्तविक मानते हैं। बाह्य जगत् तथा अंतर्जगत् की विचारबारा में अनिष्ट संबंध ये मानते हैं। बाह्य जगत् मानसिक-विचारबारा पर निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र है।

इस प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों को सबसे पहले कणाद ने सूत्र रूप में लिखा। कणाद एक ऋषि थे। ये 'उच्छ्वसुषि' के और नाम के कर्णों का संग्रह कर उन्हीं को खाकर तपस्या करते थे। इसी लिये इन्हें 'कणाद' या 'कण्डकुक्' कहते थे। किसी का कहना है कि कुछ वर्षों परन्तु तत्र का मुख्य विचार इन्होंने किया है,

इसलिये इन्हें 'कणाद' कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर वे समाधि में रहते थे और रात्रि को कर्णों का संग्रह करते थे। यह वृत्ति 'उच्छ्व' पक्षी की है। किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उलूक पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। इन्हीं कारणों से यह दर्शन 'मीलूक्य', 'कणाद', 'वैशेषिक' या 'पाशुपत' दर्शन के नामों से प्रसिद्ध है।

आत्मदर्शन के लिये विश्व की सभी छोटी बड़ी, तात्त्विक तथा पुच्छ वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इन तत्त्वों के ज्ञान के लिये प्रमाणों की अपेक्षा होती है। न्यायशास्त्र में प्रमाण का विशेष विचार है, किंतु वैशेषिक में मुख्य रूपा से प्रमेय का विचार है।

वैशेषिक दर्शन के मुख्य ग्रंथ कणादसूत्र, उसकी टीका भाष्य ( रावण ) कट्टी, वृत्ति - उरस्कार ( शकर मिश्र १५वीं सदी ), वृत्ति, भाष्य ( चंद्रकांत २०वीं सदी ), विवृत्ति ( जयनारायण २० वीं सदी ), पदार्थ-धर्म-संग्रह ( प्रहस्तदेव, ४ थी सदी के पूर्व ), उसकी टीका 'भ्योमवती' ( भ्योमशिवाचार्य, ८ वीं सदी ), 'किरणावली' ( उदयनाचार्य १० वी सदी ), 'कदली' ( श्रीधराचार्य, १० वी सदी ), वल्लभाचार्य न्यायलीलावती ( १२ वी सदी ), कणाद रहस्य, सप्तपदार्थी, तात्त्विकरक्षा आदि अनेक मूल तथा टीका रूप ग्रंथ हैं।

पठन पाठन में विशेष प्रचलित न होने के कारण वैशेषिक सूत्रों में अनेक पाठभेद हैं तथा त्रुटियाँ भी पर्वत हैं। मीमांसासूत्रों की तरह इसके कुछ सूत्रों में पुनरुक्तियाँ हैं— जैसे 'सामान्यविशेषाभावेन' ( ४ बार ) 'सामान्यतोदृष्टाश्चा विशेषः' ( २ बार ), 'तत्त्वं भावेन' ( ४ बार ), 'द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते' ( ३ बार ), 'सदिग्ध-सुपचारः' ( २ बार )।

वैशेषिकों के स्वरूप, वेष तथा आचार आदि नैययिकों की तरह होते हैं; जैसे, ये लोग शैव हैं, इन्हें शैवी दीक्षा दी जाती थी। इनके चार प्रमुख भेद हैं— शैव, पाशुपत, महाप्रनधर, तथा कालमुख एवं अरट, अत्तर, आदि गण भेद हैं। वैशेषिक विशेष रूप से 'पाशुपत' कहे जाते हैं। (षड्दर्शनसमुच्चय, गुणरत्न की टीका न्याय-वैशेषिक मत। इस ग्रंथ से अन्य आचार्यों के सबंध में ज्ञान हो सकता है)।

यहाँ स्मरण कराना आवश्यक है कि म्याय की तरह वैशेषिक भी लौकिक दृष्टि ही से विश्व के वास्तविक तत्त्वों का दार्शनिक विचार करता है। लौकिक जगत् की वास्तविकी परिस्थिति की अपेक्षा वह कभी नहीं करता, तथापि जहाँ किसी तत्व का विचार बिना सूक्ष्म दृष्टि का हो नहीं सकता, वहाँ किसी प्रकार अतीन्द्रिय, अदृष्ट, सूक्ष्म, योग्य आदि हेतुओं की पुष्टाई देकर अपना कार्य सिद्ध कर लेना इन लोगों का स्वभाव है, अन्यथा उनके विचार पूर्ण हो नहीं सकते; जैसे, परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन आदि पदार्थों का स्वीकार करना।

वैशेषिक मत में समस्त विश्व 'भाव और अभाव' इन दो विभागों में विभाजित है। इनमें 'भाव' के छह विभाग किए गए हैं, जिनके नाम हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, तथा समवाय। अभाव

के चार भेद हैं—प्रागभाव, प्रध्वंसभाव, अत्यंतभाव तथा अग्न्योन्माभाव। इनके लक्षण आदि नीचे दिए जाते हैं :

(१) द्रव्य — जिसमें 'द्रव्यत्व जाति' हो वही द्रव्य कहलाता है। कार्य के समवायिकरण को द्रव्य कहते हैं। गुणों का आश्रय द्रव्य होता है। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मनस् ये भी 'द्रव्य' कहलाते हैं। इनमें से प्रथम चार द्रव्यों के नित्य और अनित्य दो भेद हैं। नित्यरूप को 'परमाणु' तथा अनित्य रूप को कार्य कहते हैं। चारों भूतों के उस हिस्से को 'परमाणु' कहते हैं जिसका पुनः भाग न किया जा सके, अतएव यह नित्य है। पृथ्वी-परमाणु के प्रतिरिक्त अन्य परमाणुओं के गुण भी नित्य हैं।

जिसमें गंध हो वह 'पृथ्वी', जिसमें शीत स्पर्श हो वह 'जल' जिसमें उष्ण स्पर्श हो वह 'तेजस्', जिनमें रूप न हो तथा अग्नि के संयोग से उत्पन्न न होनेवाला, अनुष्ण और अशीत स्पर्श हो, वह 'वायु', तथा शब्द जिसका गुण हो अर्थात् शब्द का जो समवायिकरण हो, वह 'आकाश' है। ये पाँच 'भूत' भी कहलाते हैं।

आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा ये चार 'विमु' द्रव्य हैं। मनस् अतीतिक परमाणु है और नित्य भी है। आज, कल, इस समय, उस समय, मास, वर्ष, आदि समय के व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह काल है। यह नित्य और व्यापक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आदि दिशाओं तथा विदिशाओं का जो असाधारण कारण है, वह 'दिक्' है। यह नित्य तथा व्यापक है। आत्मा और मनस् का स्वल्प न्यायमत के समान ही है।

(२) गुण — कार्य का असमवायिकरण 'गुण' है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पुषक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह (चिकनापन), शब्द, ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म तथा संस्कार ये चौबीस गुण के भेद हैं। इनमें से रूप, गंध, रस, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, शब्द तथा ज्ञान से लेकर संस्कार पर्यंत, ये 'वैशेषिक गुण' हैं, अवशिष्ट साधारण गुण हैं। गुण द्रव्य ही में रहते हैं।

(३) कर्म — क्रिया को 'कर्म' कहते हैं। ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, सिकुड़ना, फैलाना तथा (अग्न्य प्रकार के) गमन, जैसे भ्रमण, स्पंदन, रेचन, आदि, ये पाँच 'कर्म' के भेद हैं। कर्म द्रव्य ही में रहता है।

(४) सामान्य — अनेक वस्तुओं में जो एक ही बुद्धि होती है, उसके कारण प्रत्येक घट में जो 'यह घट है' इस प्रकार की एक ही बुद्धि होती है, उसका कारण उसमें रहनेवाला 'सामान्य' है, जिसे वस्तु के नाम के आगे 'त्व' लगाकर कहा जाता है, जैसे—घटत्व, पटत्व। 'त्व' से उस जाति के अंतर्गत सभी व्यक्तियों का ज्ञान होता है।

यह नित्य है और द्रव्य, गुण तथा कर्म में रहता है। अधिक स्थान में रहनेवाला 'सामान्य', 'परसामान्य' या 'सत्तासामान्य' वा 'पर सत्ता' कहा जाता है। सत्तासामान्य द्रव्य, गुण तथा कर्म इन तीनों में रहता है। प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला तथा व्यापक जो सामान्य हो, वह 'अपर सामान्य' या 'सामान्य विशेष' कहा जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पुषक् करना सामान्य का धर्म है।

(५) विशेष — द्रव्यों के अंतिम विभाग में रहनेवाला तथा नित्य द्रव्यों में रहनेवाला 'विशेष' कहलाता है। नित्य द्रव्यों में परस्पर भेद करनेवाला एकमात्र यही पदार्थ है। यह अनंत है।

(६) समवाय — एक प्रकार का संबंध है, जो प्रथम और प्रथमी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान्, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच रहता है। यह एक है और नित्य भी है।

अभाव — किसी वस्तु का न होना, उस वस्तु का 'अभाव' कहा जाता है। इसके चार भेद हैं—'प्राग् अभाव' कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण में उस कार्य का न रहना, 'प्रध्वंस अभाव' कार्य के नाश होने पर उस कार्य का न रहना, 'अत्यंत अभाव' तीनों कालों में जिसका सर्वथा अभाव हो, जैसे बंध्या का पुत्र तथा 'अग्न्योन्मा अभाव' परस्पर अभाव, जैसे घट में पट का न होना तथा पट में घट का न होना।

ये सभी पदार्थ न्यायदर्शन के प्रमेयों के अंतर्गत हैं। इसलिये न्यायदर्शन में इनका पुषक् विचार नहीं है, किन्तु वैशेषिक दर्शन में तो मुख्य रूप से इनका विचार है। वैशेषिक मत के अनुसार इन सातों पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है।

इन दोनों समान तत्त्वों में पदार्थों के स्वरूप में इतना भेद रहने पर भी दोनों दर्शन एक ही में मिले रहते हैं, इसका कारण है कि दोनों शास्त्रों का मुख्य प्रमेय है 'आत्मा'। आत्मा का स्वरूप दोनों दर्शनों में एक ही सा है। अग्न्य विशेष है—उसी आत्मा के जानने के लिये उपाय। उसमें इन दोनों दर्शनों में विशेष अंतर भी नहीं है। केवल शब्दों में तथा कहीं कहीं प्रक्रिया में भेद है। फल में भेद नहीं है। अतएव न्यायमत के अनुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से दोनों से एक ही प्रकार की 'मुक्ति' मिलती है। दोनों का दृष्टिकोण भी एक ही है।

न्याय वैशेषिक मत में पृथिवी, जल, तेजस् तथा वायु इन्हीं चार द्रव्यों का कार्य रूप में भी अस्तित्व है। इन लोगों के मत में सभी कार्य द्रव्यों का नाश हो जाता है, और वे परमाणु रूप में आकाश में रहते हैं। यही अवस्था 'प्रलय' कहलाती है। इस अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा अपने मनस् के साथ तथा पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के साथ तथा अदृष्ट रूप में धर्म और अधर्म के साथ विद्यमान रहती है। परंतु इस समय सृष्टि का कोई कार्य नहीं होता। कारण रूप में सभी वस्तुएँ उस समय की प्रतीक्षा में रहती हैं, जब जीवों के सभी अदृष्ट कार्य रूप में परिणत होने के लिये तत्पर हो जाते हैं। परंतु अदृष्ट जड़ है, शरीर के न होने से जीवात्मा भी कोई कार्य नहीं कर सकती, परमाणु आदि सभी जड़ हैं, फिर 'सृष्टि' के लिये क्रिया किस प्रकार उत्पन्न हो ?

इसके उत्तर में यह जानना चाहिए कि उत्पन्न होनेवाले जीवों के कल्याण के लिये परमात्मा में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीवों के अदृष्ट कार्यों-मुक्त हो जाते हैं। परमाणुओं में एक प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक परमाणु, दूसरे परमाणु से संयुक्त हो जाते हैं। दो परमाणुओं के संयोग से एक 'द्रव्यणुक' उत्पन्न होता है। पाँचव शरीर की उत्पन्न करने

के लिये जो दो परमाणु एकट्टे होते हैं वे पार्थिव परमाणु हैं। वे दोनों उत्पन्न हुए 'द्रव्यणुक' के समवायिकारण हैं। उन दोनों का संयोग असमवायिकारण है और अदृष्ट, ईश्वर की इच्छा, आदि निमित्तकारण हैं। इसी प्रकार जलीय, तैजस, आदि शरीर के संबंध में समझना चाहिए।

यह स्मरण रखना चाहिए कि सजातीय दोनों परमाणु मात्र ही से सृष्टि नहीं होती। उनके साथ एक विजातीय परमाणु, जैसे जलीय परमाणु, भी रहता है। 'द्रव्यणुक' में 'अणु-परमाणु' है इसलिये वह दृष्टिगोचर नहीं होता। 'द्रव्यणुक' से जो कार्य उत्पन्न होगा वह भी अणुपरमाणु का ही रहेगा और वह भी दृष्टिगोचर न होगा। अतएव द्रव्यणुक से स्थूल कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिये 'तीन संख्या' की सहायता ली जाती है। न्याय-वैशेषिक में स्थूल द्रव्य, स्थूल द्रव्य या महत् परिमाणवाले द्रव्य से तथा तीन संख्या से उत्पन्न होता है। इसलिये यहाँ द्रव्यणुक की तीन संख्या से स्थूल द्रव्य 'त्र्यणुक' या 'त्रसरेणु' की उत्पत्ति होती है। चार त्र्यणुक से चतुरणुक उत्पन्न होता है। इसी क्रम से पृथिवी तथा पार्थिव द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। द्रव्य के उत्पन्न होने के पश्चात् उसमें गुणों की भी उत्पत्ति होती है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है।

संसार में जितनी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं सभी उत्पन्न हुए जीवों के भोग के लिये ही हैं। अपने पूर्वजन्म के कर्मों के प्रभाव से जीव संसार में उत्पन्न होता है। उसी प्रकार भोग के अनुकूल उसके शरीर, योनि, कुल, देश, आदि सभी होते हैं। जब वह विशेष भोग समाप्त हो जाता है, तब उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार अपने अपने भोग के समाप्त होने पर सभी जीवों की मृत्यु होती है।

न्यायमत — 'संहार' के लिये भी एक क्रम है। कार्य द्रव्य में, अर्थात् घट में, प्रहार के कारण उसके अवयवों में एक क्रिया उत्पन्न होती है। उस क्रिया से उसके अवयवों में विभाग होता है, विभाग से अवयवी (घट) के आरम्भ संयोगों का नाश होता है। और फिर घट नष्ट हो जाता है। इसी क्रम से ईश्वर की इच्छा से समस्त कार्य द्रव्यों का एक समय नाश हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि असमवायिकारण के नाश से कार्यद्रव्य का नाश होता है। कभी समवायिकारण के नाश से भी कार्यद्रव्य का नाश होता है।

इनका ध्येय है कि बिना कारण के नाश हुए कार्य का नाश नहीं हो सकता। अतएव सृष्टि की तरह संहार के लिये भी परमाणु में ही क्रिया उत्पन्न होती है और परमाणु तो नित्य है, उसका नाश नहीं होता, किंतु दो परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और फिर उससे उत्पन्न 'द्रव्यणुक' रूप कार्य का तथा उसी क्रम से 'त्र्यणुक' एवं 'चतुरणुक' तथा अन्य कार्यों का भी नाश होता है। नैयायिक लोग स्थूल दृष्टि के अनुसार इतना सूक्ष्म विचार नहीं करते। उनके मत में आधात मात्र ही से एक बारगी स्थूल द्रव्य नष्ट हो जाता है। कार्य द्रव्य के नाश होने पर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी पूर्ववत् दो मत हैं जिनका निरूपण 'पाकज प्रक्रिया' में किया गया है।

न्याय मत की तरह वैशेषिक मत में भी बुद्धि, उपसम्बि, ज्ञान तथा प्रत्यय वे समान अर्थ के बोधक शब्द हैं। अन्य दर्शनों में ये सभी शब्द भिन्न भिन्न पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बुद्धि के अनेक भेद होने पर भी प्रधान रूप से इसके दो भेद हैं—'विद्या' और 'अविद्या', अविद्या के चार भेद हैं—संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तथा स्वप्न।

संशय तथा विपर्यय का निष्पण न्याय में किया गया है। वैशेषिक मत में इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अनिश्चयारम्भक ज्ञान को 'अनध्यवसाय' कहते हैं। जैसे—कटहल को देखकर बाहीक को, एक सासना आदि से युक्त गाय को देखकर नारिकेल द्वीपवासियों के मन में शंका होती है कि यह क्या है?

दिन भर कार्य करने से शरीर के सभी अंग थक जाते हैं। उनको विश्राम की अपेक्षा होती है। इंद्रियाँ विशेषकर थक जाती हैं और मन में लीन हो जाती है। फिर मन मनोबह नाडी के द्वारा पुरीतत् नाडी में विश्राम के लिये चला जाता है। वहाँ पहुँचने के पहले, पूर्वकर्मों के संस्कारों के कारण तथा वात, पित्त और कफ इन तीनों के वंशम्य के कारण, अदृष्ट के सहारे उस समय मन को अनेक प्रकार के विषयों का प्रत्यक्ष होता है, जिसे स्वप्नज्ञान कहते हैं।

यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिए कि वैशेषिक मत में ज्ञान के अंतर्गत ही 'अविद्या' को रखा है और इसीलिये 'अविद्या' को 'मिथ्या ज्ञान' भी कहते हैं। बहुतेका कहता है कि ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध हैं। जो मिथ्या है, वह ज्ञान नहीं कहा जा सकता और जो ज्ञान है, वह कदापि मिथ्या नहीं कहा जा सकता।

विद्या भी चार प्रकार की है—प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति तथा आर्ष। यहाँ यह ध्यान में रखना है कि न्याय में 'स्मृत' को यथार्थज्ञान नहीं कहा है। वह तो ज्ञान ही का ज्ञान है। इसी प्रकार 'आर्ष ज्ञान' भी नैयायिक नहीं मानते। नैयायिकों के शब्द या आगम को अनुमान में तथा उपमान को प्रत्यक्ष में वैशेषिकों ने अतर्भूत किया है।

वेद के रचनेवाले ऋषियों को सुत तथा भविष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के समान होता है। उसमें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं रहती। यह 'प्रातिभ' (प्रातभा से उत्पन्न) ज्ञान या 'आर्षज्ञान' कहलाता है। यह ज्ञान विद्युत् अतःकरणवाले जीव में भी कभी कभी हो जाता है। जैसे — एक पवित्र कन्या कहती है — कल मेरे भाई आँवों के और सबमुच कल उसके भाई आ ही जाते हैं। यह 'प्रातिभ ज्ञान' है।

प्रत्यक्ष और अनुमान के विचार में दोनों दर्शनों में कोई भी मत-भेद नहीं है। इसलिये पुनः इनका विचार यहाँ नहीं किया गया।

कर्म का बहुत विस्तृत विवेचन वैशेषिक दर्शन में किया गया है। न्याय दर्शन में कहे गए 'कर्म' के पाँच भेदों को ये लोग भी उन्हीं अर्थों में स्वीकार करते हैं। कायिक चेष्टाओं ही को वस्तुतः इन लोगों ने 'कर्म' कहा है। फिर भी सभी चेष्टाएँ प्रयत्न के तारतम्य ही से होती हैं। अतएव वैशेषिक दर्शन में उक्त पाँच भेदों के प्रत्येक के साक्षात् तथा परंपरा में प्रयत्न के संबंध से कोई कर्म प्रयत्नपूर्वक होते हैं, जिन्हें 'संप्रत्यय-कर्म' कहते हैं, कोई बिना प्रयत्न के होते हैं,

जिन्हें 'अव्यय-कर्म' कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे पुष्पी प्रादि महाभूतों में, जो बिना किसी अव्यय के होते हैं, उन्हें 'अव्यय-कर्म' कहते हैं।

इन सब बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में तत्त्वों का बहुत सूक्ष्म विचार है। फिर भी सांसारिक विषयों में न्याय के मत से वैशेषिक बहुत सहमत है। अतएव वे दोनों 'समानतन्त्र' कहे जाते हैं।

इन दोनों दर्शनों में जिन बातों में 'भेद' है, उनमें से कुछ भेदों का पुनः उल्लेख यहाँ किया जाता है।

(१) न्यायदर्शन में प्रमाणाँ का विशेष विचार है। प्रमाणाँ ही के द्वारा तत्त्वज्ञान होने से भोज की प्राप्ति हो सकती है। साधारण लौकिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर न्यायशास्त्र के द्वारा तत्त्वों का विचार किया जाता है। न्यायमत में सीलह पदार्थ हैं और नौ प्रमेय हैं।

वैशेषिक दर्शन में प्रमेयों का विशेष विचार है। इस शास्त्र के अनुसार तत्त्वों का विचार करने में लौकिक दृष्टि से दूर भी शास्त्रकार जाते हैं। इनकी दृष्टि सूक्ष्म जगत् के द्वार तक जाती है। इसलिये इस शास्त्र में प्रमाण का विचार गीण समझा जाता है। वैशेषिक मत में सात पदार्थ हैं और नौ द्रव्य हैं।

(२) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द इन चार प्रमाणाँ को न्याय दर्शन मानता है, किन्तु वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं दो प्रमाणाँ को मानता है। इसके अनुसार शब्दप्रमाण अनुमान में अंतर्भूत है। कुछ विद्वानों ने इसे स्वतंत्र प्रमाण भी माना है।

(३) न्यायदर्शन के अनुसार जितनी इंद्रियाँ हैं उतने प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे—चाक्षुष, श्रावण, रासन, घ्राणज तथा स्पर्शन। किन्तु वैशेषिक के मत में एकमात्र चाक्षुष प्रत्यक्ष ही माना जाता है।

(४) न्याय दर्शन के मत में समवाय का प्रसङ्ग होता है, किन्तु वैशेषिक के अनुसार इसका ज्ञान अनुमान से होता है।

(५) न्याय दर्शन के अनुसार संसार की सभी कार्यवस्तु स्वभाव ही से छिद्रवाली ( Porous ) होती हैं। वस्तु के उत्पन्न होते ही उन्हीं छिद्रों के द्वारा उन समस्त वस्तुओं में भीतर और बाहर आग या तेज प्रवेश करता है तथा परमाणु पर्यंत उन वस्तुओं को पकाता है। जिस समय तेज की कणार्ध उस वस्तु में प्रवेश करती हैं, उस समय उस वस्तु का नाश नहीं होता। यह अंग्रेजी में केमिकल ऐक्शन ( chemical action ) कहलाता है। जैसे—कुम्हार बड़ा बनाकर धारों में रखकर जब उसमें आग लगाता है, तब बड़े के प्रत्येक छिद्र से आग की कणार्ध उस में प्रवेश करती हैं और बड़े के बाहरी और भीतरी सभी हिस्सों को पकाती हैं। बड़ा जैसे का वैसा ही रहता है, अर्थात् बड़े के नाश हुए बिना ही उसमें पाक हो जाता है। इसे ही न्याय शास्त्र में 'पिठरपाक' कहते हैं।

वैशेषिकों का कहना है कि कार्य में जो गुण उत्पन्न होता है, उसे पहले उस कार्य के समवायिकारण में उत्पन्न होना चाहिये। इसलिये जब कच्चा बड़ा धारों में पकने को दिया जाता है, तब आग सबसे पहले उस बड़े के जितने परमाणु हैं, उन सबको पकाती है

और उसमें दूसरा रंग उत्पन्न करती है। फिर क्रमशः वह बड़ा भी पक जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार जब कुम्हार कच्चे बड़े को धारों में पकने के लिये देता है, तब तेज के जोर से उस बड़े का परमाणु पर्यंत नाश हो जाता है और उसके परमाणु अलग अलग हो जाते हैं परचात् उनमें रूप बदल जाता है, अर्थात् बड़ा नष्ट हो जाता है और परमाणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा रंग बदल जाता है, फिर उस बड़े से लाख उठानेवालों के अदृष्ट के कारणवश दृष्टि के क्रम से फिर बनकर वह बड़ा तैयार हो जाता है। इस प्रकार उन पक्व परमाणुओं से संसार के समस्त पदार्थ, भौतिक या अनीतिक तेज के कारण पकते रहते हैं। इन वस्तुओं में जितने परिवर्तन होते हैं वे सब इसी पाकण प्रक्रिया ( केमिकल ऐक्शन ) के कारण होते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह पाक केवल पृथिवी से बनी हुई वस्तुओं में होता है। इसे वैशेषिक 'पीडुपाक' कहते हैं।

(६) नैयायिक असिद्ध, विरुद्ध, अनीकांतिक, प्रकरखतम तथा कासारवयापदिष्ट वे पाँच हेत्याभास मानते हैं, किन्तु वैशेषिक विरुद्ध, असिद्ध तथा अदिरघ, ये ही तीन हेत्याभास मानते हैं।

(७) नैयायिकों के मत में पुण्य से उत्पन्न 'इक्ष्ण' तत्त्व और पाप से उत्पन्न स्वप्न असत्य होते हैं, किन्तु वैशेषिक के मत में सभी स्वप्न असत्य हैं।

(८) नैयायिक लोग शिव के भक्त हैं और वैशेषिक महाेश्वर या पशुपति के भक्त हैं। धारण शास्त्र के अनुसार इन देवताओं में परस्पर भेद है।

(९) इनके अतिरिक्त कर्म की स्थिति में, वेगाक्य संस्कार में, सखंडोपाधि में, विभागज विक्षय में, द्वित्वसंख्या की उत्पत्ति में, विभुओं के बीच अजसंयोग में, आत्मा के स्वरूप में, अर्थ शब्द के अभिप्राय में, सुकुमारत्व और कर्कशास्त्र जाति के विचार में, अनुमान संबंधों में, स्मृति के स्वरूप में, आर्ष ज्ञान में तथा पार्थिव शरीर के विभागों में भी परस्पर इन दोनों शास्त्रों में मतभेद हैं।

इस प्रकार के दोनों शास्त्र कतिपय सिद्धांतों में भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी परस्पर संबद्ध हैं। इनके अन्य सिद्धांत परस्पर लागू होते हैं। [ श्री० उ० मि० ]

वैश्वानर पुराणों में इस नाम के कई व्यक्ति हैं। पहला वैश्वानर दानवपति कश्यप तथा दनु के ती पुत्रों में से एक था, जिसकी दो कन्याएँ कालका तथा पुलोमा थीं। भागवत के अनुसार इसकी चार कन्याएँ उपदानवी, कोला, पुलोमा तथा ह्यशिरा थीं। इनमें से कोला तथा पुलोमा का विवाह ब्रह्मा के आदेश से कश्यप प्रजापति के साथ और उपदानवी का ब्याह हिरण्यक एवं ह्यशिरा का दनु के साथ हुआ था (भाग, ६-९-६)। दूसरे वैश्वानर की कन्या सावित्री की गच्छ हिमालय की ओर से जाना चाहते थे परंतु उनके पंच जल गए। तीसरे वैश्वानर ने केतु के साथ उस समय युद्ध किया था जब समुद्रमंथन के पश्चात् देवताओं को जांबवर नामक वंस से लड़ना पड़ा था।

चतुर्थे में अग्नि का नाम भी वैश्वानर दिया है और उन्हें एक प्रधान देवता माना गया है। उसके तृतीय संबन्ध के द्वितीय अंग के

अनुसार विस्वाग्नि ने वैश्वानर देव की स्तुति करके कुछ ऋषियों की रचना की थी।

**वैश्वानर रसजानि** यह नामा भी कृत मरुतमाल की टीका मन्त्र-रसबोधिनी के कर्ता त्रिधावास जी के पीय थे, जिन्होंने इन्हें 'रसजानि' की उपाधि दी। इनके पुत्र श्रीहरिजीवन जी थे। इन्होंने श्रीमद्भागवत के बारहो स्कंधों का पद्यानुवाद किया है। भागवतमाहात्म्य के अनुवाद में रचनाकाल सं० १५०२ दिया है। जयदेव के गीतगोविंद का पद्यानुवाद सं० १२१४ में पूर्ण हुआ। इनका समय संवत् १७७० से सं० १८३० के लगभग है। [ रा० वि० ]

**वैश्वानरिअन्** जन्म—१८ नवंबर ६, मृत्यु २६ जून ७६ रोमन-साम्राज्य का अत्यंत प्रभावशाली सम्राट् वैश्वानरिअन् (पूरा नाम—टाइटस फ्लैवियस वैश्वानरिअन्, शासनकाल—७०—७६) का जन्म मामूली साहूकार के घर में हुआ था और उसका जीवन बहादुर सैनिक के रूप में शुरू हुआ। इसी हेतियत से वह जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांसीसा, यूनान, और मिस्र गया। बड़ा यश पैदा किया। १ जुलाई, ६६ ई० को मिस्र में रोमन सेनाओं ने उसको सम्राट् घोषित किया। अन्य स्वार्थों की सेनाओं ने भी उसके प्रति वफादारी की शपथ ली। उनके द्वारा ही वह रोमन साम्राज्य का शासक बनाया गया, उसने सीधे ही शासन सुधार की घोषणा करके अपने को लोकप्रिय बना लिया। गाल प्रदेश के विद्रोह को दबाकर जर्मन सीमाओं को सुरक्षित बनाया। जेरुसलम में भी रोमन साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाया। जेजूस के मंदिर को बंद करके अपने शासन काल के ६ वर्ष में वहाँ रोमन प्राधिपत्य कायम रखा। ७८ ई० में इंग्लैंड को वेल्स और आंग्लेसी द्वीप में रोमन साम्राज्य का विस्तार किया।

सन् ७० में उसने रोम में प्रवेश किया। वह बरेल्ल युद्ध में धाग की मेंट हो चुका था। उसका पुनर्निर्माण कर उसको सुंदर एवं वैभवशाली बनाया। उसका सबसे बड़ा काम सिनेट के सहयोग से रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना, सेनाओं का पुनर्गठन कर उसमें कैली हुई आर्थिकता को दूर करना, साम्राज्य के अंतर्गत प्रदेशों को उन्नत बनाना और पिछड़े हुए प्रदेशों में रोमन संस्कृति का प्रसार करना था। वह बहादुर सैनिक, कुशल शासक, तथा चरित्रवान, ईमानदार, हंसमुख, मिलनसार और उदार व्यक्ति था। उसके समय में रोमन साम्राज्य का पहला सुप्रसिद्ध इतिहास लिखा गया। अपने सरल और मितव्ययी जीवन से उसने रोमन सामंतों और जनता के जीवन में बड़ा सुधार किया और सादगी से रहना सिखाया।

एक रोमन सरदार की खड़ी प्लेविया डामाटिला से उसका विवाह हुआ। उसके दो पुत्र हुए और दोनों रोमन साम्राज्य के सम्राट् हुए। [ सं० वि० ]

**वोयेलकर, जे० ए०** (Voelcker, J. A.) इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध मृत्तिसंशोधक (soil chemist) थे। इन्होंने विश्वविख्यात रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्लेमिन्ट्स में धूम्र से होनेवाली क्षणिक क्षति का पता लगाया। जब विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में नाइट्रोजनी, फॉस्फो-

रिक अथवा शोथनीय उर्ध्वक मिलाए जाते हैं, तब पोषक तत्वों की क्षति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका सूक्ष्म अध्ययन इन्होंने किया। परीक्षणों से यह देखा गया कि अमोनियम लवणों के कारण कैल्सियम, मैग्नीशियम आदि की क्षति में वृद्धि होती है।

सन् १८८६ में तत्कालीन बंगाली सरकार के धार्मिक पर वे भारत आए और दक्षिण भारत से अपना भ्रमण प्रारंभ कर बंगाल, उत्तरप्रदेश तथा पंजाब का दौरा किया। सन् १८६१ में वे में वापस चले गए। इन्होंने भारतीय कृषि की जो अवस्था देखी, इंग्लैंड पहुँचकर उसके संबंध में अपने विचारों को पुस्तकाकार रूप में, 'भारतीय कृषि के सुधार' (Improvements of Indian Agriculture) के नाम से प्रकाशित किया। यह पुस्तक भारतीय कृषि के विविध पक्षों पर सूचना देने में समर्थ है।

भारतीय कृषि के संबंध में व्यक्त किए गए इनके अनेक विचारों से कृषि के उन्नयन में योग मिला है। [ सि० गो० मि० ]

**वोह्लगमथ माइकेल** (Wohlgemuth Michael.) जर्मन चित्रकार। जन्म न्यूरेमबर्ग में १४३४ ई० को हुआ। १४७२ में चित्रकार हांसपिट्सवर्ग की विधवा से विवाह किया। इसने एक बहुत बड़ी संस्था का संचालन किया जिसके अंतर्गत कला के अनेक रूपों पर कार्य होता था। माइकेल आर्थिक चित्रों तथा काष्ठकला के लिये प्रसिद्ध है। इसकी कृतियाँ न्युनिख की चित्रदीर्घा तथा न्यूरेमबर्ग की प्रदर्शनी में प्राप्त हैं। न्यूरेमबर्ग में १५१६ में इसका देहांत हो गया। [ गु० वि० ]

**व्यंग्यरचना (प्रहासक, बरलेस्क)** 'बरलेस्क' शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में राजसत्ता की पुनः स्थापना (रेस्टोरेशन—१६६०) से कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ जिसका अर्थ पहले मुक्त विनोद ही था, साहित्यिक पद्धति नहीं। उसके पश्चात् 'ड्रोल' (चित्र विचित्र, विनोदपूर्ण, हास्यास्पद) के अर्थों के रूप में इसका प्रयोग हुआ जिसका अर्थ था अत्यंत हास्याजनक। अब भी यही अर्थ उन साहित्यिक रूपों के लिये प्रयुक्त होता है जो परिदृष्टि (अनुकृति काव्य, पैरोडी), व्यंग्यचित्रण (कैरीकेचर) और छद्मरूपक (ट्रावेस्टी) की श्रेणी में आते हैं। सर्वप्रथम सन् १६४३ में स्कारो ने इसका प्रयोग किया था और फिर सन् १६४८ में उसके अर्थ 'वज्रिल के छद्म रूपक' (ट्रावेस्टी ऑव वज्रिल) के लिये इसका प्रयोग हुआ था। चार्ल्स कोटन ने अंगरेजी में जो इसका अनुकरण किया था (प्रथम भाग १६६४) उसका शीर्षक था स्कारोमिडस, और वज्रिल ट्रावसिटी (ए मीक पोएस, वीइंग दि फुल्ट बुक ऑव वज्रिल इनीस इन इंग्लिश, बरलेस्क—एक हास्य कविता जो वज्रिल के इनीस की अंगरेजी में प्रथम पुस्तक प्रहासक, बरलेस्क है)। इस शब्द का प्रयोग 'हुडब्रास' के लिये भी हुआ था जिसकी उन बड़े अटपटे द्विचरणी श्लोको में रचना हुई थी जिनका प्रयोग आगे चलकर सभी प्रहासकों के लिये स्वीकृत हो गया था।

'बरलेस्क' शब्द का प्रयोग अब उन सभी कविताओं, कथा—उपन्यासों और नाटकों के लिये होता है जिनमें अत्यंत अनुकरण के द्वारा रीति नीति, संस्कार, व्यक्ति या साहित्यिक कृतियाँ (कोई विशेष कृति या किसी श्रेणी की कृतियाँ) हास्यास्पद तथा व्यंग्यात्मक रूप

में प्रस्तुत की जाती है या उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। जीम्सन की परिभाषा के अनुसार 'ऐसी रचनाओं में जान बूझकर शैली और भाव के बीच विरोध या अननुपात उत्पन्न करके विनोदात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इनमें से जिनमें किसी तुच्छ वस्तु या भाव को अत्यंत व्यंग्यात्मक गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया जाता है उन्हें उच्च प्रहासक ( हाई बरलेस्क ) और जिनमें गंभीर भाव को अत्यंत निम्न तथा विचित्र हास्यास्पद क्षुद्रता, लघुता या हीनता के साथ प्रदर्शित किया जाता है उन्हें निम्न प्रहासक ( लो बरलेस्क ) कहते हैं। अधिकांश इस प्रकार की रचनाओं का उद्देश्य भालोचना करना, खिल्ली उड़ाना या छीटे कसना होता है किंतु इसमें अत्यंत और असंगत क्रियाओं या व्यवहारों के द्वारा मनोविनोद भी किया जा सकता है। इस प्रकार के शुद्ध काल्पनिक प्रहासक को एस्ट्रावेगांजा ( अटर सटर ) कहते हैं। प्रहासक ( बरलेस्क ) के मुख्य रूप हैं परिवृत्ति ( अनुकृति काव्य, पैरोडी ) व्यंग्य चित्रण ( कैरीकेचर ) और छद्मरूपक ( ट्रावेस्टी )। जिस प्रहासक ( बरलेस्क ) में किसी विशेष कृति या लेखक या वाद की शैली या प्रकृति तथा रीति का विनोदपूर्ण विकृत अनुकरण किया गया हो और जिसका उद्देश्य हंसी उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या उसकी खिल्ली उड़ाना हो उसे परिवृत्ति ( पैरोडी ) कहते हैं। जिस प्रहासक ( बरलेस्क ) में किसी लेखक या कृति या व्यक्ति के सरलता से पहचाने जा सकने वाले लक्षणों को तोड़ मरोड़ या विकृत करके चित्रण किया गया हो, उसे व्यंग्यचित्रण ( कैरीकेचर ) कहते हैं। छद्मरूपक ( ट्रावेस्टी ) उस प्रहासक ( बरलेस्क ) को कहते हैं जिसमें मूल विषय तो ज्यों का त्यों रहता है किंतु उसका प्रतिपादन अत्यंत असंगत तथा तुच्छ भाषा में और हास्यास्पद प्रतिरंजकता के साथ किया जाता है। किसी प्रहासक में इन तीनों पद्धतियों का संमिश्रण भी हो सकता है और कभी कभी तीनों का पूर्ण परित्याग भी विशेषतः जहाँ सार्वभौम निवार या जीवन के सर्वसामान्य पक्षों को असंगत रूप में प्रस्तुत किया जाय—जैसे वायरन के डान जुवाँ में। किंतु प्रायः प्रहासक ( बरलेस्क ) का आनंद अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत हास्योद्बोधक विषय की पहचान से अधिक होता है इसलिये उसमें परिवृत्ति, छद्मरूपक या व्यंग्यचित्रण प्रायः अपरिहार्य होता है।

प्रहासक उस युग में अधिक फलता फूलता है जब लेखकों के वाद या सामाजिक संस्थाएँ निंदा या भालोचना के पात्र बन जाती हैं और जब बहुत से लोग उन सब बातों की असंगति के संबंध में अधिक अभिन्न हो जाते हैं जो पहले प्रशंसनीय समझी जाती थीं। यूरोप में जब मध्यकालीन कल्पनाविद्या साहित्य ( रोमान्सेज ) की घोर शब्दाब्जंजर से युक्त ऊटपटांग बातें चलीं तब चीसर ने अपने 'सर टोपास' नामक ग्रंथ में उनकी खिल्ली उड़ाई। दो शताब्दी पश्चात् सामंतवादी प्रणाली ( क्विबेजरी ) की ह्लासयुक्त मन्सज्जा को 'डीन क्विबेजरी' द्वारा उत्पन्न किए हुए विनोद ने पूर्णतः समाप्त कर डाला जिससे उस प्रकार के प्रहासक लिखने के लिये केवल प्रेरणा ही नहीं मिली वरन् आदर्श भी उपस्थित किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि १७ वीं शताब्दी के प्रारंभ में विशेषतः इंग्लैंड में प्रहासक के सब रूप अत्यंत प्रभूत संख्या में लिखे गए 'हुडिब्रास' शैली से निम्न प्रहासकों ( लो बरलेस्क ) की परिपाटी चली

और उच्च प्रहासक 'ड्राइडेन' के 'मैकपलैबनी' तथा पोप के 'दि रीप ऑव दि लोक' शीर्षक रचनाओं के वीरतापूर्ण छंदों में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया। १८ वीं शताब्दी के संवेगात्मक ( सेंटीमेण्टल ) और गोपिक उपन्यासों पर भी गद्य में कई प्रहासक लिखे गए और उनकी खिल्ली उड़ाई गई जैसे जॉन क्रोस्टेन का 'नीयेंनार एव', पीकोक का 'हेडलॉग ही' तथा 'थेकरे' की रचनाएँ। इसी प्रकार 'गिफोर्ड' और 'हौरिस स्मिथ' की कविताएँ, वीरतापूर्ण तथा वल्पनावादी नाटक और नृत्य नाट्य भी सफल हुए।

नाटकीय प्रहासक ( थियेटर बरलेस्क ) उतना ही पुराना है जितना सुखांत नाटक या प्रहसन ( कोमेडी )। कोमोस की प्रहसनात्मक गुप्तत्र क्रियाएँ ( बरलेस्कग ओर्गीज ) से 'अरिस्तोक्रनेस' के नाटकों में छद्मरूपक ( ट्रावेस्टी ), परिवृत्ति ( पैरोडी ) और व्यंग्यचित्रण ( कैरीकेचर ) का अत्यंत अर्थ संमिश्रण विकसित हुआ। एलीजाबेथीय रंगशाला पर यद्यपि इस प्रकार के प्रहसन बहुत कम हुए, फिर भी वे उल्लेखनीय हैं जैसे—'शेक्सपियर' के 'लब्ज सेवर्स लौस्ट' में 'नाइल वर्दीज', 'मिड समर नाइट्स ड्रीम' में 'पिरेमस एंड थिसबे' का छद्मरूपक तथा 'दि नाइट ऑव दि बनिग पेसिल'। वर्तमान नाटकीय प्रहासकों को मुख्य प्रेरणा 'दी जार्ज विलियर्स' के 'दि रिहर्सल' ( नाट्याभ्यास ) की सफलता ने जिसमें ( १६७१ ) वीरतापूर्ण नाटकों का छद्मरूपण और ड्राइडेन का व्यंग्यचित्रण किया गया था।

१८ वीं शताब्दी में प्रहासक के साथ संगीत के जोड़ देने की प्रवृत्ति बढ़ी जो बैलट ओपरा की हास्य-नृत्य-नाट्य शैली में चले थे। वे इतने लोकप्रिय हुए कि छोटी अर्थव्यवस्थित रंगशालाओं में उनका बहुत प्रचलन हुआ जो पीछे चलकर रंगशाला के लिये बने हुए पेटेंट नियमों से वाध्य किए गए कि वे बिना संगीत के संवाद प्रस्तुत न करें। इस प्रकार की रचनाओं के लिये बरलेटा शब्द का प्रयोग किया गया जिसे प्रहासक ( बरलेस्क ) का पर्यायवाची समझने की शूल नहीं करनी चाहिए। १७ वीं शताब्दी में उसका अर्थ था सूक्ष्म संगीतमय प्रहसन किंतु पीछे चलकर उसका अर्थ हुआ ऐसा नाटक जिसमें इतना संगीत हो कि वह पेटेंट नियम की भाषा से मुक्त रहे।

१९ वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस प्रकार के निम्न कोटि के नाटकीय प्रहासकों को दो प्रकार के प्रभावों ने समाप्त कर डाला और उनके स्थान पर आ बैठे। पहला तो अधिक शिष्ट फ्रांसीसी शैली का प्रचलन और दूसरे अधिक कलात्मक नाटकीय रचनाओं का उत्पादन। फ्रांस में भी निम्न कोटि के नाटककारों ने दो प्रकार के हल्के और ललित संगीतमय प्रहासकों ( म्यूजिकल बरलेस्क ) की रचना की जिसे फेयरीज् फौलीज् ( परियों की कथाओं का कल्पनाशील छद्मरूपण ) और रेब्यू ( तत्कालीन नाटकीय प्रभावों का चटपटा अनुकरण )। इस प्रकार के अटर सटरों ( एकस्ट्रा वेगेंजाज में ), लासित्य, कल्पना, अनुरतापूर्ण श्लेष और उन सामयिक प्रवृत्तियों पर अत्यंत कीचलपूर्ण टिप्पणी बरी रहती थी जिनका सबध फ्रांसीसी या अंग्रेजी साहित्य से होता था।

वर्तमान काल के अमरीकी प्रहासक का प्रादुर्भाव खुत अंग्रेजी कला से हुआ है। अमरीकी रगमंच पर इसका प्रचलन बहुत पहले ही हो गया था किंतु इंग्लैंड की अनेका अधिक शील के साथ हुआ था जहाँ



प्रारंभ में ही कामनाबन्ना की प्रेरणा से वह बहुत लोकप्रिय हो गया था। कामनाबन्ना पर अधिक बल देना अमरीका में उस समय से प्रारंभ हुआ जब १८६६ में एक अंग्रेजी नाट्य मंडली अमरीका में आई जिसमें अंगों के सौंदर्यमय प्रदर्शन, सुंदरी बालाओं और ग्रीक पेंट से चारों ओर हाहाकार मच गया। अब तो केवल उस हाहाकार का और प्रहासक का नामनाम बच गया है जिसने उस समय के लोगों को अन्नाहित किया था। अब उस प्रकार का अंगप्रदर्शन, संकीर्तमय प्रहसन और रेन्गू में पहुँच गया है।

सं० प्र०—धार पी० वांड : इंगलिश बर्लेस्क पोइट्री, १९३१;  
जी० किचिन : ए सर्वे ऑफ बरलेस्क ऐंड पैरोडी इन इंगलिश, १९१३;  
डब्ल्यू जे० राड और एम० ल्यूनीड : ए सेंचुरी ऑफ पैराडीएंट डमीटेसन, १९१३; ए० बी० सेपरसन : दी नाबेल इन भाटले, १९३६;  
सीताराम चतुर्वेदी : समीक्षा मास। [ सी० रा० ब० ]

व्यक्तित्व—२० 'मनोमिति'

व्यक्ति प्रति अपराध समाज में मनुष्य के प्रति तीन प्रकार के अपराध होते हैं, अर्थात् (क) जीवन के प्रति, (ख) शरीर के प्रति, अथवा (ग) स्वाधीनता के प्रति।

(क) जीवन के प्रति अपराध

मनुष्य के जीवन के प्रति किए जानेवाले अपराध चार प्रकार के होते हैं—(१) नरहत्या, (२) आत्महत्या, (३) भ्रूणहत्या और (४) शिशुहत्या।

(१) नरहत्या — एक मनुष्य द्वारा किसी दूसरे मनुष्य का वध नरहत्या कहलाता है। प्राचीन काल में नरहत्या के सभी मामलों में एक सा दंड दिया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में उच्चतर भावनाओं के जन्म तथा आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का विकास होने के साथ नरहत्या के अपराधियों की दंडव्यवस्था में अंतर उत्पन्न हो जाता है। आधुनिक आचार्यों के अनुसार नरहत्या या तो वैध होती है या अवैध (अथवा अभियोज्य)।

वैध नरहत्या—वैध नरहत्या या तो अन्य होती है या फिर न्यायोचित। (१) बिना किसी अपराधात्मक इरादे के दुर्घटना या दुर्भाग्यवश ( धारा ८० ); अथवा (२) किसी बालक या असंतुलित अस्तिधनवाले व्यक्ति द्वारा पागलपन या नशे की दशा में ( धारा ८२, ८५); अथवा (३) मृतक के हितार्थ किए गए सद्भावनापूर्ण कार्य द्वारा ( धारा ८७, ८८ और ९२ ) होनेवाली नरहत्याएँ अन्य होती हैं। नरहत्याएँ निम्नलिखित दशाओं में न्यायोचित होती हैं—

(१) विधि द्वारा वाच्य व्यक्ति द्वारा ( धारा ७६ ); अथवा (२) न्यायानुसार कार्यरत न्यायाधीश द्वारा ( धारा ७७ ); अथवा (३) किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश का पालन करनेवाले व्यक्ति द्वारा ( धारा ७८ ); अथवा (४) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विधि के अंतर्गत हत्या करने के अधीन हैं सद्भावनापूर्वक विश्वास रखता है ( धारा ७९ ); अथवा (५) शरीर या संपत्ति को अन्य हानियों से बचाने या उनको टालने के लिये अपराधात्मक इरादे से रहित व्यक्ति द्वारा ( धारा ८१ ); अथवा (६) शरीर या संपत्ति की रक्षा

के निजी अधिकार का प्रयोग कर रहे व्यक्ति द्वारा ( धारा १०१ और १०३ )। अन्य और न्यायोचित नरहत्याओं के मामलों में दंड नहीं दिया जाता और इसीलिये ऐसी हत्याएँ वैध कहलाती हैं।

अभियोज्य नरहत्या — अभियोज्य नरहत्या (अर्थात् अवैध नरहत्या) या तो हत्या की श्रेणी में आती है या हत्या की श्रेणी में नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति (१) जान से मार डालने के इरादे से अथवा (२) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से जिससे मृत्यु संभव हो अथवा (३) यह जानते हुए कि उसके ऐसे कार्य से मृत्यु की संभावना हो सकती है, मृत्यु का कारण बनता है तो ऐसा व्यक्ति अभियोज्य नरहत्या का अपराध करता है ( धारा १६६ )। अभियोज्य नरहत्या के लिये उक्त तीन तत्वों में से किसी एक का रहना आवश्यक है। इस प्रकार यदि निश्चित इरादे और जानकारी से किसी की हत्या ही जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या होगी। लेकिन यदि मृत्यु बिना किसी ऐसे इरादे अथवा जानकारी के हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या नहीं होगी। दुर्भाग्यवश अथवा बुरा इरादा इसके लिये आवश्यक नहीं है। उदाहरणस्वरूप यदि अ जान लेने के इरादे से अथवा इस जानकारी के साथ कि उसके कार्य से मृत्यु संभावित है, एक गड्ढे के ऊपर पतली लकड़ियाँ और घास डाल देता है और ज उसे ठोस भूमि समझकर उसपर चला जाता है, गिर पड़ता है और मर जाता है तो अ इस हत्या का अपराधी है। पुनः, अ जानता है कि ज झाड़ी के पीछे है, ब यह नहीं जानता। अ ज की जान लेने के इरादे से ब को झाड़ी पर गोली चलाने के लिये प्रेरित करता है। ब गोली चला देता है और ज मारा जाता है। यहाँ पर ब निरपराध हो सकता है लेकिन अ अभियोज्य नरहत्या करता है। इसी प्रकार अ फ्रांस्वा का शिकार कर उसको चुग्ने के उद्देश्य से गोली चलाता है जिसने झाड़ी के पीछे खड़े ब की मृत्यु ही जाती है। अ यह नहीं जानता था कि ब वहाँ खड़ा है। यहाँ यद्यपि अ एक अवैध कार्य कर रहा था लेकिन वह अभियोज्य नरहत्या का अपराधी नहीं है क्योंकि उसका इरादा जान लेने का नहीं था और न वह जानता था कि उसके इस कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है। इस दृष्टांत से यह नियम प्रतिपादित होता है कि यदि कोई अपराधी एक अपराध करते हुए किसी की मृत्यु का कारण बनता है जब कि उसका न ऐसा इरादा था और न यह यह जानता था कि ऐसा कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है तो ऐसे व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिये दंड दिया जायगा, दुर्घटनावश जान लेने के लिये नहीं।

अभियोज्य नरहत्या का अस्तित्व किसी विशेष अपराध के रूप में नहीं है। इनका प्रयोग मूल अर्थ में ही होता है और इसीलिये भारतीय दंड संहिता में इसके लिये दंड का विधान नहीं है। यह दो प्रकार का होता है। अर्थात् (अ) अभियोज्य नरहत्या जो हत्या की श्रेणी में आती है ( धारा ३००, उपधारा १, २, ३ और ४ ) और (ब) अभियोज्य नरहत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती ( धारा ३०४, ३०५ अ और धारा ३०० के पाँच प्रपवाद )। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत दूसरे को मानववध कहते हैं।

हत्या — अभियोज्य नरहत्या हत्या समझी जाती है यदि वह

कार्य, जिससे मृत्यु होती है (१) प्राण लेने के इरादे से किया जाता है ( उदाहरणस्वरूप अ जान लेने के इरादे से अ पर गोली चलाता है जिसके फलस्वरूप अ मर जाता है। ऐसी दशा में अ ने हत्या की ); अथवा (२) यदि वह कार्य ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है, जिसके बारे में अपराधी जानता है कि जिस व्यक्ति को चोट पहुँचाई जायगी उसकी मृत्यु होने की संभावना है ( उदाहरणस्वरूप यह जानते हुए कि अ ऐसे रोग से पीड़ित है कि एक ठोकर लगने से उसकी मृत्यु संभावित है, अ उसको शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से ठोकर लगाता है जिसके फलस्वरूप अ मर जाता है। ऐसी दशा में अ हत्या का अपराधी है यद्यपि हो सकता है, स्वाभाविक रूप में स्वस्थ व्यक्ति की ऐसी ठोकर से मृत्यु न होती ); अथवा (३) यदि वह कार्य किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है और इस प्रकार पहुँचाई जानेवाली चोट स्वाभाविक रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिये पर्याप्त है ( उदाहरणस्वरूप अ जान बूझकर अ पर तलवार का ऐसा आव करता है जिससे किसी भी व्यक्ति की साधारण रूप से मृत्यु हो सकती है। ऐसी दशा में अ हत्या का अपराधी है यद्यपि हो सकता है, उसका इरादा अ की जान लेने का न रहा हो ); अथवा (४) यदि उस कार्य को करनेवाला व्यक्ति यह जानता है कि उसका कार्य इतना खतरनाक है कि प्रत्येक दशा में इससे मृत्यु होने की पूर्ण संभावनाएँ हैं अथवा वह ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है और जान ले लेने के अन्तरे को उठाए बिना किसी कारण के ऐसा कार्य करता है अथवा पूर्वकथित ऐसी चोट पहुँचाता है। उदाहरणस्वरूप अ अकारण मनुष्यों की एक भीड़ पर मरी हुई बंदूक चलाता है और उनमें एक व्यक्ति को जान से मार देता है। ऐसी दशा में अ हत्या का अपराधी है, यद्यपि हो सकता है, उसकी किसी व्यक्तिविशेष को जान से मारने की कोई पूर्वनिर्धारित योजना न रही हो। वह इसलिये हत्या का अपराधी कहा जायगा क्योंकि उसका कार्य आसन्न रूप से इतना खतरनाक है कि इससे प्रत्येक दशा में मृत्यु होगी ( धारा ३०० )।

अभियोज्य नरहत्या और हत्या में अंतर — कोई अपराध तब तक हत्या की श्रेणी में नहीं आया जब तक वह अभियोज्य नरहत्या की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि स्वयं हत्या की परिभाषा उन दशाओं की ओर संकेत करती है जिनमें अभियोज्य नरहत्या हत्या की श्रेणी में आती है। लेकिन समस्त अभियोज्य नरहत्याएँ हत्या की श्रेणी में नहीं आ सकतीं। उदाहरणस्वरूप अब वह धारा ३०० के पाँच अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आ जाती है। एक समय या जब यह समझा जाता था कि अभियोज्य नरहत्या ( धारा २६६ ) और हत्या ( धारा ३०० ) के बीच का अंतर केवल धारा ३०० के पाँच अपवाद ही है। लेकिन अब यह निश्चित हो चुका है कि दोनों में अंतर है यद्यपि उनमें कोई आभूल अंतर नहीं है। जान लेना दोनों में अभयनिष्ठ है। जिस कार्य से मृत्यु होती है वह अपराधी का कार्य है और दोनों स्थितियों में आध्यात्मिक इरादा अथवा जानकारी अनिवार्य है। वास्तविक अंतर

इरादे अथवा जानकारी की सापेक्षता में है। अभियोज्य नरहत्या की अपेक्षा हत्या में बातक प्रहार करने का इरादा अथवा जानकारी अधिक रहती है। जान लेने की सभी दशाओं में ये दोनों अपराध आपस में एक दूसरे के न बहिष्कारकर्ता हैं और न विस्तारकर्ता।

सामान्यतः जब इरादा प्राण लेने का होता है तो किया गया अपराध हत्या है, यदि वह धारा ३०० के पाँच अपवादों में किसी के अंतर्गत नहीं आता। यदि अ जानता है कि ब की तिल्ली बड़ी हुई है और इस तथ्य की जानकारी के साथ अ उसकी तिल्ली के क्षेत्र में शक्तिपूर्वक घुँसा मारता है और ब मर जाता है तो यह अपराध हत्या है, अभियोज्य नरहत्या नहीं, क्योंकि अ को विशेष जानकारी थी। पुनः, यदि शारीरिक चोट से मृत्यु संभावित है तो यह अभियोज्य नरहत्या है। जब कि यदि ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा है जो सामान्य रूप से जान लेने के लिये काफी है, तो यह हत्या होगी। दूसरे शब्दों में, यदि किए गए कार्य का परिणाम समस्त संभावित दशाओं में मृत्यु है तो यह हत्या है जब कि यदि मृत्यु होने की संभावना मात्र है तो अपराध अभियोज्य नरहत्या है।

मानववध — अभियोज्य नरहत्या की, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, अथवा इंग्लिश विधि में मानववध की परिभाषा कही नहीं दी गई है और न इसकी आवश्यकता ही समझी गई है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के अपराध आते हैं : (१) वे जो अभियोज्य नरहत्या के अंतर्गत आते हैं ( धारा २६६ ) किंतु हत्या की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते ( धारा ३०० की चार उपधाराएँ ); और (२) वे जो धारा ३०० के पाँच अपवादों के अंतर्गत आते हैं।

हम प्रथम प्रकार के मामलों का दृष्टांत सबसे पहले देंगे। यदि कोई कार्य शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है तो यह मानववध है। उदाहरणस्वरूप अ अपनी पत्नी को पूर्ण शक्ति से तमाचा लगाता है। फलस्वरूप वह गिर पड़ती है और मर जाती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह बीमार थी। ऐसी दशा में अ मानववध का अपराधी है। यदि प्राण लेने के इरादे का प्रभाव है और जाँच का फल यह है कि कार्य इस जानकारी के साथ किया गया था कि उससे मृत्यु होने की संभावना थी तो यह मानववध है। उदाहरणस्वरूप जब सूटने के अपराध में आसानी पैदा करने के लिये किसी को बटूरा खिला दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह अपराध मानववध है। कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है जब अपने अपराध के चिह्न छिपाने के लिये एक व्यक्ति किसी की जान ले लेता है जिसे वह मृत समझता है। उदाहरणस्वरूप अ, ब को जान से मारने के इरादे से उसके सिर पर तीन प्रहार करता है। फलस्वरूप ब बेहोश होकर गिर पड़ता है यद्यपि वह मरा नहीं है। अ उसको मृत समझकर अपराध के सारे प्रमाण नष्ट करने के लिये उस श्लोपड़ी में आग लगा देता है जिसमें ब पड़ा है। डाक्टरों का यह है कि मृत्यु जलने से हुई है, प्रहारों से नहीं। बंबई उच्च न्यायालय ने 'सम्राट बनाम खांडे' ( १५ बंबई, १९४ ) में बहुमत से यह

निरुद्ध दिया था कि अ हत्या करने के प्रयत्न का अपराधी है, हत्या का नहीं। असहमत न्यायाधीश श्री पारसन ने उसको इस आचार पर हत्या का अपराधी होना निश्चित किया कि दोनों कार्य— प्रहार करना और फोपड़ी जमाना एक दूसरे से इतनी अनिच्छता से संबद्ध हैं कि वे एक ही प्रक्रिया—मृतक की जान लेने—के अंग हैं। हमारे देश के अनेक उच्च न्यायालयों ने न्यायाधीश श्री पारसन के इस मत का समर्थन किया है और जिसको प्रिन्सीपल ने 'मेली बनाम महारानी' (१६५४) १. ए० ई० आर० ३७९ में स्वीकार किया है।

द्वितीय श्रेणी में धारा ३०० के पाँच अपवादों के अंतर्गत आने वाले मामले आते हैं जिन्हें जान लेना कहते हैं : (१) उत्तेजना में आकर, अथवा (२) निजी रक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करके अथवा (३) सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके, अथवा (४) बिना पूर्व विचार के यकायक संघर्ष होने पर, अथवा (५) अनुमति से जान लेना। जान लेने के इन सभी मामलों में मानववध अथवा अभियोज्य नर त्या का, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, छोटा अपराध होता है।

हत्या अथवा अभियोज्य नरहत्या का प्रयत्न—हत्या का प्रयत्न एक पुष्क अपराध है और इसके लिये धारा ३०७ के अंतर्गत दंड दिया जाता है। इस अपराध को सिद्ध करने के लिये स्वयं प्रयत्न से ही सुस्पष्ट होने की संभावना होनी चाहिए, अगर किसी परिस्थिति-वश इसको कार्यान्वित होने से न रोका जाय। इसमें दो बातें सिद्ध होनी चाहिए : (१) जान लेने का इरादा और (२) अभिकर्ता की चेष्टा शक्ति से स्वतंत्र रहकर किसी परिस्थिति के कारण उस इरादे की असफलता। इसी प्रकार अभियोज्य नरहत्या करने का प्रयत्न धारा ३०८ के अंतर्गत दंडनीय है।

२ आत्महत्या — आत्महत्या स्वयं अपनी जान लेना है। आत्महत्या का अपराधी दंडनीय नहीं है क्योंकि अपराधी जीवित ही नहीं बचता। केवल आत्महत्या का प्रयत्न धारा ३०५ और ३०६ के अंतर्गत दंडनीय है। आत्महत्या साधारणतः विलीय विनाश, पारिवारिक कलह, निराश्रयता, शारीरिक सताप अथवा प्रेम की असफलता आदि के कारण की जाती है। इसके लिये गोली मारने, फाँसी पर लटकने, जहर खाने, पानी में डूबने, आग में जलने, गला काटने जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है।

हत्या करने के प्रयत्न की अपेक्षा आत्महत्या के प्रयत्न के लिये दंड हल्का है क्योंकि विधि या कानून आत्महत्या को दंड की अपेक्षा धया का अधिक उपयुक्त विषय मानता है।

३. भ्रूणहत्या भ्रूणहत्या भ्रूण अथवा गर्भस्थ शिशु का विनाश है। यह अपराध अहस्तक्षेप्य है अर्थात् पुलिस उस समय तक अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक इसके बारे में शिकायत न की जाय।

गर्भस्थ शिशु की माँ भी इस अपराध के लिये दंडनीय है बशर्ते सद्भावनावश उसके जीवन की रक्षा के लिये गर्भपात न कराया गया हो। यदि माँ नहीं जानती कि उसको कोई गर्भनाशक औषधि

खिलाई गई है तो वह दंडनीय नहीं है। सब ऐसे अपराध धारा ३१२ से लेकर ३१४ के अंतर्गत दंडनीय हैं।

४. शिशुहत्या यह अपराध बच्चे का परित्याग करने अथवा उसके जन्म को छिपाने तथा उसको फेंक देने से होता है। साधारणतः हराभी बच्चों के माता पिता यह अपराध करते हैं क्योंकि वे अपने अनैतिक कार्य के प्रमाण को सार्वजनिक दृष्टि से छिपाने के लिये चिंतित रहते हैं। संकटग्रस्त माता पिता भी ऐसा कार्य करने के लिये झुक सकते हैं।

जन्म के बाद जब तक बच्चे में विवेक नहीं आ जाता अर्थात् १२ वर्ष की अवस्था तक विधि उसको संरक्षण प्रदान करती है। इसलिये यदि उसका पिता अथवा माता अथवा अभिभावक उसको किसी जगह छोड़ जाता है तो उसे दंड मिलता है। यदि बच्चा इस प्रकार परित्याग किए जाने से मर जाता है तो अपराधी, जैसी भी स्थिति हो, हत्या अथवा अभियोज्य नरहत्या के लिये दंडनीय होता है ( धारा ३१७ )। बच्चे के पालनपोषण का प्राथमिक उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है, जो उसको अस्तित्व में लाते हैं इसलिये यदि वे अपना यह कर्तव्य नहीं पालन करते तो आपराधिक विधि उनको दंड देती है।

शिशुहत्या का दूसरा पहलू नवजात शिशु का छिपाना है। यह धारा ३१८ के अंतर्गत दंडनीय है। सभी देशों में विधि की सामान्य नीति यह है कि जन्म और मृत्यु का पूर्ण रूप से प्रकाशन होना चाहिए। इसलिये शिशु को गुप्त रूप से फेंकना संदेहजनक कार्य है और फलस्वरूप दंडनीय है। इस अपराध के लिये गोपनीयता और परित्याग दोनों का होना आवश्यक है।

### (ख) शरीर के प्रति अपराध

मानव शरीर की सुरक्षा के प्रति अपराध का, गंभीरता की दृष्टि से, दूसरा स्थान है। इस प्रकार के अपराध दो प्रकार के होते हैं : (१) चोट, मामूली या सख्त और (२) आक्रमण।

#### (१) चोट, मामूली अथवा सख्त ( धारा ३१६-३३८ )

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे में शारीरिक पीडा, रोग अथवा निर्बलता उत्पन्न करता है तो उसके लिये कहा जाता है कि उसने चोट पहुँचाई। गंभीर चोटें सख्त कहलाती हैं। इस अपराध के लिये मानसिक तत्त्व बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आराधों में या तो चोट पहुँचाने का इरादा होना चाहिए अथवा वह यह जानता हो कि उसके कार्य से चोट पहुँचाने की संभावना है और ऐसी चोट अवश्य पहुँचाई जानी चाहिए।

मामूली अथवा सख्त चोट (१) चोट पहुँचाने के साधनों, जैसे धातक हथियार, अग्नि तथा ऐसे ही उपकरणों के उपयोग; अथवा (२) इसको पहुँचाने के लिये सति छीनने, या अर्धव्य कार्य करने या सरकारी कर्मचारी को अपना कर्तव्यपालन करने से रोकने के अपराधी के उद्देश्यों के अनुसार गुस्तर डो जायी है। ऐसे मामलों में गुस्तर दंड दिया जाता है। इस प्रकार मामूली अथवा सख्त चोट का अपराध हल्का हो जाता है यदि यह (१)

गंभीर या आकस्मिक उत्तेजनावश अथवा (२) बिना विचारे अथवा असावधानीवश पहुँचाई जाती है। ऐसे मामलों में हल्का दंड दिया जाता है।

(२) आक्रमण ( धारा ३३६-३४० ) किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी शक्ति के प्रयोग को बल का प्रयोग कहते हैं। यह प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु दूसरे या किसी अन्य वस्तु में गति वा घाना, गति का रुक जाना या गति में परिवर्तन होना आवश्यक है। बल उस समय अपराधात्मक बल हो जाता है जब इसका प्रयोग (१) बिना अनुमति के, (२) कोई अपराध करने के लिये या (३) किसी दूसरे व्यक्ति को आघात, भय वा संताप पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।

कोई व्यक्ति उस समय आक्रमण का अपराध करता है जब वह (१) कोई मुद्रा बनाता है या तैयारी करता है, (२) इस इरादे से या यह जानते हुए (३) कि इस प्रकार की मुद्रा या तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति के इस प्रकार भयभीत होने की संभावना है, (४) कि मुद्रा बनानेवाला या तैयारी करनेवाला व्यक्ति उसके विरुद्ध अपराधात्मक बल का प्रयोग करनेवाला है। उदाहरणस्वरूप अ, ज पर घूँसा तानता है, इस इरादे से अथवा यह जानते हुए कि इस बात की संभावना है कि इससे ज को यह विश्वास हो सकता है कि अ उसको मारनेवाला है। ऐसी दशा में अ आक्रमण का अपराध करता है।

आक्रमण का अपराध उस समय गुरुतर हो जाता है जब यह (१) किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्यपालन से रोकने के लिये ( धारा ३५३ ); अथवा (२) किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करने के लिये ( धारा ३५४ ); अथवा (३) किसी व्यक्ति को बेइज्जत करने के लिये उदाहरणस्वरूप किसी ब्राह्मण का जेजूक तोड़कर या किसी सिद्ध की दाढ़ी काटकर; अथवा (४) किसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में ( धारा ३५६ ), उदाहरणस्वरूप यदि कोई जेबकतरा किसी घुसाफिर पर उसके हाथ में लगी पड़ी या किसी स्त्री पर उसके कान की बालियाँ छीनने के लिये करता है; अथवा (५) किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से कैद करने के प्रयास में ( धारा ३५७ ) किया जाता है। इन पाँचों दशाओं में गुरुतर दंड दिया जाता है। इसी प्रकार आक्रमण का अपराध हल्का हो जाता है, अगर यह गंभीर अथवा आकस्मिक उत्तेजनावश किया जाता है।

(ग) स्वाधीनता के प्रति अपराध ( धारा ३५६ और ३७४ )

प्रत्येक व्यक्ति का शरीर पवित्र और स्वतंत्र समझा जाता है और इसीलिये कानून उसको रक्षित करता है जो उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता को संकुचित करता है, यद्यपि यह हो सकता है कि उसके शरीर के विरुद्ध उसका कोई अभिप्राय न हो। ऐसे अपराध दो प्रकार के होते हैं : (१) अनुचित पाबंदी और अनुचित कैद जिनके कारण आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है और (२) बालापहरण तथा तत्सम अपराध, जो पूर्ण रूप से शारीरिक स्वाधीनता को प्रभावित करते हैं।

१. अनुचित पाबंदी और अनुचित कैद — इन अपराधों का संबंध व्यक्ति के आवागमन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से है।

अनुचित पाबंदी में ( धारा ३३६ और ३४१ ) आवागमन की स्वतंत्रता पर आंशिक रोक रहती है। इस अपराध में दो तत्व रहते हैं : (१) स्वेच्छित रूकावट डालना और (२) इस प्रकार किसी व्यक्ति को उस दिशा की ओर जाने से रोकना जिस ओर उसको जाने का अधिकार है। उदाहरणस्वरूप अ उस रास्ते में रुकावट डालता है जिसपर ज को चलने का अधिकार है और इस प्रकार वह ज को उस रास्ते पर जाने से रोकता है। ऐसी दशा में अ अनुचित पाबंदी का अपराध करता है। पाबंदी शारीरिक और व्यक्तिगत होनी चाहिए।

अनुचित कैद में व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण रूप से रुकावट रहती है। अनुचित कैद में रखा गया व्यक्ति परिसीमित क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता। उदाहरणस्वरूप कोई जेल डायटर किसी बंदी को एनिमा देने के लिये एक कोठरी में बंद रखता है। ऐसी दशा में वह अनुचित कैद का अपराधी है। अनुचित रूप से कैद करने के समय ( धारा ३४३ और ३४४ ); या (२) कैद करने की जगह की गोपनीयता ( धारा ३४६ ); अथवा (३) रिहाई के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी किए जाने पर कैद की अवैधता ( धारा ३४५ ); अथवा (४) कैद के उद्देश्य, जैसे संपत्ति का ऍठना ( धारा ३४७ ); के अनुसार अथवा अगर जबरदस्ती हकबाल कराना उद्देश्य हो ( धारा ३४८ ), तो अनुचित कैद का अपराध गुरुतर हो जाता है।

२. बालापहरण और तत्सम अपराध ( धारा ३५६-३६८ ) —

ऐसे अपराध पाँच प्रकार के होते हैं : क. बालापहरण, ख. बलात् अपहरण, ग. अवैध अनिवार्य भ्रम, घ. दासता और ङ. अनैतिक कार्य के लिये अवयस्क का ऋण विक्रय।

क. बालापहरण — बालापहरण का आधिकारिक अर्थ बच्चे को चुराना है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत यह व्यक्ति की स्वाधीनता की अपेक्षा अभिभावक के अधिकार का अधिकार समझा जाता है। इसमें मानव स्वाधीनता को इसलिये क्षति पहुँचती है कि अपहृत बालक व्यावहारिक रूप में एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण और निगरानी में रहता है जो उसका वास्तविक अभिभावक नहीं होता।

बालापहरण दो प्रकार के होते हैं : (१) भारत से और (२) वैध अभिभावकता से ( धारा ३५६ ), यद्यपि ये दोनों अपराध एक दूसरे में उपस्थित रह सकते हैं। भारत से बालापहरण ( धारा ३६० ), वयस्कों तथा अवयस्कों दोनों का उनके अभिभावकों अथवा स्वयं उनकी रजामंदी के बिना हो सकता है, जबकि बालापहरण अवयस्क का अर्थात् १६ वर्ष से कम के लड़के अथवा १८ वर्ष से कम की लड़की अथवा किसी भी उम्र के विधित व्यक्ति का वैध अभिभावकता से हो सकता है। इस अपराध में अपराधात्मक इरादा आवश्यक नहीं। इस अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं : १६ वर्ष से कम के लड़के अथवा १८ वर्ष से कम की लड़की को अथवा किसी विधित व्यक्ति को (२) वैध अभिभावक के संरक्षण से (३) बिना उसकी रजामंदी के ले जाना।

ख. बलात् अपहरण — जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिये ताकत से बाध्य करता है अथवा अंतर्ध्वंस से प्रसन्न होता है तो यह कहलाता है कि उसने उस व्यक्ति का

बलात् अपहरण किया ( धारा ३६२ ) । बलात् अपहरण एक सहायक अपराध है । जब यह धारा ३६४ तथा भागे की धाराओं में उल्लिखित उद्देश्यों से किया जाता है तो यह दंडनीय होता है ।

बलात् अपहरण अथवा बलात् अपहरण का अपराध गुस्तर हो जाता है और उसके लिये गुस्तर दंड दिया जाता है यदि वह निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है — (१) हत्या करने के लिये ( धारा ३६४ ), उदाहरणस्वरूप काली देवी को प्रसन्न करने की गरज से उसकी बलि चढ़ाने के लिये; अथवा (२) गुप्त रूप से या अनुचित रूप से कैद करने के लिये ( धारा ३६५ ); अथवा किसी स्त्री की विवाह के लिये बाध्य करने या निषिद्ध सभोग के लिये जबरदस्ती करने या फुसलाने के लिये ( धारा ३६६ ); अथवा (३) दस वर्ष से कम के बच्चे के शरीर से चल संपत्ति चुराने के लिये ( धारा ३६६ ); अथवा (४) किसी स्त्री को आपराधिक घमकी, अधिकार के दुरुपयोग अथवा बलप्रयोग के किसी दूसरे तरीके द्वारा निषिद्ध सभोग के उद्देश्य से किसी स्थान से आने के लिये बाध्य करने के लिये ( धारा ३६६ ); अथवा (५) १८ वर्ष से कम की अवयस्क लड़की को, इस दरादे से अथवा इस जानकारी में कि उसको निषिद्ध सभोग के लिये बाध्य किया जायगा अथवा फुसलाया जायगा किसी स्थान से आने के लिये बाध्य करने के लिये ( धारा ३६६ अ ); अथवा (६) २१ वर्ष से कम की लड़की का भारत से बाहर किसी देश से अथवा जम्मू तथा कश्मीर से आयात करने के लिये, इस दरादे से या इस जानकारी में कि उसको निषिद्ध सभोग के लिये बाध्य किया जायगा ( धारा ३६६ ब ), अथवा ( ८ ) किसी व्यक्ति को सख्त नोट पहुँचाने, दास बनाने अथवा व्यभिचार के लिये ( धारा ३६७ ), अथवा ( ९ ) किसी व्यक्ति को छिपाकर रखने अथवा कैद करने के लिये ( धारा ३६८ ) ।

ग. अवैध अनिवार्य श्रम — व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य का स्वनिहित अधिकार है । इसीलिए कोई भी वहाँ तक कि राज्य भी, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध, सार्वजनिक हित को छोड़कर, सेवाकार्य करने के लिये मजबूर नहीं कर सकता । इसीलिये सेवाकार्य करने के लिये बाध्य करना दंडनीय है ( धारा ३७४ ) । इस अपराध के लिये तीन तत्व आवश्यक हैं : (१) श्रम, (२) अनिवार्यता और (३) अवैधता । 'श्रम' शब्द का अर्थ शारीरिक और मानसिक दोनों परिश्रम है, उदाहरणस्वरूप खाई खोदना, गीत गाना, अथवा चित्र बनाना । भारत के संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार भी मानव-कर्म-विक्रय तथा बेगार अथवा जबरदस्ती कार्य कराने के इसी प्रकार के तरीके निषिद्ध हैं ।

घ. दासता ( धारा ३७०-३७१ ) — भारतीय दंड संहिता के अनुसार दासों का कर्म विक्रय दंडनीय है । दासता के अंतर्गत दो तत्व हैं : (१) किसी व्यक्ति के जीवन का कर्म विक्रय और (२) किसी को काम करने की स्वाधीनता से वंचित करना ।

भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, जो १८४३ ई० के अधिनियम ५ से समाप्त कर दी गई थी । अब इस अधिनियम की व्यवस्थाएँ

भारतीय दंड संहिता की धारा ३७० में संमिलित कर ली गई हैं जिसके अनुसार किसी व्यक्ति का दास के रूप में कर्म, विक्रय, आयात अथवा निर्यात दंडनीय है । जो कोई भी आदतन दासव्यापार करता है वह धारा ३७१ के अंतर्गत दंडनीय है ।

क. अनैतिक कार्य के लिये अवयस्क का क्रयविक्रय ( धारा ३७२-३७३ ) — अनैतिक कार्य के लिये अवयस्क का कर्म और विक्रय दोनों भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय हैं । अवयस्कों के विक्रेता धारा ३७२ के अंतर्गत और क्रेता धारा ३७३ के अंतर्गत दंडनीय हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि १८ वर्ष से कम की लड़की का विक्रय मात्र उस स्थिति में अपराध नहीं है जब वह गोद लेने अथवा विवाह के लिये किया जाता है । [ रा० चं० नि० ]

व्यक्तिवाद : साधारण अर्थ में, स्वार्थ के समर्थन की, अथवा विशिष्ट समझे जानेवाले व्यक्तियों की महत्ता स्वीकार करने की प्रवृत्ति; दर्शन में, प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्ति ठहराने की प्रवृत्ति ।

पाश्चात्य दर्शन में व्यक्तिवाद की समस्या पहले पहल सोफिस्त विचारकों के समय, पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व के आसपास, उत्पन्न हुई । मूलतः यह सामाजिक समस्या थी । प्रारंभिक शासन योद्धाओं के शौर्य पर स्थापित हुए थे । कालांतर में, उन प्रारंभिक शासकों के बंधन, परिवार तथा उनके संबंधियों के कुल कुलीन बन गए थे । योद्धा उनके सहायक एवं अनुचर थे । सोफिस्त काल के यूनानी समाज में कुलीनों और योद्धाओं की ही गिनती थी । इन्हीं को सुल्ल सुविधाएँ उपलब्ध थी । कुलीन समाज परंपराओं को देवी बताकर सामान्य जनो के अधिकारों का अपहरण कर रहा था । ऐसी परिस्थितियों में सोफिस्तों ने परंपराओं को माननीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया । सोफिस्तों में थ्योवूड प्रोतागोरस ( ४८०-४१० ) ने मनुष्य को सभी वस्तुओं का मानवद घोषित किया । प्रोतागोरस का उक्त कथन पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में व्यक्तिवाद का मूल स्रोत प्रसिद्ध है । इसी प्रतिज्ञा के अनुरूप प्रोतागोरस ने ज्ञान की व्याख्या में कहा, 'हम वस्तुओं को नहीं, प्रत्यक्ष के विषयों को जानते हैं । सामान्य प्रत्यक्ष को ज्ञान का स्रोत बताना मानसिक आधार पर सामान्य व्यक्ति की सत्ता का तथा उसके मूल्य का समर्थन था । यह 'अल्प' की सैद्धांतिक सत्ता के विरुद्ध सामान्यतः ज्ञात 'बहु' की सत्ता का समर्थन था । किंतु विवाद का अंत न हुआ ।

अफलातून ने सत्ता की समस्या पर विचार करते हुए वस्तुओं के 'सार' को सत्ता स्वीकार किया । सत्ता को उसने इय्य ठहराया । पर वह 'सार' वस्तुओं के वर्गों में व्याप्त 'सामान्य' था । इस प्रकार उसने विशिष्ट वस्तुओं को अर्थवार्थ और उनके सामान्यों को अर्थवार्थ विच्छाने का प्रयत्न किया । अफलातून प्रत्यक्ष की बहुता को, उसके सार की पृथक् सत्ता मानकर, निस्सार एवं असत्य सिद्ध करना चाहता था । अस्तु ने अफलातून के सामान्यवादी दर्शन में तत्काल कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं किया, किंतु उसने इस बात पर बल दिया कि 'पदार्थ' और 'आकार' वस्तु के दो सहयोगी कारण हैं ।

इन्हें वस्तु से प्रलग नहीं किया जा सकता। बात ठीक जैसी है। वस्तुएँ केवल सारभूत गुण तो नहीं हो सकतीं; केवल सार समग्र वस्तु का स्थापनापक्ष कैसे हो सकता है।

अफलातून और भरस्तु के दर्शन के बाद, सिनिक और स्टोइक दार्शनिकों ने भौतिक वस्तु की सत्ता पर बल दिया तथा नैतिक आचार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्पण किया। छठी शताब्दी में विलियम ने, भरस्तु की 'कैतागोरिया' नामक पुस्तक का पाँचवीं (२३३-३०४) कुछ परिचय प्रस्तुत कर, नामवाद (नामनिश्चय) का मार्ग प्रशस्त किया। पाश्चात्य दर्शन के मध्यकाल में, ११ वीं से १४ वीं शताब्दी तक, नामवादी विचारकों ने बराबर ही कहा कि सामान्य प्रत्यय नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, वास्तविक सत्ता वस्तुओं की है। इस प्रसंग में विलियम ऑव ओल्म (१२६०-१३४६) का स्मरण किया जा सकता है। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि विशिष्ट वस्तुएँ ही होती हैं। इन्हीं की हमें अपरोक्षानुभूति होती है, जिसे हम निर्णय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वस्तुओं के सामान्य धर्मों को प्रलग कर, हम सामान्य प्रत्ययों की रचना करते हैं। किंतु विचार चलता रहा। परंपराओं के पोषक जगत् की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को स्थान देने के लिये तैयार न थे।

धार्मिक काल में, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के समय (१७२४-१८०४) तक, बाह्य जगत् की बहुता को असत्य सिद्ध करने के प्रयत्नों का सिलसिला चलता रहा। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास भी होता रहा। इस विकास ने प्रत्यक्ष को आमक मानने में प्रवृत्त पैदा कर दी थी। कांट ने, जो स्वयं विज्ञान का अध्येता रह चुका था, वस्तुओं की सत्ता स्वीकार की। उसने जगत् की अस्मात्कता को कायम रखा, किंतु ज्ञान की प्रक्रिया को इसके बिये उत्तरदायी ठहराया। अब वस्तु जगत् के समर्पण की समस्या समाप्त हो गई थी; समस्या थी उसे जानने की।

२०वीं शताब्दी के व्यवहारवादी दर्शन (प्रैग्मैटिज्म) ने प्रत्यक्ष को ज्ञान का उचित माध्यम बनाने में काफी योग दिया। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का विकास अमरीका में हुआ। चार्ल्स एस० पीयर्स (१८३६-१९१४) को इसका संस्थापक माना जाता है। किंतु इसके प्रमुख व्याख्याता विलियम जेम्स (१८४२-१९१०) हैं। जेम्स ने प्रयोग को सत्यासत्य बिंबेक का माध्यम बताया। उनके अनुसार हमें देखना चाहिए कि दी हुई वस्तु हमारी आकांक्षाओं को पूरी करती है अथवा नहीं। यदि करती है तो वह उसी प्रकार की वस्तु है जैसी हम उसे समझते हैं। प्रत्ययवादी अद्वैत के विरुद्ध उसने ठोस वस्तुओं की बहुता की स्थापना की। उसने कहा, 'यदि मनुष्य सहित प्रत्येक वस्तु मात्र प्राथमिक निराकार या असीम द्रव्य का परिणाम है, तो नैतिक उत्तरदायित्व, कर्म संबंधी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रयत्नों और आकांक्षाओं का अर्थ क्या होगा?'

यहीं से मनुष्य सहित प्रत्यक्ष जगत् की बहुता दार्शनिकों के तात्त्विक ऊहापोह से मुक्त हुई। मनोविज्ञान ने प्रत्यक्ष का अध्ययन कर उचित प्रत्यक्ष और अज्ञ के आचारों को प्रलग किया। मनोविज्ञान के प्रभाव से यथार्थवादी चिंतन व्यापक हुआ। मनुष्य और जगत् की सत्ता पर संदेह करने की कोई बात न रह गई और प्रत्यक्ष

दोनों के बीच प्रेवर्णयिता का माध्यम समझा जाने लगा। २०वीं शताब्दी में दार्शनिक ज्ञानमीमांसा और मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं में समझौता हो जाने से दार्शनिकों ने अपरोक्षानुभूति अथवा अभ्यवहित प्रत्यक्ष पर बल दिया। मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र प्रकार निश्चित किया। कांसीसी विचारक हेनरी बर्ग्स (१८५६-१९४१) ने वस्तुओं के मानसिक बोध की अपेक्षा आंतरिक अनुभव (इंट्रोडक्शन) को अधिक मूल्य दिया। व्यक्ति को अपरोक्षानुभूति उसे अभ्य व्यक्तियों से विशिष्ट बना देती है। यह अनुभूति किसी विशिष्ट व्यक्ति में नहीं, सभी में होती है। अभिप्राय यह है कि एक ही संसार में रहते हुए, सबके दृष्टिकोण भिन्न हैं, सभी अपने अपने ढंग के व्यक्ति हैं। इस प्रकार, वर्तमान ज्ञानमीमांसा व्यक्तियों की समष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट स्थान देती है।

वर्तमान अस्तित्ववाद इससे भी थोड़ा धागे बढ़कर विशिष्ट मनस्थितियों एवं वासनाओं का उद्घाटन करने में प्रवृत्त है। यदि हम व्यापारसमष्टि में, इन व्यक्तिगत मानवीय व्यापारों को स्थान देते हैं, तो निश्चय ही समान रूप से सभी व्यक्तियों के अस्तित्व एवं मूल्य को स्वीकार करते हैं। दार्शनिक व्यक्तित्ववाद का यही आशय है। विशेष दे० 'पाश्चात्यदर्शन', 'सोफिस्ट', 'सिनिक', 'सिनिक पंथ', 'स्तोइक'।

सं० प्र० — विलियम जेम्स : प्ल्यूरलिस्टिक यूनीवर्स; हेनरी बर्ग्स; इंट्रोडक्शन टु मेटाफिजिक्स। [ शि० श० ]

**व्यतिकरण (Interference)** से किसी भी प्रकार की तरंगों की एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में कंपनो और उनके प्रभावों में वृद्धि, कमी या उदासीनता आ जाती है।

भौतिक प्रकाशिकी में इस धारणा का समावेश थॉमस यंग (Thomas Young) ने किया। उनके बाद व्यतिकरण का व्यवहार किसी भी तरंग की तरंगों या कंपनों के समवेत या तज्जन्य प्रभावों को व्यक्त करने के लिये किया जाता रहा है। संक्षेप में किसी भी तरंग की (जल, प्रकाश, ध्वनि, ताप या विद्युत् से उद्भूत) तरंगगति के कारण लहरों के टकराव से उत्पन्न स्थिति को व्यतिकरण की संज्ञा दी जाती है। जब कभी जल या अन्य किसी द्रव की सतह पर दो भिन्न तरंगसमूह एक साथ मिलें, तो व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहाँ एक तरंगसमूह से संबद्ध लहरों के तरंगशृंगों का दूसरी शृंखला से संबद्ध लहरों के तरंगशृंगों से संमिलन होता है, वहाँ द्रव की सतह का उन्नयन उस स्थान पर लहरों के स्वतंत्र और एकांत अस्तित्व के संभव उन्नयनों के योग के बराबर होता है। जब तरंगों में से एक के तरंगशृंग का दूसरे के तरंगगर्त पर समायातन होता है, तब द्रव की सतह पर तरंगों का उद्वेगन कम हो जाता है और प्रतिफलित उन्नयन (या अवनयन) एक तरंग अवयव (component) के उन्नयन और दूसरे के अवनयन के अंतर के बराबर होता है। ध्वनि में उत्पन्न विस्पंद (beats) इसी व्यतिकरण का एक साधारण रूप है, वहाँ दो

या दो से अधिक तरंगसमूह, जिनके तरंगदैर्घ्य में मामूलीसा अंतर होता है, करीब एक ही दिशा में अवसर होते हुए मिलते हैं।

प्रकाश की गति तरंगीय होती है। किसी एकल प्रकाशकोत से निःसृत ऊर्जा माध्यम के पार्श्व में समान रूप से बिखर जाती है। यदि प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत, जिनसे समान परिमाण और अभिन्न कला की तरंगें सतत निःसृत हों, एक दूसरे के सन्निकट रहे जायें, तो माध्यम के आसपास ऊर्जा का वितरण समान नहीं होता, जहाँ एक प्रकाशतरंग का श्रृंग दूसरे प्रकाशतरंग के श्रृंग (crest) पर, या एक का तरंगगर्त (trough) दूसरे के तरंगगर्त पर गिरता है, वहाँ आयाम (amplitude) बढ़ जाता है और आयाम स्वरूप ऊर्जा या प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। साथ ही, यदि एक का तरंगश्रृंग दूसरे के तरंगगर्त पर गिरे, तो परिणामी आयाम (resultant amplitude) शून्य होता है और प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। पहली स्थिति को संपोषी (constructive) व्यतिकरण और दूसरी स्थिति को विनाशी (destructive) व्यतिकरण कहते हैं।

पारदर्शी ठोस के पतले पट्टों (plates) और साबुन के बुलबुलों पर प्रकाश की किरणों के पड़ने पर व्यतिकरण का स्पष्ट परिचय मिल सकता है। जब प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों, या सीसे के पतले पट्टों, पर पड़ती हैं, तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आँखों की ओर स्रोतती हैं और प्रकाश के तरंगसमूहों में, जो दोनों स्रोतों (सतहों) से आँखों तक पहुँचती हैं, कलाओं (phases) में सूक्ष्म अंतर होने के कारण (जो बुलबुले या पट्ट के प्रत्येक बिंदु पर भिन्न होता है) व्यतिकरण होता है, जिससे उत्पन्न प्रभाव काफी मोहक और चिंता-कर्षक होते हैं। साबुन का कोई बुलबुला एकवर्णी (monochromatic) प्रकाश में प्रायः कुछ काली रेखाओं से घात दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि काले दिखाई पड़नेवाले बिंदुओं पर प्रकाश के दो तरंगसमूह, जो क्रमशः बुलबुले की भीतरी और बाहरी सतहों से आते हैं, करीब करीब या पूर्णतः एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यदि बुलबुला श्वेत प्रकाश में देखा जाय, तो हमें सामान्यतया काली रेखाएँ नहीं दिखाई पड़ती। उनके स्थान पर रंगों की पट्टियाँ (bands) होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि विभिन्न रंग, जिनके योग से श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति होती है, भिन्न भिन्न तरंगों के होते हैं, जिससे बुलबुले के किसी बिंदु पर व्यतिकरण से रंग के केवल एक अंश मात्र का विनाश होता है और उजले प्रकाश के शेष अवशेष बच रहते हैं, जो आँखों पर अपना पूर्ण वर्णिय प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

व्यतिकरण के लिये कुछ मौलिक शर्तें हैं, जिनकी पूर्ति आवश्यक है। इनमें से कुछ तो प्रकाश की प्रकृति में ही अंतर्निहित हैं और दूसरी, यदि परिणाम का प्रमाण प्रयोग द्वारा करना हुआ तो, आवश्यक ही उठती हैं। सरलता के लिये हम दो विद्युत् चुंबकीय लहरों पर विचार कर सकते हैं, जो किसी दिक्बिंदु पर, जहाँ से दोनों लहरें गुजरती हैं, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करें।

यदि व्यतिकरण का प्रतिरूप स्थिर (steady) रहा, अर्थात् यदि

प्रकाश की तीव्रता (intensity) का परिणामी तथाकथित बिंदु पर समय के प्रत्येक मान के लिये शून्य हो, तो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है: (१) व्यतिकरण उत्पन्न करनेवाली तरंगों का दैर्घ्य और उनकी आवृत्तिसंख्या समान होनी चाहिए, (२) दो तरंगों की कलाओं का अंतर किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ कभी भी नहीं बदलना चाहिए, (३) दोनों तरंगों का परिमाण आवश्यक रूप से समान या निकटतः समान होना चाहिए, (४) दोनों तरंगों का समान ध्रुवीकरण (polarisation) नितांत आवश्यक है। अतः प्रकाशतरंगों के लिये यह आवश्यक है कि वे तरंगसमूह, जो मिलकर व्यतिकरण उत्पन्न करें, अवश्य एक ही स्रोत से निःसृत हों। प्रकाशतरंगों की असंबद्ध (incoherent) प्रकृति से भी यह अनुमान लगाया जा सकता है। एक ही स्रोत से निःसृत तरंगों में स्रोत की परमाण्वीय रचना की समानता के चलते और परमाणुओं की कक्षाओं (orbits) में प्रायः एक ही तरह के संक्रमणों के कारण, कला समान होती है, या उनका कलांतर (phase difference) स्थिर रहता है।

प्रकाश द्वारा उत्पन्न प्रतिरूपों के सफल प्रेक्षण के लिये दो अन्य शर्तें, जिनकी पूर्ति होनी चाहिए, निम्नलिखित हैं: (१) यदि प्रकाश एकवर्णी (monochromatic), या बहुत हद तक वैसा न हो, तो उन दोनों प्रकाशपुंजों के, जो मिलकर व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, प्रकाशीय पथ की दूरी का अंतर बहुत कम होना चाहिए ( $10^{-6}$  सेंमी० के क्रम का) तथा (२) दोनों व्यतिकरणशील तरंगों के अवसर होने की दिशा प्रायः समान होनी चाहिए, अर्थात् तरंगाग्र (wave fronts) का एक दूसरे के साथ प्रति न्यून कोण बनाना आवश्यक है।

यदि दो अतिसन्निकट प्रकाशस्रोत के समान परिमाण और कलांतर (period) की तरंगें किसी कलांतर विशेष पर कुछ दूर स्थित पर्दे के एक बिंदु पर मिलें, तो पर्दे पर कुछ बिल्कुल काली रेखाएँ, जिनके अंतराल में अधिकतम तीव्रता की रेखाएँ रहती हैं, देखी जाती हैं। ये न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता की रेखाएँ व्यतिकरण फिजें कहलाती हैं।

जब कभी व्यतिकरण फिजें (fringes) पसली फिल्मों के चलते बनती हैं, तब उनका कारण व्यतिकरण में भाग लेनेवाली किरणों के कलांतर का परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन फिल्म (film) की मोटाई के परिवर्तन, या आपतन कोण के परिवर्तन, के कारण होता है। यदि मोटाई समान नहीं हुई, तो प्रायः दोनों तथ्य एक ही साथ क्रियाशील हो उठते हैं; लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब कोई फिल्म छाल द्वारा देखी जा रही है, तो उसे छाल से करीब २५ सेंमी० की दूरी पर रखा जाना चाहिए।

यदि फिल्म का परास (range) बहुत बड़ा न हो, तो हमारी आँखों तक फिल्म के विभिन्न बिंदुओं से आती हुई किरणों के झुकाव की भिन्नता कोई अधिक नहीं होती और प्रत्येक किरण का आपतन कोण करीब करीब समान होता है। अतः फिजें मुख्यतः फिल्म की मोटाई की भिन्नता के कारण बनती हैं। यह भी नितांत स्पष्ट है कि फिल्म के उन सभी बिंदुओं पर, जहाँ मोटाई समान है, वहाँ प्रकाश

की दीप्ति भी समान होगी। यदि शेष कोई भी बिंदु काला या उज्ज्वल हुआ, तो शेष भी उज्ज्वल या काले या उज्ज्वल होंगे। इस-विधे काली या उज्ज्वल पट्टियाँ समान मोटाई के फिल्म के विभिन्न बिंदुओं के बिंदुपथ (loci) मान ली जाती हैं। इस तरह की फिजें न्यूटनी वलय (Newton's rings) कहलाती हैं, क्योंकि न्यूटन ने सर्वप्रथम इनका अध्ययन किया था।

व्यतिकरण का विस्तृत अध्ययन विशाल विभेदन शक्तिवाले सभी यंत्रों के मूल में काम करता है [ देखें व्यतिकरणमापी (Interferometer) ]। [ २० कां० पां० ]

**व्यतिकरणमापी ( Interferometer )** एक प्रकाशीय युक्ति है, जो प्रकाश की एक किरण को एक या अनेक भागों में विभक्त करने के बाद इन भागों को एक में मिलाकर व्यतिकरण उत्पन्न करती है। यह युक्ति दूरी, कोण, गति, विस्थापन या आवर्तनांक का मापन तथा संकीर्ण स्पेक्ट्रम क्षेत्र का विश्लेषण प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण से करती है।


जब प्रकाश की दो तरंगें मिलती हैं, तब व्यतिकरण होता है। जब एक प्रकाशतरंग का तरंगशृंग ( crest ) प्रकाश की दूसरी तरंग के तरंगशृंग से, तथा एक का गर्त (trough) दूसरे के गर्त से मिलता है, तब प्रकाश तीव्र होता है; पर इसके विपरीत जब एक तरंग का तरंगशृंग दूसरी तरंग के गर्त से मिलता है, तब प्रकाश की दोनों तरंगों का प्रकाश निरसित हो जाता है, अर्थात् अंधकार हो जाता है। यही व्यतिकरण है।

**माइकेल्सन व्यतिकरणमापी** — प्रोफेसर ए० ए० माइकेल्सन के प्रारंभिक व्यतिकरणमापी में (देखें चित्र) दाहिनी ओर से एक प्रकाशकिरण दर्पण  $d_1$  पर आती है।  $d_2$  दर्पण का आधा भाग रजतित होता है, जिससे केवल आधा प्रकाश परावर्तित होकर दर्पण  $d_2$  पर जाता है, और शेष आधा प्रकाश अरजतित भाग से पारगमित होकर सीधा दर्पण  $d_3$  पर आपतित होता है तथा अपने पथ पर परावर्तित हो जाता है। दर्पण  $d_2$  तथा  $d_3$  एक दूसरे पर लंब होते हैं। दर्पण  $d_2$  तथा  $d_3$  से परावर्तित होनेवाली प्रकाश की किरणपुंज पुनः दर्पण  $d_1$  पर आपतित होती हैं और प्रेक्षक इन दोनों किरणों के द्वारा बनी व्यतिकरण फिजों को देखता है (देखें माइकेल्सन भौतिक प्रयोग)।

माइकेल्सन ने अपने व्यतिकरणमापी की सहायता से प्रकाश का वेग तथा प्रकाश की तरंग संख्या मापी तथा सर्वप्रथम तारों का कोणीय व्यास ज्ञात किया। बीटेल्जुज (Betelgeuse) प्रथम तारा है, जिसका कोणीय व्यास (०.०४६") ज्ञात किया गया था। दूरदर्शक से युक्त माइकेल्सन व्यतिकरणमापी से अत्यधिक दूर स्थित तारों तथा मंद तारों की मापें ज्ञात करना संभव हो गया है। तारों से प्राप्त होनेवाली प्रकाशतरंगों से व्यतिकरण द्वारा तारों की दिशा, दूरी तथा विस्तार का निर्धारण किया जाता है।

**फाब्री ( Fabry ) तथा पेरो ( Perot ) व्यतिकरणमापी** — उपयुक्त व्यतिकरणमापी में केवल दो व्यतिकारी किरणपुंजों का उपयोग किया गया है। १८६३ ई० में बूलुच (Boulouch) ने

सर्वप्रथम बताया कि अनेक व्यतिकारी किरणपुंजों के उपयोग से अधिक सुधाहित प्राप्त की जा सकती है। इस सिद्धांत का विकास १८६७ ई० में फाब्री तथा पेरो द्वारा किया गया। इनके उपकरण



माइकेल्सन व्यतिकरणमापी

$d_1$  अर्ध दर्पण तथा  $d_2$  और  $d_3$  पूर्ण दर्पण

में दो समतल समांतर काचपट्ट रहते हैं, जिनपर पतला रजत फिल्म रहता है। जब विस्तृत प्रकाशकोश से ये पट्ट प्रदीप्त किए जाते हैं, तब इन पट्टों के मध्य में व्यतिकरण के कारण फिज बनते हैं। ये फिज अन्नं परवलय होते हैं और ये समान झुकाव के फिज कहलाते हैं। ये फिज हाइडिंगर (Haidinger) फिज के समान होते हैं, पर ये बहुकिरणपुंज के कारण तीव्र और चमकीले होते हैं।

इन बहुकिरणपुंजों के फिजों के अनेकानेक उपयोग हैं। घन डेसिमिटर जल की संहति इस व्यतिकरण से मापी गई है और यह संहति एक किलोग्राम से २७ मिलिग्राम कम है। गैसीय अणुवर्तनांक ज्ञात करने के लिये, यह व्यतिकरणमापी मानक साधन है। १९४३ ई० में टोलैंसकी (Tolansky) ने क्रिस्टल पुष्ठ की कपरेखा ज्ञात करने में इस व्यतिकरणमापी का उपयोग किया। इसमें इतनी परिशुद्धता थी कि क्रिस्टल जालक (crystal lattice) अंतराल को भी प्रकाशतरंगों द्वारा मापा जा सकता था। इस व्यतिकरणमापी से क्रिस्टल के आणुतिक लक्षण से लेकर आणविक विन्यास तक उद्घाटित हो गई है। एकवर्णी तथा श्वेत दोनों प्रकार का प्रकाश इस व्यतिकरण में प्रयुक्त होता है।

**परावर्ती सोपानक व्यतिकरणमापी ( Reflecting Echelon Interferometer )** — १९२६ ई० में विलियम ने इस व्यतिकरणमापी को विकसित किया। यह एक मात्र उपकरण है, जो परिशुद्ध तरंगदैर्घ्य ज्ञान में तथा निर्वात क्षेत्र, अर्थात् सुदूर परावर्णी (ultraviolet) क्षेत्र की अति सूक्ष्म संरचनाओं ( hyperfine structures ) को अंकन करने में समर्थ है।

आधुनिक काल में व्यतिकरणमापी का उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है। कोयले की जालों की दशा में श्वेत द्वारा हीमैकसे प्रकाश का



पता लगाने के लिये परिवहनीय व्यावहारिक व्यतिकरणमापी का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप, जैसे वात्या मट्टी का ताप, तथा बेंच की परिशुद्धता की जाँच के लिये भी व्यतिकरणमापी प्रयुक्त किया जा रहा है। व्यतिकरणमापी से १ इंच के १/१०, ००, ००, ००० तक की शुद्धता की जाँच की जा सकती है।

[ अ० ना० मे० ]

**व्यवहार प्रक्रिया (Behaviour Process)** सांसारिक उद्दीपनों की टक्कर खाकर सजीव प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखने के निमित्त कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ करता है। उसके व्यवहार को देखकर हम प्रायः अनुमान लगाते हैं कि वह किस उद्दीपक (स्टिमुलस) या परिस्थिति विशेष के लगाव से ऐसी प्रतिक्रिया करता है। जब एक चिड़िया पेड़ की शाखा या भूमि पर खोंच मारती है, तो हम झट समझ जाते हैं कि वह कोई अन्न या कीट खा रही है। जब हम उसे खोंच में तिनका लेकर उड़ते देखते हैं, तो तुरंत अनुमान लगाते हैं कि वह नीड़ (बोंसला) बना रही है। इसी प्रकार मानवी शारीरिक व्यवहार से उसके मनोरथ तथा स्वभाव आदि का भी पता लगता है। मूल की मुद्रा, देह की अंग-भंगी, तथा कर्मेन्द्रियों के हिलने चलने के व्यवहार से अगोचर मानसिक क्रियाएँ विचार, रागद्वेष आदि भी दूसरे लोगों पर व्यक्त होते हैं। शारीरिक व्यवहार का सरलतम रूप 'सहज क्रिया' (रिफ्लेक्स ऐक्शन) में मिलता है। यदि छात्र पर प्रकाशरेखा फेंकी जाय, तो पुतली तत्काल सिकुड़ने लगती है। यह एक जन्मसिद्ध, प्राकृतिक अनायास क्रिया है। इस क्रिया का न तो कोई पूर्वगामी अथवा सहचारी चेतन अनुभव होता है, और न ही यह व्यक्ति की इच्छा के बस में रहती है। इसी प्रकार मिरच के स्पर्शमात्र से आँसों में अश्रु आ जाते हैं। यह भी एक जन्मसिद्ध या सहज क्रिया है। साँस लेना, खाँसना आदि कुछ अटल सहज क्रियाएँ हैं। इनको मनुष्य इच्छानुसार म्यूनाबिक प्रभावित कर सकता है। मल मूत्र त्याग भी सहज क्रियाएँ हैं, जिनपर मनुष्य विशेष नियंत्रण रखना सीख लेता है। सूई चुभते ही हम हठात् हाथ खींच लेते हैं। इन सबका मूलाधार है, ज्ञानेन्द्रियों का नस द्वारा कर्मेन्द्रियों (पेशी, ग्रंथि आदि) के साथ सीधा प्राकृतिक संबंध। सूई के दबाव से पीड़ास्थल से संलग्न तंत्र सक्रिय हो उठती है, और नसों द्वारा तत्संबंधित पेशी-संकोच होता है।

अनेक बार विशेष उद्दीपक की संगति से सहज क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। यथा मिठाई खाने से मुँह में रसत्ताव एक सहज क्रिया है। किंतु मिठाई के दशंन अथवा नाम के सुनने मात्र से भी खार टपकने लगती है। इसका कारण ग्रथिजाव की सहज क्रिया का, अर्थात् संलग्न नसों का रूप, शब्द विशेष की ज्ञानेन्द्रिय से एक नवीन अर्वांतरित संयोग होता है। किंतु अनेक प्राकृति द्वारा नस संयोग के अर्वांतरित होने से यह एक 'अभ्यानुकूलित प्रतिवर्त' (कंडीशंड रिफ्लेक्स) का नवीन रूप ले लेती है। 'अभ्यानुकूलित क्रियाओं का भी कोई पूर्वगामी या सहचारी चेतना अनुभव नहीं होता, और वह आचरण भी व्यक्ति की इच्छा के अधीन नहीं होता। इसमें चेतन इच्छा की उपेक्षा, तथा सूक्ष्म वैदिक

नस संयोग की स्वतंत्रता का ही संकेत प्राप्त होता है। सामाजिक आदर्श व आचरण के सतत प्रभाव से जहाँ एक व्यक्ति नासाहार परोसे जाने के समाचार से खिन्न होता है, वहीं दूसरा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार पूर्वानुभव वा अभ्यानुकूलन भेद से एक जन विदेशी वस्तु के आभास मात्र से आनंदित, और अन्य क्रुद्ध होता है। स्वजातीय सांप्रदायिक व्यक्तियों के साथ सौजन्य तथा मित्रता, परंतु विजातीय वर्ग के प्रति स्वाभाविक वैरभावना भी अभ्यानुकूलन का उदाहरण है। धातुनिक युग में सर्वप्रथम इसका महत्त्व एक रूसी वैज्ञानिक प्रो० आईवन पेट्रोविच पैवलोव ने सुझाया। अमरीका के एक वैज्ञानिक डा० जॉन बी० वाटसन ने इस सिद्धांत को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। सामाजिक आचरण की अनेक गुरिधियों को सुलभाने में इस अभ्यानुकूलन प्रक्रिया का उपयोग होता है।

जन्म से ही पशुधर्मों में अनेक प्रकार के जटिल कार्य करने की क्षमता होती है। ये कार्य जीवनयापन के निमित्त अत्यंत आवश्यक होते हैं; यथा शिशु का स्तनपान; संतान के हित पशु जाति का व्यवहार; चिड़िया की बोंसला बनाने की प्रवृत्ति; इत्यादि। ऐसी प्रवृत्तियाँ भी जन्मजात प्रकृति का अंग होती हैं। यदि चीपाए भागते दौड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते फिरते हैं। जहाँ मनुष्यवत् सुगंधित पुष्पों पर मँडराती है वहीं छिपकली कीट, फलियों का शिकार करती है। ऐसी प्राकृतिक जीवनोपयोगी वृत्तियों को सहज प्रवृत्ति, वृत्ति व्यवहार (इंस्टिंक्ट) अथवा जातिगत प्रकृति भी कह सकते हैं। पशुवर्ग का प्रत्येक आचरण, मूल रूप से उसकी विशेष प्रकृत प्रवृत्ति से विकसित होता है। एक बैल या उसका बछड़ा, घासफूस, पत्ते, घृण आदि से पेठ भरता है। परंतु एक उच्च वर्ग का सभ्य आदमी तथा उसके बच्चे विशेष ढंग से पकवान बनवाकर, और उचित क्रम से आसन वा बर्तन आदि सजाकर ही भोजन करते हैं। सभ्यता के कृत्रिम आचरण में हम प्रकृत मूल प्रवृत्ति की एक चुंबली सी झलक देख सकते हैं। अतः कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति के अुद आचार पर ही उच्चाकाशी बृहत् सभ्यता की आँकी खुलकर खलती है। एक आंग्ल वैज्ञानिक प्रा० विलियम मैक्डूगल के विचार से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के तीन अंग होते हैं—(i) एक विशेष उद्दीपक परिस्थिति, (ii) एक विशिष्ट रसना अथवा संवेग, और (iii) एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम। इनमें से संयोगवत् उद्दीपक परिस्थिति तथा अनुकूल कार्य के क्रम में अत्यधिक परिवर्तन होता है। सामान्यतः कष्टप्रद अपमानजनक व दुःसाध्य परिस्थिति में मनुष्य क्रोधित होकर प्रतिकार करता है। किंतु जहाँ बच्चा खिलौने से रुष्ट होकर उसे तोड़ने का प्रयास करता है, वहाँ एक वयस्क स्वदेशाभिमान के विरुद्ध विचार सुनकर घोर प्रतिकार करता है। जहाँ बच्चे का प्रतिकार लात, घूँसा तथा दाँत आदि का व्यवहार करता है, वहीं वयस्क का क्रोध अपवाद, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक हानि तथा अद्भुत भौतिक रासायनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है। किंतु क्रोध का अनुभव तो सब परिस्थितियों में एक समान रहता है। प्रा० मैक्डूगल ने पशु वर्ग के विकास, तथा संवेगों के निश्चित रूप की कसौटी से एक मूल प्रवृत्तियों की सूची भी बनाई है। संवेग अथवा अथ, क्रोध आदि को ही मुख्य मानकर तदनुसार मूल प्रवृत्तियों

का नाम, स्वभाव आदि का वर्णन किया है। उनकी सूची बहुत लोकप्रिय है, और उसकी व्याप्ति प्रायः अनेक आधुनिक समाजशास्त्रों में मिलती है। परंतु वर्तमान काल में उसका मान कुछ घट गया है। डा० वाटसन ने अस्पताल में सद्यःजात विद्युत्ओं की परीक्षा की तो उन्हें केवल क्रोध, भय और काम वृत्तियों का ही तथ्य मिला। एक आपानी वैज्ञानिक डा० क्रॉफो ने यह पाया है कि सभी बिल्लियों न तो बूढ़ों को प्रकृत स्वभाव से मारती हैं, और न ही उनकी हत्या करके खाती हैं। उचित सीख से तो बिल्लियों की मूल प्रवृत्ति में इतना अधिक विकार आ सकता है कि बूढ़ेमार जाति की बिल्ली का बच्चा, बड़ा होकर भी बूढ़े से डरने लगता है। अतः अब ऐसा समझते हैं कि जो वर्णन मैकडूगल ने किया है वह अत्यधिक सरल है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्थिति को सरलतम बनाकर समझने के निमित्त, मानसिक उद्देश्यपूर्ति की उलझन से बचकर, शरीर के सूक्ष्म क्रियाव्यवहार को ही मूल प्रकृति मानने लगे हैं। उन्हें दैहिक संतुष्टों के मूल गुण प्रकृति मर्यादित तनाव (Tissue Tension) में ही मूल प्रवृत्ति का विश्वास होता है। जब उद्दीपक वा परिस्थिति विशेष के कारण देह के भिन्न संतुष्टों (रेशों) में तनाव बढ़ता है, तो इस तनाव के घटाने के हित एक मूल वृत्ति सजग हो जाती है, और इसकी प्रेरणा से जीव अनेक प्रकार की क्रियाएँ शारंग करता है। जब उचित कार्य द्वारा उस दैहिक संतु तनाव में यथेष्ट ढिलाव हो जाता है, तब तत्संबंधित मूल वृत्ति तथा उससे उत्पन्न प्रेरणा भी शांत हो जाती है। दैहिक संतुष्टों का एक गुण और है कि विशेष क्रिया करते करते थक जाने पर विश्राम की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक दैहिक तथा मनोदैहिक क्रिया में न्यूनाधिक थकाव तथा विश्राम का बर्न देखा जाता है। अतः भिन्ना को यह आहार, भय, धैर्य आदि से सूक्ष्म कठोरस्थ वृत्ति मानते हैं। अर्थात् आधुनिक मत केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति मानने का है—(१) दैहिक संतु तनाव को घटाने की प्रवृत्ति (या अपनी मर्यादा बनाए रखने की प्रवृत्ति); (२) दैहिक संतुष्टों के थक जाने पर उचित विश्राम की प्रवृत्ति।

पशुवर्ग के व्यवहार को समझने के लिये एकमात्र उपाय, उनकी विभिन्न प्रेरणाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। प्रेरणा और प्रवृत्ति के संबंध से कुछ विद्वान् मूल प्रवृत्ति से ही मूल प्रेरणा की उत्पत्ति मानते हैं। किंतु सम्यक् जीवन में कृत्रिम वा सीखी हुई मनोवृत्तियों का भी उचित स्थान है। इस युग में मनोपार्जन का कार्य सबकी ही करना पड़ता है। धन की इच्छा तो अपने इच्छाजनक का निमित्त मात्र है। वास्तविक प्रेरणा तो अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, तथा उनके संयोग की मनोवृत्ति से होती है। अतः मनोपार्जन की प्रेरणा एक अचित अर्थात् आधुनिक सभ्यता में सीखी हुई प्रेरणा है। धन के अद्वितीय विनिमय गुण के कारण ही धन पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। किंतु इस प्रेरणावशा सामान्य पुरुष धन कमाने में उतना ही सिपटा रहता है, जितना आहार विहार की प्रेरणाओं से। यदि किसी बच्चे में साहसिक सवारी की प्रेरणा है, तो वह कभी बुढ़सवारी से शांत नहीं होती। दोनों ही कृत्रिम प्रेरणाएँ हैं, किंतु उन्हें निर्बल कहना मिथ्या है। उक्त बच्चे के लिये साहसिक बैसा ही सबल व्यवहारप्रेरक है, जैसा स्वादिष्ट भोजन। प्रेरणा को हम सरलता से दो वर्गों

में बांट सकते हैं— (i) आकर्षक वा सुखद प्रेरक की प्राप्ति के प्रति और (ii) अपकर्षक वा दुःखद प्रेरक से बचने के प्रति। यदि पहले वर्ग की प्रेरणा को अनुकूल वा धनात्मक (+) कहें, तो दूसरे वर्ग की प्रेरणा को प्रतिकूल वा ऋणात्मक (-) कह सकते हैं। एक में व्यक्ति प्रेरक के लोभ से अग्रसर होता है और दूसरी में व्यक्ति प्रस्तुत प्रेरक से भयभीत होकर पीछे हटता है, या विमुख होकर दूर भागता है, अथवा रक्षा का अन्य उपाय करता है। यदि पहली में प्रवृत्ति है तो दूसरी में निवृत्ति।

सामान्य परिस्थिति न तो शुद्ध सुखस्वरूप और न ही पूर्णतया दुःखरूप होती है। वह प्रायः मिश्रित होती है; यदि कुछ अंशों में वह सुखद होती है, तो साथ ही दूसरे अंशों में वह दुःखद भी होती है। जहाँ एक अवयव हमें खींचता है, वहाँ दूसरा अवयव हमें धक्का देता है। जब हम चाकर वृत्ति ग्रहण कर जीविका चलाते हैं, तो हम पराधीनता में भी फँस जाते हैं। अनेक परिस्थितियाँ हमारे सामने न्यूनाधिक उग्र रूप में रागद्वेष का द्वंद्व उपस्थित करती हैं। जब इष्ट की मात्रा अधिक लगती है, तब हम ऋत उसी ओर प्रवृत्त होते हैं। और जहाँ अनिष्ट की मात्रा अधिक खींचती है, वहाँ हम तुरंत संभलकर हट जाते हैं। किंतु जब रागद्वेष की उभय प्रेरणाएँ समान मात्रा में दिखाई देती हैं, तब मनुष्य को चिंता होती है और सशयवशा उसे विचार तथा परामर्श का आश्रय लेना पड़ता है। कभी दो मनोहर प्रेरणाएँ एक साथ उपस्थित किंतु विरोधी दिशाओं में मनुष्य को खींचती हैं। यह भी कम चिंताजनक द्वंद्व नहीं है। जब बच्चे के सामने यह समस्या आती है कि वह खिलोना ले या मिठाई तो बेचारा दुविधा में फँस कर किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। कभी कभी हम दोनों ओर से विपत्तियों के बीच फँस जाते हैं; एक ओर कृपा है, तो दूसरी ओर खाई। यदि सच कहते हैं तो दंड मिलेगा और यदि झूठ बोलते हैं तो धातमग्लानि होती है। सिद्धांतरूप से प्रेरणाओं का द्वंद्व प्रायः इन तीनों प्रकार का ही होता है। किंतु सामान्य परिस्थिति में अनेक धनात्मक और ऋणात्मक अंश एक साथ प्रोत्तप्रोत्त रहते हैं।

प्रेरक परिस्थिति में कभी प्रकृत अंश मुख्य, और कभी गौण भी होते हैं। प्रेरक वस्तुओं और परिस्थितियों का मूल्यांकन अधिकतर सामाजिक तथा आर्थिक अंशों से होता है। यदि कोई बच्चा खिलोने की अपेक्षा पुस्तक को लेना पसंद करता है, तो उसके मूल्यांकन में सामाजिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक अभ्यास और अनुभूति का ही विशेष प्रभाव रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक परिस्थिति के अंश के साथ, न्यूनाधिक स्पष्ट मात्रा में निश्चित सामाजिक अंशों का अंश का संयोग रहता है। अतः बहुमुखी परिस्थिति में प्रकृत अंश की अपेक्षा सामाजिक पसंद का ही स्फुट महत्त्व रहता है। नया कपड़ा न होने से हम बारात के साथ जाना प्रतीकार करते हैं। कभी समाजप्रतिष्ठा के मोह से हम उधार लेकर अधिक दहेज आदि दान करते हैं।

प्रेरणाद्वंद्व से पाला पड़ने पर मनुष्य सर्वथा निष्क्रिय नहीं रह सकता और कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करते ही एक नया निवम बन जाता है। संशयात्मक स्थिति में एक ओर पथ उठाने से, शेष व्यवहार उसी निर्णय के अनुरूप होने लगता है। प्रत्येक नवयुवक

और युवती के लिये गृहस्थ जीवन में प्रवेश की समस्या प्रायः संशयात्मक होती है। किंतु निर्णय होते ही, तदनुकूल कियार्थे धारा-रूप से दूरवर्ती ध्येय की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक संशयात्मक परस्पर विरोधी इच्छाओं की समस्या में हम एक को मानकर दूसरी को छोड़ देते हैं। परंतु मान्य इष्टप्राप्ति के प्रयास में दयक इच्छाएँ भी कभी अक्सर पाकर सिर उठाती हैं, पश्चात्ताप बढ़ाती हैं, और विशेष अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि हरने में सफल होकर उसे न्यूनाधिक पथभ्रष्ट भी कर देती हैं।

परिस्थिति के साथ अभियोजन तो व्यक्ति की सहज प्रकृति है। वह कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल मनोवृत्ति से प्रतिक्रिया करता है। यदि किसी अभियोजन के विधान से व्यक्ति वा समाज को सुख वा प्रगति भी प्राप्ता होती है, तो उसे उचित, अस्यया अनुचित कह देते हैं। किंतु तात्कालिक और दीर्घकालीन दृष्टिकोण में अंतर भी हो सकता है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुक्रात को विषयान का मृत्युदंड भी एक ऐसी सामाजिक अभियोजन की घटना थी, जिसपर वर्तमान काल में उभय पक्ष से वादविवाद होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभियोजन का विधान, नियम अथवा क्रिया तो सरल है। परिस्थिति के मोहक तथा भयानक अंशों के अनुमान से मनुष्य अधिक सुखप्राप्ति के निमित्त कार्य करता है। किंतु परिस्थिति विशेष के प्रतिकूल प्रयत्न के नित्य के सघर्ष से वह या तो उससे उदासीन हो जाता है, या उसके मूल्यों/कन का परिवर्तन कर उसको परोक्ष रूप से न्यूनाधिक लाभप्रद मानने लगता है। जब एक ग्रामीण युवक सेना में भरती होता है, तो उसे सारा दिन चुस्त बरदी वा भारी बूट आदि पहनकर रहना प्रायः खलता है। परंतु कुछ ही दिनों में वह उस वेश भूषा को सैनिक मर्यादा का संकेत कहकर, तथा उसमें आत्मसंमान का आभास देखकर, उससे संलग्न दुःख को भी सहने की आदत बना लेता है। इस अभियोजन प्रक्रिया से मनुष्य दुःख के प्रति उदासीन होना है और समय बीतने से वह उस अनिवार्य दुःख को भूल भी जाता है, या उसे ही सुख समझने लगता है।

यह तो दैहिक तंतुधों का भी नियम है कि वे सतत कार्य करते रहने से थक जाते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ भी थककर सजाशून्य हो जाती हैं। बहुत मिठाई खाने से मिठास का अनुभव सुखहीन वा फीका पड़ जाता है। धूप जलाने पर उसकी गंध तो कुछ समय तक हम अनुभव करते हैं किंतु थोड़ी देर में वह सुगंध प्रायः लुप्त हो जाती है। यही दशा दैनिक संघर्ष द्वारा परिस्थिति के दुःखद अंश की होती है। कह सकते हैं कि इस चेतनालोप द्वारा हम शोकमुक्त होकर समाज के साथ समायोजित होते हैं। परंतु ये लुप्त प्रेरणाएँ अज्ञात मानस अवस्था में गुप्त रूप से बनी रहती हैं और उचित अवसर पाकर छप छप से ज्ञात मन द्वारा इष्टपूर्ति का प्रयास करती हैं।

[ श्या० स्व० ज० ]

**व्याकरण** किसी भी 'भाषा' के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन 'व्याकरण' कहलाता है, जैसे कि शरीर के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन 'शरीरशास्त्र' और किसी देश प्रदेश आदि का वर्णन 'भूगोल'। यानी व्याकरण किसी भाषा को अपने

आदेश से नहीं चलाता घुमाता, प्रस्तुत भाषा की स्थिति प्रवृत्ति प्रकट करता है। 'चलता है' एक क्रियापद है और व्याकरण पढ़े बिना भी सब लोग इसे इसी तरह बोलते हैं; इसका सही अर्थ समझ लेते हैं। व्याकरण इस पद का विश्लेषण करके बताएगा कि इसमें दो अवयव हैं — 'चलता' और 'है'। फिर वह इन दो अवयवों का भी विश्लेषण करके बताएगा कि ( चल + त + ता = ) 'चलता' और ( ह + है = ) 'है' के भी अपने अवयव हैं। 'चल' में दो वर्ण स्पष्ट हैं; परंतु व्याकरण स्पष्ट करेगा कि 'च' में दो अक्षर हैं 'च्' और 'च'। इसी तरह 'ल' में भी 'ल्' और 'ल'। अब इन अक्षरों के टुकड़े नहीं हो सकते; 'अक्षर' हैं ये। व्याकरण इन अक्षरों की भी श्रेणी बनाएगा, 'व्यंजन' और 'स्वर'। 'च्' और 'ल्' व्यंजन हैं और 'च' 'ल' स्वर। चि, ची और लि, ली में स्वर हैं 'इ' और 'ई', व्यंजन 'च्' और 'ल्'। इस प्रकार का विश्लेषण बड़े काम की चीज है; व्यर्थ का गोरखबंधा नहीं है। यह विश्लेषण ही 'व्याकरण' है।

व्याकरण का दूसरा नाम 'शब्दानुशासन' भी है। वह शब्द-संबंधी अनुशासन करता है — बतलाता है कि किस शब्द का किस तरह प्रयोग करना चाहिए। भाषा में शब्दों की प्रवृत्ति अपनी ही रहती है; व्याकरण के कहने से भाषा में शब्द नहीं चलते। परंतु भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार व्याकरण शब्दप्रयोग का निर्देश करता है। यह भाषा पर शासन नहीं करता, उनकी स्थितिप्रवृत्ति के अनुसार लोकशिक्षण करता है।

### संसार का सर्वप्रथम व्याकरण

संसार में सबसे पहले 'व्याकरण' विद्या का जन्म कहाँ हुआ ?

संसार के भाषाविदों ने एकमत से स्वीकार किया है कि इस पृथ्वी पर उल्लब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन 'वेद' है। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है। जब कोई भाषा साहित्य की सभृद्धि से जगमगाने लगती है, तब उसके व्याकरण की जरूरत पड़ती है। 'वेद' कैसा महत्त्वपूर्ण साहित्य है, यह इसी से समझा जा सकता है कि इसे इतने दिनों तक मनुष्य ने गले से लगाकर प्राणों की तरह इसकी रक्षा की है। उसके प्रत्येक अक्षर को यथास्थित रूप में कंठस्थ रखना और बहुत कुछ उसकी 'ध्वनि' सुरक्षित रखना सरल काम नहीं है। सूखे बने चबा चबाकर तपस्वी ब्राह्मणों ने देवों की रक्षा की है। तभी तो वे बने रहे।

वेद जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य के व्याकरण की जरूरत पड़ी। व्याकरण के सहारे सुदूर देश प्रदेशों के ज्ञानपिपामु कहीं अन्यत्र उद्भूत साहित्य को समझ सकते हैं और अनंत काल बीत जाने पर भी लोग उसे समझने में सक्षम रहते हैं। वेद जैसा साहित्य देशकाल की सीमा में बँधा रहनेवाला नहीं है; इसलिये प्रबुद्ध 'देव' जनों ने अपने राजा ( इंद्र ) से प्रार्थना की — 'हमारी ( वेद — ) भाषा का व्याकरण बनना चाहिए। घाप हमारी भाषा का व्याकरण बना दें।' तब तक वेदभाषा 'अव्याकृता' थी; उसे यों ही भोग काम में ला रहे थे। इंद्र ने 'वरम्' कहकर देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर पदों को

( 'व्ययतोऽनकम्' ) बीच से छीक छोड़कर प्रकृति प्रत्यय आदि का भेद किया — व्याकरण बन गया ।

जो इस देश ( भारत ) में सबसे पहले 'व्याकरण' विद्या का जन्म हुआ ।

व्याकरण से भाषा की गति नहीं रुकती, जैसा पहले कहा गया है; और न व्याकरण से वह बदलती ही है। किसी देश प्रवेश का भूगोल क्या वहाँ की गतिविधि को रोकता बदलता है? भाषा तो अपनी गति से चलती है। व्याकरण उसका ( गति का ) न नियामक है, न अवरोधक ही। हाँ, सहस्रों वर्ष बाद जब कोई भाषा किसी दूसरे रूप में आ जाती है, तब वह ( पुराने रूप का ) व्याकरण इस ( नए रूप ) के लिये अनुपयोगी हो जाता है। तब इस ( नए रूप ) का पुनर् व्याकरण बनेगा। यह पुराना व्याकरण तब भी बेकार न हो जाएगा; उस पुरानी भाषा का ( भाषा के उस पुराने रूप का ) यथार्थ परिचय देता रहेगा। यह साधारण उपयोगिता नहीं है।

हाँ, यदि कोई किसी भाषा का व्याकरण अपने अज्ञान से गलत बना दे, तो वह ( व्याकरण ) ही गलत होगा। भाषा उसका अनु-गमन न करेगी और यों उस व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने पर भी भाषा को कोई गलत न कह देगा। संस्कृत के एक वैयाकरण ने 'पुं' के साथ 'पुं' पद को भी नियमबद्ध किया; परंतु वह वहीं बरा रह गया। कभी किसी ने 'पुं' नहीं लिखा बोला। पाणिनि ने 'विश्रम' शब्द साधु बतलाया; 'श्रम' की ही तरह 'विश्रम'। परंतु संस्कृत साहित्य में 'विश्रम' चलता रहा; चल रहा है और चलता रहेगा। भाषा की प्रकृति है। जब पाणिनि ही भाषा के प्रवाह को न रोक सके, तो दूसरों की गिनती ही क्या।

### व्याकरण और भाषाविज्ञान

व्याकरण तथा भाषाविज्ञान दो शब्दशास्त्र हैं; दोनों का कार्य-लेख भिन्न भिन्न है; पर एक दूसरे के दोनों सहयोगी हैं। व्याकरण पदप्रयोग मात्र पर विचार करता है; जब कि भाषाविज्ञान 'पद' के मूल रूप ( वातु तथा प्रातिपदिक ) की उत्पत्ति व्युत्पत्ति या विकास की पद्धति बतलाता है। व्याकरण यह बतलाएगा कि ( निषेध के पद्मंदास रूप में ) 'न' ( नञ् ) का रूप ( संस्कृत में ) 'अ' या 'अन्' हो जाता है। व्यंजनादि शब्दों में 'अ' और स्वरदि में 'अन्' होता है — अद्वितीय, 'अनुपम'। जब निषेध में प्रधानता हो, तब ( 'प्रसज्य प्रतिषेध' में ) समास नहीं होता — अयं ब्राह्मणो नास्ति 'अस्य उपमा नास्ति'। अल्पत्रय 'ब्राह्मणः वेदाध्ययने संशयः संति' और 'अनुपमं काश्मीरसौंदर्यं दृष्टम्' आदि में समास होगा; क्योंकि निषेध निषेधात्मक नहीं है। व्याकरण समास बता देगा और कहाँ समास ठीक रहेगा, कहाँ नहीं; यह सब बतलाना 'साहित्य शास्त्र' का काम है। 'न' से व्यंजन ( न् ) उड़कर 'अ' रह जाता है और ( 'न' के ही ) अर्थात् से 'अन्' हो जाता है। इसी 'अन्' को सस्वर करके 'अन' रूप में 'समास' के लिये हिंदी ने से लिया है—'अनहीनी', 'अनजान' आदि। 'न' के ये विविध रूप व्याकरण बना नहीं देता; बने बनाए रूपों का वह 'अव्याख्यान' भर

करता है। यह काम भाषाविज्ञान का है कि वह 'न' के इन रूपों पर प्रकाश डाले।

व्याकरण बतलाएगा कि किसी वातु से 'न' भाववाचक प्रत्यय करके उसमें हिंदी की संज्ञाविभक्ति 'आ' लगा देने से ( ऊबल ) भाववाचक संज्ञाएँ बन जाती हैं—आना, आया, उठना, बैठना आदि। परंतु व्याकरण का काम यह नहीं है कि आ, जा, उठ, बैठ आदि वातुओं की विकासपद्धति समझाए। यह काम भाषाविज्ञान का है। संस्कृत में ऐसी संज्ञाएँ नपुंसक वर्ग में प्रयुक्त होती हैं — भाग-ननम्, गमनम्, उत्थानम्, उपवेशनम् आदि। परंतु हिंदी में पुं प्रयोग होता है—'आपका आना कब हुआ?' हिंदी ने पुं प्रयोग क्यों किया, यह व्याकरण न बताएगा। वह अव्याख्यान भर करेगा — 'ऐसी संज्ञाएँ पुंवर्गीय रूप रखती हैं' बस। यह बताना भाषाविज्ञान का काम है कि ऐसा क्यों हुआ।

### परकीय शब्दों का शासन

जब कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से कोई शब्द लेती है, तो उसे अपने शासन में चलाती है — अपने व्याकरण के अनुसार उसकी गति नियंत्रित करती है। हिंदी का 'घोती' शब्द अंग्रेजी में गया, तो वहाँ इसे अंग्रेजी व्याकरण को निरोधार्थ करना पड़ा। प्रयोग होता है अंग्रेजी में — 'ब्रिग प्रवर घोतीज'। वहाँ 'घोती' का बहुवचन 'घोतियाँ' न चलेगा। 'ब्रिग प्रवर घोतियाँ' प्रयोग वहाँ गलत समझा जाएगा।

इसी तरह अंग्रेजी का 'फुट' शब्द हिंदी ने लिया और अपने शासन में रखा। अंग्रेजी में 'फुट' का बहुवचन 'फीट' होता है; पर हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण न चलेगा। प्रयोग होता है — 'चार फुट उंचाई', 'चार फीट उंचाई' गलत है। 'उंचाई' भी गलत है; 'उंचाई' शुद्ध है। 'निचाई उंचाई' होता है; 'नीचाई उंचाई' नहीं।

संस्कृत में इकारांत शब्दों के द्विवचन इकारांत हो जाते हैं— 'कषी समागतौ'; हिंदी में ऐसा न होगा। 'दो कषि आए' कहा जाएगा। इसी तरह संस्कृत में 'राजदंपती समागतौ'। हिंदी में 'राजदंपति' सर्वत्र।

परकीय शब्दों को आत्मसात् करने की यह भी एक प्रक्रिया है कि अनमेल रूप को काट छाँटकर अपने मेल का बना लेना। हिंदी का 'गंगा जी' शब्द अंग्रेजी में गया; पर 'गेंजिज' बनकर। अंग्रेजी 'लैटर्न' शब्द हिंदी ने लिया; पर 'लाइटन' बनाकर और 'हॉस्पिटल' को 'हस्पताल' बनाकर। 'हस्पताल' भी हिंदी में गलत है। 'हॉस्पिटल' और 'डॉक्टर' जैसे रूप हिंदी को प्राप्त नहीं। हिंदी का व्याकरण नियमन करेगा कि हिंदी में वह उच्चारण है ही नहीं, जिसे स्वर पर उल्टा टोप रख कर प्रकट किया जाता है। यहाँ 'मास्टर' की ही तरह 'डॉक्टर' चलता है। हाँ, नागरी लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखनी हो तब वह उल्टा टोप काम आएगा — द डॉक्टर बाब फुलिश'। इसी तरह नागरी में फारसी जैसी भाषा लिखनी हो तो 'बाजार', 'बजार' आदि रूप रहेंगे; पर हिंदी में नीचे बिंदी न रहेगी — 'जकरी बीजों के लिये बाजार है।' उज्ज्व के शेर आदि लिखने हों तो भी नीचे बिंदी लग जाएगी। शब्दों का यह रूप-निर्धारण व्याकरण के वर्ण प्रकरण से होगा। [ कि० श० वा० ]

**व्याकरण** (संस्कृत का) संस्कृत का व्याकरण वैदिक काल में ही स्वतंत्र विषय बन चुका था। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार आधारभूत तथ्य धातु (ई० पू० लगभग ७००) के पूर्व ही व्याकरण में स्थान पा चुके थे। पाणिनि (ई० पू० लगभग ५५०) के पहले कई व्याकरण लिखे जा चुके थे जिनमें केवल आप्तलि और काशकृत्स्न के कुछ सूत्र आज उपलब्ध हैं। किंतु संस्कृत व्याकरण का क्रमबद्ध इतिहास पाणिनि से आरंभ होता है।

पाणिनि ने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों के लिये 'ग्रन्थाध्यायी' की रचना की। अपने लगभग चार हजार सूत्रों में उन्होंने सदा के लिये संस्कृत भाषा को परिनिष्ठित कर दिया। उनके प्रत्याहार, अनुबंध आदि गणित के नियमों की तरह सूक्ष्म और वैज्ञानिक हैं। उनके सूत्रों में व्याकरण और भाषाशास्त्र संबंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश है। कात्यायन (ई० पू० लगभग ३००) ने पाणिनि के सूत्रों पर लगभग ४२६५ वार्तिक लिखे। पाणिनि की तरह उनका भी ज्ञान व्यापक था। उन्होंने लोकजीवन के अनेक शब्दों का संस्कृत में समावेश किया और न्यायों तथा परिभाषाओं द्वारा व्याकरण का विचारक्षेत्र विस्तृत किया। कात्यायन के वार्तिकों पर पतंजलि (ई० पू० १५०) ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। इसमें प्रायः सभी दार्शनिक वादों के बीज हैं। इसकी शैली अनुपम है। इसपर अनेक टीकाएँ मिलती हैं जिनमें भरहुहरि की 'त्रिपादी', कैषट का 'प्रदीप' और शेषनारायण का 'सूक्तिरत्नाकर' प्रसिद्ध हैं। सूत्रों के अर्थ, उदाहरण आदि समझाने के लिये कई वृत्तिग्रथ लिखे गए थे जिनमें काशिका वृत्ति (छठी शताब्दी) महत्वपूर्ण है। जयादित्य और वामन नाम के आचार्यों की यह एक रमणीय कृति है। इसपर जिनेन्द्रबुद्धि (लगभग ६५० ई०) की काशिकाविवरणपंजिका (न्यास) और हरदत्त (ई० १२००) की पदमंजरी उत्तम टीकाएँ हैं। काशिका की पद्धति पर लिखे गए ग्रंथों में भागवृत्ति (अनुपलब्ध), पुरुषोत्तमदेव (ग्यारहवीं शताब्दी) की भाषावृत्ति और भट्टोजि दीक्षित (ई० १६००) का शब्दकोस्तुभ मुख्य हैं। पाणिनि के सूत्रों के क्रम बदलकर कुछ प्रक्रियाग्रंथ भी लिखे गए जिनमें धर्मकीर्ति (ग्यारहवीं शताब्दी) का रूपावतार, रामचंद्र (ई० १४००) की प्रक्रियाकोमुदी भट्टोजि दीक्षित की सिञ्जालकौमुदी और नारायण भट्ट (सोलहवीं शताब्दी) का प्रक्रियासर्वस्व उल्लेखनीय हैं। प्रक्रियाकोमुदी पर विट्ठलकृत 'प्रसाव' और शेषकृष्णरचित 'प्रक्रिया प्रकाश' पठनीय हैं। सिद्धांत-कोमुदी की टीकाओं में प्रोढमनोरमा, तत्वबोधिनी और शब्देन्दुशेखर उल्लेखनीय हैं। प्रोढमनोरमा पर हरि दीक्षित का शब्दरत्न भी प्रसिद्ध है। माणेश भट्ट (ई० १७००) के बाद व्याकरण का इतिहास धूमिल हो जाता है। टीकाग्रंथों पर टीकाएँ मिलती हैं। किसी किसी में व्यासशैली देख पड़ती है। पाणिनिप्रवाय के पिछले दो सौ वर्ष के प्रसिद्ध टीकाकारों में वैद्यनाथ पायुमुंड, विश्वेश्वर, मोरम-भट्ट, मेरव मिश्र, राघवेंद्राचार्य गजेंद्रगडकर, कृष्णमित्र, नित्यानंद पर्वतीय एवं जयदेव मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं।

पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त संस्कृत के जो अन्य व्याकरण इस समय उपलब्ध हैं वे सभी पाणिनि की शैली से प्रभावित हैं। अक्षर्य ऐंद्र व्याकरण को कुछ लोग पाणिनि के पूर्व का मानते हैं।

किंतु यह मत अशुद्ध नहीं है। बर्नेज के अनुसार ऐंद्र व्याकरण का संबंध कर्नाटक से और तमिल के प्राचीनतम व्याकरण तोषकाप्यिथम से है। ऐंद्र व्याकरण के आधार पर सातवाहन युग में शर्ष वर्या ने काशिका व्याकरण की रचना की। इसके दूसरे नाम कालापक और कौमार भी हैं। इसपर सुर्यसिंह की टीका प्रसिद्ध है। चांद्र व्याकरण चंद्रगोत्री (ई० ५००) की रचना है। इसपर उनकी वृत्ति भी है। इसकी शैली से काशिकाकार प्रभावित हैं। जैनेंद्र व्याकरण जैन आचार्य जेधनदी (लगभग छठी शताब्दी) की रचना है। इसपर भजनदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं। जैनेंद्र व्याकरण के आधार पर किसी जैन आचार्य ने ९वीं शताब्दी में शाकटायन व्याकरण लिखा और उसपर भमोषवृत्ति की रचना की। इसपर प्रभावचंद्राचार्य का न्यास और यज्ञ वर्मा की वृत्ति प्रसिद्ध है। श्रीज (ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध) का सरस्वती कंठाभरण व्याकरण में वार्तिकों और गणपाठों की सूत्रों में मिला दिया गया है। पाणिनि के अप्रसिद्ध शब्दों के स्थान पर सुबोध शब्द रखे गए हैं। इसपर दंडनाथ नारायण की हृदयहारिणी टीका है। सिद्ध हेम चयवा हेम व्याकरण आचार्य हेमचंद्र (ग्यारहवीं शताब्दी) रचित है। इसमें संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश व्याकरण का भी समावेश है। इसपर ग्रंथकार का न्यास और देवेंद्र खरि का लघुन्यास उल्लेखनीय हैं। सारस्वत व्याकरण के कर्ता अनुभूतिस्वरूपाचार्य (तेरहवीं शताब्दी) हैं। इसपर सारस्वत प्रक्रिया और रघुनाथ का लघुभाष्य ध्यान देने योग्य हैं। इसका प्रचार बिहार में पिछली पीढ़ी तक था। बोपदेव (तेरहवीं शताब्दी) का मुग्धबोध व्याकरण नितांत सरल है। इसका प्रचार अभी हाल तक बंगाल में रहा है। पद्यनाभदत्त ने (१५वीं शताब्दी) सुपद्य व्याकरण लिखा है। शेष श्रीकृष्ण (१६वीं शताब्दी) की पदचंद्रिका एक स्वतंत्र व्याकरण है। इसपर उनकी पदचंद्रिकावृत्ति उल्लेखनीय है। क्रमदीश्वर का संक्षिप्तसार (जोमर) और रूपगोस्वामी का हरिनामाभूत भी स्वतंत्र व्याकरण है। कर्वाँदाचार्य के सग्रह में ब्रह्मव्याकरण, यमव्याकरण, वरुणव्याकरण, सोम्यव्याकरण और शब्दतर्कव्याकरण के हस्तलेख थे जिनके बारे में आज विशेष ज्ञान नहीं है। प्रसिद्ध किंतु अनुपलब्ध व्याकरणों में वामनकृत विधांतविद्यापर उल्लेखनीय है।

प्रमुख संस्कृत व्याकरणों के अपने अपने गणपाठ और धातुपाठ हैं। गणपाठ संबंधी स्वतंत्र ग्रंथों में वर्धमान (१२वीं शताब्दी) का गणरत्नमहोदधि और भट्ट यज्ञेश्वर रचित गणरत्नावली (ई० १८७४) प्रसिद्ध हैं। उणादि के विवरणकारों में उज्ज्वलदत्त प्रमुख है। काशकृत्स्न का धातुपाठ कन्नड भाषा में प्रकाशित है। भीमसेन का धातुपाठ तिब्बती (भोट) में प्रकाशित है। पूर्णचंद्र का धातुपारायण, जैनेश्वररचित (दसवीं शताब्दी) का धातुप्रदीप, श्रीरस्वामी (दसवीं शताब्दी) की क्षीरतरंगिणी, सायब की माधवीय धातुवृत्ति, श्रीहर्ष-कीर्ति की धातुतरंगिणी, बोपदेव का कविकल्पद्रुम, भट्टमल्ल की आख्यातचंद्रिका विशेष उल्लेखनीय हैं। लिखबोधक ग्रंथों में पाणिनि, वरकवि, वामन, हेमचंद्र, शाकटायन, शांतमवाचार्य, हर्षवर्धन आदि के विद्यानुशासन प्रचलित हैं। इस विषय की प्राचीन पुस्तक 'सिग-कारिका' अनुपलब्ध है।

संस्कृत व्याकरण के दार्शनिक पक्ष का विवेचन व्याधि (लगभग ई० पू० ४००) के 'संग्रह' से प्रारंभ होता है जिसके कुछ भाग ही भाव्य अवशेष हैं। भर्तृहरि ( लगभग ई० ५०० ) का वाक्यपदीय व्याकरणदर्शन का सर्वांगकृत ग्रंथ है। स्वोपज्ञवृत्ति के प्रतिरिक्त इसपर बृहन्नदेश ( छठी शताब्दी ), पुष्यराज ( नवी शताब्दी ) और हेमचन्द्र ( दसवीं शताब्दी ) की टीकाएँ विद्युत हैं। कौबमट्ट ( ई० १६०० ) का व्याकरणभूषण और नागेश की व्याकरण सिद्धांतमंजूषा उल्लेखनीय हैं। नागेश का स्कोटवाद्, कृष्णभट्टमौनि की स्कोटवाहिका और भरतमिश्र की स्कोटसिद्धि भी इस विषय के लघुकाम ग्रंथ हैं। सीरदेव की परिभाषावृत्ति, पुष्योत्तमदेव की परिभाषावृत्ति, विष्णुशेष का परिभाषाप्रकाश और नागेश का परिभाषावृत्तेश्वर पठनीय हैं। पिछले डेढ़ सौ वर्षों में परिभाषावृत्तेश्वर पर लगभग २५ टीकाएँ लिखी गई हैं जिनमें गदा, भैरवी, भावार्थ-दीपिका के प्रतिरिक्त तात्या शास्त्री पटवर्धन, गणपति शास्त्री मोकाटे शास्कर शास्त्री, बासुदेव शर्म्यकर, मय्युदेव, चिद्रूपाश्रय भावि की टीकाएँ हैं।

संस्कृत व्याकरण के इतिहास में यूरोप के विद्वानों का भी योग है। पी० सास्लेरी ने, जो १५८३ से १५८८ तक भारत में था, संस्कृत और इटली की भाषा का साम्य दिखाया था। किंतु संस्कृत का नियमबद्ध व्याकरण जर्मन-यहूदी जे० ई० हास्सेलेडेन ने लिखा। उसकी अप्रकाशित कृति के आधार पर जर्मन पादरी पौलिनस ने १७९० में संस्कृत का व्याकरण प्रकाशित किया जिसका नाम 'सिद्ध वचम्' स्पू ग्रामाटिका संस्कृतमिका' था। फोर्ड विलियम कालेज के अध्यक्ष डा० विलियम कैरे ने १८०२ में संस्कृत का व्याकरण जॉर्जेजी में प्रकाशित किया। विलियम कोल्ब्रुक ने १८०५ में, विलकिंस ने १८०८ में, कोरेस्टर ने १८१० में, संस्कृत के व्याकरण लिखे। १८२३ में जोषमार झाँक ने लैटिन भाषा में संस्कृत व्याकरण लिखा। १८३४ में जोष्य ने जर्मन भाषा में संस्कृत व्याकरण लिखा जिसका नाम 'क्रिटिषे ग्रामाटिक डे संस्कृत स्प्राख' है। जेनकी ने १८६३ में, कीलहार्न ने १८७० में, जेक्समूलर ने १८७० में, मॉनिखर विलियम्स ने १८७७ में और अमरीका के व्हिटनी ने १८७९ में अपने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किए। एल० रेनो ने फ्रेंच भाषा में संस्कृत व्याकरण (१९२०) और वैदिक व्याकरण (१९५२) प्रकाशित किए। गणपाठ और वातुपाठ के संबंध में वेस्टरगार्ड का रेडिसेज जिम्मा संस्कृता (१८४१), बोटविक का पाणिनि ग्रामाटिक (१८८७), लीबिश का वातुपाठ (१९२०) और राबर्ट बिरचे का 'डर गणपाठ' (१९६१) उल्लेखनीय हैं। यूरोप के विद्वानों की कृतियों में मैकडोनेल का 'वैदिक ग्रामर' (१९१०) और वाकरनागेल का 'ग्रार्हडिडिह ग्रामाटिक' ( ३ भाग, १८९६-१९५४ ) उल्लेखनीय हैं। जॉर्जेजी में लिखित श्री काले का 'हायर संस्कृत ग्रामर' भी प्रसिद्ध है।

संस्कृत व्याकरण का इतिहास पिछले डेढ़ हजार वर्ष से टीका टिप्पणी के माध्यम से अविच्छिन्न रूप में अग्रसर होता रहा है। इसे सजीव रखने में उन ज्ञात ज्ञात सहस्रों विद्वानों का सहयोग रहा है जिन्होंने कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा, किंतु अपना जीवन व्याकरण के अध्यापन में बिताया।

[रा० सु० चि०]

**व्यूह (Matrices)** इस विषय के अंतर्गत हम संख्याओं की आयताकार सरणियों ( rectangular arrays ) का अध्ययन करते हैं। इस विषय में संख्याओं का एक विशेष प्रकार का विन्यास किया जाता है, यतः इसे व्यूह, या मैट्रिक्स, की संज्ञा दी गई है।

संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार के पुंज को सरणी कहते हैं :

$$\begin{matrix} १ & ५ & -७ & ६ \\ ४ & ० & -२ & -१ \end{matrix}$$

अब तनिक इन समीकरणों पर विचार कीजिए :

$$\begin{aligned} ३ख - १ + ५ख &= १, \\ २ख + १ - ख &= -३, \\ ख + २र + ३ख &= ७ \end{aligned}$$

इन समीकरणों से दो व्यूहों की उत्पत्ति होती है :

$$\begin{bmatrix} ३ & -१ & ५ \\ २ & १ & -१ \\ १ & २ & ३ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ३ & -१ & ५ & १ \\ २ & १ & -१ & -३ \\ १ & २ & ३ & ७ \end{bmatrix}$$

इनमें से पहले दो को गुणांक मैट्रिक्स (Coefficient Matrix) और दूसरे को प्रागमित मैट्रिक्स (Augmented Matrix) कहते हैं।

सर्वप्रथम सिल्वेस्टर ( १८५० ई० ) ने व्यूह की यह परिभाषा दी थी कि "संख्याओं के किसी आयताकार सरणी को, जिसमें से सारणिक (determinants) बन सकें, व्यूह कहते हैं।" आधुनिक समय में व्यूह को एक प्रतिघमिश्र (hypercomplex) संख्या के रूप में मानते हैं। इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं मिल्टन ( १८५३ ई० ) और केली ( १८५८ ई० )।

जिस व्यूह में पंक्तियों (rows) और स्तंभों (columns) की संख्या समान हो, उसे वर्ग व्यूह या मैट्रिक्स (Square Matrix) कहते हैं। मान लीजिए का और खा दो  $n \times n$  वर्ग व्यूह हैं :

$$\text{का} = \begin{bmatrix} क_{११} & क_{१२} & \dots & क_{१न} \\ क_{२१} & क_{२२} & \dots & क_{२न} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ क_{न१} & क_{न२} & \dots & क_{नन} \end{bmatrix},$$

$$\text{खा} = \begin{bmatrix} ख_{११} & ख_{१२} & \dots & ख_{१न} \\ ख_{२१} & ख_{२२} & \dots & ख_{२न} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ख_{न१} & ख_{न२} & \dots & ख_{नन} \end{bmatrix}$$

तो का + खा उस व्यूह को कहेंगे जिसका प्रत्येक घटक (element) का और खा के संगत घटकों का जोड़ हो, और काखा उस व्यूह को कहेंगे जिसकी तृती पंक्ति और तृती स्तंभ का घटक का की तृती पंक्ति के घटकों को खा के तृती स्तंभ के घटकों से गुणा करके जोड़ देने से बना हो। इस प्रकार काखा की तृती पंक्ति और तृती स्तंभ का घटक =  $क_{११} ख_{११} + क_{१२} ख_{१२} + क_{१३} ख_{१३} + \dots + क_{१न} ख_{१न}$ । यदि च कोई प्रद्विष (scalar) राशि हो, तो च का उस व्यूह को कहेंगे जिसका प्रत्येक घटक का के संगत घटक को च से गुणा करने से बना हो।

यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि व्यूहों का जोड़ सह-चरणशील और अवस्थपशील होता है और गुणन सहचरणशील तथा

वितरणशील होता है, किंतु व्यत्ययशील नहीं होता। उदाहरणार्थ,

$$\begin{bmatrix} १ & -३ \\ २ & ४ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} १ & ० \\ १ & -१ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -२ & -१ \\ ६ & -४ \end{bmatrix},$$

$$\text{किंतु} \begin{bmatrix} १ & ० \\ १ & -१ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} १ & -३ \\ २ & ४ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} १ & -३ \\ -१ & -७ \end{bmatrix}$$

अतः, साधारणतया, का का = का का।

जिस व्यूह में प्रत्येक घटक ० हो, उसे ० व्यूह कहते हैं। यह व्यूह योग का एकात्म्य (Identity of addition) कहलाता है, क्योंकि यदि का कोई भी व्यूह हो, तो ० + का = का + ० = का।

जिस व्यूह के विकर्णों का प्रत्येक घटक १ हो और शेष सारे घटक ० हों, उसे एकात्म्य व्यूह कहते हैं, क्योंकि यह गुणन का एकात्म्य (identity of multiplication) होता है। सांकेतिक भाषा में, यदि उक्त व्यूह को I कहे तो का I = I का = का।

जिस व्यूह में विकर्णों के घटकों छोड़कर शेष सारे घटक ० हों, उसे विकर्ण व्यूह या मैट्रिक्स (Diagonal Matrix) कहते हैं।

सं० प्र० — सी० सी० मेक्डफी : दि थियोरी ऑव मैट्रिसेज, बलिन १९३२; जे० एच० एम० वेडरबर्न : लेक्चर ऑन मैट्रिसेज, न्यूयार्क १९३४। [ बी० मो० ]

**ब्रण (Ulcer)** शरीरपृष्ठ (body surface) पर संक्रमण द्वारा शोथ उत्पन्न होता है। इस संक्रमण के जीवविष (toxins) स्थानिक उपकला (epithelium) को नष्ट कर देते हैं। नष्ट हुई उपकला के ऊपर भ्रूत कोशिकाएँ एवं पूय संचित हो जाता है। भ्रूत कोशिकाओं तथा पूय के हट जाने पर नष्ट हुई उपकला के स्थान पर धीरे धीरे कणिकामय ऊतक (granular tissues) घाने लगते हैं। इस प्रकार की विक्षति को ब्रण कहते हैं। दूसरे शब्दों में संक्रमणोपरांत उपकला ऊतक की कोशिकीय मृत्यु को ब्रण कहते हैं।

अनावरित क्षत ब्रण कहलाता है। किसी भी पृष्ठ के ऊपर, अथवा पाश्वर्क में, यदि कोई शोथयुक्त परिगलित (necrosed) भाग हो गया है, तो वहाँ ब्रण उत्पन्न हो जायगा। शीघ्र भर जानेवाले ब्रण को सुदम्यब्रण कहते हैं। कभी कभी कोई ब्रण शीघ्र नहीं भरता। ऐसा ब्रण दुर्दम्य हो जाता है, इसका कारण यह है कि उसमें या तो जीवाणुओं (bacteria) द्वारा संक्रमण होता रहता है, या ब्रणवाले भाग में रक्तपरिसंचरण (circulation of blood) उचित रूप से नहीं हो पाता। ब्रण, पृष्ठ पर की एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका के नष्ट होने पर, बनता है। निम्नलिखित तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ब्रण प्रायः हो जाते हैं।

(१) मुल, आमाशय अथवा आंत्र — इनमें विकृति द्वारा उत्पन्न शोथयुक्त परिगलन होता है (देखें, आमाशय तथा आंत्रों के ब्रण तथा पाश्वर्क संज्ञ के रोग)।

(२) निम्न आलाओं के अक्षयत्व — इनमें अज्ञातवस्था में रक्त परिसंचरण के उचित रूप में न होने के कारण शोथ उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिगलन होना प्रारंभ हो जाता है।

(३) गर्भाशय-घ्रीवा (Cervix of the uterus)

ब्रण की प्रावस्थाएँ — ब्रण का जीवन निम्नलिखित तीन प्रावस्थाओं (phases) में विभाजित है :—

(१) विस्तार (Extension), (२) परिवर्त (Transition) तथा (३) सुधार (Repair)

विस्तार की प्रावस्था में ब्रण का तल साव एवं गलित पदार्थों से ढँका रहता है। ब्रण के परिसर तीव्र होते हैं तथा इसमें से पूययुक्त साव निकलता रहता है।

परिवर्त प्रावस्था में ब्रण का भरना प्रारंभ होने लगता है। इसके तल का भाग साफ होने लगता है। तल में कणिकामय ऊतक बनने प्रारंभ हो जाते हैं और आवास में जुड़ने के कारण संपूर्ण तल इनसे ढँक जाता है।

सुधार की प्रावस्था में कणिकामय रेशेदार तंतु ऊतक (fibrous tissue) में, जो धीरे धीरे सकुचित होते हुए एक ब्रणचिह्न (scar) बनाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कणिकामय ऊतकों का अधिक बनना भी उचित नहीं है। यदि किसी ब्रण में कणिकामय ऊतक अधिक बन गए हों, तो उनको खुरच देना चाहिए अथवा सिस्टर नाइट्रेट जैसे किसी कॉस्टिक पदार्थ से जला देना चाहिए।

ब्रण के प्रकार — ब्रण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं :

(१) विशिष्ट (specific), (२) विशिष्टताहीन (nonspecific) तथा (३) दुर्दम्य (Malignant)।

विशिष्टताहीन ब्रण — इसके होने का कारण क्षत (wound) का संक्रमण है। यह क्षत अग्निघात, अथवा किन्हीं उत्तेजक पदार्थों, के कारण हो जाता है। स्थानिक क्षोभ, जैसा दंतब्रण में, अथवा रक्त-परिसंचरण-बाधा, जैसा स्फीत शिराओं (varicose veins) में, इसके उत्पन्न करने में प्राथमिक कारण हैं। पोषण ब्रण (trophic ulcer) बाहिका प्रेरक नियंत्रण (vasomotor control) के अनीबिरय से संबंधित है। अस्वस्थावस्था में यह ब्रण के भरने में बाधक है।

विशिष्ट ब्रण — ये कुछ विशिष्ट रोगों के सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। ये रोग हैं : यक्ष्मा, सिफलिस आदि। इन ब्रणों की चिकित्सा करते समय स्थानिक चिकित्सा के अतिरिक्त विशिष्ट रोग की चिकित्सा भी करनी होती है।

दुर्दम्य ब्रण — यह किसी संक्रमण की शोथज प्रतिक्रिया के फल-स्वरूप उत्पन्न नहीं होता, अपितु दुर्दम्य अर्बुद द्वारा ऊतकों को नष्ट करने के कारण होता है। इसके द्वारा उत्पन्न ब्रण के परिसर अर्बुद में ही विलीन हो जाते हैं। यह ब्रण अतिशीघ्रता से बढ़ता है। दुर्दम्य अर्बुद हैं : (१) कार्सिनोमा, (२) रोडेंट ब्रण तथा (३) सार्कोमा।

ब्रण का भरना — ऊतकों की जीवनशक्ति विगड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप संक्रमण भी अपना प्रभाव डालता रहता है। यही कारण है कि ब्रण के रोपण में अधिक समय लग जाता है निम्न अवस्था में ब्रण के शीघ्र नहीं भरते :

(१) तंत्रिका क्षत (Nerve lesion),

(२) स्फीत विरामों के कारण दबिर संकुचता (congestion) एवं कुपोषण (malnutrition) तथा

(३) ऊतकों में संवर्धन माध्यम (culture medium) की अधिक मात्रा में उपस्थिति, अर्थात् मधुमेह (diabetes) में शर्करा का होना आदि। [२० ग०]

**व्रत और उपवास** संकल्पपूर्वक किए गए कर्म को 'व्रत' कहते हैं। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुःख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुःख की निवृत्ति चाहता है। मानव की इस परिस्थिति को ध्वंगत कर निकालना और परहित में रत ऋषियुगियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त निबंधग्रंथों को आत्मसात् कर मानव के कल्याण के हेतु सुख की प्राप्ति तथा दुःख की निवृत्ति के लिये अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय हैं। व्रतों के विधान करनेवाले ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने में आता है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का एक प्रमुख अंग है। इसीलिये अनेक स्थलों पर यह कहा गया है कि व्रत और उपवास में परस्पर अंगान्गी भाव संबंध है। अनेक व्रतों के आचरणकाल में उपवास करने का विधान देखा जाता है।

व्रत धर्म का साधन माना गया है। संसार के समस्त धर्मों ने किसी न किसी रूप में व्रत और उपवास को अपनाया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि, अभिलषित मनोरथ की प्राप्ति और शांति तथा परम पुत्रार्थ की सिद्धि होती है। अनेक प्रकार के व्रतों में सर्वप्रथम वेद के द्वारा प्रतिपादित अग्नि की उपासना रूपी व्रत देखने में आता है। इस उपासना के पूर्व विधानपूर्वक अग्निपरिग्रह आवश्यक होता है। अग्निपरिग्रह के पश्चात् व्रतों के द्वारा सर्वप्रथम पौर्णमास याग करने का विधान है। इस याग को प्रारंभ करने का अधिकार उसे उस समय प्राप्त होता है जब याग से पूर्वदिन वह विहित व्रत का अनुष्ठान संपन्न कर लेता है। यदि प्रमादवशात् उपासक ने आवश्यक व्रतानुष्ठान नहीं किया और उसके अंगभूत नियमों का पालन नहीं किया तो देवता उसके द्वारा समर्पित हविर्द्रव्य स्वीकार नहीं करते।

ब्राह्मणग्रंथ के आचार पर देवता सर्वदा सत्यधीन होते हैं। यह लक्षण अपने त्रिगुणात्मक स्वभाव से पराधीन मानव में अद्विष्ट नहीं होता। इसीलिये देवता मानव से सर्वदा परोक्ष रहना पसंद करते हैं। व्रत के परिग्रह के समय उपासक अपने आराध्य अग्निदेव से करबद्ध प्रार्थना करता है—'मैं नियमपूर्वक व्रत का आचरण करूँगा, मिथ्या को छोड़कर सर्वदा सत्य का पालन करूँगा।' इस उपर्युक्त शब्द के अंतर्गत वैदिक मंत्र का उच्चारण कर वह अग्नि में समिद्ध की आहुति करता है। उस दिन वह अहोरात्र में केवल एक बार हविष्यास का भोजन, सृण से आच्छादित भूमि पर रात्रि में जपन और अर्घ्य ब्रह्मचर्य का पालन प्रभृति समस्त आवश्यक नियमों का पालन करता है।

कुछ समय के पश्चात् वही उपासक जब सोमयाग का अनुष्ठान प्रारंभ करता है तो उसके लिये अत्यंत कठोर व्रत और नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। याग के प्रारंभ में याज्ञीय वीक्षा लेते ही उसे व्रत और नियमों के पालन करने का आदेश और सूत्र देते हैं। यागकालीन उन दिनों में सपत्नीक उस उपासक को आहार के निमित्त केवल गोदुग्ध दिया जाता है। यह भी यथेष्ट मात्रा में नहीं अपितु प्रथम दिन एक गौ के एक स्तन से, दूसरे दिन दो स्तनों से और तीसरे दिन तीन स्तनों से जितना भी प्राप्त हो उतना ही दूध पीने की आज्ञा की अनुज्ञा है। उसी दूध में से आधा उसको और आधा उसकी धर्मपत्नी को दिया जाता है। यही उन दोनों के लिये अहोरात्र का आहार होता है। शास्त्रकारों ने इस दुग्धाहार की व्रत संज्ञा कही है। व्रत के समय में अल्पाहार करने से शरीर में हलकापन और चित्त की एकाग्रता अधुण्य रहती है। व्रतों के लिये अनुष्ठान के समय मद्य, मांस प्रभृति निषिद्ध द्रव्यों का सेवन तथा प्रातःकाल एवं सायंकाल के समय जपन वर्ज्य है। सत्य और मधुर भाषण तथा प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की भावना रखना आवश्यक है।

वैदिक काल की अपेक्षा पौराणिक युग में अधिक व्रत देखने में आते हैं। उस काल में व्रत के प्रकार अनेक हो जाते हैं। व्रत के समय व्यवहार में लाए जानेवाले नियमों की कठोरता भी कम हो जाती है तथा नियमों में अनेक प्रकार के विकल्प भी देखने में आते हैं। उदाहरण रूप में जहाँ एकादशी के दिन उपवास करने का विधान है, वही विकल्प में जधु कलाहार और वह भी संभव न हो तो फिर एक बार ओदनरहित अन्नाहार करने तक का विधान शास्त्रसंमत देखा जाता है। इसी प्रकार किसी भी व्रत के आचरण के लिये तदर्थ विहित समय अपेक्षित है। 'वसंते ब्राह्मणोऽग्नी नादधीत' अर्थात् वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्निपरिग्रह व्रत का प्रारंभ करे, इस श्रुति के अनुसार जिस प्रकार वसंत ऋतु में अग्निपरिग्रह व्रत के प्रारंभ करने का विधान है वैसे ही चाद्रायण भावि व्रतों के आचरण के निमित्त वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण तक का विधान है। इस पौराणिक युग में तिथि पर आश्रित रहनेवाले व्रतों की बहुलता है। कुछ व्रत अधिक समय में, कुछ अल्प समय में पूर्ण होते हैं।

नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन भेदों से व्रत तीन प्रकार के होते हैं। जिस व्रत का आचरण सर्वदा के लिये आवश्यक है और जिसके न करने से मानव बोधी होता है वह नित्यव्रत है। सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध न करना, अश्लील भाषण न करना और परनिंदा न करना आदि नित्यव्रत हैं। किसी प्रकार के पातक के हो जाने पर या अन्य किसी प्रकार के निमित्त के उपस्थित होने पर चाद्रायण प्रभृति जो व्रत किए जाते हैं वे नैमित्तिक व्रत हैं। जो व्रत किसी प्रकार की कामना विशेष से प्रोत्साहित होकर मानव के द्वारा संपन्न किए जाते हैं वे काम्य व्रत हैं; यथा पुत्रप्राप्ति के लिये राजा विलीप ने जो गोव्रत किया था वह काम्य व्रत है।

पुरुषो एवं स्त्रियों के लिये पुरुष व्रतों का अनुष्ठान कहा है। कतिपय व्रत उभय के लिये सामान्य हैं तथा कतिपय व्रतों को दोनों



मिलकर ही कर सकते हैं। आक्व शुक्ल पूर्णिमा, हस्त या श्रवण नक्षत्र में किया जानेवाला उपाकर्म व्रत केवल पुरुषों के लिये विहित है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आक्षरणीय हरितालिका व्रत केवल स्त्रियों के लिये कहा है। एकादशी व्रत व्रत दोनों ही के लिये सामान्य रूप से विहित है। शुभ मुहूर्त में किए जानेवाले कथावान जैसे व्रत वंपति के द्वारा ही किए जा सकते हैं।

प्रत्येक व्रत के आचरण के लिये थोड़ा या बहुत समय निश्चित है। जैसे सत्य और अहिंसा व्रत का पालन करने का समय यावज्जीवन कहा गया है वैसे ही अन्य व्रतों के लिये भी समय निर्धारित है। महाव्रत जैसे व्रत सोलह वर्षों में पूर्ण होते हैं। वेदव्रत और ध्वजव्रत की समाप्ति बारह वर्षों में होती है। पंचमहाभूतव्रत, संतानाष्टमीव्रत, शक्रव्रत और शीलावातिव्रत एक वर्ष तक किया जाता है। अश्विनी व्रत वसंत ऋतु में होता है। वैश्रवाण मास में वत्सराशिपत्र, वैशाख मास में स्कंदवष्टीव्रत, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत, आषाढ़ मास में हरिशयनव्रत, आश्विन मास में उपाकर्मव्रत, भाद्रपद मास में स्त्रियों के लिये हरितालिकाव्रत, आश्विन मास में नवरात्रव्रत, कार्तिक मास में गोपाष्टमीव्रत, मार्गशीर्ष मास में शेरवाष्टमीव्रत, पौष मास में मार्तण्डव्रत, माघ मास में वदतिलाव्रत, और फाल्गुन मास में महाशिवरात्रिव्रत प्रमुख हैं। महालक्ष्मीव्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ होकर सोलह दिनों में पूर्ण होता है। प्रत्येक संक्रांति को आक्षरणीय व्रतों में केवल संक्रांति को शुक्लमासाति व्रत, किया जाता है। तिथि पर आश्रित रहनेवाले व्रतों में एकादशी व्रत, वार पर आश्रित व्रतों में रविवार को सूर्यव्रत, नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र में शिवव्रत, योगों में विष्णु योग में धृतदानव्रत, और करणों में नवकरण में विष्णुव्रत का अनुष्ठान विहित है। भक्ति और श्रद्धानुकूल चाहे जब किए जानेवाले व्रतों में सत्यनारायण व्रत प्रमुख है।

किसी भी व्रत के अनुष्ठान के लिये देश और स्थान की शुद्धि अपेक्षित है। उत्तम स्थान में किया हुआ अनुष्ठान शीघ्र तथा अच्छे फल को देनेवाला होता है। इसीलिये किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में संकल्प करते हुए सर्वप्रथम काल तथा देश का उच्चारण करना आवश्यक होता है। व्रतों के आचरण से देवता, ऋषि, पितृ और मानव प्रसन्न होते हैं। ये लोग प्रसन्न होकर मानव को आशीर्वाद देते हैं जिससे उसके मनिलक्षित मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत और उपवास के अनुष्ठान से मानव को ऐहिक तथा आधुनिक सुखों की प्राप्ति होती है।

[ म० ला० द्वि० ]

व्रत ( जैन ) सप्रवृत्ति और दोषनिवृत्ति को ही जैनधर्म में व्रत कहा जाता है। सत्कार्य में प्रवृत्त होने के व्रत का अर्थ है उसके विरोधी असत्कार्यों से पहले निवृत्त हो जाना। फिर असत्कार्यों से निवृत्त होने के व्रत का मतलब है, उसके विरोधी सत्कार्यों में मन, बचन और काय से प्रवृत्त होना। मुख्य व्रत पाँच हैं—अहिंसा, अशुभा, अस्त्रिय, धर्मदुन और अपरिग्रह।

[ अ० शु० ]

ग्लाडीमीर, सेंट, (न० १५९-१०१५ ई०) रूस का सम्राट्। प्रांटे डफुक स्वीयातोस्लाव की उपपत्नी मलुस्का से उत्पन्न संतान। १७० में पिता से मोवगोरोड की जागीर मिली। १७२ में पिता का देहात हुआ। गृहयुद्ध हुआ और गेब साम्राज्य यारोपॉक और अलिंग नामक पुत्रों में बँटा। १७७ में यारोपॉक ने अलिंग को मार डाला। ग्लाडीमीर स्विडेन भाग गया और वहीं छिपा रहा। तीन साल बाद वह सेना सहित रूस लौटा (१८०) और यारोपॉक को मारकर रूस का एकछत्र राजा हो गया। साम्राज्य बढ़ाया और कीएव को अपनी राजधानी बनाया।

ग्लाडीमीर ने केरसन (कीमीया) शहर को बेरा। परंतु वाइजेन्टियन सम्राट् ने लड़ाई न कर अपनी बहन अगना रोमनोवना का इसके साथ विवाह कर दिया। इस विवाह का फल यह हुआ कि ग्लाडीमीर इसाई हो गया (१८६) और ग्रीक चर्च की रूस में स्थापना की गई। इसाई धर्म की प्रीका लेने के साथ ग्लाडीमीर की प्रकृति बदल गई। अब उसने गिर्जाघर, मठ और विहार बनवाने पर ध्यान दिया, फौसी की सजा रद्द कर दी, धर्म, पवित्रता और शुचिता को जीवन में स्थान दिया। सारा साम्राज्य अपने बारह पुत्रों में बाँट दिया। धर्मप्रचार के लिये विभिन्न देशों में अपने दूत भेजे और इसाईयो की संख्या बढ़ाई।

[ अ० कु० वि० ]

ग्लाडीवीस्टॉक, स्थिति : ४३° ५' उ० अ० और १३१° ५०' पू० दे०। साइबीरिया के दक्षिण पूर्वी तटपर एक प्रसिद्ध नगर और बंदरगाह है। इसकी स्थापना १८६० ई० में हुई थी। पूर्वी रूस का यह प्रमुख बंदरगाह तथा ट्रांससाइबीरियन रेलवे का अंतिम पूर्वी स्टेशन है। नौसैनिक दृष्टि से इस नगर का बहुत विकास और विस्तार हुआ है। रूस ने यहाँ सुष्क क्लिबंदी की है। अतः सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। यह बहुत ठंडा देश है। जाड़े के तीन महीनों में यह बंदरगाह हिमभंजक द्वारा ही जहाजों के लिये खुला रहता है। यहाँ से चीनी, चाय, सोयाबीन, नमक, पेट्रोलियम और इमारती लकड़ी का व्यापार होता है। यहाँ अनेक कल कारखाने, जहाज निर्माण, वस्त्रनिर्माण, मछली पकड़ने और उन्हें डिब्बे में भरने, घाटा पीसने, तंबि और जस्ते के शोधन, वातुकर्म और रसायनक के कारखाने हैं। यहाँ हवाई अड्डा और रेडियो स्टेशन भी है। यहाँ के निवासी, रूसी के अतिरिक्त, कोरीयाई और चीनी भी हैं। १९१८ ई० से १९२२ ई० तक यह जापान के अधिकार में था।

[ रा० स० ख० ]

ह्विस्टर (Whistler) जेम्स एवट मेकनीस (१८३४-१९०३) अमरीकी चित्रकार। उसका पिता मेजर जार्ज वाशिंगटन ह्विस्टर अमरीकी सेना का अफसर था। सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे रेलवे इंजिनियर के रूप में रूस जाना पड़ा। फलतः जेम्स ने युवावस्था में ही फ्रांसीसी भाषा सीखी। पिता की मृत्यु के बाद जेम्स ने कुछ साल सैनिक विद्यालय में शिक्षा पाई। फिर वह पेरिस चला गया और वहाँ उसने चित्रकला का अध्ययन शुरू किया।

जेम्स ह्विस्टर के चित्रों पर इन दिनों में बेलास क्वेज नामक

स्पेन के सज़हवीं सदी के महात्त चित्रकार का प्रसाधारण प्रभाव रहा। साथ ही साथ जापानी और चीनी कलावस्तुओं का रंग-रेखा-संबंधी सामंजस्य भी उसको मुग्ध किया करता था। होकुसाई हिरोशिगे की काष्ठ खुदाई के छाये यूरोपीय कलागोष्ठियों में प्रति मूल्यवान् माने जा रहे थे। इन सब कार्यों का यथेष्ट प्रभाव उसके चित्रों में दिखाई देने लगा।

ड्विस्लर मासिक टीकाकार भी था। उसका (Nocturn—blue and gold—old Battersea Bridge) “निशा—नील—सुनहला—पुराना बैटरसी पुल” यह चित्र लंदन की प्रदर्शनी में जब दिखाया गया, तो रस्किन ने, जो उन दिनों का एक विख्यात कला-समीक्षक था, उसके काम की निंदा करते हुए कहा—“जनता के मुँह पर रंगों के डिब्बों को दे मारना, यह सच्चे चित्रकार का काम नहीं। यह तो जनता की सदाशक्ति का जान बूझकर अपमान करना है। और इस हीन कार्य के लिये इतना दाम माँगना नीचता की पराकाष्ठा है।” इसपर अवाधत में मामला चला और रस्किन को एक फादिग (लगभग एक पैसा) जुर्माना हुआ। ड्विस्लर ने अपने उद्गार “जेंटिल पार्ट प्रॉव् मेकिंग एनीमीज” (शत्रु बनाने की शिष्ट कला) में प्रकट किए।

ड्विस्लर लंदन और पेरिस में दोनों जगह अंत तक काम करता रहा। उसने अनेक etchings निरेक्षण चित्र प्रस्तुत किए। (यह माध्यम रेखा और गोया के बाद सुप्रसिद्ध हो चुका था) उसके बहुत से ऐसे चित्र कलासंग्राहकों में अत्यंत प्रिय हो गए। उसके चित्रों में पौराणिक कला का मंडन तत्त्व (डेकोरेटिव क्वालिटी) और पार्श्वस्थ कला की रूपवास्तवता भी है। उसकी सारी धारु और ताकत वायु विवाद, तर्क वितर्क, झगड़ों, कलाविषयक कोष्ठियों के मठन, और कानूनी मामलों में इतस्ततः बिखर गई थी। फिर भी अंत में उसका काम यूरोप के अश्लेष संग्रहालयों में स्थान पा सका और गौरवान्वित हुआ। [ दि० की० ]

शंकरदेव असमी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि; जन्म नवगाँव जिले में बरदोवा के समीप मलिपुतुरी में हुआ। इनकी जन्मतिथि अब भी विवादास्पद है, यद्यपि प्रायः यह १३०१ शक मानी जाती है। जन्म के कुछ दिन पश्चात् इनकी माता सत्यसंख्या का निधन हो गया। २१ वर्ष की उम्र में सूर्यवती के साथ इनका विवाह हुआ। मनु कव्या के जन्म के पश्चात् सूर्यवती परलोकगामिनी हुई।

शंकरदेव ने ३२ वर्ष की उम्र में विरक्त होकर प्रथम तीर्थयात्रा आरंभ की और उत्तर भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन किया। रूप और सनातन गोस्वामी से भी शंकर का साक्षात्कार हुआ था। तीर्थयात्रा से लौटने के पश्चात् शंकरदेव ने ५४ वर्ष की उम्र में कालिंदी से विवाह किया। तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र ने बरदोवा जाकर शंकरदेव को भागवत सुनाई तथा यह ग्रंथ उन्हें सेंट किया। शंकरदेव ने जगदीश मिश्र के स्वागतार्थ ‘महानाट’ के अभिनय का आयोजन किया। इसके पूर्व ‘चिह्नयात्रा’ की प्रशंसा हो चुकी थी। शंकरदेव ने १४३६ शक में मुघल राज्य का त्याग कर अहोम राज्य में प्रवेश किया। कर्मकांडी चित्रों ने शंकरदेव के भक्ति-

प्रचार का धोर विरोध किया। दिहिगिया राजा से ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि शंकर वेदविरुद्ध मत का प्रचार कर रहा है। कतिपय प्रश्नोत्तर के पश्चात् राजा ने उन्हें निर्दोष घोषित किया। हाथी-बरा कांड के पश्चात् शंकरदेव ने अहोम राज्य को भी छोड़ दिया। पाटवाउसी में १८ वर्ष निवास करके इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। ६७ वर्ष की अवस्था में इन्होंने दूसरी बार तीर्थयात्रा आरंभ की। उन्होंने कबीर के मठ का दर्शन किया तथा अपनी अर्धांजलि अर्पित की। इस यात्रा के पश्चात् वे धरपेटा वापस चले आए। कोच राजा नरनारायण ने शंकरदेव को आमंत्रित किया। कूचबिहार में १४६० शक में वे वैकुण्ठगामी हुए।

शंकरदेव के वैष्णव संप्रदाय का मत एक धारण है। इस धर्म में मूर्तिपूजा की प्रधानता नहीं है। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ श्रीकी पर रस दिया जाता है, इसे ही नैवेद्य तथा भक्ति निर्वाह की जाती है। इस संप्रदाय में दीक्षा की व्यवस्था नहीं है।

मार्कंडेयपुराण के आधार पर शंकरदेव ने ६१५ छंदों का हरिवंश उपाख्यान लिखा। ‘भक्तिप्रदीप’ में भक्तिपरक ३०८ छंद हैं। इसकी रचना का आधार गुरुपुराण है। हरिवंश तथा भागवत-पुराण की मिश्रित कथा के सहारे इन्होंने रुक्मिणीहरण काव्य की रचना की। शंकरकृत कीर्तनघोषा मे ब्रह्मपुराण, पद्यपुराण तथा भागवतपुराण के विविध प्रसंगों का वर्णन है। वामनपुराण तथा भागवत के प्रसंगों द्वारा ‘अनादिपतनं’ की रचना हुई। अंजामिलोपाख्यान ४२६ छंदों की रचना है। ‘अमृतमंथन’ तथा बलिछलन का निर्माण अष्टम स्कंध की दो कथाओं से हुआ है। ‘आदिदशम’ कवि की अत्यंत लोकप्रिय रचना है जिसमें कृष्ण की बाललीला के विविध प्रसंग चित्रित हुए हैं। ‘कुरुक्षेत्र’ तथा ‘निमिनवसिद्धसंवाद’ और ‘गुणमाला’ उनकी अन्य रचनाएँ हैं। उत्तरकांड रामायण का छंदोद्बध अनुवाद उन्होंने किया। विप्र-पत्नीप्रसाद, कालिदसनयात्रा, केलिगोपाल, रुक्मिणीहरण नाटक, पारिजात हरण, रामविजय आदि नाटकों का निर्माण शंकरदेव ने किया। असमिया वैष्णवों के पवित्र ग्रंथ ‘भक्तिरत्नाकर’ की रचना इन्होंने संस्कृत में की। इसमें संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण हुआ है।

सं० पं० — पूर्वाराम महंत : गुरुचरित्; भूषण द्विव : गुरु-चरित्; देव्यारि : गुरुचरित्; रामानंद : गुरुचरित्; सं० उर्वेद्रचंद्र लेखारु : कथागुरुचरित्; लक्ष्मीनाथ बेजबरुमा : श्री शंकरदेव; महेश्वर नेमोगः। श्री शंकरदेव : १८३३ शक [ ला० शु० ]

शंक्रु, या नोमन (Gnomon), दिन में समय ज्ञात करने का सरल प्राचीन उपकरण था। इसमें मुख्यतः फर्श, या किसी क्षैतिज समतल, पर एक लंबा छड़ होता था, जिसकी छाया की स्थिति दिन का समय बताती थी। २,००० ई० पू० में ही बैबिलोनिया में इसका प्रयोग होता था और हेरोडोटस (Herodotus) के अनुसार अनाक्सिमंडर (Anaximander) ने लगभग ६०० ई० पू० यूनान में इसका प्रचार किया। लंबे छड़ की छाया की लंबाई, दिशा तथा छाया के अग्र द्वारा अनुदैर्घ्य रेखा से रचिमाय की

तिर्यक्ता, धयनांत की तिथि ( अतः सीर वर्ष ) और याम्योत्तर का पता लगाना संभव होता था

कभी कभी शंकु का खड़ा खड़ किसी गोलार्ध के अक्षतल पृष्ठ के केंद्र में बिठाया जाता है। एक रूपांतरण में, यह एक ऊँचा गुंबद था, जिसके ऊपरी भाग में छेद बना था, जिससे होकर सूर्य का प्रकाश फर्श पर बिंदु के रूप में पड़ता था। रोम की प्राचीन काल की कुछ धूपबर्तियों में, जिन्हें अर्धचंद्र (hemicycle) कहते थे, यह एक शैलित शलाका (style) के रूप में था, जो पट्ट (dial) के सर्वोच्च वक्र कोर के केंद्र पर आबद्ध होता था। पश्चिम प्रक्ष के समांतर आबद्ध धूपबर्ती की तिरछी शलाका को भी शंकु कहते हैं। [ रा० सु० ]

**शंकुक** भरत नाट्यशास्त्र के व्याख्याता। इनकी व्याख्या प्राप्त नहीं है पर अभिनवभारती में उसका उल्लेख है। भरत के रससूत्र की इन्होंने जो व्याख्या की है वह 'अनुमितिवाद' नाम से प्रसिद्ध है। भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद का तथा सहृदयों में रसानुभव न मानने-वाले सिद्धांत का इन्होंने सर्वप्रथम खंडन किया है। वे नैयायिक थे। इन्होंने विभाव आदि साधनों और रसरूप साध्य में अनुमाध्य-अनुमापक भाव की कल्पना की है और रस का आस्वाद अनुमान द्वारा अनुमेय या अनुमितिगम्य बताया है। इन्होंने रस की स्थिति सहृदयो या सामाजिकों में मानी है। 'चित्रतुरगादि न्याय' की इनकी विवेचना के अनुसार नट सच्चे राम नहीं हैं, वे चित्र में लिखे अश्व की तरह हैं। जैसे अश्व के चित्र को देखकर उसका अनुभव होता है, वैसे ही नट के अभिनयारमक रूप को देखकर सहृदयो को अनुभव होता है। इस प्रकार शंकुक ने रस की स्थिति सहृदयों या सामाजिकों में मानी है। राजतरंगिणी के उल्लेख के अनुसार शंकुक कश्मीरी विद्वान् थे और अजितापीड के शासनकाल में विद्यमान थे। इन्होंने 'भुवनाभ्युदय' नामक महाकाव्य में मम्म और उत्पल के भयंकर युद्ध का वर्णन किया है जिसमें मारे गए वीरों के शव से बितस्ता नदी का प्रवाह रुक गया था। राजतरंगिणीकार ने इन्हें 'कवि बुधमनः सिधुशशाक' कहा है। शंकुक का समय ई० ८५० के लगभग मान्य है।

शाङ्गधरपद्धति तथा जटहण की सुक्तिमुक्तावली में शंकुक को मयूर का पुत्र कहा गया है। विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में भी एक शंकु या शंकुक नाम आया है। ये दोनों भरत नाट्यशास्त्र के व्याख्याता, रसमिरूपण में अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक एवं भुवनाभ्युदय महाकाव्य के रचयिता शंकुक से संभवतः भिन्न थे।

[ वि० ना० त्रि० ]

**शंघाई** स्थिति : ३१° २०' उ० अ० एवं १२१° ३०' पू० दे०। यह चीन का बड़ा नगर और बंदरगाह है, जो यांग्सीक्यांग नदी के मुहाने के समीप एक अवारयुक्त कटान पर टाईहू झील से निकलने-वाली एक छोटी नदी, वांग्पु पर, यांग्सीक्यांग के मुहाने से २२ किमी० दक्षिण की ओर, समुद्रतट से ७२ किमी० भीतर की ओर स्थित है। चीन के तट के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। इसका पोताशय कम गहरा है, जिससे बड़े बड़े जलयानों को तट से दूर तंगर आना पड़ता है। बंदरगाह की पृष्ठभूमि उपजाऊ एवं बनी आबाद है, जिसके

कारण शंघाई चीन का मुख्य रूप से व्यापारिक एवं वाणिज्य नगर बन गया है। चीन के ६७% रेशम, ५०% चाय, कपास एवं धागे के पाउडर, चमड़े आदि का निर्यात यहीं से होता है। यहाँ से तंबाकू, तेल, आदि का आयात होता है। यहाँ रेशमी एवं सूती कपड़े, रसायनक, लोहा एवं इस्पात, साबुन, फार्मोफोन, सीमेंट, कागज आदि के उद्योग भी हैं। इसे चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इस नगर की जनसंख्या ६६,००,००० (१९६३) है। [ मु० च० भा० ]

**शंतनु** अथवा शंतनु कहे जानेवाले कुशवंशी राजा ने महाभारत युद्ध के चार पीढ़ियों पूर्व हस्तिनापुर में राज्य किया था। पुराणों ( विष्णु, चतुर्थ, २०, ८-१३; भागवत०, नवम, २२, ११-१३; मत्स्य०, ५०, ३८-४१, ब्रह्म० १३, ११४-१२१; वायु०, २३४-२३७ ) में उसे प्रतीप का द्वितीय पुत्र कहा गया है। उसके बड़े भाई देवापि के बचपन में ही वन चले जाने तथा कुष्ट होने के कारण ब्राह्मणों के नेतृत्व में जनता द्वारा उसके उत्तराधिकार का विरोध किए जाने के फलस्वरूप पिता ने उसका त्याग कर दिया था। फलतः शंतनु को राज्य मिला। शंतनु महाभयक था और जिसे भी अपने हाथों से मृदा देता था, उसके सभी शारीरिक रोग दूर हो जाते तथा उसे प्रत्येक प्रकार की शक्ति मिल जाती थी। इसी स्वर्णगुण ( शं + तनु ) के कारण उसका नाम शंतनु पड़ा। उसके समय में कौरवों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गंगा नामक उसकी पहली रानी से देवव्रत भीष्म पैदा हुए। उसने दूसरा विवाह एक नीच जाति की पुत्री ( दासेयी ) सत्यवती से किया, जिससे उसके बाद क्रमशः राज्याधिकारी होने-वाले विचित्रागद और विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुए।

सं० प्र० — पार्शीटर : ऐंसेट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशंस, पृष्ठ ६६, १६५-६ और २५२; पुसालकर और मजुमदार (संपादित) वैदिक एज, पृष्ठ २६५। [ वि० पा० ]

**शंवर** (१) विख्यात वैदिक तथा पौराणिक असुर। वैदिक शबर पर्वतनिवासी दास था जिसने 'वृत्र' की तरह आकाश में नब्बे, निस्थानबे या सौ दुर्गों का निर्माण किया था ( ऋ०, २-१४, १६ )। अपने को देवता मान लेने पर इंद्र ने महर्षियों और ऋषियुक्तियों की सहायता से तथा दिवोदास के अनुरोध पर इसका वध कर दिया एवं समस्त दुर्ग नष्ट कर डाले।

पुराणेतिहास ग्रंथों में यह कश्यप और वसु के पुत्रों में से एक था और दानव होते हुए भी परम ज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ था। वृत्रासुर से हुए युद्ध में इस देवपीडक असुर का वध भी इंद्र के हाथों हुआ।

(२) कश्यप वसुपुत्र एक अन्य दानव जो कंस का अनुयायी था। कृष्णपुत्र प्रद्युम्न के हाथों मारे जाने की आकाशवाणी सुनकर इसने उनको मारना चाहा। अंत में यह प्रद्युम्न के हाथों मारा गया ( महा० अनु०, १४-२८ )।

(३) इस नाम के अन्य अनेक दानवों में हिरण्यक का पुत्र, त्रिपुर नगरी का बलि पत्नीय असुर योद्धा आदि उल्लेखनीय हैं।

[ च० भा० पा० ]

**शंशुक, शंशुक** पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्रह्म जिसने देवत्व एवं स्वर्गप्राप्ति के लिये विष्णुपूजक के अंगभूत बंशक नामक वंश पर धीरे तप किया था। किंतु ब्रह्मवर्ष स्वाम कर तप करने से एक ब्राह्मणपुत्र की असामयिक हस्त्यु हो गई। अतः रामचंद्र ने उसका वध किया; तब ब्राह्मणपुत्र जीवित हो गया। ( मा० ब०, ३०, ७५; महा० ब० १४६-२२ )। [ ब० मा० पा० ]

**शंशुकजय** (क) सीधीर देश का राजकुमार था। महाभारत के युद्ध में यह जयद्रथ के रथ के पीछे पीछे हाथ में पताका लेकर चलता था। द्रौपदीहरण के समय पार्थ ने इसका वध कर डाला था।

(ख) धृतराष्ट्र के पुत्रों में से था जिसपर दुर्योधन ने भीष्म की रक्षा का भार सौंपा था। युद्ध में भीष्मसेन ने इसका वध किया। [ ब० मा० पा० ]

**शकटार** महानंद के दो मंत्री थे, एक शकटार ब्रह्म और दूसरा राजस ब्राह्मण। एक बार महानंद ने क्रुद्ध होकर शकटार को बंदीग्रह में डाल दिया। वह केवल दो सेर सत्तू उसके परिवार को देता जिससे एक एक करके उसके परिवार के सब लोग मर गए। शकटार भकेला रह गया। महानंद ने उसे राजस के नीचे मंत्री बना दिया। शकटार जैसे भी हो महानंद से बैर का बदला लेना चाहता था। दूकते दूकते उसे एक ब्राह्मण मिला जो कुष्ठ से पाँव कट जाने के कारण कुष्ठ की जड़ में मट्टा डालकर उसे नष्ट कर रहा था। शकटार इस ब्राह्मण को महानंद के महल में ले गया और वहाँ उसे श्राद्ध के आसन पर बैठा दिया। राजा ने उसे बाल पकड़वाकर वहाँ से निकलवा दिया। आगे चलकर यही ब्राह्मण कूटनीतिक विष्णुगुप्त चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। शकटार ने चाणक्य द्वारा महानंद और उसके पुत्रों की हत्या कराकर अपने बैर का बदला लिया। उसके बाद वह अपने पापों से संतप्त हो वन में चला गया और धनधान्य करके मर गया।

जैन परंपरा के अनुसार कल्पक वंश में उत्पन्न शकटार नवें नंद राजा का मंत्री था। उसके दो पुत्र थे, एक स्थूलभद्र और दूसरा श्रियक। नंद राजा की सभा में वरकचि नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो शकटार से द्वेष रखता था। उसने राजा से झूठी चुनली लगाकर शकटार के पुत्र श्रियक के हाथ से उसे मरवा दिया। तत्पश्चात् श्रियक को मंत्री का पद दिया गया, और स्थूलभद्र ने जैन दीक्षा ले ली। आगे जाकर यही स्थूलभद्र जैन धर्म के उद्धारक प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए। [ ज० ब० ज० ]

**शकरकंद** (*Ipomoea batatas*) कॉन्वोल्वुलेसी (*Convolvulaceae*) कुल का एकवर्षी पीषा है, पर यह अनुकूल परिस्थिति में बहुवर्षी सा व्यवहार कर सकता है। यह उष्ण अमरीका का देशज है। अमरीका से फिलिपीन होते हुए, यह चीन, जापान, मकाओशिया और भारत आया, जहाँ व्यापक रूप से तथा सभी अल्प उष्ण प्रदेशों में इसकी खेती होती है। यह ऊर्जा उत्पादक आहार है। इसमें अनेक विटामिन रहते हैं, विटामिन 'ए' और 'सी' की मात्रा सर्वाधिक है। इसमें आलू की अपेक्षा अधिक स्टार्च रहता है। यह उबालकर, या भ्राम में पकाकर, खाया जाता है। कच्चा भी खाया जा

सकता है। सूखे में यह आधान का स्थान ले सकता है। इससे स्टार्च और ऐल्कोहॉल भी तैयार होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इसकी खेती होती है। फलाहारियों का यह बहुमूल्य आहार है। इसका पीषा गरमी सहन कर सकता है, पर सुधार से पीषा मर जाता है।

शकरकंद सुखुई तथा अच्छी जोती हुई भूमि में अच्छा उपजता है। इसके लिये मिट्टी बसुई से बसुई दुमट तथा कम पोषक तत्ववाली अच्छी होती है। चारी और बहुत सख्त मिट्टी में इसकी उपज कम और जड़ें निम्नगुणीय होती हैं। शकरकंद की उपज के लिये भूमि की अम्लता विशेष बाधक नहीं है। यह पीएच ५.० से ६.० तक में पनप सकता है। इसकी उपज के लिये प्रति एकड़ लगभग ५० पाउंड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फ्रॉस्ट और पोटीश उर्वरक लाभप्रद होते हैं। पीषा बेल के रूप में उगता है। पौधों में कबाचित ही फूल और बीज लगते हैं।

शकरकंद का रोपण आषाढ़-सावन महीने में कलम द्वारा होता है। कलमें पिछले मौसम में कोई गई फसलों से प्राप्त की जाती हैं। ये लगभग १ फुट से १.२ फुट लंबी होती हैं। इनको २ से ३ फुट की दूरी पर मेड़ों पर रोपना चाहिए। हलकी बोझार के बाद रोपण करना अच्छा होता है। रोपण की साधारणतया तीन रीतियाँ प्रचलित हैं :

१. लगभग एक फुट लंबी कलमें, मेड़ों पर एक से डेढ़ फुट की दूरी पर, ५ से ६ इंच गहरी तथा ६०° का कोण बनाते हुए, दबा दी जाती हैं।

२. कलमें मेड़ों के ऊपर एक कतार में लिटा दी जाती हैं। फिर दोनों सिरों पर लगभग ४ इंच जुला छोड़कर, बाकी हिस्सा मिट्टी से ढँक दिया जाता है।

३. कलमें उपर्युक्त रीति से ही रोपित की जाती हैं, किंतु वे मेड़ों पर न होकर उसकी दोनों डाल पर होती हैं। यह रीति अन्य दो रीतियों से अधिक उपज देती है।

बरसात में बेल को सींचा नहीं जाता, पर बरसात के बाद हलकी भूमि को तीन या चार बार सींचा जाता है। जब तक भूमि बेलों से पूरी ढँक नहीं जाती, तब तक हलकी जुताई या अन्य रीतियों से बेल को खर पतवार से साफ रखना चाहिए। साधारणतया दो बार मिट्टी चढ़ाई जाती है। बेलों की छँटाई निश्चित रूप से हानिकारक है। चार से पाँच मास में फसल तैयार हो जाती है, फिर भी कंद को बड़े हो जाने पर काटा जाता है। परिपक्व हो जाने पर ही उपज अधिक होती है और शकरकंद अच्छे गुण का होता है। शकरकंद के परिपक्व हो जाने पर, उसका ऊपरी भाग हवा में जख्म सुख जाता है।

शकरकंद की तीन जातियाँ, पीली, श्वेत और लाल, ही साधारणतया उगाई जाती हैं। पीली जाति के नूदे में पानी का अंश कम रहता है और विटामिन 'ए' की मात्रा अधिक रहती है। श्वेत जातियों में जल की मात्रा अधिक रहती है। लाल जातियाँ साधारणतया सुरभुरी होती हैं, पर भूमि के दृष्टिकोण से अन्य जातियों से अधिक कार्बोहायरी या सहनशील होती हैं। कुछ नई जातियाँ

भी अनुसंधान द्वारा विकसित की गई हैं। एक भ्रमरीकी खाति इंडियन ऐग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली, से प्राप्त हो सकती है। औसत उपज १२०-१५० मन प्रति एकड़ है।

[ ५० रा० मे० ]

**शकुंतला** मेनका से उत्पन्न विद्वान्मित्र की कन्या जिसे कएव ने वन में पाया था। कएव ने इसे पाला पोसा और आश्रम में अपनी कन्या की भाँति रखा जिससे यह प्रायः उन्हीं की पुत्री समझी जाती है। दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेमकथा कालिदास के प्रसिद्ध नाटक में लिखी गई है। शकुंतला के ही पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। कालिदास के नाटक 'शकुंतला' का अनुवाद अंग्रेजी में प्रायः १०० वर्ष पूर्व हुआ। फिर तो इसके अनुवाद सभी यूरोपीय भाषाओं में प्रकाशित हुए और अनेक देशों में इसका सफल अभिनय भी किया गया।

[ २१० दि० ]

**शकुनि** नामक अनेक राजा अथवा राजकुमार प्राचीन भारतीय अनुश्रुति से ज्ञात होते हैं। १. ऐश्वकाकु वशी विकुलि के १५ पुत्रों में एक का नाम शकुनि था। २. मार्कंडेयपुराण के अनुसार दुःसह नामक राजा का भी शकुनि नामक एक पुत्र था। ३. विदेहराज्य के संस्थापक मिमि का भी इस नाम का एक वंशज था। उसके अनेक नामरूप — यथा शकुनि, सकुनि, अथवा सकुलि मिलते हैं। ४. एक अन्य शुकुनि या चंद्रवंशी राजा दशरथ का पुत्र और यदुपुत्र ऋष्यु का वंशज। उसकी स्थिति त्रेता युग में रखनी होगी। उसी के वंश में आगे चलकर मधु, भीम, अंबक, कुकुर, वृष्णि, उग्रसेन और कंस नामक राजा हुए। ५. पाँचवाँ शकुनि हुआ महाभारतकालीन दुर्योधनादि कीरवो का मामा; अनुश्रुति से वही सर्वाधिक ज्ञात और प्रसिद्ध है। अपने पिता सुबल के नाम से वह सोबल भी कहलाया। वह गांधार देश का राजा तथा गांधारी का भाई था। दुर्योधन के मंत्रों के रूप में उसने पांडवों से कपटयुद्ध छेड़ा था तथा उन्हें जुमा खेलने के लिये आमंत्रित कर उनके वनवास आदि का प्रेरक बना। इस प्रकार महाभारत युद्ध के कारणों में उसकी नीति भी उत्तरदायी थी। पांडवों ने जैसे कृष्ण पर भरोसा किया वैसे ही कौरवों ने शकुनि पर। उसकी कूटनीतिक बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। अंत में वह सहदेव के हाथों पुनः सहित मारा गया ( महाभारत, समा और शल्य पर्व )।

[ वि० पा० ]

**शक्ति और शक्तिसंचरण** ( Power and Power Transmission ) शक्ति शब्द का प्रयोग मानवनिर्मित ऊर्जा को जो यांत्रिक कार्य करने के लिये प्राप्य हो, सूचित करने के लिये किया जाता है। शक्ति के मुख्य स्रोत (source) हैं: मनुष्यों एवं जानवरों की पेशीय ऊर्जा (muscular energy), सरिता एवं वायु की गतिज ऊर्जा, उच्च सतहों पर स्थित जलाशय की स्थितिज ( potential ) ऊर्जा, लहरों एवं उबारभाटा की ऊर्जा, पृथ्वी एवं सूर्य की ऊष्म ऊर्जा, ईंधन को जलाने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा आदि। अतः जानवरों की शक्ति का उपयोग मानवीय सम्बन्धता का अग्रम कदम था। बाद में क्रमशः विभिन्न प्रकार की शक्तियों को उपयोग में लाने के लिये प्रयास किए जाते रहे। अजी भी यांत्रिक से

यांत्रिक शक्तियों को नियंत्रित करने में वैज्ञानिक व्यस्त हैं एवं प्रयत्न जारी है।

ऊपर लिखे गए शक्तिस्रोतों में वायु, लहर, एवं सूर्य द्वारा प्राप्त शक्तिवाँ अंतरायिक ( intermittent ) होती है और यही इन सब का सबसे बड़ा अवनयुण है, क्योंकि शक्ति की माँग यदि अंतरायिक ( continuous ) हो, तो इस प्रकार की शक्तियों को उपयोग में लाने के लिये इनके संग्रह की व्यवस्था करनी होगी। शक्ति संयंत्र (plant) के प्रकार एवं कीमत को ध्यान में रखते हुए, बड़े पैमाने (large scale) पर शक्तिजनन की व्यवस्था में वायु, लहर तथा सूर्य द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग लाभप्रद नहीं होता है। कुछ स्थानों में बड़े पैमाने पर शक्तिजनन के लिये उबारभाटा की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के संयंत्र के निर्माण में अत्यधिक व्यय होता है।

वैज्ञानिकों द्वारा 'शक्ति' शब्द का प्रयोग ऊर्जासंचरण की दर के लिये किया जाता है। सामान्य व्यवहार में शक्ति की ईकाई अश्वशक्ति है। फुट-पाउंड-सेकंड प्रणाली में एक अश्वशक्ति का अर्थ होता है, ५५० फुट-पाउंड-प्रति सेकंड की दर से संचरण, एवं मीट्रिक प्रणाली में एक मीट्रिक अश्वशक्ति का अर्थ होता है, ७५ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की दर से संचरण।

ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों को उपयोग में लाने के लिये अग्रिष्ठापन ( installation ) द्वारा संबंधित उपकरण तीन वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं: (१) मूल चालक, जिसकी सहायता से प्राकृतिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार के वर्ग में भाप इंजन, भाप टरबाइन, जल टरबाइन, गैस टरबाइन, गैस इंजन, तेल इंजन आदि आते हैं, (२) किसी भी प्रकार का यंत्र, जो मूल चालक द्वारा प्राप्त ऊर्जा से चलाया जाता हो। वस्तुतः इस वर्ग में वे सभी प्रकार के यंत्र, जैसे सभी मशीन औजार ( machine tools ), पंप ( pump ) यंत्र, लिफ्ट ( lift ), क्रैन ( crane ) आदि आते हैं, जिन्हें चलाने के लिये अश्वशक्ति मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा (३) वे उपकरण, जिनकी सहायता से मूल चालक द्वारा प्राप्त ऊर्जा यंत्रों को प्रेषित की जाती है।

प्रायः मूल चालक उन स्थानों में, जहाँ ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रा में प्राप्य हों, स्थापित किया जाता है, जैसे जलप्रपात के निकट या कोयले की खानों के क्षेत्र में। जलप्रपात या प्राकृतिक जल के स्रोत, जैसे नदी, झील आदि के निकट द्रवचालित (hydraulic) शक्ति संयंत्र की, जिसमें जल की ऊर्जा जल टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, स्थापना की जाती है। दामोदर बाड़ी योजना के अंतर्गत इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना, बिहार राज्य के बनबाद जिले में माइयान एवं पंचेत, और हजारीबाग जिला में तिलैया नामक स्थानों पर की गई है। इस प्रकार के संयंत्र भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जैसे भाखरा नंगल, हीराकुड, पुंगभन्ना, रिहंद आदि। कोयले की खानवाले क्षेत्रों में कोयले द्वारा प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को, ऊष्मीय शक्तिसंचय में भाप टरबाइन, या भाप इंजन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिये कोयले को जलाकर

भाषित्र ( boiler ) में भाप तैयार की जाती है और इस भाप का उपयोग मूल चालक, जैसे भाप टरबाइन या भाप इंजन को चलाने के लिये किया जाता है। इस तरह के ऊष्मीय शक्तिसंयंत्र कोकारो (बिहार राज्य) एवं दुर्गापुर ( पश्चिम बंगाल ) में हैं। उपयुक्त प्रकार के द्रवचालित एवं ऊष्मीय शक्तिसंयंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा विपुल परिमाण में बहुत दूरी पर स्थित कल कारखानों आदि में संचारित की जाती है। इस तरह के शक्तिसंचरण की अवस्था में शक्तिवितरण के तरीके एवं उपकरण अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मूल चालक से उन स्थानों की दूरी, जहाँ यंत्रों द्वारा ऊर्जा का उपयोग होता है, वितरण की दक्षता पर निर्भर करती है।

कुछ कारखानों में मूल चालक द्वारा प्राप्त ऊर्जा निकटवर्ती यंत्रों में ही संचारित की जाती है। इस अवस्था में तेल द्वारा चालित मूल चालक, जैसे तेल इंजन, का प्रयोग अधिक होता है। इसमें संचरणयंत्र का अधिक महत्व रहता है, क्योंकि संचरण की दक्षता पूरे संयंत्र की दक्षता को प्रभावित करती है। कभी कभी मूल चालक को यंत्र से इस तरह जोड़ दिया जाता है कि संचरण उपकरण सुगमतापूर्वक मूल चालक, या यंत्र से अलग नहीं किया जा सकता। इस वर्ग में रेड इंजन आदि आते हैं।

शक्तिसंचरण के विभिन्न तरीके हैं : (१) यांत्रिक तरीके, (२) द्रवचालित तरीके, (३) वैद्युत तरीके तथा (४) वाति प्रणाली।

शक्तिसंचरण के यांत्रिक तरीके — शक्ति का यांत्रिक संचरण पट्टे (belt) या रज्जु (rope) की सहायता से शाफ्ट (shaft) द्वारा, घयवा यंत्रिक (wheel gearing) और जंजीर (chain) की सहायता से होता है। परिस्थिति के अनुसार शक्ति को संचारित करने के लिये ये तरीके अलग अलग, या एक दूसरे के साथ, व्यवहृत किए जाते हैं। मूल चालक के अनुसार शक्तिसंचरण के यांत्रिक उपकरणों का अधिकल्प एवं निर्माण किया जाता है।

मूल चालक के गतिपाशक चक्र ( flywheel ) पर लगे हुए पट्टे द्वारा, शक्ति को रेखा शाफ्ट ( line shaft ) में संचारित किया जाता है। रेखा शाफ्ट पर अधिकल्प के अनुसार चिरनियों ( pulleys ) लगी रहती हैं। उन चिरनियों पर लगे हुए पट्टे द्वारा शक्ति को रेखाशाफ्ट से विभिन्न यंत्रों में संचारित किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में सबसे बड़ा अवयव यह है कि किसी भी कारणवश रेखाशाफ्ट का चलना बंद होते ही सभी यंत्र, जिन्हें रेखाशाफ्ट से शक्ति संचारित की जाती है, बेकार हो जाते हैं।

इस प्रकार के शक्तिसंचरण का मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिये इंजन के क्रैंक शाफ्ट को संचरण का प्रारंभ बिंदु एवं यंत्र के प्रथम गतिमान शाफ्ट को संचरण का अंतिम बिंदु मान लिया जाता है। यह अनुमान विशिष्ट यंत्र के लिये उपयुक्त है। मान लिया कि इंजन की गति N परिक्रमण ( revolutions ) प्रति मिनट है। इस गति पर चलते हुए इंजन क्रैंकशाफ्ट पर लगातार बल आघूर्ण ( torque ) डालता रहता है। मान लिया कि बल आघूर्ण की मात्रा T किलोग्राम प्रति मीटर है। इस अवस्था में इंजन की कोणीय ( angular ) गति  $\omega$ , का मूल्य होगा  $2\pi N/60$ । यहाँ

$\omega$  की ईकाई रेडियन प्रति सेकंड है। अतः इंजन क्रैंक शाफ्ट द्वारा किए गए कार्य की दर  $T\omega$  किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात् क्रैंक शाफ्ट द्वारा  $T\omega/75$  मैट्रिक अश्वशक्ति प्राप्त होती है। सुविधा के लिये मान लिया, क्रैंक शाफ्ट से प्राप्त संपूर्ण शक्ति एक ही यंत्र को संचरित होती है। मान लिया, उस यंत्र पर डाला जानेवाला बल आघूर्ण  $T_2$  किलोग्राम प्रति मीटर है और  $\omega_2$  रेडियन प्रति सेकंड यंत्र की कोणीय गति है, तब उस यंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा की दर होगी  $T_2\omega_2$  किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अर्थात् एवं अन्य अवरोधों को अभिभूत (overcome) करने के लिये ऊर्जा का कुछ अंश संचरणयंत्र द्वारा अवशोषित (absorbed) होता है। यदि ऐसा नहीं हो, तो यंत्र द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर मूल चालक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की दर के समतुल्य होगी। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, इसलिये वास्तव में  $T_2\omega_2$  का मूल्य  $T\omega$  के मूल्य से अवश्य कम होगा। यदि संचरण की दक्षता  $\eta$  हो तो  $T_2\omega_2 = \eta(T\omega)$  होगा।

अब हम संचरण के विभिन्न अंशों का अध्ययन करेंगे :

शाफ्ट — जब एक शाफ्ट मूल चालक से किसी यंत्र को शक्ति संचरित करता है, तो इसके प्रत्येक अनुभाग ( section ) को बलआघूर्ण का सामना करना पड़ता है। यदि बलआघूर्ण की मात्रा T किलोग्राम प्रति मीटर हो तथा शाफ्ट  $\omega$  रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय गति से घूम रहा हो, तो संचरण की दर  $T\omega$  किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगी। शाफ्ट का डिजाइन बनाते समय, उसके आकार एवं परिमाण का पता लगाना होता है। इस संबंध में यह ध्यान दिया जाता है कि बलआघूर्ण द्वारा उत्पन्न प्रतिबल एक विशिष्ट सीमा के अंदर ही रहे। शाफ्ट का डिजाइन कभी कभी इस आधार पर भी किया जाता है कि शाफ्ट के अक्ष से लंबकोणीय स्थित दो अनुभागों के आपेक्षिक कोणीय विस्थापन ( displacement ) का मान एक विशिष्ट कोण से कम ही रहे। स्थिति के अनुसार डिजाइन के लिये प्रथम या द्वितीय विधि का चुनाव किया जाता है। प्रथम डिजाइन विधि में निम्नलिखित समीकरण व्यवहृत होता है :

$$D^3 = \frac{16 T}{\pi f}$$

जहाँ D ठोस गोलाकार शाफ्ट का व्यास, T बलआघूर्ण एवं f अधिकतम अपरूपक प्रतिबल ( shear stress ) है।

द्वितीय विधि में व्यवहृत समीकरण निम्नलिखित है :

$$D^4 = \frac{32 T l}{\pi G \theta}$$

जहाँ l दो अनुभागों के बीच की दूरी, G रूढ़ता मापाक ( modulus of rigidity ) है एवं  $\theta$  दोनों अनुभागों के बीच आपेक्षिक कोणीय विस्थापन है।

इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपर्युक्त दोनों समीकरण केवल ठोस गोलाकार शाफ्ट एवं एकसमान (uniform) बलआघूर्ण के लिये ही उपयुक्त हैं। खोलले गोलाकार शाफ्ट के लिये उपर्युक्त दो समीकरणों के स्थान पर निम्नलिखित समीकरण व्यवहार में लाए जाते हैं :


$$T = \frac{\pi f (D^4 - d^4)}{16 D} \text{ एवं } T = \frac{\pi G \theta (D^4 - d^4)}{32 l}$$

जहाँ D, d कोशले गोलाकार शैफ्ट के क्रमशः बाह्य एवं अंदर के व्यास हैं।

अन्य आकारवाले शैफ्ट के लिये ऊपर बताए गए समीकरण व्यवहार में नहीं लाए जा सकते हैं। विभिन्न आकारवाले शैफ्ट के लिये विभिन्न समीकरण निगमित (deduced) किए जाते हैं और उनका प्रयोग डिजाइन बनाने के लिये किया जाता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, साधारणतः यह अनुमान कर लिया जाता है कि मरोड़ एक समान होगा, किंतु वस्तुतः मरोड़ का मान सर्वदा परिवर्तित होता रहता है, यह एक समान नहीं रह पाता है। परिवर्तित अवस्थाओं के लिये अपरूपक प्रतिबल का मान उसी के अनुसार चुना जाता है। इन विषयताओं के अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है कि किसी भी शैफ्ट को केवल मरोड़ का ही सामना नहीं करना पड़ता है, बरन् मरोड़ के साथ ही साथ बंकन आघूर्ण (bending moment) का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह वास्तव में शैफ्ट का डिजाइन बनाना उतना सरल नहीं है जितना लगता है। शैफ्ट का डिजाइन बनाते समय, इन सारी विषयताओं को ध्यान में रखना पड़ता है एवं अवस्थानुसार उसके परिमाण का मान ज्ञात करना होता है।

कभी कभी एक ही शैफ्ट से विभिन्न यंत्रों को शक्ति प्रेषित की जाती है। ऐसे यंत्रों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाता है एवं ये सारे यंत्र शैफ्ट के विभिन्न भागों से शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्तिसंचरण की इस अवस्था में स्वभावतः मूल चालक के निकटतम शैफ्ट के भाग को संपूर्ण शक्ति संचारित करनी होती है एवं ज्यों ज्यों अन्य यंत्र शैफ्ट के विभिन्न भागों से शक्ति प्राप्त करते जाते हैं, त्यों त्यों शैफ्ट द्वारा संचरित शक्ति कम होती जाती है। इसलिये मूल चालक के निकटतम शैफ्ट के भाग की शक्ति का परिमाण अधिकतम होगा और शैफ्ट के विभिन्न भागों की दूरी के अनुसार शक्ति का परिमाण भी कम होता जायगा।

दंति या गियर चक्र — एक शैफ्ट से दूसरे शैफ्ट को शक्ति संचारण करने के लिये दंतचक्र (चित्र १.) का व्यवहार होता है। दो शैफ्ट




(दंतचक्र द्वारा शक्ति संचरण)

चित्र १.

समांतर अवस्था में रखे जाते हैं, या एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके रहते हैं। प्रथम अवस्थावाले चक्र स्पर गियर (spur gear) तथा

दूसरी अवस्थावाले चक्र बेवेल गियर (Bevel gear) कहाते हैं। गियर का डिजाइन बहुधा स्थिर गति अनुपात के लिये किया जाता है, किंतु कभी कभी विशिष्ट यंत्रों के लिये परिवर्ती गति के अनुमान के आधार पर भी गियर का डिजाइन बनाना होता है। शैफ्ट की तरह दंतचक्र का परिमाण भी बलआघूर्ण पर निर्भर करता है। शक्तिसंचरण के लिये दंतचक्र का व्यवहार इन स्थानों में किया जाता है, जैसे जहाज में स्थित, उच्चगति भाप टरबाइन से निम्न गति प्रणोदक में शक्तिसंचरित करने में तथा मोटर गाड़ी में व्यवहृत गियर बॉक्स (gear box) आदि में। दंतचक्र का निर्माण करते समय विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतराल की एक समानता अत्यधिक शुद्धता से प्राप्त हो। यदि अंतराल एक समान न हो, तो दंतचक्रों द्वारा उच्च गति पर अत्यधिक कोलाहल होगा, जो अवांछनीय है। अतः प्राथमिक प्रविधि में दंतचक्रों को कठोर बनाकर सूक्ष्म पेषणचककी (grinder) द्वारा यथार्थ अंतराल और आकार में पेषित किया जाता है।

पट्टा — शक्तिसंचरण में साधारणतया यह भी व्यवहार में लाया जाता है। इसके लिये दो धिरनियों पर पट्टे को चढ़ाया जाता है। जब धिरनी एक समान गति पर घूमती है, तब एक धिरनी से दूसरी धिरनी में शक्ति संचरित होती रहती है। इस अवस्था में पट्टा एक तरफ कड़ा रहता है और दूसरी तरफ ढीला, किंतु दोनों तरफ तनाव की ही स्थिति रहती है। यदि  $T_1$  और  $T_2$  क्रमशः पट्टे के कड़े एवं ढीले भाग का तनाव बल हो (चित्र २.),  $\theta$  रेडियन में स्पर्श का चाप




पट्टक द्वारा शक्ति संचरण

चित्र २.

और  $\mu$  पट्टे एवं धिरनी का घर्षण गुणांक हो, तो  $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$  होता है। पट्टे का डिजाइन बनाते समय इस समीकरण का सर्वप्रथम उपयोग कर, अधिकतम तनाव बल  $T_1$  का मान ज्ञात किया जाता है। फिर दिए गए अश्वशक्ति को दी हुई गति पर प्रेषित करने के लिये पट्टे के आकार और परिमाण का डिजाइन बनाया जाता है।

श्रृंखला या अंजीर — शक्ति का संचरण करनेवाले यंत्रों में श्रृंखला का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य गुण ये हैं : (१) अत्यंत उच्च दक्षता, (२) उच्च गति की प्राप्ति, (३) उत्क्रमणीयता (reversibility), (४) विस्तृत शक्तिप्रेषण सीमा, (५) सर्पण (Slip) का कम भय तथा (६) कठमा या क्षीत से

प्रभावित नहीं होना। विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएँ, जो व्यवहार में आती हैं, उनमें से मुख्य वे हैं : (१) विद्योक्त, प्राचातवर्धनीय लौह



चित्र ३.

(detachable malleable iron) श्रृंखला — इस प्रकार की श्रृंखला प्राचातवर्धनीय लोहे की कड़ियों को जोड़कर बनाई जाती है। इसका डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि संयोजन (assembly) में सुविधा हो। इस प्रकार की श्रृंखला का व्यवहार अधिकतर ४०० घूर्ण प्रति मिनट एवं गति अनुपात ५ और १ की अवस्था में होता है, (२) इस्पात रोलर (roller) श्रृंखला — प्रथम प्रकार की श्रृंखला निम्नगति के योग्य है। प्राधुनिक युग उच्च गति का युग है। इसलिये उच्च गति पर शक्ति प्रेषित करने के लिये इस्पात की श्रृंखला बनाई गई। इस प्रकार की श्रृंखला हल्की बनावट की होती है एवं इसमें अंतराल बहुत यथासं रखा जाता है। इसके निर्माण में मध्यम-कार्बन-ऊष्मा-वेत्नित इस्पात का उपयोग किया जाता है। यह श्रृंखला ७०० घूर्ण प्रति मिनट एवं ५ गति अनुपात तक की अवस्था में व्यवहृत होती है, (३) नीरव (silent) श्रृंखला — शक्तिप्रेषण के लिये निम्न श्रृंखलाओं में इसका स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च शक्ति को उच्च गति पर प्रेषित करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कड़ियों का डिजाइन और निर्माण अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं विविध विधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की श्रृंखला का व्यवहार मुख्यतः १,२०० से १,५०० घूर्ण प्रति मिनट एवं १५ गति अनुपात के लिये किया जाता है।

रज्जु — बहुत पहले शक्तिप्रेषण के लिये रज्जु का व्यवहार भी किया जाता था। धिरनी की परिमा (rim) पर बनाए गए खाँचे (groove) पर रज्जु को ढपेटकर उसके द्वारा शक्ति प्रेषित की जाती है। चूँकि रज्जु पट्टे की तुलना में कम नम्य (flexible) है, इसलिये यह ध्यान देना चाहिए कि रज्जु के व्यास की अपेक्षा कम व्यासवाली धिरनी से रज्जु द्वारा शक्ति प्रेषित की जाए। पट्टे की तुलना में रज्जु का क्रियाशील प्रतिबल बहुत ही कम होता है, किंतु तनाव बल का अनुपात अत्यधिक होता है।

प्राधुनिक शक्तिप्रेषण की यांत्रिक विधि — विज्ञान के कारण प्राधुनिक युग में अल्प शक्तिवाले मूल चालक का, जिसके निर्माण

में कम खर्च की आवश्यकता होती है, निर्माण हो रहा है, किंतु इस मूल चालक की दक्षता अधिक होती है। इसके साथ ही साथ यांत्रिक शक्तिप्रेषण के यंत्रों में सुधार हो रहा है। प्राधुनिक यांत्रिक शक्तिप्रेषण की विधियों में ये विधियाँ प्रमुख हैं :

(१) प्रत्यक्ष मोटर युग्मित संबंध (Direct motor couple connection) — इसमें मोटर और शक्ति प्राप्त करने वाला शीप्ट एक दूसरे से युग्मन (coupling) द्वारा संबंधित रहते हैं। यह युग्मन बहुधा नम्य प्रकार का होता है। इस तरह का संबंध संक्षिप्त (compact) रहता है तथा इस युग्मन का उपयोग प्राधुनिक यंत्रों को चलाने के लिये किया जाता है; (२) प्रत्यक्ष मोटर पट्टे संबंध — इसमें मोटर और शक्ति प्राप्त करनेवाले शीप्ट के बीच पट्टा लगा रहता है। इसका व्यवहार विभिन्न यांत्रिक उपकरणों को चलाने में किया जाता है। कभी कभी पट्टे के स्थान पर श्रृंखला का भी उपयोग किया जाता है; (३) पट्टा और रेखा शीप्ट — इस विधि का विवरण ऊपर दिया जा चुका है; (४) गियर न्यूनीकरण प्रणाली (Gear reduction system) — विद्युत् मोटर बहुधा उच्च गति पर ही चलता है, किंतु यंत्रों के शक्ति प्राप्त करनेवाले शीप्ट को निम्न गति पर ही कार्य करना होता है। स्वभावतः मोटर और शीप्ट का प्रत्यक्ष संबंध कर देने से शीप्ट भी उसी उच्च गति पर चलना प्रारंभ करेगा। इसलिये शक्ति को मोटर से शीप्ट में प्रेषित करने के लिये गति के न्यूनीकरण की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है और यह कार्य यंत्रित न्यूनीकरण प्रणाली द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रणाली द्वारा ५० और १ के अनुपात एवं कभी कभी तो १०० और १ के अनुपात में भी शक्ति का न्यूनीकरण हो सकता है; (५) बहु संयुक्त रज्जु प्रणाली (Multiple fabric rope system) — इस प्रणाली का प्रचार हाल में प्रारंभ हुआ है। रज्जु अंग्रेजी अक्षर वी (V) के आकार के बने होते हैं और चक्रों की परिमा पर बनाए गए वी (V) आकार के खाँचे पर कार्य करते हैं। यह प्रणाली किसी भी प्रकार के यंत्र के प्रत्यक्ष चालन में व्यवहृत होने के योग्य है तथा (६) परिवर्ती गति संबंध — विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रविधियों में इस तरह के संबंध का उपयोग किया जाता है। इसमें गति का परिवर्तन सुगमतापूर्वक एवं बिना किसी बाधा के ही संपन्न हो जाता है।


कभी कभी स्थान के अभाव में ऊपर बताई गई प्रणालियों में से कुछ के संयोग का व्यवहार किया जाता है। प्राधुनिक विधियों में संक्षिप्त का होना अधिक महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इन विधियों द्वारा अधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है और संपूर्ण व्यय भी कम ही होता है।

शक्तिप्रेषण के द्रवचालित तरीके — शक्तिप्रेषण की विधियों में द्रवचालित प्रणाली सबसे प्राधुनिक है। द्रवचालित प्रणाली में शक्ति एक तरल की सहायता से प्रेषित की जाती है। यह तरल बहुधा तैल होता है, किंतु कभी कभी जल का भी व्यवहार किया जाता है। द्रवचालित प्रणाली को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है : द्रवचालित स्थितिज प्रणाली और द्रवचालित गतिज प्रणाली। द्रवचालित स्थितिज प्रणाली



में तरल का मुख्य कार्य दाब की सहायता से शक्ति को प्रेषित करना है। इस प्रणाली के मुख्य अंग हैं : पंप करने का यंत्र, द्रवचालित मोटर, और दो मुख्य अंगों को मिलाने के लिये उपकरण। चूंकि पंप करने का यंत्र तरल दाब को प्रेषित करता है, इसलिये यंत्र को प्रेषी कहते हैं। द्रवचालित मोटर तरल दाब की सहायता से शक्ति प्राप्त करता है, इसलिये मोटर को प्राप्ति (receiver) कहा जाता है। इस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण है, द्रवचालित संपीडक (Hydraulic Press)। इसमें पंप करने का यंत्र प्रेषी है और द्रवचालित संपीडक प्राप्ति। पंप द्वारा किए गए कार्य का उपयोग बल के विरुद्ध तेल को विस्थापित करने के लिये किया जाता है। द्रवचालित संपीडक-पिस्टन (piston) की गति से उत्पन्न अवरोध से बल की उत्पत्ति होती है। द्रवचालित गतिज प्रणाली में, क्रियाशील तरल के प्रवाह की गति के परिवर्तन की सहायता से शक्ति प्रेषित की जाती है। इसमें दाब के परिवर्तन को यथासाध्य कम करने का प्रयास किया जाता है। द्रवचालित गतिज प्रेषी के मुख्य अंग हैं : चालक शीप्ट पर स्थित अपकेंद्री पंप प्रणोदक और चालित शीप्ट पर स्थित तेल टरबाइन रोटर (rotar)। पंप प्रणोदक और टरबाइन रोटर के बीच तेल के परिवहन से शक्ति चालक शीप्ट से चालित शीप्ट को प्रेषित होती है। इस प्रकार की प्रणाली के उदाहरण हैं : द्रवचालित युग्मन (Hydraulic Coupling), द्रवचालित बलप्रापूर्ण परिवर्तक (Hydraulic Torque Converter) प्रादि।

आजकल शक्तिप्रेषण के द्रवचालित तरीके का उपयोग यंत्र को चलाने में अधिक हो रहा है। तरल की दाब की सहायता से प्राधुनिक यंत्रों में विभिन्न प्रकार की गतियों को प्राप्त किया जाता है। एक या एक से अधिक पंप के द्वारा तेल उच्च दाब पर भेजा जाता है। हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। यंत्र में शक्ति-प्रेषण के लिये इस विधि के उपयोग से ये लाभ होते हैं। [१] गति एक समान रूप से और धीरे धीरे परिवर्तित की जा सकती है, [२] विस्तृत गतिसीमा प्राप्त होती है, [३] यांत्रिक प्रेषण द्वारा युक्त




द्रवचालित बलप्रापूर्ण परिवर्तक

चित्र ४.

यंत्र की तुलना में इस विधि से चलनेवाला यंत्र ५०% अधिक टिकाऊ होता है, [४] गति की उत्कृष्टता शीघ्र एवं आघातहीन

रूप में प्राप्त की जा सकती है तथा (५) इस विधि से चलनेवाले यंत्र की डिजाइन और निर्माणविधि आसान होती है। प्राधुनिक युग में व्यवहृत प्रायः सभी यंत्रों एवं उपकरणों में शक्तिप्रेषण की इस विधि का प्रयोग हो रहा है। शक्तिप्रेषण की द्रवचालित स्वैतिक प्रणाली का उपयोग इसके अलावा निम्नलिखित यंत्रों में भी होता है : द्रवचालित दाबक, द्रवचालित फ्रेन, द्रवचालित लिफ्ट (Hydraulic Lift) प्रादि। कृषि संबंधी यंत्रों, जैसे ट्रैक्टर प्रादि में भी शक्ति-प्रेषण के द्रवचालित तरीके का उपयोग होता है।

द्रवचालित गतिज प्रणाली के आधार पर शक्तिप्रेषण के लिये निर्मित, द्रवचालित युग्मन में चालक शीप्ट और चालित शीप्ट में कोई यांत्रिक संबंध नहीं रहता है। इस तरह के यंत्र में आघात और कंपन नहीं होता है। द्रवचालित युग्मन में शक्ति को प्रेषित करते समय चालक और चालित शीप्ट पर समान बलप्रापूर्ण कार्य करता है, किंतु द्रवचालित बलप्रापूर्ण परिवर्तक शक्ति प्रेषित करते समय बलप्रापूर्ण की वृद्धि करता है। द्रवचालित युग्मन का उपयोग



द्रवचालित युग्मन

चित्र ५.

रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों में अंतर्दहन इंजन से गतिपाल चक्र को शक्ति प्रेषित करने में किया जाता है। डीजल इंजन चालित युद्धयान में बड़े आकार के द्रवचालित युग्मन का प्रयोग होता है। १ अश्वशक्ति से लेकर ३३,००० अश्वशक्ति तक के द्रवचालित युग्मन का निर्माण हो चुका है। द्रवचालित युग्मन और बलप्रापूर्ण परिवर्तक के अनुसंधान के बाद प्राधुनिक मोटर गाड़ियों में शक्तिप्रेषण के पुराने प्रकार के उपकरण जैसे हतिघान प्रादि, का व्यवहार कम हो होने लगा है। इस तरह शक्तिप्रेषण के द्रवचालित तरीके की उपयोगिता बहुत ही बढ़ गई है और अभी भी निरंतर नई नई खोजें हो रही हैं, ताकि इस प्रणाली का कार्यक्षेत्र और भी विस्तृत हो जाय।

वैद्युत युक्ति — शक्तिप्रेषण की वैद्युत युक्ति पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। सतत परिवर्ती वैद्युत शक्ति का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। अवरोध को अंतरास्थापित करके, बल के ह्रास की प्राप्ति की युक्तियाँ वस्तुतः परिवर्ती प्रेषण नहीं कही जा सकती हैं। शक्तिप्रेषण की वैद्युत युक्तियों का उपयोग वैद्युत रेलगाड़ियों में अधिक होता है। अंतर्दहन इंजन के डायनेमो

(dynamo) के लिये मूलचालक के रूप में व्यवहृत कर विद्युत उत्पन्न की जाती है और बच्चों को घुमाने के लिये खास डिजाइन किए हुए बंदि को वैद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है।

**गैसप्रवाही** — गैस परिवर्ती प्रेरण को उपयोग में लाने के लिये अनेकानेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस विधि का मुख्य उपयोग रेलगाड़ियों में अधिक होता है। अभी भी इस क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, क्योंकि इन विधियों की यत्नता बहुत ही कम है। भाषा की भाँती है, निकट भविष्य में अन्वेषक गण अपने प्रयोग में सफल हो सकेंगे और इस प्रणाली की उपयोगिता अन्य क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़ जाएगी। [च० भू० सि०]

**शची** इंद्र की पत्नी जो पुनीमा की कन्या थी। द्रौपदी इन्हीं के वंश से उत्पन्न हुई थीं और ये स्वर्ग प्रकृति की अन्यतम कला से जन्मी थीं। जयंत शची के ही पुत्र थे।

ब्रह्महत्या के भय से एक बार जब इंद्र जलगर्भ में छिपे हुए थे तो देवताओं ने नहुष को इंद्रपद दे दिया। नहुष ने शची पर कुटुम्ब की तो बृहस्पति की आज्ञा से उन्होंने भुवनेश्वरी की आराधना की और उनसे अभय प्राप्त किया। फिर शची ने मानससरोवर जाकर छिपे हुए इंद्र से अपनी सारी कथा कही। इंद्र की सलाह से शचीने नहुष से कहलाया 'यदि सप्तर्षियों के कंधे पर रखी पालकी में बैठकर भावें तो मैं तुम्हारे साथ चलींगी।' नहुष ने ऐसा ही किया। ऋषियों को बीरे बीरे चलते देखकर उसने आदेश दिया 'सर्प सर्प' (जल्दी चलो) अततोगत्वा ऋषियों के शाय से नहुष को सर्प हो जाना पड़ा।

अपने विवाह के पूर्व शची ने शंकर से सुंदर पति, स्वेच्छामत रूप तथा सुख एवं भाग्य का वरदान माँगा था। ऋग्वेद में शचीरचित कुछ सूक्त हैं जिनमें सपत्नी का नाम करने के लिये प्रार्थना की गई है (ऋ०, १०-१५६)। कुछ विद्वानों के मत से सूक्त बहुत बाद की रचनाएँ हैं। [रा० द्वि०]

**शतरूपा** स्वामंभुव मनु की स्त्रा जिनका जन्म ब्रह्मा के वामांग से हुआ था (ब्रह्मांड० २-१-५७)। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि सात पुत्र और तीन कन्याएँ उत्पन्न हुईं। नरमानस पुत्रों के बाद ब्रह्मा ने शंभु नाम की एक कन्या उत्पन्न की जिसके शतरूपा, सरस्वती आदि नाम भी थे। मत्स्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा से इसे स्वामंभुव मनु, मारीच आदि सात पुत्र हुए (मत्स्य० ४-२४-३०) हरिहरपुराणानुसार शतरूपा ने चोर तपस्या करके स्वामंभुव मनु को पति रूप में प्राप्त किया था और इनसे वीर नामक एक पुत्र हुआ।

मार्कंडेयपुराण में शतरूपा के दो पुत्रों के अतिरिक्त ऋद्धि तथा प्रसूति नाम की दो कन्याओं का भी उल्लेख है। कहीं कहीं एक और तीसरी कन्या देवहृति का भी नाम मिलता है। शिव तथा वायुपुराणों में दो कन्याओं प्रसूति एवं आकृति का नाम है। वायु-पुराण के अनुसार ब्रह्मा शरीर के दो वंश हुए थे जिनमें से एक से शतरूपा हुई थीं। देवीभागवत आदि में शतरूपा की कथाएँ कुछ भिन्न ही हुई हैं। [रा० द्वि०]

**शत्रुघ्न** लक्ष्मण के छोटे भाई और सुमित्रा के पुत्र। इन्होंने लक्ष्मण राक्षस का वध किया तथा मधुपुरी या मथुरा की स्थापना की थी। राम के अश्वमेध अश्व के संरक्षक रूप में शत्रुघ्न ने अनेक युद्धों में विजय की। राम भरत के साथ ये भी 'गोप्रतारतीय' में जाकर वैष्णव तंत्र में विलीन हुए।

शत्रुघ्न नाम के अन्य पौराणिक व्यक्तियों में स्वफल्क, अक्षुर और भंगकार के पुत्र तथा लंका का एक राक्षस भी था। देवाश्रवा के पुत्र का भी यही नाम था। [रा० द्वि०]

**शनि** ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में छठा ग्रह है। ज्योतिर्विद १७८१ ई० तक इसे सूर्य से सबसे दूर पर स्थित, अंतिम ग्रह मानते थे। यह सूर्य से लगभग ८८ करोड़ मील दूर स्थित है।

अत्यधिक दूर होने पर भी इसे बिना दूरदर्शी की सहायता के देखा जा सकता है। वास्तव में यह आकाश में प्रथम कांतिमान के तारे से भी अधिक कांतिसमय वस्तु है। इसकी वांति का कारण इसकी विशालता है, जो केवल बृहस्पति से कम है। शनि का व्यास ७२,००० मील है। पृथ्वी से ७०० गुनी बड़ी वस्तु शनि में समा सकती है। आकार में बहुत विशाल होने पर भी यह उमी अनुपात में संपुंजित (massive) नहीं है। यह पृथ्वी से केवल लगभग ६५ गुना भारी है। शनिग्रह का घनत्व अन्य सभी ग्रहों से कम है। यदि इसके तैरने के लिये पर्याप्त पानी मिल सके, तो यह उसपर आसानी से तैर सकता है। इसके घनत्व की कमी शायद यह संकेत करती है कि शनिग्रह का एक छोटा ठोस कोर (core) है, जिसके चारों ओर बहुत गंभीर वायुमंडल का आवरण है।

स्पेक्ट्रम प्रेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन हैं, जिनमें प्रचानता मेथेन की है।

शनिग्रह का ताप—१५° से० है। शनिग्रह के ताप और उसके वायुमंडल की संरचना से स्पष्ट है कि शनि की सतह पर वैसा जीवन संभव नहीं है जैसा हम पृथ्वी पर पाते हैं।


ग्रह होने के कारण यह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। कक्षा का दीर्घवृत्त लगभग वृत्त है। लगभग ६ मील प्रति सेकंड के वेग से यह लगभग २६.३ वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते हुए, यह अपने अक्ष पर लगभग १०३ घंटे के घूर्णनकाल में घूर्णन भी करता है।

शनि के नौ उपग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा टाइटन है, जिसका व्यास ३,५५० मील है। ज्योतिर्विदों को इससे बड़े उपग्रह की जानकारी नहीं है। यह उपग्रह बुधग्रह से भी बड़ा है।

शनि की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वलयपद्धति है, जिसके कारण इसे ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण स्थान प्राप्त है। ग्रह के विषुवत समतल में, ग्रह की सतह के हजारों मील ऊपर से शुरू होनेवाली कमिक व्यवस्था में, अंतरपूर्वक या बिना अंतर के, कम से कम तीन एककेंद्रीय वलय हैं। वलयपद्धति का व्यापक बाह्य व्यास लगभग १,७०,००० मील है। किंतु मोटाई बहुत कम है, १० मील से शायद ही कुछ अधिक हो। ये वलय अत्यंत पतले हैं। अतः ये जब

किनारे की धोर से हमारे सामने पड़ते हैं, तो इन्हें हम शक्तिशाली दूरदर्शी की सहायता से एक सूक्ष्म रेखा के रूप में देख पाते हैं।

अनेक सैद्धांतिक और प्रेक्षणात्मक अध्ययनों से यह निश्चयपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है कि ये काल्य ग्रहसंख्य छोटे छोटे पिण्डों से, जो



शनि और उसके काल्य

ये काल्य शनि के परिक्रमणी छोटे छोटे पिण्डों से बने हैं। चित्र में दिखाया गया है कि विभिन्न वर्षों में ये काल्य पृथ्वी से कैसे, कभी चौड़े कभी सिकरे, दिखाई पड़ते हैं।

उपग्रहों के समान ग्रह की परिक्रमा करते हैं, निर्मित हैं। काल्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यह अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ है। किंतु अधिकांश जगोल-भौतिकीवेत्ताओं का विश्वास है कि ये पिंड शनिग्रह के किसी ऐसे उपग्रह के भंग हैं जो किसी प्रकार लडित हो गया, या अस्तित्व में आ नहीं पाया। [२० स०]

शनि — ( फलित ज्योतिष के अनुसार ) सूर्यपुत्र जो नवग्रहों में प्रसिद्ध पापग्रह माने जाते हैं। सती की मृत्यु से दुखी शिव के भ्रातृपुत्रों से ये कृष्ण वर्ण के हो गए। ये महातेजस्वी और अत्यंत तीक्ष्ण स्वभाववाले ग्रह हैं। इनके द्वारा रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करनेवाले योग में संसार के लिये महात्त भय उत्पन्न होने की सूचना समझी जाती है। ऋतुस्नाता इनकी पत्नी, चिबरख की पुत्री ने इनके पत्नीगमन न करने के कारण इन्हें यह शाप दिया था कि यह जिसकी ओर दृष्टिपात करेंगे वह भस्म हो जायगा। बाल पण्डित की ओर दृष्टिपात करने से उनका सिर बड़ से अलग होकर लोकोक में जा गिरा था। पार्वती ने उन्हें शाप दिया किंतु वस्तुतः निर्दोष होने के कारण अहुराक्ष को चिरंजीवी और हरिश्चन्द्र परायण होने का वरदान दिया। इन्होंने अरकासुर से युद्ध किया और अश्वत्थ तथा पिप्पल का वध किया था। निरवधि

के पचास पुत्र इनके शाप से म्लेच्छ बने थे। ये भावी सर्व्वतर में मनु के पद पर आसीन होंगे (महा०, भा०, ३४६-५५),

[ च० भा० पा० ]

**शब्दावली (Glossary)** 'ग्लासरी' शब्द — शब्दावली जिसका प्रतिशब्द है — मूलतः 'ग्लास' शब्द से बना है। 'ग्लास' ग्रीक भाषा का (glossa) है जिसका प्रारंभिक अर्थ 'वाणी' था। बाद में यह 'भाषा' या 'बोली' का वाचक हो गया। प्रागे चलकर इसमें धोर की अर्थपरिवर्तन हुए और इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के शब्द ( पारिभाषिक, सामान्य, क्षेत्रीय, प्राचीन, अप्रचलित आदि ) के लिये होने लगा। ऐसे शब्दों का संग्रह ही 'ग्लासरी' या 'शब्दावली' है।

शब्दावली की परंपरा 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' में तथा अन्यत्र भी फिलेटस ( Philetas ) से मानी जाती है। इनका काल तीसरी सदी ई० पू० है। इन्होंने 'अतक्ता' ( Atakta ) शीर्षक शब्दावली संगृहीत की थी। किंतु वस्तुतः शब्दावली का इतिहास अब बहुत पीछे चला गया है, और अब तक प्राप्त प्राचीनतम शब्दावली हिताइत (हिती) भाषा की है, जिसका समय ईसा से प्रायः १००० वर्ष पूर्व से भी प्रागे है। भारत में प्राचीनतम शब्दावली 'निघंटु' रूप में मिलती है। संस्कृत भाषा में विकास के कारण जब वैदिक संस्कृत लोगों के लिये दुर्लभ सिद्ध होने लगी तो वैदिक शब्दों के संग्रह किए गए, जिन्हें 'निघंटु' ( निघण्टुति शोभते, नि घण्ट+कु ) की संज्ञा दी गई। प्रागे जो निघंटु उपलब्ध है वह यास्कचार्य का है, किंतु ऐसे विश्वास के पर्याप्त प्रमाण हैं कि यास्क के समय में ऐसे ४-५ और भी निघंटु थे। यास्क का समय चौथी सदी ई० पू० माना गया है। इसका आशय यह हुआ कि पश्चिमी विद्वान् फिलेटस की जिस शब्दावली (glossary) को प्राचीनतम मानते हैं, वह भारतीय निघंटुओं से कम से कम ४-५ सौ वर्ष बाद की है। यूरोप में जो शब्दावलीयाँ प्रारंभ में संगृहीत की गईं, एक-आधिकांश थीं किंतु बाद में बहुभाषिक शब्दावलीयाँ की परंपरा चली। यूरोप की प्राचीनतम ज्ञात द्विभाषिक शब्दावली लैटिन-ग्रीक की है, जिसके संग्रहकर्ता फिलॉक्सेनेस माने जाते रहे हैं, यद्यपि यह सिद्ध हो चुका है कि मूलतः यह रचना उनकी नहीं थी। इसका काल मोटे रूप से छठी सदी ई० है। यह उल्लेख है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका आदि में इसे प्राचीनतम बहुभाषिक शब्दावली माना गया है, किंतु वस्तुतः पीछे जिस हिताइत शब्दावली का उल्लेख किया जा चुका है, वह द्विभाषिक ही नहीं त्रिभाषिक ( हिती-सुमेरी-अक्कादी ) है। इस प्रकार प्राचीनतम बहुभाषिक शब्दावली का काल लैटिन-ग्रीक से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पीछे है। १००० ई० के आसपास ग्रीक-लैटिन लैटिन-ग्रीक की कई शब्दावलीयाँ बनीं। भारत में बहुभाषिक शब्दावली की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। अमरकोश के पूर्व — जैसे काश्यप का 'नाममाला', भागुरि का 'त्रिकांड', अमरदत्त का 'अमरमाला' या वाचस्पति का 'शब्दार्णव' आदि — एवं बाद के — पुरुषोत्तम देव के 'क्षारावली' तथा 'त्रिकांडकोश', हलायुध का 'अभिधान रत्नमाला', यादवप्रकाश का 'शैजंती' आदि — कोश एकभाषिक ही हैं। प्राकृत अपभ्रंश—जैसे बनपालकृत 'वाइद्य लक्ष्मीनाममाला', हेमचंद्र की 'दिसौनाममाला' तथा योपाल, द्रोण आदि के देवी

कोश—एवं हिंदी के पुराने कोश — जैसे नंददास, बनारसीदास, बट्टीदास, हरिचरणदास, चेतनचिंजय, विजयसागर आदि की 'नाममाला', प्रयागदास की 'शब्दरत्नावली' या हरिचरणदास का 'कल्याणभरण' आदि—उसी परंपरा में, अर्थात् एकभाषिक शब्दावलियाँ हैं। इस परंपरा में कदाचित् अंतिम ग्रंथ सुवंश शुक्ल का 'उमरावकोश' (१९ वीं सदी) है।

भारत में एकाधिक भाषाओं की शब्दावलियों की परंपरा मुसलमानों के आरंभ होती है। इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 'खालिकबारी' है, जिसमें हिंदी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं। खालिकबारी परंपरा में इस प्रकार के कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रचना अमीर खुसरो की कही जाती है, यद्यपि इस संबंध में पर्याप्त विवाद है। अनेक विद्वानों के अनुसार खालिकबारी किसी 'खुसरोशाह' की रचना है, जो प्रसिद्ध कवि खुसरो के बहुत बाद में हुए थे। शिवाजी ने भी राजनीति की फारसी-संस्कृत शब्दावली बनाई थी, जिसमें लगभग १५०० शब्द थे। उसके बाद खालिकबारी परंपरा में हिंदी-फारसी के कई कोश लिखे गए। किंतु वैज्ञानिक ढंग से यह कार्य अंग्रेजों के संपर्क के बाद आरंभ हुआ। यूरोप में इस दिशा में कार्य को वैज्ञानिक स्तर पर लाने का श्रेय जे० स्कैलिसर (१५४०-१६०६) को है। १५७३ में प्रकाशित हेनरी स्टेफेनस की द्विभाषिक शब्दावली इस क्षेत्र की प्रथम महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। भारत में अंग्रेज पाठशालाओं ने धर्म एवं राजप्रचार की दृष्टि से यहाँ की कई भाषाओं के अंग्रेजी कोश प्रकाशित किए। हिंदी की दृष्टि से इस शृंखला के प्रथम कोश जे० फारगुसन की 'ए डिक्शनरी ऑफ हिंदोस्तान लैंग्विज' है जो १७७३ ई० में संवदन से छपी थी। यह उल्लेख्य है कि इस परंपरा में होते हुए भी ये कोश शब्दावली की सीमा के बाहर हैं।

अब बहुभाषिक शब्दावलियों की परंपरा बहुत विकसित हो गई है तथा इन्हें ३-४ से लेकर १०-१२ भाषाओं की विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ प्रकाशित हुई हैं। इस दिशा में इंग्लैंड, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस तथा रूस ने पर्याप्त श्रम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस दिशा में योग दिया है।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि शब्दावलियों का ही विकास कोशों के रूप में हुआ है, किंतु दोनों एक नहीं हैं। दोनों में अंतर यह है कि शब्दावली में एक या अधिक भाषाओं के शब्दों का संप्रहरण है, किंतु कोश में शब्दों का अर्थ या उनकी व्याख्या आदि भी रहती है। कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि के विभिन्न विषयों के द्विभाषिक या बहुभाषिक कोशों के अतिरिक्त, पर्याय एवं विलोमकोश (Thesaras) भी शब्दावलियों की ही परंपरा में आते हैं। मध्य-युगीन हिंदी साहित्य का 'नाममाला' साहित्य इस दृष्टि से उल्लेख्य है। अब पर्याय कोशों की परंपरा बड़ी वैज्ञानिक हो गई है और लेखकों आदि के लिये ये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

[ भो० ना० ति० ]

शम्स सिराज अफ्रीक का जन्म लगभग १३५०-५१ ई० में हुआ था। उसके प्रपितामह मलिक सादुल मुल्क शिहाब अफ्रीक को फ़ीरोज़-पुर के अजुहर नामक स्थान पर सुल्तान शम्सुद्दीन तुगलक द्वारा एक पद प्राप्त था। उसके पिता भी सुल्तान फ़ीरोज़ शाह के दरबार में

विभिन्न पदों पर आसीन रह चुके थे। वह सुल्तान के साथ आजमगढ़ तथा नगरकोट के अभियान पर भी गया था। शम्स सिराज अफ्रीक भी सुल्तान फ़ीरोज़ शाह के दरबार में दीवाने विहारत के अधिकारियों के साथ सुल्तान के अभिवादन हेतु जाया करता था। जब सुल्तान फ़ीरोज़ शाह शिकार खेलने जाता तब भी अफ्रीक उसके साथ होता था। इस प्रकार उसका यह दावा सच है कि उसे फ़ीरोज़ शाह के समस्त राज्यकाल का पूर्ण ज्ञान था। उसके ज्ञान में उसके पिता तथा दादा एवं अन्य संबंधियों की जानकारी के अनुसार भी वृद्धि हुई थी। उसने केवल एक ही ग्रंथ लिखा जिसका नाम तारीखे फ़ीरोज़शाही है। इस ग्रंथ में उसने मनाकिबे सुल्तान शम्सुद्दीन तुगलक, मनाकिबे सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक तथा मनाकिबे सुल्तान मुहम्मद इब्ने फ़ीरोज़ का उल्लेख किया है। इससे यह न समझना चाहिए कि उसने इन सुल्तानों का कोई पृथक् इतिहास लिखा अपितु दिल्ली के तुर्क सुल्तानों का कोई बृहत् इतिहास लिखा होगा जिसमें उपर्युक्त तुगलक सुल्तानों का भी इतिहास दिया होगा। अब ये ग्रंथ नहीं मिलते। केवल तारीखे फ़ीरोज़शाही प्राप्त है जो इसी बृहत् इतिहास का एक भाग प्रतीत होता है। सुल्तान फ़ीरोज़ शाह के इतिहास की रूपरेखा के विषय में वह लिखता है, "धरनी ने सुल्तान का हाल १०१ अध्यायों में लिखना निश्चय किया था किंतु वह केवल ११ अध्याय ही लिख सका। क्योंकि वह उसे पूरा न कर सका अतः इस इतिहासकार ने इसमें ६० अध्याय लिखे हैं। यह ५ किस्मों (भागों) में विभाजित है और प्रत्येक भाग में १८ अध्याय हैं।" खेद है, उसके ५वें भाग के भी केवल १५ अध्याय मिलते हैं और शेष ३ अध्यायों का पता नहीं।

अफ्रीक ने अपने इतिहास में सुल्तान फ़ीरोज़ के जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण दिया है। वह सुल्तान की धर्मनिष्ठता एवं मृदुलता से अत्यधिक प्रभावित था और उसने उसे एक आदर्शवादी मुसलमान बादशाह के रूप में प्रस्तुत किया है। सुल्तान के सार्वजनिक निर्माणकार्यों, अर्थों, नहरों इत्यादि के निर्माण से वह अपने समकालीनों की भाँति प्रभावित था। उसने सुल्तान के अमीरों तथा मुख्य पदाधिकारियों का भी बड़ा विशद विवरण दिया है, किंतु इतिहासकार के लिये जो निष्पक्षता आवश्यक है, उसका उसमें अभाव था। काव्यमयी भाषा के प्रयोग ने भी उसके विवरण के महत्त्व को बहुत घटा दिया है।

सं० अ० — तारीखे फ़ीरोज़शाही (कलकत्ता १८६० ई०); रिजवी, सै० अ० अ० : तुगलक कालीन भारत, भाग २, (अलीगढ़ १९५७ ई०)। [सं० अ० अ० रि०]

शम्सुद्दीन तुर्क (पानीपती) हजरत शेख शम्सुद्दीन तुर्क (पानीपती) बिन सय्यद अहमद बुचुर्ग का जन्म तुर्किस्तान में हुआ। विद्याभ्रम कर चुकने के उपरांत ईश्वर मार्ग की जिज्ञासा में अन्धधूमि से निकल पड़े और मवाराननहर के अनेक सुफियों की सेवा में रहकर उन्होंने अत्यात्मवाद की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् भारतवर्ष पश्चारे तथा अजोधन में आकर हजरत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजिशकर से दीक्षा ली। शिक्षाप्रप्त का खिर्का भी प्राप्त किया। उन्होंने सुल्तान शम्सुद्दीन बलबन की सेवा में कुछ समय तक नौकरी की थी। दीक्षाग्रहण की

मृत्यु से पहले वह नौकरी से त्यागपत्र देकर उनकी सेवा में पहुँच गए। फिर वे पानीपत गए और वहीं अपनी छानक़ाह स्थापित कर धर्मप्रचार करने लगे तथा हजारों व्यक्तियों में धर्म्यारम्भवार की शिक्षाएँ प्रसारित कीं। उन्होंने साबिरिया संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनका स्वर्गवास ७१५/१३१५ में हुआ। समाधि पानीपत में है और उससे मिली हुई एक अभ्य मस्जिद भी है।

सं० ग्रं० — मौलख प्रस्ताह दिया चिश्ती : सैरुल मरक़ताब (नवल-किशोर, लखनऊ, १९३१) १२४-१९७; मौलवी गुलाम सर्वर लाहौरी : छाडीनतुल अस्त्रिया (नवलकिशोर) १,३२१-३२५; मौलामुलाम; मुहनुद्दीन अम्बुल्ला (खलीफ़ा खेमजी चिश्ती) : मभारिज्-उल-विलायत (हस्तलिपि); खलीक़ अहमद निजामी : तारीख़े मन्नायख़े चिश्त (दिल्ली, १९५३) २१५-२१६; मौलाना सैयद मुहम्मद मियाँ : पानीपत और बुजुगनि पानीपत (दिल्ली) १७१-१९७। [मु० उ०]

**शरत्चंद्र चट्टोपाध्याय** बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार। जन्म १८७६ ई० के १५ सितंबर को हुगली जिले के एक छोटे से गाँव देवानंदपुर में हुआ। वे अपने माता पिता की नौ संतानों में एक थे। घर में बच्चों का ठीक ठीक शासन नहीं हो पाता था। जब शरत् भागने लायक उम्र के हुए तो वह जब तब पढ़ाई लिखाई छोड़कर भाग निकलते। इसपर कोई विशेष शोर नहीं मचता था, पर जब वह लौटकर आते तो उनपर मार पड़ती थी। अठारह साल की उम्र में उन्होंने इटेंस पास किया। इन्हीं दिनों उन्होंने 'बासा' (घर) नाम से एक उपन्यास लिख डाला, पर यह रचना उन्हें पढद नहीं आई। उन्होंने उसे फाड़कर फेंक दिया। इसी प्रकार कई रचनाएँ फाड़कर फेंक दी गईं, इसलिये यह धारणा चलत है कि शरत् ने एकाएक परिपूर्ण और परिपक्व प्रतिभा लेकर साहित्यक्षेत्र में प्रवेश किया। नीरव साधना चलती रही। वह रवींद्र साहित्य के अतिरिक्त बैकरी, डिक्सेन आदि उपन्यासकारों का अध्ययन करते रहे। हेनरी के उपन्यास ईस्टलीन के आधार पर उन्होंने 'अभिमान' नाम से एक उपन्यास लिखा था। साथ ही उन्होंने मेरी कारेसी के माइटी ऐटम पुस्तक का बंगला अनुवाद किया था, पर इनमें से किसी के छपने की नोबत नहीं आई।

रवींद्रनाथ का प्रभाव उनपर बहुत अधिक पड़ा पर बंकिमचंद्र का प्रभाव भी कम नहीं था। उनकी कालेज की पढ़ाई बीच में ही रह गई। वह तीस वर्षे मासिक के क्लर्क होकर बर्मा पहुँच गए। इन दिनों उनका संपर्क बंगचंद्र नामक एक व्यक्ति से हुआ जो था तो बड़ा विद्वान् पर शराबी और उच्छल था। यहीं से 'चरित्रहीन' का बीज पड़ा, जिसमें मेस जीवन के बर्णन के साथ मेस की नौकरानी से प्रेम की कहानी है।

शरत् नहीं जानते थे कि उनकी साधना पूरी हो चुकी है। जब वह एक बार बर्मा से कलकत्ता आए तो अपनी कुछ रचनाएँ कलकत्ते में एक मित्र के पास छोड़ गए। शरत् को बिना बताए उनमें से एक रचना 'बड़ी बीबी' का १९०७ में धारावाहिक प्रकाशन शुरू हो गया। दो एक किस्त निकलते ही लोगों में खनखनी फैल गई और वे कहने

लगे कि शायद रवींद्रनाथ नाम बदलकर लिख रहे हैं। शरत् को इसकी खबर साढ़े पाँच साल बाद मिली। कुछ भी हो-स्वयति तो हो ही गई, फिर भी 'चरित्रहीन' के छपने में बड़ी दिक्कत हुई। भारत-वर्ष के संपादक कविवर द्विजेंद्रलाल राय ने इसे यह कहकर छापने से इन्कार कर दिया कि यह सदाचार के विरुद्ध है।

पर प्रतिभा को कौन रोक सकता था। अब एक के बाद एक उनकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं। 'पंडित मोशाय', 'बैकुंठेर बिल', 'मेज दीदी', 'दपंचूख', 'श्रीकांत', 'भरक्षणीया', 'निष्कृति', 'मामलार फल', 'गृहदाह', 'शेष प्रथम', 'दस्ता', 'देवदास', 'बाम्हन की लड़की', 'विप्रदास', 'देना पावना' आदि उपन्यास निकलते चले गए। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर 'पबेर दावी' उपन्यास लिखा गया। पहले यह 'बंग वाली' में धारावाहिक रूप से निकला, फिर पुस्तकाकार छपा तो तीन हजार का संस्करण तीन महीने में समाप्त हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जप्त कर लिया।

शरत् के उपन्यासों के एक एक भारतीय भाषा में कई कई अनुवाद हुए हैं। कहा गया है, उनके पुरुष पात्रों से उनकी नायिकाएँ अधिक बलिष्ठ हैं। शरत्चंद्र की जनप्रियता उनकी कलात्मक रचना और नये तुले शब्दों या जीवन से प्रोतप्रोत घटनावलयों के कारण नहीं है बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छटपटाती दृष्टिगोचर होती है, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संबंधों को एक नए आधार पर स्थापित करने के लिये पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरत् को जनप्रियता मिली। उनकी रचना हृदय को बहुत अधिक स्पर्श करती है। पर शरत्साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि पर कम प्रकाश पड़ता है। पल्लवी समाज में समाज का बिना कुछ कुछ सामने आता है; महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रथम उभरकर आता है।

इसमें कोई सदेह नहीं, शरत् बहुत बड़े उपन्यासकार थे। उनकी नवंबर देह का अंत १९३८ में हुआ।

सं० ग्रं०—सुकुमार सेन : हिस्ट्री ऑव बंगाली लिटरेचर; मन्मथनाथ गुप्त : शरत्चंद्र। [म० ना० गु०]

**शरमंग** दक्षिण भारत के गौतम कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध महावि जिनका उल्लेख रामायण में है। इनकी गणना उन महाविषयों में है जिन्होंने दंडकारण्य में गोदावरीतट पर अपना आश्रम बनाया, उत्तर की आर्य सभ्यता का प्रचार तथा विस्तार दक्षिण के जंगली प्रांत में किया और अंत में अग्नि में आत्माहुति देकर स्वर्ग प्राप्त किया था। वनवास के समय रामचंद्र इनका दर्शन करने गए थे। [रा० द्वि०]

**शरत्, मन्मथ हलीम** इनका जन्म लखनऊ में सन् १८६० ई० में हुआ। सन् १८७९ ई० में शिक्षा के लिये यह दिल्ली आए। इसके दो वर्ष बाद लखनऊ के 'भवध प्रसन्नार' के सहायक संपादक नियत हुए और साहित्यिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों पर लेख लिखते रहे। सन् १८८७ ई० में अपना एक पत्र 'दिलगुदाख' निकालना आरंभ किया। इसमें इनके प्रसिद्ध उपन्यास हसन एज्जिना, मंसूर मोहाना आदि क्रमशः निकले। इसके अर्न्तर्गत यह हैदराबाद गए, जहाँ सिध

का इतिहास लिखा। बाद में इन्हें लक्षणक चले जाना पड़ा। यहाँ सन् १९२६ ई० के दिखने में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने लगभग पचास पुस्तकें लिखीं, जिनमें उपवास, जीवनचरित्र तथा इतिहास मुख्य हैं। [२० प०]

**शरीरक्रियाविज्ञान या फिज़ियॉलोजी (Physiology),** फिज़ियॉलोजी शब्द यूनानी भाषा से व्युत्पन्न है और इसका मूल अर्थ 'प्राकृतिक ज्ञान' है। इसका लैटिन समानार्थक शब्द है, फिज़ियॉलोजिया (Physiologia)। इस शब्द का प्रथम बार उपयोग १६ वीं शताब्दी में हुआ, पर यह व्यवहार में १९वीं सदी में आया। जीवित प्राणियों से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, और उनका वर्गीकरण, घटनाओं का अनुक्रम और सापेक्ष महत्व, प्रत्येक कार्य के उपयुक्त अंगनिर्धारण और उन अवस्थाओं का अध्ययन, जिनसे प्रत्येक क्रिया निर्धारित होती है, फिज़ियॉलोजी या शरीरक्रियाविज्ञान के अंतर्गत आते हैं।

सभी जीवित जीवों के जीवन की मूल प्राकृतिक घटनाएँ एक ही हैं। अत्यंत असमान जीवों में क्रियाविज्ञान अपनी समस्याएँ अत्यंत स्पष्ट रूप में उपस्थित करता है। उच्चस्तरीय प्राणियों में शरीर के प्रधान अंगों की क्रियाएँ अत्यंत विशिष्ट होती हैं, जिससे क्रियाओं के सूक्ष्म विवरण पर ध्यान देने से उन्हें समझना संभव होता है।

**निम्नलिखित मूल प्राकृतिक घटनाएँ हैं, जिनसे जीव पट्टाने आते हैं :**

(क) संरचना — यह उच्चस्तरीय प्राणियों में अधिक स्पष्ट है। संरचना और क्रिया के विकास में समांतरता होती है, जिससे शरीरक्रियाविदों का यह कथन सिद्ध होता है कि संरचना ही क्रिया का निर्धारक उपादान है। व्यक्ति के विभिन्न भागों में सूक्ष्म सहयोग होता है, जिससे प्राणी की आसपास के वातावरण के अनुकूल बनने की शक्ति बढ़ती है।

(ख) ऊर्जा की आपस — जीव ऊर्जा को विसर्जित करते हैं। मनुष्य का जीवन उन शारीरिक क्रियाकलापों (movements) से, जो उसे पर्यावरण के साथ संबंधित करते हैं, निर्मित है। इन शारीरिक क्रियाकलापों के लिये ऊर्जा का सतत व्यय आवश्यक है। भोजन अथवा ऑक्सीजन के अभाव में शरीर के क्रियाकलापों का अंत हो जाता है। शरीर में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति भोजन एवं ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से होती है। अतः जीवन के लिये श्वसन एवं स्वांगीकरण क्रियाएँ आवश्यक हैं। जिन वस्तुओं से हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं, वे ऑक्सीकरण में सक्षम होती हैं। इस ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। शरीर में होनेवाली ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जीवित प्राणी की क्रियाशीलता के लिये उपलब्ध रहती है।

(ग) वृद्धि और जनन — यदि उपचयी (anabolic) प्रक्रम प्रधान है, तो वृद्धि होती है, जिसके साथ क्षतिपूर्ति की शक्ति धुंधी हुई है। वृद्धि का प्रक्रम एक निरिच्छत समतल चलता है, जिसके

बाद प्रत्येक जीव विभक्त होता है और उसका एक अंश अलग होकर एक या अनेक नए व्यक्तियों का निर्माण करता है। इनमें प्रत्येक उन सभी गुणों से युक्त होता है जो मूल जीव में होते हैं। सभी उच्च कोटि के जीवों में मूल जीव क्षयशील होने लगता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है।

(घ) अनुकूलन (Adaptation) — सभी जीवित जीवों में एक सामान्य लक्षण होता है, वह है अनुकूलन का सामर्थ्य। आंतर संबंध तथा बाह्य संबंधों के सतत समन्वय का नाम अनुकूलन है। जीवित कोशिकाओं का वास्तविक वातावरण वह ऊतक तरल (tissue fluid) है, जिसमें वे रहती हैं। यह आंतर वातावरण, प्राणी के सामान्य वातावरण में होनेवाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जीव की प्रतिजीविता (survival) के लिये वातावरण के परिवर्तनों को प्रभावहीन करना आवश्यक है, जिससे सामान्य वातावरण चाहे जैसा हो, आंतर वातावरण जीने योग्य सीमाओं में रहे। यही अनुकूलन है।

फिज़ियॉलोजी की विधि — फिज़ियॉलोजी का अधिकांश ज्ञान दैनिक जीवन और रोगियों के अध्ययन से उपलब्ध हुआ है, परंतु कुछ ज्ञान प्राणियों पर किए गए प्रयोगों से भी उपलब्ध हुआ है। रसायन, भौतिकी, शरीर (anatomy) और ऊतकविज्ञान से इसका अत्यंत निकट का संबंध है।

इस प्रकार विश्लेषिक फिज़ियॉलोजी, जीवित प्राणियों पर, अथवा उनसे पृथक्कृत भागों पर, जो अनुकूल अवस्था में कुछ समय जीवित रह जाते हैं, किए गए प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान से निर्मित है। प्रयोगों से विभिन्न संरचनात्मक भागों के गुण और क्रियाएँ ज्ञात होती हैं। संश्लेषिक फिज़ियॉलोजी में हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार संघटनशील प्रक्रमों से शरीर की क्रियाएँ संश्लेषित होकर, विभिन्न भागों की सहकारी प्रक्रियाओं का निर्माण करती हैं और किस प्रकार जीव समष्टि रूप में अपने विभिन्न अंगों को सम्यक् रूप से समंजित करके, बाह्य परिस्थिति के परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करता है।


प्रतिभाव (Normal) — संरचना और शरीरक्रियात्मक गुणों में एक ही जाति के प्राणी आपस में बहुत मिलते जुलते हैं और जब लक्षणों के मानक प्ररूप की ओर उन्मुख यह प्रवृत्ति जीव और उसके वातावरण के बीच समिकट सामंजस्य की अभिव्यक्ति है। एक ही जनक से, एक ही समय में, उत्पन्न प्राणियों में यह समानता सर्वाधिक होती है। ज्यों ज्यों हम अन्य जातियों के प्राणियों की समानताओं के संबंध में विचार करते हैं, उनमें भेद बढ़ता जाता है और प्राणियों के वर्गीकरण में जटुवगत् के छोरों पर स्थित प्राणियों का अंतर इतना अधिक होता है कि उनकी तुलना अस्पष्ट होती है।

फिर भी, व्यष्टि प्राणियों में जहाँ बहुत निकट का संबंध होता है, जैसे मनुष्य जाति में, वहीं इनमें अंतर भी स्पष्ट होता है। सामान्य मानक व्यष्टि का अध्ययन करना, मानव फिज़ियॉलोजी का कर्तव्य है, क्योंकि इससे रोग के अध्ययन की सहस्यपूर्ण आचारभूमि तैयार होती है, परंतु यह कहना कि किसी प्रस्तुत लक्षण (character)

का प्राकृतिक स्वरूप क्या है, कठिन है। इसके अतिरिक्त सभी शारीरिक्यात्मक प्रयोगों के परिणामों में पर्याप्त स्पष्ट अंतर प्रदर्शित होता है, जो प्रयोज्य प्राणियों की व्यक्तिगत प्रकृति पर निर्भर करता है। इसीलिये महत्वपूर्ण समुचित नियंत्रणों का शरीर महत्वपूर्ण परिणाम का अभिमुख्यन नहीं होना चाहिए। प्रायः परिणाम के निश्चय के लिये आदर्श परिणामों का विचार किया जाता है। प्रयोगों की पुनरावृत्तियाँ आवश्यक हैं। प्रेक्षण की त्रुटि, जो यथार्थ विज्ञानों में प्रायः अल्प होती है, जीविकी में बहुत अधिक होती है, क्योंकि परिवर्ती व्यष्टि के कारण प्रेक्षण में परिवर्तनशीलता आ जाती है। जिस प्रकार अन्य विज्ञानों में परिणामों को सांख्यिकी द्वारा विवेचित किया जाता है, वैसे ही फ़िज़ियॉलोजी को परिणामों की संभाविता के नियम की प्रयुक्ति से विवेचित किया जाता है। सीमित संख्या में किए प्रयोगों से निर्णय लेने में बहुत सावधानी इस दृष्टि से अपेक्षित है कि प्राप्त परिणाम नियंत्रित श्रेणियों से भिन्न हैं अथवा नहीं।

कठिनाइयों को दूर करने की एक विधि के रूप में औसतों, अर्थात् समांतर माध्य ( arithmetic mean ), का आश्रय लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं, मानव के किसी समुदाय विशेष में प्रति घन मिलिमीटर रक्त में लाल सेलो की औसत संख्या ५ करोड़ २० लाख है। यह विधि यद्यपि सबसे सरल और प्रति व्यवहृत है, परंतु यह इसलिये असंतोषजनक है कि इससे यह ज्ञात नहीं होता कि माध्य से विचलन किस परिमाण में और आवेक्षिक रूप से कितने अधिक बार ( relatively frequent ) होता है। हमारे पास यह ज्ञात करने का कोई साधन नहीं रह जाता कि उपर्युक्त उदाहरण में ४ करोड़ ५० लाख सामान्य परास के अंदर है या नहीं। परिणामतः, सांख्यिकी के परिणामों की अभिव्यक्ति के लिये अधिक यथार्थ साधन के उपयोग का व्यवहार बढ़ता जा रहा है।

उपयोग में आनेवाली एक विधि आवृत्ति आरेख (frequency diagram) है, जिसका एक उदाहरण निम्न आरेख चित्र में दिया है।



खियों की ऊँचाई का आवृत्ति चक्र

१३७५ स्त्रियों की ऊँचाइयों को मापकर ऐसे ढलों में वितरित किया गया जिनमें ऊँचाई का अंतर एक इंच था। यह चित्र ऐसे ढलों की बारंबारता का विदर्शन कराता है।

(फ़िगर द्वारा लिखित "स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर रिसर्च वर्कर्स" से उद्धृत)।

यह बहुसंख्यक व्यष्टियों के कद ( stature ) के आँकड़ों की निदर्शित करता है। इन्हें १ इंच कद के अंतर के आवृत्ति वर्गों में विभाजित

किया गया है। आयत की ऊँचाई गुणास पर प्रदर्शित ऊँचाई की व्यष्टियों की संख्या की अनुपाती है। समूहित आवृत्ति को आयत चित्र ( histogram ) कहते हैं। इनसे खींचा हुआ निरन्तरित चक्र ( smoothed curve ), या आवृत्तिचक्र, उस आवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिससे दी हुई सीमाओं के अंदर कोई कद हुआ करता है।

फ़िज़ियॉलोजी का विकास — चूँकि किसी विज्ञान की वर्तमान अवस्था को समझने के लिये उसके विकास का इतिहास ज्ञात होना सारथी

नाम	जीवनकाल	महत्वपूर्ण प्रकाशन	
		वर्ष	महत्व
विसेलियस	१५१४-६४ ई०	१५४३ ई०	प्राधुनिक शारीर का प्रारंभ
हावि	१५७८-१६६७ ई०	१६२८ ई०	जीवविज्ञान में प्रायोगिक विधि
मालपीगी	१६२८-१६९४ ई०	१६६१ ई०	जीवविज्ञान में सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग का आरंभ
न्यूटन	१६४२-१७२७ ई०	१६८७ ई०	प्राधुनिक भौतिकी का विकास
हालर	१७०८-१७७७ ई०	१७६० ई०	फिज़ियॉलोजी का पाठ्यग्रंथ
लाव्वाज़े	१७४३-१७९४ ई०	१७७५ ई०	दहन और श्वसन का संबंध स्थापित हुआ
मूलर जोहैनीज	१८०१-१८५८ ई०	१८३४ ई०	महत्वपूर्ण पाठ्यग्रंथ
श्वान	१८१०-१८८२ ई०	१८३९ ई०	कोशिका सिद्धांत की स्थापना
बेनारि (Bernard)	१८१३-१८७८ ई०	१८४०-१८७० ई०	महान् प्रयोगवादी
लूटविज (Ludwig)	१८१६-१८९५ ई०	१८५०-१८९० ई०	महान् प्रयोगवादी आरेखविधि का आविष्कारक
हेल्महोल्ट्स	१८२१-१८९४ ई०	१८५०-१८९० ई०	भौतिकी की प्रयुक्ति

आवश्यक है, इसलिये फिज़ियॉलोजी से रुचि रखनेवाले व्यक्ति के लिये उसके इतिहास की रूपरेखा से परिचित होना आवश्यक है। जहाँ तक समग्र विषय के विकास का प्रश्न है, यह ध्यान रखने की बात है कि विज्ञान का कोई अंग अलग से विकसित नहीं हो सकता,

सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदाहरणार्थ, एक निश्चित सीमा तक शरीर (Anatomy) के ज्ञान के बिना फ़िजियॉलोजी की कल्पना असंभव थी और इसी प्रकार भौतिकी और रसायन की एक सीमा तक विकसित अवस्था के बिना भी इसकी प्रगति असंभव थी।

अन्द्रेस विलेजियस (Andreas Vesalius) द्वारा १५४३ ई० में फ़ैब्रिका ह्यूमनी कार्पोरीस (Fabrica Humani Corporis) के प्रकाशन को आधुनिक शरीर का सूत्रपात मानकर, नीचे हम उन महत्वपूर्ण नामों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने समय समय पर विषय को युगांतरकारी मोड़ दिया है :

१७६५ ई० में फ़िजियॉलोजी की पहली पत्रिका निकली। १८७८ ई० में इंग्लिश जर्नल ऑफ़ फ़िजियॉलोजी तथा १८६८ ई० में अमरीकन जर्नल ऑफ़ फ़िजियॉलोजी प्रकाशित हुई। १८७४ ई० में लंदन में युनिवर्सिटी कॉलेज और अमरीका के हार्वर्ड में १८७६ ई० में फ़िजियॉलोजी के इंग्लिश चेयर की स्थापना हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ़िजियॉलोजी एक नया विषय है, जिसका प्रारंभ भूमिकल से एक सदी पूर्व हुआ। जीवरसायन और भी नया विषय है तथा फ़िजियॉलोजी की एक प्रशाखा के रूप में विकसित हुआ है।

सं० प्र० — ऐडॉल्फ (१६४३) : फ़िजियोलॉजिकल रेग्युलेशन;  
फ्रैंकलिन (१६४६ ई०) : ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ़ फ़िजियॉलोजी, लंदन स्टेप्स प्रेस। [रा० चं० शु०]


**शरीररचना विज्ञान (Anatomy)** अनेटोमि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी जीवित (चल या अचल) वस्तु को काटकर, उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन करना। अचल में वनस्पतिजगत् तथा चल में प्राणीजगत् का समावेश होता है। जब किसी प्राणी या वनस्पति विशेष की शरीररचना का अध्ययन किया जाता है, तब उसे विशेष शरीररचना (Special Anatomy) अध्ययन कहते हैं। जब एक प्राणी, या वनस्पति, के शरीर की रचना का दूसरे प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तब उसे तुलनात्मक शरीररचना (Comparative Anatomy) कहते हैं। जब किसी प्राणी के अंग की रचना का अध्ययन किया जाता है, तब उसे प्रांशिक शरीररचना (Regional Anatomy) कहते हैं।

व्यावहारिक या लौकिक दृष्टि से मानव शरीररचना का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक को शरीररचना का अध्ययन कई दृष्टि से करना होता है, जैसे रूप, स्थिति, आकार एवं अन्य रचनाओं से संबंध।

आकारिकीय शरीररचना विज्ञान (Morphological Anatomy) की दृष्टि से मानवशरीर के भीतर अंगों की उत्पत्ति के कारणों का ज्ञान, अन्वेषण का विषय बन गया है। इस ज्ञान की वृद्धि के लिये भ्रूणविज्ञान (Embryology), जीवविकास विज्ञान, जातिविकास विज्ञान एवं ऊतक विज्ञान (Histo-anatomy) का अध्ययन आवश्यक है।

स्वस्थ मानव शरीर की रचना का अध्ययन निम्न भागों में किया जाता है :

१. चिकित्साशास्त्रीय शरीररचना विज्ञान, २. सत्यचिकित्सा शरीररचना विज्ञान (Surgical Anatomy), ३. स्त्री शरीर विशेष रचना विज्ञान, ४. धरातलीय शरीररचना विज्ञान (Surface Anatomy), ५. सूक्ष्मदर्शीय शरीररचना विज्ञान (Microscopic Anatomy) तथा ६. भ्रूण शरीररचना विज्ञान (Embryology)।



कंकाल

१. खोपड़ी; २. ग्रीवा कशेरुक (Cervical vertebra); ३. पहली और दूसरी पुच्छ कशेरुकाएँ; ४. उरोस्थि (Sternum); ५. पंजुकाएँ (Ribs); ६. कटि कशेरुकाएँ, ७. इलियम (Ilium); ८. त्रिक (Sacrum); ९. अनुत्रिक; १०. उर्विका (Femur); ११. पट्टेला (Patella); १२. टिबिया (Tibia); १३. बहिर्जंघिका (Fibula); १४. गुल्फास्थि (Tarsal); १५. प्रपदिका अस्थियाँ (Metatarsal bones); १६. अंगुलास्थियाँ (Phalanges); १७. अग्रुक (Clavicle); १८. अंसफलक (Scapula); १९. अग्रजंघिका (Humerus); २०. अग्रप्रकोष्ठिका (Radius); २१. अंतप्रकोष्ठिका (Ulna); २२. अक्षिबंधिका अस्थियाँ (Carpal bones); २३. करनिकास्थियाँ (Metacarpal bones); तथा २४. अंगुलास्थियाँ (Phalanges)।



विकृत अंगों की रचना के ज्ञान को विकृत शरीररचनाविज्ञान ( Pathological Anatomy ) कहते हैं।

मानव की विभिन्न प्रजातियों की शरीररचना का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तब मानवविज्ञान ( Anthropology ) का सहारा लिया जाता है। प्राणिक शरीररचना का अध्ययन सर्वांगी ( systemic ) विधि से किया जाता है।

शरीररचना विज्ञान को पढ़ने के लिये एक विशेष प्रकार की शब्दावली तथा इन शब्दों की परिभाषाओं को विशेष रूप से पढ़ना होता है।

ईसा से १,००० वर्ष पूर्व महावि सुसूत ने शवच्छेद कर शरीररचना का पर्याप्त वर्णन किया था। धीरे धीरे यह ज्ञान धार धार भूनाम होता हुआ यूरोप में पहुँचा और वहाँ पर इसका बहुत विस्तार एवं उन्नति हुई। शव की संरक्षा के साधन, सूक्ष्मदर्शी, ऐक्सरे आदि के उपलब्ध होने पर शरीररचना विज्ञान का अध्ययन अधिक सूक्ष्म एवं विस्तृत हो गया है।

### कोशिका

शरीर का निर्माण करनेवाले जीवित एकक को कोशिका कहते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। कोशिका एक स्वच्छ सलसे रस से, जिसे जीवद्रव्य कहते हैं, भरी रहती है। कोशिका को चारों ओर से घेरनेवाली कला को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियस रहता है, जो कोशिका पर नियंत्रण करता है। कोशिका के जीवित होने का कारण यही है कि उसमें अभिक्रिया, शक्ति, एकीकरण शक्ति, वृद्धि, विसर्जन शक्ति तथा उत्पादन शक्ति, उपस्थित रहे। शरीर का स्वास्थ्य कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कार्यानुसार कोशिकाएँ अपना आकार इत्यादि परिवर्तित कर, भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका आदि। एक प्रकार की आकृति एवं कार्य करनेवाली कोशिकाएँ मिलकर, एक विशेष प्रकार के ऊतक का निर्माण करती हैं।

### ऊतक

ऊतक ( Tissues ) मुख्यतः पाँच प्रकार के होते हैं : (१) उपपष्ठा, (२) संयोजी ऊतक, (३) स्केलेरस ऊतक, (४) पेशी ऊतक तथा (५) तंत्रिका ऊतक।

(१) उपपष्ठा ( Epithelial tissue ) — यह ऊतक शरीर को बाहर से ढँकता है तथा ससस्त शोष्णके अंगों को भीतर से भी ढँकता है। रुधिरवाहिनियों के भीतर ऐसा ही ऊतक, जिसे अंतःस्तर ( Endothelium ) कहते हैं, रहता है। उपपष्ठा के भेद ये हैं : (क) साधारण, (ख) स्तंभाकार, (ग) रोमक, (घ) स्तरित, (च) परिवर्तनशील तथा (छ) रंजककणकित।

(२) संयोजी ऊतक ( Connective tissue ) — यह ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत (क) रुधिर ऊतक, (ख) अस्थि ऊतक, (ग) लस ऊतक तथा (घ) बसा ऊतक आते हैं। (क)

रुधिर ऊतक के, लाल रुधिरकणिका तथा श्वेत रुधिरकणिका, दो भाग होते हैं। लाल रुधिरकणिका भ्रूणजीवन का आदान प्रदान करती है तथा श्वेत रुधिरकणिका रोगों से शरीर की रक्षा करती है। मानव की लाल रुधिरकोशिका में न्यूक्लियस नहीं रहता है। (ख) अस्थि ऊतक का निर्माण अस्थिकोशिका से, जो बूना एवं क्रॉस्फोरस से पूरित रहती है, होता है। इसकी गणना हम स्केलेरस ऊतक में करेंगे, (ग) लस ऊतक लसकोशिकाओं से निर्मित है। इसी से लसपत्र तथा टॉन्सिल आदि निर्मित हैं। यह ऊतक शरीर का रक्षक है। घाघात तथा उपसर्ग के तुरंत बाद लसपत्र शोषयुक्त हो जाते हैं। (घ) बसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं : (अ) एरिथ्रोस तथा (आ) एडिपोस।

इनके अतिरिक्त (१) पीत इलेस्टिक ऊतक, (२) म्युकाइड ऊतक, (३) रंजक कणकित संयोजी ऊतक, (४) न्युराग्लिया आदि भी संयोजी ऊतक के कार्य, आकार, स्थान के अनुसार भेद हैं।

(३) स्केलेरस ऊतक — यह संयोजी तंतु के समान होता है तथा शरीर का ढाँचा बनाता है। इसके अंतर्गत अस्थि तथा कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज भी तीन प्रकार के होते हैं : (अ) हाइलाइन, (आ) फाइब्रो-कार्टिलेज तथा (इ) इलेस्टिक फाइब्रो-कार्टिलेज या पीत कार्टिलेज।

(४) पेशी ऊतक — इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं, जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। (अ) रेखांकित या ऐच्छिक पेशी ऊतक वह है जो शरीर को नाना प्रकार की गतियाँ कराता है, (आ) अऐच्छिक या अरेखांकित पेशी ऊतक वह है जो आशयों की दीवार बनाता है तथा (इ) हृत् पेशी ऊतक रेखांकित तो है, परंतु ऐच्छिक नहीं है।

(५) तंत्रिका ऊतक — इसमें संवेचनाग्रहण, चालन आदि के गुण होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका तथा न्युराग्लिया रहता है। मस्तिष्क के दूसरे भाग में ये कोशिकाएँ रहती हैं तथा श्वेत भाग में न्युराग्लिया रहता है। कोशिकाओं से ऐक्सोन तथा डेंड्रॉन नामक प्रबंध निकलते हैं। नाना प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों (organs) का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के कार्य करनेवाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र (system) का निर्माण करते हैं।

### तंत्र

शरीर का निर्माण निम्नलिखित तंत्रों द्वारा होता है : (१) अस्थि तंत्र, (२) संधि तंत्र, (३) पेशी तंत्र, (४) रुधिर परिसंचन तंत्र, (५) आशय तंत्र : (क) वसतन तंत्र, (ख) पाचन तंत्र, (ग) मूत्र एवं जनन तंत्र, (६) तंत्रिका तंत्र तथा (७) ज्ञानेन्द्रिय तंत्र।

(१) अस्थि तंत्र — मानव अस्थिपंजर के ज्ञान जैसे अस्थि की उत्पत्ति, वृद्धि, अस्थिद्रव्य कोशिका, अस्थि अंजक कोशिका आदि, के संबंध में काफी उन्नति हुई है। अस्थियों द्वारा मानव एवं पशु की भिन्नता का ज्ञान होता है तथा लिंग एवं वय का निश्चय किया जा सकता है। अस्थियों एवं कार्टिलेज के द्वारा

शरीर के ढाँचे का निर्माण होता है। अस्थियाँ आकार एवं कार्य के अनुसार चार प्रकार की होती हैं : (क) दीर्घ, (ख) लुब्ध, (ग) सपाट तथा (घ) अण्डजु। अस्थियों के निम्न कार्य होते हैं : (अ) शरीर को आकार प्रदान करना, (आ) शरीर को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करना, (इ) शरीर की रक्षा करना, (ई) कार्य के लिये लीवर तथा संघियों प्रदान करना और (उ) पेशियों को संरचन तथा शरीर को गति प्रदान करना। अस्थि कोशिकाओं से निर्मित ऊसक से अस्थियाँ बनती हैं। अस्थियों द्वारा हडि़रकणों का निर्माण भी होता है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर २०६ अस्थियाँ होती हैं, जो इस प्रकार हैं : खोपड़ी में २२ अस्थियाँ, रीढ़ में २६ अस्थियाँ — ३३ कशेरुक, इनमें से क्रम ५ कशेरुक से मिलाकर तथा कानिक्स ४ कशेरुक से मिलाकर बनता है। यदि इन्हें १-१ माना जाय, तो कुल अस्थियाँ २६ ही होंगी, बल तथा पशुकाओं, में २५ अस्थियाँ, ( ऊर्ध्व शाखा ) बाहु आदि में ६४, अघः शाखा ( जाँघ आदि ) में ६२ अस्थियाँ, हा जोड़ अस्थि १ तथा ओठ अस्थिका ६। खंबी नलिकाकार अस्थियों में मज्जा होती है, जो हडि़र कण बनाती है। ऐमसकिरण से देखने पर अस्थियाँ अपारदर्शक होती हैं।

( २ ) संधि तंत्र — दो या अधिक अस्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं। इसमें स्नायु ( ligaments ) सहायक होते हैं। संघियाँ कई प्रकार की होती हैं। गति के अनुसार इनके भेद निम्नलिखित हैं :

(क) बल संघियाँ, जैसे स्कंध संधि ( Shoulder joint )। बल संघियों के प्रभेदों में हैं (अ) फिलजनेवाली संघियाँ, जैसे रीढ़ की संघियाँ, (आ) खूँटीदार संघियाँ, जैसे अथम, द्वितीय कशेरुक तथा पंच कपालस्थि संधि, (इ) कञ्जेनुमा संधि, जैसे कूर्पर संधि तथा (ई) गेंद गड्ढा संधि, जैसे वंक्षण संधि।

(ख) अचल संघियाँ, जैसे करोटि और कपाल संधि ( cranial suture )।

(ग) अल्प गतिशील संघियाँ—अगास्थि संधि।

आकृति के अनुसार संघियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है : (क) तांतव संधि ( fibrous joint ), (ख) उपास्थि संधि ( cartilaginous joint ) तथा (ग) स्नेहक संधि ( synovial joints )।

(क) तांतव संधि—इसके उदाहरण कपाल संघियाँ, दाँत के उज्जल तथा खंभिकांतर संधि ( tibiofibular joint )।

(ख) उपास्थि संधि — यह दो प्रकार की होती है। इसमें अल्पगति होती है, जैसे अगास्थि संधि।

( ग ) स्नेहक संधि — इसके अंतर्गत प्रायः शरीर की समस्त संघियाँ आती हैं। इस प्रकार की संघियाँ विभिन्न गतियों के अनुसार अनेक वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं।

संघियों के ऊपर से पेशियाँ गुजरती हैं तथा उन्हें गति प्रदान करती हैं। संघियों की अपनी हडि़र बाहिकाएँ होती हैं। संघियों का विलगना ओठ लगने से होता है। इसे संधिभ्रंश कहते हैं। संघियों की स्नायु पर आघात होने को मोच कहते हैं।

( ३ ) पेशी तंत्र — पेशियों का निर्माण कई पेशी तंतुओं के

मिलने से होता है। ये पेशीतंतु पेशीऊसक से बनते हैं। पेशियाँ रचना एवं कार्य के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं : ( क ) रेखित ( striated ) या ऐच्छिक, (ख) अरेखित या अनैच्छिक तथा (ग) हृदयपेशी ( cardiac )। ऐच्छिक पेशियाँ, अस्थियों पर सलम्न होती हैं तथा संघियों पर गति प्रदान करती हैं। पेशियाँ नाना आकार की होती हैं तथा कंडरा ( tendon ) या वितान ( aponeurosis ) बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये कार्य के लिये प्रेरित की जाती हैं। पेशियों का पोषण हडि़रबाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में प्रायः ५०० पेशियाँ होती हैं। ये शरीर को सुंदर, सुडील, कार्यशील बनाती हैं। इनका गुण संकुचन एवं प्रसार करना है। कार्यों के अनुसार इनके नामकरण किए गए हैं। शरीर के विभिन्न कार्य पेशियों द्वारा होते हैं। कुछ पेशी समूह एक दूसरे के विरुद्ध भी कार्य करते हैं, जैसे एक पेशी समूह हाथ को ऊपर उठाता है, तो दूसरा पेशी समूह हाथ को नीचे करता है, अर्थात् एक समूह संकुचित होता है, तो दूसरा विस्तृत होता है।

पेशियाँ सर्वद स्फूर्तिमय ( toned ) रहती हैं। मृत व्यक्ति में पेशी रस के जमने से पेशियाँ कड़ी हो जाती हैं। मासवर्धक पदार्थ खाने से, उचित व्यायाम से, ये शक्तिशाली होती हैं। कार्यरत होने पर इनमें थकावट आती है तथा आराम एवं पोषण से पुनः सामान्य हो जाती हैं।

( ४ ) हडि़र परिसंचरण तंत्र — इस तंत्र में हृदय, इसके दो अलिद, दो निलय, उनका कार्य, फुफ्फुस में हडि़र शोषण तथा प्रत्येक अंगों को शुद्ध हडि़र ले जानेवाली धमनियाँ एवं हृदय से अशुद्ध हडि़र को वापस लानेवाली शिराएँ रहती हैं।

हडि़र परिसंचरण तीन चकों में विभक्त किया जा सकता है :

( १ ) फुफ्फुतीय, ( २ ) संस्थानिक तथा ( ३ ) पोर्टल। फुफ्फुस एवं वृक्क में जानेवाली धमनियाँ अशुद्ध हडि़र ले जाती हैं तथा वहाँ से शुद्ध किया हुआ हडि़र वापस शिराओं से हृदय को वापस आता है। शरीर में धमनियों का जाल होता है तथा उनकी शाखाएँ एवं प्रशाखाएँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिससे एक के कटने पर दूसरों से अंग को हडि़र पहुँचाया जाता है। मस्तिष्क की तथा हृदय की धमनियाँ अंत धमनियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इनकी शाखाएँ आपस में संगम नहीं करतीं।

अंग के हडि़र परिवहन तथा गर्भावस्था के पश्चात् के हडि़र परिवहन में अंतर होता है। गर्भ में हडि़र का शोषण फुफ्फुस द्वारा नहीं होता। इसी तंत्र में लस बाहिनियों का वर्णन भी किया जाता है। लसपर्व शरीर के रक्षक होते हैं। शीघ्र, उपसर्ग तथा आघात होने पर ये फूल जाते हैं।

हडि़र में प्लाज्मा, लाल हडि़र कोशिकाएँ, श्वेत हडि़र कोशिकाएँ आदि रहती हैं। मानव के एक घन मिमि० हडि़र में ५०,००,००० लाल हडि़र कोशिकाएँ तथा ६,००० से ९,००० तक श्वेत हडि़र कोशिकाएँ रहनी हैं। शरीर में हडि़र नहीं जमता, पर शरीर से बाहर निकलते ही हडि़र जमने लगता है। ( देखें हडि़र )।

ऊर्ध्व एवं अघः महाशिराएँ समस्त शरीर के हडि़र को हृदय

के दक्षिण में अक्षिण में जाती है, जहाँ से रुधिर दक्षिणी निलय में जाता है। निलय से रुधिर हृदय के स्पर्दन के कारण फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस में शोषण के लिये जाता है तथा शुद्ध होने के बाद वह फुफ्फुसीय धिराओं द्वारा बाएँ अक्षिण में जाता है। बाएँ अक्षिण के संकुचन के कारण रुधिर बाएँ निलय में जाता है, जहाँ से महाधमनी एवं उसकी शाखाओं द्वारा समस्त शरीर में जाता है। शिराओं में अशुद्ध रुधिर धीरे धमनियों में शुद्ध रुधिर रहता है, पर फुफ्फुसीय धमनी एवं बृहत् धमनी इसका भ्रमवाद हैं। हृदय का स्पर्दन एक मिनट में ७२ बार होता है। हृदय हृदयावरण से आवृत रहता है। अक्षिण तथा निलय के मध्य कपाठ रहते हैं, जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं (देखें हृदय)।

(५) श्वाश्व तंत्र — इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्वाश्व भाग हैं :

(क) श्वसन तंत्र — इस तंत्र में श्वासोच्छ्वास क्रिया में काम करनेवाले समस्त अंगों की रचना का वर्णन आता है। इसमें नासा, कंठ, स्वरयंत्र, श्वासनली, श्वसनिका फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण तथा उन पेशियों का, जो श्वासोच्छ्वास क्रिया कराती हैं, वर्णन मिलता है। इस तंत्र द्वारा रुधिर का शोषण होता है। मनुष्य एक मिनट में १६-२० बार श्वास लेता है (देखें श्वसनतंत्र)।

(ख) पाचन तंत्र — इस तंत्र में वे सब अंग संमिलित हैं, जो भोजन के पाचन, अवशोषण, अव्योषण से संबंधित हैं, जैसे मोष्ठ, दाँत, जिह्वा, कंठ, अम्लनलिका, आमाशय, पक्वाशय, लघु आंत्र, बृहत् आंत्र, मलाशय, यकृत अग्न्याशय (pancreas) तथा लाला-ग्रंथियाँ। अम्ल नलिका १० इंच लंबी होती है तथा विशेषतः वक्ष गुहा में रहती है। आंत्र की लंबाई २० फुट होती है। पक्वाशय अंग्रेजी के सी (C) के आकार का, अग्न्याशय के चारों ओर, १० इंच लंबा होता है। यकृत (देखें यकृत) उदर गुहा में ऊपरी तथा दाहिनी ओर रहता है। इसका भार १½ किलोग्राम है तथा यह खंडों में विभाजित रहता है। इसके पास में पित्ताशय होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। उदर गुहा के ये सब अंग पेरिटोनियम कला से आवृत रहते हैं। इस कला के दो भाग होते हैं : एक वह जो गुहाभित्ति पर लगा रहता है, दूसरा आशयों पर संलग्न रहता है। यह कला फुफ्फुसावरण तथा मस्तिष्कावरण के समान ही है। पेरिटोनियम कला की गुहा, इसके दो स्तरों के मध्य में होती है, जिसमें जल का पतला स्तर होता है, परंतु स्त्रियों में डिंबवाहिनी गुहा, गर्भाशय गुहा तथा योनि गुहा द्वारा यह बाह्य वातावरण में खुलती है। इन पेरिटोनियम कला की परतों के द्वारा आशय उदर गुहा में लटके रहते हैं।

(ग) मूत्र तथा जनन तंत्र — इन तंत्रों का वर्णन निम्नलिखित है :

(१) मूत्रतंत्र — मूत्राशय, मूत्रनली, प्रॉस्टेटग्रंथि तथा इनकी रुधिर वाहिनियाँ आदि इस तंत्र के अंतर्गत हैं। मूत्रक के दो गोले कटि कशेरुक के दोनों ओर रहते हैं। ये रुधिर से मूत्र को पृथक् करते हैं। यह मूत्र, नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता है तथा वहाँ से आशय के श्वासानुसार मूत्रनली से बाहर निकलता है। गवनिधियों की

लंबाई १० इंच होती है। मूत्राशय मगास्थि के पीछे ओरिण गुहा में रहता है तथा मूत्र के मात्रानुसार आकार में फैलता जाता है। पुरुषों में मूत्र नली की लंबाई ७½ इंच तथा स्त्रियों में मूत्र नली की लंबाई १½ इंच होती है (देखें मूत्रतंत्र)।

(२) जनन तंत्र — पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन तंत्र के भिन्न भिन्न अंग हैं। पुरुष के अंडकोष में दो अंड ग्रंथियाँ रहती हैं। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु शुक्रवाहिनियों द्वारा ओरिणगुहा स्थित शुक्राशयों में ले जाए जाते हैं। वहाँ शुक्राशय द्रव इनमें मिल जाता है। दोनों शुक्राशय मूत्रनली के पुरस्थ भाग में खुलते हैं। मैथुन द्वारा पुरुष अपने शुक्र का त्याग मूत्रनली द्वारा करता है। स्त्रियों में मगास्थि तथा मूत्राशय के पीछे स्थित ऊर्ध्व, लंबा गर्भाशय स्थित है। ओरिण गुहा में दोनों ओर बायाम के समान दो ग्रंथियाँ रहती हैं, जिन्हें डिंब ग्रंथियाँ कहते हैं। इनमें ग्रॉफियन पुटिका (Graafian follicle) से डिंब का निर्माण होता है। डिंब प्रति मास डिंब वाहिनियों द्वारा ग्रहण किया जाता है और वहाँ शुक्राणु द्वारा प्रफलित होने पर गर्भाशय में अवस्थित होकर, वृद्धि प्राप्त करता है, अथवा प्रति मास गर्भाशय अंतर्कला के टूटकर निकलने से होनेवाले मासिक रुधिरस्राव के साथ, यह अग्रफलित डिंब बाहर फेंक दिया जाता है। (देखें जननतंत्र)।

(६) तंत्रिका तंत्र — इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : (अ) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा (आ) स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र।

(अ) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क मेरु तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अग्र मस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पौंस, श्वेतक, मेरुशीर्ष, मेरु एवं मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के १२ जोड़े तथा मेरु तंत्रिकाओं के ३१ जोड़े होते हैं (देखें तंत्रिका-तंत्र तथा मस्तिष्क)।

मस्तिष्क करोटि गुहा में रहता है तथा तीन कलाओं से, जिन्हें तानिकाएँ कहते हैं (देखें तंत्रिकाएँ), आवृत रहता है। भीतरी दो कलाओं के मध्य में एक तरल रहता है, जो मेरुद्रव कहलाता है। यह तरल मस्तिष्क के भीतर पाई जानेवाली गुहाओं में तथा मेरु की नलिका में भी भरा रहता है। मेरु कशेरुक नलिका में स्थित रहता है तथा मस्तिष्कावरणों से आवृत रहता है। यह तरल इन अंगों को पोषण देता है, इनकी रक्षा करता है तथा मलों का विसर्जन करता है।

मस्तिष्क में बाहर की ओर धूसर भाग तथा अंदर की ओर श्वेत भाग रहता है तथा ठीक इससे उल्टा मेरु में रहता है। मस्तिष्क का धूसर भाग सीताओं के द्वारा कई सिलवटों से युक्त रहता है। इस धूसर भाग में ही तंत्रिका कोशिकाएँ रहती हैं तथा श्वेत भाग लघोजक ऊतक का होता है। तंत्रिकाएँ दो प्रकार की होती हैं : (१) प्रेरक (Motor) तथा (२) संवेदी (Sensory)।

मस्तिष्क के बाहर तंत्रिका जोड़ों के नाम निम्नलिखित हैं (देखें तंत्रिका) : (१) आश्रय तंत्रिका, (२) दृष्टि तंत्रिका, (३) अक्षिग्रंथक तंत्रिका, (४) चक्रक (Trochlear) तंत्रिका, (५) त्रिक तंत्रिका, (६) उद्धिवर्तनी तंत्रिका (Abducens), (७) ध्यानन तंत्रिका, (८) श्रवण तंत्रिका, (९) जिह्वा कंठिका तंत्रिका, (१०) वेगस-

तंत्रिका (Vagus), (११) श्रेष्ठ सहायिका तंत्रिका तथा (१२) अधोभिहक (Hypoglossal) तंत्रिका। मस्तिष्क एवं मेरु के दूसरे भाग में ही संज्ञा केंद्र एवं नियंत्रण केंद्र रहते हैं। मेरु में संवेदी (पश्य) तथा चेष्टावह (अस) तंत्रिका जुड़ रहते हैं।

अस मस्तिष्क दो गोशार्शों में विभाजित रहता है तथा इसके भीतर दो गुहाएँ रहती हैं, जिन्हें पार्श्वीय निम्न कहते हैं। संवेदी तंत्रिकाएँ शरीर की समस्त संवेदनाओं को मस्तिष्क में पहुँचाकर अनुकृति देती हैं तथा चेष्टावह तंत्रिकाएँ वहाँ से आज्ञा लेकर अंगों के कार्य करती हैं। केंद्रीय तंत्रिकाएँ विशेष कार्यों के लिये होती हैं। इन सब तंत्रिकाओं के अग्रः तथा ऊर्ध्व केंद्र रहते हैं। जब कुछ क्रियाएँ अग्रः केंद्र कर देते हैं तथा पश्य ऊर्ध्व केंद्रों को ज्ञान प्राप्त होता है, तब ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएँ (Reflex action) कहते हैं। वे क्रियाएँ मेरु से निकलनेवाली तंत्रिकाओं तथा मेरु केंद्रों से होती हैं। मस्तिष्क का भार ५० औंस होता है। मस्तिष्क की कमियाँ अंतः कमियाँ होती हैं, अतः इनमें अवरोध होने पर, या इनके फट जाने पर, संबंधित भाग को पोषण मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण वह केंद्र कार्य नहीं करता, अतः उस केंद्र से निर्वाहित क्रियाएँ अवरूढ़ हो जाती हैं। इसे ही पक्षाघात (Paralysis) कहते हैं (देखें पक्षाघात)।

(घ) स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र — यह स्वेच्छा से कार्य करता है। इसमें एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करनेवाली अनुकंपी (sympathetic) तथा सहानुकंपी (parasympathetic), दो प्रकार की तंत्रिकाएँ रहती हैं। शरीर के अनेक कार्य, जैसे श्वसनपरिसंचरण पर नियंत्रण, हृदय-घति पर नियंत्रण आदि स्वतंत्र तंत्रिका से होते हैं। अनुकंपी शृंखला करोड़ों गुहा से ओष्ठि गुहा तक कशेरुक दंड के दोनों ओर रहती है तथा इसमें कई गुच्छिकाएँ (ganglions) रहती हैं।

(७) ज्ञानेंद्रिय तंत्र — इनका वर्णन निम्नलिखित है :

(क) प्रायुर्द्रिय — इसका अंग नासा है। इसके द्वारा अंग का ज्ञान होता है। नासा छत से प्राण तंत्रिका अंग के ज्ञान को मस्तिष्क में ले जाती है।

(ख) स्पर्शेंद्रिय — जिज्ञा पर के स्वादाङ्कुर इसका अंग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वादों को भिन्न भिन्न स्थानों से ग्रहण करते हैं।

(ग) दृष्टीेंद्रिय — इसका मुख्य अंग नेत्र है। नेत्र गोलक फोटो केमरा के समान है। यह श्वेत पटल, मध्य पटल, तथा अंत पटल (रेटिना) से मिलित है। इसमें रेटिना ही दृष्टीेंद्रिय का काम करता है। नेत्रगोलक छिद्र, या तारा (pupil), से प्रकाश भीतर जाता है। तारा पर आइरिस (iris) रहता है, जो तारे का संकोच और प्रसार करता है। यह प्रकाश अग्र कक्ष के तरल, मध्य तथा पश्य कक्ष के तरल से होकर रेटिना पर पड़ता है, जहाँ से दृष्टि नाड़ियाँ इस ज्ञान को अग्र मस्तिष्क की अनुकपाल पालि (occipital lobe) को ले जाती हैं। रेटिना तंत्रिका तंत्र का ही अंग है। सबसे बाहर नेत्र में कॉनिया (cornea) तथा उसपर एक कक्षा रहती है। नेत्र के पास ही अक्षिगुहा में अशुभ्रंशि एवं अशुभ्रैवी रहती हैं। अशुभ्रैवी में एकद्वार रहता है (देखें नेत्र)।

(घ) श्रवणेंद्रिय — इसका अंग कर्ण है। कर्ण तीन विभागों में विभक्त है : बाह्य, मध्य एवं अंत। बाह्य कर्ण के आंतरिक छोर पर स्थित अवलंब पटल पर ऊपर के कर्पण, ध्वनि लहरियों के रूप में होते हैं, जिन्हें मध्य कर्ण की तीन प्रास्थियाँ, मैलियस (Malleus), इंस (Incus) तथा स्टेपीज (Stapes) ग्रहण करती हैं तथा अंतकर्ण के कर्णवर्त (cochlea) की ओर भेजती हैं। कर्णवर्त में तरल रहता है तथा अवलंब तंत्रिकाओं द्वारा ध्वनि का ग्रहण कर अग्र मस्तिष्क की अंतर्पालि (temporal lobe) में अवलंब का कार्य होता है। कर्ण अंतर्पालि में स्थित है। अंतकर्ण में स्थित अर्धबृताकार नलिकाएँ संतुलन का काम करती हैं (देखें कान)।

(घ) स्पर्शेंद्रिय — इसके अंतर्गत त्वचा आती है। त्वचा से ही गरमी ठंडक, सुखता, कठोरता, पीड़ा, स्पर्श आदि का ज्ञान होता है। त्वचा के दो भाग होते हैं : (१) बाह्य त्वचा तथा (२) अंतर्त्वचा। तलुएँ और हथेली में त्वचा की मोटाई कुछ की त्वचा की मोटाई से १० गुनी होती है। त्वचा शरीर को बाहर से आवृत कर रक्षा एवं मलविसर्जन भी करती है। त्वचा में एक स्तर रंजक कणों का भी होता है। त्वचा में रोमरूप तथा स्वेद ग्रंथियाँ भी होती हैं। त्वचा ताप का नियंत्रण भी करती है। इसी तरह त्वचा में अवशोषण का कार्य भी होता है। त्वचा में नख शय्या भी होती है (देखें त्वचा)।

### भ्रूण विज्ञान

इसके अंतर्गत शुक्राणु, डिंब, उनका निमर्ण, समिलन, गर्भाशय में स्थिति, पोषण, जरायु, अचरा का निर्माण, भ्रूण की आताहिक एवं मासिक वृद्धि, भ्रूण के भिन्न भिन्न अंगों प्रत्यंगों, संस्थानों का निर्माण तथा अमल के निर्माण का संपूर्ण विषय आता है। आजकल इस संबंध में ज्ञान की अभिवृद्धि बहुत हो गई है, अतः यह अब एक भिन्न शास्त्र ही माना जाने लगा है। इसके अध्ययन के अंतर्गत आनुवंशिकी, प्रायोगिक भ्रूण विज्ञान तथा रासायनिक भ्रूण विज्ञान भी आता है। जन्मजात विकृतियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। शरीर के मुख्य अंग हैं : श्वसन, श्रवण, जल, उदर, हाथ और पैर होते हैं। शरीर की गुहाएँ हैं : (अ) श्वसन गुहा, (आ) जलगुहा तथा (इ) उदर गुहा। जलगुहा और उदरगुहा महामाशीरा पेशी द्वारा विभक्त की जाती हैं। उदर गुहा में वास्तविक उदरगुहा तथा ओष्ठि गुहा दोनों का समावेश होता है।

### बाहिरीहीन अंगियाँ

इनके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थाइरोइड (thyroid), पैराथाइरोइड, वायसस, अश्विभूक, पैन्क्रियास (pancreas), अंड ग्रंथि, अथवा डिंब ग्रंथि, तथा पीनिथल (penial) ग्रंथि आती हैं। पीयूष ग्रंथि इन सबकी निदेशक और संचालक है। यह श्वसनगुहा में अपने जात में मस्तिष्क के अग्र रहती है। इसके कई शाख हैं, जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। थाइरोइड, पैराथाइरोइड श्रवण में सामने की ओर स्थित हैं। वायसस हृदय के सामने सुनावस्था तक रहती है। अश्विभूक अंशि वृक्क के ऊपर रहती है। पैन्क्रियास में स्थित अंतर्हीन के द्वीप वस्तुतः अंतर्हीन अंगियाँ हैं। यह अंतर्हीन (duodenum) के केरे में उदर गुहा के पञ्चम भाग में रहते हैं। गुच्छक में

संकेत संकेतों में तथा स्थलों में विषय संकेतों को गृह्य में रक्षित है। यीनियम संकेत-प्रतिष्ठा में रक्षित है।

**भारतसौख्य शरीररचना विज्ञान**

शरीर रचना की यह महत्वपूर्ण कक्षा है और शल्य चिकित्सा तथा रोग निदान में अत्यंत सहायक होती है। इसी से ज्ञात होता है कि दाहिनी बसन्ती पशुंका के कार्डियक के नीचे पित्ताशय रहता है, या हृदय का शीर्ष (apex) ५ सेंटीमीटर पशुंका से सटा, शरीर की मध्य रेखा से ६ सेमी० बाईं ओर होता है, अथवा भ्रूणस्थ, दूधबकरकल से १ सेमी० ऊपर होती है तथा १ सेमी० पार्श्व में बाह्य उदरी मुद्रिका स्थित रहता है। शरीर में स्थित जहाँ बिंदु, रचना पर पहचाने जा सकते हैं, वहाँ से रचना के अंतःस्थित अंगों को रचना पर खींचकर, उस स्थान पर काटने पर वही अंग हमें मिलना चाहिए।

इसी प्रकार इस कक्षा को अध्ययन करने की एक और विधि है जिसमें एकदम से सहायता लेते हैं। इसे रेडियोलॉजिकल मॉन्टैजी कहते हैं। अस्थियों के प्रतिरक्त अब धमनियों, नृक, मूत्राशय आदि अनेक अंगों की रचना तथा स्थिति का अध्ययन इससे करते हैं। इससे अंगों की वास्तविक रचना तथा विकृत रचना दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है।

[ अ० सं० वि० गु० तथा अ० ति० ]

**शर्करा देवें जीनी ।**

**शर्मा, केदार** का जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल अयोधसी सं० १९५४ में भागलपुर जिले के साहबगंज में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई किंतु बाद में वे काशी चले गए। इन्होंने प्रयाग के इंडियन प्रेस में जर्मन कलाकार शुई जोमर के सान्निध्य में चित्रकला की अध्यापना की। इनका घर का नाम नारायण था किंतु कलाजगत् में चित्रकार केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलम और कूची के समान रूप से धनी थे। बनारस, बनारसी रंग और जीवन इनकी कला और साहित्य में विशेषतः व्यंजित हुए। रंग और रेखाओं के अंकन में बड़े सिद्ध थे। १९२० में केदार जी ने अपनी व्यंग्य और हास्यमूलक अनुभूतियों को आकार देना शुरू किया और १९२५ तक पौराणिक, साहित्यिक और राजनीतिक संदर्भों में अनेक व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किए। कलाक्षेत्र में वे प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने सांस्कृतिक विषयों को लेकर हास्य चित्र बनाए। इन्होंने व्यंग्य चित्रों की कई सीरीज बनाई थी। इनमें व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता थी। बिहारी ससई के बोर्णो पर अनेक व्यंग्य चित्र बनाए जो प्रयाग की प्रसिद्ध पत्रिका 'सरस्वती' में प्रकाशित हुए। इन चित्रों की विशेषता यह रही है कि आकृतियों में मूल प्रकृति और भावना का हनन नहीं हुआ। इनके राजनीतिक कार्टूनों में बड़ा तीक्ष्णता था। इन्होंने मङ्कल मिश्र के नाम से दैनिक 'भाज' में पारावाहिक रूप से व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किए। व्यक्तिचित्र, हास्यचित्र, रेखाचित्र और व्यंग्यचित्रों में इनकी उच्च गति थी। वे यथासंभव सीसी के चित्रकार थे। भारतेंदु और निरामा जैसे साहित्यकारों पर इन्होंने प्रतीकारत्मक चित्र बनाए थे। दो युगों तक हिंदीजगत् में एकमात्र पुस्तक-चित्रकार थे। इनके आत्मचित्र बड़े आर्थिक होते थे। लेखक के रूप में इनके व्यक्तिचित्र विषयों को हिंदी संसार में पारंगत विधि। इनके व्यंग्यचित्र विषय 'विचित्रता', 'आत्मकथा', 'बाबू' और 'नागुरी' में और

व्यक्तिचित्र विषय 'भाज' के रचियारी अंकों में प्रकाशित हुए जिनके अनेक चित्रों की विज्ञान भी वे स्वयं बना देते थे। कुछ वर्षों तक 'भाज' और 'तरंगिनी' में व्यंग्य चित्रकार के रूप में काम किया। संगीत में गहरी परिचित थी। स्वयं सुरीले वासुरी वादक थे और हारमोनियम भी अच्छा बजाते थे। इनके शिष्य कलाजगत् में बहु-विधि कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आरंभिक युक्त अनुभूति सं० २०२३ वि० को काशी में स्वयंवास हुआ। इनकी छोटी लड़की श्रीमती श्यामलता तिवारी बंबई में क्यातिप्राप्त चित्रकार हैं।

[ पा० ना० सि० ]

**शर्मा, चंद्रधर, गुलेरी** जन्म सं० १९४० (१८८३ ई०) में हुआ। पिता पंडित शिवराम संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् थे। उनकी विद्वत्ता की क्याति सुनकर जयपुर नरेश रामसिंह ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। 'होनहार बिरवान के होत भीकने पात' के अनुसार चंद्रधर शर्मा ने शैलव में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्वान् पिता से हुई। छह सात वर्ष की अवस्था में ही वे अच्छे प्रकार संस्कृत में बोलने लगे। सं० १९५६ वि० (१८९९ ई०) में प्रयाग विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके पश्चात् इन्होंने अपने अध्ययन क्रम में ही जयपुर के मानमंदिर के उद्धार में दो विदेशी विद्वानों की सहायता की तथा लेफ्टिनेंट गैरट के साथ (The Jaipur Observatory and its Builder) ग्रंथ लिखा और इस कार्य के एक वर्ष के पश्चात् सं० १९६० (१९०३ ई०) में प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए किया। वे दर्शन शास्त्र में एम० ए० करना चाहते थे, किंतु जयपुर के महाराजा के आग्रह से उन्हें अध्ययन छोड़कर खेतड़ी के राजा जयसिंह के सरसक तथा शिक्षक बनकर मेयो कालेज, अजमेर जाना पड़ा। कुछ वर्ष पश्चात् वे वहीं संस्कृत के प्रधानाध्यापक हो गए। परंतु उनके अपने स्वाध्याय में व्यापक नहीं पड़ा। वे अति प्रतिभावान् थे। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाकि, प्राकृत, अपभ्रंश पर तो उनका असाधारण अधिकार था ही, भराठी, बँगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, भाषाविज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व का गंभीर अध्ययन किया। गुलेरी जी की प्रतिभा एवं विद्वत्ता से प्रभावित होकर ही महामना मालवीय जी ने उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग में 'मंशींद्रचंद्र नंदी' पीठ का प्राचार्य (प्रोफेसर) और साथ ही प्राध्यविद्या एवं धर्मविज्ञान महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। परंतु भारतीय वाक्यमय का यह दुर्भाग्य था कि सं० १९७९ (सन् १९२२ ई०) में केवल ३९ वर्ष की आयु में गुलेरी जी का निधन हो गया।

गुलेरी जी ने वर्षों तक 'समालोचक' का बड़ी ही योग्यता से संपादन किया था। उनके शोधपूर्ण लेखों ने इस पत्र का स्तर अति उन्नत बना दिया था। भाषा, संस्कृति, इतिहास, दर्शन आदि का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसपर गुलेरी जी ने साधिकार कुछ न लिखा हो। उनकी अधिकांश रचनाएँ हिंदी में ही हैं। हिंदी के प्रति उन्हें विशेष अनुपम था। काशी की 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' के संपादन में उनका विशिष्ट स्थान था। गुलेरी जी की मेरुस्थ से ही

बाहपुरा के राजा भी उम्मेद सिंह जी ने अपनी स्वर्गीया पत्नी सूर्य-कुमारी जी की स्मृति में नागरीपचारिणी समा के तत्वावधान में सूर्यकुमारी पुस्तकमाला बनाने के लिये प्रचुर दान दिया। वहाँ तक इस पुस्तकमाला का संवादन गुलेरी जी ने ही किया।

संवरचना की अपेक्षा गुलेरी जी ने स्फुट रूप में साहित्य, भाषा विज्ञान एवं भाषोचना के क्षेत्र में लेख प्रथिक लिये। उनकी भाषा और शैली की प्रमुख विशेषता है सजीवता, संकेतमयता, बहना एवं व्यंजनामयता। यद्यपि गुलेरी जी ने पर्याप्त लिखा है, तथापि उनकी 'उसने कहा था' शीर्षक कहानी ही उन्हें साहित्यजगत् में अमर बनाने के लिये पर्याप्त है। यह अत्युत्तम एवं बेजोड़ कहानी है। वैसे उनकी 'सुखमय जीवन' तथा 'बुद्ध का कांटा' कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं। उनके प्रकाशित ग्रंथों में 'पुरानी हिंदी' का विशिष्ट स्थान है। 'कछुआ धर्म', 'मारेसि मोहि कुठाउ' आदि लेखों में बड़ी ही मधुर और तीक्ष्ण आर रहती थी। उनके लेखों को अच्छी प्रकार समझने के लिये पाठक का बहुरूप, बहुपठित एवं बहुश्रुत होना आवश्यक है। उनका अध्ययन बड़ा विस्तृत था। स्थल स्थल पर वेद, ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिषद्, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि के संकेत देते गए हैं। यदि संकेतित ग्रंथ के विषय से पाठक का परिचय नहीं है तो वह संबंधित लेख को पूरी तरह समझ नहीं सकता। [पृ० ना० शा०]

**शर्ले, सर ऐंयनी** (१५६५-ल० १६३५ ई०) अंग्रेज यात्री। ससेक्स क्षेत्र के विस्टनवासी सर टॉमस शर्ले के द्वितीय पुत्र। इन्होंने नीदरलैंड और नार्वे की विख्यात लड़ाइयों में सैनिक अनुभव भी प्राप्त किए थे। इन्होंने १५९६ में अफ्रीका के पश्चिमी किनारे और केंद्रीय अमरीका की यात्राएँ कीं लेकिन १५९७ में विशेष सफलता पाए बिना ही लौटना पड़ा। इसके बाद १५९८ में इटली में फाररा पर अधिकार करने के लिये अंग्रेजी दल का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया किंतु इस समस्या के सुलझाने का इन्हें अवसर ही नहीं मिला। तब फारस और इंग्लैंड के अत्यावसायिक संबंधों की वृद्धि के लिये इन्होंने वेनिस से फारस की यात्रा की। याह ने इन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में मास्को, प्राग, रोम, आदि स्थानों पर भेजा। प्राग से इन्होंने मोरक्को, लिस्बन और मैड्रिड की यात्राएँ कीं। इन्हें पवित्र रोमन साम्राज्य के काउंट की उपाधि मिली थी। मैड्रिड में इनका देहांत हो गया। [पृ० २१०]

**शलजम** (Turnip, Brassica rapa) क्रुसीफेरी (वेले क्रुसीफेरी) कुल का पौधा है। कोई इसे रूस का और कोई इसे उत्तरी यूरोप का देशज मानते हैं। आज यह पृथ्वी के प्रायः समस्त भागों में उगाया जाता है। इसकी जड़ मोटी होती है, जिसको पकाकर खाते हैं और पत्तियाँ भी खाक के रूप में खाई जाती हैं। पशुओं के लिये यह एक बहुमूल्य चारा है। कुछ स्थानों में मनुष्यों के खाने के लिये, कुछ स्थानों में पशुओं को खिलाने के लिये और कुछ स्थानों में इन दोनों कामों के लिये यह उगाया जाता है। इसमें डोस पदार्थ ६ से १२ प्रतिशत और कुछ विटामिन, विशेषतः 'बी' और 'सी' रहते हैं। यह शीतकालीन पौधा है। अधिक गरमी यह सहन नहीं कर सकता। पौधे लगभग

१८ इंच ऊँचे और फलियाँ एक से डेढ़ इंच लंबी होती हैं। इसके फूल पीले, या पांशु, या हल्के नारंगी रंग के होते हैं। शलजम का वर्गीकरण इसकी जड़ के आकार पर, अथवा जड़ के ऊपरी भाग के रंग पर, किया गया है। कुछ जड़ें लंबी, कुछ मोलाकार, कुछ चिपटी और कुछ प्याले के आकार की होती हैं। कुछ किस्म के शलजम के मुद्दे सफेद और कुछ के पीले होते हैं। भारत में उपयुक्त सब ही प्रकार के शलजम उगाए जाते हैं।

शलजम बोने के लिये खेतों की खुलाई गहरी और अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सड़ी गोबर की खाद प्रति एकड़ १०-१५ टन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेस शाला उर्वरक ८६० पाउंड डालने से पैदावार अच्छी होती है। इसका बीज छिट-काना, या ड्रिल द्वारा, कतार में बोया जाता है। एक एकड़ के लिये छह से आठ पाउंड तक बीज की आवश्यकता पड़ती है। प्राये इंच की गहराई पर बीज बोया जाता है। यदि मिट्टी कड़ी या मटियार हो, तो मेंडों पर भी बीज बोया जा सकता है। बीज शीघ्र ही अम जाता है। जब जाने पर पौधों को विरलित करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वे चार से छह इंच की दूरी पर ही रहें। पौधे शीघ्र ही बढ़ते हैं। लंबे समय तक अच्छी नरम जड़ की प्राप्ति के लिये, एक साथ समस्त खेत को न बोकर १०-१५ दिन के अंतर पर बोना अच्छा होता है। आषाढ़ सावन में बीज बोया जाता है। दूसरी बार फरवरी से जून के आरंभ तक बोया जाता है। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पर अन्य मौसिम में प्रत्येक ८-१० दिनों में सिंचाई आवश्यक होती है। ठंडे देशों में गरमी में भी इसकी बोआई होती है। भारत में पैदावार प्रति एकड़ सामान्यतः २०० मन होती है, पर पूरी खाद और उर्वरकों की सहायता से, सरलता से, उधोड़ी और दुगुनी की जा सकती है। पौधों में कुछ कवक (तना गलना आदि) और कुछ कीड़े (पुन, पिस्सू, गुबरेले, सूंड़ी आदि) भी लगते हैं, जिनसे बचाव का उपाय करना आवश्यक होता है। [पृ० २१० मे०]

**शलजम, जिप्सी** (Moth, Gypsy) जिप्सी शलजम लेपिडोप्टेरीय (Lepidopterous) कीट है, जो लाइमैनट्राइडी (Lymantriidae) कुल के अंतर्गत आता है। इस कुल के अंतर्गत कुछ बड़े भयंकर कीट भी पाए जाते हैं। ये शलजम मध्यम आकार के होते हैं। इनकी टाँगें बने बालों से ढंकी रहती हैं। इस कुल के शलजम प्रायः रात्रि में उड़नेवाले होते हैं, परंतु कुछ दिन में भी उड़ते हैं।

जिप्सी शलजम के वयस्क नर का रंग भूरा होता है, जिसमें कुछ पीले निशान होते हैं जो डेढ़ इंच तक फैले होते हैं। दिन में यह स्वच्छता से उड़ता है। मादा शलजम के पंख, जिनपर काले निशान होते हैं, लगभग सफेद होते हैं। इसका शरीर भारी और पुष्ट होता है तथा पांशु रंग के बालों से ढंका रहता है। पंख लगभग दो इंच तक फैले होते हैं, परंतु ऐसे बिकसित पंखों के होते हुए भी ये शरीर के भारीपन के कारण उड़ती नहीं।

मादा जड़े में अंडाकार गुच्छों में अंडे देती है, जो पांशु बालों से ढंके होते हैं। प्रत्येक गुच्छे में ५००-५०० अंडे होते हैं। अंडे देने के लिये मादा स्थान के चयन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती। ये

स्थान वृक्ष की शाखाएँ, बड़, बड़ों के कोटर, पत्थर और टिन के डिब्बे तक हो सकते हैं। बसंत में बड़ों के फूटने पर इल्लियाँ (caterpillars) निकल आती हैं। इल्लियाँ अनेक प्रकार की पत्तियाँ खाती हैं। सेब, बाज, बिलो, अल्डर और बर्च की पत्तियाँ इन्हें विशेष प्रिय हैं। इस प्रकार खाते खाते इल्लियाँ जुलाई के प्रारंभ तक काफी बड़ी हो जाती हैं।

जब तक इल्लियों का आकार लगभग तीन इंच संवा और वेंसिल सा मोटा हो जाता है। ये धूरे रंग की होती हैं और इनके शरीर के कुछ भाग पर बुच्छेदार बाल होते हैं। इनकी पीठ पर पाँच जोड़ी नीले धब्बे होते हैं, जिनके पीछे छह जोड़े लाल धब्बे होते हैं।

भोजन के पश्चात् इल्लियाँ किसी वृक्ष की शाखा, या तने के भीतर, उपयुक्त स्थान में चली जाती हैं। वहाँ पर वे अपने शरीर को पकड़ रखने के लिये कुछ तागों का कोया (cocoon) बुनती हैं। इसी कोए में इल्लियाँ 'प्यूपा' (pupa) बनती हैं और सात से १७ दिनों के पश्चात् शलभ के रूप में निकल आती हैं।

वितरण — शलभों का वितरण चार प्रकार से होता है : (१) इल्लियों के रेंगने से, (२) जिन पदार्थों पर बंधे रहते हैं, उन्हें अन्य स्थानों को ले जाने से, (३) वृक्ष से इल्लियों का तागा बुनते हुए किसी वाहन पर स्थानांतरित हो जाने से तथा (४) पवन की सहायता से।

शलभों द्वारा गंभीर हानियाँ होती हैं। इल्लियाँ बड़ी वेद होती हैं और यदि इनकी संख्या अधिक हो, तो ये वृक्षों और सदाबहार की पत्तियों को खाकर कुछ वर्षों में वृक्षों को सुखा देती हैं। इल्लियों को नष्ट करने के दो तरीके हैं : (१) प्राकृतिक तथा (२) कृत्रिम। प्राकृतिक रीतियों से, यद्यपि अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, तथापि इल्लियाँ समूल नष्ट नहीं होती। कृत्रिम रीतियाँ निम्नलिखित हैं : (१) बड़ के फाड़े को किण्वो-सोड में डुबाकर, बड़ों के गुच्छों को उपचारित करना। इस रीति से सब बड़ों का पता लगना कठिन है, (२) दूसरी रीति में, इल्लियों के छोटे रहने पर ही, पेड़ों और अन्य पौधों पर लेड आर्सेनेट छिड़का जाता है (५० गैलन जल में २ १/२ पाउंड लेड आर्सेनेट रहता है, पर जब लार्वा बड़ा हो जाता है, तब इस विष के प्रति वह प्रतिरोधी हो जाता है)। [ २१० पं० स० ]

शालाका अलक्षिया या सूतकर्म भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है (दे० 'अलक्षिया')। वैदिक काल में और उसके बाद महाभारत के युग में यह बहुत प्रचलित था। यह अल या शलाका (पासा) से खेला जाता था। इन शलाकाओं पर धंक्र सिद्धे होते थे जिनकी गणना को दाबें कहा जाता था। इनसे खेलते समय कभी कभी अक्षराओं का आवाहन किया जाता था जो अपने प्रभाव से अनुकूल शब्द साती थीं। दाबों पर छोटी या बड़ी बनराक्षियाँ लपटाई जाती थीं। पांडवों ने तो त्रौपदी को भी दाबों पर लपटा दिया था। खेलनेवाले पक्षों को अपनी विजय की बड़ी खिता रक्षुवी की और जब कुलकर्ता से काम नहीं बनता दीक्षता या तो मंत्र का प्रयोग किया जाता था। इसविधे

शलाकाओं को अभिमंत्रित करके खेल खेला जाता था (दे० पासा)। [ म० ला० श० ]

शुन्य मद्रदेश के राजा जो पांडु के सगे साने और नकुल सहदेव के मामा थे। परंतु महाभारत में इन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया और कर्ण के सारथी बन गए थे। कर्ण की मृत्यु पर युद्ध के अंतिम दिन इन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथ मारे गए। इनकी बहन माद्री कुंती की सौत थीं और पांडु के शव के साथ खिता पर जीवित भस्म हो गई थी। [ २१० द्वि० ]

शल्यचर्मा (Echinodermata) पूर्णतया समुद्री प्राणी है। जंतु-जगत् के इस बड़े संघ में तारामीन (starfish), ओफियोराइड (Ophiroids) तथा होलोथूरिया (Holothuria) आदि भी संमिलित हैं। अंग्रेजी शब्द एकाइनोडर्मेटा का अर्थ है, काटिदार चमड़ेवाले प्राणी। शल्यचर्मों का अध्ययन अनेक प्राणिविज्ञानियों ने किया है। इस संघ में ४,००० प्रकार के प्राणी हैं, जो संसार के सभी सागरों और विभिन्न महाद्वारों में पाए जाते हैं।

विशिष्ट लक्षण — शल्यचर्मों की परिभाषा हाइमन (Hyman), (१९५५ ई०) ने इस प्रकार दी है, "यह अंत गुहायुक्त, पंच शरीय सममित देहवाला प्राणी (Coelomate animal) है। इसका उरधान शीर्षहीन, द्विपार्श्विक (bilateral) सममिति प्राणी से हुआ है तथा इसमें जलसंवहनीतंत्र है।"

ये बहुकोशिक प्राणी हैं और अल्प विकीर्ण संघ (radiate phylum) से अपने कोशलेपन तथा अपने व्यापक संगठन द्वारा पहचाने जाते हैं। इनका शरीर गोला, बेलनाकार अथवा ताराकार होता है, इनके बिंब (disc) से या ती सरल भुजाएँ, अथवा पात्रवत् प्रसारित भुजाएँ, विकरित होती हैं। इनके शरीर पर झनेदार प्रक्षेप होते हैं। होलोथूरिया प्रक्षेपविहीन होते हैं। इनके शरीर में मुखी (oral) तथा अपमुखी (aboral) तल होते हैं। प्रत्येक शल्यचर्मों के शरीर में पाँच सममित विकीर्णित खाँचे (groove) होते हैं, जिन्हें बीधी लेख (ambulacrum) कहते हैं। इनके मध्य के स्थान को मध्यार त्रिजिया कहते हैं। इनका शरीर पाँच शरीय एवं मध्यारीय क्षेत्रों में विभक्त रहता है। सभी अवयव शरीय सममित होते हैं।

जलसंवहनीतंत्र (water vascular system) केवल शल्यचर्मों ही में पाया जाता है। यह पानी सदा प्रव से भरी रहनेवाली नालियों, नालों तथा छोटी छोटी थैलियों से बना होता है। इसमें प्रसिका के चारों ओर एक वलय नाल (ring canal) होती है। इससे एक एक नाल प्रत्येक भुजा में जाती है, जिसे शरीय नाल (radial canal) कहते हैं। शरीय नाल से छोटी छोटी शाखाएँ नाल पादों (tube feet) में जाती हैं। नाल पाद, जिनके कार्य चलना, भोजन एकत्रित करना तथा सवेदन है, शरीय नाल के दोनों ओर होते हैं। तारामीन एवं समुद्री अर्चिन में अपमुख (aboral mouth) तथा एक अल्प छोटी सी उदग्र नाल (vertical canal) होती है, जो बाहर की ओर जल रंध्र द्वारा खुलती है। मेड्रेपोराइट (madreporite) द्वारा जल रंध्र (water pore) छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाता है। प्राथमिक शल्यचर्मों (primitive echinodermata) में जलसंवहनी

तंत्र गमन कार्य नहीं करता था, अपितु तंत्रिका तंत्र एवं श्वसन (respiration) का कार्य करता था।

शल्यचर्म में तंत्रिका तंत्र की रचना आध है तथा गुच्छिका (ganglion) आम की बनी होती है। गुच्छिका आम तीन प्रकार के होते हैं :

१. मुली अर्थात् वायुतंत्रिका तंत्र, जो ग्रसिका (gullet) के चारों ओर एक वलय (ring) की भाँति होता है।
२. उपतंत्रिका तंत्र मुली तंत्र के नीचे होता है।
३. अममुली, अर्थात् अंतःतंत्रिका तंत्र, जो काइनोइडिया (Crinoidea) प्राणी में अत्यधिक विकसित होता है। इसमें पेरिटोनियम (peritonium) की पर्त होती है।

आंत्रनाल (intestinal canal) चक्करदार होती है। मुख, मुली अथवा अममुली होता है। काइनोइडिया में मुख तथा गुदा दोनों मुली (oral) तल पर स्थित होते हैं। गुदा की स्थिति सामान्यतः अममुली होती है। हीमल तंत्र (haemal system), जिसे परिवहन तंत्र (circulatory system) भी कहते हैं, शल्यचर्म में पाया जाता है। इस तंत्र में अनेक विशिष्ट स्थान होते हैं परंतु हृदय एवं श्विर कोशिकाएँ नहीं होतीं। लिंग ग्रन्थियाँ (sex glands) सममित होती हैं। शल्यचर्म में स्त्रीलिंग एवं पुलिंग पुषक् पुषक् इकाइयों में होते हैं, किंतु होमोपूरिया एवं क्रोफियोरॉइडिया उभयलिंगी (hemoprodite) होते हैं।

शल्यचर्म के उद्भव के संबंध में जीवाश्म विज्ञानी परस्पर सहमत नहीं हैं।

विकीर्ण शल्यचर्मों का उद्भव (Origin of radiate forms) — अन्न रीति (feeding habit) तथा गुरुत्व (gravity) के प्रभाव के कारण इनका विकिरण हुआ। अपने मुख को ऊपर किए समुद्रतल पर स्थित, भोजन धारी जल की ओर स्थानबद्ध (sessile) पूर्वजों ने भोजन संशोधी तल को अपने मुख से पृथ्वीकामय नाल (ciliated canal) की वृद्धि द्वारा विलुप्त किया। इस वृद्धि को कायिक परिनाल द्वारा स्वयं सीमित रखा गया।

अविकीर्ण शल्यचर्मों का उद्भव (Origin of nonradiate forms) — ऐसे शल्यचर्मों का उद्भव द्विपार्थिक (bilateral) जार्वा (larva) से माना गया है। समुद्र में स्थावर जीवन से चर्म पर चूनेदार कणिकाएँ (spicules) का रोपण हुआ। त्रिचरी कणिकाएँ (triradial spicules) बढ़कर तारा कणिका अण्ड स्तरों (skeletal) में क्वांतरित हो गईं। धीरे धीरे ये स्तरें छद्म रूप से संयुक्त हो गईं और इस प्रकार पूर्ण कंकाल बने। स्थिरीकरण के पहले शल्यचर्म दीर्घतल रूप में थे। यदि दीर्घतल आकृतिकाली काया बीच में स्थिर बने, तो संज्ञान आहार के दो पक्षों पर मुख और निर्वम स्थित होगे। इस प्रकार अविकीर्ण शल्यचर्मों का, जो मध्य ट्राइऐसिक कल्प (triassic period) से मत्स्य युग तक रहे, उद्भव हुआ।

बंधुता (Affinity) — शल्यचर्म के कुछ गुण अन्य प्राणियों के गुणों से सामंजस्य रखते हैं एवं कुछ गुण बर्ण विशिष्ट के हैं। शल्यचर्म भी बहुकोशिक (multicellular) प्राणी हैं तथा अंतर गुहा-

वाले प्राणियों से, देहगुहा के पृष्ठतः कोशक न होने के कारण, आंत्रनाल एवं कोशली देहगुहा के विभाजन में भिन्न हैं। सभी देहगुहाधारियों की भाँति शल्यचर्मों की आहारमूल संरचना द्विपार्थिक है और शरीर सममित तो गीण गुण है।

सभी देहगुहावाले प्राणी स्वतंत्र रूप से अंतर गुहावाले प्राणियों से उत्पन्न हुए हैं तथा देहगुहा का तीन युग्मों में विभाजन इनका प्रमुख गुण है। निम्न काडेटा (lower chordata) के सी स्क्वर्ट (sea squirt) के अतिरिक्त, सभी काडेटा प्राणियों की देहगुहा विविभाजित है। बैलनोग्लोसस (Balanoglossus) का टारनेरिया जार्वा (Tornaria larva) शल्यचर्म के जार्वा से, कुछ विशेष आहारमूल संरचना की दृष्टि से समान होता है। कई अन्य लक्षणों में सामंजस्य होने से स्पष्ट है कि शल्यचर्म तथा काडेटा एक सामान्य पूर्वज (common ancestor) से उत्पन्न हुए हैं। यह पूर्वज अन्य देहगुहावाले पूर्वजों से भिन्न था, किंतु वह पूर्ण शल्यचर्म या काडेटा नहीं कहा जा सकता है।

पारिस्थितिकी (Ecology) — शल्यचर्म विभिन्न ऊष्ण, समशीतोष्ण एवं शीत कटिबंधी समुद्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश शल्यचर्म ज्वारीय क्षेत्र से ४,००० मीटर तक पाए जाते हैं। कुछ समुद्रतल पर स्थित रहते हैं तथा अन्य जलप्लावी हैं।

शल्यचर्म अपने श्रावकों (brood) की रक्षा के लिये प्रसिद्ध हैं। अधिकांश जार्वा जलप्लावी होते हैं। कुछ शल्यचर्म अपने श्रावकों को तब तक अपने पास रखते हैं, जब तक वे स्वयं गमन योग्य न हो जायें। कुछ शल्यचर्म अपने श्रावकों को अपने शरीर के बाह्य तल पर रखते हैं, तो कुछ तारामीन (Asteroids) उन्हें अपने मुख के समीप रखते हैं। कुछ होमोपूरॉइड तथा तारामीन के पुष्ठीय तलों पर विशिष्ट किण्वधानियाँ होती हैं। किन्हीं किन्हीं शल्यचर्मों में श्रावक शरीर के भीतर विकसित होते हैं तथा बयस्क प्राणी की देहभित्ति (body wall) के रंध्रों से बाहर आते हैं।

आर्थिक महत्त्व — यद्यपि काइनोइडिया (Crinoidea) तथा पेल्मेटोडोझा (Subphylum Pelmatosoa) उपसंघ के अन्य प्राणी निरर्थक हैं, तथापि समुद्र में इन्होंने कई टन (tons) चूने का निष्कर्षण किया है। डर्बीशियर (Derbyshire) संगमरमर, वेल्जियम सेनाइट, जर्मनी का ट्रुकिटेन चूक (Trochitan kalk) तथा अन्य अंडकीय (oolitic) पत्थर इन जीवों के अवशेषों से बने हैं। होमोपूरॉइड अपने शरीरों से निरंतर अपरब (detritus) निकालते रहते हैं और मार्जक (cleaner) का कार्य करते हैं। हृदय प्राचिन (heart urchin) एवं तारामीन इनसे भी अधिक संमार्जक हैं। समुद्री तारामीन सजीव मोसका के प्राणियों पर आक्रमण करते हैं, विशेषतया सीप (oysters) तथा मसल (mussels) पर। इस प्रकार वे सर्वकर हाथि करते हैं। छोटे छोटे शल्यचर्म मत्स्यों के भोजन बनते हैं। कुछ होमोपूरॉइड प्राणी पूर्ण देहों के लोमों द्वारा खाए जाते हैं। बड़े बड़े शल्यचर्म के अंशतः विषय के विभिन्न देशों में अच्छे पोषक समके जाते हैं। जीवन और वृद्धि की सज्जाओं के अध्ययनार्थ शल्यचर्म प्रयोगशालाओं के लिये उपयुक्त हैं। इनके रंध्रों का पालन पीपलु सरसतापूर्वक हो जाने से, इनके विकासक्रम के अध्ययन में भी सुविधा होती है।



**शरीर एवं शरीर-विज्ञान (Anatomy and physiology)**—सभी शल्यचर्मों का शारीरिक विन्यास पंचबाहु या पंच किरणों का होता है। यह बहुशाखित, बहुसंख्यक या धातुक रूप में विभूत भी रहते हैं। शरीर पंच शरीर होता है और शरीर क्षेत्र पंच मध्यरीय क्षेत्रों से एकांतरित रहते हैं। सममित दशनिवाले भ्रंग प्रसंख्य स्तन नाल धातु हैं, जो शरीर में जलसंचरण का कार्य करते हैं तथा एक जल-संचरण-संघ का निर्माण करते हैं। शरीर क्षेत्रों को बीधी क्षेत्र (ambulocrum) तथा दो बीधी क्षेत्रों के बीच के स्थान को मध्य बीधी क्षेत्र कहते हैं। अनेक शल्यचर्मों की रचना पर कैल्सियम कार्बोनेट की कठिकाओं से युक्त एक बाह्य कंकाल होता है।

देहगुहा के तीन युग्मों में विभाजन के अतिरिक्त सभी शल्यचर्मों में तीन संज्ञिका संस्थान होते हैं : १. बाह्य मौखिक संवेदक संस्थान, २. गहन मौखिक संवेदक संस्थान तथा, ३. भ्रम या शीर्ष चालक संस्थान।

इन संस्थानों के द्रवों में देहगुहा के द्रव की अपेक्षा ऐल्बुमिन (albumen) अधिक होता है। सभी धातुरंग द्रवों में विभिन्न भौतिक पदार्थ प्लावित होते हैं। कुछ रश्मि के स्रष्टा लाल होते हैं, जो श्वसन में सहायक होते हैं। कुछ श्वेतकण अनेक कार्य करते हैं, ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण कर निष्पीडित होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि इन जीवों में कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है।

**जनन एवं परिवर्धन**—अधिकांश शल्यचर्मों में लिंग पृथक् होते हैं, किंतु बाह्य लक्षणों से लिंगभेद ज्ञात नहीं होता है। जनन उत्पाद (genital products) जल में छोड़ दिए जाते हैं और बड़े शुक्र द्वारा निषेचित होते हैं। युग्मज (zygote) अनेक कोशों में विभाजित होने के बाद एक खंखला कंदुक स्रष्टा रचना बनता है, जिसका एक सिरा धंवर बढ़ता जाता है और परिणामतः एक खुले मुँह और दोहरी दीवारवाला कोश (sac) बन जाता है। दीवार से कुछ कोशिकाएँ मध्य में आकर, एक मध्य स्तर (middle layer) बनाती हैं। देहगुहा कोश से एक कोष्ठ (pouch) के रूप में निकलकर मध्य स्तर में प्रसारित होती है। कोष्ठ के बार बार विभाजनों से देहगुहा के तीन युग्म बनते हैं। इसी बीच कोश लंबाई में बढ़ता है तथा एक तरफ से, जिधर मूल गुहा नीचे की ओर झुककर लार्वा का मुँह बनाती है, बिपटा हो जाता है और मुख्य द्वार को लार्वा का निर्गम छिद्र (outlet) बनने देता है। इस प्रकार का लार्वा स्वतंत्र प्लावी होता है। विभिन्न वर्गों में इसके विशेष रूपांतरण के फलस्वरूप, विभिन्न शल्यचर्मों का विकास होता है।

**स्वर्ष विभाजन तथा पुनर्जनन**—अनेक शल्यचर्मों अपने शरीर के कुछ भाग को, भय भयना कष्टप्रद स्थिति के समय, स्वर्ष पृथक् कर देने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं अलग किए हुए भागों को स्वर्ष पुनः उत्पन्न भी कर सकते हैं। यदि कोई खंड मध्य बिंदु (disc) युक्त हो, तो उसमें पुनर्जनन संभव है। इस प्रकार के खंड पूर्ण शल्यचर्म बनाने में समर्थ होते हैं। शल्यचर्मों में पुनर्जनन की शक्ति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ताराकीन (asteroids) मोटी एकचित्त करनेवालों के समूह हैं। मोटी एकचित्त करनेवाले

इनको समुद्र में डुकड़े डुकड़े करके खंड देते थे। बीम ही उन्हें अपनी मूल ज्ञात हो गई कि इस प्रकार तो इनकी संख्या में घोर भी घीघ्रतापूर्वक वृद्धि होती है। [२० क० ना०]

**शल्यचिकित्सा (Surgery)** प्रति प्राचीन काल से ही चिकित्सा के दो प्रमुख विभाग बने आ रहे हैं। यथा कायचिकित्सा (Medicine) एवं शल्यचिकित्सा। इस प्राचार पर चिकित्सकों में भी दो परंपराएँ चलती हैं। एक कायचिकित्सक (Physician) और दूसरा शल्यचिकित्सक (Surgeon)। यद्यपि दोनों में ही औषधोपचार का म्यूनाधिक सामान्यरूपेण महत्व होने पर भी शल्यचिकित्सा में चिकित्सक के हस्तकौशल का महत्व प्रमुख होता है, जबकि कायचिकित्सा का प्रमुख स्वरूप औषधोपचार ही होता है। प्रायुर्वेद में भी अश्वत्थरि संप्रदाय, या सुभूत संप्रदाय, शल्यचिकित्सा एवं धानेय संप्रदाय या चरक संप्रदाय कायचिकित्सा के प्रतीक हैं। इसी प्रकार पश्चिम में भी जालीपूस (Galenus) के समय में केवल औषध प्रयोग करनेवालों, अर्थात् कायचिकित्सकों, को मेडिनी (Medice) और अस्त्रकिया करनेवालों को थिररजी और इलडनेरारी कहते थे। ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय पर्यालोचन के दृष्टिकोण से भारत में इस विज्ञान को चार प्रमुख कालों में विभक्त किया जा सकता है : (१) प्रायुर्वेदिक काल, (२) यूनानी काल, (३) अरबी, यूनानी एवं (४) पश्चिमी काल (१२०० ई० से १५०० ई० तथा उसके बाद का उन्नत आधुनिक काल)। शास्त्रीय प्रमाणों से शल्यचिकित्सा का मूल स्रोत वेदों में मिलता है, जहाँ इंद्र, अग्नि और सोम देवता के बाद स्वर्ग के युगल वैश अश्विनीकुमारों की गणना की गई है। इनके कायचिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा संबंधी दोनों प्रकार के कार्य मिलते हैं। शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिये तथा भ्रंगभंग की स्थिति में नवीन अश्वि एवं नवीन भ्रंग प्रदान करने के लिये अश्विनी-कुमारों की प्रार्थना की गई है। गर्भाशय को खीरकर गर्भ को बाहर निकालने तथा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं बृक्षों में यदि मूत्र रुका हो, तो उसे वहाँ से शल्य कर्म या अन्य प्रकार से बाहर निकालने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अश्विनदेव में शठ, विद्रधि, म्रण, दृष्टी या कटी अस्थियों को जोड़ने, कटे हुए अंग को ठीक करने, पृथक् हुए मांस मज्जा को स्वस्थ करनेवाली औषधि से प्रार्थना की गई है रक्तलाव के लिये पट्टी बाँधने, जपनी (गले की धाँस का एक रोग) के लिये वेधन छेदन धातु उपचारों का उल्लेख मिलता है। भगवान् बुद्ध के काल में जीवक नामक चिकित्सक द्वारा करोटि एवं उदरगत बड़े शल्यकर्म सफलतापूर्वक किए जाने का वर्णन है। सुसंगठित एवं शास्त्रीय रूप से प्रायुर्वेदीय शल्यचिकित्सा की नींव इंद्र के शिष्य अश्वत्थरि ने डाली। अश्वत्थरि के शिष्य सुभूत ने इस शास्त्र को सर्वोपयोगी चिकित्सक कर व्यावहारोपयोगी स्वरूप दिया। उस समय भी शल्य का क्षेत्र सामान्य कायिक शल्यचिकित्सा या और ऊर्ध्वजन्तुवत रोगों एवं शल्यकर्म (अर्थात् नेत्ररोग, नासा, कंठ, कर्ण आदि के रोग एवं तल्लंबी शल्यकर्म) का विचार प्रायुर्वेद के शालाक्य नामक शास्त्र में पृथक् रूप से दिया जाता था।

इसी प्रकार पश्चिम में असीरिया, बेबिलोनिया एवं मिस्र तथा मिस्र के बाद यूनान और रोम में सभ्यता एवं अग्य ज्ञान विज्ञान के साथ चिकित्साविज्ञान तथा सर्वतंत्रित शल्यचिकित्सा का विकास हुआ। ई० पू० ३०१ में मिस्र देश में शल्यतंत्र उन्नत अवस्था में था। मिस्र देश के भ्रूण से मिले शवों के शरीर में कपालभेद के संधान के चिह्न मिलते हैं। प्रारंभ में रोम नगर के सभी चिकित्सक सिकंदरिया या उसके पूर्व के निवासी थे। केलसस का 'डी मेडिसिना', जो ईसवी सन् २९ में प्रसिद्ध हुआ, पूर्णतया ग्रीक प्रणाली का था। उक्त महाग्रंथ पाठ खंडों में है। सातवें खंड में शल्य-शास्त्र और छठे खंड के छठे अध्याय में और सातवें खंड के सातवें अध्याय में नेत्ररोगों का विवेचन है। इस महाग्रंथ में वर्णित अमं (असीस रोमन टेरिजियम्) पोथकी तथा मोतियाबिंद (cataract) की शल्यचिकित्सा बहुत कुछ सुश्रुत से मिलती जुलती है।

जालीसूस ने जो एक प्रकार से यूनानी परंपरा का अंतिम विद्वान् चिकित्सक था, अनेक बड़े बड़े ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र पर लिखे। उसके ग्रंथ सारे ग्रीक वैद्यक के विश्वकोश हैं। पश्चिमी काल के पूर्ववर्ती युग (७०० ई० से १,२०० ई०) में अरबों ने चिकित्सा विज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया और शल्यचिकित्सा में भी प्रगतिशील उन्नति की, जिसका प्रभाव स्पष्ट तर्क था। इसी ज्ञान को आधार मानकर आधुनिक शल्यचिकित्सा आज पराकाष्ठा पर पहुँच रही है। अबुल कासिम जहराबी का प्रसिद्ध ग्रंथ, अलसरीफ, यूरोप में शल्यतंत्र की उन्नति की आधारभूत नींव है। आधुनिक शल्यचिकित्सा की अद्भुत उन्नति की प्रधान कारण उत्तम अचेतनाह्वर एवं अचेतनाह्वर औषधियों (anaesthetics) तथा विश्वसनीय रक्तस्तम्भक द्रव्य (haemostatics), प्रतिरोधी एवं प्रतिजैविक पदार्थों की सुलभता है, जिनकी सुविधा दशत युगों में प्रायः नहीं सी थी। अतएव चिकित्सकों के लिये यह एक नितान्त विज्ञानाभूत विषय बना रहा कि इन साधनों के अभाव में प्राचीन लोग गंभीर स्वरूप के शल्यकर्म (operation) कैसे करते थे।

आधुनिक उन्नत शल्यचिकित्सा का आरंभ यूरोपीय देशों में जर्माई के रूप में हुआ, जिसमें प्रधानतः हस्तकर्म द्वारा साधारण शल्यचिकित्सा (minor surgery), यथा अस्थिभंग (fracture) संक्षिप्पुति (dislocation) आदि का ठीक करना, रक्तमोक्षण (blood-letting) की दक्षता, दाँत उखाड़ना तथा उक्त क्रियाओं एवं अतोपयोगी मसहम (ointment), गुदावस्ति (enema) तथा रेषक आदि के निर्माण एवं प्रयोग आदि का ही समावेश होता था। समाज में भी कायचिकित्सक इस कार्य को हीन दृष्टि से देखते थे। इसी के परिणामस्वरूप मध्यकालीन युग में फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड में नापित सर्जनों (barber surgeons), व्रण चिकित्सकों (wound surgeons) एवं जर्माई भेषजज्ञ (surgeon apothecaries) की उत्पत्ति हुई। इंग्लैंड में पहले शल्यकर्म हजाम या नापित के व्यवसाय के साथ मिला हुआ था। हेनरी अष्टम के शासन काल में सर्जन या शल्यचिकित्सकों के संगठन में बार्बर (जर्माई) संविधानिक मान्यता द्वारा संमिलित थे, और दोनों के स्वरूपभेद को स्पष्ट करने के लिये इनके कार्यक्षेत्र का स्पष्टीकरण विधान द्वारा किया गया था। नार्ड को केवल रक्तमोक्षण तथा दाँत

उखाड़ना आदि साधारण शल्यकर्म की आज्ञा की और सर्जन के लिये बार्बर के व्यावसायिक कर्म निश्चित थे। विवास एवं उन्नति के साथ सन् १७४५ में जॉर्ज द्वितीय के शासनकाल में उक्त दोनों समुदाय पूर्णतः पृथक् होकर, दो भिन्न संघों में संगठित हुए। आज का रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इसी का विकसित रूप है।

१८वीं शताब्दी से शल्यचिकित्सोपयोगी शास्त्रों, यथा शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान एवं क्रियात्मक (operative) शल्यचिकित्सा आदि के विकास के साथ साथ शल्यचिकित्सा में भी तीव्रतापूर्वक विकास, सुधार एवं उन्नति होने लगी, जिससे काय-चिकित्सा की भाँति समाज में शल्यचिकित्सा के लिये भी संमान बढ़ने लगा। किंतु शल्यकर्म में वेदना एवं शस्त्रकर्मोत्तर पूति (surgical infection), इन दो महान् कठिनाइयों के कारण शल्यचिकित्सा की सफलता बहुत कुछ सीमित रही। पैस्टर नामक रसायनज्ञ द्वारा बैक्टीरिया एवं तज्जन्य विशिष्ट उपसर्ग का संबंध प्रमाणित किए जाने पर, उसके सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर १८६७ ई० में लोसेफ लिस्टर द्वारा प्रतिरोधी शल्यकर्म (antiseptic surgery) के अनुसंधान एवं तत्परचात् संज्ञाह्वर एवं अचेतनाह्वर द्रव्यों तथा साधनों के आगमन के साथ, आधुनिक उन्नत शल्यचिकित्सा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा शल्यचिकित्सा की आधारभूत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद, उसमें दिनोंदिन सुधार होने लगा और सन् १९३० के बाद से तो अचेतनाह्वर एक स्वतंत्र विज्ञान ऐनेस्थीजिऑलोजी (Anesthesiology) के रूप में विकसित हो गया है और आज प्रायः सभी प्रकार की शरीर एवं रोग स्थिति तथा शल्यकर्म के अनुकूल संज्ञाह्वर एवं अचेतनाह्वर उपकरण, द्रव्य एवं साधन उपलब्ध हैं। इनके कारण होमेवाले उपद्रवों एवं असंबंधी अर्थ ज्ञातव्य का भी पर्याप्त अध्ययन किया जा चुका है। लिस्टेरियन ऐंटिसेप्टिक सर्जरी की दिशा में भी इसी प्रकार की उन्नति आज उपलब्ध सफलताओं एवं ऐंटिबायोटिक वर्ग जैसी औषधियों के कारण हो गई है। इससे शल्यकर्मोत्तर पूतिदोष (sepsis) एवं संक्रमण (infection) तथा तज्जन्य उपद्रवों एवं दुष्परिणामों का प्रतिशत नगण्य हो गया है। इसके प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव द्वितीय महायुद्ध एवं कोरिया युद्ध में हुआ, जबकि पहले के युद्धों की अपेक्षा घायलों का समय से अत्योपचार होने पर, संक्रमण एवं पूतिजन्य दुर्घटनाएँ अपेक्षाकृत अत्यंत कम हुईं। उक्त साधनोन्नति के परिणामस्वरूप आज बड़े से बड़े शल्यकर्म पहले की अपेक्षा अधिक विश्वास एवं निश्चितता से किए जाते हैं। यही नहीं, शल्यकर्मोत्तर उपचार (post operative care), जो पहले नितान्त सतर्कता एवं चिंता का विषय हुआ करता था, आज उपलब्ध साधनों के कारण अत्यंत सुकर हो गया है।

शल्यचिकित्सा में संक्षोभ (surgical shock) भी एक विकसित एवं महत्व का विषय है। संक्षोभ में त्वचा का रंग पीका पड़ जाता है तथा यह स्वेदश्लेष्म एवं स्पर्श में ठंडी मालूम होती है। प्रायः इसका मुख्य कारण हृदय का अपना वास्तविक दोष न होकर, बाह्य या आंतरिक रुधिरस्रावजन्य, रक्त-परिमाण-कीचुटा होती है, जिससे हृदय की रुधिरस्रावक्षम सामान्य होने पर

भी यमनियों का खरिदसंभरण हीन कोटि का होता है। युद्ध में आहतों में यह स्थिति प्रायः पाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में रक्त की तत्कालपूर्ति खरिदाधान द्वारा, अथवा अन्य स्थानापन्न द्रव्यों तथा समवाही सबलुजल (normal saline) के क्षीरान्तः प्रवेश आदि द्वारा की जाती है। अब बड़े स्थानों में सघृष्ट खरिद बैंक (blood bank) की व्यवस्था भी है, जहाँ से प्रत्येक रोगी के उपयुक्त खरिद तत्काल प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानापन्न द्रव्य (substitutes) भी सुलभ हैं।

शल्यचिकित्सापयोगी उपकरण — शल्यचिकित्सा की सफलता एवं शल्यकर्म में यशस्वी की उपलब्धि के लिये, यथासमय आवश्यक यंत्रसज्जा एवं अन्य उपकरणों की सुलभता अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है। उपकरणों के प्रयोग में शल्यचिकित्सक का हस्तकौशल सर्वप्रमुख है, क्योंकि सभी शल्यकर्म सर्जन के हस्तकौशलाधीन हैं। शल्यकर्म के क्षेत्र, स्वरूप एवं तत्संबंधी क्रियाओं की नानाविध-रूपता है। ऐतिहासिक युगों के साथ साथ यंत्र और उपकरणों के निर्माण हेतु प्रयुक्त पदार्थों में भी सुधार होता रहा और संप्रति अच्छे शल्यचिकित्सापयोगी यंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें रोगाणुनाशन एवं निर्जीवाणुकरण की शोधन प्रक्रियाओं का कोई कृपमात्र नहीं पड़ता। चिकित्सा विज्ञान के अन्य अंगों के विकास तथा आधारभूत वैज्ञानिक त्रिवर्धों एवं आनुवंशिक तथा जीवनिर्माण आदि अन्य तकनीकी विज्ञानों की उन्नति एवं विकास के साथ साथ, इन उपकरणों में भी अद्भुत सुधार किए जा रहे हैं। सफलतापूर्वक शल्यकर्म एवं अन्य शल्य प्रक्रियाओं के लिये आवश्यक साजसज्जा से युक्त आपरेशन थिएटर एवं उसी से संलग्न निर्जीवाणुकरण, ड्रेनिंग एवं शल्यकर्मोत्तर तत्काल देखरेख के हेतु रोगी को रखने एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यकताओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। संप्रति इस दिशा में भी पर्याप्त सुधार हो गया है।

वर्तमान काल में रेडियोलॉजी (Radiology) एवं न्युक्लियर मेडिसिन के विकास ने भी शल्यचिकित्सा की प्रगति में पर्याप्त सहायता की है। ऐक्स किरण चित्रण द्वारा अब अंतःस्थित शल्य, विकृति एवं शल्यकर्मोपयुक्त स्थल का निर्धारण निश्चित रूपेण एवं सुगमता से कर लिया जाता है। विशेषतः विकलांगचिकित्सा एवं अस्थिभंगचिकित्सा में ऐक्स किरण प्रदान सहायक होता है। न्युक्लियर मेडिसिन भौतिकविदों (nuclear physicists) ने भी अनेक महत्त्वपूर्ण तत्वों की खोज की है, जिनका विशिष्ट उपयोग कायचिकित्सा में भी किया जाता है। इस प्रकार आधारभूत विज्ञानों (basic sciences) एवं चिकित्सा विज्ञान के अन्य विभागों की उन्नति के साथ शल्यचिकित्सा ने भी अत्यंत विकसित होकर, विशेष विभाग के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लिया है, जैसे नेत्ररोग विज्ञान (Ophthalmology), नासा-कर्ण-कंठ रोग विज्ञान (E. N. T. Surgery), विकलांग चिकित्सा (Orthopaedics), प्लास्टिक शल्यचिकित्सा (Plastic Surgery), उरोगत शल्यचिकित्सा (Thoracic Surgery), मूत्रसंस्थानी शल्यचिकित्सा, तंत्रिका शल्यचिकित्सा (Neuro-surgery), स्त्रीरोग विज्ञान (Gynaecology), दंत रोग विज्ञान (Dental Surgery) आदि। विभिन्न देशों में इनके विशेष प्रशिक्षण के लिये अतिक्रम संस्थान

एवं विशेषज्ञों की संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं, जो प्रशिक्षण का नियंत्रण करती हैं तथा विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सा करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जैसे इंग्लैंड का रॉयल कॉलेज ऑफ गार्डनिकीलोजी, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जंस, अमरीकन कॉलेज ऑफ सर्जंस आदि। परीक्षणार्थक शल्यचिकित्सा (Experimental Surgery) भी वर्तमान युग की एक देन है। [ रा० सु० सि० तथा यू० ना० सि० ]

शवपरीक्षा (Autopsy) मृत्यु के पश्चात् प्राकस्मिक दुर्घटना-ग्रस्त, अथवा रोगग्रस्त, मृतक के विषय में वैज्ञानिक अनुसंधान के हेतु शरीर की परीक्षा, अथवा शवपरीक्षा, करना अति आवश्यक है। रोग उपचारक शवपरीक्षा के द्वारा ही रोग की प्रकृति, विस्तार, विशालता एवं जटिलता के विषय में भली प्रकार तथ्य जान सकता है।

शवपरीक्षा भली प्रकार करना उचित है एवं सहयोग के हेतु रोगग्रस्त अंग अथवा अङ्ग, की सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षा एवं कीटाणुनाशनीय परीक्षा अपेक्षित है। उस प्रत्येक मृतक की, जिसकी मृत्यु का कारण प्राकस्मिक दुर्घटना हो और उचित कारण अज्ञात हो, मृत्यु का कारण एवं उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिये शवपरीक्षा करना नितांत आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

शवपरीक्षा करने के पूर्व मृतक के निकट संबंधी से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है और शवपरीक्षा मृत्यु के ६ से १० घंटे के भीतर ही कर लेनी चाहिए, अन्यथा शव में मृत्युआंश अत्रय्यभावी प्राकृतिक परिवर्तन हो जाने की आशंका रहेगी, जैसे शव ऐंठन (rigor mortis), शवमलिनता (postmortem) एवं विघटन (decomposition)। यह परिवर्तन अधिकतर रोगावस्था के परिवर्तनों के समान ही होते हैं।

आवश्यक वस्तुएँ — कुछ शल्य अस्त्र, उदाहरणार्थ चाकू, चिम-टिपों, कैची, सलाई आदि, की शवपरीक्षा में आवश्यकता पड़ती है। शव को सीने के लिये सुई एवं प्रबल धागे की भी आवश्यकता होती है।

शवपरीक्षा करने की निम्नलिखित दो विधियाँ होती हैं :

(अ) बाह्य निरीक्षण एवं परीक्षा — इसके अंतर्गत निम्न-लिखित परीक्षा करना आवश्यक है :

(१) शरीर का विकास, (२) शरीर की पीठिकता, (३) प्राणु एवं लिंग, (४) शव ऐंठन की विद्यमानता एवं उसकी श्रेणी, (५) त्वचा का रंग, जैसे नीलिमापन, (६) त्वचा विच्छेद, गिलटी, आघात-चिह्न (६) सूजन तथा (९) शरीर के सब छिद्रों आदि का पूर्ण सतर्कतापूर्वक परीक्षण। यह करना नितांत आवश्यक होता है।

(ब) आंतरिक परीक्षा — प्रथम टुंडी से जघन (pubic) जोड़ तक शवच्छेदन कर, त्वचा एवं मांसपेशियों को हटाकर, अस्थि को पुष्क कर दिया जाता है। तत्पश्चात् अंत के ऊपर की मस्ती तथा कुप्फुस मस्ती का पूर्ण परीक्षण करना आवश्यक है।

देहगुहा के सर्व अंगों को पुष्क कर, उनका भार एवं उनका विस्तृत विवरण ज्ञात किया जाता है। सब अंगों को उनके रक्षक विलयन में, जैसे फॉर्मलिन में, भली प्रकार रखा देना अपेक्षित

है। प्राग्निमान् शक्य की रचना को पूर्ववत् बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। रक्षित शक्य के बाँध कर तथा उचित रंगमन्त्रिता प्रदान कर, सुखमयी से उनका परीक्षण किया जाता है।

यदि वस्तु का कवच रोग न होकर कोई प्राकृतिक दुर्घटना, विषयान, अथवा अन्य कोई कारण हो, तो देहगुहा के संत रक्षित विनाशन में सुदृष्टित रहे जाते हैं, तत्पश्चात् रासायनिक परीक्षण द्वारा परीक्षा होने पर वस्तु का उचित कारण ज्ञात किया जाता है।

शरीर के मुख्य अंगों का प्राकृतिक भार — (१) हृदय ३०० ग्राम, (२) फुफ्फुस ३२५-३५० ग्राम, (३) यकृत १,५००-१,८०० ग्राम, (४) कुक १५० ग्राम, (५) प्लीहा १५०-२०० ग्राम तथा (६) अन्नाशय १०-१२० ग्राम। [ स० पा० गु० ]

श्याक (Rabbit) स्तनीयों में से का एक प्राणी है। यह छोटा, उरपीक तथा मोटा भाका प्राणी है। यह एक फुट लंबा होता है और बहुत ही सुखमय भावों से ढँका रहता है। इसका शरीर चार भागों में बाँटा जा सकता है : (क) सिर (ख) गर्दन, (ग) बड़ तथा (घ) पूँछ। ऊपरवाला श्रेष्ठ शीघ्र में फटा होता है, जिससे कड़ा भोजन कुतरते समय शक्य को कोई चोट नहीं आती। कर्णपल्लव (काँच का शीर) लंबे, मुड़े हुए और ऊपर की ओर मुकीले होते हैं, जो स्वेच्छा से हिलाए जा सकते हैं। शक्य की शक्ति शक्य की पिछली टाँगें बहुत लंबी होती हैं। इनके द्वारा वह उच्चता कृपता चलाता है, अथवा जलम मारता है। इसकी दुम छोटी होती है। और शक्य के समय कुंड के अन्त सदस्यों को खतरे का संकेत देने के काम आती है।

शक्य एक सर्वपरिचित जानवर है और प्रायः सभी देशों में पाया जाता है। इसका आदि निवास भूमध्यसागर (Mediterranean sea) के किनारेवाले देशों में रहा है, जहाँ से यह अन्त देशों में स्वयं, अथवा मनुष्यों द्वारा, अंतर के विभिन्न भागों में प्रसारित हो गया है। यह भारत में प्रायः सभी भागों में पाया जाता है और प्राचीनी से पाला जा सकता है। जैसे इसका प्राकृतिक निवासस्थान जंगलों में है, जहाँ यह कभी भूमि में सुरंग या मीठ खोदकर रहता है। यह आकाशकारी होता है। जेतों में घुसने पर कृषि को बड़ी हानि पहुँचाता है।

शक्य की शक्ति आयु आठ वर्ष होती है और जब छह मास का रहता है तभी से जनन प्रारंभ कर देता है। मादा साल में चार या पाँच बार बच्चे पैदा करती है, और प्रत्येक बार पाँच से आठ बच्चे होते हैं। कुल ही काम में इनकी लंबा बहुत बड़ जाती है। पैदा होने के समय बच्चे अक्षरहित, लंबे तथा स्वतंत्र रूप से चलने और भोजन करने में असमर्थ होते हैं। माँ के स्तन से बच्चे दूध पीते हैं और दूध पर ही पकते हैं। बच्चे लगभग तीन सप्ताह में बड़े होकर देखने लग जाते हैं। इनके शरीर पर सुखमय बाण उग जाते हैं और वे आकाशकारी हो जाते हैं।

शक्य की तीव्र शक्ति, तीव्र अक्षर तथा अक्षरक दृष्टिकरि मनुष्यों से रक्षा पावे के साधन हैं, क्योंकि इन शक्तियों के कारण वह बहुत ही चौकन्ना रहता है, और ज्यों ही किसी वस्तु का आन होता है, बड़ी लंबी लंबी लंबाई मारकर अक्षर बना होता है। कुत्ते,

शक्य, बिल्लियाँ, बिल्लू, तथा बाज अथवा शिकरा आदि, इसके मुख्य शत्रु हैं। इसका मांस स्वादिष्ट होता है, अतः मनुष्य भी इसका शिकार करते हैं। शक्य अपने मनुष्यों से बचने के लिये प्रायः गोशुक्ति के समय ही अक्षर निकलते हैं।

शक्य की अनेक उपजातियाँ हैं। पालतू अक्षर में जनन करने के कारण, इनके स्वभाव तथा आकृति में अंतर हो गया है। अंगली शक्य से मनुष्य ने पालतू शक्य का परिवर्तन किया है।

पालतू शक्य के समान जंगलों और खेतों में एक दूसरी जाति भी मिलती है, जिसको सामान्यतः खरहा कहते हैं। खरहे का रंग भूरा, और कवच होता है, जिसके कारण इसका कुर्मुट में पता लगाना कठिन होता है। यह शक्य की शक्ति कुंड में न रहकर अक्षर रहता है और बिल या सुरंगें नहीं खोदता, बरन् अक्षरियों में छिपा रहता है। इसकी बाण रचना शक्य से भिन्न होती है। शक्य तथा खरहे की आंतरिक रचना में भी अंतर होता है।

[ मृ० ना० प्र० ]

शस्त्र और कवच (Arms and Armour) मनुष्य की शारीरिक शक्ति अन्य जीवधारियों की तुलना में बहुत ही सीमित है। अपने मनुष्यों को परास्त करने या जानवरों के शिकार के लिये मनुष्य ने, अपने बुद्धिबल से, अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने पहले शस्त्रों का और उसके बाद, अस्त्रों का आविष्कार किया। जिन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य ने सीखा, उनको उसने अस्त्र शस्त्र बनाने के काम में भी प्रयुक्त किया। इस प्रकार जब मनुष्य को केवल पत्थर या लकड़ी का प्रयोग मालूम था, तब शस्त्र पत्थर या लकड़ी के बनते थे। इसके बाद जैसे जैसे धातुओं के प्रयोग में मनुष्य उन्नति करता गया, उसके साथ ही साथ शस्त्रों के बनाने में भी धातुएँ प्रयुक्त होने लगीं। साथ ही बहुत से नए प्रकार के शस्त्र शस्त्र भी बनने लगे, जो पहले के पत्थर, लकड़ी या सुखमय धातुओं से नहीं बनाए जा सकते थे।

अस्त्र शस्त्रों के विकास के साथ साथ मनुष्य ने उनसे अपने को बचाने के लिये कवच के प्रयोग में भी उन्नति की। कवच बनाने के लिये भी बहुत प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया गया। जैसे जैसे हथियार उत्तरोत्तर कारगर बनने लगे, कवच को भी उसी अनुपात में उतना ही अधिक मजबूत बनाना आवश्यक हो गया ( देखें अक्षर शक्य )।

जब तक मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग नहीं सीखा था, तब तक अस्त्र शस्त्र पत्थर के बनते थे। पत्थर के बाद हथियारों के बनाने में, धातुओं में पहले पहल कसि का प्रयोग हुआ। कसि के हथियार मुख्य की सुदाई में प्राचीन यूनान, भारत में मोहनजोदड़ो और उसके समकालीन अन्त स्थानों में मिले हैं। ग्रीक कवि होमर के काव्यों में कसि के कवच का भी उल्लेख है।

जोहे का आविष्कार होने के बाद हथियार जोहे के बनने लगे। प्राचीन यूनानियों के मुख्य हथियार भाला, बरछे और तलवार थे। इन सब में भाला, जो २१ से २५ फुट तक लंबा होता था, सबसे मुख्य माना जाता था। ग्रीक तलवार दो फुट से भी छोटी होती थी और काटने के अक्षर कुसेके के काय में बाईं आड़ी थी। परन्तु ग्रीक तलवार बाहिरी और अर्धवृत्त आती थी। होमर के अक्षर काव्य

'आधिपति' में तीर कमान के प्रयोग का उल्लेख किया है। इसके अह्म से यादग्न होता है कि प्राचीन यूनानी तीर कमान के प्रयोग में विश्व थे, परंतु उस समय की लड़ाइयों के अंततः से पता चलता है कि इस हथियार का कभी विस्तृत रूप से यूनान में प्रयोग नहीं हुआ। इसके प्राचीन यूनान की सैन्य संरचना की सीधी पर कोई अस्तर नहीं पडा।

तीरकमान का सबसे अधिक प्रयोग प्राचीन मिस्र में होता था। पैदल सेना का यह मुख्य हथियार समझा जाता था। मिस्र की कमानें लड़ाई में मनुष्य के कंधे से कुछ छोटी होती थीं। तीर सेंडे के बनाए जाते थे, जिनमें नोक कसि की बनावट जाती थी। मिस्र देश की विशेषता एक कटिधार हथियार था, जो दुश्मन की तलवार को फेंसाकर तोड़ने के काम में लाया जाता था। प्राचीन ऐसिरिया में भी तीर कमान का विस्तृत रूप से प्रयोग होता था, परंतु उन लोगों में जाला और बरछे का मिस्र देशवासियों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त युद्ध के अंतर्गत में प्राचीन ऐसिरिया में काफी उन्नति हो गई थी। रथ, जिनकी घुरी में हंसिए लगे हुए होते थे, घेरा डालने के समय किलों के अंदर भारी पत्थर फेंकने के अथ इत्यादि, लड़ाई के अंतर्गत का ऐसिरिया में आविष्कार हुआ था। प्राचीन भारत में तीर कमान का विस्तृत रूप से प्रयोग होता था। रामायण और महाभारत में इसका बहुत जगह उल्लेख है। इसके अतिरिक्त शक्ति, गदा, फरसा, तलवार इत्यादि भी उस समय प्रयुक्त किए जाते थे। लड़ाई में रथों का बहुत प्रयोग होता था।

प्राचीन रोम के मुख्य हथियार तलवार, जाला और बरछे होते थे। रोमन तलवार २२ इंच से २४ इंच तक लंबी होती थी। इसके फल में दोनों ओर चार रहती थी और नोक चौड़ी होती थी। यूनानी तलवार की तरह यह भी परतले में दाहिनी तरफ ललाई जाती थी और काटने के बजाय धुसेकने के काम आती थी। आरंभ में रोमन तलवार कसि की बनती थी, पर ईसा के पूर्व दूसरी सताब्दी में लोहे की बनने लगी। रोमन सैनिकों में बरछे के प्रयोग पर अधिक धोर दिया जाता था। ये बरछे पाँच फुट से छह फुट तक लंबे होते थे, जिनमें आगे दो फुट का फल लगा होता था। दुश्मन से जब १० या १५ कदम के फासले पर रोमन सैनिक पहुँच जाते थे, तब बरछे एक साथ ओर से फेंके जाते थे। ये बरछे विरोधी दल की ढालों में घुस जाते थे। रोमन सैनिक सुरंत ही झपटकर बरछों के अंतर्गत को पकड़ कर ढालों को नीचे गिरा लेते थे और इस तरह रास्ता बनाकर, दुश्मन की पर तलवारों से हमला करते थे। रोमन सेना में युद्ध के रथ, पत्थर फेंकने की कमानें और दुश्मन के किलों की दीवार तोड़ने के लिये अंतर्गत का प्रयोग होता था। युद्ध के मैदान में रोमन सैनिक लोहे के काटों को फेंकते थे, जो किसी तरफ भी गिरें पर उनमें से कुछ की नोकें ऊपर की रहती थी। इन काटों से दुश्मन की घुड़सवार सेना की गति में बहुत बाधा पड़ती थी।

प्राचीन काल में अस्त्र लड़कों की मार से बचाव के लिये ढाल, झिलम, उरस्त्राण और पदस्त्राण काल में लाए जाते थे। प्राचीन मिस्र में तीरबाजों के पास ढाल नहीं होती थी, पर नेजेबाजों के पास बड़ी ढाल, जो नीचे से चौकोर और ऊपर से अर्धवृत्त की आकृति की थी, होती थी।

इस ढाल में ऊपर की ओर एक सुराख रहता था, जिसमें से निशाना लिया जा सकता था। प्राचीन यूनान में बहुत बड़ी ढाल का प्रयोग होता था, जिससे सारे शरीर का बचाव हो सकता था। इसका आकार गोल या अंडाकार होता था और सामने से उमरी हुई रहती थी। धीरे धीरे ढालों का आकार उत्तरोत्तर छोटा बनने लगा।

प्राचीन भारत में ढालें आम तीर से काम में लाई जाती थीं, जिनमें गोल होती थीं और उनके शरीर के ऊपरी भाग का बचाव हो जाता था। अधिकतर ढालें सेंडे, या सेंडे के चमड़े की बनावट में जाती थीं।

रोमन सैनिक दो प्रकार की ढालों का प्रयोग करते थे : एक को स्क्यूटम ( Scutum ) कहते थे, जो आयताकार, बड़ी और बहुत उमरी हुई होती थी। यह ढाल बड़ी पैदल सेना को मिलती थी। दूसरी जो 'पाम' कहलाती थी, छोटी, गोल या अंडाकार और चपटी ढाल होती थी तथा छोटी, पैदल और घुड़सवार सेना के लिये थी। ढालों के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और रोम के अंतिम दिनों में तो ढालें बहुत बड़ी बनने लगी।

झिलम या शिरस्त्राण प्राचीन ऐसिरिया, मिस्र, यूनान और रोम में आम तीर से प्रयुक्त होता था। ऐसिरियाई झिलम गावदुम होता था। कभी कभी इसकी कलंगी आगे की ओर झुकी हुई होती थी। यूनानी झिलम की, जो गर्दन के पीछे जुड़ी हुई होती थी, कलंगी बहुत लंबी होती थी, रोमन झिलम में गर्दन और चेहरे के बचाव का भी बंदोबस्त रहता था। महाभारत में शिरस्त्राण के प्रयोग का उल्लेख मिलता है।

प्राचीन यूनान में उरस्त्राण कसि का बनाया जाता था। ऐसिरिया में उरस्त्राण, सिले हुए और सरेस से चिपकाए हुए, सन के कपड़े का कई परतों का कोट होता था। मिस्र तीरबाज रई मरा हुआ कोट का उरस्त्राण पहनते थे, पर नेजेबाजों के पास कसि के झिलकों के उरस्त्राण होते थे। रोमन पैदल अफसर कसि का उरस्त्राण, जिसमें नीचे चमड़ा लगा रहता था, पहनते थे। पैदल सैनिक कपड़े या चमड़े का उरस्त्राण पहनते थे, जिनमें कसि के टुकड़े टँके हुए रहते थे। बाव में घुड़सवारों को भी उरस्त्राण मिलने लगे, जो या तो अंधीर के बने होते थे, या कपड़े के, तथा जिनमें कसि की टिकुनिया टँकी हुई रहती थीं।


यूनान में पदस्त्राण दो टुकड़ों में होता था, जो पैर को पूरी तीर से ढँक लेता था। रोमन पदस्त्राण, जो केवल सामने और बगल से बचाव करता था, एक ही टुकड़े में होता था। यह केवल एक ही पैर में पहना जाता था, क्योंकि दूसरे पैर का बचाव ढाल से हो जाता था। रोमन सैनिक पैर में नोकदार बूते, जो दुश्मन पर चोट करने के काम में भी आ सकते थे, पहनते थे।

रोमन साम्राज्य को नष्ट करनेवाली जर्मन जातियाँ थीं। उनके हथियार फरसा, बरछा, जाला और तलवार थे। शरीर के बचाव के लिये वे लोग केवल एक बड़ी ढाल का, जो पतली लकड़ी की बनी हुई और चमड़े से लड़ी हुई होती थी, प्रयोग करते थे। यह ढाल आमः साक कुछ लंबी और दो फुट चौड़ी, अंडाकार होती

की। कुछ काल परचात् डाल चमड़े की जगह लोहे से मढ़ी जाने लगी थीर उसकी शकल गोलाकार बनाई जाने लगी।

फ्रैंक जाति का विशेष हथियार कुल्हाड़ी थी जिसको फ्रांसिस्का कहते थे। इसके फल में एक ही तरफ धार होती थी थीर बेंट छोटी होती थी। इस कुल्हाड़ी को फेंककर मारा जाता था। फ्रैंक लोगों का बरखा रोमन बरखे के समान होता था थीर उसके प्रयोग करने की विधि भी रोमन बरखे की तरह थी। फ्रैंक लोगों में तलवार केवल घुड़सवार ही रखते थे। फ्रैंक लोग कवच का प्रयोग नहीं करते थे, बचाव के लिये केवल एक गोल ढाल रखते थे। इन्हीं के समकालीन स्कैंडिनेविया की जातियों के मुख्य हथियार तलवार थीर ढाल थी। तलवार सीधी, लंबी थीर दुधारी होती थी। ढाल गोल, अपटी थीर लकड़ी की बनी हुई होती थी, जो कभी कभ से थीर कभी लोहे से मढ़ी जाती थी। इन ढालों का व्यास २२ इंच से ४४ इंच तक होता था। ऐंग्लो सैक्सन पैदल सैनिकों के ग्राम हथियार भाला, कुल्हाड़ी थीर एक विशेष प्रकार का भारी चाकू होता था। तलवार फ्रैंक लोगों की तरह केवल घुड़सवार रखते थे। यह तलवार तीन फुट लंबी, चौड़े फल की, थीर गोल नोकवाली होती थी। ऐंग्लो सैक्सन ढाल गोल या घंडाकार लकड़ी की बनती थी, जिसपर चमड़ा चढ़ा हुआ होता था थीर बाहर की तरफ एक नोक लगी रहती थी।

क्रुसेड्स के काल में चेन का जिरहबकतर बनना प्रारंभ हो गया था। १४वीं शताब्दी तक जिरह बकतर चेन के ही बनते रहे। १५ वीं सदी में चेन तथा प्लेट; दोनों के जिरह चलने लगे थीर शताब्दी के अंत में केवल प्लेट के ही जिरहबकतर का चलन रह गया। इससे प्लेट के जिरह बकतर बनाने की कारीगरी का विकास हुआ जो सोलहवीं शताब्दी प्रारंभ होते होते उच्चतम शिखर पर पहुँच गई। जिरहबकतर अंत में इतने भारी हो गए कि उनको पहनकर पैदल लड़ना लगभग असंभव हो गया। इसलिये



चित्र १. विविध जिरहबकतर


चेन के : १. थीर २. योद्धा के लिये तथा ३. घोड़े के लिये। प्लेट के : ४. योद्धा के लिये तथा ५. शरव के लिये।

घोड़ों के बचाव के लिये जिरह बकतर का प्रयोग आवश्यक हो गया। घोड़ों के लिये भी प्लेट के जिरह का चलन ही बना। जिरह की

कारीगरी इस हद तक पहुँच गई कि जिरहबकतर तोड़कर या उसमें कोई सेंच पाकर दुश्मन के शरीर पर चोट करना करीब करीब असंभव हो गया। इसलिये विपक्षी को जखमी करने के बजाय उसे घोड़े से गिराना लड़ाई का मुख्य उद्देश्य हो गया। घोड़े से गिरने पर गदा से मार मारकर, दुश्मन की जान निकास देना लड़ाई का माना हुआ तरीका हो गया।

अच्छे जिरह या बकतर बनने पर ढालों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थीर थीरे थीरे उनका प्रयोग बंद हो गया।

प्लेट के जिरहबकतर में शरीर के अवयवों की हरकत में काफी विपन्न पड़ता था, इसलिये १७वीं शताब्दी में छोटे छोटे प्लेट, जो कपड़े में टँके हुए होते थे, जिरह बनाने के लिये काम में लाए जाने लगे। इस काल में बकतरबंद योद्धाओं के हथियार बल्लम, तलवार,



चित्र २. प्लेट के बने अंगों के कवच


१. पादत्राण, २. हस्तत्राण; ३. वक्षत्राण तथा ४. शिरस्त्राण।

गदा थीर कुल्हाड़ी थे। ये सब हथियार भारी थीर मजबूत बनाए जाते थे, क्योंकि हलके हथियारों का प्लेट के जिरहबकतर पर कोई असर नहीं हो सकता था। बल्लम का प्रयोग जखम करने के प्रतिरिक्त विपक्षी को धक्के से घोड़े से गिरा देने के लिये भी होता था। तलवारें भारी होने के कारण दोनों हाथों से चलाई जाती थीं।

प्लेट का जिरहबकतर इतना भारी होता था कि केवल घुड़सवार ही उसको पहनकर लड़ सकते थे, इसलिये सेनाओं में घुड़सवार सेना ही मुख्य सेना हो गई थी थीर पैदल सेना किसी गिनती में नहीं रह गई थी। केवल इंग्लैंड में पैदल तीरंदाज सेना के आवश्यक थीर कभी कभी तो मुख्य अंग बने रहे। नॉर्मन विजय के समय नॉर्मन कमानें गज भर लंबी होती थीं। पीछे पाँच थीर छह फुट की कमानें बनने लगीं, जिनसे एक गज लंबा तीर चलाया जाता था। जर्मनी थीर इटली में भी कमानों का चलन था, जो करीब बड़े गज लंबी होती थीं। बाद में क्रॉसबो (crossbow) का आविष्कार हुआ। इसकी मार हाथ से खींचनेवाली कमान से बहुत अधिक होती थी थीर तीर में ताकत भी बहुत अधिक होती थी, पर इसके चलाने में बहुत समय लगता था। इसलिये क्रॉसबो कमान का चलन बंद न कर सकी। तीर कमान थीर क्रॉसबो यूरोपीय देशों में १७वीं शताब्दी तक चलते रहे। बारूद का आविष्कार होने से पहले, यूरोपीय सेनाओं के यही मुख्य हथियार थे। युद्ध की बड़ी बड़ी कलें भी, जो प्राचीन काल में ऐसिरिया, रोम इत्यादि में प्रयुक्त होती थीं, चलती रहीं।

पैदल सिपाही सेना के बहुत थोड़ा अंग माने जाते थे और उनके बचाव के लिये केवल चमड़े के, या रुई जरे, कोट दिए जाते थे।

बारूद का आविष्कार तो चौदहवीं शताब्दी में ही हो गया था, पर बारूद से चलनेवाले हथियारों, तोपों, बंदूकों, और पिस्तौलों में बहुत काल तक कोई उन्नति नहीं हुई। क्रमशः इन हथियारों में



चित्र ३. कवचित अरवारोही


अश्व तथा घोड़ा के जिरहबकतर प्लेट के बने हैं तथा हाथ में तोड़ेदार आद्य बंदूक है।

उन्नति होने पर, लड़ाई के हथियार, रणशौधी और बचाव के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। सब से पहले तोप का प्रयोग फ्रांस में, फ्रेंच शहर के घेरे में, सन् १३३६ ई० में हुआ। इन तोपों से पत्थर का गोला चलाया जाता था और यह पीछे से भरी जाती थीं। पंद्रहवीं सदी में लड़ाई के मैदान में से जाई जानेवाली तोपें बनने लगीं। १७वीं सदी के लगभग बीच में, फ्रांस देश में मॉर्टर या बब गोला फेंकनेवाली छोटी तोपें बनीं। बंदूकों का बनना १५वीं सदी में आरंभ हुआ। स्विस सेना ने बड़े पैमाने पर बंदूकों का प्रयोग सन् १४७६ ई० में मोराट की लड़ाई में किया। इंग्लैंड में सन् १४८५ में, योमैन पर्टन को पहले पहल बंदूकें मिलीं। ये प्रारम्भिक बंदूकें बहुत ही मही बनी हुई होती थी, उनका निशाना बहुत गलत लगता था, और मार भी बहुत कम होती थी। इन बंदूकों को चलाने में, दो मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती थी और चलाने समय नाल को साधने के टुक लगाए जाते थे। इन बंदूकों को चलाने के लिये, हाथ से पलीता लगाया जाता था। १४७६ ईस्वी में, पलीता लगाने के लिये घोड़े का प्रयोग आरंभ हुआ। चलता हुआ पलीता एक पुरजे में बँधा हुआ होता था, जो घोड़ा दबाने पर झुककर, नाल में सटे हुए बारूद के दिये में लग जाता था, और फायर हो जाता था। और भी कई प्रकार की कसों का बंदूकों को फायर करने के लिये आविष्कार हुआ, जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ १९वीं शताब्दी तक चलती रहीं। सन् १८०७ ई० में स्कॉटलैंड के एक पादरी ने टोपीदार बंदूक का आविष्कार किया। इस आविष्कार के साथ बंदूकों की शक्ति बहुत कुछ प्राधुनिक हो गई। सन् १८३६ में जर्मनी के शहर हरफर्ट में

सबसे पहले कारतूसी बंदूक बनी और २०वीं शताब्दी का आरंभ होने तक, उसकी बनावट में बहुत कुछ उन्नति हो गई। कारतूसी बंदूकों के साथ साथ तोपें भी, जो मुंह से भरी जाती थीं, पीछे से भरनेवाली बनने लगीं। इसी समय सपाट नली की जगह झुड़ीदार नली का आविष्कार होने से रायफल बनी। इस आविष्कार से बंदूकों और तोपों की मार पहले से कहीं अधिक हो गई और उनके निशाने में बहुत अधिक सच्चाई आ गई। १६५० ई० में फ्रेंच मार्शल वर्रा ने संगीन का आविष्कार किया। इस हथियार के ईजाद होने से पैदल सेना का भाला अनावश्यक हो गया।

आरंभ में बंदूक की मार से बचने के लिये अधिक मजबूत कवच बनाए गए। ऐसा करने से कवच का बोझ बढ़ गया। जैसे जैसे बंदूक और पिस्तौल की बनावट और मार में उन्नति होती गई, वैसे वैसे उनसे बचने के लिये कवच का बोझ बढ़ता गया। अंत में यह बोझ इतना बढ़ गया कि कवच की कोई व्यावहारिक उपयोगिता न रह गई। रायफल का आविष्कार होने के बाद तो बंदूकी और पिस्तौलों में इतनी शक्ति बढ़ गई कि कवच उनके सामने बेकार हो गया। इस प्रकार १८वीं सदी में जिरहबकतर का चलन उठ गया। बिना बचाव के रायफलों और तोपों के सामने जाने का मतलब तो निश्चित मृत्यु के मुल में जाना था। फिर मशीनगन का आविष्कार होने के बाद तो सेनाओं का खुले मैदान में घाना असंभव हो गया। सन् १९१४-१८ की लड़ाई में जर्मन और मित्र राष्ट्रों की फौजें आमने सामने खाइयों में पड़ी रहीं, और हमला करके हराना दोनों फौजों के लिये बहुत हानिकारक और कठिन काम हो गया।

अंत में टैंक का आविष्कार होने पर ही इस कठिनाई का अंत हुआ। वास्तव में टैंक वही कार्य करने के लिये बने जो काम पहले



चित्र ४. प्लेटों से सुरचित बान

एक हल्का टैंक।

जिरहबकतर किया करता था। इसीलिये टैंक सेना का नाम आरंभ

पड़ा। टैकों के जाने से और पिछले महायुद्ध में उनके बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने से, युद्ध की कल्पना ही विरह्वल बरब गई। लड़ाई के दौरान टैकों की बनावट और उनके प्रयोग में बहुत प्रगति हुई। किन्तु विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न प्रकार के टैंक बनाए गए। इनके, मखोल और भारी, तेज और धीमे, हल्की और भारी तोप-घासे, तरह तरह के टैंक लड़ाई के मैदान में बिछाई देने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि लड़ाई की शैली का भविष्य टैकों के हाथ में है।

पर साथ ही साथ टैंकमार तोपों की उत्पत्ति से एक संतुलन स्थापित हो गया। पहले पहल तो टैकों ही की शीत रही, पर धीरे-धीरे, जैसे जैसे अधिक क्रान्तिकारी तोपें बनीं, टैंक काटू में घा गए। पहले टैंकमार तोपों की शीतने के लिये किसी दूसरी गाड़ी को जोड़ना पड़ता था। बाद में स्वचालित तोपें बनने लगीं। बैजेंटाइन धारणर इसी प्रकार की तोप थी, जो पिछले महायुद्ध के समाप्त होने पर बहुत उत्तम टैंकमार तोप समझी जाती थी। महायुद्ध के बाद जोखना शरज, और बिना बन्देबन्दी तोपों के आधिकार से सेनाओं की टैंकमार शक्ति बहुत बढ़ गई। अब यह कहा जा सकता है कि इस समय तक शक्ति से टैंक मार शक्ति अधिक प्रबल है।

शैलिया में भी इसी प्रकार, तोप और जहाजों के धारणर में भी प्रतियोगिता चलती रही। वायुशक्ति के विकास से इस प्रतियोगिता का इतना महत्व नहीं रह गया। साथकल जहाजों के धारणर के बजाय उनकी तोपों और शाल की तेजी का अधिक महत्व है।

[प० पं० प०]

**सहस्रक** १. जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जिला है, जिसके उत्तर पश्चिम में छतगा, उत्तर पूर्व में सीधी, पूर्व में सरगुजा, दक्षिण-पूर्व में बिलासपुर, दक्षिण-पश्चिम में संबला और पश्चिम में जबलपुर जिले हैं। इस जिले का क्षेत्रफल ५,४१२ वर्ग मील एवं जनसंख्या ८,२६,६४६ (१९६१) है। यह जिला मध्य प्रदेश का प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ के कनक नामक धान से बना चावल अपने सुवास एवं स्वाद के लिये प्रसिद्ध है। जिले के उमरिया, जोहिला तथा नारगना हरी रफाई में कोयले की खानें हैं। जिले का बड़ा भू-भाग जंगलों से घाच्छादित है। इमारती लकड़ियाँ, बीड़ी बनाने के पत्ते, लाख, धान तथा संबाहू का व्यापार जिले में होता है। उमरिया, सोहामपुर तथा सहस्रक जिले के प्रमुख नगर हैं।

२. नगर, स्थिति : २१° उ० ४० तथा ८१° ३०' पू० ३०'। यह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है। नगर में नगरपालिका भी है। यह दक्षिण-पूर्वी रेलवे का स्टेशन भी है। नगर की जनसंख्या २२,१९६ (१९६१) है। [प० पा० मे०]

**सहस्रक या तूत (Mulberry)** मोरेसिई (Moraceae) कुल का एक पेड़ है। सहस्रक की लकड़ियाँ किले हैं। समथ के रेशम अनुसंधान-माला में ११० किस्म के सहस्रक के पेड़ लगे हैं। मोरस ऐल्बा (Morus alba) किस्म का सहस्रक लम्बे फल देता है और मोरस निगा (Morus nigra) किस्म का सहस्रक गूला फल देता है। सहस्रक की शैली फलों के लिये नहीं, बरस रेशम के कीड़ों के पालने के

लिये की जाती है, यद्यपि इसके फल भी उपयोग में आते हैं। मैसूर में इसकी लगवानी लगभग ७०,००० एकड़ भूमि में होती है। मद्रास और बिहार के भागलपुर में भी इसकी लगवानी होती है। जहाँ जहाँ रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, वहाँ वहाँ इसके



सहस्रक

फल, पत्तियाँ तथा फल।

पेड़ उगाए जाते हैं। यह शीतकटिबंधी वृक्ष है। पर उष्ण कटिबंधी और समोष्ण कटिबंधी स्थलों में भी उगता है। यह गरमी और वर्षा दोनों को समान रूप से सहन कर सकता है। इस पेड़ में कीड़े या रोग कम लगते हैं।

२.७०० वर्ष पूर्व चीन में इसकी शैली होने का पता चलता है। इसका प्रसार कलम (cuttings, ८-१२ अंदा कलम) द्वारा होता है। बीज से भी उगाए जाते हैं। पीछे चरम द्वारा भी यह उगाया जाता है। यह सब प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। बागों में २० फुट की दूरी पर, दो फुट बहुरा गूदा छोड़कर, उसमें एक मन गोबर की सड़ी खाद देकर, सहस्रक का वृक्ष उगाया जा सकता है। बरसात में पेड़ लगाना चाहिए। रेशम के कीड़ों के पालने की दृष्टि से, एक एकड़ में ५,००० पेड़ लगाए जाने चाहिए। गोबर के साथ साथ लाइकोजन उर्वरक का उपयोग आवश्यक है। पत्तों के लिये खैदाई आवश्यक है। फल देने के बाद खैदाई करके, खाद देकर, सिंचाई करने से नई पत्तियाँ जल्दपन मात्रा में निकल आती हैं। फरवरी में वृक्ष काटते हैं और नई वृक्ष में फल



पकते हैं। फल खाए जाते हैं। फल की छुरी से खरबख बनता है। यूरोप में इससे खरबख भी बनावी जाती है। फल में औसतन ६ प्रति सत चीनी और ०.१५ प्रति सत अम्ल पाया जाता है।

सं० शं०—रामसागर राय : उद्यान-कृषि-दर्शन, प्रकाशक, कला निकेतन, पटना। [कृ० सं० ४०]

**शांडिल्य** यह नाम गणसूची में है, अतः पुराणादि में शांडिल्य नाम से जो कथाएँ मिलती हैं, वे सब एक व्यक्ति की नहीं हो सकतीं। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद् में शांडिल्य का प्रसंग है। पंचरात्र की परंपरा में शांडिल्य आचार्य प्रामाणिक पुरुष माने जाते हैं (द्र० ईश्वरसंहिता)। शांडिल्यसंहिता प्रचलित है; शांडिल्य शक्तिपूत्र भी प्रचलित है। इसी प्रकार शांडिल्योपनिषद् नाम का एक ग्रंथ भी है, जो बहुत प्राचीन ज्ञात नहीं होता।

युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम है। राजा सुमंतु ने इनको प्रभुर दान दिया था, यह अनुशासन पर्व (१३७।२२) से जाना जाता है। अनुशासन ६५।१६ से जाना जाता है कि इसी ऋषि ने बैलगाड़ी के दान को श्रेष्ठ दान कहा था।

शांडिल्य नामक आचार्य अम्य शास्त्रों में भी स्मृत हुए हैं। हेमाद्रि के लक्षणप्रकाश में शांडिल्य को आयुर्वेदाचार्य कहा गया है। विभिन्न व्याख्यान ग्रंथों से पता चलता है कि इनके नाम से एक गृह्यपूत्र एवं एक स्मृतिग्रंथ भी था। [रा० शं० भ०]

**शांतिपुर** स्थिति : २३° १५' उ० अ० तथा ८८° २७' पू० दे०। यह भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिमा जिले में रानाघाट उपडिवीजन का हुगली नदी के किनारे स्थित एक नगर है। इस नगर की जनसंख्या ५१,१६० (१९९१) है। पहले शांतिपुर कपड़ा बुनने के उद्योग के लिये विख्यात था, पर अब वह स्थिति नहीं रही। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को राखवाजा का उत्सव मनाया जाता है। यह एक अच्छा बाजार भी है। [ख० सि०]

**शांतिपुरी, जाँ फ्रांस्वा** (१७६०-१८३२) २३ दिसंबर, १७६० ई० की फ्रांस में जन्म। सोलह वर्ष की उम्र में इन्होंने वीनोब्ल की प्रकाशनी के संयुक्त एक लेख पढ़ा जिसमें कोप्ती मिस की प्राचीन भाषा स्वीकार की गई थी। इस लेख ने लोगों का ध्यान मिस्री विद्या की ओर आकृष्ट किया। अस्तुतः इससे मिस्री पुरातत्व का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ होता है। बीघ्र ही वे वेरिस जा पहुँचे जहाँ वीनोब्ल की एक साहित्यिक संस्था द्वारा १८०६ ई० में इतिहास के प्राध्यापक पद पर नियुक्त होकर सम्मानित हुए। इन्होंने मिस्री चित्रलेख की कुंजी १८२१ में प्रस्तुत की। १८२४ में चार्ल्स १०वें की आज्ञा से ब्रिटनी के संग्रहालयों में संगृहीत मिस्री पुरावशेषों के अध्ययनार्थ इन्हें जाना पड़ा। वहाँ से लौटने पर सूत्र के मिस्री संग्रहालय के वे डायरेक्टर बने। १८२८ में मिस्र के पुरावशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का भार इन्हें सौंपा गया। १८३१ में कालेज द फ्रांस में मिस्र के पुरावशेष प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए और मृत्यु के पूर्व तक मिस्री लोगों के निष्कर्षों को प्रकाशित करने में व्यस्त रहे।

वे मिस्री पुरातत्व के संस्थापक के रूप में प्रख्यात हैं। मिस्री चित्रलेख की कुंजी 'रोडेता स्टोन' को पढ़ने का श्रेय टॉमस यंग के साथ इनको ही है। [क० ना० गु०]

**शांसी (Shansi)** प्रांत, स्थिति : ३८° २०' उ० अ० तथा ११२° ०' पू० दे०। चीनी भाषा में शांसी का अर्थ है, पर्वत के पश्चिम में। उत्तरी चीन में, शांसी, पहाड़ों के पश्चिम, ६०,३६३ वर्ग मील तथा लगभग एक करोड़ जनसंख्यावाला एक प्रांत है। इसकी राजधानी योग्थु या ताइयुमान है। इसके पश्चिम में शेंसी, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में होबैन तथा पूर्व और पूर्व उत्तर में होबे प्रांत एवं उत्तर में इनर मंगोलिया श्रेण है। शांसी पीली मिट्टी (लोयस) से ढंका पठार है। इसकी औसत ऊँचाई १,००० फुट है। फन नदी इस प्रांत को दो भागों में बाँटती है। शांसी की जलवायु महादेशीय है। ताइयुमान तथा लिनकेन भीलों की घाटियों में गेहूँ, जौ, मक्का, कपास आदि की खेती होती है। पूरे प्रांत में, बरातल के नीचे कोयले की समांतर, थोटी चरतें हैं। [पु० क०]

**शाइस्ता खान** मीर जुमला की मृत्यु (मार्च, १६६३ ई०) के बाद श्रीरंगजेव का मामा शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर बनाया गया। उसने इस पद पर लगभग तीस वर्ष तक कार्य किया। श्रीरंगजेव ने शाइस्ता खान को दक्षिण का भी गवर्नर बना दिया था। इस समय मराठों का सरदार शिवाजी दिन पर दिन अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। शाइस्ता खान को शिवाजी की काररवाइयों को दबाने का आदेश दिया गया। शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार कर लिया, बलाएण के जिले से मराठों को लदेड़ दिया तथा चाकन के दुर्ग को जीत लिया। शिवाजी बीजापुर से मुलह करके निश्चित हो जाने पर अप्रैल, १६६३ की एक रात में शाइस्ता खान के पूना के निवासस्थान में छुराके से घुस गया। हरम के कई अधिकारियों आदि की हत्या करके उसने शाइस्ता खान पर आक्रमण किया। शाइस्ता खान बाल बाल बच गया। पर इस बचकर में उसे अपना एक झूठा गँवा देना पड़ा। इस कांड के बाद भी शिवाजी मुरझित बचकर निकल गया।

समुद्री डाकुओं का अस्तित्व मिटाने के लिये शाइस्ता खान ने पुर्तगाली समुद्री डाकुओं पर आक्रमण करके बंगाल की खाड़ी में स्थित उनके मुख्य अड्डे सोन द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सन् १६६६ में इन डाकुओं के मित्र, अराकान के राजा, से उसने घटगाँव भी खीन लिया था। पर शाइस्ता खान का यह प्रयत्न बहुत सफल सिद्ध नहीं हुआ और अठारहवीं शताब्दी तक समुद्री डाकुओं का अस्तित्व बना रहा।

सन् १६७२ में शाइस्ता खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक 'फरमान' प्रदान किया। इस फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल में व्यापार संबंधी करों से मुक्त कर दिया गया। दो वर्ष बाद उसने फ्रांसीसियों को बंगाल में चंद्रनगर नामक स्थान पर फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। फ्रांसीसियों ने इस स्थान पर अपनी प्रसिद्ध फैक्ट्री बनाई। सन् १६६४ में शाइस्ता खान का देहांत भागरा में हुआ।

शाकंभरी शाकंभरी का वर्तमान नाम सांभर है। यह पश्चिमी राजस्थान में सांभर झील के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है और नमक के निर्यात के कारण काफी प्रसिद्ध है। महाभारत के आदि पुराण में इसका उल्लेख है। स्कंदपुराण ने इसके आसपास के प्रदेश को शाकंभर सपादलक्ष की संज्ञा दी है। यहाँ की खुदाई में प्राप्त यवन, यौषेय, और हिंदू-संज्ञानी मुद्राएँ एवं उसी समय के मकान और अन्य वस्तुएँ भी इसकी प्राचीनता की द्योतक हैं।

शाकंभरी (सांभर) कई सदियों तक चौहानों की राजधानी रही और सांभर के हाथ से निकल जाने पर भी चौहान राजा 'संभरीशव' (शाकंभरीराज) कहलाते रहे। अजयराज चौहान ने संवत् ११७० के लगभग सांभरी के स्थान पर अजमेर को अपना राजनगर बनाया। पुष्पवाराज की पराजय के बाद यहाँ मुसलमानों का राज्य हुआ। सन् १७०८ में जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने इसपर अधिकार किया। अब इसका महत्व मुख्य रूप से सांभर नमक के कारण है।

सांभर में शाकंभरी देवी के मंदिर का उल्लेख पुष्पवाराजविजय में भी है। नगर का नाम शाकंभरी देवी के नाम से शाकंभरी (सांभर) हो गया है। [ व० ख० ]

**शाकद्वीपीय** अथवा शाकद्वीपी भारतीय वर्णव्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों का एक वर्ग है। इनके पूर्वज मूलतः शकद्वीप के निवासी थे। महाभारत तथा पुराणों में शकद्वीप पुष्पी (वसुमति) के वर्णन आते हैं। उनमें एक शकद्वीप अथवा शाकद्वीप भी था। उसकी स्थिति कहीं थी, इसका एकमत से निरूपण नहीं हो सका है। परंतु इतना तो निश्चित है कि शकद्वीप शक नामक जाति का निवासक्षेत्र था। हीरोदोतस, दियोदोरस और स्ट्रैबो आदि ग्रीस और रोम के इतिहासकारों ने सीथिया (स्किथिया) की चर्चा की है। पर वही शकद्वीप था, यह अधिकांश विद्वानों के मत में अस्वीकार्य है। कभी कभी शकों को ईरानी और तुरानी जातियों से भी मिलाया जाता है। पारसीक अभिलेखों में शकों का निवास सिर दरया और आसू दरया के मैदानों में ज्ञात होता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे शक वहाँ से हटकर पूर्वी फारस और पश्चिमी अफगानिस्तान में चले आए। शकों के निवास का यह वही क्षेत्र है, जिसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और कुछ अभिलेखों में शकस्थान, अथवा कालीन फारसी उद्धरणों में सिजिस्तान और अजकल खिस्तान कहा जाता है। चीनी इतिवृत्तों से ज्ञात होता है कि शक लोग प्रारंभ में आधुनिक काश्गर के आसपास रहते थे पर ईसा पूर्व दूसरी शती में यू ची नामक जाति द्वारा वहाँ से हटाए जाने पर अफगानिस्तान और फारस की सीमाओं से होते हुए उन्होंने भारतवर्ष में प्रवेश किया। ऐनिक आक्रमणकारी और राजनीतिक विजेता होते हुए भी यहाँ की संस्कृति द्वारा वे जीते गए और भारतीय समाज में मिला लिए गए। संभवतः वर्णव्यवस्था उनमें पहले से ही था और भारतीय वर्णव्यवस्था स्वीकार करते उन्हें देर न लगी। ब्राह्मणों में उनका एक विशेष वर्ग ही हो गया, जिसे आज 'शाक-द्वीपी' अथवा शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं। बिगड़े हुए रूप में ये ही सकलद्वीपी या 'साकलद्वीपी' कहलाते हैं। ये सारे उत्तरी भारत में फैले हुए हैं। इन्होंने वैदिक काल में विशेष सफलता पाई।

सं० सं० — दि० खं० सरकार : स्टडीज इन दि जियासोंफी ग्रॉप ऐंजेंट ऐंड मेडिकल इंडिया, पृ० १६३; मजुमदार और पुस्तककार (संपादित) : 'दि एज ग्रॉव इंपीरियल यूनिटी, पृष्ठ १२०; हे० रायचौधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐंजेंट इंडिया, पृ० ४३१-४३६। [ वि० पा० ]

**शाजापुर** १. जिला, स्थिति : २२° ३४' से २४° १६' उ० अ० तथा ७५° ४४' से ७७° ६' पू० दे०। भारत के मध्यप्रदेश राज्य में स्थित, इस जिले का क्षेत्रफल २,३८८ वर्ग मील तथा जनसंख्या ५,२६,१३५ (१९६१) है। जिला मालवा के पठार पर स्थित है तथा यहाँ की भूमि अत्यधिक उर्वरा है। जिले में काली सिंध, चंबल तथा पार्वती मुख्य नदियाँ हैं। जिले के प्रमुख नगर शाजापुर, गुजालपुर तथा आगर हैं।

२. नगर, स्थिति : २३° २६' उ० अ० तथा ७६° १७' पू० दे०। यह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है, जो काली सिंध की सहायक नदी लकुंदर के बाएँ किनारे पर स्थित है। १६४० ई० में मालवा में आने के समय मुगल सम्राट् शाहजहाँ ने इसे बसाया था और इसका नाम शाहजहाँपुर था, जो बिगड़कर अब शाजापुर हो गया है। नगर की जनसंख्या १७,३१७ (१९६१) है। [ अ० ना० मे० ]

**शातोत्रिभिर्ना** (Chateaubriant १७६८-१८४८) प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक का जन्म 'से मालों' में ब्रैतान के एक प्राचीन कुलीन परिवार में हुआ था। आप अपने सरल किंतु उदास पिता, खिन्न अस्वस्थ माता, लुसिल नामक धार्मिक किंतु स्नायुदुर्बल बहन, ब्रैतान के वन्य दृश्य तथा समुद्र से प्रभावित हुए। संतप्त युवावस्था; निर्वासन एवं निर्धनता में इंग्लैंड में प्रवास; अमरीका, जेरूसलम, मिस्र तथा स्पेन की यात्राएँ, फ्रांस में साहित्यिक एवं राजनीतिक जीवन तथा अवकाशग्रहण आपके जीवन के प्रमुख पक्ष हैं। आपकी मित्रता फॉन्तान तथा जुबेर नामक लेखकों और मादाम रेकामियर तथा मादाम द बोमा नामक सामाजिक महिलाओं से थी। आपकी पुस्तक 'ल जेनि दु क्रिस्तियानिस्म' संवि-दिष्य १८०२ के सुप्रचलित पर प्रकाशित होकर फ्रांस में क्रांति के मत की पुनःस्थापना में सहायक हुई। आपकी पुस्तिका 'द बुनापार्त ए दे बुरबा' फ्रांस में मित्रराष्ट्रों के प्रवेश के दिन (३१-३-१८१४) प्रकाशित हुई। आपने नैपोलियन की अचीनता में तथा बुरबा परिवार में कई पदों पर कार्य किया; किंतु अपनी दर्पपूर्ण स्वतंत्र प्रकृति के कारण आपको इन्हें त्यागना पड़ा। सन् १८११ में आप अकादेमि के सदस्य चुने गए। सन् १८३० में आपने राजनीति से अवकाश ग्रहण किया।

आपकी पुस्तकें आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब हैं। 'एसाइ सुरले रेवोलुशियेर्ना' तख्त-पाठित्य-पूर्ण ग्रंथ है। 'ल जेनिदु क्रिस्तियानिस्म' नामक पुस्तक में आपकी आरंभिक नास्तिकता के प्रायश्चित्त, ईसाई मत के समर्थन, सौंदर्य सिद्धांत एवं नवीन समालोचना का मिश्रण है। 'अतिला' और 'रने' नए युग के दो उपन्यास हैं। 'अतिला' रोमैटिक पद्धति का एक विदेशी उपन्यास है। आपकी सर्वोत्कृष्ट कृति 'रने' में एक खिन्न, परिधार्त एवं विप्लवकारी रोमैटिक वीर का चित्रण है। यह खिलर और बायरन के 'बाइसड हैरोल्ड' के

बीच की कड़ी है। 'ले मारतिर' में प्रकृतिपूजक भावनों की अपेक्षा ईसाई भावनों की उच्चता दिखाई गई है। यह एक गद्यात्मक महाकाव्य है; किंतु आपकी प्रतिभा अधिकतर इतिहासोन्मुखी है। आपने अंगरेजी साहित्य पर एक निबंध, यात्रावर्णन, 'ला ब्रिद रसे' तथा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे; और 'पेराडाइज कोस्ट' का अनुवाद किया। अन्य चित्रण एवं उपकथाओं से परिपूर्ण आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'मेमवार दुष टॉम्ब' आत्मसमर्पण का एक प्रयत्न था।

शातोन्निया विचारक नहीं थे, वरन् अन्य वर्णों के लिये प्रसिद्ध एक कलाकार थे। आपकी अहंमयता सभी रचनाओं में परिलक्षित होती है। आपने बुद्धिवादी युग के अंत तथा रोमैटिक युग के आरंभ की घोषणा की। इनके रोमैटिसिज्म के मुख्य तत्त्व हैं:—प्रकृति एवं आत्मा की पूजा, प्रगीतारमकता, भावुकता इत्यादि। इन्होंने ऐसे गद्य की रचना की जिसमें केवल स्पष्टता एवं यथार्थता के स्थान पर कोमलता एवं लचीलापन है। शातोन्निया का दृष्टिकोण सौंदर्य प्रधान था। आपने कविता, उपन्यास, इतिहास तथा समालोचना के क्षेत्रों में फ्रेंच साहित्य को प्रभावित किया। [ एम० एम० देसाई ]

**शान राज्य** स्थिति : २१° ३०' उ० अ० तथा ६८° ३०' पू० दे०। यह बर्मा का पूर्वी सीमांत प्रदेश है। उत्तरी तथा दक्षिणी शान राज्य और वा राज्य संमिलित कर, यह प्रशासनिक इकाई बनाई गई है। इसका क्षेत्रफल ६०,००० वर्ग मील तथा जनसंख्या २०,८६,००० है। इसकी राजधानी ताउजी (Taunggyi) है। इस प्रांत में ३,००० पुट औसत ऊँचाईवाले शान पठार हैं। यहाँ की मुख्य चट्टान नीस है। राज्य में कुछ जवाहरातों की खानें भी हैं। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा ४५ इंच से ५० इंच तक है। यहाँ धान, कपास, पोस्ते तथा तरकारियों की खेती होती है। रंगून एवं मंडला रेल लाइन द्वारा लाशो आदि मुख्य केंद्रों तक पहुँचा जा सकता है। [ पु० क० ]

**शापिनहावर** (१७८८-१८६०) "रूदनशील" एवं निराशावादी दार्शनिक आर्थर शापिनहावर का जन्म पोलैंड के डॉजिन नगर में एक चनाइय व्यापारी के यहाँ हुआ। १७६३ में पोलैंड के द्वितीय विभाजन के बाद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण शापिनहावर परिवार को पाँच वर्ष के बालक आर्थर के साथ हैबर्ग में शरण लेनी पड़ी। परिवार की समृद्धि में कमी नहीं आई और आर्थर की शिक्षा-दीक्षा सुचारु रूप से चलती रही। १७६७-१७६९ में उसे पेरिस और हार्वे का भ्रमण करने का अवसर मिला। किशोर शापिनहावर फ्रांस की साहित्यिक गतिविधि से अत्यंत प्रभावित हुआ और वोल्तेयर के विचारों ने उसके चिंतन पर अच्युत छाप छोड़ी। इंग्लैंड के जीवन से उसे ऊब महसूस हुई। वहाँ से पुनः फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और वियना तथा बर्लिन की यात्रा ने शापिनहावर को जीवन की विविधता से परिचित कराया।

१८०५ में शापिनहावर के पिता की मृत्यु एक दुःखटना से हो गई। इससे पूरा परिवार ही क्षिप्त भिन्न हो गया। आर्थिक स्थिति को भी इससे धक्का लगा। उसकी माँ और दस वर्षीया बहन बेमर में चली गईं, और आर्थर हैबर्ग में अकेला रह गया—पूर्ण एकाकी। इन कठनायों और परिस्थितियों ने शापिनहावर को एकांतप्रिय और आत्म-

जीन बना दिया। वह परछिद्रान्धेषक, आलोचक और कंकासु हो उठा। पारिवारिक संबंध कटु हो गए और शापिनहावर की मनस्थिति इन सबसे पूरी तरह डायबोल हो गई। घुटन और कुंठाओं ने उसे घेर लिया।

२१ वर्ष की उम्र में शापिनहावर ने गौटिजन में बिकल्साशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया; किंतु उसकी रुचि उसकी अपेक्षा दर्शनशास्त्र में अधिक रही। यहीं उसने प्लेटो और कांट के सिद्धांतों का अनुशीलन किया। बर्लिन विश्वविद्यालय में वह फिक्टे के संपर्क में भी आया।

१८१३ में उसने सेना को भी अपनी सेवाएँ अर्पित कीं; फलस्वरूप उसे बर्लिन छोड़कर भागना पड़ा। उसे ड्रेसडेन और रूडोल्स्टाट में शरण मिली। यहीं पर उसकी पहली पुस्तक (धान द फोर फ्रोल्ड स्ट्रॉव द प्रिंसिपल ऑव सफीबेट रीजन, रूडोल्स्टाट, १८१३) प्रकाशित हुई, जिसपर उसे बर्लिन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि मिली।

वह अपनी माँ के पास बेमर गया। किंतु माँ की विलासपूर्व जिवगी के डरों से वह निराश हो गया और अंततः १८१४ में उन्हें हुमेरा के लिये त्याग दिया। माँ के प्रति उसकी यह घृणा समस्त नारी जाति की घृणा के रूप में प्रगट हुई। इसका प्रभाव इतना रहा कि शापिनहावर ने आजीवन विवाह ही नहीं किया।

बेमर में शापिनहावर गेटे के संपर्क में भी आया। यहीं उसने अपनी पुस्तक "धान विजन ऐंड कलर्स" लिखी, जो १८१६ में लाइपज़िग से प्रकाशित हुई। १८१४ से १८१८ के बीच वह ड्रेसडेन में रहा और वहाँ उसने अपनी मुप्रसिद्ध पुस्तक "द वर्ल्ड ऐज़ विल ऐंड आइडिया" लिखी। १८१८ में वह इटली गया। १८२० में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्यापन की कौशिक की, किंतु हीगेल से मतभेद होने के कारण उसे छोड़ दिया। अब वह अपना समय यात्रा और मनन में बिताने लगा। नाटक और संगीत के प्रति भी उसकी रुचि बढ़ी। १८३१ में वह फ्रैंकफर्ट चला आया। यहीं पर १८३६ में उसकी पुस्तक "धान द विल इन नेचर" प्रकाशित हुई। १८३८ में उसे नार्वेजियन सोसायटी से पुरस्कार मिला। १८४१ में उसके दो महत्वपूर्ण लेख "द द फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑव इथिक्स" प्रकाशित हुए, जिनमें उसने अपने नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या की।

शापिनहावर को सबसे अधिक प्रसिद्धि "द वर्ल्ड ऐज़ विल ऐंड आइडिया" से मिली। उसकी प्रसिद्धि तो मिली, किंतु बड़ी देर से। तब तक उसकी माँ बहन की घृणु हो चुकी थी। १८५५ में प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार गोबेल ने उसका चित्र बनाया। बाद का जीवन एकाकी नीता और फ्रैंकफर्ट में २१ अक्टूबर, १८६० को उसकी मृत्यु हुई।

दार्शनिक शापिनहावर के मतानुसार परमतत्व इच्छाशक्ति है, जो अपना विकास बुद्धि के रूप में करती है। हमें निसस (Nisus) के अस्तित्व का प्रत्यक्ष अंतर्ज्ञान होता है, जिसका अनुभव बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रगट होता है। कांट की भाँति वह भी विक्रम का बुद्धि का रूप मानता है। शापिनहावर के लिये संसार का आविर्भाव

नाड़ीसंकेत के विकास के रूप में होता है। इस प्रकार इच्छाशक्ति प्राप्त करती है। यदि कोई मनुष्य शक्ति की स्थिति तक पहुँचना चाहता है, तो वह उसे जीने की इच्छाशक्ति को पूर्णरूपेण त्याग देने से प्राप्त कर सकता है। वह प्रयत्न करके 'निर्वास' (मपिनहावर द्वारा प्रयुक्त बौद्ध दर्शन का सत्व) — अनस्तित्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जहाँ इच्छाशक्ति विद्युत होकर बुद्धिमान शेष रहती है।

मपिनहावर का जीवन सदा दुःखी और भवसादपूर्ण रहा, इसी-लिये निराशावाद उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इच्छाशक्ति प्राप्तप्रदर्शन के लिये सतत संघर्षशील रहती है, जिसमें व्यक्ति को कभी संतोष नहीं प्राप्त होता। इच्छाशक्ति शंकी है, इसीलिये कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। हम सुख के पीछे जाते हैं, यही दुःख का कारण है। वैयक्तिक इच्छाशक्ति को अपने से अलग करना अपेक्षित है। यही त्याग हमें परमसत्त्व की ओर प्रेरित करेगा। इस प्रकार मपिनहावर पर बौद्ध दर्शन की छाप स्पष्ट रूप में परिलक्षित होती है।

मपिनहावर ने कहा है कि संसार के दुःखों से पलायन करके कला-चिंतन में रस लेना अभीष्ट है। संगीत में यह क्षमता है कि वह मनुष्य को परमानन्द की प्राप्ति कराती है। इसीलिये, मपिनहावर दार्शनिक के साथ साथ कवि अथवा कलाकार के रूप में भी माना गया है। उसने स्वयं कहा है कि उसका दर्शन 'कला के रूप में दर्शन' है।

[ मु० शु० ]

**शारदें, जी सीम्यो (१९६६-१७७६)** अट्टारहवीं शताब्दी की फ्रांसीसी चित्रकला का उत्कृष्ट चित्रकार। उस समय फ्रांस में डच शैली के चित्र खूब प्रचलित थे पर शारदें ने बजाय इसके फ्रांसीसी लोक-रुचि के माध्यम पर चित्र बनाए। उसके चित्र सीमित विषय-वस्तु के होते हुए भी अपनी ताजगी, बागीकी तथा पवित्र यथार्थता के कारण प्रभावकारी हैं। साधारण जीवन के दृश्य जैसे बर्तन, सागसब्जी, खेलकूद, फलफूल की टोकड़ियों इत्यादि के चित्र उसने बड़े ही मनोहारी ढंग से अंकित किए हैं। इसी प्रकार बरेलू जीवन के चित्रों को भी वह बड़ी सजीवता से चित्रित करता था। व्यक्ति-चित्रण (पोर्ट्रेट) में उसने विशेष कुशलता दिखाई। उसके अपने तथा अपनी पत्नी के व्यक्तिचित्र बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं। कला में अपनी विलक्षण सूक्ष्मता तथा पैठ के कारण ही वह फ्रांसीसी कला अकादमी का सदस्य भी बना दिया गया था।

[ रा० बं० शु० ]

**शारलट मेरिया टकर (Charlotte Maria Tuckor)** कुमारी शारलट मेरिया टकर का जन्म २५ दिसंबर, १८२६ ई० को लंदन (इंग्लैंड) में हुआ था।

इनकी लेख लिखने का अल्पम से शौक था। इनका प्रथम लेख 'ईश्वरीय वेन' था जो इंग्लैंड की कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। १८४० ई० में वे अच्छी लेखिका मानी जाने लगीं। उनकी पुस्तकें ए. एल. जो. ई. (ए लेडी ऑफ इंग्लैंड) के नाम से प्रकाशित होती थीं। इस कार्य में वह बहुत सफल रहीं।

१८७५ ई० में कुमारी टकर ने मिशनरी कार्य करने के उद्देश्य से भारत जाने का विचार किया। रवाना होने के पहले उन्होंने उर्दू भाषा सीख ली क्योंकि वह साहित्य के द्वारा ही सेवा करना चाहती थीं। भारत में पहुँचते ही उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया। वे अफिकाना यीशु के रचनाओं को कहानी रूप में लिखती थीं और उनको ऐसी भाषा और भावनाओं में प्रकट किया करती थीं जो भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसमें उन्हें काफी सफलता मिली।

अधुनतन से वे बटाका गईं और जहाँ मुसलमानों के बीच काम करने लगीं। अठारह साल तक मिशनरी सेवा करने के पश्चात् १५ दिसंबर, १८६३ को उनकी मृत्यु हुई। [मि० ५०]

**शार्क** सिलैकियाई (Selachii) उरवर्ग की उदास्थियुक्त मछलियाँ हैं, जो संसार के सभी समुद्रों में पाई जाती हैं। कंकाल में अस्थि की अनुपस्थिति तथा शिर के पिछले भाग में प्रत्येक ओर पाँच से सात गिलच्छिद्र, इनको अस्थिल मछलियों से अलग करते हैं। इन मछलियों में वायुमासय (air bladder) भी नहीं होता।

प्रकृपी शार्क मछलियाँ क्रियाशील तथा मछलियों को खानेवाली होती हैं और सामान्यतः नीले या हरे रंग की होती हैं। इनकी त्वचा छोटे छोटे पट्टान शल्कों (placoid scales) से ढकी होने के कारण कुरदरी होती है। इनका शरीर साधारण मछलियों के आकार का होता है। प्रोथ (snout) नुकीला होता है तथा बन्वाकार मुँह शिर के निचले भाग में होता है। दाँत त्रिकोणीय होते हैं तथा इनके किनारे तीक्ष्ण होते हैं। पल (fins) नुकीले होते हैं तथा पूँछ का पिछला तिरा ऊपर की ओर मुड़ा रहता है। कुछ बड़ी शार्क मछलियों के दाँत, जो प्लवकों (plankton) को खाती हैं, छोटे छोटे होते हैं। समुद्रतल पर पाए जानेवाले शार्कों का मुँह अनुप्रस्थ होता है और इनके दाँत छोटे तथा नोकदार होते हैं। शार्क में कर्तन, छेदन तथा पीसनेवाले दाँत भी होते हैं।


शिकार को खोजने के लिये, इनकी आरंभ इंद्रिय विशेष रूप से विकसित होती है। कुछ शार्क अंडे देते हैं, परंतु अधिकांश सजीव-प्रजक (viviparous) होते हैं। शार्क में आंतरनिषेचन (internal fertilization) होता है।

सबसे बड़ा एवं भयानक शार्क, जिसे व्हेल शार्क (Whale shark) कहते हैं, ५० फुट से भी अधिक लंबा होता है। सौभाग्य से यह मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्योंकि इसका प्रमुख भोजन समुद्री जीव तथा पीसे होते हैं। यह सबसे बड़ी मात मछली है। व्हेल (Whale), जो मछली के आकार का होता है, वास्तव में मछली नहीं है। यह स्तनपायी वर्ग का एक जंतु है।

बास्किंग शार्क (Basking shark) दूसरा भयानक शार्क है। यह आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। निस्तुपी शार्क (Thresher shark) लम्बा १५ फुट लंबा होता है। इसकी पूँछ विशेष रूप से लंबी होती है। यह भी भयानक शार्क है तथा समुद्री जल में यह हेरिंग (Herring) तथा मैकेल (Mackrel) मछलियों के समूहों का पीछा करते हुए पाया जाता है।

बड़े शार्कों में एक, सक्रिय एवं बहुभोजी शार्क, सफेद शार्क है। इसकी लंबाई ५० फुट तक हो सकती है, परंतु बहुधा इतना बड़ा सफेद शार्क नहीं पाया जाता। साधारणतः पाए जानेवाले सफेद शार्कों की लंबाई २० से ३० फुट होती है। यद्यपि इसे सफेद शार्क कहा जाता है, परंतु इसका रंग राख के रंग का होता है। इसकी निचली सतह केवल सफेद होती है। यह मानवभक्षी शार्क गरम समुद्रों में पाया जाता है तथा कभी कभी ही ठंडे जल में प्रवेश करता है। अन्य मानवभक्षी शार्क हैं : ब्याग्र शार्क ( Tiger shark ), अयोधन शिर शार्क ( Hammer headed shark ) रेत शार्क ( Sand shark ) आदि।

एक अन्य प्रकार का शार्क, जिसे डॉग फिश ( Dog fish ) कहते हैं, घाकार में तो छोटा होता है, परंतु यह मछुओं के कार्य में विशेष व्यवधान उपस्थित करता है। घारा शार्क ( Saw shark )



शार्क

ऊपर का चित्र ब्लैक शार्क का है, जो ५० फुट तक लंबा होता है। नीचे मानवभक्षी शार्क का चित्र है।

इंडोपैसिफिक सागर में पाया जाता है। इसका प्रोब घाने की ओर बढ़कर एक चौरस फलक बना देता है, जिसके दोनों ओर क्रम से दाँत लगे रहते हैं।

केवल कुछ शार्क ही मानव खाद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके सुले पत्तों से चीन में जिलेटिन बनाया जाता है। शार्क चर्म का उपयोग लकड़ी के बने सामानों को चिकना करने तथा धूता बनाने में भी किया जाता है। शार्कों का एक विशेष महत्व उनके यकृत में पाए जानेवाले तेल के कारण है, जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका व्यापारिक नाम 'शार्क लिवर ऑयल' है। शार्क से तरेस तथा उर्वरक भी तैयार किया जाता है।

[ नं० कु० रा० ]

शार्ट, सर फ्रैंक जाव ( १८५७-१९५५ ) अंग्रेजी जलरंज चिकित्साकार। प्रारंभ में सिविल इंजीनियर बनने का प्रयत्न किया। अंतः-प्रेरणा के बशीभूत हो साउथ कॉन्सिगटन के मेकनल घाट इंजिन स्कूल में प्रवेश किया। कितने ही प्राकृतिक दृश्यों को उसने जलरंज, नकाशी, वास्तुविज्ञान और अन्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया। नदियों के कगारों, जलगतों और हरे भरे दृश्यों की गहरी वारीकियों में उसकी मौलिक प्रतिभा और चरम कलासाधना के दर्शन हुए।

साउथ कॉन्सिगटन के रायल कालेज में इनपेविंग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए उसने क्याति अर्जित की। [ नं० रा० गु० ]

शालिवाहन शातवाहन का प्राकृत में अपभ्रंश शालिवाहन है। हेमचंद्र ने अपने 'देशीकोश' में शालिवाहन, सालन, हाल तथा कुतब नामक किसी एक ही व्यक्ति का उल्लेख किया है, किंतु अंतिम दो नाम पर्यायवाची न होकर विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित हैं जो शालिवाहन कुमार थे। शालिवाहन अथवा शातवाहन उस राज्यवश का नाम है जिसने दक्षिण भारत में कई शताब्दियों तक राज्य किया और जिसका शक, पल्लव, तथा यवन राजाओं के साथ पश्चिमी-दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर कई पीढ़ियों तक संघर्ष चलता रहा। इसी प्रसंग को लेकर बहुत सी किंवदंतियाँ भी प्रचलित हुईं। शालिवाहन नामक सम्राट् को शक संवत् का स्थापक भी माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि शालिवाहन प्रतिष्ठान-पैदान की एक ब्राह्मण कन्या तथा शेष के संसर्ग से पैदा हुआ था। बड़े होने पर उज्जयिनी के शक सम्राट् ने इसे नष्ट करने के हेतु प्रतिष्ठान पर आक्रमण किया, पर शेष की सहायता से वह स्वयं पराजित हुआ। शालिवाहन का मंत्री गुणादय था जिसने सात भागों में बहलुकषा लिली थी और वह इन्हे सम्राट् को अर्पित करना चाहता था। स्वीकृति न मिलने पर उसने छह भाग जला दिए। अंतिम भाग को शालिवाहन ने गुणादय के शिष्यों से स्वयं जाकर लिया। इस शालिवाहन की समानता गौतमीपुत्र शातकण्ठ से की गई है जिसने शक, यवन, तथा पल्लव शासकों को हराया था तथा नहपान के बंध को नष्ट कर दिया था। लगभग तीन चार सौ वर्षों से शक संवत् को शालिवाहन शक संवत् के नाम से संबोधित किया जाने लगा है।

सं० अं० — मंडारकार—घार० जी०—अर्ली हिस्ट्री ऑव डेकन; शास्त्री के० एन०—कॉप्रीहेनसिव हिस्ट्री ऑव इंडिया—भाग २।

[ वी० पु० ]

शालिब बृहस्पति के छोटे भाई अजक के बंध से उत्पन्न मातिकावत का अभिय नरेक्ष। काशिराज की पुत्री शंबा ने इसे मन ही मन अपना पति चुन लिया था। स्वयंवर के समय यह भीष्म से पराजित हुआ। भीष्म से आका लेकर भाई हुई शंबा का इसने परिस्थान किया। यह अराबंध का पक्षपाती और क्रुष्ण का विरोधी था। यादवों से शत्रुता के क्रम में इसने 'सोम' विमान प्राप्त किया, प्रद्युम्न को युद्ध में हराया। अंत में श्रीकृष्ण ने इसका वध किया। इस नाम के अनेक पौराणिक व्यक्तियों, राजाओं और दैत्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। [ चं० भा० पां० ]

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास [ १८६६-१९५६ ] भारतीय समाजसेता। बालिगमन ( मद्रास ) के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्कूलमास्टर के रूप में जीवन प्रारंभ। शुरू से ही जीवन की सामाजिक समस्याओं में अभिरुचि होने के कारण गोपालकृष्ण गोखले द्वारा संस्थापित सर्वेड्स ऑव इंडिया नामक संस्था के सदस्य बन गए। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में उनकी लगन देखकर गोखले ने इस संस्था की अध्यक्षता के लिये अपने बाद इन्हीं को चुना। सन् १९१६ में वे वाइसराय की विधान परिषद् में आए।

मांटग-केम्सफोर्ड सुधार आयोग की योजना कार्यान्वित होने के बाद वे नई काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य चुने गए। १६२१ की रेलवे समिति में भी उन्हें शामिल किया गया। अपने समय के सबसे अधिक कुशल बनता होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संस्था लीग ऑफ नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रिवी काउंसिल में शामिल होने-वाले वे तीसरे भारतीय थे। १६२७ में सरकार ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एजेंट नियुक्त किया। लंदन की गोल मेज परिषद् की पहली बैठक के वे सक्रिय सदस्य थे। [ मु० रा० ]

**शाहजहाँ** मुगल बंध के पंचम बादशाह तथा 'ताज' के निर्माता शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी, १५९२, बृहस्पतिवार की रात्रि में हुआ। इनका पालन पोषण इनके पितामह अकबर की निस्संतान स्त्री सुलताना रजिया बेगम ने किया। पितामह ने इनका नाम खुर्रम रखा। अगताई रीति के अनुसार इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध भी उन्होंने किया। प्रबुल फखल का भाई फैजी इनका शिक्षक नियुक्त किया गया। १५ वर्ष की उम्र में ( १६०७ ) इनकी सगाई ऐतकाद-खी ( आसफ खी ) की पुत्री अजुमंदबादू बेगम से हुई। पर कुछ कारणों से शीघ्र विवाह संपन्न न हो पाया। सितंबर, १६०६ में उनकी सगाई मिर्जा मुजफ्फर हुसेन सफवी की पुत्री से हुई और १८ अक्टूबर, १६१० को विवाह भी संपन्न हो गया। मार्च, १६१२ में खुर्रम का दूसरा विवाह अजुमंदबादू से हुआ, और वहीं से उनके जीवन का सितारा सहीमान होने लगा। अजुमंदबादू बेगम, जो बाद में मुमताजमहल या ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुईं, खुर्रम की प्रतीजी थी और यही कारण था कि उसके पति खुर्रम नवीन शाही गुट के कृपापात्र बन गए। १६१७ में जब मलिक अंबर की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने खुर्रम दक्षिण गए तो वहाँ उन्होंने अबदुर्रहीम खानेखाना के पुत्र शाहनवाज खी की पुत्री से विवाह किया। इस राजनीतिक संबंध ने उनकी शक्ति और स्थिति को दृढ़ कर दिया। अपनी तीनों पत्नियों में से खुर्रम सबसे अधिक अजुमंदबादू से ही प्रेम करते थे। उनसे उनके १४ बच्चे हुए जिनमें से ७ की मृत्यु बचपन में ही हो गई और शेष सात में से ४ पुत्रों—दारा, बुजा, औरंगजेब और मुराद—तथा दो पुत्रियों—जहाँनारा बेगम व रोशन-आरा बेगम—ने उनके जीवन के अंतिम काल में, मुगल साम्राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया।

अपने पिता जहाँगीर के राज्यकाल में ही खुर्रम ने प्रतिभा, कार्य-कुशलता, अपूर्व बुद्धि तथा सैन्य चातुर्य का परिचय दिया। उनकी योग्यता की परीक्षा लेने के लिये उन्हें मेवाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में भेजा गया जहाँ सिसोदिया रणवीरुओं ने बार बार मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। कार्यक्षेत्र में पहुँचते ही खुर्रम ने सैनिक शीकियाँ स्थापित करके, चारों ओर से मेवाड़ की नाकाबंदी कर दी। राज्य में रसद के अभाव के कारण हाहाकार मच गया। महाराणा अमर-सिंह की प्रजा झुंझों मरने लगी और उसके सैनिकों का संहार निरंतर होता जा रहा था। विवश होकर उसने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। खुर्रम की यह पहली विजय थी। इसमें उन्होंने सैनिक योग्यता, कूटनीति एवं राजनीतिज्ञ और कुशल कार्यपद्धता का प्रमाण देकर सबको अकित कर दिया। उनके युद्धों से प्रभावित

होकर उनके पिता सम्राट् जहाँगीर ने उन्हें दक्षिण सीमा पर मलिक अंबर से मोरचा लेने भेजा। इस क्षेत्र में खानेखाना, अब्दुल्ला खी, खानेजहाँ जैसे नामी सेनापतियों ने एक हथौड़ी सरदार के हाथ मात खाई थी। परंतु भाग्य और योग्यता ने खुर्रम का साथ दिया और उनको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने दक्षिण के राज्यों के ऐक्य को अपनी बहुसंख्यक सेना का प्रदर्शन करके तथा नीति द्वारा तोड़ दिया। मलिक अंबर और उसके सहयोगियों को नीचा खेकना पड़ा और मुगल आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। तीन मास में ही खुर्रम ने वह काम कर दिखाया जिसमें अन्य लोग वर्षों से व्यस्त थे। दक्षिण में मुगल प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। सम्राट् जहाँगीर तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने विजयी राजकुमार को शाहजहाँ की उपाधि से विभूषित किया तथा उसका मनसब ३०,००० जात व ३०,००० सवार कर दिया। दरबार में उसके बैठने के लिये, सिंहासन के निकट एक स्वर्ण कुर्सी भी रखी जाने लगी। एक मुगल राजकुमार के लिये यह उच्चतम संमान था।

अगले तीन वर्ष शाहजहाँ अपने पिता के सन्निकट ही रहा। इसी बीच उसने अपने नए मित्र बनाए और वह यह सोचने लगा कि वह कैसे खुर्रम की बेगम की सहायता एवं सद्भावना के बिना भी अपने पैरो पर खड़ा रह सकता है। इधर उसकी महत्वाकांक्षाओं और सतत सफलताओं के कारण खुर्रम को उसके प्रति यह संदेह होने लगा कि वह कहीं उसके प्रति विरोध न कर बैठे और राजसत्ता को न दबा बैठे। इस प्रकार शाहजहाँ और खुर्रम में तनाव पैदा हो गया।

दक्षिण में मलिक अंबर ने एक बार फिर बीजापुर तथा गोल-कुंडा के शासकों के साथ मिलकर मुगलों पर घावा बोल दिया और उन्हें निजामशाही राज्य से बाहर निकाल दिया। शाहजहाँ इस समय कांगड़ा के किले पर घेरा डाले हुए था और शाही सेनाएँ पूर्णतया इस काम में व्यस्त थीं। फिर भी उसे आदेश दिया गया कि वह शीघ्रता से दक्षिण सीमांत की ओर जाकर वहाँ की बिगड़ती हुई स्थिति को संभाले। इस आज्ञा के पीछे शाहजहाँ को खुर्रम की चाल का संदेह हुआ। जहाँगीर की बीमारी के कारण शाहजहाँ दरबार से दूर नहीं जाना चाहता था। उसे भय था कि कहीं उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद खुर्रम या शहरवार को गद्दी पर न बिठा दिया जाय। अतः उसने खुर्रम को अपने साथ ले जाने की माँग की। जहाँगीर को उसकी योजना पर संदेह हुआ। पर खुर्रम तो यह चाहती ही थी कि खुर्रम का वध दूसरे के हाथों हो। अतः उसके कहने पर जहाँगीर ने उसकी माँग स्वीकार कर ली। खुर्रम को लेकर शाहजहाँ दक्षिण भाया और एक बार फिर अपनी कूटनीति द्वारा उसने बीजापुर, गोलकुंडा और मलिक अंबर को संधि करने पर विवश किया। उसके पश्चात् उसने खुर्रम को मौत के घाट उतार दिया। अभी वह अपनी शक्ति को दृढ़ करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि खबर आई कि कंधार पर फारस के शाह ने अधिकार कर लिया है। शीघ्र ही सम्राट् का आदेश उसे मिला कि वह तुरंत उत्तर अफ़िमी सीमांत पर जाकर कंधार के किले पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे और उसकी रक्षा करे। राजकुमार ने, सफलता पाने के

शाहजहाँ ( देखें पृष्ठ २४७ )



शरत्चंद ( देखें पृष्ठ ३२१ )





विचार से, जहाँगीर के सामने कुछ माँगें प्रस्तुत कीं। सम्राट् ने उन माँगों को मस्वीकार कर दिया और शाहजहाँ को आदेश दिया कि वह तुरंत ही अपनी सेना सहित उत्तर पश्चिम की ओर चला जाए। उसकी माँगों से रुष्ट होकर सम्राट् ने उसकी हिसार फिरोजा की जागीर उससे छीनकर शाहजादे शहरयार को दे दी। इन घटनाओं ने उसे विद्रोह करने पर विवश किया। उसका विद्रोह दबा दिया गया। तत्पश्चात् वह दक्षिण में ही रहा। जहाँगीर की मृत्यु का समाचार मिलते ही आसफ खाँ के आदेशानुसार वह दक्षिण से भागते पहुँचा और गद्दी पर आसीन हुआ।

शाहजहाँ के सिंहासनारोहण से एक नए युग का आविर्भाव होता है। राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, देश में शांति, सुख वैभव, संपृद्धि, कलाकोशल तथा साहित्य की उन्नति इत्यादि साम्राज्य के चमत्कार के लक्षण थे। शाहजहाँ के राज्यकाल में तीन विद्रोह हुए। (१) खानेजहाँ लोदी दक्षिण का गवर्नर और जहाँगीर तथा मुरजहाँ का कृपापात्र था। वह शाहजहाँ की बढ़ती हुई शक्ति एवं स्याति को सहन न कर सका। सम्राट् जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात् की परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने उस क्षेत्र में जो निजामशाही प्रदेश मुगलों के हाथ आ गए थे उनमें से बालाघाट को, घूम लेकर, प्रहमदनगर के मंत्री हामिद खाँ को दे दिया और उसने प्रहमदनगर के किले के रक्षक को आज्ञा दी कि वह भी किले को निजामशाही सैनिकों को सौंप दे। परंतु दुर्गसंरक्षक ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तब उसने खानेजहाँ से कहा कि वह उक्त प्रदेशों को वापस ले ले। परंतु खानेजहाँ ने इस काम को करने में आनाकानी की। इसलिये उसे दरबार में वापस बुला लिया गया। वह आगरा आ गया परंतु उसका हृदय उद्विग्न रहने लगा। यह समाचार पाकर कि उसके विरुद्ध कार्यवाही होनेवाली है भयभीत होकर वह भाग खड़ा हुआ और दक्षिण में जाकर उसने निजामशाह की शरण ली। शाहजहाँ एक बड़ी फौज लेकर दक्षिण पहुँचा। उराने स्वयं सैन्यसाचालन किया। खानेजहाँ लोदी विवश होकर उत्तर की ओर भागा पर शाही सेना ने उसका पीछा किया और उसे घेरकर मार डाला। (२) दूसरा विद्रोह जुम्हारसिंह बुंदेले का था। शाहजहाँ के हुकम के विपरीत भी उसने चौगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शाही सेना ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की। सभी किलों और चौकियों पर अधिकार स्थापित किया तथा जुम्हारसिंह को बाँध करने पर विवश किया। (३) तीसरा विद्रोह मुरपुर के जमींदार जगत सिंह का था। जगत सिंह ने खंबा राज्य पर हमला किया और जब शाहजहाँ ने उसे दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया तो वह न आया। शाही सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसने क्षमायाचना की तब उसे शाहजहाँ ने क्षमा कर उसके पहलेवाले मंसब पर उसे बहाल कर दिया। इन तीन विद्रोहों के अतिरिक्त कुछ छोटी घटनाएँ भी घटीं। मुगलों ने बंगाल में पुर्तगाली लुटेरों का दमन किया। १६३९ में अमीर खलील, १६४४ में मालवा के सरदार भारबी गोंड, १६४९ में पालामऊ के राजा प्रताप को हराकर उसके राज्यों तथा जागीरों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मुगल सेनाओं ने कुश्बिहार और

कामरूप पर अधिकार स्थापित किया और आसाम के साथ व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित किए।

शाहजहाँ के राज्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण अभियान बल्ख और बदखशा को विजय करने के लिये हुए। इन प्रदेशों पर मुगल अपना पैत्रिक अधिकार समझते थे। अकबर और जहाँगीर दोनों ही उनपर पुनः मुगल आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। पर समय अनुकूल न होने के कारण अपनी योजनाएँ कार्यान्वित करने में वे सफल न हो सके। परंतु इस समय बुखारा के शासक नजर मुहम्मद और उसके पुत्र अजीज में संघर्ष छिड़ जाने के कारण शाहजहाँ को मध्य एशिया में अपने भाग्य की परीक्षा लेने का सुप्रवसर प्राप्त हुआ। जून, १६४६ में राजकुमार मुराद की अध्यक्षता में, १०,००० घुड़सवार तथा १०,००० पैदल सिपाहियों की एक सेना बल्ख पर चढ़ाई करने भेजी गई। बिना विरोध के मुगलों का बल्ख पर अधिकार हो गया। नजर मुहम्मद वहाँ से ईरान भाग गया। इसी कारण मुगलों के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ गई। इस अभियान के प्रति मुगद पहले से ही उदासीन था। आगामी कठिनाइयों का अनुमान करके ही वह व्याकुल हो उठा और सम्राट् की आज्ञा का उल्लंघन करके बल्ख से चल दिया। उसकी जगह औरगजेब को भेजा गया लेकिन उसे भी कोई सफलता उजबेकों के विरुद्ध न मिल सकी और वह भी हताश होकर लौट आया। समस्त प्रदेश पर शत्रु ने पुनः अधिकार कर लिया।

कूटनीति का प्रयोग करके शाहजहाँ ने १६३८ में कंधार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और अगले दस वर्ष तक इस दुर्ग पर मुगलों का अधिकार भी बना रहा। बल्ख की हार के पश्चात् परिस्थिति एकाएक बदल गई। १६४६ में शाह अब्बास द्वितीय ने योजना बनाकर कंधार को मुगलों के हाथ से छीन लिया। शाहजहाँ के गौरव पर यह गहरी चोट थी, अतः उसने कंधार वापस लेने का निश्चय किया। दो बार औरगजेब के और एक बार दारा शिकोह के नेतृत्व में सेनाएँ भेजी गईं, परंतु सफलता प्राप्त न हो सकी। इससे मुगलों की धन और जन की हानि के प्रलावा उनकी सामरिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ा।

यद्यपि शाहजहाँ अपने पैत्रिक प्रदेशों को वापस न ले सका और कंधार पर भी अपना अधिकार पुनः स्थापित न कर सका तथापि शाही सेनाओं ने उस क्षति की पूर्ति दक्षिणी सीमांत पर सफलता प्राप्त करके की। मलिक अंबर के उत्तराधिकारी, फतह खाँ, पर न किसी को विश्वास था और न उसमें पिता के समान गुण विद्यमान थे, जो निजामशाही राज्य को बचा सकते। एक मजबूत बाह्यनीति का अनुसरण कर, जब मुर्तजा निजामशाह द्वितीय ने, मुगल साम्राज्य के विद्रोही खानेजहाँ लोदी को शरण दी उसी दिन से निजामशाही राज्य के भाग्य का निर्णय हीं गया। शाही फौजों ने, प्रहमदनगर को जीतकर दीलताबाद को घेर लिया। खानेजहाँ लोदी के निष्कासन के पश्चात् फतह खाँ ने शाहजहाँ से संधि की बातें प्रारंभ की और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसका नाम स्तुतवा में पड़ेगा तथा सिबकों में अंकित करेगा। लेकिन शाहजहाँ को उसकी बातों पर विश्वास न हुआ। विश्वास दिलाने के हेतु ही फतेह खाँ ने मुर्तजा को भीत के घाट उतार दिया और हुसैन

निजामशाह को गद्दी पर बिठाया। अब शाहजहाँ के नाम का झुतका पड़ा गया जिससे सल्ताद् प्रसन्न हुआ। दीलताबाद का किला फतह खाँ के हाथ सौंपकर वह उत्तर की ओर लौट गया। लेकिन जैसे ही उसने पीठ फेरी, फतह खाँ ने बीजापुर के सेनापति मुकर्रब खाँ की बातों में आकर मुगलों के विरुद्ध फिर लड़ाई प्रारंभ कर दी। इसपर महावत खाँ ने दीलताबाद के किले पर घेरा डाल दिया। किले पर कब्जा करके फतह खाँ और हुसैन निजामशाह को बंदी बना लिया। परंतु महावत खाँ की कठिनाइयों का अंत न हुआ। मराठा सरदार साहू तथा बीजापुर की सेनाओं की गतिविधि के कारण, उसे अपमान ही न सहना पड़ा बल्कि नैराश्य से उसकी मृत्यु भी हो गई और दक्षिण की परिस्थिति पूर्व के समान बिगड़ गई। साहू ने बीजापुर से मदद लेकर, मुगलों के प्रदेशों पर छापा मारना प्रारंभ कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शाहजहाँ को स्वयं दक्षिणी सीमांत की ओर प्रस्थान करना पड़ा। बाही सेनाओं ने साहू को निजामशाही राज्य और महाराष्ट्र से निकाल दिया और बीजापुर तथा गोलकुंडा के शासकों को संबि करने और बन देने पर विवश किया। औरंगजेब को दक्षिण का वाइसराय नियुक्त कर शाहजहाँ आगरे लौट गया। अगले आठ वर्ष तक दक्षिण का शासन प्रबंध औरंगजेब के हाथ में रहा। उसने बगलना, भोसा और उदगीर पर अधिकार किया तथा देवगढ़ के सरदार को बन देने पर विवश किया। सं० १६५४ में दक्षिण के प्रांत से हटाकर औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। सं० १६५६ ई० में सल्ताद् ने उसे दूसरी बार दक्षिण भेजा। यहाँ पहुँचकर उसने शासन प्रबंध को सुव्यवस्थित किया।

६ सितंबर, १६५७ ई० को शाहजहाँ के रोगग्रस्त हो जाने से, उसके स्वर्ण युग पर दलबंदी की काली घटाओं ने सँबराना प्रारंभ किया। रोग के कारण सल्ताद् का दरबार में प्रति दिन आना, जाना क्रोडि में प्रातःकाल दर्शन देना तथा समाचारवाहकों से मिलना, स्थगित हो गया। ज्यों ज्यों उसका रोग करवट बढ़लता, र्यों र्यों, साम्राज्य की नींव पर एक बक्का सा लग जाता। मुगल राजकुमार द्वारा, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। सभी सिंहासन पर बैठने को उत्सुक थे। ईश्याँ और विद्वेष ने उत्तराधिकार युद्ध अनिवार्य कर दिया। इस रक्तपूर्ण युद्ध का परिणाम दारा की हार और उसका बंध, मुराद का अपमान और उसका बंध और शुजा की दुर्गति तथा सल्ताद् का आत्मम कारावास हुआ। दिल्ली के भूतपूर्व सल्ताद् को दुःख और यातनाएँ सहन करनी पड़ीं। उसका हृदय आपदाओं से छलनी हो गया था। ऐसी अवस्था में कम्पोज के सैयद मुल्ता मुहम्मद और उसकी पुत्री जहाँनारा ने उसकी सेवा करके उसके दुःखों का भार हल्का किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वह अपनी जीवनसंमिनी मुमताज महल के मकबरे को निहारता रहा। ७ जनवरी, १६६६ को उसे उबर हुआ और पेट की पीड़ा बढ़ी। इसके १६ दिन बाद कुरान की आयतों का उच्चारण करते करते उसने अपनी आँख सदैव के लिये बंद कर ली। चालीस वर्ष से अधिक उसने सल्ताद् के रूप में साम्राज्य पर, पिता के रूप में कुटुंब पर, मनुष्य के रूप में जनता पर शासन किया

तथा सदैव अपनी न्यायप्रियता, उदारता, सहनशीलता के लिये प्रसिद्धि प्राप्त की। वह सदा प्रजा के लिये सुख, शांति तथा समृद्धि माने का प्रयत्न करता रहा।

संघर्ष के लिये वह, महात् चिरस्थायी, वैभवशाली, गौरवपूर्ण कार्यों को कल्पवृक्ष करके छोड़ गया, जिसका वर्णन पूर्वी तथा पश्चिमी इतिहासकारों ने प्रोजेक्सी भाषा में किया है। उसकी कलाप्रियता, उसकी सौंदर्य में अनुरक्ति, उसका उच्च तथा श्रेष्ठ संस्कृति से अनुराग और उसका साहित्यप्रेम उसकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। आगरे और दिल्ली में जिन भवनों तथा प्रासादों का निर्माण शाहजहाँ ने किया वे उसकी संस्कृति एवं शिष्टता के महात् छोटक हैं। शिल्पकला एवं चित्रकला का हर एक नमूना हमें विचारों की उन गहराइयों में ले जाता है जहाँ चित्रकार, शिल्पकार, कलाकार कौतूहलबिभोर हो जाते हैं और मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। दिल्ली के 'दीवाने खास' में यह पंक्ति 'यदि कहीं स्वर्ग है तो यहाँ है, यहाँ है' अक्षरशः सत्य है। ताजमहल का सौंदर्य अद्भुत है। वह भारतीय नारी की भावार्थ सुंदरता, रमणीयता, नम्रता, कोमलता, सुशीलता एवं सौम्यता का नमूना है। कर्नल स्लीमैन की स्त्री ने उसको देखकर सट्टसा यही कहा कि मेरी स्मृति में यदि ऐसी इमारत का निर्माण हो सके तो मैं सी बार मरना चाहूँगी। उसके प्रतिरिक्त शाहजहाँ ने अन्य इमारतें भी बनवाई जो वास्तुकला की प्रगति की छोटक हैं। इनमें आगरे के किले में मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किले में नीबूतखाना, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंगमहल, दिल्ली की जामा-ए-मस्जिद इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।

चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। मुहम्मद फार उस्लाह खाँ और मीर हाशिम की कृतियों में उस युग की मनोवृत्तियों का आभास मिलता है। सौंदर्य की भावना रंगों द्वारा अभिव्यक्त की गई है। इन चित्रों में स्वर्ण के अत्यधिक प्रयोग से मुगलों के विलासमय जीवन, असुल घन और वैभव की झलक मिलती है। शाहजहाँ संगीतप्रेमी भी था। ध्रुपद राग उसका प्रिय राग था, जिसे वह प्रसिद्ध गायक तानसेन के दामाद लाल खाँ से सुना करता था। उस युग के प्रसिद्ध गायक जगन्नाथ को भी शाहजहाँ ने संरक्षण दिया। शाहजहाँ को साहित्य से भी प्रेम रहा, सईदाबी गिलानी, तालिब कलीस, मुहम्मद जान कुदसी, मीर मुहम्मद यहिया, काशी, सलीम, मसीह, सैदा, चंद्रमान, ब्राह्मन, खयासी और दिलेरी जैसे कवि, तुगराई तथा मुहम्मद अफजल, अमानुल्लाह और मुहम्मद सादिक, बनमाली दास, और इम हकरन जैसे लेखकों ने न केवल फारसी साहित्य की ही वृद्धि की बरन् संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया। शाहजहाँ ने हिंदू कवियों, जैसे सुंदरदास, चिता-मखि व कवींद्र आचार्य, को भी संरक्षण दिया। यदि उसने एक ओर साम्राज्य का विस्तार किया, सुख और शांति की स्थापना की तो दूसरी ओर मुगलिया सलतनत के वैभव, शौर्य, और गौरव को उसकी पराकाष्ठा पर ले जाने के लिये साहित्य, कला, को प्रोत्साहन देकर स्वर्ण युग की स्थापना करने में कोई कसर शेष न रखी।

[ व० प्र० सं० ]

शाहजहाँपुर १. जिब्बा, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर पश्चिम में स्थित, इस जिले का क्षेत्रफल १,७६२ वर्ग मील तथा जन-

संख्या ११,३०,२५६ ( १९६१ ) है। यह जिला गंगा से ऊपर हिमालय की ओर जानेवाली एक लंग पट्टी पर स्थित है। जिले की प्रमुख नदियाँ गोमती, खनोज, गढ़ई और रामगंगा हैं। गोमती तथा खनोज नदियों के मध्य के भूभाग का उत्तरी भाग जंगली तथा अस्वास्थ्यकर और दक्षिणी भाग बना आबाद है। जिले में मन्ना तथा अन्य फसलें होती हैं। रामगंगा से लेकर गंगा तक निम्न भूभाग है, जिसमें दलदली एवं कठोर भूमि एकांतरण से है। कठोर भूभाग के लिये अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है।

२. नगर, स्थिति : २७° ५०' उ० अ० तथा ७६° ५८' पू० दे० । यह नगर दीघोहा नदी के किनारे पर स्थित है तथा उपर्युक्त जिले का मुख्यालय है। शाहजहाँ के शासनकाल में एक पठान, नबाब बहादुरखान, द्वारा इस नगर की स्थापना हुई और संस्थापक का मकबरा ही नगर का एकमात्र ऐतिहासिक भवन है। नगर की जनसंख्या १,१७,७०२ ( १९६१ ) है। नगर में सैनिक छावनी भी है। [ अ० ना० मे० ]

**शाहजी** ( १५६४-१६६४ ई० ) मालोजी भोसले के पुत्र शाहजी का जन्म १५ मार्च, १५६४ ई० को हुआ था। इनका उत्कर्ष साधारण परिस्थिति से संघर्षों में प्रविष्ट होकर आरम्भ हुआ। ये प्रकृति से साहसी चतुर, साधनसाधन, तथा दृढनिश्चयी थे। व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होते हुए भी, पृष्ठभूमि के रूप में, इन्हें महाराष्ट्र के राजनीतिक अग्रगण्यता का प्रथम चरण माना जा सकता है। इनकी प्रथम पत्नी जीजाबाई से महाराष्ट्र के निर्माता शिवाजी का जन्म हुआ तथा दूसरी परनी तुकाबाई से तंजोर राज्य के संस्थापक एकोजी का। शाहजी का वास्तविक उत्कर्ष निजामशाही वज्जिर फतहवाँ के समय से प्रारंभ हुआ। निजामशाह की हत्या के बाद, राज्य की शाहताकीर्ण परिस्थिति में, मुगलों की नौकरी छोड़ शाहजी ने दस वर्षीय बालक मुर्तजाशाह द्वितीय को सिंहासनासीन कर ( १६३२ ) मुगलों से तीव्र संघर्ष किया। निजामशाही राज्य की समाप्ति पर इन्होंने बीजापुर राज्य का आश्रय लिया ( १६३६ )। १६३८ में हिंदू राजाओं का दमन करने के लिये शाहजी भी कर्नाटक भेजे गए; किंतु १६४८ में उनसे संपर्क स्थापित करने के संदेह में सेनानायक मुस्तफाखाँ ने इन्हें बंदी बना लिया। १६४६ में आदिल-शाह ने इन्हें विमुक्त कर पुनः कर्नाटक भेजा जहाँ इन्होंने गोलकुंडा के सेनानायक औरजुमला को परास्त किया ( १६५१ )। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से आतंकित हो, बीजापुर पर शिवाजी के आक्रमणों को शाहजी द्वारा रथगित कराने का प्रयत्न किया गया ( १६६२ )। तभी, प्रायः बागह वर्ष बाद, पिता पुत्र की भेंट हुई; तथा शाहजी और जीजाबाई के दूते संपर्क पुनः स्थापित हुए। २३ जनवरी, १६६४, को शिकार खेलते समय घोड़े पर से गिरने से शाहजी की मृत्यु हो गई।

सं० प्र० — जी० एस० सरदेसाई : दि न्यू हिस्ट्री ऑफ दि मराठाज; जनुनाथ सरकार : शिवाजी; दि हाउस ऑफ शिवाजी।

[ अ० ना० ]

**शाह बदीउद्दीन मदार** आपके संबंध में, समय समय पर इतने आस्थान और वक्तव्याएँ प्रचलित हो गईं कि उनके आचार पर आपके जीवन संबंधी सही तथ्यों का पता लगा सकना अत्यंत कठिन है। केवल इतना ही पता चलता है कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को पैगंबर की वंशपरंपरा का बतलाते थे, पदों में रहते थे, २८ नवंबर, १४३६ ई० ( १७, जमादिलसवाल ८४० हिजरी ) को आपकी मृत्यु हुई और कन्नोज के निकट मकनपुर गाँव में आप दफन किए गए।

दाराशुकोह के काल में आपके मृत्युदिवस पर आपके मजार पर पाँच लाख से अधिक व्यक्तियों का जमाव हुआ था। आपके नाम पर आपका पंथ मदारिया कहलाया और आपके अनुयायी 'मदारी' के नाम से विख्यात हुए।

सं० प्र० — अब्दुल हक : अखबारल खलवार, मुजतबई प्रेस, दिल्ली; मुहम्मद गोथी : गुलजारी अवरार हस्तलिखित ग्रंथ, आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़; दारा शिकोह : सफीनतुल ओलिया, १८५३, आगरा; अमीर हसन : तजकिरातुल मुताकीन, आजाद प्रेस, कानपुर, १३२३ हि०। [ का० मु० अ० ]

**शाहबाज गढ़ी** सम्राट अशोक के प्रधान शिलाभिलेखों में १४ प्रज्ञापन हैं जो मुख्यतया अब तक छह विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। चौदहों प्रज्ञापनों की पाँचवीं प्रतिलिपि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के पेशावर जिले की युसुफगढ़ी तहसील में शाहबाजगढ़ी गाँव के पास एक चट्टान पर खुदी मिली है। यह पहाड़ी पेशावर से ४० मील उत्तर-पूर्व है। मानसेहरा की तरह शाहबाजगढ़ी की प्रतिलिपियाँ खरोठी लिपि में खुदी हैं, जो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है, शेष पाँचों स्थानों की प्रतिलिपियाँ ब्राह्मी लिपि में हैं।

इन चौदह प्रज्ञापनों की मुख्य बातें ये हैं —

( १ ) जीवहिंसा का निषेध एवं राजा के रसोईघर में व्याय व्यंजनों में जीवहिंसा पर संयम; ( २ ) सम्राट अशोक के जीते हुए सब स्थानों में एवं विशेषकर सीमांत प्रदेशों में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध; ( ३ ) अधिकारियों का धर्मानुशासन के लिये भी दौरा एवं आचार की सामान्य बातें, ( ४ ) धर्माचरण में शील का पालन, ( ५ ) लोगों को धर्माचरण की बातें बताने के लिये धर्ममहामात्यों का नियत किया जाना, ( ६ ) राजा के कर्तव्य-पालन की बातें, ( ७ ) संयम, भावशुद्धि एवं विभिन्न धर्मों का आदर, ( ८ ) विहार यात्रा की जगह धर्मयात्रा का सम्राट का संकल्प, ( ९ ) निरर्थक मंगल कार्यों की जगह समाज में धर्ममंगल की बातों की प्रशंसा देना; ( १० ) कर्तव्य कार्यों में धर्ममंगल की बातों का समावेश; धर्म के लिये विशेष प्रयत्न की प्रोत्साहना।

शेष प्रज्ञापनों में लोगों में समान एवं समानपूर्वक व्यवहार, अपने अपने धर्मों की अच्छी बातों का परिपालन, सत्व की बढ़ती, कलिय-युद्ध के उपरांत युद्ध के लिये सम्राट के मन में परचासाप एवं जीते हुए प्रदेशों में धर्मानुशासन के कार्य तथा विभिन्न स्थानों में धर्मदिवसों के लिखाने की बातें हैं। [ अ० प्र० रो० ]

**शाह मंसूर, स्वाजा** युवानस्था में शिराज ( ईरान ) से भारत आया और अकबर के शाही इककमी विभाग में मुख्य अफसर हो गया। लेकिन तुरंत बाद ही अकबर के दीवान मुजफ्फर खाँ से मनबन के कारण उसे नीरुरी से हाथ धोना पड़ा। तदनंतर वह जीनपुर के मुनीमखी खानखाना का दीवान हो गया।

मुनीमखी की मृत्यु के बाद राजा टोडरमल ने स्वाजा को राज-द्रव्य के दुपयोग के कारण जेल में डाल दिया। अकबर ने उसे दरबार में बुलवाया और दीवान बना दिया (१५७६)। १५७७ में उसे सादिकखी तथा अन्य मामलों के साथ आगरे के शाही खजाने के निरीक्षण का भार सौंपा गया। उमी वर्ष वह जीनपुर की शाही टकमाल का निदेशक नियुक्त किया गया। १५८० में बंगाल के शाही अफसरों के विद्रोह करने पर वह जेल में बंद कर दिया गया; उस पर आरोप लगाया गया कि उसने राजस्व को बढ़ाने तथा फौजी अधिकारियों के भले काटने का काम सकती से किया। १५८१ में स्वाजा शाह मंसूर को मिर्जा हुकीम से गुप्त गठबंधन के आरोप पर मृत्युदंड दिया गया।

शाह मंसूर को सैनिक अनुभव न थे, किंतु आर्थिक मामलों में उसकी गहरी पैठ थी।

सं० ग्रं० — अबुल फजल् : अकबरनामा ( बेवरिज द्वारा संपादित ); आईन-ए-अकबरी ( सर सैयद अहमद खाँ द्वारा संपादित ); बदायूनी : मुतसबुतवारीख ( भाग २ ); निजामुद्दीन : तबकात-ए-अकबरी ( भाग २ ); शाहनवाज खाँ : ममासिर-उल-उमरा ( कलकत्ता, १८८८ ); रामप्रसाद त्रिपाठी : सम आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन ( इलाहाबाद, १९५६ ), राज्ज एंड फाल ऑफ द मुगल एंपायर । [ ६० ह० सि० ]

**शाह बली उल्लाह** ( १७०३-१७६२ ई० ) शाह बली उल्लाह को प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से मिली जिसके फलस्वरूप मुजहिद से अस्यधिक प्रभावित होने पर भी वे तौहीदे शहूदी से सहमत न थे। जब वे १७ वर्ष के थे तभी उनके पिता चल बसे। इसके बाद भी वे १२ वर्ष तक अपने पिता के मद्दरसे में व्यस्त रहे। ११४३ हि० ( १७३१ ई० ) में उन्होंने हज किया। मक्के तथा मदीने के विद्वानों से लाभान्वित होकर १७३३ ई० में दिल्ली लौट आए। मृत्यु तक सुन्नी मुसलमानों के धर्म के शुद्धतम रूप का प्रचार करते रहे।

शाह साहब का सबसे बड़ा कार्य हिंदुस्तानी मुसलमानों के पतन के कारणों का विश्लेषण है। उनका विचार था कि हजरत मुहम्मद के प्रथम चारों खलीफाओं के समय की शासनपद्धति को १८वीं शताब्दी के हिंदुस्तान में चलाने से मुसलमानों का कल्याण हो सकता है।

उनकी रचनाओं में कुरान शरीफ का फारसी अनुवाद, हुज्ज-तिल्लाहिन बालेगा, फयूजुल हरमैन, इनतबाह फी सलासिल औलिया अल्लाह, इजालतुल खेफा, अनफासुल आरेफीन, तफहीमाते इलाहिया एवं पत्रों का संग्रह अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

सं० ग्रं० — मौलाना उबीदुल्लाह सिंधी : शाह बली उल्लाह और उनकी सियासी तहरीक; शाह बली उल्लाह और उनका फलसफा; मुहम्मद अशरफ : हिंदुस्तानी मुसलमानी सियासत; प्रो० निजामी : शाह बली उल्लाह के सियासी रजहानात । [ सी. अ. अ. रि. ]

**शाहाबाद** स्थिति : २४° ३१' से २५° ४६' उ० अ० तथा ८३° १२' से ८४° ५१' पू० ३० । बिहार के पटना डिवीजन का एक जिला है। इसका क्षेत्रफल ४,४०८ वर्ग मील है एवं जनसंख्या ३२,१८,०१७ ( १९६१ ) है। बरातल के दृष्टिकोण से जिले को दो भागों में बाँटा जा सकता है : ( १ ) कैमूर पठार दक्षिण में, एक चौथाई भाग में है। इसकी औसत ऊँचाई १,००० से १,५०० फुट है, ( २ ) मैदानी भाग बाकी तीन चौथाई भाग में फैला है। इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। कर्मनाशा, दुर्गावती तथा कुदरा मुख्य नदियाँ हैं, जो पठार से निकलती हैं। पूरब में सोन नदी तथा उत्तर में गंगा नदी जिले की सीमा निर्धारित करती हैं। इस जिले की धान, गेहूँ, चना, खेसारी, ईस आदि प्रधान फसलें हैं। सोन नदी से निकाली गई नहरों द्वारा यहाँ सिंचाई होती है, जिससे यह जिला खाद्यान्न के लिये अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ सीमेंट, कागज, चीनी आदि के कारखाने हैं, जो प्रधानतः डालमियानगर में केंद्रित हैं। आरा इस जिले का प्रशासनिक नगर है जिसकी जनसंख्या ७६,७६६ ( १९६१ ) है। [ ज० सि० ]

**शिंजियांग** ( Sinkiang ) चीनी भाषा में इसका अर्थ है नदीन राज्य। सुदूर उत्तर-पच्छिम में यह चीन का सबसे बड़ा स्वायत्तशासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल १६,४६,८०० वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या ५६,४०,००० तथा राजधानी ऊरुमची है। यह स्वायत्तशासी क्षेत्र तिएनशान पर्वतश्रृंखला द्वारा दो असमान विभागों में बँट गया है : पहला जुगारिया पठार के उत्तर में, और दूसरा दारोम ( Tarim ) बेसिन के दक्षिण में, जिसमें ताक्लामाकान मरुभूमि भी सम्मिलित है। यहाँ की नदियाँ पहाड़ों से निकलकर नमकीन झीलों में मिल जाती हैं, समुद्र तक नहीं पहुँचतीं। दारोम नदी सबसे लंबी नदी है। केवल ब्लेक इरतिश नदी का पानी समुद्र में पहुँचता है। यहाँ की जलवायु सूखी और महादेशीय है। मरुभूमि भागों के लोग खानाबदोशों का जीवन व्यतीत करते हैं। पहाड़ी नदियों की घाटियों में कपास, गेहूँ, धान, मक्का, फल आदि की उपज होती है। [ पु० क० ]

**शिकागो** स्थिति : ४१° ५०' उ० अ० तथा ८७° ३८' पू० ३० । यह संयुक्त राज्य, अमरीका, का प्रसिद्ध नगर, बंदरगाह तथा व्यापारिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। यह मिशिगन झील के दक्षिणी पूर्वी कोने पर न्यूयार्क से ६१३ मील, लांस ऐंजिलेस से २,२६५ मील, न्यूप्रॉल्लिऐंज से ६१२ मील तथा सिएटल से २,३३० मील दूर है। नगर की जलवायु परिवर्तनशील है। दैनिक तापान्तर १७° से ० तक पहुँच जाता है। यह यातायात का प्रमुख केंद्र है लगभग ३० रेलमार्ग यहाँ पर आकर मिलते हैं। यह कैनाडा के रेलमार्ग का भी केंद्र है। यहाँ पर शिकागो मंदिर, ट्रिबून मीनार, सिविक ऑपेरा एवं रिगले भवन, ऑडिटोरियम, प्यूब्लिस गैस भवन, आरकवेटे भवन, जनता पुस्तकालय, शिकागो प्राकृतिक इतिहास प्रजायबधर, आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। यहाँ कई पार्क हैं, जिनके कारण इसे उद्याननगर कहा जाता है। नगर, कला एवं संगीत का भी केंद्र रहा है। जॉन एड्विन कारपेंटर जैसे कवि तथा जी० पी० ए० हीले जैसे चित्रकार यहाँ पैदा हुए हैं। शिकागो का आर्ट्स इंस्टिट्यूट संसार का प्रसिद्ध प्रजायबधर है।

यहाँ के जनता पुस्तकालय में २१,६६,७४२ पुस्तकें हैं। शिकारों का विश्वविद्यालय संसार में अद्वितीय स्थान रखता है। लोहा एवं इस्पात, सीमेंट आदि के बड़े उद्योगों के अतिरिक्त यहाँ मांस को डिब्बों में बंद करने का लकड़ी का काम तथा आटा पीसने एवं चमड़ा कमाने का कार्य पहले ही से हो रहा है। शिकारों नगर की जनसंख्या ५६,५६ २१३ (१९६०) है। [ सु० च० श० ]

**शिकार ( शालेय )** और मनुष्य दोनों सहजन्मा हैं। बहुत प्राचीन काल से जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ नहीं किया था, तब वह अपने भोजन और वस्त्र दोनों के लिये विभिन्न पशुओं के मांस और खाल पर ही पूर्णतया निर्भर था। पशुओं की हड्डियों से ही वह आग्नेय का भी काम लेता था। सदियों तक अंधेरे में प्रकाश के लिये मनुष्य पशुओं की चर्बी का प्रयोग करता था। कृषियुग के उद्भव के साथ साथ, शिकार का महत्व केवल मनोरंजन और अभ्यास तक ही सीमित रह गया। शांति के समय अपने साहस, वीर्य और बहादुरी की वृत्ति को भी मनुष्य कभी कभी शिकार के माध्यम से संतुष्ट करता था।

धीरे धीरे शिकार केवल राजा महाराजाओं और उनके दरबारियों तथा दरबार से संबंधित योद्धाओं का ही कार्य रह गया, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग था जिसके पास शालेययुक्त समय और साधन सुलभ थे। मुख्य रूप से प्राचीन भारत में शालेय उपर्युक्त वर्ग में ही प्रचलित था। वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा माया युग के पीछा किए जाने का तथा महाभारत में बनवास के समय पांडवों के शालेय का वर्णन आया है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, जो संस्कृत के महान नाटक अभिमान शकुंतलम् का कारण बना, शालेय की पुष्टभूमि से ही पनपा। शाकुंतलम् में शालेय के गुणों की चर्चा करते हुए कवि ने लिखा है :

मेदश्छेद कुशोदरं भवत्युत्साह योग्य वपुः,  
सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमचिन्तयक्रोधयोः।  
उत्कर्षः स च घन्विनां यदिव्यं सिद्धंति लक्ष्ये चले,  
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति युगया मीढ्य विनोदः कुतः॥  
शालेय० शा० १२।५।

प्राचीन काल में राजे, महाराजे और सामंत गण, दैनिक जीवन की चहल पहल से थोड़ी राहत पाने के विचार से, शालेय हेतु जंगलों में डेरा डालते थे। हिरन तथा अन्य जानवरों का पीछा छिपकर पैदल, रथ पर, या घोड़े पर सवार होकर किया जाता था।

मध्यकाल में राजपूत राजे महाराजे बराबर शालेय का आयोजन किया करते थे। आज भी राजपूत राजाओं के यहाँ दशहरे के दिन शिकार की प्रतिद्वंद्विताएँ होती हैं और जिसे सबसे पहला शिकार मिल जाता है, वह उसे प्रसन्नता का प्रतीक और शकुन समझता है।

मुस्लिम शासनकाल में सभी बादशाह शालेय के लिये अपने अपने स्थायी जंगल रखते थे। देहरादून के पास स्थित, 'राजाजी अमनारखत' मुगलों के काल में बादशाही शिकारगाह था, जहाँ पर प्रायः राजवंश के लोग शिकार के लिये जाते थे। इन दिनों सभी प्रकार के शिकारों के लिये इतने प्रचुर शालेय पशु थे कि गीरे का (शे ब्राउ देख के कुछ भागों, जैसे घसस और नेपास को छोड़कर अन्य

सब जगह समाप्त हो चुका है) शिकार पेशावर के पास बाबर ने किया था। इसका उल्लेख उसकी आत्मकथा में मिलता है। मुस्लिम शासनकाल में शिकार जंगली जानवरों के लिये कस्बेग्राम के सदृश होता था। पूरा जंगल घेर कर हाँके के कोलाहल से गुंजायमान कर दिया जाता था हाँके के अलावा जंगल में तीन और से भाग लगा दी जाती थी और केवल एक दिशा ही जानवरों के भागने के लिये छोड़ दी जाती थी। इस दिशा की ओर शिकारी पैदल, हाथी और घोड़े पर सवार, शिकार की प्रतीक्षा किया करते थे और जो भी जानवर उधर से निकलता वह शिकारी के विद्वेषे हथियारों का शिकार हो जाता। हथियारों से लैस हाँकानाले भी सामने पड़नेवाले जानवरों का शिकार करते थे। शिकार का रूप उस जमाने में शिकारी और शिकार के बीच एक तरह के संघर्ष का था। बीसवीं शताब्दी में अच्छी बंदूकों के आविष्कार के साथ साथ, शिकार अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित तथा जंगली जानवरों के लिये ज्यादा खतरनाक हो गया। परिणामस्वरूप जंगली जानवरों की जातियों में बड़ी तीव्र गति से ह्रास होने लगा है। प्रमुख जंगली जानवरों के शिकार का वर्णन निम्न लिखित है —

**चीता** — हिरन तथा छोटे जानवरों का शिकार करने के लिये भारत में शालेयक चीतों का प्रयोग करने की भी एक पद्धति थी। शालेयक चीतों को पकड़ने के लिये, पीछा करके दौड़ाते दौड़ाते पकड़ा जाता था तथा उनको डराने के लिये बीच बीच में फायरिंग भी की जाती थी और जब वे थककर बिल्कुल अशक्त और नि सहाय हो जाते थे, तो उन्हें मोटे और मजबूत रस्सों में फँसाकर बाँध रखा जाता था और बाद में उन्हें प्रशिक्षित लिया जाता था। चीतों को पूर्ण प्रशिक्षित कर उन्हें हिरन और बारहसिंगों के शालेय के लिये प्रयुक्त किया जाता था।

चीतों का प्रशिक्षण बड़ा आसान काम होता था। चीतों की शालेय पर चढ़ा हुआ पट्टा हटाकर, हिरन और बारहसिंगों के पुतले दिखलाकर, उसे बंधनमुक्त कर दिया जाता था। इन पुतलों को देखकर, चीता अपने मूल स्वभाव की प्रेरणा से, उनपर प्रहारार्थ भाटना था और जब वह उन पुतलों का काम समाप्त कर चुकता था, तो प्रशिक्षक गोशत के टुकड़े लेकर, उसके पास जाता था और उसको उस पुतले के शिकार से विरत कर देता था। इस प्रकार प्रशिक्षित किए जाने के बाद, छोटी छोटी बैलगाड़ियों में बैठाकर, चीतों को हिरन और बारहसिंगों का शालेय करने के लिये जंगलों में ले जाया जाता था, और जब भी हिरन और बारहसिंग दिखलाई पड़ते, तो शिकारी चीते की शालेय की पट्टी हटाकर उसकी जजीर खोल दी जाती थी। दूरी के अनुसार शिकारी चीता या तो दौड़ाकर शिकार का पीछा करता था, या उन्हें खतम कर डालने के लिये उनपर रूट पड़ता था, या शिकार को खूब दौड़ाकर पैरों से उसपर प्रहार करता था और पकड़ पाने पर, तब तक टबाएँ रखता था जब तक उसका मालिक शिकार के पास आकर शिकार की गर्दन न काट दे। गर्दन कटने पर जब तक शिकारी चीता शिकार के खून को चाटता था तबतक मरा हुआ शिकार गाड़ी में पहुँचा दिया जाता था और चीते की शालेय पर शालेय बँकनेवाली पट्टी चढ़ा दी जाती थी तथा गले में जजीर लगाकर, उसका प्रशिक्षक उसे गाड़ी

पर ले जाता था। इस प्रकार दिन भर में एक अच्छा शिकारी चीता ४-५ हिरनों का शिकार कर लेता था। शिकार की यह पद्धति, जिसका उपयोग आचीन काल के राजे महाराजे और सामंत करते थे, भारत में अब समाप्त हो चुकी है। अकबर के पास इस प्रकार के लगभग १०० चीतों की पूरी पलटन थी। यह परंपरा भारत में सन् १६२० तक मिलती है। इसके बाद आखेटक चीतों का नामो-निशान भी नहीं मिलता।

आखेटक चीता जगमग तेंदुए के कद का होता है ( देखें चीता, कड ४, पृष्ठ १३३ )। सड़ा होने पर अधिक ऊँचा और पतला साबुन होता है। पुतलियाँ और झिल्लें गोल तथा कान छोटे एवं मोठ होते हैं। इसके बाल अपेक्षाकृत रुखा होते हैं तथा भस्म जगहों की अपेक्षा गर्दन पर कुछ लंबे होते हैं। खाल का रंग पांडुर, भूरा और पीला तथा कहीं कहीं रक्तपीत होता है, जो निचले हिस्सों में पार्श्व और पुच्छ भागों की अपेक्षा हलका होता है। खाल लगभग सब जगह छोटे छोटे ठोस तथा गोले, काले धब्बों से अच्छादित रहती है। तेंदुए के समान इस पर गुल नहीं होते। इसकी ठुड़ी और गर्दन श्वेत वर्ण की होती है। बाँह से लेकर ऊपरी होंठों तक, एक काली रेखा खिंची रहती है। लगता है, जैसे बाँह से माँसू ऊपर के रोमों पर गिर रहे हैं। दूसरी ओर यह रेखा बालों में खो जाती है तथा बाँह के कोनों से लेकर कानों तक धब्बे पड़े रहते हैं। यह ऊपरी हिस्सों पर काला और बगल तथा निम्न भागों में पांडुर-भूसर वर्ण का होता है। शरीर की तरह ही पूरे शरीर की लंबाई के भागे से अधिक लंबी पूँछ भी अंतिम छोर तक धब्बेदार होती है और नोक पर हलके वृत्त होते हैं। इसके तलवे और पंजे कुत्ते के समान होते हैं। बिलियों की तरह इसके पंजों के नाखून अंदर की ओर नहीं जाते।

ये कभी भी मनुष्यों पर आक्रमण नहीं करते। ये अपने शिकार के पास बड़ी सावधानी और शांति से आते हैं और उसके बाद एकाएक, बड़ी द्रुत गति से, शिकार पर आक्रमण करते हैं। ऊबड़ साबड़ जमीन और घासों के झुरमुट का पूरा फायदा उठाते हुए, उनमें लुकते छिपते, ये अपने शिकार का पीछा करते हैं। कृष्णसार और शिकारा का पीछा करने में इनकी गति तीव्रतम होती है। इतनी तीव्रता कोई भी साधारण या शिकारी कुत्ता नहीं बिखला सकता। पूरा भोजन कर लेने के बाद, चीता दो दिन तक अपनी माँद में विश्राम करता है। इसके बाद किसी विशेष पेड़ के पास जाता है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आखेटक चीते इकट्ठे होकर अपने पंजे तेज करते रहे हैं। कभी कभी ये बहेलियों द्वारा भी पकड़ लिए जाते हैं और इस आशय से कि ये मानव शंभ के भादी हो जाएँ, ये बच्चों तथा स्त्रियों के बीच रखे जाते हैं। छह महीने में ये पूर्णतया कुत्तों के समान प्रशिक्षित और पालतू हो जाते हैं तथा अपरिचितों के साथ भी इनका व्यवहार बड़ा मधुर हो जाता है। पालतू हो जाने के बाद, ये पालतू बिलियों के समान पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं और सर्व्व अपने मानव मित्रों के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। ये पिंजरे में कभी नहीं रखे जाते, बल्कि जमीन में गड़े खुँटे या दीवार में अड़े हुए किसी पत्ते के सहारे लोह शृंखलाओं में बाँधकर रखे जाते हैं।

तेंदुआ — यद्यपि तेंदुआ ( देखें तेंदुआ ) व्याघ्र से कम शक्ति-

शाली होता है, तथापि इसके आक्रमण और प्रहार की पद्धति किसी भी हिंसक जानवर से अधिक भयंकर और खीफनाक होती है। इसकी बोली गुड़गुड़ाने और खांसने की बीच की सी होती है और उसकी तीन या चार आवाजियाँ होती हैं। पूरी आवाज समवेत रूप से आरे की ध्वनि जैसी होती है। हाँके से ये घनी झाड़ियों और पेड़ों के झुरमुट में इस प्रकार छिप जाते हैं कि हाँकेवालों और शिकारियों को पूर्णतया निराश होना पड़ता है। हाँके में ये प्रायः बहुत कम बाहर निकलते हैं। इसलिये इसपर मोली चलाना बड़ा मुश्किल होता है।

तेंदुए का शिकार करने के लिये, व्याघ्र के शिकार के समान एक पेड़ या ऐसे जलाशय के पास जहाँ वे प्रायः पानी पीने या अपने पंजों को साफ और तेज करने के लिये आते हैं, बकरी या कुत्ता बाँध दिया जाता है। शिकारी किसी मचान, या अपनी इच्छानुसार किसी झाड़ी में छिपा, प्रतीक्षा करता रहता है। शिकारी कुछ ऐसा करता है कि तेंदुए के लिये बाँधा गया शिकार बीच बीच में बिखलाता रहे, जिससे आकृष्ट होकर तेंदुआ उसके पास तक आ सके। तेंदुआ के शिकार की दूसरी पद्धति यह होती है कि शिकारी सड़ब वाला कोई ऐसा जगल चुन लेता है, जहाँ तेंदुए अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सड़क के पार्श्व भाग में छोटे छोटे मंच बना दिए जाते हैं, जिनकी ऊँचाई साढ़े तीन या चार फुट से अधिक नहीं होती। उसी मंच पर एक कुत्ता बाँध दिया जाता है। तेंदुये कुत्तों का भाँस बहुत पसंद करते हैं और वे एक मील की दूरी से ही सूँघकर उसके पास आने का उपक्रम करते हैं। एक से दूसरे मंच के बीच की दूरी एक से दो फर्लांग तक होती है। मंचों के बन जाने के बाद शिकारी सूबाँस के पचास, अंबेरा हो जाने पर, मोटर में निकलता है। साधारणतया शिकारी दो या तीन मंचों में से किसी एक पर से ही तेंदुए का शिकार कर ले सफल हो पाता है। यह पद्धति उस समय प्रचलित थी जब सर्व्वलोक के सहारे शिकार किए जाते थे।

शेर या व्याघ्र — (देखें बाघ) भारत में व्याघ्र का शिकार ही गौरव का कार्य माना जाता है। किसी जलाशय या हाँके के माध्यम से, व्याघ्र के आशय स्थल के पास शिकार किया जाता है। हाँका मनुष्यों तथा प्रशिक्षित हाथियों, खोंनों से किया जाता है। मनुष्यों के हाँके में ऐसा होता है कि पूरे जंगल को तीन ओर घेर लिया जाता है और शेर चौथी दिशा में शिकारी के बैठने के लिये एक मचान बना लिया जाता है, जिसकी ऊँचाई ७ से १० फुट तक होती है। मचान को चारों ओर से हरी पत्तियों तथा टहनियों से ढँक दिया जाता है और शिकारी के चढ़ने लायक एक सीढ़ी बना दी जाती है। मचान का निर्माण ऐसे ढंग से किया जाता है कि अगर व्याघ्र सिर ऊपर उठाकर देखे भी, तो शिकारी को देख नहीं सकता। व्याघ्र द्वारा मचान में बैठे हुए शिकारी को न देखे जा सकने का एक कारण मचान की ऊँचाई भी होती है, जो व्याघ्र की दर्जान शक्ति के बराबर से ऊँची होती है। हाँके के पहले ही कुछ ठोक भी पेड़ों पर बैठा दिए जाते हैं। ऐसा इसलिये किया जाता कि अगर व्याघ्र हाँके से कदगा चाहे तो ठोक अपनी कुहाड़ियों से पेड़ के तनों को ठोक ठोककर व्याघ्र को उसी ओर आगने को बाध्य करते हैं जिस ओर मचान पर बैठा शिकारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।

गिफार (पृष्ठ २५१-२५६)



पोषी का बुद



लिकारी तथा शेर



शेर और बगलुकर का सामना



कारवत दरावन में एक पीछा शेर



खॉर्ड हारिजन तथा हाकि में मारे गए आठ शेर



पेक की १० फुट ऊँचाई पर मानवमयी शेर



व्याघ्र या शीर कोई जंगली जानवर किसी प्रकार की आवाज सुनकर रुक नहीं सकता और पहली आवाज पर ही वह इतना चौकन्ना हो जाता है कि जंगल के सबसे सुनसान अंचल में भाग जाने का प्रयास करता है। हाँका वाले ढोल तथा कनस्टर पीट पीटकर और चिल्लाकर, बड़ा तुमुल श्रवण करते हैं। जंगल के घने बासवाले अंचलों में, जहाँ मनुष्यों का जाना कठिन होता है, प्रशिक्षित हाथियों द्वारा हाँका कर दिया जाता है। ये प्रशिक्षित हाथी व्याघ्र के लिये लगभग २०० गज का वृत्ताकार अवरोध उत्पन्न करते हैं और शिकारी किसी एक हाथी की पीठ पर बैठा होता है। धीरे-धीरे ये हाथी वृत्त को संकरा करते जाते हैं। इस प्रक्रिया को पारिभाषिक शब्दावली में घेरा डालना (ringing) कहते हैं। नेपाल में इसका बहुत प्रचलन था। हाँके में प्रयुक्त प्रत्येक हाथी के पास कँटीले तारों की लंबी लंबी जंजीरें होती हैं। जब हाँका शुरू होता है, तब विलक्षण किस्म की आवाज होती है, एक तरफ जंजीरों की झञ्झनाहट से सपूक्त हाथियों की चिंगाड़ और दूसरी ओर वृत्तावरोध में कैद व्याघ्र की गर्जना। हाथियों के घेरे की मजबूत चहार-दिवारी में पड़ा व्याघ्र किसी कमजोर मोहरे की तलाश में इधर से उधर बीड़ता हाथियों के पैरों पर प्रहार करता है। उधर शिकारी ज्यों ही काली पुंठभूमि में सफेद दागवाले बान के व्याघ्र को देखता है त्योंही गोली चलाता शुरू कर देता है। जब व्याघ्र उस घेरे की तोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, तब हाथी के मिर पर छलांग मारता है और हाथी अपनी सूँड़ में पकड़ी हुई, उन कँटीली जंजीरों से उसपर प्रहार करते हैं तथा हाथी की पीठ पर स्थापित हाँके में बैठा शिकारी ऊपर से गोलियाँ चलाता है।

व्याघ्र का शिकार करने की दूसरी पद्धति यह है कि उसके आम रास्ते में तीन या चार साल का भंस का पेंडवा बाँध दिया जाता है, जिसके गले में एक षटी बंधी होती है। भोजन की तलाश में निकला हुआ व्याघ्र ज्यों ही वहाँ पहुँचता है, तुरंत पेंडवे को मार डालता है और उसे थोड़ा बहुत खाने के बाद दूसरे दिन खाने के लिये लेकर चल देता है और कुछ दूर पर किसी जंगली जलाशय के पास, घनी झाड़ियों में उसे छिपाकर रख देता है तथा उसके पास ही बैठा रहता है, जिससे कोई दूसरा जानवर उसके शिकार के पास न जाने पाए। मरे हुए पेंडवे के आस पास गिड़ और कौबे यदि पेड़ पर बैठे हुए दिखालाई पड़ जाय, तो समझ लेना चाहिए कि व्याघ्र के डर से ही वे शिकार के पास नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक मचान बनाकर हाँका शुरू कर दिया जाता है और मचान में बैठा हुआ शिकारी मरे हुए पेंडवे के पास, संख्या में सूर्यास्त के पश्चात् या रात में, व्याघ्र के आने की प्रतीक्षा करता है। कभी कभी शिकारी बिना हाँके के ही, थुले व्याघ्र के निकलने की प्रतीक्षा में, बंधे हुए शिकार के पास रात भर बैठा रहता है।

सँदुभा पहले अपने शिकार का पेट फाड़ता है और वहीं से खाना शुरू करता है, लेकिन व्याघ्र पहले पुट्टों की ओर से शिकार को खाता है। प्राचीन काल में भारत के सभी जंगलों में व्याघ्र बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अब ये बहुत कम रह गए हैं और कहीं कहीं तो पूर्णतया दुर्लभ हैं। इसका एक अत्यंत कारण अंधाधुंध और अनुशासनहीन शिकार ही है। हिमाचल की उपत्यका तथा

मध्य प्रदेश के जंगली अंचलों में अब भी ये प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। व्याघ्र की सामान्य रूपरेखा पर्याप्त परिचित होती है। यह बिल्ली के कुल का होता है। इसकी पुतलियाँ गोल होती हैं। पूरे नौजवान व्याघ्र के कान के पिछले हिस्से के आस पास गर्दन के चारों ओर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें फर कहते हैं। फर छोटे और घने होते हैं, लेकिन उनकी लंबाई, घनेपन और रंग में जलवायु के अनुसार अंतर होता है। इसकी धारियाँ बिलकुल काली और स्पष्ट होती हैं। उसका शिरोप्रदेश और पूरा शरीर काली धारियों में, जो पूँछ की ओर जाते जाते वृत्ताकार हो जाती हैं, ढँका रहता है। शरीर और पार्श्व भाग का रंग पीड़ुर-भूसर वर्ण का होता है, लेकिन निचले हिस्से सफेद होते हैं। उत्तरी भारत में पाए जाने वाले व्याघ्र मध्य और दक्षिणी भारत के व्याघ्रों की अपेक्षा अधिक गहरे रंग के और ललछाँह होते हैं। व्याघ्र के कान काले होते हैं, जिनके पिछले हिस्से पर एक सफेद धब्बा होता है, जो शिकारियों को छिपे व्याघ्र का पता देता है। तीन साल की अवस्था में व्याघ्र पूरा नौजवान हो जाता है। यह दिन भर आराम करता है और शाम को शिकार की खोज में निकलता है और किसी निश्चित रास्ते या नदी के बलुआ तट पर चला जाता है। अनुभवी और जानकार शिकारी पहले इन रास्तों का पता लगाता है और उन्हीं पर पड़वा बाँधता है। पूरी रात भर और मौसम के अनुसार सुबह के सात से नौ बजे तक व्याघ्र टहलते घूमते हैं। उसके बाद जंगल के किसी ठंढे, घने और शांत अंचल में जाकर विश्राम करते हैं। व्याघ्र को सोते समय आसानी से मारा जा सकता है, शर्त यह है कि व्याघ्र के सोने के स्थान का पता लग जाय और वहाँ व्याघ्र की निद्रा में बिना विघ्न डाले चुपके से शिकारी पहुँच जाय।

किसी व्याघ्र पर अगर गोली का निशाना बहक जाय, या वह घायल होकर भाग जाय, तो वह फिर कभी उस ओर, जहाँ वह घायल हुआ था, नहीं लौटता। जंगल के किसी दूसरे अंचल की शरण लेता है, क्योंकि यह बहुत ही चालाक और मक्कार जानवर है, जो अपनी गलतियों को वभी दुहराता नहीं। घायल होने के बाद अगर यह मरने से बच जाता है, तो नरभक्षी हो जाता है। किसी भी हाँके में बचा हुआ व्याघ्र दुबारा हाँके के चक्कर में जल्दी नहीं पड़ता। हाँके का जरा भी सकेत पाकर पुराने अनुभव के आधार पर वह बहुत दूर भाग जाता है। व्याघ्र मादाएँ नर की अपेक्षा भयंकर तथा खूँखार होती हैं। बुढ़ा, प्रशक्त तथा घायल व्याघ्र और बच्चोंवाली व्याघ्र मादाएँ, जो अपना स्वाभाविक शिकार करने में असमर्थ होती हैं, पहले छोटे छोटे पालतू जानवरों पर प्रहार करना शुरू करती हैं और चरवाहों के संसर्ग में आते आते, जब मनुष्य के प्रति इनका स्वाभाविक डर समाप्त हो जाता है, तो ये पूर्णतया नरभक्षी बन जाते हैं। कुछ व्याघ्र, बिलकुल सफेद होते हैं, जिन्हें रंजकहीन (albino) व्याघ्र कहते हैं। इनके शरीर की धारियाँ, गहरे धूरे रंग की तथा शक्ति भरी हरी होने की जगह, हल्की गुलाबी होती हैं।

व्याघ्र के शिकारी को चाहिए कि वह अगर उसपर गोली चलाए, तो उसे जिंदा न छोड़े। यह उसका नैतिक कर्तव्य और शिकार संविदा का प्रावह होता है। इसका पालन करने के लिये, घायल

भ्याघ्र का पीछा करने के लिये कुछ पावतू भैंसों को लगा देना चाहिए और शिकारी उनका अनुगमन करे। घायल भ्याघ्र किस रास्ते से गया है, इसका पता लगाने के लिये जमीन पर, घनी मोटी और मुलायम घासों पर पड़े हुए उसके पैरों के निशान पर्याप्त होते हैं। इसके साथ साथ उसके घाब से टपकने वाले खून के बन्ने भी, जो सुखी दहनियों, घासों, झाड़ियों और जमीन पर होते हैं, रास्ते का निर्देश करते हैं। भैसे भ्याघ्र को बहुत जल्दी सूँब लेते हैं। इनकी उत्प्रेरित गतिविधि देखकर, शिकारी को यह समझते देर नहीं लगती कि भ्याघ्र नजदीक ही है। इतना मालूम हो जाने पर, पहले इसके कि भ्याघ्र कुछ करने के लिये सावधान हो सके, शिकारी को चाहिए कि तुरंत उल्टे समाप्त कर देने का प्रयास करे।

भालू — ( देखें भालू ) भालू का शिकार करने के लिये हाँके वालों को भालू को उसके रहने के स्थान से बिलकुल बाहर निकालकर लाना पड़ता है। चूँकि यह बहुत ही चालाक और शकालु जानवर होता है, इसलिये इसे बाहर ले आना बड़ा कठिन कार्य होता है। गर्मी के दिनों में जब जस का प्रभाव होता है, तब किसी जलाशय के पास पानी पीते समय इसका शिकार किया जा सकता है, या फिर शाम को या बहुत सुबह जब भालू भोजन की तलाश में महुआ, तेंदु और जंगली मकोय के पेड़ों के पास आते हैं तब इनका शिकार सुलभ होता है। शिकारी पहले हवा की दिशा का अंदाज लगाता है और अपने को जानवर की ओर से आने वाली हवा के विपरीत दिशा में रखते हुए, किसी झाड़ी के पीछे, या वृक्ष की छाड़ में ही छिप जाता है। अगर वह महुए का पेड़ हुआ तो शिकारी उसपर चढ़कर अपने को पत्तियों में अच्छी तरह छिपा लेता है और भालू की प्रतीक्षा करता रहता है।

स्वोष भालू ताड़ी बहुत पसंद करता है, इसलिये उसका शिकार ताड़ी के पेड़ के पास घासानी से किया जा सकता है। लबनी में भरे रस को पीने के बाद जब वह बिलकुल मस्त तथा लापरवाह हो जाता है, तब उसे घासानी से बंदूक का निशाना बनाया जा सकता है। गन्ने के मौसम में प्रायः वह गन्ने के खेतों के पास आते या जाते मिल सकता है। भालू के शिकार में हाणियों के हाँके का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भालू ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ हाथी जा ही नहीं सकते।

हिरन — भारत के हिरन परिवार के चीतल, कुण्डसार, बोरसिया काकर, पाड़ा तथा बारहसिंगो पर गर्व किया जा सकता है। इनका वर्णन निम्नलिखित है :—

चीतल — ये देश भर में पाए जाते हैं और इनके सींग तीस इंच तक लंबे होते हैं तथा कभी कभी ३६ इंच लंबे भी पाए जाते हैं। इनके सींग बिलकुल सीधे होते हैं और बाहरी सींग प्रायः लंबे होते हैं। इनका रंग ललछौंह भूरा होता है, जिस पर सफेद सफेद चित्तियाँ पड़ी होती हैं। संस्कृत के पुराने कवियों ने इन्हें ही स्वर्णधुंग की संज्ञा दी है। लंबी लंबी चित्तीवाली इनकी पूँछ के एक सिरे से लेकर पीठ तक लंबी काली धारी होती है, जिसके दोनों ओर सफेद धब्बों की दो या तीन पंक्तियाँ होती हैं। ठूड़ी, गर्दन का ऊपरी हिस्सा,

उदर भाग, पैरों का भीतरी हिस्सा तथा पूँछ का निचला भाग बिलकुल सफेद होता है। कान बाहर से बादामी और अंदर से सफेद होता है। सिर का रंग एक समान गहरा भूरा तथा चेहरे पर काला होता है और धूपन के ऊपर काली धारी होती है, जो धाँसों के पास तक चली जाती है।

साँभर — भारतीय हिरनों में साँभर बहुत बड़ा होता है। यह पहाड़ी इलाकों के जंगली हिस्सों में पाया जाता है। हिमालय की पर्वतीय उपरत्यका में यह दस हजार फुट की ऊँचाई तक और दक्षिण में विन्ध्य के पूरे पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। मध्यस्थली भागों में ये नहीं रहते। इनके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनका धूपन बड़ा होता है और शरीर पर कूले कूले मोटे बाल उभे होते हैं। नर साँभर के गले और गर्दन में बाल घने होते हैं। इनके शरीर का रंग गहरा भूरा होता है, जो कुछ कुछ राखी के रंग को लेकर पीतभा लिए होता है। पुद्दे और पेट के हिस्सों में पीलापन अधिक स्पष्ट होता है। पुराने साँभर कभी कभी काले, या स्लेटी भूरे रंग के, हो जाते हैं। ये कभी भी बड़े भुँडों में नहीं रहते, फिर भी चार या पाँच का परिवार इनका सबैव साथ रहता है। प्रादत्तन ये रात्रिचर होते हैं। जैसे इन्हें शाम और सुबह भी चरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन प्रायः ये रात को ही अपना पेट भरते हैं और दिन में किसी घनी मोटी झाड़ी में छिपे रहते हैं। ये बहुत ही चुपे होते हैं और इतने सावधान होकर चलते हैं कि जरा भी धावाज नहीं होती।

पाड़ा, हाँगडीयर (Hog-deer) — ये तराई क्षेत्रों और घने घासके मैदानों में पाए जाते हैं, और कभी कभी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर नहीं चढ़ते। इनकी पूँछ लंबी और पैर छोटे होते हैं। इनके सींग अप्रैल में झड़ जाते हैं और ये साधारणतया एक फुट से ज्यादा लंबे नहीं होते। चीतल, साँभर, पाड़ा, सभी के सींग समयानुसार अपने आप झड़ते हैं और जब नए सींग उगते हैं, तो उन्हें एंटिलर्स इन वेल्वेट ( antelers in velvet ) कहा जाता है। पाड़े का रंग ललछौंह मिश्रित बादामी होता है, लेकिन रोधो के सिरे में हलकी सफेदी होती है। निचले हिस्सों में रंग गहरा बादामी होता है। गर्मियों में कानों के भीतरी भाग तथा पूँछ के निचले हिस्से सफेद रहते हैं। छह महीने की अवस्था तक का पाड़ा पूरे शरीर पर धब्बा लिए रहता है। पाड़ा प्रादत्तन ऊँची झाड़ियों तथा ऊँचे घास के मैदानों में रहता है। दौड़ते समय यह अपना सिर नीचा कर लेता है और उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। यद्यपि एक जगल में बहुत से पाड़े रहते हैं, तथापि स्वभावतः वे या तो अकेले रहेगे, या जोड़े में।

बारहसिंगा — ये हिमालय की तलहटी, गंगा एवं गोदावरी की घाटियों तथा कहीं कहीं नर्मदा की घाटियों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बस्तर प्रादि जिले के कुछ भागों में भी ये मिलते हैं। इनके सींग विकने होते हैं और कई भागों में बँट जाते हैं, जिसके कारण उनमें चार नोक आ जाती हैं। इनके बाल, जो गर्दन पर अधिक घने हो जाते हैं, घने और बारीक होते हैं। जाड़े में शरीर का रंग ऊपरी हिस्से में पाँडुर भूरा तथा निचले हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक पीला होता है, लेकिन गर्मियों में शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग गहरा ललछौंह बादामी हो जाता है तथा निचले हिस्से का रंग बिलकुल सफेद होता है। बारहसिंगा

जंगलों में नहीं बल्कि खुले घास के मैदानों और वृक्षों के पास रहता है। जंगलों में यह तीस और चौबीस तक के झुंड में टहलता है, लेकिन वसंत ऋतु में यह इस निधम का पालन नहीं करता। सर्भर की अपेक्षा यह रात्रि में कम निकलता है, लेकिन दोपहर के पहले और दोपहर के बाद सामान्यतया अधिक देर तक चरता रहता है।

**कॉकर** — यह एक छोटा और अजीब किस्म का हिरन होता है, जो खुले मैदानों में नहीं दिखलाई पड़ता, प्रत्युत हिमालय के जंगलों में पाँच से छह हजार फुट की ऊँचाई तक मिलता है। इसके सींग छोटे होते हैं, जिनकी ऊपरी नोक थोड़ी अंदर की ओर घुमी रहती है। सींगों के नीचे से मुँह तक एक काली धारी धरती है। सामान्यतया इसका रंग गहरा भस्मरोटी होता है, जो पृष्ठ प्रदेश पर अधिक गहरा और निचले हिस्सों में हलका होता है। ठुड्डी, गले का ऊपरी हिस्सा एवं निचले भाग (जिसमें पूँछ का निचला हिस्सा भी संमिलित होता है) तथा जंघों के अंतःप्रदेश सफेद रंग के होते हैं। अपने जोड़े के साथ यह प्रायः अकेला रहता है। घने जंगलों से बाहर केवल घास के मैदानों तक चरने के लिये यह निकलता है और प्रायः गोशूलि में या प्रातःकाल ही चरता है। इसकी गति बड़ी तीव्र होती है।

**शिकार (Indian Hazel)** — दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर बिहार के पलामु, छोटा नागपुर तथा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों को सींगे होती हैं। नर के सींगों में मुद्दगी के समान वृत्त बने होते हैं और ऊपरी सिरे नुकीले होते हैं। मादा के सींग छोटे और नुकीले होते हैं। इनका रंग पृष्ठ भाग पर भस्मरोटी के समान भूरा होता है, जो पार्श्व भागों में गहरा होता है तथा निचले हिस्सों में सफेद। लेकिन पूँछ का रंग काला होता है। ये प्रायः झुंड में रहते हैं। बरसात से कटी हुई ऊँची नीची जमीन, रेताली पहाड़ियाँ तथा इधर उधर छिटकी झाड़ियाँ और पेड़ों की पंक्तियाँ इनके निवास स्थान होते हैं। भयभीत होने पर, ये कूदकर हवा में उड़लते नहीं, बल्कि जहाँ रहते हैं वही जगह रहकर खुर पटकते और हुंकार भरते रहते हैं।

**कृष्णसार** — भारत का कृष्णसार अपने सींगों और शारीरिक सौंदर्य में संसार का सबसे सुंदर जानवर है। यह केवल भारत में पाया जाता है और वृक्षों से रहित समतल मैदानी प्रदेश में रहता है। यह मलाबार और सूरत से दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर शेष पूरे देश में पाया जाता है। गंगा और यमुना के दुग्धाबा में इनकी बड़ी संख्या मिलती है। इनके खुर नुकीले होते हैं और घुटने पर थोड़े से मुख्छेदार बाल होते हैं। केवल नर के ही सींग होते हैं, जो जड़ पर नजदीक होती हैं और उनमें मुद्दगी के समान वृत्त बने रहते हैं तथा ऊपर जाने पर सींग छितरा जाते हैं। समवेत रूप से सींग गोल और छत्केदार होते हैं। पूरा नौजवान नर कृष्णसार काला बादामी होता है और अधिक अवस्था हो जाने पर बिलकुल काला हो जाता है। केहरा काला बादामी तथा कानों के नीचे सफेद लंबी धारी होती है और आँखें एक सफेद वृत्त में बिरी होती हैं। शरीर के निचले भाग सफेद होते हैं। ये झुंडों में रहते हैं और इनके भोजन करने का कोई

निश्चित समय नहीं रहता, यद्यपि ये विश्राम दोपहर ही में करते हैं। ये दौड़ने में बड़े तेज होते हैं और ज्यों ही किसी खतरे की सूचना मिलती है त्यों ही ये बड़ी लंबी चौकड़ियाँ भरते हुए हवा से बाँतें करने लगते हैं।

**बौसिंगा** — इसके चार छोटे सींगे होते हैं, जिनमें से दो सिर पर आँखों के बीच में होते हैं और दो इन्हीं दोनों के पीछे। आकार में ये सींग सीधे तथा गोल होते हैं। सामने के सींग छोटे और पिछले बड़े होते हैं। इनके बाल पसले, रुखे और छोटे होते हैं। साधारणतया इनका रंग खैरा होता है, जो शनैः शनैः नीचे उतरते उतरते सफेद हो जाता है। धूपन तथा कान के बाहरी हिस्से का रंग अपेक्षाकृत गहरा होता है। यह बड़ा शर्मिला जानवर है। जंगल के किनारों पर यह बहुत प्रातः या शाम के ऋतुपुटे में चरने के लिये निकलता है।

उपर्युक्त सभी हिरनों का शिकार बहुत सावधान होकर, लुक छिपाकर किया जाता है। ये सभी बड़े शर्मिले और सावधान होते हैं। जब भी ये दिखलाई पड़ते हैं तब आखेटक सदैव अपने को जानवर की ओर से आती हुई हवा की विपरीत दिशा में रखकर बड़े चुपके चुपके घासों के झुग्गुट तथा झाड़ियों के बीच से होकर छिपता छिपता, इनका पीछा करता है। अगर जानवर को यह मालूम हो जाय कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो शिकारी को अपने स्थान पर बिलकुल स्वामोषा होकर पत्थर के समान जड़ हो जाना चाहिए और जब जानवर का भय दूर हो जाय, तो फिर चुपके से पीछा करना चाहिए। हाँका किए जाने पर, ये सबके सब बहुत तेज दौड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, लेकिन चीतल सदैव कावा काटते हुए, बहुत तेज दौड़ते हुए निकलता है। एक बार बंदूक दग जाने पर, ये पूरी रफतार से भागते हैं, जिनमें से सर्भर और चीतल तो हाँका वालों की पंक्तियाँ तोड़कर भाग जाते हैं।

इनका शिकार करने का दूसरा ढंग इनके चरागाह और जलाशय का पता लगाकर, वहाँ जानवरों के पहले पहुँचकर, किसी झाड़ी, वृक्ष या चट्टान के पीछे छिपकर बैठने का है। प्रतीक्षा की धड़ियों में बिलकुल स्वामोषा और शांत रहना चाहिए। बैठने के पहले हवा का रुख थोड़ी सी धूल उड़ाकर, या सूखी गिरती पत्तियों को देखकर मालूम कर लेना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके हवा की विपरीत दिशा में रहना चाहिए। जलाशय या चरागाह के पास छिपकर बैठने वाले शिकारी को बार बार अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए। इन जानवरों का आखेट करने के लिये एक और उपयुक्त स्थल होता है, जिसे नूनचट कहते हैं, जहाँ पर नमक चाटने के लिये जंगल के अधिकांश जानवर समय समय पर प्रायः आते हैं। ऐसी जमीनें प्रायः प्रत्येक जंगल में पाई जाती हैं। कौन सा जानवर वहाँ कब आया है, इसका पता उनके खुर और पैर के निशानों को देखकर लग सकता है। ताजे निशान बहुत स्पष्ट और गहरे होते हैं और ज्यों ज्यों समय बीतता है, हवा के संचार और सूरज की रोशनी से ये निशान धुँधले और अस्पष्ट हो जाते हैं। कृष्णसार का, जो वृक्ष से रहित, सपाट घास के मैदानों में रहता है, पीछा करना बड़ा मुश्किल होता है। दिन के समय ये छिपने के लिये किसी गन्ने या घरघर के खेत में चले जाते हैं और जब यह मालूम हो जाता है

तब शिकारी जेत के एक ओर खड़ा हो जाता है और बाकी तीनों ओर से हाँका कर दिया जाता है और कृष्णसार को आघेटक की ओर खदेड़ा जाता है। ज्यों ही यह बाहर निकलता है, मार दिया जाता है। सरहर या गन्ने के जेत में कौब हो जाने पर, कृष्णमार को जाल में भी पकड़ा जा सकता है। इसके लिये तीन ओर से जाल बिछा दिया जाता है और चौबी ओर से हाँका किया जाता है, जिससे कि वह जिनर से भी निकले जाल में फँस जाय, लेकिन यह पद्धति विष्वसक होती है और इसी से बीरे बीरे भारत के कृष्णसार परिवार का ह्रास होता गया।

**हाथी**—हाथियों का शिकार बड़ा ही रोमांचकारी और कठिन होता है। इनका पीछा करने के लिये पैर और गोबर के निशान के सहारे चमना पड़ता है, जिसमें कभी कभी कई दिन लग जाते हैं। वे बाँस के घने जंगलों, या घनी लंबी घासों के जंगल, में रहते हैं। इनका शिकार जिनना ही कठिन होता है उतना ही खतरनाक भी। जंगली हाथियों के शिकार का एक ढंग मेला शिकार कहलाता है, जो नेपाल और असम में अधिक प्रचलित है। नेपाल में इसे पीठा शिकार कहते हैं। इस पद्धति से जंगली हाथियों को पकड़कर कब्जे में किया जाता है। प्रशिक्षित हाथियों की पीठ पर बैठे हुए जो शिकारी यह काम करते हैं, उन्हें फंदी कहते हैं। मेला शिकार के दल में तीन इकाइयाँ होती हैं : (१) फंदी, जो फंदा डालता है, (२) महावत, जो कुनकी अर्थात् प्रशिक्षित हाथी को अनुशासन में रखता है और (३) बसियारा, जो कुनकी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फंदी कुनकी के सिर पर बैठ जाता है। महावत गद्दी पर रहता है और आवश्यकता पड़ने पर एक हाथ से गद्दी बाँधनेवाली रस्सी पकड़े खड़ा हो जाता है और दूसरे में अंकुश पकड़कर प्रशिक्षित हाथी के, जिसे कुनकी कहते हैं, परिचालन का काम करता है और दिन भर के परिश्रम के बाद कुनकी की रीढ़ की हड्डी और पिछले पट्टे पर गरम जल डालता है। गरम जल कुनकी की बकान दूर करने में सेंक का काम करता है।

मेला शिकार की पद्धति और उपकरण सब जगह एक जैसे ही होते हैं। चासाक फंदी, मजबून कुनकी और झूट के रेशों का बना मोटा रस्ता आवश्यक होता है। मेला शिकार के लिये हाथी सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि माथा हाथी दूसरी माथा को देखकर उनपर झक नहीं करती और जंगली हाथियों के झुंड में बिना हिचकिचाहट के घुस जाती है। मेला शिकार में तीन तीन, चार चार कुनकी छोटे छोटे झुंड में शिकार करते हैं, जिससे कोई खतरा भाने पर एक दूसरे की सहायता कर सके। जंगली हाथियों के झुंड का पता लग जाने पर, कुनकी द्वारा बहुत चुपके चुपके उनका पीछा किया जाता है। बड़े हाथी तथा अकेला हाथी को नहीं पकड़ा जाता। केवल किन्नोर अवस्था के हाथी ही पकड़े जाते हैं। पहले उन्हें कुनकी की सहायता से झुंड में से बहकाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद तब तक उनका पीछा किया जाता है, जब तक फंदी उनके गले में फंदा न फँक दे। एक बार जब बहके हुए जंगली हाथी के गले में फंदा डाल दिया जाता है, तब यह देखना फंदी का काम होता है कि न तो फंदा किसलने पाए और न हाथी का गला ही घुटने पाए। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए, बंदी हाथी को बीरे बीरे कुनकी की

ओर खींचा जाता है। कुनकी के पेट से अवरोधक रस्सियाँ भी बंधी रहती हैं। उन्हीं में बंदी हाथी को बाँधा जाता है। फंदे का दूसरा सिरा कुनकी के पेट से बंधा रहता है, जिससे एक बार फंदे में फँसा हुआ हाथी कुनकी के बल से बीरे बीरे खिंचता हुआ दक जाता है। अवरोधक रस्सियाँ बाँधने के बाद, वह बिलकुल कुनकी के शरीर से बँध जाता है। इसलिये फंदी के साथ अपना जगली स्वभाव दिखलाने और निकल भागने में असमर्थ रहता है। एक बात और आवश्यक होती है कि जब बंदी हाथी कुनकी से बाँध दिया जाता है, तब यह देखना आवश्यक होता है कि वह उसी ओर रहे जिस ओर फंदा कुनकी के पेट में बँधी हुई रस्सी से बँधा हुआ है। कभी कभी कुनकी के लिये बंदी हाथी को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है और कई कुनकी तथा कई फंदी एकत्रित करने पड़ते हैं। इसे दोहर या तेहर कहते हैं। नेपाल के पीठा शिकार में, रस्सी कुनकी के गले से बाँधी जाती है, न कि असम की तरह उसके पेट से। [ या० ६० ]

**शिकार और वन्य पशु (उनकी कुछ विशेषताएँ)**—शिकारियों को वन्य पशुओं का शिकार करते करते उनमें अक्सर ऐसी विशेषताएँ देख पड़ती हैं जिनकी अच्छी तरह जानकारी रहने से सफलतापूर्वक शिकार करने तथा खतरे से बचने में अधिक आसानी होती है। ऐसी कुछ विशेषताओं की चर्चा यहाँ की जाती है।

१. वे आपस में नहीं खड़ते — व्याघ्र, चीता आदि पशु मनुष्य के सामने प्रायः आपस में नहीं लड़ते। जयपुर के महाराज वन्य पशुओं का बँड देखने के बड़े शौकीन थे। प्रायः प्रति वर्ष इनकी लड़ाई देखने का विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाता था। खास तौर से धेरकर बनाए गए मैदान में दो उम्मेद हाथी या अन्यान्य जंगली पशु परस्पर लड़ने के लिये छोड़ दिए जाते थे। कई अवसरों पर जब बाघ और तेंदुए (वेधर) एक ही कठघरे में आमने सामने खड़े कर दिए जाते तो अक्सर देखा जाता था कि जब तक लोग उनकी ओर देखते रहते थे, वे आपस में कदापि नहीं लड़ते थे, मानो वे यह अच्छी तरह जानते हों कि मानव हय दोनों का समान रूप से शत्रु है, अतः उसका मनोरंजन करने के लिये परस्पर लड़ना बेमतलब है।

इतना होते हुए भी जब व्याघ्र या अन्य दो खूँवार पशु किसी कारणवश एक दूसरे से चिड़ने लगे या नफरत करने लगे तो सामना होने पर वे एक दूसरे का खात्मा करने के लिये सन्नद्ध हो उठते हैं। जयपुर के बिड़ियाघर का निरीक्षण करते समय लेखक ने कई बार देखा कि न जाने क्यों 'हीपी' नाम का बाघ अपनी ही बहिन 'घंपी' से बहुत चिड़ता था, जिससे उसकी चारणा हो गई कि यदि वे दोनों एक साथ रख दिए जायें तो वे अवश्य ही एक दूसरे पर आक्रमण कर बैठेंगे। इसकी सच्चाई के परीक्षण का अवसर तब प्राया जब नवानगर के जाम साहब ने जयपुर आने पर दो बोरों (टाइगर्स) की या बोर तेंदुए की लड़ाई देखने की इच्छा प्रकट की। पहले एक बाघिन के सामने तेंदुआ खड़ा किया गया किन्तु उन्होंने एक दूसरे के प्रति द्वेष या दुश्मनी का कोई भाव प्रकट नहीं किया। इसपर वधुतों का विश्वास हो गया कि वे कभी झड़ न करेंगे किन्तु लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर बाघी जगाई और कहा कि 'हीपी' के छोड़ते ही घेरनी से उसकी लड़ाई ठन

जायगी। ऐसा ही हुआ। 'हैपी' ने झपटकर शेरनी की गर्दन पकड़ ली और जब तक वह मर नहीं गई उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की।

२. श्रेष्ठता दिखाने को लड़ते — कभी कभी अपनी शक्ति या श्रेष्ठता दिखाने के लिये भी वन्य पशु एक दूसरे पर आक्रमण कर मर मिटने को धामादा हो जाते हैं। ऐसा एक दृश्य लेखक ने उस समय देखा जब वह डिमोटा नामक स्थान में एक मचान पर बैठकर एक हिल ब्याघ्र को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस पोखरे में पानी पीने के लिये ब्याघ्र आया करता था, उसी में पानी पीने की गरज से एक सूअर बोड़ी देर पहले आया। खतरे की घंटी बजते ही जंगल के सब पशु सावधान हो गए। सूअर ने भी वह आवाज सुनी पर वह वहाँ से हटा नहीं और बाघ के आने की राह देखने लगा। जब बाघ पानी के निकट पहुँचा तो दोनों एक दूसरे पर दूट पड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों का, अपने अपने जख्मों के कारण, प्राणोंत न हो गया। दोनों अपने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी श्रेष्ठता दिखलाना चाहते थे, यद्यपि ब्याघ्र का एक लक्ष्य सूअर को मारकर उसके मान से अपने को तुल्य करना भी रहा होगा।

३. मनुष्य से भय — वन्य पशुओं की तीसरी विशेषता यह है कि वे स्वभावतः मनुष्य से भय खाते हैं। प्रकृति ही मानो ब्याघ्र को सिखा देती है कि मानव बुद्धिबल के कारण उससे प्रबलतर है और वह (मनुष्य) काफी दूर रहकर भी उसपर प्रहार कर सकता है, इसलिये वह मनुष्य से खेडखाड नहीं करना चाहता। किंतु एक बार यदि यह भय दूर हो जाय तो फिर वह मानवभक्षी बन जाता है; नहीं तो वह शिकार के पशुओं को ही मारकर या मवेशियों को उठा ले जाकर संतोष कर लेता है।

४. पेड़ पर नहीं चढ़ते — ब्याघ्र साधारणतः वृक्षों पर नहीं रहते, न उनपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं किंतु अत्यंत लाचारी की स्थिति में कभी कभी वे ऐसा प्रयास कर भी बैठते हैं। एक बार वैरठ के जंगल से कुछ ही दिन पूर्व पकड़ा गया एक मनुष्यभक्षी ब्याघ्र जब शोरगुल करनेवाली भीड़ से चारों तरफ घिर गया और बीच में पड़नेवाली ३० फुट चौड़ी खाई के कारण जब उसने उसपर हमला करने में अपने को असमर्थ पाया, तब वह पास के पीपल के पेड़पर ३० फुट तक चढ़ गया और वहाँ बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ ही मिनट बाद वह वहाँ से आसानी से उतर भी आया। इसपर लोगों को सहसा विश्वास न होगा, लेकिन लेखक की यह प्रत्यक्ष देखी घटना है। वृक्ष की तिरछी या लटकती हुई शाखा पर तो ब्याघ्र को १०-१२ फुट तक की उँचाई पर चढ़ते कई बार देखा गया है किंतु ३० फुट तक चढ़ जाने की ऊपर की घटना सचमुच अद्भुत और निराली है।

५. संकट में मनुष्य की शरण चाहते — वन्य पशुओं की एक प्रायत यह होती है कि यद्यपि वे मनुष्य की संगति से बचते रहते हैं, फिर भी संकट के समय वे मनुष्य की शरण में आने से भी नहीं हिचकते। ऐसी ही एक घटना सन् १९३३ में सवाई माधोपुर के

निकट एक जंगल में देखी गई थी। एक स्थान पर शिकारियों का खेमा गड़ा हुआ था। सवेरे के वक्त, जब लोग नाश्ता पानी कर रहे थे, एक साँभर भृग, जो स्वभावतः बहुत लज्जालु होता है और मनुष्य के सामीप्य से दूर भागता है, अचानक छह फुट ऊँची कनात की दीवार को लाँचकर सामने भा खड़ा हुआ। कुछ समय स्थिर रहने के बाद जब वह दूसरी तरफ से चौकड़ी भगते हुए निकल गया तो शिकारियों के बाहर निकल कर देखने से पता चला कि कुछ जंगली कुत्ते उसका तेजी से पीछा कर रहे थे, अतः उनसे जान बचाने के लिये वह मनुष्यों की शरण में जा पहुँचा था। उसकी यह युक्ति काम कर गई और उसके प्राण बच गए।

एक और घटना १९४० की है जब विशनगढ़ के समीप के एक गाँव में प्रातः ६ बजे एक शेर मीना परिवार की छोपड़ी की ओर आता दिखाई दिया। बाहर दो बच्चे खेल रहे थे और उनकी माँ भोजन बना रही थी किंतु उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाकर शेर छोपड़ी के अंदर घुसकर बैठ गया। समाचार पाकर गाँव के लोग इकट्ठे हो गए। छोपड़ी का दरवाजा भीतर की ओर खुलता था अतः भीतर हाथ डालकर उसे बाहर की ओर खींचकर बंद करना खतरनाक था, इसलिये उन लोगों ने हूँकें डालकर एक टट्टर चुपके से दरवाजे के सामने लगा दिया और फिर गाड़ी भर कैटीली भाड़ियाँ आदि इकट्ठी कर उससे सटाकर रख दीं। इसके बाद उन्होंने लेखक के पास आकर सहायता की याचना की। बात कुछ समय में आ नहीं रही थी किंतु पमचिह्नों को देखकर अविश्वास करना कठिन था। टट्टर आदि को हटाकर गोली चलाने की चेष्टा करना खतरे से खाली न था, अतः छप्पर पर बैठकर एक सुराख के जरिए निशाना बाँधकर गोली चलाई गई। एक दर्दली तेज गुराहट के बाद शेर ठंडा हो गया। कई दिनों का अंधार हटवाने के बाद जब देखा गया तो पता चला कि शेर की गर्दन में बहुत से घाव थे जिनमें कीड़े पड गए थे। स्पष्ट था कि किसी अन्य बाघ के साथ हुई लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो गया था और वह जीभ से चाटकर जख्मों को साफ नहीं कर सकता था, अतः इस दुःखद स्थिति से छुटकारा पाने की गरज से ही उसने मनुष्य के निवास तक चले आने का निश्चय किया था। जो हो, लेखक को अपने शिकारी जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं का अनुभव हुआ। सचपुत्र यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्याघ्र, जो मनुष्य का स्वाभाविक शत्रु है, संकट में पडकर उसकी सहायता की आवांक्षा करे! इसने यह कहावत अरिस्तार्थ होती है कि आवश्यकता के समय कापून के बंधन दूट जाते हैं।

**सिंह और ब्याघ्र**

भारत में सिंह पुरातन काल से पाए जाते रहे हैं। राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के जंगलों में तो वे प्रायः ही दिखाई दे जाया करते थे किंतु देश में अब सीराष्ट्र के गिर जंगल को छोड़कर अन्य स्थानों से उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। उनके लोप का मुख्य कारण यह है कि इन स्थानों में बाहर से आनेवाले ब्याघ्रों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने सिंहों की माँ तो मार डाला या उन्हें भगा दिया, जिससे अंत में उन्हें गिर जंगल में पनाह मिली। यह जंगल बहुत

कुछ भयग भयग सा पड़ जाता है और उसके इदं गिदं सी मील से भी अधिक दूरी तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ ब्याघ्र पाए जाते हों।

ऐसा जान पड़ता है कि ब्याघ्र इस देश में चीन से और बर्मा से बंगाल में आया, इसी से आज भी हम "बंगाल के ब्याघ्र" की बात किया करते हैं। वह सिंह से ज्यादा होशियार और ताकतवर होता है, इसलिये जहाँ जहाँ वह पहुँचा उसने सिंहों का या तो विनाश कर दिया या उन्हें भगा दिया। यों तो सिंह बड़ा साहसी होता है और ब्याघ्र से सामना होने पर पहले वही आक्रमण करता है किंतु वह प्रायः उतना संवर्षशील नहीं होता और बाघ के पंजों के दो चार आघात झेलकर ही हट जाना बेहतर समझता है।

शिकारी के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो सिंह की अपेक्षा ब्याघ्र का शिकार करना अधिक मनोरंजक तथा स्फूर्तिमय होता है। बाघ के शिकार में गोली चलाने की सुविधा आदि की दृष्टि से खंबा चौड़ा इंतजाम करना पड़ता है और इतना करने पर भी संभावना इस बात की रहती है कि वह चकमा देकर निकल जाय। सचमुच वह सिंह की तुलना में अधिक सावधान और चालाक होता है।

सन् १९५२ में झूनागढ़ के जंगलों में सिंह का शिकार करने के लिये जाने का लेखक को दो तीन बार मौका मिला। उस समय यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सिंह ने झाड़ में या झाड़ी आदि के पीछे छुपकर सतर्कतापूर्वक आने की चेष्टा नहीं की। वह निर्भयतापूर्वक यों सामने निकल आया मानो वह चहलकदमी के लिये निकला ही। इसलिये उसे गोली का निशाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। किंतु एक बार घायल हो जानेपर सिंह भी उतना ही भयानक ही उठता है जितना ब्याघ्र।

इन दोनों की भावतों में बड़ा अंतर होता है। सिंह अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने के लिये पंजे का प्रयोग करता है, जब कि ब्याघ्र अपने शिकार को दबोचने रखने के लिये उन्हें काम में लाता है। सिंह बड़े परिवार के साथ गर्वपूर्वक रहता है किंतु ब्याघ्र की भावत इससे बिलकुल भिन्न होती है। सिंह प्रायः शिकार के लिये झुंड में निकलते हैं जब कि ब्याघ्र अकेला ही चलता है। सिंह, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, साहसी अधिक होता है किंतु ताकत में ब्याघ्र से कमजोर होता है और उसकी तुलना में बाघा भी चालाक नहीं होता। ब्याघ्र के साथ यदि उसके बच्चे और ब्याघ्रिणी भी हो तो ब्याघ्र ही शिकार पर हमला करेगा और पहले खुद अपना पेट भरने का प्रयत्न करेगा, तब कहीं परिवार के किसी सदस्य को आहार में हाथ लगाने देगा। सिंह के मामले में प्रायः सिंहनी ही शिकार पर धावा बोलती है और पहले वही उसे खाना शुरू करती है; बाद में सिंह भी उसके साथ हो जाता है।

#### वन्य जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता

यह देखते हुए कि भारत में सिंहों का तथा अन्य कई वन्य पशु पक्षियों का तिरोभाव होता जा रहा है, इस बात की नितांत आवश्यकता है कि उनके संरक्षण के लिये ठोस कदम उठाया जाय। वन्य

पशु पक्षियों के क्रमिक ह्रास का एक कारण यह है कि वहाँ शिकार-चोरों अर्थात् अनधिकारिक रूप से पशुपक्षियों का शिकार करने-वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। इसके सिवा प्रायः प्रत्येक राज्य का वन विभाग प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में वृक्षों को कटवाता जा रहा है जिससे वन्य जंतुओं को आत्मरक्षा के लिये समुचित शरण स्थान नहीं मिल पाता।

पशुपक्षियों के वन्य जीवन की रक्षा के दो उपाय हो सकते हैं— (१) लेखों, भाषणों, पुस्तिकाओं द्वारा प्रचार कराना, तथा (२) विधान और नियम बना देना। पहले में सर्व अधिक पढ़ने की संभावना है और भारत जैसे अराशिक्षित देश में इससे उतना लाभ भी नहीं हो सकता, इसलिये कानून बना देना और कड़ाई से उसका पालन कराना ही श्रेयस्कर है।

ह्रासमान पशुपक्षियों की रक्षा के लिये आवश्यक है कि संरक्षित शरण स्थानों (गुफाओं, मैकुशुअरीज) तथा राष्ट्रीय उद्यानों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। इन शरण स्थानों—संरक्षित वनों—की समुचित देखभाल और रक्षा से वन्य पशुपक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी और वे प्राकृतिक वातावरण में उचित ढंग से पनप सकेंगे। ऐसा होने से सामान्य जनता और वैज्ञानिकों को भी उन्हें स्वाभाविक परिस्थितियों में देखने का अवसर मिल सकेगा। कतिपय किसानों की यह माँग कि समस्त वन्य पशुपक्षियों की समाप्ति कर दी जाय क्योंकि उनसे कृषि के उत्पादन में बाधा पड़ती है, उचित नहीं है। फसल की रक्षा के लिये यथोचित उपाय करने की छूट तो उन्हें मिलनी चाहिए किंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन वन्य क्षेत्रों में, जहाँ मत्स्य का उत्पादन न होता हो, वन्य पशुपक्षियों के संरक्षणार्थ बनाए गए नियमों का उल्लंघन न होने दिया जाय।

यदि शिकार के पशुपक्षियों का ह्रास होता जायगा तो ब्याघ्र, तेंदुआ आदि हिंस्र पशुओं को उनका स्वाभाविक आहार न मिल पाएगा और वे घरेलू जानवरों तथा मनुष्यों पर भी हमला शुरू कर देंगे, जैसा लखनऊ, दिल्ली आदि के समीप कई बार हो चुका है, इससे उन्हें मार डालना आवश्यक हो जायगा। तब सिंहों की तरह ब्याघ्रों, तेंदुओं आदि की संख्या भी घटने लगेगी जिससे शिकार के लिये भारत आनेवाले विदेशियों का आकर्षण कम हो जायगा और उनसे देश को प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा की जो आमदनी होती है वह भी बंद हो जायगी। स्पष्ट है कि संरक्षित शरण स्थलों के रहने से हिंस्र पशुओं के लिये यथोचित आहार प्राप्त होता रहेगा किंतु इसके साथ ही शाकाहारी पशु पक्षियों के लिये पीपल, महुआ, गुलर शहतूत तथा जंगली फलवृक्षों का बड़ी संख्या में धारोपण भी आवश्यक होगा जिससे भालू, हिरण, साँभर आदि पशुओं की संवृद्धि हो सके। [क० सि०]

**शिकोकू** स्थिति : ३३°३०' उ० अ० तथा १३३° ३३' पू० दे०। जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल ७,२५२ वर्ग मील है। सामान्यतः यह पहाड़ी प्रदेश है। यह शीतोष्ण मानसुनी, अथवा चीनी, जलवायु के अंतर्गत आता है।

\* कृषियोग्य भूभाग उत्तरी शिकोकू में अधिक व्यापक है। धान, जई, राई, जौ तथा शकरकंद यहाँ की प्रमुख उपज है। दक्षिणी सद्वर्ती

भागों में ताड़ धीरे कपूर के बुझ अधिक उत्पन्न होते हैं। शिकोक का खनिज पदार्थों के खनन में कोई महत्व नहीं है। उत्तर के पर्वतीय भागों में थोड़ा ताँबा मिल जाता है। पहाड़ी भागों में वन काफी होने तथा समुद्र निकट होने से लकड़ी काटने तथा मछली मारने का धंधा महत्वपूर्ण है।

शिकोक में कृषि एवं उद्योगों की कम उन्नति होने के कारण ही यहाँ छोटे छोटे नगर हैं। यातायात के साधन कम तथा जनसंख्या भी कम है। [रा० स० ख०]

**शिक्षण विधियाँ** जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षणविधि कहते हैं। 'शिक्षणविधि' पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएँ सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं; परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है।

पाठ्यविषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जाँच या पुष्टि के लिये अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक और दूसरी को भागमनात्मक विधि कहते हैं।

दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षणविधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्यवस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले भागों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्ण-माला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। उत्पश्चात् शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाएँ तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर चलते हैं।

शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है—'मूर्त से अमूर्त की ओर'। वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है जिनमें नेत्र प्रमुख हैं। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हम उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। इसी से आरंभ से वस्तुविधि का सहारा लिया जाता है अर्थात् बच्चों को पढ़ाने के लिये वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे, तीन और दो पाँच को समझाने के लिये पहले छात्रों के संमुख तीन गोलियाँ रखी जाती हैं। फिर उनमें दो गोलियाँ और मिलाकर सबको एक साथ गिनाते हैं तब तीन और दो पाँच स्पष्ट हो जाता है।

वस्तुविधि का एक दूसरा रूप है दृष्टांतविधि। वस्तुविधि में

जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है दृष्टांत-विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा। दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और शब्द भी। इसमें चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है।

वस्तु एवं दृष्टांतविधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है तब कथनविधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णों के द्वारा छात्रों को पाठ्यवस्तु का ज्ञान दिया जाता है। परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं होता। इसी में प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है—'बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए'। व्याख्यान-विधि इसी की सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्रायः व्याख्यानविधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है।

कथनविधि में प्रायः हर्बर्ट के पाँच सोपानों का प्रयोग किया जाता है। वे हैं (१) प्रस्तावना, (२) प्रस्तुतीकरण, (३) तुलना या सिद्धांतस्थापन, (४) आबृत्ति, (५) प्रयोग। परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही पाँचों सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है।

प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकरानी विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है।

जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह मिट्टी कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वरन् छात्र है तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना अर्थात् स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षणसिद्धांत है। अतः उसी से लेकर माँटेसरी और ड्यूवी तक शिक्षाशास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियाँ सम्मिलित की जा सकती हैं, जैसे—शोधविधि (इंक्विस्टिक), योजना (प्रोजेक्ट) विधि, डाल्टन प्रणाली, बेसिक-शिक्षा-विधि, इत्यादि।

जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉंग द्वारा शोधविधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूँढ़ने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। सब पूछिए तो वह छात्र का पथप्रदर्शन करता तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता रहता है। उसका अर्थ यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने

निरीक्षण प्रबन्ध प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाय। इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया। फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा।

अमरीका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ड्यूवी, क्लैवेट्रिक, स्टीवेंसन आदि के संमिलित प्रयास का फल योजना (प्रोजेक्ट) विधि है। इसके अनुसार ज्ञानप्राप्ति के लिये स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिये पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या को हल करने के लिये उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्यामूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाय।

अमरीका के डाल्टन नामक स्थान में १९१२ से १९१५ के बीच कुमारी हेलेन पार्सेल्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षाशिक्षण के दोषों को दूर करने के लिये प्राविष्कृत की गई थी। डाल्टन योजना में कक्षा-भवन का स्थान प्रयोगशाला से लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिये पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के प्रतिरिक्त संदर्भग्रंथ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता, उनके कार्यों का संशोधन तथा जाँच करता है। वर्ष भर का कार्य ६ या १० भागों में बाँटकर निर्धारित कार्य (असाइनमेंट) के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करता है। कार्य प्रवृत्तियों में बँटा रहता है। जितनी प्रवृत्ति का कार्य पूरा हो जाता है उतनी का उल्लेख उसके रेखापत्र (ग्राफकार्ड) पर किया जाता है। एक मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके किए हुए कार्य पर निर्भर रहती है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनमें स्वावलम्बन भी आ जाता है। इस योजना के अनेक रूपांतर हुए जैसे बटेविया, विनेटका आदि योजनाएँ। डेक्ली योजना यद्यपि इससे पूर्व की है, फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए।

महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी अपने ढंग की एक शिक्षाविधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे अम का महत्व नहीं ज्ञात होता। वैज्ञानिक ज्ञान अनुभव को प्रवृत्तारी एवं निष्क्रिय बना देता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्तकौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कलाई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की तीन चौथाई जनता शगी हुई है। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्तकौशल मानकर

शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ हैं :— (१) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, (२) हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा, (३) मात से १५ वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, (४) शिक्षा स्वावलम्बी हो, अर्थात् कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। अंतिम सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा में से इसे हटा दिया गया।

अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पंगु बना दिया है कि वे हाथ से काम करना हेय मानते हैं। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई जिससे यह शिक्षा केवल निचन वर्ग के लिये रह गई है। अतः यह धीरे धीरे असफल होती जा रही है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शिक्षणविधियाँ अनेक हैं। सबका प्रवर्तन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में किसी शिक्षा-शास्त्री के द्वारा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी शिक्षाविधि होती है जिससे वह छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। जो विधि जिसके लिये अधिक उपयोगी हो वही उसके लिये सर्वश्रेष्ठ विधि है।

सं० अं० — ऐडम्स, जे० • द न्यू टीचिंग; रेमंट, टी० : प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन; राइबर्न, डब्ल्यू० एम० : प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग; स्मिथ, फ्रैंक तथा हैरिसन, ए० ए० : प्रिंसिपल्स ऑफ क्लास टीचिंग; जीवनायकम्, डी० : थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। [२० शु०]

**शिक्षा, अनिवार्य** शिक्षा का अर्थ किसी क्षेत्र में निश्चित आयु के अंतर्गत मानेवाले बालकों की शाला में विधान द्वारा अनिवार्य उपस्थिति है। यह आयुसीमा प्रायः छह वर्ष से १६ वर्ष तक की होती है। आरंभ में उपस्थिति की अनिवार्यता न रखते हुए, केवल १२ वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को सिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक था। इसका आधार धार्मिक सिद्धांतों का महत्व और व्यक्ति पर अपने चरित्रनिर्माण की जिम्मेदारी थी। प्राथमिक काल में इस विश्वास ने कि प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित नागरिक पर निर्भर करती है, अनिवार्य शिक्षा को बहुत बल दिया है।

सर्वप्रथम जर्मनी में मार्टिन लूथर ने प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिये राज्य द्वारा नियंत्रित सार्वभौम शिक्षा पर जोर दिया। फलतः सन् १६१९ ई० में बाइमार में और फिर सन् १७६३ में प्रायः संपूर्ण जर्मनी में अनिवार्य शिक्षा का कानून लगाया गया। इसके अनुसार छह से १२ वर्ष की उम्र के बालकों की शाला में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। बाद में अंतिम सीमा बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी गई।

फ्रांस में, जनजाति के पूर्व मानव स्वतंत्रता के आधार को लेकर, अनिवार्य शिक्षा का बड़ा विरोध किया गया। किंतु धीरे धीरे शिक्षा सुविधाएँ बढ़ाकर मार्ग प्रशस्त बनाया गया, तब कहीं सन् १७९१ में एक कानून के अनुसार छह से १२ वर्ष के बालकों की शिक्षा अनिवार्य की जा सकी और नियम भंग करनेवाले अभिभावकों पर 'जुर्माना करने की व्यवस्था हुई। सन् १८८२ के विधान ने प्राथमिक शिक्षा समस्त देश में अनिवार्य कर दी।



इस शिक्षा में इंग्लैंड के प्रथम प्रयत्न मानवता भावना से प्रेरित बालकों की सुरक्षा पर आधारित थे। सन् १८७० में बोर्ड स्कूलों की स्थापना के साथ अनिवार्यता का सिद्धांत भी आया। सन् १८७६ में पाँच से १४ वर्ष के बालकों के माता पिता से उन्हें प्रमाणित शालाओं में भेजने के लिये कहा गया और २०वीं शती के प्रथम दशक में ऐसे बालकों की शाला में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई।

अमरीका के नेताबुडेत्स राज्य में इस शिक्षा में प्रथम प्रयास सन् १८५२ ई० में हुआ जिसमें आठ से १४ वर्ष के बालकों को वर्ष के बारह सप्ताहों में शाला में उपस्थित होना अनिवार्य बनाया गया। सन् १८६८ में उपस्थिति के संबंध में कठोर नियम बने। इनकी अवहेलना करनेवाले माता पिता को जुर्माना देने और संस्था का अनुदान बंद कर देने की व्यवस्था हुई। आजकल अनिवार्य शिक्षा आयुसीमा छह से १६ वर्ष है किंतु कुछ राष्ट्रों में इससे कम या अधिक उम्र तक के बालकों को शाला में रखा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अनिवार्य उपस्थिति के नियमों को चुनौती दी गई है किंतु न्यायालयों का निर्णय रहा है कि व्यक्ति को न्यूनतम शिक्षा देने का अधिकार राष्ट्र को प्राप्त है।

भारतवर्ष में सन् १८३८ ई० में विलियम ऐडम ने अनिवार्य शिक्षा के विचार को जन्म दिया। सन् १८४६ में पश्चिमोत्तर प्रांत के गवर्नर टॉमिसन ने हल्काबंदी शालाओं में और १८५२ में कैप्टेन बिनगेट ने बंबई प्रांत में इसको क्रियात्मक रूप देना चाहा किंतु इसमें अधिक सफलता न मिल सकी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तथा बीसवीं के प्रारंभ में अनिवार्य शिक्षा करने के लिये भारतीय नेताओं ने बहुत जोर लगाया किंतु विदेशी शासन के संमुख उनकी एक न चली। बड़ोदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सन् १८६३ में अमरैली क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की और उसकी सफलता से प्रेरित हो बाद में संपूर्ण राज्य में इसकी व्यवस्था की। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद सभी प्रांतों में अनिवार्य शिक्षा के नियम बनाए गए जिसका श्रीमणेश बिठ्ठलभाई पटेल के बंबई विधान परिषद् के प्रस्ताव से सन् १९१६ में हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतों के मंत्रिपद ग्रहण करने पर सन् १९३८ में इस शिक्षा में बड़े प्रयास हुए। इस समय महाराष्ट्र गांधी की मूलोद्योग शिक्षा योजना में छह से १४ वर्ष के बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क की गई जिसका अधिकारिक प्रसार हुआ। भारत के स्वतंत्र होने पर विधान में १४ वर्ष की उम्र तक बालकों की शिक्षा अनिवार्य करने की जिम्मेवारी शासन पर रखी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ४६ प्रतिशत बालकों को शालाओं में लाए जा सकने की आशा व्यक्त की गई।

अनिवार्य शिक्षा प्रायः प्राथमिक स्तर तक ही जाती है किंतु कुछ प्रगतिशील देशों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक जोर दिया जा रहा है। इस शिक्षा की सार्थकता एवं सफलता बालकों की शाला में उपस्थिति पर निर्भर करती है जिसका आधार निम्नांकित है: अनिवार्य आयुसीमाएँ, सत्र में शाला खुलने के दिनों की संख्या, दैनिक कार्यविधि, उपस्थिति का न्यूनतम प्रतिशत, और अपेक्षित शिक्षा संप्राप्ति। गरीब बालकों और उनके पाठकों की

आर्थिक सहायता देना, शाला से दूर रहनेवाले बालकों के जाने जाने का प्रबंध करना, अनिवार्य उपस्थिति के नियमों का पालन कराना और बालकों की उपस्थिति नियमित बनाना आदि समस्याओं के उचित समाधान पर अनिवार्य शिक्षा की सफलता निर्भर है।

[ भा० नि० ]

**शिक्षा, उच्च** उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जानेवाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा। ऐसी शिक्षा का स्वरूप विशदता के साथ भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हुआ था। उच्च शिक्षा देनेवाले भारतीय गुरुकुलों की बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा शिष्याध्यापक प्रणाली (मीनीटोरियल सिस्टम) से दी जाती थी। सबसे ऊपर के छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे और वे अपने से नीचे वाले को। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्र ही अर्थात् किए जाते थे और वर्यों के अनुकूल ही बालकों को शिक्षा भी दी जाती थी तथापि निर्यकर्म, स्वच्छता, शील और शिष्टाचार की शिक्षा प्रत्येक छात्र को दी जाती थी और प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहकर आश्रम का समस्त कार्य स्वयं करना पड़ता था। कुछ गुरुकुल तो इतने बड़े थे कि वहाँ एक एक कुलपति, दस दस सहस्र ऋषियों और ब्रह्मचारियों को अन्न दानादि देकर उनको पढ़ाने का प्रबंध करते थे। इन गुरुकुलों का पोषण राजा, धनी और गृहस्थ करते थे और छात्र भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देते थे किंतु कोई भी राजा इन गुरुकुलों के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था। इन गुरुकुलों का प्रारंभ वास्तव में उन परिवर्तनों से हुआ जिनमें चार से लेकर २१ तक विद्वान् और मनीषी किसी नैतिक सामाजिक या धार्मिक समस्या पर व्यवस्था देने के लिये एकत्र होते थे। कुछ गुरुकुलों ने वर्तमान सावास विश्व-विद्यालय (रेजिडेंशल यूनिवर्सिटी) का रूप धारण कर लिया था। इन गुरुकुलों में वेद, वेदांग, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दंडनीति, सैन्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद और आयुर्वेद आदि सभी विषयों की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी और जब छात्र सब विद्याओं में पूर्ण निष्णात हो जाता था तभी वह स्नातक हो पाता था। ब्राह्मणों को यह छूट थी कि वे चाहें तो जीवन भर विद्यार्जन करते रहें।

योरप में शिक्षा की सभ्यता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है किंतु वहाँ की उच्च शिक्षाप्रणाली का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। बाबुल, असुरिया (असीरिया) के निवासियों तथा हिब्रू और फिनीसी लोगों में राजशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और भूगोल की उच्च शिक्षा गिने चुने लोगों को ही दी जाती थी। यूनान में सौंदर्य की उदात्त भावना के साथ व्याकरण, काव्य, भाषा, शैली, धलकार-शास्त्र, वस्तुत्वकला, संगीत, गणित, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। एक एक व्यक्ति एक एक विषय का पंडित होता था। उसी के पास युवक शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। स्वार्ता के लोगों को केवल युद्ध की ही शिक्षा मिली, अन्य विषयों का पूर्ण अभाव रहा। वास्तव में एथेंस ही यूनानी उच्च शिक्षा का विद्यानगर था जहाँ सुकरात,

जेनोफन, अफलातून और अरस्तू जैसे विद्वान् शिक्षाशास्त्री और दार्शनिक विद्यमान थे। जब रोमवालों ने यूनान को जीत लिया तब रोम की शिक्षाप्रणाली पर यूनान का यह प्रभाव पड़ा कि वहाँ भी इतिहास, विज्ञान, दर्शन, वक्तृत्वकला और शास्त्रार्थ-कला की उच्च शिक्षा दी जाने लगी जिसके प्रभाव से सिसरो, सेनेका, और क्विंतिलियन जैसे शिक्षाशास्त्री और वक्ता उत्पन्न हुए तथा थोड़े ही समय में उच्च शिक्षा के अनेक विद्यालय भी खुल गए। किंतु रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ ही यूनान और रोम की संपूर्ण शिक्षापद्धति समाप्त हो गई। ईसाई मठों में पहले धर्मशिक्षा और प्रार्थना के साथ पढ़ना लिखना, गाना, पूजा करना और गणित की शिक्षा दी जाती थी किंतु इसके पश्चात् वहाँ विद्याभ्यास (लातिन का व्याकरण, भाषणकला तथा तर्कशास्त्र) और ज्ञान चतुष्टयी (गणित, ज्यामिति, ज्योतिष और गणित) को मिलाकर सात ज्ञानविस्तारक कलाओं के शिक्षण का क्रम चला और तभी से इन शास्त्रों के लिये (घाट) शब्द का प्रयोग चल पड़ा जो आजकल आमक रूप से हमारे विश्वविद्यालयों की उपाधि में प्रयुक्त हो रहा है। योरोप में प्रारंभ में कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्या के पाठ्याय के पास अध्ययन के लिये एत्र होते थे जैसे पैरिस में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिये, सालेरनो में श्रेयज्यविद्या के लिये या बोलोना में न्यायनीति (कानून) सीखने के लिये। इस प्रकार दक्षिण योरोप में बोलोना के आदर्श पर विश्वविद्यालय खुले और उत्तर में पेरिस के आदर्श पर। इनके प्रतिरिक्त एक शिक्षा-धर्म (बैकेलोरिएट) का प्रमाणपत्र भी था जो शिक्षक होने के लिये अनुज्ञापत्र समझा जाता था। धीरे धीरे विश्वविद्यालयों ने वर्तमान रूप धारण किया। इनमें उच्चतम शिक्षा का अर्थ है हाई स्कूल के पश्चात् महाविद्यालयों (वालेजो) या व्यावसायिक संस्थाओं (ट्रेनिंग कालेज, मेडीकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, टेक्निकल कालेज, कला महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, न्यायनीति (लाँ), कृषि, वाणिज्य महाविद्यालय आदि) में दी जानेवाली शिक्षा जिसके लिये विश्व-विद्यालय से उपाधि या राजकीय विभागों की ओर से परीक्षा लेकर प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा देने का अधिकांश कार्य विश्वविद्यालय ही करते हैं।

आजकल एक नए प्रकार के विश्वविद्यालय की बात चल रही है जो गाँव में स्थापित किया जाय और जिसे ग्राम विश्वविद्यालय (रूरल यूनिवर्सिटी) कहा जाय। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का उद्देश्य है कि ग्राम विषय पढ़ाने के साथ यह प्रेरणा दी जाय कि लोग गाँवों से नगरों में जाना बंद करके ग्रामीण जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें (देखिए विश्वविद्यालय)। [ सी० च० ]

**शिक्षा, तुलनात्मक** किसी देश अथवा विभिन्न देशों की शिक्षा-त्मक समानताओं, विभिन्नताओं, समस्याओं, एवं विकासक्रमों के क्रमिक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शिक्षा कहते हैं। इस ने राष्ट्रीय शिक्षा सुधार के दृष्टिकोण से विभिन्न देशों की शिक्षाप्रणालियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शिक्षा कहा है। बैरेडे के अनुसार तुलनात्मक

शिक्षा, शिक्षा संस्थानों का समाज की पुष्टभूमि में किया हुआ विश्लेषणात्मक अध्ययन है। वस्तुतः तुलनात्मक शिक्षा की कोई सरल व्याख्या करना कठिन है। शिक्षा का अध्ययन समाज की पुष्टभूमि में ही बाध्यनीय है। अतः तुलनात्मक शिक्षा के गहन अध्ययन में देशों की ऐतिहासिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौद्योगिक, अवस्थाओं का अध्ययन जुड़ा रहता है।

कैडल ने तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र के दो पहलू बतलाए हैं। एक ओर शिक्षा संस्थान की रचना, शिक्षा का संगठन, सांख्यिक ब्योरा, पाठ्यक्रम एवं विषय, अध्यापन कार्य तथा अध्यापन कला; और दूसरी ओर समाजगत आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव है। ये प्रभाव परीक्षा रूप से शिक्षा को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि बिना इनके ज्ञान के तुलनात्मक शिक्षा के प्रथम पहलू का ज्ञान मूर्ख एवं निष्फल होगा। साथ ही समाज की भाषाएँ, भविष्य के विकास का मोड़ और भूकाव, एवं समाजगत होनेवाले परिवर्तनों की जानकारी भी आवश्यक है। सूक्ष्म रूप में समाज के चतुर्मुखी अध्ययन की पुष्टभूमि में शिक्षा के विकास, संस्थान एवं भागे के रुझान का अध्ययन तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र है। समाज का सम्यक् ज्ञान, इतिहास, दर्शन, संस्कृति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मनुष्य-शरीर-रचना-शास्त्र के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन सभी सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा है। इसलिये वर्तमान तुलनात्मक शिक्षावेत्ताओं को अंतःक्षेत्रीय अध्ययन करना आवश्यक है। इसी आधार पर अमरीका में इस विषय का नामकरण 'शिक्षा आधार' किया गया है।

बैरेडे के अनुसार इस विषय के दो मूल महत्त्व हैं : (क) बौद्धिक, चूँकि ग्रन्थ ज्ञानक्षेत्रों के समान, यह विषय भी एक शास्त्रीय (academic) विषय है। (ख) व्यावहारिक, चूँकि इसका लक्ष्य शिक्षा-सुधार-माध्यम द्वारा समाज का रूपांतर करना है। इस विषय का अध्ययन वर्तमान अंतरराष्ट्रीय युग में उत्तरोत्तर बल पकड़ता जा रहा है। तुलनात्मक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तृत ब्योरा देती है। शिक्षा समाज का दर्पण है और साथ ही सामाजिक बमोटी भी। शिक्षाध्ययन समाज का वास्तविक चित्र ज्ञात करा देता है और उसका मूल्यांकन भी। इस विषय के मुख्य कार्य हैं : (१) सामाजिक सुधार का रास्ता खोजना एवं सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा समाज का रूपांतर करना जिसका अंतिम लक्ष्य समाज का उन्नयन है। (२) निजी शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, शैक्षिक समस्याओं की ऐतिहासिक पुष्टभूमि एवं उनके कारणों की ओर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही अन्य देशों की समस्या-समाधान-युक्तियों से स्वदेशीय शिक्षा समस्याओं के समाधान की सूक्ष्म विकसित करना। (३) शिक्षाविकास की संभावनाओं तथा संभाव्यताओं का विश्लेषण करना एवं भविष्य के संभावित परिवर्तनों का महत्त्व दर्शाते हुए, उनके अनुकूल शिक्षा को ढालने के ढंग सुझाना। (४) किसी देश की शिक्षाप्रणाली का मूल्यांकन उसकी पुष्टभूमि में कहाँ तक हो सकता है इसका पता लगाना। शैक्षिक समस्याएँ भी समाज से भाव्य हैं। विभिन्न देशों की समस्याएँ अपनी रूपरेखा रखती हैं, अतएव उनका निदान भी समाजगत है। दूसरे देशों के शिक्षा अध्ययन से केवल संकेत मिल सकते हैं। (५) यह ज्ञात करना कि विभिन्न

देशों के शिक्षा संस्थानों एवं प्रशासियों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ( ९ ) शिक्षा को प्रभावित करनेवाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभावों को समझना। ( ७ ) अंतरराष्ट्रीयता की भावना को बल देना।

विदेशियों की शिक्षा का अध्ययन प्राचीन काल से चला आ रहा है। औद्योगिक विचारों का आदान प्रदान भी नवीन नहीं है। रोम ने यूनान पर सैनिक विजय प्राप्त करने के उपरान्त विज्ञान की शिक्षा को अपनाया। भारत में भी विदेशी पर्यटकों, विद्वानों, एवं विद्यार्थियों का आता लगा रहा है। काहियान, युवान श्युआंग ( ह्वेन सांग ) एवं इत्सिंग, तीनों चीनियों ने भारत की तत्कालीन शिक्षा का सम्यक् वर्णन एवं प्रशंसा लिखी है। यूरोपियन यात्रियों ने भी भारत की शिक्षा का उल्लेख किया है। भारत एवं यूरोप दोनों ही जगह शिक्षा के उपयुक्त ढंग के उल्लेख महत्वपूर्ण होते हुए भी शास्त्रीय रीति से तुलनात्मक शिक्षा नहीं बहे जा सकते क्योंकि ये सभी अनियोजित, अकर्मिक एवं अवैज्ञानिक थे। अतः शास्त्रीय रूप से इस विषय का अध्ययन १९वीं शताब्दी से माना जाता है। इस ज्ञानक्षेत्र के वास्तविक निर्माता मार्क एनटॉन जूलियन माने जाते हैं। इनके प्रथम में तुलनात्मक शिक्षा की सम्यक् योजना प्रस्तुत है तथा अध्ययन के लिये विश्लेषणात्मक प्रणाली के प्रयोग का सुझाव दिया गया है। यद्यपि आज जूलियन तुलनात्मक शिक्षा का मूल निर्माता माना जाता है तथापि यह जानना आवश्यक है कि इसकी योजना लगभग बीसवीं शताब्दी के मध्य तक लुप्त रही इसलिये तुलनात्मक शिक्षाशास्त्रियों को इसका इतिहास सयोजित करने के हेतु शिक्षा रिपोर्टों की अरण लेनी पड़ी। १९वीं शताब्दी में कई प्रसिद्ध अमरीकनों एवं आंग्लों ने यूरोपीय शिक्षा संस्थानों का अपने राष्ट्र की शिक्षा के सुधार के दृष्टिकोण से अध्ययन किया। इनमें मुख्य थे (क) अमरीका में नीक ( Neel ), ग्रिस्कोम ( Griscom ), विक्टर कजिन ( Victor Cousin ), होरेस मैन ( Horace Mann ), स्टो ( Stowe ), एव बर्नार्ड ( Barnard ); (ख) इंग्लैंड में मैथ्यू आर्नल्ड ( Mathew Arnold ) व सर माइकिल सेडलर ( Sir Michael Sadler )। इन्हीं सनीवियों के परिवेदन से तुलनात्मक शिक्षा के प्रारम्भिक इतिहास बने। यह वृत्तान्त वर्णनात्मक थे और प्रायः इनका लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा सुधार था। क्रमशः तुलनात्मक शिक्षा का स्वरूप निश्चयने लगा और इस विषय ने संज्ञात्मक रूप लेना प्रारंभ किया। इसका मूल्य श्रेय रूसी शिक्षा शास्त्री हेंसन ( Hessen ) को है। हम जर्मनी को प्रोत्साहन कैंडल ( Kandel ) यूलिक ( Ulich ), बेरेडे ( Bereday ) एवं कई अन्य वर्तमान विद्वानों ने दिया है। द्वितीय-विश्व युद्ध से इस विषय को एक नई प्रेरणा मिली और इसके विकास व प्रगति ने तीव्र गति धारण की। सन् १९४५ के बाद इस विषय पर बहुत सा साहित्य निकलने लगा और इसका अध्ययन संसार के कई देशों में होने लगा। प्रायः संसार की सभी प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं में इसका अध्यापन होता है। इस विषय से संबंधित तीन बृहत् पुस्तकें विश्वकोशों के स्तर की हैं।

- ( १ ) बिभर बुक ऑव एजुकेशन
- ( २ ) इंटरनेशनल एजुकेशन
- ( ३ ) इंटरनेशनल बिभर बुक ऑव एजुकेशन

यूनेस्को ( Unesco ) ने तीन प्रकरण बल्डें सर्वे ऑव एजुकेशन ( World Survey of Education ) प्रकाशित किए हैं। अमरीका, यूरोप और जापान में तुलनात्मक शिक्षा परिषदों की स्थापना क्रमशः १९५६, १९६१, एवं १९६४ में हुई।

इस विषय से सर्वाधिक दो प्रमुख पत्रिकाएँ हैं : कपेरेटिव एजुकेशन रिव्यू ( अमरीका ), कपेरेटिव एजुकेशन इंग्लैंड। इस विषय के प्रमुख शास्त्री हैं—कैंडल ( Kandel ), बेरेडे ( Bereday ), ब्रिकमैन ( Brickman ), यूलिक ( Ulich ), लौराइज ( Lauricys ), हंस ( Hans ), किंग ( King ), रोजेलो ( Rosello ), एवं शनाइडर ( Schneider )। वर्तमान समायी, विशिष्टतायुक्त विषय में, जिसकी छाप प्रामाणिकता एवं सर्वव्यापकता है, इस विषय का स्थान उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होगा जबकि अब विश्वशांति स्थापना, विश्वव्युत्थ व एवं 'यसुर्ष्व वृद्धुम्बकम्' की भावना जाग्रत करने का एव मात्र माध्यम शिक्षा ही है।

[ स० वा० ]

**शिक्षा दर्शन** शिक्षा का क्या प्रयोजन है और मानव जीवन के मूल उद्देश्य से इसका क्या संबंध है, यही शिक्षा दर्शन का विजिज्ञास्य प्रश्न है। चीन के दार्शनिक मानव को नीतिशास्त्र में दीक्षित कर उसे राज्य का विषवासपात्र मेवक बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। प्राचीन भारत में सांसारिक अभ्युदय और पारलौकिक कर्मकांड तथा लौकिक विषयों का बोध होता था और परा विद्या से निश्चयस ही प्राप्ति ही विद्या के उद्देश्य थे। अपना विद्या से अध्यात्म तथा परात्पर तत्त्व का ज्ञान होता था। परा विद्या मानव की विमुक्ति का माधन मानी जाती थी। गुरुकुलों और आचार्यकुलों में अस्तेवासियों के लिये ब्रह्मचर्य, तप, सत्य व्रत आदि श्रेयों की प्राप्ति परमाभीष्ट थी और तर्कशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय प्राकृतिक विषयों के सम्यक् ज्ञान के प्रतिरिक्त नैतिक शीलपूर्ण जीवन के महान् उपस्तंभक थे। भारतीय शिक्षा दर्शन वा आध्यात्मिक धरानल विनय, नियम, आश्रममर्यादा आदि पर सदियों तक अवलंबित रहा।

प्लेटो (अफलातून) और अरस्तु दार्शनिक विचिंतन के समर्थक थे किंतु सांसारिक कर्म की उपेक्षा उन्हें इष्ट नहीं थी। प्लेटो का कहना है, बीस वर्ष की उम्र तक भात्री राज्यशासकों को न्यायिक उन्नति, साहित्य, धर्मशास्त्र, पुरातत्व और संगीत की शिक्षा मिलनी चाहिए। बीस से तीस वर्ष तक रेखागणित, अक्षरगणित, ज्योतिर्मणित आदि का पाठदर्शी ज्ञान उन्हें प्राप्त करना है। तीस से पैंतीस वर्ष तक उन्हें गभीर दार्शनिक ऊहापोह कर प्रत्ययो ( Ideas ) का और शिवप्रत्यय ( आयडिया ऑव दी गुड ) का प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करना है। गणित और दर्शन का इतना विशद ज्ञान प्राप्त करने पर भी सिर्फ चिंतन में निरत रहना उनका उद्देश्य नहीं है। दर्शन के उत्तुंग शिक्षर से उत्तरकर उन्हें फिर अज्ञानावृत्त संसार में आकर राज्य और समाज की बुराइयों का निराकरण करना है। पैंतीस से पचास वर्ष की अवस्था तक अवश्य ही उन्हें राजकीय कर्मयोग का मार्ग आनाना है और सामष्टिक कल्याण की सिद्धि करनी है। राजनीतिक दृष्टिकोण, प्लेटो की अपेक्षा अरस्तु में अधिक प्रबल है। मानव को राजनीतिक प्राप्ति मानकर शिक्षा को सदभ्यासप्राप्ति का वह परम साधन मानता

है। विभिन्न नागरिकों में शिक्षा से ही राज्यनिमित्तक शील का विकास संभव है। शिक्षा से मानसिक उत्थान तथा अवकाश का सनुपयोग होता है, ऐसा भरस्तु ने स्वीकार किया है किंतु प्लेटो के समान तात्त्विक और सार्थक शिक्षा पर उसने ध्यान नहीं दिया है। फिर भी प्लेटो की भाँति भरस्तु भी राज्य का पूरा नियंत्रण शिक्षा पर मानता है।

मध्ययुगीन यूरोप में देववाद की प्रधानता थी। संत अगस्तीन ने दिव्य तमर का संदेश दिया और टॉमस अक्वायनास ने सनातन नियम और नैसर्गिक नियम का उद्घोष किया। मध्ययुग के अंतिम अरण्य में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उनमें भी प्रारंभ में धर्मशास्त्र के अध्ययन का ही महत्त्व रखा गया था। भारतवर्ष में भी मध्ययुग में शंकर, रामानुज, निंबार्क, मध्व, वल्लभ आदि ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का ही संदेश प्रतिपादित किया।

मध्ययुग का अंत होने पर यूरोपीय पुनरुत्थान आंदोलन से पुनरुपि प्रकृतिवाद और मानववाद पर बल पड़ा। यदि दार्विन और कुसा के निकोलास देवी विचिंतन और आध्यात्मिक संश्रुति के संदेशवाहक थे तो इरेसमस, मोर और मोंटेन ने "मनुष्य" पर ध्यान आकृष्ट किया। केपलर, गेलिलियो और न्यूटन ने भौतिकी का विकास कर क्रांतिकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। बेकन, डेकार्ट और लायबिन्स ने ज्ञान की शक्तिप्रद माना। लॉक ने सदभ्यास के द्वारा चारित्रिक उत्थान पर बल दिया तथापि उसने शिक्षा में अभिजाततंत्री दृष्टिकोण समर्पित किया, यद्यपि वह राजनीतिक विचारों में नैसर्गिक अधिकारवाद का पोषक था। रूसो ने पूर्णजीवाद, सम्यता और बुद्धिवाद का खंडन कर प्रकृतिवाद और शिशुशिक्षा का पोषण किया किंतु उसका ग्रंथ "एमिल" दार्शनिक शिक्षा के प्रश्न पर बिलकुल भौन है। मनोविज्ञान का महत्त्व स्वीकार कर पेस्टालॉजी ने शिशुओं के पूर्ण विकास को गौरव दिया। स्वतंत्र-प्रेरित विकास और निजाभिव्यक्ति को मुक्तोद्देश्य मानकर फ्रोबेल ने बालोद्यान (किंडरगार्टन) पद्धति का सूत्रपात किया।

हेगेल शिक्षा का आध्यात्मिक प्रयोजन स्वीकार करता था। शिक्षा का नियंत्रण वह राज्य के हाथ में न देकर नागरिक समाज को सुपुर्द करता था। तथापि उसने स्वतंत्रता पर बल नहीं दिया। हेगेल के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षा को व्यक्तित्व के चैतन्य का अभिप्रकाशन जेंटिले (Gentile) ने माना है। समस्त विषयों का अध्यापन आध्यात्मिक उन्मेष के लिये ही वह अभीष्ट मानता है। प्रकृतिवादी और व्यवहारवादी जॉन डेवी शिक्षा और जीवन का अत्यंत निकट संबंध मानता है। ईश्वरवाद, धारमवाद या अनुशासन की सीमाओं पर साधना उसे पसंद नहीं है। शिक्षा की प्रक्रिया को वह हस्तगत आकर्षक और वृत्तियों को तक्षिष्ट करानेवाला बनाना चाहता है कि अभीष्टाधिक बाह्य अनुशासन साधना न पड़े। शिक्षा और लोकतंत्र में गहरा संबंध मानकर सामाजिकताप्राप्ति पर उसने जोर दिया है। व्हाइटहेड (Whitehead) शिक्षा के द्वारा सतत जागरूकता, सर्जनारम्भकता, जीवकोत्साह, क्षोड्यविज्ञता आदि का संचार करना चाहता है। बर्ट्रेड रसल के

अनुसार शिक्षा लक्ष्यसंपन्न न होकर ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव, समाज और जगत् में अपना वास्तविक स्थान समझ सके। राज्य और चर्च के आधिपत्य और पुच्छले से शिक्षा विनिर्मुक्त रहनी चाहिए। शिक्षा में स्वातंत्र्य और वैज्ञानिक दृष्टिविद्यु का समर्थन रसल की बड़ी विशेषता है।

संश्लिष्ट एवं पूर्ण शिक्षा (Integral and complete education) वही कही जा सकती है जो सदस्यों के अक्षमय कोष को तृप्त और बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदरों का अभिज्ञापन भी करा सके। समस्त व्यापारों का मूलाधार शरीर है अतः इसकी मजबूती परमावश्यक है। पहलवानी या दंगलीपन कुछ व्यक्तियों के लिये ही ठीक है किंतु समस्त नागरिकों का शरीर अवश्य ही कष्टसहिष्णु बन सके, ऐसी शिक्षा आवश्यक है। मानववादी साहित्य और सलित कला की शिक्षा अधिक लोगों को मिलनी चाहिए। इससे बर्बरता का नाश और भावनाओं का संशोधन होता है। साहित्य का प्रयोजन वासनाओं का विलास नहीं किंतु स्वस्थ आनंद की सृष्टि और चारित्रिक उत्थान है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन नैतिकता के बिना नहीं चल सकता। अतः नैतिक शिक्षा प्रारम्भिक अवस्था से ही मिलनी चाहिए और इस कार्य में धर्मग्रंथों के जुने हुए स्थलों का शिक्षण होना चाहिए। वर्तमान सम्यता वैज्ञानिक और यांत्रिक है और आज कोई भी राष्ट्र उद्योग और विज्ञान की उपेक्षा कर न तो नागरिकों के जीवनस्तर को उठा सकता है और न अपनी सत्ता ही कायम कर सकता है। डाविन, हक्सले, स्पेंसर आदि ने भी वैज्ञानिक शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था। एक अंश तक प्रारम्भिक विज्ञान की शिक्षा समस्त नागरिकों को मिलनी चाहिए और कुछ नागरिक इसे प्रमुख व्यवसाय बनाकर इसमें परम वैशारद प्राप्त करें। बुद्धि की उन्मुक्ति सतत जागरूकता के द्वारा व्यक्त होती है अतः विश्वप्रवाह की नानामुल्य अभिव्यक्तियों के विषय में जिज्ञासापूर्ण कुतूहल सर्वदा संवर्धित रखना शिक्षित मानव का लक्ष्य है। किंतु कुछ नागरिक हतने से ही सतुष्ट न हो, निःखिल देश और मानवता की सेवा में अपने स्वार्थ का विसर्जन ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानेंगे। मनुष्य एक सावयव इकाई है अतः शरीर, मन, बुद्धि, चरित्र, हृदय और आत्मा इन सभी की पूर्णता परमाभिप्रेत है। जीविकाप्राप्ति और समाज के साथ सामंजस्य, तथा भद्र व्यक्तित्व ही शिक्षा की इयत्ता नहीं बताते। मानव का सर्वविध विनिर्मुक्त विकास और पूर्णताप्राप्ति ही समग्र शिक्षा का उद्देश्य है।

सं० अ०—बर्ट्रेड रसल : 'ग्रॉन एजुकेशन' तथा 'एजुकेशन ऐंड द सोशल आर्डर'; जॉन डेवी : 'डेमोक्रेसी ऐंड एजुकेशन'; व्हाइटहेड : 'एमिल ऑव एजुकेशन'; जेंटिले : 'द रिफार्म ऑव एजुकेशन'; प्लेटो : 'द रिपब्लिक'; रूसो ; 'एमिल'।

[ वि० प्र० व० ]

शिक्षा न्यास भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारगतः न्यासों के अधीन वेरसरकारी संस्थाओं का कार्य पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। विविध स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या वर्ष १९६०-६१ में वेरसरकारी शिक्षा संस्थाओं का प्रतिपात, शिक्षा आयोग १९६४-६५ के प्रतिवेदन से उद्धृत निम्न सूची में प्रष्टुभ्य है—

स्तर	प्रतिशत
१. पूर्व प्राथमिक	७०.६
२. निम्नतर प्राथमिक	२२.२
३. उच्चतर प्राथमिक	२७.१
४. माध्यमिक	६६.२
५. व्यावसायिक स्कूल	५७.४
६. विशिष्ट स्कूल	७६.०
७. उच्चतर सामान्य शिक्षण संस्थाएँ	७८.८
८. व्यावसायिक शिक्षण संबंधी कॉलेज	४६.८
९. विशेष शिक्षा संबंधी कालेज	७४.६
१०. कालेजों की कुल संस्था सेक्टरों के लिये	३३.२

शिक्षा के विकास में स्वयंसेवी अभिकरणों का योगदान गुजरात, केरल, उड़ीसा तथा मद्रास जैसे प्रदेशों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। योग्यता तथा कार्यनिष्पादन की दृष्टि से भी गैर-सरकारी संस्थाओं की निम्न निम्न कोटियाँ हैं। शिक्षा आयोग के मता-नुसार - 'यह सत्य है कि कुछ निजी संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में धनात्मक योगदान की अपेक्षा निषेधात्मक कार्य ही अधिक किया है, किंतु साथ ही यह भी हमें मानना पड़ता है कि वर्तमान भारत में शैक्षिक विकास की दृष्टि से निजी संस्थाओं का विशिष्ट महत्व है। हमारा अधिकांश श्रेष्ठ संस्थान निजी क्षेत्र से ही संबद्ध हैं। आगामी वर्षों में शिक्षाविकास के लिये इनका योगदान और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अतएव राज्य को शैक्षिक विकास में निजी क्षेत्र के इस सहयोग का यथासंभव उपयोग करना चाहिए।'

शिक्षा आयोग यह अनुभव करता है कि राज्य द्वारा संपूर्ण आवश्यक शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के परिणामस्वरूप निजी कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत गीण एवं सीमित हो सकता है। शिक्षाविस्तार के वृहत् कार्य को देखते हुए निजी संस्थाएँ निस्संदेह इसमें अधिक योग्य तो नहीं दे सकतीं, किंतु शिक्षास्तर की उन्नति में स्वयंसेवी संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षाविकास में महत्वपूर्ण योगदान सतत रहेगा। ऐसी भी शिक्षण संस्थाएँ हैं जो सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती हैं और आत्मनिर्भर हैं। इनकी कार्यकुशलता सरकारी संस्थाओं से निस्संदेह श्रेष्ठ है। इनकी प्रायः का आधार भेंट, दान तथा अन्य निजी साधन हैं और वे इनपर ही निर्भर करती हैं। वे सरकार से केवल मान्यता प्राप्त करती हैं, वित्तीय सहायता नहीं लेतीं। तो भी अनेक ऐसी निजी संस्थाएँ हैं जो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं और यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के फलस्वरूप उन्हें सरकार द्वारा अधिरोपित नियमों तथा उपनियमों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। देश में शैक्षिक विकास की समस्याएँ, विशेषतः निम्नतर स्तर पर, शिक्षा-विस्तार से संबद्ध हैं और सामान्यतः शिक्षास्तर के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। न्यायों द्वारा पोषित स्वयंसेवी अभिकरण इन क्षेत्रों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं और विशेषतः शिक्षास्तर

के उन्नयन में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग तथा शोध की अत्यधिक आवश्यकता है। स्वयंसेवी शैक्षिक अभिकरण प्रथम न्याय प्रविभ्यु तथा क्रांतिकारी योजना बना सकते हैं, क्योंकि वे उन समस्त सरकारी नियमों तथा बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जिनके निर्जीव नियमबद्ध अभ्यासों में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है।

यह मानी हुई बात है कि स्वयंसेवी अभिकरण जब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं तो इन्हें विद्यार्थियों के प्रवेश, स्थान, पाठ्यक्रम-प्रतिरिक्त क्रियाओं, अध्यापकों के सेवाप्रतिबंधों इत्यादि से संबंधित नियमों तथा उपनियमों का पालन करना पड़ता है। सरकार को इस संबंध में सतर्क रहना पड़ेगा कि इस प्रकार की संस्थाओं में से किसी में भी अनियमितता न आने पावे। स्वयंसेवी संस्थाओं में एक सामान्य परिवाद यह है कि उनकी वित्तीय आवश्यकताएँ बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। इसके लिये भेंट तथा परोपकारी जीवों के नियमित योगदान के प्रतिरिक्त प्रायः के अन्य साधन उपलब्ध करने पड़ते हैं।

संज्ञान समाज एन जमींदारों से उपलब्ध होनेवाली दान दक्षिणा के पुरातन साधन तो अब समाप्त हो चुके हैं। किंतु योजना के परिणाम-स्वरूप उद्योगों तथा व्यापारिक क्षेत्रों के विकास ने अन्य साधन प्रदान किए हैं। इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। शैक्षिक न्यायो में दानस्वरूप दी गई राशि पर सरकार द्वारा कर में अधिक उदार छूट की नीति का अनुकरण किया जा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं की प्रायः का उपयोग भी इस क्षेत्र में किया जा सकता है। कुछ दक्षिणी राज्यों में सरकार ने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध में एक विशिष्ट नीति का अनुसरण किया है। श्री वेंकटेश्वर न्याय वा उदाहरण देश के अन्य भागों के लिये भी स्पृहणीय है।

[ रा० क्र० भा० ]

**शिक्षा, बुनियादी** महात्मा गांधी की भांगत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। सन् १९३५ ई० के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट की घोषणा के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत के सात प्रांतों में जब कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये कार्यक्रम बनाया तो उसकी चौदह आधारशिलामें बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसीलिये उन्होंने सात से चौदह वर्षवाले वर्ग के सभी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना की स्वीकृति के बाद सन् १९३८ से ही बुनियादी शिक्षा में अनेक प्रयोग आरंभ हो गए थे किंतु वे अलग अलग और सीमित स्तर पर वि.ए गए। सन् १९६६ ई० में द्वितीय महायुद्ध के

छिड़ जाने से एक और कठिनाई उपस्थित हो गई। कांग्रेस मंत्रिमंडल को राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे यह भाषा की जाती थी कि वे बुनियादी शिक्षा के विकास में सहायक होंगे। किंतु उनके इस्तीफे के परिणामस्वरूप, कुछ प्रांतों में प्रयोग बिलकुल बंद कर दिए गए और अन्य प्रांतों में प्रयोग के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद ही बुनियादी शिक्षा को शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के रूप में गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया गया।

बुनियादी शिक्षा निरंतर प्रगति करती रही है क्योंकि बेसिक स्कूलों की संख्या बराबर बढ़ती रही है। किंतु साधारण प्रारंभिक और मिडिल स्कूलों की अपेक्षा बेसिक स्कूलों की संख्या की वृद्धि की गति में कमी रही है। बेसिक स्कूलों में प्रवेश का जहाँ तक संबंध है, स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। लक्ष्य तो यह था कि बेसिक शिक्षा में ६ से १४ वर्ष के वर्गवाले सभी लड़कों एवं लड़कियों के लिये बुनियादी शिक्षा का प्रबंध किया जाय। किंतु प्रथम दो योजनाओं में कोई महत्वपूर्ण प्रगति इस शिक्षा में नहीं हुई। इस काल में बुनियादी शिक्षा के प्रसार की प्रगति उतनी भी नहीं हुई जितनी साधारण प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की, यद्यपि साधारण प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है।

अध्यापक शिक्षण की स्थिति भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। भारत में प्रारंभिक शिक्षकों की शिक्षा के बारे में प्रथम राष्ट्रीय विचारगोष्ठी की १९६० ई० की रिपोर्ट और हाल में अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में प्लान प्रोजेक्ट्स की समिति की १९६३ ई० की रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक त्रुटियाँ हैं। इसमें न केवल उचित एवं योग्य कर्मचारियों, भवनों, उपकरणों और अन्य स्थूल साधनों की कमी रही है बल्कि अपर्याप्त पाठ्य विषय और शिक्षण की प्रभावहीन विधि तथा शैली का भी दोष रहा है।

बुनियादी शिक्षा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिससे लोग साधारणतया सहमत हों। बुनियादी शिक्षा के वास्तविक मूल तत्त्व एवं निश्चित लक्ष्य के संबंध में बहुत ही गड़बड़ी दिखाई देती है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते समय एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। वह उत्पादक कार्य को शिक्षा का केंद्र मानते थे किंतु वास्तविक प्रयोग में उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के भिन्न भिन्न अर्थ हो गए हैं। कुछ शिक्षाविद्, जो गांधी जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं, विद्यालयों में प्रयोग योग्य वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन पर जोर देते हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसका अर्थ खेल विधि द्वारा शिक्षा के प्रतिरिक्त कुछ नहीं है।

बुनियादी शिक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रश्न और भी विवादपूर्ण है। गांधी जी आत्मनिर्भरता को शिक्षा का वास्तविक मापदंड समझते थे। आत्मनिर्भरता से उनका तात्पर्य यह था कि बेसिक स्कूल इस सीमा तक स्वावलंबी हो जायें कि अध्यापकों का वेतन विद्यालयों में बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर दिया जा सके। इसलिये आरंभ में बुनियादी शिक्षा के समर्थकों का बहुत बड़ा वर्ग इस बात की भाषा करने लगा कि यदि बुनियादी शिक्षा के लिये समुचित वातावरण

पैदा किया जाय तो इसका अधिक मात्रा में खर्च निकल जाएगा और अवशेष खर्च सरकार दे देगी जिससे बेसिक स्कूल दक्षतापूर्वक चल सकेंगे। किंतु अनुभव से यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त पियरेस-लाखानी समिति ने इस समस्या का अध्ययन किया और बताया कि १९५०-१९५१ में बिहार में, जो बुनियादी शिक्षा का प्रमुख प्रदेश समझा जाता था, कोई भी विद्यालय ४१.०९ प्रतिशत से अधिक स्वावलंबी नहीं था। सेवाग्राम (बर्बा) का बेसिक स्कूल, जो हिंदुस्तानी तालीमी सघ के पथप्रदर्शन एवं निरीक्षण में चल रहा था, ६३ प्रतिशत तक स्वावलंबी था। इसने इस दिशा में बेसिक विद्यालयों की सूची में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया था। सन् १९४९-१९५० में बिहार प्रदेश के १०० बेसिक स्कूल, जिनमें १८ सीनियर बेसिक स्कूल भी थे, केवल १५ प्रतिशत ही स्वावलंबी हो सके। तब से, साधारण तौर से, परिस्थिति में अच्छाई की ओर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। भारत सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में जो मूल्यांकन समिति नियुक्त हुई थी वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची। भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करने के लिये अपनी 'बुनियादी शिक्षा की संकल्पना' शीर्षक पुस्तिका में स्वावलंबन का उल्लेख तक नहीं किया। यहाँ तक कि गांधीवाद के आदर्शों के महान् पोषक विनोया भावे का भी अब यह विचार हो गया है कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रम का लाभ शिक्षा पर होनेवाले उचित खर्च के कम करने पर प्रयोग न किया जाय बल्कि वह अभिभावकों (माता पिता) को मिलना चाहिए जिससे वे अपने काम में अपने बच्चों की सहायता से लाभ न उठा सकने के कारण हुई क्षति को पूरा कर सकें। ऐसा लगता है, सरकार भी सिद्धांत रूप से यह स्वीकार करती है कि बच्चों के उत्पादक कार्य से प्राप्त लाभ उन्हीं के हित में खर्च किया जाय, जैसे विद्यालय के परिधान (यूनिफार्म) या मध्याह्न के भोजन के प्रबंध पर।

इसलिये यह निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि गांधी जी की कल्पना के अनुसार बेसिक स्कूलों में उत्पादक व्यवसायों को आरंभ कर देने से बुनियादी शिक्षा का खर्च बड़ी मात्रा में कम नहीं किया जा सकता। इसलिये बुनियादी शिक्षा को यदि देश भर में प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौम पद्धति बनाना हो तो इसके लिये प्रचुर मात्रा में बढ़ाई गई अर्थव्यवस्था आवश्यक है।

बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्रश्न को यथार्थ के स्तर पर सोचना चाहिए। भारत ने समाजवादी आदर्शवाले समाज की स्थापना का संकल्प किया है। ऐसे समाज की अनिवार्य बातों में से एक यह है कि इसके सभी सदस्य सुशिक्षित हों ताकि वे सामान्य हित के लिये अधिक से अधिक योगदान कर सकें और अपने संशिक्षित प्रयत्न का जो फल हो उससे उचित रूप से लाभ उठा सकें। इसलिये कम से कम समय के अंदर सार्वभौम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा-प्रदान का प्रबंध सबसे पहले होना चाहिए। संविधान की ४५वीं धारा के अनुसार १९६० ई० तक १४ वर्ष की अवस्थावाले सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राज्य की ओर से प्रबंध हो जाना चाहिए था। यह एक विद्यालय समस्या है और इसके समा-

ज्ञान के लिये मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के महान् साधनों की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि यदि देश अपनी राष्ट्रीय भाव का ही प्रतिशत केवल प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च करे तो आवश्यक साधन इतनी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं कि छद्म से १४ वर्ष-वाले वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ १९८०-१९८१ तक प्राप्त हो पायें।

अब यदि बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों को दी जाय तो सार्वभौम शिक्षा के स्तर तक पहुँचने में बहुत अधिक समय लगेगा। बुनियादी शिक्षा उच्च कोटि की होने के कारण अधिक महँगी है। बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त सहायक समिति (१९६३) की सिफारिशों से स्पष्ट है कि एक साधारण प्रारंभिक विद्यालय की बेसिक स्कूल में परिवर्तित करने में कम से कम जितने साधनों की आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ ही बुनियादी शिक्षा का विकास होना आवश्यक प्रतीत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि एक दूरदर्शी योजना बनाई जाय जिसके अनुसार बुनियादी शिक्षा का विस्तार बराबर होता रहे ताकि अंत में यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की सुवर्णी हुई पद्धति के रूप में विकसित हो जाय। कुछ बातें जिनके करने की आवश्यकता है, नीचे प्रस्तावित की जाती हैं :

परंपरागत सिद्धांतों पर ही काम कर रहे बेसिक स्कूलों को कम से कम अर्धशताब्दी शतों की पूर्ति करते हुए सच्चे बेसिक स्कूल बनाना चाहिए। जिन विद्यालयों का पूर्ण विकास नहीं हो सका है उनको अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए ताकि वे आदर्श बेसिक स्कूल बन सकें और दूसरे उनका अनुकरण करें।

बुनियादी शिक्षा के विस्तार को लगातार बढ़ाते रहें। साधारण विद्यालयों की बेसिक स्कूलों में बदलें और नए बेसिक स्कूल खोलें। अधिकतर प्रदेश बेसिक स्कूलों की संख्या को प्रतिवर्ष कम से कम ५ प्रतिशत तो बढ़ा ही सकते हैं।

बेसिक स्कूलों के लिये उद्योग चुनते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उद्योग शिक्षा की दृष्टि से संपृक्त हो तथा सामाजिक आतावरण और बच्चों की अवस्था के अनुकूल हों। कच्चे माल की बरबादी को रोकने के लिये बेसिक स्कूलों की निम्न श्रेणियों में उद्योग संबंधी कार्य उस समय तक न कराया जाय जब तक बच्चे इतने परिपक्व न हो जायें कि वे इसका प्रयोग लाभपूर्वक कर सकें। मिट्टी का काम, प्रारंभिक बागवानी या कुछ कम खर्चवाले हाथ के काम नीचे की कक्षाओं में कराए जा सकते हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस आधार पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा के कुछ तत्व सरलतापूर्वक अपनाए जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएँ, सामाजिक सेवा के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। ऐ.ए. विद्यालय, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि हो और सिंचाई की सुविधाएँ पबलित हों, फल और तरकारियों के उत्पादन का कार्य कर सकता है। यह आवश्यक है कि जिन विद्यालयों में ये क्रियाएँ प्रारंभ की जायें, उनका अभी भी नियोजन किया जाय और साथ ही, उनसे पूरा पूरा शैक्षिक लाभ उठाया जाय। उत्तर बुनियादी विद्यालय को बहुदेशीय

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक शाखा समझना चाहिए जहाँ उस उद्योग में योग्यता प्राप्त करने पर बल दिया जाय जिसे एक छात्र बेसिक स्कूल से करता चला आया है। १९५७ में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की राय से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले के विस्तार अध्ययन के लिये नियुक्त की गई समिति ने उत्तर बुनियादी शिक्षा के देश की प्रचलित माध्यमिक शिक्षा पद्धति का एक अंग बने रहने पर जोर दिया है।

बेसिक स्कूल की शैक्षिक योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि अध्यापकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि उच्च कोटि की हो और वे अपने कार्य में प्रवीण हों। प्रारंभिक विद्यालयों के लिये अध्यापक तैयार करनेवाली सभी प्रशिक्षण संस्थाएँ बेसिक अंग की होनी चाहिए। प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जाय। इस प्रशिक्षण विद्यालय के साथ चार पाँच बेसिक स्कूल संलग्न होने चाहिए। इस क्षेत्र में पर्याप्त रूप से अध्यापक एवं उपकरण हों और बुनियादी शिक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम इसी के द्वारा पूरा किया जाय। यह एक प्रशिक्षण के बहुभाही महाविद्यालय ( कापीहेसिव कालेज ऑफ एजुकेशन ) का अभिन्न अंग हो जिसमें कई प्रशिक्षण संस्थाएँ हो जो शिक्षा के सभी स्तरों एवं विद्यालय के कार्यक्रम की भिन्न भिन्न शाखाओं के लिये अध्यापक तैयार करें। १९३८ में बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना जाकर हुसैन समिति ने तैयार की थी। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की एक समिति स्थापित होनी चाहिए जिसके कार्यों में बुनियादी शिक्षा में खोज और संगठन का कार्य भी संमिलित किया जाय। प्रत्येक प्रदेश में स्थापित शिक्षा की प्रदेशीय संस्था ( स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन ) बुनियादी शिक्षा की विविध समस्याओं का अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य करे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ( नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग ) को राष्ट्रीय स्तर के महत्व-वाली समस्याओं का अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान द्वारा समवाय ( कोरीलेशन ) पद्धति को अध्यापक के लिये सुबोध तथा सुगम बना दिया जाय। बुनियादी शिक्षा सबकी कुछ ऐसी मुख्य समस्याएँ हैं जिन्हें सुनभाने के लिये शीघ्र ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जैसे एक ही शिक्षक द्वारा अनेक कक्षाओं के पढ़ाने की समस्या, ऐसी कक्षाओं की पढ़ाने की समस्या, जिनमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो, भिन्न भिन्न उद्योगों की शैक्षिक सामग्रियों का पता लगाने और उनकी पद्धति तथा उत्पादन क्षमता का विकास करने के कार्य, मूल्यांकन की ऐसी विधियाँ और उपकरणों का विकास करना जिनके द्वारा जाँच की जा सके कि कहीं तक बुनियादी शिक्षा की प्रगति उसके उद्देश्यों के अनुसार हो रही है ताकि इन विधियों और उपकरणों से बुनियादी शिक्षा के अध्यापक एवं प्रशासक आवश्यकतानुसार लाभ उठा सकें, बेसिक स्कूलों के लिये अध्यापक तैयार करनेवाली प्रशिक्षण संस्थाओं की समस्याओं की पर ध्यान देना ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सके, और छात्राध्यापकों के लिये उपयुक्त साहित्य की तैयारी पर ध्यान देना इत्यादि।

बुनियादी शिक्षा की प्रगति के संबंध में निराशा का कोई कारण नहीं दिखलाई देता। ऐसी आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य

में निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा पद्धति बुनियादी शिक्षा पद्धति में परिवर्तित हो जायगी। [ स० ]

**शिक्षा, भारत में** प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था तत्व-साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य, तप, और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करनेवाले ऋषि, विप्र, वैश्वस, कवि, मुनि, मनीषी के नामों से प्रसिद्ध थे। साक्षात्कृत तत्वों का मंत्रों के आकार में संग्रह होता गया वैदिक संहिताओं में, जिनका स्वाध्याय, सांगोपांग अध्ययन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन वैदिक शिक्षा रही।

विद्यालय गुरुकुल, आचार्यकुल, गुरुगृह इत्यादि नामों से विदित थे। आचार्य के कुल में निवास करता हुआ, गुरुसेवा और ब्रह्मचर्य तत्परा विद्यार्थी षडंग वेद का अध्ययन करता था। शिक्षक को आचार्य और गुरु कहा जाता था और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतचारी, अंतैवासी, आचार्यकुलवासी। मंत्रों के द्रष्टा अर्थात् साक्षात्कार करनेवाले ऋषि अपनी अनुभूति और उसकी व्याख्या और प्रयोग को ब्रह्मचारी, अंतैवासी को देते थे। गुरु के उपदेश पर चलते हुए वेदग्रहण करनेवाले व्रतचारी श्रुतिपति होते थे। वेदमंत्र कंठस्थ किए जाते थे। आचार्य स्वर से मंत्रों का पारायण करते और ब्रह्मचारी उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। इसके पश्चात् अर्थबोध कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य था। स्त्रियों के लिये भी आवश्यक समझा जाता था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले विद्यार्थी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे। ऐसी विद्यार्थिनी ब्रह्मवादिनी कही जाती थी।

बच्चों का अनुष्ठान विधि से हो, इसलिये होता, उद्गाता, अश्वयुं और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निवृत्त उनके पाठ्य होते थे। पाँच वर्ष के बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। ८ वें वर्ष में ब्राह्मण बालक के, ११ वें वर्ष में क्षत्रिय के और १२ वें वर्ष में वैश्य के उपनयन की विधि थी। अधिक से अधिक यह १६, २२, और २४ वर्षों की अवस्था में होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में १२ वर्ष वेदाध्ययन करते थे। विद्यार्थी जीवन बित्ताकर ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा से समावर्तन करते थे। तब वे स्नातक कहलाते थे। समावर्तन के अवसर पर गुरुवक्षिणा देने की प्रथा थी। समावर्तन के पश्चात् भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते थे। समावर्तन के समय ब्रह्मचारी दंड, कमंडलु, मेखला, भादि को त्याग देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत में जिन जिन वस्तुओं का निषेध था अथवा उनका उपयोग हो सकता था। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और न कोई उपाधि ही दी जाती थी। नियम पाठ पढ़ाने के पूर्व ब्रह्मचारी ने पढ़ाए हुए पाठ को समझा है और उसका अभ्यास नियम से किया है या नहीं, इसका पता आचार्य लगा लेते थे। ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान में सदा लगे रहते थे तथा बाद विवाह और शास्त्रार्थ में संमिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे।

भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव का था। उनका बड़ा आदर और संमान होता था। आचार्य पारंगत विद्वान्, सदाचारी, क्रियावान्, निस्पृह, निरभिमान होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिये सदा कटिबद्ध रहते थे। अध्यापक, छात्रों का चरित्रनिर्माण, उनके लिये भोजनवस्त्र का प्रबंध, स्वच्छ छात्रों की चिकित्सा, शुश्रूषा करते थे। कुल में संमिलित ब्रह्मचारी मात्र को आचार्य अपने परिवार का अंग मानते थे और उनसे वंसा ही व्यवहार रखते थे। आचार्य धर्मबुद्धि से निःशुल्क शिक्षा देते थे।

विद्यार्थी गुरु का संमान और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आचार्य का चरणस्पर्श कर द्विनचर्या के लिये प्रातःकाल ही प्रस्तुत हो जाते थे। गुरु के आसन के नीचे आसन ग्रहण करना, सुसंयत वेश में रहना, गुरु के लिये दातौन इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिये जल ला देना, समय पर वस्त्र और भोजन के पात्र को साफ करना, ईंधन संग्रह करना, पशुओं को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते थे। विद्यार्थी ब्राह्ममुहूर्त में उठते थे और प्रातःकृत्यों से निवृत्त होकर, स्नान, संध्या, होम आदि कर लेते थे। फिर अध्ययन में लग जाते थे। इसके उपरांत भोजन करते थे और विश्राम के पश्चात् आचार्य से पाठ ग्रहण करते थे। सायंकाल समिधा एकत्र कर ब्रह्मचारी संध्या और होम का अनुष्ठान करते थे। विद्यार्थी के लिये भिक्षाटन अनिवार्य कृत्य था। भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर विद्यार्थी मनन और निदिध्यासन में लग जाते थे।

वेदों का अध्ययन श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा को उपसर्जन से समाप्त होता था। षोष महीनों में अर्धीत पाठों की आवृत्ति, पुनरावृत्ति होती रहती थी। विद्यार्थी पृथक् पृथक् पाठ ग्रहण करते थे, एक साथ नहीं। प्रतिपदा और अष्टमी को अनुष्ठाय होता था। गाँव, नगर अथवा पड़ोस में आकस्मिक विपत्ति से और शिष्टजनों के आगमन से विशेष अनुष्ठाय होते थे। अनुष्ठाय में अर्धीत वेदमंत्रों की पुनरावृत्ति और विषयांतर का अध्ययन निषिद्ध न थे। विनय के नियमों का उल्लंघन करनेवाले विद्यार्थी को दंड देने की परिपाटी थी। पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण और चिकित्साशास्त्र इत्यादि विषयों का अध्यापन होने लगा। टोल पाठशाळा, मठ और विहारों में पढ़ाई होती थी।

काशी, लखनौ, नालंदा, विक्रमशिला, बलभी, मोदंतपुरी, जगदल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र थे। दक्षिण भारत के एल्लारियम, सलीतिग, तिरुमुक्कुदल, मलकपुरम् तिरुवोरियूर में प्रसिद्ध विद्यालय थे। अग्रहारों के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार अताडिदियों होता रहा। कादिपुर और सर्वज्ञपुर के अग्रहार विशिष्ट शिक्षाकेंद्र थे। प्राचीन शिक्षा प्रायः वैयक्तिक ही थी। कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे। अध्यापन विद्यार्थी के योग्यतानुसार होता था अर्थात् विषयों को स्मरण रखने के लिये सूत्र, कारिका और सारमों से काम लिया जाता था। पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष पद्धति किसी भी विषय की गहराई तक पहुँचने के लिये बड़ी उपयोगी थी। जिस जिस पक्षका के



छात्रों को कोई एक विषय पढ़ाने के लिये समकेंद्रिय विधि का विशेष रूप से उपयोग होता था। सूत्र, कृति, भाष्य, वार्तिक इस विधि के अनुकूल थे। कोई एक ग्रंथ के बृहत् और लघु संस्करण इस परिपाटी के लिये उपयोगी समझे जाते थे।

बौद्धों और जैनों की शिक्षापद्धति भी इसी प्रकार की थी।

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। फारसी जाननेवाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे। हिंदू धरबी और फारसी पढ़ने लगे। बादशाहों और अन्य शासकों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी आचार पर शिक्षा दी जाने लगी। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिये मस्जिदें बनती गईं, साथ ही मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों को कंठस्थ करते थे। वे पढ़ना, लिखना, गणित, अर्जानवीसी और चिट्ठीपत्री भी सीखते थे। इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे।

मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में प्रविष्ट होते थे। यहाँ प्रधानतः धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून इत्यादि की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी। कहीं कहीं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती थी। अध्ययन फारसी के माध्यम से होता था। धरबी मुसलमानों के लिये अनिवार्य पाठ्य विषय था। छात्रावास का प्रबंध किसी किसी मदरसे में होता था। दरिद्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी। अनाथालयों का संचालन होता था। शिक्षा निःशुल्क थी। हस्त-लिखित पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती थीं।

राजकुमारों के लिये महलों के भीतर शिक्षा का प्रबंध था। राज्यव्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्धसंचालन, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून आदि का ज्ञान गृहशिक्षक से प्राप्त होता था। राजकुमारियाँ भी शिक्षा पाती थीं। शिक्षकों का बड़ा सम्मान था। वे विद्वान् और सच्चरित्र होते थे। छात्र और शिक्षकों का आपसी संबंध प्रेम और सम्मान का था। छात्रावासों में वे साथ ही रहते थे। सौदगी, सदाचार, विद्याप्रेम और धर्माचरण पर जोर दिया जाता था। कंठस्थ करने की परंपरा थी। प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे। कोई परीक्षा नहीं थी। अध्ययन अध्ययन में प्राप्त अवसरों में शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्वत्ता के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रयोग किया जाता था। जीविका उपार्जन के लिये भी शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली, आगरा, बीदर, जौनपुर, मालवा मुसलिम शिक्षा के केंद्र थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के प्रभाव में भी संस्कृत काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन ग्रंथों की रचना और उनका पठन पाठन बराबर होता रहा।

भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्मप्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। बीदे बीदे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों

में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणियों में कराते थे। अध्ययन का समय नियत था। साल भर में छोटी बड़ी अनेक छुट्टियाँ हुआ करती थीं।

प्रायः १५० वर्षों के भीतते भीतते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करने लगी। विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही। फिर भी विशेष कारण और उद्देश्य से १७८० में कलकत्ते में 'कलकत्ता मदरसा' और १७९१ में बनारस में 'संस्कृत कालेज' कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। धर्मप्रचार के विषय में भी कंपनी की पूर्वनीति बदलने लगी। कंपनी अब अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लगी। १८१३ के आज्ञापत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, इसपर प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में मतभेद रहा। वाद विवाद चलता चला। अंत में लार्ड मेकाले के तर्क वितर्क और राजा राममोहनराय के समर्थन से प्रभावित हो १८३५ ई० में लार्ड बेंटिक ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य और यूरोपीय इतिहास, विज्ञान, इत्यादि की पढ़ाई हो और इसी में १८१३ के आज्ञापत्र में अनुमोदित धन का व्यय हो। प्राच्य शिक्षा चलती चले, परंतु अंग्रेजी और पश्चिमी विषयों के अध्ययन और अध्ययन पर जोर दिया जाय।

पाश्चात्य रीति से शिक्षित भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधरते देख जनता डर भुक्ने लगी। अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक सख्या में विद्यार्थी प्रविष्ट होने लगे क्योंकि अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति की सरकारी घोषणा हो गई थी। सरकारी प्रोत्साहन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अधिक कर्मचारियों की और चिकित्सकों, इंजिनियरों और कानून जाननेवालों की आवश्यकता पड़ने लगी। उपयोगी शिक्षा की ओर सरकार की दृष्टि गई। मेडिकल, इंजिनियरिंग और लॉ कालेजों की स्थापना होने लगी। स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा।

१८५३ में शिक्षा की प्रगति की जाँच के लिये एक समिति बनी। १८५४ में कुछ के शिक्षासंदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिए गए। संस्कृत, धरबी और फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। प्रौद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। प्रातों में शिक्षा विभाग अध्यापक प्रशिक्षण नारीशिक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई। १८५७ में स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया जिससे शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही रही। उच्च शिक्षा की उन्नति होती गई। १८५७ में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

मुक्यतः प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिये १८८२ में सर विलियम विल्सन

इंटर की अव्यक्तता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिये उचित सुझाव दिए। सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हों; शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में बंधे जा रहे। माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिये आयोग ने सिफारिशें कीं। सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षाविभागों का सुधार, शामिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला।

आयोग की सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में उन्नति हुई। विद्यालयों की संख्या बढ़ी। नगरों में नगरपालिका और गाँवों में जिला परिषद् का निर्माण हुआ और शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को इनपर छोड़ दिया परंतु इससे विशेष लाभ न हो पाया। प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधार न पाई। सरकारी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा की सहायता करता रहा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहो। मातृभाषा की उपेक्षा होती गई। शिक्षा संस्थाओं और शिक्षितों की संख्या बढ़ी, परंतु शिक्षा का स्तर गिरता गया। देश की उन्नति चाहनेवाले भारतीयों में व्यापक और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता का बोध होने लगा। स्वतंत्रताप्रेमी भारतीयों और भारतप्रेमियों ने सुधार का काम उठा लिया। १८७० में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फार्मुसन कालेज, १८८६ में धर्मसमाज द्वारा लाहौर में दयानंद ऐंग्लो वैदिक कालेज और १८९८ में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कालेज स्थापित किए गए।

१९०१ में लार्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा संमेलन किया था जिसमें १५२ प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इसमें कोई भारतीय नहीं बुलाया गया था और न संमेलन के निर्णयों का प्रकाशन ही हुआ। इसको भारतीयों ने अपने विरुद्ध रखा हुआ षडयंत्र समझा। कर्जन को भारतीयों का सहयोग न मिल सका। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिये कर्जन ने उचित रकम की स्वीकृति दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया। कर्जन का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षाविभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण आवश्यक मान लिया गया। अधिक सहायता बढ़ा दी गई। पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। कर्जन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का हटना उचित नहीं समझता था, प्रयुक्त सरकारी प्रभाव का बढ़ाना आवश्यक मानता था। इसलिये वह सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाना चाहता था। लार्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिये १९०२ में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कालेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए। इस आयोग में भी कोई भारतीय न था। इसपर भारतीयों में क्रोध बढ़ा। उन्होंने विरोध किया। १९०४ में भारतीय विश्वविद्यालय कायम बना। पुरातन विभाग

की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। १९०५ के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई और नेशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य भरविंद घोष थे। बंगाल टेक्निकल इन्स्टिट्यूट की स्थापना भी हुई।

१९११ में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। १९१३ में भारत सरकार ने शिक्षानीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परंतु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था, वैतनिक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें की। बंबई, बंगाल, विहार, आसाम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कायम बनाया जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्त्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा।

१९१६ तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय थे। अब सात नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय १९१६ में, पटना विश्वविद्यालय १९१७ में, झोसमानिया विश्वविद्यालय १९१८ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय १९२० में, और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय १९२१ में स्थापित हुए। असहयोग आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति में बल और वेग आया। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गौड़ीय सर्वविद्यालयन, तिलक विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। शिक्षा में व्यावहारिकता लाने की चेष्टा की गई। १९२१ से नए शासनसुधार कायम के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार में आ गई। परंतु सरकारी सहयोग के अभाव के कारण उपयोगी योजनाओं को कार्यान्वित करना संभव न हुआ। प्रायः सभी प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की कोशिश व्यर्थ हुई। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार होता गया परंतु उचित संगठन के अभाव से उसकी समस्याएँ हल न हो पाईं। शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी कुछ करने के योग्य न बन पाते। दिल्ली (१९२२), नागपुर (१९२३) आगरा (१९२७), भाँभ (१९२६) और अलामलाई (१९२६) में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बंबई, पटना, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन हुआ। कालेजों की संख्या में वृद्धि होती गई। व्यावसायिक शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा, तथा अपराधी जातियों की शिक्षा में उन्नति होती गई।

अवधि शासनसुधार के लिये साइमन आयोग की नियुक्ति हुई।

हुट्टी समिति इस आयोग का एक आवश्यक अंग थी। इसका काम था भारतीय शिक्षा की समस्याओं की सांगोपांग जांच करना। समिति ने रिपोर्ट में १९१८ से १९२७ तक प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष का विवेचन किया और सुधार के लिये निर्देश दिया।

१९३०-१९३५ के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिये समिति बनी। व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दो वर्षों में से एक वर्ष स्कूल के साथ कर दिया जाय, जिससे पढ़ाई ११ वर्ष की हो। बाकी एक वर्ष बी० ए० के साथ जोड़कर बी० ए० पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाय। माध्यमिक छह वर्ष के दो भाग हों—तीन वर्ष का निम्न माध्यमिक और तीन वर्ष का उच्च माध्यमिक। अंतिम तीन वर्षों में साधारण पढ़ाई के साथ साथ कृषि, शिल्प, व्यवसाय सिखाए जायें। समिति की ये सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुईं।

१९३७ में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो १९३८ में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सात से ११ वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो। शिक्षा मातृभाषा में हो। हिंदुस्तानी पढ़ाई जाय। चरखा, करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा का केंद्र हो जिसकी बुनियाद पर साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित की पढ़ाई हो। १९४५ में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया 'नई तालीम' (१) पूर्व बुनियादी, (२) बुनियादी, (३) उच्च बुनियादी और (४) वयस्क शिक्षा इसके चार विभाग थे। हिंदुस्तानी तालीमी संघ पर इसका संचालन-कार छोड़ दिया गया।

१९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते होते सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ। छह से १४ वर्ष की अवस्था के बालकों तथा बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यिक हाई स्कूल और व्यावसायिक हाई स्कूल भी पढ़ाई ११ वर्ष की अवस्था से १७ वर्ष की अवस्था तक हो। इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। इंटरमीडिएट वक्षा समाप्त कर दी जाय। पाँच से कम अवस्था-वालों के लिये नर्सरी स्कूल हो। माध्यम मातृभाषा हो। १९५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिये अनेक सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन से शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

१९४८-४९ में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता के साथ कार्यान्वित किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। पंजाब, गोहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ोदा, बरौटिक, गुजरात, महिला विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बिहार, श्रीवेंकटेश्वर, यादवपुर, वल्लभभाई, कुवलेन, गोरखपुर, जबलपुर, विक्रम, संस्कृत वि० वि० आदि अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्वभारती, गुवकुल, धरविष माधम, जामिया मिल्लिया इसलामिया, विद्याभवन, महिला विश्व-लेन में प्रशंसनीय वनस्पती विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय, और प्रयोग हैं। [ स० मी० भू० ]

शिक्षा, माध्यमिक ( भारत में ) सामान्यतया 'माध्यमिक शिक्षा' से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो प्राथमिक स्तर के बाद परंतु विश्व-विद्यालय स्तर (जिसमें इंटरमीडिएट भी संमिलित है) से पहले दी जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत ११ से १६ अथवा १७ वर्ष के बच्चे पाठे हैं और इसमें ५वीं से १०वीं अथवा ११वीं वक्षा तक की शिक्षा दी जाती है।

माध्यमिक स्कूल तीन प्रकार के होते हैं — (१) मिडिल स्कूल, जिनमें सामान्यतः आठ वक्षाओं (पहली से आठवीं) तक शिक्षा दी जाती है। इन आठ वक्षाओं में प्रथम पाँच वक्षाएँ प्राथमिक स्तर की तथा अन्य तीन माध्यमिक स्तर की होती हैं। (२) हाई स्कूल, जिनमें सामान्यतः दस वक्षाएँ (१ से १०), पाँच वक्षाएँ (६ से १०), या किन्हीं किन्हीं स्कूलों में केवल दो वक्षाएँ (९ और १०) ही होती हैं। (३) उच्च माध्यमिक स्कूल, जिनमें पाठ्यक्रम की अवधि हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम से एक वर्ष अधिक होती है। उच्च माध्यमिक स्कूल में ११ वक्षाएँ (१ से ११) या छह वक्षाएँ (५ से ११) अथवा केवल तीन वक्षाएँ (९ से ११) हो सकती हैं। १९५८-१९५९ ई० में भारत में ५३,८७३ माध्यमिक स्कूल थे। इनमें से ३६,५४९ मिडिल, ११,१२६ हाई और ३,१९६ उच्च माध्यमिक स्कूल थे। इस स्तर पर भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या ६६,९५ लाख और छात्राओं की कुल संख्या १८,४५ लाख थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये निरंतर प्रयत्न किए गए। १९४८ के राधाकृष्णन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किए बिना विश्वविद्यालयीय शिक्षा का पुनर्गठन संभव नहीं है। १९५२ में डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक पाठ्यचर्या का विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं, इसके कोरे किताबी ज्ञान और इसकी जीवन से पूर्णतया पृथक्ता की ओर ध्यान आकर्षित किया। आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट स्तर ( वक्षाएँ ११ और १२ ) को जिसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है - समाप्त कर दिया जाए और इस प्रकार जो दो वर्ष बचें उनमें से एक (प्रथम) विश्वविद्यालय स्तर में तथा दूसरा माध्यमिक स्तर में जोड़ दिया जाए। आयोग ने यथा-सम्भव बड़े पैमाने पर माध्यमिक पाठ्यचर्या में विविधता लाने की भी सिफारिश की। वक्षा ९ से ११ तक का नया पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है : (१) मूल (आंतरिक) पाठ्यक्रम और (२) चुने हुए विषय। मूल पाठ्यक्रम में तीन भागों का अनिवार्य अध्ययन, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान और एक हस्तकला संमिलित हैं। चुने हुए विषयों के अध्ययन के लिये निम्नलिखित सात समूहों में से किसी एक से तीन विषय चुनने आवश्यक हैं : मानव विद्याएँ, विज्ञान, टेक्ना-लाजी, कृषि, वाणिज्य, ललित कलाएँ और गृहविज्ञान। अंतिम उल्लेख सूचना के अनुसार भारत में आजकल ३,१२१ उच्च माध्यमिक स्कूल और २,११५ बहुदृशीय स्कूल हैं।

अभी यह बताना कठिन होगा कि पुनर्गठित स्कूलों में पुनर्गठन के मूल उद्देश्यों की कहीं तक सिद्धि हो सकी है। प्राप्य सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि माध्यमिक पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा

घातक प्रभुता और मैट्रिक के पश्चात् उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों की दौड़ केवल एक शैक्षणिक समस्या ही नहीं है, वरन् यह हमारे समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी घनिष्ठ संबंध रखती है। १९५८-१९५९ में माध्यमिक स्कूलों में ५.११ लाख अध्ये-पक थे। इनमें से ४.०१ लाख पुरुष और १.१ लाख महिलाएँ थीं। उस वर्ष में देश में शिक्षा के २३३ प्रशिक्षण कालेज और विश्व-विद्यालय विभाग थे जिनमें प्रत्येक वर्ष १४,८०२ स्नातको को प्रशिक्षित किया जाता था। १९५८-१९५९ में ६४६ प्रतिशत माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षित थे। प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः ३१९ और ७४५ प्रतिशत था। कई राज्यों में अभी पिछले वर्षों में माध्यमिक अध्यापकों के वेतनमानों में उचित संशोधन किया गया है। उसी वर्ष माध्यमिक स्तर पर ८५.४ लाख विद्यार्थी थे। इनमें से ५८.४६ लाख मिडिल स्तर पर और २६.९४ लाख उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर थे। इस स्तर पर के विद्यार्थियों की कुल संख्या में से ६६.९५ लाख बालक और १८.४५ लाख बालिकाएँ थीं। माध्यमिक स्तर पर छात्रअध्यापक का अनुपात २५.१ का था। यह अनुपात पिछले कई वर्षों से स्थिरप्राय रहा है।

देश में १७ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, जो माध्यमिक स्तर के अंत में सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करते हैं और परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। इन बोर्डों के नाम इस प्रकार हैं — (१) बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, पटना, (२) बोर्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, त्रिवेंद्रम, (३) बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, दिल्ली, (४) बोर्ड ऑफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (५) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद (६) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल, (७) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मद्रास (८) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक. (९) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान, जयपुर, (१०) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, (११) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर, (१२) गुजरात सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड, बड़ोदा, (१३) सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, मैसूर स्टेट, बंगलौर, (१४) सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट, पूना, और (१) विदर्भ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नागपुर।

असम और पंजाब, केवल वे दो ही ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी माध्यमिक शिक्षा का कोई बोर्ड नहीं है। असम में इस परीक्षा का संचालन गौहाटी विश्वविद्यालय और पंजाब में पंजाब विश्व-विद्यालय करता है। १९५८-१९५९ में, ५.६२ लाख विद्यार्थियों ने एस० एल० सी० परीक्षा पास की। यह संख्या बीरे बीरे बढ़ रही है और शीघ्र ही १० लाख तक पहुँच जाएगी। इस परीक्षा को पास करनेवाले विद्यार्थियों में से लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थी हर साल उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम (संबंधित क्षेत्र की) प्रादेशिक भाषा है, फिर भी राज्य सरकारें सामान्य तौर पर भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी विशेष भाषा के द्वारा शिक्षा देने की

व्यवस्था करती हैं, वरतों विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो कि प्रशि-रिक्त ध्यय को उपयोगी समझा जाए। कुछ माध्यमिक स्कूलों में, विशेषतया उन स्कूलों में जो माध्यमिक शिक्षा की एंग्लो-इंडियन बोर्ड से और इंडियन कानफरेंस ऑफ पब्लिक स्कूल्स से संबद्ध हैं, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये वैश्विक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। १९५८-१९५९ में स्कूलों की व्यवस्था का विवरण (प्रबंध चार) इस प्रकार था — सरकार द्वारा ध्व-स्थित, १९.५ प्रतिशत मिडिल स्कूल तथा १९.६ प्रतिशत हाई और उच्च माध्यमिक स्कूल; स्थानीय निकाय, ५०.६ प्रतिशत मिडिल स्कूल, तथा १०.२ प्रतिशत हाई व उच्च माध्यमिक स्कूल; प्राइवेट २९.९ प्रतिशत मिडिल स्कूल, तथा ७०.२ प्रतिशत हाई और उच्च माध्यमिक स्कूल। लेकिन ध्यय का अधिकांश भाग सरकार ने दिया था। इस वर्ष में प्रत्येक साधन द्वारा किए गए खर्च का वितरण निम्न प्रकार था सरकार, ५४.६ प्रतिशत; स्थानीय निकाय, ६.६ प्रतिशत; मुक्त, ३०.४ प्रतिशत तथा अन्य साधन, ८.४ प्रतिशत।

१९५८-१९५९ में देश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल ७९.७५ करोड़ रुपए प्रत्यक्ष खर्च हुए। यह उस वर्ष के कुल प्रत्यक्ष ध्यय का ३९.२ प्रतिशत था।

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केंद्रीय सरकार राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देती रही है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने कई अन्य मह-त्वपूर्ण काररवाहियाँ भी की हैं। इसने १९५५ में माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की स्थापना की। परिषद् माध्य-मिक शिक्षा के पुनर्गठन और विस्तार से संबंधित समस्याओं पर मंत्रालय को सलाह देती है। माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, जो परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने का काम करता है, माध्यमिक स्कूलों में विस्तार कार्यक्रमों के विकास के लिये उत्तरदायी है। इस निदेशालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि इसने चुने हुए ५४ प्रशिक्षण संस्थानों में विस्तार सेवा विभाग स्थापित किए हैं जो अन्य कार्यों के साथ साथ माध्यमिक अध्यापकों के लिये सेवा में रहते हुए तथा पुनर्बर्षीय पाठ्यक्रम कार्य-गोष्ठियों और संमेलनों का आयोजन भी करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा स्थापित अन्य संस्थान इस प्रकार हैं — केंद्रीय शिक्षा संस्थान—अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण के लिये, शिक्षा संबंधी और व्यावसायिक संदर्शन का केंद्रीय भूरो; पाठ्यपुस्तक अनुसंधान का केंद्रीय भूरो और माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षण के स्तर में सुधार के लिये अंग्रेजी का केंद्रीय संस्थान, हैदराबाद।

[ वे० प्र० ]

शिक्षा, विस्तारी भारत की केंद्रीय सरकार ने सन् १९५५-५६ में विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा प्रसार-सेवा-विभागों को स्थापना की। इनका प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उचित मार्ग प्रदर्शन करना तथा उनको नवीन शिक्षाप्रयोगों एवं योजनाओं से अवगत कराना था। उनसे यह भी भाषा की गई

कि वे कक्षा की समस्याओं को प्रशिक्षण विद्यालय में समाधानार्थ लावें।

डाइरेक्टरेट ऑफ एक्स्टेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा-प्रसार-सेवा-केंद्र प्रशिक्षण विद्यालयों में खोले गए। यह विभाग १९५९ तक शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित रहा। उसके उपरान्त १९६१ से डाइरेक्टरेट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग का एक प्रमुख भाग बन गया। शिक्षा-प्रसार-सेवा-विभाग प्रशिक्षण महाविद्यालयों का एक प्रमुख अंग है। यह एक स्थायी सभायोजक द्वारा संगठित एवं क्रियान्वित होता है। यह कालेज के प्रिंसिपल की संरक्षकता में कार्य करता है जो विभागों के अवैतनिक निदेशक के रूप में कार्य करता है। इसकी सारी आर्थिक व्यवस्था नै० की० ऑफ ए० रि० ऐं० ट्रे० अपने डाइरेक्टर ऑफ एक्स्टेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (DEPSE) के द्वारा करता है जो दिल्ली में स्थित है। इसके सभी कार्यक्रम डाइरेक्टरेट ऑफ एक्स्टेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन तथा एक सलाह-कार समिति द्वारा निर्देशित होते हैं। यह विभाग समय समय पर अध्यापकों की गोष्ठी करता है जिसमें विचार विमर्श होते हैं। इन सभी गोष्ठियों का व्ययभार यही विभाग वहन करता है।

शिक्षा-प्रसार-सेवा-विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—  
माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक कार्यक्षमता एवं ज्ञान में वृद्धि करना। माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर तथा छात्रों का संपूर्ण विकास करना। शिक्षण विद्यालयों के द्वारा शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों की पूर्ण रूप से सहायता करना तथा दोनों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। उपयोगी सूचना एकत्र करना। नई नई विचारधाराओं का सकलन कर उन्हें दूसरे विद्यालयों तक पहुंचाना। माध्यमिक स्तर की शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का पता लगाकर उनके हल के उपाय सोचना।

समय समय पर यह विभाग विचारगोष्ठी (सेमिनार) तथा शिल्पशाला (वर्कशाप) एवं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संगठित करता है। पुस्तकालय की भी व्यवस्था करता है जहाँ से अध्यापक पुस्तक, पत्रिकाएँ आदि भेगा सकते हैं जिसका व्यय यही विभाग वहन करता है। शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्टर, फिल्म, टेपरेकार्ड नक्शा, चार्ट इत्यादि की व्यवस्था करता है। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्लब तथा अन्य विषयों के क्लबों की स्थापना में सहयोग करता है, यहाँ तक कि १९०० व० तक की आर्थिक सहायता भी देता है। माध्यमिक शिक्षालयों के सहयोग से शिक्षा विषयक प्रदर्शनी भी कराता है। यदि कोई उस्ताही अध्यापक कोई प्रयोग करना या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके प्रोजेक्ट तथा प्रयोगों को सफल बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग, यहाँ तक कि आर्थिक सहायता भी, प्रदान करता है। अध्यापकों के हितार्थ यह समय समय पर उपयोगी प्रकाशन भी करता है जो उनको उचित दिशा की ओर प्रसरण करते हैं और वे सभी प्रकाशन विद्यालयों में निःशुल्क भेज दिए जाते हैं।

[शा० ना०]

**शिक्षा, शारीरिक** इस शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होती है। किसी भी समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व उसकी युद्धोन्मुख प्रवृत्तियों, धार्मिक विचारधाराओं, आर्थिक परिस्थिति तथा आदर्श पर निर्भर होता है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मांसपेशियों को विकसित करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने तक ही सीमित था और इस सब का तात्पर्य यह था कि मनुष्य आखेट में, भारवहन में, पेड़ों पर चढ़ने में, लकड़ी काटने में, नदी, तालाब या समुद्र में गोता लगाने में सफल हो सके। किंतु ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन होता गया और शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर के अवयवों के विकास के लिये सुसंगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगा। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि विषय आते हैं। साथ साथ वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य का भी इसमें स्थान है। कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिये शरीररचना तथा शरीर-क्रिया-विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के सिद्धांतों से अधिकतम लाभ उठाया जाता है। वैयक्तिक रूप में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्ति का विकास और नाड़ी स्नायु संबंधी कोशिल की वृद्धि करना है तथा सामूहिक रूप में सामूहिकता की भावना को जाग्रत करना है।

संसार के सभी देशों में शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया जाता रहा है। ईसा से २५०० वर्ष पहले चीन देशवासी बीमारियों के निवारणार्थ व्यायाम में भाग लेते थे।

ईरान में युवकों को घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा सत्यप्रियता आदि की शिक्षा प्रशिक्षणकेंद्रों में दी जाती थी।

यूनान में खेलकूद की प्रतियोगिताओं का बड़ा महत्व होता था। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता था, सौंदर्य में वृद्धि होती थी तथा रोगों का निवारण होता था। स्पार्टा में जगह जगह व्यायामशालाएँ बनी हुई थी। रोम में शारीरिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा तथा चारित्रिक शिक्षा में परस्पर घनिष्ठ संबंध था और राष्ट्र की रक्षा करना इन सबका उद्देश्य था। पाश्चात्य देशों के धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने के कारण तपस्या तथा शारीरिक यातनाओं पर बल दिया जाने लगा। किंतु प्रागे चलकर खेलकूद, तीरंदाजी, व्यायाम तथा अस्त्रशास्त्र के अभ्यास में लोगों की अभिरुचि पुनः जगी। इस काल के माइकिल ई० माटेन, जे० जे० हूसी, जॉन लॉरू, तथा कमेनियस आदि शिक्षाशास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा का आवाहन किया।

उन्नीसवीं शताब्दी में पेस्टोलाजी और फोबेल ने एक स्वर से बतलाया कि छोटे बच्चों की शिक्षा में खेलों का प्रमुख स्थान है।

जर्मनी में जोहान क्रिस्टॉफ फ्रीड्रिख गूट्ज मूट्ज (Johann Christoph Guts Muths) ने शारीरिक शिक्षा में दौड़, कूद, प्रक्षेप, कुश्ती आदि प्रक्रियाओं के साथ साथ यांत्रिक व्यायामों का प्रचार किया। फ्रीड्रिख लूडविक जान (Friedrich Ludvig

John) के नेतृत्व में लोकप्रिय व्यायामशालाओं की स्थापना संबंधी आंदोलन का सूत्रपात हुआ और यह आंदोलन कौशल विभिन्न देशों में व्यापक हो गया। वास्तव में वर्तमान शारीरिक शिक्षा का आंदोलन सन् १७७५ ई० में जर्मनी में ही प्रारंभ हुआ।

डेनमार्क में फ्रांज़ नाख्तिगाल (Franz Nachteggall) ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अगला कदम बढ़ाया। आपकी विचार-धारा जर्मनी की विचारधारा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी और आपके ही सहयोग से सन् १८१४ ई० में स्कूलों के लिये शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

स्वीडन देश में शारीरिक शिक्षा का श्रेय पर हेनरिक लिंग (Per Henrik Ling) को प्राप्त हुआ। आप शरीररचना तथा शरीर-क्रिया-विज्ञान के विद्यार्थी थे। आपने एक व्यायामपद्धति निकाली जिसने बाद में चलकर र्थकित्सिक व्यायाम की संज्ञा पाई। सन् १८१४ में आपने स्टाकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टी-ट्यूट की स्थापना की। इस संस्था के अनुसंधान कार्य शारीरिक अणु में विख्यात हैं।

जर्मनी, स्वीडन तथा डेनमार्क देशों के शारीरिक शिक्षापद्धति के सिद्धांत हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी पहुँचे। किंतु इन देशों में समुचित नेतृत्व के अभाव से उन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन न हो सका। ग्रेट ब्रिटेन में आर्चिबाल्ड मैकलारेन (Archibald Maclaren) ने अपने यहाँ के स्कूलों के कार्यक्रम में स्वीडन के जिम्नास्टिक्स तथा अन्य खेलों का समावेश करवाया।

अमरीका में शारीरिक शिक्षा का इतिहास सन् १८२० से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष जर्मनी के दो शरणार्थी जिनके नाम चार्ल्स बेक (Charles Beck) और चार्ल्स फोलेन (Charles Follen) थे, अमरीका पहुँचे और वहाँ व्यायामभिज्ञक नियुक्त हुए। इन्हीं के प्रयासों द्वारा सन् १८५० ई० में 'अमरीकन टरनरबंड' संगठन की स्थापना हुई। सन् १८६० ई० में डा० डीओ लीविस Dio Lewis) के प्रयत्न से अमरीका के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को स्थान प्राप्त हुआ।

सोवियत रूस में छोटे बच्चों को बचपन में ही भाग, पानी तथा तूफान से बचने की शिक्षा दी जाती है। १२ वर्ष तक केवल शारी-रिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। उसके उपरांत कुछ ऐसी व्यावहारिक कसरतें भी कराई जाती हैं जो उनके लिये अधिष्ठ में टैंक, ट्रैक्टर तथा इंजन आदि के चलाने में उपयोगी हों। युवकों को पुष्ट और सशक्त बनाने के लिये जिम्नास्टिक का आचार लिया जाता है और खेलकूद की प्रतियोगिता के लिये सुगठित किया जाता है।

भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय व्यायाम-पद्धति का प्रमुख स्थान है। यह विश्व की सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली है। जिस समय यूनान, स्पार्टा और रोम में शारीरिक शिक्षा के फ़िलजिलाते हुए तारे का अभ्युदय हो रहा था उस समय भी भारतवर्ष में वैज्ञानिक आचार पर शारीरिक शिक्षा का ढाँचा बन चुका था और उस ढाँचे का प्रयोग भी हो रहा था। आधर्मों तथा गुरुकुलों

में छात्रगण तथा अस्त्राई और व्यायामशालाओं में गृहस्थ जीवन के प्राणी उपयुक्त व्यायाम का अभ्यास करते थे। इन व्यायामों में बंड-बैठक, मुगदर, गदा, नाल, धनुर्विद्या, मुष्टी, वज्रमुष्टी, आसन, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्यनमस्कार, नवली, नेती, पीती, बस्ती, इत्यादि प्रक्रियाएँ प्रमुख थीं।

भारतीय व्यायामपद्धति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पद्धति के द्वारा ध्यान को एकाग्र करना, चित्तवृत्ति का निरोध करना तथा स्मरण शक्ति आदि की वृद्धि करना सुगमतया संभव है। इसी विशेषता से आकर्षित होकर अन्य देशों में इन व्यायामों का बड़ी तीव्र गति से प्रचार और प्रसार हो रहा है। यही नहीं, वहीं कहीं पर तो इन व्यायामों के विभिन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं।

मनोविज्ञान के युग का प्रारंभ होते ही शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा संगठन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हुआ। फलत बच्चों की अभिरुचि, प्रवृत्ति, उम्र तथा क्षमता को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा के पाठों का निर्माण हुआ।

शैशव काल में क्लब को हटाकर छोटे छोटे यांत्रिक खेल तथा कसरतों पर अधिक बल दिया गया। इसके बाद जिम्नास्टिक्स की ओर युवकों को आकर्षित किया गया। सारी कसरतें संगीत की लय पर युवकों में अधिक सुखद और रुचिकर बनाने के प्रयास हुए। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया गया। आज यह विषय अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान का एक सुलभ साधन हो गया है। शारीरिक शिक्षा सामाजिक सुधार के लिये अत्यंत उपयोगी समझी जाती है। इसके द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा ऊँच नीच का भेदनिवारण संभव माना जाता है। संवेगनियंत्रण के सक्रिय पाठ पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसी कारणवश बच्चों की शिक्षा को शारीरिक शिक्षा के आचार पर ही निर्धारित करना उचित समझा जाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में युवतियों का प्रमुख स्थान होता जाता है।

सभी प्रगतिशील देशों में इस शिक्षा के कार्यक्रमों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा समारोहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस विषय में प्रसिद्धि देने के लिये शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खुले हैं जहाँ पर अध्यापक तथा अध्यापिकाएँ प्रावधान के अनुसार तीन वर्ष, दो वर्ष या एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या अब तक ३० से ऊपर हो चुकी है। शारीरिक-परिपक्वता-परीक्षा वर्तमानकालीन शारीरिक शिक्षा का प्रमुख विषय है और इसके लिये वय के अनुसार विभिन्न स्तर बनाए गए हैं।

विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा के संवर्धन के लिये संघ तथा संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएँ समय समय पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी आयोजित करती हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये प्रतियोगियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि विश्व की प्रतियोगिताओं में दिनोंदिन प्रगति होती जाती है।

भाग खेलकूद (स्पोर्ट्स) भी शारीरिक शिक्षा का एक अंग

हो जाता है। इसके अंदर सभी खेस संमिलित हो जाते हैं जिनके द्वारा स्मृति तथा मनोरंजन प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा आज सामान्य शिक्षा का प्रमुख अंग समझी जाने लगी है। [ मु० चौ० ]

**शिक्षाशास्त्री** पूरब और पश्चिम के अनेक शिक्षाशास्त्रियों — शंकर रामानुज, निबार्क, कर्वे, मदनमोहन मालवीय, सुकरात न्युटन, स्पेंसर आदि का वखून उनके संबन्धित लेखों के साथ तथा 'शिक्षादर्शन' आदि लेखों में किया गया है। कुछ के नाम तथा संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। पश्चिम के शिक्षाशास्त्रियों में सुकरात, अफलातून और उसके शिष्य अरस्तू का प्रमुख स्थान है।

**अफलातून** — यूनान का अति प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद् था। उसने अकादेमी नामक स्थान में एक बड़े शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी जिसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उसका विश्वास था कि परिपक्व बुद्धिवाला ज्ञानी दार्शनिक ही सुयोग्य शासक बन सकता है। इसके लिये उत्तम शिक्षाप्रणाली का होना आवश्यक है। उसने राजनीति, सौंदर्य तत्व, सृष्टि तत्व, गणतन्त्र तथा शिक्षाशास्त्र आदि विषयों पर दो दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। यूरोप के परवर्ती शत शत विचारकों पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। (दे० अफलातून, खंड १, पृ० १५१, १५२, तथा २२१, ३४०, दे० 'शिक्षा दर्शन')।

**अरस्तू** — अफलातून का प्रमुख शिष्य था। वह १८ वर्ष की उम्र में एथेस आकर अफलातून का शिष्य बना। २० वर्ष तक उसके समीप रहकर उसने विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। वह अठ्ठे अरसे तक अध्ययन और अध्यापन के कार्य में व्यस्त रहा। उसने बहुत सी पुस्तकें लिखीं। वह अनेक विषयों का ज्ञानकार और उन्हें एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करनेवाला उच्च श्रेणी का दार्शनिक था। (दे० अरस्तू, तथा खंड १, पृ० ३४०, ४१, दे० 'शिक्षादर्शन')।

**अहमद खान सर सैयद** ( दे० खंड, १, पृ० ३०४, ०५ )

**आशुतोष मुखर्जी** — महान् शिक्षाशास्त्री तथा राष्ट्रनेता श्री आशुतोष मुखर्जी का नाम देश में राष्ट्रीय शिक्षा की पुनर्रचना के लिये स्मरणीय रहेगा। आपका जन्म २९ जून, सन् १८६४ ई० को कलकत्ता में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में ही हुई। विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर आपकी इच्छा गणित में अनुसंधान करने की थी किंतु अनुकूलता न होने के कारण काबूल की ओर आकृष्ट हुए। तीस वर्ष की अवस्था के पूर्व ही आपने बिचि में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। सन् १९०४ में आप कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए। देश के विधिविचारदों में आपका प्रमुख स्थान था। सन् १९२० ई० में आपने कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान के पद पर भी कुछ समय तक कार्य किया। २ जनवरी, १९२४ को आपने इस पद से अवकाश ग्रहण किया। विश्वविद्यालयीय शिक्षा के मानईड को स्थिर करने तथा तत्संबंधी आदर्शों की स्थापना के लिये श्री आशुतोष का नाम राष्ट्र के इतिहास में अमर रहेगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा देनेवाली संस्था से उन्नत कर शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्था

बनाने का मुख्य श्रेय आपको ही है। सन् १९०६ से १४ तक तथा १९२१ से १९२३ तक आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर रहे। विश्वविद्यालय के 'केली' तो आप सन् १८८९ से सन् १९२४ तक बने रहे। बंगला भाषा को विश्वविद्यालयीय स्तर प्रदान कराने का श्रेय भी आपको ही प्राप्त है। कबीर रवींद्र ने आपके विषय में यह कथन किया था — 'शिक्षा के क्षेत्र में, देश को स्वतंत्र बनाने में आशुतोष ने वीरता के साथ कठिनाइयों से संघर्ष किया।' राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा स्थिर कर उसे आदर्श रूप में कार्यान्वित करने के लिये आपका सदा स्मरण किया जाएगा। सन् १९२४ ई० में आपका निधन हुआ। [ ख० शं० व्या० ]

**आर्मस्ट्रांग**—दे० 'शिक्षादर्शन'।

**ऐन्वाहनस, सेंट टॉमस** ( १२२९-१२७४ ई० ) इटली का विद्वान् धर्मशास्त्री। तेरहवीं शताब्दी के तत्ववेत्ताओं में वह पहला व्यक्ति था जिसने इन्द्रियानुभूति के महत्व और मानवीय ज्ञान के प्रयोगात्मक आधार पर बल दिया।

**ऐलफिन्ग**—दे० खंड ३, पृ० २४१।

**कमेनियस**—जॉन एमॉस, दे० खंड २, पृ० ३५२।

**कर्वे, डी० के०**—दे० खंड ६, पृ० ३२५।

**के० एफ० ई०**—दे० खंड ३, पृ० १४६।

**जियोवानी, जैलील**—दे० खंड ४, पृ० ४६६-६८।

**हुई, जॉन**—दे० खंड ५, पृ० २५२।

**देकार्त, रेने**—दे० खंड ६, पृ० १०३।

**पार्लेस्ट, फ्र० हेलेन**—दे० खंड ५, पृ० २३२-३३, दे० 'शिक्षादर्शन'।

**पेस्तालोस्की, जोहान् हाइमरिख** — ( १७४६-१८२७ ई० )

प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री। बचपन में पिता चल बसे अतः माता ने इन्हें पाला। इनके दादा का भी इनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। रूसो के विचारों से कुछ संशोभन कर इन्होंने उन्हे कार्यरूप में परिणत करने के प्रयास किए। विद्यार्थी जीवन में ही समाजसेवा की ओर मुकाव हो गया था। पत्रिकाओं में लेख लिखते थे। आगे चलकर इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। १७८१ और १७८७ के बीच इनकी 'लियोनार्ड एंड गर्टूड' शीर्षक पुस्तक चार खंडों में प्रकाशित हुई। १७९२ में जर्मनी के गेटे, फिकटे इत्यादि विद्वानों से उन्हीं के देश में जाकर ये मिले। सौ एकड़ भूमि मोल लेकर अपने नवीन कृषिक्षेत्र ( Neuhof ) में इन्होंने कुछ बच्चों को उद्योग के साथ साथ शिक्षा देने का असफल प्रयास किया था। १७९६ के पूर्वाच में स्टैज में इन्हे कुछ अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का अवसर मिला। उसी वर्ष के अंत में बर्गडॉर्फ के दुर्ग में इनका विद्यालय स्थापित हुआ। इन्हें अछूटे अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हुआ। १८०१ में इनकी 'हाउ गर्टूड टीचेज हर चिल्ड्रन' शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रारंभिक शिक्षा संबंधी कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी गईं। १८०४ में इन्हें बर्गडॉर्फ का दुर्ग सैनिकों के लिये खाली कर देना पड़ा। १८०५ से १८२५ तक इनका विद्यालय इवर्डन में चलता रहा। अर्थात्कारण इनकी योजनाओं में बाधा पड़ जाती थी।

पेस्तालोस्की ने व्यक्ति की समस्त शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास को शिक्षा का उद्देश्य माना। उन्हींने मनोविज्ञान की शिक्षा का आधार बनाने के प्रयास किए। आधुनिक शिक्षण के कई प्रमुख

सिद्धांतों को वेस्तालॉखी के शैक्षिक प्रयोगों द्वारा महत्त्व प्राप्त हुआ। शिक्षाशास्त्र में संप्रेक्षण एवं स्वानुभव को इन्होंने मुख्य स्थान दिया। बाद में आनेवाले शिक्षाशास्त्रियों तथा अध्यापकों पर इनके विचारों का प्रचुर प्रभाव पड़ा।

फेल्लेनबर्ग, फिलिप इमैनुएल कॉर्न — ( १७७१-१८४४ ई० ) स्विट्जरलैंड का शिक्षाविद् तथा अध्यापक। १७६६ ई० में हॉफबिल नामक स्थान पर इन्होंने एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जिसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इन्होंने अल्प शैक्षिक संस्थाओं तथा एक प्रशासकालय की स्थापना भी की।

फ्रोबेल — दे० खंड ३, पृ० २-३ ( किडरगार्टन )।

फेकन, फ्रांसिस — दे० खंड ८, पृ० ३३६-३४०

बेन, अलेग्जेंडर — ( १८१८-१९०३ ई० ) ऐबरीडीन में तर्कशास्त्र का प्राध्यापक था जो बाद में रेक्टर निर्वाचित हुआ। उसकी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ ये हैं — 'इंद्रिया तथा प्रज्ञा' ( वि सेंसेज ऐंड इंटेलिक्ट ), 'मनोभाव तथा संकल्प', 'मानस तथा नैतिक विज्ञान', और 'तर्कशास्त्र'। उसका मनोविज्ञान शरीरविज्ञान पर आधारित था किंतु उसका मत था कि मनुष्य ऐसा चेतन प्राणी है जो बाहरी प्रभावों और संस्कारों के अनुसार ही कार्य नहीं करता बरन् संवेगों को स्वयं भी जन्म दे सकता है।

बेल एंड्रयू — ( १७५३-१८३२ ई० ) अंग्रेज शिक्षाशास्त्री जिसने 'मद्रास शिक्षाप्रणाली' का प्रचलन शुरू किया। सन् १७८७ में वह भारत आया और दो वर्ष बाद मद्रास के सैनिक प्रशासकालय का अधीक्षक नियुक्त हुआ। उसने कक्षानायक द्वारा शिक्षा चलाने की प्रणाली शुरू की और स्वयं विद्यार्थियों की ही सहायता से शिक्षा प्रसार का प्रयत्न किया। उसकी पुस्तिका 'शिक्षा में परीक्षात्मक प्रयोग' सन् १७६७ में प्रकाशित हुई। सन् १८११ में जब गरीबों की शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय सभा स्थापित की गई तो वह उसका अधीक्षक बनाया गया। यह सभा गरीबों के १२ हजार स्कूलों का संचालन करती थी।

बेनर्जी, शुक्लास — दे० खंड ८, पृ० ३६६।

बैज़ीज़ो, जोहान बर्नहार्ड — ( १७२३-१७९० ई० ) जर्मन शिक्षाशास्त्री जिसने रूस तथा कैमैनिप्रस के सिद्धांत बच्चों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया (मेयर द्वारा लिखित उसकी जीवनी देखिए)। उसने शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया।

भगवानदास, डाक्टर — दे० खंड ८, पृ० ४२६-२६।

माटिलरी, डा० मारिया — दे० खंड ६, पृ० २१५-१६, ( दे० 'शिक्षा दर्शन' )।

माखवीथ, मदनमोहन — दे० खंड ६, पृ० २६४-६५।

मुंशीराम ( अज्ञानंद ) — दे० खंड २, पृ० ४०६-१०।

रसेल — दे० 'शिक्षा दर्शन'।

रूसो — दे० खंड १०, पृ० १७३-७४, दे० 'शिक्षा दर्शन'।

रैटिक ( रैटके ) ( १५७१-१६३५ ) एक जर्मन शिक्षाशास्त्री। उसके विचारानुसार राष्ट्रीय एवं धार्मिक एकता के लिये समस्त राष्ट्र में एक भाषा का ज्ञान आवश्यक है और मातृभाषा में

पढु हो जाने के बाद उसी के माध्यम से अन्य भाषाओं का ज्ञान सहज हो जाता है। रैटिक के अन्य शिक्षा सिद्धांतों में प्रमुख हैं — प्राकृतिक क्रम से विद्यार्जन, साहित्य एवं अभ्यास के द्वारा भाषाशिक्षण, रटना निरर्थक, दबाव प्रनावश्यक तथा भाषाओं की व्याकरण संबंधी समानता पर ध्यान। रैटिक ने १५१८ तथा १६२० में दो असफल शैक्षिक प्रयोग किए। उस का दंभी स्वभाव, युगीन धार्मिक अस्थिरता और सुधार में अटूट आस्था उसकी असफलता के कारण थे। परंतु रैटिक के बिखरे विचार कमेनियस के शैक्षिक सुधारों में सजग हो उठे थे।

[ सि० कु० पु० ]

रेक्स, रॉबर्ट ( १७३५-१८११ ) इंग्लैंड में 'संडे स्कूल' का प्रवर्तक। पिता के देहावसान के बाद 'ग्लॉस्टर जर्नल' का मालिक एवं संपादक बना। उसने ग्लॉस्टर नगर में जेल की दशा सुधारने के लिये प्रयास किए। समस्या का सही हल कारण के निवारण में था। पिन की फेक्टरी में काम करनेवाले बच्चे इतवार को ऊधम करते थे। उनके लिये १७८० में 'संडे स्कूल' खोला। इसके प्रतिरिक्त अन्य दिनों में भी अथकाश के समय में उनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। उसकी पत्रिका उसके प्रयास के प्रचार का सफल साधन बनी। फलस्वरूप १७८५ में बृहत् बर्तोनिया के समस्त साम्राज्य में संडे स्कूल की स्थापना एवं सहायता के लिये एक समाज की स्थापना हुई। १८०३ में संडे स्कूल संघ बना।

[ सि० कु० पु० ]

रैंकैस्टर जोसेफ, ( १७७८-१८५८ ) ई० — अंग्रेज शिक्षाविद्। १८०१ में इन्होंने अपने जन्मस्थान साउथवार्क में एक विद्यालय खोला जिसमें कक्षानायकों ( monitors ) द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की गई। 'ब्रिटिश ऐंड फॉरेन स्कूल्स सोसाइटी' ने बाद में इसी प्रणाली का प्रयोग अपने विद्यालयों में किया। रैंकैस्टर को असांप्रदायिक धार्मिक शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है।

बीबेस, सुषॉ सुई ( १४६३-१५४० ) — स्पेन स्थित बेल्जिया में ६ मार्च, १४६२ को जन्म। वह बिलक, मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्री था। पेरिस में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोउवेन में प्राध्यापक नियुक्त हुआ। बाद में आक्सफोर्ड में नियुक्ति हुई और राजकुमारी मेरी ट्यूडर का शिक्षक भी रहा। जीवन का शेष समय कृत्रिम में बीता। यह धार्मिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, कारण-चेतन व्यवहार को धार्मिक और भौतिक स्वरूप से परे मनोवैज्ञानिक आधार दिया। इसके शैक्षिक सिद्धांत मनोविज्ञान एवं नीतिशास्त्र पर आधारित होने के कारण पुष्ट हैं। दार्शनिक क्षेत्र में उनका निश्चित प्रभाव बेकन और डेकार्ट पर पड़ा था। उसने बताया कि आत्मा का आवास उसके विकसित वैदीय स्वरूप को जान लेने में है और मानस, व्यवहार से ही परका जा सकता है।

[ सि० कु० पु० ]

सुकरास — दे० खंड १, पृ० २२१, २४०, दे० 'शिक्षा दर्शन'।

स्पेंसर — दे० 'शिक्षादर्शन'।

हर्बर्ट — दे० 'हर्बर्ट'।



हर्टांग, सर फिलिप — इन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा की उन्नति के संबंध में कुछ विश्लेषण कार्य किया। सन् १९०४ के विश्वविद्यालय अधिनियम (ऐक्ट) पास होने के बाद से भारत में उच्च शिक्षा का प्रसार होने लगा था और कई नए विश्वविद्यालय खुलते जा रहे थे। सन् १९१९ से लेकर सन् १९३६ तक कई कमीशन नियुक्त किए गए जिन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। सर फिलिप हर्टांग भारतीय स्टैंडटरी कमीशन की उपसमिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने सन् १९२९ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें शिक्षा की प्रगति के संबंध में इसने अपनी कुछ सिफारिशें कीं। भारत सरकार ने समिति की कई सिफारिशें मान लीं और उनका प्रयोग किया। [ मि० च० पा० ]

**शिक्षा, सोवियत** सोवियत शिक्षा का विकास महान् प्रबुद्ध की समाजवादी क्रांति के बाद जारशाही रूस की शिक्षाव्यवस्था में सुधार करके हुआ। इसके चार प्रमुख भाग हैं — शिशुशालाएँ और किंडरगार्टन, सामान्य शिक्षा के विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा के संस्थान, विश्वविद्यालय और अकादमियाँ। शिशु शाखाओं में तीन वर्ष तक के और किंडरगार्टनों में तीन से सात वर्ष तक के बच्चे भर्ती किए जाते हैं। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं को मिलाकर अब एक कर दिया गया है। इनकी संख्या लगभग ३०,००० है जिनमें २० लाख शिशु भर्ती हैं। इस स्तर पर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिये परीक्षा का विधान नहीं है। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में सात वर्ष से १४ वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसमें पहला क्रम कक्षा १ से ४ तक प्राथमिक शिक्षा का और दूसरा क्रम कक्षा ५ से ७ तक माध्यमिक शिक्षा का है। जहाँ कहीं दूसरा क्रम चार वर्ष का है वहाँ ये विद्यालय अष्टवर्षीय हैं। इसके प्रागे तीन वर्ष पढ़कर छात्र माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करते हैं। माध्यमिक विद्यालय या तो अष्टवर्षीय स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं या अलग भी हैं। चौथी कक्षा से पाँचवीं कक्षा में जाने के लिये एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसके बाद सातवीं और दसवीं कक्षाओं की पढाई के अंत में परीक्षाएँ होती हैं। अष्टवर्षीय स्कूल से उत्तीर्ण होनेवाला कोई छात्र बिना कोई परीक्षा पास किए माध्यमिक विद्यालय की नवी कक्षा में भर्ती हो सकता है। ११वीं कक्षा के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण कर छात्र उच्च शिक्षा की वक्षाओं में प्रवेश करते हैं। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों की संख्या लगभग तीन लाख है जिनमें तीन करोड़ छात्र भर्ती हैं। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में जो छात्र शास्त्रीय विषयों में अच्छे नहीं होते, वे घधा सीखने के लिये तकनीकम अर्थात् तकनीकी स्कूलों में भर्ती होते हैं। रूस में १५०० तकनीकम हैं। इनका पाठ्यक्रम पाँच वर्ष का है। जातीय जीवन से अधिक सुदृढ संबंध स्थापित करने के लिये माध्यमिक शिक्षा का पुन-संगठन किया गया है। इसके अनुसार सात या आठ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के बाद दो या तीन वर्ष छात्र नगरों में फैक्ट्री स्कूलों में और ग्रामों में कृषिविज्ञान तथा उसके संबंधित पशुपालन आदि शाखाओं का तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। सोवियत शिक्षा में एक नया प्रयोग बोडिंग स्कूल खोलकर किया गया है। बोडिंग स्कूलों में दो वर्ष तक के शिशुओं के लिये शिशु विद्यालय, दो वर्ष से

सात वर्ष तक के बच्चों के लिये किंडरगार्टन और सात वर्ष से १७-१८ वर्ष तक के छात्रों के लिये सामान्य और तकनीकी शिक्षा के विद्यालय संमिलित हैं। इनमें ४३ लाख छात्र भर्ती हैं उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय, संस्थान, अकादमियाँ आदि हैं। रूस में उच्च शिक्षा की ७६६ संस्थाएँ हैं जिनमें २२ लाख छात्र भर्ती हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या ३५ है। उच्च प्राविधिक शिक्षा सोवियत संघ में बहुत व्यापक है। प्राविधिक कालेजों की संख्या २०० है। उनमें कुल मिलाकर ९ लाख १५ हजार छात्र भर्ती हैं। इन विद्यालयों से लगभग १ लाख इंजीनियर स्नातक बनकर प्रति वर्ष निकलते हैं। उच्च शिक्षा के अनेक संस्थानों में सांध्यकालीन बच्चाएँ और पत्रव्यवहार द्वारा शिक्षा देनेवाले विभाग हैं जिनकी सहायता से कोई भी नागरिक काम करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वर्ष १९६१ ई० में १३ लाख ८५ हजार व्यक्ति सांध्यकालीन वक्षाओं या पत्रव्यवहार द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसी वर्ष १ लाख २५ हजार व्यक्ति काम करते हुए स्नातक बने। संपूर्ण शिक्षा शासन द्वारा नियंत्रित है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें शासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। शिक्षा के सुधार के लिये अकादमियाँ हैं जिनमें मास्को की शिक्षण विज्ञान की अकादमी प्रमुख है। सभी विद्यालयों में सहशिक्षा की पद्धति है। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती है। जिन मातृ-भाषाओं का लिखित स्वरूप नहीं था उनके लिखित रूप का विकास किया गया है। अवकाश क समय के लिये छात्रों की अनेक सांस्कृतिक संस्थाएँ और मनोरंजन संघ हैं। संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क है। विशेष माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के अधिकतर छात्रों को राज्य की ओर से छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। शिक्षा जनवादी है। साक्षरता प्रायः शत प्रतिशत है और जब जन को शिक्षा मुलभ है। कुल मिलाकर लगभग ५ करोड़ छात्र सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सं० प्र०—एडॉल्फ ई० मायर : द डब्लपमेंट ऑव एजुकेशन इन द ट्वेंटियथ सेंचुरी; आई० एल० कंडल : द न्यू एरा इन एजुकेशन; निकोलस हंस : कंवेरेटिव एजुकेशन ए स्टडी ऑव एजुकेशनल फैक्टर्स ऐंड ट्रेडिंशंस; एम० डीनेको ( Deineko ) : पब्लिक एजुकेशन इन द यू० एस० एस० ग्रा०; एन० के० क्रप्सकाया : शिक्षा ( हिंदी रूपांतर ) । [ म० द० श० ]

**शिवली** द्रुपदपुत्र जो पूर्व जन्म में उनकी कन्या 'शिक्षा' थी और जो भीष्म से अपना बदला चुकाने के लिये परशुराम के वरदान से अथवा स्थूलाकण नामक यक्ष की कृपा से उसी राजा के पुत्र शिवली के रूप में जन्मा। यद्यपि भीष्म अर्जुन के वाणों से घायल हुए थे तथापि अंतिम वाण, जिससे वे मरे, शिवली ने ही छाड़ा था। [ रा० द्वि० ]

**शिवली नोबमानो** इनका जन्म सन् १८५७ ई० में आजमगढ़ के एक ग्राम बगोल में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ में हुई और इसके अनंतर अरबी, फारसी आदि की उच्च शिक्षा प्रसिद्ध उस्तावों से प्राप्त की, जिसके लिये इन्होंने रामपुर, लाहौर, सहरानपुर तथा जलनऊ की यात्राएँ कीं। परीक्षोत्तीर्ण होने पर वह बकालत करने लगे पर उसमें इनका मन नहीं लगा। सन् १८८२ ई० में यह

अलीगढ़ चले गए और वहाँ के कालेज में फारसी के अध्यापक का कार्य सोलह वर्ष तक किया। यहाँ के वातावरण में इनकी साहित्यिक रुचि जाग्रत हुई और इन्होंने अल् बामून, अल् फाकक, सीरतुन्नोमान, अल् गिजाली आदि लिखी। इस कारण कि वे पुस्तकें इसलाम के खलीफों तथा बड़े लोगों के संबंध में थी, यह इनके लिये सावणी एतव करने को साम, मिला, कुस्तुनतुनिया आदि तक गए।

१८६८ ई० में सर सैयद की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने आजमगढ़ में स्थायी रूप से रहने का निश्चय कर अलीगढ़ त्याग दिया किंतु सैयद अली बिलग्रामी ने इन्हें हैदराबाद (दक्षिण) बुलाकर शिक्षा विभाग में प्रबंधकार्य पर रख लिया। यहाँ यह चार वर्ष रहे और कई पुस्तकें लिखीं, जो वही प्रकाशित हुईं। इल्मुल् कलाम, अल्कलाम, मुद्दाजनए अनीसोबबीर तथा सत्रानेहू कमी लिखीं और अल्गिजाली को पूरा किया। सन् १८६२ ई० में इन्हें शम्सुल उलमा की पदवी मिली। इसके पहले तुर्की के सुलतान ने इन्हें मंत्रीदिया पदक सन् १८८२ ई० में दिया था। सन् १९०४ ई० में यह हैदराबाद से लखनऊ आए और नववतुल् उलमा का कार्य देखने लगे। यह संस्था इस उद्देश्य से सन् १८६४ ई० में स्थापित हुई थी कि विद्वानों के बीच के विवाद मिटाए जायें, मुसलमानों की साधारण प्रवस्था सुधारी जाय, शुद्ध धार्मिक शिक्षा फैलाई जाय तथा फारसी, अरबी एवं उर्दू के विभिन्न पाठ्यक्रम की पुस्तकों का निरीक्षण किया जाय। इस संस्था का तीस वर्ष तक सुपबंध करने के अनंतर वहाँ के मौलवियों के संकुचित विचारों के कारण दुःखित हो यह आजमगढ़ चले आए। यहीं दूसरे वर्ष सन् १९१४ ई० में इनकी मृत्यु हो गई। आजमगढ़ में इन्होंने दाक्ल मुसलमानी स्थापित किया, जिसकी प्रपना गृह, बाग तथा पुस्तकालय दान दे दिया। यहीं शेख प्रथम पाँच खंडों में लिखा, जिसमें पूरे फारसी साहित्य की प्रालोचना सरल उर्दू में लिखी गई है।

शिवली ने उर्दू गद्य को विद्वानों का गद्य बनाया और अनेक विषयों पर रचनाएँ लिखकर उसे उन्नत किया। प्रालोचना शैली को भी अग्रसर किया। इनकी होइत लिखने की शैली प्रीप्यासिक ढंग की है पर अन्वेषण तथा सरपता कही नहीं छोड़ी गई है। इनके लेखों में मुसलमानों के हृदय तथा मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला।

[ २० ज० ]

**शिवसागर १.** जिला, स्थिति : २५° ४६' से २७° १६' उ० अ० तथा ६३° ३' से ६५° २२' पू० दे०। यह भारत के अठम राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल ३,४५३ वर्ग मील है। इस जिले के पूर्व में लखीमपुर, उत्तर में ब्रह्मपुत्र एवं सुवांसरी नदी, पश्चिम में नौगाव तथा दक्षिण में नागालैंड है। पूर्वी भाग मैदानी एवं पश्चिमी भाग पहाड़ी है। मैदान खलोढ़ है एवं मिट्टी बलुई तथा बिकनी है। ब्रह्मपुत्र, बूड़ी विहिम आदि प्रमुख नदियाँ हैं। जलवायु आर्द्र, अपेक्षाकृत शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद है। जनवरी एवं जुलाई का औसत ताप क्रमशः १५° से० तथा २७° से० है। मैदानी भाग में वर्षा ८० इंच से ६५ इंच तक होती है। जिले की मुख्य कृषि उपज चाण है। दलहन, गन्ना, टांभाकू, सरकारियाँ आदि अन्य उपज हैं। चाय मुख्य उद्योगी पदार्थ है। जिले के सुरक्षित बनों में विभिन्न प्रकार की हंसारती

सकड़ियाँ मिलती हैं। कोयला, खनिज तेल, लूने का पत्थर एवं स्वर्ण मुख्य खनिज हैं। यहाँ सुती एवं रेशमी वस्त्र बनाने, चाय की डिब्बे में भरने आदि के उद्योग हैं। जिले से चाय, कपास, रेशम तथा बेंत बाहर जाते हैं और खाद्यान्न, खोह एवं इस्पात आदि के सामान वहाँ बाहर से मँवाए जाते हैं। शिवसागर, जोरहाट एवं गोलाघाट, जिले के प्रमुख नगर एवं सहरीयें हैं। जिले की जनसंख्या १५,०८,३६० (१९६१) है।

२. नगर, स्थिति : २६° ५६' उ० अ० तथा ९४° ३८' पू० दे०। यह भारत के अठम राज्य में उपर्युक्त जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है, जो दिखो (Dikho) नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नगर का नाम, अहोम राजा शिबसिंह द्वारा १७७२ ई० में निर्मित, सागर नामक तालाब के आधार पर पड़ा है। नगर की औसत वार्षिक वर्षा ६४ इंच के लगभग है। नगर की जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। शिवसागर व्यापारिक नगर है, जहाँ से कई वस्तुओं का निर्यात होता है। यह नगर रेलवे स्टेशन भी है। [सु० च० अ०]

**शिमला १.** जिला, भारत के हिमाचल प्रदेश का जिला है, जिसकी जनसंख्या १,१२,६५३ (१९६१) तथा क्षेत्रफल ६६२.०७ वर्ग किमी० है। इसमें १,०२३ ग्राम तथा ५ नगर हैं। प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व ५.७ (१९६१) है। पहले के शिमला हिल स्टेट्स एजेंसी में बसहर, जम्बल, क्योबल, नालागढ़ और अन्य २३ छोटे छोटे राज्य सम्मिलित थे। १९२१ ई० में इन राज्यों का नियंत्रण तत्कालीन पंजाब सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया।

२. नगर, ३१° ६' उ० अ० तथा ७७° १३' पू० दे०। नगर दिल्ली से २८० किमी० उत्तर, समुद्रतल से २,०१२ मीटर से २,४३८ मीटर की ऊँचाई पर स्थित, नैसर्गिक दृश्यों का आकर है। नगर से लगभग ५ किमी० दक्षिण, जुतोग नामक सैन्यावास है। यहाँ से दक्षिण, कसौली, सबापू, डगसाई, और सोलन स्वास्थ्य विहार (health resorts) हैं। शिमला भारत का अत्यंत महत्त्वपूर्ण शीतवास (hill station) है। यहाँ दो स्नातकीय महाविद्यालय, एक महिला प्रशिक्षण कालेज और अनेक अच्छे स्कूल हैं। यहाँ १८१६ ई० में अंग्रेजों का प्रथम आवास बना। यह १८४० ई० से १९३६ ई० तक भारत एवं पंजाब सरकारों की प्रीमियालीन राजधानी रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ हो जाने पर, आवश्यक राजकीय विभाग दिल्ली में बने रहे, किंतु अपेक्षाकृत कम महत्त्व के विभाग शिमला में स्थानांतरित कर दिए गए थे। १९४७ ई० से १९५३ ई० तक यह पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय रहा, फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। यहाँ पर अनेक अच्छे अच्छे होटल हैं और प्रति वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग बहुत विकसित है। मैदानी भागों से इसका संबंध मोटर तथा पर्वतीय रेलमार्गों द्वारा है। रेलमार्ग कालका से होकर आता है। कालका से शिमला तक १०३ सुरंगें पड़ती हैं। जनवरी में माध्यम्यूनतम ताप १° से० तथा जुलाई में अधिकतम ताप १६° से० रहता है। वार्षिक वृष्टि ६३ इंच है। जाड़ों में हिमपात भी हो जाता है। नगर की जनसंख्या ४२,५६७ (१९६१) तथा क्षेत्रफल १८.११ वर्ग किमी०। [आ० आ० का०]

**शिमोगा** १. जिल्ला, यह भारत के मैसूर राज्य में स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल ४,०६५ वर्ग मील तथा जनसंख्या १०, १७, ३६८ (१९६१) है। जिले का पश्चिमी अर्धभाग पहाड़ी है और जंगलों से घिरा हुआ है। कुछ चोटियाँ समुद्रतल से ४,००० फुट ऊँची हैं। जिले की सामान्य उचाई २,००० फुट है और इसका पूर्वी भाग मैदानी है। जिले में मैंगनीज, लोहा तथा लैटराइट की खानें हैं। पहाड़ी भाग की मिट्टी बलुई और ढीली है। उत्तर पूर्व में काली मिट्टी मिलती है। जिले की जलवायु विभिन्न प्रकार की है। शिमोगा में बाटों से २५ मील दूर तक ओरदार वर्षा होती है, पर शिमोगा स्टेशन पर ३५ इंच और चेन्नमिरी में २५ इंच वर्षा होती है। जिले की प्रमुख फसल धान है। मसाला तथा सुपारी अन्य प्रमुख फसलें हैं। फल, सब्जी और काली मिर्च की भी यहाँ खेती होती है।

२. नगर, स्थिति : १३° ५७' उ० अ० तथा ७५° ३२' पू० दे०। यह उपर्युक्त जिले का मुख्यालय है और तुंग नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कपास से बनीला निकालने तथा रूई की गाँठ बाँधने के कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त लोहे और इस्पात के कारखाने भी हैं। नगर की जनसंख्या ६३,७६४ (१९६१) है। [ अ० ना० मे० ]

**शिरपीड़ा (Hedache)** केवल एक लक्षण है, कोई रोग नहीं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे साधारण चिंता से लेकर घातक मस्तिष्क अर्बुद तक। अतः अधिक कारणों का वर्णन यहाँ संभव नहीं है, पर उल्लेखनीय कारण निम्नांकित समूहों में वर्णित हैं :

१. शिरःपीड़ा के करोटि के भीतर के कारण — (क) मस्तिष्क के रोग — अर्बुद, फोड़ा, मस्तिष्कशोथ तथा मस्तिष्काघात; (ख) तानिका के रोग — तानिकाशोथ, अर्बुद, सिस्ट (cyst) तथा रुधिरसमूह (हीमेटोमा); (ग) रक्तनलिकाओं के रोग — रक्तस्राव, रक्तवरोध, थ्रोम्बोसिस (thrombosis) तथा रक्तनलिका फैलाव (aneurism), धमनी काठिन्य आदि।

२. शिरःपीड़ा के बाहर के कारण — (क) शिरोवल्क के अर्बुद, मासपेशियों का गठिया तथा तृतीयक उपवस्त्र; (ख) नेत्र गोलक के अर्बुद, फोड़ा, ग्लॉकोमा (glaucoma), नेत्र श्लेष्मला शोथ तथा दृष्टि की कमजोरी; (ग) दाँतों के रोग — फोड़ा तथा अस्थिभ्रंश; (घ) करोटि के वायुविबर के फोड़े, अर्बुद तथा शोथ; (ङ) कर्णरोग — फोड़ा तथा शोथ; (च) नासिका रोग — नजला, पॉलिप (polyp) तथा नासिका पट का टेढ़ापन और (ज) गले के रोग — नजला, टॉन्सिल के रोग, ऐडिनोइड (adenoid) तथा पॉलिप।

३. विषजन्य शिरःपीड़ा के कारण — (क) अविज्ञानित विष — विषैली वैस, बंद कमरे का वातावरण, मोटर की वैस, कोल वैस, क्लोरोफॉर्म, ईथर और शोथविष, जैसे कुनैन, ऐस्पिरिन, अफीम, तंबाकू, शराब, अत्यधिक विटामिन डी, सीसा विष, चाय विष तथा ऐलर्जी (allergy); (ख) अंतर्जनित विष — रक्तस्राव विषाक्तता, रक्तपित्त विषाक्तता, मधुमेह, गठिया, कब्ज, अपच, यकृत के रोग, मलेरिया, टाइफॉइड (typhoid), टाइफस (typhus) इन्फ्लू-एन्जा, फोड़ा, कुँसी तथा कार्बनिक।

४. शिरःपीड़ा के क्रियागत कारण — (क) अति रुधिर तनाव — धमनी काठिन्य तथा बुद्धे के रोग; (ख) अल्प तनाव — रक्तताप्यता तथा हृदय के रोग; (ग) मानसिक तनाव — अंतर्द्वंद्व, चेतन एवं अचेतन मस्तिष्क का संघर्ष (घ) शिर पर अत्यधिक दबाव; (ङ) अत्यधिक शोर; (च) विशाल चित्रपट से दृष्टि पर तनाव; (ज) लंबी यात्रा ( मोटर, ट्रेन, हवाई यात्रा ); (झ) लू लगना; (ड) हिस्टीरिया; (ढ) मिरगी; (ण) तंत्रिका शूल; (त) रजोघर्म; (थ) रजोनिवृत्ति; (द) सिर की चोट तथा (द्व) माइग्रेन ( अर्ध शिरःपीड़ा ) ।

शिर पीड़ा की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी धारणाएँ हैं। मस्तिष्क स्वयं चोट के लिये संवेदनशील नहीं है, किंतु इसके चारों ओर जो झिल्लियाँ या तानिकाएँ होती हैं, वे अत्यंत संवेदनशील होती हैं। ये किसी भी दोष, जैसे शोथ, श्लेष्मला, तनाव, विकृति या फैलाव द्वारा शिरःपीड़ा उत्पन्न करती हैं। भ्रूण तथा करोटि की मांस-पेशियों के अत्यधिक तनाव से भी दर्द उत्पन्न होता है।

शिरःपीड़ा निम्नलिखित कई प्रकार की हो सकती है :

(१) मंद — करोटि के विबर के शोथ के कारण मंद पीड़ा होती है। यह दर्द शिर हिलाने, झुंजने, खीसने, परिश्रम करने, धीन उत्तेजना, मदिरा, आशका, रजोघर्म आदि से बढ़ जाता है।

(२) स्पंदी — अति रुधिरतनाव, पेट की गड़बड़ी या करोटि के भीतर की धमनी के फैलाव के कारण स्पंदन पीड़ा होता है। यह दर्द लेटने से कम हो जाता है तथा चलने फिरने से बढ़ता है।

(३) आवेगी — तंत्रिकाशूल के कारण आवेगी पीड़ा होती है। यह दर्द झटके से आता है और चला जाता है।

(४) साक्षर — मस्तिष्क की धमनी का फैलाव, धमनी-काठिन्य तथा अतिरुधिर तनाव से इस प्रकार की पीड़ा होती है।

(५) वेधक — हिस्टीरिया में जान पड़ता है जैसे कोई करोटि में छेद कर रहा हो।

(६) लगातार — मस्तिष्क के फोड़े, अर्बुद, सिस्ट, रुधिर-स्राव तथा तानिकाशोथ से लगातार पीड़ा होती है।

शिरःपीड़ा के स्थान, समय, प्रकार तथा शरीर के अन्य लक्षणों एवं चिह्नों के आधार पर शिरःपीड़ा के कारण का निर्णय या रोग का निदान होता है।

शिक्षिता — सर्वप्रथम शिर पीड़ा के कारण की खोज करनी चाहिए और उसकी उचित शिक्षिता करनी चाहिए। विश्राम अत्यावश्यक है। साधारण शिरःपीड़ा के लिये कुछ शोथविषयाँ प्रयुक्त होती हैं, जैसे ऐस्पिरिन, सोडा-सैलिसिलास, नोबलजोन, हरगापाइरोन आदि। तीव्र शिरःपीड़ा के लिये पेथिडीन या मॉर्फिया की सुई दी जा सकती है। [ गो० दा० अ० ]

**शिराज** स्थिति : २६° ३८' उ० अ० तथा ५२° ३५' पू० दे०। यह दक्षिण मध्य ईरान के सातवें प्रांत की राजधानी है। यह बूमिर से ११५ मील पूर्व-उत्तर-पूर्व में है और इसकी जनसंख्या ४,००,०६६ (१९५६) है। ५,२०० फुट की ऊँचाई पर तथा फारस की खाड़ी पर बसा यह बंदरगाह भी है। मध्य जाओस क्षेत्रियों में यह व्यापार तथा

सड़कों का बँध है। सड़कों द्वारा ही यह बृक्षर, इस्फाहन, वेरु तथा करमान से मिला है। खेती योग्य मैदानों के बीच में बसा, यह नगर कंबल, हाथ के बूने कपड़े तथा चाँदी के काम के लिये प्रसिद्ध है। १६ वीं शताब्दी में लगातार कई भूकंपों द्वारा इसे यथेष्ट क्षति पहुँची थी। [ पु० क० ]

**शिरार्ति (Phlebitis)** शिरार्थों को प्रभावित करनेवाले प्रदाह को कहते हैं। प्रायः शिरार्थों को घेरनेवाले तथा इनकी दीवारों तक जानेवाले ऊतकों में प्रदाह के कारण शिरात्मक दशा (venous condition) हो जाती है। शिरार्ति में शिरा मोटी तथा संभवतः जाल हो जाती है, जिससे उसे निश्चयात्मक रूप से पहचाना जा सकता है। यदि शिरा पुष्पीय होती है, तो शिरार्ति बड़ी कष्टदायी होती है। जब प्रदाह शिरा के अन्तर् भावरण की ओर बढ़ता है और अंतः-कला (endothelium) का पीघल जाँटा हो जाता है, तब शिरा में रुधिर थक्का बनने लगता है। शिरा में जहाँ प्रथम बार रुधिर थक्का बनता है, वह वही पर दीवार पर थिपक जाता है और ल्यूमेन (lumen) के बीच में, ऊपर नीचे, तीनों ओर फैलने लगता है। थक्का प्रमुख शिरार्थों से सहायक शिरार्थों में फैलने लगता है और इस प्रकार रुधिर के लौटने में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे शिरा से संबंधित अंग में शोफ (oedema) आ जाता है। इस दशा में रोगी को पूर्ण विश्राम दिया जाता है ताकि थक्के के विस्थापन से रुधिर-स्रोत-रोधन (embolism) का खतरा न उत्पन्न हो जाय। जब पूतिदूषित (septic) अवस्था होती है, तब रोगी के जीवन का खतरा अधिक रहता है। विश्राम करने पर, अधिकांश रोगियों में प्रदाह शांत हो जाता है और प्रारंभ में प्रभावित शिरा, नवीन तंतुओं के बनने के कारण, स्थायी रूप से अविधार्ति (occluded) हो जाती है। प्रभावित शिरा से संबंधित अंग के रुधिर परिसंचरण का पुनःस्थापन, समपार्श्वी मार्ग को खोलकर, किया जाता है। शरीर के कुछ भागों की शिरार्ति-खतरनाक होती है, जैसे पार्श्व शिरानाल (lateral sinus) की शिरार्ति, जिसमें प्रदाह मध्मकर्ण के रोगों के कारण होता है और यह प्रदाह परिवर्ती, प्रमस्तिष्क फोड़े के रूप में, या प्यूयम मैनिजाइटिस (purulent meningitis), या सामान्य रुधिरप्यता (pyaemia) के रूप में फैलता है। इस अवस्था में केवल शल्यकर्म के द्वारा ही रोगी के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। [ अ० ना० मे० ]

**शिलचर (Silchar),** स्थिति : २४° ४६' उ० अ० तथा ९२° ४८' पू० दे०। यह भारत के असम राज्य के कछार जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है और जिले के इसी नाम के उपडिविजन का भी यह प्रशासनिक केंद्र है। नगर बराक नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है। भारी वर्षा (१२४ इंच) और अपेक्षाकृत उच्च औसत ताप के कारण वर्षा ऋतु में उमस रहती है। चाय, धान तथा कई जंगली उत्पादों का यह व्यवसायकेंद्र है। नगर की जनसंख्या ४१,०६२ (१९६१) है। नगर की नगरपालिका १८६३ ई० से ही कार्य कर रही है। [ अ० ना० मे० ]

**शिलिगुड़ी (Siliguri)** स्थिति : २६° ४३' उ० अ० तथा ८६° २६' पू० दे०। पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले का

यह नगर है। जिले में इसी नाम का एक सबडिविजन भी है। रेल और राजपथ का अंतस्थ होने के कारण, यह नगर दार्जिलिंग एवं सिबिकम के व्यापार का केंद्र है। छूट व्यवसाय नगर का प्रमुख व्यवसाय है। नगर की जनसंख्या ६५,४७१ (१९६१) है तथा नगर में नगरपालिका है। [ अ० ना० मे० ]

**शिलौंग स्थिति :** २५° ३०' उ० अ० तथा ९२° ०' पू० दे०। यह नगर भारत के असम राज्य की राजधानी है तथा संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ियाँ नामक जिले का मुख्यालय है। यह समुद्रतल से ४,९७८ फुट ऊँचे पठार पर, गोहाटी से दक्षिण में ६३ मील दूर स्थित है। यहाँ पैस्टर इस्टिड्यूट और शोष प्रयोगशाला है। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण यह नगर लोकप्रिय है। नगर में सैनिक छावनी भी है। नगर की जनसंख्या १,०२,३६४ (१९६१) है। [ अ० ना० मे० ]

**शिवकुमार सिंह, ठाकुर (१८७०-१९६८)** काशी नागरीप्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से एक। आपने चंदौली के मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् आप काशी में स्थित क्वींस कालेज में पढ़ने लगे। उसी समय आपने अपने कुछ साथियों के सहयोग से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना की। तत्पश्चात् स्वर्गीय प० श्री रामनारायण मिश्र और बाबू श्यामसुंदर दास जी तथा अन्य सहयोगियों को साथ लेकर ये सभा की उन्नति में लग गए।

अध्ययन के समय तत्कालीन विद्वान् श्री सुधाकर द्विवेदी तथा हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यासकार श्री देवकीनंदन खत्री आदि विद्वानों के संपर्क का इनपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। वसन्ती श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपने लखनऊ के सी. टी. (C. T.) ट्रेनिंग कालेज में शिक्षण कला का अध्ययन किया।

ट्रेनिंग के पश्चात् आपने पुनार के एक विद्यालय में एक वर्ष तक प्रधानाध्यापक का कार्य किया। वहाँ लोगों के साथ प्रेमव्यवहार तथा अनुशासनशीलता के कारण आप लोकप्रिय हो गए। फलस्वरूप वहाँ के तत्कालीन अंग्रेज निरीक्षक ने आपकी प्रशंसा इलाहाबाद में शिक्षा संचालक से की, जिसके परिणामस्वरूप आप राजकीय सेवा में ले लिए गए और डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। इसके पश्चात् आप इलाहाबाद की नगरपालिका की शिक्षा संस्था में सुपरिन्टेण्डेंट बनाए गए। आपने जहाँ जहाँ कार्य किया, सभी स्थानों में अपनी कर्तव्यनिष्ठा, अदम्य साहस तथा उत्साह का परिचय दिया। भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा हिंदी शिक्षा का प्रचार आपके ये दो मुख्य उद्देश्य थे। आपकी ब्रिटिश सरकार से राय साहब की पदवी प्राप्त हुई थी। आपने बायसराय से मिलकर डिप्टी इंस्पेक्टरों के वेतनक्रम की वृद्धि करवाई थी। उसने वेतन तक आप नहीं पहुँच सके थे, परंतु अन्य पदाधिकारियों को बड़ा लाभ हुआ। सरकारी नौकरी में व्यस्त रहते हुए भी आपका अध्ययन, लेखन तथा नागरीप्रचारिणी सभा की उन्नति के प्रयास जारी रहे। आपकी लिखी पुस्तकें "कालबोध", "हिंदी सरल व्याकरण" "आदर्श माताएँ", "आदर्श पतिव्रताएँ", "अंधम आर्ज की बीवनी" आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। [ अ० ना० मे० ]

**शिवपुरी** १. जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का यह जिला है। इसके पूर्व में झाँसी, पूर्व-उत्तर में दतिया, उत्तर में ग्वालियर, उत्तर-पश्चिम में मुरैना, पश्चिम में कोटा तथा दक्षिण में मुना जिले के जिले का क्षेत्रफल ३,२६६ वर्ग मील तथा जनसंख्या ५,५७,६५४ ( १९६१ ) है। पिछोरा, शिवपुरी, कोलरस तथा पोहरी जिले के प्रमुख नगर हैं।

२. नगर, स्थिति : २५° १८' उ० अ० तथा ७७° ४२' पू० अ०। यह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है। यहाँ की जनसंख्या २७,६८१ ( १९६१ ) है। [ अ० ना० मे० ]

**शिवरात्रि** इसका नामांतर महाशिवरात्रि भी है। माघ मासीय कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि या फाल्गुन मास ( यदि पूर्णिमांत गणना हो ) के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही प्रकृत शिवरात्रि है। यह 'शिवव्रत' है। प्रतकारी को शिवविष्ठापरायण होकर उपवास, पूजा और रात्रिजागरण करना पड़ता है। यह व्रत रात्रिप्रधान है।

इस व्रत की महिमासूचक कई कथाएँ पुराणों में विस्तार के साथ कही गई हैं। किस प्रकार साधारण रूप से इस दिन उपवास आदि कर सामान्य लोगों ने असाधारण फल प्राप्त किया— यह इन कथाओं में दिखाया गया है। ईशान संहिता में कहा गया है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव का लिंग रूप से आविर्भाव हुआ था।

शिवरात्रि व्रत के अनुष्ठान के विषय में आचार्यों में मतभेद है— कोई प्रदोष, कोई रात्रि ( निशीथ ) और कोई अर्धरात्र पर बल देते हैं। इस व्रत में शिवलिंग की विशिष्ट रीति से पूजा की जाती है, जिसका विवरण तिथितत्व में दिया गया है। इस व्रत के अनुष्ठान में संप्रदायानुसार कुछ विभिन्नताएँ हैं। [ रा० शं० म० ]

**शिवराम करयप** ( सन् १८८२-१९३४ ), भारतीय वनस्पति शास्त्रज्ञ, का जन्म पंजाब के झेलम नगर के एक प्रतिष्ठित सैनिक परिवार में हुआ था। सन् १८९९ में आपने पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की तथा सन् १९०४ में आगरा के मेडिकल स्कूल की उपाधि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। मेडिकल स्कूल में पढ़ते समय ही आपने इंटरमीडिएट सायंस की परीक्षा दी और पंजाब विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। उत्तर प्रदेश के मेडिकल विभाग में सेवा प्रारंभ की और सेवा करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय की बी०एस-सी० परीक्षा भी दी और फिर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। सन् १९०६ में गवर्नमेंट कालेज, लाहौर, में आप सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा तीन वर्ष बाद वनस्पति शास्त्र का विषय लेकर, आपने एम० एस-सी० परीक्षा पास की और विश्वविद्यालय के एम० ए० और एम० एस-सी० कक्षाओं के विद्यार्थियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सन् १९१० में आप किलायत गए तथा दो वर्ष पश्चात् कॉलेज विश्वविद्यालय से आपको नैचुरल सायंस डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त हुई।

स्वदेश वापस आने पर, आप गवर्नमेंट कालेज, लाहौर, में वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन् १९१९ में आप

युनिवर्सिटी प्रोफेसर हुए तथा सन् १९२९ में आपकी पदोन्नति इंडियन एडुकेशनल सर्विस में हुई। आप पंजाब विश्वविद्यालय के फेलो तथा सिंडिकेट के सदस्य भी निर्वाचित हुए और बीच-बीच में विज्ञान विभाग के डीन रहे। आगरा, लखनऊ तथा बनारस विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों से भी आप बराबर संबद्ध थे। विज्ञान को आपकी बहुमुख्य देन के आधारे पर, पंजाब विश्वविद्यालय ने सन् १९३३ में आपको डॉक्टर ऑफ सायंस की मानोपाधि दी। सन् १९१९ में इंडियन सायंस कांग्रेस के वनस्पति अनुभाग के तथा सन् १९३२ में पूर्ण अधिवेशन के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सन् १९२० में इंडियन बोटैनिकल सोसायटी की स्थापना पर आप उसके मंत्री तथा पाँच वर्ष बाद उसके सभापति हुए। इस संस्था के जर्नल के मुख्य संपादक रहने के सिवाय, आप हॉलैंड के 'कॉनिका बोटैनिका' नामक पत्र के सलाहकार संपादक रहे।

डा० करयप ने वनस्पति शास्त्र से संबंधित अनेक मौलिक अनुसंधान किए और मुख्यतः लैस लिखे हैं, जिनमें एक्विसेटम ( Equisetum ) के लैंगिक जनन, पश्चिमी हिमालय के लिवरवर्ट ( liverworts ) तथा तिब्बत के वनस्पतिसमूह पर लिखे लेखों ने आपकी ख्याति देश और विदेश में फैला दी। इन्होंने पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी और मध्य तिब्बत में लंबी यात्राएँ कीं। इस प्रदेश की खोज तथा यहाँ की वनस्पतियों के अध्ययन में इनकी विशेष रुचि थी। दुर्बल स्वास्थ्य पर भी निरंतर खोज में लगे रहकर, डा० करयप ने सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के आगे वे अपने जीवन तक को भी कोई महत्त्व नहीं देते थे।

[ अ० दा० व० ]

**शिवसिंह सेगर** (संवत् १८६०-१९३५ वि०)। ग्राम कांथा जिला उन्नाव के जमींदार श्री रणजीतसिंह के पुत्र थे। शिवसिंह सेगर पुलिन इंस्पेक्टर होते हुए भी संस्कृत, फारसी और हिंदी कविता के अध्येता, रसिक काव्यप्रेमी तथा स्वयं भी कवि थे। 'महोत्तर खंड' और 'शिवपुराण' का हिंदी अनुवाद करने के अतिरिक्त आपकी प्रसिद्धि हिंदी कविता के पहले इतिहासग्रंथ 'शिवसिंह सरोज' ( २० का० सं० १९३४ वि० ) लिखने के कारण है। इसमें लगभग एक सहस्र कवियों के जीवन और काव्य का अत्यंत संक्षिप्त परिचय है। कवियों के जीवनकाल आदि के संबंध में कुछ त्रुटियों के होते हुए भी, जिनका अपने ढंग के पहले ग्रंथ में होना बहुत स्वाभाविक है, इस कृति के लिये हिंदी जगत् सर्वदा उनका आभारी रहेगा। डॉ० प्रियसिन का 'माडर्न बर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान' 'शिवसिंह सरोज' पर ही लगभग आधारित है। आज भी यह कृति हिंदी कविता के इतिहास के लिये संदर्भग्रंथ बनी हुई है।

सं० प्रं० — मिश्रबंधु : 'मिश्रबंधु विनोद'; रामनरेश त्रिपाठी : कविता कामुदी' [ रा० फे० त्रि० ]

**शिवालिक पहाड़ियाँ** हिमालय पर्वत की बाह्यतम, निम्नतम तथा तटस्थतम शृंखला हैं। उत्तरी भारत में ये पहाड़ियाँ गंगा से लेकर व्यास तक २०० मील की लंबाई में फैली हुई हैं और इनकी

सर्वोच्च ऊंचाई लगभग ३,५०० फुट है। गंगा नदी से पूर्व में शिवालिक सट्टा संरचना पाटली, पाटकोट तथा कोटह को कासाबुंगी तक हिमालय को बाह्य शृंखला से पुष्क करती है। ये पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के बीच में पड़ती हैं और सहारनपुर जिले को देहरादून से पुष्क करती हैं। ये पहाड़ियाँ पंजाब में होशियारपुर एवं अंबाला जिलों तथा हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले को पार कर जाती हैं। इस नाम की शिवालिक शृंखला अनेक नदियों द्वारा खंडित हो गई है। इन नदियों में पश्चिम में घग्गर सबसे बड़ी नदी है। घग्गर के पश्चिम में ये पहाड़ियाँ दीवार की तरह खसी गई हैं और अंबाला को सिरसा नदी की लंबी एवं लग घाटी से रूढ़ तक, जहाँ पहाड़ियों को सतलज काटती है, अक्षय करती हैं। व्यास नदी की घाटी में ये पहाड़ियाँ तरंगित पहाड़ियों के रूप में समाप्त हो जाती हैं। इन पहाड़ियों की उत्तरी ढलान की चौरस सतहवाली घाटियों को दून कहते हैं। ये दून सधन, आबाद एवं गहन कृषि क्षेत्र हैं। सहारनपुर और देहरादून को जोड़नेवाली सड़क मोहन दर्रे से होकर जाती है।

भूवैज्ञानिक दृष्टि से शिवालिक पहाड़ियाँ मध्य-अल्प-मूलतन से लेकर निम्न-अल्प-मूलतन युग के बीच में, सुदूर उत्तर में, हिमालय के उदयान के समय पृथ्वी की हलचल द्वारा रूढ़ीभूत, वलित एवं भ्रमित हुई हैं। ये मुख्यतः संगुटिकाशम तथा बलुया पत्थर से निर्मित हैं और इनमें स्तनी वर्ग के प्राणियों के प्रचुर जीवाश्म मिले हैं ( देखें शिवालिक समूह ) ।

[ अ० ना० मे० ]

**शिवालिक समूह ( Siwalik System )** भारत में अल्पमूलतन युग ( Miocene period ) के अपराह्न से शैलों के एक नए समूह का

आरंभ होता है, जो अलवस्य जलीय निक्षेपों से बना है और शिवालिक समूह के नाम से प्रसिद्ध है। तृतीय कल्प के आगमन के समय से ही सारी पृथ्वी की समाकृति में अनेकानेक परिवर्तन हुए और अलवस्य के वितरण में उलट फेर हुआ। हिमालय प्रदेश, जो पुराजीव कल्प से ही पंभीर सागर से ढंका था, धीरे धीरे उच्च भूमि के रूप में बढ़ने लगा और अनेक भूखंचलनों के फलस्वरूप एक उच्च पर्वतश्रेणी में परिवर्तित हो गया। अल्पमूलतन युग से अल अल्पले तालों के रूप में हिमालय के दक्षिणी भूभाग में फैल गया और धीरे धीरे एक बड़े नद का रूप धारण कर लिया। इस बड़े नद को हिंद ब्रह्मपुत्र नद या शिवालिक नद कहते हैं। यह नद पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब से होते हुए बलुचिस्तान, सिंध तक फैला था और अरब सागर में मिलता था। इसी नद के द्वारा लाए हुए निक्षेप शिवालिक समूह के अंतर्गत आते हैं।

शिवालिक नाम हरद्वार की शिवालिक पर्वतश्रेणी के आकार पर दिया गया है, जहाँ पहले पहल शैलसमूहों में से नसेरकी जीवों के जीवाश्मों का एक भंडार मिला था। ये जीवाश्म इतने अधिक और इतने प्रकार के थे कि उनसे उस युग के जीवविकास पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है। धीरे धीरे इस समूह के निक्षेप भारत के अन्य भागों में भी मिले। इस प्रकार बलुचिस्तान के मकरान, सिंध के मंचर, असम के टिब्रम, हुपीटीला एवं डिहिंग और बर्मा के इरावदी शैलसमूह शिवालिक समूह के विभिन्न दृष्टांत हैं।

शिवालिक शैलसमूह अलवस्य जलीय निक्षेपों से, जिनमें बलुघा पत्थर, मृत्तिका, गोलाशम मृत्तिका, पंकाशम मुख्य हैं, बना है। ये

**वर्गीकरण**

वर्गीकरण	शिवालिक शैलसमूह	कालविभाजन	जीवाश्म
उपरि शिवालिक	गोलाशम संगुटिकाशम (Boulder conglomerate) पिंजर स्टेज (Pinjar stage) टैट्रोट स्टेज (Tatrot stage)	निम्न अल्पमूलतन युग (Lower Pleistocene) अल्पमूलतन युग (Pliocene)	प्राइमेट्स, स्यार, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चीता, लोमड़ी, हाथी, घोड़ा। राइनोसिरस (Rhinoceros), गैंडा, हिपो- पॉटेमस, भैंसा, ऊँट आदि।
मध्य शिवालिक	धोक पठान स्टेज (Dhok Pathan stage) नागरी स्टेज (Nagari stage)	पॉन्टैन (Pontain) सारमैथीन (Sarmatian)	प्राइमेट्स, मांसाहारी जीव और रोडेंट्स (Rodents)। स्तनधारी जीव, प्राइमेट्स, शिवाकेरियम, मांसाहारी जीव, सूँड़धारी जीव, जिराफ।
पूर्व शिवालिक	चिंजी स्टेज (Chinji stage) कमलियाल स्टेज (Kamlial stage)	टॉर्टोनियन (Tortonian) हेल्वेटियन (Helvetian)	पक्षी वर्ग, रेंगनेवाले जीव ( बड़ियाल, छिपकली साँप, कछुवा आदि )। मछली।

निकोप प्रायुनिक जिष्टी की ही भाँति है। इनमें केवल इतना अंतर है कि समय के बीतने से वे कड़े हो गए हैं।

**विस्तार तथा वर्गीकरण** — शिवालिक समूह के निकोप समस्त बकिखी हिमालय प्रदेश में एक पतली लीक के रूप में फैले हैं। ये निकोप असम, उत्तर प्रदेश, शिवालिक, पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान एवं सिंध में विशेष रूप से विस्तृत हैं। इनका वर्गीकरण ऊपर दिया हुआ है।

**शिवालिक समूह का महत्व** — जीवविकास की दृष्टि से शिवालिक समूह का महत्व भारतीय स्तरित-शैल-विज्ञान (stratigraphy) में विशेष है। जो स्तनधारी जीव, अल्पतनयुग के अपराध के जीव जगत में मुख्य थे, उनके जीवाश्म अत्यधिक संख्या में शिवालिक शैलसमूहों में मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि पानी और भोजन की बहुतायत के कारण दूर दूर से जानवर हिमालय प्रदेश में रहने के लिये आए। उदाहरणार्थ, सुभ्र, हिपोपेटिस और सूँढ़धारी जीव मध्य अफ्रीका से अरब और ईरान होते हुए भारत आए थे। गैंडा, घोड़ा और अँट उत्तरी अमरीका से आए हुए माने जाते हैं। इस समूह में न केवल विभिन्न वर्ग के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, अपितु इस समूह के काल में समस्त जीवविकास इतनी तीव्रता से हो रहा था कि ऐसे भी जीवाश्म मिलते हैं जिनमें दो जीवों के संग है। इनमें शिवाथेरियम नामक जीव मुख्य है। शिवालिक का यह अनन्य जीवों का खजाना यदि शांताय रूप में भी रह गया होता, तो शायद आजकल पृथ्वी इन्हीं जीवों से ढँकी रहती और भोजन, पानी कमी का समाप्त हो चुका होता, परंतु प्रकृति के नियम विचित्र हैं। समस्त जगत के स्वामी होते हुए भी इन जीवों का अंत भी उतनी ही तीव्रता से हुआ जितनी शिवालिक से इनका विकास हुआ था। अत्यंततनयुग की हिमनद अवधि और अतिशीतोष्ण जलवायु के फलस्वरूप सभी ताल, तालाब जम गए, जीव मरने लगे, महामारी का प्रकोप हुआ और सर्नः सर्नः इन जीवों का अंत हो गया। जो कुछ जीव बच पाए, उन्हीं की संतान प्रायुनिक जगत के जीव हैं।

[ रा० ख० सि० ]

**शिवि** महाराज ययाति के द्यौहित्र तथा राजा उशीनर के पुत्र, वैदिक मंत्रद्रष्टा तथा यज्ञकर्ता ( ऋ० १०.१७६.१ ), 'शिवि श्रीशीनर' जिनकी उदारता एवं दयालुता जगत्प्रसिद्ध है ( ब्रह्मांड० ३.७४.२० )। इन्हीं गुणों की परीक्षा लेने के लिये इंद्र तथा अग्नि बाज एवं कबूतर बनकर इनके पास पहुँचे। बाज कबूतर को खा जाना चाहता था पर शिवि ने उसे अपनी गोध में छिपा लिया। बाज ने भूल मिटाने के लिये कबूतर के बराबर ही स्वयं राजा का मांस माँगा। कबूतर को तराजू के एक पलके पर रखकर शिवि दूसरे पलके पर अपना मांस काट काटकर रखने लगे, पर वह पक्षी इतना भारी हो गया कि शिवि को स्वयं पलके पर बैठना पड़ा। इसपर अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं ने महाराज शिवि को बर दिया। ( महा० वन० १३०.१६-२० ) इनके पुण्य तथा श्रीदार्थ की कथाएँ पञ्चपुराण तथा महाभारत में अग्र्य भी मिलती हैं।

[ रा० द्वि० ]

**शिशुपाल** वेरि के राजा दमघोष का पुत्र जिसकी माता अतदेव वसुदेव की बहन थी। कृष्ण का मातेवार पर उनका परम शत्रु। शत्रु का कारण रुक्मिणी की जिससे वह ब्याह करना चाहता था पर जिसे श्रीकृष्ण उठा लाए थे। जन्म के समय शिशुपाल के चार हाथ और तीन भ्रातृ भी जिन्हें देखकर इसके माँ बाप डरे। वे बच्चे को फेंक देना चाहते थे पर आकाशवाणी हुई कि कृष्ण के छूा ही इसका अद्भुत रूप नष्ट हो जायगा और उन्हीं के हाथ इसकी सुर्यु होगी। बाद में ऐसा ही हुआ। माचरचित 'शिशुपालवध महाकाव्य' में इसका विशद वर्णन है। [ रा० द्वि० ]

**शिशुशिक्षा** शिशु मनुष्य का पूर्वरूप है। मनुष्य की संपूर्ण शक्तियाँ और सभावनाएँ शिशु में संग्रहित रहती हैं। उसके समुचित पालन पोषण एवं शिक्षादीक्षा पर ही भावी मनुष्य का विकास निर्भर रहता है। अतः मनुष्य की शिक्षा को पूर्ण बनाने की नीव शिशुवावस्था में ही पड़ जानी चाहिए। इसी से आज के युग में शिशुशिक्षा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

'शिशु' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक होता है। कोई जन्म से लेकर ढाई तीन वर्षों तक, कोई पाँच वर्ष तक और कोई छह या सात वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहता है। परंतु शिशुशिक्षा का अर्थ 'दो से ग्यारह या बारह वर्ष तक की शिक्षा' माना जाता है। इस पर्याप्त लंबी अवधि को प्रायः दो भागों में बाँटा जाता है। दो वर्ष से छह वर्ष की शिक्षा को शिशुशिक्षा ( इनफंट या नर्सरी एजुकेशन ) कहते हैं, जो प्रायः शिशुशालाओं ( नर्सरी स्कूलों ) में दी जाती है। छह वर्ष के पश्चात् ग्यारह या बारह वर्ष की शिक्षा को बालशिक्षा ( चाइल्ड एजुकेशन ) या प्रारंभिक शिक्षा ( एलीमेंटरी एजुकेशन ) कहते हैं। ससार के सभी प्रगतिशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। अतः कहीं छह वर्ष के पश्चात् और कहीं सात वर्ष से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा प्रारंभ की जाती है जो प्रायः पाँच वर्षों तक चलती है। तत्पश्चात् बच्चे माध्यमिक शिक्षा में प्रविष्ट होते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी तक शिशु को शिक्षित करने का ढंग बड़ा ही कठोर था। उसके प्रति अत्यापक की सहानुभूति का अभाव था। शिक्षा में शारीरिक दंड का विधान प्रमुख था। शिशु का भी कोई पृथक् व्यक्तित्व है—उसकी अपनी आवश्यकताएँ, स्वतंत्र चर्च एवं आकांक्षाएँ हैं—इसपर अध्यापक का ध्यान नहीं जाता था। शिशु सामान्य ( तथाकथित ) अपराध पर अध्यापक का क्रुद्ध होना और उसे शारीरिक दंड देना स्वाभाविक था। माता पिता भी 'दशवर्षीण ताडयेत्' को वेदवाक्य मानकर शिक्षा में शिशु के दंड का विधान नतमस्तक होकर स्वीकार करते थे।

शिशु की स्वतंत्रता का सर्वप्रथम प्रचारक रूसो ( १७१२-१७७८ ई० ) हुआ। तत्पश्चात् पेस्तालीत्सी ( १७४६-१८२७ ) ने शिशुशिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में क्रोबेल नामक जर्मन शिक्षाशास्त्री ने 'बालोद्यान' ( किंडरगार्टन ) पद्धति द्वारा शिशुशिक्षा में क्रांति उत्पन्न की; परंतु अनेक कारणों से उसका प्रचार मंद गति से हुआ जिससे उन्नीसवीं शताब्दी का अंत होते होते यह पद्धति यूरोप के अग्र्य

देशों तथा अमरीका में फैली। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में अमरीका के एडवर्ड थॉर्नडाइक तथा चार्ल्स जुड ने शिशुशिक्षा को सरल, सरस एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया। अब शिक्षाशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों का ध्यान शिशु मनोविज्ञान की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। इटली की प्रसिद्ध महिला शिक्षाशास्त्रज्ञी मैरिया मांतेस्सोरी ने ज्ञानेंद्रियों की साधना पर विशेष बल दिया जिससे शिशु-शिक्षण-पद्धति में एक नवीन युग आरंभ हुआ और शिशु की शिक्षा सामूहिक से व्यक्तिप्रधान हो गई। प्रत्येक शिशु की पृथक् रूचि एवं मानसिक विकास के अनुरूप उसे शिक्षा देने की व्यवस्था हुई। महात्मा गांधी ने शिशुशिक्षा में उपयोगितावाद को प्रधानता दी और जीवनोपयोगी किसी व्यवसाय ( जैसे कढ़ाई बुनाई या कृषि ) को शिक्षा का आधार बनाना जिससे यह शिक्षा आधार ( ब्रेसिक ) शिक्षा कहलाती है।

अधिकांश देशों में शिक्षा की दो प्रमुख पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं—एक बालोद्यान की, दूसरी मांतेस्सोरी। बालोद्यान पद्धति में बच्चों को कुछ खिलौनों या क्रीड़ा उपकरणों ( जिन्हें फोबेल ने 'उपहार' कहा है ) तथा शिशु गीतों ( नर्सरी सोंग्स ) द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रूचि से आकृष्ट होते हैं और विद्यालय उनके लिये आकर्षण का केंद्र बन जाता है। परंतु शिशुमनोविज्ञान के विकास से पता चला है कि प्रत्येक शिशु दूसरे से भिन्न होता है। अतः उसकी शिक्षा दूसरों से पृथक् ढंग से होनी चाहिए। उसे अपनी सहज शक्तियों एवं संभावनाओं का विकास करने के लिये अवसर मिलना चाहिए। केवल सामूहिक शिक्षा देने से उसकी बहुत सी शक्तियाँ प्रतिक्रियित रह जाती हैं। अतः बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मांतेस्सोरी पद्धति ले रही है। मांतेस्सोरी पद्धति के मूल आधार हैं ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता। इस पद्धति के द्वारा तीन से छह या सात वर्ष के बच्चों को अनेक प्रकार के शैक्षिक यंत्रों ( डिप्लेक्टक ) ऐपैरेटस द्वारा वस्तुओं के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान कराया जाता है। परंतु प्रायः संपूर्ण ज्ञान बच्चे स्वयं प्राप्त करते हैं। आत्मशिक्षण इस पद्धति का मूल मंत्र है। अध्यापिका दशक के रूप में विद्यमान रहकर शिशु के कार्यों का संप्रेषण एवं निर्देश करती है। इससे उसे 'अध्यापिका' न कहकर 'संचालिका' कहते हैं। मांतेस्सोरी विद्यालयों में इंद्रियसाधना के साथ साथ व्यावहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है, जैसे भोजन परसना, कमरा साफ करना, कमरे के सामान व्यवस्थित रूप से सजाकर रखना, इत्यादि। स्वच्छता के साथ ही वेलाभूषा धारण करने के ढंग, जैसे बालों में कंधी करना, कपड़ों में बटन लगाना, फीता बांधना इत्यादि भी सिखाए जाते हैं। इन विद्यालयों में टेबुल, कुर्सी, चौकी इत्यादि सभी आवश्यक सामान हल्के बनवाए जाते हैं जिससे बच्चे सरसता से उन्हें स्वानांतरित कर सकें। इस प्रकार उन्हें अपने सभी कार्य स्वयं करने की शिक्षा दी जाती है।

उक्त दोनों प्रकार की पद्धतियों में शिशु के व्यक्तित्व का महत्व स्वीकार किया जाता है और उसे किसी प्रकार का शारीरिक दंड न देकर प्रेम से शिक्षा देना श्रेयस्कर माना जाता है। शिक्षा में दंड या पुरस्कार के बिना वातावरण से जो प्रेरणा मिलती है वही शिशु के विकास में सहायक होती है। बालोद्यान पद्धति में उपहार का विधान

तो है परंतु पुरस्कार का नहीं है। मांतेस्सोरी पद्धति में भी पुरस्कार या प्रशंसा देकर शिक्षा की ओर आकृष्ट करने का कोई विधान नहीं है। दोनों ही पद्धतियों में सक्रियता का सिद्धांत मान्य है। बच्चों में क्रियाशीलता एवं स्फूर्ति की अधिकता होती है जिसका संचालन उपयुक्त विधा में होना चाहिए। अतः आधुनिक शिक्षा में शिशु को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रखा जाता है और शिक्षा को खेल का रूप प्रदान किया जाता है जिससे वह शिशु को बोझ न जान पड़े। आधुनिक शिक्षा का एक बहुमान्य सिद्धांत है 'करके सीखना'। इस सिद्धांत के अनुसार ही उक्त दोनों पद्धतियों में व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। शिशु के शरीर में निरंतर वर्धमान शक्ति एवं स्फूर्ति का उपयोग करने के लिये शारीरिक व्यायाम तथा खेल-कूद की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाती है। खेलकूद के नियमों के पालन से अनुशासन की शिक्षा मिलती है, साथ ही सहयोग द्वारा कार्य करने एवं आदान प्रदान करने का अभ्यास बढ़ता है।

शिशुशिक्षा में कहानी, कविता तथा संगीत को भी प्रमुख स्थान दिया जाता है। यद्यपि श्रीमती मांतेस्सोरी परियों की काल्पनिक कथाओं के विरुद्ध हैं और बच्चों के लिये उन्हें अनुपयुक्त मानती हैं फिर भी व्यवहार में प्रायः देखा जाता है कि ऐसी कथाओं से बच्चों का केवल मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि उनमें कल्पनाशक्ति का विकास भी होता है। अतः उनके पाठ्यक्रम में इनका होना लाभदायक सिद्ध होता है। बच्चों के लिये कविता एवं संगीत के महत्व को श्रीमती मांतेस्सोरी भी स्वीकार करती हैं। अतः उनके विद्यालयों में बच्चों को कविताएँ—विशेषतः नावसींदर्यात्मक, सयुक्त एवं अभिनेय कविताएँ सिखाई जाती हैं। प्रयाण गीतों तथा नृत्य के साथ चलनेवाले गीतों को प्रधानता दी जाती है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान शिशुशिक्षा पद्धति में शिशु को सब प्रकार की स्वतंत्रता देकर आत्माभिव्यंजन का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिये अनुकूल वातावरण एवं उपकरण प्रस्तुत करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है।

उपयुक्त सिद्धांतों के अनुसार शिशुशिक्षा के समुचित प्रसार के लिये निम्नोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षित है—दो से छह वर्ष के बच्चों के लिये शिशुशालाओं ( नर्सरी स्कूलों ) तथा छह से ग्यारह वर्ष के बच्चों के लिये बालोद्यान की स्थापना; सभी शिशुविद्यालयों में जलपान एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था; शिशु छात्रावासों की स्थापना; शिशुशिक्षा के लिये उपयुक्त प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति; बच्चों के क्रीडोपकरणों की व्यवस्था; बालसभाओं ( चिल्ड्रेंस क्लब्स ) की स्थापना जहाँ बच्चे एकत्र होकर परस्पर भिन्न सके तथा मनोरंजन के साधनों द्वारा जी बहला सकें; शिशुशिक्षा के लिये उपयुक्त साहित्य—आकर्षक पुस्तकें, पत्रपत्रिकाएँ आदि—के अतिरिक्त उपयोगी एवं आकर्षक खिलौने प्रस्तुत करना; विकलांग, विकृतमस्तिष्क एवं अपराधी बच्चों के लिये पृथक् विद्यालयों की स्थापना; शिशुप्रवर्धनियों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना; तथा राज्य द्वारा शिक्षा का संपूर्ण भारबहन जिससे सभी बच्चों को समान अवसर मिले, भोजन, जलपान, आवास आदि निःशुल्क प्राप्त हों एवं उनके शारीरिक या मानसिक विकास में बनावट के कारण कोई रुद्धि न रहने पाय।



सं० प्र० — मनरो : एनसाइक्लोपीडिया ऑव एजुकेशन; मैरिया मतिस्सोरी : डिस्कवरी ऑव द चाइल्ड; इल्स फरिस्ट : चाइल्ड डेव्हलपमेंट; टिकनर तथा हैरिमन : चाइल्ड साइकोलोजी; सरजूप्रसाद चौबे : पाठ्यालय डिवा का इतिहास; तथा सीताराम चतुर्वेदी : शिक्षाप्रणालियां और उनके प्रवर्तक । [ २० पु० ]

**शीजियांग ( Sikiang ) या शी ( Si )** जनवादी चीनी गणराज्य में दक्षिणी चीन की प्रमुख नदी है। यह युनैन के पठार से, ६,००० फुट की ऊँचाई से, निकलकर दक्षिण-पूर्व दिशा में १,२५० मील बहने के पश्चात् दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। शीजियांग तथा छोटी नदियों से बने डेल्टा पर फैलटाँन नगर स्थित है। नदी-मुहाने से नीतर की ओर २३० मील दूर स्थित वूजो (Wuchow) तक जलयान आते हैं। दक्षिणी चीन का यह सबसे बड़ा व्यापारिक राजमार्ग है। संघ्रंजी में इस नदी का नाम वेस्ट रिवर है। [ प्र० ना० मे० ]

**शीतनिष्क्रियता** समशीतोष्ण और शीतप्रधान देशों में रहनेवाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्नावस्था को कहते हैं जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। इस अवस्था में शारीरिक क्रियाएँ रुक जाती हैं, या बहुत धीरे-धीरे होती हैं, तथा वह जीव दीर्घकाल तक पूर्ण निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। यह अवस्था नियततापी (warm blooded) तथा अनियततापी (cold-blooded), दोनों प्रकार के, प्राणियों में पाई जाती है।

**नियततापी प्राणी** — चिड़ियों में शीतनिष्क्रियता नहीं होती। स्तनपायी जीवों में से यह कीटमक्षी अमगादड़ों, कई जाति के मूषों तथा अन्य कृतकों और भालू तथा संबद्ध वर्गों में पाई जाती है। इनमें से मूषों और कृतकों आदि के शारीरिक ताप का शीतनिष्क्रिय अवस्था में, नियंत्रण नहीं हो पाता। इस अवस्था में हो जाने पर वे अनियततापी हो जाते हैं, किंतु भालू, स्कंक (skunk) और रेकून (raccoon) में यह नहीं होता। ये नियततापी ही बने रहते हैं। ध्रुव प्रदेशीय मादा भालू तो इसी अवस्था में बच्चे देती है।

मूषों, गिलहरियों तथा अमगादड़ों में शारीरिक ताप गिरकर, वातावरण से केवल कुछ अंश अधिक बना रहता है। निष्क्रियता की अवधि तथा अवसन्नावस्था की गहराई में भी भेद होता है। मीसिम तथा जीव की जाति के अनुसार अवधि भिन्न होती है।

**अनियततापी प्राणी** — एकछेदकी प्राणियों में से अनेक, निष्क्रिय अवस्था पुटीसूत अवस्था में, शीतकाल बिताते हैं। तितलियाँ तथा मक्खियाँ यही करती हैं। साधारण बोंबा निरपव स्थान में जाकर, अपने कवच के मुँह को कैविलयमी प्रच्छद से ढँक लेता है और अवसन्न हो पड़ा रहता है।

जन्म वर्ग के अन्य अनियततापी प्राणियों की तथा एकछेदकों की शीतनिष्क्रियता में अधिक भेद नहीं होता। अनेक मछलियाँ और भेड़क चिट्ठी, कीचड़ आदि में बुलकर बैठ जाते हैं। सर्प, छिपकली आदि पत्थरों या सड़की के छुँवों आदि के नीचे शीतकाल में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त का ताप वातावरण के ताप से केवल एक

अथ दो डिग्री अधिक बना रहता है। पाले से जमा देनेवाले शीत में भेड़क तथा इन अन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है।

**शारीरिकी** — शीतनिष्क्रियता का कारण केवल शीत ही नहीं जान पड़ता, क्योंकि शीत से निष्क्रिय होनेवाले जीवों की दशा अत्युष्ण वातावरण में भी वैसी ही हो जाती है तथा शीतनिष्क्रिय स्तनपायी जीव, शीत बहुत बढ़ जाने पर, अधिक गहरी नींद में हो जाने के बदले जाग जाते हैं। सामान्यतः १२°-१५° सें० ताप हो जाने पर, शीतनिष्क्रियता ब्यापने लगती है, किंतु एक ही जाति के अन्य जीव अधिक शीत पड़ने पर भी अधिक काल तक क्रियाशील बने रह सकते हैं।

निष्क्रियता का प्रायमन मोटापे से संबद्ध जान पड़ता है। क्रियाशीलता के काल के अंत में जंतु बड़ा मोटा हो जाता है और निष्क्रियता के काल में उसकी चर्बी ही शरीर के आहार के काम आती है। जो जीव अपेक्षित चर्बी नहीं एकत्रित कर पाते, वे जल्दी निष्क्रिय नहीं होते। निष्क्रिय अवस्था में होनेवाले जंतुओं का शारीरिक ताप, अन्य जंतुओं की अपेक्षा, अधिक परिवर्तनशील होता है और पूर्णतः निष्क्रिय होने पर वह २°-४° सें० ही रह जा सकता है। हृदयगति मंद हो जाती है और जागने पर एकाएक बढ़ जाती है। श्वसन धीमा ही जाता है। हिम मूष (marmots) तो तीन मिनटों में केवल एक बार साँस लेने लगता है। अवशोषित ऑक्सीजन और उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात, आमत अवस्था की तुलना में, कम हो जाता है। स्वप्न की अनुभूति यद्यपि कम हो जाती है, तथापि तंत्रिका तंत्र पूर्ण निष्क्रिय नहीं होता।

यदि शरीर का ताप १४°-१९° सें० हो जाता है, तो जंतु प्रायः जाग जाते हैं। कुछ जंतुओं के जागने में कई घंटे लगते हैं, किंतु कुछ, जैसे अमगादड़, कुछ मिनटों में ही होश में आ जाते हैं। बाह्य ताप की वृद्धि के अतिरिक्त, हिलाने डुलाने तथा प्रति शीत पड़ने पर भी निष्क्रिय जंतु जाग जाते हैं।

इस बात के प्रमाण हैं कि निष्क्रियता का नियंत्रण मस्तिष्क, संभवतः मध्य मस्तिष्क, के केंद्रों तथा अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा होता है, किंतु अंतःस्त्रावी परिवर्तनों का ठीक पता नहीं है। इसलिये अंतःस्त्रावी अंतःस्त्रियों वाली माय्यता को पूर्णतः सिद्ध नहीं कहा जा सकता है। [ प्र० दा० ब० ]

**शीतलाप्रसाद त्रिपाठी** भारतेंदु के सहयोगी, साहित्यसेवी विद्वान् जो हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक 'ज्ञानकीर्णमंगल' के रचयिता थे। त्रिपाठी जी काशी के गोवर्धनसराय मुहल्ले के निवासी देवीदयाल त्रिपाठी के पुत्र और प्रियसंन के सहयोगी, पटना कालेज के संस्कृत अध्यापक और अनेक हिंदी-संस्कृत-ग्रंथों के प्रणेता छोदराम त्रिपाठी के अग्रज थे। इन्होंने भारतेंदु द्वारा संस्कृत से अद्विष्ट नाटकों का संशोधन तथा परिष्कार कर उनके अनेक साहित्यिक कार्यों में हाथ बँटाया था। वे स्वयं अच्छे कवि, वैयाकरण, धर्मशास्त्री, ज्योतिषी और नाटककार थे। अक्षयविलास प्रेस के स्वामी रामदीन सिंह के अनुरोध पर इन्होंने हिंदी का बृहत् व्याकरण लिखना आरंभ किया था किंतु अस्वास्थ्य निबन्ध के कारण उसे पूरा न कर सके। उस

समय का व्यावसायिक नाटक अभिनेयों का और था, बाबू ऐश्वर्य-नारायण सिंह, उर्फ लखर बकुआ के प्रयत्न से काशी में 'बनारस थियेटर' के मंच पर शैव शुक्ल एकादशी, सं० १९२५ वि० को, काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के भाव से त्रिपाठी जी द्वारा रचित, उपर्युक्त नाटक सबसे पहले खेला गया। भारतेन्दु जी ने इस अभिनय में लक्ष्मण की भूमिका प्रस्तुत की थी जिसका विवरण ८ मई, १८६८ के 'इंडिया मेल' में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि हिंदी की पद्यप्रधान नाट्य परंपरा का निर्वाह करने के कारण इससे अभिनय नाट्य प्रणाली तथा कलात्मक उपलब्धि की छाया करना व्यर्थ है, तथापि झड़ी बोली गद्य की प्रधानता तथा अभिनेयता की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्त्व है। कथावस्तु, संवादयोजना आदि पर तुलसी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अनेक प्रसंग या तो रामचरितमानस, विनयपत्रिका और गीतावली के उद्धरणों पर आधारित हैं या वे कुछ बटा बढ़ाकर ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं। इसकी नाटकीयता तथा रोचकता का श्रेय वस्तुतः 'मानस' की नाटकीय संवादयोजना को है। जानकीमंगल के प्रतिरक्त त्रिपाठी जी ने 'रामचरितावली' (१८८५ ई० में प्रकाशित), 'सावित्रीचरित्र' (१८९५ ई०), 'नन्दमयी', 'विनय-पुष्पावली' और 'भारतोगति स्वप्न' 'कल्याणिका' (१८९४) आदि पुस्तकें रची हैं। संभव है, भारतेन्दुकृत 'नाटक' में उल्लिखित 'प्रबोधचंद्रोदय' के हिंदी अनुवादक पं० शीतलाप्रसाद भी यही हों। रामदीन सिंह की डायरी के अनुसार इनकी मृत्यु जनवरी, १८९५ में हुई।

सं० ग्रं० — शिवनंदन सहाय : सचित्र भारतेन्दु, लक्ष्मणविलास प्रेस, १९०५; सोमनाथ गुप्त . हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास; रामदीन सिंह की डायरी; श्रीवेणी पुस्तकालय, तारखपुर, पुनपुन, पटना में सुरक्षित; शिवनंदन सहाय : साहबप्रसाद सिंह की जीवनी; रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास; प्रियवंत : माडन बन-क्यूजर लिटरेचर ऑव हिंदुस्तान, भारतेन्दु हरिश्चंद्रकृत नाटक निबंध; ध्यानसुंदरदास : कनक रहस्य। [श्री० ना० सि०]

**श्रीया संप्रदाय** सभी श्रीया लोग इस्लाम के प्रथम तीन खलीफाओं आबू बक्र, उमर और उस्मान की पैगंबर के आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं मानते किन्तु इस धारणा को छोड़कर, जो निश्चित रूप से निषेधार्थक है, श्रीयावादी दो वर्गों में विभक्त हैं : (क) कट्टापंथी अर्थात् अशरी श्रीया, जिन्होंने सुन्नी पंथियों की भाँति ही कुरान और पैगंबर में विश्वास प्रकट किया है और (ख) संप्रदायवादी इस्माइली श्रीया (जो शांतिनी, साबी भी कहे जाते थे, किन्तु सामान्यतया सुन्नी लोग उन्हें इब्रहाही के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे निषिद्ध कार्यों की अनुमति देते थे। कभी कभी किए जानेवाले उत्पीड़नों और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति से वंचित किए जाने के बावजूद सुन्नी पंथियों और अरना अशरी श्रीयानों ने एक दूसरे का मुस्लिम होना अस्वीकार नहीं किया है। उन दोनों में आन्विक मतभेद है, किन्तु यह मतभेद कुरान में ही हुई बातों और धार्मिक सिद्धांतों को छूटते स्पर्श नहीं करता। सुन्नीयों का विश्वास है कि जब किसी विषय पर कुरान और पैगंबर का कोई

निर्देश न प्राप्त होता हो, तो सभी समस्याएँ इज्मा-व-उम्मत या जनता के बहुमत का विचार करके सुलझाई जानी चाहिए, क्योंकि कुरान में लिखा है 'वे (मुसलमान) अपने कार्यों का निर्णय परामर्श या संस्था से करते हैं।' श्रीया लोग उन मामलों में, जिनका निर्णय करना सर्वसाधारण की शक्ति से परे हो, और जो किसी देवी शक्ति द्वारा ही निर्णीत हो सकते हैं, जनता का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते। इसलिये सुन्नीयों के 'खिलाफत' की टक्कर में श्रीयाओं का इमामत या इमाम वंश है। 'मैं तुमसे इसके सिवा और कोई पारिवर्तिक नहीं चाहता कि तुम मेरे बंधुओं से प्यार करो' ऐसा कुरान में लिखा है। श्रीयाओं का विश्वास है कि पैगंबर के बाद अली पहला इमाम था और उसने अपने पुत्रों हसन और हुसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया और कहा कि उनके बाद इमाम पद हुसेन वंश के उत्तराधिकारियों को ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार प्राप्त होता रहेगा। किन्तु कोई भी इमाम, देवी भावों के अनुसार कार्य करते हुए, इमाम पद का अधिकार अपने छोटे बेटे को भी दे सकता था।

इमामत के मुख्य लक्षण फारस के एक श्रीया विद्वान् अब्दुल बाकर मजलसी (मृत्यु १७०० ई०) ने निम्न प्रकार से वर्णित किए हैं :

(१) इमामत, ईश्वर और पैगंबर की सत्ता पर आधारित है, और जनमत या जनता की इच्छाओं से निर्धारित नहीं होती। जनता द्वारा इमाम के अमान्य ठहरा दिए जाने पर भी उसके ईश्वर-प्रदत्त अर्थाधिकार या पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (२) पैगंबरों की नियुक्ति की भाँति, इमाम की भी नियुक्ति ईश्वर के लिये आवश्यक है, क्योंकि वह अपने द्वारा निर्मित मनुष्यों के उचित पथप्रदर्शन के लिये भी उत्तरदायी है। (३) इमाम अश्रांत (इंकेलिबिल) और पापशुद्ध हैं। (४) 'प्रत्येक जनसमूह या जनता के लिये एक पथप्रदर्शक हो, ऐसा कुरान में कहा गया है। इमाम कुरान और कानून के आधिकारिक अर्थविधायक और व्याख्याता हैं। (५) अंत में इमाम ही ईश्वर और मानव जाति के बीच मध्यस्थता करने-वाले हैं। 'उनकी मध्यस्थता के सिवा अन्य किसी भी स्थिति में मानव जाति के लिये ईश्वर के दंड से बच सकना संभव नहीं है'।

पैगंबरों के वचनों (हदीस) के चार मुख्य श्रीया संग्रह ये हैं—कुलामी का 'काफी फी इब्तुददीन' अल कुमी का मान सा बह बर्रक फकीह, और अत-तूसी के 'तहजीबुल अहकम' इतिवसार। वे बगदाद के बुबइ हिंदी के राज्यकाल (९४६-१०५५) में तैयार किए गए थे। श्रीयों और सुन्नीयों के वचनसंग्रहों के बीच परिवार के सदस्यों जैसी समानता है।

बाबरू श्रीया इमामों का संक्षिप्त परिचय — (१) श्रीया और सुन्नीयों दोनों द्वारा मान्य सदियों तक प्रचलित हदीसों से अली की सर्वप्रमुखता सिद्ध होती है—'मैं ज्ञान का नगर हूँ, और अली इसका मुख्य द्वार है' तथा 'वह जो मेरी प्रभुता मानता है, अली की भी प्रभुता मानता है'। श्रीया शैखों का दावा है कि पैगंबर जब अपनी अंतिम तीर्थयात्रा से लौट रहे थे, आदिर-शुम नामक अज्ञा-पूर्ति स्थान के निकट उन्होंने अली को अपना उत्तराधिकारी (वली)

तथा इमाम अमांकित किया और अपने शिष्यों से कहा कि वे अली के पास जायें और उसे बधाई दें। (२) अली के पुत्र हसन ने ६६१ ई० में मुसलमानों के नागरिक कलह को शांत करने के लिये मुआविया से सुलह कर ली लेकिन पदरयाग के बाद भी छठ वर्ष वह जीवित रहा। (३) अली के पुत्र हसन का ५६ वर्ष की आयु में कब्रला में मोहर्रम के दिन १०, ६१, (हिजरी) ६० एच० ( अक्टू० १०, ६०० ई० ) महीन हो जाना ऐसी घटना है जो मुस्लिम जगत् को हमेशा से आंतरिक चोट पहुँचाती रही है। कूफा के अस्थिरचित्त निवासियों ने हुसेन को आमंत्रित किया कि वह आकर उनके नगर पर अधिकार कर ले। इमाम लगभग ५०० बुद्धसवारों के साथ मदीना से चल पड़ा। किंतु मुआविया के पुत्र मेजिद की और से कूफा और बसरा के गवर्नर अबीदुल्ला बिन जियाद ने कूफा की जनता को भयान्नात कर आत्मसमर्पण के लिये विवश कर दिया। इमाम के अनुयायियों को क्रूरता के साथ अनावश्यक युद्ध के लिये विवश किया गया जिसमें उसके ८७ रिश्तेदार और अनुयायी मारे गए। कहा जाता है कि इमाम के शरीर पर तलवार और भाले के ६७ घाव गिने जा सकते थे। इस्लाम के इतिहास में 'कब्रला ट्रैजेडी' के सदृश ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं है जिसने शीयावाद के विकास में इससे अधिक सहायता पहुँचाई हो। लेकिन कट्टर शीयावादी मत के अनुसार हुसेन मानव जाति के उद्धारक के रूप में चित्रित हैं। दैवी प्रेरणा से उन्हें यह पहले ही मालूम हो गया था कि प्रागे क्या होनेवाला है और उन्होंने स्वेच्छा से आत्मबलिदान करना स्वीकार किया। (४) हुसेन के पुत्र अली ने राजनीति से अलग रहकर ३५ वर्ष ( ६८१-७१४ ) इमाम के रूप में उपासना और धर्मप्रचार में व्यतीत किए और अब धार्मिक पथप्रदर्शक के रूप में इमाम के कर्तव्य सलीफा के कर्तव्यों से, जो शासन का अग्रगण्य होता था, बिलकुल अलग कर दिए गए। (५) उसका पुत्र मुहम्मद बकर उसी के चरण-चिह्नों पर चला और १६ वर्षों तक शीयावाद के निदेशक के रूप में प्रतिष्ठित रहा। (६) इमाम अफर सादिक ( ७०२-७६५ ) को शीया सुन्नी दोनों का आदर प्राप्त है। हालाँकि उसके नाम से बहुत सी किताबें उसकी मृत्यु के बाद ही लिखी गईं, पर वह सचमुच बड़ा विद्वान् तथा शिक्षक था और सुन्नियों को इस बात का गर्व है कि उनके विधिविधान के चार स्थापकों में से दो, मलिक बिन अनस और अबू हनीफ़ा, उसके शिष्यों में से थे। (७) उमय्या और अब्बासी खलीफ़ाओं ने पैगंबर के वंशजों को सताया। लेकिन अत्याचार के बावजूद शीयाई इमामों ने शांतिपूर्ण मार्ग का अवलंबन किया। अफर सादिक के उत्तराधिकारी मूसा काज़िम को हाकें रशीद ने कैद कर लिया और कैदखाने में ही ७६७ ई० में उसकी मृत्यु हुई। (८) सलीफा मामू रशीद ने इमाम अली रजा की मदीने से मर्ब बुला लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जब मामू मर्ब से बगदाद आ रहा था, इमाम जहरीले भंगूर खाने से मरहव में मर गया। (९) मामू ने अली रजा के पुत्र मुहम्मद तक़ी को शिक्षित किया और अपनी पुत्री खैरु या उम्मी फ़ख़ल से उसका विवाह कर दिया। (१०) तक़ी का पुत्र अली नकी समर्रा में शीया विरोधी खलीफ़ा मुतवकिल और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा २१ वर्ष तक कैद कर दिया गया।

(११) उसके बेटा हसन अस्करी ने विद्वान् और भाषाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, यद्यपि वह किशोरावस्था में अपने पिता के साथ समर्रा में कैद रहा था। (१२) अंतिम इमाम मोहम्मद महदी, अपने पिता की मृत्यु पर केवल ४ या ५ वर्ष का था। अस्तित्व के अनुसार वह अपने समर्रा के घर के तहखाने में छिप गया। शीयों का यह दृढ़ विश्वास है कि इमाम छिपा हुआ है, और वह समय का अंत होने पर अपने को प्रकट करेगा। इमाम के प्रकट न होने तक धार्मिक विवेचन का कार्य मुजतहीदियों द्वारा संपन्न होगा। शीया मुजतहीद वह विद्वान् होता है जिसके पास कोई ऐसा प्रमाण-पत्र हो, जो किसी इमाम द्वारा दिया गया हो। सुन्नियों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता।

(ब) इस्माइली शीया — इस संप्रदाय के लोग जो अभी तक पाए जाते हैं, (यथा, बोहरा खोजा, भागल्लानी, द्रूस इत्यादि) धर्म परिवर्तन न करनेवाले समुदाय हैं, जो अपने अन्य मुस्लिम भाइयों के साथ मिल जुलकर रहते हैं, और जहाँ तक उनके राज्य का कानून अनुमति देता है, वे अपने सारे कार्यों का प्रबंध इमाम (नेता) या दाई (इमाम का कार्यवाहक) के नियंत्रण में करते हैं। किंतु मध्य काल में इस्माइली शीयाओं ने इमाम के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रचार किया, जो प्राचीन क़द इस्लाम से पूर्णतया असंगत प्रतीत हुए। वे हुनूज में विश्वास करते थे ( कि परमात्मा इमाम के रूप में अवतरित हुआ ), और तनासुल याने पुनर्जन्म में भी अर्थात् जब इमाम मरता था, तो परमात्मा उसका शरीर छोड़कर उसके उत्तराधिकारी में अवतरित हो जाता था जो वयोव्येष्ठता के आघार पर इमाम पद प्राप्त करता था। इन दो धार्मिक विचारों के आघार पर यह मान लिया गया था कि इमाम पैगंबर से अधिक उच्च था। चूँकि ईश्वर का कर्तव्य है कि वह सदा मानव का पथप्रदर्शन करे, इसलिये इमामों की मृत्यु का कभी अंत नहीं होगा। इमाम प्रकट अथवा अप्रकट रह सकता है। यदि इमाम अप्रकट हो तो उसका प्रतिनिधित्व दाई याने प्रधान कार्यवाहक करेगा, जो पुनः पारी पारी से अन्य कार्यवाहक या उप कार्यवाहक नियुक्त करेगा। यह अपेक्षित था कि प्रकट और अप्रकट इमाम सात सात की संख्या के ढलों में एक दूसरे का अनुगमन करेंगे अर्थात् सात प्रकट इमामों के बाद सात अप्रकट इमाम हुआ करेंगे, जब तक समय का अंत न हो जाए। दिव्य आत्मा का अवतार होने के कारण इमाम समय और परिस्थितियों के अनुसार कुरान के नियमों का निराकरण या उनमें संशोधन कर सकता था। कट्टर इस्माइलियों के विचार से तथाकथित रसूल इमामों के दाई या कार्यवाहक ही हैं। अंत में यह उल्लेख्य है कि सामान्य जनवर्ग से तो कुछ नहीं कहा जाता था किंतु खुने हुए लोगों को, जो ७ या ६ श्रेणियों में विभक्त थे, कुरान के प्रतीकात्मक धर्म की व्याख्या की जाती थी। ओ सियरी के अनुसार खुनुं अली में शिष्यार्थी को यह बताया जाता था, 'कि सातवें इमाम ( अर्थात् अफर सादिक के बेटे ने इस्माइल या इस्माइल के बेटे मोहम्मद ) ने रसूल मोहम्मद की शिक्षाओं का निराकरण कर नया दैवी संदेश ( इस्लाम ) दिया है।' अफर सादिक का सबसे बड़ा बेटा

इस्माइल मायक वस्तुओं का सेवन करता था; वह अपने पिता के जीवनकाल में ही मर गया और अफ़र सादिक ने, जिसने उसे पहले ही अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था, उसे मदीना के मजार बाकी में प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में दफन किया। किंतु इस्माइलियों का कहना है कि इस्माइल और उसके उत्तराधिकारियों को सुन्नियों के धर्माचारों से बचाने के लिये ही यह क्रम किया गया था।

इस्माइली संप्रदाय की स्थापना का ज्ञेय अब्दुल्ला बिन साबा को है, जो यमन का मुसलिम बर्मदीलिल यहूदी था। उसने उसमान के खलीफाकाल में भली को देवी अवतार घोषित किया था। किंतु इसके विशिष्ट सिद्धांतों का विवेचन, अफ़र सादिक की मृत्यु (७६५ ई०) के कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला बिन मेमीन ने किया।

आंदोलन — फारस की साड़ी क्षेत्र के किरमाती विद्रोह, मिस्र में फातिमी विप्लव और अलामुत के इमामों के विद्रोहों से स्पष्ट है कि शासक मुस्लिम वर्ग द्वारा जनसाधारण का इतना दमन हुआ था कि वे असहाय होकर एक असंभव मुक्तिदायक की कल्पना करने लगे थे। प्रोफेसर बर्नार्ड लावेस ने राखली महान् के एक वक्तव्य का उल्लेख कर कहा है: 'ईरानी श्रमिक वर्ग को इस्माइली पांडुडधर्मियों से प्रभावित होने से बचाना असंभव था।' उपर्युक्त तीन बड़े आंदोलनों की असफलता के पश्चात् इस्माइली क्रांतिकारी नहीं रह गए, और उनका भी सुन्नियों तथा शीयाओं की तरह कड़िवादी संप्रदाय बन गया।

**शीर्षाभिसूचक (Cephalic Index)** वह षंक है, जो खोपड़ी की चौड़ाई को लंबाई से भाग देने पर प्राप्त भागफल में १०० से गुणा करने पर प्राप्त होता है। खोपड़ी की चौड़ाई वानों के ठीक ऊपर मापी जाती है और लंबाई भ्रूमध्य (glabella) से लेकर पश्चकपाल के उदग्र बिंदु तक मापी जाती है। शीर्षाभिसूचक, यदि ७५ से कम होता है, तो सिर या खोपड़ी दीर्घशिरस्क (dolichocephalic), यदि ७५ से ८० के मध्य होता है, तो खोपड़ी मध्यशिरस्क (mesaticephalic) तथा यदि ८० या इससे अधिक होता है, तो खोपड़ी लघुशिरस्क (brachycephalic), कहलाती है। स्वीडन के ए. ए. रेत्सिअस (A. A. Retzius) नामक मानवशास्त्री ने इस षंक का सुझाव दिया था। मानव की विभिन्न प्रजातियों में विभेद करने में शीर्षाभिसूचक बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। मानव जाति में यह षंक ६० से १०० तक पाया जाता है। खोजों से सिद्ध हो गया है कि शीर्षाभिसूचक वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। अतः अब इस षंक का उपयोग बहुत कम किया जाता है। यह कपालीय सूचक (Cranial index) से, जो केवल कपाल की माप से संबंध रखता है, भिन्न होता है। [ अ० ना० मे० ]

**शुक्र (Venus)** ग्रह सभी ग्रहों में सर्वाधिक क्रांतिमय है। यही नहीं, यह धरत्यधिक क्रांति के स्थिर तारों से भी अधिक क्रांतिवाना है। यदि आकाश की नीली पुच्छभूमि प्राप्त हो, तो उच्चतम तारकीय क्रांतिमान -४४ की अवस्था में जब यह उच्चतम क्रांति की अवस्था में होता है, तब इसे दिन में भी काली नेत्रों से देखा जा

सकता है। रात में जब यह क्षितिज के ऊपर या छाया है तब इसके प्रकाश में बुझों की छाया बन सकती है। सूर्य और पृथ्वी से निकटता और अंशतः इसका उष्ण, ६१ प्रतिशत, फासानुपात इसकी क्रांति का कारण है। ग्रहों के सीरकम में इसका दूसरा स्थान है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग ६,७०,००,००० मील है। इसका व्यास ७,५८४ मील है, जो करीब करीब पृथ्वी के व्यास के बराबर है। सूर्य से इसका प्रसर कोण (angle of elongation) ४८° तक हो सकता है, जिसके कारण इसे सूर्यास्त के बाद ४३ घंटे तक देख सकते हैं। चंद्रमा के समान ही इसकी भी कलाएँ होती हैं, किंतु इसके आकार में प्रतीत परिवर्तन धरत्यधिक होता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इसका घूर्णन काल इसके २२५ दिनों के परिक्रमण काल के बराबर हो सकता है। शुक्र सतह पर बने मेघों का अविच्छिन्न आवरण है। अश्विनव अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइ-ऑक्साइड और बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का अस्तित्व संशय है। इसके पृष्ठ का ताप ४३८° से० है। इससे यह संकेत मिलता है कि शुक्र ग्रह पर प्राणि या वनस्पति जीवन संभव नहीं है। [ म० भ० प० ]

**शुक्ल, रामचंद्र** (सन् १८८४-१९४१ ई०) आलोचक, निबंधकार, साहित्येतिहासकार, कोषकार, अनुवादक, कथाकार और कवि। जन्म बस्ती जिले के धगौना गाँव में। मीरजापुर के संदन मिशन स्कूल से १९०१ में स्कूल फाइनल परीक्षा पास की जहाँ उनके पिता सुपरवाइजर कानूनगो थे। प्रतिकूल कौटुंबिक परिस्थितियों के कारण प्रागे की शिक्षा में सफलता न मिल सकी। १९०३ से १९०८ तक 'प्रानंद कादंबिनी' के सहायक संपादक का कार्य किया। १९०४ से १९०८ तक संदन मिशन स्कूल में ट्राइंग मास्टर रहे। १९०८ में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में 'हिंदी शब्दसागर' के संपादक नियुक्त होकर आए। ध्यामसुंदरदास के शब्दों में 'शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का अधिकांश श्रेय पं० रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है।' १९१९ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए जहाँ १९३७ से जीवन के अंतिम काल (१९४१) तक विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित किया।

प्रमुख रचनाएँ — आदर्श जीवन १९१४; विश्वप्रपंच १९२०-२१; बुद्धचरित १९२२; आयसी ग्रंथावली १९२४; हिंदी साहित्य का इतिहास १९२९; संशो० प्रवृद्धित १९४०; गोस्वामी तुलसीदास संशो० संस्करण १९३३; चितामणि प्र० भा० १९३९ (विचार वीथी १९३० का संशो० परिवर्द्धित रूप); सूरदास १९४३; चितामणि द्वि० भाग १९४५; रसमीमांसा १९४९।

शुक्ल जी शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने में गुंफित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया। उन्होंने 'भाव या रस' को काव्य की आत्मा माना है। पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोकमंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी दृष्टि से महान् काव्य वह है जिसमें जीवन की क्रियाशीलता उजागर हुई हो। इसे उन्होंने 'काव्य में जीवनमंगल की साक्षात्प्रस्था' कहा है। शुक्ल

की की समस्त मौखिक विचारणा लोकजीवन के मूर्त भावनों से प्रतिबद्ध है। 'हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों से है' इसलिये कवि का सबसे पहला और आवश्यक काम 'बिबिधहण' या 'वित्रानुभव' कराना है। पूर्ण बिबिधहण के लिये वर्यं वस्तु की 'परिस्थिति' का विवरण भी अपेक्षित होता है। इस प्रकार शुक्ल जी काव्य द्वारा जीवन के समय बोध पर बल देते हैं। जीवन में और काव्य में किसी तरह की एकांगिता उन्हें अभीष्ट नहीं।

शुक्ल जी की स्थापनाएँ शास्त्रबद्ध उतनी नहीं हैं जितनी मौलिक। उन्होंने अपनी लोकभावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्यशास्त्र का संस्कार किया। इस दृष्टि से वे आचार्य कोटि में आते हैं। काव्य में लोकमंगल की भावना शुक्ल जी की समीक्षा की शक्ति भी है और सीमा भी। उसकी शक्ति काव्यनिबद्ध जीवन के व्यावहारिक और व्यापक अर्थों के मानिक अनुबंधान में निहित है। पर उनकी आलोचना का पूर्वनिश्चित नैतिक केंद्र उनकी साहित्यिक मूल्यचेतना को कई अवसरों पर सीमित भी कर देता है। उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि आलोच्य कवि की मनोगति की पहचान में अद्वितीय है।

जायमी, सूर और तुलसी की समीक्षाओं द्वारा शुक्ल जी ने व्यावहारिक आलोचना का उच्च प्रतिमान प्रस्तुत किया। इनमें शुक्ल जी की काव्यमर्मज्ञता, जीवनविवेक, विद्वत्ता और विश्लेषणात्मकता का असाधारण प्रमाण मिलता है। काव्यगत संवेदनाओं की पहचान, उनके पारदर्शी विश्लेषण और यथातथ भाषा के द्वारा उन्हें पाठक तक संप्रेषित कर देने की उनमें अपूर्व सामर्थ्य है। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की समीक्षाओं में भी ये विशेषताएँ स्पष्ट हैं।

शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंध परिणत प्रज्ञा की उपज हैं। इनमें भावों का मनोवैज्ञानिक रूप स्पष्ट किया गया है तथा मानव जीवन में उनकी आवश्यकता, मूल्य और महत्व का निर्धारण हुआ है। भावों के अनुरूप ही मनुष्य का आचरण ढलता है—इस दृष्टि से शुक्ल जी ने उनकी सामाजिक अर्थवत्ता का मनोयोगपूर्वक अनुसंधान किया। उन्होंने मनोविकारों के निषेध का उपदेश देने-वालों पर जबर्दस्त आक्रमण किया और मनोवेगों के परिष्कार पर जोर दिया। ये निबंध व्यावहारिक दृष्टि से पाठकों को अपने आपको और दूसरों को सही ढंग से समझने में मदद देते हैं तथा उन्हें सामाजिक दायित्व और मर्यादा का बोध कराते हैं। समाज का संगठन और उन्नयन करनेवाले आदर्शों में आस्था इन रचनाओं का मूल स्वर है। भावों को जीवन की परिचित स्थितियों से संबद्ध करके काव्य की दृष्टि से भी उनका प्रामाणिक निरूपण हुआ है।

अपने सर्वोत्तम रूप में शुक्ल जी का विवेचनात्मक गद्य पारदर्शी है। गहन विचारों को सुसंगत ढंग से स्पष्ट कर देने की उनमें असामान्य क्षमता है। उनके गद्य में आत्मविश्वासजन्य दृढ़ता की हीति है। उसमें यथातथता और संक्षिप्तता का विशिष्ट गुण पाया जाता है। शुक्ल जी की सृष्टियाँ धरतल अर्थगर्भ होती हैं। उनके विवेचनात्मक गद्य ने हिंदी गद्य पर व्यापक प्रभाव डाला है।

शुक्ल जी का 'हिंदी साहित्य का इतिहास' हिंदी का गौरवबंध है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया कालविभाग, साहित्यिक चाराओं का सार्थक निरूपण तथा कवियों की विशेषता-बोधक समीक्षा इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। शुक्ल जी की कविताओं में उनके प्रकृतिप्रम और सावधान सामाजिक भावों द्वारा उनका देशानुराग व्यंजित है। इनके अनुवादग्रंथ भाषा पर इनके सहज आधिपत्य के साक्षी हैं।

आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उसपर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनका प्रतिष्ठा युगप्रवर्तक की है।

सं० प्र० — आचार्य रामचंद्र शुक्ल—डा० जिवनाथ; आलोचक रामचंद्र शुक्ल—सपा० गुलाबराय और डा० विजयेंद्र स्नातक; आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना—डा० रामबिलास शर्मा; रामचंद्र शुक्ल (जीवन और कृतत्व) —चंद्रशेखर शुक्ल। आचार्य शुक्ल के समीक्षासिद्धांत—डा० रामलाल सिंह।

[ वि० सं० म० ]

शुजा शाहशाह शाहजहाँ के द्वितीय पुत्र शाहजादा शुजा का जन्म २३ जून, १६१६ ई० की अजमेर में हुआ। पिता के विद्रोह के समय वह उन्हीं के साथ अपनी माँ की गोद में रहा, लेकिन विद्रोह का दमन होने के पश्चात् अपने भाइयों, दारा और औरंगजेब के साथ वह दक्षिण से लाहौर, शाही दरबार में लाया गया और अपने पितामह की मृत्यु के समय तक ये लोग मूजहाँ के संरक्षण में रहे। दरबार में ही अन्य राजकुमारों के समान और मुगल परंपरा के अनुसार उनकी भी शिक्षा और दीक्षा का प्रबंध किया गया। जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात् आसफ खाँ ने तीनों राजकुमारों को सूरजहाँ से अलग कर सादिक खाँ को उनकी रक्षा के लिये सौंप दिया। शाहजहाँ के सिंहासनारोहण के पश्चात् आसफ खाँ के साथ वह शाही दरबार में अपने भाइयों के साथ आया। पिता ने उसे अतुल्य धनराशि प्रदान की।

उसके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ १६३२-१६३३ में हुआ। दौलताबाद के किले पर अधिकार करने के बाद महावत खाँ ने बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश पाकर सम्राट से यह प्रार्थना की कि राजकुमार के संरक्षण में यथेष्ट सेना उसके सहायताार्थ भेजी जाय। अतएव सम्राट ने शुजा को १०००० जात व १०००० सवार का मंसब देकर दक्षिणी सीमांत पर भेजा। परेंदा के दुर्ग को घेरने और बीजापुरी फौजों से युद्ध करने में तथा मराठा सरदारों के छापामार हमलों से निपटने में शुजा ने अपनी यौद्धिक क्षमता और साहस का परिचय दिया। बाद में शाहजहाँ ने उसे दक्षिण से बुला लिया। १६२८ में जब मुगलों का कंधार पर पुनः अधिकार हो गया तब शाहजहाँ ने उसके मंसब को उन्नत करके उसे काबुल में रहने का आदेश दिया। उसे आज्ञा दी गई कि यदि ईरान का शाह सेना लेकर

कंधार पर फिर अपना अधिकार जमाने की भ्रष्टाचार हो तो वह उसका विरोध करे और दुर्ग की रक्षा करे। लेकिन अगले कुछ वर्षों तक आक्रमण न होने के कारण शुजा को आगरे व पंजाब बुला लिया गया तथा बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा गया। १६४६ में कंधार को ईरानी फौजों ने फिर अपने अधिकार में कर लिया। जब १६५२ में शाहजहाँ ने दूसरी बार कंधार पर अभियान की योजना बनाई तब उसने शुजा को बंगाल से बुला लिया। औरंगजेब की कमान में सेना ने धावा बोला परंतु पूर्व के समान इस बार भी सफलता न मिली। अतएव शुजा बंगाल वापस गया और वहाँ वह १६५२ से १६५६ तक शांतिपूर्वक रहा। इस प्रकार बंगाल में रहते रहते उसे सत्रह वर्ष हो चुके थे।

बंगाल की जलवायु तथा वहाँ के आलस्य एवं विलामपूर्ण जीवन ने उसके शरीर पर कुछ हानिकारक प्रभाव तो डाला परंतु उसकी चेतना, स्फूर्ति, बुद्धिधर्मता में कोई कमी न आई। पिता की बीमारी तथा दारा के राजनीतिक बागडोर के सम्हालने का समाचार सुनकर उत्तराधिकार युद्ध के लिये तैयार हो गया। इस विषय पर उसने औरंगजेब और मुग़द से भी पत्रव्यवहार किया। तीनों ने एक समझौते के अनुसार निश्चित दिशाओं से दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, उसने अपने आपको स्वतंत्र कर अपने नाम का खुलवा पड़वाया और सिक्के चलाए। औपचारिक रूप से तो उसके शाही पद में कोई कमी न रह गई थी, अब केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हाराने और दिल्ली के सिंहासन को हस्तगत करने की बात रह गई थी। अतएव वह एक विशाल सेना लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ा। बिहार के सूबे को पार करता हुआ वह बनारस तक बिना किसी रोकटोक के पहुँच गया। शाहजहाँ और दारा ने उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिये मुलेमान शिकोह व मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, पर जब वह वापस न हुआ तब शाही फौजों ने उसपर आक्रामक आक्रमण कर उसे बहादुरपुर की लड़ाई में परास्त किया और उसका पीछा किया। मुलेमान शिकोह सूरजगढ़ तक आगे बढ़ता ही गया और वह अपने शत्रु से केवल १४ मील दूर था जब उसे अपने पिता का यह आदेश मिला कि औरंगजेब व मुग़द की संयुक्त सेनाओं का विरोध करने के लिये वह तुरंत आगरा वापस आ जाए। अतः मुलेमान शिकोह ने शुजा से संधि कर ली और उसे बंगाल, उड़ीसा तथा मुंगेर के पूर्व का बिहार का क्षेत्र देकर वह आगरा की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में ही उसे अपने पिता की हार की खबर मिली।

गद्दी पर बैठने के पश्चात् औरंगजेब ने शुजा को मंत्रीपूर्ण पत्र लिखा, उसे बंगाल के सूबे के अतिरिक्त बिहार का समस्त सूबा प्रदान कर दिया और दारा को परास्त करने के पश्चात् पंजाब और भूमि के रूप में उसे अधिक संमान देने का वचन भी दिया। तत्काल तो शुजा को सतीष और हर्ष हुआ परंतु औरंगजेब के अपने पिता और भाई मुग़द के प्रति व्यवहार को देखकर उसे अपने उद्देश्य भाई की उदारता में सन्देह हुआ। अतः जब शुजा को यह सूचना मिली कि औरंगजेब दिल्ली छोड़कर पंजाब चला गया है और दारा को परास्त करने में व्यस्त है तब उसकी महत्वाकांक्षा फिर उग्र हो उठी। अतः उसने लड़ाई की तैयारियाँ प्रारंभ कर दीं

और बंगाल से प्रस्थान करके पटना हुआ वह इलाहाबाद आ पहुँचा। उसके बढ़ने की खबर औरंगजेब को मुस्तान में मिली। अतः दारा का पीछा करने का कार्य उसने अपने अफसरों को सौंप दिया, और स्वयं आगरे आया (नवंबर, १६५८)। वहाँ से उसने शुजा का रास्ता रोकने के लिये राजकुमार सुलतान मुहम्मद को भेजा। परंतु शुजा आगे बढ़ता ही गया। अंततोगत्वा औरंगजेब ने स्वयं खजुवा के मैदान में उससे होड़ ली और उसे हराकर भगा दिया। और जुमला की फौजों ने उसका पीछा किया। फरवरी, १६५९ से अप्रैल १६६० तक बंगाल में शुजा ने शाही फौजों का मुकाबला वीरता और साहस से किया। अंत में विवश होकर मई, १६६० में अपने कुटुंब के साथ वह आराकान की ओर भाग गया। वहाँ पहुँचकर शुजा ने आराकान राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसके राज्य पर अधिकार कर फिर बंगाल पर हमला करने की योजनाएँ बनाईं। पर इस षड्यंत्र का आभास जैसे ही वहाँ के राजा को हुआ, वैसे ही उसने शुजा का वध करने की एक योजना बनाई। शुजा डरकर जंगलों में भागा जहाँ जनवरी, १६६१ ई० में वह मार डाला गया। मुहम्मद शुजा, युग को देखते हुए बुद्धिमान, साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था [ ४० प्र० स० ]

**शुनक** वह के पुत्र एक महर्षि, जिनकी उत्पत्ति प्रमद्वारा के गर्भ से हुई थी। पुराणों के प्रसिद्ध शौनक के यही पितामह हैं ( म० भा० आदि० ५-१० )। शौनक को इनका पुत्र भी कहा गया है ( वही, अनु० ३०-६५ )। श्री कृष्ण का दूत बनकर ये हास्तिनापुर गए थे। ( च० भा० पा० )

**शुनफू (कबो हूसी)** (स० १०२०-१०)। चीनी चित्रकार। चीनी कला के प्रख्यात मूर्तकारों में इसका स्थान है। कला के ऊपर उसके व्याख्यान भी उपलब्ध हैं जिन्हें उसके पुत्र ने 'दर्श' तथा जलघाराओं के महाद्य संदेश' नामक ग्रंथ में संगृहीत किया। शुन-फू ने चित्र-शक'वमी से अल्पावस्था में चित्रकला सीखकर उसमें उत्तरोत्तर अपने व्यक्तित्व का विकास किया। वह प्रकृति के अवयवों में जीवित आकृतियों प्रतिष्ठित करने के लिये प्रसिद्ध है। 'उसके पर्वतों पर बादल इस प्रकार बिठाए जाते थे जैसे स्वर्ण पर झुरियाँ, सौंप की कुडलियों की भाँति उनमें बल होते थे, उनके पत्थर ऐसे चित्रित होते थे जैसे दंतों के चेहरे, वृक्षों की शाखाएँ जैसे शिकारी पक्षी के पंजे। उसके बनाए चित्र आज उपलब्ध नहीं पर 'फौधर गैलरी' में सुरक्षित, चित्रण की शक्ति और शालीनता में अप्रतिम देहात के बाद को काव्य के छंद से अभिव्यक्त 'पीतनद की घाटी में पतकड़' नामक चित्र उसका बनाया कदा जाता है। [ ५० उ० ]

**मुहसिएन (कबो चुंग-श)** दसवीं शती ई० का चीनी चित्रकार, होनान प्रांत के लो-यांग नगर में जन्म। यह असाधारण प्रतिभावात् था और सात वर्ष की उम्र में ही साम्राज्य चित्रकला कालेज में प्रवेश के लिये प्रार्थी हुआ। दृढ़गति से प्रगति करता हुआ वह सत्राट्-ताइ-त्सू के समय 'महान् राष्ट्रीय आचार्य' के पद पर जा पहुँचा। वह 'चिएह-हुषा' नामक चित्रशास्त्री के लिये प्रसिद्ध हुआ। उसके चित्र अधिकतर वास्तुप्रधान हैं, जिनकी रेखाओं, अवयवीय अनुपात आदि का यह कुशल चित्रकार है। [ ५१ उ० ]

**शुद्ध** — भारतीय समाजव्यवस्था में चतुर्थ वरुण या जाति शुद्ध है। वायुपुराण ( १. ८. १५८ ), वेदांतसूत्र ( १. ३. ३४ ) और छांदोग्य एवं वेदांतसूत्र के शंकरभाष्य में शुच और दू धातुओं से शुद्ध शब्द व्युत्पन्न किया गया। वायुपुराण का कथन है कि "शोक करके द्रवित होनेवाले परिषर्यारत व्यक्ति शुद्ध है"। अथर्वपुराण में श्रुति की द्रुति ( अशिशिष्टांश ) प्राप्त करनेवाले शुद्ध कहलाए ( १. ४४. ३३ )। वीषनिकाय में खुदाचार ( क्षुद्राचार ) में सुद्ध शब्द संबद्ध किया गया ( ३. ६५ )। होमर के द्वारा उल्लिखित 'कूद्रों' से शुद्ध शब्द जोड़ने का भी प्रयत्न हुआ ( वाकरनागेल, द्रष्टव्य रामशरण शर्मा, पृ० ३५ )।

शुद्ध शब्द मूलतः विदेशी है और संभवतः एक पराजित जनार्थ जाति का मूल नाम था ( नीचे देखिए )।

**उत्पत्ति** — प्र० पारंपरिक संभावनाएँ — ऋग्वेद के पुरुषसूक्त ( १०, ६२, २ ) से पुरुष के पदों से शुद्ध की उत्पत्ति का उल्लेख है। पुरुषोत्पत्ति का यह सिद्धांत ब्राह्मणग्रंथ ( पंचविश ब्राह्मण, ५. १. ६-१० ), वाजसनेयी संहिता ( ३१, ११ ), महाभारत ( १२, ७३, ४-८ ), पुराण ( वायु, १. ८, १५५-५६, विष्णु ( १. ६ ), धर्मसूत्र ( वसिष्ठ ध० सू० ४, २ ), स्मृतियों में ( मनु, १, ३१ ) शुद्ध शब्दों का समिश्र रूप से प्राप्त होता है। ब्राह्मणग्रंथों ( ऋतपथ ब्रा० १४, ४, २, २३, बृहदारण्यक १, ४, ११ ) में शुद्धदेव पूजा से शुद्ध की उत्पत्ति बतलाई गई है। विष्णु और वायुपुराण के अनुसार बह्निष्पत्ति के लिये चतुर्वर्णों का सर्जन हुआ। शांतिपर्व ( प्र० १८८ ) और गीता में गुणकर्म के आधार पर चतुर्वर्ण प्रतिष्ठित है। हिंसा, अनृत, लोभ और अशुचिता के कारण तामसी द्विज कृष्ण होकर शुद्ध वर्ण में परिणत हुए ( वायु० ६, १६४-१६५, विष्णु १. ६. ५-६ भी )। बौद्ध परंपरा में बंधपादपत्र ( ब्रह्मा के पदों ? ) से इव्य (सेवक) और किंहु (कृष्ण) निकले ( वीषनि० १. ६० और १०० )। जैन परंपरा में तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके शिष्य भरत ने चारों वर्णों का निर्माण किया ( आचाराम-सूत्रपूर्विक, ४, ५, ६, आदिपुराण, १६, १४८ )।

**ऐतिहासिक पर्यालोचन** — पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में दो ही वर्ण थे, धाय और दास ( हत्वादस्युत्प्र धायं वर्णं भावत् )। अथर्ववेद में धायं दास का युग्म धायंशुद्ध में परिणत हो गया ( प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शुद्धायं )। अतः शुद्ध दास वस्तु के उत्तराधिकारी हैं। किंतु यह मत निश्चित नहीं। उपर्युक्त स्थलों पर ( अर्थात् १६, ३२, ८, वाजसनेयी संहिता में ) शब्द धायं नहीं किंतु धयं ( धैर्य ) है। वेबर, ब्रिंडकर, जिमर और रामशरण शर्मा क्रमशः शूद्रों को मूलतः भारतवर्ष में प्रथमागत धार्यसंबंध, क्षत्रिय, ब्राह्मण भाषी और धाभीर संबद्ध मानते हैं। शुद्ध जनजाति का उल्लेख डायोडोरस, टालेमी, और ह्येनसाग भी करता है। शुद्ध वर्ण में संभवतः धायं और जनार्थ कर्मरु के युगल लक्ष्य थे।

**धार्मिक स्थिति**

विभिन्न युगों और परंपराओं में शूद्रों की स्थिति विभिन्न थी।

( अ ) वैदिक परंपरा — एक आधान के अधिकारी न होते हुए

याज्ञिक समारोह में संमिलित हो सकते थे। पुरुषमेघ के प्रसंग में ( वाजस० सू० ३०, ५ ) वे ऋषिगणों के साथ बर्णित हैं। राजसूय में दानप्राप्ति ( काठक सू० ३०, ७, १ ) और सोमपान ( ऐतरेय ब्रा० ७, २६४ ) करते थे। हविष्कृत में आधान से आहूत होते थे और महाव्रत में उनका अपना कार्य था।

अथर्ववेद ( १६. ३२, ८ ) में कल्याणी वाक् ( वेद ? ) का अर्थ शूद्रों को विहित था। बृहद्देवता ( ४ ५५ २६ ) और पंचविश ब्राह्मण ( १४, ११, १७ ) से दामीपुत्र वक्षीवत्, पंचविश ( १४, ६, ६ ) में शूद्रोत्पन्न वस्म, छांदोग्य से मत्यकाम जानाल तथा शूद्रराजा रेव के वेद विद्या वा अध्ययन ज्ञात होता है। दामीपुत्र कवष ऐतरेय ऋग्वेद १०, ३०-३४ के ऋषि के रूप में व्यवहृत है। परंपरा है कि ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदान इतरा ( शूद्र ) का पुत्र था। किंतु बाद में वेदाध्ययन का अधिकार शूद्रों से ले लिया गया। गौतमधर्मसूत्र ( १२, ४ ) में वैदिक श्रवण, उदाहरण और धारण करने पर शूद्र को दंडाहं माना गया।

( आ ) बौद्ध — प्रश्नपोष की धर्यसूची ( पृ० ५ ) का कथन है कि "दुश्यते च शूद्रा अपि वयंचिद् ब्रह्मकारण — सर्वशास्त्रविदः ।" शांलूकशार्ङ्गवदान म आडाल त्रिशु ६ सामोभाग वेद, उपनिषद् का ज्ञाता है। उद्दालक जातिक में शूद्र भी श्रुति वा अध्ययन और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं :—

खलिया ब्राह्मणा वेस्मा सुद्धा जग्जाल पुत्रसा ।  
सब्बे वा सोरता दाता सब्बे वा परिनिव्वुता ॥

( इ ) जैन — 'उत्तराध्यायन सूत्र' ( १३, १, २ ) का आडाल हरिकेशी, 'उवासागदमात्रो ( पृ० २०४ ) का महत्त्व हुतांग, और 'अंगगडसापो' का मालाकार अर्जुन निम्न गं हुंकर भी ब्राह्मण-रिपक उच्चता प्राप्त कर सके। अमनद्य प्राचार और उपस्कार की शुचिता होने पर शूद्र भी देवपूजन देवकार्य के योग्य माना जाता था ( नीतिकाध्यायन, ८, १२ )। किंतु शूद्र श्रवण हो सकता है मुनि नहीं ( प्रयत्नसार ३, ) यशस्तालक ( ८, ४३ )। इसी प्रकार शूद्र पूजकाचार्य नहीं हो सकता ( धर्मसंग्रह आचकाचार्य, ६, १४५-१४६ )।

( ई ) आगम ( शैव ) — तीर्थ मंत्रदात्रों में कुत्र, यथा शैव सिद्धांत संप्रदाय तथा पाशुपत, वर्णभेद की स्वीकार करते हैं। पाशुपतसूत्र में 'शूद्रेण नामिभावेच्च' का विधान है किंतु पंचतंत्र में पाशुपत तपस्वी के वर्णन में कहा है कि शूद्र शब्दों का आडाल भी दीक्षित होने पर भस्मांग—शिवस्वरूप हो जाता है। नील ( कुलाशंख तंत्र, ८, ६६ ) तो यह मानते हैं कि 'भैरवीचक्र में प्रतिष्ठ होने पर शूद्र भी द्विजाति हो जाता है।' स्वच्छदर्वत्र दीक्षा के पश्चात् शूद्र को उपरीत धारण करने की व्यवस्था करता है ( ८, ६७, ७५ )।

( वीरुव ) वैष्णवी दीक्षा सारे वर्णों को विहित है। किंतु दीक्षोपरांत भी वर्णभेद की स्थिति रहनी है। यथा नामसंस्कार में चारों वर्णों का नामांत क्रमशः धर्म, धर्म, गुण और दास ( परमसंहिता, १७. १३-१४ ) होना चाहिए, पंचमव्य क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ( जयाश्रय, १५, १८७-८८ ) को देना चाहिए। शूद्र का उपवीत गुणमंत्र ( परमसंहिता, १७, १४ ) से युक्त होता है, कवचमंत्र ( सात्वत, १६, ५३-५४ ) से नहीं। शूद्रों के लिये

अनिरुद्ध विशेष रूप से पूज्य हैं। पांचरात्र में कुछ शूद्र भक्त हुए जो संप्रदाय में विशेष प्रतिष्ठित हो सके। आंदास देवदासी का नाम विशेष विख्यात है।

(उ) पुराण — अनेक अमंत्रक संस्कार शूद्रों को विहित हैं। साधारण वृद्धि आर्द्र, चंभमहायज्ञ, वृषोत्सर्ग तथा संपूर्ण पूर्त कर्म एव पुराण, महाभारत अथवा शूद्र कर सकते हैं। आर्य क्रम से शूद्र कथ्यपगोत्रोप और वाजसनेय ब्राह्मण के हैं। पुराणों की स्मार्त वैष्णव और स्मार्त शैव परंपरा के शूद्रों को भी क्रमशः गोपीचदन, तुलसी और ऊर्ध्वपुंड्र (स्कंद, वैष्णव, मार्गशीर्ष माहात्म्य २, २१-२६) तथा मस्मयुक्त पुंड्र एव रुद्राक्ष माला का विधान है (देवी भागवत, १२, ७, १०)।

(क) महाभारत — शातिपर्व (६०, ३८) पाकयज्ञ और पूर्ण पात्र दक्षिणा का विधान शूद्रों के लिये करता है। शूद्र पंजवन ने ऐंद्राग्नेय यज्ञ किया था।

शूद्रो पंजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ।  
ऐंद्राग्नेयं विधानेन दक्षिणांभिति नःश्रुतम्॥

— शातिपर्व ६०, ३८

(ए) अश्वयुग — स्मार्त परंपरा के तुलसीदास शूद्र को 'ताड़नीय' और 'विप्र अवमाननी शूद्र' को शोचनीय मानते हुए भक्त शूद्र को 'भुवन भूषण' भी मानते हैं। उन्हें शूद्रों के द्वारा उपवीत चारण कर व्यासपीठ पर आसीन हो द्विजों को उपदेश देना ब्राह्मणिकीय सगता है (मानस, उत्तरकांड)। वल्कभाचार्य के प्रमुख शिष्य कृष्णदास शूद्र होते हुए भी संप्रदाय में विशेष संमानित थे। छीतस्वामी के विद्वत्त्व के विषय में कहा कि 'अबके स्त्रीसुद्रादिक सबको ब्रह्म संबंध करावे।' निर्गुनिया और संत संप्रदाय में जाति-भेद मान्य नहीं था। कबीर, रैदास, सेना, पीपा इस काल के प्रसिद्ध शूद्र संत हैं। असम के शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित मत, पंजाब का सिक्ख संप्रदाय और महाराष्ट्र के बारकरी संप्रदाय ने शूद्रमहत्त्व धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। दसनामी नागा साधुओं के जूना, आवाहन, निरजिनी, आनंद, महानिर्वाणी, अत्तल, जगन, भवलिया, सुखड और गुदड अखाड़ों में शूद्रप्रवेश हो सकता था।

### सामाजिक स्थिति

वत्स, कवच ऐलूष, कक्षीवान और सत्यकाम जाबाल की कथाओं से ज्ञात होता है कि शूद्र और द्विजों में उत्तर वैदिक काल में वैवाहिक संबंध हो जाता करता था यद्यपि यह सामान्यतः अच्छा नहीं माना गया होगा। वैश्य और शूद्रों में विवाह सामान्य रूप से प्रचलित था (तैत्तरीय सं० ७, ४, १६, ३)।

(घ) बौद्ध — महासालजातक और वासवकलिया के पुत्रविह्वदभ की कथाओं से ज्ञात होता है कि बौद्ध समाज में अन्नपान और विवाह के संबंध में जातिगत वैशम्य था किंतु बौद्ध संघ में यह विभेद स्वीकार नहीं था। सुधनिपात के आरंभसूत्र में बुद्ध का स्पष्ट कथन है कि किसी के द्वारा भी बनाए गए भोजन से अशोच नहीं होता। महापरिनिर्वाण के ठीक पहले बुद्ध ने कम्मार पुत्र कुंडा के यहाँ सुवकमादेव प्रहृण किया था। आवस्ती के मालाकार जेठक की बीता ही भस्त्रिका थी जो उद्ययन के साथ विवाहित

हुई। काष्ठहारी की पुत्री (कट्टहार जातक) और कलविकेता की कन्या (जातक, ३, १४) अंगमहिषी बन सकती थी। सनित-विस्तर और बष्पपुत्री में प्रतिनिधि बौद्ध मत उल्लिखित है कि शूद्रा से विवाह पातक का कारण नहीं।

(आ) जैन — 'शूद्र भोजन शुश्रूषा नरकाय भवेदिवम्' (वृहत्कथा कोष, ३०, १३) प्रतिनिधि जैन मत है। किंतु साधुओं को ऊँच नीच के भेद करने का निषेध था (उवासगदसाधो पृ० १८१-८४)। इसी प्रकार 'शूद्रा शूद्रेण' बौद्ध्या मान्या' (भाविपुराण, २६, २४७) विवाह का प्रचलित विचार था। किंतु शूद्राओं का उच्च वर्ण में संभवतः विवाह होता था। मालाकार की पुत्री बनी हुई पद्मावती से राजा बंतीवाहन का विवाह करकंड महाराज कथानक (वृहत्कथा कोष, १४५-१४७) में वर्णित है।

(इ) धर्मसूत्र स्मृति — पद से उत्पन्न होने के कारण पद-परिचर्या शूद्रों का विशिष्ट व्यवसाय है। द्विजों के साथ आसन, शयन वाक् और पद में समता की इच्छा रखनेवाला शूद्र दंड्य है (गीतम घ० सू० १२, ५)। द्विजों के प्रति आक्रोश करने पर शूद्र को शारीरिक दंड दिया जा सकता है, (वही, २, १०, ७-१४)। कम उम्र का आर्य वृद्ध शूद्र से भी प्रणाम का अधिकारी है (वही, ६, ११, १२)। शूद्र के साथ ब्राह्मण का विवाह निषिद्ध और अन्य द्विजों का अप्रथस्त है। (मनु० ३, १६, १६)। मनु के अनुसार शूद्रों को आसुर विवाह पद्धति विशेष रूप से विहित है (मनु० ३, २४)

### राजनीतिक स्थिति

तैत्तरीय संहिता में राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जम्भ (शूद्र?) क्रमशः पर्यं, औदुंबर, अश्वत्थ और निशोष के वट से राजा का अभिषेक करते हैं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में (महा० १४, ६०, २४-३५) 'मान्यशूद्र' आमंत्रित थे। विराट की 'मंत्रिसभा' 'विप्र राजग्य विशसशूद्रका' थी (विराट, ६, २५)। भीष्म का अनुशासन है कि 'राजा की मंत्रिसभा में चार प्रणव सात्त्विक ब्राह्मण, दस अथवा आठ शस्त्रपाणि क्षत्रिय, २१ संपन्न वैश्य और ३ विनीत शूद्र हों (भाति, ८६, ७-६)। पश्चिमोत्तर में आभीर और निषादों के प्रतिवेश ने शूद्रों का संभवतः एक गणराज्य भी था (सभा०, २६, ८-९)। मनु (४, ६१) डायोबोरस, टालेमी, और ह्वेनसांग (वाटर्स, २ पु० २५२) शूद्र राज्य का उल्लेख करते हैं। बिष्णुपुराण (४, २५, १८) के अनुसार 'सीराष्ट्र अवंति-शूद्र-अर्जुन-मरुसुमि' पर द्रात्य द्विज, आभीर और शूद्र शासन करेंगे। मृच्छकटिक का अंत ही शूद्रराज के अभिषेक से होता है। मुद्राओं तथा अभिषेकों से अनेक शूद्र राजाओं तथा राज्याधिकारों का पता मिलता है।

### धार्मिक

उत्तर वैदिक काल में शूद्र की स्थिति दास (slave स्लेव) अथवा सर्फ (serf सर्फ) की थी (वैदिक इंडेक्स) अथवा नहीं (रामकरण शर्मा पृ० १६३-१६४), इस विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता। वह कर्मकर और परिचर्य करवेवाला वर्ग था। सर्वभेष, अश्वमेध और एकाह के अवसर पर 'शुभिसूद्रकर्म' दास



के नियम से यह अनुमित किया जा सकता है कि शूद्र के ऊपर स्वामित्व नहीं माना जाता था।

बौद्ध वाङ्मय में बड़्ठकी, कंभार ( लोहार ), चम्मकार, शिसकार ( जातक, १, पृ० २२ और ४२७ ) आदि की कथियों का उल्लेख है। इनके 'बेट्ठक' और 'पमुक्क' रहा करते थे।

बौद्ध साहित्य की 'हीन जाति' और 'हीन सिप्प' के समान ही जैन वाङ्मय में 'धार्य सिप्प' और 'अनार्य सिप्प' का भेद है। धार्य-शिल्प में दर्जी, संतुवाय, अन्नकार इत्यादि तथा अनार्य शिल्पियों में चमार, नाई की गिनती थी।

व्यवहारगत ( Legal ) जीगल ) — धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और स्मृतियों से शूद्र संबंधी व्यवहार ज्ञात होता है। सामाजिक वैधर्म्य के कारण सामान्यतः अनुर्वर्णपरक संसभता प्रचलित नहीं थी। वाक्पाठ्य और स्त्रीसंग्रहण में समान अपराधों के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र के लिये विभिन्न दंडों का विधान था ( गौतम, ध० सू० १२, १ )।

सं० प्र० — १, विधुषेखर भट्टाचार्य : 'दि स्टेट्स ऑफ् शूद्राज इन एंशेंट इंडिया,' विश्वभारती त्रैमासिक १९२४; तथा 'शूद्र,' इंडियन एंटीक्वैरी १९५१; २. रामशरण शर्मा : 'स्टडीज इन एंशेंट इंडिया, दिल्ली १९५६; ३. वी० आर० ब्रिंजेडकर : 'हू वेर दि शूद्राज', नवई, १९४६; ४. चार्लेड हिल्लेब्राट : 'ब्राह्मण शूद्राज', ब्रेसलाउ १८९६। [ वि० श० पा० ]

शूद्रक संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध रूपक मृच्छकटिक के यह निर्माता माने जाते हैं। इनकी एक और कृति पद्मप्राभृतक नामक भाष्य है। इनकी रचनाशीली बड़ी मनोहर एवं समाज की सच्ची अवस्था प्रतिबिंबित करनेवाली है। शूद्रक ने समाज में विविध स्तर के मानवों के सहज अनुभवों का चित्रण बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। प्रयुक्त भाषा और शैली के आचार पर इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। यह कालिदास से पूर्व और भास के बाद के कवि प्रतीत होते हैं। कई पाश्चात्य संस्कृतज्ञों ने शूद्रक को काल्पनिक पुरुष माना है। वे यह स्वीकार नहीं करते कि शूद्रक कोई ऐतिहासिक पुरुष था। उसी तरह उनकी प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिक को भी वे मौखिक रचना नहीं मानते। उनका मत है कि मृच्छकटिक भासरचित 'भाषदत्त' नामक रूपक का ही एक परिवृंहित संस्करण मात्र है। (दे० मृच्छकटिक)।

वस्तुतः शूद्रक के संबंध में सूक्ष्म एवं तात्त्विक विचार किया जाय तो उनके अस्तित्व में संदेह करने के लिये कहीं अवकाश नहीं मिलता। कविवर राजशेखर ने बदनीय कवियों का स्मरण करते हुए रामलक्ष्मीसिंह को शूद्रक पर रचित एक परिकथा का निर्माता बताया है— 'तो शूद्रक कथाकारों बंधों रामलक्ष्मीसिंह'। यह प्रसिद्ध उक्ति है— 'वरदक्षिणीश्वरदत्तसयामिलुक-शूद्रकावध चत्वार एते भाषात् बभूवुः, का शक्तिः कामिदासस्य' जिसमें भी शूद्रक का उल्लेख है। कवासरिस्तागर में शूद्रक को शोभावती का राजा बताया गया है; वेतावर्षर्षविसति में उन्हें वर्षमाननरेख कहा है; हर्षचरित में महाराज चंद्रकेतु के साथ शूद्रक के विपला का उल्लेख मिलता है और कादंबरी

में कथारंभ विशिशाधिपति शूद्रक से होता है। ऐतिहासिक कवि कङ्कण ने शूद्रक को सत्यसंध एवं दृढ़ प्रशासक बताते हुए विक्रमादित्य से पूर्वतन कहा है [राज० त० ३ ३४३]। शूद्रक के उदात्त चरित् पर विरचित अनेक रचनाओं के उद्धरण भी परवर्ती ग्रंथों में मिलते हैं। भोजदेव ने अपने शृंगारप्रकाश ( प्र० २८ ) में 'शूद्रककथायां हरि-मतीवृत्तान्ते यथा—' कहकर एक अंश उद्धृत किया, पुनः ३०वें अध्याय में 'सभ्रातस्वरितमसी...' पद्य को शूद्रकचरित् नामक काव्यायिका से उद्धृत बताया है। आचार्य हेमचंद्र ने भी अपने काव्यानुशासन में शूद्रककथा का 'भानंद. पञ्चशिक्षस्य शूद्रककथायाम्' कहकर उल्लेख किया है। अनंत कवि कृत 'बीरचरित्' नामक महाकाव्य में शकप्रवर्तक शालिवाहन के मित्र रूप में शूद्रक का वर्णन किया और साथ ही यह भी कहा है कि शालिवाहन के पुत्र शक्तिकुमार के उद्दंड हो जाने पर शूद्रक ने उसे पदच्युत कर स्वयं राज्यासन ग्रहण किया था। पाजिटर के मत से कातत्र व्याकरण के प्रवर्तक हाल सातवाहन इसवी पहली शताब्दी के राजा हुए जो प्रांथ नरेशों की परंपरा में १०वें राजा थे और कातत्र पद्मति का उपहास करनेवाले महाराज शूद्रक उनके समकालिक थे ( ब्यूहलर—कश्मीर विवरण )। पुराणों के आधार पर महाराज शिवस्वाती के समकालिक महाराज शूद्रक के होने का प्रमाण मिलता है। पाजिटर शिवस्वाती का काल इसवी सन का प्रारंभ मानते हैं अतः शूद्रक की तिथि ईसा पूर्व ठहरती है। मासेन शूद्रक का काल सन् १५० ई० के लगभग तथा विलसन स्कंदपुराण के आधार पर ई० सन् १९० मानते हैं। विल्फर्ड का मत है कि शूद्रककाल ईसा पूर्व १-३ शताब्दी के मध्य है। नक्षत्रगणना के आधार पर श्री पाठक महोदय शूद्रक का समय ईसा पूर्व ३री शताब्दी निर्धारित करते हैं। मोनियर विलियम्स 'इंडियन विडरम' नामक ग्रंथ में शूद्रक का अस्तित्व ई० प्रथम शताब्दी में सिद्ध करते हैं। प्रिसेप, रेगनांग, पिशेल एवं मैकडोनल आदि लेखकों के मत में ई० २०० से ई० ६०० के बीच की विभिन्न तिथियां शूद्रक के संबंध में कल्पित की गई हैं। अतएव अधिकांश प्रमाण इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि शूद्रक एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उनका प्राविर्भावकाल इसवी सन् के प्रारंभ के लगभग निश्चित होता है। इससे यह भी निर्विवाद है कि मृच्छकटिक उनकी ही मौखिक कृति है जिसका संक्षेप केरल के चक्रियार (नटमंडली) द्वारा अभिनयाथ नाटकीय शैली में प्रसारित किया गया जो त्रिवेद्रम रूपकसंग्रह में सगृहीत उपलब्ध होने मात्र से भास की रचना माना जा रहा है।

अशमकवासी विप्रकुल में प्रसूत शूद्रक राजकुमार स्वाती के साथ शीघ्र में संवधित हुए और उनका एक अमिन्नहृदय मित्र बहुदत्त नामक विप्र था। कहा जाता है कि एक बार संचालिका नामक भदंत ने शूद्रक को किसी कंदरा में बंद कर बंध करना चाहा था, परंतु अपने पराक्रम से उसे परास्त कर शूद्रक बंध निकले और अनेक देशों का पर्यटन करते हुए उज्जयिनी पहुँचे और वहाँ के राजा को पदच्युत कर स्वयं राज्यास्य हुए। वह ऋक्साम के विद्विष्ट वेत्ता थे और श्रौत परंपरा से उन्होंने अनेक याग किए और धर्ममेध भी किया। वह शतायु हुए। वस्तुतः वही सकारि महाराज शूद्रक थे जो विक्रमादित्य प्रथम कहलाए तथा विक्रम संवत् के प्रवर्तक हुए। महाराज समुद्रगुप्त स्वयं अपने कृष्णचरित् काव्य के आरंभ में

शून्य का उल्लेख करते हुए लिखते हैं — “वस्तरं स्वं शकाम् जित्वा प्रावर्तयत वैक्रमम्” । ब्रिटिश म्युजियम में सुरक्षित हस्तलिखित ‘सुमतिबंध’ में ‘राजा शून्यक देवश्च वर्षसताम्बि चाश्विनो’ और यत्नयकृत ज्योतिषदर्पण (पृष्ठ ७१) में ‘बासाक्षिबुसुखसोनाः शून्यकाब्दाः क्लेशगताः’ आदि सुदृढ़ लिखित प्रमाणों के आधार पर संवत्प्रवर्तक महाराज शून्यक का व्यक्तित्व सिद्ध होता है ।

[ सु० ना० शा० ]

**शून्य (Zero)** वह अंक (०) है, जिसका मान ‘कुछ नहीं’ है । इसके प्राविष्कार के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना सब मानते हैं कि अन्य अंकों की भांति इसकी खोज भी भारत में हुई । ब्रह्मगुप्त (५९८ ई०) को शून्य की संकल्पना का शोध था । अरबवासियों ने भारत से शून्य तथा अन्य अंकों को लिया और उनका तथा स्थैतिक मान (position value) के आधार पर संख्या लेखन का प्रचार ७१९ ई० से स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों में किया । १२वीं शताब्दी के महानतम, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की क्रियाओं के ८ नियम दिए हैं । ऐसे भिन्न को, जिसका हर (denominator) शून्य और अंश (numerator) कोई अन्य संख्या हो, आर्यभट्ट ने अनंत (Infinity) की संज्ञा दी थी । शून्य को अरबवासियों ने सिफर कहा और उसके लैटिन अनुवाद के अपभ्रंश से अंग्रेजी रूपांतर जीरो बना । ज्ञान-विकास के इतिहास में शून्य और अंकों के स्थैतिक मान के प्राविष्कार का प्रमुख स्थान है ।

सं० अ० — कैंटर : हि० द्वी अॉव मैथेमेटिक्स; डिकसन : हि० द्वी अॉव दि थ्योरी अॉव नंबर्स; बि० दत्त और ए० एन० सिंह : हि० द्वी अॉव हि० द्वी मैथेमेटिक्स ( १९३५ ई० ); जे० एफ० स्कॉट : ए हि० द्वी अॉव मैथेमेटिक्स ( १९५८ ई० ) । [ ह० चं० गु० ]

**शूर्पणखा** ( जिसके नख सूय जैसे लगे चोड़े हों ) रावण की बहन जो राम तथा लक्ष्मण द्वारा प्रेमप्रस्ताव में निराश्रत होने पर सीता की ओर भ्रष्टा थी । तब लक्ष्मण ने इसके नाक कान काट लिए और यह रोती हुई अपने भाई के पास गई । राम-रावण-युद्ध का तात्कालिक कारण यही हुई थी । [ रा० द्वि० ]

**शून्य** लौकिक व्यवहार का शब्द है, जो कालांतर से उदर में होने-वाली तीव्र पीड़ा के आक्रमणों का द्योतक है, जिसका कारण कम-हीन और अभ्यवस्थित संकोच होता है । उदर में चार अंगों में इस प्रकार की पीड़ा होती है । संबंधित अंगों के अनुसार शून्य आंत्रिक (intestinal), पैंतिक (biliary), वृकीय (renal) और उंडकी (appendicular) कहलाता है । रोगी भला चंगा स्वस्थ दशा में होता है । अकस्मात् बिना किसी पूर्वलक्षण के पीड़ा, जो दाहण होती है, प्रारंभ हो जाती है, जिससे रोगी छट-पटाता है ।

आंत्रिक शून्य, अग्रांत में ऐंठन होने से होता है । यह ठहर-ठहर-कर, नाभि के भागों और प्रतीत होता है । पैंतिक शून्य उस समय होता है, जब कोई छोटी अशमरी पैंतिक या संयुक्ता पैंतिक नलिका में होकर, पिच्छाशय से अग्न्याशय में जाती है । नलिका से अशमरी के

निकल जाने के पश्चात् शून्य बंद हो जाता है । यह शून्य उदर के दाहिने पाश्वर्क में तथा दाहिने स्कंध में प्रतीत होता है । बाईं ओर भी शून्य प्रतीत हो सकता है ।

वृकीय शून्य, अशमरी के वृक से गवीनी में चले जाने पर एवं वहाँ पर छटक जाने से होता है और वहाँ से निकलकर अशमरी के मूत्राशय में चले जाने पर शून्य का अंत हो जाता है । शून्य बाएँ कटि प्रांत में पीछे की ओर प्रारंभ होकर, नीचे और सामने शिथल की नोक की ओर जाता प्रतीत होता है । उंडकी शून्य दाहिने श्रोणि-खात (fossa) में परिमित रहता है । शामक मोचकियों और स्थानीय रेंक से सब दशाओं में लाभ होता है । [ शि० अं० मि० ]

**शूलपर्णी (Holly)** आइलेक्स (Ilex) जीनस का सामान्य नाम है । यह दोनों गोलार्धों के उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधों में पाया जाता है । यह अपनी सुंदर पत्तियों एवं आकर्षक लाल बेरियों के कारण लगाया जाता है । इस वंश के वृक्ष या क्षुप (shrub) पर्णपाती (deciduous), या सदाहरित होते हैं । पर्णपाती स्पीशीज अधिकांशतः क्षुप होते हैं, जबकि सदाहरित स्पीशीज के वृक्ष छोटे, या मध्यम ऊँचाई के, होते हैं । वृक्ष की ऊँचाई प्रायः ५० से ५० फुट तथा कभी कभी १०० फुट तक होती है । शूलपर्णी के पादप एकलिंगी या उभयलिंगी (hermaphrodite) होते हैं ।



अ



ब

आइलेक्स (Ilex)

अ. पुष्प बिज तथा ब. पुष्प ।

इसकी पत्तियाँ प्रायः घरीय, पुष्प हरे तथा लाल, काली या कभी कभी पीली बेरियाँ होती हैं, जो शीत ऋतु पर्यंत ठालियों पर रहती हैं । इस वृक्ष की लकड़ी, कठोर, भारी, सफेद तथा सुंदर गठन वाली होती है, जिसका उपयोग मापने के पैमाने को बनाने तथा फर्निचरों में अस्तर देने के लिये होता है । बनीचों में बाढ़ लगाने के लिये शूलपर्णी का उपयोग किया जाता है । पतझड़ या वसंत ऋतु सदाहरित स्पीशीज लगाने का सर्वोत्तम समय है । शूलपर्णी के लगभग ३०० स्पीशीज ज्ञात हैं । [ अ० ना० मे० ]

**शूर्पी (१)** ऋषि विनायक के पुत्र जो महाराज दशरथ के दामाद थे । इनका नाम ऋष्य शूर्ग भी था । माता का विवाह इनके साथ कर दिया गया था । अयोध्या के राज्य में जब कई वर्ष तक अवर्षण चल रहा था तब इन्हें ही लाकर वर्षा कराई गई थी । इनका आश्रम आज तक सरयू के तट पर अयोध्या से कुछ दूर पूर्व है । (२) कमीक ऋषि के पुत्र जिनके माप से अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को तपक ने उसा था । [ रा० द्वि० ]

**शुभेरी** मैसूर राज्य के बिक्रमगलूर जिले का एक नगर है । जनसंख्या ३३५३ (१९६१) । श्री संकराचार्य ने यहाँ कुछ दिन बाध

किया था और शृंगेरी तथा शारदा मठों की स्थापना की थी। नौ मील पश्चिम की ओर, शृंगेरि पहाड़ी पर, शृंगी ऋषि (ऋष्यशृंग) का जन्म हुआ था।

**शैली प्रांत** कौशी का अर्ध है मान के पश्चिम। ७५,००० वर्ग मील क्षेत्रफल तथा १,००,००,००० जनसंख्या वाला यह चीन का एक प्रांत है। यह मध्य चीन के उत्तर पश्चिम में है। इसकी राजधानी सिआन है। इसके पूर्व में शांसी, दक्षिण-पूर्व में होमान और रूपे, दक्षिण में सेचवान, पश्चिम में कांयू तथा उत्तर पश्चिम में निगसिया सुइयुआन हैं। कौशी के दो प्राकृतिक विभाग हैं: पूर्व और पश्चिम। वी नदी बांटी, जो इस प्रांत का आर्थिक केंद्र है, इसका विभाजन करती है। इसकी जलवायु पर निकटवर्ती मरुभूमि का प्रभाव है, जिससे जाड़े में जलवायु सूखी, ठंडी और लूफानी रहती है। गेहूँ तथा बाजरा मुख्य उपज है। यह प्रांत चीन का प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र है। येनचांग एवं येनचान मुख्य तेलकेंद्र हैं। यहीं देश का एक तिहाई कोयला मिलता है। यहाँ लोहा भी मिलता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में यह प्रांत स्वतंत्र रहा। [ पु० क० ]

**शेक्सपियर, विलियम ( १५६४-१६१६ )** ये जॉन शेक्सपियर तथा मेरी आर्सेन के ज्येष्ठ पुत्र एवं तीसरी संतान थे। इनका जन्म स्ट्रटफोर्ड एगन एवन में हुआ। बाल्यकाल में उनकी शिक्षा स्थानीय फ्री ग्रामर स्कूल में हुई। पिता की बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पाठशाला छोड़कर छोटे मोटे बंधों में लग जाना पड़ा। जीविका के लिये उन्होंने लंदन जाने का निश्चय किया। इस निश्चय का एक दूसरा कारण भी था। उन्होंने कदाचित् चार्ल कोट के जमींदार सर टामस जूसी के उद्यान से हिरण की चोरी की और कामूनी कार्यवाही के भय से उन्हें अपना जन्मस्थान छोड़ना पड़ा। उनका विवाह सन् १५८२ में एन हैयावे से हो चुका था। सन् १५८५ के लगभग शेक्सपियर लंदन आए। शुरु में उन्होंने एक रंगशाला में किसी छोटी नौकरी पर काम किया, किंतु कुछ दिनों के बाद वे लार्ड चेंबरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए और लंदन की प्रमुख रंगशालाओं में समय समय पर अभिनय में भाग लेने लगे। ग्यारह वर्ष के उपरांत सन् १५९६ में ये स्ट्रटफोर्ड एगन एवन लौटे और अब इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था सुधड़ बना दी। सन् १५९७ में इन्होंने न्यू प्लेस नामक विशाल भवन माल लिया जिसका इन्होंने धीरे धीरे नवनिर्माण एवं विस्तार किया। इसी भवन में सन् १६१० के बाद वे अपना आधिकारिक समय व्यतीत करने लगे और वही सन् १६१६ में उनका देहांत हुआ।

शेक्सपियर की रचनाओं के तिथिक्रम के संबंध में काफी मतभेद है। सन् १६१० में प्रसिद्ध विद्वान् सर ई० क० बीबर्स ने तिथिक्रम की जो तालिका प्रस्तुत की वह आज प्रायः सर्वमान्य है। तब भी इधर पिछले तीस वर्षों की खोज से तिथियों के संबंध में कुछ नवीन धारणाएँ बनी हैं। इन नई खोजों के आधार पर मैक मैन्वे महोदय ने एक नवीन तालिका तैयार की है जो सर ई० क० बीबर्स की सूची से कुछ भिन्न है।

सबभग २० वर्षों के साहित्यिक जीवन में शेक्सपियर की

सर्वनात्मक प्रतिभा निरंतर विकसित होती गई। सामान्य रूप से इस विकासक्रम में चार विभिन्न अवस्थाएँ दिखाई देती हैं। प्रारंभिक अवस्था १५६५ में समाप्त हुई। इस काल की प्रायः सभी रचनाएँ प्रयोगात्मक हैं। शेक्सपियर अभी तक अपना मार्ग निश्चित नहीं कर पाए थे, अतएव विभिन्न प्रचलित रचनाप्रणालियों को क्रम से कागिनिष्ठन करके अपना रचनाविधान सुस्थिर कर रहे थे। प्राचीन सुखांत नाटकों की प्रहसनात्मक शैली में उन्होंने 'दी कामेडी ऑफ एरर्स' और 'दी टेमिंग ऑफ दी सू' की रचना की। तदुपरांत 'जस्य जेक्स जॉस्ट' में इन्होंने लिली के दरबारी सुखांत नाटकों की परिपाटी अपनाई। इसमें राजदरबार का वातावरण उपस्थित किया गया है जो चतुर पात्रों के रोचक वार्तालाप से परिपूर्ण है। 'दी ट्रु ब्रैडिक्लेम ऑफ बेरोन' में ग्रीन क स्वच्छदतावादी सुखांत नाटकों का अनुकरण किया गया है। दुखांत नाटक भी अनुकरणात्मक हैं। 'रिचर्ड' तृतीय' में मालों का तथा टाइटस एंड्रानिकस' में क्रिड का अनुकरण किया गया है किंतु रोमियो एंड जुलियट' में भौलिकता का अंश अपेक्षाकृत अधिक है। इसी काल में लिखी हुई दोनों' प्रसिद्ध कविताएँ 'दी रेफ ऑफ लुक्सीस' और 'वीनस एंड एडोनिस पर तरफालीन इटालियन प्रेमकाव्य की छाप है।

विकासक्रम की दूसरी अवस्था सन् १६०० में समाप्त हुई। इसमें शेक्सपियर ने अनेक प्रौढ़ रचनाएँ सत्तार को भेंट की। अब उन्होंने अपना मार्ग निर्धारित तथा आत्मविश्वास अर्जित कर लिया था। 'ए मिड समर नाइट्स ड्रीम' तथा 'दी मर्चेंट ऑव वेनिस' रोचक एवं लोकप्रिय सुखांत नाटक हैं किंतु इनसे भी अधिक महत्त्व रखनेवाले शेक्सपियर के सर्वोत्कृष्ट सुखांत नाटक 'मच एंडो एबाउट नथिंग', 'ऐज यू लाइव इट' तथा 'ट्रैबुलस नाइट' इसी काल में लिखे गए। इन नाटकों में कवि की कल्पना तथा उसके मन के ग्राह्याद का उत्तम प्रकाशन हुआ है। सर्वोत्तम ऐतिहासिक नाटक भी इसी समय लिखे गए। मालों से प्रभावित 'रिचर्ड' द्वितीय' उसी अंश की पूर्ववर्ती कृति 'रिचर्ड' तृतीय' से रचनाविन्यास में कहीं अधिक सफल है। 'हेनरी चतुर्थ' के दोनों भाग और 'हेनरी पंचम' जो सुविध्यात ऐतिहासिक नाटक हैं, इसी काल की रचनाएँ हैं। शेक्सपियर के प्रायः सभी सानेट, जो अपनी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिये अनुपम हैं, सन् १५६५ और १६०७ के बीच लिखे गए।

तीसरी अवस्था, जिसका अंत लगभग १६०७ में हुआ, शेक्सपियर के जीवन में विशेष महत्त्व रखती है। इन वर्षों में पारिवारिक विपत्ति एवं स्वास्थ्य की खराबी के कारण कवि का मन अवसन्न था। अंत इन दिनों की अधिकांश रचनाएँ दुःखांत हैं। जगद्विख्यात दुःखांत नाटक हैमलेट, आथेल्डो, किंग लिअर और मेकबेथ एवं रोमन दुःखांत नाटक जूलियस सीजर, एडोनी एंड क्लियोपाट्रा एवं कोरिओलेनस इसी कालावधि में लिखे गए और अभिनीत हुए। ट्रवायलस एंड क्रैसिडा, आक्स वेल्स दैट एंड्स वेल्स और मेजर फार मेजर में सुख और दुःख की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है, तब भी दुःखद अंश का ही प्राधान्य है।

विकास की अंतिम अवस्था में शेक्सपियर ने पेरिक्लिस, सिबेला, दी ब्रिदर्स टेक, दी टेंपेस्ट प्रभृति नाटकों का सर्वान्वेषण,

भी सुखांत होने पर भी दुःखद संभावनाओं से भरे हैं एवं एक साँझ वातावरण की सृष्टि करते हैं। इन सुखांत दुःखांत नाटकों को रोमांस प्रथवा शेक्सपियर के अंतिम नाटकों की संज्ञा दी जाती है।

शेक्सपियर के सुखांत नाटकों की अपनी निजी विशेषताएँ हैं। यद्यपि श्री कामेबी भाष्य परसै में प्लाटस का अनुसरण किया गया है तथापि अन्य सुखांत नाटक प्राचीन क्लासिकी नाटकों से सर्वथा भिन्न हैं। इनका उद्देश्य प्रहसन द्वारा कुरूपताओं का मिटाना तथा क्रुटियों का सुधार करना नहीं वरन् रोचक कथा और चरित्रचित्रण द्वारा लोगों का मनोरंजन करना है। इस प्रकार के प्रायः सभी नाटकों का विषय प्रेम की ऐसी तीव्र अनुभूति है जो युवकों और युवतियों के मन में सहज आकर्षण के रूप में स्वतः उत्पन्न होती है। प्रेमी जनों के मार्ग में पहले तो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं किंतु नाटक के अंत तक कठिनाइयाँ विनष्ट हो जाती हैं और उनका परिणय संपन्न होता है। इन रचनाओं में जीवन की कवित्वपूर्ण एवं कल्पना-प्रचण अभिव्यक्ति हुई है और समस्त वातावरण आह्लाद से भ्रोत-भ्रोत है। शेक्सपियर का परिचय कतिपय उच्चवर्गीय परिवारों से हो गया था और उनमें जिस प्रकार का जीवन उन्होंने देखा उसी का प्रकाशन इन नाटकों में किया है।

दुःखांत नाटकों में मानव जीवन की गंभीर समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इन नाटकों के अभिजात कुत्रोटवन्न नायक कुछ समय तक सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के उपरांत यातना और विनाश के शिकार बनते हैं। उनके दुःख और मृत्यु के क्या कारण हैं, इस विषय पर शेक्सपियर का मत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। नायक का दुर्भाग्य अंशतः प्रतिकूल नियति एवं परिस्थितियों से उद्भूत है, किंतु इससे कहीं बड़ा कारण उसकी चारित्रिक दुर्बलता में मिलता है। प्राचीन यूनानी दुःखांत नाटकों में नायक केवल क्रुटिपूर्ण निर्णय अथवा क्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण विनष्ट होता था परंतु, कदाचित् ईसाई धर्म और नैतिकवाद से प्रभावित होकर, शेक्सपियर ने अपने नाटकों में नायक के पतन की प्रधान जिम्मेदारी उसकी चारित्रिक दुर्बलता पर ही रखी है। हैमलेट, आथेनो, सियर और मैकबेथ — इन सभी के स्वभाव अथवा चरित्र में ऐसी कमी मिलती है जो उनके कष्ट एवं मृत्यु का कारण बनती है। इन दुःखांत नाटकों में दुःख अंध परिदृष्टि का है, आंतरिक अंध पुष्क बाह्य अंध। आंतरिक अंध नायक के मन में, उसके विचारों और भावनाओं में उत्पन्न होता है और अपनी तीव्रता के कारण न केवल निर्णय कठिन बना देता है अपितु कुछ समय के लिये नायक को आमूल विचलित भी कर देता है। इस प्रकार के आंतरिक अंध के कारण नाटकों में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और रोचकता का आविर्भाव हुआ है। बाह्य अंध बाहरी शक्तियों की स्पर्श और उनके संघर्ष से उत्पन्न होता है, जैसे दो विरोधी राजनीतिक दलों अथवा सेनाओं का पारस्परिक विरोध। शेक्सपियर के प्रमुख दुःखांत नाटकों में रक्तपात एवं भयावह दृश्यों की अवतारणा के कारण अत्यंत भासकपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है। इसी भाँति हत्या और प्रतिशोध संबंधी दृश्यों के समावेश से भी भयसाद का पुट नहरा हो गया है। इन सभी विशेषताओं और उपकरणों को शेक्सपियर ने कतिपय पुराने नाटकों तथा सेनेका, किड, मार्लो आदि नाटककारों से ग्रहण किया था और सामयिक लोकचर्चा


को ध्यान में रखकर ही उनका उपयोग अपने नाटकों में किया था। दुःखांत नाटकों की जिन विशेषताओं का उल्लेख हमने यहाँ किया है वे न केवल हैमलेट, आथेनो, किंग सियर, और मैकबेथ में मिलती हैं वरन् रोमियो ऐंड जुलियट तथा इंग्लैंड और रोम के इतिहास पर आधारित दुःखांत नाटकों में भी आंशिक रूप में विद्यमान हैं।

शेक्सपियर ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की उनमें कई रोमन इतिहास विषयक हैं। इन रोमन नाटकों के लेखन में शेक्सपियर ने इतिहास के तथ्यों को थोड़ा बहुत बदल दिया है और कतिपय स्थलों पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जीवन का जो चित्र उपस्थित किया गया है वह प्राचीन रोम का नहीं अपितु ऐलिज-बेथ कालीन इंग्लैंड का है। इतना होने पर भी ये नाटक सर्वैव लोकप्रिय रहे हैं, विशेषकर जुलियस सीजर तथा एंटोनी ऐंड क्लियोपाट्रा। एंटोनी ऐंड क्लियोपाट्रा कवित्वपूर्ण अंशों से भरा पडा है तथा क्लियोपाट्रा की चरित्रकल्पना अत्यंत प्रभावोत्पादक है। टाइमन आँव एथेंस और पेरिक्लिस में यूनानी इतिहास की घटनाओं का निरूपण किया गया है। अंग्रेजी इतिहास पर आधारित नाटकों में कुछ तो ऐसे हैं जो केवल आंशिक रूप में शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं किंतु हेनरी चतुर्थ के दोनों भाग और हेनरी पंचम पूर्ण रूपेण शेक्सपियर द्वारा प्रणीत हैं। इन तीनों नाटकों में कवि को महान् सफलता मिली है। इनमें शौर्य और संमानभावना का अत्यंत आकर्षक प्रतिपादन हुआ है और फाल्स्टाफ का चरित्र अत्यंत रोचक एवं स्पृहणीय है। रिचर्ड तृतीय और रिचर्ड द्वितीय में मार्लो का अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया है। शेक्सपियर के पूर्व के अधिकार अंग्रेजी ऐतिहासिक नाटकों में तथ्यों और घटनाओं का निर्जीव चित्रण रहता था तथा कोरी इतिवृत्तात्मकता के कारण वे नीरस होते थे। शेक्सपियर ने इस प्रकार के नाटकों को जीवंत रूप देकर चमत्कार-पूर्ण बना दिया है।

अंतिम नाटकों में शेक्सपियर का परिपक्व जीवनदर्शन मिलता है। महाकवि को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए थे जिनकी झलक उनकी क्रुटियों में दिखाई पड़ती है। प्रणय विषयक सुखांत नाटकों में कल्पनाविलास है और कवि का मन ऐश्वर्य और धौवन की विलासिता में रमा है। दुःखांत नाटकों में ऐसे दुःखद अनुभवों की अभिव्यक्ति है जो जीवन को विषाक्त बना देते हैं। शेक्सपियर के कृतिव की परिणति ऐसे नाटकों की रचना में हुई जिनमें उनकी सम्यक बुद्धि का प्रतिफलन हुआ है। कवि अथ अपनी विवेकपूर्ण दृष्टि से देखता है कि जीवन में सुख और दुःख दोनों अनिविष्ट रहते हैं, अतः दोनों ही क्षणिक हैं। जीवन में दुःख के बाद सुख आता है, अतएव विचार और व्यवहार में समस्त वांछनीय है। इन अंतिम नाटकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंसा और प्रतिशोध की अपेक्षा दया और क्षमा अधिक श्लाघनीय हैं। अपने गंभीर नैतिक संदेश के कारण इन नाटकों का विशेष महत्व है।

शेक्सपियर के नाटक स्वच्छंदतावादी हैं तथा प्राचीन यूनानी और लैटिन नाटकों की परंपरा से पुष्क हैं। अतः उनमें वस्तुविन्यास की शास्त्रीय विशेषताओं को ईदना उचित नहीं है। केवल अपने अंतिम नाटक 'ही टैथेल्स' में उन्होंने तीनों अभिव्यक्तियों का निर्वाह किया है।

विलियम शेक्सपियर ( देखें पृष्ठ २९६ )



केदार शर्मा ( देखें पृष्ठ २२६ )



चंद्रशर शर्मा गुलेरी ( देखें पृष्ठ २२६ )



प्रायः सभी अन्य नाटकों में केवल कार्यान्विति का ध्यान रखा गया है, समय और स्थान की दृष्टि से वे नितांत निर्बंध हैं। कथावस्तु में सदैव पर्याप्त विस्तार मिलता है और सामान्यतः उसमें कई कथाएं अंतर्निहित रहती हैं। उदाहरणार्थ हम ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, द्री मर्चेड भाष बेनिस, ऐज़ थू साइक इट प्रथवा किंग लियर को ले सकते हैं। इन सभी में अनेक कथाओं के मिश्रण द्वारा वस्तु-निर्माण संभव हुआ है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि शेक्सपियर के नाटकों की बनावट अतृप्तपूर्ण है। अंतःकथाओं का नाट्यवस्तु में सुंदर, कलापूर्ण रीति से गुंफन किया गया है तथा संपूर्ण कथानक से संकलित एकता का आभास मिलता है। शास्त्रीय अर्थ में अन्वितियों का अभाव होने पर भी इन स्वच्छंदतावादी नाटकों में भावनात्मक तथा कल्पनात्मक एकीकरण हुआ है।

पात्रकल्पना में शेक्सपियर को और भी अधिक सफलता मिली है। अपने नाटकों में उन्होंने अनेक आकर्षक पात्रों की सृष्टि की है जो अपने जीवंत रूप में हमारे सामने आते हैं। समय के साथ चरित्र-निरूपण की प्रक्रिया अधिकाधिक सूक्ष्म एवं कलात्मक होती गई। उदाहरण के लिये हम सुखात नाटकों में समाविष्ट रोज़ालिन, पोमिया, विद्यार्द्रम, रोज़ालिड, वायला प्रभृति प्रगल्भा नारियों को ले सकते हैं जो अपनी प्रखर बुद्धि और वाक्चातुरी का परिचय निरंतर देती हैं। दूसरी कोटि की वे नारियाँ हैं जिनके अनुपम सौंदर्य और संकटपूर्ण अनुभवों के कारण मन में करुणा का उद्रेक होता है। ऐसी नारियों में प्रमुख हैं जुलिएट, ओफ़ेलिया, डेसडिमोना, कार्डिलिया, इमोजेन इत्यादि। दुखात नाटकों में चरित्रचित्रण का अत्यधिक महत्व है। उदाहरण के लिये हम हैमलेट को ले सकते हैं। नाटक की समस्त घटनाएँ नायक के चरित्र पर केंद्रित हैं और उसी के व्यक्तित्व के प्रभाव से कथा का विकास होता है। अंशतः यही बात अन्य दुखात नाटकों के लिये भी सत्य है। प्राचीन यूनानी नाटकों में अनेक स्मरणीय पात्र मिलते हैं किंतु नैतिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के सहारे अंकित किए हुए शेक्सपियर के प्रमुख पात्र कहीं अधिक रोचक एवं आकर्षक हैं। आंतरिक द्वंद्व के उपयोग से दुखात नाटकों की पात्र-कल्पना और भी अधिक चमत्कारपूर्ण हो गई है। शेक्सपियर के नाटकों के कुछ अन्य पात्र भी उल्लेखनीय हैं जैसे विदूषक और ललनायक। विदूषकों में फाल्स्टाफ टचस्टोन, पेस्टे और किंग लियर का स्वामिभक्त विदूषक आदि महत्वपूर्ण हैं। ललनायकों में रिचर्ड तृतीय, इगानो, एडमंड इत्यादिमें आदि की गणना होती है। जैसा हैजलिट ने लिखा है, शेक्सपियर की शक्ति का पता इससे लगता है कि न केवल उनके महत्वपूर्ण पात्रों में वैशिष्ट्य है वरन् उनके बहुसंख्यक लघु पात्र भी अपना निजी महत्व रखते हैं।

यद्यपि शेक्सपियर के नाटकों में कहीं कहीं गद्य का प्रयोग हुआ है, तब भी वे मूलतः काव्यात्मक हैं। उनका अधिकांश भाग छंदोबद्ध है। यही नहीं, प्रायः सभी नाट्य रचनाएँ काव्यात्मक गुणों से भरी पड़ी हैं। कल्पना का प्रकाशन, आलंकारिक अभिव्यक्ति, समी-तारमक लय तथा कोमल भावनाओं के निरूपण द्वारा शेक्सपियर ने मनोमुग्धकारी प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। प्राचीन काल से नाटकों को कविता का एक नैव मात्र मानते आए थे और शेक्सपियर ने

प्राचीन धारणा स्वीकार की। गद्य का प्रयोग यदा कदा विशेष प्रयोजन से हुआ है। किंतु सामान्य रूप से हम शेक्सपियर के नाटकों को काव्यनाट्य की श्रेणी दे सकते हैं। काव्यतरंग शुरू में अत्यधिक था किंतु शनैः शनैः उसका रूप संयत हो गया और प्रयोजन के विचार से उसका नियंत्रण होने लगा। इसी भाँति शेक्सपियर की शैली में भी विकास हुआ। अपनी युवावस्था में उन्होंने सौंदर्य को शैली में समाविष्ट करने के लिये निरंतर प्रयास किया; फलतः प्रारंभिक नाटकों में विस्तृत वर्णन एवं सुंदर रूपकों का बाहुल्य है। अपनी प्रतिभा की प्रौढ़ावस्था में जब शेक्सपियर अपने प्रसिद्ध दुखात नाटकों की रचना कर रहे थे उस समय तक उनकी शैली संतुलित हो गई थी। प्रारंभिक अवस्था में अभिव्यक्ति का अधिक महत्व था और विचारों का कम। किंतु इस माध्यमिक काल में विचारों, भावों तथा अभिव्यक्ति के साधनों का सम्यक् समन्वय हुआ है। यह संतुलित व्यवस्था अंतिम नाटकों में फिर बिगड़ जाती है। अपने सर्वनात्मक काल के अंतिम वर्षों में शेक्सपियर का ध्यान विचारों और नैतिक प्रतिमानों पर केंद्रित था और उन्होंने शैलीगत चमत्कार की उपेक्षा की। इसीलिये अंतिम नाटकों की शैली कहीं कहीं अलग हो गई है।

शेक्सपियर ने अपने नाटक मुख्यतः रंगमंच पर अभिनय के लिये लिखे थे, यद्यपि काव्यात्मक गुणों के कारण हम उनमें पठन द्वारा भी आनंद प्राप्त करते हैं। तरकालीन रंगमंच की बनावट, अभिनय की व्यवस्था, दर्शकों की लोकसक्ति, इन सभी का प्रभाव शेक्सपियर के नाट्यनिर्माण पर पड़ा। दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। उस समय रंगे हुए परदों का उपयोग नहीं होता था, इसलिये नाटकों में अनेक वर्णनात्मक अंशों का समावेश हुआ है। इन्हीं वर्णनों द्वारा स्थान, काल और परिस्थिति का संकेत होता था। नाटकों में स्वगत एवं स्वभाषित का निरंतर उपयोग इसीलिये संभव हो सका कि रंगमंच का घगला त्रिकोणाकार भाग प्रेक्षकों के बीच तक आगे बढ़ा रहता था। कई पुष्प और नारी पात्रों का सर्जन शेक्सपियर ने केवल इसलिये किया कि उनके उपयुक्त अभिनेता उपलब्ध थे। दर्शकों के मनोरंजनार्थ अनेक दृश्यों की अवतारणा हुई है जिनमें रंगमंच पर उत्तेजक एवं मनोरंजक परिस्थितियों का प्रदर्शन हुआ है। आज के यथायंवादी रंगमंच की भाँति एलिजबेथ युगीन रंगमंच चतुर साधनों तथा निश्चित व्यवस्था द्वारा बँधा हुआ था। अभिनय और प्रदर्शन दोनों ही अपेक्षाकृत उन्मुक्त थे, इसलिये शेक्सपियर के नाटकों में पर्याप्त ऋजुता मिलती है।

प्रायः सभी प्रकार के नाटकों में महाकवि ने गेय मुक्तको का सज्जिवेश किया है जो अपने सौंदर्य और भाषुयों के लिये अनुपम हैं। इनके अतिरिक्त शेक्सपियर की विस्तृत कविताएँ हैं, जिनमें बिजस एंड एडोनिस्, द्री रेप ऑफ़ लुक्सीस तथा सानेट्स का उल्लेख आवश्यक है। ये सभी कृतियाँ १६वीं शताब्दी के अंतिम दशक की हैं जब शेक्सपियर का मन सौंदर्य एवं प्रणय के प्रभाव से आह्लाद-पूर्ण हो गया था। बिजस एंड एडोनिस् में एक प्राचीन प्रेमकथा को अत्यंत काव्यात्मक शैली से बलिष्ठ किया गया है। द्री रेप ऑफ़ लुक्सीस में एक परम सुंदरी रोमन महिला के दुर्भाग्य और मृत्यु की कथा है। सानेट्स में कुछ ऐसे हैं जो कवि के एक मित्र से संबंध

रखते हैं जिसने विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। शेक्स-पियर ने उसके रूप और गुणों की बर्षा करते हुए उससे अपना निश्चय बदलने के लिये भाग्रह किया है। सानेटों का दूसरा क्रम एक श्यामवर्ण महिला से संबंधित है जिसके प्रति कवि के मन में तीव्र भावपूर्ण उत्पन्न हुआ था किंतु जिसने उस स्नेह का आदर न करके कवि को उस मित्र को अपना प्रणय दिया, जिसको ध्यान में रखकर सानेटों का प्रथम क्रम लिखा गया था। शेक्सपियर ने इन सानेटों में अपनी भांतरिक भावनाओं का प्रकाशन किया है अथवा वे परंपरागत रचनाएँ मात्र हैं, यह प्रश्न अत्यंत विवादग्रस्त है।

शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सर्जनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। प्रकृति से उन्हें मानो वरदान मिला था अतः उन्होंने जो कुछ छू दिया वह सोना ही गया। उनकी रचनाएँ न केवल अंग्रेज जाति के लिये गौरव की वस्तु हैं वरन् विश्ववाङ्मय की भी अमर विभूति हैं। शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। अतः जहाँ एक ओर उनके नाटकों तथा उनकी कविताओं से आनंद की उपलब्धि होती है वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गंभीर जीवनदर्शन भी प्राप्त होता है। विश्वसाहित्य के इतिहास में शेक्सपियर के समकक्ष रहे जानेवाले विरले ही कवि मिलते हैं।

सं० सं० — ब्रंडले, ए० सी० : शेक्सपीरियन ट्रेजेडी (१६५२), निकोल, अलरडाइस : स्टडीज इन शेक्सपियर (१६२७), हैरिसन, जी०बी०, शेक्सपीयर्स ट्रेजेडीज (१६५१), वाक्ट, ग्रैनविले : प्रीफेसज शेक्सपियर। [ रा० अ० द्वि० ]

शेख अब्दुल हक मुहम्मिद देहलवी के पूर्वज बुखारा निवासी थे। उनके पिता शेख सैफुद्दीन एवं चाचा शेख गिफ्तुल्लाह मुस्ताफी बड़े विद्वान् थे। शेख रिफ्तुल्लाह हिंदी के भी कवि थे। राजन उनका उपनाम था और पैमान एवं ज्योतिर्निरंजन नामक दो काव्यों की उन्होंने रचना की थी। शेख अब्दुल हक का जन्म १५५१ ई० में हुआ था। अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि थी। १५८८ ई० में वे मकका गए और वहाँ शेख अब्दुल वह्हाब मुत्सद्दी से हदीस की शिक्षा ग्रहण की। १५९१ में वे दिल्ली लौट आए और आजीवन शिक्षा दीक्षा में व्यस्त रहे। खानेखाना एवं शेख फ़रीद बुखारी को इनपर बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने हदीस एवं मुहम्मद साहब की जीवनी से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें अशेषतुल्लम अत फ़ी शरहे मिशकात, एवं अदाबिजुनुबूवत बड़े महत्वपूर्ण हैं। मरजुल बहरेन नामक ग्रंथ में उन्होंने सूफियों एवं शालियों के पारस्परिक विरोध को दूर करने का प्रयत्न किया है। इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ अरुबासल अखियार फ़ी असरारसल अज़ार है। इनमें हिंदुस्तान के सूफ़ी संतों का बड़ा ही प्रामाणिक विवरण दिया है और उनकी रचनाओं के उद्धरणों का भी समावेश कर दिया है। जहाँगीर ने इस ग्रंथ की रचना के कारण उन्हें अपने राज्यकाल के १४ वें वर्ष में अत्यधिक संमानित किया किंतु अत में शेख के तथा जहाँगीर के संबंध खराब हो गए। उसने १६२७ ई० में उन्हें कश्मीर, जहाँ वह ठहरा था, बुलवाया। इसी बीच जहाँगीर की मृत्यु हो गई।

ऐसा ज्ञात होता है कि शेख की इस्लाम के शुद्धतम रूप की शिक्षा को जहाँगीर ने शासन के हित में न समझकर उनपर प्रतिबंध लगाना चाहा था। जून, १६४२ ई० में शेख की मृत्यु हो गई। शाहजहाँ के राज्यकाल के सभी इतिहासकारों ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है। [सं० अ० अ० रि०]

शेख अब्दुल सरहिदी (मुजहिद अन्फे सानी) का जन्म १४ शब्वाल, ९७१ हि० ( १६ मई, १५६४ ई० ) को सरहिद में हुआ, जो उस समय अकबर के विरोधी शेरशाहों का केंद्र था। शेख अब्दुल ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता शेख अब्दुल अहद से प्राप्त की जो चिश्ती एवं क़ादिरि सिलसिले के अनुयायी थे। कुछ समय के लिये वे भागरा भी पहुँचे किंतु वहाँ का 'सुलह कुल' ( सब धर्मों के प्रति शांति ) का वातावरण उन्हें पसंद न आया और वे सरहिद लौट गए। १७ रजब, १००७ हि० ( १३ फरवरी, १५९६ ई० ) को उनके पिता की मृत्यु हो गई और साल भर बाद वे हज के लिये चल सके हुए। दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्लाह नामक नक़्शबंदी सूफ़ी से प्रभावित होकर हज का विचार त्याग दिया और ख्वाजा साहब की मृत्यु ( नवंबर, १६०३ ई० ) के पश्चात्, ख्वाजा साहब के प्राचीन शिष्यों के घोर विरोध के बावजूद, उनके उत्तराधिकारी बने। शेख साहब का विचार था कि १००० वर्ष बीत जाने के कारण तथा अकबर की 'सुलह कुल' की नीति से इस्लाम भ्रष्ट हो गया है। इस्लाम के शुद्धतम रूप को बसाने के लिये उन्होंने अपनी उपाधि मुजहिद अन्फेसानी ( इस्लाम के दूसरे हज़ारे का पुनरुत्थान करनेवाला ) रखी। अकबर की मृत्यु के उपरांत उन्होंने शेख फ़रीद बुखारी, साला बेग ( जहाँगीर कुली खाँ ), मीरान सद्देजहाँ, मिर्जा अलीज कोका को इस आशय के पत्र लिखे कि जहाँगीर के राज्यकाल के प्रारंभ में ही इस्लाम के शुद्धतम रूप को प्रचलित करने का दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए; खाने खाना, उसके पुत्र मिर्जा दाराब, कुलीज खाँ, ख्वाजये जहाँ तथा खाने जहाँ को लिखे पत्रों में भी उन्होंने इस्लाम के शुद्धतम रूप की उन्नति पर जोर दिया जिसकी परिभाषा किसी काल में भी एकमत से नहीं स्वीकार की गई। बुरे आलिमों तथा सूफ़ियों को भी उन्होंने फटकारा किंतु किसी भी बुरे आलिम तथा सूफ़ी का नाम नहीं लिखा। इन पत्रों को साधारण रूप से पढ़नेवालों का विचार है कि मुजहिद के समकालीन अमीरों ने उनके विचारों का अत्यधिक प्रचार किया, किंतु इन अमीरों की जीवनियों का विशेषण करने से पता चलता है कि वे अकबर की नीति का, जिसका जहाँगीर पोषक रहा, पालन करते रहे; यहाँ तक कि शेख फ़रीद बुखारी भी, जिन्हें ख्वाजा बाकी बिल्लाह एवं मुजहिद पर बड़ी श्रद्धा थी, मुजहिद की शिक्षा को व्यावहारिक नहीं समझते थे। जब इनके पत्रों का प्रथम संग्रह लोगों के हाथों में पहुँचा तो इनकी बड़ी आलोचना हुई और १६१६ ई० में जहाँगीर ने उन्हें खालियार के किले में बंदी बना दिया, किंतु साल बंद साल में जब सोग जात हो गए तो उन्हें सेना के शिविर में रहने अथवा घर चले जाने की अनुमति दे दी। वे सेना के साथ कुछ वर्ष रहे और सेना में प्रचार से संतुष्ट थे, किंतु जहाँगीर की धार्मिक नीति में अंत तक कोई परिवर्तन नहीं देख पड़ता। १६२४ ई० में मुजहिद की मृत्यु हो गई।



सं० अं० — मुजहिद् के पत्रों का संग्रह, ३ भाग; मुहम्मद हाशिम : जुब्दतुल मकामात; बहूद्दीन सरहिदी : हजरतुलकुदस; भीर अली अकबर हुसेनी : मजमउल अलीया; मुहम्मद अमीन बदख्शी; मनाकिबुल हजरात; बुरहानुद्दीन अहमद फरूकी : दि मुजहिद्स कनसेप्शन अर्थ टीहीद; सं० अं० रिजवी : मुस्लिम रिवाइबलिस्ट मुवमेंट्स इन नादरन इंडिया इन दि सिक्सटीथ ऐंड सेवेंटीथ सेंचुरीज । [ सं० अं० अं० रि० ]

**शेख फख्रुद्दीन ईराकी** आपका नाम तो 'फख्रुद्दीन था किंतु आपकी ख्याति 'ईराकी' उपनाम से हुई। आप हमदन के रहनेवाले और शेख शिहाबुद्दीन मुहब्बदी के शिष्य थे। १७ वर्ष की उम्र में आपने अपनी पढ़ाई समाप्त की और स्वयं अपने मदरसे की स्थापना की। बाद में आप मुल्तान गए और वहाँ शेख बहाउद्दीन जकरिया के साथ रहने लगे। उन्होंने आपकी खिलाफतनामा का बरदान दिया और अपनी लड़की का विवाह भी आपके साथ कर दिया।

शेख बहाउद्दीन जकरिया की मृत्यु हो जाने पर आप जियारत करने एशिया माइनर चले गए और वहाँ सदरुद्दीन कौनवी के साथ रहने लगे। बाद में दमिश्क में १२८६ ई० में आपकी मृत्यु हो गई।

आप धर्मशास्त्रों के विद्वान् थे और आपके ग्रंथ 'लम आत' से आपकी ख्याति फैली। [का० मो० अं०]

**शेख सादी** (शेख मुसलिबुद्दीन सादी), १३वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध साहित्यकार। ईरान के दक्षिणी प्रांत में स्थित शीराज नगर में ११८५ या ११८६ में पैदा हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा शीराज में ही हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिये उसने बगदाद के निजामिया कालेज में प्रवेश किया। अध्ययन समाप्त होने पर उसने इसलामी दुनिया के कई भागों की लंबी यात्रा पर प्रस्थान किया—अरब, सीरिया, तुर्की, मिस्र, मोरक्को, मध्य एशिया और संभवतः भारत भी, जहाँ उसने सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर देखने की चर्चा की है। सीरिया में धर्मयुद्ध में हिस्सा लेनेवाले यात्रियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जहाँ से उसके एक पुराने साथी ने सोने के दस सिक्के (दीनार) मुक्तिधन के रूप में देकर उसका उद्धार किया। उसी ने १०० दीनार दहेज में देकर अपनी लड़की का विवाह भी सादी से कर दिया। यह लड़की बड़ी उर्दू और दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपने पिता द्वारा धन देकर छुड़ाए जाने की चर्चा कर सादी को खिजाया करती थी। ऐसे ही एक अवसर पर सादी ने उसके धर्म का उत्तर देते हुए जवाब दिया 'हाँ, तुम्हारे पिता ने दस दीनार देकर जरूर मुझे आजाद कराया था लेकिन फिर सौ दीनार के बदले उसने मुझे पुनः दासता के बंधन में बांध दिया।'।

कई वर्षों की लंबी यात्रा के बाद सादी शीराज लौट आया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों — 'बोस्त' तथा 'गुलिस्ता' — के लेखन का आरंभ किया। इनमें उसके साहित्यिक जीवन की अनेक मनोरंजक घटनाओं का और विभिन्न देशों में प्राप्त अनोखे तथा मूल्यवान् अनुभवों का वर्णन है। वह शताधिक वर्षों तक जीवित रहा और सन् १२६२ के लगभग उसका देहांत हुआ।

गुलिस्ता का अध्ययन सन् १२५५ में पुरा हुआ। यह मुख्य रूप

से गद्य में लिखी हुई उपदेशप्रधान रचना है जिसमें जोष जोष में सुंदर पद्य और दिलचस्प कथाएँ दी गई हैं। यह आठ अध्यायों में विभक्त है जिनमें अलग अलग विषय वर्णित हैं; उदाहरण के लिये एक में प्रेम और यौवन का विवेचन है। 'गुलिस्ता' ने प्रकाशन के बाद से अद्वितीय लोकप्रियता प्राप्त की। वह कई भाषाओं में अनूदित हो चुकी है—लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, तुर्की, हिंदुस्तानी आदि। अनेक परवर्ती लेखकों ने उसका प्रतिरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किंतु उसकी श्रेष्ठता तक पहुँचने में वे असफल रहे। ऐसी प्रतिरूप रचनाओं में से दो के नाम हैं—बहारिस्ता तथा निगारिस्ता।

बोस्ता की रचना एक वर्ष पहले (१२५० में) हो चुकी थी। सादी ने इसे अपने शाही संरक्षक अतालीक को समर्पित किया था। गुलिस्ता भी तरह इसमें भी शिक्षा और उपदेश की प्रधानता है। इसके दस अनुभाग हैं। प्रत्येक में मनोरंजक कथाएँ हैं जिनमें किसी न किसी व्यावहारिक बात या शिक्षा पर बल दिया गया है। एक और पुस्तक पदनामा (या करीमा) भी उनकी लिखी बताई जाती है किंतु इसकी सत्यता में संदेह है। सादी उत्कृष्ट गीतिकार भी थे और हाफिज के आविर्भाव के पहले तक वे गीतिकाव्य के महान् रचयिता माने जाते थे। अपनी कविताओं के कई संग्रह वे छोड़ गए हैं।

फारस के अन्य बहुत से कवियों की तरह सादी सूफी नहीं थे। वे व्यावहारिक व्यक्ति थे जिनमें प्रचुर मात्रा में सांसारिक बुद्धि एवं विलक्षण परिहासशीलता विद्यमान थी। उनकी ख्याति उनकी काव्यशीली एवं गद्य की उत्कृष्टता पर ही अवलंबित नहीं है वरन् इस बात पर भी आश्रित है कि उनकी रचनाओं में अपने युग की निवृत्ता और ज्ञान की तथा मध्यकालीन पूर्वी समाज की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा की छाया मौजूद है। [मु० व० मि०]

**शेख हमीदुद्दीन सूफी नागौरी** यह अपने पिता शेख मुहम्मद अल सूफी की मृत्यु के बाद दिल्ली में उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था में ही खाना मोहनउद्दीन अजमेरी का शिष्य हो गया। बाद में वह नागौर के निकट सुवाली गाँव में रहने लगा और वही ६७३ हिजरी, १२७४ ई० में मर गया।

एक छोट से मिट्टी के घर में रहता था, केवल एक बीघे सूँघि की खेती से जीवननिर्वाह करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके आध्यात्मिक गुरु ने उसे मुल्तान-उत-तारीकिन (बैरागियों का सम्राट्) की उपाधि दी थी।

सं० अं० — सैयद मोहम्मद : सियार-उल-अलीया (१३०२ हिजरी, दिल्ली); फजल उल्लाह : सियार-उल-अरीकिन, (१३११ हि०, रिजवी प्रेस, दिल्ली) । [का० मु०]

**शेटलैंड द्वीपसमूह** (Shetlands Islands) स्कॉटलैंड से २०८ किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसमें ३० मानवयुक्त एवं ७० छोटे मानवरहित द्वीप संमिलित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल १,४३१ वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या १६,३४३ (१९५१) है। मेनलैंड इस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी सरविक (Lerwick) है। यहाँ पर मुख्यतः जी, जई और मालु की

फसलें होती हैं। कृषि के प्रतिरिक्त पशु एवं मेड़ पालन तथा मत्स्य उद्योग मुख्य व्यवसाय हैं। इसका तटीय प्रदेश पर्यटन का केंद्र है। यह द्वीपसमूह सन् ८७५ से सन् १४६८ तक नॉर्वे के अधिकार में रहा। तत्पश्चात् इसका स्कॉटलैंड के साथ विलय हो गया।

[ स० सि० ७० ]

**शैन, चार्ल्स हैजलवुड (१८६३-१९३७)** अंग्रेज चित्रकार, विशेषकर अपने लिथोग्राफ के लिये प्रसिद्ध। वह पादरी का पुत्र था, किंतु परिस्थितिवश छोटी उम्र में ही एक व्यापारी काष्ठशिल्पी के यहाँ काम पर नियुक्त हो गया जहाँ उसे कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण मिला। वहाँ एक दूसरे कलाकार चार्ल्स रिकेट से उसकी भेंट हुई जिसके साथ मिलकर वह वर्षों काम करता रहा। वे दोनों एक नियतकालिक पुस्तकाकार पत्रिका निकालते थे जिसमें विलेने ही प्रसंगानुक्रम चित्र, डिजाइन और सज्जापूर्ण सामग्री भी दी जाती थी। उसके लिथोग्राफ पर प्रारंभिक देनासाँ काल की छाप पड़ी, किंतु बाद के लिथोग्राफ उसकी अपनी मौलिक प्रतिभा की सौम्य गरिमा लिए हुए सामने आए। चित्रों में वह अधिकतर धार्मिक विषयों एवं परंपरागत कथाप्रसंगों का चित्रण करता था जिनपर टिश्यन और तितरेतो का प्रभाव दृश्य है। किंतु पोर्ट्रेट कला में उससे कोई होड़ न ले सकता था। उसके जॉर्ज मूर, पिस्सरो आदि के पोर्ट्रेट बड़े ही कमाल के बन पड़े।

मिर पड़ने के कारण यह बाद में अशक्त हो गया था, पर इस परिस्थिति में भी वह आठ वर्ष जीवित रहकर कलासाधना में जुटा रहा। ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में उसके ४६ लिथोग्राफों का एक संग्रह मिलता है। [ श० रा० गु० ]

**शेनयांग (Shenyang) या मूकडेन** स्थिति : ४१° ५१' उ० अ० तथा १२३° २५' पू० दे०। यह दक्षिणी मंचूरिया के लिम्राउन्गि प्रांत की राजधानी है, जो पीकियंग के ३८० मील पूर्व-उत्तर-पूर्व लिम्राउ हो नदी की सहायक हुन हो नदी पर स्थित है। मूकडेन का पहले चीनी नाम फंगट्येन (Fengtien) था, लेकिन अब इसे शनयांग या शेनयांग कहा जाता है। उपजाऊ कृषिक्षेत्र के बीच में स्थित यह नगर रेल मार्गों का केंद्र है। नगर के समीपवर्ती कृषिक्षेत्र में सोयाबीन, चुकंदर और अनाज की उपज होती है। पहाड़ी भागों से समूर और खालों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण चीन में सबसे बड़ी कोयला खान फूयून की है, जो इस नगर के पास ही में स्थित है। यहाँ आटा पीसने, तिलहन पेरने, चमड़ा पकाने, एवं कागज, साबुन और लौह इस्पात के कारखाने हैं। मूकडेन में मिग-१७ एव ऐन (An) -२ विमान बनाने का एक राष्ट्रीय कारखाना है। नगर में शाही प्रासाद तथा जापानी आवासस्थान उल्लेखनीय दर्शनीय स्थान हैं। शेनयांग की जनसंख्या २४,११,००० (१९६०) है। यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है।

१२वीं शताब्दी में यह कितान राजवंश की राजधानी भी था। उत्तरी भाग में प्राचीन सभ्राटों के मकबरे (पोलुंग मोसोलियम) चीन के प्रसिद्ध स्मारकों में से हैं। सन् १६४४ से सन् १९११ तक यह मंचू राजवंश की राजधानी रहा तथा उन लोगों ने ही इसे मूकडेन नाम प्रदान किया। ओकॉगटिएन याकॉगकिंग (और अब लिम्राउन्गि) प्रांत की राजधानी रहा। जापान और रूस के बीच में मंचूरिया पर

प्रभुत्व रखने के लिये मूकडेन की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह रूसियों का गढ़ था। १० मार्च, १९०५ ई० को मूकडेन की सहाई में जापान ने इसपर अधिकार कर लिया। चीनी क्रांति के बाद यह अपने पुराने नाम शेनयांग के नाम से जाना जाने लगा और चीनी जनरल चांग त्सो चीन का आवास था। सन् १९३१ में नगर पुनः जापानियों के अधिकार में चला गया और १९३४-४६ ई० फंगट्येन प्रांत की राजधानी रहा। युद्ध के बाद नगर का नाम पुनः शेनयांग हो गया और इसपर केंद्रीय सरकार का शासन था। सन् १९४९ में यह मंचूरियाई प्रादेशिक सरकार की राजधानी हो गया।

[ रा० प्र० सि० ]

**शेफील्ड** स्थिति : ५३° २३' उ० अ० तथा १° २८' पू० दे०। यह इंग्लैंड के यार्कशिर में, लंदन से लगभग १६० मील उत्तर पश्चिम में, शीफ़ तथा डॉन नदियों के किनारे सुहावनी जंगल से ढकी, पहाड़ी ढाल पर स्थित औद्योगिक नगर है। पश्चिमी यूरोप के तुल्य प्रदेश के सदृश यहाँ की जलवायु सम तथा आर्द्र है।

यहाँ सार्वजनिक स्नानागार, निःशुल्क पुस्तकालय, पार्क, तकनीकी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की सुविधाएँ हैं।

शेफील्ड सन् १४०० के प्रारंभ से ही उत्तम चाकू छुी, उस्तेरे, कैची, रूखानी, भारा, भारी आदि के प्रतिरिक्त मोमबत्ती, तबे पर चाँदी के पुट दिए गए चाय के बरतन, मैगनीज स्टील, क्रोमियम स्टील और टंगस्टन स्टील के निर्माण के लिये प्रसिद्ध है।

यहाँ की जनसंख्या लगभग ५,१३,००० है, जो काफी घनी है।

[ रा० स० ख० ]

**शेयर (Share, अंश)** व्यक्ति की चलसंपत्ति दो प्रकार की होती है — भोगाधीन वस्तु ( Chose in possession ) और वादप्राप्य स्ववस्तु ( Chose in action )। भोगाधीन वस्तु के माने हैं वह संपत्ति जो आपके वास्तविक व्यक्तिगत अधिकार में है लेकिन वादप्राप्य स्ववस्तु के माने वह संपत्ति है जो आपके तात्कालिक अधिकार में नहीं है। उसपर आपके अधिकार है जिसे वैधानिक कार्रवाई द्वारा क्रियाश्वित किया जा सकता है। यह अधिकार सामान्यतया एक दालेख ( Document ) द्वारा प्रमाणित होता है, उदाहरणार्थ — रेलवे की रसीद द्वारा। प्रमंडल ( कंपनी या समवाय ) में एक अंश ( हिस्सा या शेयर ) भी वादप्राप्य स्ववस्तु है और अक्षपत्र उसका प्रमाण है। लेकिन भारतवर्ष में अंश माल ( Goods, गुड्स ) माना जाता है। प्रमंडल ( समवाय ) अधिनियम ( Company act ) १९५६ की धारा ८२ की परिभाषा में कहा गया है कि प्रमंडल में किसी व्यक्ति का अंश या अन्य निहित स्वार्थ 'चल संपत्ति' माना जायगा। वस्तुविक्रय अधिनियम ( Sale of Goods Act ) में वस्तु या माल की परिभाषा में हर प्रकार की चल संपत्ति सम्मिलित है। इसलिये प्रमंडल के अंश केवल वादप्राप्य स्ववस्तु ही नहीं, अपितु वस्तु या माल ( गुड्स ) भी हैं।

अंश का वास्तविक स्वरूप सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमंडल उसका निर्माण करनेवाले अंशधारियों के समूह से सर्वथा भिन्न है। संस्थापित प्रमंडल ( Incorporated Company ) की अंशपूर्वी ( Capital stock ) का होना सार्वजनिक

है, बल्कि अनिवार्य नहीं। यह भी समान रूप से सार्वभौमिक है, अनिवार्य नहीं, कि पूँजी को अभिहितमूल्य (nominal value) के अंशों में बाँटा जाय। वह व्यक्ति जिसके पास इस प्रकार का अंश है, अंशधारी (Shareholder) कहलाता है। इसलिये प्रत्येक अंशधारी के पास प्रमंडल की पूँजी का एक भाग रहता है। लेकिन विधिक दृष्टि से अंशधारी उस उद्यम या कारखाने का भागिक स्वामी नहीं है। उद्यम अंशधारियों की संपूर्ण पूँजी से कुछ भिन्न वस्तु है। प्रमंडल की समस्त परिसंपत्ति (Assets) उक्त सुसंगठित संस्थान में निहित है, उसे बनानेवाले व्यक्तियों में नहीं।

विधान की दृष्टि में अंशधारियों के कुछ अधिकारों और निहित-स्वार्थों के साथ साथ कुछ दायित्व भी हैं। अंशधारी का हित या स्वार्थ महज्जु चल संपत्ति से नहीं, वरन् स्वयं प्रमंडल से होता है। यह स्वार्थ स्थायी अंश का होता है। अंश प्रमंडल में अंशधारी का वह हित है जो दो दृष्टियों से धन की रकम के रूप में मापा जाता है, एक तो दायित्व और लाभांश की दृष्टि से, दूसरे व्याज की दृष्टि से। और इसमें प्रमंडल की अंतनियमावली (Article of Association) में निहित संबिधाएँ भी सम्मिलित हैं। अंश मुद्रा या धन (money) नहीं, अपितु मुद्रा के रूप में माँका गया वह हित है जिसमें विभिन्न अधिकार और दायित्व जुड़े हुए हैं। अंश अधिकारों या हकों का विद्यमान समूह है। उदाहरणार्थ, अंश के कारण अंशधारी प्रमंडल के लाभों का एक समानुपातिक भाग प्राप्त करने, अंतनियमों के आधार पर प्रमंडल के कारोबार में हाथ बँटाने, कारोबार की समाप्ति पर संपत्ति का अानुपातिक भाग पाने तथा सदस्यता के सभी अन्य लाभों का अधिकारी हो जाता है। अंश के कुछ दायित्व भी हैं। उदाहरणार्थ — प्रमंडल की परिसमाप्ति पर पूर्ण मूल्य की देयता। यह सभी अधिकार और दायित्व प्रमंडल के अंतनियमों में दी गई शर्तों और स्थितियों पर निर्भर करते हैं। अंतनियमों द्वारा नियमित अधिकार और दायित्व शेषर या अंश का मूलभूत तत्त्व है। [ अ० सि० ]

**शेलिंग, फ्रेडरिख डब्ल्यू० जे० फॉन** (Schelling, Friedrich W. J. Von) शेलिंग का जन्म २७ जनवरी, १७७५ को वट्टेबर्ग के एक छोटे नगर लूननवर्ग में हुआ था। उसने दर्शन और ईश्वरशास्त्र का अध्ययन १७९० से १७९५ तक दुविजन विश्वविद्यालय के थियोलॉजिकल सेमिनरी में किया। वह कांट, फिस्टे और स्पिनोजा का विद्यार्थी रहा था। हीगेल और होल्डरलिन उसके समकालीन विद्यार्थी थे। सन् १७९८ में वह जेना में दर्शन का प्राध्यापक हो गया। सन् १८०३ के उपरांत बुर्जवर्ग, म्यूनिख और मल्लेन में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अंत में वह हीगेल का प्रभाव रोकने के लिये बर्लिन में बुलाया गया था किंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। सन् १८५४ में उसकी मृत्यु हुई।

शेलिंग की प्रमुख रचनाएँ हैं — माइडियाज फार ए फिलासफी ऑव नेचर (१७९७), दि सोल ऑव दि वर्ल्ड (१७९८), फर्स्ट स्केच ऑव ए सिस्टम ऑव दि फिलॉसफी ऑव नेचर (१७९९), सिस्टम ऑव ट्रांसिडेंटल माइडियाजिज्म (१८००), जूनो और दि डिवाइन एंड नेचुरल प्रिंसिपल ऑव किवस (१८०२), क्रिटिकल जर्जल ऑव

फिलॉसफी (इन कनजंक्शन विद हीगेल, १८०२-३), हिस्ट्री ऑव फिलॉसफी। सन् १८५६ में शेलिंग के पुत्र द्वारा संपादित 'कम्प्लीट वर्क्स ऑव शेलिंग' के नाम से उसकी सब रचनाएँ १४ भागों में प्रकाशित हुईं।

शेलिंग के दार्शनिक चिंतन में तीन मोड़ स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। प्रारंभ में वह फिस्टे के दर्शन से प्रभावित था और उसी की विकसित करने में व्यस्त रहा। फिर वह जूनो और स्पिनोजा से प्रभावित होकर परम तत्त्व के दो पक्ष प्रकृति और मन स्वीकार करने लगा। तीसरे मोड़ में शेलिंग ने अपनी मौलिकता प्रदर्शित की, किंतु उसके इस समय के विचार भी जेकोब बोहेम से मिलते जुलते हैं। अब वह संसार को ईश्वर से उत्पन्न हुआ समझने लगा।

शेलिंग के समय में जर्मनी हीगेल के दर्शन से अभिभूत था। अंत हीगेल के जीवनकाल में शेलिंग अपना मुँह नहीं खोल सका। सन् १९३४ में हीगेल की मृत्यु के बाद उसने उसका विरोध प्रकट किया। वह अपने धार्मिक और पौराणिक विचारों को हीगेल के नकारात्मक तार्किक या परिकल्पनावादी दर्शन का स्वीकारात्मक परिपूरक समझता था।

शेलिंग के विचार से मन और प्रकृति (नेचर) एक ही तत्त्व के दो पक्ष हैं। प्रकृति दृष्टिगत मन है और मन अदृष्ट प्रकृति है। मन और प्रकृति के इसी संबंध के कारण हम प्रकृति को समझ सकते हैं। प्रकृति में भी जीवन, विचार और उद्देश्य हैं। एक ही शक्ति मन में स्वचेतन प्रतीत होती है और इंद्रियों, पशुप्रवृत्ति, प्रागिक विकास, रासायनिक प्रक्रिया, विद्युत् और गुहत्वाकर्षण में अचेतन रूप से कार्य करती है। हमारे शरीर को संचालित करनेवाली अंध अचेतन शक्ति मन में स्वचेतन होकर आत्मा कहलाती है। शेलिंग मन और प्रकृति को स्पिनोजा की भाँति परमतत्त्व के दो समानांतर पक्ष नहीं मानता। वे तो निरपेक्ष मन के विकास में दो भिन्न स्तर या युग हैं। निरपेक्ष मन में क्रमिक उत्क्रांति हुआ करती है। उसका अंतिम लक्ष्य आत्मचेतना प्राप्त करना है।

शेलिंग के अंतिम दार्शनिक विचार केवलोपादानेश्वरवादी प्रतीत होते हैं। संसार एक जीवित, सतत विकासशील प्रागिक सृष्टि की भाँति है। इसके प्रत्येक अंग का अपना महत्त्व है। इनकी उपेक्षा करके संसार के समष्टि रूप को नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार संसार का प्रत्येक अंग भी समग्र पर अवलंबित है। इस सत्य को शेलिंग कई प्रकार से प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है। एक तो वह संसार को बुद्धिप्रधान समझता है, इसलिये बुद्धि के द्वारा उसे जाना भी जा सकता है। दूसरे, संसार का इतिहास तर्कसंगत है, इसलिये इसके प्रत्येक सृष्टि-विकास-क्रम को तार्किक भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। शेलिंग अंतर्ज्ञान की सार्थकता भी स्वीकार करता है। अंतर्ज्ञान से मूल तर्कवाक्य प्राप्त होते हैं और उनके आधार पर हम संसार के तर्कसंगत सिद्धांत की रचना स्वीकार कर सकते हैं।

शेलिंग कला के पर्यावरण में रह रहा था। उससे प्रभावित होकर उसने स्वीकार किया है कि संसार एक कलात्मक रचना है। निरपेक्ष सत्ता विश्व की रचना करके अपने उद्देश्य की पूर्ति

करती है। इसलिये मनुष्य का भी सर्वोच्च कार्य कला की सृष्टि करना है। कला में सभी प्रकार के हित सामंजस्य प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति स्वयं एक महाद्यु काव्य है। कला में उसका अनावरण होता है। कला का सर्वत्र प्रकृति के सर्जन की भाँति ही संपन्न होता है। इसलिये कलाकार जानता है कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। इस प्रकार कला दर्शन का आवश्यक और उपयोगी अंग बन जाती है। शेलिंग स्पष्ट कहता है कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, किन्तु जिस व्यक्ति में अनुभव से प्राप्त असंबद्ध विवरणों का अतिक्रमण करने की क्षमता नहीं है वह न दार्शनिक बन सकता है और न यथार्थता का अर्थ समझ सकता है।

अंत में शेलिंग के विचार रहस्योन्मुख हो गए। उसके विचार से मनुष्य अपना व्यक्तित्व बढ़ाते हुए अनंत रूप हो जाता है, वह निरपेक्ष सत्ता में लय प्राप्त कर लेता है। उस समय वह स्वतंत्र होता है, उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती। वह सब प्रकार से हित से ऊपर उठ जाता है। [हू० ना० मि०]

**शेरी, पर्सि विरशी** अंग्रेजी के विख्यात कवि। इनका जन्म ४ अगस्त, १७६२ ई० को ससेक्स के हार्मोन नगर के निकट फ्रील्ड प्लेस में हुआ था। तेरह वर्ष की उम्र में वे ईटन नामक प्रसिद्ध सार्वजनिक विद्यालय में प्रविष्ट हुए। वे बहुत कुशल छात्र थे और पढ़ने लिखने में उनकी अत्यंत रुचि थी। लीन ही उन्होंने ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। विद्यालय छोड़ने से पूर्व उन्होंने विचित्रवाद शैली के दो उपन्यास लिखे — 'जेस्ट्रोफी' और 'सेंट ह्विन' जो १८१० ई० तथा १८११ ई० में प्रकाशित हुए। उन्होंने अनेक कविताओं की भी रचना की जो १८१० ई० में 'ओरिजिनल पोएट्री बाइ विक्टर ऐंड के० जायर' के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। वे अपनी छात्रावस्था ही में प्रत्येक प्रकार के क्रूर अपकार तथा कड़वावस्था के कट्टर विरोधी बन गए थे और इसी कारण विद्यालय में प्रायः सभी लोग उन्हें पागल तथा नास्तिक कहते थे।

सन् १८१० ई० में शेली ईटन छोड़कर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कालेज में भरती हुए। किन्तु एक वर्ष पश्चात् उन्होंने 'बी निसेसिटी ऑव एबीएम' नामक दो पुस्तक की पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार अनीश्वरवाद की आवश्यकता प्रमाणित की और जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास भेजी। वे सब क्रोध से तिलमिला उठे और शेली तत्काल विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए। जब उनके पिता को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने शेली को घर लौटने से वञ्चित कर दिया। इस कारण वे लंदन पहुँचे और वहाँ हेरियट वेस्टब्रुक नामक एक युवती से उनका संपर्क हो गया। १८११ ई० में एडिनबरा में उन्होंने उससे विवाह कर लिया।

शेली एक उत्तम क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उस समय आयरलैंड में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बड़ी हलचल थी और शेली इस राजद्रोही, हलचल की सहायता तथा प्रोत्साहन के लिये वहाँ गए और अनेक सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए। १८११ ई० में उनका 'श्वीन

में' नामक काव्यग्रंथ प्रकाशित हुआ। लगभग इसी समय उनका अपनी पत्नी से मतभेद हो गया और १८१४ ई० में वे एक दूसरे से सदा के लिये पृथक् हो गए। इस दुर्घटना का प्रभाव उनकी पत्नी पर इतना बुरा पड़ा कि उसने आत्महत्या कर ली। इस बीच में शेली का तेरी गोडविन नामक अन्य महिला से परिचय हो चुका था और १८१६ ई० में उनका विवाह भी लंदन में हो गया। इसी वर्ष उनका प्रसिद्ध काव्यग्रंथ 'मवेस्टर' प्रकाशित हुआ। तदुपरांत वे स्विटजरलैंड तथा कांस का भ्रमण करने चले गए। जब वे इंग्लैंड लौटे तो उनके पिता ने उनको क्षमा कर दिया जिससे उनका सब आर्थिक कष्ट, जो उन्हें बहुत तकल रहा था, दूर हो गया।

कुछ समय मार्सो तथा विरसर नामक नगरों में रहने के पश्चात् शेली और उनकी पत्नी इटली चले गए और वहाँ के समस्त प्रसिद्ध नगरों में भ्रमण किया। किन्तु वे सब अत्यंत रमणीक होते हुए भी शेली के स्वास्थ्यानुकूल सिद्ध न हुए और अंततः सन् १८१६ ई० में वे पीसा नगर में रहने लगे। इस बीच शेली ने 'बेंची', 'प्रोमीथियस अनबाउंड', 'रोजालिंड ऐंड हेवन', तथा 'घोड दू दी वेस्टविंड' की रचना की और पीसा में उन्होंने 'एडोनेइस' 'एपियसाइकीडियन' तथा अनेक सर्वोत्तम गीतात्मक कविताओं की सृष्टि की। जहाँ भी वे रहे संबंधा स्वतंत्र विचारों के अनुयायी रहे। उन्होंने यूनानी साहित्य का अध्ययन किया। स्पेन, इटली तथा जर्मनी की भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया। किन्तु यह सब करने पर भी उनके मन को कहीं शांति न मिली। अतः पीसा से रवेन्ना, रवेन्ना से तेरीसी और तेरीसी से लेगहीन भटकते रहे। जब वे १८२२ ई० में स्पेजिया जा रहे थे तो उनकी नाव समुद्र में डूब गई और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। बहुत दिनों के बाद जब उनकी लाश मिली तब समुद्रतट पर उनकी बाहकिया हुई और उनके अस्मफल रोम के उस प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट शवस्थान में दफन किए गए जिसके द्वारे वे शेली ने स्वयं लिखा था कि यह स्थान इतना रमणीय है कि देखनेवालों को यदि मृत्यु ही से अनुराग हो जाय तो कोई अशंभव बात नहीं है।

इंग्लैंड के गीतात्मक कवियों में शेली का स्थान सबसे ऊँचा है। उनकी कविता में गीतिकाव्य के सभी गुण विद्यमान हैं— माधुर्य है, मादकता है, वेग है, शब्दयोजना का सौंदर्य है, भावों की गहराई है, कवि की हार्दिक अनुभूतियों की भाँतिक व्यंजना है, वेदना की तीस है, और आत्मा तथा आकांक्षा की भाग है। उनकी 'एडोनेइस' नामक कविता, जो इन्होंने कीट्स की अकाल मृत्यु पर लिखी, अंग्रेजी की इनी यिनी शोकारत्मक कविताओं में अमर कीर्तिवाली रचना है। उनके 'प्रोमीथियस अनबाउंड' की गणना अंग्रेजी के उन दो तीन सर्वश्रेष्ठ नाटकों में है जो प्राचीन यूनानी पद्धति के अनुसार लिखे गए हैं। उनका 'बेंची' नामक नाटक शेक्सपियर की परिपाटी के अनुसार लिखे हुए नाटकों में सबसे अच्छा समझा जाता है। शेली सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति, स्वतंत्रता, तथा अध्यात्म के महत्त्वपूर्ण कवि थे। उनकी कृतियों में विवदाव की क्लृप्त, रहस्यवाद का अर्थ तथा अनंत का अलौकिक प्रकाश है। लोकमंगल अथवा विश्वप्रेम की भाषना उनके कवित्व का मूल अंग है।

शेली केवल कवि ही न थे, उन्होंने अनेक गद्य रचनाएँ भी

की है। उनके पत्र भी महत्वपूर्ण हैं और उनकी घासोचनात्मक पुस्तक 'डीकेंस ग्रॉव पोएट्री' अत्यंत प्रसिद्ध है। [बी० एच० सा०]

**शैले, कार्ल विन्हेल्म** (Scheele, Karl Wilhelm, सन् १७४२-१७८६), स्वीड रसायनज्ञ, का जन्म पॉमरेग्या (Pomerania) के स्ट्रालसुंड (Stralsund) नामक नगर में हुआ था। गोथनबर्ग (Gothenburg) में एक औद्योगिकीयता के यहाँ आठ वर्ष काम करके, इन्होंने रसायन का प्रारंभिक ज्ञान पाया। बाद में ये माल्म (Malmo), स्टॉकहोम (Stockholm), अपसाला (Uppsala) तथा कपिंग (Koping) में भी सहायक रसायनज्ञ रहे।

इन्होंने अपना सारा जीवन रासायनिक प्रयोग और अनुसंधान में बिताया। प्रादिकालीन उपकरणों और सीमित साधन ही इन्हें उपलब्ध थे; किंतु इन्होंने इन्हीं का उपयोग कर अनेक महत्व की खोजें की। बिना किसी अन्य की सहायता के, इन्होंने क्लोरीन, बाराइट, प्रॉक्सीजन, ग्लिसरीन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड को विलग किया और हाइड्रोक्लोरिक, टार्टरिक, बेंजोइक, आसिटिनियस, मॉलिब्डिक, लैक्टिक, साइट्रिक, मैलिक, प्रॉक्सीलिक, मैलिक तथा अन्य अम्ल खोज निकाले। मैग्नीज के लवण आपने तैयार किए और दिखाया कि इनसे काँच किस प्रकार रंगा जाता है। इन्हीं के नाम पर ताँबे के आसोनाइट, एक हरे वर्णक, का तथा टंगस्टेन के अयस्क शेलाइट का नाम पड़ा है।

इन्होंने स्वतंत्र रूप से यह बात खोज निकाली कि वायु का एक अंश तो ज्वलनशील पदार्थों को जलने देता है और दूसरा इसे रोकता है। प्रूसिक अम्ल का वर्णन करने के पश्चात्, इन्होंने सिद्ध किया कि प्रशियन नील का रंजक गुण इसी के कारण है।

रोग और दरिद्रता से ग्रसित रहने पर भी वैज्ञानिक अनुसंधान में तीव्रता के कारण, ये अथक परिश्रम करते रहे और विषाक्त पदार्थों से अपनी रक्षा की भी विशेष परवाह न की, जिसके कारण अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। [अ० दा० व०]

**शेष (१)** प्रसिद्ध आचार्य जिन्होंने यजुर्वेदीय वेदांग ज्योतिष का निर्माण किया जिसमें कुल ४३ श्लोक हैं। इसपर सोमाकर की टीका है। (२) कद्रु से उत्पन्न कश्यप के पुत्र जो नागों में प्रमुख थे। इनके सहस्र फणों के कारण इनका दूसरा नाम अर्नत है। यह सदा पाताल में ही रहते थे और इनकी एक कला क्षीरसागर में भी है जिसपर विष्णु भगवान् स्नान करते हैं। अपनी तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मा से संपूर्ण पृथ्वी चारण करने का वरदान प्राप्त किया था। लक्ष्मण जी शेष के ही अवतार माने जाते हैं। [रा० द्वि०]

**शैकल्टन, सर अर्नेस्ट हेनरी** (Shackleton, Sir Earnest Henry) प्रख्यात, ब्रिटिश यात्री और अन्वेषक थे। इनका जन्म १८७४ ई० में आयरलैंड के किल्की शम में हुआ था और इन्होंने डलियस कॉलेज में शिक्षा पाई थी। इन्होंने सागरीय व्यापारिक सेवा प्रवृत्त की और रॉयल नेवी रिजर्व में कैप्टिनेट हो गए। ये स्कॉट के साथ १९०१-१९०४ ई० में एंटार्क्टिक की यात्रा में ८२°१७' दक्षिणी अक्षांश तक पहुँचे। सन् १९०८ में कैम्ब्रिज के रूप में, इन्होंने म्यूजीसिक के 'निमरोड' जहाज द्वारा यात्रा प्रारंभ की और दक्षिणी अ्रुव के

१०० मील दूर एक स्थान पर पहुँच गए। लौटने पर इन्हें 'सर' की उपाधि दी गई। १९१४-१६ ई० में इन्होंने एंटार्क्टिक महाद्वीप को पार करने का निरर्थक प्रयत्न किया। इनका जहाज 'एन्थूरस' बर्फ में फँस गया और २५ अक्टूबर, १९१५ ई० को डूब गया। सितंबर, १९२१ ई० में गैल्लिन पुनः 'बवेस्ट' जहाज में यात्रा के लिये निकले, किंतु हृदयरोग से ५ जनवरी, १९२२ ई० को मर गए और दक्षिणी जॉर्जिया में दफना दिए गए। इन्होंने 'वि हार्ट ऑव एंटार्क्टिक ऐंड साउथ' नामक पुस्तक लिखी है।

[शां० ला० का०]

**शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन** निर्देशन प्रक्रिया में उन सभी वैयक्तिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श सेवाओं का समावेश हो जाता है जिनका प्रमुख उत्तरदायित्व व्यक्ति में उसकी अपनी क्षमताओं का ज्ञान कराकर उन्हें उचित प्रयोग में लाना है, जिससे उसका समुचित वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास हो सके। निर्देशक व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता, न ऐसा कुछ आदेश देता है कि वह उसके बताए हुए मार्ग पर चले, अपितु उसमें एक ऐसी सूझ, ऐसी आत्मशक्ति एवं विश्वास को विकसित करने में सहायता देता है जिससे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक एवं अज्ञित क्षमताओं की सीमा एवं प्रकृति को ठीक रूप से समझ सके और अपने आस पाम के बाह्य वातावरण को ठीक रूप से परखकर समायोजन कर सके। इस तरह व्यक्ति में धीरे धीरे आत्मविश्वास और सूझ बूझ से व्यवहार करने की सामर्थ्य विकसित होती है और वह आत्मनिर्देशित हो जाता है। यही निर्देशनप्रक्रिया का चरमोद्देश्य है।

सामान्य रूप से यह माना जाता रहा है कि निर्देशनप्रक्रिया की आवश्यकता प्रमुख रूप से तभी समझी जाती है जब कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाय जिसे व्यक्ति सुलभा न सके, परंतु अब मनोविश्लेषण एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के निष्कर्षों ने यह सिद्ध कर दिया है कि समस्या के समाधान से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है। अतः निर्देशनप्रक्रिया की आवश्यकता जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक है। व्यक्ति के विकास में एक निरंतरता है, जिसके साथ निर्देशन की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। फिर भी प्रक्रिया की सरलता के लिये इसे जीवन के अलग अलग पक्षों के आधार पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से विभाजित किया है। बहुधा इसे सामाजिक, शैक्षिक, वैयक्तिक, शारीरिक, नैतिक, नागरिक एवं धार्मिक आदि विभागों में विभाजित किया जाता है परंतु जीवन की आवश्यक दशाओं का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निर्देशन प्रमुखतः तीन तरह का हो सकता है : (१) वैयक्तिक निर्देशन, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में व्यक्ति को सहायता देना है। ये समस्याएँ वैवाहिक एवं गार्हस्थ्यिक, भावनात्मक एवं अंत क्रिया से संबंधित हो सकती हैं। (२) शैक्षिक निर्देशन, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के शैक्षिक जीवन की समस्याओं का निराकरण करना है। (३) व्यावसायिक निर्देशन, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके कार्यव्यापार जगत में सुकूपुर्ण एवं संतुष्ट जीवन निर्वाह करने में मदद देना है। नीचे हम बाद की दो निर्देशन विभागों का ही विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे।

शैक्षिक निर्देशन — शैक्षिक प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होगा कि इसमें प्रमुखतः तीन तत्त्व सम्मिलित हैं : शिक्षार्थी ( उसकी बौद्धिक, भावनात्मक एवं शारीरिक क्षमताएँ ); उसका वातावरण ( विद्यालय का कार्यभार और पाठ्यक्रम ); उसे इन वातावरण से संबंधित करनेवाला व्यवहार ( शिक्षणपद्धति, शिक्षक का व्यक्तित्व आदि ) । इस त्रिभुजी क्रिया का आयोजन शिक्षार्थी के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से होता है ।

यह तो पूर्वनिश्चित धारणा है कि विद्यालय का वातावरण सामान्य रूप से पूर्वनिर्धारित होता है जिसका स्वरूप, स्वभाव एवं प्रभाव बालक के सामान्य जीवन से भिन्न होता है । दूसरी ओर बालक को अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का न पूर्ण आभास होता है, न उनकी प्रयोगविधि से वह परिचित होता है और न वह यह जानता है कि वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग किम तरह करना है । इस सदर्भ में शिक्षक का कार्य तो पाठ्यक्रम से शिक्षार्थी को अवगत कर देने में ही समाप्त हो जाता है । शिक्षक के इस सीमित और विच्छिन्न कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बहुत सी ऐसी समस्याएँ नहीं आ पातीं जिनके सामयिक एवं समुचित समाधान से शिक्षाविधि सरल हो सके और शिक्षार्थी का विकास सहज ढंग से हो । वातावरण की विविधता, पारिवारिक परिवेश की विविधता, रुचियों की विविधता, मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं की विविधता आदि से उत्पन्न समस्याओं का केंद्रबिन्दु शिक्षार्थी स्वयं है । परंतु कुछ दूसरी प्रकार की समस्याएँ हैं जिनका स्रोत विद्यालय एवं विद्यालय में होनेवाली क्रियाओं में ढूँढा जा सकता है; यथा, विद्यालय का संगठन, अनुशासन, परंपरा, समय-विभाजन, अध्यापकों की संख्या तथा स्वभाव, अध्यापनविधि, प्रयोगात्मक, व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का नियोजन आदि । तीसरी प्रकार की समस्याएँ वे हैं जिनका संबंध उन अनुभवों से है जिन्हें विद्यालय पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र को देना चाहता है; यथा, पाठ्यक्रमगत एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम का विषयगत वर्गीकरण, वर्गों का संगठन, चुनाव के आधार एवं सुविधाएँ, पाठ्यक्रम का सामाजिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकता एवं व्यावसायिक कार्यभार से सामंजस्य आदि । निर्देशक छात्र को मार्गनिर्देशन नहीं करता, वह केवल उसे मार्ग ढूँढने में सहायता भर देता है । इस सहायता का क्रम तीन स्तरों पर चलता है : शिक्षार्थी के वातावरण का प्रत्यक्षीकरण, उसका अपनी स्वाभाविक, अज्ञित एवं भौतिक क्षमताओं का मूल्यांकन, और तदनुसार मार्ग का निर्धारण । यदि यह क्रिया स्वाभाविक रूप से निरंतर चलती रहती है तो शिक्षाक्रम में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता । यही कारण है कि विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम का संगठन प्रत्येक स्तर पर किया जाता है ।

निर्देशन कार्यक्रम का संगठन आजकल के विद्यालयों के लिये बहुत आवश्यक हो गया है । इसके कई कारण हैं, यथा, शिक्षा का सार्वजनिक होना, शैक्षिक पद्धति में तेजी से होते हुए परिवर्तन, विषयों की अधिकता और चुनाव में ऐच्छिक विषयों का बाहुल्य, विषयों के तथ्यगत क्षेत्र का वैविध्य और विस्तार, विशिष्टीकरण के प्रति मुकाब, सामाजिक अंतःक्रिया एवं गौरवमयता में उत्पन्न

का आविर्भाव, आदि के प्रसादा मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसंधानों ने भी इस समस्त क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य बनाये में काफी योग दिया है ।

शिक्षा में निर्देशन के पीछे एक महत्वपूर्ण तत्त्व व्यावसायिक चुनाव भी है । शिक्षा का उद्देश्य आज सांस्कृतिक प्रवीणता की उपलब्धि मात्र नहीं है । जीवनयापन के लिये मनुष्य किसी न किसी व्यवसाय को अपनाता है । आधुनिक औद्योगिकरण के कारण व्यवसाय में कौशल प्राप्त करना आवश्यक हो गया है । कौशलहीन व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में अपना समायोजन ठीक रूप से नहीं कर पाता और इस असंगति के कारण वह स्वयं में ही असंतुष्ट नहीं रहता अपितु व्यावसायिक उत्पादन को भी ठेस पहुँचाता है । इस सामाजिक एवं व्यक्तिगत हानि को रोकने के लिये व्यावसायिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता होने लगी और इन कुछ दशकों में इस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से नियोजन भी किया जा चुका है ।

व्यावसायिक निर्देशन — व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन के समान ही तीन तत्वों पर आधारित है — व्यक्तिपरीक्षण, व्यवसाय विश्लेषण, एवं व्यक्ति का व्यवसाय से सामंजस्य । व्यवसाय के चुनाव में व्यक्ति की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, इच्छाएँ और आकांक्षाएँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं । परंतु इनका प्रयोग एवं उपयोग उसकी बौद्धिक, शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमताओं पर निर्भर रहता है । अतः निर्देशन के प्रथम चरण में इन्हीं बातों का विश्लेषण होता है ।

जिस व्यवसाय का व्यक्ति चुनाव कर रहा है उसकी क्या सीमाएँ, मीमांसा एवं संभावनाएँ हैं इसका निर्धारण करना भी आवश्यक है । इस तरह व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक निर्देशक का कार्य निरीक्षण एवं परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के समक्ष उसकी क्षमताओं को स्पष्ट करने में सहयोग देना है तथा व्यवसाय में निहित अनेक तत्त्वों को स्पष्ट रख देना है जिससे व्यक्ति स्वयं अपना मार्गनिर्धारण कर सके ।

व्यावसायिक निर्देशन का अंतिम चरण है व्यक्ति का व्यवसाय से समायोजन स्थापित करना । इस समायोजन की प्रक्रिया के दो स्तर हैं — पूर्वसूचना, अर्थात् उन सभी प्रकार की सूचनाओं का सुलभ होना जिनके द्वारा व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र के विषय में अवगत रहता है । व्यवसाय में लग जाने पर भी निर्देशक का व्यक्ति से संपर्क बना रहना चाहिए । बहुत सी ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं जिनका सूत्रपात व्यक्ति के व्यवसाय में लग जाने के बाद हो सकता है ।

यहाँ पर दो प्रमुख तत्वों की ओर भी संकेत करना आवश्यक है । इनका संबंध उचित व्यक्ति को उचित स्थान या योग्यतानुरूप व्यवसाय के सिद्धांत से है । वे हैं 'व्यवसाय का चुनाव' जिसका विश्लेषण हम ऊपर कर चुके हैं और 'व्यवसाय के लिये चुनाव' जिसका तात्पर्य व्यवसाय के लिये योग्यतम व्यक्ति का चुनाव । प्रथम व्यक्तिपरक है और द्वितीय व्यवसायपरक ।

उपर्युक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्देशक व्यक्ति

को व्यवसाय के अनुरूप योग्यता एवं क्षमताओं का अनुसंधान कर उसके लिये तैयारी, प्रवेश और प्रयास करने में सहायता पहुँचाता है जिससे व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में अपना समुचित विकास कर सके और संतुष्ट रह सके। अविचारजन्य चुनाव से न केवल व्यक्ति का ग्रहित होता है अपितु समाज को भी हानि पहुँचती है। यदि व्यक्ति उस व्यवसाय के लिये योग्य नहीं होता, जिसमें वह बाह्य प्रभावों के कारण प्रविष्ट हो जाता है तो उस व्यवसाय की उन्नति में वह बाधक होता है, और जिस व्यवसाय के लिये उसमें समुचित योग्यता हो यदि उसमें वह प्रवेश नहीं करता तो उसकी उपयोगिता से वह व्यवसायक्षेत्र बाधित रह जाता है। जिस समाज में व्यक्ति अपने व्यावसायिक जीवन से जितना ही सुनिश्चित एवं संतुष्ट होता है, उस समाज के मूल्य उतने ही स्थायी होते हैं और उसमें बिचकनकारी एवं घातक तत्वों की उपस्थिति उतनी ही कम होती है।

निर्देशन प्रक्रिया का नियोजन केवल वैयक्तिक विकास के लिये ही अर्थात्कृत नहीं है, अपितु समाज में उपयुक्त वातावरण का संभार करने के लिये तथा मानववृत्ति की भिन्न भिन्न अवृत्तियों के निराकरण के लिये भी बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के विकास में ही सामाजिक विकास निहित है। अतः व्यक्ति विकास के सिद्धांत को गतिशील उपयोगी एवं अर्थात्पूर्ण बनाए रखने के लिये व्यक्ति का अध्ययन, विश्लेषण एवं पर्यालोचन होना आवश्यक है। निर्देशन प्रक्रिया इन्हीं मानववादी मूल्यों पर खड़ी है। [एस० के० पी०]

शैतान ईसाई बाइबिल में इस शब्द के अर्थ में क्रमिक विकास हुआ है। इसानी पूर्वार्ध में इसका अर्थ है — अभियोक्ता, विरोधी, आक्रामक। प्रारंभ में इसका प्रयोग किसी भी मानवीय विरोधी के लिये हुआ है। इय्योब नामक काव्यग्रंथ में शैतान एक पारलौकिक सत्त्व है जो ईश्वर के दरबार में इय्योब पर पाखंड का आरोप लगाना है। यहूदियों के निर्वासनकाल के बाद (छठी शताब्दी ई० पू०) शैतान एक पतित देवदूत है जो मनुष्यों को पाप करने के लिये प्रलोभन देता है।

बाइबिल के उत्तरार्ध में शैतान बुराई की समष्टिगत अथवा व्यक्तिगत सत्ता का नाम है। उसकी पतित देवदूत, ईश्वर का विरोधी, दुष्ट, प्राचीन सर्प, परदार साप ( ड्रैगन ), गरजनेवाला सिंह, इहलोक का नायक आदि कहा गया है। जहाँ मसीह अथवा उनके शिष्य जाते, वहाँ शैतान सक्रिय बन जाता क्योंकि मसीह उसको पराजित करने और उसका प्रभुत्व मिटा देंगे। किंतु मसीह की वह विजय संसार के अंत में ही पूर्ण हो पाएगी ( दे० कथामत )। इतने में शैतान को मसीह और उसके मुक्तिविधान का विरोध करने की छुट्टी दी जाती है। दुष्ट मनुष्य स्वेच्छा से शैतान की सहायता करते हैं। संसार के अंत में जो खीस्त विरोधी ( एंटी क्राइस्ट ) प्रकट होगा वह शैतान की कठपुतली ही है। उस समय शैतान का विरोध अत्यंत सक्रिय रूप धारण कर लेगा किंतु अंततोगत्वा वह सद्य के लिये नरक में डाल दिया जायगा। ईसा पर

अपने विश्वास के कारण ईसाई शैतान के सफलतापूर्वक विरोध करने में समर्थ समझे जाते हैं।

बाइबिल के उत्तरार्ध तथा अर्थ की शिक्षा के अनुसार शैतान प्रतीकात्मक शैली की कल्पना मात्र नहीं है; पतित देवदूतों या अस्तित्व असंदिग्ध है। दूसरी ओर वह निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा एक स्पष्ट सत्त्व मात्र है जो ईश्वर के मुक्तिविधान का विरोध करते हुए भी किसी भी तरह से ईश्वर के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।

सं० प्र० — डब्ल्यू० बोवर : ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकोन प्रांथ दि न्यू टेस्टामेंट, शिकागो, १९६३। [ ग्रा० वे० ]

शैनतुंग (Shantung) स्थिति : ३०° २५' उ० अ० तथा १२२° ५५' पू० दे०। जनवादी चीनी गणतंत्र में उत्तर-पूर्व में स्थित प्रांत है जिसका क्षेत्रफल १,५३,३०० वर्ग किमी० तथा अनुमानित जनसंख्या ५,४०,३०,०००. ( १९५६ ) है। यह प्रांत गेहूँ की कृषि का प्रमुख केंद्र है। यहाँ अच्छे किस्म के रेशम का, जो प्रांत के नाम पर शैन-तुंग रेशम कहलाता है, उत्पादन भी होता है, प्रांत के उद्योग चिन-दाउ ( Tsingtao ) नगर में, जो बंदरगाह भी है, केंद्रित हैं। जीनान ( Tsinan ) प्रांत की राजधानी है। प्रांत का अन्य प्रमुख नगर जफू ( Chefoo ) या येंताइ ( Yentai ) है।

प्रात पहाड़ी एवं मैदानी भाग में लगभग समान रूप से विभक्त है। जाड़े का न्यूनतम ताप — २° से० तथा ग्रीष्म का अधिकतम ताप ३१° से० है। औसत वार्षिक वर्षा ७८ सेमी० है। वर्षा अधिांशतः जुलाई तथा अगस्त महीनों में होती है। येलो नदी प्रांत की प्रमुख नदी है। शैनतुंग में बिटुमेनी कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। यहाँ लोहे के भी बड़े भंडार हैं। सोना, ताँबा और सीसे की भी कुछ खानें हैं। रेलों का जाल प्रांत के उत्तर-दक्षिण भाग के मध्यक्षेत्र में तथा पूर्व-दक्षिण भाग में फैला हुआ है। प्रांत के राजपथ विकसित हैं। [ अ० ना० मे० ]

शैलविज्ञान (Petrology) शैलों का, अर्थात् जिन निश्चित इकाइयों से पृथ्वी न्यूनाधिक निर्मित है उनका, अध्ययन है। यद्यपि उत्क्रांशों में हमें पृथ्वी के आभ्यंतर ( interior ) का निर्माण करनेवाले शैलों के सट्टा एवं समरूप शैलों के नमूने प्राप्त हो जाते हैं, तो भी जैसा अब तक संभव है, यह अध्ययन पृथ्वी की अभिगम्य पर्यटी ( accessible crust ) तक ही सीमित है। इसके अध्ययनक्षेत्र में शैलों की प्राप्ति, आकार, प्रकार, रचना, उत्पत्ति तथा उनका भूतात्विक प्रक्रियाओं एवं इतिहास से संबंध आ जाते हैं। इस प्रकार शैल विज्ञान भूविज्ञान का आधारभूत भाग है, जिसमें उन सबका अध्ययन है जिनके इतिहास का उद्घाटन करना भूविज्ञान की समस्या है।

[ वि० सा० दु० ]

शैवाल (Algae) भूमंडल पर पाए जानेवाले पौधों का विभाजन दो बड़े विभागों में किया गया है। जो पौधे फूल तथा बीज नहीं उत्पन्न करते उनको क्रिप्टोगैम ( Cryptogams ) कहते हैं और जो फूल,

फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं वे फेनीरोगैम (Phanerogams) कहलाते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रिस्टोगैम के थेल्सोफाइटा (Thallophyta) वर्ग में किया गया है। वे पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं, जिनमें पर्युहरित (chlorophyll) प्रयत्न मात्रा में पाया जाता है। पर्युहरित विद्यमान होने के कारण ये बहुधा हरे रंग के होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनका रंग लाल, भूरा अथवा नीला हरा होता है। अधिकांश शैवाल पानी में तालाबों, रुके हुए जलाशयों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पादपों के तनों पर, अथवा परधर की शिलाओं के ऊपर, हरी परत के रूप में उगा करते हैं। कुछ नीले हरे वर्ण के शैवाल स्नानागार, नदियों तथा तालाबों के सोपानों पर भी उगते हैं। ये एक प्रकार का चिकना पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके कारण बहुधा लोग फिसलकर गिर जाया करते हैं। पानी में पैदा होनेवाले शैवालों का विभाजन दो भागों में किया जाता है। कुछ मोटे पानी के शैवाल होते हैं, जो तालाबों, झीलों, नदियों आदि में उगते हैं, तथा कुछ सारे पानी के, जो समुद्रों में पाए जाते हैं। मोटे पानी के शैवालों को मलयण जलशैवाल (Fresh water algae) कहते हैं तथा सारे पानीवालों को सामुद्रिक शैवाल (Marine algae) की संज्ञा देते हैं। पानी में ये या तो स्तम्भ रूप में तैरते रहते हैं, अथवा धरातल पर एक विशेष अंग द्वारा, जिसे स्थापनांग (Hold fast) कहते हैं, स्थिर रहते हैं। पानी में तैरनेवाले शैवाल या तो एककोशीय या बहुकोशीय होते हैं।

रचना के विचार से शैवालों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ तो अति सूक्ष्म एककोशिक होते हैं, जो केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दृश्य हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो कई सेंमी० लंबे होते हैं। क्लोरेला (Chlorella), क्लैमिडोमोनैस (Chlamydomonas) आदि प्रथम कोटि में ही आते हैं। बड़े कोटिवाले शैवाल सूत्रवत् (filamentous) होते हैं, जो कई कोशिकाओं के बने होते हैं। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस (Macrocystis) है, जो लाखों कोशिकाओं से बना तथा कई सौ फुट लंबा होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक (nucleus) होता है, जिसके चारों ओर कोशिकागस होता है। प्रत्येक कोशिका चारों ओर से कोशिकीय दीवारों से घिरी होती है। पर्युहरित तथा क्लोरोप्लास्ट (chloroplast) कोशिकागस में बिखरे रहते हैं।

वर्षी संरचना (vegetative structure) के विचार से शैवाल कई विभागों में बांटे जा सकते हैं। कुछ तो एककोशिक तथा भ्रमणशील होते हैं, जिनमें कशाभिका (flagellum) विद्यमान रहता है, जैसे यूग्लिना (Euglena) में। कुछ जातियों के अनेक एककोशिक मिलकर गुंड बनाते हैं और कशाभिका के सहारे एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, जैसे प्ल्यूडोराइना (Pleodorina), वॉल्वोक्स (Volvox) आदि। कुछ गोल (Cocoid) रूप धारण किए होते हैं, जैसे क्लोरोकोककम (Chlorococcum), कुछ सूत्रवत् (filamentous) होते हैं, जैसे स्प्राइरोजाइरा (Spirogyra) तथा यूलोथ्रिक्स (Ulothrix)। कुछ में दंडवत् रूप तथा सीधा रूप एक साथ होता है। इन्हें हेटरोट्राइक्स श्रेणी में रखते हैं, जैसे फिटिचयेस्वा

(Fritschella)। इस शैवाल में दो विभाग होते हैं, एक तो जमीन में धरातल के समानांतर सूत्रवत् अंग होता है, जिसे भ्रमणशी (prostrate) अंग कहते हैं। इन्हीं भागों में से सीधे उगनेवाले सूत्रवत् अंग (filamentous form) पैदा होते हैं, जिन्हें इरेक्ट सिस्टम (Erect system) कहते हैं। ऐसे ही शैवालों से पृथ्वी पर के बड़े बड़े पादपों के प्रादुर्भाव का होना सम्झा जाता है।

शैवालों में पोषण की समस्या स्वतः हल होती है। इनमें पर्युहरित विद्यमान रहता है, इसलिये प्रकाशसंश्लेषण की विधि से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अतः ऐसे पौधे स्वपोषी (Autotrophs) कहे जाते हैं।

शैवालों में जनन कई प्रकार से होता है। कुछ तो स्वयं विभाजित होते रहते हैं और बड़ते चले जाते हैं। यह क्रिया अधिकतर कोशिका विभाजन की रीति से होती है। एककोशिक शैवाल इसी रीति से जनन करते हैं। बड़े कोटि के शैवालों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक जनन कई ढंग से हो सकता है। कुछ शैवालों में चलबीजाणुओं (Zoospores) की उत्पात्त होती है। चलबीजाणु नंगे जीवद्रव्य (protoplasm) का पिंड होता है, जो कशाभिका के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। चलबीजाणु पानी के शैवालों में पैदा होते हैं। ये स्वतः अंकुरित होकर नया शैवाल बनाते हैं। जब पानी की मात्रा कम होने लगती है, अथवा विपरीत वातावरण आ पड़ता है, तो अचलबीजाणु (aplanospores) बनते हैं जो मोटे आवरण से चारों ओर घिरे रहते हैं। इनमें कशाभिका नहीं होती। कुछ शैवालों में अलैंगिक जनन निश्चेष्ट बीजाणुओं (akinetes) द्वारा होता है। इनके बनने की रीति यह है कि शैवाल की कोई भी कोशिका गोलाकर होकर मोटी तह के आवरण रूप में चारों ओर से आच्छादित हो जाती है। ऐसी दशा तो केवल अलैंगिक परिस्थिति में ही देखी जाती है, विशेषकर जब शुष्क और गरम वातावरण हो जाता है। जब अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाता है तब इनका अंकुरण होने लगता है और ऊपरी, मोटी तह की दीवार धीरे से टूट जाती है और नवजात शैवाल का निर्माण होने लगता है। कुछ शैवाल पानी के किनारे पड़े रहते हैं। जब विपरीत वातावरण होता है, तब इनकी कोशिकाओं में विभाजन तो होता ही रहता है, परंतु ये विलग नहीं हो पातीं। अपितु कोशिका की दीवार मोटी होती जाती है और उसके अंदर कई कोशिकाएँ भरी पड़ी रहती हैं। जब अनुकूल वातावरण आता है, तब ये अंकुरित होकर नया शैवाल बनाती हैं। ऐसी दशा को पैलमेला अवस्था (Palmella stage) कहते हैं।

लैंगिक जनन (sexual reproduction) दो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के संयोग से होता है। इन कोशिकाओं को युग्मक (gametes) कहते हैं। ये युग्मक युग्मकधानियों (gametangia) में पैदा होते हैं। दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन (fusion) से युग्मज (zygote) बनता है। युग्मकों के जोड़े, जिसमें से एक पितृपक्ष का तथा दूसरा मातृपक्ष का होता है, तीव्र प्रकार के होते हैं।






खेत में अंगली शशाक  
शयेन ( पृष्ठ ३१३ )




एकदिवस अहादयेव ( Golden Eagle )



A-C. स्तरीयकाइसिई (Chlorophyceae); D-I. खैनीकाइसिई (Xanthophyceae); I-N, S. काइसिई (Chrysophyceae); O-R. बैसिकारि-सोकाइसिई (Bacillariophyceae); T तथा U फिस्टो-काइसिई; U तथा W. डाइनोकाइसिई (Dinophyceae) और X तथा Y यूग्लेनिनीई (Euglenineae) ।



A-C, G. फिगोकाइसिई (Phaeophyceae); D, E, H-K. रोडोकाइसिई (Rhodophyceae) तथा F और L मिक्सोकाइसिई (Myzophyceae) ।



A-I स्तरीयकाइसिई तथा काइसोकाइसिई के समान रूप; J तथा J' अमीबा (Amoeba); K. ल्यूकोकाइसिई (Leucochrysis), अमीबा का सिस्ट के बाहर निकलना; L तथा M. डाइडिमोकाइसिई पैराडोक्सा (Didimochrysis paradoxa); N. साइपूर (Synura) तथा O. ऐंफि-काइसिस कंप्रेसा (Amphicrysis compressa) ।

(१) समयुग्मक (isogametes) में दोनों प्रकार के युग्मकों की रचना तथा आकार समान होता है। इनके द्वारा होनेवाले जनन को समयुग्मकी (isogamous) जनन की संज्ञा देते हैं।

(२) दो संयोजित युग्मक (fusing gametes) देखने में एक बड़ा और एक छोटा तथा कक्षाभिका द्वारा भ्रमणशील होते हैं, परंतु एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। छोटे युग्मक को लघुयुग्मक (Microgamete) तथा बड़े को गुरुयुग्मक (Macrogamete) कहते हैं। ये युग्मक विषम होते हैं तथा ऐसे जनन को असमयुग्मकी (anisogamous) जनन कहते हैं।

(३) दोनों प्रकार के युग्मक भिन्न आकार के होते हैं। एक छोटा और भ्रमणशील तथा दूसरा बड़ा और स्थिर होता है। प्रथम कोटिवाले को पुंयुग्मक (Male gamete) तथा दूसरे को स्त्री युग्मक (Female gamete) या बड़ा कहते हैं। इस प्रकार के जनन को विषमयुग्मक (oogamous) जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनन बहुधा बड़े शैवालों में होता है और इसे विषम-युग्मकता (Oogamy) कहते हैं।

संयोजन (fusion) की क्रिया के फलस्वरूप युग्मज और युग्माणु (zygospore) बनते हैं। ये अंकुरित होते हैं। अंकुरण के समय इनमें चलबीजाणु बनते हैं, जो बाहर जाने पर अंकुरित होकर नए शैवाल को जन्म देते हैं। समयुग्मकी साधारण कोटि का तथा विषमयुग्मकी उच्च कोटि का जनन समझा गया है।

शैवालों का विभाजन विभिन्न वैज्ञानिकों के मत से विभिन्न विभागों में किया गया है। एफ० ई० फ्रिट्श (F. E. Fritsch) नामक एक महान् शैवालविज्ञानवेत्ता ने शैवालों को ग्यारह विभागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार हैं :

(१) मिक्सोफाइट्सिई (Myxophyceae), (२) यूग्लीनोफाइट्सिई (Euglenophyceae), (३) क्लोरोफाइट्सिई (Chlorophyceae), (४) ज़ैथोफाइट्सिई (Xanthophyceae), (५) क्रोमोफाइट्सिई (Chrysophyceae), (६) बैसिलेरियोफाइट्सिई (Bacillariophyceae), (७) क्रिप्टोफाइट्सिई (Cryptophyceae), (८) कैरोफाइट्सिई (Charophyceae), (९) डायनोफाइट्सिई (Dinophyceae), (१०) फीयोफाइट्सिई (Phaeophyceae) तथा (११) रोडोफाइट्सिई (Rhodophyceae)।

उपयुक्त विभागों का वर्णन निम्न प्रकार है :

(१) मिक्सोफाइट्सिई — ये शैवाल साधारण कोटि के होते हैं, जिनकी कोशिका में निश्चित केंद्रक नहीं होता, परंतु केंद्रकजनित वस्तुएँ कोशिका में विद्यमान रहती हैं। पर्युहरित के अतिरिक्त फाइकोसायनिन (phycocyanin) तथा फाइकोएरिथ्रिन (phycoerythrin) भी विद्यमान रहते हैं। जनन विखंडन (fission) द्वारा होता है। लैंगिक जनन नहीं होता। सूत्रवत् पौधों (filamentous members) में हेटरोसिस्ट्स (heterocysts) विद्यमान होते हैं। किसी किसी में हार्मोगोनियम (hormogonium) बनता है, जो जनन में सहायक होता है। इस विभाग के पौधे जमीन, पृष्ठों के तनों एवं आगियों तथा ईलों पर और पानी में पैदा होते

हैं। एककोशिक शैवाल कभी कभी विपक्षिपा पदार्थ पैदा करते हैं और इसी में हजारों की संख्या में पड़े रहते हैं।

(२) यूग्लीनोफाइट्सिई — ये ठीके पानी या खारे पानी में पाए जाते हैं। बहुधा एकाकी और स्वतंत्र रूप में भ्रमणशील अथवा स्थिर रहते हैं। इनमें पौधों तथा जानवरों के गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका में केंद्रक तथा कक्षाभिका विद्यमान रहती है। जनन विभाजन द्वारा होता है।

(३) क्रोरोफाइट्सिई — इन शैवालों में निश्चित केंद्रक तथा पर्युहरित विद्यमान रहते हैं। बर्फीले स्थानों के शैवालों की बनावट में विभिन्नता पाई जाती है। एककोशिक से लेकर सूत्रवत् पौधे तक इनमें मिलते हैं। लैंगिक जनन समयुग्मक से असमयुग्मक तक मिलता है।

(४) ज़ैथोफाइट्सिई — इन शैवालों में पर्युपीत (xanthophyll) रंग विद्यमान रहता है। स्टार्च के अतिरिक्त तैल पदार्थ भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। कक्षाभिका दो होती है, जो लंबाई में समान गड़ी होती। लैंगिक जनन बहुधा नहीं होता। यदि होता है तो समयुग्मक ही होता है। कोशिका की दीवार में दो मम या प्रथम विभाजन होते हैं।

(५) क्रोमोफाइट्सिई — इनमें भूरा या नारंगी रंग का वर्णकी-लवक (chromatophore) होता है। भ्रमणशील कोशिका में एक, दो या तीन कक्षाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन समयुग्मक ढंग का होता है।

(६) बैसिलेरियोफाइट्सिई — इनकी कोशिकाओं की दीवारों पर सिकता (बाजू) विद्यमान रहती है। दीवार आभूषित रहती है। रंग पीला, या स्वर्ण रंग का, अथवा भूरा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मक होता है। कभी कभी असमयुग्मक भी होता है।

(७) क्रिप्टोफाइट्सिई — इनकी प्रत्येक कोशिका में दो बड़े वर्णकीलवक होते हैं, जिनका रंग विभिन्न होता है। इनमें भूरे रंग का बाहुल्य होता है। भ्रमणशील कोशिका में दो असमान-कक्षाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन केवल एक प्रजाति में असमयुग्मक होता है।

(८) कैरोफाइट्सिई — ये पौधों के तने तथा शाखाओं सदा रूप के बने होते हैं। शाखाएँ झुंड बनाती हैं। पर्युहरित रहता है। लैंगिक जनन असमयुग्मक होता है। शुक्राणु में दो कक्षाभिकाएँ होती हैं। स्टार्च प्रत्येक कोशिका में विद्यमान रहता है। कभी कभी लैंगिक जनन विषमयुग्मक प्रकार का भी होता है।

(९) डायनोफाइट्सिई — इस कुल के शैवाल अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं, परंतु सूत्रवत् होने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कोशिकीय दीवारें आभूषित रहती हैं। स्टार्च तथा बसा प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनते हैं।

(१०) फीयोफाइट्सिई — ये अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। इनका रंग भूरा होता है, क्योंकि इनमें फ्यूकोजेनिन (fucoxanthin) विद्यमान रहता है। प्रकाशसंश्लेषण के फलस्वरूप बसा, पॉलिसैकेराइड (polysaccharides) तथा चीनी बनती

है। पीछे सूत्रवत् होते हैं। जनन अंगों में दो कक्षाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन विषमयुग्मक का होता है। कभी कभी समयुग्मक जनन भी होता है।

(११) रोडोफाइट्स — इस कुटुंब के शैवाल भी समुद्र में पाए जाते हैं। इस कुटुंब में बहुत कम ऐसे शैवाल होते हैं जो भीठे पानी में उगते हैं। यह गुलाबी रंग का होता है, क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन (Phycocerythrin) नामक बरुंग विद्यमान रहता है। जनन अंग बिना कक्षाभिका के होते हैं। पीछे सूत्रवत् तथा अधिकतर असाधारण ढंग के होते हैं। लैंगिक जनन विषम-युग्मक (ogamous) होता है। सिस्टोकार्प (cystocarp) में फलबीजाणु (corpospores) बनते हैं। [ २० शं० द्वि० ]

शैवाल का आर्थिक महत्त्व — शैवाल का उपयोग तीन क्षेत्रों-कृषि, उद्योग और चिकित्सा—में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। पिछले २० वर्षों से कृषि में शैवाल के उपयोग पर अनेक महत्त्वपूर्ण बातें स्थिर की गई हैं। प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने से पता चला है कि शैवाल वायु से नाइट्रोजन लेकर, मिट्टी में नाइट्रोजन के योगिकों में परिणत कर, उसे स्थिर करते हैं। पौधों के लिये नाइट्रोजन अत्यधिक उपयोगी पोषक तत्व है। इस कारण शैवाल की महत्ता बढ़ गई है। यह नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और फसल में वृद्धि करता है। भारत में अनेक वैज्ञानिकों के अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि शैवाल द्वारा प्रायः २० से लेकर ३० पाउंड प्रति एकड़ तक नाइट्रोजन की वृद्धि मिट्टी में हो सकती है। सभी जाति के शैवाल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं करते। केवल मिक्सोफाइट्स (Myxophyceae) जाति के शैवाल ही इस कार्य में प्रवीण हैं। इनमें नॉस्टक (Nostoc), टोलिपोथ्रिक्स (Tolypothrix), ऑलिसोरा फर्टिलिसिमा (Aulisora Fertilissima) तथा एनाबीना (Anabaena) इत्यादि ही सबसे अधिक महत्त्व के स्थापक सिद्ध हुए हैं। कटक के बान-अनुसंधान केंद्र के अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि टोलिपोथ्रिक्स सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थापित करता है। बान के पौधों के विश्लेषण से यह भी पता लगा है कि शैवाल की जादवाले खेतों के पीछे मिट्टी से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं।

कटक अनुसंधान केंद्र ने परीक्षा करके देखा है कि खेतों में शैवाल को कृत्रिम रूप से उपजाने पर बान की फसल में २०० पाउंड तक की वृद्धि हुई। नाइट्रोजन स्थिर करनेवाले शैवाल की बहुत ग्यून मात्रा बालू में मिलाकर, खेतों में डाली गई तथा सिंचाई की गई। इससे शैवाल की वृद्धि हुई, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिट्टी में प्राप्त हुआ तथा बान की फसल में भी वृद्धि हुई। लेक के अनुसंधान से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि शैवाल से मिट्टी की ऊपरी सतह पर लगभग २५ पाउंड फॉस्फेट की वृद्धि होती है। साथ साथ १,००० पाउंड जैव कार्बन भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की संरचना और उर्वरा शक्ति में उन्नति होती है।

शैवाल के औद्योगिक प्रयोग विभिन्न दिशाओं में किए गए हैं। शैवाल से ऐगार-ऐगार (Agar-agar) नामक चट्टक कार्बनिक पदार्थ, जो शर्करा वर्ग के अंतर्गत है, निकाला जाता है। इससे

वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जीवाणुवीच पदार्थ (media) बनाया जाता है। यह कम परिष्करण में भी काम आता है। यह जेलीडियम (Gelidium) और ग्रासिलारिया (Gracillaria) नामक शैवाल में अधिक पाया जाता है।

शैवाल से आयोडिन (Iodine) नामक तत्व निकाला जाता है, जो प्रोद्युष में तथा अन्य क्षेत्रों में काम आता है। रोडोमीनिया (Rhodymenia) और फिलोफोरा (Phyllophora) नामक शैवालों में आयोडिन अधिक रहता है।

समुद्र में पाए जानेवाले शैवाल मवेशियों के लिये चारे के रूप में व्यवहृत होते हैं। इनका ऐसा उपयोग सफलतापूर्वक इजरायल में हो चुका है।

शैवाल मनुष्य का भी खाद्य पदार्थ है। कहा जाता है, अल्प-संकट में शैवाल उपयोगी खाद्यपदार्थ सिद्ध हो सकता है। शैवाल में सभी विटामिन, प्रोटीन, वसा, शर्करा तथा लवण, जो खाद्यपदार्थ की मुख्य सामग्री है, वर्तमान है। निचिया (Nitzscaia) डाइएटॉम में विटामिन ए (A) अधिक है। अल्वा (Ulva) तथा पॉरफिरा (Porphyra) में विटामिन की मात्रा अधिक होती है। अलेरिया वालिडा (Alaria Valida) में विटामिन सी (C) अधिक पाया जाता है। नीचे दिए हुए आंकड़ों से कुछ शैवालों के पोषक तत्वों का पता चलता है :

शैवाल	जल	प्रोटीन	वसा	शर्करा	रेखा	अवश
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
नॉस्टक कम्यून फ्लैजेली रूप (Nostoc commune Flagelli form)	१०.६	२०.६	१.२	५५.७	४.१	७.५
अल्वा लैक्टुका (Ulva Lactuca) और अल्वा फासिएटा Ulva Fasciata	१२.७	१४.६	०.०४	५०.६	०.२	१५.६

जापान, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलाया इत्यादि पूर्वी देशों में शैवाल मुख्य खाद्य पदार्थ है।

शैवाल मछलियों का आहार है। जल में रहनेवाले अन्य जीव जंतुओं के लिये भी शैवाल पोषक पदार्थ है। पशुओं के चारे के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है। बढ़ती हुई आबादी के आतंक से छुटकारा पाने तथा खाद्य समस्या को हल करने के लिये, शैवाल पर तीव्र गति से प्रयोग जारी है। यह कहा जाता है कि अल्पसंकट को दूर करने में क्लोरेला (Chlorella) नामक शैवाल बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह शैवाल पौष्टिक पदार्थों से परिपूर्ण है। यह फैसले के लिये अधिक स्थान भी नहीं लेता। जितनी जमीन भाव हमें प्राप्त है, उसके १/५ हिस्से में ही क्लोरेला के उपजाने से २०५० ई० में अनुमानित ७० अरब जनसंख्या के लिये भोजन, विद्युत् और जलानव प्राप्त हो सकता है। कार्बोई इन्स्टिट्यूट,

(संयुक्त राज्य, अमरीका, ) के वैज्ञानिकों ने एक प्रायोगिक कारखाना बहुत बड़े पैमाने पर क्लोरेला उत्पादन के हेतु खोला है। अब तक के उत्पादन से यह अनुमान किया गया है कि प्रति एकड़ जमीन से ४० टन क्लोरेला सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता है। इन वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह मात्रा १५० टन तक पहुँच सकती है।

बेनिशवीला में, कुष्ठरोग की चिकित्सा में शैवाल लाभप्रद सिद्ध हुआ है। शैवाल से 'लेमिनरिन' नामक एक पदार्थ बनाया गया है, जिसका उपयोग श्लेष्मिकों में तथा शल्यचिकित्सा में हो सकता है। कुछ शैवालों से विटामिन भी तैयार हो सकता है। कुछ शैवालों में मलेरिया के मच्छड़ों के डिब्बों का नाश करने की क्षमता भी पाई गई है। अतः इनका उपयोग मलेरिया उन्मूलन में भी हो सकता है।

क्लोरेला से हम पर्याप्त परिमाण में प्रोक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक यह खोज कर रहे हैं कि प्रोक्सीजन को कैसे कृत्रिम उपायों द्वारा शैवाल से निकालकर औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाय।

विभिन्न क्षेत्रों में शैवाल के उपयोगों को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि कुछ ही दिनों में इसके महत्वपूर्ण तथा चमत्कारी गुणों द्वारा हम मानव जाति की अनेक समस्याओं को आसानी से हल कर सकेंगे।

जहाँ शैवालों के अनेक लाभप्रद उपयोग हैं, वहाँ इनमें कुछ दोष भी पाए गए हैं। कुछ शैवाल जल को दूषित कर देते हैं। कुछ से ऐसी गैसें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। कुछ शैवाल दूसरे पौधों पर रोग भी फैलाते हैं। चाय की पत्ती का लाल रोग, सेफेल्पूरस (Cephaleuros), शैवाल के कारण ही होता है।

**शैवाल के रासायनिक अध्ययन** — इसकी जानकारी १८८३ ई० से शुरू हुई जब स्टैनफर्ड (Stanford) ने शैवाल में ऐल्जिनिक (Alginic) अम्ल की उपस्थिति का पता लगाया। विल्स-टाटर और स्टॉल (Willstatter and Stoll) ने शैवालों में पर्यु-हरित और अन्य रंगीन पदार्थों की उपस्थिति बतलाई। १८९६ ई० में मोलिच (Molisch) ने सिद्ध किया कि शैवालों की वृद्धि के लिये खनिज लवण आवश्यक हैं। फिर अनेक व्यक्तियों ने जीवाणुओं से पूर्णतया अलग करके संवर्धन विलयन में शैवाल को उगाने का प्रयत्न किया। इनमें सबसे अधिक सफलता प्रिंगशाइम (Pringsheim) को मिली। शैवाल के उपापचय (metabolism) पर कार्य करने का श्रेय पियरसाल (Pearsall) और लूज (Loose) को है, जिन्होंने सिद्ध किया कि शैवाल और पौधों में प्रमुख रासायनिक क्रियाएँ प्रायः एक सी ही होती हैं। इनमें विशेष अंतर नहीं है। शैवालों में प्रकाशसंश्लेषण पर एंजेलमान (Engelman) तथा वारबुर्ग (Warburg) का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैवालों की रासायनिक क्रियाओं की सविस्तर समीक्षा मायेर्स और ब्लिंक (Mayers and Blink) ने १९५१ ई० में की। इससे शैवाल के संबंध की वैज्ञानिक और व्यावहारिक जानकारी पर्याप्त रूप से प्राप्त हुई है। शैवाल के श्वसन के संबंध में वातानाबे (Watanabe, १९३२-३७ ई०), कैल्विन (Calvin, १९५१ ई०),

एनी (Eny, १९५० ई०), एंडरसन (Anderson, १९५५ ई०) और वेबस्टर (Webster, १९५१ ई०) के अनुसंधान विशेष उल्लेखनीय हैं। इन वैज्ञानिकों के मतानुसार श्वसन प्रोक्सीकरण क्रिया है, जिसमें शर्करा के प्रोक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और शैवाल के निर्माण और वृद्धि में काम आती है।

सभी शैवालों में बरुंग यौगिक, विशेषतः पर्युहरित और फेरोटीन, होते हैं। किसी किसी में फाइकोसायानिन (Phycocyanin) भी पाया जाता है। यह बरुंग यौगिक प्रकाश के अवशोषण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर पर्युहरित बनाता है। पर्युहरित प्रकाश ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिसके द्वारा यौगिकों के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अपचयित पदार्थ का पुनः प्रोक्सीकरण होकर, प्रकाश द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। ऐसी ही क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा, स्टार्च, सेलूलोस आदि और फिर उनसे प्रोटीन, वसा, तेल आदि संश्लेषित होते हैं।

शैवाल के उपापचय के उत्पाद — शैवाल में शर्कराएँ पाई जाती हैं। कुछ में ग्लूकोस, कुछ में ट्रेहलोस, कुछ में पेंटोस पाए जाते हैं। इनकी मात्राएँ विभिन्न शैवालों में विभिन्न रहती हैं। अनेक शैवालों में स्टार्च पाए जाते हैं। ऐसे सब स्टार्च एक से नहीं होते हैं, कुछ में ग्लाइकोजेन भी पाया गया है। कुछ में लेमिनैरिन नामक शर्करा पाई गई है। शैवाल की कोशिकाओं की भित्ति होती है।

समुद्री शैवाल में ऐगार-ऐगार नामक पॉलिसैकराइड मिलता है। अन्य कई पॉलिसैकराइड विभिन्न शैवालों में मिलते हैं। शैवालों में वसा भी मिलती है। ऐसी वसा में प्रधानतया पामिटिक अम्ल रहता है। स्टेरॉल भी कुछ शैवाल में मिलते हैं। कुछ शैवालों में निटोल भी, जो संभवतः फ्रक्टोस के अपचयन से बनता है, पाया गया है। शैवालों में जो प्रोटीन पाए गए हैं उनके विघटन उत्पाद, ऐमिनो अम्लों, का विस्तार से अध्ययन हुआ है। लगभग १६ ऐमिनो अम्ल अब तक पृथक् किए जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में आर्जिनिन पाया गया। [ खि० ना० प्र० ]

**शैवाल, मार्टिन (१८४५-१८९१)** मार्टिन का पिता सुनार था, पर अपने पुत्र को कला की दिशा में प्रेरित करने से उसने विशेष उत्साह दिखाया। कोलमार के एक बड़े ही मशहूर 'इनप्रेविंग स्कूल' में उसका दाखिला करा दिया गया, जहाँ से कितने ही विशिष्ट कलाकार बनकर निकल चुके थे। पलाडस के समकालीन कलाकारों, विशेषकर रोगर वान डेर वेडेन, की कलाटिकनीक और चित्रण-शैली का उसके कृतिरूप पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोलमार की सेंट मार्टिन चर्च की अभ्य वेदिका पर 'वर्जिन और बालक क्रिस्ट' की लहलहाएँ खिले पुष्पों के मध्य एक बड़ी ही अभ्य आकृति उसने अंकित की। चित्रकला से अधिक वह नक्काशी में दक्ष था। उसने अनेक ऐसी सुन्दर कलाकृतियाँ प्रस्तुत कीं जिनकी न सिर्फ जर्मनी में बल्कि इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में भी खूब बिक्री हुई। उसके विषय हमेशा धार्मिक और भावनापरक होते थे। तब पर उसके ११३ चित्रांकन उपलब्ध हैं जिनपर उसका नाम भी खुदा है। मृत्यु तथा

ईसा-मी के राज्यारोहण संबंधी चित्रमाला के प्रतिरिक्त मनोरंजनों के निर्वाह में रेखाओं की सुव्यवस्था, प्रतिपाद्य विषय को सूक्ष्मता से प्रकृत तथा सचन एवं सुंदर आकृतियों के निर्माण में उसकी विशेष मौलिकता दृष्टिगत होती है। [श० पु०]

**शोधसंस्थान, भांडारकर प्राच्य** इसकी स्थापना ६ जुलाई, १९१७ को पूना में श्री रामकृष्ण गोपाल भांडारकर की स्मृति में की गई थी। श्री भांडारकर भारत में प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध प्रथमापी नेताओं में से एक थे। स्थापना के दिन ही रामकृष्ण भांडारकर ने अपनी पुस्तकों और शोध संबंधी पत्रिकाओं का वृहत् पुस्तकालय संस्थान को अर्पित कर दिया और एक वर्ष बाद बंबई ( अब महाराष्ट्र ) की सरकार ने संस्कृत और प्राकृत के बीस हजार से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथों का अपना बहुमूल्य संग्रह संस्थान को दे देने का निश्चय किया। इसके सिवा उसने बंबई संस्कृत तथा प्राकृत ग्रंथमाला के प्रबंध का भार भी संस्थान को सौंप दिया। (इस ग्रंथमाला का आरंभ सन् १८६८ में किया गया था) यह बहुमूल्य परिसंपत्ति पाकर इस नवस्थापित संस्थान ने कई शैक्षिक योजनाएँ आरंभ करने का निश्चय किया। सन् १९१९ में उसने पूना में प्रथम सर्वभारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का आयोजन किया। उसने अपनी ओर से भी एक प्राच्य ग्रंथमाला का आरंभ किया। अप्रैल, १९१९ में उसने महाभारत का सटिप्पण संस्करण प्रकाशित करने का काम हाथ में लिया और उसी वर्ष उसने अपने शोध संबंधी पत्र 'ऐनल्स' का प्रथम अंक प्रकाशित किया। युवकों को वैज्ञानिक अनुसंधान की विधियों में प्रशिक्षित करने के लिये संस्थान ने एक स्नातकोत्तर और गवेषणा विभाग की स्थापना की।

शोधसंस्थान के मुख्य विभाग ये हैं — १. हस्तलिखित ग्रंथ विभाग; २. प्रकाशन विभाग; ३. शोध विभाग; ४. महाभारत विभाग। हस्तलिखित ग्रंथ विभाग उन बहुसंख्यक पांडुलिपियों की देखभाल करता है, जो इस तरह के ग्रंथों का देश का सबसे बड़ा संग्रह है। अध्ययन और शोध में लगे छात्रों को ये पांडुलिपियाँ मंगानी भी दी जा सकती हैं। इन ग्रंथों का वृहत् सूचीपत्र ४५ खंडों में प्रकाशित हो रहा है त्रिनम से २० से अधिक छप चुके हैं। यह विभाग संदर्भ ग्रंथों संबंधी सूचना प्रसारित करने के केंद्र का भी काम करता है और भारत के तथा बाहर के अन्य स्थलों के संग्रहों से हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है। प्रकाशन विभाग कई ग्रंथमालाओं का, जैसे बंबई संस्कृत और प्राकृत ग्रंथमाला, राजकीय प्राच्य ग्रंथमाला, भांडारकर प्राच्य ग्रंथमाला आदि का, प्रकाशन करता है। संस्कृत एवं प्राकृत के कितने ही प्राचीन ग्रंथों के समीक्षात्मक एवं सटिप्पण मूल पाठ प्रकाशित करने का श्रेय उसे प्राप्त है। कतिपय मौलिक व्याख्यात्मक एवं ऐतिहासिक पुस्तकें भी उसने प्रकाशित की हैं। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें ये हैं — प्रोफेसर पी० वी० फाणे द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रोफेसर एच० डी० वेल्कर द्वारा संपादित 'जिनरसनकोश' तथा श्री आर० एन० दांडेकर द्वारा संपादित 'भारत विषयक सामग्री के अध्ययन की प्रगति।' इसके सिवा प्रकाशन विभाग 'ऐनल्स' (ऐतिहासिक प्रमिलेख) का भी प्रकाशन करता है।

स्नातकोत्तर तथा गवेषणा विभाग पूना विश्वविद्यालय की मान्यताप्राप्त प्रगोभृत संस्था है जो विश्वविद्यालय की डाक्टरेट उपाधि के लिये शिक्षार्थियों को तैयार करती है। बहुत से विदेशी विद्यार्थी भी इस विभाग में अध्ययन करते हैं। संस्थान का इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य महाभारत का सटिप्पण एवं समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित करना है। कई खंडोवाले, १३,००० पृष्ठों के इस ग्रंथ का सारे संसार के सुयोग्य विद्वानों ने स्वागत किया है और इसे भारतीय विद्वत्ता की महती उपलब्धि माना है। संस्थान 'हरिवंश' का भी ऐसा ही समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है। भांडारकर शोध संस्थान ही सर्वभारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का केंद्रीय कार्यालय है जिसे अब भारतीय प्राच्यविदों की राष्ट्रीय संस्था के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो चुकी है। संस्थान का अपना पुस्तकालय तथा वाचनालय और एक अतिथिभवन भी है। [आर० एन० दांडेकर]

**शोर, सर जॉन (१७५१-१८३४ ई०)** सर जॉन शोर सन् १७९३ में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत पहुँचने पर उसके सामने निजाम और मराठों का मामला आया। दोनों शक्तियों में शीघ्र के संबंध में खटपट हुई थी और युद्ध की नीबट आ गई। दुर्बल निजाम ने मराठों के विरुद्ध जॉन शोर से सहायता माँगी। शीघ्र विचार कर शोर ने निजाम को सहायता देने से इन्कार कर दिया। इस कार्य से देशी शक्तियों का कर्नाट पर विश्वास डगमगा गया। १७९५ में मराठों की निजाम पर विजय हुई।

पिछली संधि के विरुद्ध शोर ने अवध में सेना बढ़ा दी और नवाब आसफुद्दौला से घन माँगा। नवाब के विरोध करने पर शोर ने स्वयं लखनऊ जाकर नवाब को मजबूर किया। आसफुद्दौला की मृत्यु पर शोर की राय से ज़ोर अली गद्दी पर बैठा, पर बाद में उसने अपनी राय बदल दी और फायदे की शर्तों पर सादत अली को गद्दी पर बिठला दिया। इसके प्रतिरिक्त, इस समय सेना में अशांति थी। सैनिक अफमरी ने अपनी माँगी पर इतना जोर दिया कि सन् १७९५ में शोर को उनकी बहुत सी बातें माननी पड़ीं। १७९८ में शोर इंग्लैंड लौट गया। [मि० चं० पा०]

**शोलापुर** १. जिला, भारत के महाराष्ट्र राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल ५,८०९ वर्ग मील तथा जनसंख्या १८,९०,११९ (१९६१) है। जिले की प्रमुख नदी भीमा है। जिले में कपास एवं मक्के की खेती होती है। जिले में वर्षा कम होती है, अतः सिंचाई के लिये नहरें एवं तालाब बनाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा तालाब इक्रुक (Ekruk) है, जिससे नगर को पानी मिलता है और आसपास की हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। पठरपुर जिले का एकमात्र तीर्थस्थान है।

२. नगर, स्थिति : १७° ४३' उ० अ० तथा ७५° ५६' पू० दे०। महाराष्ट्र राज्य के उपर्युक्त जिले का यह नगर पूना से रेलमार्ग से १६४ मील दूर है। यह नगर सूती वस्त्र उद्योग के भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक है और इसी कारण इसका विकास हुआ है और हो रहा है। यहाँ की बनी चादरें प्रसिद्ध हैं। नगर की जनसंख्या ३,३७,५३३ (१९६१) है। [अ० ना० दे०]

**शौरसेनी** यह उल्लेखित प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्यदेश में प्रचलित थी और जिसका केंद्र शूरसेन अर्थात् मयुरा और उसके आसपास का प्रदेश था। सामान्यतः उन समस्त लोक-भाषाओं का नाम प्राकृत था जो मध्यकाल ( ई० पू० ६०० से ई० स० १००० तक ) में समस्त उत्तर भारत में प्रचलित हुईं। प्रदेशभेद से मूलतः ही वर्णोच्चारण, व्याकरण तथा शैली की दृष्टि से प्राकृत के अनेक भेद थे, जिनमें से प्रधान थे — पूर्व देश की मागधी एवं अर्ध-मागधी प्राकृत, पश्चिमोत्तर प्रदेश की पेशावी प्राकृत तथा मध्यदेश की शौरसेनी प्राकृत। भोज्य सभ्राट् अशोक से लेकर अलम्प्य प्राचीनतम लेखों तथा साहित्य में इन्हीं प्राकृतों और विशेषतः शौरसेनी का ही प्रयोग पाया जाता है। भरत नाट्यशास्त्र में विधान है कि नाटक में शौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाय अथवा प्रयोक्ताओं के इच्छानुसार अन्य देशभाषाओं का भी ( शौरसेनं समाश्रय भाषा कर्त्ता तु नाटके, अथवा ह्यदतः काया देशभाषाप्रयोक्तृभिः — भ० ना० शा० १८, ३४ )। प्राचीनतम नाटक अथवा प्रयोक्तृ हैं ( प्रथम शताब्दी ई० )। उनके जो खडा-वर्ण उपलब्ध हुए हैं, उनमें मुख्यतः शौरसेनी तथा कुछ अंशों में मागधी और अर्ध-मागधी का प्रयोग पाया जाता है। भाग के नाटकों में भी मुख्यतः शौरसेनी का ही प्रयोग पाया जाता है। परन्तु प्राचीन नाटकों की प्रकृति गद्य में शौरसेनी और पद्य में महाराष्ट्री की ओर पाई जाती है। धार्मिक विद्वानों का मत है कि शौरसेनी प्राकृत से ही कालांतर में भाषाविकास के क्रमानुसार उन विशेषताओं की उत्पत्ति हुई जो महाराष्ट्री प्राकृत के लक्षण माने जाते हैं ( जिनके लिये देखिए 'महाराष्ट्री' )। वररुचि, हेमचन्द्र आदि व्याकरणों ने अपने अपने प्राकृत व्याकरणों में पहले क्रिस्तात् से प्राकृत सामान्य के लक्षण बतलाए हैं और तत्पश्चात् शौरसेनी आदि प्राकृतों के विशेष लक्षण निर्दिष्ट किए हैं। इनमें शौरसेनी प्राकृत के मुख्य लक्षण दो स्वरों के बीच में आनेवाले लृ के स्थान पर इ तथा य के स्थान पर ए । जैसे अतीत > अदीद, कथ > कथं; तदभुमार ही क्रिया-पदों में भवति > भोदि, होदि; व भूया > भोदूण, होदूण। भाषाविज्ञान के अनुसार ईसा की दूसरी शती के लगभग शब्दों के मध्य में आनेवाले लृ तथा इ एवं कृ आदि वर्णों का भी लोप होने लगा और यही महाराष्ट्री प्राकृत की विशेषता मानों गई। प्राकृत का उपलब्ध साहित्य रचना की दृष्टि से इस काल से परवर्ती ही है। अतएव उसमें शौरसेनी का उक्त गुण रूप न मिलकर महाराष्ट्री मिश्रित रूप प्राप्त होता है और इसी कारण पिशाळ आदि विद्वानों ने उसे उक्त प्रवृत्तियों की बहुलतानुसार जैन शौरसेनी या जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। जैन शौरसेनी साहित्य दिगंबर जैन परंपरा का पाया जाता है। प्रमुख रचनाएँ ये हैं — सबसे प्राचीन पुष्पदत्त एवं भूतबलिकृत षट्खण्डागम तथा गुणधरकृत कषाय प्राभृत् नामक सूत्रग्रन्थ हैं ( समय लगभग द्वितीय शती ई० )। इनकी विशाल टीकाएँ वीरसेन तथा जिनसेनकृत भी शौरसेनी प्राकृत में लिखी गई हैं ( ६ वीं शती ई० )। ये सब रचनाएँ गद्यात्मक हैं। पद्य में सबसे प्राचीन रचनाएँ कुदकुदाचार्यकृत हैं ( अनुमानतः तीसरी शती ई० )। इनके बारह षेरह अथ प्रकाश में आ चुके हैं, जिनके नाम हैं — समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार,

रयणसार, बारस अगुवेक्खा तथा दर्शन, बोध पाहुडादि अष्ट पाहुड। इन ग्रंथों में मुख्यतया जैन दर्शन, अष्टात्म एव आचार का प्रतिपादन किया गया है। मुनि आचार संबंधी मुख्य रचनाएँ हैं — शिवार्य कृत भगवती धाराधना और वट्टकेर कृत मूलाचार। अनु-प्रेक्षा अर्थात् अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाएँ भावमुद्रि के लिये जैन मुनियों के विशेष चिन्तन और अभ्यास के विषय हैं। इन भावनाओं का मूल में प्रतिपादन तो कुदकुदाचार्य ने अपनी 'बारस अगुवेक्खा' नामक रचना में किया है, उन्हीं का विस्तार से भले प्रकार वर्णन कात्तिकेयानुप्रेक्षा में पाया जाता है, जिसके अर्थों का नाम स्वामी का र्ण है। ( लगभग चौथी पंचवीं शती ई० )।

( १ ) यति वृषभाचार्य कृत तिलोद्यपगणति ( ६ वीं शती ई० से पूर्व ) में जैन मान्यतानुसार त्रैलोक्य का विस्तार से वर्णन किया गया है, तथा पद्मनंदीकृत जंबूद्वीपगणति में जंबूद्वीप का।

( २ ) स्वाहाद और नय जैन व्यायामशास्त्र का प्राण है। इसका प्रतिपादन शौ० प्रा० में देवसेन कृत लघु और बृहत् नयचक्र नामक रचनाओं में पाया जाता है ( १० वीं शती ई० )।

जैन कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करनेवाला शौ० प्रा० प्र० है — नेमिचन्द्रसिद्धांत चक्रवर्ती कृत गोमटमार, जिसकी रचना गगनरेश मार्गिह के राज्यकाल में उनके उन्हीं महार्थनी चामुडराय की प्रेरणा से हुई थी, जिन्होंने मैसूर प्रदेश के अन्नारबेलगोला नगर में उस सुप्रसिद्ध विशाल बाहुबलि की मूर्ति का उद्घाटन कराया था ( ११ वीं शती ई० )। उपर्युक्त समस्त रचनाएँ प्राकृत-भाषा-निबद्ध हैं।

जैन साहित्य के अतिरिक्त शौ० प्रा० का प्रयोग राजशेखरकृत कर्पूरमंजरी, रुद्रदासकृत चंद्रलेखा, धनपथामकृत धानंदसुदरी नामक सट्टको में भी पाया जाता है। यद्यपि कर्पूरमंजरी के प्रथम विद्वान् संपादक डा० स्टेनकोनो ने दर्जनों प्राचीन प्रतियों के प्रमाण के विरुद्ध अपनी एक धारणा के बल पर गद्य में शौरसेनी और पद्य में महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ लाने का प्रयास किया, तथापि डा० मनमोहन घोष ने इस प्रवृत्ति को अनुचित बतलाकर समस्त सट्टक में ही शौरसेनी की प्रवृत्ति प्रमाणित की है। शेष सट्टको में भी गद्य और पद्य में प्रायः एक ही प्राकृत भाषा दृष्टिगोचर होती है, जो बहुलता से शौरसेनी के लक्षणों की लिए हुए है। ( देखिए : पिशाळ के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण; दिनेशचन्द्र सरकार. ग्रामर ऑव दि प्राकृत लैंग्वेज; वूलनर-इंट्रोडक्शन टु प्राकृत, हैम प्राकृत व्याकरण; डा० अ० न० उपाध्ये. इंट्रोडक्शन टु प्रवचनसार )। [ टी० ला० ]

**स्टेटिन** (Stettin) ब्रॉडर नदी के बाएँ किनारे पर, शेजेसीन की खाड़ी से २७२ किलोमीटर और बाल्टिक सागर से ६४ किलोमीटर अंदर स्थित, पोलैंड का मुख्य बंदरगाह है। यह पॉमरेनिया की प्राचीन राजधानी था। शहर कोट के भीतर सेंट जॉन और जेम्स के प्रसिद्ध गिरजाघर विद्यमान थे, जो द्वितीय विश्वयुद्ध में नष्ट कर दिए गए। महान् फंडरिक द्वारा निर्मित शहरकोट १८७४ में तोड़ दिया गया, लेकिन उसके विशाल द्वार अभी भी विद्यमान हैं। प्राचीन नगर का लगभग ६० प्रतिशत और रवीन नगर का लगभग ५०

प्रति शत भाग द्वितीय विषकमुद्रक में लुप्त हो गया था। यह नगर सन् १६४८ से १७२० तक स्वीडन के अधिकार में रहा, सन् १७२० से १८४५ तक प्रशिया का भाग रहा तथा १८४५ ई० को पॉट्सडम संधि के बाद यह पोलैंड में मिल गया। तभी से नगर के पुनर्निर्माण एवं नवीन विकास का कार्य तेजी से नियोजित ढंग पर हो रहा है। यह लोहा, इंजिनियरी, वस्त्र, रसायन, सीमेंट, साबुन, तेल, कागज और चीनी उद्योग का केंद्र है। यहाँ से चीनी, शराब, साद्यान्न, घास एवं घाटे का निर्यात किया जाता है तथा लोहा, सोडा, पोटैश, कहवा, कपास, भक्का एवं लकड़ी का आयात किया जाता है। नगर की जनसंख्या, २,६६,००० (१९६०) है। [स० सि० ड०]

**रनोर फान कारोन्सफेल्ड जूलिअस** (१७२४-१८७२) जर्मन चित्रकार। १७ वर्ष की अल्पवस्था में ही उसका विद्या एकेडेमी में प्रवेश हो गया, किंतु प्राचीन परंपरागत कलाकृतियों के प्रतिक्रिया-स्वरूप जो वहाँ उपद्रव हुआ उसमें भाग लेने के कारण उसे शिक्षा समाप्त होने के एक वर्ष पूर्व ही निकाल दिया गया। १८१८ में रेफलाइट (रेफल पूर्व) जर्मन कलाकारों का एक बल रोम की कला-यात्रा के लिये रवाना हुआ। वह भी उसमें संमिलित हो गया। १८२५ में वह रोम छोड़कर म्यूनिख में जा बसा। प्राचीन धार्मिक कला के विरुद्ध उसने एक विशिष्ट कला टेकनीक का आविष्कार किया। उसने भित्तिचित्रण और स्मारकसज्जा की नींव डाली। रोम की कलापरंपराओं को उसने जर्मनी में प्रचलित किया। मैसिमो विला के प्रवेशद्वार की चित्रणसज्जा का कार्य उसे सौंपा गया था जो उसने दो अन्य कलाकारों के साथ मिलकर संपन्न किया। चर्च की दीवारों, खिड़कियों, गवाछों में निर्मित उसके सिकड़ों डिजाइनों में बाइबिल के धार्मिक कथाप्रसंगों के प्रतिरिक्त उसके व्यंगचित्र भी मिलते हैं। उदार और प्रगतिशील विचारों का होने के कारण वह धार्मिक चित्रण में सदैव नए तौर तरीकों का समर्थक रहा। [स० रा० गु०]

**स्पेमान, हंस** (Spemann, Hans, सन् १८६६-१९४१), जर्मन प्राणिविज्ञानी, का जन्म स्टुटगार्ट (Stuttgart) में हुआ था और इन्होंने हाइडेलबर्ग, म्यूनिख तथा वर्ट्सबुर्ख (Wurzburg) में शिक्षा पाई थी।

सन् १९०८ में रॉस्टॉक में, सन् १९१४ में कैसर विल्हेम इंस्टिट्यूट में तथा सन् १९१९ से फ्राइबुर्ख इम ब्राइसगॉउ (Freiburg im Brisgau) में वे प्रोफेसर नियुक्त हुए।

स्पेमान विचक्षण प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने भ्रूण के ऊतकों के रोपण की एक रीति का विकास किया। उमयवर्तों के भ्रूणविकास निर्धारण के कालिक तथा स्थैतिक संबंधों की खोज के लिये आपने अनेक प्रयोग किए। ये भ्रूणों में संगठनकेंद्रों के आविष्कर्ता थे। इन्होंने कोरकरेंद्र (blastopore) के ओष्ठ के संगठन कर्म का सप्रयोग निदर्शन किया। इस उपलब्धि ने अन्य जीवों में इसी प्रकार के संगठनकेंद्रों का पता लगाने तथा पहचानने की रीतियों से संबंधित रासायनिक अध्ययनों को जन्म दिया। सन् १९३५ में आपकी खोजों के उपलक्ष्य ने आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

[स० दा० व०]

**रिचट, जोहैनीस** (Schmidt Johannes, सन् १८७७-१९३३), डेन्मार्क वासी जीववैज्ञानिक, का जन्म जौगरस्पिस (Jaegerspris) में तथा शिक्षा कोपेनहेगेन में हुई थी।

सन् १८९९ में इन्होंने अज्ञात वनस्पतियों की खोज में स्पैम देव (वाईलैंड) की अभियान कर, वैज्ञानिक जीवन आरंभ किया। सन् १९१० में कार्ल्सबर्ग संस्थान की प्रयोगशाला में हॉप (hop) के बीब तथा जीवरासायनिक अनुसंधान में आप लगे रहे, परंतु विज्ञान को आपकी सबसे बड़ी देन सागर विज्ञान के क्षेत्र में थी। कुछ समय तक वे सागर अन्वेषण के लिये गठित, अंतरराष्ट्रीय परिषद् के सदस्य रहे। आपकी रुचि मछलियों के विकास की ओर थी।


एक सागरयात्रा में सुदूर अंध महासागर में आपने मीठे जख-वासी ईल (eel) मछली के डिभक (सावा) पाए और उन्हें एकत्र किया। इससे प्रेरित होकर, इन्होंने भिन्न आयुओं के डिभकों की खोज आरंभ की तथा यह सिद्ध करने में सफल हुए कि नदियों के मीठे जल की ईल मछली के अंडे देने का स्थान, जिसकी दीर्घकाल से खोज थी, लीवर्ड और बाहामा द्वीपों के मध्य स्थित है।

सागर विज्ञान के क्षेत्र में इस महत् खोज के सिवाय, आपकी सागरयात्राओं तथा मछलियों के बच्चों संबंधी जीवसांख्यिकीय अनुसंधानों से, सागरों के प्राणिसमूह तथा मत्स्यों के बारे में हमारी जानकारी में अतीव वृद्धि हुई। [स० दा० व०]

**र्यानता** (Viscosity) ग्राम तौर पर यह देखा जाता है कि सभी वस्तुएँ, चाहे वे गैस, द्रव अथवा ठोस हों, यदि उनका विकृपण (deformation) होता है, अथवा उनके पिंड (body) के विभिन्न हिस्सों में सापेक्ष गति (relative motion) कराई जाती है, तो उनमें अक्षरोध करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ वस्तुओं में इस प्रवृत्ति की कोटि (degree) ज्यादा होती है और कुछ में कम। जब हम पानी को बिकनी सतह पर गिराते हैं, तो यह देखा जाता है कि पानी तेजी से बहता है, लेकिन यदि हम शीरा (treacle) या ग्लिसरीन की उतनी ही मात्रा उसी प्रकार की बिकनी सतह पर गिराएँ, तो यह सतह पर फैलने में ज्यादा समय लेता है। शीरे की किस्म की वस्तुओं को, जो फैलने में ज्यादा समय लेती हैं, साधारण लोगों की भाषा में चिपचिपी या श्यान (viscous) कहते हैं, जब कि पानी जैसी वस्तुओं को तरल अथवा गतिशील (mobile) की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शीरा पानी से ज्यादा श्यान है। दूसरों शब्दों में यह भी कहा जाता है कि स्वरूपपरिवर्तन शीरे में शीरे धीरे होता है, जब कि पानी जैसी वस्तुओं में तेजी से। श्यानता तरलों (fluids) का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों (forces) का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। इस प्रकार हम श्यानता को किसी भी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण (internal friction) के रूप में भी देख सकते हैं। द्रवों तथा गैसों, दोनों में, श्यानता का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव गैसों की अपेक्षा ज्यादा श्यान होते हैं। इसी श्यानता के कारण द्रव की एक परत (layer) दूसरी परत पर होकर आगे बढ़ती है।



द्रवों की श्यानता (Viscosity of liquids) — दो ऐसी क्षैतिज समान्तर पट्टिकाओं (plates) की कल्पना करें जिनके बीच में एक द्रव पदार्थ रखा हुआ है (देखें चित्र)। मान



चित्र

लीजिए पट्टिका अ अपने ही समतल (plane) में, दाहिनी दिशा में, एक स्थिर वेग (constant velocity)  $v$  से आगे बढ़ रही है, जिसे चित्र में तीर द्वारा दिखाया गया है, तथा पट्टिका अ अपनी स्थिर अवस्था में है। तात्पर्य यह है कि पट्टिका अ का सापेक्ष वेग  $v$  है। ऐसी अवस्था में यह कहा जाता है कि द्रव पदार्थ पूरा का पूरा वेग  $v$  से तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में गतिमान है। यदि द्रव का प्रवाह धारा रेखी गति (streamline motion) से हो रहा हो, तो द्रव की वह परत जो स्थिर पट्टिका अ के संपर्क में है, प्रथम अवस्था में रहती है, जबकि अन्य दूसरी परतों का प्रवाह सतह के समान्तर होता रहता है। लेकिन इन परतों का वेग, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अंतिम परत, जो पट्टिका अ के संपर्क में होती है, उसका वेग  $v$  ही होता है। अब हम द्रव में किसी क्षैतिज समतल (horizontal plane) पर ध्यान देंगे। इस समतल के अणुओं को इसके ठीक ऊपरवाली परत के अणुओं द्वारा त्वरण (acceleration) मिलता है, क्योंकि ऊपरवाली परत के अणुओं का वेग इस समतल के अणुओं के वेग से ज्यादा होता है, जबकि क्षैतिज समतल के ठीक नीचे की परत के अणुओं द्वारा क्षैतिज समतल के अणुओं की गति में मंदन लाया जाता है। इसी प्रकार द्रव की प्रत्येक परत अपने ठीक ऊपरवाली परत पर एक स्पर्शरेखीय पश्च बल (tangential backward force) डालती है, जिसके कारण इन दोनों परतों के बीच की सापेक्ष गति नष्ट होती है। परिणामस्वरूप यदि हमें द्रव की समान्तर परतों के बीच सापेक्ष गति रक्षनी हो, तो यह अत्यावश्यक है कि एक बाहरी बल (external force) को इस पश्चकर्षण (backward drag) पर हावी (overcome) होना चाहिए। यदि बाहरी बल नहीं होगा, तो कुछ समय के बाद द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति समाप्त हो जायगी। किसी द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य की बदौलत, द्रव अपनी ही विभिन्न परतों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता, अथवा आंतरिक घर्षण (Internal friction), कहलाता है। यह गुण, जो एक द्रव से दूसरे द्रव में केवल डिग्री या कोटि में ही भिन्न रहता है, हर एक तरल का एक अंतर्निहित गुणधर्म है।

बारारेखी गति के विषये, स्टूटन के श्यान प्रवाह (Viscous

flow) के नियम के अनुसार, द्रव की समान्तर परतों के बीच स्पर्शरेखीय श्यान बल  $F$  को नीचे दिए गए संबंध द्वारा दिखाया जाता है:

$$F = -\eta \cdot A \cdot \frac{dv}{dx} \dots \dots (1)$$

जहाँ  $A$  = समान्तर परतों का क्षेत्रफल,  $dx$  = परतों के बीच की दूरी,  $dv$  = परतों की सापेक्ष गति,  $dv/dx$  = वेग प्रवणता (velocity gradient) तथा  $\eta$  एक स्थिरांक (constant) है, जिसे 'द्रव की श्यानता का गुणांक' कहा जाता है। यह, अथवा इसका मान, द्रव की प्रकृति तथा भौतिक दशाओं (physical conditions) पर निर्भर करता है। यदि हम ऊपर दर्शाए गए संबंध (1) में  $A = 1$ ,  $dv/dx = 1$  रखें, तो  $F = -\eta$  होगा। अतएव किसी द्रव की 'श्यानता के गुणांक' की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है - किसी द्रव के दो समान्तर तलों के बीच इकाई वेग प्रवणता रखने के लिये जो स्पर्शरेखीय बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिये आवश्यक होता है, उसे उस द्रव की 'श्यानता का गुणांक' कहते हैं। भौतिक शास्त्र में जो इकाइयाँ प्राप्त तौर पर बल लंबाई तथा समय के लिये आती हैं, वही श्यानता गुणांक के लिये प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे डाइन, सेटीमीटर तथा सेकंड।

यद्यपि ऊपर दो पट्टिकाओं तथा उनके बीच द्रव की उपस्थिति जैसी व्यवस्था की कल्पना कर, आसानी से 'श्यानता के गुणांक' की परिभाषा की गई है, तथापि प्रयोगात्मक रूप में ऐसी व्यवस्था को पाना संभव नहीं है। पहले पहल पानी जैसी तरल वस्तुओं का 'श्यानता का गुणांक' पानी के बहाव को, केशिका नलिकाओं से गुजरने के बाद, मापकर निकाला गया और आजकल भी यह तरीका विशद रूप से प्रयोग में लाया जाता है।

मान लीजिए कि, कोई द्रव, जैसे पानी, किसी वृत्तीय छेद की संकीर्ण नली से होकर गुजर रहा है। यदि पानी धारा रेखी गति से संकीर्ण नली से होकर प्रवाहित हो रहा है तथा नली के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के ऊपर दबाव एक समान हो और द्रव की वह परत जो नली की गोलीय दीवार के संपर्क में हो एवं प्रयोगात्मक रूप से स्थिर हो, तो पानी का श्यानता गुणांक नीचे दिए हुए संबंध द्वारा निकाला जा सकता है:

$$Q = \frac{\pi p a^4}{8 l \eta} \dots \dots (2)$$

जहाँ  $Q$  = पानी का वह आयतन जो प्रति सेकंड नली से होकर गुजरना है,  $a$  = संकीर्ण नली का अर्धव्यास,  $p$  = दबाव का अंतर जो नली के दोनों सिरों के बीच होता है,  $l$  = संकीर्ण नली की लंबाई तथा  $\eta$  = श्यानता का गुणांक है।

केशिका श्यानतामापी (Capillary viscometers) — श्यानता-गुणांक के शुद्ध, पूर्ण तथा ठीक ठीक निर्धारण के लिये यह आवश्यक है कि श्यानता के यथार्थ आयाम (exact dimensions) मापन हों, पर यह कठिन कार्य है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्यानतामापन के लिये सरल उपकरण, जिन्हें श्यानतामापी कहते हैं, प्रयुक्त होते

है। इन उपकरणों को उन द्रवों द्वारा चर्काकित किया जाता है जिनकी श्यानता मासूम है। ये उपकरण साधारणतया केशिका प्रवाह अथवा घूर्ण ऐंठन (rotational torque) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। केशिकाप्रवाह किस्य के उपकरणों में मोसवास्ट का बनाया हुआ उपकरण सर्वविधित है तथा सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। इस उपकरण में द्रव के नवर्चक (meniscus) के एक स्थिर चिह्न से दूसरे स्थिर चिह्न तक के गिरने का समय मापा जाता है तथा नीचे दिए हुए सूत्र से श्यानता का गुणांक निकाला जाता है। इन उपकरणों को प्रयोग में लाते समय एक मानक आयतन ही लिया जाता है।

गतिक श्यानता (Kinematics viscosity) =  

$$K = \eta/\rho = At - B/t \quad \dots \dots (३)$$

जहाँ  $\eta$  = श्यानतागुणांक है,  $\rho$  = द्रव का घनत्व है, तथा A एवं B = उपकरण स्थिरांक हैं तथा t = द्रवप्रवाह का समय है।

जिन द्रवों की श्यानता बहुत ज्यादा होती है, उनके लिये सूत्र (३) का दूसरा खंड (factor) शून्य होता है और इस प्रकार :

$$K = \eta/\rho = At \quad \dots \dots (४)$$

प्रत्येक गतिक श्यानताओं का अन्वुपात, दो द्रवों में, सूत्र (४) द्वारा दिया जाता है :

$$K_1/K_2 = t_1/t_2 \quad \dots \dots (५)$$

तथा यही सूत्र मोसवास्ट द्वारा प्रयोग में लाया गया था।

श्यानता और ताप (Viscosity and Temperature) — प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि, काफी हद तक, द्रवों की श्यानता ताप पर निर्भर है। यद्यपि इस क्षेत्र में काफी प्रयोग किए जा चुके हैं, तथापि कोई ऐसा साधारण सूत्र नहीं मिला जो श्यानता तथा ताप के संबंध की उच्च यथार्थता को प्रदर्शित करे। प्रायः यह पाया जाता है कि पूरे क्षेत्र में ताप के बढ़ने के साथ साथ श्यानता घटती चली जाती है, लेकिन श्यानता में यह घटाव प्रति अंश निम्न ताप पर ऊँचे ताप की अपेक्षा ज्यादा होता है। श्यानता तथा ताप के संबंध में सर्वप्रथम स्लॉट (Slotte) द्वारा एक नूतानुपाती सूत्र (empirical formula) दिया गया, जो बाद में संशोधित हुआ तथा शुद्ध द्रवों के संबंध में ही लागू होता है। आगे चलकर ऐंड्राडे के सिद्धांत (Andrade's theory) पर एक अटिल श्यानता-ताप-संबंध दिया गया, जो प्रयोगों से काफी संतोषप्रद पाया गया है और वह इस प्रकार है :

$$\eta v^{1/3} = Ae^{C/vT} \quad \dots (६)$$

जहाँ A तथा C स्थिरांक (constants) हैं, T = ताप तथा v = विशिष्ट आयतन (specific volume) है।

ताप के बढ़ने के साथ साथ गैसों का श्यानता गुणांक बढ़ता है। इसके संबंध में सदरलैंड (Sutherland) ने एक सूत्र दिया है, जो इस प्रकार है :

$$\frac{\eta_1}{\eta_0} = \frac{273+C}{T+C} \left( \frac{T}{273} \right)^{3/2} \quad \dots (७)$$

जहाँ  $\eta_1$  तथा  $\eta_0$  क्रमशः ताप T° तथा 0° सेंटीग्रेड पर श्यानता के गुणांक हैं, तथा C को सदरलैंड स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, जो भिन्न भिन्न गैसों के लिये भिन्न होता है।

श्यानता और दबाव (Viscosity and Pressure) — जिन द्रवों की श्यानता ज्यादा होती है, जैसे क्लिज तेल की, उनकी श्यानता का गुणांक दबाव के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। केवल पानी को छोड़कर अन्य सभी द्रवों में करीब करीब ऐसी ही स्थिति पाई गई है। पानी में पहले कई सौ वायु दबाव (few hundred atmospheric pressures) तक श्यानतागुणांक घटता जाता है, तदुपरान्त इसका श्यानतागुणांक अन्य द्रवों की तरह दबाव के साथ साथ बढ़ता है।

गैसों के बारे में यह पाया गया है कि साधारणतया उच्च दबाव का श्यानतागुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु न्यून दबाव पर श्यानतागुणांक दबाव के घटने के साथ साथ ही घटता जाता है। जिस दबाव पर यह प्रभाव आरंभ होता है, वह इन दो बातों पर निर्भर करता है : (१) बरतन के आकार पर, जिसमें गैस भरी होती है, तथा (२) गैस की प्रकृति पर।

श्यानता और रासायनिक रचना (Viscosity and Chemical Constitution) — सर्वप्रथम टॉमस ग्राहम (Thomas Graham) ने यह सुझाव दिया कि एक ही प्रकार की रचना के यौगिकों का श्यानता गुणांक नियमित ढंग से बढ़ सकता है, यदि उनके अणुओं या समूहों की संख्या बढ़ाई जाय। प्रयोगों से थॉर्प तथा रॉडजर (Thorpe and Rodger) ने यह पाया कि किसी सजातीय श्रेणी का श्यानतागुणांक उसके अणुभार के साथ बढ़ता जाता है। यह वृद्धि नियमित ढंग से होती है, जबकि सजातीय श्रेणी के प्रथम दो या तीन यौगिक अनियमितता दर्शाते हैं।

श्यानता का महत्व — जब जहाज पानी पर विचरण करता है, तब समुद्र का पानी श्यान अवरोध प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार हवा भी हमारे हवाई जहाजों तथा कारों की राह में अवरोध उपस्थित करती है। हमारी कलम की स्याही की विशेषता काफी हद तक उसकी श्यानता पर निर्भर है। स्नेहकों (lubricants) के प्रयोग का आधार ही श्यानता है। हम सब लोगों की धमनियों तथा शिराओं में रुधिरपरिसंचरण (circulation of blood) रुधिर की श्यानता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार जनजीवन में श्यानता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। [ अ० ला० ]

श्यामसुंदर दास, डॉ० (सन् १८७५-१९४५ ई०) हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान्, आलोचक और शिक्षाविद्। जन्म काशी में हुआ और यहीं क्वींस कालेज से सन् १८९७ में बी० ए० किया। जब इंडर के छात्र थे तभी सन् १८९३ में मित्रों के सहयोग से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की नींव डाली और ४५ वर्षों तक निरंतर उसके संवर्धन में बहुमूल्य योग देते रहे। १८९५-९६ में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' निकालने पर उसके प्रथम संपादक नियुक्त हुए और बाद में कई बार वर्षों तक उसका संपादन किया। 'सरस्वती' के भी आरंभिक तीन वर्षों (१८९९-१९०२) तक संपादक रहे। १८९९ में हिंदू स्कूल के अध्यापक नियुक्त हुए और कुछ दिनों बाद

श्यामसुंदर दास ( देखें पृष्ठ ३१४ )



रामचंद्र गुप्त ( १९०२-१९८८ )



शिवकुमार सिंह ( १९०५-१९८० )



हिंदू कालेज में बंगरेजी के जूनियर प्रोफेसर नियुक्त हुए। १९०६ में जम्मु महाराज के स्टेट आफिस में काम करने लगे जहाँ दो वर्ष रहे। १९१३ से १९२१ तक मखनऊ के कालीचरण हार्ड स्कूल में हेडमास्टर रहे। इनके उद्योग से विद्यालय की अच्छी उन्नति हुई। १९२१ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुल जाने पर इन्हें अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया। पाठ्यक्रम के निर्धारण से लेकर हिंदी भाषा और साहित्य की विश्वविद्यालयस्तरीय शिक्षा के मार्ग की अनेक बाधाओं को हटाकर योग्यतापूर्वक हिंदी विभाग का संचालन और संवर्धन किया। इस प्रकार इन्हें हिंदी की उच्च शिक्षा के प्रवर्धन और आयोजन का श्रेय है। उस समय विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों और आलोचना ग्रंथों का अभाव था। इन्होंने स्वयं प्रयोजित ग्रंथों का संपादन कि १, समीक्षाग्रंथ लिखे और अपने सुविज्ञ सहयोगियों से लिखावाए।

काशी नागरीप्रचारिणी सभा के माध्यम से श्री श्यामसुंदरदास ने हिंदी की बहुमुखी सेवा की और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का सूत्रपात एवं संचालन किया जिनसे हिंदी की अभूतपूर्व उन्नति हुई। व्यायालयों में नागरी के प्रवेश के लिये मालवीय जी आदि की सहायता से इन्होंने सफल उद्योग किया। हिंदी वैज्ञानिक कोश के निर्माण में भी योग दिया। हिंदी की लेख तथा लिपि प्रणाली के संस्कार के लिये प्रारंभिक प्रयत्न (१८६८) किया। हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का काम प्रारंभ कर इन्होंने उसे नौ वर्षों तक चलाया और उसकी सात रिपोर्टें लिखी। 'हिंदी शब्दसागर' के ये प्रधान संपादक थे। यह विशाल शब्दकोश इनके अप्रतिम बुद्धिबल और कार्यक्षमता का प्रमाण है। १९०७ से १९२६ तक अत्यंत निष्ठा से इन्होंने इसका संपादन और कार्यसंचालन किया। इस कोश के प्रकाशन के अवसर पर इनकी सेवाओं को मान्यता देने के निमित्त 'कोशोत्सव स्मारक सग्रह' के रूप में इन्हें अभिनंदन ग्रंथ अर्पित किया गया।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापनकार्य के समय उच्च अध्ययन में उपयोग के लिये इन्होंने भाषाविज्ञान, आलोचना शास्त्र और हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकासक्रम पर श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे।

इन्होंने परिचयात्मक और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने के साथ ही कई दर्जन पुस्तकों का संपादन किया। पाठ्य पुस्तकों के रूप में इन्होंने कई दर्जन सुसंपादित सग्रह ग्रंथ प्रकाशित कराए। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं — हिंदी कोविद रत्नमाला भाग १, २ (१९०६-१९१४), साहित्यालोचन (१९२२), भाषाविज्ञान (१९२३), हिंदी भाषा और साहित्य (१९३०) रूपकरहस्य (१९३१), भाषाग्रहस्य भाग १ (१९३५), हिंदी के निर्माता भाग १ और २ (१९४०-४१), मेरी आत्मकहानी (१९४१), कबीर प्रभावली (१९२८), साहित्यिक लेख (१९४५)।

श्यामसुंदरदास का व्यक्तित्व तेजस्वी और जीवन हिंदी की सेवा के लिये अर्पित था। जिस जमाने में इन्होंने कार्य शुरू किया उस समय का वातावरण हिंदी के लिये अत्यंत प्रतिकूल था। सरकारी कामकाज और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में यह उपेक्षित थी। हिंदी बोलनेवाला अक्षिप्त समझा जाता था। ऐसी प्रतिकूल

परिस्थिति में हिंदी के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिये इन्होंने काशी नागरीप्रचारिणी सभा को केंद्र बनाकर जो अमूल्य संभव प्रयत्न किया उसका ऐतिहासिक महत्व है। वे उच्च कोटि के संगठनकर्ता और व्यवस्थापक थे। समर्थ मित्रों के सहयोग और अपने बुद्धिबल तथा कर्मठता से इन्होंने हिंदी की उन्नति के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों का बटकर सामना किया और सफलता प्राप्त की। उनकी दृष्टि व्यक्तियों की क्षमता पहचानने में अचूक थी। इन्होंने अनेक व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर साहित्य के क्षेत्र में ला खड़ा किया। इसीलिये कहा गया है कि इन्होंने 'ग्रंथों की ही नहीं, प्रवक्तारों की भी रचना की'।

उनकी हिंदीसेवाओं से प्रसन्न होकर बंगरेज सरकार ने 'रायबहादुर', हिंदी साहित्य संमेलन ने 'साहित्यवाचस्पति' और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी० लिट्० की संमानोपाधि प्रदान की।

[ वि० शं० म० ]

**श्यामाचरण लाहिड़ी** १८ वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक जिन्होंने सद्गुरुत्व के रूप में योगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। आपका जन्म बंगाल के नदिया जिले की प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के निकट धरणी नामक ग्राम के एक संभ्रात ब्राह्मण कुल में अनुमानतः १८२५-२६ ई० में हुआ था। आपका पठनपाठन काशी में हुआ। बंगला, संस्कृत के अतिरिक्त आपने अंग्रेजी भी पढ़ी यद्यपि कोई परीक्षा नहीं पास की। जीविकोपार्जन के लिये छोटी उम्र में सरकारी नौकरी में लग गए। आप दानापुर में मिलिटरी एकाउंट्स आफिस में थे। कुछ समय के लिये सरकारी काम से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर भेज दिए गए। हिमालय की इस उपत्यका में गुरुप्राप्ति और दीक्षा हुई। आपके तीन प्रमुख शिष्य युक्तेश्वर गिरि, केशवानंद और प्रणवानंद ने गुरु के संबध में प्रकाश डाला है। योगानंद परमहंस ने 'योगी की आत्मकथा' नामक जीवनवृत्त में गुरु को बाबा जी कहा है। दीक्षा के बाद भी इन्होंने कई वर्षों तक नौकरी की और इसी समय से गुरु के आज्ञानुसार लोगों को दीक्षा देने लगे थे। सन् १८८० में पेंशन लेकर आप काशी आ गए। इनकी गीता की व्याख्यात्मक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योगदर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिरंजिवि प्राप्त कर योग के उच्चतम सिद्धार पर आरूढ़ हो सकता है। आपने अपने सहज आडंबररहित गार्हस्थ्य जीवन से यह प्रमाणित कर दिया था। धर्म के सार्वभ में बहुत कट्टरता के पक्षपाती न होने पर भी आप प्राचीन रीतिनीति और मर्यादा का पूर्णतया पालन करते थे। शास्त्रों में आपका अद्भूत विश्वास था।

जब आप रानीखेत में थे तो अवकाश के समय शून्य विजन में पर्यटन कर प्राकृतिक सौंदर्यनिरीक्षण करते। इसी भ्रमण में दूर से अपना नाम सुनकर द्रोणगिरि नामक पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ थोड़ी सी कुली जगह में अनेक गुफाएँ थीं। इसी एक गुफा के करार पर एक तेजस्वी युवक खड़े दीख पड़े। इन्होंने हिंदी में गुफा में विभाम करने का संकेत किया। इन्होंने कहा

'मैंने ही तुम्हें बुलाया था'। इसके बाद पूर्वजन्मों का वृत्तान्त बताते हुए कल्पित किया। बाबा जी से दीक्षा का जो प्रकार प्राप्त हुआ उसे क्रियायोग कहा गया है। क्रियायोग की विधि केवल दीक्षित साधकों को ही बताई जाती है। यह विधि पुरातन्या शास्त्रोक्त है और गीता उसकी कुञ्जी है। गीता में कर्म, ज्ञान, सांख्य इत्यादि सभी योग हैं और वह भी इतने सहज रूप में जिसमें जाति और वर्ण के बंधन बाधक नहीं होते। आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को बिना भेदभाव के दीक्षा देते थे। इसीलिये आपके भक्त सभी धर्मानुयायी हैं। उन्होंने अपने समय में व्याप्त कट्टर जातिवाद को कभी महत्व नहीं दिया। वह धर्म धर्मावलंबियों से यही कहते थे कि आप अपनी धार्मिक भावनाओं का आधार और अभ्यास करते हुए क्रियायोग द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पानानुसार भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोग के आधार पर व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों के अनुसार साधना करने की प्रेरणा देते। उनके मत से शास्त्रो पर शंका प्रस्था विवाद न कर उनका तथ्य धारमसात् करना चाहिए। अपनी समस्याओं के हल करने का धारमभितन से बढ़कर कोई मार्ग नहीं।

साहिबजी महाशय के प्रवचनों का पूर्ण संह्रह प्राप्य नहीं है किंतु गीता, उपनिषद्, सांख्य इत्यादि की अनेक व्याख्याएँ बंगला में उपलब्ध हैं। भगवद्गीताभाष्य का हिंदी अनुबाध साहिबजी महाशय के शिष्य श्री भूपेंद्रनाथ साम्बाल ने प्रस्तुत किया है। श्री साहिबजी की प्रविकाश रचनाएँ बंगला में हैं। [श्री० पा००]

**श्यामानन्द** इनका जन्म वैश शु० १५, सं० १५६० को उड़ीसा के बारंदा ग्राम में हुआ। पिता का नाम कृष्णमंडल तथा माता का दूरिका दासी था। जन्म के अनंतर यह मुखरैला नदी के तटस्थ अंबुया ग्राम में आ बसे। यहीं इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनका नाम दुखी कृष्णदास था तथा ये सद्गोप थे। श्रीहृदयानंद से दीक्षा लेकर यात्रा करते हुए वे वृंदावन पहुंचे। यहाँ श्री जीव गोस्वामी के यहाँ अध्ययन करते हुए २० वर्ष रहे। गोस्वामी जी ने इन्हें दीक्षा देकर श्यामानंद नाम रखा। श्री राधिका जी की भी इनपर यहीं कृपा हुई। वृंदावन में प्रस्तुत हुए गोस्वामी ग्रंथों को बंगाल में प्रचारार्थ लेखने के लिये श्री जीव गोस्वामी ने श्री निवासाचार्य, नरोत्तम ठाकुर तथा श्यामानंद को नियत किया क्योंकि ये तीनों सहपाठी थे। प्रथम दो ने बंगाल में तथा तृतीय ने उड़ीसा में श्री गौरांग के मत का प्रचार किया। [ब० २० दा०]

**श्वेन** शिकारी चिड़िया है। इनके अंतर्गत तीन प्रमुख कुल फेल्कोनिडी (Falconidae), बल्डूरिडी, तथा बीरिडी हैं। ये चिड़ियाँ शिकार को जिंदा पकड़ने में काम आती हैं। इनमें कुछ मुदीखोर भी होती हैं। ये शिकारी चिड़ियाँ पेड़ों पर सुगमता से बैठ सकती और धरती पर स्वच्छंदता से फुदक सकती हैं। ये प्रबल उड़ान भर सकती हैं। इनके नाखून बड़े तेज होते हैं और चोंच आगे की भुकी रहती है, जिससे ये शिकार को सरलता से फाड़कर खा सकती हैं। इनकी मादाएँ साधारणतया नरों से कुछ बड़ी होती हैं। ये सब मांसभजी हैं और छोटे छोटे जीव जंतुओं, पक्षियों, सर्पों, छिपकलियों, नेडकों, मछलियों, कछुओं, केकड़ों, कीड़े मकोड़ों और मोलस्कों को खाती हैं।

**फेल्कोनिडी कुल** — इस कुल के पक्षी महाश्वेन, बाज, बहरी शिकरा, टीसा, तुरमती, खेर मुनिया, लगर, खरग या खरख और चीख हैं। महाश्वेन कई प्रकार के होते हैं। ये अनेक देशों में पाए जाते हैं तथा भारत के हिमालय के ऊँचे प्रदेश में भी पाए जाते हैं। भारत के मैदानों में पाए जानेवाले महाश्वेन छोटे होते हैं, जिन्हें उकाब (Tawry eagle) कहते हैं (देखें महाश्वेन)। उकाब गहरे रंग का, गोल तथा लंबी पूँछवाला पक्षी है। इसकी शकल घूरत बहुत कुछ चीख से मिलती जुलती है। इसके पंजे बड़े मजबूत होते हैं। इसकी मादा २६ इंच की और नर लगभग २५ इंच के होते हैं। मादा घासपात का घोंसला बनाकर, उसमें एक से तीन तक अंडे देती है। अंडे हलके राखी या सफेद रंग के होते हैं।

बाज (goshawk) भारत में सर्वत्र पाया जाता है। लगभग २० इंच लंबा यह पक्षी बड़ा बहादुर शिकारी है। इसके पंजे बड़े मजबूत होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा राखीपन लिए भूरा होता है और सिरा गुदी और गरदन के दोनों बगल का हिस्सा काला होता है। नर तथा मादा दोनों एक रूप के होते हैं। मादा को बाज और नर को जुरा कहते हैं। इन्हें गुलाबचरम भी कहते हैं। यह छोटे छोटे जंतुओं, सरीसृपों और चिड़ियों को खाता है। एक बार में इसकी मादा तीन से चार अंडे तक देती है। ये तीतर, कजूतर, चकोर, मोर, जंगली मुंगियाँ, हंस आदि पक्षियों को खाते हैं। ये खरगोष सट्टख छोटे जानवरों का भी शिकार करते हैं।

बहरी (peregrine falcon) समस्त भारत में पाई जाती है। यह सुंडा द्वीपों से लेकर फिजी और चीन तक पाई जाती है। बाज से यह पक्षी छोटा होता है। इसका नर १६ इंच और मादा २० इंच की होती है। नर और मादा दोनों ही एक रंग रूप के होते हैं।

शिकरा (shikra, astur, badins) भारत के सब प्रदेशों में पाई जानेवाली चिड़िया है। इसका नर १२ इंच लंबा और मादा १४ इंच लंबी होती है।

टीसार (white-eyed buzzard) चिड़िया खुले मैदान में रहना ज्यादा पसंद करती है। शिकार पकड़ने के साथ साथ यह मुर्दाखोर भी होती है। नर तथा मादा एक रूप के और बराबर कद के होते हैं। मादा बड़ा सा घोंसला बनाकर तीन चार अंडे देती है।

तुरमती शिकारी चिड़िया है। इसकी मादा नर से बड़ी होती है। यह १२-१४ इंच लंबी होती है। इसके बगल का हिस्सा हल्का खैरा और ऊपरी हिस्सा सलेटी रहता है, जिसपर भूरी धारियाँ पड़ी रहती हैं। इसके डेने कलछौंह और चोंच हरापन लिए पीसी होती है। यह छोटी छोटी चिड़ियों को खाती है।

खेरमुनिया (kestrel) जाड़ों में देखी जाती है। अंडे हिमालय के पश्चिमी भागों में देती है। नर और मादा के रंग में बौद्ध भेद रहता है।

लगर (laggar falcon) १६ इंच लंबी शिकारी चिड़िया है। नर तथा मादा एक ही रूप रंग के होते हैं।

चीख (kite) बारहमासी चिड़िया है। यह भारत के सब प्रदेशों में पाई जाती है। इसका सारा बदन घुरे रंग का होता

है। शींघ काली और पैर पीले होते हैं। यह बड़ी तेजी से झपट्टा मारकर शिकार की शीघ्रता से आगती है। यह पशु, पक्षी, सरीसृप और कीड़े मकोड़ों के प्रतिरिक्त मुर्दा भी खाती है (देखें शीघ)।

**बहुदूरिडी कुल** — इस कुल में विभिन्न प्रकार के गिद्ध आते हैं। इनकी दृष्टि बड़ी तेज होती है। मुँह खाकर ये अपना पेट भरते हैं। ये हमारे लिये सफाई का काम करते हैं। जहाँ कहीं भी मरा हुआ जानवर देखते हैं, वहाँ ये पहुँचकर नोच नोचकर मांस खा जाते हैं। विभिन्न प्रकार के गिद्धों (vultures) में चमर गिद्ध (white-backed vulture), राज गिद्ध (king vulture) और गोबरगिद्ध (scavenger vulture) अधिक महत्व के हैं। ये तीनों ही प्रकार के गिद्ध भारत में बारहों मास पाए जाते हैं। इनके रूप, रंग और कद में थोड़ा अंतर है। इसमें चमर गिद्ध सबसे बड़ा होता है, राज गिद्ध सबसे छोटा होता है। चमर गिद्ध यूथ-चारी पक्षी है। भड़कीले लाल और काले रंग के कारण इसे राज गिद्ध नाम मिला है। गोबर गिद्ध, शीघ से अधिक मिलता जुलता है। इसका रंग सफेद होता है। अतः इसे कहीं कहीं सफेद गिद्ध भी कहते हैं। यह गोबर और पाखाना भी खाता है, जिससे इसका नाम गोबर गिद्ध पड़ा है। अन्य गिद्धों की तरह इसकी गरदन लंबी नहीं होती। इसके पैर का रंग प्याजी सफेद होता है। मादा एक बार में बहुधा दो अंडे देती है (देखें गिद्ध)।

**छेरिडी कुल** — इस कुल के पक्षियों में मछारंग (osprey) अधिक महत्व का है। मछारंग मछली का शिकार करता है। इसी से इसका नाम मछारंग पड़ा है। साधारणतः यह नीचे और खारे पानी के किनारे पाया जाता है। इसके नर तथा मादा एक रूपरंग के होते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा भूरा और नीचे का सफेद होता है। शींघ कलछींदा और पैर पीले होते हैं। यह जाड़े में ही साधारणतया देखा जाता है, (देखें छुररी)।

सं० प्र० — सुरेश सिंह : जीव जगत्, हिंदी समिति, लखनऊ।

[ रा० खं० सं० ]

**श्वेनपालन (Falconry)** एक कला है, जिसके द्वारा श्वेनों और बाजों को शिकार के लिये साधा, या प्रशिक्षित, किया जाता है। मनुष्य को इस कला का ज्ञान ५,००० वर्षों से भी अधिक समय से है। भारत में इस कला का व्यवहार ईसा से ३०० वर्ष पूर्व से होता आ रहा है। मुस्लिम शासनकाल में, विशेषतः मुगलों के शासनकाल में, इस कला को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। कीड़ा के रूप में, लड़ाकू जातियों में, श्वेनपालन बराबर प्रचलित रहा है। राइफल और छोटी बंदूकों के व्यवहार में आने के बाद श्वेनपालन में ह्रास शुरू हुआ। आज इसका प्रचार अधिक नहीं है। शीक के रूप में इसे पास रखा जा सकता है, क्योंकि वस्तुतः यह सबसे कम खर्चीला शीक है।

पक्षी वर्ग की कुछ चिड़ियाँ शिकारी होती हैं। कुछ तो शिकार को खा जाती हैं और कुछ उचित प्रशिक्षण से शिकार को पकड़कर पालक के पास ले आती हैं। ऐसे शिकार छोटी बड़ी चिड़ियाँ, चरहे और चारमोस सभ्य छोटे छोटे जानवर भी होते हैं। शिकारी चिड़ियाँ पेड़ों पर रहनेवाले पक्षी हैं, जो हवा में पर्याप्त ऊँचाई

तक उड़ लेते हैं। इनके नालून बड़े मुकीले और टेढ़े होते हैं। इनकी शींघ टेढ़ी और मजबूत होती है। इनकी निगाह बड़ी तेज होती है। सभी मांसभक्षी चिड़ियों में से अधिकतर जिंदा शिकार करती हैं और कुछ मुर्दाखोर भी होती हैं। शिकारी पक्षियों की एक विशेषता यह है कि इनकी मादाएँ नरों से कद में बड़ी और अधिक साहसी होती हैं।

शिकारी पक्षियों के तीन प्रमुख कुल हैं, पर साधारणतया इन्हे बड़े पंखवाली और छोटे पंखवाली चिड़ियों में विभक्त करते हैं। पहली किस्म को 'स्याहचश्म' या काली भालवाली और दूसरी किस्म को 'गुलाबचश्म' या पीली भालवाली कहते हैं। जो शिकारी चिड़ियाँ पाली जाती हैं, उनमें बाज, बहरी, शाहीन, तुरमती, चरग (या चरख), लगर, बासीन, वासा, शिकरा और शिकरचा, बीसरा, धूती तथा जुर्रा प्रमुख हैं (देखें, श्वेन)।

**शिकारी चिड़ियों को फँसाना** — भिन्न भिन्न देशों, जैसे यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, चीन और भारत में, शिकारी चिड़ियों के फँसाने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। भारत में जो तरीके काम में आते हैं, उन्हीं का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है :

उत्तरी पहाड़ी लोग जो तरीका अपनाते हैं, वह सरल और पर्याप्त कारगर होता है। इन पहाड़ी लोगों के मकानों की छतें नीची और सपाट (flat) होती है तथा धुंधा निकलने के लिये छत में छोटा सुराख बना होता है। उसी सुराख के ऊपर चकोर को एक रस्ती में बाँधकर रख देते हैं और रस्ती को पकड़े रहते हैं। चकोर वहाँ फड़फड़ाता है और इस प्रकार ऊपर उड़ते हुए शिकारी पक्षियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। फड़फड़ाते चकोर को पकड़ने के लिये शिकारी चिड़िया चकोर के पास आती है। शिकारी चिड़िया और चकोर दोनों को लीचकर फँसानेवाला सुराख के मुँह पर लाता है और हाथ से शिकारी चिड़िया को पकड़ लेता है।

एक दूसरी रीति 'दो गजा रीति' है। इसमें दो गज का एक जाल, २ गज × ४ गज माप का होता है, जो लगभग दो गज लंबे बाँस के दो बल्लों में बँधा होता है। जाल महीन, मजबूत, काले घागे का बना होता है। जाल के मध्य से दो तीन फुट की दूरी पर, एक छूँटे में जिंदा चिड़िया चारे (bait) के रूप में बँधी रहती है। उस बँधी चिड़िया के फड़फड़ाने पर, शिकारी चिड़िया उस ओर आकर्षित होकर, उसपर झपटती है और जाल में फँस जाती है। यदि शिकारी चिड़िया चारे को पकड़ लेती है और जाल में नहीं फँसती, तब शिकारी चिड़िया को खबराकर उसे जाल में फँसा लेते हैं।


लगर के फँसाने का एक दिलचस्प तरीका लेखक ने स्वयं देखा है। इसमें चील की सहायता ली जाती है। चील की आँसू डोरे से ऐसे बाँध दी जाती है कि वह केवल आसमान की ओर देख सके। उसके पैर में ऊन का एक गोला बाँध दिया जाता है, जिसमें एक सरकफंदा लगा रहता है। मैदान में, जहाँ लगर देख पड़ते हैं, चील को छोड़ दिया जाता है। लगर ऊन के गोले को पकड़ने की कोशिश में चील के साथ धूम जाता है और दोनों सड़ते सड़ते चरती पर

घा गिरते हैं और फँसानेवाला लगर को पकड़ लेता है। चील के शिकार को छीन लेने की लगर सदा ही चेष्टा करता है।

एक अन्य रीति 'विजड़ा रीति' है। खुले विजड़े में एक जिंदा चिड़िया बाँध दी जाती है और विजड़े को प्रायः थोड़े के बालों के बने फंदों के डेरे से ढँक दिया जाता है। ये फंदे सरक फंदे होते हैं। शिकारी चिड़िया विजड़े के पास आकर इन फंदों में फँस जाती है। फंदे को मजबूती से बँधा रहना चाहिए और शिकारी चिड़िया को पकड़कर फंदे से जल्द निकाल लेने के लिये, निकट में कोई आदमी सदा तैयार रहना चाहिए, वरना शिकारी चिड़िया का पैर या पंख टूट जा सकता है।

एक तरीका 'पट्टी तरीका' है जिसको चिड़ियाँ फँसानेवाले व्यवसायी काम में लाते हैं। इसमें फँसानेवाला देखता है कि प्रवास के समय शिकारी चिड़िया किस रास्ते से आती जाती है। जिस रास्ते से चिड़िया आती जाती है, उस रास्ते में पहाड़ की षोटियो या कूटों (ridges) पर अनेक जाल, ६ फुट × ३०० फुट माप के, फैला दिए जाते हैं। उठती हुई शिकारी चिड़िया उन जालों में फँस जाती है, क्योंकि यह चिड़िया पहाड़ी षोटियो या कूटों से ऊपर उठकर उड़ने का कष्ट नहीं करती।

शिकारी चिड़ियों को खिलाना और साधना — शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के बाद, उन्हें कुछ दिन के लिये अंधा बना दिया जाता है, अन्यथा वे कलाई पर बैठेगी ही नहीं। इसके लिये या तो उनकी आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है, या उनकी आँखें सी दी जाती हैं, या टोपी (hood) पहना दी जाती है। दो प्रकार की टोपियाँ चित्र १ और २ में दिखाई गई हैं। सीने में निचले पलकों (eyclids) में तागा लगाकर उसे सिर के शीर्ष से




चित्र १. डच टोपी (hood)

बाँध देते हैं। दूसरी विधि पहली विधि की प्रथमा व्यवहार में अधिक आती है। देखने में दुमरी विधि अवश्य कुछ कुर मासूम देती है, पर इससे चिड़ियों के पलकों को कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ केवल यह देखना आवश्यक है कि सीने के लिये जो सूत प्रयुक्त हो, वह मुलायम रुई का बना हो। बहुत पतला, या कठोर ऐंठा हुआ सूत पलक को हानि पहुँचा सकता है।

अप्रशिक्षित शिकारी चिड़िया को अंधा बनाकर हाथ पर बैठना सिखाया जाता है और तब कच्चे मांस को उसकी चोंच और चंगुल (पंजे) पर रगड़ा जाता है। शीघ्र ही चिड़िया मांस पर चोंच मारने

लगती है और उसे खाना शुरू कर देती है। यदि ऐसा न करें, तो चिड़िया को चारपाई के बीच में बैठकर, उसके पैर के जोड़ के ऊपर गाँठ बाँध देते हैं। इससे वह कष्ट अनुभव करती है और गाँठ पर चोंच मारने लगती है। अब गाँठ के निकट कच्चे मांस के कुछ



चित्र २ भारतीय टोपी


टुकड़ों को रख देने से, चिड़िया मांस पर चोंच मारने और खाने लग जाती है। जब चिड़िया मांस खाने लगे, तब बंधन को धीरे धीरे काट देते हैं। कुछ दिनों के बाद चिड़िया खाने के समय का इंतजार करने लगती है। ऐसे समय मांस को धीरे धीरे खोल देते हैं। अब वह बिना किसी रुकावट के खाने लगती है। उपयुक्त प्रशिक्षण में पाठ दिन, या इससे अधिक, समय लग सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि कलाई पर बैठाने के समय, विशेषकर शुरू में, हाथ में दस्ताना अवश्य रहना चाहिए।

शिकारी चिड़ियों से डर का भगाना — नई शिकारी चिड़िया मनुष्य के निकट आने पर स्वभावतः डर जाती है। पहले इसके डर को हटाना आवश्यक होता है। इसके लिये यह देखना चाहिए कि फड़फड़ाने से चिड़िया के पंख टूटें नहीं और चिड़िया के पंख को पूँछ पर दुमरा (dumra) या 'गद्दी' से बाँधकर, उसे मनुष्यो या हल्ले गुल्ले के पास रखते हैं, अथवा चिड़िया को रात में कई घंटे बिना चमड़े की टोपी पहनाए रखते हैं और फिर अमशः रात में टोपी को कभी कभी पहनाते और निकाल लेते हैं। दुमरा इस्तेमाल करने की उचित रीति यह है कि पक्षी के पूँछ-पिच्छ के दो मध्य के पिच्छाक्ष (quill) की जड़ पर सुई द्वारा तागा पहनाकर, तागे को पूँछ से लपेट कर बाँध देना तथा कपड़े का एक टुकड़ा लेकर पूँछ के चारों ओर सी देना चाहिए। इस गद्दी या जैकेट को कई दिन तक पहनाकर रखा जाता है। पहले दो दिन तक तो गद्दी को निकाला ही नहीं जाता है। पीछे केवल रात में निकाल दिया जाता है। गद्दी में बंधे ऐसे बाज को चारपाई के बीच में बाँध दिया जाता है और उसकी पलक खुली रखी जाती है। ऐसी चारपाई भीड़वाले जनमार्ग पर रख दी जाती है। इस प्रकार के, अनेक दिनों के व्यवहार से बाज मनुष्य, कुत्ते, गाड़ियों आदि का आदी हो जाता है। रात में उसे हाथ पर बैठकर घुमाया जाता है। ऐसा व्यवहार, विशेष रूप से, गुलाबचश्म चिड़ियों के साथ किया जाता है।

जब पक्षी पर्याप्त पालतू बना लिया जाता है और बिना डर के



जाने पीने लगता है, तब कुछ दूरी से कच्चे मांस का टुकड़ा बिल्लाकर, पक्षी को हाथ पर बुलाया जाता है। यह क्रिया अनेक बार दुहराई जाती है और दूरी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता



चित्र ३. बैठने का अङ्क

इसके निचले भाग को जमीन में गाड़ देते हैं और पक्षी हमपर बैठा दिया जाता है।

है। शिकार को पकड़कर पालक के पास लाने की भी शिक्षा दी जाती है। चिड़िया का मूत्र चिड़िया की मिसम, प्रशिक्षण और उपादेयता पर निर्भर करता है। [ ए० एस० वे० ]

**भद्वाराम फुल्लोरी** (सन् १८३७-१८८१) लुधियाना-जालंधर-भाग पर स्थित 'फुल्लोरी' नामक कस्बे में उत्पन्न हुए। आपके पिता श्री जयदयाल जोशी एक निर्धन ब्राह्मण थे। १८ वर्ष की अवस्था में कथावाचक का वैतृक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही फुल्लोरी जी ने फारसी और पंजाबी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिंदी, संस्कृत और सगीत आपको अपीतों में मिले। आपकी लगभग दो दर्जन रचनाओं का पता चलता है, यथा —

(क) संस्कृत — (१) नित्यप्रार्थना (शिलारिणी छंद के ११ पदों में ईश्वर की दो स्तुतियाँ)। (२) भृगुसंहिता (सौ कुडलियों में फलादेश वर्णन), यह अश्रुरी रचना है। (३) हरितालिका व्रत (शिवपुराण की एक कथा)। (४) 'कृष्णस्तुति' विषयक कुछ श्लोक, जो अब अप्राप्य हैं।

(ख) हिंदी — (१) सत्वदीपक (प्रश्नोत्तर में श्रुति, स्मृति के अनुसार धर्म कर्म का वर्णन)। (२) सत्य धर्म मुक्तावली (फुल्लोरी जी के शिष्य श्री तुलसीदेव संगृहीत भजनसंग्रह) प्रथम भाग में दुसरियाँ, विसन पदे, दूती पद हैं; द्वितीय में रागानुसार भजन, अंत में एक पंजाबी बारासाह। (३) भाग्यवती (स्त्रियों की हीनावस्था के सुधार हेतु प्रणीत उपन्यास)। (४) सत्योपदेश (सौ दोहों में अनेकविध शिक्षाएँ)। (५) बीजमंत्र ('सत्यामृतप्रवाह' नामक रचना की भूमिका)। (६) सत्यामृतप्रवाह (फुल्लोरी जी के सिद्धांतों, और आचार विचार का दर्पण ग्रंथ)। (७) पाकसाधनी (रसोई शिक्षा विषयक)। (८) कौतुक संग्रह (मन्त्रतंत्र, जादूटोने संबंधी)। (९) दृष्टांतवली (सुने हुए दृष्टांतों का संग्रह, जिन्हें भद्वाराम अपने भाषणों और क्लासों में प्रयुक्त करते थे)। (१०) रामलकामधेनु ('नित्य प्रार्थना' में प्रकाशित विज्ञापन से पता चलता है कि यह

व्योक्ति ग्रंथ संस्कृत से हिंदी में अनूदित हुआ था)। (११) धारम-चिन्तिका (पहले संस्कृत में लिखा गया था। बाद में इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया। अंततः इसे फुल्लोरी जी की अंतिम रचना 'सत्यामृत प्रवाह' के प्रारंभ में जोड़ दिया गया था)। (१२) महाराजा कपूरथला के लिये विरचित एक नीतिग्रंथ (अप्राप्य है)।

(ग) उर्दू — (१) दुर्जन मुख-चपेटिका, (२) धर्म-सोटी (दो भाग), (३) धर्मसंवाद (४) उपदेश संग्रह (फुल्लोरी जी के भाषणों आदि के विषय में प्रकाशित समाचारपत्रों की रिपोर्टें), (५) असूल ए मजाहिब (पंजाब के सेप्टिमेंट गवर्नर के इच्छानुसार फारसी पुस्तक 'दबिस्तानि मजाहिब' का अनुवाद)। पहली तीनों रचनाओं में भागवत (सनातन) धर्म का प्रतिपादन एवं भारतीय तथा अ भारतीय प्राचीन अर्वाचीन मती का जोरदार खडन किया गया।

(घ) पंजाबी — (१) बारहमासा (ससार से व्यक्ति का उपदेश)। (२) सिक्खा दे इतिहास दी विधिमा (यह ग्रंथ अंग्रेजों के पंजाबी भाषा की एक परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिये लिखा गया था। इसमें कुछेक अतिहासिक और जन्मसाखियों के विपरीत बातें भी उल्लिखित थीं)। (३) पंजाबी वातचीत, पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों की उपभाषाओं के नमूने खेले और रोनि रिवाजों का परिचयार्थक ग्रंथ)। (४) बंते और विसनपदों में विरचित गमग्र 'रामलीला' तथा 'कृष्णलीला' (अप्राप्य)।

फुल्लोरी जी की अधिकांश रचनाएँ गद्य में हैं। वे १८ वीं शताब्दी उत्तरार्ध के हिंदी और पंजाबी के प्रतिनिधि गद्यकार हैं। उनके हिंदी गद्य में खड़ी बोली का प्राधान्य है। गद्यमंत्र उर्दू और पंजाबी का पुट भी है। पंजाबी गद्य दो शैलियों में उपलब्ध है। 'सिक्खा दे इतिहास दी विधिमा' में सरल, गंभीर तथा अलंकार-विहीन भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें उर्दू और मालवी का मिश्रित रूप उपलब्ध होता है। 'पंजाबी वातचीत' में मुझाबरेदार और ध्यग्यपूर्ण भाषा व्यवहृत हुई है। उसमें पंजाबी की प्रमुख क्षेत्रीय उपभाषाओं का समुच्चय है। उनकी पद्यरचना अधिक नहीं है। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी वाच्यार्थना हेतु ब्रज को अपनाया था, किंतु खड़ी बोली को जन्मपदोर्गा भाषा समझकर वे उस और प्रवृत्त हुए। उनके भजनों में खड़ी बोली ही व्यवहृत हुई है। उत्तर भारत के वैष्णव समाज में पूरा के समय उनकी प्रसिद्ध धारती (जय जगदीश हरे। स्वामी जग जगदीश हरे। भगत जनों के संवट छिन में दूर करे।) आज भी गाई जाती है।

इसाई मत की ओर उन्मुख हो रहे कपूरथला नरेश रामधीर सिंह के संशय निवारण से इनका प्रभाव स्पष्ट बढा। समय समय पर इन्हें पटियाला, कपूरथला, जम्मू तथा श्रीगंगा प्रदेश के राजाओं से सम्मान और वृत्तियाँ भी प्राप्त हुईं। 'असूल ए मजाहिब' तथा 'भाग्यवती' नामक उनकी रचनाएँ पुनरुक्त भी हुईं।

सं० प्र० — आचार्य रामचंद्र शुक्ल. हिंदी साहित्य का इतिहास; प्रो० प्रीतम सिंह (संपादित) सिक्खा दे राज दी विधिमा (हिंदी पब्लिशिंग लिमिटेड, जालंधर, सन् १९५६) [ न० क० ]

**अभ्यास** जैन मिथु या जैन साधु को अमरण कहते हैं, जो पूर्णतः हिंसादि का प्रत्याख्यान करता और सर्वविरत रहता है। अमरण

को पाँच महाव्रतों सर्वप्राणायाम, सर्वभूषाभाव, सर्वभद्रसाधन, सर्वमैयुन और सर्वपरिग्रह विरमण को लन, मन तथा काय से पालन करना पड़ता है। [ अ० पु० ]

**श्रमिक विधि** ( लेबर ला ) श्रमिक विधि के अंतर्गत उन विषयों का समावेश है, जिनसे मालिक ( Employer ) एवं मजदूर ( Employee ) के बीच पारस्परिक संबंध का संचालन होता है। इस प्रसंग में 'औद्योगिक विधि' का भी बहुधा प्रयोग होता है। पर यह एक सीमित अर्थ में लिया जाता है अर्थात् औद्योगिक कारखानों से संबंधित नियमों का ही इससे संकेत मिलता है।

जब मालिक मजदूर का वास्तविक या प्रच्छन्न ( Potential ) संबंध स्थापित होता है, तब हम श्रमिक विधि की सीमा के अंदर आ जाते हैं। मजदूर पर मालिक का आधिपत्य इस प्रसंग में मुख्य कसौटी है। 'मजदूर', 'स्वतंत्र कंट्रैक्टर' तथा कुशल कर्मों ( Skilled worker ) के बीच बहुधा परस्पर अंतर परिलक्षित नहीं होता। पर इंग्लैंड के कानून के अनुसार मालिक का मजदूर पर पूर्ण आधिपत्य होना चाहिए। मजदूर किस प्रकार काम करता है, उसके काम की मात्रा क्या है, इसकी उपादेयता क्या है, इन सब पर उसका नियंत्रण हो। ( दे० क्वारमैन बनाम बेनेट, १८४०, ६ एम० तथा डब्ल्यू० ४९९ )

मालिक और मजदूर के बीच संबंधित काम से उत्पन्न परस्पर एक दूसरे के प्रति कानूनी बाध्यता ( obligations ) एवं मजदूर के कमजोर पाठों होने के कारण उसकी समुचित रक्षा के लिये राज्य की ओर से निविष्ट नियम श्रमिक विधि के सार अंग हैं। किंतु ट्रेड यूनियन; दुर्घटना, बीमारी तथा बुढ़ापा के प्रसंग में जीवन बीमा; बेकारी दूर करने तथा मजदूर के बेकार हो जाने पर उसे सहायता देनेवाली संस्थाएँ ( यथा, एंक्लायमेंट एक्सचेंज, एंक्लायमेंट बीमा ); मजदूरों के निष्क्रमण एवं आगमन ( Emigration तथा Immigration ) के कानून भी श्रमिक विधि के अंतर्गत हैं। श्रमिक विधि या कानून सर्वांग किसी देश के कानून में कोड के रूप में नहीं पाया जाता। यह देश के साधारण प्रलक्षित कानून, विधान परिषद् एवं पार्लियमेंट द्वारा निर्मित हूर प्रकार के विधेयक, तानाशाही सरकार की डिग्री ( डिग्री, आकृति ) एवं प्रसैनिक औद्योगिक, तिजारती तथा श्रमिक कोड में मिलता है।

अमरीका में सन् १८४२ तक इंग्लैंड के साधारण कानून के सिद्धांत — आपराधिक षड्यंत्र ( Criminal conspiracy ) — का प्रभाव रहा। किसी भी श्रमिक संघ के लिये मजदूरों पर अपनी समिति की सदस्यता के लिये अर्थनीतिक अथवा सामाजिक दबाव देना अपराध था। पर इससे ट्रेड यूनियन मूवमेंट ( श्रमिक संघ आंदोलन ) को प्रोत्साहन ही मिला। कोर्ट ने प्रतिग्राहकता ( Receivership ) के मामलों में आदेश ( Injunction ) निकालना शुरू किया। वे आदेश व्यक्तिगत अत्याय टाई, ( Tort या civil wrong ) होने पर लागू किए जा सकते थे। मजदूरों द्वारा हड़ताल किए जाने पर पूँजीपतियों को क्षति अथवा उठानी पड़ती थी; पर यह क्षति ( Tort ) में मान्य नहीं थी। सन् १८८०-१९३० के मध्य संयुक्त

राज्य अमरीका के भिन्न भिन्न राज्यों ने श्रमिक विधि को प्राप्त किया, जिसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी तथा अम की अधिक से अधिक अवधि निर्धारित की गई। बच्चों के अम एवं जेल में बनी चीजों की बिक्री पर नियंत्रण हुआ। पर न्यायालय ने इस प्रकार के कानून को अवैधानिक घोषित कर दिया। पूँजीपतियों ने मजदूरों को काम देने के पहले उनसे ऐसी शर्तें लिखाना आरंभ किया कि वे श्रमिक संघ के सदस्य न होंगे। अब न्यायालय ने इसी आधार पर आदेश जारी करना शुरू किया। निदान नेशनल इंड-स्ट्रियल रिकवरी ऐक्ट ( National Industrial Recovery Act ) १९३३ की धारा ९ ( ए ) के अनुसार श्रमिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपना संघटन कर सकते हैं। राष्ट्र के श्रमिक संबंधों-वाले अधिनियम ( National Labour Relations Act, ) १९३५ में उक्त अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा गया कि मजदूर मजदूरी तथा साधारण स्थिति का विकास करने के उद्देश्य से अपना संघटन कर समष्टि रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा पूँजीपतियों से वार्तालाप कर सकते हैं।

इंग्लैंड में भी श्रमिक विधि का विकास क्रमशः हुआ है। १८वीं शताब्दी में जब उस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई एवं बड़ी बड़ी फैक्टरियाँ या निर्माणशालाएँ शहरों में स्थापित होने लगीं तो श्रमिक जीविका उपाजनों के उद्देश्य से शहरों में आकर इन फैक्टरियों में काम करने लगे। पूँजीपतियों का व्यवहार बड़ा कठोर था। वे मजदूरों पर अपना आधिपत्य उसी प्रकार रखना चाहते थे, जैसा माल-मवेशी पर रखते थे। चूंकि कानून भी वे ही बनाते थे, इसलिये मजदूरों को कहीं शरण नहीं मिलती थी। निदान मजदूर जब अपनी रक्षा के लिये अपना संघटन कायम करने लगे तो उनके संघ को न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। वर्तमान शताब्दी के आरंभ से ही इंग्लैंड में पूँजीपतियों और मजदूरों में पूर्ण रूप से संघर्ष आरंभ हुआ। सन् १९२३ और सन् १९३३ ई० वहाँ मजदूर दल ने संयुक्त सरकार कायम की। सन् १९४६ ई० में तो मजदूर दल ने अत्यधिक बहुमत से शासन का भार अपने हाथ में लिया तथा कानून के माध्यम से उसने ब्रिटेन को एक जनकल्याणकारी राज्य में परिणत कर दिया।

भारत में श्रमिक विधि इंग्लैंड के समसामयिक श्रमिक विधान एवं अंतरराष्ट्रीय अम संघटन ( International Labour Organisation ) के द्वारा मजदूरों के हित में अनुमोदित प्रस्तावों से प्रभावित है। इस प्रसंग में फैक्टरीज ऐक्ट ( ऐक्ट ६३/१९४८ ) एक विशिष्ट स्तंभ है। इसके पूर्व अम से संबंधित कानून फैक्टरीज ऐक्ट, १९३४ में लिपिबद्ध था। यह समय से बहुत पीछे था। मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण की दृष्टि से इसमें बहुत सी त्रुटियाँ थीं। फिर, यह ऐक्ट एक सीमित वर्ग के मजदूरों के लिये ही लागू था। सन् १९४८ के ऐक्ट के अनुसार सभी प्रकार की फैक्टरियों में मजदूरों के स्वास्थ्य, काम की अवधि, अवकाश, प्रवास, हवा आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। साल भर नियमित रूप से चलनेवाली फैक्टरी तथा छोड़ी अवधि तक चलनेवाली फैक्टरी में मजदूरों की दृष्टि से जो अंतर था, उसे समाप्त कर दिया

था है। कैबेटरियों में काम करनेवाले बच्चों की न्यूनतम अवस्था १२ से बढ़ाकर १३ कर दी गई है और उनके काम की सीमा ५ घंटे से घटाकर ४½ घंटे कर दी गई है। प्रांतीय सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि अधिक कतरवाले उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम अवस्था और भी अधिक की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटन (I. L. O.) संसार के विभिन्न देशों के श्रमिक कायुक्त की सतत समीक्षा करता रहता है एवं इसमें एक-रूपता लाने का प्रयास भी वह करता रहा है। सदस्य देशों के कैबेटरी मालिक, मजदूर एवं सरकारी प्रतिनिधियों का अधिकेशन जिनीवा (स्विटजरलैंड) में हुआ करता है, जिसमें मजदूरों के कल्याण से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं तथा विभिन्न राष्ट्रों से निवेदन किया जाता है कि वे इन्हें अपने अपने देश में कार्यान्वित करें। इस प्रकार संसार की श्रमिक विधि के विकास में काफी प्रेरणा मिली है।

सं० प्र० — इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, भाग १३ (१९५६), पृ० ५३७-५५७; एस० एन० बोस : इंडियन लेबर कोड (१९५७)।

[न० कु०]

**अवशेषवेलगोल** यह स्थान विष्णुगिरि और चंद्रगिरि के मध्य स्थित है। विष्णुगिरि पर ७ तथा चंद्रगिरि पर १४ जैन मंदिर हैं। एक श्री बाहुबली स्वामी का मंदिर है।

**श्रोपशिर (Shropshire)** ब्रिटेन की एक काउंटी है, जिसके पश्चिम में वेल्स, उत्तर में केशिर, पूर्व में स्टैफर्डशिर, दक्षिण-पूर्व में वुस्टरशिर और दक्षिण में हेरेफर्डशिर है। इसकी जनसंख्या २,८६,८०२ (१९५१) तथा क्षेत्रफल ३,५०१ वर्ग किलोमीटर है। यह काउंटी सेवर्न नदी द्वारा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर दो भागों में विभाजित है। नदी के उत्तर में कुछ पहाड़ियों को छोड़कर समतल मैदान है। एल्जमियर यहाँ की सबसे बड़ी शील है। सेवर्न नदी के दक्षिण में पहाड़ी घाटल है। यह काउंटी मुख्य रूप से कृषिप्रधान है। इसके अतिरिक्त पशु व्यवसाय एवं पशुपालन भी क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण में मुख्य व्यवसाय है। यह श्रोपशिर नस्ल की भेड़ों का मूलस्थान है। कोलकडेल कोयला खान के समीप ही औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ इंजीनियरी उद्योग विकसित है। यहाँ प्रस्तरयुग के ब्रिटिश एवं रोमन किले तथा रोमन सबुर्कें विद्यमान हैं। श्रोपशिर काउंटी से चार संसद सदस्य चुने जाते हैं। काउंटी का मुख्य नगर श्रूजबरी (Shrewsbury) है।

[स० सि० इ०]

**श्रावक जैनियों** से जो अहिंसा भादि ब्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में असमर्थ किन्तु त्यागवृत्तियुक्त, गृहस्थ मर्यादा में ही रहकर अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार इन ब्रतों को अल्पांश में स्वीकार करता है, वह श्रावक कहलाता है। उपासक, अणुजती, देखाविरत, सागार भादि श्रावक के पर्याय हैं।

[प्र० शु०]

**श्रावस्ति या सहेत महेत स्थिति** : २७° ३१' उ० ७० तथा ८२° १' पू० दे०। माना गया है कि श्रावस्ति के स्थान पर प्रायः

आधुनिक सहेत महेत नाम है जो एक झरे से लगभग षेड फर्लांग के अंतर पर स्थित है। यह बुद्धकाशीन नगर था, जिसके भग्नावशेष उत्तर प्रदेश राज्य के, बहराइच एवं गोंडा जिले की सीमा पर, राप्ती नदी के दक्षिणी किनारे पर फैले हुए हैं। इन भग्नावशेषों की जाँच सन् १८६२-६३ में जेनरल कनिंघम ने की और सन् १८८४-८५ में इसकी पूर्ण खुदाई डा० डब्लू० हुइ (Dr. W Hoey) ने की। इन भग्नावशेषों में दो स्तूप हैं जिनमें से बड़ा महेत तथा छोटा सहेत नाम से विख्यात है। इन स्तूपों के अतिरिक्त अनेक मंदिरों और भवनों के भग्नावशेष भी मिले हैं। खुदाई के दौरान अनेक उत्कीर्ण मूर्तियाँ और पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो नमूने के रूप में प्रदेशीय संग्रहालय (नलनऊ) में रखी गई हैं। यहाँ सन् १९७६ या १२७६ (१११६ या १२१६ ई०) का शिला-लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म इस काल में प्रचलित था। बौद्ध काल के साहित्य में श्रावस्ति का वर्णन अनेकानेक बार आया है और भगवान् बुद्ध ने यहाँ के जेतवन में अनेक चातुर्मास व्यतीत किए थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने भी श्रावस्ति में विहार किया था। चीनी यात्री फाहियान ५वीं सदी ई० में भारत आया था। उस समय श्रावस्ति में लगभग २०० परिवार रहते थे और ७वीं सदी में जब हुएन मियांग भारत आया, उस समय तक यह नगर नष्ट हो चुका था। सहेत महेत की खुदाई में प्राप्त ७ फुट ४ इंच ऊँची बोधिसत्व की एक मूर्ति पर अंकित लेख से यह निष्कर्ष निकाला गया कि बल नामक भिक्षु ने इस मूर्ति को श्रावस्ति के विहार में स्थापित किया था। इस मूर्ति के लेख के आधार पर सहेत को जेतवन माना गया। कनिंघम का अनुमान था कि जिस स्थान से उपर्युक्त मूर्ति प्राप्त हुई वहाँ कोसंबकुटी विहार था। इस कुटी के उत्तर में प्राप्त कुटी को कनिंघम ने गंधकुटी माना, जिसमें भगवान् बुद्ध वर्षावास करते थे। महेत की अनेक बार खुदाई की गई और वहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई, जो उसे श्रावस्ति नगर सिद्ध करती है। श्रावस्ति नामांकित कई लेख सहेत महेत के भग्नावशेषों से मिले हैं।

[प्र० ना० मे०]

**श्री अरविन्द** १५ अगस्त, १८७२ को कलकत्ते में जन्म हुआ। ७ वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया और उन्होंने वहाँ १४ वर्ष तक शिक्षा पाई। १८९० में उन्होंने आई० सी० एस० की परीक्षा तो पास कर ली पर जान बूझकर बुद्धसवारी की परीक्षा नहीं दी और इस तरह लोहर्तंत्र में आने से बच गए। लगभग सभी यूरोपीय भाषाओं और पाश्चात्य संस्कृति का गहरा अध्ययन कर १४ वर्ष बाद (१८९३ ई०) भारत लौटे और बड़ौदा महाराज के यहाँ काम करने लगे। यही उनके आरम्भिक शिक्षण का काल था जब उन्होंने संस्कृत, बंगला भादि का अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति को आत्मसात् किया। यहाँ से गुप्त रूप से वे राजनीतिक आंदोलन का संभालन भी करने लगे। बंग भंग के समय उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल बन गए।

१९०५ से वे राजनीतिक कार्यों में सक्रिय सहयोग देने लगे। इसी काल में 'बंधे मातरम्', 'धर्म' और 'कर्मयोगिन' का संपादन किया। सरकारी न्यायसंस्थान के सचिव ने शिक्षा या — 'सारी क्रांतिकारी हलचल का दिला और विभाग यही व्यक्ति है जो ऊपर से कोई भी कानून का काम नहीं करता और किसी तरह कानून की पकड़ में नहीं आता।' सरकार ने 'बंधे मातरम्' के नाते इनपर अलीपुर बम कांड का मुकदमा खलाया और उन्हें लगभग साल भर तक अलीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। यहीं पर उन्हें 'वासुदेवमिदं सर्वम्' का साक्षात्कार हुआ जिसने कुछ ही दिनों में उनके कार्य की दिशा बदल दी। वे मुकदमे में निर्दोष सिद्ध हुए और बाहर आकर फिर अपने काम में लग गए। वे देवी आदेश पाकर १९१० में राजनीति छोड़कर पांडिचेरी में आ बैठे। पांडिचेरी से उन्होंने धर्म नामक मंजुजी मासिक का संपादन भी किया। उन्हें २४ नवंबर, १९२६ को सिद्धि प्राप्त हुई। क्रमशः उन्हें और श्रीमाता जी को केंद्र बनाकर एक आश्रम बनता गया।

पांडिचेरी काल में श्री अरविंद ने लोगों से मिलना बंद कर रखा था। उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के समय सार्वजनिक रूप से भिन्न राष्ट्रों का समर्थन किया था, और क्रिप्स योजना स्वीकार करने की प्रतीति की थी। उनका कहना था कि इससे भारत विभाजन से बच जायगा। १९४७ में भारत की स्वाधीनता के अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि भारत एक ही राष्ट्र प्रबिभाष्य है, जल्दी ही या देर में भारत फिर से एक होकर रहेगा। ५ दिसंबर, १९५० को श्री अरविंद ने शरीर त्याग दिया।

श्री अरविंद के योग तथा दर्शन को समझने के पहले कुछ आधारभूत बातों का जान लेना जरूरी है। श्री अरविंद जीवन को मिथ्या अथवा सब कष्टों का मूल नहीं मानते जिससे भागकर निर्वाण प्राप्त करना ही श्रेयस्कर हो। उनके मतानुसार समस्त विश्व और विश्वातीत एक ही चेतना के भिन्न भिन्न रूप हैं। वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा सच्चिदानंद कोषों में विज्ञानमय, प्रतिमानस तथा चैत्यपुरुष की भी गिनती करते हैं। उनके मतानुसार उपरार्थ अपने आपमें विश्वातीत होते हुए भी विश्व तत्त्वों में संहृत हैं। सत जड़तत्व में, सित प्राण में और अन्न चैत्यपुरुष में निहित है। उसी प्रकार प्रतिमानस या विज्ञान ने मन का रूप धारण किया है। विकासक्रम में निष्कार के प्रविष्टा, अंधकार और मिथ्या तत्व को बदलना प्रतिमानस का काम है। वह नीचे अवतरित होकर यहाँ असत् की सत् में, अंधकार को ज्योति में और अज्ञान को ज्ञान में बदल देगा और तब दुःख, कष्ट और असामंजस्य का अंत हो जाएगा।

अनुभव में यह क्षमता है कि अपने प्रयास द्वारा प्रकृति की इस गति को तेज कर सके। इस प्रयास का नाम ही योग है। श्री अरविंद ने योग की सभी प्राचीन प्रणालियों का अनुभव प्राप्त किया और उसके सार तत्व को अपने 'पूज्ययोग' में अपना लिया। इस प्रकार उनके मार्ग में ज्ञान, कर्म, शक्ति और तंत्र योगों का सामंजस्य है। पूरी सहृदयता के साथ अधोपस्था और जगवाद् के प्रति सहृदय आत्म-समर्पण इसके मुख्य अंग हैं।

समाज तथा राजनीति के क्षेत्र में श्री अरविंद व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता देने के पक्ष में हैं। प्रत्येक इकाई अपने धाम में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हुए भी एक समष्टि का अंग होगी और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध न होगा। संसार में एक विश्वराज्य होगा जिसमें प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक समूह स्वतंत्र रूप से भाग लेगा। कुछ देशों अथवा राष्ट्रों का स्वानाधिक प्रभाव कम या अधिक हो सकता है पर राज्य की दृष्टि में वे सब एक ही स्तर पर होंगे।

इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी श्री अरविंद की अपनी देन है। उनके अनुसार सच्ची कविता आत्मा की गहराइयों में से उठेगी और उसका रूप मंत्र जैसा होगा। उसका छंद, सुष्ठियत छंद के साथ कदम मिलाकर चलता है। उसमें असीम सीमाओं के अंदर प्रकट होता है। शब्द और वाणी के पीछे जो संगीत छिपा है वह शब्दों का बोला पहन लेता है। श्री अरविंद का महाकाव्य (सावित्री) इस प्रकार की कविता का पहला नमूना है।

श्री अरविंद ने जीवन का कोई भी क्षण व्यतीत नहीं छोड़ा है। शारीरिक काम को वे शरीर द्वारा की गई प्रार्थना मानते हैं। इसी प्रकार वे शरीर, मन, प्राण और आत्मा चारों की शिक्षा को एक समान आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य अपने आपको पहचानना और अपने अंदर निहित सब क्षमताओं को खिल सकने का पूरा अवसर देना है। श्री अरविंद शिक्षाक्षेत्र में इस दिशा में कुछ प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थी को पूर्ण स्वाधीनता देते हुए उसके विकास में सहायक होना, सबको एक साथ में ढालने की जगह प्रत्येक को अपने अलग व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर देना और फिर स्वतंत्र व्यक्तियों में सामंजस्य पैदा करना इस शिक्षा का लक्ष्य है।

श्री अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में स्थित है जिसमें भिन्न भिन्न देशों और प्रदेशों के लोग एक साथ रहते हैं। श्रीमाता जी श्री अरविंद के काम को आगे बढ़ाते हुए आश्रम का संवाहन भी कर रही हैं। हजार बड़े हजार की बस्ती में इतने प्रकार के विभिन्न कार्य इतने सुचारु रूप से चलते हुए शायद ही कहीं मिलें। फिर आश्रम-जीवन में कोई नियम ऊपर से नहीं लाया जाता। अंत प्रेरणा ही से पथप्रदर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। [ श्री० २० ]

**श्रीकंठ मट्ट (भवभूति)** संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार। भवभूति ने अपने संबंध में महावीरचरित् की प्रस्तावना में लिखा है। ये विदर्भ देश के पद्मपुर नामक स्थान के निवासी श्री मट्टगोपाल के पुत्र थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जलुकर्षी था। इन्होंने अपना उल्लेख 'मट्टश्रीकंठ पदसांख्यो अक-भूतिनाम' से किया है। इनके गुरु का नाम 'ज्ञाननिधि' था। मातृसी माधव की पुरातन प्रति में प्राप्त 'मट्ट श्री कुमारिल द्विवेद्य विरचित मिदं प्रकरणम्' तथा 'मट्ट श्री कुमारिल प्रसाधारप्रति वाचैश्वर्य उन्वेकाचार्यस्यैव कृतिः' इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि श्रीकंठ के गुरु कुमारिल थे जिनका 'ज्ञाननिधि' भी नाम था और भवभूति ही श्रीमांसक उन्वेकाचार्य थे जिनका उल्लेख दर्शन ग्रंथों में प्राप्त होता है और इन्होंने कुमारिल के श्लोक कालिक की टीका भी की थी। संस्कृत साहित्य में महात्त्व दार्शनिक और नाटककार होने के

नाटो वे अद्वितीय हैं, पांडित्य और विदग्धता का यह अनुपम योग संस्कृत साहित्य में दुर्लभ है।

भवभूति के लिये तीन नाटक प्राप्त होते हैं— १. महावीरचरित्, जिसमें रामविवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा निबद्ध की गई है। कवि ने कथा में कई काल्पनिक परिवर्तन किए हैं जिनसे चित्रपरिचय रामकथा में रोचकता आ गई है। यह वीररस-प्रधान नाटक है। २. मालतीमाधव, यह १० अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती और माधव की कल्पनाप्रसूत प्रेमकथा है। युवा-वस्था के उन्मादक प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन है। इसमें स्थान स्थान पर प्रकृति का विशेष वर्णनचित्र प्राप्त होता है। ३. उत्तर-रामचरित्, संस्कृत साहित्य में करुण रस की मासिक अभिव्यजना में यह नाटक सर्वोत्कृष्ट है। इसमें सात अंकों में राम के उत्तर जीवन को, जो अजिषेक के बाव आरंभ होता है, चित्रित किया गया है जिसमें सीतानिर्वासन की कथा मुख्य है। अंतर यह है कि रामायण में वहाँ इस कथा का पर्यवसान (सीता का अंतर्धान) शोकपूर्ण है, वहाँ इस नाटक की समाप्ति राम सीता के सुखद मिलन से की गई है।

भाषा और शैली के प्रयोग में इनकी विचक्षणता अद्वितीय है। सरल और स्पष्ट, समाससंकुल गाढ़बंध और समासरहित दोनों प्रकार की शैलियों का इन्होंने उत्कृष्ट प्रयोग किया है—कहीं मधुर पदावली और कहीं बिकट गाढ़बंध। साथ ही उनकी भाषा भवसर और व्यक्ति के अनुरूप होती है। उनकी शैली में वाच्यार्थ की प्रधानता है किंतु व्यर्थ का बागाडंबर नहीं। प्रकृति के घोर और प्रचंड रूप की ओर कवि का ध्यान अधिक है। साथ ही अर्थ के अनुरूप ध्वनि उत्पन्न करने में कवि का नैपुण्य पदे पदे व्यञ्जित होता है।

यह एक नाटक ही कवि की प्रतिभा और पांडित्य की अभिव्यक्ति के लिये अक्ष है। इन्होंने कहा है— 'एको रसः करुण एव'। इस नाटक में अनेक रसों का रूप धारण करके करुण रस सहृदयों के हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। अपने नाटक में प्रेम के जिस उच्च और आदर्श रूप की कवि ने प्रतिष्ठा की है वह अवस्था के साथ डलता नहीं, और भी पूर्ण तथा उदात्त रूप प्राप्त करता है। संभवतः यही कारण है कि कवि ने नारी के बाह्य सौंदर्य के वर्णन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है और उसके अंतःसौंदर्य को ही उद्घाटित किया है। प्रेम की इस पवित्रता के साथ विश्वास की महिमा, हृदय की महत्ता, भाषा की गंभीरता और भावों के तरंगयुक्त कीड़ाविलास में यह नाटक साहित्य में 'एको रसः करुण एव' के समान एक ही है।

राजतरंगिणी के उल्लेख से इनका समय एक प्रकार से निश्चित आ है। वे काम्यकुण्ड के नरेश यशोवर्मा के समर्पित थे, जिन्हें क्षितिादित्य ने पराजित किया था। गडबकहो के निर्माता धामपतिराज भी उसी दरबार में थे अतः इनका समय आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है।

पांडित्य और प्रतिभा के धनी भवभूति के नाटकों में शास्त्रों का व्यापक ज्ञान, भाषा की शैल्यता, भाव की परिभा और निरीक्षण की सूक्ष्मता के कारण सरसता के स्थान पर गंभीर्य और उदारता

विशेष प्राप्त होती है। संभवतः इन कारणों से उस समय कवि की रचनाएँ अधिक लोकप्रिय न हो सकीं और उनके नाटकों का उस समय किसी राजसभा में अभिनय न हो सका। उज्जयिनी में महाकालयात्रा के अवसर पर एकत्र पुरवासियों के समक्ष ही उनके नाटकों का अभिनय हुआ और तदनंतर वे यशोवर्मा के राज्य में समाप्त हुए। मालतीमाधव की प्रस्तावना में उनकी गर्वोक्ति 'ये नाम केविधिह नः इव्यम्यवज्ञाम्' संभवतः उन्हीं दुरालोचकों के प्रति है जिनसे वे निरास्त होते रहे।

अंकर दिग्विजय से ज्ञात होता है कि उम्बेक, मंडन, सुरेश्वर, एक ही व्यक्ति के नाम थे। भवभूति का एक नाम उम्बेक प्राप्त होता है अतः नाटककार भवभूति, मोमासक उम्बेक, और अर्द्धतमस में दीक्षित सुरेश्वराचार्य एक ही हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है।

[वि० जि०]

**श्रीकाकुलम** १. जिला, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का यह जिला है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व-उत्तर, उत्तर तथा पश्चिम में उड़ीसा राज्य और दक्षिण में विशाखपट्टणम जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल ३,६०१ वर्ग मील तथा जनसंख्या २३,४०,८७८ (१९६१) है।

२. नगर, स्थिति : १८° १४' उ० अ० तथा ८४° ४' पू० दे०। उपर्युक्त जिले के इस नगर का प्राचीन नाम बिकाकोल है और यह लगूलिया नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कलिग राजाओं की राजधानी था और मुस्लिम शासनकाल में भी यह उत्तरी सरकारों में से एक की राजधानी था। लगूलिया नदी के किनारे की एक पहाड़ी पर बहुत सी लिंगमूर्तियाँ खुदी हुई हैं। यहाँ के लोग इस पर्वत को कोटिलिगालु कहते हैं। बाजार के रास्ते पर बुर्हानउद्दीन भौलिया का एक सुंदर मकबरा है। नगर की जनसंख्या ३५,०७१ (१९६१) है। [अ० ना० मे०]

**श्रीचंद्रमुनि** आप लुप्तप्राय उदासीन संप्रदाय के पुनः प्रवर्तक आचार्य हैं। उदासीन गुरुपरंपरा में आपका १६५ वां स्थान है। आपकी आदिभक्तिविधि संपत् १५५१ आदिपद शुक्ला नवमी तथा अंतर्धान-तिथि संवत् १७०० आदिपद शुक्ला पंचमी है। आपके प्रमुख शिष्य श्री बालहास, अक्षमत्ता, पुष्पदेव, गोविंददेव, गुहदत्त भगवद्दत्त, कर्ताराय, कमलासनादि मुनि थे। [स्वा० गो० वे०]

**श्रीधर (Sridhera)** आठवीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने ७५० ई० के लगभग चार प्रसिद्ध पुस्तकें, त्रिशतिका, पाटी-गणित, बीजगणित और गणितसार, लिखी। इन्होंने बीजगणित के अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए। वर्गसमक समीकरण को पूर्ण बनाकर हल करने का इनके द्वारा आविष्कृत नियम आज भी 'श्रीधर नियम' अथवा 'हिंदू नियम' के नाम से प्रचलित है।

[रा० कु०]

**श्रीधर पाठक** सारस्वत ब्राह्मणों के उस परिवार में से थे जो ८वीं शती में पंजाब के सिरसा ग्राम से आकर भागना जिले के जोधरी गाँव में बसा था जहाँ ११ जनवरी, १८५८ ई० को उनका जन्म हुआ। पिता सीताधर बड़े भगवद्भक्त और धर्मनिष्ठ थे।

पाठक जी को आरंभ में घर पर संस्कृत की शिक्षा मिली। १०११ वर्ष की अवस्था तक उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो गया। इस बीच गृहकलह के कारण जौबरी छोड़ 'लौठि को नगरा' जाना पड़ा जहाँ उनके बिन बुरे कटे। कुछ फारसी पढ़कर फिर 'हिंदी प्रवेशिका' (१८७५ ई०), 'अंग्रेजी मिडिल' (१८७६ ई०) और 'एंग्लो' (१८८०-८१ ई०) की परीक्षाएँ ससंमान उत्तीर्ण कीं। एफ० ए० और कापून का भी अध्ययन किया परंतु एकाधिक कारणों से वे परीक्षा न दे पाए। तदनंतर उनके जीवन का अधिकांश राजकीय सेवा में बीता। कलकत्ते के सेंसस कमिश्नर, लाट साहब तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में उन्होंने बहुत दिनों तक काम किया। बाद में नौकरी से अवकाश पाकर लूकरगंज (प्रयाग) में 'पद्मकोट' संस्कृत रमणीय भवन बनवाकर रहने लगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर उनका समान अधिकार था। वे प्रकृतिप्रेमी, सरल, उदार, नम्र, सहृदय, स्वच्छंद तथा विनोदी थे। वे हिंदी साहित्यसम्मेलन के पाँचवें अध्यक्ष (१९१५, लखनऊ) के उद्घाटन हुए और 'कविभूषण' की उपाधि से विभूषित भी। पिछले दिनों वे असाध्य र्वासरोग से दुष्पीडित रहे। शरीरपात १३ सितंबर, १९२८ ई० को हुआ।

रचनाएँ — मनोविनोद, बाल भूगोल, एकांतवासी योगी, जगत सचार्ई सार, ऊजडग्राम, आंत पथिक, काश्मीरसुचमा, आराध्य कोकांगलि, जाबं बंदना, शक्ति विभा, श्री गोकुले प्रशस्ति, श्री गोकुले गुराष्टक, देहरादून, श्रीगोपिकागीत, भारद्वाजीत, तिलस्माती भूदरी और विभिन्न स्फुट निबंध तथा पत्रादि।

पाठक जी मौलिक उद्भावनाओं के कवि हैं। विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से आधुनिक हिंदी काव्य को एक नया मोड़ देने के कारण उन्हें स्वच्छंद भावधारा का सच्चा प्रवर्तक ठहराया गया। उन्होंने काव्य को अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद, वैयक्तिक और यथार्थपरी दृष्टि से देखने का सफल प्रयास किया जिससे आगामी छायावादी भावभूमि को बड़ा बल मिला और पूर्वागत परंपरित रूप काव्यवादी दृष्टि गया। सफल काव्यानुवादों द्वारा उन्होंने हिंदी को नई दृष्टि देने का प्रयत्न किया। यद्यपि उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ीबोली दोनों में रचनाएँ कीं तथापि समर्थक वे खड़ीबोली के ही थे। थोड़े में, उनके काव्य की विशेषताएँ हैं — सहज प्रकृति-चित्रण, वैयक्तिक अनुभूति, राष्ट्रीयता, नए छंदों, लयों और बंदियों की खोज, विषयप्रधान दृष्टि, नवीन भावप्रकाशन की क्षमता से भरकर नवीन भाषाप्रयोग, प्राञ्च और पाश्चात्य तथा पुराने और नए का समन्वय।

सं० प्र० — आचार्य रामचंद्र शुक्ल : 'हिंदी साहित्य का इतिहास', ना० प्र० सभा, वाराणसी; रामचंद्र मिश्र : 'श्रीधर पाठक तथा हिंदी का पूर्वस्वच्छंदतावादी काव्य', डॉ० ग्यामसुंदर दास — 'हिंदी कोविद रत्नमाला'। [ रा० के० वि० ]

श्रीधर वैकटेश केतकर (१८८४-१९३७) मराठी विश्वकोश (ज्ञानकोश) के सुविख्यात संपादक। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़े अनियमित ढंग से चली। विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में

उन्होंने अच्छी रुचि दिखाई और साहित्य संबंधी अनेक क्रियाकलापों में उत्साहपूर्वक दिलचस्पी ली, फिर भी वे यहाँ विश्वविद्यालय की कोई उपाधि प्राप्त न कर सके। सन् १९०६ में वे अमरीका चले गए। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पाँच वर्ष बिताने के बाद १९११ में उन्होंने पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध-प्रबंध का शीर्षक था 'भारत में जातियों का इतिहास'। इसमें उन्होंने मनुस्मृति में परिलक्षित सामाजिक स्थितियों का विवेचनात्मक विश्लेषण किया (मनुस्मृति का रचनाकाल उन्होंने २२७ से ३२० ई० के बीच में माना है)। इसके परिलक्षित रूप में दिए गए लेख 'जाति और मानव-जाति-विज्ञान' में उन्होंने 'वर्ण' तथा 'जाति' के मौलिक भेद पर बल दिया। अमरीका में उन्होंने अपना समय विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में बिताया जो उनके जीवन के मुख्य प्रबंध मराठी ज्ञान कोष के निर्माण में सहायक हुआ। लौटते समय एक वर्ष तक वे लंदन में रुके और वहाँ भी सामाजिक विषयों संबंधी अध्ययन एवं गवेषणा कार्य जारी रखा। यहाँ उन्होंने जातियों के इतिहास का दूसरा खंड 'हिंदुत्व पर निबंध' नाम से प्रकाशित किया।

भारत आने के बाद केतकर ने कुछ वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र पढ़ाने में व्यतीत किए। इसी समय उन्होंने दो अन्य ग्रंथ प्रकाशित किए — भारतीय अर्थशास्त्र तथा हिंदू ऋषि (कापून)। जनवरी, १९१६ में ही वस्तुतः उन्होंने मराठी ज्ञानकोश के महाद्य साहित्यिक अनुष्ठान का औपचारिक रूप से आरंभ किया। उन्हें इसे पाँच वर्षों में प्रकाशित करने की आज्ञा थी किंतु वास्तव में केवल पहला खंड ही सन् १९२१ में निकल सका और इक्कीसवाँ खंड (अनुक्रमणिका) १९२६ में प्रकाशित हुआ। १९१६ से १९२६ तक का १३-१४ वर्ष का समय केतकर के लिये असाधारण दीर्घ छुपवाली सक्रियता का था, क्योंकि उन्हें एक साथ ही ज्ञानकोश के संपादक, व्यवस्थापक, मुद्रक, प्रकाशक, यहाँ तक कि स्थान स्थान पर जाकर उसके ग्राहक बनाने का भी कार्य करना पड़ता था। पूर्ण संलग्नता चाहनेवाले इस काम के साथ साथ, और उसके समाप्त हो जाने के बाद भी, वे अन्यान्य कार्यों में — साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक — बराबर जुटे रहते थे। वे एक दैनिक समाचारपत्र तथा एक साहित्य पत्रिका का संपादन करते थे और उपन्यास, राजनीतिक पुस्तिकाएँ तथा समाजविकास संबंधी निबंध लिखा करते थे। इसके अतिरिक्त वे अपनी भाषी पुस्तक 'प्राचीन महाराष्ट्र का इतिहास' के संबंध में बहुत सा गवेषणा कार्य भी करते रहते थे। किंतु यह बात हमें मान ही लेनी पड़ती है कि सन् १९३० के बाद की उनकी रचनाएँ देखने से स्पष्ट हो जाता है कि पहले के कुशल लेखक की मानसिक प्रवृत्त-शीलता में कमी आ गई है।

सन् १९२० में केतकर ने एक जर्मन महिला, एडिथ कोल्ल से विवाह किया, जो ब्रात्यस्तोम के द्वारा हिंदू धर्म में दीक्षित कर ली गई थी। इसी महिला ने विटरमिस्टर द्वारा लिखित 'भारतीय साहित्य का इतिहास' का अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया। उनके जीवन को स्थिरता प्रदान करने में इस विवाह से बड़ी सहायता मिली। [ आर० एन० वा० ]

**श्रीनगर १. जिला**, यह भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य का जिला है जिसका क्षेत्रफल ३,१२०.७५ वर्ग किमी० तथा जनसंख्या ९,४०,४११ (१९६१) है। इसके उत्तर में बारमूला, उत्तरपूर्व में लहाल, दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण में अनंतनाग तथा पश्चिम में पुंछ जिले स्थित हैं। जिले में नाशपाती, भस्मरोट, केसर आदि उत्पन्न किए जाते हैं और गहद इकट्ठा किया जाता है।

२. नगर, स्थिति : ३४° ६०' उ० अ० तथा ७१° ५१' पू० दे०। यह श्रीनगर जिले में स्थित जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजधानी है, जो श्रीनगर घाटी में, श्लेष नदी के दोनों किनारों पर, दो मील की लंबाई में एवं सागर तल से लगभग ५,२५० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। नहर के दोनों भाग लकड़ी के लगभग घाट पुलों द्वारा आपस में संबद्ध हैं। यह नगर अपनी नैसर्गिक छटा, प्राकृतिक झरनों, डल झील तथा घालीमार, निजात आदि रमणीक उद्यानों के कारण प्रसिद्ध शैलानास (hill station) बन गया है। घाग तथा बाढ़ के कारण नगर को कई बार क्षति भी उठानी पड़ी है। यहाँ बाल, कालीन एवं रेशमी कपड़ा बनाने, चाँदी तथा तामे का काम, लकड़ी पर नक्काशी, चमड़ा एवं कागज उद्योग और गुलाबों से इत्र निकालने का काम होता है। नगर की कुल जनसंख्या २,९५,०८४ (१९६१) है।

[शा० ला० का०]

**पौराणिक, धार्मिक महत्त्व** — कश्मीर की वर्तमान राजधानी। इसके निकट पीड़ी में अष्टावक्र मुनि ने तपस्या की थी। पुराणों के अनुसार यहाँ अग्नि ने श्विय की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। श्रीनगर में गुंबदयुक्त बारहदरी के भंदर कमलेश्वर का मंदिर है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ मेला लगता है। इसके प्रतिरिक्त श्रीनगर में नागेश्वर, अष्टावक्र महादेव और राज-राजेश्वरी के मंदिर हैं।

**श्रीनगर (गढ़वाल) स्थिति** : ३०° १३' उ० अ० तथा ७८° ४६' पू० दे०। यह आधुनिक ऋषिकेश बद्रोनाथ यात्रामार्ग पर स्थित सबसे बड़ा नगर है। यह विस्तृत एवं आकर्षक उपत्यका में समुद्र तल से १,७०६ फुट की ऊँचाई पर अलकनंदा के तट पर स्थित है तथा वर्तमान गढ़वाल जिले का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी शिक्षा के कई विद्यालय तथा एक राजकीय स्नातक महाविद्यालय भी है। नगर की जनसंख्या ३,०३१ (१९६१) है।

प्राचीन काल में इसे गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहने का श्रेय प्राप्त रहा है। पुराणों, ग्रंथों प्रशासकों द्वारा लिखित विवरणियों तथा किंवदंतियों एवं जनश्रुतियों में इसका इतिहास बिखरा पड़ा है।

ऐतिहासिक श्रीनगर की स्थापना १३७५ ई० के आसपास गढ़वाल के द्वितीय प्रसिद्ध शासक महाराज अजयपाल के समय में हुई। उन्होंने वहाँ विपण तथा प्रासाद का निर्माण किया। इस संबंध में किंवदंती है कि एक दिन ब्रह्मा में संलग्न थे उस भूमि में पहुँचे वहाँ अनेक अनावृष्टि के। वहाँ उनके मूर्धन को शक ने मार दिया। रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ, "यह परम सिद्ध स्थान है।

यहाँ अलकनंदा के मध्य में एक शिला पर श्रीचंद्र है, जिससे इसका नाम श्रीनगर है। उसी के प्रभाव से एक निर्बल शक ने मृगदश को मार डाला। तेरे लिये यह अविष्टसूचक नहीं है। तू इस स्थान में अपनी राजधानी स्थापित कर तथा नित्य प्रति मेरे यंत्र का पूजन अर्चन करता रह। तेरी सब बातें सिद्ध होंगी।" इस आदेश के अनुसार उन्होंने अपनी राजधानी वहाँ बसाई। श्रीनगर के संबंध में जनश्रुति है कि वह ग्यारह बार बसाया गया और उजड़ा।

महाकवि भारवि के 'किराताजुनीयम्' का क्रीडास्थल यहीं था तथा संभवतः इस महाकाव्य की रचना यही अलकनंदातट पर हुई थी। विभिन्न मतों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि ह्येन सांग के यात्रावृत्त में वर्णित ब्रह्मपुर (पो-बो-ली-ही-मो-पु लो) श्रीनगर ही है। चीनी यात्री ६३४ ई० के लगभग यहाँ आया था। स्थापना के काल से लेकर गोरखा आक्रमण तक श्रीनगर को गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहने का सीभाग्य रहा और निरंतर उसके सौंदर्य तथा ऐश्वर्य की वृद्धि हुई। १८२८ के 'एशियाटिक रिसर्च' के सोलहवें खंड में कुमायूँ प्रांत पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए श्री ट्रेल ने श्रीनगर के प्रासाद के स्थापत्य की मुक्त कठ से प्रशंसा की है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता को उत्तमाखंड की यात्रा के समय श्रीनगर के मंदिरों के स्थापत्य को देख आश्चर्य हुआ था। राज्यश्री की समाप्ति के साथ १८६४ ई० में विरही गंगा की बाढ़ में प्राचीन प्रासाद तथा विपण (बाजार) बह गए। वर्तमान श्रीनगर इस बाढ़ के उपरांत बसा है।

गढ़वाल राज्य के प्रथम शासक महााज कनकपाल थे। वीसा प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात है, वे ८८८ ई० में सिंहासना-रूढ़ हुए। उनकी सौतीसवी पीढ़ी में महाराज अजयपाल हुए। इन्हीं के समय में ऐतिहासिक श्रीनगर की स्थापना हुई। महााज अजय-पाल के पश्चात् महाराज बलभद्रपाल हुए। उन्हें दिल्ली के सम्राट् से शाहू की उपाधि मिली (१४६६ ई०)। तभी से यह उपाधि गढ़वाल नरेशों के नाम के साथ चली आ रही है। महाराज बलभद्र शाहू के पश्चात् प्रसिद्ध गढ़वाल नरेशों में महाराज फतेहशाह, महाराज प्रदीपशाह, महाराज प्रद्युम्नशाह तथा महाराज सुदर्शनशाह के नाम उल्लेखनीय हैं। महाराज फतेहशाह के समय में कुमायूँ राज्य से अनवरत युद्ध हुए। गढ़वाल के नानाफड़नवीस श्रीपुरिया नैषाणी ने बड़ी चतुरता से श्रीनगर की रक्षा की। अल्पवयस्क महाराज प्रदीपशाह के समय में कटित उपद्रवों से श्रीनगर की रक्षा का श्रेय भी श्रीपुरिया नैषाणी को ही है। महाराज प्रद्युम्नशाह के समय में गोरखा आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण के फलस्वरूप गोरखा राजदूत श्रीनगर दरबार में रहने लगा (१७६० ई०)। द्वितीय आक्रमण (१८०३ ई०) में महाराज प्रद्युम्नशाह वीरमति को प्राप्त हुए तथा गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो गया। गोरखा शासनकाल में प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। गोरखा युद्ध के फलस्वरूप अलकनंदा तथा मंदाकिनी से पूर्व का गढ़वाल अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया (१८१५ ई०)। शेष गढ़वाल टिहरी गढ़वाल के नाम से महाराज सुदर्शन शाह को दे दिया गया। टिहरी गढ़वाल राज्य के अन्त्य नरेश महाराज कीर्ति-शाह, महाराज नरेंद्रशाह तथा महाराज मानवेंद्रशाह हुए। १ अगस्त, १९४६ को टिहरी राज्य का भारत में विलीनीकरण हो गया।

श्रीनगर का सांस्कृतिक इतिहास कम गौरवपूर्ण तथा आकर्षक नहीं है। श्रीनगर तथा श्रीनगर दरबार को सदा साहित्यकों, कलाकारों तथा पंडितों एवं विद्वानों की शोभास्वली रहने का सीमाग्य रहा है। महाराज फतेहशाह साहित्य तथा संगीत के प्रेमी एवं कला-मर्मज्ञ थे। इनकी राजसभा में दूर दूर के कवि आते रहते थे। प्रतिष्ठ कवि रत्नाकर जिपाठी तथा भूषण इनकी राजसभा में पचारे थे। गढ़वाली चित्राकन शैली के सर्वप्रमुख प्राचार्य, सुकवि तथा इतिहास-लेखक श्री मोलाराम श्रीनगर दरबार की विभूति थे। [२० उ०]

**श्रीनिवासाचार्य** इनके पिता का नाम गंगाधर भट्टाचार्य उपनाम वैतण्यदास था। सं० १५७६ में वैशाखी पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। श्री जीव गोस्वामी के यहाँ श्यामानन्द जी तथा नरोत्तमदास ठाकुर के साथ भक्ति के ग्रंथों का बहुत दिनों तक अध्ययन किया। श्री जीव के आदेश से भक्तिग्रंथों का प्रतिनिधियाँ लेकर वे तीनों सं० १६३६ में बंगाल तथा उत्कल में धर्मप्रचार करने चले। विष्णुपुर में डाकुओं ने धन समझकर ग्रंथों के सवुक लुट लिए। वहाँ का राजकुमार इनकी भक्ति तथा विद्वत्ता से प्रभावित होकर इनका शिष्य हो गया और उसने ग्रंथों को ढूँढ़ निकाला। उत्तर तथा पश्चिम बंगाल में इस धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हें तथा नरोत्तमदास ठाकुर ही को है। इनकी मृत्यु सं० १६६४ में हुई। [३० २० वा०]

**श्रीपाद कृष्ण बेलवेलकर** का जन्म सन् १८८० में हुआ। बचपन में सारी शिक्षा दीक्षा राजाराम हाँयर स्कूल और कॉलेज, कोल्हापुर तथा डेक्कन कॉलेज, पुना, में हुई। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण परीक्षाओं में उत्तम स्थान प्राप्त करते रहे। सन् १९०२ में बी० ए० उत्तीर्ण हुए तथा भाषा, इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन में क्रमशः १९०४, १९०५ और १९१० में एम० ए० की परीक्षाएँ उत्कृष्ट अंशों में उत्तीर्ण की इसके बाद हावर्ड विश्वविद्यालय में डॉ० जनमन के निर्देशन में उत्कृष्ट अनुसंधान का कार्य कर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। अमरीका जाने के पूर्व डेक्कन कॉलेज में हस्तलिखित पोथियों के संग्रह के क्यूरेटर के रूप में सन् १९०७ से सन् १९१२ तक कार्य करते रहे। इसके कर्टलाग का प्रथम खंड प्रकाशित करने के लिये प्रेस में दे दिया। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा के भिन्न भिन्न व्याकरणों (Systems of Sanskrit Grammar) पर एक निबंध लिखकर 'संस्कृत सुवर्ण पदक' पारितोषिक के रूप में प्राप्त किया। अमरीका से लौटने पर डेक्कन कॉलेज में ही संस्कृत के प्राध्यापक बन गए। सन् १९१५ में सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों से यह कॉलेज बंद कर दिया गया। उसके बंद हो जाने तक के काल में संस्कृत के अध्यापक के रूप में वहीं पर बने रहे। डेक्कन कॉलेज के विद्याधियों के सुसंगठित प्रयत्नों से तथा डॉ० मुकुंदराम जयकर के उद्योग से डेक्कन कॉलेज की पुनः स्थापना हुई। सेवानिवृत्ति के पूर्व कुछ दिनों तक अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में भी संस्कृत प्राध्यापक के नाते तीन वर्ष तक कार्य किया।

उनके द्वारा लिखित तथा प्रकाशित उनकी निम्नलिखित पुस्तकें प्रसिद्ध हैं : ( १ ) Systems of Sanskrit Grammar, ( २ )

अव्युक्ति के 'उत्तर रामचरितम्' का संपादन और अनुवाद Translation and critical edition of Uttar Ramacharitam ( ३ ) साहित्य अकादमी के लिये कामिदास का 'शाकुंतलम्', ( ४ ) English Translation of Kavyadarsha, ( ५ ) अथर्ववेदीय और ब्रह्मसूत्र भाष्य का सटिप्पण संस्करण, ( ६ ) भारतीय दर्शन-शास्त्र का इतिहास, खंड २ से ७। इसे आपने डॉ० आर० डी० रानडे के सहयोग से तैयार किया। ( ७ ) बहु और नैतिक व्याख्यान वेदांत दर्शन पर, ( ८ ) Papers on Various aspects of Indology in Oriental Journals of India and outside.

अमरीका से लौटने पर भांडारकर प्राध्यापक अनुसंधान की स्थापना में उन्होंने प्रमुख रूप से योगदान दिया। इस संस्था का उद्घाटन समारोह जुलाई, सन् १९१७ में हुआ। स्थापना के बाद कुछ वर्षों तक आनरेरी सेक्रेटरी के पद को विभूषित किया। उसकी कार्यकारिणी समिति के तो वे ही निरंतर सदस्य होते रहे। पूना के संस्कृत कॉलेज की स्थापना में भी आपका हाथ रहा है और उसके कार्यों के भी आपका निकटवर्ती संबंध रहा है। सन् १९१२ की ६ जुलाई की बैठक में भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में महाभारत का critical edition निकालने की योजना बनी और अप्रैल, १९१६ में यह कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य में प्रधान संपादक के नाते १९४६ से १९६१ तक बेल-बेलकर जी ने सुचारु रूप से कार्य संपन्न किया तथा भीष्म पर्व, शांति पर्व, आश्विन वासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्वों के आप संपादक भी रहे। इनके सिवा प्रत्येक खंड के संपादन कार्य में बेलवेलकर जी का मार्गदर्शन मिळता रहा है।

अखिल भारतीय ओरिएंटल कानफरेंस का प्रथम अधिवेशन सन् १९१६ में हुआ था। इसमें संमिलित होकर प्रारंभ से ही हर अधिवेशन में आपने कार्य संपन्न किया। कई वर्षों तक इस संस्था के सेक्रेटरी भी बने रहे। सन् १९४३ में बनारस में जब इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ तब आप उसके सभापति बनाए गए।

अनुसंधान और लेखन को अपने जीवन का प्रधान व्यवसाय मानकर वे कार्य करते रहे। कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ग्रंथों का आलोचनात्मक संपादन, अनुवाद तथा उपनिषद्, वेद, सांख्य, भगवद्गीता, वेदांतसूत्र आदि विषयों पर शोधपूर्ण स्वतंत्र निबंध ( करीब करीब ४०-५० की संख्या में ) प्रकाशित किए। इससे प्राध्यापक-विचारदों में भारत के बाहर भी उनकी कीर्तिपताका फहराने लगी। २९ सितंबर, १९६६ के दिन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा-कृष्णन के द्वारा महाभारत के संपादन कार्य की पूर्णवृत्ति सुसंपन्न की गई। तब अयोध्या श्री बेलवेलकर जी का श्री रोष्य करंडक वेकर अथ्य विद्वाद् और शास्त्रियों के साथ संमान किया गया।

[एन० सी० जो०]

**श्रीरंगम्** स्थिति : १०° ५२' उ० अ० तथा ७८° ४२' पू० दे०। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के त्रिचिच्चिराम्पल्लि जिले का नगर है जिसकी जनसंख्या ४१,२४६ ( १९६१ ) है। यह कावेरी की शाखाओं और कोल्लिट्टम के अथ्य एक द्वीप पर स्थित है। मद्रास और त्रिचिच्चिराम्पल्लि नगर की जोड़नेवाली सीधी सड़क यहाँ से जाती है।



यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। नगर मुख्यतः धार्मिक नगर है। यहाँ का विष्णुमंदिर अथवा श्रीराम मंदिर, वास्तु और श्रुतिकला के लिये प्रसिद्ध है। नगर के समीप ही जंबुकेश्वरम नामक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है।

[प्र० व०]

इतिहास — जगवान् राम और भी बसदेव इस स्थान पर प्यारे थे। विख्यात धार्मिक स्वामी रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम में रहकर अपने मत का प्रचार किया था, और यहीं उनकी मृत्यु हुई।

यहाँ के विद्यालय श्रीरंगम मंदिर (२,२०० फुट लंबे, और २,५०० फुट चौड़े) का निर्माण १७वीं, १८वीं शताब्दी में हुआ। दूसरा मंदिर जंबुकेश्वरम का है। शिल्प और मनोहरता में इसका स्थान भी विशिष्ट है।

**श्रीरामपुर** १. हुगली जिले का दक्षिण-पूर्वी उपडिवीजन है। यहाँ समतल मैदान विस्तृत क्षेत्र में मिलता है, इसलिये जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसके अंतर्गत श्रीरामपुर, उत्तरपाड़ा, बैदावती, भद्रेश्वर तथा कोटरांग प्रमुख नगर हैं। ये सभी हुगली नदी के किनारे बसे हैं तथा उद्योगों के केंद्र हैं। तारकेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ है।

२. नगर, स्थिति : २१° ४५' उ० अ० तथा ८६° २१' पू० दे०। श्रीरामपुर नगर उपयुक्त उपडिवीजन का प्रशासनिक केंद्र है। यह बैरकपुर के सामने हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ कई बड़े कारखाने हैं। नगर की जनसंख्या २१,५२१ (१९६१) है।

[ज० सि०]

**श्रीलंका (Ceylon)** हिंद महासागर में स्थित, भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरूमध्य द्वारा पृथक्, एक बड़ा द्वीप है। इसकी अधिकतम लंबाई २७० मील (उत्तर से दक्षिण), चौड़ाई १४० मील (पूरब से पश्चिम) तथा क्षेत्रफल २५,३३२ वर्ग मील है।

यह प्राचीन द्वीप ब्राह्मण साहित्य में लंका, ग्रीक और रोमवासियों में तम्रोवेन, समुद्री व्यापारियों में सेरन द्वीप (सिंहल द्वीप का अपभ्रंश) तथा पुर्तगालवासियों में जेलन (अब सीलोन) के नाम से विख्यात था। रत्नद्वीप के नाम से भी यह विख्यात था। भारतीय महाकाव्य रामायण में महाकाव्य के नायक श्रीराम द्वारा लंका विजय का विशव वर्णन है।

द्वीप का क्रमबद्ध इतिहास राजा विजय के शासनकाल से प्रारंभ होता है। राजा का पदाभिषेक उत्तर-पूर्व भारत से ईसा के ४८३ वर्ष पूर्व हुआ और तब से १९ वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यहाँ राजतंत्र रहा। १५०५ ई० में दक्षिण और पश्चिम भाग में पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। १७वीं शताब्दी के मध्य में इसपर डच लोगों का अधिकार हो गया। पर १७९६ ई० में अंग्रेजों ने डचों को हराकर इसपर अधिकार कर लिया। इस प्र १८०२ ई० में यह ब्रिटिश उपनिवेश का एक अंग बन गया। १८१४ ई० से १९४८ ई० तक ब्रिटिश शासनांतर्गत रहने के बाद ४ फरवरी, १९४८ ई० को लंका स्वतंत्र हुआ तथा जुलाई, १९५६ में गणतंत्र बना। यह कॉमनवेल्थ का सदस्य भी है।

श्रीलंका के मध्य में ४,२१२ वर्ग मील में फैला एक पर्वतपिंड है जिसके चारों ओर समतल मैदान है। समुद्रतट से पर्वतपिंड की

ऊँची ४५ से ७० मील है। इसकी मुख्य चोटी पियुक्तलागला ८,२९६ फुट ऊँची है। तोतापेला (७,७४० फुट) तथा मादम (७,१५२ फुट) अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं। नुवारा एलिया, यहाँ का मुख्य स्वास्थ्यचर्चक केंद्र है, जो ६,००० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। बादुला, बंदारावेला, दियातालावा, हेटन और कैडी अन्य स्वास्थ्यचर्चक केंद्र हैं।

नदियाँ — यहाँ की सभी नदियाँ दक्षिण के पहाड़ी भाग से निकलती हैं। २०६ मील लंबी प्रसिद्ध महावेली गंगा पश्चिमी ढाल से बहती हुई पूरब में ट्रिकोमाली के निकट समुद्र से मिलती है। अन्य प्रमुख नदियाँ कालूगंगा और कैलानीगंगा हैं जो पश्चिम में क्रमशः कालुवारा और कोल्लंबो के पास समुद्र से मिलती हैं। यहाँ की सभी नदियाँ छोटी पर नौगम्य तथा सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

भूगर्भ और खनिज — यहाँ की भूमि कड़े रवादार चट्टानों से निर्मित है। मध्यभाग में खोंडानाइट चट्टान की पट्टी है जिसमें फ्रेन्डाइट और रवादार चूना पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण पूर्व में "विजयनक्रम" की नाइस चट्टानें वर्तमान हैं। उत्तरी भाग में भ्रूणयुग (Miocene) का चूना पत्थर पाया जाता है। खोंडानाइट के उत्तर में अत्यंत-मूलतन-युग (Pleistocene) की चट्टानों की पट्टी है। पूर्वी और पश्चिमी तट पर प्राधुनिक जमाव का विशुद्धलित क्रम है। नदियों के ककड़ों में कीमती पत्थर मिलते हैं, जिनमें नीलम मुख्य है।

जलवायु — विषुवत् रेखा के निकट स्थित यह गरम और मानसूनी देश है। गरमी में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रभाव के फलस्वरूप दक्षिणी और पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। जाड़े में उत्तर-पश्चिमी मानसूनी हवा से सारे देश में साधारण वर्षा हो जाती है। इस तरह यहाँ की औसत वर्षा ५० इंच है। पर पहाड़ी भागों में २०० इंच तक वर्षा होती है। मैदानी भागों में औसत ताप २७° से० रहता है जबकि पहाड़ी प्रदेशों में १५° से०। यहाँ (कोलंबो) का मानक समय ग्रीनिच समय से ५ घंटा १६ मिनट २३ सेकंड आगे है।

वनस्थिति — श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के वर्षावाले क्षेत्रों में सदाबहार वन हैं। विषुवतीय वन की तरह यहाँ ऊँचे पेड़ हैं जिनमें गटापार्च, सिनकोना और रबर के वृक्ष मुख्य हैं। पहाड़ी भागों के वृक्षों के कद छोटे हैं। अधिक ऊँचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। आबनूस, सेटिनउड तथा झाड़ीदार वृक्ष शुष्क पतझड़ वन की विशेषता हैं। दक्षिणी और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल के सघन क्षेत्र हैं।

जीवजंतु — बने जंगलों में स्थानीय उपजाति के हाथी पाए जाते हैं। पालतू तथा जंगली भैंसों के अलावा हिरम की चार, बंदरों की पाँच, मगर की दो तथा सर्पों की पाँच जातियाँ पाई जाती हैं। विषधर सर्पों में कोबरा और बाइपर मिलते हैं। बने जंगलों में चीते मिलते हैं। यहाँ ३७२ प्रकार के पक्षियों के होने का ज्ञान है जिनमें से १२० जाति के पक्षी ठंडे दिनों में एशिया के देशों से यहाँ चले आते हैं।

कृषि — यहाँ कृषि तथा चरागाह के अंतर्गत क्रमशः ३७ और

४.५६ लाख एकड़ भूमि है। खान की खेती अधिक भूमि पर होते हुए भी देश इसमें स्वावलंबी नहीं है। रबर उत्पादन में इसका स्थान मलाया और हिंदचीन के बाद है। चाय उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। इलायची, कोको, तंबाकू और कपास अन्य प्रमुख फसलें हैं। फलों में आम, केला, नाशपाती, नारंगी, अनार और काजू भी होते हैं।

**उद्योग क्षेत्र** — श्रीलंका हाथकरघा उद्योग, चटाईयों, टोकरियों, काँच की बूड़ियों, लकड़ी तथा हाथीदाँत की चीजों, चाँदी, एवं पीतल के बरतनों आदि के कुटीर उद्योगों के लिये विख्यात है। बड़े उद्योगों में सूती वस्त्र, सीमेंट, काँच और चमड़े के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तटवर्ती क्षेत्रों का मुख्य धंधा मछली पकड़ना है जिनमें यंत्रचालित नौकाओं का व्यवहार होता है। पकड़ी जानेवाली मछलियों में बानिटी, रूना, स्पाइमल, मैकेल, ट्राउट, बॉक, क्रीनफिश, कैटफिश इत्यादि मुख्य हैं।

**जनसंख्या** — यहाँ की कुल जनसंख्या १,०६,२५,००० (१९६३) है। कोलंबो यहाँ की राजधानी, बंदरगाह एवं प्रमुख औद्योगिक तथा शिक्षाकेंद्र है। कोलंबो की जनसंख्या ५,१५,३०० (१९६३), जैफना की जनसंख्या ८६,८०० (१९६३), कैंडी की जनसंख्या ७२,००० (१९६३) तथा गाल की जनसंख्या ६७,५०० (१९६३) है।

**धर्म** — यहाँ बौद्ध धर्म की प्रधानता है जिसका प्रचार ईसा के ३०० वर्ष पूर्व हुआ था।

**शिक्षा** — यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रणाली है। ६ से १४ वर्ष के बच्चों के लिये स्कूल शिक्षा अनिवार्य है। सीलोन विश्वविद्यालय की स्थापना १९२१ ई० में हुई है, जहाँ कला, विज्ञान, औषध, नियम, इंजीनियरी व्यवसाय, कृषि एवं पशुचिकित्सा की शिक्षा का प्रबंध है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, सिंहली या तमिल है।

**यातायात** — १९५८ ई० में रेलमार्ग की लंबाई ८९८ मील थी। हवाई मार्ग स्थानीय एवं विदेश के मुख्य शहरों को मिलाता है।

**व्यवसाय** — चावल, सूतीवस्त्र, तरल ईंधन, चाटा, मछली, चीनी, उर्वरक, कोयला तथा दूध से बनी सामग्री का आयात तथा चाय, रबर, नारियल का तेल, इलायची, कोको तथा सुपारी का निर्यात होता है।

**संविधान एवं राजनीति** — श्रीलंका तटस्थ देश है। संविधान के अनुसार ससद की दो सदन हैं, सिनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिनकी सदस्यसंख्या क्रमशः ३० और १५१ है। शासनकार्य मंत्रिमंडल द्वारा संपन्न होता है जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। १९६४ ई० से सिंहली यहाँ की राष्ट्रभाषा है। [ सु० न० प्र० ]

**श्रीवास** इनके माता पिता श्रीहृद से नवद्वीप में आ बसे थे। यहीं सं० १५१० में इनका जन्म हुआ। वे आरंभ में निष्ठुर, नास्तिक तथा बंभी थे पर स्वप्न में प्रेरणा प्राप्त कर भक्त हो गए। श्री गौरांग ने इन्हें तथा इनके परिवार को प्रत्यक्ष अवतारी महाभावावेश का दर्शन दिया था और एक वर्ष इनके गृह पर रहकर भक्ति का प्रचार किया। श्री गौरांग के कृष्णलीलाभिनय में इन्होंने नारद जी की भूमिका ग्रहण की थी। श्री गौरांग के पुरी चले जाने पर यह श्रीहृद चले गए और

वहाँ भक्तिकीर्तन का प्रचार किया। १५९० में श्रीगौर के संतर्धान होने पर यह भी संतर्हित हो गए। इस संप्रदाय के पंचसतप में यह भी एक है। [ व० २० पा० ]

**श्रीहर्ष** का 'नैषधीयचरित्' 'बृहत्त्रयो' में बृहत्तम महाकाव्य है। महाकवि श्रीहर्ष की माता का नाम मामल देवी और पिता का 'हीरपंडित' था। गहड़वालवंशी काशी के राजा विजयचंद्र और उनके पुत्र राजा जयचंद्र (जयंतचंद्र) — दोनों के वे राजसभापंडित थे। राजा काम्यकुञ्जेश्वर कहे जाते थे, यद्यपि उनकी राजधानी बाद में चलकर काशी में ही गई थी। काम्यकुञ्जराज द्वारा समाहृत होने के कारण उन्हें राजसभा में दो बड़े पान तथा आसन का सम्मान प्राप्त था। इन राजाओं का शासनकाल ११५६ ई० से ११९३ ई० तक माना गया है। अतः श्रीहर्ष भी बारहवीं शती के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। किवंदती के अनुसार 'चित्तमणि' मंत्र की साधना द्वारा त्रिपुरा देवी के प्रसन्न होने से उन्हें बरदान मिला तथा बाणी, काव्यनिर्माण-शक्ति एवं पांडित्य की अद्भुत क्षमता उन्हें प्राप्त हुई। यह भी कहा जाता है कि काव्यप्रकाशकार 'मम्मट' उनके मामा थे जिन्होंने 'नैषध महाकाव्य' में आ गए कुछ दोषों से श्रीहर्ष को परिचित कराया। परिचय कवि केवल काव्यनिर्माण की विलक्षण प्रतिभा से ही संपन्न न थे अपितु वे उच्च कोटि के दर्शन-शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। सुकुमार वस्तुमय साहित्यनिर्माण में उनकी वाणी का जैसा प्रभावित विनास प्रगट होता है वैसे ही शक्ति प्रौढ़ तर्कों से पुष्ट, शास्त्रीय ग्रंथ के निर्माण में भी उन्हें प्राप्त थी। पंडित मंडली में प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार ताकिकशिरोमणि उदयनाचार्य को भी उन्होने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। नैयायिकों की तर्कमूलक पद्धति से न्याय के सिद्धांतों का खंडन करनेवाला श्रीहर्ष का 'खंडनखंडखाण्ड' नामक ग्रंथ अद्वैत वेदांत की अति प्रकृष्ट और प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त 'स्वैर्यविचारप्रकरण' और 'शिवशक्तिसिद्धि' (या 'शिवभक्तिसिद्धि') नामक दो दार्शनिक ग्रंथों का श्रीहर्ष ने निर्माण किया था। 'विजय प्रशस्ति', 'गौडोर्वीणकुलप्रशस्ति' तथा 'खिदप्रशस्ति' नामक तीन प्रशस्तिकाव्यों के तथा 'अर्जुन वर्णन' और 'नवसाहस्रंशुचरित् अपू' काव्यों के भी वे प्रणेता थे। परम प्रौढ़ शास्त्रीय वैदुष्य से प्रोत्प्रेत, कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध कल्पना से वैदग्ध्यपूर्ण और अलंकृत काव्यशैली के उत्कृष्टतम महाकाव्य के रूप में 'नैषधीय चरित्' का संस्कृत महाकाव्यों में अद्वितीय स्थान है। 'भारवि' के किराताजुनीय से आरंभ अलंकरणप्रधान सायास काव्यरचना शैली का अरमोत्कर्ष नैषधीयचरित् (नैषधचरित् या नैषध काव्य) में विकसित है। महाभारतीय नलोपाख्यान से गृहीत इस महाकाव्य की कथावस्तु में नल और दमयंती के पूर्वराग, बिरह, स्वयंवर, विवाह और नवदंपतिमिलन एवं संयमकेलियों का वर्णन हुआ है। प्रसंगतः अन्य मध्यायत विषय भी काव्यप्रबंध में गुंफित हैं। २१ सर्गवाले इस विशालकाय काव्य के अनेक सर्गों की श्लोकसंख्या १५० से भी अधिक है। परंतु इसका वर्ण्य कथानक काव्याकार के अनुपात में छोटा है। कथाविस्तार में सीमालघुता रहने पर अर्थांतर प्रसंगों में वर्णनविरुद्धि के कारण ही इसका काव्यकलेवर बढ़ा है। चार सर्गों में नल का श्रीमान्तराज, पूर्वरागजय बिरह, हंसमिलन का दौस्य, दमयंतीबिरह आदि प्राण वेष्टित हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, ब्रह्म


भोलिका ( पृष्ठ ३२७ )



प्रतिनिधिसभ, कोलंबो



पेरादेनिया उद्यान में पुष्पावलि




सेनिट भवन, कोलंबो



निवासभवन, मीळोन विश्वविद्यालय, पेरादेनिया

श्रीलंका ( पृष्ठ २२७ )



हैंडमस पीक नामक पवित्र पर्वत



प्राचीन शैलदुर्ग, सिगिरिया



मिहितले का शैलमंदिर


1951 (20 11 51)




विश्वकर्मिणी, पोलीम्भार



दुब मूर्तिनी, खडविहार, पोलीम्भार




प्राचीन मूर्तिनी, पोलीम्भार




खंडाधिक विहार, पोलीम्भार

शीलिका ( पृष्ठ ३२७ )




राजकीय वनारपति एधान में तालवृक्षावलि



सेटल होक भवन, कोलंबी

श्रीलंका (पृष्ठ १२७)







इन चार देवों में से किसी को पतिरूप में बरण करने के लिये नल का वृत्त बनकर दमयंती के यहाँ जाना, उसे समझाना बुझाना और वृत्तकार्य में असफल होना — इतनी ही कथा का वर्णन ५ से ९ सर्ग तक है। वसवें सर्ग से सोलहवें सर्ग तक, सांगोपांग, दमयंती स्वयंवर, नलवरण और विवाहादि का विवरण दिया गया है। सत्रहवाँ सर्ग कलि और देवों के बीच संवाद है जिसमें नास्तिकवाद और उसका खंडन है। अठारहवें सर्ग में नवविवाहित दंपति का प्रथम समागम वर्णित है। शेष चार सर्गों में—राजा रानी की दिव्यवर्षा, विवास विहार भावि के सरस विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इतनी स्वल्प कथावस्तु मात्र को लेकर इस संवकाव्यदेशीय महाकाव्य की रचना हुई है।

इस काव्य का मुख्य वर्णप्रवाह शृंगार रस है। विविध उप-धाराओं और अर्वांतर तरंगश्रृंगों के साथ यही रसधारा अर्थात् प्रवहमान है, चाहे स्थान स्थान पर उसकी गति कितनी ही मंद क्यों न हो। दंडी आदि काव्यशास्त्रियों के महाकाव्य-लक्षणानुसार ही प्रायः अधिकांश वर्णविषय नुक्ति हैं। तेरहवें सर्ग में श्लिष्ट काव्य उत्कर्ष के चरमबिंदु पर पहुँचा है जहाँ प्रायः सर्ग भर में श्लिष्टार्थ-पङ्क पद्यों द्वारा एक साथ ही इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और नल का प्रशस्तिगान किया गया है। असंस्कृत और चमत्कारचित्रित काव्यरचना शैली से बोझिल होने पर भी 'नेत्र' में अद्भुत काव्यात्मक प्रौढ़ता और आकर्षण है। अंगिमावैविध्य के साथ वर्णन की अनेकविधता, कल्पना की चित्रविचित्र उद्धान, प्रकृतिजगत् का सजीव रूपचित्रण, भावों का समुचित निवेश, लक्ष्मणरूप का अलंकाररूप पर प्रौढ-रमणीय सौंदर्यवर्णन, अर्थगुंफन में नम्य अपूर्वता, संस्कृत भाषा के शब्दकोश पर असाधारण अधिकार, शास्त्रीय पद्यों की मासिक और प्रौढ संयोजना, अलंकारमूलक चमत्कारसंज्ञन की विलक्षण प्रतिभा, वैलासिक और उच्चवर्गीय कामकौशल एवं सुखविहार का मोहक चित्रण आदि में अपूर्व सामर्थ्य के कारण श्रीहर्ष कवि को संस्कृत-पंडित-मंडली में जो प्रतिष्ठा मिली है वह अन्य को अप्राप्त है। पाँच अर्थात्-वाले (पंचनली) (१३वाँ सर्ग) से उनके नानार्थ शब्दप्रयोग की अद्भुत क्षमता सिद्ध है। प्रस्तुत अप्रस्तुत रूप में दार्शनिक और शास्त्रीय ज्ञान की प्रौढ़ता का प्रकाश सर्वत्र काव्य में बिखरा हुआ है। वे महंत वेदांत ही नहीं तंत्र, योग, श्याय, मीमांसा आदि के भी प्रौढ़ ममज्ञ थे। पर दर्शन के ज्ञानकाठिन्य ने उनके कविहृदय की भावुकता के प्रवाहन में समय समय पर सहायता भी दी है। इन सबके साथ दृश्यजगत् की स्वाभाविक सहज छवियों में भी उनका मन रमा रहा। प्रथम सर्ग में नल के सामने प्रकट हंस के जिन नेमगिक और पक्षितबद्ध रूपों, जेष्टाओं और व्यापारों का चंक्रन हुआ है — उनकी स्वभावोक्ति में प्रकृति के प्रति दृढासक्ति लक्षित है। इन्हीं सब वैशिष्ट्यों के कारण श्रीहर्ष को विलक्षण प्रतिभाशाली, शास्त्रमंज्ञ, अप्रस्तुत विद्या में परम समर्थ और अलंकरण काव्य-रचना में अतिनिपुण महाकवि कहा गया है। वाल्मीकि, कालिदास आदि के समान भावलोक के सहजाकन में विशेष अनुराग के न रहने पर भी अपने पांडित्य और कलापक्ष की निपुणता के कारण कवि के रूप में उनका अपना विशिष्ट महत्त्व और स्थान है। इसी

कारण बृहत्नयी के कवियों में उन्हें उच्च प्रतिष्ठा मिली है।

[ क० प० त्रि० ]

**श्रुतकेवली** ये श्रुतज्ञान अर्थात् शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। श्रुत-केवली और केवली (केवलज्ञानी) ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान हैं, लेकिन श्रुतज्ञान परीक्ष और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। केवलियों को जितना ज्ञान होता है उसके अनंतवें भाग का वे प्ररूपण कर सकते हैं और जितना वे प्ररूपण करते हैं उसका अनंतवाँ भाग शास्त्रों में संकलित किया जाता है। इसलिये केवलज्ञान से श्रुतज्ञान अनंतवें भाग का भी अनंतवाँ भाग है। श्रुतकेवली १४ पूर्वों के पाठी होते हैं। महावीरनिर्वाण के पश्चात् गौतम, सुषर्मा और जंबूस्वामी, ये तीन केवली हुए। जंबूस्वामी के बाद दिगंबर परंपरा के अनुसार विष्णु, नदि, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु तथा श्वेतांबर परंपरा के अनुसार प्रभव, अर्थभव, वशोभद्र, सभूतविजय, भद्रबाहु और स्थूलभद्र नाम के छह श्रुतकेवली हुए। स्थूलभद्र को श्रुतकेवलियों में न गिनने से श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार पाँच ही श्रुतकेवली माने गए हैं।

सं० शं० — जगदीशचंद्र जैन : स्याद्वादमंजरी (हिंदी अनुवाद)।

[ ज० चं० जै० ]

**श्रेडिंगर, अर्विन** (Schrodinger, Erwin, सन् १८८७ —) ऑस्ट्रियावासी भौतिकीविद्, ने वियेना विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। वियेना तथा येना विश्वविद्यालयों में अध्यापन करने के पश्चात्, ये सन् १९२० में स्टेटगार्ट तकनीकी उच्च विद्यालय में विशेष प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन् १९२१ में ब्रेस्लाँ तथा जूरिक, सन् १९२७ में बर्लिन, सन् १९३३ में ऑक्सफर्ड तथा सन् १९३६ में प्रायः विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पद को आपने सुशोभित किया। सन् १९४० में उच्च अध्ययन के डब्लिन संस्थान में आप वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।

श्रेडिंगर के नाम से प्रसिद्ध तरंग समीकरण का प्रतिपादन कर, आपने भौतिकी की विशेष शाखा, तरंगयांत्रिकी संबंधी अन्वेषण प्रारंभ किए। इन अन्वेषणों को आपने लिखित रूप, इस विषय पर लिखे अपने "लेखसंग्रह" तथा "तरंगयांत्रिकी पर चार व्याख्यान" नामक ग्रंथों में, दिया है। विज्ञान की इस सेवा के लिये आपको सन् १९३३ में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

सन् १९४६ में आपने क्षेत्र सिद्धांत (Field Theory) पर भी अमूल्य विचार व्यक्त किए। सन् १९४५ में लिखित 'सांख्यिकीय ऊष्मागतिकी', सन् १९३५ में 'विज्ञान तथा मानुषी स्वभाव' और सन् १९४४ में लिखा 'जीवन क्या है?', आपके अन्य विचारोत्तेजक ग्रंथ हैं।

[ स० दा० व० ]

**श्रेणी** (सीरीज, Series)  $a_1, a_2, a_3, \dots$  संख्याओं के समुदाय को, जो घनात्मक पूर्णांकों के कुलक से संबद्ध है, अनुक्रम कहते हैं और  $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$  श्रेणी कही जाती है। यदि पदों की संख्या अपरिमित हो, तो इस श्रेणी को अनंत श्रेणी कहते हैं और

$\sum_1^\infty a_n$  द्वारा व्यक्त करते हैं। माना  $S_n = a_1 + \dots + a_n$  इस श्रेणी के प्रथम  $n$  पदों का योग है। यदि  $n$  के अनंत की ओर बढ़कर होने पर  $S_n$  एक परिमित सीमा  $S$  की ओर बढ़कर हो, तो श्रेणी  $\sum_1^\infty a_n$  अभिसरित (converge) कही जाती है  $S$  की ओर, और  $S$  श्रेणी का योग कहलाता है। यदि  $S_n$  बढ़कर होता है  $\pm \infty$  की ओर, तो श्रेणी परिस्थिति के अनुसार  $+\infty$  या  $-\infty$  की ओर अपसरित (diverge) होती कही जाती है। यदि  $S_n$  परिमित रूप से दोलित होता है, अर्थात् यदि प्रत्येक  $n$  के लिये  $|S_n| < K$  है, और यदि  $S_n$  किसी सीमा की ओर बढ़कर नहीं होता है, तो श्रेणी परिमित रूप से दोलित करती कही जाती है। यदि  $n$  के अनंत की ओर बढ़कर होने पर,  $|S_n|$  अपरिमित रहता है और  $S_n$  किसी सीमा की ओर बढ़कर नहीं होता, तो श्रेणी अनंत रूप से दोलित होती कही जाती है। श्रेणी  $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$  के लिये  $n$  के सम या विषम होने के अनुसार  $S_n = 0$  या  $1$  है। अतः यह श्रेणी परिमित रूप से दोलित है। श्रेणी  $1 - 2 + 3 - 4 + \dots$  के लिये  $S_{2n} = -n$ ,  $S_{2n-1} = n$  है और यह श्रेणी अनंत रूप से दोलित करती है।

अतः किसी श्रेणी का अभिसरण, या अपसरण, अपूर्ण योगों  $\{S_n\}$  के अनुक्रम के अभिसरण, या अपसरण, पर निर्भर होता है। अभिसरण के लिये आवश्यक एवं पर्याप्त अनुबंध यह है कि किसी लघु अविहित अनराशि  $\epsilon$  के निश्चित होने पर एक ऐसा पूर्णांक  $N$  प्राप्त किया जा सकता है कि  $|S_m - S_n| < \epsilon$  हो, यदि  $m \geq N$ ,  $n \geq N$  हो। विशेषतः यदि श्रेणी अभिसरित है, तो  $n$  के अनंत की ओर बढ़कर होने पर  $|S_n - S_{n-1}| = |a_n| \rightarrow 0$  होगा। सामान्यतः जो श्रेणी अभिसरित नहीं होती, वह अपसरित कही जाती है। गुणोत्तर (geometrical) श्रेणी  $1 + r + r^2 + \dots$  के लिये  $S_n = (1 - r^n)/(1 - r)$  यदि  $r \neq 1$ , और  $S_n = n$  यदि  $r = 1$  है। यदि  $|r| < 1$  है, तो यह श्रेणी योग  $1/(1 - r)$  की ओर अभिसरित होती है, अन्यथा अपसरित रहती है। श्रेणी  $\sum_{r=1}^\infty 1/r^p$ , जिसमें

$p$  वास्तविक है,  $p > 1$  के लिये श्रेणी अभिसारी और  $p \leq 1$  के लिये श्रेणी अपसारी है।

$S_n$  के लिये निश्चित व्यंजक प्राप्त करना सदैव सरल नहीं है। अतः हम यह जानने के लिये कि कोई विशिष्ट श्रेणी अभिसारी है या नहीं, अभिसारी और अपसारी की परीक्षाविधियों का प्रयोग करते हैं। यदि कोई श्रेणी केवल अनात्मक पदों से बनी है, तो किसी पद के उपरांत  $\{S_n\}$  एक वृद्धिमय अनुक्रम होगा और ऐसे वृद्धिमय अनुक्रम के अभिसरण के लिये आवश्यक और पर्याप्त अनुबंध यह है कि यह परिमित हो, अर्थात् एक ऐसी अचर राशि  $K$  का अस्तित्व हो कि  $n$  के समस्त मानों के लिये  $S_n < K$  हो। अनात्मक पदोंवाली श्रेणी के अभिसरण परीक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं :

(अ) तुलनात्मक परीक्षा — यदि  $a_n$  और  $b_n$  अनात्मक पदों की दो श्रेणियाँ हों और यदि  $A$  और  $B$  दो ऐसी अनात्मक

संख्याएँ अस्तित्व में हों कि  $A < a_n/b_n < B$  हो, तो एक श्रेणी का अभिसरण या अपसरण दूसरी श्रेणी के अभिसरण या अपसरण को सूचित करता है। यदि  $a_n/b_n$  शून्य की ओर बढ़कर हो, तो  $\sum a_n$  अभिसारी होगा यदि  $\sum b_n$  भी अभिसारी हो। यदि  $a_n/b_n$  अनंत की ओर बढ़कर हो, तो  $\sum a_n$  अपसारी होगा यदि  $\sum b_n$  भी अपसारी हो। अतः यदि  $a_n = 1/(n^a + c)$ ,  $0 < a < 1$ ,  $c > 0$  हो, तो  $b_n = 1/n$  रखने पर  $\sum a_n$  अपसारी होगा।

(आ) कोशी (Cauchy) की मूल परीक्षा — यदि  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} < 1$  हो तो श्रेणी अभिसारी और यदि  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} > 1$  हो, तो श्रेणी अपसारी होगी।

(इ) समाकल परीक्षा — यदि  $a_n = f(x)$  और  $x > x_0$  के लिये  $f(x)$  अल्पवृत्त हो, तो  $S_n = \int_1^n f(x) dx$  का मान  $0$  और  $f(1)$  के अंतर्गत होगा अतः समाकल  $\int_1^\infty f(x) dx$  और श्रेणी दोनों ही एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। यदि हम  $f(x) = 1/x^p$ ,  $p > 0$ , लें तो श्रेणी  $\sum 1/n^p$ ,  $p > 1$  के लिये अभिसारी और  $p < 1$  के लिये अपसारी होगी। और यदि  $p = 1$  है तो,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n \right\}$  (ब्रॉयलर का अचल) का अस्तित्व होगा और इसका मान  $0$  और  $1$  के अंतर्गत होगा।

(ई) दिनी (Dini) और कुमर (Kummer) के निम्नलिखित साध्य से दासबियर, राबे इत्यादि प्रणीत निष्पत्ति परीक्षाएँ निकलती हैं। यदि  $\sum 1/D_n$  कोई अनात्मक पदोंवाली अपसारी श्रेणी हो और यदि  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ D_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - D_{n+1} \right\}$  व्यक्त करें, तो  $\sum a_n$  अभिसारी होगा यदि  $L > 0$ , और अपसारी होगा यदि  $L < 0$ ।  $D_n = 1$  और  $n$  रखने पर हमें क्रमशः दासबियर और राबे की परीक्षाविधियाँ प्राप्त होती हैं।

अब हम किसी श्रेणी के निरपेक्ष अभिसरण की व्याख्या करेंगे। यह विचार विशेषतः दो श्रेणियों के गुणन में लाभप्रद है।  $\sum a_n$  निरपेक्षतः अभिसारी उस समय कहा जाता है, जब  $\sum |a_n|$  अभिसारी हो। यदि  $\sum a_n$  अभिसारी, किंतु  $\sum |a_n|$  अपसारी हो, तो श्रेणी  $\sum a_n$  अनिरपेक्षतः अभिसारी, अर्थात् अर्ध अभिसारी, कही जाती है। क्रमानुसार अनात्मक और ऋणात्मक पदों से बनी श्रेणी  $\sum a_n$  तभी अभिसारी होगी जब  $|a_n|$  एकस्थानी ह्रासमय और  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  हो। उदाहरणार्थ, श्रेणी  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$  अभिसारी है, किंतु निरपेक्षतः अभिसारी नहीं। यदि अनात्मक पदोंवाली श्रेणी अभिसारी हो, तो इसका योग पदों के क्रम पर निर्भर

वहीं होता और यदि ऐसी श्रेणी अपसारी हो, तो उसके पद चाहे कितना भी अल्पव्यक्त कर दिए जाएँ, वह अपसारी ही रहेगी। यदि एक श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी हो, तो उसका योग पदों के अभिव्यक्त से नहीं बदलता। लेकिन यह बात प्रथम-अभिसारी श्रेणी के लिये सही नहीं उतरती। ऐसी किसी श्रेणी के केवल वन अथवा कुछ पद लेने से अपसारी श्रेणियाँ बनती हैं। रोमान ने सिद्ध किया है कि ऐसी किसी श्रेणी के पद एक ऐसी श्रेणी बनाने के लिये कमबद्ध किए जा सकते हैं जो किसी निश्चित योग की ओर अभिसारी, या अपसारी, या दोलित होगी। श्रेणी  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ ,  $\log 2$  की ओर अभिसारी होती है, किंतु श्रेणी  $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \dots$ ,  $\frac{1}{2} \log 2$  की ओर अभिसारी होगी।

$\sum_0^{\infty} a_n (x - a)^n$  रूपवाली श्रेणी बात श्रेणी कहलाती है, क्योंकि यह  $x - a$  के घातों द्वारा व्यक्त की जाती है। कोशी की मूल-परीक्षा द्वारा यह बात होता है कि  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = 1/R$  है, अतः बात श्रेणी अभिसारी होगी यदि  $|x - a| < R$ , और अपसारी होगी यदि  $|x - a| > R$ । संख्या  $R$  श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या कही जाती है।

घातीय श्रेणी  $e^x = \sum_0^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  के लिये  $R = \infty$  और श्रेणी

$\sum_0^{\infty} n! x^n$  के लिये  $R = 0$  होता है, अर्थात् यही श्रेणी  $x = 0$  के अतिरिक्त  $x$  के किसी मान के लिये अभिसारी नहीं है। द्विपद श्रेणी  $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2$

$+ \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$ , और सच्चुणकीय श्रेणी

$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \dots$  के लिये  $R = 1$  होता है।

द्विक् श्रेणी  $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} a_{mn}$  के अभिसरण की व्याख्या भी

इसी प्रकार की जा सकती है। यदि  $a_{\mu} b_{\nu}$  पदों का योग, जिसमें  $0 < \mu < m, 0 < \nu < n$  है,  $S_{mn}$  द्वारा व्यक्त किया जाए, तो द्विक् श्रेणी तभी अभिसारी होगी जब  $m$  और  $n$  के स्वतंत्र रूप से अनंत की ओर अग्रसर होने पर  $S_{mn}$  एक निश्चित सीमा  $S$  की ओर अग्रसर हो। हम ऐसी श्रेणियों का योग पंक्तियों द्वारा भी जात कर सकते हैं, अर्थात् यदि  $n$  कोई निश्चित संख्या हो और यदि श्रेणी  $a_{n0} + a_{n1} + \dots + a_{nn}$  की ओर अभिसारी हो, तो हम श्रेणी  $\sum_0^{\infty} A_n$  का योग जात करेंगे। यदि यह श्रेणी अभिसारी है, तो हम इस योग को द्विक् श्रेणी का पंक्ति योग कहते हैं। इसी प्रकार हम स्तंभयोग की भी व्याख्या करते हैं। यदि द्विक् श्रेणी का योग पक्षी प्रकार का है, तो यह आवश्यक नहीं है कि पंक्तियों अथवा स्तंभों द्वारा प्राप्त वीच इस योग के बराबर हो। यदि द्विक् श्रेणी

निरपेक्षतः अभिसारी हो, तो पंक्तियों अथवा स्तंभों द्वारा प्राप्त योग  $S$  के बराबर होगा। योग प्राप्त करने की अन्य विधि एक ऐसी श्रेणी  $\sum_0^{\infty} C_k$  बनाने से संबद्ध है कि जिसमें  $C_k = a_{0k} + a_{1k-1} + a_{2k-2} + \dots + a_{kk}$  हो। यदि यह श्रेणी अभिसारी हो, तो इसका योग कर्णों द्वारा प्राप्त द्विक् श्रेणी का योग कहा जाता है। निगुणित तथा बहुगुणित श्रेणियाँ द्विक्श्रेणियों के विस्तार ही हैं।

यदि हम दो बात श्रेणियों  $\sum_0^{\infty} a_n x^n$  और  $\sum_0^{\infty} b_n x^n$  को नियमानुसार गुणा करें और गुणनफल को  $\sum_0^{\infty} c_n x^n$  द्वारा व्यक्त करें,

तो  $c_n = a_0 b_n + \dots + a_n b_0$  होगा। यदि दो श्रेणियाँ  $\sum_0^{\infty} a_n = A$

और  $\sum_0^{\infty} b_n = B$  निरपेक्षतः अभिसारी हों, तो उनका गुणनफल

$\sum_0^{\infty} c_n = C$  के बराबर होगा, जो स्वयं भी निरपेक्षतः अभिसारी

होगी। यदि दोनों श्रेणियाँ  $\sum a_n$  और  $\sum b_n$  अभिसारी हों और इनमें से एक निरपेक्षतः अभिसारी हो, तो  $\sum c_n$  योग  $C = A B$  की ओर अभिसारी होगी। यदि  $\sum a_n, \sum b_n$  और  $\sum c_n$  सब अभिसारी हैं, तो भी  $C = AB$  होगी।

$\frac{a_0}{2} + \sum_1^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  रूपवाली श्रेणी त्रिकोणमितीय श्रेणी कहलाती है। यदि यह कुछ अन्य अनुबंधों की तुष्टि करती हो, तो इसे फूरियर श्रेणी कहते हैं।

संकर पदोंवाली श्रेणी  $\sum z_n = \sum (a_n + i b_n)$  तभी अभिसारी होगी जब  $\sum a_n$  और  $\sum b_n$  दोनों अभिसारी हों। यदि  $\sum |z_n|$  अभिसारी हो, तो श्रेणी  $\sum z_n$  निरपेक्षतः अभिसारी कही जाती है। ऐसी दशा में  $\sum a_n$  और  $\sum b_n$  दोनों निरपेक्षतः अभिसारी होंगी।

यदि एक श्रेणी  $\sum_0^{\infty} a_n(x) = S(x)$  के पदों में चरराशि  $x$  संयुक्त हो तो एकत्र समघात अभिसरण के विचारों को प्रविष्ट करके,  $S(x)$  के सांतत्य, अवकलन आदि से संबद्ध समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। श्रेणी  $\sum_0^{\infty} a_n(x)$  अंतराल  $I(a < x < b)$  में समघात अभिसारी कही जाएगी, यदि निश्चित  $\epsilon > 0$  के लिये एक अंक  $N = N(\epsilon)$ , जो  $x$  से स्वतंत्र हो, ऐसा अस्तित्व-मय हो कि  $n > N$  और  $x$  के अंतराल  $I$  में क्या किसी मान के लिये  $|S(x) - S_n(x)| < \epsilon$  हो। संतत फलनों की समघात अभिसरित श्रेणियों का योग संतत होता है। साथ ही, संतत फलनों की एकरूप समघात अभिसरित श्रेणियाँ पदानुकूलित की जा सकती हैं। ऐसी ही एक विधि पदावकलन करने की भी है।

दोलित श्रेणियों के लिये भी अभिसरण जैसे विचार व्यक्त किए गए हैं। श्रेणी  $\sum_0^{\infty} a_n$  को  $(C, 1)$  संकलनशील (सिसरो की प्रथम

क्रम की विधि ) कहते हैं, यदि  $n$  के अनंत की ओर अग्रसर होने पर  $O_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n+1}$  एक परिमित सीमा की ओर अग्रसर होता हो। यदि श्रेणी अभिसारी हो, तो यह उसी योग की ओर  $(C, 1)$  संकलनशील होगी, और यदि श्रेणी  $+\infty$  (या  $-\infty$ ) की ओर अग्रसारी हो, तो  $n$  के अनंत की ओर अग्रसर होने पर  $\sigma_n + \infty$  (या  $-\infty$ ) की ओर अग्रसर होगा। श्रेणी  $1-1+1-1+\dots$  संसृत नहीं है, किंतु इसका  $(C, 1)$  योग  $\frac{1}{2}$  है।  $(C, k)$  संकलन की विधि भी इसी प्रकार व्यक्त की जाती है। यदि

$\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  अस्तित्वमय हो, तो श्रेणी  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (A)$  संकलनशील कही जाती है। अबिल के साध्य द्वारा यह स्पष्ट है कि यदि  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  अभिसारी हो  $S$  की ओर, तो  $\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S$  होगा। अतः प्रत्येक अभिसारी श्रेणी समान योग की ओर  $(A)$  संकलनशील होती है, किंतु इसका विपर्यय सत्य नहीं है।

सं० प्र० — के० कर्णय : ध्योरी ऐंड ऐप्लिकेशन ऑव इनफिनिट सीरीज (१९२८); ग्रॉमविच : ऐन इंट्रोडक्शन टु दि ध्योरी ऑव इनफिनिट सीरीज (१९२९); हार्डी : डाइजेंट सीरीज (१९३१); टिचमार्श : ध्योरी ऑव फंक्शंस (१९३६)। [स्व० मो० शा०]

**श्रेणी ( Guild गिल्ड )** श्रेणियाँ मूलतः शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ होती थीं। इनका लक्ष्य था सदस्यों की सहायता करना। मध्यकालीन युग में अमविभाजन सरल था। बड़े बड़े पेशेदे हथियारों के स्थान पर सरल हथियारों का प्रयोग होता था। नगर औद्योगिक समुदायों के केंद्र होते थे। वहाँ दस्तकारी की वस्तुएँ तैयार होती थीं। वहाँ के रहने-वाले शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। तत्कालीन आर्थिक संगठन में इन श्रेणियों का महत्वपूर्ण स्थान था। पेशे के आचार पर ही इनका संगठन होता था। एक श्रेणी के लोग एक ही प्रकार का पेशा करते थे। पेशे के लिये आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था इन्हीं श्रेणियों के हाथ में थी। ये श्रेणियाँ ऐसे लोगों को भी रक्षती थीं जो दूर दूर के गाँवों तथा बाजारों में जाकर दस्तकारी की वस्तुओं को बेचते थे। इनका लक्ष्य केवल सदस्यों के हितों की रक्षा करना ही नहीं होता था बल्कि इनका महत्व कला के ऊँचे स्तर को कायम रखने तथा उनके उचित मूल्य के निर्धारण के दृष्टिकोण से भी था। सदस्यों के परिवार के अन्य सदस्य भी उसी पेशे में लग जाते थे। इस प्रकार पुश्त-दर-पुश्त उधाराधिकार के रूप में ज्ञान पहुँचता था।

शिल्प तथा व्यापारिक श्रेणियों के अतिरिक्त धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु भी श्रेणियों का संगठन हुआ। इंग्लैंड में श्रेणियों का प्रारंभ १३वीं शताब्दी से होता है। उस समय राज्य द्वारा इन श्रेणियों को कुछ विशेष मुविबाएँ और अधिकार प्राप्त थे। स्कूल स्थापित करना, सड़कें और पुल बनवाना तथा विपत्त के मारे हुए सदस्यों की रक्षा करना इन श्रेणियों के प्रधान लक्ष्य थे। प्रारंभ में केवल व्यापारिक श्रेणियाँ

थीं परंतु बाद में एकाधिकार प्राप्त हो जाने के कारण इन लोगों ने साधारण शिल्पियों का बोध प्रारंभ कर दिया। इस कारण शिल्पियों ने भी अपने आपको श्रेणियों में संगठित किया। समय के साथ इनकी उपादेयता भी बढ़ती गई और श्रेणियों ने बहुत ही दृढ़ तथा सुव्यवस्थित संगठन का रूप लिया। साधारण नागरिकों तथा अमीरों के संघर्ष में तो इन श्रेणियों ने साधारण नागरिकों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया। १३वीं शताब्दी तक इनका संगठन बहुत दृढ़ हो चुका था और इन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होने लगे थे। नगरपालिकाओं का संगठन इन्हीं श्रेणियों के आचार पर हुआ तथा उनके संविधान भी श्रेणियों के आचार पर बने। प्रागे चलकर श्रेणियों का महत्व इतना अधिक बढ़ा कि जो कोई भी स्वायत्तशासन में भाग लेना चाहता था, उसके लिये आवश्यक सा हो गया कि वह श्रेणी का सदस्य हो जाय। प्राचीन भारत के नगर आयोग भी इन्हीं श्रेणियों के वृहत् रूप थे और नगर आयोगों के जो कार्य थे उन्हीं से मिलते जुलते कार्य मध्यकाल में इंग्लैंड और जर्मनी आदि देशों में इन श्रेणियों के थे। प्रागे चलकर तो ये श्रेणियाँ इतनी संपन्न हो गईं कि स्वतंत्र व्यवसाय के लोग भी इनमें सम्मिलित होने लगे। अधिकांश श्रेणियों का संगठन लोकतंत्रात्मक आचार पर था। १३वीं और १४वीं शताब्दी इंग्लैंड के औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण काल है और इन दो शताब्दियों में श्रेणियों का विकास भी बढ़ी ही तीव्र गति से हुआ। इस युग में यूरोप के अन्य देशों में भी श्रेणियों का विकास हुआ और उनके संगठन का रूप तथा उनके लक्ष्य प्रायः एक से रहे।

इन श्रेणियों का लक्ष्य केवल अपने सदस्यों की स्वर्धा से रक्षा करना ही नहीं बल्कि वस्तु की उत्कृष्टता को कायम रखना भी था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सदस्यों द्वारा प्रतिपालकों (Wardens) का चुनाव किया जाता था।

यद्यपि व्यापारिक श्रेणियों तथा शिल्प श्रेणियों के हित विपरीत थे तथापि इन दोनों में प्रत्यक्ष संघर्ष का वर्णन प्रायः नहीं के ही समान है। १९वीं शताब्दी में मध्य संघर्ष हुए और इनके द्वारा शिल्पियों ने कुलीन सरकार से जुर्मों को धराने कंधे से फेंक दिया १५वीं और १६वीं शताब्दी में हर्न विभिन्न श्रेणियों के एक में मिल जाने के दृष्टांत दिखाई देते हैं।

औद्योगिक क्रांति के पहले से ही श्रेणियों की विच्छिन्नता के लक्षण स्पष्ट होने लगे थे। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के रूप और पैमाने में आमूल परिवर्तन कर एक नई आर्थिक प्रणाली को जन्म दिया। श्रेणियाँ, जिनका रूप अब भी मध्यकालीन था, अपने आपको नया रूप न दे सकीं। उनकी उपादेयता समाप्तप्राय हो गई। परिस्थानस्वरूप उनका अंत भी हो गया।

सं० प्र० — टासिग : अर्थशास्त्र के सिद्धांत; इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका; इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना; विसेंट ए स्मिथ : 'भारत का प्राचीन इतिहास' तथा २०वीं शताब्दी शब्दकोश (अंग्रेजी)। [उ० ना० पा०]

**श्रेणी समाजवाद** अथ समाजवाद और राज्य समाजवाद का सम्बन्ध माना जा सकता है। अथ समाजवादियों की तरह 'श्रेणी

समाजवादियों ने नोकरशाही और उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण की अर्थव्यवस्था की तथा 'राज्य समाजवादियों' की तरह राजनीतिक संगठन और नियंत्रण के संघ के रूप में राज्य को आवश्यक माना। राज्य के उद्योगों के मालिक बने रहने में इन्हें कोई आपत्ति न थी परंतु उद्योगों का नियंत्रण और संचालन उन सभी उद्योग में लगे हुए शारीरिक और मानसिक श्रमिकों के अमर्शों द्वारा हो। श्रेणी समाजवाद सामाजिक स्वामित्व को स्वीकार करता है और औद्योगिक स्वायत्तता का समर्थन करता है। इस विचारधारा के अनुसार ऐसे राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं जिसमें उद्योगों का नियंत्रण निरंकुशता के आधार पर होता है। राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् श्री जी० डी० एच० कोल ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: यह समाजवाद राज्य की आवश्यकता को स्वीकार करता है परंतु वह यह मानता है कि समाज के सुखदायी परिवर्तन के लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक शक्ति प्रधान रूप से मजदूरों के हाथ में हो। श्रेणी समाजवाद राजनीतिक तथा प्रशासकीय मामलों को औद्योगिक तथा आर्थिक मामलों से पृथक् रखने के पक्ष में है। राजनीतिक अधिकारियों तथा श्रमिक अधिकारियों के ऊपर एक ऐसी समिति की कल्पना की गई जिसमें दोनों के ही प्रतिनिधि हों। यही संमिलित समिति सभी विवादप्रस्त प्रश्नों पर अंतिम निर्णय देगी। इस विचारधारा के विरोधियों ने हम प्रकार राजनीतिक और आर्थिक मामलों का विभाजन असंभव माना है।

फर्नेस्ट बारकर ने लिखा है "राजनीतिक तथा औद्योगिक अधिकारों के विभाजन की वकालत करनेवाला कोई भी सिद्धांत इस सत्य के सामने कि वर्तमान युग के सभी कार्यकलाप एक दूसरे पर आश्रित हैं, ध्वस्त हो जायगा।" राज्य का क्या रूप हो, इस प्रश्न के उत्तर पर भी सभी श्रेणी समाजवादी एकमत नहीं थे। कुछ तो राज्यसत्ता के वर्तमान रूप के ही समर्थक थे और कुछ संघीय रूप के पोषक जिसमें श्रमिक संघ के, उपभोक्ता संघ के, स्थानीय स्वायत्त शासन के तथा अन्य दूसरे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हों। वास्तव में श्रेणी समाजवादियों का लक्ष्य था आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा श्रम समस्याओं के समाधान द्वारा मध्यकालीन श्रेणियों की पुनः स्थापना।

श्रेणी समाजवाद का प्रारंभ १९वीं शताब्दी के मध्य से होता है। समाजवाद के इस रूप की कल्पना सर्वप्रथम रस्किन तथा कुछ अन्य क्रिश्चियन समाजवादियों ने की। केटेलर और काउंट डी० मन जैसे समाजसुधारकों ने भी इसका समर्थन किया। परंतु इसने अपना वास्तविक रूप २०वीं शताब्दी के प्रथम भाग में लिया। ए० जे० पेंटी ने 'श्रेणीप्रणाली की पुनः स्थापना' (रेस्टोरेशन ऑफ दी गिल्ड सिस्टम) नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक तथा फोरेज द्वारा संपादित 'नवयुग' (न्यू एज) पत्रिका ने इस आंदोलन की आवाज बुलंद की। प्रथम युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही इस आंदोलन ने प्रोढ़ता प्राप्त की। वह काल श्रमिक प्रजाति का काल कहा जा सकता है। बेजोड़ हड़तालें हुईं। श्रमिकों में नवचेतना जाग्रत हुई। आर्थिक शक्ति के लिये श्रमिकों में नया जोश पैदा हुआ। श्रमिक वर्ग आयोगों में अपने महत्वपूर्ण स्थान को समझने लगा तथा अधिकार के प्रति जागरूक हो गया। महायुद्ध की अवधि में ही जी० डी० एच० कोल, डब्ल्यू० मेथोर, तथा रैकेट के प्रयास से इंग्लैंड में राष्ट्रीय श्रेणी संघ

की स्थापना हुई। तत्कालीन श्रेणियों में ग्लासगो और लीड्स की वर्जी श्रेणियों तथा लंदन के पिपानो कर्मचारी श्रेणी का महत्वपूर्ण स्थान है। लंदन की 'राष्ट्रीय निर्माण श्रेणी' ने युद्धकाल में कई महत्वपूर्ण ठेके लिए तथा महत्व के कार्य किए। दलीय 'शाप स्टिवर्ड' आंदोलन के द्वारा श्रमिकों ने युद्ध उद्योग में नियंत्रण की मांग की। सदानों के राष्ट्रीयकरण की मांग करनेवाले सड़क संघ ने अपना कार्यक्रम बदल दिया और सदानों के स्वामित्व तथा गणतंत्रात्मक सिद्धांतों पर उसके नियंत्रण की मांग करना प्रारंभ किया। युद्धकाल में सरकार से भी इन श्रेणियों को सहायता मिलती रही। परंतु युद्ध के बाद १९२१ की मंदी इस आंदोलन के लिये घातक सिद्ध हुई। जब राष्ट्रीय निर्माण श्रेणी को सरकारी सहायता बंद हो गई तो वह श्रेणी समाप्त हो गई। 'शाप स्टिवर्ड' आंदोलन भी विच्छिन्न हो गया। सत्य तो यह है कि श्रेणी समाजवाद आंदोलन जन आंदोलन का रूप न ले सका और युद्ध की समाप्ति के कुछ ही वर्ष बाद यह आंदोलन ध्वस्त हो गया। आज यह केवल आर्थिक इतिहास का विषय भर रह गया है।

सं० प्र० — टॉजिंग : 'अर्थ शास्त्र के सिद्धांत'; अमरीकन तथा ब्रिटिश विश्वकोश। [३० ना० पा०]

**श्रेयांसनाथ** जैनधर्म के ११वें तीर्थंकर माने गए हैं। उनके पिता का नाम विष्णु और माता का विष्णुश्री था। उनका जन्मस्थान सिंहपुर (सारनाथ) और निर्वाणस्थान संभेदशिलर माना जाता है। गंडा इनका चिह्न था। श्रेयांसनाथ के काल में जैन धर्म के अनुसार प्रचल नाम के प्रथम बलदेव, त्रिपुष्ट नाम के प्रथम वासुदेव और प्रशवर्षीव नाम के प्रथम प्रतिवासुदेव का जन्म हुआ।

श्रेयांस एक राजा का भी नाम था। वह भरत चक्रवर्ती का पुत्र था और हस्तिनापुर का निवासी था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को हथुस का आहार देकर राजा श्रेयांस ने उन्हें प्रथम पारणा कराई थी।

अगवान् महावीर के पिता सिद्धार्थ को भी श्रेयांस नाम से कहा गया है। [ज० ब० ज०]

**श्रीतसूत्र** श्रुतिविहित कर्म को श्रौत एवं स्मृतिविहित कर्म को स्मार्त कहते हैं। श्रौत एवं स्मार्त कर्मों के अनुष्ठान की विधि वेदागकल्प के द्वारा निर्वाचित है। वेदाग छह हैं और उनमें कल्प प्रमुख है। पाणिनीय शिक्षा उसे वेद का हाथ कहती है। कल्प के अंतर्गत श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र समाविष्ट हैं। इनमें श्रौतसूत्र श्रौतकर्म के विधान, गृह्यसूत्र स्मार्तकर्म के विधान, धर्मसूत्र सामयिक आचार के विधान तथा शुल्बसूत्र कर्मानुष्ठान के निमित्त कर्म में अपेक्षित यज्ञशाला, वेदि, मंडप और कुंड के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। श्रौतसूत्र उन्हीं वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान का विधान करते हैं जो श्रौत अग्नि पर आहिताग्नि द्वारा अनुष्ठेय हैं। श्रौतसूत्र वस्तुतः वैदिक कर्मकांड का कल्पविधान है। श्रौतसूत्र के अंतर्गत हवन, याग, इष्टियाँ एवं सत्र प्रकल्पित हैं। इनके द्वारा ऐहिक एवं पारलौकिक फल प्राप्त होते हैं।

श्रीतसूत्र के अनुसार अनुष्ठानों की दो प्रमुख संस्थाएँ हैं जिन्हें

हविःसंस्था तथा सोमसंस्था कहते हैं। स्मार्त अग्नि पर क्रियमाण पाकसंस्था है। इन तीनों संस्थाओं में सात सात प्रभेद हैं जिनके योग से २१ संस्थाएँ प्रचलित हैं। हविःसंस्था में देवताविशेष के उद्देश्य से समर्पित हविर्द्रव्य के द्वारा याग किया जाता है। सोमसंस्था में श्रौताग्नि पर सोमरस की माहुति की जाती है तथा पशुवाहन भी विहित है। इसीलिये ये पशुयाग हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय और अश्वमेध प्रभृति याग तथा सारस्वतसत्र प्रभृति सत्र एवं काम्योष्ठियाँ हैं।

श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्यकर्म जैसे अग्निहोत्रहवन तथा नैमित्तिककर्म जो किसी प्रसंगवश अथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर यजमान करता है। स्वयं यजमान अपनी परनी के साथ ऋत्विजों की सहायता से याग कर सकता है। यजमान द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलाप, ऋत्विजों के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म के माराध्य देवता, याग के उपयुक्त द्रव्य, कर्म के मंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन तथा उनका पौर्वापर्य क्रम, विधि के विपर्यय का प्रायश्चित्त और विधान के प्रकार का विविध विवरण श्रौतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है।

श्रौतकर्मों में कुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांगोपांग अनुष्ठान की प्रक्रिया का विवरण श्रौतसूत्रों ने प्रतिपादित किया है। जिन कर्मों की मुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की रूपरेखा में आबद्ध होकर केवल फलविशेष के अनुसंधान के अनुरूप विशिष्ट देवता या द्रव्य और काल आदि का ही केवल विवेचन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण श्रौतसूत्र के अनुसार 'प्रकृति भाति विकृतिकर्म करो' यह आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रौतसूत्रों के प्रतिपाद्य विषय का आग्राम गंभीर एवं जटिल हो गया है, कारण कर्मनुष्ठान में प्रत्येक विहित अंग एवं उपांग के संबंध में दिए हुए नियमों का प्रतिपालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाना अदृष्ट फलवाप्ति के लिये अनिवार्य है। श्रौतकर्म के अनुष्ठान में चारों वेदों का सहयोग प्रकल्पित है। ऋग्वेद के द्वारा होतृत्व, यजुर्वेद के द्वारा अश्वयुक्तकर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृत्व तथा अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। अतएव श्रौतसूत्र वेदचतुष्टयी से संबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद का अनुयायी होता है उस वेद अथवा उस वेद की शाखा की प्रमुखता है। इसी कारण यज्ञीय कल्प में प्रत्येक वेदशास्त्रानुसार प्रभेद हो गए हैं जिनपर देशाचार, कुलाचार आदि स्वीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कर्मनुष्ठान की प्रक्रिया में कुछ अवांतर भेद शास्त्राभेद के कारण चला आ रहा है और हर शाखा का यजमान अपने अपने वेद से संबंध कल्प के अनुशासन से नियंत्रित रहता है। इस परंपरा के कारण श्रौतसूत्र भी वेदचतुष्टयी की प्रभिन्न शाखा के अनुसार पुषक् पुषक् रचित हैं। ये रचनाएँ दिव्यदर्शी, कर्मनिष्ठ महर्षियों द्वारा सूत्रशैली में रचित ग्रंथ हैं जिनपर परवर्ती याज्ञिक विद्वानों के द्वारा प्रणीत भाष्य एवं टीकाएँ तथा तदुपकारक पद्धतियाँ एवं अनेक निर्बंधग्रंथ उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपलब्ध सूत्र तथा उनके भाष्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं कि भारतीय साहित्य में इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। पाश्चात्य मनीषियों को भी श्रौत साहित्य की महत्ता ने अध्ययन की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों द्वारा संपादित अनेक अनर्घ संस्करण भाष्य उपलब्ध हो रहे हैं।

[ म० वा० ३३० ]

श्लीपद या फीलियासिस ( Elephantiasis ) पाँव का फूलकर हाथी के पाँव के समान हो जाने का शोचक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि पाँव ही सदा फूले; कभी हाथ, कभी अंडकोष, कभी स्तन आदि विभिन्न अवयव भी फूल जाते हैं।

श्लीपद सदा फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी ( Filaria Bancrofti ) नामक विशेष प्रकार के कृमियों द्वारा होता है और इसका प्रसार क्यूलेक्स ( Culex ) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसीका ( lymph ) वाहिनियाँ हैं, परंतु ये निश्चित समय पर, विशेषतः रात्रि में, रक्त में प्रवेश कर भ्रमण करते रहते हैं। कभी कभी ये उ्वर तथा लसीकावाहिनियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ म्यूनाधिक होता



श्लीपद का रोगी

रहता है, परंतु जब ये कृमि अंदर ही अंदर मर जाते हैं, तब लसीकावाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद हो जाता है और उस स्थान की त्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीकावाहिनियों के मार्ग बंद हो जाने से यदि अंग फूल जाएँ, तो कोई भी औषध ऐसी नहीं है जो अवरुद्ध लसीकामार्ग को खोल सके। कभी कभी किसी किसी रोगी में शल्यकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। इस रोग के समस्त लक्षण फाइलेरिया के उग्र प्रकार के समान होते हैं।

उपचार — यद्यपि इसके कृमि और अंडों को मारनेवाली किसी भी औषध का ज्ञान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद अवस्था उत्पन्न होने के पूर्व, जब इस रोग के अड़े रक्त और लसीका में भ्रमण कर रहे होते हैं, तब हेट्रासान ( Hetraazan ) तथा इसके समकक्ष अन्य औषधियों से पर्याप्त लाभ होता है। शल्यकर्म श्लीपद का एकमात्र उपचार है।

[ प्रि० कु० चौ० ]

श्वासन ( Respiration ) साँस लेने की क्रिया है। साँस लेने में दो कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर फुफ्फुस में जाती है। इसे निश्वासन ( inhalation ) कहते हैं। दूसरे कार्य में शरीर की दूषित वायु शरीर के बाहर निकलती है।

इसे उच्छ्वसन ( exhalation ) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवित प्राणियों का यह आवश्यक कार्य है और प्राणरक्षा के लिये ऐसा संतत होता रहता है। निश्चयन से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छ्वसन से शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को आंतरश्वसन (internal respiration) कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को, अपने कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिये, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले, तो उनका कार्य शिथिल हो जायगा और ऑक्सीजन के पूर्ण अभाव में कोशिकाओं का कार्य शुरुत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित कोशिकाएँ उच्छ्वष्ट उत्पाद ( waste product ) के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमारे आहार में जो कार्बन रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया से हमें ऊर्जा और ऊर्जा प्राप्त होती है।

सभी प्राणियों की, छोटे हों या बड़े, सूक्ष्म हो या विशाल, कोशिकाओं को किसी न किसी रूप में श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों की अति पेड़ पीधे भी साँस लेते हैं। उनकी पत्तियाँ वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करती और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पीधे एक और कार्य, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, करते हैं। यह कार्य सूर्यप्रकाश में ही होता है। इस कार्य में वे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को वे ग्रहण कर वृद्धि प्राप्त करते और उसके ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं। इससे वायु का शोधन होता है। यह कार्य दिन में सूर्य के प्रकाश में ही होता है।

प्राणी सुप्त या जाग्रत दोनों अवस्थाओं में साँस लेते हैं। इसके लिये उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यह आपसे आप होता रहता है। यदि साँस को कुछ क्षण के लिये रोचना चाहें, तो उसके लिये इन्हें विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। पर ऐसा कुछ क्षण के ही लिये किया जा सकता है। शीघ्र ही प्राणियों में तत्काल श्वसन शुरू हो जाता है।

श्वसनक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन साथ साथ चलता है। मानव फुफ्फुस अनेक छोटे छोटे वायुकोशों ( sacs ) से बना होता है। इन कोशों को वायुकोष्ठिका ( Alveoli ) कहते हैं। कोशों की दीवारें बड़ी पतली होती हैं और उनमें झुद्ध रधिरवाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है। इन रधिरवाहिनियों को कैपिलारिया ( Capillaries ) कहते हैं। साँस द्वारा जो वायु फुफ्फुस में जाती है, वह वायुकोष्ठिकाओं में प्रवेश करती और वहाँ रधिरवाहिनियों के संपर्क में आती है। वहाँ रधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। निश्चयन और उच्छ्वसन के बीच बड़ा अल्प विराम ( pause ) होता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से विराम की अवधि बहुत कम हो जाती है और अंत में उसका सर्वथा अभाव हो जाता है।

निश्चयन और उच्छ्वसन वक्ष की पेशियों की क्रिया से होता है। हमारा फुफ्फुस एक खोलले गर्त के अंदर रहता है। इसे वक्षगुहा ( Thoracic, or Chest, cavity ) कहते हैं। इसका विस्तार श्पुनाधिक हो सकता है। निश्चयन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं : (१) ऊपरी वक्षगुहा और निचली उदरीय गुहा के बीच में एक कलशाकार द्रवकन, या मध्यपट या डायफ्राम ( diaphragm ) रहता है। यह मध्यपट चिपटा होता है। इसके कारण वक्षगुहा को अधिक स्थान मिल जाता है, (२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्व की ओर, हट जाना है। इससे वक्षगुहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है।

फुफ्फुस वक्षगुहा को, कितना ही बड़ा वह क्यों न हो, पूरा भर देता है। निश्चयन के समय जब वक्षगुहा का प्रसार होता है, तब फुफ्फुस भी बड़े स्थान को भर देने के लिये फैलता है। प्रसार के कारण फुफ्फुस के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है, तब श्वासनली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। उच्छ्वसन के समय की क्रिया ठीक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो जाने के कारण फुफ्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुफ्फुस का वास्तव में प्रसारण या संकोचन नहीं होता। यह केवल वायु को निकालता या खींच लेता है। ऐसा वक्षगुहा के प्रसार और संकोचन से होता है।

जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे घात भाव से बिना किसी प्रयास के साँस लेता है, तब वह प्रत्येक साँस में एक पाइंट वायु अंदर खींचता या बाहर निकालता है। वायु की इस मात्रा को प्राणवायु ( tidal air ) कहते हैं। सामान्य दशा में शरीर की आवश्यकताओं के लिये इतनी वायु खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पर्याप्त होता है। जब मनुष्य गहरी साँस लेता है, तब फुफ्फुस में लगभग चार क्वार्ट वायु भर सकती है। इस मात्रा को श्वासधारिता ( vital capacity ) कहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा स्वस्थ युवकों और कसरती मनुष्यों में श्वासधारिता अधिक होती है। सामान्य रूप से साँस लेने में फुफ्फुस ऊतक का प्रायः चतुर्थांश भाग ही फैलता है। इससे प्रत्येक साँस में फुफ्फुस को पर्याप्त ताजी वायु नहीं मिलती। इसी से गहरी साँसवाले व्यायाम अधिक लाभप्रद होते हैं। उससे फुफ्फुस अधिक पूर्णता से भरकर पूरा फैलता है। इससे फुफ्फुस के रधिर परिमंशरण में सहायता मिलती है। योग संबंधी व्यायामों का भी इसी कारण अधिक महत्त्व है।

साँस गहरी और जल्द जल्द चलनेवाली हो सकती है। इससे शरीर की कोशिकाओं को अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें किसी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना है, तो जल्दी जल्दी साँस लेने की आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि अधिक ऊँचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। अतः आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये हमें जल्दी जल्दी साँस लेकर, अधिक वायु के लेने की आवश्यकता पड़ती है।

जो पेशियाँ पसलियों को उठाती और डायफ्राम को चिपटा बनाती हैं, उनके लिये तंत्रिका आवेग ( nerve impulse ) की आवश्यकता पड़ती है। यह आवेग मस्तिष्क के निचले भागों से चलता है। इस भाग की कोशिकाओं को श्वसनकेंद्र ( respiratory centre )

कहते हैं। यह केंद्र संतत सयबद्ध सक्रियता में रहकर, तंत्रिका द्वारा श्वसन पेशियों को आवेग भेजता है। ये पेशियाँ तब वक्षगुहा का प्रसार करती हैं, जिससे फिर फुफ्फुस का प्रसार होता है।


कभी कभी, विशेषकर कठिन शारीरिक परिश्रम करने के समय, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बनती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में जमा हो जाता है। वहाँ से वह सारे शरीर में फैल जाता है। मस्तिष्क का श्वसनकेंद्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बड़ा सुग्राही होता है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की अल्प वृद्धि होने पर भी, और ऐसे रुधिर के मस्तिष्क में पहुँचने पर, मस्तिष्क की तंत्रिका-कोशिकाएँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं और केंद्र अधिकाधिक आवेग श्वसन तंत्रिका को भेजता है, जिससे व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी साँस लेने लगता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और तब श्वसन की गति सामान्य हो जाती है। [ फू० स० व० ]

**श्वसनतंत्र की रचना** ईसा से १,००० वर्ष पूर्व, भारत के महर्षियों को इस तंत्र की रचना का ज्ञान समुचित रूप से था, जैसा चरक, सुश्रुत आदि के ग्रंथों के अवलोकन से ज्ञात होता है।

पारश्चात्य शरीर-रचना-शास्त्र के अनुसार श्वसनतंत्र इन छह अंगों द्वारा निर्मित होता है : नासागुहा (Nasal cavity), ग्रसनी (Pharynx), कंठ (Larynx), श्वासनली (Trachea), श्वसनी (Bronchus) तथा फुफ्फुस (Lungs)।

**नासा गुहा** — शरीररचना के अनुसार गंध ग्रहणतंत्र नासागुहा से बना हुआ है। इसका ऊपरी भाग गंधग्राही श्लेष्माकला से सलयन रहता है तथा निम्न भाग श्वसन अंग का कार्य करता है। नासिका का अस्थिढाँचा खोपड़ी का ही एक भाग है, जिसमें नासिका का ऊपरी भाग आश्रित है तथा निम्न भाग केवल उपास्थियों से निर्मित है। नासा के दोनों ओर के बाह्य विस्तृत हिस्से, नासिका एला (ala), त्वचा तथा वसांततवीय ऊतक से निर्मित रहते हैं। नासागुहा, नासापट (nasal septum) द्वारा दो गुहाओं में विभाजित होती है। नासापट का निचला दो तिहाई भाग स्थूल एवं अधिक रुधिरवाहिनियों वाली श्लेष्माकला से, जो स्तंभाकार, पश्माभ्रितमय उपकला (columnar ciliated epithelium) तथा गुच्छकोष्ठक (acinus) ग्रथिसमूहों से निर्मित होती है, आवृत है। नासापट का ऊपरी हिस्सा विशिष्ट गंधग्राही कला से आवृत रहता है। ऊपर की ओर ऊर्ध्विका (ethmoid) अस्थि, नीचे की ओर सीरिका (vomer) तथा नासापट की उपास्थि अग्र भाग में, यही नासापट का ढाँचा है। नासागुहा की बाह्य दीवार में तीन कुहर (meatuses) रहते हैं, जो तीन नासालट्ट-रूपी (turbinate) अस्थियों के लटकने के कारण बनते हैं। उच्च नासालट्ट के ऊपर तथा नासागुहा छत के मध्य, एक अवकाश (space) है, जिसको जतुक-ऊर्ध्विका-दरी (Spheno-ethmoidal recess) कहते हैं। इस अवकाश के पश्चभाग में जतुक वायु-कोशिका खुलती है। ऊपरी एवं मध्य नासालट्ट के बीच में उच्च कुहर (superior meatus) है, जिसमें पश्चऊर्ध्विका-वायुकोशिका खुलती है। मध्य एवं निम्न लट्टरूपी अस्थि के मध्य में मध्यकुहर है, जो तीनों कुहरों में सबसे बड़ा है तथा इसमें गोल उभार है, जिसे

ऊर्ध्विका कंद (Bulla ethmoidalis) कहते हैं। इस ऊर्ध्विका कंद के पीछे ऊपरी ओर, मध्यऊर्ध्विका वायुकोशिका खुलती है तथा नीचे की ओर अग्र भाग में एक हँसुए के आकार की नाली रहती है, जिसे अर्धचंद्रांग (Hiatus semilunaris) कहते हैं, जो ऊपर पूर्व कपाल वायुकोशिका और नीचे की ओर अंभिका गद्दर (maxillary antrum) को जोड़ता है। जब निम्न नासागुहास्थि उठती है, तो नासावाहिनी (nasal duct) का द्वार दिखाई देता है।



चित्र १. कंठ (समुच्च दरय)

क. कंठमणि (Adam's apple); ख. हाइड अस्थि; ग. अग्रदुर्ग्रथि कला; घ. अग्रदुर्ग्रथि गर्त; ङ. अग्रदुर्ग्रथि उपास्थि तथा छ. क्रिको-वायरॉयड स्नायु।


नासामूल संकीर्ण है तथा गंधवह तंत्रिकाएँ यहाँ से ऊर्ध्विकास्थि के छिद्रित पट्ट से होकर गुजरती हैं। नासा का फर्स भाग षोड़ा होता है।

**ग्रसनी** — इसकी रचना एक गद्दर के समान है, जिसमें नासिका तथा मुखगुहा खुलती हैं। यह नीचे की ओर अन्ननासिका से संबंधित है, जहाँ कंठ की रचना नीचे ओर सामने की ओर रहती है। अग्र भाग में नासा तथा मुखगुहा खुलने के अनुसार इसके भी दो भाग हैं : नासाग्रसनी तथा मुखग्रसनी। इस गद्दर के बगल तथा पीछे की ओर तीन संकीर्णक (constrictor) मांसपेशियाँ रहती हैं, जो इसका निर्माण भी करती हैं। आंतरिक भाग मोटी श्लेष्माकला से बना है। ग्रसनी ऊपर पालास्थि से तथा नीचे त्रय-निकापट्ट (pterygoid plate) से टिकी तथा तनी रहती है। निचले भाग में अग्र पश्च दीवारें सटी रहती हैं। इसकी सामने की दीवार में कठोर तालु के पीछे एक मृदुतालु (soft palate) रहता है, जो ऊपर नासाग्रसनी तथा नीचे मुखग्रसनी को अलग करता है। मृदुतालु के स्वतंत्र किनारे के मध्य में मांसल अलिजिह्वा (uvula) होती है। मृदुतालु के ऊपर, नासाग्रसनी के दोनों तरफ, यूस्टेकी नलिका (Eustachian tube) का त्रिकोणाकार मुख खुलता है, जिसके द्वारा वायुचलन कर्णपट्ट (tympanum) तक होता है।



इस छिद्र के पीछे ग्रसनी में लसीकाभ तंतुओं का समूह है, जिसे ग्रसनी टॉसिल कहते हैं। यह ऐडिनाइड (adenoid) रोग में बृद्धि करता है।

मुखग्रसनी ऊपर की ओर, नासाग्रसनी से थुदु तालु की स्वतंत्र धारा द्वारा विभाजित है। मुखग्रसनी के अग्र भाग में मुखगुहा है। इसके दोनों ओर थुदु तालु से जिह्वा तक श्लेष्माकला के दो बलन



चित्र २. कंठ (परच दृश्य)

क. घांटी ढक्कन (Epiglottis); ख. हाइड ग्रस्थि; ग. अण्डुप्रस्थि कला; घ. शृंगी उपास्थि (Corniculate cartilage); ङ. दक्काम उपास्थि (Arytenoid cartilage); छ. पश्च - बलय - दक्का स्नायु तथा ज. मुद्रिका उपास्थि (Cricoid cartilage)।

(folds) हैं। इनके अंदर अग्र बलन में तालुजिह्विका तथा पश्च बलन में तालुकंठिकापेशियाँ रहती हैं। अग्र बलन मुखगुहा को मुखग्रसनी से विभाजित करता है। इन दोनों बलनों के मध्य का निम्न भाग गुटिका विवर (tonsillar sinus) कहलाता है, जिसमें गलगुटिका (tonsil) रहती है।

टॉसिल, यह अंडाकार रचना है, जो लसीकाभ ऊतक द्वारा निर्मित होती है तथा श्लेष्माकला द्वारा आच्छादित रहती है, यह रुधिर-वाहिनियों द्वारा घिरी रहती है। यहाँ पाँच धमनियाँ एकत्र होती हैं। बाह्य त्वचा की ओर से यह चिबुकस्थि के कोण पर स्थित है।

टॉसिल के नीचे, ग्रसनी की अग्रसीमा जिह्वा के पश्च भाग या ग्रसनी की सतह से निर्मित होती है तथा इसके नीचे का भाग घांटी-ढक्कन (epiglottis) एक कंठ के ऊपरी द्वार से निर्मित होता है।

कंठ का ऊपरी द्वार पार्श्व में दक्काय घांटीढक्कन बलन (arytenoid epiglottis fold) से सीमित है। इन बलनों के पार्श्व में नाशपाती के आकार के नाखरूपी कोटर (sinus pyriformis) नाम के दो गर्त रहते हैं। इनके नीचे ग्रसनी संकुचित होने लगती है, जब तक मुद्रिका उपास्थि (cricoid cartilage) छूटे कशेरुक तक न पहुँच जायँ। नासाग्रसनी की श्लेष्माकला तथा

श्वसननलिका का बचा हुआ भाग भी स्तंभ उपकला से बना होता है। पद मुखग्रसनी में उपकला स्तरित, शलकी प्रकार की होती है। असह्य द्राक्षाभ ग्रंथियाँ (racemose glands) यहाँ रहती हैं एवं लसीकाभ ऊतक (lymphoid tissue) भी विकृत रहता है, जो बालकों में विशेष रूप से होता है।

(३) कंठ (Larynx) — यह वायुनलिका का ऊपरी भाग है तथा ध्वनि के नाना तारत्व (pitch) के स्वरों (notes) की उत्पत्ति करता है। यह पूर्ण स्वर के लिये जिम्मेदार नहीं है।



चित्र ३. कंठ की संरचना

क. घांटीढक्कन गुलिका (Epiglottis tubercle); ख. वाक् बलन (Vocal fold); ग. फानाकार उपास्थि (Cuneiform cartilage) तथा घ. शृंगी उपास्थि (Corniculate cartilage)।

इसका दीर्घा उपास्थि का बना हुआ है, जो मांसपेशियों द्वारा गतिमान होती है। अंदर की ओर इसमें श्लेष्माकला का प्रस्तर होता है। यह ग्रसिका के सामने स्थित है तथा चार, पाँच तथा छह शीवाकशेरुक तक विस्तृत रहता है। कंठ में अण्डु उपास्थि (thyroid cartilage) सबसे बड़ी उपास्थि है, जिसके दो पट्टे अग्र भाग में मध्य अक्षररेखा में जुड़े रहते हैं। इसकी दूसरी सीमा पर मध्य मे अण्डु गर्त के ठीक नीचे मध्य अक्षर रेखा (mid ventral) में एक उभरा हुआ भाग है, जो युवावस्था में अधिक उभरता है। इसे आदम का सेब कहते हैं। इस उपास्थि के पश्च किनारे का ऊपरी कोना शृंग (cornu) रूप में रहता है, जिसपर पार्श्वीय अण्डु स्नायु लगी रहती है। यह स्नायु ऊपर कठिका ग्रस्थि (hyoid bone) के बृहत् शृंग (superior cornu) पर भी लगी रहती है। इसकी मुद्रिका उपास्थि (cricoid cartilage) एक घँगूठी के समान होती है। इसके ऊपरी किनारे पर अग्रमध्य भाग में बलयावदु (crico-thyroid) कला का मध्यवर्ती भाग लगा रहता है तथा यह कला अण्डु उपास्थि के निचले किनारे पर लगती है। कंठ की लंबाई ३८ से ४४ मिमी० होती है।

इस कला का पार्श्वीय भाग भीतर से ऊपर, जहाँ अण्डु उपास्थि है, और उसके ऊपरी स्वतंत्र किनारे तक, जहाँ वास्तविक वाक्तंतु (vocal cords) बनता है, जाता है। मुद्रिका के सिग्नेट (segnet) भाग के ऊपर दो दक्काम (arytenoid) ग्रस्थियाँ रहती हैं, जो पिरामिड बनाती हैं और जिसकी चोटी ऊपर होती है। इस ग्रस्थि का तल उन्नतोदर होकर मुद्रिका के साथ साँध बनाता है, जो बलय-

दविकाकला से घिरी रहती है। ये दविकाभ उपास्थियाँ घ्राणस में फिसलती रहती हैं तथा लंब अक्ष पर घूमती रहती हैं। इनके तल के प्रवर्ध पर वास्तविक वाक्ततु शलग्न रहते हैं तथा तल के बाहरी मजबूत प्रवर्ध पर वलयदविका ( crico arytenoid ) मासपेशियाँ शलग्न रहती हैं।

घाँटी ढक्कन ( Epiglottis ) — यह पत्राकार ढक्कन है तथा कठपेटी के ऊपर रहता है। इसका अग्रतल जिह्वा एवं कंठिका अस्थि से शलग्न है तथा पश्चतल कठ के ऊर्ध्वमुख पर झुका रहता है। यह भोजन को कंठ में जाने से रोकता है। इसका डठल अष्टक अस्थि से कठ के भीतरी भाग तक लगा रहता है। पत्र का ऊपरी भाग कठिका अस्थि से, तथा जिह्वामूल के समीप, लगता है।

कठ की केवल तीन उपास्थियों को छोड़कर, जो पीत लचीली प्रकार की होती हैं, प्रायः सभी उपास्थियाँ काचाम ( hyaline ) प्रकार की होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन तीनों उपास्थियों को छोड़कर अन्य सब उपास्थियाँ युवावस्था में अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं।

कंठ की मांसपेशियाँ — प्रथम पेशी वलयवाटु ( crico thyroidens ) है यह अष्टक के अधोभाग पर लगी रहती है। इसका अगला हिस्सा मुद्रिका को ऊपर की ओर खींचता हुआ सिगनेट का ऊपरी हिस्सा बनाता है, जहाँ दविकाभ इससे लगा रहता है तथा पीछे की ओर गति करता है और वाक्ततु को ठीक से ताने रखता है।

द्वितीय पेशी — अष्टक दविकाभ के पक्ष ( alae ) के जोड़ से पीछे की ओर जाती है तथा दविकाभ के सामने तथा घाँटी ढक्कन के बगल में रहती है। ये दविकाभ को अष्टक की ओर खींचती हैं और तंतु को ढीला करती है ताकि वे सट जाय। तृतीय पेशी, दविकाभ पेशी है। यह एक होती है। यह दविकाभ के पीछे से चलती है तथा उपास्थियों को सम समान रखती है। इसके दो भाग होते हैं एक तिर्यक् तथा दूसरा अनुप्रस्थ। चतुर्थ पेशी, पार्श्वीय वलय दविका ( crico arytenoid ) पेशी है। यह दविकाभ अस्थि के पेशीप्रवर्ध को आगे की ओर खींचती है और इस तरह स्वरप्रवर्ध और तंतुओं को मोड़ देती है। पंचम पेशी, पश्च वलयदविका है, जो सिगनेट भाग के पिछले भाग से लेकर दविकाभ के प्रवर्ध के पीछे तक रहती है। यह स्वरप्रवर्ध को पीछे खींचकर वाक्ततु को विलग करती है।

केवल वलयवाटु पेशी को, जो ऊर्ध्व स्वरतंत्रिका की बाह्य शाखा से संचालित होती है, छोड़कर अन्य चारों पेशियाँ आवर्तक ( recurrent ) स्वरतंत्रिका द्वारा संचालित होती हैं।

कठ की श्लेष्मकला प्रसनी की कला से संतत जारी रहती है, विशेषतः दविघाँटी ढक्कन वलय ( aryteno-epiglottis fold ) पर घाँटी ढक्कन के पार्श्व से दविकाभ उपास्थि के शिखर तक जाती है। इन वलयों के बाहर की ओर प्लांडुक्की विवर रहता है। अष्टक के पक्ष ( alae ) के संयोजन के मध्य से लेकर दविकाभ के स्वरप्रवर्ध तक यह कला परावर्तित एवं संलग्न रहती है। वलयवाटु कला के पार्श्वीय स्वतंत्र भाग ही स्वररज्जु बनाते हैं।

स्वतंत्र स्वररज्जुओं के मध्य के खात को घाँटी ( Glottis ) कहते हैं। स्वररज्जुओं के ऊपर आगे से पीछे की ओर खात है, जिसे कंठविवर ( laryngeal sinus ) कहते हैं। इस खात में कंठ लघुकोश ( laryngeal saccul ) का मुख रहता है। कंठविवर के ऊपरी भाग को कूट स्वररज्जु कहते हैं।

घाँटी ढक्कन और स्वररज्जु पर श्लेष्मल कला संलग्न है, परंतु अन्य जगह पर्याप्त श्लेष्मल ऊतक रहते हैं। कंठ के ऊपरी भाग के अग्र एवं पार्श्व में शक्की उपकला ( squamous epithelium ) रहती है, परंतु और स्थानों पर स्तंभाकार या पक्षिमात्रिका-मय उपकला रहती है। इसकी तंत्रिका ऊर्ध्व स्वरतंत्रिका ( वेगस की शाखा ) है।


श्वसनली ( Trachea ) — यह ४ से ४॥ इंच लंबी वायु-नलिका है। वायु, नासा से प्रसनी में होकर, कठ से गुजरकर इस नली से फुफ्फुस को जाती है। इसका कुछ भाग गर्दन में तथा कुछ वक्ष में रहता है। यह नली कठ के अधोभाग से प्रारंभ होकर पंचम वक्ष कशेरुक के ऊपरी किनारे पर दो श्वासप्रणालियों ( bronchi ) में विभाजित हो जाती है। यह नलिका अस्थियों के छतलों से बनी होती है। इसके पीछे भ्रमिका ( oesophagus ) रहती है। इसके सामने और पार्श्व में अष्टक ग्रथि रहती है। इसके वाम पार्श्व में अनामी शिरा ( innominate vein ), धमनी तथा महाधमनी ( aorta ) का चाप रहता है। इसका प्रीवा भाग १ इंच का है। इसी भाग में ट्रेकियाटामी नामक शल्यकर्म किया जाता है। यह फाइब्रो-इलेस्टिक तंतु से निर्मित है तथा तदुपास्थियों के छतलों का पृष्ठ भाग अनैच्छिक मांसपेशियों से निर्मित होता है। जब ये मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं तब श्वासनली का व्यास एवं परिधि कम हो जाती है। इसके भीतर उपकला में स्तंभाकार उपकला रहती है।

श्वसनी — दो नलिकाएँ हैं, जिनमें श्वासनली विभाजित होकर फुफ्फुस के मध्यभाग तक जाती है। श्वसनी की संरचना श्वासनली के समान होती है। श्वसनी विभाजित होकर फुफ्फुस के अलग अलग खंडों तथा प्रखंडों में जाती है। इनका एक भाग फुफ्फुस से बाहर दूसरा फुफ्फुस के अंदर रहता है। इनके संकुचित होने पर, श्वासोच्छ्वास में बाधनाई होती है, जैसा दमा रोग में देखा जाता है। प्रत्येक श्वसनी की कई सूक्ष्म शाखाएँ होती हैं।

फुफ्फुस — दो पिरैमिड आकार के स्पंजी अधिगवाहिनी घंग हैं। इनमें अधिर ऑक्सीजनजनित रहता है। यह सामान्यतः गुलाबी रंग का होता है। नगरवासियों के फुफ्फुस का रंग कार्बन जमा होने के कारण स्लेटी रंग का होता है। यह चारों ओर से फुफ्फुसा-वर्णी गुहा ( pleural cavity ) से आवृत रहता है। इसका शीर्ष प्रीवा में रहता है तथा आधार ( base ) महाप्राचीरा पेशी पर। इसका बाह्य भाग ( धरातल ) उद्यतोदर तथा पशुकाओं की ओर रहता है। इसका भीतरी भाग ( धरातल ) हृदयावरण तथा महा-अधिर बाहिनियों की तरफ रहता है और पश्च किनारा गोलाई लिए होता है एवं कशेरुक नली की ओर होता है।

प्रत्येक फुफ्फुस दो खंडों में ( lobes ) में एक प्राथमिक विवर

( primary fissure ) द्वारा विभाजित रहता है। यह विदर ऊपर से नीचे तिर ी दिशा में रहता है। दक्षिण फुफ्फुस में एक और विदर रहता है, जिसके कारण यह तीन खंडों में विभाजित होता है तथा वाम फुफ्फुस केवल दो खंडों में विभाजित रहता है। प्रत्येक फुफ्फुस के, हृदय की ओर के धरातल पर मध्य भाग में नाभिक ( hilum ) रहता है, जहाँ से इसमें वाहिकाएँ, धमनियाँ तथा शिराएँ



चित्र ४. श्वासनली और श्वसनी

- क ग्रन्थिस्थि ( Thyroid cartilage ) ;
- ख. मुद्दिका उपस्थि ( Cricoid cartilage ) ;
- ग श्वासनली तथा घ. श्वसनी ।

प्रवेश करती हैं। इन्हें फुफ्फुसमूल कहा जाता है। प्रत्येक फुफ्फुस के इस मूल में फुफ्फुसीय धमनी, शिरा तथा श्वसनी रहती है और तंत्रिकाओं का जाल एवं लसीका वाहिनियाँ तथा लसीका पर्व रहते हैं। फुफ्फुस में जानेवाली धमनियाँ हृदय से अशुद्ध रुधिर को इसमें शुद्धि के लिये ले जाती हैं तथा निकलनेवाली शिराएँ फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर हृदय को लाती हैं। श्वसनी को शाखाएँ प्रशाखाएँ इसमें ऑक्सीजन वायु को ले जाती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को इससे बाहर ले जाती हैं। रुधिर इस माध्यम में अपने कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागकर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसे ही रुधिर का शोधन कहते हैं। श्वसनी की अंतिम शाखाओं में उपस्थि नहीं होती। फुफ्फुस एवं श्वसनी के इस भाग को कूपिका ( Aleol ) कहा जाता है। फुफ्फुस के रुधिरवहन को फीफ्फुसीय रुधिर परिवहन कहते हैं। सद्यःजात में फुफ्फुस घन होते हैं। जन्म लेते ही पटला श्वसन होने पर फुफ्फुस घन हो, अर्थात् पानी में डालने पर डूब जाना हो, तो यह माना जाता है कि शिशु मृतावस्था में पैदा हुआ था। मनुष्य एक फुफ्फुस के द्वारा भी जीवित रह सकता है। फुफ्फुसावरण की एक पल्ले फुफ्फुस पर सटी रहती है तथा दूसरी बक्षगुहा की दीवार के अंतःभाग पर। इन दोनों पल्लों के मध्य में चिकना तरल रहता है।

[ल० वि० गु० तथा अ० अ०]

श्वसनतंत्र के रोग ( Diseases of Respiratory System ) श्वसन तंत्र के रोगों में कुछ लक्षण तथा चिह्न, अकेले अथवा एक दूसरे के साथ, प्रकट होते हैं। ये इस प्रकार हैं - ( १ ) कास या खाँसी, ( २ ) कफोत्सारण, ( ३ ) फुफ्फुसी रुधिरस्राव, ( ४ ) वक्ष में पीड़ा तथा ( ५ ) श्वासकृच्छ्रता अथवा मंदश्वसन। इनके लाक्षणिक स्वरूप का जितनी शोधना से अभिज्ञान किया जाय, निदान तथा चिकित्सा एव रोग की साध्यासाध्यता में सुगमता होती है।

यदि शुष्क कास दीर्घकालिक स्वरूप का हो, तो इससे राज-यक्ष्मा, या क्षय, अथवा फुफ्फुस के केंद्र की प्राणंका की जा सकती है। इसी प्रकार घरघराहट युक्त कास श्वसन-मार्ग-संकीर्ण रोगों का सूचक होता है, यथा श्वास या दमा, श्वासमार्ग में स्थित वाह्यागत द्रव्य, श्वसनपथ की सन्नता तथा श्वसन-नली-शोथ आदि। अशुद्धि की स्थिति के कारण कंठ के स्वरयंत्र पर दबाव पड़ने से श्वातु घ्वान-कास होने लगता है। एन्यूरिज्म ( aneurysm ), स्वररज्जु ( vocal cord ) के रोग, कर्णगूथ, अलिजिह्वा वृद्धि ( uvula ) एवं टॉन्सिल शोथ ( tonsillitis ) आदि रोगों में भी, विशेषतः बालकों में, कास एक प्रधान लक्षण होता है। इसी प्रकार विशिष्ट लाक्षणिक स्वरूप का कफोत्सारण भी फुफ्फुस के किमी विशिष्ट रोग का सूचक होता है। न्यूमोकोकसजन्य न्यूमोनिया ( pneumococcal pneumonia ) में मोरचे के रंग का कफ ( बलगम ) प्राता है। फीडलैंडर की ( Friedlander's ) न्यूमोनिया में कफ अत्यंत चिपचिपा होता है। फुफ्फुस विद्रधि एवं श्वासनाल-स्फीत ( bronchiectasis ) में दुर्गंधित कफ प्राता है और फुफ्फुस-गत रक्ताधिक्य में भागदार एवं रक्तरेजित बलगम निकलता है।

फुफ्फुस से रुधिरस्राव प्रायः निम्न विकृतियों में होता है : श्वास-नाल स्फीत, फुफ्फुसी राजयक्ष्मा, फुफ्फुसी केंद्र, विद्रधि, फंगम एवं परजीवी रोग ( parasitic diseases )। इसके प्रतिरक्त कनिषय हृद्-रोग, फीडलैंडर दंडाणु न्यूमोनिया, कनिषय रक्त-रोग, फुफ्फुसी रुधिरवाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से, स्क्वी रोग तथा फुफ्फुस का आघातज क्षत होने पर भी रुधिरस्राव हो सकता है। रुधिरस्रावी विकृतियों में प्रायः रुधिरमिश्रित या रुधिररजित कफ प्राता है।

उगवेदना ( छाती में दर्द ) प्रायः फुफ्फुसावरणशोथ ( pleurisy ) के कारण होती है ( देखें फुफ्फुसावरण शोथ ), जो मुख्यतः राजयक्ष्मा तथा न्यूमोनिया आदि प्रोपसर्गिक रोगों में पाया जाता है। यह वेदना तीव्र तथा चुभने की तरह होती है, जो प्रायः वक्ष के मंसुख या पार्श्विक भाग में होती है तथा श्वसन के साथ और भी उग्र अनुभूत होती है। मध्यपट ( diaphragm ) को ढँकनेवाले फुफ्फुसावरण की विकृति में पीड़ा वक्षस्थल में न होकर स्कंध, श्रोत्रोपार्श्व या कभी कभी उदर में जात होती है। उदरपीड़ा कभी कभी उद्धकशोथ ( appendicitis ) की पीड़ा के अनुरूप मान्य पड़ती है। कभी कभी शुष्क फुफ्फुसावरण शोथ के पश्चात् फुफ्फुसावरण-अंतराल ( फुफ्फुसावरण के भित्तीय ( parietal ) तथा प्राशयिक, या विस्तरण, पल्लों के बीच के अथकाश ) में सीरसी द्रव या पूय एक-त्रित होकर, वक्षशोथ ( hydrothorax ) तथा पूयोरस ( पायोथो-

रैक्स एंपायमा) की स्थिति उत्पन्न होती है। कैंसर की स्थिति में उपयुक्त द्रव रक्तरंजित होता है। उरोवेदना कभी कभी हृदय, महाभ्रमनी एवं पित्ताशय के रोगों में तथा पशुकार्भों के आघातज श्वत एवं पशुकार्भतर तन्त्रिकाशूल में भी पाई जाती है।

मदश्वसन, या द्रुतश्वसन, शरीर में अपर्याप्त ऑक्सीजन का घोटक होता है। कभी कभी यह साधारण होने से प्रायः आघात की स्थिति में ही, यथा आरंभिक वातस्फीति (emphysema) रोग में, प्रकट रूप से ज्ञात होता है। किंतु फुफ्फुसगत रक्ताधिक्य, हृत्पात् एवं कंठ (larynx) तथा श्वासनली (trachea) में बाह्यागत, या अर्बुद अथवा शोथजन्य, अवरोध की स्थिति, डिम्बीरिया रोग में मंद या द्रुत श्वसन उग्र और स्थायी स्वरूप का होता है, और स्थिति के गंभीर एवं भयावह होने का सूचक होता है। श्वासनली श्वसनीशोथ, न्युमोनिया, दमा, फुफ्फुसी रक्ताधिक्य, सूत्ररोग (fibrosis), राजयक्ष्मा, अनिष्टकारी धूम एवं धूमिकण के सूँघने से और फुफ्फुस एवं उरोमिच्छि के बीच वायु, रक्तपूय या अन्य द्रव का संचय होने पर भी श्वसनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके तीव्र एवं उग्रस्वरूप होने पर प्रायः मोठे एवं नखों पर रक्तिका के स्थान में नीलिमा होती है। न्यूनाधिक श्वसनहीनता फुफ्फुसगत सभी औपसर्गिक रोगों में पाई जाती है। कभी कभी श्वसनपथ के पार्श्ववर्ती अंगों की विकृतियों से जब श्वासपथ पर दबाव पड़ता है, तब भी न्यूनाधिक श्वसनहीनता का उपद्रव लक्षित होता है।

श्वसनतंत्र के रोगों की उत्पत्ति मुख्यतः निम्न कारणों से होती है : विकारी उपसर्ग, विजातीय कणों एवं अनिष्टकारी धूमाधारण, फुफ्फुसी रधिर परिसंचरण की विकृति, ऐलर्जी एवं श्वसनपथ में अवरोधोत्पादक बाह्य द्रव्यों का प्रवेश।

प्रतिश्याय या जुकाम यद्यपि सामान्यतः साधारण रोग है, तथापि कभी कभी उपेक्षा के कारण यह अन्य गंभीर रोगों की उत्पत्ति तथा श्वसनतंत्र के अन्य आनुषंगिक उपसर्गों में सहायक बन जाता है। जल में बहुत देर तक ठहरने या डूबकी मारने से तथा दंतविद्रधि से विकारी जीवाणुओं का संक्रमण उपनासा कोटरों में हो सकता है। स्वरोच्छारण के मिथ्यायोग तथा अतियोग से, अत्यधिक ऐल-कोहल एवं धूमपान से तथा ऊर्ध्वश्वसनपथ के उपसर्ग के संसर्ग से स्वरभंगयुक्त कंठशोथ (laryngitis) हो जाता है। फुफ्फुस के कल्पिय अन्य संक्रामक रोगों, यथा राजयक्ष्मा, फिरंग आदि, में भी उपद्रवस्वरूप कंठशोथ हो जाता है। स्वरयंत्रधर्पर रिकेटी शिशुओं में पाया जाता है।

तरुण या उग्रश्वासनली शोथ (acute bronchitis) कभी कभी साधारण जुकाम के परिणामस्वरूप होता है। कभी नासाग्रसनीमार्ग तथा श्वसनी में इनफ्ल्यूएंजा के विषाणु, या अन्य विकारी जीवाणुओं, की उपस्थिति भी इसकी जनक होती है। बालकों तथा दुर्बल व्यक्तियों में श्वासनलीशोथ ही बढ़कर न्युमोनिया का रूप ले लेता है। कभी कभी कुकरखाँसी, टाइफाइड तथा टाइफस उग्र, विषाणुज न्युमोनिया तथा कवकसंक्रमण भी श्वासनलीशोथ से प्रारंभ होते हैं। दीर्घकालिक श्वासनलीशोथ (chronic bronchitis) फुफ्फुस के अन्य गंभीर एवं दीर्घकालिक स्वभाव की विकृतियों के उपद्रव स्वरूप होता है (देखें श्वासनलीशोथ)।

इनफ्ल्यूएंजा, फुफ्फुसावरणशोथ, न्युमोनिया, कुकरखाँसी, राज-यक्ष्मा आदि श्वसनतंत्र के कल्पिय महत्त्वपूर्ण एवं भयानक स्वरूप के रोग हैं। इनमें इनफ्ल्यूएंजा, कुकरखाँसी तथा राजयक्ष्मा संक्रामक स्वरूप के हैं तथा इनफ्ल्यूएंजा तो कभी कभी महामारी रूप से भी फैल जाता है। किसी समय में यह महामारी (epidemic) के रूप में फैलता था तथा इससे अग्रंकर जनपदोत्थंस हुआ करते थे। श्वसनतंत्र के रोग विशेषतः विद्रुक संक्रमण (droplet infection) से फैलते हैं।

श्वासनलस्फीति (bronchiectasis) में जीवाणु उपसर्ग के साथ साथ श्वासनलिकाओं का विस्फाण हो जाता है। यह सहज जन्मजात तथा जन्मोत्तर दो प्रकार का होता है। बाह्यागत अव-रोधक द्रव्य, अर्बुद, दीर्घकालिक नासाकोटरशोथ, राजयक्ष्मा एवं अन्य औपसर्गिक अवस्थाओं के कारण श्वसनीअवरोध के परिणामस्वरूप यह रोग उत्पन्न होता है। जीर्णकास एवं अत्यधिक दुर्गंधित बलगम का निकलना (कभी कभी रक्त भी आता है) तथा हाथ पैर की अँगुलियों के अग्र सिरों का मोटा हो जाना, इस रोग के प्रधान चिह्न होते हैं (देखें श्वासनल स्फीति)।

सामान्य कायिक संज्ञाहरण द्वारा मुख एवं गले के शल्यकर्म में कभी कभी भोज्यकण, द्रव या अन्य विजातीयकण या संक्रांत ऊतकों का श्वसनपथ में श्लेषण हो जाने से, अथवा उदरगत या श्लेषणगत शल्यकर्म में पूतिद्रुषित रक्तस्रोतरोधी (emboli) के फुफ्फुस में पहुँचने से, फुफ्फुस या श्वासनली (vesophagus) के अर्बुद से, फुफ्फुसशोथ तथा बाह्याघातजन्य फुफ्फुसगत से फुफ्फुस के विद्रधि की उत्पत्ति होती है। इसमें खाँसी, दुर्गंधित तथा रक्तमय बलगम का आना, छाती में दर्द, अनियमित स्वरूप का ज्वर तथा अँगुलियों के सिरों का मोटा होना आदि लक्षण होते हैं।

फुफ्फुस में कवक के उपसर्ग के परिणामस्वरूप निम्न विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं : ऐस्पेरजिलस रोग (aspergillosis), मोनिलि-ऐसिस (moniliasis), कॉक्सीडियो आइडोमाइकोसिस (coccidioidomycosis), स्पोरोट्रिचोसिस (sporotrichosis), ब्लास्टोमाइकोसिस (blastomycosis), तथा एक्टिनोमाइकोसिस (actinomycosis) आदि। इनमें सामान्यरूप से ज्वर, जीर्णकास, कफोत्सारण, वक्ष में पीड़ा, कभी रक्तोत्सारण तथा बलक्षीयता आदि लक्षण होते हैं। रोग की उग्र या तरुण अवस्था बहुत कुछ न्युमोनिया के अनुरूप तथा दीर्घकालिक अवस्था फुफ्फुसीय राजयक्ष्मा के अनुरूप होती है।

व्यावसायिक एवं उद्योगधंधों के कारखानों, मिलों तथा खानों में काम करने वाले व्यक्तियों एवं संगतराशी का काम करने-वालों में, या इसी प्रकार की अन्य दस्तकारी में, सिलिका के सूक्ष्म कण श्वसन के साथ फुफ्फुसों में पहुँचकर यत्रतत्र जमा होकर, कालांतर में सिलिकोसिस (silicosis) की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे फुफ्फुसों में सूत्ररोग (fibrosis) उत्पन्न हो जाता है। रोगी में मंदश्वसन, जो आघात से अधिक स्पष्ट होता है, कास, कफोत्सारण एवं उरोवेदना आदि लक्षण प्रकट

होते हैं। कभी कभी रक्तोत्सारण ( haemoptysis ) भी होता है। दिनोंदिन शक्ति का क्षय होता जाता है। दीर्घकालिक सिलिकोसिस से फुफ्फुसावरणों का मोटा होना, वातस्फीति आदि उपद्रव होते हैं तथा फुफ्फुसीय राज्यक्ष्मा के समान लक्षण दिखाई देते हैं। इन रोगियों में हृद्घात की भी आशंका रहती है। रोग से बचने के लिये मुख और नासा पर कपड़ा बांधकर काम करना चाहिए। प्रवृद्ध सिलिकोसिस में राज्यक्ष्मा की निर्विष्ट चिकित्सा से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता और रोगी को प्राण से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार ऐस्वेस्टॉस के कारखानों में काम करनेवालों को तथा ईस की खोई ( begasse ) के छोटे छोटे कणों के कारण इक्षुधूलिमयता ( begassosis ) एवं रूई के सूक्ष्म रेणुओं के कारण तुलोणमयता ( byssinosis ) नामक विकृतियाँ होती हैं। इन सभी के स्वभाव एवं उपद्रवक्रम प्रायः समान हैं। कभी कभी उग्र स्वरूप के रासायनिक द्रव्यों के आघ्राण द्वारा फुफ्फुसों में शोथ होने से श्वासावरोध उत्पन्न होकर सहसा दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। कभी कभी श्वसन द्वारा ऐसे द्रव्यों के सूक्ष्म कणों के फुफ्फुसों में पहुँचने से, जिनके प्रति व्यक्ति को ऐलर्जी हो, सहसा ऐलर्जीजन्य विकृति पैदा हो जाती है, जिससे श्वसनकण्ट, छींक आना तथा नाक से पानी बहना आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं और रोगी को दमा जैसे कण्ट की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति में संबेदनशीलता परीक्षण द्वारा कारण का ज्ञान कर उसका परिवर्तन करना चाहिए। चिकित्सार्थ विसुग्राहीकरण करने तथा हिस्टामीन प्रतिरोधी औषधियों के प्रयोग से बहुत लाभ होता है।

कभी कभी अकस्मात् ऐसे विजातीय द्रव्यों के, जो वायुमय में स्थित होकर श्वरोध उत्पन्न कर देते हैं, श्वसनपथ में पहुँचने से फुफ्फुस अनुन्मीलन ( एटलेक्टेसिस ) की आत्यधिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में अविलंब श्वसनीदर्शक की सहायता से उक्त श्वरोधक घटक का निहंरण आवश्यक हो जाता है। श्वास या दमा दौरे से होनेवाला रोग है। दौरे के समय रोगी को श्वसनकृच्छता होती है, जिसका मुख्य कारण श्वासनलिकाओं का संकोच होता है। दौरे के समय श्वासनलिकाओं को विस्तृत करनेवाली औषधियों का अविलंब उपयोग होना चाहिए।

रोगनिदान — श्वसनतंत्र के रोगों का निदान सामान्यतया उत्त-द्विग्लिष्ट भौतिक एवं साक्षात्क चिह्नों के परीक्षण द्वारा किया जाता है। संप्रति वैकृतिक द्रव्यों के प्रयोगशालीय परीक्षणों द्वारा रोग एवं उसके जनक कारणों के निश्चयात्मक निर्धारण में विशेष सहायता मिलती है। श्वोपसर्गिक रोगों एवं पृथजनक विकृतियों में इनका विशेष महत्त्व है। एक्सकिरण फोटोग्राफी एवं प्रत्यक्षदर्शी यंत्रों द्वारा विकृति के स्वरूप एवं स्थलनिर्धारण में विशेष सहायता मिलती है।

चिकित्सा — रोगी को आराम की स्थिति में स्वच्छ स्थान में रखना चाहिए। साक्षात्क चिकित्सा के साथ साथ अब यथावश्यक सर्लक्ष वर्ण एवं ऐंटीबायोटिक वर्ण की औषधियों के उपयोग से अमस्कारी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त रोग के कारणों से परहेज करना एवं पर्यापच्य का भी पालन होना चाहिए। रक्तप्रौक्सी-

लीखता की स्थिति में कृत्रिम रूप से प्रौक्सीजन का आघ्राण करना चाहिए। [रा० सु० सि० एवं भृ० ना० सि०]

**श्वान, थियोडोर** (Schwann, Theodor, सन् १८१०-१८८२), जर्मन जैववैज्ञानिक, का जन्म राइनलैंड प्रदेश के नायस ( Neuss ) नगर में हुआ था। इन्होंने बॉन तथा बर्लिन में शिक्षा पाई थी।

कुछ काल तक जोहैनीज मुलर के अधीन कार्य करने के पश्चात् ये लूवै ( Louvain ) के विश्वविद्यालय में शारीरशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन् १८४७ में लिएज ( Liege ) में प्रोफेसर का पद पाने पर, ये वहाँ चले गए और मृत्युपर्यंत वही रहे।

इन्होंने शरीर-क्रिया-विज्ञान सबधी विविध अनुसंधान किए, जैसे भ्रूणों के भ्रूण के श्वसन तथा पेशियों के कार्य करने की रीतियों को और पेप्सिन नामक एंजाइम को खोज निकाला तथा पदार्थों के सङ्के में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका का होना आवश्यक सिद्ध किया। विज्ञान को इनकी प्रमुख देन यह प्रतिपादित करना था कि जीवों के ऊतक भी उसी प्रकार कोशिकाओं के बने होते हैं जैसे वनस्पतियों के तथा ये मुख्यतः एक सदृश होते हैं। इस विचार ने पीछे प्रत्येक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए महत्त्व के अनेक अनुसंधानों को जन्म दिया। [भ० दा० व०]

**श्वसनलक्ष्मीति** (Bronchiectasis) फुफ्फुस का रोग है, जिसमें श्वासनलिकाओं का विस्फारण ( dilatation ) हो जाता है। यह विस्फारण आकार में वतुल अथवा धैले या पुटी के समान हो सकता है। साथ ही नलिकाओं की स्थितियों में शोथ हो जाता है और वे गलने लगती हैं। श्वाससंबंधी जीणु रोगों में राज्यक्ष्मा के पश्चात् इसी रोग का स्थान है। अतएव यह रोग बहुत फैला हुआ है। रोग के लक्षणों के कारण जीवाणुसंक्रमण और श्वासनलिकाओं की रचना में परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण उनमें बना हुआ स्राव पूर्णतया बाहर नहीं निकल पाता। चेचक, कुकरखासी या बाल्यकाल में कुकरखासी के कई आक्रमणों से इस रोग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

रोग के विशेष लक्षण निरंतर खाँसी का आना और दुर्गंधयुक्त स्राव का बहुत अधिक मात्रा में निकलना है। रुधिर का आना दूसरा लक्षण है। फुफ्फुस से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो सकता है। चिकित्सा में सावधानी की आवश्यकता है ( देखें श्वसनतंत्र के रोग )। [ मु० स्व० व० ]

**श्वसनलीशोथ** (Bronchitis) श्वासनली की श्लेष्माकला का प्रदाह है, जो तीव्र हो सकता है अथवा दीर्घकालिक। नासिका से वायु के फेहड़े तक पहुँचाने के साथ ही वायु से जीवाणु तथा अन्य संक्रामी पदार्थों को, जो नासिका की श्लेष्माकला द्वारा नहीं रोके जा सकते, श्वासनली रोकती है। श्लेष्माकला की भीतरी सतह पक्ष्माभिकामय उपकला होती है। ये पक्ष्माभिका एक लहर के रूप में गतिशील होते हैं तथा बाह्य पदार्थों को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। श्लेष्माग्रंथि, जो चिपचिपा पदार्थ अर्थात् श्लेष्मा उत्पन्न करती है, उसमें जीवाणु तथा बाह्य पदार्थ चिपक जाते हैं तथा पक्ष्माभिका की सहायता से बाहर आते हैं। खाँसी भी एक सुरक्षात्मक

कार्य है। बाह्य पदार्थ जब श्लेष्माकला के संपर्क में आते हैं तो तंत्रिका या स्नायु को उत्तेजना प्राप्त होती है तथा मांसपेशियों के एकाएक संकुचन से वायु का एक तीव्र झोंका फेफड़े से बाहर निकलता है तथा निरर्थक पदार्थ को बाहर कर देता है।

उभ्र श्वसनलीशोथ — कुछ रासायनिक, भौतिक तथा जीवित पदार्थ श्वसनी की श्लेष्माकला को इस रूप में प्रभावित करते हैं कि खाँसी, उ्वर, साँस फूलना, आदि उत्पन्न हो जाते हैं तथा यह दशा उभ्र श्वसनलीशोथ कहलाती है। कुछ विषैले घुएँ, जैसे युद्ध गैस (मस्टर्ड गैस, क्लोरीन), तीव्र अम्ल के वाष्प, अमोनिया, गैस आदि, कुछ जीवाणु तथा कुछ रोग, जैसे इनफ्लूएन्जा, कुकर-खाँसी, खसरा वगैरह भी तीव्र श्वसनलीशोथ उत्पन्न करते हैं।

इन पदार्थों के क्षोभ द्वारा श्लेष्माकला की खरिनलिकाएँ फैल जाती हैं तथा उनसे खरिंर और द्रव पदार्थ बाहर निकल आते हैं। श्लेष्मस्राव अधिक होता है। ये सब खाँसी तथा पक्ष्माशिका की सहायता से बाहर आते हैं। अत्यधिक क्षोभ होने पर कोशिकाओं की सतह नष्ट हो सकती है। अधिक श्लेष्मा एकत्र हो जाने पर श्वास की गति बढ़ जाती है।

लक्षण — बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द, नाक से स्राव, बल में कसावट महसूस होना, खाँसी पहले सूखी, फिर बलगम के साथ तथा साँस फूलना आदि। न्युमोनिया होने का भय रहता है।

चिकित्सा — विश्राम करना, द्रव भोजन, तथा कारण दूर करना। खाँसी की दवाइयाँ — यदि सूखी खाँसी है तो कोडोन जैसे दवाइयाँ, यदि कफ निकलता है तो अमोनियम कार्बोनेट, टिबर इपिकाक इत्यादि कफोत्सारक औषधियाँ देनी चाहिए। भाप में साँस लेना भी कफ निकालने में सहायता करता है। पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, तथा अन्य जीवाणुनाशक औषधियों का प्रयोग भी आवश्यक है।

दीर्घकालिक श्वसनलीशोथ — जब श्वसनी की श्लेष्माकला का प्रशाह अधिक समय तक बना रहता है तथा श्वसनी में अन्य दोष उत्पन्न कर देता है तो वह दीर्घकालिक श्वसनलीशोथ कहलाता है।

ऐसे व्यवसाय, जिनमें धूल, गर्द तथा धूएँ का अधिक संपर्क होता है, और कुछ जीवाणु इस रोग के कारण होते हैं।

इस रोग में श्वसनी की श्लेष्माकला को अत्यधिक क्षति पहुँचती है। कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं, पक्ष्माशिका समाप्त हो जाती हैं। श्वसनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा स्राव अधिक होता है। अन्य रोग, जैसे वातस्फीति, सूत्रण रोग, दमा आदि, हो सकते हैं।

लक्षण — दीर्घकालिक खाँसी तथा कफ। खाँसी ताप के आकस्मिक परिवर्तन तथा जाड़े में बढ़ जाती है। कभी कभी तीव्र श्वसनलीशोथ का रूप ले लेती है।

चिकित्सा — कफोत्सारक औषधियाँ या खाँसी दूर करनेवाली औषधियाँ आवश्यकतानुसार दी जाती हैं। यदि श्वसनलिकाएँ संकुचित हो जाती हैं, तो ऐफेड्रीन, ऐमिनोफाइलीन नामक दवाएँ दी जाती हैं। जब रोग तीव्र रूप धारण करे तो जीवाणुनाशक दवाओं का प्रयोग तथा जाड़े में गरम, शुष्क वातावरण लाभप्रद होगा।

अत्यधिक धूमपान से इस रोग में खाँसी बढ़ जायगी, किंतु साधारण व्यक्ति को खाँसी नहीं होगी। [गो० वा० प्र०]

श्वसावरोध अगर कोई प्राणी एक छोटी भोली में रखी उच्छ्वसित वायु को बार बार अंदर खींचता है और उमे शुद्ध वायु नहीं मिलती है, तो श्वसावरोध के कारण अंत में वह मर जाता है। ऐसी स्थिति श्वसनली के रोध, वातिलवध के द्वारा श्वसन, मांसपेशियों के पक्षाघात इत्यादि कारणों से भी हो सकती है। यह घटना तीन क्रमों में होती है : (क) प्रतिश्वसन, इसमें श्वस-गति अधिकता से लयबद्ध होकर आगे बढ़ती है और इस क्रम के अंत में प्राणी चेतनाहीन हो जाता है, (ख) दूसरे क्रम में उच्छ्वसन ऐंठन उत्पन्न होती है। रक्तवाहिका में संकुचन होता है। लार के स्राव तथा आंत्रगति में या तो अवरोध होना है या वृद्धि तथा (ग) दूसरे क्रम के अंत में उच्छ्ववास ऐंठन बंद हो जाती है तथा प्रश्वसन ऐंठन होती है। ऐसी अवस्था में प्राणी साँस लेने के लिये अपना मुँह बाहर निकालता है। साँस लेने के लिये मुख चौड़ा करता है और तब तीन चार मिनट के बाद अंतिम साँस लेता है।

सं० अं०—डेविस, हॉल्टेन, किनेवे : जे० फिजिऑल, १९२०, ५४, ३२; बी० ई० उलर एव सॉडरवगं : जे० फिजिऑल, १९५२, ११८, ५४५. [रा० च० शु०]

रिचर्ड, मोरिस्स फान ( १८१४-१८७१ ) वियना के चित्रकार। चित्रकला के साथ साथ संगीत और कविता के भी शौकीन। १७ वर्ष की उम्र में कलाकारों की जमात में सम्मिलित हो गए। जर्मनी में कला के पुनर्जागरण के कारण उन्होंने अपनी कुछ भिन्न धारणाएँ और मत स्पिर किए। गेटे और अन्य कवियों की कविताएँ चित्रांकित कर कल्पना की ऊँची उड़ानें भरीं। लुडविग द्वितीय के नए राजमहल में भित्तिचित्रों का निर्माण किया। १८४४ में वह फ्रैंकफर्ट जा बसे, पर कुछ अरसे बाद म्यूनिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हो गए जहाँ जीवनपर्यंत कार्य करते रहे।

उन्होंने किले और महल के विशाल प्राचीरों पर चित्रसज्जा प्रस्तुत की। सैकड़ों कविताओं और पुस्तकों के डिजाइन बनाए। जलरंगों में अनेक काम किए। रेखाचित्र और पोट्रेटचित्र दोनों में उनका दखल था। 'सात रेवेन' ( seven ravens ) चित्रमालाक्रम में उन्हे पर्याप्त सफलता मिली। म्यूनिख और वियना कलासंग्रहालय में आज भी उनके अनेक चित्र उपलब्ध हैं। [श० रा० गु०]

श्वेतों को तो यह शब्द एक द्वीपविशेष तथा शुक्र ग्रह के लिये आता है पर श्रीमद्भागवत में किसी श्वेत पर्वत का परिभाषादि वर्णित है ( स्कंध ५, अध्याय १६ )। पर उससे भी प्रतिद्ध है शिव जी का श्वेत-प्रवृत्तार जिसका विवरण धर्म के ५० वें अध्याय में इस प्रकार दिया है :

'आदौ कलियुगे श्वेतो देवदेवो महाद्युतिः ।  
नाम्ना हिताय विप्राणां प्रभु वैतस्वतेज्जरे ॥  
हिमवच्छिखरे रभ्ये विमले पर्वतोत्तमे ।  
तस्य शिष्या शिष्यायुक्ता बभूवुरश्वितप्रभाः ॥

श्वेतः श्वेतमिच्छश्चैव श्वेतास्यः श्वेतलोहितः ।  
चत्वारस्ते मह्यत्मानो ब्राह्मणा वेदपारगा ॥  
+ × ×  
श्वेतस्तथा परः शूली तिडी मुंडी च वी क्रमात् ।  
सहिष्णुः सोमशर्मा च नकुलीशोऽन्तिमे प्रभु ॥  
वैवस्वतेऽन्तरे शम्भोरवतारा स्त्रिशूलिन ।  
अष्टाविंशतिराख्याता ह्यन्तेकलियुगे प्रभो ॥”

रामायण में श्वेत नामक एक बलवान् वानर का भी वर्णन है—  
‘श्वेतो रजतसकाशः चपलो भीमविक्रमः । बुद्धिमान् वानर वरस्त्रिपु  
लोकेषु विश्रुतः । [ रा० द्वि० ]

**श्वेतकि** प्रसिद्ध राजा जो परम धर्मपरायण तथा यागशील था ।  
इसने सौ वर्ष में पूर्ण होनेवाले एक महान् यज्ञ का अनुष्ठान किया  
जिसमें महर्षि दुर्वासा पुरोहित बने थे । [ रा० द्वि० ]

**श्वेतकेतु** इस नाम के कई व्यक्ति हुए हैं; (१) महर्षि उदालक के  
पुत्र जो वहीं उत्तराखण्ड में रहते थे । इन्होंने एक बार ब्राह्मणों के साथ  
दुर्व्यवहार किया जिससे इनके पिता ने इनका परित्याग कर दिया ।  
इन्होंने यह नियम प्रचारित किया कि पति को छोड़कर पर पुरुष के  
पास जानेवाली स्त्री तथा अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से  
संबध कर लेनेवाला पुरुष दोनों ही भ्रूणहत्या के अपराधी माने  
जायें । इनकी कथा महाभारत के आदिपर्व में है और उनके द्वारा  
प्रचारित यह नियम धर्मशास्त्र में अब तक मान्य है ।

(२) महर्षि अरण के पुत्र आरण जिन्हे आरुण्य भी कहते हैं ।  
इन्होंने पाञ्चालराज महर्षि प्रवाहण से ब्रह्मविद्या संबंधी अनेक उपदेश  
ग्रहण किए । इनकी कथा छांदोग्योपनिषद् में दी गई है ।

(३) पुरुवंशीय सर्वजित् के पुत्र जिनके तीन भाई और थे । इन  
भाइयों में स वत्स अवती के अधिपति हुए जिनकी कथा हरिवंश-  
पुराण में मिलती है ।

(४) श्यामभुव मन्वतर में हुए एक राजर्षि जो शिव जी के  
लागली भीमवाले अवतार के उपासक परम शिवभक्त माने गए हैं ।  
इन्होंने प्रभास क्षेत्र में शंकर की दीर्घकालीन आराधना करके वहाँ  
एक शिवलिंग की स्थापना की थी । इनकी तपस्या का विवरण शिव  
तथा स्कंदपुराणों में मिलता है । उसमें यह भी लिखा है कि इनके  
एक यज्ञ में अधिक भृतपान करने से अग्निदेव को अजीर्ण का रोग  
हो गया जिसे उन्हें खाडव वन की सारी लकड़ी खाकर मिटाना  
पड़ा था । [ रा० द्वि० ]

**श्वेताश्वतर उपनिषद्** जो ईशादि दस प्रधान उपनिषदों के अनंतर  
एकादश एव शेष उपनिषदों में अग्रणी है कृष्ण यजुर्वेद का अंग है ।  
छह अध्याय और ११३ मंत्रों के इस उपनिषद् को यह नाम इसके  
प्रवक्ता श्वेताश्वतर ऋषि के कारण प्राप्त है । मुमुक्षु संन्यासियों के  
‘कारण ब्रह्म क्या है अथवा इस मृष्टि का कारण ब्रह्म है अथवा  
अन्य कुछ, हम कहीं से आए, किस आशय पर ठहरे हैं, हमारी  
अंतिम स्थिति क्या होगी, हमारे सुख दुःख का हेतु क्या है, इत्यादि  
प्रश्नों के समाधान में ऋषि ने जीव, जगत् और ब्रह्म के स्वरूप तथा  
ब्रह्मप्राप्ति के साधन बतलाए हैं ।

उनके मतानुसार कुछ मनीषियों का काल, स्वभाव, नियति,  
यच्छा, पृथिवी आदि सूत अथवा पुरुष को कारण मानना अति-  
मूलक है । ध्यान योग की स्वानुभूति से प्रत्यक्ष देखा गया है कि सब  
का कारण ब्रह्म की शक्ति है और वही इन कथित कारणों की  
अधिष्ठात्री है (१३) । इस शक्ति को ही प्रकृति, प्रधान अथवा माया  
की अभिधा प्राप्त है । यह अज्ञ और अनादि है, परंतु परमात्मा के  
अधीन और उससे अस्वतंत्र है ।

वस्तुतः जगत् माया का प्रपञ्च है । वह क्षर और अनिश्चय है ।  
और मूलतः जीवात्मा ब्रह्मस्वरूपी है, परंतु माया के बन्धीभूत होने से  
अपने को उससे पृथक् मानता हुआ नाना प्रकार के कर्म करता और  
उनके फल भोगने के लिये पुनः पुनः जन्म धारण करता हुआ सुख  
दुःख के आवर्त में अपने को घिरा पाता है । स्थूल देह में सूक्ष्म अथवा  
लिंग शरीर जो कर्मफल से लित रहता है उसके साथ जीवात्मा  
जन्मांतर में प्रवेश करता है । इस प्रकार यह संसार निरंतर चल  
रहा है । इसे ब्रह्मचक्र (१६. ६-१) या विश्वमाया कहा गया है ।

जब तक अविद्या के कारण जीव अपने को भोक्ता, जगत् को  
भोग्य और ईश्वर को प्रेरिता मानता अथवा जाता, ज्ञेय और ज्ञान  
को पृथक् पृथक् देखता है तब तक इस ब्रह्मचक्र से वह मुक्त नहीं  
हो सकता । सुख दुःख से निवृत्ति तथा अमृतत्व की प्राप्ति का एक-  
मात्र उपाय जीवात्मा और ब्रह्म का अभेदात्मक ज्ञान है । ज्ञान के  
बिना ब्रह्मोपलब्धि आकाश की चटाई बनाकर लपेटने जैसा असंभव  
है (६. १५. २०) ।

ब्रह्म का स्वरूप केवल निगुण, सगुणनिगुण और सगुण  
बतलाया गया है । जहाँ सगुणनिगुण रूप से विरोधाभास दिखाने-  
वाले विशेषणों से युक्त परमेश्वर के वर्णन और स्तुतियाँ मिलती हैं,  
दो तीन मंत्रों में हाथ में बाण लिए हुए मंगलमय शरीरधारी रुद्र  
की ब्रह्मभाव से प्रार्थना भी पाई जाती है (३. ५. ६, ४. २४)  
ब्रह्म का अष्ट रूप निगुण, त्रिगुणातीत, अज्ञ, प्रुव,  
इन्द्रियातीत, निरिन्द्रिय, अवरण और अकल है । वह न सत् है,  
न असत्, जहाँ न रात्रि है न दिन, वह त्रिकालातीत है—  
इत्यादि । सर्वेन्द्रियविवर्जित होकर भी उसमें सर्वेन्द्रियों का भास  
होता है, वह अणु से अणु, महान् से महान्, प्रकर्ता होता हुआ भी  
ब्रह्म पर्यंत समस्त देवताओं का, अर्थात् समस्त ब्रह्मांड का कर्ता, भोक्ता  
और संहर्ता है । इसी प्रकार ब्रह्म के केवल सगुण रूप के वर्णन में  
उसे आदित्यवर्ण, सर्वव्यापी, सबभूतातरात्मा, हजारों शिर, हाथ पैर-  
वाला, भावब्राह्म, त्रिगुणमय और विश्वरूप इत्यादि कहा गया है ।  
निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन अत्यंत दुस्तर होने से मनुष्य की आध्यात्मिक  
पहुंच के अनुसार अधिक सुसाध्य होने से सगुण और सगुणनिगुण  
रूप से उपासना का विस्तार हुआ है ।

अस्तु, ईश्वर पर ईश्वर रखकर उसमें अभ्यक्त रूप से व्याप्त अग्नि  
को प्रकट कर लेने की तरह देह में व्याप्त ब्रह्म का प्रणव द्वारा निरंतर  
ध्यान करके उसका साक्षात्कार कर लिया जा सकता है । एतदर्थ  
द्वितीयाध्याय में प्राणायाम और योगान्यास की विधि विस्तारपूर्वक  
बतलाई गई है । [ चं० त्रि० ]

बोधश शृंगार भारतीय साहित्य में सोलह शृंगारों की यह प्राचीन परंपरा रही है :

अंगशुषी, अंजन, वसन, माँग, महावर, केश ।  
तिलक भाल, तिल चिबुक में, भूषण मेंहरी वेश ॥  
मिस्सी काजल अरगजा, बीरी और सुगंध ।

अर्थात् अंगों में उबटन, स्नान, स्वच्छ वस्त्रधारण, माँग भरना, महावर लगाना, बाल सँवारना, तिलक लगाना, ठोड़ी पर तिल बनाना, आभूषण धारण करना, मेंहरी रचाना, दाँतों में मिस्सी, आँसों में काजल लगाना, आदि सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, पान खाना, भाला पहनना, लीला कमल धारण करना ।

इस देश में आदि काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों प्रसाधन करते आए हैं और इस कला का यहाँ इतना व्यापक प्रचार था कि प्रसाधक और प्रसाधिकाओं का एक अलग वर्ग ही बन गया था । इनमें से प्रायः सभी शृंगारों के दृश्य हमें रेलिंग या द्वारस्तंभों पर अंकित (उभारे हुए) मिलते हैं ।

स्नान के पहले उबटन का बहुत प्रचार था । इसका दूसरा नाम अंगराग है । अनेक प्रकार के चंदन, कालीयक, अगुरु और सुगंध मिलाकर इसे बनाते थे । जाड़े और गर्मी में प्रयोग के हेतु यह अलग अलग प्रकार का बनाया जाता था । सुगंध और शीतलता के लिये स्त्री पुरुष दोनों ही इसका प्रयोग करते थे ।

स्नान के अनेक प्रकार काव्यों में वर्णित मिलते हैं पर इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय जलविहार या जलक्रीडा था । अधिकांशतः स्नान के जल को पुष्पों से सुरभित कर लिया जाता था जैसे आजकल 'बाथसाट' का प्रयत्न किया जाता है । एक प्रकार के साबुन का भी प्रयोग होता था जो 'फेनक' कहलाता था और जिसमें से झाग भी निकलते थे ।

वसन वे स्वच्छ वस्त्र थे जो नहाने के बाद नर नारी धारण करते थे । पुरुष एक उत्तरीय और अशोवस्त्र पहनते थे और स्त्रियाँ चोली और घाघरा । यद्यपि वस्त्र रंगीन भी पहने जाते थे तथापि प्राचीन नर नारी श्वेत उज्वल वस्त्र अधिक पसंद करते थे । इनपर शोने, चाँदी और रत्नों के काम कर और भी सुंदर बनाने की अनेक विधियाँ थीं ।

स्नान के उपगत सभी सुहागवती स्त्रियाँ सिद्धर से माँग भरती थीं । वस्तुतः वारधनिताओं को छोड़कर अधिकतर विवाहिता स्त्रियों के शृंगारप्रसाधनों का उल्लेख मिलता है, कन्याओं का नहीं । सिद्धर के स्थान पर कभी कभी फूलों और मोतियों से भी माँग सजाने की प्रथा थी ।

बाल सँवारने के तो तरीके हर समय के अपने थे । स्नान के बाद केशों से जल निचोड़ लिया जाता था । ऐसे अनेक दृश्य पत्थर पर उत्कीर्ण मिलते हैं । सूखे बालों को धूप और चंदन के धुएँ से सुगंधित कर अपने समय के अनुसार अनेक प्रकार की वेणियों, झलकों और सूड़ों से सजाया जाता था । बालों में मोती और फूल गूँथने का आम रिवाज था । विरहिणियाँ और परित्यक्ता वधुएँ सूखे अलकोंवाली ही काव्यों में वर्णित की गई हैं; वे प्रसाधन नहीं करती थीं ।

महावर लगाने की रीति तो प्रायः भी प्रचलित है, विशेषकर त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर । इनसे नाखून और पैर के तलवे तो रचाए ही जाते थे, साथ ही इसे होठों पर लगाकर आधुनिक 'लिपस्टिक' का काम भी लिया जाता था । होठों पर महावर लगाकर लोमछूर्ण छिड़क देने से अत्यंत मनमोहक पांडूता का आभास मिलता था ।

मुँह का प्रसाधन तो नारियों को विशेष रूप से प्रिय था । इसके 'पत्थरचना', विशेषक, पत्रलेखन और भक्ति आदि अनेक नाम थे । लाल और श्वेत चंदन के लेप से गालों, अस्तक और भवों के आस पास अनेक प्रकार के फूल पत्ते और छोटी बड़ी बिंदियाँ बनाई जाती थीं । इसमें गीली या सूखी केसर या क्रमकूम का भी प्रयोग होता था । बाद में इसका स्थान बिंदी ने ले लिया जो आज भी इस देश की स्त्रियों का प्रिय प्रसाधन है । कभी केवल काजल की अकेली बिंदी भी लगाने की रीति थी । आजकल की भाँति ही शीघ्र ठोड़ी पर दो छोटे छोटे काजल के तिल लगाकर सौंदर्य को आकर्षक बनाने का चलन था ।

आजकल की तरह प्राचीन भारत में भी हथेली और नाखूनों को मेंहरी से लाल करने का आम रिवाज था ।

आभूषणों की तो अनंत परंपरा थी जिसे नर नारी दोनों ही धारण करते थे । मध्यकाल में तो आभूषणों का प्रयोग इतना बढ़ा कि शरीर का शायद ही कोई भाग बचा हो जहाँ गहने न पहने जाते हो ।

आँसों में काजल या अंजन का प्रयोग व्यापक रूप से होता था । मूर्तिकला में बहुधा शलाका से अंजन लगाती हुई नारी का चित्रण हुआ है ।

अरगजा एक प्रकार का लेप है जिसे केसर, चंदन, कपूर आदि मिलाकर बनाते थे । आधुनिक इत्र या सेंट की तरह शरीर को सुगंधित करने के लिये इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था ।

मुँह को सुगंधित करने के लिये स्त्री और पुरुष दोनों ही तांबूल या पान खाते थे । राजाओं की परिचारिकाओं में तांबूलवाहिनी का अपना विशेष स्थान था ।

भारतीय नारी को अपने प्रसाधन में फूलों के प्रति विशेष मोह है । जूड़े में, वेणियों में, कानों, हाथों, बाहों कलाइयों और कटि-प्रदेश में कमल, कुंद, मंदार, शिरीष, केसर आदि के फूल और गजरो का प्रयोग करती थीं ।

शृंगार का सोलहवाँ अंग है लीला कमल, जिसे स्त्रियाँ पूर्वोक्त पंद्रह शृंगारों से सज्जित हो पूर्ण विकसित पुष्प या कली के दंड सहित धारण करती थी । नीले कमलो का चित्रण प्राचीन मूर्तिकला में प्रभूत रूप से हुआ है । [६० च०]

संकेतन ( Signalling ), या संकेत संप्रेषण, का युद्ध में दीर्घ काल से प्रयोग हो रहा है । साधारण जीवन में भी संदेश भेजने की आवश्यकता बहुधा पड़ती ही है, पर सेना की एक टुकड़ी से दूसरी को, प्रथवा एक पोत से अन्य को, सूचनाएँ, आदेश आदि भेजने के कार्य का महत्व विशेष है । इसके लिये प्रत्येक संभव उपाय काम में



जाए जाते रहे हैं। पैदल और चूड़सवार संदेशवाहकों के सिवाय, प्राचीन काल में ऋद्धियों, प्रकाश तथा बुएँ द्वारा संकेतों से संदेश भेजने के प्रमाण मिलते हैं। अफ्रीका में यही कार्य नगाओं से लिया जाता रहा है। प्राच्युनिक काल में संकेतन का उपयोग सड़कों पर आवागमन तथा रेलगाड़ियों के नियंत्रण में भी किया जा रहा है।

कहा जाता है, ग्रीसवासियों ने ट्रॉय नगर की विजय (११६४ ई० पू०) की सूचना प्रज्वलित अग्नि के प्रकाश द्वारा ३०० मील दूर पहुँचाई थी। इंग्लैंड में स्पेन के जहाजी बेड़े, ब्रामेंडा, की चढ़ाई (१५८८ ई०) की सूचना, ६ से ८ मील की दूरीवाले स्थानों पर अग्नि जलाकर, समस्त दक्षिणी इंग्लैंड में भेजी गई। संकेतो द्वारा संदेशों के पहुँचाने के इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण इतिहास में उपस्थित हैं। कालांतर में जिस प्रकार स्थल पर संकेतन का विकास हुआ उसी प्रकार और लगभग वैसे ही साधनों से सागर पर जहाजों के बीच भी संदेश भेजने की रीतियाँ प्रचलित हुईं।

सन् १६६६ में घड़ीमुख की सुइयों से मिलते जुलते उपकरण की सहायता से प्राच्युनिक सेमाफोर कूट (code) सधन संकेतन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ और सन् १७६१ में क्लॉड शाप (Claude Chappe) नामक फरासीसी ने सेमाफोर संकेतन (देखें चित्र १.) नियमों के अनुसार, लील (Lille) और पैरिस

A ए और १	B बी और २	C सी और ३	D डी और ४	E इ और ५
F एफ और ६	G जी और ७	H एच और ८	I आइ और ९	J जे
K के और ०	L एल	M एम	N एन	O ओ
P पी	Q क्यू	R आर	S एस	T टी
U यू	V वी	W डब्ल्यू	X एक्स	Y वाइ
Z जेड				

चित्र १. सेमाफोर संकेत और उनके सापेक्ष

के पथ, दूरसंदेश भेजने का प्रबंध किया। भागे चलकर कई लोगों

ने सेमाफोर पद्धति का विकास किया, किंतु इनमें सबसे सरल तथा उपयोगी दो बाँहों से सेमाफोर संकेतन प्रणाली थी, जिसको ऐडमिरल सर होम पॉकम ने सन् १८०३ में जन्म दिया और जो आज तक नौसेनाओं में प्रयुक्त होती है (देखें चित्र १.)।

दूरसंकेतन के लिये सूर्य के प्रकाश का उपयोग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहते हैं, सिकंदर ने इस कार्य के लिये ढाल पर चमचमाती धातु की सतह का प्रयोग किया था, किंतु बाद में दपंगों का तथा इन्हीं के समुन्नत रूप, हीलियोग्राफ, का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। इस उपकरण द्वारा संदेश भारत में सन् १८७७-७८ में, सन् १८७९-८० के अफ़गान और जुन्नू युद्ध में, सन् १८९९-१९०१ के दक्षिण अफ्रीकी युद्ध में और प्रथम विश्वयुद्ध के समय पूर्वी क्षेत्रों में, बराबर भेजे गए। संकेतन के लिये ऐसे लैपों का, जिनके संमुख चक्रपाट लगे होते हैं, प्रयोग सन् १९१४ तक होता रहा है। बिजली के लैप बन जाने पर, इनके जलाने और बुझाने का काम चक्रपाट के स्थान पर स्विचों से लिया जाने लगा। इनका भी प्रथम विश्वयुद्ध में बहुत प्रयोग हुआ।

सन् १८५२ में मॉर्स कूट (code) के आविष्कार [देखें सार्वत्र, हिंदी विश्वकोश, खंड ५, पृष्ठ ३५०-३५१] तथा बिजली के विकाम क कारण, ध्वनि से संकेत भेजने की रीति निकली। सन् १८५४ के क्रमिया युद्ध में क्षेत्रीय तार (टेलिग्राफ) का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध में विभिन्न मुख्यावासों को क्षेत्रीय टेलिग्राफों से संबद्ध किया गया था, यद्यपि युद्ध के अग्रक्षेत्रों में सापेक्ष स्थापित करने का कार्य हीलियोग्राफ और ऋद्धों से ही लिया जाता रहा। संदेश भेजने के लिये टेलिफोन का प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९०४-०५ के रूस जापान युद्ध में और सन् १९०७ से ब्रिटिश सेना में किया गया, पर सैन्यदलों में व्यापक रूप से इसका प्रयोग सन् १९१४ के विश्वयुद्ध से प्रारंभ हुआ।


बेतार के तार का उपयोग भी सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध में हुआ, पर सन् १९१८ तक यह ह्यटल की स्वतंत्र टुकड़ियों तक सीमित रहा। युद्ध के अग्रिम क्षेत्रों में उपयोग के लिये, सन् १९१९ से १९३९ तक के काल में, बेतार के टेलिफोन बनाए गए और इन्हें कवचित टुकड़ियों के उपयोग के लिये विकसित किया गया। सन् १९४१ से १९४४ के बीच सब सैन्यदलों में रेडियो टेलिफोन का प्रयोग होने लगा। तार वाले टेलिफोनों का प्रयोग निश्चल स्थिति के समय तथा बेतार के टेलिफोनों का चल कार्यवाहियों में सामान्य हो गया। बेतार (wireless) के तार (telegraph) या टेलिफोन के प्रयोग का फल यह हुआ कि भेजे हुए संदेश धनु सैन्य द्वारा भी प्राप्त हो गए और इस कारण सुरक्षा के विचार से संदेशों को कूट रूप में भेजना आवश्यक हो गया तथा संकेत विभाग के कर्तव्यों में कूटों तथा बीजाकों को तैयार करने, संबंधित अनुभागों तथा सैन्य टुकड़ियों में इनका वितरण करने, और बेतार के तार की गृहलक्ष्यों की जाँच करने का कार्य बढ़ गया।

अनुसमुद्री संकेतन — एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच संकेतन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह कार्य प्राचीन काल से

प्रकाश, पाल और ऊठों के, विविध प्रयोगों, या तोपों की बाड़ से, किया जाता रहा है, किंतु ये पुरातन रीतियाँ सर्वथा संतोषजनक सिद्ध नहीं हुईं। सन् १७७७ में ब्रिटिश जहाजी बेड़े के प्रधान, लॉर्ड हाउ (Howe), ने ऊठों द्वारा संदेश भेजने की प्रणाली पर एक पुस्तक तैयार की। बाद में इसमें दिए संकेतों में अनेक सुधार हुए, किंतु फिर भी ये संकेत पूर्णतः संतोषजनक नहीं सिद्ध हुए। आगे चलकर जिन संदेशों के लिये निर्देश उपयुक्त पुस्तक में नहीं थे, उनके लिये १९वीं शती में सेमाफोर (देखें चित्र १.) तथा स्फुरित लैण्डों का प्रयोग किया जाने लगा। सर्चलाइटों (searchlights) में चलकपाट लगाकर और बादलों से प्रकाश का परावर्तन कराकर, संदेश अधिक स्पष्ट और बहुत दूर तक भेजना संभव हो गया।

२०वीं शती के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि समुद्र पर संचादवहन के लिये बेतार का तार बड़े काम की चीज है। इसमें भी प्रगति हुई और सन् १९१४ तक बेतार के तार से संकेतन का सब जगह प्रचलन हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जहाजी बेड़ों में संकेतन तथा तोपों की मार के नियंत्रण के लिये बेतार के तार का प्रयोग पूर्ण रूप से विकसित हो गया और सब जहाजों पर प्रक्षिप्त कूटज, बेतार के तार का प्रयोग जाननेवाले नाविक तथा उच्च योग्यता वाले संकेतज्ञ नियुक्त किए गए।

अंतरराष्ट्रीय संकेतन — १९वीं शती के प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय प्रयोग के लिये संकेत प्रणालियाँ तैयार और प्रकाशित की गईं।




चित्र १. अंतरराष्ट्रीय संकेतन कूट

संकेतन कूट

संकेतन कूट

इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कैप्टेन मिरयेड की प्रणाली थी, जिसमें

किसी भी संकेतन के लिये अधिक से अधिक चार ऊठों का प्रयोग कर, ९,००० संकेत भेजे जा सकते थे। सन् १८५५ में



चित्र २. अंतरराष्ट्रीय संकेतन कूट

संख्यात्मक पताकाएँ।

एक समिति ने ऐसा कूट तैयार किया जिसमें ७०,००० संकेत थे और १८ ऊठों (flags) का प्रयोग कर, (X) और छेड़ (Z) को छोड़कर, अंग्रेजी वर्णमाला के सब व्यंजनों का निरूपण हो जाता था। सन् १८८९ में वाशिंगटन में हुई अंतरराष्ट्रीय परिषद् ने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिये एक ऊठ, अर्थात् कुल २६ ऊठों का, एक कूट तथा जवाबी पताका (pendant) स्थिर की (देखें चित्र २.)। इस कूट का प्रयोग प्रथम विश्वयुद्ध में किया गया, पर यह भी असंतोषजनक सिद्ध हुआ। इसलिये सन् १९२७ वाली विभिन्न राष्ट्रों की वाशिंगटन परिषद् ने सुधार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिए : (१) रेडियो टेलिग्राफी तथा वायु संकेतन के लिये अलग अलग संकेत पुस्तकें तैयार की जाएँ, (२) अक्षरों के लिये दस ऊठों तथा तीन प्रतिस्थापित ऊठों और बढ़ा दिए जायें, (देखें चित्र ३.), (३) मॉर्स के संकेतन को रेडियो टेलिग्राफी के अनुकूल कर दिया जाय, (४) दूरसंकेत और अचल सेमाफोर को बंद कर दिया जाय तथा (५) जहाजों के संकेतकार के ही होने चाहिए जो रेडियो द्वारा बुलाने के हों तथा ये चार अक्षरों से बनने चाहिए। इन सुझावों के अनुसार स्थिर निश्चयों में भी आवश्यकतानुसार सामान्य परिवर्तन किए गए हैं।

सेमाफोर वर्णमाला का, जिसका उपयोग हाथों में लिए ऊठों द्वारा किया जाता है, तथा मॉर्स कोड का, जिसको स्फुर प्रकाश

ध्वनि, या बेतार के तार द्वारा संकेतन के काम में लाया जाता है, प्रयोग सभी देश समान रूप में करते हैं। मठरव के सब बंदरगाहों में तूफानों के तथा उबारभाटा के आने की सूचनाओं के लिये विशिष्ट संकेत ऊँचाई पर, या मस्तूलों पर, प्रदर्शित किए जाते हैं।

**वैमानिकीय संकेत** — वैमानिकी में वायुय संकेतन का स्थान रेडियो टेलिफोन तथा रेडियो टेलिग्राफी ने ले लिया है, किंतु एयरोड्रोम की कार्यविधि का निर्देश करनेवाले कुछ वायुय संकेत एयरोड्रोम की भूमि पर तथा ऊँचे ध्वजदंड पर प्रदर्शित किए जाते हैं। जिन वायुयानों में रेडियो टेलिफोन नहीं होता, उनको एयरोड्रोम नियंत्रक के आदेश मार्ग कूट में, एक विशेष प्रकार के लैंप द्वारा, दिए जाते हैं। अन्य संदेशों और संकेतों के लिये रेडियो टेलिफोन का प्रयोग किया जाता है।

**रेलवे संकेतन** — भिगरी ने सन् १८४१ में, यातायात की सुरक्षा के लिये, यंत्रचालित सेमाफोर संकेतन की युक्ति निकाली थी, पर बाद में इसका स्थान अन्य रीतियों ने, जैसे रंगीन प्रकाश द्वारा संकेतन, मार्ग परिपथ ( track circuit ) तथा स्वयंचालित गाड़ीनियंत्रण उपस्कर ( automatic train control equipment ) ने ले लिया।

रंगीन प्रकाश द्वारा संकेतन की एक विधि में तीन रंगों के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग से "रुक जाओ", पीले से "आगे के सिगनल पर रुकने के लिये तैयार रहते हुए आगे बढ़ो" तथा हरे प्रकाश से "आगे बढ़े जाओ" का संकेत किया जाता है ( देखें सिगनल, रेलवे भी ) चार प्रकार की प्रकाशवाली विधि में एक के ऊपर दूसरा, ऐसे दो पीले प्रकाशों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि "सावधानी से आगे बढ़ो और आगे एक पीले, अथवा दो पीले प्रकाशों पर अन्य संकेत के लिये तैयार रहो।"

मार्गपरिपथवाली रीति में लाइन पर गाड़ी का आगमन एक रिंले स्विच द्वारा संकेत प्रचालन परिपथ को खोल देता है।

स्वयंचालित गाड़ीनियंत्रण उपस्कर में, रेलपथ पर स्थित ऐसी युक्ति होती है, जो रेल के इंजन तथा गाड़ी के बाहर रहते हुए भी, रेल के इंजन के नियंत्रकों का आवश्यकतानुसार परिचालन करती है।

उपयुक्त रीतियों के सिवाय, संदेशप्रेषण के लिये अब उच्चावृत्ति, लघुपरस रेडियो के तथा रेडार के उपयोग की संभावनाओं की जांच की जा रही है। [ भ० दा० व० ]

**संक्रमण ( Infection )** मर्त्यलोक के सभी प्राणियों के जीवन-काल में जन्म के पश्चात् घृत्यु एक अपरिहार्य घटना है। जीवनकाल में प्राणी अनेक बाह्य एवं आन्तरिक, विषम परिस्थितियों एवं शरीर विनाशक तत्वों का प्रास होता रहता है। इनका सामना करने की शरीर की शक्ति के क्षीण या दुर्बल होने पर, प्रायः वह घृत्यु का शिकार हो जाता है। इन कारणों में रोग एक प्रधान कारण है। रोगों में भी कुछ रोग तो ऐसे हैं जो पीड़ित प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होने पर दूसरे व्यक्तियों में संक्रांत नहीं होते। इसके विपरीत दूसरे रोग पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क, या उनके रोगोत्पादक, विशिष्ट तत्वों से दूषित पदार्थों के सेवन

एवं निकट संपर्क, से एक से दूसरे व्यक्तियों पर संक्रमित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसे रोगों को छुतहा रोग कहते हैं। रोगप्रस्त या रोगवाहक पशु या मनुष्य संक्रमण के कारक होते हैं। संक्रामक रोग तथा इन रोगों के संक्रमित होने की क्रिया समाज की दृष्टि से विशेष महत्व की है, क्योंकि विशिष्ट उपचार एवं अनागत बाधाप्रतिषेध की सुविधाओं के अभाव में इनसे महामारी ( epidemic ) फैल सकती है, जो कभी कभी फैलकर सार्वदेशिक ( pandemic ) रूप भी धारण कर सकती है।

१९वीं शताब्दी में पाश्चात्य वैज्ञानिक पैस्टर ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि जीवाणुओं ( bacteria ) द्वारा विशिष्ट व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। काँक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया अध्ययन की कतिपय प्रयोगशालीय पद्धतियों पर भी प्रकाश डाला। तत्पश्चात् इस प्रकाश से प्रेरणा लेकर अनेक वैज्ञानिक संक्रामक रोगों के जनक इन जीवाणुओं की खोज में लग गए और १९वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वैज्ञानिकों ने रोगजनक जीवाणुओं की खोज यथा यूरोत्पादक, राजयक्ष्मा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, विसूचिका ( cholera ), चतुस्तंभ ( tetanus ), प्लेग एवं प्रवाहिका ( dysentery ) आदि संक्रामक रोगों के विशिष्ट जीवाणुओं का पता लगाकर इनके गुणधर्म, संक्रमण एवं नैदानिक पद्धतियों पर भी प्रकाश डाला ( देखें जैवाणुक एवं संक्रामक रोग )।

अब इस दिशा में अत्यधिक सफलता प्राप्त की गई है तथा इस प्रकार के अधिकांश रोगों के जीवाणुओं का निश्चित रूप से पता लगा लिया गया है। परिणामतः इनके संक्रमण की रोकथाम की तथा चिकित्सा में भी पर्याप्त सफलता मिलने लगी है। ये रोगजनक जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इसलिये इनको जीवाणु कहते हैं। सूक्ष्माकार के ही कारण इनकी लंबाई माइक्रोन ( माइक्रोन = १ मिली० का १/१००० वाँ भाग ) में बतलाई जाती है ( देखें जीवाणु, जीवाणु विज्ञान तथा विषाणु )। ये जीव वर्ग के एक कोशिकावाले प्रतिसूक्ष्म जीव होते हैं।

रोगजनक संक्रमण में किसी न किसी जीवाणु का प्रायः हाथ होता है। ये जीवाणु वायु, जल, भूमि तथा प्राणियों के शरीर में कहीं कम, कहीं अधिक तथा समय विशेष एवं विशेष जलवायु क्षेत्र में स्थानाधिक संख्या में पाए जाते हैं। प्रायः एक विशिष्ट प्रकार की विकृति तथा लक्षण उत्पन्न करनेवाले संक्रमण में एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु उत्तरदायी होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक प्रकार के जीवाणुओं का संक्रमण एक साथ भी होता है, जिसे मिश्र संक्रमण कहते हैं, और कभी एक ही प्रकार की विकृति अनेक भिन्न प्रकार के जीवाणुसंक्रमण से भी होती है।

संक्रामी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संक्रमण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। फिरिंग ( syphilis ), सूजाक ( gonorrhoea ) तथा विसर्प ( erysipelas ) एवं मसूरिका आदि रोगों का संक्रमण मूत, संक्रांत या वाहक मनुष्य या पशु के प्रत्यक्ष संसर्ग से होता है। कुछ संक्रमण, जैसे जलसंक्रास आदि, कुत्ते, स्वार तथा चूहे के काटने से होते हैं। रक्तसंतत के कुछ रोगों का

संक्रमण खासतः, छींकने या जोर से बोलते समय छोटे छोटे बिंदुओं के बाहर निकलने से समीप में बैठनेवालों को हो जाता है। इसे विद्रुक संक्रमण होना ( Droplet infection ) कहते हैं। संक्रांत, भ्याजिन या वाहक व्यक्ति के दूषित वस्त्र, पात्र, खच्च, पेय, हाथ, पत्र, शस्त्र, वायु एवं पृथ्वी सबही वस्तुओं के सेवन से अप्रत्यक्ष संक्रमण होता है। पाचन तंत्र के संक्रामक रोगों को फैलाने में घरेलू मक्खी एक प्रमुख यांत्रिक वाहक ( mechanical carrier ) है। कुछ रोग जैसे मलेरिया, कालाजार, प्लीषद, प्लेग आदि का संक्रमण कीटाणुओं के वाहक मच्छर, पिस्तू, भुनगे, जूँ और किलनी के दश से होता है।

संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस काल को उद्भवन काल ( Incubation period ) कहते हैं। विभिन्न रोग जनक-जीवाणुओं के उद्भवन काल भिन्न भिन्न होते हैं।

सप्रति अधिकांश रोगजनक संक्रमणों के विशिष्ट निदान एवं चिकित्सा उपलब्ध है और आगे इस दिशा में तीव्रतापूर्वक कार्य हो रहा है। [रा० सु० सिंह० तथा भू० ना० सि०]

**संख्या ( नंबर, Number )** ऐतिहासिक संबद्ध दृष्टिकोण से संख्या की विचारधारा प्राकृतिक संख्याओं १, २, ३, ... के अनुक्रम से है। सामान्यतः संख्या का अर्थ घनात्मक पूर्णांक, वास्तविक राशि या घनात्मक पूर्णांकों, या वास्तविक संख्याओं के विन्यास के अनेक अमूर्त, गणितीय व्यापकीकरणों में से एक से संयोजित तत्त्व है। इन व्यापकीकरणों में संमिश्र, अतिसंमिश्र ( hypercomplex ), परिमितातीत ( transfinite ), गणन ( cardinal ) एवं क्रमसूचक ( ordinal ) संख्याएँ समाविष्ट हैं।

संख्या की विचारधारा को सर्वप्रथम गति देनेवाले हिंदू ही थे, जिन्होंने उपयुक्त अनुक्रम के धारण में ० ( शून्य ) को स्थान देकर, तत्संबंधी विचारों के प्रयोजनों में वृद्धि की। शून्य के समावेश के कारण अंकगणनाओं की पद्धति में काफी सरलता आ गई। हिंदुओं द्वारा आविष्कृत स्थैतिक पद्धति, जिसमें दशमलव बिंदु के बाईं ओर किसी अंक की स्थिति मूलान्क ( radix ) का घात, अथवा आधार दस, निर्देशित करती है, अन्य प्राचीन पद्धतियों की अपेक्षा सुदृढ़ है। प्रयोग एवं सिद्धांत रूप में किसी पूर्णांक को २ की मापनी द्वारा व्यक्त करना बहुत सुगम है।


**घनात्मक पूर्णांक** — प्रागैतिहासिक काल में संख्या की विचारधारा समान समुदायों से प्रस्फुटित हुई। दो समुदाय समान कहे जाते हैं, यदि उनके तत्त्व एक एककी सजावितता द्वारा संबद्ध हों। किसी समुदाय की गणना संख्या उन समस्त समुदायों का कुलक है जो उसके समान हैं। उदाहरणार्थ समस्त युग्मों का कुलक संख्या २ का निरूपण करता है, समस्त त्रियों का कुलक संख्या ३ निर्दिष्ट करता है, इत्यादि। संख्या ० वह कुलक है जिसका सदस्य केवल मोक्ष समुदाय है। अतः इस परिभाषा के द्वारा हम दो संख्याओं का योग और गुणन व्यक्त कर सकते हैं और योग के क्रमविनिमेय ( commutative ) एवं साहचर्य ( associative ) नियमों को सिद्ध कर सकते हैं :  $a + b = b + a$  और  $a + (b + c) =$

$(a + b) + c$ । गुणन के क्रमविनिमेय, साहचर्य और वितरण ( distributive ) नियम भी सिद्ध किए जा सकते हैं, जैसे  $a \times b = b \times a$ ,  $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$  और  $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$ ।

**अध्यात्मक पूर्णांक** — अध्यात्मक गणना संख्याओं - १, - २, - ३, ... के उपानयन के फलीभूत व्याकसन ( subtraction ) की क्रिया का निर्वाह उपयोग किया जा सकता है। यदि दो पूर्णांक  $a$  और  $b$  दिए हों, तो एक अन्य निश्चित पूर्णांक  $d$  ऐसा होगा कि  $a = b + d$  बटित हो, और हम  $d = a - b$  लिख सकते हैं।

पिनो ( Peano ) ने १९०० ई० के लगभग घनात्मक पूर्णांकों का समस्त अंकगणित पाँच स्वयंसिद्धियों ( axioms ) के समुदाय से विकसित किया है।

भाग की कठिनाइयाँ दूर करने के लिये परिमेय ( rational ) संख्याओं का समावेश किया गया है। ये संख्याएँ  $p/q$  जैसी होती हैं, जिनमें  $p$  कोई पूर्णांक और  $q$  कोई अन्य अशून्य पूर्णांक है। परिमेय संख्याओं के समुदाय में योग, व्याकसन, गुणन और भाग की क्रियाएँ संभव हैं, किंतु किसी परिमेय संख्या का भिन्नात्मक घात सामान्यतः संभव नहीं है। उदाहरण के लिये,  $\sqrt{2}$  परिमेय



संख्या नहीं है। ज्यामितीय रूप में यदि हम एक द्विसमबाहु समकोणीय त्रिभुज  $ABC$  ऐसा बनाएँ कि  $AB = AC = 1$  हो, तो  $(BC)^2 = 2$  होगा।  $\sqrt{2}$  जैसी एक वास्तविक संख्या, जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय ( irrational ) कहलाती है। जॉर्ज कैंटर ( १८७१ ई० ) ने अपरिमेय संख्याओं के सिद्धांत को विकसित किया है। वास्तविक संख्याओं की, जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ दोनों समाविष्ट हैं, परिमेय संख्याओं  $x_n$ ,  $y_n$  के अनंत अनुक्रमों  $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$ ,  $y = (y_1, y_2, y_3, \dots)$  द्वारा इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि  $x_n, y_n$  इस भाँति अभिसरित ( converge ) होती हैं कि  $m$  और  $n$  के अनंत की ओर बढ़ने पर  $|x_m - x_n|, |y_m - y_n|$  शून्य की ओर अग्रसर हों। हम  $x$  को अनुक्रम  $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$  की सीमा मानते हैं। दो संख्याएँ  $x$  और  $y$  समान होंगी, यदि  $n$  के अनंत रूप से बढ़ने पर  $|x_n - y_n|$  शून्य की ओर अग्रसर हो।

डेडकिंड ( १८७२ ई० ) ने वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्याओं के दो वर्गों  $L$  और  $R$  की धारणा देकर व्यक्त किया है। प्रत्येक परिमेय संख्या या तो  $L$  वर्ग में आती है या  $R$  वर्ग में, और  $L$  का प्रत्येक सदस्य  $R$  के प्रत्येक सदस्य के समान, या उससे छोटा,

होता है। परिमेय संख्याओं का इन दो वर्गों, L और R, में विभाजन डेडेकिंड (Dedekind) परिच्छेद कहलाता है और परिमेय संख्याओं का एक परिच्छेद, जिसमें दोनों वर्ग आते हो और लघुतर वर्ग में कोई महत्तम संख्या न हो, वास्तविक संख्या कहा जाता है। बर्ट्रैंड रसेल ने इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया है, तदनुसार परिमेय संख्याओं की राशियों के क्रम में अवस्थित भेरी का एक खंड वास्तविक संख्या होगा। डेडेकिंड की परिभाषा कैटर की परिभाषा के समतुल्य सिद्ध की जाती है।

इस पद्धति द्वारा व्यक्त वास्तविक संख्याएँ योग, गुणन और भाग (शून्य द्वारा छोड़कर) की क्रियाओं के योग्य होती हैं। किंतु यदि हम एक बीजीय समीकरण, यथा  $x^2 = -1$ , पर विचार करें, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या x का अस्तित्व नहीं होगा जिसके लिये  $x^2 = -1$  हो। यदि हम  $i = \sqrt{-1}$  को एक काल्पनिक संख्या मान लें और योग तथा गुणन के नियमों का पालन करें, तो हमें संमिश्र संख्याओं:  $a + ib = a + \sqrt{-1}b$  की धारणा स्पष्ट हो जाएगी। बीजगणित के मूलभूत प्रमेय द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि वास्तविक अथवा संमिश्र गुणकों  $a_n, n \geq 1, a_n \neq 0$ , वाले प्रत्येक बीजीय समीकरण

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n = 0 \dots \dots (1)$$

की तुष्टि कम से कम एक संमिश्र संख्या  $Z = x + iy$  द्वारा होती है।

पूर्णिक गुणको वाले समीकरण (1) की तुष्टि जो संख्याएँ करती हैं, उन्हें बीजीय संख्याएँ कहते हैं। वास्तविक या संमिश्र संख्याएँ, जो बीजीय नहीं हैं, अबीजीय (transcendental) कहलाती हैं। उदाहरण के लिये,  $\pi = 3.14\dots$  और  $e = 2.718\dots$  अबीजीय संख्याएँ हैं। प्रायः समस्त वास्तविक संख्याएँ इस अर्थ में अबीजीय होती हैं कि यदि R अंतराल (0, 1) में अवस्थित परिमेय संख्याओं के कुलक को, A उसी अंतराल में अवस्थित बीजीय संख्याओं के कुलक को, I उसी अंतराल में अवस्थित अपरिमेय संख्याओं के कुलक को और T उसी अंतराल में अवस्थित संख्याओं के कुलक को निरूपित करें, तो  $R \subset A$  और  $m(R) = \text{कुलक } R$  का मान  $= 0$ ,  $m(A) = 0$ ,  $m(I) = 1$  और  $m(T) = 1$  होगा। ल्यूवील (Liouville) ने सिद्ध किया है कि n घात वाली वास्तविक बीजीय संख्या n से अधिक किसी वर्ण को उपनयनशील नहीं है। इस प्रमेय द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि संख्याएँ :

$$\left\{ \begin{aligned} &= 10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-3} + \dots, \\ &= \frac{1}{10^1} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \dots \end{aligned} \right.$$

$$n = \frac{1}{10^1} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \dots$$

अबीजीय हैं।

ज्यामितीय दृष्टिकोण से संमिश्र संख्याओं को समतल पर निरूपित कर सकते हैं; संख्या  $z = x + iy$  उस बिंदु द्वारा निरूपित होगी जिसके निचामक (x, y) हों। इस समतल को तब संमिश्र समतल कहते हैं।

संमिश्र संख्याओं को विस्तार देने पर चतुर्भुज संख्याएँ (Quaternions) प्राप्त होती हैं। इनका रूप  $a + bj + ck + dl$

जैसा होता है, जिसमें a, b, c, d, वास्तविक हैं। ऐसी दो संख्याओं का योग संमिश्र संख्याओं की भाँति व्यक्त किया जाता है, और गुणन की व्याख्या  $j^2 = k^2 = l^2 = -1$ ,  $jk = l$ ,  $kj = -l$ ,  $kl = j$ ,  $lk = -j$ ,  $ly = k$ ,  $jl = -k$  जैसे समीकरणों (जो  $i^2 = -1$  के व्यापक रूप हैं) की सहायता से होनी है। अति-संमिश्र संख्याएँ भी इसी प्रकार व्यक्त की जा सकती हैं।

सं० अं० — जी० एच० हार्डी : ए कोर्स इन प्योर मैथेमेटिक्स (१९३५); ई० लडाऊ : ग्रंडलागेन डर एनालिसिस (१९३०); बी रसेल : इंट्रोडक्शन टू मैथेमेटिकल फिलॉसोफी (१९१०); जी० बर्कहीफ और एस० मैकलेन : ए सर्वे ऑफ मॉडर्न ऐल्जेबरा (१९४०) ई० डब्ल्यू० हॉबसन : टयूरी ऑफ फंक्शन ऑफ ए रीयल वेरियेबिल, खंड १ (१९२७)। [स्व० मो० शा०]

**संख्या पद्धतियाँ (Numeral Systems)** हरेक भाषा में कुछ न कुछ अंक अवश्य होते हैं। इकाई की संकल्पना से 'एक' की और अनेकता की संकल्पना से 'दो' की रचना हुए बिना नहीं रहती। अव्यवस्थित संख्यालेखन कदाचित् ही किसी भाषा में होगा। ऑस्ट्रेलिया की भाषाओं, यूहन — कुरी आदि, तथा वहाँ की मध्य दक्षिणी भाषाओं में ऐसी अव्यवस्था है। अंडमन द्वीपों और मलक्का के वासियों ने एक और दो के लिये अंक तो बनाए हैं, लेकिन जोड़ते वे एक एक करके ही हैं। ऐसी ही बात दक्षिण अमरीका की शिकीटो के बारे में है। व्यवस्थित पद्धतियों के संक्षिप्त विवरण ये हैं :

युग्मक पद्धति में एक और दो के लिये अंक हैं और ३ को  $2+1$  (अर्थात् एक युग्म और एक), ४ को  $2+2$  इत्यादि के रूप में प्रकट करते हैं। यह पद्धति ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी की जातियों, अफ्रीका की बुशमैन, दक्षिण अमरीका की पथूजियन, यमन, स्वादिकी, शिपया आदि जातियों में है। इस पद्धति की उत्पत्ति शरीर के उन अंगों को देखकर हुई जो जोड़ों में हैं।

चतुष्टक पद्धति में चार से अधिक संख्याएँ, संयोजन द्वारा, इस प्रकार प्रकट की जाती हैं :  $5 = 4 + 1$ ,  $6 = 4 + 2$ ,  $7 = 4 + 3$  या  $2 \times 4$ । विशेष रूप से कैलिफोर्निया में सलिना जाति द्वारा यह पद्धति प्रयुक्त होती है। वहाँ आकाश के चार भागों का धर्म, परंपरा और देवकथाओं में विशेष महत्त्व है।

षष्टक पद्धति मूल रूप से उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका की हुका, बुलंदा, एफो जातियों में प्रचलित है। प्रागे चलकर यह द्वादश पद्धति में विकसित हुई। इसकी विशेषता यह है कि १२ के निःशेष खंड कितने ही हो जाते हैं। इसी कारण यह ज्योतिष, लंबाई मापन और मुद्राप्रणाली में प्रचलित हुई।

पंचक पद्धति अविकल रूप से दक्षिण अमरीका के सरावेका की अरोवक भाषा में मिलती है। अन्यत्र इसका संयोजन दशमक या विंशति पद्धति के साथ हो गया है। विंशति पद्धति में आचार २० है। इसे पंचक, दशमक और युग्मक पद्धतियों से संयुक्त पाया जाता है। इन पद्धतियों का आरंभ हाथ और पैर की अंगुलियों से हुआ। इस प्रकार 'पंच' का अर्थ हाथ, दस का अर्थ दोनों हाथ, १५ का अर्थ दोनों हाथ और एक पैर

तथा २० का अर्ध दोनों पेर और हाथ, अर्थात् पूर्वा मनुष्य, हो जाता है।

पंचक विभक्ति पद्धति प्रायः ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूगिनी के कुछ भागों में, एशिया-यूरोप की सीमा पर और तिब्बती-बर्मी भाषाओं के हिमालयी बर्ग में है। दशमक विभक्ति पद्धति, मुंडा भाषाओं, हिमालय के तिब्बती-चीनी बर्गों और काकेशिया की भाषाओं में प्रचलित है।

दशमक पद्धति के पंचक - दशमक रूप में द्वितीय पंचक की संख्याएँ पाँच में जोड़कर बनती हैं, यथा ६ = ५ + १, या गुणों द्वारा, यथा ६ = ३ × २, या ध्याकलन द्वारा भी, यथा ६ = १० - १। यह पद्धति कृषिप्रधान सभ्यताओं में प्रचलित हुई। मकीका की बंदू, नीलोटी, ब्यूल, भोजकी और मन्कू भाषाओं में इसका विशेष प्रचलन है।

शुद्ध दशमक पद्धति में पंचक का प्रयोग नहीं होता। इसकी उत्पत्ति यायावर ( खानाबदोश ) बर्गों में हुई, जिन्हें गाय, घोड़े, ऊँट, भेड़ के कुँडों को गिनने होते थे। तब से फैलते फैलते अब यह पद्धति विश्वव्यापी हो गई है। केवल मेक्सिको और मध्य अमरीका में, अब भी ज्योतिष में प्रयुक्त होने के कारण, विभक्ति पद्धति सुरक्षित है। [ ह० चं० गु० ]

**संख्यासिद्धांत** को गाउस (Gauss) गणित की रानी कहता था। यह सिद्धांत मुख्यतः प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, ... के गुण बर्गों का अध्ययन करता है। पूर्णता के विचार से इन संख्याओं में हम ऋण संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जब तक निरिचत रूप से न कहा जाय, तब तक संख्या से कोई प्राकृतिक संख्या, धन, या ऋण पूर्ण संख्या या शून्य समझना चाहिए।

अभाज्य (prime) तथा संयुक्त (composite) संख्याओं का भेद बतलाना ही प्राकृतिक संख्याओं का पहला वर्गीकरण है, जिसका उपानयन इनके अध्ययन में हुआ है।

उन संख्याओं को अभाज्य कहते हैं, जिनके धन विभाजक केवल दो ही होते हैं। संयुक्त संख्याओं के धन विभाजक दो से अधिक होते हैं। 1 का विभाजक केवल एक ही है, अतः 1 न तो अभाज्य संख्या है और न संयुक्त। अभाज्य संख्याओं को p से निरूपित किया जाता है।

अंकगणित के मूल प्रमेय (fundamental theorem) की प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रत्येक पूर्ण संख्या (integer), जो एक से बड़ी है, या तो अभाज्य है, या अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में निरूपित हो सकती है। उन दो गुणनफलों को, जिनमें एक ही गुणनखंड विभिन्न क्रम में रखे गए हैं, सर्वसम (identical) कहते हैं, उदाहरणार्थ : 360 = 2. 2. 2. 3. 3. 5. यह प्रमेय स्वयंसिद्ध सा प्रतीत हो सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिये अनेक उपपत्तियाँ उपलब्ध हैं।

इस गणित की रानी के अनुपम गुणों में से एक गुण, जिसके कारण छोटे बड़े सभी प्रकार के गणितज्ञ इसकी ओर आकर्षित हुए हैं, यह है कि संख्या सिद्धांत के अनेक प्रश्न साधारण विद्यालयों के विद्यार्थियों की समझ में तो आ जाते हैं, परंतु हल करने में वे

हलने सरल नहीं हैं। उदाहरणस्वरूप, गोल्डबैक (Goldbach) के अनुमान को लें, जिसके अनुसार प्रत्येक सम संख्या  $> 6$ , दो अभाज्यों के योगफल के रूप में निरूपित की जा सकती है। इस अनुमान का सत्यापन तो बहुत अधिक हो गया है, परंतु अभी तक इसको सिद्ध करने में, या इसको असत्य करने में किसी गणितज्ञ की सफलता नहीं मिली है। इसके विपरीत एक ही उदाहरण इसको असत्य ठहराने के लिये पर्याप्त होगा, जब कि इसके पक्ष में लाखों उदाहरण इसकी सत्यता को सिद्ध ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकते। विनोग्रेडोव (Vinogradov) की विधि से हम इस अनुमान के निकट पहुँचते हैं। यह सिद्ध किया जा चुका है कि सब बड़ी विषम संख्याएँ तीन अभाज्यों के योगफल हैं।

यदि कोई संख्या यच्छ्रया (at random) दी गई है, तो सामान्यतः यह कहना संभव नहीं है कि वह संख्या अभाज्य है अथवा नहीं, जबकि किसी भी संयुक्त संख्या n का एक विभाजक अवश्य ही  $\leq \sqrt{n}$  है। यदि n बड़ी संख्या है, तो इसकी जाँच में बहुत श्रम करना पड़ेगा। इस श्रम को कम करने की कई विधियाँ निकाली गई हैं, परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

सिद्धांततः n एक अभाज्य संख्या है, यदि और केवल यदि n द्वारा  $(n-1)! + 1$  विभाज्य है। (उदाहरणतः,  $6! + 1 = 721$ , जो अभाज्य संख्या 7 से विभाज्य है तथा एक संयुक्त संख्या 6 द्वारा  $5! + 1$  विभाज्य नहीं है)। यह विल्सन (Wilson) का प्रमेय है।

यूलिड (Euclid) ने एक बहुत ही सरल ढंग से यह सिद्ध किया है कि अभाज्यों की संख्या अनंत है। मान लिया कि अभाज्यों की संख्या सीमित है और ये संख्याएँ केवल 2, 3, 5, ..., p हैं। निम्नलिखित संख्या पर विचार करें :

$$N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \dots p + 1$$

N एक ऐसी संख्या है जो 1 से बड़ी है और 2, 3, 5, ..., p अभाज्यों में से किसी भी अभाज्य से विभाज्य नहीं है, तब यह संख्या N या तो अभाज्य होगी, या किसी ऐसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है जो हमारे अभाज्यों की सूची में नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि अभाज्यों की हमारी सूची अपूर्ण है और प्रमेय सत्य है।

यमल अभाज्य (Twin primes) — उन दो अभाज्यों को, जिनमें 2 का अंतर होता है, यमल अभाज्य कहते हैं। इस प्रकार के यमल 3, 5; 5, 7; 11, 13; 17, 19; 29, 31, ... हैं। यह ज्ञात नहीं है कि यमल अभाज्यों की संख्या सीमित या असीमित है। यमल अभाज्यों के संबंध में एक दूसरी रुचिकर बात यह है कि यद्यपि सभी क्रमागत अभाज्यों के व्युत्क्रमों (reciprocals) से बनी हुई श्रेणी :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$$

अपसारी (divergent) है, तथापि श्रेणी

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{13}\right) + \dots$$

जो धनसंख्याओं के श्रृंखलाओं से बनी है, अभिसारी (convergent) है।

अभाज्य संख्या प्रमेय (Prime Number Theorem) — अभाज्यों का वितरण (distribution) बड़ा बेसुका है और  $k$ वें ( $k$ th) अभाज्य के लिये कोई सूत्र देना संभव नहीं है। यदि  $x$  बड़ी संख्या है, तो उन अभाज्यों की संख्या का आकलन (estimate) जो  $\leq x$  है, दिया जा सकता है। यदि  $\pi(x)$  उन अभाज्यों की संख्या है जो  $\leq x$  हैं, तो

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\log_e x} = 1$$

यही अभाज्य संख्या प्रमेय है। एरडॉस (Erdos) और सेलबर्ग (Selberg) ने १९४९ ई० में इसकी प्रारंभिक उपपत्ति दी थी। हैडामार्ड (Hadamard) और डी ला वासी पॉसिन (de la' valle Paussin) ने इसकी विश्लेषणात्मक उपपत्ति १८९६ ई० में ही दी थी।

आयलर का टोटिएंट फलन (Euler's Totient Function) — दो संख्याओं  $a$  और  $b$  के महत्तम समापवर्तक (G. C. D.) को साधारणतः संकेत  $(a, b)$  द्वारा निरूपित करते हैं; उदाहरणस्वरूप  $(36, 28) = 4$ । जब  $(a, b) = 1$ , तो  $a$  और  $b$  को परस्पर अभाज्य कहते हैं।  $\phi(n)$  से हम उन संख्याओं की संख्या निरूपित करते हैं जो  $n$  के प्रति अभाज्य हैं और  $n$  से बड़ी नहीं हैं। यह आयलर का टोटिएंट फलन है। इस फलन का संख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है।

$\phi(1) = 1, \phi(2) = 1, \phi(3) = 2, \phi(4) = 2, \dots$   
और सामान्यतः

$$\phi(n) = n \prod_{p/n} (1 - p^{-1})$$

जहाँ  $p/n$  से ज्ञात होता है कि गुणनफल में  $n$  के सभी अभाज्य विभाजक सम्मिलित हैं।

समशेषताएँ (Congruences) — दो पूर्ण संख्याओं  $a$  और  $b$  (धन, ऋण या शून्य) को मापांक  $m$  (modulo  $m$ ) के प्रति समशेष (congruent) कहते हैं, जब  $m$  से  $a - b$  विभाज्य है। इसकी हम लोग निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं :

$$a \equiv b \pmod{m}$$

व्यापकता को कुछ आघात पहुँचाए बिना, यह कहा जा सकता है कि  $m$  धनात्मक पूर्णांक है।

समशेषता के गुणधर्म समीकरणों के गुणधर्मों के समान हैं। यदि  $a \equiv b \pmod{m}$  और  $c \equiv d \pmod{m}$ , तब  $a+c \equiv b+d \pmod{m}$  और  $ac \equiv bd \pmod{m}$ ।

यदि  $x$  का एक बहुपदीय फलन  $f(x)$  है, जिसमें  $x$  के गुणक पूर्णांक हैं और  $a \equiv b \pmod{m}$ , तो  $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$ , परंतु यदि  $ab \equiv ac \pmod{m}$ , तो यह आवश्यक नहीं है कि  $b \equiv c \pmod{m}$ , उदाहरणार्थ  $2 \equiv 6 \pmod{4}$ , परंतु  $1$  और  $3$  समशेष नहीं हैं  $\pmod{4}$  के प्रति।

$ab \equiv ac \pmod{m}$  से जो उचित फल निकाला जा सकता है, वह केवल यही है कि  $b \equiv c \pmod{m/(a, m)}$ । समशेषता की इस संकन पद्धति (notation) का एक बड़ा लाभ यह है कि इसकी सहायता से संख्या सिद्धांत के बहुत से फलों को सुंदर ढंग से निरूपित किया जा सकता है।

संपूर्ण और लघुकृत अवशेषों का समुच्चय (Complete and Reduced Residue Sets) — समशेषता संबंध तुल्यता संबंध है। इसका अर्थ यह है कि निम्नांकित सावध सत्य है :

- (1)  $a \equiv a \pmod{m}$ ; (2)  $a \equiv b \pmod{m}$  का अर्थ  $b \equiv a \pmod{m}$  है।  
(3)  $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m}$  का अर्थ  $a \equiv c \pmod{m}$  है।

इसलिये समशेषता संबंध पूर्णांकों (integers) के समुच्चय को अनुत्थता के वर्गों में इस प्रकार बाँटता है कि एक वर्ग के प्रत्येक दो पूर्णांक मापक  $m$  के प्रति समशेष हैं और भिन्न भिन्न वर्गों के दो पूर्णांक मापक  $m$  के प्रति समशेष नहीं हैं। यदि  $m$  वर्गों में से प्रत्येक वर्ग से एक एक पूर्णांक लिया जाए, तो मापांक  $m$  के प्रति संपूर्ण अवशेषों का एक एक समुच्चय प्राप्त होगा। इस प्रकार  $-3, 3, 2, 12, 14, 20, -6$  मापांक  $7$  के प्रति संपूर्ण अवशेषों का समुच्चय है। मापांक  $m$  के प्रति सरलतम अवशेषों का समुच्चय (१)  $0, 1, 2, 3, \dots, m-1$  है और (२) निरपेक्ष लघुतम संपूर्ण अवशेषों का समुच्चय निम्नांकित है :

- $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm (m-1)/2$ , जब  $m$  विषम है  
तथा  $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm (m-2)/2$ , जब  $m$  सम है।

इसी प्रकार यदि  $m$  के प्रति अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लिया जाए, तो वे  $\phi(m)$  तुल्यता के ऐसे वर्गों में बाँट सकते हैं कि किसी एक वर्ग की प्रत्येक १ संख्याएँ मापांक  $m$  के प्रति समशेष होंगी और भिन्न भिन्न वर्गों की कोई १ संख्याएँ मापांक  $m$  के प्रति समशेष नहीं हैं। पहले की भाँति यदि प्रत्येक वर्ग से एक एक संख्या ली जाय, तो मापांक  $m$  के प्रति लघुकृत अवशेषों का एक समुच्चय प्राप्त होता है।  $m=12$  के लिये इस प्रकार का एक समुच्चय  $1, 5, 7, 11$  है।

यह स्मरणीय है कि यदि मापांक  $m$  के प्रति संपूर्ण अवशेषों के समुच्चय अवयवों को  $m$  के सापेक्ष किसी अभाज्य संख्या  $r$  से गुणा किया जाए, तो मापांक  $m$  के प्रति संपूर्ण अवशेषों का एक दूसरा समुच्चय प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि मापांक  $m$  के प्रति लघुकृत अवशेषों के समुच्चय के सभी अवयवों को  $m$  के सापेक्ष किसी अभाज्य संख्या  $r$  से गुणा किया जाए, तो मापांक  $m$  के प्रति लघुकृत अवशेषों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होगा। इससे निम्नांकित आयलर फेर्माट (Euler-Fermat) प्रमेय प्राप्त है :

$$r^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \text{ यदि } (r, m) = 1$$

कुछ संख्यासैद्धांतिक फलन (Some Number-Theoretic Functions) — उन फलनों को जो चर के पूर्णांक मानों के किसी समुच्चय के लिये परिभाषित हैं, संख्यासैद्धांतिक फलन

कहते हैं। इस प्रकार का एक फलन  $\phi(n)$  है, जिसकी परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है। कुछ अन्य फलन निम्नलिखित हैं :

- (१)  $\sigma(n)$  : प्राकृतिक संख्या  $n$  के विभाजकों का जोड़;  
 (२)  $d(n)$  :  $n$  के विभाजकों की संख्या।

यदि किसी संख्या  $n$  का निरूपण  $p_1^{a_1}, p_2^{a_2}, p_3^{a_3}, \dots, p_k^{a_k}$  है, जहाँ सभी  $p$  एक दूसरे से भिन्न अभाज्य हैं, तो

$$d(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1)(a_3 + 1) \dots \dots$$

$$(a_1 + 1) = \prod_{i=1}^k (a_i + 1)$$

$$\text{और } \sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

(३)  $\text{pot}_p(n)$  (जिसको आषार  $p$  पर  $n$  का पोटेंसी पड़ते हैं) अभाज्य  $p$  का वह महत्तम घात है, जो  $n$  को विभाजित करता है। उदाहरणार्थ  $\text{pot}_2(300) = 2$  और  $\text{pot}_2(n!) = [n/p] + \text{pot}_2([n/p]!)$ , जब यहाँ, और आगे भी,  $[x]$  का अर्थ  $x$  में महत्तम पूर्णांक होता है। उदाहरणार्थ :  $[3 \cdot 2] = 3$ ।

एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संख्या सिद्धांतिक फलन मोबियस (Moebius) फलन है, जो निम्नवत् परिभाषित होता है :

$$\mu(1) = 1;$$

$\mu(n) = 0$ , जब  $n$  का कोई विभाजक 1 से बड़ा और वर्ग संख्या हो;

$\mu(n) = (-1)^r$ , जब  $n = p_1 p_2 p_3 \dots p_r$  और सभी  $p$  एक दूसरे से भिन्न अभाज्य हैं।

यह स्मरणीय है कि  $n > 1$  के लिये

$$\sum_{d|n} \mu(d) = 0$$

जहाँ संकेत  $d|n$  से प्रकट होता है कि जोड़  $n$  के सभी विभाजकों से होकर जाता है। उदाहरणार्थ मान लिया कि  $n = 12$ , तब

$$\sum_{d|12} \mu(d) = \mu(1) + \mu(2) + \mu(3) + \mu(4) + \mu(6) + \mu(12)$$

$$= 1 + (-1) + (-1) + 0 + 1 + 0 = 0$$

टोटिएंट फलन (Totient function) के लिये इसी प्रकार का फल निम्नलिखित है :

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n$$

विख्यात मोबियस व्युत्क्रम सूत्र (Moebius inversion formula) की प्रतिज्ञा के अनुसार

$$\text{यदि } F(n) = \sum_{d|n} f(d), \text{ तब } f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F(n/d)$$

उदाहरणार्थ, चूँकि  $n = \sum_{d|n} \phi(d)$ , इसलिये

$$\phi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) n/d = n \sum_{d|n} \mu(d)/d$$

यहाँ पर ल्युविल फलन (Liouville's function)  $\lambda(n)$  का, जो निम्नलिखित संबंधों द्वारा परिभाषित है, वर्णन किया जा सकता है :

$$\lambda(1) = 1; \lambda(pn) = -\lambda(n), \text{ जहाँ } p \text{ एक अभाज्य है।}$$

पोल्या (Polya) ने अनुमान लगाया था कि

$$L(n) = \sum_{j=1}^n \lambda(j), \text{ 0 से बड़ा नहीं है, जब } n > 1$$

हाल ही में थार. शरमैन लीमन (R. Sherman Lehman) ने इसको असत्य सिद्ध किया है। इन्होंने दिखा दिया है कि  $L(n)$  घनात्मक है, जब  $n = 90,62,00,000; 90,63,00,000; 90,64,00,000$  या  $90,64,70,000$ ।

रैखिक समशेषता (Linear Congruence) — उन समशेषताओं को, जिनका रूप  $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  की तरह है, जहाँ  $a, b$ , और  $m$  पूर्ण संख्याएँ हैं, रैखिक समशेषता कहते हैं। ऐसी समशेषताओं के हल हैं यदि, और केवल यदि,  $(a, m) | b$  (किसी समशेषता के मूल या हल के अस्तित्व का अर्थ है कि इस प्रकार की पूर्ण संख्याएँ (integers)  $x$  हैं, जो समशेषता को सन्तुष्ट करती हैं)।

यदि किसी समशेषता का एक ही हल, मान लिया  $c$  है, तब मापांक  $m$  के प्रति  $c$  के समशेष सभी संख्याएँ भी इस समशेषता के हल हैं। इस प्रकार के सभी हल सर्वसम (identical) माने जाते हैं। मापांक  $m$  के प्रति किसी समशेषता को हल करने के लिये  $x$  के केवल  $0, 1, 2, 3, \dots, m-1$  मानों पर ही विचार करना चाहिए, जब  $(a, m) | b$ , तब समशेषता का कोई हल नहीं होता अन्यथा इसके यथार्थत.  $(a, m)$  हल होते हैं।

इस स्थल पर इसका भी उल्लेख किया जा सकता है कि यदि  $f(x)$ ,  $x$  में एक बहुपदीय फलन है, जिसके सभी गुणक पूर्ण संख्याएँ हैं और जिसमें  $x$  का  $k$  है, तो समशेषता  $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$  के हलों संख्या, जहाँ  $p$  अभाज्य है,  $k$  से अधिक नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की कोई ऐसी समशेषता है, जो  $x$  के  $k$  अधिक असमशेष मानों से संतुष्ट होती है, तो अवश्य ही यह एक सर्वसम समशेषता होगी, अर्थात्  $f(x)$  में  $x$  के सभी गुणक  $p$  से विभाज्य हैं। उदाहरणार्थ, समशेषता

$$(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \equiv x^4 - 1 \pmod{5}$$

एक ऐसी समशेषता है, जिसमें  $x$  का महत्तम घात 3 है, परंतु, जो  $x$  के चार मानों 1, 2, 3, 4 से संतुष्ट होती है। अतः अवश्य ही यह एक सर्व समशेषता है। इसका सरलीकरण करने पर हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में यह समशेषता निम्नलिखित प्रकार से लिखी जा सकती है :

$$10x^4 - 35x^3 + 50x^2 - 25x \equiv 0 \pmod{5}$$

इसका प्रत्येक गुणक 5 से विभाज्य है।

अथवा  $n$  प्राकृतिक संख्याओं में से किन्हीं  $r$  संख्याओं के गुणन-फलों के योगफलों को निरूपित करनेवाले फलन  $G(n, r)$  के गुणधर्मों तथा उनके व्यापीकरण का अध्ययन हंसराज गुप्त द्वारा कुछ विस्तारपूर्वक किया गया है, जिससे आँसलर फेर्मा प्रमेय, बिस्सन



प्रमेय तथा इन्हीं के सट्टा कुछ अन्य प्रमेयों का व्यापीकरण हो सका है।

**वर्ग अवशेष (Quadratic Residues)** — रैखिक समशेषता के पश्चात् कोई भी व्यक्ति स्वभावतः वर्ग समशेषता पर विचार करना चाहेगा। इस प्रकार की समशेषताएँ, जैसा अंतिम विश्लेषण (final analysis) से ज्ञात होता है, ऐसी समशेषताओं पर निर्भर हैं जिनका रूप निम्नलिखित है :

$$x^2 \equiv n \pmod{p}, \quad p \text{ एक अभाज्य है और } (n, p) = 1$$

$n$  के उन मानों को, जिनके लिये इस समशेषता के हल हैं, मापांक  $p$  के वर्ग अवशेष कहते हैं और  $n$  के उन मानों को, जिनके लिये इनका कोई हल नहीं है, मापांक  $p$  के वर्ग अनावशेष (Quadratic non-residues) कहते हैं। विषम अभाज्य  $p$  के लिये यथार्थतः  $(p-1)/2$  वर्ग अवशेष और इतने ही वर्ग अनावशेष हैं।

मापांक  $p$  के प्रति  $n$  के वर्ग अवशेष के लक्षण को दिखाने के लिये लज्हाद्र (Legendre) ने एक साकेत  $(n/p)$  का उपानयन किया। परिभाषा के अनुसार  $(n/p) = 1$ , जब  $p$  का वर्ग अवशेष  $n$  है और  $(n/p) = -1$ , जब  $p$  का वर्ग अनावशेष  $n$  है और  $(n/p) = 0$ , जब  $p | n$ ।

$$\frac{p-1}{2}$$

घायलर ने सिद्ध किया कि  $(n/p) \equiv n \pmod{p}$ ।

गाउस ने बहुत अधिक व्यापक निकष (criterion) प्रदान किया, जिससे वर्गात्मक व्युत्क्रमता (quadratic reciprocity) का नियम प्राप्त होता है। इसके अनुसार यदि  $p$  और  $q$  दो विषम अभाज्य हैं, तब

$$(p/q)(q/p) = (-1)^{PQ}$$

जहाँ  $P = (p-1)/2$  और  $Q = (q-1)/2$ । इस फल के पूरक के तौर पर हमको प्राप्त है :

$$(2/p) = (-1)^R, \quad \text{जहाँ } R = (p^2 - 1)/8$$

घायलर के निकष से यह फल निकलता है कि  $4k+1$  के रूप के सभी अभाज्यों का वर्ग अवशेष  $-1$  है और  $4k-1$  रूप के किसी भी अभाज्य का अवशेष  $-1$  नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी पूर्ण संख्याओं  $x$  का अस्तित्व है कि

$$x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

केवल उसी समय जब  $p$  का रूप  $4k+1$  का है। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि केवल इसी प्रकार के अभाज्यों का ही निरूपण दो वर्गों के योग के रूप में, और वह भी एक अद्वितीय ढंग से, हो सकता है। उदाहरणार्थ,

$$29 = 5^2 + 2^2$$

वस्तुतः यदि कोई संख्या दो वर्गों के योग के रूप में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न विधियों से निरूपित की जा सकती है, तो वह संयुक्त संख्या है, परंतु इसका किसी भी सत्य नहीं है। इसपर अधिक वर्षों हम लोगों को वर्ग रूपों (quadratic forms) जैसे मोहक विषय के अध्ययन की ओर खींच ले जाएगी।

**पूर्वगत मूल और घातांक (Primitive Roots and Indices)** — यदि  $(a, m) = 1$ , तब एक ऐसे पूर्णांक  $k > 0$  का अस्तित्व है कि

$a^k \equiv 1 \pmod{m}$ , परंतु  $a$  और  $1$  समशेष नहीं हैं  $\pmod{m}$  के प्रति, जब  $0 < j < k$ । इस  $k$  को  $a$  मापांक  $m$  का क्रम (order) कहते हैं। हम लोग यह भी कहते हैं कि  $k$  मापांक से  $a$  संबद्ध है।

यदि किसी ऐसी पूर्ण संख्या  $g$  का, जो  $m$  के लिये अभाज्य है, इस प्रकार अस्तित्व है कि यह मापांक  $m$  के  $\phi(m)$  से संबद्ध है, तो  $g$  को  $m$  का पूर्वगत मूल (Primitive Root) कहते हैं। पूर्वगत मूलों का अस्तित्व सर्वदा नहीं रहता। 15 का कोई पूर्वगत मूल नहीं है। 15 से छोटी और इसके प्रति अभाज्य संख्याएँ केवल 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 और 14 हैं। ये क्रम से 1, 4, 2, 4, 4, 2, 4 और 2 मापांक 15 से संबद्ध हैं। इस प्रकार 15 के प्रति कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो  $\phi(15) = 8$  मापांक 15 से संबद्ध हो। ऐसी संख्याएँ जिनके पूर्वगत मूल हैं, निम्नांकित हैं।

$$n = 2, 4, p^k, 2p^k;$$

जहाँ  $p$  एक विषम अभाज्य है और  $k \geq 1$ । इनमें से प्रत्येक के पूर्वगत मूलों की संख्या  $\phi\{\phi(n)\}$  है। उदाहरणार्थ, 7, 9 98 343 के पूर्वगत मूल हैं।

यदि  $m$  का पूर्वगत मूल  $g$  है, तो संख्याएँ

$$g, g^2, g^3, \dots, g^{\phi(m)}$$

मापांक  $m$  के लघुगुणित अवशेषों का एक समुच्चय बनाती हैं। प्रत्येक  $n$  के लिये, जो  $m$  के प्रति अभाज्य है, एक ऐसे अद्वितीय  $j \leq \phi(m)$  का अस्तित्व है कि

$$g^j \equiv n \pmod{m}$$

मापांक  $m$  के प्रति घातार  $g$  के  $n$  का घातांक यही  $j$  है। हम लोग इसको निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं :

$$\text{घात}_g n = j, \{ \text{ind}_g n = j \}$$

यहाँ पर मापांक  $m$  सुप्त है। चूँकि

$$g^{j+\phi(m)} \equiv g^j \equiv n \pmod{m}$$

घात  $n_1 + \text{घात}_g n_2 \equiv \text{घात}_g (n_1, n_2) \pmod{\phi(m)}$ । यह देखा जाएगा कि लघुगुणक के नियमों के समान ही नियम घाताकों पर लागू हैं। यदि घाताकों की सारणी दी हो, तो कुछ विशेष प्रकार की समशेषताएँ हल हो जाती हैं। उदाहरण के लिये, निम्नलिखित समशेषता पर विचार करें।

$$x^4 \equiv 2 \pmod{7}$$

अब  $2$  का पूर्वगत मूल  $3$  है और घात  $2 = 2$ । इसलिये घाताकों को लेकर

$$4 \text{ घात}_g x \equiv 2 \pmod{6}$$

यह एक रैखिक समशेषता है। इसको हल करने से

$$\text{घात}_g x = 2, 5$$

$$\text{अतः } x \equiv 3^2, 3^5 \pmod{7}$$

$$\equiv 2, 5 \pmod{7}$$

**संख्याओं का बँटवारा (Partitions of Numbers)** — यह

उन प्रकारों में से एक है, जिनकी ओर विद्वाने ५० वर्षों में बहुत ध्यान दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन विधियों की संख्या प्राप्त करना है जिनसे एक दी हुई प्राकृतिक संख्या  $n$  दूसरी प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में निरूपित की जा सकती है। योग के घटकों की संख्या प्रतिबंधित (restricted), या अप्रतिबंधित (unrestricted), हो सकती है। घटक स्वयं निर्दिष्ट (specified) या अनिर्दिष्ट हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, 7 को लोजिए। योग के रूप में यह निम्नलिखित विभिन्न विधियों से व्यक्त किया जा सकता है (घटकों का क्रम विसंगत है) :

7; 6+1; 5+2; 4+3; 5+1+1; 4+2+1; 3+3+1;  
3+2+2; 4+1+1+1, 3+2+2; 2+2+2+1; 3+1+1  
+1+1; 2+2+1+1+1; 2+1+1+1+1+1; 1+1+1  
+1+1+1+1

7 के ये 15 अप्रतिबंधित बंटवारे हैं।  $n$  के अप्रतिबंधित बंटवारे की संख्या को हम  $p(n)$  लिखते हैं और  $n$  को ठीक  $k$  घटकों के रूप में निरूपित करने की विधियों की संख्या को  $p(n, k)$  लिखते हैं। इस प्रकार

$p(7, 1) = 1$ ;  $p(7, 2) = 3$ ;  $p(7, 3) = 4$ ;  $p(7, 4) = 3$ ;  
 $p(7, 5) = 2$ ,  $p(7, 6) = 1$ ;  $p(7, 7) = 1$  और  $p(7) = 15$ .

मीलर, चावला और गुप्त ने अनुमान किया कि पर्याप्त रूप से एक बड़ी संख्या  $n$  के लिये यथार्थतः एक ऐसी संख्या  $k$  है कि

$p(n, 1) < p(n, 2) < \dots < p(n, k-1) < p(n, k) > p(n, k+1) > \dots > p(n, n-2) > p(n, n-1)$

जी० जेकरीश (G. Szekeres) ने ऐसे  $k$  के लिये एक सूत्र ज्ञात किया है, परंतु अभी तक इस अनुमान की व्यापकता की उत्पत्ति नहीं दी गई है।

प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ रामानुजन ने  $n \geq 200$  के  $p(n)$  के मानों की सारणी का अध्ययन करते समय निम्नांकित अनुमान लगाया था :

यदि  $24n - 1 \equiv 0 \pmod{5^a 7^b 11^c}$ ,  $a, b, c, \geq 0$   
तब अवश्य ही  $p(n) \equiv 0 \pmod{5^a 7^b 11^c}$

यह अद्भुत अनुमान गलत निकल गया, क्योंकि जब गुप्त ने बंटवारे की सारणी को  $n = 300$  तक बढ़ाया, तो देखा गया कि जब  $n = 243$ , तब

$24n - 1 \equiv 0 \pmod{7^3}$   
 $p(n) = 13397 82593 44888 \equiv 0 \pmod{7^3}$ ,  
परंतु 0 समशेष नहीं है  $\pmod{7^3}$  के प्रति

रामानुजन के अनुमान के गलत सिद्ध हो जाने पर डी० एच० लेहमर (D. H. Lehmer), वाटसन (Watson) और अन्य जनों ने इसपर बहुत काम किया और अंत में जी० एन० वाटसन (G. N. Watson) और ए० ओ० एल्० आटकिन (A. O. L. Atkin) यह सिद्ध करने में सफल हो गए कि

यदि  $24n - 1 \equiv 0 \pmod{5^a 7^b 11^c}$ ,  $a, b, c \geq 0$   
तब  $p(n) \equiv 0 \pmod{5^a 7^b 11^c}$ , जहाँ  $d = [(b+2)/2]$ ।

$p(n)$  के लिये समशेषता के अनेक संबंध ज्ञात हो गए हैं, परंतु अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि  $n$  के किस प्रकार के मान के लिये  $p(n)$  विषम है और किसके लिये सम है।

एच० राडेमाकर (H. Rademacher) ने  $p(n)$  के लिये एक अभिसारी (convergent) श्रेणी दी है। हार्डी और रामानुजन (Hardy and Ramanujan) ने एक अपसारी (divergent) श्रेणी दी थी, जिसके प्रथम कुछ पदों से  $p(n)$  का ऐसा निकटतम मान प्राप्त होता था जिससे  $p(n)$  का मान बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार हार्डी-रामानुजन-श्रेणी के प्रथम 8 पदों से यह प्राप्त होता है कि

$p(300) = 9 25308 29367 23602 \cdot 0040$

जिसका सही उत्तर से केवल  $\cdot 0040$  का अंतर है।

वॉरिंग का प्रश्न (Waring's Problem) — वॉरिंग के आदर्श प्रमेय की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रत्येक प्राकृतिक संख्या  $n$  का निरूपण अधिकतम  $l$  पूर्ण संख्याओं के  $k$  वें घात के जोड़ के रूप में हो सकता है, जहाँ

$$l = [(3/2)^k] + 2^k - 2$$

एस० एस० पिल्लै (S S Pillai) तथा एल० ई० डिकसन (L. E. Dickson) ने इस प्रमेय को प्रायः सभी  $k$  के लिये सिद्ध कर दिया है।

अभाज्यों तथा 1 के घातों से राबधित प्रश्नों का अध्ययन गुप्त द्वारा किया गया है, परंतु निश्चित रूप से कुछ सिद्ध नहीं हो सका है। [ह० रा० गु०]

**संगरूर १.** जिला, पंजाब राज्य (भारत) का एक जिला, तहसील तथा नगर है। जिले का क्षेत्रफल ७,८५० वर्ग किमी० तथा जनसंख्या १४,२४,६८८ (१९६१) है। इसमें १,००६ गाँव तथा १७ नगर हैं। प्रति वर्गमील जनसंख्या का घनत्व ४७० है। संगरूर जिला, लुधियाना जिला के दक्षिण तथा पटियाला जिला के पश्चिम में स्थित है। बरातल मैदानी है, जहाँ कुएँ और नहरों से सिंचाई होती है। कृषि मुख्य उद्यम है, जिसकी प्रमुख उपजें गेहूँ, गन्ना, कपास, तिलहन और दलहन हैं। पहले के मालेरकोटला, नाभा, और जींद राज्यों के भाग अब इसी जिले के अंतर्गत आ गए हैं। घग्गर नदी जिले के मध्य से प्रवाहित होती है।

२. नगर स्थिति : ३०° १२' उ० अ० तथा ७५° २३' पू० दे०। नगर की जनसंख्या २८,३४४ (१९६१ ई०) तथा क्षेत्रफल १८१३ वर्ग किमी० है। यह उपर्युक्त नाम के जिला एवं तहसील का मुख्यालय है। यह रेलों द्वारा धौरी से होकर लुधियाना, पटियाला और मटिया से मिला हुआ है। [धा० ला० का०]

**संघीत** गान मानव के लिये प्रायः उतना ही स्वाभाविक है जितना भाषण। कब से मनुष्य ने गाना प्रारंभ किया, यह बतलाना उतना ही कठिन है जितना कि कब से उसने बोलना प्रारंभ किया। परंतु

बहुत काल बीत जाने के बाद उसके गान ने व्यवस्थित रूप धारण किया। जब स्वर और लय व्यवस्थित रूप धारण करते हैं तब एक कला का प्रादुर्भाव होता है और इस कला को संगीत, म्यूजिक या मोसीकी कहते हैं।

युद्ध, उत्सव और प्रार्थना या भजन के समय मानव गाने बजाने का उपयोग करता चला आया है। संसार में सभी जातियों में बांसुरी इत्यादि पूँक के वाद्य (सुषिर), कुछ तार या तंतु के वाद्य (तत), कुछ चमड़े से बड़े हुए वाद्य (ध्वनन या ध्वनन), कुछ ठोंककर बजाने के वाद्य (घन) मिलते हैं।

ऐसा जान पड़ता है कि भारत में भरत के समय तक गान को पहले केवल गीत कहते थे। वाद्य में जहाँ गीत नहीं होता था, केवल दाड़ा, दिङ्दिङ जैसे शुष्क अक्षर होते थे, वहाँ उसे निर्गीत या बहिर्गीत कहते थे और नृत्य अथवा नृत्य की एक अलग कला थी। किंतु धीरे धीरे गान, वाद्य और नृत्य तीनों का 'संगीत' में अंतर्भाव हो गया — 'गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रय संगीतमुच्यते'। भारत से बाहर अन्य देशों में केवल गीत और वाद्य को संगीत में गिनते हैं, नृत्य को एक भिन्न कला मानते हैं। भारत में भी नृत्य को संगीत में केवल इसलिये गिन लिया गया कि उसके साथ बराबर गीत या वाद्य अथवा दोनों रहते हैं। हम ऊपर कह चुके हैं कि स्वर और लय की कला को संगीत कहते हैं। स्वर और लय गीत और वाद्य दोनों में मिलते हैं, किंतु नृत्य में लय मात्र है, स्वर नहीं। हम संगीत के अंतर्गत केवल गीत और वाद्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि संगीत केवल इसी अर्थ में अन्य देशों में भी व्यवहृत होता है।

भारतीय संगीत में यह माना गया है कि संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि मानव इतनी उच्च कला को बिना किसी देवी प्रेरणा के, केवल अपने बल पर, विकसित नहीं कर सकता।

भारतीय संगीत का आदि रूप वेदों में मिलता है। वेद के काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु उसका काल ईसा से लगभग २००० वर्ष पूर्व था — इसपर प्रायः सभी विद्वान् सहमत हैं। इसलिये भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम ४००० वर्ष प्राचीन है।

वेदों में बाण, वीणा और कर्करि इत्यादि तत वाद्यों का उल्लेख मिलता है। ध्वनन वाद्यों में दुंदुभि, गंगर इत्यादि का, घनवाद्यों में घ्राघाट या घ्राघाटि और सुषिर वाद्यों में बाकुर, नाडी, तूणव, शंख इत्यादि का उल्लेख है। यजुर्वेद में ३०वें कांड के १६वें और २० वें मंत्र में कई वाद्य बजानेवालों का उल्लेख है जिससे प्रतीत होता है कि उस समय तक कई प्रकार के वाद्यवादन का व्यवसाय ही चला था।

संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत सामवेद में मिलता है। उस समय 'स्वर' को 'यम' कहते थे। साम का संगीत से इतना घनिष्ठ संबंध था कि साम को स्वर का पर्याय समझने लग गए थे। छांदोग्योपनिषद् में यह बात अग्रन्तः के रूप में स्पष्ट की गई है। 'का साम्नो गतिरिति? स्वर इति होवाच' (छा० उ० १।८।४)।

(अथ 'साम की गति क्या है?' उत्तर 'स्वर'। साम का 'स्व' अपनाना 'स्वर' है। 'तस्य हितस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं, तस्य स्वर एव स्वम्' (वृ० उ० १।१।२५) अर्थात् जो साम के स्वर को जानता है उसे 'स्व' प्राप्त होता है। साम का 'स्व' स्वर ही है।

वैदिक काल में तीन स्वरों का गान सामिक कहलाता था। 'सामिक' शब्द से ही जान पड़ता है कि पहले 'साम' तीन स्वरों से ही गाया जाता था। ये स्वर 'ग रे स' थे। धीरे धीरे साम गान चार, पाँच, छह और सात स्वरों के होने लगे। छह और सात स्वरों के तो बहुत ही कम साम मिलते हैं। अधिक 'साम' तीन से पाँच स्वरों तक के मिलते हैं। साम के यमो (स्वरो) की जो संज्ञाएँ हैं उनके उनकी प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। जैसा हम कह चुके हैं, सामगायको को स्पष्ट रूप से पहले 'ग रे स' इन तीन यमों (स्वरो) की प्राप्ति हुई। इनका नाम हुआ—प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये सब अग्रोही क्रम में थे। इनके अनंतर नि की प्राप्ति हुई जिसका नाम चतुर्थ हुआ। अधिकतर साम इन्हीं चार स्वरों के मिलते हैं। इन चारों स्वरों के नाम साक्षात्क शब्दों में हैं। इनके अनंतर जो स्वर मिले उनके नाम वर्णनात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इससे इस कल्पना की पुष्टि होती है कि इनकी प्राप्ति बाद में हुई। 'गांधार' से एक ऊँचे स्वर 'मध्यम' की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम 'ऋष्ट' (जोर से उच्चारित) पड़ा। निषाद से एक नीचे का स्वर जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम 'मद्र' (गंभीर) पड़ा। जब इससे भी नीचे के एक और स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम पड़ा 'प्रतिस्वार अथवा प्रतिस्वार्य'। इसका अर्थ है स्वरण (ध्वनन) करने की अंतिम सीमा।

साभाव्य स्वरों के नियत क्रम का जो मूह है वह संगीत में 'साम' कहलाता है। यूरोपीय संगीत में इसे 'स्केल' कहते हैं।

हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे विकसित होकर साम का पूर्ण ग्राम इस प्रकार बना —

ऋष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मद्र, प्रतिस्वार्य। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि साम का ग्राम अग्रोही क्रम का था। नीचे हम सामग्राम और उनकी आधुनिक सज्ञाओं को एक सारणी में देते हैं :

साम	आधुनिक	
ऋष्ट	मध्यम	(म)
प्रथम	गांधार	(ग)
द्वितीय	ऋषभ	(रे)
तृतीय	षड्ज	(स)
चतुर्थ	निषाद	(नि)
मद्र	धैवत	(ध)
प्रतिस्वार्य	पंचम	(प)

सामगान के प्रायः सात भाग होते हैं—हुंकार अथवा हिकार, प्रस्ताव, आदि उद्गीष, प्रतिहार, उपद्रव और निषन। इसके मुख्य गायक को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता के दो सहायक गायक होते

हैं जिनको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहते हैं। गान एक हिंकार अथवा हुंकार से प्रारंभ होता है जिसका उच्चार उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं। इसके मुख्य भाग को उद्गाण कहते हैं। इसे उद्गाता गाता है। इसके अनंतर एक भाग होता है जिसे प्रतिहार कहते हैं। इसे प्रतिहर्ता गाता है। इसके अनंतर जो भाग आता है उसे उपद्रव कहते हैं। इसे उद्गाता गाता है। निधन या अंतिम भाग को उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ मिलकर गाते हैं। अंत में सब एक साथ मिलकर प्रणव अर्थात् ओंकार का सस्वर उच्चारण करते हैं।

**सामगान की स्वरलिपि** — सामगान की अपनी विशिष्ट स्वर-लिपि ( नोटेशन ) है। लोगों में एक भ्रांत धारणा है कि भारतीय संगीत में स्वरलिपि नहीं थी और यह यूरोपीय संगीत का परिधान है। सभी वेदों के सस्वर पाठ के लिये उदात्त, अनुदात्त और स्वर्गित के विशिष्ट चिह्न हैं, किंतु सामवेद के गान के लिये ऋषियों ने एक पूरी स्वरलिपि तैयार कर ली थी। ससार भर में यह सबसे पुरानी स्वरलिपि है। सुमेर के गान की भी कुछ स्वरलिपि यत्र-तत्र खुदी हुई मिलती है। किंतु उसका कोई साहित्य नहीं मिलता। अतः उसके विषय में विशिष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु साम के सारे मंत्र स्वरलिपि में लिखे मिलते हैं, इसलिये वे आज भी उसी रूप में गाए जा सकते हैं।

प्राजकाल जितने भी सामगान के प्रकाशित ग्रंथ मिलते हैं उनका स्वरलिपि संख्यात्मक है। किसी साम के पहले प्रकार पर लिखी हुई १ से ५ के भीतर की जो पहली संख्या होती है वह उस साम के प्रारंभिक स्वर की सूचक होती है। ६ और ७ की संख्या प्रारंभ में कभी नहीं दी होती। इसलिये इनके स्वर प्रारंभिक स्वर नहीं होते। हम यह देख चुके हैं कि सामग्राम अवरोही क्रम का था। अतः उसके स्वरों की सूचक संख्याएँ अवरोही क्रम में ही लेनी चाहिए।

प्रायः १ से ५ के अर्थात् मध्यम से निषाद के भीतर का कोई न कोई प्रारंभिक स्वर अर्थात् षड्ज स्वर होता है। संख्या के पास का 'र' अक्षर दीर्घत्व का द्योतक है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित 'षाड्यदोहम्' साम के स्वर इस प्रकार होंगे :

२	२	२	२	३	४	५	
हाउ	हाउ	हाउ	भा	ज्य	दो	हम्।	
सऽ	सऽ	सऽ	सऽ	नि	ष	ऽ	
मू <sup>२</sup>	मि <sup>३</sup>	दा <sup>४</sup>	वा <sup>५</sup>	३	म <sup>६</sup>	र।	
सऽ	रेऽ	रेऽ	रेऽ	सऽ	नि	रे	
२	३	४	५	२	३	४	५
भा	ज्य	दो	हम्।	भा	ज्य	दो	हम्।
सऽ	नि	षऽ	प	सऽ	नि	षऽ	प
ति <sup>२</sup>	पु <sup>३</sup>	बि <sup>४</sup>	व्याः <sup>५</sup>				
स	नि	ष	प				

इस साम में रे, स, नि, ष, प—ये पाँच स्वर लगे हैं। संख्या के अनुसार निम्न निम्न सामों के प्रारंभिक स्वर बदल जाते हैं।

प्रारंभिक स्वरों के बदल जाने से निम्न निम्न मूर्च्छनाएँ बनती हैं जो जाति और राग की जननी हैं। सामवेद के काव्य में स्वर, ग्राम और मूर्च्छना का विकास हो चुका था। सामवेद में ताल तो नहीं था, किंतु लय थी। स्वर, ग्राम, लय और मूर्च्छना सारे संगीत के आधार हैं। इसलिये सामवेद को संगीत का आधार मानते हैं।

प्रातिशाक्य और क्लिप्ता काल में स्वरों के नाम षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हो गए। ग्राम का क्रम आरोही हो गया : स्वर के तीनों स्थान मंद्र, मध्य और उत्तम ( जिनका पीछे नाम पढ़ा मंद्र, मध्य और तार ) निर्धारित हो गए। ऋक्प्रातिशाक्य में उपर्युक्त तीनों स्थानों और सातों स्वरों के नाम मिलते हैं।

वाल्मीकि रामायण में मेरी, दुंदुभि, मृदंग, पटह, षट, पणव, डिडिम, झाडवर, वीणा इत्यादि वाद्यों और जातिगायन का उल्लेख मिलता है। जाति राग का आदिक्रम है। महाभारत में सप्त स्वरों और गांधार ग्राम का उल्लेख आता है। महाजनक जातक ( लगभग २०० ई० पू० ) में चार परम महाशब्दों का उल्लेख है। इन्हें राजा उपाधि रूप में विद्वान् को प्रदान करता था।

पुरनातूरु और पस्तुपाट्टु ( १००-२०० ई० ) नामक तमिल ग्रंथों में अथनद्व ( अमड़े से मड़े हुए ) वाद्यों को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसे वाद्य का विशिष्ट स्थान होता था जिसे 'मुरसुकट्टिल' कहते थे। तमिल के परिपादल ( १००-२०० ई० ) ग्रंथ में स्वरों और सात पालइ का उल्लेख है। 'पालइ' मूर्च्छना से मिलता है। उसमें 'याल' नामक तंत्री वाद्य का भी उल्लेख है। 'याल' के एक प्रकार में एक सहस्र तक तार होते थे।

बलिष्ठ के एक बौद्ध नाटक सिलप्यडिगारम् ( ३०० ई० ) में भी कुछ संगीतविषयक बातों का समावेश है। इसमें वीणा, याल, वांसुरी, पटह इत्यादि वाद्यों के वादकों का जिक्र है। उस समय के प्रचलित रागों का भी इसमें उल्लेख है। उसी समय के 'तिवाकरम्' नामक एक जैन कोष में भी संगीत के विषय में कुछ जानकारी दी गई है। इसमें संपूर्ण षाडव और षोडश रागों का उल्लेख है तथा २२ श्रुतियों और सात स्वरों का भी वर्णन है।

कालिदास के नाटकों में संगीत की चर्चा इतस्ततः आई है। मालविकाग्निमित्र में तो संगीत में दो शिष्यों की पूरी प्रतियोगिता ही दिखलाई गई है।

भारतीय संगीत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलता है वह है भरत का नाट्यशास्त्र। भरत के काल के विषय में विवाद है। यह एक संग्रह ग्रंथ है। इसलिये इसके काल का निर्णय करना और कठिन हो गया है। विद्वान् लोग इसका काल लगभग ई० पू० ५०० से ४०० ई० तक मानते हैं। नाट्यशास्त्र में श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्च्छना, जाति और ताल का विचार विवेचन किया गया है। भरत ने श्रुतियों का विचार स्वर की स्थापना के लिये किया है। उन्होंने ४ श्रुतियों के अंतराल पर षड्ज रखा है, उसके अनंतर ३ श्रुतियों के अंतराल पर ऋषभ, २ श्रुतियों के अंतराल पर गांधार, ४ श्रुतियों के अंतराल पर मध्यम, फिर ४ श्रुतियों के अंतराल पर पंचम, ३ श्रुतियों के अंतराल पर धैवत, और २ श्रुतियों के

अंतराल पर निषाद रखा है। इस प्रकार श्रुतियों की कुल संख्या २३ मानी है। भरत ने षड्जग्राम और मध्यमग्राम ऐसे दो ग्राम माने हैं। ऊपर जो श्रुतियों का अंतराल दिया है वह षड्ज ग्राम का है। यह ग्राम षड्ज से प्रारंभ होता है। इसलिये इसका षड्जग्राम नाम पड़ा। जो ग्राम मध्यम से प्रारंभ होता है उसका नाम है 'मध्यम ग्राम'। मध्यम ग्राम में मध्यम चतुःश्रुति, पंचम त्रिश्रुति, षेवत चतुःश्रुति, निषाद द्विश्रुति, षड्ज चतुःश्रुति, ऋषभ त्रिश्रुति, एवं गांधार द्विश्रुति होता है। गांधार ग्राम भरत को मान्य नहीं है।

मूर्च्छना का अर्थ है उभर या चमक। सात स्वरों के क्रमयुक्त प्रयोग की संज्ञा मूर्च्छना है (क्रमयुक्ता स्वराः सप्त मूर्च्छनास्त्वभिर्संज्ञिताः-भरत, ब० स० अ० २८ पु० ४३५)। भरत ने षड्ज और मध्यम दोनों ग्रामों में सात सात मूर्च्छनाएँ मानी हैं। मूर्च्छनाएँ 'जाति' गान का आधार थीं। विशिष्ट स्वर विशेष प्रकार के सन्निवेश में 'जाति' कहलाते थे। जिसमें ग्रह, संश, तार, मंद्र, स्यास, अपस्यास, अन्पत्व, बहुत्व, षाडवत्व और षोडशत्व के नियमों द्वारा स्वर-सन्निवेश किया जाता था, वह 'जाति' कहलाता था। जातिगान संगीत की बहुत विकसित अवस्था का सूचक है। भरत के समय में जातिगान परिपूर्ण अवस्था पर पहुँचा हुआ था। जाति ही राग की जननी है। भरत ने सात ग्रामराग भी गिनाए हैं और यह बतलाया है कि वे जाति से प्रादुर्भूत होते हैं।

नाट्यशास्त्र में चच्चत्पुट, चाचपुट अथवा चंचूपुट, षट्पितापुत्र अथवा पंचपाणि, संपत्केष्टक, उद्वद्व अथवा उद्वद्व तालों का उल्लेख है। ये क्रमशः ८, ६, १२, १२, और ६ मात्राओं के ताल थे।

मद्रास प्रदेश के कुडुमियमालद स्थान में एक उत्कीर्ण लेख मिला है जो संभवतः ७वीं ई० शती का है। इसमें सात जातियों, सात स्वरों और कुछ श्रुतियों का तथा अंतर गांधार और काकलि निषाद का उल्लेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में सातवीं शती तक संगीत की पर्याप्त उत्पत्ति हो चुकी थी और उसके मुख्य विषय उत्तर से दक्षिण तक प्रसिद्ध और ग्राह्य हो चुके थे।

कुछ लोग नारदीय शिक्षा को भी ७ वीं शती के आसपास का ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ के देखने से तो यही पता चलता है कि यह भरत के नाट्यशास्त्र से अधिक प्राचीन है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम का उल्लेख तो है ही, वैदिक संगीत और गात्रवीणा का भी विशद वर्णन है। नाट्यशास्त्र में वैदिक संगीत का वर्णन नहीं है।

भरत के अनंतर मत्तंग ने संगीत पर बहुत प्रकाश डाला है। उनका काल लगभग ८५० ई० है। उनकी बृहदेशी जाति और राग, गांधर्व और देशी संगीत के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने 'द्वादशस्वर मूर्च्छना' पद्धति चलाई, जिसका लगभग २०० वर्ष तक प्रभुत्व रहा। अभिनव गुप्त (लगभग १००० ई०) ने अपने ग्रंथ "अभिनव भारती" में द्वादश स्वर मूर्च्छनाविधि का खंडन किया है।

११ वीं शती में मिथिला के राजा नान्यदेव ने 'सरस्वती हृदयार्थ-कार' ग्रंथ की रचना की। यह भरत के संगीत पर एक विस्तृत और सारमर्म भाष्य है। इस ग्रंथ के अभी तक थोड़े से ही भाग मिले हैं।

पश्चिमी चालुक्यों के बंशज महाराज सोमेश्वर संगीत के प्रकांड विद्वान् थे। उन्होंने अपने 'अभिलवितार्थ चिंतामणि' के चौथे प्रकरण में एक हजार एक सौ सोलह श्लोक संगीत पर लिखे हैं। भिन्न प्रकार के प्रबंधों का उदाहरण इस ग्रंथ की विशेषता है। इनका राज्यकाल ११२७-११३४ ई० है।

सोमेश्वर के पुत्र प्रतापचक्रवर्ती हुए जिनका दूसरा नाम जगदेक-मल्ल था। इनका राज्यकाल ११३४ से ११४३ ई० तक रहा। इन्होंने 'संगीत सूडामणि' नामक ग्रंथ की रचना की। यह बहुत प्रामाणिक ग्रंथ था। अब यह केवल खंडित रूप में मिलता है। बड़ोदा ओरिएण्टल इंस्टिट्यूट ने इस खंडित ग्रंथ को १९५८ में प्रकाशित किया है। इसमें स्वर, प्रबंध, ताल और राग के प्रकरण दिए हुए हैं। ताल का वर्णन इसमें बहुत विस्तृत है।

चालुक्यवंशीय सौराष्ट्रनरेश महाराज हरिपाल संगीत के प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनका काल ११७५ ई० है। इन्होंने 'संगीत सुधाकर' नामक ग्रंथ की रचना की है जो अभी तक अप्रकाशित है। इसमें लगभग ७० रागों का वर्णन है। इसमें नृत्य, वाद्य और गीत तीनों का प्रतिपादन हुआ है।

सोमराज देव ने ११८० में 'सगीतरत्नावली' की रचना की। इनका दूसरा नाम सोमभूपाल था। यह सम्राट् अजयपाल के वेत्रधर थे। इनके ग्रंथ में स्वर, ग्राम, प्रबंध, राग, ताल, सभी का विशद वर्णन है। इन्होंने एकसंज्ञी और आलापिनी वीणा के भी लक्षण दिए हैं।

१२वीं शती ई० में जयदेव ने 'गीतगोविंद' की रचना की। इनका जन्म बोलपुर के पास कंदुला ग्राम में हुआ था। जयदेव ने विभिन्न राग और तालों में प्रबंध लिखे हैं। उन्होंने मालव, गुजरी, वसंत, रामकरी, मालवगौड़, कर्णाट, देशाक्षय, देशी, राडी, गोडकरी, भैरवी, वराडी, विभास, इत्यादि रागों और रूपक, यति, एकताल, इत्यादि तालों का प्रयोग किया है। अपने प्रबंधों को उन्होंने स्वर-लिपि नहीं दी है, अतः यह कहना कठिन है कि वह इन्हें किस प्रकार गाते थे। किंतु इतना स्पष्ट है कि १२वीं शती तक प्रबंध की गायन-शैली क्याति प्राप्त कर चुकी थी और कई राग और ताल लोकप्रिय हो गए थे।

पाल्कुरिक सोमनाथ ने तेलगु में १२७० ई० में 'पंडिताराध्य-चरितम्' नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग ३२ प्रकार की वीणाओं का उल्लेख है और मृदंग में समहस्त और वेशलम् इत्यादि की चर्चा है। इसके अतिरिक्त गमक, ठाय, नृत्य इत्यादि का भी इसमें विस्तृत वर्णन है।

भारतीय संगीत का 'नाट्यशास्त्र' के अनंतर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शाङ्गदेव का 'सगीतरत्नाकर' है। शाङ्गदेव के पूर्वज कश्मीर से आए थे और दक्षिण के यादववंश के देवगिरि के राजा के यहाँ नियुक्त हो गए। अतः शाङ्गदेव को उत्तर और दक्षिण दोनों की संगीतपद्धतियों के अध्ययन का सुधवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने समस्त भारतीय संगीत का विस्तृत शास्त्र 'सगीतरत्नाकर' में दिया है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, राग, प्रबंध, नृत्य, ताल सभी

पर प्रकाश डाला गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह भारतीय संगीत का आकर ग्रंथ है। इसकी रचना १३ वीं शती में हुई थी।

शाकंभरि के राजा हम्मीर ने लगभग १३०० ई० में 'शुभारहार' की रचना की। इसमें भाषारागों और देशी रागों का वर्णन है। १२० ताल और एकतंत्री, नकुला, किन्नीरी और मालापिनी इत्यादि वीणाओं की भी चर्चा है। जैन आचार्य पाण्डवेन ने लगभग १३०० में 'संगीत-समय-सार' की रचना की, जिसमें उस समय के संगीत का बहुत ही विस्तृत वर्णन है।

१४वीं और १५वीं शती में उत्तरी भारत के संगीत पर मुसलमानों के प्रभुत्व के कारण ईरानी संगीत का प्रभाव पड़ने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन (१२९५-१३१६ ई०) के दरबार में अमीर खुसरो संगीत के अध्येता थे। उन्होंने कबाली गान का प्रचार किया। कहा जाता है, सितार वाद्य का भी निर्माण इन्होंने किया। किंतु 'सह्यार' वाद्य ईरान में पहले से वर्तमान था। हो सकता है, इसका कुछ रूपांतर करके उन्होंने इसे भारत में प्रोत्साहन दिया हो। कहा जाता है, तबला भी इन्हीं का निर्माण किया हुआ है। स्याल गायकी का भी आरंभ इन्होंने किया। इन्होंने ईरानी धुनों का मिश्रण करके कुछ नए राग भी बनाए।

बीनपुर के सुलतान इब्राहीम शर्की (१४००-१४४० ई०) के समय मलिक सुलतान कड़ा (प्रयाग के समीप) के अधिपति थे। इनके पुत्र बहादुर मलिक संगीत के बहुत प्रेमी थे। इन्होंने प्रायः सभी संगीत-ग्रंथों को एकत्र किया और सारे भारत से संगीत के विद्वानों को आमंत्रित किया। उनको आदेश दिया कि सब ग्रंथों का अध्ययन करके एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें संगीत संबंधी मतभेदों का निरुध्य हो। इन पंडितों ने बहुत कुछ विचार विमर्श के अनंतर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम उन्होंने 'संगीतशिरोमणि' रखा। भारतीय संगीत के इतिहास में यह पहला प्रयत्न था जब विविध मतों पर विचार करके एक समन्वयात्मक ग्रंथ लिखा गया। इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश इस ग्रंथ के इस समय केवल प्रथम और चतुर्थ अध्याय ही प्राप्य हैं। यदि संपूर्ण ग्रंथ मिल जाय तो भारतीय संगीत पर बहुत बड़ा प्रकाश पड़ सकता है।

मेवाड़ के महाराणा कुंभ (१४३१-१४६६ ई०) जैसे वीर थे वैसे ही संगीत के भी बहुत प्रख्यात विद्वान् थे। यह भरत पद्धति से पूर्णतया परिचित थे। इन्होंने 'गीतगोविंद' पर रसिकप्रिया नाम की एक टीका लिखी और संगीत पर 'संगीतराज' नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ १६ सहस्र श्लोकों में पूर्ण हुआ है और गीत, वाद्य, नृत्य सभी पर इसमें पूर्ण प्रकाश डाला गया है।

लोचन कवि ने रागतरंगिणी का प्रणयन संभवतः १५वीं शती में किया। इसमें रागों का वर्गीकरण बारह ठाठों में किया गया है। १५वीं शती में महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से बंगाल में भक्तिसंगीत का अधिक प्रचार हुआ और संकीर्तन बहुत ही लोकप्रिय हो गया।

ग्यासियर के राजा मानसिंह तोमर (१५वीं शती) ने ध्रुवपद शैली के गायन का विकास किया। संभवतः नायक वैजू इनके दरबार में थे। इन्होंने हिंदी में 'मानकुतूहल' नामक ग्रंथ की रचना की।

संगीत पर हिंदी में कदाचित् यह पहला ग्रंथ है। इसमें उस समय के रागों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

मुगल बादशाहों में अकबर (१५५६-१६०५ ई०) ने संगीत को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया। इस काल में वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत के बहुत ही प्रख्यात आचार्य थे। कहा जाता है, तानसेन ने संगीत में इनसे शिक्षा पाई थी। इन्होंने सैकड़ों ध्रुवपद और धमार की रचना की। सूरदास, नंददास, कुमनदास, गोविंद-स्वामी इत्यादि वैष्णव कवियों ने 'विष्णुपद' की रचना की जो मदिरों में गाए जाते थे। ये छंद में आबद्ध थे, किंतु ध्रुवपद की शैली में गाए जाते थे।

तानसेन पहले रीवा के महाराज रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। अकबर ने उन्हें वहाँ से बुलवाकर अपना दरबारी गायक नियुक्त किया। तानसेन को प्रचलित गानपद्धति का ज्ञान तो था ही, वह प्राचीन संगीत पद्धति से भी परिचित थे। इन्होंने दरबारी कानडा, मियाँ की तोड़ी, मियाँपल्लार इत्यादि रागों का निर्माण किया। वह अनुपम गायक थे। उनके वंशजों ने ध्रुवपद धमार की गायकी और वीणा और रवाब वादन को २०वीं शती तक जीवित रखा।

१६वीं शती में पुंडरीक विठ्ठल संगीतशास्त्र के अच्छे विद्वान् हुए हैं। वह कर्णाटक के शिवगंगा नामक गाँव में पैदा हुए थे किंतु उनका अधिक समय बीता खानदेश प्रांत के बुरहानपुर नगर में। जब अकबर ने खानदेश को १५६६ में जीत लिया तो संभवतः वह दिल्ली आए। वह उत्तर भारतीय और कर्णाटक संगीत दोनों के पंडित थे। उनके लेख से ऐसा जान पड़ता है कि बुरहान खाँ ने उन्हें दोनों के समन्वय का आदेश दिया था। इन्होंने षड्रागचंद्रोदय, रागमाला, रागमंजरी और नर्तननिरुध्य नाम के चार ग्रंथ लिखे। उनके ग्रंथों में स्वयंभू स्वर का उल्लेख मिलता है।

कर्णाटक संगीत के विद्वान् रामामात्य ने १५५० ई० के लगभग 'स्वरमेलकलानिधि' की रचना की। इन्होंने १६ मेलों में रागों का वर्गीकरण किया। उनके ग्रंथ में भी स्वयंभू स्वर का उल्लेख मिलता है।

१६०६ ई० में सोमनाथ ने रागविबोध लिखा। यह दक्षिण में संभवतः राजमुंद्री के पास के रहनेवाले थे। इन्होंने रदबीणा, शुद्ध और मध्यम मेल वीणा का विस्तृत वर्णन दिया है। इन्होंने जनक और जन्य के आचार पर रागों का वर्गीकरण किया है।

तंजोर के राजा रघुनाथ ने अपने मंत्री गोविंद दीक्षित की सहायता से १६२० ई० में 'संगीतसुधा' का प्रणयन किया। इन्होंने पंद्रह मुख्य मेलों और पचास मुख्य रागों का विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने २६४ रागों का साधारण परिचय दिया है।

सन् १६३० ई० में व्यंकटमल्ली ने 'चतुर्दशीप्रकाशिका' लिखी। यह तंजोर के राजा रघुनाथ के सुपुत्र विजयराघव के आश्रय में थी। यह गोविंद दीक्षित के सुपुत्र थे। इन्होंने ७२ मेलों में रागों का वर्गीकरण किया है, और शुद्ध तथा मध्यममेल वीणा का वर्णन दिया है।

लगभग सन् १६३० ई० में दामोदर मिश्र ने 'संगीतदर्पण' लिखा जो उस समय के उत्तरी भारत के संगीत पर अच्छा प्रकाश डालता है। इन्होंने गीत, ताल और नृत्य तीनों का विस्तृत वर्णन किया है।

१७वीं शती में गोविंद ने 'संग्रहज्ञानमणि' लिखा। इसमें ७२ मेलकर्ता और वीणा का विस्तृत वर्णन है। गोविंद दक्षिण के निवासी थे। उन्होंने संभवतः १६८० और १७०० के बीच में उपर्युक्त ग्रंथ लिखा।

१७वीं शती में ही अहोबिल ने 'संगीतपारिजात' नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का महत्त्व यह है कि इसमें वीणा के तार की लंबाई के द्वारा स्वरों के अंतराल समझाए गए हैं।

१८वीं शती में श्रीनिवास ने 'रागतत्त्वविबोध' लिखा। इन्होंने भी वीणा के तार द्वारा शुद्ध और विकृत स्वरों के स्थान बतलाए हैं। १७वीं-१८वीं शती के बीच भावभट्ट ने अनूपविलास, अनूप संगीत-रत्नाकर और अनूपाकुश की रचना की। यह बीकानेर के महाराज अनूपसिंह ( १६७४-१७०६ ई० ) के दरबार के पंडित थे। इनके ग्रंथ उत्तर भारत के संगीत पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। अपने ग्रंथ में इन्होंने ध्रुवपद का भी उल्लेख किया है।

बैसे तो ख्याल की गायकी अमीर खुमरो से प्रारंभ हो गई थी, किंतु जोनपुर के शर्की राजाओं के समय में यह अधिक पनपी और मुहम्मद शाह (१७१६) के समय में पुष्पित हुई। इनके दरबार में अदरारग और सदरग दो प्रसिद्ध बिनकार और गायक थे। इन लोगो ने सबसे अधिक ख्याल गायकी को प्रोत्साहन दिया और सैकड़ों ख्यालो की विभिन्न रागों में रचना की।

१८वीं शती में तंजौर के मराठा राजा तुलजा जी ने 'संगीतसारा-धृतम्' की रचना की। यह संगीत के अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने २१ मेल माने हैं।

१८२३ ई० में पटना के मुहम्मद रजा ने 'नगमाते असफ़ी' की रचना की। इन्होंने मुख्य समानताओं के आधार पर रागों का वर्गीकरण किया है, और बिलाबल को शुद्ध ठाठ माना है।

जयपुर के महाराज प्रतापसिंह ( १७७६-१८०४ ई० ) ने देश भर के संगीत के विद्वानों को एकत्र किया। उन सबके परामर्श से 'संगीतसार' नामक ग्रंथ रचा गया। इसमें भी बिलाबल शुद्ध ठाठ माना गया है।

१९वीं शती में दक्षिण में श्यागराज ने बहुत सी कृतियों और कीर्तनों की रचना की। इन्होंने अपनी रचनाओं में रागों की स्वरसंगतियों को बहुत सुंदर रीति से ग्रंथित किया है। मुत्तुस्वामी वीक्षित और श्याम शास्त्री उनके समकालीन थे। इन्होंने भी बहुत सी सुंदर कृतियों और कीर्तनों की रचना की।

१९वीं शती के अंतिम भाग में बंगाल के राजा शरींद्र मोहन ठाकुर ने भारतीय संगीत को बहुत प्रोत्साहन दिया और 'यूनिवर्सल हिस्टरी आफ़ म्यूजिक' नामक ग्रंथ लिखा।

२०वीं शती में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने शास्त्रीय संगीत के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया और लगभग ३५-४० पुस्तकों में गीतों की स्वरलिपि में प्रकाशित किया।

पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीतशास्त्र पर 'हिंदुस्तानी संगीत पद्धति' नामक ग्रंथ चार भागों में प्रकाशित किया और ध्रुवपद, धमार, तथा ख्याल का संग्रह करके 'हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक' नामक ग्रंथ के छह भाग प्रकाशित किए।

तत्त वाद्यों में भारत में इस समय मुख्यतः वीणा, सितार, इसराज और सरोद तथा सारंगी उपयोग में आ रहे हैं। मुषिर वाद्यों में बाँसुरी, भलगोजा, शहनाई, तूर या तुम्ही, सिंगी (शुंगी) और झंझ, भवनद या आनद वाद्यो में मृदंग (पखावज), मर्दल (मावल या मादिलार) हुडक, कुंडुभि (नगाडा), डोलक या डोल, डमक, डफ, खजी, तथा घन वाद्यो में कठताल, झाँझ, और मजीग प्रचलित हैं।

भारत से बाहर सबसे प्राचीन संगीत सुमेरु, बबेरु (बाबल या बैबिलोनिया), असुर (असीरिया) और सुर (सीरिया) का माना जाता है। उनका कोई साहित्य नहीं मिलता। मंदिरों और राजमहलों पर उद्घृत कुछ वाद्यो से ही उनके संगीत का अनुमान किया जा सकता है। उनके एक वाद्य बलगु या बलगु का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान् इसका अर्थ एक भवनद वाद्य लगाते हैं और कुछ लोग धनुषाकार वीणा। एक तबलु वाद्य होता था जो आधुनिक डफ जैसा बना होता था। कुछ मंदिरों पर एक ऐसा उद्घृत तत वाद्य मिला है जिसमें पाँच से सात तार तक होते थे। एक गिगिद नामक बाँसुरी भी थी। बैबिलोनिया की कुछ शक्तिवाचो में कुछ शब्दों के साथ म, इ, उ इत्यादि स्वर लगे हुए मिलते हैं जिससे कुछ विद्वान् यह अनुमान लगाते हैं कि यह एक प्रकार की स्वरलिपि थी। जिस प्रकार से वेद का सस्वर पाठ होता था उसी प्रकार बैबिलोनिया में भी होता था और 'म' स्वरित वा चिह्न था, 'ए' विकृत स्वर का, 'इ' उदात्त का 'उ' अनुदात्त का। किंतु इस कल्पना के पोषक प्रमाण अभी नहीं मिले हैं।

चीन में प्राय पाँच स्वरों के ही गान मिलते हैं। सात स्वरों का उपयोग करनेवाले बहुत ही कम गान हैं। उनकी एक प्रकार की बहुत ही प्राचीन स्वरलिपि है। बौद्धों के पढ़ने पर यहाँ के संगीत पर कुछ भारतीय संगीत का भी प्रभाव पड़ा।

इरानी संगीत भी बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के संगीत पर सुमेरु — बैबिलोनिया इत्यादि के संगीत का प्रभाव पड़ा। वे लोग मंदिरों में जो गान करते थे उसे समप्र या साम कहते थे। इनका एक तत वाद्य होता था जिसको वे 'किन्नर' कहते थे।

मिस्र देश का संगीत भी बहुत ही प्राचीन है। इन लोगो का विश्वास था कि मानव में संगीत देवी आइसिस अथवा देव याच द्वारा आया है। इनका प्रसिद्ध तत वाद्य बिन या बिगत कहलाता था। मिस्र देश के लोग स्वर को हर्व कहते थे। इनके मंदिर संगीत के केंद्र बन गए थे। अफलातून, जो मिस्र देश में अठ्ठम शती के लिये गया था, कहता है, वहाँ के मंदिरों में संगीत के नियम ऐसी पूर्णता से बरते जाते थे कि कोई गायक यादक उनके विपरीत नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि कोई ३०० वर्ष ई० पू० मिस्र में लगभग ६०० वादकों का एक वाद्यबृंद था जिसमें ३०० तो केवल बिन बजानेवाले थे। इनके संगीत में कई प्रकार के तत, मुषिर, भवनद और घन वाद्य थे। मिस्र से पाइथागोरस और अफलातून दोनों ने संगीत

सीखा। यूनान के संगीत पर मिस्र के संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।

यूरोप में सबसे पहले यूनान में संगीत एक व्यवस्थित कला के रूप में विकसित हुआ। भारत की मूर्खनाओं की तरह यहाँ भी कुछ 'मोड़' बने जिससे अनेक प्रकार की 'धुनें' बनती थीं। यहाँ भी तब, सुबिर, भवनद्वय और धन बाद्य कई प्रकार के थे। यूरोप में पाश्चात्-गोरस पहला व्यक्ति हुआ है जिसने गणित के नियमों द्वारा स्वरों के स्थान को निर्धारित किया।

लगभग १६वीं शती से यूरोप में संगीत का एक नई विधा में विकास हुआ। इसे स्वरसंहति (हार्मनी) कहते हैं। संहति में कई स्वरों का मधुर मेल होता है, जैसे स, ग, प (षड्ज, गांधार, पंचम) की संहति। इस प्रकार के एक से अधिक स्वरों के गुच्छे को 'संघात' (कार्ड) कहते हैं। एक संघात के सब स्वर एक साथ भिन्न भिन्न बाधों से निकलकर एक में मिलकर एक मधुर कलात्मक वातावरण की सृष्टि करते हैं। इसी के आधार पर यूरोप के आर्केस्ट्रा (बृन्दवादन) का विकास हुआ है। स्वरसंहति एक विशिष्ट लक्षण है जिससे पाश्चात्य संगीत पूर्वीय संगीत से भिन्न हो जाता है।

सं० ०अ— नारदीय शिक्षा; रामकवि-भरतकोश; भातखण्डे— 'ए घाटं हिस्टारिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑव अपर इंडिया'; कुर्त-सासस — 'ए घाटं हिस्टरी ऑव वर्ल्ड म्यूजिक'। [ ज० दे० सि० ]

**संगीतगोष्ठी** पहले गायक या वादक अपने गायन या वादन का प्रदर्शन राजाओं या रईसों के सामुहिक करता था अथवा किसी धार्मिक उत्सव के समय मंदिरों में करता था। कभी कभी वह मेले इत्यादि में भी जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता था। किंतु उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा वह संगीत के एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम को जनता के सामने प्रस्तुत कर सके।

यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इत्यादि देशों में संगीत-गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ हुआ। इसे 'कंसर्ट' (concert) कहते हैं। संगीत सभाएँ या संगीत विद्यालय अथवा कुछ व्यवसायी लोगों ने संगीतगोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया। किसी अच्छे कलाकार या कलाकारों के गायन वादन का कार्यक्रम निश्चित करके विज्ञापन प्रकाशित किया जाने लगा। यह कार्यक्रम किसी बड़े भवन में संपन्न होता था। इस संगीतगोष्ठी में जनता का प्रवेश टिकट या चांदे के द्वारा होने लगा। इस प्रकार की संगीतगोष्ठियाँ अमरीका और अन्य देशों में प्रारंभ हुईं। बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार की गोष्ठियों के लिये विशाल गोष्ठीभवन (concert hall) या सभामंडप (Auditorium) बन गए। भारत में इस प्रकार की संगीतगोष्ठी का आयोजन बंबई, पूना, कलकत्ता इत्यादि बड़े नगरों में प्रारंभ हो गया है। इन संगीतगोष्ठियों के अतिरिक्त भारत में कई स्थानों में संगीतोत्सव या संगीतपरिषदों का आयोजन भी होता है जिनमें बहुत से कलाकार एकत्र होते हैं और उनका कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इनमें श्रोताओं का प्रवेश टिकट द्वारा होता है।

यूरोप में १८ वीं शती में संगीतगोष्ठी के आयोजन और संबंध के लिये बहुत सी संस्थाएँ स्थापित हो गईं। ये संस्थाएँ संगीत-

गोष्ठियों का आयोजन करके कहीं और संघित इन्ध में से कलाकार तथा आयोजन और प्रबंध के लिये एक भाग लेने लगीं। सामंतों और रईसों का आश्रय समाप्त होने पर कलाकारों के कार्यक्रम के आयोजन के लिये स्थान स्थान पर संस्थाएँ स्थापित होने लगीं और १९वीं शती तक इन संस्थाओं ने एक अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का रूप धारण कर लिया।

संगीतगोष्ठी के अर्थ के अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी और इटली में कंसर्ट एक विशिष्ट वाद्य-संगीत-प्रबंध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।

[ ज० दे० सि० ]

**संगीत नाटक अकादमी** भारत सरकार ने एक संसदीय प्रस्ताव द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करने का निर्णय किया। तदनुसार १९५३ में अकादमी की स्थापना हुई। १९६१ में अकादमी भंग कर दी गई और इसका नए रूप में संगठन किया गया। १९६० के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के अधीन यह संस्था पंजित हो गई। इसकी नई परिषद् और कार्य-कारिणी समिति का गठन किया गया। अकादमी अब इसी रूप में कार्य कर रही है।

संगठन व्यवस्था — संगीत नाटक अकादमी की एक महापरिषद् होती है जिसमें ४८ सदस्य होते हैं। इनमें से ५ सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं — एक शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि, एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त सलाहकार (पदेन), १-१ मनोनीत सदस्य प्रत्येक राज्य सरकार का, २-२ प्रतिनिधि सलित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के होते हैं। इस प्रकार मनोनीत ये २८ सदस्य एक बैठक में २० और सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये व्यक्ति संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में विश्वयात कलाकार और विद्वान् होते हैं। इनका चयन इस प्रकार से किया जाता है कि संगीत और नृत्य की विभिन्न पद्धतियों और शैलियों तथा विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार गठित महापरिषद् कार्यकारिणी का चुनाव करती है जिसमें १५ सदस्य होते हैं। सभापति का मनोनयन शिक्षा-मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उप-सभापति का चुनाव महापरिषद् करती है। सचिव का पद वैतनिक होता है और सचिव की नियुक्ति कार्यकारिणी करती है।

कार्यकारिणी कार्य के संचालन के लिये अन्य समितियों का गठन करती है, जैसे वित्त समिति, अनुदान समिति, प्रकाशन समिति आदि। अकादमी के संविधान के अधीन सभी अधिकार सभापति को प्राप्त होते हैं। महापरिषद्, कार्यकारिणी तथा सभापति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

अकादमी के सबसे पहले सभापति श्री पी० वी० राजमन्नार थे। दूसरे सभापति मैसूर के महाराजा श्री जयचामराज वडयार थे और वर्तमान सभापति श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। वर्तमान सचिव डा० सुरेश भवस्वी हैं।

उद्देश्य — संगीत नाटक अकादमी की स्थापना संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देना तथा उनके विकास और उन्नति के लिये विविध प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना है। संगीत



नाटक प्रकादमी अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश भर में संगीत, नृत्य और नाटक की संस्थाओं को उनकी विभिन्न कार्ययोजनाओं के लिये अनुदान देती है, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देती है; संगीत, नृत्य और नाटक के प्रशिक्षण के लिये संस्थाओं को वार्षिक सहायता देती है; विचारगोष्ठियों और समारोहों का संगठन करती है तथा इन विषयों से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के लिये मासिक सहायता देती है।

**कार्यक्रम :** प्रकादमी का इन कलाओं के अभिलेखन का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अधीन पारंपरिक संगीत और नृत्य तथा नाटक के विविध रूपों और शैलियों की फिल्में बनाई जाती हैं, फोटोग्राफ लिए जाते हैं और उनका संगीत टेपरिकार्ड किया जाता है। प्रकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती है और नवोदित प्रतिभाशील कलाकारों को प्रोत्साहन देती है। इसका सीमिन प्रकाशन कार्यक्रम भी है जिसके अधीन इन विषयों की विशिष्ट पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। प्रकादमी प्रॉंजी में एक त्रैमासिक पत्रिका 'संगीत नाटक' का प्रकाशन करती है।

**पुरस्कार :** प्रकादमी प्रतिवर्ष संगीत और नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट कलाकारों को पुरस्कृत करती है। पुरस्कारों का निर्णय प्रकादमी महापण्डित करती है। पुरस्कार समारोह में पुरस्कारवितरण राष्ट्रपति द्वारा होता है। संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में प्रकादमी प्रतिवर्ष कुछ रत्नसदस्यों ( फेलो ) का चुनाव करती है। सन् ५१ से अब तक पुरस्कृत कलाकारों की नामावली नीचे दी जाती है -

### रत्नसदस्यों एवं पुरस्कार विजेताओं की सूची

सन् १९५१ से १९६६ तक

**रत्नसदस्य —** १. उस्ताद अल्लाउद्दीन खान, २. उस्ताद हाफिज अली खान, ३. श्री पृथ्वीराज कपूर, ४. श्री कैरार्ईककुडि सांबशिव अय्यर, ५. श्री भरियक्कुडि रामानुज आयंगर, ६. श्रीमती अंजनी बाई मालवेकर, ७. श्री गोपेश्वर बंधोपाध्याय, ८. श्री पापनाशम आर० शिवन, ९. श्री डी० अण्णास्वामी भागवत, १०. श्री उदयशंकर, ११. श्री बी० वी० ( मामा ) बरोकर, १२. डॉ० एस० एन० रातनजनकर, १३. प्रो० पी० सांबमूर्ति, १४. स्वामी प्रज्ञानानंद, १५. डॉ० पी० वी० राजमन्नार, १६. श्री टी० एल० वेंकटराम अय्यर १७. श्री वीरेंद्रकिशोर रायचौधरी, १८. डॉ० बी० राघवन, १९. डॉ० बी० आर० देवधर, २०. श्रीमती सी० सरस्वती बाई, २१. श्री दिलीपकुमार राय, २२. पं० विनायकराव पटवर्धन, २३. डॉ० डी० जी० ब्यास, २४. ठाकुर जयदेव सिंह, २५. प्रो० जी० एच० रानडे, २६. महामहिम श्री० जयचामराज वड्यर बहादुर, २७. श्री इ० कृष्ण अय्यर, २८. श्री शंभु मित्र, तथा २९. डॉ० आशुतोष भट्टाचार्य।

**हिंदुस्तानी संगीत गायन —** १. श्री मुस्ताक हुसैन खान, २. श्रीमती फेसर बाई केकर, ३. श्री रजब अली खान, ४. श्री अनंत मनोहर जोशी, ५. श्री राजा अया पूंछवाले, ६. श्रीमती रसूलन बाई, ७. श्री गणेश रामचंद्र बेहरे बुधा, ८. श्री कृष्णराव शंकर पंडित, ९. श्री अस्ताक हुसैन खान, १०. श्री यशवंत एस० मिराशी बुधा, ११. उस्ताद

बडे गुलाम अली खान १२. श्री रहीमुद्दीन खान डायर, १३. श्रीमती हीराबाई बरोडेकर, तथा १४. श्रीमती सिद्देश्वरी देवी।

**हिंदुस्तानी संगीत वादन —** १. उस्ताद अल्लाउद्दीन खान २. श्री हाफिज अली खान, ३. श्री अहमद जान धिरकवा, ४. श्री गोविंद राव बुरहानपुरकर, ५. श्री बिस्मिल्ला खान, ६. श्री यूसुफ अली खान, ७. श्री जहाँगीर खान, ८. श्री वहीद खान ९. श्री कठे महाराज १०. श्री रविशंकर, १२. श्री अली अकबर खान, १२. प० सलाराम तावडे, तथा १३. श्री शकूर खान।

**कर्नाटक संगीत गायन —** श्री भरियक्कुडि रामानुज आयंगर २. श्री शेम्मागुडि आर० श्रीनिवास अय्यर, ३. श्री के० वासुदेवाचार्य, ४. श्री महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, ५. श्रीमती एम० एस० सुब्बलक्ष्मी, ६. श्री मसुरी सुब्रह्मण्यम् अय्यर, ७. श्री चेंबई वैद्यनाथ भागवत ८. श्री गूदलुर एन० बालसुब्रह्मण्यम्, ९. श्री मधुरई मणि अय्यर, १०. श्री मुडीकोडान वेंकटराम अय्यर, ११. श्रीमती डी० के० पट्टम्माल १२. श्री वी० देवेन्द्रप्पा, १३. श्री चित्तूर सुब्रह्मण्यम् पिल्लै, १४. श्रीमती टी० वंदा, १५. मधुरई श्री आर० श्रीराम अय्यर।

**कर्नाटक संगीत वादन —** १. कारार्ईककुडि सांबशिव अय्यर, २. आरम वेंकटस्वामी नाइडू, ३. श्री पल्लाडम् सजीव राव, ४. श्री टी० एन० राजरत्नम् पिल्लै, ५. श्री टी० एस० पालचाट मणि अय्यर, ६. श्री टी० चौडप्पा, ७. श्री वूदलुर कृष्णमूर्ति शास्त्री, ८. श्री के० राजमणिनाथम् पिल्लै, ९. श्री शेरमादेवी एल० सुब्रह्मण्य शास्त्री, १०. श्री टी० एन० स्वामीनाथ पिल्लै, ११. श्री० टी० एस० सुब्रह्मण्य पिल्लै, १२. श्री टी० के० जयगाम अय्यर, २३. श्री क० एन० चिन्न-अय्यर, १४. श्री टी० आर० महालिंगम्, तथा १५. श्री पी० एस० वीरस्वामी पिल्लै।

### नृत्य

**भरतनाट्यम् —** १. श्रीमती टी० बालसरस्वती, २. श्रीमती रुक्मिणी देवी अंबेले, ३. श्रीमती मैलापुर गौरी अम्मा, ४. श्रीमती आर० मुत्तुरत्नांबल, ५. श्रीमती के० वेंकटलक्ष्मी, ६. श्रीमती स्वर्ण सरस्वती भरतनाट्यम् शिक्षक, ७. आर० पी० चौकलिंगम्, तथा ८. श्री वी० बी० रामय्या पिल्लै।

**कथक —** १. श्री शंभु महाराज, २. श्री लच्छू महाराज, ३. श्री सुंदरप्रसाद, ४. श्री मोहनराव कल्याणपुरकर, तथा ५. श्री विरजू महाराज।

**कथकलि —** १. गुरु कुंज कुरुप, २. श्री टी० के० चंद्र पणिकर, ३. श्री वे० रमुणी नायर, ४. श्री चेंगातूर रमण पिल्लै, तथा ५. गुरु गोपीनाथ।

**मथिपुरी —** १. गुरु अमूबी सिंह, २. गुरु एच० अतंबा सिंह, ३. श्री तखेलचंद अमूदन शर्मा, ४. श्री अतंबापू शर्मा, तथा ५. गुरु विपिन सिंह।

**अन्य नृत्य शैली :** क्रिएटिव नृत्य — श्री उदयशंकर, तमाशा; श्री बापू राव खुदे नारायणगांवकर, कुचिपुडि; श्री वेदातम् सत्यनारायण, ओडिशी; श्री केजुचरख महापात्र, क्षत्रिया; श्री मणिराम दत्ता मुक्तार. छाऊ; श्री मुद्देंद्रनारायण सिंह देव, यक्षगान; श्री हारबी राम गणुगा, चाक्कियार कुष्ण; एवं श्री पी० मणिमाधव चाक्कियार।


निर्देशन — श्री पृथ्वीराज कपूर, श्री जयशंकर सुंदरी, श्री शंभु मिश्र, श्री कसमभाई नाथूभाई मोर, श्री इनाहिम झलकाजी, श्री टी० एस० रावकराणिकम, श्री उरपल दत्त ।

माध्यमेक्षण — श्री बी० बी० (मामा) वारेकर, श्री प्रमुलाल द्विवेदी, श्री ध्याय रंगाचार्य, श्री उषेन्द्रनाथ अशक ।

अभिनेय — श्री गुंडी वीरएणा, श्री बाल गंधर्व नारायण राव राजहंस, श्री गणपत राव बोडस, श्री चिंतामणि राव कोल्हटकर, श्री अहीन्द्र चौबरी, श्री पपल संवाद मुहलियार, श्री अशरफ खान, श्री सी० भाई० परमेश्वरन पिल्लै, श्री गोपाल गोविंद पाठक, श्री स्थानम् नरसिंह राव, श्री मित्रदेव महंत अशिकारी, श्री वेंकटय्या सुब्बैय्य नाइडू, श्री सेमुल्ल साहू उर्फ बाबी, श्रीमती तृप्ति मित्रा, श्री टी० के० एमल्लम् श्री बंदा कनकलिंगेश्वर राव, श्रीमती जोहरा सहगल, श्री केशव त्रिवक दाते ।

क्षेत्रीय भाषाओं में अभिनेय — मलयालम : श्री अरविंदाल मेनन, /संस्कृत : श्री कृष्णचंद्र मोरेश्वर गुजराती. श्री नायक मुलजी भाई गुशालभाई । [ सु० प्र० ]

**संघनित्र (Condenser)** भाप को ठंडा कर द्रव रूप में लाने के लिये जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वह संघनित्र कहलाता है। अर्क उतारने या शराब चुपाने के अनेक प्रकार के भभकों ( stills ) के रूप में इनका विस्तृत उपयोग प्रति प्राचीन काल से चला आ रहा है। सरलतम रूप में यह एक नली होती है, जिसे ठंडे पानी से, या अन्य प्रकार से ठंडा रखा जाता है, जिससे भाप द्रव रूप में बदल जाय ( देखें चित्र १. ) । उपर्युक्त क्रिया को भासवन कहते हैं।




चित्र १. प्राचीन भभका

इसका परचवाही क्षेत्र बड़ा, शीर्ष का ताप स्थिर तथा भासवन प्रभाजी होता है।

इसमें एक पात्र में रखे किसी पदार्थ को गरम कर, भाप में बदल देते हैं और उस भाप को संघनित्र की सहायता से ठंडा कर फिर तरल रूप में ले आते हैं। इस क्रिया का सरल रूप तब देखने में आता है जब उबलती हुई दाल के बरतन पर पानी भरा कटोरा रख देने पर, कटोरे के नीचे, भबवा चाय की कटली से निकलती हुई भाप के आगे ठंडा बरतन रखने से उसपर, पानी की बूँदें बन जाती हैं।


रासायनिक क्रियाओं में रसायनज्ञ, जस्टस फॉन लीबिख, द्वारा प्रचलित संघनित्र का व्यापक प्रयोग होता है। यह संघनित्र चित्र २. में दिखाया गया है तथा इसकी क्रिया समझाई गई है। जब



चित्र २. लीबिख के संघनित्र द्वारा भासवन

क तापमापी, ख. सामान्य भभका ( रिटॉट और पलास्क ), ग लीबिख का संघनित्र तथा जल का निर्गमन, घ. ग्राही या पलास्क, च. जल का अंतर्गमन तथा छ. भासुन किया जानेवाला तरल। ऊपर और नीचे के दोनों चित्रों में भाप भभके से संघनित्र में जाती है, जहाँ ठंडी होकर तथा संघनित होकर ग्राही ( पलास्क ) में तरल एकत्रित हो जाता है।

अथवा अन्य द्रव पदार्थ का भासवन ( distillation ) कर, शुद्ध पदार्थ पाने के लिये इसका उपयोग होता है। प्रभाजी भासवन में भी संघनित्र काम में आता है ( देखें चित्र ३ ) ।



चित्र ३. प्रभाजी भासवन

क. पैकिंग, ख. विसंवाहक पदार्थ, ग. संघनित्र,

घ. भासुत तथा च. प्रभाजक स्तंभ ।

गैसों की दाब कम करके तथा उन्हें ठंडा करके भी गैस द्रव रूप में लाई जाती है। इस क्रिया में ठंडा करनेवाले उपकरण को

भी संबन्धित कहते हैं ( देखें गैसों का द्रवण ) । ये कई प्रकार के होते हैं । किंतु सब में किसी कम तापवाले पदार्थ से एक नली या बरतन को ठंडा करते हैं और उसमें से द्रव में बदली जानेवाली गैस को गुजारते हैं । [ अ० दा० व० ]

**संघवाद (फेडलिज्म)** संघवाद संवैधानिक राजसंचालन की उस प्रवृत्ति का प्राकृतिक रूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक सविदा द्वारा एक सभ की स्थापना करते हैं । इस सविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जाती हैं । सामान्य रूप से प्रमुसत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्य-सरकारों के मध्य उनके सविधान में उल्लिखित होता है जो उस सविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है । साधारणतया संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्रविस्तार लक्ष्मीला अथवा बुरुह होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत करते हैं । अतः इन कार्यों के चलाने के लिये वे सब इकाइयाँ अपनी राजशक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं । शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन सविधान द्वारा लेते हैं । इस प्रकार एकात्मक सविधान (यूनिटरी सविधान) के विपरीत संघात्मक सविधान एक ही सविधान के अंतर्गत राजद्वे (डबल पालिटी) की स्थापना करता है । परिणामस्वरूप ऐसे सभ के नागरिक दो प्रकार की सरकारों, संघीय एवं राज्य सरकारों के अधीनस्थ होते हैं । संघात्मक सविधान में निम्नलिखित विशेषताएँ अपेक्षित होती हैं : प्रथम, राजनयिक शक्तियों का संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य संवैधानिक विभाजन, द्वितीय, संघीय सविधान की प्रमुसत्ता अर्थात् प्रथम तो न संघीय और न राज्य सरकारें संघ से पृथक् हो सकती हैं और द्वितीय, संघात्मक सविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि होता है । तृतीय, चूँकि संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है, अतः संघात्मक सविधान का लिखित होना भी आवश्यक है । चतुर्थ, संघात्मक सविधान संघीय एवं राज्य-सरकारों के समझौते को अंतिम रूप से पुष्ट करता है । अतः ऐसे सविधान का व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय भी होना अपेक्षित है । कम से कम किसी एक पक्ष के मत से ऐसा सविधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता । सविधान का परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है । पंचम, किसी भी प्रकार के विवाद जो संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक कार्य-संचालन में कर्तव्य, अधिकार अथवा साधनों के विषय में आ गए हों तो उनके निराकरण के लिये न्यायालय को सविधान के संघात्मक प्रावधानों की भीमांसा करने का पूर्ण एवं अंतिम अधिकार दिया जाना चाहिए । इन विशेषताओं के साथ संघात्मक सविधान का एक आदर्श प्राकृतिक संयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान है जिसका निर्माण सन् १७८७ में १२ स्वतंत्र राष्ट्रों की सविदा के अनुसार हुआ था । इसके पश्चात् कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं फ्रांस इत्यादि के संघात्मक सविधानों का निर्माण हुआ । भारत का सविधान भी, जो सन् १९५० से लागू हुआ, संघात्मक सविधानों का एक नवीन उदाहरण

है । प्रधानतः भारत के सविधान में संघात्मक सविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएँ विद्यमान हैं । किंतु भारतीय संघात्मक सविधान में कुछ विशिष्ट प्राविधान हैं जिनका समावेश अन्य सविधानों के कार्यसंचालन से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत करके किया गया है । उदाहरणार्थ, सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय सविधान संघात्मक होते हुए भी इसका निर्माण स्वतंत्र राष्ट्रों की किसी सविदा द्वारा नहीं हुआ है; बल्कि यह उन राज इकाइयों के मेल (यूनियन) से बना है जो परतंत्र एकात्मक भारत के अग्र के रूप में पहले से ही विद्यमान थे । दूसरी विशेषता यह है कि आपत्काल में भारतीय सविधान में एकात्मक सविधानों के अनुकूल केंद्र को अधिक शक्ति-शाली बनाने के लिये प्रावधान निहित है । तृतीय विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता भारतीय नागरिकता का ही समावेश किया गया है तथा एक ही सविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्यसंचालन के लिये व्यवस्थाएँ प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त सविधान सभी के मतानुसार भारत एक शिष्ट गणतंत्र की व्यवस्था में है, अतः देश के तीव्र एवं सर्वोन्मुखी विकास एवं उन्नति के लिये समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की प्रावश्यकता पड़ सकती है जिसके लिये सविधान संशोधन की तीन विभिन्न प्रक्रियाएँ दी गई हैं । केवल विशेष संघात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिये ही राज्यों का मत आवश्यक है, बाकी संशोधन समस्त स्वयं कर सकती है । इस प्रकार संघात्मक सविधानों के विकास में भारतीय सविधान एक नई प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण, का सूत्रपात करता है । [सू० कु०]

**संचयिक विश्लेषण (Combinational Analysis)** यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय, तो संचयिक विश्लेषण के अंतर्गत बहुत से विषय आते हैं, जैसे सारणिक (Determinants), प्रायिकता (Probability), स्थलाकृति विज्ञान (Topology) आदि किंतु अब इनमें से प्रत्येक विषय ने अपने लिये पृथक् स्थान बना लिया है । अब तो संचयिक विश्लेषण के अंतर्गत केवल वे ही प्रकरण आते हैं जिनमें किसी न किसी स्थान पर इस बात का विचार किया जाय कि किमी समस्या के हल करने की कितनी विधियाँ हैं, अथवा कोई काम कितने प्रकार से हो सकता है ।

उदाहरण १. — मान लें, रेल के एक डिब्बे की शायिका (berth) पर चार आसन (seats) हैं, जिनपर निम्नलिखित संख्याएँ पड़ी हुई हैं :

१                      २                      ३                      ४

मान लें कि हमारे पास यात्री क और च हैं, तो प्रश्न यह है कि इन दो यात्रियों को शायिका पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है । स्पष्ट है कि पहले यात्री क को हम चारों में से किसी भी आसन पर बैठा सकते हैं । इस प्रकार क को बैठाने की चार विधियाँ हुईं । मान लें, हमने क को आसन संख्या १ पर बैठा दिया । अब च को बैठाने के लिये तीन आसन बचे । अतः च को तीनों में से किसी भी आसन पर बैठाया जा सकता है । अतः क को किसी एक आसन पर बैठाने पर च को बैठाने की तीन विधियाँ हुईं और क को बैठाने के चार प्रकार हैं । अतः क और च दोनों को बैठाने की  $4 \times 3$ , अर्थात् १२ विधियाँ हुईं, या यों कहिए कि क को बैठाने की विधियों और

ज को बैठाने की विधियों के १२ संघय ( combinations ) हो सकते हैं। इसलिये इस विषय का नाम संघटनिक विश्लेषण पड़ा। उपर्युक्त विधियाँ यहाँ सारणी के रूप में दर्शाई गई हैं :

१	२	३	४
क	ख		
क		घ	
क			ङ
ख	क		
	क	घ	
	क		ङ
ख		क	
	ख	क	
		क	ङ
ख			ङ
		घ	ङ

उदाहरण २ — तीन धंकों १, ३, ८, में से कोई दो लेने से कितनी संख्याएँ बन सकती हैं? स्पष्ट है कि निम्नलिखित संख्याएँ बनेंगी :

१३, १८, ३८,  
३१, ८१, ८३।

इन संख्याओं की संख्या ६ है। यह संख्या ६ कहाँ से आई? उदाहरण १. की भाँति तर्क करने से पता चलेगा कि प्रश्न का उत्तर  $३ \times २$  अर्थात् ६ ही होगा। इस उदाहरण में यह मान लिया गया है कि कोई भी धंक दुबारा नहीं लिया जायगा, अन्यथा तीन संख्याएँ ११, ३३, ८८ और मिल जाती।

आधारभूत प्रमेय (१) — स विभिन्न वस्तुओं में से घ वस्तुएँ लेने से कितने विन्यास बन सकते हैं? मान लें कि हमें इन घ स्थानों को

१ २ ३ ४..... (घ-१) घ

स वस्तुओं में से एक एक वस्तु लेकर भरना है। पहले स्थान को भरने की स विधियाँ हैं, क्योंकि स वस्तुओं में से कोई भी एक लेकर हम उक्त स्थान पर बैठा सकते हैं।

जब एक वस्तु से एक स्थान भर गया, तब दूसरे स्थान को भरने के लिये हमारे पास ( स-१ ) वस्तुएँ बचीं। अतः दूसरा स्थान भरने की ( स-१ ) विधियाँ हुईं। इस प्रकार प्रथम दोनों स्थान भरने की स ( स-१ ) विधियाँ हो गईं। इसी प्रकार प्रत्येक पग पर एक गुणनखंड बढ़ता जायगा और अंत में घ स्थान भरने की निम्नलिखित विधियाँ प्राप्त होंगी :

स ( स-१ ) ( स-२ ) ..... घ गुणन खंडों तक,  
अर्थात् स ( स-१ ) ( स-२ ) ..... ( स-घ+१ )

स = ४, घ = २ रखने से उदाहरण १. का उत्तर  $४ \times ३$ , अर्थात् १२, आता है। इसी प्रकार स = ३, घ = २ रखने से उदाहरण २. का उत्तर ६ आ जाता है।

इन विन्यासों को 'क्रमचय' ( Permutations ) कहते हैं और उपर्युक्त फल इस प्रकार लिखा जाता है :

$${}^s P_r = \frac{s(s-1)(s-2)\dots(s-r+1)}{1}$$

अब मान लें, उदाहरण २. में हमारा प्रश्न यह हो कि तीन संख्याओं १, ३, ८ में से कितने प्रकार से हम दो संख्याएँ चुन सकते हैं, तो इसका यह अर्थ हुआ कि इस चुनाव में धंकों के क्रम का कोई विचार नहीं होगा। अतः इस चुनाव में १८ और ८१ को एक दूसरे से भिन्न नहीं माना जायगा। स्पष्ट है कि केवल तीन चुनाव होंगे :—

(१,३) (१,८) (३,८)

पारिभाषिक भाषा में हम कहेंगे कि इस प्रकार के केवल तीन संघय होंगे।

आधारभूत प्रमेय २) — स विभिन्न वस्तुओं में से घ वस्तुएँ लेने पर कितने संघय बन सकते हैं?

दृष्टांत के लिये मान लें कि स = ४, घ = ३, और वस्तुओं के स्थान पर हम चार अक्षर क, ख, ट, स ले लें, तो स्पष्ट है कि इन अक्षरों में से तीन लेने से  $४ \times ३ \times २$ , अर्थात् २४, क्रमचय बनेंगे। इन २४ क्रमचयों में से कोई एक क्रमचय, ले लीजिए क ट स, तीन अक्षरों के इस संघय से हम  $३ \times २$ , अर्थात् ६, क्रमचय बना सकते हैं :

क ट स; क स ट, ट क स, ट स क, स ट क, स क ट

इसी प्रकार प्रत्येक संघय से ६ क्रमचय बनेंगे। अतः सचयों की संख्या =  $\frac{१}{६}$  (क्रमचयों की संख्या)। इसी प्रकार व्यापक दृष्टांत में प्रत्येक संघय से अनेक क्रमचय बनेंगे। यदि प्रत्येक संघय में घ अक्षर हैं, तो उक्त संघय से उतने क्रमचय बनेंगे जितने विन्यास घ अक्षरों के पारस्परिक हेरफेर से बनेंगे, अर्थात् घ ( घ-१ ) ( घ-२ ) ..... ( घ-घ+१ ), अर्थात्  $\frac{१}{६}$ ।

अतः संघयों की संख्या =  $\frac{१}{६}$  (क्रमचयों की संख्या)। इसी फल को पारिभाषिक भाषा में हम इस प्रकार लिखेंगे :

$${}^s C_r = \frac{s(s-1)(s-2)\dots(s-r+1)}{r!}$$

सं० प्र० — पा० ए० मैकमोहन : कंबिनेटरी ऐनैलिसिस, दो खंड (१९१५-१६); इंद्रोडकशन टु कंबिनेटरी ऐनैलिसिस (१९२०)।

[ प्र० मो० ]

**संचायक ( Accumulator )** ऊर्जा संचित करनेवाला उपकरण है। द्रवईंजीनियरी ( hydraulics ) में द्रवचालित संपीडक तथा उत्पापक ( elevator ) को शक्ति ( power ) प्रदान करने के लिये, एक प्रकार का संचायक होता है, जिसके ऊर्ध्वधर बेलन में मज्जक ( plunger ) भारी भार से भारित रहता है। बेलन में पानी, जो भारयुक्त मज्जक उठा देता है, पंप द्वारा भर दिया जाता है। भारयुक्त मज्जक की क्रिया के कारण उच्चदाब पर पानी तीव्रता से विसर्जित होता है, जिससे यंत्रों को चलाने के लिये द्रवचालित शक्ति प्राप्त होती है। संचायक अल्पकाल के लिये बड़े परिणाम में शक्ति संचरित करता है और इसका भरण निम्न शक्तिवाले पंप से हो सकता है। जल-विद्युत्-शक्ति प्रणाली में संचायक संयंत्र के रूप में दूसरे प्रकार के संचायक का उपयोग किया जाता है। विद्युत् में

संचायक बैटरी (storage battery) को भी संचायक कहते हैं।

संचायक बैटरी — संचायक बैटरी एक युक्त है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा, जो विद्युत् के रूप में किसी भी समय निम्न हो सकती है, संचित की जाती है। सामान्य उपयोग में जानेवाली संचायक बैटरियाँ दो प्रकार की होती हैं: (१) लेड अम्ल संचायक बैटरी तथा (२) क्षारीय संचायक बैटरी।

लेड अम्ल संचायक बैटरी — यह बैटरी एक या अनेक संबंधित इकाइयों की, जिन्हें सेल कहते हैं, बनी होती है। प्रत्येक सेल का विभव दो वोल्ट होता है। ६ वोल्ट की साधारण ऑटोमोबाइल बैटरी में तीन सेल श्रेणीयोजित होते हैं। प्रत्येक सेल में अम्लीय विद्युत् अपघट्य, जो प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तथा अपने दो या अधिक रासायनिक रूपों में सीस के इलेक्ट्रोड रहते हैं। इलेक्ट्रोड प्रायः धन या ऋण पट्टिका कहलाते हैं। ये पट्टिकाएँ संरचनीय फ्रेम तथा विद्युत् चालक से, जिसे ग्रिड कहते हैं, युक्त रहती हैं। ग्रिड, धात्विक लेड या मिश्रधातु तथा सक्रिय लेड (रासायनिक अवस्था) का बना होता है। सक्रिय ग्रिड लेड अवकाश को भरता है तथा आवश्यक विद्युत् रासायनिक कार्य करता है। ग्रिड लेड, ऐंटीमनी (६ से १२ प्रति शत यांत्रिक कार्यों में), टिन, बिस्मथ, आर्सेनिक तथा अन्य तत्वों के अल्प भिन्नात्मक प्रति शत वाली मिश्रधातु से ढालकर बनाया जाता है। धन पट्टिका में सक्रिय पदार्थ लेड परऑक्साइड, (सी  $\text{O}_2$ ) (  $\text{Pb O}_2$  ) है। ऋण पट्टिका के सक्रिय पदार्थ ये हैं: सरंध्र, सूक्ष्म विभाजित स्वतःबद्ध धात्विक शुद्ध लेड तथा अल्पयोज्य पदार्थ, जिसका कार्य संघनता को बनाए रखना है। बैटरी के जीवनकाल में ऋण पट्टिका बार बार आवेशित और विसर्जित होती है, अतः ऋण पट्टिका को सरंध्रता को बनाए रखने के लिये योज्य (additive) पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है।



प्रत्यावर्ती धन तथा ऋण पट्टिकाओं के मध्य में पृथक्कारक लगाकर, इन दोनों पट्टिकाओं को पृथक् कर समयोजित करते हैं। पृथक्कारक धन और ऋण पट्टिकाओं को एक दूसरे से छूने से बचाता है। पृथक्कारक को अम्लप्रतिरोधी तथा विद्युत् अपघट्य एवं विद्युत्-धारा के लिये सरलता से पारगम्य होना चाहिए। यह पारगम्यता सूक्ष्म सरंध्र होनी चाहिए जिससे बैटरी की क्रिया के समय धन पट्टिकाओं से निकलते हुए सक्रिय पदार्थों के कणों का प्रवेश न हो। पृथक्कारक का ऋण पट्टिका के बाद का भाग समतल होता है और धन पट्टिका के विपरीत ओर का भाग लंबाकार या घारीदार होता है।

सामान्यतः लकड़ी का उपयोग पृथक्कारक के रूप में अधिक होता है। पृथक्कारक के लिये प्रयुक्त होनेवाली लकड़ी का अधिकांश रेजिन तथा अम्ल रासायनिक क्रिया द्वारा निकाल लिया जाता है। देवदार की कुछ किस्मों की लकड़ी पृथक्कारक के लिये अत्युत्तम सिद्ध हुई है। सूक्ष्म संघनवाले रबर के कृत्रिम पृथक्कारक का उपयोग भी अत्यधिक किया जा रहा है। जलवायु या परिवर्तनशील आवेश दर (charging rate) संबंधी उच्च ताप का सामना करने के लिये कृत्रिम पृथक्कारक का उपयोग किया जाता है।


पृथक्कारी को सरंध्र पदार्थ की, जैसे शीशे के तंतु या छिद्रित रबर की, सहायक चादर से प्रबलित कर दिया जाता है। यह प्रबलन धन पट्टिका के पार्श्व के विपरीत रखा जाता है। जब बैटरी अधिक कार्य करती है, तब इसके जीवनकाल में यह प्रबलन सक्रिय पदार्थ के छादक के नियंत्रण में सहायक होता है।

लेड अम्ल बैटरी में विद्युत् अपघट्य प्रायः तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी के आवेश की अवस्था के साथ साथ परिवर्तित होता है, रहता है। जब बैटरी आवेशित रहती है, तब सल्फ्यूरिक अम्ल की तनुता अधिक होती है और बैटरी के विसर्जित हो जाने पर अम्ल सांद्र होता जाता है। जब बैटरियाँ पूर्णतः आवेशित रहती हैं, तब अधिकांश बैटरियों के विद्युत् अपघट्य का प्रापेक्षिक घनत्व लगभग १.२८० रहता है, लेकिन उष्ण जलवायु में यह घनत्व १.१२५ और ठंडी जलवायु में १.२०० रहता है। सामान्यतः, विद्युत् अपघट्य का १.१५ प्रापेक्षिक घनत्व इस बात का द्योतक है कि बैटरी ६० प्रति शत विसर्जित हो चुकी है।


विसर्जन अभिक्रिया — जब संचायक आवेशित रहता है, उस समय लेड, सी (Pb), ऋण पट्टिका और लेड ऑक्साइड, सी  $\text{O}_2$  (  $\text{Pb O}_2$  ), धन पट्टिका का कार्य करता है। ये दोनों पट्टिकाएँ सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत् अपघट्य में डूबी रहती हैं। विसर्जन के समय सक्रिय पदार्थ तथा विद्युत् अपघट्य में रासायनिक परिवर्तन होता है। ऋण पट्टिका का लेड दो इलेक्ट्रॉन, इ (e). से वंचित होता, जब कि धन पट्टिका का लेड ऑक्साइड दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऋण पट्टिका पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है:



धन पट्टिका पर निम्नलिखित समकालिक अभिक्रिया होती है:




लेड मोनोऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर निम्नलिखित फल देता है:




विसर्जन बाल में धन और ऋण दोनों पट्टिकाएँ लेड सल्फेट से आच्छादित हो जाती हैं। इस समय विद्युत् अपघट्य, अर्थात् सल्फ्यूरिक अम्ल, का प्रापेक्षिक घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल पानी में परिवर्तित हो जाता है।


आवेश अभिक्रिया — बैटरी के क्रियाशील रहते समय जिस दिशा में धारा चलती है उसके विपरीत धारा प्रवाहित कर बैटरी को आवेशित किया जाता है, जिसके कारण बैटरी अपनी मूल दशा को पुनः प्राप्त कर लेती है, अर्थात् धन पट्टिका का लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड की पूर्ववस्था में आ जाता है। इस प्रकार ऋण पट्टिका पर हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इसकी अभिक्रिया निम्नलिखित है:



घन पट्टिका पर सल्फेट आयन दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जिसकी अभिक्रिया निम्नलिखित है :



चूँकि प्लंबिक सल्फेट गनी में स्थायी नहीं है, अतः अंतिम अभिक्रिया इस प्रकार होती है :



प्रावेश की अभिक्रिया से विद्युत् अपघटय का आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। प्रावेश और विसर्जन का चक्र उस समय तक चलता रहता है, जब तक बैटरी की भौतिक संरचना विद्युत् अपघटन के कारण या पृथक्करण पदार्थ के ऑक्साइडकरण के कारण नष्ट नहीं हो जाती।

बैटरी की दक्षता ताप के परिवर्तन से प्रभावित होती है। निम्न-ताप निम्न दक्षता का कारण होता है। बैटरी के आवेक्षित और विसर्जित होने की दर पर भी बैटरी की दक्षता निर्भर करती है। जब बैटरी धीरे धीरे आवेक्षित की जाती है और वह धीरे धीरे विसर्जित होती है, तब बैटरी की दक्षता अत्यधिक होती है।

**क्षारीय संचायक बैटरी** — इस प्रकार की बैटरी में विद्युत् अपघटय अम्ल की जगह क्षार होता है। सर्वाधिक प्रचलित क्षारीय बैटरी एडिसन (Edison) सेल प्रकार की बैटरी है। यह बैटरी निकल-लोह क्षारीय प्रकार का सेल है। एक अन्य बैटरी निकल-कैडमियम प्रकार की है।

इस बैटरी का विद्युत् अपघटय पोटेशियम और लीथियम ऑक्साइड का जलीय विलयन है। इस विद्युत् अपघटय से सक्रिय पदार्थ का किसी भी अवस्था में विघटन या विलयन नहीं होता। उच्च निकल ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड पर पोटेशियम और लीथियम हाइड्रॉक्साइड का अल्प परिमाण में अवशोषण होता है, लेकिन आवेशन तथा विसर्जन के संपर्क के दौरान विद्युत् अपघटय के संघटन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। अतः विद्युत् अपघटय का आपेक्षिक घनत्व एवं चालकता व्यवहारतः स्थिर रहती है। लीथियम हाइड्रॉक्साइड उच्च निकल ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड में सक्रिय पदार्थों को अत्यधिक उपयोगी कर देता है। लीथियम हाइड्रॉक्साइड के कारण बैटरी की दक्षता और जीवन में वृद्धि हो जाती है। अतः यह विद्युत् अपघटय का अत्यावश्यक घटक है।

पट्टिकाएँ बनाने के लिये छिद्रित निकल इस्पात की नलियों या खानों (pockets) में सक्रिय पदार्थ भर दिए जाते हैं। घन पट्टिकाएँ, जो एक दूसरे के बगल में रखी रहती हैं, अनेक ऊर्ध्वाधर नलियों के रूप में रहती हैं। घन पट्टिका में इसके विद्युत् गुण को बढ़ाने के लिये, निकल हाइड्रेट के साथ फ्लेक निकल (flake nickel) एकांतरित स्तरों में भरा रहता है। नलियाँ, जो बिना जोड़ के परिवेष्टित करनेवाले घाठ बलियों से प्रबलित



रहती हैं, बिच पर समान अवकाश में आरोपित रहती हैं। ऋण पट्टिका घन पट्टिका के समान रहती है। अंतर केवल यह रहता है कि ऋण पट्टिका में नली के स्थान पर छिद्रित खाने में सूक्ष्म विभाजित लोह ऑक्साइड सक्रिय पदार्थ के रूप में भरा रहता है। ऋण एवं घन पट्टिकाएँ घन और ऋण समूहों में समायोजित रहती हैं। ऐसा ग्रिडों के सिरों के छेदों में से संयोजी दंड डालकर किया जाता है। इस्पात के छत्ते (washer) के उपयोग से उपयुक्त फासला प्राप्त किया जाता है। मध्य अंतरक पोलपीस (pole-piece) का प्राधार होता है। संयोजी दंड के प्रत्येक सिरे को लॉक वाशर (lock washer) तथा नट से कस देने पर पट्टिकाओं का समूह बढ़ता से एक दूसरे के साथ बंध जाता है। सब वाशर, नट, संयोजी दंड तथा टर्मिनल निकल इस्पात के बने होते हैं। पट्टिका समूहों को पूर्ण एलिमेंट (element) में संयोजित करते हैं। ऋण पट्टिकाओं के समूह में घन पट्टिकाओं के समूह की अपेक्षा एक अधिक पट्टिका होती है। ऊर्ध्वाधर कठोर रबर पिनो (pins) के द्वारा, जो पट्टिकाओं की लंबाई के बराबर होते हैं, प्रत्यावर्ती ऋण एवं घन पट्टिकाएँ विद्युत् रोधी बनाई जाती हैं। रबर की पट्टियाँ ऋण पट्टिकाओं के बाह्य भागों को पात्र के प्रति विद्युत् रोधी बनाती हैं। कठोर रबर संरचना द्वारा पट्टिकाओं के सिरों तथा किनारों का विद्युत् रोधन होता है। यह संरचना ग्रिडों का पृथक्करण करती है और पट्टिकाओं के पंक्तिबंधन को ठीक रखती है। इस संरचना का अभिकल्प ऐसा होता है कि विद्युत् अपघटय का परिसंचरण निर्बाध होता है।

निकल-लोह-क्षारीय सेल का पात्र निकल इस्पात का बनाया जाता है, क्योंकि इस्पात पर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (विद्युत् अपघटय) की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सेल संधियाँ बेल्डित की रहती हैं। इस्पात के बलियों से प्रसारित और कठोर रबर के छत्तों या ग्लैंड कैप्स (gland caps) से पोल पीस का विद्युत् रोधन उन स्थानों पर होता है जहाँ से पोल प्राच्छादन से बाहर निकलता है। संपूर्ण सेल को विद्युत् रोधी पेंट से रंग दिया जाता है। सेल के शीर्ष पर रोजिन पेट्रोलियम जेली का फिल्म चढ़ा दिया जाता है। नट को कसने से संयोजक सुरक्षित हो जाते हैं। नट को ढीला करके जैक द्वारा हटाया जाता है।


कठोर लकड़ी की ट्रे में निकल-लोह-क्षारीय सेल को बैटरी के षप में समायोजित किया जाता है। यह समायोजन प्रत्येक सेल को अपने स्थान पर रखता है और ट्रे तथा संगत सेलों के प्रति सेल को विद्युत् रोधी बनाता है।

संचायक सेल के सक्रिय पदार्थ विद्युत् का संचय नहीं करते, पर विद्युत् ऊर्जा के उपयोग से इन सक्रिय पदार्थों में इस प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनसे वे विद्युत् ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। बैटरी को आवेक्षित करने पर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत् अपघटय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, २ पो जी हा (2 KOH), २ पो<sup>+</sup> (2K)<sup>+</sup> और २ औ<sup>-</sup> हा (2OH)<sup>-</sup> में आवेक्षित हो जाता है। फेरस ऑक्साइड, जो औ (Fe O), की बनी ऋण पट्टिका पर होनेवाली अभिक्रिया तथा निकल ऑक्साइड

की बनी धन पट्टिका पर होनेवाली अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरणों से क्रमशः व्यक्त की जा सकती है :



जब सेल विसर्जित होता है, तब ऋण एवं धन पट्टिका पर निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन होता है :



प्रत्येक सेल की, ५ घंटे में, सामान्य औसत विसर्जन दर लगभग १.२० वोल्ट होती है, जबकि सेड एसिड बैटरी की विसर्जन दर २ वोल्ट है। अतः एक ही वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये सेड सेल की अपेक्षा एडिसन सेल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वैद्युत परीक्षण द्वारा बैटरी का आवेश निर्धारित किया जाता है। हाइड्रोजन-मीटर के पाठ्यांक के द्वारा आवेश निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विद्युत् अपघटन में आपेक्षिक घनत्व आवेश की अवस्था के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता। [ अ० ना० मे० ]

**संचित लाभांश ( Accumulated Dividend )** संचयी पूर्वाधिकार अंशों ( Cumulative preference shares ) पर न दिया जा सकनेवाला लाभांश, जिसे कंपनी को भविष्य में देना होता है, संचित लाभांश कहलाता है। कंपनियाँ बहुधा पूर्वाधिकार अंश निर्मित करती हैं जिन्हें लाभांश की एक निश्चित दर पर मिलने का ( और कभी कभी कंपनी के निस्तार के समय पूर्ण वापस पाने का ) पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न हुआ तो इन अंशों पर आश्वासित दर का लाभांश अंशित नहीं हो पाता, और अदल लाभ संचित होता रहता है। भविष्य में जब भी लाभ होता है, तब सबसे पहले उसमें से संचित लाभांश का भुगतान करना पड़ता है। [ अ० ना० अ० ]

**संख्य** इस नाम के दो व्यक्ति हुए हैं — ( १ ) उज्जयिनी का एक राजा जिसकी कन्या वासवदत्ता थी। ( २ ) धृतराष्ट्र का प्रसिद्ध मंत्री तथा सारथी जो महाभारत के पूर्व पाठवों के पास दूत बनाकर भेजा गया था। नवल्लगण का पुत्र होने से इसे गावल्गण भी कहते हैं। इसी के मुक्त से धृतराष्ट्र को भगवद्गीता सुनाई गई है।

[ रा० द्वि० ]

**संजीवनी विद्या** संजीवनी या मृतसंजीवनी विद्या का उल्लेख आयुर्वेद और पुराणों में मिलता है। असुर पुरोहित शुक्राचार्य इस विद्या के बल पर मरे हुए दानवों को जीवित कर देते थे (आदि-पर्व ७६।८), यह प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड पुराण में 'मृतसंजीवनी विद्या' यो वेद मुनिदुर्लभम्' कहकर इस तथ्य को पुष्ट किया गया है। आयुर्वेद में 'मृतसंजीवनी रस' प्रसिद्ध है — मृतसंजीवनी नाम रसोज्वं शंकरोदित', 'मृतसंजीवनी एवं ब्राह्मणा कथितः पुरा' इत्यादि वाक्य इस प्रसंग में द्रष्टव्य हैं। मत्स्य पुराण २४६।६ से जाना जाता है कि उषानाः ( शुक्र ) ने यह विद्या महेश्वर से सीखी थी। वस्तुतः भारत की यह विद्या ( जो मृत वा मृतप्राय को पुनः सजीवित कर सकती है ) अत्यंत प्राचीन है।

वायु पुराण ४६।३५ में कहा गया है कि द्रोण नामक पर्वत में अनेक बलकारक औषधियाँ, विशाल्यकरणी एवं मृतसंजीवनी औषधि, मिलती हैं। रामायण ( युद्धकांड ५०.२६-३२ दक्षिणात्य पाठ ) में भी ऐसा निर्देश मिलता है। यह द्रोण पर्वत क्षीरोद समुद्र के पास है। कोई कोई आधुनिक गवेषक इस समुद्र को कास्पियन सागर समझते हैं। [ रा० अं० अ० ]

**संततिनिरोध ( Birth Control )** शब्द का अर्थ है सतान की उत्पत्ति को रोकना। किंतु अब इसका अर्थ कुछ विस्तृत हो गया है। सतानोत्पत्ति को रोकने के साथ सतान को इस क्रम से उत्पन्न करना कि उनमें कुछ वर्षों का, कम से कम दो वर्षों का, अंतर रहे, यह भी इस शब्द के अंतर्गत समझा जाता है, और बहुधा इस शब्द के स्थान पर 'परिवारनियोजन' शब्द का प्रयोग किया जाता है। संसार के सभी मातृकला तथा स्त्रीरोग विषयों के विद्वान् इसपर सहमत हैं कि संतान और माता दोनों के स्वास्थ्य के लिये तथा बच्चों के उचित परिपालन, शिक्षा तथा आवश्यक सुविधाओं के लिये दो बच्चों के जन्म में पाँच वर्ष का अंतर होना उचित है। दो वर्ष का तो न्यूनतम समय रखा गया है।

प्राचीन लेखों से पता चलता है कि उस समय भी इसका महत्त्व समझा जाता था और प्रायः प्रत्येक युग और जाति में सतति-निरोध का प्रयत्न किया गया था। इसके लिये औषधियाँ, तंत्रमंत्र, तथा यांत्रिक साधनों से गर्भनाश कराने की विधियों का भी प्रयोग किया जाता था। सबसे प्राचीन लेख इस संबंध में मिस्र देश के पैपिरस लेखों में ( १८५० ई० पू० के लगभग ) पाया जाता है। अरस्तू, हिप्पोक्रेटीज तथा सेक्रिसस के सारेमस ने ( सन् ६८-१३८ ) इस विषय की खर्षा की है। मात्स्य ने सन् १७६८ में प्रकाशित अपनी जनसंख्या ( पॉपुलेशन ) संबंधी विख्यात पुस्तक में सतति-

निरोध के प्राकृतिक उपायों का समर्थन किया है। उसके पश्चात् ही इंग्लैंड और अमरीका में कितने ही क्रांतिकारी लेखकों ने, विशेषकर फ्रांसिस प्लेस ने, सन् १८२२ में और रिचर्ड कारलाइल ने सन् १८२५ में इंग्लैंड में, और रॉबर्ट हेल् भोवन ने सन् १८३१ में, अमरीका में इस संबंध में उग्र आंदोलन किया था। जनता में संततिनिरोध की आवश्यकता तथा उसके लाभ का जोरों से प्रचार किया। इंग्लैंड में सन् १८७७ में डॉक्टर ऐनी बेसैंट ब्रेडलों के मुकदमे से इस आंदोलन को विशेष प्रोत्साहन मिला। श्रीमती ऐनी बेसैंट और चार्ल्स ब्रेडलों कई वर्ष पूर्व से संततिनिरोध का जनता में प्रचार कर रहे थे। सन् १८७७ में उनपर जनता में डॉक्टर चार्ल्स नोबटन की लिखी हुई 'फूट्स ऑफ फ़िलॉसोफ़ी' नामक पुस्तिका की प्रतियाँ बेचने का आरोप लगाया गया और सरकार की ओर से मुकदमा चला। इस मुकदमे से संततिनिरोध के उपायों का जनता में जितना प्रचार हुआ, उतना उसके पूर्व नहीं हुआ था। उसी के पश्चात् माल्पस लीग की स्थापना हुई, जिसने इस विषय संबंधी एक पत्रिका निकाली। इससे संततिनिरोध के उपायों का जनता में प्रचार किय गया। इसी प्रकार की संस्थाएँ फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम तथा अन्य देशों में खुल गईं। डॉक्टर मेरी स्टोप्स ( इंग्लैंड ) की अनेक पुस्तकों और लेखों द्वारा इस विषय के ज्ञान का बहुत प्रचार हुआ और सभी देशों में संततिनिरोध की भावनाओं की जड़ जम गई। कई स्थानों में अन्वेषण केंद्र भी खोल दिए गए।

अमरीका में मिसेज मार्गरेट सैंगर ने इस संबंध में बहुत बड़ा कार्य किया। बर्थ कंट्रोल का शब्द पहले इन्होंने ही प्रयोग किया ( सन् १९१४-१५ )। गरीब स्त्रियों और उनकी बहुत सी संतानों की दशा देखकर श्रीमती सैंगर का हृदय पिघल गया। उन स्त्रियों को न रहने का उपयुक्त स्थान था, न पर्याप्त भोजन ही मिलता था। बच्चों को भोजन तक का अभाव था, पहनने के बस्त्रों की कौन कहे। तो भी उनको संतान होती जाती थी। प्रत्येक बच्चे के माने से अधिक व्यय। इन सबका परिणाम था बच्चों की मृत्यु, क्योंकि चिकित्सा या सुश्रूषा का कोई साधन न था।

इस दारुण दयनीय दशा को देखकर श्रीमती सैंगर ने निश्चय कर लिया कि उन स्त्रियों के दुःख को मिटाने का एकमात्र रास्ता उनकी संतानोत्पत्ति को बटाना था। सन् १९१६ में इन्होंने पहला क्लिनिक क्रूम्सविल जिले में खोला, जिसको पुलिस ने प्रवेश बतकर बंद कर दिया और श्रीमती सैंगर जेलखाने में डाल दी गईं। बहुत दिनों तक मुकदमा चला। किंतु अंत में अदालत ने इनको मुक्त कर दिया और पूर्व कार्य करने की आज्ञा भी दे दी। सन् १९२१ में इन्होंने न्यूयार्क में बर्थ कंट्रोल कॉन्फरेंस बुलाई और उसके पश्चात् ही बर्थ कंट्रोल लीग की स्थापना की, जिसका इनको अध्यक्ष चुना गया। सन् १९२३ में इन्होंने एक अन्वेषण केंद्र भी खोला। इसके पश्चात् "प्लैंड पेरेंटहुड फेडरेशन" खोला गया, जिसकी अब तक लगभग ६०० शाखाएँ खुल चुकी हैं। भारत में आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षित समुदाय कुछ समय से संततिनिरोध की आवश्यकता अनुभव करने लगा है और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् खाद्य के संकट के कारण भारत सरकार को जनता की स्थिति को परिमित करने के विषये संततिनिरोध को सर्वप्रिय


बनाने के उद्देश्य से विशेष आयोजन करना पड़ा है। भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष ४५ लाख बढ़ जाती है। इस गति से अगले ५० वर्षों में यहाँ की जनसंख्या दुगनी हो जायगी। इसी अनुपात में खाद्य उत्पत्ति का दुगना हो जाना अशंभव है। अतएव सब देशनिवासियों को भोजन देने के लिये एकमात्र यही उपाय है कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय किए जायें। इसी उद्देश्य से सरकार ने संततिनिरोध के उपायों के प्रचार का प्रबंध किया है, और प्रायः सभी प्रदेशों के बड़े बड़े नगरों में ऐसे केंद्र खोले गए हैं, जहाँ से आवश्यक उपायों के ज्ञान का प्रसार किया जा सके तथा जनता को इसकी आवश्यकता समझाई जा सके।

वास्तव में यह प्रश्न इस समय भूमंडल के सभी देशों में व्याप्त है और सभी के सामने यही समस्या है। अतएव संततिनिरोध एक सर्वव्यापी आंदोलन हो गया है।

### संततिनिरोध के उपाय

संततिनिरोध के जितने उपाय हैं उनका एक ही उद्देश्य है : पुरुष के शुक्राणु का स्त्री की अंडकोषिका से संयोग न होने देना, जिससे गर्भ की स्थापना न होने पाए। अतएव निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाता है :

(१) पिधान ( Sheath ) — ये शिश्न के आकार के रबर के थैले होते हैं, जिनको मैथुन के पूर्व शिश्न पर चढा लिया जाता है। अपूर्ण मैथुन के प्रतिरिक्त अन्य उपायों की अपेक्षा सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इस प्रयोग में बहुत कुछ सफलता मिलती है, किंतु इसको अपूर्ण विधि नहीं कहा जा सकता। मैथुनक्रिया में कभी कभी रबर फट जाता है। फिर कुछ



चित्र १. पिधान का उपयोग

लीग इसका प्रयोग करना पसंद नहीं करते। उनका कथन है कि पिधान के प्रयोग से मैथुन के समय की भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं।


पिधान नया और मोटे रबर का होना चाहिए। केवल विश्वसनीय दूकानों से इसे लेना चाहिए। पिधान को प्रयोग करते समय उसमें कोई शुक्राणुनाशक वस्तु (जेली) भर देनी चाहिए। जिन पिधानों में भारे एक छोटी थैली सी बनी होती है, वे अधिक उपयुक्त होते हैं। स्खलन के पश्चात् वीर्य उस थैली में भर जाता है।



बैसी न होने से वीर्य पीछे की जाकर पिधान और शिशन के बीच से निकलकर योनि में पहुँच सकता है।

(२) अपूर्ण मैथुन (Coitus Interruptus) — इस विधि में मैथुन की क्रिया समाप्त होने के पहले ही लिंग को योनि से निकाल लिया जाता है और इसलिये वीर्यस्खलन योनि के बाहर होता है। यह कदाचित् सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रयुक्त होनेवाली विधि है। यह विधि पुरुष और स्त्री दोनों के लिये हानिकारक है। बहुत बार इस क्रिया से दोनों को किसी प्रकार का मानस रोग हो जाता है।

(३) शुक्राणुनाशक (Spermicidal) योग — ये प्रायः मरहम या जेली, योनिवस्ति (suppositories) या टिकिया होते हैं और इनमें कोई शुक्राणुनाशक रासायनिक पदार्थ मिला रहता है। इस प्रकार की वस्तु को पिधान में भरकर प्रयोग करने से अधिक संतोषजनक परिणाम होते हैं। टिकिया को मैथुन से पूर्व योनि



चित्र २. फेन उपपन्न करनेवाली टिकिया का प्रयोग

में प्रविष्ट कर दिया जाता है। उसमें भाग उठते हैं, जिनमें शुक्राणुनाशी पदार्थ मिला रहता है।

जेली रंग की पिचकने वाली ट्यूबों में आती है, जिनके निरे पर टोंटी लगी होती है। मैथुन से पूर्व टोंटी द्वारा जेली को योनि में ऊपर तक प्रविष्ट कर दिया जाता है। जेली शुक्राणुओं को रोक देती है अथवा नष्ट कर देती है, किंतु गर्भाशय के द्वार पर स्खलन होने से शुक्राणुओं के सीधे भीतर पहुँचने की संभावना रहती है। जिन स्त्रियों ने इस विधि का प्रयोग किया है उनमें से अधिक को सफलता हुई है। कुछ को नहीं हुई।

इसी प्रकार टिकिया को भी योनि में ऊपर तक, मैथुन से पूर्व, प्रविष्ट कर दिया जाता है। मैथुन के समय उसमें भाग उठते हैं, जिनमें मिला हुआ शुक्राणुनाशी रासायन शुक्राणुओं को नष्ट कर देता

है, अथवा उनका स्तंभन हो जाता है। डायोफ़ाम के साथ इन टिकियों का प्रयोग विषवस्त गर्भनिरोधक विधि है।

(४) मैथुनोत्तर योनिवस्ति (Douching) — मैथुन के पश्चात् तुरत ही दूध से, या इसी क्रिया के लिये बनी हुई विशेष सिंग्ल से, योनिमार्ग का प्रक्षालन किया जाता है। प्रक्षालन के लिये साधारण खन, साबुन या जल में सिरका (१ चम्मच १० छटाँक जल में) मिलाकर प्रयोग किया जाता है। स्वयं जल शुक्राणुनाशी है।



चित्र ३. जेली का प्रयोग

इस विधि का बहुत प्रयोग किया जाता है, किंतु यह पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें असुविधाएँ बहुत हैं, जैसे दूध के लिये एकांत स्थान की आवश्यकता, तुरत उठकर दूध लेना, गरम जल का मिलना आदि और फिर भी अनिश्चित परिणाम। इन कारणों से इस विधि के प्रयोग की मलाह नहीं दी जाती।

(५) अवरोधक टोपियाँ — ये रबर की बनी ऐसी टोपियाँ होती हैं जो योनिभाग में प्रविष्ट करने पर, ऊपर तक पहुँचकर, गर्भाशय के बहिर्द्वार और श्रीवा पर ठीक उसी प्रकार बैठ जाती हैं जैसे सिर पर टोपी। इससे शुक्राणु गर्भाशय के भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाते। ये टोपियाँ तीन प्रकार की होती हैं :

(क) डब टोपियाँ — ये रबर की बनी गुंबद के आकार की टोपियाँ होती हैं, जिनके किनारों के भीतर बागीक कमानी रहती है। इनका आकार ४५ से ६० मिलीमीटर व्यास तक होता है। ये योनिमार्ग में इस प्रकार लगाई जाती हैं कि वे गर्भाशयद्वार को पूर्णतया ढँक लें। इस कारण ये योनिमार्ग के लगभग अंत पर तिरछी स्थिति में लगाई जाती हैं। इनका पीछे की ओर का किनारा योनिमार्ग की पश्चिम भित्ति पर, गर्भाशयद्वार के पीछे रहता है। अगला किनारा अग्रभित्ति पर, असाक्षिक के पीछे, योनिद्वार के १ या १½ इंच ऊपर रहता है। इस प्रकार वह पिछले किनारे से १ या १½ इंच नीचा रहता है। अतएव टोपी से न केवल गर्भाशय का बहिर्द्वार वरन् श्रीवा भी ढँक जाती है।

स्त्री स्त्रियों के लिये बड़े आकार की टोपी की आवश्यकता होती है। साधारणतया ५० से ६० मिलीमीटर आकार की टोपी अधिक स्त्रियों को उपयुक्त होती है। सबसे बड़े आकार की टोपी, जो ठीक बैठे, वही लगानी चाहिए।

इस टोपी की उपयोगिता योनिमार्ग के आकार और भित्तियों की दृढ़ता पर निर्भर है। योनि की भित्तियाँ ही टोपी को संभाले रहती हैं। यदि वे ढीली हैं या गर्भाशयद्वार के सामने भगास्थि के पीछे की ओर, मूत्रास्यभ्रंश आदि के कारण, पर्याप्त स्थान नहीं है, तो यह टोपी अपने स्थान में नहीं टिकेगी, या मैथुन के समय हट जाएगी।

(क) ड्यूमा की टोपी — यह डब टोपी से छोटी और उथली होती है। इस कारण जब गर्भाशय की ग्रीवा लंबी या बड़े आकार की हो, तब उसपर यह टोपी ठीक नहीं बैठती। यदि ग्रीवा पीछे की मुड़ी हो, या सीधी हो, तो भी यह टोपी उपयुक्त नहीं है; मैथुन के समय वह हट सकती है। जिनमें मूत्रास्यभ्रंश या गुदभ्रंश हो उनके लिये यह उपयुक्त है। इसको निकालना भी कठिन होता है। यह टोपी तीन आकारों में बनाई जाती है, जो बृहत्, मध्यम और लघु कहलाते हैं।


(ग) ग्रीवा की टोपी (Cervical cap) — ये टोपियाँ गर्भाशय की ग्रीवा पर बैठ जाती हैं। इस कारण ये योनिमार्ग को भित्ति पर आश्रित नहीं रहती। ये पाँच आकारों की बनाई जाती हैं, जिनके नंबर ०, १, २ और ३ हैं। इस प्रकार की टोपी केवल उन स्त्रियों को प्रयुक्त करनी चाहिए जिनमें गर्भाशय की ग्रीवा बड़ी हो और ग्रीवा पर व्रण या शोथ के कोई चिह्न न हो। इसमें सुगमता यह है कि इसको लगाना सहज है और गर्भाशय के भ्रंश की दशा में भी प्रयुक्त हो सकती है। इसमें दोष यह है कि यह मैथुन के समय हट सकती है। यदि गर्भाशय में, या ग्रीवा में, कुछ शोथ हुआ, तो उनका स्राव टोपी के भीतर ही रह जाता है जो हानिकारक है।

(घ) मध्यपट या डायफ्राम — टोपियों के समान डायफ्राम भी रबर, या प्लास्टिक का बना, तश्तरी सा होता है, जो योनिनलिका के ऊपर के छोर (धन) पर, धार पर, लगा दिया जाता है। जिससे वह गर्भाशय के मुख को ढँकने के प्रतिरिक्त, उसके चारों ओर तक के क्षेत्र तक पहुँचने के मार्ग को भी बंद कर देता है। इसको मैथुन के पूर्व लगाया जाता है और मैथुन के आठ घंटे पश्चात् तक नहीं निकाला जाता। उसके पश्चात् निकालकर और साबुन और जल से स्वच्छ करके और पाउडर लगाकर, रख दिया जाता है। इसका फिर प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ किसी शुक्राणुनाशक जेली का प्रयोग करना चाहिए। यह एक विश्वस्त विधि है, किंतु इसको लगाने में सावधानी आवश्यक है। ठीक प्रकार से न लगने पर वह निरर्थक हो जायगा।

साधारण सिद्धांत — इन सब प्रकार की टोपियों के प्रयोग के सिद्धांत समान हैं। इनको लगाने की विधियों को सीखने की आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से खुले हुए केंद्रों में यह शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।

निश्चित सफलता की प्राप्ति के लिये एक से अधिक विधियों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। टोपियों के साथ शुक्राणुनाशक मरहम का प्रयोग किया जाय। टोपी लगाने के पूर्व उसके किनारे पर मरहम लगा दिया जाय तथा टोपी के भीतर भी भर दिया

जाय। मैथुन से कुछ समय पूर्व, ऐसे मरहम से भरकर, टोपी को लगाया जाय और मैथुन के समय योनिवस्त्र या किसी जेली को



चित्र ४ डायफ्राम का लगाना

भी योनि में प्रविष्ट कर दिया जाय। इससे गर्भस्थापना की संभावना नहीं रहती।

टोपी को मैथुन के ८, १० घंटे पश्चात् तक लगाए रखना उचित है। १८ घंटे से अधिक समय तक टोपी न लगी रहनी चाहिए। टोपी को निकाल कर, साबुन से धोकर और सुखाकर तथा शरीर पर लगानेवाले सामान्य पाउडर को लगाकर, रख देना चाहिए।

अब टोपियों का स्थान डायफ्राम और जेली ब्रशवा टिकिया ने ले लिया है, जिनका प्रयोग अधिक सरल है।


(६) निर्भय काल (Safe period) — यह पाया गया है कि अंडक्षरण (अंडकोषिका का अंडग्रंथि से निकलना) आतं व के समय नहीं होता। क्रि. आतं वों के अंतकाल में आतं व के पश्चात् १४ वें से २० वें दिन के बीच में होता है और अंडकोषिका २४ घंटे से अधिक संसेचन के योग्य नहीं रह पाती। शुक्राणु की संसेचन शक्ति भी तीन चार दिन में नष्ट हो जाती है। अतएव आतं व के पूर्व का सप्ताह 'निर्भय काल' कहलाता है, जिसमें गर्भस्थापना का भय नहीं रहता। जिन लोगों को अन्य विधियों के उपयोग में कोई आपत्ति होती है, उनके लिये केवल यही विधि उपयुक्त है।

यह विधि केवल उन्हीं स्त्रियों में विश्वसनीय है जिनका आतं व-चक्र सदा एक समान २८ दिन का होता है। इस काल के घट बढ़ जाने से, अंडक्षरण के समय में भी घटावही हो सकती है।

कुछ और विधियाँ भी वाम में लाई जाती थीं। गर्भाशयांतर दूध, स्पंज का प्रयोग, वीर्य के इजेक्शन (जिससे शरीर में शुक्राणुशोषी वस्तुएँ उत्पन्न हो जायें), अंड और अंडग्रंथि पर एकस किरणों का

डाकना, जिससे अस्थायी बंध्यता उत्पन्न हो जाए, यदि विधियाँ, अब केवल ऐतिहासिक महत्व की बातें हैं।

(७) स्त्री में अंडवाहिकाओं या फालोपियन-नलिकाओं के तथा



चित्र ५ अफोरेक्टोमी ( Oophorectomy )

अंडवाहिका का बंधन तथा उच्छेदन।


पुरुष में शुक्रवाहिका नलिकाओं के छेदन और बंधन (क्रमशः Ligature of fallopian tubes and Vasectomy) से गर्भ-स्थापना की तकनीक भी संभावना नहीं रहती। इस शतकमें से शुक्राणु



चित्र ६ वासेक्टोमी ( Vasectomy )

और अंडकोषिका का संगम असंभव हो जाता है और फिर संतान होने की संभावना सदा के लिये मिट जाती है।

(८) लूप — यह गर्भनिरोध की एक नई विधि है, जिसका आविष्कार कुछ वर्ष पूर्व हुआ है और तभी से इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। यह प्लास्टिक की बनी एक नली होती है, जिसको उसी पर कुंडलित कर दिया जाता है। इसको एक डाक्टर द्वारा



चित्र ७. लूप

स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। यह पूर्णतया विश्वस्त

विधि पाई गई है और संसार के सभी देशों की स्त्रियों द्वारा प्रयोग की जा रही है। लूप गर्भाशय में तब तक रखा रहता है, जब तक दंपति संतान नहीं उत्पन्न करना चाहे। यदि दंपति संतान के इच्छुक होते हैं, तो वे डाक्टर से लूप को निकालवा सकते हैं और स्त्री गर्भ धारण कर सकती है। लूप को गर्भाशय में रखने के लिये किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। डाक्टर को लूप को गर्भाशय में रखने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इससे मधुन में कोई बाधा नहीं पड़ती है। कुछ स्त्रियों में अत्यल्प रक्तस्राव दो चार दिन तक हो सकता है, अथवा लूप लगाने पर प्रथम मासिक की अधिक मात्रा होती है, किंतु ये बात स्वयं ही शीघ्र ठीक हो जाती हैं। सरकार की ओर से जो अनुरोध परिवार-नियोजन-केंद्र खोले गए हैं, उनमें नियुक्त डाक्टर लूप लगाने में विशेषतया शिक्षित होते हैं।

(९) गर्भनिरोधक गोलियाँ — इन गोलियों का उपयोग गर्भ-निरोध की प्रत्युत्तम विधि है। इन गोलियों का सभी देशों में प्रचुर उपयोग किया जा रहा है। इनका प्रभाव अंडप्रति से अंड के बाहर आने ( अंडसंश्लेषण ) पर होता है। एक गोली नियत प्रति खानी होती है। परिवार-नियोजन-केंद्र के डाक्टर से गोलियों का पैक मिलना है, जिसमें २१ श्वेत और गुलाबी गोलियाँ होती हैं। २१ दिन तक एक श्वेत गोली प्रति दिन तक और उसके पश्चात् ७ दिन तक गुलाबी गोली खानी होती है। गर्भ का निरोध करने के अनिश्चित, इन गोलियों में मासिक के सामान्य दोष, मासिक में पीडा, मासिक का कम या समय से न होना, आदि भी दूर हो जाते हैं। सामान्यतः इन गोलियों से कोई कष्ट नहीं होता। कुछ स्त्रियों को सिर दर्द, आदि हो सकता है, किंतु वह शीघ्र ही जाता रहता है। जिन स्त्रियों को कैंसर, यकृत रोग, या रक्त संबंधी रोग हो, उनको ये गोलियाँ नहीं खानी चाहिए। मासिक के प्रारंभ से चार दिन के पश्चात्, पंचमे दिन से गोलियाँ खानी प्रारंभ की जायें।

(१०) कुछ इजेक्शन के योग भी तैयार किए गए हैं, किंतु वे अभी अन्वेषणगत ही हैं।

उपयुक्त उपाय उन्हीं व्यक्तियों को करने चाहिए जिनके पहर ही से कई संतान हो।

सं० प्र० — मेरी स्टोप्न - प्लेड परेटहुड ऐंड कौन्सिलेशन; प्लेड परेटहुड फंडेशन ऑफ अमरीका की इस विषय पर प्रकाशित लेखमाला; मार्गरेट सीगर : प्लेड परेटहुड; डाक्टर सत्यवती : संतति-निरोध; शासन द्वारा प्रकाशित परिवारनियोजन संबंधी साहित्य।

[मु० स्व० व०]

संतरा निंबूवृक्ष (Citrus) की किस्मों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रचलित फल है। इसके उत्पादन का क्षेत्रफल भी निंबूवृक्ष की अन्य किस्म, जैसे माल्टा, मुसम्मी, ग्रेफूट, नींबू आदि, से अधिक है। सतरा पीले छिलकेवाली और फाँकवाली एक रसदार किस्म है। इसकी फाँके छीलकर जोरा खाया जाता है और रस निकाल कर भी पीया जाता है।

भारत में नागपुर का सतरा प्रसिद्ध है। वहाँ अच्छी किस्मों का सतरा लूब पैदा होता है। वहाँ की जलवायु और भूमि संतरे की

सेती के लिये उपयुक्त हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में संतरे की फसल अच्छी नहीं होती।

संतरा समशीतोष्ण और कम उष्ण प्रदेशों में सफलता से पैदा होता है। जलवायु के साथ साथ इसकी सफल काश्त के लिये उपयुक्त भूमि का होना भी अत्यंत आवश्यक है। संतरे के लिये हल्की दुमट भूमि, जिसमें खूने की मात्रा भी हो, सबसे उत्तम मानी जानी है। अधिक रेतीली जमीन उपजाऊ नहीं होती और संतरे के लिये खराब है। अधिक चिकनी मिट्टीवाली जमीन में पानी ठहरता है और वह भी संतरे के लिये बहुत उपयुक्त नहीं होती। संतरे के लिये जमीन चुनते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(१) भूमि में कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, (२) निचली सतह अर्थात् ४.५ फुट गहराई में, कंकड़ या पत्थर आदि की सतह नहीं होनी चाहिए, (३) पानी की सतह बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए नहर आदि के किनारे, जहाँ पानी बहुत कम गहराई में होता है, संतरा अच्छा नहीं फलता, (४) निचली सतह में बहुत चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी का निकास अच्छा नहीं होता तथा (५) ऐसी जमीन जहाँ वर्षाकाल में पानी भरता है, संतरा लगाने के लिये नहीं चुननी चाहिए। पानी भरने से संतरे की जड़ें गलकर खराब होने लगती हैं।

संतरे को काफी पानी की आवश्यकता होती है। यदि कुएँ के पानी से सिंचाई की जाती है, तो यह देख लेना चाहिए कि पानी खारा तो नहीं है। खारे पानी से संतरे के पेड़ों को हानि पहुँचती है।

ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखकर ही संतरा लगाने के लिये भूमि को चुनना चाहिए। यदि भूमि और स्थान संतरे के लिये उपयुक्त न हों, तो वहाँ संतरा लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। पेड़ लगाने से पहले भूमि को ठीक करना पड़ता है। यदि उसमें पहले काश्त होती रही है, तो अधिक काम नहीं रहता। नई जमीन हो, तो पहले पूरे क्षेत्र की सफाई करनी चाहिए। जंगली झाड़ियाँ आदि काट फेंकना चाहिए। फिर पूरी जमीन की गहरी जुताई कर देना चाहिए। यह काम सर्द, खून में करना चाहिए। इससे पूरी भूमि के घासफूस की सफाई हो जाती है। यदि जमीन की सतह ठीक न हो, तो उसे भी सिंचाई की नालियों की सुविधा देखते हुए ठीक कर लेना चाहिए। इसके बाद वर्गाकार रूप में पूरे खेत में २० फुट के अंतर से गोल गड्ढे खोद लेना चाहिए। गड्ढों की गहराई तीन फुट और गोलाई भी तीन फुट होनी चाहिए। वर्षा प्रारंभ होने पर, गड्ढों को मिट्टी से फिर भर देना चाहिए। भरने से पहले, कंकड़, पत्थर आदि मिट्टी से निकाल लेना चाहिए। प्रति गड्ढे में लगभग ३० सेर सड़े गोबर की खाद और पाँच सेर हड्डी का चूरा मिलाकर भर देना चाहिए। अब गड्ढे पेड़ लगाने के लिये तैयार हो गए। दो पानी पड़ जाने के बाद उनमें पेड़ लगा देना चाहिए।

किस्मों का चुनाव — केवल वे ही किस्में लगानी चाहिए जिनकी बाजार में खपत हो। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित किस्में चुननी चाहिए : गर्म जिलों के लिये — १. कौंडानेरम, २. मैडरीन इंपीरियल तथा ३. केवला।

तराई के ठंडे प्रदेशों के लिये — १. श्रीनगर, २. कौंडानेरम तथा ३. किश्यू।

पेड़ों का चुनाव — संतरे के पेड़ चरमा चढ़ाकर तैयार करते हैं। खट्टे का बीज बोकर पनीर (स्टाक) तैयार करते हैं और संतरे की किस्मों के चरमे बाँधते हैं।

चाहे कुछ अधिक मूल्य देना पड़े, सदा भरसे की जगह से, जहाँ से पेड़ अच्छे मिलें, लेना चाहिए। अधिक पुराने या छोटे, टेढ़े मेढ़े, पीली पत्तियोंवाले पेड़ नहीं लेने चाहिए।

खाद की देखभाल — सदा आवश्यकतानुसार सिंचाई और निराई का ध्यान रखना चाहिए। फल बैठाने के बाद पानी की कमी न होनी चाहिए। पेड़ के तने से फूटकर बढ़नेवाले अंत भूसारियों (suckers) को सदा काटते रहना चाहिए।

प्रतिवर्ष थालों की गुड़ाई करना चाहिए साथ ही उनमें खाद मिला देनी चाहिए। प्रारंभ में दी गई खाद के अलावा, प्रति वर्ष पेड़ की उमर बढ़ने के साथ निम्नलिखित खाद भी बढ़ाकर देनी चाहिए :

गोबर की खाद, दो सेर; अमोनियम सल्फेट, एक पाव; हड्डी की खाद, एक पाव तथा लकड़ी की राख, दो पाव।

किसी भी बीमारी को, अथवा कीड़ा, लगते ही जाँच कराकर उचित दवा के छिड़काव आदि का प्रबंध करना चाहिए।

संतरे के फल को वनस्पति विज्ञानी नारंगक (hesperidium) कहते हैं, यद्यपि साधारण व्यक्ति इसे नारंगी के नाम से ही जानते हैं। फल के मध्य में मज्जा (pith) का बना मुलायम अंश होता है। फल में १० से १२ फॉक पिथ (pith) को घेरे रहती हैं और फॉकों में रस रहता है। समस्त नारंगी मुलायम छिलके से ढँकी रहती है। छिलके का भीतरी अंश सफेद और स्पंजी होता है। इसमें जेली सा पदार्थ पेक्टिन रहता है। छिलके का बाहरी भाग नारंगी रंग की छोटी छोटी ग्रंथियों से बना होता है। इन ग्रंथियों में वाष्पशील तेल होता है, जो निकाला जा सकता है और सुगंध के काम आता है। नारंगी के रस में शर्करा, साइट्रिक अम्ल तथा खनिज लवण रहते हैं। रस में विटामिन ए, बी और सी भी प्रचुरता रहती है। इन घटकों के कारण ही इस फल की गणना बहुमूल्य आहार के रूप में होती है। नारंगी के फल में अनेक बीज रहते हैं। कुछ नारंगियाँ बिना बीज की भी होती हैं। आहार विज्ञान के विशेषज्ञ डा० कालेग का कथन है कि यदि संतरे के एक गिलास रस का प्रतिदिन सेवन किया जाए, तो मनुष्य कम से कम सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है।

[ श्री रा० शु० ]

संताल परगना जिला, स्थिति २३° ४८' से २५° १८' उ० अ० तक तथा ८६° २८' से ८७° ५७' पू० दे० तक विस्तृत है। बिहार का यह एक जिला है, जो पूरब में बंगाल से सटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ५,४७० वर्ग मील एवं जनसंख्या २६,७५,२०३ (१९६१) है। जिले का अधिकांश भाग पठारी एवं पहाड़ी है। इसके बीचोबीच राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर-दक्षिण में फैली हुई हैं। पहाड़ियों के दोनों तरफ ऊँची नीची पथरीली भूमि है। मोर, बाह्यनी, बाँसलौई तथा गुमानी, प्रमुख नदियाँ

हैं, जो पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई बंगाल में बली जाती है। इन नदियों की धारियों में अपेक्षाकृत समतल भूमि मिलती है, जहाँ धान की खेती होती है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है। इस जिले में छोटी तथा बिलखी हुई कोयले की खानें हैं। यहाँ मुख्यतः सायास जाति के आदिवासी रहते हैं। दुमका इस जिले का प्रमुख नगर है, जिसकी जनसंख्या १८,७२० (१९६१) है। [ ज० सि० ]

**संतोख सिंह, भाई** (सन् १७८८-१८४३) वेदांत और सिक्ख दर्शन के विद्वान् और ज्ञानी संप्रदाय के विचारक थे। आपके पूर्वज छिवा या छिम्बर नाम के मोहलाल ब्राह्मण थे। आपका जन्म अमृतसर में हुआ। आपके पिता श्री देवासिंह निर्मला संतों के संपर्क में रहे। आपकी माता का नाम राजादेई (राजदेवी) था। आप कड़िवादे के कट्टर विरोधी थे। अपनी पारिवारिक परंपराओं की प्रवृत्तमानना करके आपने रोहिल्ला परिवार में विवाह किया। आपके सुपुत्र अजयसिंह भी बड़े विद्वान् हुए।

भाई साहब ने ज्ञानी संतसिंह से काव्याध्ययन किया। तदनंतर संस्कृत की शिक्षा काशी में प्राप्त की। सन् १८२३ में आप पटियालानरेश महाराज कर्मसिंह के दरबारी कवि के रूप में पधारे। दो वर्ष बाद कैथल के रईस श्री उदयसिंह आपको अपने यहाँ लिवाने आए। पटियाला की भाँति कैथल में भी आपका बड़ा संमान हुआ और वहाँ पर अनेक विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। आपकी निम्नोक्त रचनाएँ उपलब्ध हैं: (१) 'नामकोश' (सन् १८२१) 'अमरकोश' का भाषानुवाद है। (२) गुरु नानक प्रताप सूर्य अथवा गुरु नानक प्रकाश (सन् १८२३) में गुरु नानक देव का जीवनचरित् उल्लिखित है। (३) जपुजी: गरब गंजिनी टीका (सन् १८२६) गुरु नानक देव की रचना की टीका है जिसमें पूर्ववर्ती टीकाओं का खंडन मडन भी है। लेखक स्वयं वेदांत और स्मृतियों का पोषक दिखाई पड़ता है। (४) आत्मपुराण का उलथा (रचनाकाल अज्ञात)। (५) वाल्मीकि रामायण (१८३४ ई०) वाल्मीकि के आधार पर रामचरित का स्वतंत्र ग्रंथ। (६) गुरु-प्रताप-सूर्य (सन् १८४३) दो खंडों में है। पहले भाग में आदि सिक्ख गुरु नानक देव का तथा दूसरे भाग में शेष नौ गुरुओं का जीवनचरित् उल्लिखित है। इसपर पौगण्डिक प्रभाव स्पष्ट है।

इनकी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्राधान्य है। यत्रतत्र संस्कृत, फारसी और पंजाबी शब्द भी व्यवहृत हुए हैं। छंदों में दोहा, चौपाई का प्रयोग प्रचुर परिमाण में हुआ है, यथास्थान त्रिभंगी, कवित्त और सवैये का भी उपयोग हुआ है।

सं० शं० — काह्लसिंह: गुरुशब्द रत्नाकर: महान् कोश; भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला (द्वितीय संस्करण, सन् १९६०)। चंद्रकांत बाली: पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास (प्रथम संस्करण, सन् १९६२)। सत्यपाल गुप्त: पंजाब का हिंदी साहित्य (प्रथम संस्करण, सन् १९५६)। [ न० क० ]

**संधि** (Treaties) अंतरराष्ट्रीय संधियाँ देशों के बीच हुए वे समझौते हैं जिनका स्वरूप अनुबंध के समान होता है तथा जिनके अनुसार संबंधित पक्षों के प्रति कुछ में परस्पर विधिवत् अधिकार-

वर्तव्य के दायित्व की सृष्टि होती है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संधियाँ वा वह स्थान हैं जो देशीय क्षेत्र में विधिनियमों का होता है। यह वह साधन है जिनके द्वारा विभिन्न राज्य अपने अंतरराष्ट्रीय जीवन का व्यवहार संतुलित करते हैं। संधियाँ नाना प्रकार की होती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए; या किसी नू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, १९५४ ई० में फ्रांस एवं भारत के मध्य 'समरंग' संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक सबंध स्थापना, जैसा 'उत्तरी अटलांटिक संधि' द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि १८३१ द्वारा बेल्जियम के सबंध में हुई। अंतरराष्ट्रीय भाषा में संधि के अनेक पर्यायवाची हैं जैसे 'वार्नेशन' 'प्रोटोकॉल', 'एग््रीमेन्ट', 'डिक्लेरेशन', 'जेनरेल ऐक्ट' इत्यादि।

संधि के नियमों के अनुसार संबंधित पक्ष आबद्ध हो जाते हैं। यह दायित्व आबद्धता ही संधि का उद्देश्य होता है।

कोई देश जब एक बार संधि में सम्मिलित हो जाता है तो वह उसके दायित्व बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक संधि करनेवाले अन्य पक्षों से अनुमति न प्राप्त कर ले। संधि-अनुबंधों की अपेक्षा किए बिना अंतरराष्ट्रीय जीवन नितांत अव्यवस्थित तथा विधिविहीन हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्यवश बहुधा राज्य संधि-नियमों का उल्लंघन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह राज्य संधि उल्लंघन का आरोप कभी स्वीकार नहीं करते। कभी वे कहते हैं कि उनके कार्य से संधिनियमों का हनन ही नहीं हुआ, कभी यह स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि वह संधि उनपर लागू ही नहीं होती थी, कभी यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपत्काल में उन्होंने उल्लंघन किया। किसी भी प्रकार कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था या समुदाय स्पष्टतया संधि की उपेक्षा स्वीकार नहीं करता, अतएव सिद्धांत रूप में संधिमान्यता संबंधी स्वीकृत है।

संधि संबंध स्थापित करने के हेतु सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि निश्चित करना आवश्यक होता है। इस प्रतिनिधि को जो राज्य नियुक्त करता है, वह उसे लिखित रूप में एक प्रतिनिधित्व 'अधिकारपत्र' प्रदान करता है जिसके अनुसार वह देश की ओर से संधि वार्ता करने का अधिकारी हो जाता है। इस अधिकारपत्र को अंतरराष्ट्रीय भाषा में 'संपूर्ण अधिकार' कहते हैं। अंतरदेशीय संधिवाता संबंधी अधिवेशन में सर्वप्रथम एक 'संपूर्ण अधिकार समिति' बनाई जाती है जो सम्मेलन में आए सब प्रतिनिधियों के 'संपूर्ण अधिकार' (प्रतिनिधित्व अधिकारपत्र) की जाँच करती है। तत्पश्चात् गोपनीय रूप से संधिवाता की शर्तों की चर्चा की जाती है। गोपनीयता सर्वथा वांछनीय है, जिससे संधि की अपरिपक्वावस्था का वादविवाद बाह्य जगत् में प्रचारित होकर संधि-स्थापन में हानिकर न हो। सब प्रतिनिधि इस संधिवाता की प्रत्येक अवस्था पर अपने राज्यों को सूचित करते रहते हैं तथा उनका परामर्श लेते रहते हैं। प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों द्वारा संधिवाता का रूप पूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात् प्रत्येक संबंधित राज्य के पौर विधान के अनुसार यदि आवश्यक हो तो यह संधिपत्र उस देश के राजकीय

पुष्टीकरण के लिये भेज दिया जाता है। मित्रांततः राज्य के प्रधानाध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का समर्थन ही पुष्टीकरण माना जाता है किंतु प्राधुनिक व्यवहारप्रणाली के अनुसार यह पुष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

पुष्टीकरण की व्यवस्था इस कारण लाभकारी है कि इससे संबंधित पक्षों की सरकारों को सविप्रस्ताव पर अंतिम पुनर्विचार का अवकाश तथा जनमत टटोलने का अवसर मिल जाता है। विश्व में जब राजतंत्रवाद की भाव्यता थी, तब संघिप्रस्तावों का अनुमोदन स्वभावतया राजा द्वारा होता था। वर्तमान युग में भी इंग्लैंड तथा इटली में राजा, जापान में सम्राट्, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति के नाम पर संघिप्रस्ताव निमित्त एवं उनके द्वारा अनुमोदित होते हैं। पाश्चात्य जनतंत्रवादी संविधानों के अनुसार संघि पुष्टीकरण के लिये यह अनिवार्य है कि कार्यकारिणी के प्रधान की स्वीकृति के अतिरिक्त किसी रूप में विधायिनी सहमति भी प्राप्त की जाए। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में संघि की पुष्टि तब होती है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा २/३ उपस्थित सेनेटर्स की सहमति प्राप्त हो जाए। फ्रांस में सब संघिप्रस्तावों के विषय में नहीं किंतु कुछ विशेष महत्वपूर्ण संघियों की पुष्टि के लिये नियम है कि 'सेनेटर्स एवं डेप्युटीज' का बहुमत प्राप्त हो। ब्रिटेन में सिद्धांत रूप से सम्राट् को संघि-पुष्टीकरण में पार्लिमेंट की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, किंतु व्यवहार में कुछ दूरी ही प्रथा है। सारे महत्वपूर्ण संघिप्रस्ताव अनुमोदन के पूर्व 'हाउस ऑफ कामन्स' के समक्ष सहमति प्राप्त करने के लिये रख दिए जाते हैं। स्विटजरलैंड में कुछ विशेष संघिप्रस्ताव, पुष्टीकरण के पूर्व 'जनमन ग्रहण' के लिये सर्वसाधारण जनता के संमुख भी रख जा सकते हैं। भारत की संवैधानिक प्रणाली के अनुसार संघिप्रस्ताव समझ में केवल सूचनार्थ रख दिए जाते हैं, अन्य कोई क्रिया आवश्यक नहीं होती। एकसात्त्विक अंतर्गत पुष्टीकरण एकांगी रूप से कार्यकारिणी द्वारा संपन्न होता है।

पुष्टीकरण के पूर्व किसी भी संबंधित राज्य की कार्यपालिका या विधानमंडल कुछ संशोधन या संरक्षण उपाग प्रस्ताव में रख सकते हैं किंतु उनकी बाध्यता तब तक मान्य नहीं होती जब तक अन्य संबंधित पक्ष उन्हें स्वीकार न कर ले। इन संरक्षण उपागों द्वारा पक्षविशेष प्रस्ताव के कुछ नियमों से अनेकों मुक्त रख सकते हैं, अथवा किसी नियमविशेष को संशोधित रूप में या किसी विशेष अर्थ में मानकर भी संघि की स्वीकार कर सकते हैं।

पुष्टीकरण पूर्ण हो चुकने पर पक्षों में पुष्टीकरणपत्रों का परस्पर विनिमय होता है। जब संघि बहुपक्षीय होती है तो सब पुष्टीकरणपत्र उस देश के वैदेशिक विभाग में रख दिए जाते हैं जहाँ संघि अधिवेशन की बैठक हुई हो। यदि संघि अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में हुई हो तो सब पुष्टीकरणपत्र संघ के सचिवालय में रखे जाते हैं। संघ के घोषणापत्र के अनुसार यह अनिवार्य है कि संघ का कोई भी सदस्य जब कोई संघि करे तो संघ सचिवालय द्वारा उसका प्रतीयन तथा प्रकाशन करवाए। इसका उद्देश्य केवल यही है कि राज्यों में परस्पर गुप्त समझौते न होने पाएँ। पुष्टीकरण विनिमय के उपरांत संघि पूर्णरूपेण प्रभावशील

हो जाती है। साधारणतया जब तक कोई अन्य तिथि निश्चित न की गई हो, हस्ताक्षर तिथि से ही संघि लागू की जाती है। तदुपरांत अन्य राज्य भी संघि अंगीकार कर सकते हैं किंतु इसके लिये मूल संघिकारों की सहमति आवश्यक होती है।

अंतिम सीढ़ी है संघि का वस्तुतः कार्यान्वित न होना, जो विभिन्न राज्यों के पीर विधान (सिविल ला) से नियंत्रित होता है। इस विषय में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक उद्घोषणा पर्याप्त होती है। इंग्लैंड तथा भारत में संसद् द्वारा संघियों का विधिवत् समाविष्ट होना अनिवार्य है।

संघि का समापन कई प्रकार से हो सकता है। प्रायः यह संघि के स्वरूप पर निर्भर करता है। निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के कारण, संघि के नियमों की पूर्ति हो जाने पर, अथवा मूल पक्षों में से एक देश की विनष्टि के कारण, या किसी नवीन संधियोजना द्वारा जो पूर्वस्थित संघि को स्पष्ट रूप से अवकमित करती हो,— इन सभी अवस्थाओं में स्वभावतः संघि का समापन हो जाता है। वस्तुस्थिति में प्राणभूत परिवर्तन होना भी संघि को अमान्यता उत्पन्न कर सकता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की अमान्यता केवल एक पक्ष के मत से सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। युद्ध की घोषणा होते ही स्वभावतः युध्यमान देशों की पारस्परिक समस्त राजनीतिक संधियों का समापन हो जाता है, अन्य सब प्रकार की संधियों की क्रियात्मकता युद्धकाल के लिये स्थगित कर दी जाती है तथा वे समझौते मान्य रह जाते हैं जो विशेषतया युद्धकालीन व्यवहार से संबंधित हों। इसके अतिरिक्त संधिकारों की पारस्परिक सहमति से भी किसी संघि का समापन हो सकता है। कोई एक पक्ष भी अन्य पक्षों को सूचित कर संघि अनुबंधन से विलग हो सकता है, इस स्थिति में केवल उस पक्ष की ओर से संघि समापन होता है, किंतु इस प्रकार का समापन तुरंत ही कार्यान्वित नहीं हो जाता। अन्य पक्षों को सामयिक सूचना के उपरांत कुछ निश्चित अवधि मिलती है जिसमें वह विभक्त पक्ष से व्यवहारसतुलन व्यवस्थित कर सके, अन्यथा ऐसा आकस्मिक परिवर्तन समस्त संबंधित पक्षों के पूर्वनिर्धारित व्यवहारों को अवश्य ही अभ्यवस्थित और असंतुलित कर दे।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समाज इतना गतिमान है कि उसमें राजनीतिक संधियाँ कभी सततमान्य या अपरिवर्तनीय नहीं हो सकतीं। विश्वकुटुंब में राज्यरूपी इकाइयों का ऐसा स्वरूप है कि नित्य उनकी दलगत स्थितियाँ पारस्परिक लाभ हानि के दृष्टिकोण को लेकर बदलती रहती हैं। ऐसे परिवर्तनशील समाज में सततमान्य समझौते कैसे संभव हो सकते हैं? इसकी चेष्टा मात्र राजनीतिक वस्तुस्थिति तथा संधिनियमों में सदा सघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधियोजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधिनियमों में संतुलन बना रहे और कोई पक्ष अवैध रूप से इनका समापन अथवा उत्सर्जन न करे। इस दृष्टिकोण को लक्ष्य कर बहुधा संधियोजनाओं में संशोधन करने की अनुमति तथा प्रणाली भी दी जाती है। अधिकतर समस्त संधिकारों की सहमति से संशोधन किए जाने की प्रथा है, किंतु १९४५ ई० से एक नवीन प्रणाली आरंभ हुई है जिसके अनुसार यदि संशोधन अंतरराष्ट्रीय समाज के हित

में हो तो सर्वसंमति नहीं, केवल पक्षों के बहुमत से भी संशोधन फियारमक हो सकता है।

अंततः यह कहना असंभव नहीं कि वर्तमान संधियोजनाओं ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की अनेक विरोधात्मक अभिरुचियों में शांतिपूर्ण संतुलन प्रस्तुत कर एक प्रकार का वैधानिक अनुशासन उत्पन्न कर दिया है। संधिनियमों द्वारा अनेक अंतरराष्ट्रीय विवादों का स्पष्टीकरण और समाधान हुआ है, तथा विश्व के समस्त राज्यों की सुरक्षा कुछ सीमा तक सुरक्षित हो गई है। जब तक अंतरराष्ट्रीय विधान परिषद् का स्वप्न विश्वसमाज में साकार नहीं हो जाता उस समय तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सुव्यवस्था संधि द्वारा होना अनिवार्य एवं निश्चित है।

सं०.प्र०.—(१) इन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज (२) ओपेनहीम इंटरनेशनल ला; (३) स्टार्क : इंटरनेशनल ला; (४) फेनविक : इंटरनेशनल ला। [ गु० कु० प्र० ]

**संधिपाद प्राणी (Arthropoda)** खंड (segmented) शरीर और उपांगों (appendages) वाले अकशेरुकी जंतुओं को कहते हैं। ये प्राणी प्राणजगत् में सबसे बड़ा संघ (phylum) बनाते हैं। लगभग मात्र लाख संधिपादों का अथ तक वर्णन हो चुका है, जो संसार के समस्त वसिष्ठ जंतुओं का ४/५ वां भाग है। वितरण में इनमें अधिक विस्तृत वितरण किमी अन्य जंतुसमूह का नहीं है। ये प्राणी मीठे और खारे पानी में, भूमि के ऊपर और नीचे, घुबो पर, मरुस्थलो, गरम स्रोतों तथा पर्वतों पर पाए जाते हैं। पृथ्वी का शायद ही कोई स्थान ऐसा बचा हो, जहाँ ये प्राणी न पाए जाते हो। केरुके की एक जाति, एथुसिना एबिसिकोला (Ethusia abyssicola), १४ हजार फुट मगुद की गहराई से तथा मकड़ी की एक किस्म २२ हजार फुट की ऊँचाई के हिमालय पर्वत से प्राप्त हो गई है। एफिड्रिड (ephydrid) मकड़ी का लार्वा कैलिफॉर्निया की पेट्रोलियम की खान तक में रहता हुआ पाया गया है।

**माप —** माप में ये प्राणी सूक्ष्म से सूक्ष्म और काफी बड़े तक हो सकते हैं। परजीवी माइट (mite), डेमोडेक्स (Demodex), १/२५० इंच लंबा होता है। इसके विपरीत जापानी केकड़ा मैक्रोकेरा (Macrocheira) के उपांग के फैलाव का विस्तार ११ फुट तक हो सकता है।

**बाह्य रचना —** इस संघ के सभी प्राणी द्विपार्श्व सममिति (bilateral symmetry) वाले होते हैं। शरीर का प्रत्येक खंड ऊपर और नीचे काइटिन (chitin) के प्लेट से ढँका होता है। उपांगों के जोड़े या तो शरीर के सभी खंडों में, जैसे मिरियापोडा (Myriapoda) में, अथवा केवल कुछ मध्यस्थ खंडों में, जैसे कीटवर्ग (Insecta) और कुछ ऐरेकनिडा (Arachnida) में, ही उपस्थित होते हैं। ये उपांग अनेक कार्यों, जैसे चलना, दीड़ना, तैरना, मिट्टी खोदना, शिकार पकड़ना आदि, के लिये प्रयुक्त होते हैं।

#### आंतरिक रचना

**आहारमाली —** साधारणतया आहारमाली को तीन मुख्य भागों में विभाजित करते हैं : मुखपथ (stomodaeum), मध्यांत्र

(mesenteron) तथा गुदपथ (proctodaeum)। मुखपथ को घसनी (pharynx), घसिका (oesophagus), अन्नपुट (crop) और बहुधा गिजड (gizzard) जैसे भागों में विभक्त किया जाता है। मध्यांत्र, जो पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र है, अविभाजित होता है। गुद पथ को अन्न मात्र और पृष्ठ मात्र में विभक्त किया जाता है। मध्यांत्र तथा गुदपथ के जोड़ पर बहुत सी महीन और लची मेलीगी (malpighian) नलिकाएँ खुलती हैं, जो उत्सर्जन पदार्थ एकत्रित कर आहारमाली के इस भाग में विसर्जन हेतु पृच्छाती हैं।

**परिसंचरण तंत्र —** कशेरुकी जंतुओं से संधिपाद प्राणियों का परिमचरण संस्थान इस विशेष बात में भिन्न है कि इनमें रुधिर, नलिकाओं में न बहकर देहगुहा में, जिसे इसी कारण रुधिरगुहिका (haemocoel) कहते हैं, बहता है। फलस्वरूप सभी अंग रुधिर में डूबे रहते हैं। कुछ अण्ड सदस्यों, जैसे पाउरोपोडा (Pauro-poda), में हृदय नहीं होता, परंतु अधिक विकसित सदस्यों में एक स्पंदमान, सामंन, पृष्ठीय (dorsal) नलिका होती है, जिसमें शरीर के प्रति खंड के लिये एक जाटा प्रांग (ostia) होता है। इस संघ के कुछ सदस्यों, जैसे माइट (mite), में हृदय केवल कुछ ही शरीरखंडों तक जाता है, परंतु अन्य में वह काफी दूर तक फैला होता है और बहुधा महाधमनी (aorta) तथा पृष्ठीय, मासल, स्पंदमान, छिद्रयुक्त हृदय में विभक्त हो जाता है। कशेरुकी प्राणियों के प्रतिकूल संधिपादों में रुधिर साधारणतया रगहीन होता है।

**श्वसन तंत्र —** संधिपाद प्राणियों का श्वसन या तो देहभित्ति द्वारा, अथवा कुछ विशेष अंगों द्वारा होता है। ये अंग जलीय संधिपादों में गिल (gill) तथा स्थलीय में श्वसननलियों (trachea) के रूप में होते हैं। गिल शरीर या उपांगों के पट्टिभरण या शाखित उद्बर्ध (outgrowth) होते हैं तथा श्वसननलियाँ देहभित्ति की अंतर्वृद्धि (ingrowth) से बनती हैं, और बाह्य श्वसनरंध्रों (spiracles) द्वारा खुलती हैं। हवा श्वसननलियों की असह्य शाखाओं द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँच जाती है।

**उत्सर्जन तंत्र —** कुछ संधिपादों में नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ क्रिस्टल के रूप में, शरीर में अर्जावन प्रकृत रहते हैं, या निर्माचन (moulting) के साथ निकल जाते हैं, परंतु प्राधिकार में उत्सर्जन कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है।


**तंत्रिका तंत्र —** संधिपाद का तंत्रिका तंत्र ऐनेलिडा (Annelida) से अत्युत्पन्न माना जाता है। यहाँ भी यज्ञ संस्थान प्रत्येक खंड में एक गुच्छिका (ganglion) और उन्हें मिनानेगाने दो तंत्रिका तंतुओं (nerve cords) से मिनकर बनाया है। संधिपादों में शरीर खंडों के संयुक्तीकरण के कारण उनकी गुच्छिकाएँ भी युक्त हो गई हैं। अग्रिम तीन गुच्छिकाओं के युक्त होने में अस्तिष्क बनता है तथा कीटों में जहाँ शरीर खंडों के और अधिक संयुक्तीकरण से नष्ट एक उदर बने हैं, वहाँ बहुधा उनकी गुच्छिकाएँ भी आपस में जुड़ गई हैं।

#### वर्गीकरण

संधिपाद संघ को दो उपसंघों में विभक्त कर सकते हैं. (१) उपसंघ कीलिसरेटा तथा (२) उपसंघ मैडिबुलेटा।

कोक्सरेटा (Chelicerata) — इस उपसंघ के प्राणियों के जबड़े कीलेट (Chelate) तथा द्वितीय शिरस्थ (cephalic) उपागो द्वारा बनते हैं। प्रथम उपाग, या शृंगिका (antenna), अनुपस्थित होती है। इस उपसंघ को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :


१. खाइफोसुरा (Xiphosura) — इस श्रेणी के प्राणी बृहत् समुद्री जंतु हैं, जिनमें सिर और वक्ष संयुक्त होकर शिरोवक्ष (cephalothorax) बनाते हैं, जो छह जोड़े उपागों को धारण



चित्र १. किंग क्रैब (King Crab)

करता है। उदर के अंत में एक खंडा कटिदार पुच्छखंड होता है। इनमें श्वसनक्रिया पुस्तकगिलों (book gills) द्वारा होती है, जैसे किंग क्रैब में।

२. पिकनोगोनिडा (Pycnogonida) — इस श्रेणी के प्राणी छोटे और भीसत माप के समुद्री जंतु हैं, जिनमें शिरोवक्ष पंच-खंडित,



चित्र २. समुद्री मकड़ी (Pycnogonum) उदर सूक्ष्म (अति घटित), जननछिद्र जोड़ों में तथा श्वसन और

उत्सर्जन शंख अनुपस्थित होते हैं, जैसे समुद्री मकड़ी (Pycnogonum) में।

३. ऐरेकिनिडा (Arachnida) — सूक्ष्म से लेकर भीसत माप के जंतु हैं, जिनमें शिरोवक्ष चार जोड़े उपाग धारण करता है। श्वसन पुस्तक गिल (book lung) अथवा श्वासनली द्वारा होता है, जैसे बिच्छू, मकड़ी, किलनी आदि में।

मैंडिबुलेटा (Mandibulata) — इस उपसंघ के प्राणियों के जबड़े मैंडिबुलाकार (mandibulate) होते हैं तथा तृतीय शिरस्थ उपागों द्वारा बनते हैं। प्रथम उपाग शृंगिका (antenna) बनाते हैं। इस उपसंघ के निम्नलिखित दो खंड हैं :


खंड-अ — इसमें उपाग द्विशाखी (biramous), शृंगिका दो जोड़ी तथा श्वसन मुख्यतः गिल द्वारा (अर्थात् जलीय) होता है। इसके अंतर्गत केवल निम्नलिखित एक श्रेणी आती है :

श्रेणी क्रस्टेशिया (Crustacea) — इस श्रेणी के प्राणी छोटे से लेकर मध्य माप के जंतु होते हैं, जिनमें सिर और वक्ष युक्त होकर शिरोवक्ष बनाते हैं। कुछ सदस्य प्रौढ़ अवस्था में अपभ्रष्ट परजीवी (parasite) का रूप ले लेते हैं।

खंड-ब — इसमें उपाग अशाखित, शृंगिका एक जोड़ी तथा श्वसन मुख्यतः श्वसननलिकाओं द्वारा होता है। इस खंड के निम्नलिखित तीन उपखंड किए गए हैं :

१. प्रोगोनिप्टा (Progoncata) — इस खंड के प्राणियों के जननछिद्र शरीर के अग्रिम तीसरे या चौथे खंड पर स्थित होते हैं। इस उपखंड को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

१. डिप्लोपोडा (Diplopoda) — इस श्रेणी के प्राणी भीसत से बड़ी माप के जंतु होते हैं, जैसे सहस्रपाद, जिनमें शृंगिका लंबी और अशाखी (unbranched), घड़ के खंड दोहरे तथा दो जोड़े



चित्र ३. सहस्रपाद (Julus)


उपाग रहते हैं, पर हृदय और श्वसननलिका अनुपस्थित रहती है।

२. पौरोपोडा (Pauropoda) — इस श्रेणी के प्राणी सूक्ष्म जंतु हैं, जैसे पोरोपस, जिनमें शृंगिका लघु तथा शाखी (branched), घड़खंड दोहरे तथा ९-१० जोड़े उपाग होते हैं, पर हृदय और श्वासनली अनुपस्थित होती है।

३. सिफाइला (Symphyla) — इस श्रेणी के प्राणी छोटे जंतु होते हैं। इनमें शृंगिका लंबी और तंतुरूप, घड़ में १२ या



अधिक खंड, जिनमें साधारणतया १२ जोड़े उपांग होते हैं, तथा लूम (cerci) में रेशम ग्रंथि की नलिकाएँ उपस्थित होती हैं।




चित्र ४. पॉरोपस (Pauropus)

२. ओपिस्थोगोनिएटा (Opisthognoneata) — इस उपखंड के प्राणियों में जननच्छिद्र शरीर के पृष्ठभाग में, १४ खंडों के पीछे, तथा एक नखर (claw) होता है। इसके अंतर्गत केवल निम्नलिखित एक श्रेणी आती है :


काइलोपोडा (Chilopoda) — इस श्रेणी के प्राणी भीसत से लेकर बड़े माप के संघिपाद होते हैं, जिनका शरीर केवल सिर और घड़ में विभक्त किया जा सकता है। घड़ कई खंडों से मिलकर बनता है और प्रत्येक खंड में केवल एक ही जोड़ा उपांग होता है। प्रथम जोड़ा उपांग से विषदंत (fang) बनता तथा लूम अनुपस्थित होते हैं, जैसे स्कॉलोपेंडा (Scolopendra) में।

३. हेटैरोगोनिएटा (Heterogoneata) — इस उपखंड के प्राणियों में जननच्छिद्र ८, १०, १३ या १४ वें खंड पर तथा दो नखर



चित्र ५. स्कॉलोपेंडा या शतपाद (Scolopendra) होते हैं। इसके अंतर्गत भी केवल निम्नलिखित एक ही श्रेणी है :

कीट (Insecta) — इस श्रेणी के प्राणी छोटे से, भीसत माप के अंतु हैं। इनका शरीर तीन भागों में विभक्त होता है : सिर, वक्ष और उदर। वक्ष तीन जोड़े उपांग धारण करता है।



चित्र ६. टिड्डी (Locusta)


अतएव इन संघिपादों को षट्पाद भी कहते हैं। इस श्रेणी के सदस्य (जैसे टिड्डी), संख्या, अनुकूलन, एवं विविधताओं में अन्य सभी संघिपाद श्रेणियों से अधिक विकसित होते हैं।

लुप्त और संबंधित समूह

लुप्त समूह — इन समूहों की अब केवल जीवाश्म (fossils) द्वारा ही जाना जाता है। इस समूह को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

१. यूरिप्टेरिडा (Eurypterida) — इस श्रेणी के प्राणी, ऐरेकिनडा संबंधी अंतु थे, जो साइलूरियन (Silurian) से लेकर कार्बनीकल्प (Carboniferous) में पाए जाते थे। इनका शिरोवक्ष छोटा तथा घड़ १३ खंडों का होता था। अंतिम खंड को पुच्छखंड (telson) कहते हैं। छह जोड़े उपांगों में अंतिम जोड़ा पतवार के रूप में होता था, जिससे इनकी जलीय प्रकृति का पता चलता है, जैसे टेरीगोटस (Pterygotus)।

२. ट्राइलोबिटा (Trilobita) — इस श्रेणी के प्राणी क्रस्टेशिया संबंधी संघिपाद थे, जो मुख्यतः कैम्ब्रियन (Cambrian)




चित्र ७. कोनोसेफैलाइटिस (Conocephalitis) और ऑर्डोवियन (Ordovician) युगी में पाए जाते थे। इनका

शरीर तीन भागों में विभक्त होता था : अक्षिण्डित डालाकार सिर, अक्षिण्डित बड़ तथा अक्षिण्डित पूंछ (pygidium)। फ्रस्टेशिया के विपरीत इनमें केवल एक ही जोड़ा श्रुणिका होती थी तथा अन्य सभी उपांग द्विसंघि होते थे, जैसे कोनोसेफैलाइटिस (Conocephalitis)।

संघिपाद समूह — इन समूहों के अंतर्गत ऐसे सदस्य आते हैं जिनको संघिपाद कहना विवादास्पद है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अन्य किसी संघिपाद में नहीं मिलते। इस समूह को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

१. ओनिकोफोरा (Onychophora) — इस श्रेणी के प्राणी रंगनेवाले जंतुओं की भाँति मुलायम शरीरवाले तथा छोड़े और नम स्थानों में (जैसे वृक्ष की छाल, सड़ते तनों के कुंदों, या पत्थरों के नीचे) रहनेवाले जंतु होते हैं। यद्यपि इनके शरीर को सिर और बड़




चित्र ८. पेरिपेटस (Peripatus)

में विभक्त कर सकते हैं, फिर भी सिर कुछ अनिश्चित सा होता है और केवल अपने तीन जोड़े उपांगों द्वारा ही पहचाना जा सकता है।

बड़ पर कई जोड़े अक्षिण्डित उपांग उपस्थित होते हैं। श्वसन श्वासनली द्वारा होता है, अतः श्वासरंघ्र अन्य संघिपादों के प्रतिकूल छिदरे होते हैं। अपने मिश्रित गुणों के कारण इन्हें ऐनेलिडा संघ और संघिपाद संघ के बीच जोड़नेवाली कड़ी माना जाता है, जैसे पेरिपेटस (Peripatus)।

२. टार्डिग्रेडा (Tardigrada) — इस श्रेणी के प्राणी अत्यंत सूक्ष्म (१ मिमी० लंबे) जंतु हैं, जो दलदल की काई, अथवा धरों की बड़ नाखियों की छतों, पर पाए जाते हैं। कुछ अलवण जल और कुछ समुद्र में भी मिलते हैं। शरीर अक्षिण्डित तथा रंगनेवाले कीड़ों की भाँति मुलायम होता है। चार जोड़े अत्यंत छोटे दूँठ जैसे नखर-




चित्र ९. मैक्रोबायोटस (Macrobiotus)

युक्त उपांग, अपनी स्थिति के कारण, इन सूक्ष्म जंतुओं को चौपाया जैसा रूप दे देते हैं। इससे इन्हें पानी का रीछ भी कहा जाता है, जैसे मैक्रोबायोटस (Macrobiotus)।

३. पेंटास्टोमिडा (Pentastomida) — इस श्रेणी के प्राणी

निरूपित परजीवी जंतु होते हैं, जो मांसाहारी जंतुओं (जैसे कुत्ते, भेंड़ए, भेड़ आदि) के प्राण स्थानों में पाए जाते हैं। शरीर कुछ



चित्र १०. आर्मिलिफर (Armillifer)

लंबाकार उपांगरहित होता है। मुख उपांगों में केवल दो जोड़े श्रुणिका उपस्थित होते हैं। हृदय, श्वासनली तथा ज्ञानेंद्रियाँ अनुपस्थित होती हैं, जैसे आर्मिलिफर (Armillifer) में। [क० प्र० श्री०]

संघियाँ और स्नायु (Joints and Ligaments) जहाँ दो अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, वे स्थान संधि कहलाते हैं, जैसे कंधे, कुहनी या कूल्हे की संधि।

शरीर में विशेषकर तीन प्रकार की संघियाँ पाई जाती हैं : १. अचल संधि, २. अर्धचल संधि तथा ३. चल संधि।

(१) अचल संधियों में अस्थियों के संघिपुटों का संयोग हो जाता है। दोनों अस्थियों के बीच कुछ भी अंतर नहीं होता। इस कारण अस्थियों के संगम स्थान पर किसी प्रकार की गति नहीं हो पाती। दोनों अस्थियाँ तनु कतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इन संघियों में तीन श्रेणियाँ पाई जाती हैं : (क) सीवनी (सूचसं, Sutures) में अस्थियाँ अपने कोरों द्वारा आपस में मिली रहती हैं। यह केवल कपालास्थियों में पाया जाता है; (ख) दंतमूलसंधि (Gomphosis) में एक अस्थि का नुकीला भाग दूसरी अस्थि के भीतर प्रविष्ट रहता है, जैसे हनु में लगे दाँत; (ग) तातव संधि (Syndesmosis) में अस्थियों के पुच्छ अस्थ्यांतरिक स्नायु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं।

(२) अर्धचल संधि में अस्थियों के बीच में उपास्थि (cartilage) रहती है तथा गति कम होती है। इस श्रेणी में दो भेद पाए जाते हैं : (क) उपास्थि संधि (Synchondrosis) में उपास्थि कुछ समय के बाद अस्थि में परिणत हो जाती है और अस्थियों के सिरे एक दूसरे के साथ पूर्णतया जुड़ जाते हैं। पशुत्कपाल के तलभाग के बीच में इसी प्रकार की संधि होती है। इन संघियों में कुछ भी गति नहीं होती। (ख) संयुक्त संधि (symph-

ysis) में अस्थियों के सिरों के बीच में रहनेवाली उपास्थि का ब्योचण नहीं होता। यह उपास्थि दोनों अस्थियों को एक दूसरे से मिलाए रहती है। उपास्थि के प्रतिरिक्त कुछ स्नायुएँ भी अस्थियों को जोड़े रहती हैं। इसी कारण इन संधियों में कुछ गति होती है। कशेरुकों के बीच की संधि इसी प्रकार की है।

(३) चल संधियों की गति अवाध होती है। इनमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं: (क) इन संधियों में गतियों की बहुरूपता, जिससे सब दिशाओं, दो दिशाओं, एक दिशा, या केवल अक्षों पर ही गति होती है; (ख) संधि के भीतर स्थित अस्थियों का एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता; (ग) संधि एक कोशिका द्वारा पूर्णतया आच्छादित रहती है, जिसमें दो स्तर होते हैं: (१) तंतु स्तर (fibrous layer) तथा (२) स्नेहक स्तर (Synovial layer); (घ) स्नेहक स्तर संधि के भीतर से पूर्णतया ढके रहता है। केवल उपास्थि-युक्त अस्थियों के सिरे को स्वतंत्र छोड़ देता है; (ङ) संधि के भीतर बिम्बर (cavity) होता है, जो तंतु उपास्थि के एक गोल टुकड़े से पूर्णतया, अथवा अपूर्णतया, दो भागों में विभक्त रहता है; (च) कोशिका के बाहर स्नायु उपस्थित रहती हैं, जो संधि को ढक बनाती हैं। संधियों में स्थित अर्ध एवं पूर्णचंद्राकार तंतुपास्थि से अस्थियों की षष्के से रक्षा होती है और यह दोनों अस्थियों के सिरों को आपस की रगड़ से बचाती है।

चल संधियों के अंद — १. कोर संधि (Gingliums) के संधायक पृष्ठ एक दूसरे के अनुकूल ऐसे बन जाते हैं कि अस्थियाँ केवल एक ही अक्ष पर गति कर सकती हैं, जैसे कुहनी की संधि; २. विवृतिका संधि (Pivot joint) में एक अस्थि कुंडल की भाँति बन जाती है और दूसरी किवाड़ की चूल की भाँति उसके भीतर बैठकर घूमती है, जैसे प्रकोष्ठिकांतर संधि (Radio-ulnar joint); ३. स्थूलकाय संधि (Condylloid joint) में एक लंबा सा गढ़ा बन जाता है और दूसरी अस्थि उन्नतोदर और लंबोदरी सी हो जाती है। यह भाग पहले अस्थि के गढ़े में रहता है और अस्थियाँ स्नायुओं द्वारा आपस में बँधी रहती हैं, जैसे मणिवध अर्थात् कलाई की संधि। इनमें आकुंचन (flexion), विस्तार (extension), अभिवर्तन (adduction), अपवर्तन (abduction), पर्यावर्तन (circumduction) इत्यादि क्रियाएँ होती हैं। ४. पर्याण संधि (saddle joint) में एक अस्थि का आकार जीन के समान होता है। यह एक दिशा में अवतल और दूसरी दिशा में उत्तल हो जाती है, जैसे अंगूठे की मणिवध करभ (carpometacarpal) संधि; ५. जलुखल संधि (Ball and Socket joint) में एक अस्थि में गढ़ा बन जाता है। दूसरी अस्थि का एक प्रात कुछ गोल पिंड का रूप धारण करके इस गढ़े में स्थित हो जाता है। संधिविम्बर तथा स्नायु द्वारा संधि ढक हो जाती है, जिससे संधि की प्रत्येक दिशा में गति हा सकती है और स्वयं अपने अक्ष पर घूम सकती है। स्थल संधि और नितंब संधि इसके उदाहरण हैं।

सरल संधि (Plain Joint) — इसके पृष्ठ इस प्रकार ढके होते हैं और स्नायु इत्यादि की स्थिति ऐसी होती है कि अस्थियाँ इधर उधर कुछ ही सरक सकती हैं, जैसे कशेरुका संधि।

संधि की रचना — संधियों का प्रयोजन यह है। इसलिये इनकी

रचना भी इस प्रकार की है कि अस्थियाँ गति कर सकें और साथ ही अपने स्थान से च्युत भी न हों। प्रत्येक संधि पर एक तंतुक या स्नायविक कोशिका चढ़ा रहती है, जो तंतुएँ संधियों को ढकती हुई संधि में भाग लेनेवाली अस्थियों के सिरों पर लगी रहती है। इस तंतुस्तर के विशेष भागों का विशेष विकास हो जाता है और वे अधिक ढक हो जाते हैं। इन भागों को स्नायु कहते हैं, जो भिन्न भिन्न संधियों में भिन्न भिन्न संख्या में होती है।

तंतुस्तर के भीतर स्नेहकस्तर होता है, जो अस्थियों के ऊपर तक पहुँचकर उन्हें ढक सेता है। जिन संधियों के भीतर संधायक चक्रिका (articular disc) रहती है, वहाँ स्नेहक स्तर की एक परत संधायक चक्रिका के ऊपर भी फैली होती है, जिससे स्नेहक स्तर तथा संधायक चक्रिका के बीच में, स्नेहक कला की खाली में, स्नेहक द्रव्य उपस्थित हो जाता है। यह स्नेहक द्रव्य संधिस्थित अस्थि के भागों को चिकना रखता है और उनको रगड़ से बचाता है।

स्नायु — तंतुमय ऊतक के समांतर सूत्रों के लंबे पट्टे होते हैं। इनसे दो अस्थियों के दोनों सिरे जुड़ते हैं। इनके भी दोनों सिरे दो अस्थियों के अविस्तारी भागों पर लगे रहते हैं। ये स्नायु संधियों के ढक निर्माण के हेतु आपस में बँधी रहती हैं। कुछ स्नायु कोशिका के बाहर स्थित रहती हैं और कुछ भीतर। भीतरी स्नायु की संख्या कम होती है।

श्लेष्मल आवरण (Mucous sheath) — यह पेशियों की स्नायुओं (ligaments) पर चढ़ा रहता है। इन आवरणों की दो परतों के बीच एक द्रव होता है, जो विशेषकर उन स्थानों पर पाया जाता है, जहाँ स्नायु अस्थि के संपर्क में आती हैं। इससे संधि के कार्य के काल में स्नायुओं में कोई क्षति नहीं होने पाती।

स्नेहपुटी (Bursa) — यह भिन्न आकार की भिस्ली होती है, जिसकी स्नेहक कला (synovial membrane) की कोशिका में गाढा स्निग्ध द्रव्य भरा रहता है। यह उन अस्थियों के पृष्ठों के बीच अधिक रहती है, जो एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं, या जिन संधियों में केवल सरकने की क्रिया होती है।

संधियों में होनेवाली गतियाँ — प्रत्येक चल संधि में मासपेशियों की सिकुडन और प्रसार से निम्नलिखित क्रियाएँ हाती है: (१) आकुंचन, (२) विस्तार, (३) अभिवर्तन, (४) अपवर्तन, (५) पर्यावर्तन, (६) परिभ्रमण (rotation), एवं (७) विसर्पन (gliding) [ प्रि० कु० ची० ]

संधिशोथ (Arthritis) संधियों में जब सूजन हो जाती है तब उसे संधिशोथ कहते हैं। संधिशोथ दो प्रकार के होते हैं: (१) तीव्र संक्रामक (acute infective) संधिशोथ, (२) जीर्ण संक्रामक (chronic infective) संधिशोथ।

(१) तीव्र संक्रामक संधिशोथ — किसी भी तीव्र संक्रमण के समय यह शोथ हो सकता है। निम्नलिखित प्रकार के संक्रामक संधिशोथ अधिक व्यापक हैं: (क) तीव्र आमवातिक (rheumatic) उच्चर, (ख) तीव्र स्ट्रेप्टोकोकल (streptococcal) संधिशोथ, (ग) तीव्र स्टैफिलोकोकल (staphylococcal) संधिशोथ, (घ)

गॉनोकोकल (gonococcal) संघिसोष, ( इ ) कोहित ज्वर ( scarlet fever ), प्रवाहिका ( dysentery ) मयवा टाइफाइड युक्त संघिसोष तथा ( च ) सीरमरोग ( serum sickness ) ।

जीर्ण संक्रामक संघिसोष — यह शोष प्रायः शरीर के अनेक अंगों पर होता है । पाहरिया ( pyorrhoea ), जीर्ण उडुक शोष ( appendicitis ), जीर्ण पित्ताशय शोष ( cholecystitis ), जीर्ण नासुकोटर शोष ( sinusitis ), जीर्ण टॉन्सिल शोष ( tonsillitis ), जीर्ण ग्रसनी शोष ( pharyngitis ) इत्यादि ।

संघिसोष में रोगी को अत्यंत संधि में अस्वस्थ पीड़ा होती है, गाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, ज्वर होता है, वेगानुसार संघिसूल में भी परिवर्तन होता रहता है । रोगी इसकी उपायस्था में एक ही आसन पर स्थित रहता है, स्थानपरिवर्तन तथा आकात भाव को छूने में भी बहुत कष्ट का अनुभव होता है । यदि सामयिक उपचार न हुआ, तो रोगी खंज खंज होकर रह जाता है । संघिसोष प्रायः उन व्यक्तियों में अधिक होता है जिनमें रोगरोधी क्षमता बहुत कम होती है । स्त्री पुरुष दोनों को ही समान रूप से यह रोग आकात करता है ।

उपचार — संघिसोष के कारणों को दूर करने तथा संधि की स्थानीय अवस्था ठीक करने के लिये चिकित्सा की जाती है । इसके प्रतिरिक्त रोगी के लिये पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम, पोष्टिक आहार का सेवन, धूप सेवन, हलकी मालिश तथा शौतिक चिकित्सा करना अत्यंत आवश्यक है । [ प्रि० कु० ची० ]

संख्या ( वैदिक ) दिन और रात्रि के, रात्रि और दिन के तथा पूर्वाह्न और अपराह्न के संधिकाल में एकाग्रचित्त होकर जो उपासना की जाती है, उसे संख्या कहते हैं । मयवा उपयुक्त संधिकाल में विहित उपासना में किए जानेवाले कार्यकलाप को भी संख्या कहते हैं । इस प्रकार सायंकाल, अह्नकाल और मध्याह्नकाल में यह उपासना की जाती है । इन्हीं नामों से तीन संख्याएँ प्रचलित हैं । सूर्यास्त के समय से नक्षत्रावय पर्यंत सायंकाल की संख्या का, अरुणोदय के सूर्योदय पर्यंत प्रातःकाल की संख्या का और पूर्वाह्न और अपराह्न के संधिकाल में मध्याह्नकाल की संख्या का समय प्रसस्त है ।

वैदिक निर्णय के अनुसार यह उपासना प्रति दिन करनी चाहिए । द्विजमान को इस उपासना का अधिकार है । इस अनुष्ठान से मनजान में भी किए गए पाप का लोप होता है । उपर्युक्त किसी तरह का पाप यदि दिन में विहित हो तो सायंकाल की संख्या से दूर होता है । प्रत्येक वेद की संख्या का विधान विभिन्न गृहसूत्रों द्वारा प्रतिपादित है । इस अनुष्ठान के द्वारा दिव्यज्योति, सूर्य या ब्रह्म की उपासना की जाती है । इसका प्रारंभ करने से पूर्व उपवास में निद्रा का विसर्जन कर उठ बैठना चाहिए । सर्वप्रथम अपने इष्टदेव का स्मरण और वंदन करना चाहिए । अनंतर दैनिक वैदिक कृत्य से निवृत्त होकर सविधि स्नान करके शुद्ध कल धारण करे । पवित्र आसन पर बैठकर तिलक लगावे और शिवाचमन करे । सायंकाल की संख्या पश्चिम दिशा की ओर और प्रातःकाल, मध्याह्नकाल की संख्या पूर्व दिशा की ओर मुख

करके करना चाहिए । जिस दिन यज्ञोपवीत होता है उसी दिन से इसका अनुष्ठान प्रारंभ होता है । यह उपासना प्रति दिन और यावज्जीवन अनुष्ठेय है ।

इस संख्या की उपासना के प्रकरण में इसके अठ अंग महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं । उनके नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं — प्राणायाम, मंत्र आचमन, मार्जन, अन्नमर्षण, सूर्याभि, सूर्योत्थान, गायत्रीजप और विसर्जन । प्राणायाम एक प्रकार का श्वास का व्यायाम है । इसके तीन अंग बतलाए हैं — पूरक, कुंभक और रेचक । पूरक करते समय दाहिने हाथ की दो अँगुलियों से नाक के बाएँ छिद्र को बंद करके दाहिने छिद्र से धीरे धीरे श्वास खींचना चाहिए । गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए । साथ ही अपने नाभिप्रदेश में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए । कुंभक करने के समय दाहिने हाथ की दो अँगुलियों से नाक के बाएँ छिद्र को और हाथ के अँगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करके पूरक द्वारा भरे हुए श्वास को अपने शरीर में रोकना चाहिए । साथ साथ अपने हृदयप्रदेश में विष्णु का ध्यान करना चाहिए । रेचक करने में दाहिने हाथ के अँगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करके बाएँ छिद्र से रोके हुए श्वास को धीरे धीरे अपने शरीर में से बाहर निकालना चाहिए । साथ ही अपने मस्तकप्रदेश में शंकर का ध्यान करना चाहिए । इन तीनों ही क्रियाओं को करते हुए एक बार, कुंभक करते हुए चार बार और रेचक करते हुए दो बार मंत्र का आवर्तन करना चाहिए । इस प्रकार किया हुआ कृत्य प्राणायाम कहा जाता है । प्राणायाम करने से शरीर के भीतरी अंगों की शुद्धि तथा पुष्टि होती है । बुद्धि निर्मल होकर शांति मिलती है । इसको करनेवाले सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहते हैं । प्राचीन काल में ऋषि लोग इसी प्राणायाम के सेवन से अनेकविध अलौकिक कार्यों को करने में समर्थ होते थे । मंत्र आचमन — दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर मंत्र का पाठ करके हथेली का जल पीना मंत्र आचमन है । इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि मैंने मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और जननेंद्रिय के द्वारा जो कुछ पाप किया हो वह सकल पाप नष्ट हो । जल में गंदगी दूर करने की स्वाभाविक शक्ति है । इसमें सकल प्रकार की दोषधियों का जीवन निहित है । अन्न के लिये यही प्राण है । इससे विद्युत् की उत्पत्ति देखी जाती है । दुर्भावना, दुर्वासना एवं हर प्रकार के पाप को यह दूर करता है । इसी उद्देश्य से यहाँ पर मंत्र विहित है । मार्जन — जिस क्रिया में वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए शारीरिक अंगों पर जल छिड़का जाता है उसे मार्जन कहते हैं । मार्जन करने से शारीरिक अंगों की शुद्धि होती है । अन्नमर्षण — इसके द्वारा मानव शरीर में विद्यमान दूषित वासनारूपी पापपुरुष को शरीर से पृथक् करना है । इसका विधान इस प्रकार है — दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए जल-पूर्ण दाहिने हाथ को नाक के निकट ले जाना चाहिए । इसके साथ ही यह ध्यान करना चाहिए कि नाक के दक्षिण छिद्र से निकलकर पापपुरुष ने हथेली के जल में प्रवेश किया । इसके अनंतर हाथ का जल अपनी बाईं ओर भूमि पर फेंक देना चाहिए । इस क्रिया का लक्ष्य अपने शरीर से पापपुरुष को बाहर निकालकर मन को पवित्र करना और अपने को उपासना करने के योग्य बनाना है । इस विधान

का विस्तार 'सूत शुद्धि' प्रकरण में देखा जा चाहिए। सूर्यार्घ्य — इस क्रिया के द्वारा अजलि में जल लेकर गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए ऋद्धे होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य तीन बार देना आवश्यक है। यदि संध्या की उपासना का समय बीत चुका हो और यह उपासना विलंब से की जा रही हो तो प्रायश्चित्त के रूप में एक अर्घ्य अर्पित देना चाहिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन के उपलक्ष्य में अर्घ्य देने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आती है। इसका मूल यही सूर्यार्घ्य है। 'सूर्योपस्थान' — इस क्रिया में वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए ऋद्धे होकर सूर्य का उपस्थान किया जाता है। प्रातःकाल की सूर्य की किरणों मानव शरीर में प्रविष्ट होकर मानव को स्फूर्ति तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। इन किरणों में अनेक रोग दूर करने की शक्ति विद्यमान है। विशेषकर हृदयरोग के लिये ये अत्यंत लाभ करनेवाली सिद्ध हुई हैं। इस समय विद्यमान सूर्यकिरण-शिकिस्ता का यही मूल स्रोत है। गायत्रीजप — किसी मंत्र के निरंतर आवाहन को जप कहते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक भेदों से जप तीन प्रकार का कहा गया है। इनमें मानसिक जप उत्तम कहा है। जप करते हुए मन को एकाग्र और शरीर को निश्चल रखना आवश्यक है। जप करते समय मंत्र की देवता का ध्यान करते रहने से देवता के साथ उपासक की तन्मयता हो जाती है। जप के अनंतर सूर्य देवता को जप का समर्पण करना चाहिए। अंत में अपनी उपासना के निमित्त आवाहित देवता का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार की हुई उपासना को सर्वव्यापी ब्रह्म को अर्पित कर देना चाहिए। इस विधान के अनुसार निरंतर उपासना करते रहने से मानव अपने शरीर में उत्पन्न होनेवाले समस्त रोगों से दूर रहता है, समस्त सुख प्राप्त करता है और अनिर्बचनीय आनंद की अनुभूति करता है। [म० ला० डि०]

संपत्ति पूर्वी तथा पश्चिमी समाजों द्वारा संपत्ति का प्रयोग सामाजिक संगठन तथा सामाजिक रहन सहन के लिये एक अत्यावश्यक वस्तु के रूप में होता रहा है। संपत्ति शब्द का आशय, इससे संबंधित अर्थ विचारों से, जिन्हें 'वस्तु' या 'रेस' (res), 'डोमस' (Domus) तथा 'स्वामी' (प्रोप्रायटर) आदि शब्दों से व्यक्त किया गया, विकसित हुआ।

भाषाविज्ञान के अनुसार संपत्ति शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन क्रियाविशेषण 'प्रोप्टर' (propter) से हुई है। इसका विकास 'प्रोप्राइटेस' नामक शब्द से हुआ। प्रोप्राइटेस शब्द रोमन विधिज्ञों द्वारा बौद्धिक स्तर पर प्रयोग में लाया जाने लगा तथा फ्रांस की बोलचाल की भाषा में इसका व्यवहार होने लगा। धीरे धीरे संपत्ति शब्द का उपयोग भूमि, धन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिये होने लगा।

'संपत्ति' के अभिप्राय का विकास — 'संपत्ति' शब्द का अर्थ तब निश्चित है जब इस शब्द का प्रयोग एक परिवार और उसके सदस्यों से संबंधित वस्तुओं का संबंध व्यक्त करने के लिये किया जाने लगा। बाद में सामाजिक परिस्थितियों द्वारा व्यक्तियों की वस्तुओं के अभिग्रहण और संरक्षण की प्रवृत्ति को मान्यता प्राप्त हुई तथा उसके मूल का औचित्य और आवश्यकता देखते हुए

संपत्ति का समर्थन किया जाने लगा। वह संमान की वस्तु बन गई तथा उसका विकास सामाजिक विशिष्टताओंवाली संस्था के रूप में होने लगा।

प्रादिम समाज में धर्म के अधिकारी विद्वानों ने कानून को जन्म दिया तथा उस समाज में संपत्ति एवं परिवार दोनों अवि-योज्य शब्द थे क्योंकि दोनों का मूल धर्म ही था तथा दोनों को धर्म से ही मान्यता प्राप्त थी। इस प्रकार संपत्ति, परिवार तथा कानून, प्रादिम समाज में सजातीय अथवा सबद्ध शब्द थे।

संस्कृत शब्द 'गृह' अर्थात् घर की व्युत्पत्ति, 'ग्रह' शब्द हुई है जिसके अर्थ हैं, ले लेना, स्वीकार करना, छीन लेना अथवा विजय प्राप्त करना। यह स्मरण रखना चाहिए कि बलपूर्वक अथवा युद्ध में जीतकर अभिग्रहण अत्यंत प्राचीन विधि है। मनु के अनुसार, गृह की स्थापना गृहस्थी या परिवार की नींव है। 'घर' तथा 'परिवार' दोनों के लिये प्रयुक्त होनेवाले लैटिन शब्द 'डोमस' का भी अर्थ 'गृह' के सटण ही है। 'डोमस', 'डोमिनियम' (Dominium) का मूल है, जिसका अर्थ रोमन न्यायशास्त्र में संपत्ति का आशय समझाने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

न्यायसंहिता (Justinian code) में 'मैनसिपियम' (Man- cipation), 'डोमिनियम' तथा 'प्रोप्राइटेस' का प्रयोग संपत्ति अथवा 'स्वामित्व' के लिये समान रूप से किया जाता है। मैनसिपियम का अर्थ है अभिग्रहण, अधिकार में करना, विशेषकर भूमि आदि। 'मैनसिपियम' शब्द लगभग संस्कृत के 'ग्रह' शब्द के ही समान है। रोमन में 'डोमिनियम' अथवा 'प्रोप्राइटेस' का अर्थ उन सब अधिकारों का समूह है जिससे स्वामित्व का बोध होता है।

समय के साथ साथ 'स्वत्व' का विकास हुआ और धीरे धीरे इसका आशय किसी वस्तु का स्वतंत्र उपयोग और उसे भेजने या दे डालने का अधिकार समझा जाने लगा।

प्रादिम समाजों में संपत्ति के साथ धार्मिक भावना भी जुड़ी रहती थी। जहाँ भूमि और उसके उत्पादन जीविका के प्रमुख साधन थे तथा भूमि अभिग्रहण की विधि अतिक्रमण और विजय द्वारा प्राप्त करना था, भूमि तथा खेती करने का अधिकार एक प्रकार का धन समझा जाता था और इस प्रकार यह एक जाति अथवा परिवार से संबंधित संपत्ति का प्रमुख अंग था। पारिवारिक संपत्ति उन्हीं के लिये दाय योग्य थी जो अपने पूर्वजों के लिये धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। पूर्वजों के लिये धार्मिक अनुष्ठान करना नर वंशजों का ही प्रथम कर्तव्य समझा जाता था। इसलिये खेती करने, भूमि का भोग करने तथा इसको क्रय विक्रय करने का अधिकार जन्म से प्राप्त हो जाता था।

पुत्र का जन्मतः अधिकार मिताक्षरा ने स्वीकार किया है। विजनेश्वर के अनुसार जन्म ही संपत्ति का कारण है। 'हिंदू समाज में कानून की यह निश्चित स्थिति है कि पैतृक या पूर्वजों की संपत्ति का स्वत्व जन्म से प्राप्त होता है।

धीरे धीरे संपत्ति का धार्मिक स्वरूप लुप्त होता गया। मिताक्षरा के अनुसार 'संपत्ति इहलौकिक वस्तु है क्योंकि इसका उपयोग सांसारिक भोग देने के लिये होता है।

मनुस्मृति के टीकाकारों के मतानुसार भायों में संपत्ति का आशय पूरे परिवार से संबद्ध होता था जिसमें पुत्र, पुत्री, पत्नी तथा दास भी सम्मिलित थे। समाज के विकास के साथ पुत्र, पुत्री तथा पत्नी को संपत्ति की वस्तु या संपत्ति का अंग न समझकर उन्हें संपत्ति से पृथक् प्रस्तित्व की मान्यता दी गई।

संपत्ति का अर्थ (concept of property) — भारतीय कानून में संपत्ति का विधिक अर्थ वैसा ही होता है जैसा अंग्रेजी न्यायशास्त्र में। अंग्रेजी कानून बहुत कुछ रोमन कानून से प्रभावित है। 'संपत्ति' शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं यथा स्वामित्व या स्वत्व, अर्थात् स्वामी को प्राप्त संपूर्ण अधिकार। कभी कभी इसका अर्थ रोमन 'रेस' होता है जिसके अंतर्गत स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग होता है अर्थात् स्वयं वह वस्तु जो उक्त अधिकार का विषय या पात्र है। 'रेस' अथवा 'वस्तु' का मानव से संबंध बतानेवाला अर्थ संपत्ति के स्वरूप के विकास में सहायक हुआ है। इस प्रकार 'रेस' अथवा 'वस्तु' पर अधिकार का संबोध और स्वयं 'रेस' या 'वस्तु' का संबोध संपत्ति संबंधी अर्थ से जटिल तथा गहरे रूप से संबद्ध है अर्थात् दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं।

रोमन में 'रेस' का अर्थ अत्यंत जटिल है। यह अंग्रेजी की तरह अधिकार की ठोस वस्तु है। किन्तु 'रेस' का ठीक ठीक अर्थ 'वस्तु' के बिल्कुल समान नहीं है, उससे कुछ अधिक है। यद्यपि 'रेस' का मूल अर्थ भौतिक वस्तु है, परंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग ऐसी परिसंपत्ति (assets) को व्यक्त करने के लिये भी होने लगा जो भौतिक तथा स्थूल ही न होकर अमूर्त भी हो सकती थी जैसे बिजली। 'रेस' का प्रयोग विशिष्टाधिकार के लिये भी होता है और ऐसे अधिकारों के लिये भी जो, उदाहरणार्थ, प्रसिद्धि या ख्याति से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इन दो अर्थों के लिये रेस का लगातार प्रयोग होने के कारण 'रेस' के दो अर्थ हो गए: 'रेस पॉसिव' अर्थात् भौतिक वस्तुएँ जो मनुष्य के अधिकारों के अंतर्गत आ सकती हैं तथा 'रेस अपॉसिव' अर्थात् वे अधिकार स्वयं। इस प्रकार अंतिम विश्लेषण के फलस्वरूप 'वस्तु' का आशय 'रेस पॉसिव' से ही लिया जायगा।

रोमन भाषा में 'रेस' संपत्ति की वस्तु तथा अधिकार दोनों के लिये प्रयुक्त होता है परंतु 'बोना' (Bona) शब्द, जो सामान या धन के लिये प्रयुक्त होता है, संस्कृत के 'धन' शब्द के समकक्ष है। अरबी जूरिस्टों (Arabian Jurists) के अनुसार 'माल' शब्द संपत्ति तथा किसी भी ऐसी वस्तु के लिये प्रयुक्त हो सकता है जिसका अरबी कानून (बशेरियात) में मूल्य या अर्थ (वैल्यू) हो अथवा जो किसी व्यक्ति के अधिकार में रह सकता हो। 'धन' शब्द भी संपत्ति के लिये बहुधा प्रयुक्त होता है।

संपत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाली वस्तु में स्थायित्व का तथा भौतिक एकत्व का गुण होना आवश्यक है। इकाइयों के एक संग्रह को जिसकी इकाइयाँ स्वयं पृथक् वस्तु हों और ऐसी एकल इकाइयों के सम्मिलन से बनी वस्तु को भी वस्तु कह सकते हैं; जैसे एक ईंट अथवा ईंटों से निर्मित एक मकान या एक भेड़ अथवा कई भेड़ों से बना एक झुंड। कानून में 'वस्तु' का प्रयोग कुछ अधिकारों एवं

कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिये भी किया जाता है। भौतिक गुणों के आधार पर 'वस्तु' दो प्रकार की हो सकती है—चल अथवा अचल। लेकिन अंग्रेजी कानून के तकनीकी नियमों के अनुसार वस्तु, वास्तविक तथा व्यक्तिगत होती है। रोमन कानून के अनुसार 'रेस' को इसी प्रकार 'मैनसिपेबुस' (mancipable) तथा अनमैनसिपेबुस में विभक्त किया गया है। इस प्रकार संपत्ति एक ओर 'रेस' या 'वस्तु' और दूसरी ओर रेस अथवा वस्तु से संबंधित मनुष्य के अधिकारों से संबद्ध है। इसलिये संपत्ति के लिये एक ऐसा व्यक्ति आवश्यक है जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार रख सके।

अंतिम विश्लेषण के अनुसार संपत्ति, एक व्यक्ति और एक वस्तु या अधिकार, जिसे वह केवल अपना मानता हो, के मध्य स्थापित संबंध को व्यक्त करती है। अपने आधुनिक प्रयोगों में संपत्ति उन सभी वस्तुओं या संपदा (assets) के लिये प्रयुक्त होती है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो या उस व्यक्ति ने किसी अन्य को समर्पित कर दिया हो परंतु अपने लाभ के लिये उस वस्तु की व्यवस्था करने का अधिकार सुरक्षित रखता हो।

रेस या वस्तु के पॉसिव और अपॉसिव वर्गीकरण तथा वस्तु या अधिकारों के स्वरूप के अनुसार संपत्ति का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से हुआ है जैसे, पॉसिव या अपॉसिव; चल या अचल तथा वास्तविक या व्यक्तिगत। संपत्ति के साथ अन्य विशिष्ट शब्दों जैसे व्यक्तिगत या सार्वजनिक, पैतृक, दाययोग्य, संयुक्त पारिवारिक, समाधिकारिक आदि के संयुक्त कर देने से संपत्ति के स्वरूप के साथ संबंध व्यक्त होता है।

संपत्ति की वैधानिक व्याख्या के अनुसार इसके कई अर्थ हैं। संपत्ति के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम के फल भी आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी वस्तु के बदले में जो कुछ भी पाता है, जो कुछ भी उसे दिया जाता है और जिसे कानून द्वारा उस व्यक्ति का माना जाता है अथवा उसे प्रयोग करने, भोग करने तथा व्यवस्था करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, वह सब उस व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति कहलाती है। परंतु कानून द्वारा मान्यता न प्राप्त होने पर उसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता और तब विधिक परिणाम की दृष्टि से व्यक्ति और वस्तु के बीच कोई संबंध नहीं रह जाता है।

संपत्ति के प्रति अपराध बल प्रयोग आदि के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण हेतु संपत्ति विषयक अपराधों को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३१, व्यक्तिगत संपत्ति विषयक स्वत्व या आधिपत्य (Possession) को संरक्षण प्रदान करता है। समाजवादी राज्य में, जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति अल्पतम होती है, इस प्रकार के अपराध निश्चयात्मक रूप से कम होते हैं। सामान्यतः संपत्ति संबंधी अपराध संपत्ति के तीन स्वरूपों के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, यथा—(अ) चल संपत्ति के प्रति किए गए अपराध, (ब) अचल संपत्ति के प्रति किए गए अपराध, (स) अमूर्त संपत्ति के प्रति किए गए अपराध। इनका क्रमशः विश्लेषण नीचे किया जा रहा है:

(ब) चाल संपत्ति के प्रति अपराध (धारा ३७८-४४०)।

वह वस्तु जिसके प्रति कोई व्यक्ति आधिपत्य (Possession), उपभोग अथवा निर्वहन का अधिकार रखता है, संपत्ति कहलाती है। भूमि अथवा भूमि से संलग्न कोई वस्तु या किसी ऐसी वस्तु से स्थायी तौर पर बंधी हुई वस्तु को, जो भूमि से संलग्न हो, छोड़कर सभी प्रकार की मूर्त संपत्ति चाल संपत्ति के अंतर्गत आती है। लहरी फसल या वृक्ष भी (भूमि से अलग होने पर) चाल संपत्ति हो जाते हैं।

चाल संपत्ति से संबंधित आठ प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं यथा—(१) चोरी, (२) अपकर्षण, (३) लूट और डकैती, (४) संपत्ति का अपराधिक दुर्विनियोग, (५) अपराधिक विश्वासघात, (६) चोरी की संपत्ति प्राप्त कर रख लेना, (७) बोलना या छल, (८) धारिष्ट या शरारत।

१ चोरी — यह विशिष्ट अपराध अति प्राचीन काल से विश्व-विदित है। चोरी के चार प्रमुख तत्त्व हैं (धारा ३७८) प्रथम, चाल संपत्ति प्राप्त करने के लिये बेईमानी का इरादा। संपत्ति का कुछ आधिक मूल्य भी होना चाहिए। द्वितीय, इसका अर्थ के आधिपत्य या अधिकार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में संपत्ति किसी व्यक्ति के आधिपत्य में होनी चाहिए। त्यक्त वस्तु या पशु चोरी का विषय नहीं हो सकता, जैसे श्राद्ध हेतु छोड़ा गया साड़। आधिपत्य का स्वत्व दीवानी और फौजदारी दोनों कायनों से मरझिन है। यह उसी व्यक्ति में निहित होता है जिसका भौतिक या वास्तविक आधिपत्य होता है, चाहे वह कब्जा बंध हो अथवा अवैध। तृतीय, व्यक्ति के आधिपत्य से किसी वस्तु का लिया जाना उसकी इच्छा के बिना हो, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा रेलवे स्टेशन के संरक्षणगृह से बिना मुहक दिए हुए अपना ही सामान ले जाना चोरी के अंतर्गत आता है। चतुर्थ, प्राप्त करने की इच्छा से वस्तु का हटाया या ले जाया जाना आवश्यक है। निम्न दशाओं में चोरी का अपराध गुरुतर हो जाता है — (१) उस स्थान के संदर्भ में, जहाँ यह किया जाता है, यथा भवन, तबू या जलयान में की हुई चोरी (धारा ३८०)। (२) उस व्यक्ति के संदर्भ में जो चोरी का कृत्य करता है, यथा लिपिक या सेवक द्वारा की गई चोरी (धारा ३८१)। (३) चोरी करने के संदर्भ में खतरनाक तैयारी, यथा जान लेने या ऐसे ही अन्य कार्य की तैयारी (धारा ३८२)। इस प्रकार के सभी दृष्टान्तों में सामान्य से अधिक सजा दी जाती है।

२. अपकर्षण या एक्सटार्शन, (धारा ३८३-३८६) — अपकर्षण का अपराध आगल विधि में अज्ञात है, जहाँ इसका स्थान चोरी और लूट के अपराधों के मध्य में है। जब कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति से प्राप्त की जाती है जो अपने लिये या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिये खतरा या क्षति पहुँचाने की आशंका से स्वीकृति देता है, तो यह कार्य संपत्ति का अपकर्षण या बलपूर्वक ग्रहण (एक्सटार्शन) कहलाता है। इस अपराध के लिये दो तत्त्व आवश्यक हैं : (१) साक्ष्य अभिज्ञास तथा २-संपत्ति परिदान के लिये उत्प्रेरित करना। अथ सौकिक अथवा पारलौकिक क्षति का हो सकता है तथा वह एक व्यक्ति को पहुँचाई जा सकती है और संपत्ति किसी दूसरे द्वारा ग्रहण की जा

सकती है। तीन दशाओं में अपकर्षण का प्रयास भी, यद्यपि वह सफल न हुआ हो, दंडनीय है। वे निम्नलिखित हैं —

(१) जहाँ पर व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का भय तो दिखाया जाता है परंतु जहाँ संपत्ति के उत्प्रेरित परिदान का प्रयास असफल होता है (धारा ३८५) या (२) जहाँ पर अपकर्षण हेतु किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डाला जाता है, या (३) जहाँ पर अपराध का आरोप लगाने का भय दिखाया जाता है। (धारा ३८६)। दी हुई धमकी की गंभीरता के अनुसार अपकर्षण का अपराध गुरुतर हो जाता है; यथा—(१) मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने की धमकी (धारा ३८६) या (२) अपराध का अभियोग लगाने की धमकी (धारा ३८८)। दोनों अवस्थाओं में अधिक सजा दी जाती है।

३. लूट और डकैती (धारा ३९०-४०२) — लूट, चोरी और हिंसा या बलप्रयोग का समिश्रण या तात्कालिक हिंसा का भय या अपकर्षण व तात्कालिक हिंसा का भय है। जहाँ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं वहाँ ऐसा अपराध डकैती कहलाता है। वास्तव में ये दोनों अपराध चोरी या अपकर्षण के ही गुरुतर स्वरूप हैं। अतएव इस अपराध में चोरी या अपकर्षण (एक्सटार्शन) के सभी तत्त्व अवश्य विद्यमान होने चाहिए। लूट के अधिकतर अपराध आधिकारिक रूप से चोरी या अपकर्षण पर आधुन हो सकते हैं। उदाहरणार्थ हरि विमला को पकड़कर जन लेने की धमकी देता है, जब तक वह अपनी संपत्ति दे नहीं देती और अपने आभूषण उतारना प्रारंभ नहीं कर देती। विमला हरि से प्राणदान की भिक्षा माँगती है और खुद आभूषण दे देती है। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि चोरी पर आधुन लूट चाल संपत्ति से ही संबंध रखती है। और क्षति का भय अथवा वास्तविक क्षति चोरी के पूर्व या चोरी किए जाने के समय या चोरी की संपत्ति ले जाते समय पहुँचाई जा सकती है। इस प्रकार यदि चोरी की संपत्ति बीच में छोड़ दी जाती है और चोर पकड़े जाने से बचने के लिये चोट पहुँचाता है तो वह चोरी और चोट पहुँचाने का ही अपराध है, लूट का नहीं।

लूट का अपराध गुरुतर हो जाता है यदि (१) लूट करते समय चोट पहुँचाई जाती है (धारा ३९४); या (२) घातक हथियार से जान लेता या गंभीर चोट पहुँचाता है अथवा पहुँचाने की चेष्टा करता है, या (३) जब यह अपराध घातक हथियार से लैस होकर किया जाता है (धारा ३९८)। डकैती का अपराध बहुत ही गंभीर या संगीन है। इसलिये यह सभी अवस्थाओं में दंडनीय होता है। प्रथम, मंत्रणा की स्थिति में अर्थात् जब कुछ व्यक्ति डकैती करने के उद्देश्य से एकत्र होते हैं (धारा ४०२); द्वितीय, तैयारी की अवस्था में अर्थात् जब व्यक्ति डकैती करने के लिये तैयारी करते हैं (धारा ३९६); तृतीय, डकैती करने का प्रयास करते हैं (धारा ३९८) और अंत में जब यह वास्तव में की जाती है (धारा ३९५)। डकैती का अपराध गुरुतर हो जाता है जब डकैती में शामिल किसी एक के द्वारा हत्या कर दी जाती है (धारा ३९६) या जब यह घातक हथियारों से सज्जित होकर की जाती है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि डकैती में शामिल हर व्यक्ति का वास्तव उसके दूसरे साथियों के समान ही होता है। इस प्रकार

यदि डाकूओं के गिरोह के किसी सदस्य द्वारा लूटी हुई संपत्ति ले जाते समय किसी की हत्या की जाती है तो अन्य सभी सदस्य समान रूप से उसक लिये उत्तरदायी होंगे।

४. संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग (धारा ४०३-४०४) — यह एक प्रकार का नया अपराध है जो चोरी के अपराध का ही एक अंग है। भारतीय विधि में यह अपराध चोरी और नागरिक अपकृति (सिविल रॉग) के बीच का समझा जाता है। इसमें संपत्ति का आदान पहले ईमानदारी से होता है लेकिन उसका अपने पास रखे रहना या उसे अपने उपयोग में ले आना बेईमानी का कार्य होता है। इस प्रकार यदि घ, ब को भेजा गया पर्सल भूल से प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह की प्राप्ति आपराधिक नहीं है किंतु यदि तदुपरांत यह पोस्ट ऑफिस को या उस व्यक्ति को वापस नहीं कर दिया जाता जिसके नाम वह भेजा गया था बल्कि वह स्वयं रख लेता है, तब यह आपराधिक दुर्विनियोग है। खोई हुई वस्तु को प्राप्त करनेवाले को उसके स्वामी का पता लगाने के लिये युक्तियुक्त साधनों का उपयोग करना चाहिए और उसको सूचना देनी चाहिए तथा संपत्ति को उचित समय तक अपने पास रखना चाहिए जिससे उसका स्वामी उसकी माँग कर सके। यदि वह सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करता है कि वह वास्तविक स्वामी का पता नहीं लगा सकता और उसे अपने उपयोग में ले आता है तो वह उत्तरदायी नहीं है। आपराधिक दुर्विनियोग के साधारण मामले धारा ४०३ के अंतर्गत दंडनीय हैं। यदि मृतक की संपत्ति का दुर्विनियोग उसका लिपिक या सेवक करता है तो अपराध गुरुतर हो जाता है और अपराधी कठिन दंड पाता है (धारा ४०४)।

५. आपराधिक न्यास अंग या अमानत में खयानत (धारा ४०१-४०३) — अमानत में खयानत एक व्यक्ति द्वारा उस संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग है जो उसकी अमानत में रखी गई हो। इस अपराध के दो प्रमुख तत्व हैं — (१) संपत्ति पर न्यास या अधिष्ठान तथा (२) इसका बेईमानीपूर्वक अंग या दुर्विनियोग, परिवर्तन या उपयोग। 'न्यास' (ट्रस्ट) शब्द का प्रयोग यहाँ विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ में नहीं किया गया है बल्कि उस व्यापक करार के अर्थ में किया गया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति संपत्ति का व्यवहार करने के लिये अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार, यदि एक सुनार जिसे सोना कंकण बनाने के लिये दिया गया है उसमें ताँबा मिला देता है तो वह इस अपराध का अपराधी है।

बेईमानी की मंशा इस अपराध का सार है और यही मुख्य तत्व है। अनुचित लाभ अथवा अनुचित क्षति वास्तव में हुई हो, यह महत्वहीन है। अमानत में खयानत का अपराध गुरुतर हो जाता है, यदि वह जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे (१) सामान ले जानेवाले व्यक्ति (वाहक), गोदाम के रक्षक तथा इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति द्वारा (धारा ४०७), या (२) लिपिक अथवा लोकसेवक द्वारा (धारा ४०८), या साहूकार व्यापारी अभिकर्ता (दलाल) या न्यायवादी द्वारा (धारा ४०९)। इस प्रकार के सभी मामलों में अधिक सजा दी जाती है।

६. चोरी की संपत्ति प्राप्त करना (धारा ४१०-४१४) — यह संपत्ति जिसका स्वामित्व चोरी, अपकथण, लूट, आपराधिक

दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासअंग से प्राप्त किया जाता है, चोरी की संपत्ति मानी जाती है। लेकिन भारत विधि के विपरीत छल से प्राप्त संपत्ति, चोरी की संपत्ति नहीं है। यह अनावश्यक है कि हस्तांतरण या आपराधिक न्यासअंग या आपराधिक दुर्विनियोग भारत में हुमा है अथवा भारत के बाहर। लेकिन यदि इस प्रकार की संपत्ति बाद में इसके वास्तविक स्वामी के पास पहुँच जाती है तो वह चोरी की संपत्ति नहीं रह जाती। यदि वह रूपांतरित हो जाती है या उसमें परिवर्तन हो जाता है जिससे उसका वास्तविक स्वरूप समाप्त हो गया हो तो वह भी चोरी की संपत्ति नहीं रह जाती। बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना ही अपराध है तथा दंडनीय है (धारा ४११)।

इस अपराध के तीन तत्व हैं : (१) कि संपत्ति चोरी की संपत्ति हो, (२) कि यह बेईमानी (बदनीयता) से प्राप्त की हुई हो या रख ली गई हुई हो और (३) यह कि अपराधी यह जानता था और उसके लिये यह विश्वास करने का कारण हो कि यह चोरी की संपत्ति है।

यह अपराध गुरुतर हो जाता है यदि (१) डकैती द्वारा प्राप्त संपत्ति लेकर रख ली गई हो (धारा ४१२), या (२) यदि वह व्यक्ति आदतन चोरी की संपत्ति का व्यापार करता हो (धारा ४२३), या (३) यदि वह संपत्ति को छिपाने, बेचने आदि या लेकर भागने में स्नेह्या से सहायक रहा हो (धारा ४१४)।

७. छल (धारा ४१४-४२०) — आज के व्यापारिक तथा औद्योगिक संसार में यह अपराध चोरी की तुलना में अधिक प्रचलित हो गया है। इसके तत्व ये हैं—(१) किसी व्यक्ति को धोखा दिया गया हो (२) जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति उत्प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति के हाथ सौंप दे या वह स्वीकार कर ले कि धोखा देने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति अपने कब्जे में रख ले या वह कोई ऐसा काम करने से रुक जाय जिससे उससे क्षति पहुँच सकती हो (धारा ४४ में स्पष्टीकृत)। याद रखना चाहिए कि केवल धोखा देना कोई अपराध नहीं है जब तक कि यह छलित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, स्याति संबंधी या सांपत्तिक क्षति पहुँचाने के दरादे से न किया गया हो। जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया हो उसका कोई व्यक्तिविशेष होना आवश्यक नहीं है जिससे भ्रूटा वहाना या कथन किया गया हो। धोखा और उत्प्रेरण या प्रलोभन का होना संपत्ति हस्तांतरण के पूर्व या किसी कार्य को करने या न करने से विरत होने के पूर्व आवश्यक है। प्रतिरूपण या धोखा देने का कार्य शब्दों द्वारा ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यह क्रिया-कलाप तथा चरित् से भी हो सकता है। उदाहरणतः घ एक साहूकार ब से अपने बकाया रुपयों की माँग करता है। ब बकाया रुपया दे देता है और इस विश्वास में रह जाता है कि उधोही पूर्ण बकाया वह भदा कर देगा घ उसे देय धन का प्रति-ज्ञापत्र (बाँड) वापस कर देगा। घ धन मिथ जाने के बाद भी वह बाँड वापस नहीं करता। इस तरह घ ने ब के साथ छल किया।

साधारण छल या धोखा देना धारा ४१७ के अंतर्गत दंडनीय है। जहाँ संपत्ति का परिधान हो या अल्पमान प्रतिभूति गृह कर दी गई



हो, वहाँ अपराध गुरुतर हो जाता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति को भी दंड दिया जाता है जो उस व्यक्ति के प्रति छल करता है जिसका हित संरक्षित रखने के लिये वह कर्तव्यतः बाध्य हो ( धारा ४१६ )।

प्रतिरूपण या छद्मपरिचय का अपराध तब माना जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने को अन्य व्यक्ति बतलाकर छल करता है या जब वह जान बूझकर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है या यह जाहिर करता है कि वह या अन्य व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वास्तव में वह नहीं है ( धारा ४१६ ), चाहे वह व्यक्ति, जिसका प्रतिरूपण किया गया हो, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक। प्रतिरूपण द्वारा छल धारा ४१६ के अंतर्गत दंडनीय है।

८. धारिष्ट ( mischief, शरारत, धारा ४२५-४४० )— धारिष्ट का अपराध, प्राग्ल विधि के संपत्ति को दोषपूर्ण क्षति पहुँचाने के अनुरूप है। जब किसी की चल संपत्ति को हानि पहुँचाई जाती है या उसे विनष्ट किया जाता है, इस प्राणय से कि उस संपत्ति को दोषपूर्ण हानि या नुकसान पहुँचे या संपत्ति के रूप में हानिकारक परिवर्तन किया जाता है, तब धारिष्ट का अपराध गठित होता है। धारिष्ट ऐसी संपत्ति का किया जा सकता है जो उस क्षय को करनेवाले व्यक्ति की ही हो, या उस व्यक्ति की तथा अन्य व्यक्तियों की संयुक्त रूप से हो, जैसे अ और ब संयुक्त रूप से एक घोड़े के स्वामी हैं। अ, ब को अनुचित रूप से हानि पहुँचाने के आशय से घोड़े को गोनी मार देता है। अ ने धारिष्ट का अपराध किया।

धारिष्ट का अपराध चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के प्रति किया जा सकता है। यहाँ संपत्ति का अभिप्राय मूर्त (व्यक्त) संपत्ति से है जो परिवर्तित या विनष्ट हो सकती है किन्तु सुखाधिकार 'ईजमेंट' इसके अंतर्गत नहीं आता। प्रतिवादी एक परनाले का मालिक है जिससे वादी को अपना गंदा पानी बहाने का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी परनाला तोड़ देता है तो वह धारिष्ट का दोषी नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जब अपराधी के ऊपर चोरी, लूट, अपकर्षण, आपराधिक दुर्विनियोग या छल के गुरुतर अपराध लगाए गए हों तो धारिष्ट का अपराध लगाए जाने की कम ही गुंजाइश रहती है। इस प्रकार यदि कोई भेड़ चुराता है तो उसके ऊपर, यदि वह भेड़ को गोशत के रूप में परिवर्तित कर चुका है, धारिष्ट का अपराध नहीं लगाया जा सकता। जहाँ अपना अधिकार जानते हुए सचाई के साथ दीवाल गिरा दी जाती है तो यह अपराध नहीं गठित होता, क्योंकि मंशा (प्राणय) इस अपराध का मुख्य तत्व है और सच्ची भावना से अधिकार प्रकट करना अनुचित आशय से पृथक् वस्तु है।

धारिष्ट का अपराध गुरुतर हो जाता है—(१) क्षति पहुँचाई हुई संपत्ति के स्वरूप के अनुसार, यथा १०) (दस रुपए) या इससे कम मूल्य के जानवर ( धारा ४२७ ), या बड़े जानवर, जैसे हाथी, गाय इत्यादि जो ५०) ( पचास रुपए ) से अधिक मूल्य के हों धारा

( ४२६-४२६ ); (२) सार्वजनिक संपत्ति के महत्व की दृष्टि से, जैसे पेय जल के जलाशय, सार्वजनिक पुल, नदी आदि को क्षति पहुँचाना ( धारा ४३१ ), या सार्वजनिक जलनिस्सारण में बाधा ( धारा ४३२ ); (३) किए गए कार्य के अतः स्वरूप के अनुसार, यथा ध्वनि या विस्फोटक द्वारा कृषिजन्य या ऐसी ही अन्य संपत्ति को क्षति पहुँचाना ( धारा ४३५ ); (४) कार्य के महत्व के अनुसार, यथा प्रकाशस्तंभ आदि ( धारा ४३३ ), या भूमि के सीमाचिह्न को नष्ट करना ( धारा ४३४ ); (५) हानि पहुँचाने हेतु उपयोग में लाए गए पदार्थ के अनुसार ( धारा ४३७ व ४३८ ); या (६) अतः तैयारी के अनुसार, जैसे चोरी या दुर्विनियोग करने के आशय से जलयान को भूमि पर या किनारे से लगाना ( धारा ४३६ ) या मार डालने अथवा चोट पहुँचाने के लिये की गई तैयारी के पश्चात् धारिष्ट करना ( धारा ४४० )।

( ब ) अचल संपत्ति के प्रति किए गए अपराध

अचल संपत्ति के प्रति होनेवाले अपराध चार प्रकार के हैं—(१) आपराधिक अनधिप्रवेश ( अतिचार ), (२) गृह अनधिप्रवेश, (३) प्रच्छन्न गृह अनधिप्रवेश, और (४) गृहभेदन ( सेंच मार्ग )।

१ आपराधिक अनधिप्रवेश ( धारा ४४१-४४३ )— अनधिप्रवेश या अतिचार का अर्थ है अन्य की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश, जो सिविल या क्रिमिनल दोनों तरह का हो सकता है। अनधिप्रवेश का अपराध निम्न विधिविरुद्ध कार्यों से होता है—(१) उस भूमि पर, जो दूसरे के कब्जे में है, प्रवेश करना; या (२) इस प्रकार की जमीन पर बने रहना; या (३) उसपर कोई मुख्य अंश रखने का आयोजन करना। वह प्रवेश अवैध है जो विधि द्वारा प्रमाणित न हो, यद्यपि यह शांतिपूर्ण हो सकता है। अपने अधिकार में ईमानदारीपूर्वक विश्वास, यद्यपि वह गलत ही क्यों न हो, अपराध-मुक्ति का एक आधार है। लेकिन इस प्रकार का अनधिप्रवेश नागरिक अनधिप्रवेश होगा, जो क्षतिपूर्ति का नागरिक दायित्व उत्पन्न करेगा। वह अनधिप्रवेश है जो घोषित किसी एक अपराध के आशयों से युक्त है, यद्यपि प्रवेश विधिसमत हो सकता है।

विधिविरुद्ध प्रवेश या दूसरे के कब्जे की संपत्ति या भूमि पर विधिपूर्वक प्रवेश करके विधिविरुद्ध रूप से इस प्राणय से बना रहना कि (१) कोई अपराध किया जाय या (२) वहाँ किसी व्यक्ति को सन्नद्ध या अपमानित अथवा किसी तरह परेशान करना, आपराधिक अनधिप्रवेश है। प्रवेश का अपराध अतिगत होता है। इस प्रकार यदि कोई नौकर दूसरे के आधिपत्य की भूमि पर विधिविरुद्ध प्रवेश करता है और उसे जोतता है तो उसका स्वामी आपराधिक अनधिप्रवेश का अपराधी नहीं हो सकता। हाँ, इस अपराध के निमित्त प्रोत्साहित करने के लिये वह उत्तरदायी हो सकता है। संपत्ति शब्द व्यापक है जिसके अंतर्गत नौका या यान ( कार ) भी आते हैं, लेकिन इनका दूसरे के आधिपत्य में होना आवश्यक है। यह सार्वजनिक संपत्ति या स्थान न हो। क्रिमिनल ला सर्वदा आधिपत्य की रक्षा करता है तथा उसका स्वामित्व से कोई बाधा नहीं होता। यदि कोई जमींदार बलपूर्वक अपना उस संपत्ति अथवा भूमि पर, जिसपर कायतकार का आधिपत्य है, प्रवेश करता है तो यह

आपराधिक अनधि प्रवेश है। आधिपत्य का तात्पर्य यहाँ वास्तविक आधिपत्य से है, न कि काधूनी आधिपत्य से। आपराधिक अनधि-प्रवेश का वाद आधिपत्यधारी ही प्रस्तुत कर सकता है।

२. गृह में अनधिप्रवेश — ( धारा ४४२-४५२ ) किसी भवन, तंबू या जलयान में जो मानवनिवास के रूप में प्रयुक्त हो या किसी भवन में जो पूजास्थान के रूप में संपत्ति की अधिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, आपराधिक अनधिप्रवेश गृह अनधि-प्रवेश है। आपराधिक अनधिप्रवेश करनेवाले व्यक्ति के शरीर का यदि कोई भाग भी भवन आदि में घुसता है तो गृह अनधिप्रवेश का अपराध गठित हो जाता है। जिस अभिप्राय से यह अपराध किया जाय, उसके अनुसार वह गुस्तर हो जाता है ( धारा ४५३, ४५६-४५३, ४४४ )।

३. प्रच्छन्न गृह अनधिप्रवेश — सावधानी बरतने के साथ, गृहस्वामी आदि से छिपाकर, यदि गृह अनधिप्रवेश किया जाता है तो यह प्रच्छन्न गृह अनधिप्रवेश कहलाता है। यह अपराध परि-स्थितियों के अनुसार गुस्तर हो जाता है ( धारा ४४४, ४५६ )।

४. गृहभेदन ( धारा ४४५, ४५७, ४६२ ) — गृहभेदन में व्यक्ति इन छह तरीकों में से किसी द्वारा प्रवेश करता या बाहर निकलता है — (१) ऐसे रास्ते से जिसे स्वयं अभियुक्त ने बनाया है; या (२) ऐसे रास्ते से जो मानव प्रवेश के इरादे से न बनाया गया हो, जैसे खिड़की या रोशनदान द्वारा; या (३) ऐसे रास्ते से जो अभियुक्त द्वारा खोला गया है; या (४) दरवाजे का ताला, ताली से खोलकर, या (५) दरवाजे पर के व्यक्ति पर हमला करके; या (६) ऐसे रास्ते से जिसे अभियुक्त ने खोल दिया है।

यह अपराध उद्देश्य और अभिप्राय के अनुसार गुस्तर होता है और अधिक दंड द्वारा दंडनीय होता है ( धारा ४५६-४६२ )।

स — अमूर्त संपत्ति के प्रति किए गए अपराध।

अमूर्त संपत्ति के प्रति किए गए अपराध दो तरह के होते हैं (१) दस्तावेजों से संबंधित (२) संपत्तिचिह्नों या व्यापारचिह्नों से संबंधित।

१. दस्तावेजों से संबंधित अपराध ( धारा ४६३-४७० ) — दस्तावेजों के प्रति किए गए अपराधों में सबसे महत्वपूर्ण कूटरचना या जालसाजी है। यह सबसे बड़ा अपराध है जिसे अपेक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता। लेखनकला के आविष्कार के साथ साथ इस अपराध का आरंभ हुआ। घोसा देने के आशय से मिथ्या दस्तावेज की रचना, कूटरचना ( जालसाजी ) है। यह अपराध करने के लिये दो तत्व आवश्यक हैं : अ. मिथ्या दस्तावेज रचना, ब. निम्नलिखित पाँच आशयों में से किसी आशय से, (१) जनता या किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने के लिये, (२) किसी हक या दावे के समर्थन के लिये, या (३) किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति छुड़ाने के लिये या (४) कोई अभिव्यक्त तथा विवक्षित संविदा करवाने के लिये या (५) कोई कपट या छल करने के लिये। दूसरे शब्दों में कूट रचना कपटपूर्ण बेईमानी के इस आशय से होनी चाहिए कि किसी को हानि पहुँचाई जाय या स्वयं को अवैधानिक रूप से लाभपहुँचाया जाय। केवल मिथ्या दस्तावेज की रचना स्वयं में कोई अपराध नहीं

है, जब तक कि यह न सिद्ध हो जाय कि उपर्युक्त पाँच आशयों में से कोई एक या एक से अधिक विद्यमान हैं। जालसाजी धारा ४६५ के अंतर्गत दंडनीय है।

जालसाजी अर्थात् कूट रचना का अपराध कूटरचित दस्तावेज की प्रकृति के अनुरूप ( धारा ४६६-४६७ ), या कूटरचना के उद्देश्य के अनुसार, यथा छल करने ( ४६८ ) या किसी को बदनाम करने ( धारा ४६९ ) से गुस्तर होता है। कूटरचित दस्तावेज का, प्रथवा यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रहते हुए कि यह कूटरचित है, उपयोग धारा ४१७ के अंतर्गत दंडनीय है।

कूटरचना या जालसाजी सभी दशाओं में दंडनीय है। इस प्रकार छल करने के इरादे से कूटरचित मुहर का बनाना या पास में रखना, कूटरचित प्लेट का रखना या बनाना इत्यादि ( धारा ४६७, ४७२, ४७३ ) या मूल्यवान प्रतिभूति आदि यह जानते हुए रखना कि यह कूटरचित है ( धारा ४७४ ), या दस्तावेज को प्रामाणिक बनाने के लिये उपयोग में लाए जानेवाले साधन या चिह्न में जालसाजी करना या कपटपूर्वक दस्तावेज को निरस्त या रद्द करना प्रथवा उसका विनष्टीकरण इत्यादि ( धारा ४७७ ) दंडनीय है। नियुक्त कर्मचारी द्वारा घोसा देने के लिये लेखाग्रो का मिथ्याकरण भी दंडनीय है ( धारा ४७७ अ )। इसके लिये संपत्तिहरण आवश्यक नहीं है। सहकारी संघ के पदाधिकारियों ने तत्संबंधी एकाउंट ( लेखा ) में मिथ्या प्रंक भर दिए, यद्यपि उसमें किसी की कोई हानि नहीं हुई किंतु वे दोषी ठहराए गए।

२. व्यापार या संपत्तिचिह्नों के प्रति अपराध ( धारा ४७८-४८६ ) — व्यापारचिह्न एक संकेत है, जैसे कोई चिह्न, लेबुल ( चिप्पी ) या ऊपर लिखे गए शब्द इत्यादि, जो एक व्यापारी के माल को दूसरे व्यापारी के उसी प्रकार के माल से भेद करने के लिये प्रयुक्त होता है। जब कि संपत्तिचिह्न वह चिह्न है जो यह घोषित करता है एक चल संपत्ति का किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंध है। आगल विधि में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। व्यापारचिह्न संबंधी अधिनियम ५, सन् १९४०, व्यापारचिह्नों का पंजीकरण एवं उनकी रक्षा हेतु अन्य प्रभावकारी संरक्षण प्रदान करता है। साधारणतया व्यापारचिह्न का उल्लंघन फौजदारी की अपेक्षा दीवानी अपराध ही है। लेकिन चूंकि दीवानी कार्यवाही में अधिक समय व व्यय लग सकता है, अतः कानून ने व्यापारी के संरक्षण हेतु, मामले को फौजदारी न्यायालयों में ले जाने का अधिकार प्रदान किया है ताकि शीघ्र निपटाया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ क्षतिग्रस्त पक्ष अपराध घटित होने के तीन साल के अंदर प्रथवा पता चलने के एक साल के अंदर, जो भी पहले समाप्त हो, वाद प्रस्तुत करता है तो फौजदारी न्यायालय में उसपर विचार किया जा सकता है। यदि समय के अंदर ऐसा करने में व्यापारी असफल होता है तो उसे राहत पाने के लिये दीवानी न्यायालय की शरण जाना पड़ेगा।

मिथ्या व्यापारचिह्न या संपत्ति चिह्न का उपयोग करना ( धारा ४८०-४८१ ), या व्यापारचिह्न या संपत्तिचिह्न की नकल करना ( धारा ४८३-४७४ ), इस प्रकार के नकली चिह्नों के तैयार

करने के किसी उपकरण आदि को पास में रखना (धारा ४८५), या नक्ली व्यापारचिह्न या संपर्तचिह्न से चिह्नित माल का विक्रम या बिक्री अथवा व्यापार हेतु उसपर बन्ना रखना, उसका बनाना (धारा ४८६), या किसी लोकसेवक को मिथ्या चिह्न से घोला देना (धारा ४७७, ४८८), या किसी संपर्तचिह्न को हटाना, उसे विरूपित करना या विनष्ट करना (धारा ४८६) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। [ रा० च०नि० ]

**संपादन** का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक मासिक या सावधिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बनाना। लेख और पुस्तक के संपादन में भाषा, भाव तथा क्रम के साथ साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का भी संशोधन और परिष्कार किया जाता है। इस परिष्करण की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक देकर, अध्याय का क्रम ठीक करके, व्याकरण की दृष्टि से भाषा सुधार कर, शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित करके, नाम, घटना, तिथि और प्रसंग का उचित योग देकर, आवश्यकतानुसार विषय, शब्द, वाक्य या उदाहरण बढ़ाकर, उद्धरण जोड़कर, नीचे पादटिप्पणी देकर सूबोध व्याख्या भी जोड़ दी जा सकती है।

सामयिक घटना या विषय पर अग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक मूल्या के अनुसार उनपर विभिन्न आकार प्रकार के शीर्षक (हेडलाइन, फ्लेश, बैनर) देना, अश्लील, अपमानजनक तथा अपार्षितजनक बातें न लिखते हुए मत्पता, भोज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के माध्यम का विरोध करना, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, जनता का पथप्रदर्शन करना और लोकमत निर्माण करना दैनिक पत्र के संपादन के अंतर्गत आता है। साप्ताहिक पत्रों में अन्य सब बातें तो दैनिक पत्र जैसी ही होती हैं किंतु उसमें विचारपूर्ण निबंध, कहानियाँ, विवरण, विवेचन आदि सूचनात्मक, पठनीय और मननीय सामग्री भी रहती है। अतः उसके लेखों, साप्ताहिक समाचारों, अग्र्य मनोरंजक सामग्रियों तथा बालक, महिला आदि विशेष वर्गों के लिये संकलित सामग्री का चुनाव और संपादन उन विशेष वर्गों की योग्यता और अवस्था का ध्यान रखते हुए लोकशौल की दृष्टि से करना पड़ता है। इसी प्रकार वाक्पत्रों द्वारा प्रेषित प्रश्नों के उत्तर भी लोकशौल तथा तथ्य की दृष्टि से परीक्षित करके समाविष्ट करना आवश्यक होता है।

मासिक या सावधिक पत्र मुख्यतः विचारपत्र होते हैं जिनमें गंभीर तथा शोधपूर्ण लेखों की अधिकता होती है। इनमें आए लेखों का संपादन लेख या पुस्तक के समान होता है। विवादग्रस्त विषयों पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त लेखों का इस प्रकार परीक्षण कर लिया जाता है कि उनमें न तो किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज अथवा ग्रंथ पर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक या आक्रोशपूर्ण आरोप हो और न कहीं अपशब्दों या अश्लील (अभंगल, व्रीडाजनक तथा ग्राम्य) शब्दों का प्रयोग हो। ऐसे पत्रों में विभिन्न शैलियों में आकर्षक रचनाकीशैलियों के साथ लिखे हुए पठनीय, मननीय, मनो-

रंजक, ज्ञानविस्तारक, विचारोत्तेजक, और प्रेरणाशील लेखों का संग्रह करना, उनके साथ आवश्यक संपादकीय टिप्पणी देना, स्पष्टीकरण के लिये पादटिप्पणी, परिचय अथवा व्याख्या आदि जोड़ना और आए हुए लेखों को बोधगम्य तथा स्पष्ट करने के लिये अनावश्यक अंश निकाल देना, आवश्यक अंश जोड़ना, आदि से अंत तक शैली के निर्वाह के लिये भाषा ठीक करना, जिस विशेष बोधन से लेखक ने लिखा हो उस कौशल की प्रकृति के अनुसार भाषा और शैली को व्यवस्थित करना, यदि लेखक ने उचित कौशल का प्रयोग न किया हो तो उचित कौशल के अनुसार लेख को बदल देना, भाषा में प्रयुक्त किए हुए शब्दों और वाक्यों का रूप शुद्ध करना या लेख का प्रभाव बनाए रखने अथवा उसे अधिक प्रभावशील बनाने के लिये शब्दों और वाक्यों का संयोजन करना आदि क्रियाएँ संपादन के अंतर्गत आती हैं।

कविता या काव्य के संपादन में छंद, यति, गति, प्रभाव, मात्रा, शब्दों की उचित योजना, अलंकारों का उचित और प्रभावकारी योग, भाव के अनुसार शब्दों का संयोजन, प्रभाव तथा शैली का निर्वाह, तथा रूढ़ीक्तियों के उचित प्रयोग आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तात्पर्य यह है कि संपादन के द्वारा किसी भी लेख, पुस्तक या पत्र की सामग्री को उचित अनुपात, रूप, शैली और भाषा में इस प्रकार ढाल दिया जाता है कि वह जिस प्रकार के पाठकों के लिये उद्दिष्ट हो उन्हें बह प्रभावित कर सके, उनकी समझ में आ सके और उनके भावों, विचारों तथा भाषाबोध को परिभाषित, सशक्त, प्रेरित और प्रबुद्ध कर सके तथा लेखकों का भी पथप्रदर्शन कर सके। [ सी० च० ]

**संपीड़ित वायु** वायु में दबाव होता है। माघारणतया इसकी अनुभूति हमें नहीं होगी। यदि हमारे शरीर के किसी अंग से वायु निकाल ली जाय, तब वायु के दबाव की अनुभूति हम मरलता से हो जाती है। समुद्रतल पर वायु के दबाव की मात्रा प्रति वर्ग इंच १५ पाउंड भार की होती है। जैसे जैसे हम वायु में ऊपर उठते हैं, तैसे तैसे दबाव कम होना जाता है। यहाँ तक कि कुछ पहाड़ के शिखरों पर दबाव की मात्रा प्रति वर्ग इंच ६ पाउंड भार तक पाई गई है। वायु को दबाया भी जा सकता है। दबाने से उसका दबाव बढ़ जाता है। ऐसी दबी हुई वायु को संपीड़ित वायु ( compressed air ) कहते हैं। दबाने की इस क्रिया को संपीड़ित करना कहते हैं। सपीडन से वायु का आयतन कम हो जाता है और दबाव बढ़ जाता है। इस प्रकार वायु का दबाव काफी ऊँचा बढ़ाया जा सकता है। संपीड़ित वायु का उपयोग आज बहुत अधिक कामों में हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दो सौ से अधिक कामों में इसका आज उपयोग हो रहा है तथा दिन दिन बढ़ रहा है। इसके उपयोग में कोई खतरा नहीं है। यह मशीनों द्वारा प्रत्येक स्थान में बड़ी सरलता से पहुँचाई जा सकती है। इसी कुछ मशीनों बड़ी सरल है और कुछ जटिल भी हैं। सपीडित वायु का उपयोग दो प्रकार से हो सकता है : (१) मशीनों में सपीडित वायु तैयार कर, कामों में ऐसी वायु सीधे लगाई जा सकती है, अथवा सपीडित वायु सिलिंडरों में भरकर संचित रखी जा सकती है और आवश्यकतानुसार उसे भिन्न भिन्न कामों में लगाया जा सकता है। संपीड़ित वायु

प्राप्त करने की मशीनों को 'वायु संपीड़क (air compressor)' कहते हैं।

वायु को संपीड़ित करने का सबसे सरल उपकरण बाइसिकल या मोटरकार के ट्यूबों में हवा भरने का वायु पंप (air pump) है। पर वायु पंप से अधिक दबाव वाली संपीड़ित वायु नहीं प्राप्त हो सकती। अधिक दबाव के लिये जटिल वायु संपीड़क बने हैं। पहले पहल इनका उपयोग संपीड़ित वायु द्वारा जालित ड्रिलों से पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाने में हुआ था। पीछे रेल के ब्रेकों में भी इनका उपयोग शुरू हुआ। सामान्य वायुसंपीड़क से प्रति वर्ग इंच ६० से १०० पाउंड की दबाववाली वायु प्राप्त होती है। ऐसे भी संपीड़क बने हैं जिनसे हजारों पाउंड दबाव की वायु प्राप्त हो सकती है।

संपीड़क में सिलिंडर के अंदर एक पिस्टन होता है। सिलिंडर के एक छोर पर दो वाल्व, एक भीतर की ओर खुलनेवाला और दूसरा बाहर की ओर खुलनेवाला होता है। सिलिंडर के पिस्टन को जब खींचकर ऊपर के छोर पर लाया जाता है, तब सिलिंडर के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है और वायुमंडल से वायु इस वाल्व द्वारा खींच ली जाती है। जब पिस्टन को नीचे किया जाता है, तब दबाव के बढ़ जाने के कारण अंदर खुलनेवाला वाल्व बंद हो जाता है और बाहर से खुलनेवाला वाल्व खुल जाता है, जिससे सिलिंडर की वायु निकलकर 'वायुकक्ष' में चली जाती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से वायुकक्ष की वायु का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उपयुक्त दबाव की वायु को तल द्वारा निकालकर काम में लाया जा सकता है।

वायु संपीड़कों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : (१) परचाय वायुसंपीड़क (Reciprocating Air Compressor), (२) घूर्णी (rotary type) किस्म के संपीड़क और (३) टर्बो संपीड़क (Turbo Compressor)। परचाय वायुसंपीड़क अधिक उपयोग में आते हैं। इनका सिद्धांत वैसा ही है वैसा ऊपर बखित है।

वायुसंपीड़कों के उपयोग — वायु पंप द्वारा ही साइकिल और मोटर गाड़ियों के ट्यूब में हवा भरी जाती है। वायु संपीड़कों से प्राप्त संपीड़ित वायु द्वारा जालित ड्रिलों से पहाड़ों में छेद कर सुरंग बनाई जा सकती है। वायु संपीड़क द्वारा ही बिजेटर, सिनेमा-घरों, बड़ी बड़ी इमारतों और खानों में संचालन (ventilation) किया जाता है, जिससे अशुद्ध वायु निकलकर उसका स्थान शुद्ध वायु ले लेती है। इसकी सहायता से पिसाई भी हो सकती है। संपीड़ित वायु से बड़े हथौड़े चलाकर कोयला, पत्थर, बालू, कंक्रीट आदि तोड़े और पीसे जाते हैं। वायु संपीड़क से प्राप्त संपीड़ित वायु से रिबेट किया जा सकता है और लोहा तथा इस्पात छीले जा सकते हैं। संपीड़ित वायु की सहायता से बड़े बड़े जहाजों, वायुयानों, मोटरकारों आदि पर पॉलिश को जा सकती है और वाणिज्य चढ़ाई जा सकती है। घरों की सफाई, दीवारों की सफेदी तथा रंगाई और फर्निचर पर वाणिज्य चढ़ाई, वायुसंपीड़कों से प्राप्त संपीड़ित वायु की सहायता से कम खर्च में हो जाती है। अनेक सामानों की सफाई तथा मकानों की बुहराई भी इसकी सहायता से

होती है। रेल के ब्रेक संपीड़ित वायु के बल से काबं करते हैं। संपीड़ित वायु की सहायता से अनेक सामानों, जैसे अनाज, कोयले आदि, को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।

संपीड़ित वायु की उपयोगिता की सूची काफी लंबी है। इन सब का यहाँ उल्लेख करना सम्भव नहीं है। संपीड़ित वायु का उपयोग प्राधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है।


[ शु० प्र० मि० ]

**संपूर्णानंद** कुशल तथा निर्भीक राजनेता एवं संवतोमुखी प्रतिभा-वाले साहित्यकार। जन्म वाराणसी में १ जनवरी, सन् १८६० को हुआ। वहीं के कबीर कालेज से बी० ए०-सी० की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग चले गए और वहाँ से एल० टी० की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आप प्रेम महाविद्यालय (वृंदावन) तथा बाद में हॉगर कालेज (बोकारो) में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। देश की पुकार पर आपने यह नौकरी छोड़ दी और फिर काशी के सुख्यात देशभक्त (स्वर्गीय) बाबू शिवप्रसाद गुप्त के धामंत्रण पर ज्ञानमंडल संस्था में काम करने लगे। यही रहकर आपने अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक 'अंतर्राष्ट्रीय विधान' लिखी और 'मर्यादा' का संपादनभार भी संभाल लिया। इसके बाद जब इस संस्था से 'टुडे' नामक अंग्रेजी दैनिक भी निकालने का निश्चय किया गया तो इसका संपादन भी आपको ही सौंपा गया जिसे आपने बड़ी योग्यता के साथ संपन्न किया।

श्री संपूर्णानंद में शुरू से ही राष्ट्रसेवा की लगन थी और आप महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने को आतुर रहते थे। इसी से सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर आपने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित काशी विद्यापीठ में सेवाकार्य के लिये जब आपको धामंत्रित किया गया तो आपने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। वहाँ अध्यापन कार्य करते हुए आपने कई बार सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए। सन् १९२६ में आप प्रथम बार कांग्रेस की ओर से बड़े होकर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सन् १९३७ में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना होने पर शिक्षामंत्री प्यारेलाल शर्मा के त्यागपत्र दे देने पर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री बने और अपनी अद्भुत कार्यक्षमता एवं कुशलता का परिचय दिया। आपने गृह, अर्थ तथा सूचना विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सन् १९५५ में श्री गोविंदवल्लभ पंत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाने के बाद दो बार आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री नियुक्त हुए। सन् १९६२ में आप राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए जहाँ से सन् १९६७ में आपने अवकाश ग्रहण किया।

श्री संपूर्णानंद भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के अनन्य समर्थक थे। योग और दर्शन उनके प्रिय विषय थे। वे नियमित रूप से पूजापाठ और संध्या करते थे तथा माथे पर तिलक लगाते थे। राजनीति में वे समाजवाद के अनुयायी थे किन्तु उनका समाजवाद उसके विदेशी प्रतिरूप से भिन्न भारत की परिस्थितियों एवं भारतीय विचारपरंपरा के अनुकूल था। हिंदी तथा संस्कृत

संपूर्णानंद ( २००० )



श्रीअरविंद ( वेलें पृष्ठ ३२१-२३ )



भाषवराव सभे ( वेलें पृष्ठ ४१७ )



से उन्हें विशेष प्रेम था पर वे अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू, फारसी के भी अच्छे ज्ञाता तथा मौलिकी, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र के भी पंडित थे। विभिन्न विषयों की प्रभूत पुस्तकें वे निरंतर पढ़ते रहते थे और अपनी मानस मंजूषा में जिन प्रमुख ज्ञानरत्नों का संग्रह किया करते थे, लोकहित के लिये उनके द्वारा उनका दान और उत्सर्ग भी होता रहता था। हिंदी में वैज्ञानिक उपन्यास उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखा। इस प्रकार उन्होंने अध्ययन, मनन से जो कुछ भी इकट्ठा किया उसका बहुलाश 'भादानं हि विसर्गाय सता वारिमुष्मिभिव' इस उक्ति के अनुसार अपनी प्रौढ़ लेखनी द्वारा जनता में पुनः वितरित कर दिया। आपकी कुछ प्रमुख हिंदी रचनाएँ ये हैं : अंतराष्ट्रीय विधान, समाजवाद, चिद्विलास, गणेश, ज्योतिर्विनोद, कुछ स्पृतिर्या, कुछ स्फुट विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, ग्रहनक्षत्र। इनके अतिरिक्त सामयिक पत्रों में आपने जो बहुसंख्यक लेख लिखे वे भी हिंदी साहित्य की प्रमुख निधि हैं। इनके कुछ संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में उन्मुक्त कारागार का अद्भुत प्रयोग आपने प्रारंभ किया जो यथेष्ट रूप से सफल हुआ। नैनीताल में वेधशाला स्थापित कराने का श्रेय भी आपको ही है। वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिंदी समिति की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोनों संस्थाएँ आपकी संस्कृत संस्कृतनिष्ठा एवं हिंदी प्रेम के अद्वितीय स्मारक हैं। कला के क्षेत्र में लखनऊ के मैरिस म्यूजिक कॉलेज को आपने विश्व-विद्यालय स्तर का बना दिया। कलाकारों और साहित्यकारों को शासकीय अनुदान देने का प्रारंभ देश में प्रथम बार आपने ही किया। वृद्धावस्था की पेंशन भी आपने प्रारंभ की। आपको देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने 'डॉक्टर' की संमानित उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि 'साहित्यवाचस्पति' भी आपको मिली थी तथा हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार' भी आप प्राप्त कर चुके थे।

आपका निधन १० जनवरी, १९६६ को वाराणसी में हुआ।

[ मु० ]

**संबंध स्वामी** प्रसिद्ध नालवारों में एक संबंध स्वामी का जन्म ७वीं शती ईसा के मध्य में मद्रास राज्य के सिरकली में हुआ था। तीन वर्ष की बाल्यावस्था में जब उनके पिता मंदिर के तालाब में स्नान कर रहे थे, वे चित्लाए 'अम्मे अम्पा' इसपर भगवान् शिव प्रगट हुए और पार्वती ने दिव्य बालक को दूध पिलाया तथा शिवज्ञान प्रस्तुत किया। पिता की वापसी पर बालक ने अपना पहला 'तेवरम' गाया।

अपने पिता के कंधों पर बैठकर संबंदर ने दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की यात्रा की। मार्ग में वे तेवरम् गाते और चमत्कार दिखाते चलते थे। इस प्रकार तिरुकोलक्का में उन्हें स्वर्ण मञ्जीरा प्राप्त हुआ, तिरुनेलवोडम में उन्हें मोती की पालकी तथा छत्र प्राप्त हुआ। तिरुपथिलविरमम् में उन्होंने मुन्निय्या की पुत्री को रोग से मुक्त किया। तिरुमहल में उन्होंने सर्पदंश से मृत एक व्यापारी को पुनर्जीवित किया, तिरुवोडमूर में भगवान् को प्रकट कर दिखाया; मदुरै में पांड्य राजा का मयंकर रोग ठीक किया। मदुरै में उन्होंने जैनों को पुनीती दी और उन्हें पराभूत किया।

नल्लुरपेहमनम में संबंदर ने नंबियंदर नंबि की पुत्री से विवाह किया। वैकासी मूल दिवस पर केवल सोलह वर्ष की उम्र में जब उन्होंने गाना गाया, तब एक देवी ज्वाला दृष्टिगोचर हुई जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ प्रविष्ट हुए।

संबंदर शैववाद के शक्तिशाली समर्थक थे। उन्होंने उपदेश दिया कि मुक्ति सत्पुत्र मार्ग से प्राप्त हो सकती है। भक्ति द्वारा ही भगवान् के चरणकमल तक पहुँचा जा सकता है जो सर्वोच्च है एवं सुख दुःख तथा अच्छे बुरे से ऊपर है।

संबंदर की रचनाओं की प्रसिद्धि एक हजार गीतों से है जो तीसरी तिरुमुरै में विभक्त है। इसके अंतर्गत केवल ३४८ तेवरम् हैं। संबंदर के तेवरम् अपने उपमा सौंदर्य, अर्थ एवं माधुर्य के कारण बेजोड़ हैं। संबंदर के जीवन तथा रचनाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी सुंदरार और अम्पार के तेवरमो में और सेक्कलर तथा नंबियंदर नंबी की रचनाओं में मिलती है।

वा० सुब्रमनिया पिल्लै और सी० शिवज्ञानम पिल्लै के मुख्यवान शोध कार्यों द्वारा हमें संबंदर तथा उनके काल के संबंध में और भी अधिक बातें ज्ञात हुई हैं।

संबंदर के अन्य नाम अछूद पिल्लैयर, पलगावोयार, मुनमिल-विरहर इत्यादि हैं। [ एन० वी० रा० ]

**संबलपुर (Sambalpur)** १. जिला, यह भारत के उड़ीसा राज्य का जिला है। इसका क्षेत्रफल ६,७६३ वर्ग मील तथा जनसंख्या १४,६८,२७१ (१९६१) है। महानदी इस जिले को असमान भागों में विभक्त करती है। यह नदी ६० मील तक नौगम्य है। यह जिला तरंगित समतल है, जिसमें न्यूनतम पहाड़ियाँ हैं। इनमें से सबसे बड़ी पहाड़ी ३०० वर्ग मील में फैली हुई है। जिले में महानदी के पश्चिमी भाग में सघन खेती होती है और पूर्वी भाग के अधिकांश में जंगल हैं। जिले में हीराकुड पर बाँध बनाकर सिंचाई के लिये जल एवं उद्योगों के लिये विद्युत् प्राप्त की जा रही है। महानदी और इब नदी के संगमस्थल के समीप हीराकुड में स्वर्ण-बालू एवं हीरा पाया गया है।

२. नगर, स्थिति : २१° ३०' उ० ७० तथा ८४° ३' पू० दे०। यह उपयुक्त जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है। नगर महानदी के बाएँ किनारे पर स्थित है। नगर में सुती वस्त्र और टसर रेशम के वस्त्र बुनने का कुटीर उद्योग है और अधिकांशतः हथकरधे का ही उपयोग होता है। नगर की पुष्टभूमि में वनाच्छादित पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनके कारण नगर सुंदर लगता है। नगर की जनसंख्या ३८,६१५ (१९६१) है। [ प्र० ना० मे० ]

**संभाजी** (जन्म, १६५७; मृत्यु, १६८६) उग्र, उदत, तथा अद्भुत-दर्शी संभाजी केवल साहस को छोड़कर अन्य आरिचिक विशेषताओं में अपने पिता, शिवाजी से विपरीत प्रकृति का था। नौ वर्ष की अवस्था में शिवाजी की प्रसिद्ध आगरा यात्रा में वह साथ गया था। औरंगजेब के बंदीगृह से निकल, शिवाजी के महाराष्ट्र वापस लौटने पर, मुगलों से समझौते के फलस्वरूप, संभाजी मुगल सम्राट द्वारा राजा के पद तथा पंचहजारी मंसब से विभूषित हुआ। औरंगाबाद की

मुगल छावनी में, मराठा सेना के साथ, उसकी नियुक्ति हुई (१६६८)। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद ही, संभाजी के दुश्चरित्र का प्रमाण पाने पर शिवाजी ने उसे दंडित किया (१६७६)। जब उसका कोई प्रभाव न पड़ा तो पन्हाला के किले में उसे नजरबंद कर दिया गया (१६७८)। इस निबंधण से विद्रोह कर संभाजी पन्हाला से भागकर मुगल डैनानायक बिलेर खाँ से जा मिला (१६ दिसंबर, १६७८)। किंतु बिलेर खाँ के अत्याचार से विमुक्त होकर वह पुनः पन्हाला आ गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने संभाजी के अनुज राजाराम को सिंहासनासीन करने का प्रयत्न किया। किंतु संभाजी ने राजाराम और उसकी माता को बंदी बनाकर स्वयम् को छत्रपति घोषित कर दिया (२० जुलाई, १६८०)। १० जनवरी, १६८१ को उसका विधिवत् राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष श्रीरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भाग कर संभाजी का आश्रय ग्रहण किया। फलतः संभाजी और मुगलों का तुमुल संघर्ष छिड़ गया। छह साल अकबर संभाजी के आश्रय में रहा। १६८१ में राजाराम के समर्थकों ने संभाजी की हत्या का विकल षड्यंत्र किया। इसका उसने भीषण प्रतिशोध लिया। अनेक सामंतों के साथ उसने अपनी विमाता की भी हत्या कर दी। १६८२ में उसने पुर्तगालियों को पराजित किया। किंतु जब श्रीरंगजेब ने बीजपुर तथा गोलकुंडा राज्यों को समाप्त कर पुनः महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, तो संभाजी की स्थिति संकटापन्न हो गई। अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कविकलया के साथ वह बंदी बना लिया गया (१ फरवरी, १६८६)। दोनों को असीम यंत्रणाएँ सहनी पड़ीं। ११ मार्च, १६८६ को दोनों को मृत्युदंड दिया गया। मृत्यु के समय संभाजी ने जिस असीम साहस का परिचय दिया, उससे नैराश्यपूर्ण महाराष्ट्र में नवस्फूर्ति जाग्रत हो गई।

सं० प्र० — जी० एस० सरदेसाई . द न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास; जदुनाथ सरकार : शिवाजी, तथा द हाउस ऑफ शिवाजी।

[ रा० ना० ]

**संभाव्यता** साधारणतः संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जिसके न होने की अपेक्षा घटित होने की अधिक प्राप्ति है। इस अर्थ में यह शक्य (possible) से भिन्न है। घटना शक्य तब होती है जब उसके घटने में विरोध नहीं होता। 'बंध्य माता' का होना न तो शक्य है और न संभाव्य ही। 'स्वर्ण पर्वत' संभाव्य नहीं है, परंतु शक्य है।

द्वैतानिक अर्थ में संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जो न तो निश्चित है और न असंभव। यदि निश्चित ज्ञान का प्रतीक 'एक' (१) माना जाय और निश्चित ज्ञान के अभाव का 'शून्य' (०), तब संभाव्यता का स्थान इन्हीं '०' और '१' के मध्य निर्धारित किया जा सकता है।

संभाव्यता के आधार होते हैं। जेम्स ने संभाव्यता के आधार को आत्मगत माना है। उन्होंने विश्वास को ( जो आत्मगत है ) संभाव्यता का आधार माना है। यह मत दोषयुक्त बताया गया है, क्योंकि संभाव्यता का संबंध परिमाण से है और विश्वास को मात्रा में व्यक्त करना संभव नहीं है। विश्वास को संभाव्यता का आधार मानना इसलिये भी उचित नहीं जैसा कि संभाव्यता

की गणना होती है और यह गणना विश्वास के साथ संभव नहीं है। वह इसलिये कि जिस वस्तु में विश्वास होता है उसका कभी तो अनुभव नहीं होता और कभी कभी एक अनुभव पर ही दो व्यक्तियों का विश्वास भिन्न भिन्न हो जाता है।

संभाव्यता का संबंध प्रागमन से है। प्रागमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है। अतः संभाव्यता को पूर्ण रूप से आत्मगत कहना उचित नहीं, क्योंकि निरीक्षण और परीक्षण विषयगत है।

इन्हीं उपयुक्त घटियों के कारण कुछ विचारकों ने संभाव्यता को विषयगत प्रमाणित किया है। संभाव्यता अनुभव पर निर्भर करती है। अनुभव विषयगत है। अनुभव के आधार पर ही घटना के होने या न होने में हमारा विश्वास होता है। यह विश्वास आत्मगत है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि संभाव्यता का आधार अनुभव (विषयगत) और विश्वास (आत्मगत) दोनों ही हैं।

संभाव्यता की गणना गणित द्वारा होती है। घटनाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। अतः उनकी संभाव्यता की गणना की भी रीति भिन्न भिन्न हैं।

सरल घटना की संभावना निकालने के लिये घटना घटित होने की संभावना की संख्या में घटना के होने की संभावना की संपूर्ण संख्या से भाग देते हैं। ताश की ५२ पत्तियों में इस बार खींचने से काला पान का बादशाह निकले, इसकी संभावना जानने के लिये नियम है :

$$\frac{\text{घटनेवाली घटना की संख्या}}{\text{घटने की संपूर्ण संख्या}} = \frac{1}{52}$$

अतः काला पान का बादशाह निकलने की संभावना  $\frac{1}{52}$  है।

साथ साथ नहीं घटनेवाली दो घटनाओं में एक घटना घटने की संभावना की गणना के लिये उनकी अलग अलग संभावना को जोड़ देना पड़ता है। ताश की ५२ पत्तियों में गुलाम और बादशाह ( जो साथ साथ नहीं हो सकते ) किसी एक के निकलने की संभावना है :

$$\frac{1}{52} + \frac{1}{52} = \frac{2}{52}$$

इसी प्रकार दो स्वतंत्र घटनाओं के साथ साथ होने की संभावना उनकी अलग अलग संभावनाओं को आपस में गुणा करके निकालते हैं। इन्द्रधनुष ( जो तीन दिनों में एक बार दृश्य होता है ) तथा वर्षा ( जो सात दिनों में एक बार होती है ), इन दोनों स्वतंत्र घटनाओं के साथ साथ घटित होने की संभावना होगी :

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{21}$$

यही नियम अश्वीन घटनाओं (जैसे—अफवाह) के साथ भी लागू है।

एकत्रित किए हुए प्रमाण की सत्यता की संभावना को जानने के लिये १ ( एक ) में से उसकी असंभावनाओं के गुणनफल को घटा देते हैं। अन्यान्य गवाहों द्वारा बताई गई घटना के ( जो एकत्रित किए हुए प्रमाण हैं ) सत्य होने की संभावना इस प्रकार निकाली जा सकती है : एक गवाही में सत्य होने की संभावना जब  $\frac{1}{2}$  है तो उसमें सत्य होने की असंभावना  $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  होगी। फिर दूसरी गवाही में सत्य होने की संभावना जब  $\frac{1}{3}$  है तो उसमें असंभावना होगी —  $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$



इन दोनों की धलज असंभावनाओं के गुणनफल को १ (एक) में से घटाने पर उत्तर होगा— $2 \times \frac{1}{2} = 1$

$$= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

इस प्रकार गवाहों द्वारा बताई हुई घटना के सत्य होने की संभावना  $\frac{1}{2}$  होगी।

इस प्रकार संभाव्यता की मात्रा संख्या के आधार पर ही निकाली जाती है। अतः संख्या की गणना पूर्ण रूप से नहीं होने पर संभाव्यता की मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती। संभाव्यता की गणना के उपरांत जिस निष्कर्ष की प्राप्ति होती है वह औसत के लिये ही सत्य होता है। दूसरे शब्दों में यह कहें कि संभाव्यता औसत (Average) के लिये सत्य होती है। [ज० न० म०]

**संभाव्यता (Probability)** गणितीय संभाव्यता के यथार्थ अर्थ के विषय में विशेषज्ञों, दार्शनिकों, गणितज्ञों तथा सांख्यिकीविदों में मतभेद है। संभाव्यता में रुचि के प्रारंभिक कारण वाणिज्यबीमा तथा वैध क्रियाविधि में साक्ष्यभार थे। कला एवं साहित्य के पुनर्जागरण काल के प्रारंभ में इटली के नगरो में वाणिज्यबीमा का श्रीगणेश हो गया था। जीवन बीमा की सैद्धांतिक नींव १७ वीं शताब्दी में पड़ी। संभाव्यता-गणित में न्यायिक साक्ष्य के सिद्धांत का १९ वीं सदी के मध्य तक महत्वपूर्ण स्थान रहा। संयोगप्रधान खेलों से संबंधित गणितीय निर्णय पर लूका दी पेसिलो, जेम्स कारदान तथा कला एवं साहित्य के पुनर्जागरण काल के अन्य गणितज्ञों ने विचार किया, परंतु अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। १७वीं सदी में पास्काल तथा अन्य गणितज्ञों ने इस विषय का 'पाशक ज्यामिति' के रूप में विकास किया। गणित की शाखा के रूप में संभाव्यता सिद्धांत का जन्मदाता बेनूली को माना जा सकता है। लाप्लास के कारण संभाव्यता प्रकृति विज्ञान में केवल श्रुति सिद्धांत के रूप में आई। शीघ्र ही गणितीय संभाव्यता-कलन की सहायता से लोक-वित्त, स्वास्थ्य-पशामन, चुनाव के संचालन तथा बीमा के प्रतिरिक्त, अन्य सामाजिक मामलों से संबंधित सांख्यिकीय सामग्री का वरण होने लगा। १८ वीं सदी के मध्य से संभाव्यता का विकास भौतिक सिद्धांत के एक भाग की भांति हुआ। इसका सर्वप्रथम आभास ऊष्मा के सिद्धांत में हुआ। तत्पश्चात् संभाव्यता की संकल्पना विज्ञान तथा प्रकृति दर्शन का मूल अभिप्राय हो गई। इस कारण हम विचार के अर्थ तथा संरचना के स्पष्टीकरण की आवश्यकता का अनुभव हुआ।

**अमूर्त संभाव्यता-कलन** — संभाव्यता की अनेक परिभाषाओं के कारण इसके गणित को इन परिभाषाओं पर आधारित करने के लिये, अनेक वैकल्पिक विधियों का प्रयोग किया गया। इन वैकल्पिक कलनों में उनके मूल विचार के अर्थ के भिन्न भिन्न अभिप्राय लिए गए हैं, परंतु ध्येष्ट सीमा तक उनकी तार्किक संकल्पना समान है। इनके अवलोकन से अमूर्त संभाव्यता-कलन संबंधी खोज के प्रयत्नों के लिये प्रवर्तक प्राप्त होता है।

एक प्रकार के अमूर्त कलन का, जिसको बृद्धिवादी (logistic) कह सकते हैं, आविष्कार जे० एम० कंस (१९२१), हैस राकेनबेक

(१९३२) तथा अन्य लेखकों ने किया। इन तंत्रों में संभाव्यता साध्य, अथवा गुण के मध्य अपरिभाषित, संबंधों के रूप में प्रकट होती है।

कल्पना करें कि 'किसी निदिष्ट a/h h की संभाव्यता' की संकेत से सूचित किया गया है। यह कहना प्रायः सुविधाजनक रहता है कि a एक 'घटना' और h कोई 'अवस्था' अथवा 'प्रमाण' है। यह कल्पना करना आवश्यक नहीं है कि कोई युगल साध्य (अथवा गुण) फलन के एक संख्यात्मक मान को निर्धारित करता है; परंतु यदि कोई संख्यात्मक संभाव्यता है, तो उसको निम्नलिखित चार अभिधारणों को संतुष्ट करना चाहिए :

$$(i) a/h \geq 0; \quad (ii) h/h = 1$$

$$(iii) a/h + (नहीं - a)/h = 1 \text{ पूरकता का मूलधन; और}$$

$$(iv) (a \text{ और } b)/h = a/h \times b/(h \text{ और } a), \text{ व्यापक गुणन मूलधन।}$$

प्रथम, द्वितीय और तृतीय अभिधारण से प्रमाणित होता है कि समस्त संभाव्यता मान ० से १ तक के अंतराल में स्थित हैं, जब यह मान लिया जाय कि ० और १ दोनों अंतराल में सम्मिलित हैं।

चतुर्थ की सहायता द्वारा तृतीय से व्यापक योग सिद्धांत

$$(a \text{ अथवा } b)/h = a/h + b/h - (a \text{ और } b)/h$$

को सिद्ध कर सकते हैं।

यदि a और b परस्पर निवारक विकल्प हों, तो उनकी संयुक्त घटना की संभाव्यता शून्य है। इस भांति परस्पर निवारक a और b के लिये

$$(a \text{ अथवा } b)/h = a/h + b/h.$$

इसको विशेष योग सिद्धांत कहते हैं।

यदि  $a/h = n/(h \text{ और } b)$ , तो हम कहते हैं कि (संभाव्यता के लिये) a स्वतंत्र है b से (h में)। कलन के प्रागे के विकास के लिये स्वतंत्रता की कल्पना प्रति महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अभिधारण तथा स्वतंत्रता की परिभाषा से प्रमाणित होता है कि स्वतंत्र a और b के लिये समता

$$(a \text{ और } b)/h = a/h \times b/h$$

सत्य है। इसको विशेष गुणन सिद्धांत कहते हैं।

**संभाव्यता का बारंबारता सिद्धांत** — लौकिक भाषा में किसी निदिष्ट h की संभाव्यता का अर्थ वह सपेक्ष बारंबारता है जिससे घटना a घटित होती है, जबकि प्रतिबंध h परिपूर्ण हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी निदिष्ट h की संभाव्यता उन h की साध्य है, जो a की हैं।

**संभाव्यता का परास सिद्धांत** — इस सिद्धांत की व्याख्या सरलतम रूप में निम्न प्रकार से की जा सकती है :

हम h का वैकल्पिक प्रतिबंध की संख्या n में विश्लेषण करते हैं। h परिपूर्ण हो जाता है, का अर्थ है कि या तो  $h_1$  अथवा... अथवा  $h_n$  परिपूर्ण हो जाता है। इनमें से कुछ विकल्प, माना m, a की घटना का अनुक्रम बंधन करते हैं। शेष - a ऋण (minus) नहीं की घटना का अनुक्रम बंधन करते हैं। एक

पारस्परिक शब्दावली के आधार पर हम विकल्प के प्रथम वर्ग को  $a$  का अनुकूल और द्वितीय को  $a$  का प्रतिकूल कहते हैं। किसी निदिष्ट  $h$  की संभाव्यता अनुपात,  $m : n$ , है, अर्थात् अनुकूल विकल्प की संख्या तथा समस्त विकल्प की संख्या का अनुपात है।

किसी साध्य (अथवा गुण) के लिये सत्य (परस्पर निवारक) विकल्प को परास कहना स्वाभाविक ही है। पूर्वोक्त चिरप्रतिष्ठित परिभाषा को अब निम्न प्रकार से व्यापक बनाया जा सकता है।

किसी निदिष्ट  $h$  की संभाव्यता  $h$ — और —  $a$  के परास की माप और केवल  $h$  के परास की माप का अनुपात है; अर्थात्

$$\frac{a}{h} = \frac{m}{n} \quad (h \text{ और } a)$$

**अनधिमान का सिद्धांत** — संभाव्यता के परास सिद्धांत में मुख्य कठिनाई परास की माप के कारण है। यह कठिनाई इस प्रश्न के साथ संबंधित है कि किस प्रकार से साध्य (अथवा गुण) का विकल्प में विश्लेषण किया जाय। सामान्यतः माप के चुनाव और अंकड़ों के विकल्पों में विश्लेषण की अनेक संभावनाएँ हैं। अनधिमान के सिद्धांत की चिरप्रतिष्ठित परास परिभाषा के, जिसका आवश्यक पुरक यह परंपरा से समझा जाता रहा है, संबंध में व्याख्या की गई है।

**संभाव्यता व्यक्तिनिष्ठ अथवा वास्तुनिष्ठ** — बेर्नूली और लाप्लास दोनों इस विचार के थे कि प्रत्येक घटना का एक पर्याप्त कारण होता है, जिसके विषय में हम अज्ञानी हो सकते हैं। प्रकृति की अनिर्धारिता नहीं अपितु मनुष्य की अज्ञानता संभाव्यता को मुख्य कमाना है। इसी कारण बेर्नूली ने संभाव्यता को निश्चितता की मात्रा कहा है। अनेक लेखकों ने संभाव्यता को विश्वास की मात्रा कहा है। इसका मनोवैज्ञानिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ आशय है, जिसके कारण विषय में संभ्रांति अधिक मात्रा में आई। इससे मुझाव भिलता है कि संभाव्यता के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक तथ्यों से संबंधित गणितीय नियम हैं, अर्थात् वह प्रकार जिसमें मनुष्य अपने विश्वास को अनुमान योग्य घटना में 'वितरित' करता है।

सापेक्ष बारंबारता के रूप में संभाव्यता की परिभाषा स्पष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ है। इसी भाँति सापेक्ष माप के रूप में संभाव्यता की परिभाषा वस्तुनिष्ठ है, यदि वह अनधिमान के चिरप्रतिष्ठित सिद्धांत की भाँति, माप विधि ज्ञान (अथवा अज्ञान) की दशा की ओर निर्देश नहीं करती।

**बेर्नूली का प्रमेय** — कल्पना करें कि  $h$  के किसी अवसर पर घटित घटना  $a$  की संभाव्यता  $h$  के पूर्व अवसर पर घटित होने वा न होने से अप्रभावित रहती है, अर्थात्  $a$  की घटना एक दूसरे की संभाव्यता से स्वतंत्र है। कल्पना करें कि यह संभाव्यता  $p$  है। विशेष गुणन तथा योगफल के सिद्धांत का प्रयोग  $h$  के  $n$  अवसर पर घटना  $a$  के अंतराल  $p \pm e$  में, किसी सापेक्ष बारंबारता के साथ अनुभव होने के संभाव्यतागणन में, कर सकते हैं। इस द्वितीय संभाव्यतांश के प्रतिफल से सिद्ध कर सकते हैं कि :

(१)  $n$  अवसरों पर घटना की सापेक्ष बारंबारता का अधिकतम संभाव्य मान  $h$  मान है, जो उसकी संभाव्यता  $p$  के निकटतम है।

(२)  $n$  अवसरों पर घटना की सापेक्ष बारंबारता का उसकी संभाव्यता  $p$  से किसी संख्या  $e$  की, जो कितनी भी लघु क्यों न हो, मात्रा से कम के विचलन की संभाव्यता की सीमा १ होती है, जब  $n$  में अनियतरूपेण वृद्धि की जाती है। इस भाँति, लौकिक भाषा में, अंत में घटना उसकी संभाव्यता की सापेक्ष बारंबारता के साथ लगभग निश्चित रूप से अनुभव होगी।

वर्धमान संभाव्यता के अनंतस्पर्शी गुण की, निम्नलिखित उदाहरण द्वारा, व्याख्या की जा सकती है :

किसी सिक्के को ऊपर फेंकने पर चित (अथवा मूर्तभाग) और पट (अथवा अक्षर भाग) की संभाव्यता  $1/2$  है। परिणाम संभाव्यता के लिये स्वतंत्र है : किसी पूर्व फेंकने में प्राप्त चित और पट का कोई संबंध अगली बार ऊपर को फेंकने में चित अथवा पट आने की संभाव्यता को प्रभावित न कर सकेगा।

इस महत्वपूर्ण प्रमेय को बेर्नूली का प्रमेय कहते हैं। तथ्य के रूप में यह उस वर्ग के साध्य का प्रथम सदस्य है जिसको बृहत् संख्या का नियम कहते हैं। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग प्लासॉन् ने १८३७ ई० में किया।

**प्रतिलोम संभाव्यता** — १७६३ ई० में टॉमस बेज ने यह सिद्ध किया कि यदि  $n$  स्वतंत्र अवसर पर किसी घटना की सापेक्ष बारंबारता  $m : n$  हो, तो घटना की संभाव्यता का अधिकतम संभाव्यमान भी  $m : n$  होगा, यदि इस संभाव्यता का आदिगृहीत कोई मान उतना संभाव्य है जितना कोई अन्य मान। १७७४ ई० में लाप्लास ने भी इन प्रमेय को स्वतंत्र रूप से सिद्ध किया था। लाप्लास ने यह भी सिद्ध किया कि यदि वर्णित कल्पना सत्य हो, तो अंत में यह लगभग निश्चित हो जायगा कि संभाव्यता का अपनी सापेक्ष बारंबारता से संपात होता है।

बेज-लाप्लास प्रमेय बेर्नूली के प्रमेय का प्रतिलोम है और बारंबारता के आधार पर संभाव्यता-प्राक्कलन की प्रतिलोम संभाव्यता के चिरप्रतिष्ठित सिद्धांत का मध्य प्रस्तर है। लाप्लास और उसके अनुयायियों ने इस सिद्धांत का विकास किया और इसको अनेक प्रयोगों में प्रयुक्त किया।

प्रतिलोम संभाव्यता की एकलिज एडी पूर्वगृहीत संभाव्यता पर उसकी निर्भरता है। प्रतिलोम संभाव्यता अब भी विवादास्पद विषय है। आर० ए० फिशर आदि शोधकर्तारों ने इसको पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया है।

**अनतस्पर्शी संभाव्यता और नैतिक हद निश्चय का सिद्धांत** — भूतकाल में प्रायः यह अनुमान लगाया जाता रहा कि बेर्नूली के प्रमेय के नाते, अंत में घटना संभाव्यता अनुपाती संख्या में घटित होगी (ए० डे मॉरगन, सन् १८३८), परंतु यह गभीर त्रुटि है। प्रमेय केवल यह कहता है कि बारंबारता की संभाव्यता से संपात की संभावना अधिकाधिक ही जाती है, और यह, अपने आपसे, अंत में भी वास्तविक बारंबारता के विषय में किसी निष्कर्ष का समाश्रय नहीं देता।

इस कल्पना में छिपी त्रुटि कि बेर्नूली नैश्चर्याय संभावना की व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना को बेर्नूली का प्रमेय बारंबारता के पदों

में वस्तुनिष्ठ संकल्पना से संयुक्त करता है। इसे सर्वप्रथम आर० जेजली एलिस ने १८४३ ई० में समझा तथा निर्यायिक रूप से इसकी समालोचना की। तो भी, बेर्नौली के प्रमेय और संभाव्यता के अन्य अनंतश्रृंखली सिद्धांत (वृहत् संख्या के नियम) को बिना तार्किक त्रुटि के संभाव्यता से सांख्यिक बारंबारता को संयुक्त करने में प्रयोग के लिये एक अन्य विधि है। इसको निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं :

कल्पना करें कि बारंबारता के अवलोकन से, अथवा परास के प्रतिफल से, अथवा किसी अन्य स्रोत से, हम किसी  $n$  की संभाव्यता की परिकल्पना करते हैं। इस परिकल्पना से हम परिकलन करते हैं कि यह "लगभग", अथवा बेर्नौली के शब्दों में "नैतिक रूप से", निश्चित है (माना कि  $0.९५^{\circ}$  तक संभाव्य) कि  $n$  परीक्षणों की श्रेणी में घटना की सापेक्ष बारंबारता अपनी संभाव्यता से एक भिन्न (माना  $0.०१$ ) से कम से विचलित होगी है। अब हम एक स्वयं तथ्य ग्रहण कर सकते हैं कि घति असंभाव्य घटनाएँ "लगभग अपवर्जित" हैं अथवा "नैतिक नैश्चित्य" का पूर्ण नैश्चित्य की भाँति उपचार करना चाहिए। इस स्वयं तथ्य का वास्तव में बेर्नौली ने सुझाव दिया था और इस कारण इसको बेर्नौली के ढड़ निश्चय का नैतिक सिद्धांत कह सकते हैं। इसका ग्रहण करना वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त प्रयोजन में संभाव्यतागणन के वास्तविक प्रयोग से भलीभाँति संबंधन करता प्रतीत होता है। यदि प्रेक्षित बारंबारता नैतिक ढड़ निश्चय के सिद्धांत के विरोध में हो, तो परिकल्पना में सशोधन कर देते हैं, अथवा उसको अस्वीकृत कर देते हैं। वास्तव में नैतिक ढड़ निश्चय की सीमा मूल्य-सापेक्ष है और उसका किसी एक, अथवा अन्य मान, पर अत्यंत रूप से नियत करना प्रत्येक स्थिति के लिये विशिष्ट परिस्थिति के समूह पर निर्भर रहेगा। इन परिस्थितियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन सांख्यिकीय सिद्धांत का वृहत् कार्य है।

क्या संभाव्यता के एक अथवा अनेक अर्थ हैं? संभाव्यता के निम्नलिखित प्रयोग की तुलना करें :

(१) एक सामान्य छह पक्षवाले टप्पे के 'छठे' पक्ष के ऊपर घाने की संभाव्यता  $1/6$  है।

(२) इस बात की संभाव्यता कि शेषसपियर ने वह नाटक स्वयं लिखे थे, जो उसके लिखे बताए जाते हैं, बहुत अधिक है।

(३) फ्रेनेल के प्रयोगों ने प्रकाश के उभिल सिद्धांत की संभाव्यता में वृद्धि कर दी।

क्या तीनों कथन में संभाव्यता का अर्थ समान है ?

बारंबारता सिद्धांत का वर्तमान काल का मुख्य प्रस्ताव करने वाले, हैंस राकेनवेक, के अनुसार संभाव्यता का केवल वैज्ञानिक अर्थ है। पूर्वोक्त द्वितीय उदाहरण के रूप का कथन, जिसका एक व्यक्तिगत घटना से संबंध है, अक्षरशः अर्थहीन है, परंतु समान परिस्थिति में सामान्यतः स्थिति के कथन के रूप में उसकी पुनः व्याख्या की जा सकती है। तृतीय प्रकार के कथन को, जो संभाव्यता का सामान्य साध्य (प्रकृति के नियम, सिद्धांत, परिकल्पना) से संबंध लगाता है, या तो सफल अविव्यकथन के अनुपात को,

अथवा एक वर्ग में सत्य सिद्धांत के अनुपात को, निर्देश करनेवाली बारंबारता की व्याख्या दी जा सकती है।

जे० एम० केंज ने भी संभाव्यता का एकार्यक रूप लिया, यद्यपि नितात भिन्न आधार पर। केंज के अनुसार, पूर्वोक्त द्वितीय और तृतीय उदाहरण के रूप के कथन के द्वारा प्रस्तुत कठिनाई निर्दिष्ट करती है कि संभाव्यता की कल्पना बारंबारता सिद्धांत की, अथवा किसी अन्य सिद्धांत जिसके अनुसार संभाव्यता की माप राशि होना आवश्यक है, संकल्पना से अधिक व्यापक है। व्यापक रूप में संभाव्यता परिमेय विश्वास (जिसका मापक होना आवश्यक नहीं) का एक अंश है।

जिन्होंने संभाव्यता के दोहरे अर्थ की वकालत की है, उन्होंने ऐसा साधारणतः तृतीय प्रकार की स्थिति, अथवा प्रकृति के नियम की संभाव्यता तथा अन्य प्रकार की संभाव्यता, में विभक्तता दिखाने की इच्छा से किया है। जेकब फ्रीडिश फोस ने 'गणितीय संभाव्यता' से भेद करने के लिये 'नियम की संभाव्यता' को दार्शनिक संभाव्यता कहा। यह भेद १९वीं सदी के अनेक तार्किकों एवं दार्शनिकों ने अपनाया। 'दार्शनिक संभाव्यता' सिद्धांतिक रूप में असंख्यात्मक समझी जाती थी।

रूडॉल्फ कारनाप ने कुछ भिन्न प्रकार की संभाव्यता के दोहरे अर्थ का विकास किया। संभाव्यता की दो कल्पनाओं में से प्रथम (जिसको उसने "पुष्टि की डिग्री" भी कहा) परास सिद्धांत की भावना की संभाव्यता है। दोनों संकल्पनाएँ गलतिय हैं और अपूर्त कलन की वैकल्पिक व्याख्या समझी जा सकती हैं। कारनाप ने दोनों सिद्धांतों के विरोधी दावों के समाधान के लिये संभाव्यता की दोनों संकल्पनाओं के प्रयोग के उचित क्षेत्र नियत किए। तो भी कठिनाई की दृष्टि से, जो दोनों सिद्धांतों को संभाव्यता के प्रस्तावित विश्लेषण में उठानी पड़ती है, यह सत्य नहीं समझा जा सकता कि समाधान पूर्णतया संतोषजनक है। [ रा० कु० ]

**संमिश्र संख्याएँ** उस संख्या को संमिश्र संख्या (Complex Number) कहते हैं जिसमें  $\sqrt{(-1)}$  आता है।  $x^2 + 4 = 0$  जैसे समीकरणों का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। किंतु यदि हम मान लें कि  $\sqrt{(-1)}$  भी कोई संख्या है तो ऐसे समीकरणों के भी मूल निकल आते हैं। इस प्रकार के समीकरणों के हल करने से ही संमिश्र संख्याओं का आरंभ होता है।

$x^2 + 1 = 0$  के मूल  $\sqrt{(-1)}$  को काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे हम  $i$  से निरूपित करेंगे। यदि हम यह मान लें कि काल्पनिक संख्याएँ भी साधारण संख्याओं के नियमों का पालन करती हैं, तो उपरिलिखित समीकरण का मूल  $\sqrt{(-4)} = \sqrt{(4)} \sqrt{(-1)} = 2i$ । समस्त काल्पनिक संख्याओं में  $i$  निहित रहता है, जैसे

$$\begin{aligned}\sqrt{(-4)} &= \sqrt{(4)} \times \sqrt{(-1)} = 2\sqrt{(-1)} = 2i; \\ \sqrt{(-9)} &= \sqrt{(9)} \sqrt{(-1)} = 3\sqrt{(-1)} = 3i; \\ \sqrt{(-12)} &= \sqrt{(12)} \sqrt{(-1)} = 2\sqrt{3} \sqrt{(-1)} = 2\sqrt{3}i.\end{aligned}$$

संमिश्र संख्याएँ — सबसे साधारण संख्याएँ  $k + \sqrt{a}$  के रूप की होती हैं, जिसमें  $k$ ,  $a$  दोनों वास्तविक संख्याएँ हैं और  $a = \sqrt{-1}$

उदाहरणतः  $2 + 3\sqrt{7}$  तथा  $6 + \sqrt{49}$  संमिश्र संख्याएँ हैं।

स्पष्ट है कि प्रत्येक संमिश्र संख्या के दो भाग होते हैं : वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग।  $3 + \sqrt{-4}$  में 3 वास्तविक भाग और  $\sqrt{-4}$ , अर्थात्  $2\sqrt{-1}$ , काल्पनिक भाग है।

$$\sqrt{-49} + \sqrt{64} = \sqrt{-1} \times \sqrt{49} + \sqrt{64} = 7\sqrt{-1} + 8$$

इस संख्या में  $8$  वास्तविक भाग है और  $7\sqrt{-1}$  काल्पनिक भाग।

दो वास्तविक संख्याओं में से हम यह बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। दो काल्पनिक संख्याओं की तुलना भी की जा सकती है। यदि हम तुलना की कसौटी यह मानें कि वह संख्या बड़ी है जिसमें  $\sqrt{a}$  का गुणांक बड़ा है, तो स्पष्ट है कि  $\sqrt{-24}$  और  $\sqrt{-36}$  में दूसरी संख्या बड़ी है। किंतु किसी वास्तविक संख्या की किसी काल्पनिक संख्या से तुलना नहीं की जा सकती।  $\sqrt{24}$  और  $\sqrt{-36}$  में से हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, क्योंकि ये दोनों संख्याएँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, ठीक उसी तरह जैसे यदि कोई यह पूछे कि "एक पुस्तक और 100 रुपये में से कौन बड़ा है और कौन छोटा" तो हम कोई उत्तर नहीं दे सकते।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या दो संमिश्र संख्याओं की तुलना की जा सकती है। हमें ध्यान में ही यह नियम बनाना पड़ेगा कि दो संमिश्र संख्याएँ  $k + \sqrt{a}$  और  $m + \sqrt{b}$  तभी बराबर मानी जाएँगी जब  $k = m$  और  $a = b$ ।

यदि हम यह याद रखें कि  $\sqrt{-1} = i$  तो संमिश्र संख्याओं के जोड़ और गुणा के नियम सरलता से निकल सकते हैं। उदाहरणतः

$$(k + \sqrt{a}) + (m + \sqrt{b}) = k + m + \sqrt{a} + \sqrt{b};$$

$$(k + \sqrt{a})(m + \sqrt{b}) = km - \sqrt{ab} + \sqrt{ak} + \sqrt{bm}।$$

इन नियमों की सहायता से हम यह सरलता से सिद्ध कर सकते हैं कि संमिश्र संख्याएँ बीजगणित के निम्नलिखित आधारभूत नियमों का पालन करती हैं :

साहचर्य नियम ( Association law )

$$a + (b + c) = (a + b) + c,$$

$$a(bc) = (ab)c।$$

क्रमविनिमय नियम ( Commutation law )

$$a + b = b + a,$$

$$ab = ba।$$

वितरण नियम ( Distribution law )

$$a(b + c) = ab + ac।$$

उदाहरण के लिये हम क्रमविनिमय नियम का दूसरा खंड लेते हैं। मान लीजिए

$$a = k + \sqrt{a}, b = m + \sqrt{b}।$$

$$\text{तो } ab = (k + \sqrt{a})(m + \sqrt{b})$$

$$= (km - \sqrt{ab}) + \sqrt{ak} + \sqrt{bm},$$

$$\text{और } ba = (m + \sqrt{b})(k + \sqrt{a})$$

$$= (mk - \sqrt{ba}) + \sqrt{ma} + \sqrt{kb}$$

$$= (km - \sqrt{ab}) + \sqrt{ak} + \sqrt{bm} = ab।$$

हम किसी भी वास्तविक संख्या  $T$  को इस प्रकार लिख सकते हैं :  $T + 0\sqrt{-1}$ । इस प्रकार, समस्त वास्तविक संख्याएँ संमिश्र संख्याओं का ही विशिष्ट रूप बन जाती हैं; केवल उनके काल्पनिक भाग शून्य हैं।

ज्यामितीय निरूपण — वास्तविक संख्याओं को हम ऋजु रेखा के बिंदुओं से निरूपित करते हैं। संमिश्र संख्याओं को निरूपित करने के लिये दो भ्रम लिए जाते हैं, जो परस्पर लंब रहते हैं। संख्या के वास्तविक भाग को  $x$  भ्रम से और काल्पनिक भाग को  $y$  भ्रम से निरूपित करते हैं। इस पद्धति में, संख्या  $3 + 4\sqrt{-1}$  को उस बिंदु से निरूपित करेंगे जिसका भुज 3 हो और कोटि 4। अतः बिंदु  $(3, 4)$  संख्या  $3 + 4\sqrt{-1}$  का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के चित्र को गणितज्ञ आर्गैंड के नाम पर आर्गैंड रेखा कहते हैं। यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि इस प्रकार के ज्यामितीय निरूपण से संमिश्र संख्याओं द्वारा बीजगणित के आधारभूत नियमों के पालन में कोई असंगति नहीं आती।

सं० ग्रं० — डी० ई० स्मिथ : ए सोर्स बुक इन मैथेमेटिक्स (१९२६); एल० ई० डिकसन : एलिमेंटरी थ्योरी ऑफ इम्प्लेक्स; डी० एल० कुलिज : दि ज्यामेट्री ऑफ दि कॉम्प्लेक्स डोमेन।

[ ३० मी० ]

संमिश्रण ( Adulteration अपमिश्रण ) किसी व्यापारिक वस्तु में किसी अन्य सस्ती वस्तु को मिला देना अथवा उसके वर्ग (grade) को खराब कर देना संमिश्रण या अपमिश्रण कहलाता है। संमिश्रित वस्तु असली या मौलिक वस्तु बनाकर बेची जाती है किंतु वास्तव में यह उसकी नकल मात्र होती है। अतः संमिश्रण में कपट का अंश स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। व्यापार में अत्यधिक या अशुद्ध लाभ कमाने के लिये संमिश्रण किया जाता है; अतः यह आवश्यक है कि जिस वस्तु का संमिश्रण के लिये प्रयोग हो वह उस वस्तु से सस्ती हो जिसमें उसका संमिश्रण किया जाता है। संमिश्रण से उपभोक्ता या क्रेता को हानि या क्षति होती है, और कभी कभी यह भयानक रूप धारण कर लेती है। द्वितीय महायुद्ध के समय में क्लोरोमाइसटीन ( chloromycetine ) नामक औषधि की खाली बोतली में सफेद तरल पदार्थ भरकर बेचना भारत में एक सामान्य सी बात हो चली थी जिससे मोतीकरा ( typhoid ) के रोगियों को, जिनके लिये यह औषधि अशुद्ध है, बहुधा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था।

बहुधा खाद्य सामग्रियों, औषधियों एवं कांतिवर्धक पदार्थों ( cosmetics ) में संमिश्रण किया जाता है; किंतु इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मुनाफाखोर व्यापारी ( profiteers ) ठेके के व्यवसाय में, सार्वजनिक भवनों के निर्माण में सीमेंट के स्थान पर बालू

प्रयुक्त करते पाए जाते हैं; और इसी प्रकार ऊनी माल के निर्माता सूत मिले कपड़ों को शुद्ध ऊनी माल कहकर बेचते देखे जाते हैं। दूध में से कभी कभी मक्खन निकाल लिया जाता है और फिर उसमें इस प्रकार का एक पीला रंग मिलाया जाता है कि वह घसल दूध सा प्रतीत होने लगे। सबसे भयानक संमिश्रण वह होता है जब विबली या सड़ी गली या हानिकारक वस्तु संमिश्रण के लिये प्रयुक्त की जाती है। इसका एक उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। सड़े गले फलों को अच्छे फलों में मिलाकर उन्हें डीन में बब करा देना, बोरे में ऊपर से अच्छा और नीचे खराब छाटा भर देना, और चीनी में लकड़ी का बुरादा मिला देना इसके अन्य उदाहरण हैं।

संमिश्रण का आरंभ पूर्व-ऐतिहासिक काल में हुआ जान पड़ता है क्योंकि सभ्य जगत् के आदिकाल से ही इसके उदाहरण मिलते हैं। विशेषतया मध्यकाल में इसके लिखित प्रमाण पाए जाते हैं। इंग्लैंड में जॉन (John) के राज्य में रोटी के संमिश्रण के विरुद्ध सन् १२०३ में सर्वप्रथम अधिनियम बनाया गया। साथ सामग्री की शुद्धता को बनाए रखने के लिये फ्रांस तथा जर्मनी में भी १३वीं शताब्दी में अधिनियम बनाए गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संमिश्रण के विरुद्ध नियम बताए गए हैं।

प्रत्येक सभ्य सरकार संमिश्रण (अपमिश्रण) को रोकने का प्रयास विधान बनाकर करती है। संमिश्रण को साधारण क्रियाओं पर छल सबंधी सामान्य विधान (common law) द्वारा रोकथाम की जा सकती है, पर साथ पदार्थों तथा शोधधियों के संमिश्रण को रोकने के लिये विशेष विधान बनाना आवश्यक होता है। समस्त देशों का यह सामान्य अनुभव है कि संमिश्रण को रोकथाम के लिये विधान बनाना सरल है पर उसको सफलतापूर्वक लागू करना कठिन है।

समाजवादियों के मत में संमिश्रण पूँजीवादी व्यवस्था के खोखलेपन का उदाहरण है। पूँजीवाद की कड़ी आलोचना करते समय वे इस बात पर बल देते हैं कि संमिश्रण व्यापारिक छल का जीता-जागता उदाहरण है और इससे उपभोक्ताओं को जो भयानक हानि पहुंचती है उसकी उपेक्षा की जाती है। उनके अनुसार समाजवाद के अंतर्गत समस्त उत्पादन सरकार के नियंत्रण में होगा और लाभ की भावना का लोप हो जाने के कारण संमिश्रण का प्रश्न ही नहीं उठेगा तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध वस्तुएँ मिल सकेंगी। सांवेजिनिक उपक्रमों के पक्ष में भी यह युक्ति दी जाती है। [प्र० ना० प्र०]

**संमोहन (Hypnotism)** द्वारा मनुष्य उस प्रबंचितनावस्था में लाया जा सकता है जो समाधि, या स्वप्नावस्था, से मिलती जुलती होती है, किंतु समोहित अवस्था में मनुष्य की कुछ या सब इद्रियाँ उसके बल में रहती हैं। वह बोल, चल और लिख सकता है, हिसाब लगा सकता है तथा आप्रतावस्था में उसके लिये जो कुछ संभव है, वह सब कुछ कर सकता है, किंतु यह सब कार्य वह संमोहनकर्ता के सुझाव पर करता है।

भारत में अति प्राचीन काल से संमोहन तथा इसी प्रकार की अन्य रहस्यमय, अद्भुत प्रभावोत्पादक, गुप्त क्रियाएँ प्रचलित हैं। अन्य

पूर्वी देशों में भी ये अज्ञात नहीं रही हैं। यह निश्चय है कि यदि सबने नहीं तो इनमें से अधिकांश ने इन क्रियाओं का ज्ञान भारत से प्राप्त किया, जैसे तिब्बत ने। नटों, साधुओं तथा योगियों में इन क्रियाओं के जाननेवाले पाए जाते हैं। इन विशिष्ट मंत्रालों के लोगों को छोड़कर अन्य मनुष्यों में इनका ज्ञान बहुत थोड़ा, या कुछ भी नहीं, रहता। अनधिकारी के ज्ञाता होने से अनिष्ट की भावका समझ, पूर्वी देशों में इस विषय के समर्थ लोगों ने इसे सर्वथा गोपनीय रखा। इस कारण आज भी इसके संबंध में जो कुछ निश्चित रूप से सिखा जा सकता है वह यूरोप की देन है, जहाँ इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की चेष्टा की गई है।

अठारहवीं सदी के मध्य में फ्रांस ए० मेस्मर नामक वियना के एक चिकित्सक ने सर्वप्रथम संमोहन का अध्ययन प्रारंभ किया। इन्होंने कुछ सफलता तथा बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की, किंतु इस संबंध में जिन सिद्धांतों की इन्होंने कल्पना की वे गलत सिद्ध हुए। जो सिद्धांत आजकल स्वीकृत हैं, उनका विवेचन लीबाल्ट (Liebault) तथा बेर्न-ह्याइम (Bernheim) नामक दो फ्रांसीसी डाक्टरों ने किया था। इनके अनुसार संमोहन का अनिवार्य प्रवर्तक सुझाव या प्रेरणा का संकेत होता है।

**स्वरूप** — यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि समोहनकर्ता जादूगर, अथवा देवी शक्तियों का स्वामी, नहीं होता। मनुष्यों में से अधिकांश प्रेरणा या सुझाव के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई आज्ञा, जैसे “घाप खड़े हो जाय” या “कुर्सी छोड़ दे”, हाकिमाना ढग से दी जाय, तो बहुत से लोग इसका तुरंत पालन करते हैं। यह तो सभी ने अनुभव किया है कि यदि हम किसी को उबासी लेते देखते हैं, तो इच्छा न रहने पर भी स्वयं उबासी लेने लग जाते हैं। दूसरों के हँसने पर स्वयं भी हँसते या मुस्कराते हैं तथा दूसरों को रोते देखकर उदास हो जाते हैं।

जो लोग दूसरों के सुझावों को इच्छा न रहते हुए भी मान लेते हैं, वे सरलता से संमोहित हो जाते हैं। संमोहित व्यक्ति के व्यवहार में निम्नलिखित समरूपता पाई जाती है :

**आज्ञाकारिता** — कुछ लोगों का मत है कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से संमोहित हो जाता है वह संमोहनकर्ता को दी हुई सब आज्ञाओं का पालन करता है, किंतु कुछ अन्य का कहना है कि संमोहित व्यक्ति के विश्वासों के अनुसार यदि आज्ञा अनैतिक या अनुचित हुई, तो वह उसका पालन नहीं करता और आज्ञा जाता है।

**मिथ्या प्रतीति तथा भ्रम** — संमोहनकर्ता यदि कहता है कि दो और दो सात होता है, तो संमोहित व्यक्ति इसे मान लेता है। यदि उसे कहता है कि तुम थोड़ा हो, तो वह व्यक्ति हाथों और घुटनों के बल चलने लगता है।

**अतिविभ्रम** — संमोहित व्यक्ति को ऐसी वस्तुएँ जो उपस्थित नहीं हैं दिखाई तथा सुनाई जा सकती हैं और उनका स्पर्श वा अनुभव कराया जा सकता है। इस अवस्था में यह भी मनवाया जा सकता है कि वह वस्तु उपस्थित नहीं है जो वास्तव में उपस्थित है। यदि प्रेरणा दी जाए कि जिस कुर्सी पर संमोहित व्यक्ति बैठा है वह वहीं नहीं है, तो वह व्यक्ति मुँह के बल जमीन पर झुक जाएगा।

आर्नेट्रिबो पर प्रभाव — संमोहनकर्ता के सुभाव पर संमोहित व्यक्ति के शरीर का कोई भाग सुन्न हो जा सकता है, यहाँ तक कि उस भाग को जलाने पर भी उसे बेदना न हो। इंद्रियों को तीव्र बनानेवाली प्रेरणा भी कार्यकारी हो सकती है, जिससे संमोहित व्यक्ति असाधारण बल का प्रयोग कर सकता है, या फुसफुसाकर कहीं हुई बात को भी दूर से सुन सकता है।

परासंमोहन विवृति — साधारणतया संमोहनावस्था में हुई सब बातों को संमोहित व्यक्ति भूल जाता है।

संमोहनोपर प्रेरणा — व्यक्ति की संमोहनावस्था में दिए हुए सुझावों या आशाओं का, पूर्ण चेतनता प्राप्त करने पर भी, वह पालन करता है। यदि उससे कहा गया है कि चैतन्य होने के दस मिनिट बाद नहाना, तो उतना समय बीतने पर वह अपने आप ऐसा ही करता है।

दैनिक जीवन में संमोहन — प्रति दिन के जीवन में संमोहन के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। राजनीतिक या धार्मिक नेता अपने भाषणों से लोगों को संमोहित कर लेते हैं। आत्मसंमोहन भी संभव है। किसी चमकीली वस्तु पर दृष्टि स्थिर रखकर यह अवस्था उत्पन्न की जा सकती है। अत्यधिक उत्तेजना, भय आदि से मनुष्य संमोहित अवस्था जैसा व्यवहार करने लगता है, या उत्तेजना के क्षण के पहले या बाद की घटनाओं को भूल जाता है। वह कोन है, उसका पिछला जीवन क्या था, यह भी भूल जा सकता है।

धार्मिक शारीरिक शोच, मानसिक शोच, भयवा उत्तेजना के कारण, हृष्य पेर रहते कभी कभी मनुष्य लूले या लोंगड़े के सदृश व्यवहार करने लगता है, दृष्टि का लोप हो जाता है, भयवा वह नीचे में ही चलने फिरने लग जा सकता है। दृष्टि विभ्रम, या जाग्रत अवस्था में स्वप्न देखने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धार्मिक उत्तेजना से संमोहित होकर कुछ लोग अनजाने अर्धचेतनावस्था में हो जाते हैं और कल्पित दृश्य या वस्तुएँ देखते या सुनते हैं। बाद में उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह सब वास्तविक था।

कुछ लोग संमोहन में कुशल होते हैं। अन्य लोग इनके प्रभाव में धाकर, अर्धचेतनावस्था में फुसों, भेज आदि इधर उधर हटा देते हैं या हिलाते हैं, अनुपस्थित वस्तु देखते या सुनते हैं। श्रद्धा से रोगमुक्ति का आचार भी संमोहन ही है। भीड़ में दूसरों से प्रभावित होकर मनुष्य संमोहित व्यक्ति के सदृश आचरण करने लगता है। भावातिरेक में भीड़ों के विवेकहीन आचरण का यही कारण है।

उपयोग — संमोहन का उपयोग कुछ रोगों को दूर करने में तथा प्रसव में किया जाता है। कुछ चिकित्सकों ने शल्यचिकित्सा में भी इसे बेदनाहर पाया है। संमोहन की कार्यप्रवृत्ति से मानस तथा मानसिक रोगों के अध्ययन में सहायता मिलती है।

[ ४० दा० व० ]

संयुक्त खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जिला, भारत के प्रसन्न राज्य में है। यह सुरमा घाटी में स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल ५,५४ ६ वर्ग मील एवं जनसंख्या ४,६२,१५२ (१९६१) है। जिले

के उत्तर में कामरूप, पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ, दक्षिण-पूर्व में कछार तथा पूर्व में संयुक्त मिकिर और उत्तरी कछार पहाड़ियाँ नामक जिले हैं एवं दक्षिण-पश्चिम-दक्षिण में पूर्वी पाकिस्तान है। जिले में पूर्व और पश्चिम की ओर ढालदार कटक (ridges) के अनुक्रम हैं, जिनके मध्य में उठा हुआ पठार है। दक्षिण की ओर सुरमा घाटी में समुद्रतल से ४,००० से ६,००० फुट ऊँचे पठार हैं। उत्तर में कामरूप की ओर निम्न ऊँचाई के दो पठार हैं। ३,००० फुट की ऊँचाई पर देशज (indigenous) चीड़ के जंगल हैं। ऐसे चीड़ हिमालय या अन्य जगह नहीं मिलते। ऊँचे कटकों पर शोक, चेस्टनट और मैंगोलिया के वृक्ष उपजते हैं। लगभग २५० प्रकार के ऑर्किड (orchid) भी इन पहाड़ियों पर मिलते हैं। संतरा, सुपारी और अनन्नास जिले की धार के स्रोत हैं। घालू की खेती जिले में होती है और यह बड़े पैमाने पर जिले के बाहर भेजा जाता है। इस जिले का प्रशासनिक केंद्र शिलोंग है, जो असम की राजधानी भी है (देखें शिलोंग)। भारत का सर्वाधिक वर्षावाला स्थान, बेरापूँजी, शिलोंग से २३ मील दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में है। खासी के मूल निवासी खसिया तथा जयंतिया के मूल निवासी सिंतेंग (Synteng) कहलाते हैं। [अ० ना० मे०]

संयुक्त राज्य, अमरीका देखें, अमरीका, संयुक्त राज्य।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनाइटेड नेशंस असेंबली) संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्वसंगठन की सर्वांगीण संस्था है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अंतर्गत बानेवाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में बानेवाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद् से उचित अनिस्ताव कर सकती है। महासभा के प्रमुख विचारणीय विषय हैं— निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्रनियंत्रण के सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रश्न। महासभा को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास एवं संहिताकरण, मानवमात्र के मौलिक अधिकार आदि विषयों पर अध्ययन की व्यवस्था करके उनपर अनिस्ताव करने का भी अधिकार है। महासभा सुरक्षा परिषद् का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकृष्ट कर सकती है जिनसे शांति एवं सुरक्षा को संकट की आशंका है। उपयुक्त विषयों पर महासभा के प्रस्ताव प्रादेशात्मक नहीं हैं परंतु अपने नैतिक बल एवं विश्व जनमत के निर्देशक होने के नाते उनका विशेष महत्त्व है। इसके अतिरिक्त महासभा सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों और सामाजिक आर्थिक परिषद् एवं न्यासत्व परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित करती है और महासचिव एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के निर्वाचन में योग देती है। राष्ट्रसंघ के सदस्यों का प्रवेश और निष्कासन भी, सुरक्षा परिषद् की संस्तुति पर, महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा के अन्य कृत्यों में राष्ट्रसंघ के बजट का अनुमोदन, न्यास व्यवस्था का पर्यवेक्षण और अन्य अंगों के कार्यों का संयोजन उल्लेखनीय है।

महासभा का नियमित अधिवेशन प्रति वर्ष सितंबर मास से होता है परंतु अधिकांश सदस्यों अथवा सुरक्षा परिषद् के अनुरोध पर, महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकता है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिये एक सभापति और सात उपसभापति चुनती है। महासभा का अधिकांश कार्य निम्न सात मुख्य समितियों में होता है जिनमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं (१) राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, (२) आर्थिक एवं वित्तीय समिति, (३) सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, (४) न्यास समिति, (५) प्रशासन एवं बजट समिति, (६) विधि समिति, और (७) विशेष राजनीतिक समिति। महासभा की दो प्रक्रियात्मक समितियाँ भी हैं (१) सामान्य समिति उपयुक्त समितियों के कार्यों का समन्वय करती है और (२) प्रमाणपत्र समिति प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्रों पर विचार करती है। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार प्रयोग से उत्पन्न राष्ट्र-संघ की प्रक्रमण्यता के निवारण के लिये महासभा ने १९४० में लघु सभा नामक एक अंतरिम समिति की स्थापना की। महासभा के सत्रावसान में महासभा का कार्य लघुसभा कर सकती है और महासभा का अधिवेशन बुला सकती है। महासभा द्वारा १९५० में पास 'शांति के लिये एकता' प्रस्ताव से भी राष्ट्रसंघ में महासभा का महत्त्व और उत्तरदायित्व विशेष बढ गया है। इसके अनुसार, सुरक्षा परिषद् में शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर मतभेद न होने पर, २४ घंटे की सूचना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है जो सामूहिक उपायों का अभिस्ताव और सैनिक कार्यवाही का निर्देश कर सकता है।

महासभा ने पिछले १५ साल में विश्व की विभिन्न अटिल समस्याओं पर विचार किया और कोरिया, चीन, पैलेस्टाइन, स्पेन आदि के प्रश्न पर उचित कार्यवाही की। १९५६ में ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल द्वारा स्वेज पर किए गए आक्रमण को रोकने में महासभा सफल हुई। महासभा को प्राप्त सफलताओं एवं असफलताओं के आधार पर इसका मूल्यांकन करना उचित न होगा। यद्यपि महासभा के निर्णय सदस्यों के लिये आदेशात्मक नहीं हैं, तथापि विश्व इतिहास की सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था होने के नाते अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की स्थापना के लिये उसका महत्वपूर्ण स्थान निर्विवाद है।

सं० प्र० — केल्सन : दी ला ग्रॉव यूनाइटेड नेशंस; गुडरिच तथा हैबू : दी चारटर ऑव यूनाइटेड नेशंस; पाटर : इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन; वार्टले : दी यूनाइटेड नेशंस। [ २० फु० मि० ]

**संयुक्त निकाय** सुप्तपिटक का तीसरा ग्रंथ है। २८८६ सुक्त इसके अंतर्गत हैं। यह पाँच वर्गों (वर्गों) और ५६ संयुक्तों में विभक्त है। पाँच वर्गों में क्रमशः ११, १०, १३, १० और १२ संयुक्त संगृहीत हैं। इस निकाय में छोटे और बड़े सुक्तों का समावेश है। तदनुसार नामकरण की बात बताई गई है। लेकिन विषयवार सुक्तों के वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथ के नामकरण की सार्थकता को समझना अधिक समीचीन है। प्रथम प्रथम संयुक्तों में सुक्तों के वर्गीकरण को मोटे रूप से चार सिद्धांतों के अनुसार समझ सकते हैं : १. धर्मपर्याय, २. भिन्न भिन्न योनियों के जीव, ३. श्रोता, और ४. उपदेशक।

१. पहला वर्गीकरण भगवान् की शिक्षाओं के सारभूत बोधि-पत्नीय धर्मों के अनुसार हुआ है, यथा बोधभंग संयुक्त, बल संयुक्त इन्द्रिय संयुक्त इत्यादि। २. दूसरा वर्गीकरण उनमें संगृहीत सुक्तों में निविष्ट विभिन्न योनियों के जीवों के अनुसार हुआ है, यथा देवपुत्र संयुक्त, गंधर्व संयुक्त इत्यादि। ३. तीसरा वर्गीकरण संगृहीत उपदेशों के श्रोताओं के अनुसार हुआ है, यथा राहुल संयुक्त, बच्छ-गोत संयुक्त इत्यादि। ४. चौथा वर्गीकरण संगृहीत सुक्तों के उपदेशकों के अनुसार हुआ है, यथा सारिपुत्र संयुक्त, भिक्खुणी संयुक्त इत्यादि।

संयुक्त निकाय के अधिकांश सुक्त गद्य में हैं, देवता संयुक्त जैसे कतिपय संयुक्त पद्य ही में हैं और कुछ संयुक्त गद्य पद्य दोनों में हैं। एक एक संयुक्त में एक ही विषय संबंधी अनेक सुक्तों के समावेश के कारण इस निकाय में अन्य निकायों से भी अधिक पुनरुक्तियाँ हैं। इसमें देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि मनुष्येतर जीवों का उल्लेख अधिक आया है।

अन्य निकायों की तरह इस निकाय के सुक्तों का भी महत्त्व धर्म और दर्शन संबंधी भगवान् की शिक्षाओं में है। लेकिन प्रकारांतर से उनमें तत्कालीन अन्य धर्मचार्यों के मतों और विचारों, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति, भूगोल इत्यादि विषयों का भी उल्लेख है। यहाँ पर उन सब की चर्चा संभव नहीं। इसलिये प्रत्येक संयुक्त के मुख्य विषय का निर्देश मात्र करेंगे।

### १. समाथक वर्ग

१. देवता संयुक्त — देवताओं को दिए गए उपदेश। २. देवपुत्र संयुक्त — देवपुत्रों को दिए गए उपदेश। षट्कथा के अनुसार प्रकट देव देवता कहलाते हैं और अप्रकट देव देवपुत्र कहलाते हैं। ३. कोसल संयुक्त — प्रसेनजित् के विषय में है। इसमें प्रसेनजित् और अजातशत्रु के बीच हुई लड़ाई का भी उल्लेख है। ४. मार संयुक्त — भगवान् और शिष्यों की मारविजय इसका विषय है। बुद्धत्व के बाद भी मार भगवान् को विचलित करने के प्रयत्न में रहता है। ५. भिक्खुणी संयुक्त — वजिरा, उप्पलवग्गा आदि दस भिक्खुणियों की मारविजय और तत्संबंधी उनके उदान। ६. ब्रह्म संयुक्त — सहंपति आदि ब्रह्मों को दिए गए उपदेश। देवदत्त के अनुयायी कोकालिय की दुर्गति का भी उल्लेख इसमें है। ७. ब्राह्मण संयुक्त — ब्राह्मणों को दिए गए उपदेश। ८. वंगीस संयुक्त — प्रतिभावाग् वंगीस द्वारा वासनाओं पर विजय। ९. वन संयुक्त — वनवासी भिक्षुओं को दिए गए उपदेश। १०. यक्स संयुक्त — सूचिलोम आदि यक्षों को दिए गए उपदेश। तथागत की शिक्षाओं से वे भी विनीत बने। ११. सक्क संयुक्त — देवराज शक्र की सज्जनता की प्रशंसा। पुण्य के फलस्वरूप शक्रपद की प्राप्ति। देवासुर संग्राम की कथा।

### २. निदानवग्ग

१. निदान सं० — प्रतीत्य समुत्पाद का विवरण। बारह कड़ियों के अनुसार अनुलोम क्रम से संसार की प्रवृत्ति और प्रतिलोम क्रम से उसकी निर्मुक्ति। २. अभिसमय सं० — आर्यमार्ग की पहली व्यवस्था

को प्राप्त व्यक्ति को भी प्रसाद न करने की कला। ३. वातु सं० — अठारह वातुओं का विवरण। वातु शब्द का अर्थ अर्थों में भी प्रयोग। ४. अनमतग सं० — अनादि संसार का स्वभाव अनेक उपमाओं द्वारा। ५. कस्तप सं० — यथाप्राप्त भोजनादि प्रत्ययों से संतुष्ट महाकाव्य के आदर्शनय जीवन की प्रशंसा। ६. लाभसत्कार सं० — लाभसत्कार के पीछे धार्मिक जीवन से पतन। ७. राहुल सं० — अपने पुत्र राहुल को बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश। ८. लक्षणा सं० — प्रेतों की कथा। ९. भोपम्म सं० — इस संयुक्त के प्रत्येक सुत में उपमा है। इसमें विषयो के प्रलोभन में न पड़कर धारण रहने का उपदेश है। १०. भिवसु सं० — सारिपुत्र, भोग्लान आदि स्वविरो के उपदेश।

३. खंड खग

१. खंड सं० — पाँच स्कंधों की अनित्यता, दुःखता और अनात्मता का विवेचन। इन तीन संस्कृत लक्षणों के बोध से ही वासनाओं का निरोध। २. राष सं० — राष के प्रश्नों को दिए गए भगवाद् के उत्तर। ३. विट्टि सं० — मिथ्या मतवाद पाँच स्कंधों के अज्ञान पर ही आश्रित। ४. भोक्त्विक सं० — आर्यभूमि में पहुँचने की प्रतिपदा। ५. इंद्रिय सं० — इंद्रियों के प्रादुर्भाव के साथ साथ दुःख का भी प्रादुर्भाव। ६. किलेस सं० — चित्तमलों की उत्पत्ति का विवरण। ७. सारिपुत्र सं० — आनंद और सूक्ष्मिणी परिव्राजिका को सारिपुत्र के उपदेश। ८. नाग सं० — चार प्रकार की नाग योनियाँ। ९. सुपरण सं० — चार प्रकार की सुपरण योनियाँ। १०. बंधव सं० — बंधव नामक देवताओं का वर्णन। ११. बच्छगोत्त सं० — पाँच स्कंधों के स्वभाव को न जानने के कारण लोग मिथ्या मतवादों में उलझ जाते हैं। १२. ज्ञान सं० — ध्यानों का विवरण।


४. सत्तायतन खग

१. सत्तायतन सं० — क्षुरादि इंद्रियों की आसक्ति के निरोध से अहंभाव का निरोध। २. वेदना सं० — तीन प्रकार की वेदनाओं का विवरण। ३. मातुगाम सं० — स्त्रियों के विषय में ४. जंबुसादक सं० — जंबु को सारिपुत्र का उपदेश। राग, द्वेष और मोह का निरोध ही निर्वाण। अष्टांगिक मार्ग से उसकी प्राप्ति। ५. सामंडक सं० — सामंडक परिव्राजक को सारिपुत्र का उपदेश। विषयवस्तु पूर्वसूत्र के समान। ६. भोग्लान सं० — भोग्लान द्वारा रूप, अरूप और अनिमित्त समाधियों का विवरण। ७. चित्त सं० — चित्त गृहपति का उपदेश। तृष्णा ही बंधन है, न कि इंद्रिय या विषय। ८. भमणी सं० — भोग्लान और कायकेशों के दो अर्थों को छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलने का यह उपदेश कई ग्रामप्रमुखों को दिया गया था। ९. असंत सं० — असंस्कृत निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग। १०. अय्याकत सं० — अय्याकत अर्थात् प्रकथनीय वस्तुओं का निर्देश। [ थ० ]

**संयोजकता (Valency)** तत्वों की संयोजन शक्ति (combining power) को संयोजकता का नाम दिया गया है। १९वीं शताब्दी के जननग मध्यकास ने अंग्रेज रसायनज्ञ फ्रैंकलैंड (Frankland) तथा जर्मन रसायनज्ञ कॉल्बे (Kolbe) ने संयोजकता के

विषय में अपनी कल्पनाएँ व्यक्त कीं। फ्रैंकलैंड ने प्रदर्शित किया कि अकार्बनिक (inorganic) यौगिकों में प्रायः एक केंद्रीय तत्व अन्य तत्वों के निश्चित तुल्यांकों से संयोग करता है। उदाहरण के लिये, नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा आर्सेनिक का एक परमाणु हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के तीन अथवा पाँच परमाणुओं से संयोग करके यौगिक बनाता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त होनेवाले तत्वों की संयोजनशक्ति सदैव अन्य परमाणुओं की निश्चित संख्या से संतुष्ट हो सकती है। अतएव यदि हाइड्रोजन की संयोजकता को इकाई मान लिया जाए, तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की उन संख्याओं के बराबर होगी जिनके साथ उस तत्व का परमाणु संयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, क्लोरीन, आर्सेनिक तथा कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के क्रमशः एक, दो, तीन तथा चार परमाणुओं से संयोग करता है। इसलिये क्लोरीन, आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा कार्बन की संयोजकताएँ क्रमशः एक, दो, तीन तथा चार हैं। कुछ तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। ऐसे तत्वों की संयोजकता, क्लोरीन या आर्सेनिक की संयोजकता को क्रमशः एक या दो मानकर, निकाली जा सकती है। उदाहरण के लिये बोरियम का एक परमाणु क्लोरीन के चार तथा आर्सेनिक के दो परमाणुओं से संयोग करता है। अतः बोरियम की संयोजकता चार है।

प्रायः तत्वों की संयोजकता को रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। इन रेखाओं को 'संयोजकता बंधन' (Valency bonds) कहा जा सकता है। इन बंधनों का प्रयोग करते हुए, कुछ सरल यौगिकों के सूत्र नीचे दिखाए गए हैं :



प्रसिद्ध कार्बनिक रसायनज्ञ केकुले (Kekule) के विचार भी फ्रैंकलैंड के विचारों से मिलते जुलते थे। केवल एक बात में दोनों में तीव्र मतभेद था। जैसा उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है, अकार्बनिक यौगिकों में बहुधा एक ही तत्व की संयोजकता विभिन्न यौगिकों में भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिये, PCl<sub>3</sub> तथा PCl<sub>5</sub> यौगिकों में क्लोरीन की संयोजकता क्रमशः तीन तथा पाँच है। इसके विपरीत कार्बनिक यौगिकों में, जो अधिकतर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बने होते हैं, इन तत्वों की संयोजकता स्थिर, और सब कार्बनिक यौगिकों में क्रमशः चार, एक,




दो तथा तीन, होती है। इनकी संयोजकताओं में साधारणतया कभी अंतर नहीं होता।

संयोजकता के बारे में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होने से रसायनज्ञों को तत्वों के परमाणुभार निकालने में बहुत सहायता मिली है। किसी भी तत्व का परमाणुभार उसके तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होगा। तत्वों के तुल्यांकी भार प्रयोगों द्वारा सरलता से निकाले जा सकते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे भाग में, जब रूसी महान् वैज्ञानिक मेंडेलीफ (Mendeleef) ने आवर्त सारणी (Periodic Table) का वर्णन किया, तो उन्होंने साथ ही साथ उस सारणी में किसी तत्व की स्थिति और उसकी संयोजकता का संबंध भी सुस्पष्ट किया। तत्वों को उनके परमाणुभार के क्रम से रखने पर, प्रत्येक तत्व अपने से आठवें तत्व के साथ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार निष्क्रिय गैसों के आविष्कार के बाद, वर्तमान आवर्त सारणी नौ समूहों में बँट जाती है। इनमें निष्क्रिय गैसों, जैसे हीलियम, नीयोन, आर्गन, क्रिप्टन, खीनन तथा रेडन का समूह शून्य समूह कहलाता है, क्योंकि ये तत्व किसी भी अन्य तत्व के प्रति साधारणतया संयोजनशक्ति नहीं प्रदर्शित करते। अगला समूह ऐलकैली या क्षारीय धातुओं (जैसे लीथियम, सोडियम, पोटैशियम आदि) का प्रथम समूह है और इन सबकी संयोजकता भी हाइड्रोजन, क्लोरीन तथा ऑक्सिजन सब के प्रति एक होती है। इसी प्रकार द्वितीय (मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि), तृतीय (बोरॉन, ऐल्यूमिनियम आदि) तथा चतुर्थ (कार्बन, सिलिकन आदि) समूह के तत्वों की संयोजकता क्रमशः दो, तीन तथा चार है। पाँचवें (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि), छठे (सल्फर, क्रोमियम आदि), सातवें (फ्लुओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि) समूह के तत्व ऑक्सीजन के प्रति तो क्रमशः पाँच, छह तथा सात संयोजकताएँ प्रदर्शित करते हैं, परंतु हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के प्रति इन समूहों के तत्वों की संयोजकताएँ क्रमशः तीन, दो तथा एक हैं।


२०वीं शताब्दी के आरंभिक काल में वैज्ञानिक सर जे० जे० टॉमसन तथा नील्स बोर ने प्रयोगों तथा अपनी कल्पनाओं द्वारा परमाणुओं की रचना के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि की और अदृश्य परमाणुओं के नाभिक (nuclear) रूप की विवेचना की। इसके अनुसार प्रत्येक परमाणु के केंद्र या नाभिक में बहुत सूक्ष्म पिंड होता है, जिसपर घनावेश होता है और इसी घनावेश की बराबर संख्या के इलेक्ट्रॉन (electron) केंद्र के चारों ओर परिधियों में चक्कर लगाया करते हैं। अंतिम परिधि के इलेक्ट्रॉनों को 'संयोजन इलेक्ट्रॉन' का नाम दिया गया है, क्योंकि 'संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत' के अनुसार, यही इलेक्ट्रॉन तत्व की संयोजनशक्ति निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिये, आवर्त तालिका के प्रथम दो समूहों के परमाणुओं की रचना नीचे दी गई है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को काले अंकों से दिखाया गया है :

			H	He			
			1	2			
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
३,१	२,२	२,३	२,४	२,५	२,६	२,७	२,८
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
२,८,१	२,८,२	२,८,३	२,८,४	२,८,५	२,८,६	२,८,७	२,८,८

उपर्युक्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं की अंतिम परिधि में (हीलियम को छोड़कर जिसमें २ इलेक्ट्रॉन होते हैं) ८ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विन्यास इतना स्थायी है कि ये स्वयं साधारणतया किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते और अन्य तत्व भी एक, दो, या तीन इलेक्ट्रॉन खोकर, या बढ़ाकर, इन्हीं के विन्यास को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिये, सोडियम ( $\text{Na}$ ) का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर और फ्लुओरीन ( $\text{F}$ ) का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करके सोडियम फ्लोराइड बनाते हैं और इस क्रिया में सोडियम ( $\text{Na}^+$ ) तथा फ्लुओराइड दोनों आयन निष्क्रिय गैस नीयॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की संयोजकता को विद्युत् संयोजकता (electrovalency) कहा जाता है और इसके कुछ अन्य उदाहरण भी नीचे दिए गए हैं।




विद्युत्संयोजकता से बने योगिक साधारणतया उच्च गलनांक और क्वथनांकवाले होते हैं और जल में विघ्न होकर आयनित हो जाते हैं। इस प्रकार की विद्युत्संयोजकता की कल्पना सर्वप्रथम जर्मन रसायनज्ञ कॉसेल (Kossel) ने १९१६ में की थी। इसके प्रतिरिक्त अमेरिकी रसायनज्ञ ल्यूइस (Lewis) ने कुछ ही मास बाद कल्पना की कि उपर्युक्त विधि के प्रतिरिक्त कुछ तत्व एक अन्य विधि से भी निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस कल्पना के अनुसार संयोग करनेवाले दो परमाणु कभी कभी अपने एक, दो, या तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करके दोनों के दोनों निष्क्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के संयोजन को केवल संयोजन इलेक्ट्रॉनों की सहायता से निम्न बिन्दु में दिखाया गया है। सुविधा के लिये इनमें भिन्न तत्वों के संयोजन इलेक्ट्रॉनों को भिन्न चिह्नों से दिखाया गया है, यद्यपि इन इलेक्ट्रॉनों में परस्पर कोई अंतर नहीं है :



उपर्युक्त प्रकार की संयोजकता को सहसंयोजकता (covalency) का नाम दिया गया है और इसमें बने सहसंयोजक योगिक साधारणतया निम्न गलनांक तथा क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं और अधिकतर कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं (देखें सहसंयोजकता)।

इन दोनों के प्रतिरिक्त एक अन्य प्रकार की संयोजकता की :

कल्पना की गई है, जिसमें एक यौगिक या तत्व अपने दो खाली इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे यौगिक या तत्व को देकर, दोनों में निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन विन्यास की अवस्था ला देता है। उदाहरण के लिये, अमोनिया अपने दो खाली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या बोरॉन क्लोराइड को प्रदान करके, उनको क्रमशः हीलियम तथा नीऑन का इलेक्ट्रॉन विन्यास दे देता है :



इस प्रकार की संयोजकता को उपसहसंयोजकता (coordinate covalency) कहा गया है, क्योंकि इस प्रकार की संयोजकता की कल्पना उपसहसंयोजक यौगिकों, जैसे हेक्साऐमीन, कोबाल्टी क्लोराइड तथा पोटैशियम फेरोसायनाइड आदि के गुणों को समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है।

संयोजकता का यथार्थ ज्ञान ही समस्त रसायन शास्त्र की नींव है। पिछले ३०-४० वर्षों में द्रव्यों के स्वभाव तथा गुणों का अधिक ज्ञान होने के साथ साथ संयोजकता के ज्ञान में भी वृद्धि हुई है।

[रा० चं० मे०]

**संयोजी ऊतक (Connective Tissue)** गर्भाशय में भ्रूण का जैसे जैसे विकास होता जाता है, एक वर्ग की कोशिकाएँ दूसरे वर्ग की कोशिकाओं से भिन्न होती जाती हैं। प्रत्येक वर्ग की कोशिकाएँ विशेष प्रकार का शारीरिक ऊतक बनाती हैं। इस प्रकार ऊतकों की कोशिकाएँ अचल होती हैं।

ऊतक की रचना — शरीर के अंग, उपांग एवं भित्ति की जिनके द्वारा ये धावत रहते हैं, रचना स्थूल रूप से पाँच प्रकार के ऊतकों से होती है। ये निम्न हैं : १. उपकला ऊतक, २. संयोजी ऊतक, ३. कंकाली ऊतक, ४. पेशी ऊतक तथा ५. तंत्रिका ऊतक। इनमें से प्रत्येक में अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। तंत्रिका ऊतक के अतिरिक्त अन्य ऊतक पुनः प्रकारांतर से अनेक हैं, परंतु अपनी जन्म-जात विशेषताएँ प्रत्येक में रहती हैं। संयोजी एवं कंकाली ऊतकों में आकारिकी (morphology) के अनुसार बहुत सी समानताएँ हैं तथा साथ साथ ही रहते हैं, परंतु भौतिक रूप से भिन्न हैं। संयोजी ऊतक मृदु होते हैं, जब कि कंकाली ऊतक कठोर होते हैं।

संयोजी ऊतक — पूर्वमध्यजन स्तर (mesenchyme) से संयोजी ऊतकों का विकास होता है। इसके अंतर्गत अनेक ऊतक हैं, जो निष्क्रिय कार्य करते हैं, जैसे घापस में बंधना, अथवा सक्रिय संरचनाओं के कार्यों को आश्रय देना। ये प्रकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु घापस में अनेक दृष्टियों से संबंधित हैं।

संपूर्ण संयोजी ऊतकों में अनेक कोशिकाएँ होती हैं, जो एक आधात्री (matrix), अथवा घूसर पदार्थ, में अंतःस्थापित होती हैं। इस पदार्थ में तंतु विद्यमान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बहुधा आधात्री तथा तंतुओं को मिलाकर अंतराकोशिकी पदार्थ (intercellular substance) कहते हैं। संयोजी ऊतकों

में बड़ी मात्रा में अंतराकोशिकी पदार्थ विद्यमान है। उपकला ऊतक की कोशिकाओं के विपरीत संयोजी ऊतक की कोशिकाएँ दूर दूर विद्यमान रहती हैं।

संयोजी ऊतक की कोशिकाएँ मुख्य रूप से छह प्रकार की होती हैं :

१. तंतुघसू (fibroblast), २. हिस्टोसाइट (histocyte), ३. प्लाविका कोशिका (plasma cell), ४. मास्ट कोशिकाएँ (mast cells), ५. वसा कोशिकाएँ (fat cells) तथा ६. वर्णक कोशिकाएँ (pigmented cells)।

उपयुक्त कोशिकाओं के अतिरिक्त, साधारण संयोजी ऊतक में लसीकाणु (lymphocytes), उद्यासीन रंजी कोशिकाएँ (neutrophilic cells) तथा इओसिनरागी बहुरूपकेंद्रक श्वेताणु (eosinophilic polymorpho-nuclear leucocytes) वगैरह से निकलकर, इसमें संमिलित हो जाते हैं।

कार्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में संयोजी ऊतक आकार, संगति तथा संघटन में भिन्न होते हैं। यह भिन्नता कोशिका प्रकार अथवा तंतु, तंतुओं के विन्यास तथा आधात्री की राशि एवं गुणों पर आधारित है। इस आधार पर संयोजी ऊतक का निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं :

१. अक्काशी (areolar) ऊतक, २. वसाऊतक (adipose), ३. प्रत्यास्थ (elastic), ४. जालिका (reticular), ऊतक ५. श्वेततंतुमय (white fibrous) ऊतक, ६. श्लेष्माभ्र (mucoïd) ऊतक, ७. न्यूरोग्लिया (neuroglia), एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक, जो केंद्रीय तंत्रिकातंत्र (central nervous system) में पाया जाता है, तथा (८), एक परिवर्धित संयोजी ऊतक जो आधात्र कलाओं (basement membranes) में होता है। यह कला उपकला-कोशिका के स्तरों के नीचे लगी रहती है। उच्च कोटि के जीव के शरीर के प्रत्येक भाग एवं अंगों का एक विशेष कार्य होता है, जो उसे करना होता है। प्रत्येक अंग कोशिकाओं का पुंज है। इन अंगों की विशेषता कोशिकाओं पर निर्भर करती है, अर्थात् जिस प्रकार की कोशिकाओं से वह अंग बना है, उसका कार्य भी उसी के अनुसार होगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर में सभी प्रकार के कार्य, जैसे श्वसन, पाचन, मलत्याग आदि सुचारु रूप से होते रहते हैं। बहुकोशिकी जीवों में कोशिकाओं में भिन्नता होती है और कोशिकाएँ कई प्रकार की होती हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं का एक विशेष कार्य होता है, जिसको उन्हें करना होता है।

संयोजी ऊतक के कार्य — संयोजी ऊतक का कार्य शक्ति देना, एक दूसरे को जोड़ना एवं आश्रय देना है। यह दूसरे प्रकार की कोशिकाओं के समूहों को घापस में बाँधने का कार्य करता है तथा विभिन्न अंगों के लिये एक प्रकार का ढाँचा तैयार करता है, जिससे उनको आश्रय मिलता है। इस प्रकार यह मांसपेशी के तंतुओं के पुंजों को घापस में बाँधता तथा यकृत, वृक्क आदि अंगों के लिये तंतुओं के बने संपुट (capsule) बनाता है और त्वचा के अंगूर स्तरों के बनने में भाग लेता है। पड़ोसी अंगों एवं अंगों के बीच

के स्थानों को भरने का भी कार्य इसी ऊतक द्वारा संपन्न होता है। प्राभवात भ्रष्ट रोग के कारण नष्ट हुए ऊतकों को बदलना भी इस ऊतक का कार्य है।

प्रस्थि ऊतक भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इस ऊतक में खनिज पदार्थ, अर्थात् कैल्सियम एवं फॉस्फोरस, कैल्सियम फॉस्फेट एवं कैल्सियम कार्बोनेट के रूप में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैग्नीशियम, फ्लुओरीन, क्लोरीन तथा लोहा भी थोड़ी मात्रा में इस ऊतक में रहता है। शाखाओं की कुछ अस्थियाँ उपास्थि में स्थित खनिज पदार्थों के कारण ही विकसित होती हैं। करोटि (cranium) की अस्थियाँ कला ऊतक (membranous tissue) में स्थित खनिज पदार्थों के कारण विकसित होती हैं।

तंतु ऊतक (Fibrous Tissue) — यह एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसकी विशेषता यह है कि खींचे जाने पर यह खिंच नहीं पाता। इसमें श्वेत तंतुओं के पुंज होते हैं। यही कारण है कि इसके द्वारा पेशियों की स्नायुएँ, अस्थियों की पुटियाँ (sacs of joints), हृदय का हृदयावरण (pericardium) एवं अनेक प्रसर (sheets) तथा प्रावरणी (fascia) बनती हैं, जिनपर मास-पेशियाँ लगी रहती हैं अथवा अस्थियाँ प्रापम में बँधी रहती हैं। प्राभवात होने पर क्षत (wound) में तंतु ऊतक बनता है। इस ऊतक में सकुचन होता है। इस कारण घण्टियों (scars) में सकुचन हो जाया करते हैं, जो देखने में भद्दे लगते हैं। यदि किसी प्रकार से इस ऊतक पर अधिक खिंचाव डाला जाय, तो यह खिंच भी जाता है। इन तंतुओं में कोलेजन नामक प्रोटीन पदार्थ होता है। यदि इन तंतुओं को पानी में डालकर उबाला जाए, तो यह कोलेजन पदार्थ जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि प्रौढ़ जानवर का मांस, जो कठोर एवं तनुमय होता है, उबाला जाता है। इस ऊतक को बनामेवाले तंतुपसू अथवा कोशिकाओं की क्रिया के लिये आहार में विटामिन 'सी' का होना अत्यंत आवश्यक है।

अवकाशी ऊतक (Areola Tissue) — यह अर्द्ध संयोजी ऊतक है, जिसमें तंतुओं के प्रतिरिक्त कोशिकाएँ भी होती हैं। तंतु से तंतु ऊतक का विकास होता है। हिस्टियोसाइट (Histiocytes) रंजक द्रव्य को ग्रहण करता है। यह शरीर के जालक-अंतःकला-तंत्र (reticulo-endothelial system), महाभक्षक (macrophage) अथवा अपमार्जन तंत्र (scavenging system) से संबंध रखता है। इसमें कणिकामय मास्ट कोशिकाएँ (mast cells) तथा कणिकाविहीन प्लैस्मा कोशिकाएँ (plasma cells) होती हैं। ऊतक में पहुँचे हुए जीवाणुओं से इन कोशिकाओं का संबंध होता है। इसके प्रतिरिक्त वर्णक कोशिकाएँ (pigmented cells) भी इसमें पाई जाती हैं।

वसा ऊतक (Adipose Tissue) — अवकाशी ऊतक बड़ी पुटिकामय वसा कोशिकाओं में वसा का संभय करते हैं। जब इनमें वसा अधिक मात्रा में संभय हो जाती है, तब उसी को वसा

ऊतक कहते हैं। अवकाशी ऊतक में जल का भी संभय होता है जिसके कारण वे फूल जाते हैं।

प्रत्यास्थ ऊतक (Elastic Tissue) — इसमें अल्प मात्रा में पीले रंग के तंतु होते हैं। इन्हीं तंतुओं के कारण इस ऊतक में प्रत्यास्थता होती है। वाहिकाओं की कला में यह ऊतक होता है। फुफ्फुस में ये ऊतक होते हैं। श्वसनली (trachea) तथा श्वसनियों (bronchi) की उपास्थियों (cartilages) में प्रत्यास्थता इसी ऊतक के कारण होती है। मन्यास्नायु (ligamentum nuchi) में, जो करोटि को मेढदंड से जोड़ती है, यह ऊतक बहुतायत से पाया जाता है। [ २० वं ग० ]

संरचना इंजीनियरी १९वीं शताब्दी तक सिविल इंजीनियरी का एक विभाग समझा जाता था। इसका काम लकड़ी और लोहे द्वारा सेतु निर्माण करना था, परंतु जैसे जैसे सभ्य समाज की आवश्यकताएँ परिस्थितियों के अनुसार बदलती और बढ़ती गईं, उन्नत प्रकार के लोहे, इस्पात आदि का उत्पादन तथा प्रयोग बढ़ने लगा, वैसे वैसे विज्ञान की उन्नति हुई। विविध घातुओं के भौतिक गुणों का ज्ञान बढ़ा, तो कारखानों और आवासगृहों के निर्माण में भी इस्पात का अधिकार उपयोग होने लगा। स्थान की कमी से इस्पात के ढाँचों की सहायता से अनेक मंजिलों के मकान बनने लगे और थोड़ी जगह में अनेक कमरे बनाने की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ।

आज बड़े बड़े नगरों में बीस बीस मंजिले मकान बनाना तो मामूली बात हो गई है। न्यूयार्क में कुछ मकान ७० और १०२ मंजिलों तक के भी हैं। संरचना इंजीनियरी के सहारे ही ऐसा हो सका है। सेतुनिर्माण में भी संरचना इंजीनियरी से बड़ी सहायता मिली है। स्कॉटलैंड की फोर्थ नदी के प्रसिद्ध पुल में, जो कैटिलिवरनुमा बना है, नदी के बीच में तीन खम्भों के आधार पर दो मेहराब तो पूरे बने हैं, जिनके प्रत्येक खम्भे का पाट (span) १,७१० फुट है, और समस्त पुल का पाट, तट से तट तक, ५,२१५ फुट है (देखें, फलक)। अमरीका का ब्यूबेक पुल तो दुनिया भर के कैटिलिवर पुलों में सबसे बड़ा समझा जाता है। इसके केंद्रीय मेहराब का पाट १,८०० फुट है। इस पुल का निर्माण १९१८ ई० में समाप्त कर, यह यातायात के लिये चालू किया गया था। यह पुल आधुनिक संरचना कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। न्यूयार्क का हेलगेट (Hellgate) नामक पुल केवल एक ही मेहराबवाला है। इसके पाट का विस्तार १,०१७ फुट है। भारत के पुलों में कलकत्ता का हावडा पुल और हरद्वार के निकट हृषिकेश का लक्ष्मण भूला नामक पुल इस कला के अच्छे नमूने हैं।

संरचना इंजीनियर को लोहे और इस्पात का ही नहीं, बल्कि लकड़ी, ईट, पत्थर, चूना और सीमेंट का भी आधुनिकतम ज्ञान तथा यांत्रिक एवं विद्युत् इंजीनियरी के कामों में भी दक्ष होना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपने ढाँचे यांत्रिकी तथा भौतिकी के सिद्धांतों के अनुसार निरापद ढंग से बनाने पड़ते हैं। भूमि, जल और वायु की प्रकृति का भी पूर्ण ज्ञान सिविल इंजीनियर के समान ही होना चाहिए।

**ढाँचा** — प्रत्येक इमारत की बनावट में छत और फर्श के लिये धरनों, कैंचियों, खम्भों तथा जमीन पर बनी बुनियाद की आवश्यकता पड़ती है। इनका संयोजन ही भवन का ढाँचा है। ढाँचे चाहे किसी इमारत, पुल अथवा क्रैन आदि संरचनाओं के लिये हों, उनकी रचना करते समय यह विचार करना आवश्यक है कि उनके विविध अवयवों पर किस किस प्रकार के तथा किस परिमाण में बाहरी बल भार के रूप में पड़ेंगे। स्थैतिकी के सिद्धांतानुसार उन बलों के कारण, ढाँचे के विविध अवयवों पर आनेवाले प्रतिबलों की गणना भी बड़ी सावधानी से करनी होती है, जिससे ढाँचा सब प्रकार से सुदृढ और निरापद बन जाए। ढाँचे को दृढ बनाने का अर्थ उसके अवयवों को लूब मोटा तथा भारी बना देना नहीं होता।

ढाँचे की बनावट में बल सहन करने की क्षमता हेतु चाहिए। ऐसा ढाँचा अनेक त्रिभुजों को मिलाकर बनाया जाता है। चतुर्भुजों और पंचभुजों से बने ढाँचे में इतनी क्षमता नहीं होती। त्रिकोणयुक्त ढाँचे को कैंची (ट्रस, Truss) कहते हैं। ये बलों के सहने के दृष्टिकोण से सर्वथा निर्दोष और अवयवों की दृष्टि से स्वतः पूर्ण होती है। ऐसी कैंचियाँ काफी लंबे पाटों के लिये बनाई जा सकती हैं तथा भार पड़ने पर स्वयं संतुलित भी रह सकती हैं।

बड़े पाट की छतें बनाने के लिये दीवारों पर साधारण ढाँस प्रकार के लंबे गड्ढर रखकर ही क्यों नहीं काम चलाया जाता? त्रिकोणमय कैंचियाँ ही क्यों बनाई जाती हैं? मामूली छोटे पाटों की छतें तो अवश्य ही उचित माप के सादे गड्ढर रखकर बनाई जा सकती हैं, परंतु गड्ढर बहुत अधिक लंबे होने पर भारी तथा महंगे पड़ते हैं। बड़े पाटों के लिये त्रिकोणयुक्त कैंचियाँ काफी मजबूत होने के साथ ही बहुत हलकी और सस्ती पड़ती हैं।

कैंचियों के जोड़ों को पिनो द्वारा न बनाकर रिबटों द्वारा पक्का जड़ दिया जाता है। रिबटों में कुछ विशेष प्रकार के बल अधिक आने लगते हैं जिन्हें सहने के लिये इन रिबटों को अधिक मजबूत अवश्य ही बनाया जाता है। समस्त छत के पटाव का भार बत्तों (purlins) के माध्यम से विभाजित होकर कैंचियों के त्रिकोणों के ऊपरी जोड़ों पर आकर, सब कैंचियों पर बराबर बँटकर और इन कैंचियों के भार सहित आधा आधा बँटकर दीवार के टेके पर पड़कर बुनियाद पर आता है। अतः इन बत्तों का अनुमान बड़ी सावधानी से कर लेना होता है। ये बत्तों के सदैव एक से ही बने रहने के कारण अचल भार (dead load) कहलाते हैं। सभी ऊर्ध्वधर दीवारों तथा ढालू छतों पर बगल से चलनेवाली हवा के कारण जो ऊर्ध्वधर दाब पड़ती है, वह वायु दाब (wind pressure) कहलाती है, और यह चल भार (live load) की गिनती में आती है। अनेक मजिले मकानों की मध्यवर्ती छतों पर वहाँ के निवासियों और उठाक फर्निचर का भार ही होता है लेकिन यह अल्प अचल भारों की अपेक्षा नगण्य होता है।

ढाँचों के विभिन्न अवयवों पर पड़नेवाले बलों का परिकलन बल त्रिभुज अथवा बल बहुभुजों के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसके लिये इंजीनियर 'बाउ संकेत' (Bow's notation) प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह रीति अपेक्षया सरल है। बलों

का परिकलन विद्युच्च गणित द्वारा भी स्थैतिकी और त्रिकोणमिति की सहायता से किया जा सकता है। इस प्रकार से गणना करने के लिये, किसी उपयुक्त बिंदु को पूर्णकेंद्र मानते हुए, ढाँचे के एक भाग को बिलकुल संतुलित अवस्था में मानकर शेष दूसरे भाग पर पड़नेवाले बाहरी बलों के घूर्णों को, ढाँचे के किसी अवयव में पड़नेवाले अज्ञात बल के घूर्ण से समीकृत कर देते हैं।


**कैंचियों के अवयवों के विस्तार की सीमा** — जितने ही अधिक बड़े पाट की छत की कैंची अथवा पुल का कैंचीनुमा गड्ढर बनाया जाता है उसमें उतने ही अधिक संख्या में छोटे छोटे त्रिकोण बनाए जाते हैं। यदि किसी लंबे खंभे पर भार डाला जाए, तो एक सीमा से आगे चलकर वह खंभा बीच में से झुकने लगता है। यही बात कैंचियों के धारों (struts) पर भी लागू होती है। अतः कैंचियों को बल सहन करने योग्य उचित आकार के छोटे छोटे त्रिकोणों में विभाजित कर बनाते हैं।

**ढाँचे पर भार** — ढाँचों पर जो बोझ पड़ते हैं उसे भार कहते हैं। चल और अचल भार का उल्लेख ऊपर हुआ है। यदि भार किसी थोड़ी सी जगह पर केंद्रित है, तो उसे केंद्रित भार (concentrated load) और यदि पूरे अवयवों पर फैला हो, तो उसे विभाजित भार (distributed load) कहते हैं। रेलगाड़ी, मोटर ट्रक आदि चलनेवाले वाहनों के भार को चरभार (moving load) और एक बार एक दिशा में और तुरंत बाद दूसरी दिशा से आनेवाले भार को प्रत्यावर्ती भार (alternating load) और धमाके साथ आनेवाले भार को संघात भार (impact load) कहते हैं। पदार्थों का प्रतिबल (stress) भी होता है। भार की परिस्थिति और प्रवृत्ति के कारण तनन (tensile), संपीडन (compression), अग्ररूपण (shear), ऐंडन (torque) आदि प्रतिबल हो सकता है। प्रतिबल के प्रभाव से जो परिवर्तन होता है उसे विकृति (strain) कहते हैं।


पदार्थों में प्रत्यास्थता का गुण होता है, किसी में कम और किसी में अधिक। प्रत्यास्थता की सीमा होती है। सीमा से अधिक बल पड़ने पर पदार्थ टूट जाते हैं। हुक ने सन् १६७६ में एक नियम स्थापित किया कि यदि प्रत्येक पदार्थ पर उसकी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर बल लगाया जाय, तो उसके कारण पड़नेवाला प्रतिबल तथा उस पदार्थ में होनेवाली विकृति में एक विशेष अनुपात सन् १८२६ में डाक्टर यंग ने प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर पड़नेवाले प्रतिबलों के कारण विभिन्न पदार्थों में होनेवाली विकृतियों के अनुपातों का निश्चयात्मक रूप से पता लगाया। इसे यंग का प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Elasticity) कहते हैं। तनन एवं संपीडन संबंधी अनुपातों को E, अग्ररूपण संबंधी अनुपातों को C, या G अक्षर, और आयतन संबंधी अनुपातों को K अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है :

१. प्रत्यक्ष प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Direct Elasticity)

$$E = \frac{\text{तनन या संपीडन प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पाठकों में विकृति प्रति इंच लंबाई में}}{\text{विकृति प्रति इंच लंबाई में}}$$



चित्र १ : तेरु मंजिले भवन के लिये इस्पात का ढाँचा




चित्र २ : कर्तों के लिये विभिन्न प्रकार की कैविया

चित्र ३ : कर्तों के लिये विभिन्न प्रकार की कैविया


तानों युक्त समान्तर गर्डर (पुलों के लिये)

अंतर्वाही पुल		दोहरी वेब प्रणाली		पृष्ठ आही पुल	
इकहरी वेब प्रणाली	दोहरी वेब प्रणाली	इकहरी वेब प्रणाली	दोहरी वेब प्रणाली	इकहरी वेब प्रणाली	दोहरी वेब प्रणाली
<p>प्राट अर्थात् N नुमा गर्डर (क) विषम खंडो युक्त</p> <p>(ख) सम खंडो युक्त</p> <p>बारिन गर्डर</p> <p>दोहरे गर्डर</p>	<p>लिनविले गर्डर</p> <p>बारिन गर्डर (ऊर्ध्वोपर लटकनी युक्त)</p> <p>दोहरी बारिन अर्थात् जान्नु युक्त गर्डर</p> <p>(क) बाल्टिमो गर्डर</p> <p>(ख) कन्वेंशियल गर्डर</p>	<p>प्राट अर्थात् N नुमा गर्डर (क) विषम खंडो युक्त</p> <p>(ख) सम खंडो युक्त</p> <p>बारिन गर्डर</p> <p>दोहरे गर्डर</p>	<p>लिनविले गर्डर</p> <p>बारिन गर्डर (ऊर्ध्वोपर लटकनी युक्त)</p> <p>दोहरी बारिन अर्थात् जान्नु युक्त गर्डर</p> <p>(क) बाल्टिमो गर्डर</p> <p>(ख) कन्वेंशियल गर्डर</p>	<p>प्राट अर्थात् N नुमा गर्डर (क) विषम खंडो युक्त</p> <p>(ख) सम खंडो युक्त</p> <p>बारिन गर्डर</p> <p>दोहरे गर्डर</p>	<p>लिनविले गर्डर</p> <p>बारिन गर्डर (ऊर्ध्वोपर लटकनी युक्त)</p> <p>दोहरी बारिन अर्थात् जान्नु युक्त गर्डर</p> <p>(क) बाल्टिमो गर्डर</p> <p>(ख) कन्वेंशियल गर्डर</p>


चित्र ३. पुलों के विभिन्न प्रकार के केंपीनुमा गर्डर



चित्र ४. बड़े घाट की बतें और पुल










चित्र ५. विविध प्रकार के बलों का दोस पदाओं पर प्रभाव



चित्र ९. टेन्सोमीटर नामक परीक्षण यंत्र







जाति	लम्बाई (फुट)	चौड़ाई	कोटाई
1	2.5	2.5	2.5
2	5.0	2.5	2.5
3	2.5	2.5	2.5

चित्र ७. प्रतिबन्ध-विकृति आरेख (तनाव और संपीडन)

चित्र ८. प्रतिबन्ध-विकृति आरेख (नमन, कठन और पंचिम)

चित्र ९. प्रतिबन्ध-विकृति आरेख (नमन, कठन और पंचिम)

संरचना इंजीनियरी ( कृष्ण ४०१-४०४ )



संरचित खम्भों की बुनियादें

चित्र २. छत की डेंचियों के विभिन्न प्रकार के जोड़ों की संरचनाएँ

चित्र १०. स्तंभों की नींवें

२. अनुप्रस्थ प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Transverse Elasticity)

$$C \text{ या } G = \frac{\text{अपरूपक प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पाउंडों में}}{\text{अपरूपक विकृति प्रति इंच गहराई में}}$$

३. संपीडन से पदाथों का आयतन घट जाता है। अतः आयतनी प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Volumetric Elasticity)

$$K = \frac{\text{संपीडन प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पाउंडों में}}{\text{मूल आयतन से परिवर्तित आयतन को कमी के रूप में विकृतता तापोपचार तथा यंत्रोपचार से प्रत्यास्थता मापांक में परिवर्तन हो जाया करता है।}}$$

प्लासॉ का अनुपात (Poisson's Ratio) — यदि किसी ठोस छड़ को खींचा जाए, तो हम देखते हैं कि वह बीच में से पतली पड़कर टूट जाती है और यदि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर बल लगाकर खींचा जाए, तो उसकी लंबाई बढ़ने के साथ ही सब जगहों से उसकी पार्श्विक नाप छोटी हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी छड़ को दबाया जाए, तो उसकी पार्श्विक नाप बढ़ जाती है। अतः खिंचाव अथवा दबाव के कारण किसी प्रत्यक्ष ठोस की पार्श्विक नापों में जो परिवर्तन होता है, वह प्लासॉ के अनुपात के अनुसार होता है। इसे M अक्षर से व्यक्त करते हैं।

$$\text{प्रत्यक्ष विकृति (लंबाई में)} = \text{पार्श्विक विकृति} \times M$$

कुछ पदार्थों के प्लासॉ के अनुपात

पदार्थों के नाम	प्लासॉ का अनुपात M	पदार्थों के नाम	प्लासॉ का अनुपात M
इस्पात	३.२५	तांबा	२.६
पिटवाँ लोहा	३.६	पीतल	३.०
ठलवाँ लोहा	३.७	काँच (प्लास्टिक हालत में)	३.०

अपरूपक प्रतिबल (Shear Stress) — विशुद्ध अपरूपक प्रतिबल, दो सामान तथा एक दूसरे की विरोधी दिशा में काम करनेवाले प्रतिबलों के मिश्रण के रूप में होता है। इन प्रतिबलों में से एक तो तनन तथा दूसरा संपीडन प्रतिबल के रूप में होता है। इनकी क्रिया रेखा भी एक दूसरे से समकोण पर होती है।

टॉर्क बल (Torque) — यदि धुरे का एक छोर दीवार में दृढ़ता से कसा हुआ है और उसके दूसरे छोर पर टॉर्क बल लगाया जाता है, तो दूसरा छोर कुछ मुड़ जाएगा। मूला रेखा से जितना कोण,  $\theta$ , बनाकर वह मुड़ता है वह कोण उसका टॉर्क कोण होगा। इस कोण की सहायता से धुरे का टॉर्क बल निकाला जा सकता है।

सामग्रियों की सामर्थ्य का परीक्षण (Testing of the strength of the material) — इंजीनियरी में काम आनेवाली सामग्रियों का परीक्षण अत्यावश्यक है। जिस परिस्थिति में सामग्रियों का उपयोग होता है उसी परिस्थिति में उनको

रखकर, उनका परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण दो प्रकार से होता है: एक रासायनिक रीति से और दूसरा भौतिक रीति से। रासायनिक रीति से सामग्रियों के आणविक संगठन का ज्ञान होता है और भौतिक रीति से खींचकर, दबाकर, अपरूपण कर, पंच से छेदकर, झुका कर तथा मोड़कर देखा जाता है कि उनके सहन करने की क्षमता कैसी है। भौतिक रीति से सामग्रियों का परीक्षण करने के लिये आजकल एक यंत्र बना है जिसे हाउन्सफील्ड टेंसोमीटर (Hounsfield Tensometer) कहते हैं। इसकी कार्यशक्ति बड़ी सरल है और सामान्य व्यक्ति भी थोड़े से प्रशिक्षण से इसका उपयोग कर सकता है। इससे सामग्रियों की सामर्थ्य, भार विकृति, प्रतिबल विकृति, अभियाति इत्यादि का ज्ञान सरलता से हो जाता है।

अभयांक (Factor of Safety) — जब तक किसी पदार्थ पर पड़नेवाला प्रतिबल उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर रहता है, तब तक विकृति बड़ी सूक्ष्म या अस्थायी होती है। भार हटते ही वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। पर यदि प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा के ऊपर हो, तो विकृति पर्याप्त और अधिक स्थायी होती है। विभिन्न भार प्रत्यास्थता की सीमा से काफी अधिक होता है, पर व्यापारिक और उपयोगिता की दृष्टि से यह भार कम ही रखा जाता है और इसे पराभव बिंदु कहते हैं तथा इसे ही विभिन्न भार मान लिया जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा तक सहने योग्य भार से भी काफी कम मात्रा में भार डालने की योजना, अभिकल्पना के समय की जाती है। अतः यह व्यावहारिक भार प्रत्यक्ष सहने योग्य भार से जिस अनुपात में कम हो, उस अनुपात को उस पदार्थ का अभय गुणांक या अभयानु कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है :

$$\text{निरापद भार अर्थात् प्रतिबल की निरापद मात्रा} = \frac{\text{विभिन्न भार अथवा प्रतिबल}}{\text{अभयांक}}$$

भिन्न भिन्न पदार्थों के अभयानु विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न होते हैं। कठोर इस्पात का अभयानु स्थिर भार में तीन तथा चल भार में पाँच से आठ और प्रत्यावर्ती चल भार में नौ से १३ तक होता है।

पदार्थों की कठोरता — पदार्थों की कठोरता से उनके तनाव, संपीडन, अपरूपण आदि बलों का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। कठोरता परीक्षण की आधुनिक विधि, स्थैतिक दत्तुरता (static indentation) और गत्यात्मक दत्तुरता (dynamic indentation) के सिद्धांतों पर आधारित है। स्थैतिक दत्तुरता सिद्धांत पर आधारित ब्रिनेल की कठोरता-परीक्षण-विधि है, जिसके अनुसार परीक्ष्य पदार्थ के एक भाग पर काँच के समान बड़िया पॉलिश कर उसपर बहुत कठोर इस्पात की, मानक व्यास की, एक गोली को रखकर बलों द्वारा मानक भार से दबाते हैं। इससे पॉलिश की हुई सतह पर गोल निशान पड़ जाता है। निशान का व्यास नापकर निम्न सूत्र के अनुसार गोली का कठोरतांक (Hardness Number) निकालते हैं :

ब्रिज का कठोरतांक =  $\frac{\text{समग्र भार } P \text{ किलोग्राम}}{\text{निशान का घासाय क्षेत्रफल } A \text{ वर्ग मिमी.}}$   
 यदि गोली का व्यास  $D$  और निशान का व्यास  $d$  मिमी. हो तो

$$\text{ब्रिज का कठोरतांक} = \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

जो किन्ना प्रति वर्ग मिमी. में लिखा जाता है।

साधारणतया गोली का व्यास १० मिमी. और लोहे तथा इस्पात के लिये ३,००० किन्ना, पीतल आदि मुलायम धातुओं के लिये १,००० किन्ना और सीस आदि बहुत मुलायम धातु के पदार्थों के लिये ५० किन्ना मानक भार रखा जाता है। साधारणतया भार इतना ही रखा जाता है जिससे निशान का व्यास गोली के व्यास के ३/८ से अधिक न हो। परीक्षण किसी भी व्यास की गोली से किया जा सकता है, पर दाब और गोली के व्यास का अनुपात,  $P/D^2$ , एक सा रहना चाहिए।

सामान्य कठोरता के लिये इस्पात की गोली और ऊंची कठोरता के लिये हीरे की गोली प्रयुक्त होती है। कठोर पदार्थों पर १५ सेकंड तक और मुलायम पदार्थों पर ३० सेकंड तक भार दिया जाता है। निशान को सूक्ष्मता से मापने की व्यवस्था रहती है।

विकर्स (Vickers) विधि से भी कठोरतांक निकाला जाता है। इसमें गोली के स्थान में चौकोर पिरामिड की आकृति की हीराकनी का प्रयोग होता है। इससे चौकोर गूदा बनता है, जिसका विकर्ण (diagonal) और गहराई अधिक यथार्थता से नापी जा सकती है। इससे कठोरतांक इस प्रकार निकाला जाता है :

$$\text{विकर्स का कठोरतांक} = \frac{\text{समग्र भार किलोग्राम में}}{\text{चौकोर पिरामिड का क्षेत्रफल वर्ग मिमी. में}}$$

गत्यात्मक दंतुरता पर आधारित अनेक यंत्र बने हैं, जिनमें शोर (Schore) का बनाया हुआ स्केल रॉस्काप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें इस्पात की बेलनाकार हथौड़ी रहती है, जिसका भार लगभग ४० टन होता है। हथौड़ी के नीचेवाली टक्कर पर उत्तल आकृति की हीराकनी लगी रहती है, जिसके छोर का क्षेत्रफल लगभग ०.०१ से ०.०२५ वर्ग इंच तक होता है। हथौड़ी लगभग १० इंच की ऊंचाई से गिराई जाती है, तब वह परीक्ष्य पदार्थ से टकराकर ऊपर उछलती है। नली के सहारे से लगे पैमाने के द्वारा हथौड़ी की उछाल को नापकर, पदार्थ की कठोरता का परिकलन किया जाता है। पैमाने पर १५० निशान लगे रहते हैं। काँच की उछाल १३०, पीतल की लकड़ी की उछाल ४० और रबर की उछाल २३ के लगभग होती है।

इस यंत्र द्वारा प्राप्त कठोरतांक को छह से गुणा कर ब्रिज का कठोरतांक प्राप्त होता है और उसे  $6 \times 0.22 = 1.32$  से गुणा करने पर पदार्थ की सम्मिलित धरम सामर्थ्य, टन प्रति वर्ग इंच में, मालूम की जा सकती है। इसी प्रकार उपयुक्त स्थिरांकों से गुणा कर विभिन्न पदार्थों की संपीडन तथा अपरूपक सामर्थ्य भी मालूम हो सकती है।

ढाँचों पर विभिन्न बल — संरचना इंजीनियरी के कार्यों में

विविध प्रकार के बल देखे जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित छह प्रमुख वर्गों में बाँटा जा सकता है :

१. तान (tie) — निर्लंबित दंड, रस्ता, जंजीरों आदि पर पड़नेवाला विद्युत् तनाव।

२. थाम (struts) पर पड़नेवाला विद्युत् संपीडन।

३. स्तंभ (pillar) पर पड़नेवाला संपीडन।

४. गर्डर, धरन और शहतीर पर पड़नेवाला नमन और अपरूपक बल (shear force)।

५. बुनियादों और भालंबों (fulcrums) पर पड़नेवाला संपीडन बल।

६. रिबट, बोल्ट, पिन और कॉटर (cotter) पर पड़नेवाला बल।

संरचना के विभिन्न अवयव रिबटों द्वारा, भयवा बोल्टों द्वारा, जोड़े जाते हैं। रिबटों द्वारा बने जोड़े स्थायी होते हैं और काटकर ही अलग अलग किए जा सकते हैं, पर बोल्टों द्वारा जोड़े गए जोड़े अस्थायी होते हैं और विभिन्न उपखंडों में खोलकर अलग अलग किए जा सकते हैं।

ढाँचों को खड़ा करने का तरीका — संरचना कार्य में सभी प्रकार के अवयव मुलायम इस्पात के विविध परिच्छेद (section) युक्त छड़ों और प्लेटों से बनाए जाते हैं। छड़ों के परिच्छेद गोल, चपटे, आयताकार, एल (L), टी (T) अथवा एच (H) आदि के आकार के होते हैं। कारखाने में ही बड़ी कैचियों का निर्माण करते समय उनके समस्त अवयव नक्शे के अनुसार अलग अलग काट छाँटकर बनाए जाते हैं तथा कुछ छोटे छोटे उपखंडों को भी कारखाने में ही समतल भूमि पर रखकर, रिबटों द्वारा यथास्थान जड़ देते हैं; फिर उन जुड़े हुए उपखंडों को फ्रेम आदि साधनों से उठाकर यथास्थान बैठाकर, बोल्टों द्वारा कस देते हैं।

तान और थाम (Ties and Struts) — तानों और थामों के अवयवों पर कितना प्रतिबल पड़ता है और इसमें उनके सहने योग्य, प्रति वर्ग इंच निरापद प्रतिबल से भाग देकर, उनका परिच्छेद गणित द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है और उसी के आधार पर उनका निर्माण होता है।

धरन और गर्डर (Beams and Girders) — संरचित ढाँचों में धरनों तथा गर्डरों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्हीं पर चौरस छतों, पुलों, गैट्रियों तथा शिरोपरिधावन पथों आदि के स्थिर, धर और बल भार लाये जाते हैं। जब किसी सीधे अवयव के दोनों सिरों को किसी मजबूत आधार पर टिकाकर, उसपर भार लाया जाता है, तब वह धरन या गर्डर कहलाता है। धरन पर बोझा रखने से वह बीच में लचक जा सकती है और यदि उसपर बोझा सामर्थ्य से अधिक हो, तो उसकी निचली सतह फटने लगती है। [ धाँ० ना० भा० ]

संरस (Amalgam) पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्रधातु को संरस (amalgam) कहते हैं। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएँ पारे के साथ मिलाकर मिश्रधातु

बनाती है। कुछ समय पूर्व संरक्षों का व्यवहार स्वर्ण, चाँदी, जस्ता जैसी धातुओं के धातुकर्म में किया जाता था। धातु के डाक्टरों द्वारा खोखले धातु भरने के लिये भी संरक्षों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, किंतु अब अन्य अधिक उपयोगी साधनों के सुलभ होने के कारण संरक्षों का उपयोग कम होता जा रहा है।

चाँदी, ताँबा, जस्ता तथा रंगी की मिश्रधातु को पारे के साथ संरक्ष बनाकर, धातु भरने में प्रयुक्त किया जाता है। यह संरक्ष धातु के खोखले में दो मिनट में ही जमकर सख्त हो जाता है।

संरक्ष में मिले पारे की न्यूनता एवं अधिकता के अनुसार ही संरक्ष तरल एवं ठोस होता है। संरक्ष साधारणतः चार प्रकार से तैयार किया जा सकता है: (१) किसी धातु को पारे के साथ रगड़कर, (२) जिस धातु का संरक्ष बनाना है उससे बना कैथोड (cathode) पारे के किसी लवण के विलयन में डालकर तथा विद्युत् प्रवाहित कराकर, जैसे नमक के विलयन में पारे का कैथोड डालकर सोडियम संरक्ष बनाकर फिर उस संरक्ष को पानी के साथ क्रिया कराकर, कॉस्टिक सोडा तैयार किया जाता है, (३) किसी धातु को केवल पारे के किसी लवण के साथ क्रिया कराकर, अथवा (४) किसी धातु के लवण के साथ पारे की क्रिया कराकर।

रासायनिक क्रियाओं में संरक्षों का उपयोग अब भी काफी होता है। [ न० द० मि० ]

**संरक्षण (Nomography)** अपेक्षतया एक नया विषय है, जो समतल ज्यामिति और लघुगुणकी के सरल सिद्धांतों पर आधारित है। यह विषय वर्णनात्मक ज्यामिति, अथवा आलेखी स्थैतिकी (Graphic Statics), के सदृश है। इसकी उत्पत्ति इंजीनियरी के क्षेत्र से हुई है। एम० दोकेन (M. d' Ocagne) इस दिशा में अग्रणी हैं और इन्होंने १९०० ई० में इस शाखा का प्रवर्तन किया। संरक्षण का ध्येय यह है कि एक विशेष प्रकार के समस्त प्रश्नों का, एक ही आलेखी शीटकर, आलेखी हल निकाल लें। संयंत्र चालन, प्राविधिक नियंत्रण और गवेषणा आयोजनों में बहुत से दैनिक परिकलन प्रतिदिन करने पड़ते हैं, जिनमें व्यस्त वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का बहुत समय नष्ट हुआ करता था। अपना समय बचाने के लिये ये लोग ऐसा काम कर्मचारियों को सौंप देते थे, जो आलेखी उपकरणों से काम करते करते बड़े दक्ष हो जाते थे। संरक्षण चार्ट (alignment charts), निर्देशांक सारणियाँ (coordinate tables) और संरक्षण चार्ट (nomogram) इस काम के लिये बड़े सुगम और यथार्थ होते हैं।

मान लें कि कोई समीकरण अथवा अनुबंधों का एक कुलक दिया है। एक चार्ट ऐसा बनाया जाता है जिसपर एक ऐसी ऋजु रेखा खींची जा सके जो तीन मापनियों को ऐसे मानों पर काटे जो उक्त समीकरण, अथवा अनुबंध के कुलक को, संतुष्ट करें। ऐसे चार्ट को संरक्षण चार्ट कहते हैं। यदि कोई दो मान दिए हों, तो उक्त चार्ट से तीसरा मान निकाला जा सकता है।

संरक्षण चार्ट से तीन लाभ होते हैं: सरलता, द्रुतता और यथार्थता (accuracy)। चार्ट के आकार, अभिकल्प (design)

और अक्षों की अंकन विधि पर विचार करने से निकटतम मान निकाला जा सकता है।

**रचना विधियाँ** — रचना इन बातों पर निर्भर है:

(१) ऐसे समीकरण, अथवा एक ही प्रकार के एक घात संबंध, जिनसे दो चरों के पारस्परिक संबंध, निकाले जा सकें, यदि तीसरे चर का मान दिया हो।

(२) चरों के मानों का परास (range)।

(३) इस बात का ज्ञान कि दिया हुआ उदाहरण मानक (standard) रूपों में से कौन से प्रकार का है।

(४) वांछित मापनियों की रचना के लिये उपयुक्त मापानों (moduli) अथवा मात्रकों (units) का चुनाव।

मापनियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक समान (uniform) मापनी, लघुगुणकीय (logarithmic) मापनी, वर्ग मापनी, घन (cube) मापनी, वर्गमूल मापनी इत्यादि। इन मापनियों में दूरियाँ क्रमशः इस प्रकार की होती हैं:  $x$ ,  $\log x$ ,  $x^2$ ,  $x^3$  तथा  $\sqrt{x}$ ।

मापांक इस बात पर निर्भर होता है कि प्रश्न में मानों का परास क्या है और काम पर कितना स्थान प्राप्य है। संरक्षण चार्टों में विभिन्न प्रकार की मापनियों के उपविभागों के अंकन और यथार्थ परिकलन (calculation) में तो बहुत समय लगता है। इसके बदले में हम जोसेफ लिप्का (Joseph Lipka) के बने बनाए चार्टों से काम ले सकते हैं। हम विभिन्न पद्धतियों के मापाकों के विभिन्न मानों के लिये इनका उपयोग कर सकते हैं।


दो चरों के लिये मापनियाँ — समानीकरण बिंदु (matching point), आलेखन (plotting) मापांक।

(१) संबंध  $y = f(x)$

उदाहरण: एक ही अक्ष पर दो मापनियाँ जो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापक्रमों के अनुसारी अंश देती हैं। समीकरण

$$F = 1.8 C + 32$$

है। मापनी इस प्रकार है:



मापनी की लंबाई ४ इंच है। फारेनहाइट का परास ० से १६०° है। फारेनहाइट मापनी के लिये दूरी  $y = m F$ , जिसमें  $m$  (m) मापांक है। सेंटीग्रेड मापनी के लिये दूरी  $y = m (1.8 C + 32)$ , [  $x = m (1.8 C + 32)$  ]


और  $m = \frac{4}{160} = 0.025$ । अतः सेंटीग्रेड मापनी के लिये

$$दूरी y = 0.025 (1.8 C + 32) = 0.045 C + 0.8$$

फारेनहाइट मापनी के लिये  $y = 0.025 F$ , ( $x = 0.025 F$ )

समानांतरण बिंदु से  $0 = 0^\circ$ , का  $0 = 32^\circ$  है। हम मापनियों का आरेखन समानांतरण बिंदु से करते हैं। आरेखन मापांक का मापनी के लिये  $0.025$  और से  $0$  मापनी के लिये  $0.045$  है।

(२) समीकरण  $पा + बा = डा$ , ( $P+Q=W$ ) के लिये संरेखण-चार्ट — इसमें तीन समांतर मापनियाँ इस प्रकार अंकित की जाती हैं कि यदि उन में से दो के बिंदुओं को जोड़ा जाय, तो योजक रेखा तीसरी मापनी को एक ऐसे बिंदु पर काटेगी जो चरों के दिए हुए पारस्परिक संबंध को संतुष्ट करे।



चित्र २.

का बा = बा गा। मापनियों पा तथा बा के मापांक बराबर हैं और बा का मापांक पा के मापांक का दुगुना है। पा = ३ और बा = ५ की संयोजक रेखा बा को बिंदु ८ पर काटती है।

इस विधि की यही प्रक्रिया है कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिये उपयुक्त मापनियाँ चुनी जाती हैं और उनकी मध्यस्थ दूरियाँ भी उचित लेनी होती हैं।

संरेखण चार्टों का हेतु होता है तीन, चार अथवा अधिक चरों का संबंध दर्शाना। कुछ चार्टों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मापनियों के अतिरिक्त विकर्ण और वक्र मापनियाँ भी होती हैं। कभी कभी निर्देशांक और संरेखण चार्टों को मिलाना सुविधाजनक होता है। पाठक मापनियों के अंकन और उचित दूरियों के चुनाव के विषय में मानक ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के संरेखण चार्ट — इन चार्टों की रचना में सारणिकों का भी उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के समीकरणों के लिये चार्ट बनाए जा चुके हैं :

(१) समांतर मापनी संरेखण चार्ट

(अ) इस प्रकार के तीन चरों के समीकरण

$$फ_1(क) + फ_2(ख) = फ_3(ग); \quad फ_1(क) \times फ_2(ख) = फ_3(ग)$$

$$[f_1(a) + f_2(b) = f_3(c); \quad f_1(a) \times f_2(b) = f_3(c)]$$

(आ) चार अथवा अधिक चरों के समीकरण :

$$फ_1(क) + फ_2(ख) + फ_3(ग) + \dots = फ_4(घ).$$

$$[f_1(a) + f_2(b) + f_3(c) + \dots = f_4(t)];$$

$$फ_1(क) \times फ_2(ख) \times \dots = फ_4(घ)$$

$$[f_1(a) \times f_2(b) \times \dots = f_4(t)].$$

(२) का चार्ट — निम्नलिखित प्रकार के समीकरण :

$$\frac{फ_1(क)}{फ_2(ख)} = फ_3(ग), \quad \left[ \frac{f_1(a)}{f_2(b)} = f_3(c) \right];$$

$$फ_1(क) = [फ_2(ख)]^{3/2}, \quad [f_1(a) = [f_2(b)]^{3/2}]$$

$$\frac{फ_1(क)}{फ_2(ख)} = \frac{फ_3(ग)}{फ_4(घ)}, \quad \left[ \frac{f_1(a)}{f_2(b)} = \frac{f_3(c)}{f_4(t)} \right];$$

(३) समांतर और लंब सूचक (index) रेखाएँ :

$$फ_1(क) + फ_2(ख) = \frac{फ_3(ग)}{फ_4(घ)}$$

$$\left[ f_1(a) + f_2(b) = \frac{f_3(c)}{f_4(t)} \right]$$

(४) संगामी (concurrent) मापनियाँ :

$$\frac{१}{फ_1(क)} + \frac{१}{फ_2(ख)} = \frac{१}{फ_3(ग)}$$

$$\left[ \frac{1}{f_1(a)} + \frac{1}{f_2(b)} = \frac{1}{f_3(c)} \right]$$

(५) भावर्त चर :

$$फ_1(क) + फ_2(ख) \times फ_3(ग) = फ_4(घ)$$

$$[f_1(a) + f_2(b) \times f_3(c) = f_4(t)]$$

(६) संयुक्त संरेखण चार्ट :

$$फ_1(क) \times फ_2(ख) + फ_3(ग) \times फ_4(घ) = १$$

$$[f_1(a) \times f_2(b) + f_3(c) \times f_4(t) = 1]$$

$$\frac{फ_2(ख)}{फ_1(क)} + \frac{फ_3(ग)}{फ_4(घ)} = १$$

$$\left[ \frac{f_2(b)}{f_1(a)} + \frac{f_3(c)}{f_4(t)} = 1 \right]$$

[पा० ना० म०]

संरेखी, या आरेख (Diagram) वह चित्र है जिसके विभिन्न भागों के परस्पर ज्यामितीय संबंध आरेख से निरूपित वस्तुओं के परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हैं तथा उन संबंधों को जो चित्र से धारेली रीति से अभिव्यक्त नहीं होते, चित्र में अंकित संख्याओं अथवा अन्य प्रविष्टियों द्वारा दिखाते हैं।

किसी आरेख का अभिप्राय उन मुख्य संबंधों को नेत्रों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है जिनपर ध्यान आकर्षित करना हो और कभी कभी आरेख से अभिव्यक्त वस्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियों के ब्यर्थ संख्यात्मक मान को, चित्र पर माप द्वारा, दिखाना है। प्रत्यय की व्यापकता के कारण, आरेख अनेक प्रकार के विशिष्ट अभिप्राय को व्यक्त करने में लाभदायक होते हैं। कुछ आरेख निम्नलिखित हैं :

(१) गणितीय आरेख — गणितीय क्षेत्रों में आरेखों का प्रयोग विशेष रूप से इस कारण किया जाता है कि पाठक को तर्क समझ में आ जाय। एक अच्छा आरेख वह समझा जाता है जो साध्य के मुख्य लक्षणों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके। प्रायः गणित में आरेख का बखूब उपयोग है। इससे स्पष्ट ढंग से करते हैं कि पाठक उसको स्वयं भी

की जा सकती है। यांत्रिकी में भारेल अधिकतम प्रकार के अभिप्रायों के उपयोग किए जाते हैं। स्थैतिकी में इनका प्रयोग अत्यधिक सुविधाजनक है, क्योंकि किसी स्थैतिक तंत्र के भाग गतिशील नहीं होते।

(२) रसायन में भारेल — जॉन डाल्टन ने परमाणु विभ्यास संबंधी अपनी संकल्पना में अनेक सामान्य रासायनिक यौगिकों के भारेल प्रकाशित किए। उस समय से इनका प्रयोग रसायनज्ञों द्वारा बहुत मात्रा में किया जा रहा है। इसी भाँति क्रिस्टलकी में क्रिस्टल संरचना की व्याख्या में भारेलों का प्रयोग बहुधा किया जाता है।

(३) मापक भारेल — भारेल का प्रयोग मापने में भी करते हैं। इस प्रकार के भारेल का अभिप्राय निदर्शन के प्रतिरिक्त यथार्थ मापन भी होता है।

(४) त्रिविमतीय वस्तु भारेल — किसी दो से अधिक चर राशियों पर निर्भर परिमाणों के कुलक के लेखाचित्र-प्रदर्शन के लिये भारेल पद्धति का प्रयोग संभव है। विशेषतः किसी त्रिविमतीय वस्तु के अंगों के परस्पर संबंधों को निरूपित करने के लिये दो अथवा अधिक भारेलों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की भारेल पद्धति में एक ऐसे निश्चित संकेत की आवश्यकता होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि भारेल किस प्रकार से पूर्ण संरचना से तथा आपस में पृथक्कृत संबंधित हैं। इमारत और पुल के मानचित्र इसके उदाहरण हैं। ठोस एवं अग्र्य त्रिविमतीय आकृति को भी एकल भारेल से निरूपित कर सकते हैं।

(५) अग्र्य भारेल — कुछ अग्र्य भारेलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

(क) आर्गंड-चित्र में संमिश्र संख्या  $x + iy$  को किसी निर्देशांक पद्धति के निर्देश में सगत बिंदु  $(x, y)$  से निरूपित करते हैं।

(ख) स्वचालित भारेल वह है, जो किसी मशीन से स्वतः निमित्त हो जाता है और दो चर राशियों में संबंधित विचरण को दिखाता है; उदाहरणार्थ, दिन पर्यंत के ताप में परिवर्तन।

(ग) ऐंद्रोपी भारेल किसी ऊष्मागतिक चक्र में ऐंद्रोपी परिवर्तन दिखाता है।

(घ) फेम-भारेल में बिंदुओं को बिंदुओं से और जोड़नेवाली कड़ी को रेखा से निरूपित करते हैं।

(च) हेट्ज-भारेल निर्दिष्ट हवा की मात्रा में ताप, दाब और नमी के परिवर्तन को, जबकि हवा के आयतन में दक्षोष्म परिवर्तन हो रहा है, निरूपित करता है। 'नायहोफ भारेल' इसी के अनुरूप होता है।

(छ) 'आयलर भारेल' ताकिक संबंधों का आलेखी निरूपण करता है। इसमें वृत्त अथवा अन्य चित्रों द्वारा उन राशियों की श्रेणी को सूचित करते हैं जिनपर निर्दिष्ट गुण लागू होते हैं।

(ज) 'विकृति भारेल' एक चित्र है, जो किसी प्रतिबल के परिमाण और उसके कारण उत्पन्न विकृति को निरूपित करता है।

'भारेल' शब्द का अनेकान्य प्रसंगों में प्रयोग करते हैं, जिनमें से बहुत से स्वतः स्पष्ट होते हैं।

**संविदा-निर्माण** (कंट्रैक्ट फार्मेशन) वचनपालन, करार अथवा कौल के निर्वाह को संपूर्ण विश्व में और विशेषतः भारत में बड़ा महत्व दिया गया है। भारतीय इतिहास में वचनपालन के लिये पुत्र को वनवास और स्वयं मृत्यु का वरण करनेवाले दक्षरथ की गाथा लोकप्रसिद्ध है। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास इसी उज्वल परंपरा से श्रोतशील है।

परंतु इस वचनपालन का आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य रहा है, इसके पीछे कानून का हाथ नहीं था और न इसको कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त थी। परंतु धीरे धीरे व्यावसायिक संबंधों में वचनपालन की ओर उसे कानूनी मान्यता देने की आवश्यकता का अनुभव भी जीवनमूल्यों एवं नैतिकता के ह्रास के साथ ही समाज से किया और इसी कारण नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से वचनपालन जहाँ गौण होता गया, वैधानिक मान्यताप्राप्त व्यावसायिक वचनों के पालन के महत्व को प्रमुखता प्राप्त होती गई।

व्यावसायिक और कानूनी दृष्टि से इस मंत्र में रोम का कानूनी इतिहास रोचक है। वहाँ संविदा का प्राचीनतम स्वरूप (nexum) था। अपने मूल रूप में यह उधार वस्तुविक्रय से संबंधित था। धीरे धीरे ऋण के लिये भी इसका प्रयोग होने लगा। इसकी कतिपय औपचारिकताएँ थीं जिनके बिना (nexum) की पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी।

भारत में भी नारद और बृहस्पति के ग्रंथों में वस्तुविक्रय, ऋण, साझेदारी और अभिकर्तृत्व (एजेंसी) के संबंधों का उल्लेख है। किंतु वर्तमान संविदा का स्वरूप उससे भिन्न है, यद्यपि उसके विकास की कड़ी उनसे भी जोड़ी जा सकती है।

वर्तमान संविदा की विशेषता उसकी कानूनी मान्यता है। वह प्रत्येक वचन अथवा करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अथवा जिसका कानून द्वारा पालन कराया जा सके, संविदा है। प्राचीन काल में इस कानूनी मान्यता पर विशेष बल नहीं था बल्कि बल था उसकी औपचारिकता और विधियों (Formalities & Ceremonies) पर। बिना औपचारिकता के कोई वचन, संविदा का रूप ग्रहण नहीं कर सकता था। आवश्यक औपचारिकताओं में से यदि कोई औपचारिकता कम रह जाती थी तो संविदा पूर्ण नहीं होती थी।

यद्यपि अपने विभिन्न रूपों में संविदा का प्रचलन समाज के व्यावसायिक संबंधों में था परंतु 'संविदा' शब्द का अन्वेषण बहुत बाद में हुआ। संविदा शब्द बहुत व्यापक है। संविदा के ही अंग विक्रय, ऋण, बचक, निक्षेप (Bailment), साझेदारी, अभिकर्तृत्व (Agency), विवाह आदि भी हैं। परंतु अपने वर्तमान रूप में संविदा ने नया कानूनी अर्थ ग्रहण कर लिया है। भारतवर्ष में इसका अधिनियम सन् १८७२ ई० में बना और संविदाओं का नियमन उसी भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act 1872) द्वारा होता है। इसलिये भारतीय न्यायालय अब संविदा के मामले में इसी लिखित कानून का अनुसरण करने को बाध्य हैं। व्यवस्थाओं की व्याख्या के लिये उन्हें इसी अधिनियम का अध्ययन करके उपयुक्त अर्थ और मंतव्य निकालना चाहिए।

भारतीय संविदा अधिनियम ब्रिटिश संविदा कानून पर आधारित है परंतु ब्रिटिश संविदा अधिनियम की सहायता तभी ली जा सकती है जब या तो भारतीय संविदा अधिनियम किसी प्रश्न पर मौन हो अथवा उसकी व्यवस्था स्पष्ट हो और ब्रिटिश कानून भारतीय व्यवस्था और सामाजिक स्थिति से असंगत न हो।

ऊपर बताया गया है कि अपने वर्तमान रूप में संविदा एक विधिक वचन या कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार है। इसमें दो आवश्यक तत्व हैं—(१) करार और (२) कानून द्वारा उसे प्रभाव-शाल बनाने का गुण। संविदानिर्माण की प्रक्रिया और उसकी समस्त सामाजिकों को हृदयगत करने के लिये कतिपय पारिभाषिक शब्दों की जानकारी आवश्यक होगी। ये परिभाषाएँ भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई हैं और उनमें से सर्वाधिक परिभाषाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

### १. करार

जब कम से कम दो व्यक्ति किसी कार्य के करने अथवा उससे बिरत रहने के संबंध में एकमत होते हैं तो उसे करार कहा जाता है। करार के लिये कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है। यदि 'अ' ने 'ब' से प्रस्ताव किया कि 'ब' 'अ' के लिये 'अ' का एक बिना दे तो वह 'ब' को इस कार्य हेतु पाँच सौ रुपए देगा। 'अ' के द्वारा यह प्रस्ताव है। यदि 'ब' यह स्वीकार कर ले कि पाँच सौ रुपए में वह 'अ' के लिये उसका बिना बना देगा तो यह एक ऐसा करार हुआ जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है और उसे प्रभावकारी बनाया जा सकता है अर्थात् एक व्यक्ति भकेला ही कोई करार नहीं कर सकता। करार के लिये करार संबंधी बातों पर उभय पक्ष की मानसिक एकात्मता (consensus and idem) होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि करार सबंधी प्रत्येक बात के संबंध में उभय पक्ष उसका एक ही अर्थ समझे। ऐसा न हो कि एक पक्ष एक अर्थ और दूसरा पक्ष दूसरा अर्थ समझे। 'अ' के पास दो मोटरकार हैं, एक फोर्ड और दूसरी शेवरलेट। वह अपनी फोर्ड कार पाँच हजार में बेचना चाहता है। उसने अपनी उस कार को बेचने का प्रस्ताव 'ब' से किया। परंतु 'ब' ने 'शेवरलेट' कार समझकर उसे खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह करार नहीं होगा क्योंकि 'अ' और 'ब' में मोटरकार के संबंध में मानसिक एकात्मता नहीं हुई। मोटरकार से 'अ' ने फोर्ड मोटरकार और 'ब' ने शेवरलेट कार समझी।

उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव ही स्वीकृति के उपरान्त करार बनता है। प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के होते हैं परंतु साधारणतः उनका वर्गीकरण पाँच श्रेणियों में किया गया है: १. विशिष्ट प्रस्ताव (Specific offer), जब कोई प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता है, तब उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। चूंकि प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता है, अतः इसमें स्वीकार करनेवाला व्यक्ति, जिसे स्वीकर्ता कहा जायगा, निर्दिष्ट होता है। इसमें स्वीकृति की सूचना स्वीकर्ता द्वारा प्रस्तावक को देना आवश्यक है। २. सामान्य प्रस्ताव (जनरल ऑफर) वह प्रस्ताव है जो निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से नहीं किया जाता बल्कि संसार का कोई व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है। इसी लिये

विशिष्ट प्रस्ताव की भाँति इसमें स्वीकृति की सूचना का प्रस्तावक को दिया जाना अनिवार्य नहीं होता। प्रस्ताव में एकदिल और इच्छित कार्य को करना ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति मानी गई है। ३. स्पष्ट प्रस्ताव (एक्सप्रेस ऑफर) वे प्रस्ताव हैं जो मौखिक या लिखित रूप में — परंतु स्पष्टतः — किए जायें। ४. सांकेतिक प्रस्ताव (इम्प्लाइड ऑफर) वे प्रस्ताव शब्दों द्वारा न होकर कार्य द्वारा किए जाते हैं। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को टिकट के बदले ले जाने का प्रस्ताव, रेलगाड़ी का स्टेशन पर आना ही है। यह सामान्य प्रस्ताव का भी उदाहरण है क्योंकि इसका स्वीकर्ता पूर्वनिश्चित नहीं है। ५. अनवरत प्रस्ताव (Continuous offer) इस प्रस्ताव में निश्चित अवधि तक कार्यविशेष के लिए जाने का प्रस्ताव होता है जैसे एक वर्ष में निश्चित दर से ५००० मन गेहूँ की आपूर्ति का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत भी एक पक्ष तुरंत ही खपूरा गेहूँ खरीदने को या दूसरा पक्ष बेचने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

स्वीकृति और उसके विभिन्न प्रकार — प्रस्ताव की ही भाँति और उसके अनुरूप स्वीकृति की भी विभिन्न प्रणालियाँ हो सकती हैं। जहाँ प्रस्तावक स्वीकृति की कोई विशेष विधि या प्रणाली निर्धारित करता है, वहाँ स्वीकृति का उस विधि या प्रणाली द्वारा किया जाना अनिवार्य है। यदि उस निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा स्वीकृति न हो तो प्रस्तावक को उसी प्रणाली द्वारा स्वीकृति देने पर बल देना चाहिए। परंतु जहाँ स्वीकृति की किसी प्रणाली या विशिष्ट विधि का उल्लेख नहीं हो, वहाँ किसी युक्तियुक्त, सगत और उचित प्रणाली द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

स्वीकृति भी स्पष्ट अर्थात् शब्दों द्वारा ही सकती है अथवा सांकेतिक रूप में कार्य द्वारा। टिकट लेकर गतव्य स्थान को जानेवाली रेलगाड़ी पर यात्री का बैठना ही कार्य द्वारा कंपनी के प्रस्ताव की स्वीकृति है। केवल मानसिक स्वीकृति मात्र स्वीकृति नहीं समझी जा सकती। शब्दों में अथवा कार्य द्वारा उसकी अभिव्यक्ति भी आवश्यक है।

प्रस्ताव में निर्दिष्ट कार्यों का करना भी कतिपय (साधारणतः उपयुक्त सामान्य) प्रस्तावों की स्वीकृति मानी जाती है। परंतु यह आवश्यक है कि स्वीकर्ता इस कार्य को करने के पूर्व से ही प्रस्तावक की शर्तें जानता हो। यदि स्वीकर्ता प्रस्ताव की बिना जानकारी के ही वह कार्य करता है जो प्रस्ताव में निर्दिष्ट है, तो वह प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। एक व्यक्ति गौरीदत्त ने अपने भतीजे की खोज के लिये अपने मुनीम लालमन को भेजा। लालमन के जाने के उपरांत गौरीदत्त ने अपने भतीजे को खोज लानेवाले के लिये ५०१ रुपए पुरस्कार की घोषणा की। लालमन मुनीम गौरीदत्त के भतीजे को खोज लाया और पुरस्कार की माँग की। निर्णय यह हुआ कि चूंकि लालमन को लड़के की खोज के पूर्व पुरस्कार की शर्तें की सूचना नहीं थी, न पुरस्कार प्राप्ति की बात ही ज्ञात थी, अतः खोए हुए लड़के को खोज लाने का लालमन का कार्य गौरीदत्त के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता (लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त)



प्रस्ताव से उत्पन्न लाभ को स्वीकार करना भी उपयुक्त दशाओं में प्रस्ताव की स्वीकृति सम्झी जाती है। वाराणसी से प्रयाग की बस में बैठकर जाना ही बस मालिक के प्रस्ताव की स्वीकृति है और स्वीकर्ता बस का किराया देने को बाध्य है।

स्वीकृति प्रस्ताव के कायम रहने की दशा में होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव निष्प्रभाव हो चुका है या प्रस्तावक द्वारा खंडित किया या वापस लिया जा चुका है तो स्वीकृति भी निरर्थक और प्रभावहीन होगी।

प्रस्ताव और स्वीकृति का संबन्धन — प्रस्तावक की सूचना स्वीकर्ता को और प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को मिलना आवश्यक है। प्रस्ताव की सूचना जब उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाय जिसके प्रति प्रस्ताव किया जाता है, तब प्रस्ताव का संबन्धन या संचार पूर्ण सम्झा जाता है। 'क' ने अपनी घड़ी १५० ) में 'ख' को बेचने का प्रस्ताव पत्र द्वारा 'ख' को प्रेषित किया। ज्योंही 'क' का पत्र 'ख' को प्राप्त होगा, 'क' के प्रस्ताव का संबन्धन पूर्ण हो जायगा। स्वीकृति के संबन्धन की पूर्णता का समय प्रस्तावक और स्वीकर्ता के लिये पृथक् पृथक् होता है। जब स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति प्रस्तावक के पास इस प्रकार प्रेषित कर दे कि उसका वापस लेना स्वीकर्ता के वश में न रहे, तो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संबन्धन पूर्ण सम्झा जायगा परंतु स्वीकर्ता के विरुद्ध नहीं। स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संबन्धन तब पूर्ण होगा जब स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुँच जाय। उपर्युक्त उदाहरण में 'ख' द्वारा अपनी स्वीकृति का पत्र 'क' के नाम डालते ही स्वीकृति की पाबंदी 'क' नामक प्रस्तावक के विरुद्ध हो जाएगी परंतु स्वीकर्ता 'ख' के विरुद्ध नहीं। 'ख' के विरुद्ध सबूत की पूर्णता तब हाँगी जब उसकी स्वीकृति का पत्र 'क' को प्राप्त हो जाय।

डाक द्वारा संबन्धन का नियम और प्रस्ताव तथा स्वीकृति का संबन्धन — जब प्रस्तावक और स्वीकर्ता एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हों तो संबन्धन में कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती परंतु जब दोनों दो स्थानों पर हों तो संबन्धन का माध्यम डाक — पत्र या तार — होता है। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव का पत्र प्रस्तावक द्वारा छोड़े जाते ही वह पूर्ण नहीं होता वरन् स्वीकर्ता के पास पहुँचने पर ही पूर्ण होता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्ताव का संबन्धन उसी काल तक हो सकता है जब तक स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति का पत्र डाक में नहीं छोड़ देता क्योंकि तब स्वीकृति का वापस लिया जाना स्वीकर्ता के वश के बाहर हो जाता है। स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृतिपत्र डाक में छोड़ते ही प्रस्ताव प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्वीकृति स्वीकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब प्रस्तावक को प्राप्त हो जाय। प्रस्तावक को प्राप्त होने के पूर्व स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति वापस ले सकता है। ब्रिटिश कानून में स्वीकृतिपत्र डाकखाने में छोड़े जाते ही स्वीकर्ता के विरुद्ध भी पूर्ण हो जाता है। स्वीकृतिपत्र देर में पहुँचने या रास्ते में खो जाने पर भी प्रभावकारी रहता है क्योंकि ऐसा माना गया है कि डाक विभाग की असावधानी या भूल का कोई प्रभाव संविदा के पक्षों पर

पड़ना न्यायसंगत नहीं है। परंतु यदि संबन्धन के लिये पत्र डाक में न डालकर पोस्टमैन को दे दिया जाय तो यह पर्याप्त संबन्धन नहीं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पत्र को लेकर डाक में छोड़ना पोस्टमैन के कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है।

(२) करार को कानून द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने का गुण संविदा की दी आवश्यकताओं में से करार पर विचार किया जा चुका है। अब उसे कानून द्वारा प्रभावकारी या प्रवर्तनीय बनाए जानेवाले गुण पर विचार करना शेष है। भारतीय संविदा अधिनियम १८७२ ई० की धारा १० के अनुसार ऐसे सभी करार संविदा माने गए हैं जो (१) करार करने योग्य पक्षों की (२) स्वतंत्र सहमति से किए जायें, (३) जिनका प्रतिफल और उद्देश्य वैध हो और जो (४) उक्त अधिनियम द्वारा निरस्त (Void, प्रभावहीन) न घोषित किए गए हों। इसी धारा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उपर्युक्त परिभाषा का प्रभाव ऐसे किसी कानून पर नहीं पड़ेगा, (५) जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित, या पंजीकृत साक्षियों की गवाही के साथ होना आवश्यक है।

योग्य पक्ष — ऐसे सभी व्यक्ति संविदा करने योग्य माने जाते हैं जो व्यस्क हों, स्वस्थ मस्तिष्कवाले हों और किसी कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य न ठहराए गए हों। फलस्वरूप (१) अव्यस्क, (२) विकृत मस्तिष्कवाले व्यक्ति या उन्मत्त (Lunatic), जड़बुद्धि (Idiot) तथा नशे में चूर रहनेवाले, (३) और ऐसे व्यक्ति जो कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य ठहराए गए हों, यथा विदेशी शत्रु, विदेशी सम्राट् अथवा उनके प्रतिनिधि, देश के शत्रु, अपराधी आदि संविदा नहीं कर सकते। अव्यस्क व्यक्ति स्वतंत्र बुद्धि से अपने लाभ हानि वा निर्णय नहीं कर सकता। अतः वह संविदा करने योग्य नहीं माना गया है। विकृत मस्तिष्कवाले व्यक्तियों में अगर विकृति अस्थायी हो — यानी कभी मस्तिष्क विकृत और कभी स्वस्थ रहता है — तो ऐसे व्यक्ति विकृतिकाल में तो नहीं परंतु मस्तिष्क की स्वस्थता के काल में संविदा का योग्य पक्ष हो सकते हैं। अपराधी का दंडभोग के समय संविदा करने का अधिकार निलंबित हो जाता है परंतु दंडभोग या क्षमाप्राप्ति के पश्चात् उसे संविदा करने की क्षमता पुनः प्राप्त हो जाती है। दिवालिया घोषित व्यक्ति भी संविदा करने की योग्यता से वंचित माना जाता है।

स्वतंत्र सहमति — संविदा के पक्षों की सहमति का स्वतंत्र होना संविदा की एक प्रमुख आवश्यकता है। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा उससे प्रभावित होगी। सहमति उस दशा में स्वतंत्र मानी जाती है जब यह १—बलप्रवर्तन या त्रास (Coercion), २—अवाञ्छित प्रभाव (Undue Influence), ३—छलकपट (Fraud), ४—भ्रान्त कथन, या ५—भ्रांति द्वारा प्रभावित नहीं हुई हो और न प्राप्त की गई हो।

(१) बलप्रवर्तन या त्रास की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा में दी गई है। उसके अनुसार बलप्रवर्तन या त्रास के चार रूप हैं—

(क) भारतीय संघ विधान द्वारा वंजित और दंडनीय कार्य करना; या (ख) करने की धमकी देना, चाहे उस स्थान पर जहाँ यह कार्य किया जाय भारतीय संघ विधान लागू हो या नहीं, (ग) किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अवैध रूप से रोक रखना; अथवा (घ) रोक रखने की धमकी देना। इस बलप्रवर्तन या भास का उद्देश्य किसी व्यक्ति को संविदा का पक्ष बनाना ही होना चाहिए।

(२) अर्वाञ्छित प्रभाव की परिभाषा सविदा अधिनियम की धारा १५ में दी गई है। उसके अनुसार वह संविदा अर्वाञ्छित प्रभाव द्वारा प्रेरित कही जाती है जिसके पक्षों के संबंध ऐसे हों कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित कर सके और अनुचित लाभ प्राप्त करने की इच्छा से अपनी उस विशिष्ट स्थिति का प्रयोग करे। माता पिता और बच्चे, अभिभावक और पाल्य (वाई), बकील और मुवक्किल, डाक्टर और रोगी, गुरु और शिष्य आदि के संबंध ऐसे ही होते हैं जिनमें प्रथम पक्ष दूसरे की इच्छाओं को अपने विशिष्ट संबंध के कारण प्रेरित करता है। अर्वाञ्छित प्रभाव सिद्ध करने के लिये यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि वस्तुन विशिष्ट स्थिति वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपनी विशेष स्थिति का प्रयोग अपने अनुचित लाभ के लिये किया। यदि यह बात सिद्ध नहीं होती तो केवल विशिष्ट स्थिति के ही कारण कोई संविदा अर्वाञ्छित प्रभाव द्वारा प्रभावित या परिस्थाप्य नहीं समझी जायगी।

(३) छलकपट — यह संविदा अधिनियम की धारा १७ में वर्णित है। उसके अनुसार संविदा के किसी पक्ष द्वारा या उसकी साजिश से या उसके अभिकर्ता (agent) द्वारा दूसरे पक्ष या उसके अभिकर्ता को धोखा देने या छलने या संविदा में संमिलित होने के लिये प्रेरित करने के हेतु निम्नांकित कार्य छलकपट कहलाएंगे—

क — किसी असत्य बात को, जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो, तथ्य बतलाना, ख — ऐसे तथ्य को छिपाना जिसका उसे ज्ञान या विश्वास न हो; ग — ऐसा वचन देना जिसे पूरा करने की इच्छा न हो; घ — ऐसा कार्य करना या उससे विरत होना जिसे कानून विशेष रूप से छलकपट घोषित करता हो; ङ — धोखा देने लायक असत्य कार्य करना।

५ भ्रांति — करार के संबंध में विचार करते हुए यह कहा गया है कि उभय पक्ष के बीच मानसिक मतभेद का होना आवश्यक है। भ्रांति इसी से संबंधित दोष है। इसमें एक पक्ष एक वस्तु या बात और दूसरा पक्ष दूसरी वस्तु या बात समझता है। फलस्वरूप ऊपरी ढंग से देखने में तो संविदा का निर्माण प्रतीत होता है परंतु भ्रांति के कारण वस्तुतः कोई संविदा होगी नहीं है। ये भ्रांतियाँ कई प्रकार की होती हैं। विषयसामग्री के संबंध में भ्रांति का उदाहरण पूर्वप्रसंग में शेवरेलेट और फोर्ड मोटर कारों के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार संविदा के पक्ष की पहचान में भी भ्रांति संभव है। 'क' ने जिसे 'ख' समझकर संविदा की यदि वह वस्तुतः 'ख' नहीं वरत् 'ग' वा तो वह पक्ष की पहचान की भ्रांति है। संविदा की प्रकृति या अर्थ संबंधी भी भ्रांति हो सकती है। अगर किसी वाद का एक पक्ष वाद में अवसर लेने का आवेदन-

पत्र बताकर किसी संविदा पर दूसरे पक्ष का हस्ताक्षर करा जाता है तो दूसरे पक्ष को संविदा के रूप या प्रकृति के विषय में भ्रांति होती है। ऐसी दशा में हस्ताक्षर बनानेवाले का मस्तिष्क उसके हस्ताक्षर के साथ नहीं है।

(३) प्रतिफल एवं उद्देश्य वैध होना चाहिए — प्रसंविदा के लिये प्रतिफल एक आवश्यक तत्व है। बिना प्रतिफल के कोई प्रसंविदा नहीं हो सकती; और यदि वह हो भी तो निःसत्व या अवैध होती है। प्रतिफल भी वैध होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप 'अ', 'ब' को 'स' की हत्या के लिये ५००० रु० देता है और 'ब' हत्या के लिये वचन देता है। यहाँ यह संविदा निःसत्व है क्योंकि इसका प्रतिफल हत्या कानून द्वारा वंजित है। इस प्रकार निम्नलिखित प्रकार के प्रतिफल अवैध होते हैं —

१ — ऐसे प्रतिफल जो कानून द्वारा वंजित हैं। यदि कोई प्रतिफल स्पष्टतया या साकेतिक रूप से कानून द्वारा वंजित हो तो उसके आधार पर निर्मित प्रसंविदा निःसत्व होती है। यह उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा।

२ — यदि कोई ऐसा प्रतिफल हो जिससे किसी अधिनियम की कोई व्यवस्था भंग होती हो या निष्फल होती हो तो वह प्रतिफल अवैध माना जाएगा।

३ — जो प्रतिफल कपटपूर्ण होते हैं, वे अवैध समझे जाते हैं।

४ — वह प्रतिफल जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुँचती हो अवैध होता है। उदाहरण के लिये अ एक समाचारपत्र के संपादक को पाँच सौ रुपये देने का वचन देता है यदि संपादक ब के संबंध में अपमानजनक विवरण छापे। यहाँ प्रतिफल अवैध है क्योंकि इससे ब की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचता है।

५ — ऐसे प्रतिफल जो अनैतिक होते हैं, अवैध हैं।

६ — लोकनीति के विरुद्ध प्रतिफल अवैध होते हैं, जैसे शत्रु के साथ व्यापार करना। लोकसेवा को हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति रखनेवाली संविदा, दंडनीय अपराधों से संबंधित मुकदमों का गला घोटनेवाली संविदा निःसत्व होती है। वैधानिक कार्रवाई का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति रखनेवाली संविदा, ऐसी संविदा जो नैतिकता के विरुद्ध हो, या व्यापारनिरोधक संविदा या किसी व्यक्तिक व्यक्ति को शब्दी करने से रोकने के लिये संविदा, इत्यादि भी लोकनीति के विरुद्ध एवं निःसत्व होती हैं।

उद्देश्य एवं प्रतिफल में से एक का भी अवैध होना संविदा को निःसत्व कर देता है। यदि संविदा का उद्देश्य अंशतः अवैध हो तब भी संविदा निःसत्व हो जाती है, यदि उसके अवैध अंश को वैध अंश से पृथक् न किया जा सके। यदि प्रतिफल या उद्देश्य का अवैध अंश वैध अंश से अलग किया जा सके तो वैध अंश प्रवर्तनीय होगा और अवैध अंश निःसत्व होगा। जैसे 'ब' ने 'अ' को एक प्रतिज्ञापत्र द्वारा २००० रुपये देने का वचन दिया जिनमें से १५०० रुपये पुराना ऋण था और ५०० रुपये जुए में हारी रकम थी। इसमें वैध भाग को अवैध भाग से पृथक् किया जा सकता है; अतएव यह प्रतिज्ञापत्र १५०० रुपये के लिये मान्य होगा किंतु ५०० के लिये निःसत्व होगा।

४. निःसत्त्व घोषित न होना — भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत निःसत्त्व घोषित करार कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकते, यद्यपि उसमें संविदा के अन्य तत्त्व पूर्णतः विद्यमान भी हों। इस कोटि में निम्नांकित करार आते हैं —

१ — श्रुति या आति द्वारा प्रभावित करार; २ — अवयस्क के साथ किया गया करार; ३ — प्रतिफलविहीन करार; ४ — वयस्क का विवाह रोकनेवाला संविदा करार; ५ — व्यापारनिरोधक करार; ६ — वैध कार्रवाई को रोकनेवाला करार; ७ — अनिश्चित करार; ८ — असंभव कार्यों को करने के लिये किया गया करार; ९ — पण विषयक (wager) करार; १० — असंभव घटनाओं के घटित होने पर संभावित करार; ११ — अवैध प्रतिफल या उद्देश्यवाले करार।

५. करार का लिखित, पंजीकृत एवं साक्षियों के समक्ष होना। सभी करार और संविदाओं के लिये लिखित, पंजीकृत और गवाहों की गवाही से युक्त होना आवश्यक नहीं है परंतु ऐसी संविदा अन्य सब गुणों के रहते हुए भी इन औपचारिकताओं के अभाव के कारण मान्य नहीं होती।

उपर्युक्त वर्णन से संविदा — निर्माण के आवश्यक तत्वों का सार निम्नलिखित प्रतीत होता है —

१. कम से कम दो पक्षों का होना;
२. प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति;
३. उभय पक्षों की मानसिक एकात्मकता;
४. उभय पक्ष के बीच वैध संविदा निर्माण का मंतव्य;
५. उभय पक्षों की अर्हता;
६. उनकी स्वतंत्र सहमति;
७. वैध प्रतिफल;
८. वैध उद्देश्य;

६. करार का भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा निःसत्त्व न घोषित होना;

१०. आवश्यकतानुसार उसका लिखित, पंजीकृत एवं साक्षीयुक्त होना।

[ दु० द० सि० ]

**संविधान (Constitution)** शब्द का प्रयोग साधारणतया संकुचित एवं विस्तृत दो रूपों में होता है। विस्तृत रूप में इसका प्रयोग किसी राज्य के शासनप्रबंध संबंधी सब नियमों के लिये होता है। इन नियमों में से कुछ नियम न्यायालयों द्वारा मान्य तथा लागू किए जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतया वैधानिक नहीं होते। इन विधि से परे अर्धवैधानिक नियमों की उत्पत्ति रूढ़ि, परंपरागत प्रथाओं, प्रचलित व्यवहार एवं विधि व्याख्या से होती है। अपने अशुद्ध रूप के कारण यह नियम न्यायालयों में मान्यता नहीं पाते, किंतु फिर भी शासनप्रबंध की व्यावहारिकता में इनका प्रभाव शुद्ध मान्य नियमों से तनिक भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। संसार के अधिकतर देशों में शासनप्रबंध के इन पूर्ण शुद्ध तथा अर्धशुद्ध नियमों का मिश्रण ही संविधान होता है। इंग्लैंड का विधान इस कथन का साक्षी है। अन्य देशों में संविधान

का अर्थ तनिक अधिक संकुचित रूप में होता है, तथा केवल उन विशेष नियमों के संबंध में होता है जो शासनप्रबंध के हेतु आधिकारिक लेखपत्रों में प्रामाण्य कर लिए जाते हैं। फलतः संविधान एक प्रकार से किसी देश का वह एक या अधिक लेखपत्र होता है जिसमें उस देश के शासनप्रबंध में अनुशासन के मूल नियम संकलित हों। इस अर्थ के साक्षी संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा भारत के संविधान हैं।

'संविधान' शब्द का अर्थ कोई भी माना जाय किंतु मूल वस्तु यह है कि किसी देश के संविधान का पूर्ण अध्ययन केवल कुछ लिखित नियमों के अवलोकन से संभव नहीं। कारण, यह तो शासन-प्रबंध संबंधी अनुशासन का एक अंश मात्र होते हैं। संपूर्ण संवैधानिक परिचय शासनप्रबंधीय सब अंगों के अध्ययन से ही संभावित हो सकता है। उदाहरणार्थ, बहुधा संविधान संविदा में केवल शासन के मुख्यगणों — कार्यपालिका, विधायिनी सभा, न्यायपालिका — का ही उल्लेख होता है। किंतु इन संस्थाओं की रचना, पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति इत्यादि की व्याख्या साधारण विधि द्वारा ही निश्चित होती है। इसी प्रकार कई देशों में निर्वाचन नियम, निर्वाचन क्षेत्र एवं प्रति क्षेत्र के सदस्यों की संख्या, शासकीय विभागों की रचना तथा न्यायपालिका का संगठन, इन सब महत्वपूर्ण कार्यों को संविधान में कहीं व्याख्या नहीं होती; यदि होती भी है तो बहुत साधारण रूप में, मुख्यतः इनका वर्णन तथा भिन्न-भिन्न साधारण विधि द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विधिरचना विधान-मंडल के क्षेत्र में ही सीमित नहीं होती, न्यायपालिका द्वारा मूल विधि की व्याख्या द्वारा जो नियम प्रस्तुत होते हैं उनसे संविधान में निर्य संशोधनारमक नवीनता आती रहती है। फिर, राज्यप्रबंध संबंधी रूढ़ि एवं व्यवहार भी कम प्रभावात्मक और महत्वपूर्ण नहीं होते। अतएव इन सब अंशों का अध्ययन ही सर्वांग वैधानिक परिचय पूर्ण कर सकता है। किंतु 'संवैधानिक शास्त्र' शब्द की परिधि में केवल शुद्ध वैधानिक नियम ही आते हैं, अन्य सब संवैधानिक व्यवहाररूप माने जाते हैं।

संविधान के दो प्रकार हैं — लिखित एवं अलिखित। लिखित संविधान अधिकतर एक लेख्य (भारतीय संविधान) या कुछ संकलित लेख्य (स्वीडिश संविधान) होते हैं। किंतु जिस रूप में संविधान क्रियाम्वित होता है उसकी व्याख्या न कहीं पूर्णतया लिखित होती है, न पूर्णतया अलिखित। इंग्लैंड का संविधान अलिखित माना जाता है किंतु वहाँ भी १७०१ ई० में ऐक्ट ऑफ सेटलमेंट, कई रेजिमेंटेशन ऑफ पीपुलर ऐक्ट, १६११ एवं १६४६ के पार्लियामेंट ऐक्ट जिनके द्वारा लार्ड सभा के अधिकार सीमित हुए, १६७९, १६९६ एवं १६६२ के हेबियस कार्पस ऐक्ट तथा १६४७ ई० में क्राउन प्रोसीडिंज ऐक्ट निर्मित हुए। इन लिखित नियमों का महत्व इंग्लैंड के संविधान में, अलिखित रूढ़ि, परंपरा तथा व्यवहार से तनिक भी कम नहीं है। इसके विपरीत भारत के विस्तृत रूप से लिखित संविधान में भी (जिसका विस्तार ३६५ धाराओं तथा ६ सूचियों में है) कुछ अलिखित नियम पूरक रूप में मिलते हैं, जैसे, विधानसभाओं एवं सदस्यों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल का अधिकार से संबंध, संवैधानिक संकटावस्था एवं राज्यपाल

की स्थिति, इन समस्त विषयों के संबंध में संविधान के प्रतिरिक्त अलिखित नियम ही लागू होते हैं।

संविधान संबंधी अन्य भेद हैं नमनशील एवं परिच्छद, बहुधा इन्हें क्रमशः अलिखित एवं लिखित के पर्यायवाची रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। लार्ड ब्राइस ने लिखित के स्थान पर परिच्छद तथा अलिखित के स्थान पर नमनशील शब्दों का प्रयोग सहज भाव से किया है। किंतु इस प्रकार का मिश्रित प्रयोग उचित नहीं। वस्तुतः संविधान लिखित किंतु नमनशील हो सकता है और अलिखित किंतु परिच्छद रूप का हो सकता है। सिद्धांततः इंग्लैंड की संसद् निमेष मात्र में इंग्लैंड के संविधान में मनी-नीत परिवर्तन कर सकती है तथा वहाँ का प्रधान मंत्री मंत्रिमंडल को आमंत्रित न कर मंत्रिमंडलीय शासनपद्धति की इतिश्री कर सकता है, किंतु ऐसे आकस्मिक परिवर्तन कभी व्यवहार में क्रियात्मक नहीं होते। यदि इंग्लैंड के इतिहास की ओर दृष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि परिवर्तन सदा क्रमिक विकास के रूप में हुए हैं; आकस्मिकता की वहाँ कोई संभावना नहीं।

मनप्रदान — स्वतंत्रता सुधार, लार्ड सभा की सत्ता के हनन संबंधी नियम, तथा युद्धोपरात अधिराज्य स्वशासन अधिकार ( डोमिनियन अधिकार ) इन सबके होते हुए भी एक शताब्दी के अर्धतर में इंग्लैंड के संविधान में बहुत क्रमिक और कम परिवर्तन हुए हैं। फलतः इंग्लैंड का संविधान अलिखित होकर भी नमनशील नहीं, परिच्छद रूप का है। इसके विपरीत भारतीय संविधान परिच्छद कहा जाता है, कारण कि इसकी संशोधनक्रिया बड़ी जटिल है, जहाँ किसी किसी विषय में संशोधन के लिये केवल केंद्रीय संसद् का बहुमत ही पर्याप्त नहीं वरन् समस्त राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत प्राप्त करना भी अनिवार्य है। ऐसी जटिल व्यवस्था के उपरांत भी पिछले अनेक वर्षों में भारतीय संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि संविधान परिवर्तन एवं संशोधन का संबंध केवल संशोधनक्रिया की लिखित व्यवस्था से नहीं वरन् देश की प्रमुख प्रभारतमक राजनीतिक दलबद्धियों के संतोष या असंतोष से होना है। यदि वे वैधानिक रूपरेखा और उसके द्वारा राजनीतिक सत्ता के वितरण से सन्तुष्ट होती हैं तो परिवर्तन नहीं होते, अन्यथा संशोधन, आवर्तन, परिवर्तन अवश्यंभावी हैं। संवैधानिक संशोधनों का कारण कांग्रेसी सरकारों की जिनके नियंत्रण में केंद्रीय तथा लगभग समस्त राज्यों के शासन की बागडोर थी।

अतएव किसी संविधान का रूप नमनशील है अथवा परिच्छद, यह केवल उस देश का संवैधानिक इतिहास ही स्पष्ट कर सकता है। यदि वहाँ परिवर्तन सहज रूप से होते रहे हैं तो उस देश का संविधान नमनशील है, अन्यथा परिच्छद।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उदाहरण के उपरांत अधिकतर देशों में लिखित संविधान की प्रथा प्रचलित हो गई है। लिखित संविधान कहीं विधायिका द्वारा निमित्त होते हैं जैसे 'अमरीकन आर्टिकल्स ऑव कॉन्फेडरेशन' ने १७८१ में अमरीका में तथा 'ओस्ट्रिया हंगेरियन संघ' ने १८६७ में आस्ट्रिया में किया। इच्छा न होते हुए भी कई सम्राटों

एवं राजाओं ने भी उन्नीसवीं शताब्दी में अपने देशों में संविधान की रचना की। फ्रांस में १८१४ तथा १८३० ई० में तथा १८४८ ई० में सारडीनिया में इसी प्रकार वहाँ के सम्राट्-रिक्त संविधान घोषित हुए। अन्य संविधान अधिकतर देश की विधानसभाओं द्वारा ही बने, जैसे १७८७ ई० में अमरीका तथा १९१० ई० में भारत में संविधान की रचना हुई।

अधिकांशतया उन समस्त देशों में जहाँ लिखित संविधान उपस्थित है, संविधान को देश की अन्य विधियों से अधिक मान्यता दी जाती है। इसका कारण यह है कि संविधान की उत्पत्ति ही इस भावना से हुई है कि शासनप्रबंध में निरकुशता को अनुशासित तथा सीमित रखा जा सके। शासनप्रबंध संविधान के बंधनों से कितना नियंत्रित होगा, अथवा संविधान कितना उच्च माना जाएगा, यह संविधाननिर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह किस विषय में संविधान की कितनी मान्यता एवं सुरक्षा के इच्छुक थे।

भारतीय संविधान की रचना के समय निर्माताओं के संमुख कई मूल प्रश्न थे, जैसे नागरिकों के मूल स्वाधिकारों की सुरक्षा, केंद्र एवं राज्यों के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या जिससे दोनों अपनी विधायित सीमाओं के अंतर्गत ही विधिव्यवहार सीमित रखें, संविधान का रूप परिच्छद रखना, तथा राज्यों में पारस्परिक वाणिज्य व्यवसाय, स्वातंत्र्य की रक्षा इत्यादि। देश में कार्यपालिका या विधायिका के समस्त कार्यों की शुद्धता तथा औचित्य इसी पर निर्भर करता है कि वह देश के संवैधानिक उद्देश्य बंधनों के अनुकूल है अथवा नहीं, यदि कोई कार्य इन मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है तो वह शक्ति-बाह्य कहा जाता है। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में जहाँ विधि-प्रयुक्ति एवं व्याख्या होती है, अधिकांशतः वही यह भी निश्चित होता है कि प्रमुक्त विधिनियम शक्तिबाह्य ( अन्ट्रा वायर्स ) है अथवा नहीं।

अमरीकी संविधान के एक प्रमुख रचयिता हैमिल्टन के अनुसार संविधान वास्तव में मूल विधि है तथा न्यायाधीशों को सदा इस तथ्य को स्वीकार कर मान्यता देनी चाहिए। जब विधान-मंडलों द्वारा निमित्त साधारण विधिनियमों तथा संविधान में विरोध उपस्थित हो तो संविधान को उच्च एवं प्राथमिक मानकर अधिक मान्यता देनी चाहिए। कारण यह है कि संविधान स्वयं देश की जनता के आंतरिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है जब कि अन्य विधि उस जनता की प्रतिनिधि सभाओं की भावनाओं की प्रतीक होती है। स्वभावतः संविधान मूल एवं श्रेष्ठ है। अमरीका के प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने १८०३ में 'मार्बरो बनाम मैडिसन' का निर्णय इसी नियम के अनुसार किया था।

जहाँ अलिखित संविधान होता है वहाँ शासनप्रबंध पर संवैधानिक नियम की आवश्यकता अवश्य नहीं होती किंतु जनमत के भय से तथा निर्वाचन-क्रिया, परंपराओं एवं कठिनों द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण एवं अनुशासन सहज रूप से होता रहता है।

सं० सं० — के० सी० वीह्वर : माडर्न कॉस्टीट्यूशन्स; इंसा-इन्सोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज; जेनिंग्स : दि ला ऑफ दि

कांस्टीट्यूशन; मैथसुज : अमरीकन कांस्टीट्यूशनल सिस्टम; वैड एंड फिलिप्स : कांस्टीट्यूशनल ला । [ सु० कु० अ० ]

**संविभ्रम (Paranoia)** एक गंभीर भावात्मक विकार है और तर्कसंगत, सुसंबद्ध, जटिल तथा प्रायः उत्पीड़क विभ्रमों या मिथ्या विश्वासों का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सिलसिला इसका धातुरिक लक्षण है। संविभ्रमी व्यक्ति को अपनी योग्यता, प्रभुता, पद की बरिष्ठता, या निरंतर यातना का भ्रम होता है। यह उन्माद का ही एक रूप है, परंतु इसमें अन्य सभी मानसिक क्रियाएँ बहुधा स्वाभाविक अवस्था में रहती हैं।

कमरे में किसी नए व्यक्ति के प्रविष्ट होते ही उपस्थित मित्रमंडली के एकाएक बातचीत बंद कर देने पर, उस व्यक्ति का यह समझना कि अभी उसी की खर्चा हो रही थी, एक सामान्य प्रतिक्रिया है। किसी जनसंकुल होटल में घुसने पर सभी अपनी ओर देख रहे हैं यह समझना भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, किंतु संविभ्रमी प्रतिक्रिया में ये भाव स्थायी और व्यापक हो जाते हैं।

गुद्व संविभ्रम दुर्लभ है, कुछ तो इसके अस्तित्व में ही सदेह करते हैं। यह मदिरा या कोकेन के चिरकालिक व्यसनियों में नशे की अवस्था में, अंतराबंध (Schizophrenia) जैसे उन्माद से सहचरित स्थिति में, या उत्तेजना संविषाद (manic depressive psychosis) में स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में पाया जाता है।

बुढ़ापे के जटिल विषाद रोग में रोगी के मन में हीनता और अपराध के भावों को जन्म देनेवाले, आत्मपरक उत्पीड़क विचार आते हैं। इसमें रोगी अपने पिछले पापों और अपराधों को बहुत विशद रूप से देखता और अपने को अपराधी करार देता है। वह अत्यंत सतर्क हो जाता है और सोचता है कि सभी उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। वह दूर के शोर को अपनी उत्पीड़ित संतान का, जो उसके कुकृत्यों का फल भोग रहे हैं, क्रंदन समझता है, और वह अपने अक्षम्य अपराधों के कारण प्रलय का होना अवश्यभावी समझता है। उन्मत्त भव्य कल्पना भी करता है; उदाहरणार्थ, वह समझता है कि उसके हितेच्छु अपनी समूची शक्ति से उसे उच्च पद पर पहुँचाने की चेष्टा कर रहे हैं।

संविभ्रमी व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, प्रति संवेदनशीलता और आत्मविश्वास की कमी होती है। बधिरता जैसी असुविधाजनक शारीरिक त्रुटि संविभ्रमी लक्षणों के विकास में उत्तेजक होती है। किसी ऐसी घादत या परिस्थिति से जिसके साथ लज्जा का भाव सहचरित होता है और जिसे रोगी छिपाना चाहता है, जैसे हस्तमैथुन, विकृत कामाचरण, प्रेमव्यापार, अर्बण जन्म, गुप्त सुरापान, से प्रायः संविभ्रम का सिलसिला प्रारंभ होता है। रहस्य के यथार्थ या कल्पित उद्घाटन से संविभ्रम के लक्षण तेजी से प्रकट होने लगते हैं और रोगी समझता है कि उसका अपराध सबको ज्ञात हो गया है, चारों ओर उससे संबंधित कानाफूसी हो रही है, मित्र और सगे संबंधी उसे सदेह की दृष्टि से देखते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं और उसके प्रति बर्दशं करते हैं। वह अत्यंत उद्विग्न हो जाता है और दुस्सह ग्लानि, आत्मघाती प्रयत्न, विकृत चेतना या निर्मूल भ्रम की गौण भावात्मक स्थितियाँ उसके मन में उत्पन्न हो जाती हैं।

बीमारी, आत्मगौरव पर चोट, पदोन्नति का न होना जबकि धीरों की पदोन्नति हो रही हो, मुकदमे में हार, कारावास में एकातवास जैसी घटनाओं से संविभ्रम के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अपने विचारों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता; उदाहरण के लिये, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामला ले जानवाले और अपने कानूमी परामर्शदाता तक पर बिगड़ उठनेवाला, संविभ्रमी मुकदमेबाज इस भ्रम में हो सकता है कि वह केवल स्वार्थ के लिये नहीं, बल्कि एक बृहत्तर सिद्धांत के लिये संघर्ष कर रहा है।

संविभ्रम के गंभीर रोगियों को छोड़कर साधारण रोगियों में सुतगत विचार और तर्कशक्ति बनी रहती है, यहाँ तक कि चिकित्सक के लिये भी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति वास्तव में संविभ्रमी है या नहीं।

समाज में कुछ चिरकालिक मद संविभ्रमी व्यक्ति सामान्य जीवन-यापन करते हैं और अनावश्यक रूप से सतर्क होने के कारण अपने परिवार और घनिष्ठ मित्रों को ही खटवते हैं। इसका उपचार कठिन और श्रमसाध्य है और गंभीर संविभ्रम के उपचार में मस्तिष्क की शल्यचिकित्सा करनी पड़ती है, जिसका परिणाम बहुत ही अनिश्चित सा होता है। [ नि० न० गु० ]

**संवृतबीजी, या आवृतबीजी (Angiospermi)** बीज पैदा करनेवाले पौधों दो प्रकार के होते हैं - नग्न या विवृतबीजी तथा बंद या आवृतबीजी। आवृतबीजी एक बहुत ही वृत् और सर्वव्यापी उपवर्ग है। इस उपवर्ग के पौधों के सभी सदस्यों में पुष्प लगते हैं, जिनसे बीज फल के अंदर ढकी हुई अवस्था में बनते हैं। ये वनस्पति जगत् के सबसे विकसित पौधे हैं। मनुष्यों के लिये यह उपवर्ग अत्यंत उपयोगी है। बीज के अंदर एक या दो दल होते हैं। इस आकार पर इन्हें एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री वर्गों में विभाजित करते हैं।

संवृतबीजी के सदस्यों की बनावट कई प्रकार की होती है, परंतु प्रत्येक में जड़, तना, पत्ती या पत्तों के अन्य रूपांतरित अंग, पुष्प, फल और बीज होते हैं। आवृतबीजी पौधों के अंगों की रचना तथा प्रकार निम्नलिखित हैं :

जड़ — पृथ्वी के नीचे का भाग अधिवासित जड़ होता है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलाकुर (radicle) से निकलता है, उसे ही जड़ कहते हैं। बहुत से पौधों में जड़ें अन्य भागों से भी निकलती हैं। पौधों में प्रथम निकली जड़ जल्दी ही मर जाती है और तने के निचले भाग से रेशेदार जड़ें निकल आती हैं। द्विबीजपत्री में प्रथम जड़, या प्राथमिक जड़, सदा ही रहती है। यह बढ़ती चलती है और द्वितीय, तृतीय श्रेणी की जड़ भी आसपास इसमें से निकलती हैं। ऐसी जड़ को मूलला जड़ कहते हैं (देखें 'मूल')। जड़ों में मूलगोप (root cap) तथा मूल रोम (root hair) होते हैं, जिन के द्वारा पौधे मिट्टी से लवणों का अवशोषण कर बढ़ते हैं। साथ एवं पानी प्राप्त करने के प्रतिरिप्त जड़ पौधों को मिट्टी में पकड़कर भी रखती है। कुछ पौधों में अल्पस्थानिक जड़ें (adventitious roots) भी होती हैं। कुछ पौधों में जड़ें बाहर भी निकल आती हैं। जड़ के मध्य भाग में पतली कोशिका

से बनी मज्जा रहती है, किनारे में दाह ( xylem ) तथा फ्लोएम ( phloem ) और बाह्यआदिदाहक ( exarch ) होते हैं। दाह के बाहर की ओर आदिदाह ( protoxylem ) और अंदर की ओर अनुदाह ( metaxylem ) होते हैं। इनकी रचना तने से प्रतिकूल होती है, संवहन ऊतक के चारों तरफ परिचक्र ( pericycle ) और बाहर अंतःत्वचा ( endodermis ) रहते हैं। बल्कुट ( cortex ) तथा मूलीय त्वचा ( epiblema ) बाहर की तरफ रहते हैं।

तना या स्तंभ — यह पुष्पी के ऊपर के भाग का मूल भाग है, जिसमें अनेकानेक शाखाएँ, टहनियाँ, पत्तियाँ और पुष्प निकलते हैं। बीज के जमने पर प्रांकुर ( plumule ) से निकले भाग को तना कहते हैं। यह धरती से ऊपर की ओर बढ़ता है। इससे निकलनेवाली शाखाएँ बहिर्जात ( exogenous ) होती हैं, अर्थात् जड़ों की शाखाओं की तरह अंतःत्वचा से नहीं निकलतीं वरन् बाहरी ऊतक से निकलती हैं। तने पर पत्ती, पर्णकलिका तथा पुष्पकलिका लगी होती है।

संवृतबीजों में तने कई प्रकार के पाए जाते हैं। इन्हें साधारणतया मजबूत ( strong ) तथा दुर्बल तनों में विभाजित किया जाता है। मजबूत तने काफी ऊँचे बढ़ते जाते हैं, जैसे ताड़ का कोडेक्स तना, या गाँठदार बाँस का कल्म ( culm ) तथा हरयादि। दुर्बल तने भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रेलिंग या अनुगामी ( trailing ), क्रोपिंग इत्यादि। शाखा के तने से निकलने की रीति को 'शाखा विन्यास' कहते हैं। अगर एक स्थान से मुख्य शाखा दो भागों में विभाजित हो जाय, तो इसे द्विभाजी ( dichotomous ) विन्यास कहते हैं अन्यथा अगर मुख्य तने के किनारे से टहनियाँ निकलती रहे, तो इन्हें पार्श्व ( lateral ) विन्यास कहते हैं। द्विभाजी विभाजन के भी कई रूप होते हैं, जैसे यथाथं ( true ) द्विविभाजन, या कुंडली ( helicoid ), या वृषिकी ( scorpioid )। पार्श्व शाखाएँ या तो अनिश्चित रूप से बढ़ती चलती है, जिसे असीमाक्षी ( Racemose ) शाखा विन्यास कहते हैं, या वह जिससे शाखाओं की वृद्धि रुक जाती है और जिसे असीमाक्षी ( Cymose ) विन्यास कहते हैं।

तने का कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा लवणों को ऊपर की ओर पहुँचाना है, जो पत्ती में पहुँचकर सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण के काम में आते हैं। बने हुए भोजन को तने द्वारा ही पौधे के हर एक भाग तक पहुँचाया जाता है। इसके अतिरिक्त तने पौधों को खंभे के रूप में सीधा खड़ा रखते हैं। ये पत्तियों को जन्म देकर भोजन बनाने तथा पुष्प को जन्म देकर जनन कार्य संपन्न करने में सहायक होते हैं। बहुत से तने भोजन का संग्रह भी करते हैं। कुछ तने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कुछ तने पतले होने के कारण स्वयं सीधे नहीं उग पाते और अन्य किसी मजबूत आधार या अन्य वृक्ष से लिपटकर ऊपर बढ़ते चलते हैं। कुछ में तने काटों में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत से पौधों में तने मिट्टी के नीचे उगते हैं और कई तने उपविशेष धारण कर अलग अलग कार्य करते हैं,

जैसे अवरक का परिवर्तित तना, जो खाया जाता है। इसे प्रकंद ( Rhizome ) कहते हैं। आलू भी ऐसा ही तना है जिसे कंद ( Tuber ) कहते हैं। इन तनों पर भी कलिका रहती है, जो पादप प्रसारण के कार्य आती है। प्याज का खानेवाला भाग भी मिट्टी के नीचे रहनेवाला तना ही है, जिसे शल्क कंद ( Bulb ) कहते हैं। इसमें शल्कपत्र तथा अग्रस्थ कलिका दबी पड़ी रहती है। सहसुन, केना, बनप्याजी तथा अन्य कई एक एकबीजपत्री संवृतबीजी में ऐसे तने मिलते हैं। सूरन तथा बड़े का भी खानेवाला भाग भूमिगत रहता है और यह भी शाखा का ही रूप है, जिसे घन कंद ( Corm ) कहते हैं। तने का ऐसा भी रूपांतर कई पौधों में पाया जाता है, जिसका कुछ भाग भूमि के नीचे और कुछ भाग भूमि के ऊपर रहते हुए विशेष कार्य करता है, जैसे दूब घास में तने उर्षार भूस्तारी ( runner ) के रूप में पृथ्वी पर पड़े रहते हैं और उनकी पर्वसंधि ( node ) से जड़ मिट्टी में घुस जाती है। इसी से मिलते जुलते भूस्तारी ( stolon ) प्रकार के तने होते हैं, जैसे मूषकलता, या चमेली इत्यादि। भूस्तारी ( offset ) तने जलकुंभी में, तथा अंतःभूस्तारी ( sucker ) तने पुदीना में होते हैं।

कुछ हवाई तने या स्तंभ भी कई विशेष रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे नागफनी में चपटे, रस्कस ( Ruscus ) में पत्ती के रूप में तथा कुछ पौधों में अन्य रूप धारण करते हैं।

आंतरिक रचना में भी स्तंभ के आकार काफी हद तक एक प्रकार के होते हैं, जिसमें एकबीजपत्री तथा द्विबीजपत्री केवल आंतरिक रचना द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। स्तंभ में भी बहिःत्वचा ( epidermis ), बल्कुट ( cortex ) तथा संवहन ( vascular ) सिलिंडर होते हैं। एकबीजपत्री में संवहन पुल ( bundle ) बंद अर्थात् गोल वृद्धि न करनेवाले एषा ( cambium ) से रहित होता है तथा द्विबीजपत्री में गोल वृद्धि होती है, जो एक प्रकार की सामान्य रीति द्वारा ही होती है। कुछ पौधों में परिस्थिति के कारण, या अन्य कारणों से विशेष प्रकार से भी, गोल वृद्धि होती है।

संवृतबीजी के पौधों में पत्तियाँ भी अन्य पौधों की तरह विशेष कार्य के लिये होती हैं। इनका प्रमुख कार्य भोजन बनाना है। इनके भाग इस प्रकार हैं: टहनी से निकलकर पर्णवृंत ( petiole ) होता है, जिसके निकलने के स्थान पर अनुपर्ण ( stipule ) भी हो सकते हैं। पत्तियों का मुख्य भाग चपटा, फैला हुआ पर्णफलक ( lamina ) है। इनमें किरा कई प्रकार से विन्यासित रहती है। पत्तियों के आकार कई प्रकार के मिलते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, या रंध्र ( stomata ), होते हैं। अनुपर्ण भी अलग अलग पौधों में कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुलाब, बनपालक, स्माइलेक्स, इकजोछ इत्यादि में। नाड़ीविन्यास आलू के रूप में जालिका रूपी ( reticulate ) तथा समांतर ( parallel ) प्रकार का होता है। पहला विन्यास मुख्यतः द्विबीजपत्री में और दूसरा विन्यास एकबीजपत्री में मिलता है। इन दोनों के कई रूप हो सकते हैं, जैसे जालिकारूप विन्यास आम, पीपल तथा नेनुआ की पत्ती में, और समांतररूप विन्यास

केला, ताड़, या केना की पत्ती में। शिराओं द्वारा पत्तियों का रूप आकार बना रहता है, जो इन्हें चपटी अवस्था में कैने रक्तने में मदद देता है और शिराओं द्वारा भोजन, जल आदि पत्ती के हर भाग में पहुँचते रहते हैं। पत्तियाँ दो प्रकार की, होती हैं। साधारण तथा संयुक्त, बहुत से संवृतबीजियों में पत्तियाँ विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे मटर में ऊपर की पत्तियाँ लतर की तरह प्रदान (tendrils) का रूप धारण करती हैं, या बारबेरी (barberry) में काँटे के रूप में, विगोनिया में अंकुश (hook) की तरह और नागफनी, घूरा, भरभंडा, भटकटइया में काँटे के रूप में बदल जाती हैं। घटपर्णी (nepenthes) में पत्तियाँ सुराही की तरह ही जाती हैं, जिसमें छोटे कीड़े फँसकर रह जाते हैं और जिन्हें यह पीछा हजम कर जाता है। पत्तियों के अंदर की बनावट इस प्रकार की होती है कि इनके अंदर पर्णहरित, प्रकाश की ऊर्जा को लेकर, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर, अकार्बनिक कार्बोहाइड्रेट को शक्तिशाली बनाता है तथा शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है।

संवृतबीजी के पुष्प नाना प्रकार के होते हैं और इन्हीं की बनावट तथा अन्य गुणों के कारण संवृतबीजी का वर्गीकरण किया गया है (देखें फूल या पुष्प)। परागण के द्वारा बीजों का निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात् भ्रूण बीरे बीरे विभाजित होकर बढ़ता चलता है। इसकी भी कई रीतियाँ हैं, जिनका भारतीय वनस्पति विज्ञानी महेश्वरी ने काफी विस्तार से अध्ययन किया है। भ्रूण बढ़ते बढ़ते एक या दो दलवाले बीज बनाता है, जिसके कई प्रकार और अंग होते हैं। भ्रूण तो बीज बनाता है, परंतु उसके चारों तरफ का भाग अर्थात् जटाशय, तथा स्त्रीकेसर (pistil) का पूरा भाग बढ़कर फल को बनाता है। बीजों को ये ढँके रहते हैं। इसी कारण इन बीजों को आवृतबीजी या संवृतबीजी कहते हैं। फल भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मनुष्य के उपयोग में कुछ आते हैं। सेब में पुष्पासन (thalamus) का भाग, अमरूद में पुष्पासन तथा फलावरण, बेल में बीजांडासन (placenta) का भाग, नारियल में भ्रूणपोष (endosperm) का भाग खाया जाता है।

संवृतबीजियों का वर्गीकरण कई वनस्पति-वर्गीकरण-वैज्ञानिकों (taxonomists) द्वारा समय समय पर हुआ है। ईसा से लगभग ३०० वर्ष पूर्व थियोफ्रस्टस ने कुछ लक्षणों के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था। भारत में बेंचम और हुकर तथा ऐंगलर प्रेंटिस ने वर्गीकरण किया है। सभी ने संवृतबीजियों को एकबीजपत्री और द्विबीजपत्रियों में विभाजित किया है। एकबीजपत्री को पेटालोइडी (petaloideae), स्पैडिसिफ्लोरी (spadiciflorae) तथा ग्लुमिफ्लोरी (glumiflorae) में विभाजित किया है। द्विबीजपत्री को तीन वर्गों, पॉलिपेटली (polypetalae), गैमोपेटली (gamopetalae) तथा मोनोक्लेमिडी (monchlamydeae) इत्यादि में विभाजित किया है।

पेटालोइडी के अंतर्गत ऐसा एकबीजी कुल रखा जाता है जिसके बीजों के पुष्प में दलचक्र हों, जैसे केना, कनेलाइना, प्याज इत्यादि।

स्पैडिसिफ्लोरी में स्पैडिक्स (spadix) प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जैसे केला में। ग्लुमिफ्लोरी में मुख्य कुल ग्रैमिनी (graminaeae) और साइप्रोसी है। ग्रैमिनी तो संसार का सर्वमान्य तथा उपयोगी कुल है। इसके सदस्य मुख्यतः मनुष्य तथा पालतू पशु, गाय, भैंस इत्यादि के आहार के रूप में काम आते हैं। जौ, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, दूब, डाइकैथियम (dichanthium), मूँज, पतली, खस इसी कुल के सदस्य हैं। एकबीजपत्री के अन्य उदाहरण, ताड़, खजूर, ईल, बाँस, प्याज, सहसुन इत्यादि हैं।

द्विबीजपत्री बीजों की तो कई हजार जातियाँ पाई जाती हैं। इनके अंतर्गत कई कुल हैं और प्रत्येक कुल में अनेक पेड़ पीधे हैं।

संवृतबीजी पीधे अनेक रूपों में मनुष्य के काम आते हैं। कुछ संवृतबीजी पीधे तो खानेवाले अनाज हैं, कुछ दलहन, कुछ फल और कुछ लक सजी। कुछ पीधे हमें चीनी प्रदान करते हैं तो कुछ से हमें पेय, कॉफी, चाय, फल नीबू प्राप्त होते हैं। कुछ से मदिरा बनाने के लिये अमूर, संतरा, महुआ, माल्ट आदि मिलते हैं। वस्त्र के लिये कपास, सूट, घोषधियों के लिये सर्पगधा, सिकोना, यूकेलिप्टस, भृंगराज, तुलसी, गुलबनफसा, धाँवला इत्यादि हैं। इमारती लकड़ी टीक, साल एव शीशम से, रंग नील, टेसू इत्यादि से और रबर हीबिया, आर्टोकार्पस इत्यादि वृक्षों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति जगत् का संवृतबीजी बड़ा व्यापक और उपयोगी उपवर्ग है। पृथ्वी के हर भाग में यह बहुतायत से उगता है। [ रा० १५० अ० ]

**संवेदनाहरण और संवेदनाहारी (Anaesthesia and Anaesthetics)** समस्त जीवधारियों के तंत्रिकातंत्र (nervous system) का कार्य बाह्य उत्तेजनाओं की अनुभूति कराना है। जिस प्राणी का तंत्रिकातंत्र जितना अधिक उन्नत एवं परिष्कृत होगा, जितना उसमें बाह्य उत्तेजनाओं की अनुभूति तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक स्पष्ट एवं तात्कालिक होगी। तंत्रिकातंत्र द्वारा बाह्य उत्तेजना, पीड़ा आदि अनुभव करने के गुण को ही सज्ञा या संवेदन कहते हैं तथा विशिष्ट घोषधि के प्रयोग से इस गुण को नष्ट कर देना ही संवेदनाहरण (Anesthesia) कहलाता है। जिस घोषधि के प्रयोग द्वारा संवेदनाहरण का कार्य होता है उसे संवेदनाहारी कहते हैं। आजकल शल्यचिकित्सा में इसका अत्यधिक उपयोग होता है।

संवेदनाहरण के प्रकार निम्नलिखित हैं :

१. स्थानिक संवेदनाहरण (Local Anaesthesia) - - इसमें स्थान विशेष की सज्ञावह तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देते हैं, जिनसे पीड़ा की अनुभूति न हो। छोटे छोटे शल्यकर्मों में इसी का उपयोग किया जाता है। कोकेन तथा उसके भिन्न भिन्न यौगिक प्रदान स्थानिक संवेदनाहारी होते हैं।

२. सर्वांगीय संवेदनाहरण (General Anaesthesia) - - किसी भी स्थल से जानेवाली पीड़ा संबंधी संवेदनाओं को निश्चित पीड़ा अनुभूति में बदलनेवाली मस्तिष्क की धूसर वस्तु (gray matter of the brain) ही है। यदि इसको निष्क्रिय कर दिया जाय, तो किसी भी स्थल से वेदना की फिर अनुभूति नहीं हो सकती। धूसर

वस्तु को निष्क्रिय करने को सर्वांगीय संवेदनाहरण कहते हैं। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर इत्यादि प्रधान सर्वांगीय संवेदनाहारी हैं। इनका बड़े बड़े शल्य कर्मों में उपयोग होता है।

३. अवरोधक संवेदनाहरण (Blocking Anaesthesia) — इसमें सुषुम्ना स्थल विशेष को निष्क्रिय बनाकर बाधा डाल दी जाती है, जिसे पीड़ा इत्यादि की अनुभूति भागे बढ़कर मस्तिष्क तक पहुँच ही नहीं सकती।

संवेदनाहारी पदार्थों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

१. इसको सुगमतापूर्वक सेवन कराया जा सके।
२. शीघ्र ही इसका प्रभाव व्यक्त होने लगे।
३. कार्य हो चुकने के पश्चात् इसका प्रयोग बंद करने पर शीघ्र ही प्रभाव दूर होने लगे।
४. प्रभाव दूर हो चुकने पर, इसका कोई भी बुरा प्रभाव शरीर पर न रह जाए।

५. इसके द्वारा पूर्ण संवेदनाहरण तथा पेशियों का शिथिलन (relaxation of muscles) उत्पन्न हो।

६. घातक मात्रा (lethal dose) एवं चिकित्सीय मात्रा (therapeutic dose) में पर्याप्त अंतर हो, जिससे घातक प्रभाव होने की संभावना कम से कम रहे। इसी को सुरक्षा सीमा (Margin of safety) कहते हैं।

संवेदनाहारी के प्रयोग के पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

१. रोगी की सुरक्षा एवं आराम — सर्वांग संवेदनाहरण के पश्चात् सदैव खतरे की संभावना रहती है।

२. रोगी की आयु तथा स्वास्थ्य।

३. शल्यकर्म की प्रकृति — जैसे फोडा चीरना, अस्थिभंग ठीक करना इत्यादि में स्थानिक संवेदनाहरण ही उपयुक्त है।

४. संवेदनाहरण के प्रयोग के पूर्व रोगी की परीक्षा — इसमें रोगी के हृदय, फुफ्फुस, यकृत तथा अन्य प्रधान अंगों की दशा जाँच लेनी चाहिए।

५. संवेदनाहरण के पूर्व की तैयारी — यदि केवल सर्वांगीय संवेदनाहरण देना हो, तो भोजन इत्यादि पर नियंत्रण करके पूर्व तैयारी की जाती है। अन्य किसी भी प्रकार के संवेदनाहरण में इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती।

भिन्न भिन्न संवेदनाहारी पदार्थ निम्नलिखित हैं :

१. क्लोरोफॉर्म (Chloroform) — सर्वांगीय संवेदनाहरण के लिये इसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से होता चला आ रहा है। यह मोठी मोठी गंधवाला, वाष्पशील, रंगरहित द्रव है, जिसको विशेष उपकरण द्वारा रोगी को सुँघाकर बेहोश किया जाता है। सुँघाने पर यह द्रव श्वासमार्ग से रुधिर में चला जाता है और रुधिर से मस्तिष्क में पहुँचकर एव वहाँ संचित होकर, भ्रमना प्रभाव दिखाता है। निम्नलिखित चार अवस्थाओं में इसका प्रयोग होता है :

(क) विमंघटित चेतना की अवस्था (disorganised consciousness) में।

(ख) उत्तेजना एवं प्रलापावस्था (excitement and delerium) में।

(ग) शल्यकर्म के लिये संवेदनाहरण (surgical anaesthesia) में।

(घ) मेरुशोर्षा पक्षाघात (bulbar paralysis) में

(२) नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous oxide) या हाप गैस (Laughing gas) — इसको सुँघने से ही शीघ्र बेहोशी पाती है।

(३) ईथर (Ether) — इसका स्प्रे द्वारा स्थानिक संवेदनाहरण भ्रोषधि के रूप में उपयोग होता है।

(४) प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड (Procain hydrochloride) — इसका भी स्थानिक संवेदनाहरण के रूप में प्रयोग होता है।

(५) पॉण्टोकेन (Pontocain) तथा सोडियम पेंटोथाल (Sodium pentothal) का भी स्थानिक संवेदनाहरण भ्रोषधि के रूप में उपयोग होता है।

(प्रि० कु० चौ०)

संवैधानिक उपचार (Constitutional remedies) मनुष्य को विधिप्रदत्त अनेक अधिकार प्राप्त हैं। मनुष्य जाति, समय समय पर, उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिये अनेक विधिक उपायों (legal rights) की उद्भावना करती आई है। हमारे देश में विधिक उपायों का स्थूल विभाजन दो श्रेणियों में किया जा सकता है — (१) संबैधिक (statutory) तथा (२) संवैधानिक (constitutional) उपचार। संबैधिक उपचार (statutory remedies) संविधि द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा संवैधानिक उपायों का उद्गमस्थल संविधान है। यहाँ हमारा विवेचन संवैधानिक उपायों तक सीमित है।

भारतीय संविधान का तृतीय खंड संविधान द्वारा शासित प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि समाज के कल्याण के लिये वह (राज्य) इन अधिकारों के उपयोग का विनियमन (regulate) करे। इन संवैधानिक अधिकारों में से अनेक अधिकार अन्य लिखित संविधानवाले देशों द्वारा भी स्वीकृत हैं। पर हमारा संविधान इस विषय में अप्रतिम है क्योंकि इन अधिकारों के प्रवर्तन (enforcement) के उपाय भी उसमें स्पष्टतया निर्दिष्ट हैं। हमारे संविधान की धारा ३२ (१) यह उद्घोषणा करती है कि संविधान के तृतीय खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारित नियमानुसार याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार यह उपचार संविधान द्वारा प्रत्याभूत (guaranteed) है। उक्त धारा की ही उपधारा (२) सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिकारों के प्रवर्तन के लिये वदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश (writ of habeas corpus), परमादेश (mandamus), निषेधादेश (prohibition), अधिकारपुच्छा प्रादेश (quo warranto) तथा उत्प्रेषप्रादेश (certiorari) सहित किसी प्रकार का प्रादेश, निर्देश अथवा आदेश (writs, directions and orders) जारी कर सकता है। संविधान की धारा २२६ द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्देश, आदेश तथा प्रादेश का निर्गम (issuing) केवल संविधानप्रदत्त



अधिकारों के प्रवर्तन के लिये ही नहीं, अपितु 'किसी अन्य उद्देश्य के लिये' भी कर सकता है।

इन उपचारों का उद्देश्य मनुष्य के विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये क्षीणता तथा मितव्ययितापूर्ण उपाय प्रदान करना है जिससे वे अधिकार विधायिका ( legislature ) तथा कार्यपालिका ( executive ) के हस्तक्षेप से मुक्त रहें।

संविधान की धारा ३२ तथा २२६ में उल्लिखित प्रादेशों तक ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के उपचारात्मक अधिकार सीमित नहीं हैं, अपितु वे आवश्यकतानुसार कोई प्रादेश, निर्देश तथा प्रादेश भी जारी कर सकते हैं। इस प्रकार ये उपचारात्मक प्रतिबंध ( remedial provisos ) पर्याप्त व्यापक तथा असीमित हैं। ऐसा अवसर उपस्थित होने पर जबकि उक्त प्रादेश ( writs ) राज्य के अर्थ कृत्य के विरुद्ध, व्यक्ति के अधिकारों के पुनःस्थापन ( enforcement ) में अक्षम हो, तब न्यायालय किसी अन्य प्रादेश प्रादेशादि की प्रवृत्तारणा करने के लिये भी स्वतंत्र है। उपयुक्त मामलों में, यदि न्यायालय उचित समझे तो, वह घोषणाएँ करने के लिये भी स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय सीमा के अंतर्गत किसी भी अधिकारी के नाम प्रादेश, निर्देश अथवा प्रादेश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार उमरी क्षेत्रीय सीमा तक ही सीमित हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्गमित ( issued ) प्रादेश अथवा प्रादेश, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये अथवा 'अन्य किसी उद्देश्य के लिये' जारी किए जाते हैं। 'अन्य किसी उद्देश्य के लिये' इस अर्थ की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय 'अन्य विधिक अधिकारों' के प्रवर्तन के लिये ही कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि संवैधानिक तथा अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिये उच्च न्यायालय संभवतः अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। फलतः नैतिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।

संविधान की धारा ३२ के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, मूलभूत अधिकारों ( fundamental rights ) के उपभोग में बाधा प्रमाणित किए जाने के बाद न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये बाध्य है, जबकि दूसरी ओर उच्च न्यायालय संविधान की धारा २२६ के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय की शक्ति उसके विवेक के अधीन है तथा कतिपय अवसरों पर उसका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कथित अपात्तिजन्य अवैध कार्य द्वारा याचिकादाता ( petitioner ) को कोई प्रत्यक्ष हानि न होती हो तो उच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग न करने के लिये भी स्वतंत्र है। इसी प्रकार यदि याचिकादाता के लिये अन्य उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, यदि वह छलयुक्त भावना से ( with unclean hands ) न्यायालय में उपस्थित होता है अथवा यदि वह अनावश्यक प्रमाद का दोषी है, तो इन दशाओं में साधारणतः न्यायालय याचिकादाता को अनुतोष

( relief ) प्रदान करना अस्वीकार कर देगा। न्यायालय उन दशाओं में भी हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर देगा जबकि वांछित हस्तक्षेप के परिणामहीन तथा अनावश्यक होने की संभावना हो। उन अवसरों की विस्तृत तालिका देना सर्वथा असंभव है जिन दशाओं में उच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करना अस्वीकार कर सकता है। प्रत्येक मामले की परिस्थिति, प्रकृति, उद्देश्य तथा शक्ति के विस्तार को दृष्टिगत रखकर ही न्यायालय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा।

सामान्यतः मामले से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति ही सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों से उनकी शक्ति के प्रयोग की याचना कर सकता है किंतु यह नियम सर्वथा निरपवाद प्रतीत नहीं होता।

संविधानप्रदत्त मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन के लिये न्यायालय द्वारा जारी किए जानेवाले निर्देश, प्रादेश अथवा प्रादेश राज्य के नाम जारी किए जाते हैं। संविधान की धारा (१२) में राज्य की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि संसद तथा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं राज्य विधान मंडल, भारतीय सीमांतगत स्थित अथवा भारतीय शासन के अधीनस्थ कार्य करनेवाले सभी स्थानीय अथवा अन्य अधिकारीगण (इस व्याख्या के अनुसार) राज्य की परिधि में आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ( उच्च न्यायालय द्वारा ) उस व्यक्ति विशेष के नाम भी जारी किया जा सकता है जिसकी अवैध हिरासत में कोई व्यक्ति बंदी हो। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के आधिकारिक कार्यों ( official acts ) के विरुद्ध कोई निर्देश, प्रादेश अथवा प्रादेश जारी नहीं किया जा सकता। संविधान की धारा ३२६ (ब) के अनुसार भारतीय संसद अथवा राज्य-विधान-मंडल के निर्वाचन से संबंधित अधिकारों की चुनाव संबंधी आजायों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद की १२२ तथा २१२वीं धाराओं के अनुसार संसद तथा विधानमंडलों के विरुद्ध, उनकी आंतरिक गतिविधियों के मार्ग में बाधा उपस्थित कर उन्हीं आंतरिक कार्यवाहियों की अनियमितता तथा वैधता अवैधता की जांच के संबंध में कोई प्रादेश उच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता।

संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायालयों की शक्ति की समाप्ति अथवा उनमें न्यूनता केवल संविधान में संशोधन करने के पश्चात् ही की जा सकती है। अथवा संविधान की धारा ३५२ (१) के अनुसार आजातमालीन घोषणा के पश्चात् धारा ३५६ (१) के अनुसार राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों का न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन स्थगित कर सकता है। सारांश यह कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमणकाल में या देश का अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा अतरे में डालनेवाले किसी गृहसंकट के समय मूलभूत अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन स्थगित किया जा सकता है। पर ऐसे समय में भी उच्च न्यायालयों के अधिकार प्रवर्तन की शक्ति — मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति को छोड़कर — अधुण रहती है।

इन प्रादेशों का नामकरण आगत विधि पर आधारित है। उक्त

प्रादेशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश (Writ of Habeas Corpus)। इसका वास्तविक अर्थ है 'बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय'। यह प्रादेश किसी व्यक्तिविशेष अथवा कारागार की हिरासत में निरुद्ध (detained) बंदी के व्यक्ति-स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण अस्त्र है। इस प्रादेश द्वारा न्यायालय बंदी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित किए जाने का आदेश देता है और उसके निरोध (detention) के कारणों की छानबीन करता है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बंदी का निरोध (detention) अवैध तथा अनौचित्यपूर्ण (unproper) है, तो उस दशा में उसे निर्मुक्त (free) कर दिया जाता है।

इस प्रादेश का उपयोग अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण (international extradition) की वैधता की जाँच, सशस्त्र सेना अथवा नौसेना द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्तियों की निर्मुक्ति, विदेशियों के देश से निष्कासन या निर्वासन को रोकने, तथा कारागार अथवा व्यक्ति विशेष की हिरासत में अवैध रूप से निरुद्ध (detained) व्यक्ति की निर्मुक्ति के लिये होता है।

यह प्रादेश न्यायालय द्वारा आधिकारिक (as of right) रूप से जारी किया जाता है किंतु वह इसे प्रकृत्या जारी नहीं करता (not as of course)। प्रादेश के जारी विधे जाने की स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब कि प्रार्थी हलफनामे (affidavit) द्वारा संबलित याचिका में यह प्रदर्शित करे कि उसका निरोध अवैध तथा अनुचित है। याचिका स्वयं प्रार्थी द्वारा अथवा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

निरोध की वैधता की छानबीन बंदी के निरोधक (person detaining) द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि को की जाती है।

परमादेश (mandamus) का अर्थ है 'हमारा आदेश है।' आंग्ल-देश में परमादेश न्यायालय के क्वींस बेंच डिवीजन द्वारा किसी अधिकारी, निगम अथवा नीचे की अदालतों के नाम जारी किया जाता है। इसमें इस बात की स्पष्ट आज्ञा होती है कि 'प्रादेश में निर्दिष्ट कार्य का यथोचित संपादन किया जाय क्योंकि वही उसका (अधिकारी, निगम या न्यायालय का) नियतकर्म अथवा कर्तव्य है।'।

प्रादेश में निर्दिष्ट आज्ञा किसी कार्य के किए जाने अथवा उनसे विरत होने से संबद्ध होती है। यह प्रादेश एक सामान्य वैधिक कर्तव्य के प्रवर्तन (enforcement) के लिये जारी किया जाता है, और इसका प्रयोग प्रसंगिक कर्तव्यों (contractual obligations) के प्रवर्तन के लिये नहीं होता। इसका प्रयोग वहाँ भी नहीं किया जाता जहाँ इष्ट कार्य किसी अधिकारी के विवेक (discretion) पर निर्भर हो। है। किंतु उस अवस्था में जब विवेकाधिकार किसी कर्तव्य के साथ संलग्न हो, न्यायालय उसके संपादन के लिये आदेश दे सकता है। किंबहुना, यदि अधिकारीविशेष अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय किन्हीं अनावश्यक विषयों पर ध्यान देता है अथवा आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान नहीं देता तो इन दशाओं में न्यायालय उक्त अधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए उस विषय पर पुनर्विचार करने का आदेश दे सकता है। परमादेश उस अवस्था

में भी जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपनी कार्यसीमा का अतिक्रमण अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है।

यह प्रादेश न तो प्रकृत्या जारी किया जाता है और न आधिकारिक रूप से ही (neither as of right nor as of course)। यह उसी अवस्था में जारी किया जाता है जब वैध अधिकारों से युक्त व्यक्ति हलफनामे द्वारा संबलित याचिका में इसके जारी किए जाने के लिये उपयुक्त कारण सिद्ध करे। यह प्रादेश उस अवस्था में जारी नहीं किया जाता जब याचिकादाता के समक्ष कोई अन्य उपयुक्त तथा वैकल्पिक मार्ग हो। याचिकादाता के लिये यह भी प्रदर्शित करना आवश्यक है कि याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व उसने उपयुक्त अधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर अनुतोष के लिये प्रार्थना की थी तथा वह दावा या तो अस्वीकार कर दिया गया अथवा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस नियम के पालन पर न्यायालय, उस अवस्था में विशेष बल नहीं देगा यदि वह समझे कि संबंधित अधिकारी से की गई अनुतोष (relief) की माँग का निष्फल होना अवश्यभावी है।

निषेधादेश (Prohibition) निम्नतर न्यायालयों, न्यायाधिकरणों अथवा न्यायिक बल्प अधिकारियों (quasi judicial authorities) के नाम जारी कर उन्हें अपनी अधिकारसीमा के उल्लंघन से विरत होने अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (rules of natural justice) को अवहेलना न करने का आदेश दिया जाता है। उदाहरणस्वरूप, इस प्रादेश द्वारा किसी न्यायाधीश को उस वाद विशेष की सुनवाई से विरत रहने का आदेश दिया जा सकता है जिसमें न्यायाधीश का व्यक्तिगत स्वार्थ संलग्न हो। निषेधादेश उस अवस्था में भी जारी किया जा सकता है जब याचिकादाता के समक्ष वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी न्यायाधीश द्वारा किया गया सीमोल्लंघन स्पष्ट हो।

अधिकारपुच्छा प्रादेश (writ of quo warrants), सार्वजनिक अधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति के नाम जारी कर उससे यह प्रश्न किया जाता है कि किन प्रमाणों के द्वारा वह उक्त पद पर आसीन रहने के अधिकार का समर्थन करता है, और किन प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित किया जाय कि उस पद पर आसीन रहने का वास्तविक अधिकार उसे प्राप्त है।

यह प्रादेश प्रकृत्या जारी नहीं किया जाता। इसे जारी करने के पूर्व न्यायालय याचिकादाता के चरित्र और लक्ष्य को जाँच भी कर सकता है।

उत्प्रेषणादेश (Certiorari) निषेधादेश की ही भाँति एक अत्यंत प्राचीन प्रादेश है जिसके द्वारा आंग्ल न्यायालय का 'क्वींस बेंच डिवीजन' न्यायाधिकरणों तथा कल्प न्यायाधिकरणों की कार्य-वाहियों को नियंत्रित किया करता था। इस विचित्र नामकरण का रहस्य यह है कि इसके लैटिन प्रारूप के लिये यह आवश्यक था कि अन्वेषणीय कार्यवाहियों को सत्रांगी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उनका 'क्वींस बेंच डिवीजन' द्वारा प्रमाणीकरण हो जाय।

उत्प्रेषणादेश तभी जारी किए जाते हैं जब कि न्यायाधिकरण, अथवा कल्प न्यायाधिकरण के आदेश उनकी अतिसीमा का अतिक्रमण करते हों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना

करते हों अथवा विधान के किसी ऐसे भ्रम से दूषित हों जो उनमें (घादेशों में) स्पष्ट दिखाई पड़ते हों (apparent on the face of the record)।

अध्यायिक किसी ऐसी निर्भ्रम परीक्षणविधि की उद्भावना नहीं की जा सकती है जिसके द्वारा हम कल्प न्यायिक कार्यवाही तथा प्रशासनिक कार्यवाही के बीच कोई विभाजक रेखा खींच सकें। केवल कल्प न्यायिक कार्यवाहियों से उत्पन्न घादेशों के विरुद्ध ही उत्प्रेषणप्रदेश जारी किया जा सकता है, इसीलिये विभाजन की आवश्यकता उपस्थित हुई है। स्थूल आधार पर कहा जा सकता है कि जब एक वर्गविशेष के व्यक्तियों को यह वैश्व शक्ति प्रदान की जाती है कि वे न्यायिक कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्तिविशेष के अधिकारों का निर्णय करें, उस दशा में उनकी कार्यवाही कल्पन्यायिक होगी (quasi-judicial)। इसके विपरीत यदि किसी अधिकारी के निर्णय का मूल्यांकन उसकी नीति के आधार पर किया जाता है, उस दशा में वह कार्यवाही सामान्यतः प्रशासनिक कही जायगी किंतु संबंधित अधिकारी यदि साक्षी द्वारा संबलित प्रस्ताव (proposal) तथा आपत्ति (objection) के ही आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचता है उस दशा में यह आवश्यक है कि अधिकारी न्यायिक पद्धति का अनुबन्धन करे। इस प्रकार की कार्यवाही अंशतः कल्प-न्यायिक होगी, भले ही अंतिम निर्णय प्रशासनिक कहा जाय। कोई कार्यवाही कल्प-न्यायिक (quasi-judicial) है या नहीं, इसका निर्णय अततोपगत तीन बातों पर निर्भर होता है (१) वाद की प्रकृति, (२) संविधि, (३) अनुविध्यात्मक अधिकारी (Statutory authority) के प्राधिकार तथा कार्यपद्धति एवं तत्संबन्धी अधिकारी के प्रतिष्ठापन से संबद्ध अन्य नियम।

उत्प्रेषण प्रादेश, किसी अधिकारी द्वारा दिए गए उस प्रादेश को ध्वस्त (quash) करने के लिये जारी किया जाता है जब कि अधिकारी का वाद विषय में व्यक्तिगत स्वार्थ हो, अथवा वाद विषय के पक्ष या विपक्ष के प्रति उसके मस्तिष्क में पूर्वाग्रह विद्यमान हो। केवल न्याय का होना ही पर्याप्त नहीं है अपितु आवश्यक है कि यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो कि न्याय किया गया। जब कोई प्रादेश, किसी अधिकारी द्वारा, दूसरे पक्ष को मुनवाई का अवसर दिए बिना ही पारित कर दिया जाता है उस अवस्था में भी उत्प्रेषणप्रदेश जारी किया जाता है।

उत्प्रेषण प्रादेश उस निर्णय को ध्वस्त करने के लिये भी जारी किया जाता है जिसका दोष उसमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। "प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने" (manifest on the face of the record) की कोई निश्चित व्याख्या संभव नहीं किंतु इतना तो निश्चित है कि इस कथन की भाँट में न्यायालय अपील न्यायालयवत् आचरण नहीं करेगा।

जो निर्णय साक्षी द्वारा संबलित नहीं हैं, वे भी इस प्रादेश द्वारा ध्वस्त किए जा सकते हैं।

जहाँ न्यायिक अथवा कल्पन्यायिक (Judicial or quasi-judicial) अधिकारी, सीमाविषयक तथा किसी दोषपूर्ण कारण पर अपनी सीमा का बलात् प्रतिफलण कर कोई निर्णय देता है, वहाँ न्यायालय

तद्विषयक तथ्यों की उपस्थिति की छानबीन भी कर सकता है। अन्य साधारण दशाओं में न्यायालय साक्षी द्वारा संबलित निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रकारांतर से उल्लिखित साक्षी को न्यायालय उमी दशा में स्वीकृत करेगा जब यह सिद्ध होगा कि ध्वस्त निर्णय कपट द्वारा प्राप्त (obtained by fraud) या अथवा ऐसा करते हुए अधिकारसीमा का प्रतिफलण किया गया।

यह प्रादेश प्रकृत्या नहीं किंतु प्राधिकारिक रूप से जारी किया जाता है और न्याय की पूर्ति के लिये (ex debito justitiae), कार्यसीमा का प्रतिफलण अथवा प्राकृतिक न्यायपद्धति की अवहेलना से पीड़ित पक्ष को याचिका पर जारी किया जाता है। [सु० ना० द्वि०]

संशयवाद (Scepticism) जैसा 'श्री शिवादित्य ने सप्तपदाथी' नामक ग्रंथ में लिखा है (अनुवधारण ज्ञान संशय) संशय अनिश्चित ज्ञान या संदिग्ध अनुभव को कहते हैं। तर्कमग्न के अनुसार संशय वह ज्ञान है जिसमें एक ही पदार्थ अनेक विरोधी धर्मों या गुणों से युक्त प्रतीत होता है (एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धानामधर्मगणैश्चावगाह्निज्ञानं संशयः)। उदाहरणार्थ, जब हम बँबेरे में किसी दूरस्थ स्तंभ को देखकर निश्चित रूप से यह नहीं जान पाते कि वह स्तंभ है तो हमारा मन दोलायमान हो जाता है और हम उस एक ही पदार्थ में स्तंभत्व एवं मनुष्यत्व दो विभिन्न धर्मों का आरोप करने लगते हैं। न तो हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं कि वह पदार्थ स्तंभ है और न यह कि वह मनुष्य है। मन की ऐसी ही विप्रतिपत्तियुक्त, द्विविधाग्रस्त, निश्चयरहित या विकल्पात्मक अवस्था को संशय कहा जाता है। यह अवस्था न केवल ज्ञानाभाव तथा (रज्जु में सर्प के) भ्रम या विपरीत ज्ञान (विरम्य) से ही किंतु यथार्थ निश्चित ज्ञान से भी भिन्न होनी है। अतः संशयवाद नामक सिद्धांत के अनुसार निश्चित ज्ञान अथवा उसकी संभावना का निषेध किया जाता है। इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से माननेवाले व्यक्तियों के विचारानुसार मानव को कभी भी और किसी भी प्रकार का वास्तविक या निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। संशयवादियों की राय में हमारे मस्तिष्क या मन की बनावट ही ऐसी है कि उसके द्वारा हम कभी भी समार के या उसके पदार्थों के सही स्वरूप को अंगत कर सकने में समर्थ नहीं हो सकते।

संशयवाद को आग्ल भाषा में स्कैप्टिसिज्म (Scepticism) कहते हैं। स्कैप्टिसिज्म का श्रीगणेश ईसा के पूर्व ४४० में यूनान देश के सोफिस्ट (Sophists) कहलानेवाले तर्कप्रधान व्यक्तियों से हुआ बतलाया जाता है। परन्तु उनका संशयवाद सामान्य रूप का था। सुग्व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में तो इसका आरंभ ऐलिम (Eliu) के विरो (Pyrrho) नामक प्रख्यात विचारक से, ईसा के तीन सौ वर्ष पूर्व, हुआ। विरो ने वास्तविक ज्ञान को स्पष्ट शब्दों में असंभव बतलाया है। फिलियम का टाइमन (Timon of Philus 250 B.C.) उसका प्रमुख शिष्य था। विरो के कुछ अनुयायियों ने तो, जिनमें सेक्सटस एंपिरीकस (Sextus Empiricus) का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है, संशयवादी विश्वास को इस सीमा तक निभाया कि वे स्वयं इस वाद को भी सत्य की दृष्टि से देखने लगे। इन संशयवादियों के अनुसार इच्छामों और निराशामों से समुद्रत हमारे सारे ही दुःखों की उत्पत्ति

पदार्थ विषयक हमारे परामर्शों की अप्रामाणिकता से ही होती है। मध्यकालीन पाश्चात्य संशयवादियों में पैस्कल (Pascal) तथा प्राधुनिक संशयवादियों में ह्यूम (David Hume) अधिक प्रसिद्ध हैं। पैस्कल का कहना था कि संसार संबंधी कोई भी निश्चित या सतौषप्रद सिद्धांत बुद्धि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, और ह्यूम महोदय ने हमारी जानने की क्षमता को केवल धानुभविक क्षेत्र तक ही सीमित बतलाया है। उनके अनुसार मनुष्य को अपने ऐंद्रिय अनुभव के बाहर की बात जानने या कहने का कोई अधिकार नहीं। कोई कोई विचारसमीक्षक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट को भी संशयवादियों में शामिल कर लेते हैं; परंतु उन्हें संशयवादी न कहकर अज्ञेयवादी (Agnostic) कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने वस्तुओं के वास्तविक या पारमाथिक स्वरूप (Noumena) को अज्ञेय या बुद्धि द्वारा अगम्य बतलाया है, संदेहास्पद नहीं। और कम से कम कार्यजगत् (phenomena) को समझ सकने की क्षमता तो उन्होंने बुद्धि में मानी ही है।

भारतवर्ष के कुछ संशयवादियों का उल्लेख 'आमस्यफलसूत्र' आदि कुछ बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उदाहरणार्थ, अजितकेसकंबली नामक एक विचारक का कहना था कि यथार्थ ज्ञान कभी संभव नहीं, और गायकवाड और एटल सीरीज में प्रकाशित 'तत्त्वोपल्लवसिंह' नामक पाण्डुलिपि के लेखक श्री जयरशि ने किसी भी प्रमाण को, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष प्रमाण को भी, असिद्धि ज्ञान का साधन नहीं माना। कभी कभी कुछ लोग 'स्यादस्ति स्यात् नास्ति' आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित जैन दर्शन के स्याद्वाद को भी संशयवाद समझने लगते हैं। परंतु वस्तुतः स्याद्वाद प्रतिपादित 'स्यात्' शब्द का प्रयोग तत्तत् वाक्य की सार्वभूता (अथवा असत्यता) का नहीं किंतु उसके सत्य की सापेक्षता का द्योतक है। स्याद्वाद को परामर्शों या निर्णयों का सत्यत्व, परिस्थिति एवं प्रसंगानुकूल, स्वीकार्य है।

आहे संशयवादी स्वयं कुछ भी कहें, संशय की मानसिक अवस्था कोई सुख की अवस्था नहीं होती ('न सुखं संशयात्मनः' गीता, अ० ४, श्लोक ४०)। और पूर्ण रूप से संशयवादी होना अत्यंत कठिन ही नहीं, किंतु असंभव है।

स्वयं संशयवाद की स्वीकृति ही उसकी मान्यता का खंडन कर देती है। यदि किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता, तो फिर यह निश्चय रूप से कैसे कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं। या तो संशयवाद की मान्यता असमीचीन है या फिर स्वयं संशयवाद 'बद्धतोव्याघात दोष' से दूषित सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे व्यावहारिक जीवन का एक एक कार्य तत्संबंधी पदार्थ या व्यक्ति के निश्चित ज्ञान की मान्यता पर निर्भर रहता है। वह संशयवाद को पूर्णतया मान लेने पर चल ही नहीं सकता। इसीलिये तो श्रीमद्भगवद्गीता में 'संशयात्मा विनश्यति' आदि शब्दों द्वारा संशयवाद को अप्राप्त ठहराया है। परंतु, साथ ही साथ, यह मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अतीत परंपरागत मान्यताओं की अंध स्वीकृति भी विचारों के विकास में बाधा डालती है। अतः कभी कभी सामान्य रूप से स्वीकृत तथाकथित सत्यों को संदेह की दृष्टि से देखना भी ज्ञानबुद्धि के लिये आवश्यक हो जाता है जैसा

भारतीकार श्री वाचस्पति मिश्र ने कहा है, संशय जिज्ञासा को जन्म देता है ( जिज्ञासा संशयस्य कार्यम् ) और जिज्ञासा तो ज्ञान के लिये वांछनीय है ही। और कांट महोदय की यह उक्ति कि ह्यूम के 'संशयवाद ने मुझे वैचारिक रुढ़ियों की निद्रा से जगा दिया', इस सत्य को प्रमाणित करती है। परंतु बुद्धि या मन को संशय रूपी रंग से पूर्णतया रंग लेना और प्रत्येक बात पर संदेह करना ठीक वैसा ही है जैसा हाथों में मैल न होने पर भी किसी पागल द्वारा उनका सतत और निरंतर धोया जाना। [ रा० सि० नो० ]

**संशोधन तथा समर्थन** विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन कहते हैं। सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिये भी इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बना हुआ हो किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बंधी हुई है। भविष्य में आनेवाली और बदलनेवाली सभी परिस्थितियों की कल्पना वह संविधान के निर्माणकाल में नहीं कर सकता, अंतर-राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी संविधान में संशोधन, परिवर्तन करना वांछनीय एवं आवश्यक हो जाता है।

संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखित संविधान का आवश्यक अंग माना गया है। गानर के शब्दों में 'कोई भी लिखित संविधान इस प्रकार के उपबन्धों के बिना अपूर्ण है'। संविधान के गुणावगुण परखने की कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया है — प्रक्रिया सरल है अथवा कठोर है। कुछ देशों के संविधान का संशोधन विधिनर्माण की साधारण प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। ऐसे संविधानों को नमनीय या सरल संविधान कहते हैं। इस प्रकार के संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड का संविधान है। कुछ संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लिये एक विशिष्ट प्रक्रिया का अलंबन किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल एवं दुर्लभ होती है। ऐसे संविधान जटिल या अनमनीय संविधान कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान ऐसे संविधानों का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय गणतंत्र संविधान के संशोधन का कुछ अंश नमनीय है और कुछ अंश की अनमनीय प्रक्रिया है। इन दोनों विधियों को ग्रहण करने से देश के मौलिक सिद्धांतों का पोषण होगा और संविधान में परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होने की प्रेरणाशक्ति भी होगी।

#### समर्थन

साधारणतया किसी सभा या समिति में किसी भी सदस्य को अपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को सभा के विभिन्न पक्षों के लिये अलग अलग व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, तब मनोनीत करनेवाले सदस्य के कार्य की पुष्टि दूसरे सदस्य के द्वारा होना अनिवार्य होता है। अतः एक सदस्य जब किसी प्रस्ताव को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के लिये मनोनीत करता है, तब इस कार्य को संवैधानिक बनाने के लिये दूसरे सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य वैधानिक नहीं माने जायेंगे और वे कार्य शून्य घोषित किए जायेंगे। [ सु० पृ० ]

**संसद् ( पार्लमेंट )** संसद् अंग्रेजी के पार्लमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है। पार्लमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत या वादविवाद अथवा वह संस्था या सभा जहाँ सार्वजनिक विषयों पर वादविवाद करके निर्णय किया जाय; परंतु लगभग ७०० वर्षों से यह शब्द एक विशेष अर्थ में बड़ हो गया है, अर्थात् प्रधानतया वह ब्रिटेन के विधानमंडल का नाम बन गया है। जिन देशों ने ब्रिटेन की शासनपद्धति का अनुसरण किया है, उनके विधान-मंडलों को भी सामान्यतः पार्लमेंट या संसद् ही कहा जाता है। इस प्रकार फ्रांस, स्वीडन, नारवे आदि के विधानमंडलों को भी पार्लमेंट कहते हैं। भारतीय गणतंत्र का संविधान भी अधिकांश में ब्रिटिश प्रणाली ही का है, अतः यहाँ के सर्वोच्च संघीय विधान-मंडल को भी पार्लमेंट या संसद् की संज्ञा दी गई है। संसदीय शासन का मूलभूत लक्षण है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व, तथा कार्यपालिका के प्रमुख अंग, अर्थात् मंत्रिमंडल में संसद् के सदस्यों ही का संमिलित होना। जिन देशों में कार्यपालिका विधानमंडल से स्वतंत्र और अलग होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ के विधानमंडल को संसद् या पार्लमेंट न कहकर कांग्रेस, प्रसेंबली, सभा या किसी ऐसे ही अन्य नाम से सूचित किया जाता है।

**विकास** — ब्रिटिश पार्लमेंट या संसद् के विकास का लगभग १००० वर्षों का शृंखलाबद्ध इतिहास है, परंतु भारतीय संसद् अपेक्षाकृत नवीन संस्था है। यों तो वैदिक काल में भी "सभा" और "समिति" नामक राजकीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो उस समय के राज्यों में आजकल की संसद् ही से मिलते जुलते कुछ काम करती थी, और रामायण तथा महाभारतकाल में पौर और जानपद नामक सभाओं की चर्चा मिलती है जो डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल सरीखे विद्वानों के मतानुसार आजकल की संसदों की भाँति ही कार्य करती थीं, परंतु भारतीय इतिहास के प्राचीन युग के उपरांत इस प्रकार की सभाओं के विकास की शृंखला टूट सी जाती है। मध्यकालीन भारत में राज्य के स्तर पर इस प्रकार की सभाओं का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। फिर तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद से ही भारत के केंद्रीय और प्रांतीय विधान-मंडलों का विकास प्रारंभ होता है जिसकी परिणति स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत वर्तमान भारतीय संसद् की स्थापना में हुई।

इस विकास के मुख्य मुख्य सोपानों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। १७७३ ई० का रेगुलेशन ऐक्ट ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन का नियमन करने का प्रथम प्रयत्न था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को कंपनी के अधिकारगत भारतीय भूभागों का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिये चार सदस्यों की एक समिति स्थापित की गई। गवर्नर जनरल और इस समिति को बंगाल प्रेसीडेंसी के लिये कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया। पर इन कानूनों को 'रेगुलेशन' या नियम कहा जाता था। बंबई और मद्रास के गवर्नरों के साथ भी इसी प्रकार की समितियाँ जुड़ी थीं, और उन भूभागों के लिये कानून या रेगुलेशन उन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे। ब्रिटिश काशीम भारत में इस प्रकार विधान-

मंडलों और विधेयन का प्रथम सूत्रपात हुआ। वास्तव में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अथवा गवर्नरों और उनकी काउंसिलों को विधानमंडल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके मुख्य कार्य कार्यपालिका संबंधी थे, परंतु उन्हें 'रेगुलेशन' अर्थात् कानून की ही भाँति के नियम बनाने का अधिकार था, और बाद के पृथक् विधानमंडल उन्हीं से विकसित हुए। अतः वर्तमान भारतीय विधानमंडलों का नीब उन्हीं में निहित था, ऐसा मानना पड़ता है।

पिट के इंडिया ऐक्ट (१७८४) के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। १७९३ और १८१३ ई० के चार्टर ऐक्ट द्वारा इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु १८३३ ई० का चार्टर ऐक्ट भारतीय विधानमंडल के विकास में दो कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान में, इस ऐक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की समिति में एक चतुर्थ सदस्य विधि सदस्य ('ला मेबर') जोड़ दिया गया जो इसकी बैठकों में कानून बनाने के समय ही भाग लेता था। इस प्रकार कार्यपालिका में विधानमंडल की पृथकता का प्रारंभ हुआ। दूसरे, मद्रास और बंबई प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया और गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को समस्त ब्रिटिश भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार मिला। इस प्रकार एक अखिल भारतीय विधानमंडल की नींव पड़ी। १८५३ के चार्टर ऐक्ट द्वारा कानून के निर्माण के लिये गवर्नर जनरल की काउंसिल में छह और सदस्य जोड़ दिए गए, और इस प्रकार १२ सदस्यों की एक विधानपरिषद् बन गई। इनके सभी सदस्य सरकारी कर्मचारी ही होते थे। गवर्नर और इंडिया ऐक्ट १८५८ से भारतीय शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सभ्यता की सौंप दिया गया, परंतु इससे विधानपरिषद् के आकार प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इंडियन काउंसिल ऐक्ट १८६१ के द्वारा इस समिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम तो १८५३ की १२ सदस्योंवाली विधानपरिषद् सरकारी कर्मचारियों से बनी होने पर भी ब्रिटिश पार्लमेंट की ही भाँति शासन का नियंत्रण करने का दावा करने लगी थी। अतः अब यह नियम बना दिया गया कि यह परिषद् विधिनियम के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न कर सके। दूसरे, १८५७ के 'सिपाही विद्रोह' से यह स्पष्ट हो गया था कि सरकारी अफसरों से बनी परिषद् से सरकार को जनता के विचारों तथा गतिविधि का पता नहीं चल सकता। अतः अब विधानपरिषद् में ६ से १२ तक और सदस्य जोड़ दिए जाने की व्यवस्था की गई जिनमें से आधे गैर सरकारी भारतीय भी हो सकते थे। इस प्रकार विधानपरिषद् में भारतीयों के प्रवेश का सूत्रपात हुआ। इसी काल में देश में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ और १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसने अपने प्रथम अधिवेशन में ही विधानपरिषदों के विस्तार और सुधार की माँग की। फलस्वरूप इंडियन काउंसिल ऐक्ट १८९२ बनाया गया। केंद्रीय विधानपरिषद् के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर १० से १६ तक कर दी गई जिनमें कम से कम १० का गैर सरकारी होना आवश्यक था। ये सदस्य बलवत्ता बेंबर ऑफ कामर्स और प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों

के परामर्श से गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किए जाते थे। यों एक प्रकार के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ हुआ। विधानपरिषदों की शक्तियों में भी वृद्धि हुई और उन्हें प्रायव्ययक पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने के अधिकार मिले।

विधानपरिषदों के विकास में अगला सोपान तथाकथित मिटो माले सुधार अथवा इंडियन काउंसिल ऐक्ट १९०९ के रूप में आया। इसकी मुख्य बातें चार थी। प्रथम, केंद्रीय विधानपरिषद् के प्रतिरिक्त सदस्यों की संख्या १६ से बढ़ाकर ६० कर दी गई, परंतु बहुमत इसमें सरकारी सदस्यों का ही रखा गया। दूसरे, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के बदले चुनाव होने लगा। यह चुनाव बहुत ही सीमित मताधिकार के आधार पर जमींदारों, व्यापारमंडलों, भारतीय व्यापारियों तथा नगरपालिकाओं और स्थानीय बोर्डों जैसी स्थानिक संस्थाओं द्वारा होता था। तीसरे, मुसलमानों को पुषक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। चौथे, परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब उन्हें वार्षिक प्रायव्ययक पर न केवल बहस करने, किंतु प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार मिला। सार्वजनिक महत्व के अन्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जा सकते थे और प्रश्नों के प्रतिरिक्त पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते थे।

विधानमंडलों में अगला परिवर्तन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट १९१९ के द्वारा हुआ। इसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बना दिया गया जिनमें निम्नलिखित सदन का नाम विधान सभा ( 'लेजिस्लेटिव असेंबली ) और ऊपरी सदन का नाम राज्यपरिषद् ( काउंसिल ऑफ स्टेट ) रखा गया। विधानसभा में १४४ और राज्यपरिषद् में ६० सदस्य थे, तथा दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। मताधिकार मुख्यतः संपत्ति के आधार पर रखा गया, परंतु उसका बिस्तार बहुत सीमित था। मुसलमानों का पुषक सांप्रदायिक निर्वाचन बना रहा। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों में भी वृद्धि हुई, परंतु फिर भी वे सीमित रहों, विशेषकर वित्तीय मामलों में। प्रायव्ययक का लगभग ८० प्रतिशत विधानमंडल के अधिकारक्षेत्र से बाहर था और शेष में भी यदि विधानमंडल कटौती करे तो गवर्नर जनरल उसे पूर्ववत् पारित कर सकता था। विधिनिरमाण में दोनों सदनों के अधिकार बराबर थे, परंतु वित्तीय विशेषक विधानसभा ही में प्रस्तुत किए जा सकते थे। सरकार विधानमंडल के किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं थी।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट १९३५ के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को मंचीय रूप देने की व्यवस्था की गई। दोनों सदनों के नाम वही रहे अर्थात् राज्यपरिषद् और विधानसभा सदन। राज्य सभा में २६० सदस्य रहे गए जिनमें १५६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के सदस्य होते थे। विधानसभा में ३७५ सदस्यों की व्यवस्था थी जिनमें से २५० ब्रिटिश भारत और १२५ राज्यों से आने को थे। राज्यों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा नामांकित और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि निर्वाचित होने को थे, परंतु संघयोजना कार्यान्वित न की जा सकी। अतः केंद्रीय विधानमंडल पूर्ववत् ही

बना रहा। परंतु उसकी शक्तियों में अब यह अंतर हो गया कि उसका विधि-निर्माण का अधिकार संघीय और समवर्ती सूची में दिए हुए विषयों पर ही रहा और प्रांतीय सूची के विषय पूर्णतया प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार में आ गए।

केंद्रीय विधानमंडल की यही व्यवस्था स्वतंत्रताप्राप्ति तक बनी रही। १९४६ में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ३८९ सदस्यों की संविधानपरिषद् बनाई गई जिसमें २९६ प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के और ९३ देशी राज्यों के थे। भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम १९४७ के बाद, पाकिस्तान की स्थापना के कारण इसमें पाकिस्तानी भागों के सदस्य अलग होकर लगभग ३०० सदस्य रह गए। संविधान परिषद् का मुख्य कार्य तो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण था, परंतु नए संविधान के बनकर कार्यान्वित होने तक वही केंद्रीय विधानमंडल का भी कार्य करती थी। नया संविधान २६ जनवरी, १९५० को लागू किया गया और तब से संविधान परिषद् के स्थान पर वर्तमान भारतीय संसद् विधानमंडल का कार्य करने लगी।

भारतीय संसद् की रचना और संगठन — भारतीय संसद् राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी वह संसद् का अविभाज्य अंग है और उसकी कार्यवाही के संबंध में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है।

#### राज्यसभा

रचना — राज्यसभा संसद् का ऊपरी अथवा द्वितीय सदन है। उसमें अधिकतम २५० सदस्य हो सकते हैं जिनमें १२ को राष्ट्रपति नामांकित करता है और शेष का संघगत राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मतपद्धति के अनुसार चुनाव होता है। इस समय (१९६३) राज्यों से आए सदस्यों की संख्या २२३ है और वह विभिन्न राज्यों और केंद्रीय भागों में यों बटी है—आंध्रप्रदेश १८, असम ७, बिहार २२, गुजरात ११, केरल ९, मध्यप्रदेश १६, मद्रास १७, महाराष्ट्र १९, मैसूर १२, उड़ीसा १०, पंजाब ११, राजस्थान १०, उत्तर प्रदेश ३४, पश्चिमी बंगाल १६, जम्मू और कश्मीर ४, दिल्ली ३, हिमाचल प्रदेश २, मणिपुर १, त्रिपुरा १। राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित १२, सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा आदि विषयों के विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या इस प्रकार २३५ है।

अवधि — राज्य सभा स्थायी सदन है। उसका विघटन नहीं होता, परंतु उसके १/३ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार सदस्यों की पद अवधि साधारणतया ६ वर्षों की होती है।

सदस्यों की योग्यताएँ — सदस्यों की योग्यताएँ या अर्हताएँ हैं भारत का नागरिक होना, कम से कम ३० वर्ष की उम्र और संसद् द्वारा पारित कानून से नियत अन्य योग्यताएँ। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ के अनुसार राज्यसभा के किसी सदस्य के लिये अपने राज्य के किसी संसदीय निर्वाचनक्षेत्र का

सदस्य होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों के लिये निम्न-लिखित अयोग्यताएँ हैं — केंद्रीय अथवा राज्यों की सरकारों के किसी ऐसे लाभदायक पद पर होना, जिसके विषय में संसद् के कानून द्वारा छूट नहीं दी गई है, अथवा विकृत मस्तिष्क का होना, दिवालिया होना, विदेशी होना, या संसद् के किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य होना।

**अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** — भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसे राज्यसभा अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती है। अध्यक्ष 'उपराष्ट्रपति' सदन का पारिभाषिक अर्थ में सदस्य नहीं है। किसी प्रश्न के दोनो पक्षों में समान मत होने पर ही वह अंतिम निर्णय के लिये अपना मत दे सकता है अन्यथा नहीं। सभा की बैठकों में अध्यक्ष के वही अधिकार हैं जो साधारणतया ऐसे अध्यक्षों के होते हैं जैसे सदस्यों को बोलने का अवसर देना, प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों का निर्णय आदि।

**गणपूर्ति** — राज्यसभा की गणपूर्ति सख्या समस्त सदस्यों की संख्या का १/१० है।

**विधायिनी शक्तियाँ** — राज्य सभा की शक्तियाँ विधायिनी, वित्तीय, संबैधानिक, प्रशासकीय तथा विविध हैं। विधायिनी शक्तियाँ ये हैं कि राज्यसभा में वित्तीय विधेयक के प्रतिरिक्त कोई भी अन्य विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, और बिना दोनो सदनों की संमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यदि दोनो सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो तो राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है, और उसमें जो कुछ बहुमत से निर्णय हो जाय वही दोनो सदनों का निर्णय माना जाता है। परंतु राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा की आधी है। अतः संयुक्त बैठकों में साधारणतया लोकसभा ही की विजय होती है।

**वित्तीय शक्तियाँ** — वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ हो सकते हैं। वहाँ पारित होने पर वे राज्यसभा के पास केवल उसके सुझावों के लिये भेजे जाते हैं और ये सुझाव १४ दिन के अंदर ही देना आवश्यक है। ये सुझाव लोकसभा चाहे माने चाहे न माने। सुझाव न भी आए तो १४ दिन के उपरांत वित्तीय विधेयक दोनो सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा नितांत शक्तिहीन है।

**संबैधानिक शक्तियाँ** — संबैधानिक के संशोधन में भी राज्यसभा का भाग होता है। संशोधन विधेयक का राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के २/३ बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पर यहाँ भी दोनो सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक में साधारण विधेयक की भाँति ही निर्णय होता है।

**प्रशासकीय शक्तियाँ** — प्रशासकीय विषयों में मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं, परंतु कुछ मंत्रों इस सदन में से भी नियुक्त होते हैं। अन्य मंत्रों या उनके प्रतिनिधियों भी समय समय पर इसके समक्ष उपस्थित होते हैं। राज्यसभा को उनसे प्रश्न पूछने या किसी भी बात का स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार है।

**विविध शक्तियाँ** — इसकी विविध शक्तियों में तीन उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उसके विरुद्ध महाभियोग की जाँच तथा निर्णय में लोकसभा के समान ही भाग लेती है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदच्युति में भी उसका वही भाग है। दूसरे, २/३ बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा वह संसद् को राज्यसभा के किसी विषय पर विधिनिरमाण करने अथवा नई प्रांखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार दे सकती है। तीसरे, राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणाओं की स्वीकृति या उनकी अर्थात् बढ़ाने के लिये लोकसभा की ही भाँति राज्यसभा की भी समति आवश्यक है। यदि लोकसभा का विघटन हो चुका हो, तो एकमात्र राज्यसभा ही की समति से काम चल जाता है।

सारांश यह है कि राज्यसभा कोई शक्तिशाली द्वितीय सदन नहीं, परंतु कुछ ऊपर लिखे कार्य उसी के द्वारा संपन्न होते हैं। अतः उसे महत्वहीन नहीं कह सकते।

### लोकसभा

**रचना** — लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ५२० तक हो सकती है जिनमें अधिक से अधिक ५०० सदस्य राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं और २० केंद्रीय भूभागों के निर्वाचित या नामांकित प्रतिनिधि। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या (१९६३ में) ५०५ है जिनमें ४८८ राज्यों के प्रतिनिधि हैं, १५ केंद्रीय भूभागों के और दो ऐंग्लो इंडियन लोगों के जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया गया है। राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या है : आंध्र प्रदेश ४३, असम १३ (जिनमें १ राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित है), बिहार ५३, गुजरात २२, जम्मू और कश्मीर ६, उड़ीसा २०, पंजाब २२, राजस्थान २२, उत्तरप्रदेश ८६ और पश्चिमी बंगाल ३६। केंद्रीय भूभागों के प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार है : दिल्ली ५, हिमाचल प्रदेश ४, मणिपुर २, त्रिपुरा २, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह १, लका द्वीप, मिनीकाय और प्रसीनदिवी १।

**निर्वाचनक्षेत्रों का परिसीमन** — निर्वाचनक्षेत्रों का परिसीमन एक परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचनक्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन संशोधन किए जाते हैं। अधिकांश संसदीय निर्वाचनक्षेत्र एक सदस्यीय हैं, परंतु अनुसूचित जातियों आदि के लिये स्थान सुरक्षित करने के अभिप्राय से कुछ निर्वाचनक्षेत्र द्विसदस्यीय या बहुसदस्यीय भी रखे जाते हैं।

**मताधिकार तथा सदस्यों की योग्यताएँ** — लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र २१ वर्ष से कम न हो और किसी निर्वाचनक्षेत्र में कम से कम १८० दिन रह चुका हो, उस क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में अपना पंजीयन करा सकता है परंतु उसका अयोग्यताओं से मुक्त होना आवश्यक है। विदेशी, पागल या अपराधी होना, या चुनाव में भ्रष्टाचार के लिये दंडित होना, अथवा निर्वाचनक्षेत्र में १८० दिन से कम का निवासी होना आदि मतदाताओं के लिये अयोग्यताएँ हैं। धर्म,

जाति, या लिय के आधार पर कोई भेदभाव से वंचित नहीं किया जा सकता ।

लोकसभा की सदस्यता के लिये भारत का नागरिक होना और कम से कम २५ वर्ष की उम्र का होना आवश्यक है; साथ ही उसे अयोग्यताओं से मुक्त होना चाहिए । अयोग्यताएँ ये हैं : (क) भारत या किसी राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर होना, यदि संसद् ने कानून द्वारा उस पद को अयोग्यता से मुक्त न कर दिया हो । मंत्री, उपमंत्री, ससदीय सचिव, राजकीय मंत्री आदि के पद इस प्रकार मुक्त हैं; (ख) पागल या दिवालिया होना; (ग) जनप्रतिनिधित्व नियम १९५० के अंतर्गत संसद् ने कुछ और भी अयोग्यताएँ निश्चित कर दी हैं । वे हैं—किसी ग्यायालय द्वारा निर्वाचन संबंधी अपराध या भ्रष्टाचार के लिये दंडित होना, किसी अन्य अपराध के लिये दो वर्ष या अधिक समय के लिये कारावास का दंड पाना, सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार या वेशद्रोह के लिये पदच्युत किया जाना, किसी सरकारी या अर्धसरकारी निगम का निदेशक या प्रबंधक होना, किसी सरकारी ठेके, लोककर्म या नौकरी में कोई स्वार्थ होना आदि । इन सब बातों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा, अथवा लोकसभा और किसी राज्य के विधानमंडल का एक ही साथ सदस्य नहीं हो सकता ।

निर्वाचन आयोग—संसद् और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन के संचालन के लिये एक निर्वाचन आयोग है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त होता है और आवश्यक सहायों में अन्य आयुक्त । आयुक्तों की स्थिति संबंधी स्वतंत्र बना दी गई है जिससे वे निष्पक्षता के साथ काम कर सकें । निर्वाचन आयोग के चार प्रकार के कार्य हैं अर्थात् १. संसद् और राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव के लिये मतदाताओं की सूची तैयार करना, २. निर्वाचनों का संचालन और अर्धीक्षण, ३. निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन अधिकरणों को नियुक्त करना, और ४. निर्वाचन के उपरांत किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठे तो उसका निर्णय करना ।

निर्वाचन विवाद—जैसा ऊपर कहा गया है, लोकसभा की सदस्यता के निर्वाचन विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा होता है । प्रत्येक विवाद के निर्णय के लिये एक पृथक् अधिकरण बनाया जाता है ।

लोकसभा की अवधि—लोकसभा की अवधि साधारणतया ५ वर्षों की होती है, परंतु राष्ट्रपति उससे पहले भी किसी समय उसका विघटन कर सकता है । सकटकालीन घोषणाकाल में लोकसभा की अवधि एक एक वर्ष करके कितनी ही बार बढ़ाई जा सकती है, परंतु यह कार्य संसद् की विधि ही के द्वारा हो सकता है, और घोषणाकाल की समाप्ति के छह महीनों के अंदर ही विघटन होना आवश्यक है ।

लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि—लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा होता है । प्रत्येक नई लोकसभा नए सिरे से अपना अध्यक्ष चुनती है । वह समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को हटा भी सकती है । उसे संसद् द्वारा नियत वेतन तथा भत्ता मिलता है । उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष ही की

भक्ति चुना या हटाया जा सकता है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका आसन ग्रहण करता है । इनके अतिरिक्त, संसद् के प्रारंभ ही में अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों में से छह सभापतियों को नामांकित कर देता है और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो इनमें से कोई अध्यक्षता करता है ।

भारत में ब्रिटेन की भाँति के निर्दलीय अध्यक्ष की परंपरा नहीं स्थापित हो सकी है । यहाँ का लोकसभा का अध्यक्ष अभी तक बहुमत दल का ही सदस्य रहा है । अध्यक्ष निर्वाचित होने पर भी वह अपने दल की सदस्यता नहीं छोड़ता । निर्वाचन के अवसर पर उसका चुनाव भी निर्विरोध नहीं होता, जैसा कि ब्रिटेन में कामंस सभा के स्पीकर का होता है । तो भी, व्यवहार में, लोकसभा के अध्यक्ष साधारणतया निष्पक्ष रूप से ही काम करते रहे हैं । संविधान का मुकाब भी उसकी निष्पक्षता की ही ओर है, क्योंकि उसे प्रवि-निवारण के लिये ही मतदान का अधिकार है, साधारण मत देने का नहीं । इसके अतिरिक्त उसका वेतन संचितनिधि पर आरोपित व्ययो से है जिसपर संसद् का मतदान द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है । इस सब का अभिप्राय यही है कि अध्यक्ष किसी प्रकार के विवाद में न पड़े ।

अध्यक्ष की मुख्य शक्तियाँ हैं—सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदस्यों को बोलने का अवसर देना, प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों का निर्णय करना, सदन में व्यवस्था तथा वादविवाद में प्रासंगिकता बनाए रखना, गड़बड़ी करनेवाले सदस्यों को दंड देना, प्रस्तुत प्रश्नों पर सदस्यों का मत लेना तथा परिणाम घोषित करना आदि । वह यह भी निर्णय करता है कि कोई विधेयक वितीय है या नहीं । संसद् की प्रक्रिया के नियम ( १९५० ) उसे अनेक प्रकार की अन्य शक्तियाँ भी देते हैं । सदन के कार्य का क्रम उसके परामर्श से निश्चित होता है । प्रश्नों और स्थगन प्रस्तावों को वह पूछे या प्रस्तुत किए जाने से रोक सकता है । राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच पत्रव्यवहार आदि उसी के माध्यम से होता है ।

गणपूर्ति—लोकसभा की बैठकों के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या के दशमांश से होती है ।

लोकसभा के कार्य—विधिनिरमाण के विषय में लोकसभा प्रबल सदन है और वित्तीय मामलों में तो एकमात्र उसी का अधिकार है । मंत्रिमंडल लोकसभा ही के प्रति उत्तरदायी है और औपचारिक दृष्टि से लोकसभा जब चाहे तभी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ कर सकती है । अपनी इस तथा वित्तीय शक्ति द्वारा लोकसभा समस्त संघीय शासन का नियंत्रण कर सकती है । जनता के प्रत्यक्ष रीति से चुने प्रतिनिधियों से बनी होने के कारण वह राज्य तथा संसद् का सबसे शक्तिशाली अंग है । वास्तव में व्यावहारिक अर्थ में वही संसद् है ।

### संसद् की कार्यवाही

संसद् के सत्र—संसद् के सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, परंतु किन्हीं दो सत्रों के बीच में छह महीने से कम का ही अंतर होना चाहिए । साधारणतया वर्ष में संसद् के दो सत्र होते हैं, एक जनवरी से मार्च या अप्रैल तक और दूसरा सितंबर से नवंबर या दिसंबर



तक। आवश्यक हो तो जुलाई से अगस्त या सितंबर तक ग्रीष्म सत्र भी बुलाया जा सकता है।

**स्थगन, विसर्जन और विघटन** — प्रत्येक दिन की बैठक से दूसरे दिन की बैठक तक काम बंद करने को स्थगन कहते हैं और यह स्थगन अग्र्यक्ष करता है। सत्र के अंत के विराम को विसर्जन तथा पाँच वर्षों की अवधि पूरी होने या दूसरे कारण से लोकसभा को भंग कर देने को विघटन कहते हैं। विघटन के उपरांत पुनः निर्वाचन होता है। विसर्जन और विघटन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है।

**दैनिक कार्यक्रम** — निर्वाचन के उपरांत नई संसद् के सदस्य सदस्यता की शपथ लेते और सदस्यसूची में अपने हस्ताक्षर करते हैं। तत्पश्चात् लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर नियत तिथि तथा समय पर दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के आशुषण के लिये एकत्र होते हैं। इस आशुषण में देश की स्थिति, विदेशी संबध, शासन की नीति तथा वर्तमान सत्र में होनेवाले कार्यों का सक्षिप्त विवरण रहता है। इसके उपरांत दूसरे दिन राष्ट्रपति को अन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत होता है और पर्याप्त वादविवाद के उपरांत वह पारित होता है। यदि वह प्रस्ताव पारित न हो सके तो यह मन्त्रिमंडल में अविश्वास का सूचक है।

प्रत्येक दिन की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने का है। शासन के प्रत्येक मंत्री या उपमंत्री से उसके विभाग के सबध का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर पर्याप्त न हो तो पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न के घंटे के बाद कोई भी सदस्य किसी आवश्यक सांबंजनिक महत्व के विषय पर वादविवाद के लिये कार्यस्थगन का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। उसके उपरांत कार्यक्रम के अनुसार अन्य प्रस्ताव, विधेयक, वक्तव्य या अन्य कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। सदनों का अधिकांश समय विधेयकों के पारित करने में ही लगता है, परंतु यदा कदा शासन के नीति संबंधी वक्तव्य या किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर वादविवाद भी होते हैं।

अधिकांश कार्य सरकारी ही होता है जैसे मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत विधेयक, प्रस्ताव, या अन्य कार्य, परंतु प्रति सत्र में कुछ दिन गैर सरकारी कार्य के लिये भी नियत कर दिए जाते हैं जिनमें साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावों पर विचार होता है।

**संसद् के विशेषाधिकार तथा विमुक्तियाँ** — संसद् में कही गई किसी बात के लिये किसी सदस्य पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सत्रावधि में और उसके ४० दिन पूर्व और ४० दिन उपरांत तक किसी दीवानी मामले में सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को जुरी बनने या गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

सदस्यों के विशेषाधिकार के अतिरिक्त संसद् के भी विशेषाधिकार तथा विमुक्तियाँ हैं। जब तक संसद् अन्यथा नियंत्रण न करे, ये अधिकार वही हैं जो ब्रिटिश कॉमंस सभा के हैं। इनमें के मुख्य मुख्य अधिकार हैं प्रकाशन की स्वतंत्रता, अपनी बैठकों से

बाहरी लोगों को निकाल बाहर करने का अधिकार, अपने आंतरिक मामलों एवं कार्यवाही के नियंत्रण करने का अधिकार और इन बातों से न्यायालयों के हस्तक्षेप से विमुक्ति ( सिवाय अपराध के मामले में ), संसद् में दुर्भ्यवहार करनेवालों को दंड देने का अधिकार और अपने विशेषाधिकारों या विमुक्तियों को भंग करनेवालों को उसी प्रकार दंड देने का अधिकार जैसे न्यायालय अपने अपमान के लिये दंड देते हैं। ये दंड सदस्यों को भी दिए जाते हैं और बाहरी लोगों को भी, और तीन प्रकार के हैं अर्थात् अध्यक्ष द्वारा डाँट फटकार अथवा बलपूर्वक सदन के समक्ष लाकर फिर डाँट फटकार, अथवा कैद; कैद के दंड की यदि पहले ही समाप्ति न हो चुकी हो, तो सत्रावसान पर समाप्ति ही जाती है।

संभदीय विशेषाधिकारों का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, इसके नियंत्रण के लिये संसद् के १५ सदस्यों की एक विशेषाधिकार समिति है।

**सदस्यों के वेतन और भत्ते** — १९५४ के एक कानून द्वारा संसद् सदस्यों को ४०० रुपया मासिक वेतन, और २१ रुपया प्रतिदिन भत्ता मिलता है। भत्ता उन्ही दिनों का मिलता है जब वे सरकारी कार्य के लिये दिल्ली में रहें। इसके अतिरिक्त उन्हें रेलयात्रा का प्रथम श्रेणी का पास भी मिलता है जिससे वे देश में कहीं भी यात्रा कर सकें।

**संसद् और न्यायालय** — न्यायालयों के विचाराधीन किसी विषय पर संसद् में वादविवाद नहीं किया जा सकता और न संसद् किसी न्यायाधीश के कार्य की आलोचना कर सकती है, सिवाय उस दशा के जब किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने का प्रश्न उसके सामने हो। न्यायालय भी संसद् की किसी कार्यवाही को नियम-विरुद्धता के आधार पर दोषयुक्त नहीं ठहरा सकते, और न अध्यक्ष आदि के किसी नियंत्रण पर आपात् कर सकते हैं।

**संसद् की भाषा** — पार्लमेंट की कार्यवाही की दो भाषाएँ हैं, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी का प्रयोग प्रथम १५ वर्षों के लिये ही रखा गया था, परंतु संविधान के १९६३ के एक संशोधन द्वारा उसकी अवधि अनिश्चित काल के लिये बढ़ा दी गई है। यदि कोई इन दोनों भाषाओं से अनभिज्ञ हो तो सदन के अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। विधेयकों, कानूनों, नियमों आदि की भाषा भी हिंदी और अंग्रेजी ही है।

**संसद् की समितियाँ** — संसद् के सदन आकार में बड़े होने के कारण उनमें किसी विषय की विस्तृत ध्यानधन नहीं हो सकती। सभी सदस्य सभी विषयों का ज्ञान अथवा उनमें रूचि भी नहीं रखते। अतः कार्यसंचालन की सुविधा के लिये प्रत्येक संसद् में बहुत सी अपेक्षाकृत छोटी छोटी समितियाँ होती हैं। भारतीय संसद् की निम्नलिखित ११ समितियाँ हैं—

१. कार्यवाही परामर्श समिति — लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। यह सदन के कार्यक्रम को निश्चित करने में परामर्श देती है। २. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्ताव-वाची समिति — इसका कार्य गैर सरकारी विधेयकों और प्रस्तावों की

विभिन्न दृष्टिकोणों से जाँच करके यह परामर्श देना है कि उनमें से कौन कौन सदन के सामने प्रस्तुत किए जायें। ३. विधेयकों पर प्रवर समितियाँ — विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरांत विस्तृत जाँच के लिये वे बहुधा किसी प्रवर समिति के पास भेजे दिए जाते हैं। प्रवर समिति का कार्य विधेयक की जाँच करके उचित संशोधनों के सुझावों के साथ प्रतिवेदन या रिपोर्ट देना है। ४. आवेदनपत्र समिति — इसका कार्य संसद् के पास भेजे आवेदनपत्रों पर विचार करके संसद् को परामर्श देना है। ५. अनुमान समिति — यह केवल लोकसभा की समिति है। इसका अध्यक्ष कोई गैर सरकारी सदस्य होता है। इसके कार्य चार प्रकार के हैं अर्थात् (क) मितव्ययिता, संगठन और शासनदक्षता के विषय में सुझाव देना, (ख) दक्षता और मितव्ययिता के लिये वर्तमान शासननीति का विकल्प अर्थात् उसी उद्देश्य की साधिका किसी अन्य नीति को बतलाना, (ग) धन का वितरण नीति के अनुसार उचित रीति से हुमा है या नहीं, इसकी जाँच करना, और (घ) यह सुझाव देना कि आय व्यय के अनुमान किस रूप में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किए जायें। इन उद्देश्यों से यह समिति प्रतिवर्ष तीन या चार विभागों के आयव्ययक में दिए अनुमानों की जाँच करके रिपोर्ट देती है। इसका कार्य आयव्ययक पारित होने के बाद भी चलता रहता है। ६. सार्वजनिक लेखा समिति — इसका कार्य सरकारी व्यय की जाँच कर यह बतलाना है कि प्रत्येक व्यय संसद् द्वारा पारित आयव्ययक के अनुसार उचित रूप से हुमा है या नहीं। यह समिति अपना कार्य नियंत्रक और मुख्य लेखापरीक्षक की सहायता से करती है और विभागीय कर्मचारियों को भी बुलाकर व्यय के अक्षरों के विषय में पूछताछ करती है। इसकी रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष जाती है और वहाँ उसपर वादविवाद होता है। ७. विशेषाधिकार समिति — यदि कभी संसद् के विशेषाधिकार के भंग होने का कोई प्रश्न उठे, तो उसकी जाँच करना इस समिति का काम है। ८. प्रवृत्त विधेयक समिति — इस समिति का कार्य यह जाँच करना है कि संसद् के कानूनों द्वारा मंत्रियों या विभागीय कर्मचारियों को दिए हुए नियम, उपनियम आदि बनाने के अधिकार का उचित ढंग और उचित सीमा के भीतर प्रयोग हो रहा है या नहीं। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ९. शासकीय आवासन समिति — इस समिति का काम यह जाँच करते रहना है कि मंत्रियों द्वारा दिए हुए आवासन किस मात्रा में पूरे किए गए हैं। १०. सदस्यों की अनुपस्थिति विधेयक समिति — यह संसद् सदस्यों के छुट्टी के लिये दिए हुए आवेदनपत्रों पर विचार करती है और यह भी निर्णय करती है कि यदि कोई सदस्य बिना छुट्टी लिए ६० या अधिक दिन अनुपस्थित रहे, तो उसे समा कर दिया जाय या उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाय। ११. गियम समिति — इसका काम यह है कि कार्यवाही के नियमों में समय समय पर परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता हो तो उसका सुझाव देती रहे।

### संसद् के कार्य

संसद् के कार्य मुख्यतः तीन प्रकार के हैं अर्थात् १. विधिनिर्माण, २. वित्तीय कार्य अर्थात् सरकारी व्यय राशियों की स्वीकृति तथा

कर लगाना आदि, और ३. प्रश्नों, प्रस्तावों, वादविवाद, तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा शासन का नियंत्रण।

विधिनिर्माण की प्रक्रिया तथा संसद् की विधिनिर्माण की शक्तियाँ — संसद् सत्र और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर विधिनिर्माण कर सकती है और कुछ परिस्थितियों में राज्यसूची के विषयों पर भी। संकटकालीन घोषणा के समय के अतिरिक्त संसद् का कोई भी विधान मूल अधिकारों के विरुद्ध न होना चाहिए और न संविधान की अन्य किसी धारा के विरुद्ध। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय संसद् ब्रिटिश पार्लियामेंट की भाँति संप्रभुत्व संपन्न नहीं है। उसकी शक्तियाँ बृहत् होते हुए भी असीम नहीं हैं।

विधिनिर्माण प्रक्रिया के सात सोपान — विधिनिर्माण के लिये पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे विधेयक कहते हैं। विधेयक की संसद् में प्रगति के सात सोपान हैं

प्रथम सोपान है विधेयक का संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रथम वाचन। वित्तीय और कुछ अन्य प्रकार के विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के प्रस्तुत नहीं किए जा सकते और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। विधेयक को प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम सदन की अनुमति माँगी जाती है, जो साधारणतया मिल जाती है। इसके उपरांत प्रस्तुतकर्ता विधेयक का शीर्षक पढ़ देता है और आवश्यक हो तो उसकी मुख्य बातों पर एक छोटा भाषण भी करता है। यही प्रथम वाचन कहा जाता है और इसके बाद विधेयक भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है।

दूसरा सोपान है द्वितीय वाचन। नियत तिथि को प्रस्तुतकर्ता प्रस्ताव करता है कि विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। इसके अतिरिक्त वह यह भी प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पर तुरंत विचार किया जाय, अथवा वह दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाय, अथवा उसे अनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। परंतु अधिकांश विधेयक प्रवर समिति ही के पास भेजे जाते हैं। इस प्रस्ताव के उपरांत विधेयक के सिद्धांतों पर वादविवाद होता है और निर्णय किया जाता है कि विधेयक कहाँ भेजा जाय। यह द्वितीय वाचन है।

तीसरा है समिति सोपान। प्रवर समिति विधेयक पर विस्तृत विचार करके आवश्यक संशोधनों का सुझाव देते हुए एक प्रतिवेदन तैयार करके सदन के पास भेज देती है।

अगला और चौथा प्रतिवेदन सोपान है। अब सदन विधेयक पर प्रवर समिति के दिए हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार करता है। कोई भी सदस्य किसी अनुच्छेद या खंड पर स्वयं अपने भी संशोधन प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्येक अनुच्छेद और उसके संशोधनों पर वादविवाद के बाद उसपर मत लिए जाते हैं और बहुमत अनुकूल होने पर वह अनुच्छेद पारित हो जाता है। इसी प्रकार सभी अनुच्छेदों के पारित हो जाने पर प्रतिवेदन सोपान समाप्त हो जाता है।

पाँचवाँ सोपान है तृतीय वाचन। इसमें विधेयक पर, जैसा वह

प्रतिवेदन सोपान से पारित होकर आया है, पुनः सदन का मत लिया जाता है। इस समय आवश्यक शाब्दिक संशोधन ही किए जा सकते हैं, कोई विषय संबंधी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं। तृतीय वाचन में पारित हो जाने के उपरांत विधेयक उस सदन द्वारा पारित समझा जाता है और अध्यक्ष के इस भाषण के प्रमाणपत्र के साथ दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

छठा सोपान है उसका द्वितीय सदन में पारित होना। वहाँ भी ऊपर लिखी प्रक्रिया दुहराई जाती है अर्थात् प्रथम, द्वितीय वाचन, समिति और प्रतिवेदन सोपान, एवं तृतीय वाचन आदि होते हैं। यदि वह उसी रूप में पारित हो गया तो ठीक है, अन्यथा जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराके मतभेद को दूर किया जा सकता है और संयुक्त बैठक में पारित विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

सातवें और अंतिम सोपान में विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है और स्वीकृति मिल जाने पर विधि या कानून बन जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति न देकर विधेयक को पुनर्विचार के लिये भेज दे। उस दशा में यदि पुनर्विचार करके दोनों सदन विधेयक को पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है।

#### वित्तीय प्रक्रिया

वित्तीय विधेयक — ऊपर साधारण विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया इससे भिन्न होती है। वित्तीय विधेयक वे विधेयक हैं जिनमें कर लगाने, ऋण लेने, व्यय के लिये धन की स्वीकृत लेने, लेखापरीक्षण आदि की व्यवस्था हो। किसी विधेयक के वित्तीय होने या न होने के विषय में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम माना जाता है।

संसदीय वित्त व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि संसद् (मुख्यतः लोकसभा) की विधि द्वारा दी हुई मंति के बिना न तो एक पाई व्यय ही की जा सकती है और न एक पाई का भी कर लगाया या ऋण लिया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति अर्थात् शासन ही की माँग पर संसद् व्यय स्वीकृत करती या कर लगा सकती है। गैर सरकारी सदस्य व्यय या करों में कमी का प्रस्ताव कर सकते हैं, परंतु नया या अधिक व्यय करने, अथवा नया या अधिक कर लगाने का प्रस्ताव नहीं कर सकते। तीसरा सिद्धांत यह है कि समस्त सरकारी धनराशि, चाहे वह करो से हो या ऋण या किसी अन्य सूत्रों से, भारत की संविधानविधि नामक कोष ही में जमा हो, और समस्त व्यय भी उसी से किए जायें। आकस्मिक व्ययों के लिये १५ करोड़ रुपयों की एक आकस्मिक निधि या फंड की भी व्यवस्था है। चौथा सिद्धांत यह है कि जनता की प्रतिनिधि लोकसभा का ही वित्तीय मामलों में स्वामित्व है और इस कारण राज्यसभा के वित्तीय अधिकार नाममात्र के हैं और राष्ट्रपति भी वित्तीय विधेयकों पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता।

यों तो छोटे मोटे अनेक वित्तीय विधेयक लोकसभा के सामने

आते रहते हैं, पर प्रति वर्ष का प्रधान वित्तीय विधेयक आय-व्ययक या बजट होता है। आयव्ययक के दो भाग होते हैं जिसमें प्रथम भाग में वर्ष में होनेवाले सभी विभागों के व्ययों का अनुमान रहता है और दूसरे में आय का अनुमान। भारत में दो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं एक रेलों का बजट और दूसरा सामान्य बजट। संविधान में 'बजट' शब्द के बदले 'वार्षिक वित्तीय विवरण' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

बजट को वित्तमंत्री लोकसभा में एक भाषण के साथ प्रस्तुत करता है। इस भाषण को बजट भाषण कहा जाता है। बजट संबंधी प्रक्रिया के पाँच सोपान हैं, अर्थात् १. लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना, २. उसपर सामान्य वादविवाद, ३. विभिन्न माँगों पर मतदान, ४. माँगों को व्यय विधेयक में एकत्र करके उसे पारित करना, और ५. राजस्व विधेयक का पारित होना।

सामान्य वादविवाद के लिये लगभग तीन दिन का समय दिया जाता है और इसमें बजट की मूल नीति पर बहस होती है। इसके उपरांत लोकसभा विभिन्न माँगों की पूर्ति के लिये धनराशियों का मतदान द्वारा निर्णय करती है। साधारणतया प्रत्येक मंत्रालय के व्यय का अनुमान एक अथवा कई माँगों के रूप में प्रस्तुत होता है। प्रतिरक्षा मंत्रालय का व्यय छह माँगों के रूप में रखा जाता है। सामान्य बजट में कुल १०६ माँगें और रेलवे बजट में २३ माँगें होती हैं। लोकसभा को सामान्य बजट की कुल माँगों का निपटारा २६ दिन में करना पड़ता है। प्रबो की धनराशि का व्यय इन्हीं २६ दिनों में स्वीकृत हो जाता है। यह स्पष्ट ही है कि इन परिस्थितियों में कोई विस्तृत या गहरा विचार नहीं हो सकता। जब कोई मंत्री अपने विभाग की किसी माँग को प्रस्तुत करता है तो साधारणतया कोई सदस्य एक रुपया या सौ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता है। इस प्रस्ताव पर जो वादविवाद होता है उसमें वह सदस्य और उसके समर्थक संबंधित विभाग या उपविभाग के शासन की आलोचना करते हैं। मंत्री के स्पष्टीकरण या सुधार के आश्वासन के बाद साधारणतया कटौती प्रस्ताव हटा दिया जाता है, या न भी हटाया जाय तो मंत्रिमंडल का सदन में बहुमत होने के कारण वह गिर जाता है। वास्तव में कटौती प्रस्तावों का उद्देश्य मितव्ययिता न होकर शासन की त्रुटियों की आलोचना करना होता है। मितव्ययिता की दृष्टि से बजट पर पूरा और विस्तृत विचार उसके प्रस्तुत होने के पूर्व ही वित्त मंत्रालय कर लेता है।

व्यय के अनुमान का एक बड़ा भाग संचित निधि पर आरोपित व्ययों का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, राष्ट्रीय ऋण के ब्याज और चुकता करने के व्यय, कुछ प्रकार की अचकाशवृत्तियाँ और कुछ अन्य व्यय, संचित निधि पर आरोपित व्यय हैं। इनपर वादविवाद हो सकता है, पर इनको मतदान द्वारा पारित नहीं किया जाता।

जब सब माँगों का निपटारा हो चुकता है तो उन्हें एक व्यय विधेयक में एकत्र किया जाता है। और यह अन्य विधेयकों की भाँति ही लोकसभा में पारित किया जाता है। यह पारित होना

अधिकतर औपचारिक मात्र है। इसमें संशोधन आदि नहीं किए जाते। पारित हो जाने के उपरान्त लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि यह विधेयक वित्तीय विधेयक है और फिर वह राज्य-सभा के पास भेज दिया जाता है।

राज्यसभा बजट या किसी भी वित्तीय विधेयक पर वादविवाद कर सकती और अपने सुझाव मात्र दे सकती है। लोकसभा उन्हें मानने को बाध्य नहीं है। सुझाव यदि १४ दिन में न आएँ, या आएँ तो उनपर लोकसभा के निर्णयों के साथ विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्र-पति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

व्यय विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा एक राजस्व विधेयक पारित करती है। यह बजट का प्रायः संबंधी भाग है और इसमें अगले वर्ष लगाए जानेवाले करो का विवरण रहता है। प्रत्येक कर प्रति वर्ष नहीं लगाना पड़ता परंतु आयकर की भाँति के कई कर प्रतिवर्ष नए सिरे से लगाने पड़ते हैं। राजस्व विधेयक के पारित होने की भी वही प्रक्रिया है जो ऊपर व्यय विधेयक के विषय में बतलाया जाएगा है।

अग्रिम अनुदान — नया वित्तीय वर्ष भारत में पहली अप्रैल को प्रारंभ हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि बजट उस समय तक पारित हो जाय, परंतु व्यय तो तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है। पहली अप्रैल और बजट पारित होने की तिथि की बीच की अवधि में व्यय चलाने के लिये लोकसभा शासन को पर्याप्त धन अग्रिम अनुदान के रूप में दे देती है। बजट पारित हो जाने पर यह अग्रिम अनुदान स्वीकृत व्ययराशियों में से काट लिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यय भी आ सकते हैं जिनका ठीक अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता, जैसे किसी शासन युद्ध का व्यय। इसके लिये लोकसभा एक धनराशि स्वीकृत कर देती है कि उसमें से आवश्यक व्यय होता रहे। इसे प्रत्ययानुदान कहते हैं। लोकसभा विशेष अनुदान भी किसी ऐसे कार्य के लिये दे सकती है जो सामान्य बजट के साधारणतया बालू व्ययों में नहीं आता। किसी भी सेवा या कार्य के लिये बजट में किया हुआ व्यय यदि अपर्याप्त सिद्ध हो तो उसके लिये लोकसभा से पूरक अनुदान माँगना पड़ता है।

भारत की आकस्मिक निधि — यदि ऊपर लिखी रीतियों से काम न चलकर कोई आकस्मिक व्यय की आवश्यकता आ पड़े तो उसे पूरा करने के लिये १५ करोड़ रुपयों की आकस्मिक निधि नाम का अलग कोष है जो राष्ट्रपति के हाथों में रखा गया है। इसमें से राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर शासन को धन दे सकता है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक — सचिव निधि में से कोई व्यय संसद् के कानून के विरुद्ध न हो सके, इसपर दृष्टि रखने के लिये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक नामक एक उच्च कर्मचारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु संसद् के दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव के बिना वह हटाया नहीं जा सकता। उसका वेतन सचिव निधि पर आरोपित व्यय है और उसके कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता। ये व्यवस्थाएँ उसे शासन के दबाव से मुक्त रखने के लिये की गई हैं जिससे वह सर्वथा स्वतंत्र और निष्पक्ष

रीति से काम कर सके। वास्तव में नियंत्रक या महालेखापरीक्षक वित्तीय मामलों में संसद् का जागरूक प्रहरी है। वह सरकारी हिसाब किताब की जाँच कराके यह देखता रहता है कि बजट के प्रतिकूल अथवा अनुचित रूप से कोई व्यय न हो। यदि हो तो वह अपने वार्षिक लेखापरीक्षण के प्रतिवेदन में उसे लिख देता है और सार्वजनिक लेखासमिति तथा संसद् शासन से उसका जवाब माँगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अनुमान समिति शासन-व्यय की विभिन्न माँगों में मितव्ययिता का सुझाव देती रहती है।

### संसद् का शासन पर नियंत्रण

भारतीय संघ के शासन का संचालन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा होता है जो अपने कार्यों के लिये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व को कार्यान्वित करने का चरम और अंतिम साधन है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को या तो तुरंत पदत्याग करना पड़ता है अथवा राष्ट्रपति से लोकसभा का विघटन करा-के नया निर्वाचन कराना पड़ता है। परंतु अविश्वास प्रस्ताव शासन के विरुद्ध लोकसभा का अंतिम अस्त्र है। राज्य-सभा को उस अस्त्र के प्रयोग का अधिकार नहीं। अतः शासन पर दिन-प्रति-दिन के नियंत्रण के लिये संसद् के पास कुछ अन्य और अच्युत साधन भी हैं जो दोनों सदनों के लिये उपलब्ध हैं। ये साधन हैं प्रश्न, प्रस्ताव और वादविवाद।

प्रश्न — दोनों सदनों में दैनिक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने के लिये नियत होता है। विभिन्न मंत्रालयों से संबंध रखने-वाले प्रश्नों को पूछने के लिये सप्ताह के भिन्न भिन्न दिन नियत हैं। हर प्रश्न की पूर्वसूचना (साधारणतया दो दिन की) देनी पड़ती है। प्रश्न संबंधी कुछ नियम हैं और प्रश्न यदि उनके विरुद्ध हो, तो अध्यक्ष उसे पूछने की अनुमति नहीं देता। प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और मंत्री या उनके स्थानापन्न प्रतिनिधि उन उत्तरों को सदन में पढ़ देते हैं। यदि उत्तर स्पष्ट या संतोषजनक न हो तो प्रश्नकर्ता या कोई भी सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। इनका उत्तर मंत्रियों को बिना पूर्व तैयारी के देना पड़ता है और इसमें उनकी प्रत्युत्पन्नमति की परीक्षा होती है।

मंत्री कभी कभी प्रश्नों का उत्तर देने से इस आधार पर इनकार भी करते हैं कि उत्तर देना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। प्रश्नों का प्रकट अभिप्राय सूचना प्राप्त करना होता है, परंतु वास्तविक अभिप्राय होता है शासन की पोल खोलना या उसकी भूलों या अस्थाचारों को संसद् के सामने प्रकाश में लाना। शासन की कोई भी बात ऐसी नहीं जिसपर प्रश्न न पूछे जा सकें और उनके पूछे जाने की संभावना मंत्रियों और शासन कर्मचारियों को सदैव सतर्क और अयत्नीत रखती है। इस प्रकार प्रश्नों के द्वारा शासन पर संसद् का महत्वपूर्ण प्रभुत्व रहता है।

प्रस्ताव — प्रस्ताव प्रश्नों से दो बातों में भिन्न होते हैं। प्रथम तो, वे प्रश्नों की भाँति नित्य प्रति नहीं प्रस्तुत किए जाते। अनेक प्रस्तावों में से धिनको प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है वे ही

प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरे, प्रस्तावों का उद्देश्य सूचना प्राप्त करने का न होकर शासन से कुछ करने की सिफारिश करना होता है। प्रस्तावों के लिये प्रश्नों की अपेक्षा अधिक लंबी पूर्वसूचना की आवश्यकता होती है। यदि शासन किसी प्रस्ताव का विरोध करे तो उसके पारित होने की संभावना नहीं रहती। पारित होने पर भी शासन उसके अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं।

सदन के स्थगन का प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों से भ्रमण ही होता है। यह तभी प्रस्तुत किया जाता है जब सार्वजनिक महत्व की कोई हाल में हुई घटना पर सदन या शासन का ध्यान आकर्षित करना हो। व्याख्यानियों के विचाराधीन किसी विषय पर ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। यदि स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में ४० सदस्य लड़े हों, तो अध्यक्ष उसपर वादविवाद के लिये समय नियत कर देता है। यदि वादविवाद के उपरांत वह पारित हो जाय तो यह मंत्रिमंडल में अविश्वास का सूचक है। अतः मंत्रिमंडल उसे पारित न होने देने की चेष्टा करता है। या तो कुछ आश्वासन देकर वह प्रस्ताव को हटवा देता है, या वादविवाद ही में इतना समय लगा देता है कि उसपर मतदान का भवसर ही नहीं आ पाता। आवश्यक हो तो मंत्रिमंडल सदन में अपने बहुमत के बल से उसे गिरा भी दे सकता है।

**वादविवाद** — यों तो संसद् में प्रस्ताव, विधेयक आदि किसी न किसी विषय पर सदैव ही वादविवाद चला करता है, परंतु वादविवाद का एक विशिष्ट या पारिभाषिक अर्थ भी है और वह है किसी महत्वपूर्ण सरकारी नीति पर लंबी और सागोपांग बहस। ऐसे वादविवादों का प्रबंध कभी मंत्रिमंडल स्वयं करता है और कभी विरोधी दल के अनुरोध पर। इस प्रकार के वादविवाद दोनों ही सदनो में होते हैं। इनका महत्व यह है कि वे शासन को अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण करने तथा उसपर पुनर्विचार करने को बाध्य करते हैं। इससे विरोधी दल को भी सरकारी नीति की चुटियाँ बतलाने तथा अपने सुझाव देने का भवसर मिलता है।

### संसद् और राजनीतिक दल

संसदीय शासनप्रणाली के संचालन के लिये राजनीतिक दल अनिवार्य माने जाते हैं। वे ही मतदाताओं को संगठित करते, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देते, निर्वाचनों के लिये अभ्यर्था लड़े करते, चुनाव लड़ते और बहुमत प्राप्त होने पर मंत्रिमंडल बनाकर शासन का संचालन करते, अन्यथा विरोध में रहकर शासन की आलोचना करते और उसे पथभ्रष्ट होने से रोकते हैं।

भारत में संगठित राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है, परंतु १९१६ के चुनावों तक मताधिकार सीमित एवं निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम होने के कारण कांग्रेस का कार्य अधिकतर संसदीय न होकर विधान मंडलों के बाहर होता था। संसदीय दलपद्धति का प्रारंभ वास्तव में १९२४ से होता है जब कांग्रेस ने पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य दल का संगठन किया। उस समय स्वराज्य दल और अन्य सभी राष्ट्रवादी दल संमिश्रित रूप से विरोधी दल का ही काम करते थे, क्योंकि शासन ब्रिटिश कर्मचारियों के हाथ में था जो न तो किसी

प्रकार से विधानमंडल के प्रति और न देश की जनता के प्रति ही उत्तरदायी थे। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के प्रतिरिक्ति कुछ अन्य दल भी थे, जैसे मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना १९०६ में हुई, हिंदू महा-सभा जिसकी स्थापना मुस्लिम लीग के विरोध में कुछ समय बाद हुई, और उदार दल जो पहले कांग्रेस का ही एक भाग था, परंतु महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आने के उपरांत १९२० में उससे भ्रमण हो गया। इनके प्रतिरिक्त सांप्रदायिक अथवा आर्थिक स्वार्थों के आधार पर भी जमींदारों, व्यापारियों, हरिजनों आदि के भी कई दल समय समय पर बनते बिगड़ते रहे, परंतु इनका कोई स्थायी महत्व न था।

स्वतंत्रता के बाद दलों की संख्या एवं विविधता में पर्याप्त वृद्धि हुई। १९६२ के चुनावों में निर्वाचन आयोग ने पाँच दलों को प्रमुख भारतीय दलों के रूप में मान्यता दी। ये हैं कांग्रेस, साम्यवादी दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और स्वतंत्र दल।

स्वतंत्रता के समय से ही अर्थात् १६ वर्षों से कांग्रेस का ही लोकसभा तथा राज्यसभा में बहुमत रहा। अन्य दल अपेक्षाकृत बहुत निर्बल रहे हैं। १९६२ के निर्वाचन के बाद लोकसभा के ४८७ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ३५५, साम्यवादियों के २९, प्रजा सोशलिस्ट दल के १२, जनसंघ के १४, और स्वतंत्र दल के १८ सदस्य थे। शेष ५६ निर्दलीय सदस्य थे।

**संसद् और मंत्रिमंडल** — संसदीय पद्धति में राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंत्री नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रत्येक मंत्री एक या अधिक शासनविभागों का अध्यक्ष होता है और इस प्रकार मंत्रिमंडल ही समस्त शासन का संचालन करता है। प्रत्येक मंत्री संसद् के किसी न किसी सदन का सदस्य होता है। बिना सदस्य हुए कोई व्यक्ति छह महीने से अधिक मंत्रिपद पर नहीं रह सकता।

भारतीय संविधान के ७५वें अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा जब चाहे, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकती है, परंतु वस्तुस्थिति हमके सर्वथा विपरीत है। अपने प्रचंड बहुमत के कारण मंत्रिमंडल लोकसभा का नेतृत्व करता और उससे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा लेता है। इसके कई कारण हैं। प्रथम स्थान में बहुमत दल के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिमंडल का विरोध नहीं कर सकते और न किसी प्रश्न पर उसके विरुद्ध मत दे सकते हैं। यदि वे मंत्रिमंडल के विरुद्ध जायें तो उन्हें दल से निकाल दिया जायगा और अगले चुनाव में उन्हें दलीय टिकट तथा समर्थन प्राप्त न होगा। आजकल बयस्क मताधिकार के कारण निर्वाचन इतना बड़ा और खर्चीला हो गया है कि जब तक कोई बहुत ही साधनमय न हो, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर जीत नहीं सकता। इसलिये बहुमत दल के सदस्य मंत्रिमंडल की नीति से मतभेद रखते हुए भी उसके विरोध में मत नहीं दे पाते। दूसरे, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से अनुरोध करके लोकसभा का किसी भी समय विघटन करवा सकता है, विशेषकर उस दशा में जब उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

पारित हो गया हो। लोकसभा के सदस्य, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे विरोधी दल के, असमय विघटन से डरते हैं, क्योंकि पुनर्निर्वाचन की झूझ उठानी पड़ती है और कोई नहीं जानता कि उसमें कौन जुना जा सके और कौन रह जाय। तीसरे, मंत्रिमंडल ही संसद् के समय का स्तम्भ है। सरकारी कार्य को सदैव प्राथमिकता मिलनी है। गैर सरकारी कार्य को पहले तो समय ही मिलना कठिन रहता है और यदि मिल भी जाय तो बिना मंत्रिमंडल की सहमता के उसका सफल होना लगभग असंभव है। चौथे, राजकल संसद् के सामने आनेवाले बहुतेरे मामले पेचीदा और कठिन होते हैं। मुदा, विनिमय, वित्त, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग आदि की समस्याएँ साधारण सदस्यों की समझ में बहुधा आती ही नहीं। मंत्री लोग विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारियों की सहायता से उनका निरूपण करते हैं और ये निरूपण साधारण सदस्यों को ज्यों के त्यों मान लेने पड़ते हैं। उनमें भीनमेख निकालना उनके वक्ता की बात नहीं।

जो ही, इसका यह अर्थ न समझना चाहिए कि संसद् नितांत अशक्त है। जब तब ऐसे प्रश्न आते हैं जब मंत्रिमंडल को लोकसभा की इच्छा के सामने झुकना पड़ता है। ब्रिटेन और भारत दोनों में इस प्रकार के उदाहरण मिले। भारत के कुछ उदाहरण हैं हिंदू कोड विधेयक में परिवर्तन, श्री कृष्ण मेनन का प्रतिरक्षा मंत्री के पद से हटाया जाना, अनिर्वाच्य बचत योजना और स्वर्णनियंत्रण के नियमों में परिवर्तन आदि। यह बात उस समय होती है जब संसद् सदस्य किसी विषय में सबल लोकमत को व्यक्त कर रहे हों। आज मंत्रिमंडल पर वास्तविक अंकुश लोकमत का है और संसद् का गौण रूप में।

**विरोधी दल** — विरोधी दल संसदीय शासन का आवश्यक अंग माना जाता है। इसी कारण, ब्रिटेन में १९३७ ई० से विरोधी दल के नेता को प्रधान मंत्री ही की भाँति वेतन मिलता है, और जैसे शासन को मन्नाजी या शासन कहा जाता है उन्ही भाँति विरोधी दल भी मन्नाजी का ही विरोधी दल कहलाता है।

विरोधी दल का कार्य है सत्तारूढ़ दल के कार्यों की निरंतर आलोचना करके उसे सतर्क रखना तथा सत्ता का दुरुपयोग करने से रोकना और यदि सत्तारूढ़ दल अपने कार्यों के कारण जनता का विश्वास खोवस तो उसके स्थान पर दूसरा मंत्रिमंडल बनाना। विरोधी दल ही यह माध्यम है जिसके द्वारा जनता एक मंत्रिमंडल को निर्वाचन द्वारा अपदस्थ करके अपनी पसंद का दूसरा मंत्रिमंडल प्राप्त कर सकती है। विरोधी दल का न होना प्रजातंत्र के लिये खतरों की घंटी है।

परंतु विरोधी दल का कार्य शासन का अकारण विरोध करना नहीं है। वास्तव में राष्ट्रीय महत्व की बातों, जैसे देश की सुरक्षा में उसका शासनारूढ़ दल से मतभेद होना आवश्यक है। उचित बातों में उसे सत्तारूढ़ दल से सहयोग करना उतना ही आवश्यक है जितना अनुचित बातों में विरोध। यदि विरोधी दल भीषित्य अनौचित्य का बिना विचार किए सर्वदा विरोध ही करता रहे तो उसे अनुसाराधी समझा जाता है।

विरोधी दल के प्रभावशाली रूप से काम करने के लिये यह आवश्यक है कि वह अशक्त न हो और संसद् में उसकी संख्या सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा बहुत कम न हो। यदि विरोधी दल बहुत अशक्त हो और उसके चुनावों में विजयी होकर सत्तारूढ़ होने की संभावना ही न रहे, तो वह अनुसाराधी होकर अनगल आलोचना और तोड़फोड़ में लग जाता है। भारत में विरोधी दलों की कुछ ऐसी ही दशा है। संसद् में कांग्रेस का ७० प्रतिशत से ऊपर बहुमत रहा है और विरोधी दल एक न होकर अनेक हैं और उनकी नीतियाँ इतनी भिन्न हैं कि वे कारगर रूप से संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते।

**दलों का संसदीय संगठन** — सत्तारूढ़ दल का प्रधान संसदीय संगठन मंत्रिमंडल होता है। उसका नेता प्रधान मंत्री होता है। प्रत्येक विरोधी दल का भी एक नेता होता है जो दल के कुछ अन्य मुख्य सदस्यों के साथ 'छाया मंत्रिमंडल' बनाता है। प्रत्येक दल के एक या एक से अधिक 'सचेतक' होते हैं, जिनका काम दल के नेताओं के आदेशों को सदस्यों तक पहुँचाना, उन्हें सदन में मतदान के समय उपस्थित रखना, और क्या करना या नहीं करना है, इसका निर्देश देते रहना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक को मंत्रिपद प्राप्त है, संसदीय मामलों का मंत्री। केंद्रीय कांग्रेस विधायक दल में प्रधान मंत्री के अतिरिक्त, जो लोकसभा का नेता होता है, दो उपनेता, दो सचिव, और एक कोषाध्यक्ष भी होते हैं।

संसद् से बाहर प्रत्येक दल का एक देशव्यापी संगठन भी होता है जो दल का प्रधान कार्य, धनसंचय, तथा चुनाव लड़ने आदि का कार्य भी करता है। [म० प्र० श०]

**संसदीय विधि ( पार्लमेंटरी ला )** संसदीय विधि संसदीय प्रक्रिया के उन समस्त नियमों का समूह है जो विधायन प्रणाली को सुचारु रूप से मंचालित करने के लिये सामान्य रूप से आवश्यक माने जाते हैं। यद्यपि देशकाल के अनुरूप ऐसे नियम कुछ विषयों में अलग अलग हो सकते हैं किंतु संसदीय विधि का मूल स्रोत इंग्लैंड की संसद् के वे नियम हैं जिनके अनुसार विधिनियम, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा आर्थिक विषयों के नियमन हेतु ऐसी प्रक्रियाएँ बनाई जाती हैं जिनसे इन विषयों पर सदन का मत ज्ञात होता है। अतः सर्वप्रथम संसद् के सत्र को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल आहूत करता है। सत्र आरंभण के पश्चात् सदन का कार्य-संचालन सदन का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष विभिन्न विषयों पर सदन का मत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, प्रस्तावों तथा उनपर मतगणना के परिणामों से ज्ञात करता है। अतः प्रस्तावों तथा संबंधित प्रश्नों पर समुचित रूप से विचार करने के लिये एक कार्यसूची बनाई जाती है जिसके अनुसार प्रस्तावक अथवा प्रश्नकर्ता के लिये समय नियत किया जाता है।

प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। कार्यपालिका के अनुचित कृत्यों अथवा अन्य कृतियों पर प्रश्नोत्तर के समय अध्यक्ष अपनी व्यवस्थाएँ देता है। ऐसे समय केवल संसदीय भाषा का प्रयोग अपेक्षित होता है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जो व्यायाज्य के

विचाराधीन हो अथवा किसी कारण से अध्यक्ष उसको आवश्यक नहीं समझता। सामान्य रूप से प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम, अक्षरसूचित प्रश्न जिनके सांजनिमक महत्व के होने के कारण उनका उत्तर अध्यक्ष की व्यवस्थानुसार तुरंत ही संबंधित मंत्री को देना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो अध्यक्ष मंत्री को कुछ और समय देने की व्यवस्था दे सकता है। द्वितीय, तारांकित प्रश्न जिनका उत्तर शासन की ओर से भौखिक दिया जाता है। तृतीय, अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। उत्तर अर्पण होने की दशा में अध्यक्ष अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति भी दे सकता है।

सदन का मत प्रस्ताव तथा उसपर मतगणना से भी ज्ञात किया जाता है। मुख्य रूप से प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं। प्रथम मुख्य प्रस्ताव, द्वितीय गौण प्रस्ताव। गौण प्रस्ताव उचित रूप से सूचित एवं अध्यक्ष की अनुज्ञा से उपस्थित किए गए मुख्य प्रस्ताव पर विवाद के समय रखे जाते हैं, जैसे कार्य स्थगित करने के लिये प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मुख्य प्रस्ताव को छोड़कर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये प्रेरित करता है। विवादात् प्रस्ताव का उद्देश्य किसी प्रश्न पर अनावश्यक विवाद को समाप्त करना होता है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर प्रश्न तुरंत सदन के समक्ष मतगणना के लिये रख दिया जाता है। मुख्य प्रस्ताव के संशोधन अथवा उसपर विचार करने हेतु निर्धारित समय को बढ़ाने हेतु भी गौण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रकार का प्रस्ताव सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा किसी मंत्री या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी होता है। इस प्रस्ताव के उचित रूप से सूचित करने के पश्चात् उसपर विचार किया जाता है। प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार के उपरांत मतगणना की जाती है। मतदान का कोई रूप प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे हाथ उठाकर, प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों को अलग अलग खड़ा करके, एक एक से बात करके अथवा गुप्त मतदान पेट्टी में मतदान करवा कर। यदि आवश्यक समझा जाय तो प्रथम तथा द्वितीय वाचन के बाद किंतु तृतीय वाचन के पूर्व विधेयक पर पूर्ण विचार करने के लिये प्रवर अथवा अन्य समितियों को विषय सौंप दिया जा सकता है।

सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये सदन को संयुक्त रूप से तथा प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से परंपरागत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ सदन में भाषण का अप्रतिबंधित अधिकार, सदन की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित अथवा न प्रकाशित करने, अजनबियों को हटाने, सदन की अपनी संरचना करने एवं प्रकिया स्थापित करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी सदस्य सत्र आरंभण के चालीस दिन पहले एवं सत्रांत के चालीस दिन पश्चात् तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, यदि उसके ऊपर कोई अपराध करने, निवारक नजरबंदी या न्यायालय अथवा सदन के अद्यतन का आरोप न हो। यदि किसी सदस्य ने अथवा अन्य किसी ने उपयुक्त विशेषाधिकारों की अवहेलना की है तो यह सदन के अद्यतन की (कंटेप्ट) का प्रश्न बन जाता है और इसके बदले सदन को स्वयं अथवा

विशेषाधिकार समिति के नियंत्रण पर दोषित व्यक्ति को दंड देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है। [ सू० कु० ]

**संस्करण** संस्कृत की 'कृ' धातु में (जिमका अर्थ है करना) सम् उपसर्ग मिलकर यह शब्द बनता है, संस्करोति, जिमका माधारण भाषा में अर्थ है मनी प्रकार करना। इसी में सरार या संस्करण बने जिनका अर्थ है मनी प्रकार किया हुआ कार्य या परिष्करण कार्य।

प्रकाशन व्यवसाय के संबंध में संस्करण का अर्थ है मुद्रित वस्तु का एक बार प्रकाशन। वास्तव में प्रकाशन व्यवसाय के सदर्भ में भी संस्करण का परिष्कृत कार्यवाही अर्थ मंत्रीक वैधता है। किमी भी पांडुलिपि को जब प्रकाशित किया जाता है तो मुद्रित पुस्तक का रूप पांडुलिपि के रूप से वही भिन्न होता है, अधिक सुंदर और आकर्षक तथा अपने समग्र रूप में अधिक परिष्कृत होता है। पांडुलिपि का संपादन होता है आवश्यकतानुसार चित्र बनते हैं, प्रेम में मुद्रण होता है, आकर्षक आवरण में भाष्य मज्जित किया जाता है, तब कहीं जाकर उसका प्रकाशन होता है। पुस्तक का 'संस्करण' अपने अर्थ को सचपुन सार्थक करता है। संस्करण का प्रयोग नई अर्थों में किया जाता है—जैसे, राज संस्करण, सामान्य संस्करण और अब पाकेट बुक्स (या सस्ता) संस्करण। राज संस्करण में पुस्तक में कागज बढ़िया लगाया जाता है, जिन्दगी जैसे विस्म की होती है और उसका मूल्य भी अधिक होता है। सामान्य संस्करण, जैसा नाम से स्पष्ट है, सामान्य ही होता है और आम खरीदार का ध्यान में रखकर प्रकाशित किया जाता है। बीसवीं सदी में मध्य वर्ग की आमदनी का ध्यान में रखते हुए (क्योंकि मध्य वर्ग ही पुस्तकों का सबसे बड़ा पाठक है) अच्छी, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित करने की प्रथा चल पड़ी है, जो समय के साथ साथ खूब फूली फली है। विदेशों में जिन पुस्तकों के सामान्य संस्करण की ३०००-१०००० प्रतियाँ मिलती हैं, उन्हीं के सस्ते संस्करण की १००००० से २००००० प्रतियाँ तक आमानी से बिक जाती हैं। लेखक और प्रकाशक दोनों को ही इसमें अधिक लाभ होता है। हमारे देश में भी अब पाकेट बुक्स का प्रकाशन आरंभ हो गया है और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। पुस्तकों का यह संस्करण सर्वाधिक उपयोगी है, और पाठक जनता तक इसी की सर्वाधिक पहुँच है, इसीलिये बड़े से बड़े लेखक अपनी पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित कराने में ध्यानदित होते हैं।

पहली बार प्रकाशित हो जाने के बाद जब किमी पुस्तक की सारी प्रतियाँ बिक जाती हैं तो कहा जाता है कि पुस्तक का एक संस्करण समाप्त हो गया। यदि पुस्तक की माँग हा तो उसे पुनः प्रकाशित किया जाता है। पुस्तक को यदि ज्यो वा ज्यो प्रकाशित कर दिया जाय तो उसे 'पुनर्मुद्रण' कहते हैं, किंतु यदि उसे कुछ संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन के साथ प्रकाशित किया जाय तो उसे 'नवीन संस्करण' कहा जाता है।

दैनिक पत्रों के भी संस्करण होते हैं; जैसे, नगर संस्करण, पहला डाक संस्करण, दूसरा डाक संस्करण, माय संस्करण आदि। प्रत्येक संस्करण में पत्र का रूप कुछ बदला हुआ रहता है। नगर

संस्करण में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचारों, स्थायी स्तंभों, तथा अन्य प्रमुख समाचारों के साथ साथ स्थानीय समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। डाक संस्करण अलग अलग समय पर निकलते हैं और जिन नगरों या क्षेत्रों को भेजे जाने होते हैं उनसे संबंधित समाचारों पर उनमें जोर दिया जाता है। अनेक पत्रों के प्रातः और सायं संस्करण प्रकाशित होते हैं। पत्रों के संस्करणों में जो समाचार पुराने पड़ते जाते हैं वे पिछले पृष्ठों में क्रमशः डाल दिए जाते हैं, और उनका स्थान नए प्रमुख समाचार लेते चले जाते हैं — यही क्रम चलता जाता है और चौबीस घंटे बाद वह समाचार अखबार से बाहर चला जाता है, बाली हो जाता है। उदाहरणतः यदि एक समाचार प्रातः संस्करण में दिया गया तो अगले दिन प्रातः से पहले के संस्करण तक में ही वह होगा, प्रातः संस्करण में नहीं। अनेक पत्रों के अंतरराष्ट्रीय संस्करण निकलते हैं। ये विशेष पत्रों कागज पर छापे जाते हैं और आजकल हवाई डाक से भेजे जाते हैं। अनेक दैनिक पत्रों के एक सप्ताह के प्रमुख समाचारों के सार संक्षेप में पुनः एक विशेष संस्करण में प्रकाशित करके विक्रीत होते हैं।

सामाजिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्रपत्रिकाओं के भी राज या सामान्य संस्करण प्रकाशित होते हैं। अनेक के अंतर-राष्ट्रीय संस्करण, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रकाशित होते हैं। कभी कभी कोई पत्रिका कई भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होती है, तदनुसार उसके हिंदी संस्करण, मराठी संस्करण आदि होते हैं। अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के विशेष संस्करण कभी कभी एक विशेष देश के लिये ही होते हैं — मसलन, भारतीय संस्करण, पाकिस्तानी संस्करण आदि। ऐसा करने के अनेक कारण हैं, मुद्रा का विनिमय जिनमें प्रमुख है। [ वि० ना० ]

**संस्कार (हिंदू)** 'संस्कार' का अर्थ है शुद्ध किया जाना। अर्थात् जाति में वे कृत्य या विधान संस्कार कहलाते हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत द्विज वर्णों में आवश्यक माने गए हैं। इन कृत्यों के किए जाने से जीवात्मा की शुद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इनकी संख्या कहीं दस, कहीं बारह और कहीं सोलह मानी गई है। मनु के अनुसार द्वादश संस्कार ये हैं—गर्भाधान, पुसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, केशांत, समावर्तन और विवाह। ये संस्कार या धार्मिक कृत्य क्रमशः इन अवसरों पर किए जाते हैं—१. गर्भाधान के पूर्व, २. स्त्री के गर्भ धारण के तीसरे मास में, ३. गर्भवती स्त्री के (चौथे, छठे अथवा) आठवें मास में; ४. पुत्रजन्म के अवसर पर; ५. बच्चे का नाम रखने के समय; ६. चार महीने के शिशु को पहले पहल घर से बाहर ले जाने के अवसर पर; ७. शिशु को पहली बार अन्न चलाने के समय; ८. बच्चे का पहली बार सिर मुड़ाकर चोटी रखने के समय; ९. विद्याभ्यास के लिये प्रथम बार गुरु के पास भेजे जाने के समय; १०. उपनयन और समावर्तन के समय; ११. अध्ययन पूर्ण कर ब्रह्मचारी के घर लौटने के समय; १२. दांपत्य सुख में आवृद्ध होने के अवसर पर (दे० उपनयन, विवाह)।

**संस्कार (ईसाई)** धर्म की बहुसंख्यक धर्मविधियों में से कुछ ही साक्रामेंट अथवा संस्कार कहलाते हैं। साक्रामेंट का अर्थ है पवित्र।

प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक था किंतु बाद में वह ईसाई धर्म की ऐसी धर्मविधियों के लिये प्रयुक्त होने लगा (१) जिनका प्रवर्तन ईसा की आज्ञा से हुआ है, (२) जिनके अनुष्ठान में प्रतीकात्मक कृत्यों द्वारा ईश्वरीय कृपादान सूचित किया जाता है, और (३) जिनके द्वारा वह कृपा ईसा की इच्छा से विश्वासियों को वास्तव में दी जाती है। उदाहरणार्थ ईसा ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे जल से बपतिस्मा दिया करें, जल द्वारा पापों का प्रक्षालन सूचित किया जाता है और ईसा की इच्छा से पाप वास्तव में क्षमा कर दिए जाते हैं।

धर्म के धर्मपंडितों ने प्रारंभ ही से खली आनेवाली ईसाई धर्म-विधियों पर चिंतन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार कुल सात ही ईसाई साक्रामेंट अथवा संस्कार होते हैं। इनमें से चार के विषय में देखिए 'बपतिस्मा', 'यूक्सारिस्ट', 'पापस्वीकरण' और 'पीरोहित्य' (दे० पुरोहित)। शेष तीन संस्कार ये हैं— विवाह, ष्ठीकरण (कानफर्मेशन) और रोगियों का संस्कार (तेलमर्दन)।

प्रोटेस्टेंट धर्म ने संस्कारों की संख्या को दो ही तक सीमित कर दिया है। उसमें प्रायः बपतिस्मा और यूक्सारिस्ट का ही संस्कार माना जाता है।

सं० प्र० — एम० जे० रोबन : दि मिस्टरीज ऑफ क्रिस्टि-अनिटी, सेंट लुविस, १९४६। [ का० बु० ]

**समाप्त अली** यह अवध के नवाब आसफुद्दौला का ज्येष्ठ भाई था। सन् १७६७ में आसफुद्दौला की मृत्यु पर उसका बेटा वजीर अली नवाब बना। बाद में कंपनी के अधिकारियों का उसके नवाब का बेटा होने में संदेह हुआ और गवर्नर जनरल जॉन शोर ने जनवरी, १७६८ में समाप्त अली से एक संधि करके उसे अवध के सिंहासन पर बिठला दिया। इसके बदले में उसने कंपनी को बारह लाख रुपया दिया। वजीर अली को षेड़ लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। उपर्युक्त संधि के अनुसार नवाब ने सामरिक महत्व वाले इलाहाबाद के दुर्ग को कंपनी को दे दिया तथा उसकी मरम्मत के लिये आठ लाख रुपया भी दिया। अंग्रेजों के प्रतिरिक्त अन्य यूरोपीयों को अपने राज्य में प्रविष्ट न होने देने का उसने वचन दिया तथा अंग्रेजों को ७६ लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। किसी बाह्य शक्ति से संधि करने का उसे कोई अधिकार नहीं रह गया। नवाब वजीर की अपनी सेना कम करके ३५ हजार कर दी गई। सर जॉन शोर समाप्त अली के साथ मनमाना व्यवहार करता था तथा अवध के शासन में भी हस्तक्षेप करने लगा था। इस प्रकार का हस्तक्षेप अवध के साथ की गई पुरानी संधियों के सर्वथा विपरीत था।

सर जॉन शोर ने अवध में अंग्रेजी सेना काफी बढ़ा दी क्योंकि उस समय अवध पर जमनशाह के आक्रमण का भय था। जमनशाह अहमदशाह दुर्रानी का पोत्र था। भारत पर आक्रमण करके वह लाहौर तक पहुँच गया था। अवध में अंग्रेजी सेना बढ़ाकर वजीर वजीर को खर्च के लिये दबाया गया।

शोर के बाद जॉर्ज वेलेखली भारत का गवर्नर बनरह हुआ।



कई कारखानों से उसने यह राय बनाई कि कंपनी को अवध पर अधिकार कर लेना चाहिए । सन् १७६६ में वेसेजली ने सम्राट् खान् की अपनी सेना तोड़ देने की आज्ञा भेजी । बिना सम्राट् खान् की अनुमति के अवध में अंग्रेजी सेना बढ़ा दी गई और उससे सेना का खर्च देने को कहा गया । जनवरी, १८०१ में उसने सम्राट् खान् की लिखा कि या तो वह अभी तक का अंग्रेजी सेना का खर्च देकर अविष्य के लिये अपना प्राचा राज्य कंपनी को सौंप दे या पेशान लेकर राजकाय से अवकाश ग्रहण कर ले । मजबूर होकर नवंबर, १८०१ में सम्राट् खान् ने कंपनी से संधि कर ली । इस संधि के द्वारा नवाब की सेना घटा दी गई तथा अवध की सीमा पर स्थित चुने हुए जिले कंपनी ने ले लिए । बचे हुए राज पर नवाब ने अंग्रेजों की सलाह से शासन करना स्वीकार कर लिया । अब अवध के चारों ओर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया ।

सम्राट् खान् एक सुयोग्य शासक था । उसके समय में शासन में कई सुधार किए गए तथा प्रजा प्रसन्न थी । अवध की सीमाओं को भी उसने यथासंभव बढ़ाने का प्रयत्न किया था तथा राज्य की आमदनी बढ़ा दी थी । उसके मरने पर सरकारी खजाने में बहुत सा धन था । अंग्रेजों के उससे असंतुष्ट होने का कारण यह था कि वह अपने राज्य में उनका बहुत हस्तक्षेप सहन न करता था । सन् १८१४ में उसका देहांत हो गया । [मि० च० पा०]

**सम्राट् खान्** इसका पूरा नाम सम्राट् खान् खान् था । यह प्रारंभ में खुरासा का निवासी था । बाद में यह भारत आया और इसने अवध के सूबे की नींव डाली । उस समय अवध में आधुनिक क्षेत्रों के अतिरिक्त इलाहाबाद तथा कानपुर के समीपवर्ती कुछ जिले तथा बाराणसी भी सम्मिलित थे । इस समय मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था और मुगलों की केंद्रीय शक्ति जर्जरित हो गई थी । मुगल सम्राट् केवल नाममात्र को ही था । प्रांतीय नवाब दिखावे के लिये ही उसके अधीन होने का अभिनय करते थे । वास्तव में वे स्वतंत्र हो गए थे । इनमें अवध, दक्षिण तथा बंगाल के नवाब मुख्य थे ।

सन् १७२४ में सम्राट् खान् खान् को अवध का नवाब बनाया गया था । वह एक सुयोग्य शासक था । थोड़े ही समय में अपने गुणों के कारण उसने अवध निवासियों के हृदय में घर कर लिया । बनारस जैसे घनी और शक्तिशाली प्रदेश अवध के अधीन थे । इन्हीं कारणों से सम्राट् खान् की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी और उसकी शक्ति देशव्यापी हो गई थी । सन् १७३६ में फारस के नादिरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया । इसी वर्ष सम्राट् खान् को दिल्ली में उपस्थित होने का आदेश दिया गया । वह इसका अर्थ खूब समझता था । अतः उसने आत्महत्या कर ली । उसके बाद उसका भाजा और दामाद सफदरजंग बंगाल का नवाब हुआ । [मि० च० पा०]

**सम्रालिबो (Thaalibi)** सन् ६६१ में नीशापुर (Nishapur) में उत्पन्न ११वीं शताब्दी पूर्वार्ध का प्रसिद्ध भाषाशास्त्री, कवि और कोशकार जिसका पूरा नाम अबू मंसूर अब्दुल मलिक इब्न मुहम्मद इब्न इस्माएल-सम्रालिबो था । १०३६ ई० में इसकी मृत्यु हुई । यूरोप

की आधुनिक भाषाओं में इसकी कई महत्वपूर्ण कृतियाँ अर्जित होकर प्रकाशित हुई हैं । इसकी पुस्तक यतीमतुद्दहरफी महासिने अहलिल अम्ल अरबी साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध है । [श्या० ति०]


**सक्सर** स्थिति : २७° ४२' उ० अ० तथा ६८° ५४' पू० दे० । यह नगर पाकिस्तान के सक्सर जिले का मुख्यालय है और रोहरी नगर के संमुख, सिंध नदी के दाहिने किनारे पर, कराची से २२५ मील उत्तर-उत्तर पूर्व में स्थित है । उपर्युक्त दोनों नगरों के मध्य, बक्सर में प्राचीन किले के पत्थर बहुत अधिक संख्या में हैं । यहाँ के पत्थरों का ही उपयोग लैंसडाउन पुल के बनाने में हुआ है । इस पुल पर से उत्तर-पश्चिमी रेल मार्ग नदी को पार करता है । सक्सर में लॉयड बाँध है, जो संसार के प्रसिद्ध सिंचाई बाँधों में से एक है । बोलन दर्रा तथा शिबि नामक निम्न भूमि भी यहीं है । नगर की जनसंख्या १,०३,२१६ (१९६१) है । [अ० ना० मे०]

**सक्सिनिक अम्ल (Succinic Acid)** सक्सिनिक शब्द लैटिन के सक्सिनम (Succinum) से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऐंबर । ऐंबर में यह अम्ल तीन से चार प्रति शत तक पाया जाता है । अभ्य रेजिनो, लिग्नाइट, काष्ठाश्म और अनेक पेट्रो में यह पाया जाता है । अमूर, चुकदर, गूखेगी तथा रेवद चीनी के रसों में भी यह रहता है । प्राणी जगत् में भी यह थाइमस ग्रंथि (thymus gland) और प्लीहा (spleen) में पाया जाता है । अनेक पदार्थों से, जैसे अमोनियम टार्ट्रेट व कैल्सियम मैलेट के जीवाणु किण्वन से तथा वसा या वसाम्लों के ऑक्सीकरण से भी यह बनता है । एथिलीन गैस से इसका संश्लेषण हुआ है । बेंजीन के ऑक्सीकरण से मैलेइक अम्ल बनता है और मैलेइक अम्ल के ऑक्सीकरण से सक्सिनिक अम्ल प्राप्त हो सकता है ।


सक्सिनिक अम्ल द्विशारक अम्ल है । इसका संरचनासूत्र निम्नलिखित है :




यह सन्तृप्त ठोस अम्ल है । इसका प्रियम के आकार का रंगहीन क्रिस्टल बनता है, जो १८३° से० पर पिघलता है और जिसका द्रव २३५° से० पर उबलता है । इसमें बंद शृंखला यौगिक बनने की प्रवृत्ति है । इसके वाष्प से जल निकल जाने पर, यह सक्सिनिक ऐनहाइड्राइड बनाता है :



इसके अमोनियम लवण को तपाने से सक्सिनमाइड प्राप्त होता है :



सक्सनिमाइड को जल के साथ घासुन करने से बाइरोल बनता है। सक्सनिक अम्ल को फ्रांस्कोरस ट्राइसल्फाइड के साथ गरम करने से थायोफोन बनता है :



सक्सनिक अम्ल जल में विलेय होता है। इसकी क्षारीय घासुओं और क्षारीय मृत्तिका घासुओं के लक्षण भी जल में विलेय होते हैं। बेरियम लवण ऐल्कोहॉल में अविलेय होता है। लोहे का लवण जल में अविलेय होता है। [स० व०]

**सचवान (Szechwan)** चीन का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल ५,४३,८६० वर्ग किमी० एवं जनसंख्या ७,२१,६०,००० (१९६५) है। इस प्रदेश का मध्य भाग लाल बेसिन का पठार कहलाता है। यह प्रायः चारों ओर से पहाड़ों द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रांत का अधिकांश भाग पहाड़ी है। चेंगदू मैदान एकमात्र समतल एवं उपजाऊ मैदान है। इस मैदान में मिन नदी की नहरों द्वारा सिंचाई होती है और धान मुख्य उपज है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व २,३६२ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबकि शीकांग (Sikang) प्रांत की सीमा पर यह घनत्व केवल ११ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। सचवान का अर्थ चार नदियों से है। मिन, लो, फू और क्याओलिंग नदियों के मिलने से यांग्सीक्यांग, बनती है और उत्तर से दक्षिण लाल बेसिन में बहती है।

चारों ओर पर्वतों से घिरे होने के कारण, यहाँ का ताप अधिक नहीं हो पाता। लाल बेसिन के चुंगकिंग नगर का दिसंबर, जनवरी का ताप ६.५° से० एवं जुलाई अगस्त का औसत ताप २०° से २८° से० रहता है। वार्षिक वर्षा ४० इंच होती है। सम या मृदु जलवायु के कारण सचवान प्रांत में अनेक प्रकार की कृषि होती है। पहाड़ी ढालों पर, सीडीनुमा खेतों में, साल में दो तीन फसलें उगाई जाती हैं। जाड़े में गेहूँ, जौ, राई, उवार, बाजरा, सोयाबीन और मटर तथा गरमी में धान (विशेषकर चेंगदू के निकट मैदानी भाग में), गन्ना, सन, तिल (sesamum), दलहन, मक्का, धातू, तंबाकू, सहस्रत और नारंगी की उपज होती है।

यहाँ पाए जानेवाले मुख्य खनिज कोयला, लोहा, ताँबा, सोना, चाँदी, सीसा, नमक एवं ऐंटीमनी हैं, जो प्रांत के विभिन्न भागों में खोदकर निकाले जाते हैं। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग डजकुंग (Tzekung) या डजल्यूजिंग (Tzeliutsing) में विकसित हैं। १९३७ ई० के चीन जापान युद्ध के काल से ही इस प्रांत का औद्योगिक विकास हो रहा है, लेकिन अधिकांश नए औद्योगिक केंद्रों को गुप्त ही रखा गया है। यहाँ लोह, इस्पात, शराब, वस्त्र, दवा, रंजक, विद्युत् एवं मशीन यंत्र तथा धमन अट्टियों और औद्योगिक मशीन यंत्रों के निर्माण के कारखाने हैं। इस प्रांत से ऊन, चमड़ा, चुंग तेल, रेजम, रेमी (ramie), चाय, तंबाकू और रेवत चीनी (rhubarb) नामक जड़ी का निर्यात होता है। यांग्सीक्यांग एवं उसकी सहायक नदियों

द्वारा गमनागमन होता है। चुंगकिंग बंदरगाह से चेंगदू नगर तक सड़क एवं रेलमार्ग बना हुआ है। सचवान को समीपवर्ती प्रांतों से जोड़ने के लिये हजारों मील पक्की सड़कें बनाई गई हैं।

[रा० प्र० सि०]

**सचोली (Tunicata)** एक प्रकार के समुद्री जीव हैं, जो अकेले, या समूह में, संसार के किसी भी महासागर की विभिन्न गहराइयों में पाए जाते हैं। इनके अधिकांश प्रकार स्थानबद्ध (sedentary) होते हैं एवं नाना प्रकार के पदार्थों के साथ जुड़े रहते हैं। इनका शरीर पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी एवं कई प्रकार के रंगों का होता है। शरीर का आकार अनिश्चित एवं परिमाण एक इंच के सबसे भाग से लेकर एक फुट तक के व्यास का होता है। सारा शरीर एक पतले या मोटे चर्म सतह आवरण में, जिसे चोल या कंबुक (Tunic or Test) कहते हैं लिपटा रहता है। चोल अधिकांश, ट्यूनिसिन (tunicine) नामक स्रवित पदार्थ का बना होता है। ट्यूनिसिन सेलुलोज के अनुरूप एक पदार्थ है। चोल में दो खिन्न या मार्ग होते हैं। एक मार्ग से जल भीतर प्रवेश करता है तथा दूसरे से बाहर निकल जाता है।

सचोली कशेरुकी (vertebrate) प्राणियों के संबंधी हैं, तथा कॉर्डेटा (Chordata) संघ (phylum) के एक उपविभाग (sub-division) का निर्माण करते हैं। डिम्बक अवस्था (larval stage) में एक पूर्ण विकसित पृष्ठरज्जु (notochord) की उपस्थिति इनकी मुख्य विशेषता है। पृष्ठरज्जु मुख्यतः डिम्बक के पुच्छ भाग में, जो वयस्क अवस्था में क्रमशः लुप्त हो जाता है, सीमित होता है।

सचोलियों की कई प्राकृतियाँ विचित्र एवं चित्ताकर्षक होती हैं। जंतुओं में ट्यूनिसिन का बना हुआ चोल (coat) स्रवित करनेवाले ये अकेले जीव हैं। इनका हृदय कुक्कुटों के भ्रूण के हृदय के समान होता है, परंतु हृदय की गति की दिशा समय समय पर बदली जा सकती है, जिससे रुबिर का संचरण विपरीत दिशाओं में भी संभव हो जाता है। रुबिर में श्वसन वर्णक (respiratory pigment) नहीं होते हैं। कुछ स्पीशीजों (species) की रुबिर कोशिकाओं में वैनेडियम एवं सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में मिलते हैं। मल्लो-सर्जन की विचित्रता यह है कि मूलजनित त्याज्य पदार्थ ठोस आकारों के ढेर के रूप में शरीर के भीतर एक या अनेक थैलियों में एकत्र होते जाते हैं। दूसरे प्रकार की त्याज्य वस्तुओं का उत्सर्जन चोल के बाह्य तल के द्वारा होता है। वयस्क जंतुओं का मस्तिष्क, ठोस पुष्ठीय गुच्छिका (ganglion) के रूप में तथा एक संज्ञिका ग्रंथि के साथ मिला हुआ होता है। यह संज्ञिका ग्रंथि केशेरुकी के पीयूष (pituitary body) से समानता रखती है।

सचोली उन्नयलिंगी (hermaphrodite), अर्थात् वृषण एवं अंडाशय, दोनों प्रकार के अंगोंवाले होते हैं। कई जंतुओं में निषेधित अंडों, या फिर वयस्कों के किसी भी भाग के ऊतकों की वृद्धि एवं पुनःरचना (reconstruction) के द्वारा अंतिम जीव का निर्माण होता है। कुछेक जंतु रात्रि में तीक्ष्ण प्रकाश उत्पन्न करते हैं।

पाइरोसोमा नामक जंतु उष्ण महासागरों के जल के बपेड़ों में प्रवाहित होते हुए, बलती हुई मोमबत्ती के सदृश दृष्टिगोचर होते हैं।

संक्षिप्त इतिहास — सर्वप्रथम जगत्प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०) ने एक सामान्य 'ऐसिडियन' (ascidian) का विवरण प्रस्तुत किया था। अरस्तू के बाद लगभग २,००० वर्षों तक इन जंतुओं के विषय में लोगों की अल्पज्ञता रही। लिनियस (Linnaeus) तथा उनके बाद के कुछ प्राणिविज्ञानियों ने कई 'ऐसिडियन' जंतुओं को मस्तकरहित मोस्का (Mollusca) के साथ एक वर्ग में रखा। लामार्क (१८१६ ई०) ने इन्हें मोलस्का से पृथक् कर, इनके समूह का नाम ट्युनिकेटा (Tunicata, सचोली) प्रदान किया। सन् १८८६ ई० में कॉवलेफस्कि (Kowalevsky) ने एक सामान्य ऐसिडियन की वृद्धि के विषय में अनुसंधान लेख प्रकाशित कर, यह प्रकट किया कि इसके बेंगची डिम्बक (tadpole larva) में कॉडेंटा के प्रमुख गुण वर्तमान होते हैं, तथा बेंगची के वयस्क में कायांतरण (metamorphosis) होने के समय, ये गुण क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के कायांतरण को प्रतिक्रमणी (retrogressive) कायांतरण कहते हैं। इस अनुसंधान ने इस आधुनिक धारणा को जन्म दिया कि सचोली एक प्राचीन कॉडेंटा के विशेष प्रकार के अवशेष हैं, जिनका विकास प्रमुख कॉडेंटा से बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हुआ था।

जीवनचक्र — ऐसिडियन उभयलिङ्गी जंतु हैं। अधिकांश जंतु अपने ही अंडों को निषेचित कर सकते हैं, परंतु अन्य जंतुओं में यह शक्ति नहीं होती। उनमें परनिषेचन (cross-fertilization) की क्रिया होती है। वृद्धि काल की प्रारंभिक आकृतियाँ प्राचीन कशेरुकी आकृतियों से मिलती जुलती हैं। अंडे, वृद्धि की इन अवस्थाओं के पश्चात्, बेंगची का रूप धारण करते हैं। बेंगची आकार में बहुत छोटे होते हैं, एवं उनमें कुछ समय तक तैरते रहने की शक्ति होती है। प्रत्येक बेंगची में तैरने के लिये एक पुच्छ होती है, जिसके मध्य में कोशिकाओं के द्वारा निर्मित एक पुष्टरज्जु भी होती है। ऐसिडियन के बेंगची की वृद्धि इस अवस्था के पश्चात् रुक जाती है। पुष्टरज्जु के दोनों पाश्वर्यों में पेशीतंतु की एक पट्टी होती है, जिनकी तुलना मछलियों के चलन पेशियों (locomotary muscles) से की जा सकती है। पुष्टरज्जु के ऊपर, उसकी पूरी लंबाई में, एक संकीर्ण, नालाकार मेरुज्जु (spinal cord) स्थित होती है। सभी कशेरुकी एवं कॉडेंटा में उपयुक्त विशेषताएँ मिलती हैं, जो ऐसिडियन एवं अन्य सचोलियों को विकास की मुख्य पक्ति के साथ संबद्ध करती हैं। इसी मुख्य पंक्ति के शीर्ष पर स्वयं अनुष्य भी स्थित है।

बेंगची में तंत्रिका नाल (nerve-tube) का अग्र भाग विस्तृत होकर, मस्तिष्क के आसय (vesicle) का निर्माण करता है, जिसमें दो प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ये ज्ञानेंद्रियाँ बेंगची के अभिविन्यास (orientation) को तथा उसे प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं।

इस प्रकार के बेंगची प्रजातियों के सुदूर विस्तार और प्रसार में

सहायक होते हैं। कुछ समय के पश्चात् बेंगची में ह्लासी (degenerative) परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। बेंगची समुद्र तल में डूब जाता है, इसका पुच्छ भाग अचल हो जाता है तथा यह किसी ठोस वस्तु से, अपनी नासा के निकट स्थित तीन आसजक (adhesive) रचनाओं द्वारा, संबद्ध हो जाता है। इस प्रकार बेंगची में कायांतरण की क्रिया प्रारंभ होती है तथा ऐसी अवस्था की वृद्धि होती है जिसमें यह सर्वप्रथम भोजन ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इस नवीन अवस्था में इसका शरीर नालाकार हो जाता है, तथा इसके अग्र भाग में ऊपर की ओर स्थित कीप के आकार का मुख होता है, जिसके द्वारा जल एक विस्तृत प्रसनी में प्रवाहित होता है। प्रसनी में प्रत्येक ओर गिल छिद्र (gill slits) होते हैं, जिनके द्वारा जल एक दूसरे कोष्ठ (chamber) में पहुँचकर, फिर वहाँ से एक दूसरे कीप के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये कीप क्रमशः अंतर्वाही नाल (Inhalent siphon) एवं अपवाही नाल (Exhalent siphon) कहलाते हैं, और ये नाल सचोली वर्ग के जीवों के मुख्य लक्षण हैं।

प्रौढ़ ऐसिडियन में विस्थापित एवं विकसित बेंगची के इन आवश्यक गुणों के अतिरिक्त कुछ विशेष लक्षण भी मिलते हैं। इनके अंग अधिक विकसित होते हैं एवं आकार अधिक विस्तृत हो जाता है और यौन ग्रन्थियाँ भी निर्मित हो जाती हैं। ये जंतु संबद्ध प्रौढ़ावस्था में ह्लासी जंतुओं एवं प्राचीन प्रकार के जंतुओं का निरूपण करते हैं।

यथावत: ऐसिडियन आकृति में एक वृहत् कोशिका जंसा होता है, जिसमें प्रवेशार्थ एक अंतर्वाही नाल होता है। ग्रहण किए जल के छानने की क्रिया कोशिका के प्रत्येक ओर स्थित असंख्य गिल छिद्रों के द्वारा होती है। जल वहाँ से बाह्य कोष्ठ में पहुँचकर अपवाही नाल के द्वारा बाहर निकलता है। आहार नाल का शेष संकीर्ण भाग गिल कोष्ठ (gill chamber) के पश्चिम भाग से प्रारंभ होता है। इसके मुख्य भाग है, प्रसिका (oesophagus), आमाशय तथा क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र ऊपर की ओर मुड़कर अपवाही नाल के निकट लुलता है। अंतर्वाही नाल के द्वार के निकट, प्रसिकाओं की एक वृत्ताकार रचना होती है, जो इस छिद्र में बहुत बड़े वस्तुओं को नहीं प्रविष्ट होने देती है। क्षुद्रांत्र के मुड़े भाग के मध्य बहुधा उभयलिङ्गी यौन ग्रन्थियाँ स्थित होती हैं तथा पार्श्व में एक हृदय होता है। मस्तिष्क दोनों नालों के मध्य में स्थित होता है।

अशन साधन (Feeding Mechanism) — अशन साधन के मुख्यतः दो अंग हैं। एक अंग का कार्य श्लेष्मा (mucus) उत्पन्न करना है, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ के टुकड़े एक साथ श्लेष्मा में लिपटकर एकत्र हो जाते हैं। दूसरे अंग का कार्य जलस्रोत उत्पन्न करना है, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ भीतर प्रविष्ट हो सकें। ये जलस्रोत प्रसनी की दीवारों में स्थित, अक्षय गिल छिद्रों के पक्षमाभिका (cilia) अंतःस्तरण (lining) के निर्गामी स्पंदन (outward beating) के द्वारा उत्पन्न होते हैं, एवं अंतर्वाही नाल के द्वारा भीतर प्रविष्ट होते हैं। गिल छिद्रों के द्वारा जब अपवाही नाल के निकट स्थित

परिकोष्ठगुहिका (atrial cavity) में एकत्र होता है, तथा पुनः अपवाही नाल के द्वारा, धार के रूप में, प्रबल वेग से कुछ दूर पर जाकर गिरता है, जिससे वह जल मुख के द्वारा पुनः भीतर नहीं प्रविष्ट हो सके। गिल कोष्ठ में प्रविष्ट होनेवाले जल में भोजन योग्य कई प्रकार के सूक्ष्म जीवित पौधे एवं जंतु होते हैं, जो एंडोस्टाइल (endostyle) से स्रवित श्लेष्मा के द्वारा उलकाकर रोक लिए जाते हैं। भोजन की पाचन क्रिया ग्रामाशय के द्वारा स्रावित पाचक एंजाइमों से होती है। अपचित अवशेष अपवाही नाल के मूल के निकट एकत्र होता है। यहाँ से अपवाही जल के तीव्र झोत के द्वारा मलपदार्थ समुचित दूरी पर फेंक दिए जाते हैं।

जनन — जनन प्रायः लैंगिक होता है, जिसमें एक अवस्था द्विभ की होती है। कुछ जंतु सजीवप्रजक (viviparous) किस्म के भी होते हैं, जिनमें अड़े एक विशिष्ट प्रकार की भ्रूणधानी में कुछ समय के लिये एकत्र होकर बढ़ते और बैंगनी का रूप धारण करते हैं, एवं इसी रूप में बाहर निकलते हैं। कुछ जातियों में अंडुरण के द्वारा भी जनन क्रिया होती है। कई प्रकार के अचर (non-motile) ऐसिडियनों में पौधों की तरह जेमोद्भवन (gemmation) एवं अलैंगिक जनन की क्रिया भी होती है। अधिचर्म (epidermis) के संकुचित होने के फलस्वरूप, भीतरी ऊतकों के कई खंड हो जाते हैं एवं प्रत्येक खंड अंडुरों में परिवर्तित हो जाते हैं। अंडुर भीत श्रुतु में नष्ट नहीं होते एवं वसंत के आते ही पुनः नवीन जीवों की वृद्धि करते हैं। कुछ जंतुओं में अंडुर प्राणिक रूप में अपने जनक (parent) से जुड़े रहते हैं। ऐसी अवस्था में दोनों की रबिरबाहक नलिकाएँ एवं अपवाही नाल संयुक्त होते हैं। इस प्रकार अंडुरण की क्रिया के फलस्वरूप अनेक अंतु (व्यक्तिगत रूप में) वेण्टन (tunic) के एक ही पुंज में एकत्र होते हैं, एवं एक अंतुसमूह का निर्माण करते हैं। इन अंतुओं में पुनर्जनन (regeneration) की क्षमता भी असाधारण रूप में होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जातियों की वृद्धि एकल वयस्क के रूप में होती है, जबकि अन्य जातियों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन की अवधि एकांतरित रूप में मिलती है।


वासस्थान का चयन — एकल एवं सामूहिक ऐसिडियन कई प्रकार के वासस्थान के अनुकूल परिवर्तित हो गए हैं। साधारणतया एकल ऐसिडियन आकार में कुछ अधिक बड़े होते हैं तथा उन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। ये मुख्यतः या तो चट्टानों, स्तंभों या जहाजों के तल भाग के साथ जुड़े होते हैं, या बालू अथवा कीचड़ के भीतर स्थित होते हैं।

अंडुर उत्पन्न करनेवाले, या संयुक्त ऐसिडियन, उपर्युक्त प्रकार के वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। ये अधिकांशतः उन समतल धरातलों के साथ जुड़े होते हैं, जहाँ स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में, परंतु वेग से नहीं, उपलब्ध होता है। जिन जंतुओं में अंडुरण की क्रिया अधिक सक्रिय होती है, उनका आकार छोटा होता है, परंतु उनकी संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के अंतुनिबह (colonies) बहुधा क्षेत्रफल में विस्तृत होते हैं, परंतु

इनकी मोटाई अधिक नहीं होती। संयुक्त ऐसिडियन अल्प संख्या में अपेक्षाकृत बड़े आकार के अंडों का निर्माण करते हैं। इन अंडों के बैंगनीयों की अवस्था में वृद्धि जनक के अलिद (atrium) या अंडवाहिनी (oviduct) में सुरक्षित रूप में होती है।

सामूहिक ऐसिडियन बहुधा पीले, भूरे, लाल, हरे एवं नीले रंगकणों के द्वारा अभिरंजित होते हैं तथा समूह का आकार तारा सट्टक, (जैसे बोट्रिलस (Botryllus) में), सीढ़ी की तरह पंक्तिबद्ध, (जैसे बोट्रिलायड (Botrylloids) में), या गुच्छ के रूप में, जैसा पोलिक्लिनम (Polychinum) में, होता है।

आधिक महत्व — सचोबियों का प्रत्यक्ष आर्थिक महत्व बहुत ही कम है। कुछ जीव तो जहाजों के भीतर सड़ांध भी उत्पन्न



पेरियोफोरा की आंतरिक रचना

#### विविध प्रकार के सचोबी

करते हैं। सचोबियों के केवल छः प्रकार प्राच्य देशों के मनुष्यों (orientals) के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

वर्गीकरण — इनकी लगभग २,००० जातियाँ ज्ञात हैं, जो निम्नलिखित तीन गणों (orders) में विभाजित हैं :

१. ऐसिडिआ (Ascidacea) — ये संलग्न (attached) होते हैं। पुच्छतल पर अपवाही तथा प्रसनी में पक्षभासिकामय (ciliated) गिल छिद्रों की अनुपस्थिति इनकी मुख्य विशेषता है; उदाहरण : सायोना (Ciona), मोलगुला (Molgula), बोट्रिलस (Botryllus) आदि।

२. थैलियासीया ( Thaliacea ) — ये बेलापवर्ती ( pelagic ) जीव हैं। इनमें अंतर्वाही और अपवाही नाम शरीर के विपरीत छोर पर स्थित होते हैं, तथा इनके गिलच्छिद्र साधारणतया लंबे होते हैं, छोटे और पक्तिबद्ध नहीं; उदाहरण : पाइरोसोमा (Pyrosoma), डोलाइडोलम ( Doliolum ), सेल्पा (Salpa) आदि।

३. लारवैसिया ( Larvacea ) — ये क्षुद्र बेलापवर्ती जीव हैं। इनकी पुच्छ स्थायी होती है तथा इनकी प्रांतरिक रचना साधारण होती है; उदाहरण : ऐपेंडिकुलेरिया ( Appendicularia )।

[ वि० शं० भा० ]

**सड़क निर्माण** यात्रियों और माल प्रसवाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूनतम चालनशक्ति लगाकर पहुँचाने के लिये सड़क का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बनाने में व्यय भी कम हो और पीछे देखभाल भी बहुत महँगी न हो। सभी देशों में सड़क विकास की प्रारंभिक अवस्था में, जब गाड़ियाँ धीमी गति से चला करती थी, सड़क के मध्य के पक्के भाग के (जिसे पक्का गोला भी कहा जाता है) संरचनात्मक पहलू पर, उसके ज्यामितिक रूप की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता था। मोटर गाड़ियों की संख्या और उनकी गति में वृद्धि होने पर, सड़क के डिजाइन में उसके ज्यामितिक रूप का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। यह उचित भी है, क्योंकि पक्के गोले की रचना में तो यातायात की आवश्यकता के अनुसार बाद में सुधार हो सकता है, पर मोटरों का वेग बढ़ने पर यात्री की सुरक्षा और सुख के अनुसार सड़क के ज्यामितिक रूप को, स्थानीय अवस्थाओं के कारण, बदलना बहुत कठिन हो जाता है, यद्यपि वह व्यय के लिहाज से निषिद्ध न हो।

सड़क निर्माण में कार्य के कई चरण हैं : क्षेत्र सर्वेक्षण, मिट्टी सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण, ज्यामितिक डिजाइन, संरचनात्मक डिजाइन और वास्तविक निर्माण क्षेत्र। सर्वेक्षण के भी तीन भंग हैं : पहला 'टोप' सर्वेक्षण, जिसमें इलाके के प्राकृतिक लक्षण और अन्य स्थानीय अवस्थाओं को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कौन कौन से वैकल्पिक मार्ग संभव हैं और उनके क्या हानि लाभ होंगे; दूसरा प्रारंभिक सर्वेक्षण, जिसमें संभावित भागों पर प्रभाव डालनेवाले प्राकृतिक लक्षणों को विस्तारपूर्वक देखा जाता है तथा तीसरा 'अंतिम रेखांकन सर्वेक्षण', जिसमें चुनी हुई रेखा का भूमि पर अंकन किया जाता है और आवश्यकतानुसार 'तल' सर्वेक्षण किया जाता है।

'मिट्टी सर्वेक्षण' में उस मार्ग पर मिलनेवाली, निर्माण में काम में आने योग्य मिट्टी और अन्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है।

'यातायात सर्वेक्षण' उस मार्ग पर चलनेवाली गाड़ियों के प्रकार, संख्या, उनके भार आदि का अंदाजा लगाने के लिये किया जाता है।

निर्माण के ज्यामितिक पक्ष हैं : मार्ग की रेखा, सड़क की चौड़ाई, मोड़, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर बाहरी उठान, दूसरे मार्गों के साथ संगम तथा दृष्टि दूरी आदि। यातायात की प्रत्याक्षित संख्या, भार, वेग

और अन्य स्थानीय अवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका डिजाइन तैयार किया जाता है।

संरचनात्मक डिजाइन पक्के गोले का किया जाता है। पक्के गोले की सतह का मुख्य उद्देश्य यातायात के लिये दृढ़, पक्का और चिकना रास्ता देना और उसपर पड़नेवाले भार और धक्के या संघट्ट को नीचे की अपेक्षा निर्बल भूमि पर बाँटना है। निर्माण में लगाए जानेवाले पदार्थों के अनुसार पक्का गोला दृढ़ या लचीला होता है। सीमेंट कंक्रीट से बना गोला दृढ़ गोले का उदाहरण है। लचीले गोले वे होते हैं जो मिट्टी, बजरी, दूटे पत्थर की रोड़ी, कोलतार, बिटुमेन या अन्य ऐसे ही पदार्थों से बनाए जाते हैं।

भारत में सड़कें हाथों के श्रम से, या यंत्रों से, बनाई जाती हैं। देश में मजदूर बहुतायत से मिलते हैं जिसके कारण शारीरिक श्रम का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है, विशेषकर जब योजनाएँ तुरंत बनाई जानेवाली न हों।

सड़क की कुटाई तो मशीनी रोलरो (बेलनों) से ही की जाती है। पिछले दिनों में बड़ी सड़क योजनाओं को शीघ्रता से निबटाने के लिये मशीनों का बहुत प्रयोग हुआ है। अधिकतर काम में आनेवाली मशीनें हैं : मिट्टी के काम में आनेवाली स्क्रैपर (scraper), समतलक (graders), बुलडोजर, बेलन (rollers), उलटाऊ ठेले (trippers), खनित्र (excavators) आदि। बिटुमेनी सड़क बनाने के लिये स्वचल स्वमापी और मिश्रक तथा बिछाई की मशीनें (spreaders) आजकल बहुत काम में लाई जाती हैं।

सड़क योजनाओं के लिये परीक्षण और नियंत्रण प्रयोगशालाएँ बहुत आवश्यक हैं। ये प्रयोगशालाएँ प्रत्येक व्यय की डिजाइन में ही सहायता नहीं देती हैं, बरन् कार्य को ठीक विनिश्चिंत और वाञ्छित गुणों के अनुसार बनाने में भी सहायता देती हैं। अब भारत में सड़क की बड़ी प्रयोजनाओं में ऐसी प्रयोगशालाओं का खूब प्रयोग हो रहा है। [ ज० मि० त्र० ]

**सड़क परिवहन** किसी देश के आर्थिक विकास के लिये प्रभावशाली परिवहन अनिवार्य है। माल और यात्रियों के ढोने की पर्याप्त सुविधाओं के बिना कोई भी राष्ट्र विकास की उन्नत स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है।

भारत जैसे देश में, जहाँ लगभग ८० प्रति शत जनता गाँवों में रहती है, वास्तविक प्रगति देहाती क्षेत्रों को पुनर्जीवन प्रदान करने पर ही निर्भर है। इसके लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है गाँवों तक पहुँचने की, अर्थात् परिवहन सुविधाओं के एक सुसमन्वित जाल की।

चोड़ागाड़ियों द्वारा माल ढुलाई महँगी होने और बैलगाड़ियाँ अत्यंत मंदगति की होने के कारण अधिक दूर की ढुलाई के निमित्त सड़कों का प्रयोग सीमित था। रेलपथ बनने पर तो सड़कें अधिक दूर की ढुलाई के लिये और भी कम महत्वपूर्ण रह गईं। लगभग सौ वर्ष तक सड़क परिवहन अधिकांशतः स्थानीय ही था और यात्री एवं माल ढोनों की ढुलाई के लिये देश में रेलें ही प्रमुख साधन थीं। इससे सदेह

नहीं कि भारी भरकम माल की लंबी दूरी की दूलाई में रेलों का ऐसा ही योगदान बना रहेगा, किंतु इनके कार्यक्षेत्र का संकुचित होना इनके विस्तृत उपयोग में बाधक होता है। इसके प्रतिरिक्त रेलों के प्रतिषय विस्तार के बावजूद, विगत दो दशकों में उद्योग के द्रुत विकास के कारण रेलों की क्षमता सीमा तक पहुँच चुकी है।

रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के अनेक लाभ हैं। रेल परिवहन में यात्रा के दोनो सिरों पर माल दूलाई सड़क से करनी पड़ती है, जब कि सड़क परिवहन आरम्भनिर्भर है और घर घर पहुँचने-वाली सेवा उपलब्ध करता है। इसमें माल की चढ़ाई उतराई, अथवा स्थानांतरण, अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिये यह सस्ता पड़ता है। उठाईगीरी की संभावना और टूट फूट से हानि भी बहुत कम हो जाती है तथा समय की काफी बचत होती है। सड़क-मोटर-परिवहन की क्षमता स्पष्ट है। इसमें शक्ति का नितम्ब होता है और इसका कार्यक्षेत्र एवं व्यवस्था संकुचित नहीं है। इसके तथा अन्य लाभों के कारण कीमती और अपेक्षाकृत कम भारी भरकम माल ढोने के लिये सड़क परिवहन अत्यंत लोकप्रिय है। फल, शाकभाजी, मुर्गी, बाँडा, दूध और मक्खन आदि के लिये सड़क परिवहन की बड़ी माँग है। केवल स्थूल माल की लंबी दूरी की दूलाई में ही रेल परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा कुछ अधिक लाभदायी है।

प्रभावशाली रूप से रेलपथ से प्रतियोगिता कर सकने के लिये सड़क परिवहन का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि सड़क और उसका आम उपयोग करनेवाले लोग सुरक्षित रह सकें और सड़क परिवहन उद्योग लाभदायी हो सके। सड़क की सुरक्षा गाड़ियों का भार सीमित करने से होती है। सड़क का आम उपयोग करनेवाले लोगों की सुरक्षा सुरक्षा नियमों से होती है, जिनमें ट्रकों और बसों की चौड़ाई, अधिकतम ऊँचाई, गाड़ियों और संमिलित गाड़ियों की लंबाई, गति सीमा तथा गाड़ियों में निश्चित रूप से सुरक्षा साधन संबंधी नियंत्रणारम्भ उल्लेख होते हैं।

सड़क परिवहन उद्योग को लाभदाई बनाने के लिये ऐसे नियमों की आवश्यकता है जिनसे स्थिर और उचित दरें सुनिश्चित हो सकें और मोटर परिवहनवाले मनमानी, अथवा गलाकाट प्रतियोगिता, न कर सकें।

यद्यपि ऐसे नियमों की आवश्यकता सर्वमान्य है, किंतु फिर भी ये सावधानीपूर्वक सोच विचारकर ही लागू किए जाने चाहिए। रेल परिवहन के हित में सड़क परिवहन को अलाभकारी बनाना, इन नियमों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।

जैकै वर्तमान परिस्थितियों में रेलों अपनी दूलाई की क्षमता बढ़ाने में असमर्थ हैं, इसलिये निरंतर बढ़ते हुए अतिरिक्त यातायात की आवश्यकता पूरी करने के लिये परिवहन के अन्य साधनों पर जोर बढ़ता जा रहा है। वायु और जल परिवहन की व्यवस्थाएँ सीमित होने के कारण, सड़क और सड़क परिवहन पर ध्यान केंद्रित हो रहा है, ताकि इनका योगदान अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो।

परिस्थिति की माँग देखकर, देश के मुख्य इंजीनियरों ने अपनी २० वर्षीय (१९६१-१९८१) सड़क विकास योजना में यह सिफारिश

की है कि देश में सड़कों की लंबाई बढ़ाकर दूनी कर दी जाय जिसमें ५,२०० करोड़ रुपये व्यय होगा। यद्यपि देशने में पूर्वी निवेश के ये धाँके बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, फिर भी लक्ष्य, प्रति वर्ग मील क्षेत्रफल में, केवल ०.५२ मील लंबी सड़कों का होगा, जबकि संयुक्त राज्य, अमरीका, में प्रति वर्ग मील में एक मील लंबी, ग्रेट ब्रिटेन में प्रति वर्ग मील में २.०० मील लंबी और फ्रांस में प्रति वर्ग मील में ३.०४ मील लंबी सड़कें हैं।

सड़क परिवहन के लिये केवल सड़कों और पुलों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उनका राष्ट्रहित में उपयोग करना होगा, और भली भाँति उपयोग करना होगा। तात्पर्य यह है कि मोटर-परिवहन उद्योग और पूरक उद्योगों का भी उचित विकास होना चाहिए।

अभी अनेक भारी करों के कारण गाड़ियों के चलाने की लागत बहुत अधिक आती है। सड़क परिवहन की लागत घटाने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में, एक प्रगतिशील चरण ट्रकों के पीछे ठेला लगाना तो है ही, किंतु समस्या का दूरगामी समाधान तो परमिटों पर क्रियाविधि संबंधी अवरोधों के रूप में लगी विविध पाबंदियों को हटाना और भारी करभार घटाना ही हो सकता है। सड़कों की सतहें भी सुधारनी चाहिए, क्योंकि सड़कों की हालत बुरी होने से गाड़ियों के चलाने का व्यय बहुत बढ़ जाता है।

अंतरप्रदेशीय यातायात के लिये निकटस्थ राज्यों के बीच पारस्परिक ठहराव तो है, किंतु जारी किए जानेवाले परमिटों की संख्या नितान्त अपर्याप्त है। देश में गाड़ियाँ भी काफी नहीं बनतीं।

देश की परिवहन आवश्यकता पूरी करने के लिये, मोटर परिवहन उद्योग का और भी तेजी से विकास होना चाहिए। बहुधा यह भुला दिया जाता है कि इस उद्योग में बहुत अधिक व्यक्तियों को काम में लगाने की क्षमता भी है। अनेक बाधाओं के होते हुए भी, यह अनुमान है कि इस समय २४ लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हैं।

### भारत में मोटर गाड़ियों की संख्या

(३१-३-६४ को)

मोटर साइकिल	१,५५,७७६
स्वचालित रिक्शे	१०,६१६
जीपें	३१,५६७
निजी कारें	३,२७,३३७
टैक्सियाँ	३१,४८६
बसें	६५,८६६
माल ढोनेवाली गाड़ियाँ	२,२५,५८१
विविध	५१,३१०

कुल योग ८,६६,६७५

[ ज० मि० न० ]

सड़क सतह का निर्माण किसी सड़क का काम केवल यही नहीं है कि वह गाड़ियाँ चलाने के लिये पर्याप्त पुष्ट हो, बल्कि वह गाड़ियों के धार और मौसम के प्रभाव से होनेवाली टूट फूट भी सहे। स्थायी

मिट्टी में ये सब उद्देश्य भली भाँति पूरा करने की सामर्थ्य, संभव है, न हो, अतः संरचना की दृष्टि से उपयुक्त सतह की व्यवस्था करने का बड़ा महत्व है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त होने के अतिरिक्त सड़क की सतह में सर्वाधिक अपेक्षित गुण ये हैं : अशोषकता, उत्तम जल निवास और चलने के लिये चिकना पृष्ठ, जो इतना चिकना न हो कि गाड़ियों के पहिए फिसलने की नीवत आए।

स्थिरीकृत मिट्टीवाली निकृष्ट कोटि से लेकर, सीमेंट और ऐस्फाल्टी कंक्रीट की उत्कृष्ट कोटि तक की विभिन्न प्रकार की सतहें होती हैं। इनके बीच बजरी की, पानीकुटी मैकेडम और हलके बिटुमेनी आवरणवाली सड़कें होती हैं।

स्थिरीकृत मिट्टी, स्थानीय मिट्टी में बाहर से लाई हुई किसी दूसरी श्रेणी की मिट्टी, अथवा चूना, सीमेंट मिलाकर किसी रसायन से उसका उपचार करके तैयार की जाती है। इसके फलस्वरूप एक स्थिर मिश्रण प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य मिट्टी का सामर्थ्य संबंधी गुण सुधारना है। किंतु इस प्रकार प्राप्त सामर्थ्य बंधा भारी बोझ वहन करने के लिये अपर्याप्त होती है। इसलिये स्थिरीकृत मिट्टी की सिफारिश केवल गाँवों की, अथवा हलके यातायातवाली, सड़कों के लिये ही की जाती है।

बजरी डालकर कच्ची सड़क सुधारना और उसे भीसत दर्जे के यातायात के योग्य बनाना, कम खर्च का एक तरीका है। इसमें बजरी या मुरम का प्रयोग होता है, जो सड़क की सतह पर तीन से छह इंच मोटी बिछा दी जाती है। ऐसा प्रति वर्ष, अथवा कुछ अधिक कालांतर से किया जाता है। इस प्रकार करते करते काफी स्थिर सतह बन जाती है।

पानी कुटी मैकेडम भारत में सड़कों की परंपरागत सतह रही है। इसमें तोड़े हुए पत्थर या कंकड़ की भली भाँति जमी हुई दो या अधिक तहें होती हैं। निचली तह से लगभग छह छह इंच के पत्थर, या कंकड़, या ४ इंच मोटी इँटे सावधानीपूर्वक हाथ से जमा दी जाती हैं। ऊपरी तह १ इंच से २ इंच माप के पत्थर या कंकड़ की गिट्टी की होती है। रिक्त स्थान मुरम, बजरी, या अन्य ऐसे ही पदार्थ से भर दिए जाते हैं; तदनंतर पहले सूखी और फिर पानी डालकर कुटाई की जाती है। हलका और मंदगामी यातायात हो तो पानीकुटी मैकेडम की सतह अच्छा काम देती है, किंतु हवा भरे पहियों वाली तेज गाड़ियों के लिये यह बहुत अच्छी नहीं होती।

जैसे जैसे सड़कों पर तेज चाल का यातायात बढ़ता गया, चलने के लिये धूलरहित, चिकनी सतह वाली सड़कों की आवश्यकता अधिकारिक अनुभव हुई। बिटुमेनी सतहें इस समस्या का एक हल हैं। यातायात के अनुरूप ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। सब में साधारण इकहरे या दोहरे आवरणवाली सतह होती है। इकहरे आवरणवाली सतह, झाड़कर भली भाँति साफ की हुई सूखी पानीकुटी मैकेडम पर बिटुमेन छिड़ककर, उसपर पत्थर का जीरा फैलाकर, रोलर से कूटकर तैयार की जाती है। इस प्रकार बिटुमेन ऊपर की ओर चढ़कर जीरे को भली भाँति बाँध देता है। पहले

की काली सतह पर बाद के आवरण भी इसी प्रकार चढ़ाए जाते हैं।

बिटुमेनी गूँथ, सड़क पर कुटी हुई मिट्टी के ऊपर पिघला हुआ बिटुमेन फैलाकर तैयार की जाती है। इस प्रकार बिटुमेन मिट्टी के अंतरालों में घुस जाता है।

यद्यपि ऐसी सतहें भीसत से लेकर भारी यातायात तक वहन कर सकती हैं, फिर भी इनमें एक अंतर्निहित दोष यह होता है कि इनमें बिटुमेन का फैलाव एकसा नहीं होता। यदि सड़क पर फैलाने और कूटने के पहले ही पत्थर का जीरा और बिटुमेन परस्पर मिला लिए जाएँ, तो यह दोष दूर हो सकता है। इस प्रकार पूर्व-मिश्रण से प्रयोग के लिये अच्छी सतह प्राप्त होती है। भारत में सड़कों के लंबे लंबे भाग इसी प्रकार तैयार हुए हैं।

यदि पत्थर का जीरा और बिटुमेन के साथ बालू और अत्यंत बागीक भरत भी उचित अनुपात में मिला ली जाती है, तो मिश्रण 'सघन मिश्रण' या 'डामरी' कंक्रीट कहलाता है। डामरी कंक्रीट से उत्कृष्टतम कोटि की बिटुमेनी सतह तैयार होती है, जो भारी यातायात में भी २०-२५ वर्ष तक कोई कष्ट नहीं देती। यह सतह महँगी होती है, अतः इसका औचित्य भारी यातायातवाली सड़कों में या बड़े शहरों में ही हो सकता है।

ऊपर वर्णित सभी प्रकार की सतहें नम्य फर्शों की कोटि में आती हैं। दूसरी कोटि अनम्य फर्शों की होती है, जिसके अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट भी सड़कें आती हैं। सीमेंट कंक्रीट से, मुख्यतया उसकी कठोरता और टिकाऊपन के कारण, सड़क की बहुत अच्छी सतह प्राप्त होती है। अपनी उच्च प्रत्यास्थता के कारण सीमेंट कंक्रीट अपने ऊपर आनेवाला भार अपेक्षाकृत बड़े आघारक्षेत्र पर वितरित कर सकती है, फलतः इसके लिये विशेष मजबूत आधार तैयार करना आवश्यक नहीं होता। भली भाँति आकल्पित और निर्मित सीमेंट कंक्रीट की सतह भारी यातायात वहन करते हुए भी २०-२५ वर्ष तक टिक सकती है।

किसी सड़क के लिये किस प्रकार की सतह उपयुक्त होगी, इसका चुनाव करने में यातायात की प्रगाढ़ता एवं प्रकार, सड़क का महत्व, और धन की उपलब्धता सरीखे घटक ध्यान में रखने चाहिए। आरंभ में सोच विचारकर व्यय किया हुआ धन बाद में घटी हुई अनुरक्षण लागत के रूप में भली भाँति वसूल हो सकता है। निवारक उपाय उपचार से उत्तम होता है। यह सड़क के लिये उपयुक्त सतह चुनने के क्षेत्र में भी भली भाँति लागू होता है। [ज० मि० त्र०]

**सड़क, स्थिरीकृत मिट्टी की** भारत एक विशाल देश है। यहाँ सभी मौसमों में प्रयुक्त होनेवाली, लंबी लंबी सड़कों की तत्काल आवश्यकता है, ताकि देश के आर्थिक विकास के लिये कृषि उपज तथा कच्चे मालों का आवागमन सुचारु रूप से हो सके।

सभी मौसमों में प्रयुक्त होनेवाली, कम लागत की सड़क पानी कुटी मैकेडम (water bound macadam) सड़क है। यदि पत्थर, निर्माणस्थल के समीप उपलब्ध हो, तो ऐसी सड़क का निर्माण-व्यय कम पड़ता है। पर अधिकतर क्षेत्रों में यह अत्यधिक खर्चीला

होता है, क्योंकि पनकुटी मैकेडेम के अंतोषमनक निर्माण के लिये कठोर पत्थरों को काफी दूर से ले आना पड़ता है।

इसका विकल्प निम्न कोटि के सुलभ पदार्थों, जैसे कंकड़, ईट की मिट्टी, मूरम, लैटेराइट आदि से बनी पनकुटी मैकेडेम सड़क है। उपयुक्त पदार्थ अधिकांश क्षेत्रों में निर्माण स्थल के समीप ही उपलब्ध होते हैं, परंतु इस सड़क में दोष यह है कि ऐसी पानी कुटी मैकेडेम सड़क के निर्माण में प्रयुक्त होनेवाले निम्न कोटि के पदार्थों के कठोर किनारे, बार बार यातायात भार पड़ने के कारण, सड़क सतह (road crust) के अंदर घिसकर टूट जाते हैं। इससे धीरे धीरे अंतःप्रयत्न (interlock) कम होता जाता है और अंत में सड़क की सतह कमजोर होकर नष्ट हो जाती है।

दीर्घकालिक अनुसंधान के फलस्वरूप यह पता चला है कि ऐसा ह्रास रोका जा सकता है। इसके लिये उच्च कोटि की मिट्टी में निम्न कोटि का मिलावा मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स (matrix) की शक्ति, मिलावे के अंतःप्रयत्न से न प्राप्त होकर मिट्टी गारे की संसृजकता (cohesiveness) से प्राप्त होती है। मिट्टी और मिलावे का अनुपात इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि मिलावे के प्रत्येक कण के चारों ओर काफी मिट्टी रहे। ऐसा केवल मिलावे के कण को पिसने से बचाने के लिये ही नहीं, अपितु संलग्न कणों को एक साथ रखने तथा अंतःप्रयत्न को, उस क्षेत्र की विभिन्न आर्द्र परिस्थितियों में, आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करने के लिये भी किया जाता है।

उपयुक्त परिणामों के आधार पर अंतःप्रयत्न द्वारा स्थिरीकृत मिट्टी की सड़क के निर्माण की एक सस्ती विधि का विकास हुआ है, जो दीर्घकाल तक सफल प्रमाणित हुई है।

यह विशिष्ट विधि (specification) पिछली दो दशकियों के अनुसंधान तथा २०० मील से अधिक स्थिरीकृत मिट्टी मार्ग के डिजाइन, निर्माण तथा रख रखाव से प्राप्त अनुभव का परिणाम है।

इस विशिष्ट विधि की सिफारिश निम्नलिखित जलवायु एवं यातायात सबंधी परिस्थितियों के लिये की गई है :

वर्षा — प्रति वर्ष, ६० इंच तक हो।

भूभूमि जलतल — भूमि तल से छह फुट से कम दूर न हो।

अधिकतम यातायात — ऊबड़ खावड़ सड़कों के लिये औसत मिश्रित यातायात अधिक से अधिक लगभग ५० टन प्रति दिन हो।

शिकनी सतहवाली सड़कों के लिये, औसत मिश्रित यातायात लगभग २०० टन प्रति दिन हो।

विशिष्ट विधि — (क) जहाँ बिटुमेनी सतह का उपचार न करना हो :

(१) निचली तह (Course) — ४ से ७.५ तक की सुघट्यतासूचक (plasticity index) मिट्टी, जिसमें बालू की मात्रा ५० % से कम न हो, अनुकूलतम नमी पर बिछाकर, लगभग आठ टन वाले रोलर से तब तक दबाई जाती है जब तक सूखे ढेर

का घनत्व १.८ ग्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय। एकत्रित मिट्टी में सोडियम सल्फेट की मात्रा भार में ०.१५ % से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) ऊपरी तह (Wearing Course) — ७.५ तक की सुघट्यतासूचक मिट्टी का जिसमें बालू की मात्रा ३३ % से कम न हो, दो भाग तथा ईट, मिट्टी, मूरम (moorum), कंकड़ या लैटेराइट (laterite) के मिलावे (aggregate) का एक भाग मिलाकर, मिश्रण तैयार किया जाता है। मिलावे का आकार ऐसा होना चाहिए जो १.२५ इंच वाली चलनी से चला जाय तथा जिसका २० % से अधिक भाग ०.२५ इंच वाली चलनी से न चले। मिलावे का संघट्ट मान (impact value) ४० से ५० % तक होना चाहिए। मिट्टी तथा मिलावे के मिश्रण को अनुकूलतम नमी (optimum moisture) पर बिछाकर, लगभग आठ टन वाले रोलर से तब तक दबाया जाता है जब तक सतह पर यह कोई निशान न छोड़े।

(ख) जहाँ बिटुमेनी (bituminous) सतह का उपचार करना हो :

(१) निचली तह — ४ से ७.५ तक की सुघट्यतासूचक मिट्टी को, जिसमें बालू की मात्रा ५० % से कम न हो, बिछाकर, लगभग आठ टन वाले रोलर से तब तक दबाया जाता है जब तक सूखे ढेर का घनत्व १.६ ग्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय। एकत्रित मिट्टी में सोडियम सल्फेट की मात्रा भार में ०.१५ % से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) निचला स्तर या ऊपरी तह (Base Coat) — ७.५ से ६.५ तक की सुघट्यतासूचक मिट्टी का, जिसमें बालू की मात्रा ३३ % से कम न हो, दो भाग और ईट, मिट्टी, कंकड़, मूरम या लैटेराइट के मिलावे का एक भाग मिलाकर, मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। मिश्रण तैयार करने के पूर्व मिलावे का १० % भाग बचा लिया जाता है, जो बाद में मिश्रण के ऊपर, दबाई के पूर्व, डाला जाता है। मिलावे का आकार ऐसा होना चाहिए जो १.२५ इंच वाली चलनी से चला जा सके तथा जिसका २० % से अधिक भाग ०.२५ वाली चलनी से न चला जा सके। मिलावे का संघट्ट मान ४० % से ५० % तक होना चाहिए। मिट्टी और मिलावे में इतना पानी बहना चाहिए कि लगभग ८ टन रोलर से दबाने पर तले पर कोई निशान न बने।

(३) डामर बिछाई (Surface Dressing) — निचली तह के कुछ दिनों तक सूखने के बाद निचले स्तर की सतह पर, २० पाउंड प्रति १०० वर्ग फुट क्षेत्र की दर से सोल बंधक (primer — यह बिटुमेन के ३० भाग तथा फ्रायड्र तेल के १०० भाग का मिश्रण होता है) डाला जाता है। जब सोल बंधक सतह द्वारा सोल लिया जाता है, तब सतह पर दो बार पुनः डामर अथवा पूर्व मिश्रण (premix) डालकर, सतह को परिष्कृत कर लेते हैं। डामर बिछाई के लिये प्रयुक्त कंकड़ी (grit) का संघट्ट मान २५ से अधिक नहीं और डामर छूटने का मान (stripping value) १५ से २० होना चाहिए।



(ग) जहाँ पत्थर बंध के साथ बिटुमेनी सतह का उपचार करना भी हो :

(१) निचला तह — ४ से ७.५ तक की सुघट्यतासूचक मिट्टी को, जिसमें बालू की मात्रा ५० % से कम न हो, अनुकूलतम नमी पर बिछाकर, लगभग आठ टनवाले रोलर से तब तक दबाई की जाती है, जब तक सूखे ढेर का घनत्व १.६ ग्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय। एकत्रित मिट्टी में सोडियम सल्फेट की मात्रा, भार में ०.१५ % से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) निचले स्तर की ऊपरी तह — ७.५ से ६ तक की सुघट्यता-सूचक मिट्टी का, जिसमें बालू की मात्रा ३३ % से कम न हो, दो भाग और ईंट की मिट्टी, कंकड़, मूरम या लैटेराइट के मिलावे के एक भाग को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। मिलावे का आकार ऐसा होना चाहिए जो १.२५ इंच वाली चलनी से चाला जा सके तथा जिसका २० % से अधिक भाग ०.२५ इंच वाली चलनी से न चाला जा सके। मिलावे का संघट्ट मान ४० से ५० % के लगभग होना चाहिए। मिलावे तथा मिट्टी के मिश्रण को अनुकूलतम नमी पर बिछा दिया जाता है और बाद में इसको सात से आठ घन फुट प्रति १०० वर्ग फुट की दर से, एक इंच आकारवाली पत्थर की रोड़ियों से ढँक दिया जाता है। पत्थर की रोड़ी के मिलावे का संघट्ट मान २५ से अधिक नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात् सड़क की दवाई लगभग आठ टनवाले रोलर से तब तक की जाती है जब तक सतह पर कोई निशान न पड़े।

(३) डामर बिछाई — यह दो बार होनी चाहिए। इसके लिये पूर्व मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। डामर बिछाने के लिये प्रयुक्त होनेवाली कंकड़ी का कुल संघट्ट मान २५ से कम और डामर छूटने का मान (stripping value) १५ से २० तक होना चाहिए (केन्द्रीय सड़क शोध संस्थान के शोधपत्र संख्या १८, 'बिटुमेनी बंधकी का बूटना' के अनुसार)। [ सी० रा० मे० ]

**सड़कें ( भारत की )** एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिये सृष्टि पर बनी रचना को पथ, मार्ग, रथ्या या सड़क कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही मार्गों का निर्माण होना रहा है। सभ्यता के सबसे पुराने साहित्य वेदों में अथर्व जुते हुए रथों का उल्लेख है, जो बनाए गए मार्गों पर तीव्र गति से चलते थे। रामायण और महा-भारत में भी ऐसे रथों और मार्गनिर्माण की विधियों का वर्णन है। पाणिनि के विख्यात व्याकरण अष्टाध्यायी में अजपथ, हस्तिपथ और रथपथ का उल्लेख है तथा पाणिनि का समय निश्चय ही ईसा पूर्व पाँचवीं शती है। उस समय के मुख्य पथ, पाटलिपुत्र से गंधार तक उत्तर पथ, कोशाबी से प्रतिष्ठान तक दक्षिण पथ और विष्णुपर्वत को पार करते हुए पश्चिमी समुद्र के तटनगर भारुकुञ्ज तक पूर्व-पश्चिम पथ थे। इन मार्गों पर यात्रियों के सुख के लिये सब सुविधाएँ थीं। भारत से बाहर विदेशों में यद्यपि ईसा से ३,००० वर्ष पूर्व तक सड़कों के होने के संकेत मिले हैं, पर यह निश्चित है कि ईसा से ५०० वर्ष पहले दो बड़ी सड़कें मेडिटरेनियन ( भूमध्य ) सागर को फारस की खाड़ी के ऊपरी सिरे से मिलाती थीं। लगभग

२०० ईसवी तक रोमन साम्राज्य को चीन से मिलानेवाले रेशम और अन्य विलास सामग्री के व्यापार के लिये सार्थवाह मार्ग थे। रोमन साम्राज्य की शक्ति बढ़ने पर यूरोप में पत्थर से पटी सड़कों का जाल फैल गया। भारत में भी इसी काल में मौर्यसाम्राज्य ( ईसा पूर्व चौथी शती ) और गुप्तकाल ( ईसवी पाँचवीं शती तक ) मार्ग-निर्माण और उसके प्रबंध में बहुत विकास हुआ।

भारत के प्राचीन साहित्य में भी मार्गों के निर्माण की विधियों का वर्णन मिलता है। आचार्य चाणक्य (कोटिल्य) के अर्थशास्त्र में रथ-पथ, राजमार्ग, सैनिक स्थान, शमशान आदि को जानेवाले मार्गों की चौड़ाई निश्चित की गई है और कहा है कि वे बीच में कछुए की पीठ की तरह उभरे हुए हैं। मानसार वास्तुशास्त्र में लिखा है कि सड़कों पर कंकड़ कुटी जाए और भवनो के द्वार राजमार्गों पर न खुलें, क्योंकि यह यातायात के लिये अशुभ है। रथ, घोड़े, पैदल आदि के लिये पृथक पथ हो और नगरो में चौराहों पर प्रकाश का प्रबंध हो। सड़कों पर कूड़ा करकट आदि फेंकना जुर्म माना जाता था।

मध्यकाल में सड़कें — सम्राट् हर्ष (षाठवीं शताब्दी) के पश्चात् केन्द्रीय शासन शिथिल हो जाने से मार्गों की दशा बिगड़ने लगी और १२वीं शताब्दी तक ऐसा ही रहा। १३वीं शताब्दी में पठान शासन स्थापित होने पर सड़कों की दशा में फिर सुधार होने लगा। सड़कों के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य बादशाह शेरशाह सूरी के अल्प राजकाल (१५४० से १५४५ ई० तक) में हुआ। उसने बंगाल के सुनारगाँव से पंजाब में रोतास तक पुराने उत्तर पथ का पुनरुद्धार किया। शेरशाह ने उत्तर पथ पर कंकड़ कुटीवाए, पेड़ लगवाए, कुएँ खुदवाए और सराएँ बनवाईं। आगरे से दक्षिण में बुरहानपुर तक और पश्चिम में चित्तौड़ और जोधपुर तक सड़कें बनवाईं। शेरशाह के पश्चात् मुगल काल में अकबर और जहाँगीर ने भी सड़कों का सुधार जारी रखा। आगरे से लाहौर की सड़क पर कोस कोस पर मीनारें बनवाईं, जो दूर से ही कोस के पूरा होने की सूचना देती थी। अनेक बड़ी बड़ी सराएँ बनवाईं, जिनमें से कुछ के खडहर अब भी मौजूद हैं। १७५६ ईसवी में राय चतुरमान कायथ की लिखी चहारगुलशन पुस्तक में २४ महान राजमार्गों का उल्लेख है, जिनमें मुख्य ये हैं।

- (१) पटना-बनारस-दिल्ली-करनाल-लाहौर-पेशावर।
- (२) दिल्ली-अजमेर-अहमदाबाद-सूरत।
- (३) दिल्ली-आगरा-खालियर-गोलकुडा-बीजापुर।
- (४) बीजापुर-मीरगाबाद-उज्जैन।
- (५) लाहौर-श्रीनगर।

दक्षिण भारत में सातवाहन, चोल और चेर राजवंशों के शासन-काल में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटों के पत्तनों को जानेवाली अनेक सड़कें बनवाई गईं। चालुक्य राजाओं ने भी सड़कों का बहुत सुधार किया। दक्षिण के मुख्य मार्ग ये थे :

- (१) पूना-मीरगाबाद-जाल्पा-विजयवाड़ा (पूर्वी समुद्रतट)।
- (२) कालीकट-रामेश्वरम्।

(३) पूना से समुद्री तट के साथ साथ दक्षिण तक ।

सड़कों के रास्ते में पड़नेवाली नदियों पर नाव के पुल बनाए जाते थे, जो बरसात में तोड़ दिए जाते थे और यात्री एवं माल नाव से नदी पार जाते थे । छोटे छोटे नालों पर डाटदार ईट या पत्थर के पुल होते थे, जिनमें से कई धन भी मोबदल हैं, जैसे जौनपुर, करनाल और दिल्ली में ।

अंग्रेजी शासनकाल में मार्गनिर्माण — अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के शिथिल पड़ जाने और केंद्रीय अगुशासन डीला होने पर सड़कों की दशा बिगड़ने लगी । उसी शताब्दी में एक ओर तो तीन विदेशी शक्तियाँ, ब्रिटेन, फ्रांस और डच, आपस में भारत पर अधिकार जमाने के लिये बलप्रदर्शन कर रही थीं और विविध प्रदेशीय शासक एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसके कारण केवल सैनिक महत्व की कुछ सड़कों की देखभाल के अतिरिक्त अन्य सड़कें बिगड़ी जा रही थीं । १९वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के भारत में पैर जमाने पर, गवर्नर जनरल लार्ड बेंटिक ( १८२८-१८५३ ), ने सार्वजनिक मार्गनिर्माण की ओर ध्यान दिया । पहले पहल महान् उत्तर पथ, जिसे ग्रेट ट्रंक रोड नाम दिया गया, सुधारा गया । कलकत्ते से दिल्ली तक की सड़क को सुधारकर उसपर कंकड़ कुटवाकार पक्का किया गया और जगह जगह नए पुल बनवाए गए । सन् १८३५ तक यह सड़क करनाल तक, जो दिल्ली से ७५ मील दूर साहौर की ओर है, बन गई थी । आगे में बंबई की सड़क पर भी काम आरंभ किया गया ।

लार्ड डलहौजी ( १८५८-१८६९ ई० ) का शासनकाल सड़क निर्माण के लिये और भी अधिक महत्वपूर्ण रहा । उन्होंने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रत्येक सूबे में सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापित किया, जिसमें इंग्लैंड के प्रशिक्षित इंजीनियर नियुक्त किए गए । आंबाले से कालका-शिमला तथा सिम्लत तक सीधी सड़कें आरंभ की गईं । साहौर से पेशावर और लैबर दरें तक बिजकुल नई सड़क बनवाई गईं, जिसपर पंजाब के चीफ इंजीनियर सर पैपियर और कर्नल एलेक्जेंडर टेलर का कार्य विशेष महत्वपूर्ण रहा ।

सन् १८५७ में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण सड़क निर्माण का कार्य कुछ ढीला पड़ा, पर शीघ्र ही सारे भारत में मार्गनिर्माण का कार्य आरंभ हो गया ।

रेल मार्ग से स्पर्धा — इस प्रकार मार्गों के निर्माण में तीव्र प्रगति हो रही थी कि सन् १८५२ में बंबई से कल्याण तक आप के इंजन से खींची जानेवाली प्रथम रेलगाड़ी चली । सन् १८७५ तक सारे देश में रेल की पटरियों का जाल सा बिछ गया । इन रेल मार्गों पर बड़ी से बड़ी नदी और छोटे से छोटे नालों पर पुल बनाए गए । रेल गाड़ी की चाल भी तेज थी, घंटे में आसीस मील तक । इस लिये जिस जिस मार्ग के साथ रेल की पटरी बिछती गई, वहाँ लोगों ने सड़क की यात्रा छोड़कर रेल मार्ग को अपनाना आरंभ किया । उस समय तक सड़क पर तेज चलनेवाला वाहन घोड़ागाड़ी ही थी, जिसकी चाल दस बारह मील प्रति घंटे से अधिक न थी और रास्ते में बिना पुलवासी नदी एवं नाले बाधा थे । माल भी रेलगाड़ी से ढोया जाने लगा । इसलिये जिन मार्गों पर रेल चलने लगी वहाँ सड़क का उपयोग घट गया । उनकी देखभाल से भी ध्यान हट गया और उनकी दशा बिगड़ने लगी ।

उत्तर शासन में श्री गवर्नर जनरल, लार्ड रिपन, ने स्थानीय निकायों को सबल बनाने की नीति अपनाई और कुछ महत्वपूर्ण मार्गों को छोड़कर, अन्य सड़कों की देखभाल और नई सड़कों का निर्माण जिला बोर्डों के हवाले कर दिया ।



२०वीं शती का प्रथम चौथा भाग — २०वीं शती के प्रथम दशक में ही पेट्रोल से चलनेवाली मोटरगाड़ी का आविष्कार हुआ और उसका प्रयोग बढ़ने लगा । उसकी चाल रेलगाड़ी की तरह तेज थी और उसमें यात्रा सुखदायक भी थी । मोटरगाड़ी के भारत में पहुँचने पर, धीरे धीरे उसका प्रयोग बढ़ने लगा और यात्री बस और माल दुलाई के ट्रक व्यवहार में आए । सन् १९१४ से १९१९ तक के प्रथम विश्वयुद्ध में सैनिक परिवालन के लिये सड़कों का महत्व समझा गया । इसलिये सन् १९१९ के पश्चात् भारत सरकार का ध्यान फिर सड़कों के सुधार की ओर गया और जनता ने भी मोटर गाड़ी चलाने के लिये अच्छे मार्गों की माँग की ।

२०वीं शती का दूसरा चौथा भाग — उपर्युक्त माँग की चरम सीमा १९२७ ई० में भारतीय धारासभा के दोनों सदनों के उस प्रस्ताव के पारित होने पर हुई जिसमें भारत में सड़क विकास के प्रश्न को जाँचकर रिपोर्ट तैयार कराने का निश्चय था । इस प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार ने श्री एम० आर० जयकर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की । इस समिति के सचिव श्री के० जी० मिचल नियुक्त किए गए, जो पंजाब सूबे में सड़कों के इंजीनियर थे और जिन्होंने उस सूबे के सड़कों के सन् १९२१ के बाद के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था ।

इस समिति ने, जो जयकर समिति कहलाई, एक वर्ष तक सारे देश में भ्रमण करके और जनता के प्रत्येक वर्ग के विचार का पता लगाकर नवंबर, १९२८ ई० में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी । उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तरह भारत में भी सड़कों का विकास प्रांतीय सरकारों की शक्ति के बाहर हुआ जा रहा है और वह राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर रहा है तथा वह कुछ सीमा तक केंद्रीय राजस्व पर भार हो सकता है । इस समिति की सिफारिशें सारांश में यह थीं कि खेती की उपज की बेहतर बिक्री और ग्रामीण जनता के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिये, भारत में पूर्ण रूप से सड़क पद्धति का विकास बाँधनीय है और, क्योंकि यह कार्य प्रांतीय सरकारों की शक्ति के बाहर है, सड़क विकास के विशिष्ट प्रयोजन के लिये मोटर स्पिरिट पर केंद्र का २ भागे ( साढ़े बारह पैसे ) प्रति गैलन ( साढ़े चार लीटर ) अतिरिक्त कर लगाना चाहिए और प्राप्त अनराशि एक पुषक सड़क विकास फंड में जमा कर देनी चाहिए । समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया कि फंड में जमा रूप की प्रत्येक वर्ष के अंत में पूर्ण व्यय नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि कई वर्षों तक के लिये सड़क कार्यकर की योजना बनाकर, उसकी पूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिये निधि के चलते रहने का आश्वासन जरूरी है । इसके अतिरिक्त, प्रांतीय सरकारों के लाभ के लिये आड़े पर चलनेवाली मोटर गाड़ियों पर कर लगाने की स्वीकृति देने की भी सिफारिश की ।

भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और भारतीय धारासभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के आधार पर,

सड़कें ( भारत की ) ( पृष्ठ ४४१-४४५ )





१ मार्च, सन् १९३० को केंद्रीय सड़क निधि प्रतिस्तर में आई। वार्षिक राजस्व की निधि का २० प्रतिशत केंद्रीय भारक्षय के रूप में रखा जाता है। निधि के प्रशासन, सड़क अनुसंधान तथा प्रयोग, राज्यों में उपयुक्त सड़क और पुल की योजनाओं, सीमांत राज्यों में अंतर-राज्य सड़क और पुल के लिये भारत सरकार इस भारक्षय अंश से अनुदान देती है। शेष ८० प्रतिशत निधि राज्यों को उनके वास्तविक पेट्रोल उपयोग के आधार पर बाँट दी जाती है। सन् १९३१ में यह कर ढाई आना ( १६ पैसे ) कर दिया गया और वर्ष १९६३-६४ में इससे ४ करोड़ १० लाख रुपए की आय हुई थी और आरंभ से ३१ मार्च, सन् १९६४ तक कुल आय ७९ करोड़ ९२ लाख हुई थी।

केंद्र सरकार में एक सलाहकार समिति इस निधि के ठीक वितरण और उपयोग के लिये बनाई गई और एक केंद्रीय सड़क इंजीनियर की नियुक्ति की गई। पहले सड़क इंजीनियर श्री मिचेल ही नियुक्त हुए। जयकर समिति की सिफारिश के अनुसार, सब प्रांतीय सड़क इंजीनियरों की कांफेंस प्रति वर्ष मार्गविकास की समस्याओं के अध्ययन के लिये बुलाई जाने लगी और इसी कांफेंस ने सन् १९३४ में इंडियन रोड कांग्रेस का रूप ग्रहण किया। इस कांग्रेस का मुख्य कार्य है मार्गनिर्माण की विधियों के मानक नियत करना और वार्षिक अखिबेशन पर मार्गनिर्माण संबंधी विषयों पर लिखे निबन्धों पर विचारविमर्श करना। कांग्रेस के इन कार्यों के कारण पिछले तीस वर्षों में मार्गनिर्माण और देखभाल की विधियों में बहुत सुधार हुए हैं।

मार्गनिर्माण विधियों में विकास — प्राचीन काल में सड़कों को कंकड़ या पत्थर कूटकर ही पक्का किया जाता था। बुनियादी तह में ६ इंच मोटा पत्थर, या कंकड़, या साढ़े चार इंच मोटी तह में ईंट बिछाई जाती थी और उसके ऊपर ४२ इंच मोटी तह कंकड़ या पत्थर की होती थी। पहले इन्हें पत्थर के भारी बेलनों से कूटा जाता था, पर २०वीं शताब्दी के आरंभ से भाप इंजन से चलनेवाले भारी लोहे के पहिए के बेलन प्रयोग में आने लगे। इस प्रकार की सड़कें मोटर परिवहन से पहले बहुत अच्छा काम देती रहीं, पर ये प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मोटर ठेलों और सवारी गाड़ियों के यातायात से बहुत जल्दी टूटने लगी। भारी बैलगाड़ियों के पहियों पर चढ़ी तंग लोहे की हाल से सड़क के कंकड़ या पत्थर के बिसने से, जो धूल बनती थी उसे तेज चलनेवाली मोटरगाड़ी के रबर के पहिए हवा में उड़ते थे। उससे सड़क टूटने भी जल्दी लगी और धूल के कारण ठीक दिखाई न देने से दुर्घटनाएँ अधिक होने लगी। इन बुराईयों को दूर करने के लिये सड़क पर कोलतार, या डामर (bitumen asphalt), बिछाने की नई विविध विधियाँ निकाली गईं। जहाँ यातायात बहुत भारी होता है, वहाँ पर सड़कें सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाने लगीं। पहले डामर अमरीका से आता था, पर अब देश में ही कई वैज्ञानिक कारखाने खुल जाने से डामर सस्ता हो गया है और इसका उपयोग बढ़ रहा है।

दसवर्षीय नागपुर योजना — द्वितीय विश्वयुद्ध ( १९३९-१९४५ ई० ) में भारत में भारी सैनिक यातायात के कारण सड़कें टूटने

लगी और बननी कमी के कारण उनकी देखभाल में भी कमी होने लगी। सामरिक महत्व की नई सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के अलावा भी आपत्कालीन समय में एक अच्छी मुख्य सड़क पद्धति की आवश्यकता का अनुभव किया गया और यह भी विचार किया गया कि ये सड़कें अच्छे स्तर पर तभी रह सकती हैं, जब केंद्र इनके विकास और देखभाल का काम अपने हाथ में संभाल ले। इन समस्याओं पर विचार करने के लिये इंडियन रोड कांग्रेस के सुझाव पर, भारत सरकार ने दिसंबर, सन् १९४३ में नागपुर में प्रांतीय राज्यों के मुख्य इंजीनियरों का एक संमेलन बुलाया।

इस संमेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थी :

सड़कों को चार वर्गों में विभाजित किया जाए —

१. राष्ट्रीय मुख्यमार्ग — वे मुख्य सड़कें, जो भारत में मुख्य बंदरगाहों, विदेशी मुख्य मार्गों और राज्यों की राजधानियों को मिलाती हुई चारों ओर जाती हों।

२. राज्य मुख्य मार्ग — वे सड़कें, जो राज्य के जिला केंद्रों और अन्य मुख्य स्थानों को जोड़ें।

३. जिला मार्ग — वे सड़कें, जो जिले के मुख्य कस्बों को मिलाएँ।

४. देहाती मार्ग — जो गाँवों की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करें।

मुख्य ध्येय यह रखा गया कि कोई गाँव किसी मुख्य सड़क से पाँच मील से अधिक दूर न रहे।

नागपुर योजना के अनुसार दस वर्षों में निम्नलिखित सड़कों की संबाई को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

सड़क का वर्ग	मूल लक्ष्य सारे भारत के लिये, मीलों में	सन् १९४७ में विभाजन के पश्चात् स्थिति मीलो में
राष्ट्रीय मुख्य मार्ग	१५,०००	२०,७५०
राज्य मुख्य मार्ग	६५,०००	५३,९५०
जिला सड़कें	मुख्य	६०,०००
	षीण	१,००,०००
देहाती सड़कें	१,५०,०००	१,२३,५००
कुल जोड़	४,००,०००	३,३१,०००

राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के निर्माण और देखभाल का आर्थिक दायित्व केंद्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, पर कार्य कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर रखी। शीफ इंजीनियरों की नागपुर कांफेंस ने मार्ग विज्ञान में अनुसंधान की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया और उनकी सिफारिशों के अनुसार सन् १९५० में केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 'केंद्रीय मार्ग अनुसंधान संस्थान' की स्थापना दिल्ली-मथुरा सड़क पर की। इस संस्थान ने पिछले १६ वर्षों में मूल्यांकन स्थिरीकरण, कंक्रीट सड़क

और लचीली डामर सड़क, मार्ग यातायात-नियंत्रण आदि पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में मार्ग-अनुसंधान-शाला स्थापित हो गई है और केंद्रीय अनुसंधानशाला इन सबके कार्यों का समन्वय करती है।

सन् १९३० में केंद्र में जिस केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी, उसका कार्य इतना बढ़ गया है कि अब परिवहन मंत्रालय में एक पृथक् सड़क पक्ष है, जिसमें एक मुख्य निदेशक और कई अन्य निदेशक सड़कों और पुलों के लिये हैं तथा उनके अधीन अनेक इंजीनियर हैं। इस विभाग का कार्य सब राज्यों को मार्ग और पुल निर्माण में सलाह देना और उनके संबंध में मानक स्थापित करना है।

बीस वर्षीय सड़क विकास योजना ( सन् १९११-१९८० ) — नागपुर योजना का लक्ष्य दूमरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग पूरा हो जाना था। इसलिये सन् १९५७ में मसद ने भारत की विकसित आर्थिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, अगले २५ वर्षों के लिये मार्ग-विकास-योजना बनाने के लिये परिवहन मंत्रालय को सुझाव दिया। इसलिये चीफ इंजीनियरों की कमेटी ने जनवरी, सन् १९५८ में हैदराबाद में एक कॉफेंस करके, एक बीस वर्षीय योजना तैयार की, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ आरंभ हो। इस योजना को बनाने में कमेटी ने निम्नलिखित उद्देश्य ध्यान में रखे :

१. प्रत्येक विकसित और कृषिक्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से चार मील से अधिक दूर न हो और अन्य सड़कों से डेढ़ मील दूर।

२. अर्धविकसित क्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से आठ मील से अधिक दूर न हो और अन्य सड़कों से तीन मील से अधिक दूर न हो।

३. अविकसित क्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से १२ मील से अधिक दूर न हो और अन्य सड़क से पाँच मील से अधिक दूर न हो।

इस योजना में सारे देश में ६,५०,००० मील लंबी सड़कें पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और २० वर्षों में इस योजना पर ५,३०० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। तब देश में प्रति १०० वर्ग मील क्षेत्र में ५२ मील लंबी सड़कें हो जाएँगी और इसमें ४० प्रति सैत लंबाई पक्की सड़कों की होगी। इनका विविध वर्गों में विभाजन इस प्रकार है :

मुख्य मार्ग	लंबाई
राष्ट्रीय मुख्यमार्ग	३२,००० मील
राज्य मुख्यमार्ग	७०,००० मील
मुख्य जिला मार्ग	१,५०,००० मील
गौण जिला मार्ग	१,८०,००० मील
देहाती मार्ग	२,२५,००० मील
कुल योग	६,५७,००० मील

देहाती मार्ग भी ऐसे स्तर के बनाए जाएँगे कि वे सब मौसमों में उपयोग के योग्य हों, अर्थात् ऊँचे बाँध हो और जल की निकासी का उचित प्रबंध हो। इन सब मार्गों पर सब बड़ी नदियों पर भी पुल बनाए जाएँगे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण योजना बीस वर्षीय योजना के अनुसार रखी गई और मार्च, १९६६ ई० तक बनी सड़कों की लंबाई निम्नलिखित थी :

पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	कुल लंबाई, किलोमीटर में
२,८५,०००	६,७७,०००	९,६३,०००

तीसरी योजना में सड़क निर्माण पर कुल ४५० करोड़ रुपये व्यय हुआ। चौथी योजना में ८५० करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है। इतना विकास होने पर भी, भारत अन्य विकसित देशों से क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसा नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट होता है :

विभिन्न देशों की सड़क की लंबाई, किलोमीटरों में, सन् १९६४ में

देश	१०० वर्ग किलोमीटर में		एक लाख जनसंख्या पर	
	पक्की सड़कें	कुल सड़कें	पक्की सड़कें	कुल सड़कें
दक्षिण अफ्रीका संघ	७.४	२७.२	५३२	१,९३९
सीलोन ( लंका )	२५.९	३१.१	१६०	१९३
भारत	८.०	२४.३	५५	१६७
पाकिस्तान	३.२	४.२	३२	४०
फिलिपीन	१४.३	१२.४	१४२	१८३
फ्रांस	१३७.१	२६१.४	१,५६६	२,९८५
पश्चिमी जर्मनी	१५२.१	१५२.१	६५६	६५६
युनाइटेड किंगडम ( इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड )	१४०.०	१४०.०	६३५	६३५
कैनाडा	४.८	८.१	२,५१७	४,३०२
संयुक्त राज्य ( अमरीका )	४६.३	९२.२	२,२८८	३,०७६

सड़कों के निर्माण और देखभाल पर व्यय — सारे संसार में सड़कों के निर्माण और उनकी देखभाल पर सन् १९६० में १३,५०० करोड़ रुपये और सन् १९६५ में २०,००० करोड़ रुपये लगा। इसमें से युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका का भाग क्रमशः ८,५०० करोड़ और ९,९०० करोड़ था। पर भारत ने केवल क्रमशः ९१ और १५४ करोड़ रुपये व्यय किया, जबकि मोटर और पेट्रोल

घाटि पर लगे करों से ही उसकी आय क्रमशः १४५ और ३५२ करोड़ रुपया थी।

**एशियाई महामार्ग** — इकाफे (ECAFE), अर्थात् एशिया और सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग, ने उस पुराने महामार्ग का उद्धार और सुधार प्रारंभ किया है जिसपर ईसा के जन्म के बहुत पहले से एशिया के पश्चिमी किनारे के तुर्की साम्राज्य से पूर्वी किनारे वियतनाम तक ऊंटों और बैलों द्वारा सार्थवाह से व्यापार होता था। सन् १९६५ से इस मार्ग पर इकाफे ने, संबंधित राज्यों से, इस मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ कराया है। मानचित्र में (देखें फलक) इसको मोटी काली रेखा से दिखाया गया है। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग ५५,००० किलोमीटर होगी, जिसमें से ३३,००० किलोमीटर को प्राथमिकता दी गई है। भारत ने अपना भाग लगभग पूरा कर दिया है।

**मोटर मार्ग** — मोटरगाड़ियों को तीव्र गति से बिना किसी बाधा के चलने के लिये, पहले पहल जर्मनी में हिटलर ने इस शताब्दी के चौथे दशक में मोटर मार्ग का निर्माण कराया। इस मोटर मार्ग के धार पर जानेवाली सभी सड़को, रेलों और नहरों के लिये सड़क के नीचे या ऊपर पुल बनाए गए, जिससे मोटर गाड़ी तीव्र गति से बिना किसी रुकावट और दुर्घटना के लगातार चल सके (देखें फलक, हि० वि० खंड ४.)। जर्मनी की देखादेखी अमरीका और यूरोप के अनेक देशों में ऐसे मोटर मार्ग बनाए जा रहे हैं। भारत में भी बंबई में पश्चिमी और पूर्वी मोटर मार्ग बनाए गए हैं, जो बंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को दूर रखते हुए, क्रमशः गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं। कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे के लिये ऐसा ही मोटर मार्ग बना है और एक महामार्ग कलकत्ता से दुर्गापुर को बनाया जा रहा है।

**परिवहन** — पश्चिमी देशों और भारत में भी जनता रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन को अधिक पसंद करने लगी है। नीचे की तालिका से, पिछले १६ वर्षों के लिए आंकड़ों से, यह स्पष्ट होगा :

माल एवं यात्री यातायात, रेल और सड़क द्वारा, दस लाख के आंकों में

वर्ष	माल यातायात			यात्री यातायात		
	रेल		सड़क	रेल		सड़क
	टन लदान	टन × किमी०	टन × किमी०	यात्री संख्या	यात्री किमी०	यात्री किमी०
१९५०-५१	९३०	४४,११७	५,५००	१,२६४	६६,५१७	२३,१३३
१९५५-५६	११५०	५६,५७६	८,६५०	१,२७५	६२,४००	६,१७७
१९६०-६१	१५६२	८७,६८०	१७,३००	१,५६४	७७,६६४	४२,०००
१९६५-६६	२०५०	१,५७,०००	३५,०००	२,०६०	९६,०००	८२,०००

मोटर गाड़ियों की संख्या में भी भारत अन्य विकसित देशों से बहुत पीछे है। ३१ मार्च, १९६५ को भारत में मोटर गाड़ियों की संख्या इस प्रकार थी :

मोटर साइकिल, १,७४,२३६; ऑटोरिक्शा, ११,६१०; जीप, ३८,६७६; प्राइवेट गाड़ी, ३,३०,०७६; टैक्सी, ३०,६८०; बसें, ६२,०१६; मालढोले, २,२०,३६३; अन्य ५२,७१७; कुल, ६,२७,७०३; इस संख्या के अनुसार भारत में प्रति किलोमीटर एक ही मोटर गाड़ी होती है। इसकी तुलना में श्री लंका (सिलोन) में ७, गुनाइटेड किंगडम में २६, इटली में ४१, और अमरीका (युनाइटेड स्टेट्स) में १४६ है। इसलिये भारत में दूर प्रकार की मोटरगाड़ियों का अधिक से अधिक बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे माल और सवारियों की बढ़ती संख्या को ढो सकें।

**सड़क दुर्घटनाएँ** — सड़क विनाश और सुधार तथा बढ़ती परिवहन की समस्या के साथ साथ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टि से ध्यान नहीं किया जा सकता। सड़क यातायात की दृष्टि के अनुसार ही मार्गों का उपयुक्त सुधार नहीं हुआ है। धीरे धीरे तेज चलनेवाली गाड़ियाँ सड़क पर साथ साथ ही चलती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्राण लोनेवाले व्यक्तियों की संख्या १९५६ में २,७३४ से सन् १९६३ में ६,६५६ हो गई, और ज़रूरी होनेवालों की संख्या सन् १९५६ में २५,८८६ से सन् १९६३ में ४१,१२७ हो गई। विदेशों में किए हुए प्रयोगों से प्रमाणित हुआ है कि सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने और उनके मोड़ों की गोलाइयों को सुधारने से दुर्घटनाओं में बहुत कमी हो जाती है। भारी यातायात के मार्गों पर धीरे धीरे तेज चलनेवाली गाड़ियों के लिये ग्रिड मार्ग बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। सड़कों की सतह भी न फिगलनेवाली बननी चाहिए। यद्यपि भारत में मार्गों की लंबाई बढ़ रही है, तथापि ऊपर सुझाए सुधारों का करना भी आवश्यक है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सड़क पर विविध संकेतपट लगाए जाते हैं। ये संकेतपट चार प्रकार के होते हैं (१) चेतावनी संकेत, (२) निर्देशक संकेत, (३) नियामक संकेत तथा (४) निर्माण और देखभाल संकेत। यदि यान चालक इन संकेतों का पूरी तरह से पालन करें, तो दुर्घटनाओं में बहुत कमी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्ग सम्मेलन यह प्रयत्न कर रहा है कि इन संकेतों के अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किए जाएँ, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा रहे। भारत के लिये मानक संकेत इंडियन रोड काय्रेस ने नियत कर दिए हैं जिनका सब प्रदेशों में व्यवहार होता है।

**सं० प्र०** — हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट, दिल्ली; भारत में मार्गाविकास का इतिहास, केंद्रीय मार्ग अनुसंधान संस्थान, दिल्ली; ब्रजमोहन लाल : भारत में राज्य-मार्ग-निर्माण की कथा, इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) जर्नल का हिंदी संस्करण, सितंबर १९५२; भारतीय मूल सड़क आंकड़े १९६४; डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल . पाणिनि कालीन भारतवर्ष; डा० मोतीचंद : सार्थवाह। [ ब्र० मो० ला० ]

सतत भिन्न (Continued Fractions) कोई पद मंहति

$$k_1 + \frac{a_2}{k_2 + \frac{a_3}{k_3 + \frac{a_4}{k_4 + \dots}}}$$

जिसमें  $k_n$  को छोड़कर, जो शून्य भी हो सकता है, सब  $k$  और  $n$  धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ हों, सतत भिन्न कहलाती है। इसको संक्षेप में

$$k_1 + \frac{k_2}{k_2 + \frac{k_3}{k_3 + \frac{k_4}{\dots}}}$$

द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें  $k_2, k_3, k_4, \dots$  द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें  $k_2, k_3, k_4, \dots$  द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें  $k_2, k_3, k_4, \dots$  द्वारा दर्शाया जाता है।

इत्यादि को सतत भिन्न का प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि अभिसरक (convergent) कहते हैं।

यदि  $p_n = \frac{p_n}{q_n}$ , नवी अभिसरक हो, तो  $p_n = k_n p_{n-1} + k_{n+1} p_{n-2}$  और  $q_n = k_n q_{n-1} + k_{n+1} q_{n-2}$  होगा, जबकि  $p_0 = 1, q_0 = 0, p_1 = k_1, q_1 = 1$ । सतत भिन्न में अवयवों की संख्या सीमित होने पर उसे सांत (terminating) सतत भिन्न तथा अवयवों की संख्या अनंत होने पर, उसे अनंत सतत भिन्न कहते हैं।

$p_1, p_2, p_3, \dots$  अनंत सतत भिन्न,  $q_1, q_2, q_3, \dots$  का अनुक्रम (sequence) माना जा सकता है, जो अभिसारी (convergent), अपसारी (divergent), या दोलक (oscillating) तब होगा जब उक्त अनुक्रम क्रमशः अभिसारी, अपसारी या दोलक होगा।

सतत भिन्न अभिसारी होने पर उसका मान होगा। सीमा  $p_n$   $n \rightarrow \infty$   $q_n$

सतत भिन्न  $k_1 + \frac{k_2}{k_2 + \frac{k_3}{k_3 + \dots}}$  में प्रत्येक 'ख' के स्थान पर '१' रखने से प्राप्त सतत भिन्न

$$k_2 + \frac{1}{k_2 + \frac{1}{k_2 + \frac{1}{\dots}}}$$

साधारण सतत भिन्न कहलाता है। एक साधारण सतत भिन्न संबंदा अभिसारी (divergent) होता है।

यदि  $p_n$  साधारण सतत भिन्न का न वा अभिसरक हो, तो  $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^n$

यदि किसी अनंत साधारण सतत भिन्न में कुछ अवयवों के बाद के अवयव बार बार उसी क्रम में आते हों, तो सतत भिन्न को आवर्ती (recurring) सतत भिन्न कहेंगे। बार बार उसी क्रम में आनेवाले अवयवों को 'चक्रीय (cyclic) भाग' या 'चक्र' तथा बार बार न आनेवालों को 'अचक्रीय (noncyclic) भाग' कहा जाता है। 'चक्रीय भाग' दर्शाने के लिये, इसके प्रथम और अंतिम अवयवों के बीच तारे का निशान लगा देते हैं।

सतत भिन्न  $\frac{1}{2} + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \dots}}}}}}}$  को

$\frac{1}{2} + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \dots}}}}}$  द्वारा दर्शाते हैं, जहाँ  $\frac{1}{2} + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \dots}}}$  अचक्रीय भाग और  $\frac{1}{2} + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \dots}}}$  चक्रीय भाग हैं।

यदि किसी वास्तविक संख्या को साधारण सतत भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह सतत भिन्न उही हालत में समाप्त (terminate) होगा, जब वह संख्या परिमेय (rational) हो।

किसी परिमेय संख्या  $\frac{37}{10}$  को साधारण सतत भिन्न के रूप में निम्न क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है:

$$\frac{37}{10} = 3 + \frac{7}{10} = 3 + \frac{1}{\frac{10}{7}}$$

के रूप में निम्न क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है:

$$= 3 + \frac{1}{1 + \frac{3}{7}} = 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{7}{3}}}$$

$$= 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}$$

वे बीजीय संख्याएँ, जो वर्गकरणी  $\left[ \frac{\pm(\sqrt{m \pm 1})}{r} \right]$ , इस प्रकार की संख्या को वर्गकरणी कहते हैं, जिसमें  $n$  पूर्ण नहीं है और  $n$  शून्यसहित कोई भी संख्या हो सकती है। अपरिमेय संख्या वर्गकरणी की एक विशेष स्थिति (particular case) है, जब  $n$  शून्य हो जाता है। ] या अपरिमेय (irrational) हैं, एक आवर्ती सतत भिन्न के रूप में दर्शाई जा सकती हैं।  $e$  और  $\pi$  इस नियम के अपवाद हैं।

एक वर्गकरणी  $\sqrt{c}$  को आवर्ती सतत भिन्न के रूप में निम्न प्रकार के समीकरण बनाकर दर्शाया जा सकता है:

$$\sqrt{c} = k_1 + \frac{1}{k_2 + \frac{1}{k_3 + \frac{1}{\dots}}}$$

जब  $k_n$  या  $k_{n+1}$  क्रमशः वे सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएँ हैं जो  $\sqrt{c}$  या  $\frac{1}{\sqrt{c}}$  से छोटी हैं।

यदि  $\sqrt{c}$  कोई संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो  $\sqrt{c}$  के रूप की संख्याओं का विस्तार जानने के लिये  $\sqrt{11}$  लेंगे। इसको सतत भिन्न के रूप में निम्न क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है:

$$\sqrt{11} = 3 + (\sqrt{11} - 3) \left[ 3 \text{ वह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जो } \sqrt{11} \text{ से छोटी है} \right]$$

$$= 3 + \frac{(\sqrt{11} - 3)}{1} \times \frac{\sqrt{11} + 3}{\sqrt{11} + 3}$$

$$= 3 + \frac{2}{\sqrt{11} + 3}$$

$$= 3 + \frac{1}{\frac{\sqrt{11} + 3}{2}}$$





(३) यदि अचक्रीय भाग एक से अधिक अवयवों का है, तो यह केवल शून्य से बढ़ा होगा।

√ $\frac{a}{b}$  तथा  $\sqrt{a}$  के सतत भिन्न के रूप में विस्तार की सहायता से समीकरण

$$a x^2 - b y^2 = m$$

$$\text{तथा } c x^2 - d y^2 = m$$

को हल किया जा सकता है।

[ श्रीना० मे० ]

**सतना** १. जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल २,८२३ वर्ग मील तथा जनसंख्या ३,६४,३७० (१९६१) है। जिले में मुख्यतः धान की कृषि होती है। यहाँ जंगलों की अधिकता के कारण लकड़ी का व्यवसाय अधिक होता है।

२. नगर, स्थिति : २४° ३४' उ० अ० तथा ८०° ५०' पू० दे०। यह उपर्युक्त जिले का प्रशासनिक नगर है। यह पहले रघुराजनगर कहलाता था। नगर चावल, लकड़ी, तेंदुआ की पत्ती तथा घी का प्रमुख व्यवसायकेन्द्र है। यहाँ एक सीमेंट का कारखाना भी है। ब्रिटिश शासनकाल में यह बघेलखंड के राज्यों के लिये नियुक्त राजनीतिक अधिकर्ता का निवासस्थान था। नगर की जनसंख्या ३८,०४६ (१९६१) है। यह पन्ना, रीवा तथा खजुराहो जानेवाली बसों का केन्द्र है। [ अ० ना० मे० ]

**सतलुज** (Satlaj or Sutlej) पंजाब की पाँच नदियों में से एक है और १५,२०० फुट ऊँची मानसरोवर झील के पूर्व-दक्षिण-पूर्व से निकलकर, हिमालय के महाखड्डो और बगहर एवं शिमला के पहाड़ों में बहती हुई, यह होशियारपुर में प्रवेश करती है और पंजाब के मैदानों में पहुँचती है। व्याम और चिनाब से मिलने के पश्चात् यह पंचनद कहलाती है और ६०० मील बहने के पश्चात् मिथानकोट के समीप यह सिंधु नदी से मिल जाती है। सरहिंद तथा अमर एवं लोअर सतलुज नहरों को इस नदी से पानी मिलना है। इन नहरों से लगभग १६,००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। [ अ० ना० मे० ]

**सतसई** मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके अंतर्गत कवि-गण ७०० या ७०० से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते रहे हैं। 'सतसई' शब्द 'सत' और 'सई' से बना है, 'सत' का अर्थ मान और सई का अर्थ 'सी' है। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें सात सी छंद होते हैं।

सतसई काव्य ने एक विशिष्ट परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी निजी विशेषताएँ विकसित की हैं। सतसई रचना की परंपरा 'हाल' की गायसप्तशती से आरंभ हुई। यह प्राकृत का ग्रंथ है तथा इसमें रस से सत्क और लोकजीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करनेवाली गायएँ हैं। इसके बाद गोवर्धनाचार्य की 'धार्यासप्तशती' संस्कृत में लिखी गई। अमर कवि के 'अमरुशतक' में भी शृंगार-रस के मनोहारी श्लोक हैं। संक्षेपपरक इन ग्रंथों के प्रभाव से हिंदी साहित्य में सतसई रचना का चाव बढ़ा परंतु हिंदी साहित्य के प्रांगण में सतसई रचना का सतत विकास करने निजी ढंग पर हुआ; वह अपने पूर्ववर्ती सतसई साहित्य से प्रभावित है परंतु उसका निजी अनुकरण नहीं है।

हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारीदास की लिखी हुई 'बिहारी सतसई' ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ का अत्यंत प्रचार हुआ तथा सतसईरचना के लिये इसने अनेक कवियों को प्रेरित किया। 'बिहारी-सतसई' की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर अनेक मूर्खन्य कवियों के दोहों को भी बाद में 'सतसई' का रूप दे दिया गया, जैसे 'तुलसी-सतसई'। मुक्तक काव्य का यह रूप इतना जनप्रिय हुआ कि हिंदी में सतसईयों का एक विशाल अंशार हमें उपलब्ध है। इनमें रहीम सतसई, तुलसी सतसई, बिहारी सतसई, रसनिधि सतसई, मतिराम सतसई, बृंद सतसई, भूपति सतसई, चंदन सतसई, विक्रम सतसई, राम सतसई के नाम प्रमुख हैं और ये सतसईयाँ मध्य युग में लिखी गईं। आधुनिक काल में भी अनेक सतसईयाँ लिखी गईं जैसे हरिप्रोष कृत हरिप्रोष सतसई, वियोगी हरि की बीर सतसई भी बड़ी प्रसिद्ध और सामयिक रचनाएँ हैं।

सतसई की रचना में जो विशेषताएँ दिखाई देती हैं, वे इस प्रकार हैं —

(१) सतसईयों में ७०० या ७०० से कुछ अधिक छंद होते हैं।

(२) सतसईयों में प्रमुख रूप से 'दोहा' छंद का प्रयोग होता है; 'दोहा' के साथ 'सोरठा' और 'बरदै' छंद का प्रयोग भी सतसईकार बीच-बीच में कर देते हैं।

(३) सतसईयों में प्रमुख रूप से शृंगाररस की प्रधानता है। शृंगार के अतिरिक्त नीति तथा भक्ति, वैराग्य को भी सतसईकारों ने लिया है। बिहारी सतसई शृंगारप्रधान रचना है, बृंद सतसई नीतिपरक काव्य है तथा तुलसी सतसई में भक्ति, ज्ञान, कर्म और वैराग्य के दोहे हैं। सतसईकारों ने अपनी सतसईयों में प्रायः इन सभी विषयों के दोहे कहे हैं। शृंगारप्रधान सतसईयों में शृंगार के साथ नीति तथा भक्ति और वैराग्य के दोहे भी मिलते हैं, जैसे बिहारी सतसई और मतिराम सतसई में। बृंद सतसई पूर्णतः नीतिसतसई है तथा तुलसी सतसई में भक्ति तथा वैराग्य के दोहों के साथ नीति के दोहों की भी प्रधानता है। मुख्य रूप से शृंगार और नीति इन दोनों की प्रधानता सतसईयों में देखने को मिलती है।

(४) शृंगारकाल में भी आधुनिक सतसईयाँ लिखी गईं जिनमें यदि एक ओर शृंगार और नीति की प्रधानता है तो दूसरी ओर 'वीररस तथा करुणरस के नए विषयों को भी सतसईकारों ने लिखा है। सूर्यमल्ल मिश्रण की 'वीर सतसई' तथा वियोगी हरि की बीर सतसई में राष्ट्रीयता को जगाने के लिये वीरोचित उक्तियाँ कही गईं हैं और देश की दुर्दशा पर उन्होंने कवणा से युक्त दोहे कहे हैं। सतसई वस्तुतः मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट परंपरा है। [ २० सि० ]

**सतारा** १. जिला, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल ४,०४१ वर्ग मील एवं जनसंख्या १४,३०,१०५ (१९६१) है। इसके उत्तर में पूना, उत्तर पश्चिम में कोलाबा, पश्चिम में रत्नागिरी, दक्षिण में सांगली, और दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में कोलापुर जिले हैं। यहाँ सहायद्रि एवं महादेव नामक दो पहाड़ी श्रेणियाँ हैं। सहायद्रि श्रेणी जिले में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और

महादेव अछी पूर्व से दक्षिणपूर्व में फैली हुई है। जिले में नदियों के दो समूह हैं : भीमा समूह और कृष्णा समूह। भीमा समूह की नदियाँ जिले के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व के कुछ भागों में बहती हैं और कृष्णा समूह की नदियाँ जिले के शेष भाग में बहती हैं। यहाँ के जंगल इमारती एवं जलावन लकड़ियों के भंडार हैं। यहाँ की भूमि कैल्सियम कार्बोनेट से युक्त, काली चिकनी मिट्टी से बनी है, जो अच्छी सिंचाई की जाने पर बड़ी उपजाऊ हो जाती है। सतारा के कुछ पश्चिमी भागों में औसत वार्षिक वर्षा १०० इंच से भी अधिक होती है, पर पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें दलहन, तिक्कहन, गन्ना एवं मोटे अनाज हैं। पीतल के बरतनों का उद्योग और सूती वस्त्र एवं कबल उद्योग यहाँ हैं।

१. नगर, स्थिति : १७° ४१' उ० अ० तथा ७४° ०' पू० २०' । यह नगर उपर्युक्त जिले का प्रशासनिक केंद्र है और कृष्णा एवं वेन नदियों के संगम पर, पूना से ५६ मील, दक्षिण में स्थित है। ढालवाँ पहाड़ी की चोटी पर सतारा का रूढ़ किला स्थित है और इस किले के नीचे नगर फैला हुआ है। ऐसा अनुमान है कि संभवतः किले में १७ दीवारें, मीनारें एवं द्वार थे, जिनके आधार पर नगर का नाम सतारा पड़ा है। नगर समुद्रतल से २,३२० फुट की ऊँचाई पर स्थित है, जिसके कारण नगर की जलवायु अच्छी है। नगर की जनसंख्या ४६,७०६ (१९६१) है। मराठा इतिहास में नगर का महत्वपूर्व स्थान रहा है और १८४८ ई० तक शिवाजी के वंशजों द्वारा यह नगर शासित था। इन वंशजों के हथियार सतारा के किले में रखे हुए हैं। [ अ० ना० मे० ]

**सत्य** न्याय दर्शन में प्रमुख रूप में प्रत्येक निर्णय और अनुमान पर विचार होता है। इन तीनों में निर्णय का स्थान केंद्रीय है। निर्णय का शाब्दिक प्रकाशन वाक्य है। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं, तो उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं; स्वीकार और अस्वीकार में निश्चय न कर सकने की अवस्था संदेह कहलाती है। प्रत्येक निर्णय सत्य होने का दावा करता है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो इसके दावे को सत्य मानते हैं; अस्वीकार करने में उसे असत्य कहते हैं। विश्वास हमारी साधारण मानसिक अवस्था है। जब किसी विश्वास में त्रुटि दिखाई देती है, तो हम इसका स्थान किसी अन्य विश्वास को देना चाहते हैं। किसी त्याज्य विश्वास से अन्य विश्वास तक जाने की मानसिक क्रिया ही चिंतन है। विश्वास, सत्य हो या असत्य, क्रिया का आधार है, यही जीवन में इसे महत्वपूर्ण बनाता है। ध्याय का काम निर्णय या वाक्य के सत्यासत्य की जाँच करना है; इसके लिये यह बात प्रसंग है कि कोई इसे वास्तव में सत्य मानता है या नहीं।

सत्य के संबंध में दो प्रश्न विचार के योग्य हैं — किसी निर्णय या वाक्य को सत्य कहने में हमारा अधिप्राय क्या होता है।

सत्य और असत्य में भेद करने का मापक साधन क्या है? हमारे ज्ञान के विषयों में प्रमुख ये हैं — हमारी अपनी चेतना अवस्थाएँ, प्राकृतिक पदार्थ, तथा चेतना के अन्य केंद्र, या दूसरों के मन।

में कहता हूँ कि मुझे दाँत में दर्द हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? मेरा अनुभव एक धारा है जिसमें निरंतर गति होती रहती है। मैं कहता हूँ कि धारा का जो भाग वर्तमान में जात है, दुख की अनुभूति उसमें प्रमुख पक्ष है। मेरे लिये यह स्पष्ट अनुभव है और मैं इसमें संदेह कर ही नहीं सकता। मेरे लिये इसे जाँचने को दूसरा मापक न है, न हो सकता है। स्पष्ट बोध से अधिक अधिकार किसी अन्य अनुभव का नहीं।

अन्य चेतनों का हमें स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अनुरूपता के आधार पर हम उनके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। परंतु ऐसा अनुमान करने की योग्यता प्राप्त होने से पहले ही बचना ऐसा विश्वास करता है। संभवतः वह सभी पदार्थों को अपने नमूने का समझता है, और पीछे कुछ वस्तुओं को अपने असमान पाकर अचेतन समझने लगता है।

निर्णयों के सत्य असत्य का प्रश्न प्रायः प्राकृतिक तथ्यों के संबंध में उठता है। मैं कहता हूँ 'मेज पर पुस्तक पड़ी है' इस वाक्य के यथार्थ होने का अर्थ क्या है?

मैं ख्याल करता हूँ कि मुझसे अलग, बाहर, मेज और पुस्तक विद्यमान हैं और उनमें एक विशेष संबंध है। यदि स्थिति वास्तव में ऐसी ही है तो मेरा वाक्य सत्य है; ऐसा न होने की हालत में असत्य है। यह 'सत्य का अनुरूपता सिद्धांत' है।

अनुरूपता का सिद्धांत वस्तुवाद से गठित है, और सर्वमान्य सा है। भारत के दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रथम प्रमाण का पद दिया गया है। प्रत्यक्ष 'इंद्रिय और उसके विषय के सामीप्य का फल है'। यह सामीप्य दो प्रकार से हो सकता है : या तो पदार्थ इंद्रिय के पास आए, या मन इंद्रिय द्वार से गुजरकर पदार्थ तक पहुँचे। दूसरी घटना घटती है और मन विषय का रूप ग्रहण करता है। यह अनुरूपता सिद्धांत का स्पष्ट समर्थन है।

अनुरूपता सिद्धांत के अनुसार हम अपने विचार और बाह्य स्थिति में समानता देखते हैं। अपने विचारों का तो हमें स्पष्ट बोध होता है, पर बाहर की स्थिति को हम कैसे जानते हैं? हम दो विचारों को साथ रखकर उनकी समानता असमानता की बाबत कह सकते हैं, परंतु बाह्य पदार्थ तो हमारी चेतना में प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। उसकी तुलना किसी विचार से कैसे करेंगे? अनुरूपता-वाद में यह मान लिया जाता है कि बाह्य स्थिति का ज्ञान हमें पहले से ही है। यदि पहले ही ऐसा ज्ञान हो तो निर्णय के सत्य असत्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी स्थिति ऐसे मनुष्य की स्थिति है जिसने ताजमहल के चित्र देखे हैं, परंतु ताजमहल को नहीं देखा, और जानना चाहता है कि वे चित्र ताजमहल को वास्तविक रूप में दिखाते हैं या नहीं।

अध्यात्मवाद कहता है कि वस्तुवाद के पास इस आपत्ति से बचने का कोई साधन नहीं। सत्य के मापक की खोज स्वयं अनुभव में करनी चाहिए। अनुभव में 'भातरिक अधिरोध' सत्य की कसौटी है। अपने पिछले दृष्टांत को फिर लें। 'पुस्तक मेज पर पड़ी है', मैं यह कितना जानता हूँ? प्रायः ऐसा बताती है। यह एक अनुभव है। परंतु

बाख कभी कभी धोखा भी दे देती है। मैं हाथ से पुस्तक और मेज को छूना हूँ। यह दूसरा अनुभव पहले अनुभव की पुष्टि करता है। हाथ से खटवता हूँ तो जो शब्द सुनाई देता है, वह पुस्तक और मेज से निकला प्रतीत होता है। तीसरा अनुभव पहले दोनों अनुभवों की पुष्टि करता है दूसरे भी पुस्तक को मेज पर पड़ा देखते हैं। अनुरूपता सत्य का चिह्न है, परंतु यह अनुरूपता विचार और बाह्य पदार्थ के दरमियान नहीं, अनुभव के विविध भागों के दरमियान होती है। आकर्षणनियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थों से आकृष्ट होता है, और उन्हें खींचता भी है। इसी तरह सत्य ज्ञान के सभी भाग एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो नियम इस तरह शेष अनुभव से युक्त हो सकता है, वह सत्य है; जिसमें यह योग्यता नहीं वह असत्य है।

इस विवरण से ऐसा लगता है कि सत्य अनेक सत्य वाक्यों का समुदाय है, और इस समुदाय में प्रत्येक सत्य की अपनी स्वतंत्र स्थिति है। अविरोधवाद इस विचार को स्वीकार नहीं करता। सत्य समुदाय नहीं अपितु समग्र है जिसका तत्त्व आंशिक सत्यों के रूप को निश्चित करता है। वास्तव में सत्य एक ही है, बहुवचन में सत्यों का वर्णन करना अनुचित है। समूह में कुछ एकांग अलग हो जाए तो दूसरे की स्थिति में भेद नहीं रहता। इंटों के ढेर में से कोई चार इंटें उठा ले जाए, तो बाकी इंटों को इसमें आपत्ति नहीं होती। शरीर के एक अंग पर चोट लगे, तो सारा शरीर दुःखी होता है। आंशिक सत्यों में हर एक अंश समग्र को किसी पक्ष में दरसाता है, और इस विषय में सभी अंशों का मुख्य एक नहीं होता। अविरोधवाद के अनुसार सत्यों में परिमाण का भेद होता है।

जिन वाक्यों को हम सत्य कहते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं— वैज्ञानिक नियम संबंधी और तथ्य संबंधी। 'दो और दो चार होते हैं,' 'यदि किसी त्रिकोण के भुज बराबर हों, तो उसके कोण भी बराबर होंगे'।— यह वाक्य हर कहीं और सदा सत्य हैं; देश और काल का भेद उनके सत्य होने से असंगत है। 'भारत १९४७ ई० में स्वाधीन हुआ।' १९४७ ई० से पहले यह वाक्य कहा ही नहीं जा सकता था, परंतु अब यह भी सदा के लिये सत्य है।

सत्य का तीसरा सिद्धांत 'व्यवहारवाद' या 'प्रैग्मेटिज्म' के नाम से प्रसिद्ध है। अपने आधुनिक रूप में यह अमरीका की देन है। वास्तव में व्यवहारवाद कोई सिद्धांत नहीं, एक मनोवृत्ति है जो सामान्य से विशेष को, स्थिरता से परिवर्तन को, चिंतन से क्रिया को अधिक महत्व देती है। इस विचार के प्रसार में चार्ल्स पीअर्स, विलियम जेम्स और जान डियूई का विशेष भाग है। पीअर्स नैयायिक था, जेम्स मनोवैज्ञानिक था, डियूई की अभिवृत्ति नीति और राजनीति में थी। पीअर्स ने प्रत्ययों के 'अर्थ' को स्पष्ट करने में व्यवहारवाद की विधि का प्रयोग किया, जेम्स ने सत्य का स्वरूप निर्णय करने में इसे बर्त, डियूई ने 'अर्थ' पर इसे लागू किया। इस तरह वे व्याप, सौंदर्यशास्त्र और नीति को अनुभववाद के निकट ले आए।

पीअर्स ने नए विचार को 'प्रैग्मेटिज्म' का नाम दिया। उसकी दृढ़ धारणा थी कि दर्शन को विज्ञान के दृष्टिकोण और उसकी विधि को अपनाना चाहिए। दर्शन के लिये सत्य ज्ञान निरपेक्ष या समग्र

का दोषरहित ज्ञान है; विज्ञान की दृष्टि में ऐसा ज्ञान साभव बुद्धि के लिये अप्राप्य है। हमें सापेक्ष ज्ञान से संतुष्ट होना चाहिए, यही हमारे लिये काम की वस्तु है। दर्शन का प्रमुख काम स्वीकृत मान्यताओं को सिद्ध करना रहा है, विज्ञान के लिये आविष्कार प्रमुख है। नवीन वैज्ञानिक विधि में आगमन और नियमन दोनों का समन्वय होता है। कुछ उदाहरणों की नींव पर प्रतिज्ञा की जाती है, उसे सत्य मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और अंत में देखा जाता है कि अनुभव इनकी पुष्टि करता है या नहीं। किसी प्रतिज्ञा की ऐसी पुष्टि ही उसकी सत्यता है। प्रत्येक सत्य की स्थिति सामयिक प्रतिज्ञा की स्थिति है। प्राकृतिक नियम भी स्थायी नहीं, वे भी विकासधीन हैं। आकर्षणनियम का क्षेत्र अब पहले से अधिक विस्तृत है और भविष्य में वर्तमान से भी अधिक विस्तृत हो जायगा। नियम भी आदतों की तरह पुष्ट होते जाते हैं।

जेम्स ने अमूर्त सत्य को नहीं, अपितु विशेष विश्वासों के सत्य को अपने विवेचन का विषय बनाया। उसके विचारानुसार सत्य कोई स्थायी वस्तु नहीं जिसे देखना ही हमारा काम है, यह तो क्रिया में बनता है। अपनी पुस्तक 'व्यवहारवाद' में वह कहता है—

'व्यवहारवाद, मूल रूप में, उन दार्शनिक विवादों को भिटाने का नियम है जो इसके बिना अंतरहित होते। जगत् एक है या अनेक? स्वाधीन है या पराधीन? प्राकृतिक है या आध्यात्मिक? ये विचार ऐसे हैं जिनमें एक या दूसरा सत्य या असत्य हो सकता है, और ऐसे विचारों पर विवादों का कोई अंत नहीं। व्यवहारवाद की विधि इन विषयों के संबंध में यह है कि हम प्रत्येक प्रत्यय का समाधान इसके व्यावहारिक परिणामों के परीक्षण से करें। यदि कोई प्रत्यय दूसरे प्रत्यय के स्थान में सत्य होता, तो इससे किसी मनुष्य के लिये व्यावहारिक भेद क्या पड़ता? यदि कोई व्यावहारिक भेद दिखाई न दे तो व्यवहार में दोनों पक्षांतर एक ही हैं और सारा बिवाद व्यर्थ है। जब कोई विवाद गंभीर हो तो हमें यह दिखाने के योग्य होना चाहिए कि दोनों पक्षों में एक या दूसरे के सत्य होने पर कोई व्यावहारिक भेद होता है'।

जेम्स से बहुत पहले इसी भाव को प्रकट करते हुए रामानुज ने कहा था—'व्यवहार योग्यता सत्यम्'।

व्यवहारवाद ज्ञानमीमासा में उपयोगितावाद है: 'जो कुछ विश्वास के संबंध में अपने आपको मूल्यवान् सिद्ध करता है, वह सत्य है। व्यवहारवाद बिना भिन्नक के यह मान लेता है कि जो विश्वास एक के लिये सत्य है वह दूसरे के लिये असत्य हो सकता है।

ऊपर कहा गया है कि व्यवहारवाद सामान्य से विशेष को और स्थिरता से परिवर्तन को अधिक महत्व देता है। डियूई की शिक्षा में हम इसे स्पष्ट देखते हैं।

राजनीति में राजतंत्र, शिष्टजनतंत्र और प्रजातंत्र शासनों में भेद किया जाता है। राजतंत्र और शिष्टजनतंत्र अधिक सफल हों, तो भी प्रजातंत्र उनसे अच्छा है, क्योंकि यह व्यक्ति के मुख्य को स्वीकार करता है। नीति में कुछ नियमपालन को और कुछ श्रेय की सिद्धि को लक्ष्य बताते हैं। डियूई के अनुसार दोनों बर्त एक

ही भाति में पड़े हैं; वे विशेष को उचित महत्त्व नहीं देते। नीति को एक नहीं अनेक नियमों को, एक नहीं अनेक साध्यों को स्वीकार करना चाहिए। उद्देश्य हर हास्यत में वर्तमान कठिनाई को दूर करना होता है; जो क्रिया इसमें अधिक से अधिक सहायक हो, वही उस स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। कोई मनुष्य कहीं भी स्थित हो, वह अच्छा मनुष्य है यदि वह भागे बढ़ रहा है, बुरा मनुष्य है यदि पीछे हट रहा है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य उत्थान या वृद्धि है; पूर्णता नहीं, अपितु पूर्णता की ओर निरंतर गति है।

यह गति ही शिक्षा है, नैतिक जीवन और शिक्षा एक ही वस्तु है। प्रकल्पित विचार के अनुसार शिक्षाकाल तैयारी का समय है; यह व्यक्ति को पराधीनता से विमुक्त करके स्वाधीन बना देता है। यदि ऐसा ही है, तो शिक्षाकाल की समाप्ति पर शिक्षा की आवश्यकता भी नहीं रहती। डिग्रई कहता है कि वृद्धि का यत्न तो जीवन के अंत तक जारी रहना चाहिए, सारा जीवन ही शिक्षाकाल है। जो कुछ स्कूलों कालेजों में पढ़ाया जाता है, उसमें साहित्य और भाषाओं के ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्त्व मिलना चाहिए। विज्ञान में भी जो भाग पुस्तकों से प्राप्त होता है, उससे अधिक मूल्य उस भाग का है जो विद्यार्थी अपनी क्रिया से सीखता है। मनुष्य का दिमाग ज्ञान का नहीं, क्रिया का अस्त्र है।

निष्कर्ष — वास्तव में अनुरूपतावाद, अविरोधवाद और व्यवहारवाद एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं। दो प्रश्न उत्तर की मांग करते हैं — सत्य से क्या अभिप्रेत है? सत्य और असत्य में भेद करने की कसौटी क्या है? अनुरूपतावाद पहले प्रश्न का उत्तर देता है; अविरोधवाद और व्यवहारवाद दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जेम्स ने कहा है कि व्यवहार की दृष्टि में जब कोई विश्वास सत्य सिद्ध होता है, तो उसके सिधे आवश्यक है कि वह उसी प्रकार के सत्यो से युक्त हो सके। यह धारणा व्यवहारवाद को अविरोधवाद के निकट ले आती है। तीनों विचार एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। [ दी० चं० ]

**सत्यकाम जाबाल** महर्षि गौतम के शिष्य जिनकी माता जबाला थीं और जिनकी कथा छांदोग्य उपनिषद् में दी गई है। सत्यकाम जब गुरु के पास गए तो नियमानुसार गौतम ने उनसे उनका गोत्र पूछा। सत्यकाम ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अपने गोत्र का पता नहीं, मेरी माता का नाम जबाला और मेरा नाम सत्यकाम है। मेरे पिता युवावस्था में ही मर गए और घर में नित्य अतिथियों के आतिथ्य से माता को बहुत काम करना पड़ता था जिससे उन्हें इतना भी समय नहीं मिलता था कि वे पिता जी से उनका गोत्र पूछ सकती। गौतम ने शिष्य की इस सीधी सच्ची बात पर विश्वास करके सत्यकाम को ब्राह्मणपुत्र मान लिया और उसे ऋषि ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। [ रा० द्वि० ]

**सत्यभामा** सत्राजित की कन्या और कृष्ण की चार मुख्य स्त्रियों में से एक। इनसे कृष्ण को दस पुत्र हुए जिनके नाम भानु, सुभानु, स्वरभानु आदि थे। सूर्य ने जो स्वर्भक्त मणि सत्यभामा के पिता को दी थी उसे सतसम्पल ने सत्राजित की हत्या करके छीन लिया।

अंत में यह मणि अक्रूर के पास निकली और उसके अधिकारियों में से सत्यभामा भी एक थीं। परंतु निरुण्य हुआ कि अक्रूर ही इस मणि को अपने पास रखें। [ रा० द्वि० ]

**सत्ययुग** चार प्रसिद्ध युगों में सत्य या कृतयुग प्रथम माना गया है। यद्यपि प्राचीनतम वैदिक ग्रंथों में सत्यत्रेतादि युगविभाग का निर्देश स्पष्टतया उपलब्ध नहीं होता, तथापि स्मृतियों एवं विशेषतः पुराणों में चार युगों का सविस्तार प्रतिपादन मिलता है।

पुराणादि में सत्ययुग के विषय में निम्नोक्त विवरण मिलता है — वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया रविवार को इस युग की उत्पत्ति हुई थी। इसका परिमाण १७,२८,००० वर्ष है। इस युग में भगवान् के मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह ये चार अवतार हुए थे। इस काल में स्वर्णमय व्यवहारपात्रों की प्रचुरता थी। मनुष्य अत्यंत दीर्घकृति एवं प्रतिदीर्घ आयुवाले होते थे। इस युग का प्रधान तीर्थ कुशेश्वर था।

इस युग में ज्ञान, ध्यान या तप का प्राधान्य था। प्रत्येक प्रजा पुरुषार्थसिद्धि कर कृतकृत्य होती थी, अतः यह 'कृतयुग' कहलाता है। धर्म चतुष्पाद (सर्वतः पूर्ण) था। मनु का धर्मशास्त्र इस युग में एकमात्र अवलंबनीय शास्त्र था। महाभारत में इस युग के विषय में यह विशिष्ट मत मिलना है कि कलियुग के बाद वल्की द्वारा इस युग की पुनः स्थापना होगी (वन पर्व १६१/१ - १४)। वन पर्व १४६/११ - २५) में इस युग के धर्म का वर्णन द्रष्टव्य है। [ रा० ष० भ० ]

**सत्यवतो** राजा गांधि की एक कन्या जो ऋषीक नामक ब्राह्मण से ब्याही गई। यह जमदग्नि की माता और परशुराम की मातामही थी।

इनकी माता आर्द्रका नाम अंतरा थी। यही व्यास द्वैपायन की माता है जिनके नाम गणवती, कालागनी तथा गणकाली भी हैं। पराशर ऋषि इन्हें यमुना पार करते समय मिले थे और बाद की इनका ब्याह राजा शातनु से हुआ जिनसे बित्रागद एव विचित्रधीर्य नामक दो पुत्र हुए (दे० मत्स्यगंधा)। [ रा० द्वि० ]

**सत्यवान** अश्वपति राजा की कन्या सावित्री का पति जिनकी मृत्यु की अविष्यवाणी एक ऋषि ने विवाह के पूर्व ही कर दी थी। जब लकड़ी काटते समय सत्यवान गिरकर मरने लगा तो सावित्री वहाँ थी और उसने यमराज को देखकर उनका पीछा किया। अंत में यम उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और सत्यवान के जीवन का वरदान सावित्री को प्राप्त हो गया। [ रा० द्वि० ]

**सत्यशरणा रतूड़ी** 'चचरोक' जन्म गोदी (टिहरी) में हुआ द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। उनकी कविताएँ प्रायः 'सरस्वती' में प्रकाशित होती थी। वे अत्यंत भायुक्त और सहृदय कवि थे। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपने एक पत्र में (२ मार्च, १९३८ को म्यामचंद नेगी को लिखित) इन शब्दों में उनकी प्रतिभा की स्वीकार किया था : 'स्वर्गवासी प० सत्यशरणा जी रतूड़ी सुकवि थे। भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी वाणी में रस

था। उनकी कविताएँ सरल, सरल और भावमयी होती थीं। इससे मैं उन्हें सरस्वती' में स्थान देता था।' उनकी कविताएँ विश्वंभरदत्त उन्नीयाल द्वारा संपादित 'सत्य कुसुमाञ्जलि' में संगृहीत हैं। उनकी 'शांतिमयी शैल्या' कविता रामनरेश त्रिपाठी की 'कवितावली' में मिलती है।

**सत्यार्थप्रकाश** समाजसुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की इस रचना ( सन् १८७७ ) का मुख्य प्रयोजन 'सरय को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना' है। इसमें इन विषयों पर विचार किया गया है — बालशिक्षा, अध्ययन अध्यापन, विवाह एवं गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राजधर्म, ईश्वर, सृष्टि उत्पात्ति, बंधमोक्ष, आचार अनाचार, धर्म्यवतंदेशीय मतमतांतर, ईसाई मत तथा इस्लाम। इसकी भाषा के संबंध में स्वयं लेखक ने सन् १८८२ में यह लिखा "जिस समय मैंने यह ग्रंथ बनाया था, उस समय संस्कृत-भाषण करने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा (हिंदी) का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा प्रशुद्ध बन गई थी। अब इसको भाषा-व्याकरण-अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है।"

यद्यपि हिंदू जीवन व्यक्ति और समाज, दोनों को समझ रखकर चलता है, तो भी हिंदुओं में प्रायः देखा जाता है कि समष्टिवादी की अपेक्षा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अधिक है। ध्यान में मग्न उपासक के समीप इसी समाज का कोई व्यक्ति तड़प रहा हो तो वह उसे ध्यान-भंग का कारण समझेगा — यह नहीं कि वह भी राम या कृष्ण ही है। फिर उन्नीसवीं शती में अंगरेजी सभ्यता का बहुत प्रभाव था। अंगरेजी प्रचार के परिणामस्वरूप हिंदू ही अपनी संस्कृति को हेय मानने और पश्चिम का अनुकरण करने में गर्व समझने लगे थे। भारतीयों को भारतीयता से अष्ट करने की मैकाले की योजना के अनुसार हिंदुओं को पतित करने के लिये अंगरेजी शिक्षाप्रणाली का जोर था। विदेशी सरकार तथा अंगरेजी मजदूर अपने एजेंट पादरियों के द्वारा 'ईसा का भंडा' देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। हिंदू अपना धार्मिक एवं राष्ट्रीय गौरव खो चुके थे। १४४ हिंदू प्रति दिन मुसलमान बन जाते; ईसाई इससे कहीं अधिक। पादरी 'रगीला कृष्ण', 'सीता का छिनाला' आदि सैकड़ों गंदी पुस्तिकाएँ बाँट रहे थे। इन निराधार गहूँ लखनों का उत्तर देने के स्थान में ब्राह्म समाजवादी ने उलटे राष्ट्रीयता का विरोध किया। वेद आदि की प्रतिष्ठा करना तो दूर रहा, पेट भर उनकी निंदा की।

स्वामी दयानंद ने धर्मसमाज और सत्यार्थप्रकाश के द्वारा इन घातक प्रवृत्तियों को रोका। उन्होंने यहाँ तक लिखा, "स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए (व्यक्ति) 'मन्त्री' होने चाहिएँ। "परमात्मा हमारा राजा है"; वह कृपा करके "हमको राज्याधिकारी करे।" इसके साथ ही उन्होंने धर्म्य सभ्यता एक संस्कृति से प्रखर प्रेम और वेद, उपनिषद् आदि धर्म्य सत्साहित्य तथा भारत की परंपराओं के प्रति श्रद्धा पर बल दिया। स्वसमाज, स्वधर्म, स्वभाषा तथा स्वराष्ट्र के प्रति भक्ति जगाने तथा तर्कप्रधान बातें करने के कारण उच्च

भारत के पड़े लिखे हिंदू धीरे धीरे इधर लिखे चले आए जिससे धर्म-समाज सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ।

बारह विभिन्न भाषाओं में इस ग्रंथ की सात लाख से अधिक प्रतियाँ छप चुकी हैं। [ब० वी०]

**सदानंद चिन्डियाल** (१८६८-१९२८) जन्म मद्रास गौव खोला में हुआ। वे आयुर्वेद के विद्वान् ही नहीं शुद्ध साहित्यिक भी थे। उनका 'प्रायश्चित्त' शीर्षक हिंदी नाटक तथा 'मातृकुसुमाञ्जलि' शीर्षक अप्रकाशित कविताएँ उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। विशुद्ध साहित्यसाधना के अतिरिक्त उन्होंने आयुर्वेद के कई ग्रंथों पर टीकाएँ लिखीं तथा 'रसतरंगिणी' नामक आयुर्वेद विषयक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत की कोमल कांत पदावली में लिखे इस ग्रंथ की विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशंसा की है।

**सदाशिवराव भाऊ** बाजीराव पेशवा के भाई चिमनाजी अप्पा के पुत्र सदाशिवराव भाऊ को देशी राज्यों के विरुद्ध सैनिक सफलताओं के कारण असाधारण सेनानी समझा गया, और पानीपत में मराठों की भीषण पराजय का आवश्यक्ता से अधिक दोषी भी। अनुकूल प्रकृति होते हुए भी महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होने से, वह अधिकतर लालची, धमंडी और हठी ठहराया गया। रामचंद्र बाबा की दीक्षा और प्रेरणा से भाऊ ने शासनप्रबंध में असाधारण दक्षता प्राप्त की; किंतु वही भाऊ और पेशवा में मनो-मालिन्य बढ़ाने का भी कारण बना।

भाऊ का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य पश्चिमी कर्नाटक में मराठा आधिपत्य स्थापित करना था (१७४६)। फिर, विद्रोही यामाजी शिवदेव को पराजित कर उसने संगोला का किला हस्तगत किया (१७५०)। यहाँ, रामचंद्र बाबा की प्रेरणा से नई योजना कार्यान्वित कर, उसने मराठा शासन में वैधानिक क्रांति स्थापित कर दी। किंतु भाऊ के कुछ कार्यों को अपने स्वत्वाधिकारों का अपहरण समझ पेशवा उससे और बाबा से रुष्ट हो गया। तब बाबा से प्रोत्साहित हो भाऊ ने पेशवा से शासनसंचालन का पूर्णाधिकार मांगा, वही पद जो विगत पेशवा के समय से उसके पिता का था। पेशवा की अस्वीकृति पर भाऊ ने कोल्हापुर के राजा के पेशवा-पद को ग्रहण करने की धमकी दी। किंतु अतत. महादोषा पुरंदरे के पदत्याग के कारण दोनों में समझौता हो गया, जिससे महाराष्ट्र में गृहयुद्ध की आशंका टल गई। १७५१ से १७५६ तक, यद्यपि भाऊ ने पेशवा के साथ कुछ सफल सैनिक अभियानों में भाग लिया, किंतु मुख्यतः उसका कार्यक्षेत्र शासनप्रबंध ही रहा, जिसमें उसने पूर्ण योग्यता का परिचय दिया। १७६० भाऊ की हत्या का अरमोत्सव था, जब ऊदगिर के युद्ध में निजाम को पूर्णरूपेण परास्त कर उसने महाराष्ट्र साम्राज्य का सीमाविस्तार किया। किंतु तभी महाराष्ट्र के भावी अविष्ट की पूर्व-सूचना के रूप में पेशवा को अहमदशाह दुर्रानी के हाथों बरारघाट में दत्ताजी सिंधिया की पराजय और मृत्यु के समाचार प्राप्त हुए। तब पेशवा ने अपने भाई रघुनाथराव की अपेक्षा भाऊ को दुर्रानी का गतिरोध करने के लिये सेनापति नियुक्त किया। २ अगस्त को

भाऊ ने दिल्ली पर अधिकार किया। १० अक्टूबर को शाह आलम को दिल्ली का सम्राट घोषित किया। फिर, १७ अक्टूबर को कुंजपुरा विजय कर, ३१ अक्टूबर को वह पानीपत पहुँच गया। ४ नवंबर को विपक्षी सेनाएँ आमने सामने लड़ी हो गईं। प्रायः ढाई महीने की मोर्चाबंदी के बाद, १४ जनवरी, १७६१ के दिन समूचे भारतीय इतिहास के घोरतम युद्धों में से एक, पानीपत का युद्ध प्रारंभ हुआ। सैनिक योग्यता में दुर्रानी से निम्नतर होने के प्रतिरिक्त भाऊ निस्संदेह प्रतिकूल परिस्थितियों से विवश हो गया था। इस भीषण युद्ध में नानासाहब पेशवा के पुत्र विश्वासराव तथा भाऊ के प्रतिरिक्त अनेक मुख्य सामंतों के साथ प्रायः एक लाख मराठा सैनिक तथा धार्मिक खेत रहे। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति ने भाऊ होने का छद्म रचा, किंतु अपराध प्रमाणित होने पर उसे मृत्युदंड दे दिया गया।

सं० अ० — घाट डफ : हिस्ट्री भाँव द मराठाज; सरदेसाई : न्यू हिस्ट्री भाँव मराठाज; जदुनाथ सरकार : राइख ऐंड फॉल भाँव द मुगल एंपायर; अयंबक शंकर शेजवाकर (Shejwalkar : पानीपत (१७६१); गेडासिंह महमदशाह दुर्रानी। मराठी ग्रंथ :— काशीराज बखर; भाऊ साहेब ची बखर; पुरंदरे दपतर; मराठ्याचा इतिहासाची साधने। [ रा० ना० ]

**सदिश विश्लेषण ( Vector Analysis )** गणित की वह शाखा है जो सदिश बीजगणित तथा सदिश बिंदु फलनों और सदिश क्षेत्रों के दिक् या काल परिवर्तन दर की व्याख्या करती है। सदिश (vector) एक सत्ता है, जो एक दिष्ट परिमाण (directed magnitude) को, जैसे बल या वेग को, निरूपित करती है और जिसे बराबर तथा समांतर रेखाखंडों की किसी पद्धति में निरूपित किया जाता है।


सामान्य रूप से सदिशों को क्लैरेंडन टाइप के अक्षरों से जताया जाता है और उसके परिमाण सामान्य टाइप के उन्ही अक्षरों से जताए जाते हैं :  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots, \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \dots, a, b, c, \dots$  रेखा सदिश, जो सबसे सरल सदिश है दो बिंदुओं  $m, p$  ( $OP$ ) से निर्धारित होता है। ये बिंदु इस प्रकार के होते हैं कि सदिश का परिमाण सरल रेखा  $m, p$  की लंबाई होती है और दिशा  $m, p$  की ओर। यह सदिश संकेत रूप में  $m, p$  द्वारा बताया जाता है। जिस सदिश का गुणांक (modulus) इकाई होता है, उसे एकांक सदिश (unit vector) कहते हैं। यदि दो सदिशों की लंबाई और दिशा एक ही, तो वे आपस में बराबर होते हैं।

**सदिश योग** — कतिपय सदिशों के ज्यामितीय योग ज्ञात करने की प्रक्रिया को सदिश योग कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सदिशों के तुल्यमान का एक सदिश निर्धारित किया जाता है। सदिशों का योग ज्ञात करने के लिये, उन्हें निरूपित करनेवाली रेखाएँ एकरेखीय श्रेणी में, बिना दिशा बदले, इस प्रकार रची जाती हैं कि पहली रेखा के बाद हर रेखा उस बिंदु से शुरू होती है जिसपर उसके पहले वाली रेखा समाप्त होती है। पहले सदिश के आरंभ बिंदु और अंतिम सदिश के अंतिम बिंदु

को मिलानेवाली रेखा सदिशों का योग होती है। सदिश राशियों को त्रिभुज नियम के अनुसार सशोजित किया जाता है। इसके अनुसार यदि तीन बिंदु  $m, p$  और  $r$  इस प्रकार

$$\rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow$$

हों कि  $m, p = \mathbf{a}$  और  $p, r = \mathbf{b}$ , तो सदिश  $m, r$ ,  $\mathbf{a}$  और  $\mathbf{b}$  का योग वहलाता है। यदि इस योग को  $\mathbf{c}$  माना जाय, तो  $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ । स्पष्ट है कि दो सदिशों  $\mathbf{a} = m, p$  तथा  $\mathbf{b} = p, r$  का योग सदिश  $\mathbf{c} = m, r$



है, जो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निर्धारित होता है, जिसकी गुजाएँ  $m, p$  और  $m, r$  हैं। क्रमविनिमेयता (commutativity) और साहचर्य (associativity) के नियम सदिशों के जोड़ने में लागू होते हैं, सदिशों की संख्या चाहे जितनी हो। योग पदों के क्रम (order) और समूहन (grouping) में निरूपण होता है। यदि किसी सदिश के साथ ऋण चिह्न पूर्वलग्न हो, तो वह एक ऐसे सदिश को निरूपित करता है जिसका परिमाण तो मूल सदिश के बराबर हो किंतु दिशा विपरीत हो।

किसी वास्तविक संख्या  $n$  और विरोधी सदिश  $\mathbf{a}$  का गुणनफल  $n\mathbf{a}$  द्वारा जताया जाता है। यह एक ऐसा सदिश होता है जिसकी लंबाई  $\mathbf{a}$  की  $n$  गुनी होती है और दिशा  $\mathbf{a}$  की ओर होती है, या  $\mathbf{a}$  के विपरीत होती है। यह  $n$  के धनात्मक या ऋणात्मक होने पर निर्भर करती है।

**दो सदिशों का सदिश गुणनफल** — दो सदिशों  $\mathbf{a}$  और  $\mathbf{b}$  का सदिश गुणनफल  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ , या  $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ , द्वारा जताया जाता है और

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{a} = n$  प्रब जया ( $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ), होता है, जिसमें कोज्या ( $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ),  $\mathbf{a}$  और  $\mathbf{b}$  के बीच के कोण को निरूपित करता है। यदि सदिश  $\mathbf{a}$  और  $\mathbf{b}$  एक दूसरे पर लंब हो तो  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$ ।

**दो सदिशों का सदिश गुणनफल** — सदिशों  $\mathbf{a}$  और  $\mathbf{b}$  के सदिश गुणनफल को  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और परिभाषा के अनुसार

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a} = n$  प्रब जया ( $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ) जहाँ  $n$ ,  $\mathbf{a}$  और  $\mathbf{b}$  पर लंब, ऐसा एकांक सदिश है कि यदि  $\mathbf{a}$ ,  $n$  के चारों ओर  $\mathbf{b}$  के अभिमुख घूर्णन करे, तो  $n$  और घूर्णन की दिशा में वही संबंध होगा जो दाक्षिणावर्ती वेंच (right handed screw) के प्रणोद (thrust) और घुंटेन (twist) में होता है।

**सदिश त्रिगुण गुणनफल** —  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}$  इसका उदाहरण है। जाहिर है कि

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{n}$  प्रब जया ( $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ )  
 $= \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$  कोज्या ( $\mathbf{a}, \mathbf{n}$ ) जया ( $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ )  
 गुणनफल का मान सदिशों के चक्रीय क्रम पर निर्भर करता है और बिंदु या काट की स्थिति के निरपेक्ष है। यदि कोई एक अचक्रीय

अंतर्विनियम किया जाय, तो गुणनफल का चिह्न बदल जाता है। गुणनफल का परिमाण  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  द्वारा निरूपित रेखा सदिशों पर निर्मित समांतर षट्फलक के आयतन के तुल्यसंख्यक होता है।

सदिश त्रिगुण गुणनफल —  $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$  एक उदाहरण है और

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

तीन से अधिक सदिशों के गुणनफल की प्रावण्यकता विरले ही होती है।

एकांक सदिशों की  $i, j, k$  पद्धति — यदि  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  तीन एकांक रेखा सदिश  $\mathbf{y}, \mathbf{r}, \mathbf{l}$  अक्षों की घनात्मक दिशा में हों, तो

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

और यदि

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$$

$$\mathbf{b} = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}$$

तो

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1) \mathbf{i} + (a_2 + b_2) \mathbf{j} + (a_3 + b_3) \mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}$$

$$\text{और } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}$$

सदिश क्षेत्र — यदि दिक् का प्रत्येक बिंदु किसी सदिश से सहचरित हो, तो दिक् को सदिश क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। मान लीजिए कि बिंदु  $P$  ( $\mathbf{y}, \mathbf{r}, \mathbf{l}$ ) से सहचरित एक सदिश  $\mathbf{a}$  निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है :

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$$

और  $\mathbf{y} + \mathbf{t}\mathbf{a}_1, \mathbf{r} + \mathbf{t}\mathbf{a}_2, \mathbf{l} + \mathbf{t}\mathbf{a}_3$  किसी प्रतिवेशी (neighbouring) बिंदु के निर्देशांक हों, जिसमें  $\mathbf{t}\mathbf{a}_1, \mathbf{t}\mathbf{a}_2, \mathbf{t}\mathbf{a}_3$   $\mathbf{y}, \mathbf{r}, \mathbf{l}$  में अनतसूक्ष्म वृद्धि के सूचक हैं, फिर यदि सदिश  $\mathbf{a}$  में मगन वृद्धि को  $\mathbf{d}\mathbf{a}$  द्वारा जताया जाता है तो

$$\mathbf{d}\mathbf{a} = \mathbf{t}\mathbf{d}a_1 \mathbf{i} + \mathbf{t}\mathbf{d}a_2 \mathbf{j} + \mathbf{t}\mathbf{d}a_3 \mathbf{k}$$

$$\text{जहाँ } \mathbf{t}\mathbf{d}a_1 = \frac{\delta a_1}{\delta \mathbf{y}} \mathbf{t}\mathbf{a}_1 + \frac{\delta a_1}{\delta \mathbf{r}} \mathbf{t}\mathbf{a}_2 + \frac{\delta a_1}{\delta \mathbf{l}} \mathbf{t}\mathbf{a}_3$$

$$\mathbf{t}\mathbf{d}a_2 = \frac{\delta a_2}{\delta \mathbf{y}} \mathbf{t}\mathbf{a}_1 + \frac{\delta a_2}{\delta \mathbf{r}} \mathbf{t}\mathbf{a}_2 + \frac{\delta a_2}{\delta \mathbf{l}} \mathbf{t}\mathbf{a}_3$$

$$\mathbf{t}\mathbf{d}a_3 = \frac{\delta a_3}{\delta \mathbf{y}} \mathbf{t}\mathbf{a}_1 + \frac{\delta a_3}{\delta \mathbf{r}} \mathbf{t}\mathbf{a}_2 + \frac{\delta a_3}{\delta \mathbf{l}} \mathbf{t}\mathbf{a}_3$$

सदिश का डाइवर्जेंस और कर्ल — किसी भी सदिश फलन  $\mathbf{a}$  से दो अन्य बिंदु फलन व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। इनमें से एक अविकल और दूसरा सदिश होता है। इनका सदिश विश्लेषण में बहुत महत्व

है। इनमें से पहला  $\mathbf{a}$  का डाइवर्जेंस कहलाता है और इसकी परिभाषा निम्नलिखित होती है :

$$\text{डाइव } \mathbf{a} = \mathbf{i} \frac{\delta a_1}{\delta \mathbf{y}} + \mathbf{j} \frac{\delta a_2}{\delta \mathbf{r}} + \mathbf{k} \frac{\delta a_3}{\delta \mathbf{l}}$$

$$= \frac{\delta a_1}{\delta \mathbf{y}} \mathbf{i} + \frac{\delta a_2}{\delta \mathbf{r}} \mathbf{j} + \frac{\delta a_3}{\delta \mathbf{l}} \mathbf{k}$$

और दूसरा  $\mathbf{a}$  का कर्ल कहलाता है जिसकी परिभाषा

$$\text{कर्ल } \mathbf{a} = \mathbf{i} \times \frac{\delta \mathbf{a}}{\delta \mathbf{y}} + \mathbf{j} \times \frac{\delta \mathbf{a}}{\delta \mathbf{r}} + \mathbf{k} \times \frac{\delta \mathbf{a}}{\delta \mathbf{l}}$$

$$\frac{\delta}{\delta \mathbf{y}} \quad \frac{\delta}{\delta \mathbf{r}} \quad \frac{\delta}{\delta \mathbf{l}}$$

$$\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}$$

$$\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}$$

होती है। इनके मान अक्षों के संदर्भ में निश्चर होते हैं।

निम्नलिखित प्रसार सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं :

$$\text{डाइव } (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \text{डाइव } \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \text{डाइव } \mathbf{a}$$

$$\text{कर्ल } (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times \text{डाइव } \mathbf{b} - \mathbf{b} \times \text{डाइव } \mathbf{a}$$

$$\text{डाइव } (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \text{कर्ल } \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \text{कर्ल } \mathbf{a}$$

$$\text{कर्ल } (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \nabla \mathbf{b} - \mathbf{b} \nabla \mathbf{a} + \mathbf{a} \text{ डाइव } \mathbf{b} - \mathbf{b} \text{ डाइव } \mathbf{a}$$

$$\text{ग्रेड } (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \text{ग्रेड } \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \text{ग्रेड } \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \text{कर्ल } \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \text{कर्ल } \mathbf{a}$$

$$\text{कर्ल ग्रेड } \mathbf{a} = 0$$

$$\text{डाइव कर्ल } \mathbf{a} = 0$$

$$\text{डाइव ग्रेड } \mathbf{a} = \nabla^2 \mathbf{a}$$

जिसमें  $\nabla^2$  लाप्लास परिचालक है।

गाइस का डाइवर्जेंस प्रमेय — इसका सदिशीय रूप निम्नलिखित है :

$$\int \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{a} = \int \text{डाइव } \mathbf{f} \, d\mathbf{v}$$

जिसका तात्पर्य यह है कि किसी बंद क्षेत्र की सीमा पर फलन  $\mathbf{f}$  का अभिलंब पृष्ठ समाकल (normal surface integral) समूचे परिवर्द्ध दिक् में लिए हुए  $\mathbf{f}$  के डाइवर्जेंस के दिक् समाकल के बराबर होता है।

स्टोक का प्रमेय — यह निम्नलिखित है :

$\int \mathbf{f} \cdot \mathbf{t} \, ds = \int \mathbf{a} \cdot \text{कर्ल } \mathbf{f} \, d\mathbf{v}$  [  $\mathbf{a} = \mathbf{i}\mathbf{y} + \mathbf{j}\mathbf{r} + \mathbf{k}\mathbf{l}$  ]  
जिसका तात्पर्य यह है कि किसी सदिश फलन  $\mathbf{f}$  के लिये, जो अपने व्युत्पन्न के साथ किसी भी दिशा में एकसमान, (uniform) सात (finite) और अविच्छिन्न (continuous) है, बंद वक्र  $\mathbf{a}$  के चारों ओर  $\mathbf{f}$  का स्पर्शीय रेखा समाकल,  $\mathbf{a}$  पर कर्ल  $\mathbf{f}$  के अभिलंब पृष्ठ समाकल के बराबर होता है।

ग्रीन का प्रमेय — इसे यों व्यक्त किया जाता है :

$$\int (\mathbf{a} \cdot \nabla \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \nabla \mathbf{a}) \, d\mathbf{v} = \int (\mathbf{a} \cdot \nabla^2 \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \nabla^2 \mathbf{a}) \, d\mathbf{v}$$

यदि किसी सदिश  $\mathbf{a}$  का कर्ल शून्य हो जाता है तो उसे स्वरित या अग्रुण्य सदिश कहते हैं। यदि डाइव  $\mathbf{a} = 0$ , तो सदिश  $\mathbf{a}$  को परिनालिकीय सदिश कहते हैं।

सदिश विश्लेषण का अनुप्रयोग अनेक ज्यामितियों, बीजगणित, क्वांटम यांत्रिकी, धार्पिकता सिद्धांत, टेंसर विश्लेषण आदि गणित की अनेक शाखाओं में होता है। [ प्र० ६०० ६०० ]



**सनाउल्ला पानीपती** शैख जलालुद्दीन पानीपती के वंशज थे । ७ वर्ष की उम्र में कुरान हिएज (कठम्ब) विया और १६ वर्ष की अवस्था में शिखर से निवृत्त हुए । सर्वप्रथम शैखुल मयूख मुहम्मद आबिद मुनामी नक्शबंदी मुजहदी से दीक्षित हुए तथा उनकी शिक्षाओं द्वारा अक्यात्मवाद की 'फना' की श्रेणी को प्राप्त किया । अक्यात्म गुरु के स्वर्गवास के उपरान्त मिर्जा मजहर जानजाना से दीक्षा ली । वह अत्यंत मंयमी, निस्पृह तथा तपस्वी थे । मिर्जा मजहर से खिलाफत का सम्मान प्राप्त करके अपनी जन्मभूमि पानीपत में एक खानकाह स्थापित की, धर्मप्रचार के कार्य में संलग्न हो गए और हजारों व्यक्तियों को ईश्वरदर्शन का मार्ग दिखाया । मिर्जा मजहर ने उन्हें 'इस्मुल हुदा' की उपाधि से संमानित किया था । मिर्जा को अपने इस शिष्य के प्रति दाना अनुराग था कि एक अवसर पर उन्होंने कहा कि महाप्रलय के दिन जब ईश्वर मुझसे पूछेगा कि मेरे लिये क्या लाए हो तो कह दूंगा कि सनाउल्ला पानीपती को लाया हूँ । वह महात् धर्मपंडित थे तथा अनेक रचनाओं का श्रेय उन्हें प्राप्त है । उदाहरणतया ७ भागों में तफसीरी मजहरी, सैफुल मस्तूल, इशार्दुल तालबीन, माला बदनमहता, हुक्कुल इस्लाम, शाहबे साकिब इत्यादि । कोई ३० से अधिक पुस्तकें और रिसाले उन्होंने लिखे । १२२५ ( १८१० ई० ) में स्वर्गवास हुआ । पानीपत में उनकी समाधि है । [मु० उ०]

**सनातन गोस्वामी** यह कर्णाट श्रेणीय पंचद्विड भारद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । इनके पूर्वज कर्णाट राजवंश के थे और सर्वज्ञ के पुत्र रूपेश्वर बंगाल में आकर गंगातटस्थ बारीसाल में बस गए । इनके पीत्र मुकुन्ददेव बंगाल के नवाब के दरबार में राजकर्मचारी नियत हुए तथा गौड़ के पास रामकेलि ग्राम में रहने लगे । इनके पुत्र कुमारदेव तीन पुत्रों अमरदेव, संतोषदेव तथा बल्लभ को छोड़कर युवावस्था ही में परलोक सिधार गए जिससे मुकुन्ददेव ने तीनों पीत्रों का पालन कर उन्हें उचित शिक्षा दिलाई । इन्हीं तीनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रमशः सनातन, रूप तथा अनुपम नाम दिया । सनातन का जन्म स० १५२३ के लगभग हुआ था तथा संस्कृत के साथ फारसी अरबी की भी अच्छी शिक्षा पाई थी । सन् १५८३ ई० में पितामह की मृत्यु पर अठारह वर्ष की अवस्था में यह उन्हीं के पद पर नियत किए गए और बड़ी योग्यता से कार्य संभाल लिया । हुसेन शाह के समय में यह प्रधान मंत्री हो गए तथा इन्हे दरबार खास उपाधि मिली । राजकार्य करते हुए भी तीनों भाई परम भक्त, विरक्त तथा सतमंग प्रभी थे । इन्होंने 'कानाई नाट्यशाला' बनवाई थी, जिसमें कृष्णलीला संबंधी बहुत सी मूर्तियों का संग्रह था । श्री चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकाश हुआ तब यह भी उनके दर्शन के लिये उतावले हुए, पर राजकार्य से छुट्टी नहीं मिली । इसलिये उन्हें पत्र लिखकर रामकेलि ग्राम में आने का आग्रह किया । श्री चैतन्य जब वृंदावन जाते समय रामकेलि ग्राम में आए तब इन तीनों भाइयों ने उनके दर्शन किए और सभी ने सांसारिक जंजाल से मुक्ति पाने का दृढ़ संकल्प किया । सभी राजपद पर थे । पर सनातन इनमें सबसे बड़े और मन्त्री-पद पर थे अतः पहले श्री रूप तथा अनुपम सारे कुटुंब को स्वजन्म-

स्थान फतेहाबाद वाकला में सुरक्षित रख आए और रामकेलि ग्राम में सनातन भी के लिये कुसमय में काम आने को कुछ बन एक विश्वसनीय पुरुष के पास रखकर वृंदावन की ओर चले गए । जब सनातन जी ने राजकार्य से हटने का प्रयत्न किया तब नवाब ने इन्हें कारागार में बंद करा दिया । अंत में घूस देकर यह वदीगृह से भागे और काशी पहुंच गए । स० १५७२ में यही श्रीगौराग से अट हुई । और दो मास तक वैष्णव भक्ति शाल पर उपदेश देकर इन्हें वृंदावन भेज दिया कि वहाँ के लुप्त तीर्थों का उद्धार, भक्तिशाल की रचना तथा प्रेमभक्ति एवं संकीर्तन का प्रचार करें । यह वृंदावन चले गए पर कुछ दिनों बाद श्रीगौराग के दर्शन की प्रबल इच्छा से जगदीशपुरी की यात्रा की । वहाँ कुछ दिन रहकर यह पुनः वृंदावन लौट आए और आदित्यटीला पर अंत तक यही रहे । मधुकरी मांगने यह नित्य मथुरा जाते थे और वहीं उन्हीने श्री अद्वैताचार्य द्वारा प्रकटित श्री मदनगोपाल जी के विग्रह का दर्शन किया । यह उस मूर्ति को वृंदावन लाए और आदित्यटीला पर प्रतिष्ठापित कर सेवा करने लगे । कुछ दिनों बाद एक मंदिर बन गया और स० १५९१ से सेवा की व्यवस्था ठीक रूप से चलने लगी । इसी प्रकार अनेक विग्रहों को खोजकर उनकी सेवा का प्रबंध किया, अनेक लुप्त तीर्थों का उद्धार किया तथा कई ग्रंथ लिखे । यह श्रीगौराग के प्रमुख शिष्यों तथा पापंदों में थे । इनकी रचनाएँ हैं — श्री वृहत् भागवता-युत, वैष्णवतोषिणी तथा श्रीकृष्णलीलास्तव । हरिभक्तिविलास तथा भक्तिरसामृतसिंधु की रचना में भी इनका सहयोग था ।

[ ब० र० दा० ]

**सनातनानंद सकलानी** 'सत्कविदास' का जन्म श्रीनगर में हुआ रतुडी जी की ही भाँति गढ़वाली और हिंदी दोनों भाषाओं में कविता करते थे । उनकी कुछ कविताएँ 'गढवाली' में प्रकाशित भी हुई थीं । हिंदी में उनकी कविताएँ 'सरस्वती', 'माधुरी' और 'बंगवासी' में छपनी रहती थीं । वे हिंदी के उन गिने चुने कवियों में थे, जिनका अम्युदय 'सरस्वती' के प्रकाशन के साथ हुआ था । १९०५ से १९२४ तक वे सरस्वती में लिखते रहे ।

**सनिधातृ** कौटिल्य अर्थशास्त्र में विलंब संबंधित दो प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है जिनके नाम 'समाहृत' अथवा 'समाहर्ता' तथा 'सनिधातृ' अथवा सनिधाता हैं । उनके कर्तव्यों का भी इसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है । वैदिक काल में भी 'समगृहृत' तथा 'भाग दुग्ध' नामक पदाधिकारी विलंब तथा प्राय का लेखा ब्योरा रखते थे । यह संभव है कि वैदिक समगृहृत तथा कौटिल्य के सनिधातृ का कार्य-क्षेत्र एक ही रहा हो । कौटिल्य के अनुसार 'सनिधातृ' का कार्य राजकीय प्रायकर की विधिवत् वसूली तथा उन प्रायकोष में जमा करना था । इस मुख्य कर्तव्य के अतिरिक्त बहुमूल्य मण्डि तथा स्वर्ण भंडार तथा धान्यकोष भी उसके संरक्षण में थे । इनके कर्मचारी 'सनिधातृ' से आदेश लेते थे । आयुधानगर ( शस्त्रों के रखने का स्थान ), कारागार तथा न्यायालय पर भी इसका नियंत्रण था । यह प्रतीत होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का यह अधिकारी, जिसका संबंध कदाचित् भीर्य शासनव्यवस्था से हो सकता है, केंद्रीय था

तथा उसका संरक्षण और कार्यक्षेत्र वित्त के प्रतिरिक्त अन्य विषयों से भी था। 'सनिघातृ' को राजकीय आय तथा व्यय का प्राथमिक ज्ञान था। वह प्रति वर्ष वज्रट बनाता था, तथा उसके कार्यालय में १०० वर्ष नरु के वित्त आँवड़े रहते थे। शुक्रमीति शास्त्र में 'सनिघातृ' को सुमत्रा तथा 'समाहृतृ' को अमात्य लिखा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसी भी भारतीय राज्यव्यवस्था की शासनव्यवस्था में सनिघातृ का उल्लेख नहीं मिलता। हो सगता है, यह केवल उपयुक्त ग्रंथों तक ही सीमित रह गया हो। 'सनिघातृ' के साथ समाहृतृ का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। उमका क्षेत्र गढ, खान, कृषि, वन तथा मार्ग और पशु विभाग तक ही सीमित था। ये दोनों पदाधिकारी विभिन्न विभागों से मुख्यतया वित्त तथा राजकर से— संबंधित प्रनीत होते हैं।

सं० प्र० — रामशास्त्री कौटिल्य अर्थशास्त्र; दीक्षितार : ऐड-मिनिस्ट्रिय इस्टीमेट्स तथा सीयन पॉलिटो; नारायणचंद्र बनर्जी— 'कौटिल्य'। [वै० पु०]

**सपीर, एडवर्ड** ( १८८४-१९३६ ई० ) अमरीका के प्रसिद्ध नृतात्विक भाषाशास्त्री। जन्म २६ जनवरी, १८८४ ई० को जर्मनी में हुआ। पाँच वर्ष की अवस्था में माता पिता के साथ अमरीका में आकर बस गए। १९०६ ई० में पुलिट्ज़र फेलोशिप लेकर 'जरमानिक्स' में एम० ए० तथा १९०९ में पी-एच० डी० डिग्री प्राप्त की। सन् १९१० में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कैनाडा के नृतत्व विभाग के अध्यक्ष होकर छोटावा गए। कैनाडा में बिताए गए १५ वर्षों में सपीर ने लूसरी, अथापास्कन, नवाहो, सार्सी, टिनगिट और कुचिन आदि अनेक ( रेड ) इंडियन भाषाओं का क्षेत्रीय कार्य किया।

सन् १९२६ में वे सिकागो आए और १९२७ से १९३२ ई० तक सिकागो विश्वविद्यालय में सामान्य भाषाशास्त्र एवं नृतत्व के प्रोफेसर रहे। इसी वर्ष येल विश्वविद्यालय के प्राग्रह पर वे न्यू हैवेन आए, जहाँ जीवन के अन्तिम वर्षों तक वे नृतत्व एवं भाषाशास्त्र के प्रोफेसर रहे। अब तक सपीर अमरीकन नृतत्व के क्षेत्र में पर्याप्त क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुके थे। सन् १९२९ में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० एस०सी० की संमानित उपाधि से विभूषित किया। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के बल पर ही वे अमरीकन ऐंथ्रॉपोलॉजिकल एसोसिएशन और लिंक्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमरीका के प्रेसिडेंट भी चुने गए। न्यू हैवेन की प्रशासकीय और अध्यापन संबंधी व्यवस्थाओं ने सपीर को इतना आनंद डाला कि ४ फरवरी, सन् १९३६ ई० को हृदय की गति रुक जाने से इनका निधन हो गया।

भाषाशास्त्र के अमरीकन स्कूल के उन्नायकों में फ्रेज बोज, सपीर और ब्लूमफील्ड का नाम प्रमुख है। सपीर के समय तक अमरीकन लोग भाषातत्त्व और नृतत्व में काफी आगे बढ़ चुके थे। एक और ब्लूमफील्ड जैसे शुद्ध भाषाशास्त्री थे तो दूसरी ओर फ्रेज बोज जैसे नृतत्वविद्। सपीर ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए इन दोनों के समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। रेड इंडियनों की अज्ञात भाषाओं का वैज्ञानिक विवरण देकर सपीर ने लोकसंस्कृति और नृतत्व के अनेक नए आयाम उद्घाटित किए, साथ ही संस्कृति का अन्वेषण

भी किया। संस्कृति के साथ व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, रीति-रिवाज, फैशन और भाषा के विविध अंतरावलंबनों का सूक्ष्म अध्ययन कर सपीर ने नृतात्विक भाषाशास्त्र ( Ethno Linguistics ) को सुदृढ़ बनाया। इस प्रकार नृतात्विक भाषाशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने, अमेरिकन भाषाओं का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने और सामान्य भाषा तथा नृतत्व के अंतरावलंबन का मार्ग प्रशस्त करनेवालों में सपीर ने प्रकाशस्तंभ का काम किया। सपीर की महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ३३ वर्षों के लेखनकाल में उन्होंने लगभग ३५० वैज्ञानिक निबंध और २५० कविताएँ भी लिखीं। इनकी प्रसिद्ध कृति लैंग्वेज के प्रतिरिक्त लिंक्विस्ट निबंधों का एक संग्रह भी 'सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ एडवर्ड सपीर' के नाम से प्रकाशित है। [ २० ना० पृ० ]

**सम्र, सर तेजबहादुर** जन्म ८ दिसंबर, १८७५ ई० को अलीगढ़ नगर में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा आगरे में हुई और उन्होंने एम० ए० और एल-एल० बी० की उपाधियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने मुरादाबाद में वकालत शुरू की और लगभग दो वर्ष बाद १८९६ ई० में इलाहाबाद चले आए। यहाँ उन्होंने हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। उन्होंने १९०२ में प्रयाग विश्वविद्यालय से कापून की सर्वोच्च डिग्री एल-एल० डी० प्राप्त की और १९०६ में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐडवोकेट बन गए। शीघ्र ही उनकी क्वालिफिकेशन और देश के प्रमुख वकीलों में हो गई। उन्हें साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में रुचि थी। कुछ काल तक उन्होंने उर्दू मासिक पत्र 'काश्मीरदर्पण' का संपादन भी किया।

१९१३ से १९१६ तक वे संयुक्त प्रांत की धारासभा के सदस्य और फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य रहे। १९१८-१९१९ में वे फर्रुख जमैती के सदस्य थे जिसके अध्यक्ष लाड साउथवरी थे। १९१९ ई० में वे नरम दल के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बनकर लंदन गए और लाड सेल्बोर्न की कमेटी के समक्ष गवाही दी।

वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी (१९०६ से १९१७ तक) सदस्य रहे। १९१३ में उन्होंने यू० पी० सोशल कॉन्फ्रेंस की ओर १९१५ में यू० पी० राजनीतिक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। १९१८ से १९२० तक वे यू० पी० लिबरल लीग के अध्यक्ष रहे। १९१० से १९२० तक वे प्रयाग विश्वविद्यालय के फेलो थे और हिंदू विश्वविद्यालय काशी के कोर्ट और सिनेट के भी कई साल तक सदस्य रहे। १९२० में वे भारत की केंद्रीय सरकार के 'ला मेंबर' नियुक्त हुए परंतु १९२३ में उस पद को त्यागकर वे पुनः इलाहाबाद आकर हाईकोर्ट में वकालत करने लगे।

१९२३ में उन्होंने लंदन में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की समस्या पर एक भाषण ने उनकी क्वालिफिकेशन देशविदेश में फैला दी।

१९२३ में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें के० सी० एस० आई० की उपाधि से विभूषित किया। इसी वर्ष उन्होंने पूना में अखिल भारतीय लिबरल फंडेशन की अध्यक्षता की। १९३४ में ब्रिटिश सभा

ने उन्हें अपनी प्रीवी काउंसिल का सदस्य बनाया। १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट के बनाने में उन्होंने विशेष योग दिया।

कांग्रेस के प्रसहयोग आंदोलनों के समय उन्होंने अपने सहयोगी डा० एम० आर० जयकर के साथ संघर्ष को सुलझाने में बराबर प्रयत्न किया। १९३४-१९३५ में वे उत्तर प्रदेशीय अनएम्प्लायमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे।

१९३६ में जब प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने हस्तीफा दिया तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने और निर्दलीय नेताओं की समिति द्वारा, जिसकी १९४१ में उन्होंने अध्यक्षता की, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में समझौता कराने का उन्होंने विशेष प्रयत्न किया।

१९४२ में और उसके पश्चात् भी भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने देश की आकांक्षाओं का सर्वदा प्रतिनिधित्व किया। भारत जब स्वाधीन हुआ तो वे अपनी व्यापक शिक्षण पर थे। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहता तो भारत के संविधान बनाने में उनका प्रमुख हाथ रहता।

२१ जनवरी, १९४६ को प्रयाग में उनका देहांत हुआ।

आंतरिक उदासीनता रखते हुए भी उनका बाह्य जीवन बड़ी शान और राजसी ठाठ से युक्त था। उनके अंतिम काल तक उनका प्रयाग का निवासस्थान १६, एलबर्ट रोड, साहित्यिकों तथा सामाजिक और राजनीतिक नेताओं का केंद्र बना रहा। [शि० ना० का०]

**सप्रे, माधवराव** का जन्म १८७१ ई० में पथरिया (जिला दमोह) मध्य प्रदेश में हुआ। विद्यार्थी जीवन में ही सरकारी नौकरी न करने तथा मराठी और हिंदी की सेवा का व्रत लिया। १८९८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा पास की। पेंडरा (बिलासपुर) के महाराजकुमार के अंग्रेजी ट्यूटर नियुक्त हुए। १९०० ई० में पेंडरा से 'छत्तीसगढ़ मित्र' नामक समालोचना-प्रधान हिंदी मासिक पत्र प्रकाशित किया जो कुछ समय रायपुर से प्रकाशित होकर १९०३ ई० में आर्थिक कठिनाई से बंद हो गया। आलोचनात्मक पत्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि हुई। नए लेखकों के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में तथा हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार में इसने बड़ा योगदान किया। सप्रे जी नागपुर आकर देशसेवा प्रेस में काम करने लगे। वहाँ १९०५ ई० में हिंदी में श्रेष्ठ ग्रंथों के प्रकाशन के उद्देश्य से 'ग्रंथमाला' नाम का मासिक पत्र प्रकाशित किया। इसमें हर मास उच्च कोटि की अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के साथ ही कविता, निबंध, आलोचनात्मक टिप्पणी और ऐतिहासिक साहित्यिक तथा राजनीतिक विषयों के लेख छपते थे। मराठी 'केसरी' के ढंग पर साप्ताहिक 'हिंदी केसरी' आपने १९०७ ई० में प्रकाशित किया जिसमें समाचारों के साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर उग्र और आक्रामक स्वर के लेख छपते थे। फलतः १९०८ ई० में आप गिरफ्तार किए गए और कुछ समय जेल में रहकर छूटे। १९२० ई० में आपकी प्रेरणा से साप्ताहिक 'कर्मवीर' प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य संमेलन के देहरादून अधिवेशन के

आप सम्पादित बनाए गए। 'दाम बोध' और 'गीता रहस्य' के मगठी से हिंदी अनुवाद के प्रतिरिक्त आपने 'रामचरित्र' और 'एकनाथचरित्र' ग्रंथों की रचना की। २२ अप्रैल, १९२६ को आपकी मृत्यु हुई। [ब० प्र० सि०]

**सफक (Suffolk)** इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक काउंटी है, जिसका क्षेत्रफल १४८१.७ वर्ग मील एवं जनसंख्या ४,७२,६६५ (१९६१) है। यह लगभग समतल भाग है, जो पश्चिम में चॉल्डिया (chalk) की पहाड़ियों की ओर कुछ ऊँचा हो गया है। इस काउंटी में गेहूँ, जौ एवं तरकारियाँ उगाई जाती हैं। सुअर, भेड़ और बोकड़ों का पालना एवं दुग्ध उद्योग प्रधान व्यवसाय है। उत्तरी सागर में लोवस्टाफ (Lowestoft) नामक स्थान मछली मारने का प्रसिद्ध केंद्र है। आरफंड और आरवेल नदियों के संगम पर आयस्टर मछलियाँ मारी जाती हैं। चर्वरक, रजक, प्लास्टिक, धातु एवं मुद्रण उद्योग तथा कृषि-यंत्र-निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं। बर्घ (Burrgh) नामक किले एवं कई अन्य किल्लों में ऐमा प्रतीत होता है कि कभी सफक रोमन शासन के अधीन रहा था। इस्विच, लोवस्टाफ, फीलिक्सटो, मडबर्गी, न्यूमार्केट एक क्रमनिधम महत्वपूर्ण नगर हैं।

प्रशासकीय कार्यों के लिये सफक को दो विभागों में विभक्त कर दिया गया है पूर्वी सफक एवं पश्चिमी सफक। पूर्वी सफक का क्षेत्रफल ८७०.६ वर्ग मील तथा जनसंख्या ३,४२,६६६ (१९६१) है एवं पश्चिमी सफक का क्षेत्रफल ६१०.८ वर्ग मील एवं जनसंख्या १,२९,९६९ (१९६१) है। [ग० प्र० सि०]

**सफेदी (पुताई)** दोबारी और छतगोरी घाटि में बूने की पुताई सफेदी कहलाती है। सफेदी से सतह पर सफाई और दृशनीयता प्राप्ति है और किसी सीमा तक यह पीटागुलाशुन भी होती है। सफेदी करने के लिये सतह भली भाँति साफ और सूखी होनी चाहिए। यदि सतह बहुत चिकनी है, तो उसे रंगमाल से धोया फिर देना चाहिए नहीं तो उसपर सफेदी नहीं लगगी। पुरानी सफेदी पर पुन सफेदी करनी हो, तो पुरानी पपड़ी साफ कर देनी चाहिए।

**सामग्री** — ताजा माफ अनुभवा चूना एक नाँद में जानकर, ऊपर से बहुत सा स्वच्छ पानी मिलाकर, मलाई जैसा पतला फर्निना चाहिए। फिर इसे खट्टर में से छानकर, प्रति धन फूट द्रव्य १ पाउंड कीकर की गोद या सरेस पानी में घुलाकर, अथवा एक पाउंड चावल की भाँड बनाकर, मिला देना चाहिए। थोड़ा सा नील गू तृतीया मिलाने से सफेदी अच्छी खिलती है, चौध नहीं देनी और देखने में भली लगती है। इसी में भाँति भाँति के रंग मिलाने से सतह पर रंग भी आ जाता है। यह रंगपुताई कहलाती है।

सफेदी कूँची से दो बार में करनी चाहिए, एक बार खड़ी और दूसरी बार पड़ी। पहिली बार की पुताई सूख जाने पर ही दूसरी बार करनी चाहिए। नए काम पर तथा खुरची हुई सतह पर तीन बार करना आवश्यक होता है। वार्षिक पुताई हो तो केवल एक

बार, अर्थात् पहिले खड़ी और उसपर तुरंत पड़ी, कूची लगाना पर्याप्त होता है। [ बि० प्र० गु० ]

**सबद** या शब्द का प्रयोग हिंदी के संत-साहित्य में बहुलता से हुआ है। बड़वाल ने गरीबदास के आचार पर लिखा है कि 'शब्द, गुरु की शिक्षा, मिचण, पतीला, कूची, बाण, मस्क, निर्भयवाणी, अनदृढ़ वाणी, शब्दब्रह्म और परमात्मा के रूप में प्रयुक्त हुआ है।'

'सबद' या 'शब्द प्रायः गेय होते हैं। अतः राग रागिनियों में बंधे पद 'सबद' या शब्द षडे जाते रहे हैं। सिद्धों से लेकर निगुणों, मगुणी सभी सप्रधार के संत अथवा भक्तों ने विविध राग रागिनियों में पररचना की है। परंतु प्रत्येक गेय पद सबद नहीं कहा जाता। संतो की अनुभूति 'सबद' कहलाती है। कबीर की रचनाओं में 'सबद' का बहुत प्रयोग हुआ है और भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'हिंदी साहित्य का आदिकाल' शीर्षक ग्रंथ में लिखा है, मवत् १७१५ की लिखी हुई एक प्रति से संगृहीत और गोखदाना में उद्धृत पदों को 'सबदी' कहा गया है। कबीर ने सम्वत. वही से 'सबद' ग्रहण किया होगा।'

नाथों का व्यापक प्रभाव केवल उनके मत या विचारों तक ही सीमित नहीं रहा, उनकी अभिव्यक्ति के विविध प्रकारों ने भी उनके परवर्ती हिंदी संतों को प्रभावित किया है। संत तो प्रायः जनता में प्रचलित भावप्रवाह की शैली को और भाषारूप को अपनाया करते हैं जिसमें उनके विचार और ही उसमें संचरित हो सकें। नाथों ने सिद्धों से और विभिन्न संप्रदायी संतों ने नाथों से यदि 'सबद' या पद शैली ग्रहण की तो यह स्वाभाविक ही था। निगुणों संतों के 'माखी' और 'सबद' अत्यधिक प्रचलित हुए। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची बनकर भी व्यवहृत होते रहे। बड़वाल का मत है कि 'विषय की दृष्टि से इन दोनों में बहुधा कुछ अंतर लक्षित होता है। 'सबद' का प्रयोग भीतरी तथा अनुभव आह्लाद के व्यक्तीकरण के लिये किया जाता है और साखी का प्रयोग दैनिक जीवन में लक्षित होनेवाले व्यावहारिक अनुभव को स्पष्ट करने में हुआ करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 'सबद' आत्मानुभूति है और साखी बाह्यानुभूति। परंतु संत वाङ्मय के अनुशीलन से 'माखी' और 'सबद' का यह भेद सदा परिलक्षित नहीं होता। स्वयं बड़वाल ने भी एक स्थल पर स्वीकार किया है कि 'कभी कभी इनमें से एक दूसरे की जगह भी व्यवहृत हुआ देखा जाता है। 'सबद के संबंध में एक बात निश्चित है कि उन्हें राग रागिनियों में कहने की पुरानी परिपाटी रही है। इसी से कबीर के 'सबद' विषयों के अनुसार विभाजित न होकर राग रागिनियों के अनुसार अधिक विभाजित पाए जाते हैं।

सं० प्र० — हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिंदी साहित्य का आदिकाल; बड़वाल : हिंदी काव्य की निगुण परंपरा। [बि० मो० प्र०]

**समा** वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में समा एक थी। समा के साथ ही एक दूसरी संस्था थी, समिति, और अथर्ववेद (सातवीं, १३.१) में उन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि उत्काशीन वैदिक समाज

को ये संस्थाएँ अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थीं। उसका तात्पर्य सभास्थल और सभा की बैठक, दोनों ही में था। अथर्ववेद के उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि सभा और समिति वा अलग अलग अस्तित्व था। सभा में बाह्याणों, अभिजात लोगों और धनी मानी वर्ग के व्यक्तियों का जोर साधारण व्यक्तियों से सम्भव अधिक होता था। उसके सदस्यों को मुजात अर्थात् कुलीन कहा गया है (ऋग्वेद, सप्तम १.४)। मैत्रायणी संहिता (चतुर्थ ७.४) के एक मन्त्र से ज्ञात होता है कि सभा की सदस्यता स्त्रियों के लिये उन्मुक्त नहीं थी। कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप में सभा का महत्त्व बहुत अधिक था। उसके सदस्यों को सभामद, अध्यक्ष को सभापति और द्वारक्षक को सभापाल कहते थे। सभासदों की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, निरतु वह प्रतिष्ठा खोखली न थी और सभासदों की योग्यताएँ निश्चित थीं। एक बौद्ध जातक के अनुसार यह सभा सभा नहीं, जहाँ संत लोग न हो और वे संत नहीं जो धर्म का भाषण न करते हो। पुनः वे ही लोग संत कहलाने के अधिकारी थे, जो राग, द्वेष (अथवा दोष - पाप) और मोह को छुड़ार धर्म का भाषण करते हो—'न सा सभा यस्य न सति संतो, न ते संतो ये न भणन्ति धर्मं। रागं च दोषं च पहाय मोहं भग्न भणन्ता व भवन्ति संतो।' (जातक, फाँसबॉल का रोमन लिपि संस्करण, जिल्द ५, पृष्ठ ५०६)। सभासदों के लिये ये गुण अत्यंत अपेक्षित थे और कुछ हें पर के साथ वाल्मीकि रामायण (उत्तर कांड, ३.३३) तथा महाभारत में भी उन्हें गिनाया गया है, यथा—'न सा सभा यत्र न सति बृद्धा, न ते बृद्धा ये न वदन्ति धमम्। नाऽपि धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छलेनानुचिद्धम्॥' न्याय का इच्छुक व्यक्ति सभाचर और सभा से दूटा हुआ अभियुक्त दोषमुक्त, प्रसन्न और मार्नद कहा गया है। न्याय वितरण के प्रतिष्ठित सभा में अधिक, धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों पर भी विचार होते थे। कभी कभी लोग वहाँ इकट्ठे होकर जुए के खेल द्वारा अपना मनोरंजन भी किया करते थे।

सभा का यह स्वरूप उत्तर वैदिककाल का अंत होते होते (६०० ई० पू०) समाप्त हो गया। राज्यों की सीमाएँ बढीं और राजाओं के अधिकार विस्तृत होने लगे। उसी क्रम में सभा ने राजसभा अर्थात् राजा के दरबार का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे उसकी नियंत्रात्मक शक्ति जाती रही और साथ ही साथ उसके जनतंत्रात्मक स्वरूप का भी अंत हो गया। राजसभा में अब केवल राजपुरोहित, राज्याधिकारी, कुछ मंत्री और राजा अथवा राज्य के कुछ कृपापात्र मात्र बच रहे।

सं० प्र० — डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल : हिंदू राज्यतंत्र; डॉ० प्र० सं० अल्लेकर : प्राचीन भारतीय शासनपद्धति, डॉ० कीष और डॉ० मैकडानेल : वैदिक इंडेक्स, जिल्द २, पृष्ठ ४२६-४३१।

[ बिशु० पा० ]

**समयमापन** जब समय चीतता है, तब घटनाएँ घटित होती हैं तथा अतिबिंदु स्थानांतरित होते हैं। इसलिये दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल (प्रक्षानुभूति) को समय कहते हैं। समय मापने

के यंत्र को घड़ी अथवा घटीयंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि समय वह भौतिक तत्त्व है जिसे घटीयंत्र से नापा जाता है। सापेक्षवाद के अनुसार समय दिग्देश के सापेक्ष है। अतः इस लेख में समयमापन पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति से उत्पन्न दिग्देश के सापेक्ष समय से लिया जायगा। समय को नापने के लिये सुलभ घटीयंत्र पृथ्वी ही है, जो अपने अक्ष तथा वक्र में घूमकर हमें समय का बोध करती है; किन्तु पृथ्वी की गति हमें दृश्य नहीं है। पृथ्वी की गति के सापेक्ष हमें सूर्य की दो प्रकार की गतियाँ दृश्य होती हैं, एक तो पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी की परिक्रमा तथा दूसरी पूर्व बिंदु से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाकर, कक्षा का भ्रमण। अतएव व्यावहारिक दृष्टि से हम सूर्य से ही काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

अति प्राचीन काल में मनुष्य ने सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर प्रातः, दोपहर, मध्याह्न एवं रात्रि की कल्पना की। ये समय स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष हैं। तत्पश्चात् उमने काल के सूक्ष्म विभाजन के लिये प्रहरों, तथा तत्पश्चात् घटी पल की कल्पना की होगी। इसी प्रकार उसने सूर्य की कक्षागनियों में पक्षों, महीनों, ऋतुओं तथा वर्षों की कल्पना की होगी। समय की सूक्ष्म रूप से नापने के लिये पहले शकुंतल तथा ध्रुवद्वियों का प्रयोग हुआ। रात्रि के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था। तत्पश्चात् पानी तथा बालू के घटीयंत्र बनाए गए। ये भारत में अति प्राचीन काल में प्रचलित थे। इनका वर्णन ज्योतिष की अति प्राचीन पुस्तकों में जैसे पंचनिश्चानिका तथा सूर्यसिद्धान्त में मिलता है। पानी का घटीयंत्र बनाने के लिये किसी पात्र में छोटा सा छेद कर दिया जाता था जिसमें पात्र एक घटी में पानी में डूब जाता था। इसके बाहरी भाग पर पत्त अंकित कर दिए जाते थे। इसलिये पानी को पानीय पल भी कहते हैं। बालू का घटीयंत्र भी पानी के घटीयंत्र मरीखा था, जिसमें छिद्र से बालू के गिरने से समय ज्ञात होता था ( देखें रेतघड़ी )। किन्तु ये सभी घटीयंत्र सूक्ष्म न थे तथा इनमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ लोक घड़ियाँ तथा तदवस्थात् नई घड़ियाँ, जिनका हम आज प्रयोग करते हैं, आविष्कृत हुईं।

जैसा पहले बता दिया गया है, समय का ज्ञान सूर्य की दृश्य स्थितियों से किया जाता है। गामाभ्यन्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन तथा सूर्यास्त से पुन सूर्योदय तक रात्रि होती है, किन्तु तिथिगणना के लिये दिन रात मिलकर दिन कहलाते हैं। किसी स्थान पर सूर्य द्वारा याम्योत्तर वृत्त के अक्षोबिंदु की एक परिक्रमा को एक दृश्य दिन कहते हैं, तथा सूर्य की किसी स्थिर नक्षत्र के सापेक्ष एक परिक्रमा को नाक्षत्र दिन कहते हैं। यह नक्षत्र वृद्धि के अनुसार मेष का अदि बिंदु ( first point of Aries,  $1 e \gamma$  ), अर्थात् क्रांतवृत्त तथा विषुववृत्त का अंततः मपात बिंदु लिया जाता है। यद्यपि नाक्षत्र दिन स्थिर है, तथापि यह हमारे व्यवहार के लिये उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह दृश्य दिन से ३ मिनट ५६ सेकंड कम है। दृश्य दिन का मान सदा एक सा नहीं रहता। अतः किसी घड़ी से दृश्य सूर्य के समय का बताया जाना कठिन है। इसके दो कारण हैं : एक तो सूर्य की स्पष्ट गति सदा एक सी नहीं रहती, दूसरे स्पष्ट सूर्य क्रांतवृत्त में चलता दिखाई देता है। हमें समयसूचक यंत्र बनाने के लिये ऐसे सूर्य की

आवश्यकता होती है, जो मध्यम गति से सदा विषुववृत्त में चले। ऐसे सूर्य को ज्योतिषी लोग ज्योतिष-माध्य-सूर्य ( Mean Astronomical Sun ) अथवा केवल माध्य सूर्य कहते हैं। विषुववृत्त के मध्यम सूर्य तथा क्रांतवृत्त के मध्यम सूर्य के अंतर की आस्कराचार्य ने उदयांतर तथा क्रांतवृत्तीय मध्यम सूर्य तथा स्पष्ट सूर्य के अंतर को भुजांतर कहा है। यदि ज्योतिष-माध्य सूर्य में उदयांतर तथा भुजांतर संस्कार कर दें, तो वह दृश्य सूर्य हो जायगा। प्राथमिक शब्दावली में उदयांतर तथा भुजांतर के एक साथ संस्कार को समय समीकार ( Equation of time ) कहते हैं। यह हमारी घड़ियों के समय ( माध्य-सूर्य-समय ) तथा दृश्य सूर्य के समय के अंतर के तुल्य होता है। समय समीकार का प्रति दिन का मान गणित द्वारा निकाला जा सकता है। आजकल प्रकाशित हानेवाने नाविक पंचांग ( nautical almanac ) में, दमघा प्रति दिन का मान दिया रहता है। इस प्रकार हम अपनी घड़ियों से ज्ञान चाहे दृश्य सूर्य का समय ज्ञात कर सकते हैं। इसका ज्योतिष में बहुत उपयोग होता है। विलोमतः हम सूर्य के ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु के लक्षण का वेध करके, उसमें समय समीकार को जोड़ या घटाकर, वास्तविक माध्य-सूर्य का समय ज्ञात करके अपनी घड़ियों के समय को ठीक कर सकते हैं।

जब हमने समय नापने के लिये प्राथमिक घड़ी बनाई, तब यह पाया गया कि सर्दियों तथा गर्मियों के कारण घड़ियों के घातान्तरिक पुंजों के सिकुड़ने तथा फैलने के कारण ये घड़ियाँ ठीक समय नहीं देती। अब हमारे सामने यह समस्या थी कि हम अपनी यात्रा के घातान्तरिक सूक्ष्म अणुद्वियों को कैसे जानें ? यद्यपि सूर्य के ऊर्ध्व याम्योत्तर लक्षण को विधि से हम अपनी घड़ियों की अणुद्वि ज्ञान सकते थे तथापि सूर्य के ऊर्ध्व याम्योत्तर लक्षण का वेध स्वयं कुछ विनोद है तथा सूर्य के बिंब के विशाल होने के कारण उसमें वेधरती की व्याप्तिवत् त्रुटि ( personal error ) की अधिक संभावना है। दूसरी कठिनायत थी कि हमारी माध्य-सूर्य-घड़ी के समय का आकाशीय बिंदु की स्थिति से कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। इसी कमी की पूर्ति के लिए नाक्षत्र घड़ी ( sidereal clock ) का निर्माण किया गया, जो नाक्षत्र समय बताती थी। इसके २४ घंटे पृथ्वी की अपने अक्ष की एक परिक्रमा के, अथवा वसंतपात बिंदु के ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु की एक परिक्रमा के, समय के तुल्य होते हैं। २१ मार्च के लगभग, वसंतपात बिंदु हमारे दृश्य-सूर्य के साथ ऊर्ध्व याम्योत्तर लक्षण करता है। उस समय नाक्षत्र घड़ी का समय शून्य घटा, शून्य मिनट, शून्य सेकंड होता है। हमारी घड़ियों में उस समय १२ वजत है। दूसरे दिन दोपहर को नाक्षत्र घड़ी का समय लगभग ४ मिनट होगा। अन्य किसी भी निश्चित दिन माध्य-सूर्य के समय को हम अनुपात से नाक्षत्र समय में, या नाक्षत्र समय को माध्य सूर्य के समय में, परिवर्तित कर सकते हैं। नाविक पंचांगों में इस प्रकार के समयपरिवर्तन की सारणियाँ दी रहती हैं। इस प्रकार यदि हम किसी प्रकार घड़ियों समय देनेवाली नाक्षत्र घड़ी मिल जाय, तो हम अपनी माध्य घड़ी के समय को शुद्ध रख सकते हैं। यद्यपि नाक्षत्र घड़ी भी यांत्रिक होती है तथा उसमें भी यांत्रिक त्रुटि हो जाती है, तथापि इसे प्रति दिन शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इसका आकाशीय पिंडा की स्थिति

मे पर्यन्त संबंध है। वह इस प्रकार है : कोई ग्रह व तारा ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु व पश्चिम की ओर जगोलीय ध्रुव पर जो कोण बनाने हे उसी को मापना कहते हैं। इस प्रकार नाक्षत्र समय वसंतपात का मापना है। किसी तारा वा ग्रह का विषुवांश वसंतपात से उसकी विषुववृत्तीय दूरी ( अर्थात् ग्रह या तारे पर ध्रुव से जाने-वाला वृत्तवृत्त जहाँ विषुवद्वृत्त को काटे, वहाँ से वसंतपात तक की दूरी, होती है। चूँकि कालकोण विषुवद्वृत्त के साथ ही जाना जाता है, इसलिये जब ग्रह या तारा ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु पर होगा, उस समय उसका विषुवांश नाक्षत्र समय के तुल्य होगा।

नाक्षत्र घड़ी को ठीक करने की विधि — नाक्षत्र घड़ी की अशुद्धि को जानने के लिये याम्योत्तर यंत्र (transit instrument) द्वारा सूर्य अथवा तारे का वेध करके, क्रोमोमीटर नामक यंत्र की सहायता से, उनके याम्योत्तर लघन का नाक्षत्र समय जान लिया जाता है।

नाक्षत्र घड़ी से मिलाकर, याम्योत्तर यंत्र के दूरदर्शी में ग्रह या तारे के वेध के नाक्षत्र समय को क्रोमोमीटर का स्विच दबाकर जान लिया जाता है। इस समय से यांत्रिक अशुद्धियों को निकाल देने पर जो समय प्राप्त होता है, वही ग्रह या तारे के याम्योत्तर के ऊर्ध्व बिंदु के लघन का समय होता है। यदि नाक्षत्र घड़ी ठीक है, तो यह ग्रह या तारे के विषुवांश के तुल्य होगा और अंतर घड़ी की अशुद्धि है। इस प्रकार नाक्षत्र घड़ी को शुद्ध रखकर उससे माध्य सूर्य घड़ियों को शुद्ध किया जाता है। याम्योत्तर यंत्र द्वारा वेध करने में व्यक्तिगत अशुद्धि की शक्य संभावना है। इसलिये तारे के याम्योत्तर लघन के नाक्षत्र समय को कैमरा से लक्ष्य दूरदर्शकों (zenith tubes) से भी जाना जाता है।

इस प्रकार यद्यपि माध्य समय की घड़ियों को ठीक रखा जाता है, तथापि उनमें दैनिक संशोधन करना एक समस्या थी। इसलिये आजकल घड़ियों के सेकंड सूचक उपकरण क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों (quartz crystals) से बनाए जाते हैं। क्वार्ट्ज के क्रिस्टलो पर उष्णता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अतएव ये घड़ियाँ बहुत शुद्ध समय देती हैं। इनमें सेकंड के हजारवें भाग तक की अशुद्धि जानी जा सकती है। साथ ही इनमें रेडियो रिसेवर तथा ट्रेसमीटर सेट लगे रहते हैं। इससे इस घड़ी को उस तरह की दूसरे स्टेशनो पर रखी घड़ियों के समय संकेतक, पिप्, को सुनकर, मिलाया जा सकता है तथा इससे समय संकेतक (time signals) पिप् भेजे भी जा सकते हैं। इस प्रकार की एक घड़ी काशी की प्रस्तावित, राजकीय मस्जिद कालेज वेधशाला के लिये सन् १९५३ में अंगवार्ड गई थी, जो अब राजकीय वेधशाला नैनीताल में है। इस प्रकार की घड़ियों से देश की मुख्य घड़ियों को ठीक करके, रेडियो के समय संकेतक 'पिप्' से सब माध्य सूर्य घड़ियाँ ठीक रखी जाती हैं।

आजकल प्रत्येक देश में मध्यरात्रि के समय को शून्य मानकर, वही से दिन का प्रारंभ मानते हैं। दिन रात के २४ घंटों को दो १२ घंटों में, (१) रात के बारह बजे से १२ घण्टे तक पूर्वाह्न-काल तक तथा (२) दिन के १२ बजे से रात्रि के १२ बजे तक

अपराह्नकाल में, बाँट दिया जाता है। हमारी घड़ियाँ यही समय बतलाती हैं। इन २४ घंटों को नागरिक दिन कहते हैं। दिन में २४ घंटे, १ घंटे में ६० मिनट तथा एक मिनट में ६० सेकंड होते हैं। विज्ञान की अंगरेजी मापन प्रणाली फुट सेकंड में तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में सेकंड ही समय की इकाई है।

मानक समय (Standard Time) — समय का संबंध किसी निश्चित स्थान के याम्योत्तरवृत्त से रहता है। अतः वह उस स्थान का स्थानीय समय होगा। किसी बड़े देश में एक जैसा समय रखने के लिये, देश के बीचोबीच स्थित किसी स्थान के याम्योत्तर वृत्त को मानक याम्योत्तर वृत्त (standard meridian) मान लिया जाता है। इसके सापेक्ष माध्य-सूर्य का समय उस देश का मानक समय कहलाता है।

विश्व-समय-मापन — विश्व का समय नापने के लिये ग्रेनिच के याम्योत्तर वृत्त को मानक याम्योत्तर मान लेते हैं। इसके पूर्व में स्थित देशों का समय ग्रेनिच से, उनके देशांतर के प्रति १५' पर एक घंटे के हिसाब से, आगे होगा तथा पश्चिम में पीछे। इस प्रकार भारत का मापक याम्योत्तर ग्रेनिच के याम्योत्तरवृत्त से पूर्व देशांतर ८२.३° है। अतः भारत का माध्य समय ग्रेनिच के माध्य समय से ५ घंटे ३० मिनट अधिक है। इसी प्रकार क्षेत्रीय समय भी मान लिए गए हैं। ग्रेनिच के १८०° देशांतर की रेखा तिथिरेखा है। इसके आरपार समय में १ दिन का अंतर मान लिया जाता है। तिथिरेखा सुविधा के लिये सीधी न मानकर टेढ़ी मेढ़ी मानी गई है।

वर्ष तथा कैलेंडर — पृथ्वी की गति के कारण जब सूर्य वसंत-पात की एक परिक्रमा कर लेता है, तब उसे एक अर्तव वर्ष कहते हैं। यह ३६५.२४२१९८७६ दिन का होता है। यदि हम वसंतपात पर स्थित किसी स्थिर बिंदु अथवा तारे से इस परिक्रमा को नापें, तो यह नाक्षत्र वर्ष होगा। यह अर्तव वर्ष से कुछ बड़ा है। अतुलों से ताल मेल रखने के लिये सप्ताह में अर्तव वर्ष प्रचलित है। सप्ताह में आजकल ग्रेगोरियनी कैलेंडर प्रचलित है, जिसे पोप ग्रेगोरी त्रयोदश ने १५८२ ई० में संशोधित किया था। इसमें फरवरी को छोड़कर सभी महीनों के दिन स्थिर हैं। साधारण वर्ष ३६५ दिन का होता है। लीप वर्ष (फरवरी २९ दिन) ३६६ दिन का होता है, जो ईस्वी सन् की शताब्दी के प्रारंभ से प्रत्येक चौथे वर्ष में पड़ता है। ४०० से पूरे कट जानेवाले ईस्वी शताब्दी के वर्षों को छोड़कर, शेष शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। ऐतिहासिक घटनाओं तथा ज्योतिष संबंधी गणनाओं के लिये जूलियन दिन संख्याएँ (Julian day numbers) प्रचलित हैं, जो १ जनवरी, ४७१३ ई० पू० के मध्याह्न से प्रारंभ होते हैं। [मु० ना० श०]

समरकंद स्थिति : ३६° ३६' उ० अ०, तथा ६६° ५६' पू० दे०। यह नगर सोवियत संघ में, मध्य एशिया के उजबेक सोवियत समाजवादी गणराज्य में स्थित है। यह मंगोल बादशाह तैमूर की राजधानी रहा। समरकंद समुद्रतल से ७१६ मीटर ऊँचाई पर, ज़रफ़ खान की उपजाऊ घाटी में स्थित है। यहाँ के विद्यालयों के मुख्य ध्येयसाध

बायबानी, चातु एवं मिट्टी के बरतनों का निर्माण और कपड़ा, रेशम, गेहूँ, चावल, कोड़ा, लकड़, कस इत्यादि का व्यापार है। शहर के बीच रिमिस्तान नामक एक चौराहा है, जहाँ पर विभिन्न रंगों के पत्थरों से निर्मित कलात्मक इमारतें विद्यमान हैं। शहर की चार-दीवारी के बाहर तैमूर के प्राचीन महल हैं। ईसा पूर्व ३२६ में सिकंदर महान् ने इस नगर का विनाश किया था। १२२१ ई० में इस नगर की रक्षा के लिये १,१०,००० आदिमियों ने चंगेज खान का मुकाबला किया। १३६६ ई० में तैमूर ने इसे अपना निवासस्थान बनाया। १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह चीन का भाग रहा। फिर बुखारा के अमीर के अंतर्गत रहा और अंत में सन् १८६८ ई० में रूस का भाग बन गया।

[स० सि० ६०]

**समवाय (कंपनी)** कोश में समवाय या कंपनी शब्द का अर्थ है व्यक्तियों का समूह जो किसी अभिप्राय से इकट्ठा होता है। तदनुसार इस शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संगठनों के प्रतिनिधित्व के अर्थ में होता है, चाहे वह व्यापारिक हो अथवा अन्य कोई। इस लेख का संबंध खासकर उन समवायों से है जो समवायों के अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित होते हैं। संयुक्त स्क्व समवायों (Joint Stock Companies) का जन्म ब्रिटेन में व्यापारिक क्रांति के समय हुआ। १७ वीं और १८ वीं शताब्दी में संयुक्त स्क्व समवाय के रूप में समामेलन तभी हो सकता था जब उसके लिये राजलेख उपलब्ध हो अथवा संसद् द्वारा कोई विशेष अधिनियम बना हो। ये दोनों ही तरीके अत्यधिक व्ययसाध्य तथा बिलंबकारी थे। राष्ट्र की बढ़ती हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़ी बड़ी अनिर्गमित भागितारण (unincorporated partnerships) अस्तित्व में आईं। जो कुछ भी हो, व्यापार ने एक समामेलन का रूप ग्रहण किया, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिसमें अधिकतम पूँजी के संकलन के साथ साथ खतरे की भी बहुत कम गुंजाइश थी। ऐसी प्रत्येक व्यापारसंस्था की सदस्यता चूँकि बहुत अधिक रहती थी, इसलिये व्यापार का भार कुछ इने गिने प्रत्यासियों पर छोड़ दिया जाता था जिसके फलस्वरूप प्रबंध और स्वामित्व में बिलगाव हो जाता था। इस बिलगाव के साथ ही इस संबंध की समुचित विधियों के अभाव से धूर्त प्रवर्तकों के द्वारा जनता के धन का शोषण होने लगा। जैसे पानी के बबुले उठते और गायब होते हैं, उसी तरह समवाय खड़े होते और फिर विलुप्त हो जाते। भारतीय संसद् ने सन् १७२० ई० में 'बबल्स ऐक्ट' पारित किया। इस अधिनियम ने धूर्ततापूर्ण समवायों के संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बजाय समवायों के प्रवर्तन के व्यवसाय को ही अवैध करार दे दिया। यद्यपि सन् १८२५ ई० में इस अधिनियम का विखंडन हो गया तथापि सन् १८४४ ई० में ही जाकर बड़ी भागितारणों का पंजीकरण एवं समामेलन अनिवार्य किया जा सका। सीमित देयता (Limited Liability) सन् १८५५ में स्वीकृत की गई तथा तत्संबंधी पूरी विधि को सन् १८५६ ई० में ठोस रूप दिया गया। तब से समवायों के अधिनियमों में यथेष्ट संशोधन और सुधार होते रहे जबकि सन् १९४८ ई० में हमें नवीनतम अधिनियम प्राप्त हुआ। इस अधिनियम में समवायों का संयुक्त रूप से उन्नयन होता रहा। इसको

सोसनेवाली चाभी सीमित देयता रही है। भारत में पहला समवाय अधिनियम सन् १८५० ई० में पारित हुआ और सबसे अंतिम सन् १९५६ ई० में।

कंपनी या समवाय के रूप में व्यवसाय करने में अनेक सुविधाएँ हैं। समामेलन के फलस्वरूप विधि में समवाय का रूप 'एक व्यक्ति' का है। यह एक विधियुक्त सत्ता हो गया। इसका अस्तित्व सर्वथा सदस्यों से अलग तथा पूर्ण स्वतंत्र हो गया। सोलोमन बनाम सोलोमन और समवाय, १८६७ ए० सी० २२ में ब्रिटेन की मरदार सभा ने (House of Lords) समवाय के स्वतंत्र समामेलन के अस्तित्व पर बल दिया। श्री सोलोमन नामक एक व्यक्ति ने एक समवाय का संगठन किया और उसने उस समवाय के हाथ अपना व्यवसाय ४० हजार पौंड में बेच दिया। उसने भुगतान लेने के बदले २० हजार पौंड मूल्य के अंश तथा १० हजार पौंड मूल्य के ऋणपत्र ले लिये। चूँकि अधिनियम में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि कम से कम सात व्यक्ति मिलकर ही कोई लोकसमवाय का संगठन कर सकते हैं इसलिये एक व्यक्ति के परिवार के शेष छह व्यक्तियों को अंश दिया जाता था। अतः एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित समवाय को बुरे दिन देखने पड़ते थे और अंत में वह समवाय लड़खड़ा जाता था। समापन (liquidation) के समय उस समवाय की स्थिति इस प्रकार थी —

प्रतिभूत उत्तमर्ण (स्वयं श्री सोलोमन) — १० हजार पौंड।

अप्रतिभूत सामान्य उत्तमर्ण..... हजार पौंड।

शेष सकल संपत्ति केवल ६ हजार पौंड मूल्य की।

अप्रतिभूत उत्तमर्णों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि समवाय समामेलित रहा है तथापि समवाय का कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा है। वह समवाय क्या था, स्वयं सोलोमन एक दूसरे नाम से मौजूद थे। व्यवसाय पूर्णतः उसका ही था, इसलिये वह अपने लिये उत्तमर्ण कैसे हो सकता था। वह समवाय कृत्रिम और धोखे का पुतला था। उत्तमर्ण चाहते थे कि समवाय के ऋणों के लिये सोलोमन दायी हो। जो कुछ भी हो, न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 'जब आपक पत्र समुचित रूप से हस्ताक्षरित और पंजीकृत हो जाता है और यद्यपि सात ही अंश लिए जाते हैं, तथापि अभिदाता समामेलित संगठन है और उसमें तत्काल समामेलित समवाय के सभी कर्तव्यों के प्रयोग की क्षमता समाहित हो जाती है। यह समझना कठिन है कि परिणियम द्वारा इस प्रकार गठित निगम निकाय किस प्रकार केवल एक व्यक्ति को पूँजी का अधिकांश देकर अपने व्यक्तित्व को खो देता है। विधि की दृष्टि में "समवाय एक पृथक् व्यक्ति होता है जो आपकपत्र के अभिदाताओं से सर्वथा भिन्न होता है", तदनुसार सोलोमन समवाय का उत्तमर्ण माना गया और चूँकि वह प्रतिभूत उत्तमर्ण था, उसको अन्य उत्तमर्णों की अपेक्षा प्राथमिकता का अधिकार था।

दूसरी बात यह कि एकमात्र समामेलित निकाय ही सदस्यों को सीमित देयता के साथ व्यवसाय करने की क्षमता प्रदान करता है। अंशदाता समवाय के ऋणों के उत्तरदायित्व के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह अपने अंश धन का भुगतान नहीं करता है तो वह केवल उस

धन के भुगतान के लिये ही उत्तरदायी है। यदि उसके धंधे के धन का पूर्ण रूप से भुगतान हो चुका है तब उसकी देयता का प्रश्न ही नहीं उठता। सीमित देयता की सुविधा के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए एक न्यायमूर्ति ने कहा है कि 'देश की व्यावसायिक संपदा के विकास के लिये सीमित देयता संबंधी परिणियमों ने जितना लाभ पहुँचाया है उतना समवत। किसी और कानून ने नहीं पहुँचाया। सीमित देयता ने, जहाँ तक विनियोक्ता तथा लोक के लाभ का प्रश्न है, छोटे मोटे धनो को बड़ी पूँजी में परिणत करने में प्रोत्साहन प्रदान किया है। उस बड़ी पूँजी को लोककल्याण के कार्य में प्रयुक्त कर देश की संपदा की वृद्धि ही होती है।'

तीसरी बात यह कि समवाय के धंधे चल संपत्ति हैं और वह मुक्त रूप से हस्तांतर्य हैं। अतएव समवाय की सदस्यता समय समय पर परिवर्तित होती रहती है किंतु इस परिवर्तन से स्वयं समवाय की अनवरतता पर कोई खराब असर नहीं पड़ता। समवाय को स्थायी उत्तराधिकार प्राप्त है। किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालियापन से समवाय की स्थिति में कोई भ्रंतर नहीं आता। इसके अलावा समा-मेलन समवाय की संपत्ति से उसके सदस्यों से स्पष्टन. पृथक् करने की क्षमता रखता है। समवाय अपने नाम से मुकदमा लड़ सकता है और उसके नाम से मुकदमा लड़ा जा सकता है। [ अ० सि० ]

**समवाय संबंध** वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत सात पदार्थों में छठा पदार्थ। संबंध नित्य और अनित्य होते हैं। सयोग अनित्य संबंध है जैसे कलम का कागज से। पर कलम का कलम के रंग से नित्य संबंध है। अतः ऐसे संबंध को जिसके बिना वस्तु की सत्ता ही न रहे समवाय संबंध कहते हैं। द्रव्य का गुण से, द्रव्य का क्रिया से, अवयव का प्रवयवी से, जाति का व्यक्ति से तथा नित्य द्रव्य का विधेय से समवाय संबंध होता है। गुण, क्रिया आदि से विशिष्ट वस्तु का ज्ञान विशेषण और विशेष्य के संबंध के ज्ञान से होता है, अतः गुण, क्रिया आदि का गुणी, क्रियावान् आदि से कोई संबंध अवश्य होगा। यह संबंध संयोग से भिन्न है अतः इसको अलग पदार्थ माना गया।

सगुण वस्तु गुण और द्रव्य का, अवयवी अवयवों का समूह मात्र नहीं है। यह उनके समूह से विशिष्ट है। यह वैशिष्ट्य समवाय संबंध के कारण है। बौद्ध तथा मीमांसा दर्शनों में अवयवी का अवयवों का समूह मात्र माना गया है अतः समवाय का खंडन किया गया है। ध्याय दर्शन ने समवाय को तार्किक दृष्टि से पुष्ट किया। [ स० च० पा० ]

**समस्तीपुर** स्थिति : २५° २८' एवं २६° ५' उ० अ० तथा ८५° ३१' एवं ८६° १' पू० दे०। बिहार राज्य के दरभंगा जिले का एक उपमंडल है। इसका क्षेत्रफल ७७८ वर्ग मील है।

बागमती और बूढ़ी गंडक के दोआब को छोड़कर, उपमंडल का शेष भाग विस्तृत बांगर है, जिसमें एकाध चौर है। यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ खरीफ तथा भदई फसलें उपजती हैं।

२. नगर, समस्तीपुर उपयुक्त उपमंडल का मुख्य नगर है, जो बूढ़ी गंडक के दाहिने किनारे पर बसा है। इसकी जनसंख्या २५,७२६

है (१९६१)। यह एक प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन है। यहाँ एक रेलवे वर्कशॉप भी है। इसके निकट में ही पूसा कृषि कालेज है, जहाँ खेती तथा पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। समस्तीपुर में चीनी मिल, डिग्री कालेज तथा हस्तनिर्मित कागज के उद्योग भी हैं। [ अ० मि० ]

**समस्थानिक (Isotopes)** एक तत्व के विभिन्न भारवाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में डाक्टन ने अपने परमाणुवाद में यह सिद्धांत स्थापित किया था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक तत्व के सारे परमाणुओं का भार समान होता है। बहुत समय तक वैज्ञानिक इसको सत्य मानते रहे; परंतु रेडियोऐक्टिवता की खोज के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि इस क्रिया द्वारा एक ही तत्व के विभिन्न भार के परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। रेडियोऐक्टिवता के अनुसंधानों के फलस्वरूप रेडियोऐक्टिव विस्थापन नियम (radioactive displacement law) निकला। इसके अनुसार यदि एक रेडियोऐक्टिव परमाणु से एक ऐल्फा कण ( $\alpha$  particle) मुक्त हो, तो आवर्त मारणी में वह तत्व दो स्थान पीछे (कम) हो जायगा। यदि उससे एक बीटा कण ( $\beta$ -particle) मुक्त हो, तो परमाणु एक स्थान आगे (अधिक) हो जायगा, इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि किसी परमाणु से एक ऐल्फा कण मुक्त हो और क्रमशः दो बीटा कण मुक्त हो, तो वह परमाणु आवर्त मारणी में फिर अपने स्थान पर आ जायगा, यद्यपि उसका भार चार मात्रा से कम होगा। ऐसे परमाणुओं के लिये प्रसिद्ध अमेज भौतिकी विज्ञानी, सांडी ने समस्थानिक (Isotope) शब्द का १९१३ ई० में प्रयोग किया। उसने सर्वप्रथम यह कहा कि इस प्रकार रेडियोऐक्टिवता के द्वारा प्राप्त समस्थानिक के रासायनिक एवं स्पेक्ट्रमी (spectral) गुण समान होंगे। रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऐसे परमाणुओं को अलग करना संभव नहीं है। सांडी के सिद्धांत के अनुसार यूरैनियम अयस्क द्वारा प्राप्त सीसे का परमाणुभार सामान्य सीसे के भार से भिन्न होना चाहिए। सांडी के सार वक्तव्य वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा सत्य सिद्ध हुए। अन्य वैज्ञानिकों ने समस्थानिकों के प्रमाण प्राप्त किए। सन् १९०६ में बोल्टवुड ने यूरैनियम रूपांतरण (transformation) द्वारा उत्पन्न आयोनियम की खोज की जिसके रासायनिक गुण थोरियम तत्व के अनुरूप थे। इस प्रकार रेडियोऐक्टिव तत्वों के प्रयोगों में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न भारवाले परमाणु मिले, जिन्हें किसी रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता था, परंतु रासायनिक क्रिया द्वारा यह नहीं ज्ञात हो सकता था कि स्थायी तत्वों में समस्थानिक है या नहीं। यह केवल ऐसे भौतिक प्रयोग द्वारा जाना जा सकता था जिसमें पृथक् परमाणुओं का भार सूक्ष्मता से ज्ञात हो सके।

टॉमसन ने धन किरणों (positive rays) के अनुसंधानों द्वारा सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि स्थायी तत्वों में भी समस्थानिक रहते हैं। टॉमसन ने अपनी परवलय (parabola) विधि द्वारा निऑन (Ne) गैस का विश्लेषण किया। इस विधि में किसी भी कण के आवेश और संरुद्धि का अनुपात (e/m) निकाला जा सकता था।



अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि सामान्य निम्नोत तत्व दो समस्थानिकों का संमिश्रण है, जिनमें से एक का परमाणुभार २० और दूसरे का २२ है। इनका संमिश्रण इस अनुपात में था कि सामान्य निम्नोत का परमाणुभार २०.१८ निकलता था। तत्पश्चात् अत्यंत सम्यक् प्रयोगों से प्रमाणित हुआ कि निम्नोत में २१ परमाणुभार का एक अल्प समस्थानिक भी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में संमिश्रित रहता है। इसी समय ऐस्टन ने महति, या द्रव्यमान, स्पेक्ट्रमलेखी (mass spectrograph) का निर्माण दिया (देखें स्पेक्ट्रमी संहति), जिसके द्वारा समस्थानिक सरलता से पृथक् किए जा सकते थे और उनके भार का अनुमान अत्यंत सूक्ष्मता से ज्ञात हो सका था। अपने इस नए उपकरण द्वारा ऐस्टन ने ज्ञात किया कि अधिकतर तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के संमिश्रण हैं। इसके पश्चात् डैक्टर तथा अन्य वैज्ञानिकों ने अधिक उपयोगी द्रव्यमान स्पेक्ट्रमलेखी बनाए जिनके प्रयोगों द्वारा प्राकृतिक तत्वों के लगभग ३०० से अधिक समस्थानिक ज्ञात हो चुके हैं। केवल निम्नलिखित २२ तत्वों का एक ही समस्थानिक प्राप्त है।

बेरिलियम ( $\text{Be}^9$ ), प्लुटोनियम ( $\text{P}^{14}$ ), सोडियम ( $\text{Na}^{23}$ ), ऐलुमिनियम ( $\text{Al}^{27}$ ), फॉस्फोरस ( $\text{P}^{31}$ ), स्कैंडियम ( $\text{Sc}^{45}$ ), मैंगनीज ( $\text{Mn}^{55}$ ), कोबाल्ट ( $\text{Co}^{59}$ ), आर्सेनिक ( $\text{As}^{75}$ ), इट्रियम ( $\text{Y}^{89}$ ), नायोबियम ( $\text{Nb}^{93}$ ), रोडियम ( $\text{Rh}^{103}$ ), आयाडीन ( $\text{I}^{127}$ ), सीजियम ( $\text{Cs}^{133}$ ), लैथेनम ( $\text{La}^{139}$ ), प्रेज़ियोडिमियम ( $\text{Pr}^{141}$ ), टर्बियम ( $\text{Tb}^{159}$ ), होल्मियम ( $\text{Ho}^{165}$ ), टैटलम ( $\text{Ta}^{181}$ ), स्वर्ण ( $\text{Au}^{197}$ ) और बिस्मथ ( $\text{Bi}^{209}$ )।

सन् १९३४ में फ्रेड्रिक जेहोलियो एवं आइरीन वयूरी ने कुछ हल्के तत्वों पर ऐल्फा कणों द्वारा आक्रमण के प्रयोग किए, जिनके द्वारा स्थिर तत्वों के भी रेडियोऐक्टिव समस्थानिक बनाए गए। अब हमें यह ज्ञात है कि सारे तत्वों के रेडियोऐक्टिव समस्थानिक बन सकते हैं। इस क्रिया के लिये स्थिर तत्वों पर विभिन्न कणों के आक्रमण किए जाते हैं, जिनमें ऐल्फा कण ( $\text{He}^4$ ), ड्यूट्रान ( $\text{D}^2$ ), प्रोटान ( $\text{H}^1$ ) और न्यूट्रॉन ( $\text{n}^0$ ) मुख्य हैं। कभी कभी गामा विकिरण द्वारा भी यह क्रिया संभव हुई है। अब तक ५०० से अधिक रेडियोऐक्टिव समस्थानिक बनाए जा चुके हैं, जिनसे अनेक प्रकार के विकिरण मुक्त होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ( $e^-$ ), पॉज़िट्रॉन ( $e^+$ ), गामा विकिरण ( $\gamma$ ) और ऐल्फा कण ( $\alpha$ , or  $\text{He}^4$ )। कुछ समस्थानिकों के—इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण (K-electron capture) क्रिया द्वारा भी रूपांतरित होते देखे गए हैं। इनके अर्ध जीवन (half life) की अवधियों में बहुत असमानता दिखाई देती है (१०<sup>-१०</sup> वर्ष से १०<sup>-७</sup> सेकंड तक)।

समस्थानिकों की खोज के साथ परमाणु की संरचना पर भी प्रकाश पड़ा। हमें अब यह ज्ञात है कि परमाणु के मध्य में एक नाभिक (nucleus) स्थित है, जिसमें परमाणु का अधिकांश भार रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। नाभिक संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उसमें दो प्रकार के मूलभूत कण स्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से ही तत्व की परमाणुसंख्या (atomic number) नियत

होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि एक तत्व के समस्त परमाणुओं के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, जैसे हाइड्रोजन नाभिक में १ प्रोटॉन, हीलियम नाभिक में २ प्रोटॉन और यूरेनियम नाभिक में ९२ प्रोटॉन हैं। इसके अतिरिक्त, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, उसकी द्रव्यमान संख्या (mass number) होगी। इस प्रकार किसी एक तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या विभिन्न होगी, यथा लीथियम-७ के नाभिक में ३ प्रोटॉन और ४ न्यूट्रॉन होंगे और लीथियम-६ में ३ प्रोटॉन और ३ न्यूट्रॉन होंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस लीथियम के दोनों नाभिकों में तीन ही इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि समस्थानिकों की बाह्य संरचना एक सी होती है।

कभी कभी ऐसा भी भ्रम हो सकता है कि दो विभिन्न तत्वों के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग समान हो, यद्यपि दोनों कणों की व्यक्तिगत संख्याएँ समान, हो। बोरॉन के १० द्रव्यमानवाले समस्थानिक ( $\text{B}^{10}$ ) में ५ प्रोटॉन और ५ न्यूट्रॉन होंगे और बर्गलियम के १० द्रव्यमानवाले समस्थानिक ( $\text{Be}^{10}$ ) में ४ प्रोटॉन और ६ न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे परमाणुओं को समभारिक (Isobars) कहते हैं।

द्रव्यमान स्पेक्ट्रमलेखी (mass spectrograph) द्वारा किए गए सम्यक् अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि तत्वों के विभिन्न परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के समिलित द्रव्यमान के बराबर न होकर, उससे कम होता है। इसका कारण यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतनी निकटतम अवस्था में रहते हैं कि उनकी मात्रा के कुछ भाग का क्षय हो जाता है। किसी नाभिक में उपस्थित कणों के परिणत भार और उसके प्रयोगात्मक भार के अंतर को माइंसटाइन के सापेक्षवाद (theory of relativity) के अनुसार ऊर्जा में परिणत कर सकते हैं और प्राप्त ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा (binding energy) कहेंगे। इसे नाभिक में उपस्थित कणों (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन) की संख्या से भाग देने पर, प्रति कण की बंधन ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह मात्रा स्थिर न होकर, प्रत्येक तत्व के साथ बदलती रहती है। आवर्त सारणी के मध्य में स्थित तत्वों में यह सबसे अधिक और प्रारंभ तथा अंत के तत्वों में कम रहती है। उच्च बंधन ऊर्जा तत्व की स्थिरता का सूचक है। इसी नियम के अनुसार यूरेनियम खंडित होकर और हाइड्रोजन संगलित होकर अधिक स्थिरता को प्राप्त होते हैं।

समस्थानिकों की रचना पर विचार करने से हमें ज्ञात हुआ कि विषम परमाणु संख्या के तत्वों के स्थिर समस्थानिकों की संख्या कम होती है। पृथ्वी की सतह पर उनकी मात्रा भी कम ज्ञात होती है। इसके विपरीत सम परमाणु संख्या के तत्वों के अधिक स्थिर समस्थानिक प्राप्त हैं। लगभग समस्त स्थिर समस्थानिकों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है।

अभी तक समस्थानिकों के द्रव्यमान की गणना भौतिक प्रतिमान द्वारा होती थी, जिसमें ऑक्सीजन के १६ परमाणुभारवाले

समस्थानिक को १६.०००० माना गया। यह प्रतिमान रासायनिक प्रतिमान से भिन्न था। रासायनिक प्रतिमान द्वारा प्राप्त परमाणु-भार भौतिक प्रतिमान से कुछ भिन्न थे। १९१२ ई० में दोनों प्रतिमानों के स्थान पर एक अन्य प्रतिमान स्थापित किया गया है, जो भौतिक तथा रासायनिक दोनों क्रियाओं में उपयोगी है। इसके अनुसार कार्बन के १२ द्रव्यमान संख्या-वाले समस्थानिक का भार १२.०००० माना गया, जिसके फल-स्वरूप प्रोट्रॉन का भार १.००७५६५, न्यूट्रॉन का भार १.००८६६२, ड्यूट्रॉन का भार २.०१४१८ और ट्राइटॉन ( ट्राइटियम का नाभिक ) का भार ३.०१६५० मान्य है।

एक तत्व के समस्थानिकों के अनेक भौतिक गुणों में भिन्नता रहती है। स्पेक्ट्रमी ( spectral ) गुणों में यह भिन्नता देखी जा सकती है। पट्ट स्पेक्ट्रम के अध्ययन द्वारा समस्थानिकों की उपस्थिति सरलता से ज्ञात हो जाती है और इनके द्वारा अनेक प्रयोगों में द्रव्यमान स्पेक्ट्रमलेखी ( mass spectrograph ) अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों की पुष्टि हुई है।

**समस्थानिकों का पृथक्करण** — समस्थानिकों को रासायनिक विधि द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता। इस कार्य के लिये भौतिक गुणों की भिन्नता का सहारा लेना पड़ता है। द्रव्यमान-स्पेक्ट्रममापी में समस्थानिकों का पूर्णतया पृथक्करण संभव है और सर्वप्रथम इसी विधि से यूरेनियम के समस्थानिक पृथक् किए गए थे, परंतु इस विधि द्वारा प्राप्त समस्थानिकों की मात्रा बहुत न्यून और क्षिप्रिलता से प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त समस्थानिकों को पृथक् करने की अन्य विधियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं। एक विधि के अनुसार किसी तत्व के वाष्प, अथवा उसके वाष्प यौगिक, का सरंध्र (porous) पदार्थ द्वारा मुक्त विसरण (free diffusion) कर, उसे समस्थानिकों में पृथक् करते हैं। वाष्प की विसरण गति उसके भार के वर्गमूल के विरोधानुपाती (inversely proportional) होती है। इस कारण मिश्रित समस्थानिक वाष्प के समुचित आयतन का सरंध्र पदार्थ द्वारा विसरण करने पर, विसरित वाष्प में हलके समस्थानिक का और बने वाष्प में भारी समस्थानिक का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस क्रिया को अनेक बार दोहराने से समस्थानिकों के प्रतिशत में बहुत अंतर आ सकता है। एक दूसरी विधि द्वारा न्यून दबाव पर द्रव सतह के ऊपर वाष्पीकरण द्वारा समस्थानिकों के संघटन में अंतर आ जाता है। इनके अतिरिक्त प्रासवन (distillation), विद्युत् अपघटन (electrolysis), अपकेंद्रन (centrifugation) तथा विनिमयी अभिक्रिया (exchange reaction) द्वारा भी समस्थानिक पृथक् किए जाते हैं। इनकी क्रियाएँ अधिकतर गोपनीय रखी गई हैं।

यह आश्चर्यजनक बात है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पाए जानेवाले किसी भी तत्व का समस्थानिक प्रतिशत समान रहता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभिक काल में हर तत्व का निर्माण या तो एक स्थान पर हुआ, या इस विधि से हुआ कि उसका हर स्थान पर समस्थानिक संघटन स्थिर हो गया। [२० च० क०]

**समाजवाद** अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द 'सोशलिज्म' का हिंदी रूपांतर है। १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में और उन विचारों के समर्थन में किया जाता था जिनका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आचार को बदलना था और जो जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे।

समाजवाद शब्द का प्रयोग अनेक और कभी कभी परस्पर विरोधी प्रसंगों में किया जाता, जैसे समूहवाद, अराजकतावाद, आदि-कालीन कबायली साम्यवाद, सैन्य साम्यवाद, ईसाई समाजवाद, सहकारितावाद, आदि — यहाँ तक कि नास्ती दल का भी पूरा नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल था। आदिकालीन साम्यवादी समाज में मनुष्य पारस्परिक सहयोग द्वारा आवश्यक चीजों की प्राप्ति, और प्रत्येक सदस्य के आवश्यकतानुसार उनका प्रापस में बँटवारा करते थे। परंतु यह साम्यवाद प्राकृतिक था; मनुष्य की सचेत कल्पना पर आधारित नहीं था। आरंभ के ईसाई पादरियों की रहन सहन का ढंग बहुत कुछ साम्यवादी था, वे एक साथ और समान रूप से रहते थे, परंतु उनकी आय का स्रोत धर्मवस्तुओं का दान था और उनका भाव जनसाधारण के लिये नहीं, बरन् केवल पादरियों तक सीमित था। उनका उद्देश्य भी आध्यात्मिक था, भौतिक नहीं। यही बात मध्यकालीन ईसाई साम्यवाद के संबंध में भी सही है। पेरू (Peru) देश की प्राचीन इंका (Inka) सभ्यता को सैन्य साम्यवाद की मंजा दी जाती है, परंतु उसका आधार सैन्य संगठन था और वह व्यवस्था शासक वर्ग का हितसाधन करती थी। नगर-पालिकाओं द्वारा लोकसेवाओं के साधनों को प्राप्त करना, अथवा देश की उन्नति के लिये आर्थिक योजनाओं के प्रयोग मात्र को समाजवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि इनके द्वारा पूँजीवाद को ठेस पहुँचे। नास्ती दल ने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया था परंतु पूँजीवादी व्यवस्था अक्षुण्ण रही।

समाजवाद की परिभाषा करना कठिन है। यह सिद्धांत तथा आंदोलन, दोनों ही हैं, और यह विभिन्न ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करता है। मूलतः यह वह आंदोलन है जो कि उत्पादन के मुख्य साधनों के समाजीकरण पर आधारित वर्गविहीन समाज स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है और जो मजदूर वर्ग को इसका मुख्य आधार बनाता है, क्योंकि वह इस वर्ग को शोषित वर्ग मानता है जिसका ऐतिहासिक कार्य वर्गव्यवस्था का अंत करना है।

समाजवाद के अनेक प्रकार हैं और उनकी विभिन्नता का आधार उनकी न्याय की कल्पना, राज्य के प्रति उनका दृष्ट और लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं।

### कार्पनिक समाजवाद

यद्यपि समाजवादी आंदोलन और समाजवादी शब्द का प्रयोग उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध से आरंभ हुआ तथापि ईसा से ६०० वर्ष पूर्व भी समाजवादी विचारों का बल्लेन मिलता है, परंतु प्लेटो सर्वप्रथम दार्शनिक है जिसने इन विचारों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित

किया। वह न केवल संपत्ति के समान और सामूहिक प्रयोग के पक्ष में या वर्ग-व्यक्तिगत कौटुंबिक प्रथा का अंत कर स्त्रियों और बच्चों का भी समाजीकरण करना चाहता था। उसके साम्यवाद का आधार गुलाम प्रथा थी और वह केवल संकुचित शासक वर्ग तक सीमित था, अतः उसको अधिजाततंत्रीय समाजवाद कहा जाता है। मध्यकालीन विचारों में भी साम्य संबंधी धारणाएँ मिलती हैं, परंतु उस समय के विद्वानों का आधार नैतिक और धार्मिक था।

प्राधुनिक काल के प्रथम चरण से विचारस्वातंत्र्य के कारण धर्मनिरपेक्ष चिंतन प्रारंभ हुआ और इस काल में थॉमस मोर (Thomas More, यूटोपिया, १५१६) और कपानेला (Campa nella, 'सूर्यनगर' १६२३) जैसे विचारकों ने साम्य के आधार पर समाज की कल्पना की, परंतु औद्योगिक क्रांति के पूर्व प्राधुनिक समाजवादी विचारों के लिये भौतिक आधार — पूँजीवादी शोषण और सर्वहारा वर्ग — समस्त नहीं था। औद्योगिक क्रांति के साथ विज्ञानों का विकास हुआ और प्राचीन मान्यताओं तथा धार्मिक अंधविश्वासों का ह्रास होने लगा। इन परिस्थितियों में प्राधुनिक समाजवादी चिंतन का उदय हुआ।

इस काल का प्रथम समाजवादी विचारक फ्रांस-निवासी बाबूफ (Babeuf, १७६४-१७९७) था। वह भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था तथा अपने ध्येय की प्राप्ति क्रांति द्वारा करना चाहता था। अठारहवीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ के अन्त प्रमुख फ्रांसीसी समाजवादी विचारक सैंतीमों (Saint Simon १७६०-१८२५) और फोरिए (Fourier १७७२-१८३७) हैं। सैंतीमों संपत्ति पर सामाजिक अधिकार स्थापित करना चाहता था परंतु वह सबको समान वर्ग अथवा श्रम के अनुसार वेतन के पक्ष में था। फोरिए के विचार सैंतीमों से मिलते जुलते हैं, परंतु वह सहकारी संगठनों की कल्पना भी करता है।

उपर्युक्त फ्रांसीसी समाजवादियों के विचारों से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका भी प्रभावित हुए। ब्रिटेन का तत्कालीन प्रमुख समाजवादी विचारक रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen, १७७१-१८५८) था। वह स्वयं एक मजदूर और बाद में सफल पूँजीपति, समाज-सुधारक, और मजदूर तथा सहकारी आंदोलनों का प्रवर्तक हुआ। उसका कथन था कि मनुष्य का स्वभाव परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वह शिक्षा, प्रचार और समाज सुधार द्वारा पूँजीवादी शोषण का अंत करना चाहता था। अपने विचारों के अनुसार उसने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा; तथापि उसके विचारों का ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमरीका के मजदूर आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ओवेन की भाँति काबेट (Cabet, १७८१-१८५६) ने भी संयुक्त राज्य अमरीका में समाजवादी उपनिवेश स्थापित किए परंतु उसके प्रयत्न भी सफल न हो सके।

ओवेन के बाद ब्रिटेन में मजदूरों के अंदर चार्टिस्ट, (Chartist) विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। यह आंदोलन मतान्तरिकता प्राप्त कर संसद पर अधिकार स्थापित करना, और इस प्रकार राज्यशक्ति प्राप्त करने के बाद धार्मिक तथा सामाजिक सुधार करना चाहता था।

आगे चलकर फेबियन तथा अन्य समाजवादियों ने इस सर्वधार्मिक मार्ग का आशय लिया। परंतु फ्रांसीसी समाजवादी लुई ब्लॉन्स (Louis Blanc, १८११-१८८२) क्रांतिकारी था। वह उद्योगों के समाजीकरण ही नहीं, मजदूरों के काम करने के अधिकार का भी समर्थक था। "प्रत्येक अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करे और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो" उसने इस साम्यवादी विचार का प्रचार किया।

कार्ल मार्क्स (१८१८-८३) के माथी एंगेल्स ने उपर्युक्त प्राधुनिक समाजवादी विचारों को काल्पनिक समाजवाद का नाम दिया। इन विचारों का आधार भौतिक और वैज्ञानिक नहीं नैतिक था; इनके विचारक ध्येय की प्राप्ति के सुधारवादी साधनों में विश्वास करते थे; और माथी समाज की विस्तृत परंतु अवास्तविक कल्पना करते थे।

मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद — मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। मार्क्स जर्मन देश के एक राज्य का रहनेवाला था और जर्मनी १८७१ ई० के पूर्व राजनीतिक रूप से कई राज्यों में विभाजित, तथा धार्मिक दृष्टि में पिछड़ा हुआ था। अतः यहाँ पर समाजवादी विचारों का प्रचार देर से हुआ। यद्यपि जोहान फिस्ते (Johann Fichte, १७६२-१८१५) के विचारों में समाजवाद की झलक है, परंतु जर्मनी का सर्वप्रथम और प्रमुख समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स ही माना जाता है। मार्क्स के विचारों पर हीगेल के आदर्शवाद, फोरबाक (Feuerbach) के भौतिकवाद, ब्रिटेन के शालीय अर्थशास्त्र, तथा फ्रांस की क्रांतिकारी राजनीति का प्रभाव है। मार्क्स ने अपने पुर्वागामी और समकालीन समाजवादी विचारों का समन्वय किया है। उसके अभिन्न मित्र और सहकारी एंगेल्स ने भी समाजवादी विचार प्रतिपादित किए हैं, परंतु उनमें अधिकांशतः मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या है, अतः उसके लेख मार्क्सवाद के ही अंग माने जाते हैं।

मार्क्स के दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical materialism) कहा जाता है। मार्क्स के लिये वास्तविकता विचार मात्र नहीं, भौतिक सत्य है; विचार स्वयं पदार्थ का विकसित रूप है। उसका भौतिकवाद विकामवान् है परंतु यह विकास द्वंद्वात्मक प्रकार से होता है। इस प्रकार मार्क्स हीगेल के विचारवाद का विरोधी है परंतु उसकी द्वंद्वात्मक प्रणाली को स्वीकार करता है।

मार्क्स के विचारों की दूसरी विशेषता उसका ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical materialism) है। कुछ लेखक इसको इतिहास की अर्थशास्त्रीय व्याख्या भी कहते हैं। मार्क्स ने सिद्ध किया कि सामाजिक परिवर्तनों का आधार उत्पादन के साधन और उससे प्रभावित उत्पादन संबंधों में परिवर्तन हैं। अपनी प्रतिभा के अनुसार मनुष्य सदैव ही उत्पादन के साधनों में उन्नति करता है, परंतु एक स्थिति प्राप्ति है जब इस कारण उत्पादन संबंधों पर भी असर पड़ने लगता है और उत्पादन के साधनों के स्वामी—शोषक—और इन साधनों का प्रयोग करनेवाले शोषित वर्ग में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। स्वामी पुरानी अवस्था को कायम रखकर शोषण का क्रम जारी रखना

चाहता है, परन्तु शोषित वर्ग का धीरे-धीरे समाज का हित नए उत्पादन सब घे स्थापित कर नए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने में होता है। अतः शोषक और शोषित के बीच वर्गसंघर्ष क्रांति का रूप धारण करता है और उसके द्वारा एक नए समाज का जन्म होता है। इसी प्रक्रिया द्वारा समाज आदिकालीन बबान्यली साम्यवाद, प्राचीन गुलामी, मध्यकालीन सामतवाद और आधुनिक पूँजीवाद, इन अवस्थाओं से गुजरा है। अभी तक का इतिहास वर्गसंघर्ष का इतिहास है, आज भी पूँजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच यह संघर्ष है, जिसका अंत सर्वहारा क्रांति द्वारा समाजवाद की स्थापना से होगा। अभी साम्यवादी अवस्था इस समाजवादी समाज का ही एक श्रेष्ठ रूप होगी।

मार्क्स ने पूँजीवादी समाज का गूढ़ और विस्तृत विश्लेषण किया है। उसकी प्रमुख पुस्तक का नाम पूँजी (Capital) है। इस सबध में उसके अर्थ (Value) और अतिरिक्त अर्थ (Surplus value) सबधी सिद्धांत मुख्य हैं। उसका कहना है कि पूँजीवादी समाज की विशेषता अविशेष्यता पर्यो (Commodities) की पैदावार है। पूँजीपति अधिकतर चीजें बेचने के लिये बनाता है, अपने प्रयोग मात्र के लिये नहीं। पर्यो वस्तुएँ अपने अर्थ के आधार पर खरीदी बेची जाती हैं। परन्तु पूँजीवादी समाज में मजदूर की श्रमशक्ति भी पर्यो बन जाती है और वह भी अपने अर्थ के आधार पर बेची जाती है। प्रत्येक चीज के अर्थ का आधार उसके अंदर प्रयुक्त सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम है जिसका मापदण्ड समय है। मजदूर अपनी श्रमशक्ति द्वारा पूँजीपति के लिये बहुत सामर्थ्य (पर्यो) पैदा करता है, परन्तु उसकी श्रमशक्ति का अर्थ बहुत कम होता है। इन दोनों का अंतर अतिरिक्त अर्थ है और यह अतिरिक्त अर्थ जिसका आधार मजदूर का श्रम है पूँजीवादी मुनाफे, सुद, बभौशन आदि का आधार है। सारांश यह कि पूँजी का स्रोत श्रमशोषण है। मार्क्स का यह विचार वर्गसंघर्ष को प्रोत्साहन देता है। पूँजीवाद की विशेषता है कि इसमें स्पर्धा होती है और बड़ा पूँजीपति छोटे पूँजीपति को परास्त कर उसका नाश कर देता है तथा उसकी पूँजी का स्वयं अधिकारी हो जाता है। वह अपनी पूँजी और उसके लाभ को भी फिर से उत्पादन के क्रम में लगा देता है। इस प्रकार पूँजी और पैदावार दोनों की वृद्धि होती है। परन्तु क्योंकि इसके अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ती, अतः श्रमिक वर्ग इस पैदावार को खरीदने में असमर्थ होता है और इस कारण समय-समय पर पूँजीवादी व्यवस्था आर्थिक संकटों की शिकार होती है जिसमें अतिरिक्त पैदावार और बेकारी तथा भुखमरी एक साथ पाई जाती है। इस अवस्था में पूँजीवादी समाज उत्पादनशक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोध करने में असमर्थ होता है। अतः पूँजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच वर्गसंघर्ष बढ़ता है और अंत में समाज के पास सर्वहारा क्रांति (Proletarian Revolution) तथा समाजवाद की स्थापना के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। सामाजिक पैमाने पर उत्पादन परन्तु उसके ऊपर व्यक्तिगत स्वामित्व, मार्क्स के अनुसार यह पूँजीवादी व्यवस्था की असंगति है जिसे सामाजिक स्वामित्व की स्थापना कर समाजवाद दूर करता है।

राज्य के संबंध में मार्क्स की धारणा थी कि यह शोषक वर्ग का

शासन का अथवा दमन का यंत्र है। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये प्रत्येक शासकवर्ग इसका प्रयोग करता है। पूँजीवाद के अनाधोर्षों के अंत तथा समाजवादी व्यवस्था की जड़ों को मजबूत बनाने के लिये एक संक्रामक काल के लिये सर्वहारा वर्ग भी इस यंत्र का प्रयोग करेगा, अतः कुछ समय के लिये सर्वहारा तानाशाही की आवश्यकता होगी। परन्तु पूँजीवादी राज्य मूठो भर शासकवर्ग की बहुमत शोषित जनता के ऊपर तानाशाही है जब कि सर्वहारा का शासन बहुमत जनता की, केवल नगण्य अल्पमत के ऊपर, तानाशाही है। समाजवादियों का विश्वास है कि समाजवादी व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग करके पैदावार को इतना बढ़ाएगी कि समस्त जनता की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँगी। कालांतर में मनुष्यों को काम करने की आदत पड़ जाएगी और वे पूँजीवादी समाज को भूलकर समाजवादी व्यवस्था के भादी हो जाएँगे। इस स्थिति में वर्गभेद मिट जाएगा और शोषण की आवश्यकता न रह जाएगी, अतः शोषणयंत्र—राज्य—भी अनावश्यक हो जाएगा। समाजवाद की इस उच्च अवस्था को मार्क्स साम्यवाद कहता है। इस प्रकार का राज्यविहीन समाज अराजकतावादियों का भी आदर्श है।

मार्क्स ने अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिये अंतरराष्ट्रीय श्रमजीवी समाज (१८६४) की स्थापना की जिसकी सहायता से बसने अनेक देशों में क्रांतिकारी मजदूर आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। मार्क्स अंतरराष्ट्रवादी था। उसका विचार था कि पूँजीवाद ही अंतरदेशीय संघर्ष और युद्धों की जड़ है। समाजवाद की स्थापना के बाद उनका अंत हो जाएगा और विश्व का सर्वहारा वर्ग परस्पर सहयोग तथा शांतिमय ढंग से रहेगा।

मार्क्स ने सन् १८४८ में अपने 'साम्यवादी घोषणापत्र' में जिस क्रांति की भविष्यवाणी की थी वह अंशतः सत्य हुई और उस वर्ष और उसके बाद कई वर्ष तक यूरोप में क्रांति की ज्वाला फैलती रही; परन्तु जिस समाजवादी व्यवस्था की उसको आशा थी वह स्थापित न हो सकी, प्रत्युत क्रांतियाँ दबा दी गईं और पतन के स्थान में पूँजीवाद का विकास हुआ। फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध (१८७१) के समय पराजय के कारण पेरिस में प्रथम समाजवादी शासन (पेरिस कम्यून) स्थापित हुआ परन्तु कुछ ही दिनों में उसको भी दबा दिया गया। पेरिस कम्यून की प्रतिक्रिया हुई और मजदूर आंदोलनों का दमन किया जाने लगा जिसके फलस्वरूप मार्क्स द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ भी तितर-बितर हो गया। मजदूर आंदोलनों के सामने प्रश्न था कि वे समाजवाद की स्थापना के लिये क्रांतिकारी मार्ग अपनाएँ अथवा सुधारवादी मार्ग ग्रहण करें। इन परिस्थितियों में कतिपय सुधारवादी विचारधारारों का जन्म हुआ। इनमें ईसाई समाजवाद, फेबियसवाद और पुनरावृत्तिवाद मुख्य हैं।

ईसाई समाजवाद के मुख्य प्रचारक ब्रिटेन के जान मेलकम लुडलो (John Malcohm Ludlow १८२१-१९११), फ्रांस के क्लॉड फांचे (Claude Fauchet) और जर्मनी के विकटर आइमे ह्युबर (Victor Aime Huber) हैं। पूँजीवादी शोषण द्वारा मजदूरी की दुर्दशा देखकर इन विचारकों ने इस व्यवस्था की

घानोचना की धीर मजदूरों में सहकारी प्रांदोलन का प्रचार किया। उन्होंने उत्पादक तथा भोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना भी की। ईसाई समाजवाद का प्रभाव ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिरिक्त आस्ट्रिया तथा बेल्जियम में भी था।

**फेबियसवाद** — ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना सन् १८८३-८४ ई० में हुई। रॉबर्ट ओवेन तथा चार्टिस्ट प्रांदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर प्रांदोलन की नींव पड़ चुकी थी, फेबियन सोसाइटी ने इस प्रांदोलन को दर्शन दिया। इस सभा का नाम फेबियस कंकटेटर (Fabius Cunctator) के नाम से लिया गया है। फेबियस प्राचीन रोम का एक सेनानी था जिसने कार्थेज के प्रसिद्ध सेनानायक हन्नीबल (Hannibal) के विरुद्ध संघर्ष में वीर्य से काम लिया और गुरीला नीति द्वारा उसको कई वर्षों में परास्त किया। इसी प्रकार फेबियन समाजवादियों का विचार है कि पूँजीवाद को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिये पर्याप्त काल तक सोच विचार और तैयारी की आवश्यकता है। इनका तरीका विकास और सुधारवादी है। स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना के पूर्व ये ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रवेश कर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। इनका मुख्य ध्येय चरम नैतिक संभावनाओं के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण था। ये राज्य को वर्गशासन का यत्र न मानकर एक सामाजिक यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा समाजकल्याण और समाजवाद की स्थापना संभव है। इन विचारकों ने न केवल संसद् वरन् नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रीय परिषदों द्वारा भी समाजवादी प्रयोगों का कार्यक्रम अपनाया। अतः इनके विचारों को लोकतंत्रीय, संसदीय, बैलट बक्स, चुंगी, विकास अथवा सुधारवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। इन विचारकों में प्रमुख सिडनी वेब (Sydney Webb), जार्ज बर्नाड शॉ, कोल (G. D. H. Cole), ऐनी बेसेंट (Anne Besant), ग्राहम वालस (Graham Wallace) इत्यादि हैं। इन विचारकों पर ब्रिटिश परंपरा, उपयोगितावाद, राबर्ट ओवेन, ईसाई समाजवाद, और चार्टिस्ट प्रांदोलन तथा जान स्टुवार्ट मिल के अर्थशास्त्रीय विचारों का गहरा प्रभाव है।

**जर्मनी का पुनरावृत्तिवाद** — जर्मनी का पुनरावृत्तिवाद ब्रिटेन के फेबियसवाद तथा जर्मनी की परिवर्तित परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। जर्मनी और पूर्व यूरोपीय समाज का स्वरूप सामंतवादी तथा राज्य का अग्रजातांत्रिक और निरंकुश था, अतः १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यहाँ के समाजवादी विचार उग्र क्रांतिकारी तथा संगठन षड्यंत्रकारी थे। इन देशों पर मार्क्स के विचारों का प्रभाव था। परंतु १९ वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में भी औद्योगिक उन्नति हुई और राज्य ने कुछ व्यक्तिगत तथा राजनीतिक अधिकार स्वीकार किए। फलतः मजदूरों का जीवनस्तर ऊँचा हुआ तथा उनके राजनीतिक दल — सामाजिक लोकतंत्रवादी पार्टी (Social democratic party) का प्रभाव भी बढ़ा। उसके अनेक सदस्य संसद् के सदस्य बन गए। इस स्थिति में यह दल सिद्धांततः मार्क्स के क्रांतिकारी मार्ग को स्वीकार करते हुए भी व्यवहार में सुधारवादी हो गया।

एडुआर्ड बर्नस्टाइन (Eduard Bernstein १८५०-१९३२) ने इस वास्तविकता के आधार पर मार्क्सवाद के संशोधन का प्रयत्न किया। बर्नस्टाइन सामाजिक लोकतंत्रवादी पार्टी का प्रमुख दार्शनिक और एंगिल्स का निकट शिष्य था। वह ब्रिटेन में कई वर्ष तक निर्वासित रहा और वहाँ फेबियसवाद से प्रभावित हुआ।

मार्क्स का कथन था कि परस्पर प्रतियोगिता और आर्थिक संकटों के कारण पूँजीवादी तथा मध्यमवर्ग संकुचित होता जायगा और मजदूर वर्ग निर्धन, विस्तृत, संगठित तथा क्रांतिकारी बनता जाएगा जिससे शीघ्र ही समाजवाद की स्थापना संभव हो सकेगी। स्थिति इसके विपरीत थी, जिसको बर्नस्टाइन ने स्वीकार किया और इस आधार पर उसने क्रांतिकारी कार्यक्रम के स्थान में तात्कालिक समाजसुधार और समाजवाद की सफलता के लिये वर्गसंघर्ष के स्थान में श्रेणीसहयोग तथा संसदात्मक और संवैधानिक मार्ग पर जोर दिया। वह मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्थान पर नैतिक तथा अनार्थिक (non-economic) तत्त्वों के प्रभाव को भी स्वीकार करने लगा। बर्नस्टाइन को विचारों को पुनरावृत्तिवाद का नाम दिया गया। यद्यपि जर्मन मजदूर प्रांदोलन व्यवहार में सुधारवादी रहा तथापि कार्ल कोटस्की (Karl Kautsky १८५४-१९३८) के नेतृत्व में उसने बर्नस्टाइन के संशोधनों को अस्वीकार करके मार्क्स के विचारों में विश्वास प्रकट किया।

**समूहवाद** अथवा अराजकतावाद — फेबियसवादी और पुनरावृत्तिवादी विचारक समाजवाद की स्थापना के लिये राज्य को आवश्यक समझते हैं। साम्यवादी विचारक भी सक्रमण काल के लिये ऐडम की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। अतः इनको समूहवादी (Collectivist) कहा जाता है। अराजकतावादी विचारक भी पूँजीवाद विरोधी और समाजवाद के समर्थक हैं, परंतु वे राज्य, राजनीति और धर्म को शोषणव्यवस्था का समर्थक मानते हैं और आरंभ में ही इनका अंत कर देना चाहते हैं। अराजकतावाद जीवन और आचरण का एक सिद्धांत है जो शासनविहीन समाज की कल्पना करता है। यह समाज के ऐक्य की स्थापना शासन और कानून द्वारा नहीं, वरन् व्यक्ति तथा स्थानीय और व्यावसायिक समूहों के स्वतंत्र समझौते द्वारा करना चाहता है। इस विचार के अनुसार उपयुक्त समूहों द्वारा उत्पादन, वितरण आदि की अनेक मानव आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं।

अराजकता शब्द के फ्रांसीसी रूपांतर का प्रयोग पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के समय (१७८९) उन क्रांतिकारियों के लिये किया गया था जो मार्मों की जमीन को जब्त करके किसानों में बाँटना और धनिकों की धाय को सीमित करना चाहते थे। तत्पश्चात् सन् १८४० में फ्रांसीसी विचारक प्रूधो (Proudhon) ने अपनी पुस्तक "संपत्ति क्या है?" में इस शब्द का प्रयोग किया। सन् १८७१ के बाद जब अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ में फूट पड़ी तब मार्क्स के संघवादी विरोधियों को अराजकतावादी कहा गया। धार्मिक भाषा में आतंकवाद और अराजकतावाद पर्यायवाची शब्द हैं; परंतु वस्तुतः दार्शनिक अराजकतावादी केवल राजकीय दमन के विरुद्ध ही आतंक और क्रांतिकारी उपायों के पक्ष में हैं।

संसार का प्रथम भराजकतावादी विचारक चीनी दार्शनिक लाओ त्से (Lao Tse) माना जाता है। प्राचीन यूनान के विचारक अरिस्टीप्पस (Aristippus) और जीनो (Zeno) के दर्शन में भी इन विचारों का पुट है। ब्रिटेन का गोडविन (Godwin) और फ्रांसीसी प्रुधों राज्य और उसकी शासनसंस्थाओं—न्यायालय आदि का विरोध करते थे। प्रुधों के अनुसार संपत्ति चोरी का माल है। वह श्रम के माध्यम पर परम विनमय, और लेनदेन में एक प्रतिष्ठत सुद की दर के पक्ष में था। (दे० भराजकतावाद)

इस सबब में इस के तीन भराजकतावादियों के विचार महत्वपूर्ण हैं। बाकुनिन (Bakunin) क्रांतिकारी भराजकतावादी था, प्रिस क्रॉपोटकिन (Kropotkin १८४२-१९२१) वैज्ञानिक भराजकतावादी तथा लिओ टाल्स्टाय (Leo Tolstoy) ईसाई भराजकतावादी। बाकुनिन राज्य को एक प्रावश्यक दुर्गुण और पिछड़ेपन का चिह्न तथा संपत्ति और शोषण का पोषक मानता था। राज्य व्यक्ति की स्वाधीनता, उसकी प्रतिभा और क्षमता, उसके विवेक और नैतिकता को सीमित करता है। इस प्रकार भराजकतावाद व्यक्तिवाद की चरम सीमा है। बाकुनिन क्रांतिकारी मार्ग द्वारा राज्य और उसकी संस्थाओं पुलिस, जेल, न्यायालय आदि का अंत कर स्वतंत्र स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के पक्ष में था। ये समुदाय पारस्परिक सहयोग के लिये अपना राष्ट्रीय संघ स्थापित कर सकते थे। कूसो और कांट (Kant) भी इसी प्रकार के स्वतंत्र समुदायों और संधी के समर्थक थे।

क्रॉपोटकिन ने वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध किया कि समाज का विकास स्वतंत्र सहयोग की ओर है। शिल्पिक उन्नति के कारण मनुष्य बहुत कम श्रम द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा और शेष समय स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक, अतः सहयोगी प्राणी है। स्वतंत्रता और सहयोग की बुद्धि के साथ साथ राज्य की आवश्यकता कम हो जाएगी।

टाल्स्टाय भी राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी था, परंतु वह हिंसात्मक तथा क्रांतिकारी मार्ग का पोषक नहीं बरन् ईसाई और अहिंसात्मक तरीकों का समर्थक था। वह बुद्धिसंगत ईसाई था, अंधविश्वासी नहीं। गांधीजी के विचारों पर टाल्स्टाय की गहरी छाप है।

भराजकतावादियों का विचार है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है और यदि उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण न रहे तो वह समाज में शान्तिपूर्वक रह सकता है। राज्य के रहते हुए मनुष्य का बौद्धिक, नैतिक और रागात्मक विकास संभव नहीं। इनके अनुसार राजकीय समाजवाद (समूहवाद) नौकरशाहीवाद और राजकीय पूंजीवाद है। ये युद्ध और सैन्यवाद (militarism) के विरोधी और विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं।

भराजकतावाद से बुद्धिजीवी और मजदूर, दोनों ही प्रभावित हुए हैं। अनेक लेखक और दार्शनिकों ने स्वाधीनता संबंधी विचारों को स्वीकार किया है। इनमें जॉन स्टुवार्ट मिल, हरबर्ट स्पेंसर, हैरोल्ड लास्की, और बर्ट्रेण्ड रसल के नाम मुख्य हैं। इस विचारधारा के बुद्धिजीवी समर्थक फ्रांस, स्पेन, इटली, रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य

अमरीका आदि अनेक देशों में पाए जाते थे, परंतु फ्रांस और ब्रिटेन के मजदूर आंदोलनों ने भी इन विचारों को संशोधित रूप में स्वीकार किया। इसके फ्रांसीसी स्वरूप का नाम सिंडिकवाद (Syndicalism) और ब्रिटिश का गिल्ड समाजवाद (Guild Socialism) है।

सिंडिकवाद और गिल्ड समाजवाद का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं के आरंभ में हुआ। उस समय तक मजदूरों का विश्वास फेबियस और पुनरावृत्तिवाद में कम होने लगा था। लोक-तंत्र मजदूरों की समस्याएँ सुलझाने में असफल रहा, आर्थिक संकट विकट रूप धारण करने लगा और युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। साथ ही मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, उनका संगठन मजबूत हुआ और वे अपनी माँगों को पूरा कराने के लिये बड़े पैमाने पर हड़ताल करने लगे। इन परिस्थितियों में संसदात्मक और संवैधानिक तरीकों के स्थान में मजदूर वर्ग को सक्रिय विरोध के सिद्धांतों की आवश्यकता हुई। इस कमी को उपयुक्त विचारधाराओं ने पूरा किया।

सिंडिकवाद अन्य समाजवादियों की भांति समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में है परंतु भराजकतावादियों की तरह वह राज्य का अंत कर स्थानीय समुदायों के हाथ में सामाजिक नियंत्रण चाहता है। वह इस नियंत्रण को केवल उत्पादक वर्ग (मजदूर) तक ही सीमित रखना चाहता है। भराजकतावादियों की भांति सिंडिकवादी भी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संधी के समर्थक और राज्य, राजनीतिक दल, युद्ध और सैन्यवाद के विरोधी हैं।

ध्येय की प्राप्ति का सिंडिकवादी मार्ग क्रांति है, परंतु इस क्रांति के लिये भी वह राजनीतिक दल को अनावश्यक समझता है क्योंकि इसके द्वारा मजदूरों की क्रांतिकारी इच्छा के कमजोर हो जाने का भय है। इसका हड़तालों में अटूट विश्वास है। सोरेल के अनुसार ईसाई पौराणिक पुनरुत्थान (Resurrection) की भांति यह भी मजदूरों पर जादू का असर करती है और उनके अंदर ऐक्य और क्रांति की भावनाओं को प्रोत्साहन देती है। ये विचारक मशीनों की लोड़फोड़, बाइकाट, पूंजीपति की पैदावार को बदनाम करना, काम टालना आदि के पक्ष में भी हैं। अंत में एक आम हड़ताल द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर ये सिंडिकवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं।

इन विचारों से अनेक लातीनी (Latin) देश फ्रांस, इटली, स्पेन, मध्य और दक्षिण अमरीका प्रभावित हुए हैं। इनका असर संयुक्त राज्य अमरीका में भी था, परंतु वहाँ विकेंद्रीकरण पर जोर नहीं दिया गया क्योंकि उस देश में बड़े पैमाने के उद्योग एक वास्तविकता थे। इसी विचारक प्रिस क्रॉपोटकिन ने इससे प्रेरणा प्राप्त की और ब्रिटेन ने इसको संशोधित रूप में स्वीकार किया।

गिल्ड (संघ) समाजवाद — गिल्ड समाजवाद सिंडिकवाद की प्रतिलिपि मात्र नहीं, उसका ब्रिटिश परिस्थितियों में अनुकूलन (adaptation) है। गिल्ड समाजवाद के ऊपर स्वाधीनता की परंपरा और फेबियसवाद का भी प्रभाव है। इसका नाम यूरोप के मध्यकालीन व्यावसायिक संघ (गिल्ड) संगठनों से लिया गया है। उस समय ये संघ आर्थिक और सामाजिक जीवन पर हावी थे और विभिन्न संधी के प्रतिनिधि अगरो का शासन चलाते थे। गिल्ड

समाजवादी उपर्युक्त संघ व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करते थे। वे राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग संघों में लोकतन्त्रात्मक सिद्धांत और स्वायत्तशासन स्थापित करना चाहते थे। ये विचारक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से संतुष्ट नहीं क्योंकि इससे नौकरशाही का भय है परंतु वे राज्य का अंत भी नहीं करना चाहते। राज्य को अधिक लोकतन्त्रात्मक और विकेंद्रित करने के बाद वे उसको देशरक्षा और भोक्ता (consumer) के हितसाधन के लिये रखना चाहते हैं। उनके अनुसार राजकीय संसद् में केवल क्षेत्रीय ही नहीं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। वे राज्य और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण चाहते हैं अतः सिडिकवाद के निकट हैं, परंतु राज्य-विरोधी न होने के कारण इनका अन्तःसमुहवाद की ओर भी है। ये असफलता के भय से क्रांतिकारी मार्ग को स्वीकार नहीं करते लेकिन केवल वैधानिक मार्ग को भी अपमानित समझते हैं, और मजदूरों के सक्रिय आंदोलन, हड़ताल आदि का भी समर्थन करते हैं।

प्रथम महायुद्ध के पूर्व और उसके बीच में इस विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। युद्ध के समाप्त मजदूरों ने रक्षा-उद्योगों पर नियंत्रण की मांग की और उसके बाद मजदूर संघों ने स्वयं मकान बनाने के ठेके लिए, परंतु कुछ काल बाद सरकारी सहायता न मिलने पर ये प्रयोग असफल हुए। गिल्ड समाजवाद के प्रमुख समर्थकों में आर्थर पेंटी (Arther Penty), हॉब्सन (Hobson), ऑरेंज (Orange) और कोल (Cole) के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रिटेन का मजदूर दल और मजदूर आंदोलन इस विचारधारा से विशेष प्रभावित हुए हैं।

साम्यवाद — प्रथम महायुद्ध संसार के समाजवादी आंदोलन के लिये एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक ओर तो इसके आरंभ होते ही समाजवादी आंदोलन और उनका अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रायः छिन्न-भिन्न हो गया और दूसरी ओर इसके बीच रूस में बोल्शेविक (अक्टूबर—नवंबर १९१७) क्रांति हुई और संसार में प्रथम सफल समाजवादी राज्य की नींव पड़ी जिसका संसार के समाजवादी आंदोलन पर गहरा असर पड़ा। प्रथम महायुद्ध के पूर्व समाजवादी दलों का मत था कि पूंजीवादी व्यवस्था ही युद्धों के लिये उत्तरदायी है और यदि विश्वयुद्ध आरंभ हुआ तो प्रत्येक समाजवादी दल का कर्तव्य होगा कि वह अपनी पूंजीवादी सरकार की युद्धनीति का विरोध करे और गृहयुद्ध द्वारा समाजवाद की स्थापना के लिये प्रयत्नशील हो। परंतु ज्यों ही युद्ध आरंभ हुआ, रूस और इटली के समाजवादी दलों को छोड़कर शेष सब दलों के बहुमत ने अपनी सरकारों की नीति का समर्थन किया। समाजवादियों के केवल एक नगण्य अल्पमत ने ही युद्ध का विरोध किया और प्रागे चलकर इनमें से कुछ लेनिन और उसके साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय संगठन के समर्थक बने। परंतु विभिन्न देशों के समाजवादी आंदोलनों की परस्पर विरोधी युद्धनीति के कारण उनका ऐक्य खत्म हो गया।

बोल्शेविक दल रूस के कई समाजवादी दलों में से एक था। १९१७ की विशेष परिस्थितियों में इसकी सफलता प्राप्त हुई। रूसी समाजवाद की पार्श्वभूमि अन्य यूरोपीय समाजवादों की स्थिति से विन्न थी। रूसी साम्राज्य यूरोप के अग्रणी देशों से उद्योग संघों

में पिछड़ा हुआ था, अतः यहाँ मजदूर वर्ग बहुसंख्यक और अधिक प्रभावशाली न हो सका। यहाँ लोकतन्त्रात्मक शासन और व्यक्तिगत स्वाधीनताओं का भी अभाव था। रूसी बुद्धिजीवी और मध्यमवर्ग इनके लिये इच्छुक था पर जागरूक नौकरशाही दमननीति के कारण इनकी प्राप्ति का वैधानिक मार्ग अवकृद्ध्यप्राय था। इन परिस्थितियों से प्रभावित वहाँ के प्रथम समाजवादी रूस के ग्रामीण कम्यून (समुदाय) को अपने विचारों का आधार मानते थे तथा क्रांतिकारी मार्ग द्वारा जागरूक नौकरशाही का नाश लोकतन्त्रवाद की सफलता के लिये प्रथम सोपान समझते थे। उन विचारकों में हजें (Huzen), लावरोव (Lavrov), चर्नोशेव्सकी (Chernishevsky) और बाकुनिन (Bakunin) मुख्य हैं। इनसे प्रभावित होकर अनेक बुद्धिजीवी क्रांति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार नारोदिक (Narodnik) जन आंदोलन की नींव पड़ी तथा नारोदिया बोल्या (Narodnya Volya, जनेच्छा) संगठन बना। सन् १९०१ में इसका नाम सामाजिक क्रांतिकारी दल (Social Revolutionary Party) रखा गया। सन् १९१७ की बोल्शेविक क्रांति के समय तक यह रूस का सबसे बड़ा समाजवादी दल था, परंतु इसका प्रभावशाली अधिकांशतः ग्रामीण जनता थी। इसके वाम पक्ष ने बोल्शेविक क्रांति का समर्थन किया।

दूसरी समाजवादी विचारधारा, जिसमें बोल्शेविक दल भी संमिलित था, रूसी सामाजिक लोकतन्त्रवादी मजदूरदल (Russian Social Democratic Labour Party, R. S. D. L. P.) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रभाव मुख्यतः नागरिक मजदूर वर्ग में था। रूस में उद्योग कम थे, परंतु बड़े पैमाने के थे और अपेक्षया अधिक मजदूरों को नौकर रखते थे। अतः इन मजदूरों में राजनीतिक चेतना और संगठन अधिक था। लोकतन्त्र के अभाव में मजदूरों का संघर्ष करना कठिन था, इसलिये मजदूर वर्ग क्रांतिकारी प्रभाव में आ गया और जर्मनी जैसी परिस्थितियों के कारण वहाँ के अधिकांश मजदूर नेता भी मार्क्सवाद तथा जर्मनी के सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल से प्रभावित हुए। सन् १८७० के लगभग एक्सल-रोड (Axelrod) और प्लेखानोव (Plekhanov) ने पीटर्सबर्ग (बाद में लेनिनग्राड) में प्रथम मजदूर मसूहा स्थापित किए जो प्रागे चलकर १८९८ में रूसी सामाजिक लोकतन्त्रवादी मजदूर पार्टी का आधार बने।

रूसी सामाजिक लोकतन्त्रवादी मजदूर पार्टी के नेता कट्टर मार्क्सवादी थे, अतः उन्होंने पुनरावृत्तिवाद को अस्वीकार किया और मार्क्सवाद को विकसित कर रूसी परिस्थितियों में लागू किया। मजदूरों की रहन सहन के स्तर में उन्नति हुई थी, इस सत्य को न मानना कठिन था, परंतु प्लेखानोव ने सिद्ध किया कि नई मशीनों के प्रयोग और मजदूरों में अपेक्षया वृद्धि न होने के कारण पूंजीवादी शोषण की दर बढ़ती जा रही है। बुखारिन (Bukharin) का तर्क था कि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के शोषण द्वारा अपने अमजदूरी वर्ग को संतुष्ट रख पाते हैं। ट्राट्स्की आदि ने कहा कि पूंजीवाद का संकट सर्वव्यापी हो गया है और इस स्थिति में यह संभव है कि क्रांति पश्चिम यूरोप के अग्रणी देशों में न होकर अपेक्षाकृत पिछड़े देशों में, जहाँ साम्राज्यवादी कड़ी सबसे कमजोर है, वहाँ हो। कुछ विचारकों ने सर्वप्रथम समाजवादी क्रांति का

स्थान कम को बतलाया। ट्रास्टकी और लेनिन का मत था कि समाजवादी क्रांति उसी समय सफल हो सकती है जब वह कई देशों में एक साथ फैले, स्थायी क्रांति के बिना केवल एक देश में समाजवाद की स्थापना कठिन है। बाद में लेनिन और स्टालिन ने इस सिद्धांत में संशोधन कर एकदेशीय समाजवाद के आधार पर सोवियत सत्ता का निर्माण किया। निकोलाई लेनिन ने उपयुक्त विचारों का समन्वय करके बोल्शेविक दल का संगठन और प्रकटूबर (नवंबर) क्रांति का नेतृत्व किया।

सन् १९०३ की लंदन कांफेंस में रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर दल ने अपने समाजवादी आदर्श को स्पष्ट किया, परंतु इसी वर्ष दल के अंदर दो विचारधाराएँ सामने आईं और कालांतर में उन्होंने दो दलों का रूप धारण किया। इस कांफेंस में उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, उपनिवेशों का आत्मनिर्णय का अधिकार, ध्येय की प्राप्ति का क्रान्तिकारी मार्ग और क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही—इस नीति को स्वीकार किया गया, परंतु दल के संगठन के संबंध में नेताओं में मतभेद हो गया। प्रश्न था कि दल की सदस्यता केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित हो अथवा आदर्शों को स्वीकार करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी हो और क्या केंद्रीय समिति को दल की शाखाओं के अंग करने और उनके स्थान में नई शाखाओं की नियुक्ति करने का अधिकार हो? लेनिन एक फौजी अनुशासनवाले सुव्यवस्थित दल के पक्ष में था और कांफेंस में उसका बहुमत था, अतः इस धारा का नाम बोल्शेविक (बहुमत) पडा, और दूसरी धारा मेन्शेविक (अल्पमत) कहलाई। आगे चलकर इन दलों के बीच और भी मतभेद उपस्थित हुए। मेन्शेविक दल पहले जारशाही का अंत कर पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति करना चाहता था और इस क्रांति में वह पूंजीवादी दलों के वाम पक्ष से सहयोग करना चाहता था, परंतु १९०५ की क्रांति के बाद लेनिन और उसके साथी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाजवादी क्रांति के अग्र के कारण पूंजीवाद प्रतिक्रियावादी हो गया है, अतः वह पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति का नेतृत्व करने में भी असमर्थ है। इसलिये इस क्रांति का नेतृत्व भी केवल सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है और इस क्रांति को सर्वहारा क्रांति के साथ मिलाकर जारशाही के बाद एकदम समाजवाद की स्थापना संभव है। क्रांति में किसानों का सहयोग प्राप्त करने के लिये लेनिन सामंतवादी जमीन को किसानों में बाँटने के पक्ष में था, मेन्शेविक उसका तुरंत समाजीकरण करना चाहते थे। बोल्शेविक दल ने प्रथम महायुद्ध का विरोध किया और समाजवाद की स्थापना के लिये गृहयुद्ध का नारा दिया। युद्ध से अस्त जनता और विशेषकर रूसी सैनिकों ने इस नीति का स्वागत किया, परंतु मेन्शेविकों ने युद्ध का विरोध नहीं किया और फरवरी मार्च (१९१७) की क्रांति के बाद उन्होंने सरकार में शामिल होकर युद्ध जारी रखा। सन् १९१७ की प्रकटूबर क्रांति में लेनिन के विचारों और बोल्शेविक संगठन की विजय हुई।

सन् १९७१ की पेरिस सम्मेलन के बाद सन् १९१७ में प्रथम स्थायी समाजवादी राज्य—सोवियत समाजवादी गणराज्य अंत

की स्थापना हुई। इस राज्य में उत्पादन के साधनों—उद्योग वने, व्यापार, विनियम, भूमि आदि—का राष्ट्रीयकरण किया गया और शोचक वर्ग की आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का अंत कर दिया गया। देश के अंदर, आरंभ में किसान, मजदूर और सैनिकों के प्रतिनिधियों की मिलीजुली सोवियतों के हाथ में शासन था, परंतु सन् १९३६ के संविधान के अनुसार एक द्विसदनात्मक संसद् की स्थापना हुई। इसके ऊपरी सदन का चुनाव सोवियत देश के विभिन्न गणराज्यों द्वारा होता है तथा निम्न सदन के सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं। परंतु सोवियत देश एकदलीय राज्य है, वहाँ राजकीय शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में है। किसी दूसरे दल को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं।

प्रकटूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक दल ने अपना नाम साम्यवादी दल रखा और सन् १९१९ में उसने एक दूसरा साम्यवादी घोषणापत्र (प्रथम घोषणापत्र मार्क्स और एंगिल्स ने सन् १८४७-४८ में लिखा था) प्रकाशित किया जिसके आधार पर एक नए अंतर-राष्ट्रीय आंदोलन—साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय—की स्थापना हुई, और उसकी सहायता से विभिन्न देशों में साम्यवाद का प्रचार आरंभ हुआ।

लेनिन के विचारों को साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन (Joseph Stalin) माओत्सेतुंग (Mao Tse tung) निकिता ख्रुश्चोव (Nikita Khrushchov) तथा विभिन्न देशों के साम्यवादी नेताओं ने इन विचारों की व्याख्या और उनका विकास किया है। ये सभी विचार साम्यवाद की कोटि में आते हैं। स्टालिन के विचारों में उसका उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार, नियोजित अर्थव्यवस्था अर्थात् पंचवर्षीय आदि योजनाएँ तथा सामूहिक और राजकीय स्वामित्व में खेती मुख्य हैं।

द्वितीय महायुद्ध के बीच और उसके बाद सोवियत सेनाओं की सफलता तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण संसार में समाजवाद (साम्यवाद सहित) का प्रभाव बढ़ा है। युद्ध का अंत होने तक न केवल पूर्वी यूरोप सोवियत प्रभावक्षेत्र बन गया, वरन् सन् १९४८ ई० तक इनमें से अधिकांश देशों में साम्यवादी राज्य स्थापित हो गए। एशिया में भी चीन जैसे विशाल देश में साम्यवाद सफल हुआ, और सोवियत तथा जनवादी चीनी गणराज्य के अभाव में उत्तरी एशिया और उत्तरी वियतनाम के शासन साम्यवादी प्रभाव में आ गए। साम्यवाद का अंतर सभी देशों में बढ़ा है। फ्रांस, इटली और हिंदएशिया जैसे देशों में शक्तिशाली साम्यवादी दल हैं। परंतु साम्यवाद के अंतर ने उस आंदोलन के सामने कई सिद्धांतिक और व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं—

(i) मार्क्सवाद लेनिनवाद की धारणा थी कि साम्यवादी स्थापना क्रांति द्वारा ही संभव है परंतु युगोस्लाविया और अल्बानिया को छोड़ कर शेष पूर्वीय यूरोप में युद्धकाल में साम्यवादी दलों का अस्तित्व नहीं के बराबर था और बाद में भी चेकोस्लोवाकिया को छोड़ कदाचित् किसी भी देश में इनका बहुमत नहीं था। पूर्वी यूरोप और उत्तरी कोरिया में से अधिकांश देशों में साम्यवादी शासनों की स्थापना क्रांति द्वारा नहीं, सोवियत प्रभाव द्वारा हुई।



(ii) दूसरी समस्या साम्यवादी आंदोलन के नेतृत्व और साम्यवादी दलों के पारस्परिक संबंधों की थी। साम्यवादी विचारकों का साम्यवाद की विश्वव्यापकता में विश्वास है। जब तक साम्यवाद केवल एक देश तक सीमित था, साम्यवादी आंदोलन साधारणतः सोवियत नेतृत्व को स्वीकार करता रहा। उस समय भी माओ जैसे विचारकों का स्टालिन से मतभेद था परंतु अविभाजित साम्यवादी दल और नेता साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय के अनन्य भक्त थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह एकता संभव न हो सकी।

साम्यवादी यूगोस्लाविया का शासक जोसिप ब्रोजोविट टीटो ( Josip Brozovich Tito, १८९२ ) और उसके अन्य साम्यवादी साथी सोवियत नेतृत्व को चुनौती देने में प्रथम थे। यूगोस्लाविया बहुत कुछ अपने प्रयत्नों से स्वतंत्र हुआ था अतः उसके अंदर स्वाभिमान की भावना थी। वह पूर्व यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों की भाँति सोवियत प्रभाव से घिरा हुआ भी न था। यूगोस्लाव पक्ष का कहना था कि सोवियत सरकार उनकी औद्योगिक उन्नति में बाधक है तथा उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती है। उनके ये साँछन बाद में सत्य सिद्ध हुए परंतु उस समय टीटोवाद को पुनरावृत्तिवाद, ट्राट्स्कीवाद अथवा साम्राज्यवाद का पिटू कहा गया। सिद्धांत के स्तर पर टीटोवाद ने राष्ट्रीय साम्यवाद, शक्ति के विकेंद्रिकरण, किसानों द्वारा भूमि का निजी स्वामित्व, राज्य और नौकरशाही के स्थान में उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण तथा साम्यवादी दल और देश के अंदर अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीनता पर जोर दिया। टीटो के इन विचारों का प्रभाव पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों पर भी पड़ा है।

साम्यवादी देशों के बीच समानता की भाँति को स्वीकार करके स्टालिन ने टीटोवाद को अक्षत स्वीकार किया, परंतु साथ ही उसने लेनिन स्टालिनवाद में भी कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। लेनिन का विचार था कि जब तक साम्राज्यवाद का अंत नहीं होता संसार में युद्ध होते रहेंगे, परंतु स्टालिन के अनुसार इस समय प्रगति की शक्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि विश्वयुद्ध को रोका जा सकता है और पूँजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाओं के बीच शांतिमय सहअस्तित्व संभव है। वह यह भी कहता है कि इन परिस्थितियों में समाजवाद की स्थापना का केवल क्रान्तिकारी माग ही नहीं है, वरन् विभिन्न देशों में अलग अलग समाजवादी दलों द्वारा विकासवादी और शांतिमय तरीकों से भी उसकी स्थापना संभव है। सोवियत साम्यवाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण की ओर बढ़ रहा है और राज्य के विघटन पर भी जोर नहीं देता।

अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद पर उपर्युक्त विचारपरिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा है। टीटो के विद्रोह के बाद पूर्व यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों ने भी सोवियत प्रभाव से स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया है। चीनी साम्यवादी स्टालिन के संशोधनों को अस्वीकार करते हैं और सोवियत तथा चीन के बीच सैद्धांतिक ही नहीं सैन्य संबंध भी विकट रूप धारण करता जा रहा है। संसार के लगभग सभी साम्यवादी दल सोवियत और चीनी विचारधाराओं के आधार

पर विभक्त होते जा रहे हैं। कुछ विचारक राष्ट्रीय साम्यवादी दलों की सैद्धांतिक और संगठनात्मक स्वतंत्रता पर भी जोर देते हैं। इस प्रकार साम्यवादी विचारों और आंदोलन की एकता और अंतरराष्ट्रीयता का ह्रास हो रहा है।

प्रथम महायुद्ध के बाद साम्यवाद की ही नहीं लोकतंत्रात्मक समाजवाद की भी प्रगति हुई है। दो महायुद्धों के बीच ब्रिटेन में अल्पकाल के लिये दो बार मजदूर सरकारें बनीं। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी और आस्ट्रिया में समाजवादी शासन स्थापित हुए; फ्रांस और स्पेन आदि देशों में समाजवादी दलों की शक्ति बढ़ी। परंतु शीघ्र ही इनकी प्रतिक्रिया भी आरंभ हुई। सन् १९२२ में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट शासन स्थापित किया। फासिज्म मजदूर और समाजवादी आंदोलनों का शत्रु और युद्ध और साम्राज्यवाद का समर्थक है। वह पूँजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं करता। नात्सीवाद के मूल सिद्धांत फासिज्म से मिलते जुलते हैं। इस विचारधारा का प्रचारक एडोल्फ हिटलर था। सन् १९२९ के आर्थिक संकट के बाद सन् १९३२ में जर्मनी में नात्सी शासन स्थापित हो गया और उसके बाद इस विचारधारा का प्रभाव स्पेन, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस आदि देशों में फैल गया।

द्वितीय महायुद्ध के बीच फासिस्ट विचारों का ह्रास तथा समाजवादी विचारों और आंदोलनों की प्रगति हुई है। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासनों के अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप में कुछ काल के लिये कई देशों में समाजवादी और साम्यवादी दलों के सहयोग से संमिश्रित शासन बने। यूरोप के कुछ अन्य देशों जैसे (ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड) तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों में समय समय पर समाजवादी सरकारें बनती रही हैं। इस काल में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के देशों में भी समाजवादी शासन स्थापित हो चुके हैं। इनमें चीन, बर्मा, हिंद एशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, क्यूबा और इजरायल मुख्य हैं।

भारतीय समाजवाद — भारतवर्ष में आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी महात्मा गांधी हैं, परंतु उनका समाजवाद एक विशेष प्रकार का है। गांधी जी के विचारों पर हिंदू, जैन, ईसाई आदि धर्म और रस्किन, टाल्स्टाय और थोरो जैसे दार्शनिकों का प्रभाव स्पष्ट है। वे औद्योगिकरण के विरोधी थे क्योंकि वे उसको आर्थिक असमानता, शोषण, बेकारी, राजनीतिक तानाशाही आदि का कारण समझते थे। मोक्षप्राप्ति के इच्छुक महात्मा गांधी इंदियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर त्याग द्वारा एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना चाहते थे। प्राचीन भारत के स्वतंत्र और स्वयंप्रति प्रामाण्य गणराज्य गांधी जी के आदर्श थे। नि स्वार्थ सेवा, त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति — इनमें शोधक और कोषित के लिये कोई स्थान नहीं। यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है। ध्येय की प्राप्ति के लिये गांधी जी नैतिक साधनों — सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह—पर जोर देते हैं, हिंसात्मक क्रान्ति पर नहीं। गांधी जी प्रेम द्वारा शत्रु का हृदयपरिवर्तन करना चाहते थे, हिंसा और डेच द्वारा

ससका बिनाश नहीं। गांधीवाद धार्मिक अराजकतावाद है। इस समय विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण गांधीवाद की व्याख्या और उसका प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अम, भू, धाम, संपत्ति आदि के दान द्वारा अहिंसात्मक ढंग से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया है।

भारतवर्ष में दूसरी प्रमुख समाजवादी विचारधारा मार्क्सवादी है। निरंकुश शासन बहुधा राज्यविरोधी, अराजकतावादी और क्रांतिकारी विचारों के पोषक होते हैं। भारतवर्ष में मार्क्सवाद के प्रमुख प्रचारक मानवेंद्रनाथ राय थे। बोलशेविक क्रांति के बाद तुरंत ही व्याप साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय के संपर्क में आए और उसकी ओर से विदेश से ही भारत में साम्यवादी आंदोलन का निर्देशन करने लगे। साम्यवादी आंदोलन पूंजीवाद और उसकी उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद को अपना प्रमुख शत्रु समझता है और उपनिवेशों के स्वाधीनता संग्रामों को प्रोत्साहित करके उसको कमजोर करना चाहता है।

औपनिवेशिक स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में मानवेंद्रनाथ राय के अपने विचार थे। उनका मत था कि भावी समाजवादी क्रांति में औपनिवेशिक क्रांतियों का प्रमुख स्थान होगा। चीनी साम्यवादियों का भी आज यही मत है, परंतु सोवियत विचारकों ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। राय की यह भी धारणा थी कि औपनिवेशिक पूंजीवाद ने साम्राज्यशाही से गठबंधन कर लिया है अतः वह प्रतिक्रियावादी है और क्रांतिकारी दल उसके साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते। यद्यपि साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय ने इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया, तथापि भारतीय साम्यवादियों ने अधिकांशतः इस नीति का अनुसरण किया और बहुधा राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग रहे।

बोलशेविक क्रांति के बाद शीघ्र ही भारत के बड़े नगरों में साम्यवादियों के स्वतंत्र संगठन बने, एक किसान मजदूर पार्टी की स्थापना हुई और सन् १९२४ तक एक अखिल भारतीय साम्यवादी दल का संगठन भी हुआ, परंतु यह दल शीघ्र ही भ्रंश षोषित कर दिया गया। इसके बाद सन् १९३६ से इसकी शक्ति बढ़ी और इस समय यह भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से है।

दूसरा समाजवादी दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी। इसकी स्थापना सन् १९३४ में हुई। भारतीय समाजवादी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आदि नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। परंतु भद्र अवज्ञा आंदोलन (१९३०-३३) की असफलता और सन् १९२९ के आर्थिक संकट के समय पूंजीवादी देशों की दुर्गति तथा इन देशों में फासिज्म की विजय और दूसरी ओर सोवियत देश की आर्थिक संकट से मुक्ति तथा उसकी सफलता, इन सब कारणों से अनेक राष्ट्रभक्त समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। इनमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्रदेव मीशू मसानी, डा० राममनोहर लोहिया, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, युसुक मेहर खली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता उल्लेखनीय हैं। इनका उद्देश्य कांग्रेसी ढंग से समाजवादी ढंग से स्वराज्यप्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना था।

स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त

मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गई, अतः अन्य स्वायत्त और संगठित दलों को कांग्रेस से निकलना पड़ा। इनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी था। उसने कांग्रेस शब्द को अपने नाम से हटा दिया। बाद में आचार्य कृपालानी द्वारा संगठित कृषक मजदूर प्रजापार्टी इसमें मिल गई और इसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया, परंतु डाक्टर राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल का एक अंग इससे अलग हो गया और उसने एक समाजवादी पार्टी बना ली। इस समय प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। किंतु संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वाराणसी अधिवेशन (१९६५) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अलग होकर पुनः अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया। उसी समय अशोक मेहता के नेतृत्व में कुछ प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह समाजवादी विचारधारा सोवियत तानाशाही का विरोध करती है तथा अपने को पार्श्वस्थ देशों के लोकतन्त्रात्मक और विकासवादी समाजवाद के निकट पाती है।

समय समय पर समाजवादी विचारों को स्वीकार करनेवाले कई और दल भी भारत में रहे हैं। साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय से संबंध विच्छेद के बाद एम० एन० राय के समर्थक भारतीय साम्यवादी दल से अलग हो गए। भारतीय बोलशेविक पार्टी, सुभाषचंद्र बोस का फार्वर्ड ब्लाक और क्रांतिकारी समाजवादी दल भी समाजवादी है। कुछ ऐसे समाजवादी दल भी हैं जिनका प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा है जैसे महाराष्ट्र क्षेत्रों की किसान मजदूर पार्टी।

स्वराज्यप्राप्ति के बाद भारतीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से समाजवाद को स्वीकार किया है। उसके पूर्व वह समाजवादी और उसकी विरोधी सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं का एक संयुक्त मोर्चा थी, परंतु उस समय भी वह समाजवादी विचारों से प्रभावित थी। एक प्रकार से उसने कराची प्रस्ताव (१९३१) में कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्वीकार किया था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों (१९३७) के बनने के बाद (सुभाषचंद्रबोस की अध्यक्षता में) एक योजना समिति की नियुक्ति की गई थी; और स्वराज्यप्राप्ति के बाद तुरंत ही वर्गविहीन समाज का विचार सामने आ गया। स्वराज्य के बाद यद्यपि संगठित समाजवादी दल कांग्रेस से अलग हो गए, तथापि उसके अंदर समाजवादी तत्व, विशेषकर उसके सर्वप्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, प्रभावशील रहे, अतः कांग्रेस के आठवीं अधिवेशन (१९५७) में 'समाजवादी ढंग का समाज' और भुवनेश्वर अधिवेशन (१९६४) में लोकतन्त्रात्मक समाजवाद का लक्ष्य स्वीकार किया गया। उसका नियोजित अर्थव्यवस्था, समाज-सुधार, कल्याण राज्य और लोकतंत्र में विश्वास है और उसकी परराष्ट्र नीति पार्श्वस्थ तथा पूर्वी गुटों के शक्ति संघर्ष से अलग रहकर शांति की शक्तियों को मजबूत करने की है।

सं० अं० — कार्लमार्क्स, पूंजी (Capital); फ्रेडरिक एंगेल्स, एंटी ड्युहरिंग (Anti Duhring); फेबियन निबंध (Fabian Essays); एच० डब्ल्यू लेडरर, (Social Economic Movements); अल्बर्ट रीच सेलिन, (Selected

works. जी० डी० एच० कोल, The Meaning of Marxism-  
गोपीनाथ चावन Political Philosophy of Mahatma Gandhi.

[ भा० रा० ]

**समाजवादी इंटरनेशनल** दुनिया के लोकतांत्रिक समाजवादी दलों का संघ है जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। इसका मूल ध्येय मनुष्य द्वारा मनुष्य के तथा राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण का अंत करना और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सभी महाद्वीपों के मजदूर तथा लोकतांत्रिक समाजवादी दल इसमें हैं और अपनी अपनी राष्ट्रीय तथा अंतर-राष्ट्रीय नीति में स्वाधीन हैं तथा किसी एक मतवाद अथवा पथ के अनुयायी नहीं हैं। यह इंटरनेशनल अपने सदस्यों में पारस्परिक संबंधों को दृढ़ करने और सहमति के आधार पर उनकी राजनीतिक अभिवृत्तियों को समन्वित करने का प्रयत्न करता है और साम्राज्य-विरोधी तथा पूंजीवाद विरोधी होने के साथ साम्यवाद विरोधी भी है। प्रथम और द्वितीय इंटरनेशनल के उत्तराधिकारी के रूप में इसने सन् १९६४ में अपनी जन्मशती मनाई।

**प्रथम इंटरनेशनल** — यूरोप में मशीनी उद्योग तथा पूंजीवाद के उदय के साथ औद्योगिक मजदूरों के संघ और समाजवादी विचार-धारा का उदय हुआ और वहाँ के अनेक समाजवादी विचारकों तथा मजदूर नेताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समाजवादी संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। सन् १८४७ में कम्युनिस्ट लीग की स्थापना एक ऐसे ही प्रयास का फल थी। इतिहास प्रसिद्ध 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' कार्ल मार्क्स और फ्रीड्रिख एंगेल्स ने इसी कम्युनिस्ट लीग के लिये तैयार किया था। किंतु तत्कालीन क्रांति के प्रयासों की विफलता के साथ यह संगठन जल्दी ही निःशेष हो गया। सन् १८६२ में फ्रांस और ब्रिटेन के मजदूर नेता लंदन में इकट्ठे हुए। उनकी चिंता यह थी कि यूरोप की कुछ सरकारों ने मजदूर हड़तालों को तोड़ने के लिये विदेशी मजदूरों का इस्तेमाल किया था। यहाँ उन्होंने फैसला किया कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जाय। फलतः सन् १८६४ में लंदन में एकत्र हुए यूरोपीय देशों के मजदूर नेताओं तथा समाजवादी विचारकों के एक सम्मेलन में श्रमिक अंतरराष्ट्रीय संघ ( वर्किंग मैन इंटरनेशनल असोसिएशन) स्थापित हुआ जिसे सामान्यतः प्रथम इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है।

प्रथम इंटरनेशनल की शाखाएँ जल्दी ही यूरोप के विभिन्न देशों में स्थापित हो गईं। इस इंटरनेशनल के उद्देश्य और नियम कार्ल मार्क्स ने तैयार किए थे और जान बूझकर इसलिये नरम रखे गए थे कि संगठन को व्यापक रूप दिया जा सके। सन् १८७१ में पेरिस कम्यून का विफल हुआ जिसका प्रथम इंटरनेशनल के कुछ नेताओं ने जोरदार समर्थन किया। परंतु विद्रोह अंत में विफल हो गया जिससे इंटरनेशनल को भारी धक्का लगा। ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सहयोग देना बंद कर दिया। उधर धराजकतावादी माइकेल बुकानिन तथा कार्ल मार्क्स के मतभेद और भगड़ों के कारण इंटरनेशनल बहुत कमजोर हो चुका था और अंत में सन् १८७६ में वह समाप्त हो गया।

११-६०

**द्वितीय इंटरनेशनल** — सन् १८८९ में 'समाजवादी इंटरनेशनल' के नाम से स्थापित हुआ, किंतु इसका विधिवत् संगठन सन् १९०० में हुआ। इसे आम तौर से द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। द्वितीय इंटरनेशनल के नियामक षटक समाजवादी तथा मजदूर ( राजनीतिक ) दल थे जो इस बीच यूरोप के अनेक देशों में गठित हो गए थे। समाजवादी इंटरनेशनल समान हित तथा रुचि के मसलों पर विचार करनेवाला एक मंच था जिसके सदस्य अपनी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नीतियों में पूर्णतः स्वाधीन थे और इंटरनेशनल द्वारा नियंत्रित नहीं थे। युद्ध रोकना और बड़े राष्ट्रों में युद्ध शुरू हो जाने की दशा में अपने अपने देश में व्यापक संघर्ष तथा विप्लव द्वारा सत्ता हस्तगत करना, सन् १९१४ तक इंटरनेशनल के विचार का मुख्य विषय बना हुआ था। फिर भी यह इंटरनेशनल मत-वैभिन्य के कारण कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाया। उसके स्वीकृत प्रस्ताव युद्ध रोकने तथा शांति बनाए रखने के संकल्प तक सीमित रहे। जब प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के अधिकांश समाजवादी दलों ने युद्ध में अपनी अपनी सरकारों का साथ दिया। युद्धकाल में द्वितीय इंटरनेशनल सर्वथा निष्क्रिय रहा। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, सन् १९१८ में जब द्वितीय इंटरनेशनल को मजदूर तथा समाजवादी इंटरनेशनल के नाम से पुनर्गठित किया गया तो लेनिनवादी-मार्क्सवादी दल उसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने लेनिन के नेतृत्व में तृतीय इंटरनेशनल कायम किया। सन् १९३९ में दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने पर द्वितीय इंटरनेशनल फिर निष्क्रिय हो गया। युद्ध समाप्त होने पर, रूस के प्रभाव में आए पूर्वी यूरोप के समाजवादी दलों की विषम स्थिति के कारण, द्वितीय इंटरनेशनल को पुनरुत्थित नहीं किया गया और सन् १९४६ में उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सन् १९४८ में 'कोमिन्को' नाम से लोकतांत्रिक समाजवादी दलों का एक नया समाजवादी अंतरराष्ट्रीय मंच बना जिसे सन् १९५१ में 'समाजवादी इंटरनेशनल' में बदल दिया गया।

**तृतीय इंटरनेशनल** — प्रथम विश्वयुद्ध में यूरोप के अधिकांश समाजवादी दलों ने अपनी युद्धरत राष्ट्रीय सरकारों के साथ सहयोग किया था जिससे मार्क्सवादी तत्व असंतुष्ट थे। उन्होंने युद्धकाल में ही लेनिन के नेतृत्व में अपनी बैठकें की थी और समाजवादी दलों से अपनी युद्धरत सरकारों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति तथा व्यापक विद्रोह करने का आह्वान किया था। सन् १९१७ में रूस में बोलशेविक क्रांति हो गई। फलतः सन् १९१८ में विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने पर लेनिन के नेतृत्व में एक तीसरा इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ( कोमिन्टर्न ) बना जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में समाजवादी क्रांति की अतिरिक्त करना था। यह इंटरनेशनल सन् १९४३ तक स्टालिन और रूस के नेतृत्व में काम करता रहा। दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों का नेतृत्व इस इंटरनेशनल के माध्यम से होता था। दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि गैरकम्युनिस्ट राष्ट्र रूस के साथ थे। अंत में 'मित्र राष्ट्रों' के दबाव के फलस्वरूप तृतीय इंटरनेशनल को सन् १९४३ में अंग कर दिया गया।

**कोमिन्कॉर्म** — दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त होने पर सन् १९४७

में रूस के नेतृत्व में यूरोप के कम्युनिस्ट दलों का एक नया अंतर-राष्ट्रीय मंच 'कोमिनफार्म' के नाम से बना जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के कम्युनिस्ट दलों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। वितु हंगरी के भातिरिक विद्रोह के बाद सन् १९५६ में 'कोमिनफार्म' विघटित कर दिया गया। [ स० प्र० मि० ]

**समाजशास्त्र** धाधुनिक समाजविज्ञानों की शृंखला में समाजशास्त्र यद्यपि सबसे नई कड़ी है वितु उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। समाज के संबंध में मनुष्य ने हमेशा चिंतन किया है। समाज संबंधी गहन मननचिंतन का भंडार भारतीय, चीनी, मिली, यूनानी, अरबी, आदि सभी प्राचीन संस्कृतियों के वाङ्मयों में विद्यमान है और उसके अनुशीलन से आज भी समाजशास्त्री प्रेरणा ग्रहण करते हैं। किंतु ज्ञान की विभिन्न शाखा के रूप में समाजशास्त्र का उदय तभी संभव हुआ जब अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतिकारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण समाज में मुख्यवस्था एवं सुधार की आवश्यकता तीव्रतर होती गई; जब प्राकृतिक विज्ञानों, विशेषकर जैवकीय विज्ञानों का, प्रभाव काफी बढ़ गया; और जब समाजदर्शन, राजदर्शन एवं इतिहास के दर्शन के क्षेत्रों में नई दिशाएँ खोजी जाने लगी। इन सभी शक्तियों ने मिलकर ऐसी भूमि तैयार की जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिये उपयुक्त थी। इस भूमि में धाधुनिक समाजशास्त्र के पीछे का विधिवत् रोपण करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक आउगुस्त कौट (१७०६-१८५७) को है जिन्होंने विज्ञानों के स्वनिर्मित पद्धत में समाजशास्त्र नामक नए विज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तब से समाजशास्त्र निरंतर प्रगति करता रहा है और आज वह अत्यंत व्यापक तथा प्रभावशाली विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। यद्यपि समाजशास्त्र की नींव यूरोप में प्रधानतया फ्रांस, इंग्लैंड तथा जर्मनी में डाली गई थी किंतु उसका विकास तेजी से बीसवीं शती के दूसरे तथा तीसरे दशक से अमरीका में हुआ। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् समाजशास्त्र का प्रसार अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर होने लगा और अब शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन को महत्व न दिया जाता हो। भारत में भी यद्यपि समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत इस शती के दूसरे और तीसरे दशक के दौरान बंबई, कलकत्ता, लखनऊ तथा बनारस में की जा चुकी थी तथापि विश्वविद्यालयों में उसका तीव्र गति से प्रसार, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही संभव हुआ।

समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति तथा विषयक्षेत्र के संबंध में समाजशास्त्रियों में कभी मतभेद नहीं रहा। जबकि एक ओर समाजशास्त्र को 'समाज का वैज्ञानिक अध्ययन' कहकर एक लचीली परिभाषा प्रदान की गई है तो दूसरी ओर उसे 'सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं तथा उनके अंतःसंबंधों का अध्ययन' मानकर एक जटिल संभावनाओं से युक्त परिभाषा में बीघने का प्रयत्न भी किया गया है। पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों में दुर्कैम या होबहाउस ने समाजशास्त्र को एक शीर्षस्थ संश्लिष्ट सामाजिक विज्ञान की भाँति विकसित करने का प्रयास किया तो जिमेल या फियरकांत ने उसे सीमित किंतु शुद्ध तात्त्विक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा।

परवर्ती समाजशास्त्रियों में सोरोकिन या मूर जबकि उच्चस्तरीय समन्वयात्मक प्रथका सकल मानवजाति के विश्वात्मक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो पार्सेस सामाजिक क्रिया द्वारा गठित सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतःसंबंधों के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों के रूप में समाजशास्त्र को विकसित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसी कारण समाजशास्त्र के विषय में अपनी धारणा के अनुसार प्रत्येक प्रमुख समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के विषयक्षेत्र का भी निर्धारण किया है तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्नता स्थापित करनेवाली उसकी विशिष्ट प्रकृति की रूपरेखाएँ प्रस्तुत की हैं। अतएव समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी स्थापनाओं की विविधताओं के कारण समाजशास्त्र की परिभाषा तथा विषयक्षेत्र के निर्धारण की दिशा में कोई अतिम, सर्वमान्य तथा सर्वग्राही दृष्टिकोण उपस्थित करना संभव नहीं है। समाजशास्त्र की मूलभूत सिद्धांतिक तथा विशिष्टास्त्रीय समस्याओं संबंधी विचारमंचन की तीव्रता में कभी कमी नहीं आई है। इस स्थिति के बावजूद समाज के अध्ययन से संबंधित अन्य समाजविज्ञानों से समाजशास्त्र की भिन्नता और विशिष्टता को स्पष्टतया इंगित किया जा सकता है।

अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र की यह विशिष्टता है कि वह सामाजिक जीवन का अध्ययन एक समष्टि के रूप में करता है। वह समाज के किसी एक पक्ष या संस्था मात्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। वह सामाजिक जीवन को एक पूर्णत्व के रूप में देखता है। अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, या विधिशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों का दृष्टिबिंदु प्रधानतया समाज के किसी पहलू में ही केंद्रित रहा है। किंतु समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं तथा उनके अंतःसंबंधों के स्वरूपों, प्रकारों तथा प्रतिक्रियों के अध्ययन में संलग्न होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि के अंतर्गत समाज के विभिन्न संस्थात्मक पक्ष अन्वेष्यभित रूप से अंतःसंबंधित हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा उनके अंतःसंबंधों की समग्रता पर समाजशास्त्र जोर देता है। अतः समाजशास्त्र समाज का अध्ययन एक समग्र संरचना के रूप में करता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक संरचना के इस अध्ययन में समाजशास्त्र समाज के विभिन्न संस्थात्मक पहलुओं के विशिष्ट अध्ययन को महत्व नहीं देता। विशेषीकृत अध्ययन तो समाजशास्त्र के लिये अनिवार्य है ही। इसी आधार पर समाजशास्त्र की अनेक शाखाएँ — यथा परिवार का समाजशास्त्र, आर्थिक जीवन का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र — विकसित हुई हैं। वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन कर उनके विश्लेषण की आवश्यकता सिद्ध की है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसे विशेषीकृत अध्ययनों को एकाकी एवं असंबद्ध संस्थाओं का विवेचन मात्र न मानकर उन्हें सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों में स्थित सामाजिक रचनाओं के अंगों के रूप में देखा जाता है।

समाजशास्त्र के स्वरूप को समझने के लिये इतना ही कहना यथेष्ट नहीं है कि वह समाज को एक समग्र संरचना के रूप में देखता है। वह इस संरचना के क्रियावाद् पक्ष का अर्थवा उल्लेख



का रूप ग्रहण करने लगे। यह भी संभव है कि कुछ नई शाखाएँ उत्पन्न हो जायँ नथा कुछ पुरानी शाखाएँ महत्वहीन होकर अन्य शाखाओं में विलीन हो जायँ।

अपनी उत्पत्ति की सामाजिक सुधार तथा पुनर्निर्माणवाली पृष्ठभूमि के कारण प्राधुनिक समाजशास्त्र की व्यावहारिक उपादेयता की चर्चा प्रारंभ से ही होती रही है। समाजशास्त्र के उत्थान तथा विकास में अन्य बातों के अलावा इस धारणा का भी महत्व रहा है कि वह समाज का ऐसा विज्ञान बने, जिसकी उपलब्धियों का व्यावहारिक लाभ उठाया जा सके। स्वयं कौट ने समाजशास्त्र की सामाजिक पुनर्निर्माण के संदर्भ में विशेष महत्व दिया था। समाजशास्त्र की प्रकृति तथा उमकी अव तक की प्रगति को देखते हुए यह दावा करना एकदम गलत है कि वह सामाजिक समस्याओं के निराकरण में उसी प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार अनेक व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिये प्राकृतिक या वैज्ञानिक विज्ञानों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्री न तो समाज का डाक्टर बन सकता है और न इंजीनियर। किंतु सामाजिक समस्याओं को समझने तथा सुलझाने में तथा सामाजिक नियोजन के सिलसिले में समाजशास्त्र निस्संदेह बहुत सहायक हो सकता है। प्राधुनिक औद्योगिक समाजों में सामाजिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों के निर्माण, संगठन तथा कार्यान्वयन में समाजशास्त्र की उपयोगिता बढ़ती जा रही है और समाजशास्त्र के तेजी से होनेवाले प्रसार का यह एक प्रमुख कारण है। परिवार, शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, प्रशासकीय प्रशिक्षण, जनसंख्या-नियोजन, नगर-नियोजन, ग्रामीण पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग आदि अनेक क्षेत्रों से संबंधित मामलों में समाजशास्त्रियों से मूल्यवान सहायता ली जा रही है। वास्तव में समाजशास्त्र का ज्ञान समस्याओं का विश्लेषण गहराई में करता है तथा उनको व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर निदान की दिशाएँ इंगित करता है। स्थितियों को विभिन्न अंत संबंधित तथा अन्योन्याश्रित कारकों के संदर्भ में देखना समाजशास्त्र की बुनियादी विशेषता है। इसी कारण वह ऊपर से सरल तथा एकांगी दिखानेवाली समस्याओं का निदान करने में तथा उनसे निस्तार की दिशाएँ हूँदने में, अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका भदा करता है। प्राधुनिक बृहदाकार तथा परिवर्तनशील जटिल समाजव्यवस्थाओं तथा उनसे संबंधित समस्याओं का, समाजशास्त्रीय दृष्टि से, विश्लेषण करना अधिकारिक आवश्यक होता जा रहा है। सामाजिक नियोजन तथा सामाजिक नीतिनिर्धारण के मामलों में समाजशास्त्र का बढ़ता हुआ महत्व इस बात का द्योतक है कि इस दिशा में समाजशास्त्र की उपादेयता निरंतर बढ़ती जायगी।

समाजशास्त्र वर्तमान युग में तेजी के साथ वैचारिक एवं बौद्धिक जगत् में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। प्राधुनिक समाजव्यवस्थाओं तथा उनमें स्थित व्यक्तियों का संबंधित विविध सांस्कृतिक संदर्भों में विश्लेषण करने तथा उनको समग्र रूप में समझने में समाजशास्त्र मनुष्य की सहायता करता है। इससे मनुष्य की दृष्टि सीमित, एकांगी और नुकापही होने से बच जाती है। आज के युग में जटिल वास्तविकताओं को समझने और बढ़ते हुए तनावों को

घटाने में ऐसे संतुलित और पुष्ट दृष्टिकोण का विकास और प्रसार आवश्यक भी है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमको अपने चारों ओर की बातों को समझने और परखने के लिये एक वैचारिक कसौटी प्रदान करता है। उसकी सहायता से यथास्थितिवादी और क्रांतिकारी अतिवादी दृष्टिकोणों से ऊपर उठकर चीजों को देखा जा सकता है। इस सबके अलावा प्राधुनिक समाजशास्त्र की यह भी विशेषता है कि वह समकालीन स्थिति का स्पष्टतम आभास कराता है। समकालीनत्व की संवेदनशील अनुभूति तथा परस दोनों में समाजशास्त्र विशेषकर सहायक होता है। वास्तव में यह बीसवीं सदी के पेशीवा मानवसमाज में रहनेवाले मनुष्यों को आवश्यक दृष्टि देनेवाला तथा उनके लिये अपेक्षित बौद्धिक धरातल निर्मित करनेवाला विज्ञान है और इसके विकास की संभावनाओं का क्षेत्र प्राश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है।

सं० प्र० — लियोनार्ड ब्रूम एंड फिलिप सेल्जिनिक : सोशियोलॉजी ए टैक्स्ट विथ एडाप्टेड रीडिंग्स, न्यूयार्क, १९५५; मार्नल्ड ग्रीन : सोशियोलॉजी ऐन ऐनेलिसिस ऑव साइफ इन मॉडर्न सोसायटी, मैकग्राहिल, न्यूयार्क, १९५६; डॉन मार्टिन डेल : नेचर एंड टाइम्स ऑव सोशियोलॉजिकल थियरी, रटनेज एंड केगन पॉल, लंदन, १९६१; किंग्सले डेविस : ह्यूमन सोसायटी, मैकमिलन, न्यूयार्क, १९४६; अलेक्स हंकेलेस : ह्याट इज सोशियोलॉजी, प्रिटिस हाल, एंगलउड क्रिस, १९६४; टी० बी० बोट्टोमोर : सोशियोलॉजी, जार्ज ऐलेन ऐंड अनविन, लंदन, १९६२; टेलकट पार्सेस तथा ग्रन्थ (म०) : थियोरीज ऑव सोसायटी (दो खंड) दफरी प्रेस, ग्लेनको, १९६१; मटन ब्रूम एंड काट्रेल (म०) : सोशियोलॉजी टु डे : प्राबलम्स एंड प्रास्पेक्ट्स, वेसिक बुक्स, न्यूयार्क, १९५६।

[ २० च० ति० ]

**समापन** ( Liquidation or winding up, कंपनियों का ) समापन एक ऐसी कार्यवाही है जिससे कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है तथा शेष धन का अंशधारियों के बीच वितरण कर दिया जाता है।

कंपनी का समापन तीन प्रकार का हो सकता है :—

( क ) न्यायालय द्वारा अथवा अनिवार्य समापन;

( ख ) ऐच्छिक समापन ( voluntary winding up ) ;

( ग ) न्यायालय के निरीक्षण के अंतर्गत समापन ( winding up under the supervision of the court ) ।

न्यायालय द्वारा समापन के लिये प्रार्थनापत्र देने का अधिकार स्वयं कंपनी, उसके ऋणदाताओं, धनदाताओं ( contributories ) तथा कुछ स्थितियों में रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होता है।

न्यायालय द्वारा समापन के मुख्य कारण हैं : कंपनी के सदस्यों की संख्या में कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित निम्नतम संख्या में कमी तथा ऋणों के भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता। न्यायालय को समापन के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं और वह जब भी कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण समझे इसके लिये आदेश

दे सकता है। मुख्यतः प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न होना, कंपनी का आचार समाप्त होना तथा कंपनी के बहुमत अंशधारियों के अल्पमत अंशधारियों के प्रति दमन व कपट करने की स्थिति में कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण माना गया है।

न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन समापन के लिये याचिका के प्रस्तुत करने के समय से ही समझा जाता है। याचिका चाहे किसी ने भी दी हो, समापन का आदेश सभी ऋणदाताओं तथा धनदाताओं के प्रति इस प्रकार लागू होता है जैसे यह उन सबकी संयुक्त याचिका हो।

कंपनी के संबंध में समापन आदेश होने पर सरकारी समापक इसका मापक बन जाता है। वह इसकी संपत्तियाँ बेचकर ऋणदाताओं का ठीक क्रम में भुगतान करके शेष को अंशधारियों के अधिकारानुसार वितरण करता है।

कंपनी का ऐच्छिक समापन निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है—

(क) अंतनियमों में निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अथवा उनमें निर्दिष्ट वह घटना घटित होने पर जिसके घटित होने से कंपनी का समापन करना निश्चित किया गया हो। ऐसी दशा में कंपनी के सदस्य साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पास करके उसके ऐच्छिक समापन का निर्णय कर सकते हैं।

(ख) अन्य किसी परिस्थिति में कंपनी की साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास करके ऐच्छिक समापन का निर्णय किया जा सकता है।

ऐच्छिक समापन दो प्रकार का होता है — सदस्यों का अथवा ऋणदाताओं का।

जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ हो और उसके सदस्य समापन का निश्चय करें तो यह सदस्यों का ऐच्छिक समापन कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के संचालकों को यह घोषणा करनी पड़ती है कि कंपनी में अपने ऋणों का भुगतान करने की समर्थता है। ऐसे समापन में कंपनी की साधारण सभा में एक या अधिक समापकों की नियुक्ति की जा सकती है तथा उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित किया जाता है। समापक की नियुक्ति पर संचालक मंडल, प्रबंध अधिकर्ता या एजेंट, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकों के सभी अधिकारों का अंत हो जाता है, वह केवल रजिस्ट्रार को समापक की नियुक्ति तथा उसके स्थान की रिक्ति की सूचना देने का कार्य अथवा साधारण सभा वा समापक द्वारा अधिकृत कार्यों को कर सकते हैं।

किंतु जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो तथा संचालक इसकी शोषणता की घोषणा न कर सकें, ऐसी परिस्थिति में किए जानेवाले समापन को ऋणदाताओं का ऐच्छिक समापन कहते हैं। ऐसे समापन में यह आवश्यक है कि जिस दिन समापन संबंधी प्रस्ताव पास करने के लिये साधारण सभा बुलाई जाए उसी दिन या उसके अगले दिन ऋणदाताओं की सभा बुलाई जाए। कंपनी के सदस्य एवं ऋणदाता अपनी अपनी सभाओं में


समापक का मनोनयन कर सकते हैं। यदि सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति भिन्न भिन्न हो तो ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कंपनी का समापक नियुक्त किया जाता है। ऋणदाता अपनी उक्त सभा या किसी अगामी सभा में पाँच सदस्यों तक की एक निरीक्षण समिति नियुक्त कर सकते हैं। समापक का पारिश्रमिक निरीक्षण समिति द्वारा, इसके अभाव में ऋणदाताओं द्वारा तथा ऋणदाताओं के भी अभाव में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन — कंपनी द्वारा ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव पास किए जाने के पश्चात् न्यायालय इस प्रकार के समापन का आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश से कंपनी का समापन तो ऐच्छिक ही रहता है किंतु वह न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसका उद्देश्य कंपनी, ऋणदाताओं तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा करना है। न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन की याचिका का प्रभाव यह होता है कि न्यायालय को सभी वादों तथा वैध कार्यवाहियों पर उसी प्रकार अधिकारक्षेत्र प्राप्त हो जाता है जैसे न्यायालय द्वारा समापन की याचिका पर। निर्देशन आदेश के पश्चात् न्यायालय को समापक के पदच्युत करने, उसकी रिक्ति की पूर्ति करने तथा अतिरिक्त समापक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

**समावयवता** रासायनिक यौगिकों का जब सूक्ष्मता में अध्ययन किया गया, तब देखा गया कि यौगिकों के गुण उनके संगठन पर निर्भर करते हैं। जिन यौगिकों के गुण एक में होते हैं उनके संगठन भी एक से ही होते हैं और जिनके गुण भिन्न होते हैं उनके संगठन भी भिन्न होते हैं। पीछे देखा गया कि कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनके संगठन, अणुभार तथा अणुअवयव एक होते हुए भी, उनके गुणों में विभिन्नता है। ऐसे विभिन्न यौगिकों को समानयवी (Isomer, Isomeride) संज्ञा दी गई और इस तथ्य का नाम समावयवता (Isomerism) रखा गया।

समावयवता प्रधानतया दो प्रकार की होती है : एक की संरचना समावयवता (Structural isomerism) और दूसरे को त्रिविम समावयवता (Stereo-isomerism) कहते हैं।


**संरचना समावयवता** — यदि दो यौगिकों के अणुभार और अणुसूत्र एक ही हो, पर उनके गुणों में विभिन्नता हो, तो इसका यही कारण हो सकता है कि उनके अणु की संरचनाओं में विभिन्नता है। ऐसे दो सरलतम यौगिक एथिल ऐल्कोहॉल और डाइमैथिल ईथर हैं, जिनका अणुभार तथा अणुसूत्र,  $C_2H_6O$ , एक ही है, पर इनके संरचनासूत्र भिन्न हैं —




पहले यौगिक में दो कार्बन परमाणु परस्पर संबद्ध होकर, हाइड्रोजनीय समूह से संयुक्त हैं और दूसरे यौगिक में दो कार्बन परमाणु

प्रॉक्सीजन परमाणु द्वारा एक दूसरे से संबद्ध हैं। पहले यौगिक को एथिल ऐल्कोहॉल और दूसरे को डाइमेथिल ईथर कहते हैं। दोनों के गुणों में बहुत भिन्नता है। उनकी क्रिया से विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है। एथिल ऐल्कोहॉल पर HI की क्रिया से एथिल आयोडाइड,  $C_2H_5I$ , बनता है, जबकि डाइमेथिल ईथर से मेथिल आयोडाइड,  $(CH_3)_2I$  बनता है। अन्य अभिकर्मकों के साथ भी ऐसी भिन्न क्रियाएँ होती हैं।


यदि ऐसे यौगिकों की समावयवता एक ही श्रेणी के यौगिकों के बीच हो, तो ऐसी समावयवता को मध्यावयवता (Metamerism) कहते हैं। इसका उदाहरण डाइएथिल ईथर ( $C_2H_5OC_2H_5$ ) और मेथिल प्रोपिल ईथर ( $CH_3OC_3H_7$ ) है। पैराफिन श्रेणी के हाइड्रोकार्बनों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पेंटेन ( $C_5H_{12}$ ) के तीन समावयव होते हैं। नार्मल पेंटेन, आइसो-पेंटेन और नियो-पेंटेन। इनकी संरचनाएँ इस प्रकार हैं :



नार्मल पेंटेन



आइसोपेंटेन




नियोपेंटेन

ऐसी समावयवता को श्रृंखला समावयवता (Chain isomerism) भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ श्रृंखला में ही अंतर होने के कारण विभिन्नता है।

इसी समावयवता से मिलती जुलती एक दूसरी समावयवता है, जिसे स्थान-समावयवता (Position isomerism) कहते हैं, इसका सरलतम उदाहरण प्रोपिल क्लोराइड ( $CH_3 \cdot CH_2 \cdot CH_2Cl$ ) और आइसोप्रोपिल क्लोराइड ( $CH_3 \cdot CHCl \cdot CH_3$ ) है, जिनमें अंतर केवल क्लोरीन परमाणु के स्थान से संबंध रखता है। एक में

क्लोरीन अंत के एक कार्बन परमाणु से संबद्ध है और दूसरे में क्लोरीन मध्य के कार्बन से संबद्ध है। इसी प्रकार की समावयवता डाइक्लोरोबेंजोन में भी है।


**त्रिविम समावयवता** — यौगिकों के अणुभार और संरचना के एक रहते हुए भी परमाणुओं के विभिन्न दिशाओं में व्यवस्थित रहने के कारण यौगिक में समावयवता हो सकती है। ऐसी समावयवता को त्रिविम समावयवता (Stereo-isomerism) कहते हैं। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है : (१) प्रकाशिक समावयवता (Optical isomerism) और (२) ज्यामितीय समावयवता (Geometrical Isomerism)। लैक्टिक अम्ल के अध्ययन में देखा गया है कि लैक्टिक अम्ल तीन प्रकार का होता है, दो प्रकाशतः सक्रिय और एक प्रकाशतः निष्क्रिय। इसी प्रकार टार्टरिक अम्ल भी चार प्रकार का होता है, दो प्रकाशतः सक्रिय और दो प्रकाशतः निष्क्रिय। इनकी उपस्थिति की संतोषप्रद व्याख्या उस समय तक ज्ञात सिद्धांतों से नहीं हो सकती थी। इनकी व्याख्या के लिये जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, उसे त्रिविम समावयवता का सिद्धांत कहते हैं और इससे रसायन की एक नई शाखा की नींव रखी है, जिसे त्रिविम रसायन कहते हैं (वेल् विम्यास रसायन)। इस नए सिद्धांत के प्रतिपादक डच रसायनज्ञ, वॉन्ट हॉफ (Van't Hoff), और दूसरे फ्रांसीसी रसायनज्ञ, ल बेल (Le Bel), थे। दोनों ने स्वतंत्र रूप से प्रायः एक ही समय १७७४ ईसवी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दोनों रसायनज्ञों के मूल सिद्धांत प्रायः एक ही हैं, यद्यपि विस्तार में कुछ अंतर है। इस सिद्धांतानुसार त्रिविमीय चतुष्फलक के केंद्र में कार्बन परमाणु स्थित रहता है और इसकी चारों संयोजकताएँ चतुष्फलक के चारो छोरों की ओर अभिमुख होती हैं। यदि इन चारों संयोजकताओं के साथ चार विभिन्न समूह संबंधित हों, तो ये ऐसी अवस्थाएँ उपस्थित करते हैं जिनकी व्यवस्था दो प्रकार से हो सकती है। यदि चारों समूह H, OH, COOH और  $CH_3$  हों, जैसे लैक्टिक अम्ल में होते हैं, तो उनकी व्यवस्था दक्षिणावर्त ( $H, OH, COOH, CH_3$ )



और दूसरे में वामावर्त ( $H, CH_3, COOH, OH$ ) हो सकती है। ये दोनों रूप वैसे ही हैं जैसे कोई एक वस्तु और उसका प्रतिबिंब होता है। एक व्यवस्था प्रकाश को एक ओर जितना घुमाती है, दूसरी व्यवस्था प्रकाश को विपरीत दिशा में उल्टा ही घुमाएगी। इस प्रकार ऐसे यौगिक के दो प्रकाशीय रूप हो सकते हैं। यदि ये दोनों रूप समानांतर में किसी विलयन में विलयन हों, तो ऐसा विलयन प्रकाशतः निष्क्रिय होगा। वस्तुतः निष्क्रिय लैक्टिक अम्ल ऐसा ही मिश्रण है, क्योंकि यह अनेक विधियों से दो सक्रिय लैक्टिक अम्लों में विभेदित किया जा सकता है।



चतुष्फलक के मध्य में स्थित कार्बन परमाणु को असममित (asymmetric) कार्बन परमाणु कहते हैं और प्रकाश सक्रियता के लिये एक या एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु का होना अनिवार्य है। इसके अभाव में प्रकाशीय सक्रियता संभव नहीं है। अनुभव और प्रयोगों से यह बात बिल्कुल ठीक प्रमाणित होती है। टार्टरिक अम्ल में दो असममित कार्बन परमाणु होते हैं। टार्टरिक अम्ल की विशेषता यह है कि इसके दोनों असममित कार्बन के साथ एक ही प्रकार के समूह संबद्ध हैं। यदि दोनों असममित कार्बन के साथ ऐसे समूह संबद्ध हों जो दक्षिणावर्त हैं, तो वह यौगिक दक्षिणावर्त (d-) होगा तथा यदि दोनों असममित कार्बनों के साथ ऐसे समूह संबद्ध हों जो वामावर्त हैं, तो वह यौगिक वामावर्त (la-) होगा और यदि दोनों असममित कार्बन के साथ एक दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त समूह संबद्ध हों, तो एक के प्रभाव को दूसरा निष्क्रिय कर देगा, जिससे वह यौगिक प्रकाशतः निष्क्रिय होगा। पर यह यौगिक ऐसा निष्क्रिय होगा कि उसे सक्रिय नहीं बनाया जा सकता। ऐसा ही टार्टरिक अम्ल का रूप मेजो टार्टरिक अम्ल है। चौथा टार्टरिक अम्ल ऐसा हो सकता है जिसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त टार्टरिक अम्ल की सममात्रा विद्यमान हो। ऐसा यौगिक



रेसिमिक अम्ल है। यह भी प्रकाशतः निष्क्रिय होता है, पर सक्रिय अवयवों में विभेदित किया जा सकता है। इस प्रकार इस सिद्धांत से चार प्रकार के टार्टरिक अम्ल की उपस्थिति की व्याख्या सरलता से हो जाती है।


इस प्रकार की त्रिविम समावयवता केवल कार्बनिक यौगिकों में ही नहीं पाई गई है, बल्कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, गंधक और सिलिकन आदि के यौगिकों में भी पाई गई है।

उपनिमित्त समावयवता — उपनिमित्त समावयवता में प्रकाश सक्रियता नहीं होती। यह समावयवता उन्हीं यौगिकों में पाई जाती है जिनमें दो कार्बन परमाणु युग्म बंध से बंधे होते हैं। यदि ऐसे यौगिकों के दोनों कार्बन परमाणुओं से एक से अधिक समूह संबद्ध हों, तो उससे निम्नलिखित प्रकार के दो यौगिक बन सकते हैं। एक, जिसमें दोनों समूह एक ही पक्ष में हैं, और दूसरा, जिसमें दोनों समूह प्रतिकूल पक्ष में हैं।




पहले यौगिकों को सिस (Cis) और दूसरे का ट्रंस (Trans)

कहते हैं। ऐसे यौगिकों में युग्म बंध के कारण अणु में हड़ता होती है, जिससे उसका मुक्त संचालन अवशुद्ध हो जाता है। ऐसे समावयव यौगिकों के सरलतम उदाहरण मलेइक और प्यूमेरिक अम्ल हैं। मलेइक अम्ल में दोनों कार्बोक्सील समूह एक ही पक्ष में होते हैं और प्यूमेरिक अम्ल में दोनों कार्बोक्सील समूह प्रतिकूल पक्ष में।



इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि मलेइक अम्ल प्रति क्षीघ्र ऐनहाइड्राइड बनाता है, जो कार्बोक्सील समूह की निकटता को प्रदर्शित करता है और प्यूमेरिक अम्ल इतना जल्द ऐनहाइड्राइड नहीं बनाता, जो कार्बोक्सील समूह की दूरी को प्रदर्शित करता है। यदि ऐनहाइड्राइड कठिनता से बनता भी है, तो वह मलेइक ऐनहाइड्राइड ही होता है।

ऐसी समावयवता के लिये यह आवश्यक नहीं कि एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ ही संयुक्त हो। कार्बन यदि नाइट्रोजन के साथ संयुक्त हो, तो भी ऐसे समावयवता बनते हैं। इसके उदाहरण अनेक ऑक्सीम हैं, जो कीटोन पर हाइड्राक्सिल ऐमीन की क्रिया से बनते हैं



बल समावयवता — एक दूसरे प्रकार की समावयवता को बल समावयवता, या बलावयवता (Dynamic Isomerism or Tautomerism) कहते हैं। यह यौगिकों में किसी तत्व के, विशेषतः हाइड्रोजन के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण से होती है। इसका अच्छा उदाहरण कीटो-इनोल-समावयवता (Keto-enol Isomerism) है, जिसमें एक ही पदार्थ कभी कीटोन सा व्यवहार करता है और कभी इनोल सा। यहाँ एक समावयवता का दूसरे समावयवता में परिवर्तन केवल विलायकों में घुलाने से, अथवा किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति से, ही सम्भव होता है। ऐसी ही समावयवता के कारण शर्कराओं का परिवर्तन पूर्ण होता है। [सं ६०]

समीकरण सिद्धांत एक, अथवा अनेक, ज्ञात और अज्ञात संख्याओं की समता के कथन को समीकरण (Equation) कहते हैं। समीकरण अज्ञात राशियों के समस्त मानों के लिये सत्य नहीं होता। केवल कुछ निश्चित मानों के लिये ही सत्य होता है। जो समीकरण अज्ञात राशियों के समस्त मानों के लिये सत्य होता है, उसे सर्वसमिका (Identity) कहते हैं। उदाहरणतः

$$३\text{य} + ७ = १०$$

यह संबंध य = १ ही के लिये सत्य है। अतः यह एक समीकरण है; किंतु संबंध

$$\text{य}^२ - २^२ \equiv (\text{य} + २) (\text{य} - २)$$

य घोर र के समस्त मानों के लिये सत्य है। अतः यह एक सर्व-समिका है, जिसके लिये चिह्न  $\equiv$  प्रयोग किया जाता है।

समीकरणों का सबसे प्राचीन उल्लेख मिल के राइड पपाइरस (Rhind papyrus) में मिलता है, जिसका रचनाकाल १६५० ई० पू० के लगभग है। यूनानियों ने भी समीकरणों का थोड़ा बहुत प्रयोग किया था। हिंदुओं ने इस दिशा में कुछ प्रगति दिखाई थी। वे अज्ञात राशि को 'यावत' कहते थे और उसे संकेतों से निरूपित करते थे। उन्होंने वर्ग समीकरणों को भी हल किया और अनिर्णीत समीकरणों के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर दिखाया; किंतु उन्होंने विषय के सिद्धांत के अमूर्त रूप का कोई विकास नहीं किया। इटलीवासियों ने इस दिशा में बहुत उन्नति की और तृतीय तथा चतुर्थ घात के सांख्यिक समीकरणों के हल निकाले। सन् १७७१ में लाग्रान्ज (Lagrange) ने सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, किंतु उक्त सिद्धांत में तीव्र गति गाल्वा (Galois) की गवेषणाओं से ही आई।

प्रमुख समस्या — समीकरण सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित प्रकार के बीजगणितीय समीकरण के गुणों से है :

$f(x) = k_0 x^n + k_1 x^{n-1} + k_2 x^{n-2} + \dots + k_{n-1} x + k_n = 0$ ,  
जिसमें  $n$  एक धन पूर्ण संख्या है, गुणांक दी हुई संख्याएँ हैं, जो वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकती हैं और  $k_0 \neq 0$ । इस समीकरण का घात  $n$  है। पहली समस्या यह है कि यदि गुणांक ज्ञात हों, तो  $x$  के ऐसे समस्त मान, जिन्हें मूल कहते हैं तथा जो समीकरण को संतुष्ट करते हों, ज्ञात करना। अगली समस्या यह पता चलाना है कि उक्त समीकरण के मूल किन प्रतिबंधों में गुणांकों के पदों में सात संख्या की बीजगणितीय क्रियाओं ( जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मूल निकालना ) द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। ऐसे हल को बीजगणितीय हल (Algebraic solution) कहते हैं। यदि गुणांक संख्यात्मक हों, तो मूलों का किसी भी सीमा तक निकटतम मान निकाला जा सकता है। यदि गुणांक संख्यात्मक न हों, तो हम प्रयत्न करते हैं कि गुणांकों का ऐसा सरलतम फलन (function) निकालें जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। सन् १८२४ में आबेल (Abel) ने २२ वर्ष की अवस्था में यह प्रायः सिद्ध कर दिया था कि चौथे से ऊपर के घात के किसी समीकरण के मूलों को मूल चिह्नों (Radical signs) द्वारा व्यक्त करना असंभव है। आबेल की उपपत्ति में कुछ अशुद्धियाँ थी, जिनका शोधन गाल्वा सिद्धांत ने कर दिया है; तथापि यह मानना पड़ेगा कि आबेल ही पहला व्यक्ति था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि पंचघात समीकरण का हल बीजगणितीय विधियों से नहीं ज्ञात हो सकता। सर्वप्रथम सन् १८५८ में एरमीट (Hermite) ने सांख्यिक पंचघात समीकरण का हल दीर्घवृत्तीय फलनों (elliptic functions) द्वारा निकाला। आधुनिक समय में, जिसका प्रारंभ १८८० ई० में प्वेकारे (Poincare) से होता है, सर्व घात के सांख्यिक समीकरण का हल फुक्सी फलनों (Fuchsian functions) द्वारा निकाला गया है। आजकल के गवेषणा कार्य में इस समस्या के लिये प्रतिस्थापन समूहों (substitution groups), उच्च अक्षरगणित और संमिश्र चर (complex variable) के विशेष फलनों का प्रयोग किया जाता है।

मूलमूल प्रमेय — यह है कि सर्वे घात के किसी समीकरण के ठीक  $n$  मूल ही होने हैं। इस प्रमेय को सबसे पहले कोशी (Cauchy) ने सिद्ध किया था, किंतु प्रथम संतोषजनक उपपत्ति १७६६ ई० में गाउस (Gauss) ने दी थी।

सममित फलन (Symmetric Function) — ये फलन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी परिमेय (rational) फलन  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  को  $x$ -घो में तब सममित कहते हैं, जब वह इस प्रकार का हो कि  $x$ -घो में से किन्हीं दो का हेरफेर करने से उसमें कोई परिवर्तन न हो। इस प्रकार  $x_1, x_2 + x_3, x_1 + x_2, x_2$  एक सममित फलन है।  $x_1, x_2, \dots$  का ज-वाँ प्रारंभिक (elementary) सममित फलन (जिसमें  $j=1, 2, 3, \dots, n$ ) ऐसे समस्त संभव गुणनफलों का जोड़ होता है जिनमें से प्रत्येक में  $x$ -घो में से  $j$  विभिन्न चर चुने जाएँ। इस प्रकार, यदि  $j=3$ , तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रारंभिक सममित फलन क्रमशः ये होंगे :

$$x_1 + x_2 + x_3; \quad x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3; \quad x_1 x_2 x_3।$$

स्पष्ट है कि प्रारंभिक सममित फलनों के अतिरिक्त अनगिनत सममित फलन और भी हो सकते हैं, जैसे  $j=3$  के लिये  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$  एक सममित फलन है, किंतु इसे हम प्रारंभिक सममित फलनों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि

$$\sum x_i^2 = (\sum x_i)^2 - 2 \sum x_i x_j।$$

हम मूलों के प्रारंभिक सममित फलनों को गुणांकों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे यदि समीकरण

$$x^n + p_1 x^{n-1} + p_2 x^{n-2} + \dots + p_{n-1} x + p_n = 0$$

के मूल  $x_1, x_2, x_3, \dots$  हों, तो

$$\sum x_i = -p_1, \quad \sum x_i x_j = p_2, \dots$$

मूलों का कोई भी सममित फलन गुणांकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। मूलों के किसी सममित फलन में किसी मूल का जो उच्चतम घातांक होता है, उसे फलन का घात (order) कहते हैं।  $\sum x_i^3$   $x$  का घात ३ है और  $\sum x_i, x_2, x_3$  का घात १ है। किसी सममित फलन में जो चरों का घात होता है, उसे फलन का भार (Weight) कहते हैं।  $\sum x_i^3$   $x$  का भार ४ है और  $\sum x_i, x_2, x_3$  का भार ३ है।

वास्तविक समीकरणों के गुण — निम्नलिखित गुण सुगमता से सिद्ध किए जा सकते हैं। काल्पनिक मूल सदैव जोड़ों में रहते हैं। यदि घात  $n$  विषम हो, तो समीकरण का कम से कम एक मूल वास्तविक होगा। यदि  $f(x), g(x)$  का कोई वास्तविक संतत (continuous) फलन हो और  $f(x)$  और  $f'(x)$ , जिनमें  $f, f'$  वास्तविक हों और विपरीत चिह्नों के हों, तो  $f(x) = 0$  का  $f'(x) \neq 0$  के बीच में निश्चय भार काटेगा। यदि  $n$  मूलों में से  $r$  मूल ऐसे हों जो सब  $x$  के बराबर हों, तो  $x$  की बहुकता (multiplicity)  $r$  का मूल कहते हैं। रॉले (Rolle) ने सिद्ध किया है कि समीकरण  $f(x) = 0$  के दो क्रमागत (consecutive) वास्तविक मूलों के बीच में  $f'(x) = 0$  के वास्तविक मूलों की संख्या विषम होगी। यहाँ  $f'$  फलन  $f$  का प्रथम अवकल गुणांक (differential

coefficient) है। यदि  $f(x)$  और  $f'(x)$  का महत्तम समापवर्तक  $g(x)$  हो, तो समीकरण  $f(x) = 0$  के एक अ-बहुलता का मूल समीकरण  $f(x) = 0$  का  $(m+1)$  बहुलता का मूल होगा। इस प्रमेय का विरोध भी सत्य होता है। इसकी सहायता से  $f(x) = 0$  के बहु मूल निकाले जा सकते हैं।

यदि गुणांक  $a_0, a_1, a_2, \dots$  सब वास्तविक हों, तो समीकरण को वास्तविक कहते हैं। यदि इनमें से कुछ या सब काल्पनिक हों, तो समीकरण काल्पनिक कहलाता है। यदि  $f(x) = 0$  काल्पनिक हो, तो उसका हल एक वास्तविक समीकरण के हल द्वारा निकाला जा सकता है, क्योंकि हम  $f(x)$  को  $a_1(x) + \sqrt{-1} a_2(x)$  के रूप में डाल सकते हैं, जिसमें  $a_1$  और  $a_2$  के गुणांक वास्तविक हों और  $\sqrt{-1} = \sqrt{-1}$ । तत्पश्चात् समीकरण  $a_1(x) + \sqrt{-1} a_2(x) = 0$  को उसके संयुग्मित (conjugate) समीकरण  $a_1(x) - \sqrt{-1} a_2(x) = 0$  से गुणा करने पर एक वास्तविक समीकरण प्राप्त होगा, जिसके मूलों में  $f(x) = 0$  के समस्त मूल समाविष्ट होंगे।

$f(x) = 0$  के ऋण मूल,  $f(-x) = 0$  के धन मूल ही होते हैं।

मूलों की स्थिति का विश्लेषण (Location of Roots) — किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिये इस बात को पना चलाना पड़ता है कि उस समीकरण के कितने मूल वास्तविक हैं और कितने काल्पनिक। इसके लिये सबसे पहले मूलों का वियोजन (isolation) करना पड़ता है। मान लीजिए कि एक वास्तविक मूल  $\alpha$  है। यदि हम दो संख्याएँ  $\alpha, \beta$ , ऐसी उपलब्ध कर सकें जिनके बीच में  $\alpha$  स्थित हो और कोई अन्य मूल स्थित न हो, तो हम कहेंगे कि मूल  $\alpha$  वियोजित हो गया। देकार्त (Descartes) के नियम द्वारा अचिरांत स्थितियों में हमें वास्तविक मूलों की पूर्ण संख्या का पता चल जाता है। दिए हुए समीकरण में जितने अग्रगण्य गुणांक हों, उनके चिह्न उसी क्रम में लिख डालिए जिस क्रम में वे समीकरण में आते हैं। यदि कहीं + से - हो जाय, अथवा - से + हो जाय, तो उसे हम चिह्न-परिवर्तन कहते हैं। अब चिह्नपरिवर्तनों की संख्या गिन लीजिए। इस क्रम

+ + - - + -

में तीन परिवर्तन हैं। देकार्त का नियम बताता है कि समीकरण  $f(x) = 0$  में जितने चिह्न परिवर्तन होंगे या तो उस समीकरण के उतने ही वास्तविक धनमूल होंगे, या यदि उससे कम हुए, तो उक्त अंतर की संख्या एक विषम संख्या होगी। यह तो रहा धन मूलों के संबंध में। ऋण मूलों की संख्या जानने के लिये यही नियम समीकरण  $f(-x) = 0$  पर लगाइए।

सन् १८२६ में स्टर्म (Sturm) और फूरिये (Fourier) ने मूलों के विश्लेषण के लिये एक निश्चयारमक विधि निकाली थी। फूरिये का नियम सुविधाजनक तो अग्रगण्य है, किंतु अछूरा है। स्टर्म का नियम मूलों का निश्चित रूप से पृथक्करण कर देता है, किंतु कार्यविधि अमर्याद है।

स्टर्म की विधि —  $f(x)$  के स्थान पर  $f, f'$  के स्थान पर  $f, \dots$  लिखिए।  $f$  और  $f'$  का महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि से चलिए। मान लीजिए, पहले पग पर अचरफल  $a_1$  और शेष  $a_2$  आता है, तो

$$f = a_1 f' + a_2$$

$a_2$  को अगला भाजक मानने से पहले उसका चिह्न बदल दीजिए और  $-a_2 = f_2$  लिखिए। इस प्रकार

$$f = a_1 f' - f_2$$

अब  $f'$  को  $f_2$  से भाग दीजिए और शेष का चिह्न बदलकर उसे  $f_3$  से निकलित कीजिए। इसी प्रकार बढ़ते चलिए।

पहले पहल मान लीजिए कि  $f = 0$  के कोई दो मूल समान नहीं हैं। अंतिम चिह्न परिवर्तित शेष  $f_n$  एक अचर (constant) होगा। चिह्न परिवर्तित शेषों में  $f$  और  $f'$  मिला देने से निम्न-लिखित अनुक्रम (sequence) प्राप्त होगा :

$$f, f', f_2, f_3, \dots, f_n$$

इस अनुक्रम को  $f(x)$  के स्टर्म फलनों का समुच्चय [Set of Sturm functions for  $f(x)$ ] कहते हैं।

अब मान लीजिए कि  $\alpha, \beta$  दो वास्तविक संख्याएँ हैं, जिनमें से कोई भी  $f(x) = 0$  का मूल नहीं है और  $\alpha < \beta$ । अब स्टर्म फलनों में  $x = \alpha$  रखकर देखिए कि कितने चिह्न परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार  $x = \beta$  रखकर भी देखिए कि चिह्न परिवर्तनों की संख्या कितनी आती है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाइए। जितनी संख्या आए,  $f(x) = 0$  के उतने ही वास्तविक मूल  $\alpha$  और  $\beta$  के बीच में स्थित होंगे।

यदि समीकरण के कुछ बहुमूल भी हों, तो ऐसे प्रत्येक मूल को गिनती के लिये केवल एक ही मूल मानिए। इस प्रकार यदि कोई मूल तीन बार प्राप्त होता है, तो उन तीनों मूलों का एक ही मूल माना जायगा।

पूर्व की विधि इससे सरल है। स्टर्म फलनों के स्थान पर  $f, f', f'', \dots$  लिखिए, जिनमें  $f, f'$  का  $\alpha$  वाँ अचरफल गुणांक है। यदि कोई मूल  $\alpha$  बार आए, तो उसके अलग अलग  $\alpha$  मूल गिनिए। उपयुक्त अनुक्रम में जितने चिह्न परिवर्तन होंगे, या तो उतने ही वास्तविक मूल  $\alpha$  और  $\beta$  के बीच में स्थित होंगे, या यदि उससे कम हुए, तो दोनों का अंतर एक पूर्णांक होगा।

मूलों का परिकलन (Computation of Roots) — जब कोई मूल वियोजित हो चुकता है तब उसका परिकलन दशमलव रूप में हॉर्नर (Horner) की विधि (१८१६) द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक एक करके दशमलव स्थान मिलते चले जाते हैं। उक्त विधि में क्रमशः मूल के पीछे पीछे चला जाता है। प्रत्येक पग पर मूलों की वास्तविक धन संख्याओं के उरारोत्तर जोड़ों में से छोटी संख्या को घटाते जाते हैं। मान लीजिए कि कोई वास्तविक मूल २०० और ३०० के बीच में स्थित है। एक समीकरण  $f(x) = 0$  ऐसा बनाइए जिसके मूल  $f(x) = 0$  के मूलों से क्रमशः

२००, २०० कम हों। तब  $k_1(x) = 0$  का केवल एक मूल ० और १०० के बीच में स्थित होगा। उपर्युक्त दोनों विधियों में से किसी विधि से यह पता चलाए कि यह मूल किस श्रेणी में स्थित है। मान लीजिए कि मूल १० और ७० के बीच में स्थित है, तो इतना पता चल गया कि  $k(x) = 0$  का मूल २६० और २७० के बीच में स्थित होगा। अब एक समीकरण  $k_2(x) = 0$  ऐसा बनाए जिसके मूल  $k_1(x) = 0$  के मूलों से ६०, ६० कम हों। मान लीजिए कि  $k_2(x) = 0$  का मूल ५ और ३ के बीच में स्थित है, तो अब इतना पता चल गया कि  $k(x) = 0$  का मूल २६५ और २६६ के बीच में स्थित होगा। इसी प्रक्रम (process) को बार बार दुहराए। इस प्रकार किसी भी शकमलक स्थान तक मूल का मान निकाला जा सकता है।

एक विधि न्यूटन ने भी दी है। यह विधि ऐसे समीकरणों पर जो बीजगणितीय न हों लगाई जा सकती है। न्यूटन का ही दिया हुआ उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। समीकरण

$$x^3 - 2x - 5 = 0$$

का एक मूल २ और ३ के बीच में स्थित है। उसका मान निकालने के लिये  $x$  के स्थान पर  $2 + \delta$  रखें, जिसमें  $\delta < 1$ ।  $2^3$  और  $3^3$  की उपेक्षा करने से, हमें  $\delta = .1$  प्राप्त होता है। अतः मूल का सूक्ष्म मान २.१ हुआ। अब  $\delta$  समीकरण में  $\delta$  के स्थान पर  $.1 + \delta$  रखने से  $\delta$  का निकटतम  $-.00054$  प्राप्त होता है। इस प्रकार मूल का मान लगभग २.०९५६ प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रम को बार बार करते से मूल का जितना चाहे उतना निकटतम मान प्राप्त किया जाता है। इस नियम का सिद्धांत यह है कि टेलर प्रसार (Taylor expansion) में से केवल पहले दो पद ले लिए जायें, शेष की उपेक्षा की जाय। इस प्रकार, यदि निम्न बीना  $x$  है, तो

$$k(x + \delta) = k(x) + \delta k'(x),$$

$$\text{अर्थात् } \delta = -\frac{k(x)}{k'(x)}$$

द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ यात समीकरणों के बीजगणितीय हल — इस प्रक्रम में पहला काम तो यह किया जाता है कि समीकरण को एक दूसरे समीकरण में परिणत कर देते हैं, जिससे अज्ञात राशि के पदों की संख्या कम हो। विशेषकर, द्वितीय उच्चतम वास्तविक पद को हटा दिया जाता है। समीकरण

$$k_1 x^3 + k_2 x^{2-1} + \dots + k_n = 0$$

में  $x = r + \delta$  रखने से  $r^{n-1}$  का गुणांक  $\delta$   $k_1 + k_2$  हो जाता है। अतः यदि  $\delta = -k_2/k_1$  लिया जाए, तो नए समीकरण में द्वितीय पद नहीं रहेगा। यदि  $r = 0$  समीकरण को हल कर लिया जाए, तो मौलिक समीकरण के मूल निकल आएंगे। इस प्रकार, नए समीकरण

$$k_1 x^2 + k_2 x + k_3 = 0$$

के लिये  $\delta = -k_2/2k_1$  और  $r = 0$  समीकरण होगा  $r^2 = \frac{k_3}{k_1}$ ,

जिसमें  $\delta = \frac{k_2^2 - 4k_1 k_3}{4k_1^2}$  और  $r = \frac{-k_2 \pm \sqrt{k_2^2 - 4k_1 k_3}}{2k_1}$

नए समीकरण

$$k_1 x^2 + k_2 x + k_3 = 0$$

के लिये  $\delta = -k_2/2k_1$  और स्थानापतन  $r = x - k_2/2k_1$  के समीकरण

$$r^2 + pr + q = 0 \quad (\text{अ})$$

प्राप्त होगा, जिसमें  $p$  और  $q$ ,  $k_1, k_2, k_3$  के पदों में होंगे। यदि इस समीकरण के मूल  $r_1, r_2, r_3$  हों, तो  $x$  के मान निकाले जा सकते हैं।

समीकरण (अ) के मूल भेदा (Vieta) ने निकाले थे। उसने  $r = x - p/2$  का स्थानापतन करके  $x^2$  का वर्ग समीकरण  $x^2 + px - q^2/4 = 0$  प्राप्त किया था। फाजकल कार्डेन (Cardan) द्वारा दिए गए संशोधित रूप का प्रयोग किया जाता है। यदि समस्त मूल वास्तविक हों, तो अलघुकरणीय दशा (Irreducible case) प्राप्त होती है और उपर्युक्त विधि अनुपयुक्त हो जाती है। ऐसी दशा में समीकरण (अ) में  $r = t$  का रजकर, परिणामी समीकरण की तुलना

कोज्या  $3\theta = \sqrt[3]{-q/2} - \sqrt[3]{-q/2 + \sqrt{q^2/4 - 27p^3}}$  से की जाती है।

इस प्रकार, प्राप्त होता है

$$x = \sqrt[3]{-q/2} \cos \theta, \quad t = \sqrt{-q/2}, \quad \text{कोज्या } 3\theta = -\frac{p}{2\sqrt{-q/2}}$$

अतः  $x$  के तीन मान निकल आते हैं:

कोज्या  $\theta$ , कोज्या  $(\theta + 120^\circ)$ , कोज्या  $(\theta + 240^\circ)$ ।

सांख्यिक चतुर्थांश समीकरण

$$x^4 + k_1 x^3 + k_2 x^2 + k_3 x + k_4 = 0$$

का हल फेरारी (Ferrari) ने निकाला था। इसके लिये उसने समीकरण के दोनों ओर  $(mx + n)^2$  जोड़ दिया था और समीकरण के बाएँ पक्ष की तुलना

$$(x^2 + k_1 x/2 + \delta)^2$$

से करके,  $\delta$  का मान निकाला था। गुणकों की तुलना और उत्पश्चात्  $m$  का विलोपन (elimination) करने से,  $\delta$  के लिये एक नए समीकरण प्राप्त होता है। उक्त नए समीकरण को लघुकारक त्रिघाती (Reducing Cubic), अथवा विश्लेषक त्रिघाती (Resolvent Cubic) समीकरण कहते हैं और इसके मूल निकालने से  $m$  और  $n$  के मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चतुर्थांश समीकरण का हल दो वर्ग समीकरणों के हल पर प्राप्त होता है और चार मूल प्राप्त होते हैं।

त्रिघात और चतुर्थांश समीकरणों पर बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, किंतु अब उसका विशेष मूल्य नहीं रह गया है। सन् १७७० से एक नया युग प्रारंभ हो गया, जब लाग्रान्ज (Lagrange) ने यह उक्ति दी कि किसी बीजगणितीय समीकरण का मूल चिह्नों द्वारा हल एक अन्य समीकरण के, जिसे विश्लेषक कहते हैं, हल पर प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यह संभव है कि उक्त समीकरण को हल करना भी उतना ही कठिन हो जितना मौलिक समीकरण को हल करना। विश्लेषक के मूल मौलिक समीकरण के मूलों के परिमेय फलन होते हैं। उक्त प्रमेय का कार्य में आधुनिक शास्त्र

सिद्धांत की नींव दिखाई पड़ती है, जिसमें प्रतिस्थापन समूहों (substitution groups) का प्रयोग किया जाता है। [ सा० ना० प० ]

**समुच्चय सिद्धांत (Theory of Aggregates, or Sets)**  
किसी भी प्रकार के अवयवों (वस्तुओं, विचारों या संकल्पनाओं) के समूह को समुच्चय कहते हैं। स्थूल भा से सर्वेजी समुच्चय के पर्याय शब्द (set), ऐग्रेगेट (aggregate), क्लास (class), डोमेन (domain) तथा टोटैलिटी (totality) हैं। समुच्चय में अवयवों का विभिन्न होना आवश्यक है। यदि  $x$  समुच्चय  $A$  का कोई अवयव है, तो हम लिखते हैं:  $x \in A$ । सभी अवयवों का ध्योरा न देकर, उन्हें नियम द्वारा भी बताया जा सकता है, जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय।  $B$  को  $A$  का उपसमुच्चय (Subset) तब कहते हैं, जब  $B$  का प्रत्येक अवयव  $A$  का सदस्य हो और इसे इस प्रकार लिखते हैं:  $B \subset A$  अथवा  $A \supset B$ । इसे यों भी पढ़ते हैं:  $B$ ,  $A$  में समाविष्ट है। यदि  $A$  में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो  $B$  का सदस्य नहीं है और  $B$ ,  $A$  का उपसमुच्चय है, तो  $B$  को  $A$  का वास्तविक (proper) उपसमुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय को, जिसका एक भी अवयव न हो, शून्य (null) समुच्चय कहते हैं और इसे  $\emptyset$  से प्रकट करते हैं। शून्य समुच्चय सैद्धांतिक विवेचन में उपयोगी होते हैं। समुच्चयों पर मूल क्रियाएँ ये हैं: तार्किक (logical) योग, तार्किक गुणन, तार्किक व्यवकलन। दो समुच्चयों का योग  $A + B$ , जिसे  $A \cup B$ , अर्थात्  $A$  और  $B$  का संघ (union) भी कहते हैं, उन सभी अवयवों का, जो  $A$  और  $B$  दोनों में या किसी एक में हो, समुच्चय है। दो समुच्चयों का गुणनफल  $A \cdot B$ , जिसे  $A \cap B$  भी लिखते हैं और जिसे  $A$  तथा  $B$  का सर्वनिष्ठ (intersection) कहते हैं, उन सभी अवयवों का, जो  $A$  तथा  $B$  दोनों के सदस्य हैं, समुच्चय है। अंतर  $A - B$  उन अवयवों का, जो  $A$  में हैं किंतु  $B$  में नहीं हैं, समुच्चय है। यदि  $B \subset A$ , तो  $A - B$  को  $A$  के प्रति  $B$  का संपूरक (complement), कहते हैं। तार्किक योग और गुणन सामास्य बीजगणित के साहचर्य (associative), क्रमविनिमेय (commutative) और वितरण (distributive) नियमों के प्रतिरिक्त एक नये वितरण नियम का पालन करते हैं:  $A + BC = (A + B)(A + C)$  और  $(A - B)(A - C) = A - (B + C)$ , किंतु  $(A + B) - C$  कभी कभी  $A + (B - C)$  से भिन्न हो सकता है।

दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल  $A \times B$  उन सभी युग्मों ( $x, y$ ) का समुच्चय है, जिनमें पहला अवयव  $x$ ,  $A$  का है और दूसरा अवयव  $y$ ,  $B$  का समुच्चय है। हम देखेंगे कि  $A \times B \neq B \times A$ , किंतु  $(A + B) \times C = (A \times C) + (B \times C)$ ,  $(AB) \times C = (A \times C)(B \times C)$ , अर्थात् कार्तीय गुणनफल, क्रमविनिमेय नियम का नहीं, वितरण नियम का पालन करता है। समुच्चयों के परिमाणों की तुलना एकैक संगतता (one to one correspondence) की संकल्पना पर आधारित है। सर्वत्र समुच्चय की यह विशेषता है कि इसके

अवयवों की एकैक संरक्ति एक उसके कुछ वास्तविक उपसमुच्चयों से स्थापित की जा सकती है (देखें खंड ५)।

समुच्चय सिद्धांत सारे गणित का आधार है। इसका विवेचन सर्वप्रथम जॉर्ज कैंटर ने किया था और १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका विशेष विकास हुआ।

स० प्र० — जॉर्ज कैंटर: कंट्रीम्ब्यूटंस टु दि थ्योरी ऑव डि फाइनलिट नंबर्स; जे० ई० लिटिलवुड: एलिमेंट्स ऑव दि थ्योरी ऑव रीयल फंक्शंस (१९२५); ई० डबल्यू० हॉड्जन: दि थ्योरी ऑव फंक्शंस ऑव ए रीयल वैरिएबिल, खंड १ (१९२७)।

[ ह० च० गु० ]

**समुद्री जीवविज्ञान** के अंतर्गत महासागरों, सागरों एवं उनके तटों के पादप एवं प्राणियों की संरचना, जीवनचक्र तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन वैज्ञानिक तथा प्रायिक महत्त्व के होते हैं, जैसे ज्वार मज्जमियों के प्रवास (migration) का अध्ययन। समुद्री जीवविज्ञान के अध्ययन से समुद्री जीवों के जीवनचक्र पर विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक कारकों (जैसे ताप, दाब, प्रकाश, चारा, पादप पोषक, लवणता आदि) के विभिन्न प्रभावों को जानने में सहायता मिलती है।

समुद्री जीवों की किस्में — समुद्री जीव दो प्रकार के होते हैं: पौधे तथा प्राणी। समुद्र में केवल प्रायिक समूह थैलोफाइटा (Thallophyta) और कुछ आकृतबीजी (Angiosperm) पौधे ही पाए जाते हैं। समुद्रों में मॉस (देखें हरिता) तथा पत्तौंग (moss and fern) बिल्कुल नहीं पाए जाते। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे तथा लाल शैवाल (algae) हैं (देखें शैवाल)। शैवाल आकार से सलगनक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये ५० मीटर से कम की गहराई में पाए जाते हैं। समुद्रो पौधों में वास्तविक जड़ें तथा वाहनीतंत्र नहीं होते, अतः वे पौधे अपनी सामान्य सतह से भोजन अवशोषित करते हैं। इन पौधों में जनन सूक्ष्म बीजाणुओं (spores) द्वारा होता है। इनके बीजाणु अस्पष्ट नर या मादा पौधे में, जिस युग्मकोषधिय पीढ़ी (gametophyte generation) कहते हैं, परिवर्धित हो जाते हैं। यह पीढ़ी फिर बीजाणु उत्पन्न करनेवाली बीजाणुउद्भिद् पीढ़ी (sporophytic generation) पैदा करती है। तैरते हुए परागकणों द्वारा निम्न फूलों का परागण होता है, जिससे वास्तविक बीज बनते हैं। समुद्री प्राणियों द्वारा संलग्न पौधों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। प्रमुख ज्वार सामग्री के रूप में सूक्ष्म उत्प्लावक, डायटम (diatom), पादप समबीजी (holophytes) तथा डाइनोफ्लैजिलेट्स (dinoflagellates) ही प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनका जनन भी सरलता से होता है। समुद्र में जीवाणुओं (bacteria) की संख्या भी अत्यधिक होती है, परंतु इनका महत्त्व केवल कार्बनिक वस्तुओं के क्षय (decay) तक ही सीमित है।

समुद्र में प्राणिकणों का असाधारण विकास हुआ है। लगभग सभी बड़े बंधों के प्रतिनिधि और कुछ बंध, जैसे टिनोफोरा

(Ctenophora), इकाइनोडर्मेटा (Echinodermata), फोरोनिडी (Phoronidea), ब्रैकिपोपोडा (Brachiopoda) तथा कीटोनेथा (Chaetognatha), के समस्त प्राणी केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। प्रकृत जल की मछलियों का विकास समुद्री मछलियों से ही हुआ है। सरीसृप (reptilia) समूह के साँप तथा कछुए, स्तनपायी (mammalia) समूह के ह्वेल, समुद्री गायें (sea cows), सील (seal) तथा फिशुक (porpoise) भादि प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं।

**समुद्री जीव प्रदेश** — समुद्री जीव-विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिये समुद्री वातावरण को विभिन्न खंडों एवं प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। यह विभाजन संयुक्त भौतिक एवं जैविक (physical and biological) निष्कर्ष पर आधारित है। प्रधानतः दो मुख्य प्रदेश होते हैं। (१) नितलस्थ (Benthic) और (२) वेलापवर्ती (Pelagic)। नितलस्थ प्रदेश में तलीय प्राणी तथा वेलापवर्ती प्रदेश में तल से लेकर समुद्र की सतह तक के प्राणी पाते हैं। ये दोनों प्रदेश एक दूसरे से सरलता से विभेदित किए जा सकते हैं। इनके कई उपखंड भी किए गए हैं।

नितलस्थ प्रदेश के ऊपरी भाग को वेलावली (Littoral) भाग कहते हैं। वेलावली भाग पुनः दो उपखंडों, यूलिटोरल (Eulittoral) तथा सबलिटोरल (sublittoral), में विभक्त किया गया है। गहरा समुद्री नितलस्थ निकाय (deep sea benthic system) भी दो क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, पूर्व नितलस्थ (२०० से १,००० मीटर) तथा वितलीय नितलस्थ क्षेत्र (१,००० मीटर से समुद्र तल तक)। वेलावली क्षेत्र के अंदर एक उच्चांतर क्षेत्र भी होता है, जिसमें समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र उच्चांतर से अनाच्छादित तथा अनाच्छादित होता रहता है। इस क्षेत्र के संलग्न पादप साधारणतया भीमी गति से बढ़नेवाले तथा लचीले होते हैं, ताकि वे समुद्री सहरों से अपना बचाव कर सकें। उच्चांतर क्षेत्र के प्राणियों की किस्म इस क्षेत्र के देतीसे अथवा अट्टानी किस्म पर निर्भर करती है। साधारणतः अनाच्छादित अट्टानी तट के प्राणी हृष्ट पुष्ट होते हैं। बहुधा इन प्राणियों के ऊपर भारी धारा-रेखित कवच (stream-lined shells) और बूझक संधा रचनाएँ होती हैं। ये रचनाएँ बंद आर्क्षित कवच को अट्टानों से चिपकाए रखती हैं। इस प्रकार ये प्राणी समुद्री सहरों के प्रभाव से बचे रहते हैं और आटा के समय अपने अंदर कुछ पानी रोक भी लेते हैं। बहुधा ये मोलस्का (Mollusca), नलिका कृमि (Tube worms) तथा बॉरनेफिस (Barnacles) स्थायी रूप से अट्टानों से जुड़े रहते हैं।

गहरे वेलावली क्षेत्र में संलग्न पीछे अविद्यता से पाए जाते हैं। प्रकांत महासागर के केलप बेड (Kelp beds) में १०० फुट लंबे मैक्रोसिस्टिस (Macrocystis) तथा नेरिफोसिस्टिस (Nereocystis) पाए जाते हैं, यद्यपि अधिकतर शीवाल छोटे होते हैं। इस क्षेत्र में आकर्षक साक्ष शीवाल पाए जाते हैं। इनका उपयोग ऐगार (agar) के उत्पादन में होता है।

पूर्व का प्रकांत गंभीर समुद्री नितलस्थ निकाय के केवल अन्वेष

क्षेत्र में ही संसृष्टि हो सकता है। वितलीय क्षेत्र में थोर अंधकार रहता है। इस क्षेत्र का पानी एक सा ठंडा रहता। इस क्षेत्र में मुख्य भोजन का उत्पादन नहीं होता। इस प्रकार मुख्य खाद्य की कमी के कारण यहाँ पर प्राणियों की संख्या भी कम होती है।

वेलापवर्ती क्षेत्र में प्लवक (plankton) तथा तरणक (nekton) अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में समुद्रतल के ऊपर का सारा पानी आता है। तटीय जल से २०० मीटर तक के जल क्षेत्र को नेरेटिक प्रदेश (Neretic province) तथा इससे अधिक गहरे जल के क्षेत्र को महासागरी प्रदेश कहते हैं। यद्यपि इन दोनों प्रदेशों को एक दूसरे से अलग करनेवाली सीमा स्पष्ट नहीं होती, फिर भी इनमें अलग अलग किस्म के प्लवक तथा तरणक होते हैं। उदाहरण के लिये, तलीय प्राणियों के अंडे तथा बच्चे और जेली फिश (jelly fish) की एकल अवस्थाएँ नेरेटिक क्षेत्र के विशिष्ट अस्थायी प्लवक हैं। नेरेटिक डायटम अघिकाधिक सुप्त बीजाणु (resting spores) उत्पन्न करते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में डूबकर तल में चले जाते हैं। महासागरी प्रदेश में अपेक्षाकृत अनाकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अतः इस क्षेत्र के पीछे नेरेटिक क्षेत्र की तरह सुप्त बीजाणु नहीं पैदा करते। महासागरी सतह के प्राणी नीले रंग के होते हैं। महासागरी क्षेत्र के गहरे जल में जहाँ सूर्य का प्रकाश या तो कम रहता है या रहता ही नहीं, प्राणियों का रंग बहुधा लाल, भूरा, बैंगनी काला, अथवा काला होता है। १०० से ३५० मीटर तक की गहराई में पाए जानेवाले प्राणियों में, विशेषकर मछलियों में, प्रकाशोत्पादक अंग पाए जाते हैं। ये अंग विशिष्ट प्रतिक्रियाओं में व्यवस्थित रहते हैं (देखें, मसूख)। संभवतः इससे अन्य प्राणियों को पहचानने में सुविधा होती है। मध्यवर्ती गहराई के नीचे अंधी मछलियाँ (blind fishes) तथा स्क्विड (squid) पाए जाते हैं। इनमें प्रकाशोत्पादक अंग नहीं होते। तलीय मछलियों (bottom living fishes) को अंधे होती हैं। संभवतः इनका उपयोग वे प्रकाशोत्पादक अंग द्वारा उत्पन्न प्रकाश में करती हैं।

समुद्र के मूल पारिस्थितिक कारक (Ecological Factors) — ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं : (१) भौतिक-रसायनिक कारक तथा (२) जैव कारक।

### १. भौतिक-रसायनिक कारक

जैविक महत्त्व के भौतिक-रसायनिक कारक साधारणतया परस्पर प्रभावशील होते हैं। ये कारक विभिन्न एवं जटिल तरीकों से जीवों के ऊपर प्रभाव डालते हैं।

(क) समुद्री जल माध्यम — समुद्री जल रासायनिक दृष्टि से अराशिक यो-य जैविक माध्यम है, क्योंकि इसमें जीवों की संरचना तथा पोषण के लिये आवश्यक तत्व विलयन के रूप में मौजूद रहते हैं। समुद्री जल की लवणता और अघिकांश समुद्री जीवों के, विशेषकर अयुष्कर्मियों के, देह तरल (body fluid) की लवणता लगभग समान होती है। इससे बाह्य वातावरण और आंतरिक देह तरल के मध्य अनुकूल परासरण संबंध बना रहता है। यह समपरासरी संबंध (isotonic relationship) देह में तरल की स्थिति सांख्यिक

को बनाए रखने में उत्सर्जन अर्थात् को सहायता पहुँचाता है। इसी कारण इन प्राणियों में अनेक कक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अलवण जल के प्राणियों की अतिपरासारी (hypertonic) यथा से सर्वथा भिन्न है, जिसमें देह तरल बाह्य वातावरण की अपेक्षा अधिक सांद्र होने के कारण परासरण द्वारा सन्तु होता रहता है।

**सायान्यतः** समुद्री जल क्षारीय होता है और उसकी बफर (buffer) क्षमता के कारण समुद्री जल के पीएच आयन सांद्रता (pH-ion concentration) में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। यह कैल्सियम अवक्षेपक प्राणियों के लिये वरदान सह्य है।

समुद्री जल का घनत्व अकवचित प्राणियों को, जैसे जेली फिश, सी ऐनीमोन (sea anemone) तथा श्लथ पोषों को, यांत्रिक सहायता पहुँचाता है और सभी वेलापवर्ती जीवों के उत्प्लावन में सहायक होता है।

**(ख) ताप** — समुद्री वातावरण का ताप - २° से ३०° से० के मध्य रहता है। जैविक क्रियाओं का ताप द्वारा नियंत्रित होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण कैल्सियम अवक्षेपण में मिलता है। गरम जल में कैल्सियम लवण का अवक्षेपण ठंडे जल की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होता है। इसी कारण भारी कवचित प्राणियों का उष्ण कटिबंधी जल में बाहुल्य है। मित्त (reef) उत्पादित करनेवाले प्रवाल (corals) की वृद्धि के लिये २०° से०, या इससे ऊपर, का ताप उपयुक्त होता है। इस कारण ये प्रवाल कम अक्षांश के उथले जल में ही पाए जाते हैं।

ऊष्ण कटिबंधी सागरों में पाए जाने वाले प्राणियों के स्पीशीज की संख्या ठंडे समुद्रों की अपेक्षा अधिक है, पर जनसंख्या का घनत्व साधारणतया कम है। ठंडे जल के प्राणियों का आकार उसी जाति के गरम जल में पाए जानेवाले प्राणियों से बड़ा होता है। प्लवकों के बारे में यह कहा जा सकता है कि ठंडे जल की अधिक श्यानता (viscosity) इसके लिये अंशतः उत्तरदायी है, क्योंकि अधिक श्यानता के कारण बड़े आकार के जीव कम ऊर्जा व्यय करने के बाद भी अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं २५° से० से ०° से० ताप हो जाने पर श्यानता दुगुनी हो जाती है। यह परिवर्तन तेरनेवाले जीवों के लिये, जिनका घनत्व इस प्रकार के जल के समान होता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठंडे जल के जीवों में लैंगिक परिपक्वता के पूर्व का वर्धनसमय लंबा होता है और संभव है कि इसी कारण इन जीवों का आकार तथा आयु बड़ी होती हो।

**(ग) ऑक्सीजन** — समुद्री जल में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा केवल नौ मिली० प्रति लीटर होती है, जबकि हवा में यह मात्रा २०० मिली० प्रति लीटर होती है। महासागरों के मध्य गहराई में न्यूनतम ऑक्सीजन स्तर (minimum oxygen layer) पाया जाता है। तल पर याइ सके पास कई आड़ियों में ऑक्सीजन या तो बहुत कम, या नहीं ही पाया जाता है। इस कारण तल के अधिकांश जीव पराश्रयी होते हैं। समुद्री प्राणियों में प्रायः ऑक्सीजन की निम्न मात्रा के प्रति सहन शक्ति की अधिकतम क्षमता होती है। इसका प्रमाण कैलानस (Calanus) का, ७०° से० तापवाले जल से, जिसमें

ऑक्सीजन की मात्रा एक मिली० प्रति लीटर से भी कम थी, प्राप्त होता है।

अंदगामी नितकस्थ प्राणी कभी कभी अत्यधिक ग्लूट साचा वाले तलीय कीचड़ में पाए जाते हैं। जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ केवल अनाेक्सी जीवाणु (anaerobic bacteria) ही जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजनहीन बहुत से वातावरण हैं, उदाहरण के लिये कृष्ण सागर का गहरा जल। साधारणतः महासागरों में प्राणी के श्वसन के लिये प्रचुर ऑक्सीजन पाया जाता है।

**(घ) प्रकाश** — यह पोषों के प्रकाशसंश्लेषण (photosynthesis) में प्रयुक्त होनेवाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश का प्राणियों की संरचना एवं उनके व्यवहार के साथ भी बनिष्ठ संबंध होता है। प्रकाश वेलापवर्ती प्राणियों के दैनिक प्रवास (migration) के नियंत्रण में उद्दीपन का कार्य करता है। यह कार्य विशेषतया ५० से ३०० मी० तक गहराई में पाए जानेवाले प्लवकों के दैनिक प्रवास में होता है।

सूर्य के प्रकाश में कोपिपोडा (Copepoda) तथा कीटोग्नाथा (Chaetognatha) समूह के प्राणी समुद्री सतह से दूर अंदर की ओर चले जाते हैं, परंतु सूर्यास्त के समय धीरे धीरे सतह की ओर आने लगते हैं। इन दोनों समूहों के प्राणियों की संख्या समुद्र की सतह पर सूर्यास्त से मध्य रात्रि तक अधिक रहती है।

३०० से १००० मी० तक की गहराई में सूर्य के प्रकाश की कमी तथा वितलीय गहराई में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण वहाँ के प्राणियों में विविध रूपांतरण एवं अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे एक-समान शारीरिक रंग, प्रकाशोत्पादक रचनाएँ आदि। प्रकाशोत्पादक रचनाओं सहित विभिन्न प्रकार के स्पर्शक अंग (tentacular organs) इन प्राणियों की विशिष्टता हैं।

**(च) पादप पोषक** — समुद्री जल में, इसके आरेपन के लिये आवश्यक सबूतों के अतिरिक्त, कुछ पोषक लवण, जैसे नाइट्रेट (nitrates), फॉस्फेट (phosphates), सोडा आदि, भी होते हैं। लवणता की तरह पोषक लवणों की सांद्रता पादप प्लवकों के अनियमित प्रयोग के कारण बदलती रहती है।

**(छ) जल परिसंचरण** — यह पोषों की वृद्धि के लिये एक मुख्य कारक है। आरोही जलधारा, या मद गति विसरण (diffusion), द्वारा ही पादप पोषकों का परिवहन गहरे स्तर से ऊपरी सतह पर होता है। उथले जल में परिसंचरण पर्याप्त गहरा होता है, ताकि वहाँ पर पोषक तत्व इसके साथ खिचकर ऊपर आ सकें। इसलिये तटीय क्षेत्र में समुद्री जीव प्रचुरता से पाए जाते हैं।

प्राणियों के साथ जल संचरण का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितिकारक ही होता है। जल संचरण के साथ जल का वायु परिसंचरण भी होता है।

## २. जैव कारक (Organic Factors)

इसके अंतर्गत जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मुख्यतः पोषण संबंधी होते हैं। इन संबंधों की मूल अभिमुखता (fundamental aspect) की जानकारी के लिये हम

पहले सूक्ष्म जीवों (पादप प्लवक तथा प्राणित् प्लवक) का प्रचलन करते हैं।

(क) बेलापवली जीव — समुद्र तल के केवल २ प्रति घट माघ में ही, संलग्न पोषो की वृद्धि के लिये, सूर्य का यथेष्ट प्रकाश पहुँच पाता है और इसका भी अधिकतम पोषो के लिये उपयोगी नहीं होता। विपुल पादप पोषको के उपयोग के लिये समुद्र की सतह से ५० मीटर की गहराई तक डायटम, डाइनाप्लैजिलेड तथा दूसरे सूक्ष्म पादपों ने अपना निष्क्रिय प्लवमान अस्तित्व बना लिया है। इन पादपों के प्लवमान होने का एक प्रमुख कारण इनका छोटा आकार है। मूल परिवर्धन तथा कोशिकाओं द्वारा माखा निर्माण इन पोषो के प्रतिरिक्त अनुकूलन है। इन सभी कारणों से इन पोषो की जनसंख्या में यथेष्ट वृद्धि हुई। अन्य कई विशेष कारणों से केवल ये ही पोषे अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं। सरागोसा (Saragossa) समुद्र ने मुक्त रूप से पाए जानेवाले सरागोसम के भपतृण (Saragossam weed) इसका भववाद है। यह एक बेलान्तली शैवाल (littoral algae) है, जो समुद्री बाराभों के साथ इस क्षेत्र में छा गया है।

प्रकीर्णित एवं सूक्ष्म पादपों के विपुल संभरण के उपयोग के लिये, विशेष प्रकार के पादपभोजी जीवों की आवश्यकता पड़ी। इस माँग की पूर्ति के लिये जाकाहारी 'फिल्टर फीडर' (Filter feeders) का एक प्लवकीय समूह, जिसमें मुख्यतः कोपिपोडा (Copepode) समूह के छोटे छोटे प्राणी (०.०५ से ८ मिमी०) हैं, उत्पन्न हुआ। इन समूहों की संख्या अत्यधिक है। इनके प्रतिरिक्त प्रोटोजोवा (Protozoans), नितलस्थ प्रपुष्टवधियों की अश्रं क व्यवस्थाएँ तथा कुछ विशेष मछलियाँ भी छोटे छोटे पादपभोजी हैं।

इन छोटे छोटे पादपभोजियों के दो मुख्य कार्य हैं : (१) सूक्ष्म प्राथमिक पोषकों का उपयोग तथा (२) प्राथमिक पोषकों का प्राणी पोषक में परिवर्तन। इस परिवर्तित भोजन का उपयोग प्लवक भोजी मछलियाँ, जैसे हेरिंग (Herring), मैकल (Mackerel) आदि, करती हैं। ये मछलियाँ कोपिपोड्स तथा अन्य प्लवकों को भी खाती हैं। स्तनपायी समूह का एक प्रमुख प्लवकभोजी ह्वेल-बोन ह्वेल (whale-bone Whale) है। यह सबसे बड़ा ज्ञात प्राणी है।

बेलापवली परभक्षी प्राणियों में ह्वेल का नाम उल्लेखनीय है। स्पर्म ह्वेल (sperm whale) रिकबड आदि को खाने के लिये गहरे पानी में पोता लगाता है। परभक्षियों में सर्वाधिक बहुभोजी किलर ह्वेल (Killer Whale) है।

नितलस्थ जीव — समुद्र तल में रहनेवाले प्राणियों की संरचना तथा पोषण सिद्धांत के अध्ययन के लिये समुद्री जल में निक्षिप्त सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। बार्नेकल (barnacle), क्लैम (clam), मसल (mussels), स्पंज (sponges), नलिका कृमि (tube worm) आदि द्रवते हुए प्लवकों को खाते हैं। इन प्राणियों को निलवन भोजी (suspension feeder) कहते हैं। समुद्री जल में गहरीपानी नितलस्थ भोजी प्राणियों की भी कमी नहीं है। केरडा (crab), लॉबस्टर (lobster),

तटीय मछलियाँ, सेफैलोपोड (Cephalopods), सी-स्टार (sea star) आदि अपभार्यकों, प्लवकों तथा स्वयं एक दूसरे को खाते हैं।

बहुत से नितलस्थ प्राणी विशिष्ट समुदायों में रहते हैं। एक समुदाय के विभिन्न प्राणियों में एक ही प्रकार की आवश्यकताएँ तथा आरपेन की एक ही सहनक्षमता होती है। ऐसे प्राणी वातावरण को ऐसा बना सकते हैं ताकि उनके समान अन्य प्राणी भी उनके समुदाय में सम्मिलित हों सकें। ऐसा वे आगतुक प्राणियों को अपने समुदाय में भोजन, शरण तथा आवश्यक पदार्थों को देकर करते हैं। समुद्री प्राणियों में सहवास भी पाया जाता है। समुदाय के अंदर रहनेवाले प्राणियों में अन्य ऐच्छिक तथा अनिष्ट संबंध, जैसे सहयोगिता (commensalism), सहजीवन, परजीविता आदि, भी पाए जाते हैं।

समुद्री जीवविज्ञान के अध्ययन के तरीके — किसी भी क्षेत्र के समुद्री जीवों की खोज की प्रारंभिक प्रक्रिया वर्णनात्मक होती है। इसमें उस क्षेत्र के पादप तथा प्राणियों की पहचान, उनका आकार तथा उनकी स्थिति आदि का उल्लेख किया जाता है। यह कार्य किसी नए क्षेत्र के लिये अत्यंत कठिन होता है। इसके लिये जीवविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इन विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित सूचना में प्रत्येक स्पीशीज का वर्णन संगृहीत रहता है। ये सूचनाएँ बाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन करनेवाले खोजकर्ताओं के लिये लाभप्रद होती हैं।

जीवों के संग्रह और विश्लेषण करने के तरीके तथा संगृहीत करने के बाद इनका अध्ययन खोजकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ये उद्देश्य वर्गीकी (Taxonomy), पारिस्थितिकी (Ecology), भ्रूण विज्ञान आदि से संबंधित हो सकते हैं। इन उद्देश्यों के साथ साथ जीवों के प्रकार तथा उनके वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। 'वेल्जर' में डार्विन की प्रसिद्ध खोज यात्रा के बाद से अर्जेंट कारकों के खोज में प्रयुक्त होनेवाले उपकरण (equipments) तथा प्रक्रियाओं में काफी उन्नति हो गई है। समुद्र में किसी भी गहराई का ताप जानने के लिये प्रतिबर्ती तापमापी का उपयोग किया जाता है। बैथी ताप-लेखी (Bathy thermograph) द्वारा समुद्र की सतह से लेकर तल तक के ताप का निरंतर अभिलेख प्राप्त हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश-वेद्युत-यंत्र (photoelectric apparatus) से मापी जाती जाती है। रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का मानांकन, लवणता तथा अन्य मुख्य पादप पोषक लवणों का अध्ययन किया जाता है।

पारिस्थितिक जानकारी के लिये किसी क्षेत्र के एक इकाई अवकाश (unit space) में पाए जानेवाले किसी स्पीशीज के व्यष्टियों की संख्या का निर्धारण एवं बाह्य वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय के अन्य पादपों एवं प्राणियों से इनके पोषण संबंध का अध्ययन भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही आता है। भ्रूण विज्ञान के अध्ययन के लिये जीवित नमूने प्रयोग-शाला में लाए जाते हैं, जहाँ इनके जीवनचक्र की प्रत्येक अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विविध प्रकार के पोषे कृष



उनके बीचों-बीच भी अध्ययन हेतु जाए जाते हैं। अन्य प्रकार के अध्ययन में, जैसे परासरणी संतुलन (osmotic balance), ऑस्मीजम की क्षमता, प्रकाशीय प्रभाव आदि, किए जाते हैं।

पारान्तर प्रदेश के नितलस्य संग्रह में साधारण खुदाई करने-वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। गहरे जल में निकर्षण (dredge) करने के लिये शक्तिचालित घण्टा पाल नौकाओं का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म पादप प्लवकों को अधिक मात्रा में एकत्रित करने के लिये, रेणुओं के बने जालों का उपयोग होता है। परंतु गुणवत्तक अध्ययन के लिये 'जल बोतल' (शीशे का १ ली० क्षमतावाले बेलनाकार बर्तन), जिनको किसी भी ऐच्छिक गहराई पर बंद किया जा सकता है, प्रयुक्त होते हैं। प्राणप्लवकों का वितरण अनियमित होने के कारण बड़े बड़े जालों का उपयोग किया जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मछलियों का पकड़ना एवं उनका अध्ययन भी इसी विज्ञान का एक अंग है। इसके लिये विभिन्न प्रकार के उपकरण परिस्थिति विशेष में प्रयुक्त होते हैं।

संसार के प्रायः सभी देशों में विशेष समुद्री जैवकेंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों एवं शोध सरकार के अधीन हैं। इन केंद्रों पर बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ होती हैं, जिनमें अन्तः अन्तः विषयों के विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य तथा प्राणियों के संबंध में शोध किए जाते हैं। [ नं० कु० रा० ]

**समुद्रीय मानचित्र (Naval Chart)** एक समुद्री नक्शा होता है, जो विशेषतया नाविकों के उपयोग के लिये तैयार किया जाता है। यह समुद्रतल के स्वरूप एवं उसकी विषमताओं को अभिव्यक्त करता है और नाविकों के लिये अधिकतम उपयोगी सूचना देता है। यह नाविकों को सागर और महासागर में नौबालन एवं एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जल पर यात्रा करने में सहायता करता है। इसकी सहायता से नाविकों को जहाज की भूमि से सापेक्ष स्थिति, स्टियरिंग की दिशा, जलयानों की दूरी और संकटक्षेत्र का ज्ञान होता है।

मानचित्र में जलस्रोत छोटे छोटे अंकों से अंकित रहता है। वे अंक, जो फ्रैडम अथवा फुट, अथवा दोनों में किसी विशेष स्थिति में औसत ग्यार भाटा के जल की गहराई को अभिव्यक्त करते हैं। स्थल का सर्वेक्षण कितनी ही सावधानी से क्यों न किया गया हो, परंतु यदि चाटों में गहराई की माप न दिखाई जाए, तो चाटों अर्थ रहता है। समुद्र की गहराई गहराई-मापी-ओर, तार अथवा ध्वनिक विधि से ज्ञात की जाती है। गहराई की माप की ज्ञात करने में प्रतिध्वनिक विधि का अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस विधि में पोटजल से एक विद्युत् आवेग संचारित किया जाता है, जो समुद्रतल पर आघात कर प्रतिध्वनि के रूप में परावर्तित होता है और जलफोन (hydrophone) से प्राप्त कर लिया जाता है। यदि समान्तर को ठीक प्रकार से माप लिया जाय, तो जल में ध्वनिवेग की ज्ञानकारी की सहायता से समुद्र की गहराई का मापन किया जा सकता है।

अक्षांश के प्रेक्षण के लिये अंगीकृत विधियों में से एक, कुत्रिम क्षितिज में सेकेंडेंट द्वारा प्रेषित नक्षत्रों का परियाम्योत्तर (circum-meridian) उन्नतता ज्ञात करना है। कालमापी (chronometer) शुद्धि प्राप्त करने के लिये सेकेंडेंट और कुत्रिम क्षितिज द्वारा सूर्य अथवा नक्षत्रों की समान ऊँचाई का उपयोग करते हैं। प्रसर्वक्षित, अथवा सर्वक्षित, क्षत्रों के चाटों को प्रायः बारीक रेखा में खींचते हैं, जिसको केवल देखने मात्र से अनुभवी नाविक समझ जाते हैं कि सावधानी की आवश्यकता है।

समुद्रीय तथा सामान्य चाटें जलसर्वेक्षण विभाग द्वारा संकलित किए जाते और खींचे जाते हैं तथा प्रकाशन के समय शुद्धता का ध्यान रखते हैं। [ रा० कु० ]

**समूह (Groups)** कभी कभी गणित में ऐसी क्रियाएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं जब उनमें से एक एक करके दो क्रियाएँ की जायें तो फल वही निकलता है, जो उसी प्रकार की एक ही क्रिया से निकल पाता। तबिक इन चार संख्याओं पर विचार करें :

$$१, -१, \sqrt{-१}, -\sqrt{-१}$$

जिन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं :

$$१, -१, i, -i$$

यदि किसी राशि को इनमें से दूसरी और तीसरी संख्याओं से गुणा करें, तो वही फल निकलेगा तो जो प्रथमी शीथी संख्या से गुणा करने से निकलता है। इसी प्रकार, यदि उपयुक्त संख्याओं में से किन्हीं दो से किसी राशि को गुणा करें, तो वही फल निकलता है जो उक्त संख्याओं में से एक ही संख्या से गुणा करने से निकल सकता है।

इस प्रकार की क्रियाओं के समुच्चय (set) को बंद समुच्चय कहते हैं और क्रियाओं के इस गुण को समूह गुण (Group property) कहते हैं।

**प्रतिस्थापन समूह (Substitution Groups)** — इस संबंध में सबसे पहला अध्ययन प्रतिस्थापन के बंद समुच्चयों का किया गया था और इनका प्रयोग सर्वप्रथम अक्षरों और चिह्नों पर किया गया था। गाल्वा (Galois) ने ऐसे बंद समुच्चय को संघ का नाम दिया था। तबिक इस अक्षरविन्यास पर विचार करें :

$$x, y, z, w, v, u$$

मान लें कि इन अक्षरों के क्रम को बदलकर इस प्रकार लिखते हैं :

$$y, w, z, v, x, u$$

तो स्पष्ट है कि पहले चार प्रत्ययों १ २ ३ ४ का हेक्फेर इस प्रकार ४ २ १ ३ हुआ है और प्रत्ययों ५ ६ का पारस्परिक हेक्फेर ६ ५ हुआ है। सातवें प्रत्यय को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। पहले चार प्रत्ययों में से भी दूसरे प्रत्यय का स्थान अक्षुण्ण रखा गया है। अब मान लें कि इसी क्रमपरिवर्तन को इस प्रकार लिखते हैं :

$$(५, ६) (४, ३) (३, २)$$

यह दोषक का यह अर्थ है कि ५ के स्थान पर ६, ३ को,

ब<sub>१</sub> के स्थान पर ब<sub>२</sub> और ब<sub>२</sub> के स्थान पर ब<sub>१</sub>। इसी प्रकार दूसरे कोष्ठक का अर्थ यह है कि ब<sub>३</sub> के स्थान पर ब<sub>४</sub> रखी और ब<sub>४</sub> के स्थान पर ब<sub>३</sub>। यदि हम अपनी संकेत लिपि को धीरे धीरे संक्रान्त करना चाहें, तो उक्त प्रतिस्थापन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं : (१ ५ ३) (२ ६)। प्रत्येक कोष्ठक के अंदर एक प्रतिस्थापन चक्र (cycle) पूरा हो जाता है।

यदि किसी समुच्चय के अक्षरों पर प्रतिस्थापन प लगाया जाय और फिर नए क्रम पर प्रतिस्थापन क लगाया जाय, तो इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर प्रतिस्थापन पक कहेंगे। यह प्रतिस्थापन क्रिया व्यर्थव्ययीय नहीं है। उदाहरण के लिये मान लें कि प = (ब<sub>१</sub> ब<sub>२</sub> ब<sub>३</sub>) और क = (ब<sub>२</sub> ब<sub>३</sub>)। तो पक का फल होगा ब<sub>२</sub>ब<sub>३</sub>ब<sub>१</sub>। इस पर प्रतिस्थापन क लगाने का फल होगा ब<sub>३</sub>ब<sub>१</sub>ब<sub>२</sub>। अब देखना चाहिए कि प्रतिस्थापन पक का क्या परिणाम निकलता है। समुच्चय ब<sub>१</sub>, ब<sub>२</sub>, ब<sub>३</sub> पर क लगाने का फल होगा ब<sub>२</sub>ब<sub>३</sub>ब<sub>१</sub>, और इस फल पर प लगाने का परिणाम होगा ब<sub>३</sub>ब<sub>१</sub>ब<sub>२</sub>। स्पष्ट है कि यह फल पक के फल से भिन्न है। अतः पक ≠ कप। जिस प्रतिस्थापन में केवल दो अक्षरों का एक चक्र हो, उसे पधांतरण (Transposition) कहते हैं।

यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि प्रतिस्थापनों का गुणन सहचरणीय (associative) है। अतः प(कब) = (पक)ब।

अमूर्त (Abstract) समूह — यदि किसी समूह की ऐसी परिभाषा दी जाए जिसका उक्त समूह के तत्वों के गुणों से कोई संबंध न हो, तो ऐसे समूह को अमूर्त समूह कहते हैं। साधारणतया अमूर्त समूह निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं :

(१) समुच्चय के किन्हीं दो तत्वों क, ख का गुणनफल एक तीसरा तत्व ग होगा, जो उसी समुच्चय का एक तत्व होगा, अर्थात् कख = ग।

(२) तत्व सहचरणीय होते हैं, अर्थात् क(खग) = कखग = (कख)ग।

(३) समुच्चय में एक तत्व के ऐसा भी होता है कि प्रत्येक तत्व क के लिये कके = केक = क। उक्त तत्व को सर्वसम तत्व (Identical element) कहते हैं।

(४) समुच्चय के प्रत्येक तत्व क का एक व्युत्क्रम तत्व क<sup>-१</sup> होता है कि कक<sup>-१</sup> = क<sup>-१</sup>क = के

सं० ब० — एच० हिल्डन : ऐन इंट्रोडक्शन टु दि थियोरी ऑफ ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर (१९०८); एल० ई० डिक्सन : लीनियर ग्रुप्स थिं ऐन एक्सपोजिशन ऑफ दि गार्ल्या फील्ड थियोरी (माइफिजिन) १९०१; डब्ल्यू बर्नेसहड : थियोरी ऑफ ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर (द्वितीय संस्करण १९१७)। [ब० नो०]

सम्राट् प्राचीन भारतीय नृपत्यों राजाओं का एक पद था। वैदिक युग के उत्तरार्ध से प्रत्येक क्षत्रियवासी राज्य साम्राज्य पद पाने का प्रयत्न करते लग्य। ऐतरेय ब्राह्मण (अध्याय, १५.२.३) में विभिन्न साम्राज्य क्षेत्रों में सिंग सिंग प्रकार के राज्यों का वर्णन आया है

धीरे कहा गया है कि प्राचीन विश्व के राज्या सम्राट् पद के लिये अभि-विक्र होते थे। मगध में प्रथम भारतीय साम्राज्य का विकास इतिहास से भी ज्ञात है। प्राये चलकर सम्राट् के लिये चक्रवर्ती, सार्वभौम और एकराट् आदि शिर्षों का भी प्रयोग होने लगा। वास्तव में वे सभी शब्द उक्त शासक के बोधक होते थे, जिसे स्वयं पूर्ण प्रभुसत्तात्मक शक्ति प्राप्त हो और जो अपने से बड़े किसी दूसरे राजा की अधिसत्ता न स्वीकार करता हो। अमरकोश (अभिय वर्ग ८) में सम्राट् उसे कहा गया है जो राजसूय का कर्ता, अन्य राजाओं का निर्बन्धक और मंडलेश्वर अर्थात् द्वादश राजमंडल का केंद्र (विजिगीषु) हो। कुछ काल बाद लिखी जानेवासी शुक्रनीति में (१.१८२ और प्राये) अनेक प्रकार के शासकों का वर्गीकरण उनकी आय के आधार पर किया गया है। उस क्रम में सामंत, मांडलिक, राजा, महाराजा और स्वराट् से बड़ा सम्राट् होता था जिसकी आय १ से १० करोड़ कार्षापण के बीच होती। सम्राट् के ऊपर किराट् और सार्वभौम रखे गए हैं। परंतु सम्राट् पद और साम्राज्य का आधार प्रायिक था, यह स्वीकार्य नहीं प्रतीत होता। वास्तव में उसका आधार राजनीतिक शक्ति थी। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में (गा० प्रो० सीरीज, पृष्ठ ६२) सम्राट् उस विजेता को कहा है जो दक्षिण समुद्र से हिमालय तक की सारी भूमि का विजय कर ले। किंतु वहीं वह स्थल चक्रवर्ती क्षेत्र भी कहा गया है। स्पष्ट है कि सम्राट् और चक्रवर्ती पर्यायवाची पद के रूप में व्यवहृत होते थे। कई शताब्दियों पूर्व कौटिल्य ने भी प्रायतः हिमालय क्षेत्र को चक्रवर्ती क्षेत्र माना था (अर्थ०, नवम, १)। वायु (अध्या. ८०-८७) और मत्स्य (११३.६-१५) में भी साम्राज्य क्षेत्र का यही विस्तार मिलता है। किंतु यह आदर्श मात्र था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे कुछ ही सम्राट् प्राप्त कर सके थे। गुप्तोत्तरकाल के सम्राट् पदधीचारी अनेकानेक शासकों में कोई भी उस आदर्श को पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सका। [वि० पा०]

सरकार, यदुनाथ (जदुनाथ) (१८७०-१९५८) का जन्म १० दिसंबर १८७० को राजशाही (पु० पाकिस्तान) से ८० मील उत्तर-पूर्व करछनरिया गाँव के एक बनावट कायस्थ घराने में हुआ। शिक्षा राजशाही और कलकत्ते में हुई। १८९२ में एम० ए० की परीक्षा अग्रेजी साहित्य में प्रेसीडेंसी कालेज से प्रथम श्रेणी में पास की और न केवल सर्वप्रथम रहे, किंतु अपने प्राप्त अंकों द्वारा एक नया रेकर्ड स्थापित किया। रिपन कालेज और विद्यासागर कालेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक का कार्य करने के पश्चात् १८९८ में प्रांतीय शिक्षा सेवा में चुन लिये गए और कलकत्ता, पटना तथा उरकल में क्रमशः अंग्रेजी साहित्य व इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। सबसे अंश काल पटना में (१९०२-१९१७, १९२३-१९२६) व्यतीत किया और वहीं से १९२३ में अवकाश ग्रहण किया। १९१७ में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष के पद पर हुई, किंतु अपने सात किन्हीं कारणों से उसे छोड़ कर रेंवेला कालेज, उत्कल चली गए। निदान १९१९ में ब्रिटिश सरकार ने उनकी योग्यता पहिचानी और भारतीय शिक्षासेवा में उनकी नियुक्ति

की। अचकाश ग्रहण करने के बाद दो साल के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय के अवैतनिक उपकुलपति रहे। १९२३ में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सी० आई० ई० और १९२६ में 'सर' की पदवी प्रदान की। १९४१ तक उन्होंने दार्जिलिंग और तत्पश्चात् कलकत्ता को अपना निवासस्थान बनाया, जहाँ १९५८ में उनकी मृत्यु हो गई।

यदुनाथ सरकार की पहली पुस्तक 'इंडिया ऑफ़ औरंगजेब, टॉपोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स ऐंड रोड्स' (India of Aurangzeb : Topography, Statistics and Roads) १९०१ में प्रकाशित हुई। 'औरंगजेब का इतिहास' (History of Aurangzeb) के प्रथम दो खंड १९१२ में छपे। इस पुस्तक का तृतीय खंड १९१६ में, चतुर्थ खंड १९१६ में और पाँचवाँ तथा अंतिम खंड १९२८ में छपा। उनकी पुस्तक 'शिवाजी ऐंड हिज़ टाइम्स (Shivaji and His Times) १९१६ में प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों में फारसी, मराठी, राजस्थानी और यूरोपीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री का सानधानी से उपयोग कर सरकार ने ऐतिहासिक खोज का महत्त्वपूर्ण कार्य किया और मूलभूत सामग्री के आधार पर खोज करने की परंपरा को दृढ़ किया। विशेष रूप से जयपुर राज्य में सुगन्धित फारसी प्रखवागत और अन्य अभिलेखों की ओर ऐतिहासिकों का ध्यान आकषित करने और उनको खोज कार्य के लिये उपलब्ध कराने का महान् कार्य सरकार ने किया। उनकी दृष्टि में औरंगजेब एक महान् विभूति था जिसने भारत को राजनीतिक एकतंत्र में बाँधने का प्रयास किया, किंतु अपनी योग्यता और अथक परिश्रम के बावजूद अपने दृष्टिकोण की संकीर्णता के कारण असफल रहा। शिवाजी ने भी एक नए एकतंत्र की नींव डाली, किंतु मराठा समाज की जातिव्यवस्था की विषमता को वह दूर न कर सके। अन्य मराठी नेताओं ने भी महाराष्ट्र के बाहर रहनेवाले हिंदुओं को सूट पाटकर संकीर्णता का सूत्र दिया। स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता को भारत के राजनीतिक ऐक्य का सबसे बड़ा शत्रु समझते थे।

उत्तर मुगलकालीन भारत की ओर यदुनाथ सरकार का ध्यान विलियम हरविन कृत 'लेटर मुगल्स १७०७-१७३६' का संपादन करते समय (१९२२) आकर्षित हुआ। १७३६ से १८०३ तक मुगल साम्राज्य के विघटन और सूवाई रियासतों के उत्थान का इतिहास उन्होंने चार खंडों में १८३२ और १९५० के बीच (हि० मुगल साम्राज्य का पतन, १९६१) प्रकाशित किया। ऐतिहासिक कला की दृष्टि से यह उनकी प्रौढतम रचना है। यदुनाथ सरकार की भाषा प्रभावशाली और सारगर्भित होते हुए भी बोझिल नहीं होती। ऐतिहासिक घटनाओं से नैतिक निष्कर्ष भी वे स्थान स्थान पर निकालते हैं।

यदुनाथ सरकार की अन्य कृतियों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं —

'एनेकडोट्स ऑफ़ औरंगजेब' (१९१९, तीसरा संशोधित संस्करण १९६२)

रण, १९४६); 'वैतम्याज लाइफ़ ऐंड टोचिंग्स' (१९२२, मूल खंड १९१२), 'स्टडीज इन मुगल इंडिया' (१९१६) 'मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन', (दोनों खंड १९२५); 'वेगम समक' (१९२५); 'इंडिया थू दी एजेज' (१९२८); 'ए शार्ट हिस्टरी ऑफ़ औरंगजेब' (१९३०); 'बिहार ऐंड उड़ीसा डयूरिंग द फॉल ऑफ़ द मुगल एगार' (१९३२); 'हाउस ऑफ़ शिवाजी' (१९४०), 'मघासिर - ए - घालमगीरी' (अबुजी अनुवाद, १९४०); 'हिस्टरी ऑफ़ बंगाल' (दूसरा भाग, संपा०, १९४८); 'पूना रेजीडेंसी कारेस्पॉन्डेंस' (Poona Residency correspondence) खंड १, ८ व १४ संपादित १९३०, १९४५, १९४६) 'गार्डन - ए - अकबरी' (जैरेट कृत अनुवाद का संशोधित संस्करण, (१९४८-१९५०); 'देहली अफेयर्स, १७६१-१७८८' (१९५३); 'मिलिटरी हिस्टरी ऑफ़ इंडिया' (१९६०)।

सरकार ने जयपुर राज्य का इतिहास भी लिखा। [ स० च० ]

**सरकैशिया** (Circassia) सोवियत संघ में, उत्तर पश्चिमी कॉकेशस पर्वतश्रेण में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से दो स्वशासित भागों में विभाजित है : अदिगेइ (Adygei) और चेरकैस (Cherkess)। अदिगेइ क्षेत्र का क्षेत्रफल ४,४२० वर्ग किलोमीटर है, जो क्यूबान (Kuban) नदी की सहायक ब्येलाया (Belaya) नदी की घाटी में स्थित है। माइकोप (Maikop) इसकी राजधानी है। पूर्व में चेरकैस क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल ४,००४ वर्ग किलोमीटर है। चेरकैस (Cherkess) इसकी राजधानी है। निचले क्षेत्रों की मुख्य फसलें गेहूँ और सूर्यमुखी हैं तथा पर्वतीय भागों में लकड़ी काटना व पशुपालन मुख्य व्यवसाय हैं। मध्य युग में सरकैशियावासी काकेशस पर्वतों में रहते थे। १० वीं से १३ वीं शताब्दी तक सरकैशिया जाजिया के शासन के अंतर्गत रहा, फिर कई शताब्दियों तक सरकैशिया स्वतंत्र रहा। सन् १८२६ ई० में सरकैशिया पर रूस का पूर्ण शासन कायम हुआ। फलस्वरूप लगभग पाँच लाख सरकैशियावासी टर्की और बल्गेरिया चले गए और अब केवल ६३,००० (१९५०) सरकैशियावासी रह गए हैं। इस क्षेत्र में निवास करनेवाली ही अन्य जातियों में रूसी और कॉकेशियाई जातियाँ हैं।

उच्च वर्ग के सरकैशियावासी मुसलमान हैं। सरकैशियावासी स्त्रियाँ सुंदरता के लिये प्रसिद्ध हैं और एक समय बादशाहों के हarem के लिये इनकी बड़ी चाह थी। [ स० सि० ड० ]

**सरगुजा** जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला तथा मध्य प्रदेश का सीधी जिला, पश्चिम में गढ़डोल जिला, दक्षिण में बिलासपुर जिला, दक्षिण-पूर्व में रायगढ़ जिला और पूर्व में बिहार का पालामऊ जिला स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल ८,६२६ वर्ग मील एवं जनसंख्या १०,३६,७३८ (१९६१) है। जिले के प्रमुख नगर अंबिकापुर, धिरमिरी तथा महेंद्रगढ़ हैं। जिले की प्रमुख नदियाँ कन्हार, रीहर और माहान हैं। ये उत्तर में सोन की ओर बहती हैं।

साँल नदी हरिण की ओर बहकर बाह्यसी नदी में मिल जाती है। उपर्युक्त नदियों में से कोई भी नौगम्य नहीं है। जिले का पूर्वी पठार और पर्वतश्रेणियाँ कायांतरित शैलों से निर्मित हैं तथा जिले एवं छोटा नागपुर के मध्य रोड का कार्य करती हैं। जिले के पहाड़ी जगहों में प्रमुख वृक्ष साल है। बाब, चीता, भासू, बंगली अँठे, गवाल और हरिण यहाँ पाए जाते हैं। माइलान (४,०२४ फुट ऊँची) तथा जाम (३,८२७ फुट ऊँची) प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। इमारती लकड़ियों के प्रतिरिक्त, कच्चा, साख तथा टसर रेशम अन्य बंगली उत्पाद हैं। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र है और अनुमान लगाया गया है कि यह क्षेत्र लगभग ४०० वर्ग मील में विस्तृत है। चिरमिरी की कोयला खानों से कोयला निकाला जाता है। धान जिले की प्रमुख फसल है। धान के प्रतिरिक्त मक्का, मड़ुआ, कोदो, तेलहन, कपास, सन, जौ एवं गेहूँ की फसल उपजाई जाती है। जिले में विस्तृत चरागाह हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के भिजापुर और बिहार के पालामऊ जिलों के पशु चरने के लिये भेजे जाते हैं। [प० ना० मे०]

**सरदार कवि** से काशिराज श्री ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के सम्प्रित कवि थे। इन्होंने अपने को ललितपुर के निवासी हरिजन कवीश्वर का आत्मज लिखा है। इनके पिता ब्रजभाषा के अछूते कवि थे। बंदीजन कविवर सरदार का रचनाकाल संवत् १९०२ से १९४० तक माना गया है। ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी पर काय-रचना करनेवालों में ये अपने समय के वस्तुतः सरदार थे। इनकी शृंगार तथा भक्ति विषयक रचनाओं में पर्याप्त माधुर्य है। शृंगार के क्षेत्र में इनकी अंतर्दुर्लभ अधिक रमी हुई दीक्ष पढ़ती है जिसके कारण नायिकाभेद एवं ऋतुवर्णन में इन्हें अछूती सफलता मिली है। इनकी भाषा आसंकारिक एवं अनुप्रासयुक्त है। सरदार कवि की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि प्राचीन काव्यों की इनकी सरस टीकाएँ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। टीकाओं में इन्होंने अपने प्रिय द्विष्य कविवर नारायण से भी सहायता ली है जिसका उल्लेख कई स्थलों पर है। यह इनके हृदय की विशालता का परिचायक है। आत्मयथाता के प्रकृतिवर्णन में इन्होंने भी परंपरानुसार अतिशयोक्ति का सहारा दिया है। काशिराज से इन्हें काफी संमान और धन प्राप्त हुआ था।

**कृतिर्षा** — साहित्यसरसी, हनुमत्सूचण, मानससूचण, सुलसी-सूचण, व्यंग्यविलास, बट्टुवर्णन, रामायणरत्नाकर, साहित्य-सुधाकर, रामलीलाप्रकाश आदि। टीकाएँ — सुखविलासिका, दूसरा नाम काशिराजप्रकाशिका (रसिकप्रिया की टीका), कविप्रिया का तिलक, सूरकृत दृष्टिकृत का तिलक, बिहारी सतसई का तिलक। शृंगारसंग्रह (प्राचीन काव्यसंग्रह)।

सं० सं० — खोजविवरण १९०९-११; आचार्य रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास। [राम० पा०]

**सरदेसाई, गोविंद सखाराम (१८६२-१९५९)** का मराठी के अर्धाचीन इतिहासकारों में अग्रगण्य स्थान है। जन्म १७ मई १८६५ को कोंकण, महाराष्ट्र, के गोविंद ग्राम में। वह कर्हाड साहूखे के और इनके पितामह ने छत्रपति शिवाजी, पेशवा, प्रतिनिधि इत्यादि की सेवा की। बाद में आर्थिक स्थिति गिर जाने के कारण पिता

सखागम महादेव ने खेती की। गोविंद सखाराम का बाल्यकाल काफी कठिनाई से बीता। शिक्षा रत्नगिरि, फर्ग्युसन कालेज पूना, और एल्फिंस्टन कालेज बंबई, में प्राप्त की। १८८८ में बी० ए० की डिग्री प्राप्त करने के बाद बड़ीदा रियासत के महकमा खाल में उनकी नियुक्ति हो गई और अगले ३७ वर्ष तक बड़ीदा राज्य की सेवा में रहे तथा जागीरदारों के लड़कों और महाराजकुमार को शिक्षा देने का कार्य भी करते रहे। १८९२ और १९११ के बीच वे सर समाजीराव गायकवाड़ के साथ कई बार यूरोप गए। गोविंद सखाराम को पारिवारिक सुख न मिल सका। उनके दोनों प्रतिभा-शाली पुत्र युवावस्था में ही तपेदिक के शिकार हो गए। १९२५ में उन्होंने राज्य से मनमुटाव के कारण एक छोटी पेंशन पर अवकाश ग्रहण किया।

उन्हें बाल्यकाल से ही इतिहास की ओर रुचि थी। उन्होंने विविध विषयों पर पुस्तकें लिखीं और मराठी में अनुवाद किया। १८९९ में 'मुसलमानी रियासत' प्रकाशित की (संशोधित संस्करण १९२७-२८)। तीन वर्ष बाद 'मराठी रियासत' का प्रथम खंड छपा। यह रचना ९ खंडों में अगले तीस वर्षों में पूरी हुई, और इसी बीच विविध खंडों के कई संशोधित खंड भी प्रकाशित हुए। यदुनाथ सरकार से उनका संपर्क १९०४ में प्रारंभ हुआ और एक आजीवन मैत्री ने परिणत हो गया। यदुनाथ सरकार से ऐतिहासिक विषयों पर उनका पत्रव्यवहार १९५८ में दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ (Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar, ed. H. R. Gupta)। अवकाश ग्रहण करने के बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पेशवा दफ्तर के अभिलेखों का ४५ जिल्दों में बंबई सरकार के तत्वावधान में प्रकाशन था (पेशवे दफ्तर निबडक कागदपत्र, Selections from the Peshwa Daftar; 1930-1934)। मराठी इतिहास के लिये और १८वीं शती के इतिहास के लिये यह ग्रंथ बहुमूल्य है, यद्यपि पेशो की तंगी, सरकार की बल्दबाजी इत्यादि के कारण संपादकीय दृष्टि से इसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं।

सरदेसाई के अन्य प्रकाशनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं — 'सरदेसाई चरण्यां वा इतिहास' (रजि० १९२५ १९२९); 'मैन करंट्स ऑव मराठा हिस्टरी' (१९२५, संशोधित २ रा संस्करण १९४८); 'हैंडबुक टु द रेकार्ड्स इन द एलिऐनेशन ऑफिस पूना (Handbook to the Records in the Alienation Office, Poona); 'ऐतिहासिक पत्रव्यवहार' (१९३३); 'श्याकांतची पत्रे' (१९३४); शाहजी, शिवाजी, सभाजी, राजाराम की जीवनीयाँ (१९३५-१९३६); 'पूना अफेयर्स' (संपादित, मैलेट, पामर, क्लोज तथा एल्फिंस्टन की एंबेसियाँ १९३६, १९४०, १९४०, १९४८) (Poona Affairs: Embassies of Mallet, Palmer, close and Elphinstone)।

मराठा इतिहास के अपने लंबे अध्ययन का निबोध सरदेसाई ने अपनी पुस्तक 'न्यू हिस्टरी ऑव द मराठाज' (New History of the Marathas, हि०, मराठी का नवीन इतिहास, १९६१-

१६६४) में छाया। यह ग्रंथ मराठा इतिहास की पुरानी और नवीन अध्ययनपद्धति के बीच की कड़ी है।

सृष्टु पूना के पास अपने निवासस्थान कमशेट में हुई। [स० च०]

**सरस्वती** १. ब्रह्मा की मानसपुत्री जो विद्या की प्रविष्टात्री देवी मानी गई हैं। इनका नामांतर शतरूपा भी है। इसके ग्रन्थ पर्याय हैं, वाणी, वाग्देवता, भारती, कारदा, वागेश्वरी इत्यादि। ये सुबलवर्णा, श्वेत वस्त्रधारिणी, बीणावादनतस्परा तथा श्वेतपद्मासना कही गई हैं। इनकी उपासना करने से मूल भी विद्या बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की परिपाटी अभी भी रही है। देवी भागवत के अनुसार ये ब्रह्मा की स्त्री हैं।

२. एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है। ऋग्वेद (२४१ १६-१८) में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। कहते हैं, यह नदी पंजाब में सिरमूर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुश्नूर होती हुई कर्नाल जिला और पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की टण्डरी (कागार) नदी में मिल गई थी। प्राचीन काल में इस संमिलित नदी ने राजपूताना के अनेक स्थलों को जलसिक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा तथा यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। कालांतर में यह इन सब स्थानों से तिरोहित हो गई, फिर भी लोगों की धारणा है कि प्रयाग में वह अब भी अंत सलिला होकर बहती है। मनुसंहिता से स्पष्ट है कि सरस्वती और टण्डरी के बीच का भूभाग ही ब्रह्मावर्त कहलाता था। [मु०]

**सरस्वतीकंडाभरण** काव्यतत्त्व का विवेचन करनेवाला सरस्वतीकंडाभरण संस्कृत-साहित्य-शास्त्र का एक माननीय ग्रंथ है। यह धारेश्वर महाराज भोजदेव की कृति है। महाराज भोजदेव का समय ईसवी सन् १०१०-१०५५ तक इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतएव सरस्वतीकंडाभरण का रचनाकाल ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य माना जा सकता है। इसके प्रयोक्ता काव्यप्रकाश के रचयिता मंमट (ई० सन् ११०० के लगभग) से किञ्चित् पूर्ववर्ती हैं। यद्यपि आनंदवर्चन द्वारा ध्वनिसिद्धांत की स्थापना हो चुकी थी तथापि उस समय तक काव्यात्मा के रूप में ध्वनि की माय्यता विवाद-ग्रस्त ही थी; अतएव साक्षात् रूप से ध्वनि को काव्य की परिभाषा में धारणा के रूप में स्थान देने की उद्यता न भोजदेव ने ही अपनाई और न भट्ट मंमट ने ही। दोनों आचार्यों ने काव्य में बोधाभाव तथा गुणवत्ता को प्रधानता दी है। भोजदेव की यह विशेषता है कि उन्होंने प्रलंकारों की उपादेयता कंठतः स्वीकार की है तथा काव्य के लिये रसाभिव्यक्त होना आवश्यक समझा है। यों भोजदेव के सरस्वतीकंडाभरण ने अंततः मंमट को एवं विश्वनाथ को प्रभावित किया है। सरस्वतीकंडाभरण एक दीर्घकाय ग्रंथ है जिसमें पाँच परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में रचयिता ने काव्यसामान्य की परिभाषा देने के पश्चात् सर्वप्रथम काव्य के दोष एवं गुण का विवेचन किया है। इसी अंतर्ग में भोजदेव ने पद, वाक्य एवं वाक्यांश-

गत दोष बताए हैं। हर प्रकार के दोषों की संख्या सोलह है। भोजदेव के अनुसार गुण, शब्दगत और वाक्यार्थ गत होते हैं और प्रत्येक के चौबीस भेद हैं। प्रथम परिच्छेद के अंत में कतिपय दोष कहीं कहीं गुण बन जाते हैं, इस काव्यतत्त्व को उदाहरण द्वारा समझाते हुए उन्होंने काव्यदोषों का नित्यानित्यत्व स्वीकृत किया है। द्वितीय परिच्छेद में शब्दालंकार का निर्णय करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम भौषिणी पर बल दिया तथा जाति, गति, रीति, वृत्ति, छाया, भ्रवा, उक्ति, मुक्ति, भण्डित, गुंफना, शब्दा एव पठिति का सोदाहरण विवेचन किया है। इन बारह तत्त्वों में से रीति को छोड़ शेष तत्त्वों का विशद विवेचन संस्कृत के किसी अन्य उपलब्ध साहित्यग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। बाणभट्ट ने काव्यसौष्ठव के विशेष तत्त्व, शब्दा का उल्लेख किया है परंतु उसकी परिभाषा केवल सरस्वतीकंडाभरण में ही उपलब्ध होती है। तत्पश्चात् यमक, श्लेष, अनुप्रास, चित्र, प्रहेलिका, गूढ एवं प्रश्नोत्तर प्रलंकारों के भूरि भेदोपभेदों का सोदाहरण विवरण दिया गया है। इस अंश में भी सरस्वतीकंडाभरण की सर्वथा निजी विशेषता है। तदनंतर भोजदेव काव्यव्युत्पत्ति के कारणों का विवेचन कर काव्य के तीन भेदों का श्रव्य, दृश्य एव चित्राभिनय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दृश्यकाव्य के अंतर्गत उन्होंने दशरूपकों का उल्लेख नहीं किया है वरन् द्रुत एव नृप्य पर ही उनका विभाजन समित है। तीसरे परिच्छेद में प्रवालकारों के स्वरूप एवं प्रकार भेद का विवेचन है जो इतर साहित्याचार्यों की अपेक्षा भिन्न स्वरूप को लिए हुए हैं। चौथे परिच्छेद में उभयालंकारों का विवेचन है जिसमें उपमा आदि प्रलंकारों के भेदोपभेदों को सविस्तार समझाया है। अंतिम परिच्छेद है रसविवेचन। इसमें नायकादिका तथा विभावों, भावों एवं अनुभावों का विस्तारपूर्वक स्वरूप निर्णय किया गया है; साथ ही साथ काव्यपाक, विविध रतिराग के स्वरूप का भी निर्देश है। अंत में भारती, कैशकी आदि वृत्तियों के विवेचन के साथ ग्रंथोपसंहार होता है। सरस्वतीकंडाभरण में रससिद्धांत की विवेचना प्रायः विषय पर एक विह्वगम दृष्टिमान है। काव्यगत रस गंभीर विषय है जिसकी गरिमा के साथ पूर्णतः न्याय करने की दृष्टि से भोज ने एक शृंगारप्रकाश नामक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना कर रसविवेचन के अध्याय की पूर्ति की है।

सरस्वतीकंडाभरण की विशेषता यह है कि यह इतर साहित्य-शास्त्रीय ग्रंथों की अपेक्षा व्यापक एवं व्युत्पादक ग्रंथ है। इसकी रचयिता भोजदेव ग्रंथविस्तार के भय से भीत होनेवाले नहीं हैं, उदाहरण दे देकर अनेक सूक्ष्म भेद एवं उपभेदों को समझाने का सदा वे उदार प्रयास करते हैं। यद्यपि उनके द्वारा उपस्थापित भेदोपभेदों की मान्यता परवर्ती ग्रंथकारों ने स्वीकृत नहीं की है तथापि उनके तात्त्विक विवेचन से सहसा असहमत होने की उद्यता भी कुत्रापि दृष्टि-गोचर नहीं होती।

इस ग्रंथ पर आक्षेपांत किसी टीका की रचना नहीं मिलती। पहले तीन परिच्छेदों पर रत्नेश्वर रामसिंहकृत दर्पण टीका तथा चौथे परिच्छेद पर प्रसिद्ध टीकाकार जगद्गुरु की विवरण नामक टीका उपलब्ध हैं, पंचम परिच्छेद पर टीका नहीं है। यह ग्रंथ निर्णय-सागर द्वारा प्रकाशित है। इसका अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है। सरस्वतीकंडाभरण में उद्धृत उदाहरण श्लोकों की सूची और उनके

रचयिताओं की श्रम कर एक सूची कर्नल जेकब ने बनाई है, जो हिंदिया ऑफिस लायबेरी, बंबन में सुरक्षित है। [सु० ना० भा०]

**सरस्वती, कवीन्द्राचार्य** इसा की सत्रहवीं शताब्दी में भारत में जो श्रेष्ठ तथा दिग्गज आचार्य कवि हुए उनमें कवीन्द्राचार्य सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे मूलतः महाराष्ट्रांतगत गोदावरी नदी के तीरस्थ किसी नगर के निवासी थे। यह स्थान प्रतिष्ठान (संप्रति भैठण) कहा गया है। कवीन्द्राचार्य आश्वलायन शास्त्रा के ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था में उन्हें सांसारिक विषयों से विरक्ति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बचपन ही में संन्यासाश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने जीवन के प्रारंभिक दिनों में वेद वेदांग, काव्यशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। उनके मूल नाम के संबंध में कोई प्रामाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।

स १६३२ ई० के आस पास वे सदा के लिये काशी में आकर बस गए। काशी में तत्कालीन पंडितों में उनका विशेष आदर था। वहाँ उनके पास एक उत्कृष्ट अनुपम पुस्तकालय था। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, व्याकरण, ग्याय, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, ज्योतिष वैद्यक, मंत्र तंत्र, पुराण, काव्य, अलंकार, नाटक, शिल्प इत्यादि विविध विषयों के लगभग २२०० ग्रंथ थे। इस पुस्तकालय की पुस्तकों पर कवीन्द्राचार्य सरस्वती की छाप है। संप्रति ये पुस्तकें बनारस, पूना, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता आदि स्थानों पर विक्रय गई हैं। काशी में अध्ययन करनेवाले अकिंचन छात्र इसका उपयोग करते थे।

कवीन्द्राचार्य सरस्वती संस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड पंडित थे। विद्या की प्रत्येक शाखा में पारंगत थे और इसी के फलस्वरूप शाहजहाँ के उन्हें 'सर्वविद्यानिधान' पदवी से विभूषित किया था। उनके संस्कृत ग्रंथों में कवीन्द्रकल्पद्रुम, जगद्विजयसूत्र, पदचंद्रिका, योगभास्कर, शतपथ ब्राह्मणभाष्य, ऋग्वेदभाष्य, तथा हिंदी ग्रंथों में कवीन्द्र कल्पलता, ज्ञानसार, समरसार आदि उल्लेखनीय हैं।

प्रकांड पंडित के अतिरिक्त कवीन्द्राचार्य सरस्वती हिंदुओं के सांस्कृतिक नेता के रूप में भी विशेष प्रसिद्ध हैं। मुगल सम्राट् शाहजहाँ के शासनकाल में काशी, प्रयाग आदि पवित्र स्थानों पर हिंदुओं से अत्यंत अमानुषिक रीति से यात्राकर वसूल किया जाता था। इस अन्यायमूलक एवं दृष्टकारक यात्राकर को हटाने के लिये अनेक राजा महाराजाओं ने प्रयत्न किए परंतु सफलता नहीं मिली। अंत में काशी के पंडितों ने शाहजहाँ के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसका नेतृत्व कवीन्द्राचार्य सरस्वती को सौंपा गया। कवीन्द्राचार्य ने मुगल दरबार में यात्राकर से परेशान हिंदू जनता की दुःखगाथा का वर्णन ऐसे प्रभावकारी और कष्टपूर्ण ढंग में किया कि उसे सुनकर दरबार के विदेशी राजदूत विस्मय-चकित हुए और शाहजहाँ तथा दाराशिकोह की आँखों में आँसू छनक पड़े। उन्होंने तत्काल यात्रा-कर-मुक्ति की घोषणा कर कवीन्द्राचार्य का संमान किया।

यात्रा-कर-मुक्ति की घटना भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अन्यायमूलक यात्राकर के हटने से सारा

हिंदू समाज हर्षित हुआ और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिये तत्कालीन पंडितों ने उनके लिये दो अभिनंदनग्रंथ समर्पित किए। संस्कृत ग्रंथ का नाम कवीन्द्रचंद्रोदय और हिंदी ग्रंथ का नाम है कवीन्द्रचंद्रिका। कवीन्द्राचार्य सरस्वती का स्वर्गवास अनुमानतः सन् १६६० ई० में हुआ था। [क० दि०]

**सरी सक्ती (शैख)** सरी अल सक्ती (उपनाम हुसन सरी) बिन अल मुफ्लिस सुन्नी संप्रदाय के एक सूफी थे। जुनेद बगदादी के शिष्य होते थे। सूरी, खरजि तथा खैर नस्साज से दीक्षित थे। अपने समय के महान् सूफी, सृष्टि के पक्षप्रदर्शक और बड़े आलम (धर्मपंडित) समझे जाते थे। आध्यात्मिक सिद्धांतों में अल मुहास्वी के अनुयायी थे। उनके कथनानुसार ईश्वर और मानव प्रेमसूत्र में संबद्ध हैं, और सच्चे प्रेमी को शारीरिक सताप सहन नहीं करना पड़ता। मर्द (पुरुष) वह है जो बाजार में भी ईश्वर के गुणगान में लग्न रहे। महाबली तथा मल्ल वह है जो अपनी दुर्भिलाषाओं को अपने वस्त्र में कर ले उन्होंने यह भी कहा कि जब हृदय में और कोई वस्तु होती है तो यह पाँच बातें वहाँ नहीं होती — ईश्वरभय, आशा, भ्रम, लज्जा तथा अनुकंपा। पुरुष वह है जिससे सृष्टि को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। जुनेद बगदादी के कथनानुसार सरी सक्ती चित्त तथा ईश्वर गुणगान में अद्वितीय थे। ६८ वर्षों तक कभी धरती पर नहीं बैठे। इन्ने हबल ने उनके इस मत का खंडन किया है कि कुरान के अक्षर अनुप्य रचित हैं। ध्यापार करते थे। ६८ वर्ष की आयु में २८ रमजान २५० (८७० ई०) अथवा २५३ (८६७ ई०) को स्वर्गवास हुआ। समाधि बगदाद में है।

सं० ग्रं० — इब्न अल जोजी : तल्बीस इस्लीस (मिल, १३४०) १८०-१९७; उबाजा फरीदुदीन उत्तार, तजकिरतुल घोलिया (निकलसन द्वारा संपादित) १,१७४-८४; मौलाना अहमदुर्रहमान जामी : नफहातुल उंस (नवलकिशोर, लखनऊ १३२३) ५५-५७; दारा शिकोह : सफ़ीनतुल घोलिया (उर्दू अनुवाद, कराँची, १९६१) ५८-५९; Encyclopaedia of Islam (London १९३४) ४, १९१। [सु० उ०]

**सर्पपुच्छ या एकियूरिडा (Echiurida)** यह ऐनेलिडा संघ (phylum Annelida) का एक छोटा विपथी (aberrant) वर्ग (class) है, जिसके जंतु कृमि के रूप के होते हैं। सर्पपुच्छों में एक विशिष्ट मुखपूर्वी पालि (preoral lobe) होती है, परंतु खंडीभवन (segmentation) के केवल चार शेष बिल्ल रहते हैं। इनका शरीर रंगीन, धेनीनुमा या बेलनाकार होता है। शरीर के अग्रिम मुखपूर्वी भाग में एक अत्यधिक संकुंचनशील शृंड (proboscis) होता है, जो आसानी से खंडयुक्त हो जाता है। शृंड के अघर (ventral) भाग में एक रोमान्ना खाँच (ciliated groove) होती है, जिसके पिछले भाग में उस स्थान पर जहाँ से शृंड बेहू से निकलता है, मुखद्वार होता है। बोनेलिया (Bonellia) में यह शृंड लंबा होता है और छोर पर दो फीनों में बँटा होता है। एकियूरस (Echiurus) में शृंड छोटा और घटकता हुआ होता है। सामान्यतः एक जोड़ा ऐसे हुए संकुंच

शूक अक्षर भाग में मुँह के ढोड़ा पीछे स्थित होते हैं। एकयूरस में एक या दो पंक्ति सांकुश शूक (hooked setae) देह के पश्च (posterior) भाग में भी होते हैं। इन्हें गुदा शूक (Analsetae) कहते हैं।

सर्पपुच्छ सामान्यतः केवल समुद्र में रहते हैं और अधिकतर उष्ण कटिबंधी (tropical) और उपोष्णकटिबंधी (subtropical) प्रदेश में समुद्रतल पर चट्टानों के सुराख में और पक्षरों के बीच पतली फीक में छिपे रहते हैं। एकयूरस बालू या कीचड़ में दो मुँह वाली नलियों का निर्माण करता है और उसी में रहता है। सर्पपुच्छों की आदत है कि वे अपना निवासस्थान बारंबार बदलते रहते हैं।

सर्पपुच्छ वर्ग तीन गणों में विभाजित है - (१) एक्ज्यूरोइनिया (Echiuroinea), (२) जेनोप्नुस्त (Xenopneusta) तथा (३) हेटरोमायोटा (Heteromyota)। एकयूरोइनिया में २३ वंश (genus) और ६७ जातियाँ हैं। जेनोप्नुस्त में चार जातियाँ हैं और हेटरोमायोटा में केवल एक जाति है।

देहभित्ति की मासपेशियाँ एक पक्षर के समान होती हैं, या कई तंतुओं (bundles) में संगृहीत रहती हैं। त्वचा पर अनेक छोटे छोटे पैपिला (papillae) होते हैं। देह गुहा के पश्च छोर में दो विशिष्ट रचनाएँ होती हैं, जिन्हें गुदा आशय (anal vesicles) कहते हैं। गुदा आशय लंबी नलियों के आकार के होते हैं और कई शाखाओं में विभक्त रहते हैं। ये गुदा आशय देहगुहा में फेने रहते हैं और उत्सर्जन अंगों का काम करते हैं। गुदा आशय की भित्ति में अनेक पक्षाभिकामय छिद्र होते हैं, जो देहगुहा में खुलते हैं। दोनों गुदा आशय मलाशय में दोनों तरफ खुलते हैं। इन्हें परिमित वृक्कक (nephridia) माना जाता है।

देहगुहा में कोई विशेष आंत्र योजनी (mesentery) नहीं होती, परंतु देहभित्ति के प्रत्येक भाग से ऊतक सूत्र (strands of tissue) देहगुहा में एक तरफ से दूसरी तरफ फैले रहते हैं और आहार नली की भित्ति से जुड़े रहते हैं। देहगुहा विस्तीर्ण होती है और इसमें तरल होता है, जिसमें बहून से कण होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि इन कणों में हीमोग्लोबिन होता है।

सर्पपुच्छों की आहारनली एक लंबी ऐंठी हुई नली की तरह होती है और कई पृथक् भागों में विभाजित रहती है। एक सहायक अंत्र (accessory intestine) या साइफन भी होता है। सहायक अंत्र आहारनली के अग्रभाग (anterior) से निकलती है और आंत्र के पश्चभाग में खुलती है। मलाशय की भीतरी उपकला (epithelium) में अनेक एककोशिक पेशियाँ होती हैं। दोनों गुदा आशय मलाशय के दोनों तरफ खुलते हैं। गुदा देह के अग्रिम भाग में होती है।

संवहन तंत्र (vascular system) में एक पृष्ठवाहिका (dorsal vessel) आहार नली के अग्र भाग में होती है और एक अक्षर अक्षितंत्रिकीय वाहिका (ventral supra-neural vessel) होती

है। इन दोनों वाहिकाओं में अग्र भाग और पिछले भाग में संबन्ध रहता है।

एकयूरस में लिंग पृथक् होते हैं। नर और मादा बाहर से समरूप होते हैं। बोनेलिया में नर और मादा का बाह्य स्वरूप बहुत भिन्न होता है। बोनेलिया में नर बहुत छोटे होते हैं और वे मादा के शरीर पर, या शरीर के अंदर, परजीवी की तरह रहते हैं। नर के शुक्राणु (spermatozoa), देहगुहा की उपकला के अक्षर (epithelial lining) के उस भाग से जो अक्षर अक्षितंत्रिकीय वाहिका के ऊपर रहता है, उत्पन्न या उद्भूत होते हैं। ये युग्मक (gametes) देहगुहा में स्फुटित होते हैं, जहाँ वे परिपक्व होते हैं और अग्र वृक्कक के रास्ते बाहर निकलते हैं। अग्र वृक्कक शरीर के अग्र भाग में सुराख द्वारा बाहर खुलते हैं। नर की आहार नली बाहर नहीं खुलती। बोनेलिया का रंग हरा होता है। यह हरा रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसको बोनेलिन कहते हैं। बोनेलिन क्लोरोफिल से बहुत भिन्न होता है।

सर्पपुच्छों की केंद्रीय तंत्रिका में एक अक्षर तंत्रिका रज्जु (ventral nerve cord) होती है, जो पूर्णरूप से देहभित्ति के भीतर होती है। अग्र भाग में यह रज्जु दो भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों भाग प्रासनली (oesophagus) को घेरकर मुँह के अग्र भाग में जुड़ जाते हैं। तंत्रिकाओं की विशेषता यह होती है कि इनमें गुच्छिका शोथ (ganglionic swellings) नहीं होते हैं और तंत्रिका कोशिकाएँ (nerve cells) पूरे तंत्र में एक रूप से वितरित रहती हैं। रज्जु के अक्षर भाग में एक पतली नली होती है। यह नली रज्जु के पश्च भाग और अक्षितंत्रिका गुच्छिका (supra oesophageal ganglion) में नहीं होती है। सर्पपुच्छ में कोई विशेष ज्ञानेंद्रिय नहीं होती।

एकयूरोइडिया और साइपनकुलोइडिया में कुछ समानताओं के कारण दोनों समूहों को मिलाकर एक वर्ग (class), गेफिरिया (Gephyrea), बना दिया गया था। इन दोनों समूहों की समानताएँ, विशेष कर से वृक्कको की रचना, देहगुहा के विस्तीर्ण लक्षण और अक्षर तंत्रिका रज्जु के अकेलेपन में, हैं। परंतु ऊपर दी हुई समानताओं के बावजूद कई गहरी असमानताएँ भी हैं, जैसे साइपनकुलोइडिया में मुसपूर्वी पालि तथा गुदा आशय और सांकुश शूक का पूर्ण अभाव। एकयूरोइडिया और साइपनकुलोइडिया में गुदा की स्थिति में भी बहुत अंतर है और साइपनकुलोइडिया में डिम और प्रोड दोनों में खंडीभवन का पूर्ण अभाव होता है। इन कारणों से दोनों वर्गों को एक वर्ग में रखना उचित नहीं है और बहुत से लेखकों ने साइपनकुलोइडिया को एक अलग संघ माना है। [ प्र० ना० मे० ]

सर्पमीन (Eel) के वृद्धास्थि मत्स्यों के ऐपोडीज गण (order Apodes) के म्युरीनिडी कुल (family Muraenidae) की सर्पाकार मछलियाँ हैं, जिनका जीवनचक्र बहुत अनोखा होता है। वे बामी कहलाती हैं। इनकी कई जातियाँ हैं, जो हिंद महासागर, भूमध्य सागर, ऐटलैंटिक महासागर, प्रशांत महासागर तथा यूरोप के पश्चिमी भाग के समुद्रों में फैली हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध

ऐंग्विला ऐंग्विला (A. anguilla) मैक्सिको के पास बरम्पूडा सागर में घड़े देती है, जिनमें से छोटे छोटे चपटे पारदर्शी बच्चे निकलते हैं। ये धनगिनत बच्चे घड़े से बाहर आते ही पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं और समुद्र की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। तीन चार वर्षों तक बराबर चलकर, ये तीन हजार मील का सफर पूरा कर लेते हैं और तब इनका शरीर गोल और तीन इंच तक का हो जाता है। कुछ समय और बीतने पर इनका शरीर पतला और सूच्याकार हो जाता है। ये सिक्कुकर कुछ छोटे हो जाते हैं और उनकी आकृति बामी जैसी हो जाती है। इस परिवर्तन के बाद वे भीठे पानी के लिये आधुर हो उठते हैं और समुद्र से उनके झुंड के झुंड नदियों, झीलों और ताल-तलैयाँ में घुम जाते हैं, जहाँ नर १२ से २० इंच तक लंबे और मादा १४ से २६ इंच तक लंबी हो जाती है। इस प्रकार घाठ नौ वर्षों का जीवन बिताने के बाद, सहसा उनमें फिर परिवर्तन होता है। उनका पूरा शरीर कपहला हो जाता है, झिल्लें बड़ी हो जाती हैं और बूझन नुकीला हो जाता है। वे एकदम खाना पीना बंद करके, फिर समुद्र की ओर लौटकर पश्चिम की ओर लौट पड़ती हैं। इस प्रकार निरंतर चलकर, वे फिर अपने अन्तस्थान में पहुँच जाती हैं और वहीं घड़े देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।

बामी देखने में साँप सी लगती है। इनका शरीर लंबा, सुफने मुलायम और शरीर चिकना रहता है। गलफड़ों की जगह इनके बोनो बगल शिगाफ-सी कटी रहती हैं और मुँह में तेज दाँत रहते हैं। पुष्ठीय पल (dorsal Fin) और गुह्य पल (anal Fin) लंबा और पुच्छपल (caudal Fin) छोटा रहता है। शरीर का ऊपरी भाग हरछोह भूरा और बगल का पिलछोह रहता है।

बामी समुद्रों, नदियों, तालाबों तथा कीचड़ और दलदलों में रहती है। ये ब्रह्मर दिन में अपने को कीचड़ में गाड़ लेती हैं और रात में भोजन के लिये इधर उधर फिरने लगती हैं। ये सर्वभक्षी मछलियाँ हैं, जिनकी कोई कोई जाति पाँच फुट तक लंबी होती है और वजन में १० सेर तक पहुँच जाती है। [सु० सि०]

**सर्पविद्या** सर्पों से मनुष्य आदि काल से ही डरता आया है। उस समय मनुष्य नहीं समझते थे कि सभी सर्प विषधर नहीं होते। अतः सर्प के काटने पर मंत्र का प्रयोग किया जाता था। जब किसी सर्प के काटने से विष नहीं चढ़ता था तो समझा जाता था कि यह मंत्र का प्रभाव है। साँप के काटे पर मंत्र का प्रयोग करना बड़ी उपयोगी विद्या मानी जाती है। वैदिक युग में सर्पविद्या की भी गणना अन्ध विद्याओं में की जाती थी। सर्पों को प्रसन्न करने के लिये मंत्र जपे जाते थे और उनके विष का निवारण करने के लिये भी मंत्र का प्रयोग होता था। इस समय भी सर्पदंश के विष को दूर करने के लिये कई प्रकार के मंत्र काम में लाए जाते हैं।

हिंदू लोग नागपंचमी पर सर्पों की पूजा करते हैं। साँप के काटने पर जब मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो काटा हुआ मनुष्य प्रभावित होकर कभी कभी बात करने लगता है। यह संभव है कि ऐसे मनुष्य को विषहीन सर्प ने काटा हो। उस मनुष्य की बात साँप

की बात मानी जाती है और मंत्रप्रयोक्ता उससे आग्रह करता है कि वह उस मनुष्य को छोड़ दे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंत्रबलित से काटनेवाला सर्प वहाँ भा जाता है और कभी कभी अपने विष को बापिस चूस लेता है। परंतु इसमें तथ्य कितना है, कहना कठिन है। सर्पदंश पर मंत्रप्रयोग की कई विधियाँ हैं। कोई भीम के भीरे से, कोई फूडू से और कोई शास्त्र के द्वारा या अन्य विधि से मंत्र बोलकर विष उतारता है। [म० सा० प०]

**सर्वजीववाद या जड़समीहावाद (Animatism)** कुछ व्यक्ति जड़ प्रपञ्च अथवा प्राकृतिक पदार्थों में आत्माओं (spirits) या जीवात्माओं (souls) का तो अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, परंतु उनमें भी एक प्रकार का व्यक्तित्व और इच्छाशक्ति या समीहा (will) मानते हैं। उदाहरणार्थ, वे यह तो नहीं कहेंगे कि कीट पतंगों, पेड़ पौधों, ग्रह उपग्रहों या तारागण आदि में मनुष्य की जैसी आत्माएँ हैं, परंतु वे यह विश्वास अवश्य करते हैं कि इस प्रकार के पदार्थों में भी इच्छाशक्ति या समीहा होती है। मानवों की ऐसी ही आत्मा को सर्वजीववाद या जड़समीहावाद कहते हैं। दार्शनिक भाषा में सर्वजीववाद या जड़समीहावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार भौतिक पदार्थों एवं प्राकृतिक घटनाओं के अंतस्थल में भी (जिनकी व्याख्या वैज्ञानिक व्यक्ति एकमात्र नैसर्गिक नियमों के अन्वेषण और प्रतिपादन द्वारा करते हैं) इच्छाशक्ति के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है।

कुछ विचारकों एवं प्राधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में सर्वजीववाद या जड़समीहावाद मानव का एक प्रारंभिक विश्वासमान है, प्रमाण-पुष्ट सिद्धांत नहीं। उनके अनुसार वह मनुष्य के उन मानसिक प्रयत्नों में से एक है जो उसने अपने बौद्धिक जीवन के शोभावकाल में जड़ जगत् के क्रियाकलाप को समझने के लिये किए। चूँकि उसने अपनी अनेक शारीरिक क्रियाओं को अपनी व्यक्तित्वगत समीहा से समुद्भूत या संचालित होती हुई अनुभव किया था, अतः वह उसके लिये स्वाभाविक ही था कि वह समय समय पर घटनेवाली या सतत होनेवाली प्राकृतिक घटनाओं का भी उद्गम एक प्रकार की व्यक्तित्वगत समीहा या इच्छाशक्ति को ही माने। परंतु उसकी यह मान्यता या आत्मा मानवीय क्रियाओं और प्राकृतिक घटनाओं के अर्थार्थ एवं केवल बाह्य सादृश्य पर ही आधारित होने के कारण तार्किक दृष्टि से समीचीन नहीं समझी जाती, और उसे आवश्यक एवं संबंधित तथ्यों के निरीक्षण न करने के दोष से युक्त भी कहा जा सकता है। जब स्वयं मनुष्य के शरीर की भी अनेक क्रियाएँ, जैसे हृदय की गति, रक्त का संचरण, पाचनक्रिया आदि, उसकी ऐच्छिक क्रियाएँ नहीं कही जा सकतीं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वृक्षादि के विकास एवं ग्रहों के गमनादि की क्रियाएँ समीहापूर्वक संचालित होती हैं? [रा० सि० नो०]

**सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र** सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार के घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में मिलती है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ बिना किसी प्रकार के धार्मिक, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के



मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिये प्रयत्नशील है ( चैम्स एफ० ग्रीन - दि यूनाइटेड नेशंस ऐंड ह्यूमन राइट्स )। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व लोग डॉब नेशंस नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नास्वी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् १९४१ में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोपासना, आर्थिक प्रभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल हैं। अयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद उसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद् की पहली बैठक में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम १० जून सन् १९४८ को समाप्त हो गया और १० दिसंबर सन् १९४८ को सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नोक्त स्वीकार कर लिया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी घोषणा में कहा है कि सभी देशों और सभी राष्ट्रों में प्रत्येक मनुष्य और समाज की प्रत्येक संस्था के अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा का समान समान आधार पर किया जाएगा। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र को ध्यान में रखकर सभी देशों और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिये इन अधिकारों की व्यवस्था राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आधार पर की जाएगी। इनका प्रचार और प्रसार किया जाएगा।

सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र की धारा १ तथा २ में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा और अधिकार समान हैं अतः प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पाने का अधिकारी है। उनमें किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा अभिमत, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म, पद आदि का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धारा की धाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने, स्वतंत्रता का उपयोग करने तथा अपने आपको निरापद बनाने का अधिकार है (३)। किसी व्यक्ति को दास बनाकर नहीं रखा जा सकेगा, दासता और दासों के सभी प्रकार के क्रय विक्रय पर कानूनी प्रतिबंध रखा जाएगा (४)। किसी व्यक्ति को शारीरिक श्रम नही दी जाएगी और न क्रूरतापूर्ण तथा अमानवीय शर्तों ही किया जाएगा। किसी व्यक्ति का न तो अपमान किया जाएगा और न उसे अपमानजनक ढंग ही दिया जाएगा (५)। प्रत्येक व्यक्ति को संसार के प्रत्येक भाग में कानून की दृष्टि में समान मनुष्य समझे जाने का अधिकार है (६)। कानून की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उन्हें कानून का समान संरक्षण पाने का अधिकार है। इस घोषणापत्र का उल्लंघन होने और भेद-

भाव किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा (७)। विधान या कानून से प्राप्त मौलिक अधिकारों का अग्रहण होने की स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारसंपन्न राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा परित्राण पाने का अधिकार है (८)। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार और तजरबद न किया जा सकेगा और न उसको निष्कासित किया जा सकेगा (९)। आरोप और अभियोगों की जांच तथा अधिकार और कृत्यों का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीशों द्वारा उचित और खुले रूप से कराने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा (१०)। खुली मद्दालत में मुकदमा चलाकर सजा मिले बिना, जिसमें उसे अपने बचाव की सभी आवश्यक सुविधाएँ दी गई हों, प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष समझा जाएगा; किसी भी ऐसे कार्य या गलती के लिये किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराया जायगा जो उस समय अपराध न माना जाता रहा हो जब वह कार्य या गलती हुई हो, और न उससे अधिक सजा दी जा सकेगी जो उस समय कानून के अनुसार मिल सकती हो अतः वह कार्य या गलती हुई थी (११)। किसी के एकांत जीवन, परिवार, धर्म या पत्रव्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाएगा और न उसके समान और प्रतिष्ठा पर ही किसी प्रकार का आघात किया जाएगा और अनुचित हस्तक्षेप के विषय कानूनी संरक्षण का अधिकार रहेगा (१२)। प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य की सीमा के अंदर स्वेच्छापूर्वक आने जाने और मनचाहे स्थान पर बसने का अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने और वहाँ से लौटने का अधिकार है (१३)। प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से परित्राण पाने के लिए दूसरे देशों में जाने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा जो अराजनीतिक मामलों के कानूनी अपराधी होंगे। जो लोग संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रतिफल होंगे उन्हें भी यह अधिकार नहीं मिलेगा (१४)। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक बनने का अधिकार है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और न राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार ही उससे छीना जा सकता है (१५)। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और धर्म के प्रतिबंध के बिना विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को विवाह करने, वैवाहिक जीवन में और विवाह संबंधविच्छेद के मामलों में समान अधिकार हैं। परिवार को समाज और राज्य संरक्षण प्राप्त होना (१६)। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति पर स्वामित्व करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा (१७)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण, धर्मोपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें धर्मपरिवर्तन, धर्मोपदेश, व्यवहार, पूजा और अनुष्ठान की स्वतंत्रता सम्मिलित है (१८)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सूचना प्राप्त करने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है (१९)। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिमय सभा करने और संघटन बनाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को किसी संघटन में रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता (२०)।

मानव अधिकारपत्र की २१वीं धारा में कहा गया है कि प्रत्येक

व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अग्र्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने का समान अधिकार प्राप्त है। प्रशासन का संचालन जनता के इच्छानुसार होगा और जनता की इच्छा, समय समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुप्त या प्रकट मतदान के आधार पर हुए निर्वाचनों से प्रकट होगी। समाज के सदस्य की हैसियत से प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है (२२)। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, स्वतंत्रतापूर्वक पेशा चुनने, काम करने के लिये व्यावसायिक एवं अनुकूल परिस्थितियों तथा बेकारी से सुरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान कार्य के लिये समान वेतन पाने का अधिकारी है। उसे उचित पारिवारिक पाने और मजदूर सघ बनाने का अधिकार है (२३)। प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य तथा हितवर्धन के लिये अपेक्षित जीवनस्तर प्राप्त करने का, भोजन, वस्त्र, निवास, उपचार और आवश्यक सामाजिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है (२४)। माता और बच्चे की देखभाल और सहायता पाने का भी वह अधिकारी है (२५)। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं निशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं एवं मानव अधिकारों के प्रति संमान में वृद्धि करना होगा। इसके द्वारा सब राष्ट्रों और जातीय या धार्मिक समुदायों के बीच विचारों के सार्वजनिक, सहिष्णुता और मैत्री की प्रोत्साहित किया जाएगा तथा शांतिरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्रमंडल की ओर से होनेवाले कार्यों में सहायता प्रदान की जाएगी। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, इसका अधिकार उनके मातापिता को है (२६)। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कला कृति से मिलनेवाली ख्याति तथा उसके भौतिक लाभ की रक्षा का भी उसे अधिकार है (२७)।

मानव अधिकारपत्र की २८, २९ और ३० वीं धाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिकारपत्र के अनुरूप सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए समाज के प्रति उत्तरदायी है और उसका कर्तव्य है कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का समान करे। दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा, नैतिकता, सार्वजनिक शांति और जनतांत्रिक समाज के सामान्य हितों के लिये कानून द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी दशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं हो सकेगा। इस घोषणा का यह भी अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि किसी राज्य, व्यक्ति, समुदाय अथवा व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य में संलग्न होने या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य इस घोषणा में निहित अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं में से किसी का भी उन्मूलन करना हो।

[ अं० ६० ]

सर्व-सेवा-संघ गांधी जी द्वारा या उनकी प्रेरणा से स्थापित रचनात्मक संस्थाओं तथा संघों का मिला जुला संगठन है। संघोचित नियमों के अंतर्गत यह देश भर में फैले हुए 'लोकसेवकों का एक संयोजक संघ' भी बन गया है।

उद्देश्य और नीति — सर्व-सेवा-संघ का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसका आधार सत्य और अहिंसा हो, जहाँ कोई किसी का शोषण न करे और जो शासन की अपेक्षा न रखता हो।

सर्व सेवा-संघ शांति, प्रेम, मैत्री और करुणा की भावनाओं को जाग्रत करते हुए साम्ययोगी अहिंसक क्रांति के लिये स्वतंत्र जनशक्ति का निर्माण तथा प्राध्यात्मिक और वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहता है।

समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना और समग्र मानव व्यक्तित्व का विकास करना संघ की बुनियादी नीति होगी। इसके लिये संघ का प्रयत्न रहेगा कि समाज में जाति, वर्ण, लिंग आदि तत्वों के आधार पर ऊँच नीच का भेदभाव निर्मूल हो, वर्गसंघर्ष के स्थान पर वर्गनिराकरण और स्वेच्छा से परस्पर सहकार करने की वृत्ति बढ़े तथा खाबी तथा विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्र में प्राथमिक विषमता का निरसन हो।

सर्वसेवासंघ की बुनियादी इकाई 'प्राथमिक सर्वोदय मंडल' है, जो दस 'लोकसेवकों' को लेकर बनता है। इससे संबद्ध देश के कुल ३३३ जिलों में से २०३ जिलों में जिला सर्वोदय मंडल बने हैं। इस समय कुल १२ प्रादेशिक सर्वोदय मंडल हैं।

हर एक जिला सर्वोदय मंडल अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ऐसे प्रतिनिधियों को मिलाकर संघ की 'ग्रामसभा' बनती है। ऐसे सदस्यों के अलावा संघ के अध्यक्ष कुछ लोगों को संघ के सदस्य के रूप में नामजद भी करते हैं। इस समय १६० निर्वाचित सदस्य तथा ६० नामजद सदस्य हैं।

प्रबंध समिति — सर्व-सेवा-संघ सर्वानुमति से तीन साल के लिये अपना एक अध्यक्ष चुनता है और वह अध्यक्ष संघ का काम चलायें के लिये कम से कम ११ और अधिक से अधिक २५ लोगों की एक प्रबंध समिति गठित करता है, जिसमें से मंत्री, सभामंत्री आदि की नियुक्ति भी अध्यक्ष ही करता है।

सर्व-सेवा-संघ का कार्यालय इस समय राजघाट, वाराणसी में है।

सदस्यता के नियम — सर्व-सेवा-संघ के सदस्य और लोकसेवक वे ही हो सकते हैं, जो सत्य, अहिंसा, अतिप्रयत्न और शरीरधन में निष्ठा और तदनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हों; लोकनीति के द्वारा ही सच्ची स्वतंत्रता संभव है — इस मान्यता के आधार पर दलगत राजनीति तथा सत्ता की राजनीति से अलग रहते हों और किसी राजनीतिक पक्ष के सदस्य न हों। जाति, वर्ण या पंथ आदि किसी प्रकार के भेद को जीवन में स्थान न देते हों; तथा अपना पूरा समय और मुख्य बितन भूदानमूलक ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रांति के काम में लगाते हों।

इन सबके अलावा वे आदतन खादीधारी और नियमित कताई करें, यह भी आवश्यक है।

**प्रवृत्तियाँ — सर्वसेवासंघ के द्वारा नीचे लिखी प्रवृत्तियाँ चलाई जाती हैं :**

१. सर्वोदय संमेलन — सर्वोदय विचार में निष्ठा रखनेवालों का एक संमेलन हर दूसरे वर्ष सघ आयोजित करता है।

२. साहित्य प्रकाशन — गांधी, विनोबा, तथा सर्वोदय विचार के साहित्य का प्रकाशन और प्रसार करने के लिये सघ की ओर से एक 'प्रकाशन समिति' बनी है। इसके द्वारा अब तक देश-विदेश की १६ विभिन्न भाषाओं में लगभग ६०० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

३. शांति-सेना-मंडल — शांतिसेना का संगठन, संयोजन तथा शांति संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये शांति सेना-मंडल बना है। इस समय देश भर में लगभग ८,००० शांति सैनिक और ५,००० शांतिकेंद्र काम कर रहे हैं।

४. खादी ग्रामोद्योग ग्रामस्वराज्य समिति — खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के मार्फत देशभर में जो खादी ग्रामोद्योग का कार्य चल रहा है, उसकी नीति तथा कार्यक्रम में सर्वोदय विचार के आधार पर निर्देशन, समन्वय आदि काम के लिये यह समिति बनी है।

५. कृषि गोसेवा समिति — गोवश को, विशेषतः गाय को, समाज में योग्य स्थान पर प्रतिष्ठित करने तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाने का राष्ट्रव्यापी आयोजन करना इस समिति का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये गोमंदवन केंद्र, नंदीशाला, गोसदन, गोरस मंडार, गोशाला, चरागाह, चारे की खेती तथा अन्य कृषिसुधार के कार्य समिति कर रही है। भारत सरकार द्वारा गठित गोसंवर्धन कौंसिल भी इस समिति का सहयोग लेती है। प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। पता, ठाकरबापा स्मारक सदन, यूनिवर्सल रोड, मंडेवाला, नई दिल्ली।

६. खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति — कताई, बुनाई, कृषि तथा अन्य ग्रामोद्योगों के धोजारों में शोध, अन्वेषण, सुधार आदि की दृष्टि से इस समिति का गठन हुआ है।

८. इन स्थायी प्रवृत्तियों के अलावा नई तालीम, सेवाग्राम आश्रम आदि का संयोजन संघ के मार्फत होता है। चंबल घाटी की बागी समस्या, पंचायत राज, कश्मीर समस्या आदि तात्कालिक प्रश्नों पर भी सर्व-सेवा-संघ अपने विचार के आधार पर हल ढूँढ़ने और तदनुसार कार्य करने का प्रयत्न करता रहता है।

[ सर्वसेवासंघ से प्राप्त ]

**सर्वांगशोथ, या देहशोथ (Anasarca)** शरीर की एक विशिष्ट सर्वांगीय शोथयुक्त अवस्था है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्धस्वचयी ऊतक में शोथ (oedema) के कारण तरल पदार्थ का संचय हो जाता है। इसके कारण शरीर का आकार बहुत बढ़ा हो जाता है तथा उसकी एक विशेष प्रकार की आकृति हो जाती है।

देहशोथ का मुख्य कारण अत्यधिक शिरागत शिराचाप है, जो मुख्यतः स्थानिक शिरागत अवरोध से होता है, जैसे शिरागत गण्ड कारण से दबाव, अर्बुद, पॉम्बोसिस इत्यादि। कभी कभी यह हृदयकपाटों के विकारों से उत्पन्न होता है। हृदय के कार्य में शिथिलता से भी यह अवस्था उत्पन्न होती है। हृदयकपाट के इस प्रकार के विकार में धमनीगत रविरचाप घट जाता है और रक्तसंचार में शिथिलता आ जाती है। उच्च शिरागत चाप से शिराएँ फूल जाती हैं तथा उनके वाल्व (valve) के कार्य में शिथिलता आ जाती है। शिराओं में संचित रविर गुहत्वाकर्षण से स्थानिक केशिकाओं पर दबाव डालता है और इसी के फलस्वरूप केशिकाओं से तरल पदार्थ छनकर अर्धस्वचया में संचित हो जाता है तथा अर्धस्वचयी ऊतक में शोथ उत्पन्न कर देता है। उपतीव्र गुर्दाशोथ (subacute nephritis) में शोथ का कारण शरीर से अत्यधिक मात्रा में ऐल्बुमिन का परित्याग है। मूत्र द्वारा निकला ऐल्बुमिन प्लेजमा (plasma) से आता है। इतना ऐल्बुमिन बाहर जाता है कि प्लेजमा में उसकी मात्रा केवल ५०% रह जाती है। रक्त में दो प्रोटीन रहते हैं: ऐल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इनका अनुपात ३:१ रहता है। ऐल्बुमिन के निकल जाने पर ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कोलॉइड परिसरण दबाव कम हो जाने से, जल का संचय बढ़ जाता है और ऐल्बुमिन के मूत्र द्वारा निकल जाने से जल का संचय अधिक होकर शोथ बढ़ जाता है। शरीर के फूले रहने पर भी ऐल्बुमिन की कमी से रोगी में बल की कमी हो जाती है।

शरीर के ऊतकों में जल भर जाने से, विशेष करके महा-स्रोतीय भाग में जल की मात्रा बढ़ने से तथा वृक्क में इस जल के निकालने की सामर्थ्य न रहने से, वमन और अतिसार प्रारंभ होता है। गुर्दाशोथ में ऐल्बुमिन का अनुपात १:३ (३:१ के स्थान में) हो जाता है। शोथ और रक्तालता के कारण रोगी के चेहरे तथा शरीर का आकार बहुत बढ़ा तथा पाटु हो जाता है। इससे शरीर की एक विशेष आकृति हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की विशेष कमी हो जाती है। मूत्र की मात्रा में कमी होकर उसका विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है। रोगी को विशेष आलस्य का अनुभव होता है तथा पाचन क्रिया में विकार उत्पन्न हो जाता है, परंतु इसके कारण रक्तचाप में कोई वृद्धि नहीं होती।

जीर्ण संतत मलेरिया में देहशोथ कमजोर, कृश रोगियों में दिखाई देता है। १९३४ ई० में लका में मलेरिया के सक्रमण काल में यह दिखाई दिया था। विक्रामसुरिया (Wickramasuriya) ने ३५७ रोगियों में से ४० प्रति शत में देहशोथ देखा था, जो मुख्य रूप में प्रसूता स्त्रियों में अधिक दिखाई दिया था। इस प्रकार के मलेरिया में उपद्रव स्वरूप देहशोथ के होने का कारण मुख्यतः प्लेजमा प्रोटीन की न्यूनता है। उचित उपचार से ऐसा शोथ लुप्त भी हो जाता है।

कभी कभी क्लोर्नोर्कियासिस (Clonorchiasis) नामक कुमि-जन्य रोग में भी लक्षण स्वरूप देहशोथ देखा जाता है। अर्क्य

कृमि अन्य लक्षणों के अंतर्गत रक्ताल्पता, शारीरिक कृशता के साथ शोथ तथा सामान्य देहशोथ का होना बहुत ही स्वाभाविक है। इस रोग में चेहरे और पैर में, अग्न्य स्थानों की अपेक्षा, अधिक सूजन दिखाई देती है। [प्रि० कु० बी०]

**सर्वात्मवाद ( Animism )** आत्मा ( Spirit ), जीवात्मा या जीव ( soul ) के विषय में मनुष्यों में प्रायः तीन प्रकार के विश्वास या विचार प्रचलित रहे हैं। कुछ लोग तो, चार्वाक के अनुयायियों की तरह, शरीरों से स्वतंत्र या पृथक् जीवों या आत्माओं की कोई सत्ता ही नहीं मानते। उनके अनुसार चेतना जड़ अस्तित्व की क्रियाओं के परिणामस्वरूप उसी प्रकार उत्पन्न हो जाती है जिस प्रकार त्रि यकृत से पित्त; वह किसी जीव या आत्मा नामक अमौलिक तत्त्व या पदार्थ का गुण या स्वरूप नहीं। इसके विरुद्ध कुछ लोगो के विचार में चेतना भौतिक तत्त्वों से उत्पन्न नहीं होती, किंतु भौतिक पदार्थों से बिलक्षण आत्मा या जीव का गुण है। उदाहरण के लिये, जैन विचारकों ने जीवों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जीव की परिभाषा 'चेतनालक्षणो जीव' इन शब्दों में की है। परंतु आत्मा या जीव की सत्ता स्वीकार करनेवाले सब व्यक्ति एक मत के नहीं। उन्हें स्थूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो केवल मनुष्यों और कुछ उच्च कोटि के पशुपक्षियों में ही आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं और दूसरे वे जो न केवल मनुष्यों और पशुपक्षियों में ही अपितु कीट पतंगों और पेड़ पौधों आदि में भी, जिन्हें दूसरे लोग जड़ समझते हैं, आत्मा या जीव के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। मानवों के इसी प्रकार के विश्वास या विचार को सर्वात्मवाद नाम दिया जाता है। ताकि भाषा में सर्वात्मवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार तथाकथित जड़ पदार्थों में भी आत्मा या जीवात्मा नामवाले एक अमौलिक तत्त्व या शक्ति का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और उसे न केवल बुद्धिजीवी प्राणियों के बौद्धिक जीवन का अपितु शारीरिक अथवा भौतिक क्रियाओं का भी मूलाधार माना जाता है।

जैसा कठोपनिषद् की 'योनिमन्ये प्रपद्यते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयति यथाकर्म यथाकृतम् (२-२-७)' इस श्रुति से एवं श्रीमद्भागवत के 'अण्डेषु पेशितु तरुवनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र ( ११-३-३६ )' इस श्लोक से तथा श्री उमास्वामी के तत्त्वार्थसिद्धिसूत्र ( २-२३ ) के 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इस धार्य से विदित होता है, भारतीय आस्तिक विचारक तथा जैन धार्मिक दोनों ही वनस्पत्यादि स्थावर तथा पृथिवी आदि जंगम जड़ पदार्थों में भी आत्मा का अस्तित्व मानते रहे हैं। अतः उन्हें सर्वात्मवादी विचार का समर्थक कहा जा सकता है।

वस्तुतः ब्रह्म, प्रह, उपब्रह्मादि अचेतन पदार्थों में भी आत्मा या जीव की सत्ता पर आस्था रखनेवाले व्यक्ति अब भी संसार के गायना आदि अनेक देशों में पाए जाते हैं जो प्रायः न केवल प्रेतात्माओं की, विशेषतया अपने मृत पूर्वजों की, अपितु ऐसी आत्माओं की भी पूजा करते हैं जिन्हें वे या तो किसी भी शरीर या वस्तु विशेष से संबंधित नहीं समझते या फिर प्राकृतिक पदार्थों

के अविष्ठाता अथवा अभिमानी देवताओं के रूप में स्वीकार करते हैं।

प्राधुनिक युग के अधिकांश विचारक सर्वात्मवाद को न केवल बहु-ईश्वरवाद का ही किंतु सुसभ्य मानव के धार्मिक एकेश्वरवाद का भी आधाग्रभूत विश्वास समझते हैं और उसकी गणना धर्म्य या अर्धधर्म्य जातियों के धर्म या दर्शन में करते हैं। उनके अनुसार सर्वात्मवाद मानव की एक अविज्ञानिक आस्था मात्र है। वे उसे विश्व के तथ्यों की व्याख्या करने का एक बौद्धिक प्रयत्न तो मानते हैं; परंतु केवल प्रारंभिक या अपरिपक्व प्रयत्न ही।

[ रा० सि० नौ० ]

**सर्वानुक्रमणी** संस्कृत वाङ्मय में सूत्रसाहित्य के अंतर्गत छह वेदांगों के अतिरिक्त अनुक्रमणियों का भी समावेश है। वेदराशि की सुरक्षा के लिये तथा मंत्रों की आर्ष परंपरा को सुगवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से प्राचीन महर्षियों ने प्रत्येक वैदिक संहिता के विविध विषयों की अनुक्रमणी बनाई है। ऐसी अनुक्रमणियाँ अनेक हैं, जिनमें वैदिक संहिताओं के सकल सूक्त, उनमें प्रयुक्त पद, प्रत्येक मंत्र के द्रष्टा ऋषि, प्रत्येक ऋचा के छंद और देवता क्रमबद्ध रूप से अनुसूचित हैं। संकलित विषय के अनुसार इनकी पृथक् पृथक् संज्ञाएँ हैं—जैसे अनुवाकानुक्रमणी जिनमें प्रत्येक अनुवाक का प्रकारादि क्रम से संकलन है; आर्षानुक्रमणी में ऋषिगण और उनकी कुलपरंपरा की सूची है; छंदोऽनुक्रमणी में वैदिक मंत्रों के छंद का नामनिर्देश है। उसी तरह मबलातानुक्रम और देवानुक्रम भी हैं। बृहद्देवता में देवताओं की अनुक्रमणी है। मंत्रानुक्रम में संहिता के अंतर्गत मंत्रों का क्रमशः उल्लेख है। इस प्रकार किसी भी वैदिक मंत्र का ऋषि, छंद या देवता कौन है अथवा वह मंत्र किस मंडल, अनुवाक या सूक्त का है यह जानने के लिये तत्संबंधी अनुक्रमणी का अवलोकन सहायक होता है। वस्तुतः ये अनुक्रमणियाँ कोश की भाँति विषयानुसंधान में सहायक ही नहीं, अपितु इनका लक्ष्य सूक्त एवं अनुवाक के यथावत् स्वरूप तथा मंत्रों के पाठ को भ्रष्ट न होने देने का अपूर्व साधन है। तत्रापि किसी भी एक मंत्र के सबंध में उसके छंद, देवता आदि के ज्ञान के लिये अनेक अनुक्रमणियाँ देखनी पड़ती थीं; कारण, तत्संबंधी सकल ज्ञातव्य विषय एकत्र उपलब्ध न था। इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से महर्षि कात्यायन ने एक ऐसी अनुक्रमणी की रचना की जिसमें संहिता के अंतर्गत समस्त मंत्रों के संबन्ध में सकल ज्ञेय वस्तु की एकत्र उपलब्धि हो जाय। इसमें प्रत्येक मंत्र का छंद, देवता, ऋषि, मंडल, सूक्त, एवं अनुवाक का विवरण पूर्ण रूप से एक ही स्थान पर दिया हुआ मिलता है। कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणी की सजा का निर्वचन किया है—'सर्वज्ञेयार्थं वर्णनात् सर्वानुक्रमणीशब्दं निबुंक्ति विपश्चित्'। कात्यायन ने एक सर्वानुक्रमणी ऋग्वेद की ऋक्संस्कृत एवं वाक्कल संहिता की बनाई, और दूसरी शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता की। कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणी पर 'वेदार्थदीपिका' नामक एक सुंदर व्याख्या बृहगुणशिष्य द्वारा रची गई जो अत्यंत प्रामाणिक मानी जाती है। विषय विशेष को लेकर शौनक द्वारा प्रणीत अन्य अनुक्रमणियाँ पञ्चबद्ध हैं; कात्यायन की दोनों ही सर्वानुक्रमणियाँ गद्यात्मक हैं और वे गद्य सूत्रीकी में निबद्ध हैं। सर्वानुक्रमणी के प्रणेता कात्यायन नहीं वे जिन्होंने पाणिनि की

प्रष्टाध्यायी पर वातिक की रचना की। पाणिनि से परवर्ती एवं महाभाष्यकार पतञ्जलि से पूर्ववर्ती कात्यायन थे। इस संबंध में षड्गुणशिष्य लिखते हैं—

'वाजिनां सूत्रकृत्साम्नामुपग्रंथस्य कारकः ।  
 स्मृतेश्च कर्ता श्लोकानां भ्राजनाम्नाञ्च कारकः ॥  
 महावातिकनीकारः पाणिनीयमहारांवे ।  
 योगाचार्यं स्वयं कर्ता योगशास्त्रनिदानयो ॥  
 एवंगुणगणैर्युक्तः कात्यायनमहामुनिः ।  
 तपोयोगालिप्तं यः सर्वानुक्रमणीमिमाम् ॥

सर्वानुक्रमणी का रचनाकाल सूत्रयुग के अंतिम चरण में ही माना जा सकता है। सूत्रयुग का कालनिर्णय पाश्चात्य इतिहासकारों ने ईसापूर्व ६०० से २०० तक का स्वीकार किया है।

ऋग्वेद संबंधी सर्वानुक्रमणी सूत्र शैली में रचित एक बड़ा ग्रंथ है। मुद्रित रूप में इसका आध्याय लगभग ४६ पृष्ठ का है। इसके पृष्ठ १२ अध्यायों में प्रास्ताविक चर्चा है जिनमें से ९ अध्यायों में वैदिक छंदों के स्वरूप और रचनापद्धति पर परिचयात्मक निबन्ध हैं। सर्वानुक्रमणी के प्रणेता कात्यायन ने ग्रंथारम्भ में 'यथोपदेशेन ऋग्वेद की ऋचाओं के प्रतीक आदि की अनुक्रमणी प्रस्तुत करता हूँ' ऐसी प्रतिज्ञा की है। यथोपदेशे से यह संकेत है कि यह रचना तत्पूर्व शौनकाप्रणीत विविध छंदोबद्ध अनुक्रमणियों के आधार पर की गई है। क्योंकि सर्वानुक्रमणी में कतिपय गद्यांश वृत्तगंधी हैं और शौनकीय आर्षानुक्रमणी और बृहद्देवता में प्रयुक्त कतिपय पद स्वरूपतः परिगृहीत हैं। कात्यायन प्रणीत ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी का सापदान आचार्य मैकडोनल ने किया है जो ऑक्सफर्ड से सन् १८८६ ईसवी में प्रकाशित हुई। इसमें अनुवाकानुक्रमणी तथा षड्गुणशिष्य का भाष्य भी परिशिष्ट में मुद्रित है।

कात्यायनप्रणीत शुक्लयजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी में केवल पाँच ही अध्याय हैं। पहले चार अध्यायों में याजुष मंत्रों के द्रष्टा ऋषियों, देवताओं और छंदों की नामसूची गणना है। इसकी एक और विशेषता यह है कि साहित्यकाल से उत्तरवर्ती युग के नए ऋषियों के भी नाम संगृहीत हैं जिनमें कतिपय शतपथ ब्राह्मण से संबंध रखनेवाले भी हैं। इसके अंतिम अध्याय में याजसनेयि संहिता के मंत्रों का संक्षिप्त विवरण भी दिया है। शुक्लयजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी का प्रकाशन वेबर द्वारा संपादित यजुर्वेद के संस्करण में परिशिष्ट रूप से संगृहीत है, तथा स्वतंत्र रूप से यह ग्रंथ सभाष्य बनारस संस्कृत सीरीज के अंतर्गत ईसवी सन् १८९३-९४ में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ मिलता है। ग्रंथ का नाम 'कात्यायनप्रणीत शुक्ल यजुः सर्वानुक्रमसूत्र-याज्ञिकान्तदेव कृत भाष्य सहित' दिया है।

[सु० शा०]

सर्विया स्थिति : ४३° ३०' उ० अ० तथा २१° ०' पू० दे०। यह संघीय यूगोस्लाविया का एक गणराज्य है। इसका क्षेत्रफल ८८,३६१ वर्ग किमी० तथा जनसंख्या १,८५,३८,१५० (१९६१) है। अतः यहाँ प्रति वर्ग किमी० जनसंख्या का घनत्व ७२.४ व्यक्ति है। इस गणराज्य के उत्तर में हंगरी और पूर्व में रोमानिया तथा बल्गेरिया, दक्षिण में

यूगोस्लाविया और मेसीडोनिया स्थित हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपी है।

सर्विया पुरातः एक कृषिप्रधान देश है। कृषि उत्पादनो में गेहूँ, जौ, राई तथा तंबाकू मुख्य हैं। यहाँ फलों का भी उत्पादन किया जाता है।

ब्योगार्ड (Beograd) यहाँ की राजधानी है, जिसकी जनसंख्या ६५,००० (१९६१) है। अन्य नगरों में नीज (Niš, जनसंख्या ८१,०७३), अगुजेवाक (जनसंख्या ५२,४६१) तथा सेसकोवाक (जनसंख्या ३३, ९४१) प्रमुख हैं। [भू० का० २।०]

सर्वेक्षण (Surveying) उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर, किसी पैमाने पर आलेखन (plotting) करके, उनकी सापेक्ष स्थिति और ऊर्ध्व दूरियों का कागज या दूसरे माध्यम पर सही सही ज्ञान कराया जा सके। इस प्रकार का अंकित माध्यम लेखाचित्र या मानचित्र कहलाता है। ऐसी आलेखन क्रिया की संपन्नता और सफलता के लिये रेखिक और कोणीय, दोनों ही माप लेना आवश्यक होता है। सिद्धांततः आलेखन क्रिया के लिये रेखिक माप का होना ही पर्याप्त है। मगर बहुधा ऊँची नीची भूगर्भ भूमि पर सीधे रेखिक माप प्राप्त करना या तो असंभव होता है, या इतना जटिल होता है कि उसकी यथार्थता संदिग्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में कोणीय माप रेखिक माप के सहायक भग्न बन जाते हैं और गणितीय विधियों से अज्ञात रेखिक माप ज्ञात करना संभव कर देते हैं।

सर्वेक्षण क्रिया की उत्पत्ति की कहानी आदिकाल से आज तक के मानव समाज के विकास की कहानी, प्रधानतः मुख्य और मर्मद्विष के लिये भ्रमण और भूमि पर प्रभुसत्ता की प्राप्ति से, जुड़ी हुई है। भ्रमण के लिये स्थानों के बीच की दूरियों और दिशाओं का ज्ञान और प्रभुसत्ता के लिये सीमाओं और क्षेत्रफल का जानना आवश्यक था। ऐसा ज्ञान होने के प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में राज्यों के विस्तार, दिशाओं के विवरण और दूरी के लिये योजन आदि के उल्लेख से मिलते हैं। प्राचीन काल में शिलामो, भोजपत्र, ताम्रपत्र और कागज के प्रयोग से पूर्व, स्थानों के बीच की दूरी, दिशाएँ पहचानने का ज्ञान तथा अधिकार सीमाएँ मानव के स्मृतिपटल पर अंकित रहती होगी। युद्ध और कलह का भय उत्पन्न होने पर, उस स्मृति और लिए गए मापों को किसी माध्यम पर प्रदर्शित करने की क्रिया का जन्म हुआ होगा, जिसे बाद में सर्वेक्षण की संज्ञा दी गई। इस प्रकार मनुष्य की महत्कार्यक्षमताओं और सर्वेक्षण का गहरा संबंध होने के कारण सर्वेक्षणक्रिया निरंतर उत्पत्ति करती गई।

ऐसे प्रयासों का सबसे प्राचीन प्रमाण ईसा से ३७० वर्ष पूर्व का मिला है, जो टूरिन के अजायबघर में आज भी सुरक्षित है। यूनान और मिस्र में भी शिलामो और लकड़ी के तख्तों पर सर्वेक्षण के प्राचीन आलेख मिले हैं। ऑस्ट्रिया में ईसापूर्व काल के कुछ ऐसे चिह्न मिले हैं जिनसे पता लगता है कि रोम साम्राज्य में सर्वेक्षण का प्रचलन था। उन्होंने मापों की सीध बाँधने के लिये आज जैसे उपकरण, सर्वेक्षण पट्ट (plane table) और दूरा नापने के लिये अंकित छड़ों

का प्रयोग किया था। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि ३०० वर्ष ईसापूर्व भारत पर आक्रमण के समय, यूनानियों ने सिंध से फारस की खाड़ी तक समुद्रतट नापकर लेखाचित्र तैयार किया था। कोटिस्थ के अर्थ-शास्त्र और बाणभट्ट के हर्षचरित में राजस्व के निर्धारण के सिलसिले में भूमि की नाप आदि के उल्लेख मिलते हैं। १४५० ई० में अरब-वासियों ने कई समुद्री यात्राएँ कीं और समुद्रतटों के लेखाचित्र तैयार किए। १४९८ ई० में वास्को डा गामा के भारत आने पर एक पुजारी पंडित ने उसे समुद्रतट का एक लेखाचित्र भेंट किया था। इससे विदित होता है कि सभ्यता के मार्ग पर बढ़े हुए सभी देशों में सर्वेक्षण का महत्व निरंतर बढ़ता रहा और कृषि, राजस्व, भूमि के अधिकार की सीमाओं के निर्धारण और यात्राओं में मार्गों के लेखाचित्र बनाने में सर्वेक्षण का अभ्यास एवं प्रयोग होता रहा है। मगर १६वीं शताब्दी के समाप्त होते होते तो सर्वेक्षणक्रिया का महत्व आशातीत बढ़ा। मार्को पोलो, वास्को डा गामा, कोर्बस और कैप्टन कुक के भ्रमणों से यूरोप निवासियों को संसार के विस्तार और उसपर स्थित समृद्ध देश तथा उपजाऊ भूमि का पता लगा, तो वे बहुत सादा में अपनी भाग्यपरीक्षा के लिये निकल पड़े। भूमि पर आधिपत्य करने में उनमें स्पर्धा जागी, जिससे सर्वेक्षणक्रियाओं को नई स्फूर्ति और तीव्र गति मिली। उस समय का बना हुआ भारत और अरब का मानचित्र ब्रिटिश राजावत्त में आज भी सुरक्षित है। पहले से पता लगता है कि वह फेरेंगे बर्टोली द्वारा १५६५ ई० में बनाया गया था। इसके बाद १६१२ ई० में गेराडेंस मर्केटर द्वारा बनाया भारत का मानचित्र, उस समय का अथक प्रयास, भी याती के रूप में सुरक्षित है।

**वर्गीकरण** — जमीन: जमीन: अधिकार की रक्षा के साथ साथ देशों में विकास के प्रति भी रुचि जागी। संपूर्ण देश, अमुक साम्राज्य, संपूर्ण संसार एक साथ देखने की जिज्ञासा बढ़ी। इसकी पूर्ति का साधन मानचित्र ही हो सकता था। इस कारण सर्वेक्षण में इतनी नई नई खोजें हुईं कि उनके आधार पर सर्वेक्षणक्रिया ही दो प्रमुख वर्गों में बँट गई: (१) भूगणितीय सर्वेक्षण (geodetic surveying) और (२) पट्ट सर्वेक्षण (plane surveying)। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार पृथ्वी का आकार है। जिस सर्वेक्षण में पृथ्वी के आकार को गोलाकार (spheroid) मानकर, उसकी सतह पर लिए गए नापों का प्रयोग करने से पहले पृथ्वी की वक्रता के लिये शोधन करते हैं, उसे भूगणितीय सर्वेक्षण कहते हैं। यह कठिन प्रक्रिया होती है। मगर पृथ्वी की गोल या वक्र सतह पर नापी दूरियाँ यदि अधिक लंबी न हों, तो उन्हें वक्र न मानकर ऋजु (सीधा) ही मान लिया जाए, तो कोई विशेष त्रुटि नहीं होगी। उदाहरणार्थ, पृथ्वी की वक्र सतह पर ११५ मील लंबी रेखा नापने पर उसमें पृथ्वी की वक्रता के कारण केवल ०.०५ फुट की त्रुटि होगी। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर किन्हीं भी तीन बिंदुओं द्वारा ७५ वर्ग मील क्षेत्रफल के त्रिभुज को समतल सतह पर सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उसके कोणों के योग और उसी त्रिभुज की वक्र सतह पर बने कोणों के योग में केवल एक सेकंड का अंतर होगा। इस कारण यदि छोटे छोटे क्षेत्रों के लक्ष्य तैयार किए जाएँ, तो पृथ्वी की सतह पर सीधी

नाप को सीधी रेखाओं से समतल पर प्रदर्शित करने से कोई खटकनेवाली गलती नहीं होगी। इसलिये पृथ्वी के छोटे क्षेत्र को समतल मानकर, उस पर सीधी नापों को बिना वक्रता के शोधन के किसी पैमाने पर समतल कागज पर अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण को पट्ट सर्वेक्षण कहते हैं।

सामान्य व्यवहार में आनेवाले सर्वेक्षण समतलीय सर्वेक्षण ही होते हैं। विभिन्न उद्देश्यों की सिद्धि के लिये सर्वेक्षणों की प्रक्रिया, उपकरण, पैमाना आदि में भी कुछ अंतर पैदा हो जाता है। इन कारणों से पट्ट सर्वेक्षण के भी कई वर्ग बन गए हैं: (१) पैमाने के आधार पर १:५०,०००; १:२५,०००; १:५,०००; १:१,००० सर्वेक्षण (इस प्रकार से बताएँ पैमाने का अर्थ है कि मानचित्र पर एक इकाई लंबी रेखा भूमि पर क्रमशः ५०,०००; २५,०००; ५,००० १,००० इकाई लंबाई के बराबर होगी), (२) किसी मंतव्य या कार्य विशेष के लिये किया गया सर्वेक्षण, जैसे स्थलाकृतिक (topographical), इंजीनियरी, राजस्व (revenue) तथा खनिज (mineral) सर्वेक्षण, तथा (३) प्रयुक्त प्रमुख यंत्रों के नाम पर, जैसे जरीब सर्वेक्षण, टैकोमीटर (tachometer) सर्वेक्षण आदि।


यदि ऐसे समतलीय सर्वेक्षणों से भारत जैसे विस्तृत देश या महाद्वीप के मानचित्र संकलित (compile) किए जा सकें, तो पट्ट सर्वेक्षणों का महत्व आशातीत बढ़ जाता है। यह तभी संभव होगा, जब पट्ट सर्वेक्षणों की आधारशिला भूगणितीय सर्वेक्षण पर हो। आधारशिला का उल्लेख तभी प्राप्त हो सकेगा, जब उसकी कुछ संक्षिप्त व्याख्या कर दी जाए।

**सर्वेक्षण के आधारभूत सिद्धांत** — ये सिद्धांत बड़े ही सरल हैं। पृथ्वी की सतह पर बड़ी सरलता से दो ऐसे बिंदु चुने जा सकते हैं जो एक दूसरे की स्थिति से देखें जा सकें और उनके बीच की दूरी नापी जा सके। इन्हें किसी भी वांछित पैमाने पर कागज पर ऐसे लगाया जा सकता है कि उनके निकटवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण कागज पर समा सके। इसके बाद इन दो बिंदुओं से किसी भी तीसरे बिंदु की दूरी नापकर उसी पैमाने से कागज पर उसकी सापेक्ष स्थिति अंकित कर सकते हैं। इस प्रकार अंकित किन्हीं भी दो बिंदुओं से किसी तीसरे अज्ञात बिंदु की दूरी निकालकर तथा क्रमानुगत अंकित करके, पूरे क्षेत्र का मानचित्र बनाया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में सर्वेक्षण की विधि त्रिभुज की रचना है। ऊपर तो त्रिभुज की एक ही रचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाईयाँ ज्ञात हैं। त्रिभुज की अल्प रचना विधियाँ भी सर्वेक्षण में प्रयुक्त होती हैं, जो उपर्युक्त विधि के साथ आगे चित्र १. में दिखाई गई हैं।


उपर्युक्त रचना विधियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेक्षण के लिये दो बिंदु ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे तीसरे बिंदु की सापेक्ष स्थिति का पता लगना संभव हो सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसे सर्वेक्षण में बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियाँ सही होने पर, उनकी दिशाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। जो हो भी सकता है वह केवल भूबकीय कुपुबनुमा की यथार्थता तक ही सीमित रहेगा। इससे

यह कठिनाई होगी कि विस्तृत क्षेत्र में यदि किन्हीं भिन्न भिन्न दो या अधिक स्थलों से, स्वतंत्र रूप से दो दो बिंदु लेकर सर्वेक्षण प्रारंभ किए जाएं, तो उनका उभयनिष्ठ रेखा पर ठीक मिलान होना आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसे सर्वेक्षणों के प्रारंभिक आधारों के भालेखों की एक



चित्र १.

समान दिशाएँ रखने की कोई निश्चित सुविधा और सिद्धांत नहीं है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिये, सर्वेक्षक सर्वेक्षण हेतु संपूर्ण विस्तृत प्रदेश में व्यवस्थित और प्रायोजित रूप से प्रमुख बिंदु चुनकर उनमें एक मूलबिंदु (origin) मान लेता है। फिर मूलबिंदु से क्रमशः अन्य बिंदुओं की दूरियाँ और उत्तर दिशा से कोण ज्ञात कर लेता है, और इन अवयवों से सर्वेक्षक उन बिंदुओं के निर्देशांक (co-ordinates) निकाल लेता है। उदाहरणार्थ, चित्र २. में अ, आ, इ... चुने हुए बिंदु हैं और अ मूलबिंदु है, तो आ के निर्देशांक (अ आ = द) द को ज्या क



चित्र २.


$[l_1 \cos \beta_1]$  और द ज्या क  $[l_1 \sin \beta_1]$  होंगे। इसी प्रकार इ बिंदु के निर्देशांक द को ज्या क + दा (= आ इ) को ज्या अ  $[l_1 \cos \beta_1 + l_2 \cos \beta_2]$  और द ज्या क + दा ज्या अ  $[l_1 \sin \beta_1 + l_2 \sin \beta_2]$  होंगे। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं।

इस क्रिया की सफलता के लिये सर्वेक्षक के लिये निम्नलिखित तीन समस्याओं का हल निकालना आवश्यक होता है : (१) कोण नापने की, (२) दो क्रमानुगत बिंदुओं के बीच दूरी नापने की तथा (३) पर्वतीय प्रदेशों और टूटी फूटी भूमि पर दूरी नापने की।

पहली समस्या का हल सर्वेक्षक ने चुंबक की सुई के गुरुत्वाकर्षण का, जो सर्वत्र विद्यमान है, लाभ उठाकर और थियोडोलाइट (वेल्स थियोडोलाइट) का आविष्कार करके किया। दूसरी समस्या का हल फीता, जरीब आदि कई प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से किया, जो सर्वसाधारण की विधि हैं। समतल या लगभग चौरस भूमि के प्रदेशों में इन दो समस्याओं के समाधान से एक सर्वेक्षण विधि की उत्पत्ति मिली, जिससे चुने हुए बिंदुओं के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं।

इस विधि को थियोडोलाइट चंक्रमण (Theodolite traversing), या केवल चंक्रमण (Traversing), कहते हैं।

यह विधि बहुत कुछ चित्र ३. से स्पष्ट है। अ, आ, इ, ई आदि क्रमानुगत बिंदुओं के बीच क्रमशः दूरी नापते हैं और पीछे के बिंदु पर प्रागे के बिंदु को मिलानेवाली रेखा का पीछे के बिंदु पर उत्तर दिशा से कोण ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें थियोडोलाइट का प्रयोग होता है। इस उत्तर दिशा से नापे कोण को दिग्गंश (Azimuth) कहते हैं। क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी और दिग्गंश ज्ञात



चित्र ३.

होने से, निर्देशांक सरलता से निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण हेतु संपूर्ण क्षेत्र में बिंदु स्थापित कर दिए जाते हैं। इन बिंदुओं को सर्वेक्षण नियंत्रण बिंदु, या केवल नियंत्रण बिंदु (Control points), कहते हैं। दिग्गंश निकालने के लिये ध्रुवतारे (Polaris) या सूर्य का प्रेक्षण किए जाते हैं, जिनसे समुचित गणितीय सूत्रों के हल से वांछित दिग्गंश निकाल आता है।

मगर जहाँ भूमि टूटी फूटी, या ऊँची नीची हो, जिसपर चुने गए क्रमानुगत बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी फीते या जरीब से न नापी जा सके, तो चंक्रमण की विधि सफल नहीं होगी। ऐसी दशा में सर्वेक्षक त्रिभुजन (triangulation) की विधि अपनाता है। इस विधि की यह विशेषता है कि सर्वेक्षक गणितीय सूत्रों के प्रयोग से बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकता है। अतः सर्वेक्षक ऊँचे नीचे पर्वतीय प्रदेश में लंबी-सबो दूरी तक दृष्टिगोचर प्रमुख बिंदुओं को इस प्रकार चुनता है कि वे त्रिभुजों की सुगठित श्रृंखला के शीर्ष बिंदु बन जाएँ। ऐसी त्रिभुजमाला में गटे प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोण थियोडोलाइट से नाप लिए जाते हैं। उनमें से एक त्रिभुज ऐसा बनाया जाता है जिसकी एक भुजा भूमि पर सही सही नाप ली जाती है। उस भुजा का एक सिरे के बिंदु पर दिग्गंश भी ज्ञात कर लिया जाता है। तदुपरांत निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सूत्र

$$\frac{\text{ज्या अ}}{\text{आ इ}} = \frac{\text{ज्या इ}}{\text{अ आ}} = \frac{\text{ज्या आ}}{\text{अ इ}} \left[ \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \right]$$

से अन्य त्रिभुजों की सारी भुजाओं की संबाह्याँ निकाली जा सकती हैं; जैसे चित्र में अआ नापी हुई भुजा हो, तो उपर्युक्त सूत्र से

$$\text{आइ (भुजा)} = \frac{\text{अआ ज्या अ}}{\text{ज्या इ}} \text{ होंगे। इस सूत्र में अआ नापी}$$

हुई भुजा, और अ और इ नापे हुए कोण हैं। फलतः आइ भुजा ज्ञात हो जाएगी, जिससे प्रागे का त्रिभुज आइई हल हो सकेगा। इसी प्रकार क्रमानुगत सभी त्रिभुज हल हो जाते हैं, फिर अ या आ के निर्देशांकों के ज्ञात होने से, प्रागे के बिंदुओं की दूरी और दिग्गंश से निर्देशांक निकाल लिए जाते हैं।

इस प्रकार का त्रिभुजन संपूर्ण प्रदेश पर बिखर जाता है। भुजाओं की संबाई १० से ५० मीटर तक होती है और निर्देशांकों

की गणना पृथ्वी की वक्रता का ध्यान रखकर की जाती है। इस प्रकार का सर्वेक्षण भूगणितीय सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है।

इसके बाद ऐसे प्रदेश के छोटे छोटे भागों का पट्ट सर्वेक्षण करने के लिये भूगणितीय सर्वेक्षण से स्थापित नियंत्रण बिंदु काम में आते हैं। यदि भूगणितीय सर्वेक्षण से प्राप्त नियंत्रण बिंदु पट्ट सर्वेक्षण के लिये पर्याप्त नहीं होते हैं, तो सर्वेक्षक स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये भूगणितीय नियंत्रण बिंदुओं पर आधारित एक छोटा सा त्रिजुजन कर लेता है, जिससे पर्याप्त नियंत्रण बिंदु मिल जाते हैं।

ऐसे बिंदु पाकर सर्वेक्षक एक वर्गीकृत कागज पर उनका आलेख बनाता है। इस प्रकार नियामकों की सहायता से सारे बिंदु अपनी सही सापेक्ष स्थितियों में बैठ जाते हैं। इन बिंदुओं से मानचित्र पर दिखाए जानेवाले अन्य बिंदुओं की दिशाओं और दूरियों को नापकर सर्वेक्षक उन्हें मानचित्र पर दर्शाता है। इस विवरण से यह एक सही धारणा बनेगी कि इस प्रकार के सर्वेक्षण में, तो बहुत समय नष्ट होगा। इस दुर्बलता पर विजय पाने के लिये सर्वेक्षक पटलचित्रण (plane-tableing) की प्रक्रिया अपनाता है।


पटलचित्रण में वर्गीकृत पत्र पर नियंत्रणबिंदुओं के बने आलेख को सर्वेक्षक लकड़ी के एक समतल पटल पर स्थिर रूप से बैठा लेता है। ऐसा पटल एक तिराई पर पेंच द्वारा ऐसे कस दिया जाता है कि आवश्यकता होने पर पटल पेंच की स्थिति पर घुमाया जा सके और मनचाही अवस्था में कसा जा सके। ऐसे पटल के साथ एक और उपकरण प्रयुक्त होता है, जिसे दशरेखनी (sight rule) कहते हैं। ६० या ७५ सेंटीमीटर लंबी, एक सेंटीमीटर मोटी और पाँच सेंटीमीटर चौड़ी, चातु या लकड़ी की पट्टी की दशरेखनी बनी होती है। लंबे दोनों किनारे एकदम सीधे और एक ओर की ढालू होते हैं, जिससे सीधी और सही रेखा खींची जा सके। रेखा खींचने के किनारे कागज पर रहते हैं। ऊपरवाले तल पर दो दृश्य वेधिकाएँ (sight vances) ऊर्ध्ववर्ती खड़ी रहती हैं। सर्वेक्षक आलेखमंडित पटल को आलेख पर अंकित किसी एक बिंदु की भौतिक स्थिति (ground position) पर रखता है। तदुपरांत दशरेखनी को एक किनारे उपयुक्त बिंदु और उससे दृष्टिगोचर किसी दूसरे अंकित बिंदु पर स्पर्शरेखीय रखता है। तब वह दशरेखनी को बिना हिलाए, दृश्य वेधिकाओं से देखते हुए, पटल को ऐसे घुमाकर स्थिर करता है जिससे दोनों स्पर्शी बिंदुओं को मिलानेवाली भौतिक रेखा पटल पर अंकित उनकी स्थितियों को मिलानेवाली रेखा के समांतर हो जाए। इस दशा में पटल पर, किन्हीं भी दो अंकित बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर जोड़नेवाली रेखा समान भौतिक रेखा के समांतर होगी। दूसरे लक्ष्यों में पटल आलेख सही दिशाओं में स्थिर हो गया। इसके बाद सर्वेक्षक आलेख पर बनी अपनी स्थिति से, मानचित्र पर दर्शाए जानेवाले अन्य बिंदुओं को दृश्यवेधिका से देखकर, क्रमिक रूप से दिशा रेखाएँ खींच देता है। तदुपरांत वह आलेख पर प्राप्त किसी दूसरी भौतिक स्थिति पर खड़ा होकर, पटल को पहले की भाँति ही सही दिशाओं में स्थिर करता है। इस प्रक्रिया को पटल का दिक्-स्थापन (Orientation of plane table) कहते हैं। पुनः उन्हीं

बिंदुओं की दिशा रेखाएँ, जिन्हें किरण (ray) कहते हैं, खींची जाती हैं। ये किरणें अपनी पहली संगति किरणों पर छेदन बिंदु देकर, आलेख पर उन बिंदुओं की सही सापेक्ष स्थितियाँ स्थापित कर देती हैं। इसी प्रकार सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण हो जाता है। सर्वेक्षक बिंदुओं को प्राप्त कर, उनसे पृथ्वी की सतह पर स्थित प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं को संकेत चिह्नों द्वारा आलेख पर बना देना है। इस क्रिया को पटलचित्रण (Plane tabling) कहते हैं।

पटलचित्रण से प्राप्त मानचित्र की मुद्रण द्वारा कई प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं। एक ही आलेख पर कई महीनों तक सर्वेक्षक काम करता है, जिससे सर्वेक्षण हेतु संपूर्ण क्षेत्र का मानचित्र बन सके। इससे पटलचित्र कुछ बंधा और भद्दा हो जाता है। साफ और सुंदर मानचित्र प्राप्त करने की दृष्टि से सर्वेक्षक अपने पटलचित्र की, नीले रंग में अपेक्षित मानचित्र से, ड्योढ़े पैमाने पर प्रतिलिपि तैयार करता है। उसपर पुनः वस्तुओं का साफ और सुंदर आरेखन (drawing) करता है और फोटोग्राफी से घटाकर सही पैमाने का मानचित्र प्राप्त करता है (देखें प्लेन टेबल सर्वेक्षण)।

सन् १९१४ के महायुद्ध ने सर्वेक्षण की एक नई विधि को जन्म दिया है। इस विधि के अंतर्गत वायुयान से सर्वेक्षण हेतु क्षेत्र के श्रुललाबद्ध फोटो ले लिए जाते हैं; फोटो लेते समय कैमरा का अक्ष (लेंस से फोटो लेने की दिशा) एकदम ऊर्ध्वधर (vertical) रहता है। इस कारण इस प्रकार लिए फोटो ऊर्ध्वधर फोटोग्राफ कहलाते हैं। फोटो लेते समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक क्रमानुगत फोटोग्राफ में उससे सन्निकट पीछे के फोटोग्राफ का ६०% भाग उभयनिष्ठ हो और सन्निकट दाएँ और बाएँ फोटोग्राफों में २५% के लगभग भाग उभयनिष्ठ हो।

चित्रण के समय पृथ्वी की सतह से शंकवाकार प्रकाश की किरणें कैमरा के लेंस से होकर फोटो प्लेट पर पड़ती हैं, जिससे प्रतिबिंब बनते हैं। चित्र ४. में इन्हीं किरणों में से तीन किरणें लेकर दिखाई गई हैं; एक जो चित्र के केंद्र पर पड़ती है, दूसरी एक पहाड़ की चोटी से, तीसरी एक नदी के गहरे तल से। इन चित्र के देखने से



चित्र ४.

स्पष्ट हो जावेगा कि (१) समतल सतह से ऊपर उठे, या नीचे बँसे, बिंदु, मानचित्र पर बननेवाली सही ऊर्ध्वधर प्रक्षेप (vertical



projection) स्थितियों से हटे हुए चित्रित होते हैं, (२) बिंदुओं की गिनती ही अधिक ऊँचाई या गहराई होगी उनका हटाव भी उतना ही अधिक होगा, (३) यह हटाव फोटो के केंद्रबिंदु से घरीय या अनुचित्रण (radial) होता है। अतः पृथ्वी की सतह पर किन्हीं भी दो बिंदुओं द्वारा फोटो केंद्र की भौतिक स्थिति पर बना कोण फोटो के संगति (corresponding) कोण के बराबर होगा, (४) प्रत्येक फोटो पर प्रायः और पीछे के फोटो के ६०% भाग के प्रतिव्यापन (overlapping) से उनके केंद्रीय बिंदु भी बीचवाले फोटो पर चित्रित होंगे। इन केंद्रीय बिंदुओं को प्रधान बिंदु या मुख्य आधार बिंदु (Principal point) और फोटो पर उन्हें जोड़नेवाली रेखा को आधार (Base) कहते हैं।

फोटो पर इन ज्यामितीय संबंधों का लाभ उठाकर, सर्वेक्षक उनसे मानचित्र बनाने में सफल होता है। वह पहले उस क्षेत्र में स्थित नियंत्रण बिंदुओं को फोटो पर पहचानकर चिह्नित करता है। फिर फोटो से नियंत्रणबिंदु और प्रधान बिंदुओं के साथ साथ एक ऐसा प्रालेख पत्र तैयार करता जिसमें सभी बिंदु बाँधित पैमाने पर अपनी सही सापेक्ष स्थितियों में बैठे होते हैं। ऐसा प्रालेखपत्र वह पारदर्शी कागज पर बनाता है। फिर वह प्रत्येक फोटो को क्रमशः प्रालेख पर चित्रित उसके प्रधान बिंदु के नीचे इस प्रकार रखता है कि प्रालेख पर बने सन्निकट आधार, फोटो पर बने संगति आधारों पर, संपाती हों। इस प्रकार का दृक्स्थापन होने पर, सर्वेक्षक मानचित्र में दर्शाने योग्य, उस भूभूत फोटो में चित्रित, बिंदुओं को प्रधान बिंदु से किरणें खींच देता है। यही क्रिया सभी भागों और पीछे के फोटो पर होने से, स-बिंदुगामी किरणों के छेदन पर, बिंदुओं की सही सापेक्ष स्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनकी सहायता से पटलचित्रण की भाँति मानचित्र तैयार हो जाता है। इस क्रिया को हवाई सर्वेक्षण (Airsurvey) कहते हैं।

यदि हवाई फोटोग्राफ, कैमरा के अक्ष को ऊर्ध्वोपर दिशा से झुका हुआ रखकर, लिए जाएँ, तो भी सर्वेक्षक उनसे मानचित्र तैयार कर सकता है। इस प्रकार में लिए चित्र त्रिकोण फोटोग्राफ (Oblique photographs) कहलाते हैं। [गु० ना० दु०]

**सर्वेश्वरवाद** कारण और कार्य को अभिन्न मानता है। इसकी प्रमुख प्रतिज्ञा यह है कि अज्ञ और अज्ञात एक ही वस्तु है। नवीन काल में स्त्रीनोजा इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक समझा जाता है। उसके विचारानुसार यथार्थ सत्ता एकमात्र द्रव्य, ईश्वर, की है, सारे चेतन उसके चित्तन के आकार हैं, सारे प्राकृतिक पदार्थ उसके विस्तार के आकार हैं।

सर्वेश्वरवाद वैज्ञानिक और धार्मिक मनोवृत्तियों के लिये विशेष आकर्षण रखता है। विज्ञान के लिये किसी घटना को समझने का अर्थ यही है कि उसे अर्थ्य घटनाओं से संबद्ध किया जाए, अनुवेक्षण का लक्ष्य बहुत्व में एकत्व को देखना है। सर्वेश्वरवाद इस प्रवृत्ति को इसके चरम बिंदु तक ले जाता है और कहता है कि बहुत्व की वास्तविक सत्ता ही नहीं, यह आभासमात्र है। धार्मिक मनोवृत्ति में भक्तिभाव केंद्रीय अर्थ है। भक्त का अंतिम लक्ष्य अपने सापको उपास्य में जो देना है। अति निकट संपर्क

और एकरूपता में बहुत अंतर नहीं। भक्त समझने लगता है कि उसका काम इस भ्रम से छूटना है कि उपास्य और उपासक एक दूसरे से भिन्न हैं।

मनोवैज्ञानिक और नैतिक मनोवृत्तियों के लिये इस भिन्नता में अजय कठिनाइयाँ हैं। हम बाहरी जगत् को वास्तविक कर्म-क्षेत्र के रूप में देखते हैं, इसे छायामात्र नहीं समझ सकते। नैतिक भाव समस्या को और भी जटिल बना देता है। यदि मनुष्य स्वाधीन सत्ता ही नहीं तो उत्तरदायित्व का भाव भ्रम मात्र है। जीवन में पाप, दुःख और अनेक त्रुटियाँ मौजूद हैं, सर्वेश्वरवाद के पास इसका कोई समाधान नहीं। [दी० चं०]

**सलफ्यूरिक अम्ल (Sulphuric Acid)** प्राचीनकाल के कीमि-यागर एवं रसविद् आचार्यों को सलफ्यूरिक अम्ल के संबंध में बहुत समय से पता था। उस समय हरे कमीन को गरम करने से यह अम्ल प्राप्त होता था। बाद में फिटकरी को तेज अग्नि पर गरम करने से भी यह अम्ल प्राप्त होने लगा। प्रारंभ में सलफ्यूरिक अम्ल जूँकि हरे कसीस से प्राप्त होता था, अतः इसे 'कमीस का तेन' कहा जाता था। -ल शब्द का प्रयोग इमालिये द्वारा कि इस अम्ल का प्रकृत स्वरूप तेल सा है।

प्रायः सभी प्राधुनिक उद्योगों में सलफ्यूरिक अम्ल अत्यावश्यक होता है। अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश द्वारा सलफ्यूरिक अम्ल का उपभोग उस देश के औद्योगिकरण का सूचक है। सलफ्यूरिक अम्ल के विपुल उपभोगवाले देश अधिक समृद्ध माने जाते हैं।


प्रयोगशालाओं में निम्नांकित तीन रीतियों से अल्प मात्रा में सलफ्यूरिक अम्ल तैयार किया जा सकता है (१) सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में घुलाने से, (२) वायु के समर्ग में सलफ्यूरस अम्ल के विलयन के मंद ऑक्सीकरण से और (३) सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परॉक्साइड की सीधी क्रिया से। औद्योगिक स्तर पर सीस-कक्ष-विधि (lead chamber process) तथा संपर्क विधि (contact process) से अम्ल का उत्पादन होता है। सीस कक्ष विधि में जल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। यह क्रिया बड़े बड़े सीस कक्षों में संपन्न होती है अतः इसका नाम सीस-कक्ष-विधि पड़ा है। संपर्क विधि में सल्फर अथवा आयरन सल्फाइड सतह किसी सल्फाइड के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड पहले बनता है और वह प्लैटिनम चातुयुक्त ऐसबेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिणत हो जाता है, जो जल में घुलकर सलफ्यूरिक अम्ल बनता है।

ध्यापारिक सलफ्यूरिक अम्ल शुद्ध नहीं होता। प्राणिक शोषित अम्ल के प्रभाजित क्रिस्टलन से शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है। सलफ्यूरिक अम्ल जल के साथ मिलकर अनेक हाइड्रेट बनाता है, जिनमें सलफ्यूरिक मोनोहाइड्रेट अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। इस गुण के कारण सांद्र सलफ्यूरिक अम्ल उत्तम शुष्कारक होता है। यह वायु से ही जल को नहीं खींचता वरन् कार्बनिक पदार्थों से भी जल का अंश खींच लेता है। जल के अवशोषण में अत्यधिक ऊष्मा का क्षेपण होता है, जिससे अम्ल का विघटन बहुत गरम हो जाता है। सांद्र

सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीजन के निकल जाने से यह सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अनेक धातुओं पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।

सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र  $H_2SO_4$  है। यह रंगहीन तेल सदृश गाढ़ा द्रव होता है। शुद्ध अवस्था में  $25^\circ$  से० ताप पर इसका घनत्व  $1.84$  है। इसका हिमांक  $10.5^\circ$  से० है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग अनेक उद्योगों में होता है जिनमें से निम्नांकित प्रमुख हैं। (१) उर्वरक उद्योगों में, जैसे सुपरफास्फेट, अमोनियम सल्फेट आदि के निर्माण में, (२) पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के परिष्कार में, (३) विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, (४) कृत्रिम तंतुओं, जैसे रेयन तथा अन्य सूतों, के उत्पादन में, (५) पेंट, वर्णक, रंजक इत्यादि के निर्माण में, (६) फॉस्फोरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, धावन सोडा तथा अन्य रसायनों के निर्माण में, (७) इन्धन उद्योग, धातुओं पर जस्ता चढ़ाना तथा धातुकर्म उद्योगों में, (८) बैटरी बनाने में, (९) धोपधियों के निर्माण में, (१०) लौह एवं स्टील, प्लास्टिक तथा अन्य रासायनिक उद्योगों में। प्रयोगशालाओं में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग विलायकों, निर्जलीकारकों (desiccating agent) तथा विश्लेषिक अभिकर्मकों के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इतने प्रबल एवं विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होता है कि उन सभी का उल्लेख यहाँ संभव नहीं है।

सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में आयनीकरण होता है। इससे विलयन में हाइड्रोजन घनायन, बाइसल्फेट तथा सल्फेट आयन बनते हैं। रासायनिक विश्लेषण की सामान्य रीतियों से सल्फ्यूरिक अम्ल में गंधक, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति जानी जा सकती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचनासूत्र सामान्यतः निम्नांकित रूप में लिखा जाता है :



(स = ग, अर्थात् गंधक)

आधुनिक विचारधारा के अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल के आयु की संरचना चतुष्फलक (tetrahedron) होती है, जिसमें गंधक का एक परमाणु केंद्र में और दो हाइड्रोजनी समूह तथा दो ऑक्सीजन के परमाणु चतुष्फलक के कोणों पर स्थित हैं। अम्ल के आयु की संरचना में गंधक-ऑक्सीजन बंध का अंतर  $1.51$  ऐ० (ऐंगस्ट्रॉम इकाई) होता है। शत प्रति शत शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व  $1.84$  से० पर  $1.834$  ग्राम प्रति मिलिलिटर होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गरम करने से उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाष्प निकलने लगता है तथा अम्ल का  $20^\circ$  से० से क्वथन प्रारंभ हो जाता है। क्वथनांक में तब तक वृद्धि होती जाती है, जब तक ताप  $317^\circ$  से० नहीं पहुँच जाता। इस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल  $56.54$  प्रति शत रह जाता है। क्वथ

ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल का विघटन शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ताप ऊपर उठता है विघटन बढ़ता जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल मोनोहाइड्रेट, गलनांक  $27^\circ$  से०, सल्फ्यूरिक अम्ल टेट्राहाइड्रेट, गलनांक  $-32.56^\circ$  से० तथा सल्फ्यूरिक अम्ल टेट्राहाइड्रेट, गलनांक  $-25.25^\circ$  से०, बनाता है। जल के साथ क्रिया के फलस्वरूप प्रति ग्राम सांद्र अम्ल  $20.5$  कैलोरी ऊष्म का उत्पादन करता है। सांद्र अम्ल कार्बनिक पदार्थों, सड़की तथा प्राणियों के ऊनकों से जल खींच लेता है, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाता है और अवशेष के रूप में कोयला रह जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल लवण बनाता है, जिसे सल्फेट कहते हैं। सल्फेट सामान्य या उदासीन लवण होते हैं, जैसे सामान्य सोडियम सल्फेट ( $Na_2SO_4$ ) या अम्लीय सोडियम बाइसल्फेट ( $NaHSO_4$ )। अम्लीय इच्छलिये कि इसमें अब भी एक हाइड्रोजन रहता है, जो क्षारकों से प्रतिस्थापित हो सकता है। धातुओं, धातुओं के ऑक्साइडों, हाइड्रॉक्साइडों, कार्बोनेटों या अन्य लवणों पर अम्ल की क्रिया से सल्फेट बनते हैं। प्रबल सल्फेट जलविलेय होते हैं। केवल कैल्सियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और सीस के लवण जल में अविलेय या बहुत कम विलेय होते हैं। अनेक लवण औद्योगिक महत्व के हैं। बेरियम और सीस सल्फेट वर्णक के रूप में, सोडियम सल्फेट कागज निर्माण में, कॉपर सल्फेट कीटनाशक के रूप में और कैल्सियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पैरिस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सीस और इस्पात पर सांद्र अम्ल की कोई क्रिया नहीं होती। अतः अम्ल के निर्माण में तथा अम्ल को रखने के लिये सीस तथा इस्पात के पात्र प्रयुक्त होते हैं।

बड़े पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का पहला कारखाना १७४० ई० में लंदन के समीप रिचमंड में बार्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित किया गया था। निर्माण के लिये गंधक तथा शोरे के मिश्रण को लोहे के पात्र में गरम किया जाता था और अम्ल के वाष्प को काँच के पात्रों में, जिनमें जल भरा रहता था, एकत्र किया जाता था। इस प्रकार से प्राप्त तनु अम्ल को बालु ऊष्मक के ऊपर काँच के पात्रों में सांद्र किया जाता था। कुछ समय पश्चात् शीघ्र दूटने-वाले काँच के पात्रों के स्थान पर छह फुट चौड़े सीस कक्षों का प्रयोग होने लगा। होल्केर नामक वैज्ञानिक के प्रबल परिश्रम द्वारा १८१० ई० में आधुनिक सीसकक्ष विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। १८१८ ई० से सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति के लिये कच्चे माल गंधक के स्थान पर पाइराइट नामक खनिज का प्रयोग होने लगा। १८२७ ई० में गे-लुसैक स्तंभ तथा १८५६ ई० में ग्लोवर स्तंभ के विकास द्वारा सीस-कक्ष-विधि का आधुनिकीकरण हुआ। यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा वायु को कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। ऐसे गैस मिश्रण को २५ फुट ऊँचे ग्लोवर स्तंभ में नीचे से प्रवेश कराया जाता है। इस स्तंभ में ऊपर से गे-लुसैक स्तंभ का सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण टपकता है। स्तंभ से निकलकर गैस मिश्रण सीस कक्ष में प्रवेश करता है। साधारणतया सीस कक्ष तीन रहते हैं। यहाँ कक्ष में भाप भी प्रवेश करता है। गैस मिश्रण और भाप के बीच क्रिया होकर, सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर, कक्ष के पदे में इकट्ठा होता है। अवशिष्ट गैस प्रब

के-सुलेक रस में प्रवेश करती हैं। इनमें प्रथमतया नाइट्रोजन के अणुसाहच रहते हैं। के-सुलेक रस को वा वापर के टुकड़ों के अंत रहता है। उसमें ऊपर से सलप्रयूरिक अम्ल टपकता है और क्लोराइड के कारण नीचे नीचे बिरकर, नाइट्रोजन के अणुसाहचों की अवशोषित कर, नाइट्रोसिल सलप्रयूरिक अम्ल बनता है और अंतोपर रस में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन के अणुसाहचों की अति बचार्द जाती है। सीस कण के प्राप्त अम्ल प्रयुक्त होता है। अणुसाहचों में आर्सेनिक, नाइट्रोजन के अणुसाहच तथा कुछ लवण होते हैं। ऐसा अम्ल अणुसाहचों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके लिये सुदृढ अम्ल आवश्यक नहीं है। ऐसा अम्ल सस्ता होता है।

अम्ल निर्माण की दूसरे रीति संस्पर्श विधि है। इस विधि से प्राप्त अम्ल अधिक सुदृढ और सांद्र होता है। इसका विकास १८८६-९० ई० में नाइट्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जर्मनी की वैज्ञानिक एमिलिन एंड सोडा फैब्रिक कंपनी ने इस विधि से सर्वप्रथम अम्ल तैयार किया, अतः इसे वैज्ञानिक विधि, अथवा वैज्ञानिक प्रक्रम भी कहते हैं। संसार के अधिकांश सलप्रयूरिक अम्ल का निर्माण आजकल संस्पर्श विधि से ही होता है। इससे किसी भी सांद्रता का अम्ल प्राप्त हो सकता है। इस विधि में गंधक को जलाकर, अथवा पाइराइट की उत्पत्ति कर, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे वायु के साथ मिलाकर उत्प्रेरक पर ले लाया जाता है, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन से संयुक्त होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र सलप्रयूरिक अम्ल में अवशोषित कराने से 'ओलियम' प्राप्त होता है। ओलियम की जल के साथ क्रिया से वांछित सांद्रता के अम्ल को प्राप्त किया जाता है।

उत्प्रेरक के रूप में पहले सुदृढ विभाजित प्लैटिनम प्रयुक्त होता था। यह बहुत महंगा पड़ता था। अब प्लैटिनम के स्थान में वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्रयुक्त होता है, जो प्लैटिनम की अपेक्षा बहुत सस्ता होता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम न हो जाय, इसके लिये आवश्यक है कि सल्फर डाइऑक्साइड आर्सेनिक, रास तथा धूल कणों से बिल्कुल मुक्त हो। अतः सल्फर डाइऑक्साइड के जलाने का प्रबंध रहता है और उसे ऐसे पदार्थों द्वारा पारित किया जाता है जिनसे आर्सेनिक पूर्णतया निकल जाय। यदि गैस को शुद्ध न कर लिया जाय, तो उत्प्रेरक की कार्यशीलता अल्प नष्ट हो सकती है। उत्प्रेरक कम में जो गैस प्रवेश करती है, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहते हैं। उत्प्रेरक पात्रों में उत्प्रेरक रखा रहता है। जहाँ क्रिया अल्प कर निकलती गैस को सांद्र सलप्रयूरिक अम्ल में अवशोषित कराया जाता है। इसके ओलियम प्राप्त होता है। ओलियम में अतः प्रति अत सलप्रयूरिक अम्ल के प्रतिरक्त ४० प्रति अत तक अधिक सल्फर ट्राइऑक्साइड अवशोषित रह सकता है। आवश्यक भाषा में पानी जलकर, इसके वांछित सांद्रता का अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। संस्पर्श विधि से अम्ल निर्माण के अनेक संबंध भी हैं, जिनमें अधिक सुदृढ और कम खर्च में अम्ल प्राप्त हो सकता है। ऐसे संबंध अल्प हैं, जिनमें १५ घंटे में १०० टन अम्ल तैयार हो सके। इनकी प्रकृतियों के लिये कुछ ही व्यक्ति पदांश होते

हैं। प्रति टन अम्ल के लिये एक टन से अधिक ऊँची वायु संपृक्त भाग, वा अति तप्त भाग, की आवश्यकता पड़ती है। प्रति टन १००% अम्ल की प्राप्ति के लिये १५ किगोमाट बिजली और ४,००० गैसम घंटे जल की आवश्यकता पड़ती है। [ स० वि० ]

संश्लेषण अनेक कार्बनिक यौगिक संश्लेषण अम्ल संश्लेषण बनाते हैं। वे ऐलिफैटिक ( aliphatic ) हो सकते हैं वा ऐरोमैटिक ( aromatic )। ऐलिफैटिक संश्लेषण अम्ल कठिनता से बनते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से किसी महत्व के नहीं हैं। ऐरोमैटिक संश्लेषण अम्ल सरलता से बनते हैं और महत्व के हैं। इनकी सहायता से अनेक कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं और अविशेष कार्बनिक यौगिक जल में विलेय बनाए जाते हैं। इनका व्यावहारिक उपयोग जब अविशेष रंजकों को जल विलेय रंजकों में परिवर्तित करने में होता है।

संश्लेषण अम्ल बनाने के लिये सामान्य सलप्रयूरिक अम्ल, सूक्ष्म सलप्रयूरिक अम्ल ( ओलियम oleum ), संश्लेषण क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट आदि, प्रयुक्त हुए हैं। बेंजीन से बेंजीन मोनोसल्फोनिक अम्ल, बेंजीन बाइसल्फोनिक अम्ल तथा बेंजीन ट्राइसल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। बेंजीन केंद्रक में तीन से अधिक संश्लेषण अम्ल नहीं प्रविष्ट करते। ऐनिलीन से संश्लेषण अम्ल प्राप्त होता है जिसे सल्फोऐनिल अम्ल कहते हैं। यह रंजकों के निर्माण में काम आता है। नैफथलीन से मिथन ताप ( जगमग ८०° से० ) पर नैफथलीन ऐल्फा-संश्लेषण अम्ल और उच्च ताप ( जगमग १८०° से० ) पर नैफथलीन बीटा-संश्लेषण अम्ल बनते हैं। ऐंथासीन से ऐंथासीन संश्लेषण अम्ल बनता है।

संश्लेषण अम्ल क्रिस्टलीय ठोस, धात्रताग्राही, जल में विलेय तथा प्रबल अम्लीय होते हैं और वायुओं से अच्छे क्रिस्टलीय लवण बनाते हैं। क्षारीय वायुओं के लवण जल में अति विलेय होते हैं, पर अन्य वायुओं के लवण न्यूनतम विलेय होते हैं। कार्बनिक संश्लेषण अम्लों की राहक क्षार के साथ तपाने से, संश्लेषण समूह का स्थान हाइड्रॉक्सिल समूह ले लेता है और इस प्रकार ऐरोमैटिक संश्लेषण अम्लों से फिनोल प्राप्त होते हैं। पीटैलियम सायनाइड के साथ तपाने से नाइट्राइल बनते हैं और तनु सलप्रयूरिक अम्ल के उपचार से, संश्लेषण अम्ल समूह, हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाता है। बेंजीन संश्लेषण अम्ल को प्रॉक्सीरस क्लोराइड के साथ उपचारित करने से बेंजीन-संश्लेषण क्लोराइड बनता है, जिसका अमोनिया के साथ उपचार करने से बेंजीन संश्लेषण प्राप्त होता है। ऐसे ही अनेक संजात आबकल सल्फा-ड्रव के नाम से प्रसिद्ध हैं और अनेक रोगों के लिये अणुक जोषण के रूप में प्रविष्टि पा चुके हैं। [ स० व० ]

संश्लेषण ( Sulfonamides ) द्रव्यों का एक वर्ग, जिसमें पैरा-ऐमिनो-बेंजीन संश्लेषण का मूल-रचना-सूत्र विद्यमान है, संश्लेषण कहलाता है। पैराऐमिनो बेंजीन संश्लेषण को संश्लेषण ऐमाइड भी कहते हैं और इस यौगिक में संश्लेषण सूत्रक ( -SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> ) के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान

वर विभिन्न धीमियों के मूलक प्रतिस्थापित करके, अनेक धीमिक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनका सांयुक्त नाम सल्फोनेमाइड है।

धीमि विज्ञान में इस वर्ष की धीमियों की अनेका संभवतः किसी अन्य वर्ष की धीमियों की अधिक मात्रा में नहीं मिले हैं। इसका कारण यह है कि इनकी सहायता से अनेक नए नए बचाई जा सकी हैं। बीमारी की अवधि काफी बढ़ाई जा सकी तथा कुछ बीमारियों से बचाव की व्यवस्था भी की जा सकी है।

सन् १९०६ ई० में पी० गेलमो ( P. Gelmo ) ने पैरा-धैमिनो बेंजीन सल्फोनेमाइड का संश्लेषण रंगक उद्योग में एक प्रयोजन के लिये किया जा और इसकी सहायता से कुछ ऐजो रंजक ( azo dyes ) बनाए गए। बाद में पता चला कि इन रंजकों में कुछ प्रतिजीवाणिक (antibacterial) प्रभाव भी है, परंतु इस ओर कुछ विशेष ध्यान न दिया गया। सन् १९१२ में जर्मनी में फ्रिट्ज मीट्सबे (Fritz Mietzsch) तथा जोसेफ क्लारर ( Josef Klarer ) ने प्रॉटोसिल (prontosil) तथा अन्य सल्फोनेमाइड युक्त ऐजो रंजकों का पेटेंट कराया और सन् १९१५ में गेरहार्ड डोमाक (Gerhard Domagk) ने अपने एक शोध निबंध द्वारा यह घोषणा की कि उसने प्रॉटोसिल का उपयोग यूरु में स्ट्रेप्टोकोकस ( Streptococcus ) संक्रमण की चिकित्सा के लिये किया तथा यह ज्ञात किया कि प्रॉटोसिल की जीव-विधायकता बहुत कम है और स्ट्रेप्टोकोकस से संक्रमित यूरु पर इसके उपयोग से उनकी वृद्धि होती रुक गई या कम हो गई। बाद में जर्मनी में ही इसका प्रयोग करने से यही ज्ञात प्राप्त हुए। डोमाक ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि प्रॉटोसिल केवल जीवधारियों के लिये ही जीवाणुनाशक का कार्य कर सकता है, बाहर परीक्षण नहीं से उपस्थित जीवाणुओं में नहीं।

इसके पश्चात् फ्रांस में ए० गिरार्द ( A. Girard ) ने प्रॉटोसिल का संश्लेषण करके उसका नाम रुबियारोल ( Rubiarol ) रखा तथा जीवों में इसका प्रयोग करके डोमाक को फर्मों की पुष्टि की। जे० ट्रेफुएल ( J. Trefouel ), एफ० निथ ( F. Nith ) तथा डी० बोवेट ( D. Bovet ) ने यह प्रदर्शित किया कि शरीर के ऊतक (body tissue) में यह ऐजो रंजक ऐजो मूलक पर ( -N=N-) विच्छिन्न होकर, पैरा-धैमिनो-बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं और वास्तव में प्रॉटोसिल या इसी प्रकार के ऐजो रंजकों की संक्रमण नाशन किया इसी धीमिक, पैरा-धैमिनो-बेंजीन सल्फोनेमाइड, ही के कारण है। इस विचारबारा की खोज ही पुष्टि हुई। इंग्लैंड तथा अमेरिका में भी इस प्रकार के प्रयोग हुए और वही फल प्राप्त हुए। इनके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि हुई कि स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण में सल्फोनेमाइड का प्रयोग ही सकता है। कुछ समय बाद यह पता चला कि म्युनोमिया में इसका उपयोग नहीं हो सकता, पर मैनि-वाइलिस तथा बच्चा पैदा होने के पश्चात् के संक्रमणों में यह बहुत उपयोगी है।


इसके पश्चात् वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि सल्फो-नेमाइड मूलक ( -SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> ) के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर अन्य धीमियों के मूलक प्रतिस्थापित करने से अन्य धीमिक, जो कुछ विशेष संक्रमणों में मात्रा में हैं, प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार ए० जे० ईविंस ( A. J. Ewins ) तथा एम० ए० फिलिप्स ( M. A. Phillips ) ने सल्फा-पिरिडीन बनाया, जो

म्युनोमिया के संक्रमण के लिये विशिष्ट था। सन् १९१६ तथा सन् १९१७ के बीच में इस प्रकार के अनेक धीमियों का संश्लेषण हुआ और इनमें से कई अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध में सैनिकों में इनका उपयोग बहुत हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक नए बचाई जा सकी। प्रत्येक सिपाही के पास सल्फोनेमाइड पाउडर तथा गोलीयां रहती थीं तथा उनको इनके उपयोग की विधि बता दी जाती थी, ताकि घायल होने पर वह स्वयं इनका प्रयोग कर सकें।


इस वर्ष के कुछ धीमियों के रचनासूत्र तथा उनके नाम



सल्फोनेमाइड




प्रॉटोसिल




सल्फा-पिरिडीन  
M. B. 693

(म्युनोमिया में उपयोगी)



सल्फाथायज़ोल



सल्फाडिज़ीन  
(देखने के लिये)

इनकी क्रिया विधि ( mode of action ) के संबंध में यह स्पष्ट है कि ये धीमियां जीवाणुओं को मरने नहीं देती बल्कि उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार यह जीवाणुओं को मार सकनेवाली जीवाणुनाशक ( bactericidal ) धीमियां से भिन्न हैं।

इस वर्ष की धीमियों का अनुभव पर कुछ किरिया प्रभाव भी पड़ता है और कुछ लोग इनके लिये बहुत ही संवेदी ( sensitive ) होते हैं, अतः बिना चिकित्सक की सलाह के इनका प्रयोग करना उचित नहीं है। इनसे उल्टी, चक्कर, मानसिक संश्लेषण क्षमता होने लगे हैं। कभी कभी रक्तारपता ( anaemia ), पैसाब में रक्त, पुरे में कुछ शोध आदि भी हो जाते हैं। कभी कभी चिकित्सक इन धीमियों के साथ कुछ अन्य धीमियां मिलाकर देते हैं, जिससे ऊपर लिखी धीमियां न उत्पन्न होये पाएँ। सर्वमान्य चिकित्सा विज्ञान में सल्फा दवाओं का स्थान प्रतिजीविक दवाओं ( antibiotics ) से निश्चि प्रकार कम नहीं है। [ रा० वा० डि० ]





बोर सेवा मन्दिर  
पुस्तकालय

काल न०

०३ हिदा